

**DUE DATE SLIP****GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj )

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

# अर्थशास्त्र का दिग्दर्शन

( भारतीय अर्थशास्त्र सहित )

इंटरमीडियेट, हायर सेकेंडरी तथा प्रिपैरेटरी या प्री-यूनिवर्सिटी स्मार्टम एन  
एंग्रीकल्चर परीक्षाओं के लिये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान,  
दिल्ली, अजमेर, पश्चिमी बंगाल आदि परीक्षा बोर्डों,  
राजस्थान सागर, नागपुर, जबलपुर, बिहार-पटना आदि  
विश्वविद्यालयों के तवीनतम पाठ्यक्रमानुसार

लेखक

प्रो० जी० एल० जोशी एम० ए०, एम० काम०

एफ० आर० ई० एस० ( लन्दन )

अध्यक्ष

स्नातकोत्तर वाणिज्य विभाग,

दयानन्द कॉलेज, अजमेर

द्वितीय संशोधित एवं परिष्कृत संस्करण

## आगरा बुक स्टोर

प्रकाशक, विक्रेता एवं मुद्रक

आगरा  
मेरठ

अजमेर  
दिल्ली

इलाहाबाद  
लखनऊ

कानपुर  
वाराणसी

नागपुर  
पटना

प्रकाशक—  
आगरा बुक स्टोर,  
रावतपाडा, आगरा ।

तृतीय संस्करण १९६१

मूल्य आठ रुपये

Printed on paper of  
The Titaghur Paper Mills Co Ltd Calcutta  
Supplied by  
Mr Gopinath Bhargava Branch Sales Manager Delhi

मुद्रक—  
शिव नारायण माहेश्वरी  
अग्रवाल प्रेस, आगरा ।

## तृतीय संस्करण की भूमिका

पाठकों के समक्ष 'अर्थशास्त्र का दिग्दर्शन' का यह नवीन संस्करण प्रस्तुत करते हुए मुझे बड़ी प्रसन्नता है। इस संस्करण में कई अध्याय नये स्तिरे से लिखे गए हैं। पाठ सामग्री को पूर्णतया संशोधित एवं परिवर्द्धित कर नवीनतम तथ्यों एवं भाँवकों से सुसज्जित कर दिया है। इस संस्करण में अनेक नवीन चित्र, चार्ट, नक्शे आदि जोड़ दिये गये हैं जिसमें विषय सरल एवं बोधगम्य हो गया है।

आशा है यह नवीन संस्करण विद्यार्थियों एवं अध्यापकों को अधिक लाभप्रद एवं उपदेश सिद्ध होगा।

अजमेर  
११ जनवरी, १९६१

जी० एल० जोशी  
लेखक

## प्रथम संस्करण की भूमिका

देश की चतुर्मुखी उन्नति के लिए यह नितान्त आवश्यक है कि भावी सन्तति का भिन्न भी बहुविध हो। जहाँ उसके शारीरिक गठन और चरित्र निर्माण की आवश्यकता है वहाँ उसके मस्तिष्क के विकास के लिए अनेक प्रकार की शिक्षाएँ भी आवश्यक हैं। इन शिक्षाओं में अर्थशास्त्र की शिक्षा का महत्त्व कहीं अधिक उपयोगी है। आज जो देश इस शिक्षा से परिपूर्ण है उनका राष्ट्र उत्तम ही उन्नत और अग्रणी बन रहा है। इंग्लैंड ने इसी के आधार पर मसार के एक बड़े भू भाग पर अपना प्रभुत्व जमा लिया। अमेरिका ने भी इसी के बल से मसार में अपनी महत्ता स्थापित कर रखी है। अतः यह परमावश्यक है कि स्वतन्त्र भारत के भावी नागरिक भी इस शिक्षा से पूर्ण लाभ उठाकर अपने देश को एशिया का ही नहीं, मसार का बनावें।

भारतवर्ष एक निर्धन देश है। यहाँ करोड़ों देशवासियों को कठिन परिश्रम करने पर भी भर-पेट भोजन नहीं मिल पाता और न उनको पक्का कपड़ा ही मिल पाते हैं। यहाँ समय-समय पर दुर्भिक्षों का आक्रमण होता रहता है। मिचरों की व्यापक व्यवस्था के अभाव में यहाँ का कृषि-उद्योग 'नया नया सुखा' बना हुआ है। औद्योगिक दृष्टि में देश कितना पिछड़ा हुआ है यह बात किसी में खिंची हुई नहीं है। देश व्यापक निर्धनता ही इस पीछे अवस्था का मुख्य कारण है। अतः, देश की निर्धनता दूर करने के लिए, देशवासियों की आर्थिक दशा सुधारने के लिए तथा देश के आर्थिक विकास के लिए, जल्द ही अर्थशास्त्र के ज्ञान के प्रचार को अत्यन्त आवश्यकता है। परन्तु यह कार्य हम कैसे ? अर्थशास्त्र की उत्तम पुस्तकों का भंडार अंग्रेजी में है। भारतवर्ष में अंग्रेजी जानने वालों की संख्या बहुत कम है तथा और भी कम हो रही है। अतः अंग्रेजी में

# विषय-सूची

पृष्ठ

नम्बर

## विषय-प्रवेश

१-विषय परिचय	...	१
२-अर्थशास्त्र का विज्ञानात्मक एवं कलात्मक ह्रास	...	१४
३-अर्थशास्त्र का क्षेत्र	...	१६
४-अर्थशास्त्र के विभाग और उसका पारस्परिक सम्बन्ध	...	२३
५-अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध	...	२६
६-अर्थशास्त्र के नियम	...	३७
७-अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्त्व	...	४५
८-आधुनिक जीवन का विकास	...	५४
९-बुद्ध पारिभाषिक शब्द	...	६८
१०-घर या समाज	...	७६

## उपभोग

११-उपभोग का अर्थ	...	८१
१२-आवश्यकताएं	...	८६
१३-आवश्यकताओं का वर्गीकरण	...	११६
१४-उपभोग के नियम—उपयोगिता, ह्रास, नियम	...	१२६
१५-सम-सामान्य उपयोगिता नियम	...	१३८
१६-उपभोक्ता की वचन	...	१४७
१७-जीवन स्तर	...	१५४
१८-आय, व्यय और वचन	...	१६४
१९-विनाशिताएं और अव्यय	...	१७५
२०-पारिवारिक बजट (आय-व्यय)	...	१८१

## उत्पत्ति

२१-उत्पत्ति—अर्थ, महत्त्व, उत्पत्ति के साधन, उत्पत्ति की कार्यक्षमता	...	१९५
२२-भूमि—अर्थ, विशेषताएं, महत्त्व, कार्यक्षमता, पैती करने की विविध रीतियां भूमि की गतिशीलता	...	२०४
२३-उत्पत्ति के नियम—उत्पत्ति-ह्रास नियम, उत्पत्ति-वृद्धि-नियम और उत्पत्ति स्थिर नियम	...	२१२

प्रथम

२४—भारतवर्ष के प्राकृतिक साधन— भारतवर्ष की स्थिति,  
प्राकृतिक या भौगोलिक विभाग भूमि, भूमि की समस्याएँ—  
भूमि का कटाव, भूमि धान्ति, भारतवर्ष की जलवायु—  
आर्थिक प्रभाव, जनवृष्टि मानसून

२५—भारतवर्ष का वन

२६—भारतवर्ष की कृषि सम्पत्ति

२७—भारतवर्ष में सिंचाई

२८—क्षेत्र विभाजन एवं ग्रपगण्डन

२९—भारत की खनिज सम्पत्ति

३०—भारतवर्ष में शक्ति के साधन

३१—धम

३२—जनसंख्या

३३—भारतवर्ष का जनसंख्या

३४—धम की कार्य-कुशलता

३५—धम की गतिशीलता

३६—पूँजी

३७—मशीना का उपयोग

३८—संगठन

३९—धम विभाजन

४०—उद्योगों का स्थानीयकरण

४१—उत्पत्ति का परिमाण

४२—व्यवसाय संगठन के रूप

४३—गाहम

४४—भारतवर्ष में लघु एवं कुटीर उद्योग

४५—भारतवर्ष में वृहद् उद्योग

### विनिमय

४६—विनिमय

४७—मण्डी व्यवस्था बाजार (विपणन)

४८—मौल्य और पूँजी

४९—नूय निर्धारण

५०—मुद्रा

प्रश्न	पृष्ठ संख्या
११—मुद्रा का गान, प्रेशम का नियम, मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त, मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन	६०५
१२—भारतीय चलन प्रणाली	६३८
१३—सात एव सात पत्र	६५१
१४—श्रीर बैंकिंग प्रणाली	६७१
१५—ग्राम्य ऋण प्रस्तुता	७१०
१६—सहकारिता आन्दोलन	७२०
१७—कृषिमातृ	७४६
१८—भारत का व्यापार	७७८

### वित्त

१६ - वितरण की समस्या	७६५
१७—लगाव	८०७
१८—भारत में भू धारण पद्धति एवं मानगुजारी प्रथा	८३१
१९—मजदूरी ( भुति )	८५१
२०—व्याज	८८२
२१—लाभ	९०५

### राजस्व

२२—राजस्व और कर	९२३
२३—भारत में वैदेशीय राजस्व	९४३
२४—भारत में राजनी का राजस्व	९५६
२५—भारत में स्थानीय राजस्व	९६८

### आर्थिक नियोजन

२६—भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, सामुदायिक योजनाएं मूलक २००१, १९६६, १९६९, १९७३	१०११
२७—भारत में दण्डमूल्य प्रणाली, मीटर प्रणाली के नए बाट श्रीर पंमाने	१०१९
परिशिष्ट १—मिक्सी की परिवर्तन ताजिका	१०१७
परिशिष्ट २—तौल परिवर्तन ताजिका	१०१८

अर्थशास्त्र का परिचय

किसी नवीन विषय को प्रारम्भ करने से पूर्व उसके विषय में परिचयात्मक ज्ञान प्राप्त करने की उत्सुकता एवं इच्छा पाठकों में प्रायः देखी जाती है। अतः वही उत्सुकता अर्थशास्त्र के विषय में परिचय प्राप्त करने के लिये भी होना स्वाभाविक है। विषय परिचय के पूर्व इस बात को जानने की उत्कृष्ट सहज उत्पन्न हो जाती है कि यह क्या विषय है और इसमें किन किन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है? इसका उत्तर ढूँढ निकालने के लिए यदि हम अपनी दृष्टि मनुष्य के दैनिक कार्यों पर डालें तो हमें मरलता से ज्ञात होगा कि वह प्रातःकाल में सायंकाल पर्यन्त धार्मिक, सामाजिक, नागरिक, राजनीतिक, परोपकार और धनोपार्जन सम्बन्धी व्यवसाय प्रादि विविध कार्यों में मग्न रहता है। अर्थात् जब वह मन्दिर जाता है तो धार्मिक कार्य करता है, म्युनिमिपल बोर्ड के अधिवेशनों में उनकी बायेंबाही में रुचिपूर्वक भाग ले, तब नागरिक अथवा राजनीतिक कार्य सम्पादित करता हुआ समझा जाता है। इसी प्रकार जब वह उद्योग-शाला, कार्यालय अथवा किसी व्यापारिक स्थान में जाकर जीवन यापन करता है, तो आर्थिक कार्यों में व्यस्त समझा जाता है। भूकम्प, बाढ़, दुर्भिक्ष प्रादि आपत्तियों में जन-समाज की रक्षा करने, भय, धूम्र पान प्रादि व्यसनो से होने वाली हानियों के प्रति मनुष्य को सतर्क करने में जब साहसी, धीर-वीर नर अपना माधन और समय लगाते हैं, तब वे सामाजिक कार्य करते हुए कहे जाते हैं।

उपरोक्त नाना प्रकार के कार्यों का विवेचन एक विशिष्ट प्रकार के शास्त्र में किया जाता है, जैसे धर्म सम्बन्धी बातों का विवेचन धर्मशास्त्र (Theology) में और राजनीति सम्बन्धी कार्यों का राजनीति शास्त्र (Political Science) में उल्लेख होता है। तब इसी प्रकार जीवन-यापन सम्बन्धी समस्त क्रियाओं, व्यवहारों और उनके साधनों का विवेचन एक विशिष्ट प्रकार के शास्त्र में जिसको 'अर्थशास्त्र' (Economics) के नाम से सम्बोधित करते हैं, किया जाता है। दूसरे शब्दों में या कहना चाहिए कि अर्थशास्त्र के अन्तर्गत मनुष्य के धन-सम्बन्धी प्रयत्नों और निदानों का विवेचन होता है। मनुष्य भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से धनोपार्जन में प्रयत्नशील रहता है और फिर उस उपार्जित धन का किस प्रकार उपभोग करता है, इन बातों का ज्ञान अर्थशास्त्र का अध्ययन कराता है।

अर्थशास्त्र मनुष्य जीवन का सर्वांगीण अध्ययन न होकर केवल उसके एक अंग मान का अध्ययन है, अर्थात् यह उसकी केवल आर्थिक क्रियाओं पर ही प्रकाश डालता है। उसके दैनिक जीवन की अन्य प्रकार की क्रियाओं का विवेचन अन्य विशिष्ट प्रकार के शास्त्रों में किया जाता है।



### आर्थिक जीवन का मूल आधार (Basis of Economic Life)

आर्थिक जीवन का आधार मनुष्य की विविध आवश्यकताएँ और उनकी पूर्ति के लिए साधनों का समूह ही है। उदाहरणार्थ, उनकी भोजन की आवश्यकता उसे इस बात के लिये वाध्य करती है कि वह धान पैदा करे। घतः यह स्पष्ट है कि आर्थिक क्रियाओं का अस्तित्व मनुष्य की आवश्यकताओं पर ही निर्भर है। यदि मनुष्य आवश्यकता शून्य हो जाय, तो निःसन्देह उसका जीवन भी क्रिया शून्य हो जायगा। समस्त मानव-जगत् को निरन्तर क्रियाशील रखने वाली वस्तु 'आवश्यकता' (Wants) है। इस प्रकार अर्थशास्त्र का सम्पूर्ण ढाँचा आवश्यकताओं पर ही निरर है।

**आर्थिक प्रयत्न (Economic Activities)**—उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि मनुष्य का अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कुछ प्रयत्न आवश्यक करना पड़ते हैं, और प्रयत्नों की मुक्तारूप से क्रियात्मक बनाने के लिए उसे सभी साधन सुपुर्ण हाँ जाने हैं। भौतिक गुण की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न अनोपार्जन करने में समर्थ हैं तथा जिन साधनों के द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अर्थशास्त्र में उन्हें 'आर्थिक प्रयत्न' (Economic Activities) कहते हैं। उदाहरण के लिए, चित्रकार यदि मनोरंजन के उद्देश्य में रहित हलंकर अर्थ प्राप्ति के लिए चित्र बनाना है तो वह उसकी 'आर्थिक क्रिया' (Economic Activity) है। इसी प्रकार अन्य प्रयत्न में भी यह भेद प्रकट किया जा सकता है।

**आर्थिक प्रयोजन (Economic Motive)**—प्रत्येक कार्य किसी न किसी प्रयोजन में सम्पन्न किया जाता है। विद्यार्थी खेल कूद में भाग आनन्द-प्रमोद के लिए लेते हैं। शनिदिन भर उद्योगशाला (Workshop) में जीवन यात्रा के साधन घन की प्राप्ति के लिए व्यस्त रहता है। इसी प्रकार कृषक बड़े परिश्रम के साथ धान उपजाते में सतान रहता है। प्रथम उदाहरण में आनन्द प्रमोद एवं मनोरंजन कार्य सम्पन्नता का मुख्य कारण है और दोप दो में अर्थोपार्जन मुख्य उद्देश्य है। घन, अर्थोपार्जन उद्देश्य वाली क्रियाओं की सम्पन्नता 'आर्थिक प्रयोजन' (Economic Motive) कहलाती है और जिन कार्यों के पीछे 'आर्थिक-प्रयोजन' होता है उनको हम 'आर्थिक-प्रयत्न' कहते हैं।

### आवश्यकताओं और प्रयत्नों का पारस्परिक सम्बन्ध

आवश्यकताओं और प्रयत्नों के मध्य एक अनिच्छित सम्बन्ध है। अन्य जीव-धारियों की भाँति ही मनुष्य को भी कुछ आवश्यकताएँ होती हैं जिन्हें पूरा करने के लिये वह जीवित नहीं रह सकता। उदाहरणार्थ, मनुष्य का खाने के लिए भोजन, धारीर रक्षा के लिये वस्त्र, मांस खाने के लिए बाघ, गीने के लिए पानी और रहने के लिये भवन चाहिए। इन आवश्यकताओं पर मनुष्य का जीवन स्थिर है, अतः इन्हें 'प्राथमिक आवश्यकताएँ' (Primary Wants) अथवा 'अनिवार्य आवश्यकताएँ' (Necessaries of Life) कहते हैं। किन्तु मानवीय प्रयत्न इन आवश्यकताओं की सन्तुष्टि तक ही सीमित नहीं है। वह आगे बढ़ता है और 'सुख-वस्तुओं' (Comforts) को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। इसके पश्चात् 'विलास-वस्तुओं' (Luxuries) की प्राप्ति में प्रयत्नशील रहता है। इस प्रकार आवश्यकताएँ उत्तरात्तर बढ़ती ही जाती हैं, यहाँ तक कि उनकी पूर्ति के साधन विद्रव्य जाते हैं।

सत्य साधन और प्रसीमित आवश्यकताएँ (Scarce Means and Unlimited Wants)—हम देखने हैं कि हमारी आवश्यकताएँ बहुत हैं और उनमें प्रतिदिन वृद्धि ही होती जाती है। उनकी पूर्ति के लिए हमारे पास साधन समय और शक्ति पूर्ण अथवा पर्याप्त नहीं हैं। मनुष्य इन प्रसीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे उसे प्रकृति में प्राप्त होती हैं। प्रकृति-दत्त कुछ वस्तुएँ तो सदासतः प्रचुरता में उपलब्ध होती हैं कि उनके प्राप्त करने के लिए न तो कोई प्रयत्न करना पड़ता है और न कुछ व्यय ही उदाहरणार्थ वायु, जल, धूप, और प्रकाश आदि ऐसी वस्तुओं को 'निःशुल्क प्रकृति-दत्त पदार्थ' (Free Gifts of Nature) कहते हैं। प्रकृति की यह उदारता केवल कुछ ही वस्तुओं तक सीमित है। अन्य वस्तुओं की प्रकृति उस समय तक नहीं देती जब तक मनुष्य उनके लिए प्रयत्न नहीं करता। ऐसी श्रम साध्य वस्तुएँ मूल्यवान होने के कारण 'धन', 'अर्थ' या 'सम्पत्ति' के (wealth) नाम से कही जाती हैं। मानव जीवन जो स्थिर रखने और सुखी बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती है और उसी के ही प्रभाव से राज समस्त भूमंडल क्रियाशील है।

अर्थशास्त्र का प्रादुर्भाव एवं विकास—अर्थशास्त्र बहुत प्राचीन है। इसका प्रादुर्भाव स्वयं से प्रथम भारतवर्ष में हुआ। लगभग दो हजार तीन सौ वर्ष पूर्व भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के शासनकाल में आचार्य कौटिल्य ने इस विषय पर समस्त वे सन्मुख सर्व प्रथम एक क्रमबद्ध अर्थशास्त्र प्रस्तुत किया जो अब भी कौटिल्य अर्थशास्त्र के नाम से सुविख्यात है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इससे पूर्व भारतवर्ष में अर्थशास्त्र का अस्तित्व नहीं था। आचार्य बृहस्पति, शुक्र, उशनस, अगिरस, बहुरुदितपुत्र आदि अनेक अर्थशास्त्र के प्रकांड विद्वान प्राचीन भारत में इनमें भी पूर्व हो चुके हैं। अर्थ सम्बन्धी मानवीय भौतिक सुख के निमित्त जो विवेचन वेद, स्मृतियों आदि ग्रन्थों में मिलता है वह इस बात को घोषित करता है कि अर्थशास्त्र का विषय इस देश में अति प्राचीन काल से विद्यमान है, जबकि वर्तमान उन्नत देशों में सम्पत्ता का प्रारम्भ भी न हुआ था। कौटिल्य अर्थशास्त्र में अर्थ सम्बन्धी विषयों के अतिरिक्त कतिपय अन्य विषयों पर भी जैसे शासन तथा नैतिका-व्यवस्था, युत्तर तथा पुस्तिम प्रबन्ध राजाओं के कर्तव्य, न्यायानुसंगी प्रबन्ध, नगर-व्यवस्था, धन-विधि, गाँवों की बसावट, कृषि, पशुपालन, विविध शैलियों के दुर्गों के निर्माण आदि आदि विषयों पर पूर्ण प्रकाश डाला गया है। अतः हमसे यह स्पष्ट है कि प्राचीन भारत में अर्थशास्त्र विषय क्या व्यापक था। वह इतना सज्जित नहीं था जितना आधुनिक अर्थशास्त्र। इसी आधार पर प्राचीन तथा मध्यकालीन पाठ्यशास्त्रों में भी इसे 'राजनीति-अर्थशास्त्र' अथवा 'राष्ट्रीय मितव्ययशास्त्र' (Political Economy) कह कर पुकारा है। आज जिन रूप में हम अर्थशास्त्र प्राप्त हैं उसका विकास सबसे पहले पाश्चात्य देशों में, विशेषतया, इंग्लैंड में हुआ।

### अर्थशास्त्र की कुछ वर्तमान प्रचलित परिभाषाएँ

(१) प्रो० मार्शल की परिभाषा—इंग्लैंड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्र विशेषज्ञ प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल (A. Marshall) की परिभाषा अत्यन्त लोकप्रिय है। वे अर्थशास्त्र को निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं :—

“अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण जीवन में व्यापार सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन है, यह इस बात का विवेचन करता है कि वह किस प्रकार धनोपाजन करता

है और किस प्रकार उनका उपभोग करता है " " " " । इन प्रकार यह एक और घन का अध्ययन है और दूसरी ओर जो हमने भी अधिक महत्वपूर्ण है मनुष्य के अध्ययन का एक भाग है ।<sup>1</sup>

( २ ) प्रो० एली की परिभाषा—“अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मनुष्य के धन की प्राप्ति और निर्णय सम्बन्धी क्रियाओं का सामाजिक घटनाओं की दृष्टि में वर्णन करता है ।”<sup>2</sup>

( ३ ) डा० फेयरचाइल्ड की परिभाषा—“अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जिसके द्वारा भौतिक साधन सम्पन्न मनुष्य सचेष्ट होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति के निमित्त ज्ञान प्राप्त करता है ।”<sup>3</sup>

( ४ ) डा० केनन की परिभाषा—“अर्थशास्त्र भौतिक सुख अर्थात् मनुष्य की भौतिक समृद्धि के कारण का अध्ययन है ।”<sup>4</sup>

( ५ ) डा० सीयर की परिभाषा—“अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसमें मानवीय प्रयत्नों के उस भाग का विवेचन होता है जिसका जीविकोपार्जन से सम्बन्ध है ।”<sup>5</sup>

( ६ ) प्रो० वॉपमैन की परिभाषा—“अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन के कर्मान और खर्च करने की क्रियाओं का अध्ययन करता है ।”<sup>6</sup>

( ७ ) डा० रिचार्ड की परिभाषा—“अर्थशास्त्र हमारी आवश्यकताओं, क्रियाओं तथा सन्तुष्टि का अर्थात् जीवन की व्यपार सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन करता है ।”<sup>7</sup>

1—“Economics is the study of man's actions in the ordinary business of life, it enquires how he get his income and how he uses it . . . Thus it is on the one side a study of wealth and on the other, and more important side, a part of the study of man ”—

—*Marshall*

2—“Economics is the science which treats of those social phenomena that are due to the wealth getting and spending activities,”

—*Ely*

3—“Economics is the science of man's activities devoted to obtaining the material means for the satisfaction of his wants ”

—*Fairchild*

4—“Economics is a study of the causes of material welfare.

—*Cannan*

5—“Economics is the social science which treats of that portion of human activity which is concerned with making a living ”

—*Seager*

6—“Economics is the science which studies the wealth-earning and wealth spending activities of human beings

—*Chapman*

7—“Economics deals with our wants, our efforts and our satisfied actions—with our activities in the business of life ”

—*Rich' d*

( ८ ) प्रो० पेन्सन की परिभाषा—“अर्थशास्त्र भौतिक गुण का विज्ञान है।”<sup>8</sup>

( ९ ) प्रो० पीगू की परिभाषा—“अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण का अध्ययन है और आर्थिक कल्याण का वह भाग है जिसका मुद्रा क प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मापदण्ड से सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है।”<sup>9</sup>

परिभाषाओं की व्याख्या—उपर्युक्त विविध परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र मानव जीवन की अर्थ सम्बन्धी क्रियाओं का सामाजिक दृष्टि से अध्ययन है।

इन परिभाषाओं का बिस्लेषण करने से निम्नांकित तथ्य प्रकट होते हैं —

( १ ) अर्थशास्त्र मनुष्य जीवन के साधारण व्यवसाय में सम्बन्ध स्थापित है कि असाधारण व्यवसाय में, यद्यपि यह स्पष्ट नहीं है कि असाधारण व्यवसाय में क्या तात्पर्य है ?

( २ ) हमने अतिसंत केंद्रित आर्थिक क्रियाओं का ही विवेचन होना है कि सामाजिक क्रियाओं का।

( ३ ) यह मनुष्य के सामाजिक जीवन को प्रकट करता है, अर्थात् इसमें मनुष्य का अध्ययन व्यक्तिगत रूप में न होकर सामाजिक दृष्टि से होना है।

( ४ ) अर्थशास्त्र मनुष्य और धन दोनों का ही अध्ययन है परन्तु इसमें प्रमुखता मनुष्य को ही दी गई है न कि धन को। धन का अध्ययन मनुष्य के आर्थिक कल्याण का एक मात्र साधन होने के कारण ही किया जाता है। इसलिए अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य मानव का आर्थिक कल्याण है।

इन आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने प्रधानता मनुष्य को दी है और धन को गौण रखा है। प्रो० पेन्सन ने शब्दों में अर्थशास्त्र का आरम्भ और अन्त मनुष्य ही है न कि धन या धन जो कि आरम्भ और अन्त के मध्य में आने वाले मनुष्य के पास उद्देश्य की पूर्ति का साधन मात्र है।

प्रो० मार्शल की परिभाषा की आलोचना—प्रो० मार्शल द्वारा प्रतिपादित अर्थशास्त्र की परिभाषा का काफी समय तक बोल बाला रहा। यह परिभाषा पूर्ण तथा वैज्ञानिक मानी जाने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत होता था कि अर्थशास्त्र की परिभाषा के विषय में कोई मतभेद भविष्य में भी पैदा न होगा। इस तथ्य के अनुसार कि, अर्थशास्त्र की परिभाषा समय और परिस्थिति के साथ बदलती रही है, कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस परिभाषा पर भी अग्रन्तः प्रकट किया और इसके विपरीत अपने विचार प्रकट किए। इन आलोचकों में से लन्दन अर्थशास्त्र विचारधारा ( London School of Economics ) के प्रोफेसर रॉबिन्सन प्रमुख हैं। इन्होंने मार्शल की परिभाषा पर सीधा आक्रमण किया और उनकी अनेक त्रुटियों की धार संकेत किया जो निम्नलिखित हैं,—

8—“Economics is the science of material welfare” —Pearson

9—“Economics is a study of economic welfare, economic welfare being described as that part of welfare which can be brought directly or indirectly into relation with the measuring rod of money”

—Pigou

(१) प्रो० मार्शल ने माध्यम्य जीवन में व्यापार सम्बन्धी क्रियाओं को तो अर्थशास्त्र के अन्वेषण में महत्व दिया है, परन्तु अनाधारण व्यवसाय सम्बन्धी क्रियाओं पर स्थान न देन में भूत की है। क्या खुद-नियन्धी अनाधारण क्रियाओं का दाने समाधान नहीं होगा ?

(२) यह परिभाषा भौतिकता के जान में क्यों हुई है। क्या इस शास्त्र में अर्थशास्त्रिक सम्पुष्ट जैसे व्यापार की ख्याति (Goodwill), मेधाएँ, आदि का अन्वेषण नहीं होगा ?

(३) इसमें मानवीय क्रियाओं को आर्थिक और अ-आर्थिक भागों में विभक्त कर भूत की है। क्या शान्, धर्म की क्रिया अनार्थिक होत हूँ भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में धन में सम्बन्धित नहीं है ?

(४) प्रो० मार्शल ने अनुसार अर्थशास्त्र के अन्वेषण का उद्देश्य मायव ज्ञान का अतिवृद्धि करण है। किन्तु अर्थशास्त्र तो विज्ञान है जिसे हिन-अहित और नैतिक-धार्मिक बाधों से काँटे सम्बन्ध नहीं। इसमें तो हिनकर सम्पुष्टों जैसे दूध, घी, नमक आदि तथा ज्ञानिवाचक सम्पुष्टों जैसे अफीम, मदिग आदि दोनों प्रकार की सम्पुष्टों का अन्वेषण किया जाता है।

(१०) प्रो० रॉबिन्स की परिभाषा—यद्यपि हम प्रो० रॉबिन्स की इस परिभाषा का विवेचन करने हैं जिसमें वर्तमान अर्थशास्त्र के परिदृश्यों की धारणाओं में उद्यम-सुधन का कर दिया है और जिसमें अर्थशास्त्रिक अर्थशास्त्री धनुषाये भी हूँते जा रहे हैं। व अर्थशास्त्र का निम्न प्रकार परिभाषित करने हैं :—

“अर्थशास्त्र वह विज्ञान है, जो मध्य और स्वल्प माधनों का वैकल्पिक उपयोगों की दृष्टि में मनुष्य के धान्यरूप का अन्वेषण करता है।”

उपरोक्त परिभाषा में प्रो० रॉबिन्स कहते हैं कि अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो मानवीय व्यवहारों का अन्वेषण करता है, जिसमें मध्य, सीमित समय और माधनों के मध्य धारणात्मक सम्बन्ध स्थापित करन हुए, यह बताया जाता है कि अधिकाधिक लाभ की दृष्टि में सीमित समय और स्वल्प-माधनों का उपयोग कितनी मात्रा में करना चाहिये। इसे एक उदाहरण में समझ लेना चाहिये। मनुष्य अपनी इच्छा में २४ घण्टों में पढ़ना-लिखना, खेतना-कूटना, धनापार्जन करना, मिनेमा जाना आदि कार्य करता है। इसी प्रकार वह अपनी धान्य का उपयोग भाजन, वस्त्र, गुह, दान-पुण्य बनन आदि बातों में करता है, परन्तु मनुष्य की शक्ति उतना समय और उनकी धान्य सीमित है, इसलिए वह उन बातों में से जो अधिकाधिक लाभकारी और अनावश्यक है, उनका सर्वप्रथम उपयोग करता है। जितना जितना अनुपात में उसका लाभ और अन्वेषणता मिले वामा म कम है, उतना उपयोग उतना ही उत्तरात्तर पीछे धरना पाया जाता है।

प्रो० रॉबिन्स की परिभाषा के तथ्य

(१) असीमित आवश्यकताएँ (Unlimited Wants)—अर्थशास्त्र की सम्पूर्ण उद्देश्य उत्पन्न होती है कि मनुष्य की आवश्यकताएँ (माध्य) अनेक और असीमित हैं और उनकी पूर्ति व साधन सीमित हैं। इस अर्थ में, पूर्ति होना, सम्भव नहीं क्योंकि उनकी दृष्टि उत्तरात्तर रहनी रहनी है।

10—Economics studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses

—Robbins

(२) स्वल्प साधन (Scarce Means)—हमारी असमीमित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे साधन स्वल्प और सीमित हैं। यदि समस्त इच्छित वस्तुएँ यथेष्ट परिणाम में मिल सकें, तो हमारी समस्त आर्थिक समस्याएँ सरल हो जावेंगी।

(३) स्वल्प साधनों का वैकल्पिक उपयोग (Alternative Uses)—स्वल्प साधनों का अनेक प्रकार से उपयोग होने के कारण उनकी ग्युनता की ओर भी अधिक धनोभव होता है। यदि किसी वस्तु या सेवा का विस्तृत सीमित उपयोग हो तो ये आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न ही न होंगी।

प्रो० मार्शल और प्रो० रॉबिन्स की परिभाषाओं पर तुलनात्मक दृष्टि

मार्शल और रॉबिन्स की परिभाषा में विशेष अन्तर नहीं है। (स्वल्प-साधन' (Scarce Means) का अर्थ धन या सम्पत्ति से है और नाष्प (Ends) मानवीय सृष्टि अर्थात् आवश्यकताओं की पूर्ति का उद्देश्य है।

(१) प्रो० मार्शल की परिभाषा व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त है और प्रो० रॉबिन्स की परिभाषा वैज्ञानिक दृष्टि से।

(२) प्रो० मार्शल ने मनुष्य की क्रियाओं को आर्थिक व अर्थसाध्य क्रियाओं में विभक्त कर दिया है, परन्तु प्रो० रॉबिन्स ने इस प्रकार का भेद नहीं किया है।

(३) प्रो० मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में केवल आर्थिक क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, परन्तु प्रो० रॉबिन्स के अनुसार प्रत्येक क्रिया के आर्थिक पहलू (Economic Aspect) का अध्ययन किया जाता है।

(४) प्रो० मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में केवल सामाजिक, सामान्य तथा वास्तविक व्यक्तियों का ही अध्ययन किया जाता है, परन्तु रॉबिन्स के अनुसार मनुष्य मात्र का अध्ययन किया जाता है।

(५) मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र में मनुष्य के केवल सामान्य आचरण का अध्ययन किया जाता है, परन्तु रॉबिन्स के अनुसार मनुष्य के उन सभी आचरणों का अध्ययन किया जाता है जिनका उद्देश्य सीमित साधनों का असमीमित माष्प पर प्रयोग करना होता है।

(६) प्रो० मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र न केवल एक वास्तविक विज्ञान ही है, बल्कि यह एक नीति प्रधान विज्ञान तथा कला भी है। इस शास्त्र का अध्ययन केवल ज्ञान-वृद्धि के लिए ही नहीं अपितु लाभ प्राप्ति के लिये भी किया जाता है। प्रो० रॉबिन्स के मतानुसार अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है और केवल ज्ञान-वृद्धि ही इसके अध्ययन का उद्देश्य है।

रॉबिन्स की परिभाषा पर आलोचनात्मक दृष्टि—(१) रॉबिन्स की परिभाषा के अन्तर्गत सभी कार्य आ जाते हैं जिनमें इतना क्षेत्र अधिक विस्तृत हो जाता है। यह परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसके अनुसार मनुष्य के प्रत्येक कार्य का विवेचन चाहे वह धार्मिक, राजनैतिक या सामाजिक क्या न हो अर्थशास्त्र में समाविष्ट हो जाता है।

(२) इस परिभाषा में धन की जो सभी आर्थिक कार्यों का माप दंड है, वृथ्वा कर दिया है। स्वल्प साधन धन का रथान नहीं है। वे व्यभिगत हो सकते हैं और इसलिये वे अविनिमेय हैं। अतः अर्थ विज्ञान का क्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है। परन्तु हम अपने आपको इस विस्तृत क्षेत्र में सीमित नहीं कर सकते। हम किसी भी समस्या में अपने माष्प-उद्देश्य को रथाने के लिये तैयार नहीं।

(३) इतम यह स्पष्ट नहीं है कि माध्य का अर्थ तात्कालिक साध्य से है या अन्तिम साध्य से ।

(४) गैरिजम की परिभाषा की एक बात और ध्यान देने योग्य है कि अर्थशास्त्र को केवल विज्ञान माना है । उसमें केवल उन्हीं परिस्थितियों का विवेचन हुआ है जो कार्य-कारण का सम्बन्ध प्रकट करती हैं । उन परिस्थितियों में क्या परिवर्तन होना चाहिये और इसकी क्या गैलियाँ हैं, इन सम्बन्धी विषयों पर विचार उतम नहीं किया जा सकता क्योंकि वे सब बाय विज्ञान के क्षेत्र में पर हैं ।

(५) अर्थशास्त्र में 'मार्ग प्रदर्शन' उगका एक महत्वपूर्ण भाग माना जाता है और इसी भाग का गैलियाँ की परिभाषा में अभाव जाना उतनी एक भारी अपूर्णता मिद्ध करता है । इसी न्यूनता के कारण गैरिजम की दृष्टि में अर्थशास्त्र का अर्थयन जनता के लिये लाभकारी भी नहीं हो सकता ।

(११) प्रो० जे० के० महता की परिभाषा—भारत के प्रयाग विश्वविद्यालय के सुप्रसिद्ध अध्यापनी प्राधेसर जे० के० महता ने इन ही से अर्थशास्त्र की परिभाषा एक नय ढग में दी है जो इस प्रकार है :

‘अर्थशास्त्र यह विज्ञान है जो मानव-व्यवहारों का अध्ययन करता है जो आवश्यकता-विहीनता की अवस्था की प्राप्ति के लिये किये जाते हैं ।’

प्रो० महता का यह मत भारत के प्राचीन विचारों और संसृति का शानक है । उनका कहना है कि मनुष्य अपने जीवन में अधिकतम सतोष (Maximum Satisfaction) तभी प्राप्त कर सकता है जब वह अपनी आवश्यकताओं पर नियन्त्रण कर उत नम ग नम ग, क्योंकि मनुष्य की नित्य वरनी हुई आवश्यकताओं की पूर्ति प्राथमिक भ्रमात्र में एक महान समस्या हो गई है । अतः मनुष्य का अधिकतम सतोष प्रायः साम्बन्धिक सुख और शांति आवश्यकता विहीनता (Wantlessness) की अवस्था में ही सम्भव है न कि आवश्यकताओं की अधिकता की अवस्था में ।

प्रो० महता के मत का समर्थन—‘सादा जीवन उच्च विचार’ (Simple living and high thinking) की विचारधारा भारतवर्ष में अति प्राचीन काल से ही प्रचलित है । सामान्य ढग में भी महता तभी आचार्य विनाया भाव आदि इसी दृष्टिकोण के समर्थक हैं । प्रो० महता व समर्थकों का कहना है कि मनुष्य जब अपनी वरनी हुई भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने में अपने-आपका अग्रमथ पाता है, तो वह उत चिन्ता और अग्रमथ का अनुभव करता है । अतः आवश्यकताओं ही हमारे दुःख चिन्ता और अग्रमथ का कारण हैं । ऐसी दशा में हृम अपनी आवश्यकताओं को एक उचित सीमा तक ही सीमित रखना चाहिये । आवश्यकताओं की उचित सीमा क्या हो, यह दशा विवेक व आर्थिक विज्ञान पर निर्भर हुआ । उनक अनुसार आवश्यकताओं का निर्धारण उचित सीमा में भी पर बढ़ाया जा सकता है, परन्तु तभी जब कि यह दशा किया जाय कि सभी दशाविधियों की समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति हो गई है । ऐसा कार्यक्रम यदि कार्यक्रम में परिणत हो जाय, तो निस्सन्देह अग्रमथ का वातावरण अग्रमथ और सुखमथ हो जायगा जहा मनुष्य का क्या दक्षतागण भी निचाम के लिये सानाकित रहेंगे ।

11—“Economics is a science that studies human behaviour as an attempt to reach the state of wantlessness

—J K Mehta

प्र० महता के मत की आलोचना—प्र० महता के इष्टिकोण में दार्शनिकता एवं आदर्शवाद का तत्त्व अधिक है और व्यावहारिकता बहुत कम पाई जाती है। आलोचकों के मतानुसार आवश्यकताएँ आर्थिक प्रयत्नों का आधार हैं। इसलिए आवश्यकताओं में कमी करने का अर्थ आर्थिक जीवन में विविधता पैदा करना होगा। चूँकि आवश्यकताएँ भौतिक सम्पत्ता का मापदण्ड माना जाता है, इसलिए आवश्यकताओं को सीमित रखने का कोई भी प्रयास आधुनिक सभ्यता की प्रगति में बाधक सिद्ध होगा जिसे पतनस्वरूप आज का मनु्य मानव समाज पुनः सभ्यता के पूर्वजाल को प्राप्त कर लेगा।

निष्कर्ष—प्र० महता का दार्शनिक (Philosophical) इष्टिकोण भौतिकवादी इष्टिकोण में मेल नहीं खाता। इसलिए दोनों विचारधाराओं के बीच का मार्ग अपनाना ही वास्तवीय है। आवश्यकताओं में अत्यधिक वृद्धि तथा अत्यधिक कमी दोनों ही उचित नहीं। आवश्यकताओं की वृद्धि को एक सीमा होनी चाहिये और यह सीमा देश की आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर है।

### अर्थशास्त्र की प्राचीन परिभाषाएँ

प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र को 'धनशास्त्र' या 'सम्पत्ति विज्ञान' के नाम से पुकारा है। अर्थशास्त्र के जनक आदम-स्मिथ (Adam Smith) ने कहा है कि "अर्थशास्त्र जातियों की सम्पत्ति का विश्लेषण है।" जे० बी० से (J. B. Say) कहते हैं कि "अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो धन या सम्पत्ति का विश्लेषण करता है।" वाकर (Walker) ने कहा है कि अर्थशास्त्र "मानव की वह शाखा है जो धन में सम्बन्धित है।" इन प्राचीन परिभाषाओं ने 'धन' को अनुचित प्रधानता दी है और इसके प्रमाण अग धन में सम्बन्ध रखने वाले 'मानव' की ओर उदासीन रहे हैं। इन लेखकों ने अनुभव नहीं किया कि मानव अपनी इच्छाओं की पूर्ति एवं मानवीय स्तर को ऊँचा करने के लिए प्रयत्न करता है। इसलिए मानव-अध्ययन ही प्रमुख और सम्पत्ति का अध्ययन गौरव है।

प्राचीन परिभाषाओं की आलोचना—धन की इस अनुचित प्रधानता का हृत्परिणाम यह हुआ कि १२ वीं शताब्दी के कुछ विद्वानों ने जिनमें कार्लाइल (Carlyle), रशिकन (Ruskin), विलियम मोरिस (William Morris) और चार्ल्स डिक्किंस (Charles Dickens) आदि प्रमुख हैं, इस विषय की कड़ी आलोचना की, और इसे 'कुबेर का सन्देश' (Gospel of Mammon), 'घृणित' या 'शोकयुक्त विज्ञान' (Dismal Science), गैटो बाल का शास्त्र (Bread and butter Science) आदि कौतुहलोत्पादक नाम रखे हैं।

मनुष्य और धन का सापेक्षिक महत्त्व

इस आलोचना का अर्वाचीन अर्थशास्त्रियों पर इतना उत्तम प्रभाव पड़ा कि

1—"Economics is concerned with the enquiry into causes of the wealth of nations."  
—Adam Smith

2—"Economics is a science which treats of wealth."

3—"Economics is that body of knowledge which relates to wealth."  
—Walker



उन्होंने तुरन्त धन की अपेक्षा मनुष्य पर अधिक बल देकर अपने पूर्व-गामियों की भूल को मुधार दिया। वर्तमान सब अर्थशास्त्री इस बात पर एकमत हैं कि हमारा उद्देश्य धन या सम्पत्ति नहीं, यद्यपि मनुष्य का आर्थिक कल्याण है। अर्थशास्त्र में धन या सम्पत्ति का केवल इसलिए अध्ययन होता है कि धन मनुष्य के भौतिक सुख और आवश्यकताओं की पूर्ति का एक प्रमुख साधन है। यदि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन या सम्पत्ति की तकनीक भी आवश्यकता न हो, तो धन या सम्पत्ति का अर्थशास्त्र में वदापि उल्लेख न होगा। धन की उत्पत्ति स्वयं अपने लिए नहीं होती। वह मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए है और वही तक इसका महत्व सीमित है। अतः यह स्पष्ट है कि धन या सम्पत्ति मनुष्य के लिए है, मनुष्य धन या सम्पत्ति के लिए नहीं है। अर्थ 'जनाय न जनोऽर्थाय—'विष्णु शुन'। इस अर्थ का निवारण करने की दृष्टि से इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री प्रो० मार्शल ने भी अपनी परिभाषा में कहा है कि "अर्थशास्त्र एक ओर तो धन का अध्ययन है, और दूसरी ओर जो अधिक महत्वपूर्ण है, मनुष्य के अध्ययन का एक अंग है।"

### एक पूर्ण परिभाषा के मूल तत्त्व

इस प्रकार हमने अर्थशास्त्र की भिन्न भिन्न परिभाषाओं का अध्ययन किया और उनके गुणों व दोषों पर प्रकाश डाला। अब हमारे सामने प्रश्न यह है कि अर्थशास्त्र की कौन सी परिभाषा दोषों से मुक्त है? हमें चाहिए कि हम ऐसी परिभाषा दें जिससे उपरोक्त दोषों का प्रभाव हो। अतः अर्थशास्त्र की परिभाषा में निम्नलिखित तत्त्व होने चाहिए:—

(१) अर्थशास्त्र मनुष्य की अन्तर्गत आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति के स्वल्प साधनों का नियमित विश्लेषण करता है।

(२) अर्थशास्त्र के अन्तर्गत केवल सामाजिक, वास्तविक व सामान्य व्यक्तियों का अध्ययन होता है।

(३) अर्थशास्त्र केवल उन्हीं मानवीय क्रियाओं का अध्ययन करता है जिनका सम्बन्ध धन की प्राप्ति एवं उसके उपयोग में है।

(४) अर्थशास्त्र विज्ञान व कला दोनों ही हैं।

(५) अर्थशास्त्र के अध्ययन का मुख्य उद्देश्य मानव का कल्याण करना है।

अतः अब हम अर्थशास्त्र को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं।

अर्थशास्त्र वह कला तथा विज्ञान है जिसके अन्तर्गत सामाजिक, वास्तविक तथा सामान्य व्यक्तियों की धन-सम्बन्धी उन क्रियाओं का अध्ययन जाता है जिनका उद्देश्य मानव-कल्याण है।


### अर्थशास्त्र की विषय सामग्री

(Subject Matter of Economics)

(१) अर्थशास्त्र मनुष्य की केवल आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है—यह विज्ञान निश्चय रूप से निश्चय (प्रकट) करता है कि समाज में चारा और दूध की कमी क्यों है? हम देखते हैं कि ग्नी पुरुष ही नहीं, बालक-व्यक्तियाँ भी अपने जीवन यापन के लिए किसी न किसी कार्य में प्रयत्नशील हैं। दूसरे शब्दों में, प्रत्येक मनुष्य अपना पेट भरने के लिए अपने रोजगार या व्यवसाय क्षेत्र में संलग्न है। एक

क्रिया से त्रुटि होती है, उर्ध्व सफाई का सामान बनाना है, दर्जी कपड़े सीता है, अत्यापक छानो को पढ़ता है, डॉक्टर अस्पताल में रोगियों की निजिम्मा करता है, कारीगर फॅक्ट्री में कार्य करता है। इन सबका कारण यही है कि उन्हें अपनी-अपनी विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए धन प्राप्त करना है जिसके लिए वे विविध व्यवसाय एवं धन्धा में व्यस्त हैं। यदि वे इन कार्यों में प्रयत्नशील न हों, तो यह निश्चय है कि उनकी इच्छाओं की पूर्ति सम्भव नहीं। य प्रयत्न जिनके द्वारा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी है, 'आर्थिक प्रयत्न' (Economic Activities) कहलाते हैं, और ऐसे प्रयत्नों के कारण, स्वभाव तथा परिणामों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है।

अन्य शब्दों में, अर्थशास्त्र का विवेचनीय विषय मनुष्य ही है। वह सूर्योदय से सूर्यास्त तक विभिन्न प्रकार की क्रियाओं में सलग रहता है। वे क्रियाएँ आर्थिक, नैतिक, राजनैतिक, सामाजिक अथवा आर्थिक विविध काटिया न बांटी जा सकती हैं। परन्तु वे समस्त क्रियाएँ अर्थशास्त्र में सम्मिलित नहीं। अर्थशास्त्र का तो सम्बन्ध मनुष्य की केवल आर्थिक क्रियाओं से ही है। आर्थिक क्रियाओं का तात्पर्य उन मानवीय प्रयत्नों से है जो अर्थ के उत्पादन, मध्य तथा उपभोग के लिए मार्ग प्रदर्शन करती हैं। अतः अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था की क्रियाएँ अर्थशास्त्र का विवेचनीय विषय है। जब मनुष्य जीवन-यापन के अतिरिक्त अनार्थिक क्रियाओं (Uneconomic Activities) में प्रयत्न प्रसक्त देखा जाता है, तो उनका जीवन 'अनार्थिक जीवन' कहलाता है। उदाहरणार्थ, एक पर्यटन करने वाला यात्री (Tourist) जो पर्वत-श्रेणियों का भ्रमण केवल आनन्द प्रमाद के लिए करता है, वह 'आर्थिक प्रयत्न' में संलग्न नहीं रहा जा सकता, परन्तु यदि इस यात्री की सहायता के लिए कोई पथ प्रदर्शक (Guide) कुछ अर्थ-आप्त की धागा में सहयोग देता है तो उसकी यह यात्रा आर्थिक क्रिया कहलावेगी। इस प्रकार छोटे-छोटे देश-नेताओं की अमूल्य सेवाएँ अपने देश के प्रति और मानाओं की बन्धा के प्रति की गई सेवाएँ अनार्थिक हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य धनोपार्जन नहीं है। व देश प्रेम तथा स्वाभाविक सुन-स्नेह से प्रेरित होकर ही उक्त सेवाएँ करते हैं। इसी प्रकार बालकों के खेल-कूद व अध्यापन सम्बन्धी क्रियाएँ जो मनोरंजन तथा स्वास्थ्य-वृद्धि के लिए की जाती हैं, अनार्थिक क्रियाएँ हैं, परन्तु मरनम वाला वे द्वारा इस प्रकार की गई क्रियाएँ जीवनो-



ये आर्थिक क्रियाएँ हैं।



ये आर्थिक क्रियाएँ नहीं हैं।

पार्जन के उद्देश्य से प्रेरित होने के कारण आर्थिक क्रियाएँ हैं। अतः यह स्पष्ट है कि आर्थिक क्रियाओं का 'अपवृण्ड' अर्थ या धन है जो आर्थिक और अर्थव्यवस्था को भेद प्रकट करता है।

संक्षेप में, केवल अर्थ-प्राप्ति एवं अर्थ-व्यय सम्बन्धी क्रियाएँ अर्थशास्त्र का विषय है।

( २ ) अर्थशास्त्र मनुष्य के अतिरिक्त अन्य जीवधारियों का अध्ययन नहीं है—यह स्मरण रखना चाहिये कि अर्थशास्त्र केवल मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है। अन्य जीवधारियों की क्रियाओं का इसमें कोई विचार नहीं किया जाता, चाहे वे धनोपार्जन से सम्बन्ध रखती हों, जैसे बैलगाड़ी को खींचकर अपने स्वामी के लिए धन प्राप्ति कराता है।

( ३ ) अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है—अर्थशास्त्र में मनुष्य का अध्ययन समाज के एक सदस्य के रूप में किया जाता है न कि व्यक्तिगत रूप में। इसमें उन्हीं प्रश्नों का निवेदन होता है जिनका एक मनुष्य की क्रिया का प्रभाव अपने दम्पत्य की क्रियाओं पर पड़ता है। परिणामतः उन साधु-अत्यामियों अथवा रोजिन्सन् लोगों के समान किरत सामाजिक या भौतिक कोलाहल में कहीं दूर विद्यत निर्जन एकान्त में पड़े रहने वाले व्यक्तियों की क्रियाओं का अर्थशास्त्र में कोई स्थान नहीं।

( ४ ) अर्थशास्त्र वास्तविक मनुष्य का अध्ययन है—अर्थशास्त्र केवल वास्तविक मनुष्यों का अध्ययन है न कि काल्पनिक या अमानविक मनुष्यों का। प्राचीन अर्थशास्त्री यह मानकर चलते थे कि मनुष्य केवल आर्थिक लाभ और हानि को दृष्टि में रखकर कार्य करता है, उस पर दमा, धर्म, नीति आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा मनुष्य 'अर्थपरायण मनुष्य' (Economic Man) कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों की दृष्टि से इस प्रकार के मनुष्य का विवेचन अर्थशास्त्र का अंग नहीं है। वे मनुष्य जैसा है, उसका विवेचन करते हैं—काल्पनिक या अर्थपरायण मनुष्य का नहीं, परन्तु वास्तव में रक्त तथा मांस के बन हुए जीवित मनुष्य का।

( ५ ) अर्थशास्त्र सामान्य और सवसाधारण मनुष्य का अध्ययन है—यह प्रमत्त ( Sober ), मद्योन्मत्त ( Drunkard ) एवं अत्यन्त कुपल व्यक्तियों की क्रियाएँ सामान्य और औसत प्रकार की न होने के कारण इस विज्ञान की विषय-सामग्री है। इसी प्रकार एक उत्तम बिलक्षण बुद्धि वाले अथवा दृढ्य ज्ञान वाले अज्ञापारण्य की क्रियाएँ भी अर्थशास्त्र का विषय नहीं बनती।

( ६ ) अर्थशास्त्र का विज्ञानात्मक और कलात्मक रूप—अर्थशास्त्र के विषय में हमका विज्ञानात्मक तथा कलात्मक—दोनों ही रूप सम्मिलित हैं। यह केवल यासायिक विज्ञान ही नहीं है, किन्तु नीति-प्रधान विज्ञान भी है, क्योंकि वर्तमान दशाओं के अध्ययन के अनिर्दिष्ट यह आदर्शों का भी निर्णय करता है। यह अर्थशास्त्र कला के रूप में आदरा प्राप्तिके हेतु कुछ नियमों को भी निर्धारित करता है।

उदाहरणार्थ किसी उद्योगशास्त्र के अर्थशास्त्र के आर्थिक जीवन का वास्तविक अध्ययन इस शास्त्र का अर्थशास्त्र विज्ञान रूप सम्भन्ध चाहिए और उसका उच्च आदर्शों की दृष्टि में या अध्ययन किया जाता है वह इसका नीति-प्रधान विज्ञान रूप सम्भन्ध चाहिए। अर्थशास्त्र व्यक्ति अपनी भृति ( मजदूरी ) में अपने बुद्धि वर सक्ते हैं और फिर

प्रकार के अर्थ के मनुष्ययोग में वे अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं, इस प्रकार के मनीष्य आदर्श बिना प्रकार प्राप्त किये जाते हैं—य मय चान्ते अर्थशास्त्र की कलात्मकता द्वारा प्रकट की जाती है ।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

इष्टर घाट्स परीक्षाएँ

- १—“अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ।” इस परिभाषा की विवेचना कीजिए ।  
( उ० प्र० १६६० )
- २—अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री की पूर्ण विवेचना कीजिए । ( उ० प्र० १६५५ )
- ३—“अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ।” यह परिभाषा दोषपूर्ण क्या मानी जाती है ?  
कौ परिभाषा आप उचित समझते हैं वह लिखिए ।  
( रा० बी० १६५७, जवनपुर १६५८ )
- ४—आपका एक चतुर मित्र जिसको विषय का पूर्ण ज्ञान नहीं है, आपसे अर्थ विज्ञान का अर्थ, विषय-सामग्री तथा महत्त्व की विवेचना करने के लिए निवेदन करता है । समझाओ, आप उसे किस प्रकार अनुग्रहीत कर सकते हैं ? ( रा० बी० १६५५ )
- ५—आर्थिक क्रियाओं का क्या तात्पर्य है ? क्या अर्थशास्त्र में सब मनुष्यों की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है ?  
( रा० बी० १६५३ )
- ६—“अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण जीवन में व्यापार सम्बन्धी क्रियाओं का अध्ययन है ।” तथा “अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ।” इन दोनों में से कौन-सी परिभाषा आपको मान्य है और क्या ?  
( प्र० बी० १६५३, नागपुर १६५५ )
- ७—“अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण व्यावहारिक जीवन का अध्ययन है ।” इसका अर्थ समझाइए ।  
( म० भा० १६५६ )
- ८—अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए । उनका विस्तार तथा प्रतिपाद्य विषय बताइए ।  
( म० भा० १६५४ )
- ९—अर्थशास्त्र की उपयुक्त परिभाषा दीजिए और उसके विषय व क्षेत्र की चर्चा कीजिए ।  
( रा० बी० १६५६, नागर १६५६ )
- १०—अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री की श्रेणियों में व्याख्या कीजिए ।  
( नागपुर, प्रिन्सिपल्स ऑफ़ १६५६ )
- ११—अर्थशास्त्र की परिभाषा कीजिए । अर्थशास्त्र के प्रमुख विभागों की वृत्तान्त रूप में उनके पारस्परिक सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए ।  
( नागर, प्रिन्सिपल्स ऑफ़ १६५६ )
- १२—एक विज्ञान के रूप में अर्थशास्त्र की विषय सामग्री क्या है ? श्रेणियों में अर्थशास्त्र के लक्षण बताइए ।  
( दिल्ली हा० नेरेण्डरी १६५६ )


इष्टर एग्जीक्यूटिव

- १३—अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए और उसकी विषय-सामग्री का विवेचन कीजिए ।  
( प्र० बी० १६५७, रा० बी० १६५६ )

## अर्थशास्त्र का विज्ञानात्मक एवं कलात्मक रूप (Science & Art of Economics)

यह निर्णय करने के पूर्ण कि प्रयोगात्मक विज्ञान है या क्या यथया दोनों ही, 'विज्ञान' तथा 'कला' शब्दों के महत्व को भली प्रकार समझ लेना चाहिए।

**विज्ञान (Science)**—विज्ञान घटना का क्रमबद्ध ज्ञान-समूह, जो निरन्तर सिद्धांतों पर प्रवृत्त है। 'विज्ञान' कहना है कि हमको अधिक स्पष्ट करने हुए यह कह सकते हैं कि विज्ञान वस्तुस्थिति का मुख्यवस्तुस्थिति विवरण है, अर्थात् उसने कारण (Cause) और परिणाम (Effect) के बीच में सम्बन्ध स्थापित करना है।



कारण और परिणाम का सम्बन्ध

**कला (Art)**—विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञानसमूह को निम्न उद्देश्य प्रयोगात्मक हो 'कला' कहते हैं। क्या इस बात को प्रकट करती है कि किन उपायों द्वारा अपने लक्ष्य-प्राप्ति को जा सकती है।

### विज्ञान और कला में भेद


विज्ञान वस्तु-स्थिति का विश्लेषण करने हुए कारण और परिणाम में सम्बन्ध स्थापित करता है, परन्तु कला उद्देश्य प्राप्ति के मानना का प्रयोगात्मक रूप में प्रस्तुत करती है। उदाहरणार्थ, खगोलशास्त्र (Astronomy) आकाशीय घटनाओं का विश्लेषण करता है, अतः यह विज्ञान है, नौविद्या (Navigation) प्रयोगात्मक होने के कारण कला है। इसलिये कहा जा सकता है कि प्रयोगात्मक विज्ञान (Practical Science) भी कहा जाता है।



शरीरशास्त्र विज्ञान है ।

नीतिशास्त्र कला है ।

विज्ञान और कला का वर्गीकरण (Classification of Science and Art)—ज्ञान-समूह विज्ञान भी हो सकता है अथवा कला भी । विज्ञान दो प्रकार का होता है—(१) वास्तविक या यथार्थ विज्ञान (Positive Science) और (२) आदर्श या नीति-प्रधान विज्ञान (Normative Science) । यह वर्गीकरण निम्नांकित रेखाचित्र द्वारा भली-भांति व्यक्त किया गया है :—



### (१) विज्ञान के प्रकार (Kinds of Science)

(अ) वास्तविक या यथार्थ विज्ञान (Positive Science)—यह वर्तमान या वास्तविक वस्तुस्थिति का विवेचन करता है । यह इस प्रश्न का उत्तर देता है कि 'यह या वह क्या है ?' यह इस बात को नहीं दर्शाता कि प्रमुख वस्तु उचित है या अनुचित । इसका उद्देश्य तो केवल कार्यों के कारण और परिणाम को ही प्रकट करना है न कि उनकी सम्पन्नता के लिए उपाय बताना । उदाहरणार्थ, वास्तविक, वैज्ञानिक (Positive Scientist) यह नहीं कहता कि विष-मत्त उचित है या नहीं । वह तो यह बतलायेगा कि विष-मत्त में मनुष्य के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा और यह किस प्रकार मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा ।

(ब) आदर्श या नीति प्रधान विज्ञान ( Normative Science )—यह इस बात का विवेचन करता है कि प्रमुख आदर्श हितकर होने के कारण वाञ्छनीय है और प्रमुख अहितकर होने के कारण अवाञ्छनीय है । अवाञ्छनीय आदर्शों को कार्य रूप में परिणत करना चाहिए और अवाञ्छनीय वस्तुओं का निषेध करना चाहिए ।

अन्य शब्दा में यह इस प्रश्न का उत्तर देता है कि 'यह या वह क्या होगा चाहिए?' पूर्ण उपयुक्त उदाहरण का लोके हूए आदर्श वैज्ञानिक (Normative Scientist) विषय-पान के विषय में यह बतलाए कि मनुष्य जीवन बहुमूल्य है, अतः इसको इस प्रकार समायोजन कर देना उचित नहीं। मनुष्य को अपना जीवन साधक बनाने के लिए दीर्घ जीवन का आदर्श सम्मुख रखना चाहिए।

(२) कला (Art)

आदर्श और सत्य प्राप्ति के साधना को प्रगट करने वाले ज्ञान का नाम कला है। यह ज्ञान को आरंभ हमारा ध्यान केंद्रित करता है कि किस प्रकार मनुष्य वास्तविक आदर्श को प्राप्त करने में परिणत कर सकता है और किस प्रकार अवाञ्छनीय धाना से बच सकता है। अतः यह स्पष्ट है कि कला ऐसी रीतियाँ तथा विधियाँ को प्रस्तुत करती है जिनसे उत्तम आदर्शों की प्राप्ति और अवाञ्छनीय धाना से रक्षा हो सके। उदाहरणार्थ, विषय-पान के सम्बन्ध में कलाकार अर्थात् वैद्य या डाक्टर यह सम्मति देगा कि विषय-पान न कर क्योंकि इससे उमर बढ़ी में निवारण उत्पन्न होना के अनिश्चित मृत्यु भी हो सकती है।

वास्तविक विज्ञान, आदर्श विज्ञान और कला में पारस्परिक सम्बन्ध

ऊपर के उदाहरणों में वास्तविक वैज्ञानिक विषय-पान का प्रभाव बलवत्ता है। आदर्श वैज्ञानिक विषय-पान को उच्च आदर्शों की दृष्टि में अनुचित बनाना है और कलाकार विषय-पान के विषय में अपनी सम्पत्ति प्रकट करता है। यही वास्तविक तथा आदर्श विज्ञान और कला में भेद है। वास्तव में कला वास्तविक विज्ञान में आदर्श विज्ञान तक पहुँचने का माध्यम है। ज्ञान की उपयुक्त तीनों शाखाओं का परस्पर भेद निकाल स्पष्ट है। अर्थशास्त्र विज्ञान वस्तुओं का वास्तविक रूप प्रकट करता है और आदर्श विज्ञान वस्तुओं का आदर्श रूप निर्धारित करता है तथा इन आदर्शों तक पहुँचने का माध्यम बताती है। यह सम्बन्ध निम्न रखा चित्र में इस प्रकार समझिए —



अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला अथवा दोनों ही—दोनों विभिन्न प्रकार के विज्ञानों और कला का विकसन करने के पश्चात् यह प्रश्न उठता है कि क्या अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला अथवा दोनों ही? और यदि यह विज्ञान भी है तो यह वास्तविक विज्ञान है या आदर्श विज्ञान अथवा दोनों ही?

(१) अर्थशास्त्र का विज्ञान एक रूप

(अ) अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में (Economics as a Positive Science)—वास्तविक विज्ञान उस विज्ञान को कहते हैं जिसमें वस्तु-स्थिति का अध्ययन करते हुए कार्य और कारण का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। अर्थशास्त्र भी एक वास्तविक विज्ञान है, क्योंकि इसमें मनुष्य के धार्मिक कार्यों का

विवेचन करके इसके प्रत्येक भाग में कार्य और कारण के सम्बन्ध स्थापित किये जाते हैं। उपभोग (Consumption) के क्षेत्र में अर्थशास्त्र हमको यह बतलाता है कि यदि उपभोग के नाम किसी वस्तु की मात्रा बढ़ने लगती है, तो प्रत्येक अगली इकाई की 'उपयोगिता' गिरती जाती है। उत्पादन (Production) के क्षेत्र में यह हमको बतलाता है कि यदि किसी भूमि पर अधिक-अधिक भूमि और पूँजी लगाई जाय, तो किसी विशेष भवन्त्या के पश्चात् प्रत्येक अगली इकाई की उत्पत्ति गिरती जाती है। विनिमय (Exchange) के क्षेत्र में यह बताया जाता है किती वस्तु के मूल्य में वृद्धि होती है, तो माँग घट जाती है। वितरण (Distribution) के क्षेत्र में यह बतलाना है कि यदि पूँजी की पूर्ति में न्यूनता आजाती है, तो व्याज की दर में एक दम वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार अर्थशास्त्र में अनेकों लाभदायक नियम पाये जाते हैं जो कार्य और कारण में सम्बन्ध स्थापित करते हैं। अतः यह निश्चय है कि अर्थशास्त्र एक वास्तविक विज्ञान है।

(१) अर्थशास्त्र आदर्श या नीति प्रदान विज्ञान के रूप में (Economics as a Normative Science) — आदर्श विज्ञान मानव व्यवहार के लिए आदर्श उपस्थित करता है। इसमें वाञ्छनीय व्यवहार और परिस्थितियों के अन्त पर ध्यान दिया जाता है। उदाहरणार्थ, जैसे नीतिशास्त्र (Ethics) आदर्श विज्ञान है क्योंकि मनुष्य के व्यवहारों के लिए आदर्श प्रस्तुत करता है, जैसे मनुष्य को सदा सत्य बोलना चाहिए, दीन-दुष्टियों की सहायता करनी चाहिए इत्यादि। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में केवल यही जान लेना पर्याप्त नहीं है कि समाज में रहने वाले मनुष्य किस-किस धर्मोपासक करते हैं और कैसे उसका उपभोग करते हैं, बल्कि यह भी देखना आवश्यक है कि धर्मोपासक के माध्यम मानव-जीवन की आर्थिक उत्थिति के लिए उपयुक्त रूप में है या नहीं। उनमें और क्या-क्या परिवर्तन होने चाहिए जिनमें धन की उत्पत्ति में वृद्धि हो और धन का वितरण भी विधि पूर्वक हो, जिनमें मानव-जीवन अधिक सुखमय हो जाय। अर्थात् समाज की आर्थिक दृष्टि में प्रत्यधिक समृद्धिवादी बनाने का उद्देश्य यह विज्ञान हमारे सामने रखता है। इस रूप में अर्थशास्त्र एक आदर्श या नीति-प्रदान विज्ञान है। परन्तु यह धारणा अभी शैशव काल में ही है, व्यवहारोपयोगी नहीं बनी है।

अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान होने में मतभेद— इस विषय पर पर्याप्त मतभेद है कि अर्थशास्त्र को आदर्श या नीतिप्रदान विज्ञान माना जाय या नहीं। कुछ विद्वानों का विशेषतः प्रो० रॉबिन्सन का कहना है कि अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान है। इनका आदर्शों में कोई सम्बन्ध नहीं। किसी प्रकार की सम्मति देना अर्थशास्त्र का काम नहीं। पर अर्थशास्त्र को यह रूप देना इसका महत्त्व घटाना है। अर्थशास्त्र मनुष्य के प्रतिदिन के साधारण कार्यों का अध्ययन है। यह अध्ययन उसी समय लाभप्रद सिद्ध हो सकता है जबकि अर्थशास्त्र व्यापहारिक आदर्शों पर यथोचित प्रकाश डाल सके। इंग्लैंड, यूरोप, अमेरिका और भारतवर्ष के अधिपत्य अर्थशास्त्रियों का मत है कि अर्थशास्त्र स्वयं हमारे मनुष्य अधिकतम आर्थिक कल्याण का आदर्श प्रस्तुत करता है। अतः अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मानना अनुचित नहीं है।

(२) अर्थशास्त्र का कलात्मक रूप

अर्थशास्त्र कला के रूप में (Economics as an Art) — वैसे कला शब्द का अर्थ है किसी कार्य को करने का सर्वोत्तम ढंग। अर्थशास्त्र कला के रूप में



यन की अधिकतम उत्पत्ति एवं समृद्ध करने के ऐसे उपाय बताता है कि जिनके द्वारा समाज को प्राथिक समृद्धि उत्तरोत्तर बढ़ती रहे। यह अर्थ स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान के रूप में वर्तमान परिस्थिति का यह ज्ञान कराना है और प्राथमिक विज्ञान के रूप में हमारे सामने आदर्श प्रस्तुत करता है और कला के रूप में आदर्श को प्राप्त करने के उपायों को प्रकट करता है।

समाज में प्रवेश प्राथिक समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं। अर्थशास्त्र इन समस्याओं को सुलभाने का मार्ग तथा साधन बताता है। उदाहरण स्वल्प, बेकारी की ही समस्या से लोचित्र, अर्थशास्त्र बेकारी के कारण और परिणाम पर ही विचार नहीं करता बल्कि इन जटिल भाषित से मुक्त होने का मार्ग भी बताता है। यह हमें उन व्यावहारिक साधनों से परिचित कराता है जिनके द्वारा अर्थव्यवस्था प्राथिक समृद्धि (Economic Welfare) के लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं। कला का यही कार्य है। अस्तु अर्थशास्त्र को कला भी मान सकते हैं।

**अर्थशास्त्र के कला होने पर मतभेद**

अर्थशास्त्र को कला कहवाने का अधिकार है या नहीं, इन पर कोई निश्चित तथा स्थायी मत नहीं है, पर अधिकतर अर्थशास्त्र के विद्वानों का कहना है कि यह कला भी है। इंग्लैंड के अधिकतर अर्थशास्त्रियों का मत है कि अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान ही है, कला नहीं किन्तु उत्तरोत्तर के दूसरे देशों के अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का व्यावहारिक लाभ उठाया जाना चाहिए। अर्थशास्त्र में वर्तमान आर्थिक स्थिति के स्थान पर आदर्श आर्थिक स्थिति स्थापित करने के उपायों का विवेचन भी होना चाहिए। अस्तु प्राथमिक अर्थशास्त्र मानव जाति की आर्थिक उत्पत्ति की वृद्धि के उपायों को कला मानना वर्तमान समझता है।

उपरोक्त विवरण से अर्थशास्त्र का क्षेत्र भली भाँति जाना जा सकता है। इसके अन्तर्गत अर्थशास्त्र का न केवल अर्थार्थ और आदर्श विज्ञान के ही रूप में समावेश है, अपितु एक कला के रूप में भी। अस्तु प्राथमिक अर्थशास्त्र इन न केवल विज्ञान ही मानता है बल्कि एक कला भी।

### अभ्यासाथे प्रश्न

**इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ**

- १—अर्थशास्त्र को विज्ञान और कला दोनों ही क्या कहते हैं ? (दिल्ली १९३५)
- २—अर्थशास्त्र के विज्ञान एवं कला होने के प्रतिपादनी अधिकार पर विवरण कीजिए। (बनारस १९३८)
- ३—(अ) अर्थार्थ विज्ञान, (आ) आदर्श विज्ञान और (इ) कला के रूप में अर्थशास्त्र के क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। (बनारस १९३९)
- ४—अर्थशास्त्र के आदर्श विज्ञान होने में जो मतभेद हैं उनके दोनो पक्षों पर विवेचन कीजिए। (बनारस १९४२)

**इण्टर एग्रीकल्चर**

- ५—अर्थशास्त्र कला के रूप में पर टिप्पणी लिखिए। (उ० प्र० १९४३)

अर्थशास्त्र का क्षेत्र  
(Scope of Economics)

अर्थशास्त्र की परिभाषा और विषय आदि के सम्बन्ध में युनिवर्सिटी ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात् अर्थशास्त्र का क्षेत्र जानने की उत्कण्ठा होती है अतः इस अध्याय में अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बारे में विवेचन किया जायगा।

अर्थशास्त्र के क्षेत्र का तात्पर्य—नया अर्थशास्त्र क्या है या विज्ञान अथवा दोनों ही? यदि विज्ञान है तो कौनसा विज्ञान? इसका युक्तिपूर्वक ज्ञान लेना अर्थशास्त्र का क्षेत्र है। इस क्षेत्र में पाठक को इसका भी ज्ञान हो जाता है कि कहीं बिना आर्थिक घटनाओं का विवेचन हो सकता है।

अर्थशास्त्र विज्ञान है (किस प्रकार का) या कला या दोनों ही—अर्थशास्त्र का क्षेत्र प्रकट करते हुए सबसे प्रथम इस बात को बतलाना आवश्यक है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला अथवा दोनों ही। अर्थशास्त्र न केवल विज्ञान ही है अपितु कला भी, इसका पिछले अध्याय में कुछ विचार किया गया है।

अर्थशास्त्र एक विज्ञान है यह जानने पर उसके भेद जानने की आकांक्षा उत्पन्न हो जाती है। इस विज्ञान का उत्तर सरल शब्दों में दिया जा सकता है कि यह वास्तविक तथा आदर्श दोनों प्रकार का विज्ञान है। प्रत्यक्ष उपस्थित वस्तु स्थिति का ज्ञान प्राप्त करते हुए कार्य और कारण में अविच्छिन्न (अटूट) सम्बन्ध स्थापित करना इसको वास्तविक विज्ञान की कोटि में रखता है। इसके अतिरिक्त कुछ आदर्श सामने रखकर मानवीय जीवन के स्तर को ऊँचा उठाने का कार्य सम्पन्न करने के कारण अर्थशास्त्रियों ने इसे कुछ समय में 'आदर्श' इस विशेषण से भी भूषित किया है, अतः यह आदर्श नीतिप्रधान शास्त्र भी समझा जाता है। इस प्रकार के उच्च आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के जो साधन सुझाये जाते हैं, उनका नानूहिव एवं अर्थशास्त्र भी कला का रूप है। उदाहरणार्थ, देश में निर्धनता व्यापक रूप में है। इसका यथार्थ विवेचन करते हुए कार्य और कारण के मध्य सम्बन्ध स्थापित करना ही वास्तविक विज्ञान का कार्य है। इस सम्बन्ध में आर्थिक समुद्रि का उच्च आदर्श प्रस्तुत करना ही आदर्श विज्ञान का कार्य है। इस प्रकार के आदर्शों की पूर्ति अर्थात् मानव-दीनता को दूर करने के लिए क्रियात्मक उपाय बतलाना अर्थशास्त्र की कला का कार्य है।

अर्थशास्त्र के क्षेत्र के विषय में प्रो० मार्शल का दृष्टिकोण—प्रो० मार्शल ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इस बात का बड़े विस्तार से विवेचन किया है। वे लिखते हैं कि अर्थशास्त्र को कला या विज्ञान अथवा दोनों ही केवल इतना ही बतलाना उचित नहीं, अपितु यह बात भी समझ लेनी चाहिये कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में केवल

इस बात का ही विवेचन होना चाहिए कि इनके अन्तर्गत कौनसी घटनाएँ, किम प्रकार के मनुष्य एवं कौनगी मानव क्रियाएँ आती हैं। अर्थशास्त्र की परिधि के अन्दर ममाने आता कुछ ऐसा ही संसार है।

(१) अर्थशास्त्र वास्तविक और सच्चे मनुष्य का अध्ययन है— प्रो० मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का क्षेत्र इस ओर ध्यान आकर्षित करना है कि इसके अन्तर्गत चलत-फिरते हुए वास्तविक मनुष्य जो हड़डी मान से बना हो उसकी क्रिया या अध्ययन आता है, न कि प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा निमित्त कल्पित 'अर्थ-परायण मनुष्य' (Economic Man) का जो वास्तव में आज विद्यमान नहीं है।

(२) अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है—साधारणतया मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में ही रहना पसन्द करता है और समाज के अन्य व्यक्तियों से सम्बन्ध स्थापित किए बिना उसके जीवन की आवश्यकताएँ पूरा नहीं हो सकती। उसी कार्य का प्रभाव दूसरी पर और दूसरी के कार्य का प्रभाव उस पर सदा निर्भर रहता है। अर्थशास्त्र सामाजिक व्यक्तियों के ही धन सम्बन्धी कार्यों का विवेचन है। यहाँ मानव जीवन का अध्ययन व्यक्तिगत रूप में नहीं प्रत्युत सामाजिक दृष्टिकोण में होता है। वे व्यक्ति, जो समाज से अपना सम्बन्ध तोड़ चुके हैं अथवा समाज में अलग रहते हैं—जैसे माधुसूत एवं रोविन्सन क्रूसो आदि के सहज व्यक्ति, अर्थशास्त्र के क्षेत्र के विषय नहीं हैं। उनके कार्यों का विवेचन अर्थशास्त्र नहीं करता है, क्योंकि अर्थशास्त्र एक 'सामाजिक विद्या' माना जाता है।

(३) अर्थशास्त्र धार्मिक क्रियाओं का अध्ययन है—अर्थशास्त्र उन्हीं कार्यों का विवेचन करता है जिनका सम्बन्ध धन में होता है। ऐसी कार्यों को धार्मिक प्रयत्न कहते हैं। जो कार्य मनुष्य धन के लिए नहीं बल्कि दया, प्रेम, मनोरंजन, देश-भक्ति आदि के लिए करते हैं, उन्हें 'धार्मिक क्रियाएँ' या प्रयत्न करते हैं। इनका अध्ययन अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता है। उदाहरणस्वरूप, धान्यादि वस्तुओं का व्यवस्थित संचयन एवं सन्तुष्योपयोग तथा निवास स्थान का परिमार्जन (माफ मुयरा रखना) एक श्रमधर्म का श्रम कार्य, कर्तव्यपरायण भाता की अपनी सन्तान के प्रति स्वाभाविक देना देव और खिलाड़ी का प्रामोद प्रमाद व स्वास्थ्य की वृद्धि के लिए खेल-कूद आदि कार्य अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आते, क्योंकि इन क्रियाओं का अर्थ प्राप्ति में सम्बन्ध नहीं है। ऐसी क्रियाएँ यहाँ धार्मिक क्रियाएँ कही जाती हैं।

(४) अर्थशास्त्र नीति उपदेश नहीं देता है—यद्यपि मानव क्रियाएँ धार्मिक एवं नीति-सम्बन्धी बातों से प्रभावित होती हैं, किन्तु धार्मिक क्रियाएँ धार्मिक उपदेश एवं नैतिक नियमों से कोई सम्बन्ध नहीं रखती। एक अर्थशास्त्री यह नहीं कह सकता कि श्रमक कार्य उचित है और श्रमक कार्य अनुचित।

(५) अर्थशास्त्र न तो किसी घटना या वस्तु की प्रशंसा करता है और न आलोचना ही—अर्थशास्त्र का कार्य केवल वस्तुस्थिति के अध्ययन तक ही सीमित है। किसी वस्तु का अन्वेषण कर उसका पदार्थ रूप प्रस्तुत करना ही इस विज्ञान का प्रमुख अध्ययन क्षेत्र है। उसकी ग्राहनी प्रथमों उसकी आलोचना करना उसके क्षेत्र से बाहर की वस्तु है।

(६) प्रत्येक कार्य और किसी वस्तु पर अनपूर्वक अधिकार करना अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है—उदाहरण के लिए, चार चारी बरके

अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसारी छुट्टी में अनेक छल-बपट करके पनाहुराण करता है, राजा शत्रु पर आक्रमण कर बहुमूल्य रत्नादि चुरता है—ये क्रियाएँ अर्थशास्त्र के क्षेत्र के अन्तर्गत नहीं आती। इसी प्रकार धनोपार्जन के अनन्तिक ढंग जो अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिए गये हैं, अर्थशास्त्र के अध्ययन की वस्तु नहीं हैं।

( ७ ) अर्थशास्त्र सामान्य स्थिति और असीत दजों के मनुष्य का अध्ययन है—माधारण स्थिति और असीत दजों के मनुष्य ही इस शास्त्र का अध्ययन-विषय है। वे मनुष्य जिनका अस्तित्व विद्वत् हो गया है जैसे पागल एवं मरोम्मत पुश्य (Drumhard) या जो सब माधारण मानव की योग्यता के स्तर में ऊँचे (Genius) हैं, निविवाद रूप से अर्थशास्त्र की परिधि से बहिष्कृत हैं, क्योंकि इनके अध्ययन से अर्थशास्त्र का कोई प्रयोजन निम्न नहीं होता।

( ८ ) आर्थिक क्रियाएँ विवासशील हैं—अर्थशास्त्र मनुष्य का अध्ययन विकासत्मक दृष्टि में करता है। कोई अर्थशास्त्र का सिद्धान्त सांस्कृतिक तत्त्व सिद्ध नहीं हो सकता। जो सिद्धान्त वर्तमान युग के लिए मर्यादित सिद्ध होता है वह, समय है, भावी युग के लिये अव्यवहार्य सिद्ध हो। इसी प्रकार जो आर्थिक नियम एक देश के लिए लागू हों, वे दूसरे देश के लिए अनुपयुक्त सिद्ध हो सकते हैं। सक्षेप में, अर्थशास्त्र गतिशील घटनाओं का अध्ययन करता है न कि भ्रू-स्थिर सिद्धान्तों का।

### अर्थशास्त्र का स्वभाव

#### ( Nature of Economics )

अर्थशास्त्र के स्वभाव में यह सत्य है कि अर्थशास्त्र विज्ञान है या कला अथवा दोनों ही। बस इतना ही जान लेना अर्थशास्त्र का स्वभाव समझना चाहिये।

अर्थशास्त्र विज्ञान एवं कला दोनों ही हैं। विज्ञानात्मक रूप में वास्तविक तथा धारणा दोनों ही रूप सम्मिलित हैं। इसका विशद विवेचन पिछले अध्याय में किया जा चुका है।

अर्थशास्त्र की मर्यादाएँ ( Limitations of Economics )—कई अर्थशास्त्र के लेखन अर्थशास्त्र के क्षेत्र में इनकी मर्यादाएँ भी प्रकट करना उचित समझते हैं। वे निम्नलिखित हैं :—

( १ ) अर्थशास्त्र में केवल मानवीय आवश्यकताओं, प्रयत्नों और उनकी पूर्ति पर ही विचार होता है।

( २ ) अर्थशास्त्र सम्पूर्ण मानवीय क्रियाओं का अध्ययन नहीं है—इसमें केवल अर्थ सम्बन्धी क्रियाओं का ही अध्ययन होता है। अन्य प्रकार की क्रियाएँ इसकी सीमा से बाहर हैं।

( ३ ) 'मुद्रा' अर्थशास्त्र का मापदण्ड है—अर्थशास्त्र के अन्तर्गत केवल वे दृष्टियाँ, प्रयत्न तथा क्रियाएँ सम्मिलित हैं, जो मुद्रा द्वारा मापी जा सकें। अन्य क्रियाएँ जिनका मापदण्ड 'मुद्रा' सम्भव नहीं, इनकी सीमा से परे हैं।

( ४ ) अर्थशास्त्र में केवल सामाजिक, आन्तरिक और साधारण प्रकृति के मनुष्यों का ही विचार किया जाता है, अर्थात् एकान्तवासी, काल्पनिक और असाधारण प्रकृति के मनुष्यों की आवश्यकताएँ और प्रयत्न इसकी सीमा के अन्तर्गत नहीं आते।

( ५ ) अर्थशास्त्र के विज्ञानात्मक ( वास्तविक और आदर्श ) तथा कलात्मक रूप अर्थशास्त्र की सीमा के चोकर है। अर्थशास्त्रियों का बहुमत इस और मुका है कि अर्थशास्त्र केवल यथार्थ विज्ञान ही नहीं अपितु आदर्श विज्ञान और कला भी है।

प्रो० रॉबिन्स का दृष्टिकोण—मार्शल और रॉबिन्स दोनों ही इस बात को मानते हैं कि अर्थशास्त्र में केवल मानवीय क्रियाओं का ही अध्ययन किया जाता है, परन्तु अन्य बातों में दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। प्रो० रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र की मर्यादाएँ निम्नलिखित हैं —

( १ ) मार्शल के विचारों के विपरीत रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र सामाजिक तथा असांभारिक दोनों प्रकार के व्यक्तियों का अध्ययन है। इसलिए उसने अर्थशास्त्र को 'सामाजिक विज्ञान' न कहकर 'मानव विज्ञान' कहा है।

( २ ) रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र में सभी प्रकार के मानव-व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है चाहे उनका धन में सम्बन्ध हो या नहीं। मार्शल के अनुसार इसमें मानव-क्रियाओं के केवल आर्थिक पहलू का ही अध्ययन किया जाता है।

( ३ ) रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र केवल एक वास्तविक विज्ञान ही है। यह विचारधारा भी मार्शल में बिल्कुल विपरीत है। उनके अनुसार अर्थशास्त्र केवल वास्तविक विज्ञान ही नहीं है, अपितु आदर्श विज्ञान एवं कला भी है।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इंटर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—अर्थशास्त्र के क्षेत्र को भूलो-भोति समझाइए।

( ३० प्र० १९५२, २० वी० १९५५, ५५, ५२, ५० भा० १९५४ )

२—अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री की व्याख्या कीजिए।

( ५० वी० १९५४ )

३—समझाइए कि अर्थशास्त्र की विषय-सामग्री और क्षेत्र क्या है ?

( ५० भा० १९५७ )

४—अर्थशास्त्र का अर्थ समझाइए और क्षेत्र की विवेचना कीजिए।

( पटना-विहार १९५२ )

५—अर्थशास्त्र के क्षेत्र को स्पष्टतः समझाइए और इसके ज्ञान का महत्व भी बर्णन करिए।

( पटना, १९५० )

## अर्थशास्त्र के विभाग और उनका पारस्परिक सम्बन्ध (Divisions of Economics & their Inter-relations)

अर्थशास्त्र के विभाजन का उद्देश्य—अर्थशास्त्र का विषय इतना विस्तृत है कि इसका वैज्ञानिक अध्ययन बिना इसे विविध विभागों में बाँटें हुए सम्भव नहीं। इसके विविध विभागों में बाँटें जाने से इसके अध्ययन में व्यवस्थित सुविधा हो जाने के अतिरिक्त प्रत्येक प्रकार की समस्याओं का सविस्तार तथा गहन अध्ययन किया जा सकता है। अतः इसी उद्देश्य की पूर्ति के हेतु अर्थशास्त्र मुख्यतः चार विभागों (Departments) या शाखाओं (Branches) में विभक्त किया गया है—उपभोग (Consumption), उत्पत्ति (Production), विनिमय (Exchange) और वितरण (Distribution)। आजकल अमरवेज की भाँति बड़े वेग से बढ़ते हुए सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन के विविध प्रयोजनों की निद्रि के लिए सरकार को पहने की प्रपेक्षा अधिक कार्यों को सम्पादित करना आवश्यक हो गया है, अतः आधुनिक अर्थशास्त्र को पाँचवाँ राजस्व विभाग (Public Finance) का अध्ययन भी अपना ही महत्वपूर्ण समझा जाता है जितना अन्य विभागों का। संक्षेप में, अर्थशास्त्र के पाँच विभाग हैं—उपभोग, उत्पत्ति, विनिमय, वितरण और राजस्व।

### अर्थशास्त्र के विभाग (Divisions of Economics)

१—उपभोग (Consumption) —उपभोग अर्थशास्त्र का नया विभाग है,



उपभोग

इसका प्रयोग सबसे प्रथम प्रो० मार्शल द्वारा किया गया। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने तो इसकी उपेक्षा ही की। इस विभाग का मुख्य उद्देश्य है मनुष्य की आवश्यकताओं को ज्ञात करना और यह मानुस करना कि धन के प्रयोग में उनका सुधिनरण किस प्रकार

का होता है। अधिक स्पष्ट करने के लिये यो कहना चाहिये कि इन विभाग के अन्तर्गत यह विचार विद्यमान जाता है कि मनुष्य की क्या-क्या आवश्यकताएँ हैं और उनकी क्या-क्या विवेकताएँ हैं। आवश्यकताओं का वर्गीकरण तथा उपभोग के नियम इसके अन्य विवेचनीय विषय हैं। इसमें इस बात पर भी पूर्ण प्रकाश डाला जाता है कि किस प्रकार सीमित साधनों द्वारा अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार उपभोग सम्बन्धी कई महत्त्वपूर्ण समस्याओं का विवेचन इन विभाग का कार्य क्षेत्र है।

२—उत्पत्ति ( Production )—आवश्यकताओं की पूर्ति ही धन की उत्पत्ति का मूल कारण है। यह अर्थशास्त्र का दूसरा विभाग है जिसके अन्तर्गत मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन—धन—की उत्पत्ति कैसे होती है, उत्पत्ति के कौन-कौन से साधन हैं, उत्पत्ति के नियम और दम क्या-क्या हैं, आदि समस्याओं पर विचार करते हुए उनका समाधान प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ इस बात पर पूर्ण रूप से प्रकाश डाला जाता है कि किसी देश के उपलब्ध साधनों के द्वारा किस प्रकार अधिकतम धन उत्पन्न हो सकता है।



उत्पत्ति

३—विनिमय ( Exchange )—किस प्रकार वस्तुएँ उत्पादकों के हाथ



विनिमय

से उपभोक्तृओं के पास उपभोग के लिये आती है। कैय वस्तुओं का मूल्य निर्धारित किया जाता है और कौन-कौन सी भिन्न-भिन्न समस्याओं के द्वारा इन कार्य में सहायता मिलती है। इस प्रकार की सुविधा को यह विभाग सुनिश्चिता है।

४—वितरण (Distribution)—इस विभाग के अन्तर्गत यह विचार किया जाता है कि उत्पत्ति के साधनों का प्रतिफल किस प्रकार और किन सिद्धान्तों के अनुसार निर्धारित होता है। इसके अनिश्चित कुछ अन्य समस्याओं पर भी, जैसे धातुनिक जातियों में धन के वितरण में इतनी असमानता क्यों है; और इस असमानता के क्या कारण और परिणाम हैं, भली-भाँति विवेचन होता है।



वितरण

५—राजस्व (Public Finance)—इसमें सरकार की आय और व्यय का विवेचन होता है। सरकार की आय के नाना प्रकार के साधनों पर जैसे नदी के पुल, दुर्ग, पब्लिक आदि के मार्ग शुल्क (Toll Tax) एवं विविध व्यापारिक साधनों में 'कर' लेना आदि व्यवस्थाओं पर पूर्ण प्रकाश डाला जाता है और इस बात पर विचार किया जाता है कि सरकार (केन्द्रीय, प्रांतीय या स्थानीय) इस आय को किस समुचित विधि से ध्वय करती है जिससे समाज को अधिकतम लाभ पहुँचे।



राजस्व

### विभागों का पारस्परिक सम्बन्ध

अर्थशास्त्र के उपर्युक्त विभाग प्राकृतिक पदार्थों की भाँति निरपेक्ष नहीं हैं। वे एक दूसरे पर अन्तर्गत हैं, अर्थात् इनमें पारस्परिक अनिष्ट सम्बन्ध है। इस सम्बन्ध की तालिका निम्नलिखित विधि में समझनी चाहिए :—

(१) उपभोग और उत्पत्ति—उपभोग उत्पत्ति का मूल कारण है, अर्थात् बिना उपभोग के उत्पत्ति सम्भव ही नहीं। उपभोग उत्पत्ति का स्वभाव निर्धारित करता है। उदाहरणार्थ, बुशशर्ट के लिए विभिन्न प्रकार के कपड़ों की सपत अधिक है तो इनके उत्पादन में भी वृद्धि होगी, इसी प्रकार उपभोग भी उत्पत्ति पर निर्भर है जिन वस्तुओं का उत्पादन होता है वेबल में ही उपभोग में लाई जा सकती हैं। वस्तुपति को के उत्पादन किये जाने पर परिमित आय वाले गृहपति ही नहीं, सेठ साहूकार भी प्रचुर मात्रा में इसका प्रयोग करते लगे हैं। उत्पत्ति की मात्रा पर उपभोग की अनुपातिकता निर्भर है। विगत विश्वव्यापी युद्ध के बाद ऊल का उत्पादन कम हो गया, अतः सर्व-साधारण ऊलों कोट, पेंट नहीं पहन पाते। यदि उत्पत्ति नहीं हो तो उपभोग भी नहीं।



यह मुष्टिदातादी गैरम को भीमल माडिया, जिनके निर्माण कोशल पर श्रीरयजेव वादशाह भी मुग्य होवा या और जो प्रचुर मात्रा में राजधराने की क्षियों का मनोनीत शलकार वस माना जाता था, अब देखने को भी नहीं मिलती। अस्तु, उपभोग और उत्पत्ति में घलित सम्बन्ध है।

(२) उपभोग और विनिमय—आजकल उपभोग के बिना विनिमय सम्भव नहीं। यदि मनुष्य किसी वस्तु का उपभोग करना छोड़ दे या सर्वथा स्वावलम्बी हो जाय तो विनिमय का प्रश्न ही नहीं उठता। दूसरी ओर देखते हैं तो यह प्रकट होता है कि उपभोग स्वयं विनिमय पर अवलम्बित है। किसान अन्न चारा, तिल, कपास आदि वस्तुएँ पैदा करता है, जुलाहा आवश्यकीय वस्त्र बुनता है, कुम्हार उपभोग के साधन मिट्टी के बर्तन, सिखौन बनाता है, वह ईंटें भी बनाता है जिनसे भवन, प्रासाद तथा अष्टासिपाएँ बनाई जाती हैं, वैद्य विविध प्रकार की जड़ी-बूटियों का चयन कर चारोंरिक्त व्याधियों का दमन करने के लिये सुन्दर औषधियाँ बनाता है। अन्न विधान, जुलाहा, कुम्हार और वैद्य आदि यदि स्वात्पादित वस्तुओं पर ही निर्भर रहे तो उनका सामाजिक जीवन वन ही नहीं सकता। अन्न लोचघात्रा का समुचित निर्वाह करने के लिए वे परस्पर अपनी अपनी वस्तुओं का विनिमय करते हैं। हमारी आवश्यकताएँ इतनी बढ़ गई हैं कि अब यह सम्भव नहीं है कि अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएँ स्वयं उत्पन्न करें। हम उनमें से केवल कुछ ही वस्तुओं के उत्पादन में अपना समय और शक्ति लगाने सकते हैं। अपनी अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें दूसरों के द्वारा उत्पादित वस्तुओं का प्रयोग करना पड़गा। यह कार्य विनिमय द्वारा ही सम्भव हो सकता है। अस्तु यह सिद्ध है कि वर्तमान काल में उपभोग के लिए विनिमय विधान आवश्यक है।

(३) उपभोग और वितरण—वर्तमान घनोत्पत्ति व्यक्तियों न होकर सामूहिक रूप से होने के कारण वितरण समस्या प्रस्तुत होती है। समूह के प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने देने के पूर्व उत्पादित धन राशि का उनके मध्य वितरण होना आवश्यक है, अन्यथा उपभोग किन्तुल सम्भव नहीं होता। अन्न यह स्पष्ट है कि उपभोग के लिए वितरण आवश्यक है। इसके अतिरिक्त वितरण का स्वभाव तथा मात्रा उपभोग को निर्धारित करते हैं। जिस देश में धन का वितरण उपयुक्त रूप में है तो निःसन्देह उस देश का उपभोग भी उनके उच्च जीवन स्तर का साक्ष्य होगा। दूसरे प्रकार वितरण भी जनता में प्रभावित है। यदि उपभोक्ताओं की सब आवश्यकताएँ प्रभावित नहीं होंगी ह्य तो निश्चय रूप से सामूहिक उत्पादन में भाग लाने वाले व्यक्ति व्यक्ति के साथ कार्य करने में समर्थ हो जाने के कारण व्यक्ति धन उत्पत्ति करण और वितरण में भी धन अचिन् प्रदान करेंगे।

(४) उपभोग और राजस्व—सामाजिक समृद्धि का मापदण्ड उँचा करने के उद्देश्य में सरकार प्रायः उपभोग के क्षेत्र में पर्याप्त हस्तक्षेप करती देखी गई है। कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनके उपभोग का मनुष्यों की वायकुशलता पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। सरकार उनके उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाती है। चरम, गीजा, छोटीम और मद्य आदि भादक वस्तुओं पर प्रतिबन्ध उनका उन्मूलन उदाहरण है। इसीलिए इस प्रकार की निषिद्ध वस्तुओं पर सरकार भारी कर आदि लगाकर उनके उपभोग को नियंत्रित करती है। दूसरे ओर उपभोग का भी राजस्व पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। यदि लोग ऐसी वस्तुओं का उपभोग त्याग दें तो सरकार को आय में बड़ी क्षति

पहुँचनी, क्योंकि यह सरकार की आय का मुख्य साधन है। आय में न्यूनता हो जाने के कारण सरकार अपने उचित कार्यों का संपादन करने में असमर्थ सिद्ध होगी।

(३) उत्पत्ति और विनिमय—विनिमय के अभाव में उत्पादन अपूर्ण समझा जायगा। उत्पादित वस्तुएँ उपभोक्तारों के हाथों में पहुँचनी चाहिये और यह विनिमय के द्वारा ही सम्भव है। वस्तुओं का अन्य विकल्प और मन्त्रियों का अस्तित्व उत्पादन कार्य की वृद्धि करते हैं। अस्तु, उत्पत्ति विनिमय से मजबूत है। इसी प्रकार विनिमय का भी उत्पत्ति से घनिष्ठ सम्बन्ध है, अर्थात् यदि वस्तुओं का उत्पादन ही नहीं, तो विनिमय का अर्थ ही नहीं उठता।

(६) उत्पत्ति और वितरण—उत्पत्ति का अभाव वितरण पर पर्याप्त पड़ता है। यदि उत्पत्ति न हो तो वितरण भी न होगा जितनी न्यूनताधिक उत्पत्ति होगी, उतना ही अधिक या कम वितरण हो सकेगा। इससे और वितरण और उत्पत्ति में भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। यदि वितरण का ढंग उचित और न्याय समत है तो उत्पत्ति में वृद्धि होता स्वाभाविक है, क्योंकि ऐसा होने में उत्पादकों को सम्पूर्ण शक्ति और मन लगाकर कार्य करने का प्रोत्साहन मिलेगा। परन्तु यदि वितरण का ढंग ठीक नहीं है तो इसका प्रभाव उत्पत्ति पर विपरीत पड़ता जिसके कारण उत्पत्ति में न्यूनता होने लगेगी और उत्पादक समस्या को आर्थिक दशा शोचनीय अवस्था पर पहुँच जायगी।

(७) उत्पत्ति और राजस्व—उत्पत्ति का राजस्व पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। सरकार की आय देश निवासियों की आय अथवा आर्थिक सम्पत्ति पर निर्भर है। आर्थिक सम्पत्ति वहाँ की उत्पत्ति पर निर्भर है। यदि धनोत्पादन उचित रूप में हो रहा है, तो वहाँ के निवासी धनी होंगे और इसके फल-स्वरूप उस देश की सरकार की भी आर्थिक परिस्थिति सुसम्पन्न होगी। इसके विपरीत धनोत्पादक कम होने पर सरकार की आय पर विपरीत प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। राजस्व का भी उत्पत्ति पर प्रभाव पड़ता है। यदि देश में शान्ति और सुव्यवस्था है तो लागू धन का मनुष्योपयोग करते हुए अन्धो भावा में अपनी पूँजी बचा सकेंगे और बड़ उल्हाह के साथ उत्पादन के कार्य में सतन्त्र रहेंगे जिससे देश की उत्पत्ति में वृद्धि होगी। देश में शान्ति और व्यवस्था को स्थापना करना अथवा दूसरे शब्दों में लोगो की सम्पत्ति और जीवन रक्षा का भार सरकार पर ही है।

(८) विनिमय और वितरण—विनिमय वितरण का गहनतक है। आजकाल सामूहिक उत्पादन में मनुष्य अथवा भाग मुद्रा के रूप में प्राप्त करता है और इस मुद्रा से विविध वस्तुओं को खरीद कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यह विनिमय द्वारा ही सम्भव हो सकता है। विनिमय स्वयं वितरण से प्रभावित होता है। यदि वितरण की मात्रा अधिक हो तो प्रति व्यक्ति की आय भी अधिक होगी, और लोग अधिक वस्तुओं का प्रयत्न करके जितने विनिमय अधिक होगा।

(९) विनिमय और राजस्व—विनिमय सम्बन्धी सभी कार्यों का कुशलतापूर्वक संचालन सरकार द्वारा बनाये हुए कानून और उसकी शान्त-व्यवस्था पर निर्भर है। धानुष एवं पत्र मुद्रा का प्रचलन, बैंकिंग प्रणाली एवं वस्तुओं की प्रामाणिकता तथा उनका वर्गीकरण आदि बातों की सरकार द्वारा देख-रेख से देश की आर्थिक उत्पत्ति में बड़ी सहायता मिलती है। यदि सरकार इन महत्वपूर्ण बातों की उपेक्षा करे तो विनिमय-प्रणाली पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। यह भी इस उपेक्षा में उत्पन्न होने वाले दुष्परिणामों से निश्चय प्रकार मुक्ति नहीं पा सकती।

(१०) वितरण और राजस्व—इन दोनों का भी निकट सम्बन्ध है। वितरण



का कार्य स्वयं सरकार लेकर देश में वितरण की विषमता को दूर कर सकती है। साम्यवादी देशों (Communist Countries) में तो वितरण की विषमता सुप्त भी हो गई है, क्योंकि सरकार स्वयं उत्पादित धन लोगों में बाँट देती है। अन्य देशों में सरकार अपनी नीति द्वारा इस विषमता को दूर करने का प्रयत्न करती है। उदाहरणार्थ, धनाढ्यों के धन तथा गुप्त और विनाश की वस्तुओं पर भारी कर लगाएँ और धर्मियों के लिए न्यूनतम भुक्ति (Minimum Wages) निर्धारित कर तथा सामाजिक बीमा (Social Insurance) की प्रणाली को लागू कर सरकार धन-वितरण की समस्या को दूर करने का प्रयत्न करती है।

अर्थशास्त्र के विभिन्न विभाग

निष्कर्ष—यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र के अध्ययन की गुविधा के लिये ही इसे उपयुक्त विभागों में विभक्त किया गया है। ये सब भाग एक दूसरे में सम्बद्ध हैं। इनमें से कोई भी भाग ऐसा नहीं है जो दूसरों से निरपेक्ष या स्वतन्त्र हो। एक भाग के अध्ययन की पूर्णता दूसरे भाग के विस्तृत अध्ययन पर ही निर्भर रहती है।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—अर्थशास्त्र क्या है ? इसने मुख्य विभाग कौन-से हैं और इनमें परस्पर क्या सम्बन्ध है ?  
( सागर प्रिंटेरटरी १९५६, नागपुर १९५३, सागर १९५६ )
- २—अर्थशास्त्र को कितने भागों में बाँटा जाता है और वे एक-दूसरे से किस प्रकार सम्बन्धित हैं ? समझाएँ।  
( उ० प्र० १९६०, ५३, ५०, ७, ४०, ३४; रा० वी० १९५३, ४९, अ० वी० १९५१, म० भा० १९५१ )
- ३—अर्थशास्त्र के मुख्य विभागों की व्याख्या कीजिए (अ) उत्पादन और उपभोग (घ) विनिमय और वितरण का पारम्परिक सम्बन्ध समझाएँ।  
( उ० प्र० १९५७, ५३, अ० वी० १९५६, ४७, ४३ )
- ४—धन के उपभोग उत्पत्ति तथा वितरण के पारम्परिक सम्बन्ध को स्पष्ट कीजिए। क्या अपने धन के उचित वितरण में देश की निर्धनता का हल हो सकता है ?  
( पनाव, १९४९ )

## अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों से सम्बन्ध (Relation of Economics with other Sciences)

### अर्थशास्त्र पर अन्य शास्त्रों का प्रभाव

अर्थशास्त्र का अस्तित्व पृथक् होने हुए भी अन्य शास्त्रों से पूर्ण प्रभावित है। पिछले अध्याय में कहा जा चुका है कि अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है, जिसमें मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन समाज के एक सदस्य के रूप में किया जाता है। समाज में मनुष्य अनेक बातों में प्रभावित होता है और आर्थिक क्रियाएँ उनमें से एक पहलू हैं। समस्त सामाजिक शास्त्रों में 'मनुष्य' ही अध्ययन का लक्ष्य है, यद्यपि सबसे सम्बद्ध क्रियाएँ प्रत्येक शास्त्र में भिन्न भिन्न होती हैं। अतः सब सामाजिक शास्त्र एक-दूसरे में भिन्न होने हुए भी एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं। जैसे अर्थशास्त्र में धन के वितरण पर विचार करते हुए नीतिशास्त्र का प्रभाव देखा जाना है कि देश में धन का वितरण ठीक है या नहीं। यदि ठीक नहीं, तो कैसे होना चाहिए। अतः यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र का अन्य शास्त्रों से निश्चयम सम्बन्ध रहा है, और यह इसके विकास और उन्नति में सहायक सिद्ध हुए हैं। इसका भौतिक विज्ञानों की अपेक्षा सामाजिक विज्ञानों से अधिक घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि इनमें भी अर्थशास्त्र की भाँति 'मनुष्य' ही अध्ययन का विषय है।

अर्थशास्त्र एक पृथक् शास्त्र है—यद्यपि अर्थशास्त्र अन्य शास्त्रों से पूर्ण प्रभावित है, तथापि यह इनसे पृथक् अपना अस्तित्व रखता है। यह सामाजिक विज्ञान होते हुए भी मनुष्य के केवल एक भ्रम का (आर्थिक क्रियाओं का ही) अध्ययन करता है। अतः इसका विषय विषय तथा क्षेत्र सर्वथा भिन्न है। फिर भी यह अन्य शास्त्रों से किसी न किसी रूप में प्रभावित एवं सम्बन्धित है।

विज्ञानों के प्रकार (Kinds of Sciences)—विज्ञानों को दो बड़े भागों में विभक्त किया जा सकता है :—


[१] भौतिक विज्ञान (Physical Sciences)—भौतिक वस्तु क्या है? कहाँ उपलब्ध होती है? क्या वे उत्पन्न होती हैं या व्यक्त होती हैं? वे किस प्रकार की होती हैं? उनके गुण, कार्य और स्वभाव क्या हैं? उनका स्वजाती और विजातीय वस्तुओं पर क्या प्रभाव पड़ता है—आदि विषयों का अध्ययन करने वाला भौतिक विज्ञान कहलाता है। भौतिक शास्त्र (Physics), रसायन शास्त्र (Chemistry), जीवशास्त्र (Biology), प्राणिशास्त्र (Zoology), वनस्पति विज्ञान (Botany), भूगर्भ शास्त्र (Geology), जगत् शास्त्र (Astronomy), भूगोल (Geography), गणित (Mathematics), अर्थशास्त्र (Statistics), आदि भौतिक विज्ञान कह जाते हैं।

[२] मानव विज्ञान (Human Sciences)—मनुष्य क्या है, शरीर, इन्द्रिय और मन क्या है ? इनका परस्पर क्या सम्बन्ध है ? इनकी विविध क्रियाएँ एक दूसरे पर क्या प्रभाव डालती हैं ? मनुष्य का व्यष्टि और समष्टि में क्या महत्व है ? आदि-आदि साना का विवेचन करने वाला 'मानव-विज्ञान' है ।

(घ) व्यक्तिगत विज्ञान (Individual Sciences)—ये हैं जो मनुष्य का अध्ययन व्यक्तिगत रूप में करते हैं, जैसे—मनोविज्ञान (Psychology) और शारीरिक विज्ञान (Physiology) आदि ।

(ग) सामाजिक विज्ञान (Social Sciences)—वे विज्ञान, जो मनुष्य का अध्ययन समाज के एक सदस्य के रूप में करते हैं, 'सामाजिक विज्ञान' हैं, जैसे—अर्थशास्त्र (Economics), नीतिशास्त्र (Ethics), राजनीतिशास्त्र (Politics), न्यायशास्त्र (Jurisprudence or Law) और इतिहास (History) इत्यादि ।


उपर्युक्त विज्ञानों के भेद निम्नांकित रेखाचित्र द्वारा भरी-भरति व्यक्त किए गए हैं :—



अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र (Sociology) का सम्बन्ध—समाजशास्त्र वह विज्ञान है, जो मनुष्य के सामाजिक कार्यों के मन-पट्टियों का विवेचन करता है, अर्थात् समाज के सदस्य के रूप में मनुष्य जो भी कार्य करता है उन सबका समावेश समाजशास्त्र में होगा है । अर्थशास्त्र में हम मनुष्य के सामाजिक कार्यों के एक विशेष पक्ष (आर्थिक क्रियाएँ) पर विचार करते हैं । इसके अतिरिक्त, समाज का लक्ष्य 'मनुष्य' है । अतः, अर्थशास्त्र समाजशास्त्र का एक अंग-भा है ।

प्रो० कॉन्टे (Comte) कहते हैं—'अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान का जो मानव समाज और उसके सम्बन्धी का साधारण विज्ञान है एक अंग है।' यद्यपि समस्त सामाजिक विषय परस्पर सम्बद्ध हैं, तथापि अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान की एक शाखा कहना वाञ्छनीय नहीं, क्योंकि केवल एक विज्ञान समस्त मानव जगत् के सामाजिक कार्यों का विश्लेषण पूर्वक अर्थार्थ विवेचन नहीं कर सकता। अर्थशास्त्र को एक पुष्कल ही विज्ञान मानना उत्तम है। हां यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि अर्थशास्त्र का अन्य सामाजिक विज्ञानों से कुछ सम्बन्ध अवश्य है। समाजशास्त्र सब सामाजिक विज्ञानों (अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, नीतिशास्त्र आदि) का जनक है। इतिहास भी इसका एक अंग माना जाता है। समाजशास्त्र के ये विविध अंग निम्नादि पटल पर समझे जा सकते हैं—

### समाजशास्त्र (Sociology)



अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र (Politics)—य दोनों सामाजिक विज्ञान हैं, अतः इन दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। मनुष्य का राज्य के साथ जो सम्बन्ध रहना है उसका अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया जाता है। अर्थशास्त्र में मनुष्य के अर्थसाधन एवं धनोपभोग सम्बन्धी क्रियाओं का विवेचन होता है। दोनों का विवेचनीय विषय 'मनुष्य' है। केवल यही अन्तर है कि उसको राज्य सम्बन्धी क्रियाओं का अर्थशास्त्र में किया जाता है और उसकी आर्थिक क्रियाओं का विवेचन अर्थशास्त्र के अन्तर्गत होता है। राजनीति का अर्थशास्त्र पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। संपत्ति का उत्पादन, उपभोग, वितरण और वाणिज्य व्यवस्था आदि सभी कार्य राज्य-शासन की नीति-सिद्धि पर बहुत कुछ निर्भर रहते हैं। यदि उत्तम राज्य व्यवस्था के कारण राज्य में शान्ति और सुरक्षा है, तो आर्थिक जीवन की बड़ी उत्थिति होगी। आर्थिक स्थिति का भी शासन व्यवस्था पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। राज्य की शक्ति और कार्य कुशलता उसकी आय पर निर्भर है और आय देश की आर्थिक दशा पर निर्भर है। कोई राज्य बिना प्रचुर आर्थिक बल के उत्थिति नहीं कर सकता।

अर्थशास्त्र और नीतिशास्त्र (Ethics)—दो शास्त्रों के पारस्परिक सम्बन्ध के विषय में एक विस्तृत विवाद और विषमता अभी तक चली हुई थी। कुछ लोगों का मत है—'अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, और नीति शास्त्र अन्तःकरण का विज्ञान है', अतः शाब्दिक विरोध (Natural Antipathy) है। रस्किन (Ruskin) ने तो इसे बहुधा दुषित शब्दों में पुकारा है। वह कभी कहना है—'यह अन्वयारमय अर्थशास्त्र विज्ञान है।' (Bastard Service of Darkness)। कभी कहता है कि यह 'अवदुष्टता का विज्ञान' धन मजूरा है (Dismal science of illth rather than wealth)। यह वास्तव में कदाचित् उदात्त स्वभावपरामर्श सामन्तशाही भावना के युग में उत्पन्न ही प्रतीत हो, क्योंकि उस समय के शासक पूँजीपतियों के कार्यों, व्यवहारों तथा विनियोगों में कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते थे। पर १८ वीं शताब्दी से जब उद्योग विधान (Factory Law) का निर्माण हुआ, ऐसी दुर्भावनाओं का अन्त हो गया है। रस्किन का आरोप भी अनुचित विधि में प्राप्त धन को लक्ष्य कर ही उठा होगा। हम प्रथम ही बता चुके हैं कि अर्थशास्त्र 'धन की कृष्णा' को अपना लक्ष्य नहीं बनाता। वह तो केवल

यही कहता है कि किम प्रकार मनुष्य धनेच्छा से प्रभावित होता है और किम प्रकार जीवन के प्रावश्यक माधना का सह्य करने में प्रवृत्त रहता है। अर्थशास्त्र को हम 'अचारा-नपेक्ष' (Unimoral) तो कहते हैं पर 'कदाचाररत्नक' (Immoral) नहीं।

यह सत्य है कि दोनों विज्ञानों में एक समन्वय या र्भनी भावना देखी जाती है। अनिर्धार्य रूप में समाज का हितचिन्तन करने के कारण हम दोनों विज्ञानों को अणुवणुन साहचर्य की भाँति मयद्ध रखना चाहते हैं, किमी का किमी से विच्छेदन हो यह सभी अर्थशास्त्रियों का अभीष्ट है। जो अर्थशास्त्र की दृष्टि से लाभकर है, वह कालान्तर में नैतिक श्रोचित्य है—और— जो नैतिक दृष्टि से सुस्थिर सत्य है, वह व्यवसायिक जगत के लिए भी कालान्तर में लाभकर है।<sup>1</sup>

इम प्रकार 'मरल जीवन में प्रमु-वाम है' (Honesty is the best policy) यह धारणा जिन प्रकार व्यवसायिक जगत के लिए मान्य है वैसे ही नैतिक जगत के लिए भी।

इतना होने पर भी दोनों विज्ञानों को हम सर्वथा सम्बद्ध नहीं कहेगे, क्योंकि नैतिक शास्त्र 'विज्ञान' और 'नशा' दोनों है। इतका प्रधान वाय है 'नैतिक आवश्यकों के नियमा का अनुवधान करना और चरिम दृष्टि की विधि व्यवसा नियम आदि का निर्माण करना।' अतः यह स्पष्ट है कि नीतिविज्ञान का क्षेत्र अधिक व्यापक है।<sup>2</sup> दोनों विज्ञानों में एक अन्तर और है— अर्थशास्त्र सवार्थ विज्ञान है जो आर्थिक माधना, तबो, बाता वरणाँ और समसाधो को, के जिन रूप में हैं, समभाता है, परन्तु उनके श्रोचित्य तथा अनोचित्य का विवेक साधारण नीतिशास्त्र की भाँति नहीं करता।

अर्थशास्त्र मनुष्य की मन सम्बन्धी क्रियाशा का अध्ययन है। नीतिशास्त्र हमारे मानने आदर्श प्रस्तुत करता है, यह इम बात का विवेचन करता है कि कौनसा माधन वाञ्छनीय है और कौनसा अवाञ्छनीय, मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कुछ लोगों में असाध्य विचार फँसा हुआ है कि ये दोनों शास्त्र एक दूसरे के विरोधी हैं। किन्तु ऐसा नहीं। यद्यपि अर्थशास्त्र में अधिकांश वाग्मविक स्थिति का विचार हुआ है और नीतिशास्त्र का सम्बन्ध आदर्श व्यवहार में है, तथापि दोनों विज्ञानों का घनिष्ठ सम्बन्ध है। अर्थशास्त्र में आर्थिक समस्या के नैतिक पहलु पर विचार किया जाता है और नीतिशास्त्र में आर्थिक समस्या के पहलु पर ध्यान देखा जाता है। उदाहरण के लिए— वास्तविक विज्ञान के रूप में तगान भृति (Wages), व्याज और मूल्य-निर्धारण आदि के नियमों का हमें विवेचन करना पड़ता है। और आदर्श विज्ञान के रूप में उचित तगान, भृति (मजदूरी), व्याज, मूल्य आदि आर्थिक समस्याका को निर्धारित करने समय नीतिशास्त्र द्वारा उदाण भाष आदर्शों की माधने रखना पड़ता है। इमके अतिरिक्त अर्थशास्त्र कला के रूप में आर्थिक माधन जुगने के तरीकों को सम्पन करते हुए नैतिक आदर्शों की उपधा नहीं बन सकता। इसी उद्देश्य की पूर्ति के हेतु प्राचीन सरकार मन्निषेध नीति को सार्वभूमित कर रही है तथा मारल सरकार में भी असीम के उत्पादन को अक्षय सीमित तथा नियमित कर दिया है। पाहाय में, मनुष्य की आर्थिक स्थिति का बहुत कुछ प्रभाव उसकी आचार नीति पर पड़ता है। यह बात एक साधारण उदाहरण से समझी जा सकती है। पर्वतीय प्रदेश के निवासियों के निषे मान मधरा उचित ही नहीं प्रावश्यक समझा जाता है।

1—Schigman—Principles of Economics P 35

2—Economics and Ethics P 10, by Sir John Marrot.

किन्तु समस्त उर्वरा भूमि के अधिकार निवासी, जो खेती से भली प्रकार जीवन निर्वाह कर सकते हैं, मांस भक्षण नीति-विषुद समझते हैं।

**अर्थशास्त्र और न्यायशास्त्र (Jurisprudence)**—अर्थशास्त्र में मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन होता है। न्यायशास्त्र से मनुष्य की विधान सम्बन्धी क्रियाओं पर विचार किया जाता है। न्यायशास्त्र यह बतलाता है कि मनुष्य क्या कर और क्या नहीं करे। यदि देश में कानून का पालन होता है तो अवश्य शान्ति और सुख्यवस्था प्रचलित होगी और देगवासियों का आर्थिक जीवन प्रगतिशील होगा, अन्यथा इसके विपरीत परिस्थिति होगी। निस्सन्देह किसी देश के नात्यों का वहाँ के आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे इंग्लैंड में ज्युस्टिसीयर्स के कानून के फलस्वरूप बड़-बड़े खेत हैं, परन्तु इसके विपरीत भारतवर्ष में ममानाधिकार के कारण छोटे छोटे खेत (Small Holdings) हैं जो आर्थिक उन्नति के अवरोधक हैं। आर्थिक परिस्थितियों का कानून पर भी प्रभाव पड़ता है। देश के आर्थिक विकास के साथ-साथ देश में प्रचलित कानून में भी परिवर्तन तथा संशोधन होते रहते हैं, जैसे भारतवर्ष में औद्योगीकरण के फलस्वरूप वर्तमान मकड़ों में अनेक संशोधन हो गए हैं। इसी प्रकार वाणिज्य व्यवसाय की उन्नति के साथ-साथ बैंकों ने बड़ी उन्नति की जिसका फल यह हुआ कि अब बैंकिंग कानून एक पृथक विधान बन गया है।

**अर्थशास्त्र और इतिहास (History)**—अर्थशास्त्र और इतिहास में घनिष्ठ सम्बन्ध है। अर्थशास्त्र के अध्ययन में ऐतिहासिक घटनाओं को समझने में बड़ी सहायता मिलती है, क्योंकि समाज का विकास और उसकी व्यवस्था बहुत कुछ आर्थिक वातावरण पर अवलम्बित है। इसी प्रकार इतिहास के अध्ययन से भी अर्थशास्त्र के अध्ययन में बड़ी सहायता मिलती है। कृषि, औद्योगिक, राजकीय, करों तथा यातायात सम्बन्धी समस्याओं का हल निकालने के लिए भारतीय इतिहास से परिचय प्राप्त करना आवश्यक है। अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का विवरण और पुष्टीकरण आर्थिक इतिहास द्वारा किया जाता है। कई आर्थिक सिद्धान्त केवल इसी आधार पर गढ़ कर दिए गए हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से प्रतिकूल सिद्ध हुए हैं। इसी आधार पर मानवस के जनसंख्या के सिद्धान्त को कड़ी आलोचना की गई है।

अर्थशास्त्र वेत्ताओं ने इतिहास को इतना महत्व दिया है कि उन्होंने आर्थिक इतिहास को दो शाखाओं में विभक्त कर इनका अध्ययन करना सामाजिकी समझ है। वे निम्नलिखित हैं :—

(१) आर्थिक विकास का इतिहास अर्थात् आर्थिक इतिहास (२) आर्थिक विचारों का इतिहास अर्थात् आर्थिक सिद्धान्तों का प्रादुर्भाव तथा विकास।

**आर्थिक इतिहास**—यहाँ हमको ज्ञात होता है कि समय-समय पर देश में आर्थिक घटनाएँ किस प्रकार चली और इनका क्या परिणाम रहा। उदाहरण के लिए, देश में दुर्भिक्ष और व्यापारिक उत्तार-चढ़ाव आदि बच-बच और क्यों आए और उन्हें दूर करने के लिए किन उपायों को प्रयुक्त किया गया था तथा राज्य की व्यापार नीति और मुद्रा नीति क्या थी इत्यादि। यह धारणी अर्थशास्त्र में दुर्भिक्ष, व्यापार, मुद्रा नीति आदि समस्याओं पर विचार करने में बड़ी सहायक सिद्ध होती है। इन्हीं ऐतिहासिक घटनाओं के आधार पर अर्थशास्त्र में नवीन सिद्धान्तों को जन्म मिलता है तथा प्रचलित सिद्धान्तों की आलोचना, संशोधन या पुष्टि की जाती है।



आर्थिक विचारों का इतिहास—इसका भी अर्थशास्त्र में बड़ा महत्त्व है। वर्तमान प्रचलित अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों को भली प्रकार समझने के लिये उनके जन्म और विकास के ज्ञान से पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है। उदाहरणार्थ, जमान (Rent) के सिद्धान्त का जन्मदाता डेविड रिकार्डो था, जिसने अठारहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के लघुत्त का सिद्धान्त प्रथम बार प्रस्तुत किया। इसके पदवाच्य इसमें कई परिवर्तन होते रहे। यह ज्ञान हम भूतजाल की मुटियों से भी सतर्क एवं सचेष्ट करता है, और भविष्य के लिए उन्नति के पथ पर आहत करता है। इसमें हमको सार्वजनिकता के सिद्धान्त का ज्ञान होता है।

मर जान सीले (Sir John Seeley) के अनुसार—

“Economics without Economic History has no root  
Economic History without Economics has no fruit.”

अर्थशास्त्र का मूल है अर्थशास्त्र इतिहास।

अर्थशास्त्र फल के बिना अर्थ-व्यय इतिहास ॥

अर्थशास्त्र और व्यक्तिगत विज्ञान—अर्थशास्त्र न केवल सामाजिक शास्त्रों से ही सम्बन्धित है अपितु व्यक्तिगत मानव विज्ञान से भी। व्यक्तिगत विज्ञानों में मनोविज्ञान प्रमुख है जिसका वर्णन यहाँ किया जाता है—

अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान (Psychology)—मनुष्य की प्रकृति, धर्म, प्रयत्न और सहाय—ये कतिपय भौतिक तत्व दोनों में समान रूप से पाए जाते हैं। आचरन और भौतिक मनोविज्ञान तो इन तत्वों के अधिकाधिक सम्बन्ध पर आधारित होता जा रहा है। जिस प्रकार अर्थशास्त्र मनुष्य की अर्थ सम्बन्धी क्रियाओं का विवेचन है, उसी प्रकार मनोविज्ञान उसकी मानसिक अवस्थाओं का अध्ययन है। अर्थशास्त्र सम्पूर्ण मानवीय आवश्यकताओं और उनकी पूर्ति पर आधारित है और इन तत्वों का मानसिक प्रवृत्ति में समान सम्बन्ध है। उदाहरण के लिये, सीमान्त उपयोगिता-ह्रास-नियम, माँग का नियम, पूर्त का नियम, व्यापार के उत्पन्न वस्तु के नियम आदि मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर अवलम्बित हैं। इसी प्रकार धर्मिक की अभाव पर विरसता, उदासीनता, विश्वास, मनोरञ्जन की आवश्यकता आदि मनुष्यता के सम्बन्ध में मनोविज्ञान से पर्याप्त सहायता प्राप्त होती है।

अर्थशास्त्र और भौतिक विज्ञान—अर्थशास्त्र का भौतिक विज्ञान से घनिष्ठ सम्बन्ध है। अर्थशास्त्र में जो वृत्ति धर्मिक तथा उद्योग सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया जाता है, तो भौतिक (Physics), रसायन (Chemistry), भूगर्भ (Geology), और जीवशास्त्र (Biology) आदि शास्त्रों में वही महत्त्वता मिलती है। अर्थशास्त्र के कई सिद्धान्त भौतिक रसायन एवं भूगर्भ शास्त्रों पर अवलम्बित हैं। उदाहरणार्थ, अमान्य उत्पत्ति ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) वृत्ति रसायन शास्त्र में विशेष सम्बन्धित है। इसी प्रकार रसायनशास्त्र में मरानुसार पर्याय नाशवाच्य नहीं है बल्कि स्थानान्तर होता रहता है। इसी के आधार पर अर्थशास्त्र में उत्पत्ति का उपयोगिता उत्पन्न करना और उपयोग को उपयोगिता का विनाश बहुर परिभाषित किया है क्योंकि इस प्रकार में तो कोई नवीन वस्तु बन सकती है और न, मर, नष्ट, नष्ट, मरती, नष्ट, नष्ट, उपयोगिता, नष्ट, अस्तित्व में होता रहता है।

नासनी विद्यमान भावों में भावों विद्यमान सतः (आभाव का नभी भाव नहीं होता और विद्यमान वस्तु का नभी अभाव नहीं होता) - श्री अणुवर्णना के

इस बंधन की गलतता आर्थिक दृष्टि में भी सिद्ध होती है। इसी प्रकार ज्योतिष द्वारा व्यापारिक चक्रों (Trade cycles) तथा आर्थिक मकड़ों पर प्रकाश डाला जा सकता है। जेल्स का 'सूर्य के घबड़े का मिद्वान्त' जैसे तार्किक नियमों के बनाने में सपोल शास्त्र (Astronomy) से धक्के मढ़ावना प्राप्त हुई है।

इस प्रकार अर्थशास्त्र और विभिन्न भौतिक शास्त्रों का सम्बन्ध जान लेने पर यह भी समझ लेना चाहिये कि बुद्ध भौतिक शास्त्रों का अर्थशास्त्र में सम्बन्ध अन्य शास्त्रों की अपेक्षा अधिक पतित है, इसका विवरण किया जाना है।

**अर्थशास्त्र और भौतिक शास्त्र (Physics)**—आधुनिक आर्थिकशास्त्र जैसे रेडियो, टेलिविजन, तार, टेलीफोन, मोटर, रेल, वायुयान, भाप और नैल के एंजिन और विद्युत से चलने वाले गजिन आदि की उत्पत्ति, विकास, उपयोगिता आदि महत्वपूर्ण तथ्यों की विवेचना पूर्णतः भौतिकशास्त्र में होती है। इनसे नया वा ज्ञान प्राप्त कर लेने के कारण आर्थिक क्षेत्र में आश्चर्यात्मक उन्नति हुई है। अतः अर्थशास्त्र और भौतिक शास्त्र का घनिष्ठ सम्बन्ध कोई रहस्यमय बात नहीं है।

**अर्थशास्त्र और रसायन शास्त्र (Chemistry)**—रसायनशास्त्र की उन्नति ने अनेक उद्योगों तथा व्यवसायों को उत्तम कर मानवयुक्त की वृद्धि की है, यह बात निर्विवाद है। प्रत्येक उद्योग-धन्धे में इसकी अतिवाहक आवश्यकता अनुभूत होती है। कपड़ा धोने का रबर, खर, तेल-साबुन, मोता-बास्व आदि उद्योग-धन्धे इसी के आधार पर स्थिर हैं। अस्तु, रसायन शास्त्र आर्थिक जीवन का एक प्रकार से आधारभूत है।

**अर्थशास्त्र और जीवशास्त्र (Biology) तथा वनस्पतिशास्त्र (Botany)**—जीवशास्त्र और वनस्पतिशास्त्र में अर्थशास्त्र बड़ा प्रभावित है, यद्यपि मनुष्य की अनेक आवश्यकताएँ वनस्पति एवं पशु संसार में पूर्ण की जाती हैं। अनेक उद्योग-धन्धों को शिवाशील रखने के लिए साष्ट तथा असाष्ट वनस्पति परम आवश्यक है। गेहूँ आदि की खेती में पौधों के रोगों की चिकित्सा तथा पशु-चिकित्सा आदि महत्वपूर्ण चर्चाएँ इसी शास्त्र में की जाती हैं।

**अर्थशास्त्र और भूगोल (Geography)**—अर्थशास्त्र मनुष्य के धनोपार्जन तथा धनोपयोग सम्बन्धी शिवाश्रों का अध्ययन है। भूगोल में मनुष्य और उसके वातावरण का विवेचन किया जाता है। देश की स्थिति, नदी-नहर, समतल भूमि, जलवायु और वनस्पति तथा मनुष्य का आर्थिक जीवन आदि बातों पर भूगोल स्पष्ट प्रकाश डालता है। किसी देश की बनावट, समुद्र-तट, जलवायु, वनस्पति, खनिज पदार्थ और प्राकृतिक शक्तियाँ का वहाँ के निवासियों के आर्थिक जीवन पर पूर्ण प्रभाव पड़ता है। पर्वतीय भागों में जहाँ किसी प्रकार की खेती सम्भव नहीं, भेड़ बकरी पालना ही जीविकोपार्जन का मुख्य साधन होगा। यह भाव है कि किसी देश के निवासियों की सम्पूर्ण आर्थिक क्रियाएँ भौगोलिक वातावरण में नियमित होती हैं। इसी कारण आर्थिक भूगोल अर्थशास्त्र का एक विभिन्न अङ्ग है। इसके अतिरिक्त इसका अध्ययन प्रायः अपूर्णा वा सम्भवा जायगा।

**अर्थशास्त्र और गणित (Mathematics)**—बड़ी बर्षों के विवाद के पश्चात् अर्थशास्त्र ने गणित की उपयोगिता स्वीकार कर ली है। जेल्स ने तो यहाँ तक घोषित कर दिया था कि अर्थशास्त्र वा यदि विज्ञान की नोटि में रखना है तो देश शास्त्र का गणितात्मक होना परम आवश्यक है, क्योंकि इसमें उपयोग वस्तुओं के परिमाण या उनके मात्रा-सम्बन्धी तथ्यों की विवेचना अधिक होती है। यद्यपि मानवीय इन्द्रियाँ तथा निर्यात का यथाचित माप नहीं हो सकता, फिर भी मानचित्र, रेखाचित्र एवं

तालिका आदि गणित सम्बन्धी नियमों तथा मूलों की सहायता से अर्थशास्त्र के सिद्धान्तों का भली-भाँति विवेचन किया जा सकता है। 'मुद्रा माना सिद्धान्त' (Quantity Theory of Money) जैसे अनेकों सिद्धान्त गणित की सहायता से भली-भाँति समझे जा सकते हैं।

**अर्थशास्त्र और अकशास्त्र (Statistics)**—अर्थशास्त्र वह विज्ञान है जो किसी समस्या से सम्बन्धित अर्थों का मूल्यांकन, वर्गीकरण सारणीकरण कर उनकी व्याख्या करता है। महाशय सेलिगमैन (Seligman) ने कहा है—'अर्थशास्त्र अथवा गणितशास्त्र की विधियाँ बड़ी महत्त्व और गम्भीर हैं। वे मनुष्य के भविष्य का सुभ्रमता की परभावस्था तक पहुँच देती हैं। दूसरी बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि बड़े जीवन के एक ही अंग की उपार्जन करता है। मानवीय उत्पादपूर्ण आवाधारों और आवश्यकताएँ गणितशास्त्र और अर्थशास्त्र के नीहित क्षेत्र में बंध जान में सीमित हो जायेंगी।'

परन्तु बिना अर्थशास्त्र की सहायता लिए हुए अर्थशास्त्र का तर्क एवं निष्कर्ष अपूर्ण माना जायगा। आर्थिक तथ्यों को पूर्णतया स्पष्ट तथा प्रभावशाली बनाने के लिए अर्थशास्त्र का अवलंबन बाध्यनीय है। उदाहरण के लिये, यह कहना कि भारतीय अर्थिकों की भृत्ति बहुत कम है, यह बात महत्त्व सगुण में नहीं आती जब तक कुछ अर्थ इस सम्बन्ध में नहीं उद्धृत कर दिए जायें। अर्थों के सतर्क अध्ययन से पुराने सिद्धान्तों की छातीबना और नवीन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया जा सकता है। अर्थ विज्ञान की सहायता से अनेक आर्थिक विषया का बड़ी सुगमता से वर्णन हो सकता है, जैसे विदेशी व्यापार, आयात-निर्यात और बैंक के विविध व्यवहार इत्यादि। माल्यम का जनसंख्या का सिद्धान्त आर्थिक तथ्यों पर ही अवलंबित था। समय-समय पर आर्थिक समस्याओं के लिये हार्ने वाने कमीशन और कमेटीयों अपनी योजनाएँ, आर्थिक तथ्यों के अध्ययन के पदचार्ज ही, प्रस्तुत करती है। अतः यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र की अर्थशास्त्र में मुख्य नहीं रखा जा सकता है। वास्तव में, अर्थशास्त्र का एक विभाग ऐसा है जो आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। इसको आर्थिक अर्थशास्त्र कहते हैं।

### अभ्यासार्थी प्रश्न

#### इण्टर ब्राह्मस परीक्षाएँ

१—अर्थशास्त्र अथ सामाजिक विज्ञानों से किस प्रकार सम्बन्धित है ?

(रा० वा० १९५५, उ० प्र० १९६४, ४८)

२—क्या अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है ? इसका दूसरे विज्ञानों से क्या सम्बन्ध है ?

(म० भा० १९५६)

३—अर्थशास्त्र का अथ सामाजिक शास्त्रों से क्या सम्बन्ध है ? भली भाँति समझाइए।

(म० भा० १९५५)

४—अर्थशास्त्र क्या है ? इसका अथ विज्ञानों में सम्बन्ध स्पष्ट कीजिए।

(उ० प्र० १९५१, अ० वा० १९५०)

५—'अर्थशास्त्र' का विषय समझाइए। अर्थशास्त्र का राजनीतिशास्त्र और व्यापार शास्त्र से क्या सम्बन्ध है ?

(उ० प्र० १९५२)

६—क्या अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है ? इसका सम्बन्ध राजनीतिशास्त्र से बताइए।

(मापर १९५७)

## अर्थशास्त्र के नियम (Laws of Economics)

**नियमों के भेद**—'नियम' शब्द भिन्न भिन्न अर्थों तथा व्यवहारों में प्रयुक्त होता है। नियमों को मुख्यतः निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है :

(१) **वैधानिक नियम (Statutory Laws)**—वैधानिक नियम वे हैं जो देश की सरकार द्वारा बनाये जाते हैं। वे यह बताते हैं कि अमुक काम वहाँ के निवासी कर सकते हैं और अमुक काम नहीं। प्रत्येक देशनिवासी के लिये उनका पालन करना अनिवार्य होता है। इन नियमों के उल्लंघन करने वालों को राज्य की ओर से उचित दंड दिया जाता है। यह स्थायी नहीं होते। उनमें आवश्यकतानुसार परिवर्तन एवं मसौदा होने होते हैं। कभी-कभी उनका तोप भी हो जाता है। ऐसे नियमों या कानूनों को राजनियम या वैधानिक नियम कहते हैं। उदाहरण के लिए, 'भारतीय दंड विधान' में यह निम्न है कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी प्रकार शारीरिक कष्ट न पहुँचावे। इस नियम का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को कारावास या धन दंड अथवा दोनों ही दंड दिये जाते हैं। इसी प्रकार कोई मोटर ड्राइवर बिना साइमिंग मोटर न चलावे। इस विधान का उल्लंघन करने वाला ५० रु० या इसमें भी अधिक दंड भोगता है।


(२) **नैतिक नियम (Moral Laws)**—इनका सम्बन्ध नीति, आदर्श तथा धर्म से है। ये नियम बताते हैं कि मनुष्य को क्या करना चाहिये और क्या नहीं जैसे—मनुष्य को सदैव अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और सतोपपूर्वक जीवन बिताना चाहिए, स्वाध्याय परायणता, कर्तव्य-निष्ठा, मदत्कार, पवित्रता आदि आदर्शों का पालन करना चाहिए; दूसरों को अपने समान समझना चाहिए और आत्मा के प्रतिकूल कोई कार्य नहीं करना चाहिए। इन नियमों को भंग करने वाले को इस लोक और परलोक में ईश्वरीय दंड मिलता है, ऐसा नीति-परायण व्यक्तियों का विश्वास है।

(३) **व्यावहारिक नियम (Customary Laws)**—वे हैं जो किसी जाति की सामाजिक रीति अथवा परम्परागत रिवाजों और हठियों द्वारा निर्धारित होते हैं। उदाहरण के लिये, हिन्दू समाज में कई ऐसी रीतियाँ परम्परा में प्रचलित हैं जिन्हें लोग जन्म, विवाह, मृत्यु आदि अवसरों पर पालन करते हैं। इन रिवाजों के पालन न करने वालों की सामाजिक दंड मिलता है, अर्थात् वे समाज की दृष्टि में नीचे गिर जाते हैं।

(४) **वैधानिक नियम (Scientific Laws)**—वे नियम हैं, जो कारण (Cause) और उसके परिणाम (Effect) में सम्बन्ध स्थापित करते हैं। इनके

द्वारा यह प्रकट होता है कि अमुक परिस्थिति में अमुक वस्तु उत्पन्न होगी और अमुक कार्य का अमुक परिणाम होगा, जैसे रसायन शास्त्र के नियम। ये नियम सर्वभौम सत्यता रखते हैं। ये नियम अपरिवर्तनीय हैं और न इनका कभी लोप होता है। इनके उत्पन्न में कोई दड का भागी नहीं होता।

(१) अर्थशास्त्र के नियम (Laws of Economics) — द्रव्य वैज्ञानिक नियमों की भाँति अर्थशास्त्र के नियम भी कारण और परिणाम का परस्पर सम्बन्ध स्थापित करते हैं। वे प्रकृत होते हैं कि अमुक आर्थिक स्थिति में इन कारणों का अमुक परिणाम होगा। अर्थशास्त्र हमारे प्रतिदिन के साधारण आर्थिक कार्यों का विश्लेषण है। यह उन कार्यों के परस्पर कारण और परिणाम के सम्बन्ध के विषय में प्रकाश डालता है। यह हमें बात का अन्वेषण करता है कि मनुष्य विशेष दशाओं में किस प्रकार वर्तित करने है। यदि किसी विशेष आर्थिक स्थिति में एक ही प्रकार का वर्तित या सम्बन्ध देखने में आता है तो उसे एक निश्चित रूप देकर अर्थशास्त्र का नियम कहने लगते हैं। हम यह प्रतिदिन देखते हैं कि जब किसी वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो साधारणतया उस वस्तु की माग घट जाती है, और मूल्य के कम होने पर माँग बढ़ जाती है। इस प्रकार का सम्बन्ध मबन गत्य गिड़ हो सकता है यदि अन्य बातों में प्रभावित



विविध प्रकार के नियम

न हो। इस प्रवृत्ति (Tendency) को अर्थशास्त्र में माँग का नियम (Law of Demand) कहते हैं। अर्थशास्त्रियाँ न इसी प्रकार के कई नियम बनाये हैं जो आर्थिक प्रवृत्तियों की ओर संकेत करते हैं कि अमुक स्थिति में अमुक परिणाम होने की सम्भावना है। यह प्रवृत्ति सामान्य धारणाएँ (General Statements) का सूचक है। ऐसी सामान्य धारणाओं को ही 'आर्थिक नियम' कहते हैं। लक्ष्य में, धन सम्बन्धी मानवीय प्रवृत्तियों की सामान्य धारणाओं को ही 'आर्थिक नियम' कहते हैं। प्रो० गार्मन्ड ने नवदशुत्तम आर्थिक नियम या आर्थिक प्रवृत्तियों के अर्थशास्त्रिक नियम हैं, जो आचरण की उन सामान्यताओं में सम्बद्ध हैं, जिनमें अपेक्षित प्रवृत्तियों की दृष्टि मुद्रा मूल्य में माँग का मक।

आर्थिक नियमों की विशेषताएँ — उपर्युक्त परिभाषा का अध्ययन करने में आर्थिक नियमों को दो मुख्य विशेषताएँ प्राप्त होती हैं, वे निम्नलिखित हैं —

(१) ये नियम सामाजिक होते हैं क्योंकि ये यह प्रकृत करते हैं कि विशेष परिस्थितियों में मनुष्य सामाजिक रूप में किस प्रकार वर्तित करने है।

(२) आर्थिक नियमों का सम्बन्ध मनुष्य की प्रवृत्तियों में है, जिनका माँग मुद्रा में सम्भव हो सके।

अर्थशास्त्र के नियम और अन्य विविध प्रकार के नियम—उपयुक्त विवरण से यह निर्विवाद स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र के नियम वैज्ञानिक नियम हैं, क्योंकि वे उनकी भाँति कारण और परिणाम में सम्बन्ध स्थापित करते हैं। वे अन्य प्रकार के नियमों में विल्लुता भिन्न हैं। जैसे—राजनियमों की भाँति आर्थिक नियम किसी राष्ट्र या सरकार द्वारा नहीं बनाये जाते और न उनमें भङ्ग करने वाल किसी प्रकार के दख के भागी होते हैं। आर्थिक नियमों का एकमात्र कार्य अर्थ सम्बन्धी क्रियाओं में कारण और परिणाम के सम्बन्ध को स्पष्ट करना है। 'ऐसा बग' या 'ऐसा नहीं करो' इस प्रकार की वे आज्ञाएँ नहीं देते हैं। अतः यह धर्मशास्त्र और नीतिशास्त्र के नियमों के अनुसार हदियों पर अवलम्बित नहीं है। यदि कोई गनुष्य राजनियमों की अवज्ञा करना पाया जाता है, तो उसे दण्ड मटना पड़ता है।

क्या आर्थिक नियम प्राकृतिक नियम हैं? (Are Economic Laws, Natural Laws)

इस विषय में दो धारणाएँ प्रचलित हैं :—

(१) आर्थिक नियम प्राकृतिक नियम नहीं हैं—एक धारणा वाले सर्व-शास्त्र के नियमों को प्राकृतिक नियम नहीं मानने, क्योंकि इसमें भौतिक, रसायन आदि शास्त्रों की भाँति अपरिवर्तनीय तथा सर्वव्यापी नियमों का पूर्ण प्रभाव है। अर्थशास्त्र के नियमों का सम्बन्ध 'समुच्चय' में है जो वृद्धिमान् प्राणों होने के नाते अपने विचारों में पूर्ण स्वतन्त्र हैं और अपनी इच्छा से उनमें परिवर्तन कर सकता है, अतः वे सर्वव्यापी होने में अयमर्थ हैं।

(२) आर्थिक नियम प्राकृतिक नियम हैं—दूसरी धारणा वालों का मत है कि अर्थशास्त्र के नियम प्राकृतिक नियम हैं। इनके लिये वे प्राकृतिक नियमों को दो विभागों में बाँटते हैं, एक तो वे प्राकृतिक नियम जो सर्वव्यापी एवं अपरिवर्तनीय हैं और दूसरी कोटि में वे सम्मिलित हैं जो दी हुई परिस्थितियों में ही सर्वव्यापी सिद्ध हो सकते हैं, जैसे—चित्ती निश्चित तापक्रम तथा दबाव में यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक निश्चित परिणाम में मिलाये जायें तो वे जल में परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थशास्त्र के नियमों को वे दूसरी कोटि में सम्मिलित कर प्राकृतिक नियम मानते हैं, अर्थात् आर्थिक नियम किसी निश्चित परिस्थिति में सर्वव्यापी सिद्ध हो सकते हैं। जैसे—यदि किसी वस्तु की माँग (Demand) बढ़ती है और पूर्ति (Supply) वैसी ही रहती है, तो निश्चित रूप में उस वस्तु का मूल्य में वृद्धि होती है। यह नियम सब जगह लागू होगा। अतः वे ऐसी परिस्थितियों में अर्थशास्त्र के नियमों को प्राकृतिक नियम घोषित करने हुए तबिल भी स्वीकृत नहीं होते।

आर्थिक नियमों और प्राकृतिक या भौतिक नियमों की तुलना

आर्थिक और प्राकृतिक नियमों में समानता—इन दोनों प्रकार के नियमों में बड़ी समानता है, क्योंकि दोनों ही में कार्य और कारण का सम्बन्ध किसी निश्चित परिस्थितियों में स्थापित होता है। उदाहरणार्थ, अर्थशास्त्र में माँग का नियम यह प्रकट करता है कि यदि किसी वस्तु की माँग बढ़ जाय, तो उस वस्तु का मूल्य बढ़ जायगा। इस नियम के यथार्थ सिद्ध होने में अन्य परिस्थितियों का तथित भी हस्तार्थक न होना चाहिये; अन्यथा यह नियम लागू नहीं होगा। जैसे, माँग के साथ-साथ उद्य वस्तु की पूर्ति में भी वृद्धि होनी है, तो फिर मूल्य में वृद्धि होना सम्भव नहीं है। इनके

विपरीत शक्ति वस्तु का फंदान या प्रयोग परिवर्तित हो जाने से यदि मूल्य भी गिर जाय तो उस वस्तु की मांग कम रहती ।

इसी प्रकार प्राकृतिक नियमों में भी यही बात बताई जाती है । उदाहरण के तौर पर आकर्षण शक्ति नियम (Law of Gravitation) यह प्रकट करता है कि प्रत्येक वस्तु पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है परन्तु यह नियम भी इन बातों पर आश्रित है कि शक्ति का कारण ऐसा उपस्थित नहीं होना जो उसके रास्त में अवरोध पैदा कर दे । यदि बाधा जानने वाला कारण इसमें प्रतिक प्रवृत्तता में उपस्थित हो जाय तो इस नियम की वास्तविकता नष्ट हो जायगी ।

**आर्थिक और प्राकृतिक नियमों में असमानता**—इनमें इतनी समानता हान हुए भी कुछ भेद है, जो निम्नलिखित है—

प्राकृतिक या भौतिक नियम घटस और अनिवाय होते हैं, परन्तु इनका संवय अभाव आर्थिक नियम में देखा जाता है । उदाहरण के लिये रसायन शास्त्र के अनुसार दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन व संयोग में एक उत्पन्न हो जाता है । यह नियम घटस और संवयवापी है—कोई भी बाधा इनको इस लाभ में बाधित नहीं कर सकती । परन्तु अर्थशास्त्र में श्रम विभक्तिक नियमों में इस अनिवायता तथा स्थिरता का संवय अभाव है । उदाहरणार्थ बहुत से मनुष्य एक श्रम में एक प्रमाणात्कृत होते हैं कि वे विद्वान् मस्ती वस्तुओं की अथवा स्वदेशी अथवा वस्तुओं का उत्पादन कम कर सकते हैं ।

(२) प्राकृतिक या भौतिक नियम पूर्ण होते हैं परन्तु आर्थिक नियमों का अनुमान इतना पूर्ण सिद्ध नहीं हो सकता । उदाहरणार्थ यदि दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन के संयोग को श्रम में इसी अनुपात में बढ़ाया जाये तो जल की मात्रा उसी अनुपात में बढ़ती जायगी । यदि दुगुना किया जाय तो जल भी दुगुना बन जायगा और तिगुना किया जाय तो तिगुना हो जायगा । परन्तु अर्थशास्त्र के पूर्व उद्योगिक भाग में नियम में मूल्य के अनुाधिक से उसी अनुपात में भाग तथा पूर्ति में वृद्धि नहीं होगी ।

(३) भौतिक नियमों को प्रयोगशाला (Laboratory) में प्रयोगों द्वारा सिद्ध कर उनके यथायथा की परीक्षा की जा सकती है परन्तु आर्थिक नियमों में प्रयोगशाला की संभावना का पूर्ण अभाव है ।

**अर्थशास्त्र के नियमों की निश्चितता**—(१) अर्थशास्त्र में दस्ता ज्ञान तथा सात अर्थशास्त्र के नियम अनिश्चित नहीं हैं । अर्थशास्त्र के कुछ नियम एम भी हैं जो प्रकृति पर अवलम्बित हान व कारण निश्चित हैं । जैसे— श्रमगत उत्पत्ति हान नियम (Law of Diminishing Return) यह एक सांख्यिक नियम है । यह प्रकृति वृष्टि की उत्तम रीति तथा नवीन आविष्कृत मशीनों व हान कुछ समय के लिए रोकती जा सकता है परन्तु परिस्थितियाँ व स्थिर हो जान पर पुन इसका प्रभाव प्रारम्भ हो जाता है ।

(२) अर्थशास्त्र के कुछ नियम तो एम हैं जो स्वयं सिद्ध हैं और जिनको यथायथा सिद्ध करने के लिए किसी प्रकार के प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती । जैसे— पूँजी का मूल्य तभी हो सकता है जो व्यय में श्राय अधिक हो अथवा जीवन-काल का नियम गुणवत्तापूर्वक धन की उत्पत्ति पर निर्भर है आदि नियम मूल्य तथा संवय समय एक से ही सिद्ध हो सकते हैं ।

अर्थशास्त्र के नियम ]

अर्थशास्त्र के नियम अन्य सामाजिक शास्त्रों के नियमों की अपेक्षा अधिक निश्चित है; परन्तु वे भौतिक शास्त्रों के नियमों की अपेक्षा कम निश्चित हैं।

अर्थशास्त्र के नियम अन्य सामाजिक नियमों की अपेक्षा कम निश्चित हैं—यह प्रथम अर्थात् मे स्पष्ट किया जा चुका है कि अर्थशास्त्र भी एक सामाजिक विज्ञान है। अब यह सिद्ध करना है कि अर्थशास्त्र के नियम अन्य सामाजिक शास्त्रों के नियमों की अपेक्षा अधिक निश्चित हैं। अर्थशास्त्र का सम्बन्ध मनुष्य की उन इच्छाओं तथा कार्यों से है जो मुद्रा में आके जा सकते हैं। उदाहरणार्थ यदि एक श्रमिक को दिन भर उद्योगशाला में कार्य करने का पारिश्रमिक दो रुपये प्रतिदिन के हिमाव से मिलता है, तो यह उसके परिश्रम का अधिक माप है। इसी प्रकार डाक्टर को विश्वविद्यालय में कार्य करने के फलस्वरूप यदि वेतन मिलता है तो यह उसकी क्रियाओं का अधिक माप है। यदि वह वहाँ निरुत्क कार्य करता है, तो उसका कोई आर्थिक मार न होने के कारण आर्थिक लिम्बा सम्पन्न करना नहीं कहा जा सकता। यह माप अर्थशास्त्र को ही उपलब्ध है, अन्य सामाजिक शास्त्रों में इस प्रकार के मापों का पूर्ण अभाव है, अतः उनमें नियमों में अर्थशास्त्र के नियमों की अपेक्षा अधिक अनिश्चितता होना स्वाभाविक है। जिस प्रकार रसायनशास्त्र की 'ब्रूम तुला (True Balance)' में उसमें नियमों को अन्य भौतिक शास्त्रों के नियमों की अपेक्षा अधिक निश्चित बना दिया है, उसी प्रकार 'मुद्रा' (Money) के माप दण्ड ने, यद्यपि यह इतना अनिश्चित नहीं है, फिर भी अर्थशास्त्र को अन्य विविध सामाजिक शास्त्रों की अपेक्षा अधिक दृढ़ एवं निश्चित बना दिया है, क्योंकि इस प्रकार के माप दण्ड का अन्य सामाजिक विज्ञानों में पूर्ण अभाव है। अतः यह स्पष्ट हुआ कि अर्थशास्त्र के नियम अथवा सिद्धान्त नीतिशास्त्र, न्यायशास्त्र, राजनीति आदि शास्त्रों में अधिक दृढ़ एवं अनिश्चित हैं।

अर्थशास्त्र के नियम भौतिक विज्ञानों के नियमों की अपेक्षा कम निश्चित हैं।

ऊपर बतलाया जा चुका है कि अर्थशास्त्र के नियम कारण और कार्य में सम्बन्ध स्थापित करने के कारण वैज्ञानिक नियम कहे जाते हैं, परन्तु ये प्राकृतिक या भौतिक विज्ञानों के नियमों की अपेक्षा कम निश्चित हैं। वे पूर्ण रूप से इस बात को प्रकट करने में असमर्थ हैं कि अमुक कारण का अमुक परिणाम अवश्य होगा। अर्थशास्त्र में माँग का नियम इस बात को स्पष्ट कर देता है। इस नियम के अनुसार मूल्य के कम हो जाने से माँग बढ़ जाती है और मूल्य के बढ़ जाने से माँग कम हो जाती है। सधारणतया ऐसा ही होता है। परन्तु यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि मूल्य के घटने में माँग में कितनी वृद्धि होगी। कभी कभी ऐसा भी इतिहास होता है कि किसी वस्तु का केंचन या चलन उठ जाने से उस वस्तु के मूल्य के गिर जाने पर भी माँग में वृद्धि नहीं होती। अर्थशास्त्र के नियम केवल इस बात के प्रकट करने में समर्थ हैं कि अमुक परिस्थिति में अमुक परिणाम का होना सम्भव है। दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि वे केवल प्रवृत्ति अथवा एब्ज (Tendency) को और संकेत करते हैं, वे दृढ़ता से यह नहीं घोषित कर सकते कि अमुक परिस्थिति में अमुक परिणाम होना अनिवार्य है। इस अनिश्चितता के कई कारण हैं, जो नीचे दिये जाते हैं।

(१) अर्थशास्त्र मनुष्य की आर्थिक इच्छाओं तथा कार्यों का अध्ययन है। मनुष्य के स्वैच्छाचारी होने के कारण उसके स्वभाव को नियमबद्ध नहीं



किया जा सकता, और न यह थादा ही की जा सकती है कि वह मदैव उन्नी प्रवार प्यवहार करना गृह्या । उनको इच्छार् निर्लर परिवर्तनीय होने के कारण अरन्त अनिश्चित है । अतः इन्ही पर अवलम्बित नियमों का अनिश्चित होना भी स्वाभाविक है ।

(२) मनुष्य का आधिज जीवन भी धार्मिक, राजनैतिक और सामाजिक समन्धों से प्रभावित होता गृह्या है, अतः अर्थशास्त्र के नियम जिनका सम्बन्ध केवल आधिज प्रवृत्तियों से हो है पूर्ण रूप से निश्चित नहीं हो पाते ।

(३) अर्थशास्त्र का एक सामाजिक विज्ञान के रूप में मनुष्य का अध्ययन करने के कारण उन मानव जीवन की जटिल घटनाओं का विवेचन करना पट्टा है । उसका न तो भौतिक विज्ञानों की सरल घटनाओं की भाँति स्पष्ट एवं सुनिश्चित विवेचन किया जा सकता है और न उनमें नियमों की साधारण एवं अपरिवर्तनीय रूप ही दिया जा सकता । प्रा. अर्थशास्त्र के नियमों का भौतिक ज्ञानों के नियमों की अपेक्षा अधिक अनिश्चित होना सिद्ध हुआ ।

(४) अर्थशास्त्र में प्रत्यक्ष प्रयोग सम्भवा सम्भव नहीं, क्योंकि इतना सम्बन्ध मनुष्य या स्त्री में है जो एक जीवित तथा स्वतन्त्र प्राणी है । यह स्वच्छेद में काम करना चाहता है । इसे पकड़ कर प्रयोगशाला की परिस्थिति में सीमित कर कुछ प्रयोग तो किया नहीं जा सकता, जो अर्थशास्त्र के नियमों को स्थिर कर सके । भौतिक पदार्थ तो ब्रह्म है, उनका प्रयोगशाला की वाटिन दवा में रचना कभी दुःसाध्य नहीं । प्रा. भौतिक विज्ञान के तथ्या का भाँति से कभी स्थिर नहीं होते । प्रा. मानव जीवन सम्बन्धी सिद्धार् परिवर्तनीय होने के कारण नियम ब्रह्म नहीं की जा सकती ।

**भौतिक नियमों की अधिक स्थिरता**—भौतिक विज्ञानों के नियम पूर्णरूप से निश्चित सम्बन्ध स्थापित करते हैं तथा वे सर्वत्र लागू होते हैं । इसका मुख्य कारण निम्नांकित हैं :—

(१) भौतिक विज्ञानों का सम्बन्ध मनुष्य की प्रवृत्तियों से न होकर भौतिक पदार्थों से है । जो निश्चित और अपरिवर्तनीय है । अतः उनके नियमों की निश्चयता एवं दृढता भी स्वाभाविक है ।

(२) भौतिक विज्ञानों का विवेचनीय विषय भौतिक पदार्थ हैं, जो स्वभाव में सरल एवं अपरिवर्तनीय है । सरल घटनाओं में सम्बद्ध नियमों का अध्ययन होने के कारण भौतिक नियमों का स्वतः निश्चित एवं अपरिवर्तनीय होना सिद्ध होता है ।

(३) भौतिक विज्ञानों में प्रत्यक्ष प्रयोग पूर्ण रूप से इच्छातुसार प्रयोगशालाओं में सम्भव होने के कारण सम्बद्ध घटनाओं पर प्रयोग की जा सकती है । परी कारण है कि भौतिक नियम अत्यन्त स्थिर है ।

**निष्कर्ष**—उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट हुआ कि अर्थशास्त्र के नियम इतने निश्चित नहीं हैं जितने भौतिक विज्ञानों के नियम । उनकी तुलना भौतिक विज्ञानों के नियमों से नहीं की जा सकती । उदाहरण के लिये, आकर्षण शक्ति का नियम ( Law of Gravitation) स्थिर नियम है, इस बात को प्रकट करता है कि कोई भी वस्तु आकाश में उछाली जाय ता वह पृथ्वी की आर आकर्षण विद्योती । बल्के खेप में पैदा ऊँचा उछालते हैं । उनके हाथ की शक्ति के अनुसूच ऊँचाई तक वह पैदा जाना है—पर उन शक्ति के क्षांति हो ही बुझी उमे अपनी आर तीव्रता प्रारम्भ करती है । 'बुझक के पाम लोड़े का आकट चिपक जाता'—भी इसी आकर्षण सिद्धांत का समझना है । इस नियम की भंगना में तनिक भी सम्बद्ध उपन नहीं हो सकता, क्योंकि इतना तन्य होना अनिश्चित या निश्चित है ।

## अर्थशास्त्र के नियम ]

इसी आधार पर प्रो० मार्शल कहते हैं कि आर्थिक नियमों की तुलना 'मावर्षणशक्ति' जैसे सरल और निश्चित भौतिक नियमों की अपेक्षा 'ज्वार-भाटा (Law of Tides) के नियमों' से करना चाहिए। ज्वार-भाटा के नियम यह प्रकट करते हैं कि सूर्य और चन्द्रमा के प्रभाव से एक दिन में दो बार ज्वार-भाटा उठता है और गिरता है और किम प्रकार पूर्ण चन्द्रमा के उदय होने पर ज्वार-भाटा में प्रवृत्तता आ जाती है, इत्यादि। परन्तु ये निश्चित रूप से नहीं बता सकते कि किस समय ज्वार-भाटा तीव्र वेग से आएगा, क्योंकि तीव्र वायु तथा अधिक जल-वृष्टि आदि अनु-परिवर्तन के प्रभाव से ज्वार-भाटा की गति स्थिरता में पर्याप्त अन्तर पड़ जाता है। ज्वार-भाटा के नियम केवल इस बात को बता सकते हैं कि समुद्र में स्थान अथवा समय पर इस प्रकार के ज्वार-भाटा की संभावना है। संभव है तीव्र वायु और अति जल वृष्टि उनकी समार्यता में बाधक हो जायें। यही दशा अर्थशास्त्र के नियमों की है। वे मनुष्य की प्रवृत्तियों की ओर संकेत करते हैं जिनमें प्राकृतिक और आकस्मिक परिवर्तन होता रहता है। यही कारण है कि आर्थिक नियम संचालीन, सुनिश्चित, या स्थिर नहीं हो पाते। वे ज्वार-भाटा के नियमों की भांति इस बात को घोषित करते हैं कि समुद्र आर्थिक परिवर्तित में अमुक परिणाम होने की संभावना है।

## अर्थशास्त्र की धारणाएँ (Assumptions)

समस्त विज्ञानों के नियम कार्यात्मक या सांकेतिक होने हैं। वे किसी परिस्थितियों या दशाओं का कुछ परिणाम बताने वाले होते हैं। अर्थशास्त्र के भी नियम इसी प्रकार सांकेतिक हैं। यदि अवस्थाएँ और परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, तो वांछित परिणाम सुलभ है। सांकेतिक परिणाम पर पहुँचने के लिये कतिपय नियमों की वरूपता की गई है। अर्थशास्त्र में यह बात माननीय समझी जायगी कि मनुष्य सुलभ की ओर भ्रुकता है और दुःख या कष्ट से बचना चाहता है। उनके लिये धन की प्राप्ति सुलभ है। वह अपनी इच्छा के अनुकूल एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में प्रवृत्त हो जाता है। कतिपय अति परिचित मूल्य इन्हीं धाराशास्त्रों के बत पर सुने जाते हैं। यथा :—

'भूजो उसी व्यवसाय में लगाई जायगी जहाँ अधिकधिक व्याज उपलब्ध हो सके।' 'आर्थिक व्यक्ति उसी व्यवसाय और स्थान पर जावेंगे जहाँ वे उत्तम आर्थिक प्राप्त कर सकेंगे।'

'एक समय और एक पथ्यस्थान (Market) में एक वस्तु का मूल्य एक ही होगा।'

ये धारणाएँ सर्वथा गलत नहीं हैं। इन नियमों के अन्तर्गत प्रायः 'अन्य परिस्थितियाँ समान रहे' (Other things being equal) या 'अन्य अवस्थाएँ स्थिर रहे' आदि प्रतिबन्ध-सूचक विशिष्ट शब्दों (Qualifying Words) का प्रयोग देला जाता है, जिनका तात्पर्य यह है कि आर्थिक नियम विशिष्ट परिस्थितियों में ही सार्थक सिद्ध होते हैं। एक उदाहरण से इसे समझ लेना चाहिए। यदि वस्तुओं के ही सार्थक सिद्ध होने हैं। एक उदाहरण से इसे समझ लेना चाहिए। यदि वस्तुओं का मूल्य बढ़ेगा, तो माँग में कमी हो जायगी। क्या यह नियम सर्वत्र में सत्य है? अनेक समय ऐसे धारित हैं जब मूल्य घटता है तो वस्तुओं की माँग बेसी हो रहती है, यही नहीं, पहले की अपेक्षा माँग अधिक बढ़ जाती है। यह माँग मूल्य बढ़ जाने के कारण ही बढ़ी है। लोग समझते हैं कि मूल्य इसलिए बढ़ा है कि समुद्र वस्तु अब पथ्यस्थान (बाजार) में न आ सकेगी। अतः उसे यदावयव शीघ्र और पर्याप्त मात्रा में संग्रह कर रखना चाहते हैं। माजबल मेयिन प्रो' नर्वाक डेन्डन ने पेंडेंट का

मूल्य वृद्धि ता माँग पहले की अपेक्षा दुगुनी बढ़ गयी। अतः उक्त नियम को हम अभी समझेंगे जा इसके साथ दूसरा समबल नियम—'जब माँग बढ़ेगी मूल्य भी बढ़ेगा' काम में लाया जायगा। हम देखते हैं—एक छात्र एक डेस्क को मरकाने के लिये बल लगाता है। उसी समय दूसरा छात्र उसे रोकने की चेष्टा करता है। परिणाम क्या होता है? डेस्क नहीं रहती है। नेशा मात्र भी इधर उधर नहीं सरकती। यदि एक ही समय में दो विरुद्ध शक्तियाँ उभर कर मरकाने और रोकने की चेष्टा में न लगती तो बल के अनुक्रम या ता वह छात्र सरका दी जाती या दूसरी ओर पीछे हटा दी जाती। अतः परिस्थितियाँ में परिवर्तन के साथ ही साथ नियमों में भी परिवर्तन होना स्वाभाविक है। अस्तु आर्थिक नियम सिन्ही परिवर्तनशील कल्पनाओं पर आश्रित होने के कारण वास्तविक एवं सांकेतिक समझें जाते हैं।

**प्रो० मार्शल का दृष्टिकोण**—प्रो० मार्शल का इस सम्बन्ध में यह कथन है कि इस प्रकार के प्रतिप्रध-मूचन शब्द भौतिक विज्ञानों के नियमों में भी देय जाते हैं, जैसे निश्चित तापक्रम तथा दबाव (Pressure) पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एक निश्चित अनुपात में परिणाम में मिल जाने में जल का रूप धारण कर लेने हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सभी भौतिक विज्ञानों के नियम वास्तविक हैं, परन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। अर्थशास्त्र में ये धारणाएँ अधिक महत्व रखती हैं, क्योंकि इनका विवेचनीय विषय अनुप्य है, जिनकी इच्छाएँ, क्रियाएँ आदि परिवर्तनशील हैं। परन्तु भौतिक विज्ञानों के विवेचनीय विषय जड़ पदार्थ होते हैं, जो निरिष्ट परिस्थितियों में सर्वत्र यथाय मिश्र होते हैं। अस्तु भौतिक विज्ञानों के नियमों को अर्थशास्त्र की दृष्टि में सम्मिलित करना भारी बूल है।

### अध्यासाध्य प्रश्न

#### इण्टर ग्राट्स परीक्षाएँ

१—अर्थशास्त्र में आप क्या समझते हैं? आर्थिक नियमों के लक्षण बताइए।

(४० प्र० १९५७)

२—'नियम' में आप क्या समझते हैं? "आर्थिक नियम प्रवृत्तियों का कथन है।" इस बारे में आपका क्या कहना है?

(५० भा० १९५७)

३—आर्थिक नियमों में क्या तात्पर्य है? इनका स्वभाव क्या है? आर्थिक नियमों और प्राकृतिक नियमों में क्या अन्तर है? क्या आर्थिक नियम कल्पित हैं?

(४० वा०, २० वा० १९४९ ४० प्र० १९५५, दिल्ली हा० से० १९५०)

४—अर्थशास्त्र के नियमों की तुलना आपसमें शक्ति व नियमों की अपेक्षा उदार भावों के नियमों की जाती है। क्या?

(पटना १९४५)

५—अर्थशास्त्र के नियमों का स्वभाव तथा महत्व बताइए।

(पुनज १९५३)

६—आर्थिक नियमों पर टिप्पणी लिखिए।

(सागर, १९५०)

## अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व (Importance of the Study of Economics)

**अर्थशास्त्र का महत्व**—समाज के वर्तमान सगठन में अर्थशास्त्र का बड़ा महत्व है। प्रत्येक नागरिक के लिए अर्थशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। यद्यपि मानव-जीवन अत्यान्व्य प्रकार में प्रभावित होता रहता है परन्तु सबसे अधिक प्रभाव उम्र पर धन का पड़ता है। अर्थशास्त्र मनुष्य के जीवन के अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग धन का अध्ययन करता है। मनुष्य के व्यक्तित्व को बनाने और बिगाड़ने में इस अंग पर अधिक प्रभाव पड़ता है। उसकी आर्थिक स्थिति और वातावरण उसके विचारों पर बड़ा प्रभाव डालते हैं। धन की प्रचुरता अथवा तृणता मनुष्य और समाज दोनों पर अपना प्रभाव दिखाती है। धन का प्रत्येक राष्ट्र इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि वह उसे अधिक मुझी एवं समझिसाली बनाये। आर्थिक दृष्टि में धन चाहे नव दोषों का मूल कारण हो, परन्तु मनुष्य और उसके सामाजिक जीवन में धनोपार्जन तथा धनोपभोग का इतना महत्व है कि कोई विचारशील पुरुष तथा राष्ट्र इसकी उपेक्षा नहीं कर सकता है। अर्थशास्त्र के अध्ययन से पता चलता है कि राष्ट्र के जीवन में आर्थिक बाधों का कितना बड़ा स्थान है। इसके अध्ययन से राष्ट्र की आर्थिक सम्पन्नता या असम्पन्नता का कारण सहज में ज्ञात हो जाता है। आजकल बहुत सी समस्याओं का हल उनके आर्थिक पहलू पर निर्भर रहता है। देश की दरिद्रता एवं तत्वसम्बन्धी अनेक समस्याओं का हल तो अर्थशास्त्र का अध्ययन ही निकालता है। सक्षेप में, अर्थशास्त्र सब आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, उपभोग, विनिमय और वितरण आदि का अध्ययन होने से इसका महत्व स्वयं सिद्ध है।

**अर्थशास्त्र के अध्ययन के उद्देश्य (Objects)**—किसी भी विषय का अध्ययन दो मुख्य उद्देश्यों से किया जाता है। एक तो केवल ज्ञानोपार्जन के हेतु और दूसरे व्यवहारिक जीवन के लाभ के हेतु। प्रत्येक विषय के अध्ययन में ये दोनों बातें न्यूनतम मात्रा में पाई जाती हैं। किसी विषय में एक उद्देश्य का अधिक महत्व होता है और किसी में दूसरे का। उदाहरण के लिये, 'दर्शनशास्त्र' (Philosophy) और 'मनो-विज्ञान' (Psychology) में ज्ञानोपार्जन ही का उद्देश्य होता है। इसके विपरीत चिकित्साशास्त्र एवं इंजीनियरिंग आदि कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें व्यावहारिक लाभ का अंग विशेष होता है। जिन शास्त्रों का अध्ययन मुख्यतः चित्त की प्रसन्नता एवं मानसिक विकास के लिये ज्ञानोपार्जन एवं विकासत्मक (Light-bearing) अथवा सैदान्तिक (Theoretical) कहलाने है और जिन शास्त्रों के उद्देश्य प्रधानतया व्यावहारिक जीवन में लाभ उठाना है व फलदायक (Fruit bearing) अथवा व्यावहारिक (Practical) कहलाने हैं।

अर्थशास्त्र के अध्ययन से हमें अपर्युक्त दोनों प्रकार के लाभ प्राप्त होंगे हैं। इससे हमारे ज्ञान-कोष को वृद्धि होकर मार्मिक विकास होता है और व्यावहारिक क्षेत्र में भी

अनेक लाभ इनमें प्राप्त होते हैं। इन दृष्टि में यह दर्शन आदि शास्त्रों से अधिक उपयोगी है, क्योंकि उनमें केवल ज्ञानोपार्जन ही उद्देश्य रहता है, परन्तु अर्थशास्त्र के अध्ययन से ज्ञाना प्रचार के लाभ सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक उपलब्ध होते हैं।

प्रो० मार्शल कहते हैं कि अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य प्रथम तो केवल ज्ञान के लिये ज्ञान प्राप्त करना है और द्वितीय व्यावहारिक जीवन, विशेषतः सामाजिक जीवन में मार्ग प्रदर्शन करना है।<sup>1</sup>

नीचे इन्हीं वाग्य दृष्टिकोणों से अर्थशास्त्र के महत्त्व का निरूपण किया जाता है—

### (अ) सैद्धान्तिक महत्त्व (Theoretical Importance)

ज्ञानोपार्जन की दृष्टि में अर्थशास्त्र ने अध्ययन का महत्त्व बड़ा विस्तृत है। इसमें हमें निम्नलिखित सैद्धान्तिक लाभ प्राप्त होते हैं।—

(१) यह सत्यानुसंधान का एक साधन है जिससे हमें मनुष्य और उम्पत्ति का ग्यार्व ज्ञान प्राप्त होता है। इसकी प्राप्ति के लिये विगमन प्रणाली का उपयोग एक उत्तम साधन है।

(२) इसकी आवश्यक प्रणाली द्वारा आर्थिक घटनाओं का संकलन, वर्गीकरण और विस्तार करने के पश्चात् कार्य और कारण में सम्बन्ध स्थापित करते हुए साधारण नियम स्मिप किए जाते हैं। इन क्रिया में सतक निरीक्षण और धैर्ययुक्त विवेचन के लिये सम्मस्त हो जाता है। यह दितकर गुण जिनकी अभाव ही सनता है।

(३) इसमें अनेक घटनाओं का अध्ययन विविध दृष्टिकोणों में होने के कारण गुणगानक विवेचन सम्भव है। धन इसके द्वारा मनुष्य की निरूप्य शक्ति पुष्ट होती है।

(४) इसका अध्ययन मनुष्य के दृष्टिकोण को विस्तृत बनाता हुआ उसे उदार बनाने में सहायक सिद्ध होता है।

(५) इस प्रकार अर्थशास्त्र का अध्ययन मानसिक ब्यायाम का कार्य करता है। इससे मनुष्य के शक्तिप की सब प्रकार की शक्तियों को पूर्ण अभाव्यता विवता है जिससे वे चलती बनती हैं।

(६) अर्थशास्त्र के अध्ययन में मनुष्य के ज्ञान-कोप की सुद्धि होती है। धन की उत्पत्ति के क्या-क्या साधन हैं, निरूप्य प्रचार धन के उपयोग में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, अथवा धन का विनिमय एवं वितरण होता है आदि समस्या का विवेचन यह शास्त्र करता है, अथवा या कहा जाय कि समाज के आर्थिक ढाँचे का पूर्ण विवरण उपस्थित करता है। यही ही नहीं, अर्थशास्त्र मनुष्य की राष्ट्रीय तथा व्ययस्था का पूर्ण ज्ञान देता है और यह बताता है कि उनमें उल्लास क्या स्थान है। आनुजिक समाज की अनेक जटिल आर्थिक समस्याओं को समझने और सुलझाने के लिये अर्थशास्त्र का ज्ञान अत्यावश्यक है।

1—"The aims of the study are to gain knowledge for its sake and to obtain guidance in the practical conduct of life and especially of social life"—Marshall Principles of Economics, Book I, chapter IV.

१. (७) धर्मशास्त्र उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय तथा विनियम की आदर्श रीतियों को प्रस्तुत कर मार्ग-प्रदर्शन का कार्य भी करता है। जैसे, धनोत्पत्ति एवं उपभोग के विषये कौनसे आदर्श सम्मुख रखना चाहिये।

अस्तु, यह निर्विवाद स्पष्ट है कि धर्मशास्त्र का अध्ययन ज्ञान की वृद्धि एवं मनुष्य के मस्तिष्क की शक्तियों के विकास के लिये अनुपम साधन है, इसीलिये यह एक लोकप्रिय तथा आनन्दपूर्ण विषय है।

### (२) व्यावहारिक महत्त्व (Practical Importance)

व्यावहारिक अथवा किम्वलाभक उपयोगिता की दृष्टि से धर्मशास्त्र का अध्ययन अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। धर्मशास्त्र प्रवीणों का कहना है कि धर्मशास्त्र व्यावहारिक दृष्टि में बड़ा लाभदायक एवं उपयोगी विज्ञान है जिसके अध्ययन से मनुष्य के सामाजिक जीवन की अनेक आर्थिक जटिल समस्याएँ सरलता पूर्वक सुलभ हो जा सकती हैं। चाहे जितने दृष्टिकोण से हम देव धर्मशास्त्र का ज्ञान व्यावहारिक जीवन के लिये अत्यन्त उपयोगी है। प्रो० पीगू तो यहाँ तक कहते हैं कि "धर्मशास्त्र का प्रमुख महत्त्व न केवल मानसिक व्यायाम है और न केवल सत्य का ज्ञान प्राप्त करना है, अपितु यह नैतिकशास्त्र का दास और व्यवहार का सेवक है।" धर्मशास्त्र के अध्ययन से उपभोक्ता या गृहस्वामी, उत्पादक, व्यापारी, पूँजीपति, मजदूर सुधारक, नागरिक आदि सभी मनुष्य लाभ उठाते हैं। अब इसका क्रमशः विवेचन करना चाहिए :—

(१) उपभोक्ता (Consumer) या गृह स्वामी (Householder) को लाभ—हम अपने घरो में ही इस शास्त्र के अध्ययन की उपयोगिता सर्व प्रथम क्यों न देखें। कुछ उत्कर्ष दृष्टि में देखने पर ज्ञात होगा कि इस शास्त्र का ज्ञान गृहस्वामी के लिये अनुभवाणीय लाभकर है। इसके नियमों के पालन करने में बड़े परिवार की सीमित आय को इस प्रकार व्यय कर सकता है कि कुटुम्ब की अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति होकर गृहस्थ-जीवन सुखमय बन सके। उदाहरण के लिए, वह 'सम-सीमान्त उपयोगिता नियम' (Law of Equi marginal Utility) के अनुसार अपनी सीमित आय को इस प्रकार विविध भागों पर व्यय कर सकता है जिससे प्रत्येक भाग पर व्यय की गई आय की सीमान्त उपयोगिता समान हो और समस्त उपयोगिता अधिकतम हो। इसी प्रकार पारिवारिक बजट की महत्त्वता से यह यह ज्ञात कर सकता है कि प्रत्येक मद के व्यय का क्या अनुपात है। इससे वह अनावश्यक वस्तुओं पर व्यय घटा करके आवश्यक वस्तुओं पर बड़ा सकता है। मान लीजिए, एक गृहपति ग्लेन्डापूर्वक मद्य, कपड़े और विद्युत् (सिनेमा) आदि में आय अर्पित करता है और ऐसा करने से उसको अन्य आवश्यक वस्तुओं (भोजन, वस्त्र, आवास) की पूर्ति में अनुपात में रुपये की कमी दीगयी है तो प्रथम व्यय की रक्षा अनुमति देगी कि इनमें कुछ कमी करने से उसका जीवन पहले की अपेक्षा अधिक सन्तुष्ट और प्रसन्न बन सकेगा। जिस गृहपति ने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया है वह अपने उत्तरदायित्व की रक्षा दूसरों की अपेक्षा अधिक सफलतापूर्वक कर सकता है अस्तु धर्मशास्त्र का अध्ययन पारिवारिक सुख और मत्तोपय के लिये लाभदायक है।

1—"Economic Science is chiefly valuable neither as an intellectual gymnastics nor even as a means of winning truth for its own sake, but as a handmaid of Ethics and a servant of practice" Figou.

(२) उत्पादकों (Producers) और (Manufacturers) निर्माताओं को लाभ—पर की सीमा में बाहर निकल कर अभाववाचिक क्षेत्र में अपनी दृष्टि का प्रसार कर ता ज्ञान होगा कि उत्पादकों तथा निर्माताओं को अर्थशास्त्र के ज्ञान में क्या भारी लाभ पहुँचा है। वास्तविक दृष्टि में उनका अस्तित्व इसी के आधार पर है। जैसे उत्पत्ति के नियम (Laws of Production) एवं प्रतिस्थापन के सिद्धान्तों (Principles of Substitution) के अध्ययन में वे उत्पादन कारकों (Factors of Production) में कार्य कुशलता ला सकते हैं। जिस कारक में कार्य कुशलता की न्यूनता रहती है उसमें स्थान पर अधिक कार्यकुशल कारक प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। आधुनिक उत्पत्ति प्रणाली बहुत ही जटिल है। मर्दों वड़ी-बड़ी समस्याएँ उत्पन्न होती रहती हैं। इनको सुलभाने के लिये अर्थशास्त्र का ज्ञान अत्यन्त आवश्यक है। यह उत्पत्ति सम्बन्धी सभी ज्ञान पर उचित प्रकार में प्रकाश डालता है। यह बतलाता है कि उत्पत्ति के क्या-क्या साधन हैं, किन-किन उत्पादों में उत्पत्ति की जा सकती है तथा इन क्षेत्र में कौनसी मुख्य कठिनाइयाँ आती रहती हैं और कैसे उनका सामना किया जा सकता है। इसी प्रकार उत्पादन-प्रसार, अन्तर्विभाजन वैज्ञानिक-प्रगन्थ, भूमि ( मजदूरी ) प्रदान करने की रीतियाँ, मरकाटों का, मर्यादा का संगठन, व्यापारिक मार्ग और मध्यस्थ, यातायात के साधन, बैंकों, बीमा सम्पत्तियों के संगठन का ज्ञान अर्थशास्त्र द्वारा भिन्न सकता है।

(३) व्यापारियों (Businessmen) को लाभ—व्यापार अर्थशास्त्र का कलात्मक रूप है। जिस प्रकार डाक्टर के लिए औषधियों का ज्ञान और यकीन के लिये कानून का ज्ञान आवश्यक है, उसी प्रकार व्यापारी के लिये अर्थशास्त्र का ज्ञान आवश्यक है। व्यापारियों के लिये याजार-भाव की गतिविधि, उत्पादन प्रणाली, वस्तुओं की घटा-बढ़ी, और माँग के नियमों का ज्ञान आवश्यक है। तभी वे अपने व्यवसाय का सफलता-पूर्वक प्रवृत्त कर सकते हैं। अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय और विनिमय मुद्रा, बैंक आदि ज्ञानों की सम्भना परम आवश्यक है।

(४) बैंकरो (Bankers), प्रबन्धकों (Managers) तथा संचालकों (Directors) को लाभ—प्रबन्धका और संचालकों तथा बैंकर्म के कार्यों में अर्थशास्त्र का ज्ञान मार्ग-प्रदर्शन का काम करता है। इनके सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने में ये व्यक्ति अपना कार्य विशेष दक्षता एवं कुशलता में कर सकते हैं।

(५) श्रमिकों (Labourers) को लाभ—अर्थशास्त्र का ज्ञान श्रमिकों को भी लाभकर सिद्ध होता है। इसका अध्ययन में उसे यह भी भाँति ज्ञान हा जाता है कि अर्थशास्त्र में उनका क्या स्थान है। उसे अपनी ही (न अधिक न न्यून) पारिस्थितिक या भूमि तथा मिनती है, उसका वह किस प्रकार वृद्धि कर सकता है, इन सब बातों को वह जान सकता है। इसके अध्ययन में उन्हें अपने अधिकार और उत्तरदायित्वों का पूर्ण बोध हो जाता है। उसे यह भी ज्ञान हो जाता है कि श्रम और पूँजी किन प्रकार एक दूसरे पर आश्रित हैं। वह उस अपने अधिकार के लिये बुद्धिमत्ता में लड़ना चाहिए, वह उसे दृढ़तापूर्वक नहीं चाहिए और वह नहीं करनी चाहिए समाज का उस पर क्या अधिकार है और विविध प्रकार के संगठनों में उसे क्या लाभ है आदि बातों का ज्ञान अर्थशास्त्र का अभिप्रेत कर देता है।

(६) राजनीतिज्ञों ( Statesmen ) और वित्त मन्त्रियों ( Financial Ministers ) को लाभ—जन साधारण व्यक्ति इस शास्त्र के अध्ययन से लाभ उठाते हैं तो राजनीतिज्ञों और अर्थ-मन्त्रियों के लिये क्या यह कम उपयोगी सिद्ध होगा ? नीटिथ के अनुसार प्राचीन भारत में राजनीति अर्थशास्त्र का ही अंग था । आधुनिक काल में शासन की राजस्व व्यवस्था ( Public Finance ) अर्थशास्त्र का ही अंग है । बिना उचित कर-व्यवस्था के सरकारी व्यवस्था सम्भव नहीं । अर्थशास्त्र के अध्ययन से यह स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार कर आदि लगाना चाहिए और किस प्रकार उस आय को व्यय करना चाहिए जिससे अधिकतम समाजिक लाभ ( Maximum Social Advantage ) प्राप्त हो सके । आर्थिक औद्योगिक योजनाएँ, पंक्ती-विद्यालय और थ्रिफो के विद्यालय, लगान और जमींदारी के विधान, समाजवाद, प्रभुत्व उद्योगों का राष्ट्रीयकरण आदि राजनीति के समान अर्थशास्त्र के भी विषय हैं । वास्तव में, राजनीति और शासन-व्यवस्था अर्थशास्त्र का कलात्मक रूप है ।

(७) समाज सुधारक ( Social Reformer ) को लाभ—अर्थशास्त्र एक सामाजिक विज्ञान है जो समाज की आर्थिक सद्गति का विवेचन करता है, सामाजिक सद्गति समाज सुधारक का मुख्य लक्ष्य है । अतः अर्थशास्त्र का अध्ययन समाज सुधारक को बड़ा सहायक सिद्ध होता है । इसके अध्ययन में ज्ञानि-व्यवस्था, संयुक्त-परिवार-व्यवस्था आदि कई सामाजिक समस्याओं और रीतियों पर आर्थिक दृष्टिकोण से विचार किया जाता है और उसमें आवश्यक सुधार करने की प्रेरणा प्राप्त होती है । समाज-सुधारक बिना अर्थशास्त्र के ज्ञान के कई सामाजिक समस्याओं को जैसे दुर्भिक्ष, निर्धनता, आर्थिक जन-मत्स्या, यकला-बाध-मृत्यु सत्या आदि को मारक नहीं कर सकता । इन प्रकार की समस्याएँ अर्थशास्त्र और समाज-सुधारक के अध्ययन की विषय-सामग्री हैं । अस्तु अर्थशास्त्र-ज्ञान-सम्पन्न समाज सुधारक अपने सुधार के कार्यों में पर्याप्त सफलता प्राप्त कर सकता है ।

(८) समाज ( Society ) को लाभ—अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य व्यक्ति और समाज दोनों के आर्थिक शल्याण की वृद्धि करता है । मनुष्य सामाजिक प्राणी है, उसके प्रत्येक कार्य का शब्द समाज पर पड़ता है । अतः अर्थशास्त्र का ज्ञान व्यक्तिगत दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण में भी सम्पन्न हितकर है । समाज को हानि पहुँचाने वाली व्यक्तिगत समस्याओं पर विवेचन करता हुआ उनके परित्याग का उपाय सुझाता है । खिलामिता या मज-पाव व्यक्ति को ही अष्ट नहीं कर देते, वे समाज को भी विपत्ति के गर्भ में गिरा देते हैं । अतः अर्थशास्त्र इस प्रकार की हमारी हानिप्रद प्रवृत्तियों को सर्वप्रथम परित्याग्य वस्तु बताता है । प्रारम्भिक समस्याएँ आर्थिक कारणों से ही उत्पन्न होती हैं । सामाजिक उत्पत्ति इन्हीं समस्याओं के सफलतापूर्वक मुलभूतों पर आधारित है । इन आर्थिक समस्याओं का निष्पन्न समाधान अर्थशास्त्र के ही ज्ञान से प्राप्त होता है । उदाहरण के लिये, बेकारी, निर्धनता, धन वितरण में विषमता आदि समस्याएँ सामाजिक अशान्ति के प्रमुख कारण हैं । सामाजिक उत्पत्ति तथा मूल के लिए इनके छुटकारा पाना अति आवश्यक है । अर्थशास्त्र इन सब समस्याओं को मुलभूतों में बड़ा सहायक है । अस्तु अर्थशास्त्र का अध्ययन उत्पत्ति तथा मूल के दृष्टिकोण में सम्पन्न उपयोगी है ।

गम्भीर सामाजिक समस्याएँ—मनुष्य में, अर्थशास्त्र द्वारा निम्नांकित सभी सामाजिक समस्याओं को समाज और मुलभूतों में आ सकता है :—



शन दुर्लभ हो जाने हैं। एक धन एक भावना एक परिवार की समीपता यहा नहीं है बराबर रहती है। अर्थहीन भोजन और वस्त्र मिलने के कारण बेचारे नवयुवक पिशाचों में वक्षित रह जाते हैं। उनकी जीवन कला उद्योग जालामों में निरन्तर कठिन परिश्रम करने के कारण विकसित नहीं हो पाती। ऐसी भयंकर अवस्था में यदि कदाचित् प्राणियों भी श्वास ई तो बरा विपत्ति का द्वार खुल जाता है। इस निधनता की समस्या का क्या कुछ समाधान है या नहीं इसका उपयुक्त उत्तर अर्थशास्त्र का विशारदों दे सकता है।

२—सामयिक दुर्भिक्ष (Periodical Famines)—भारतवर्ष की दरिद्रता में सामयिक दुर्भिक्ष में से उत्तरोत्तर वृद्धि होती रहती है। मुफसिली में आया गीला यह कहान्त इस देश के लिये पूरा चरित्ताय होती है। दुर्भिक्ष को रोकने के उपायों का अध्ययन म पूरा विवेचन होता है इस दृष्टि में भी अर्थशास्त्र का अध्ययन महत्त्वपूर्ण है।

३—कृषि की अवनति—भारत एक कृषि प्रधान देश है तथापि इसकी कृषि सम्बन्धी अवस्था नोचनीय है। वह भारत जो विविध खाद्य सामग्रियाँ विदेशों को निर्यात करता था आज उनी के लिए वह दूसरे देशों का मुहँ तक रहा है। आधुनिक भारत धन-मक-शस्त है अतः अर्थशास्त्र द्वारा निर्दिष्ट उपायों की अवनति में इसकी विपत्तियाँ दूर हो सकती हैं।

४—उद्योग धन्धों की हीन दशा बेकारी की वृद्धि युन जीवन स्तर आदि समस्याएँ—उद्योग धरों की हीन अवस्था बेकारी की उत्तरोत्तर वृद्धि जन मस्या की वृद्धि विपद अवस्था तक पहुँचना जीवन स्तर का न्यूनतम होना धन वितरण की विषमता आदि अनेक समस्याओं के हल के लिये अर्थशास्त्र की सहायता लेनी चाहिए। उद्योग धन्धों म उचित रूप म उत्पत्ति हो जाने से बेकारी और अधिक जन मस्या की समस्या का स्वयं ही अरल हो जाता स्वाभाविक है।

५—प्रातः ध हीन व्यापार मद्य निषेध आदि नीतियों का ज्ञान—अतिवधीय व्यापार मद्य निषेध आदि नीतियाँ का ज्ञान तथा उद्योगों का राष्ट्रीयकरण आदि बातों के हानि-नाभ का ज्ञान अर्थशास्त्र के द्वारा हो सकता है। अतः इसका अध्ययन इस दृष्टि में भी आवश्यक है।

६—धर्म में अंध विश्वास—भारतवासियों के जीवन में धर्म का एक विचित्र स्थान है। प्रत्येक जात में धार्मिकता का पुट मिला होता है। अर्थविक धन परामणता के कारण कई दिगामा में तो अंध विश्वास पैदा हो गया है। धार्मिक अंध विश्वास के कारण सत्पा की व्याख्या और आदर्शों के निर्धारण म भूल हो जाता सम्भव है। उदाहरण के लिये जम या मुद्रु दरिद्रता अमीरी आदि बात अधिकोप भारतवासी प्रारम्भ ही के पारण या प्रकृतिदत्त अथवा ईश्वर दत्त मानने हैं परन्तु वास्तव में ये आर्थिक एव सामाजिक कारणों में उत्पन्न होती हैं। इस प्रकार

1—The problem of poverty weighs heavily upon the modern social conscience. Mr. George Bernard Shaw, one of the keenest thinkers of the present generation, has put this very powerfully in his characteristic manner.

के अर्थव्यवस्था को ठीक करने और नैतिक जीवन को ऊँचा उठाने के लिए अर्थशास्त्र का अध्ययन अभीष्ट है।

७—साम्प्रदायिक अशांति—देश में साम्प्रदायिक शांति स्थापित करने में अर्थशास्त्र के अध्ययन से बड़ी सहायता मिल सकती है, क्योंकि हमारी आर्थिक कठिनाइयाँ की वास्तविकता देश के विभाजन व अन्य साम्प्रदायिक बातों में हल नहीं की जा सकती।

८—आदर्शों की पूर्ति—अर्थशास्त्र के अध्ययन से हम यह ज्ञान कर सकते हैं कि हमारा आर्थिक विकास आदर्शों से कितना भ्रूत है और इन आदर्शों की प्राप्ति के लिए हम क्या क्या उपाय कार्य रूप में लाने चाहिए, जिसमें देश समृद्धि वाली हो सके।

धन-वितरण की विषमता को सरल करने में आधुनिक अर्थशास्त्र की सफलता—धन के वितरण की असौम्य विषमता अभी तक अर्थशास्त्र द्वारा हल नहीं हो सकी है। आजकल की उत्पत्ति प्रणाली में पूँजी की प्रधानता होने के कारण हमारी 'पूँजीवाद प्रणाली' (Capitalistic System) कहना असुविधाजनक न होगा। इस प्रणाली में लाभ (Profit) की प्रधानता रहती है और अथवा उत्पादनकारकों (Factors of Production) का पारिस्थितिक इत्थक अल्प होना है जिससे पारस्परिक असंतोष रहने के कारण गंभीर रहता है। श्रमिकों का उद्योगपतियों (Industrialists) द्वारा शोषण (Exploitation) होने की प्रवृत्ति ही औद्योगिक अशांति का मुख्य कारण है। आधुनिक उत्पत्ति प्रणाली में पूँजीपतियों का पूर्ण प्रभुत्व होता है और श्रमिक वर्ग उनकी तुलना में बड़ी शक्ति निर्वास होने के कारण उत्तरे अनुचित लाभ उठाना जाता है। यही कारण है कि पूँजीवाद के विरुद्ध अर्थशास्त्र के जंग समाजवाद (Socialism) और साम्यवाद (Communism) आदि विविध आदर्शों की उत्पत्ति हो गई है।

पूँजीपतियों की इस शोषण नीति के कारण सरकार का हस्तक्षेप करना पड़ा और श्रमिकों के रक्षार्थ केंद्रीय विभाग आदि कई कानून बना दिए गये हैं। श्रमिक स्वयं अपनी निवृत्तता का अनुभव करने लग गए हैं और वे अपने आपका संगठित करने लग गए हैं। अस्तु स्थान-स्थान पर व्यापार एवं श्रम संघ (Trade and Labour Unions) की स्थापना होने लगी है।

देखा जाय तो धन वितरण की विषमता का पूँजीवाद प्रणाली ही मूल कारण है जिसके द्वारा धनी अधिक धनी होना जा रहा है और गरीब अधिक गरीब बनना चला जा रहा है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि देश का धन परिमित मात्रा में या पूँजीपतियों के हाथ में ही सीमित है और अधिकांश जन-मण्डल मुख्यतः गरीब ही रह रहा है। यह भारी विषमता देश की सामाजिक नीति पर पूर्णतया प्रभावित है, अतः यही इसको दूर करने के समुचित साधनों का निर्माण करने में समर्थ है।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—अर्थशास्त्र के अध्ययन में व्यावहारिक लाभ क्या हैं ? इसका अध्ययन ग्रामीण जीवन के सुधार में किस प्रकार सहायक हो सकता है ? (उ० प्र० १९५८)
  - २—अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए और बताइये कि आधुनिक काल में इस विषय के अध्ययन का क्या महत्त्व है ? (उ० प्र० १९५५)
  - ३—अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिये और उसके अध्ययन से सैद्धान्तिक व व्यावहारिक लाभों का उल्लेख कीजिये । (उ० प्र० १९५३, ४०, ३९, ३२)
  - ४—अर्थशास्त्र के अध्ययन की व्यावहारिक उपयोगिता का वर्णन कीजिये । (रा० बो० १९५३)
  - ५—अर्थशास्त्र के अध्ययन से क्रियात्मक क्या लाभ है ? (प्र० बो० १९६०)
  - ६—अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए और अर्थशास्त्र के अध्ययन का उद्देश्य व महत्त्व स्पष्ट कीजिए । (नागपुर १९५०)
  - ७—अर्थशास्त्र की परिभाषा लिखिए और बताइए कि व्यावहारिक समस्याओं के हल में इसके ज्ञान की क्या उपयोगिता है ? (सागर १९५०)
  - ८—अर्थशास्त्र का विषय क्या है ? यह व्यावहारिक जीवन में किस हद तक उपयोगी है ? (वनारस १९५३)
  - ९—भारतीय परिस्थितियों में अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्त्व व्यक्त कीजिए । (म० भा० १९५२)
  - १०—अर्थशास्त्र के महत्त्व के बारे में अपने विचार प्रकट कीजिए । (उस्मानाबा १९५०)
  - ११—अर्थशास्त्र का अध्ययन इतना लोक प्रिय क्या हो रहा है ? (पंजाब १९४९)
- इण्टर एग्रीकल्चर परीक्षा
- १२—अर्थशास्त्र के अध्ययन से क्या-क्या लाभ है । (उ० प्र० १९५३)

## आर्थिक जीवन का विकास (Evolution of Economic Life)

संस्कृत मनुष्य की सामाजिक दृष्टि से आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन है, इस बात का विशद विवरण प्रथम अध्याय में किया जा चुका है। आज के मनुष्य का जीवन वक्र जटिल है। हमारी अधिकांश आवश्यकताएँ उन वस्तुओं में पूर्ण होती हैं जिनका उत्पादन या निर्माण दूसरे प्राणियों के द्वारा हुआ है या जो दूर स्थित स्थानों से आई हैं। हमारी आर्थिक क्रियाएँ दूसरों की आर्थिक क्रियाओं से सम्बन्धित हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारे ही आवश्यकताओं पर आश्रित है। एक देश की आवश्यकताएँ तथा वहाँ के मनुष्यों का जीवन-स्तर अन्य देशों को प्रभावित करता है। इस प्रकार का आधुनिक आर्थिक जीवन बना है कि कोई वस्तु दूसरों को प्रभावित किए बिना स्वतन्त्र रूप से स्थिर नहीं रह सकती। यह मनुष्य का आधुनिक जटिल आर्थिक जीवन कुछ अचिर परिवर्तित करने में है।

समय की प्रारम्भिक अवस्था में मनुष्य एक जंगली तथा अमम्य था और उसकी कुछ ही परिमित आवश्यकताओं में से भोजन की आवश्यकता मुख्य थी और उसकी पूर्ति वह स्वयं जंगल में मारकर उतका मांस खाकर, मछली पकड़ कर अथवा बंद मूल पर खाने पर पूर्ण करता था। गर्म गर्म इस अमम्य अवस्था में से निवृत्त कर मनुष्य कई अवस्थाओं में, जैसे पशु पालन, कृषि, हस्तशिल्प अवस्था में, जीवन व्यतीत करता हुआ अनेक महत्त्वपूर्ण वर्षों के पश्चात् आज की अवस्था में आया है।

विभिन्न अवस्थाओं का विकास किसी विभाग क्रम से अवश्य हुआ पर वही वही एक से आर्थिक अवस्थाओं को एक ही समय में होता हुआ देखा जाता है। इसके अतिरिक्त भिन्न भिन्न देशों में इसकी विकास अवस्थाओं में भी कुछ अंतर पाया जाता है। उदाहरण के लिए, कई स्थानों में हस्तशिल्पिता का विकास कृषि अवस्था के साथ-साथ अथवा पूर्व ही हो गया और अनेक स्थानों में उसके बाद। इस विकास में मनुष्य कई बातों में प्रभावित हुआ पर हम यहाँ उसके केवल आर्थिक विकास का ही वर्णन करेंगे। समाज के आर्थिक विकास का अध्ययन मुख्यतः दो प्रकार में किया जा सकता है—

१—मनुष्य की आवश्यकताएँ और उनकी पूर्ति करने वाली क्रियाओं का सृष्टि के प्रारम्भ में अब तक का ऐतिहासिक विकास।

२—समाज के आर्थिक संगठन का विकास।

इन दोनों तथ्यों का क्रम में नीचे वर्णन किया जाता है :—

१—प्रार्थिक क्रियाओं का विकास

( १ ) प्रत्यक्ष प्रयत्नों की अवस्था (Stage of Direct Efforts)—  
 प्राचुरिक सम्पत्ता को प्रारम्भिक अवस्था में आवश्यकता, प्रयत्नों और संतुष्टि में अत्यन्त पविष्ट एवं प्रत्यक्ष सम्बन्ध था। किसी आवश्यकता की प्रेरणा होने ही प्रयत्न किया जाता था और उस प्रयत्न के फलस्वरूप संतुष्टि प्रत्यक्ष हो जाती थी। उदाहरण के लिये, किसी व्यक्ति को भूख लगती थी तो कन्द-मूल-फल और मांस मछली प्राप्त करने का प्रयत्न करता था और इन वस्तुओं को खाकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति करता था। यदि किसी व्यक्ति को अपनी रक्षार्थ मकान जैसी वस्तु की आवश्यकता होती थी, तो वृक्षों की टहनियों और पत्तों आदि से भोंपड़ी बनाता था या पर्वतों की चट्टानों में प्रयत्न करता था। वृक्षों के पत्ते, छाल और जानवरों की खाल से अपने शरीर की रक्षा करते थे। इस प्रकार इस अवस्था में प्रत्येक मनुष्य स्वावलम्बी था और अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं करता था। अतः यह स्पष्ट हो गया कि आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये प्रयत्न करने पड़ते थे और प्रयत्नों के फलस्वरूप प्रत्यक्ष रूप में आवश्यकताओं की पूर्ति होती थी। इसी कारण इसे प्रत्यक्ष 'प्रयत्नों की अवस्था' कहते हैं। इसके पश्चात् यह सम्बन्ध अप्रत्यक्ष होता गया।

प्रत्यक्ष प्रयत्नों का क्रम निम्न प्रकार सम्भ्रिये :—

आवश्यकताएँ → प्रयत्न → संतुष्टि

(Wants)→(Efforts)→(Satisfaction)

( २ ) अप्रत्यक्ष प्रयत्नों की अवस्था (Stage of Indirect Efforts)  
 सम्पत्ता के विकास के साथ-साथ मनुष्य की आवश्यकताओं में वृद्धि हुई और अब उसको अपने प्रयत्नों के द्वारा उगती गमरत आवश्यकताओं की पूर्ति में कठिनाई उपस्थित होने लगी। उमने तुरन्त इस बात का अनुभव किया कि वह अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। यदि वह केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनके लिये वह सर्वथा योग्य और कुशल है और अन्य आवश्यक वस्तुएँ वह दूसरों से बदल कर अपनी पूर्ति कर सकता है। प्रत्यक्ष प्रयत्न केवल उसकी सीमित आवश्यकताओं के लिये ही सुलभ थे। बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति की प्रेरणा ने अप्रत्यक्ष प्रयत्नों अर्थात् विशिष्टीकरण और अन्त-विभाजन को जन्म दिया।

इस परिस्थिति के कारण प्रयत्नों और संतुष्टि के मध्य अन्तर पड़ गया जो बदला-बदली अर्थात् वस्तु-विनिमय (Barter) द्वारा पूरा किया जाने लगा। इस प्रकार कुछ मनुष्य कृषि का कार्य करने लग गये, कुछ कपड़े बुनने का, कुछ दर्जी का और कुछ सेना का कार्य करने लग गये। इस प्रकार विभिन्न प्रकार का कार्य विभिन्न मनुष्यों द्वारा सम्पन्न होने लगा। हिन्दुओं की जाति-श्रथा का प्रादुर्भाव इसी अवस्था में हुआ प्रगट होता है। वस्तु-विनिमय जैसे प्रयोग में लाया जाता था, यह इस प्रकार समझा जा सकता है कि यदि तुम्हारे दो अन्न की आवश्यकता होती थी तो यह अपने परिचित कपड़े को अन्न में बदल लेता था। इसी प्रकार अन्य वस्तुएँ भी एक दूसरे में आवश्यकतानुसार बदली जा सकती थी। यह बात अर्थोन्निवृत्त रेखाचित्र द्वारा और भी स्पष्ट कर दी गयी है :—

वस्तु-विनिमय

( ३ ) औद्योगिक दलबन्दी की अवस्था ( Stage of Industrial Grouping )—सम्पत्ता की उत्तरोत्तर उप्रति के कारण मनुष्यों की आवश्यकताओं और जनसंख्या में भी वृद्धि होती गई जिसके कारण आवश्यकताओं, प्रयत्नों और सन्तुष्टि के सम्बन्ध में और भी जटिलता आ गई, जैसा कि आन्जल हम अनुभव करते हैं। छोटी से छोटी वस्तु के लिए भी कोई वह नहीं वह सकता कि यह किसी व्यक्ति वित्तों के उत्पादन का फल है। उनसे उत्पादन में भी कई एक व्यक्तियों अथवा कारकों में भाग लिया है। उदाहरणार्थ, एक बुलाहा यह नहीं वह सकता कि नपडा उसकी ही क्रियाओं का फल है। इसका कारण स्पष्ट है कि नपाम का उत्पादन श्रम के द्वारा हुआ। उसकी बुलाई और साठा में यद्यपि वा कार्य बिग्री दूसरों के हाथ हुआ। मूल कालने का कार्य भी जि ही दूसरे व्यक्तियों द्वारा सम्पन्न हुआ। बुलाहे में तो केवल मूल की सहायता से नपडा बना। इस प्रकार आन्जल वा आधुनिक उत्पादन कई व्यक्तियों के प्रयत्नों का परिणाम है। सहकारिता और सामूहिकता आन्जल की उत्पादन-क्रियाओं का सार है। यह संयुक्त प्रयत्न औद्योगिक दल की आवश्यकताओं की पूर्ति वस्तु-विनिमय द्वारा करते हैं। फिर इस दल के प्रत्येक सदस्य की आवश्यकताओं की पूर्ति दल की आय के वितरण द्वारा होती है। बिना वितरण के, प्रत्येक व्यक्ति जिसने संयुक्त या सहकारिता उत्पादन प्रणाली में भाग लिया है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकता। इस प्रकार प्रयत्न और सन्तुष्टि के मध्य में विनिमय वाले अन्तर के अतिरिक्त वितरण के रूप में एक और अन्तर पैदा हो गया। आवश्यकताओं के बाद और प्रयत्न के पश्चात् विनिमय होता है और फिर वितरण और अन्त में सन्तुष्टि होती है। अब स्थिति निम्न प्रकार हो गई :—

### वस्तु-विनिमय वितरण

आवश्यकताएँ → प्रयत्न ( सन्तुष्टि ) ( सन्तुष्टि )  
 ( व्यक्तिगत ) ( दल के सदस्य ( दल की ) ( व्यक्तिगत आवश्यकताओं की )  
 के रूप में )

( ४ ) मुद्रा के प्रयोग की अवस्था ( Stage of the Use of Money )—यह वह अवस्था है जिसमें हम रह रहे हैं। अब तक वस्तु-विनिमय प्रणाली प्रचलित थी। इसके द्वारा कई एक कठिनाइयाँ उत्पन्न होने लगीं और बड़ी हुई मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए वस्तु-विनिमय सर्वथा अप्रयोज्य सिद्ध होने के कारण मुद्रा-विनिमय ( Money Exchange ) का आविष्कार हुआ। सब है—“आवश्यकता आविष्कारों की जन्मी है।” आवश्यक दल द्वारा उत्पादित वस्तुएँ मुद्रा के बदले बेची जाने के कारण दल की आय होने लगी है। दल की आय दल के सदस्यों में वितरित होने के कारण दल के प्रत्येक सदस्य को व्यक्तिगत आय होती है और यह खर्चाएँ प्राप्त कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वर्तमान अवस्था इतने पूर्ण यानी अवस्था से भिन्न है, क्योंकि उसमें दल की उत्पत्ति वस्तु-विनिमय द्वारा होती थी न कि मुद्रा-विनिमय द्वारा और औद्योगिक जटिलता भी बढ़ गई है।

वर्तमान प्रचलित प्रणाली की विशेषताएँ

यह रूप निम्नलिखित दो परिवर्तनों के कारण विशेषता रखता है। प्रथम कोई एक वस्तु कई दलों के परिश्रम का फल है। दूसरे विनिमय-प्रणाली में परिवर्तन हुआ है।


[अ] प्रथम बात का स्पष्टीकरण एक उदाहरण देकर किया जा सकता है। ऊनी वस्त्रों के निर्माण में जिसे हम पहनते हैं कई एक दला ने भाग लिया है उनका उल्लेख नीचे किया जाता है —

१. मेढा को पानने वाले जो ऊन उतार कर एकत्रित करत है।  
२. विविध दलों के लोग जो ऊन को चरागाहा में मण्डियों में पहुँचाते हैं।  
इसमें सब प्रकार के यातायात साधन भी देस, मान और परिस्थिति के अनुसार सम्मि-  
वित है।

३. ऊन के विविध कोटि के व्यापारी।
४. वे क्रियाएँ जहाँ ऊन की सफाई होकर गाँडा का रूप धारण करती है।
५. ऊन के काटने वाले।
६. ऊन का बपटा बनाने वाले।
७. ऊनी बपटा के व्यापारी।
८. दर्जी।
९. बैंक और अन्य आर्थिक सहायता प्रदान करने वाले दल।

उपरोक्त विवरण में यह स्पष्ट है कि ऊनी वस्त्र जो जाड में हमारे शरीरको सीत से बचाता है उस रूप में धाने के पुरुब कई एक दलों की सेवाया और परिश्रम का फल है। प्रत्येक उत्पादन-दल को समुक्त उत्पात्ति के विषय में समुक्त भुगतान मुद्रा के रूप में प्राप्त होता है और वह दल के सदस्यो में वितरित करा दिया जाता है। प्रत्येक सदस्य अपनी भाग से इच्छित वस्तुया का क्रय कर अपनी आवश्यकतायो की पूर्ति करता है।

[ब] द्वितीय परिवर्तन है विनिमय प्रणाली जो इसी युग की एक मुख्य विशेषता है। आज-कल विनिमय मुद्रा अबया साक्ष से होता है। मुद्रा-विनिमय द्वारा दल का प्रत्येक सदस्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति सुविधा पूवक कर सकता है। इन प्रया में सदस्यो को पारस्परिक अधिक धार्यित बना दिया है और आवश्यकताया, प्रयत्न तथा सन्तुष्टि के सम्बन्ध को अधिक अग्रतल एव अटिल बना दिया है। यह सम्बन्ध नीचे दिये हुए पटल द्वारा अधिक बोधगम्य हो गया है—



## २—समाज का आर्थिक समुठन

ऊपर हमने समुठो की व्यक्तिगत आर्थिक क्रियाया का विवेचन ऐतिहासिक दृष्टि से किया है। अब हम उन अवस्थायो वा वर्णन करगे जो सृष्टि के प्रारम्भ में अब तक विकसित हो रही, समाज के आर्थिक समुठन वा विकास कही जाती हैं।

समाज के आर्थिक समुठन का इतिहास साधारणतया निम्नलिखित अवस्थाया में विभाजित किया जाता है :—

- (१) शिकार अवस्था (Hunting Stage)
- (२) पशु-पालन अवस्था (Pastoral Stage)
- (३) कृषि अवस्था (Agricultural Stage)
- (४) हस्तशिल्प कला अवस्था (Handicraft Stage)

## (५) औद्योगिक अवस्था (Industrial Stage)

## (१) श्रापेट अवस्था (Hunting &amp; Fishing Stage)



श्रापेट अवस्था

करने (Root grubbing) की अवस्था भी कहते हैं। शिकार करने के साधनों के अभाव में ऐसा करना पड़ता था। मनुष्य की आवश्यकताएँ अत्यधिक सीमित तथा साधारण थीं। आवश्यकताओं, प्रयत्नों और सन्तुष्टि में सम्बन्ध निकल प्रत्यक्ष था। उदाहरण के लिये, भूख की प्रणाली जानवर या मछली का शिकार करने के लिये वायव्य करती थी। शिकार द्वारा भोजन बड़ा अनिश्चिन्त था। यदि जानवर मारा गया तो उनकी आहार मिल जाता करता था, अन्यथा भूखे रहना पड़ता था। प्रारम्भिक अवस्था में जब कि हथियारों में सुधार नहीं हुआ था वह भूखे मरने हुए मृतक जानवरों का मांस भी खा लेता था। बीमार, घायल अथवा विपदग्रस्त जानवरों का मारना सरल होता है अतः उनका मांस प्रयोग में लिया जाता था। यही नहीं वह पराजित एवं बन्दी व्यक्तियों और अस्वस्थ बच्चों, को भी मार कर अपना भोजन का कार्य चलाता था। बहने का तात्पर्य यह है कि उस समय 'मनुष्य मांस भक्षण' (Cannibalism) प्रचलित था।

**हथियार**—जड़ खोदने की अवस्था का श्रापेट अवस्था में परिणत होने पर शिकार सम्बन्धी हथियारों का प्रादुर्भाव हुआ। प्रारम्भिक अवस्था में शिकार करने के लिये सर्वप्रथम सुलभ हथियार पत्थर था। वह पत्थर और लकड़ी की सहायता से धरगोदा, चूहे आदि छोटे छोटे जानवरों को मार लेता था। इसीलिए इसे 'पाषाण काल' कहते हैं। उत्तर पाषाण काल में इन हथियारों में सुधार हुआ और इसमें पश्चान् उसने धातु का प्रयोग सीखा और कई धातु के हथियार जैसे—ताँद, चाकू, हथौड़ा आदि शिकार करने में प्रयुक्त होने लगे। इसी कारण यह युग 'धातु काल' कहलाता है।

**वस्त्र**—प्रारम्भ में इस काल का मनुष्य नगनावस्था में जीवन बिताना था। समय और परिस्थितियों में उसे पेशों की छाल या पत्ता अथवा जानवरों की छाल से शरीर को इकना सिखाया।

रहने की व्यवस्था तथा भ्रमणशील जीवन—रहने के लिए उस काल का मनुष्य स्वयं अपनी भोपड़ी तैयार कर लेता था अथवा कहीं गुफा में या मयन वृक्ष के नीचे सरण लेता था। भोजन के अभाव के कारण मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिकार की खोज में भ्रमण करता था। स्थायी रूप से उसका कोई घर नहीं था। वह प्रायः भ्रमणकण्ड था। एक स्थान के जानवरों और वन्य-मूल-पत्तों की न्यूनता हो जाने पर वह इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये अन्य स्थानों पर चला जाता करता था। शिकार



के लिए पारस्परिक लड़ाइयां बहुत होती थी। पराजित व्यक्तियों के रहने के साधनों के अभाव में वे मार दिये जाते थे और उनका मौत खाने के काम में आता था। परन्तु मछलियों पर निर्वाह करने वाली जातियाँ एक स्थान पर बहुत समय तक स्थित रहती थीं। उनमें हत्ती पारम्परिक लड़ाई भी नहीं होती थी। उनका जीवन आश्रितक जातियों की अपेक्षा अधिक मरल और सुखमय था।

जन्तसंख्या—इस युग की जनता भ्रमणशील एवं विरल थी, क्योंकि जीवन निर्वाह के साधन अत्यन्त न्यून, अप्राप्य और अनिश्चित थे, और भ्रमणशीलता का दूसरा कारण यह था कि जानवर शिकारी की निरन्तर आसट क्रियाओं से सतर्क रहते थे और वे बहुत दूर गहरे वन में भाग जाया करते थे। अतः शिकारी भी उनके साथ दूर तक निबल जाता था। मन्द-मूल-मन्द, वनस्पति आदि प्रकृति-दत्त पदार्थ यद्यपि प्रचुर थे पर उनके खोज योग्य होने में भी समय की आवश्यकता होती थी। कभी कभी दुर्भिक्ष के कारण भी पर्याप्त मात्रा में पैदा नहीं होते थे। अतः जनता ने निर्वाह के के लिये इस प्रकार का विस्तृत वनों की आवश्यकता होती थी। एक शिकारी के निर्वाह के लिए न्यूनतम ५० हजार एकड़ भूमि अथवा ७० से ८० वर्ग मील भूमि की आवश्यकता होती थी। इसलिये अन्य अवस्थाओं के कारण इस युग की जनसंख्या बहुत कम थी।

सामाजिक एवं आर्थिक दशाः—उक्त समय में निवासी विन्तुन जंगली और अशुभ्य थे। वस्तुओं के व्यक्तिगत अधिकार का प्रचलन अभी तक नहीं हुआ था। आश्रित और मत्स्य जीवन अवस्था में साधारण हथियारों के अतिरिक्त किता की कोई विशेष वस्तु नहीं होगी थी। किसी वस्तु की जैसे ही आवश्यकता हुई, अजिन की गई और उपयुक्त हो गयी। प्रत्येक व्यक्ति अपने में पूर्ण था। बिना किसी सहायता के वह अपनी समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति कर लिया करता था। अभी विनिमय का सूत्रपात नहीं हुआ था। पारस्परिक सहयोग तथा मेल नहीं था। मदैव आपस में लड़ते रहते थे। शिकारी लोगों की अपेक्षा मछली पर जीवन निर्वाह करने वालों का जीवन अधिक शान्तिमय था और वह एक स्थान पर जमकर भी रहते थे। उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति इन शिकारी लोगों की अपेक्षा अधिक थी। मछली पकड़ने के हथियार, नाने और म्यादी वर वर उनकी व्यक्तिगत सम्पत्ति में सम्मिलित थे। मछली पकड़ने वालों की जनसंख्या शिकारी लोगों की अपेक्षा कम थी।

### (२) पशु-पालन अवस्था (Pastoral Stage)

विशेषतायाँ—पशु-पालन प्रवृत्ति का प्रादुर्भाव—आश्रित अवस्था में मनुष्य



पशु-पालन अवस्था

अपना निर्वाह जानवरों का शिकार कर और मछली मारकर करता था। यह साधन अपर्याप्त होने के अतिरिक्त अनिश्चित था। शिकार न मिलने की अवस्था में कई बार बिना आहार के दिन वाटने पड़ते थे। शनैः शनैः उसने इस बात का अनु-

भव करना प्रारम्भ किया कि जानवरों को मारने के स्थान पर उन्हें पालना कहीं अधिक लाभदायक है। वैसे तो इस जीवन में उसका जानवरा से सम्पर्क भी बढ़ता गया जिसके कारण उनकी मारने की प्रवृत्ति पालने की प्रवृत्ति उत्पन्न होने लगी। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ मनुष्य को भोजन प्राप्त करने के अधिक सुव्यवस्थित ढंग के अभाव या अनुभव होने लगा। इसका परिणाम यह हुआ कि उसने पशुपालन को अपने निर्वाह का साधन बनाया जिसके द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए पर्याप्त मात्रा में निरिपत रूप में भोजन मिलने लगा। सबसे प्रथम उसने घोड़ा, बाद में कुत्ता उसके पश्चात् गाय, बैल भैंस बकरी आदि जानवर पालना प्रारम्भ किया। प्रारम्भ में घोड़ों और मुत्तों को भोजन की खोज के लिये अपने साथ ले जाने थे, परन्तु कालान्तर में वे अधिकांश में पशुपालन से ही अपना जीवन निर्वाह करने लगे।

**भोजन और वस्त्र**—गाय, भैंस, भेड़-बकरी आदि पशुओं के दूध से उनकी भोजन की चिन्ता कम हुई और वस्त्रों के लिये ऊन प्राप्त होने लगी।

**पशु द्वारा मातायात के सामन**—श्व जानवर सवारी और भार ढोने के काम में आने लगे जिससे घाने-जाने में भी अधिक सुविधा मिलने लगी।

**पर्यटनशील जीवन**—(Nomadic Life)—पशुपालन के लिये चरागाहों की आवश्यकता होने लगी। मनुष्य जंगली जानवरों में बचने के लिये जंगल या टोखिया बनाकर रहने लगे और चरागाहों की खोज में भटकते फिरने लगे। जहाँ भी अच्छे चरागाह मिल जाते, थोड़े दिनों के लिये वहीं ठहर जाते। फिर किसी दूसरे अच्छे चरागाहों की खोज करते थे। इस प्रकार उनका जीवन पर्यटनशील था। वे घुमकूड कहलाते थे, जो अपने जानवरों के साथ इधर उधर फिरा करते थे। आखेट अवस्था में अपने भोजन के लिये इधर-उधर फिरते थे, परन्तु अब वह अपने पशुओं के भोजन अर्थात् चारे की खोज में फिरने लगे।

**घावासा**—पर्यटनशील होने के कारण वे एक स्थान पर मकान बनाकर स्थायी रूप से नहीं रह सकते थे। अतः वे अपने साथ तम्बू रखते थे जो अल्पकालीन निवास के लिए उपयोगी सिद्ध होते थे।

**जनसंख्या**—भोजन की प्रचुरता, निश्चितता और इसके साधनों की सुरक्षा के कारण अब आखेट अवस्था की अपेक्षा जीवन अधिक सुखमय बन गया और जनसंख्या में वृद्धि होने लगी।

अब मनुष्य भोजन के लिए प्रकृति के अनिश्चित आगार का अवलम्बन छोड़ कर निजी परिश्रम पर निर्भर रहने लगा।


**दासता (Slavery) का जन्म**—बहुधा ऐसी घुमकूड जातियाँ चरागाहों की खोज में परस्पर निरन्तर लड़ाई-झगडा करती थीं। परन्तु इस समय के युद्ध में आखेट अवस्था की अपेक्षा एक विशेषता यह थी कि युद्ध बन्दिमों को मारकर खा जाने के स्थान में उन्हें दासता की वेडी में जकड़ दिया जाता था। विजेता उन्हें अपने दास बनाकर पशुओं की रखवानी तथा अन्य लाभदायक कठिन कार्यों में निवृत्त कर दिया करता था। इस प्रकार नर भक्षण का स्थान इस अवस्था में ले लिया था। दासत्व प्रथा का जन्म इसी काल में हुआ।

**सामाजिक एवं अर्थिक दशा**—सभी तक भूमि पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार न था। केवल दास, पशु और हथियार ही व्यक्तिगत सम्पत्ति में गिने जाते थे। चरागाहों पर एक जाति केवल दास शेष रहने तक अपना अधिकार रखती थी। एक

चरागाह की पास समाप्त होने पर वे लोग अन्य घास वाले चरागाहों को खोज में चल पड़ते थे। इस प्रकार मनुष्य अब अपने लिए नहीं अपने पशुओं के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमने लगा। विनिमय क्रियाओं में अभी तक लोग अनभिज्ञ थे। वे अपनी आवश्यकताओं की स्वयं ही अपने प्रयत्न द्वारा पूर्ति करते थे। आवश्यकता, प्रयत्न तथा पूर्ति इन तीनों का सम्बन्ध पहले की भाँति अब भी वैसे ही प्रत्यक्ष (Direct) था।

### ( ३ ) कृषि अवस्था (Agricultural Stage)

जानवरों के पालने के साथ-साथ मनुष्य ने जंगली पौधों को भी पालना प्रारम्भ किया। जानवरों के लिए घास एकत्रित करने की प्रवृत्ति ने सम्भवतः कृषि को जन्म दिया। ज्ञान और अनुभव की वृद्धि ने फालाग्नार में मनुष्य को अनेक लाभदायक पौधों के उत्पादन की ओर अग्रसर किया।



कृषि अवस्था

भोजन और वस्त्र—  
कृषि द्वारा लोगों को कई

प्रकार के खाद्य पदार्थ उपलब्ध होने लगे और कपास आदि वस्तुओं की खेती ने वस्त्रों की समस्या को भी हल कर दिया। अब भोजन अधिक पर्याप्त और निश्चित हो गया, अतः इनको अपने दारोपिण्य एवं मातृमिक विकासार्थ समय मिलने लगा।

प्रावास—अब कृषि की देल भाव के लिए मनुष्य को एक स्थान पर बसना आवश्यक हो गया। लोगों ने अपने खेतों के आस-पास स्थायी गकान बनाकर रहना प्रारम्भ कर दिया। ये गकान प्रारम्भिक अवस्था में कुटीर के रूप में अथवा मिट्टी के बने हुए होते थे। इस प्रकार लोगों के भ्रमणशील जीवन का अन्त होकर स्थायी गाँवों की उत्पत्ति हो गई। शनैः शनैः कई एक छोटे गाँवों ने बड़े नगरों का रूप धारण कर लिया।

जनसंख्या—पहले की अपेक्षा मनुष्य ने अब पशुओं के भरण-पोषण के साधन अधिक पर्याप्त तथा निश्चित होने के कारण जनसंख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई। विभिन्न प्रकार की फसलों की उपज, पशु पालन तथा अधिक मातृमिक मानव-जीवन के कारण जनसंख्या में सूतपूर्व वृद्धि हुई। यह अवस्था पूर्व उल्लिखित अवस्था की अपेक्षा अधिक जनसंख्या का भरण पोषण करने में सार्थक थी।

दासत्व प्रथा की अधिक दृढ़ता—कृषि अवस्था की दामत्व प्रथा और भी दृढ़ हो गई। भेड़ों-बाखी के कार्य के लिए दासों की सेवा अधिक उपयोगी सिद्ध होने लगी। इसलिए विधेना दासों को असूत्र्य सम्पत्ति बनाने लगे।

सामाजिक एवं आर्थिक विकास—धीरे-धीरे मनुष्य परिवार बनाकर रहने लगे। भूमि पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नहीं होता था, किन्तु वह सारी जाति को सम्पत्ति मानो जाती थी। हाँ, गकान तथा अन्य भवन सम्पत्ति पर अलग-

अलग परिवारों का अवश्य अधिकार होता था। इस अवस्था में प्रत्येक परिवार अधिकार में स्वावलम्बी होता था। बाह्य समार से इसका सम्पर्क बहुत ही कम रहता था। इस प्रकार के कई कृषक परिवारों के एक समूह में गाँव का जन्म हुआ। गाँवों का जीवन विलुप्त सादा और स्वावलम्बी होता था। उनके निवासी अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ मिल-जुल कर स्वयं बनाते थे। वे दूसरे गाँव के अधिकारियों की प्रतीक्षा नहीं करते थे। प्रायः गाँव में लोहा और नमक इत्यादि वस्तुओं के प्रतिरिक्त बहुत कम वस्तुएँ बाहर से आती थीं। कई स्थानों के राजनीतिक, धार्मिक, व्यापारिक व्यवसाय और किसी अन्य कारण से मृत्युपूर्व ही जाने से बड़े-बड़े नगरों की स्थापना हो गई।

गाँव में अधिकतर मनुष्य खेती करते थे। गाँव में एक थैली ऐसी होती थी जो खेती में कर अन्य धन्य करते थे, जैसे बपड़ा बुनना, मिट्टी के बरतन बनाना, तेल पेरना, लकड़ी का काम करना, जूता बनाना इत्यादि। ऐसे लोग कारीगर कहलाते थे। कारीगरों और कृषकों को अपनी अपनी वस्तुओं को बेचने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ता था, ग्राम में ही बिक जाते थे। विनिमय वस्तुओं द्वारा ही होता था। मुद्रा का जन्म अभी नहीं हुआ था।

अधिकांश की कृषि (मजदूरी) भी वस्तुओं (Kind) में ही जाती थी। साधारण रूप में श्रम विभाजन का प्रारम्भ इस काल में ही हो चुका था। इस अवस्था में आवश्यकताओं, प्रयत्नों और प्रतिफल में कुछ अन्तर्भेद सम्बन्ध स्थापित होने लग गया था।

**सामन्त (Zamindari) प्रथा का प्रादुर्भाव**—इस अवस्था के प्रारम्भ काल में जो मनुष्य जितनी भूमि साफ करके उसमें कृषि कार्य कर सकता था वह उसका स्वामी बन बैठता था। ग्राम समाज में कुछ लोग ऐसे भी थे जो कई कारणों से अपने समाज के मुखिया बन बैठे थे। इन लोगों ने दूसरों की भूमि छीनना प्रारम्भ किया और लोगों में अपना कृषि कार्य कराने लगे अथवा उनका कृषि में से भाग लेने लगे। इस प्रकार किसानों (Tenants) का जन्म हुआ। यह प्रथा बड़े-बड़े इतनी बढ़ी कि कृषि युग सामन्त प्रथा में परिवर्तित हो गया। इन सामन्त प्रथा में थोड़े से व्यक्ति सारी भूमि के स्वामी होने लगे। ये सामन्त अपने राजा के प्रति स्वामिभक्ति रखते थे और अपनी अपनी भूमि को किसानों में बाँट देने थे जो उसे जोतने-बोते थे और उपज का अधिकार अपने सामन्त को देने थे।


**व्यापारी वर्ग की उत्पत्ति**—जैसे देखा जाय ता मनुष्य जीवन में बहिष्कृत कृषि का प्रादुर्भाव भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न समय में हुआ। मनुष्य प्रथम समुद्र तटीय जातियों में व्यापार प्रारम्भ किया था। फिर जंगल-जंगल मनुष्य की आवश्यकताओं की वृद्धि हुई, आवश्यकताओं के माध्याम में उत्पत्ति होती गई और श्रम विभाजन बढ़ता गया जैसे-जैसे व्यापार का क्षेत्र भी बढ़ता गया। प्रारम्भ में व्यापार का सर्वांगीण क्षेत्र था अर्थात् एक गाँव तक ही सीमित था। धीरे-धीरे सामन्त जमींदार बन कर अपनी ही भूमि और फलस्वरूप अपनी आवश्यकताएँ भी बढ़ाने लगे। उन्हें नई-नई और उत्तम विलास की वस्तुओं की इच्छा होने लगी। कारीगर भी इन श्रमीणों की इच्छाओं की पूर्ति के हेतु अच्छी-अच्छी वस्तुएँ बनाने लगे। ये वस्तुएँ अब एक स्थान से दूसरे स्थान की आवश्यकताओं के लिए जान लगीं। तब एक वर्ग और पैदा हुआ जिसका नाम व्यापारी वर्ग रखा गया। ये व्यापारी लोग एक स्थान में वस्तुएँ सँभार कर दूसरे

स्वान में देखने थे। अभी तक लोग ग्रामों में अपनी वस्तु लेकर उनके बदले में अपनी आवश्यक वस्तु ले लेते थे। रुपये-पैसे की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। परन्तु जब व्यापार में वृद्धि हुई तो व्यापारी लोग वस्तुओं का क्रय विक्रय दूर-दूर तक करने लगे। अब व्यापार एक मजोरी क्षेत्र तक ही सीमित न होकर विस्तृत हो गया और इस प्रगति के साथ मुद्रा का भी आविष्कार हुआ, यद्यपि उसका प्रारम्भिक अवस्था में एक धपसुरी रूप था। इस युग के अन्त में वस्तुओं के निर्माणार्थ छोटे-छोटे कारखाने खुल गये जिनका विस्तृत उल्लेख अगली अवस्था में जो 'हस्तमिल्य अवस्था' कहलाता है, किया जावेगा।

#### (४) हस्तशिल्प कला अवस्था (Handicraft Stage)

**विशेषताएँ**—कारीगरों के स्थायी वर्गों की स्थापना—समाज की धार्मिक उन्नति के साथ-साथ मनुष्य भी आवश्यकताओं में भी वृद्धि हुई। इनकी पूर्ति के लिए नई-नई वस्तुएँ तैयार करने के उद्योग किये जाने लगे।

घोरे-घोरे स्वायत्त परिवारों की अवस्था का अन्त होने लगा और अलग-अलग हस्त शिल्पियों के वर्गों की स्थापना होकर सारा समाज बड़े-बड़े पेशों या घटों में विभाजित हो गया। उदाहरणार्थ, कुम्हार, बुलाहे, बर्तई, सैली, मोची आदि के



हस्तशिल्प कला अवस्था

पेशे। अब वे उन वस्तुओं के बनाने में ही यारा समय और शक्ति लगाने लगे जिन्हे वे उत्तम रीति-नीति से बना सकते थे, क्योंकि इनके बदले में अन्य आवश्यक वस्तुएँ सुगमता से उपलब्ध होने लगी।

दस्तकारी या हस्तकला युग क्यों कहलाता है? इस युग में वस्तुओं का निर्माण हाथ में ही होता था, अभी तक मजोरी का आविष्कार नहीं हुआ था। अतः इस अवस्था को दस्तकारी अथवा हस्तकला युग कहते हैं।

**दास प्रथा का अन्त**—पूर्व प्रचलित दास प्रथा का इस समय तक पूर्ण अन्त हो गया था। सब लोग स्वतन्त्रतापूर्वक रहने लगे।

**विशिष्टीकरण और धर्म-विभाजन**—घोरे-घोरे लोग अलग-अलग वस्तुओं के बनाने में दक्षता प्राप्त करने की चेष्टा करने लगे। धनस्वरूप धर्म-विभाजन प्रारम्भ हुआ। कोई बर्तई का काम करने लगा, कोई कुम्हार बन बैठा और कोई कपड़ा बुनने लगा। इस प्रकार लोच विविध वस्तुओं के बनाने में निपुण बनने लगे। ये लोग कारीगर अथवा कलाकार के नाम से सम्बोधित किये जाने लगे।

**मुद्रा-विनिमय प्रथा**—इस कला के प्रारम्भ में वस्तुओं का पारस्परिक विनिमय होने लगा। उदाहरण के लिए, कुम्हार अपने बर्तन को बुलाहे के फाटों से, किसान अपने अन्न को कुम्हार के छोड़कर म. अन्न-अन्न करने लग। कालान्तर में वस्तु-विनिमय में बड़े कठिनाइयों और अमुविधाएँ अनुभव होने लगीं। इनको दूर करने के लिये किसी

सर्वमान्य विनिमय माध्यम की खोज होने लगी, भिन्न-भिन्न म्यानों और समय पर भिन्न-भिन्न वस्तुएँ विनिमय का माध्यम बनाई गईं। अन्न वस्तुओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से न होकर इस वस्तुओं के माध्यम द्वारा किया जाने लगा। ऐसी वस्तु जो विनिमय के माध्यम का काम करती थी मुद्रा कहलान लगी। धीरे-धीरे मुद्रा ने वस्तुओं के पारस्परिक आदान-बदान का स्थान ले लिया जिससे वास्तव व्यापार में पार्ष्णत उत्पन्न हुई। मुद्रा का चलन इस युग की एक मुख्य विशेषता है।

**पारिवारिक प्रणाली (Domestic System)**—प्रारम्भ में कारीगर स्वतन्त्र रूप से काम करने थे। वे अपने अपने छोटे-छोटे रखते थे और अपनी पूँजी में कच्चा माल आदि आवश्यक वस्तुओं का खरीदते थे। तैयार हुई वस्तुओं की बिक्री का भी स्वयं प्रबन्ध करते थे और जो कुछ लाभ प्राप्त होता था वह सब भाग उन्हीं का ही होता था। इस व्यवस्था में उत्पत्ति छात्र पैमाने पर की जाती थी। कारीगर उत्पत्ति के कार्य में अधिकतर अपने कुटुम्बिका में ही सहायता लेते थे। क्रमशः उत्पादन-धन्यता में उत्पत्ति होने लगी। वस्तुओं की माँग का धेन विस्तृत होना गया। पूँजी की भी आवश्यकता बढ़ती गई। व्यापारी कारीगरों में अपने-अपने माल पर मजदूरी देकर माल तैयार करवाने लगे। कारीगरों को मात्र निश्चित समय पर तैयार कर पूँजीपतियों का दाना पड़ता था। बदले में उन्हें मजदूरी मिलती थी। इस प्रकार उत्पादन और उपभोग के बीच में मध्यस्थ का काम व्यापारी वर्ग करने लगे। उत्पत्ति की इस प्रथा को 'पारिवारिक प्रणाली' कहते थे। इस प्रकार धीरे-धीरे 'पूँजीवाद' की नींव पड़न लगी।


**संघों की स्थापना**—इस युग की एक विशेषता यह थी कि प्रत्यक्ष धन्य के लोगों का अलग-अलग मध्यम था जिस कारीगर मध्य (Craft Guild) कहते थे। इन संघों का कार्य वस्तुओं के मूल्य निर्धारण करना और उनका सम्बन्ध में अन्य आवश्यक नियम बनाना आदि धोते थे। इन नियमों का पालन करना प्रत्येक सदस्य के लिये अनिवार्य था। शर्तें शर्तें कारीगरों मध्य का स्थान 'व्यापारी मध्य' (Merchants Guild) ने ले लिया जो कि व्यापार सम्बन्धी सम्बन्ध विषयों को उत्पत्तिगत बढाने के अतिरिक्त राजनैतिक महत्त्व भी रखते थे।

**व्यापार में उत्पत्ति**—विनिमय-प्रथा द्वारा अधिक सुगमता मिलने में व्यापार में पार्ष्णत उत्पत्ति हुई।

**बड़े नगरों की स्थापना**—शौचाधिक तथा व्यापारिक उत्पत्ति का माध-माध नगरों का बनना भी स्वाभाविक था। कारीगर उन स्थानों पर जाकर बसने लगे जहाँ पर काम के लिये कच्चा माल मिल सके और तैयार माल के बेचने में सुविधा हो। इस प्रकार लोग ने प्रमुख नदियों, नदी तथा समुद्र तटों पर स्थित नगरों में बसना प्रारम्भ कर दिया।

**आवश्यकताओं, प्रयत्नों और समुद्रि में अधिक परोक्षता**—अब आवश्यकताओं, प्रयत्नों और समुद्रि के मध्य पूर्ववत् प्रत्यक्ष सम्बन्ध न रहा। एक व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये समूह वस्तुओं स्वयं उत्पादन न करता था। वह किसी एक विशेष वस्तु बनाने में लग जाता था जिसके विनिमय द्वारा अन्य इच्छित वस्तुओं का प्राप्ति कर सकता था। इस विशेषता को गौं भी कहा जा सकता है कि अब विनिमय द्वारा आवश्यकताओं की पूर्ति की जाने लगी।

(५) औद्योगिक अर्थात् वर्तमान अवस्था (Industrial stage)



मनुष्य की भौतिक उन्नति के फलस्वरूप उसकी आवश्यकताएँ भी उत्तरोत्तर बढ़ती गईं। अन्न वस्तुओं की बढ़ती हुई मांगों को हाथ द्वारा बनाई गई वस्तुएँ पूर्ति करने में असमर्थ सिद्ध होने लगी। सच तो यह है कि 'आवश्यकता आविष्कारों की

जननी हैं'। मनुष्य ने औद्योगिक अवस्था के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहने के परिणाम स्वरूप कालान्तर में कई एक मशीनों के आविष्कार किए जिनके द्वारा आर्थिक जीवन में बहुत उथल-पुथल सृज गई। उस समय के प्रारम्भिक आविष्कारों में 'जेम्स वॉट का स्टीम इंजन', 'वाट के का 'फ्लाइंग नटल' और 'कार्टराइट का 'पावर लूम' आदि उल्लेखनीय हैं। इन आविष्कारों ने आर्थिक-जीवन को पूर्णतया कायापलट कर दी। उत्पात्ति, व्यापार, यातायात आदि सभी क्षेत्रों में अमूल्यपूर्वक उन्नति हुई। ये परिवर्तन इतने व्यापक थे कि इन्हें 'औद्योगिक क्रांति' (Industrial Revolution) में सम्बोधित करते हैं। इस औद्योगिक क्रांति ने इंग्लैंड में १८ वीं शताब्दी के अन्त और उत्तरीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में पदार्पण किया। भारतवर्ष में कुछ देर में इसका प्रभाव पड़ा।

हस्तकला का स्थान मशीनों ने ले लिया—नई-नई मशीनों के आविष्कारों ने उत्पात्ति का ढाँचा विलकुल बदल गया। अन्न हस्तकला का स्थान मशीनों ने ले लिया है, क्योंकि अत्यन्त बस्तु का निर्माण कल-कारखानों के द्वारा होने लग गया है। उन्नत-शील देशों में आजकल उत्पात्ति अधिकतर मशीन द्वारा ही होती है।

कारखाना प्रणाली (Factory System) का जन्म—विभिन्न प्रकार की मशीनों के आविष्कारों ने बड़े-बड़े कारखानों को जन्म दिया, जिनमें माप, पानी अथवा बिजली आदि की शीघ्रता में चलने वाली मशीनों का प्रयोग किया जाता है। मशीनों के प्रयोग में उत्पात्ति की मात्रा में बहुत वृद्धि हुई है। उत्पादन का व्यय कम हो गया है, और वस्तुएँ सस्ती हो गई हैं। दस्तकार कारखानों में जाने लग गया है।

इनके फलस्वरूप दस्तकारों के द्वारा बनाई हुई वस्तुएँ कारखानों की प्रतिस्पर्धा (Competition) में नहीं टिक सकी और दस्तकारों को अपना धंधा छोड़ कर अजदूर वर्ग में अभिमनित होना पड़ा। जो कारीगर अपने घरों में अपनी पूँजी और बुद्धिमियों के साथ स्वच्छन्दता पूर्वक कार्य करते थे वे आज उद्योगपतियों के नीचरे के रूप में शर्मित होकर दान चरने हुए दृष्टिगोचर होने लगे हैं। महान् की मस्या में एवमित होकर 'एक पूँजी जाने व्यक्ति' अथवा मस्या के लिए वस्तुएँ तैयार करते हैं।

पूँजी संचय करना, कच्चे माल को तैयार करना अथवा तैयार माल को बेचना अब श्रमिकों का कार्य नहीं रहा। उनका काम तो केवल माल तैयार करना है जिनके

यदले उन्हें एक निश्चित पुष्पकार जिसे, 'भृति या मजदूरी' कहते हैं, मिलता है। इस प्रकार के धनोत्पादन ढंग को 'कारखाना प्रणाली' कहते हैं।

पूँजीपति वर्ग और श्रमिक वर्ग में सघर्ष—भाषुनिक कारखाना प्रणाली ने समाज को दो कृत्रिम घेरणों में विभक्त कर दिया है। एक तो पूँजीपति वर्ग जो कारखाने के एक प्रकार से पूर्ण स्वामी होत हैं और दूसरे श्रमिक वर्ग जो केवल वेतन के लिए कारखाना में पूँजीपतियों के अधीन काम करते हैं। पहले मानिक और मजदूर में कोई विशेष अन्तर नहीं था। दोनों एक दूसरे में मिल-जुल कर काम करते थे, मानिक मजदूर को मजदूर न समझ कर अपना एक परिचारिक व्यक्ति समझता था। दोनों में परस्पर मत-भेद और सघर्ष का कोई स्थान न था, बल्कि वे मधु वाते हवा ही गईं। और इसके फलस्वरूप दोनों के मध्य के सम्बन्ध ने सघर्ष का रूप धारण कर लिया है और पारस्परिक बड़ा मतभेद उत्पन्न हो गया है। यही मजदूर अपनी माँग की पूर्ति के हेतु हड़ताल (Strike) कर बैठते हैं और कभी पूँजीपति कारखाने को ताला लगा (Lockout) देते हैं। समाजवाद (Socialism) और साम्यवाद (Communism) की उत्पत्ति भी इसी सघर्ष का एकमात्र कारण है।

पूँजीवाद की हड़ता (Capitalism)—इससे पूर्व अर्थशास्त्र ने तो पूँजीवाद की केवल नींव ही पड़ी थी, परन्तु इस अवस्था में इसने अपना सुसंगठित रूप धारण कर लिया है। इस समय मसार के अधिवाश देशों में समाज का आर्थिक संगठन इसी प्रकार है। सगभय सम्पूर्ण शक्ति पूँजीपतियों के हाथ में है। भाषुनिक कारखाना प्रणाली में पूँजी का महत्व बढ़ गया है क्योंकि आज़काल की दिवाल्य औद्योगिक एवं व्यापारिक व्यवस्था बिना पूँजी प्रणाली के सम्भव नहीं है। भाषुनिक उत्पत्ति पर विशेष प्रभुत्व होने के कारण यह पूँजीवाद पुनः कड़ा जाता है। देखिये यह स्मरण रखना चाहिये कि समाजवाद और साम्यवाद ने भी इनसे टकरा लेने को जन्म पा लिया है। कम ने तो पूँजीवाद प्रथा का अन्त कर दिया है। वही समाज का आर्थिक संगठन अथ साम्यवाद प्रथा के अनुसार है। अभी कुछ दिन पूर्व पूर्वी यूरोप में और एशिया में मुख्यतः चीन ने भी पूँजीवाद प्रथा का अन्त कर दिया है और साम्यवाद प्रथा को अपना दिया है।

प्रतियोगिता और व्यापारिक स्वतन्त्रता (Competition or Free Trade)—प्रतियोगिता और व्यापारिक स्वतन्त्रता इस प्रथा के दो प्रमुख किन्हे हैं।

शारीरिक नैतिक तथा सामाजिक पतन—कारखाना प्रणाली के अन्तर्गत शारीरिक, नैतिक और सामाजिक विकार उत्पन्न हो गये हैं। अधिक लाभ पूँजीपतियों द्वारा उठाया जाता है और श्रमिक वर्ग को केवल जीवित रहने के लिए ही भृति (मजदूरी) मिलती है जिससे उच्चतर शारीरिक तथा नैतिक पतन स्वाभाविक है।

प्रकृति पर आधिपत्य—मशीना की सहायता से मनुष्य का आधिपत्य प्रकृति पर बहुत बढ़ गया है। अनेक प्राकृतिक शक्तियाँ का प्रयोग धनोत्पादन में किया जाने लगा है जिसके कारण उत्पत्ति बड़े परिमाण में होने लग गई है। जमीन, खलीय और आवासीय यातायात व साधनों की उत्पत्ति में स्वतन्त्रता कम होकर देश-देशान्तर में पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित कर इन विरस को एक कुटुम्ब के समान बना दिया है। इस युग में बल-कारखाना, यातायात व साम्यवाद के साधनों बना और बीमा कम्पनियों की उत्पत्ति से आज़काल का व्यापार स्वतन्त्र अर्थशास्त्र राष्ट्रीय न रह कर अन्त-



राष्ट्रीय हो गया है। कृषि में भी मशीन का प्रचुर प्रयोग होने से व्यापार के लिये पैनी होना सम्भव हो गया है।

धातवीय एव पत्र-मुद्रा द्वारा विनिमय—बढ़ती हुई धार्मिक जटिलता ने मनुष्य द्वारा अधिक कुशल मुद्रा का आविष्कार करवा दिया है। साथ ही साथ वैका द्वारा साधु मुद्रा के प्रचार ने भी धार्मिक जीवन का प्रगतिशील कानन में कम सहायता नहीं दी है।

आवश्यकताओं प्रयत्नों और सन्तुष्टि में अधिक परोक्षता—अब आवश्यकता, प्रयत्न और सन्तुष्टि के मध्य बहुत ही परोक्ष सम्बन्ध हो गया है। बिना विनिमय और वितरण के सहायों के आवश्यकताओं की पूर्ति सम्भव नहीं है। प्रत्यक्ष व्यक्ति अब यह काम करता है जिसके लिए उनमें अधिक योग्यता होती है। कार्य के बदले उसे मुद्रा में वेतन मिलता है जिसकी सहायता में वह अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर अपनी दुःखों को पूर्ण कर सकता है। निःसन्देह आज का धार्मिक जीवन पहा की अपेक्षा अत्यन्त जटिल बन गया है जिसके फलस्वरूप यह सम्बन्ध अधिक परोक्ष ( Indirect ) हो गया है।

निष्कर्ष—उपर्युक्त विवरण में यह स्पष्ट है कि मनुष्य के धार्मिक जीवन में देश व कालानुसार बहुत परिवर्तन होने रहे हैं। इसी कारण अर्थशास्त्र को एक विकासशील ( Evolutionary ) विज्ञान माना गया है। अतः हमें आधुनिक धार्मिक जीवन के वास्तविक रूप का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय-समय के इस प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करना आवश्यक है। यहाँ भी स्मरण रहे कि परिवर्तनों के मध्य कोई ऐसी भिन्नि नहीं है जिसके कारण एक अवस्था पूर्णतया समाप्त होने के पश्चात् ही अगली अवस्था का प्रारम्भ हो तथा दो विभिन्न स्थानों में एक ही समय में अन्व अवस्थाएँ भी देखी जाती हैं। जैसे वर्तमान औद्योगिक युग में भी कृषि और घरेलू धन्ये भी साथ-साथ धार्मिक जीवन के महत्त्वपूर्ण अंग बने हुए हैं।

### अन्यासाध्य प्रश्न

#### इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—मनुष्य के धार्मिक जीवन के विकास के विषय में आप क्या जानते हैं? कृषि युग तथा औद्योगिक युग में मुख्य अन्तर क्या है? (४० प्र० १९५६)
- २—आदिवासी में अब तक विभिन्न धर्मियों के द्वारा धार्मिक जीवन का जो विकास हुआ है। उसका वर्णन कीजिये तथा प्रत्येक के लक्षणों को संक्षिप्त में समझाइए। (४० वी० १९५४)
- ३—मानव समाज के धार्मिक विकास के मुख्य भीमा चिन्ह क्या हैं? (४० वी० १९६०)
- ४—गर्भपातन युग में शिकारी अवस्था से घनी और कृषि अवस्था में कम घनी आबादी क्या होती है? (४० वी० १९४१)
- ५—धार्मिक विश्वास की विभिन्न अवस्थाओं की मुख्य विशेषताओं का वर्णन। एक अवस्था में दूसरी अवस्था में विकास के क्या परीक्षण हैं? (जवाब १९५४)
- ६—धार्मिक जीवन के विकास का संक्षेप में निरूपण।

(विन्नी हा० से० १९५५, ५३)

पारिभाषिक शब्दों के ज्ञान की आवश्यकता

जैसा कि प्रथम अध्याय में व्यक्त किया जा चुका है कि अर्थशास्त्र मनुष्य के साधारण जीवन के कार्यों का अध्ययन है। अतः इसमें साधारण बोलचान के शब्दों का ही प्रयोग किया जाना स्वाभाविक है। इन शब्दों का साधारण अर्थ अर्थशास्त्रीय अर्थ से बिल्कुल भिन्न होता है। जिस शब्द का अर्थशास्त्र की दृष्टि से हम एक विशेष अर्थ लगाते हैं उसका साधारण बोलचाल की भाषा में अन्य अर्थ लगाया जा सकता है। इसी कारण इनके अर्थों में भ्रम उत्पन्न हो जाना सम्भव है। अतः ऐसे विविध शब्दों की व्याख्या नीचे की जाती है :—

**उपयोगिता (Utility)**—किसी वस्तु की आवश्यकता-पूरक शक्ति को उपयोगिता कहते हैं। यदि कोई वस्तु हमारी किसी आवश्यकता की पूर्ति कर सकती है, तो हम कहेंगे कि उस वस्तु में उपयोगिता है। उदाहरण के लिये, गेहूँ, भवन, पुस्तक, मंदिर आदि वस्तुएँ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हैं। अतः उनमें उपयोगिता है।

अर्थशास्त्र में उपयोगिता शब्द किसी नैतिक दृष्टि से प्रयुक्त नहीं होता। इसके प्रयोग से लाभ या आनन्द का भाव भी प्रकट नहीं होता है। साधारण बोलचाल में उपयोगिता का अर्थ किसी वस्तु का उपयोगी या लाभप्रद होना है। इसके अनुसार ममस्त मादक वस्तुएँ उपयोगी और लाभप्रद नहीं होतीं। चाहे कोई वस्तु नैतिक दृष्टि से बुरी हो या फलहीन, लाभप्रद अथवा हानिकारक, कड़वी या स्वादिष्ट, यदि वह किसी भी आवश्यकता की पूर्ति करने में समर्थ है, तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से उसमें उपयोगिता है। शान्ति, अमीन आदि मादक वस्तुएँ, नशीली वस्तुएँ होने में हानिकारक हैं पर मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखने के कारण ये उपयोगिता-युक्त वस्तुएँ मानी जाती हैं। किसी वस्तु के उपयोग का क्या परिणाम होगा अथवा वह इच्छा कमी है, जिसकी पूर्ति की जा रही है, इससे कोई प्रयोजन नहीं है। उपयोगिता के लिये वस्तु का किसी के लिये समीप होना ही पर्याप्त है। दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि उपयोगिता के कारण ही किसी वस्तु पर प्रत्येक की चाह होती है। जिस वस्तु की जितनी ही अधिक उपयोगिता प्रतीत होगी, उतनी ही अधिक उसकी चाह होगी और उनी के अनुसार अन्य वस्तु का उसी वदने में प्रादान-प्रदान होगा। इस कारण में विनिमय में उपयोगिता का विचार प्रधान रूप में किया जाता है।

उपयोगिता मनुष्य की आवश्यकता की प्रवृत्तता या तीव्रता पर अवलम्बित है। जितनी अधिक या कम जिस वस्तु की आवश्यकता होगी उतनी ही अधिक या कम उस वस्तु की उपयोगिता होगी। यदि किसी समय बहुत तेज भूख लगी हो तो उम समय रोटी की हूपारे लिये बड़ी उपयोगिता होगी। मान लीजिये कोई व्यक्ति जोधपुर छुदामपुर की भटम्बली में वात्ना कर रहा है वह प्यास से इतना अधिक पिपल हो जाय कि एक गिलास पानी बिना मर जाय। इग दमा में पानी की उसके लिये आवश्यकता अत्यधिक है। अतः पानी की उपयोगिता अनेकाङ्कृत अधिक है। किन्तु वही यामी अपने विश्राम भवन में कुछ ही प्यासा हो, तो पानी की आवश्यकता परमावश्यक नहीं है। इसी कारण पानी की उपयोगिता उसके लिये कुछ नहीं के बराबर रहेगी।

आवश्यकताएँ देश, काल और व्यक्ति विशेष के अनुसार भिन्नता रखती हैं—प्रत्येक मनुष्य की आवश्यकताएँ एक-सी नहीं होती, और न हर समय वे वही ही बनी रहती हैं अर्थात् आवश्यकता देश, काल और व्यक्ति विशेष के अनुसार भिन्नता रखती हैं। उदाहरणार्थ, 'पार मरुस्थल में बालू मिट्टी की तन्विक भी उपयोगिता नहीं है, परन्तु नगरों में भवन निर्माण करने वाले व्यक्तियों के लिये इसके बड़े उपयोगिता है। शीघ्र शूलु या उली बल्लो की नेशमान भी उपयोगिता नहीं होती, परन्तु शरद शूलु में उनकी बड़ी उपयोगिता होती है। माँसाहारी के लिये माँस उपयोगिता रखता है, परन्तु शाकाहारी के लिये नहीं।

उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु की उपयोगिता उस वस्तु की आवश्यकता के साथ जग्य मैत्री है और आवश्यकता की तृप्ति के साथ ही अपनी बहाभी समाप्त कर देती है। वस्तु उपयोगिता एक वास्तु गुण है जो कि आवश्यकता के कारण किसी वस्तु को प्राप्त होती है। उपयोगिता केवल वस्तु और अपने उपभोक्ता के मध्य सम्बन्ध प्रकट करती है।

अर्थात् (Value)—अर्थात् एक वस्तु के अन्वय रहने वाली एक शक्ति है, जो दूसरी वस्तुओं के साथ अपनी परिवर्तन करने में सक्षम प्रदान करती है। साधारण यह है कि एक वस्तु की अर्थात् परिवर्तनीय वस्तु में समुचित की जाती है। यदि एक तोना सोना, ६० तांबा चाँदी में परिवर्तित किया जाय तो सोना चाँदी की अपेक्षा ६० गुना अधिक वास्तु है, अथवा चाँदी की शक्ति मोने की शक्ति की १/६ है।


मार्शल महाशय ने कहा है 'अर्थात् (Value) साधारणतया वह वस्तु है जो दूसरी वस्तुओं के परिवर्तन में माध्यम हो।' यह साधारण शब्द है। एक वस्तु का दूसरी वस्तु में समुचित करने का साधन है। यदि समार में एक ही वस्तु होती तो अर्थात् (Value) का कारण कुछ न होता, क्योंकि ऐसी प्रवृत्तता में परिवर्तन सम्भव हो नहीं।

इस शब्द का उपयोग दो अर्थों में किया जाता है :—

(१) प्रयोगार्था (Value-in Use)—इसका अर्थ उपयोगिता में है। सामान्य में देखा जाय तो किसी वस्तु की उपयोगिता पर उसका मूल्य निर्भर है। जब तक किसी वस्तु में उपयोगिता न होगी, तब तक कोई पदार्थ अपने बचने में कुछ भी मूल्य देने के लिये तैयार न होगा। पर इसका अर्थ यह नहीं है कि यदि एक वस्तु में उपयोगिता है तो उसके मूल्य का होना आवश्यक है। अथवा जितनी अधिक या कम उपयोगिता होगी उतनी ही अधिक या कम उस वस्तु की अर्थात् होगी। उदाहरण में,

मूल्य दो चीजों पर निर्भर है—उपयोगिता (Utility) और मरुतता (Scarcity)। यदि इन दो चीजों में से एक भी अनुपस्थित हो, तो वस्तु का मूल्य नहीं होगा। यदि एक वस्तु में उपयोगिता बहुत है पर मरुतता नहीं है, अर्थात् वह प्रचुर मात्रा में विद्यमान है तो उनका मूल्य कुछ नहीं या बहुत कम होगा। जैसे, मूँग का प्रकाश, धुँड वादू, जल आदि। इसी प्रकार यदि कहीं कहीं एक एसी कमीज तैयार है जो किसी के धरोर के लिए समुचित नहीं बैठती या इसका कुछ भी मूल्य नहीं है, क्योंकि इस कमीज की उपयोगिता नहीं है। प्रयोगिता का अर्थ 'उपयोगिता' शब्द में पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होता, क्योंकि व एक दूसरे के पर्यायवाची में है, तथापि हम अहाँ शब्द को 'उपयोगिता' के अर्थ में उपयुक्त नहीं समझते।


(२) विनिमय अर्था—(Value-in-Exchange)—विनी वस्तु की अर्थ मति को विनिमय-अर्था कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि किसी वस्तु के बदले में दूसरी वस्तुएँ कितनी मिल सकती हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक भोजन वस्तु में चार बुनियाँ प्राप्त हो सकती हैं, तो हम कहेंगे कि एक भोजन का मूल्य चार बुनियाँ हैं और चार बुनियाँ का मूल्य एक भोजन है। विनिमय अर्था एक सापेक्ष (Relative) शब्द है। यदि भोजन की अर्था में वृद्धि हो जाती है, तो बुनियाँ की अर्था घटती चार जायगी। अतः भोजन वस्तु की अर्था में सामान्य वृद्धि (General Rise) नहीं हो सकती, क्योंकि एक की वृद्धि अन्य वस्तुओं की अर्था की गिरावट में कारण बन जायगी।



विनिमय अर्था (Value-in-Exchange)

सामान्य में यह शब्द सापेक्ष होने में केवल दो प्रकार की वस्तुओं में किसी समय या स्थान विशेष पर सम्बन्ध स्थापित करता है। यह सम्बन्ध सम्बन्धी होता है। समय और स्थान परिवर्तन में सम्बन्ध का परिवर्तन भी स्वाभाविक है। उदाहरणार्थ, धर्म नीति-देशों की अर्था अलग-अलग म अर्थिक उपरायी है। इसी प्रकार औद्योगिक म शीलाना की अर्था उनकी उपयोगिता अर्थिक है।

मूल्य (Price)—यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य मुद्रा (Money) द्वारा प्रकट किया जाता है तो उसे 'मूल्य' कहते हैं। जैसे एक भोजन का कीमत ६० रु० है। या यह उसका मूल्य कहा जायगा। सापेक्ष-वस्तु वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य अर्थिक



### मूल्य (Price)

मुद्रा में ही खींचा जाता है। मारी वस्तुओं के मूल्य में साधारण वृद्धि हो सकती है, इसका अर्थ यह है कि मुद्रा की क्रय शक्ति में ह्रास हो गया है।

**वस्तु (Goods)**—हम चारा और कुछ ऐसी वस्तुओं में अपने को घिरा हुआ पाते हैं जिसके हथारी अभिलाषाएँ या आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाती हैं। हथ जिसमें खेत जोता करते हैं, चरम जिसमें पक्षी पकड़ा जाता है, पुस्तकें जिनसे चरित्र निर्माण होता है, पागड़ी, कोट, बमोजू जो शरीर रक्षा के साधन हैं और मूर्ध्नि रमणीय प्राकृतिक-दृश्य, सामान्य मगन जिनमें मन प्रसन्न होता है आदि—सभी हमारी आवश्यकताओं का अथवा अभिलाषाओं को पूर्ण करते हैं। अतः ये सभी प्राकृतिक या अप्राकृतिक साधन 'वस्तु' से पुकारे जाते हैं। प्रोफेसर माशल के मत में 'वस्तु' की परिभाषा यह है : 'वे पदार्थ जो मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति करें, 'वस्तु' हैं।'

साधारण बोलचाल में वस्तु का अर्थ उन पदार्थों से है जिन पर किसी समूह का अधिकार हो। परन्तु अर्थशास्त्र में यह शब्द एक विशेष अर्थ रखता है। "कोई भी पदार्थ भौतिक हो अथवा अधभौतिक जिसमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की शक्ति हो, अर्थात् उपयोगिता हो, वस्तु कहली जाती है।" किसी पदार्थ को 'वस्तु' की कोटि में आने के लिये उसमें उपयोगिता होना आवश्यक है। उदाहरण के लिये, जल, वायु, भयन, मेज, कुर्सी, पुस्तक आदि भौतिक वस्तुएँ और प्रेम, स्नेह, मित्रता आदि अधभौतिक पदार्थ वस्तुओं में अन्तर्गत हैं। वस्तुओं के अन्तर्गत डाक्टर, बकील, प्रोफेसर द्वारा सम्पादित सेवा और व्यापार के साधन आदि, जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम हैं, सम्मिलित हैं।

कुछ लोग प्रायः 'वस्तु' शब्द को परिभाषित करते समय यह समझ बैठते हैं कि वस्तु शब्द भारतीय वस्तुओं के लिये व्यवहृत होता है। किसी चीज की उपयोगिता ही उसे 'वस्तु' की कोटि में लाने के लिये पर्याप्त है। अमुक वस्तु भारतीय है या अर्वाहतीय, इसमें कोई सम्बन्ध नहीं। उदाहरण के लिये, मदिग अर्वाहतीय है किन्तु यदि यह किसी की आवश्यकता या इच्छा को पूर्ण करती है तो वह अवश्य 'वस्तु' है।

**वस्तुओं का वर्गीकरण (Classification of Goods)**—वस्तुएँ अनेक प्रकार की होती हैं जिनका वर्गीकरण निम्न प्रकार सम्भवता चाहिये :—

- (१) भौतिक और अधभौतिक (Material and Non-Material)
- (२) हस्तान्तरणीय और अहस्तान्तरणीय (Transferable and Non-transferable)

(३) प्राकृतिक या स्वत्वहीन और आर्थिक या स्वत्वपूर्ण वस्तुएँ (Free and Economic Goods)

(४) उपभोग्य और उत्पादक वस्तुएँ (Consumption and Production Goods)

(५) विगस्यायी और भविष्यत्वायी वस्तुएँ (Durable and Perishable Goods)

(६) व्यक्तिगत और सार्वजनिक वस्तुएँ (Private and Public Goods)

(१) भौतिक और अमौलिक वस्तुएँ

**भौतिक वस्तुएँ (Material Goods)** - वे वस्तुएँ जिनमें आकार, प्रकार और भार हो तथा जिन्हें कोई व्यक्ति देख सके या छू सके, भौतिक वस्तुएँ कहलाती हैं। मटर, चना, गेहूँ, ईल कपास निज आदि कृषिज, लोहा, पीना, लोहा, शोषण, पत्ता, अबरक आदि खनिज, उद्योगशास्त्रा द्वारा उत्पादित विविध अग्रणीत पदार्थ, मन्त्र, भवन, उपकरण, उपस्वर, (मज्जुमी सोफा, स्टूल, सन्तून, आलमारी) और भोजनीय पदार्थ अर्थशास्त्र में 'वस्तु' कहलाते हैं। इनमें अनिश्चित जन, वायु, जल-वायु, भूमि, अग्नि आदि लाभप्रद प्राकृतिक पदार्थ और समस्त प्रकार के प्रयोजनीय अथवा व्यवहार्य अधिकार (ग्राम, नगर, जनपद विधानय, उद्योगालय, कार्यालय का प्राधिकार) तथा भौतिक वस्तुओं के पट्टा, सरकारी और उपभाग में लान के स्वत्व और अधिकार (कम्पनिया के अंश (Shares), ऋण बन्ध (Debenture Bond), एन्वय अधिकार-पत्र (Patent Right), प्रतिलिप्यधिकार-पत्र (Copy-Right), विविध रचनाओं की मूना करने तथा रमणीय दृश्यों से आनन्द प्राप्त करने के अधिकार, की गणना भी भौतिक वस्तुओं की कोटि में सम्मिलित है। ये वस्तुएँ 'बाह्य' और परिवर्तनीय अथवा हस्तान्तरणीय होती हैं।

**भौतिक वस्तुओं की विशेषताएँ**—भौतिक वस्तुओं की दो मुख्य विशेषताएँ हैं जो निम्नलिखित हैं :—

(१) भौतिक वस्तुएँ बाह्य (External) होती हैं और उनका अस्तित्व व्यक्ति से पृथक् होता है जैसा कि ऊपर के उदाहरण से स्पष्ट है।

(२) वे हस्तान्तरणीय होती हैं अर्थात् उनका एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिये हस्तान्तरण सम्भव है।

**अमौलिक वस्तुएँ (Non-material Goods)**—वे वस्तुएँ, जिनका आकार, प्रकार या भार न हो और जिन्हें हम देख या छू भी न सकें, उन्हें 'अमौलिक वस्तुएँ' कहते हैं। इस प्रकार की वस्तुओं का प्रायः व्यक्तिगत रूप होने के कारण 'वैयक्तिक वस्तु (Personal Goods)' के नाम से भी पुकारा जाता है। किसी व्यक्ति की व्यापारिक योग्यता, कार्य-कुशलता, ज्ञान, मित्रता, सुजनता, सुप्रसिद्धि आदि इसके उपयुक्त उदाहरण हैं।

**अमौलिक वस्तुओं के विभाग**—अमौलिक वस्तुएँ दो प्रकार की होती हैं—  
(अ) आन्तरिक (Internal), (ब) बाह्य (External)।

(अ) आन्तरिक अमौलिक वस्तुओं (Internal Non-Material Goods) में ज्ञान, मन्त्र, वैयक्तिक गुण, और परिश्रम, का, श्रमोत्पन्न, श्रेष्ठ, है, जो, अत्युच्च के अंतर, प्राप्त, जाती है, और वे कुछ या शक्तिपूर्ण जन्मे पृथक् नहीं की जा सकती, जैसे-किसी व्यापारी की कार्य-कुशलता तथा किसी डाक्टर की योग्यता तथा चतुरता आदि इस श्रेणी की वस्तुएँ हैं।

**विशेषता**—इस प्रकार की वस्तुएँ अहस्तान्तरणीय हैं, अर्थात् एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिये, किसी डाक्टर की योग्यता तथा पाठ्युप का व्रथ विक्रय कदापि नहीं हो सकता। उनकी सेवाओं का लाभ रचाया जा सकता है।

(ब) बाह्य अभौतिक वस्तुएँ—(External Non-material Goods)  
—बाह्य अभौतिक वस्तुओं के अन्तर्गत व्यापार की रूपाति (Good will) व्यापारिक सम्बन्ध आदि इस प्रकार की वस्तुएँ सम्मिलित की जाती हैं।

**विशेषता**—इस प्रकार की वस्तुएँ हस्तान्तरणीय होती हैं क्योंकि वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हस्तान्तरित की जा सकती हैं। उदाहरण के लिये, व्यापार की रूपाति का क्रय-विक्रय होना देखा जाता है।

( २ ) हस्तान्तरणीय और अहस्तान्तरणीय वस्तुएँ

(अ) हस्तान्तरणीय वस्तुएँ (Transferable Goods)—वे वस्तुएँ जिनका हस्तान्तरण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को किया जा सके अर्थात् क्रय विक्रय हो सके, हस्तान्तरणीय वस्तुएँ कहलाती हैं। जैसे भूधन, वस्त्र, भोज, कुर्मी, पुस्तक, कम्पनी के भूधन, व्यापार की रूपाति आदि। भूमि-भवनादि अचल सम्पत्ति भी विनिमय साध्य होने के कारण इस श्रेणी में सम्मिलित है, यद्यपि उनका हस्तान्तरण चल रूप में सम्भव नहीं है, फिर भी उनका स्वामित्व प्रचलित-विधान के अनुसार हस्तान्तरणीय है। विनिमय साध्यता के आवश्यक गुण


( १ ) वस्तु में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का गुण होना चाहिये।


( २ ) केवल अधिकार-परिवर्तन का गुण भी पर्याप्त हो सकता है।

(ब) अहस्तान्तरणीय वस्तुएँ (Non-transferable Goods)—जिन वस्तुओं या उनके स्वामित्व का हस्तान्तरण सम्भव नहीं, अर्थात् जिनका क्रय विक्रय नहीं हो सकता, उन्हें अहस्तान्तरणीय वस्तुएँ कहते हैं। जैसे, डाक्टर की योग्यता, वकील की कुशलता, गायक के सुरीले स्वर, अध्यापक का ज्ञान आदि। केवल इनकी सेवाओं का उपयोग दूसरों द्वारा हो सकता है।

प्रोफेसर मार्शल का 'वस्तुओं का वर्गीकरण'—प्रो० मार्शल का 'वस्तु-वर्गीकरण' निम्नलिखित रेखाचित्र द्वारा बनी भाँति समझाया गया है—

वस्तुएँ एवं उनका वर्गीकरण  
वस्तुएँ (Goods)





(३) प्राकृतिक या स्वत्वहीन और आर्थिक या स्वत्वपूर्ण वस्तुएँ

प्राकृतिक या स्वत्वहीन वस्तुएँ (Natural or Free Goods)—कुछ वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनको प्रकृति मनुष्य के उपयोग के लिये नि:शुल्क इतनी प्रचुर मात्रा में देती है कि मनुष्य को उनके लिये कोई धन नहीं करना पड़ता इसलिए इनको 'नि:शुल्क वस्तुएँ' कहते हैं। इन वस्तुओं के प्रकृति-दत्त होने से इन पर किसी का स्वत्व नहीं होता है। अतः इन्हें स्वत्व-हीन वस्तुएँ (Unappropriate Goods) भी कहते हैं। उदाहरण के लिये, जलवायु, मटो, गर्मो, प्रारम्भिक स्थिति में प्राप्त मृत्ति आदि ।

आर्थिक या स्वत्वपूर्ण वस्तुएँ (Economic Goods)—जो वस्तुएँ सीमित मात्रा में विद्यमान हैं, जो मनुष्य के प्रयत्न से उत्पन्न होती हैं, जिस पर किसी का स्वत्व स्थापित हो गया है और जिनके विनिमय में अन्य वस्तुएँ या सेवाएँ अथवा मुद्रा (Money) देना पड़ता हो, उन्हें 'आर्थिक या स्वत्वपूर्ण वस्तुएँ' कहते हैं। जैसे, अन्न, वस्त्र, भवन, मोटर, पुस्तकें, उपस्तर (पेज-मुर्तो, आदि) ।

(४) उपयोग और उत्पात्ति की वस्तुएँ

उपयोग की वस्तुएँ (Consumption Goods)—जो वस्तुएँ मनुष्य के काम आती हैं अर्थात् जिनमें प्रत्यक्ष और तात्कालिक रूप में भागवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, उन्हें उपयोग की वस्तुएँ कहते हैं। जैसे, खाद्य सामग्री, वस्त्र, निवास-स्थान, आनन्द-जाने के साधन (साइकिल, मोटर, ताँगा आदि) और पढ़ने की पुस्तकें आदि ।

उत्पात्ति वस्तुएँ (Production Goods)—उपभोग-वस्तु के उत्पादन करने में सहायता देने वाली वस्तुएँ 'उत्पात्ति वस्तुएँ' कहलाती हैं। जैसे—मशीनरी, कच्चा माल, ईंधनी-भवन, औजार व योज आदि ।

(५) चिरस्थायी व आचरस्थायी वस्तुएँ

चिरस्थायी वस्तुएँ (Durable Goods)—वे वस्तुएँ जो दीर्घकाल-पर्यन्त या अधिक समय तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ हैं, वे 'चिरस्थायी वस्तुएँ' कहलाती हैं। जैसे—भवन, मशीनरी, पुस्तकें तथा उपस्तर आदि ।



**अचिरस्थायी वस्तुएँ ( Perishable Goods )**—वे वस्तुएँ जो एक ही या अल्पकाल के लिये उत्पत्ति या उपभोग के काम आती हैं वे 'अचिरस्थायी-वस्तुएँ' कहलाती हैं। जैसे—फल, मांस, अण्डे, कोयले आदि।

( ६ ) **व्यक्तिगत और सार्वजनिक वस्तुएँ**

**व्यक्तिगत वस्तुएँ ( Personal Goods )**—वे वस्तुएँ जिन पर व्यक्तिगत स्वामित्व हो 'व्यक्तिगत वस्तुएँ' कहलाती हैं। जैसे, भू-भवन आदि, अघ्यापक का ज्ञान, डाक्टर की चिकित्सा-ज्ञान आदि, जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का स्वत्व हो।

**सार्वजनिक वस्तुएँ ( Public Goods )**—वे वस्तुएँ जिन पर समाज का सामूहिक रूप से स्वत्व हो 'सार्वजनिक वस्तुएँ' कहलाती हैं। जैसे टाउनहाल, स्कूल, चिकित्सालय व उपवन आदि।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

**इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ**

१—कम-कमि ( Value ), उपयोगिता ( Utility ) और मूल्य ( Price ) में भेद दर्शाइए। इनका पारस्परिक सम्बन्ध स्थापित कीजिए। ( रा० बो० १९५६ )

२—उपयोगार्ह ( Value in Use ) और विनिमय अर्ह ( Value in Exchange ) में भेद बताइए। यह क्या कारण है कि बहुत ही उपयोगी वस्तु जैसे रोटी, एक कम उपयोगी वस्तु जैसे हीरा, से कम मूल्यवान होती है और बहुत ही अधिक उपयोगी वस्तु जैसे हवा, का कुछ भी मूल्य नहीं होता है। ( रा० बो० १९५५ )

३—निम्नलिखित को उचित उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। (अ) उपयोगिता (आ) अर्ह। ( अ० बो० १९५४ )

४—निम्नलिखित शब्दों की व्याख्या कीजिए :—(अ) उपयोगार्ह, (आ) विनिमय अर्ह, (इ) मूल्य, (ई) क्या किसी वस्तु में ऐसा होता है कि इसमें (i) उपयोगार्ह हो और विनिमय अर्ह नहीं हो। (ii) विनिमय अर्ह हो और उपयोगार्ह नहीं हो। (iii) क्या मूल्य में सामान्य वृद्धि हो सकती है ? (देहली हायर सेकेन्डरी १९५५)

५—आर्थिक वस्तुओं को क्या मुख्य विशेषताएँ हैं ? क्या वे वस्तुओं के अन्तर्गत हैं—(अ) पुस्तकें, (आ) वायु, (इ) पेड़, (ई) कपड़े, (उ) भूमि। (पंजाब १९५४)

६—टिप्पणी लिखिए :—

आर्थिक वस्तुएँ तथा निर्मूल्य वस्तुएँ।

( उ० प्र० १९६० )

### धन या सम्पत्ति का साधारण अर्थ

धन शब्द के अनेक अर्थ हैं, अतः अर्थशास्त्र के प्रारम्भ कर्ता जो इस शब्द के प्रयोग में सशय होकर लगता है कि इसका वास्तविक प्रतिपाद्य अर्थ क्या है। साधारण वातावरण में 'धन' शब्द से 'प्रचुरता' का आशय लेते हैं जिसके द्वारा द्रव्य (Riches) और सम्पत्ति (Property) आदि अर्थों का बोध होता है। तदनुसार 'धन-सम्पत्ति' मनुष्य का हात्पर्य उस पलाय्य व्यक्ति में होता है जो समृद्धिवाली हो।

अर्थशास्त्रीय अर्थ--अर्थशास्त्र में धन का अर्थ बहुत व्यापक है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह अल्पविक्रय में भी क्यों न हो वह 'निर्धन' या 'धनी' कहा जाता है। अर्थशास्त्र की दृष्टि से धनी मनुष्य के पास अधिक धन या सम्पत्ति होती है और निर्धन मनुष्य के पास कम। इन दोनों के मध्य धन की प्रचुरता तथा न्यूनता ही इस अन्तर का प्रमुख कारण है।

धन और आर्थिक वस्तुएँ (Wealth & Economic Goods)--अर्थशास्त्र में 'धन' और 'आर्थिक वस्तु' समानार्थक शब्द समझे जाते हैं। आर्थिक वस्तुएँ परिमित होती हैं तथा उनका क्रय विक्रय भी हो सकता है। परन्तु किसी वस्तु को केवल परिमितता (Scarcity) ही उसको 'धन' या 'अर्थ' की कोटि में सम्मिलित नहीं कर सकती। यदि वस्तु अनुपयोगी है तो कोई मूल्य देकर उसको नहीं खरीदेगा। यदि उस वस्तु को मनुष्य चाहता है और उसका उपयोग करता है तभी वह उसका 'धन' होगी। यहाँ तक कि विष, मयादि हानिकारक वस्तुओं को अर्थशास्त्र में 'धन' की श्रेणी में गणना की जाती है, क्योंकि वे भी किसी न किसी के लिये उपयोगिता रखती हैं। इसके अतिरिक्त 'धन' या 'अर्थ' बहुरूपी वस्तुओं का 'स्वत्व पूर्ण' होना चाहिये। इसके लिये उनका हस्तान्तरणीय होना अनिवार्य है। अतः समस्त वस्तुएँ 'धन' नहीं हैं। परन्तु समस्त 'धन' वस्तुएँ अवश्य हैं।

सम्पत्ति का विचार करते समय आवश्यकताओं का ध्यान रखना परम आवश्यक है। एक जगली घण्टा मनुष्य के हाथ में पड़कर एक बटिया से बटिया पुस्तक सम्पत्ति नहीं माननी जायगी, क्योंकि उस पुस्तक का उस व्यक्ति को कुछ भी उपयोग न जान पड़ेगा। किन्तु यदि वह उसे बदल कर उसके स्थान में कुछ धाने के पदार्थों या चिकार के सामान प्राप्त कर सके तो वह पुस्तक निःसन्देह उसके लिये सम्पत्ति ठहरेगी।

धन के गुण (Attributes of Wealth)—ऊपर बतलाया जा चुका है कि मूल्य रखने वाली वस्तुओं को धन कहते हैं। किसी वस्तु में मूल्य होने के लिये निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है :—



(१) उपयोगिता (Utility)—वस्तु में विद्यमान मानवीय आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने की शक्ति का नाम 'उपयोगिता' है। अर्थशास्त्र में प्रत्येक वस्तु कुछ न कुछ उपयोगिता रखने वाली कही जा सकती है, यदि वह मानवीय आवश्यकताओं को पूर्ति करने में समर्थ है। इसमें किसी वस्तु के लाभदायक या हानिकारक होने का विचार नहीं किया जाता, बल्कि उनको इन दृष्टि से देखा जाता है कि वह वस्तु किमी मनुष्य की आवश्यकता को पूर्ण करती है या नहीं? यदि इसका उत्तर 'हाँ' में मिलता है तो तुरन्त उसको 'धन' घोषित किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, शराब, अफीम तथा अन्य हानिकारक वस्तुएँ हानिकारक होते हुए भी 'धन' की श्रेणी में आती हैं, क्योंकि वे शराबियों और अफीमियों की आवश्यकताओं को सन्तुष्ट करने के कारण उपयोगिता रखती हैं।

(२) परिमितता (Scarcity)—धन कहलाने के लिये किसी वस्तु में उपयोगिता के साथ साथ 'परिमितता' या 'म्यूकता' का भी गुण होना आवश्यक है। यदि कोई वस्तु परिमाण में परिमित न होगी तो कोई भी व्यक्ति उसके बदले में कोई भी दूसरी वस्तु देने के लिए उद्यत न होगा। वे वस्तुएँ जो इतनी प्रचुर मात्रा में निःशुल्क प्राप्त की जा सकती हैं, 'धन' नहीं कही जा सकती; क्योंकि उनका अपरिमित भाग में उपलब्ध होने के कारण अर्थ-विषय होना संभव नहीं। जैसे जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, जलवायु आदि। 'धन' शब्द से सापेक्ष (Relative) धारणा का बोध होता है, जो स्थान की दृष्टि से पर्याप्त मिश्रता रखता है। जैसे बर्फ दिल्ली प्रान्त वासियों का धन है परन्तु हिमालय पर्वत पर रहने वालों के लिये नहीं। बाघ सुवे स्थान में रहने वालों के लिये धन नहीं परन्तु मनुष्यों से भरे हुए एक हॉल में जहाँ बिजली के बल्ब लगे हों, निर्विवाद धन होगा।


(३) हस्तान्तरणीयता या स्वत्वपूर्णाता (Transferability or Appropriability)—वे वस्तुएँ धन की श्रेणी में तभी गिनी जाती हैं जब उनमें हस्तान्तरणीयता या स्वत्वपूर्णाता भी हो। यह एक साधारण समझ की बात है कि जिन वस्तुओं में एक व्यक्ति का स्वत्व नहीं है वह उसको अर्थ के लिये न तो एक व्यक्ति को दे सकता है न कुछ स्वाम करेगा। दूसरे शब्दों में हस्तान्तरणीय वस्तु मूल्य वाली होने के कारण 'धन' कही जा सकती है। चन्द्रमा या सूर्य के लिये, यद्यपि उनमें उपयोगिता है, कोई व्यक्ति कुछ स्वाम नहीं करता, क्योंकि वह हस्तान्तरणीय नहीं है। मनुष्य के आन्तरिक गुणों का हस्तान्तरणीय न होने के कारण 'धन' की श्रेणी में नहीं आते। किसी विनिष्कृत की दशात, गायक वा सुरीला स्वर, गल्ला (Wrestler) का सुन्दर स्वाम्भ्य आदि आध्यात्मिक गुणों का हस्तान्तरणीय न होने के कारण अर्थ-विषय नहीं होता,

अतः वे 'धन' क्षेत्र से बाहर की वस्तुएँ हैं। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि केवल भौतिक वस्तुएँ ही धन में सम्मिलित की जाती हैं। यदि कोई अमौलिक वस्तु, इन तीन गुणों से सम्पन्न है तो वह भी अवश्य 'धन' की दृष्टि में अपना स्थान पा सकता है। उदाहरणार्थ 'व्यापार की ख्याति' (Goodwill) अमौलिक वस्तु होते हुए भी धन है, क्योंकि इसमें उपयोगिता, परिमितता और हस्तान्तरणीयता तीनों गुण सम्मिलित हैं।

मनुष्य स्वयं धन नहीं है, क्योंकि वह किसी का दास (Slave) नहीं है। प्राचीन समय में दासों का क्रय-विक्रय होता था तब उसका गणना धन में होती थी।

निष्कर्ष—संक्षेप में, हम यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में धन से तात्पर्य उन समस्त भौतिक और अमौलिक वस्तुओं से है जिनमें उपयोगिता, परिमितता और हस्तान्तरणीयता के गुण विद्यमान हैं।

निम्नांकित रेखा-चित्र द्वारा यह स्पष्ट हो जायगा कि कौन कौन सी वस्तुएँ धन में सम्मिलित हैं। जिन वस्तुओं की गणना धन में की जा सकती है वे ( धन ) शब्द से अभिहित हैं :—



**धन के विषय में रस्किन ( Ruskin ) का दृष्टिकोण**

प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने धन को अनुचित प्रधानता दी है जिसका फल यह हुआ कि रस्किन, वालाइन आदि विद्वानों ने इसकी बड़ी आलोचना की। रस्किन ने अर्थशास्त्र के धन प्रधान स्वभाव की बड़ी आलोचना की। "अर्थशास्त्र में वे सब वांछनीय वस्तुएँ समाविष्ट हैं जिनमें अर्थात् विद्यमान है।" रस्किन अर्थशास्त्र की इस दृष्टिकोण पर आलोचना के पूर्ण विरोधी थे। उनके अनुसार "अर्थशास्त्र के विषय में धन का कोई अस्तित्व ही नहीं है; वह जीवन जिसमें प्रेम प्रसन्नता और गुणग्राहकता विद्यमान हो।" इसको अधिक स्पष्ट करने हुए या कहा जा सकता है कि प्रसन्नता, प्रेम करने की शक्ति और कलात्मक वस्तुओं की प्रशंसा करने की सामर्थ्य, ये ही वास्तविक धन हैं।

रस्किन की इस धारणा पर विचार करते हुए यह कहा जा सकता है कि जिन वस्तुओं का उन्होंने उल्लेख किया है, वे निश्चय ही वांछनीय हैं, अस्तु वे वस्तुओं की कोटि में सम्मिलित हैं। यद्यपि उनमें उपयोगिता है, परन्तु उनका क्रय-विक्रय न होने के कारण 'धन' या 'आर्थिक वस्तुएँ' नहीं बनीं जा सकती। रस्किन का यह मत आज वृत्तिपूर्ण सिद्ध होता है।

इन सब में ऐसा अनुमान होता है कि रस्किन अर्थशास्त्र की परिभाषा में कुछ परिवर्तन करना चाहता था जिसमें उक्त वस्तुओं का समावेश उसमें हो सके। पर ऐसा होना उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि उनके विशिष्ट गुण 'मुद्रा' नामक अर्थशास्त्र के सुविख्यात मापदण्ड में मापे नहीं जा सके, और जो वस्तु मुद्रा (Money) में प्रकट नहीं की जा सकती, वह अर्थशास्त्र के क्षेत्र में प्रविष्ट होने का अधिकार नहीं रखती।

अर्थशास्त्र एक विश्वव्यापी विज्ञान है अतः इसकी परिभाषा में देश-कालानुसार पर्याप्त परिवर्तन हो चुका है। यदि रस्किन इस बात में जीवित होने से सम्भवतः इस विज्ञान की इतनी कड़ी आलोचना कदापि नहीं करते।

### धन के सम्बन्ध में विविध अर्थशास्त्र के विद्वानों की धारणाएँ

#### प्रो० मार्शल (Marshall)

प्रो० मार्शल के अनुसार व्यक्तिगत संपत्ति में निम्नलिखित दो प्रकार की वस्तुएँ सम्मिलित हैं :—

(१) भौतिक वस्तुएँ—वे भौतिक वस्तुएँ जो सीमित, हस्तान्तरणीय तथा स्वतन्त्रपूर्ण हों। अन्य शब्दों में यों कहा जा सकता है कि वस्तुएँ जिन पर किसी व्यक्ति का अधिकार—वैधानिक या परम्परागत हो। जैसे भूमि, भवन, मद्र, वस्त्र, उपस्कर (फर्नीचर), कम्पनियों के अंश, अधिकार-पत्रादि आदि।

(२) अभौतिक वस्तुएँ—अभौतिक वस्तुओं को दो विभागों में विभक्त किया है :—

[अ] बाह्य अभौतिक वस्तुएँ—वे भौतिक वस्तुएँ जो बाह्य हा जैसे व्यापार की रूपाति (Goodwill), कवि की प्रतिभा द्वारा संप्रदत्त रचनाएँ आदि।

[ब] आन्तरिक अभौतिक वस्तुएँ—वे भौतिक वस्तुएँ जो आन्तरिक हों। जैसे डाक्टर की दक्षता, कवि की प्राकृतिक प्रतिभा आदि व्यक्तित्व गुण और योग्यताएँ।

प्रो० मार्शल ने अनुसार सम्पत्ति या धन में सम्मिलित होने वाली वस्तुएँ भौतिक और बाह्य अभौतिक वस्तुएँ हैं। आन्तरिक अभौतिक वस्तुएँ धनोपार्जन में सहायक होती हैं, परन्तु यह गुण स्वतः सम्पत्ति में नहीं है। जो वस्तुएँ सम्पत्ति या धन में समाविष्ट हो सकती हैं वे सदैव बाह्य होती हैं, मनुष्य के भीतर नहीं।

#### प्रो० टॉसिग (Tausig)

प्रो० टॉसिग 'धन' या धर्म केवल आर्थिक वस्तुओं (Economic Goods) में करते हैं। उनमें अनुसार निम्नलिखित प्राकृतिक वस्तुएँ 'धन' की कोटि में नहीं

घाती । व कहते हैं कि निगुल्क प्राकृतिक वस्तुओं इनको प्रचुरता में प्राप्त होनी है कि मनुष्य का उनके लिये तनिक भी परिम बरने की आवश्यकता नहीं होती । इनके यथेष्ट मात्रा में उपलब्ध होने के कारण इनके सम्बन्ध में कोई आर्थिक समस्या उत्पन्न नहीं होती । उदाहरण के लिये वायु, मृत्त का प्रकाश, जलवायु आदि । जब तक जल असीमित मात्रा में उपलब्ध होता है तब तक तो यह प्राकृतिक प्रसाद है । जल जल आवश्यकता की अपेक्षा सीमित मात्रा में उपलब्ध हो और उसके उपभोग के लिये कुछ गुल्क देना पड़ता है (बन नगरों में पानी मूल्य में उपलब्ध होता है) तो जल आर्थिक वस्तु कहलायगी ।

(घ) मनुष्य में प्रो० टास्मिन् के अनुसार व मनुष्य धन है आ मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने में मध्य है जो परिमित मात्रा में उपलब्ध है तथा जिनके लिये मनुष्य को प्रयत्न करने की आवश्यकता है ।

(ङ) व मनुष्य निगुल्क प्राकृतिक वस्तु भी धन में मन्निवित है जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है जो परिमित मात्रा में उपलब्ध है तथा जिनके लिये मनुष्य को परिश्रम करने की आवश्यकता है ।

### प्रो० सेलिगमैन<sup>1</sup> (Seligman)

प्रो० सेलिगमैन के अनुसार रिची वस्तु व धन की शक्ति में धन व लिये निम्नलिखित गुणों की आवश्यकता है —

(१) उपयोगिता—प्रत्येक वस्तु का धन बनने के लिये उपयोगिता रखनी चाहिये । अनुपयोगी वस्तु धन नहीं बना जा सकती । उसे कोई व्यक्ति प्राप्त नहीं करना चाहता ।

(२) स्वरूपपूर्वता—उसका स्वरूपपूर्ण होना आवश्यक है । यदि वह स्वरूप साध्य न होगी तो उसे कोई न प्राप्त कर सकेगा ।

(३) वाह्यता—वह वस्तु मनुष्य में वाटर होना चाहिये । यदि वह वाह्य न होगी तो कोई भी व्यक्ति उस अपन में प्रवेश करके हस्तान्तरित न कर सकेगा । कोई धन है परन्तु वह धन नहीं कहा जा सकता जब तक कि वह वास्तविक परिमाण में परिवर्तित न हो जाय ।

(४) परिमितता—वस्तु का परिमाण में सीमित होना भी आवश्यक है । यदि वह समस्त लिये निगुल्क है तो वह उसमें प्रवेश अवश्य हो जायेगा परन्तु जहाँ तक मनुष्य का उस वस्तु में सम्बन्ध है उसमें मर्यादा होना व कारण उसमें और अधिक पैदा किया न जाय या अक्षय न होना ।

(५) विनिमय साध्यता—आर्थिक मयात्र वस्तुओं और अर्थिक व पारस्परिक विनिमय (Interchange) पर आश्रित है । वनमाल समय में वह प्रत्येक वस्तु जो हस्तान्तरित की जा सके धन है ।

स ३ व में यदि कोई वस्तु उपयोगिता नहीं रखती तो उसका कोई मूल्य नहीं होगा यदि वह स्वरूपपूर्ण है तो उसका कोई मूल्य नहीं कर सकेगा यदि वह वाह्य नहीं है तो वह जिसे न प्रवेश नहीं करे या मकनी यदि वह मात्रा में परिमित भी नहीं है, तो उसका धन में कोई मूल्य भी नहीं होगा ।

### प्रो० महता (Mehta)

घानके मतानुसार 'वेवल वे ही भौतिक वस्तुएँ, जो उपयोगी तथा सीमित हों, धन या सम्पत्ति में सम्मिलित की जा सकती हैं। वे विशेषतया इस बात पर बल देते हैं कि अभौतिक वस्तुओं का अस्तित्व भौतिक वस्तुओं से पृथक नहीं होता। प्रत्येक अभौतिक वस्तु किसी न किसी भौतिक वस्तु के गुण या विशेषता में सम्मिलित होती है। भौतिक वस्तुओं की 'धन' या 'सम्पत्ति' में गणना करने के पश्चात् उनके विशिष्ट गुणों को भी इस कोटि में सम्मिलित करना एक प्रकार से पुनरावृत्ति (उसी वस्तु का दुबारा गिनना) बही जा सकता है। इस तथ्य की पुष्टि में उन्होंने प्रो० फिटर के कथन को उद्धृत करते हुए बतनाया है कि एक रेल की कम्पनी का अंश (Share) और रेल की यात्रा पृथक-पृथक सम्पत्ति को मर्द नहीं है। वे क्रमशः सम्पत्ति, उस सम्पत्ति का मूल्य और उस सम्पत्ति की मेवा है। साधारणतया मनुष्य स्वयं सम्पत्ति या धन में सम्मिलित नहीं किया जाता है। अतः उसकी सेवाओं को सम्पत्ति में गिना जाना चाहिये, यदि वे उपयोगी एवं परिमित हों। परन्तु जहाँ तक निर्जीव पदार्थों अथवा पशुओं का प्रश्न है, वे सम्पत्ति में सम्मिलित कर लिये जाते हैं अस्तु उनकी मेवाओं को पृथक सम्पत्ति में गिनना भ्रम मान है, क्योंकि उनकी सराना 'द्विगुणा' दोष उत्पन्न कर देती है।

### धन (Wealth) और मुद्रा (Money) में अन्तर

उपयोगिता, परिमितता और हस्तान्तरणीयता आदि गुणों के कारण 'मुद्रा' धन को श्रेणी में आ जाती है। अस्तु समस्त मुद्रा के स्वरूप धन है, पर समस्त धन मुद्रा नहीं है। धन या सम्पत्ति के कई रूप होते हैं, उसमें मुद्रा एक रूप है।

### धन (Wealth) और आय (Income) में भेद

धन से मनुष्य को सामयिक प्राप्ति होती है वह 'आय' कहलाती है। आय धन का एक प्रकार से प्रवाह (Flow) है, न कि कोप। आय के माय समय का सम्बन्ध होता है, जैसे मासिक या वार्षिक आय। आज कल हमारा समस्त आर्थिक जीवन प्रचलित मुद्रा के आधार पर ही चलता है। इसलिये साधारणतया आय रुपये पैमे में ही प्रकट की जाती है। फिर भी यदि हमारी आय अन्य किसी रूप में प्राप्त होती है, तो उसका भी अनुमान लगाया होगा, क्योंकि आय का वास्तविक अर्थ लाभ से है। उदाहरण के रूप में, यदि किसी व्यक्ति के पास एक लाख रुपये के मूल्य की अचल सम्पत्ति है, तो यह सम्पत्ति 'धन' हुआ और यदि उसे इस सम्पत्ति में पाँच हजार रुपये की प्राप्ति है, तो यह उसकी 'आय' हुई। इसी प्रकार धर्मिक की दैनिक या साप्ताहिक भृति भी 'आय' है न कि धन।

### आय (Income) और पूँजी (Capital) में भेद

एक प्रकार से स्थिर बस्तु है जिसका समय में कोई सम्बन्ध नहीं है, परन्तु प्रायः गतिशील है और उसका समय से बड़ा सम्बन्ध है।

### धन और सामाजिक कल्याण (Wealth & Welfare)

धन साधारणतया व्यक्ति और समाज का समृद्धि तथा कल्याण की वृद्धि करता है। यदि कोई व्यक्ति धनी है तो इसका अर्थ यह है कि वह अपनी जीवन भली प्रकार विताता है और दूसरों को भी सहायता पहुँचाता है। धन की न्यूनताधिक मात्रा में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में बड़ा प्रभेद पड़ता है। यदि कोई व्यक्ति धनाढ्य है तो वह भली प्रकार आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है जिसमें वह अपने जीवन स्तर का ऊँचा रख सकता है। मनुष्य समाज का मूल है अतः समाज का प्रभाव व्यक्ति पर और व्यक्ति का प्रभाव समाज पर पड़ता है। किसी व्यक्ति के जीवन का सुखी बनाना के लिए समाज को सुखी बनाना आवश्यक है। परन्तु प्रत्येक समाज में अज्ञानता के कारण जो दूसरों का शोषण कर निजी कल्याण चाहते हैं। यही कारण है कि आज समाज के चारों ओर असन्तोष और अस्थिर इच्छाचक्र होता है।

भौतिक सम्पत्ता पर स्थिर समाज में जितना धन अधिक उत्पन्न होगा उतना ही अधिक वह सुखी होगा। परन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि धन का वितरण इस प्रकार किया जाय कि समाज के प्रत्येक प्राणी को समान धन प्राप्त हो जिससे समाज को अधिकतम लाभ हो सके। प्राथमिक धन वितरण व्यवस्था दुर्लभ ज्ञान के कारण अनेक व्यक्ति निधन है और देश का अर्थशास्त्र धन कुछ ही व्यक्ति के हाथ में है जो पनी कहलाते हैं। इस भाँड़े विषयों को दूर करने में ही समाज का कल्याण हो सकता है।

सामाजिक कल्याण की वृद्धि के लिए जनसंख्या द्वारा उपनिष्ठा समस्याओं पर विचार करना भी हितकर है। यदि समाज की आय जनसंख्या की वृद्धि के अनुपात में नहीं है तो समाज का दुखी रहना स्वाभाविक है। समाज की समृद्धि के लिए धन का जनसंख्या की अपेक्षा अधिक बढ़ना आवश्यक है।

समाज के कल्याण की वृद्धि में सहायक सिद्ध ज्ञान वस्तुओं का अर्थ वात भी है जैसे — धन की उत्पत्ति को प्रयोजित करने में श्रमिका के काम करने की अवधि उनकी भूमि तथा उनका स्वास्थ्य मर्यादा आदि बातों की भी पूरी-पूरी व्यवस्था जाननी चाहिए। यह भी देखना आवश्यक है कि श्रमिक श्रिया के बालक प्रतिवृत्त अवस्था में कार्य करना तो प्रारम्भ नहीं कर देते हैं। अतः जब कि कल्याण का अधिक महत्त्व है क्योंकि उन पर देश के उत्पादन का परिमाण स्थित है।

सदाय न धन कल्याण प्राप्ति का माध्यम मान है और स्वयं कल्याण प्राप्ति इसका लक्ष्य है।

### धन का वर्गीकरण (Classification of Wealth)

धन या सम्पत्ति निम्नलिखित भागों में विभक्त की जा सकता है —

- १ व्यक्तिगत या निजी धन (Individual or Private Wealth)
- २ वैयक्तिक धन (Personal Wealth)
- ३ सामाजिक या सामूहिक धन (Social or Collective Wealth)
- ४ राष्ट्रीय धन (National Wealth)
- ५ अन्तर्राष्ट्रीय या सावभूमिक धन (International or Cosmopolitan Wealth)



६. नास्ति धन (Negative Wealth)
७. प्रतिनिधि धन (Representative Wealth)

**प्रो० मार्शल कृत धन का वर्गीकरण**

प्रो० मार्शल न धन या सम्पत्ति को चार वर्गों में विभाजित किया है —

१. व्यक्तिगत या निजी धन,
२. सामाजिक, सामूहिक या सार्वजनिक धन
३. राष्ट्रीय धन,
४. अन्तर्राष्ट्रीय या सार्वभौम धन ।


**१. व्यक्तिगत या निजी धन (Individual or Private Wealth)**

व्यक्तिगत सम्पत्ति में निम्नलिखित सम्पत्ति की गणना की जाती है —

(१) वे सब भौतिक वस्तुएँ जिन पर किसी व्यक्ति विषय का स्वत्व और अधिकार हो, जैसे भूमि, भवन, यन्त्र, वस्त्र आश्चर्य उपकरण ( फर्नीचर ), मशीनरी आदि । यदि उन व्यक्ति ने कुछ नकल ले रखा है तो उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति में से उतना अंश घटा देना चाहिये । इन प्रकार उसकी सम्पत्ति का ठीक-ठीक अनुमान लग सकता है ।

(२) वे सब प्रभौतिक वस्तुएँ, जो बाह्य हों, जैसे व्यापार की रकबा आदि ।

(३) सबकी सामूहिक सम्पत्ति में किसी व्यक्ति विषय का भाग, जैसे सार्वजनिक सम्पत्ति तथा मर्यादा से लाभ उठाने का अधिकार, न्यायालय में न्यायाधीश द्वारा न्याय प्राप्ति, विधायक सभाया में किसी एक या अनेक शता की निष्ठा प्राप्ति करना आदि का अधिकार ।



व्यक्तिगत या निजी धन

**२. वैयक्तिक धन (Personal Wealth)**

इसमें किसी व्यक्ति विषय के आभ्यान्तरिक गुण सम्पत्तयें तथा बचत आदि बातें सम्मिलित होती हैं जो उनमें कर्म, पुस्तक नहा जा सकती । मनुष्य की प्रभौतिक आभ्यान्तरिक वस्तुएँ जिनका हस्तांतरण नहीं हो सकता अर्थात् अश्रवण-विषय

सम्भव नहीं। धन्यु ये वस्तुएँ वास्तविक अर्थ में धन कहलाने की अधिकारी नहीं हैं। यदि इसको सम्मानित पद (Honorary Title) दिया भी तो अधिक से अधिक 'व्यक्तिगत सम्पत्ति' कह सकते हैं। कनिष्य प्रबंधशास्त्री उक्त वस्तुओं तथा विशेषताओं को धन या सम्पत्ति कह कर सम्बोधित करते हैं। वास्तव में इन प्रकार का धन अर्थशास्त्र के 'धन' की कोटि में नहीं आ सकता।

### ३. सामाजिक या सामूहिक धन (Social or Collective Wealth)

इन सम्पत्ति में वे सब भौतिक और अर्भौतिक वस्तुएँ समाविष्ट हैं, जिन पर किसी व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत अर्थात् निजी अधिकार नहीं होता, परन्तु जिन पर प्रान्तीय, केन्द्रीय सरकारी और अर्द्ध सरकारी तथा मार्जनिजक संस्थाओं का अधिकार होता है। उदाहरणार्थ—सड़क, बाग, स्टेट रेलवे, मन्त्रिवालय, अजायब घर, टाउन हॉल, मार्जनिजक पुस्तकालय, राजकीय विश्वविद्यालय आदि।



सामाजिक या सामूहिक धन

### ४. राष्ट्रीय धन (National Wealth)

राष्ट्रीय सम्पत्ति वे सन्ततान्त निम्नलिखित वस्तुओं की गणना होती है :—

- (१) राष्ट्र के समस्त व्यक्तियों की व्यक्तिगत सम्पत्तियाँ।
- (२) राष्ट्र का सामूहिक धन, जैसे—रेल, उद्यान, पुस्तकालय, मन्दिर भवन, सरकारी तथा अर्द्ध-सरकारी भवन, हाबेर, डॉक आदि।
- (३) राष्ट्र का समस्त प्रकृतिक प्रसाद, जैसे—देश की स्थिति, नदी, पर्वत, जलवायु, वन, खनिज पदार्थ, प्राकृतिक सौन्दर्य।
- (४) राष्ट्र की अर्भौतिक वस्तुएँ, जैसे—राष्ट्र की सुख्याति, राज्य-श्रवण, शयवा सुख्यवस्था, मज्जन व्यक्तियों के उच्च आदर्श एवं आन्तरिक गुण, योग्यताएँ आदि।

सर्वशास्त्र के पाठक के मन में शक्य होना स्वाभाविक है कि प्राकृतिक पदार्थ ( देश की जलवायु तथा भौगोलिक परिस्थिति ) एवं अर्थोत्पत्तिक पदार्थ ( सखरियत, महान् धातु, सुगन्धद्रव्य आदि ) किन् प्रकार धन की कोटि में परिगणित हो सकते हैं। ठीक, उसकी शक्य उचित है। पर यहाँ 'सम्पत्ति' शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया गया है।

( १ ) यहाँ के विवादिता का सम्पूर्ण व्यक्तिगत धन भौतिक तथा अर्थोत्पत्तिक— यहाँ तक कि मनुष्य की जाति सम्बन्धी ( Racial Characteristics ) विशेषताएँ भी सम्मिलित हैं।


( २ ) सम्पूर्ण सामाजिक और सामूहिक सम्पत्ति जैसे—मूर्तिपूजा, भवन, सार्वजनिक भवन, बाग, सड़कें, पुस्तकालय आदि।

( ३ ) उपर्युक्त दोनों प्रकार की सम्पत्तियों के प्रतिरूप अन्य सब सम्पत्तियों जिन पर स्वामीय, प्रांतीय अथवा केन्द्रीय सरकारों का स्वत्व हो। जैसे, समुद्र भवन और सन्निवातय, बन्दरगाह आदि।

( ४ ) भारत के प्राकृतिक लाभ, इसकी भौगोलिक स्थिति, जलवायु पंदादार प्राकृतिक साधन, गंगा यमुना आदि नदियाँ, हिमालय, विन्ध्यखण्ड आदि पर्वत, इसकी नई शीलों, वन सम्पत्ति, स्वास्थ्य सम्पादन के स्थान ( Health Resorts ) रेल, मोटर, वायुयान, समुद्री जहाज, कारखाने, महान् शिक्षा संस्थाएँ, लोगों का नैतिक जीवन, सुखवर्धित जीवन तथा साम्य प्रणाली आदि। ताजमहल भी राष्ट्रीय सम्पत्ति है, क्योंकि प्रतिवर्ष अनेक विदेशी यात्री इसकी देखने के लिये आते रहते हैं। जो कुछ वे भारत में व्यय करते हैं, उससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है।

सम्पत्तियों की गणना करते समय इसका ध्यान रखना चाहिये कि हम देश को जितना श्रेष्ठ अर्थ देशों से लेना है उतनी उतनी सम्पत्ति में कोट देना चाहिये और जितना श्रेष्ठ दूसरे देश को देना है उसे उतनी सम्पत्ति में से निकाल देना चाहिये।

१. अन्तर्राष्ट्रीय या सार्वभौम धन ( International Cosmopolitan Wealth)



राष्ट्रीय सम्पत्ति

अन्तर्राष्ट्रीय अथवा सार्वभौम धन में निम्नलिखित चीजें सम्मिलित हैं :—


( १ ) भारत के समस्त राष्ट्रों की सम्पत्तियों का योग।

( २ ) वे मद्य वस्तुएँ, जिन पर किसी राज्य विशेष का अधिकार नहीं होता, उन पर ममस्त मालय ममाज का अधिकार होता है। जैसे—माद्य, महाभागर आदि।

( ३ ) वैज्ञानिक ज्ञान तथा अन्वेषण, आविष्कार आदि इसमें सम्मिलित हैं। वही भी किसी वस्तु का आविष्कार हो तो उसका सभी सम्पत्तियों का प्रचार हो जाता है और जो किसी एक देश की सम्पत्ति नहीं मानी जा सकती है।


६—नास्ति धन ( Negative Wealth)

इसमें किसी व्यक्ति अथवा राज्य व जगत् का घायप सम्भन्धा चाहिए। जैसे युद्ध बन्ध (War Bond) यह राज्य का नास्ति धन है। राज्य का हानि पहुँचाने वाली वस्तुएँ भी नास्ति धन कहलाती हैं। जैसे, फसला का नष्ट करने वाले जगली मृगधर आदि। कुछ समय पूर्व हमारी 'वाक्कर की मोती' का अपनी मोमा म में ( Mola-ses ) हटाने के लिए कुछ व्यय करना पड़ता था। उस परिस्थिति में ( Molasses ) नास्ति धन कहलाता था।



७—प्रतिनिधि धन ( Representational Wealth )

विविध प्रकार का धन



उपभोग को वस्तुएँ उत्पत्ति की वस्तुएँ व्यापार की रूपाति वक्षता, स्वास्थ्य धन, वस्त्र, फर्नीचर मजदूरी, भोजन (Goodwill) (Personal wealth) आदि । आदि ।

क्या व्यक्ति के आन्तरिक गुण धन की कोटि में आते हैं ?

नन्ना, किमी डाक्टर की चीरा फाड़ी करने की चतुराई, प्रोफेसर का पाठित्य, बैरिस्टर की तर्क कुशलता, महान्वि की दूरदर्शनी प्रतिभा, शासन व्यवस्था की योग्यता, गायक का मधुर स्वर, पहलवान की शक्ति, किसी का सुन्दर स्वास्थ्य आदि इस प्रकार के गुण व्यक्ति में सदा अविच्छिन्न रहने के कारण धन की कोटि के अन्तर्गत नहीं आते । इनमें यद्यपि उपयोगिता है, परन्तु इन अविच्छिन्न, साम्यान्तरिक वस्तुधा के अहस्तांतरणीय होने के कारण इनका ग्रहण विषय सम्भव नहीं । अतः ये धन की परिभाषा के अन्तर्गत नहीं आती । यद्यपि एक चिकित्सक अपने हस्तलापक को महत्वपूर्ण वस्तु समझ कर उम पर अभिमान करना है और इसलिये उसकी रक्षा के निमित्त वह अपनी कुशल आँखों और कोमल हाथों का धोखा कराता है । ऐसी वस्तुएँ व्यक्तिप ग्रहणस्थितियों की दृष्टि में वैयक्तिक सम्पत्ति कहाती है । पर गम्भीरता से परीक्षा की जाय तो ये दूषित हैं ।

प्रो० मार्शल इन साम्यान्तरिक वस्तुधा को 'वैयक्तिक धन' (Personal wealth) के नाम से पुकारते हैं । प्रो० मैलिंगमैन कहते हैं कि मनुष्य के भौतिक गुण उनके धनापार्जन में अन्त ही महायक निद्र होमे हो, परन्तु वे कुछ वयार्थ में 'धन' नहीं है । एडनापूर्वक कहन है कि 'धन में केवल मनुष्य को बाध वस्तुएँ ही सम्मिलित हो सकती हैं न कि आन्तरिक' ।

व्यक्तिगत सेवाएँ (Personal Services)

क्या डाक्टर, वकील, अध्यापक, घरेलू नोकर आदि की सेवाएँ 'धन' की कोटि में आती हैं ? हा, इनको भाषणता धन की कोटि में आती हैं । कारण स्पष्ट है । इनमें धन के मन्ना आवश्यक गुण समाविष्ट है, अर्थात् इनमें उपयोगिता, परिमितता और अहस्तांतरणीयता पाई जाती है । इनका विनिमय मुद्रा में हो सकता है ।

देश के प्राकृतिक साधन (Natural resources of a country)

वे किसी व्यक्ति विशेष के अधिकार की वस्तु नहीं हैं तथा उनका कोई अनिमय-मूल्य भी नहीं होना, अतः व्यक्तिगत धन के अन्तर्गत नहीं आते । परन्तु वे

निविदाव रूप से राष्ट्र की सम्पत्ति में गिन जाते हैं, यद्यपि उनमें धन की विशेषताओं का प्रत्यक्ष प्रभाव ही क्या न हो।

### सूर्य का प्रकाश (Sun Shine)

यह प्राकृतिक प्रसाद (Free Gift of Nature) है जो निःशुल्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। इसका कोई विनिमय मूल्य नहीं होता है। अतः साधारणतया इसे अर्थशास्त्र की धन' का परिभाषा के अन्तर्गत नहीं गणना किया जा सकता।

### प्रतिलिप्यधिकार (Copy Right)

यह निश्चित रूप में धन है। यह धनोपाजन के साधन के अतिरिक्त हस्तान्तरणीय होने के कारण बेचा और खरीदा जा सकता है। जो व्यक्ति यह अधिकार रखता है, वही अधिकृत वस्तु का मुद्रण और प्रकाशन कर सकता है।

### बी० ए० डिग्री और एम० कॉम० डिप्लोमा (B. A. Degree & M. Com. Diploma)

कतिपय अर्थशास्त्रियों के मतानुसार ये वस्तुएँ 'व्यक्तिगत धन (Personal Wealth)' कहता सकते हैं क्योंकि ये जीवन निवाह में सहायक सिद्ध होती हैं। वास्तव में देखा जाय तो इनका कोई विनिमय मूल्य नहीं होता, अर्थात् य एक दूसरे को हस्तान्तरित नहीं की जा सकती। अतः ये 'धन' के अन्तर्गत नहीं आती।

वह वस्तु जिसे कोई पसन्द न करे (An object which nobody likes)

सब मनुष्यों की दृष्टि में अस्वीकार्य वस्तु धन नहीं मानी जा सकती क्योंकि उनमें 'उपयोगिता का अभाव है। इसी प्रकार 'वह चित्र जिसका कोई नहीं सराहता (A picture which nobody appreciates) भी इसी आधार पर धन नहीं है।

डॉक्टर की सेवाएँ जो रोगी को रोग से मुक्त करने में असमर्थ हो

(The services of a doctor who fails to cure the patient)

इस प्रकार की सेवाएँ कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं करती। धन की प्राप्ति के स्थान पर अपवश पैदा करती हैं। उपयोगिता-रहित होने के कारण ये धन नहीं कहलाती।

### व्यापार की संपत्ति (Goodwill)

बाह्य अन्तरित वस्तु है अर्थात् इसमें उपयोगिता, हस्तान्तरणीयता और विनिमय मूल्य यदि कुछ विद्यमान होने के कारण धन कहलाती है। जिन व्यापारियों ने इसे बड़े परिमाण में संचाई और गद्ब्यवहार में संचाई है वह व्यापार का विज्ञापन के साथ इसको भी बेचता है और धन प्राप्त करता है अतः इसको 'धन' भी कौटिलि के रहने में कोई आपत्ति नहीं है।

### गंगा नदी (The River Ganges)

यह किसी व्यक्ति विशेष को सम्पत्ति न होने के कारण 'व्यक्तिगत धन' नहीं है। यह राष्ट्र की वस्तु है, अतः 'राष्ट्रीय धन' है क्योंकि इसके जल को सिंचाई, विद्युत् उत्पादन आदि विविध प्रकार में मानव कल्याण के लिए प्रयुक्त किया जाता है।

### सड़कें (The Roads)

जो सड़कें म्युनिसिपैलिटी या डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा बनवाई गईं हों वे 'सामाजिक' या सामूहिक धन' के वर्ग में आती हैं। बनकच्छा, दिल्ली, दम्बर् और मद्रास आदि देश के विभिन्न भागों को मिलान वाली सड़कें 'राष्ट्रीय धन' कहलाती हैं।

### एक सोने या चाँदी का सिक्का (A Gold or Silver coin)

व्यक्तिगत दृष्टिकोण से तो यह उमक धन का एक भाग है क्योंकि इसके वह अपनी आवश्यकताया की वस्तुएँ खरीद सकता है। परन्तु सामाजिक दृष्टि में यह धन नहीं है क्योंकि इसके लिए तो केवल विनिमय साधन (Medium of Exchange) का ही कार्य सम्पन्न करता है। यदि देश में प्रचलित सिक्का को मर्यादा दुर्गती विपुली कर दी जाय तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वस्तु घोर मर्यादा की वृद्धि भी उमा अनुपात में आ जायगी। किसी देश का धनी होना या निधन होना उस देश में उपलब्ध वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा पर निर्भर है न कि सिक्का की वृद्धि पर।

### खान में स्थित सोना या चाँदी (Gold or Silver in a mine)

इसका कुछ अर्थ तो 'राष्ट्रीय धन' में और कुछ अर्थ 'व्यक्तिगत धन' यद्यपि खान के म्यामी का अपना धन कहना जाता है। यदि सोन या चाँदी की खान इतनी गहरी चली गई है कि यह धन दुष्प्राप्य हो गया हो और यदि प्राप्य भी है तो उसका व्यय उमक मूल्य में अधिक है तो ऐसी खान में वह धन नहीं कहा जा सकता।

### मंगल नामक ग्रह में स्थित सोना (Gold in Planet Mars)

यह धन नहीं है क्योंकि यह मनुष्या की पहुँच में पर है। परन्तु यदि भविष्य में यह सम्भव हो जाय कि वह खान का भोना अपनी भूमि पर लाया जा सके तो अवश्य धन की श्रेणी में आ सकेगा।

### रवीन्द्रनाथ टैगोर का स्वहस्त लेख (An Autograph of Rabindra Nath)

यदि कुछ ऐसा भी व्यक्ति हुआ जो रवीन्द्रनाथ के स्वहस्त-लेख की प्राप्ति के लिये यह उल्लूक हुआ और उसके लिये मूल्य देने को भी तैयार हुआ तो उक्त लेख धन है अथवा साधारणतया यह धन में वर्गीकृत नहीं हो सकता।

### स्वास्थ्यप्रद जलवायु (A Healthful Climate)

यह 'राष्ट्रीय सावजनिक' धन है। इसका विनिमय-मूल्य न होने के कारण यह व्यक्तिगत धन नहीं हो सकता।

### वह पेट जिसका स्वामित्व विवादास्पद हो

(A farm the ownership of which is under dispute)

यह तब तक धन नहीं कहा जा सकता जब तक कि इसमें म्यामिद का विषय में पूरा या आंशिक निर्णय नहीं हो जाय।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इष्टर माट्स परीक्षाएँ

- १—धन की परिभाषा कीजिए। धन और वस्तुएँ में आ मध्यस्थ है उसका चिह्नकरण कीजिए। (नागपुर १९५८)
- २—धन की परिभाषा कीजिए। क्या निम्न वस्तुएँ धन कहें जा सकती हैं —  
(अ) व्यक्तिगत चतुराई (ब) देश की प्राकृतिक सम्पत्ति (स) बी० ए० डिग्री,  
(द) काँचीराइट। (नागपुर १९५४)
- ३—धन की परिभाषा कीजिए। क्या निम्नलिखित वस्तुएँ धन हैं — (अ) काँचीराइट  
(ब) बी० ए० डिग्री, (स) गरीब का कपडा, (द) हिन्द महासागर।  
(म० भा० १९५३)

- ४—सम्पत्ति की परिभाषा बताएँ और लिखिए कि निम्नलिखित सम्पत्ति है या नहीं —  
 (क) मातृ स्नह (ख) मनन (गङ्गा) की स्थायता (घ) प्राकृतिक सौंदर्य (च) किसी  
 कारखाने का नाम (ज) धूप (अ० वा० १६१६)
- ५—धन की परिभाषा दीजिए और व्यक्तिगत धन व सामूहिक धन का अन्तर स्पष्ट  
 कीजिए । (ग० वा० १६१३)
- ६—धन में क्या नाशक है ? धन कहाने के लिए क्या वस्तु में कौन-कौन से गुण  
 हाने चाहिए ? (विहार-परिभाषा १६५१)
- ७—धन की परिभाषा लिखिए । क्या निम्नलिखित वस्तुएँ धन का काम में आती हैं ?  
 कारण भी बताएँ — (अ) गण का प्राकृतिक सम्पत्ति, (ब) धूप, (स) मुरीली  
 रस (द) वा० ग० चिन्ता (च) कारखाना । (अ० वा० १६६८)
- ८—सम्पत्ति की परिभाषा दीजिए और इसके प्रकार बताएँ । सम्पत्ति का क्या  
 नाम क्या सम्बन्ध है ? (पंचांग १६१८)
- ९—वस्तुएँ और धन पर नष्ट लिखिए । (सागर १६१८)
- १०—धन में आप क्या समझते हैं ? धन के ७ गुणों का वर्णन कीजिए । (पद्मा १६११)
- ११—व्यक्तिगत और राष्ट्रीय सम्पत्ति में सादृश्यता भेद बताएँ । निर्वाणक भावनात्मक  
 कृपा का धन मनुष्य में किस प्रकार व्यवहार में आयेगा ? (आप्त १६५०)
- १२—धन के आवश्यक गुण क्या हैं ? क्या निम्नलिखित वस्तुएँ धन हैं — (अ)  
 अनाम (ब) गान (स) कावना व अश्वक, (द) नाचमहल, (च) व्यापारिक  
 वापना । (निर्वाण १६११)



# उपभोग (CONSUMPTION)



“अर्थशास्त्र का सम्पूर्ण सिद्धान्त उपभोग के  
सही सिद्धान्त पर आश्रित है।”

—जेवन्स

परिचय ( Introduction )— 'मनुष्य आवश्यकताओं का पुतला है ।' उसकी आवश्यकताएँ असीम हैं । उनकी तृप्ति के लिए वह मनुष्य प्रयत्नशील देखा जाता है । उनकी कुछ आवश्यकताएँ तो स्वाभाविक होती हैं, जैसे— जीवन यात्रा का निवाह करने के लिए भोजन तथा पेय पदार्थ, शरीर-रक्षा के लिए वस्त्र, रहने के लिए आवास, आशय के लिए धन और उत्पादन के लिए उपकरण (औजार) आदि । ये प्रारम्भिक आवश्यकताएँ इतनी अनिवार्य हैं कि बिना इनके उसकी जीवन यात्रा सम्भव ही नहीं ।


मनुष्य की आवश्यकताएँ सदैव समान नहीं होतीं जैसे-जैसे मनुष्य सम्यता की ओर अग्रसर होता जाता है या वह मनुष्य प्रगतिशील और उन्नतिशील होता जाता है । जैसे-जैसे वह इन जीवनोपयोगी आवश्यकताओं में परंपरित होता जाता है, अर्थात् वह सुख और विकास की अस्तुधा का उपभोग कर अपने जीवन को सुखमय बनाने का प्रयत्न करने लगता है । अब वह उत्तम भोजन, वस्त्र तथा भवनादि का उपभोग करने लगता है । मनुष्य की आवश्यकताएँ मर्यादा में, भिन्नता में और तीव्रता में बढ़ती जाती हैं, क्योंकि समाज की उन्नति और आवश्यकताओं की वृद्धि में एक अनिच्छित सम्बन्ध है ।

साधारण बोल-चाल में उपभोग का अर्थ—उपभोग शब्द हमारी बोल-चाल के विविध अर्थों का परिचायक है । साधारण वातचीत में उपभोग का तात्पर्य होता है 'खा लेना', 'नष्ट करना' आदि । अर्थशास्त्र में इस शब्द का अर्थ उक्त अर्थों से विभिन्न है । यहाँ उपभोग, 'खा लेना' या 'नष्ट करना' इन अर्थों की ओर ध्यान बहुत अधिक व्यापक है । जब एक पदार्थ नष्ट हो जाता है वह किसी की आवश्यकता को तृप्त नहीं करता । यदि एक घड़ी, छड़ी, उपस्कर या छपर टूट जाय या जलकर नष्ट हो जाय तो टूटते, जलते या नष्ट होते समय मानवीय आवश्यकताओं की तृप्ति नहीं करते पर निरन्तर उपभोग की दशा में रहने हुए ये पदार्थ मनुष्य की विविध सामिक आवश्यकताओं को तृप्त करने वाले बने जाते हैं । इनके अतिरिक्त 'पदार्थ का नष्ट होना' यह कार्य भी आक्षेप करने योग्य है, कारण कि 'तत्त्व या पदार्थ कभी नष्ट नहीं होता' । वस्तुधा का स्वरूप बदल जाता है । कोयला जल कर राख का रूप धारण कर लेता है जिसके कारण आग जलाने का कार्य संपादित नहीं होता । सबाने, वस्तुधा का खेव या काम में लाया जाना जिसे उपभोग के तात्कालिक तृप्ति अथवा सन्तान हो, उपभोग कहा जाता है ।

अन्तु यह कहना ग्याप्तगत होगा कि उपभोग से वस्तु नष्ट नहीं होती बल्कि उसकी उपयोगिता नष्ट होती है।

**उपभोग का अर्थशास्त्रीय अर्थ**—अर्थशास्त्र में उपभोग शब्द एक विशिष्ट अर्थ रखता है। मानवीय आवश्यकता की प्रत्यक्ष और तात्कालिक पूर्ति के लिए धन के प्रयोग को 'उपभोग' कहते हैं। वस्तुएँ स्वयं उपभोग से नष्ट नहीं होती हैं, बल्कि उनकी उपयोगिता मात्र ही नष्ट होती है। जैसे—यदि हम प्रकार के लिए मोमबत्ती का उपभोग करते हैं तो मोमबत्ती का रूप परिवर्तित होकर उसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है, क्योंकि यह अब प्रकार के मोमबत्ती के रूप में प्रयुक्त नहीं रहती। परन्तु वह पदार्थ जल और तापन डाइ-आक्साइड गैस ( Carbon Dioxide Gas ) के रूप में अब भी स्थित है केवल रूप से परिवर्तित हो गया है। उपभोग का तात्पर्य है किसी पदार्थ की उपयोगिता को काम में लाकर इस प्रकार नष्ट कर देना कि उस उपभोग से किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति और पूर्ण हो। एक व्यक्ति को प्यास लगी है, वह मधुर सतरा अपना लैमोनेड से अपनी प्यास सन्तुष्ट करता है—इसके मेकन से उसे तृप्ति और मनोरंजन हुआ। यदि वह इन सतरों को छील कर फेंक दे और लैमोनेड की बोतल को धूम पर फटक कर मोड़ डाले तो किसी मनुष्य की तृप्ति या सन्तोष नहीं होता। "उपभोग तो लगी समझा जायगा जब लगी उपयोग में किसी मनुष्य की आवश्यकता की पूर्ति हो और उसका अभाव दूर होकर उसने तृप्ति या सन्तोष प्राप्त हो।"

यह स्मरण रखना चाहिये कि उपभोग केवल वस्तुओं में ही नहीं होता है, अधिभु सेपात्रों से भी। यदि एक रोगी डाक्टर को अपने शरीर-निरीक्षण के निमित्त इस रुपये धूक रूप में देता है, तो इसका अर्थ यह है कि वह रुपय देकर डाक्टर की सेवा का उपभोग करता है, इसी प्रकार हम एक निश्चित शुल्क देकर मोटर बस, रेल, टाक, तार व टेलीफोन द्वारा प्रस्तुत सेवाओं का उपभोग करते पाए जाते हैं।



यह उपभोग है। यह उपभोग नहीं है।

मानवीय आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष सतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता के प्रयोग को अर्थशास्त्र में 'उपभोग' कह कर पुकारते हैं।

**'प्रत्यक्ष' अथवा 'अपरोक्ष' शब्द का महत्व**—उपभुक्त परिभाषा में प्रत्यक्ष या अपरोक्ष (Direct) शब्द का प्रयोग किया गया है, उसका यहाँ महत्व प्रकट करना आवश्यक है। वैसे देखा जाय तो आवश्यकताओं की पूर्ति परोक्ष और

अपरोक्ष अर्थात् प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में होती रहती है। मूल लगने पर रोटी पाना और व्यास लगने पर जल पीना आदि आवश्यकताओं की पूर्ति अपरोक्ष या प्रत्यक्ष रूप में होती कही जाती है। इस प्रकार के धन के प्रत्यक्ष प्रयोग को 'उपभोग' कहते हैं। दूसरी ओर जब कारखानों में कच्चे माल का प्रयोग किया जाता है अथवा मशीन चलाने के लिए कोयला या दिजनी प्रयोग में लाई जाती है तो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप में नहीं होती पानी, धारणा, यहाँ धन का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप में नहीं किया गया है। इनके द्वारा वस्तुओं की उत्पत्ति होती है जो आगे चलकर मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप में प्रयोग की जाती है। धन का जब अप्रत्यक्ष रूप में प्रयोग किया जाता है तो उसे उपभोग न कहकर 'उत्पत्ति' कहते हैं। निष्कर्ष यह निकला कि उपभोग धन के उस प्रयोग को कहते हैं जिससे आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप में पूर्ति होती है।

प्राचीन अर्थशास्त्रियों द्वारा 'उपभोग' की उपेक्षा—पुराने अर्थशास्त्रियों की दृष्टि में 'उपभोग' का कोई अधिक महत्व नहीं था। वे इस विभाग की उपेक्षा करते थे और अधिक महत्व 'उत्पत्ति' को देते थे। उनको धारणा यह थी कि बिना उत्पत्ति के उपभोग सम्भव ही नहीं, अतः वे 'उत्पत्ति के अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण समझ कर उपभोग की उपेक्षा प्रथम स्थान देते थे। प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने यह नहीं समझा कि उत्पत्ति और उपभोग का क्या सम्बन्ध है। उत्पत्ति बीज है और उपभोग फल। मानव समाज की आवश्यकताओं को तृप्त और मनुष्ट करने के लिए ही वस्तुओं की उत्पत्ति की जाती है। उत्पत्ति और उपभोग के सापेक्षिक घनिष्ठ सम्बन्ध पर भी उन्होंने कुछ विचार नहीं किया। जितना अधिकाधिक उपभोग बढ़ेगा उतनी ही अधिक उत्पत्ति बढ़ेगी और उतने ही अधिक अर्थिक व्यक्ति कार्यों में लगने। "अभी जहाँ की कार्य नलम्नता, उत्पत्ति की तीव्रता और मात्रा का धारण है उपभोग न कि उत्पत्ति।" अधिक उद्योग का आरम्भ और मूल 'उपभोग' ही है, प्रयोगिक शक्तियाँ, योग्यताएँ और सामाजिक उत्पत्ति उपभोग को बढ़ती विभिन्नता पर निर्भर है, सर जॉन मेरीघोट (Sir John Marnot) के इन शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। उपभोग के महत्व पर आगे विस्तार से प्रकाश डाला जाएगा।


ज्ञान सम्पत्ता की समुन्नत अवस्था है। अर्थशास्त्र विज्ञानशास्त्र, मनोविज्ञान और भौतिकविज्ञान की उपेक्षा करने लगा है, मानव सेवा और मानव हित के उदार विचार जीवन के प्रधान लक्ष्य माने जा रहे हैं, अतः भौतिक और अधौतिक सम्पत्ति के उपभोग द्वारा जन समाज का अधिकाधिक कल्याण किस प्रकार हो सकता है—यह समस्या आज एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अतः प्राधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इस विभाग के महत्व को समझा और उसे उचित स्थान दिया।

उपभोग अर्थशास्त्र के एक विभाग के रूप में (Consumption as a Department of Economics)—उपभोग शब्द का अर्थशास्त्रीय अर्थ उपभुक्त विवेचन से पूर्ण स्पष्ट किया जा चुका है। यह उपभोग का अर्थ क्रिया के रूप (as an act) में किया गया है। परन्तु उपभोग को अर्थशास्त्र के एक विभाग के रूप में भी जान लेना आवश्यक है। इस विभाग के अन्तर्गत मानवीय आवश्यकताओं, उनके उद्गम, उनके विशेषताओं तथा उनकी मनुष्टि के नियम आदि का विस्तृत अध्ययन किया जाता है।

उपभोग के प्रकार (Kinds of Consumption)


१—उत्पादक और अन्तिम उपभोग (Productive and Final Consumption) — कुछ प्राचीन अर्थशास्त्रियों ने उपभोग को दो भागों में विभाजित कर दिया है—

उत्पादक और अन्तिम उपभोग । किसी वस्तु का उपभोग किसी अन्य वस्तु के निर्माण के निमित्त किया जाय । एम उपभोग में मनुष्य का आवश्यकता की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप में नहीं होगी उस उद्देशक उपभोग कहते हैं । जैसे—एक किसान के लिए मूल मशीन व बिजली आदि का प्रयोग । इस उपभोग में मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति और वृत्ति प्रत्यक्ष रूप में नहीं, वह अन्तिम उपभोग कहना है । जैसे—क्षुधा की पूर्ति के लिए अन्न और शरीर की रक्षा के लिए वस्त्रों का प्रयोग अन्तिम उपभोग कहना है । परन्तु प्रायुक्तिक अर्थशास्त्र के विद्वानों ने इन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग का छोड़ दिया है । वे इनके प्रयोग का अर्थ नहीं बतलाने देते ।



उत्पादक उपभोग      अन्तिम उपभोग

२—मन्द और तीव्र उपभोग (Slow and Quick Consumption) — कुछ वस्तुओं का उपभोग धीरे-धीरे समाप्त हो जाता है और कुछ का दर-दर चरता रहता है । जब हम खाने करते हैं, पानी पीते हैं अथवा कपड़ा पहनाते हैं, तो इनकी उपयोगिता और प्रयोग क्षीण हो जाता समाप्त हो जाते हैं । अतः एम उपभोग को तीव्र उपभोग कहते हैं । ऐसी वस्तुओं को तीव्र नष्ट होने वाली (Perishable Goods) कहा जाता है । जैसे—फल व सब्जियाँ व आदि ।



तीव्र उपभोग      मन्द उपभोग

परन्तु जब हम अपने मशीन, मोटर, भवन आदि का प्रयोग करते हैं तो उनका उपभोग धीरे-धीरे चरता रहता है । अतः एम उपभोग को मन्द उपभोग कहते हैं, ऐसी वस्तुओं को चिरस्थायी (Durable Goods) कहा जाता है ।

उपभोग का महत्त्व (Importance of Consumption)

उपभोग मानवीय क्रियाओं का उद्गम तथा अन्तिम अंग है—जैसा ऊपर बतलाया जा चुका है कि प्राचीन अर्थशास्त्र के विद्वानों ने उपभोग का अत्यन्त महत्त्व माना परन्तु प्रायुक्तिक अर्थशास्त्रियों ने इस दृष्टिकोण में परिवर्तन कर दिया । जेवन्स (Jevons) ने मन्द प्रथम उपभोग व महत्त्व का भावित किया और यह दर्शाया कि यह भावित जीवन का आधार है ।

वास्तव में देना तब तो उपभोग समस्त मानवीय क्रियाश्रम का मुद्रण श्रोत (Spring) है। यदि मनुष्य को आवश्यकताएँ नहीं होतीं तो वहनुमा का उत्पादन कदापि नहीं होता। आवश्यकताएँ और उत्पत्ति पूर्ण की प्रेरणा से श्राव्य मारा भूमण्डल क्रियाश्रम है। श्राव्य के भौतिक समार भ धनोपाजन बना महत्त्व रखता है। क्योंकि इनके बिना मानवीय आवश्यकताएँ की पूर्ति होता किन्तुल सम्भव नहीं। श्राव्य मनुष्य विविध श्राव्यिक क्रियाश्रम का सम्पन्न करना हुआ अपने उपभोग के साधना को जगत में व्यक्त देखा जाता है। इसीलिए उपभोग को समस्त मानवीय श्राव्यिक क्रियाश्रम का उत्पन्न स्थान (Starting Point) कहना अत्युक्ति नहीं होगी।

दूसरी ओर देखने में ज्ञात होता है कि मनुष्य अपनी समस्त श्राव्यिक क्रियाएँ केवल एक ही उद्देश्य की पूर्ति के हेतु सम्पन्न करता है यह उसकी आवश्यकताएँ की सन्तुष्टि है। उत्पत्ति विनिमय और वितरण का यही एक अन्तिम सत्य है। मनुष्य अपनी आवश्यकताएँ की सन्तुष्टि के लिए श्राव्यिक क्रियाएँ सम्पन्न करता है और उनके फलस्वरूप विविध वस्तुएँ श्राव्य सेवाश्रम का उत्पादन करता है जिन्हें उपभोग में वह उनको पूर्ति करने में समर्थ होता है। आवश्यकताएँ की पूर्ति होने ही उनके श्राव्यिक प्रयत्न का उद्देश्य पूरा हो जाता है। उपभोग में भी तो इन्हीं बातों का विवेचन किया जाता है। अतः उपभोग को श्राव्यिक क्रियाश्रम का अन्तिम सत्य कहना अनुचित न होगा।

संक्षेप में उपभोग वह महत्त्वपूर्ण केंद्र है जिसमें श्राव्यिक क्रियाश्रम का श्राव्य प्रारम्भ एवं अन्त मजिद्विष्ट है।

क्या उपभोग शक्ति संचय का साधन है ?

(Is Consumption a means of restoring energy ?)

उपभोग करने का उत्तर देने हुए यह कहा जा सकता है कि यह बात पूर्णतया सत्य नहीं कही जा सकती। जिन वस्तुओं का उपभोग उत्पादन कार्य के लिए होता है वे शक्ति प्रदान नहीं करती। यहाँ तक कि सम्पूर्ण वस्तुएँ का अन्तिम उपभोग के अन्तर्गत श्राव्यिक शक्ति प्रदान के उद्देश्य को पूरा नहीं करता। उनमें से केवल शीघ्रताय और आवश्यकताएँ (Necessaries for life & Efficiency) ही शक्ति का संचय करने में समर्थ हैं। उदाहरणार्थ पुनरुत्पन्न भोजन वस्त्र आवास आदि के अनिश्चित पीठिक भोजन उत्तम वस्त्र आवास आदि मनुष्य का जीवन नया जीवन के लिए ही नहीं श्राव्यिक उत्पन्न शक्ति तथा दत्ता की वृद्धि भी करते हैं। शिवाय वस्तुओं (Luxury) से उनमें उपभोग के पश्चात् शक्ति भी शक्ति का संचय नहीं होता। इससे स्पष्ट है उनके अतिव्यय (Liberality) से वयाय शक्ति और दत्ता का हानि ही होता है अन्तर्गत की ही बात ही नहीं। अतः यह कहना कि उपभोग शक्ति के पुन संचय में सहायक है— धार्मिक सिद्धान्त है क्योंकि इसमें उपभोग के सम्पूर्ण चिन्तन का दिव्यता नहीं होता। उपभोग से शक्ति प्राप्त करना हमारे अतिव्यय का भी एक कार्य है। परन्तु मानवीय आवश्यकताएँ और उनकी पूर्ति सम्बन्ध कर एक महत्त्वपूर्ण समस्याएँ इसमें सुलभ नहीं जाती है।

राष्ट्र की समृद्धि के लिये उपभोग का महत्त्व

राष्ट्रीय वस्तुएँ बहुत कुछ वहाँ के निवासियों के उपभोग के स्वभाव और परिमाण पर निर्भर होता है। अतः वहनुमा यदि स्थिर रहे जिनमें श्राव्यिक वस्तुएँ एवं सेवाएँ का उपभोग होता उतना ही राष्ट्र राष्ट्र की समृद्धि में वृद्धि होगा। अतिव्यय एवं अतिव्यय का अभाव वयायकार है। यदि उपभोग की वस्तुओं का प्रयोग सुदृढता में पुन

कर किया जाय, तो व्यक्तिगत लाभ भी उतना ही निश्चित है जितना कि समष्टिगत । धनोपार्जन से धन का उपभोग अधिक वृद्धि है । अस्तु धन के सदुपयोग पर ही देश एवं वहाँ के निवासियों की आर्थिक सम्पन्नता अवलम्बित है ।

### उपभोग के अध्ययन से व्यावहारिक लाभ

(Practical advantages of study of Consumption)

उपभोग के अध्ययन से कई व्यावहारिक लाभ प्राप्त होते हैं जिनका उल्लेख नीचे किया जाता है :-

(१) गृहस्वामियों या उपभोक्ताओं को लाभ—उपभोक्ताओं (Consumers) अथवा गृहस्वामियों (House-holders) के लिए उपभोग का ज्ञान बड़ा लाभदायक है, क्योंकि इसमें उन सब सिद्धान्तों का विवेचन किया जाता है जिनके प्रयोग से वे अपनी सीमित आय में अधिकतम लाभ उठा सकते हैं । उदाहरणार्थ, सम-सीमान्त-उपयोगिता नियम (Law of Equi-marginal Utility) और पारिवारिक आय व्यय (Family Budgets) का सहायता से वह अपनी आय को दृढ़ प्रकार व्यय कर सकेंगा, जिससे उसको न्यूनतम लाभ पहुँच सके ।

(२) व्यापारियों और उद्योगपतियों को लाभ—व्यापारियों एवं उद्योगपतियों के लिए उपभोग का अध्ययन पर्याप्त महत्त्व रखता है । वे अपनी उत्पादक श्रियाएँ मनुष्य की आवश्यकताओं के आधार पर त्विर करते हैं । यदि उनका अनुमान भावी आवश्यकताओं के स्वभाव व परिणाम में सम्बन्ध में उचित नहीं निश्चयता तो यह उनके अक्षयता का एक कारण बन जाता है । अस्तु उन्हें अपनी व्यापार तथा उद्योग व्यवस्था को सफल बनाने के लिए जन साधारण की आवश्यकताओं के स्वभाव, प्रकार एवं परिणाम आदि सम्बन्धित बातों का पूर्ण रूप से अध्ययन करना पड़ता है ।

(३) राजनीतिज्ञों को लाभ—राजनीतिज्ञों तथा सामका का यह देखना पड़ता है कि उनके देश के नागरिक अपनी आय का सदुपयोग करते हैं या नहीं । कारण यह है कि देश का कल्याण उसके धन पर ही निर्भर नहीं है, बरत उचित उपभोग पर भी । आधुनिक सरकार इस बात का अनुभव करने लग गई है कि देश को समृद्धिदायी एवं आर्थिक संपन्न बनाने के लिए उसके नागरिकों की उपभोग व्यवस्था का नियन्त्रण रखना आवश्यक है । भारतीय सरकार की प्रतिषेध (Prohibition) नीति, निषेध द्वारा शराब आदि मादक वस्तुओं के उपभोग को कम करना सिनेमा आदि पर आम्नेद प्रमोद कर (Entertainment Tax) लगाना इमी उद्देश्य की पूर्ति के साँतक हैं । वास्तव में, जो राजनीतिज्ञ 'उपभोग' की उपेक्षा करते हैं वह कुशल राजनीतिज्ञ नहीं हो सकते ।

प्राचीन भारत में उपभोग के अध्ययन का महत्त्व—मनुस्मृति तथा कौटिल्य अर्थशास्त्र को देखने में पता चलता है कि भारतवासियों 'उपभोग' के महत्त्व में भली प्रकार परिचित थे । उन्होंने भोजन, धन्य, गृह और यज्ञादि सम्बन्धी विभिन्न ही नियम नियन्त्रण पूर्ण बना दिये हैं जिनसे वे स्वस्थ, सहृदय और समाज के योग्य बन गए । "जिस प्रकार हम निश्चय कर ले ईश्वर की तत्ता व्याप्त है, उनी प्रकार अर्थशास्त्र पर म उपभोग का विमल आभास और महत्त्व भी व्याप्त है ।"

१—ईश्वर सर्वभूताना हृद्देशे भासते ननु ।

उपभोगो हि वस्तुता वाणीति अनु सुती ॥

महत्त्व का अर्थ मुक्ति का अर्थ उपभोग की महत्ता का प्रतिपादन कर रहा है ।

## एक भारतीय साधारण कृषक की उपभोग अवस्था और उसके मुद्धार के साधन

उपभोग की वर्तमान दशा—भारतीय कृषक की तिथनता कहावत का रूप धारण कर चुकी है। वह अपने गीमित साधना का जो कुछ उमान अर्जित किए है गदुपयोग नष्ट करता है। वह अपनी मूलित राशि को आधुनिक और नाच-तमाजा में व्यय कर देता है। वह अस्वच्छ छोटे और अंधेरे घर में रहता है जिसमें स्वच्छ वायु के प्रयोग और अस्वच्छ वायु के निर्णत का कोई भाग नहीं होता। मटिरा आदि नवीनी वस्तुभा का भी प्रयोग उनके लिए बड़ा हानिकारक मित्र होता है। मुकहमेबाजी से बड़ा प्रेम होने के कारण उनकी आय का अधिकांश भाग डगम व्यय हो जाता है। जितना अपन खाने पीने में व्यय नहीं करता है उतने बड़े गुना विवाह और मृतभोज आदि अवसर पर व्यय कर देता है। परिणाम यह होता है कि वह निरंतर कठिन परिश्रम करने पर भी अथताया और अधवत्ता रह जाता है। ऐसी गौचनीय अवस्था में उसे अपने पाय में कुण्ठता प्राप्त करने का अवसर कहा है। उसे जीवन यात्रा चलाने भर के लिए आवश्यक बस्तुएं ही उपयुक्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती। मिट्टी में रत्न पदा करने आता मौन तपस्वी किसान जब भरपट भोजन पायेगा जब उसे गरीर दफने को वस्त्र मिलेगा तभी यह देश पुनः अपनी प्राचीन समृद्धि और खोई हुई लक्ष्मी को प्राप्त कर लेगा। अन्तु उसके उपभाग में कतिपय मुद्धार होने परमावश्यक है।

### उपभाग में आवश्यक सुधार

(१) अपने प्रथम उसकी कृष मण्डूकता और निरक्षरता दूर करनी चाहिए जिन्से वह अर्थ विज्ञय में उगा न जाय। अधिक्षा का ही प्रगाद है कि वह मुकहमेबाजी और विवाह आदि के अवसरों में अथव्यय करता है। अतः उसकी हानिकारक भावश्यकताओं में व्यय करने की प्रवृत्ति का अवरोध करना चाहिए।

(२) उसे अपनी आय का अधिकांश भाग अपनी आयक्षमता की प्राप्ति के लिए अनिवाय साधना में व्यय करना चाहिए।

(३) उसके पुराने तथा अनुपयुक्त कृषि सम्बन्धी उपकरण (Implements) और रीतियों में सुधार होना चाहिए।

(४) उत्तम खाद उत्तम मिर्चाई उत्तम धीज और यंत्र आदि के प्रयोग का उसे सहृदयता से स्वागत करना चाहिए।

(५) उसे अपनी समन्वय और आयव्ययताएँ सहकारों समितियाँ (Co-operative Societies) द्वारा पूरा करनी चाहिए।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इंटर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—उपभोग के अर्थपर में (अ) एक अर्थशास्त्री (आ) एक राजशासि तथा (इ) एक कृषकी को क्या लाभ होता है ? (उ० प्र० १९५६)

२—उपभोग क्या है ? उपभोग व उत्पत्ति में क्या अंतर है ? उपभाग का क्या महत्व है ? (उ० प्र० १९५३ ४१)

३—उत्पादक उपभोग और अतिम उपभोग पर नोट लिखिए। (उ० प्र० १९३६ ३६)



- ४—अर्थशास्त्र में उपभोग की क्या परिभाषा दी जा सकती है ? आपके प्रदेश में रहने वाले किसानों का उपभोग किस प्रकार सुधारा जा सकता है ? (उ० प्र० १९३१)
- ५—“आर्थिक क्रियाया का अर्थ उनको सतुष्टि है ।” अर्थशास्त्र में उपभोग के अध्ययन के सर्वांग में इसका विवेचन कीजिए । (रा० बो० १९५१)
- ६—उपभोग की परिभाषा दीजिए । व्याख्या कीजिए “उपभोग आर्थिक विज्ञान का आदि और अंत है । (मागर १९५८)
- ७—उपभोग और बर्बादी पर सशित टिप्पणों लिखिए । (अ० बो० १९५३)
- ८—उपभोग की परिभाषा लिखिए । उपभोग को अर्थशास्त्र का आदि व अन्त क्या कहा जाता है ? स्पष्ट कीजिए । (नागपुर १९५४)
- ९—“उपभोग समस्त आर्थिक क्रियाया का अन्त है”—क्या आप इस कथन से सहमत हैं ? आपके मतानुसार उत्पत्ति और उपभोग में क्या सम्बन्ध है ? (पत्रात्र १९५५)
- १०—उपभोग क्या है ? क्या निम्नलिखित उपभोग है ? कारण सहित उत्तर दीजिए —  
(अ) सिनेमा देखना (ब) घरेलू नौकर से लेकर एक गिलास पानी पीना (स) घड़ी की ओर देखना । (दिल्ली हा० से० १९४६)
- इष्टर एग्जीक्यूटिव परीक्षा
- ११—“उपभोग अर्थशास्त्र का आदि है और अन्त भी ।” स्पष्ट कीजिये । (उ० प्र० १९४८)

## आवश्यकताएँ ( Wants )

देखा जाता है कि मनुष्य वस्तुओं के उपभोग या व्यवहार में लाने से तृप्ति अनुभव करता है, यदि वे वस्तुएँ उसे प्राप्त न हों, तो उसे कष्ट होता है। किसी वस्तु के उपभोग द्वारा तृप्ति और संतोष दिलाने वाले 'भाव' का नाम आवश्यकता है।

साधारणतया 'आवश्यकता' शब्द के दो अर्थ प्रचलित हैं :—

( १ ) आवश्यकता का साधारण अर्थ—साधारण बोनचाल की भाषा में आवश्यकता शब्द कई अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे इच्छा, चाह, अभिलाषा आदि। हमारे शब्दों में मनुष्य की किसी भी वस्तु की चाह या इच्छा को आवश्यकता कहा जा सकता है चाहे इच्छित वस्तु की 'चाह' के लिये शक्ति और साधन विद्यमान न हों। कहावती लोमड़ी अन्न की चाह कर सकती है, चाहे उसके पास उन्हें पाने के लिये शक्ति या साधन न हों।

( २ ) आवश्यकता का अर्थशास्त्रीय अर्थ—अर्थशास्त्र में आवश्यकता एक विशेष अर्थ में प्रयुक्त होती है। अर्थशास्त्र में आवश्यकता मनुष्य की उस इच्छा को कहते हैं जिसकी पूर्ति के लिये उसके पास पर्याप्त साधन और शक्ति विद्यमान हों और उस इच्छा को पूर्ण करने में मनुष्य उद्यत न हो। उदाहरणार्थ, एक भिखारी मोटरकार खरीदना चाहता है, परन्तु उसके पास इस इच्छा को पूर्ण करने के लिये पर्याप्त साधन नहीं है, अतः अभिलाषा करने हुए भी उसे पूर्ण नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास प्राप्त करने के साधनों का अभाव है। इसी प्रकार एक कुम्हार एक मोटर खरीदना चाहता है, परन्तु रुपये व्यय करना नहीं चाहता। अतः उसकी यह इच्छा भी अर्थशास्त्र की दृष्टि में आवश्यकता नहीं कहा जा सकती, क्योंकि वह साधनों को प्रयुक्त करने में उद्यत नहीं यद्यपि मोटरकार खरीदने के लिये साधन पर्याप्त है।

इच्छाओं की प्रभावोत्पादकता के साधन—इच्छाओं का प्रभावोत्पादक होने के लिये तीन मुख्य बातों का होना अनिवार्य है :—

- ( १ ) किसी वस्तु या सेवा को प्राप्त करने की इच्छा (Desire)।
- ( २ ) उसकी प्राप्ति के लिये साधन और शक्ति।
- ( ३ ) इन साधनों और शक्तियों का उस इच्छा को पूर्ण करने के लिये तत्परता (Willingness)।



इच्छा (केवल इच्छा)

आवश्यकता  
(इच्छा + मापन + तयारना)

आवश्यकताया का उद्गम (Origin of Wants) — आवश्यकताया के उद्गम होने के मूल कारण निम्नलिखित हैं —

(१) स्वाभाविक प्रवृत्तिया (Natural Instincts) हमारा प्राग्मिक आवश्यकताएँ हमारी स्वाभाविक प्रवृत्तियों से उत्पन्न होती हैं। हमारा शरीर इन प्रकार का बना हुआ है कि इसको नियमित रूप से भोजन मित्रता चाहिये और शरीर रक्त के लिए बस्त्र आदि। इसलिए हम जीवन यात्रा को चलाने के लिए यथामुम्भव मूलतः आवश्यकताया की पूर्ति करनी ही होगी।

(२) सुख और विलास पूर्ण वस्तुओं की लालसा (Craving for better and higher things) — आवश्यकताएँ केवल इन्हीं निमित्त उत्पन्न नहीं होती कि हम अपने शरीर सम्बन्धी आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त हो सके बल्कि वे आनन्द के लिए भी उत्पन्न होती हैं। मनुष्य को जब न्यूनतम आवश्यकताया की पूर्ति हो जाती है तो वह स्वाभाविक रूप से सुख एवं विलास वस्तुओं की लालसा में लीन हो जाता है।

(३) सौन्दर्य की रसि और परापूर्वकारिता की प्रवृत्ति (Aesthetic Tastes and Altruistic Motives) — इन कारणों से भी अनेक मांगनीय आवश्यकताएँ उत्पन्न होती रहती हैं। मनुष्य का सुन्दर वस्तुओं में प्रेम होता है और अपने वैयक्तिक जीवन को ऊँचा उठाने की इच्छा होती है अतः इन इच्छाया की पूर्ति के लिये कई इस प्रकार की आवश्यकताया उत्पन्न हो जाती हैं।

(४) सामाजिक बंधन (Social Obligations) — हम अपने गृह मूल्य और लाल पान आदि बातों में सामाजिक सामर्थ्य और स्वातंत्र्य परिस्थितियों में बहुत अधिक प्रभावित होते हैं। हम अर्थ व्यक्तियों के विचारों और सम्पत्तियों में भी प्रभावित होते हैं अतः हमारी आवश्यकताएँ भी अनेक हमारे मादियों की आवश्यकताया जैसी हो जाती हैं।

(५) विज्ञापन और प्रचार (Advertisement and Propaganda) हमारी बड़े आवश्यकताएँ तो उत्पादकों और निमात्राओं के विज्ञापन और प्रचार से बढ़ जाती हैं। बार बार उन वस्तुओं के विज्ञापन देख जाने से उनकी प्रशंसा में जान की इच्छा हो जाती है। कुछ समय बाद वे प्रयुक्त होन लगती हैं।

आवश्यकता और प्रयत्न का सम्बन्ध—आवश्यकता और प्रयत्न का पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध है। किसी आवश्यक वस्तु को प्राप्त करने के निम्न कुछ न कुछ प्रयत्न करना ही पड़ता है अतः आवश्यकताएँ मानवीय प्रयत्न का जननी हैं। यदि आवश्यकता समार में लोप हो जाय तो यह समार जो कि आज क्रियाशील दृष्टिगोचर होना है क्षिया शून्य हो जाय। देखा जाय ता यह आवश्यकता की प्रेरणा ही है जिसके कारण मनुष्य बाय वरन के नियम बाध्य हो जाता है। आवश्यकताएँ मानवीय प्रयत्न का स्रोत (spring) हैं। आवश्यकताएँ का सर्जिट गरी प्रेरित होकर कृषक कड़ी श्रम और मूलताधार रसा म भा काम करत है धार्मिक वग वाग्दाना म अपना पनीना चरान ह व्यापारी अपने व्यवसाय म और विद्यार्थी अपने विद्याभ्यास म दिन रात एक कर देत है।

अन्त इमम किचित मात्र भी मंगेन नही कि रगार म जितन भी काम हाल है वे गव आवश्यकताएँ का ही कारण निय जात ह जम जम म पर का आवश्यकताय बढ़ती जाती ह वर उनकी पूर्ति के निमित्त विविध प्रकार के कार्यों म मान्यन हाल गमना है। आवश्यकताएँ का वाई अत नह्य इसी कारण उन प्रयत्न का भी काई अत नह्य जो उनका पूर्ति के हेतु सम्पन्न किए जात है।

आवश्यकता की प्रेरणा म प्रयत्न को किया जाता है जिसके परिणाम स्वरूप उन्का सन्तुष्टि हा जाता है। एक प्रकार का आवश्यकताएँ की तुल्य हात हा दून्रे प्रकार का सम्यक् नवान आवश्यकताएँ उत्पन्न होती है। अत यह चक्र सनातन रूप म चलता रहता है। यह सम्बन्ध दिए हुए चित्र द्वारा भना भानि समझा जा सकता है।



आवश्यकता प्रयत्न और तृप्ति  
का सम्बन्ध  
(Wants Efforts &  
Satisfaction)

आवश्यकताओं से प्रयत्नो को प्रेरणा मिलता है और प्रयत्नो से नवीन आवश्यकताएँ उत्पन्न होती हैं (Wants give rise to activities and activities give rise to new wants) प्रारम्भिक अवस्था म आवश्यकताएँ अल्प मात्र प्रयत्न का कारण होत हैं। आर्थिक विचार के प्रारम्भिक काल म मनुष्य का आवश्यकताएँ साधारण आर सीमित था। जय वभी उन क्षुधा सताती था ता गुरत यह भोजन की छाव म चन देना था यदि उस वहा फन प्राप्त हा जान ना ताड वर क्षुधा शांत कर लेता अथवा किसी जगली तातवर का भाग कर उमर मान मे अपना पेट भर लेता था। इसा प्रकार अपने शरीर की रक्षा के नियम पूर्या का छाव व पत्त आदि प्रयोग म लाता था और रहन के नियम मरपी बनाना था या वहा पचना की बन्दरबा म रह कर जीवन व्यनान करता था। इस प्रकार उन

जित वस्तु की आवश्यकता में प्रेरित किया उसके उसी को प्राप्त करने या प्रयत्न किया। बिना प्रेरणा के मनुष्य काम नहीं करता है, अपनी कनिष्ठ-इच्छाओं को पूर्ति करने के पक्षान् अवधानों में समय को वह निरर्थक पड़ रहने से बचाता है। इन प्रकार आर्थिक-जीवन की प्राग्भिक आवश्यकताओं में आवश्यकताएँ ही प्रयत्न को प्रेरित करती हैं, अर्थात् प्रयत्न आवश्यकताओं को पूर्ति के हेतु ही सम्पादित किये जाते हैं।

किन्तु जब मनुष्य उत्पत्ति के पथ पर आरूढ़ होता है तो प्रयत्न द्वारा भी नई-नई आवश्यकताएँ उत्पन्न होने लगती हैं। जब मनुष्य प्रयत्न करता है तो केवल आवश्यकताओं की पूर्ति ही नहीं होती अपितु उसके द्वारा कई अत्यान्व आवश्यकताएँ भी पैदा होने लगती हैं। मनुष्य के युग में जन समाज को आवश्यकताओं की पूर्ति के अनेक साधन सभ्यता से उपलब्ध हो जाते हैं इसका परिणाम यह होता है कि अत्र उसे पर्याप्त अवकाश मिलने लगता है जिसका वह सदुपयोग करता है। अपने इस समय का सदुपयोग करने की प्रवृत्ति जिम देव या समाज में पाई जाती है, वह समय और उत्पत्ति करता है। कुछ मनुष्य तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्तियों को आत्मिक, न कर्तव्य में नाश में, निराश में या लज्जा में बिनाये ही एक माहिरिया, गृहदय-कलाकार, वैज्ञानिक या व्यक्तियों पुरुष उस अवकाश में कुछ उत्पत्ति के माग का चिन्तन करता है, उस चिन्तन को मूल रूप देता है और उसे निर्यातित करने में प्रयत्नशील होता है। ऐसे पुण्या की ये अवकाश की पूर्तियाँ निराश या आविष्कार की पूर्तियाँ हैं, वह समाज का निर्माण बन जाता है। समय देव के व्यक्ति अपनी अपनी रचि या प्रेरणा के अनुसृत चित्र-निरत उत्पत्ति के मनो की भावना में लग जाते हैं। वैज्ञानिक ऐसे अवकाश पाएँ या अनुसृतान पूर्ण आविष्कार में लगता है। आध्यात्मिक व्यक्ति परमार्थ पावों कथना आत्मिक-चिन्तन में इस समय का सदुपयोग करता है।

इन प्रकार की गिन्याएँ किसी धनोपाजन के उद्देश्य में न होकर स्वयं गार्ह-विकास (Activities for their own sake) के कारण तथा अवकाश का सदुपयोग करने के निमित्त की जाती हैं जिन्से परम्पर्य वस्तु-वस्तु आविष्कार होता है। इतिहास में इस प्रकार के अनेक उदाहरण मिलते हैं जिन्से पता चलता है कि आवश्यकता से ही प्रयत्न का जन्म नहीं होता, अपितु प्रयत्न के कारण भावनीय आवश्यकताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। यह एक नियम नियमना है कि जिम समाज में उत्पत्ति और सम्पत्ति का वन होगा उसकी आवश्यकताएँ भी अधिक और तीव्र होंगी। सम्पत्ति और आवश्यकता की वृद्धि में परस्पर प्रतिष्ठ सम्बन्ध है। इन समय मनुष्य की प्रवृत्ति कर्म-भक्त और दिगम्बरी की धार भूकने लगती है और भाँति भाँति के वस्त्र, भाजन, भवन, उपकरण (Furniture) परवारा की आवश्यकता उत्पन्न होती जाती है।

उदाहरण के लिए इंग्लैंड के इतिहास पर ही दृष्टि डालने में यह ज्ञान होता है कि वहाँ लगभग दो सौ वर्ष पूर्व औद्योगिक-क्रान्ति (Industrial Revolution) के परम्पर्य विविध प्रकार की मशीनों का आविष्कार हुआ, जिन्से उत्पत्ति पुष्कल मात्रा में होने लगी। मशीनों के प्रयोग में जब उत्पत्ति में अधिक वृद्धि हो गई तो इस बात की आवश्यकता हुई कि वस्तुओं का सुदूर स्थानों में भेजा जाय जिन्से उपयोग बढ़े। इस आवश्यकता का पूर्ति के लिए अरुद्ध और मरने वालावात के माधुन्य की आवश्यकता का अनुभव हुआ। परम्पर्य परकी मशीनें और नहरें बनाईं, किन्तु जब हमें भी कार्य में लगाने का रेल का प्रादुर्भाव हुआ। वस्तु-सुगमता और शीघ्रता में एवं स्थान में दूसरे स्थान पर आने लगी। इस प्रकार जब व्यापार और उद्योग-

धनों में उन्नति हुई तो मुद्रर स्यानों में व्यापार सम्बन्धी मन्देय भेजने व वहाँ में प्रति सन्देश प्राप्त करने और प्रेषित करने की आवश्यकता पड़ी जिसके परिणामस्वरूप डाक, तार टेलीफोन, रेडियो आदि का आविष्कार हुआ ।

इसको अधिक स्पष्ट करते हुए या कहा जा सकता है कि मनुष्य इस उन्नत अवस्था में अपने आवश्यकताओं में कुछ न कुछ लाभप्रद कार्य करता है । वह आविष्कार करने की शक्ति व प्रवृत्ति इच्छा से प्रेरित होकर विविध वस्तुओं का आविष्कार करता है । जैसे साइकिल, मोटरगाड़ी, टेलीविजन आदि । इसमें पूर्व वह इन वस्तुओं को इस रूप में जानता हीन था, अतः इसकी उपयोगिता और अन्य गुणों के कारण साइकिल, मोटरगाड़ी, टेलीविजन आदि वस्तुओं की नई आवश्यकताएँ उत्पन्न हो जाती हैं । निस्संदेह नई आवश्यकताएँ प्रयत्नों द्वारा ही उत्पन्न हुई हैं ।

इस प्रकार यह चक्र निरन्तर चलता रहता है । आवश्यकताओं के कारण मनुष्य प्रयत्नशील रहता है और मानव-प्रयत्नों द्वारा अनेक नवीन आवश्यकताओं की उत्पत्ति होती है । ये शोना एक दूसरे के जन्म के कारण हैं । मानव-ज्ञान की उन्नति का यह एक प्रमुख कारण है ।

मानवीय आवश्यकताओं के ज्ञान का महत्त्व ( Importance of the Knowledge of Human Wants )—अर्थशास्त्र में आवश्यकताओं के अध्ययन का बड़ा महत्त्व है । यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि आवश्यकताएँ मनुष्य की आर्थिक-क्रियाओं की जननी हैं । मनुष्य अपनी विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये धनोपार्जन में प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि वह समझता है कि बिना धन के आवश्यकताओं की पूर्ति असम्भव है । देखा जाय तो अर्थशास्त्र की उत्पत्ति, विनिमय और वितरण आदि विविध क्रियाएँ आवश्यकताओं पर ही निर्भर हैं । समस्त आर्थिक क्रियाओं का लक्ष्य उनकी पूर्ति है । अस्तु आवश्यकताएँ मानवीय आर्थिक-प्रयत्नों का मूल हैं तथा उनकी संतुष्टि ही उनका अन्तिम लक्ष्य है ।

आवश्यकताएँ मानवीय जीवन-स्तर और कार्य कुशलता की प्रतीक हैं—आवश्यकताओं का महत्त्व इसलिये भी है कि प्रत्येक व्यक्ति और समाज का जीवन-स्तर तथा कार्यकुशलता इन्हीं पर अवलम्बित है । यह बात निर्विवाद मत्व है कि अन्य बातों के स्थिर होते हुए यदि व्यक्ति की आवश्यकताएँ अधिक मात्रा में और पूर्णतया संतुष्ट होती हैं, तो उसकी कार्यकुशलता भी अधिक होगी । किसी देश के निवासियों की आवश्यकताओं की संख्या, मात्रा, तीव्रता और विभिन्नता अधिकतर उस देश की भौतिक समृद्धि का प्रतीक होता है ।

अस्तु, अर्थशास्त्र में मनुष्य की आवश्यकताओं का अध्ययन बड़ा महत्त्व रखता है ।

आवश्यकताओं की विभिन्नता के कारण

(Factors determining wants)

प्रायः यह देखा जाता है कि आवश्यकताओं में देश-काल और परिस्थिति के कारण पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है । यह भिन्नता निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है :—

(१) भौतिक कारण (Physical Factors)—किसी देश की भौतिक स्थिति और जलवायु वहाँ के निवासियों को बड़ा प्रभावित करती है । जलवायु की विभिन्नता मनुष्यों की आवश्यकताओं में बड़ा अन्तर पैदा कर देती है । उदाहरण के

निय नाचें और इतने जैसा चीन प्रदेशों में निवासियों को होना सो वैसे ही दिन जीवन यात्रा चलाने में बहुत पोषिक भोजन नाम वस्त्र अधिक इतने और अधिक सुरक्षित एवं निवास (वायु रहित) भवना का आवश्यकता होगी है परन्तु भारत जैसा उष्ण प्रदेशों में निवासियों के लिये प्राणल वायु भाजने तथा अन्य आवश्यकताओं उपकरण भवन आदि की आवश्यकता होती है । वही कारण कि यूरोप वासियों का और भारतवासियों की आवश्यकताओं में पर्याप्त भिन्नता है । इसी प्रकार वर्षा पदान तथा व निवासियों के लिये बहुत छतदार भवना का आवश्यकता का साथ साथियों का रहना व लिये कुतल आदि औषधियों की आवश्यकता होगी ।

(२) शारीरिक कारण (Physiological Factors) — मनुष्य के शरीर का स्वस्थ रहने के लिये प्राणल प्रतिकार और आदि विभिन्न शारीरिक तत्वों की आवश्यकता होती है । इसी प्रकार शारीरिक व्यवस्था के अनुकूल भी आवश्यकताओं व्यक्तित्व रूप में पर्याप्त भिन्नता रहना है जैसे पतल रहने व्यक्तियों के लिये दूध और पानी रखने में सावधानीक निम्न हो सकता है परन्तु यही वस्तुओं एक स्त्री द्वारा वात व्यक्ति के लिये अनिश्चित दिना हो सकता है कि वह वस्तुओं उच्च शरीर को और भी अधिक स्तन बनाने वाला है । अस्वस्थ व्यक्ति के लिये निरन्तर औषधियों और डाक्टर की सलाह का उपयोग आवश्यक होता है परन्तु एक स्वस्थ व्यक्ति के लिये य वस्तुओं अनावश्यक है ।

(३) नैतिक कारण (Ethical Factors) — मनुष्य के नैतिक विचार और आदर्श पर उमरी आवश्यकताओं अस्तित्व होती है । यदि वह धार्मिक मनुष्य नैतिक लिये मात्रा चलने और उच्च विचार के इस आदर्श में विश्वास रहना है तो उसकी आवश्यकताओं भी अत्यन्त आवश्यक और परिमित होगी । जो उच्च जीवन और उच्च विचारों का दृष्टिकोण का मूल समझता है उमका उच्छास अंततः और शक्ति मिले होगी ।

(४) धार्मिक कारण (Religious Factors) — धार्मिक विचारों और विश्वासों का मनुष्य के दैनिक-जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । जहाँ मन्त्रदाया के धार्मिक विचारों में मनुष्य का धार्मिक उत्कर्ष के लिये पूर्ण योगदान मिलना है और बिना के विपरीत प्रेरणा मिलती है । इहाँ विचारों का प्रभाव भाजने वस्त्र भवना निमाण एवं संस्कार और पाशुपतिक व्यवहार आदि बातों पर पड़ता है । उदाहरणार्थ, हिन्दू समाज में प्रायः भाजने धार्मिक और अनुष्णित्व होता है इससे विपरीत अन्य धर्मोपनिषदों के भाजने तथा प्राण आदि में धार्मिक प्रवृत्ति का प्रभावना दा गई है ।

(५) सामाजिक कारण (Social Factors) — समाज के सामर्थ्य समाज द्वारा निर्मित नियमों या परम्पराओं का विना किसी संकाय के पालन करना है । सामाजिक शक्तियों में भी आवश्यकताओं में पर्याप्त भिन्नता मिलती है । इस भिन्नता का सुझावना ईसाइयों और हिन्दुओं के मध्य पाया जाता तो स्वाभाविक हो है पर हिन्दू-समाज के उपविभागा में भी पर्याप्त अन्तर देखा जाता है । प्रत्यक्ष के इस विवाह और मृत्यु के समय होने वाले रीति-रिवाज भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं । जैसे हिन्दू-समाज में मृत्यु के शरीर का दाह-सम्कार होना चाहिए जहाँ निश्चय है परन्तु ईसाइयों और मुसलमानों में दाह-संस्कार नहीं होता ।

(६) आर्थिक कारण (Economic Factors) — आर्थिक परिस्थितियों का मानव के आवश्यकताओं पर बड़ा प्रभाव पड़ता है । इनका भिन्नता के कारण मनुष्य

तीन बग के लोम देखने में आने से जम धनात्थ मध्य वर्गीय और निधन । एक निधन भारतीय कृषक या श्रमिक को आवश्यकताएं मानी और भीमिनी होती है । वह केवल उही आवश्यकताओं को पूरा करता है जो जीवन के नियमनित्वाय है वह निराम और विलास वस्त्रों को बर्ण करिनाता से प्राप्त कर सकता है । किन्तु एक शर्मिन्धन अथ सम्पन्न कृषक या श्रमिक को आवश्यकताएं आन्तारांग्य और शर्ममिनी होंगी । एक धनात्थ व्यक्ति एक निधन व्यक्ति की अपेक्षा अधिक आवश्यकताएं रखता है और उनके पूर्ण करने में प्रयत्नगीन देखा जाता है ।

(३) प्रकृति हवि और फेशन (Habit and Fashion)—आवश्यकताओं में प्रकृति हवि और फेशन के कारण पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है । किसी व्यक्ति के लिए धूम्रपान करने की शक्ति या चान में गिरेले आवश्यक है किन्तु जो व्यक्ति धूम्रपान नहीं करता उसके लिए वह आभाव प्रयत्न है । नियम वागाव का गजम्भान में प्रचलन है वह प्रजाय में अग्रवर्तिन बढी जा सकती है । बाध्य मध्यम के लिए खहर के अन्त और गापी-जेवा अतिवाय है । एक विद्यार्थी को कानन में प्रविष्ट पाण्डु मूट या ट्यूबेन्ट फाउन्टन में मोटोयुक्त की आवश्यकता पाले लगता है । निम्नता जना अथ उमर के लिए एक फैशन होने लगता है । कानान्तर में यन्त उमरा स्वभाव देन जाता है वह इसके विना कष्ट अनुभव करता है । जो विद्यार्थी एत परम्परागत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता वह प्रथम आनन्द के अन्त समाज में अथ या पिकात्पूरा कर्तव्य है । आवश्यकताओं की विशेषताएं (Characteristics of Wants)

मानव व्यवहार-व्यक्तताएं एत भीतिक सन्तार में तीव्र गति में वर्तन जा रहा है । इनकी प्रमुख विशेषताएं निम्ननिर्दिष्ट हैं —

(१) आवश्यकताएं अतन्त अपरिमित और अमन्य है (Wants are unlimited in number)—ज्य-या मनुष्य मौलिक सम्भन्ता की अर्थ अथम्भ होना है । या-स्व अतिकी आवश्यकताओं में वृद्धि हुना जाता है । सम्भन्ता का प्रारम्भिक अक्षन्ता में मनुष्य बचन जीवन में आवश्यकताओं में ही कृत रहता है । परन्तु उनमें निश्चित लेने के पश्चात् अन्त में सुख और विलास वस्तुओं का इच्छा अनुभव कर उनका प्राप्ति में प्रयत्नगीन रहने लगता है । एत स्वभाव में आवश्यकताएं एक के बाद दूसरा उपपन्न होती रहता है । मूरल (Moreland) एत मान का गिद्ध करन है कि किम प्रकार आवश्यकताएं वर्तन हैं । उदाहरणार्थ भूत मनुष्य को जब गाणे अन्त की सुखी रोती पूरा रूप में मिन्नत नग जाती है ना वह यन्त की रोती चक्षुष्य भी गाक ममाल आदि वस्तुओं की इच्छा करता है और मिन्तरी के वर्तना के स्वान पर धानु के वर्तना के उपभाग की इच्छा करन लभता है । एकी प्रकार एक नया बकील नवप्रथम ‘यागा’य इन्ट या ताग म जाता है । परन्तु ज्या-य-अकी प्राय म वृद्धि होता है उसी के अनुसार वह अथन निजी धीन वा कधी या तागा स्वन्त की च्छ करन है और अन्ते पश्चात् सम्भवत उगा गोटरगात्त के उपभाग की प्रवत्त इच्छा हा जाती है । मूरलड एत निष्पत्त पर पहुंचते हैं कि वेन उन्तरी की उस अवस्था को प्राप्त करने पर कि अधिकतम तागा की आवश्यकताएं आन की अपेक्षा अधिक सतुष्ट हात नग । यद्यपि अधिकतम मनुष्य की आवश्यकताओं का पूर्ति हात नगयी परन्तु यह अमन्यता क्भा नग आवेगा जब कि सपूर्ण आवश्यकताओं की पूर्ति हा सक्त क्योंकि एक आवश्यकता की पूर्ति होने ही दूसरी आवश्यकता उत्पन्न उत्पन्न हा जाता है । इन प्रकार आवश्यकताएं मन्थ मन्थ ही रहता है ।



मानव ने देखा जाय तो शिक्षा धातायात और सवाद के मायना व्यापार वैधानिक आविष्कारन स जो मान की वृद्धि होती है उसने हमारा आवश्यकताएं बढ़ती हैं। हमारी आधुनिक सभ्यता का आधारभूत आवश्यकताएं और उनकी वृद्धि ही है। जो समाज जितना ही अधिक नम्य और उन्नत होगा उतनी अधिक सस्था विभिन्नता और तीव्रता उसकी आवश्यकताया की होगी।

(२) प्रत्येक आवश्यकता किसी एक समय क निय पूरतया उन्न हो सकती है (Each want is satiable)—

यद्यपि आवश्यकताएं अग्रगणित ह तथापि प्रत्येक आवश्यकता किसी एक समय पूरतया तुल्य हो सकती है। उदाहरण के लिये यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो इन्डियन रोस्टिया के खाने स सभी उस समय तृप्ति हो जायगी। २०० प्रकार एक प्यास व्यक्ति की प्यास इन्डियन गान्ना य दानी पीने से पूरतया स पूर्य हो जाती है। जय-जस एक व्यक्ति भोजन करता जायना वैस वैसै उसकी भूख की तावना कम जाती जायगी और कुछ दशा स विरहून गत हो जायगी यदि फिर भी भोजन करता ही जाय तो इम (बाद के)



भोजन को कोई भी उपयोगिता न होगी। इसी विधिपता पर उपयोगिता हाम नियम (Law of Diminishing Utility) अवलम्बित है।




(३) आवश्यकताएं आवृत्तव हानी हैं (Wants are recurrent)—यद्यपि यह सत्य है कि प्रत्येक आवश्यकता किसी एक समय क निय पूरतया सतुष्ट की जा सकती है परन्तु कुछ समय के पश्चात् उसका अनुभव पुन हाव्य जयता है। जैसे दोपहर स भोजन करन स क्षुधा पूरतया गत हो जाती है परन्तु सायबाल का उसका पुन अनुभव होन उगत है और फिर उसकी तृप्ति क निय भोजन करना पडता है। इस प्रकार आवश्यकताएं आवृत्तव जाती है।

(४) आवश्यकताया स पारस्परिक स्पर्धा हानी हैं (Wants are Competitive)—मनुष्य अपने सीमित साधना स सीमित धान सताया का वृत्ति करने स प्रयत्नगान रहता है। सन उसकी आवश्यकताएं सवप्रथम मूनि के लिये प्रतिव्यक्ति करती हूँ देखी जाती हैं। मान सीजिय कि कोई व्यक्ति कुछ रुपय लकर बाजार जाना है और उनम एक पुस्तक एक फाउटेनपेन एक दूना का जोडा और एक सिनेमा टिकट खरीदना चाहता है। स गव दूनाएँ गरम्पर स्पर्धा करगी कि पहर वोनसी वृत्त हो। यह पय करन वान यत्ति की इच्छा पर निर्भर है कि वह अपनी

सीमित मात्रा जिस प्रकार इन इच्छाओं की पूर्ति के लिए व्यय करता है। वह उपयोगिता के अनुसार इन वस्तुओं का क्रय करता है। इस विनोदता पर अर्थशास्त्र का प्रसिद्ध सिद्धान्त 'सम-मार्गता-उपयोगिता नियम' (law of Equi-marginal Utility) आश्रित है।

(५) आवश्यकताएँ एक दूसरे के पूरक हैं (Wants are complementary)—मनुष्य की कुछ इच्छाएँ ऐसी हैं जिनकी पूर्ति अन्य वस्तुओं के द्वारा होती है। जैसे फ्राइस्टेनबेन के प्रयोग के लिये उसके उपयोग में आना वाली म्यादी और नागर आवश्यक होना चाहिये। इसी प्रकार मोटर-गाड़ी की इच्छा पूर्ति के लिये पेट्रोल आदि वस्तुओं का एक साथ उपस्थित होना आवश्यक है।




आवश्यकताएँ पूरक होती हैं।

(६) तीव्रता आवश्यकताओं का भेदक है (Wants vary in intensity)—आवश्यकताओं में पारस्परिक स्पर्धा होती है जो उनकी तीव्रता में पर्याप्त अन्तर है। आवश्यकताओं की तीव्रता में व्यक्ति बिनाश और समय के अनुसार भिन्नता पाई जाती है। जैसे एक व्यासे व्यक्ति के लिये भोजन की अपेक्षा जल अधिक आवश्यक है।

(७) वर्तमान आवश्यकताएँ भविष्य की आवश्यकताओं की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण प्रतीत होती हैं (Present wants appear more important than future wants)—नौग तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति को भावी आवश्यकताओं की पूर्ति की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं। इसका कारण स्पष्ट है। भविष्य अनिश्चित और अन्धकार पूर्ण होता है। अतः सुपारा वर्तमान को बड़ी महत्ता है यह सूक्ति इसी विनोदता पर आधारित है। सीगर महाशय कहते हैं कि उपभोग को वाची वस्तुओं की उपयोगिता वर्तमान वस्तुओं की अपेक्षा कम प्रतीत होती है। व्याज के कई नियम इसी पर अवलंबित हैं।

(८) आवश्यकताएँ स्वभाव या प्रकृति में परिणत हो जाती हैं (Wants become a matter of habit)—अधिनाश में आवश्यकताएँ

निरन्तर प्रयोग से मनुष्य के स्वभाव में परिवर्तन हो जाती है और स्वभाव (Habit) मनुष्य का दूसरी प्रकृति कहलाता है अर्थात् यह प्राण (Acquired) और अर्थिक (Artificial) होता है जो जन्म से प्राप्त नहीं होता है। उदाहरणार्थ कोई भी व्यक्ति बाल्यावस्था में भक्षण धूम्रपान करना आदि नहीं होता है किन्तु इनके निरन्तर प्रयोग से इनका प्राप्ति बन जाता है। किसी वस्तु का आदत पड़ जाने पर बिना उस वस्तु के प्रयोग के उसकी प्रतिरोधना और क्षमता में अन्तर पड़ना लगता है, उसका बिना उसे कर्तव्य होता है। वह वस्तु उसके लिये अनिवार्य हो जाती है। जैसे परीक्षा पास करने वाला क लिये अक्षय प्रति आवश्यक है, उनका अभाव में उनकी परीक्षा पास हो जाता है।



(८) आवश्यकताएँ सामाजिक स्तर पर निर्भर हैं (Wants depend on the social standard)—व्यक्ति आवश्यकताएँ ऐसी होती हैं जो किसी व्यक्ति में निर्धारित नहीं होती। प्रकृत उसका समाज में समझ जाती है। जब जो हम पहले हैं भवत किम्वद हम रहते हैं मेल जो हम खेलने हैं और आसानी प्रमोद क साधन जितने हम अक्षय है सबका हमारे सामाजिक जीवन के अनुसार अन्तर म अर्थात् प्रतिभाव है। जिस व्यक्ति का सामाजिक स्तर जितना ऊँचा या नीचा उच्च या अक्षय होता है उसकी आवश्यकताएँ भी उतनी ही ऊँचा या नापारण होगी है। एक उच्च पदाधिकारी या अक्षय मन्त्र मनुष्य की आवश्यकताएँ अक्षय निम्न वर्गीय व्यक्ति की अपेक्षा सबका अक्षय होगी। राजस्व राजस्वी या प्रधान अक्षय (Chief Commissioner) क लिये मोटर अक्षय अक्षय मूल्यवान वस्तु और उच्च (फर्नीचर) आवश्यक है पर सब साधारण प्रजाजन के लिये वस्तु आवश्यक नहीं।

(९) आवश्यकताएँ परस्पर परिवर्तनीय होती हैं (Wants are interchangeable)—यदि देखा जाता है कि एक वस्तु उगी प्रकाश की अधिक उपयोग वस्तु में परिवर्तित हो जाती है। अर्थात् भौतिक उक्ति एका है जो-या उगी वस्तु का उपयोग वस्तु में परिवर्तित हो जाता है और उसमें कर्तव्य कर्तव्य अधिक मायका वस्तु प्राप्ति वस्तु का स्थान में जाती है। जैसे मिट्टा के तेल का अक्षय विज्ञान के अक्षय में और साधारण छोटा गाड़ी मोटर और मोटर गाड़ी में परिवर्तित होने देखे जाते हैं।



(११) आवश्यकताएँ ज्ञान की वृद्धि के साथ बढ़ती हैं (Wants increase with the advance of knowledge)—मनुष्य के ज्ञान में

विधा यातायात व मोटर-सवारी आदि विधा में वृद्धि होती रहती है और व साथ-साथ



बल जा दृष्ट, जो मनुष्या के उत्साहन की वृद्धि करने में सहायक है। मनुष्य नदर-ई वस्तुया के विज्ञापन आदि को दखता है और उनके उपयोग को इच्छा का पूर्ण करने का प्रयत्न करता है। इन प्रकार उनका जीवन-मर जेबा उठ जाता है और परिष्कान स्वल्प आवश्यकताएँ भा जाती जाती है।

(१२) आवश्यकताएँ वैकल्पिक होती है (Wants are alternative) — किमी एक आवश्यकता की पूर्ति के कई माधन हान हैं जैसे सोपे काल में प्यास पानी के अनिश्चित मोस, लेमोनेड, घबन अथवा तरणी आदि से शान की जा सकती है और सोत काल में गर्म दूध, चाय या कॉफी आदि प्रयोग में लाए जाने हैं। अल्पिम दुतोपी इनके मूल्य मार उपभोक्ता के पान उपलब्ध मुद्रा पर निर्भर है।



(१३) आवश्यकताएँ समय, स्थान और व्यक्ति के अनुसार परिवर्तनशील हैं (Wants vary with time place and person) — आवश्यकताएँ सर्वद एग मो नहीं रहती। इनम समय, स्थान और व्यक्ति विषेय के अनुसार पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। चीन और उष्ण प्रदेश के निवासियों की आवश्यकताया म बडा भेद है। इमी प्रकार जा आवश्यकताएँ हमारे पूर्वजा की थी, वे अब हमारा नहीं हैं। अस्तु मनुष्या की आवश्यकताएँ विभिन्न है, और एग हा मनुष्य को आवश्यकताएँ विभिन्न समय और स्थान पर भिन्न-भिन्न हामो।

कल्पित अवास्तविक अभाव (Some Apparent Exceptions) — आवश्यकताया की विशेषताएँ, जिनका उल्लेख ऊपर किया जा चुका है, अभावद गूय नहीं हैं। उनके कल्पित अभाव निम्नवित्तित है —

(१) ऊपर यह उल्लेख किया जा चुका है कि प्रत्येक आवश्यकता किमी एग समय के लिए पूर्णतया सन्तुष्ट की जा सकती है, किन्तु कुछ आवश्यकताएँ ऐसी भी हैं जो कभी पूर्णतया सन्तुष्ट नहीं की जा सकती। वे आवश्यकताएँ निम्नवित्तित हैं —

(अ) कृपण की मृगमृगणा (Miser's love for wealth)—कृपण धन के लिए इतना प्रीमान्त होता है कि वह उसका सचय सचय करने में उदरदय स करता है न कि उपभोग के लिए। वह नित्य अपने बाप में चांदी सोन के आभूषण जवाहरात और मुद्रा आदि विविध प्रकार का धन देलना रबिबर मनभगा है और उह देखकर अत्यधिक प्रसन्न हुता है। वह इस बात के निय सदा सतक रहता है कि कभा संपत्ति कम न हो। अतः वह उत्तम में पूनगम मात्रा का उपभोग करता है। एम व्यक्ति अमाधारण होत है। इसलिय अर्थशास्त्र इनका अध्ययन नहीं करता।

(ब) प्रदर्शन प्रियता (Love of Display)—कुछ व्यक्ति एम होते हैं जिहें अपने धन या संपत्ति के दिखाने की प्रवृत्ति इच्छा होती है। वे भाजन वस्त्र भवन उपस्कर आभूषण रत्नादि में अत्यधिक व्यक्तिया में अधिक संपन्न हुता चाहत है और इन बातों की अधिकधिक वृद्धि कर दूसरों को प्रभावित करना चाहत है। एम व्यक्तिया की इच्छाओं की कदापि पूर्ति नहीं होती अस्तु के इच्छित वस्तुओं के संग्रह में निरन्तर प्रयत्नगोल देख जाते हैं।

वास्तव में देखा जाय तो यह कोई अणवाद नहा है। यह तो हमारी इच्छाओं के अन्त तथा असीमित होने के लक्षण का एक उदाहरण है ज्माही एक आत्मयकता हुता होती है दूसरी आवश्यकता सुरत उत्पन्न हो जाती है। जैसे मनुष्य का माधारण बल मित्रने संपत्ति है ता वह उत्तम बल की इच्छा करते हुए देखा जाता है। इस प्रकार इच्छाएँ एक के बाद दूसरी बढ़ती हो जाती हैं।

(स) शक्ति प्रियता (Love for Power)—कुछ मनुष्या में शक्ति बढ़ाने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वह निरन्तर अपनी शक्ति बढ़ाने में मग्न रहते हैं। जैसे किसी राजा ने एक दण जीत लिया तो वह अनेक एम दण जीतने का प्रयत्न करता है और इसमें परवान बिस्व विजयी होने की इच्छा को पूरा करने व उपायों को चुटाता है। मनुष्य की अपने प्रभाव, तेज वन बलादि की बढ़ाने की इच्छा कभी तुत नहीं रहती।

वास्तव में देखा जाय तो ऐसी इच्छाएँ साधारण मनुष्य में कम पाई जाती हैं। एमी इच्छाएँ असाधारण मनुष्य की ही होती हैं इसलिय इनका अध्ययन अर्थशास्त्र के धन की कम् नहीं है।

(द) मुद्रा प्रियता (Love of Money)—मुद्रा का आवश्यकता कभा भी तुत नहीं होती जितनी अधिक मात्रा मुद्रा की हम प्राप्त करग उननी ही अधिक उनकी इच्छा बढ़ती जायगी। हम मुद्रा को सचय करने व विचार में अधिकविक्रम प्राप्त नहा करेमें अमिनु इसकी अत्यधिक व कारण इसकी अधिकविक्रम प्राप्त करने का प्रयत्न करग।

जैसे ऊपर बतलाया जा चुका है कि आवश्यकताएँ असीमित और अन्त हैं और उनकी पूर्ति अधिकविक्रम मुद्रा में हो सकता है अतः मुद्रा का प्राप्त करने की इच्छा मनुष्य में प्रबल रहती है। कभी पूरणवा मनुष्य नहा हो पानी।

(२) आवश्यकताओं की कई एक विभाजनाओं में से उनकी अमरगता और अपरिमिता अत्यन्त लक्षणा है परन्तु यह संख्या सय नहा है। इसका अणवाद निम्न प्रकार है—

साधु और सधामिया का आवश्यकताएँ—एम महापुरुषों की आवश्यकताएँ विन्तुन सीमित होता है। उनका भाजन सात्विक तथा साधारण

होया है। सिंह या युगचर्म के अतिरिक्त विशेष वस्त्रों की आवश्यकता नहीं होती। ये भौतिक संसार में विरक्त होकर अपनी इच्छाओं और इन्द्रियों पर विजय प्राप्त कर 'मुक्ति' (Salvation) प्राप्ति के लिये प्रसक्त देते जाते हैं। इस बात का विवेचन प्रथम अध्याय में किया जा चुका है कि ऐसे व्यक्तियों का अर्थशास्त्र में अध्ययन नहीं किया जाता क्योंकि उनकी गणना जन-साधारण में नहीं की जाती।

**आवश्यकताओं की वृद्धि (Multiplication of wants)**—बहुधा यह चिन्तनीय विषय हो जाता है कि आवश्यकताओं की वृद्धि वाञ्छनीय है या नहीं। यह एक विवादास्पद विषय है, अतः उनकी वृद्धि साधनीय है अथवा अवाछनीय यह तहसा कह देना उचित प्रतीत नहीं होता। इस विषय में विद्वानों की विविध धारणाएँ नीचे दी जाती हैं।

आवश्यकताओं की वृद्धि वाञ्छनीय है

(Multiplication of wants desirable)

(१) इस पक्ष के पण्डितों की यह धारणा है कि आवश्यकता की वृद्धि से कुछ संतुष्टि अवश्य हो जाती है। इसके फलस्वरूप जितनी अधिक आवश्यकताएँ हमें प्राप्त करनी, उतनी ही अधिक सतुष्टि का परिमाण भी उतने ही अनुपात में बढ़ता जायगा। यह धारणा भौतिक अथवा अर्थशास्त्रीय दृष्टि में नितान्त समुचित है।

(२) आधुनिक मन्थता आवश्यकताओं की वृद्धि पर अवलम्बित है, अतः इनकी वृद्धि नितान्त वाञ्छनीय है।

(३) यदि हम आवश्यकताओं की न्यूनता में विश्वास करने लग जायेंगे तो यह विचारधारा हमारी आर्थिक उन्नति, राष्ट्रीय-व्यक्तित्व प्राप्त करने और संसार में उन्नति के लिये अपसर होने में बाधक सिद्ध होगी।

(४) यदि हम इस भौतिक तारार की आवश्यकताओं में कमी कर देंगे तो हम आर्थिक-दृष्टि से इतने निर्बल हो जायेंगे कि ममार का कोई भी देस हम पर विजय प्राप्त कर हमें अपने आधीन कर लेगा। यदि भारतवर्ष के निवासियों का जीवन स्तर उच्च हो जाता है, तो उसमें उन्नति की भावना भी बनी रहेगी। यह आर्थिक-उन्नति की और अपसर होने के लिये अनुपम प्रोत्साहन है।

**आवश्यकताओं की वृद्धि अवाछनीय है (Multiplication of wants is not desirable)**—इस विचारधारा वाले अधिकतर धार्मिक वृत्ति वाले व्यक्ति हैं जो मनुष्य की वास्तविक उन्नति उसके 'आत्म-विकास' में ही समझते हैं। वे इसके लिये भौतिकता में पतना उचित नहीं समझते। इसका उक्त निम्नलिखित वाक्यों पर निर्भर है :—

(१) वास्तविक उन्नति आत्म-कल्याण है न कि भौतिक समृद्धि।

(२) यदि कोई व्यक्ति या समाज अधिक आवश्यकताओं की वृद्धि में चक्कर में पड़ जायगा तो आध्यात्मिक उन्नति के लिये, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, उसे बहुत कम साधन मिल सकेगा।

(३) आवश्यकताओं की संख्या बढ़ाने और फिर उनकी पूर्ति के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रहने में मनुष्य का भौतिकवादी हो जाना स्वाभाविक है जो आध्यात्मिक उन्नति के लिये सर्वथा उसे अयोग्य कर देता है।

( ४ ) यदि आवश्यकताप्राप्त म अमीनिन वृद्धि होत है और उन मवरी पूर्ति होत म आर्थिक आपत्तियाँ उपस्थित हो जाती है तो जिन आवश्यकताप्राप्त की पूर्ति न हो सके उनम मरुत काय कर्त हो जायगा । अतः वृद्धिमत्ता अभी म है कि मनुष्य अपना पूरतम आवश्यकताएँ मने इसी आपात पर मवरीय गापी ने आवश्यक की मार और मर्याद की पुनता का मामना करन के निम्न भारतवर्षमिया जो अपनी आवश्यकताएँ कम करने की शिक्षा दी थी

उच्चिन् वृष्टिदोष (Right View)—उपयुक्त दोना दृष्टिकारण अतिगोतिन् (Falsity) है । उचित तथ्य इन दोना अतिगोतिन्वा के मध्य म स्थित है । उन शैतिक मसार ने आवश्यकताओं का माया जलनी कम भा न हानी पालिय नि कर्तन करन न निय प्रोत्साहन ही न रह और इनम अधिक भी नपे होनी चाहिय जिमम उनकी पूर्ति न होने पर दय का अनुभन हने मने ।

माराण यह है कि हमारी आवश्यकताएँ न अधिक और न कम हानी चाहिय । शीमित माधना के अनुकूल ही उनकी वृद्धि वाञ्छनीय है

क्या आवश्यकताएँ आय का प्रे म अधिक ताज वेग से उठनी ह ?

भारिक मनुष्यता व पुत्र म आवश्यकताप्राप्त की वृद्धि ने वडीपूत म मति प्राप्त कर गी है । वही एक कि एक मनु की नी छाता मोट और विरक्त आति चाहिय । जा लोग अधिक आवश्यकताप्राप्त की पूर्ति करने ह वे अधिक सम्य और उतन मभके जान ह । इस दौरे म आवश्यकताएँ इतनी बढ जाया है कि उनकी पूर्ति क साधन विरक्त जान है । हमारा अनिवाय आवश्यकताएँ (Necessaries of life) और गुण व विनाम की वस्तुया का उपभाग तत्र मति स बढ रहा है । विविध प्रकार के नवान आविष्कारा धार विनाम की वस्तुया म हम प्रभावित शीत जा रहे है जिमका फल यह है कि प्रतिदिन आवश्यकताप्राप्त म वृद्धि होनी रहनी है ।

दुमरी और हम देखते है कि हमारी आय एक सीमित मादा म शीता है । वह आवश्यकताप्राप्त की भाति बढ़ती नहा । आय म वृद्धि करना किमी यति विनाय के हाव की बात नहीं है वह ममाज की लच्छा पर और मनुष्यमन पर निभर है । अतः इस दोष को मरावर मपने क निये मनुष्य का अवन गुण और विनाम वस्तुया म कमो कमकी चाय । मनुष्य का कभी आवश्यकताप्राप्त की पूर्ति करन के निय अगुी नहा बनना चाहिय अथवा उसका जीवन नष्ट हो जायगा ।

आवश्यकताप्राप्त और आय के सन्तुलन करन व उपाय

( १ ) उत्पादन म वृद्धि जाना आवश्यक ह नियम आय म वृद्धि हो ।

( २ ) किमी देण या राष् क आर्थिक माधता का पूरा उपयोग करन के नि य कर्तन प्रोत्साहन मिच्छा चाहिय ।

( ३ ) जन मर्या की वृद्धि म उचित नियन्त्रण होना चाहिय ।

भारतीय कृषक का आवश्यकताएँ (Wants of an Indian farmer)

भारतीय कृषक की आवश्यकताप्राप्त पर प्रभाव पाने वाले निम्नलिखित कारण है —

( १ ) रीति या व्यवहार (Custom) म निर्धारित हान वाता आवश्यकताएँ — एक भारतीय कृषक का आवश्यकताएँ आय वृद्धि की श्रेता रीति या व्यवहार और प्रवृत्ति म अधिक प्रभावित हानी है । य दो विभागा म विभक्त हा सकनी

हैं—एक तो अनिवार्य आवश्यकताएँ और दूसरी रचनात्मक ( जो अनिवार्य न हो ) आवश्यकताएँ :—

(अ) अनिवार्य आवश्यकताएँ—भोजन, वस्त्र और आवास आदि उसकी आवश्यकताएँ अधिकतर रीति या व्यवहार से निर्धारित होती हैं। उसका भोजन एक विशेष प्रकार का होता है और उसकी वेप भूषा भी उसके पूर्वजों की भाँति अग्रगणा, पगड़ी और पोती होती है। उसकी अनिवार्य आवश्यकताएँ बिल्कुल व्यावहारिक रीतियों से प्रभावित होती हैं।

(ब) अजीवनोपयोगी या रचनात्मक आवश्यकताएँ—कुछ ऐसी आवश्यकताएँ हैं, जो अनिवार्य नहीं हैं अपितु वे सामाजिक व धार्मिक प्रभान से प्रचलित हैं, जन्म, मृत्यु और विवाह व गर्व आदि ने शवमरी पर होने वाले व्यय इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति का उदाहरण है।

(२) प्रकृति ( Habit ) द्वारा निर्धारित होने वाली आवश्यकताएँ—वृषण की ऐसी आवश्यकताएँ, जो न तो अनिवार्य हैं और न रीति-व्यवहार के दृष्टिकोण से परम्परागत हैं, अपितु स्वभाव से प्रचलित हैं, प्रकृति निर्धारित आवश्यकताएँ हैं, जैसे घूमना ( चित्रण, टुका आदि )।

(३) बुद्धि ( Reason ) से निर्धारित होने वाली आवश्यकताएँ—भारतीय वृषण प्रायः अंध और रुढ़िवादी होता है अतः बुद्धि से निर्धारित होने वाली उसकी आवश्यकताएँ बहुत कम हैं। जिन वस्तुओं का उपयोग वह परम्परा में करता आ रहा है उनके वह कोई परिवर्तन नहीं करना चाहेगा, यद्यपि किसी वस्तु के उपयोग से हानियाँ भी क्यों न उसे बतलाई जायें। उदाहरण के लिये, उसे टोपी की अपेक्षा टोप की उपयोगिता बतलाई जाय तो भी वह टोपी ही पहनता समन्द करेगा। अतः, उसकी आवश्यकताओं में बुद्धि का हस्तक्षेप बहुत कम है।

भारतीय श्रमिक की साधारण आवश्यकताएँ

( Ordinary wants of an Indian labour )

(१) भोजन ( Food )—एक भारतीय श्रमिक का भोजन अतः रीति-रिवाज ( Custom ) और अतः प्रकृति ( Habit ) से निर्धारित होता है। वह वही भोजन करता है जो उसके पूर्वज करते थे। यदि उसकी आय भी बड़ा जाय, तब भी वह परम्परागत खाद्य-पदार्थ ही उपभोग में लावेगा। जैसे एक हिन्दू श्रमिक मछली ही खाने पर भी अथवा मास-योग्य पदार्थ घोषित होने पर भी ( यदि वह पहले इनका उपभोग नहीं करता था ) कदापि प्रयोग में नहीं लावेगा।

(२) वस्त्र ( Clothing )—उष्ण जलवायु और अत्यन्त निर्धनता के कारण वह प्रायः केवल अपनी कमर की ही ढँकता है। विशेष अवसरों पर प्राचीन शैली और पैंतान के वस्त्र उपयोग में लाता है। इस मामले में वह अपनी बुद्धि से काम लेता है। वह पुराने कपड़ों के बरतने को छोड़ कर नए ढंग के सूते और टिकाऊ बरतने को भी प्रयोग में ला सकता है, यदि उसको अनुकूल प्रकार के बरतने की उपयोगिता में संतुष्ट कर दिया जाय।

(३) आवास ( Housing )—इस विषय में भारतीय श्रमिक प्रकृति और रीति-रिवाज में प्रभावित है। बुद्धि और विवेक हमने कोई स्थान नहीं रखते। एक अंगरेज श्रमिक जो कि उच्च जीवन-स्तर का आमतौर है दुर्लभ मछली, बापु-हिन कुछ



को उल्लेख कर माफ-मुहरे मकान में रहना पसन्द करेगा। परन्तु भारतीय श्रमिक मजदूर और प्राणालहार (Stuffy) वातावरण में भी रहने का सम्मत्न होता है।

(४) तम्बाकू मद्य, सिनेमा और जुआ (Tobacco, Alcohol, Cinema & Gambling)—भारत के औद्योगिक क्षेत्रों में श्रमिक व्यक्ति प्रायः इस प्रकार के दुष्टगुणों में पँस जाते हैं। ये व्यसन पारम्परिक व्यवहार और अपनी रूचि से लक्ष्मी प्रेरणा पाते हैं। श्रमिक तम्बाकू और शराब इनदिन पीता है, क्योंकि उसके समाज के अन्य व्यक्ति भी पीते हैं।

(५) औषधि द्वारा उपचार (Medicines)—भारत का प्रायः प्रत्येक व्यक्ति बीध होता है। यहाँ साधारण व्याधियाँ पारम्परिक नुस्खे प्रयोग में लाये जाते हैं। यहाँ रिवाज का पूर्ण प्रभाव है, फिर भी इन विषय में नुस्खे का काम होता है।

(६) शिक्षा (Education)—शिक्षा-सम्बन्धी विषय में वृद्धि और विवेक से अधिक काम नहीं लिया जाता, बल्कि वंश परम्परा के अनुसार जिनकी शिक्षा उन्हें अभीष्ट है, उन्हीं ही को प्राप्त करते हैं।

(७) मुकदमावाजी (Litigation)—मुकदमावाजी में प्रभोवर्गीय भारतीय व्यक्ति बड़ सम्पत्ति हैं।

(८) आनन्द प्रमोद, भोज आदि (Entertainments & Feasts)—गाँव और कस्बों के श्रमिकों की जाति-रिवाज के अनुसार विवाह एवं मृत्यु के अवसर पर सहभोज देने पड़ते हैं।

(९) आभाषण, विवाह, दाह-संस्कार—इन सब पर रीति-रिवाज के अनुसार व्यय किया जाता है।

(१०) सजावट की वस्तुएँ (Articles of Finery)—मजाबट या शादन्दर की वस्तुओं पर कम व्यय किया जाता है। रीति-रिवाज के अनुसार अन्य बातों पर पर्याप्त व्यय किया जाता है, परन्तु ऐसी वस्तुओं की वस्तुओं पर कम व्यय किया जाता है।

एक कालेज के विद्यार्थी की आवश्यकताएँ—कालेज के विद्यार्थी की आवश्यकताएँ रीति-रिवाज और पँसन में निर्धारित होती हैं। जब एक छात्र ने कालेज



का विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जिनको उच्च नगर व कालेज में प्रविष्ट होना है तो उस एक दिन अपनी कप-भूषा आदि में परिवर्तन कर देना पड़ता है। उसे अपने माथियों से सादर प्रार्थना करने हेतु साइकिल, फाउण्टन पेन, शाय की पत्ती, गूद, टाई, बाल्ट आदि का प्रयोग करना पड़ता है। सम्भवतः वह 'बुद्ध' समझा जायगा। उस पँसन और रीति से प्रभावित होकर धूमशाल जन्म पड़ता है तथा अपने लक्ष्य के लिए लड़ने के लिये सिगरेट-केस भी खरीदना पड़ता है। वह चाय पीता है और अपने मित्रों को भी चाय के लिए आमन्त्रित करता है। इसी प्रकार उसे बहुसूत्र्य भुगतान लेन, साबुन, सेट, फ्रीम, म्नी, टूथपेस्ट और फनीचर आदि वस्तुओं पर भी व्यय करना पड़ता है।

अन्यासार्थ प्रश्न

इन्टर आर्ट्स परीक्षाएँ


- १—'प्रावश्यकताया' क मुख्य लक्षणों पर नोट लिखिए ।  
(उ० प्र० १९५८, सागर १९५१ ४९)
  - २—'प्रावश्यकता' की परिभाषा कीजिए । प्रावश्यकताया क निधारण पर परिस्परित्या का प्रभाव स्पष्ट कीजिए ।  
(उ० प्र० १९५३)
  - ३—वहनी हुई प्रावश्यकताएँ बाह्यनीय आर्थिक ध्यय क्या है ? क्या वहनी हुई प्रावश्यकताया और उत्साहल स कायकमता का कोई परस्पर सम्बन्ध है ?  
(प्र० वा० १९६०)
  - ४—प्रावश्यकता का अर्थ स्पष्ट कीजिए । एक भारतीय कृषक की प्रावश्यकताया के निधारण पर रीति रिवाज, आदत और तक का प्रभाव अक्षर करत दृष्ट उनका उन्नय कीजिए ।  
(प्र० वा० १९३८)
  - ५—अर्थशास्त्र के अन्वयन से प्रावश्यकताया का महत्त्व व्यक्त कीजिए ।  
(उ० प्र० १९४८, ४९)
  - ६—प्रावश्यकताया का मर्यादा बढान वान्छनीय है या नहीं ?  
(उ० प्र० १९४२)  
(रा० वा० १९४८)
  - ७—'प्रावश्यकताएँ-प्रयत्न मन्तुष्टि ही अर्थ व्यवस्था का चक्र है । —वैमन्यिष्ठ क इस कथन की व्याख्या कीजिए ।  
(रा० वा० १९५०)
  - ८—'प्रावश्यकताएँ आर्थिक क्रियाया का जन्म देती है और आर्थिक क्रियाया प्रावश्यकताया को जन्म देती है । —स्पष्टतया व्याख्या कीजिए । प्रावश्यकताया का मर्यादा बढान किम सीमा तक वाञ्छनीय है ?  
(प्र० वा० १९४३)
  - ९—प्रावश्यकताया स क्या समझत है ? प्रावश्यकताया की प्रमुख विधायाया का उन्नय कीजिए ।  
(उ० प्र० १९५५, ५३ ५२, ४८, ४६)
  - १०—मानवीय प्रावश्यकताया की प्रमुख विशेषताया का मणन कीजिए । क्या प्रावश्यकताया पूर्णत मन्तुष्टि की जा सकती है ?  
(वनारम १९४४)
  - ११—मानवीय प्रावश्यकताया क मुख्य लक्षणों का मणन कीजिए । (रा० वा० १९४८-५०,  
(प्र० वा० १९४६, ३८, म० भा० १९५४ वनारम १९५३, ५१)
  - १२—प्रावश्यकताया के क्या मुख्य लक्षण हैं ? कौन सी प्रावश्यकताएँ तीव्र हानती हैं और क्यों ?  
(सागर १९५८)
  - १३—प्रावश्यकताया क क्या मुख्य लक्षण है ? क्या प्रावश्यकताया का मर्यादा बढान उचित है ?  
(सागर १९५८, उ० प्र० १९६२, सागर १९६५)
- इन्टर एग्जीक्यूटिव परीक्षाएँ
- १४—मानवीय प्रावश्यकताया के लक्षणों पर टिप्पणी लिखिए । (रा० वा० १९५९)
  - १५—'प्रावश्यकताया स प्रतिस्पर्धा होता है । —स्पष्ट समझाइए । (उ० प्र० १९५०)
  - १६—'प्रयत्न प्रावश्यकता तीव्रतया हानती है । —स्पष्ट कीजिए । (उ० प्र० १९६८)
  - १७—प्रावश्यकताया के अर्थ बताइए और मानवीय प्रावश्यकताया के प्रमुख लक्षणों का मणन कीजिए ।  
(प्र० वा० १९५३, ५०)

## आवश्यकताओं का वर्गीकरण (Classification of Wants)

आवश्यकताओं के वर्गीकरण का कारण

मनुष्य अपने साधारण जीवन में अनेक आवश्यकताओं का अनुभव करता है। वे समान रूप में आवश्यक नहीं होतीं। उनमें से कुछ अधिक आवश्यक होती हैं और कुछ कम। हमारा कुछ आवश्यकताएँ तो ऐसी हैं जिनकी पूर्ति व बिना मनुष्य जीवन स्थिर नहीं रह सकता। उन्हें अनिवार्य आवश्यकताएँ कहते हैं। अर्थशास्त्र में तृप्ति के लिए मनुष्य वस्तु को अनिवार्यता उसे आवश्यक बनाती है। अतः जो वस्तुएँ हमारी प्रमुख आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं उन्हें अनिवार्य या आवश्यक पदार्थ (Articles of Necessity) कहते हैं। ये सब आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं को 'सुख और विलास वस्तुएँ' (Articles of Comforts and Luxuries) कहते हैं।

दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनुष्य सब आवश्यकताओं का तृप्ति एक साथ नहीं कर सकता क्योंकि आवश्यकताएँ तीव्रता (Intensity) में पर्याप्त भिन्नता रखती हैं। कुछ आवश्यकताएँ अधिक तीव्रता रखती हैं और कुछ कम। अधिक तीव्र आवश्यकताओं की तृप्ति के लिए विविध उपयुक्त साधन जुटाने में पूर्व सोचा जाना है कि तृप्ति किस व्यक्ति के लिये कितनी मात्रा में आवश्यक है। इस दृष्टि से मानव आवश्यकताएँ मुख्यतः तीन भागों में विभाजित की गई हैं—(१) अनिवार्य आवश्यकताएँ, (२) सुखकर आवश्यकताएँ और (३) विलासिताएँ। इन्हें स्पष्ट करने के लिये नीचे चित्र दिया जाता है—



(१) अनिवार्य आवश्यकताएँ (Necessaries of Life)—मनुष्य की प्रारम्भिक आवश्यकताएँ अनिवार्य आवश्यकताएँ कहलाती हैं। इनकी अनिवार्यता

का अनुभव इनके द्वारा किसी इच्छा को तृप्ति के अभाव में उठ पड़ी हानि वाली पीड़ा में किया जा सकता है। इन इच्छाओं की पूर्ति तीन भागों में विभक्त की जाती है—जीवन रक्षा, दयिता और साक्षात्कार।

अनिवार्य आवश्यकताओं का उपविभाजन—अनिवार्य आवश्यकताएँ भिन्न भिन्न कारणों से उत्पन्न हानि के कारण विभिन्न विभिन्न विभागों में बाँटी जाती हैं—

(अ) जीवनाथ आवश्यकताएँ (Necessaries for Existence)—  
जिन आवश्यकताओं का पूर्ति मनुष्य जीवन का स्थिर रहना के लिये की जाती है वे जीवनाथ आवश्यकताएँ कहलाती हैं। प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न्यूनतम भोजन पदार्थ और पदार्थ चाहिए जिससे वह अपना जीवन गति और स्वास्थ्य को स्थिर रख सके। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये मनुष्य को स्वास्थ्य विज्ञान के कारण जीवन का अनिवार्य विषय प्रस्तुत हो सकता है।

जीवनाथ न्यूनतम आवश्यकताएँ देना का अर्थ जीवन का अनुसार पदार्थ भिन्नता रखनी है। उदाहरण के लिये पात देना में आवश्यकताओं में भोजन पदार्थ (Drink) और न अतिरिक्त पर्याप्त अन्न विषय प्रदान का आवास (Shelter) का होना चाहिए। परन्तु भोजन के समान रखाया के लिये दूध और आवास अतिरिक्त माँस में आवश्यक नहीं। गीत बाल में समान आवास और एक कमरा ही पर्याप्त है। एक देश में जीवनाथ आवश्यकताएँ एक ही मकान कुछ अन्न जन की मात्रा है जो वह जिन स्थान में समर्थ है।

जीवनाथ आवश्यकताएँ पदार्थों के उपभाग के प्रभाव— इनकी पूर्ति के लिये मनुष्य को निरन्तर उद्योगगत रहना पड़ता है। अतः वे मनुष्य को परिश्रमी बनाता है।



(ब) दक्षिण आवश्यकताएँ (Necessaries for Efficiency)—  
जीवनाथ आवश्यकताओं के अतिरिक्त कुछ आवश्यकताएँ ऐसी हैं जिनकी पूर्ति मनुष्य को परोपकार की गति एवं निष्पत्ति बनाए रखने के लिये आवश्यक है। ऐसी आवश्यकताएँ दक्षिण आवश्यकताएँ कहली जाती हैं। जैसे पौष्टिक भोजन स्वच्छ और उत्तम वस्त्र अतिरिक्त उपचार के माध्यम से आवास-सम्बन्धी सुविधाएँ सुखायुक्त के लिये समुचित प्राण और हवादार भवन आदि।

दक्षिण आवश्यकताएँ पदार्थों के उपभाग का प्रभाव— इन आवश्यकताओं के उपभाग से मनुष्य को योग्यता अथवा दक्षता में वृद्धि होती है। वे आवश्यकताओं

की पूर्ति न होने से मनुष्य की निपुणता और धन प्राप्ति पक्ष पर विपरीत प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ।



(म) लड़क्य आवश्यकताय (Conventional Necessaries) — मनुष्य आवश्यकताएँ हैं जिनकी पूर्ति मनुष्य अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिये करता है । समाज के एक सदस्य के रूप में एसे आवश्यकताओं की पूर्ति उसे अवश्य करना पड़ती है अथवा यह सामाजिक दृष्टि से गिर जाता है और तब व्यक्ति के सम्मान का धन धन जाता है । इन आवश्यकताओं का प्रति रिवाज आचार विचार तथा धर्म पट जाने से आवश्यक बन जाती है दुर्भाग्य या मनुष्य आवश्यकताओं की वस्तुएँ बनने हैं ।



मनुष्य सामाजिक प्राणी है समाज का अंग बनने के कारण उसे समाज के आचार विचार रीति रिवाज रखने सहज भाँति का ध्यान करना पड़ता है । अतिविचार म धन धन सुधार के लिये समाज के लिये सामाजिक तथा धार्मिक समस्याओं के अवसर पर प्रयोग में आने वाला वस्तु है । इन मनुष्य विचारों का अर्थ अर्थ है समाज और समाजियों को प्रति रिवाज के अनुसार व्यवहार करने का अर्थ है समाज पर विचार प्रचार का भाव बनना और समाज धारण करना अर्थात् समाज को बनाए रखना है । क्योंकि इसकी वृत्ति व्यावहारिक रीति रिवाजों के कारण आवश्यक समझी जाती है । इस प्रकार के विविध व्यवसाय मनुष्य अपनी सामाजिक सुखानि और प्रतिष्ठा का महत्व समझता है । मनुष्य एक स्थान पर स्थित है — बहुत मनुष्य व्यक्ति केवल समाज के अर्थमान में बचने के लिये अपनी अवस्था प्रतिवार आवश्यकताओं की पूर्ति को ऊपर ऊपर विचार, मनुष्य और धर्म धार्मिक या सामाजिक उपायों पर ध्यान देना अपना कर्तव्य समझने हैं ।

भारतवर्ष में रुढ़िया का प्रभाव अधिक होने से साधारण स्थिति का मनुष्य भी अपनी जीवनाय एक दशताय आवश्यकताओं में कमी कर मूढ आवश्यकताओं को सतुष्ट करने का प्रयत्न करता है। ताह वद मो ही, यह विनाह भोत्र अथवा मुन भोत्र प्रवश्य करेगा।

इनके उपभोग का प्रभाव—इनके उपभोग से मनुष्य रुढ़िवादी हो जाता है, इसका परिणाम यह देखा गया है कि उनका मानसिक विनाम मकीम हो जाता है।

अनिवार्य आवश्यकताओं में मूल्य और माय का सम्बन्ध—मनुष्य आवश्यकताओं को माय में मूल्य के अनुपात में कम परिचालन होता है। उदाहरण के लिए, नमक का मूल्य अधिक गिर जाने पर भी नमक आवश्यकता के अनुसार ही खरीदा जायगा—

(२) सुखकर आवश्यकताएं (Comforts)—जिन आवश्यकताओं को पूर्ण अनिवार्य आवश्यकताओं के उपरान्त जीवन को सुखी आन प्रमत्त प्रदान करने का जाय सुखकर आवश्यकताएं कहनाती है। उदाहरण के लिए स्वादि भाजन मय भवन, चित्रण आदि मनोरंजन के मायन, विज्ञान का प्रयत्न, रसम या मनमन का पूर्ण और एक उत्तम विज्ञानी पत्नी योनी आवर काट एक पुत्रदार की की रजाई— ये मय पदाय सुखकर कहें जाते हैं। इन्हीं प्रकार एक विज्ञानी के लिए एक पुत्रक अनिवार्य आवश्यकता है एक मय और सुखी उगके लिए दशताय आवश्यकता है, परन्तु गरीब मय उमर लिए सुखकर प्रमत्त है। सुखकर बहुत ही जीवन को प्रसन्न और सुखी बनाती है। इनके अभाव में मनुष्य को बुद्ध दुःख कहा जाता है। इनके अभाव और निपूरणा में भा अथवा वृद्धि होती है परन्तु इन पर विना अय के अनुपात में नहीं। इनके अभाव में मौसिक निपूरणा की धनि ही नहीं होती प्रमत्त इनकी पूर्ण से होय व त ताभा म भ आवश्यक वचित रहता प्रवता है।



सुखकर एवं दशताय आवश्यकताओं में भेद—इत दाता का अन्त अन्तमत्त अन्तमत्त आवश्यक है कि अन्तमत्त विचारयोग्य दाता को एक ही प्रमत्त मयम हो है। वास्तव में दाता म यमात अन्तमत्त है। सुखकर प्रमत्त पर विना अय दिया जाता है उनका अय त ताभा मय होता है। परन्तु दशताय प्रमत्त के उपभोग में स्वास्थ्य मय दाता में निम्बरदह अधिक लाभ पहुँचना है।

सुखकर पदाय के उपभोग का प्रभाव—निरन्तर सुख का जीवन मनुष्य का योमत मय विना बना देता है जिसमें वह अमपूर्ण जीवन के लिए प्रयोय निद शान लगता है।

मूल्य और मांग का सम्बन्ध—मांग और मूल्य में मूल्य की वृद्धाधिकता से समानुपात में कम परिवर्तन होने के कारण सबल लाभ प्रभाव शून्य रहता है।

(3) विनाशिताए (Luxuries) — जिन आवश्यकताओं की पूर्ति जीवन की अधिकतम सुखी और विपदायक कालों के लिए की जाये वे विनाशिताए कहलाती हैं। जो वस्तुएँ या सेवाएँ ऐसी आवश्यकताओं को मत्तु करती हैं वे विनाश वस्तुएँ या सेवाएँ कहलाती हैं। इन पर जो व्यय किया जाता है वह आवश्यकता से कभी अधिक होता है। इन आवश्यकताओं की पूर्ति जीवन स्तर को केवल एक-दो भागमें रकन के अन्तर्गत ही जाती है। विनाश-वस्तुएँ अनावश्यक होती हैं। इनके विनाश भी मनुष्य का काम नहीं प्रकार बन सकता है। इसी कारण प्रो० जी० न डी० अनावश्यक आवश्यकताएँ (Superfluous Wants) कह कर पुकारा है। प्रो० ग्लोबल ने इसे अतिरिक्त व्यय के 'Excessive Personal Consumption' कहा है। रुचि ने इसे अनपेक्षित अपेक्षा (Undesired Desires) कहा है। प्रयोगों निष्पात प्राप्ति के अतिरिक्त सुख (मात्र) में अधिक मनोप्राप्त करने की वृद्धि कहा है। मात्रा प्रकार के स्वादिष्ट भोजन बहुमूल्य वस्त्र भव्य भवन हाथ बहुमूल्य मोटर उपकरण (फर्नीचर) चित्र कला व संग्रह इनके कुछ उदाहरण हैं। इन आवश्यकताओं का पूर्ति में अधिक व्यय प्राप्त होता है पर वह शक्ति होने के अतिरिक्त कार्य कुशलता एवं निपणता में उपाय भी सुदृष्ट नहीं करता। कम कभी तो इनका उपभोग हानिकारक सिद्ध होता है। कम उपाय विनाश वस्तुओं का प्रयोग हानिकारक उपभोग भी कहलाता है। उनके अभाव में किसी व्यक्ति का कल्याण नरहता है।



विनाश वस्तुओं का उपभोग का प्रभाव—विनाश वस्तुओं के अतिरिक्त उपभोग से मनुष्य अपने मानवता की सीमा में वापस रहने लगता है। परिणामतः वह अपने जीवन का व्ययगत नरक बनाता है। अधिक व्यय का अर्थ है अधिक उपभोग। अधिक उपभोग का अर्थ है अधिक व्यय। इससे अतिरिक्त मनुष्य अपने जीवन की सीमाओं को जानता है और परिश्रम से जा चुकाने लगता है।

मूल्य और मांग का सम्बन्ध—कम मांग और मूल्य में अधिक परिवर्तन होने पर ही मांग में अधिक परिवर्तन हो जाता है। अतः का भाव चार आन पाव से गिर कर तीन आन पाव हो जाता है। यदि व्यक्ति का उत्पन्न अन्न के दामान पर दया जाता है। इससे विपरीत यदि वस्तुओं के मूल्य में कम हो गई है तो मनुष्य को उन वस्तुओं पर व्यय करने की आवश्यकता नितान्त कम हो जाती है।

सुख और विलास वस्तुओं में भेद—सुखकर वस्तुओं पर जो कुछ व्यय किया जाता है। उसका योज-बहुत लाभ अवश्य प्राप्त होता है, परन्तु विलास वस्तुओं पर किया गया व्यय तार्थिक सिद्ध नहीं होता।

अनिवार्य, सुखकर प्रापश्यकताएँ और विलासिताएँ सापेक्षिक शब्द (Relative Terms) हैं—उपभोग की वस्तुओं को उपयुक्त तीन श्रेणियों में विभक्त हो अवश्य कर दिया है, पर कौनसी वस्तुएँ किम धरणी में जाली है इसे निश्चित रूप में कहना बहुत कठिन है। हम यह नहीं कह सकते कि अमुक वस्तु सबके लिए 'अनिवार्य पदार्थ' है अथवा 'सुखकर वस्तु' है। सहसा यह घोषित कर देना भूल है कि अमुक वस्तु अनिवार्य है और अमुक सुख या विलास-वस्तु है। जैसे, बेहूँ का अनिवार्य वस्तु, मोटर को सुख वस्तु और जवाहरात को विलास-वस्तु घोषित करना वृद्धिपूर्ण होगा। वास्तव में, देखा जाय तो वस्तुओं का वर्गीकरण अनेक बातों पर निर्भर है। व्यक्ति विशेष, उसका जीवन-स्तर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक स्थिति उसका स्वभाव, विचार और वेदा का जनवाद्य रीति-रिवाज तथा कौशल, समय, मूल्य, वस्तु का परिमाण आदि दृष्टिकोणों में अमुक वस्तु अनिवार्य, सुखकर या विलासिता समझी जावेगी। ये मन बातें प्रत्येक स्थान और समय पर समान नहीं होतीं। उनके परिवर्तन होने में भिन्न-भिन्न वस्तुएँ एक श्रेणी में हटकर दूसरी श्रेणी में आ जाती हैं। इस कारण किसी वस्तु को बिना किमी उमर कही गयी कसौटियों पर कमे द्ये किसी वर्ग विशेष में गिन लेना व्यायसगत नहीं है।

प्रापश्यकताओं की भेद-सूचक तालिका

प्रापश्यकताओं का वर्गीकरण	उद्देश्य	जीवन स्तर	इक्षता पर प्रभाव		सुख दुःख की देना मूल्य और गति		का सम्बन्ध
			पूति	अभाव	पूति	अभाव	
अनिवार्य प्रापश्यकताएँ	केवल जीवनार्थ	न्यूनतम	स्थिर रहना	भारी हानि	कुछ सुख	तीव्र दुःख	मांग में मूल्य के अनुपात से कम परिवर्तन
सुखकर प्रापश्यकताएँ	अधिक मूल्यो जीवनार्थ	निष्ट (Decent)	कुछ श्रद्धि	कोई हानि नहीं	पर्याप्त सुख	दुःख दुःख	गति और मूल्य में समानुपात से कम परिवर्तन
विलासिताएँ	अधिक भवपूर्ण जीवनार्थ	उच्च और व्ययो	कोई श्रद्धि नहीं	कोई हानि नहीं	अधिक सुख	कोई दुःख नहीं	मांग में मूल्य के अनुपात से अधिक परिवर्तन



व्यक्ति विशेष और उसका जीवन पर प्रभाव—वस्तुओं का धर्मीकरण व्यक्ति विशेष के साथ साथ भिन्नता रखता है। कोई एक वस्तु किसी व्यक्ति के लिए अनिवाय दूसरे के लिए सुखकर और तीसरे के लिए विनाश-वस्तु मित्र हो सकती है। उदाहरण के लिए एक मोटर कार किसी के व्यक्ति का वस्तु-वस्तु के लिए अनिवाय वस्तु है क्योंकि वह उसकी सज्जता से अल्प समय में बहुत से लोगों को देन सकता है। एक फायर के प्रोफेसर के लिए यह एक सुख वस्तु है क्योंकि इसके प्रयोग में उसे जाने कौन कौन से कष्ट पदा नष्ट होगी और उसके कार्य में सुगमता से वृद्धि करने में कुछ सहायक मित्र होती है परंतु यही एक साधारण आयापक के लिए विनाश वस्तु मित्र होगी। हाथ मार स्थान में आनंद वस्तु आयापक के लिए वह मोटर अनिवाय हो सकती है। आनंदमान की एन एन० सी० या बरिन्ट्री (Bar at law) या उच्चतम ज्ञानवद्या के छात्र को यावगाय (Yorkshire) में आनंद मान के लिए मोटर रखना अनिवाय समझा जाता है। इसी प्रकार एक टेलीफोन किसी पत्र के सम्पादक के लिए एक अनिवाय वस्तु है एक कानिज के प्रोफेसर के लिए यह एक सुख वस्तु है और एक जमदार के लिए यह एक विलास की वस्तु है।



सामाजिक स्थिति सामाजिक स्थिति का भिन्नता वस्तुओं का वर्गीकरण में विभिन्नता पदा कर देता है। जगत् की वस्तुओं का वर्गीकरण सामाजिक वस्तुओं के लिए अलग-अलग है परन्तु सामाजिक स्थिति विनाश वस्तुओं होगी और सुख वर्गीय वस्तुओं के लिए सम्भवतः सुख करण मित्र हो सकती है। इस प्रकार सामाजिक स्थिति पत्र सामाजिक वस्तुओं के लिए एक आवश्यकताओं में सम्मिलित है पर सामाजिक स्थिति के लिए यह विनाश वस्तु है।

आय वस्तुस्थिति मनुष्य के प्रायः भी एक विविध क्रांति का भिन्नता का कारण बन जाती है। विज्ञानी के अनुसार एक साधारण वस्तु पर मनुष्य की परीक्षा कर। यदि व्यक्ति मध्य स्थिति का व्यक्ति पर्याप्त साधन सम्पन्न है तो यह अनिवाय वस्तु है परन्तु वही वस्तु कृपक के लिए सुख-वस्तु है और पूरे प्रायः वस्तु सामाजिक स्थिति के लिए विनाश वस्तु है।

स्वभाव या प्रकृति—मनुष्य की प्रकृति में भी यह वर्गीकरण प्रभावित होता रहता है। जगत् की सामाजिक स्थिति वस्तुओं का व्यक्ति के लिए प्रायः एक अनिवाय वस्तु हो जाती है परन्तु एक वस्तु के लिए जा कवल स्वाद के लिए प्रायः पान की शक्ति

में प्रवेश करता है, यह निस्पन्दित विलास-वस्तु है, यद्यपि यह एक उद्योगशाला के श्रमिक के लिये मुक्त वस्तु है, यदि वह उस दिन भर कार्य करने के पश्चात् अपनी भ्रान्त को दूर करने के प्रयोजन में सेवन करता है।

**विचार—**मनुष्य के विचार का भी वस्तुओं के विभाजन में कम महत्व नहीं है। जो मनुष्य 'साधारण जीवन और उच्च विचार' में विश्वास रखता है उनके लिए साधारण भोजन, शयन, आवास आदि ही अनिवार्य वस्तुएँ हैं। शेष वैभव प्रदर्शन वस्तुएँ उनके लिए विलास-वस्तुएँ हैं।

**देश—**स्थान परिवर्तन के साथ-साथ वस्तुओं के वर्गीकरण में भिन्नता आ जाती है। जो वस्तु एक स्थान पर आवश्यक मानी जाती है वही दूसरे स्थान पर मुख्य या विलास वस्तु की भाँति में गिनी जाती है। भारत स्पष्ट है, भिन्न-भिन्न स्थान पर जलवायु, रीति-रिवाज, पंथ आदि में पर्याप्त भिन्नता होती है। उदाहरण के लिए, दुर्गलक्ष्मी देव में उनी वस्त्र प्रनिधाय वस्तु है क्योंकि इनके बिना मनुष्य अपने शरीर की रक्षा नहीं कर सकता, किन्तु वही लका जैम देन में आवश्यक नहीं समझा जाते। उदाहरण के लिए पुरु में बासा उनी बाँट पहने प्रायः मैन ही नहीं, विनम ही मिहारी माहुर ( लका व मध्य जगतीर ) भी गर्म उनी मवाददार बाँट पहने मिलते हैं। आखिर उन प्रकार के वस्त्र यदि प्रकृति न जगा-नहीं दिया, तो क्या वे उनी कपड़ा को पहनने का अधिक न करें? किन्तु ही मिहारी माहुरा को उनीनी जाय और कौसी पता देखकर भी प्रकृत माहुर होगा पर ममना चाहिये कि लका और उनीनी राजधानी का उनीनी मनुष्य विलास में भारत में उनीनी आम बढ थाए है। भारतीय माहुरा व गहन रुठ आवश्यकता है, परन्तु पाश्चात्य माहुरा व लिए 'विनामिता है।

**मूल्य—**किमी वस्तु के मूल्य में न्यूनता-विविधता में उच्च वस्तु के श्रेणी विभाजन पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जैसे किसी एक कपड़े का मूल्य ७ रु० प्रति गज हो, तो वह विलास वस्तु के अन्तर्गत आता है। उसका मूल्य ३ रु० गज हो जान पर मुख्य-वस्तु ही जाता है और वह आठ आठ गज मितन लग जाय, तो अनिवार्य वस्तु का रूप धारण कर लेता है।

**वस्तु का परिमाण—**एक साधारण व्यक्ति के लिए एक छोटा सूता अनिवार्य वस्तु है दूसरा जोड़ा मुख्य-वस्तु है और तीसरा जोड़ा विलास-वस्तु। इस प्रकार वस्तु की संख्या और मात्रा में भी वस्तुओं के वर्गीकरण में अन्तर हो जाता है।

**समय—**समय के हर पैर में बहुत-सी भाग्य वस्तुएँ एक श्रेणी में दूसरी श्रेणी में परिवर्तित हो जाती हैं। कुछ वर्ष पूर्व टोप एक विलास वस्तु समझा जाता था पर आजकल वह शीत ऋतु में निदिवन रूप में एक अनिवार्य वस्तु हो गया है और शीतमान में तो यही मुक्त-वस्तु समझा जाता है।

**वर्गीकरण का आधार (Basis of Classification) —**यद्यपि यह प्रश्न प्रस्तुत होता है कि क्या वस्तुओं का वर्गीकरण किसी साधारण आधार पर व्यवस्थित है अथवा इन गज तथ्यों के मूल में दक्षता या निपुणता नामक कोई तत्त्व निहित रहता है। इसको स्पष्ट स्पष्ट करते हुए यों कहा जा सकता है कि अमुक वस्तु को किसी निश्चित बाँट में रखने के लिए उस वस्तु के उपयोग का कार्य-सुचनता अथवा दक्षता (Efficiency) पर बड़ा प्रभाव पड़ता है, यह देयता पत्ता है। यदि

किसी वस्तु के उपभोग से उपभोक्ता की कार्य-क्षमता में अनुचित वृद्धि होती है अथवा स्थिरता बनी रहती है अथवा उसका उपभोग न करने में दक्षता बढ़ती गिर जाती है, तो उस वस्तु को अनिवार्य वस्तु (Article of Necessity) की श्रेणी में रखेंगे। यदि उसके उपभोग से उपभोक्ता की कार्य-क्षमता में वृद्धि घटन हुए अनुपात में होती है तथा उसके अभाव में या हानि अनुपात में अधिक है तो ऐसी वस्तु सुख वस्तु (Article of Comfort) की श्रेणी में रखा जावेगी। इसी प्रकार यदि किसी वस्तु के उपभोग से न तो दक्षता में वृद्धि होती हो और न उसमें अभाव में हानि होता हो, तो उसे विनाश वस्तु (Article of Luxury) कहेंगे।

वर्गीकरण आधार सूचक तालिका—निम्नलिखित तालिका में वस्तुओं के वर्गीकरण का आधार मन्वी भाव प्रकट होता है—

विभाग	उपभोग का प्रभाव	उपभोग के अभाव का प्रभाव
अनिवार्य वस्तुएं	कार्य-क्षमता में पर्याप्त वृद्धि	कार्य-क्षमता में पर्याप्त हानि
सुख वस्तुएं	कार्य-क्षमता में आंशिक वृद्धि	कार्य-क्षमता में भी कुछ हानि
विनाश वस्तुएं	कार्य-क्षमता में शून्य वृद्धि	कार्य-क्षमता में कोई हानि नहीं

उपभोग का क्रम (Order of Consumption)—वस्तुओं के उपभोग के क्रम का कोई स्थिर नियम नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि मनुष्य सत्रस प्रथम अनिवार्य वस्तुओं पर व्यय करे फिर सुख वस्तुओं और अंत में विनाश वस्तुओं पर। यह तो उसकी प्रकृति अथवा स्वभाव और इच्छा पर निर्भर है कि वह किस क्रम से वस्तुओं का उपभोग करेगा है। बुद्धिमान व्यक्ति अपनी आय का अधिकांश भाग अनिवार्य आवश्यकताओं पर व्यय करेगा तत्पश्चात् सुख वस्तुओं पर अंत में विनाश वस्तुओं पर। वह अपनी परिमित आय का अधिकांश भाग इसी प्रकार प्राप्त कर सकता है। प्रत्येक व्यक्ति इतन दूरदर्शी नहीं होते कि वे भविष्य का पूरा-पूरा ध्यान रख सकें। वे तो 'आधे, पीछे और मोज' उदासों में विश्वास करने वाले हैं जो अपनी सारी आय वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में व्यय कर देते हैं। मनुष्य अज्ञानवश या फुटन के बशीर्षक होकर अपनी सामाजिक स्थिति में शायद बन कर इस क्रम के अनुसार नहीं चलते। एक अधिवजन उत्तम भोजन या बच्चा की शिक्षा की उपलब्धि कर प्रानन्द प्रमोद या विवाहोत्सव तथा मृत भोजन में व्यय कर देता है। जो उपयुक्त उपभोग क्रम का पालन नहीं करते वे निश्चय रूप से मृत्ति तथा सुख के अभावों का अनुभव करते हैं।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—आवश्यकताओं का वर्गीकरण कीजिए। क्या विभिन्न आवश्यकताएँ सापेक्षिक होती हैं? स्पष्ट कीजिए। (उ० प्र० १९५७)
- २—'आवश्यकताएँ पारस्परिक हैं।' इस सदर्भ में आवश्यकताओं का वर्गीकरण करते हुए आप जो जानते हैं, लिखिए। (म० भा० १९५७)
- ३—क्या एक ही वस्तु जैसे मोटर-कार या फ्राउण्टेन-पैन भिन्न भिन्न परिस्थितियों में अनिवार्य, सुखकर अथवा विलास की वस्तु समझी जा सकती है? विस्तारपूर्वक समझाकर लिखिए। (रा० बो० १९५८, उ० प्र० १९५२)
- ४—अनिवार्यताओं, सुविधाओं और विलासिताओं का अन्तर भारत के उदाहरण देकर समझाइए। (रा० बो० १९५६, ५३, ५१)
- ५—अनिवार्य, सुखकर तथा विलास की वस्तुओं का अन्तर स्पष्ट कीजिए। क्या कोई एक वस्तु किसी एक व्यक्ति के लिए विभिन्न परिस्थितियों में अनिवार्य, सुखकर अथवा विलास की वस्तु हो सकती है? उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। वर्गीकरण का आधार भी स्पष्टतया समझाइए। (रा० बो० १९५४)
- ६—अनिवार्यताएँ, सुखकर आवश्यकताएँ तथा विलासिताओं का अन्तर स्पष्ट कीजिए। क्या प्रायिक दृष्टि से विलासिताओं का उपभोग करना उचित है? (प्र० बो० १९५५)
- ७—अनिवार्य, सुखकर तथा विलासिता सम्बन्धी आवश्यकताओं का अन्तर स्पष्ट कीजिए। क्या ये सापेक्षिक हैं? उदाहरणों द्वारा समझाइए। (नागपुर १९५१)
- ८—'उपभोग का अनुक्रम (Order) नियम या नियन्त्रण का विषय नहीं है। वह निजी आदतें (Person Habits), व्यक्तिगत रूचि (Individual Taste) तथा इच्छाओं (Desires) का विषय है।'—समझाइए। (सागर १९५४)
- ९—अनिवार्य, सुखकर व विलासिता सम्बन्धी आवश्यकताओं पर टिप्पणी लिखिए। (सागर १९५१)
- १०—आवश्यकताओं के अनिवार्य, सुखकर व विलासिता सम्बन्धी भेदा की व्याख्या कीजिए। (पञ्जाब १९५३)
- ११—आवश्यकताओं का वर्गीकरण कीजिए। रुढ़ आवश्यकताओं से क्या तात्पर्य है? (उत्कल १९५१)
- १२—अनिवार्य, सुखकर व विलासिता सम्बन्धी आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए और इनके अन्तर को भारतीय उदाहरणों द्वारा स्पष्ट कीजिए। (दिल्ली हा० से० १९४८)

उपयोगिता हानि नियम (Law of Diminishing Utility)

उपयोगिता (Utility)—किसी वस्तु की आवश्यकता पूरक शक्ति का नाम 'उपयोगिता' है। पुस्तक, मेज, अन्न, धरु आदि वस्तुएँ 'उपयोगिता' रखती हैं, क्योंकि इनमें मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की शक्ति विद्यमान है।

उपयोगिता की विभिन्नता के कारण—उपयोगिता आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर है। जितनी अधिक तीव्रता किसी वस्तु की आवश्यकता में होगी उतनी ही अधिक तीव्र उस वस्तु की उपयोगिता होगी। किसी एक वस्तु की उपयोगिता सभी मनुष्यों को एक सी नहीं हो सकती। मनुष्यों के स्वभाव तथा परिस्थिति के अनुसार उनमें भिन्नता आया करती है। एक ही वस्तु की उपयोगिता भिन्न-भिन्न मनुष्यों के लिए भिन्न-भिन्न होती है। जैसे, शिक्षित मनुष्य के लिए पुस्तक की उपयोगिता है क्योंकि इससे उसकी पूर्ति होती है किन्तु उमी पुस्तक को अनपढ़ के लिए कोई उपयोगिता नहीं है। प्यासे मनुष्य के लिए पानी की उपयोगिता है, परन्तु उस व्यक्ति के लिए जो प्यासा नहीं है, इसकी उपयोगिता नहीं।

उपयोगिता की माप और तुलना (Measurement and Comparison of Utility)—हम अपने साधारण जीवन में अनेक वस्तुओं की माप और तुलना करते हैं, जैसे कपड़ा गज से मापा जाता है, अन्न गन-सेर में मोला जाता है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं का माप करने के लिए विविध-साधन देव जाते हैं। किन्तु 'उपयोगिता' को इस प्रकार मापने के लिए कोई 'माप-दण्ड' नहीं है। उपयोगिता का माप प्रत्यक्ष रूप में नहीं हो सकता, क्योंकि उपयोगिता इच्छा की पूर्ति रूप एक भावना मात्र है जिसका सम्बन्ध मनुष्य के मन से है। अस्तु, मानसिक भावनाओं और पूर्तियों का प्रत्यक्ष रूप में माप अथवा तुलना नहीं कर सकते।

उपयोगिता माप की रीतियाँ—जो कुछ भी उपयोगिता का माप सम्भव है वह परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किया जा सकता है। प्रायः इस प्रकार का माप दो प्रकार से किया जाता है—(अ) मुद्रा द्वारा और (ब) धाँडा द्वारा।

(अ) मुद्रा द्वारा (By Money)—जो मूल्य किसी वस्तु या सेवा का कोई व्यक्ति देना चाहता है वह उसकी उपयोगिता का माप दण्ड है। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य ५ रु० देने के लिए उत्तम है। वह ५ रु० देने को तभी उत्तम होगा जब उसके विचार में उस वस्तु की उपयोगिता ५ रु० के बराबर

होगी। इस प्रकार हम किसी मनुष्य की उपयोगिता का अनुमान मूल्य द्वारा लगा सकते हैं।

(व) आंकड़े द्वारा ( Numerically )—उपयोगिता का अनुमान आंकड़ों से भी हो सकता है। यदि हम कल्पना कर कि हमें पुस्तक और टोप दोनों की आवश्यकता है। तब सर्वप्रथम हमें यह निश्चय कर लेना पड़ता कि पुस्तक से प्राप्त होने वाली उपयोगिता X के बराबर है। इसे निश्चय करने के उपरान्त अन्य वस्तुओं की जितनी उपयोगिता है वह हम मानून कर सकते हैं। यदि यदि एक पुस्तक का उपयोगिता टोप की उपयोगिता की अपेक्षा दुगुनी है, तो ऐसी अवस्था में हम उनकी उपयोगिता को आंकड़ों से ( २ : १ ) अनुपात में रसपर पकट कर सकते हैं। प्रो० मार्शल कहते हैं कि "यदि कोई व्यक्ति कुछ पैस व्यय करते समय इस विचार में भूँने कि उसे वह पैस सिगरेट पीने में या चाय का प्याली न पीकर घर पेंदल जाने के स्थान में लाने में जाने के लिए व्यय करना चाहिये, तो हम कहेंगे कि वह इन सब वस्तुओं में समान उपयोगिता रखता है" अस्तु इन सब वस्तुओं की उपयोगिता उसके लिए समान है।

### उपयोगिता ह्रास नियम ( Law of Diminishing Utility )

परिचय ( Introduction )—मानवीय आवश्यकताएँ अनन्त होने हुए भी एक विनिश्चित समय में पूर्णतया तृप्त की जा सकती हैं। इस विनिश्चितता पर 'उपयोगिता ह्रास नियम' अन्वित है। इसको 'तृप्ति-योग्य नियम' ( Law of satiable want ) भी कहते हैं। 'उपयोगिता ह्रास नियम' के शब्द स्वयं अपना अर्थ प्रकट करते हैं। तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु की उपयोगिता उसके अधिकारिक परिमाण में प्राप्त होने पर कम होनी जायगी और अन्त में परिस्थिति के अपरिवर्तित होने पर पूरी हो जायगी।

जैसे एक मनुष्य प्यासा है वह पानी पीता है। पानी का पहला गिलास उसके लिए अधिक उपयोगिता रखता है, परन्तु दूसरा गिलास उसकी उपयोगिता नहीं रखता, क्योंकि उसकी प्यास की तीव्रता पहला गिलास पानी पीने के पश्चात् कुछ कम हो गई, और तीसरे गिलास की उपयोगिता उसके लिए बहुत ही कम होगी। मगबतः उसका यह उपभोग भी न परे। अस्तु, यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु की उपयोगिता उसकी वृद्धि के साथ क्रमशः कम होती जाती है और अन्त में वह मिलान ही कम हो जाती है। अतः इसी आधार पर यह उपभोग का सिद्धान्त 'उपयोगिता ह्रास नियम' कहा जाता है।

नियम का सूत्रान्तरिक रूप ( Enunciation of law )—प्रो० मार्शल की परिभाषा—"किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने से जो अधिकतर लाभ उसको प्राप्त होता है, वह वस्तु की मात्रा को वृद्धि के साथ-साथ घटता जाता है।"<sup>1</sup>

नियम के अर्थ एवं

(१) कोई वस्तु जितनी अधिक प्राप्त की जाय, उसकी अधिकता को उतनी ही कम आवश्यकता प्रतीत होती जाती है।

1—The additional benefit which a person derives from a given increase of his stock of a thing, diminishes with every increase in the stock, that he already has  
—Marshall.

( The more we have a thing, the less we want still more of that thing. )

(२) किसी मनुष्य के पास किसी वस्तु की मात्रा में वृद्धि होने के साथ-साथ उसकी अतिरिक्त वृद्धि की उपयोगिता में ह्रास होता जाता है, यदि अन्य परिस्थितियाँ समान हों।

( With every increase of his stock of that commodity the additional unit of the commodity diminishes, other things being equal. )

(३) किसी विनिष्ट समय में एक मनुष्य के पास जो वस्तु है उसकी मात्रा में वृद्धि होने पर, अतिरिक्त इकाई की सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है, यदि अन्य परिस्थितियाँ अपरिवर्तित रहें।

( At any one time, every addition to the stock of a thing a man possesses, results in a decrease of the marginal utility of the thing other things remaining the same. )

**व्याख्या (Explanation)**—उपरोक्त विविध परिभाषाओं में यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्यों-ज्यों मनुष्य अपनी किसी वस्तु में वृद्धि करता है त्यों-त्यों उसकी बर्बाद हुई इकाई में कम लाभ प्राप्त होता है, अर्थात् उसकी उपयोगिता घटती जाती है। यह प्रवृत्ति धर्मशास्त्र में 'उपयोगिता-ह्रास-नियम' कहलाती है। इस प्रवृत्ति का अनुभव सब प्रकार की वस्तुओं के उपभोग में देना जाता है। हाँ, इतना अवश्य है कि किसी वस्तुओं के साथ यह प्रवृत्ति धीमे-धीमे हो जाती है और किसी के साथ देर-से। यह नियम मानव प्रवृत्ति के विस्तृत अनुसंधान सिद्ध होता है और इसकी व्याख्या सर्वथा देवी जाती है।


**उदाहरण (Illustration)**—इसे एक क्षुधा में भ्रान्त व्यक्ति के उदाहरण से हम प्रकार समझें। जब वह पहली रोटी खाता है, तो उस वल्लिमान्द प्राप्त होता है। उसकी तृप्ति या उपयोगिता मान लो २० है। अतः पहली रोटी की उपयोगिता अधिकतम है अर्थात् २० है। अब यदि वह दूसरी रोटी खा लेता है, तो उसकी क्षुधा की तीव्रता पहली रोटी की प्राप्ति की अपेक्षा कुछ कम हो जाती है, अर्थात् दूसरी रोटी में उसकी तृप्ति या उपयोगिता १८ है। अब यदि वह तीसरी रोटी खा लेता है तो उसकी क्षुधा की तीव्रता दूसरी रोटी की प्राप्ति की अपेक्षा और भी कम हो जाती है। अतः तीसरी रोटी में १५ उपयोगिता प्राप्त हुई। तीसरी रोटी की उपयोगिता उसके लिए दूसरी रोटी में भी कम हो जाती है। इसी प्रकार चौथी रोटी की इच्छा और भी कम हो जाती है। यदि उसने पाँचवीं और छठी रोटियाँ और खाईं, तो उसकी उपयोगिता बहुत ही कम हो जाती है, यहाँ तक कि छठी रोटी की उपयोगिता शून्य (०) हो जाती है। पाँच रोटियाँ तक उसकी क्षुधा विस्तृत शान्त हो जाती है, अतः छठी रोटी पर वह विचार करेगा कि उसे इसका उपभोग प्रसिद्ध है या नहीं, क्योंकि उसकी उपयोगिता उसके लिए तब तक भी नहीं है। उसे पाँचवीं रोटी के पश्चात् ही रोटियाँ का उपभोग बन्द कर देना चाहिए। यदि वह फिर भी रोटियाँ लेना जारी रखता है, तो उपयोगिता के स्थान में 'अनुपयोगिता' (Disutility) प्रारम्भ हो जाती है। अतः यह निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रत्येक

विवेकीय व्यक्ति का किसी वस्तु का उपभोग उसकी उपयोगिता तक ही सीमित रहता है। ज्योंही उममें उपयोगिता का अभाव हुआ, त्योंही वह उसके उपयोग को प्रायः समाप्त कर देता है।

नियम का सारणीकरण (Arithmetical Representation of Law)—उपयुक्त उदाहरण को निम्नलिखित सारणी में इस प्रकार समझिए :—

रोटियों की संख्या (No. of Breads)	सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility)	समस्त उपयोगिता (Total Utility)
१	२०	२०
२	१८	२० + १८ = ३८
३	१५	२० + १८ + १५ = ५३
४	११	२० + १८ + १५ + ११ = ६४
५	६	२० + १८ + १५ + ११ + ६ = ७०
६	०	२० + १८ + १५ + ११ + ६ + ० = ७०
७	-२	-२ अनुपयोगिता (Disutility)
८	-४	-२ - ४ = -६
९	-६	-२ - ४ - ६ = -१२

नियम का रेखा-चित्रण (Graphical Representation of the Law)—उपयुक्त तालिका से यह स्पष्ट प्रकट होता है कि ज्यों-ज्यों रोटियों के उपभोग में वृद्धि होती गई, त्यों-त्यों रोटियों की उपयोगिता कम होनी गई है। यह तथ्य नीचे के रेखा-चित्र से भली-भांति समझाया गया है :—



उपयोगिता हास नियम  
(Law of Diminishing Utility)

चित्र का स्पष्टीकरण—उपरोक्त उदाहरण में आठों रोटियों की संख्या और अल्प उपयोगिता प्रकट करती है। जब शूधानुर व्यक्ति पहिली रोटि खाता है तो उसकी उपयोगिता अधिकतम है, क्योंकि उसकी रोटि की इच्छा प्रबल है। समझने की सुविधा की दृष्टि से यह उपयोगिता अर्द्ध २० में प्रकट की गई है। ऊपर के चित्र में आठव (१) बतला है। जब वह दूसरी रोटि खाता है, तो उसे उसकी उपयोगिता पहली



रोटी से कम प्राप्त होती है। यह अन्न १८ से चायत (२) में प्रकट है। इस प्रकार चायत की सब रोटियों की उपयोगिता क्रमशः अन्न १५, ११ और ६ से प्रदर्शित की गई है। दूसरी चायत (३), (४) और (५) बनते हैं। छठवीं रोटी से कोई उपयोगिता प्राप्त न होने के कारण शून्य (०) में प्रकट की गई है। सातवीं, आठवीं और नववीं रोटियों में अनुपयोगिता (Disutility) - २, -४, -६ अन्कों के रूप में छायादार (Shaded) चायतों में प्रकट है। कृषक वस्तु रेखा उपयोगिता ह्रास नियम (Law of Diminishing Utility) का प्रदर्शन करती है।

उपयोगिता ह्रास नियम के अन्तर्गत मान्यताएँ

(Assumptions underlying the Law of Diminishing Utility)

अन्य बातें समान हो अर्थात् परिस्थिति का पूर्ववत् होना (Other thing remaining the same) - ये शब्द नियम को व्यापक बनाने के लिए बड़ा महत्त्व रखते हैं। इससे यह तात्पर्य है कि उपयोगिता ह्रास नियम के लागू होने के लिए कुछ बात आवश्यक है। यदि उनमें कुछ परिवर्तन हो जाय तो इस नियम की वधायता मिट जाने में आसानी उत्पन्न हो जाती है। ये बातें निम्नांकित हैं -

(१) वस्तु की सब इकाइयों की मात्रा और प्रकार समान होना चाहिये— उपभोग में साईं जाने वाली वस्तु की इकाई वही हो और उतनी ही होनी चाहिये जितनी कि पहले की। उदाहरणार्थ, यदि बाद की रोटियाँ अधिक उत्तम और भारी हो तो उपभोक्ता को पहले की प्रपेक्षा अधिक उपयोगिता प्राप्त होने के कारण इन नियम की व्यापकता नाश हो जायगी।

(२) उपभोग के समय में अन्तर नहीं होना चाहिये—यदि वस्तु के उपभोग का समय लगातार नहीं अर्थात् बीच में कुछ समय बीत जाय, तो यह नियम प्रभाव शून्य हो जाता है। दोनों समय पृथक्-पृथक् भोजन करने पर यह नियम प्रत्येक बार लागू होगा, परन्तु भोजन करते समय सब रोटियाँ एक साथ खाने में, बाद वाली रोटियों की उपयोगिता पहले की प्रपेक्षा गिरती जायगी। यदि उनमें कुछ रोटियाँ खाकर बीच में कुछ समय बिता दिया तो बाद वाली रोटियाँ की उपयोगिता प्रारम्भ में घटने के स्थान पर बढ़ेगी। यदि कोई मनुष्य एक घण्टा प्रातःकाल खावे, दूसरा मध्याह्न में, तीसरा सायंकाल को और चौथा रात्रि को, तो यह आवश्यक नहीं कि दूसरे आभ्रमल से उत्पन्न होने वाली उपयोगिता पहले की प्रपेक्षा तीसरे से प्राप्त होने वाली उपयोगिता दूसरे से और चौथे से प्राप्त होने वाली उपयोगिता तीसरे से प्राप्त होने वाली उपयोगिता से कमतर हो, क्योंकि चारों घण्टों के खाने में इतना समय का अन्तर पड़ गया है कि 'ह्रास नियम' लागू न होगा। यह नियम एक ही सायं बैठ कर खाने या पीने या अन्य आवश्यकताओं को तृप्त करने में लागू होता है अन्यथा नहीं।

(३) उपभोक्ता का मानसिक दृष्टिकोण (Mental outlook) समान हो—यदि उपभोक्ता ने भाग आदि मादक वस्तु का प्रयोग किया है, तो वह उस रोटी को भी खाने की इच्छा कर सकता है जिसकी उपयोगिता शून्य है, क्योंकि मादक वस्तु में सुख की सीमा का पूर्ण अनुभव नहीं होता किन्तु आवश्यकता से अधिक खाने की प्रवृत्ति हो जाती है। रात्रि में यदि भद हो जाय तो भी यह नियम (ह्रास नियम) चरित्रात् न होगा, क्योंकि इस परिवर्तन के कारण वस्तु के उपभोग से होने वाले सतोप और उसके प्राप्त होने वाली उपयोगिता में अन्तर पड़ जायगा।

(४) यदि उपयोग का समय लम्बा हो तो फंशन, प्रकृति और आय पूर्ववत् ही रहना चाहिये—निस्वाधी वस्तुओं के उपयोग में फंशन, प्रकृति और आय के परिवर्तन से नियम में बाधा उत्पन्न हो जायगी। यदि कोई विशेष प्रकार की कमी फंशन में नहीं हो, तो उसकी उपयोगिता कम हो जायगी। यदि वह कुछ समय बाद पुनः फंशन में आ जाय तो उसकी उपयोगिता में वृद्धि हो जायगी। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की सिगरेट पीने की प्रकृति नहीं है तो उसके लिए उसकी उपयोगिता कम होगी, परन्तु यदि कभी वह उसका व्यसनी हो जाता है, तो उसकी उपयोगिता उस व्यक्ति के लिए बढ़ जायगी। यदि कोई व्यक्ति सह्या पनाह्य हो जाता है, तो उत्सव्विन बातें भी बढ़ जायेंगी। एक ही वस्तु की परवाना प्राप्त होने वाली उपयोगिताएँ ही न रह जायेंगी जो उसके धनदात्र होने के पूर्व प्रतीत होती थी। मान लीजिए किसे व्यक्ति की आय १०० रु० से ३०० रु० हो जाय तो वह उन वस्तुओं को भी अधिक मात्रा में खरीद लेता है जिनका पर्याप्त स्टॉक पहले ही में उसके पास है।

(५) वस्तु के मूल्य में परिवर्तन नहीं होना चाहिए—यदि किसी वस्तु का मूल्य गिर जाता है, तो लोग उस वस्तु को अधिक मात्रा में खरीदने लग जायेंगे, यद्यपि उनके पास उस वस्तु का पर्याप्त स्टॉक हो। इस प्रकार उस वस्तु की बाढ़ की दशाओं की उपयोगिता घटने के खान में बढन लग जाती है।

### उपयोगिता ह्रास नियम की सीमाएँ

#### ( Limitations of the Law Diminishing Utility )

उपयोगिता ह्रास नियम के कतिपय अपवाद हैं जो ध्रुवस्तविक ( Apparent ) और वास्तविक ( Real ) दो भागों में बाँटे जा सकते हैं। ये अपवादात्मक हैं—

#### अज्ञातविक ( Apparent )

( १ ) मुद्रा-शक्ति और प्रदर्शनप्रियता ( Love of Money Power and Display )—उपयुक्त वानों में प्रभावित वस्तुओं के लिए प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की उपयोगिता बढती जायगी। उदाहरण के लिए, कुररा को मुद्रा की प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की अधिक उपयोगिता प्रतीत होती है, क्योंकि उसका अधिक 'मुद्रा संचय' में आनन्द मिलता है। यही दशा उन व्यक्तियों की है जो शक्ति और प्रदर्शन प्रियता में प्रेरित होकर निरन्तर शक्तिवर्धन तथा प्रदर्शनोप वस्तुओं के संग्रह में लग रहते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास एक मुक्तमण्डि हो तो वह उसकी जोड़ी के दूसरे मोती का मूल्य पहले की अपेक्षा अधिक महंगु करने को उत्सुक हो जायगा। कारण यह है कि दूसरे मोती की प्राप्ति में उसकी अधिक शक्ति प्रतीत होती है, क्योंकि समान आकार और कालि वाने दो मुक्तमण्डि देखने में उसकी प्रियता बहुत बढ जायगी। यह अपवाद 'ध्रुवस्तविक' ( Apparent or Unreal ) है, क्योंकि इन व्यक्तियों की शरणा उन-माधारण में नहीं होती। एक बात का ध्यान रखना उचित है कि किसी वस्तु के संग्रह की प्रति भी विरति का कारण बन जाती है। मुक्तमण्डि के प्रति नृपान राजा मिथाम—इस तथा का मुन्दर निर्दान है। वह रत्न संचय व पीढ़े पागल था पर उन अधिक मात्रा मुक्तमण्डि की उने मिली, तो वह धोत्र ही यत का तथा और उसकी उपयोगिता मुक्तमण्डि के लिए मूल्य-ही हो गयी।

(२) विचित्र तथा दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह (Collection of curious and rare things)—यह नियम प्रायः विचित्र और दुर्लभ वस्तुओं के संग्रह की प्रवृत्ति पर लागू नहीं होता, क्योंकि इन वस्तुओं के संग्रहकर्ता को अधिक-अधिक आनन्द प्राप्त होगा है। जैसे, पुराने टिकट और सिक्के संग्रहकर्ता के लिए वाद वाली इकाइयों की अधिक उपयोगिता होती है। अतः वह निरन्तर इन्हीं के संग्रह में प्रयत्नशील रहता है। यह अणुवाद अवास्तविक प्रतीत होता है। यदि कोई वस्तु दो-तीन वस्तुओं से मिलकर बनती है, तो सब वस्तुएँ उसी का ही अंग मानी जानी चाहिए। जैसे एक अणुजी में दो मोती हैं और वे दोनों मिलकर एक ही वस्तु में प्रतीक हैं। यदि एक ही वस्तु के कई अंग हों और एक की उपयोगिता दूसरे की अपेक्षा अधिक हो, तो इससे नियम की सत्यता में तनिक भी संदेह उत्पन्न नहीं हो सकता।

(३) इकाइयों की अति-लघुता (Very small units)—यदि उपयोग्य वस्तु कम मात्रा में ही जाय तो निस्सन्देह अतिरिक्त इकाइयों में अधिक उपयोगिता प्राप्त होगी। उदाहरण के लिए, यदि एक प्याने व्यक्ति को कुछ देर तक बूँद-बूँद पानी दिया जाय, तो प्रत्येक अतिरिक्त पानी की बूँद की इच्छा अधिक प्रबल रहेगी जिसके फलस्वरूप उसकी उपयोगिता भी बढ़नी जायगी।

(४) अति-कम मानसिक अवस्था के व्यक्ति (Persons in abnormal state of mind)—ऐसे व्यक्तियों के लिए प्रत्येक अतिरिक्त इकाई की अधिक उपयोगिता होती है। उदाहरणार्थ, एक मदिश-ब्यसनी व्यक्ति एक बोलत मदिश को चुकने के पश्चात् दूसरी बोलत की इच्छा करता है क्योंकि दूसरी बोलत पहली बोलत की अपेक्षा उसके लिए अधिक उपयोगिता रखती है। यह अणुवाद को पारलौ में अणुवाद समझा गया है : प्रथम तो ऐसे मदीमत्त व्यक्ति अर्थशास्त्र के अध्ययन में धेन की सामग्री नहीं है। दूसरे अन्ततोगत्वा (Ultimately) यह नियम लागू हो जाता है, क्योंकि वह एक के पश्चात् दूसरी बोलत लेने में असमर्थ हो जाता है।

(५) सुविधाओं का विस्तार (Extension of Facilities)—अति-कम सम्बन्धों तथा मातायात और सवाद के साधन की वृद्धि में उपभोक्तियों को अधिक लाभ पहुँचता है जिसके फलस्वरूप इन वस्तुओं को जितना अधिक विस्तार होगा उतनी अधिक उपयोगिता बढ़ेगी। जैसे नगर में पहलें की अपेक्षा अब टेलीफोन सम्बन्धों में वृद्धि हो जाती है तो उस व्यक्ति के लिए, जिसके पास पहले से ही टेलीफोन है, अधिक उपयोगिता हो जायगी, क्योंकि वह घर परले की अपेक्षा कई एक व्यक्तियों से टेलीफोन पर बातलाप कर सकता है। 'उपयोगिता ह्रास नियम' इस बात पर बल देता है कि वस्तुओं की वृद्धि उसी व्यक्ति के पास होनी चाहिए न कि दूसर-दुसरे व्यक्तियों के पास। इस उदाहरण में अतिरिक्त इकाई का प्रश्न ही नहीं उठता, क्योंकि टेलीफोन का विस्तार कई व्यक्तियों में हुआ है। अतः यह अणुवाद भी असत्य सिद्ध होता है। परन्तु यदि एक ही व्यक्ति अपने घर या दुकान में एक से अधिक टेलीफोन लेता है तो निरन्तर रूप से अतिरिक्त सम्बन्धों की उपयोगिता पहले की अपेक्षा कम हो जाती है।

निष्कर्ष—इन अनेक सीमाओं के होने भी यह नियम लगभग व्यापकता रखता है। प्रो० टॉसिन के अनुसार 'उपयोगिता ह्रास नियम की प्रवृत्ति इतने कम अणुवादों से साथ इतनी विस्तृत प्रतीत होती है कि इसे 'सार्वदेशिक' कहने में कोई महत्त्वपूर्ण त्रुटि नहीं।'

**वास्तविक अपवाद (Real Exceptions)**

(१) रसीली कविता या मधुर गायन—प्रो० टासिग कहते हैं कि 'किमी रसीली कविता के दुबारा और तिवारा पढ़ने या किमी मधुर गायन के दुबारा या तिवारा सुनने से पहली बार की अपेक्षा अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है। दैनिक जीवन में इन प्रकार के अनुभव प्रायः होने रहते हैं। अस्तु यह एक वास्तविक अपवाद माना जाता है। परन्तु इस अपवाद में भी शीघ्र या देर में एक अवस्था ऐसी आ जाती है जब कि बार-बार कविता पढ़ने या गायन-श्रवण से आनन्द प्राप्त नहीं होता अर्थात् उपयोगिता ह्रास नियम लागू हो जाता है क्योंकि श्रवण शक्ति के सीमित होने से उसमें एकदम हो जाना स्वाभाविक है और जिसकी पुनः प्राप्ति में पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है।

(२) तृप्ति की अधिकतम अवस्था (Point of optimum satisfaction)—कतिपय अर्थशास्त्रियों का विश्वास है कि किसी वस्तु के उपभोग की प्रारम्भिक अवस्था में तो प्रत्येक क्रमानुगत (Successive) इकाई से अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है केवल उपभोग किसी विशेष अवस्था पर पहुँचने के पश्चात् ही अर्थात् तृप्ति की अधिकतम अवस्था (Point of optimum Satisfaction) के प्राप्त हो जाने पर उपयोगिता में ह्रास होगा आरम्भ होता है। अभीष्ट वस्तु के निकट आ जाने से मुक्त भाव-अवस्था भी जायत हो जाती है। इसको उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझा जा सकता है कि किसी व्यक्ति को प्यास की वेदना नहीं है। किन्तु मधुर नारंगी की एक फाक मुँह में रखने की तो बात क्या किमी गतिबद्ध व्यक्ति के उभे चूमने पर सहसा मुँह में पानी आ जाता है और नारंगी खान की इच्छा हो उठती है। यदि इसी प्रकार नारंगी की एक फाक क्रमानुगत इकाइयाँ म ली जाय तो प्रारम्भ की इकाइयाँ की उपयोगिता में वृद्धि होगी, और यह एक 'मायदा अधिकतम तृप्ति अवस्था तक पहुँचने और इसके पश्चात् उपयोगिता में ह्रास होना आरम्भ होगा। यदि इस मनोवैज्ञानिक मान्यता को यथासं माना जाय, तो इसे भी वास्तविक अपवाद मानने में कोई आपत्ति नहीं है। परन्तु इस तक के बंध में यथाथ प्रमाण न होने से इस कथन की सत्यता निश्चय पूर्वक घोषित नहीं की जा सकती।

उपर्युक्त अपवादों का निराकरण करने के लिए उपयोगिता ह्रास नियम की परिभाषा को निम्न प्रकार संशोधित किया जा सकता है —

“उपभोग को विशेष अवस्था पर पहुँचने के पश्चात्—अन्य वस्तुओं के समान रहने पर किमी वस्तु के उपभोग की क्रमानुगत इकाइयाँ में उपयोगिता का ह्रास होता जाता है।”

(After a certain stage in consumption is reached each successive unit gives diminishing utility, other things remaining the same)

**सीमान्त और समस्त उपयोगिता (Marginal and Total utility)**

सीमान्त उपयोगिता (Marginal utility)—किमी वस्तु के क्रमानुगत तथा निरन्तर उपभोग के कारण उसकी अन्तिम इकाई की उपयोगिता को 'सीमान्त उपयोगिता' कहते हैं। अन्य शब्दों में यह वह उपयोगिता है जो किसी वस्तु की उस इकाई में प्राप्त होती है जिसे उपभोक्ता उपभोग से लाने के लिए आग्रह्य होता है।

प्रो० मार्शल के अनुसार "जिसी वस्तु का वह भाग जिसको खरीदने के लिए उपभोक्ता श्राद्ध होता है, वह 'सीमान्त ग्रह' (Marginal Purchase) कहलाता है, क्योंकि वह उसकी उपयोगिता न्यूनतम हो जाने के कारण इस समय में पड जाता है कि उसे ग्रह खरीदने के लिये व्यय करना उचित है या नहीं।" इस 'सीमान्त ग्रह' की उपयोगिता को 'सीमान्त उपयोगिता' (Marginal Utility) कहते हैं।

प्रो० बेनहम (Benham) — 'सीमान्त उपयोगिता ह्रास नियम' (Law of Diminishing Marginal Utility) के नाम से सम्बोधित करते हैं। यह नियम सीमान्त उपयोगिता की दृष्टि से निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है— "किसी वस्तु की सीमान्त उपयोगिता उस वस्तु की मात्रा की वृद्धि के साथ घटती जाती है।" सीमान्त उपयोगिता का भाव केवल एक ही वस्तु के उपभोग से प्रकट नहीं होता। जब एक वस्तु अधिकाधिक मात्रा में प्रयुक्त की जाती है तब अन्तिम वस्तु की उपयोगिता से ही इसका यथार्थ धर्म प्रकट होता है।

उदाहरण—मान लीजिये कि कोई व्यक्ति कुछ सेब (Apples) खरीदता है। उनकी उपयोगिता नीचे दी हुई तालिका में दिखाई गई है:—

सेब	सीमान्त उपयोगिता ( इकाई )
१	१०
२	८
३	६
४	४
५	२
६	१
७	०
८	-२

अनुबल सीमान्त उपयोगिता  
 (Positive Utility)

" शून्य उपयोगिता (Zero Utility)

" प्रतिकूल उपयोगिता (Negative Utility)

ऊपर के उदाहरण में ज्यों ज्यों सेब की मात्रा में वृद्धि होती जाती है, त्यों त्यों सीमान्त उपयोगिता में ह्रास देखा जाता है। वह प्रथम ग प्रथम पाच सेब खरीदेगा। छठे सेब की उपयोगिता शून्य होने में वह उसे खरीदना उचित नहीं समझता। पाँचवें सेब के पश्चात् वह इस समय में मूल्य लेगला है कि छठा सेब खरीदा जाय या नहीं। यदि वह वृद्धि में काम लेता है, तो पाँचवें सेब के बाद ही उसको खरीदना बन्द कर देना चाहिये। पाँचवें सेब की उपयोगिता 'सीमान्त उपयोगिता' कहलायेगी।

**मूल्य और सीमान्त उपयोगिता (Price and Marginal Utility)**

हमारा उपयुक्त उपभोक्ता नहीं ठहरेगा, यह सेब के मूल्य पर निर्भर है। यदि प्रति सेब का मूल्य ४ घाना है, तो वह चौथी सेब के पश्चात् ही रुक जावेगा, क्योंकि उसकी उपयोगिता उसी ही है जितना कि मूल्य (सीमान्त उपयोगिता की घाना की श्राद्ध) में मान दिया गया है। यदि प्रति सेब का मूल्य १ घाना है तो वह छठे

सेव तक खरीद कर सवेगा । यदि वे नि शुल्क उपेक्ष्य हैं तो वह सातों सेवों को उपभोग में ला सकेगा । संक्षेप में, यह कहा जा सकता है कि कोई व्यक्ति किसी वस्तु का उपभोग उस बिन्दु तक जारी रखता है जहाँ मूल्य और उपयोगिता समान होती हैं ।

उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदते समय भी सीमान्त-उपयोगिता से सहामता प्राप्त करता है । यदि सब सेव सब प्रकार से समान हैं, तो यह पहले सेव के १० घाने, दूसरे के ८ घाने, तीसरे के ६ घाने, चौथे के ४ घाने और पाँचवें के २ घाने नहीं देगा । वह प्रथम सेव की उपयोगिता के बराबर नव सेवों का मूल्य देगा, अर्थात् इन सब सेवों का मूल्य १ घाने के हिसाब से देगा । कारण स्पष्ट है कि यह सब सेव आकार, प्रकार, स्वाद तथा रस आदि बातों में समानता रखते हैं । अतः इनके मूल्य में इस प्रकार भिन्नता नहीं हो सकती । अस्तु, यह निष्कर्ष निकला कि किसी वस्तु की प्रथम इकाई की उपयोगिता ही उपभोक्ता को उस वस्तु का मूल्य देने में मार्ग प्रदर्शन करती है । वह उसमें अधिक कदापि नहीं देगा, क्योंकि उसमें अग्रिम इकाई की उसके लिए कोई उपयोगिता ही नहीं होती ।

रुपयों की सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility of Money)—भाय की वृद्धि से उपयोगिता में ह्रास होना तथा भाय में ह्रास होने से सीमान्त उपयोगिता में वृद्धि होना, यह भी एक ध्यान में रखने योग्य बात है । किसी व्यक्ति के पास जैसे जैसे सम्पत्ति बढ़ती जाती है उसे-उसके सीमान्त उपयोगिता कम होती जायगी । यदि किसी मनुष्य की भाय ७० रु० मासिक से १५० रु० मासिक हो जाए तो उसके लिए इस वेतन-वृद्धि के पूर्व अग्रिम रुपयों की जो उपयोगिता थी उसकी अपेक्षा उस उपयोगिता में ह्रास या न्यूनता दिखाई देने लगेगी । इस तथ्य का प्रत्यक्ष प्रमाण डा० एत से मिल जायगा कि ७० रु० मासिक भाय में वह अनिवार्य आवश्यकताओं और विताभिताओं (पान, सुगारी, रेडियो बस्त्र, रेडियो आदि) में जो व्यय करता था अब १५० रु० प्राप्त करने पर बंद जायगा । वह उसी मूल्य में उन वस्तुओं को अधिक मात्रा में खरीदने लगेगा । अतः सिद्ध हुआ कि भाय बढ़ने पर व्यक्ति के लिए रुपयों की सीमान्त उपयोगिता कम हो जाती है । इसके विपरीत भाय में न्यूनता हो जाने पर रुपयों की सीमान्त उपयोगिता बढ़ जाती है यदि किसी की १५० रु० के स्थान में ७० रु० मासिक मिलने लगे, तो वह उपभोग को अनेक वस्तुओं में बर्ती कर देगा ।

अनुकूल, शून्य और प्रतिकूल सीमान्त उपयोगिताएँ (Positive-Zero and Negative Marginal Utility)—यदि सीमान्त इकाई के उपभोग से ह्रास या सतोष प्राप्त होता है तो वह सीमान्त उपयोगिता अनुकूल (Positive) होती है । जैसे ऊपर की तालिका में १ से ६ तक की सेवों की सीमान्त उपयोगिता अनुकूल है । यदि सीमान्त उपयोगिता के उपभोग में न तो सतोष प्राप्त होता ही और न असतोष ही, तो सीमान्त उपयोगिता शून्य (Zero) होती है । जैसे ऊपर की तालिका में ७ वें सेवों की उपयोगिता शून्य है । जब उपभोग इस सीमा पर पहुँच जाय कि सीमान्त उपयोगिता शून्य हो, तो इस सीमा को 'संतोष' (Satety) की सीमा कहते हैं । यदि सीमान्त उपयोगिता के उपभोग में असतोष या अनुपयोगिता (Disutility) होगी है, तो सीमान्त उपयोगिता प्रतिकूल (Negative) समझी जायगी । ऊपर के उदाहरण में ८ वाँ सेव इस अवस्था का सूचक है ।

साधारणतया ऐसी अवस्था बहुत ही कम पाई जाती है कि मनुष्य किसी वस्तु का उपयोग इतनी मात्रा में करे कि उसकी उपयोगिता 'शून्य' हो जाय, और वहाँ तक कि अनुपयोगिता में परिणत हो जाय, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य अपने मुझ को किसी एक वस्तु पर उनका ही ध्यान करेगा जिसकी उसकी उपयोगिता होगी। यदि कोई वस्तु नि:शुल्क प्राप्त होती है, तो वह सीमान्त उपयोगिता हान पर भी उपयोग करता रहेगा और यदि स्वास्थ्य का विचार न करे तो अभवतः, इसके पश्चात् भी उपयोग करे जिसे उपयोगिता न रहकर हम अनुपयोगिता कहेंगे।

### समस्त उपयोगिता (Total Utility)

किसी वस्तु का द्वारा इनाइया की सीमान्त उपयोगिताओं के योग, को 'समस्त उपयोगिता' कहते हैं। कोई व्यक्ति १ दर्जन कापियाँ खरीदता है उसकी कार्ट में कापियों में जो उपयोगिता उस व्यक्ति को मिलती उसे हम 'समस्त उपयोगिता' कहेंगे।

ऊपर के उदाहरण का लक्ष्य यह है कि हम समस्त उपयोगिता का मापन करना चाहें, ता किन्तु गणित का प्रत्ययन करना चाहिये :—

मेव (Apples)	सीमान्त उपयोगिता (इकाइयों)	समस्त उपयोगिता (इकाइयों)
१	१०	१०
२	८	१० + ८ = १८
३	६	१० + ८ + ६ = २४
४	४	१० + ८ + ६ + ४ = ३०
५	२	१० + ८ + ६ + ४ + २ = ३०
६	१	१० + ८ + ६ + ४ + २ + १ = ३१
७	०	१० + ८ + ६ + ४ + २ + १ + ० = ३१
८	-२	१० + ८ + ६ + ४ + २ + १ + ० - २ = २९

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि जैव-जैव वस्तु के परिमाण में वृद्धि होती जाती है, पूर्ण तृप्ति की सीमा तक—शून्य-उपयोगिता पहुँचने तक—समस्त उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। परन्तु यह समस्त उपयोगिता की वृद्धि क्रमानुगत हान रूप से होती है, दूसरे शब्दों में पश्चात् प्राप्त होने वाली उपयोगिताओं की इकाइयों अनुपात से कम होती जाती हैं। इसका कारण यह है कि पूर्ण तृप्ति के पश्चात् जा भी इकाई सेवन की जायगी उसने मनुष्य के स्थान में वेदना, शक्ति या अमनोप होगा, जो पूर्णतः भ्रष्ट में से वृद्धि के लिए। जब यह होगा कि पूर्ण तृप्ति के बाद जा भी इकाई सेवन की जायगी उसके कारण सीमान्त उपयोगिता ऋण (-) में दिखाई जायेगी, और समस्त उपयोगिता अपने वे स्थान में घटती ही जायगी। उपर के उदाहरण में यह स्पष्ट है कि जब सीमान्त उपयोगिता शून्य है, तो समस्त उपयोगिता ३१ है। इसके उपरान्त समस्त उपयोगिता में ह्रास होता है, अर्थात् घाटके मेव पर समस्त उपयोगिता केवल २९ ही रह जाती है। वस्तु पूर्ण तृप्ति बिन्दु के पश्चात् उपयोगिता गिरती जाती है। माराज—सीमान्त उपयोगिता घटती जाती है, और समस्त उपयोगिता बढ़ती जाती है। इस प्रकार जब सीमान्त उपयोगिता अधिकतम या शून्य हो, तो समस्त उपयोगिता अधिकतम हो जाती है।

सीमान्त और समस्त उपयोगिता में से कौन अधिक महत्वपूर्ण है ?

व्यावहारिक जीवन में समस्त उपयोगिता को अपेक्षा सीमान्त उपयोगिता अधिक महत्व रखती है। समस्त उपयोगिता की तो उपक्षा की जा सकती है पर सीमान्त उपयोगिता के बिना कुछ भी काम नहीं चलता। सीमान्त उपयोगिता मूल्य निर्धारण में मार्ग प्रदर्शन करती है। समस्त उपयोगिता में मूल्य का कोई सम्बन्ध नहीं होता, यह सीमान्त उपयोगिता ही है जो मूल्य का मापदण्ड है। यदि ऐसा न हा तो जल का मूल्य सोन के मूल्य से वही अधिक होता।

उपयोगिता ह्रास नियम का व्यावहारिक महत्व

(Practical Importance of the Law of Diminishing Utility)

(१) माँग का नियम (Law of Demand)—पराश या अवरोध रूप में यह नियम हम पर निर्भर है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं कि यदि किसी वस्तु का मूल्य गिर जाता है तो हम उसका अधिक मात्रा में खरीदने के लिए तैयार होते हैं।

(२) सीमित साधनों का उपभोग (Utilization of scarce means)—हम अपना सीमित प्राण का सर्व प्रथम उन वस्तुओं के रूप में नियम व्यव करने हैं जिन्होंने उपयोगिता हमारे लिए अधिकतम है। जैसे अनिवार्य आवश्यकताएँ (Necessaries) सर्व प्रथम मनुष्य की जायेंगी उसके बाद सुखकर आवश्यकताएँ (Comforts) और तदनन्तर विवासात्मक (Luxuries)। मान लिया जाय कि एक साधारण धनिक को १५ ₹० अन्न, वस्त्र, घी, पत्त, दूध, पेय पदार्थ आदि में व्यय करने हैं। यह सर्वप्रथम सर्वेक आवश्यकता की सीमान्त उपयोगिता तथा समस्त उपयोगिता की तुलना करती तौर पर करेगा तत्पश्चात् वह उर्वर अनुपात में उनका रचना करेगा।

(३) प्रतिस्थापन नियम (Principle of substitution)—यह नियम भी इसमें बड़ी सहायता प्राप्त करता है। हम अपने दैनिक जीवन में प्रायः न्यून उपयोगी वस्तुओं को अधिक उपयोगी वस्तुओं से बदलते हैं। जित्त सेवन या उपभोग प्रत्येक वस्तु से कम उपयोगिता प्राप्त होगी उतने स्थान पर ऐसे सेवन, उपभोग या वस्तु का प्रयोग हो, जिसकी अधिक उपयोगिता हो।

(४) कर नियम का व्यवहार का आधार (Basis of Principle and Practice of Taxation)—प्रगतिशील कर प्रणाली (Progressive System of Taxation) का नियम उसी आधार पर प्रतिष्ठित है। उदाहरणार्थ, धनी व्यक्तियों पर उनकी आय के अनुपात में आय-कर लगा कर उन पर अधिक कर भार रखना इस नियम का व्यावहारिक प्रयोग है।

(५) मुद्रा पर नियम का प्रभाव (Money and the Law)—उपयोगिता ह्रास नियम अन्य वस्तुओं की भाँति मुद्रा पर भी लागू होता है। यदि एक धनी व्यक्ति की आय में से १०० ₹० के बिले जायें तो वे कम कुछ विलासिताओं का ही उपभोग कम होवेगा, परन्तु एक निर्धन व्यक्ति की आय में से ५ ₹० भी निकालना बड़ा भारी होगा, क्योंकि इसमें कुछ अनिवार्य वस्तुओं का बलिदान हो जायगा।

(६) आय का उत्तम वितरण (Better Distribution of Income)—आय के उत्तम वितरण की दृष्टि से भी यह नियम लाभदायक सिद्ध



होता है। उपयोगिता ह्याम नियम के अनुसार अमुक मुद्रा धाय एक अमीर के लिये तनिक उपयोगिता रखती है। पर वही धाय एक गरीब के लिए पर्याप्त उपयोगिता रखती है। अमीर १ रु० से सिनेमा देखेगा, परन्तु एक गरीब उससे साध सामग्री खरीदेगा। अस्तु, धाय का उत्तम वितरण अमीरों से गरीबों को देश की समस्त धाय में तो वृद्धि नहीं करेगा, परन्तु समस्त समृद्धि (Total welfare) में अवश्य वृद्धि करेगा; क्योंकि उससे गरीब अमीरों की अपेक्षा अधिक उपयोगिता प्राप्त करेंगे और वे अपने जीवन को समृद्धशाली बना सकेंगे।

### अभ्यासाय प्रश्न

#### इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—'जब सीमान्त उपयोगिता शून्य होती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम होती है।'  
इस कथन को समझाइए तथा कोष्टक और चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए।

(उ० प्र० १९६०)

२—समान्त उपयोगिता ह्याम नियम लिखिए और इसकी पूर्णतया व्याख्या कीजिए।  
सीमान्त उपयोगिता का अन्तर बताइए। (मागर १९५७; उ० प्र० १९५५)

३—किसी वस्तु की प्रारम्भिक, सीमान्त और समस्त उपयोगिता में भेद बताइए।

(अ० वी० १९२०)

४—समागत उपयोगिता ह्याम नियम समझाइए और इसकी सीमाएँ बताइए।

(अ० वी० १९१९)

५—उपयोगिता का अभिप्राय समझाइए। सीमान्त उपयोगिता के अन्तः घटने के निदान की विवेचना कीजिए। 'अन्य वाने समान रहने पर' (Other things being equal) वाक्यांश से क्या तात्पर्य है? वे बातें कौनसी हैं? (उ० प्र० १९४९)

६—उपयोगिता ह्याम नियम की व्याख्या कीजिए। इसकी मर्यादाएँ क्या हैं?

(सागर १९२०; रा० वी० १९५२; पटना १९४९)

७—उपयोगिता ह्याम नियम की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। इसके अर्थवादों पर विचार कीजिए। (रा० वी० १९४९, पटना १९४५, नागपुर १९५२, ५०)

८—'हमें किसी वस्तु की जितनी अधिक मात्राएँ प्राप्त होनी जाती हैं, उसकी प्रतिरिक्त मात्राएँ प्राप्त करने की इच्छा उतनी ही कम होती जाती है।'—इस कथन को स्पष्ट कीजिए। (म० भा० १९५६, अ० वी० १९३५)

९—उपयोगिता-ह्याम-नियम की व्याख्या कीजिए। समाज में रहने वाले व्यक्ति के लिए इसका व्यवहारिक महत्त्व क्या है? (रा० वी० १९५८)

**परिचय (Introduction)**

इस सतार मे प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्रियाओं को इस प्रकार नियमित करने का प्रयत्न करता है जिससे उसे न्यूनतम वेदना, असुविधा और व्यय के साथ अधिकतम सतोष प्राप्त हो। उसकी एक मात्र इच्छा यह रहती है कि किस प्रकार उसे अधिकतम प्रसन्नता होवे। यूनानी लोग इसे अधिकतम आनन्द का सिद्धान्त (Hedonic Principle) कहते हैं।

मनुष्य की आय सीमित होती है और उसकी आवश्यकताएँ अनन्त होती हैं। अतः उसकी आय कुछ ही आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ होती है। उसकी समस्त आवश्यकताएँ उस सीमित आय से पूर्ण नहीं होती। अस्तु वह स्वाभाविक रूप से इस बात में प्रयत्नशील रहता है कि किस प्रकार वह उसे व्यय करे जिससे उसे अधिकतम तृप्ति हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु वह वस्तुओं को उपयोगिता की दृष्टि से जमाकर अपनी आय को व्यय करता है, अर्थात् सबसे प्रथम अनिवाय वस्तुओं पर व्यय करता है, तत्पश्चात् सुख और विलास वस्तुओं पर। यदि वह इस क्रम से अपनी आय को व्यय करता है, तो अन्त में वह इस बात का अनुभव करता है कि मुद्रा की अन्तिम इकाई की उपयोगिता सब वस्तुओं पर लगभग समान है। इस व्यवस्था को सम-सीमान्त उपयोगिता (Law of Equi-marginal Utility) कहते हैं।

नियम का सैद्धान्तिक रूप (Enunciation of the Law)—सम सीमांत नियम निम्न प्रकार परिभाषित किया जा सकता है : "दी हुई राशि में अधिकतम तृप्ति को जा सकती है यदि प्रत्येक वस्तु पर व्यय की गई राशि को अन्तिम इकाई की उपयोगिता लगभग समान हो।"

(Maximum satisfaction out of expenditure of a given sum can be obtained, if the utility derived from the last unit of money spent on each object of expenditure is more or less the same)

व्याख्या (Explanation)—उपर्युक्त नियम हमको इस बात की ओर संकेत करता है कि किस प्रकार हम अपनी आय को विविध वस्तुओं पर व्यय करें जिससे प्रत्येक व्यय की हुई मुद्रा की इकाई से अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इसकी यो भी कहा जा सकता है कि एक बुद्धिमान व्यक्ति को किस प्रकार अपनी व्यय-राशि को व्यवस्था करनी चाहिए जिससे उसकी विविध व्यय की इकाइयों की सीमान्त उपयोगिता समान रहे, अर्थात् आय को प्रत्येक बार व्यय करने में अधिकतम तृप्ति प्राप्त हो।

प्रो० मार्शल की परिभाषा—मार्शल इस नियम को इस प्रकार परिभाषित करते हैं “यदि किसी व्यक्ति के पास ऐसी कोई वस्तु है जिसका उपयोग कई प्रकार से हो सकता है तो उसके उपयोग को इस प्रकार बाँटेगा कि सब दशाओं में सीमान्त उपयोगिता समान हो रहे।”

(If a person has a thing which he can put to several uses, he will distribute it between these uses in such a way that it has the same marginal utility in all.)<sup>1</sup>

यदि किसी एक उपयोग में उसकी सीमान्त उपयोगिता अधिक है, तो वह उसमें से कुछ लेकर अन्य उपयोग में लगा देगा, केवल इस प्रकार वह मुद्रा की प्रत्येक इकाई से अधिकतम तृप्ति कर सकता है। उदाहरण के लिए, हमारे पास केवल एक रुपया है, यदि उसे चावल भिण्डर और सतरो पर व्यय करना है तो हम अभिन्नता या अनुभिन्नता म-प्रत्येक वस्तु की अन्य वस्तु की अपेक्षा उपयोगिता नापेंगे और अपनी राशि इस प्रकार व्यय करेंगे कि रुपय की अन्तिम इकाई की सीमान्त उपयोगिता प्रत्येक वस्तु पर समान रहे।

नियम के विविध नाम—सम सीमान्त उपयोगिता नियम को प्रतिस्थापन नियम (Law of Substitution), अधिकतम तृप्ति का नियम (Law of Maximum Satisfaction) अथवा उदासीनता नियम (Law of Indifference) भी कहते हैं। इसे ‘प्रतिस्थापन नियम’ इसलिए कहते हैं कि कम उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान में अधिक उपयोगिता वाली वस्तु का प्रयोग कर देते हैं। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति अपनी योगित आय को इस प्रकार व्यय करना चाहता है कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। इस कारण इसे ‘अधिकतम तृप्ति का नियम’ भी कहते हैं। इसे ‘उदासीनता नियम’ इसलिए कहते हैं कि चरतु या मुद्रा के विविध उपयोगों से समान उपयोगिता प्राप्त होने के कारण उपभोक्ता चरतु या उपयोग के चुनने में उदासीन रहता है और अतिसंतोष में पड़ जाता है कि वह किस वस्तु या उपयोग को स्वीकार करे।

उदाहरण (Illustration)—यह नियम निम्न उदाहरण से भली प्रकार समझा जा सकता है। मान लीजिए कि एक व्यक्ति के पास ₹२ प्राप्त हैं। और वह उन्हें धाटा, चावल और दाल खरीदने में व्यय करना चाहता है। वह इन विविध वस्तुओं पर ₹ आने की इकाई में व्यय करता है। ‘उपयोगिता ज्ञान नियम’ के अनुसार प्रत्येक क्रमानुगत वस्तु की इकाई की उपयोगिता गिरती जाती है जैसा कि नीचे तालिका में दिखाया गया है।—

वस्तु का नाम	वस्तु की प्रत्येक इकाई की उपयोगिता					
धाटा	२०	१७	१४	१२	१०	९
चावल	१६	१४	११	१०	४	१
दाल	१५	१३	१०	७	४	२

१ आने का ४ छटांक आटा, ३ छटांक चावल और ३ छटांक दाल उपलब्ध होता है। प्रत्येक क्रमानुगत एक आने को विविध वस्तुओं पर व्यय करने से जो उपयोगिता प्राप्त होती है, वह ऊपर की तालिका में स्पष्ट है।


ऊपर के उदाहरण में यह ज्ञात है कि आटे की प्रथम इकाई की उपयोगिता अधिकतम होने में सबसे प्रथम एक आना इस पर व्यय किया जायगा। जब श्रमिक दूसरा आना व्यय करेगा तो विविध वस्तुओं की उपयोगिताओं की तुलना कर पुनः इसी को आटा खरीदने में व्यय करेगा, क्योंकि इसकी उपयोगिता ही अभी अधिकतम है। जब तीसरा आना व्यय किया जायगा तब भी वह सब वस्तुओं की तुलना करेगा। हमें ज्ञात है कि आटे की तीसरी इकाई की उपयोगिता १४, चावल की पहली इकाई की उपयोगिता १६ और दाल की पहली इकाई की उपयोगिता १५ है। अतः यह स्वभाविक है कि तीसरा आना चावल की पहली इकाई पर खर्च किया जायगा। अन्य आने भी इसी प्रकार व्यय किए जायेंगे। नीचे एक तालिका दी गई है जिसमें विविध वस्तुओं पर १२ आने व्यय करने का क्रम बतनाया गया है :—

एक आने की इकाइयाँ	वस्तु का नाम	उपयोगिता
१	आटा	२०
२	आटा	१७
३	चावल	१६
४	दाल	१५
५	चावल	१४
६	आटा	१४
७	दाल	१३
८	आटा	१२
९	चावल	११
१०	आटा	१०
११	चावल	१०
१२	दाल	१०
१२ आने	५ आटे की इकाइयाँ ४ चावल की इकाइयाँ ३ दाल की इकाइयाँ	१६२

ऊपर की तालिका से यह विदित होता है कि प्रत्येक वस्तु के अन्तिम आने की उपयोगिता समान है। प्रत्येक दशा में सीमान्त उपयोगिता १० है जो तालिका में विभिन्न चिन्ह द्वारा प्रकट की गई है। यह अपने व्यय को इस प्रकार जमावेण कि ५ आने दो आटा खरीदने में, ४ आने चावल में और ३ आने दाल खरीदने में व्यय करेगा। यहाँ समस्त उपयोगिता ( Total Utility ) १६२ इकाइयाँ हैं। इन क्रम से व्यय करने पर ही अधिकतम लाभ प्राप्त हो सकेगा। परन्तु यदि हम क्रम में कुछ हेर फेर हुआ तो समस्त उपयोगिता गिर जायेगी। अर्थात् आटे की ५, चावल की ४ और दाल की तीन इकाइयाँ खप करने के स्थान में आटे की ४, चावल की ४ और दाल

की ४ इकाइयाँ अथवा ये अन्य परिमाण में खरीदी जायें तो समस्त उपयोगिता में न्यूनता होगा स्वाभाविक होगा ।

**नियम का रेखा चित्रण ( Diagrammatic Illustration )**—उपरोक्त उदाहरण रेखा-चित्र द्वारा निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है । प्रादा, चावल और दाल की विविध इकाइयों की उपयोगिताएँ नीचे के तीन चित्रों में दर्शाई गई हैं :—



### सम-सीमान्त उपयोगिता नियम ( Law of Equi-marginal Utility )

चित्र का स्पष्टीकरण—ऊपर के चित्रों में अ-व रेखाओं पर इन विविध वस्तुओं की इकाइयाँ नापी गई हैं और अ-स रेखाओं पर इनमें प्राप्त प्रतियोगिताएँ दर्शाई गई हैं । एक रेखा उन आयतों ( Rectangles ) को जिनकी उपयोगिता प्रत्येक वस्तु में १० इकाइयाँ है मिलायी हुई खींची गई है । जितने आयत इस रेखा द्वारा स्पर्श किए गए हैं वे सब इस बात को बतलाते हैं कि प्रत्येक वस्तु की कितनी इकाइयाँ खरीदी गईं अथवा प्रत्येक के लिए कितने अ-स व्यय किये गये । ऊपर के रेखाचित्रों द्वारा यह स्पष्ट है कि आटे की ५, चावल की ४ और दाल की ३ इकाइयाँ खरीदी गई हैं, अर्थात् ५ आटे के लिए, ४ आने चावल के लिए और ३ आने दाल के लिए व्यय किये गये हैं । ( १ इकाई १ आने के बराबर मानी गई है )

### उपयोगिता क्षेत्र ( Scope of the Law )

इस नियम की उपयोगिता का अनुभव हमको अपने दैनिक जीवन में निरन्तर होता रहता है । इसकी यथार्थता अर्थशास्त्र के अध्ययन की सभी शाखाओं में प्रकट होती है :—

**उत्प्रेक्षण ( Consumption )**—सम-सीमान्त उपयोगिता नियम केवल मृत व्यय पर ही नहीं अपितु उन सब वस्तुओं पर भी लागू होता है जिनका प्रयोग वैकल्पिक होता है । उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के पास कम चयन कपड़ा है और यदि वह एक कमीज, पायजामा बुता और बनिपान बनाना चाहेता है, तो उसे इन विविध प्रयोजनों के लिए इस प्रकार बाँटना चाहिए कि प्रत्येक प्रकार के प्रयोग की अन्तिम इकाई की सीमान्त उपयोगिता समान रहे । इस प्रकार यह अधिकतम सुविधा प्राप्त कर सकेगा । एक और उदाहरण देना इस विषय को अति स्पष्ट कर देगा । माना कि किसी मरुस्थल में जल की एक बड़ी वास्ती उपलब्ध हुई, इस परिमित जल को पीने, नहाने, कपड़े धोने आदि कार्यों के लिए इस प्रकार बाँटा जाय कि इन सबकी अन्तिम इकाई की उपयोगिता समान रहे और समस्त उपयोगिता अधिकतम हो ।

वर्तमान और भविष्य के उपभोगों की तुलना—इस नियम का उपयोग केवल वही जानने के लिए नहीं होता है किमी वस्तु या मुद्रा के विविध उपयोगों में किन प्रकार बांटा जाय, अर्थात् उपयोग किमी वस्तु या मुद्रा के वर्तमान और भविष्य के उपयोगों को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे प्रत्येक मनुष्य इस बात की तुलना करता है कि अमुक वस्तु को इतनी मात्रा लेने से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त होनी है, उन्ही प्रकार उसे इस बात की भी तुलना करनी चाहिए कि वर्तमान समय के किये जाने वाले उपभोग के व्यय से उत्पन्न होने वाली समस्त उपयोगिता से भविष्य में किये जाने वाले उपभोग में व्यय में प्राप्त होने वाली उपयोगिता में कितना अन्तर है। दोनों उपयोगिताओं में से किम्बा पलटा अधिक भारी है। प्रत्येक मनुष्य को भविष्य के लिए कुछ न कुछ बचाना ही पटना है अतः मनुष्य को अपनी प्रायः कितना भाग वर्तमान में व्यय करना चाहिए और कितना भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए।

प्रो० मार्शल इस मन्त्रण में यह कहते हैं, "एक विचारशील पुरुष अपने साधनों को विविध प्रयोगों में—वर्तमान या भविष्य—इस प्रकार वितरण करेगा कि प्रत्येक दशा में वही सीमान्त उपयोगिता प्राप्त हो। परन्तु दूर के साधनों के उपयोगों की वर्तमान में सीमान्त उपयोगिता वा अनुमान लगाने समय अनिश्चितता और भविष्य की उपयोगिता की तुलना का ध्यान रखना चाहिए।"

उत्पत्ति (Production)—सम सीमान्त उपयोगिता नियम की उपयोगिता केवल उपभोग तक ही सीमित नहीं है प्रत्युत उत्पत्ति, विनिमय और वितरण में भी यह 'प्रतिस्थापन नियम' के रूप में देखा जाता है। उत्पत्ति के क्षेत्र में इसका बहुत अधिक महत्व देखा जाता है। प्रत्येक व्यापारी या उत्पादक निरन्तर अपने साधनों को विविध उत्पादन-कारकों (Factors of Production) में इस प्रकार वितरण करता रहता है कि उसे अधिकतम लाभ प्राप्त हो। यह निरन्तर अपने मस्तक में प्रत्येक कारक की 'सीमान्त उत्पादकता' (Marginal Productivity) का माप तान करता रहता है और उनकी उपयोगिता के अनुसार अपने साधनों का विनियोग करता रहता है। उदाहरणार्थ, यदि किसी वस्तु का उत्पादन शक्ति द्वारा उत्पन्न किया जाने की अपेक्षा मशीन द्वारा अधिक उत्तम और सस्ता सम्भव है, तो वह शक्ति के स्थान में मशीन का उपयोग करेगा। वन यही 'प्रतिस्थापन नियम' का महत्व है। इसी प्रकार कृषक भी अपने मस्तक में यह मोक्षता रहता है कि वह अपने अमुक क्षेत्र में गेहूँ बोये या जो अथवा चना। यह प्रत्येक की सीमान्त उत्पादन-उपयोगिता का तुलनात्मक दृष्टि से जांच कर वही अन्न उत्पन्न करता है जिसमें न्यूनतम व्यय से अधिकतम लाभ हो।

विनिमय (Exchange)—विनिमय क्षेत्र में भी इसकी उपयोगिता स्पष्ट है। जैसे उपभोक्ता समान मूल्य वाले पदार्थों में सबसे पहल उन वस्तुओं का खरीदता है जिनकी उपयोगिता अधिक हो। समान मूल्य वाली बड़ी वस्तुओं में से उन वस्तुओं को खरीदने का प्रयत्न करता है जिनमें वह अधिकतम तृप्ति कर सके।

वितरण (Distribution)—वितरण क्षेत्र में भी इसकी उपयोगिता कम दृष्टिगोचर नहीं होती। एक उत्पादक अपने साधनों को कई एक उत्पादन-कारकों पर इस प्रकार लगाना चाहता है कि प्रत्येक कारक की सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) समान रहे। प्रत्येक कारक की सीमान्त उत्पादन शक्ति की महत्त्वता से ही प्रत्येक कारक का पारिष्पतिक (Remuneration) निर्धारित किया जाता

है। सावधान प्रधिकरण सामाजिक लाभ का दृष्टि में इस नियम को ध्यान में रख कर विभिन्न उपायान्तर कारणा का समुचित विवेचन की जाय करता है।

राजस्व ( Public Finance )—इस नियम की सहायता में सरकार द्वारा सावधानिक व्यय का इस प्रकार सर्वे किया जाता है कि उच्च प्रधिकरण सामाजिक लाभ (Maximum Social Advantage) प्राप्त हो।

नियम की बाधाएँ अथवा मर्यादाएँ

( Hindrances or Limitations of the Law )

यद्यपि मनुष्य स्वभावतः अपनी गूजा में अधिकतम लाभ का इच्छा करता है और इसीलिए वह इस नियम का अनुसरण करता है तथापि व्यावहारिक जीवन में देखा जाता है कि कुछ परिस्थितियाँ ऐसी उत्पन्न हो जाती हैं या इस नियम की पट्टी प्राप्ति में बाधा बन जाती हैं। ये निम्नलिखित हैं—

( १ ) अविचारित व्यय—कुछ व्यक्ति ऐसी होते हैं जो जिना माघे ममके अर्थ में व्यय को व्यय कर रहे हैं। वे कहते हैं कि प्रत्येक व्यय की सीमांत उपयोगिता का हिमालय उगाना कबल समय का दुर्लभयोग है।

( २ ) दूसरा व निमित्त व्यय—वह भी कहा जाता है कि लाभ प्रायः अपने लिए वस्तुएँ नहीं खरीदते। उदाहरण के लिए बच्चा के लिए उनके माता पिता अथवा अभिभावक वस्त्र आदि वस्तुएँ खरीदते हैं। जो वस्तुएँ दूसरा के उपयोग के लिए खरीदी जायेंगी उनका उपयोगिता का अनुमान किस प्रकार लगाया जा सकता है।

( ३ ) जनसाधु-परिवर्तन स्वास्थ्य का दवा तथा वस्तुओं के विनाश का प्रभाव—उपमाना सर्व मम सामान्य उपयोगिता नियम द्वारा अर्थ व्यय का समायाजन नहीं करता है। प्रायः कहा जाता है कि मनुष्य कभी-कभी कम उपयोगिता वाली वस्तुएँ खरीदता है। रेल का टिकट इसका सर्व उदाहरण है। यमराजी पुरुष आपन नही मरने के लिए अपने दैनिक जीवन में रेल का टिकट को मुक्त का अनिवाय आपन नहीं मरने के लिए उम उतता महारव भी नहीं रेल परन्तु अन्तर्गत के परिवर्तन के निमित्त इस प्रकार के मम म व्यय उन करना पड़ता है। इसी प्रकार कभी-कभी मनुष्य को स्वास्थ्य मर्याद विनाश कर कपाय औषध तथा इसी प्रकार के पदार्थ खान पडते हैं। उनमें उनकी मम सीमांत उपयोगिता नहीं देना जानी। इनके अनिश्चित जिन सीमा तक वस्तुएँ विनाशित की गई हैं उनमें भी उमक व्यय में अन्तर आना स्वाभाविक है।

( ४ ) पूर्व निश्चित व्यय—उपमाना की मर्यादा का कुछ भाग निश्चित व्यय के लिए पट्टी में ही निश्चित होता है। वस्तु इस प्रकार के व्यय का समायाजन इस नियम द्वारा नहीं किया जा सकता है। जम मवान का विराया कर आदि पूर्व निश्चित व्यय हैं उनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता है।

( ५ ) मूल परिवर्तन—प्रायः मूल के परिवर्तन में मम-सामान्य उपयोगिता नियम पर अनिश्चित अनुमानिक गणना (Calculation) इस नियम की उपयोगिता प्रकट करने में अमन्य हो जाती है। मान लीजिए कि मूल का मूल्य बढ़ जाय और वास्तव में वास्तव का मूल्य अपरिवर्तित रह तो मूल पर व्यय विनाश का प्रत्येक मूल की उपयोगिता पूर्व अनुमानिक उपयोगिता में कम हो जायगा।

(६) असंमित साधन—प्रकृति-दत्त निःशुल्क वस्तुओं की भाँति यदि साधन असंमित हों, तो इस नियम का कोई महत्त्व नहीं रह जाता ।

(७) अयोग्य या अपट व्यवस्थापक—यदि व्यवस्थापक में योग्यता या कुशलता का अभाव है, तो वह विविध उत्पादन-कारकों के समायोजन से अधिकतम लाभ नहीं उठा सकेगा ।

रीति-रिवाज अथवा फैशन का प्रभाव

(Effects of Custom or Fashion on the Law )

रीति रिवाज कभी-कभी कर्मो वस्तु की उपयोगिता को अनिवार्य बना देता है । उदाहरणार्थ घोती और पायजामा दांता वस्तुएँ एक ही प्रयोजन सिद्ध करने के कारण एक के स्थान में दूसरी प्रयुक्त की जा सकती है, परन्तु रीति-रिवाज की श्रृंखला में बाँधे हुए होने के कारण ब्राह्मण कभी पायजामा प्रयुक्त नहीं करेगा, चाहे वह घोती की अपेक्षा अधिक मन्ता क्यों न पड़े । एक उदाहरण और दे देना इस विषय का अधिक स्पष्ट कर सकेगा । हिन्दू द्विज का बालक यज्ञोपवीत भस्कार के समय दण्ड, मेखला, कमण्डल, शामन, भोजी धारण करता है । इसका धारण करना वैदिक गीत के आधार पर अनिवार्य है । इन वस्तुओं की उपयोगिता से यद्यपि उनको 'मूल्य' मताप प्राप्त होता है पर रीति-रिवाज की विवशता में उसे उनका उपयोग करना पड़ता है । सम-भोगान्त उपयोगिता नियम के आधार पर वह इन वस्तुओं के स्थान पर ऐसी वस्तुओं का उपयोग चाहेगा जिनसे उसे इनकी उपयोगिता की अपेक्षा अधिक सतोप उपलब्ध हो ।

इस प्रकार फैशन की दासता भी कई बार मनुष्य को अमुक वस्तु के उपयोग के लिए बाध्य कर देती है । उदाहरण के लिये, फैशन का दास एक कॉलेज का विद्यार्थी मजलन खरीदने के स्थान में टाई खरीदना पसन्द करेगा, यद्यपि उसी मूल्य में भस्करन जैसी लाभदायक वस्तु खरीदी जा सकती है । यह फैशन के प्रभाव में अपनी मुद्रा उन वस्तुओं पर ही जिनकी उपयोगिता कम है, व्यय करेगा । यह सम-भोगान्त उपयोगिता नियम के विरुद्ध है ।



- ६—आय को व्यय करने में प्रतिस्थापन किस प्रकार काम आता है ? उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए । (पटना १९१० ४५)
- ७—सम-सोमान्त उपयोगिता नियम की व्याख्या कीजिए । दैनिक जीवन में इसका महत्त्व बताइए । (म० भा० १९५२ अ० वा० १९४४ ४८)
- ८—उपभोग में त्रास हानि वाला प्रतिस्थापन नियम की व्याख्या कीजिए और यह भी बताइए कि रीति रिवाज और पैंगल से इसमें क्या परिवर्तन हुआ है ? भारतीय उदाहरण दीजिए । (अ० वा० १९४४)
- ९—यदि आपको अनुपामा स्त्री का नाम आए उत्तराधिकार में प्राप्त होना स्वयं अधिकतम सन्तुष्टि प्राप्त करने के लिए आप किस सिद्धान्त का ध्यान में रखेंगे ? मुख्य मुख्य मद्दा का उल्लेख कीजिए जिन पर कि आप यह रचना व्यय करना चाहेंगे और उन मद्दा का आप क्या सापेक्षिक महत्त्व देंगे ? (पंजाब १९४८)
- १०—सम-सोमान्त उपयोगिता नियम पर टिप्पणी कीजिए । इस प्रतिस्थापन का सिद्धान्त अथवा उत्पत्ति का नियम क्या कहते हैं ? (पंजाब १९४२)
- ११—सम-सोमान्त उपयोगिता नियम में आप क्या समझते हैं ? एक उपभोक्ता के पास गेहूँ दूध चाय व चीनी पर खर्च करने के लिए ₹५०० हैं तथा प्रथम की सोमान्त उपयोगिता निम्न प्रकार है —

गेहूँ	२८	२६	२०	१६
दूध	२८	२०	१६	१०
चाय	२२	१८	६	२
चीनी	२०	१७	१६	६

(रा० वा० १९५७)

- १२—अधिकतम तृप्ति ( Maximum Satisfaction ) प्राप्त करने के लिए कान्ति व्यय प्रणाली व्यय किस नियमों के अनुसार करता है ? इस नियम के पालन में ऋद्धि और भ्रूषाचार ( Fashion ) का प्रभाव क्या है ? (नागपुर १९५५)
- १३—सम-सोमान्त-उपयोगिता नियम का अर्थ व उदाहरण सहित अर्थशास्त्र प्रकाश में समझाइए । (मागूर १९५८ ४६/१०)

उपभोक्ता की वचत  
(Consumer's Surplus)

उपभोक्ता की वचत का अर्थ (Meaning)—उपभोक्ता की वचत के सिद्धान्त का 'उपयोगिता हानि नियम' में प्रतिष्ठ मन्वन्त है। यह सिद्धान्त इस बात को स्मरण करता है कि उपभोक्ता का जो वस्तुएँ कि वे खरीदने हैं उनमें प्रतिरिक्त मनुष्टि (Surplus Satisfaction) प्राप्त होती है। यह प्रतिरिक्त मनुष्टि कुछ वस्तुओं में अधिक और कुछ में कम प्राप्त होती है। जब हम किसी वस्तु को खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, तब हम उस वस्तु का मूल्य जो हम वास्तव में देते हैं उसमें बड़ी अधिक देने के लिए नैयाग हा जाने है और उस मोदे में कुछ मुद्रा बचाकर घर लौट आते हैं। यह बची हुई मुद्रा अन्य वस्तुओं के लिये म व्यय की जा सकती है जिनसे हमें 'प्रतिरिक्त मनुष्टि' प्राप्त होती है। इस प्रतिरिक्त मनुष्टि का अर्थशास्त्र में 'उपभोक्ता की वचत' के नाम से संबोधित किया जाता है। उदाहरणार्थ, मान लीजिए कि पास्ट कार्ड मरलता में अमीष्ट मात्रा में उपलब्ध नहीं होत है। कुछ व्यक्तियों की पास्ट कार्ड लिखने की इच्छा इतनी प्रबल होती है कि वे कम से कम मसाह में एक बार पास्ट कार्ड लिखने के लिए पास्ट कार्ड के पच्चीस नये पैसे तब देना को नैयाग हो सकते हैं, परन्तु वास्तव में पास्ट कार्ड पाँच नये पैसे में मिलने चाहते उनमें आसानी से खरीदे जा सकते हैं। अतः, एक पास्टकार्ड खरीदने में दोस नये पैसे की वचत हुई। यह बची हुई मुद्रा अन्य आवश्यक वस्तुओं में व्यय की जा सकती है जिनमें उन्हें प्रतिरिक्त मनुष्टि प्राप्त हो सकेगी। यही प्रतिरिक्त मनुष्टि 'उपभोक्ता की वचत' है।

उपभोक्ता की वचत की उत्पत्ति के कारण (How dose Consumer's Surplus arise?)—उपभोक्ता की वचत इसलिए होती है कि जो मुद्रा मूल्य के रूप में किसी वस्तु को खरीदने के लिए व्यय की जाती है उसकी उपयोगिता उस से प्राप्त सम्पूर्ण उपयोगिता में कम होती है। 'उपयोगिता हानि नियम' के अनुसार जैसे-जैसे वस्तु का उपयोग बढ़ता है उसकी उपयोगिता कम होती जाती है—अर्थात् वस्तु की पहल वाली इकाइयों की उपयोगिता की अपक्षा बाद वाली इकाइया की उपयोगिता गिरती जाती है, यहाँ तक कि अन्त में उपभोक्ता को किसी एक इकाई पर अपना उपयोग समप्त कर देने के लिए सोचना पड़ेगा, क्योंकि उस इकाई की उपयोगिता शून्य की जाने वाली मुद्रा (मूल्य) की उपयोगिता के समान है। यह इकाई सीमान्त इकाई (Marginal Unity) और इसमें प्राप्त उपयोगिता सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility) कहलाती है। सीमान्त इकाई से अधिक इकाइयों खरीदना मुद्रा का दुर्ग्रयोग मान होगा। अतः उसे वस्तु का उपयोग बही समाप्त कर देना पड़ेगा। उस वस्तु की सब इकाइयाँ एक समान हानि के कारण वस्तु की

विभिन्न इकाइयों का मूल्य नामान्न खाई या उपयोगिता अर्थात् मूल्य व अन्वय दिया जायगा। परन्तु सीमान्त इकाई से ऊपर वाली इकाइया की उपयोगिता उसमें अधिक होने के कारण उन इकाइया पर उपभोक्ता को मूल्य की उपयोगिता में अधिक उपयोगिता प्राप्त होती है कम यही नाम उपभोक्ता की वचन है। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मूल्य के रूप में मिलती उपयोगिता का उस वस्तु के लिए हमको त्याग करना पड़ता है वह समस्त उपयोगिता में कम होती है। इस प्रकार त्याग की यह उपयोगिता और प्राप्त उपयोगिता का अंतर ही उपभोक्ता की वचन है। इसको उपभोक्ता की वचन इंगित कहते हैं कि उस वस्तु की चरीदेन में उस व्यक्ति का उतनी उपयोगिता का नाम हा जाता है। अन्तु यहाँ यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि उपभोक्ता का वचन का सम्बन्ध उपयोगिता में है न कि मूल्य में। हा यह अर्थ वस्तुओं की भाँति स्पष्ट आने पाई में नापी जा सकती है।

समय में उपभोक्ता का यह नाम निम्न कारणों में उपलब्ध होता है —

- (१) उपयोगिता ज्ञान नियम का लागू होना।
- (२) बाजार में किस वस्तु का एक ही समय एक ही मूल्य विद्यमान होना।
- (३) उत्पत्ति की कृतात्मक उत्पत्ति व कारण वस्तुओं का मिला उपलब्ध होना।
- (४) एक ही वस्तु के लिए अमीर गरीब और मध्यम श्रेणी के उपभोक्ताओं का होना।

उपभोक्ता का वचन का सिद्धान्तिक रूप (Statement of the law)

जैसे हम प्रकार के नाम का अनुमान हम अपने दैनिक जीवन में कई वस्तुओं के सम्बन्ध में करते रहते हैं परन्तु इसका भौतिक रूप में परिचय सामान्यतः प्रो. मार्शल ने दिया। उन्होंने इस विचार धारा की व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट किया है कि जो मूल्य मनुष्य वास्तव में देता है वह उस मूल्य में जिस वह व्यक्ति वस्तु में वचन रहने को तैयार हो जायगा, सबदा कम होता है और वास्तव ही कभी उसके बराबर जाता है। अतः उसके अर्थ में जो उस मनुष्य मिलता है वह साधारणतया उस मनुष्य में अधिक होती है जिस वह उसने मूल्य के रूप में देता है और हम प्रकार के अर्थ में अनिश्चित मनुष्य प्राप्त होती है। जो मूल्य किसी वस्तु से वचन रहने की अपेक्षा मनुष्य देने का तैयार हो जायगा और जो मूल्य वास्तव में देता है, उन दोनों मूल्यों का अंतर ही उपभोक्ता की वचन का आर्थिक माप है। अतः इस सम्बन्ध में अंग्रेज विद्वानों ने कि इस वचन को हम अवसर (Opportunities) या वातावरण (Environment) में प्राप्त होने वाला नाम भी कह सकते हैं। वस्तु का वास्तव यह है कि भौतिक उत्पत्तिक साधन उपभोक्ता की वचन में वृद्धि होती रहता है। उदाहरण के लिए जा देना भौतिक सम्पत्ति की दृष्टि में अधिक प्रयत्नशील है वह निम्न अर्थ विद्वानों द्वारा देना की अपेक्षा इस प्रकार का नाम मनाया को अधिक उपलब्ध होता है।

1— The excess of the price which he would be willing to pay rather go without the thing over which he actually does pay is the economic measure of the surplus satisfaction  
—Marshall

• प्रो० टॉसिग के मतानुसार समस्त उपयोगिता और समस्त विनिमय-मूल्य को नापने वाली राशियों का अन्तर ही उपभोक्ता की बचत है।<sup>1</sup>

प्रो० जे० के० मेहता इमको इस प्रकार परिभाषित करते हैं—किमी वस्तु से मनुष्य जो उपभोक्ता की बचत प्राप्त करता है, वह उस वस्तु से मिलने वाली सन्तुष्टि और वस्तु को पाने के लिए त्याग करने वाली सन्तुष्टि का अन्तर होता है।<sup>2</sup>

संक्षेप में, उपभोक्ता की बचत = जो हम दे सका है

—जुम जो हम वालन्य में देते हैं।

In short, Consumer's Surplus = What we are prepared to pay minus what we actually pay

उपभोक्ता की बचत का गणितात्मक रूप

(Mathematical Expression of Consumer's Surplus)

उपभोक्ता की बचत का गणितात्मक रूप निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है—  
उपभोक्ता की बचत = समस्त उपयोगिता—( सीमान्त उपयोगिता × खरीदी जाने वाली इकाइयों की संख्या)

Consumer's Surplus = Total Utility—( Marginal Utility × No of units purchased)

उ० ब० = ग० उ० - (गी० उ० × ग०)

C S. = T U - (M U × N)

अर्थात् उ० ब० का अर्थ है उपभोक्ता की बचत

स० उ० " " कुल उपयोगिता

स० " " खरीदी जाने वाली इकाइयों की संख्या

**उदाहरण (Illustration)**—मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत भूखा है। भूख शांत करने के लिए वह बाजार में जाकर रोटी खरीदता है। प्रत्येक रोटी की उपयोगिता नुसार वह निम्नान्वित सारणियों में अनित्त धूय देने को तैयार हो जाता है। मान लीजिए बाजार में प्रति रोटी का मूल्य एक घना है।

यह कुल ५ रोटियाँ खरीदेगा। पाँचवीं रोटी की उपयोगिता घोर मूल्य दोनों बराबर है। यदि छठी रोटी खरीदना है तो उसको मूल्य में कम तृप्ति प्राप्त होगी।

1—According to Taussig, Consumer's Surplus is the "Difference between the sum which measures total utility and that which measures total exchange value"


2—J K Mehta in his Groundwork of Economics defines it as follows "Consumer's Surplus obtained by a person from a commodity is the difference between the satisfaction which he derives from it and that which he forgoes in order to procure that commodity"

अतः वह पाँचवीं रोटी के पदवान् और कोई रोटी 'न खरीदेगा। वह पाँच रोटियों के लिए तीन रुपय खीन खाने तक देने का तैयार हो सकता है, किन्तु बाजार भाव एक खाना होने के कारण उसे पाँच राटिया के लिए कुल पाँच खान देने पड़ते हैं। ऐसी स्थिति में उसे दो रुपय सीद्ध खाने की वचन होगी।

रोटी की संख्या	भूय जा वह देने की तैयार हो सकता है	बाजार भाव	उपभोक्ता की वचन
पहली	२० खाने	१ खाने	$(20 - 1) = 19$ खाने
दूसरी	१५ " "	१ " "	$(15 - 1) = 14$ " "
तीसरी	१० " "	१ " "	$(10 - 1) = 9$ " "
चौथी	५ " "	१ " "	$(5 - 1) = 4$ " "
पाँचवीं	१ " "	१ " "	$(1 - 1) = 0$ " "
कुल ५ रोटियाँ	५१ खाने	५ खाने	$= ४६$ खाने

रेखा चित्रण (Diagrammatic Representation)

रेखा-चित्रण का स्पष्टीकरण—ऊपर के चित्र में प्रत्येक रेखा पर रोटियों की



संख्या और अ ग रेखा पर उपभोक्ता की इकाइयाँ मापी गई हैं। प्रत्येक रेखा, क ग, ख ग, ग घ और घ ट म विभाजित है। इनमें से प्रत्येक एक विभाजित क्रम में एक रोटी का प्रतीक है। जो आयत (Rectangle) उनमें प्रत्येक भाग पर बना हुआ है वह प्रत्येक रोटी की उपभोक्ता वचनमाना है। प्रत्येक रोटी का मूल्य यदाने वाली रेखा है। आयतों का छायादार भाग उपभोक्ता की वचन का प्रदर्शन करता है। हम देखते हैं कि सीमान्त उपभोक्ता में उपभोक्ता-वचन शून्य है।

उपभोक्ता की वचन (Consumer's Surplus)

दैनिक जीवन के कुछ उदाहरण (Examples from daily life)— हम प्रकार की वचन का अनुभव हम अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं। भिन्न-भिन्न वस्तुओं में मूल्य की वचन भिन्न-भिन्न होती है। साधारणतया आवश्यक वस्तुओं में उपभोक्ता की वचन अधिक प्राप्त होती है और सुख तथा विनाम की वस्तुओं में कम। दैनिक जीवन में खाने खाने वाली सामग्री वस्तुओं में अधिक मूल्य की वचन होती है, जैसे दियानलाई, मिट्टी का तेल, लहसुन, दूध, समाचार-पत्र, पोस्टकार्ड, विनाम के आदि। उपभोक्ता तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं, जैसे तथा सामग्री, भोजन वस्तु तथा विनाम वस्तु में प्रयुक्त होने वाले वस्तुओं के उदाहरण हैं।

उपभोक्ता की वचन के माप में कठिनाइयाँ

(Difficulties of measuring Consumer's Surplus)

उपभोक्ता की वचन का यथार्थ माप एक कठिन साध्य कार्य है। उसका सम्ये, धाने, पाई में ठीक-ठीक माप करने समय हमें कुछ कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है जो निम्नलिखित हैं :—

(१) उपभोक्ता की वचन मनुष्यों के सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक वातावरण पर निर्भर है—अधिक सम्य और प्रगतिशील देशों में जीवनोपयोगी वस्तुओं अधिक मात्रा में तथा सम्ये दामों में उपलब्ध होने के कारण वहाँ के निवासियों को पिछड़े हुए देशों की अपेक्षा अधिक उपभोक्ता की वचन प्राप्त होती है।

(२) भिन्न-भिन्न वस्तुओं में भिन्न-भिन्न उपभोक्ता की वचन होना—सम्ये कई एक वस्तुओं का उपभोग एक साथ करता है और उनको सीमान्त तथा समस्त उप-योगिताओं में पर्याप्त भिन्नता होती है। अतः समाज के प्रत्येक व्यक्ति की मय वस्तुओं में प्राप्त समस्त वचन की मापना बड़ा कठिन हो जाता है।

(३) बाजार में उपभोक्ता की वचन का यथार्थ माप कठिन है—बाजार में प्रत्येक उपभोक्ता की वचन को मापना और भी कठिन हो जाता है, क्योंकि प्रत्येक की रुचि, पसंदों और धार्य में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है।

(४) उपभोक्ता की वचन की धारणा काल्पनिक एक प्रगत्य है—यह कहना कि १०० रु० खर्च करने में १००० रु० की गुणि प्राप्त होती है कोई अर्थ नहीं रखता क्योंकि सामान्य में नौ मी की वचन का अनुभव नहीं होता।

(५) अनिवार्य पदार्थों में भी यह सिद्धान्त पूर्णतया लागू नहीं होता—अनिवार्य पदार्थों की समस्त उपयोगिता की मापना बड़ा कठिन है, क्योंकि वस्तुओं में उपभोक्ता की वचन सीमित होती है जो ठीक-ठीक मापी नहीं जा सकती है। प्रो० टॉमिंग के मतानुसार यह सिद्धान्त केवल अनिवार्य आवश्यकताओं में ही नहीं बल्कि रुढ आवश्यकताओं में भी ठीक तरह लागू नहीं होता।

(६) प्रतिष्ठार्थ वस्तुओं के लिए यह सिद्धान्त लागू नहीं होता—जो वस्तुएँ पर-अवलोकन तथा मान या प्रतिष्ठा के लिए खरीदी जाती हैं उनमें यह धारणा प्रभावहीन देखी जाती है, क्योंकि ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता, जब तक कि वे अधिक मूल्यवान हैं, प्रतीत होती है। उनके समस्त होने ही प्रतिष्ठार्थ मूल्य भी मापद हो जाता है। वस्तु ऐसी अवस्था में यह वचन की धारणा उल्लेखनीय हो जाती है।

(७) मुद्रा मय लोगों के लिए समस्त उपयोगिता नहीं रखती—एक मध्ये की एक धनवान पुरुष के लिए जो उपयोगिता है, उसमें कहीं अधिक उसकी उपयोगिता एक गरीब आदमी के लिए है। अतः उनके वस्तु-अर्थ के दृष्टिकोणों में भी पर्याप्त भिन्नता होना स्वाभाविक है। वस्तु इन विषमता के कारण इसका ठीक मापन सम्भव नहीं है।

(८) भाग-मूल्य सूचिका पूर्ण अवस्था में उपलब्ध न होना—यह अनुमान लगाना कठिन है कि कोई मनुष्य किसी वस्तु के लिए खर्चा उसका त्याग करने के क्या मूल्य देने के लिए तैयार हो जावेगा। यह ठीक-ठीक अनुमान नहीं लगाना ही उपभोक्ता की वचन के मापन में बाधा उपस्थित करता है।

(९) प्रतिष्ठागी षट् स्थानापन्न वस्तुओं का मापन कठिन है—  
उदाहरण के लिए चाय और कढ़वा प्रतिशेका (Ratio) एवं स्थानापन्न (Substitute) वस्तु है। यदि चाय उपलब्ध न हो जाती है तो चाय कढ़वा पीना प्रारम्भ कर देता। परन्तु यदि चाय और कढ़वा दोनों न मिल पाएँ तब चाय की अधिक शक्ति होगी। अतः चाय और कढ़वा दोनों को समस्त उपयोगिता एक दूसरे के समान मूल्य और कढ़वा को वृद्ध वृत्त उपयोगिता के योग में बहुत अधिक है। इन दोनों की उपयोगिता का योग तब पर भेद उनमें प्राप्त समस्त उपयोगिता के बराबर न हो पाएगा।

(१०) प्रारम्भिक इनाइया की उपयोगिता गिना जाता है— वाक्यात्मक वस्तुओं के प्रथम वृद्धि करता जाता है— वाक्यात्मक वस्तुओं के प्रथम वृद्धि की आवश्यकता होती जाती है अतः उनकी उपयोगिता गिर जाती है। इस कारण ही उपभोक्ता को बचत का ठीक-ठीक माप कठिन प जाता है।

उपभोक्ता की उन्नत के सिद्धान्त का महत्व—(Importance of the doctrine of Consumers Surplus) उपभोक्ता का बचत का सिद्धान्त एवं वास्तविक दृष्टिकोण से बड़ा महत्व है—

(१) उपयोगिता और मूल्यांकन—सबसे प्रथम यह सिद्धान्त हमारा इस ओर ध्यान आकृष्ट करता है कि किसी वस्तु का मूल्यांकन सत्य उन्नत प्राप्त तुल्य के बराबर नहीं होता है। वास्तव में यह भी कह सकते हैं कि किसी वस्तु की वास्तविक उपयोगिता का पथाथ बोध उन्ने लिए जाने वाला मूल्य में प्रकट नहीं हो सकता।

(२) वातावरण अथवा अवसर का प्रायः होना—इस धारणा के अन्वयेन हम अपने वातावरण अथवा अवसर में प्राप्त होने वाले लाभ का अनुमान लगा सकते हैं।

(३) विभिन्न स्थानों और समयों के आधिकारिक जाचन का तुलना—उपभोक्ता की बचत के सिद्धान्त द्वारा विभिन्न स्थानों और समयों के मनुष्यों के आर्थिक जीवन को तुलनात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है। उदाहरणार्थ किताबें ₹२०० के मूल्य के समान बिक्री व्यक्तित्व तथा जिनके उपयोग वस्तुओं का उपयोग कर सकता है या किताबें ₹१०० के मूल्य के समान बिक्री व्यक्तित्व का उपयोग कर सकता है।

(४) राजस्व विभाग में महत्व—इस सिद्धान्त का महत्व राजस्व विभाग में भी देखा जाता है। किसी राज्य के प्रथम मंत्री का नया कर लगाएँ के लिए यह देखा जाता है कि लोग कहां तक कर देने को तैयार हैं और नया कर लगाएँ का मूल्य में वृद्धि होगी उन्नत के कहां तक प्रभावित होगा। जिस रूप में अधिक उपभोक्ता का बचत नंगा बड़ा नया कर लगने का प्रभाव जा सकता है।

(५) एकाधिकार मूल्य नियंत्रण में महत्व—इस सिद्धान्त का महत्व एकाधिकार (Monopoly) मूल्य नियंत्रण में देखा जाता है। एकाधिकार (Monopoly) उन वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन में वृद्धि कर सकता है जिनमें पर्याप्त उपभोक्ता का बचत है। किन्तु वह मूल्य अधिक बढ़ा कर बचत समाप्त कर लेता जिनका उपयोग न जायगा।

( ६ ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा होने वाले लाभ का मापन सम्भव—  
 इन पारस्परिक ज्ञान में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार द्वारा होने वाले लाभ का अनुमान लगाया  
 जा सकता है। जैसे किसी देश में कच्चे वस्तुओं का आयात (Import) किया गया जो  
 उस देश की वस्तुओं में भी अधिक मन्वी विकें, तो निम्नदेश में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में  
 उपभोक्ताओं का लाभ होगा।

अभ्यासार्थ प्रश्न

दृष्टान्त आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—उपभोक्ता की वचन (Consumer's Surplus) में क्या तथा सम्भव है। यह  
 किस प्रकार मापी जा सकती है? उदाहरण गृहिक सम्भारण और रेखाचित्र भी  
 लीजिए। (उ० प्र० १६१७)
- २—उपभोक्ता की वचन का आशय समझाए। उसके अध्ययन की क्या उपयोगिता है?  
 (उ० प्र० १६१०)
- ३—उपभोक्ता की वचन का आशय स्पष्ट कीजिए। क्या उस नापा जा सकता है? किंग?  
 (पटना १६४०, माग १६४६)
- ४—उपभोक्ता की वचन का आशय क्या है? चित्र की सहायता में समझाए।  
 (ग० वी० १६५३, ५२, ५१, अ० वा० १६१३)
- ५—उपभोक्ता की वचन का अर्थ समझाए और उत्पत्ति तथा उपयोग में इसका महत्त्व  
 स्पष्ट कीजिए। (अ० वा० १६४८)
- ६—उपभोक्ता की वचन, चित्र की सहायता में समझाए। इसकी क्या मर्यादाएँ हैं?  
 (ग० वी० १६१६)
- ७—उपभोक्ता की वचन किसे कहते हैं? इसका उदय कैसे हुआ है और हमसे कैसे  
 नापा जा सकता है? (माग १६११, ६६, म० भा० १६५५, ६३)
- ८—उपयोगिता-हानि-नियम तथा उपभोक्ता की वचन में पारस्परिक सम्बन्ध पर बात  
 लिखिए। (गायपुर १६१७)
- ९—उपभोक्ता की परिभाषा लिखिए। इस मुद्रा में कैसे नापा जा सकता है? उदाहरण  
 दीजिए। (गायपुर १६५०)
- १०—उपभोक्ता की वचन का क्या आशय है? इसका उदय किस प्रकार होता है?  
 (माग १६५२)
- ११—'उपभोक्ता की मनुष्यिकी की वचन' विचार धारा का प्रतिपादन कीजिए। क्या आप इसे  
 नाप सकते हैं? (पटना १६६०)
- १२—'उपभोक्ता की वचन' पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। (उ० प्र० १६१३, ११, ६०,  
 ५६, ३६, ग० वी० १६६६, अ० वी० १६११, ६६, ५३, माग १६५६, २०,  
 म० भा० १६६८, ५३, ५४, पञ्जा १६५६)



जीवन स्तर का अर्थ (Meaning)—मनुष्य अपने दैनिक-जीवन में कई एक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। जब वह अपनी किसी आवश्यकता की पूर्ति पर्याप्त समय तक करता रहता है, तो वह उस आवश्यकता की तृप्ति का आदी बन जाता है। धीरे-धीरे इस प्रकार की आवश्यकताएँ उस व्यक्ति की आदता में परिवर्तित हो जाती हैं। आदत पड़ जाने के कारण वह उन आवश्यकताओं को आसानी से नहीं छोड़ पाता। वे उसके प्रति दिन के साधारण जीवन का एक आवश्यक अङ्ग बन जाती हैं। जीवन-स्तर का आसय मनुष्य की इन्हीं आवश्यकताओं से है जिनकी तृप्ति का वह आदी हो गया है। हमारे शब्दों में, किसी व्यक्ति के जीवन-स्तर में अभिप्राय उन वस्तुओं से है जिनके उपभोग का वह आदी बन चुका है।

इसमें यह स्पष्ट है कि जीवन-स्तर आदता पर निर्भर होता है, अतः इसमें दीव्रता का सुगमता से परिवर्तन होना संभव नहीं। यह स्वभाव या आदत की भाँति लगभग स्थिर ही रहता है।

जीवन-स्तर एक सापेक्षिक शब्द है—अधिकतर यह शब्द सापेक्षिक रूप में प्रयुक्त होता है। जब हम यह कहते हैं कि अश्रेयो का जीवन स्तर भारतवासियों से ऊँचा है, तो हम जीवन-स्तर को तुलनात्मक दृष्टि में देखने का पाय करते हैं। यही इसका सापेक्षिक रूप है।

जीवन-स्तर में भिन्नता—सबका जीवन-स्तर अथवा रहन सहन का दर्जा एक समान नहीं पाया जाता। प्रत्येक बाल, देश और व्यक्ति का दर्जा भिन्न-भिन्न होता है। अमेरिका के रहने वालों का जीवन-स्तर भारतवासियों के जीवन-स्तर की अपेक्षा अधिक ऊँचा है। जो जीवन-स्तर अमेरिका में सौ वर्ष पूर्व था वह वहाँ के वर्तमान जीवन-स्तर की तुलना में वही नीचा है। इसी प्रकार एक ही समय और देश में भिन्न भिन्न श्रेणी वाले लोगों का जीवन-स्तर अलग अलग होता है।

जीवन-स्तर को निर्धारित करने वाले तत्व (Factors governing the Standard of Living)

जीवन-स्तर को प्रभावित करने वाले तत्व निम्नलिखित हैं :—

(१) आय—जीवन-स्तर का आसय में घनिष्ठ सम्बन्ध है। एक समीर आदमी अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण उँचा जीवन-स्तर रखता है। जिस आदमी की आय कम होगी है उँचा जीवन-स्तर नीचा होता है। साधारण आय वाले व्यक्तियों का जीवन-स्तर साधारण ही होता है।

(२) विवेकपूर्ण आय का व्यय—किसी पदार्थ या अपर्याप्त आय से ही किसी व्यक्ति का जीवन स्तर निर्धारित नहीं हो सकता। यह भी देवता आवश्यक है कि वह अपनी आय का व्यय किस प्रकार करता है। आय पर्याप्त होने के साथ साथ उसका विवेकपूर्ण व्यय भी उन्हीं जीवन-स्तर की एक बात है। मान लीजिए कि दो व्यक्तियों की समान आय है, परन्तु उनमें से यदि एक व्यक्ति अपनी आय का व्यय अधिक बुद्धिमानी से करता है तो निरमदेह उतना जीवन स्तर दूसरे की अपेक्षा अधिक ऊँचा होगा। यह कोई आवश्यक नहीं है कि सर्वोत्तम (Lapsive) रहन रहन का दर्जा ही ऊँचा जीवन स्तर होता है।

(३) मुद्रा की क्रय शक्ति—मुद्रा की क्रय शक्ति प्रत्येक देश या समय में समान नहीं होने के कारण विभिन्न देशों या समयों के निवासियों के जीवन स्तर को तुलनात्मक दृष्टि से देखते समय मुद्रा की क्रय शक्ति को ध्यान में रखना परम आवश्यक है। अस्तु जीवन-स्तर को निर्धारित करने में मुद्रा की क्रय शक्ति का बड़ा महत्त्व है।

(४) व्यक्तिगत स्वास्थ्य—कई लोग व्याधियों में ग्रस्त होने के कारण अनुभव बुद्धि धीरे धीरे होने लग भी कई वस्तुओं का उपभोग नहीं कर सकते। उदाहरणार्थ मधुमेह से ग्रस्त रोगी मिष्ठान्न का आनंद नहीं उठा सकता। अस्तु ऐसे व्यक्ति का जीवन स्तर एक स्वस्थ मनुष्य की अपेक्षा नीचा होगा।

ऊँचा और नीचा जीवन स्तर

(High and Low Standard of Living)

ऊँचे और नीचे जीवन-स्तर में यहाँ भेद है कि पहले प्रकार के जीवन-स्तर से मनुष्य को अधिक आर्थिक कल्याण प्राप्त होता है और उसमें अधिक काय-कुशलता तथा प्रगल्भता का संचार होता है। नीचा जीवन-स्तर मनुष्य के विवास में बाधा उपस्थित कर उसको पाप कुशलता में स्थूलता पैदा करता है।

खर्चीला और सस्ता जीवन-स्तर

(Expensive and Cheap Standard of Living)

यह धारणा गलत है कि अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले या जीवन स्तर सर्वे ऊँचा होता है और कम आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले का नीचा। एक पित्रुल सच जीवन वास्तव में खर्चीला जीवन है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि वह ऊँचा जीवन स्तर ही हो। इसी प्रकार यह आवश्यक नहीं है कि एक मितव्ययी जीवन नीचा जीवन-स्तर ही हो।







भारतवर्ष में जीवन-स्तर (Standard of Living in India)—  
भारतवर्ष समार के सशय निधन देगा में से है और यहाँ के निवासियों का जीवन स्तर बहुत ही नीचा और असन्तोषजनक है। यहाँ की निधनता का कुछ अनुमान वार्षिक व्यक्तियत्त शीमल आय में किया जा सकता है। भारतवर्ष और कुछ अन्य देशों के निवासियों की व्यक्तिगत शीमल आय के अर्थ तुलना के लिए नीचे दिये गये हैं—

विभिन्न दाना की प्रति व्यक्ति तुलनात्मक आय

दान	प्रति व्यक्ति आय	दान	प्रति व्यक्ति आय
सकुल गण अमरिका	७२६५	जापान	५००
ब्रह्मदा	६३५०	भारतवर्ष	२८१
सुवीन	५२८०	पारिस्थान	२११
इण्डिया	३८६१	रुद्धा	१८०
रूस	११८०	स्याम	१८०

भारतवासियों की औसत आय का अनुमान

वर्ष	अनुमान वना	व्यक्तिगत औसत आय
		₹
१८७०	दादाभाइ नौरोजी	२०-०-०
१९००	गण राज	३०-०-०
१९००	मि० डिग्गस	१०-६-०
१८९१	सर श्री० एन० रामा	१०-०-०
१९१३-१४	दाशिया और जागा	४४-१-६
१८१३-१४	बकीत और मुरजन	५८-०-०
१९२०-२१	गण और तन्हा	३४-०-०
१८११	मि० विगत	१०७-०-०
१९०१-२६	श्री० व० धार० श्री० रात्र	७६-०-०
१९३१-३२		६०-०-०
१९३७-३८	सर जम्म विग	१६-०-०
१९४८-४९	नानात एनकम कमी	०१०-०-०
१९५१-५२	एनकम इकानामि	२१०-०-०
१९५६	सामिग कमी	२८१-०-०

	"		१०००
	"		१०००
	"		१०००

उपयुक्त आवश्यकताओं में यह बात होता है कि भारतवर्ष में अल्प आय कितनी कम है। इनमें तो जीवन की प्रमुख आवश्यकताओं को भी पूर्ति नहीं हो सकती। यदि सम्पूर्ण आय को केवल भोजन समझें तो भी यह धन बच दिया जाय तो भी लोगों को भर पेट भोजन नहीं मिल सकता। जब जीवन रक्षक पदार्थ ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं तो निर्याता दायक पदार्थों की शोधा करना ही निश्चय है। भोजन में जो दूध जैसे पोषक पदार्थों का उपभोग बहुत कम है। अच्छा भोजन केवल लोहारों और उच्चमण्डल पर ही प्राप्त होता है। श्रुति के अनुसार कपड़ा बहुत ही कम मनुष्यों को उपलब्ध होता है। अधिकतर मनुष्य भला और मोटा कपड़ा पहनते हैं। नगरों में मकानों का पूरा अभाव है। शैक्षिक नगरों में स्थानाभाव के कारण एक मकान में १०-१५ मनुष्य रहते हैं या सड़कों के किनारे पड़े रहते हैं। धार्मिक वगैरों कोठरियों में बड़ा प्रकाश और शुद्ध वायु का अभाव होता है निर्वाह करना है। गाया या बगा और भी शोचनीय है। यदि कबल गाव वाला की ही आयत नितान्तों जाय तो मुश्किल से २५ या ३० रु० वार्षिक आय होगा। इतनी कम आय से उनका जीवन स्तर क्या हो सकता है। इसकी कल्पना आसानी से की जा सकती है। गावों में प्रायः कच्चे छोट बड़े और अंधेरे मकान पाये जाते हैं जिनमें रहकर मनुष्य कभी स्वस्थ जीवन-शैली नहीं कर सकता। वहाँ प्रायः एक ही मकान में मनुष्य और पशु दोनों ही निर्वाह करते हैं और आसपास बूढ़ा कारखाना, गल्ले और गोबर आदि का ढेर लगा रहता है जिससे लोग सदैव बीमारियों के किनारे बने रहते हैं। चिकित्सा का कोई उचित प्रबंध न होने के कारण भारतवर्ष में रोकें जाने वाले रोगों में प्रतिवर्ष ६० लाख मनुष्य मरते हैं। ऐसे जीवन-स्तर में चिकित्सा की तो आशा ही नहीं की जा सकती। सारांशतः भारतवर्ष में जीवन-स्तर इतना कम है कि यहाँ अधिकतर लोग भूख और अंधकार रहते हैं। इस सम्बन्ध में प्रो० मूरलधर न. निराला ने एक बड़ा सत्यास में मनुष्य शिक्षा या चिकित्सा का प्रबंध नहीं कर पाते और स्वास्थ्यकारी निवास गृह मुख्यतः नगरों में बहुत कम होते हैं। कारीगरों मजदूरों और छोटे छोटे किसानों को भी बाढ़ में पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं है, और देश के अनेक भागों में मजदूरों का भोजन उन्हीं घूरे दिन परियत्र्य करने के लिए अभाव में रहता है।

नीचे जीवन स्तर के कारण

(Causes of Low Standard of Living)

भारतवासियों के अल्प जीवन-स्तर के निम्नलिखित कारण हैं —

(१) निर्धनता (Poverty) — भारतवासियों के जीवन-स्तर का मुख्य कारण उनकी निर्धनता है। मनुष्य इतने निर्धन है कि उन्हीं पेट भर भोजन भी नहीं मिलता। यह जान कर आश्चर्य होगा कि एक भारतवासी की दैनिक मासिक आय लगभग पांच रुपया है। धनोपार्जन के साधनों का अभाव और धन वितरण की अभावानता ही इन निर्धनता का मुख्य कारण है।

(२) अनिपुणता (Illiteracy) — भारतवर्ष में अल्पतरफ तक अनिपुणता है। अनिपुणता के कारण उनका दृष्टिकोण विकृत रहता है और उनकी आवश्यकताएँ भी सीमित होती हैं। वे अज्ञानता के अंधकार में डूबे रहने के कारण अपनी सीमित आय का सदुपयोग नहीं कर सकते। अतः उनको आय का अधिकतर भाग मुहब्द

बाजा मजदूरी आदि किरानेदारों की मरदा और जन्म मृत्यु विवाह आदि रीति रिवाज पर खर्च होता पाया जाता है।

(३) रूढ़ि-ग्रस्तता ( Customs )—योग सामाजिक रीति रिवाज और हदिया व बंधना म इस प्रकार जकड़ हुए है कि उह प्रविवाय प्रावस्थानतामा को कम कर अपना धन सामाजिक प्रतिष्ठा और सम्बन्ध बनाय रखने म तथा सामाजिक रीति रिवाज पर खर्च करना पडता है। सामाजिक रूढ़िया की बाधता का प्रभाव इतना प्रबल होता है कि स्थिति लोमा को भी कभी कभी इन मरदा पर विवश होकर खर्च करना पडता है।

(४) धार्मिक और नैतिक आदर्श ( Religious and Social Ideals )—सादा जीवन और उच्च विचार ( Simple living and high thinking ) का आदर्श इस देश की संस्कृति का मुख्य अंग है। अतः यह आदर्श इस देश की भौतिक सम्पत्तता और सुख म बाधक सिद्ध हुआ है। यही कारण है कि आज हम इंग्लैण्ड और अमेरिका आदि देशों से भौतिक सम्पत्तता और उत्पत्ति म पिछड़ हुए ह।

(५) भौतिक कारण ( Physical Factors )—जलवायु आदि जैंग भौतिक कारण का भी प्रभाव हिमो देश के जीवन स्तर पर पड बिना नहो रह सकता। भारतवर्ष एक गरम प्रधान देश होने के कारण यहा शीष्म ऋतु म अधिक बरपा की आवश्यकता नहा हाती और शरद ऋतु मे आग की गर्मी मरदों को भगान व लिए पर्याप्त है। इसी प्रकार बरफ मरफाना का भा आवश्यकता नहा है क्योकि शीष्म ऋतु म शीतल का शोक और सामल का मरदान पूरा सुख देने वाल हा जाने र और जाड म छोट छोट घर म रहना बुरा प्रतीत नहो हाया।

(६) पर्याप्त तथा कुशल यातायात व मरदा व साधना का अभाव ( Absence of adequate and efficient means of transport and communication )—पिछड़ और उत्पत्तिहीन देश म पारस्परिक सम्पर्क न हाया भी पिछड़ हुए देश म नीच जीवन स्तर का कारण है।

नीचे जीवन स्तर के परिणाम

( Effects of Low Standard of Living )

भारतवर्ष म मनुष्या का जीवन स्तर बहुत नाचा है जिसमे कारण अनेक दुष्परिणाम हांगोकर हात ह --

(१) अति जनसंख्या ( Over population )—भारतवर्ष व ताया का जीवन बहुत नीचा हाये व कारण आवादी बन्द बडती जा रहा है यहा तक कि अधिकांश का पट भर भोजन भी नही मिलता।

(२) कमजोर शारीरिक रचना ( Weak Constitution )—मनुष्या का पर्याप्त खान पीन और पहनत का न मिलन के कारण शारीरिक रचना बडा कमजोर हाती है।

(३) दुर्बल मत्तान ( Weak Generation )—एम् दुर्बल व्यक्तिया की मत्ताना का कमजोर हाया स्वाभाविक है। य मत्तान प्रायः खन कर अध्याय

नार्णारिक सिद्ध हो सकती है क्योंकि इनका शारीरिक एक मानविक विभाग छीन प्रचार नहीं होन पाता ।

(४) अक्षमता और निबन्धता (Inefficiency and Poverty) नीचा जीवन स्तर मनुष्य को वाय कुपायता में ह्याम वर उसकी हमान को दक्ति वा गिरा देता है जिसमें वह दूततम पारिस्थितिक ही प्राप्त कर सकता है । इस प्रकार वह मदैव दरिद्रता के पशुल में फसा रहता है ।

(५) विविध रागा वा शिकार (Victims to various diseases) हमजाार शरीर वाता मनुष्य बीमारिया को रावन में अक्षत धापका अमगव पाता है और इसके फलस्वरूप वह मदैव अतक प्रकार व रागा में मरत रहता है जिसमें उनका धनावागन क्रियाधा में बाधा पहुँचती है ।

जीवन स्तर वा ऊँचा करने व उपाय

(Methods of raising the Standard of Living)

निम्नांकित उपाय भारतवर्ष में जीवन स्तर को ऊँचा करने में बड उपयोगी सिद्ध हो मरत है -

(१) अति जनसंख्या वर नियंत्रण—जावन स्तर को वडान के लिए वर आवश्यक है कि परिवार की जन संख्या वा अधिर न वडने दिया जाय । अधिक आधु में विवाह करने इच्छि निग्रहता अथ साधना में परिवार की जनसंख्या वा अत्यधिक वडन में रोकना बाह्य जिसमें लक्ष्मण के लिए पदाय अधिक परिमाण में उपलब्ध हो मरत ।

(२) शिक्षा वा प्रसार—शिक्षा मनुष्य वा समझदार तव दूरदर्शी बनाती है । अत सिहित मनुष्य अधिक मत्तल वृद्धि पर नियंत्रण कर अपने जीवन-स्तर वा ऊँचा उठा मरता है । शिक्षा मनुष्य की काय-कुपायता वा वडानी है जिसमें उगनी आय में वृद्धि होती है । इसके अतिरिक्त वह अपनी नीधित आय वा मनुष्यधाय कर उगम अधिजनम गुणि वर मरता है । अस्तु प्राथमिक शिक्षा को लि गुल्ब और अनिधाय वरन के अनिश्चित हृदि गिला और व्यापार शिक्षा को व्यवस्था भी आवश्यक है ।

(३) लाज स्वास्थ्य आन्दोलन—सरकार को धार में लेना व स्वास्थ्य व स्वच्छता वा प्रचार हाता बाह्य जिसमें लोग आगेम्यता व स्वच्छता में रहन व मरण वा भली भांति मगभा मरत । स्वास्थ्य रक्षा व पिद्वाना को सममान व अनिश्चित स्थान स्थान पर चिकित्सालय धाय-अमीचा वा समुचित प्रवध हाता बाह्य ।

(४) राष्ट्रीय आर्थिक बाजना वा शीघ्र बाधान्वित वरना देन वा आर्थिक उन्नति होन में वहाँ के निवासिया की आय वडना स्वाभाविक है । बाजना व अनगम हृदि उपयोग धधा धार व्यापार आदि की उन्नति होवर देन की सम्पत्ति में वृद्धि हागी जिसमें लोधा व रहन-गहा का स्तर ऊँचा उठ मरता ।

(५) हृदि की उन्नति—आनवष एक हृदि प्रधात देन है वहा २० प्रतिशत में भी अधिक लोग कमी में अक्षमता निर्वाह करत है । अत यह आवश्यक है कि विगपनया मनी को उन्नत किया जाय । अधिक व अधिक सिचार्ड ग्याद मया हृदि मरवता उपकरण को सुविधा निमाता को मिनती बाह्य । यदि हम चाहन है कि हमारा हृदि शीघ्र उन्नत हो, तो यह आवश्यक है कि हमारे हृदि को धार करन व धार में धुत कर उन

निर्णय का उचित प्रबंध किया जाय। यह समस्याएँ जल्द मुक्तक वादून तथा सहकारिता  
साथ समितियों द्वारा ध्यानीयों में हल की जा सकती हैं।

(६) यातायात के साधनों में वृद्धि हो—यातायात के साधन रत मन्त्र  
मात्र जहाँ की वृद्धि हो जिससे दूर में प्रत्येक वस्तु प्राप्ति उपभाग की वस्तुएँ बढ़ेंगी।  
यानों में मनुष्य बाहर का अनुभव प्राप्त करते हैं और अच्छी वस्तुओं का उपभाग करने  
योग्य हैं।

(७) प्रवास—प्रवास का भी जीवन-स्तर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी  
जगह एक ही जगह के आसपास अधिक है और उनकी साथ में ही तो उनके बड़ा स  
बाह्य अथ अल्प स्थान में जाकर रहने में उनकी साथ में वृद्धि होगी और उनमें जीवन  
स्तर ऊँचा होगा।

(८) सम्पत्ति के वितरण में विषमता कम होनी चाहिए—यदि दण्डवत्तियों  
का जीवन स्तर ऊँचा उठाने के लिए यह आवश्यक है कि दण्ड का सम्पत्ति का वितरण  
समान हो। यह उचित नहीं कि कुछ भ्रष्ट लोग ही अधिक विनाशिताओं का उपभाग कर और  
अधिक जनसंख्या को पेट भर भोजन भी न मिले।

(९) जमींदारी प्रथा का अन्त हो—किमाना की आवश्यकता का उन्मूलन के  
लिए जमींदारी प्रथा का अन्त होना आवश्यक है।

(१०) मिल मालिकों का अत्यधिक मुनाफा कम हो—मिल मालिकों की  
तोषण प्रवृत्ति में अत्यधिक वर्णों की दण्ड आवश्यक है। अस्तु मिल मालिकों का मुनाफा  
कम कर भ्रष्ट लोगों की साथ बढ़ानी चाहिए।

(११) गराय आदि हानिकारक वस्तुओं का उपभाग बंद हो—गराय  
प्रमल या तम्बाकू आदि नशीली वस्तुओं का उपभाग बंद होना चाहिए जिससे  
अनावश्यक खर्च कम होकर स्वास्थ्य अर्थात् ही सँ।

(१२) सामाजिक रीति रिवाजों पर अत्यधिक व अनावश्यक खर्च बंद हो  
—सामाजिक रीति रिवाजों पर मनुष्य को बतना अनावश्यक खर्च करना पड़ता है—  
यहाँ तक कि कई सभों की कमाई एक ही दो दिन में समाप्त कर दी जाती है। ऐसा  
करना जीवन-स्तर का विनाश है। अस्तु सामाजिक सुधार और ही ता प्रयास में ही यह  
धनवृत्त दूर किया जा सकता है।

(१३) मुकद्दमेराणी का व्यवस्था कम किया जाय—भारतवर्ष में मुकद्दमेराणी में  
अन्य धन रॉयि नष्ट होती जाती है। जिससे जनसाधारण व्यापारियों को मुकद्दमेराणी में  
अपना धन खूब नष्ट है। पारस्परिक सहयोगिता के अभाव में कभी-कभी दण्ड भंग  
रूप में व्यवस्था बंद हो।

उच्च जीवन स्तर का महत्त्व

(Importance of High Standard of Living)

इस भौतिक संस्था के युग में उच्च जीवन स्तर का ध्यान करना है। व्यक्ति तथा  
समाज दोनों में ही अपनी उन्नति निश्चित करने के लिए अस्तु व समाज के उच्च स्तर के  
लिए प्रयत्न करना चाहिए। व्यक्ति प्रयत्न का यत्न अन्तर्गत तथा विकास का  
पाननाएँ बनाने में सफल रहना इसके महत्त्व का प्रदर्शन है। वास्तव में उच्च जीवन  
में भौतिक उन्नति का और नीचा जीवन-स्तर भौतिक धनवृत्ति का अभाव में गया है।  
महत्त्व व्यक्ति विनाश तथा समाज दाना के लिए अत्यधिक है।

**व्यक्तिगत महत्त्व**—जिम व्यक्ति का जीवन-स्तर ऊँचा होता है उसकी शारीरिक एवं मानसिक कार्यक्षमता अधिक होती है और वह अधिक उत्पादन कर अधिक आय प्राप्त कर सकता है। उपभोग में क्षेत्र में भी उच्च जीवन-स्तर वाला व्यक्ति नीचे जीवन स्तर वाले व्यक्ति की अपेक्षा अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के कारण अधिक मजदूरी, तुल्य और सुख प्राप्त कर सकता है। उच्च जीवन स्तर रखने वाला सुविश्रित तथा मज्ज होने के कारण सन्तान आवश्यक्ता से अधिक बचन नहीं देता है।

**सामाजिक महत्त्व**—उच्च जीवन-स्तर पर सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक उन्नति प्रवर्धित है। उच्च जीवन स्तर वाले समाज की कार्यक्षमता तथा उत्पादन-शक्ति बढी हुई होती है। ऊँच रहन-सहन वाला समाज सम्पत्ति और सुख में परिपूर्ण होता है। ऐसे समाज के सदस्य बड़ उन्नतिशील होते हैं, उन्हें वैज्ञानिक प्रयुग्धान तथा मानसिक, नैतिक और सांस्कृतिक विनाश के लिए पर्याप्त समय मिलता है।

उच्च जीवन स्तर का आध्यात्मिक दृष्टि से विचार—बुद्ध महात्म्य भौतिक उन्नति की अपेक्षा आध्यात्मिक उन्नति पर अधिक धन देते हैं। उनके अनुसार आत्मा और मस्तिष्क की उन्नति ही जीवन का सच्चा आदर्श है। ऐसे मज्जन उच्च भौतिक जीवन स्तर में यद्यपि 'सादा जीवन और उच्च विचार' को महत्त्व देते हैं। गांधी और टान्मटाय जैसे बड़-बड़ महत्तमात्रा ने इसी आदर्श का प्रचार किया था। आर्थिक दृष्टिकोण से आलोचना करने हुए यह कहा जा सकता है कि यह जीवन आदर्शों की ही वस्तु है। इसके द्वारा वास्तविक आर्थिक उन्नति नहीं हो सकती, यस्तु यह मूल आवश्यकताओं को मान्य नहीं। इन भौतिक युग में जराबि मगार ने अपने देण अपनी अधिकतम भौतिक उन्नति की और प्रयत्न है हम इन नैदानिक आदर्शों के महारे किस प्रकार उनके बीच में भौतिक उन्नति में अपना मिर ऊँचा रख सकते हैं। यस्तु, भारतीय नवयुवक गांधीजी के इन आदर्शों से पूर्णतया सहमत नहीं।

क्या भारतवासियों का जीवन-स्तर ऊँचा उठ रहा है ?—बुद्ध विद्वानों का मत है कि भारतवासियों का जीवन-स्तर पहल की अपेक्षा ऊँचा हो रहा है। वे कहते हैं कि हम सुत और विनाश वस्तुओं का बाहर में आयात कर बड़ी मात्रा में उपभोग कर रहे हैं। उदाहरणार्थ, शहरो में सूती, ऊनी, कुजिम रेशम के वस्त्र, साइकिल, मोटर, अच्छे मराल, तेल, साबुन, पाउडर, सेप्टीरेजर, रेडियो आदि का उपभोग प्रचुर मात्रा में देखा जाता है, यहाँ तक कि थमिक भी चाय, सोडावाटर, बर्फ, वीडो मियरेट विदेशी आदि में अपनी आय को व्यय करता दृष्टा पाया जाता है। गाँवा में भी आधुनिक फैशन के कोट, कमीज बूट, तेल साबुन, कपा गाइजिन आदि वस्तुओं का प्रचार बड़ रहा है। विदेशी आयात, मुल और विनाश को जस्तुओं तथा अण्डा भवान आदि का उपभोग उनकी इस वर्ण का आधारभूत है।

इस वर्ण का दण्डन करने हुए वे कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं का ही आयात बड़ रहा है न कि घुमन भारतवासी के अमन्य उपभोग का। इसके प्रतिरिक्त सुत और विनाश की वस्तुओं का उपभोग केवल धनाढ्य लोग ही किया जाता है जो समस्त जन मरदा का पोडा का हिस्सा है। उन पोड न हिस्से के आधार पर यह कह देता कि भारतवासियों का जीवन-स्तर ऊँचा उठ रहा है व्याप-समय नहीं है।



हमारे मन बातों का कहना है कि भाग्यवाणियों का जीवन-स्तर पहले की अपेक्षा गिर रहा है। सबसे प्रथम कारण यह है कि आजकल पुग्ने समय जैसे पौष्टिक और शुद्ध खाद्य-पदार्थ उपलब्ध ही नहीं होने जिसके कारण भारतवासी की शरीर शक्ति बल कम हो रही है। पुग्ने योग्य करने रहने के लिए बड़े-बड़े सपान बना या सर्वत्र किया करने से, परन्तु आज इन सपानों का श्रेष्ठोद्धार भी कठिन है। धान के अनुपात में सब्जें अपने अधिक हो गये हैं कि कोई बचल नभय ही नहीं जबकि पुग्ने सामानों कुछ बचाकर शानुपयोग आदि बना दिया करने के। आजकल के विज्ञान का अर्थानिक महान देना पड़ना है और धमिक व विमान दोनों ही अपने श्रेष्ठो है कि व्याज की ऊँची दर के कारण अपने जीवन-काल में श्रेष्ठ से मुक्त नहीं होने पाए। ऐसी दशा में क्या जीवन-स्तर कायम रह सकता है ?

निष्कर्ष—दोनों ओर की तरफों की भारी-भारिती जाँचने के पश्चात् निष्कर्ष यह से यही कहा जा सकता है कि पहले से तो भव्य जीवन-स्तर में कुछ कृत्रिम हूँ है क्योंकि आजकल मंदिर-घर, विनोभा, शब्दे मजाल आदि एक जीवन रहने मनुष्य के उन्नयन में सम्मिलित है। फिर भी औद्योगिक नगरों की बात बाठियाँ भरी नहीं जा सकती। मराम, कर्म और कर्म एक किरून सब अपने जीवन-स्तर को गिरा रहा है। गाँवों में लोगों की श्रौरी भी पीछेपीछे दशा है। छोटे-बच्चे अपने मजाल, योग्य अन्न, मांटे व गन्द बन्ध, श्रमिक श्रेष्ठ, श्रेष्ठ विद्या व श्रेष्ठ मोज आदि बातें जीवन-स्तर को गिराने वाली बन्धुएँ हस्तोत्तर होनी हैं। कारण यह है कि लक्ष्मण व प्रतिगत जन-संख्या का ही जीवन-स्तर वर्तमान समय में अक्षय बड़ा है, परन्तु ६० प्रतिगत मनुष्यों का जीवन-स्तर बड़ा मुश्किल के गिरा ही है।

युद्धोत्तर जीवन-स्तर (Post-war Standard of Living) - युद्ध के समाप्त होने पर भी कम्प्यूटर्स के मूल्यां में कमी नहीं हुई। ऊँचे मूल्यों के व्यापारियों, उद्योगपतियों, उद्योगों आदि को युद्धकाल में श्रौरी अन्न भी बड़ा लाभ पहुँच रहा है। उनका पहले ही जीवन-स्तर ऊँचा था, अब श्रौरी भी ऊँचा हो गया है। परन्तु मध्य श्रेणियों के मनुष्यों और धमिकों को बड़ी हुई महंगाई में बड़ी बलिदानों का सामना करना पड़ रहा है। महंगाई का मजाल मिलना अक्षय है, परन्तु वह कम्प्यूटर्स के बड़े हुए मूल्यों से बहुत कम है। अतः उनका रहन-सहन का दर्जा पहले की अपेक्षा श्रौरी भी गिर गया है। किसानों की अवस्था अक्षय ही कुछ सुधरे गई है, क्योंकि खेती की पैदावार का मूल्य बढ़ गया है। परन्तु फिर भी उनके जीवन-स्तर में बड़ी परिवर्तन नहीं हुआ, केवल किरून-सबं बढ़ गया है। वे लाभ शिक्षा के अभाव में मनुष्य-मोज, विद्या, मजाल आदि पर पहले की अपेक्षा अधिक व्यय कर रहा है। जीवन-स्तर को ऊँचा करने के उद्देश्य में परिपूर्ण बड़े आर्थिक योजनाएँ देना में जन चुकी है जिनमें से जन-मोजना, गाँवों श्रौरी बम्बई योजनाओं के लक्ष्य उन्नेत्यनीय हैं। भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना पूरी हो चुकी है तथा द्वितीय पंचवर्षीय योजना भी समाप्त पर है। योजना बनाने में अधिक महत्वपूर्ण उसको कार्यान्वित करना है। अतः इस दशा में शीघ्र कार्य प्रारम्भ करना निम्न आवश्यक है।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

१. श्रेष्ठ आदर्श परीक्षाएँ


१—भारतवासियों के रहन-सहन के स्तर के नीचा होने के क्या कारण हैं ? इसे किस प्रकार ऊँचा किया जा सकता है ?

(७० प्र० १९६०)

- २—रहन-सहन के स्तर से आप क्या समझते हैं ? यह किन-किन बातों पर निर्भर है ?  
(उ० प्र० १९५८)
- ३—जीवन-मान से आप क्या अभिप्राय निकालते हैं ? क्या आवश्यकताओं की बहुलता सदा जीवन-मान में वृद्धि उत्पन्न करती है ? अपने मत का समर्थन कीजिए ।  
(अ० वी० १९५६)
- ४—भारतवासियों के अत्यधिक नीचे रहन-सहन के दर्जे के क्या कारण हैं ? क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारतीय निर्धनता का मुख्य कारण जनाधिक्य है ? कारण सहित उत्तर दीजिए ।  
(अ० वी० १९५४)
- ५—रहन-सहन के दर्जे में क्या आशय है ? एक भारतीय कृषक या श्रमिक के रहन-सहन के दर्जे को ऊँचा करने के लिए आप क्या सुझाव देते हैं ? (अ० वी० १९५२)
- ६—भारतीय कारखाने में काम करने वाले श्रमिक के जीवन-स्तर पर सभित नोट लिखिये ।  
(अ० भा० १९५६)
- ७—रहन-सहन के दर्जे में क्या आशय है ? यह किन-किन बातों पर निर्भर है ?  
(उ० प्र० १९४८, सागर १९५०)
- ८—किमी व्यक्ति के रहन-सहन के दर्जे को निर्धारित करने वाली बात कौन-कौन सी है ? क्या आप 'मादा जीवन उच्च विचार' के आदर्श में विद्वास रखते हैं ? क्या ऊँचे रहन-सहन के दर्जे से सदा कार्यक्षमता में वृद्धि होती है । सकारण उत्तर दीजिए ।  
(रा० वी० १९५३)
- ९—भारत के निचले व्यक्तियों के रहन-सहन का दर्जा किस प्रकार स्थायी रूप से ऊँचा किया जा सकता है ?  
(नागपुर १९४९)
- १०—रहन-सहन के दर्जे से क्या आशय है ? यह किन-किन बातों पर निर्भर है ? भारत में रहन-सहन का दर्जा ऊँचा करने का क्या महत्त्व है ? (सागर १९५०)
- ११—आवश्यकताओं और रहन-सहन के दर्जे में क्या सम्बन्ध है ? क्या आवश्यकताओं की सहायता से वृद्धि सर्वत्र वास्तविक होती है ?  
(पनाम १९४९)
- १२—एक विदेशी पत्रकार का मत है कि 'भारत में निर्धनता नहीं है।' उनको दलीलें निम्नलिखित हैं : -  
(अ) भारत में राजा, महाराजाओं के विनाश महत्त्व और अशय खोजने हैं ।  
(आ) प्रतिदिन सिनेमा में अपार भीड़ रहती है । क्या आप इस मत से सहमत हैं ।  
(दिल्ली हा० में १९४०)
- १३—रहन-सहन के स्तर पर टिप्पणी लिखिए ।  
(सागर १९५५, नागपुर १९५१, उ० प्र० १९४०, अ० वी० १९५१, ४३, ४०)
- इण्टर एग्जीक्यूटिव परीक्षाएँ
- १४—रहन-सहन के दर्जे का क्या आशय है ? क्या भारत में रहन-सहन का दर्जा नीचा है ? इसमें किस प्रकार सुधार हो सकता है ?  
(उ० प्र० १९५१, ४८)
- १५—जीवन-स्तर से क्या समझते हैं ? देहाती में यह नीचा क्यों है ? यह किन प्रकार ऊँचा किया जा सकता है ?  
(अ० वी० १९५५)

प्राय (Income)

ज्या ज्या भौतिक सम्पत्ता का विकास होता गया तथा मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकतर रूप में होने लगी। इस सम्पत्ता के प्रारम्भिक वातन में आवश्यकताओं की पूर्ति प्रत्यक्ष रूप में होती थी। उदाहरणार्थ भूख लगाता जगते में फल तोड़कर या पशु पक्षी मार कर अपनी दाया की शांत कर लिया परन्तु आज का जमाना विपरीत दला जाता है। आज मनुष्य वाई भी उद्यम करे उस पारिस्थितिक मुद्रा (Money) के रूप में मिलता। यह उस मुद्रा में दृष्टिगत वस्तुओं खरीद कर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यही आवश्यकताओं की पूर्ति का अप्रत्यक्ष रूप है। अब भी गाँवा में आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकतर प्रत्यक्ष रूप में होती है तथाकि वहाँ का क्षय और वहाँ के निवासियों की आवश्यकताओं सम्मिलित है। मनुष्य की आवश्यकताओं सम्मिलित है अथवा सम्मिलित इस उसकी पूर्ति के लिए प्रयत्न अवश्य करना पड़ता है। जिन प्रयत्नों में धन का उत्पादन होता है आर्थिक प्रयत्न कहलाता है। आर्थिक प्रयत्न के फलस्वरूप जो धन प्राप्त होता है उस हम प्राय कहते हैं। मनुष्य अपनी प्राय का उन वस्तुओं के खरीदने में खर्च करता है जिनके प्रयोग में उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। प्राय के उस प्रयोग का जिसमें मनुष्य की आवश्यकताओं प्रत्यक्ष रूप में पूर्ण की जाती है, व्ययशास्त्र में व्यय कहते हैं। प्रो० टा० ए०० फर्नस ने प्रयत्न, प्राय और वृत्ति को निम्नलिखित रेखा चित्र द्वारा समझाया है —



प्रयत्न, आय और वृत्ति  
(Efforts, Income & Satisfaction)

प्राय का उपयोग  
(Disposal of Income)

मनुष्य प्राय अपनी प्राय का उपयोग दो प्रकार में करता है—  
व्यक्तिगत दृष्टि में और सामाजिक दृष्टि में, जमा कि नीचे स्पष्ट किया गया है।


- (१) व्यक्तिगत दृष्टि में उपयोग—(क) खर्च (Spending),  
(ख) बचत (Saving)

धन्य, व्यय और बचत ]

- (२) सामाजिक दृष्टि से उपयोग—(स) अनुत्पादक संचय ( Hoarding )  
 ( गणना या निरर्थक पड़ा रहना ) ।  
 (घ) अनिवार्य ( Compulsory ) व्यय,  
 (च) ऐच्छिक ( Voluntary ) व्यय ।

(१) व्यक्तिगत दृष्टि से उपयोग—मनुष्य अपनी आय का प्रयोग व्यक्तिगत रूप में तीन प्रकार से कर सकता है—(अ) वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति से शेष की गई आय को उगाना 'व्यय' या 'व्यय' ( Spending ) कहते हैं। उसकी आय का अधिकांश भाग इन्हीं आवश्यकताओं की पूर्ति में होता है। (ब) उसकी भारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आय का जो भाग रखा जाता है उसे उमरी बचत या 'संचय' ( Saving ) कहते हैं। इस प्रकार की संचित आय बैंक आदि को उधार देकर कृषि उद्योग शिल्प, व्यापार आदि उत्पादक ( Productive ) कार्यों में लगाकर रखा जाता है। (स) जो संचित आय जमीन में गाड़ कर निजोरी में अथवा जेवर आदि के रूप में रखी जाती है उसे 'अनुत्पादक संचय' या 'बचत' ( Hoarding ) कहते हैं। इस प्रकार की बचत किसी भी उपयोग में नहीं आती, बल्कि निरर्थक पड़ी रहती है। अस्तु इसका अनुत्पादक ( Unproductive ) संचय या बचत कहा जाता है।

(२) सामाजिक दृष्टि से उपयोग—सामाजिक दृष्टि से व्यय होने वाली आय को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—(घ) एक भाग वह है जिसमें हमें विविध करा ( Taxes ) के रूप में केन्द्रीय और प्रांतीय सरकारों तथा नगरपालिका व जिन्ना बोर्ड जैसी स्थानीय संस्थाओं को अनिवार्य रूप में देना पड़ता है। (च) दूसरा भाग वह है जो हम अपनी दृष्टानुसार दात आदि में व्यय करते हैं।  
 आय के विविध उपयोग निम्नान्वित रेखाचित्र द्वारा पूर्य स्पष्ट हो जाते हैं —



व्यय आय का वह प्रयोग है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की प्रत्यक्ष रूप से पूर्ति करता है।

### व्यय (Spending)

बहुत ही मनुष्य यह कह सकते हैं कि व्यय करना कोई कठिन कार्य नहीं है खर्च करना तो सभी जानते हैं। वास्तव में देखा जाय तो यह बहुत भारीसा है। यह कहता मिल्लुग ठीक होगा कि व्यय करना पूरा करना है जिसका अर्थवित्त ज्ञान सत्य को नहीं होता। बहुत से व्यक्ति ऐसा ही हैं जिन्हें यह नहीं मायूम कि धन का पत्र धीरे धीरे प्रकार खर्च करना चाहिए जिससे अधिकतम तृप्ति प्राप्त हो सके। कभी तो वे दुष्पण ही बँटते हैं धीरे धीरे अपनी-अपनी होकर धन्य का निरर्थक नामा में उड़ाने लग जाते हैं। यही कारण है कि वे अपने धन या आय से अधिकतम तृप्ति नहीं प्राप्त कर पाते।

व्यय का आर्थिक पहलू (Economic Aspect of Spending)

व्यय के सिद्धान्त (Principles of Spending)—मनुष्य को जो वृत्ति अपनी आय के व्यय से प्राप्त होती है वह दो बातों पर निर्भर है—(अ) व्यय के ढंग, और (आ) वस्तुओं का मूल्य ।

(अ) व्यय के ढंग (Methods of Spending)—हम बहुधा यह सुनते हैं कि समुद्र व्यक्ति व्यय करने में निपुण है और प्रभुव नहीं इसका तात्पर्य यह है कि व्यय कला में निपुण व्यक्ति कुछ व्यय के सिद्धान्तों को समझते हैं और ग्रन्थ नहीं ।

व्यय की सफलता निम्नलिखित सिद्धान्तों पर निर्भर है—

१—आवश्यकताओं का पूर्ण ज्ञान—सर्व प्रथम एक सफल श्रैता को अपनी आवश्यकताओं का पूरा पूरा ज्ञान होना चाहिए । उसे विक्रयता के बहुराने में श्रवण प्रत्य लोगों की देखा देखी में वस्तुएँ नहीं खरीद लेनी चाहिए । उसे कोई वस्तु केवल इसलिए कि यह सस्ती या सुन्दर है नहीं खरीदनी चाहिए ।

२—वस्तुओं के गुणों का विशेष ज्ञान—बहुधा यह देखा जाता है कि एक ही प्रयोजन के लिये कई एक वस्तुएँ बाजार में उपलब्ध होती हैं । ऐसी प्रवस्था में श्रैता को चाहिए कि वह उनके गुणों का निरूपण करे और उग वस्तु को खरादे जो वास्तविक रूप में प्रयोक्त प्रयोजन सिद्ध कर सके । बाहरी दिखावट या रंग रूप में आकर्षित होकर नहीं खरीद लेना चाहिए बल्कि टिकाऊपन का भी ध्यान रखना चाहिए ।

३—सौदा करने में कुशलता—कुछ व्यक्तियों में यह गुण देखा जाता है कि वे दूसरों की अपेक्षा कम मूल्य पर वस्तुओं को खरीद लेते हैं । वे लोग साधारणतया विक्रयता को मूल्य मनि नहीं देते बल्कि भाव-ताव (Haggling) के परचात देते हैं । साथ ही में यह भी आवश्यक है कि 'निश्चिन्त मूल्य' (Fixed Rate) वाली दुकानों पर भाव-ताव में अर्ध समय लपट नहीं करना चाहिए ।

४—उत्तम वय स्थान की जानकारी—सफल श्रैता को यह भी ज्ञान होना चाहिए कि किस स्थान पर अच्छी और सस्ती वस्तुएँ मिलती हैं । वहाँ तक जाने का लपट उठाने के लिए उसे सदैव तैयार रहना चाहिए ।

५—उचित क्रय समय का ज्ञान—प्रत्येक वस्तु उचित समय पर खरीदी जानी चाहिए । जैसे ई पत्र वर्षा ऋतु से पहले, गेहूँ फसल के तैयार होने ही खरीद लेना चाहिए ।

६—वर्तमान और भावी आवश्यकताओं की तुलना—कुछ व्यक्ति वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के बीच तुलना करते में बड़े कुशल होत हैं । वे तुलनात्मक दृष्टि से इस बात का निर्णय कर लेते हैं कि किन आवश्यकताओं की पूर्ति पहले की जाय, अर्थात् व्यय करने समय का पूरा पूरा ध्यान रहता है ।

(आ) वस्तुओं का मूल्य—उपवृत्त बातों के अनिश्चित मनुष्य को जो वृत्ति अपनी आय के व्यय से प्राप्त होगी है वह काफी असा तब उग वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य पर निर्भर है जिन पर वह अपनी आय को खर्च करता है । यदि वस्तुएँ सस्ती मिलती हैं तो मनुष्य अपनी आय में अधिक वस्तुएँ खरीद कर अधिक वृत्ति प्राप्त कर सकता है । यदि वस्तुएँ महंगी हैं, तो वह अपनी आय में कम वस्तुएँ खरीद सकेगा । फलतः वृत्ति भी कम होगी ।

### व्यय स्थान (Places of Spending)

साधारणतया ग्राहक बिना दुकान पर जाकर अपनी रचि व वस्तुसार देना नही कर वस्तुएं खरीदता है। परन्तु एसा भी देखा जाता है कि ग्राहक दुकानदार के पास न जाकर दुकानदार ग्राहक की पास पहुँच जाता है। नाच हम मय प्रकार के व्यय स्थानों का वर्णन करते —

( १ ) फेरीवाले (Hawlers)—य लोग ग्राहकों के पास पहुँचने वाले व्यापारी होते हैं। सभी प्रकार की आवश्यक वस्तुएँ वित्तों ठल टोकरी या गाठ में बाँध कर सड़ी गली बाहूला व गवि गाँव में आकर बेचने दे। साधारणतया इस देश में म्बियाँ दुकानों पर सामान खरीदने नही जाती अस फेरीवालों के द्वारा वित्तव्ययस्थानों की वस्तुएँ चूटियाँ गोग विनारी कपडा बनन आदि पर बँडे खरीद लती है। इस प्रकार छोटे छोटे गाँवों में न्यायी दुकान न होने पर फेरीवाले यामोपयोगी वस्तुएँ ले जाकर बचने हैं।

( २ ) पेट—( Periodical Markets ) पठ उन बाजारों को कहते हैं जो स्थान स्थान पर साप्ताहिक अथवा माताहिक या पाक्षिक अथवा म तिदिन दिन व समय पर लगता है जिनमें लोग अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुओं का खरीद-लेते हैं। यह प्रथा कस्बा और गाँवों में अज भी प्रचलित है। पठ के दिन गाँव वाल अपने घरा का छुटा रचि कर वस्तुएँ खरीदने में व्यस्त रहते है।

( ३ ) मेले (Fairs)—आज भी इस देश में समय समय पर मेल लगते हैं जो व्यापारों का धामिद होते है। इन मेलों में दूर दूर से यानी व देशक आते हैं। बहुत से दुकानदार भी अपना अपना सामान बेचने के लिए लाते है। वहाँ मनुष्य का अपनी आवश्यक वस्तुओं के खरीदने की अधिक सुविधा मिल जाती है। पुणर गठमुकनेद्वर और कुशा के मेले इस बोटि में आते हैं।

( ४ ) दुकाने (Shops)—जिन प्रकार फेरीवाले पठ और मय गाँव बाजारों की आवश्यकताओं की पूर्ति के साधन हैं उसा प्रकार नगरों में स्थायी दुकान देखी जाती है। इस प्रतिष्ठाभिता दुग में ये दुकान ग्राहकों को आशुचित करने व लिए बडा गनी हूँ होती है। कई दुकानदार ता साधारण उपयोग की मत्र ही वस्तुएँ रखते हैं और कई केवल व्यापक प्रकार की वस्तुएँ ही रखते हैं। तमाम प्रकार की वस्तुएँ एक ही स्थान पर मिलने के कारण ये विविध बाजार या मडिया कहलाती हैं जैसे धास मडा स-री मडी कपडा बाजार मगफा बाजार आदि। नगरों में एसा भी देखा जाता है कि एक बडा दुकान की कई विभागा में विभक्त कर लिया जाता है जिनमें छोटे से बकर बडी वस्तुएँ तक एर ही छन व नीचे उपरथ हों सक्ती है। एसा दुकानों को बहु विभागीय भण्डार (Departmental Store) कहते हैं।

( ५ ) प्रदर्शनी (Exhibition)—प्रदर्शनी या नुमायश हना और चित्रना के माध सम्पन्न स्थापित करने का सुभवसर प्रदान करती है। प्रदर्शनी में दूर दूर से उत्पादक विपकार एव व्यापारी अपनी अपनी वस्तुओं का प्रदर्शन करते हैं जिनमें दर्शकों की अपनी आवश्यकता की मभा वस्तुओं का खरीदने व अतिरिक्त यह भी जानकारी हा जाता है कि अधिक वस्तु कही अच्छी बनती पैसा हानी या मिलती है। प्रदर्शनी का सबसे बडा लाभ यह है कि कई खरीदारी की वस्तुओं का विनायन होता है जिनमें उन वस्तुओं की माँग में वृद्धि होकर उनका उत्पादन बढ़ता है। दूसरे अतिरिक्त खरीदारी की वस्तुओं की वस्तुओं से अपनी वस्तुओं का मुकाबला कर वनिया

को मान्य कर लेने का अवसर मिल जाता है जिससे माल की क्रिम घटती हो सकती है।

### व्यय का सामाजिक पहलू (Social Aspect of Spending)

अब तक हमने व्यय के शौचिक पहलू पर विचार किया। अब इसके सामाजिक पहलू पर विचार किया जायगा। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसका समाज में व्यय कोई अतिरिक्त नहीं। अन्तु उनका कार्य का प्रभाव उस तक ही सीमित नहीं रहता। बल्कि समाज में अन्य सदस्य भी उनमें प्रभावित होते हैं। मनुष्य की अन्य श्रियाओं की भाँति उसके व्यय करने की क्रिया का भी प्रभाव समाज पर पड़ता है। उदाहरण के लिए, मनुष्य स्वास्थ्य-वर्धक और उत्तम पदार्थों पर अपनी आय व्यय कर, अपनी कार्य-क्षमता में वृद्धि कर सकता है, समाज का धनी होने में सहयोग दे सकता है, और अन्य सदस्यों के लिए दायरगं स्थापित कर सकता है। इनके विपरीत, वह मादक तथा हानिकारक वस्तुओं के प्रयोग में अपनी कार्य-क्षमता में हानि कर समाज को निर्वन बना सकता है और अन्य सदस्यों को अपव्यय करने के लिए गलत रास्ता बता सकता है। इस प्रकार मनुष्य का प्रत्येक भवे या बुरे कार्य का प्रभाव समाज के अन्य सदस्यों पर पड़ सकता है। सक्षेप में, समाज की उत्पत्ति जाती अथवा तब लोगों में व्यय करने के ढंग पर निर्भर है। यदि व्यय का ढंग अच्छा है, तो समाज की उत्पत्ति होगी, अन्यथा हानि।

व्यक्तिगत व्यय का समाज पर प्रभाव दो प्रकार से देखा जा सकता है :—

( अ ) उत्पत्ति पर प्रभाव, ( घा ) उपभोग पर प्रभाव।

### ( अ ) व्यय का उत्पत्ति पर प्रभाव ( Effects on Production )

( १ ) यह तो सभी जानते हैं कि उत्पत्ति मांग पर निर्भर है। जिस वस्तुओं की मांग होती है उनकी उत्पत्ति की जाती है। जिस वस्तु पर हम व्यय करते हैं उसकी मांग पैदा हो जाती है और उसकी उत्पत्ति के लिए साधन जुटाने लग जाते हैं। धीरे धीरे उस वस्तु की उत्पत्ति की जाने लगती है।

( २ ) वह वस्तु जिसकी मांग होती है यदि विज्ञान-वस्तु है, तो उपभोक्ता की कार्य-क्षमता में वृद्धि लायी जिसका फल केवल उस उपभोक्ता को ही नहीं बल्कि सारे समाज को भुगतना पड़ेगा। कारण, जब उस वस्तु की मांग है, तो उसकी उत्पत्ति अवश्य होगी। देश की पूँजी और धन का एक भाग इस और दिखेगा जिसका प्रयोग अन्य आवश्यक और लाभदायक उद्योग-व्यवसायों में किया जा सकता है। इसका यह परिणाम होगा कि आवश्यक और वक्षतावर्धक पदार्थों की उत्पत्ति घट जायगी।

( ३ ) यदि कोई मनुष्य अपनी आय को सोच-समझ कर स्वास्थ्यवर्धक भोजन, वस्त्र तथा मकान आदि पर व्यय करता है, तो उसकी कार्य-क्षमता और उत्पादन शक्ति में अवश्य वृद्धि होती है।

( ४ ) व्यक्तिगत व्यय के फलस्वरूप यदि धनिकों को ऐसे कारखानों में काम करना पड़ता है जहाँ आरोग्यवर्धक जलवायु और अनुकूल वातावरण का पूर्ण अभाव हो, तो समाज को बड़ी हानि पहुँचेगी।

( ५ ) कई उद्योग अथवा ऐसे होने हैं जिनमें उत्पत्ति बड़े पैमाने पर की जाती है जिसके कारण प्रति इकाई उत्पत्ति-व्यय कम हो जाता है। यदि लोग इन उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं पर व्यय करते हैं, तो समाज को लाभ होगा है। इसके अतिरिक्त, उन उद्योगों की बनी हुई वस्तुओं पर जिसका उत्पत्ति व्यय अधिक है, व्यय करने में समाज को हानि है।

(अ) व्यय का उपभोग पर प्रभाव (Effects on Consumption)

(१) धनारथ्य व्यक्तियां द्वारा बुद्धि विनाश वस्तुओं का अत्यधिक उपभोग से समाज को नुकसान होता है और समाज में अशांति फैल जाती है जो समाज के विकास के लिए बाधा बनती है। अतः समाज को उपभोग पर नियंत्रण लागू करना पड़ता है। अतः कानून द्वारा उपभोग पर नियंत्रण लागू किया जाता है। अतः समाज को नुकसान होता है। अतः समाज को नुकसान होता है।

(२) मनुष्य में दूसरा का अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति द्वारा ही समाज में नया नया विकास होता है। अतः समाज को नुकसान होता है। अतः समाज को नुकसान होता है। अतः समाज को नुकसान होता है।

व्यय में राज्य द्वारा हस्तक्षेप (State Intervention in Expenditure)

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि यदि लोग व्यय में समझौता नहीं करते तो समाज पर इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः समाज को नुकसान होता है। अतः समाज को नुकसान होता है। अतः समाज को नुकसान होता है।

विविध विचारधाराएँ — इस विषय पर विचार करने से स्पष्ट है कि समाज द्वारा व्यय में हस्तक्षेप होना चाहिए। अतः समाज को नुकसान होता है। अतः समाज को नुकसान होता है। अतः समाज को नुकसान होता है।

व्यय में राज्य द्वारा हस्तक्षेप के द्वारा — व्यय में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है —

(१) विधि द्वारा (By Law) — कानून द्वारा किसी वस्तु के उपभोग को रोक दिया जा सकता है। अतः समाज को नुकसान होता है। अतः समाज को नुकसान होता है। अतः समाज को नुकसान होता है।



विषय तथा उपभोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। इसी प्रकार इंग्लैंड में चार्ल्स द्वितीय के शासन काल में उनी बख्तों के व्यवसाय को प्रोत्साहन देने के लिये एक कानून बना जिसके द्वारा मृतक शरीर को भी उनी कफन में लपेट कर गाड़ना अनिवार्य था।

**भारतवर्ष में हस्तक्षेप**—भारतवर्ष में इस प्रकार का राज्य नियंत्रण प्राचीन काल से ही प्रचलित है। आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ज्ञात होता है कि मौर्य शासनकाल में अनुचित वस्तुओं के उपभोग को रोकने के लिए इस प्रकार के कई कानून प्रचलित थे। उनके अनुसार चार नौले मदिरा भी सरकारी आज्ञा बिना केवल उस व्यक्ति को दी जाय जिसके चाल-चलन के बारे में पूर्ण जानकारी हो और मदिरापान साधारणतया मदिरालय में ही किया जाय। इसके अतिरिक्त मदिरानयी में सरकारी युग्मचरोंकी व्यवस्था भी कौटिल्य अर्थशास्त्र द्वारा पाई जाती है।

माधुनिक काल में भी भारतवर्ष में इस प्रकार के अनेक कानून देखे जाते हैं। जैसे मदिरा, शस्त्रों, गांजा, कोकीन, तिजाय, सिगरेट वस्तुओं के रखने, विक्रय तथा उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। इनके विक्रोता को राज्य में लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है तथा राज्य द्वारा इनके विषय न्याय और ममय भी निश्चित किये जाते हैं। आजकल की मद्यनिषेध (Prohibition) नीति इसी नियम की प्रतीक है। धी, दूध आदि पात्र-पदार्थों के अनुद्ध मिश्रण (Adulteration) को रोकने के लिए भी सरकार द्वारा नियम बनाये गये हैं।

युद्धकाल में आवश्यक वस्तुओं की पूर्ण रस हो जाने के कारण उनके मन्विष्य में न मिलने के भय में लोग अपने उपभोग से अधिक मात्रा में वस्तुओं का निरर्थक संचय करना प्रारम्भ कर देने हैं जिससे जब साधारण का उपभोग कम हो जाता है। वस्तु रक्षण तथा मूल्य-नियन्त्रण द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं की वितरण व्यवस्था की जाती है। युद्धोत्तर काल में अर्थात् आजकल भी उनी विषय परिस्थिति के कारण रक्षण और मूल्य-नियन्त्रण व्यवस्था राज्य द्वारा प्रचलित है। शस्त्रों आदि रक्षाभ्य-वादाक वस्तुओं का भी रक्षण प्रारम्भ हो रहा है जिससे कुछ समय पश्चात् लोग इस व्यवस्था से मुक्त हो सकें।

(२) मूल्य-निर्धारण द्वारा (By Fixing Prices) - कई वस्तुओं का अधिकतर, न्यूनतम या कोई उचित मूल्य निश्चित कर दिया जाता है, जैसे—गुड़, शर्करा, गेहूँ, कपड़ा आदि का। इसी प्रकार किसानों को आर्थिक शोषण से बचाने के लिए कई प्रांतों में ईंट के न्यूनतम भाव निश्चित कर दिये गये हैं। यह मूल्य को प्रभावित करने का प्रत्यक्ष रूप है।

(३) कर द्वारा (By Taxes) - राज्य द्वारा किसी वस्तु का उपभोग कम करना चाहे तो उस पर कर लगा दिया जाता है। जैसे मदिरा, खोली, सिगरेट आदि पर भारी कर लगाकर इनके उपभोग को कम किया जा सकता है। इस रीति द्वारा मूल्य अप्रत्यक्ष रूप में प्रभावित हो जाते हैं। यदि विदेशों में जाने वाली वस्तुओं का उपभोग रोका जाय, तो भारी आयात कर दिया जाता है।

(४) आर्थिक सहायता द्वारा (By Subsidy) - यदि सरकार द्वारा किसी वस्तु की उत्पादन या उपभोग में वृद्धि अभीष्ट है तो उसके उत्पादकों का आर्थिक या अन्य रूप में सहायता देकर प्रोत्साहित किया जाता है।

**सचय ( Saving )**—साधारणतया हम अपनी भाय को वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति में ही व्यय नहीं कर देते। वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते समय हम भावी आवश्यकताओं का भी ध्यान रखते हैं। इसलिए हम अपनी भाय का कुछ भाग भविष्य के लिए बचाने हैं जिससे भागे चलकर आवश्यकताओं की पूर्ति में कोई बाधा न पड़े। इन बची हुई रकम को कुछ लोग तो जमीन में गाड़ देते हैं अथवा तिजोरी में बन्द कर रखे रहते हैं और कुछ उत्पादक कार्यों में लगाते हैं। संचित द्रव्य का वह भाग जो भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी उत्पादक (Productive) रूप में रखा जाता है, सचय (Saving) कहलाता है।

**अनुत्पादक सचय ( Hoarding )**—संचित द्रव्य का वह भाग जो भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी अनुत्पादक रूप में रखा जाय अनुत्पादक सचय ( Hoarding ) कहलाता है।

सचय और अनुत्पादक सचय में अन्तर

(Difference between Saving and Hoarding)

दोना ही भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सचय किया द्रव्य है परन्तु जो भाग उत्पादक कार्यों में लगाया जाता है वह 'सचय' कहलाता है और जो भाग अनुत्पादक कार्यों में लगाया जाता है, वह 'अनुत्पादक सचय' है। इसको एक उदाहरण से इस प्रकार समझिए। किसी व्यक्ति के पास तीन हजार रुपये संचित हैं। इसमें से यदि वह एक हजार रुपये बैंक में ब्याज पर जमा कर देता है या किसी व्यवसाय में लगा देता है, और शेष दो हजार की तिजोरी में बन्द कर रखता है या जमीन में गाड़ देता है, तो एक हजार रुपये तो उसका 'सचय' ( Saving ) है, और शेष दो हजार रुपये 'अनुत्पादक सचय' ( Hoarding ) है।

**सचय और अनुत्पादक सचय तुलनात्मक दृष्टिसे**—संचित द्रव्य सचय करने वाला तथा देश दोनों को ही लाभदायक है। बैंक में रुपये जमा कराने वाला अपने रुपये को आवश्यकता के समय काम में तो ला सकता है, परन्तु माय ही साथ जब तक बैंक में जमा रहता है, ब्याज और मिलता है। यह रुपये बैंक द्वारा उद्योग-पट्टियाँ, व्यापारियों, कृषकों आदि को उधार दिया जाता है जिससे देश की आर्थिक उन्नति होती है। इसके विपरीत अनुत्पादक सचय उसके स्वामी और देश के लिए एक बड़ी हानि है। निरर्थक रूपसे बची पड़ा या पड़ा रहने से चलन की मात्रा में कमी हो जाती है। जिससे विनिमय-मन्चालन में कठिनाइयाँ तथा असुविधाएँ उत्पन्न होती जाती हैं। यह द्रव्य कार्य में नहीं आने के कारण इसकी कोई उपयोगिता नहीं होती, अस्तु द्रव्य देश के आर्थिक विकास में कोई सहायता नहीं मिलती है। सचय में, सचय ही देश की उन्नति व समृद्धि का मूल तत्व है।

**सचय के उद्देश्य ( Objects of Saving )**—मनुष्य निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रेरित होकर सचय करता है :—(१) व्यापार में सफलता प्राप्त करने के लिए (२) वृद्धावस्था के लिए साधन उपस्थित करके के लिए, (३) अपने बच्चों और आश्रितों के लिए साधन उपस्थित करने के लिए, व (४) सामाजिक प्रतिष्ठा व स्याति प्राप्त करने के लिए।

सचय निर्णय कैसे किया जाय ? हम सीमान्त उपयोगिता के प्रतिष्ठित नियम द्वारा मनुष्य को अपने व्ययों के समायोजन में बड़ी सहायता मिलती है। इससे द्वारा एक विवेकशील मनुष्य अपनी आय को पतमान और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस प्रकार समायोजन करता है कि आय का कुछ भाग भविष्य के लिए भी बचा लिया जाता है।

व्यय और सचय का सम्बन्ध

### (Relation between Spending & Saving)

व्यय और सचय का सम्बन्ध अग्रजी व्ययशास्त्री प्रो० फानल द्वारा भाति समझाया गया है। व्यय और सचय में एक बात समान है दोनों में इच्छा व तुष्टा और सेवाओं के साथ विनिमय होता है किन्तु अंतर यह है कि इन वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग समान नहीं होता है। व्यय में वस्तुएँ और सेवाएँ आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रथम रूप में प्रयुक्त की जाती हैं मन्त्र में ये वस्तुएँ और सेवाएँ धनोत्पादन के लिए प्रयुक्त की जाती हैं और इसीलिए प्रथम रूप में नहीं अपितु अग्रयत्न रूप में आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं। उदाहरणार्थ यदि कोई मनुष्य जो १०० पीड अनिश्चित पनीचर (उपस्कर) पर व्यय करने को था अपना विचार बदल कर इस राशि से नवीन आविष्कार और यंत्र खरीदता है जिसकी सहायता से वह उतने ही समय में अधिक कार्य कर सकेगा तो वह स्वयं के वदन सचय को स्थानापन्न करगा दोनों बर्णानों में खरीद ही होती किन्तु खरीदी हुई वस्तु को उपभोग के स्थान पर उत्पादन कार्य में लिया गया है।

इस प्रकार बात होता है कि व्यय और सचय दोनों हमारे प्रतिदिन के दार्शनिक जीवन के आवश्यक अंग हैं। धन की उत्पत्ति केवल इसीलिए होता है कि इनके उपभोग की इच्छा विद्यमान है। किन्तु क्योंकि पूँजी जो सचय का परिणाम है धन का उत्पत्ति का मुख्य साधन है इसीलिए धन को वर्तमान उपयोग के लिए ही नहीं बरत भविष्य के उपभोग के लिए भी उत्पन्न किया जाता है।<sup>1</sup>

सामाजिक दृष्टि से व्यय अधिक महत्वशाली है या सचय ?

व्यय और सचय दोनों का प्रयोग करने के दो ढंग हैं। दोनों का उद्देश्य मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है; अंतर केवल इतना ही है कि व्यय में वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और सचय से भावी आवश्यकताओं की। व्यय और सचय दोनों ही आर्थिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं।

व्यय (Spending)—कुछ लोगों का कहना है कि अधिक व्यय करने में ही समाज की उन्नति हो सकती है। अपनी इस बात को सिद्ध करने के लिए वे इस प्रकार तर्क प्रस्तुत करते हैं। यदि लोग अधिक व्यय करते हैं तो वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। इससे उत्पत्ति क्षमता और जय उत्पत्ति में वृद्धि होगी तो पूँजी और धन की धार्मिक काम मिलने लगेगा। इनके फलस्वरूप बेकारी की समस्या हल हो जायेगी और मजदूरों की मजदूरी बढ़ जायेगी। व्यापारियों और उद्योगपतियों को भी अधिक लाभ होने लगेगा। इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में परोक्ष उन्नति होगी। लोग का जीवन स्तर ऊँचा हो जायेगा और देश की आर्थिक दशा सुधर जायेगी। यह बात बड़ा तर्क

येक है यही हम देखना है। उत्पत्ति बढ़ाने के लिये अधिक पूँजी की आवश्यकता होती है। पूँजी की मात्रा उन्नी बड़ गन्ती है जब कि लोग अपनी श्राय का पयात भाग बचाएँ। यदि लोग अपनी पूरी श्राय वतमान आवश्यकताश्रा की ही पूँति म नगा देते तो फिर बचत बहा न हो सकेगी। बचत या सचय न होने स भविष्य में पूँजी बहा स श्रायगी। देश की उन्नति एक जायगी और तरह तरह के श्रापिक कष्टों का सामना हम करना पडगा। अस्तु यह योजना मूल है कि श्रापिक व्यय परने म समाज की भलाई है।

### सचय या वचत (Saving)

हम विपरीत कुद लोग का यह विरवास है कि अधिक सचय करने में व्यक्ति और समाज दोनों की ही उन्नति होगी। श्रापिक सचय होने पर ही पूँजी की मात्रा बडगी। इसी सहायता से उत्पत्ति यह पैमाने पर की जाने लगेगी। इस प्रकार उन्नति का चक्र चलता रहगा। किन्तु प्रश्न यह है कि उत्पादित वस्तुश्रा को खरीलगा कौन? जब लोग व्यय कम करेंगे तो वस्तुश्रा की माग वहाँ से होगी? कैसे उनका रूप विक्रम हागा? श्राहको की कमी होने के कारण वस्तुएँ गोदमा में पडी पडी सड़न लगगी। उत्पादका को बडी क्षति पहुँचगी जिसके फलस्वरूप वे उत्पत्ति का काम कर सग। उत्पत्ति का घटाने में लोग बकार हा जायेंगे। उनके श्रापिक जीवन को एक गहरा धक्का लगगा। समाज की भी उन्नति एक जायगी। अनेक श्रापिक समस्याश्रा का कारण समाज का गना घुटने लगेगा।

**निष्कर्ष (Conclusion)** - इससे यह सिद्ध होता है कि व्यय और सचय दोनों ही श्रापिक उन्नति के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार दो पैर मनुष्य को चलने के लिये और दो पैर पक्षी के उडने में लिये आवश्यक हैं उसी प्रकार श्रापिक जीवन के लिये व्यय और सचय दोनों का ही होना परम आवश्यक है। व्यय कम होने में वस्तुश्रा की माग कम हो जायगी और इससे बकारी बडेगी। इसलिये विपरीत सचय नय होने से पूँजी की वृद्धि म म्थूनता होगी जिससे उद्योग धन्धा और व्यवसाय की उन्नति में रुकावट पहुँचेगी। अस्तु व्यय और सचय दोनों ही सामाजिक और श्रापिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं।



व्यय और सचय दोनों ही श्रापिक उन्नति के लिए आवश्यक है। जिस प्रकार दो पैर मनुष्य को चलने के लिये और दो पैर पक्षी के उडने में लिये आवश्यक हैं उसी प्रकार श्रापिक जीवन के लिये व्यय और सचय दोनों का ही होना परम आवश्यक है। व्यय कम होने में वस्तुश्रा की माग कम हो जायगी और इससे बकारी बडेगी। इसलिये विपरीत सचय नय होने से पूँजी की वृद्धि म म्थूनता होगी जिससे उद्योग धन्धा और व्यवसाय की उन्नति में रुकावट पहुँचेगी। अस्तु व्यय

और सचय दोनों ही सामाजिक और श्रापिक उन्नति के लिए आवश्यक हैं।

### श्रम्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१- व्यय और वचत का सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये। किसी व्यक्ति के अपव्यय (Extra vagance) का समाज पर क्या प्रभाव पडता है? सरकार इस अपव्यय को किम प्रकार रोक सकती है? (उ० प्र० १९५६)

२- क्या समाज में लिये यह बात महत्व की है कि कोई व्यक्ति अपनी श्राय को किस प्रकार व्यय करता है? क्या समाज का व्यक्ति को व्यय करने की स्वतन्त्रता म हस्त लेष पाछनीय है? (उ० प्र० १९४०, २७ ३४ २८)

- ३—सचय और अनुत्पादक सचय पर टिप्पणी लिखिए। (अ० बो० १९५४)
- ४—वचत (Savio), व्यय और अनुत्पादक सचय में क्या अन्तर है? बिना किसी साच-विचार के व्यय करने का क्या सामाजिक प्रभाव है? पूर्णतया स्पष्ट कीजिए। (अ० बो० १९५१)
- ५—'सामाजिक दृष्टि से वचत व्यय से श्रेष्ठ है।' क्या आप इस कथन से सहमत हैं? स्पष्टतया व्याख्या कीजिए। (अ० बो० १९४४)
- ६—सचय, व्यय और अनुत्पादक सचय में भेद दर्शाइये। विवेकहीन व्यय के क्या सामाजिक परिणाम होते हैं? (रा० बो० १९५२)
- ७—'आर्थिक उन्नति के लिये सचयन तथा व्यय दोनों समान आवश्यक हैं।'—समझा कीजिए। प्रचलित भारतीय राष्ट्रीय वचत योजनाओं के दारों में आप क्या जानते हैं? (सागर १९४५)
- ८—वचत को किस प्रकार प्रोत्साहित किया जा सकता है? वचत का आर्थिक प्रभाव बताइए। (सागर १९५१)
- ९—वचत, व्यय और सचय का अन्तर समझाइये। असावधानी में व्यय करने के क्या सामाजिक प्रभाव होते हैं? स्पष्ट कीजिए। (म० भा० १९५१)
- १०—'सचय' को आदत से क्या समझने है? इसके दुष्परिणाम क्या होते हैं? (पत्राव १९५१)
- ११—'वचत', 'व्यय' और 'सचय' का अन्तर स्पष्ट कीजिए। (रा० बो० १९५२, म० भा० १९५५)
- १२—नक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए—'व्यय और वचत'। (उ० प्र० १९५४, ४८, ४९, म० भा० १९५५, ५३, दिल्ली हा० से० १९५०)

**परिभाषा ( Definition )**—विलासिताएँ वे वस्तुएँ हैं जिनका उपभोग मनुष्य जीवन के लिए न तो आवश्यक है और न उन्में कार्य-कुशलता में कोई वृद्धि होती है। प्रो० जोड ने विलासिताओं का व्यय की आवश्यकताओं की दृष्टि बहुर कर परिभाषित किया है। प्रो० एली ने इसे अत्यधिक उपभोग वर्णित किया है। विलासिताओं के उपभोग के लिए मनुष्य जीवन में कोई अनिवार्यता प्रतीय नहीं होती। प्रायः अनिवार्य आवश्यकताओं में जीवनार्थ, रुढ तथा दक्षतायं आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं के प्रतिरिक्त सुख-वस्तुएँ भी सम्मिलित की जाती हैं। विलासिताएँ इनमें सम्मिलित नहीं होने के कारण अनावश्यक वस्तुएँ सिद्ध होती हैं। इसको अधिक स्पष्ट करते हुए बो कर्ण जा सकता है कि विलासिताएँ वे वस्तु हैं, जिनके उपभोग से अत्यधिक आनन्द प्राप्त होता है, परन्तु उन्में कार्य-कुशलता नहीं बढ़ती, जबकि उनके उपभोग के अभाव में न तो कार्य-कुशलता गिरती है और न कोई वेदना ही होती है।

**विलासिता एक सापेक्षिक ( Relative ) शब्द है**—विलासिता एक सापेक्षिक शब्द है, क्योंकि इसका अर्थ देण, काल, स्वभाव और मनुष्य के जीवन-स्तर से पर्याप्त भिन्नता रहता है। उदाहरण के लिये, चाय का प्रयोग भारतवर्ष में लगभग ५० वर्ष पूर्व मध्य अश्या के मनुष्यों के लिए भी विलासिता समझी जाती थी। परन्तु आज वही वस्तु उनके लिए आवश्यक हो गई है, यद्यपि दूर-दिवस याम में रहने वाले निर्धन किसानों के लिए अब भी वह विलासिता ही है। वेस्विन इङ्ग्लैंड में शीत जलवायु के कारण चाय अश्रेष्ठ किसान के लिए अनिवार्य है, जबकि वही वस्तु भारतीय किसान के लिए विलासिता है। इस प्रकार नई आविष्कृत वस्तुएँ प्रारम्भ में विलासिताओं की कोटि में आती हैं, परन्तु धीरे-धीरे जब लोग उनके उपभोग के घादी हो जाते हैं, तब वे ही अनिवार्य वस्तुएँ हो जाती हैं, जैसे मोटरकार, साईकिल, ग्रामोफोन इत्यादि।

**विलासिताओं की समस्या (The Problem of Luxuries)**—यद्यपि हम इस बात पर विचार करेंगे कि सामाजिक दृष्टि से विलासिताओं पर क्या क्या व्यव लाभशब्द है अथवा हानिकारक है। यह एक ठेरी समस्या है। इस पर भिन्न-भिन्न राय प्रकट की जाती हैं। कुछ लोगो का यह कहना है कि जीवन में विलास-वस्तुओं का उपभोग भी होना चाहिए, अन्यथा जीवन में कोई परिवर्तन या आनन्द नहीं होगा और मनुष्य बोझा देने वाले पशु का भाँति हो जावेगा। विलास-वस्तुओं के उपभोग से

मनुष्य भौतिक गम्यता में अग्रसर होता जाता है जिसमें समाज की उन्नति होती है। दूसरे पक्ष वाले इसने विलुप्त विपरीत ही कहने हैं। उनके मतानुसार विलास वस्तुओं पर दिया गया व्यय निन्दनीय है। इससे मनुष्य विलासी और आलसी हो जाते हैं और उनकी कार्य-कुशलता गिर जाती है। इस कारण समाज की भी अवनति हो जाती है। इससे पूर्व कि इन विषय पर निष्पक्ष राय प्रकट की जाय, यह जान लेना आवश्यक है कि विलासिताओं के पक्ष और विपक्ष में कौन-कौन सी तर्क प्रस्तुत की जायें हैं।

### विलासिताओं के पक्ष में तर्क

#### लाभ (Advantages)

(१) मानव समाज की उन्नति और सम्पत्ता के लिये आवश्यक है—विना विलासिता की वृद्धि मानव समाज की उन्नति और सम्पत्ता के लिए आवश्यक है। यदि हमारे जीवन में थोड़ी बहुत भी विलासिताएँ नहीं होंगी तो हमारा जीवन भी बीभत्स होने वाले पशुओं के समान नीच और बर्बर हो जाएगा। मनुष्य की आवश्यकताओं को बढ़ने के साथ-साथ सम्पत्ता का भी विकास होता है।

(२) कर्मशील बनने का प्रोत्साहन मिलता है—जब मनुष्य दूसरा को विलास वस्तुओं का उपभोग करने हुए देखता है, तो वह भी उनकी प्राप्ति में लग जाता है और अपने प्रयत्नों में अधिकार अपनी अभिलाषाओं को पूर्ण करने में समर्थ हो ही जाता है। प्रायः भी यदि मनुष्य कठिन में कठिन परिश्रम करता है तो वह दृष्टी अभिलाषाओं की पूर्ति से घोरित होकर करता है।

(३) कला की उन्नति होती है—विलास वस्तुएँ उत्तम और कलापूर्ण होती हैं। उनके बनाने में अनुसंधान, दक्षता तथा कलात्मक ज्ञान की आवश्यकता होती है। अस्तु उनके उपभोग से उत्तम शैली की कारीगरी को प्रोत्साहन मिलता है।

(४) रोजगार बढ़ता और बेकारी कम होती है—विलास-वस्तुओं पर व्यय करने से उन वस्तुओं की माँग बढ़ती है जिसमें उद्योग-धन्धा और वाणिज्य व्यवसाय में उन्नति होती है। इससे परिष्कृत स्वरूप राजगार में उन्नति होती है जिसमें बेकारी की समस्या कुछ हद तक हल हो जाती है।

(५) जीवन स्तर ऊँचा होकर जनसंख्या में कमी हो जाती है—इन वस्तुओं के प्रयोग से मनुष्य के जीवन स्तर में उन्नति होती है और जन-संख्या में अत्यधिक वृद्धि नहीं हो पाती, क्योंकि लाभ प्रदान करने वाले जीवन-स्तर को ऊँचा बनाए रखने की दृष्टि में जन्म निराधक उपाय काम में लाए जाते हैं।

(६) मानव जीवन अधिक सुखमय और समृद्धिशाली हो जाता है—विलास वस्तुओं का उपभोग भौतिक उन्नति व सम्पत्ता का चिह्न है। इससे वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है जिससे कारण उसका जीवन अधिक सुखी और समृद्धिशाली हो जाता है।

(७) आविष्कारों को प्रोत्साहन मिलता है—विना विलासिता की आवश्यकता बड़े आविष्कारों की जन्मी है। इसके द्वारा आविष्कारों की और प्रवृत्ति होने में इनके प्राकृतिक और अन्य साधनों का उचित दम में काम में लाया जा सकता है।

(८) धन-वितरण की असमानता कम हो जाती है—इससे धन-वितरण की असमानता कम हो जाती है। विलास-वस्तुओं पर व्यय करने से धनवानों के द्रव्य का कुछ भाग गरीबों के पास पहुँच जाता है। विधन उस धन को अधिक आवश्यक कार्यों में ला सकते हैं।

(९) विलासिताएँ यीमा का कार्य करती हैं—विलासिताओं की प्रबल इच्छा से बहुमूल्य वस्तुएँ, उत्तम फर्नीचर, सोना-चादी और रत्नादि का सग्रह हो जाता है जो प्रायिक सकट में रक्षा कर सकते हैं। यही कारण है कि भारतीय नारियाँ जेवर आदि को बड़ा महत्व देती हैं।

(१०) विलासिताएँ मनोरंजन के साधन हैं—विलास-वस्तुओं से मनोरंजन के साधन उपलब्ध होते हैं जिनसे जीवन की नीरसता और एकरमता दूर होकर नवीन स्फूर्ति और कार्यसमता प्राप्त होती है।

### विलासिताओं के विपक्ष में तर्क

#### हानियाँ (Disadvantages)

(१) उद्योग धन्धों और व्यापार में वान्त्विक उत्पत्ति नहीं होती—यह सोचना भूल है कि विलासिताओं पर व्यय करने से व्यापार और उद्योग धन्धा में उत्पत्ति होती है। अपव्यय से पूँजी की वृद्धि कम हो जाती है जिससे उत्पत्ति के कार्य में हानि अथवा क्षति पहुँचती है। यदि पूँजी और अन्य उत्पत्ति के साधन विलास वस्तुओं की उत्पत्ति के स्थान में आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में लगाये जायें तो रोजगार की अधिक उत्पत्ति होगी।

(२) वर्मचोलता के लिए अधिक प्रेरणा नहीं मिलती—मनुष्य को जितनी प्रेरणा विलास-वस्तुओं का प्राप्त करने के लिए होती है उससे कहीं अधिक प्रेरणा जीवनार्थ वस्तुओं का प्राप्त करने के लिए होती है, क्योंकि इनके बिना उसका जीवन संभव ही नहीं। विलासिताएँ अनावश्यक हैं, अतः उनके लिए प्रयत्न करना इतना जल्दरी नहीं।

(३) कला की उत्पत्ति की धारणा अधिक प्रबल नहीं है—विलास-वस्तुओं से कला की उत्पत्ति तो अवश्य होनी है पर यह समझना भूल है कि अतिव्यय तथा सुख-वस्तुएँ कला की उत्पत्ति में कम सहायक होती हैं। कभी-कभी विलास वस्तुओं के बनाने में केवल साधारण श्रम की ही आवश्यकता पड़ती है। आजकल अधिकतर विलास-वस्तुएँ कारखानों में मशीनों से बनाई जाती हैं और उनके बनाने में व्यक्तिगत चतुराई की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल थोड़ो-थोड़ी हाथ से बनाई जाने वाली विलास-वस्तुओं के आधार पर ही उनके द्वारा कलात्मक उत्पत्ति मान लेना भूल है।

(४) विलासिताओं से देश में असंतोष, अज्ञाति और क्रांति उत्पन्न हो जाती है—कुछ ही धनी व्यक्तियों द्वारा विलासिताओं का उपयोग मध्यवर्गीय तथा गरीब आश्रमियों के असंतोष और अज्ञाति का कारण बन जाता है जिससे तातावरण क्रांतिकारी बन जाता है। देखा जाय तो आधुनिक समय में जो समाजवाद और साम्यवाद की उत्पत्ति हुई है वह इन्हीं के कारण हुई है।



(५) अनुत्पादक धन-संचय ( Hoarding ) से देश को हानि है—विलास-वस्तुओं के उपभोग से अनुत्पादक धन-संचय को प्रोत्साहन मिलता है जिससे राष्ट्रीय सम्पत्ति का एक बड़ा भाग बेकार पड़ा रहता है।

(६) विलासिताओं पर व्यय न्याययुक्त नहीं है—जिन देश में अधिकांश लोगों को भर पेट भोजन भी नहीं मिल पाता वहाँ पर विलासिताओं पर खर्चा गया व्यय किस प्रकार न्याययुक्त हो सकता है। यह कहीं तक ठीक माना जा सकता है कि एक और तो लोग भूख के मारे मौत के निकार बन रहे हों और दूसरे और चोटे से लोग विलासिताओं के माय खुलझरें उड़ा रहे हों। ऐसा होने से देश में अराजकता का बीज फैल जाता है और अनेक आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक समस्याएँ उत्पन्न होने लगती हैं—जिनमें आसानी से छुटकारा नहीं मिल पाता।

(७) धन-वितरण की असमानता दूर नहीं होती—यह कहना कि विलासिताओं के कारण धन धनी से निर्धन को पहुँच जाता है, विल्कुल ठीक नहीं है। जो भी राशि धनी विलास वस्तुओं के लिए निर्धन को देता है, वह निर्धन से पुनः धनी के पास पहुँच जाती है, यद्यपि निर्धन विलास वस्तुओं के निर्माण के लिए बच्चा मांस और मूल्यवान् औजार धनी से ही खरीदता है। धन धनी से निर्धन के पास धन का परिवर्तन भ्रम मात्र है।

(८) विलासिताओं के उपभोग का दुष्परिणाम—कभी-कभी निर्धनों को भी विलास-वस्तुएँ उपभोग के लिए मिल जाती हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि वे अपनी विचित्र आँखों को आकर्षक वस्तुओं के स्थान पर विलासिताओं पर खर्च कर बैठते हैं जिनके कारण उनकी कार्य-कुशलता में ह्रास हो जाता है। मनुष्य इसका एक उदाहरण है।

(९) जीवन-स्तर ऊँचा होने और जन-संख्या कम होने का वास्तविक कारण विलासी जीवन नहीं है—लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा होने पर जन-संख्या कम होने का मुख्य कारण उनका विलासी जीवन नहीं है बल्कि उनकी शिक्षा, संस्कृति और मर्यादा निग्रह के कृत्रिम साधनों की अभावता ही है।

(१०) विलासिताओं के उपभोग से मनुष्य का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और चरित्र गिर जाता है—बड़े विलास वस्तुएँ ऐसी होती हैं जिनके उपभोग से मनुष्य का स्वास्थ्य गिर जाता है, चरित्र बिगड़ जाता है और कार्य-कुशलता में ह्रास हो जाता है।

(११) विलासिताओं से जीवन में अर्थमयता और निकम्भापन आ जाता है—विलासिता के कारण शक्ति, क्षमता, उत्साह का ह्रास होता है और जीवन प्रालम्ब-ययी और निरन्मता हो जाता है।

निष्कर्ष—इस प्रकार की अनेक बातें विलासिताओं के पक्ष और विपक्ष में कही जाती हैं। दोनों पक्ष की बातें कुछ अर्थ तक ठीक ही हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि कुछ विलास वस्तुएँ ऐसी हैं जो नैतिक या सामाजिक दृष्टि में ठीक नहीं होंगी। उनके उपभोग से मनुष्य का स्वास्थ्य गिर जाता है, चरित्र बिगड़ जाता है और कार्य-कुशलता में ह्रास हो जाता है। इन वस्तुओं पर विषे हुए व्यय को किसी भी दृष्टि-कारण से व्याजगत नहीं बताया जा सकता। किन्तु इसमें यह परिणाम निकालना

उन्निता न होयो कि सभी विनाश-वस्तुएँ निकट हैं और उनका उपभोग बन्द कर देना चाहिए। ऐसा करने से उत्पत्ति का मार्ग बन्द हो जायगा। प्रायः जो विलास वस्तु मानी जाती है, बल नहीं आवश्यक वस्तु की कोटि में धरा सकती है। अतएव प्रत्येक प्रकार की विगासिता को बन्द कर देना बुद्धिमानी नहीं होगी। कुछ विनाश वस्तुएँ हानि रहित हैं, अस्तु उनके उपभोग को प्रोत्साहल मिलने में उत्पत्तिका अथवा सामाजिक दृष्टि से कोई आपत्ति न होगी, अपितु लाभ ही होगा। इस सम्बन्ध में प्रो० पेगमन कहते हैं, "विलासिता स्वतः कोई बुरी वस्तु नहीं है, यद्यपि इसके कई रूप व्यक्तिगत दृष्टिकोण से हानिकारक और सामाजिक दृष्टि में अवाञ्छनीय हैं।"

### अपव्यय (Waste)

प्रायः लोभ अपनी आय को अवायु ष अनावश्यक वस्तुओं पर खर्च करने हुए देते जाते हैं। उन वस्तुओं से व्यय के अनुत्पत्ति प्राप्त नहीं होने पर भी वे व्यय करने जाते हैं। यह उनकी आय का अपव्यय है। अस्तु, बिना बराबर लाभ या तृप्ति प्राप्त किए सुदृढा के व्यय को 'अपव्यय' कहते हैं। यदि कोई वस्तु बिना उसकी उपयोगिता के अनुत्पत्ति विधे नष्ट हो जाती है, तो यह उसका 'अपव्ययित उपभोग (Wasteful Consumption)' होगा।

अग्नि, बाट और भूकम्प आदि द्वारा सम्पत्ति का विनाश 'अपव्ययना (Wastage)' कहलाती है। जो सम्पत्ति इस प्रकार नष्ट होती है वह व्यक्तिगत हानि के अनिश्चित सामाजिक हानि भी है। धनी लोगों द्वारा बहुत-सा रुपया बड़े-बड़े बोलों नैदानों को वायम रखने, शोचितावाजी, मदिरापान, जुए आदि में खर्च किया जाता है। वे इसे अपव्यय नहीं समझते, क्योंकि इन्हीं वस्तुओं के उपयोग में वे अपने द्रव्य की उपयोगिता के बराबर तुष्टि देखते हैं। परन्तु सामाजिक दृष्टि से यह खर्च अपव्यय है, क्योंकि आदिवाजी, मदिरा आदि अनावश्यक वस्तुओं के स्थान में यदि धर्म और पूँजी जीवनापयोगी अनिवार्य वस्तुओं में सहाय जाते, तो अधिक लाभदायक मिष्ट होने। एक बड़े भू-भाग में वज्राय लेनी करने के यदि पोलो खेती जाय, तो क्या यह सामाजिक अपव्यय नहीं है ?

एक दूसरा उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा कि कोई व्यय व्यक्तिगत अपव्यय तो है, परन्तु सामाजिक अपव्यय नहीं। एक धनी पुण्य राज्य द्वारा पदवी प्राप्त करने के उद्देश्य से किमी सार्वजनिक शिक्षणशाळा में दान देना है। इस व्यय के करने पर भी उसकी प्रतिष्ठाया पूर्ण नहीं होती अतः वह अवातुष्ट ही रहना है। अस्तु व्यक्तिगत दृष्टि से तो अपव्यय हुआ, परन्तु सामाजिक दृष्टि में नहीं। -समान को तो इस व्यय से लाभ हुआ। कई एक व्यय ऐसे हैं जो व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों में अपव्यय हैं, जैसे फलों का सड़ जाना, चाभी में भूटन छोड़ देना या कोई काम अपूर्ण ही छोड़ देना आदि।

### सम्पत्ति का विनाश और रोजगार

#### (Destruction and Employment)

अकस्मात् या जानबूझ कर होने वाली सम्पत्ति के विनाश में कुछ भी तुष्टि प्राप्त नहीं होती, अतः इसकी मरणा अपव्यय में की जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि विनाश से रोजगार मिलना है, क्योंकि नष्ट हुई वस्तुओं के पुनर्निर्माण में काम-धंधे फिर से चालू हो जाते हैं जिसमें लोगों को रोजगार मिलने लगता है। इसका तो अर्थ यह हुआ कि सम्पत्ति को जान-बूझकर नष्ट कर देना चाहिए। यह तर्क अम वैदा

करता है। किसी वस्तु को नष्ट कर उसका पुनः निर्माण करने के बजाय तो किसी अन्य आवश्यक वस्तु के निर्माण में पूँजी व श्रम लगाना अधिक लाभदायक होगा। उदाहरण के लिए कोई विद्यार्थी अपनी पुस्तक को फाड़ कर पुनः दूसरी खरीद लेता है। इस प्रकार पाठकर दूसरी खरीदने के बजाय उसी मूल्य में एक पाठपट्टेन-पेन खरीदना अधिक लाभदायक होगा। यह स्मरण रहे कि विना विनाश के भी राजगार के साधन निकल सकते हैं। काम को उत्पत्ति व्यय पर निर्भर होता है। नई नई वस्तुओं की माँग पैदा होने से नये-नये कारखाने खुलते हैं जिससे देश में रोजगार चैनता है।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—विलासिताएँ क्या हैं? कुछ व्यक्ति विलासिताओं के पक्ष में नहीं हैं। क्या उनका मत उचित है? समाज में विलासिताओं के लाभ व हानियाँ बताइए।  
(उ० प्र० १९४३)
- २—अपव्यय अर्थात् बर्बादी (Waste) तथा सम्पत्ति का विनाश (Destruction) पर टिप्पणी लिखिए।  
(उ० प्र० १९४७, ४४, ३८)
- ३—क्या विलासिताओं का उपभोग आर्थिक दृष्टि से उचित है?  
(अ० व० १९५५)
- ४—उपभोग और बर्बादी पर संक्षिप्त नोट लिखिए।  
(अ० व० १९५३)

## पारिवारिक बजट (आयव्ययक) (Family Budgets)

**पारिवारिक बजट का अर्थ ( Meaning )**—पारिवारिक बजट में किसी कुटुम्ब के जीवन स्तर का भली भाँति पता चल सकता है, क्योंकि इसमें उसके आय-व्यय का विस्तृत व्यौरा दिया रहता है। यह मासिक प्रयत्न वार्षिक बनाया जाता है। अतः हम पारिवारिक बजट को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं—किसी परिवार की निश्चित अवधि में प्राप्त आय और होने वाली आय के विस्तृत विवरण को पारिवारिक बजट या आयव्ययक कहते हैं।

**पारिवारिक बजट बनाने के उद्देश्य ( Objects )**—पारिवारिक बजट से निम्नलिखित प्रयोजन सिद्ध होते हैं :—

- ( १ ) पारिवारिक बजट से किसी परिवार के जीवन-स्तर का पता चल सकता है।
- ( २ ) इससे यह पता चल सकता है कि श्रमिक परिवार में कितने प्राणी हैं।
- ( ३ ) परिवार की कितनी आय है और वह किन साधनों से प्राप्त होती है।
- ( ४ ) आय किन पदार्थों या सेवाओं पर व्यय की जाती है।
- ( ५ ) परिवार के सदस्यों की क्या-बया और कितनी अनिवार्य, सुख और विलास-वस्तुएँ उपलब्ध होती हैं।
- ( ६ ) परिवार में कुछ बचत होती है या नहीं, ऋण-ग्रस्त है या नहीं।
- ( ७ ) किसी परिवार की एक निश्चित अवधि की आय व्यय का एक स्थान पर ही पता लग सकता है।
- ( ८ ) विभिन्न देशों के पारिवारिक बजटों की तुलना से अनेक मूल्यवान् निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं।
- ( ९ ) पारिवारिक बजट से किसी परिवार या कुटुम्ब की आर्थिक स्थिति का पूरा-पूरा ज्ञान हो जाता है। वह सुखी है या कठिनाई से जीवन निर्वाह करता है।
- ( १० ) निर्देशाङ्क (Index Numbers) बनाने के लिए पारिवारिक बजटों में पर्याप्त सामग्री उपलब्ध हो सकती है।
- ( ११ ) समाज के विभिन्न वर्गों की करदान क्षमता (Taxable Capacity) मापने की जा सकती है।

**पारिवारिक बजट का स्वरूप ( Form )**—पारिवारिक बजट एक विशेष प्रकार से बनाया जाता है। सबसे प्रथम परिवार के सदस्यों की संख्या और अवधि ( मास या वर्ष ) तथा आय दी जाती है। तत्पश्चात् वर्गीकृत रूप में व्यय के मद और उनके समूह शिमे जाते हैं। प्रत्येक वस्तु के उपयोग की मात्रा, प्रति इकाई मूल्य,

समस्त मूल्य, प्रत्येक व्यय को राशि का समस्त आय से प्रतिशत अनुपात और विशेष विवरण आदि बातों दी हुई होती है। इसका साधारण रूप नीचे दिया जाता है :—

### पारिवारिक बजट

कुटुम्ब के मुखिया का नाम व पता .....  
 पता .....  
 सदस्यों की संख्या .....  
 (पुरुष, स्त्री और बच्चों की संख्या तथा आयु दोनों ही लिखना चाहिए)  
 आय (मासिक या वार्षिक) .....  
 अवधि .....

व्यय के मद	उपभोग की मात्रा		व्यय राशि		व्यय का समस्त आय से प्रतिशत के रूप में अनुपात	विशेष विवरण
	मात्रा	एक सप्ताह या मास की उपभोग की गई समस्त मात्रा	प्रति इकाई मूल्य	व्यय की समस्त राशि		

पारिवारिक बजट के मुख्य अंग ( Component Parts )—निम्नलिखित मद एक पारिवारिक बजट के मुख्य अंग गिने जाते हैं :—

मद (Items)	मुद्रा (Money)
(प्र) परिवार की आय (ब) परिवार का व्यय	
१—अनिवार्य-वस्तुयें	
(क) भोजन	
(ख) पछ	
(ग) किराया	
(घ) ईंधन व प्रकार	
२—सुख वस्तुयें	
(क) शिक्षा	
(ख) स्वास्थ्य	
(ग) सेवक	
(घ) मनोरंजन	
३—विलास-वस्तुयें	
(क) _____	
(ख) _____	
४—मचय	

पारिवारिक बजट का महत्व (Importance)—पारिवारिक बजट की उपयोगिता केवल अर्थशास्त्रियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि गृहस्वामियों, सुधारकों और राजनीतिज्ञों के लिए भी अत्यधिक है। प्रत्येक की उपयोगिता नीचे दी जाती है —

गृहस्वामियों ( Householders ) के लिए—पारिवारिक बजट द्वारा गृहस्वामी प्रत्येक व्यय के मद को तुलनात्मक दृष्टि में देखकर यह जान कर सकता है कि क्या वह प्रमुख मद पर अधिक व्यय कर रहा है या ठीक, और क्या किसी मद के व्यय को कम करना आवश्यक है। दूसरे शब्दों में यी कहा जा सकता है कि पारिवारिक बजट गृहस्वामी को 'सम सीमान्त उपयोगिता नियम' पालन कराने में बड़ा सहायक सिद्ध होता है। पारिवारिक बजट के अभाव में वह अपनी आय बड़ी लापरवाही से खर्च कर सकता है। पारिवारिक बजट ही सीमित आय से अधिकतम तृप्ति बनाने का एक मात्र साधन है।

अर्थशास्त्रियों (Economists) के लिए—(१) पारिवारिक बजटों द्वारा किसी देश के निवासियों के जीवन-स्तर का अध्ययन हो सकता है तथा उनकी अन्य देशों के पारिवारिक बजटों से तुलना कर कई महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जैसे इंग्लैंड और भारत के श्रमिकों की अवस्था की तुलना करने पर आय का कार्य-क्षमता और समृद्धि से क्या सम्बन्ध है, इस बात का समुचित ज्ञान हो जाता है।

(२) अर्थशास्त्री पारिवारिक बजटों से यह जान कर लेते हैं कि किस मद पर कितना खर्चा व्यय किया जा रहा है तथा आय का विवेकपूर्ण व्यय हो रहा है या नहीं।

(३) पारिवारिक बजटों के आधार पर रहन सहन की लागत के निर्देशांक (Cost of Living Index Numbers) तैयार किये जा सकते हैं जिससे रहन-सहन की लागत की मूलांकितता का ज्ञान हो जाता है और न्यूनतम मृत्ति (Minimum Wage) तय करने में बड़ी सहायता मिलती है। इनके परिणाम-स्वरूप हड़ताल आदि से होने वाली हानि को रोका जा सकता है।

(४) पारिवारिक बजटों द्वारा देश के मनुष्यों के विभिन्न वर्गों की करदान क्षमता (Taxable Capacity) का भी ठीक-ठीक ज्ञान हो जाने में करों की उचित दर निर्धारण करने में बड़ी सहायता मिलती है।

(५) कुछ ऐंजिल जैसे प्राथिक नियम इन्हीं पारिवारिक बजटों पर अवलंबित होने के कारण इनका महत्व और भी अधिक है।

समाज सुधारकों ( Social Reformers ) के लिए—पारिवारिक बजटों के अध्ययन से समाज सुधारक यह जान सकते हैं कि लोग अपनी आय का सदुपयोग कर रहे हैं या अर्थात्क्षणीय वस्तुओं पर अशुभ व्यय कर रहे हैं। यदि उनकी दृष्टि में लोग अपनी आय का अधिकतम भाग मदिरा आदि नशीली वस्तुओं के उपभोग में खर्च कर रहे हैं, तो वे ऐसी आदतों के विरुद्ध प्रचार करना प्रारम्भ करते हैं और राज्य पर नियम कानून बनाने के लिए दबाव डालते हैं। इसी प्रकार उन्हें जब यह मालूम होता है कि लोग विवाह, मृत-भोज, जन्मोत्सव, शांतिशबाजी आदि अनुत्पादक मदों पर अत्यधिक व्यय कर रहे हैं, तो वे प्रचार द्वारा इन व्ययों को कम करने की शिक्षा देते हैं।

राजनीतिज्ञों ( Statesmen ) के लिए—पारिवारिक बजटों से विभिन्न वर्गों के मनुष्यों की करदान क्षमता मालूम कर लेते हैं और उसी आधार पर अपनी कर नीति अवलंबित करते हैं। यदि समाज के किसी भी अंग की आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि लोगों को पूरा पेट भर भोजन तक नहीं मिलता, तो ऐसे मनुष्यों

को केवल कर से मुक्त नहीं किया जाता, बल्कि उत्तरी आय वर्गों के उपायों को भी चार्ज एप में लाया जाता है।

**ऐंग्लिस का नियम (Engle's Law)**

पारिवारिक वज्रो की इतनी उपयोगिता है कि समार के धनक देसों में इतनी महत्वपूर्ण खोज हो चुकी है। पारिवारिक वज्रो के इस नियम को सर्व प्रथम मान्य करने का श्रेय डाक्टर ऐंग्लिस का है। डा० ऐंग्लिस Prussian Statistical Bureau के अध्यक्ष थे। इन्होंने सन् १८५७ ई० में जर्मनी के वेसमोनी प्रांत में रहने वाले लोगों को तीन वर्गों—श्रमिक, प्रथम श्रेणी के लोग और अधीरों में विभक्त कर पारिवारिक वज्रो तैयार किये थे। व्यय के मुख्य मद दिग्भाङ्कित समूहों में विभाजित किये गये—(१) भोजन, (२) वस्त्र, (३) मकान किराया, (४) ईंधन और प्रकाश, (५) शिक्षा, (६) वातुनी सरक्षण, (७) स्वास्थ्य, (८) मुद्रा व मनोरंजन और (९) कर। डा० ऐंग्लिस ने इन विभिन्न पारिवारिक वज्रो का सम्बन्ध कर जो उनमें निकर्षा निकालने के द्वारा भी ऐंग्लिस के नियम के नाम से प्रसिद्ध है। वे निम्नलिखित हैं :—

- (१) यदि आय कम है, तो भोजन पर व्यय प्रतिशत अधिक होगा।
- (२) वस्त्र पर व्यय का प्रतिशत लगभग बही रहगा।
- (३) आय कुछ भी हो, ईंधन, प्रकाश और मकान-किराये पर व्यय प्रतिशत अनुपात लगभग स्थिर रहता है।
- (४) यदि आय अधिक होगी है तो व्यय का प्रतिशत अनुपात शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, कर आदि पर अधिक होता है।

संक्षेप में, मनुष्य की जैसे-जैसे आय बढ़ती है, वैसे-वैसे भोजन पर व्यय का प्रतिशत अनुपात घटता जाता है, वस्त्र, किराया, ईंधन और प्रकाश पर व्यय का प्रतिशत अनुपात स्थिर रहता है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन आदि व्यय का प्रतिशत अनुपात बढ़ता जाता है।

नीचे दी हुई तालिका से ऐंग्लिस का नियम बर्नी-भाति समझा जा सकता है :—


व्यय के मद	परिवार की आय का निश्चय व्यय का मंडा पर किये गये व्यय में प्रतिशत अनुपात।		
	प्रथम वर्ग (निर्धन) के परिवार का व्यय	मध्यम वर्ग के धनी वर्ग के परिवार का व्यय	उच्च वर्ग के धनी वर्ग के परिवार का व्यय
१—भोजन	६२	५४	४०
२—वस्त्र	१६	१८	१५
३—मकान किराया	१२	१२	१२
४—ईंधन व प्रकाश	५	५	५
५—शिक्षा	२	३.१	५.४
६—वातुनी सरक्षण	१	२	३
७—स्वास्थ्य	१	२	३
८—मुद्रा-वस्तुएं, मनोरंजन और कर आदि	१	२.५	३.४
	१००%	१००%	१००%

६२% }  
 १२% } ६५%  
 ५% }  
 ३.१% }  
 २% } १०% } १५%  
 ३.४% }

ऊपर की तालिका से स्पष्ट है कि निर्धन परिवार की आय का १५ प्रतिशत भाग तो केवल जीवनार्थ आवश्यकताओं पर ही पूरा हो जाता है। शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सुख-वस्तुएँ आदि भेदों पर केवल ५ प्रतिशत ही व्यय किया जाता है। मध्यम वर्ग के परिवार का यह अनुपात १० से १० प्रतिशत का है और धनी परिवार का ८५ से १५ प्रतिशत है।

**रेखाचित्रण का स्पष्टीकरण**—निम्नांकित चित्रों में आयनों (Rectangles) की लम्बाई आय के व्यय का प्रतिशत प्रदर्शित करती है और चौड़ाई मास का परिमाण। अतएव सबसे अधिक चौड़ा आयत धनी परिवार का और सबसे कम चौड़ा निर्धन परिवार की आय-व्यय के प्रतीक है। बीच वाला न अधिक चौड़ा है और न ज्यादा तग, अर्थात: यह मध्यम वर्ग के परिवार की आय-व्यय का परिज्ञान कराना है।

### ऐंजिल के नियम का रेखाचित्रण



धनी परिवार

मध्यम वर्ग का परिवार

निर्धन परिवार

भारतवर्ष में पारिवारिक बजटों का अध्ययन—दूसरे देशों की भांति भारतवर्ष में भी पारिवारिक बजटों का कुछ अध्ययन हुआ है। इस सम्बन्ध में ग्रार्थ-शास्त्रियों, संस्थाओं, श्रम-समितियों तथा राज्य-अंग-विभाग द्वारा महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। इनमें से मेजर जैक, फिन्लेते शिराज, पंजाब आर्थिक-अनुसन्धान समिति, कानपुर और बम्बई के श्रम विभाग और ७० प्र० श्रम समिति के कार्य प्रगतिशील हैं। मेजर जैक (Major Jack) ने अपना कार्य बंगाल प्रांत के फरीदपुर जिले के निवासियों के पारिवारिक बजटों को अध्ययन करने में ही सीमित रखा। यद्यपि यह प्रारम्भिक कार्य था, फिर भी भारतीय अर्थशास्त्र में इसका बड़ा महत्व है।

**ऐंजिल के नियम और विविध वर्गों के पारिवारिक बजट**

**भारतीय श्रमिक का पारिवारिक बजट**—भारतीय श्रमिक की अवस्था बड़ी दयनीय है। उसकी आय इतनी कम है कि उसे पूरा पेट भर भोजन तक नहीं



मिलता। उनकी आय का अधिकांश भाग भोजन पर ही व्यय होता है। ऐंजिल के नियम का पहला भाग कि ज्यो-ज्यो परिवार की आय बढ़ती जाती है, त्यो-त्यो भोजन पर व्यय कम होगा जाता है—एक भारतीय श्रमिक के लिए पूर्णतया लागू नहीं होता। वे कुछ समय तक बढ़ी हुई आय को भोजन पर ही व्यय करते हुए पाये जाते हैं, क्योंकि पहले से ही उनको अल्पमात्र भोजन मिल रहा था। नियम का दूसरा भाग कि वरपरव्यय पूर्ववत् ही रहता है, बिल्कुल यथार्थ सिद्ध होता है, क्योंकि आय बढ़ने से इस मद पर व्यय सामूली बढ़ता है। नियम का तीसरा भाग कि मकान-किराया, ईंधन और प्रकाश पर व्यय समान ही रहता है, भारतीय श्रमिक के बजट पर लागू नहीं होता, क्योंकि आय में वृद्धि होने पर इन मदों पर होने वाले व्ययों में थोड़ा परिवर्तन अवश्य होता है। दृग् प्रकार नियम का चौथा भाग कि आय की वृद्धि के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन व मुक्त-वस्तुओं पर व्यय बढ़ता है पूर्णतया लागू नहीं होता, क्योंकि जो कुछ भी आय में वृद्धि होती है वह मुख व विलास-वस्तुओं की अपेक्षा अनिर्धार्य वस्तुओं पर खर्च कर दी जाती है, क्योंकि यह वस्तुएँ पहले से ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होती थी।

इस सम्बन्ध में फिन्डले शिराज का अध्ययन बड़ा महत्व रखता है। उन्होंने सन् १९२१-२२ ई० में वर्म्बई नगर के सभी जातियों और कारखानों के श्रमिकों के पारिवारिक बजटों का भकलन किया। इनके अध्ययन से वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि ३० ₹० प्रति मास से कम आय वाले श्रमिक भोजन पर आय का ६० प्रतिशत खर्च करते हैं, और ८० से ९० ₹० मासिक आय वाले श्रमिक लगभग ५३ प्रतिशत खर्च करते हैं। इससे यह स्पष्ट हुआ कि आय की वृद्धि के साथ-साथ भोजन पर होने वाले व्यय का प्रतिशत अनुपात भी घटने लगता है। यह निष्कर्ष ऐंजिल के नियम की पुष्टि करता है।

भारतीय कृषक का पारिवारिक बजट—भारतीय कृषकों के बजटों का अध्ययन भी उतना ही महत्व रखता है जितना कि श्रमिकों का। इस सम्बन्ध में पञ्जाब आर्थिक-अनुसंधान-समिति का कार्य उल्लेखनीय है। इसने छद्मिष प्रतिनिधि कृषक परिवारों के बजटों का अध्ययन कर यह निष्कर्ष निकाला कि ज्यो-ज्यो जीवन-स्तर बढ़ता है, भोजन पर किये जाने वाले व्यय का अनुपात गिरता जाता है। इससे 'ऐंजिल के नियम' की पुष्टि होती है।

### पारिवारिक बजट तैयार करने की विधि

सम्बन्धित व्यक्तियों के आय-व्यय के बारे में पूछ-ताछ करने के पूर्व निम्नलिखित बातों का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए :—

१—सबसे प्रथम पूछ-ताछ करने वाले को उसके इस कार्य का उद्देश्य स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए अर्थात् वह यह पूछ-ताछ किस प्रयोजन के लिए करना चाहता है।

२—दूसरी बात जो ध्यान देने योग्य है। वह यह है कि जिस व्यक्ति को पूछ-ताछ के लिए चुना है, वह उस समूह का उपयुक्त और वास्तविक प्रतिनिधि है। उदाहरण के लिए, हम एक किसान की आय-व्यय के बारे में पूछ-ताछ करना चाहते हैं, तो पहले यह जानना आवश्यक होगा कि किसान की परिभाषा क्या है, अर्थात् कौन व्यक्ति किसान कहलाता है, यदि बातों का पहले निर्णय होता चाहिए।

३—पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची पहले से ही तैयार कर लेनी चाहिए। किसान तथा अधिकांश भारतीय जनता अशिक्षित है, अतएव प्रश्न इस प्रकार सरल तथा आम में हों कि किसान या श्रमिक धामानी से समझ सके।

४—पूछ-ताछ करने वाले को सम्बन्धित व्यक्तियों से सम्पर्क स्थापित करना चाहिए। यह उसकी वेप-भूषा, बोल-चाल के दृग व चातुर्यता पर निर्भर है। उसे पूछ-ताछ करने की कोई उत्सुकता प्रकट नहीं करनी चाहिए, अन्यथा वे लोग उसके इस कार्य को मदेहात्मक दृष्टि से देखते लगेंगे। किमान के सामने ही लिखने न बैठ जाना चाहिए क्योंकि इससे उनका सदेह और भी दृढ हो जायगा और प्रश्नों का उत्तर देना बन्द कर देगा।

५—यदि पूछ-ताछ शिक्षित लोगों से की जा रही है, तो एक प्रश्नावली ( Questionnaire ) बना कर उनके लिखित में उत्तर मगवा लेना अधिक सुविधानकर होगा।

पारिवारिक बजट का स्वरूप तैयार करना—जब सब प्रावश्यक सूचनाएँ इकट्ठी हो जायँ, तो प्रामाणिक स्वरूप में बजट बनाना आरम्भ कर देना चाहिए। बजट का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जिसमें अभीष्ट समस्त बातों का समावेश हो सके। आवश्यक गणना भी यथा स्थान पर अंकित होना चाहिए। प्रत्येक मद पर व्यय की जाने वाली राशि की प्रतिशत गणना स्पष्ट रूप से पृथक लिख देने से एक ही दृष्टि में होने वाले व्यय के अनुपात का पता लग सकता है।

पारिवारिक बजटों का रेखाचित्रण—बजटों को रेखाचित्र द्वारा भी प्रकट किया जा सकता है। बड़े लम्बे आयत ( Rectangle ) को कई भागों से विभक्त कर विविध मदों पर होने वाले व्यय को प्रकट किया जा सकता है। रंग, रेखाओं या बिन्दुओं द्वारा प्रत्येक-अलग-अलग भाग को दिखा दिया जाता है। समान सम्बाँध वाले परन्तु विभिन्न चौड़ाई के एक से अधिक आयतों द्वारा विविध वर्गों के परिवारों के आय-व्यय का तुलनात्मक दृष्टि से रेखाचित्रण किया जा सकता है। रेखा-चित्र के उदाहरण इसी अध्याय में देखिए।

### विविध वर्गों के पारिवारिक बजटों के उदाहरण

[ १ ]

एक कारखाने के श्रमिक ( निर्धन ) का पारिवारिक बजट

नाम व पता—फिसल, गई बस्ती, कामपुर

पेशा—श्रमिक

परिवार के सदस्यों की संख्या—१ पुरुष, एक स्त्री, ४ बच्चे = ६ लोग

मासिक आय—६० रु०

अवधि—१ मास ( जनवरी, १९१८ )


व्यय के मद	मात्रा	दर	व्यय की राशि		विवरण
१—भोजन			र०	म०	प०
(अ) अनाज और दाल					
गेहूँ	३२॥ सेर	१ रु०का२॥	१३	००	
चावल	८ "	" " २	४	००	
ज्वार, बाजरा आदि	१८ "	" " ३	६	००	
चना	६ "	" " ३	३	५०	
दाल	७ "	" " २	३	००	
(आ) शाक और फल	—	—	१	००	
(इ) अन्य वस्तुएँ					
वनस्पति पौ	१०॥ छ०	३२० प्रति सेर	३	५०	
बड्या सेव	१॥ सेर	१'५० " "	२	२५	
गुड़	२ सेर	०'५० " "	१	००	
नमक	२ सेर	०'२५ " "	०	५०	
मसाला	—	—	०	७५	
योग ....			३७	५०	
२—दस्त्र					
कमीज	१	—	३	००	
पाजामा	१	—	२	५०	
बन्धो के कपडे	२	—	३	००	
धर्मोच्छ	१	—	०	५०	
योग ..			८	००	
३—मकान किराया	—	—	६	००	
४—ईंधन और प्रकाश					
लकड़ी	११ मन	२ रु०प्रति मन	२	५०	
मिट्टी का तेल	२ बोतल	० २५, बोतल	०	५०	
योग ...			३	००	
५—शिक्षा और स्वास्थ्य					
स्कूल फीस	—	—	०	५०	
स्टेशनरी	—	—	०	५०	
औषधि उपचार	—	—	०	७५	
योग....			१	७५	
६—अन्य व्यय					
नाई	—	—	०	३८	
धोवो	—	—	१	२५	
पान-तम्बाकू	—	—	१	१२	
योग...			२	७५	
७—उपहार और विनियोग	—	—	—	—	

### मुख्य मदों पर व्यय की गई राशि

(ममस्त आय का प्रतिशत अनुपात)

व्यय के मद	व्यय की गई राशि	ममस्त आय का प्रतिशत अनुपात
भोजन	₹ २७ ५०	६२.५%
बस्त्र	₹ ८ ००	१५%
मकान का किराया	₹ ६ ००	१०%
ईंधन और प्रकाश	₹ ३ ००	५%
शिक्षा और स्वास्थ्य	₹ १ ७५	२.६%
अन्य व्यय	₹ २ ७५	४.६%
वचन और विनियोग	—	—
	₹ ६० ००	१००.०%

ऊपर दिये गये बजट का रेखा चित्र



[ २ ]

एक मध्यम श्रेणी के व्यक्ति का पारिवारिक बजट

नाम व पता—दीनदयाल, नजा बाजार, घजमेर

पेशा—हैब क्लर्क

परिवार के सदस्यों की संख्या—२ पुरुष, २ स्त्रियाँ, ३ बच्चे = योग ७

मासिक आय—२०० रु०

अवधि—१ मास (नवम्बर, १९५७)

व्यय के मद	मात्रा	दर	व्यय की राशि	विवरण
१—भोजन				
(अ) अनाज और दाल			६० न००	
गेहूँ	३५ सेर	१ रु० का २॥	१५ ००	
बाजल	१६ "	" " " २	८ ००	
एवार, बाजरा	६ "	" " " ३	२ ००	
चना	६ "	" " " ३	३ ००	
दाल	१० "	" " " २	५ ००	
(आ) शाक और फल				
शाक	—	—	१० ००	
फल	—	—	५ ००	
(इ) अन्य वस्तुएँ				
दूध	३६ सेर	०.५० रु.प्र.से.	१८ ००	
घी	४॥ "	५.०० प्रतिसेर	२२ ५०	
तेल	१ "	२.०० " "	२ ००	
चीनी	६ "	१.०० " "	६ ००	
नाय	६ "	३.०० " पीज	१ ५०	
नमक	४ "	०.२५ " सेर	१ ००	
सलासे	१ "	२.०० " "	२ ००	
योग			१०० ००	
२—वस्त्र				
कमीज	१	—	४ ००	
घोटी	२	—	१५ ००	
श्वानरज	१	—	२ ००	
बच्चों के कपड़े	३	—	४ ००	
होमिमे	२	—	२ ५०	
बन्धन जोड़ी	१	—	४ ५०	
योग			३२ ००	

व्यय के मद	मात्रा	दर	व्यय की राशि	विवरण
३-मकान किराया योग			१ ००	
४-ईंधन और प्रकाश				
सोफ्ट कोक	१ मन	२ ५० रु प्र म	२ ५०	
लकड़ा का कोयला	२० मर	२ ००	४ ००	
विजली	—	—	३ ५०	
योग			१० ००	
५-पिशा और स्वास्थ्य				
। स्कूल फीम	—	—	५ ००	
। ग्लेसनेरी पुस्तकें	—	—	३ ००	
यादि	—	—	४ ००	
आपधि उपचार	—	—	४ ००	
योग			१६ ००	
६-ग्रन्थ व्यय				
(अ) सामाजिक				
(दायत) प्रादि			२ ००	
(आ) मनोरंजन				
(मितेमा)			४ ००	
(इ) सेवाएँ				
नाई	—	—	१ ००	
धोवो	—	—	५ ७५	
भगी	—	—	१ २५	
(ई) विविध				
पान तम्बाकू	—	—	२ ००	
पत्र व्यवहार	—	—	१ ००	
(उ) कर	—	—	१ ००	
योग			१८ ००	
७-वचत और विनियोग	—	—	१२ ००	

## मुख्य मदों पर व्यय की गई राशि

[ समस्त आय का प्रतिशत अनुपात ]

क्रम सं०	व्यय का मद	व्यय की गई राशि	समस्त आय का प्रतिशत अनुपात
		₹० न० पैसे	
१—	भोजन	₹०० ००	६०%
२—	वस्त्र	₹२२ ००	१६%
३—	मकान किराया	₹६ ००	८%
४—	ईंधन और प्रकाश	₹० ००	२%
५—	शिक्षा और स्वास्थ्य	₹२ ००	६%
६—	अन्य व्यय	₹८ ००	६%
७—	वचन और विनियोग	₹२ ००	६%
	.	₹०० ००	१००%

[ ३ ]

एक सम्पन्न व्यक्ति का पारिवारिक बजट

नाम व पता—दिग्विजयमिह, सिविल लाइन्स आगरा

पेशा—सरकारी अफसर

परिवार के सदस्यों की संख्या—२ पुरुष २, स्त्रियाँ ४, बच्चे = ८ योग

मासिक आय—₹२००० ८०

अवधि—१ मास (अक्टूबर, १९५७)

व्यय के मद	प्रतिशत अनुपात	व्यय की गई राशि
१—भोजन		२० न० ५०
गहूँ		५० ००
चावल	...	१५ ००
दालें		१० ००
शाक		३० ००
नमक और मसाले		६ ००
घृत		६० ००
तन		० ००
दूध		५० ००
भास घडे		५० ००
चीनी		१० ००
फल		३० ००
चाय, मसखन आदि		१७ ००
	१५%	३०० ००
२—वस्त्र	२०%	५०० ००
३—मकान (दगला) किराया	५%	१६० ००
४—गर्मी और प्रकाश	५%	१०० ००
५—शिक्षा	५%	१०० ००
६—स्वास्थ्य	५%	१०० ००
७—विलासिताएँ	२२.५%	५५० ००
८—कर	३%	६० ००
९—पुस्तक व्यय	१%	१५० ००
१०—बचन और वित्तियोग	७.५%	१५० ००
योग	१००%	२००० ००

नोट—यह बजट संक्षेप में बनाया गया है। यह भी बजट सरया १ और २ की भाँति विस्तार पूर्वक बनाया जा सकता है।



### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इण्टर ग्राट्स परीक्षाएँ

- १—पारिवारिक वज्रट किम कहते हैं ? उसक विभिन्न पक्ष को व्याख्या कीजिए । एक ६० ७० मामिक पाने वाल बलदार (Major) का वज्रट बनाइए ।  
(३० प्र० १९५८)
- २—पारिवारिक वज्रट क्या है ? किसी किमान मशवा कारखान के श्रमजीवी का कल्पित मामिक वज्रट तयार कीजिए ।  
(३० प्र० १९५०)
- ३—पारिवारिक वज्रट में क्या ममभने हैं ? य क्या और कँस दनाये जाते हैं ? गृहस्वामी, अर्थशास्त्री राजनीतिज्ञ तथा समाज सुधारक को इनमे क्या लाभ हैं ?  
(३० प्र० १९४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३)
- ४—पारिवारिक वज्रट किमे कहते हैं ? फिमी (अ) कृषक और (अ) शिल्पकार के पारिवारिक वज्रट का नमूना बनाइए ।  
(अ० ५०० १९५५)
- ५—एक व्यक्ति की जितनी अधिक आय होशी है उतना ही वह अनिवार्यताया (विशेषकर भोजन) पर कम प्रतिदान दिय बरता है । यह कथन कहाँ तक व्यापकित है ?  
(अ० ५०० १९५०)
- ६—परिवार क व्यय क सम्बन्ध म प्रतिपादित एजिन के नियम का स्पष्टीकरण कीजिए । यह भारतीय परिस्थितिया म किम सीमा तक लागू होता है ?  
(अ० ५०० १९४६)
- ७—पारिवारिक वज्रट किम कहते हैं ? एक कृषक और दूसरा शिल्पक के पारिवारिक वज्रट बनाइए । विभिन्न व्यय के मद्दा को दृष्टि म इनकी तुलना कीजिए ।  
(म० भा० १९४२)
- ८—एजिन के उपभोग नियम को स्पष्ट कीजिए । यह नियम भारत म कहाँ तक लागू होता है ?  
(सागर १९५६)
- ९—निम्नलिखित पर लिखिये —  
पारिवारिक धन (३० प्र १९४६, ४७, ४८, ४९, ५०, ५१, ५२, ५३)  
एजिन का उपभोग का नियम (सागर १९५७, ५८, ५९, ६०, ६१, ६२, ६३, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०, ७१, ७२, ७३, ७४, ७५, ७६, ७७, ७८, ७९, ८०, ८१, ८२, ८३, ८४, ८५, ८६, ८७, ८८, ८९, ९०, ९१, ९२, ९३, ९४, ९५, ९६, ९७, ९८, ९९, १००)

# उत्पत्ति PRODUCTION



“आर्थिक उपयोगिताओं का सृजन  
ही उत्पत्ति है।”

—निकल्सन

उत्पत्ति का अर्थ ( Meaning of Production )—साधारण बोल-बाल में उत्पत्ति का अन्विष्ट भौतिक (Material) वस्तुओं के उत्पादन से है। किमान, बरई, कुम्हार आदि को उत्पादक कहा जाता है, क्योंकि उनके उद्योगों से भौतिक वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं, जैसे—अन्न, कुर्मी, बर्तन आदि। डाक्टर, वकील, अध्यापक, धरेलू नौकर आदि साधारणतया उत्पादक नहीं कहलाते, क्योंकि उनके उद्योगों का सम्बन्ध भौतिक वस्तुओं की उत्पत्ति से नहीं होता। अब यह प्रश्न उठता है कि उत्पत्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? वह कौनसा कार्य है जिसके करने से मनुष्य को उत्पादक कहा जा सकता है। यह तो सभी को मालूम है कि मनुष्य कोई भी ऐसा नया पदार्थ नहीं बना सकता जो किसी न किसी रूप में पहले से ही विद्यमान न हो और न उसे ढूँढ ही कर सकता है। प्रकृति का जितना स्वरूप ससार में है वन उतना ही रहेगा। मनुष्य तो केवल विद्यमान पदार्थों में ही कुछ परिवर्तन करके उन्हें पहले से अधिक उपयोगी या मूल्यवान बना सकता है। इनके अतिरिक्त वह और कुछ नहीं कर सकता। कुछ पदार्थ अपनी प्राकृतिक अवस्था में विशेष उपयोगी नहीं होते। यदि मानव प्रयत्न द्वारा उन्हें एक नया रूप दे दिया जाय, तो उनकी उपयोगिता बहुत बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, बरई लकड़ी स्वयं उत्पन्न नहीं करता। लकड़ी तो उसे प्रकृति की ओर से प्राप्त होती है। वह अपने औजारों से काट-छाट कर कुर्मी और मेज आदि बनाता है। इस नये रूप में लकड़ी की उपयोगिता पहले की अपेक्षा अधिक हो जाती है। इसी प्रकार दूरी कोई सर्वथा नया पदार्थ नहीं बनाता। वह लकड़ी को काट कर एक विशेष माप का चोट या कमीज बना देता है जिससे उसकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इन उदाहरणों से स्पष्ट हुआ कि मनुष्य कोई ऐसा पदार्थ नहीं बना सकता जो सर्वथा नया हो। यह सबल विद्यमान पदार्थों की उपयोगिता ही बढ़ा सकता है। इसी उपयोगिता वृद्धि को अर्थशास्त्र में 'उत्पत्ति' कहते हैं। जो व्यक्ति किसी भी रूप में उपयोगिता बढ़ाता है उसे उत्पादक कहते हैं। किसान, बरई, व्यापारी, वकील, डाक्टर, बुनो सभी उत्पादक कहलाने के अधिकारी हैं, क्योंकि इनके उद्योगों द्वारा उपयोगिता की वृद्धि होती है।

उपयोगिता वृद्धि—अब यह जाना जाता है कि अर्थशास्त्र में 'उत्पत्ति' का अर्थ उपयोगिता-वृद्धि है। अब हम यहाँ पर इस बात पर विचार करेंगे कि वस्तुओं की उपयोगिता-वृद्धि किस प्रकार होती है। उपयोगिता-वृद्धि के मुख्य दस विधानिम्न हैं :—

(१) रूप-परिवर्तन (Form Utility)—जब किसी वस्तु के रूप में आवश्यक परिवर्तन करके उसकी उपयोगिता बढ़ा दी जाती है तो उसे 'रूप परिवर्तन उपयोगिता' कहते हैं। उदाहरण के लिए जड़ कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाता है, तो इस नये रूप में मिट्टी की उपयोगिता पहलू को घांटा अधिक हो जाती है। इसी प्रकार बर्तन, लकड़ा में कुर्सी, मज, घालमारी आदि तैयार करता है, यद्यत् रूप-परिवर्तन से इन वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ जाती है।



रूप-परिवर्तन उपयोगिता

(२) स्थान-परिवर्तन (Place Utility)—किसी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना ही उसकी उपयोगिता में वृद्धि होती है उसे 'स्थान परिवर्तन उपयोगिता' कहते हैं। उदाहरण के लिए, जंगल में लकड़ी काट कर बाजार में बेची जाय या सोहा, कोयला पत्थर आदि खान से निवान कर दूसरे स्थान को भेज दिए जायें, तो इन वस्तुओं की उपयोगिता बढ़ जाती है। लनिज पदार्थों की उपयोगिता खान के पास रहून कम



स्थान-परिवर्तन उपयोगिता

होती है। जब इन वस्तुओं को गाड़ी या भाटर द्वारा बाजार में लाया जाता है, तो अपना स्थान परिवर्तन होने में इनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। इसी प्रकार अन्न, चाक और फल शर्करा या दूधोचा में मण्डों ले जाना पर उनकी उपयोगिता में वृद्धि होती है।

(३) समय-परिवर्तन (Time Utility)—वस्तुओं के संचय या संरक्षण में भी उपयोगिता बढ़ती है। अथ अचानक दुर्घटना के घबराहट पर अधिक परिमाण में होने में उनका उपयोगिता नहीं होता चिन्तना कि बाद



समय-परिवर्तन उपयोगिता

में जबकि उसका परिमाण कम हो जाता है। अतएव दुकानदार मात्र को सतियों में सचय करने में और उस समय उसको निकालते हैं जब इसकी मात्र अधिक होती है। गूद, चावल, धारव आदि पदार्थ पुराने होने पर अधिक उपयोगी होते हैं।



अधिकार परिवर्तन उपयोगिता

अधिकार परिवर्तन में गल्ले की उपयोगिता बढ जाती है। इसी प्रकार पुस्तक की उपयोगिता पुस्तक बचती को अपेक्षा पुस्तक बनाने को अधिक है।



सेवा उपयोगिता

(४) सेवा उपयोगिता (Service Utility)—भौतिक वस्तुओं के रूप, स्थान समय या अधिकार-परिवर्तन में ही नहीं बल्कि सेवाओं से भी उपयोगिता वृद्धि होती है। नाचने गाने बाने तथा तमाशा दिखाने वाले अपनी कला में दशकों और शताब्दों को आनंदित करते उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं अतः वे भी आर्थिक दृष्टि से उत्पादक हैं। इसी प्रकार डॉक्टर वेंच जज पुलिसमैन, अध्यापक, वकील आई (हज्जाम) घरेलू नौकर आदि अपने सेवा कर्म में उत्पत्ति में सहायक होते हैं।

(६) ज्ञान उपयोगिता (Knowledge Utility)—जो उपयोगिता किसी वस्तु की जानकारी में पैदा होती है वह ज्ञान उपयोगिता कहलाती है। सूचना रखने वाला विज्ञापन इसका एक उत्तम उदाहरण है। यदि किसी विद्यार्थी को किसी ग्रन्थ पुस्तक के गुण न मालूम हों तो उसे उसकी कुछ भी उपयोगिता नहीं होगी किन्तु यदि कोई विज्ञापन उसे उस पुस्तक के लाभ बतायें तो उसे यह बहुत आवश्यक प्रतीत होने लगेगी। इस प्रकार इसकी उपयोगिता विज्ञापन द्वारा पैदा हो जाती है।



ज्ञान उपयोगिता

### उत्पत्ति का महत्त्व (Importance of Production)

उत्पत्ति का महत्त्व व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों दृष्टिकोणों में देखा जा सकता है—  
व्यक्तिगत महत्त्व—मनुष्य वस्तुओं के उपयोग में अपनी आवश्यकताओं को पूर्ति करता है। किन्तु यह उत्पत्ति तभी सम्भव है जब वस्तुएँ उत्पन्न की जा चुकी हों।

मनुष्य को वित्तीय तृप्ति प्राप्त हो सकती है यह उत्पात्ति के परिमाण पर निर्भर है। उत्पात्ति हांग ही मनुष्य का जीवन स्तर निर्धारित होता है। भारतवर्षामियों का जीवन-स्तर बहुत निम्न हुआ है। इसका मुख्य कारण धनोत्पत्ति की कमी है। जीवन-स्तर तभी ऊँचा हो सकता है जबकि उत्पात्ति में वृद्धि हो। अतएव हम बात को वैज्ञानिक रूप से अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है कि उत्पात्ति किन-किन साधनों द्वारा होती है और किम प्रकार बढ़ाई जा सकती है।

सामाजिक दृष्टि से महत्त्व—सामाजिक दृष्टि से अर्थशास्त्र का अध्ययन विशेष महत्त्व रखता है। अनेक आर्थिक तथा सामाजिक समस्याएँ जो प्राथमिक समाज को बुरी तरह से घेरे हुए हैं, वे अतिकार उत्पात्ति की कमी तथा हीनता के कारण ही होती हैं। समाज को इन समस्याओं से मुक्त करने के लिए हम उत्पात्ति-नियम पर यथेष्ट रूप में ध्यान देना होगा। निर्धनता की समस्या का ही उदाहरण लीजिए। इसको हल करने के लिये धन-वितरण की सममानता दूर करने का सुभाव दिया जाना है, परन्तु केवल यही पर्याप्त उपाय नहीं है। यदि देश में यथेष्ट उत्पात्ति नहीं होगी तो लोग निर्धन ही बने रहेंगे, चाहे जिस ढङ्ग से बटवारा कर्मों न किया जाय। अस्तु सामाजिक समृद्धि और उत्पत्ति के लिये उत्पात्ति का यथेष्ट रूप से अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है।

### उत्पत्ति के साधन (Factors of Production)

धनोत्पत्ति में अनेक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। बिना उनकी सहायता के उत्पात्ति असम्भव है। सुपरिचित्त्त तैनी का उदाहरण लीजिए। इसके पूर्व कि किसान कुछ अन्न पैदा कर सके उसके पास भूमि, बीज, पानी, खाद, हल, बैल आदि का होना आवश्यक है। इनके बिना वह किसी प्रकार का अन्न पैदा नहीं कर सकता। उत्पात्ति के अन्य क्षेत्रों के लिए भी वही बात लागू है। उन वस्तुओं को जो उत्पात्ति के कार्य में सहायक हानी हैं उपात्ति के साधन कहते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए उत्पात्ति के साधनों को पाँच भागों में विभक्त कर दिया जाता है—भूमि, श्रम, पूँजी, प्रबन्ध और साह्य।

(१) भूमि (Land)—साधारणतया भूमि में अग्निप्राय वृष्णीतन में होता है, किन्तु अन्तर्गत में इनके अन्तर्गत के सब उपयोगी पदार्थ और अतिरिक्त समझी जाती है जो प्रकृति से प्राप्त होती हैं और धनोत्पत्ति में प्रयोग की जाती हैं। जैसे वृष्णी तल, पहाड़, जल, नदी, वायु, वर्षा, गर्मी, जलवायु आदि अन्य पदार्थ और अतिरिक्त जा वृष्णी-तल के ऊपर और नीचे पाई जाती है।

(२) श्रम (Labour)—श्रम का अर्थ मनुष्य के उन मानसिक तथा शारीरिक प्रयत्नों से है जो अर्थोत्पत्ति के लिये किये जाते हैं। मनोरंजन के लिये किये गये प्रयत्न अर्थशास्त्र में श्रम की गणना नहीं आते। अर्थशास्त्र में श्रम के अन्तर्गत वे ही प्रयत्न आते हैं जिनका प्रयोजन धनोत्पत्ति में होता है।

(३) पूँजी (Capital)—धन का वह भाग जो अर्थिक धन पैदा करने में सहायक होता है, वह पूँजी कहलाता है। पूँजी के अन्तर्गत निम्नलिखित वस्तुएँ शामिल हैं, जैसे—बच्चा मान, आजार, मशीन, कारखाने, अनाज का बीज, मछलियाँ आदि।

(४) संगठन (Organisation)—उत्पत्ति के विविध साधनों का यथेष्ट रूप में प्रबन्ध, निरीक्षण अथवा व्यवस्था करने के लिये जो संगठन कहा जाता है।

प्राथमिक उत्पत्ति प्राणाली में 'प्रत्यक्ष' का इतना अधिक महत्व है कि बिना कुशल प्रवृत्त के कारखाना में धनोत्पत्ति का कार्य चल ही नहीं सकता।

(१) साहम (Enterprise) — धनोत्पत्ति में जाहिर उद्योग व कार्य को साहम कहते हैं। आस-पास की उत्पादन प्रणाली में जबकि उत्पादन एक बड़े पैमाने पर किया जाता है, जाहिर उद्योग का कार्य एक बड़ा महत्व रखता है। अर्थात्, यह धनोत्पत्ति का एक प्रथम साधन माना जाता है।



उत्पत्ति के साधन

उत्पत्ति के साधनों का उपयोग—प्रत्येक व्यवसाय या उद्योग में इन साधनों का किसी न किसी मात्रा में प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है। यह ही यथार्थ है कि किसी में कोई साधन अधिक परिमाण में प्रयुक्त होता है और किसी में कम। हम नाब के उदाहरणों से यह देखते हैं कि भिन्न-भिन्न व्यवसायों में किस प्रकार इन साधनों का उपयोग किया जाता है।

(अ) ग्रामीण बुनाई (Village Weaving) — एक ग्रामीण बुनाई व लिए अधिक प्राकृतिक प्रसाद (Free Gift of Nature) की आवश्यकता नहीं रहती। जबकि भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा स्वयं बँटन और वर्षा रखावित करने के लिए चाहिए। वह मित्रहीन का प्रयोग नहीं करता है और शक्ति ही में जनशक्ति का प्रयोग योर्डी सा मात्रा में प्राप्त है। उन बाहर के श्रमिकों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। आवश्यकता पड़ने पर प्रायः कुटुम्बिक मध्य ही काम कर

लेते हैं। अतः उसको किसी भी प्रकार की श्रम समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है। इसे मूल आदि खरीदने के लिये पूँजी की आवश्यकता होती है तो वह किसी ग्रामीण साहूकार से उधार ले लेता है। ग्रामीण साहूकार की व्याज दर इतनी अधिक होती है कि वह सदैव उसका भिकार बना रहता है तथा हर प्रकार उसका शोषण (Exploitation) होता रहता है। इस कार्य में कोई विशेष प्रबन्ध की आवश्यकता नहीं पड़ती। केवल जोषिम उम समय होती है जबकि उसका बना हुआ माल न बिके या लागत व्ययों में भी कम से बिके।

(घ) बर्तन बनाने का व्यवसाय (Brass Industry)—बर्तन बनाने का व्यवसाय करने वाला जो एक जुलाह की अपेक्षा अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। कारखाना बनाने के लिए भूमि के अतिरिक्त लजिज पेशाबों की भी आवश्यकता होती है। इस व्यवसाय में जुलाहों की अपेक्षा अधिक परन्तु एक बड़े कारखाने की अपेक्षा कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है। सब आवश्यक श्रमिक मजदूरी पर ही रहे जाते हैं। पूँजी भी जुलाहों की अपेक्षा अधिक चाहिये। अधिक धनिक और अधिक पूँजी लगाने के कारण मजदूरी या प्रबन्ध के कार्य में अधिक योग्यता की आवश्यकता होती है। कारीगरों में काम बाँटन, उनकी नियमानी के अतिरिक्त कच्चा माल खरीदने और बने हुए माल की बिक्री का प्रबन्ध करना पड़ता है। जुलाहों की अपेक्षा कार्य एक बड़े पैमाने पर होने के कारण जोषिम का बढ़ना भी स्वाभाविक है।

(ग) सूती कपड़े की मिल—एक सूती कपड़े की मिल में जुलाह और बर्तन के कारखाने की अपेक्षा प्राकृतिक प्रसाद अधिक परिमाण में प्रयुक्त होता है। मिल स्थापित करने के लिए एक सभ्ये चौड़े मैदान के अतिरिक्त रई, रोपना या विद्युत् और एक विशेष प्रकार की जलवायु अर्थात् नम जलवायु की आवश्यकता होती है। ये सब वस्तुएँ भूमि के अन्तर्गत आती हैं। मिल में काम करने के लिए हजारों श्रमिकों की जरूरत रहने लगी है। एक कपड़े की मिल में भवन निर्माण के लिए इन्डियन और मशीनों खरीदने, रई खरीदने और बने हुए माल को सड़क पर रखने के लिए पूँजी की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। यह पूँजी धेकों में या जगता में जमा के रूप में उधार ली जाती है। प्रत्येक वस्तु अधिक परिमाण में प्रयुक्त होने के कारण मजदूरी या प्रबन्ध की भी समस्या उत्पन्न हो जाती है। अतः योग्य एवं कुशल प्रबन्ध की विद्युत् वाँटनीय हो जाती है। बड़े पैमाने पर उत्पात्ति होने, मजदूरी के विस्तृत हो जाने और माँग में परिवर्तन होते रहने के कारण लाभ हानि के उत्तरदायित्व में भी वृद्धि हो जाती है। परन्तु जोषिम भेलेने वाले साहूरी पुराणों की आवश्यकता इनकी प्रथम आवश्यकता है।

उत्पात्ति के साधनों का सापेक्षिक महत्त्व

(Relative Importance of the Factors of Production)

उपरोक्त विवरण में यह स्पष्ट है कि उत्पात्ति में सभी साधनों की न्यूनधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। परन्तु यह निश्चय करना कठिन है कि कौन-सा साधन अधिक महत्वपूर्ण है और कौन सा कम, क्योंकि प्रत्येक साधन का स्वामी अपने साधन को अधिक महत्वपूर्ण समझता है।

देखा जाय तो भूमि (Land) और श्रम (Labour) उत्पात्ति के दो साधन हैं। अनुप्य विना प्रकृति या भूमि की सहायता क उत्पात्ति का कार्य भी कार्य नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, किसान खेती का काम तभी कर सकता है जबकि



उसके लिए भूमि, वायु, जल, वर्षा आदि प्राकृतिक वस्तुएँ पहले से ही विद्यमान हो। इसी प्रकार मछली पकड़ने वाला अपना काम तभी कर सकता है जबकि प्रकृति की ओर से नदियों और तालाबों में मछलियाँ हो। इन प्रकृतिवत्त वस्तुओं को ही भूमि कहा जाता है। परन्तु, उत्पत्ति के लिए सर्वप्रथम भूमि का होता अनिवार्य है। यद्यपि प्रकृति मनुष्य के लिए बहुत सी वस्तुएँ स्वयं प्रदान करती है, फिर भी बिना मनुष्य के परिश्रम के उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। चाहे जितने उत्तम प्राकृतिक साधन क्यों न हो, किन्तु जब तक मनुष्य परिश्रम नहीं करेगा, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। यही कारण है कि भूमि और श्रम उत्पत्ति के प्रमुख साधन (Primary Factors of Production) माने जाते हैं।

मनुष्य केवल भूमि और श्रम के ही सहारे आगे नहीं बढ़ सकता। उसे भूमि के अतिरिक्त कई और वस्तुओं की आवश्यकता होती है। प्राचीन निवासी शिकार करने के लिए धनुष-बाण का प्रयोग करते थे, मछली पकड़ने के लिए जाल और कटि को काम में लाते थे। आज मनुष्य अनेक प्रकार की मशीनों तथा औजारों का प्रयोग करते हैं। अर्थशास्त्र में ये सब वस्तुएँ पूँजी के अन्तर्गत आती हैं। आधुनिक उत्पत्ति काफी अंश तक पूँजी पर ही अवलम्बित है। पूँजी की सहायता से मनुष्य की उत्पादन शक्ति बढ़ जाती है। परन्तु, उत्पत्ति में पूँजी (Capital) का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

आजकल अधिकतर उत्पत्ति कल-कारखानों द्वारा की जाती है जहाँ कि सहस्रो श्रमिक एक साथ काम करते हैं। इन कारखानों में बड़ी-बड़ी मशीनों का प्रयोग होता है जो विजनी आदि की शक्ति से चलाई जाती हैं। कारखानों में निरीक्षण अथवा प्रबन्ध करने वाले की बहुत आवश्यकता होती है। उसे यह विचारना पड़ता है कि कौनसा काम किस प्रकार किया जाय, नहीं से आवश्यक साधन सभ्य और अच्छे मिल सकने है, कार्य का विभाजन श्रमिकों में किस प्रकार किया जाय। उत्पादित वस्तुओं को किस किस मंडियों में बेचा जाय, कैसे उन्हें उन स्थानों तक ले जाया जाय, किस ढंग से उन वस्तुओं को विज्ञापित किया जाय, आदि बातों पर भी उसे विचार करना पड़ता है। इन सब बातों की व्यवस्था ही तो संगठन (Organisation) कहलाती है। इस कार्य का आजकल इतना अधिक महत्व है कि यह एक श्रमिक साधन माना जाता है।

आधुनिक उत्पत्ति भविष्य के लिए की जाती है। भविष्य में किसी वस्तु की माँग का अनुमान लगा कर ही उसका उत्पादन प्रारम्भ किया जाता है। भविष्य अनिश्चित होने के कारण यह अनुमान भी सदैव ठीक नहीं उतर सकता। अतः ऐसे व्यक्तियों के समूह को आवश्यकता है जो हानि-लाभ के उतारचढ़ाव को अपने ऊपर ले सकें। उनका यह कार्य अर्थशास्त्र में साहस (Enterprise) या जोखिम उठाना (Risk-taking) कहलाता है। जब तक इस प्रकार के व्यक्ति कार्य को न समझे तब तक आधुनिक उत्पत्ति प्रणाली का सफलतापूर्वक चलना सम्भव नहीं है।

पूँजी, संगठन और साहस भूमि और श्रम के सहायक होने के कारण ये धनोत्पत्ति के गौण साधन (Secondary Factors of Production) कहे जाते हैं। भूमि या प्रकृति और श्रम या मनुष्य से भी प्रकृति निष्क्रिय है और मनुष्य सक्रिय। परन्तु, श्रम अर्थात् मनुष्य ही धनोत्पत्ति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन कहा जाता है। इस सम्बन्ध में प्रो० पेन्सन का कथन अधिक मार्मिक है। वे कहते हैं कि

“धनोत्पत्ति का प्रत्येक साधन आवश्यक है, किन्तु भिन्न-भिन्न समय में और श्रौटोपेक्षित विन्यास की भिन्न-भिन्न अवस्थाओं में, भिन्न-भिन्न साधनों का अधिक महत्व रहा है।”

### उत्पत्ति के साधक (Agents of Production)

उत्पत्ति के साधनों के स्वामी, अर्थात् उनकी पूर्ति करने वाले व्यक्ति ‘उत्पत्ति के साधक’ कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, भूमि का स्वामी भू-स्वामी (Landlord), श्रम करने वाला श्रमिक (Labourer), पूँजी वाला पूँजीपति (Capitalist), प्रवृत्त करने वाला प्रवृत्तक या संगठनकर्ता (Organiser), और साहस करने वाला या जोषिम उठाने वाला साहसी (Enterpriser or Entrepreneur) कहलाता है।

धनोत्पत्ति के प्रत्येक कार्य में चाहे वह बड़े पैमाने पर हो या छोटे पर, उपयुक्त साधन और साधक आवश्यक हैं। परन्तु प्रत्येक कार्य में इन सब साधनों तथा साधकों का पूरा-पूरा विद्यमान होना आवश्यक नहीं। कभी तो प्रत्येक साधन के लिए पूरा-पूरा साधक स्वतन्त्र रूप से होता है और कभी दो, तीन, चार या पाँचों साधनों के लिए एक ही साधक होता है। अतएव साधनों के पाँच रहते हुए भी साधक केवल दो या तीन हो सकते हैं या कभी एक ही साधक सारे साधनों की पूर्ति कर देता है।

### उत्पत्ति की कार्य-क्षमता

#### (Efficiency of Production)

कार्य-क्षमता का अर्थ—प्रथम माल या श्रेष्ठतर माल अथवा अधिक मात्रा में श्रेष्ठतर माल को निश्चित अवधि में बनाने या पैदा करने के सामर्थ्य को उत्पत्ति की कार्य-क्षमता या कुशलता कहते हैं। उदाहरणार्थ, दो ममान सूती कपड़े की मिलों में यदि एक मिल की वार्षिक उत्पत्ति दूसरी मिल से मात्रा और श्रेष्ठता में बड़ी हो, तो एक की उत्पत्ति की कार्य-क्षमता दूसरी की अपेक्षा अधिक कहलायेगी।

उत्पत्ति की कार्य-क्षमता—उत्पत्ति की कार्य-क्षमता विन्यासित बातों पर निर्भर है :—

(१) भीतरी परिस्थितियाँ, और (२) बाहरी परिस्थितियाँ।

(१) भीतरी परिस्थितियाँ (Internal Circumstances)—वे हैं जो किसी व्यवसाय के भीतर ही विद्यमान हैं। उनका सम्बन्ध कार्य करने की रीतियाँ से है। ये ही भागों में विभाजित की जा सकती हैं—

(अ) प्रत्येक साधन की व्यक्तिगत कार्य-कुशलता—धनोत्पत्ति के प्रत्येक साधन को अपने कार्य में कुशल होना चाहिए, अर्थात् जिस कार्य के लिए किसी साधन को प्रयुक्त किया जाय वह उस कार्य के लिए उपयुक्त हो। जितनी प्रत्येक साधन की कार्य-कुशलता अधिक होगी, उतनी ही समस्त उत्पत्ति की क्षमता में वृद्धि होगी। इसको यों कहा जा सकता है कि समस्त उत्पत्ति की क्षमता उसमें समाविष्ट साधनों की व्यक्तिगत कार्य-कुशलता पर निर्भर है। उदाहरणार्थ, एक अच्छे ढंग में बना हुआ विद्यालय भवन एक हाथ से कपड़े बुनने वाले कारखाने की अपेक्षा एक आधुनिक सूती कपड़े की मिल के लिए अधिक उपयुक्त है, अतः उसकी क्षमता दूसरी दशा में पहले की अपेक्षा अधिक होना स्वाभाविक है।

(आ) साधनों का उपयुक्त मात्रा में उपयोग—उत्पत्ति की क्षमता के विषये विविध साधनों का उपयुक्त मात्रा में उपयोग बड़ा आवश्यक है। जिस व्यवसाय में कौन-से साधन किस मात्रा में प्रयुक्त होने चाहिए, वह एक कठिन समस्या है। परन्तु इन बात का ठीक ठीक ज्ञान दीर्घकालीन अनुभव द्वारा किया जा सकता है। उत्पत्ति के साधनों के उद्यम मशौग में ही अधिकतम उत्पत्ति और लाभ सम्भव हो सकता है।

(२) बाहरी परिस्थितियाँ ( External Circumstances )—बाहरी परिस्थितियाँ व्यवसाय या उद्योगों में बाहर विद्यमान होती हैं और वे प्रायः निर्मित मान के मूल्य को प्रभावित कर विभिन्न उत्पत्ति के साधनों के पारिस्थितिक को प्रभावित करती हैं। वे निम्नलिखित हैं :—

- (क) उद्योग का स्थानीयकरण और मशीनें निकटता।
- (ख) मशीनें में प्रचलित मूल्य।
- (ग) अन्य उत्पादकों की स्पर्धा।
- (घ) यातायात के साधनों की सुविधा।
- (ङ) वेतन सुविधाएँ।
- (च) अन्य सम्बन्धित शैक्षणिक वर्गों की कुशलता।
- (छ) सरकार की आर्थिक नीति।

### अभ्यासायं प्रश्न

#### इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ


- १—उत्पादन के विभिन्न साधनों की कार्यक्षमता में क्या तात्पर्य है? भूमि तथा पूँजी की कार्यक्षमता किन बातों पर निर्भर है। (उ० प्र० १९५७)
- २—उत्पत्ति के कौन-कौन से साधन होते हैं? उनके तुलनात्मक महत्त्व का वर्णन कीजिए। (उ० प्र० १९५५, ४४, ४०)
- ३—उत्पादन का सर्व सम्झाकर लिखिए। क्या नीचे लिखे मुख्य उत्पादक हैं :—  
(क) आपके धर्मशास्त्र ज्ञान के परीक्षक, (ख) किसान, (ग) घरेलू नीकर और (घ) व्यापारी। (उ० प्र० १९५१)
- ४—'उत्पत्ति' में आप क्या समझते हैं? क्या निम्नलिखित उत्पादक हैं :— (अ) किसान, (आ) कृषि का विशारद, (इ) प्रोफेसर और (ई) माता-पिता। (स० भा० १९५२)
- ५—प्रकृत: उत्पादन के साधन प्रकृति तथा धर्म हैं। पूँजी और प्रयत्न को उत्पादन के अन्य साधन मानने का क्या कारण है? (विहार-पटना १९५२)
- ६—'उत्पादन उपयोगिताओं का सृजन है'। 'उपभोग में उपयोगिता का विनाश होता है।' समझाइए। (सागर १९५४)

#### इण्टर एग्रीकल्चर परीक्षाएँ

- ७—उत्पत्ति का अर्थ बताइए। रूप, स्थान तथा समय की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। (अ० वी० १९५७)
- ८—धर्मशास्त्र में 'उत्पत्ति' का क्या अर्थ है? उत्पत्ति और उपभोग के सम्बन्ध को विवेचना कीजिए। (प्र० वी० १९५४)
- ९—'उत्पत्ति' में मान क्या समझते हैं? उत्पत्ति के साधनों का संक्षेप में विवरण दीजिए और उनके पारस्परिक सम्बन्ध के महत्त्व को समझाइए। (अ० वी० १९५९)

भूमि का अर्थ (Meaning)—सामान्य भाषा में पृथ्वीतल (Surface of the Earth) का भूमि कहते हैं। परन्तु अर्थशास्त्र में इस शब्द का अर्थ बहुत व्यापक है। अर्थशास्त्र में भूमि में अभिप्राय उन समस्त वस्तुओं और शक्तियों में है जो प्रकृति द्वारा निरूपित होती हैं। विशेष मनुष्य का पृथ्वीतल पर अथवा उसके नीचे और ऊपर दो वर्ग हैं। एक अन्नजनन निम्नलिखित वर्गों में समाविष्ट है —

(१) भूमि और उच्च पोषण तत्व (२) मनुष्य पशुओं का अन्न में भरपूर जो भूमि में सम्मिलित है (३) वायु गर्मी पानी और जलवायु (४) धरातल



की ऊँचाई-निचाई अर्थात् पहाड़, मंदान आदि, (५) नदी भ्रमण और समुद्र, (६) जंगल, (७) विविध प्रकार का पशु-जीवन, (८) मछलियाँ, (९) समुद्र-तट व प्राकृतिक बन्दरगाह, (१०) कच्चा माल और (११) प्रेरक शक्तियाँ, जैसे वायु शक्ति, जलशक्ति आदि ।

यह स्मरण रखना चाहिए कि अर्थशास्त्र में प्रकृति का वही भाग 'भूमि' में सम्मिलित किया जाता है जो धनोत्पत्ति में मनुष्य का सहायक होता है । प्रकृति का शेष भाग भूमि नहीं कहलाता । अर्थशास्त्र में भूमि का अर्थ इन्हीं प्राकृतिक प्रसाद (Free Gifts of Nature) में है । चूंकि इन सबमें भूमि ही प्रधान है, अतः ये सब प्रायः भूमि के ही नाम से सम्बोधित किये जाते हैं । दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि भूमि, प्राकृतिक प्रसाद और प्राकृतिक साधन एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं ।

### भूमि की विशेषताएँ (Characteristics of Land)

भूमि में निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं जो इससे और अन्य उत्पत्ति के साधनों के मध्य भिन्नता प्रकट करती हैं :—

( १ ) भूमि परिमाण में परिमित है—भूमि की सबसे पहली विशेषता यह है कि यह परिमाण में परिमित है । यदि हम चाहे कि हमारे देश में खाना अथवा कपड़े की चीजें जितनी प्रकृति ने दी हैं उससे अधिक हो जायें, तो यह असंभव है । उत्पत्ति के अन्य साधनों की मिलने पर घटाया-बढ़ाया जा सकता है परन्तु भूमि का जितना परिमाण है उतना ही रहना । यदि भूमि का मूल्य बढ़ जाय तो कहीं से नई भूमि पैदा नहीं की जा सकती । वह उतनी ही रहेगी चाहे भूमि की माँग घटे या बढ़े ।

( २ ) भूमि उत्पत्ति का प्रमुख साधन है—भूमि उत्पत्ति का प्रमुख साधन है । इसके बिना उत्पत्ति किसी भी प्रकार संभव नहीं है । धनोत्पत्ति के लिए प्राकृतिक साधन विद्यमान होने चाहिए । हमें भूमि की आवश्यकता उठने बैठने चलने फिरने, कारवायें बनाने, रक्षा माता पैदा करने व निकालने आदि कार्यों के लिए अत्यधिक है ।

( ३ ) भूमि एक प्राकृतिक प्रसाद है—भूमि प्रकृति की देन है । यह मनुष्य की उत्पत्ति की हुई वस्तु नहीं है । मानव समाज को भूमि प्रकृति की ओर से निःशुल्क प्राप्त होती है । परन्तु व्यक्तिगत दृष्टि से भूमि का मूल्य हाता है । जब पूँजी और मानव-प्रयत्न द्वारा भूमि की उपयोगिता बढ़ा दी जाती है, तो इसकी खरीदने के लिए मनुष्य को पर्याप्त मूल्य देना पड़ता है ।

( ४ ) भूमि स्थिर है—भूमि को हम एक स्थान से दूसरे स्थान को नहीं ले जा सकते । भूमि का जो भाग जहाँ पर स्थिर है, वह वही पर रहेगा ।

( ५ ) भूमि उत्पत्ति का एक निष्किय साधन है—भूमि स्वयं उत्पत्ति नहीं कर सकती । प्राकृतिक कारणों के अभाव में इसे ही रहने दे । उत्पत्ति के लिए अन्य साधनों की सहायता नितान्त आवश्यक है । अनाज, कपास व अन्य वस्तुएँ भूमि पर अपने-आप नहीं पैदा होती बल्कि मनुष्य को पूँजी आदि की सहायता से पूर्ण प्रयत्न करना पड़ना है ।

( ६ ) भूमि अमर एवं अक्षय्य है—मनुष्य भूमि को नष्ट नहीं कर सकता । हाँ, यह बात अवश्य है कि प्राकृतिक कारणों से जैसे बाढ़ या भूकम्प आदि से जन

के न्यान में धल और धल के स्थान में जल हो जाता है। पर भूमि का कुल परिमाण उतना ही रहता है जितना पहले था। उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। परन्तु भूमि का उपजाऊपन अवश्य क्षयशील है।

( ७ ) भूमि उपजाऊपन को दृष्टि से पर्याप्त भिन्नता रखती है—सब जमीनें एक-सी नहीं होती—कोई बजर और कोई रेतीली।

( ८ ) भूमि का मूल्य उसकी स्थिति पर निर्भर है—जिनी जमीन के टुकड़े का मूल्य काफी असा तक उसकी स्थिति पर निर्भर होता है। जो जमीन बस्व या नगर के समीप स्थित होती है उसका दूर स्थित जमीन की अपेक्षा अधिक लगान या किराया माता है। भूमि (मजदूरी) और व्याज भी दूरी में अवश्य प्रभावित होते हैं पर इतने नहीं जितनी कि जमीन होती है।

धनोत्पत्ति में भूमि का कार्य एवं महत्त्व ( Importance & Function of Land in Production )—भूमि धनोत्पत्ति का आधारभूत साधन है। इसके बिना किसी प्रकार की धनोत्पत्ति नहीं की जा सकती। भूमि में हमें जल, वायु, प्रकाश आदि प्राप्त होता है जिसके बिना हम एक पल भर भी जाँवित नहीं रह सकते। सस्य में जितने काम होते हैं उन सब के लिए भूमि को आवश्यकता पड़ती है। भूमि पर ही मनुष्य रहने के लिए घर और धनोत्पत्ति के लिए कारखाने बनाता है। इसी पर येती होती है जिसमें मनुष्य को नाना प्रकार के खाद्य और पेय पदार्थ मिलते हैं। इसी में अनेक उद्योग धन्धा को चलाने वाले विविध प्रकार के कच्चे माल प्राप्त होते हैं। लोहा, कोयला, चाँदी, सोना आदि अनेक पदार्थों की उत्पत्ति इसी में निहित है। जगत् में अनेक प्रकार की लकड़ियाँ तथा अन्य उपयोगी वस्तुएँ प्राप्त होती हैं, और समुद्र, नदियों तथा भीनों से मछलियाँ आदि पदार्थ मिलते हैं। नदियों के पानी में विद्युत्-शक्ति पैदा की जाती है जिसमें केवल प्रकाश ही नहीं मिलता बल्कि कारखाने भी चलाये जाते हैं। भूमि का एक महत्वपूर्ण उपयोग यह है कि इस पर हम अरबी तथा व्यापार की सुविधा के लिए रेल, सड़के, नहरें आदि बनाते हैं। अस्तु भूमि एक प्रकार का भण्डार है जहाँ से हमें अनेक पदार्थ, वस्त्र माल, वायु, जल, बहुमूल्य अनेक पदार्थ आदि मिलते हैं।

रूसी देश की आर्थिक उन्नति बहुत अल्प तक वहाँ के प्राकृतिक साधनों पर निर्भर है। यदि किसी देश की भूमि उपजाऊ है, भौगोलिक स्थिति उत्तम है, नदी पहाड़, जंगल तथा जानें उचित परिमाण में विद्यमान हैं, वहाँ की जनबाहु अच्छी है और वर्षा विविधित समय पर पर्याप्त मात्रा में होती है, तो वह देश निश्चय ही वस्तुओं का अभाव रखने वाले अन्य देशों की अपेक्षा अधिक उन्नति कर सकता है। उदाहरण के लिए, आज जो अमेरिका और इंग्लैंड की आर्थिक उन्नति की पताया समस्त सस्य में फहरा रही है, वह वहाँ के प्राकृतिक साधनों तथा उनके उपयोग का फल है। भारतवर्ष में प्राकृतिक साधनों की दृष्टि में पूर्ण सम्पन्न है परन्तु अभी इन सब की है कि इनका उचित ढंग से प्रयोग नहीं किया जाता। हम यही मुख्य कारण हैं कि आज यह देश आर्थिक उन्नति की बुद्धि में अन्य देशों में वहाँ पिछड़ा हुआ है।

## भूमि की कार्य क्षमता (Efficiency of Land)

भूमि की क्षमता का अर्थ है भूमि पर न्यूनतम परिश्रम और व्यय में अधिकतम तथा श्रेष्ठतर पैदावार करना। भूमि की क्षमता से उसकी उत्पादन शक्ति (Productivity) का तात्पर्य होता है। भूमि की कार्य-कुशलता अथवा उत्पादन शक्ति निम्नलिखित बातों पर निर्भर होती है।

(१) प्राकृतिक दशाएँ (Natural Conditions) — जिस अवस्था में प्राकृतिक साधन प्राप्त होते हैं उमका उत्पत्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। इनमें से मिट्टी जलवायु भीतरी नमी आदि का पैदावार पर अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे यदि मिट्टी उपजाऊ है तो पैदावार भी अधिक होगी। इसी प्रकार बहुत गरम या ठंडा जलवायु काम में बाधा डाल सकता है।

(२) सामाजिक दशाएँ (Social Conditions) — भूमि की स्थिति अर्थात् उसका आवादी या मण्डी से निकट होना और यातायात व सम्वाद के साधनों का उपलब्ध होना आदि बातें सामाजिक दशाओं में अंतर्गत आती हैं। इन दशाओं में परिवर्तन होने से भूमि की कार्य-क्षमता में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे, एक दूर स्थित भूमि में निकट में रेलवे लाइन खला जानी है तो उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है।

(३) आर्थिक दशाएँ (Economic Conditions) — भूमि की कार्य कुशलता आर्थिक दशाओं पर भी निर्भर है। जैसे उस पर जितनी पूँजी और श्रम लगाया जायगा उमकी उपज उतनी ही प्रभावित होती जायगी।

(४) मानव प्रयत्न (Human Efforts) — उपर्युक्त सब बातों के होने हुए भी भूमि की उत्पादन शक्ति को बढ़ाने के लिए मानव प्रयत्न की आवश्यकता है। परिश्रमों और उजोगी मनुष्य प्राकृतिक सूनताओं को कुछ अंश तक दूर कर सकता है। विज्ञान की सहायता में मनुष्य जलवायु को बदल कर अपने अनुकूल बना सकता है। यह पमान पर वृक्षां को लगाने से जलवायु में अन्तर आ जाता है। इसी प्रकार उचित ढंग की खाद डालने में अथवा फसल परिवर्तन आदि से भूमि की उपज बढ़ाई जा सकती है। मनुष्य अपनी बुद्धिबल से बड़ी-बड़ी नदियाँ के बाँध बना कर नहरें निकाल सकता है। इसी प्रकार यातायात के साधनों में उत्तरी करने प्राकृतिक साधनों की स्थिति सुधार सकता है।

## खेती करने की विविध रीतियाँ

### (Various Methods of Cultivation)

खेती की पैदावार दो प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। एक तो नये पौधा को जोत कर और दूसरे पुराने खेतों में ही अधिक पूँजी और परिश्रम लगाकर, अर्थात् खेती करने की दो मुख्य रीतियाँ हैं जो निम्नलिखित हैं —

(१) विस्तृत खेती (Extensive Cultivation) — नये देशों में खेती के बड़े-बड़े टुकड़ों पर अल्प पूँजी और श्रम में खेती करना विस्तृत खेती कहलाता है। जिन देशों में जनसंख्या कम होती है और भूमि की अधिकता होती है, वहाँ उपज बढ़ाने के लिए विस्तृत खेती की जाती है। इन प्रकार की खेती आस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे नये देशों में प्रायः देखी जाती है जहाँ ठप एक ही भू भाग से अधिकतम पैदावार का प्रयत्न नहीं करते।

विस्तृत खेती की विशेषताएँ ( Characteristics )—विस्तृत खेती की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :—

१. इस प्रकार की खेती नये देशों में, जहाँ भूमि की अविद्यता है तथा जहाँ जन-संख्या कम है, की जाती है।
२. खेती का औसत प्रकार बड़ा होता है।
३. अल्प पूँजी और श्रम लगाया जाता है।
४. इस प्रणाली में भूमि का उपयोग लापरवाही से किया जाता है।
५. इस कृषि प्रणाली में प्रायः क्षेत्र परिवर्तन (Rotation of Fields) का प्रयोग किया जाता है। सारी भूमि कई भागों में विभाजित कर कई खेत बना लिए जाते हैं जिन पर बारी-बारी से खेती की जाती है।

(२) गहरी खेती (Intensive Cultivation)—पुएने देशों में छोटे-छोटे खेतों के टुकड़ों पर अधिक पूँजी और श्रम लगा कर खेती करने का 'गहरी खेती' कहते हैं। पुएने देशों में जहाँ धनी आबादी के कारण खेती की हुई नई भूमि उपलब्ध नहीं होती वहाँ उपज की माँग बढ़ने पर पुएने खेती में हों और अधिक पूँजी व श्रम लगाकर पैदावार बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। प्रत्येक किसान अपने खेतों का उपज बढ़ाने एवं खेती सुद्धि करने के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्नशील रहता है। इस सम्बन्ध में उन्हें कृषि-विज्ञान में बड़ी सहायता मिलती है। इस प्रणाली का अनुकरण दक्षिण अफ्रीका, हॉलैण्ड आदि देशों में किया जाता है जहाँ की जनसंख्या कृषि भूमि की कमी से अत्यधिक है। इन देशों में वैज्ञानिक मापनों द्वारा पुएने खेती से ही उपज बढ़ाने का प्रयत्न किया जाता है। भारतवर्ष एक कृषि-प्रधान देश होने हुए भी इस क्षेत्र में अन्य देशों से बहुत पीछे है।

गहरी खेती की विशेषताएँ ( Characteristics )

१. इस प्रणाली का उपयोग पुएने देशों में जहाँ जनसंख्या की अविद्यता के कारण नई भूमि उपलब्ध नहीं होती, किया जाता है।
२. खेती का प्रकार छोटा होता है।
३. खेतों में लगाने पर गहराई तक हल चला कर खेती की जाती है।
४. फसल-परिवर्तन (Rotation of Crops) की सुविधा प्रयोग में लाई जाती है।
५. खेतों के प्रत्येक इंच पर खेती बड़ी सावधानी से की जाती है।
६. मिट्टी के तत्वों का अनुसंधान किया जाता है और जो बर्तियाँ होती हैं वे प्राकृतिक या कृत्रिम खादों में पूरी की जाती हैं।
७. कृषि-सम्बन्धी श्रमों करने के लिए प्रयोगशालाएँ तथा फार्म (लेब) स्थापित किये जाते हैं जिनमें उत्तम प्रकार के बीजों, खादों और खेती के बगों के परिणामों की जाँच की जाती है।
८. उत्तम प्रकार के हथकण्डे और अन्य उपकरण (Implements) प्रयुक्त किये जाते हैं जिनमें सारी कृषि-सहायक वैज्ञानिक हो जाती है।
९. इस प्रकार खेती उन देशों में की जाती है जहाँ श्रम और पूँजी की प्रचुरता हो, परन्तु भूमि के प्रयोग में निरन्धरता का अभाव हो।
१०. इन दोनों प्रकार के देशों में कृषक का यही उद्देश्य रहता है कि उत्पादित के मापनों को बढ़ा कर उपज बढ़ाई जाय। विस्तृत खेती में तो भूमि अन्य मापनों की



अपेक्षा अधिक मात्रा में बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि नया देश होने और आबादी कम होने के कारण भूमि अधिक मात्रा में उपलब्ध हो सकती है। परन्तु खेती में भूमि की कमी होने के कारण अन्य साधन अर्थात् श्रम और पूँजी ही बढ़ाये जाने हैं। माराध यह है कि परिस्थिति के अनुसार कृषक वही दग प्रयोग में लाता है जो उसे कम लागत में अधिक उपज दे सके।

### भारतवर्ष में गहरी खेती (Intensive Cultivation in India)

भारतवर्ष एक बहुत प्राचीन देश है जहाँ जग-संस्था की प्रथिवता और सहायक धन्यो के नष्ट हो जाने से भूमि पर भार अधिक हो गया है, अर्थात् यहाँ की अधिकांश जन-संख्या भूमि पर ही जीवन निर्वाह करती है। कुछ पड़त भूमि अवश्य है पर वह अधिकांश खेती योग्य नहीं है। अस्तु, यहाँ गहरी खेती होनी है। खेती इस प्रकार गहराई में हो रही है कि गिट्टी की उत्पादन शक्ति प्रायः नष्ट हो चुकी है और अब उपज इतनी कम हो रही है कि बिना बाहर से अनाज मंगाये काम नहीं चल सकता है। यहाँ गहरी खेती होने का एक यह भी कारण है कि यातायात के साधनों में उत्थि होने के कारण उपज यही-यही मडियों तक सुगमता से पहुँचा दी जाती है जिसमें उपज का अच्छा मूल्य प्राप्त हो जाता है। इससे गहरी खेती करने को योंदा बहुत प्रोत्साहन मिल जाता है। फिर भी भारतवर्ष में खेती को दगा ठीक नहीं है, इसमें कई कठिनाइयाँ हैं जो नीचे दी जाती हैं।

### भारतवर्ष में गहरी खेती को अपनाने में कठिनाइयाँ

(Difficulties in the adoption of Intensive Cultivation)

(१) भारतीय कृषकों की अनभिज्ञता और रुढ़िवादिता (Ignorance and Conservatism of Indian Cultivators)—भारतीय किसानों की अज्ञानता और लकीर का फकीर होना ही इस मार्ग में बड़ी बाधन पैदा करता है। वे इसलिए इस प्रणाली को नहीं अपनाते क्योंकि उनके पूर्वज इसको नहीं करने थे।

(२) कृषकों की निर्धनता (Poverty of Tillers)—कृषक वर्ग निर्धन होने से यांत्रिक उपकरणों द्वारा खेती नहीं कर सकते। आजकल की जैची बरों और गहकारिता के कारण उनकी दशा में अवश्य सुधार हो गया है।

(३) साख की सुविधाओं का अभाव (Lack of Credit Facilities)—जो कुछ साख सुविधाएँ कृषकों को उपलब्ध हैं वे अपर्याप्त एवं बड़ी महँगी हैं। अतः किसान लोग खेती में नये सुधार करने के लिये इन महँगी सुविधाओं का प्रयोग नहीं कर सकते।

(४) सिंचाई की सुविधाओं का अभाव (Lack of Irrigation Facilities)—भारत के सभी भागों में सिंचाई के साधन नहीं मिलते। यद्यपि राज्य द्वारा इन सम्बन्ध में बहुत कुछ हुआ है, परन्तु अब भी इस क्षेत्र में बहुत काम किया जा सकता है।

(५) अच्छे चरागाहों का अभाव (Lack of Good Pastures)—उत्तम चरागाहों की कमी होने के कारण यहाँ खेती करने वाले अच्छे पशुओं का अभाव है।

(६) खेतों का छोटा-छोटा और अलग-अलग स्थित होना (Small and Scattered Holdings)—अब छोटे छोटे टुकड़ों में बँटे होने और इधर उधर दूर-  
प्र० दि०—१४

दूर स्थित होने के कारण उत्तम ढंग और मशीनरी द्वारा सुधार होना सम्भव नहीं है।

किस प्रकार राज्य द्वारा कृषि की उत्पादन शक्ति बढ़ाई जा सकती है ?

विस्तृत मैदान—राज्य द्वारा छोटे छोटे खेतों को मिटाकर बड़े खेत बनाने, सामूहिक और सहकारी खेती कराने और अशुद्ध (Uncultivated) भूमि पर खेती करने के लिए प्रोत्साहन मिलना चाहिये।

गहरी खेती में—राज्य द्वारा कृषकों को भूमि पर स्थायी सुधार करने की सहायता मिलनी चाहिये। इसके अनिश्चित कृषकों को बीज, खाद और खेती के यन्त्रों की सुविधाएँ प्राप्त होनी चाहिये।

**भूमि की गतिशीलता (Mobility of Land)**

बुद्ध प्राकृतिक साधन एवं शक्तियाँ गतिशील हैं—अर्थशास्त्र में भूमि का एक आधारभूत अर्थ में प्रयुक्त होने के कारण इनमें प्राकृतिक साधन एवं शक्तियाँ सम्मिलित हैं। इनमें से बुद्ध साधन व शक्तियाँ गतिशील हैं और अर्थ नहीं। उदाहरण के लिये, मिट्टी का स्थानान्तरण हो सकता है नदियों के भाग भाग जा सकता है, जब विद्युत शक्ति और खनिज पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान का स्थानान्तरित किया जा सकता है।

भूमि स्वयं गतिशील नहीं है—भूमि की गतिशील कहना अशुद्ध शब्दावली है। इसका उदाहरण एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना एक सम्भव कार्य है।

भूमि किस आकार में गतिशील है—भूमि का आकार व गतिशील है कि अन्न और पूँजी के न्यूनताविले विनियोग से किसी क्षेत्र की उत्पादन शक्ति बढ़ाई जा सकती है और किसी की घटाई जा सकती है।

भूमि अनुसूचित मिट्टी बनाने की सामर्थ्य रखने के कारण इनमें गतिशीलता का अर्थानाम अनुभव करने हैं। एक ही भू-भाग पर घास खेती या फल पैदा किया जा सकता है। हमारे देश में प्रायः पदार्थों की संकीर्णता होने के कारण बहुत सारी जूट और रई पैदा करने वाली भूमि जलमय चावल और गन् की पैदावार में लगी गई है। यहाँ यह बात स्मरण रखना चाहिये कि इस प्रकार का प्रयोग परिवर्तन भी कई दशावस्था में जलवायु, मिट्टी की प्रकृति और पूँजी के विनियोग की सुविधा पर निर्भर होता है। जैसे जूट पैदा करने वाली मिट्टी गन् पैदा करने में असमर्थ है और जलमय जलवायु में गन् पैदा होता है उसमें जूट पैदा होना पड़ता है।

विशिष्ट प्रयोजन वाली भूमि प्रयोग की दृष्टि से भी अन्न या म्योर होती है—बुद्ध भूमि ऐसी होती है जो किसी विशिष्ट प्रयोजन मिट्टी बनाने के अनिश्चित अर्थों के लिये प्रयुक्त नहीं की जा सकती। उदाहरण के लिये, बरफ के उत्तरी भाग की भूमि में केवल जंगल ही रहता है। वहाँ की भूमि इतनी उपजाऊ नहीं है कि फसलें पैदा करने के लिये जंगल भाग बनाने का कष्ट व व्यय किया जाय।

बुद्ध अन्न या म्योर प्राकृतिक साधन—बुद्ध प्राकृतिक साधन ऐसी ही जा पुरानासा निश्चित है, जैसे—जलवायु, सूर्य का प्रकाश, नदियाँ, पहाड़ आदि। ये प्राकृतिक साधन एक स्थान से दूसरे स्थान को अथवा एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश को स्थानान्तरित नहीं किया जा सकता।

## भारतवर्ष के प्राकृतिक साधन (Natural Resources of India)

अब हम यहाँ भारतवर्ष के प्राकृतिक साधनों का अध्ययन करेंगे। प्रकृति ने भारत को जो उपहार भेंट किये हैं उनका हमारी आर्थिक व्यवस्था में बड़ा महत्व है। बिना इनका अध्ययन किये हम अपनी आर्थिक समस्याओं को ही नहीं कर सकते। हमारी कोई भी आर्थिक योजना बिना इनके ज्ञान के सफल नहीं हो सकती। अस्तु हमें अपने देश के प्राकृतिक साधनों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये। १५ अगस्त १९४७ ई० को भारत स्वतन्त्र हुआ परन्तु यह दो भागों में विभाजित कर दिया गया—भारत और पाकिस्तान। इस पुस्तक में केवल भारतवर्ष का ही उल्लेख किया गया है।

### भारतवर्ष की स्थिति, सीमा और क्षेत्रफल (Situation, Boundary and Area of India)

भारतवर्ष भूमध्य रेखा के उत्तर में  $८^{\circ}$  से  $३७^{\circ}$  अक्षांश और  $६८^{\circ}$  से  $९७^{\circ}$  पूर्वी देशान्तरों के भीतर फैला हुआ है। भारतवर्ष का कुल क्षेत्रफल जम्मू व काश्मीर राज्य सहित १२,५९,७९७ वर्ग मील है। देश की उत्तर में दक्षिण में अधिक से अधिक लम्बाई २,००० मील है और पूर्व में पश्चिम तक चौड़ाई १,८५० मील है। यह क्षेत्रफल रूस को छोड़कर समस्त यूरोप के क्षेत्रफल से कुछ ही कम है और इङ्ग्लैण्ड का तेरह गुना, जापान का छः गुना, कनाडा का  $\frac{३}{५}$  और सोवियत रूस का  $\frac{३}{५}$  है। सत्तार की जन-संख्या का  $\frac{३}{५}$  भाग भारत में पाया जाता है।


भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है जो सत्तार में सबसे ऊँचे है और सर्वत्र बर्फ में ढके रहते हैं। देश के उत्तर तथा उत्तर-पश्चिम की ओर भी पहाड़ों की श्रेणियाँ हैं जिनमें कुछ दर्रे हैं। इन दर्रे के द्वारा आवागमन होता है। पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिन्द महासागर स्थित है। भारतवर्ष की स्थलीय सीमा ९,४२५ मील लम्बी है और इनका समुद्र तट ३,५३५ मील लम्बा है।

### भारतवर्ष की स्थिति का महत्व

(१) भारतवर्ष पूर्वी गोलार्ध के लगभग मध्य में स्थित है जिसके कारण यह प्राचीन काल में ही विश्व विख्यात रहा है। इसकी स्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ में जल-मार्ग द्वारा सत्तार के सभी देशों को जहाज जाते हैं। वायु-मार्ग की दृष्टि से भी हमारे देश की स्थिति बड़ी उत्तम है। यूरोप तथा आस्ट्रेलिया के मध्य में स्थित होने के कारण इन महाद्वीपों के बड़े-बड़े वायुयान भारत होकर जाते हैं। इस प्रकार भारत ने सत्तार के समस्त देशों के साथ बहुत अच्छे व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित कर लिए हैं। अब स्वतन्त्र भारत को अपना स्वयं का जहाजी बेड़ा रखकर दम स्थिति का पूरा-पूरा लाभ उठा लेना चाहिए।

(२) भारतवर्ष की स्थिति का दूसरा महत्व यह है कि उनके उत्तर में हिमालय पर्वत उत्तरी एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है तथा इस प्रकार होने वाले विशेषियों के आक्रमणों से इन देश की पूर्ण रक्षा करता है।

(३) भारतवर्ष की स्थिति इस प्रकार की है कि यहाँ सब प्रकार का जनबाहु मित्वा है जिनमें गर्म और ठंडे देशों की गर्मों पैदावार यहाँ होती है।



भारतवर्ष की स्थिति

### भारतवर्ष का समुद्रतट (Coast line)

भारत का समुद्रतट लगभग ३,५३५ मील लम्बा है। परन्तु यह अनिश्चित बन्दरगाहों का शृङ्खला है जिसके कारण यहाँ उत्तम बन्दरगाहों का अभाव है। केवल बम्बई, मद्रास, हावरा विद्यापीठ और कलकत्ता ही अच्छे बन्दरगाह हैं।

### भारतवर्ष के प्राकृतिक या भौतिक विभाग

#### (Natural or Geographical Regions of India)


प्राकृतिक या भौतिक दृष्टि से भारत निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है —

- |                          |                         |
|--------------------------|-------------------------|
| (१) उत्तरी पहाड़ी प्रदेश | (२) उत्तरी विभाजन मैदान |
| (३) दक्षिणी पठार         | (४) समुद्रतटीय मैदान    |

(१) उत्तरी पहाड़ी प्रदेश — भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत स्थित है जो पूर्व में आसाम से पश्चिम में वाश्मीर तक तीन निरन्तर श्रेणियों में १,५०० मील लम्बा है। इसकी औसत चौड़ाई २०० मील है। इन मत्तार में सबसे ऊँचा पर्वत शिखर का शीखर शिखर है।

हिमालय शिखर होने वाले आशिक लाभ — भारत की आशिक अवस्था के अध्ययन में हिमालय पर्वत का बड़ा महत्व है —

(१) यह उत्तर में आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है जिससे देश की पैदावार आदि पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।



(२) हिन्द महासागर में मान वाली जल में भरी हवाओं को रोक कर देश में वर्षा करना है जिससे कृषि में बड़ी उपज मिलेगी है।

(३) पश्चिमी भागों के जलो पर बन है जिनकी लकड़ों से कई प्रकार के कारखानों चलाने हैं।

(४) पहाड़ी भागों की निचली भूमि में चारागाह है जहाँ पशुपालन और उमम सम्बद्ध धाने उभरते हैं।

(५) हिमालय पर्वत में अनेक जड़े-बुटियाँ प्राप्त होती हैं जिसमें शीघ्र व्यवसाय का पर्याप्त प्रालाहन मिलता है।

(६) भारत की ८० प्रतिशत चाय यहाँ ही उत्पन्न होती है।

(७) पहाड़ी भाग के वना में जंगली पशुधा का शिकार किया जाता है और उनका चमड़ा और हड्डियाँ काम में लाई जाती हैं।

(८) इनमें हमारे देश की विदेशी आक्रमण से रक्षा होती है जिससे हम आन्तिक रूप से आर्थिक विकास की ओर ध्यान दे सकते हैं।

(९) पहाड़ी भागों में बहने वाली नदियाँ से जल विद्युत उत्पन्न कर अनेक व्यवसाय चलाये जाते हैं।

(१०) हिमालय पर्वत में अनेक नदियाँ निकलती हैं जिनसे मैदान में सिंचाई होती है।

(११) हिमालय प्रदेश का जनवापु स्वाम्यकरण होने के कारण वहाँ सहस्र मनुष्य अपने स्वास्थ्य सम्पादन के लिये जाते हैं। वहाँ प्राकृतिक मन्दिर रमणीय होने के कारण विभिन्न धार्मिक एक बड़ी मर्यादा में प्रतिद्वेष जाते हैं जिससे भारत की बड़ी आय होती है।

(१२) उत्तरी विशाल मैदान—यह मैदान सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र तथा उनकी महापत्र नदियों द्वारा लाई हुई मिट्टी में बना है। यह लगभग २००० मील लम्बा और १५० मील चौड़ा है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है तथा सिंचाई के साधन विद्यमान होने के कारण यहाँ कृषि मुख्य उद्योग है। कृषि की प्रयोजनता का दूसरा

कारण यह है कि इस भाग में खनिज पदार्थों का पूर्ण अभाव है। इस मैदान में घनी जनसंख्या है तथा कई व्यापारिक मस्जिद रखने वाले नगर भी स्थित हैं।

( ३ ) दक्षिणी पठार—इस भाग में उत्तर में विन्ध्याचल और सतपुड़ा पहाड़, पूर्व में पूर्वीघाट और पश्चिम में पश्चिमी घाट स्थित हैं। यह सम्पूर्ण भाग पथरीला और टूटा-फूटा है। पठार की औसत ऊँचाई समुद्र-तल से २००० फीट है। इसमें होकर बहने वाले मुख्य नदियाँ महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी हैं। जिनका आर्थिक विकास उत्तरी मैदान का हुआ है उनका दक्षिणी पठार का नहीं हुआ। पठारी भाग होने के कारण यहाँ कुछ कठिनाईयाँ अवश्य हैं—कृषि के निम्ने अधिक भूमि नहीं है, वर्षा भी कम होती है और यातायात के साधनों में भी बाधाएँ हैं, परन्तु मनुष्य के निरन्तर प्रयत्न द्वारा ये सब समस्याएँ हल हो सकती हैं।

( ४ ) समुद्रतटीय मैदान—दक्षिण के पठार के पूर्व और पश्चिम में लम्बे समुद्र तट हैं। इस तट के दो विभाग निम्ने जा सकते हैं—(अ) पश्चिम समुद्र तट और (ब) पूर्वी समुद्रतट। अरब सागर में उठने वाली ज्वरभरी हवाएँ पश्चिम तट पर अच्छी वर्षा करती हैं। यहाँ मैदान की कमी के कारण अधिक खेती नहीं हो सकती परन्तु बनी की लकड़ी का सदुपयोग किया जा सकता है। जहाँ समतल मैदान है वहाँ चावल, गन्म मसाला तथा नारियल की अच्छी पैदावार होती है। पूर्वी तट पश्चिमी तट की अपेक्षा अधिक चौड़ा है। पूर्वी तट पर वर्षा कम होने पर भी महानदी, गोदावरी, कृष्णा कावेरी आदि नदियों में निचवाई हो जाने के कारण यहाँ खेती अच्छी होती है। यहाँ की मुख्य उपज चावल और मसाले हैं। समुद्र तट बटा-फटा हुआ नहीं होने के कारण इस पर प्राकृतिक बन्दरगाहों का अभाव है।

### भारतवर्ष की भूमि (Soils of India)

भारतवर्ष की भूमि गोटे रूप में निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित की जा सकती है :—

( १ ) टमट भूमि (Alluvial Soils)—यह भूमि नदियाँ से लाई हुई मिट्टी से बनती है, इसलिए बड़ा उपजाऊ होती है। यह भूमि अधिकतर गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बंगाल, आसाम, गोदावरी, कृष्णा, पश्चिमी घोर पूर्वी समुद्र-तटीय मैदानों में फैली हुई है। यह भूमि लगभग ३ लाख वर्गमील के क्षेत्रफल को घेरें हुए है और बहुत सही तथा उपजाऊ है।

विशेषताएँ—सब जगह इस भूमि की रचना तथा गुण समान होंगे गोबर नहीं होंगे। भारत के उत्तर-पश्चिम में यह भूमि छिन्नशुक ( Porus ) और शुष्क है और इसी प्रकार के कई स्थानों में यह रेतीली है, उत्तर प्रदेश विहार और उड़ीसा में यह बेलों ( Loams ) के रूप में मिलती है और बंगाल में यह भूमि अधिक टोम ( Compact ) और नर ( Moist ) हा गई है। यह भूमि लगभग सभी रसायनिक मत्तों में परिपूर्ण होने के कारण घड़ी उपजाऊ है। इसमें नात्रे ( Nitrate ) की कमी अवश्य है, परन्तु यह गाबर की माध्याग्न खाद में पूर्ण की जा सकती है। यह निचवाई की सुविधाओं में अल्प होंगे पर खेती और पशुपक्षी का सभी प्रकार उपज कर सकती है।

( २ ) काली भूमि ( Black Soils )—यह भूमि ज्वालानुषी पथरी के पत्थरों में जा राख जाहूँ निकलती है जहाँ उड़ होकर जगम में बरसती है। इसे 'लाय' भूमि भी कहते हैं। यह भूमि अम्बई राज्य के दक्षिण भाग में, काँठ्यावाड बगर

पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य भारत क्षेत्र, बालघर, मद्रास राज्य के बेलारी, कुरुख, कोयंबटूर और टिनेवेली जिलों में फैली हुई है। इस प्रकार इसके द्वारा लगभग २ लाख वर्गमील भूमि घिरी हुई है।

**विशेषताएँ**—इस भूमि में पवित्र पदार्थ सन्निहित होने के कारण इसका रंग काला होता है। इस भूमि की एक विशेषता यह है कि वर्षा ऋतु में पड़ने वाले पानी को अपने अन्दर सोख लेती है और शुष्क ऋतु में पौधों को पानी पहुँचाती रहती है। इस प्रकार इस भूमि में दीर्घ काल तक नमी बनी रहती है। यह भूमि प्रायः रबी की फसलों के लिये बड़ी उपयुक्त है, परन्तु खरीफ की फसलें भी उत्पन्न की जाती हैं।


(३) लाल भूमि (Red Soils)—इस प्रकार की भूमि आन्ध्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छोटा नागपुर, बंगाल का दक्षिणी भाग, बड़ोदा और झारखण्ड, राजस्थान व आसाम में पाई जाती है।

**विशेषताएँ**—लाल भूमि की रचना, गहराई और उपजाऊपन में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। शुष्क पठारों पर यह कम गहरी कम उपजाऊ, बकरीली, रेभीली या पथरीली और हल्के रंग की है जिसमें केवल बाजरा आदि की साधारण फसल ही सकती है। परन्तु नदी के मैदानों में उपजाऊ, गहरी, चमकीले लाल रंग की, गहरे भूरे रंग की या काले रंग की है जिसमें मिर्चाई की महापत्ता में विविध उत्तम फसलें उत्पन्न की जा सकती है। इसमें नाइट्रोजन (Nitrogen), फॉस्फोरम वा अम्ल (Phosphoric Acid) और नमी (Humus) का अभाव होता है, परन्तु पोटैश (Potash) और चूना (Lime) पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं।

(४) हल्के लाल रंग की भूमि (Laterite Soils)—यह भूमि भी लाल रंग की होती है जो उष्ण कटिबंध की गहरी जल वृष्टि के कारण लाल रंग की चट्टानों के घुलने से बनती है। यह ईट सहस्र भूमि दक्षिणी पठार की ऊँची चोटियों, मध्य प्रदेश, पूर्वी घाट का अधिकांश भाग, उड़ीसा तथा बम्बई के दक्षिणी भाग, मलाबार तट पर पाई जाती है। आसाम के पठारी भाग में कुछ स्थानों में भी यह मिट्टी मिलती है।

**विशेषताएँ**—यह मिट्टी बहुत कम उपजाऊ है। इसमें पाटास, चूना,

फॉस्फोरम और मैग्नेशिया की कमी रहती है। ऊँचे भागों में यह मिट्टी बहुत कम गहरी होती है और बकरीली होती है। परन्तु नदियों की घाटियों और भीजी भूमि में यह अल्प मिट्टियों के मिश्रण में तथा गहराई में नारखण्ड जल पोषण बन गई है। इस मिट्टी में विणोप-तया बावन को पैदा-कार की जाती है।



भूमि की उर्वरा-शक्ति को निर्धारित करने वाले तथ्य  
(Factors that govern the fertility of the soil)

(१) प्रकृति (Nature) — भूमि की प्राकृतिक रचना की भिन्नता के साथ साथ भूमि के उपजाऊन में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। जैसे दुमट भूमि अन्य प्रकार की भूमि से अधिक उपजाऊ होती है। इस दृष्टि से अन्य देशों की संवेक्षा भारतीय कृषक को अधिक प्राकृतिक लाभ पहुँचाने है।

(२) खाद (Manuring) — भूमि का उपजाऊन खाद पर भी निर्भर है। भूमि की प्राकृतिक वसिया को कृत्रिम ढंगों अर्थात् खाद, फसल परिवर्तन अथवा मिश्रित फसल द्वारा पूरा किया जा सकता है। यह बात नहीं है कि भारतीय कृषक खाद के महत्त्व को नहीं समझता। उनकी अज्ञानता, लड़वाबिला और सुस्ती ही इन ढंगों को न अपना देने का मुख्य कारण है।

(३) जल (Water) — किसी भूमि की उर्वरा शक्ति पानी पर भी निर्भर है। भारतवर्ष में जल-वृष्टि अनिश्चित व अनियमित रूप से होती है। मरु, पानी की कमी कुओं, तानाबा और नहरों से सिंचाई कर पूरी की जाती है। फिर भी बहूत-मारी भूमि बिना सिंचाई की सुविधाओं के बेकार पड़ी हुई है। अस्तु, सिंचाई के साधना विशेषतया नहरा—के प्रकार के लिए अभी वहाँ पर्याप्त क्षम है।

(४) वैज्ञानिक ढंग और उपकरण (Scientific Methods and Implements) — प्राथमिक वैज्ञानिक ढंगों तथा उपकरणों (प्रोजार) द्वारा भूमि की उपज बढ़ाई जा सकती है। परन्तु भारतीय कृषक निर्धन होने के कारण इन सब का प्रयोग करने में असमर्थ है।

### भूमि की समस्याएँ (Problems of the Soil)

भूमि सम्बन्धी दो मुख्य समस्याएँ हैं—भूमि का बटाव और भूमि-शक्ति।

#### (१) भूमि का बटाव (Soil Erosion)

अर्थ—वृष्टि के जल अथवा वायु से भूमि के उत्तम कणों के बह जाने या उड़ कर बचे जाने को 'भूमि का बटाव' कहते हैं। भूमि का बटाव वृष्टि-अपव की विश्व-व्यापी समस्या है। पृथ्वी पर यह बटाव कहीं मन्द गति से और कहीं वेग में होता आ रहा है। कृषि प्रयोग क्षेत्र मिसूरी (अमेरिका) में वैज्ञानिकों ने पता लगाया है कि भूमि के २% ढाल पर ४० टन उपजाऊ मिट्टी प्रति एकड़ कट जाती है। बर्माई राज्य में चिकना दुमट मिट्टी के ३% ढाल पर जहाँ २३'५" वर्षा होती है ४० टन मिट्टी प्रति एकड़ का ह्रास होता है। चेम्बरलिन का कथन है कि १ फुट मोटी मिट्टी बनाने में दस हजार वर्षों से भी अधिक समय लगता है।

भूमि के बटाव के प्रकार (Kinds)—भूमि का बटाव मुख्यतः दो प्रकार से होता है—

(१) सतह बटाव (Sheet Erosion)—जब भूमि की सतह के मुत्तायम तथा वारिक कण पानी के साथ बह जाते हैं अथवा हवा के साथ उड़ जाते हैं, तब भूमि के ऐसे बटाव को 'सतह बटाव' कहते हैं।

(२) गहरा या गालीदार बटाव (Gully Erosion)—जब वर्षा का जल भूमि पर तीव्र गति में बहता है तो भूमि पर गहरे छेड़ें तथा गालियाँ बन जाती



है। इसे 'गहरा या गालीदार कटाव' कहते हैं। यह कटाव बहुत हानिकारक होता है, क्योंकि इन गालों के द्वारा अधिक मात्रा में उपजाऊ मिट्टी बहती रहती है। जिससे भूमि विलुप्त कृषि योग्य नहीं रहती।

भूमि के कटाव के कारण—भूमि के कटाव को प्रोत्साहन देने वाली कई बातें हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं :—

- ( १ ) भूमि पर वनस्पति की अनुपस्थिति। ( २ ) मानसून की मात्रा।  
( ३ ) भूमि की स्थिति। ( ४ ) भूमि का ढाल। ( ५ ) भूमि पर वातु की गति।

भूमि के कटाव के साधन (Agencies of Soil Erosion)—भूमि का कटाव दो साधनों में होता है—(१) जल-वृष्टि (Rainfall), और (२) हवा (Wind)।

भूमि के कटाव से हानियाँ—( १ ) उपजाऊ मिट्टी के हटने से यह स्थान खेती के लिए निरस हो जाता है। ( २ ) बहाई हुई मिट्टी उस स्थान को हानि पहुँचा सकती है जहाँ पर वह इकट्ठी हो। ( ३ ) कहीं कुछ या छोटी नदियाँ मूल जाती हैं तो कहीं नदियों में बाढ़ आती है।

उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, इटावा, प्रतापगढ़, रायबरेली, मुन्ताजपुर, जौनपुर आदि जिलों में भूमि का कटाव अधिक पैमाने पर है। राजस्थान का भरतपुर लगभग ३२,००० एकड़ प्रति वर्ष भयंकर गति से उत्तर-प्रदेश में बहता आ रहा है। उत्तर-प्रदेश में लगभग ४६ लाख एकड़ भूमि कटाव के कारण कृषि के अयोग्य हो चुकी है।

### भूमि के कटाव को रोकने के उपाय

( १ ) पर्वत पर जहाँ से नदियाँ निकलती हैं, वहाँ वृक्ष लगा देने चाहिये। ऐसा करने से नदी के प्रवाह में रुकावट होकर पानी की मद गति हो जायगी।

( २ ) नदी के ऊपरी भाग में कई स्थानों पर बाँध बना देने चाहिये। ऐसा करने में भी पानी का प्रवाह धीमा पड़ जायगा। इन बाँधों का पानी फिर कई प्रकार से प्रयुक्त किया जा सकता है।

( ३ ) पहाड़ी ढालों पर जहाँ से पानी बहता हो, प्यारियाँ सी बना लेनी चाहिये। ऐसा करने में पानी तेजी में न बहकर धीरे-धीरे बहेगा जिससे मिट्टी बहकर नहीं आ सकेगी।

( ४ ) खुली भूमि पर पेड़ लगाये जाने चाहिये, चाहे उनसे प्रत्यक्ष अधिक लाभ न हो।


( ५ ) भूमि का ढाल जिस दिशा में हो, ठीक उसके विपरीत दिशा में फसल की कतार होनी चाहिये। परन्तु धनी फसलों को ढाल की भूमि में कतार में नहीं बोना चाहिये।

( ६ ) बरसातों पर पशुओं को स्वतन्त्र छोड़ने को प्रथा बन्द कर देनी चाहिये ताकि घास उगी रहेगी जिससे पानी भूमि में समा जायगा। पानी द्वारा कटाव कम हो जायगा और घास भी अधिक प्राप्त होगी।



ढाल के विरुद्ध फसल की कतार

(७) प्रागम के चाप के बगीचों की भूमि ढाल भूमि पर चबूतरे (Terraces) और बहाव की नालियाँ (Drains) बना कर खेती करनी चाहिए जिसमें ऊँचाई में आने वाला पानी रुकता हुआ आता है और वह अधिक भूमि नहीं काट जाता। फसल को पानी की मात्रा अधिक रूप में प्राप्त होती है।



टिरिंग विधि द्वारा खेती

(८) जब खेत का ढाल १ मीटर में १० से १५ फीट तक हो तो वहाँ मेंटो का प्रयोग किया जाता है। खेत के चारों ओर मजबूत मेंटो होनी चाहिए। माथा रखतया मेंटो की चौड़ाई ४ फीट और ऊँचाई २ फीट होनी चाहिए। ताकि पानी का बहाव चारों ओर से हो सके। पानी निकलने के लिये नाली (Drain) का उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए जिसमें खेत का पानी बिना मिट्टी बहाये निकल जाय।



खेत की मजबूती

(९) बगुई और रेतीली भूमि में यह बटाव अधिक होता है क्योंकि टमम मुरभुरापन अधिक होता है। खाद देना पर यह भूमि अधिक विपत्ति हो जाती है। विपत्तिवाहक बड़ जाने से माधारण पात्र और पानी की गति का उस पर प्रभाव नहीं पड़ता।

(१०) जहाँ गहरे बटाव के कारण दरार पड़ गई हो वहाँ उनके मुँहा पर मिट्टी के ढाट लगा देने चाहिए जिसमें वानान्तर में बड़ी हुई मिट्टी के पुन जमा हो जाने से दरारें अपने आप भर जायँगी।

### केन्द्रीय भूमि रक्षा मण्डल (Central Soil Conservation Board)

बोनाला आयोग के परामर्श पर ही केन्द्रीय सरकार ने दिसम्बर मन् १९५३ में इस मण्डल की स्थापना की। इस मण्डल का मुख्य उद्देश्य मिट्टी के बटाव व बहाव में होने वाली हानियों के कारणों पर विचार करके उनको रोक के उपायों पर सरकार को परामर्श देने का है। इसी मण्डल के महाविधान में राजस्थान के महसूल को पूर्व की ओर धकेलने से रोपने के लिए राजस्थान व उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में वन लगाने का मुझाव दिया गया है। महसूल निष्पत्ति के विषय में अनुसंधान करने के लिये जोधपुर में 'महसूल वन अनुसंधानशाला' स्थापित की जा चुकी है।

योजना और भूमि संरक्षण—दूसरी योजना में भूमि संरक्षण के लिए ०.५ करोड़ रुपये को व्यवस्था की गई है। एक स्थापक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है जिसमें ३० लाख एकड़ से अधिक भूमि में संरक्षण का कार्य किया जाएगा। इसके विभिन्न प्रकार के क्षेत्र शामिल हैं, जैसे कृषि क्षेत्र, नदी के घाट वाले क्षेत्र, पट्टा वाले क्षेत्र, बेवार पड़ी भूमि और पहाड़ी क्षेत्र। रेगिस्तानी क्षेत्रों में केन्द्रीय सरकार स्वयं भूमि-संरक्षण का कार्य कर रही है।

## ( २ ) भूमि श्रान्ति (Soil Exhaustion)

भूमि पर निरन्तर अत्यधिक फसलें पैदा करने में जब उसकी उत्पादन शक्ति नष्ट हो जाती है तो हम उसे 'भूमि श्रान्ति' कहते हैं। बिना विश्राम तथा खाद दिये निरन्तर बेती करने रहने में भूमि निष्क्रिय बच जाती है।

भूमि-श्रान्ति के कारण—(१) निरन्तर फसलें पैदा करने के कारण भूमि को भाराम करने का अवसर नहीं मिल पाता। (२) फसला के रोटेशन (Rotation) में नहीं खेता। (३) रसायनिक खादों का अभाव। (४) भारत की जन-संख्या का लगातार बढ़ना और भूमि के क्षेत्र का सीमित होना। सीमित क्षेत्र में अधिकाधिक मात्रा उत्पन्न करना।

भूमि-श्रान्ति से बचने के उपाय—(१) फसला का रोटेशन (Rotation of Crops)। (२) खेतों को बारी-बारी से जोतना। (३) दो-तीन बप के बाद भूमि को एक फसल के लिये परती छोड़ना। (४) गोबर का उपयोग केवल खाद के लिये ही करना। ईंधन के लिये लकड़ी का प्रयोग करना (५) हरी खाद (Green Manure) के लिये मूँट, डेंडा, मूँग, मरमा, शतजम आदि की फसलें खेता। (६) रासायनिक खादा का उपयोग करना। (७) महापत्र धनी आदि में भूमि पर स्थित जन-संख्या का दबाव कम करना।

## भारतवर्ष का जलवायु (Climate of India)

भारतवर्ष एक विषम देश है जो ८° से ३७° उत्तरी अक्षांशों तक फैला हुआ है। वर्ष रेखा इसकी लगभग दो भागों में विभक्त करती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतवर्ष का अधिकांश भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है। परन्तु फिर भी इसमें विभिन्न भागों के जलवायु में बड़ा अन्तर है। जैसे पंजाब में गर्मी और सर्दी दोनों ही अधिक पड़ती हैं। विन्तु जहाँ ज्यों पूर्व की ओर आते हैं तापक्रम का अन्तर कम होता जाता है और बरसात में आसाम में तो सर्दी और गर्मी दोनों ही कम हो जाती हैं। इसी प्रकार राजस्थान और पंजाब में जलवायु शुष्क है, विन्तु बंगाल और आसाम में यही नहीं लिए हुए है। उत्तरी भारत में पर्वतीय क्षेत्रों में शरद ऋतु में बड़ी सर्दी और ग्रीष्म ऋतु में स्वल्पप्रद सर्दी पड़ती है। समुद्रतटा पर समशीतोष्ण जलवायु मिलता है। इस प्रकार भारत का जलवायु अर्द्ध उष्ण ( Semi-Tropical ) कहा जा सकता है।

भारतवर्ष के जलवायु का आर्थिक प्रभाव

### (Economic Effects of Climate of India)

(१) भारतवर्ष में कई प्रकार का जलवायु मिलने के कारण यहाँ मात्र प्रकार के साथ पदार्थ एवं वृक्षा मात्र पैदा किया जा सकता है। इन प्रकार भारत आर्थिक सम-स्थाओं के लिये स्वावलम्बी हो सकता है।

(२) जलवायु की भिन्नता के साथ-साथ वनस्पति और जीव जन्तुओं में भी भिन्नता पाई जाती है। वही घने जंगल घेर-चीना आदि पशुओं में परिपूर्ण मिलता है वहीं आस के मैदानों में हिरन, गाय, बैल आदि जानवर टट्टिगोबर होते हैं और मत्स्यजाल में छोटी-छोटी भांडियों को खाने वाले ऊँट, भेड़ बकरी पाये जाते हैं।

(३) जलवायु का मनुष्यों की कार्यक्षमता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। गर्म जलवायु में रहने वाले प्रायः निर्मल और आत्यन्ती होते हैं जबकि ठंडे देशों के लोग मजदूर और परिश्रमी होते हैं।

(४) जलवायु मस्तिष्क को प्रभावित करती है। गर्म जलवायु में रहने वाले निरन्तर मस्तिष्क-सम्बन्धी कार्य नहीं कर सकते। अन्वेषण में यह ज्ञात हुआ है कि ६०° फा० का तापक्रम शारीरिक कार्य के लिये आवश्यक है और ३०° फा० का तापक्रम मस्तिष्क-सम्बन्धी कार्य के लिये।

(५) जलवायु से मनुष्यों के पेशे निर्धारित होते हैं। जिस देश का जलवायु गर्म और तर होना है, वहाँ खेती अधिक होने के कारण वहाँ के निवासियों का मुख्य व्यवसाय खेती ही होगा। भारत में कृषि प्रधान होने का यही मुख्य कारण है।

(६) जलवायु से मनुष्यों की वेपमुखा निर्धारित होती है। ठंडे देशों के लोग ऊनी और तग बरत धारण करते हैं और गर्म देशों में सूती और ढीले वस्त्र प्रयुक्त किये जाते हैं।

(७) मकानों की बनावट, नगरों की बनावट और सड़कों आदि की योजनाएँ जलवायु से पूर्ण प्रभावित होती हैं। ठंडे जलवायु के प्रदेशों में मकानों में आगन आवश्यक नहीं, परन्तु गर्म जलवायु के प्रदेशों में आगन का होना आवश्यक है।

(८) गर्म जलवायु में जहाँ धूप तेज पड़ती है, चमकीले रंग पसन्द किये जाते हैं, किन्तु ठंडे एवं घनाच्छादित प्रदेशों में हल्के और सादे रंग अच्छे लगते हैं। भारत में इस प्रकार के रंग इसीलिये 'इंगलिश कलर' कहे जाते हैं।

### जलवृष्टि (Rainfall)

जलवृष्टि जलवायु का प्रमुख अंग है। बिना तापक्रम और जलवृष्टि के जलवायु का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। भारतवर्ष में जलवृष्टि अधिकतर मानसून हवाओं से होती है, इसीलिये भारत के जलवायु को 'मानसून जलवायु' कहते हैं।

मानसून का अर्थ—यह शब्द अरबी भाषा के 'मौसिम' शब्द से निकला है, परन्तु अर्थ इसमें तात्पर्य पानी बरसाने वाली मौसमी हवाओं से है। भारत में ये हवाएँ गर्मी और सर्मी दोनों मौसमों में चलती हैं और पानी बरसाती हैं। गर्मी में ये हवाएँ दक्षिण पश्चिम से चलने के कारण इन्हे दक्षिण पश्चिमी मानसून (South-West Monsoon) कहते हैं। इसी प्रकार शीतकालीन हवाएँ उत्तर पूर्व की ओर से चलने के कारण उत्तर-पूर्वी मानसून (North-East Monsoon) कहलाती हैं।

मानसून हवाओं के उत्पन्न होने के कारण—भारत में अधिकतर जलवृष्टि ग्रीष्म ऋतु में ही होती है। गर्मी के दिनों में जबकि सूर्य बर्क रेखा पर होता है, तब आग्नेय वायु भाग (उत्तरी भारत) जल की अपेक्षा घनत्व गर्म हो जाता है और वहीं की हवाएँ गर्मी के कारण हल्की होकर ऊपर उठ जाती हैं। निम्ने वायु भार कम (Low Pressure) हो जाता है। सूर्य से दूर स्थिर समुद्र पर इस समय भूमि की अपेक्षा कम गर्म होने के कारण वायु-भार अधिक (High Pressure) होगा। घन हवाएँ उच्च वायु भार से कम वायु भार की ओर अर्थात् समुद्र से भूमि की ओर चलती हैं। ये हवाएँ समुद्र पर से हजारों गीस की गति करती हुई आने के कारण जल से परिपूर्ण होती हैं। जब ये हवाएँ मार्ग में स्थित किसी पहाड़ की ओर चलने के लिये ऊपर चढ़नी हैं तो टपकी होकर वर्षा के रूप में गिर जाती हैं। ये हवाएँ ग्रीष्म ऋतु में (जून में मिनम्बर तक) चलती हैं, इस कारण इन्हे गर्मी का मानसून और दक्षिण-पश्चिमी की ओर से चलने के कारण दक्षिण-पश्चिमी मानसून (South-West Monsoon) कहते हैं। भारतवर्ष में लगभग ८० प्रतिशत वर्षा इन्हीं हवाओं से होती है, अतः उनका यहाँ बड़ा महत्व है।

शीतकाल में सूर्य की मकर रेखा पर आ जाने के कारण वायु भार में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात् भूमि पर उच्च वायु भार और समुद्र पर कम वायु भार रहता है। अतः हवाएँ शीतकाल में भूमि की ओर से समुद्र की ओर चलती हैं। भूमि की ओर से चलने वाली हवाएँ शुष्क होती हैं परन्तु जब ये हवाएँ बंगाल की खाड़ी में से होकर आगे बढ़ती हैं, तो अपने साथ पानी ले लेती हैं। दक्षिणी भारत का दक्षिणी-पूर्वी भाग और लका का पूर्वी भाग इन हवाओं के साथ में पड़ने के कारण मद्रास में इन हवाओं में शीतकाल में अच्छी वर्षा होती है। ये हवाएँ शीतकाल में अक्टूबर से जनवरी तक चलती हैं, इनमेंसे इन्हें शीतकालीन मानसून और उत्तर-पूर्व की ओर से चलने के कारण उत्तरी-पूर्वी मानसून (North East Monsoon) कहते हैं।

### जलवृष्टि का वितरण (Distribution of Rainfall)

ग्रीष्म कालीन मानसून (The Summer Monsoon)—इसकी मुख्य दो

शाखाएँ हैं— अरब सागर की शाखा और बंगाल की खाड़ी की शाखा।

अरब सागर की शाखा (The Arabian Sea Branch)—ग्रीष्म काल में जो हवाएँ अरब सागर में उठती हैं वे उत्तरपश्चिम की ओर से आती हैं और पश्चिमी घाट में टकराती हैं जितसे वहाँ अधिक जलवृष्टि होती है। पश्चिमी घाटी मैदान में इन हवाओं से औसत ८० इंच वर्षा होती है। ये हवाएँ उत्तर की ओर भी जाती हैं और देश के कुछ अन्य भागों (राजस्थान मध्यप्रदेश) में भी वर्षा करती हैं।

बंगाल की खाड़ी की शाखा (The Bay of Bengal Branch)—


जो जल में परिपूर्ण हवाएँ बंगाल की खाड़ी से उठती हैं वे आसाम की कुछ पहाड़ियों से सीधी टकराती हैं। जिसके फलस्वरूप वहाँ पर्याप्त वर्षा होती है। अनेक शहरों में वसन् १८६१ में ८०० इंच से भी अधिक वर्षा हुई पाई जाती है, वैसे औसत ४६० इंच का है। ये हवाएँ हिमालय पर्वत के कारण सीधी उत्तर को निकल जाने के बजाय वाई भार




मुक्त जाती है। ज्यों ज्यों पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं त्याह्यो वर्षा में कमी होती जाती है यहाँ तक कि सिन्ध में वर्षा २ या ३ इंच ही होती है।

शीतकालीन मानसून ( The Winter Monsoon ) — गीतकाल में

हवाएँ स्थल भाग से जल भाग की ओर चलती हैं। घत वे शुष्क होती हैं। जब बंगाल की खाड़ी पर से होकर जानी हैं तो घपन म पानी ल लेती हैं और माग म स्थित मद्रास के उत्तर ओर दक्षिण क जिले ओर पूर्वी तथा म पर्वत वषा होती है। इनके घतिरिक्त शीत पाल म कुछ वर्षा पञ्जाब वम्पई मध्य प्रदेश ओर म्यात्र म भी होती है।



नीचे दिया गया मानचित्र भारत म जनगृष्टि क वितरण को व्यक्त करता है —



### भारतीय मानसून की विशेषताएँ (Peculiarities of Indian Moussoon)

- (१) देश की लगभग ६० प्रतिशत वर्षा मानसून द्वारा होती है।
- (२) अधिकांश वर्षा गाल भर न होकर कुछ ही महीनों में होती है। गर्मी का मानसून जून से सितम्बर और सर्दी का अक्टूबर से जनवरी तक सीमित है। गर्मी के मानसून से अधिक वर्षा होती है।
- (३) मानसून कभी-कभी निरपेक्ष समय पर न आकर आगे-पीछे आता है।
- (४) मानसून कभी-कभी तो बिल्कुल ही नहीं आता जिससे नाश्वल ऋषि को अत्यन्त हानि पहुँचती है।
- (५) यह भी कहा जाता है कि पाँच वर्ष के पालबच्चे में एक उत्तम, एक निरुद्ध और तीन वर्ष उदासीन होते हैं।
- (६) मानसून में मूसलाधार वर्षा हानो है। पानी तभी न बहता है जिससे भूमि के उपजाऊ नखों को नष्ट कर ले जाता है।
- (७) वर्षा के वार्षिक औसत में एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त के मध्य पर्याप्त भिन्नता देखी जाती है। जैसे चेरापूजी में ४६०" औसत है तो सिन्ध के उत्तरी भाग में केवल २" या ३" ही है।
- (८) जो भाग मानसून के मार्ग में आते हैं वहाँ वर्षा अधिक होती है, वहाँ अधिक वर्षा होती है।
- (९) मानसून उठते समय समुद्र में बड़े तूफान आते हैं जिससे समुद्रतटीय प्रदेशों में जन व धन की बड़ी क्षति होती है।
- (१०) सर्दी के मानसून से बहुत कम वर्षा होती है और वह भी देश के कुछ ही भागों में। अधिकतर वर्षा लगभग सर्दी प्रान्तों में गर्मी के मानसून में होती है।
- (११) गर्मी और सर्दी के मानसूनों के कारण भारतवर्ष में केवल दो ही पन्ने—रबी और खरीफ होती हैं।
- (१२) जलवृष्टि साल भर न होकर केवल कुछ ही महीनों में सीमित होने से—कारण भारतवर्ष में अच्छे खेताहों का अभाव है। इसके फलस्वरूप पशुओं को सूखी चरबी पर रखा जाता है जिससे वे अधिक दमिष्ट नहीं हो पाते।
- (१३) शीघ्र ऋतु की शरत गर्मी के पश्चात् वर्षा होने के कारण भारतवर्ष में पनेक बीमारियों के जन्मदाता कीड़े-मकोड़ पैदा हो जाते हैं। जैसे मलेरिया (Malaria), अमतिहार (Dysentery) आदि। अनेक बीमारियों के कीटाणु उत्पन्न होकर वर्षा ऋतु में ही उनके पश्चात् अनेक भारतवासियों को बीमार कर निर्बल कर देने हैं जिससे उनकी कार्यक्षमता पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
- (१४) भारतवर्ष के गर्म व ठंडे जलवायु से भारतवासियों की कार्यक्षमता कम कर उनके सुख एवं आरामतत्त्व बना दिया है।

मानसून का आर्थिक महत्त्व (Economic Importance of Monsoon)—मानसून भारतीय अर्थ-व्यवस्था का एक प्रमुख अंग है। भारत एक ऋषि प्रधान देश है और यहाँ अभी सिंचाई के साधन पर्याप्त मात्रा में स्थित नहीं होने के कारण यहाँ के लोगों का सारा आर्थिक जीवन मानसून पर ही अवलम्बित है।

(२) मानसून की कमी या उमका विलुप्त न होना केवल कृषकां के ही नहीं, अपितु निर्माणाद्या व्यापारिया एव उपभोक्ताओं के लिये भी अत्यन्त हानिकारक सिद्ध होता है।

(३) मानसून की 'सूनता' में माधारण क्रय शक्ति गिर जाती है जिससे उत्पादन की कमी होकर व्यवसायिक श्रमिका की म्वाप्रो की माँग कम हो जाती है।

(४) देवा की श्राय म भी 'सूनता' प्रा जाता है क्वाकि श्रमावृष्टि व कारण व्यापार एव लोगों के आवागमन म कमी हो जाती है।

(५) राज्य की मानसुन्दारी ( Revenue ) म ह्रास हो जाता है और दम्भ्य सम्बन्धी सहायता की व्यवस्था करन म व्यय म वृद्धि हो जाती है।

(६) लोक श्रम ( Public Works ) म कमी हो जाती है जिससे र्धकार्य बढ जाती है।

(७) मानसून के न श्राय म पयन लब्ध हो जाती है और पहने का श्रापण निर्मात कम हो जाने म भारत का व्यापार यन्त्रन भी प्रतिकूल ( Unfavourable Balance of Trade ) हो जाता है।

(८) मानसून की असफलता से विभिन्न सम्बन्धी कठिनाइया ( Exchange Difficulties ) उत्पन्न हो जाता है।

(९) मनुष्या के चरित्र निर्माण पर मानसून का बृहत् प्रभाव पता है। देश के जिन भागो म पर्याप्त वर्षा होती है ( जैसे मगा-यमुना का मैदान ) वहाँ क लागो म श्राय निभरता ( Self sufficiency ) रूढवादिता ( Conservatism ) और घर घर टहरने की ( Staying at home ) की प्रवृत्ति पैदा हो जाती है। य लोग अधिक परिश्रमी न होकर आरामतन्त्र होते हैं। आजीविका के सुख म साधन उपलब्ध होने के कारण मनुष्य श्रमता श्रवकां का समय श्रमती आध्यात्मिक धार्मिक एव साहित्यिक उन्नति के लिये लगाना है।

(१०) इसके विपरीत देश के जिन भागो म जलवृष्टि का अभाव होता है वहाँ के मनुष्य परिश्रमी होते हैं क्वाकि उह उदर-पूर्ति क राशन जुटाने के लिये अश्रमक प्रयत्न करना पड़ता है। उदर-पूर्ति के साधन जुटाने म निरन्तर लग रहने के कारण उह श्रमती आध्यात्मिक एव साहित्यिक उन्नति के लिये विलुप्त श्रवकां नहा मिलता।

(११) जनसंख्या का घनत्व भी इस देश म वर्षा की मात्रा के अनुसार पाया जाता है। श्राय बरतुएँ समान हो तो देश म अधिक वर्षावान भाग हो अधिक आबाद है।

भारत की आर्थिक व्यवस्था म मानसून का बिनना महत्व है यह ऊपर क विवरणो म पूर्युतया स्पष्ट पता हो जाता है। अत मानसून की भाग्य का भाग्य विधाता बहना कोई अतिशयोक्ति नहा होगी। यही कारण है कि भारत का बन्द मानसून का जुझा ( Gamble of Monsoon ) कहा जाता है क्वाकि भाग्याव बजट अधिकता म मानसून पर ही निर्भर है।



### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—भारत के आर्थिक जीवन में वर्षों के महत्व को दिखाइए तथा भारत में मानसून न मार्ग का गक्षण में बरान कोजिए । (प्र० वी० १८५६, ५६)
- २—भारत की कृषि में काम आने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियाँ का वर्गीकरण कीजिये और उनकी मुख्य उपजा का नाम लिखिये । (प्र० वी० ५० १६५६)
- ३—भारत में भूमि की मुख्य समस्या क्या है ? उत्तर प्रदेश की सरकार उनको हल करने के लिये क्या कर रही है ? (उ० प्र० १६५४)
- ४—भारत की भूमि और जलवायु का विवरण क्षत्रिय । देश की आर्थिक समस्या पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है ? (उ० प्र० १६३३)
- ५—भारतवासियों का मानसून किस प्रकार प्रभावित करता है यह पूछना समझाइय । (रा० वी० १८५५)
- ६—किस देश के आर्थिक विकास पर वहाँ की जलवायु नया प्राकृतिक दशास्रा के पठन वाद प्रभावा की ब्याख्या कीजिये । (प्र० वी० १६५४, ५०)
- ७—निम्नलिखित पर नोट लिखिए —  
भारत में मिट्टी का कटाव (रा० वी० १६६०), वन महोत्सव (उ० प्र० १६५४),  
हिमालय क्षत्र (रा० वी० १६६०)

भारतवर्ष में वनों की भी एक अमूल्य सम्पत्ति है जो प्रकृति द्वारा प्रदान की गई है। भारतीय सघ की कुल भूमि का २२ प्रतिशत अर्थात् २,८० ३४८ वर्गमील क्षेत्रफल वनाच्छादित है। ससार के कई अन्य देशों की तुलना में यह क्षेत्रफल कम है। भव्य राज्या में वन वितरण समान नहीं है जैसा कि नीचे की सारणी से स्पष्ट है :—

राज्य	वनाच्छादित क्षेत्रफल का प्रतिशत
मध्य प्रदेश	४३.७%
छानाम	३६.०%
मद्रास	२७.०%
उत्तर प्रदेश	१६.०%
पश्चिमी बंगाल	१५.०%
बम्बई	१४.०%
बिहार	१४.०%
उड़ीसा	१३.७%
पंजाब	११.०%

### भारतीय वनों के प्रकार (Kinds of Indian Forests)

भारतीय सघ एक उपमहाद्वीप होने के कारण इसमें जलवायु, प्राकृतिक दशाएँ एवं भूमि की रचना की दृष्टि से पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इसी के अनुसार भारतीय वनों में भी भिन्नता होना स्वाभाविक है। मुख्य प्रकार के भारतीय वन नीचे दिये जाते हैं :—

१. सदाबहार वन (Evergreen Forests)—य वन देश के उन भागों में पाये जाते हैं जहाँ वि वर्षा का औसत लगभग सौ इंच या अधिक हो। इस प्रकार के वन पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढाल, हिमालय प्रदेश के पूर्वी भाग में पाँच हजार फीट की ऊँचाई तक और प्रायः सभी भागों में पाये जाते हैं। वहाँ के वन घने हैं और वृक्ष भी कई प्रकार के हैं। इन वनों में बाँस, बँस, ताड़ और रबड़ के पेड़ मुख्य हैं।

२ पतभङ्ग या मानसून वन (Deciduous or Monsoon Forests) — वष के कुछ समय विरोपतया प्रीण काल के प्रारम्भ म इन वना के वृषा के पत्ते गड जात है। इषी कारण इहे पतभङ्ग के वन कहते है। इन वनो को मानसून के वन भी कहा ह। ये वन भारत के कई भागो मे मिलत है परन्तु हिमालय का निम्नता प्रदेश और छाया नामापर का पठार इनके लिये प्रसिद्ध है। इन वना के मुख्य पड सागवान साल चंदन घागम रौर आदि है। इनकी लकडी बडा मूल्यवान होती है और फर्नाचर आदि म काम म आती है।

३ कोण्यारी या पर्वतीय वन (Coniferous or Mountain Forests) — ये वन हिमालय के दक्षिणी ढालो पर तीन हजार म नौ हजार फीट की ऊँचाई म वंच म मिलत है। यहाँ के वृषा म ऊँचाई प्रीण जलवायु की भिन्नता के अनुसार कई निम्ने ह। इन वना म क्वन चीड देवदार आदि के वृक्ष मिलत है जिनकी लकडा वला लाभदायक हानी है।

४ अल्पाइन वन (Alpine Forests) — हिमालय पर्वत पर नौ हजार फीट से अधिक ऊँचाई पर अधिक ठण्ड पडने के कारण छोटे वृक्ष और घोंघे पाय जात ह। इन वना म श्वेत सनेंवर लक आदि के वृक्ष मुख्य ह। अधिक ऊँचाई के कारण इन वृक्ष का उपयोग नडा हो सकत।

५ समुद्रतटीय या डेल्टा के वन (Tidal or Littoral Forests) — इस प्रकार के वन समुद्र के दलदली भाग तथा नदिया के उन डेल्टा म जो वृक्ष बाल के लिए नमकीन पानी म डूबे रहते है पाय जाते है। इनम मैनग्रोव नामक वृष मिलत ह कारण इहे मैनग्रोव वन और समुद्र का उद्धार चड आन के कारण उदार वन भी कहत है। गया के डेल्टे म सुंदरी वृषा की प्रधानता के कारण ये सुंदर वन कहलात है। उनी प्रकार महानदी गोदावरी कृष्णा आदि नदिया के डेल्टा म भी ऐसे वन पाय जात ह। इन वृक्ष की लकडी का जवाने के अतिरिक्त कोर उपयोग नही है।

६ शुष्क या मरस्थली वन (Arid or Scrub Forests) —

भारत के जिन भागो म जलवृष्टि बहुत कम होना है वहा वृक्ष कम होत ह। एम वृक्षा की लक लम्बी होती है और पत्ते छोट जिराग कम पानी होन पर भी पतप सक। इनके अतिरिक्त वहाँ कई प्रकार की गादेवार आडियाँ आ मिलत। ये निपु राज स्थान पूर्वी पंजाब म पाय जात है। इन वना मे कोबर वकून और सेजडा के वृक्ष मुख्य है। इन वृक्षा का पचन स्थानीय महत्त्व ही है।



### वनो का आर्थिक महत्त्व (Economic Importance of Forests)

विनी देश की आर्थिक व्यवस्था में वनों का बड़ा महत्त्व है। भारतवर्ष जैसे कृषि प्रधान देश में तो इनका अत्यधिक महत्त्व है। इनके द्वारा प्राप्त लाभ दो भागों में विभाजित किये जा सकते हैं—(प्र) प्रत्यक्ष लाभ, और (द्वा) परोक्ष लाभ।

वनो के प्रत्यक्ष लाभ (Direct Advantages of Forests)—वना के प्रत्यक्ष लाभ उनके द्वारा मिलने वाले वस्तुओं के कारण होते हैं। ये निम्नांकित हैं—

(१) वना में दण्डरती लकड़ी (Timber) और जलाने की लकड़ी (Fire-wood) प्राप्त होती है। यही वनों की मुख्य पैदावार (Major Products of Forests) है जिसमें सागवान, साल, वनूत, चीड़, देवदार, शीशम, चन्दन, गुलाब, जारोल वॉन, मुन्दरी, भारतीय महोगनी आदि लकड़ियाँ सम्मिलित हैं। ये लकड़ियाँ भवन निर्माण, रेलों के टिकने, पटरियों के स्लीपरों, नावों, फर्नीचर, सेल का समान और कृषि-उपकरण बनाने के लिये प्रयुक्त की जाती हैं। वनूल, धोकड़ा, खैजरा आदि साधारण लकड़ियाँ जनाने के काम में लाई जाती हैं।

(२) वनों में कई उद्योगों तथा व्यवसायों को बच्चा माल (Raw Materials) मिलता है। इनकी वनों की अल्प पैदावार (Minor Products of Forests) कहते हैं। ये निम्नलिखित हैं :—

(क) बाणज बनाने के व्यवसाय के लिये दान की भुग्दी, नवाई और भावर घाम वनों में ही प्राप्त होती है।

(ख) बबून व कीकर आदि वृक्षों की छाल से चमड़े राने के व्यवसायों (Tanning Industries) को सहायता मिलती है।

(ग) चीड़ या देवदार के वृक्षों से राल और तारपीन का तेल प्राप्त होने से रंग व रोगन, तेल, माबुल, मोमजामा, ग्रामोफोन के रिकार्ड व चूडिया बनाने के व्यवसायों को प्रोत्साहन मिलता है। यही कारण है कि उत्तरप्रदेश और पंजाब में इस प्रकार के कई कारखाने दृष्टिगोचर होते हैं।

(घ) वनों की लकड़ी से सुगन्धित तेल प्राप्त होता है, जैसे चन्दन आदि का तेल।

(ङ) रबड़, लाख, मोद आदि पदार्थ वनों से ही प्राप्त होते हैं जिनमें रबड़, लाख, चपड़ी, दानिष व पालिस आदि के व्यवसाय चलाये जाते हैं।

(च) रियासतार्ड के व्यवसाय में सीकें वना की लकड़ी से ही प्राप्त होती है।

(छ) रेशमी बरत का व्यवसाय भी वनों पर ही निर्भर है, क्योंकि रेशमी कीड़े महतून के वृक्ष के पत्तों पर रखे जाते हैं।

(ज) वनों में कई जड़ी-बूटियाँ तथा फल-फूल प्राप्त होते हैं जिनसे कारण औषधि बनान और मुरब्ये आदि के व्यवसाय का विकास होता है।

(झ) महत्त्व का व्यवसाय भी वना पर निर्भर है।

(३) वनों में लकड़ी काटने व चीरने तथा अन्य सम्बन्धित कारखानों के स्थापित होने में कई मनुष्यों को रोजगार मिलता है।

(४) वनों और चरागाहों में घास प्राप्त होती है। जैसे हिमालय के तराई प्रदेश में दूध देने वाले पशु बड़ी तादाद में राखे जाते हैं जिससे दूध, दही, मक्खन और घी का व्यवसाय होता है।

(५) वृक्षों के पत्तों में 'मञ्जूर साद' (Green Manure) तैयार किया जाता है।

(६) वनों में कई जगहों पर पशु घूमने फिरते हैं जिनका शिकार कर उनका चमड़ा, बाल आदि काम में लाये जाते हैं।

(७) वनों में राज्य सरकार का घास होनी है।

वनो के परीक्ष लाभ (Indirect Advantages of Forests)

(१) वना के वृक्षा म नरी रहने के कारण आस पास का जलवायु समशीतोष्ण रहता है।

(२) वनों में वर्षा होती है। पानी में परिपूर्ण हवाएँ जब वनों के वृक्षों में से होकर जाती हैं तो ठंडी होकर नदी आग-पाग वर्षा कर देती हैं। इसमें भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है।

(३) पहाड़ी ढाला पर वृक्ष होने के कारण वर्षा के जब प्रवाह में रूकावट हो जाती है जिससे बाढ़ नहीं आती और भूमि में कटाव (Soil Erosion) नहीं होने पाता।

(४) वन हवाओं के तीव्र बल को रोक कर बड़ी-बड़ी आधियों और तूफानों द्वारा मरानों व फसलों को नष्ट होने से बचाते हैं।

(५) मकप्रति में वृक्ष लगा देने में मिट्टी उठने से बचती है।

(६) वन देश के सौन्दर्य और स्वास्थ्य-सम्पादन के केन्द्र वन गव है, जैसे गिरगा, नैनीताल, दार्जिलिंग और नीलगिरी आदि।

(७) वन बाहरी आक्रमणों को रोकते हैं जिसमें देश में शान्ति और सुरक्षा स्थापित होकर आर्थिक विकास में सहायता मिलती है।

(८) वृक्षों के पत्तों भूमि पर गिर मिट्टी में मिलकर उत्तम खाद का काम देते हैं।

वनो के इस प्रकार के अनेक लाभों के कारण प्रत्येक देश में वनों का बड़ा महत्त्व समझा जाता है। भारत जैसे कृषि-प्रधान देश में लिये तो इलाका और भी अधिक महत्त्व है। इंग्लैण्ड में वनों को ब्रह्म 'कृषि की दासी' (Handmaid of Agriculture) न कहकर इन्हे इसका आध्यात्मिक सहयोगी समझना चाहिए। वास्तव में, वनों को राष्ट्रीय मयक्ति कहना बिल्कुल उचित है।

वनो की शासन व्यवस्था (Forest Administration) - भारत में वनों का सरक्षण बहुत देर में प्रारम्भ हुआ। सन् १८६४ ई० में बड़े-बड़े प्रांतों में 'वन विभाग' (Forest Departments) स्थापित किये गये। सन् १८६४ ई० में

1—Forestry Should no longer be regarded as a handmaid to agriculture but a necessary complement to it.

—Planting Commission Report.

भारत सरकार द्वारा परिपत्र (Circular) जारी किया गया जिसके आधार पर वन सम्बन्धी नीति निश्चित की गई। इस नीति के मुख्य चार सिद्धान्त थे - (१) जलवायु और प्राकृतिक कारकों में वनाच्छादित पर्वत क्षेत्रफल संरक्षित रखना प्राथमिक आवश्यकता है, (२) लोगों की साधारण गृहों के लिये वनों के सुरक्षित रखने की आवश्यकता द्वितीयक है, (३) वानिकी (Forestry) में वृषि अधिक आवश्यक है, परन्तु सुलभतम भूमि पर वनों का रहना भी आवश्यक है, (४) वनों की क्षय की वधा सम्भव पूर्ण रूप से बसूनी होनी चाहिये। वास्तव में क्षय ने भी सरकारी नीति एवं तक प्रभावित रही है।

राज्य नियन्त्रण की दृष्टि से भारत के वन तीन भागों में विभाजित किये गये हैं :-

(१) सुरक्षित वन (Reserved Forests)—ये वन हैं जिनकी रक्षा करना जलवायु की दृष्टि में महत्वपूर्ण है। ये वृक्ष सरकार के कठोर नियन्त्रण में होना हैं। इनके वृक्ष नहीं काटे जाते और न वहाँ पशु चराने की ही प्राप्ति होती है।

(२) रक्षित वन (Protected Forests)—इन वनों पर भी राज्य की देख-रेख रहती है। आवश्यकतानुसार इनकी लकड़ी भी काटी जाती है और इनमें छात्रा प्राप्त कर पशु भी चराये जा सकते हैं।

(३) स्वतन्त्र वन (Unclassed Forests)—इनमें लकड़ी काटने एवं पशु चराने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। परन्तु उसके बदले में सरकार को निश्चित शुल्क देना पड़ता है।

वर्गीकरण	क्षेत्रफल
सुरक्षित वन .....	... ६२,६०० वर्ग मील
रक्षित वन .....	... ६,८०० " "
स्वतन्त्र वन " ...	... १८,५०० " "
योग .....	<u>... ८८,२०० " "</u>

सरकार की ओर से सन् १९०६ ई० में देहरादून में 'वन अन्वेषणागार' (Research Institute of Forests) स्थापित किया गया जिसमें वन सम्बन्धी वनों का वैज्ञानिक अन्वेषण किया जाता है। इस प्रकार की कई संस्थाएँ खोलने की आवश्यकता है।

भारतीय वन-उद्योगों की हीन दशा के कारण

### (Causes of Backwardness of Indian Forests)

पारन्तप देशों की अपेक्षा भारतवर्ष में वन-उद्योगों की अत्यन्त पतित दशा है इन वान का प्रमाण हमें भारतवर्ष और जर्मनी के वना की वार्षिक आय की तुलना में मिल सकता है। भारतवर्ष की सरकार को वनों में केवल पाँच करोड़ रुपय की ही वार्षिक आय हाती है, जबकि जर्मनी में जो भारतवर्ष के एक प्रान्त के बराबर है, वनों में २ करोड़ रुपय वार्षिक आय होती है। इस हीन दशा के कई कारण हैं जिनका नीचे उल्लेख किया जाता है :-

१—विभिन्न प्रकार की लकड़ियों के सूख, गुण और उपयोगिता की अनभिज्ञता।

२—भारतीय सरकार का अब तक वन शोषण को अपेक्षा वन-रक्षा की और अधिक ध्यान रहा है।

३—वन-विज्ञान और वन-रक्षण विद्या का प्रभाव।

४—वन-अन्वेषणालयों का प्रभाव।

५—वन-विभाग और वृषि-विभाग में निकट सम्पर्क का पूर्ण प्रभाव।

६—शुष्कता वन पालायत के साधनों में वर्णित है।

७—लगभग तिहाई वन निजी सम्पत्ति हैं और वे साधारणतया बिना विचार के नष्ट किये जाते हैं।

८—वन विभाग में कार्य करने के लिये उपयुक्त वेतन, ग्रेड आदि प्रलोभन का प्रभाव।

वनों की उन्नति के उपाय—भारतवर्ष में वनों की उन्नति निम्नलिखित उपायों द्वारा की जा सकती है,—

१—भारतवर्ष में वन रक्षण तथा वन-प्रसार योजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित करना चाहिये। 'अधिक वृक्ष लगानों' आदि इस प्रकार के आन्दोलन से सार्थक सिद्ध हो सकते हैं।

२—वन-रक्षण तथा वृक्ष लगाने के कार्य में वैज्ञानिक ढंगों का आश्रय लेना चाहिये।

३—वन-उपजों के अन्वेषण तथा प्रयोगों द्वारा वन-उद्योगों का विकास करना चाहिये।

४—पालायत के साधनों का विकास होना आवश्यक है।

५—वनों के क्षेत्रफल में दस प्रकार वृद्धि होनी चाहिये कि पशुओं के लिये उचित चरागाहों की भी समुचित व्यवस्था हो जाय और ईंधन व व्यापारिक प्रयोजन वाली सब्जों भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकें। जलाने की लकड़ी प्राप्त होने पर गोबर का मृदा नष्ट होने से बच सकेगा।

६—वृषि रॉयल कमीशन ने यह सिफारिश की थी कि प्रत्येक प्रान्त में 'वन-उपयोग अधिकारियों' (Forest Utilization Officers) नियुक्त किये जाने चाहिये और वनों के उचित शोषण का उत्तरदायित्व उन्हीं पर होना चाहिये।

७—रॉयल कमीशन को सिफारिश के अनुसार वन दो भागों में विभाजित हो जाना चाहिये—मृदुल वन और छँटे-मोटे वन। मृदुल वन में होने चाहिये जो व्यापारिक वन हैं और छोटे-मोटे वन में होने चाहिये जो ईंधन और साधारण लकड़ी की पूर्ति करने हैं। छोटे-मोटे वन पचासवों के सुपूर्द कर देने चाहिये।

८—वृषि-विभाग और वन-विभाग के मध्य निकट सम्पर्क बौद्धिक है।

९—वृषि निजों और स्कुलो में वन-सम्बन्धी अध्ययन अनिवार्य रूप में होना चाहिये त्रिपथे वन-विभाग के लिये कुशल कर्मचारियों तैयार किये जा सकें।

१०—प्रचार द्वारा वन उपजों और उन पर सम्बन्धित उद्योगों के महत्व को जनता में सम्मुख करना चाहिये।

११—वन विभाग में कुशल कर्मचारियों को माहूट करने के लिये उत्तम वेतन व ग्रेड होने चाहिये। सरकारों छात्र-वृत्ति द्वारा वन-विद्या के लिये अधिकाधिक संख्या में छात्र भेजे जाने चाहिये।

• सरकार की वर्तमान वन-नीति—योजना बमीदान की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये भारत सरकार ने १२ मई १९५२ को अपनी नवीन वन-नीति की घोषणा की जिसके अनुसार भारत सरकार ने एक 'वनो का केन्द्रीय बोर्ड' (Central Board of Forests) की स्थापना की। यह बोर्ड केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की वन-नीति का ध्यान रखता है। यह केन्द्रीय सरकार के ऊपर निगरानी रखता है कि वह 'नवीन वन नीति' का पालन करती है। इसके अतिरिक्त वनों के विकास के लिये एक 'वन प्रमो-सर्ष' स्थापित किया गया है जिसके प्रधान सचिव भारत के राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद हैं। इस सभ का कार्य वन विकास का प्रचार करना है। वन-महोत्सव समारोह इसी सभ द्वारा संचालित होता है।

वन महोत्सव समारोह—इस उत्सव का श्रीगणेश सबसे प्रथम मन् १९५० में उत्तर प्रदेश के राज्यपाल श्री व० एम० मन्शी जो उस समय केन्द्रीय सरकार के सचिव मन्त्री थे, द्वारा हुआ था। तब से यह प्रति वर्ष जुलाई मास में मनाया जाता है। स्थान-स्थान पर सरकारी व गैर सरकारी अधिकारी तथा अन्य प्रतिष्ठित व साधारण व्यक्ति वृक्षारोपण करते हैं। इसके फलस्वरूप लोगों में पेड़ लगाने की प्रेरणा जाग्रत होती है तथा लाखों पेड़ प्रति वर्ष इसी बहाने लगाये जाते हैं।

योजना तथा वन—हमारी योजना में इनारती लकड़ी, दियासलाई की लकड़ी, वाटन, लुगदी तथा गेहूँ का उत्पादन बढ़ाने और जंगल क्षेत्रों का भरपूर उपयोग और उपलब्ध जंगल के साधनों का अधिकतर उपयोग करने का कार्यक्रम बनाया गया है। वन सम्बन्धी योजना में जिसके लिये २५ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है, ६ लाख एकड़ भूमि में जंगलों को विकसित करने और ३ लाख एकड़ भूमि में नये जंगल बनाने और ५० हजार एकड़ भूमि में चरागाह बनाने का प्रयत्न किया गया है।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—भारतवर्ष की आर्थिक दशा पर उसके वनों का महत्त्व बताइए। उनकी उन्नति करने के लिये क्या कार्य किया गया है ? (रा० बो० १९६०)
- २—'वन महोत्सव' के आर्थिक महत्त्व पर टिप्पणी लिखिये। (उ० प्र० १९५४)
- ३—भारतीय वनों का आर्थिक महत्त्व समझाइयें और इस सम्बन्ध में सरकारी नीति भी बताइयें। (म० भा० १९५३, ५२)
- ४—हमारी अर्थ व्यवस्था में जंगलों के महत्त्व को स्पष्टतया समझाइयें। आप भारत में जंगलों के विकास के लिये क्या सुझाव रखेंगे ? (म० बो० १९५३, ३६, रा० बो० १९५०, ८५, पंजाब १९४८, दिल्ली १९५४)



भारतवर्ष की कृषि सम्पत्ति  
(Agricultural Wealth of India)

भारत में कृषि का महत्त्व

भारत में कृषि का बड़ा महत्त्व है। यहाँ के लगभग ७० प्रतिशत लोग का धन्य होती करता है। देश को बढ़ती हुई जन-संख्या के लिये अन्न उत्पादन करने में ही इतका महत्त्व नहीं है, बल्कि अनेक उद्योग धंधों को चलाने के लिये कच्चा माल भी कृषि से मिलता है। अस्तु भारतीय आर्थिक व्यवस्था में कृषि का एक मुख्य स्थान है।

भाग्यनीय कृषि की दशा

“भारत में हम पिछड़ी हुई जानियाँ रखते हैं हम पिछड़े हुए उद्योग भी रखते हैं और कृषि दुर्भाग्यवश उनमें से एक है।”  
—डा० क्लॉडडमटन

भारतवर्ष में कृषि का इतना महत्त्व होने हुए भी यह एक अछड़ी दशा में नहीं है। “भारत एक धनाढ्य देश है जिसमें दरिद्र निवास करते हैं।” यह कहावत यहाँ लागू होती है। भारत की भूमि बहुत उपजाऊ है और जनसंख्या में कृषि के लिए अनुकूल है, परन्तु फिर भी यहाँ खेती की दशा शोचनीय है। अन्य देशों की तुलना में भारत में प्रति एकड़ पैदावार बहुत ही कम है जैसा कि निम्न तालिका में स्पष्ट है :—

( पाँट में )

देश	गहूँ	चावल	गन्ना	मकई	कपास	तम्बाकू
अमेरिका	८१२	२,१८५	४७,५३४	१,५७६	२६६	८८२
जर्मनी	२,०१७	—	७०,३०२	२,८२८	—	२,१२७
इटली	१,३८३	४,५६८	—	२,०५६	१७२	१,१४६
सिंह	१,६१८	२,६६८	—	१,८६१	५२५	—
जावा	—	—	४३,२७०	—	—	—
जापान	१,७१३	३,४४४	—	१,३२६	१५६	१,६६५
चीन	६८६	२,४३३	११,६७०	१,२८४	२०४	१,२८८
भारत	६६०	२,२४०	१४,५८८	८०३	८६	६०७

ऐसा अनुमान लगाना गया है कि गेहूँ की प्रति एकड़ पैदावार भारत में मिथ की ३ और हॉलैंड तथा उनमार की ६ है। चानर की प्रति एकड़ उपज इटली की ३, जपान में मिथ की ३, गन्ना में जावा की ३ और मक्का में यूजीवैड की ३ है।

भारतीय कृषि के घबराव के कारण

(Causes of Backwardness of Indian Agriculture)

भारत में कृषि का अत्यधिक गहन होना हुए भी यह एक अच्छी दशा में नहीं है। इसके अनेक कारण हैं जो ग्रहण में नीचे दिये जाते हैं : -

(१) कृषक की निर्धनता, (२) कृषक की अनिज्ञा, (३) कृषकों की सामूहिक एवं मानसिक स्थिति, (४) उत्तम व गन्दे खाद का अभाव, (५) खेती के पशुओं की दुर्बलता, (६) मूत्रों का अभाव, (७) उत्तम बीजों का अभाव, (८) पशुओं को नष्ट करने वाले अनेक पशु-पक्षी, कीड़े-मकोड़ों आदि का होना, (९) आधुनिक खेती के औजारों का अभाव, (१०) भूमि का कटाव तथा बाढ़ों के आने से भूमि का नष्ट होना, (११) जनशक्ति की अनियमितता, (१२) घरेलू उद्योगों का नष्ट होना और भूमि-भाग का नष्ट जाना, (१३) खेती में वैज्ञानिक ढंगों का अभाव, (१४) भूमि का छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित होना, (१५) अर्थशास्त्र और मर्हणा अर्थ-प्रबन्धन, (१६) कृषकों द्वारा साधारण नीति रिवाजों पर विचार नहीं, (१७) खेती की उपज की अगुनापन्नक विपणन (Marketing) व्यवस्था, (१८) कृषक की स्थिति।

कृषि उद्योग के उपाय—भारतीय कृषि की उन्नति उपर्युक्त कमियाँ व दशाओं को दूर करने में ही रहती है। संयुक्त-राष्ट्र संघ (U.N.O.) के कृषि और खाद्य-निर्माण (F. A. O.) व वाइल्डरट की १० मी० टाट में भारत की कृषि उन्नति के लिये निम्न सुझाव दिये हैं :—

(१) जंगलों को काटने की प्रणाली पर बड़ा नियन्त्रण कर मिट्टी के कटाव पर नियन्त्रण किया जाय।

(२) नव-कृषि द्वारा गिनती देशों में वृद्धि करना।

(३) कृषि (खाद्यनिर्माण) खाद के उपयोग में वृद्धि करने की अपेक्षा पारसो (Clover Crops) फसल का अधिक उपयोग किया जाय जिससे उत्तम द्वारा सादृशान सफ़ाई करत तथा पानी को अधिक समय भूमि में रहने की प्रणाली का विकास हो।

(४) कृषि में मजाल का प्रयोग खेती के लिये दूर तक ही सीमित कर देना।

खेती की कमी कुछ कृषि प्रणाली (Dry Farming) को प्रस्ताव कर दूर कर सकते हैं। इस प्रणाली द्वारा खेती करने में न मिर्च खोपन वर्ष में ही उपजति भी जा सकती है, यहाँ सूखे वर्षों में भी कुछ-कुछ पैदा किया जा सकता है।

१०० अनाज व अनुमान यदि बहुत सज्जा आदि बीज पतन खाद तथा को उपचार उद्योग में उनमें मशीन की उपज की प्रायः ता गोरत की खाद में १०० प्रतिशत सादृशान मिल सकता है। जिसमें मात्रा में १०० पाप टन की वृद्धि की जा सकता है। इस प्रकार किसान खाद की कमी अपने खेत और पशुओं के खाँ में मैन प्रोड्यूस कट से कॉमासा (Comasa) बना कर, स्वयं खाद का उत्पादन कर पूरी कर सकते हैं। कॉमासा व अतिरिक्त निरवहन की खाद भी काम में लाई जा सकती है। इस प्रकार खेती में ही खाद देना, मशीन, बीज, साधारण अर्थात् का भी प्रयोग किया जा सकता है।

कृषि के लिए पमला की उन्नत जातियों को अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिये, अमेरिका में अब तक गेहूँ की ५० नई जातियाँ निकल गई हैं जो बीमारियाँ पाण्डू अनाभूषित अथवा सर्दों व कोहरे में मुक्त हैं। दीमक आदि कीटों को रोकने के लिये वेना में फसला को हेर फेर (Rotation) के साथ जोया जाय अथवा गहरा हल घनाकर अर्थ की धाम-फूस को खेतों में निकाल दिया जाय।

कृषि साध व्यवस्था के लिये सहकारिता का विकास निश्चय आवश्यक है। यह न केवल साध के क्षेत्र में ही लाभदायक सिद्ध होगी परन्तु कृषि में अन्य क्षेत्रों में भी जैसे खाद, बीज, भोजन प्राप्ति, बिक्री व्यवस्था आदि।

भारतवर्ष में फसलें—भारतवर्ष में मुख्यतः दो फसल पैदा होती हैं— ( १ ) खरीफ की फसल और ( २ ) रबी की फसल।

(१) खरीफ की फसल—इसकी पुष्पाई ऋतु से अमरत तक अर्थात् गर्मों व मानसून धारम्भ होने से पूर्व ही होती है। अन्धी वर्षा होने से सिंचाई की कम आवश्यकता होती है। इस फसल की मुख्य पैदावार गन्ना, ज्वार, बाजरा, चावल, पाट, मसूर, मूँग, तम्बाकू, उड़द, मूँग और तिलहन (तिल और भूँगफलों) हैं।

(२) रबी की फसल—यह शरद ऋतु से शरम्भ में बोई जाती है और शीत काल में काट ली जाती है। सर्दों के मानसून में वर्षा बहुत कम होने से और वह भी केवल मद्रास में ही होती है, सिंचाई की बहुत आवश्यकता है। इस फसल की मुख्य पैदावार गेहूँ, जौ, चना, मूँग, अलसी और राई हैं।

इन फसलों का विस्तृत विवरण आगे दिया जाता है

### (१) खाद्य पदार्थ (Food Crops)

चावल (Rice)—चावल गर्म और तप्त जलवायु में पैदा होता है। पानी की वृत्ता की पूर्ति सिंचाई द्वारा की जाती है। चावल की फसल के लिये उबरा भूमि आवश्यक है। यही कारण है कि चावल अधिकतर नदियों के डेल्टा तथा उनकी घाटियों और मैदानों में उत्पन्न किये जाते हैं। वैसे थोड़ा बहुत चावल भारत में सभी जगह पैदा होता है, परन्तु बंगाल, बम्बई, मद्रास, बिहार, उ० प्र०, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश और पूर्वी पञ्जाब इसके मुख्य पैदा करने वाले हैं। यह देश की कृषि योग्य भूमि के ३०% पर जोया जाता है। चावल की पैदावार में मसूर में भारत का प्रमुख स्थान है। मसूर की समस्त उपज का २१ प्रतिशत चावल भारतवर्ष में उत्पन्न होता है, परन्तु जन मरुधा इतनी अधिक है कि इसे विदेशों से चावल मँगाना पड़ता है। भारत में १९५०-५१ में उपज ८ करोड़ १६ लाख एकड़ भूमि पर चावल की खेती हुई और २ करोड़ ६७ लाख टन चावल पैदा हुआ। चावल की प्रति एकड़ उपज बढ़ाने के लिए जापानी पद्धति को भी अपनाया जा रहा है।



चावल (Rice)

गेहूँ (Wheat) अनाजा में गेहूँ सब में अधिक महत्वपूर्ण है। मनुष्य की जन-संख्या का बहुत बड़ा भाग गेहूँ ही खाता है और गेहूँ अत्यन्त प्राचीन काल में उत्पन्न किया जाता है। यही कारण है कि गेहूँ को बहुत प्रकार के जनवायु में उगा करने



गन्धक

का प्रयत्न किया गया है। गन्धकियार भूमि में खूब उन्नत होता है परन्तु अधिक कठोर भूमि बोधे के लिए हानिकारक सिद्ध होती है। इस प्रकार के बोधे में समय मर्दों और नमी होना आवश्यक है। परन्तु फसल पकने के समय तेज धूप उतनी ही आवश्यक है। अन्तु भारत में गन्धकियार व नवम्बर में बोया जाता है और अग्रत व मई में बाटा जाता है।

भारतवर्ष में गन्धकियार की मुख्य फसल है। देश का कोई ऐसा भाग नहीं है जिसमें यह चीज-बहुत पैदा न होता हो किन्तु पूर्वी पंजाब उत्तर प्रयाग मध्य प्रदेश बिहार और बम्बई में इसकी पैदावार विषय रूप में होती है। भारत में गन्धकियार की कुल उपज का ६५% उत्तर प्रदेश में उत्पन्न होता है। जोती जने वाली भूमि के १० प्रतिशत भाग में गन्धकियार की खेती होती है अर्थात् लगभग २२ करोड़ एकड़ भूमि गन्धकियार के लिए प्रयुक्त की जाती है। यहाँ प्रति एकड़ पैदावार कम होती है अतः यहाँ का कर्ता हृदय जन-संस्था को सिचाने के लिए गन्धकियार में बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। भारत में १९५०/१ में तीन करोड़ एकड़ भूमि पर लगभग ६७ लाख टन गन्धकियार उत्पन्न किया गया। इन देश की विज्ञान जन संस्था के लिए यह पैदावार बहुत कम है। अन्तः अमेरिका आदि देशों से बड़ी मात्रा में गन्धकियार आयात किया जाता है। सन् १९५६ में गन्धकियार आयात मात्रा ३१ लाख टन आयात किया गया।

जौ (Barley) — जो गन्धकियार की ही जाति का प्रकार है किन्तु यह और अनाजों में अधिक कठोर होता है। जो मर्दों और नमी खूब सहन कर सकता है। साधारण भूमि पर भी जौ का अच्छी फसल उत्पन्न हो सकती है। भारतवर्ष में लगभग ६२ लाख एकड़ भूमि में जौ पैदा होता है और लगभग २० लाख टन पैदा होता है जो उत्पन्न करने वाले मुख्य राज्य उत्तर प्रदेश बिहार और पूर्वी पंजाब हैं। भारत की समस्त पैदावार का दो तिहाई भाग अनेक उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। जो विदेश आनीसों का मुख्य भोज्य पदार्थ है। इन देशों में अधिकतर जौ का उपयोग मानव के लिए ही होता है न कि मवेशि वनान में। भारत से बहुत कम जौ विदेशों का भेजा जाता है। सन् १९५०-५६ में लगभग ८१६ लाख एकड़ भूमि पर जौ बोया गया और २६४ लाख टन पैदावार हुई।



जौ

मक्का (Maize) — चावल की भाँति मक्का भी गन्धकियार पर जनवायु में पैदा होती है। मक्का को अच्छी पैदावार के लिए रेत मिती हुई मन्धियार भूमि की आवश्यकता होती है। भारत में मक्का उत्पन्न करने वाले राज्य उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश मद्रास हैन्धवायार और बम्बई हैं। मक्का की सारी पैदावार यहाँ उपयोग में आती है। सन् १९५०-५६ में लगभग ११ करोड़ एकड़ भूमि पर मक्का की खेती की और २६ लाख टन पैदावार हुई।

**ज्वार-बाजरा (Miller)**—भारतवर्ष के उन भागों में जहाँ वर्षा कम होती है, ज्वार-बाजरे की मुख्य फसलें होती हैं। भारत के अत्यन्त शुष्क प्रदेशों में बाजरा मुख्य आहार है। बाजरे के लिए रेतीली भूमि चाहिए। ज्वार-बाजरे की फसल के लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती। ज्वार-बाजरा भारत के सभी भागों में होता है, परन्तु उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास, आन्ध्र महाराष्ट्र और गुजरात इनकी पैदावार के लिए मुख्य है। भारतवर्ष में यह लगभग ६६ लाख एकड़ भूमि में उत्पन्न किया जाता है। समस्त पैदावार का सीत-चौथाई भाग तो इसी देश में नाम मा जाता है और दोप भाग निर्यात कर दिया जाता है। सन् १९५८-५९ में भारत में ज्वार-बाजरा १२ करोड़ एकड़ में बोया गया था जिसमें २०८८ लाख टन पैदावार हुई।



**दालें (Pulses)**—भोज्य पदार्थों में दालों का महत्वपूर्ण स्थान है। भारतवर्ष में दाल भोजन का एक आवश्यक अंग है, अरहर, चना, मटर, मसूर, मूंग तथा उड़द मुख्य दालें अधिकतर उत्पन्न कटिबन्ध तथा शीतोष्ण बटिबन्ध में उत्पन्न होती हैं। दालों का पैदा करने से लेशों की मिट्टी अधिक उपजाऊ हो जाती है, क्योंकि दालों ने पौधे से नाइट्रोजन जमा कर देते हैं। अधिक ताप में पैदा करने वाले मुख्य राज्य पंजाब, मध्य-प्रदेश, बंगाल और बम्बई हैं। समस्त पैदावार यहाँ खप जाती है। सन् १९५८-५९ में दालों का उत्पादन १२ करोड़ टन है।

**शाक-तरकारी (Vegetables)**—शाक भोजन का मुख्य अंग है। प्रत्येक भारतीय के घर में शाक-तरकारी किसी-न-किसी रूप में प्रतिदिन उपभोग में लाई जाती है। तरकारियाँ उत्पन्न करने के सिधे बहुत उर्वरा भूमि, मधेष्ठ खाद और जल की आवश्यकता होती है। किन्तु तरकारियों के शीघ्र खराब हो जाने के कारण शहर तथा समीपवर्ती कस्बों के लिए ही तरकारियाँ उत्पन्न की जाती हैं। सब भाषा की जाती है कि मातापिता के शीघ्र साधनों की उपनि और शीतगार (Cold Storage) के आविष्कार से तरकारी तथा फलों की बेनी को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा।



**फल (Fruits)**—फलों के उत्पन्न करने का धन्या भारतवर्ष में अभी उपन्न दशा में नहीं है, क्योंकि यहाँ फलों का उपभोग बहुत कम है। यहाँ लगभग सब प्रकार का जलवायु मिलने से सब प्रकार के फल उत्पन्न किये जा सकते हैं। यहाँ होने

याने कुछ प्रसिद्ध फल थे हैं—आम, अमरुद, अनार, जामुन, नारंगी व सतरे, नेले पपीता लीची, तरबूज, तरबूज आदि। वर्तमान समय में फलों के उपभोग में वृद्धि पाई जाती है और कुछ फल जैसे आम आदि का निर्यात भी होने लगा है, फलों की किस्म और उनके धंती के ढंगों में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है।

**मसाले (Spices)**—भारतवर्ष में मसालों का उपभोग बड़ी मात्रा में होता है। हल्दी, धनियाँ जिन मिर्चों की पैदावार ती प्रथम सभी जगह देखी जाती है। काली मिर्च, दानचीनी, लीम अदरक, इलायची आदि को गर्म जलवायु की आवश्यकता होने से इनकी पैदावार दक्षिणी भारत में मलाबार और ट्रान्कौर के तट पर होती है।

**गन्ना या ईख (Sugar-cane)**—भारत गन्ने का जन्म-स्थान है और संसार



का सबसे अधिक बन्दा यही होता है। इनमें पाकी गर्मी और वर्षा की आवश्यकता है। जहाँ वर्षा कम होती है, वहाँ सिंचाई करनी पड़नी है। गन्ना मार्च-अप्रैल में बोया जाता है और फरवरी में काट लिया जाता है। गन्ना उत्पन्न करने वाले मुख्य राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब है। इनके अतिरिक्त बंगाल, मध्य प्रदेश, और मद्रास में भी गन्ने की खेती होती है। गन्ने की उपज में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है क्योंकि यहाँ भारत का ६०% गन्ना उत्पन्न किया जाता है। सन् १९३२ ई० में जब विदेशों से आने वाली शक्कर पर सरक्षण-कर लग गया तब से भारतवर्ष में मैकडॉ शक्कर के कारखाने खुल गये और गन्ने की पैदावार में भी वृद्धि हो गई। सन् १९३८-३९ में गन्ने का उत्पादन ७ करोड़ टन था।

### भारत की खाद्य समस्या (India's Food Problem)

गत शताब्दी में भारत अन्न के उत्पादन में स्वावलम्बी था और यहाँ में अन्न पर्याप्त मात्रा में विदेशों का निर्यात किया जाता था। धीरे-धीरे हमारे खाद्य-स्त्रियों विगड़ती गई और यहाँ तक कि गत महायुद्ध में तो बहुत बड़ी भयंकर हो गई। अब भी खाद्य मजदूत उस देश पर मड़रा रहा है। इस प्रकार की खाद्य स्थिति होने के अनेक कारण हैं, परन्तु उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं—

(१) जनसंख्या में वृद्धि, (२) भूमि के उपजाऊपन में कमी हो जाना (३) प्रकृति का प्रकोप अनाज, बाढ़ आदि के रूप में, (४) खेती के लिए सिंचाई और उत्तम खाद का अभाव, (५) आधुनिक खेती के औजारों का अभाव, (६) फसल परिवर्तन आदि भती के वैज्ञानिक ढंगों की अनभिज्ञता, (७) बिना मोच-मगगे वृक्षाओं काटना जिससे पत्तल-रूप भूमि का कटना और उसकी उर्वरा शक्ति नष्ट हो जाना

तथा वर्षा का कम होना (८) खली व लिये निबन्ध पशु और उनके लिये चारे व घास की कमी (९) भारतीय कृषि की स्थिति एवं प्रभावता (१०) भोजन का अभाव (११) गन् महायुद्ध व कारण किसान खेतों का काम छोड़ कर मैदान भर्ती हो गये (१२) खाद्य पदार्थों का दोषपूर्ण वितरण (१३) प्रथा का भारत में (१४) ई०) प्रयुक्त होना जिहमें चावल की कमी हो जाना (१५) देश के विभाजन का प्रभाव—गेहूँ और चावल उत्पन्न करने वाले भाग अधिकांश पाकिस्तान में चले गये (१६) खाद्यान्नों के स्थान पर अधिक पसा देने वाली फसल—जैसे कपास गन्ना जूट आदि बोना (१७) देश में दूध तथा फलों की कमी होना (१८) यातायात के साधनों की कमी ।

इही कारणों ने हमारे खाद्य स्थिति अत्यन्त मन्दमय हो गई है। अनाज की



कमी को दूर करने के लिए करोड़ों रुपये का अनाज हमारी सरकार को विदेशों में मंगाना पड़ता है। सन् १९५६ में ३८ लाख टन गेहूँ चावल आदि खाद्यान्नों का आयात किया है। अब तक हम अन्न के लिये दूसरे देशों को मुँह ताकते रहेंगे? सन् १९५०-५१ में ५ करोड़ टन और सन् १९५२

५६ में ६ करोड़ टन खाद्यान्न पदा किया। इसी योजना के अन्तर्गत अनाज १९६०-६१ तक ८ करोड़ टन खाद्यान्न उत्पन्न करने का नया यत्न किया गया है।

खाद्य सामग्री में वृद्धि करने के उपाय

(१) पड़त भूमि में खेती करना (२) सामूहिक खेती (३) रासायनिक खादों का उपयोग (४) मिर्चाई के साधनों में वृद्धि करना (५) अन्न व अतिरिक्त अन्न पोषक पदार्थों की उत्पत्ति करना जैसे दूध पत्त, अंडे तथा मछली का प्रयोग (६) उत्तम खाद्य एवं बीज की व्यवस्था करना (७) भूमि की कृषि योग्य बनाना (८) गहरी खेती करना (९) खेती की उत्पन्न वस्तुओं के लिये अपेक्षित एवं प्रयोग करना (१०) आधुनिक औद्योगिक के लिये जलशक्ति का व्यवस्थापन करना (११) छोटे छोटे नगर व नगरियों को बांध कर अपवाहीन योजना बनाना (१२) बीघनातीन बहु प्रयोजन वाली योजनाओं को कार्य रूप में लाना (१३) छोटे छोटे खेतों का एकीकरण करना (१४) खेती के प्रोत्साहकों तथा अन्न वस्तुओं को यातायात प्रथम (Priority) प्रदान करना (१५) खाद्यान्न के वितरण की सुविधा व्यवस्था करना (१६) अधिक अन्न उत्पादन तथा वृक्ष लगाने आदालत को सकल बनाना ।

## (२) पेय पदार्थ एवं मादक वस्तुएँ (Beverages &amp; Drugs)



**चाय (Tea)**—चाय एक प्रकार की झाड़ी की सूखी पत्ती है। चाय का वृक्ष उष्ण कटिबंध में ही उत्पन्न हो सकता है। इसकी पैदावार के लिये गर्मी और जल की बहुत आवश्यकता है, परन्तु यदि जल वृक्ष की जड़ के पास धेर तक रहे तो वृक्ष को हानि पहुँच जाती है। इसी कारण चाय बहुधा पहाड़ के ढालों पर उत्पन्न की जाती है जिसमें कि पानी बह जाय। चाय की भाँडी लगभग पाँच वर्षों में चाय उत्पन्न करने योग्य हो जाती है और ३० वर्ष पर्यन्त पत्तियाँ देती रहती हैं।

चाय का पौधा

भारत में आसाम और बंगाल सबसे अधिक चाय उत्पन्न करने वाले राज्य हैं। आसाम में भारत की उपज की ५३% चाय उत्पन्न की जाती है और बंगाल की दार्जिलिंग की पहाड़ियों पर २८% चाय पैदा की जाती है। इनके अतिरिक्त यह उत्तर प्रदेश, पंजाब, मद्रास और केरल में भी पैदा होती है। भारत में चाय उत्पन्न करने वाली कुल भूमि ७८ लाख एकड़ है जिनमें १२। लाख अंशिक काम करने है, और कुल वार्षिक पैदावार ५८ करोड़ फीट है। यह भारत की मुख्य व्यापारिक फसल है। पैदावार का तीन-चौथाई भाग विदेशों का निर्यात कर दिया जाता है।

सन् १९४८-४९ में ६८ करोड़ फीट चाय उत्पन्न की गई जिसमें में १३६ करोड़ रुपये के मूल्य की चाय निर्यात की गई। देश में 'चाय बोर्ड' द्वारा चाय के उपभोग का प्रचार-विज्ञापन जाता है जिससे फलस्वरूप भारत में पहले की अपेक्षा चाय अधिक खपने लग गई है।

**कहवा (Coffee)**—कहवा भी चाय की भाँति पेय पदार्थ है। कहवे का वृक्ष



कहवा का पौधा

चाय की तरह गर्मी और पानी चाहता है, किन्तु कहवे का पौधा जबकि वह छोटा होता है मूल्य की तेज धूल को सहन नहीं कर सकता। कहवे के लिये बहुत उपजाऊ भूमि की आवश्यकता है। दक्षिण के नीलगिरि पहाड़ी प्रदेश में कहवा खूब पैदा होता है। मैसूर, कुर्ग, मद्रास, और केरल में मुख्यतया यह उत्पन्न होता है। भारत की सम्पूर्ण उपज का ५०% कहवा मैसूर राज्य से और २५% मद्रास राज्य में प्राप्त होता है।

सन् १९४८-४९ में भारत में २४ लाख एकड़ भूमि में ८८ करोड़ फीट कहवे की पैदावार की गई। भारत में इसका उपभाग बहुत कम होता है, अतः पैदावार का अधिकांश भाग विदेशों को निर्यात कर दिया जाता है। देश में कहवे का उत्पादन प्रति वर्ष ९ हजार टन और उसने के लिये भारत सरकार ने एक पंचवर्षीय योजना की स्वीकार कर लिया है। इस योजना पर लगभग २ करोड़ ९५ लाख रुपये व्यय होने का अनुमान है।



**तम्बाकू ( Tobacco )**—भारतवष म तम्बाकू का प्रचार अधिक है। तम्बाकू का उपयोग पीने खाने और सूषने म होता है। तम्बाकू उष्ण कटिबंध की पैदावार है परन्तु बहु बहुत प्रकार के जलवायु मे उपजती है। तम्बाकू की पदावार के लिये भूमि उपजाऊ होनी चाहिये। तम्बाकू की फसल के लिए खाद और सिंचाई की बहुत आवश्यकता होती है। वैसे भारतवष म तम्बाकू जगमग सभी जगह पैदा होती है परन्तु बंगाल उड़ीसा मद्रास बम्बई, उत्तर प्रदेश और पंजाब म अधिक मात्रा म पैदा की जाती है। भारत म तम्बाकू मन् १६५८ १६ म ६ लाख एकड़ भूमि प्रयुक्त की गई जिस पर २६ लाख टन पदावार की गई।



भारतीय तम्बाकू मोटी तेज और गहरे रंग की हाने के कारण निमरेट बनाने के लिये उपयुक्त नहीं है। भारत म इसका उपयोग अधिकतर बोडी बनाने और हुंदा पीने म होता है। प्रायःकाम पत्तावार यही उपभोग म आ जाने के कारण केवल २० प्रतिशत ही निर्यात की जाती है। इसार के तम्बाकू पैदा करने वाले देशो मे भारत का दूसरा नम्बर स्थान है।

### (३) कच्चे मान की या व्यापारिक फसलें (Raw Materials or Cash Crops)

**कपास (Cotton)**—एक भाड़ी का फूल है जिसके रंग मे भूत तैवार होता है। कपास उष्ण कटिबंध की पदावार है। कपास की पैदावार के लिये गर्मी और धूप की बहुत आवश्यकता होती है। परन्तु अधिक गर्मी उसके लिए हानिकारक है। गर्मी के दिनों मे साधारण वर्षा की आवश्यकता होती है। विन्तु अधिक वर्षा पैदावार कम करती है। पाया कपास को मष्ट कर देता है। कपास के लिये हल्की मट्टिमर भूमि जिसमे जूना हो उपयुक्त है। भारतवष म लावा या बरार प्रान्त की काली भूमि इसके लिए अप्पत उपयुक्त है। पानी की कमी सिंचाई द्वारा पूरी की जाती है। भारत म कपास उत्पन्न करने वाले प्रान्तो मे बरार खानदेश मध्य भारत मध्य प्रदेश गुजरात तथा बम्बई का उत्तर पच्छिमी



कपास का पोषा  
भाग मुख्य है। उत्तर प्रदेश और पंजाब मे भी कपास पैदा होता है। भारतवष मे १ करोड़ ६६ लाख एकड़ भूमि पर कपास उत्पन्न की जाती है।

भारत की कपास घच्छी जालि की नहीं होती। फूल बटून छोटा होता है जिसमे बारीक सूत तैवार नूरा हो सकता। भारत के विभाजन के पत्रम्बन्ध पंजाब का पच्छिमी भाग तथा मध्य पाकिस्तान म चला गया। इस इलाके म भारतीय मित्रा को जन्म देना वाली कपास की हानि हो गई। परन्तु भारत सरकार इस बात का प्रयत्न कर रही है

कि सम्बन्ध रहे वाली कपास भी विशेष मात्रा में भारतवर्ष में ही उत्पन्न हो जितने भारत कपास के विद्ये आहारी देशों पर निर्भर न रहे। इस सम्बन्ध में 'इण्डियन कर्टन कम्पेटी' ने कपास की विस्म धायम रखन के लिये बड़े बाज़ूत बना कर सराहनीय कार्य किया है। भू० साधुमन्त्री श्री के० एम० मुदी ने १६ नवम्बर १९५० का समय में यह प्रवृत्त किया था कि भारत कपास की 'पूर्वी भारतीय विस्म' (East Indian Varieties) में सन् १९५१-५२ तक स्वावलम्बी हो जायगा। छोट रेशे वाली स्विट देश की प्राय-रूपकता की पूर्ति के उपरान्त विदेशों का विशेषतया इंग्लैण्ड और जापान को निर्यात की जाती है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व कपास का उत्पादन २६० लाख गांठे था। सन् १९५४-५५ में यह उत्पादन ८२.९८ लाख गांठों तक पहुँच गया, अर्थात् उत्पादन में ४२% वृद्धि हुई। दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह अथवा प्रथम योजना के उत्पादन में ३१% अधिक रखा गया। सन् १९५८-५९ में ५७ लाख गांठों की उत्पत्ति हुई।

जूट (Jute)—एक प्रकार का लम्बे पीये का जूटका रोना है। इस रेशेदार छिलका का काटकर सूत तैयार किया जाता है और इसी से टाट आदि बुने जाते हैं। देश के विभाजन के पूर्व भारत ममार भर में सबसे अधिक जूट पैदा करता था। जूट की खेती के लिये अधिक गर्मी और पानी की आवश्यकता होती है। जूट की खेती से योद्ध ही भूमि के प्रायण उत्पन्न हो जाते हैं, अतः जंग भूमि पर प्रतिवर्ष नदियाँ से घाई हुई मिट्टी बिछ जानी चाहिये। बंगाल में गया की वाट से मैतों पर नई मिट्टी बिछ जाती है। वही कारण है कि भारतवर्ष का ९० प्रतिशत जूट बंगाल में ही पैदा होता है और १० प्रतिशत बिहार उड़ीसा आदि में पैदा होता है। देश के विभाजन के कारण जूट की मिल तो भारत में रहे गई हैं और जूट की पैदावार अधिकांश पाकिस्तान में होती है। परस्पर मूल नहीं हान के कारण हमका जूट की कमी पड़ रही है। विदेशों में भी अन्य कृत्रिम स्वादायन धन्तुषा के प्रयोग से जूट की मूल्य को कम कर दिया है।



गाट (जूट) का पौधा

भारतवर्ष में जूट की पैदावार को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। सन् १९५० में जूट का उत्पादन बढ़ाने के लिये विविध सरकारी को सहायता और ऋण के रूप में १६ लाख रुपये केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान किए गये थे।

प्रथम पंचवर्षीय योजना के पूर्व जूट का उत्पादन ३३ लाख गांठे था, परन्तु योजना के अन्तिम वर्ष में यह उत्पादन ५० लाख गांठों तक पहुँच गया था। दूसरी योजना का उत्पादन-तथ्य प्रथम योजना की अपेक्षा २५% अधिक रखा गया। सन् १९५८-५९ में जूट का उत्पादन ५२ लाख गांठों का रहा।

रबड़ (Rubber) - भारतवर्ष ममार की उत्पत्ति का प्रथम रबड़ उत्पन्न करता है। इसका नाम के तर जलवायु की आवश्यकता है। रबड़ अतिशय भारत में विशेषतया मद्रास, कुर्ग, मैसूर, केरल में उत्पन्न होता है। केरल सबसे अधिक रबड़ उत्पन्न करता

है। १ लाख ४१ हजार एबड भूमि रज्ड



की पैदावार के दिव प्रयुक्त की जाती है और कुल पैदावार ३ करोड़ ६० लाख पौड के लगभग होती है। भारत में उत्पन्न होने वाले रज्ड कोशियन यन्दरवाह द्वारा इंगलड लना हालट स्ट मैटिंगमेट आदि को भेजी जाती है। द्वितीय महायुद्ध के फलस्वरूप भारत में रज्ड की उत्पत्ति बहुत बढ़ गई है। सन् १९१०-१९ में १०० लाख एबड भूमि पर ४९ लाख पाउ रज्ड उत्पन्न की गई।

**तिलहन (Oilseeds)**—भारतवर्ष समार में तिलहन उत्पन्न करने का देश में मुख्य है और प्रविषप करांडा रुपया का तिलहन विदेशों का मुख्यतः काम का भेजा जाता है। तिलहन की मुख्य फसल निम्नलिखित है—मरमा, राड, सन का

बीज विनीता तिल घड़ी और मूंगफली। इनके प्रतिरिक्त मारियन और मट्ठा के पत्ता में भी तेल तैयार होता है।



तिलहन

घड़ी (रडी)

राज्य

सरसी और राई (Rape and Mustard)—उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, बंगाल और आंध्रप्रदेश।

अजमी (Linsced)—मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, बम्बई और आंध्र


घड़ी (Castor seed)—मद्रास, हैदराबाद, बम्बई, मध्य प्रदेश।

तिल (Sesamum)—मद्रास, मध्य प्रदेश, बम्बई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, आंध्र।

मूँगफली ( Groundnut )—मद्रास, बम्बई, मध्य प्रदेश, -छान्द्र और  
आसाम

बिनीला ( Cotton seeds )—बम्बई, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पंजाब,  
उत्तर प्रदेश

सन् १९५०-५१ में मूँगफली की मेली का क्षेत्रफल १ करोड़ ४४ लाख एकर और उत्पादन (छिलके सहित) ४० लाख १६ हजार टन था। सन् १९५०-५१ में रेड्डी की उपज १ लाख १३ हजार टन और क्षेत्रफल १२ लाख एकड़ था। प्रथम योजना के अन्त में तिलहन का उत्पादन ५५ लाख टन था जबकि दूसरी योजना के अन्त में यह सक्षय ७० लाख टन निर्धारित किया है।



भारतवर्ष की कृषि सम्पत्ति

योजना और कृषि-उत्पादन—योजना काल में कृषि-उत्पादन के सम्बन्ध में मुख्य सक्षय निम्न तालिका में दिखे गये हैं :—

वर्ष	इकाई	१९५५-५६ में अनुमानित उत्पादन	अतिरिक्त उत्पादन का लक्ष्य	१९६०-६१ तक अनुमानित उत्पादन	प्रतिशत वृद्धि
लोघात्र	लाख टन में	६५०	१००%	७५०	१५.४
तिनहन	" "	५५	१५	७०	२०.३
गन्ना (गुड)	" "	५६	१३	७१	२७.६
रई	लाख गौंठे	४२	१३	५५	३१.०
जूट	" "	४०	१०	५०	२५.०

फसलों की विवरण कुछ इस प्रकार है :-

	लाख टन
चावल	४०-५०
गेहूँ	१५-२०
अन्य अनाज	२०-२५
दालें	१५-१५

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- भारतीय कृषि को मुख्य समस्याएँ क्या हैं ? उनको हल करने के सुझाव दीजिए ।  
(५० वी० १९६०)
- भारत की अर्थ-व्यवस्था में कृषि का महत्त्व समझाइए । हमारी कृषि की उन्नति के उपायों का वर्णन कीजिए ।  
(२० वी० १९६०)
- भारत में कृषि को पिछड़ी हुई दशा के क्या कारण हैं ? हम दशा की उन्नति के लिये हाल में क्या-क्या उपाय काम में लाये गये हैं ?  
(३० वी० १९५६, ५६, मार्च १९५०)
- भारत की कृषि उपजें क्या-क्या हैं ? इनका उत्पादन बढ़ाने के लिये क्या तरीके काम में लायेगे ? उनका विवरण कारण सहित लिखिए । (३० वी० १९५२, ४०)
- खाद्य उपजों और व्यापारिक उपजों पर टिप्पणी लिखिए । (नागपुर १९४७)
- अन्य देशों की तुलना में भारत की कृषि की कम उपज के कारणों की व्याख्या कीजिए ।  
(नागपुर १९४५)
- भारत की कृषि में मन्त्रों के प्रयोग के लाभ और हानियों का विवेचन कीजिए ।  
(३० वी० १९५६ पू०)
- भारत की प्रमुख फसलों का व्यापारिक महत्त्व और वितरण लिखिए ।  
(पटना १९५२)
- कृषि के दोषों का उल्लेख कीजिए और उनके दूर करने के उपाय बताइए ।  
(पटना १९ २)
- भारतीय कृषि प्रणाली क्या है ? इसमें क्या दोष हैं ? क्या ये दूर किये जा सकते हैं ?  
(दिल्ली हमर मेकेण्टरी १९४७)

#### इष्टर एपीबलन्स

- कृषि अर्थशास्त्र की विनोद समस्याएँ क्या हैं ? उनको धारा किस प्रकार हल करेंगे ?  
(५० वी० १९५६)

## भारतवर्ष में सिंचाई (Irrigation in India)

सिंचाई का अर्थ एक महत्व ( Meaning and Importance of Irrigation )—भारत एक कृषि प्रधान देश है जिसकी तीन-चौथाई से भी अधिक जनसंख्या परोक्ष या अपरोक्ष रूप में अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर है। कृषि की सफलता के लिये निर्यामित रूप में पर्याप्त मात्रा में जल मिलना नितान्त आवश्यक है। यही कारण है कि भारत की कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था में वर्षा का बड़ा महत्व है। ऐसी अवस्था में वर्षा को भारत की भाग्य विधाता कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसी आधार पर वुल्फ ( Wolff ) ने ठीक ही कहा है "भारतीय वर्षा वर्षा का गुण है। यदि वर्षा नहीं आती है, तो कृषि व्यवसाय स्थगित हो जाता है।"

यदि वर्षा पर्याप्त मात्रा में नहीं होती है, तो इसकी पूर्ति के साधन जुटाना आवश्यक हो जाता है। प्रन्तु खेतों को कृत्रिम ढंगों से पानी देने को सिंचाई कहते हैं। वर्षा द्वारा खेतों को जल मिलना एक प्राकृतिक ढंग है, प्रन्तु सिंचाई द्वारा पानी मिलने का अप्राकृतिक या कृत्रिम ढंग कहते हैं।

### भारतवर्ष में सिंचाई की आवश्यकता (Necessity of Irrigation in India)

निम्नांकित कारणों से भारत में सिंचाई की आवश्यकता प्रकट करती है --

१. भारत में वर्षा समय और स्थान की दृष्टि में अनिश्चित है। कभी वर्षा अधिक हो जाती है तो कभी कम। तीन वर्षों के चक्र में एक वर्ष उत्तम, दूसरा निम्न और तीसरा उपरिष्ठ होता है। अतः वर्षा की कमी की पूर्ति सिंचाई में की जाती है।

२. देश में वर्षा का वितरण समान नहीं है। बंगाल, आसाम, पश्चिमी मध्य तट आदि स्थानों पर वर्षा अधिक होती है, अतः वहाँ सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती। परन्तु अन्य भागों में, जहाँ वर्षा साधारण होती है खेतों को पानी देने के लिए सिंचाई पर आश्रित रहना पड़ता है।

३. हमारे देश में कुछ भागों में वर्षा नहीं के बराबर होती है जैसा राजस्थान का अधिकांश भाग, पश्चिमी पंजाब आदि। यहाँ सिंचाई न की जाय, तो पैदावार बिल्कुल नहीं हो सकती।

४. भारत में २० प्रतिशत वर्षा गर्मियों में मानसून में होती है और सर्दियों में वर्षा बहुत कम होती है, अर्थात् नती के बराबर होती है, अतः सर्दियों की फसलों के लिये सिंचाई नितान्त आवश्यक है।

५. भारतवर्ष में कुछ पसलों ऐसी हैं जो किता अधिक और नियमित पानी की पूर्ति के बिना नहीं हो सकती। जैसे—चावल, गन्ना, जूट आदि।

६. देश के कुछ भागों की मिट्टी ऐसी है जो अधिक समय तक पानी को धरने में नहीं रख सकती, जैसे बालू, रेत। इस प्रकार की मिट्टी को गोली रखने के लिये उसे निरन्तर पानी देने की आवश्यकता है।


७. भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या को पिलाव के लिये देश के सभी वर्षों में होने वाली पसलों ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि नदियों की सहायता की भी आवश्यकता होती है। परन्तु नदियों में वर्षा नहीं होने के कारण सिंचाई के साधनों का उपयोग करना पड़ता है।

**भारतवर्ष में सिंचाई के साधन  
(Means of Irrigation in India)**


भारतीय प्रजातन्त्र में सिंचाई के सब साधनों में लगभग ५ करोड़ एकड़ भूमि सीधी जाती है जो समस्त कृषि साध्य भूमि का लगभग १७ प्रतिशत है। ऊपर के त्रैकोणिक में यह स्पष्ट है कि गन्ना में सब में अधिक सिंचाई भारतवर्ष में होती है। देश के विभिन्न जगह के कारण पञ्जाब और सिन्ध के अधिकतर सिंचाई के साधन इस प्रादेशिक क्षेत्र में ही मिलते हैं।

भारतवर्ष में मुख्य सिंचाई के साधन निम्नलिखित हैं—

१. कुएँ (Wells)
२. तालाब (Tanks)
३. नहर (Canals)




भारत में सबसे अधिक भूमि सीधी जाती है



सिंचाई के साधनों का मार्गीकरण

१ कुएँ ( Wells )—कृषा द्वारा सिंचाई भारत का अत्यन्त प्राचीन ढग है। भारत में जितनी भूमि में सिंचाई हाती है उसका लगभग चौथाई भाग अर्थात् १



करोड २० लाख एकड भूमि कुआँ द्वारा सींची जाती है। भारत में लगभग २२ लाख कुएँ हैं जिनमें बनने में १०० करोड रुपया व्यय हुआ है। कुआँ द्वारा सिंचाई करने के ढग में भारतीय किसान भलीभाँति परिचित हैं और वे कुएँ भी अपनी प्रकार बना सकते हैं। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व एक तथा कुआँ

कुएँ द्वारा सिंचाई लगभग ५००० म मैपार हो जाया करता था। वंम कुआँ द्वारा सिंचाई प्राय सभी राज्या में हाती है परन्तु उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश पंजाब बंगाल, मद्रास बिहार और दक्षिणी-पूर्वी राजस्थान में अधिकता से होती है।

कुआँ द्वारा सिंचाई करने में भी कई ढग प्रचलित हैं जिनमें रूट परम डबली आदि। रूह ( Persian Well ) में कुछ अप्य अधिक होला है। इस ढग का उपयोग मलाबार राजस्थान काठियावाड पंजाब और बंगाल में अधिक हाता है। चरस (Leather Bag) उत्तर प्रदेश मद्रास मध्य प्रदेश और बिहार में प्रचलित है।




कुआँ द्वारा सिंचाई के विविध ढग

उत्तर प्रदेश के ट्यूब-वैल अर्थात् त्रिजली के कुएँ (Tube-wells in U P)

कुआँ द्वारा सिंचाई में भी बिजला का प्रयोग बड़ा लाभदायक मिष्ट हुआ है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने १५ करोड रुपया व्यय करके १५६० ट्यूब-





नलकूप (ट्यूब वेल)

सिंचे जा सकती है। जैसे-जैसे विजली का प्रसार अन्य जिला में होता जायगा, वैसे-वैसे वहाँ भी ट्यूब-वेल की सुविधा उपलब्ध हो जावेगी।


इन विजलों के कुँआ से उत्तर प्रदेश को उपज बढ़ गई है और बेकार पड़न भूमि रूपि योग्य बन गई है। उत्तर प्रदेश की सरकार ने लगभग १५०० ट्यूब वेल बनाने की योजना और तैयार की है जिनके निकट भविष्य में इस राज्य के पश्चिमी शुष्क भाग में गेहूँ कपास, गन्ना आदि की पैदावार बढ़ जायगी। भविष्य में ट्यूब-वेल उत्तर प्रदेश में सिंचाई का एक महत्वपूर्ण साधन बन जावेगा।

गंगा-नहर जल-विद्युत् ग्रिड योजना (Ganges Hydro-Electric Grid System)—उत्तर प्रदेश में गंगा की नहर के प्रवाह को कम करने के लिए लगभग दम-दम फीट की ऊँचाई के कुछ प्रपात (Falls) बनाये गये हैं जिनके द्वारा जल-विद्युत् तैयार की गई है। धीरे-धीरे अलग-अलग प्रपातों के शक्ति-गृह (Power Houses) विजली के तारों द्वारा एक दूसरे में मिला दिए गए हैं। इसको मिला देन से जो विजली की योजना तैयार हुई है उसको गंगा-नहर जल-विद्युत् ग्रिड योजना कहते हैं।

कुएँ द्वारा सिंचाई का भविष्य (Future of Well Irrigation)—कुएँ द्वारा सिंचाई के लिए इस देश में अब भी बड़ा क्षेत्र है। कुएँ सुगमता से कम व्यय में बनाये जा सकते हैं, अतः इस माध्यम का भविष्य अधिक उज्ज्वल प्रतीत होता है। सस्ती विजली में ट्यूब-वेल का प्रसार अत्यधिक हो सकता है। उत्तर प्रदेश की भाँति अन्य राज्या में भी सरकार द्वारा ट्यूब-वेल योजनाएँ कार्यान्वित की जा सकती हैं। इसी से अल्प समय में हमारे खाद्य समस्या बहुत-बहुत सरल हो सकती है।

योजनाएँ और नलकूप—साधारण सिंचाई के लिए नलकूप बहुत उपयोगी सिद्ध हुए हैं। सन् १९५१ से पहले भारत में लगभग २११ हजार नलकूप थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना में बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, पेरू और बम्बई में लगभग ४,४०० नलकूप और तैयार हुए। इन नलकूपों से लगभग २० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। चाणू योजना में ३५०० नलकूप और लगाये जायेंगे।

२ तालाब (Tanks) — तालाब तथा बाधा द्वारा निचाई भारतवर्ष




तालाब द्वारा निचाई

में प्राचीन समय में कभी छा रही है। भारत के जिन भागों में भूमि पथरायी है प्रकृति भूमि व नापे का पानी (Sub soil Water) बहुत गहरा है वहाँ तालाबों और बाधाओं से निचाई का पानी है। अतः भारत में प्राचीन समय में ७५ हजार है। वरत मद्रास राज्य में ३५ हजार तालाब है जिनमें ३६ लाख एकड़ भूमि सिंचा जाता है। मद्रास राज्य में परिवार बाधा (Perialar Project) प्रकृति का पानी एकड़ भूमि का सिंचता है। बंगाल में ८ लाख और बिहार में १६ लाख एकड़ भूमि तालाबों द्वारा सिंचा जाता है। सम्पूर्ण भारतीय प्रजासत्तय राज्य में ६० लाख एकड़ भूमि सिंचाई १२ प्रतिशत भूमि तालाबों द्वारा सिंचा जाती है। मद्रास व पंजाब प्रांत तथा मध्य प्रदेश अधिक तालाब हैं। उच्च तालाबों राजस्थान व दक्षिणी-पूर्वी पहाड़ों भाग और मध्य भारत में भी हैं।

म प्राचीन समय में कभी छा रही है। भारत के जिन भागों में भूमि पथरायी है प्रकृति भूमि व नापे का पानी (Sub soil Water) बहुत गहरा है वहाँ तालाबों और बाधाओं से निचाई का पानी है। अतः भारत में प्राचीन समय में ७५ हजार है। वरत मद्रास राज्य में ३५ हजार तालाब है जिनमें ३६ लाख एकड़ भूमि सिंचा जाता है। मद्रास राज्य में परिवार बाधा (Perialar Project) प्रकृति का पानी एकड़ भूमि का सिंचता है। बंगाल में ८ लाख और बिहार में १६ लाख एकड़ भूमि तालाबों द्वारा सिंचा जाता है। सम्पूर्ण भारतीय प्रजासत्तय राज्य में ६० लाख एकड़ भूमि सिंचाई १२ प्रतिशत भूमि तालाबों द्वारा सिंचा जाती है। मद्रास व पंजाब प्रांत तथा मध्य प्रदेश अधिक तालाब हैं। उच्च तालाबों राजस्थान व दक्षिणी-पूर्वी पहाड़ों भाग और मध्य भारत में भी हैं।

३ नहर (Canals) — भारतवर्ष में नहरों द्वारा निचाई एक प्रमुख साधन



नहरों द्वारा निचाई

होने के कारण इन्हें सरकार स्वयं बनवाता है। अतिभाजित भारत में जिनका निचाई नहरों से होती थी उसकी १५ प्रतिशत व्यक्तिकृत माधनता द्वारा होती है।

है। देश में जिनका भूमि का निचाई होता है उसका प्रथम भाग नहरों द्वारा ही सिंचा जाता है। भारत में कुल नहरों का प्रमाण ५१,००० मात है। इतना बड़ा नहरों का जाल बनाने के विषय में प्रकृति का भूमि सिंचना। नहरों के द्वारा सिंचित क्षेत्र

नहरों के प्रकार (Kinds of Canals)—भारत में मुख्य तीन प्रकार की नहरें पाई जाती हैं —

१. वारमाती या बाढ़ की नहरें (Inundation of Flood Canals) — ये नहरें नदी में सीधे जिन बाँध के निकाली जाती हैं। मुख्यतः ये नहरें बाढ़ रोकने के लिए बनाई जाती हैं। जब नदी में बाढ़ का पानी कम हो जाता है तो इन नहरों में भी पानी बन्द हो जाता है। इन नहरों का केवल वर्षा ऋतु में ही उपयोग होने के कारण ये 'वारमाती' नहरें कहलाती हैं। वर्षा ऋतु के बाद सिंचाई के लिए कुओं का ही आश्रय लेना पड़ता है। पञ्जाब और गिन्ध में पट्टन इस प्रकार की नहर थी, परन्तु अब इन नहरों का स्थायी या निरन्तर बहने वाली नहरों में परिवर्तित करने का प्रयत्न किया जा रहा है। मकर बाँध इसी का एक उदाहरण है।

२. स्थायी नहर (Perennial Canals)—इन नहरों के बनाव में बाँध का प्रयोग किया जाता है। नदी के आरंभ बाँध डालने में नदी के पानी की दृष्टि से राह अच्छी हो जाती है जिसमें नहरों में बग़ैर पानी पहुँचना रहता है। इसीलिए ये स्थायी नहरें कहलाती हैं। इस प्रकार की नहरें उत्तर प्रदेश, पञ्जाब और मद्रास में पाई जाती हैं। गिन्ध नदी के आरंभ बाँध बना कर स्थायी नहरों का स्थायी नहरों में परिवर्तित कर दिया गया है।

३. गोदासी नहर (Storage Canals)—ये नहरें उन स्थानों में बनाई जाती हैं जहाँ मृदा बहने वाली नदियों का पूर्ण प्रभाव होता है। उरमाती पानी का एकत्रित करने के लिए धारा के आरंभ बाँध बना लिया जाता है और फिर नहरें निकाल कर सिंचाई की जाती हैं। इस प्रकार की नहरें बंगाली भारत, मध्य प्रदेश, बुन्देलखण्ड और मद्रास में पाई जाती हैं।

भारतवर्ष में नहरों का वितरण

(Distribution of Canals in India)


भारतवर्ष में सिंचाई नहरें उत्तर प्रदेश और पूर्वी पञ्जाब में पाई जाती हैं। इसके निम्नलिखित कारण हैं — (१) मृदा बहने वाली नदियों का विद्यमान होना, (२) नदियाँ उत्तम गति में बहती हुई हैं, (३) भूमि का समतल होना और (४) भूमि में उपजाऊ होने के कारण नहरों में अधिक लाभ पहुँचना।

उत्तर प्रदेश की नहरें (Canals of U. P.)

उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित नहरें हैं — (१) ऊपरी-गंगा-नहर (Upper Ganges Canal), (२) निचली-गंगा नहर (Lower Ganges Canal)। ये दोनों नहरें बाघात के जिन का सींचती हैं। (३) पूर्वी यमुना-नहर (Eastern Yamuna Canal), और (४) आगरा नहर (Agra Canal)। ये दोनों नहरें यमुना में निकाली गई हैं और यमुना के पूर्वी और पश्चिमी तट के जिलों का सींचती हैं।

(५) शारदा नहर (Sharda Canal)—यह नहर सन् १९३० ई० में गढ़वाल सरकार द्वारा बनी। इन नहरों का निर्माण-कार्य न नहरों-के-निर्माण का एक अद्भुत नमूना सरकार के सम्मुख प्रस्तुत किया है। इस नहर के निर्माण में लगभग १० करोड़ रुपये व्यय हुआ है। इनके द्वारा प्रथम और गढ़वाल की लगभग ६० लाख एकड़ भूमि सींची जाती है और इस भूमि पर अधिकतर गन्ने की खेती होता है।


(६) बेतवा नहर (Betwa Canal)—बेतवा नदी यमुना की ही शाखा है। इसी में १५ मील दूर परिछा नामक स्थान पर नदी में एक नहर निकाली



उत्तर प्रदेश का नहरें

गर्द है जा उत्तर प्रदेश के भासी जा तीन और हमीरपुर जिला की प्राय २ लाख एकड़ भूमि की निचाई करती है ।

### पूर्वी पंजाब की नहर (Canals of East Punjab)



पूर्वी पंजाब की नहर

भारत के विभाजन से पूर्व पंजाब में एक उत्तम नहर प्रणाली स्थित थी परन्तु विभाजन के फल स्वरूप अब पूर्वी पंजाब में केवल चार नहर बच रह गई हैं —

१ पश्चिमी यमुना नहर (Western Yamuna Canal) — यह नहर पुरानी है जो सन् १८०० ई० में बनकर तैयार हो गई थी । इसमें द्वारा दक्षिणी पंजाब को पानी मिलता है जिससे लगभग ८ लाख एकड़ भूमि सिंचा जाती है ।


२ ऊपरी बारी दोआब नहर (Upper Bari Doab Canal) — यह नहर सन् १८६० में बनकर तैयार हो गई थी । यह रावी नदी से निचारी गई है और इसमें अमृतसर आदि जिलों में लगभग १० लाख एकड़ भूमि को पानी मिलता है ।

३ सर हिन्द नहर (Sirhind Canal)—यह मलज नदी म निकाला गई है और सन् १८८८ ई० मे बनकर तैयार हो गई था। इस नहर को कुन लम्बाई साक्षात्मा महित ३८०० मील है और इसके द्वारा बुधियाला फिरोजपुर हिवार परियाला नामा जोद खादि म कुल मिलाकर लगभग १८ लाख एकड भूमि का सिंचाई होती है।

४ सतलज घाटा की याजना (Sutlej Valley Project)— इस योजना के अन्तगत कुल ११ नहर निकाली गई है। इस सम्पूर्ण कार्य म २१ कराड रुपया व्यय होवर सन् १९३३ ई० म यह योजना पूरा हो गई थी। अब पंजाब की फिरोजपुर जिले की नहरा को छोडकर मारो नहरें पाकिस्तान म हैं। इन नहरा म कोकानेर की लगभग ३३ लाख एकड भूमि सिंचाई द्वारा हरी भरी हा गई है।

दक्षिण की नहरें (Canals of Deccan)

मह तो पहले ही बना दिया जा चुका है कि दक्षिण म नहरा मे सिंचाई नहा होनी। केवल महानदी, गोदावरी कृष्णा और कावरो के नहरा म नहरा का उपयोग होता है।



कावरो मेट्टर याजना (Kaveri Mettur Project)—कावेरी नदी क डेल्टा मे गहरा द्वारा लगभग दस लाख एकड भूमि की सिंचाई होती था परन्तु नहरा म पानी भेजन का कोई प्रबंध नहा था अतः मेट्टर (Mettur) नामक स्थान पर कावरो नदी पर एक बाध द्वारा ८० ह्वार दशुविक फीट पानी रोक कर ८८ मील लम्बी एक नहर निकाली गई है जो अपनी साक्षात्मा द्वारा १० लाख एकड भूमि का सिंचकर कृषि-धाम्य बनाता है। यह याजना सन् १९३४ ई० म बनकर तैयार हो गई था।

पेरियार योजना (Periyar Project)—यह दक्षिण मे सब से पुरानी योजना है। पेरियार नदी कारडेमम पहाडिया मे निकल कर अरब सागर म गिरती थी, परन्तु नदी के पश्चिमी तट पर कोई इचना उपयोग नहा था क्यकि वहाँ वर्षा अधिक होती है। इसके विपरीत कारडेमम पहाडियों के पूव म स्थिति निर्देसी और मदुरा जिता के निचले मैदान पानी बिना प्यासे मे क्यकि वहाँ वर्षा कम होनी है। इन कुछ जिलों को



पाना पिलाने के लिए पहाड़ की जड़ में एक सुरंग खोदी गई जिसके कारण पैरियर नदी शरव नागर से मुडवर इन मुक्त जिला में बहने लगी। इसके द्वारा लगभग १० लाख एकड़ भूमि में खती जाती है।

### बम्बई राज्य के बांध

बम्बई राज्य में दो महत्वपूर्ण बांध हैं—भंडारदरा बांध और लॉयड बांध।

**भंडारदरा (Bhandaradara Dam)**—यह भारत का सबसे बड़ा बांध है। यह सोदावरी की एक महाप्रवाह नदी में पानी लेकर प्रयाग नहर के लिए पानी प्राप्त करता है। इस नहर द्वारा ग्रहमदलवाग जिले में ६० हजार एकड़ भूमि की सिंचाई होकर मृदु गन्ने की फसलों पैदा होती है। यात्रना मई १९२५ में बन कर तैयार हो गई थी।

**लॉयड बांध (Lloyd Dam)**—यह तुंग्गा नदी की एक महाप्रवाह नदी पर बना है और इसमें तीरा नहर का पानी मिलता है, जिसमें पूना और मालापूर जिलों में ७ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होती है।

### बुन्देनखण्ड में ब्रजुन बांध

उत्तर प्रदेश में हमीरपुर जिले में १०३ करोड़ रुपये की लागत में ब्रजुन बांध बनाई जाती है। इस बांध के जलाशय में १६६,७० लाख घनफुट पानी संग्रहीत हो सकता है जिसमें २६,६७२ एकड़ क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी। इस सिंचाई की व्यवस्था के फलस्वरूप अनाजोदन में ७,५०० टन की वृद्धि होगी। परन्तु यह वृद्धि खेती की पैदावार में ही होगी।

ब्रजुन बांध ७४ फुट ऊँचा, २० फुट चौड़ा और २३ मील लम्बा है। इसके निर्माण में ३ वर्ष लगेंगे हैं। इस बांध के जलाशय में १६६,७० लाख घनफुट पानी संग्रहीत हो सकता है जिसमें २६,६७२ एकड़ क्षेत्र की सिंचाई हो सकेगी। इस सिंचाई की व्यवस्था के फलस्वरूप अनाजोदन में ७,५०० टन की वृद्धि होगी। परन्तु यह वृद्धि खेती की पैदावार में ही होगी।

### बिहार की नहरें (Canals of Bihar)

बिहार में तीन मुख्य नहरें हैं—पूर्वी सोन नहर (Eastern Son Canal) पश्चिमी सोन नहर (Western Son Canal) और त्रिवेणी नहर (Triveni Canal)

### मध्य प्रदेश की नहर (Canal of M. P.)

मध्य प्रदेश की मुख्य नहरें हैं—महानदी (Mahanadi Canal) वनगंगा नहर (Wanganga Canal) और तन्दुला नहर (Tandula Canal)

दामोदर नदी से एक नहर निकाली है जिसका नाम दामोदर नहर (Damodar Canal) है। इस नहर के द्वारा बंगाल के बर्दवान और हुगली जिला में सिंचाई होगी है।

**राजस्थान नहर**—राजस्थान के उत्तरी व पश्चिमी क्षेत्रों में जल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए ३० मार्च १९५६ को केंद्रीय शुद्ध मनी द्वारा राजस्थान नहर का शिफारिश किया गया। इसके निर्माण में ६१ करोड़ रुपये में भी अधिक का अनुमान है। इसका कार्य शतना विद्याल है कि इस नहर पर २० हजार मनुष्य प्रतिदिन के हिसाब से बंधावर १० वर्ष तक कार्य करते रहेंगे। इस नहर के बन जाने पर लगभग ३३६ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जा सकेगी। यह समनज नदी पर धाम के समय में डाक नीचे निर्मित हरी के बांध से निकाली जायगी।

**सिचाई का कुछ नवान योजनार्थ**  
(New Irrigation Works)

इसलए भारत म कस्राव तथा राबय सनकारा न बढन सी बसुपयोजन योजनार्थ (Multipurpose Project) स्रपन हाव म ला है जिनम न नवरा जरा बिलुन हा उअन हांगी यकि न साथ ही साथ सिचाई का सुविधा भी प्राप्त हांगी । इन योजनार्थ म स मुअय निम्नलिखित है

- (१) दामोदर घाटी योजना
- (२) भाखरा नगन योजना
- (३) गिन्ना बांध योजना
- (४) तुंगभद्रा योजना
- (५) हीराकुण बांध योजना
- (६) रामपन सागर योजना
- (७) कोसी योजना
- (८) जकाड योजना
- (९) चम्बल घाटी योजना
- (१०) नागावुन बांध योजना
- (११) मधुगरी योजना
- (१२) बायना योजना
- (१३) वृष्णा मन्त्रा योजना
- (१४) मडन योजना
- (१५) नायर योजना
- (१६) नवदा नाली योजना
- (१७) काकरापारा योजना
- (१८) मानकुण योजना
- (१९) माउरमता योजना
- (२०) गौधा नगर बांध योजना ।

इनका बिलुन बिबरण प्राग स्रयाव २० म दिया गया है ।



**सिचाई के साधन का सरकारी वर्गीकरण**

**(Government Classification of Irrigation Works)**

नहरे देन म सिचाई का प्रमल साधन है । य रासाय मन्पति है । बाय बी हेम म नहरा क साधन निम्नलिखित थगिया म बिभाजित है —

१ उत्पादक साधन ( Productive Works )— य कहतान ह जा निमाण काय पूण होन क परवान दम सप क भीतर स्रपनी लगी हुई पूजा पर ब्याक तथा पात्र खच देने योग्य दन जाते हा । य सधार लो हुई पूजा स बनतय जाते है ।

२ रजात्मक साधन ( Proecutive Works )— य हैं जिनके निमाण का उद्दय बाध नही हांगी है बलिक रजात्मक हाता है । जमे कृषि धन को सवान

से बचाने के लिए इस प्रकार के साधन प्रस्तुत किये जाते हैं। चालू भाग में से कुछ प्रतिशत अकाल सहायता और बीमा कोष में सहायता के रूप में प्रदान की जाती है जिसका उपयोग इस प्रकार के साधनों के निर्माण में किया जाता है।

३. **क्षेत्र साधन ( Minor Works )**— इसमें छोटे-छोटे विविध प्रकार के सभी साधन सम्मिलित होने हैं। ये सरकारी चालू भाग में भी बनाने जाते हैं।

सन् १९२१ ई० से उपर्युक्त वर्गीकरण बदल गया है। अब ये कोष (Fund) को उपेक्षा रखते हुए केवल उत्पादन और रक्षात्मक साधनों में ही वर्गीकृत होते हैं।

### सड़कों और रेलों का सापेक्षिक महत्त्व

भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की भूमि उपजाऊ है और जलवायु भी अनुकूल है। परन्तु जलवृष्टि इतनी अनुकूल नहीं है जितनी कि होनी चाहिए। भारतीय भाषिक समृद्धि जलवृष्टि पर बहुत कुछ निर्भर होने के कारण इसकी प्राथमिक व्यवस्था में हमका ध्यान महत्त्व है। परन्तु भारत में जलवृष्टि अनिश्चित, अनियमित एवं असमान होने के कारण कृषि साधनों द्वारा रेलों की सिंचाई नितांत आवश्यक है। सिंचाई से शुष्क प्रदेशों में भी खेती सम्भव हो जाती है। इस प्रकार सिंचाई द्वारा कृषि पैदावार में वृद्धि हो जाती है। निर्माण व्यवसाय को भी अपने कच्चे माल के लिए अधिकतर खेती पर ही निर्भर रहना पड़ता है जिसके फलस्वरूप उत्पादन में वृद्धि होकर देश में व्यापार में वृद्धि होती है।

कृषि की उत्पत्ति के लिए केवल सिंचाई ही आवश्यक नहीं है, बल्कि साथ ही साथ रेल जैसे सीधे यातायात के साधनों का बिना ही भी आवश्यकता है। यदि देश में यातायात के साधनों का अभाव है, तो खेती की बड़ी हुई पैदावार को सफा स्थान पर पहुँचाना कठिन हो जायगा। रेलों के द्वारा उत्पादन की गई वस्तुओं के वितरण के लिए उपर्युक्त मण्डियों और बाजारों को बँटना आवश्यक है और यह कार्य यातायात के साधनों द्वारा सुगमता से किया जा सकता है। रेलों स्वयं खेती पर आश्रित हैं क्योंकि बिना खेती के यातायात की वस्तुओं का पूर्ण अभाव रहेगा और खेती स्वयं सिंचाई पर निर्भर है। अस्तु, नहर और रेलें बनाना दोनों ही समान महत्त्व की वस्तुएँ हैं।

### सिंचाई के लाभ (Advantages)

सिंचाई के साधनों से हमारे देश को निम्नलिखित लाभ हैं —

१. सिंचाई द्वारा मानसून की अनिश्चितता से सुरक्षित रखा जा सकता है।
२. अकाल से बचने का एक अनुपम साधन है।
३. सिंचाई के कारण भूमि की प्रति एकड़ उपज बढ़ जाती है।
४. सिंचाई द्वारा शुष्क भागों में भी खेती सम्भव हो सकती है।
५. सिंचाई के कारण पठार या बरत भूमि कृषि योग्य बन सकती है।
६. सिंचाई के कारण भूमि के भीतर का पानी ऊपर आ जाता है जिससे खेती में बड़ी सहायता मिलती है।
७. सिंचाई में वर्ष भर निरन्तर खेती का व्यवसाय चलता रहता है और बड़े प्रकार की फसलें पैदा हो सकती हैं।
८. सिंचाई द्वारा सड़की खेती सम्भव होती है जिससे कृषि की उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि होती है।



६. सिंचाई द्वारा घावन, गन्ना जैसी फसलें पैदा हो सकती हैं।
१०. सिंचाई द्वारा केवल मात्रा न ही वृद्धि नहीं होती, बल्कि निष्पत्ति (Quality) में भी सुधार होता है।
११. सिंचाई द्वारा मरझार की भी ग्राम अच्छी होती है।

### सिंचाई से हानियाँ (Disadvantages)

१. अधिक सिंचाई के कारण भूमि पर क्षार (Alkaline) फैल जाता है और भूमि खेती के अयोग्य हो जाती है।
२. नहरों के बनने से कभी-कभी भूमि में पानी की अधिकता (Water logging) होकर कुछ रासायनिक प्रतिक्रियाएँ होने लगती हैं जिसके कारण भूमि बेकार हो जाती है।
३. नहरों के आस पास की भूमि में बिखरा हुआ पानी इकट्ठा होकर दलदल या कीचड़ का रूप धारण कर लेता है, जिसके कारण बीमारी फैलाने वाले जीव जन्तु व कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं। इस प्रकार ये स्थान मलरिया व अन्य मशरूमक बीमारियों के जन्म-स्थान होकर संकटा मनुष्यों को मौत के घाट उतार देते हैं।
४. खेतों में पानी देने समय बहुत मारा पानी बेकार नष्ट हो जाता है।
५. नदी द्वारा लाई हुई मिट्टी खेतों पर बिछने के बजाय नहरों में जमा हो जाती है, जिससे क्षारण उत्पन्न कोई उपयोग नहीं होता।
६. नहरों द्वारा कभी खेतों को पानी एक साथ नहीं मिलने के कारण खेती में बड़ी हानि होने की सम्भावना हो सकती है।
७. कभी-कभी नहरों और नालावा के टूट जाने से जन धन भी बड़ी क्षति होती है।

- योजना और सिंचाई—दूसरी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई और बाढ़ नियन्त्रण के लिए ४५८ करोड़ रुपये खर्चा किया गया है जबकि प्रथम योजना में इस मद पर ३६५ करोड़ रुपये व्यय किया गया। पहली योजना की अवधि में बड़ी और मध्यम प्रकार की योजनाओं में ७० लाख एकर की सिंचाई होने लगेगी। दूसरी योजना में यह क्षेत्र बढ़ कर १ करोड़ २० लाख एकर हो जाने की आशा है। सिंचाई की १८८ नई योजनाओं में १३६ पर १ करोड़ रुपये में कम व्यय होगा, ३४ पर १ करोड़ में ५ करोड़ तक व्यय होगा, ८ पर ५ करोड़ में १० करोड़ रुपये तक व्यय होगा, ६ पर १० करोड़ में ३० करोड़ रुपये तक व्यय होगा और केवल एक पर ३० करोड़ रुपये में अधिक व्यय होगा।

बाढ़ नियन्त्रण—'केन्द्रीय बाढ़ नियन्त्रण मण्डल' के प्रतिष्ठित १२ राज्यों में भी बाढ़ नियन्त्रण मण्डल है जिन्हें सलाहकार समितियाँ प्राविधिक मामलों में सहायता देती हैं। 'केन्द्रीय जल तथा विद्युत प्रायोग' में एक बाढ़ विभाग और सम्मिलित कर दिया गया है। विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में भी ५०६ योजनाएँ स्वीकृत हो चुकी हैं जिनमें से प्रत्येक पर १० लाख रुपये में कम व्यय बिचे जाने का अनुमान लगाया गया है।

१२ ४५ करोड़ ६० का अनुमानित सागन की २४६ अन्य योजनाएँ विद्याराधोन हैं। उत्तर प्रदेश के बाढ़प्राही क्षेत्रों में ४,२०० से अधिक गाँवों की सतह ऊँची कर दी है और बाढ़ नियंत्रण कार्य क्रम आरम्भ होने के समय से अब तक कई राज्या म कुन मिलाकर २,४४३ मील लम्बे तट बंधा का निर्माण किया जा चुका है।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—उत्तर प्रदेश में सिंचाई सुविधा के विकास की सक्षम व्याख्या कीजिए।

(उ० प्र० १९५५)

२—भारतवर्ष के विभिन्न भागों में सिंचाई के क्या-क्या साधन काम में लाये जाते हैं।

राजस्थान में सिंचाई की सुविधाओं के प्रकार के तरीकों के लिए सुभाव दीजिए।

(रा० वृ० १९५२)

३—भारत के विभिन्न भागों में सिंचाई की कौन-कौन सी सुविधाएँ हैं? उदाहरण और अनुत्पादक सिंचाई के साधनों में भेद दर्शाइए। सिंचाई के लाभ हानि भी बताइए।

(अ० वी० १९५६, ५२, ४४, ४१, उ० प्र० १९४२)

(उ० प्र० १९५३)

४—भारत में सिंचाई का क्या महत्व है? यहाँ क सिंचाई के विभिन्न साधनों का

विवरण दीजिए।

(उ० प्र० १९५५, ५७, ५५ पटना १९५२,

अ० वी० १९५४, ५२, सागर १९५२, ४९, पंजाब १९५१)

५—भारतवर्ष में सिंचाई के साधनों के लाभों का वर्णन कीजिए और आगे इनके प्रकार

की सुजाइस बताइये।

(बनारस १९४९)

६—निम्नलिखित लिखिए।

दामोदर घाटी योजना।

(उ० प्र० १९५३)

राजस्थान नहर।

(रा० वी० १९६०)

क्षेत्र-विभाजन एवं अपखण्डन

(Sub-Division & Fragmentation of Holdings)

पोपण्डम क्षेत्र का अर्थ (Meaning of Economic Holding)—  
पोपण्डम क्षेत्र से उस खेत का अर्थ है जो न तो इतना बड़ा हो कि कृषक द्वारा वह न गमने और इतना छोटा भी न हो कि उसके परिवार के लिए उस पर खेती करना लाभदायक सिद्ध न हो। कीटिंग्स (Keatings) महाशय इसको इस प्रकार परिभाषित करते हैं, "वह क्षेत्र जो किसी कुटुम्ब को वर्ष-पर्यन्त धन्ये में व्यस्त रखे और उनमें उसका जीवनीपार्जन हो।"

ऊपर की परिभाषा उपयुक्त प्रतीत होती है, क्योंकि पोपण्डम क्षेत्र का अनुमान एगडो में ठीक प्रकार नहीं लगाया जा सकता है। एक कम उपजाऊ ५० एकड़ भूमि का टुकड़ा सारे कुटुम्ब को कार्य व्यस्त रख सकता है, तो उमी कुटुम्ब के लिए १० में १५ एकड़ भूमि का उपजाऊ टुकड़ा पर्याप्त हो सकता है। भरतु, पोपण्डम क्षेत्र का मापन एकड़ में ठीक प्रकार नहीं हो सकता है।

भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में खेतों के आकार निम्न प्रकार हैं :—

राज्य	औसत खेती का क्षेत्रफल	राज्य	औसत खेती का क्षेत्रफल
महाराष्ट्र	१२२	मद्रास	४६
पंजाब	६२	बिहार और उड़ीसा	३१
म० प्र० और बरार	८५	भासाम	३०
बंगाल	५१	उत्तर प्रदेश	२५

ऊपर की तालिका से यह स्पष्ट है कि भारतवर्ष में कम से कम २½ या ३ एकड़ भूमि पर खेती होती है जो कृषक के कुटुम्ब के निर्वाह के लिए बिलकुल अपूर्ण है। ऐसी अवस्था में जो रहन-सहन का स्तर भारतीय किसान रख सकता है, उसकी भव्य-भानि कल्पना की जा सकती है।

क्षेत्रों की विशेषताएँ— भारत में खेत छोटे-छोटे टुकड़ों में ही विभाजित नहीं होने, बल्कि वे यत्र-तत्र (Scattered) भी स्थित होते हैं। छोटे टुकड़ों पर खेती करना वैसे ही लाभहीन व्यवसाय है, परन्तु जब वे इधर-उधर एक दूसरे में दूर स्थित हों, तो और भी कार्यक्षमता में ग्युनता पा जाना स्वाभाविक है। प्रत्येक खेत के टुकड़े पर जो यत्र-तत्र स्थित है खेती करने के लिए पहुँचने में समय और शक्ति का दुरुपयोग होता

है तथा भारतीय इकाई बना को निरवका म इधर-उधर जाने म यकायट हा जाता है । हमने अतिरिक्त विभाज को खती सम्बन्धी सभी वस्तुएँ एक स्थान मे दूमेरे स्थान को न जाने म बडा परिश्रम करना पडता है । सब सधा की एक साथ देन रेख भा नदिन हो जाती है । प्रत्येक क्षेत्र मे प्रलग प्रलग चारा और खाड लगाने का ध्यय भी कड जाता है ।

ज्ञान विभाजन एवं अपसखण्डन के कारण (Causes)

मेता के छोटे और दूर दूर होने व मुख्य कारण निम्नलिखित है —

१ उत्तराधिकार के नियम (Laws of Inheritance)—इगण्ड व उत्तराधिकार नियम के धनु सार ज्येष्ठ पुन हा पिता को सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होता है अन भ सम्पत्ति का विभाजन नहीं होता । परन्तु भारतवर्ष म इसके विपरीत नियम प्रचलित है । पिता की मरु व पश्चात् उसकी भ सम्पत्ति का उसके सब पुन मे समान विभाजन हो जाता है । अत इम प्रकार विभाजन और उपविभाजन होता रहता है ।



सत्त का विभाजन

२ भूमि पर जन सरया का भार (Pressure of Population)—भारत म वलती हुई जन-सख्या के कारण और सहायक यथा क अभाव मे ग्रधिकार जन सख्या को विना होकर मेता न हो जीवन निवाह करता पडता है । अत इलम भूमि विभाजन की प्री साहन मिलता है ।

३ कुटीर व्यवसायो का लोप (Disappearance of Cottage Industries)—औद्योगिक क्रांति ने मनीन द्वारा वनी हुई सन्ती वस्तुएँ उत्पन्न कर चरेषू यथा को प्राय लुप्त सा कर दिया है । अत सबके विष मेती ही एकमान साधन रह जाता है ।

४ हिंदू समुक्त परिवार प्रथा की समाप्ति आर व्यक्तिवाद का विकास (Break up of Joint Hindu Family System & the Rise of Individualistic Spirit)—हिंदू समुक्त परिवार प्रथा म सेन क दुकड नहा होने हैं । परन्तु व्यक्तिवाद के प्रादुर्भाव के साथ-साथ ज्ञान विभाजन तथा अपसखण्डन प्रारम्भ होता है क्योंकि कुटुम्ब का प्रत्येक पृथक रहने वाला व्यक्ति क्षेत्र म न अपना भाग प्रलय ले सकता है ।

ज्ञान अपसखण्डन के लाभ (Advantages)

१ कृषक स्वामित्व (Peasant Proprietorship)—मेता के दुनड छोटे ही कथो न हो परन्तु कृषक उस दुकड का स्वामी ही कहलावेगा । इस प्रकार धन

विभाजन से भू सम्पत्ति का वितरण ठीक होकर एक भूस्वामि का बग स्थापित हो जाता है ।

२ सामाजिक एवं आर्थिक स्थिरता ( Social & Economic Stability )—इस प्रकार का स्वामित्व रखने वाला कृषक नग देण में सामाजिक एवं आर्थिक स्थिरता रखने में सहायक होता है इस धारणा में अधिकांश लोगों का विश्वास है ।

३ वर्ष-पर्यन्त धंधा ( Employment all the year round )—जब किसी कृषक के पास भूमि के कई टुकड़े हों और वे अलग-अलग प्रकार के हों तो उसके लिए वर्ष भर खेती का बुद्ध-न कृषक काम करता ही रहता है ।

४ मानसून की अनिश्चितता से रक्षा ( Insurance against vagaries of Monsoon )—जब खेत कई टुकड़े में विभाजित हों और वे अलग-अलग भूमि-क्षेत्र ( Soil Areas ) में स्थित हों तो एक वर्ष में कम नष्ट होने पर दूसरे वर्ष की पैदावार से उसकी पूर्ति हो सकती है ।

क्षेत्र अपखण्डन से हानियाँ अर्थात् इसके दुप्रभाव

( Disadvantages or Evil Effects of Fragmentation )

१ भूमि का नष्ट होना ( Wastage of Land )—भूमि के विभाजन धार उप-विभाजन से भूमि का बहुत साग भाग नष्ट हो जाता है क्योंकि प्रत्येक खेत या सीमा स्थिर करने में कुछ भू-भाग छोड़ना आवश्यक हो जाता है । इसके अनिश्चित एक बड़े क्षेत्र पर खेती मलाभ की जा सकती है परन्तु उन्नी खेत के छोट छोट टुकड़े पर वह सम्भव नहीं ।

२ खेती को उन्नति रुक जाती है ( Unprogressive Agriculture )—छोट छोट खेतों में तो कोई मशीन प्रयुक्त की जा सकती है और न आधुनिक वैज्ञानिक सुपाक का ही प्रयोग हो सकता है । अन्तु एनी अवस्था में खेतों एक उन्नत ढंग में नहीं रह सकते ।

३ सिंचाइय में कठिनाई ( Difficulties of Irrigation )—छोट छोटे खेतों में अलग-अलग कुएँ नहीं बनाए जा सकते क्योंकि प्रयोग को खेत का क्षयमान घाटा होना है और द्वितीय लाभ भी अधिक बँटती है । यत्र-तत्र स्थित खेतों में पानी पहुँचाना उतना ही कठिन है क्योंकि बोध में दूसरा के खेत का जान है । घट बहूत सार इस प्रकार से विभाजित खेत बिना विचार के ही रह जाते हैं ।

४ खेतों की सीमा सम्बन्धी झगड़े ( Boundary Disputes )—खेतों के सामा सम्बन्धी अलग-अलग भगद प्रायः खेतों में होते हैं । इस प्रकार के मुकदमोंवाली में खेत का बड़ा दुरुपयोग होता है । यह खेतों में उन्नति करने में बाधनी स लगाया जा सकता है ।



खेतों की सीमा सम्बन्धी झगद

५. धन व पूँजी का दुर्भ्रयोग (Waste of Labour & Capital) जब एक क्षेत्र में दूसरे क्षेत्र को स्वयं कृषक या धर्मिक जाने हैं तथा क्षेत्र के उपकरण व बीज आदि को ले जाते हैं, ता समय और धनिक का बड़ा हानि होता है।

६. मार्केटिंग कठिनाइयाँ (Marketing Difficulties)—छोटे क्षेत्रों की पैदावार बहुत कम होने के कारण उनका मही तक ले जाना बड़ा संशय पड़ता है।

७. पैदावार में न्यूनता (Low Yield)—जैसा उपर बतलाया जा चुका है कि छोटे आठ और दूर-दूर स्थित क्षेत्रों में आधुनिक साविधानों में लाभ नहीं उठाना जा सकता तथा खाद, मिश्राई आदि की भी समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण पैदावार प्रति एकड़ कम होना स्वाभाविक है।

८. माहम नष्ट करना है (Destroys Enterprise)—श्री विभाजन एक व्यवस्था में क्षेत्रों में बाई प्रोवाहन नहीं मिलने के कारण माहम का प्रभाव देना गया है। यही कारण है कि छोटे क्षेत्रों की उत्पत्ति में एक खावट भी आ गई है।

उपाय (Remedies)

(१) ज्येष्ठता के नियम में संशोधन (Amendment in the Laws of Inheritance)—इस प्रकृति का रोकने का सर्वोत्तम उपाय यह है कि हमारे प्रचलित उत्तराधिकार के विधानों में संशोधन कर उत्तराधिकार की शक्ति ज्येष्ठता का नियम लागू करने में श्रेष्ठ व्यवस्था रोक जा सकता है।

(२) चतुर्विध (Consolidation of Holdings)—विशेष दूर क्षेत्रों का एकत्रीकरण चतुर्विध द्वारा सुगमता से हो सकता है। विशेष दूर समान मूल्य वाले क्षेत्रों को पारस्परिक समझौते में मिला कर एक क्षेत्र बनाने की प्रक्रिया को चतुर्विध कहते हैं। इस प्रकार समझौते द्वारा प्रत्येक व्यक्ति कई छोटे-छोटे क्षेत्रों के बदले में एक बड़ा क्षेत्र प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। चतुर्विध का कार्य जो सहकारी समितियों द्वारा पत्राव उत्तर प्रदान आदि गणना में हुआ है वह वास्तव में प्रयत्नीय है।



चतुर्विध

(३) सहकारी कृषि (Cooperative Farming)—सहकारी क्षेत्रों में जो यह समस्याएँ हल हो सकती हैं। गाँव में क्षेत्रों बनने के उद्देश्य में कई तक क्षेत्र मिला लिए जाते हैं। जो क्षेत्र बनने वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें क्षेत्रों का कार्य सौंप दिया जाता है। पैदावार में म उतरी सहकारी खाद कर मूल्य-व्ययियों का उत्तरी भूमि के अनुपात में बाँट दी जाती है। इस प्रकार की कई सहकारी समितियाँ पूर्वी पत्राव और उत्तर प्रदेश में संस्थापितों द्वारा बनाई जा रही हैं। इनके प्रतिष्ठित मंत्रालय, महाराष्ट्र राज्य-प्रदेश आ-प्र, विहार, मौराष्ट्र आदि गणना में सहकारी कृषि बनाई जा रही है।

(४) राज्य द्वारा पत्रावक्षम क्षेत्र स्थिर होना (Leonotic Holdings fixed by the Govt.)—सर्वकार द्वारा पत्रावक्षम क्षेत्र का क्षेत्रपत्र स्थिर हो जाना पत्रावक्षम और उत्तरी खाद उत्तराधिकार व व्यवस्थापन विधेयों द्वारा बदल दिया जाय।

(५) जिला अधिकारियों को अधिकार (Powers for District Authorities)—यदि पोपणक्षम क्षेत्र की स्थिरता समान रूप में करना संभव नहीं हो, तो जिला अधिकारियों को यह अधिकार दे दिए जायें कि वे श्रमिक साकार से नीचे जाने भू-विभाजन को मान्यता न दें और न उसकी रजिस्ट्री करें ।

### अभ्यासार्थ प्रश्न


#### इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—कृषि क्षेत्र विभाजन एवं अपखण्डन से क्या समझते हैं ? इसमें होने वाली हानियों को प्रकट कीजिए और उपाय बताइए । ( उ० प्र० १९४१ )
- २—भारतवर्ष में कृषि क्षेत्र के अपखण्डन के कारण और नभवं होने वाले उपाय बताइए । ( नागपुर १९४१, दिल्ली १९४०, कलकत्ता १९४३ )
- ३—भारत में खेतों के उपविभाजन और अपखण्डन के कारणों और परिणामों की समीक्षा कीजिये । ( पंजाब १९४२, ४६, दिल्ली १९४४ )
- ४—चकबंदी और सहकारी कृषि में क्या तत्पर्य है ? इसके द्वारा भारत में खेतों के उपविभाजन और अपखण्डन की समस्या कैसे हल की जा सकती है ?
- ५—पोपणक्षम क्षेत्र शब्द की व्याख्या कीजिए और इसका भाग्यीय कृषि में क्या महत्त्व है, समझाइय ।
- ६—टिप्पणी लिखिए : -  
भारत में कृषि खेतों का छोटे-छोटे टुकड़ा में विभाजित होना । ( प्र० को० १९६० )

## भारत की खनिज सम्पत्ति (Mineral Wealth of India)

भारतवर्ष खनिज सम्पत्ति में न तो अधिक धनी है और न अधिक निर्धन। हम देश में समस्त खनिज पदार्थों का वार्षिक औसत उत्पादन लगभग ४० करोड़ रुपये का है। जैसे कि लोगों की धारणा है कि भारतवर्ष में असीम खनिज सम्पत्ति है, यह भी बिल्कुल ठीक नहीं है, क्योंकि खनिज उद्योग यहाँ अभी संशय अवस्था में ही है। अतः हम यहाँ भारत की खनिज सम्पत्ति का यथार्थ चित्रण करेंगे। भारतवर्ष में निम्नलिखित मुख्य खनिज पदार्थ मिलते हैं।

**लोहा (Iron & Ores)**—संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रान्स के पश्चात् भारत में मसाला का सबसे अधिक सोहे का मूल्य है। भारतवर्ष में सोहे का अधिक संचय बिहार और उड़ीसा में है अर्थात् सिन्धुभूमि का जिला, मयूरभंज, बोकार और कचोभर की रियासतें लोहे के लिए प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर और महाराष्ट्र में भी लोहा अन्तरी विस्म का निक्षेपता है, परन्तु उनसे समीप कोयला और चूना न मिलने से अभी उनका अधिक विकास नहीं हुआ है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारतवर्ष में ३ अरब टन लोहा विद्यमान है। वर्तमान में भारतीय लोहे का उपयोग करने वाले मुख्य कारखाने ये हैं। Tata Iron and Steel Co Ltd., Jamshedpur, Bengal Iron Co. Ltd., Kulti और Indian Iron and Steel Co Ltd Asansol.



लोहा खनिज-क्षेत्र

सम्पूर्ण भारत के लोहे का वार्षिक उत्पादन ३० लाख टन है। यह हमारे सौभाग्य की बात है कि बिहार में लोहे और कोयले को खाने एक दूसरे के समीप मिलती है। अतः उत्पत्ति की लागत में काफी बचती होती है। सारी लोहे को खाने भारतवर्ष में ही स्थित है, पाकिस्तान में कोई लोहे की खान नहीं है। भारत में जनवरी १९६० में ८,१६,००० मीट्रिक टन खनिज लोहा निर्यात गया। सबसे अधिक लोहा उड़ीसा में



निवाहा गया। यहाँ ३२३ ००० मीट्रिक टन साह्रा निकला। इसके बाद बिहार का नम्बर आता है जहाँ २३४ ००० मीट्रिक टन निकाला गया मसूर में ११० ००० मी० टन मध्य प्रदेश में ६० ००० मी० टन और महाराष्ट्र राज्य में २१ ००० मी० टन साह्रा निकाला गया।

**कोयला (Coal)**—यह आधारभूत खनिज पदार्थ है जिस पर भारतीय औद्योगीकरण निर्भर है। भारतवर्ष में कोयले की स्थिति सन्तोषजनक है। सतार में कायला उपलब्ध करने वाले देशों में इसका सातवाँ स्थान है। यहाँ कायला का उपयोग जलाने वाले शक्ति और रेल चलाने के लिए होता है। भारतीय कायला की विशेष अधिकता उन्हाई है। मात्रा का दृष्टि से भा. यह सीमित है। कोयले के उपभोग की वर्तमान गति में सम्पूर्ण मजदूरी को बचाने में अधिक नहीं रह सकेगा। हमारे यहाँ पेट्रोल को बचो कमी है अतः कृत्रिम पेट्रोल कोयला द्वारा बनाया जा सकता है। जब कोयला द्वारा पेट्रोल बनाने लगेगा तो सम्पूर्ण मजदूरी इन्धने में भी कम समय में समाप्त हो जायेगी। अतः हम अपने कोयले के उपभोग में पूर्ण विनियमिता करने की चाहें।

भारतवर्ष में कोयला का वितरण असमान है। कोयला का खान मुख्यतः बंगाल बिहार और उड़ीसा में स्थित है—खानों के प्रतिष्ठित बंधन राजीवज और झरिया है। इनके अतिरिक्त मध्य प्रदेश, आसाम और हैदराबाद में भी कोयला की खानें हैं। राजस्थान में धीनेपनवा योजना में भी बड़ा कोयला मिलता है। मद्रास और पूर्वी बंगाल में कोयला बिल्कुल नहीं है। भारतवर्ष में सम्पूर्ण कोयला के संचय का अनुमान ८ अरब टन लगाया गया है और वास्तविक विकास का ३ करोड़ टन।

जनवरी १९६० में खानों में खनन मात्रा का कुल ४३ ००४६ टन कायला निकाला गया। राष्ट्रीय कोयला विभाग निगम की नई योजना के अन्तर्गत प्रयत्न में यह आशा है कि सन् १९६१ के प्रारम्भ में लगता ही कोयला निकलने लगेगा जिसका अन्तर्गत योजना में लक्ष्य रखा गया है।

**पेट्रोल (Petroleum)**—भारतवर्ष में पेट्रोल बहुत ही कम निकलता है। अर्थात् केवल हाने और देशों के विमानों से भारत में पेट्रोल की स्थिति और भी गंभीर हो गई। केवल आसाम में कुछ पेट्रोल मिलता है जिससे भारत की केवल ५ प्रतिशत आवश्यकता की पूर्ति होती है। आसाम में पेट्रोल के मुख्य क्षेत्र डिब्रुगढ़, ब्यांगर और हमापन हैं। भारतवर्ष में कोयले के अतिरिक्त कोयला से बने हुए डिब्रुगढ़ (Synthetic) पेट्रोल पर ही निर्भर रहना पड़ता है। इसकी कमी की पूर्ति के लिए चीन से आरक्षणों में बच गीते में पाकर अन्तर्कोयला खानों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है।

**मैंगनीज (Manganese)**—यह भूरे रंग की एक धातु है। यह बहुत कठोर होती है और बड़ी कठिनाई में पिघलती है। मैंगनीज का प्रयोग लोहे और फौलाद को बड़ा बनाने में होता है। निर्निवृत्त पाउडर और बुलेट बनाने का लाल रेशा (L'ossium Permanganate) बनाने तथा रिजिनी और बॉल के कारखानों में भी इसका प्रयोग होता है। इसके प्रयोग से बॉल का पोलापन दूर हो जाता है।

रस के परभाव भारत ही सतार में सबसे अधिक मैंगनीज उपलब्ध करता है। भारत में मैंगनीज मुख्यतः मध्यप्रदेश के मसूर, मद्रास बिहार और उड़ीसा में निकाला जाता है। पाकिस्तान में मैंगनीज का संचय बिल्कुल नहीं है। भारतवर्ष साह्रा

के पारखानों में मैंगनीज की उत्पन्न निरन्तर बढ़ रही है, परन्तु फिर भी मैंगनीज विदेशों को भेजने के लिए पर्याप्त मात्रा में बच जाता है। हमारे देश का मैंगनीज मुख्यतः ब्रिटेन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, बेल्जियम और जर्मनी की निर्यात किया जाता है। भारत सरकार द्वारा भी इस व्यवसाय को बड़ी महायत्ना मिल रही है। सन् १९५४ में मैंगनीज का उत्पादन १,८१ लाख टन था जिसे बढ़ाकर दूसरी योजना के अन्तर्गत २० लाख टन उत्पादन करने का सक्त्त है। इस समय इस उद्योग में ८५ हजार व्यक्ति कार्य कर रहे हैं।

**अभ्रक ( Mica )**—अभ्रक का प्रयोग विज्ञानों के कन्दों और बॉम्बे के सामान में होता है। बन्दार के तार, समुद्री विज्ञान और माटर व्यवसाय में अभ्रक की बहुत आवश्यकता पड़ती है। अब, इसकी माँग निरन्तर बढ़ रही है। भारत में भारत में सर्वत्र अधिक अभ्रक निकालता है, प्रथम भारत के उत्तर-पश्चिम भाग में ही मिलता है। भारत में अभ्रक मुख्यतया बिहार, मद्रास, राजस्थान और अजमेर में निकलता है। केवल बिहार में भारत का ८० प्रतिशत अभ्रक निकलता है। भारत में इसका मूल्य उत्पादन लगभग ४ लाख ६० हजार टन है और यहाँ विज्ञानों के व्यवसाय का अभाव होने से अधिकतर मात्रा निर्यात की जाती है। अनेक विज्ञान में इस उद्योग में लगभग ६० हजार व्यक्ति मगान हैं।


**सोना (Gold)**—सोना एक बहुमूल्य धातु है जिसका प्रथम अतिक्रम आनुपम और सिकन्दर धनाने में हुआ है। भारत में भारत का कुल ०.०० मात्रा मिलता है। भारत का लगभग ६६ प्रतिशत सोना मैसूर की राज्यात्त सोना में प्राप्त होता है। बाँदा सोना मद्रास में अन्तर्गत और हैदराबाद में हट्टी की खाना में ही प्राप्त होता है। यह नदियों की मिट्टी में भी निकला जाता है। भारत में सोना का वार्षिक उत्पादन लगभग १,२०,००० बीस है। यह मात्रा भारत की आवश्यकता में कम है, अतः इस सोना का आयात करना पड़ता है। सन् १९५१ में भारत में ०.०६,००० बीस सोना निर्यात गया।

**चादी (Silver)**—यह मैसूर का कोना खाना में बहुत थोड़ी मात्रा में बन्दार जाती है। प्रति वर्ष चाँदी एक बड़ी मात्रा में विदेशों में आयात की जाती है।

**ताँबा (Copper)**—विज्ञानों का तार, समुद्री तार और विज्ञानों के अन्य पदार्थों में ताँबा बहुत प्रयुक्त होता है। इसमें जस्ता मिलाकर पीतल बनाया जाता है, टिन मिलाने से काँसा और निकल मिलाने में अम्ल-मिश्रण बनता है। ताँबा मुद्र रूप में बहुत कम मिलता है। भारत में ताँबा निकालने वाले देशों में भारत का आठवाँ स्थान है। भारत में ताँबा बिहार, मद्रास अजमेर, राजस्थान और सिमाचल प्रदेश में निकाला जाता है। अनेक हजारों वर्षों से इसका प्रयोग पीतल का वर्तन बनाने में ही होता है। अब आयात की जाती है कि विज्ञानों के ध्वजों की उल्लिख के साथ इस व्यवसाय की भी उल्लिख होगी। भारतीय खान कार्यालय द्वारा प्रकाशित विद्ये में आयात के अनुसार जनवरी १९६० में २०,४०० मेट्रिक टन लोहा ताँबा का उत्पादन हुआ। मात्र एकाधिक लोहा बिहार राज्य का मिहभूम जिले में पाया जाता है।

**सीसा (Lead)**—आरक्षण में सीसे की कुछ मात्रा बिहार मद्रास, राजस्थान, अजमेर और सिमाचल प्रदेश में मिलती है, परन्तु उतका उत्पादन बहुत ही कम है। जनवरी १९६० में १३,८१० मेट्रिक सीसा और जस्ता निकाला गया।

शोरा (Salt-peter)—शोरा बहुत उपयोगी वस्तु है। इसका मुख्य प्रयोग साद बनाने में होता है। इसमें वास्तु, शोरे का तेजाब, काँच आदि भी बनाये जाते हैं। शोरा अधिकतर बिहार, पंजाब और उत्तर प्रदेश में प्राप्त होता है। लगभग सारा शोरा विदेशों को भेज दिया जाता है।



भारतवर्ष की खनिज सम्पत्ति

नमक (Salt)—भारत में नमक समुद्रों, कुँवों और झीलों के तटों पर पानी से बनाया जाता है। नमक चट्टानों में भी प्राप्त होता है। भारत में नमक महारष्ट्र व मद्रास में समुद्र के पानी को सुखा कर और राजस्थान में मीठर झील के तटों पर पानी को सुखा कर बनाया जाता है। चट्टानों (गंधा) नमक पाकिस्तान में मिलाया जाता है। सरकारी अनुमान के अनुसार १९५७ में नमक का उत्पादन ६६३ लाख मन हुआ जो १९५६ में ८८६ लाख मन तथा १९५५ में ८११ लाख मन था।

कुछ प्रमुख केन्द्रों में अनुमानित उत्पादन (लाख मन में) इस प्रकार होगा :—  
 राजस्थान २०.४, मन्बई २६४.०६, गौरापुर २३०.५४, कच्छ ६२.७१, मद्रास १५.००६ तथा भाद्र ५६.०५।

सम्भवतः इतना उत्पादन पहले कभी नहीं हुआ ।

इनके अतिरिक्त भारतवर्ष में गैलसुम ( Gypsum ), चूना ( Lime Stone ), बाक्साइट ( Bauxite ), क्रोमाइट ( Chromite ), मोनाजाइट ( Monazite ), मैग्नेसाइट ( Magnesite ), इल्लमेनाइट ( Ilmenite ), वूलफ्रम ( Wolfram ), टिन ( Tin ) और सीमेन्ट व्यवसाय की सामग्री आदि खानज पदार्थ मिलते हैं ।

### खनिज पदार्थों के संचय की आवश्यकता

#### (Necessity of Conserving the Mineral Wealth)

किसी देश के आर्थिक उत्थान में खनिज पदार्थों का बड़ा महत्त्व है । यह सौभाग्य की बात है कि देश के विभाजन से हमारे खनिज पदार्थों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा जो कुछ भी खनिज पदार्थ हमारे देश में विद्यमान हैं उनका सदुपयोग होना चाहिए । खेत में एक वर्ष फसल नष्ट हो जाने पर निराशा होने की अधिक आवश्यकता नहीं है, क्योंकि दूसरे वर्ष अच्छी पैदावार हो सकती है । परन्तु खनिज पदार्थ एक बार निवृत्त होने पर वे भूमि में से पुनः प्राप्त नहीं किए जा सकते । इसलिये खनिज पदार्थों के संचय की रक्षा नितान्त आवश्यक है । यही नहीं बल्कि उनका विकास तथा सदुपयोग इनसे भी अधिक आवश्यक है, क्योंकि देश की आर्थिक एवं औद्योगिक उन्नति इन्हीं के सदुपयोग पर आश्रित है ।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

इन्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—भारत की खनिज सम्पत्ति का सक्षिप्त वर्णन कीजिए । इनका भारत की भावी आर्थिक उन्नति के लिए क्या महत्त्व है ?

(प्र० वो० १९५७ ५४, ५०, उ० प्र० १९५९)

२—भारत की खनिज सम्पत्ति पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए । (उ० प्र० १९५०, ४७)

३—“भारत में प्रकृति के साधन प्रचुर मात्रा में हैं, आवश्यकता इस बात की है कि इनका उचित उपयोग व विकास किया जाय तथा इनको सुरक्षित रखा जाय ।” इस कथन को जगत और खानों के सम्बन्ध में समझाइए ।

(प्र० वो० १९५५, उ० प्र० १९५०)

४—भारत के औद्योगीकरण के लिए देश की खनिज सम्पत्ति कहाँ तक पर्याप्त है ?

(वतारम १९३१)

५—भारत की खनिज सम्पत्ति का उल्लेख राजस्थान में पाये जाने वाले खनिज पदार्थों के विशेष विवरण सहित कीजिए ।

(रा० वो० १९६०)

औद्योगिक उत्पत्ति के लिए शक्ति उतनी ही आवश्यक है जितनी कि कृषि की उन्नति के लिए मिचाई। अस्तु, शक्ति ही औद्योगिक उन्नति का आधारभूत है। 'शक्ति' एक व्यापक शब्द है परन्तु यहाँ पर 'प्रेरक शक्ति' ( Motive Power ) से ही इसका तात्पर्य है। वस्तुओं को चलाने वाली या क्रियाशील रखने वाली शक्ति को प्रेरक-शक्ति कहते हैं। यह प्रेरक शक्ति मनुष्यो, पशुओं, हवा आदि से प्राप्त की जा सकती है। परन्तु आधुनिक उन्नत देशों में यह कोयले, तेल व बिजली से प्राप्त की जाती है। जल-विद्युत् को छोड़ कर अन्य साधनों में कोयला एक सबसे सस्ता शक्ति का साधन है। अब हम यह देखना है कि भारतवर्ष में कौन-कौन से शक्ति के साधन विद्यमान हैं और उनका उपयोग कहाँ तक सम्भव है।

भारतवर्ष में शक्ति के मुख्य साधन निम्नलिखित हैं :-

(१) मनुष्य, (२) पशु, (३) वायु, (४) ईंधन, (५) कोयला, (६) तेल और, (७) जल।

(१) मनुष्य ( Man )—मानव शक्ति धनोत्पत्ति का एक आवश्यक साधन है, क्योंकि बिना मनुष्य की सहायता के धनोत्पत्ति का कोई कार्य सम्भव नहीं। परन्तु आधुनिक समय में मनुष्य का अधिकार कार्य मशीन ने ले लिया है, इसीलिए इसको 'मशीन युग' कहते हैं। फिर भी मनुष्य का महत्व कम नहीं है। भारतवर्ष की विशाल मानव शक्ति में यदि कोई न्यूनता है तो उसकी कार्य शक्ति। अस्तु, भारतीय मानव शक्ति को यदि अधिक कार्य-कुशल बनाना अभीष्ट है तो निधनता को दूर कर भारतीयों के जीवन-स्तर को उच्च करना चाहिए, इसी में देश का हित एवं कल्याण निहित है।

(२) पशु ( Animal )—मानव शक्ति के पश्चात् पशु-शक्ति का महत्व है। भारत में पशु-शक्ति भी पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है। यहाँ की खेती तो बिल्कुल इसी पर आश्रित है। बैल, भैंसे, घोड़े, खच्चर, गधे, ऊँट आदि पशु खेती में सहायक होने के अतिरिक्त बोझ ढोने, सवारियाँ ले जाने के कार्य को भी सम्पन्न करते हैं। चारे की कमी, पशु चिकित्सा का अभाव और नस्ल बिगड़ जाने से इस देश के पशुओं की निपुणता में ह्रास हो जाना स्वाभाविक है। अस्तु, हमें पशुओं की केवल संख्या में ही सतों नही कर लेना चाहिए, बल्कि उनकी निपुणता एवं कार्यक्षमता को भी बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए।

(३) वायु ( Wind )—वायु भी शक्ति का एक प्रबल साधन है। पहाड़ी प्रदेशों में जहाँ वायु का वेग रहने नहीं पाता, वहाँ आटा पीसने और पानी उठाने के लिए पवन चक्कियों का उपयोग होता है। मैदानों में वायु द्वारा प्रायः अनाज में सूना

अनग किया जाता है। हानु म वायु के निरंतर एक हा दिना म करने रहने को सुविधा न वही वायु गति को उपयोगिता को अधिक बना दिया है। परन्तु भारत में व्यापारिक प्रयोजना क लिय वायु-गति का अधिक प्रयोग नहीं होता है।

(४) ईंधन ( Wood fuel )—लकड़ी जला कर भी गति पैदा की जा सकती है। लकड़ी जलाकर भाप उत्पन्न करने में शक्ति का अधिक हानि होता है। भारतवर्ष में एक घोर कठिनाई है। यहाँ अधिकांश वन पहाड़ों पर स्थित हैं अतः यात्रायान की सुविधा बिना उद्योग प्राप्त नहीं हो सकती। यहाँ लकड़ा का प्रयोग करके घर-घरों में ईंधन के प्रयोजन तक ही सीमित है। कुछ समय पहिने जब पत्तों की कमी हो गई थी तो मोटर गाड़ियाँ और बसों में लकड़ा का उपयोग करके शक्ति का संचार किया गया था। अतः भा मसूर क रोह क कारखाने में कोयला क अभाव में लकड़ी जलाकर प्रक शक्ति उत्पन्न की जाती है।

(५) कोयला ( Coal )—कोयला अब भी भाग और विजयी उत्पन्न करने का एक बहुमूल्य साधन है परन्तु भारत क कोयला म बहुत न सीधे हैं (अ) देश के विस्तार को करने हुए यहाँ कोयला की मात्रा बहुत कम है। यहाँ मात्र म २ करोड़ १० लाख टन कोयला निकाला जाता है जबकि संयुक्त राज् म अमेरिका म ४५ करोड़ ६ लाख टन निकाला जाता है। यह अनुमान लगाया गया है कि भारत म कुल कोयला का संचय (Deposit) ४ अरब १६ करोड़ टन है। (ब) भारत का कोयला घटिया होता है। इसमें कोयला कम रहता है परन्तु राख पास्तायस और जल अणु अधिक रहता है। (स) यहाँ पर कोयला का कितना प्रयोग नहीं है। देश का ८० प्रतिशत कोयला बिहार में गाड़वाना क्षेत्र म स्थित है यहाँ से बम्बई मद्रास और पंजाब शक्ति स्थलों को पायला न जान म समय अधिक लगता है। अतः यहाँ क कोयला का उपयोग कम व्यय म और सुविधा न साध केवल बंगाल और बिहार क उत्पादन द्वारा ही हो सकता है। (द) जिन स्थानों म कोयला की मात्रा है यहाँ आबादी बहुत कम है जस छोट मगपुर का पटार। यहाँ कोयला करने के नियम मजदूर नही मिलते अधिकतर मजदूर दूर से आते हैं इसीसे मजदूर महँगी पटती है।

कोयला का जीवन बहुत छोटा है अतः इसका सदुपयोग करना चाहिये। भारत म अधिक कोयला को रोह क कारखानों क नियम सुरक्षित रखना चाहिये क्योंकि वह बहुत कम है। उनको रेत का इस्तेमाल म भाग बनाने म प्रयोग नहीं करना चाहिये। पहिया कोयला हमारे देश म बहुत है। अतः हान ही म मद्रास के दक्षिणी अर्कट और कुड्डालोरी जिला म निर्माणाधीन कोयला पाया गया है। इस कोयले से बिजली और इत तक बनाया जा सकता है। कोयला क सदुपयोग का अर्थ यह है कि खान खोदने के वर्तमान क्षण म सुधार किया जाय और इनक द्वारा उत्पादित शक्ति का कोई भी अणु व्यर्थ न जाय।

(६) तेल ( Oil )—पेट्रोल का अधिकतर प्रयोग मोटर-कार बस और हवाई जहाजों क चलाने म किया जाता है। परन्तु भारत म अधिक पेट्रोल उत्पादन नहीं होता है। भारत म पेट्रोल केवल अरबाम म डिगबई क पास मिलता है जो सप्तर के उत्पादन क १ प्रतिशत का उत्पादन होता है। अतः भारत का पेट्रोल एक बड़ी मात्रा म संयुक्त राज्य अमेरिका इरान ईराक ब्रह्मा आदि देशों म मगाना पड़ता है। निस्संदेह भारत म तेल की समस्या अति चिन्ताजनक है। अतः वर्तमान स्थिति म तेल भारत का एक महत्वपूर्ण शक्ति का साधन नहीं हो सकता।

भारत में कृत्रिम तेल (Synthetic Oil) आसानी से बनाया जा सकता है। (अ) यहाँ पटिया कोयला पर्याप्त मात्रा में मिलता है, इसका उपयोग तेल बनाने में किया जा सकता है। इस प्रकार का तेल ब्रेट ब्रिटेन और जर्मनी में अधिक तैयार किया जाता है। (ब) भारत में चीनी के कारखाना में जो घीरा नष्ट होता है उसमें २ करोड़ टन मद्यसार (Alcohol) बनाई जा सकती है। इसको पेट्रोल के साथ किसी अनुपात में मिला कर बड़े प्रकार के इंजनों में प्रयुक्त किया जा सकता है। जर्मनी, फ्रान्स, चीन आदि देशों में चुकन्दर की जड़ों का प्रयोग मद्यसार बनाने में किया जाता है। (स) यह बात वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसन्धान द्वारा सिद्ध कर दी गई है कि लकड़ी के टुकड़ों तथा व्यर्थ नष्ट होने वाले पत्तों और जटा में भी तेल बनाया जा सकता है।

(७) जल (Water)—जल शक्ति का एक बड़ा सामर्थ्यपूर्ण साधन है जिससे विद्युत् उत्पादन की जा सकती है। इसे जल-विद्युत् (Hydro electricity) या श्वेत कोयला (White Coal) कहते हैं। सबसे बड़ी मुविधा इसमें यह है कि यह बहुत दूर तक सुगमता से ल जाई जा सकती है और इसका प्रयोग आवश्यकताओंनुसार किया जा सकता है। भारत में जल शक्ति कोयले और तेल का पूर्ण अभाव है, जल-शक्ति ही हमारे लिये एक मात्र साधन रह जाना है। अतः भारत में इसका पूर्णतया विकास होना नितान्त आवश्यक है।

यदि प्रकृति ने भारत को कोयला और तेल प्रदान करने में कुछ कमी की है तो जल-शक्ति के प्रदान करने में अपनी उदारता का परिचय दे दिया है। भारत में जल शक्ति के विकास के लिये एक बड़ा भारी क्षेत्र है यद्यपि वर्तमान दशा में इसका विकास बहुत कम हुआ है। सन् १९१६ ई० में भारतवर्ष के हाइड्रो इलेक्ट्रिक सर्वे (Hydro electric Survey) से पता चलता है कि हिमालय पर्वत से जल के प्रत्येक १००० फीट नीचे गिरने से ३० लाख किलोवाट जल विद्युत् शक्ति प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर भारत के पास सबसे अधिक जल शक्ति है अर्थात् २७० लाख किलोवाट। यदि इस महान् शक्ति को उचित ढंग में प्रयोग किया जाय, तो देश का प्रत्येक गाँव औद्योगिक केन्द्र बनाया जा सकता है। परन्तु हम इस शक्ति का केवल पचासवाँ भाग ही प्रयोग में लाते हैं जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस तथा जापान तिहाई जल-शक्ति का प्रयोग कर लेते हैं और स्विट्जरलैंड तो अपनी जल शक्ति का तीन चौथाई भाग प्रयोग कर लेता है। इस शक्ति के विकासार्थ भारत सरकार ने सेंट्रल टेक्निकल बोर्ड (Central Technical Board) की नियुक्ति की है।

जल विद्युत् के विशेष गुण—जल-शक्ति के अनेक गुण हैं जो निम्नलिखित हैं—

- (१) यह सस्ती शक्ति होती है। कोयले, ईंधन या तेल की प्रपेक्षा इसकी लागत ७५ प्रतिशत कम होती है।
- (२) स्थिकरी उपकरण होने के कारण जल शक्ति के काम में आ सकता है।
- (३) नारों द्वारा बिजली दूर-दूर तक सुगमता से और सस्ती दर पर पहुँचाई जा सकती है।
- (४) बिजली में कोयले आदि की भाँति न तो धुआँ ही होना है और न धावाज ही।

### विजली के आर्थिक लाभ (Economic benefits of Electricity)

विजली का धरेलू उपयोग—विजली के रूप में आधुनिक समाज को एक उपहार प्राप्त हुआ है। इसे आधुनिक सभ्यता का चिन्ह कहा जाय तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इससे घरों के दैनिक परिश्रम कम हो गये है। इसके द्वारा घरों में उतम, सरसता और बड़ी सुविधा देने वाला प्रवास प्राप्त होता है। आजकल अनेक घरेलू कार्य विजली द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं।

उद्योगपति को लाभ—विजली के द्वारा उद्योगपति को मशीनों और आवश्यकता-नुसार प्रेरक शक्ति प्राप्त होती है। विश्वी पैदा करने का व्यव कोयले, तेल और ईंधन को तुलना में बेवज एक चोखाई है। प्रेरक शक्ति प्रदान करने के अतिरिक्त कुछ औद्योगिक क्रियाओं के लिए इसका प्रयोग निराला आवश्यक है, जैसे मानसाइट से एन्थ्रामिनिषय बनाने में विजली का प्रयोग अनिवार्य है। जल विद्युत् तारों द्वारा २५० मील की दूरी पर पहुँचाई जा सकती है, इसलिए घने जंगल और गहरे औद्योगिक क्षेत्रों को दूर ले जाया जा सकता है। मशीनों में गर्मी और शक्ति में मशीनों उत्पन्न कर धम की कार्य-कुशलता में सुधार किया जा सकता है।

कुटीर एवं छोटे व्यवसायों को लाभ—कुटीर एवं छोटे-छोटे दस्तकारों को इससे बहुत लाभ है। जापान और स्विट्जरलैंड में छोटे कारखानों में इसका अत्यधिक प्रयोग हुआ है। भारतवर्ष में छोटे कारखानों में विजली का प्रयोग लाभदायक मित्र हो सकता है। मूल्य में भी विजली के द्वारा ५ हजार रुपये बचते हैं।

यातायात के क्षेत्र में विजली का उपयोग—यातायात के क्षेत्र में भी विजली का उपयोग वैश्वीय है। इस समय भारतीय रेलों द्वारा लगभग ७० लाख टन कार्बला चूर्ण हाता है। विजली के द्वारा कोयले का उपयोग कम हो सकता है। वर्धमान में बलियाण तक विजली की रेखाएँ कितनी सुविधाजनक कार्य कर रही हैं। यह सबको विदित ही है। भारत की समस्त रेलों के लिए केवल विद्युत् की कोमी योजना ही विजली की शक्ति प्रदान करने के लिए पर्याप्त है।

कृषि में विजली का उपयोग—मेनी में भी विजली का प्रयोग हो सकता है। उदाहरण के लिए भैंस जोतने, बोने, घास व फसल काटने, धान में भूषा छानने आदि क्रियाओं में विजली का प्रयोग लाभदायक सिद्ध हो सकता है। भारतवर्ष में खेती छोटे-छोटे खेतों में होती है। तथा भारतीय कृषक निर्धन होने में विजली का उपयोग नहीं कर सकता।

सिंचाई—जल विद्युत् का प्रयोग सिंचाई में निम्न प्रकार हो सकता है —

(१) विजली द्वारा पानी कुँआ में निकाला जा सकता है और खेतों का समय पर भींचा जा सकता है। इससे खेतों की शक्ति अचकर खेती के अन्य कार्यों में प्रयुक्त हो सकती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश और मद्रास के कुछ गाँवों में इस कार्य के लिए विजली प्रयुक्त की जाती है।

(२) विजली द्वारा सिंचाई होने में पानी निरर्थक नष्ट नहीं होने पाता।

(३) बहुप्रयोजन योजनाओं में विजली उत्पन्न करने के परवानों का जल अर्थात् Tail water सिंचाई के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है।

(४) नदियाँ पर बाँध बनाने और Pumping Stations स्थिर करने में विजली बड़ी सहायक है।



(५) बिजली द्वारा राम गंगा जैसी नीची तटहू रखने वाली नदी में भी सिंचाई हो सकती है ।

(६) बिजली सिंचाई की सुविधाएँ प्रस्तुत कर खेती को पैदावार में वृद्धि करती है ।

(७) बिजली द्वारा सिंचाई में नदीय और सम्पन्न फसलों की पैली होना सम्भव है ।

(८) बिजली द्वारा सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ने से अनाज का आक्रमण प्रभाव दूग्य हो जाता है ।

(९) बिजली के प्रयोग में सिंचाई का निरन्तर साधन उपलब्ध होने से वर्ष भर में कई फसलें पैदा की जा सकती है ।


ग्राम्य व्यवसायों के लिए बिजली का उपयोग—जल-विद्युत् का विकास गांधी के उद्योग धर्मों के लिए भी लाभदायक सिद्ध हो सकता है । इससे गांधी के उद्योग-धर्मों का पुन उदयान हो सकता है । जिन क्रियाओं को बार बार करना पड़ता है वे बिजली से चलाने वाली मशीनों में भली प्रकार सम्पन्न की जा सकती हैं । बिजली के प्रयोग में पुराने ढंग के छोजार आदि में भी परिवर्तन हो सकता है ।

### भारत सरकार की प्रसिद्ध जल-विद्युत् योजनाएँ

बम्बई महाराष्ट्र एवं गुजरात राज्य

भारत में जल-विद्युत् के सबसे बड़े कारखाने बम्बई राज्य में हैं । इन सबको स्थापित करने का श्रेय टाटा को है । इनमें बम्बई, कल्याण, पूना और वाणा नगरों को बिजली दी जाती है । इन्हीं में बम्बई की सूती कपड़े की मिलें शक्ति प्राप्त करती हैं और पश्चिमी तथा जी० आई० पी० रेल भी इसी बिजली का प्रयोग करती हैं । इस राज्य के बिजली के मुख्य कारखाने निम्नलिखित हैं :—

टाटा हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई कम्पनी लि० (The Tata Hydro-electric Power Supply Co., Ltd.)—यह कारखाना बम्बई से ४३ मील की दूरी पर स्थित है और इतना उत्पादन मन् १९१५ में हुआ था । भोरपाट के ऊपर लोनावाला-वालवान और शिरावदा भीनों में तीन विशाल बांध बनाकर एक विशाल जलाशय बना दिया गया है । यह पानी बड़े-बड़े नलों द्वारा लगभग ७० हजार फीट की ऊँचाई से सापोली के शक्ति-



बम्बई राज्य की जल-विद्युत् योजनाएँ

घृह (Power House) में छोड़ा जाता है। इस ऊँचाई से गिरने के कारण जल के प्रत्येक वर्ग इंच में पांच घन फीट का बचाव हो जाता है। इस शक्ति से पहिय चलाते हैं जिनसे ६० हजार किलोवाट विद्युत् उत्पन्न होती है।

(२) आन्ध्र वैली पावर सप्लाई कम्पनी लि० (The Andhra Valley Power Supply Co., Ltd.)—इस कम्पनी ने अपना कार्य सन् १९१५ ई० में प्रारम्भ किया था। यह शक्ति-गृह भिवपुरी पर स्थित है जहाँ आन्ध्र नदी पर बाँध बनाकर पानी इकट्ठा किया गया है। इससे ७२ हजार किलोवाट विद्युत् पैदा की जाती है।

(३) टाटा पावर कम्पनी लि० (The Tata Power Co. Ltd.)—यह कारखाना सन् १९२७ ई० में आरम्भ हुआ। बम्बई में ८० मीटर दक्षिण-पूर्व में भीरा नामक स्थान पर भीतामूला नदी में बाँध बनाया गया है जिससे ६६ हजार किलोवाट विद्युत् उत्पन्न कर बम्बई को पहुँचाई जाती है।

बम्बई राज्य की अन्य मुख्य विचाराधीन योजनाएँ

(१) उत्तरी-गुजरात योजना—जो अहमदाबाद इलेक्ट्रिक कम्पनी की विस्तार करणी।

(२) दक्षिणी गुजरात ग्रिड योजना—जिसके द्वारा सूरत में नया शक्ति-गृह स्थापित होगा।

(३) कोयना हाइड्रो प्रोजेक्ट—यह कायना नदी पर बाँध बनाकर संभार की जायगी।

(४) कोल्हापुर योजना—जिसकी विजली कोल्हापुर की नीला को ब नगर को प्राप्त होगी।

मद्रास राज्य

मद्रास राज्य में निम्नलिखित मुख्य योजनाएँ हैं—

(१) पैकारा जल विद्युत् योजना (The Pkara Hydro-electric Scheme)—यह योजना सन् १९२९ ई० में प्रारम्भ की गई थी। मद्रास के नीलमिरी जिले में पैकारा नदी पर बाँध बनाया गया है जहाँ विजली उत्पन्न कर कोयंबटूर, इरोड, त्रिचनापली, मदुरा आदि नगरों में पहुँचाई जाती है। यह योजना दक्षिणी भारत की औद्योगिक उन्नति में अत्यन्त सहायक सिद्ध हुई है। इसके पूर्ण विकास के पश्चात् योजना ४० हजार किलोवाट विजली उत्पन्न कर सकेगी।


(२) मेट्टूर जल-विद्युत् योजना (The Mettur Hydro-electric Scheme)—सन् १९३४ ई० में कावेरी नदी पर सिचार्ड के लिए मेट्टूर बाँध बनाया गया जो सगर में सबसे बड़ा बाँध है। यह १७६ फीट ऊँचा है और दाय १०,००० करोड़ घन फुट जल समा सकता है। पहले यह बाँध सिचार्ड के उद्देश्य से बनाया गया था, परन्तु अब इसकी महायत्ना से जल-विद्युत् उत्पन्न की जाती है। इस योजना द्वारा ४ हजार किलोवाट विजली उत्पन्न की जा सकती है जो सलेम, त्रिचनापली, तञ्जौर, अर्काट, चित्तूर और चिगनीपुट जिलों को शक्ति देती है। यह इरोड स्थान पर पैकारा योजना से नीला दी गई है।

(३) पापनासम योजना (The Papanasam Hydro-electric Scheme)—ताम्रपर्णी नदी पर पापनासम के पास सन् १९४४ ई० में एक विशाल

वांघ बनाया गया। इससे जो बिजली पैदा होती है उससे टोनेबनी, तूनीकोरिन और मदुरा आदि जिलों को बड़ा लाभ पहुँचता है।

केरल राज्य पल्लीवासल जल-विद्युत् योजना (The Pallivasal Hydro-electric Scheme)—इस योजना का प्रादुर्भाव इस राज्य में सन् १९४० ई० में हुआ। इस योजना में मुद्रपूजा नदी के पानी से बिजली उत्पन्न की जाती है। कोर्चीन की सम्पूर्ण बिजली की माँग इस योजना द्वारा पूर्ण की जाती है। इसने द्वारा अन्नबाय के एल्युमिनियम के कारखानों को प्रेरक शक्ति मिलती है। ऐसा अनुमान दिया जाता है कि यह योजना दस वर्ष पर्यन्त ३० हजार किलोवाट बिजली पैदा कर सकेगी।

इसने अनिश्चित Nerimangalam और Sengattam योजनाएँ विचार-धीन हैं।



दक्षिणी भारत की जल विद्युत् योजनाएँ

मैसूर राज्य—शिवसमुद्रम जल विद्युत् योजना (The Shivasamudram Hydroelectric Scheme)—मैसूर राज्य में भारत की सर्व प्रथम जल-विद्युत् योजना सन् १९०२ ई० में कावेरी नदी पर स्थित। शिवसमुद्रम भौल पर ६२ मील दूर स्थित कोवार में सीने की खानों की शक्ति पहुँचाने के उद्देश्य से बनाई गई। इस योजना में मैसूर राज्य के २०० नगरों को बिजली मिलती है जिनमें बंगलौर मुख्य है। वर्तमान में इस योजना से ४२ हजार किलोवाट बिजली उत्पन्न होती है।

इसके अलावा मैसूर राज्य में शिमशा (Shimsha) और जोग (Jog) प्रपातों द्वारा जल विद्युत् उत्पन्न करने वाले दो योजनाएँ जिनमें एक मत् १९४० ई० में पूर्ण हो गई जिनमें लगभग १८ हजार किलोवाट बिजली उत्पन्न होती है। जोग योजना मत् १९४० ई० में पूर्ण हो गई और इसमें ४८ हजार किलोवाट बिजली उत्पन्न होती है।

### उत्तर प्रदेश

गंगानहर जल विद्युत् ग्रिड योजना (The Ganges Canal Hydro-electric Grid Scheme) — इस योजना के अन्तर्गत गंग नदि गृह—बहादुरगढ़, मोहम्मदपुर, चित्तौरा, सालवा, भोला, पालरा, और मुमैरा — में स्थित हैं। ये गंगा नदि-गृह बिजली क तारा द्वारा एक दूसरे के साथ मिला दिये गये हैं। यही ग्रिड योजना कहलाती है। इस योजना द्वारा प्रान्त के पश्चिम में १४ जिलों में ६३ कम्पा को और दिल्ली प्रान्त में गहाबरा को परेलू, वृषि और उद्योग-धर्मों को बिजली मिलती है। जहां गहर द्वारा पानी नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर कुएँ खोद कर इस बिजली से पानी ऊपर उठाया जाता है और खेती की सिंचाई की जाती है। यही Ganges Valley State Well scheme है। इसके अन्तर्गत जितने कुएँ खोदे गए हैं वे बिजली के कुएँ अर्थात् ट्यूब-वेल (Tube Well) कहलाते हैं। ट्यूब वेल (नल बूप) द्वारा मुरादाबाद, बिजनौर, बदायूँ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, बुलन्दशहर और अलीगढ़ जिलों में लगभग १० लाख एकड़ भूमि सींची जाये है।

### उत्तर प्रदेश की अन्य विचाराधीन योजनाएँ

(१) शारदा नहर योजना (Sharda Canal Scheme) — इसमें ५० हजार किलोवाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी।

(२) नैयर योजना (Nayer Scheme) — इस योजना में गंगा नदी की महापक नदी नैयर पर गडवान जिले में नरीरा नामक स्थान में एक बाँध बनाया जायगा।

(३) जमुना हाइड्रो-इलेक्ट्रिक योजना (The Jamuna Hydro Electric Scheme) — यह योजना देहरादून से ३० मील दूर नदी पर बाँध बनाकर नैयर की जायगी। इस योजना में १७ करोड़ रुपये व्यय होगा।

(४) रिहन्द योजना (Rihand Scheme) — इस योजना में गंग की महापक नदी रिहन्द पर बाँध बनाया जायगा जिससे डेढ़ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी।

(५) टौंस गिरी योजना (Tons Gira Scheme) — इस योजना के अनुसार जमुना नदी पर दो बाँध बाँधे जायेंगे। यह योजना उत्तर प्रदेश और पंजाब सरकार द्वारा सम्पन्न होगी।

### पंजाब प्रदेश

मंडी जल-विद्युत् योजना (The Mandi Hydro-electric Scheme) — पंजाब प्रदेश के मंडी राज्य में ब्यास नदी की एक महापक उहल नदी के प्रपात से बिजली उत्पन्न की जाती है। इसका शक्ति-गृह ओगन्दनगर में स्थित है। इस योजना में १ लाख १८ हजार किलोवाट बिजली उत्पन्न होती है जिसमें पंजाब और दिल्ली की वर्तमान सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है। इसकी १५,००० फीट लम्बी इस्पाती सुरंग इजीनियरिंग विपुलता का एक अद्भुत नमूना

प्रस्तुत करती है। इससे जिनमला, अम्बाला, करनाल और फिरोज़पुर को बहुत मस्ती बिजली मिलती है। भविष्य में सहारनपुर, मेरठ, दिल्ली आदि नगरों का भी बिजली दी जा सकेगी।

अन्य विचाराधीन योजनाएँ—रमूल योजना, निपावाला योजना आदि।  
काश्मीर राज्य

बारामूला जल विद्युत योजना (The Baranulla Hydro electric Scheme) —थीनगर में ३४ मील उत्तर पश्चिम में बुनियाद के समीप जो बारामूला से १४ मील है बेलम नदी के पानी में बिजली उत्पन्न की गई है जो बागमूला और थीनगर को पहुँचाई जाती है। यह भारत की द्वितीय जल विद्युत योजना है जिसमें २६,००० घोड़ों का शक्ति को बिजली उत्पन्न की जाता है।

### भारत की मुख्य बहुउद्देशीय योजनाएँ (Multi purpose Schemes of India)

भारत में कई बहुउद्देशीय योजनाएँ का निर्माण हो रहा है तथा बहुत सी विचाराधीन भी हैं। इनमें बिजली भी पैदा होती है और साथ ही साथ सिंचाई का कार्य भी सम्पन्न होता है। उनमें से मुख्य योजनाएँ निम्नलिखित हैं —

दामोदर घाटी योजना (Damodar Valley Project) —दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकल कर बिहार के कई जिला में हीनी हुई पश्चिमी बंगाल को बनी गई है। यह एक भयंकर नदी है जिसमें प्रायः बाढ़ आती रहती है। यह बहुत तेज बहती है जिसके कारण भूमि का कटाव बहुत होता है। इस नदी का बड़ा महत्व है क्योंकि यह बिहार राज्य के खनिज पदार्थ के क्षेत्र के पास



में होकर बहती है। इसलिए भारत सरकार ने दामोदर घाटी निगम की स्थापना मई १९४८ में की। इसके अन्तर्गत दामोदर व उसकी सहायक नदियों पर बांध तथा दुर्गापुर व ऐण्डरसन पर कुण्ड (Barrage) बनाने की योजना है। दुर्गापुर कुण्ड बन चुका है। निर्माणाधीन तथा बचेकरो बिजली का केन्द्र तैयार हो गया है। इन योजनाओं पर अब प्रथम ५५ करोड़ रुपये लागत का अनुमान था, परन्तु अब लगभग ६३ करोड़ रुपये हो गया है। इस योजना के लिए अन्तर्राष्ट्रीय ऋण में २२ करोड़ पाउण्ड ऋण लिया गया है।

नाम—एक बहुउद्देशीय योजना के तयार हो जाने से भारत को विभूतिवृद्धि लाभ होंगे—(१) इसमें लगभग १,५५० मीन लम्बी अक्षय नहरें निकलेंगी जिनमें लगभग १० लाख एकर भूमि की सिंचाई होगी। (२) इसमें लगभग १ करोड़ मन पन्नाज की पैदावार बढ जायगी। (३) इसमें लगभग ३ लाख किनोवाट बिजली उत्पन्न होगी जिसमें ५०० मील के क्षेत्र वाले नये स्थानों में बिजली की प्रावधानका पूरी होगी। (४) इस क्षेत्र के वर्तमान कारखानों को दिक्की मिलेगी और अन्य नये कारखाने स्थापित होंगे। (५) धरेलू उद्योग-व्याप्य भी बिजली की सहायता में उत्पन्न करेंगे। (६) बना हुई नहरों में बाताघात की सुविधाएँ मिलेंगी। (७) हाकिमकार बाढ़ों की रोक-थाम हो जायगी। (८) दलदल को सुखाकर मरेगिया की रोक-थाम की जा सकेगी। (९) मनोरंजन के स्थान उपलब्ध हो सकेंगे, जैसे नीका-बिहार आदि।



भाबक्रा नंगल योजना (Bhakra Nangal Project)—भाबक्रा नंगल योजना नमार की एक बलियम विद्याय योजनाया में एक है जिनमें इंडीयनरी का अग्रन कोठान तथा अड्डन प्रविभा के बमन्वार रिखान का मुद्रावन्तर प्राप्त हुआ है। भाबक्रा नदी पर भाबक्रा तथा नंगल म्पाना पर दो बडे बांध बनाई जा रहे हैं। भाबक्रा बांध की ऊँचाई नदी के तल में ६०० फीट होगी। इस प्रकार ऊँचाई में बह बांध नमार के बांध में हुनरे नम्बर पर होगा। नम्बाई, बांधाई, ऊँचाई तथा माई में बांध की विद्यायता का अन्दाजा इस बांध में लगाया जा सक्त है कि उक्त अन्दाजा, दलदल, बह, रोग, कि उक्त पद के स्थित के गार विरायित तथा जायें और उनका ही योग म्पान साथी रह जायगा। इस बांध पर कुल मिलाकर १५६० करोड़ रुपय के लगभग खर्च का अनुमान किया गया है। अभी भाबक्रा बांध बन रहा है। नंगल बांध नंगल ही चुका है। इस बांध की ऊँचाई

११ फीट और लम्बाई १५५ फीट है। इसमें तीस-तीस फीट चौड़ी २६ जल-प्रणालिकाएँ हैं। यदि ये सब जलमार्ग खुले हों तो उनमें से ३ लाख ५० हजार 'क्युबिक' जल प्रवाहित हो सकता है (क्युबिक प्रवाह का माप है एक मैकैड में एक घन फुट जल बह गया तो एक 'क्युबिक' हुआ)। नैगल बाँध को बनाने में तीन लाख घन गज कंक्रीट २००० टन फौलाद और ६० हजार टन सीमेंट खर्च हुआ है। और १२ लाख ३० हजार घन गज खुदाई करके उसकी नींव रखी गई है इस पर लगभग ४ करोड़ रुपया लागत आई है।

लाभ:—( १ ) ६० लाख एकड़ भूमि की सिंचाई की जा सकेगी। ( २ ) पंजाब में प्रति वर्ष ३१ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। ( ३ ) चार लाख किलोवाट जल-विद्युत् उत्पादन की जायेगी। सिंचाई के परिणामस्वरूप अनुमान में ११ लाख टन साधान, ८ लाख गैड कर्डी, ५ लाख टन गन्ना, १५ लाख टन चारा और एक लाख टन दालें और विलहून की उपज देव में बढ़ जायगी। ( ४ ) इस योजना के कारण अनुमानतः २५ लाख व्यक्तियों को काम पर लगाया जा सकेगा। ( ५ ) लगभग १३० नगरों की बिजली मिलेगी। ( ६ ) एक हजार के लगभग 'टयब वेल्' लगाये जायेंगे जिनमें सिंचाई का खेत और बट जायगा। ( ७ ) कण्टीगट के निकट जिनपम में खाद बनाने का कारखाना बनाया जा सकेगा। ( ८ ) विविध मनोरंजन के मापन मुनम हो गयेंगे।

यार की दृष्टि में यह नगर का सबसे उपयोगी बाँध होगा।


**हीराकुड बाँध योजना ( Hirakud Dam Project )**—इस योजना के अन्तर्गत उड़ीसा राज्य के मधुनपुर जिले में महानदी पर २ मील लम्बा बाँध

बनाया गया है जो सैभार में सबसे लम्बा बाँध है। इसके अन्तर्गत नदी के दोनों किनारों पर १३ मील लम्बे मिट्टी के पुल बने गये हैं। बिजलीघर के पास बाँध की ऊँचाई २०० फीट है। बाँध में जो जलाशय बना है उनका विस्तार २०० वर्ग मील है। इसमें ६०१ लाख एकड़ फुट पानी भरा रहेगा जिसमें १० लाख ८०



हजार एकड़ फीट पानी बिजली पैदा करने के लिए और बाकी ४७ लाख २० हजार एकड़ फुट पानी सिंचाई तथा बिजली घाटि के लिए सुरक्षित रहेगा। इस योजना पर २४ करोड़ रुपया खर्च किया जायगा। हीराकुड जलाशय में बैरगट नहर में सबसे पहले ७ डिसेम्बर १९५६ को सिंचाई के लिए पानी दिया गया।

लाभ—( १ ) इस योजना के पूर्ण हो जाने पर १० लाख एकड़ भूमि सींची जा सकेगी। ( २ ) इस पर दो बड़े धक्किघृह (Power House) बनाये जायेंगे जिनमें १२३ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी। ये अरुन्धा नदी पर जर्मन विशेषज्ञों की सहायता में बनाये जा रहे हैं। ( ३ ) लोहा व इस्पात के कारखानों को यहाँ में बिजली प्रदान की जायेगी। इसके प्राथमिक अन्य नवीन उपयोग-धर्यों को बिजली दी



हिराकुंड योजना

जावेगी। (४) इस प्रकार सम्भलपुर के समीप एक औद्योगिक नगर बन जायगा। (५) इस योजना से महानदी की बाढ़ों पर भी नियन्त्रण हो गयेगा।

**कोसी योजना (Kosi Project)**—कोसी नदी हिमालय में निकल कर मुंगेर जिले में गंगा नदी से मिल गई है। बाढ़, फसलों की क्षति तथा मलेरिया की बीमारी इसकी देन है। इनमें मुक्ति पाने के लिए कोसी योजना को जन्म मिला। कोसी नदी पर पहाड़ी भाग में बाराह क्षेत्र मन्दिर में ऊपर की ओर एक ७८३ फुट ऊँचा बाँध बनाया जायगा जो संसार में सबसे ऊँचा बाँध होगा। इसी योजना का दूसरा बाँध नैपाल विहार सीमा पर बनाया जायगा। इसका अनुमानित व्यय १७७ करोड़ है।


**लाभ :—** (१) इसमें नहरों निकालकर बिहार राज्य में २० लाख एकड़ भूमि पर, नैपाल देश में १० लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। (२) इसमें लगभग १८ लाख किलोवाट बिजली बनेगी जिससे कारखानों पर चलें। (३) इससे बाढ़ों का





नियन्त्रण किया जा सकेगा । (४) वन लगाकर भूमि का कटाव रोका जा सकेगा । (५) मलेरिया की रोकथाम कां जा सकेगी । (६) मनोरञ्जन के माधन सुवम किये जा सकेगे ।

रामपद सागर योजना ( Ramapad Sagar Project)—प्रध्न राम



में गोदावरी नदी पर पोलावरम स्थान पर १४० फुट ऊँचा बांध बनाया जा रहा है । इस योजना पर १३० करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है । यह मुख्यतः एक सिंचाई योजना है ।

नाम—

(१) इसमें दो नहरों वनाकर विद्यासायपट्टनम् तथा मन्तूर जिलों में २७ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई की जावेगी ।

(२) इसमें १२ लाख किनोवाट विजली उत्पन्न की जावेगी ।


तुंगभद्रा योजना ( Tungabhadra Project)—दृष्णा नदी की

सहायक नदी तुगभद्रा पर लगभग १६० फुट ऊँचा तथा १ १/२ मील लम्बा बाध बनाने की योजना है। इस योजना का अनुमानित व्यय ५० करोड़ रुपए है।

साथ—

(१) इससे प्रायः और हैदराबाद में लगभग २० लाख एकड़ भूमि पर सिनाई हो सकेगी।

(२) इही क्षत्रो में १८ हजार किन्मीवाट बिजली भी मिल जायेगी।



तुगभद्रा बाध योजना

रिहन्द योजना (Rihand Project)— रिहन्द नदी विन्ध्यप्रदेश के पठार में निकल कर उत्तर प्रदेश में बहती हुई सोन नदी में गिरी है। इस नदी पर पिपरी नामक स्थान के समीप २८० फुट ऊँचा एक बाध बनाया जा रहा है। इसका अनुमानित व्यय लगभग ३१३ करोड़ रुपए है।


लाभ—(१) इससे निकाली गई नहरो में उत्तर प्रदेश और दिध्यप्रदेश में बिचाई होगी। अनुमान है कि लगभग २४ लाख एकड़ भूमि सीची जा सकेगी। (२) इस योजना में ४ हजार नलकूप बनाये जायेंगे। (३) इससे बनाई गई बिजली बिहार तक प्रयोग की जा सकती है। इसमें १० हजार ३६२ किलोवाट बिजली पैदा हो सकेगी। (४) इस योजना से बाढ़-नियन्त्रण, मछली-पालन, नौका-वाहन व मनोरंजन की सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी।

चम्बल घाटी योजना (Chambal Valley Project)—इस योजना के अन्तर्गत चम्बल नदी पर खीरासीगढ़ के समीप २०० फुट ऊँचा बांध तैयार किया जा रहा है। इस योजना पर लगभग ७१ करोड़ रुपया व्यय होगा। इसके अन्तर्गत गांधी मागर बांध, राना प्रताप सागर बांध, कोटा बांध और कोटा बैरेज बनाये जायेंगे। अगस्त १९६० में चम्बल योजना के बिजलीघर में बिजली मिलनी शुरू हो जावेगी और १९६० की खरीफ की फसल की सिंचाई भी हो सकेगी।

लाभ—(१) इसके द्वारा राजस्थान और मध्य प्रदेश में लगभग १८ लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई होगी।

(२) ४<sup>१</sup>/<sub>२</sub> लाख टन चायान्न वार्षिक पैदा होगा।

(३) इसमें २१ लाख किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी। जिसके कारण नगरों व कस्बों को बिजली मिलने के अतिरिक्त अनेक काम-कारखाने चलने।



प्रारंभ—(१) इस योजना से आंध्र तथा हैदराबाद राज्या में ३१ ८३ लाख एकड़ भूमि की विभाई होगी । (२) इसमें ७२ हजार किलावाट विजली उत्पन्न हो सकती । (३) इसमें घनाज की पैदावार में १२ लाख टन की वृद्धि होगी । (४) इस योजना के पूर्ण हो जाने पर हैदराबाद के नलगाथा क्षेत्र पर्यन्त क्षेत्र में आंध्र के कृषि नानार एवं शुष्क क्षेत्र में घनाज के हमता को विफल किया जा सकेगा ।

जवाई योजना (Jayai Project)—राजस्थान में घरायती की पहाडिया में तीन कराड क्षेत्र की रागत की योजना मई १९४६ में प्रारंभ हुई और इस वर्ष के



जवाई बांध योजना

अन्त तक पूर्ण हो जाने का आशा है । इस योजना का मुख्य बांध ११४ फुट ऊँचा और ३०३० फुट लम्बा जिसकी ७ लाख वर्ग फुट पानी की क्षमता है अनाशय भरन से जा पानी फैलाया वह करीब १२ मील के धरे में बसा सकेगा ।

प्रारंभ—(१) इसमें औसतन करीब १० हजार एकड़ भूमि की सुविधा होगी और कुल एक लाख वर्ग फुट एकड़ भूमि प्रभावित होगी । (२) इस योजना से लगभग ३०४ लाख मीन में होत बावो वर्षों के पानी में १ लाख १० हजार एकड़ अतिरिक्त अनुपजाऊ भूमि का कृषि नानार, गहूँ वन आदि और खाद ना उत्पादन करन योग्य बनाया जायेगा । (३) इसमें ४५ हजार विजली विजली उत्पन्न हो सकती । (४) इस विभाई की सुविधा से १५ हजार टन घनाज उत्पन्न किया जा सकेगा ।

#### अन्य बहुउद्देशीय योजनाएँ

मयुराक्षी योजना (Mayurakshi Project)—यह १५ कराट का रागत की योजना पच्छिमी बंगाल की सरकार द्वारा बनाई जा रही है । इसने



### मयूरक्षी योजना

अन्तर्गत ११३ फुट ऊँचा और २०६७ फुट लम्बा बांध तैयार होगा जिसमें पाँच लाख एकड़ पानी समा जाएगा। इसमें ६ लाख एकड़ भूमि को पानी मिलेगा। यह विशेषतया सिंचाई की योजना है परन्तु फिर भी इसमें ४ हजार किनोवाट बिजली उत्पन्न होगी।

**कोयना योजना**—यह बम्बई राज्य की ६० करोड़ रुपये की योजना है। जिसमें लगभग ३२ लाख एकड़ भूमि सीनी जायेगी और २८ लाख किनोवाट बिजली उत्पन्न होगी।

**कृष्णा नदी योजना**—यह आंध्र और हैदराबाद की ८० करोड़ की लागत की योजना है जिसमें तीन लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी और १.२ लाख किनोवाट बिजली पैदा होगी।

**गोदावरी घाटी योजना**—यह आंध्र राज्य में ६८ करोड़ रुपये की लागत की योजना बनाई जा रही है। इसमें लगभग ३२ करोड़ एकड़ भूमि को पानी मिलेगा और और २.८ लाख किनोवाट बिजली उत्पन्न होगी।

**गडक योजना**—इस २५ करोड़ रुपये की लागत की योजना में उत्तर प्रदेश, बिहार व नेपाल की लगभग २३ लाख एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। यह मुख्यतया सिंचाई की योजना है, परन्तु इसमें २ हजार किनोवाट बिजली उत्पन्न हो सकेगी।

इनके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश की नायर योजना, बम्बई की नर्वदा-ताप्ती योजना, मद्रास की लॉकर भवानी योजना, बम्बई की वाकरापारा योजना, आंध्र और उड़ीसा की मयूर भच्छकुण्ड योजना, कर्नाटक की साबरमती योजना, भोपाल की किन्नर नदी योजना, और मध्य प्रदेश की भाधी सागर बांध योजना, उल्लेखनीय हैं।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—भारतवर्ष में जल-विद्युत्-शक्ति में किम प्रकार उन्नति हुई है ? इस समय कौन-सो प्रमुख योजनाएँ इस और कार्य कर रही हैं ? (उ० प्र० १९५७)
- २—भारतवर्ष में शक्ति के प्रमुख साधन क्या हैं ? जल शक्ति का आर्थिक महत्त्व तथा इसके भावी विकास की सम्भावनाओं पर तर्क सहित विचार कीजिए । (रा० वो० १९५७)
- ३—शक्ति के मुख्य साधन क्या हैं ? संक्षेप में बताइये कि भारतवर्ष में जल-विद्युत्-योजनाओं में कितनी उन्नति की गई है ? (म० भा० १९५७)
- ४—भारत में बहु-उद्देशीय नदी घाटी योजनाओं की आवश्यकता तथा उनके महत्त्व का विवेचन कीजिए । (प्र० वो० १९५६)
- ५—बहु-उद्देशीय योजनाओं के उद्देश्यों को समझाइए । भारत की कुछ मुख्य योजनाओं का वर्णन कीजिए और प्रत्येक के उक्त उद्देश्य या उद्देश्यों का भी वर्णन कीजिये जिनके कारण उक्त योजना का निर्माण किया जा रहा है । (म० वो० १९५५)
- ६—भारत में शक्ति के प्रमुख साधन क्या हैं ? उनका पूर्ण विवेचन कीजिये ।  
(उ० प्र० १९५५, ५३, ५२, ५१, ४८, ४६ ; म० मा० १९५५, ५४, ५१ ;  
अ० वो० १९५३, ४९, ४२, रा० वो० १९५२, ५०, ४५)
- ७—नोट लिखिए :—  
भारत में शक्ति के साधन (म० वो० १९५६)  
भारत में शक्ति-उत्पादन की योजनाएँ (सागर १९५४)  
भारतीय नदी-घाटी योजनाएँ (नागपुर १९५५)

• श्रम उत्पत्ति का एक अनिवार्य साधन है (Labour is an indispensable factor of production)— श्रम उत्पत्ति का एक प्रमुख साधन है। इसकी सक्षमता के कारण उत्पत्ति के साधनों में इसका बड़ा महत्व है। प्रकृति के साधन निष्क्रिय हैं, इन्हें उपयोगी बनाने के लिए मनुष्य द्वारा प्रयत्न अर्थात् श्रम की आवश्यकता है। अस्तु, भूमि को भी श्रम ही उत्पत्ति का एक अनिवार्य साधन है।

श्रम का अर्थ (Meaning of Labour)—माधारण भाषा में किसी भी काम करने के प्रयत्न को 'श्रम' कहते हैं। उदाहरण के लिए, माता का बीमार

पुत्र के पास राति भर बैठे रहना, खिलाड़ी का मंच में 'जी-जान' में खेलना, प्रोफेसर का किसी अन्य कालेज में निमन्त्रण पाकर व्याख्यान देना आदि। परन्तु धर्मशास्त्र में श्रम का अर्थ इतना व्यापक नहीं है। धर्मशास्त्रीय अर्थ के अनुसार मनुष्य के सभी मानसिक एवं शारीरिक प्रयत्न जो मनोरजन के



लिए न करके धनोपार्जन के उद्देश्य में किये जायें 'श्रम' कहलाते हैं। ऊपर के उदाहरणों में माता, खिलाड़ी और प्रोफेसर व कानो या धनोपार्जन में कोई सम्बन्ध नहीं होने के कारण इनके प्रयत्न धर्मशास्त्र की दृष्टि में श्रम नहीं कहे जा सकते। परन्तु यदि माता के बजाय बेतन पर रखी हुई नर्स कार्य सम्पन्न करती है, खिलाड़ी प्रायः के लिए जी-जान में खेलता है, प्रोफेसर अपने ही कालेज में जहाँ मोहर है व्याख्यान देता है, तो निमन्त्रेह उनके प्रयत्न धर्मशास्त्र की दृष्टि में 'श्रम' कहलाने योग्य हैं, क्योंकि उन मजदूर सम्बन्ध धन बनाने में हैं न कि मनोरजन में। इसी प्रकार धनोपार्जन के उद्देश्य में प्रभावित अध्यापक, डॉक्टर, बकील, राग्य-मन्त्री, बडई, सुहार, किसान, मजदूर आदि सभी प्रकार के प्रयत्न चाहे वे मानसिक हों या शारीरिक—छोटे मनुष्यों के हों अथवा बड़ों के, धर्मशास्त्रीय श्रम के अन्तर्गत आते हैं।

प्रो० जेवन्स (Jevons) की वी हर्ड थम की परिभाषा अर्थघन-बोम है। उनके अनुसार थम वह मानसिक अथवा शारीरिक प्रयत्न है जो अज्ञान या पूर्णतः कार्य में प्रत्यक्ष आनन्द प्राप्त होने के अतिरिक्त अन्य लाभ को दृष्टि में लिया जाय।<sup>1</sup> प्रो० मार्शल भी इस परिभाषा से पूर्ण सहमत है और इन्होंने अपने अग्रणी पुस्तक Principles of Economics में भी उद्धृत किया है।

अर्थशास्त्रीय थम की मारभूत बातें—कार्यक दृष्टि में 'थम' से निम्नांकित बातें समाविष्ट हैं—

(१) थम के अन्तर्गत केवल मानवीय प्रयत्न ही समाविष्ट हैं। अस्तु, प्रवृत्ति, पशुधर्म या मशीना द्वारा सम्पन्न कार्य थम नहीं कह जाते हैं। यद्यपि घोड़े, बैला नैसा आदि बौद्ध दान वाले पशुधा के परिश्रम में घनापार्जन होता है, परन्तु फिर भी यह अर्थशास्त्रीय थम में सम्मिलित नहीं किया जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र केवल मनुष्या के प्रयत्न का ही अध्ययन है।

(२) थम के अन्तर्गत मनुष्य के मानसिक एवं शारीरिक दोनों प्रकार के प्रयत्न सम्मिलित हैं। जैसे अन्वेषक, यकील, वडई, मजदूर आदि के कार्य।

(३) मनुष्य के वे ही मानसिक एवं शारीरिक कार्य जो घनापार्जन की दृष्टि में क्रिय जायें, थम कहना योग्य होते हैं। जो कार्य वेदज आनन्द-प्रमोद, स्नेह या कर्त्तव्य पालन की दृष्टि से सम्पन्न किए जायें, वे थम के अन्तर्गत नहीं आते हैं। उदाहरणार्थ, मनोरंजन एवं आनन्द-प्रमोद के लिए किसी गायक द्वारा गीत बजा का प्रदर्शन करना, चित्रकार द्वारा चित्र बनाना, अन्वेषक द्वारा निष्पन्न त्रियाभ्यास करना, कर्त्तव्य पालन की दृष्टि में गृहभाष्या द्वारा घरलू कार्य सम्पन्न करना, स्नेहवग भावा द्वारा बच्चा का पालन-पोषण करना आदि।

### थम की विशेषताएँ (Peculiarities of Labour)

उत्पत्ति के साधन के रूप में थम की कुछ विशेषताएँ हैं जो निम्नलिखित हैं—

(१) थम उत्पत्ति के लिए अनिवार्य है (Labour is indispensable for production)—उत्पत्ति का कार्य भी कार्य बिना थम की सहायता के सम्भव नहीं है। चाहे जितने प्रवृत्ति के साधन एवं पूँजी सम्पन्न वषा न हो, बिना मानवीय प्रयत्नो (थम) द्वारा घनापत्ति कदापि सम्भव नहीं हो सकती।

(२) थम नाशवान है (Labour is perishable)—मनुष्य के जीवन के साथ ही मानसिक थम भी सर्वत्र के नियम मूढ हा जाता है। यदि कोई थमिक एक दिन भी कार्य न करे, तो उसका उद्यम दिन का थम नष्ट हो जाता है और वह उसे पुनः प्राप्त नहीं कर सकता।

(३) थम न केवल उत्पत्ति का साधन ही है अपितु इसका साध्य भी है (Labour is not only a means of production-but-is-also its end)—थमिक थम केवल उत्पत्ति में सहायक ही नहीं है बल्कि वे उत्पत्ति का मान्य

1—"An exertion of mind or body undergone partly or wholly with a view to some good other than the pleasure derived directly from the work"



भी है, क्योंकि ममत्त उत्पत्ति का उद्देश्य मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना होना है। अस्तु, श्रम का उत्पत्ति साधन एवं माध्य होता सिद्ध होता है।

(२) श्रम विनियोग योग्य है (Money can be invested in Labour)—जिस प्रकार कारखानों, मशीनों आदि के क्रय में पूँजी लगाने में प्राय होती है, उसी प्रकार मनुष्य की शिक्षा, कार्य-कुशलता आदि बातों की प्राप्ति के लिए व्यय करने से भी प्राय होती है। दोनों प्राय प्राप्ति की दृष्टि से पूँजी लगाने में समानता रखते हैं। इसलिए श्रम को कभी-कभी 'मानवीय पूँजी' (Human Capital) भी कहते हैं।

(५) श्रम का श्रमिक में पृथक् कोई अस्तित्व नहीं है (Labour is inseparable from labourer)—श्रम साधारण क्रय-विक्रय की भाँति पृथक्ता नहीं रखता। यदि कोई श्रमिक अपना श्रम देना चाहे तो उसे स्वयं निर्दिष्ट स्थान पर जाकर श्रम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि श्रमिक अपने घर बैठा रहे और उसके श्रम द्वारा उत्पत्ति कारखानों में होती रहे। श्रम के साथ श्रमिक की उपस्थिति आवश्यक है। श्रमिक का कार्य-क्षेत्र उसके अनुरूप होना चाहिए, वहाँ उसके सुख व रक्षा की पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिए।

(६) श्रमिक केवल अपना श्रम ही बेचता है न कि अपने आपको (The labourer sells his labour only but retains property in himself) — जब कोई व्यापारी वस्तु बेचता है तो वह वस्तु दूसरे की सम्पत्ति बन जाती है। परन्तु श्रमिक अपना श्रम बेचने पर भी अपना स्वामित्व कायम रखता है। उत्पादक जितना अधिक व्यय लगा कर वस्तु उत्तम बनायेगा उतनी ही वस्तु अच्छे भाव दियेगी। परन्तु यह बात श्रम के सम्बन्ध में यथार्थ मिश्र नहीं होती। जो व्यक्ति मनुष्य को शिक्षित करते हैं या उनके पानन-पोषण पर व्यय करते हैं, उन्हें श्रम के भूष्य में कुछ नहीं मिलता। श्रमिक के योग्य बनने में उसके माता-पिता या संरक्षक की आर्थिक स्थिति, दूरदर्शिता, विचार, स्वभाव, योग्यता आदि बातों का बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि माता-पिता या संरक्षक शिक्षित, मर्यादा और दूरदर्शी हैं, तो वे अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा देनाकर योग्य और कुशल बना सकते हैं। इस योग्यता और श्रम का लाभ बेटे को मिलता है। माता-पिता को अपने बेटे को शिक्षित बनाने में किये गये व्यय के बदले में कोई व्याज या अन्य लाभ नहीं मिलता। बर्तव्यपरमाणु पुत्र माता-पिता को सेवा प्रवश्य करते हैं, परन्तु स्वार्थी पुत्र से तो इतना भी नहीं होता।

(७) श्रम की पूर्ति बहुत धीरे-धीरे घटती-बढ़ती है (Slow increase or decrease of supply of Labour) — अन्य वस्तुओं की माँग के घटने बढ़ने पर उनकी पूर्ति भी शीघ्र घटाई-बढ़ाई जा सकती है। परन्तु श्रम की पूर्ति बढ़ाने या घटाने में पर्याप्त समय लागता है। श्रम की पूर्ति जनसंख्या और कार्य-कुशलता पर निर्भर है और इन दोनों में परिवर्तन धीरे-धीरे होता है। किसी व्यक्ति के किसी विशेष धर्म के लिए योग्य बनने के लिए पर्याप्त समय की आवश्यकता है। इसी प्रकार सम्पादन, डाक्टर, वकील, इंजीनियर आदि की मर्यादा में कई वर्षों की शिक्षा के परचान ही वृद्धि हो सकती है।

(८) श्रम गतिशील है (Labour is mobile) — उत्पत्ति के साधनों में केवल धन ही गतिशील है जो एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक व्यवसाय में दूसरे व्यवसाय को और एक श्रेणी में दूसरी श्रेणी को आ-जा सकता है।

भूमि और श्रम में अन्तर

(Difference between Land & Labour)

यद्यपि भूमि और श्रम दोनों ही उत्पत्ति के अनिवार्य साधन हैं, परन्तु दोनों में कुछ अन्तर अवश्य है।

✓ (१) भूमि उत्पत्ति का एक निष्क्रिय (Passive) साधन है जो बिना मनुष्य और मशीनरी की सहायता के उत्पत्ति में सहायक सिद्ध नहीं हो सकता। श्रम उत्पत्ति का एक सक्रिय (Active) साधन है जिसे द्वारा सारी उत्पत्ति के कार्य का संचालन होता है।

(२) भूमि का परिमाण निश्चित और परिमित है, अतः इसमें शून्याधिक्य होना संभव नहीं। परन्तु श्रम की पूर्ति में पड़ाव नहीं हो सकती है।

(३) भूमि अविनाशी, अनन्त और अमर है परन्तु श्रम नाशवान्त है।

(४) भूमि स्थिर है—उसकी स्थिति या स्थान में परिवर्तन असंभव है, परन्तु श्रम गतिशील है।

(५) भूमि मूलस्वामी में अलग की जा सकती है, परन्तु श्रम श्रमिक में अलग नहीं हो सकता।

पूँजी और श्रम में अन्तर (Difference between Capital & Labour)—पूँजी और श्रम में अस्पष्ट सम्बन्ध है। पूँजी भी एक प्रकार से 'घनी-सूत श्रम' (Crystallised Labour) है, क्योंकि पूँजी श्रम द्वारा उत्पन्न विय हुए धन का वह भाग है जो धन उत्पन्न करने में प्रयुक्त किया जाता है। परन्तु दोनों में कुछ तात्त्विक अन्तर अवश्य है।

(१) यद्यपि पूँजी और श्रम दोनों ही नाशवान्त हैं, फिर भी पूँजी की अपेक्षा श्रम की पुनर्प्राप्ति सीधे और सुगमता से हो सकती है।

(२) श्रम पूँजी की अपेक्षा शीघ्र नष्ट होगा है। श्रम का यदि हम उपभोग भी न करें तब भी नष्ट हो जाएगा।

(३) श्रम की अपेक्षा पूँजी अधिक गतिशील है क्योंकि पूँजी का स्थानान्तरण अधिक सुगमता से हो सकता है।

(४) पूँजी पूँजीपति से पृथक् हो सकती है। यदि पूँजीपति चाहे तो अपनी पूँजी को किसी दूसरे व्यक्ति को दे सकती है। परन्तु श्रम श्रमिक में कृष्ण नहीं हो सकता।

(५) कारखाने और मशीनों में लगाई हुई पूँजी उनकी विज्ञी द्वारा वापस निकाली जा सकती है, किन्तु किसी श्रमिक की शिक्षा या कुशलता प्राप्ति में लगाई हुई पूँजी इतनी सुगमता से नहीं निकाली जा सकती है।

उत्पत्ति में श्रम का महत्त्व

(Importance of Labour in Production)

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है श्रम उत्पत्ति का एक अनिवार्य साधन है। बिना इसके साधारण से साधारण उत्पत्ति का कार्य भी सम्भव नहीं हो सकता। प्राकृतिक साधन चाहे जिनकी प्रचुर मात्रा में विद्यमान क्यों न हों, मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ न-कुछ प्रयत्न अवश्य करना पड़ता है। जहाँ

प्रकृतितत्त्व पदार्थों में न्यूनता तथा जलवायु में प्रतिकूलता होती है, वहाँ मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अधिक परिश्रम करना पड़ता है। इसी आधार पर धम का महत्व भी बढ़ता जाता है।

मन्च तो यह है कि धम की अनिवार्यता में प्राधुनिक सम्प्रदाय का जन्म निहित है। मनुष्य स्वभाव से ही न्यूनतम परिश्रम करना चाहता है। अतः परिश्रम में बचने के लक्ष्य में कालान्तर में वह बड़े बड़े आविष्कारों की ओर अग्रसर हुआ जिससे उत्पादन क्षेत्र में अमूल्य उन्नति हुई। कम से कम परिश्रम करने की प्रवृत्ति को न्यूनतम प्रयत्न का नियम (Law of Least Efforts) कहते हैं। यही नियम भौतिक सम्प्रदाय का आधार माना जाता है।

### धम के भेद (Kinds of Labour)

धम के अलग-अलग प्रकार पर अलग-अलग भेद किये गये हैं जो नीचे दिये जाते हैं।—

१. उत्पादक और अनुत्पादक धम (Productive and Unproductive Labour)—उत्पत्ति का अर्थ है किसी वस्तु की उपयोगिता वृद्धि से। अतः जिन धम में किसी वस्तु की उपयोगिता बढ़ती है वह उत्पादक धम कहलाता है और जिनमें उपयोगिता में कोई वृद्धि नहीं होती है वह अनुत्पादक धम कहलाता है। जैसे नदी पर पुल बनाना आरम्भ किया गया। यदि वह पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो जाता है और उसका उपयोग होने लगता है तो ऐसा धम उत्पादक धम कहलायगा। परन्तु यदि पुल अपूर्ण ही छोड़ दिया जाय जिसमें उसका कोई उपयोग न हो सके, तो उसमें लगा हुआ धम अनुत्पादक धम कहलायगा।

कौन-सा धम उत्पादक है और कौन सा अनुत्पादक, इन विषय पर अर्थशास्त्रियों में पर्याप्त मतभेद रहा है। आरम्भिक कालीनी अर्थशास्त्री वेदा कृषक के धम को ही उत्पादन कहते थे, वेद सबको अनुत्पादक। बाद में एडम स्मिथ ने केवल भौतिक वस्तुओं उत्पादन करने वाले धम को ही उत्पादक धम कहा। उनके मतानुसार कुम्हार का धम उत्पादक है परन्तु गधे का नहीं। परन्तु प्राधुनिक अर्थशास्त्री इस बात पर एक मत है कि उत्पादक धम वह है जिसमें उपयोगिता में वृद्धि होनी है, चाहे वह उपयोगिता भौतिक पदार्थ में निहित हो या न हो। जैसे कृषक, वटई, व्यापारी, अध्यापक, डाक्टर आदि का कार्य।

२. निपुण और अनिपुण धम (Skilled and Unskilled Labour) निपुण धम वह है जिसमें सम्पन्न करने में किसी विशेष अनुसंधान अथवा शिक्षा की आवश्यकता पड़ती हो, जैसे—माटर ड्राइवर, चित्रकार, गायक, गृह्यक आदि का कार्य। जो धम बिना किसी अनुसंधान या विशेष शिक्षा के सम्पन्न किया जा सकता है वह अनिपुण धम कहलाता है, जैसे खपरासी धरेन्द्र नौकर, कुली आदि का कार्य।

निपुणता एक सापेक्षिक शब्द है जो देश-काल के अनुसार पर्याप्त भिन्नता रखता है। उदाहरण के लिए, भारतवर्ष में निपुण पत्रों की योग्यता को कुशलता कहेंगे परन्तु अमेरिका और इंग्लैंड में नहीं, क्योंकि वहाँ अधिकतर मनुष्य लिखना-पढ़ना जानते हैं। इसी प्रकार भारतवर्ष में मोटर चलाना एक निपुण धम है, परन्तु यहाँ कार्य अमेरिका आदि प्रगतिशील देशों में अनिपुण कार्य समझा जाता है। प्राधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों, स्वयंचालित पत्रों के प्रयोग और साधारण ज्ञान के बढ़ने हुए प्रसार ने अनेक अन्तर को कम कर दिया है।

३. शारीरिक और मानसिक श्रम (Manual and Mental Labour)—जिस कार्य के सम्पन्न करने में शरीर की प्रधानता होती है वह शारीरिक श्रम कहलाता है, जैसे—बर्तई, तुहार या हम्माल आदि का कार्य। जिस कार्य के करने में मस्तिष्क की प्रधानता होती है वह मानसिक श्रम कहलाता है, जैसे—अध्यापक, वकील, न्यायाधीश आदि का कार्य।

यह स्मरण रखने की बात है कि कोई भी कार्य केवल शारीरिक या मानसिक नहीं हो सकता। मृच्छ से तुच्छ शारीरिक कार्य में भी मस्तिष्क की भावश्यकता होती है और उच्च से उच्च मानसिक कार्य में भी शरीर का उपयोग हुए बिना नहीं रह सकता। अतः अर्थ-शास्त्र में दोनों प्रकार के कार्य श्रम के अन्तर्गत आते हैं।

श्रम की पूर्ति (Supply of Labour)

किसी देश में श्रम की पूर्ति दो बातों पर निर्भर है :—

(१) श्रम की मात्रा अर्थात् धर्मिकों की संख्या (Population)

(२) श्रम की कार्य-कुशलता (Efficiency of Labour)

यदि दो देशों की जनसंख्या समान है तो श्रम की पूर्ति उस देश में अधिक होगी जहाँ के धर्मिक अधिक कुशल हैं। इसी प्रकार यदि दोनों देशों के धर्मिकों की कार्य-कुशलता समान है, तो श्रम की पूर्ति अधिक जनसंख्या वाले देश में अधिक होगी। हम अगले दो-तीन अध्यायों में इन बातों का विवेचन करेंगे।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—श्रम की क्या विशेषताएँ हैं जो उसे अन्य किसी पदार्थ से भिन्न बनाती हैं? इस भेद का क्या महत्त्व है? (घ० वी० १९६०)

२—'श्रम' शब्द की परिभाषा तथा व्याख्या कीजिए। श्रम की क्या मुख्य विशेषताएँ हैं? श्रम और भूमि तथा श्रम और पूँजी में भेद दर्शाइये। (उ० प्र० १९५१)

३—निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए :—

उत्पादक और अनुत्पादक श्रम

(उ० प्र० १९४४; म० भा० १९४५, ५३; रा० वी० १९५४, अ० वी० १९४५)

कुशल और अनुकुशल श्रम

(उ० प्र० १९५५, ३९, ३५)

४—श्रम के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए। (घ० वी० १९४६)

५—श्रम की परिभाषा दीजिये। क्या निम्न कार्य श्रम में शामिल हैं? कारण भी बताइए :—

(अ) क्रिकेट का मैच खेलना। (ब) मेढगीन में छपवाने को कबिला बनाना।

(स) किसी अधिवेशन में भाग लेने के लिए रेल यात्रा करना। (मागपुट १९५०)

किसी देश की जनसंख्या मुख्यतः दो बातों पर निर्भर होती है :—

१. प्राकृतिक बात अर्थात् जन्म-मृत्यु ।
२. दृष्टिम बात अर्थात् आवास-प्रवास ।

### १. प्राकृतिक बातें (Natural Factors)

जनसंख्या जन्म द्वारा बढ़ती है और मृत्यु द्वारा घटती है। अतः, किसी देश की जनसंख्या (घ) जन्म दर (Birth Rate) और (मृ०) मृत्यु दर (Death Rate) पर निर्भर होती है। जनसंख्या का मृत्यु-दर में अधिक होना (इ) अति-जीवन दर (Survival Rate) कहलाती है। यही जनसंख्या की वृद्धि का मापदण्ड है। अतः जनसंख्या के प्राकृतिक कारकों में इन्हीं बातों का विवेचन किया जायगा।

(घ) जन्म-दर (Birth Rate)—जन्म-दर का अर्थ यह है कि किसी देश में निश्चित अवधि में प्रति एक हजार निवासियों के यहाँ कितने बच्चे पैदा होते हैं। जैसे यदि किसी देश में किसी वर्ष ४० जन्म दर है, तो इसका अर्थ यह है कि उस वर्ष उस देश में प्रति एक हजार निवासियों के यहाँ ४० बच्चों ने जन्म लिया। अन्य बातों के समान रहने पर किसी देश में जितनी ही अधिक जन्म-दर होगी वहाँ की जनसंख्या में उतनी ही अधिक दर से वृद्धि होगी।

जन्म-दर के कारण (Causes of Birth Rate)—किसी देश की जन्म-दर निम्नलिखित बातों पर निर्भर होती है,—

(१) जलवायु—ठंडे देशों की अपेक्षा गर्म देश में स्त्री-पुरष शीघ्र ही जीवन प्राप्त कर विवाह-योग्य बन जाते हैं। अतः वहाँ विवाह छोटी आयु में होना अनिवार्य हो जाता है जिसके फलस्वरूप सन्तान छोटी आयु में ही होने लगती है। यही कारण है कि भारतवर्ष जैसे गर्म देश में ठंडे देशों की अपेक्षा अधिक जन्म-दर है।

(२) धार्मिक रीति-रिवाज.—भारतवर्ष में धार्मिक रीति-रिवाज जन्म-दर की वृद्धि में सहायक है। यहाँ हिन्दुओं में विवाह एवं अनिवार्य धार्मिक मस्कार है। धार्मिक दृष्टि से पुत्रोत्पत्ति स्वर्गस्थ पूर्वजों की आत्माओं को आन्ति मिलने का साधन ममत्ता जाने के कारण एक हिन्दू पुरुष का विवाह आवश्यक माना गया है। इस प्रकार हमारे देश में धर्मशास्त्रानुसार कन्या का परिग्रहण मस्कार जीवन-प्राप्ति के

पूर्व ही हो जाना चाहिए, अन्यथा उसके माना बिना नरकयानी होने हैं। दशका परिणाम यह होता है कि छाती धातु में मन्तान हान लगनी है और उसके जीवनकाल में उसके द्वारा बहुत मन्तान का जन्म मिल जाता है।

(३) सामाजिक रीति रिवाज—जन्म-मन्त्रा वृद्ध सामाजिक अवस्था पर भी निर्भर है। जिन समाज में दहे परिवार का सम्मान बर्धव होता है, मन्तानान्तरित ईश्वर की शक्त मानी जाती है और इस पर नियंत्रण करना मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर समझा जाता है तथा एक मन्त्रिक क्रिया में विवाह करने की प्रथा प्रचलित है, वहाँ जन्म मन्त्रा का अधिक हाना स्वाभाविक है। सपुत्र-परिवार प्रणाली में भी दान-विवाह की प्रथा को प्राप्ताहन मिलता है क्योंकि कुटुम्ब के प्रत्येक विवाहित व्यक्ति के लिए स्वावन्तनी हाना आवश्यक नहीं है। उपयुक्त भव वार्त्त भारतवर्ष में पाई जाती हैं। अतः इन देश में जन्म-मन्त्रा भी अधिक पाई जाती है। किन्तु अब हमारे देश में निम्नलिखित व्यक्तियों के हृत्कण्ठ में परिवर्तन होता जा रहा है।

हमारे विपरीत पाश्चात्य देशों में विवाह वही धातु में हान, एक मन्त्रिक क्रिया में विवाह नहीं कर सकने तथा अनेक स्थानों में एक धातु में प्रभव पुत्रों में केवल एक धातु ही पुत्रों को विवाह करने की आज्ञा हान अर्थिक वारंशा में वृत्त जन्म-मन्त्रा कम रहता है।

(४) राजनैतिक अवस्था—जन्म-मन्त्रा की न्यूनाधिकता देश की सरकार की नीति पर भी निर्भर है। उदाहरणार्थ जर्मनी और इटली आदि नैतिक देशों में जन्म मन्त्रा धान के त्रिभे उत्पन्न द्वारा अधिक मन्तान उत्पन्न करने दान माना पिनाया को प्रोत्साहन, प्रादर और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। प्रजातन्त्र राज्यों में भी वयम्भ मन्त्राधिकार में जन्म-मन्त्रा की वृद्धि का प्राप्ताहन मिलता है।

(५) आर्थिक अवस्था—आर्थिक अवस्था का जन्म-मन्त्रा पर दश प्रभाव पड़ता है। उच्च जीवन-स्तर दान अपना जीवन-स्तर बनाये रखने के लिए बड़ी धातु में विवाह करने हैं जिनके फलस्वरूप मन्तान कम हानती है। परन्तु नीचा जीवन-स्तर रखने वाले मनुष्यों में निधनता और अमिथ्या के कारण दूरदासिता का अभाव होता है जिनके फलस्वरूप वृद्धि जन्म-मन्त्रा पर कोई नियंत्रण नहीं होता। यहाँ नहीं, बल्कि पाठ बह हान ता नाम पर तथा दिग् जान है जिनमें माना-पितामहों को धाय में बुद्धि हानती है। इसलिए नीचे जीवन-स्तर दान वृद्धि और विवाह कर नत है। अस्तु, निम्न स्तर में यह कहा जा सकता है कि अन्य भागों में मन्तान होने पर, समाज का जीवन-स्तर जिनका ही नीचा होता है, जन्म-मन्त्रा उत्तरी ही अधिक हानती है।

भारतवर्ष में जन्म-मन्त्रा—भारतवर्ष में उपर्युक्त सभी जन्म-मन्त्रा दशान जाने कारण उपस्थित हैं। भारतवर्ष एक गर्म देश है जहाँ ठंडे देशों की अपेक्षा स्त्री-पुत्र्य कम धातु में हो मुदा अवस्था प्राप्त कर नत है जिनके कारण शीघ्र विवाह कर निवा जाता है। यहाँ साम्य प्रविकसित रहने की प्रथा धार्मिक एवं सामाजिक दृष्टि में उचित नहीं समझी जान के कारण हितुम्रा में विवाह एक अनिवार्य मा सरकार हो गया है। हितु धर्म के अनुसार यदि किसी दम्पति में कोई पुत्र उत्पन्न न हो, तो पिण्ड, श्राद्ध आदि क्रियाएँ नहीं हो सकने के कारण परवाह में उनकी आत्माओं को धार्मिक नहीं मिलनी।<sup>१</sup> मुसलमानों में विवाह की उत्तरी अनिवार्यता नही समझी

जाती, परन्तु फिर भी उनमें पुनर्विवाह आदि प्रथाएँ जन्म-मरणा को बढ़ाये रखने में सहायक हैं।

हमारे देश की आर्थिक अवस्था भी ऐसी है जिससे जन्म-मरणा की वृद्धि को प्रोत्साहन मिलता है। यहाँ के अधिकतर लोग निर्धन हैं, उनका जीवन-स्तर नीचा है तथा वे अशिक्षित हैं। ऐसी दशा में उनका विवेकहीन एवं भाग्यवादी होना स्वाभाविक है। अस्तु, भारत में जन्म-मरणा की वृद्धि बड़ी प्रबल है।

भारतवर्ष में प्रति हजार लगभग ३५ बच्चे पैदा होते हैं जिसके कारण जन्म-मरणा ५० लाख प्रतिवर्ष के हिसाब में बढ़ रही है। इस प्रबल वेग ने भारतवर्ष को मरणा का दूसरा पैना बसा हुआ देश बना दिया है जबकि पहला देश चीन है।

(आ) मृत्यु-संख्या ( Death Rate )—इसका अर्थ यह है कि किसी देश में किसी निश्चित अवधि में प्रति एक हजार निवासियों के दर्हाँ बितले मनुष्य मरते हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी देश में किसी वर्ष में मृत्यु-संख्या २० है, तो इसका तात्पर्य यह है कि उम्र वर्ष उस देश में प्रति एक हजार निवासियों के यहाँ २० मनुष्यों की मृत्यु हुई। अन्य बातों के समान रहते पर जिस देश में मृत्यु संख्या जितनी अधिक होगी, वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि उतनी ही कम दर से होगी।

मृत्यु-संख्या के कारण (Causes of Death Rate)—मृत्यु-संख्या निम्न-लिखित कारणों से निर्धारित होती है .

(१) सामान्य उत्पत्ति की अवस्था—प्रगतिशील देशों में शिक्षा और सम्यक्ता के विकास के कारण लोग स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियमों का स्वयं पालन करते हैं और दूसरों में भी कराते हैं। वे स्वास्थ्य-वर्धक भोजन, स्वच्छ वायु, मुले हवादार मकान, बीमारियों में बचने के उपाय आदि बातों पर पूर्ण ध्यान देते हैं जिसके कारण उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है और वे दीर्घायु हासिल करते हैं। अस्तु, उन्नत देशों में मृत्यु-संख्या कम होगी है।

(२) विवाह की आयु—शेड़ी आयु में विवाह होने से दुर्बल मकान उत्पन्न होना स्वाभाविक है। दुर्बल मकान शीघ्रमाल तक जीवित नहीं रह सकने के कारण मृत्यु संख्या को बढ़ाती है। परिपक्व अवस्था में विवाह होने से ही दीर्घायु एवं हृष्ट पृष्ट मकान हासिल होती है।

(३) आर्थिक अवस्था निर्धनता जीवन-स्तर को नीचे गिराती है। जिन लोगों का जीवन-स्तर नीचा होता है, वे प्रायः अशिक्षित ही रहते हैं जिसके कारण स्वास्थ्य और स्वच्छता के नियमों का पालन करने कराने में अपने-आपको अग्रगण्य पाते हैं। इसके अतिरिक्त निर्धनता के कारण उन्हें पीठिक भोजन उपलब्ध नहीं होता तथा बीमारियाँ से बचने के उपायों के लाभों से वे वंचित रहते हैं। अस्तु, ऐसे लोगों का दीर्घायु होना सम्भव नहीं है।

(४) प्राकृतिक प्रकोप—दुमिल, वाद, भूकम्प, सूत की बीमारियाँ आदि प्राकृतिक विपत्तियों के कारण भी मृत्यु-संख्या में वृद्धि हो जाती है।

भारतवर्ष में मृत्यु-संख्या—भारत में मृत्यु संख्या भी बड़ी हुई है। प्रभावशाली हमारे देश में अधिकतर व्यक्ति अशिक्षित, निर्धन और पिछड़ी हुई अवस्था में हैं। उनका जीवन-स्तर नीचा है और वे सामाजिक कृतियों के बंधन में जकड़े हुए हैं। उनकी अज्ञानता स्वास्थ्य सम्बन्धी नियमों की अग्रगण्यता कराती है और उनकी

निधनता उच्च जीवन स्तरक वदाओं में बचिन रखती है । धार्मिक मन्त्र विन्वाय के कारण ही भारतवर्ष में आज भी अधिकांश जनसंख्या में धर्म विवाह प्रथा प्रचलित है जिसके कारण मृत्यु संख्या को बना प्रोत्साहन मिलता है । इस दृष्टि में प्रकृति का भी बड़ा प्रकोप है । यहाँ समय समय पर भूकम्प और बाढ़ आने हैं तथा बुनियादी तो यहां की एक सामान्य विपत्तियां हा गई हैं । पौष्टिक भोजनान्ति व अभाव में मनुष्य सामान्यता का मुकाबिला करने में अपन धारणा निवृत्त पाता है अतः वह सर्व सामान्यता का निवार बना रहता है । एतद् हेतु धार्मिक महामात्स्या में मत्स्या मनुष्य मान व धार्मिक उतारे जान है ।

(इ) प्रति-जीवन दर (Survival Rate)—मृत्यु संख्या से जन्म दर का प्रतिशत को प्रति-जीवन दर कहा है । प्राकृतिक कारणों द्वारा होने वाला जन संख्या इसा पर ही निर्भर है ।

जब किसी देश की जन संख्या और मृत्यु संख्या समान होती है अर्थात् प्रति-जीवन दर संख्या शून्य होती है तो एही जन संख्या स्थिर (Stable) जनसंख्या कहा जाती है । जब जन्म संख्या और मृत्यु संख्या में अंतर होने के कारण जनसंख्या में वृद्धाधिक्य होती है तो एसा जनसंख्या प्रवृत्ति (Dynamic) जनसंख्या कहा जाती है । जब जनसंख्या मृत्यु संख्या में अधिक होती है तब जनसंख्या का प्रवृत्ति अभाव घनात्मक (Positive) कहा जाती है और जब जनसंख्या मृत्यु संख्या में कम होता है तब वह प्रवृत्ति ऋणात्मक (Negative) कहा जाती है ।

## २. कृत्रिम वार्ध आवास प्रवास (Immigration & Migration)

मनुष्य का एक देश से दूसरे देश को आग यात्रा का आवास प्रवास कहा है । जब मनुष्य एक देश छोड़कर दूसरे देश को जाता है तो उसे प्रवास (Migration) कहा है और जब वह दूसरे देश में आता है तो उसे आवास (Immigration) कहा है । किसी देश की जनसंख्या पर आवास प्रवास का बड़ा प्रभाव पड़ता है । आवास से जन संख्या बढ़ता है और प्रवास में घटती है । जब आवास प्रवास में अधिक होता है तो वह अधिक आवास प्रवास की वास्तविक दर (New Rate of Migration) बढ़ती है । अमेरिका, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया नए देश कहा जाते हैं क्योंकि उनकी खोज हुए अभी अधिक समय नहीं हुआ है फिर भी इन देशों में पर्वत जनसंख्या है । इन देशों की बड़ी हुई जनसंख्या मुख्यतः आवास प्रवास के कारण ही है । इनकी खास के परभाव कई गुराणतारी बड़ा जा कर कम गये । इसी प्रकार आवास प्रवास की जनसंख्या प्रवास में काफी कम ही गई है । परन्तु हमारे देश में आवास प्रवास का कार्य बहुत कम है । हा अंग्रेजी राज्य में कुछ इच्छाश्रमिकों को भारत व व्यापार के लिए आकर अल्पकाल तक गये थे परन्तु उनकी संख्या नगण्य थी । विन्त्या में भारतवासी का साथ दुर्व्यवहार होने और रण मद की नीति के कारण प्रवास भी अब बहुत कम हो रहा है ।

१—अष्ट वर्षीय मन्वरीरी नववर्षीय च रोहिणी ।

दशवर्षीय भवत्पत्नी तत् ऊच्यते रजस्वला ॥ पा० वा० ५६—वागीश्वर



## माल्थस का जनसंख्या का सिद्धान्त (Malthusian Theory of Population)

**परिचय (Introduction)**—उत्पत्ति के अग्र साधना की तुलना में श्रम का स्थान विशेष महत्त्वपूर्ण है। उत्पत्ति की मात्रा अधिकतर श्रम के परिमाण पर निर्भर है। अतएव जनसंख्या की समस्या का भी वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करना अत्यन्त आवश्यक है। आधुनिक काल में जनसंख्या के प्रश्न पर धार्मिक दृष्टि में विचार करने वाला में सन प्रथम स्थान डगलड के पादरी माल्थस (१७६६-१८३४) का है। माल्थस का पिता बड़ा आनावादी था परन्तु माल्थस एक निराणावादी नवयवक था जिसे सभ्यता का भविष्य अंधकारमय प्रतीत होता था। बहुत अध्ययन और अनुसंधान के पश्चात् माल्थस ने सन १७९८ ई० में जनसंख्या के सिद्धान्त पर निबन्ध नामक पुस्तक की रचना की जिसमें उसने निम्नलिखित बातों को स्थापना की। इन्हीं बातों के विवेचन को माल्थस का जनसंख्या का सिद्धान्त कहते हैं।

माल्थस के जनसंख्या के सिद्धान्त की सारभूत बात

(१) किसी देश की जनसंख्या में खाद्य सामग्री की सीमा को पार करके अधिक वेग से आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है—किन्तु प्रकार की बाधा न होने पर जनसंख्या खाद्य पदार्थ की उत्पत्ति का प्रवेशा नहीं अधिक तेजी से बढ़ती है। माल्थस का कहना है कि जनसंख्या गुणोत्तर वृद्धि (Geometrical Progression) के अनुसार बढ़ती है जसे २ ४ ८ १६ ३२ ६४ आदि और खाद्य सामग्री समांतर वृद्धि (Arithmetical Progression) के हिसाब से बढ़ती है जसे १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ आदि। इस प्रकार जनसंख्या लगभग २५ वर्षों में दुगुनी हो जाती है किन्तु खाद्य सामग्री (Food Supply) अर्थात् निर्वाह साधना (Means of Subsistence) के लिए यह बाल लागू नहीं है। खाद्य सामग्री इस अनुपात में नहीं बढ़ती। अतः जनसंख्या में खाद्य सामग्री की सीमा को पार करके आगे बढ़ने की प्रवृत्ति होती है। पूर्वकाल में ऐसा हुआ है और भविष्य में भी ऐसा होने की सम्भावना है।

(२) जनसंख्या की वृद्धि को प्रवृत्त दो उपायों से रूक सकते हैं—एक तो जन्म दर को कम होने से और दूसरे मृत्यु दर को बढ़ाने से। समय बहाव पालन बड़ी आयु में विवाह करना आदि साधनों से जन्म दर को कम हो सकती है। वर्तमान समय के सर्तति नियंत्रण (Birth Control) आदि उचित साधन भी इसी श्रेणी में आते हैं। इस प्रकार के उपायों को माल्थस ने निवारक या कुश्रिम अवरोध (Preventive Checks) कह कर पुकारा है। मृत्यु दर को वृद्धि अनेक कारणों द्वारा हो सकती है जैसे युद्ध दुर्घटना भूकम्प बाढ़ महामारी आदि। इन्हें उगने प्राकृतिक अवरोध (Positive Checks) कहा है।

(३) माल्थस का निष्कर्ष—माल्थस ने इस अध्ययन से यह निष्कर्ष निकाला कि मनुष्यों को चाहिए कि वे जनसंख्या को अति न बढ़ने दें। उनका यह कहना था कि यदि लोग समय ब्रह्मचर्य आदि निवारक या कुश्रिम उपायों की काम में न लागते तो भविष्य में उनको अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़गा यह सब कि उन्हें पर्याप्त भोजन भी न मिल सकेगा। लोग भूमे रहने तरह तरह के

बीमारियाँ फैलेंगी और इस कारण मृत्यु-संख्या बहुत बढ़ने लगेगी। जनसंख्या का अत्यधिक भाग इस प्रकार के प्राकृतिक उपायों से नष्ट हो जायगा। निवारक या कृत्रिम अवरोध (Preventive Checks) के अभाव में प्राकृतिक अवरोधों (Positive Checks) द्वारा बढ़ती हुई जनसंख्या का रकना स्वाभाविक है। अतः स्वयं मनुष्य को इस विषय में सतर्क रहना चाहिए।

माल्थस के सिद्धान्त की आलोचना

(Criticism of Malthusian Theory)

(१) माल्थस का सिद्धान्त पूर्णतया ठीक नहीं है—माल्थस के विचारों पर इङ्ग्लैंड, आयरलैंड आदि देशों की तकनीकी जनसंख्या वृद्धि का विशेष प्रभाव पड़ा और उससे उन्हीं के अध्ययन के आधार पर इन सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया था। उस समय जनसंख्या बड़े वेग से बढ़ रही थी। कृषि में उत्पाति ह्रास-प्रवृत्ति का प्रदर्शन प्रारम्भ हो चुका था। व्यापक सामग्री की उत्पत्ति बढ़ाने के लिए उचित उद्योगों को ज्ञान न था। कार्णव वैज्ञानिक धर्म में अभी पर्याप्त उत्पत्ति न हो पाई थी। यालावान के साधन भी पुराने ढंग के थे जिनके फलस्वरूप खाद्य-सामग्री की आवश्यकता पड़ने पर अन्य देशों से सुगमतापूर्वक आयात नहीं की जा सकती थी। इन सब बातों के आधार पर माल्थस ने उन उपरोक्त सिद्धान्तों की स्थापना की थी। औद्योगिक क्रान्ति ने आर्थिक-जीवन का पूणतया काया-पलट कर दिया है। कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में अनेक आविष्कार हो गये हैं जिनसे उत्पत्ति की मात्रा बहुत ही बढ़ गई है। यालावान के साधनों में पर्याप्त उत्पत्ति होने में अब एक देश दूसरे देशों से खाद्य-सामग्री भेगा सकता है। एक चार वैज्ञानिक उपायों में धनात्पत्ति बहुत बढ़ गई है, और दूसरी ओर नोखा में सन्तान-नियंत्रण के कृत्रिम उपायों का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। इससे जनसंख्या कई देशों में काफी घट गई है। अन्तु माल्थस ने जो भावी जन-संख्या के विषय में भयानक और अंधकारपूर्ण चित्र पोंचा था, वह वर्तमान समय में अत्यधिक भिन्न न हो सका। परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण माल्थस के सिद्धान्त में अनेक पूर्वाह्न सत्यता न रहें और न वह सब देगा और हर काल के लिए ठीक ही है।

(२) माल्थस ने जो जनसंख्या और खाद्य सामग्री की वृद्धि का अनुपात बताया है वह ठीक नहीं है—यह सिद्ध करना कठिन है कि जनसंख्या गुणोत्तर-वृद्धि और खाद्य सामग्री समान्तर-वृद्धि के अनुपात में बढ़ती है। इतिहास पर दृष्टि डालने से यह ज्ञान होता है कि खाद्य सामग्री में समान्तर अनुपात में कहीं अधिक वृद्धि हुई है। मानव वृद्धि वन द्वारा उत्पाति के अनेक नये ढंग माशूम हो गये हैं जिनसे धनात्पत्ति की वृद्धि जनसंख्या की वृद्धि से भी अधिक होने लगी है। दूसरी ओर सभ्यता तथा जीवन-स्तर के बढ़ने के साथ-साथ निवारक या कृत्रिम उपायों का महत्त्व भी बढ़ता जा रहा है। जीवन-स्तर ऊँचा होने में लागू में सन्तान कम पैदा करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है जिससे भावी सन्तान का जीवन-स्तर नीचे न गिरे।

माल्थस के सिद्धांत विद्वान् विद्वान्मय का प्रथम श्रेणी का एक बलिष्ठ विशेषज्ञ था। अतः उसे इस प्रकार के गणितीय सम्बन्धी सूत्रों (Formulas) के प्रयोग का बड़ा शौक था।

( ३ ) माल्थस की यह धारणा कि जनसंख्या लगभग २५ वर्षों में दुगनी हो जाती है उन्नत प्रतीत नहीं होती है—समर के किसी भी देश में अब तक जनसंख्या २५ वर्षों में दुगनी नहीं हुई है। जनसंख्या की दुगना होने में लगभग १८० वर्ष लगते हैं। अतः इस धारणा की पुष्टि इतिहास द्वारा नहीं होती है।

( ४ ) सभ्यता के विवस के साथ-साथ सतानोत्पत्ति भी कम हो जाती है—प्राचीन शास्त्र का नियम है कि ज्यो-ज्यो मनुष्य सभ्यता की ओर अग्रसर होता जाता है, त्यों-त्यों उसकी सतानोत्पत्ति की शक्ति में ह्रास होता जाता है। मानसिक और नैतिक उन्नति के साथ-साथ मनुष्य की सन्तान उत्पन्न करने की इच्छा कम होती जाती है। विशेषकर शिक्षित स्त्रियों कभी अधिक बच्चों की माता बनना पसन्द नहीं करती है। यदि एक शिक्षित एव सभ्य दम्पति को एक कार (Car) अथवा बच्चे (Baby) में से कोई एक वस्तु पसन्द करने के लिए कहा जाय, तो वे निस्सन्देह 'कार' ही पसन्द करेंगे। माल्थस ने इस प्रवृत्ति पर कोई विचार नहीं किया। अस्तु, भविष्य में मातृत्व ने जो अति-जनसंख्या होने का सब प्रकट क्रिया वह निराधार है।

( ५ ) सामाजिक-आर्थिक परिस्थिति में परिवर्तन होने से भी जनसंख्या घटती जा रही है—पुराने समय की भाँति अब बड़े परिवारों का होना इतनी गौरव की बात नहीं समझी जाती है। फैंकड़ी एबट और शिक्षा प्रचार से निर्धन मनुष्यों में जन्म-संख्या कम होने लगी है क्योंकि बच्चों का छोटी आयु में कारखानों में काम करना अब एक कानूनी स्काउट हो गई है। अतः परिवार की आय को बढ़ाने के लिए सतानोत्पत्ति को प्रवृत्ति नष्ट होती जा रही है। उच्च श्रेणी और मध्यम श्रेणी के लोगों में भी अपने जीवन स्तर को बनाये रखने की दृष्टि से अधिक सन्तान की प्रसिद्धाया नहीं रहनी है। अतः वे भी येन-केन प्रकार से जन्म-संख्या कम से कम रखने का प्रयत्न करते हैं।

( ६ ) माल्थस ने उत्पत्ति-ह्रास नियम ( Law of Diminishing Returns ) के बारे में ठीक नहीं समझा—उसने इस नियम को सर्वश्रेष्ठिक समझ कर भूल की। कृषि बला और लेती के ढंगों में सुधार कर इस प्रवृत्ति को रोक जा सकता है तथा कारखानों की उत्पत्ति-वृद्धि एव माद्य-न्यामशी के आशय से यह प्रवृत्ति निष्क्रिय की जा सकती है।

( ७ ) जनसंख्या में वृद्धि होने से श्रम की भी संख्या घटती है—जब मनुष्य संसार में आता है, तो वह केवल मुँह और उदर ही लेकर नहीं आता, बल्कि काम करने के लिए हाथ और बुद्धि वल भी लेकर आता है। अस्तु, यह सोचना भूल है कि जनसंख्या में वृद्धि सारा भाग्यलियों को बुलाना है। कुछ हद तक जनसंख्या की वृद्धि लाभप्रद ही नहीं बरन् आवश्यक भी है, ऐसा प्रो० केल्विन का मत है।

( ८ ) जनसंख्या की समस्या पर विचार करते समय देश की समस्त धनोत्पत्ति ( Total Wealth ) को ध्यान में रखना चाहिए न कि केवल खाद्य सामग्री की उत्पत्ति को ही—माल्थस ने इस सम्बन्ध में केवल खाद्य-सामग्री का ही विचार किया है। सम्भव है किसी देश में खाद्य-पदार्थों की कमी हो पर वह देश अपनी औद्योगिक वस्तुओं के बदले में कृषि-अधान देशों से खाद्य-सामग्री भगा सकता है। इंग्लैंड के उदाहरण में यह बात स्पष्ट हो जाती है। वहाँ मुश्किल से १६ प्रतिशत

जनसंख्या के लिए खाद्य पदार्थ उत्पन्न होने हैं। परन्तु वहाँ कारखानों में इतना माल तैयार होना है कि बड़ी सुगमता में अन्य देशों से उम माल के बक्षे में आया-सामग्री भेजा जा सकती है। अस्तु, खाद्य-पदार्थों की इतनी कम उत्पत्ति होने हुए भी वहाँ आया-सामग्री की कोई कमी नहीं है, और वहाँ के मनुष्यों का जीवन स्तर भी तुलनात्मक दृष्टि से वहाँ ऊँचा है।

माल्थस के सिद्धान्त में सत्यता के अर्थ

(Elements of Truth in the Malthusian Theory)

इस प्रकार के दोष माल्थस के सिद्धान्त पर लगाए जाते हैं, और वे बहुत कुछ ठीक भी हैं। पर इतना यह आशय नहीं कि माल्थस का सिद्धान्त विरुद्ध गलत है। यह मत है कि परिस्थितियों में परिवर्तन होने के कारण माल्थस के सिद्धान्त में अब पूर्ववत् मूल्यना न रही फिर भी उममें सत्यता का अर्थ है। भारतवर्ष, चीन आदि देशों में माल्थस का सिद्धान्त पूरा रूप में लागू है। परन्तु यूरोप और अमेरिका आदि उन्नत देशों में यह सिद्धान्त विरुद्ध प्रभावशाली हो गया है।

भारतवर्ष और माल्थस का सिद्धान्त—भारतवर्ष में माल्थस का सिद्धान्त पूर्णतया लागू है। भारतवर्ष में जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। गत ५० वर्षों में वहाँ जनसंख्या में लगभग ११ करोड़ की वृद्धि हो गई है। अशिक्षा और निर्धनता के अनिश्चित यथा की सामाजिक रीतियों और धार्मिक विश्वासों में जनसंख्या की वृद्धि में पर्याप्त सहायता मिल रही है। विवाह करना अनिवार्य कार्य बन गया है। पुत्र प्राप्ति धार्मिक कृत्य समझा जाता है। सर्व साधारण में यह विचार प्रचलित है कि बिना पुत्र के परलोक में गति नहीं होती है। उष्ण जलवायु के कारण छोटी आयु में विवाह हो जाता है और कई धर्म-ग्रन्थ कन्या को दस वर्ष की आयु में विवाह कर देने का आदेश भी देते हैं। इन सब कारणों से वहाँ की जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। किन्तु भारतवर्ष में विविध कारणों से कृषि तथा व्यवसाय धन्यों की उत्पत्ति बहुत कम है। अतः इस देश में अति-जनसंख्या (Over-Population) की समस्या विद्यमान है। लोगों का जीवन स्तर गिरा हुआ है। मृत्यु-संख्या अन्य देशों से बड़ी अधिक है। विवाह या कृत्रिम अवरोधों का पूर्ण अभाव है। जनसंख्या की वृद्धि रोकने के लिए कुमिल, महापारी आदि प्राकृतिक उपायों का भयंकर प्रकोप मदेव बना रहता है। अस्तु, माल्थस का सिद्धान्त भारतवर्ष जैसे देशों में अब भी लागू है।"

प्रो० टॉसिग (Taussig) के अनुसार "ऊँची जन्म-संख्या, ऊँची मृत्यु-संख्या, विध्वंसी हुई औद्योगिक दशाएँ, न्यून भूमि, यह सब बातें साथ-साथ चलती हैं।"

यूरोप व अमेरिका और माल्थस का सिद्धान्त—ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, म्यून राज्य-अमेरिका आदि धनी और प्रगतिशील देशों में सम्पत्ति की वृद्धि जनसंख्या के अनुपात से अधिक हुई है, अतः वहाँ अति-जनसंख्या की समस्या विद्यमान नहीं है। साथ ही इन देशों में जनसंख्या की वृद्धि रोकने में प्राकृतिक अवरोधों जैसे मृदा महामारी आदि विचारक या कृत्रिम अवरोधों जैसे देर से विवाह करना, सद्य, बहुचर्चा-यातन, मतनि-निग्रह आदि का पूर्ण हाथ रहा है। माल्थस के कथनानुसार सम्यता भी उन्नति के साथ-साथ विचारक या कृत्रिम अवरोधों का महत्त्व बढ़ता जा रहा है। इन्हीं कारणों से इन देशों में माल्थस का सिद्धान्त असत्य सिद्ध हो रहा है।

## सर्वोत्तम ( आदर्श ) जनसंख्या का सिद्धान्त (Theory of Optimum Population)

'सर्वोत्तम जनसंख्या का सिद्धान्त' जनसंख्या का प्राकृतिक सिद्धान्त माना जाता है। सबसे प्रथम प्रो० कॅनन ( Cannan ) ने इस विचारधारा को प्रस्तुत किया और प्रो० कार सौण्डर्स (Carr Saunders) का नाम भी इसके विकास के सम्बन्ध में उल्लेखनीय है।

### सिद्धान्त की परिभाषा

प्रो० कार सौण्डर्स इसको दम प्रकार परिभाषित करते हैं—“प्राथमिक दृष्टि में किसी देश में किसी विशेष समय और परिस्थिति में वही जनसंख्या का घनात्व सर्वोत्तम समझा जायगा जिसमें प्रति व्यक्ति को आय या धनोत्पत्ति अधिकतम हो और जनसंख्या के तनिक भी घटने या बढ़ने से प्रति व्यक्ति की आय या धनोत्पत्ति में न्यूनताधिकता हो जाय।”

अधिकतम जनसंख्या का सिद्धान्त यह बतलाता है कि किसी देश में किसी समय प्राथमिक साधनों की गणपन्नता इतनी हो कि वहाँ अधिक से अधिक जनसंख्या रह सके और उसके प्रति व्यक्ति की आय या धनोत्पत्ति अधिकतम हो। नापाएय जेन-घान की भाषा में इसे यों भी कह सकते हैं कि जनसंख्या भी अधिक हो और कमाले व खान पीने की भी खूब हो।

उपर्युक्त विवरण में यह स्पष्ट है कि जनसंख्या और प्राथमिक साधनों के विकास की समरसि की सर्वोत्तम जनसंख्या कहने है। परन्तु यदि जनसंख्या इतनी अधिक हो कि प्राथमिक साधन पीछे रह जायें और वे उस सीमा तक जनसंख्या का भली-प्रकार निर्वाह करने में असमर्थ हो जायें, तो ऐसी जनसंख्या को अति-जनसंख्या ( Over-Population ) कहेंगे। निर्धनता, गिरा हुआ जीवन स्तर, भुखमरी, कार्य-कुशलता में ह्रास आदि प्रति जनसंख्या के कुछ भयंकर दुष्परिणाम हैं जिनका इलाज अति-जनसंख्या को उचित सीमा पर लाने पर ही हो सकता है। इसी प्रकार न्यून जनसंख्या की समस्या भी पाई जाती है। किसी देश की जनसंख्या इतनी कम हो कि वहाँ के प्राकृतिक अथवा प्राथमिक साधनों में पूरा लाभ न उठाय जा सके तो जनसंख्या की ऐसी अवस्था को न्यून-जनसंख्या ( Under Population ) कहेंगे। इसके भी वही दुष्परिणाम होते हैं जो अति-जनसंख्या के। अतः, हमारा उद्देश्य अति-जनसंख्या और न्यून जनसंख्या के परे सर्वोत्तम जनसंख्या का होना चाहिए।

माल्थस के सिद्धान्त और सर्वोत्तम जनसंख्या के सिद्धान्त की तुलना

(१) सर्वोत्तम जनसंख्या के सिद्धान्त में जनसंख्या और प्राथमिक साधनों द्वारा उत्पादन शक्ति में सम्बन्ध स्थापित किया गया है, जबकि माल्थस के सिद्धान्त में केवल जनसंख्या और खाद्य सामग्री के ही मध्य सम्बन्ध स्थापित किया गया है।

(२) सर्वोत्तम जनसंख्या की सीमा स्थायी नहीं है। यह अवस्था के साथ-साथ बदलती रहती है। अतः किसी देश में जनसंख्या को बढ़ाने की कोई सैद्धान्तिक सीमा नहीं हो सकती।

(३) माल्थस ने जनसंख्या की वृद्धि का भयानक चित्र खींचकर तपोव्रतों के दुष्परिणामों से घबराव कराने का प्रयत्न किया है। परन्तु किन्हीं परिस्थितियों में जनसंख्या की वृद्धि सामंजस्यकारी होती है। अतः, सर्वोत्तम जनसंख्या में केवल दम बान का अध्ययन किया जाता है कि जनसंख्या की वृद्धि वाछनीय है अथवा नहीं।

(४) सर्वोत्तम जनसंख्या का सिद्धान्त माल्थस के सिद्धान्त की भाँति सवम, ब्रह्मचर्य पालन आदि नैतिक उपदेशों से मुक्त है। इसमें इस प्रकार की बात नहीं मिलती।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—माल्थस के जनसंख्या के सिद्धान्त की आलोचनात्मक दृष्टि से व्याख्या कीजिये।  
(रा० बो० १९५७)
- २—माल्थस का जनसंख्या का सिद्धान्त हमारे देश में कहीं तक लागू है ?  
(प्र० बो० १९५६ पू०)
- ३—माल्थस (Malthus) के सिद्धान्त को समझाइय तथा उसकी आलाचना कीजिये।  
(उ० प्र० १९५६)
- ४—माल्थस के जनसंख्या के सिद्धान्त की आलाचनात्मक दृष्टि से व्याख्या कीजिये।  
सर्वोत्तम जनसंख्या का क्या सिद्धान्त है ?  
(रा० बो० १९५४)
- ५—माल्थस के सिद्धान्त की व्याख्या कीजिये। क्या यह भारत पर लागू होता है ?  
(रा० बो० १९५९)
- ६—जनसंख्या का आधुनिक सिद्धान्त क्या है ? माल्थस के सिद्धान्त से इसमें क्या अन्तर है ?  
(रा० बो० १९५९)
- ७—निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए —  
प्राकृतिक अवरोध और कृत्रिम अवरोध (उ० प्र० १९५०, ४९, ४७, ४८)  
सर्वोत्तम जनसंख्या (रा० बो० १९५१ ४९)  
नैतिक तथा प्रतिवधक निरोध (उ० प्र० १९६०, ५०)  
प्रतिवधक रोक (म० भा० १९५७)

भारतवर्ष की जनसंख्या  
(Population of India)

‘एक राष्ट्र की सच्ची सम्पत्ति न उसकी भूमियों और न नदियों में न उसमें बना धार गता में न उसके पशुओं में न उसके डोंरों में निहित है, बल्कि उसके स्वस्थ और सुखी आदमी औरता और दत्ता में निहित होती है।’ —जी० सी० ह्विपल

भारतवर्ष की जनसंख्या का आकार - सन् १९५१ ई० की मनुष्य गणना के अनुसार भारत की जनसंख्या ३५,६०,२६,४०१ है। इस प्रकार १० वर्षों में १०६ प्रतिशत जनसंख्या बढ़ी। इसमें से पुरुषों की आबादी १८,३३,०५,६५४ है और स्त्रियों की १७,३५, ३,८३१ है। इस तरह १००० पुरुषों के पीछे ९४० स्त्रियों की औसत आती है। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत

संसार में चीन की छोड़कर अधिक आबादी वाला देश है। भारत की जनसंख्या सोवियत संघ (११ करोड़), उत्तरी अमेरिका (२२ करोड़), अफ्रीका (२० करोड़), दक्षिणी अमेरिका (११ करोड़) में अधिक है और सोवियत संघ को बिकालकर यूरोप (३६ करोड़) की आबादी से कुछ कम है। भारतवर्ष में संसार की कुल जनसंख्या का लगभग १५ प्रतिशत अर्थात् ३ मनुष्य निवास करते हैं।



संसार की जनसंख्या में भारत का स्थान

भारत के पुनर्गठित राज्य

‘राज्य पुनर्गठन विधेयक’ के अनुसार भारत में १४ राज्य और ६ केन्द्र द्वारा शासित प्रदेश बनाए गए जिसकी स्थापना १ नवम्बर १९५६ को की गई। १ मई १९६० को तत्कालीन बम्बई राज्य का विभाजन करने दो नये राज्या—महाराष्ट्र और गुजरात की स्थापना का गई है। इस प्रकार इस समय भारत में १५ राज्य व ६ केन्द्र द्वारा शासित प्रदेश है। नागालैण्ड की स्थापना हो जाने पर १६ राज्य हो जायेंगे।

१५ राज्या के नाम इस प्रकार हैं—आन्ध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पूर्वी पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, जम्मू व काश्मीर।

केन्द्र द्वारा शासित ६ प्रदेशों के नाम इस प्रकार हैं - देहली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अण्डमान, एवं निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप एवं अमिनदीव द्वीप समूह।



जनसंख्या के अनुसार भारत के राज्यों का आकार—जनसंख्या के अनुसार राज्या और केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों का आकार क्रमशः इस प्रकार है —

क्र० सं०	राज्य	जन संख्या (लाखा में)	क्र० सं०	राज्य	जन संख्या (लाखा में)
१	उत्तर प्रदेश	६३२	१२	केरल	१३६
२	महाराष्ट्र	३२२	१३	आसाम	६०
३	बिहार	३८८	१४	जम्मू व कश्मीर	४४
४	छात्र	३१३	१५	गुजरात	१६१
५	मद्रास	३००	१	केन्द्र द्वारा प्रशासित राज्य	
६	पश्चिमी बंगाल	२६३	२	दिल्ली	१७४
७	मध्य प्रदेश	२६१	३	हिमाचल प्रदेश	६८
८	मैसूर	१६४	४	मिजोरम	६४
९	राजस्थान	१६०	५	मणिपुर	५८
१०	पंजाब	१६१	६	अरुणाचल प्रदेश	०३
११	छत्तीसगढ़	१४६	७	सikkim व भूटान	०२



राज्या और केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों की कुल जनसंख्या भी एक दूसरे में भिन्न है। उत्तर प्रदेश, बम्बई, विहार और आंध्र की जनसंख्या जैप सभी इकाइयों की कुल जनसंख्या के बराबर है। सबसे अधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। इसकी जनसंख्या जम्मू-कश्मीर, आसाम, केरल उडुपि और मैसूर की सम्मिलित जनसंख्या से भी अधिक है। आंध्र में राजस्थान और पंजाब से अधिक है। बम्बई की जनसंख्या गुज्य प्रदेश और मैसूर से भी अधिक है। दिल्ली की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और दोनो द्वीप समूहों से भी अधिक है।

गाँवों और शहरों की जनसंख्या—भारत की ८२८ प्रतिशत जनसंख्या देहात में रहती है। देहात की जनसंख्या २६,५०,०४,२७१ और शहरों की ६,१८,२५,२१४ है।

जनसंख्या का पेशेवार विभाजन—सन् १९५१ की जनगणना की रिपोर्टों की नवीनता यह है कि इसमें समूची आबादी को पेशों के अनुसार विभक्त किया गया है। समूची आबादी को कृषिजीवी और अकृषिजीवी दो श्रेणियों में बाँटा गया है।

( अ ) कृषिजीवियों की जनसंख्या

श्रेणी	आधितो रहित जनसंख्या
१—भू स्वामी	१६,७३,००,०००
२—जो भू स्वामी नहीं हैं	३,१५,००,०००
३—कृषि मजदूर	४,४७,००,०००
४—केवल लगान वसूल करने वाले भू स्वामी	५२,००,०००
(या) अकृषिजीवियों की जनसंख्या	
१—कृषि के अनिश्चित अन्य उत्पादन प्राप्त करने वाले	३,७६,००,०००
२—व्यापारी	२,१२,००,०००
३—नौकरी आदि अन्य पाले	४,२८,००,०००
४—मानायात जीवी	५६,००,०००

जनसंख्या की वृद्धि (Growth of Population)

(१८६१-१९५१)

(लाखा में)

जनसंख्या वर्ष	जनसंख्या	वृद्धि (+) या कमी (-) गन दशक में
१८६१	२,३५६	
१९०१	२,३५५	-४
१९११	२,४६०	+१२५
१९२१	२,४८१	-६
१९३१	२,७५५	+२७४
१९४१	३,१२८	+३७३
१९५१	३,५६६	+४४१

भारतवर्ष में सबसे पहले मनुष्य मरणा मृत १८७२ ई० में हुई थी। तब से प्रत्येक दसवें वर्ष मरणा होती है। कुछ वर्षों के जन मरणा के एक ऊपर तात्विक में दिखे भये है। इन वर्षों के अन्वयन में यह ज्ञात होता है कि जनसंख्या की वृद्धि में बड़ी अनियमितता (Irregularity) रहती है। समय-समय पर अन्तर् और मृत्युकारियों के प्रयोग ही इस अनियमितता के मुख्य कारण है। मृत १६२१ में तीस वर्षों के भीतर लगभग ११ करोड़ आमादी बड़ी। मृत १६२१ के पहले और बाद की वृद्धि में पर्याप्त अन्तर रहा है। मृत १६२१ के पूर्व जनसंख्या अन्तर्, महामारी प्रादि में कम होती रही तथा खाद्यान्न जनसंख्या में अन्विक उत्पन्न होता रहा, परन्तु बाद के वर्षों में खाद्यान्न का उत्पादन जनसंख्या वृद्धि में पीछे रह गया। मृत १६८१ म १६५१ के भीतर जनसंख्या में ४५ करोड़ की वृद्धि हुई जो १२५ प्रतिशत होती है।

भारतीय जनसंख्या में पुरुषों और स्त्रियों का अनुपात—औद्योगिक देश में एक हजार पुरुषों के पीछे ९४७ स्त्रियाँ हैं। भारत के सभी राज्यों में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से अधिक है, परन्तु उड़ीसा, मनीपुर, मद्रास, मॉगाट्ट केरल में स्त्रियों की संख्या पुरुषों से अधिक है जो क्रमशः प्रति हजार पुरुषों के पीछे १००२ १००६, १००८ और १०७६ है। पुरुषों की प्रवेशा स्त्रियों की संख्या मनुष्य के अन्तर् निकोवार में है जहाँ एक हजार पुरुषों के पीछे ६२५ स्त्रियाँ हैं। स्त्रियों में भी स्त्रियों की संख्या कम है क्योंकि एक हजार पुरुषों के पीछे ७६८ है। पश्चिमी बंगाल, आन्ध्र, गुजरात, पंजाब और वेङ्ग राज्यों में भी स्त्रियों की संख्या प्रति हजार पुरुषों के पीछे ९०० न कम है।

भारतीय जनसंख्या की विशेषताएँ—भारतीय जनसंख्या की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :—

(१) भारत की जनसंख्या चीन को छोड़कर समस्त में सबसे अधिक है। मनुष्य के मनुष्य यही विचार करने हैं।

(२) यहाँ की जनसंख्या में दुर्बल या महामारियों के कारण बड़ी अनियमितता रही है। फिर भी गत पचास वर्षों में अविभाजित भारत में ११ करोड़ की वृद्धि हुई।

(३) भारत के समस्त भागों में जनसंख्या की वृद्धि समान नहीं रही है। जैसे दक्षिणी भाग की अपेक्षा उत्तरी भाग की जनसंख्या अधिक बनी।

(४) भारतीय जनसंख्या देश के आर्थिक माध्यम के विकास की प्रथम अधिक तेजी से बढ़ रही है।

(५) भारत में वार्षिक जन-संख्या ३४.३ और मृत्यु संख्या २८.६ प्रति हजार है जो समस्त में सबसे अधिक है। इसी प्रकार अन्य प्रगतिशील देशों की अपेक्षा भारत में औसत जीवन काल भी बहुत कम है अर्थात् २७ वर्ष है।


(६) जनसंख्या के घनत्व में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है, जैसे महानगरीय भाग में १ वर्ग मील में केवल १० मनुष्य ही रहते हैं जबकि बंगाल जैसे घनत्व वाले राज्य में ८०० मनुष्य प्रति वर्ग मील रहते हैं।

(७) मनुष्यों के पैरों के बटवारे में भी पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। उदाहरणार्थ ७० प्रतिशत में भी अधिक जनसंख्या खेती पर निर्वाह करती है।

(c) पुरुषों और स्त्रियों के अनुपात में भी अन्तर पाया जाता है। साधारणतया देश में एक हजार पुरुषों के पीछे ९४७ स्त्रियाँ हैं। पंजाब में स्त्रियों की संख्या ८४७ है और मद्रास में १००८ है।

जनसंख्या का घनत्व (Density of Population)—किसी स्थान पर औसतन प्रति वर्ग मील जितने व्यक्ति रहते हैं उसे उस स्थान की जनसंख्या का घनत्व कहते हैं। यदि बंगाल की जनसंख्या का घनत्व ८०० है, तो इसका अर्थ यह है कि वहाँ प्रति वर्ग मील आठ सौ मनुष्य रहते हैं।

गणतंत्र भारत का औसत घनत्व ३१२ है, परन्तु घनत्व का औसत भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। एक ओर तो दिल्ली राज्या में घनत्व ३०१७ और केरल में १०१५ और दूसरी ओर अडमन व निकोबार द्वीप में यह १० और मीराट्ट में ३८ ही है। निम्नांकित सारणी द्वारा भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों का औसत घनत्व दिखाया गया है :—



जनसंख्या के घनत्व के अनुसार राज्यों का क्रम

क्रम संख्या	राज्य	घनत्व	क्रम संख्या	राज्य	घनत्व
१.	केरल	१०७७	१२.	राजस्थान	१२०
२.	पं० बंगाल	७८७	१३.	आंध्रप्रदेश	१०५
३.	मद्रास	५९९	१४.	जम्मू व काश्मीर	४७
४.	विहार	५७३	केन्द्र द्वारा प्रशासित क्षत्र		
५.	उत्तर प्रदेश	५५७	१.	दिल्ली	३०१७
६.	पंजाब	३४३	२.	चिपूर	११८
७.	झारखण्ड	२९२	३.	हिमाचल प्रदेश	९९
८.	मैसूर	२६०	४.	मणिपुर	९६
९.	कर्नाटक	२५३	५.	लकनाऊ व अमनदीव	०१
१०.	उड़ीसा	२४२	६.	अडमन व निकोबार	०८
११.	मध्य प्रदेश	१५२			

## जनसंख्या के घनत्व के अनुसार सप्ताह के कुछ देश

देश	घनत्व	देश	घनत्व
१. हंगेरी (बोदपेण्ड)	८२५.३	७. भारत	३१२
२. बेल्जियम	७३४.४	८. स्विट्जरलैंड	२८८
३. जपान	५७५.४	९. फ्रांस	१६२
४. इङ्ग्लैंड	५३७.८	१०. अमेरिका	४६
५. जर्मनी (पश्चिमी)	१०२.७	११. आस्ट्रेलिया	३
६. इटली	४०४.६	१२. कनाडा	३

जनसंख्या के घनत्व की विभिन्नता के कारण—जनसंख्या के वक्रों का अत्यन्त ही उमके घनत्व से चलता है। कुछ राज्यों की तो जनसंख्या बहुत ही घनी है, जबकि दूसरे राज्यों की जनसंख्या बहुत ही कम है। घनत्व पर इस विभिन्नता के कई कारण हैं, उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं :—

१. भूमि का घरातल (Configuration)—समतल भूमि पर अती प्रचुर खेती होने के कारण वहाँ घनी जनसंख्या का निर्वाह हो सकता है, जैसे बंगाल, बिहार आदि। पहाड़ी भूमि में खेती में कठिनाई होने के कारण जनसंख्या का घनत्व भी गिर जाता है। यही कारण है कि दक्षिणी पठार की आबादी कम है।

२. मिट्टी (Soil)—उपजाऊ भूमि में अधिक जनसंख्या का निर्वाह हो सकता है, जैसे—नदियाँ से लाई हुई दुमट मिट्टी।

३. वर्षा (Rainfall)—भारत में जनसंख्या का घनत्व अधिक वर्षा के साथ-साथ चलता है। भारतवर्ष में उत्तम जनसंख्या के घनत्व के लिए लगभग ४०" वर्षा पर्याप्त है। इस अल्पतम वर्षा में न्यूनता या जात के कारण जनसंख्या के घनत्व का बितरण भी घट जाता है। मरुस्थली भागों में जनसंख्या का घनत्व हमी कारण कम होता है।

४. सिंचाई (Irrigation)—यहाँ वर्षा की कमी को पूरा करने के लिये सिंचाई के साधन उपस्थित होते हैं, यहाँ जनसंख्या के घनत्व पर बड़ी प्रभाव पड़ता है जो उत्तम वर्षा का पड़ता है।

५. जलवायु (Climate)—जनसंख्या के घनत्व पर जलवायु का बड़ा प्रभाव पड़ता है। भूमि के उपजाऊ तथा अच्छी वर्षा होव पर भी यदि वहाँ का जलवायु अस्वास्थ्यकर है, तो जनसंख्या का घनत्व बहुत कम होगा। यही कारण है कि आमतौर में अस्वास्थ्यकर जलवायु होने के कारण जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है।

६. सुरक्षा (Security)—जिन स्थानों में जन-जन सुरक्षित होता है वहाँ आबादी का घनत्व अधिक होता है। आज कल भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जन-घन की सुरक्षा के अभाव में जन-संख्या का घनत्व भी कम है।

७. **यातायात (Transport)**—सस्ते व शीघ्र यातायात के साधनों के कारण मार्कोटिंग तथा व्यापारिक व्यवस्थाओं में सुधार हो जाने के कारण जनसंख्या का घनत्व भी अधिक हो जाता है। यातायात के साधनों की कमी के कारण मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश में जनसंख्या का घनत्व कम है।

८. **आर्थिक साधन (Economic Resources)**—जिन क्षेत्रों में पवित्र पदार्थ आदि जैसे आर्थिक साधन विद्यमान होते हैं, वहाँ जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। जैसे—पंजाब और बिहार में अन्य स्थानों की अपेक्षा कोयला और ताँबा की खानों के निम्न जनसंख्या अधिक है।

९. **आवास-प्रवास (Immigration & Migration)**—आवास में जनसंख्या का घनत्व बढ़ता है और प्रवास में कम होता है।

१०. **औद्योगिक विकास (Industrial Development)**—वृष्टि विकास की अपेक्षा औद्योगिक विकास में अधिक जनसंख्या का निर्वाह हो सकने के कारण औद्योगिक उन्नति वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है। बम्बई, जमशेदपुर, कोलकाता और कलकत्ता आदि इसी बात की पुष्टि करने हैं।

### स्वास्थ्य और जन-मरण के आँकड़े

**स्वास्थ्य (Health)**—किसी देश की आर्थिक दशा वहाँ के निवासियों के शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर निर्भर होती है। भारतवर्षीय प्रायः दुर्बल हैं। उनका स्वास्थ्य अन्य उन्नत देशों के मनुष्यों की अपेक्षा गिरा हुआ है। निर्धनता, अशिक्षा, अविज्ञान इसके प्रधान कारण हैं। अधिकांश भारतवासियों का जीवन-स्तन नीचा है। गुल्ल व बिलगा वस्तुओं का तो प्रचल ही नहीं, उन्हें भर-पेट भोजन तथा शरीर रक्षा के लिए पर्याप्त वस्त्र भी उपलब्ध नहीं होते। रहने के लिये कच्चे, गन्दे, अपेक्षे और अस्वच्छन्द गृहों में भला! ऐसी प्रवृत्तियों में उनके अच्छा स्वास्थ्य बनाय रखना और भयंकर बीमारियों का सामना करने की भांशा दुराशा मान ही है। भारतवर्ष में प्रायः इन बीमारियों का प्रकोप विशेष पाया जाता है—हैजा, प्लेग, मलेरिया, चेचक, मोतीभरा कालाघाजार, टुकबर्म, क्षयरोग आदि।

प्रसिद्ध भारतवर्षीय मेडीकल रिसर्च कान्फ्रेंस का यह निष्कर्ष है कि रोकती जा सकने वाली बीमारियों से औसतन ५० से ६० लाख मनुष्यों की मृत्यु प्रतिवर्ष भारत में होती है, और इसी कारण औसतन प्रति व्यक्ति के वर्ष में दो या तीन मास नष्ट हो जाते हैं। इससे औसतन प्रति व्यक्ति की कार्य कुशलता में २० प्रतिशत ह्रास होना बताया गया है। भारत में जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से केवल २० प्रतिशत ही बच्चे-खाने की आयु तक पहुँच पाते हैं।

भारतवासियों के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए निर्धनता निपूल कर उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा माय-ही माय शिक्षा का प्रसार करना अत्यन्त आवश्यक है। प्रचार द्वारा जनता को स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों का ज्ञान कराना भी स्वास्थ्य सम्पादन के लिए आज-कल एक आवश्यक वस्तु समझी जाती है। स्वास्थ्य सेवा पहुँचाने वाले योग्य व्यक्तियों और सुसज्जित संस्थाओं का पूर्ण प्रभाव है। अनु, स्वास्थ्य-सम्बन्धी अधिवाधिक सुविधाएँ प्रदान कर भारतवासियों के स्वास्थ्य सुधारण की योजनाओं को राज्य द्वारा प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

जन्म मरण के आँकड़े ( Vital Statistics )—जन्म मरण सम्बन्धी सभी बातों का आँकड़ा को अंग्रेजी में वाइटल स्टैटिस्टिक्स' कहते हैं। भारतवर्ष में जन्म मरण गणना सम्बन्ध में सबसे अधिक है, इस बात का पता निम्नलिखित तालिका में चलता है —

देश	जन्म सख्या	मृत्यु सख्या
भारत	२३	२२
इटली	२७	१४
हालैंड	२५	६
फ्रांस	१५	१६
युनाइटेड किंगडम	१७	१७
जर्मनी	१७	११

भारत में अधिक जन्म-मरणों के कारण—भारत में अधिक जन्म-मरणों होने के कारण निम्नलिखित हैं —

(१) विवाह की अनिवार्यता (Universality of Marriage)—भारतवर्ष में, विधवा तथा हिन्दुओं में, विवाह का पुत्र प्राप्त करना एक पवित्र धार्मिक एवं श्रावणिक कर्तव्य माना जाता है। क्योंकि इनमें यदि विवाह प्रवृत्त न हो तो विना पुत्र के परलोक में मुक्ति नहीं मिलती। अतः, विवाह की अनिवार्यता जन्म-संख्या की वृद्धि में सहायक है।

(२) शीघ्र विवाह करने की प्रथा ( Early Marriage )—प्रचलित प्रथा के अनुसार दस के लगभग १० प्रतिशत विवाह अल्प आयु में ही हो जाते हैं जिससे जनसंख्यावृद्धि में सहायक वृद्धि हो जाती है।

(३) निवारक या वृत्तिम उपार्यों का अभाव (Absence of Preventive Checks of Birth-Control)—पारम्परिक देशों में प्राकृतिक मूलतः निवारक उपार्यों का अभाव होता जाता है जिससे जनसंख्या वृद्धि जन्म-संख्या वृद्धि में सहायक है। परन्तु भारत में निषेधना, अतिशयिता और धार्मिक विचारों के कारण वृत्तिम उपार्यों का प्रयोग नहीं किया जाता। पूर्वजा का पनाया हुआ मार्ग अर्थात् मरण व्रतानुष्ठान का भी कोई महत्त्व नहीं समझते।

(४) निर्धनता (Poverty)—देश में निर्धनता व शोचनीय जीवन-स्तर के कारण मनुष्यों में आध्यात्मिकता और दूरदर्शिता का अभाव होता गया है। दूरदर्शिता का अभाव भ्रष्ट अधिक मूल्य के पाने पाए गए शिक्षा आदि की कोई विचार नहीं रहती। इससे अनिश्चित निर्धनता का कारण होता है जो अल्प-वयस तक है, अतएव निर्धनता और अल्प-जन्म-संख्या का घनिष्ठ सम्बन्ध है।

(५) अशिक्षा और पिछड़ी हुई देश (Illiteracy and Backwardness)—अशिक्षा और पिछड़ी हुई देशों में जन्म-संख्या का अधिक होना

स्वाभाविक है। शिक्षा मनुष्य को कर्तव्य पथप्रणय बनाती है, अशिक्षा मनुष्य को विपरीत पाठ पढ़ाती है। अन्तु, जन्म-मरणा बड़ाकर अपने कर्तव्यों की अवहेलना कराना अशिक्षा का ही धर्म है।

(६) गर्म जलवायु (Warm Climate)—देस की गर्म जलवायु के कारण लड़कियों का मांस विवाह कर दिया जाता है।

भारत में अधिक मृत्यु-मरणा के कारण—भारतवर्ष में मृत्यु-मरणा के अत्यधिक होने के निम्नलिखित कारण हैं :-

(१) व्यापक निर्धनता (Chronic Poverty)—निर्धनता के कारण खाने-पीने की अच्छी वस्तुएँ उपलब्ध नहीं होती जिनके कारण मनुष्यों में बीमारियों का सामना कर विषय प्राप्त करने की सामर्थ्य नहीं रहती।

(२) महामारियों का प्रकोप (Prevalence of Epidemics)—मलेरिया, प्लेग, इन्फ्लूएन्जा, क्षय रोग आदि भयंकर बीमारियाँ द्वारा प्रतिवर्ष एक बड़ी संख्या में भारतवासियों की मौत के घाट उतारे जाते हैं।

(३) अशिक्षिता (Illiteracy)—इनके कारण लोग स्वस्थ और दीर्घायु सम्बन्धी विषयों में अनभिज्ञ रहते हैं।

चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव (Lack of Medical Facilities)—चिकित्सा-सम्बन्धी सुविधाओं का, विशेषतया गाँवों में, पूर्ण अभाव होने के कारण मृत्यु-मरणा अधिक होना स्वाभाविक है।

मृत्यु-मरणा की दो मुख्य विशेषताएँ—भारतवर्ष में मृत्यु-मरणा की दो प्रमुख विशेषताएँ हैं—एक तो क्रिया की अत्यधिक मृत्यु संख्या और दूसरी ऊँची नान-मृत्यु-संख्या।

भारत में स्त्री-मृत्यु—भारत में स्त्रियों की मृत्यु-संख्या बहुत अधिक है। उनकी मृत्यु विशेषतया सन्तानोपनि के समय १५ से ४० वर्ष की आयु के बीच में अधिक होती है, इनके अतिरिक्त कारण निम्नलिखित हैं :-

(१) नामाजिक कुप्रथाएँ—पर्व प्रथा जैसी नामाजिक कुप्रथाओं के कारण स्त्रियों को मराने की साहसदीवारी में बन्द रहना पड़ता है जिनके फलस्वरूप उन्हें स्वच्छ वायु सूर्य का प्रकाश तथा उपयुक्त व्यायाम उपलब्ध नहीं होता। इनसे उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और वे अल्प आयु में ही बाल का शय हो जाती हैं।

(२) मन्त्रा स्त्री जीवन—बुढ़ापे के लोगों में जीवन बड़ा मन्त्रा समझा जाता है अतः उनके स्वास्थ्य के बारे में उचित ध्यान नहीं दिया जाता। इसी कारण गिरु-बाल में भी बालिकाओं के पालन-पोषण की उपेक्षा की जाती है।

(३) अल्प आयु में विवाह होना—बाल विवाह की बुराई के कारण लड़कियों का विवाह छोटी आयु में ही कर दिया जाता है। उनका अर्पणिक अवस्था में विवाह होना उन्हें निर्धन और रोग-ग्रस्त बना देता है। स्नायु-दुर्बलता, गज-पशुमा और अन्य अनेक प्रकार के रोग युवावस्था ही में उनके जीवन को समाप्त कर देते हैं।

(४) अनिश्चित दाइयाँ—प्रसव-काल में अनिश्चित दाइयाँ अपने गलत और शानिकारी उपायों के प्रयोग में कई एक स्त्रियों के जीवन को खतरे में डाल देती हैं।

(४) मजदूर विधा का पचास निशान नही मिलता—कारखाना न बना करत वाता विधा का बच्चा जवान हाल क पूरु और पचास पचास विधा नही मिलता क कारण उनका स्वास्थ्य निगम जाता है और व रोग-ग्रस्त हाता है ता उनका उचित रति म उपचार नही हा पाता । ग्रम व गात्र हा काय का ग्राम हा जाता है ।

(५) निधनता (Poverty)—निधनता क कारण हमार अधिकांश दण बामिया का पर भर राजन और पचास वस्तु प्राप्त नही हा । एसी अवस्था म जव क्रिया का स्वास्थ्य निगम जाता है और व रोग-ग्रस्त हा जाता है ता उनका उचित रति म उपचार नही हा पाता । ग्रम व गात्र हा काय का ग्राम हा जाता है ।

भारत म प्रायः मृत्यु (Infantile Mortality in India)—भारत म प्रायः मृत्यु मरणा मरणा अधिक है । भारतवर्ष म प्रायः हाल वाता बच्चा म मरता हा एव वष का प्रायः म ही प्रपत । वत वाता का मरणा कर दता है । वाता मृत्यु मरणा कावा की प्रपता गहरा म अधिक है । भारत क मरणा वर नगर ककता और बम्बई म वाता मृत्यु-मरणा प्रपता २१० और २०१ है जबकि ब्रिटन म यह ६१ हा ।

अधिक प्रायः मृत्यु मरणा क कारण—भारत म अधिक वाता का मृत्यु निम्नलिखित कारण म हाता है —

(१) मातापिता का विवाह हृष्ट स्वास्थ्य—छाया प्रायः म विवाह हाता प्रायः वाता का म स्वास्थ्य कठिन कर काय का प्राप्त बना दता है । व मव वाता बच्चा की प्रायः क निगम भे घातक मिद्ध हाता है । ग्रम रोग ग्रम और अगत माता क वस्तु अनि शय प्रायः म हा मृत्यु का प्राप्त हा जात है ।

(२) अतिशय व अनभिन्न मातापिता द्वारा पालन-पोषण—भारतवर्ष म अधिकांश मातापिता प्रायः पालन पोषण क विधाम म अनभिन्न है और उनका प्रायः म हाल व कारण यह प्रायः जीवन रति-निगम म नही हा पाता । घन उनकी लापरवाही म बच्चे रोग-ग्रस्त हाता है अपनी जीवन-याता मरणा कर दता है ।

(३) अस्वच्छ वातावरण और दाइया क मर टण—प्रभुति-रुग्नी अस्वच्छता वाता का प्रायः म एव उनका मर टण प्रायः क कारण वस्तु म प्रायः मरणा करत हा मरणा हा जात है ।

(४) निधनता (Poverty)—जत मायाकरण का दरिद्रता क कारण बच्चा क पालन-पोषण साधन-धान तथा चिकित्सा प्रायः का व्यवस्था नही हा पाता । अतः व मरणा हाता ही मर जात है ।

(५) मातापिता का पालन-पोषण क निगम उचित अवकाश उप्राप्य—जमा म मरणा क निगम मातापिता का कारखाना म अति भर काय वस्तु पढता है अतिक कारण उह बच्चा का दण रत करत का विज्ञान मरणा नही मिलता । अतः अनिर्दिष्ट प्रमव-मरणा क पहन और वाता म उह विज्ञान नही मिलत क कारण बच्चा के स्वास्थ्य पर बरा मरणा पढता है ।

(६) अग्रिम प्रायः मादक वस्तु का प्रयोग—प्रायः व मातापिता का घर का काम-धंधा अधिक करना पढता है । इसलिए क बच्चा म शुभकारा प्रायः क निगम उह अग्रिम विधा कर दता है ता म विज्ञान नही मिलत क कारण बच्चा के स्वास्थ्य पर बरा मरणा पढता है ।



भारत में स्त्री और बाल मृत्यु सख्या को कम करने के उपाय (Remedie-)

(१) विवाह सम्बन्धी शरदा लक्ष्मी को मरणो में काम में लाना और विवाह को प्रायु बढ़ाना अति आवश्यक है ।

(२) प्रसूति श्रद्धों की स्थापना और शिक्षित दादियों की सेवाएँ तथा माधारण विविध सम्बन्धी सुविधाएँ सर्व साधारण को उपलब्ध होनी चाहिए ।

(३) स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों, भ्रतान-निग्रह के कृत्रिम ढंगों और निधु पारत पोषण के नियमों की जानकारी जन साधारण को कराना लाभदायक सिद्ध होगा ।

(४) बच्चों के लिए घसीम आदि मादक द्रव्यों के प्रयोग का निषेध होना चाहिए ।

(५) लकड़ों और औद्योगिक केन्द्रों में मशीन व स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए । गाँवों में भी रक्छ पीने के जल आदि की व्यवस्था होनी चाहिए ।

(६) कुनैन आदि औषधियों पर नि.गुण्य वितरण और अनिवार्य टिका लगाने को धनरक्षा वाञ्छनीय है ।

(७) लोमा के जीवन स्तर को ऊँचा उठाना चाहिए ।

(८) दरिद्रता को दूर करने वाले समस्त उपायों का सरकार द्वारा प्रयोग तिष्ठान्त आवश्यक है ।

भारत में औसत जीवन काल ( Average Life in India )—उपयुक्त प्रविष्टत दत्तात्रा में भारतीयों का औसत आयु होना स्वाभाविक है । अल्प आयु देश की आर्थिक अवगत का एक मुख्य कारण है । भारतवर्ष में मनुष्य का औसत जीवन-काल केवल २७ वर्ष का ही है जबकि न्यूजीलैंड के मनुष्यों का ७० वर्ष मनुष्य राज्य अमेरिका

देश	औसत जीवन काल
न्यूजीलैंड	७० वर्ष
म० रा० अमेरिका	६५ "
ब्रिटेन	६२ "
जर्मनी	६२ "
फ्रान्स	५७ "
जापान	४७ "
भारत	२७ "

का ६५ और इंग्लैंड का ६२ वर्ष है । तुलनात्मक दृष्टि में औसत जीवन काल का अध्ययन नीचे दिये गये चित्र द्वारा भली-भाँति हो सकता है । जीवन-काल का विषय हमारे लिये बड़ा महत्व रखता है । यदि हमारे औसत आयु चढ़ जाय तो हम अधिक कार्य तक जीवित रह कर काम कर पावेंगे जिसमें देश का अधिक भला हो सकेगा—

(०) यूरोप के देशों की अपेक्षा भारतवर्ष में जनसंख्या का घनत्व (Density) बहुत कम है, इसलिए यहाँ प्रति जनसंख्या होना नहीं कहा जा सकता। परन्तु इनकी कम जनसंख्या का घनत्व भी यहाँ की आर्थिक पिछड़ी हुई अवस्था में भार स्वल्प है।

(३) प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना प्रति जनसंख्या की समस्या को घुटा नहीं करता है। लेकिन जो कुछ आय में वृद्धि हुई है वह नहीं के बराबर है।

अति-जनसंख्या के पक्ष की बातें

(१) मानव्यम का जनसंख्या का निदान भारतवर्ष में पूर्णतया लासू होता है। यहाँ विवाह की प्रतिबन्धना, मलति-निग्रह के निवारक या वृद्धिम उत्पादों का अभाव उत्पत्ति-हानि निवृत्त को रोकने की अन्तर्मर्त्या हस्तित, भूकम्प आदि का प्रकोप औद्योगिक पिछड़ी हुई अवस्था के कारण मानव्यम का निदान विरहित अर्थात् निद्र हो रहा है। अतः इस आधार पर भारत में प्रति जनसंख्या कहना अनुचित नहीं होगा।

(२) सर्वोत्तम उपभोग के निदानानुसार भी प्रति-जनसंख्या का होना निद्र होता है। जनसंख्या देश के आर्थिक शक्तियों के विकास में कहीं अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है।

(३) उपभोग होने वाली साध सामग्री द्वारा भी प्रति-जनसंख्या निद्र होती है। श्री पी० वें० वाटल के अनुसार जनसंख्या १ प्रतिशत बढ़ी है जबकि साध पदार्थों के उत्पादन में केवल ०-६१ प्रतिशत ही वृद्धि हुई है। देश के विभाजन के कारण साध पदार्थों में और भी स्थाना अन्तर्गत है। अतः, बड़ी मात्रा में विदेशों में साध पदार्थों की मांग पटना है।

(४) खेती का छोटे-छोटे टुकड़ों में बँटा हुआ होना, भूमि-रहित श्रमिकों की संख्या की वृद्धि आदि कारणों से अत्यन्त प्रमाणात् भारत में प्रति-जनसंख्या का हानि निद्र करने हैं।

अति-जनसंख्या की समस्या को सरल करने के उपाय

(१) बाल्य शासनात्मक रीति-रिवाजों में सुधार कर विवाह की आयु को बढ़ाना आवश्यक है।

(२) मलति-निग्रह के वृद्धिम उत्पादों के प्रयोग के लिए प्रोत्साहन देना चाहिए। परिवार योजना (Family Planning) का प्रचार किया जाय।

(३) शिक्षा का प्रसार प्रति आवश्यक है।

(४) आर्थिक मानव्यम का विकास—वृद्धि, उद्योग धन्दा और आनादान व मजदूरी के माध्या की उत्पत्ति होना परम आवश्यक है। यही दरिद्रता-नाशक अथवा मोक्ष है।

(५) पत्नी आवासी वाले लोग कम आवासी वाले भाग में जाकर बस सकते हैं।

(६) भारत में अति वस्तुओं का उत्पादन आवश्यकता में अधिक है (जैसे चाय, अन्न आदि), उन्हें विदेशों को निर्यात कर उनके बदले में मजदूरी न लेकर साध पदार्थ प्राप्त किए जायें।

(७) अन्नबन्दी अर्थात् छोटे-छोटे खेतों की मिलाकर बड़े खेत बनाने की योजनाओं को प्रोत्साहन देने से वृद्धि की उत्पत्ति हो सकती है।

(द) कुटीर व्यवसायों का पुनरुत्थान भी एक आवश्यक आर्थिक सुधार है। विशेषतया देहात में उपयुक्त कुटीर व्यवसायों की स्थापना होनी चाहिये।

(६) प्रान्तीयता एवं जातीयता की भावना को समूल नष्ट किया जाय।

(१०) नगरो की प्रशिक्षण-मादा को उन्नति का पूरा ध्यान रखा जाय।

जनसंख्या और योजना—द्वितीय योजना में परिवार नियोजन ( Family Planning ) के लिये रले गये ४-६७ करोड़ रुपये में से ४ करोड़ रुपये केन्द्र के लिये तथा ६७ लाख रुपये राज्या के लिये निर्धारित किये गये हैं। इसी योजना काल में २,००० उपचारालय ग्रामोप क्षेत्रों में तथा ५०० उपचारालय शहरी क्षेत्रों में खोल जायेंगे। सन् १९५६ में १९६० तक ३१३ शहरी तथा ६६५ ग्रामीण उपचारालय स्थापित किये जा चुके हैं। परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम तैयार करने के लिये केन्द्र में एक 'उच्चाधिकार परिषद' नियोजन मण्डल स्थापित किया गया है। जनता को पुस्तिकाओं, प्रदर्शिनियां तथा चलचित्रों की सहायता में परिवार नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम से अवगत कराया जा रहा है।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इण्टर ग्रार्दम परीक्षाएँ

- १—जनसंख्या के घनत्व का अर्थ समझाइए। भारतवर्ष के भिन्न भिन्न भागों में यह भिन्न भिन्न क्या है? कारण लिखिये। (प्र० बा० १९५७ ५५, उ० प्र० १९५५ ५२)
- २—भारत की वर्तमान जनसंख्या क्या है? क्या भारत में जनसंख्या का आधिक्य है? कारण सहित लिखिये। (सागर १९५६)
- ३—भारतीय जनसंख्या की वृद्धि को रोकने के लिये किन उपायों की निवारणें करेंगी? ग्रामीण लोग आपके सुझावों को कितना ग्रहण कर सकते हैं?
- ४—भारत में बहुत अधिक और बहुत कम घनी आबादियाँ के उदाहरण पाये जाते हैं। जनसंख्या के घनत्व के ऐसे बड़े अंतरों के कारणों को समझाइये। क्या सामाजिक इस विचार से आप सहमत हैं कि भारत में जनसंख्या अत्यधिक है? अपने उत्तर के प्रमाण भी दीजिये। (प्र० बा० १९५६)
- ५—भारत के विभिन्न भागों में जनसंख्या का घनत्व भिन्न होने के मुख्य कारण क्या हैं? देश के विभाजन का इस पर क्या प्रभाव पड़ा है। (उ० प्र० १९५४)
- ६—भारत में विशेषतया शैक्षणिक केन्द्रों में बाल मृत्यु के क्या कारण हैं? इन दोषों को कम करने के उपाय क्या-क्या हैं? (उ० प्र० १९४४)
- ७—जनसंख्या का घनत्व से आप क्या समझते हैं? वे क्या तथ्य हैं जिनमें जनसंख्या का घनत्व प्रभावित होता है? उदाहरण सहित उत्तर दीजिए। (प्र० बा० १९५५, ५३, ५६, ५१)
- ८—विभिन्न देशों में जनसंख्या में वृद्धि के आर्थिक परिणामों का वर्णन कीजिए। (रा० बा० १९५३)
- ९—भारतीय जनसंख्या के घनत्व सम्बन्धी प्रमुख लक्षणों का उल्लेख कीजिए। क्या आप इन सामान्य मत से सहमत हैं कि भारत में अनाधिक्य है? स्पष्ट कीजिए। (दिल्ली हा० में १९५१)

### श्रम की कार्यकुशलता का अर्थ

श्रम की कार्यकुशलता का अर्थ उसकी उत्पादन-शक्ति में है। कार्यकुशलता का सम्बन्ध श्रमजीवी के उग गुण में है जिसमें भाग वह एक निश्चित अवधि में भावर अधिक कार्य भली प्रकार सम्पन्न कर सकता है। किसी भी श्रमजीवी की मायता की प्रतीक्षा इन दो बातों में की जा सकती है—(क) उत्पादन की मात्रा व किस्म, और (ख) उत्पादन का समय। श्रम की कार्यकुशलता एक सापेक्षिक पद (Relative Term) है और इसका अर्थानुसार अर्थ में ही जाना है। उदाहरण के लिए, यदि कोई एक श्रमिक निश्चित समय में अधिक उत्पादन करे या दूसरा में बहुत कार्य समाप्त कर देने प्रयत्न उसका उत्पादन अक्षर हो, तो वह दूसरा की प्रतीक्षा अधिक कार्यकुशल कहा जाता है। दो श्रमजीवियों की कार्यकुशलता की तुलना के लिए यह आवश्यक है कि उन दोनों के पास एक-दूसरे सामग्री, एक-दूसरे यंत्र और एक ही कार्य-व्यवस्था हो। अन्य बातें समान हान पर, श्रमजीवियों की कार्यकुशलता का निर्णय उम अन्तर में कर सकते हैं जो एक निश्चित समय में भावर उनकी उत्पादन की मात्रा और किस्म में पाया जाता है।

यह तो सभी जानते हैं कि सब श्रमजीवियों की कार्यकुशलता समान नहीं होती—किसी में कम और किसी में अधिक। एक ही काम में एक-दूसरे दस में काम करने वाला में से प्रत्येक का उत्पादन भिन्न भिन्न होता है। इसका कारण यही है कि श्रमजीवियों की उत्पादन-शक्ति अलग अलग है। किसी भी देश के उत्पादन के परिमाण और किस्म पर वहाँ के श्रमजीवियों की कार्यकुशलता का बड़ा प्रभाव पड़ता है। अतएव यहाँ हम कार्यकुशलता को प्रभावित करने वाली बातों का अध्ययन करेंगे।

कार्यकुशलता निर्णय करने वाली बातें

#### (Factors Determining Efficiency)

वैसे तो श्रमजीवियों की कार्यकुशलता पर प्रभाव डालने वाली अनेक बातें हैं, परन्तु अध्ययन की सुगमता की दृष्टि में उन्हें निम्नलिखित में बाँटा जा सकता है—

- (प्र) श्रमिकों की कार्य करने की योग्यता और इच्छा को प्रभावित करने वाली बातें।
- (प्रा) व्यवस्थापक की व्यवस्था करने की योग्यता को प्रभावित करने वाली बातें।

## (घ) श्रमिकों की कार्य करने की योग्यता और इच्छा

श्रम की दक्षता श्रमिकों को कार्य करने की योग्यता और इच्छा पर निर्भर है। यदि किसी व्यक्ति में काम करने की योग्यता तो ही पर इच्छा न हो घबरा इच्छा तो ही पर योग्यता न हो तो वह व्यक्ति कार्यकुशल नहीं हो सकता। अतः, हम नीचे उन्हीं बातों का वर्णन करेंगे जो इन दोनों को प्रभावित करता है।

१. जातीय एवं वैश्विक गुण (Racial & Hereditary Characteristics)—श्रमिक अपने माता पिता और अपने जाति से कुछ गुणों को प्राप्त करता है। इन गुणों का उसकी कार्यक्षमता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यहाँ कारण है कि इंग्लैंड और नार्वे के मत्स्यह स्विट्जरलैंड के घड़ी बनाने वाले और इटली के कलाकार आज तक भी समार में प्रसिद्ध हैं। भारत में जाति प्रथा द्वारा इन जातीय एवं वैश्विक गुणों का रक्षा होती है। जैसे—मराठों का ज्ञानोपार्जन में रुचि देनी जाती है, क्षत्रिय में बुद्ध प्रवृत्ति प्रचलित होती है वैसे ही प्रायः व्यापार में सलग्न रह कर अपनी परम्परा का कायम रखता है। इसी प्रकार पंजाबी श्रमिक बंगाली श्रमिक से श्रेष्ठतर होता है।

२. प्राकृतिक दशाएँ तथा जलवायु (Physical Conditions & Climate)—प्राकृतिक दशाएँ और जलवायु का कार्य-शुश्रूषा पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत ठण्ड और बहुत गर्म जलवायु में अधिक देर तक काम नहीं हो सकता है। सम-शीतोष्ण जलवायु कार्य-शुश्रूषा को बढ़ाती है। यही कारण है कि इंग्लैंड में श्रमिक भारतीय श्रमिक की प्रवृत्ति श्रमिक कार्य-निष्ठा होता है। इसी प्रकार हमारे देश में भी पंजाबी श्रमिक बंगाली श्रमिक से अधिक कार्यक्षमता रखता है। तराई प्रदेशों में मलेरिया प्रधान जलवायु होने से वहाँ के श्रमिकों में दक्षता की प्रभावित दशा जाता है।

३. जीवन स्तर (Standard of Living)—एक श्रमिक का मनुष्य प्रकार काम करने के लिये उपयुक्त और स्वास्थ्यप्रद भोजन, उचित कप, हवादार और स्वच्छ भवन, चिकित्सा और विश्राम सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध होना आवश्यक है। इन वस्तुओं का प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होना ही ऊँचा जीवन-स्तर कहलाता है। उच्च जीवन-स्तर कार्यक्षमता में वृद्धि करता है। इससे विपरीत इन वस्तुओं का अभाव में जीवन स्तर गिर जाता है जिसके फलस्वरूप मनुष्य उत्तम स्वास्थ्य रखने में असमर्थ हो जाता है और जीवन-साधना सम्बन्धी अनेक कठिनाइयाँ व चिन्नायाँ मस्त होकर अपने कार्यक्षमता को रूँठता है।

४. सामान्य बुद्धि (General Intelligence)—सामान्य बुद्धि वैश्विक भी होती है तथा प्रात भी। वैश्विक बुद्धि माता पिता और जाति पर निर्भर होती है। प्रात-बुद्धि शिक्षा तथा माता पिताओं के प्रभाव का परिणाम है। एक अमेरिकन श्रमिक का एक ओरिन्ट भारतीय श्रमिक के विचार में अधिक स्पष्ट और निश्चय में अधिक दृढ़ हाना साधारण बुद्धि के महत्त्व को सिद्ध करता है।

५. शिक्षा (Education)—शिक्षा में मनुष्य को मानसिक शक्तियाँ का विकसित होती है, जिसमें उसके 'सिखाएँ' की 'सक्षमताएँ' और 'होकर' 'नियत-प्रकार' 'रखता' है। प्रशिक्षित श्रमिकों की प्रवृत्ति शिक्षित श्रमिक अपने कृतव्या और उत्तरदायित्व का भली प्रकार समझ सकता है। यह तो हमारा साधारण शिक्षा (General Education)

का कार्य। हमने प्रतिरिक्त कार्यक्षमता के लिये थोड़ी-रहने प्रौद्योगिक या तांत्रिक शिक्षा (Technical Education) भी आवश्यक है। तांत्रिक शिक्षा के द्वारा कार्य करने का नया मोल्यो जानी है। इस शिक्षा में मंदान्तर और व्यावहारिक रूप में किसी कार्य को सम्पन्न करने का ऐसा ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वह कार्य भौतिक प्रसार कम से कम समय और लागत में किया जा सके। अन्तु कार्यक्षमता के लिये तांत्रिक शिक्षा भी आवश्यक है। इंग्लैण्ड कई प्रगतिशील दलों में प्रौद्योगिक शिक्षा कि गुप्त धोर प्रतिवर्ष बना दी गई है और प्रौद्योगिक शिक्षा के लिये कई मुक्तिभागे उपलब्ध है। परन्तु प्रभावी ढंग ह्यार इस में धाना ही वाला का प्रभाव है।

६. नैतिक गुण (Moral Qualities)—कार्यक्षमता पर श्रमिक के नैतिक गुणों का भी बड़ा प्रभाव पड़ता है। एक बल-निष्ठ तथा ईमानदार श्रमिक अपना कार्य सचार्थ, परिश्रम तथा हृदय में रखेगा चाहे उसका कार्य की दम देय के लिये निरोधक उपस्थित हो या नही। परन्तु इसमें विपरीत एक कामचोर श्रमिक हर समय काम में ली चुगल और गमय के दुष्प्रयोग करने का प्रयत्न करेगा। चरित्रहीन मनुष्य में कार्य कुशलता प्रवर्धन कम होगी।

७. कार्य करने की स्वतन्त्रता (Freedom)—कार्य करने की स्वतन्त्रता में कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। किसी से कोई कार्य दलपूर्वक प्रथम बद निरोधक में बनाय जान से कार्यक्षमता में ह्रास होता स्वाभाविक है। मनुष्य स्वभाव में स्वतन्त्रता-प्रिय है, अन्तु दासतापूर्वक कार्य बंधावित कार्यकुशलता नहीं बढ़ा सकेगा।

८. आशा और परिश्रम (Hopefulness & Change)—जिस कार्य में भविष्य में उन्नति की आशा नहीं होती है वह प्रायः निष्फल पूर्ण हो किया जाता है। काम में विराप गये पदाकर्ण के लिये कार्य एसी आशापुत्र बाल हो जिसमें श्रमिक कार्य में कुशलतापूर्वक मनन न करे। सुरक्षी, पुत्र, लाभ विभाजन (Profit-sharing) आदि योजनाएँ इस मन्तु की आवश्यकता की पुष्टि करती है। इससे प्रतिरिक्त कार्य में परिश्रम होता आ प्रति आदर्श है। आशने की निरन्तर एक हो प्रसार का कार्य करने रहने में उस कार्य में श्रमिक होता स्वाभाविक है। अन्तु कार्य में उपयुक्त रोनि में कभी-कभी मुरापूर्ण परिश्रम कर देने में नीरमता दर हीन कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाती है।

९. पारिश्रमिक की पर्याप्तता, समीपता और प्रत्यक्षता (Sufficiency, Nearness and Directness of Reward)—श्रमिक को पर्याप्त पारिश्रमिक मिलना चाहिये जिसमें वह उच्च जीवन स्तर रखकर अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सके। इसके प्रतिरिक्त श्रमिक का पारितोषिक प्रत्यक्ष रूप में निवृत्त भविष्य में मिलने में कार्यक्षमता बनी रहती है।

१०. काम करने की दशाय (Working Conditions)—जिस स्थान पर श्रमिक काम करता है वहाँ के वातावरण का, उसकी कार्यकुशलता पर बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि कारखानों में स्वच्छ वायु, जल, प्रकाश आदि स्वास्थ्यवर्धन बाता का उचित प्रयत्न है, तो श्रमिकों का कार्यकुशलता प्रवर्धन बढ़ी हुई होगी। स्वास्थ्य-जनक मुक्तिभागे श्रमिक की योग्यता पर उत्तम प्रभाव डालते हैं।

११. कार्य अवधि (Duration of Work)—यह मनुष्य-शक्ति बात है कि काम करने के पछा की कुछ सीमा तक पढ़ा देने से श्रमिक की कार्यक्षमता

वृद्ध जाती है। अत्यधिक समय तक काम करने का श्रमिक के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है जिसमें उसकी कार्य-शक्ति कम हो जाती है। उचित समय विभाग से भी कार्य-शक्ति कम होती है। यदि काम करने के माय-माय योग्य समय विश्राम तथा पाने-पीने के लिये मिनट जाय तो श्रमिक की शक्ति दूर होकर पुनः काम करने के लिये नवीन उत्साह और शक्ति का संचार हो जाता है।

१७ सामाजिक एवं राजनैतिक दशाय (Social & Political Conditions) — देश की सामाजिक एवं राजनैतिक दशाया का श्रमिक की दक्षता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिस देश में अज्ञान वातावरण है, जहाँ जन-घन की सुरक्षा का अभाव है अथवा जहाँ के पूँजीपतियों और श्रमिकों के मध्य संबंध बुरा रहा हो, वहाँ के श्रमिकों का कार्य-बुद्धि घटी हुई मिलना स्वाभाविक होगा।

१८ सामाजिक प्रथाएँ (Social Customs) — देश की सामाजिक प्रथाएँ भी कार्य-बुद्धि पर प्रभाव डालने बिना नही रहती। हमारे देश में बग़ावत-संस्था के कारण मनुष्य अधिकतर अपना कार्य शक्ति के अनुसार नही चुन सकता। शक्ति ही या नही उस शीघ्र हीकर अपने काम के अनुकूल हो कार्य करना पड़ता है। जिसमें कार्य-कुशलता में ह्रास होने का स्वाभाविक है। इसके अतिरिक्त यहाँ मनुष्य-परिवार प्रणाली के प्रचलन से कार्य-क्षमता को कोई प्राप्ति नहीं मिलती। परंतु प्रसन्नता की बात तो यह है कि अब ये दोनों ही व्यवस्थाएँ गिथित होनी जा रही है।

१९ सामग्री की उत्कृष्टता (Best Material & Equipment) श्रमिक का कार्य-कुशलता कुछ अंश तक इस बात पर भी निर्भर है कि वह किस दंग की मशीनों और बच्चों मान की सहायता में काम करना है। जिनकी उत्तम काम करने की सामग्री उस मिलगी, उतनी श्रमिक उसका कार्य-क्षमता में वृद्धि होगी।

२० श्रमिकों का संगठन (Labour Organisation) — श्रमिक नथ (Trade Union) जैसी श्रमिकों की संगठित संस्थाओं द्वारा उन्हें उचित परिस्थितिक शिक्षा दीक्षा और सुधारों की सहायता प्राप्त हो जाती है जिसमें उनकी कार्य-क्षमता में वृद्धि होती है। हमारे देश में कई कारणों से अशरी इस प्रकार की संस्थाएँ पूरा रूप से संगठित नही हो पाई हैं।

(आ) व्यवस्थापकों की व्यवस्था करने की योग्यता को प्रभावित करनेवाली बात श्रमिकों की कार्य-कुशलता बढ़ाने वाली सभी बात उपस्थित होने पर भी बिना एक शीघ्र व्यवस्थापकों के उसकी कार्य-कुशलता में वृद्धि नही हो सकती। यदि कार्य-कुशलता का नियमपूर्वक विभाजन किया जाय प्रत्येक श्रमिकों की उत्कृष्ट योग्यता के अनुसार काम दिया जाय और उपयुक्त माशिनो का उपयोग किया जाय तो कार्य-क्षमता में वृद्धि दृष्टा-विरहित है। एक योग्य व चतुर व्यवस्थापक यह है जो श्रमिकों को मनुष्य-रूप में उनमें विश्वास और काम करने की लक्ष्मी उत्पन्न कर सके।

भारतीय श्रमिकों की कार्य-कुशलता

(Efficiency of Indian Labour)

साधारणतया यही कहा जाता है कि भारतीय श्रमिक अक्षय एवं अनुकूल न। इंग्लैंड प्रादि देशों के श्रमिकों की कार्य-क्षमता की तुलना भारतवर्ष के श्रमिकों से करने के कितने ही प्रयत्न किये गये हैं। कहा जाता है कि एक जापानी श्रमिक २४० तकिया (Spindles) को दक्ष रख करता है अङ्गरेज श्रमिक ५४० में ६०० की,

वर्षक वस्तुओं उभय कम मित्य सकता है। अल्प उद्यम गर रिज, मानविक एवं नैतिक कर्मियों प्राणा स्वाभाविक है। ऐसा दंगा में कायगमता में क्या हुआ का आ व्य जनक बात कह है अन्तु उनकी निधनता दूर कर उनका जीवन स्तर का उचा करने का उपाय साधना चाहिए।

(२) निरक्षरता अज्ञानता और हल्किवादिता (Illiteracy Ignorance & Conservatism)—अधिकांश भारतीय श्रमिक अनिपिन और मूख हैं। शिक्षा न मिलने में वे बहुतर अर्ध शिक्षा भाष्यवाद और साहसवाद हो गये हैं। उन सब दंगा में श्रमिक की घटती जाती है। प्रायः मंगल न रह कायकृपाता का प्रवाहित करने वाली महत्त्वपूर्ण बात कहा है। अतः शिक्षा प्रसार ही इन सबका प्रयुक्त उपाय है।

(३) शारीरिक दुबलता (Poor Physique)—भारतीय श्रमिक का जीवन-स्तर इतना गिरा हुआ है कि न पूरा भरपूर भोजन व पर्याप्त वस्तु उपलब्ध नहीं है। ऐसी दंगा में उसका स्वास्थ्य त्रिस्त जाता है और उत्तम शारीरिक शक्ति हानि हो जाती है। अतः वह अधिक समय तक निरक्षर कर्मिणी पौरज करने के लिए अपने आपका समय पाता है। जीवन-स्तर का ऊचा उठाकर हम प्रचार का कर्मियों को दूर किया जा सकता है।

(४) मजदूरी का दुदंगा (Wretched Housing Condition)—बड़े बड़े औद्योगिक नगरों में जंगल घना आवाग है कि श्रमिकों को रहने के लिए पर्याप्त, स्वच्छ तथा हवादार मकान नहीं मिलते। जरा साधिय अंधरा बना घरों वाली मातृ-काठोरिया में रहने का भारतीय श्रमिक कम अपनी काय-कृपाता स्विकर रख सकते हैं। कतिपय विचारण न मिल-भाषिका न होगा सम्भव म वृद्ध यवस्था का है परंतु बहु त्रिस्त मीनित है।

(५) मद्यपान का दुप्रभाव (Evil Effects of Drinks)—श्रमिकों में मद्यपान का प्रायः रिवाज है। मद्यपान भारतीय श्रमिक के लिए क्या दर के लिए विनाश हानि का एकमात्र साधन है। मद्यपान के अत्यंत साधन उभय उपलब्ध नहीं है। ऐसा अवस्था में वे विषम शक्ति गति गति मद्यपान द्वारा घबरे गयी, शक्ति और धन का नष्ट कर बटना है। अतः अत्यंत मद्यपान के साधन उपलब्ध कर उनको मद्यपान का घन छाना चाहिए।

(६) काम करने का दंगा (Working Conditions)—भारतीय कार्यवाता की दंगा जहाँ श्रमिकों का काय-मजदूरी रह है। मजदूरजनक नहीं है। कायकृपाता का स्वर रहने के लिए स्वच्छ जल वायु विश्राम शक्ति का ध्वज आवश्यक है।

(७) उत्तम कच्चे माल और मंगाना का अभाव (Lack of Best Raw Material & Machinery)—भारतीय श्रमिक का घटती का मध्य कारण यह भी है कि जिस कच्चे माल का श्रमिक कार्यवाता में उपयोग करने है वह घटती नहीं है। उभय मुधारण में दण्ड मा समय नष्ट हो जाता है। इस प्रकार जो मूल और मजदूर अर्थात् श्रमिकों का काम करने के लिए हो जाती है व भा घट उभ की मजदूरी है। हमने श्रमिकों का उत्पादन शक्ति और भागिर जाता है। अतः भारतीय श्रमिकों का कायकृपाता उभय के लिए उत्तम मंगाना और कच्चे माल का प्रयोग वाञ्छनीय है।



(८) अनुत्कृष्ट व्यवस्था (Inferior Organisation)—भारतीय कारखानों का प्रबंध और व्यवस्था भी नतीपजनक नहीं है, इस में अच्छे व्यवस्थापकों का अभाव होने के कारण धर्म-शक्ति का उचित उपयोग नहीं हो पाता। इसलिए यह आवश्यक है कि होनहार भारतीय नवयुवकों का विदेश में इस कार्य की शिक्षा के लिए भेजा जाए।

(९) गर्म जलवायु (Hot Climate)—इस देश के गर्म जलवायु का धर्मिक के नैतिक और नैतिक पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्म जलवायु में अधिक समय तक कार्य कुशलतापूर्वक नहीं किया जा सकता। निम्नो के पत्रा और नमीकरण यंत्रों (Humidifiers) प्रादि कृत्रिम माधन द्वारा कुछ धर्म तक बाल्नाई दूर की जा सकती है।

(१०) काम के घंटे (Working Hours)—यदि जलवायु में बड़ी देर तक काम करने रहने से कुशलता में ह्रास होता स्वाभाविक है। भारतीय कारखानों में कानूनों द्वारा काम करने के घंटे प्रत्येक कम कर दिये गये हैं किन्तु ऐसे गर्म जलवायु की शर्तों में व और भी कम होने चाहिए। वर्तमान समय में मजदूरों को केवल कारखानों में ४८ घंटों का मसाला और मोसमी कारखानों में ४४ घंटों का है। परन्तु यह कानून कई छोटे कारखानों में लागू नहीं होता है।

(११) स्वतन्त्रता और आशा का अभाव (Lack of Freedom & Hopefulness)—परधोमता का भी कार्यक्षमता पर विशेष प्रभाव पड़ता है। बड़े निरोधक और आशा के अभाव में धर्मिक की कार्यक्षमता में कमी हुआ स्वाभाविक है।

(१२) शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का अभाव (Lack of Educational Facilities)—भारतवर्ष में माध्यम एवं प्रौद्योगिक शिक्षा की सुविधाओं का अभाव है। अन्य प्रगतिशील देशों की भाँति यहाँ पर भी न केवल कम प्रायोगिक शिक्षा ही अतिव्यय होना ही चाहिए। इसके अनिर्दिष्ट अधिनायिक शिक्षा संस्थानों के अतिरिक्त प्रयोगिक अथवा तांत्रिक (Technical) शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ सुगम एवं सुलभ करना चाहिये। माध्यम शिक्षा धर्मिक वा मानसिक-विकास करनी है और तांत्रिक या प्रयोगिक शिक्षा में व्यावहारिक अज्ञानता दूर करके कार्य-विवान क्षमता की वृद्धि होती है।

गतिशीलता

(१३) पर्यटनशीलता (Migratory Character)—भारतीय धर्मिक केवल कारखानों पर ही निर्भर नहीं रहते। वे कारखानों में नयी काम करना ही जान लेते पर कोई काम नहीं होता और जब शिक्षा पर काम होता है तब व कारखानों का काम छोड़कर बाधक चल जाते हैं। अतः उनका कारखानों में सम्बन्धी सम्बन्ध होता है। ऐसी अवस्था में सतर्क दक्षता से न्यूनता आना स्वाभाविक है। प्रौद्योगिक केन्द्रों में धर्मिकों को न्यायोरूप में रहने का प्रावधान देने में लक्ष्य सहित जीवन में सुधार कर उसे आकर्षक बनाना चाहिए।

(१४) ऋण-ग्रस्तता (Indebtedness)—अधिकतर भारतीय धर्मिक ऋण-ग्रस्त होते हैं अतः कुशलता वृद्धि के प्रयत्न व लिये व प्रायः उदासीन हो रहते हैं। ऋण प्रगति में बाधक सिद्ध होता है। अतः धर्मिकों को शोचनीय ऋण-मुक्त किया जाना और गृहकार्य आन्दोलन द्वारा उन्हें मिहन्मयता का पाठ पढ़ाया जाय।

(आ) शिल्पकारों की अकुशलता के कारण (Causes of Inefficiency of Artisans)

(१) उचित व्यवस्था का अभाव (Lack of Proper Organisation)

(२) पुराने ढंग (Old Methods of Production)

(३) आधुनिक यन्त्रों व उपकरणों का अभाव (Lack of Upto date Machinery & Tools)

(४) सस्ती प्रेरक शक्ति का अभाव (Lack of Cheap Motive Power)

(५) सस्ती पूँजी की कमी और ऋण अवस्था (Inavailability of Cheap Capital & Indebtedness)

(६) निरक्षरता अनविज्ञता और अज्ञानता (Illiteracy Ignorance Conservatism)

(७) मार्केटिंग सुविधाओं का अभाव (Lack of Marketing Facilities)

उपाय (Remedies)—शिल्पकारों के व्यवसाय की सुव्यवस्था, उत्पादन के आधुनिक ढंग को अपनाते आधुनिक यंत्रों का उपयोग सस्ती प्रेरक शक्ति की व्यवस्था साधारण और तांत्रिक शिक्षा का प्रवर्धन, सस्ती पूँजी व लिये सहकारी साख्त समितियाँ (Cooperative Credit Societies) का प्रसार और मार्केटिंग व्यवस्था के निम्न सहकारी प्रयत्न समितियाँ (Cooperative Purchase & Sale Society) की व्यवस्था द्वारा ही शिल्पकारों की नापशुद्धता दूर की जा सकती है।

(इ) कृषि श्रमिकों की अकुशलता के कारण (Causes of Inefficiency of Agricultural Labour) —यह जानकर बड़ा दुःख होता है कि भारतीय कृषि श्रमिकों की दशा भी अत्यन्त शोचनीय है। इसके निम्नलिखित कारण हैं —

(१) खेतों का उप विभाजन (Fragmentation of Holdings)

(२) कृषकों की ऋण अवस्था (Indebtedness of Cultivators)

(३) कुटीर व्यवसायों का पतन (Decline of Cottage Industries)

(४) अत्यधिक भू भार (Ever Increasing Pressure on Land)

(५) कृषि श्रमिकों में प्रतिस्पर्धा (Competition among Agricultural Labourers)

(६) निरक्षरता (Illiteracy)

(७) आशा, परिवर्तन और ह्य का अभाव (No Hopefulness, Change & Cheer)

(८) काम करने का लम्बी अवधि (Long Hours of work)

उपाय (Remedies) —परवन्ती अथवा छोट छोट खेतों को मिठाकर बड़ खेत बनाना (Consolidation of Holdings) सहकारी आधार पर कृषि श्रमिकों का संगठन (Organisation of Agricultural Labourers on Cooperative Basis), प्रवास (Emigration), शिक्षा प्रसार आदि।

पञ्जाबी श्रमिक और उत्तर प्रदेशीय श्रमिक की कार्य-कुशलता की तुलना

१. पञ्जाबी श्रमिक श्रापन जति का है और उत्तर प्रदेशीय श्रमिक श्रापनशादिकन जति का । धम्तु पञ्जाबी श्रमिक उत्तर प्रदेशीय श्रमिका को श्रापना श्रापिक बनिश्ट, तम्ब्या और बटिन पश्चिम करन वाला श्रापना है । जानीय शुण ते कारग्य पञ्जाबी श्रमिक उत्तर प्रदेशीय श्रमिक न श्रापिक कुशन श्रापना है ।

२. उत्तर प्रदेशीय श्रमिक पञ्जाबी श्रमिक उत्तर प्रदेशीय श्रमिका न श्रापिक कुशन हा गया है ।

३. पञ्जाबी श्रमिक श्रापनी श्राप का श्रापिकन भाग शरीरश्रापनी श्रापिकन धम्तुश्रापन पर ब्यय करना है और उत्तर प्रदेशीय श्रमिक श्रापिकन श्रापन श्रापनश्रापना पर ब्यय करती है जो श्रापिकन व तिन 'श्रापन श्रापिकन गहा हाती ।

### ग्रन्थामार्थ प्रश्न

दृष्टर श्रापन परीक्षा

- १—श्रम की क्षमता का क्या अर्थ है ? श्रम न श्रम की क्षमता बहान व तिन का कार्य करन श्रापिक उत्तरा विवेकन कीजिये । (उ० प्र० १२५५)
- २—श्रमश्रीक्षा की कुशलता तिन-तिन कारग्या पर निभर है ? समभादन । (उ० प्र० १२५२, ५०)
- ३—' भारतीय कारग्यान का श्रमिक श्रापिकन कारग्यान के श्रमिक न श्रम कार्य-कुशन है ।' क्या श्रापन इमय महमन है ? यदि है ना कारग्य दीजिये । (उ० प्र० १२५०)
- ४—' श्रम की कार्यक्षमता श्रापिक उत्पत्ति का विशय कारग्या है ।' भारतीय श्रमिक का श्रम कार्य-क्षमता व श्रापन मे श्रापन क्या बहता श्रापन है ? (म० भा० १२५७)
- ५—श्रम की कार्य-कुशलता पर तिन श्रापना का प्रभाप पडता है ? क्या भारतीय नजदूर कार्य-कुशल है । (म० भा० १२५५)
- ६—श्रम की कार्य-क्षमता का प्रभापित करन श्रापनी श्रापना को समभादन । भारतीय श्रम श्रापना व श्रापन न उत्तर दीजिये । (म० भा० १२५३, श्रा० वी० १२५८)
- ७—श्रम की कार्यक्षमता न श्रापन क्या समभन है ? तिन श्रापना पर श्रम की कुशलता निभर हाती है ? (श्रा० वी० १२६० ; श्रा० वी० १२५१, ८६)
- ८—उन श्रापन श्रापना का श्रापनपूर्वक विशयपणु कीजिये तिनका श्रम की कार्य-कुशलता पर प्रभाप पडता है । श्रापन श्रापिकन केन्द्रो न श्रापन श्रापन कहां तक पाई जाती है ? (म० वी० १२५३, ५१)
- ९—भारतीय श्रम मे क्षमता की क्या बयो है ? इमकी वृद्धि के श्रापन दीजिये । (श्रापन १२५६)
- १०—एन लेपिटर नजदूर को कार्यक्षमता को प्रभापित करने श्रापनी कीजिये श्रापन है ? उन श्रापना का परीक्षण कीजिये कार्यक्षमता बहान श्रापनी है । (श्रा० वी० १२५१)


श्रम की गतिशीलता  
(Mobility of Labour)

श्रम की गतिशीलता का अर्थ ( Meaning )—किसी श्रम की एक स्थान से दूसरे स्थान को, एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय को और एक वर्ग (Grade) से दूसरे वर्ग को जाने की योग्यता और तत्परता को श्रम की गतिशीलता कहते हैं ।

उत्पत्ति के समस्त साधनों में श्रम सभेवत, सबसे अधिक प्रगतिशील है, क्योंकि श्रमिक अपने कार्य और कार्य क्षेत्र में परिवर्तन यद्यो कठिनाई से करता है । श्रम श्रमिक का एक अंग है जो उससे पृथक नहीं किया जा सकता । अस्तु, आदम स्मिथ ने ठीक ही कहा है "सब प्रकार के सामानों में से मनुष्य का स्थानान्तरण प्रति दुष्कर है ।"

श्रम की गतिशीलता के भेद (Kinds of Mobility of Labour)—  
श्रम की गतिशीलता मुख्यतः तीन प्रकार की होती है :—

श्रम की गतिशीलता



१. भौगोलिक गतिशीलता ( Geographical Mobility )—श्रमिक का एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना 'भौगोलिक अथवा स्थान गतिशीलता' कहलाता है । इस प्रकार की गतिशीलता प्रायः संसार में सभी जगह पाई जाती है । भारतवर्ष में भी शिक्षा-प्रसार, यातायात व सम्वाद के साधनों की उन्नति, सामाजिक रीति-रिवाजों की विधिवता और समस्त देश में हिन्दी भाषा के प्रचार ने भौगोलिक गतिशीलता को सुगम बना दिया है ।

भौगोलिक गतिशीलता के प्रकार—भौगोलिक गतिशीलता दो प्रकार की होती है —

(क) अस्थायी गतिशीलता ( Temporary Mobility )—श्रम का अल्पकालीन स्थानान्तरण अस्थायी गतिशीलता कहलाता है । हमारे देश में ग्रामिण भौगोलिक गतिशीलता इसी प्रकार की होती है । यहाँना में जब खेतों पर काम नहीं होना है तब किसान मसौप के औद्योगिक नगरों में मजदूरी के लिये चले जाते हैं, और जब

1.—"Of all sorts of wuages man is the most difficult to be transported "

— Adam Smith.

वर्षा होने पर खेत पर काम करना बंद कर दिया जाता है तब वे बापस गाँव चले जाते हैं। गहूरा में काम करने के समय में भी समय-समय पर गाँव में जाते रहते हैं क्योंकि उनके कुटुम्बीय सदस्य वहाँ रहते हैं। ग्रामीण लोग केवल पारखाना में ही काम करने नहीं जाते बल्कि दूधगायों में चराने और घरा में नौकरा का भी काम करने के लिए जाते हैं। किसी सरकारी कारखाने का स्थानान्तरण होना भी श्रमियों की गतिशीलता है।

(स) स्थायी गतिशीलता (Permanent Mobility)—जब लोग अपने प्रांत या देश को छोड़कर स्थायी रूप में दूसरे स्थान में जा सकते हैं तो उनका स्थानान्तरण स्थायी गतिशीलता कहलाता है। इस देश में इसका अधिक महत्व नहीं है क्योंकि जब लोग स्थान का छोड़कर अन्य स्थान का जाते हैं तो अपने प्रांत या देश प्रथम में प्रतिक्रिया के लिए तैयार होकर वापस लौट आते हैं।

भौतिक गतिशीलता के कारण—भौतिक गतिशीलता कई कारणों से प्रेरित होती है जिनमें अधिक सामाजिक और राजनितिक प्रधान हैं।

(२) व्यावसायिक गतिशीलता (Occupational Mobility)—जब अधिक किसी कारणवश एक व्यवसाय या धंधे का छोड़कर दूसरे में प्रवेश करना है तो उनकी प्रिया व्यावसायिक गतिशीलता कहली जाती है।

व्यावसायिक गतिशीलता के कारण—व्यावसायिक गतिशीलता के कई कारण हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं—

(१) अधिक पारिश्रमिक—जिसे अधिक जानमान है जो अधिक अधिक पारिश्रमिक मिलने वाले धंधे या व्यवसाय की ओर आकर्षित होते हैं।

(२) काम के अनुभवता—काम का अनुभवता के कारण अधिक एक धंधे से दूसरे धंधे की ओर आकर्षित होते हैं।

(३) काम मायने में सुगमता व सुविधा—अधिक काम प्राप्त उस काम की ओर आकर्षित होत है जिनमें शीघ्रता में पर्याप्त सुगमता और सुविधा हो।

(४) नौकरों का स्थायित्व—अधिक प्रायः स्थायी काम की ओर अधिक आकर्षित है। श्रमियों या बाँट दिया तब खतम वाद काम को कम पसन्द करते हैं।

(५) नौकरों के सुरक्ष—जिन नौकरों या धंधे में सुरक्षा का अभाव होता है वह अधिकतर द्वारा काम पसन्द किया जाता है।

(६) अज्ञान और ईमानदारों वाले कार्य—जिन कार्य में नबाई और ईमानदारों की आवश्यकता होती है उनमें पर्याप्त पारिश्रमिक मिलता है। जिन मनुष्यों को अपने काम में गलत व अधान्तरी अभाव है वे लोग ही काम करना पसन्द करने हैं। इस छिद्र द्वारा काम करने की अपेक्षा वे बैठे रहना पसन्द करते हैं।

(७) कार्य की कुशलता अथवा अनुभवता—जिन कार्य के करने में अधिक कुशलता तथा विशेष शिक्षा शिक्षा की आवश्यकता होती है उनमें श्रम की गतिशीलता अधिक होती है और अनुभव अथवा अनुभवता से कम होती है।

जिन प्रकार के श्रम शक्ति आदि की दृष्टि से कुशल अथवा अनुभवता और अथवा गतिशीलता कम मात्रा में रहती है और अनुभव तथा अनुभव अथवा अनुभव भी कम होता जा रहा है। भारतवर्ष में व्यावसायिक गतिशीलता कम होने के मुख्य कारण निरक्षरता अविवाहिता जाति प्रथा और आधुनिक पत्रादि का अभाव। शीघ्रता से

शिक्षा-प्रकार में वृद्धि हानी जा रही है जिससे कारण रुढ़िवादिता और जाति-पाति के बन्धन भी शिथिल होने जा रहे हैं।


३. वर्गीय गतिशीलता (Grade Mobility)—एक वर्ग में दूसरे वर्ग में जाना या वर्गीय गतिशीलता कहता है।

वर्गीय गतिशीलता के प्रकार (Kinds of Grade Mobility)—वर्गीय गतिशीलता दो प्रकार की होती है —

(१) सम-वर्गीय, और (२) भिन्न-वर्गीय।

(१) सम-वर्गीय गतिशीलता (Horizontal Mobility)—एक व्यवसाय या कारखाने को छोड़कर दूसरे व्यवसाय या कारखाने में जाकर उन्हीं वर्ग में काम करना 'सम वर्गीय गतिशीलता' कहलाता है। जैसे मृत्ती कपड़े की मिल में कपड़े पर काम करने वाला श्रमिक उसे छोड़कर जूट मिल में जाकर वही काम कर प्रमवा एट बैंक का लेखापाल (Accountant) दूसरे बैंक में जाकर वही कार्य कर, तो यह समवर्गीय गतिशीलता का उदाहरण होगा।

सम-वर्गीय गतिशीलता



मृत्ती कपड़े  
की मिल का श्रमिक

कलकत्ता की  
जूट मिल में

(२) भिन्न वर्गीय गतिशीलता (Vertical Mobility)—यदि कोई श्रमिक नीचे वर्ग में ऊँचे वर्ग में कार्य करने लग जाय अथवा ऊँचे में नीचे वर्ग में उतार दिया जाय, तो इसे 'भिन्न-वर्गीय गतिशीलता' कहेंगे। उदाहरण के लिये कलकत्ता में हूट कलकत्ता बनाना अथवा हूट कलकत्ता से पुनः कलकत्ता बनाना आदि।



कलकत्ता

हूट कलकत्ता

नीचे वर्ग में ऊंचे वर्ग में जान के कारण—(१) धर्मिक अनुभव धारिणी द्वारा प्राप्त। दूसरे नीचे वर्ग में ऊंचे वर्ग में जा सकता है (२) जिस कारणसे ऊंचे वर्ग में स्थान रिक्त हो जाने पर नीचे वर्ग वाला जा ऊंचे वर्ग का भाग ले सकता है।

ऊंचे वर्ग से नीचे वर्ग में आने के कारण—(१) जिस धर्मिक का कर्म करने में बाधा है। (२) धर्मिक का धारणवाही धारणा की प्रवृत्तियों की। (३) धर्मिक की धारणा में उन्माद होना।

यह धारणा है कि वर्ग में उन्नति करना है परन्तु ऊंचे वर्ग का धारण करना कठिन है।

भारत में धर्म की गतिशीलता में बाधाएँ

(Hindrance to the Mobility of Labour in India)

हमारे देश में धर्म की गतिशीलता में निम्नलिखित बाधाएँ हैं—

१. आर्थिक दबाव का अभाव (Absence of Economic Pressure)—भूमि पर आर्थिक दबाव का अभाव और खेती का उप निभाजन हाथ हटाने का अधिकांश कारणों का कारण दबाव इतनी कम है कि वे अपने गतिशील अभाव जान के लिए जायेंगे। केवल भूमि रहित धर्मिक ही उपर उन्नति जान का साधन है।

२. भावनात्मकता (Fatalism)—भारतीय धर्मिक मनोबोध और भावनात्मकता है। कहा जा सकता है कि धर्म में स्थिति है वही निश्चय—दमक व अधिकांश विचारक वरत है। अर्थ व जीविकोपार्जन के लिए अपने गाँव में ही रहना पसंद करते हैं।

३. नीचा जीवन-स्तर (Low Standard of Living)—भारतीय धर्मिकों का जीवन-स्तर इतना गिरा हुआ है कि उनकी जीविकोपार्जन को यहाँ पूर्ण ही जानो है।

४. पारिवारिक स्नेह (Family Affection)—अपने परिवार के सदस्यों—छो बच्चे आदि के साथ स्नेह इतना प्रबल होता है कि वे उनका छोड़कर कहाँ अपना जाना पसंद नहीं करते।

५. घर व स्थान का प्रेम (Love of Home and Locality)—जिस गाँव या जिन में धर्मिक पैदा हुआ है तथा जहाँ उनका पालन पोषण हुआ है वहाँ प्रायः वहीं रह कर जीविकोपार्जन करना पसंद करता है। यद्यपि अथवा उस अधिकांश पारिवारिक कष्ट नहीं मिलता है। भारतीय धर्मिकों में यह प्रतिबद्ध बन्धन प्रबलित है—घर का अथवा बाहर की गतिशीलता के लिए घर छोड़ कर जान की प्रतीति पर रहने के लिए कुछ ही पैसे कमाना उचित है।

६. जाति प्रथा और समुक्त परिवार प्रणाली (Caste System and Joint Family System)—धर्मिक लोग अपनी जाति के अनुसार ही धंधा ग्रहण करते हैं। दूसरे धंधों में रुचि होने हुए भी सामाजिक निषेध से इनके कारण उन धंधों नहीं कर पाते। जाति बंधन के ही कारण वरत वरत होनेसे नवयुवक उच्च शिक्षा के लिए विदेश में नहीं जा पाते। समुक्त परिवार के सदस्यों के रूप में उन वृद्ध

अपन बेकारों की उचित देख रेख करनी पड़ती है घट वह उन्हें छोड़कर कहीं दूसरी जगह जीवन निर्वाह के लिये नहीं जा सकता। इस प्रकार भौगोलिक गतिशीलता में बाधा पड़ती है। इसके अनिश्चित गद्युक्त परिवार प्रथा में अनुप्य की आय उसके काम व पशु पात में नहीं होने के कारण उसकी उन्नति करने की इच्छा इतनी प्रबल नहीं रहती। अस्तु यह व्यावसायिक एवं वसाय गतिशीलता में बाधक सिद्ध होता है।

७ कृषि-काय का स्थिर स्वभाव (The Stable Nature of Agricultural Operations)—इसि काय सम्पन्न करने के लिए एक स्थान पर स्थायी निवास की आवश्यकता है। एक गिल्परदार अपन खोजारा क बडन को नकर सुगमता पूर्वक स्थान परिवर्तन कर सकता है परन्तु एक कृषक के लिये यह काम कठिन है। वह भूमि अपने साथ नहीं ले जा सकता है। जहाँ कहीं भी आयदा नई भूमि प्राप्त करनी पड़ेगी। नई भूमि प्राप्त करना कोई सुगम काम नहीं है। फिर उस नई भूमि का अध्ययन व नये वातावरण में पूरी जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी। यह कठिनाई से वह स्थान-परिवर्तन कभी नहीं चाहता है।

८ शारीरिक दुबलता एवं माहस का अभाव (Poor Physique and Lack of Enterprise)—श्रमिका का शारीरिक दुबलता वर उन्में माहस का अभाव उनकी गतिशीलता में बाधक सिद्ध होता है।

९ निरक्षरता और अज्ञानता (Illiteracy & Ignorance)—भारतीय धन की अर्थगतिशीलता व यही दो आधारभूत कारण हैं जिनमें यह कहा जा सकता है कि वे कहा जाय और क्या कर। वर्तमान समय में हमारे देश में राजस्व के अभाव (Employment Exchange) में इन समस्याओं में अज्ञान कुछ लाभ हो रहा है।

१० औद्योगिक केन्द्रों का प्रतिकूल वातावरण (Uncongenial Atmosphere of Industrial Centre)—सही हवा व रहस वात प्रदूषण के लिये यह कपरा की गरी गतिशीलता व स्थिर अनेकी कोठरिया प्रतिकूल सिद्ध होता है वहाँ रहने जीवन और कहीं गहरा जीवन। घट किसी कारणवश बाध्य होकर भल ही वह गहरा में चला जाय परन्तु साधारणतया वह अपने गाव का छोड़कर कल्पि नहीं पायगा।

११ उपयुक्त यातायात व सम्वाद की सुविधाओं का अभाव (Lack of Adequate Facilities for Transport and Communication)—अक्षय रोग और माटरा द्वारा यह कठिनाई बन्त अग तक वर ही गई है फिर भी भारतीय भाग में कुछ गाव आधुनिक यातायात के साधनों की सुविधाओं में वधिय है। वर्षों से तो वे अच्छी सड़कों के अभाव में बस्ती और नगरों में अन्तर्गत ही वृत्त हो पाते हैं।

१२ जलवायु की भिन्नता (Variation in Climate)—भारतवर्ष में एक राज्य में दूसरे राज्य की जाने में जलवायु की कठिनता प्रत्यक्ष होन लगता है। उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश का एक ग्रामिक जब बनारस में जाता है तो वह अत्यधिक से पीठित हो जाता है। इसी प्रकार अम्बई के श्रमिक के लिये कानपुर का जलवायु बड़ा मरम सिद्ध होता है।

१३ भाषाओं और धर्म की भिन्नता (Variety of Languages and Religion)—भारतवर्ष में अलग अलग भाषा व धर्म के अभाव में अल्प प्रचलित होने



के कारण श्रम की गतिशीलता को बड़ी बाधा पहुँचती है। एक राजस्थान का श्रमिक इस कठिनाई में ही मगान नहीं जा सकता और मद्रास का बंगाल को नहीं जा सकता। इसी प्रकार धार्मिक आचार विचार में भी बड़ी भिन्नता मिलती है जिनके कारण श्रम की गतिशीलता की स्वतन्त्रता नष्ट हो जाती है।

१४. कृषि की प्रधानता (Predominance of Agriculture)—भारतवर्ष में अधिकांश लोगों का मुख्य पन्था कृषि है, अतः वे अपने मुख्य पेशे को छोड़कर अन्य पेशा में लिये जाना पसन्द नहीं करत।

१५. जन साधारण की निर्धनता (Poverty of the Masses)—भारतवर्ष में अधिकांश लोग विधन हैं। वे अपना निर्वाह बड़ी कठिनाई में करते हैं अतः उनके पास इधर-उधर जाने के लिये पर्याप्त साधन नहीं हैं।

१६. महत्त्वावांश का अभाव (Lack of Ambition)—भारतीय श्रमिक भाग्यवादी मन्त्रों की और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण उनमें भौतिक हृत्ति में अभाव बढ़ने की अभिलाषा का पूर्ण अभाव होता है। अतः वे बड़ी और उमी स्थिति में रहना पसन्द करत हैं।

१७. निवास स्थानों की कठिनाइयाँ (Housing Difficulties)—गाँवों के लोग शहरों में इमालत भी नहीं करते हैं क्योंकि वहाँ उन्हें स्वच्छ हवादार मकान नहीं मिलते। अतः विवश होकर उन्हें बंदी बान पोटियाँ में रहना पड़ता है।

भारतीय कृषक की गतिशीलता (Mobility of the Indian Cultivator) भारतीय कृषक की गतिशीलता बड़ी मन्द है। इसके कई कारण हैं। सबसे पहले तो उन्हें अपने पत्नी बच्चे के साथ ही नगर उधर में जाने में बड़ी कठिनाई होती है। नये स्थान में नई भूमि प्राप्त करना बड़ा कठिन है। नये स्थान की मिट्टी जलवायु पत्तलों आदि का अध्ययन बड़ा आवश्यक है। इनके साथ-साथ निरक्षरता, अज्ञानता, अविद्वानता, जाली प्रथा, अशुद्ध परिवार प्रणाली, बोटुम्योय स्नेह आदि कारण भी उनकी एक ही स्थान और एक पेशा तक सीमित रहने में बाध करते हैं।

भारतीय श्रमिक की गतिशीलता (Mobility of the Indian Labourer)—भारतीय कृषक की अपेक्षा भारतीय श्रमिक अधिक गतिशील है। वह एक स्थान से दूसरे स्थान को जा सकता है और उसकी जानकारी शहरों में भी प्राप्त हो सकती है। जब वह औद्योगिक नगर में पहुँचता है तो नगरस्थानों की कार्यप्रणाली में हिचक जाता है। परन्तु जन गण्य के दबाव और आर्थिक की आवश्यकता के कारण वह अधिक गतिशील हो गया है। सैनिक श्रमिक अपने पेशे में परिवर्तन बड़ी कठिनाई से करता है।

भारतीय शिल्पकार की गतिशीलता (Mobility of the Indian Artisan)—भारतीय शिल्पकार भारतीय कृषक और श्रमिक से अधिक गतिशील है, क्योंकि वह अपने कुछ औजारों को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता से जा सकता है और बिना अधिक कठिनाई के अपना कार्य आरम्भ कर सकता है। यह तो है उसकी भौतिक या स्थान गतिशीलता। उसमें शैल्य कृषक या श्रमिक से अधिक अनुसृतता व निपुणता होने के कारण वर्गीय गतिशीलता भी पाई जाती है। कुटीर व्यवसाय के नष्ट होने से उसे बाध्य होकर अपने व्यवसाय में परिवर्तन करना पड़ा है।

जाति प्रथा का श्रम की गतिशीलता पर प्रभाव (Influence of Caste System on Mobility of Labour)—जाति-श्रम का श्रम की भौगोलिक एक व्यावसायिक गतिशीलता पर प्रभाव पड़ता है। जाति प्रथा की स्थिति में जबड़ हुए मनुष्य के लिये अपने जन्म स्थान को छोड़कर कहीं प्रस्थान जाना बड़ा कठिन है। जाति द्वारा निर्धारित आचार विचारों के कारण हाथ उ० प्र० का आह्वान पंजाब या बंगाल में नहीं रह सकता। बड़बड़ होनेहार नवयुग में इसी कारण विदेश में जाकर उच्च शिक्षा-दीक्षा प्राप्त करने में बचिन रह जात है।

इसी प्रकार जाति प्रथा व्यावसायिक गतिशीलता की प्रभावित करती है। मनुष्य जिस जाति में जन्म लेता है वह उसी जाति के अनुसार अपना व्यवसाय करता है। उसको उमर बचि नहीं जान पर भी वह अन्य कार्य नहीं कर सकता। उदाहरण के लिए, एक तुहार कुम्हार का कार्य नहीं कर सकता कुम्हार जुलाहे का धीर जुलाहा छाती का काम नहीं कर सकता।

गतिशीलता और कार्य कुशलता (Mobility & Efficiency)—गतिशीलता में कार्य-कुशलता में वृद्धि होती है क्योंकि व्यवसाय स्वतन्त्रतापूर्वक चुनकर ग्रहण किया जा सकता है। फिर प्रतिभाशक्ति के कारण उसे अपने साधनों के मध्य एक कुशल श्रमिक होकर रहना पड़ता है अन्यथा उसका जीवन निर्वाह होना कठिन हो जाता है। गतिशीलता श्रमिक को अपने शक्ति के अनुसार मन्दा ग्रहण करवाती है जिनके पारस्वरूप उनकी कार्यक्षमता बढ़ती है।

श्रम की गतिशीलता और भृति (मजदूरी) (Mobility of Labour & Wages)—श्रम की गतिशीलता वह शक्ति है जिसके द्वारा श्रम एक स्थान से या श्रेणी में जहाँ श्रम अधिक है उस स्थान, क्षेत्र या श्रेणी में पहुँचता है जहाँ इसकी अत्यधिक आवश्यकता है। इससे श्रम की मांग और पूर्ति का समायोजन (Adjustment) हो जाता है। जिनके पारस्वरूप भृति में समानता (Equalisation of Wages) आकर मनुष्य जगह भृति की दर एक-सी हो जाती है। श्रम की गतिशीलता जिनकी अधिक होगी उनको ही अधिक भृति की दर में समानता आती जायगी।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

इंटर आर्ट्स परीक्षाएं

- १—श्रम की गतिशीलता का क्या तात्पर्य है ? भारतीय श्रमिकों की गतिशीलता कम होना के क्या कारण हैं ? (सा० वा० १९६०)
- २—श्रम की गतिशीलता का क्या तात्पर्य है ? भारतीय श्रमिकों की गतिशीलता पर सामाजिक रीतियों का क्या उन प्रभाव पड़ता है ? सुधार के प्रस्ताव प्रस्तुत कीजिए। (ध० वा० १९५२, उ० प्र० १९५१)
- ३—भारत में श्रम की गतिशीलता के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालिए। इसका भृति (मजदूरी) पर क्या प्रभाव पड़ता है ? (उ० प्र० १९५०)
- ४—श्रम की गतिशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। (सा० वा० १९५२, सागर १९४९, नागपुर १९४७, उ० प्र० १९५०, ४९)

पूंजी की परिभाषा ( Definition )—मनुष्य जो धन उत्पन्न करता है उसका उपयोग वह निम्ननिम्नित प्रयोजनों के लिये कर सकता है —

- (१) वह उसको क्षतमान आवश्यकताओं की पूर्ति में लगा सकता है।
- (२) वह उसे भावी आवश्यकताओं के लिये रख सकता है।
- (३) वह उसे दान में दे सकता है।
- (४) वह उसका बचत करने में उपयोग कर सकता है।
- (५) वह उसको अनुत्पादन मजदूरी (Hoarding) के रूप में रख सकता है।
- (६) वह उसका और अधिक उत्पादन के लिये लगा सकता है।

अब प्रश्न यह प्रस्तुत होता है कि धन के इन उपयोगों में से कौनसा उपयोग पूंजी कहलाता है? धन का केवल वही भाग पूंजी है जिसका कि उपयोग और अधिक धन उत्पन्न करने के लिये किया जाता है। अस्तु, यह स्पष्ट हुआ पूंजी धन का केवल एक भाग है। तबस्त पूंजी एक धन है परन्तु यह आवश्यक नहीं कि समस्त धन पूंजी हो। पूंजी की कौटि में धन जान धन के लिये दो बात आवश्यक है—प्रथम तो धन मानव-प्रयत्न का फल होता चाहिए और द्वितीय-धन धनोत्पत्ति में सहायता निदाना चाहिए। अतः हम पूंजी को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं पूंजी भूमि को छोड़कर, धन का वह भाग है जिसका उपयोग अधिक धन-उत्पादन के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिये, कारखाना में मशीन, बगैरा, सूत आदि धनोत्पत्ति के कार्य में प्रयुक्त होने के कारण पूंजी कहलायेंगे। इसी प्रकार हम किसान के बैल, हल बीज आदि को भी पूंजी कहेंगे। हमारी पूंजी की इस परिभाषा में भूमि सम्मिलित नहीं है, क्योंकि भूमि मानव प्रयत्न का फल नहीं है बल्कि यह प्रकृतितत्त्व वस्तु है।

धन और पूंजी के अन्तर का स्पष्टीकरण—उपरोक्त परिभाषा से धन और पूंजी के अन्तर को सुगमता से समझा जा सकता है। धन उसे कहते हैं जो प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। परन्तु जो धन अधिक धन को उत्पत्ति में लगाया जाय, उसे पूंजी कहेंगे। अस्तु, अमुक वस्तु पूंजी है या नहीं, यह उसके प्रयोग पर निर्भर है। उदाहरणार्थ पर जब रहने के काम में आता है तो वह केवल धन ही है, किन्तु यदि उसका उपयोग कारखानों के लिये होने लगे, तो वही पूंजी हो जावेगा। कोयला जब भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तब केवल धन रहता है, परन्तु जब मशीनों में डाला जाता है, तब पूंजी हो जाता है।

इसी प्रकार जब मेहें लाख पदाधिक रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तब केवल धन कहलाता है पर-जब बीज के काम में आता है, तब वही पूँजी का रूप धारण कर लेता है। अस्तु अर्थशास्त्र में इसका मतलब है कि अमूर्त वस्तु केवल धन है या पूँजी।

क्या निम्नलिखित वस्तुएँ पूँजी की दृष्टि में आती हैं ?

① बीज का अन्न (Seed Corn)—इसका प्रयोग धनोत्पत्ति के लिये होने के कारण स्पष्टतया पूँजी है।

② अनुत्पादक संचित रुपये (Hoarded Rupees)—इनका किसी उत्पादन कार्य में उपयोग नहीं होने से पूँजी नहीं है।

③ व्यापार की ख्याति (The Goodwill of a Business)—व्यक्तिगत व्यापारों में इसे ख़ास प्राप्ति को आशा करता है इसलिये यह उसकी पूँजी है। इसको अमूर्त पूँजी (Immaterial Capital) कहना उचित होगा।

④ किसी सर्जन या गायक की दक्षता (The Skill of a Surgeon or a Musician)—प्रायः हमें इनके द्वारा व्यक्ति विशेष को अच्छी आशंका होती है, परन्तु स्वयं इसमें कोई भाग नहीं होती है धन यह पूँजी की दृष्टि में सम्मिलित नहीं की जा सकती। प्रो० माशल इसे व्यक्तिगत धन (Personal Wealth) कह कर पुकारता है। इसी आधार पर किसी अध्यापक की ज्ञान शक्ति (The Intellect of a teacher) भी पूँजी नहीं कही जा सकती।

⑤ कृषक का धन (The Miser's Wealth)—यह पूँजी नहीं है, क्योंकि कृषक के धन का उपयोग धनोत्पादन के लिये नहीं होता है। उसका धन केवल अनुत्पादक संचय मात्र ही है।

⑥ एकस्य अधिकार (Patent Right)—यह व्यक्तिगत पूँजी है, क्योंकि इसमें उनको भाग होती है।

⑦ चल मुद्रा (Money in Circulation)—यह केवल विनिमय-माध्यम ही होने के कारण किसी एक की पूँजी नहीं हो सकती। हस्तस्थ मुद्रा किसी व्यक्ति विशेष को वस्तुया और सेवाया पर अधिकार प्रदान करती है, अतः यह चल पूँजी (Floating Capital) भी कही जाती है।

⑧ बैंक में स्थित संचित राशि (Accumulated Savings in the Bank) बैंक में जमा कराने वाले व्यक्ति को व्याज के रूप में भाग होने में यह उसकी व्यक्तिगत पूँजी है। यदि बैंक संचित राशि को धनोत्पादन में लगाता है तो यह सामाजिक दृष्टि से भी पूँजी है।

पूँजी और मुद्रा (Capital & Money)—साधारणतया यह विश्वास किया जाता है कि पूँजी और मुद्रा एक ही वस्तु है। किन्तु वास्तव में ऐसा नहीं है। यह निस्संदेह सच है कि हमारा वचन का अधिकांश भाग मुद्रा के रूप में होता है और लगभग सभी पूँजी वास्तव में मुद्रा की ही सहायता से प्राप्त किया जाता है। किन्तु सब मुद्रा पूँजी नहीं हैं। मुद्रा तभी पूँजी कहलायगा जब उसका उपयोग धनोत्पादन के लिये किया जाय। यदि उसे भागत, बचत आदि अन्य उपयोगों के लिये बच कर रखा जाता है, तो वह पूँजी नहीं है। इसी प्रकार जो मुद्रा संचित कर माद की जाती है वह भी पूँजी नहीं है। फिर हम देखते हैं कि समस्त पूँजी मुद्रा के रूप में नहीं रहती। भवन, मशीन, कच्चा माल आदि भी पूँजी हैं परन्तु उनमें से

कोई मुद्रा नहीं है। अस्तु यह सिद्ध हुआ कि धर्मशास्त्र की दृष्टि में मुद्रा और पूँजी दोनों एक नहीं है। यदि मुद्रा धन परव्य है तबले नय मुद्रा पूँजा नही ह।

• पूँजा और भूमि (Capital & Land)—पूँजी और भूमि में निम्नलिखित अंतर है—

(१) पूँजी मानव प्रयत्न का फल है जबकि भूमि प्राकृतिक प्रसाद (Lroo Gift of Nature) है।

(२) पूँजी नाशवान होती है। जिस जान के बाद पूँजी को नया गिरे से लगाना पड़ता है। पर नु भूमि अभाव और घबितनही है।

(३) पूँजी माँग का प्रभावितता व अनुसार पडती रहता है परन्तु भूमि का परिमाण परिमित है।

✱ (४) व्यक्तिगत दृष्टि में भूमि का द्रव विशय शाना है परन्तु सामाजिक दृष्टि में भूमि एक प्राकृतिक प्रसाद है। तबले पूँजी के लिये समाज और व्यक्ति दाना का ही लावन उगाना पडती है।

(५) मनुष्यता को प्रयत्न के साथ साथ वस्तु सन्ती होती जाती ह परन्तु जनमर्या की दृष्टि में भूमि महवो हाती जाता है।

(६) पूँजी मूल्य के आधार पर मापी जाती है परन्तु भूमि का मापन धरातन के क्षय के आधार पर होता है।

(७) भूमि का स्वान स्विकर होता है। परन्तु अधिकतर पूँजी परिवतनशील होती है। केवल कुछ ही भूमि स्विकर हाती है।

क्या भूमि पूँजी है? (Is Land Capital)—कुछ लेखका का मत है कि भूमि भी एक प्रकार की पूँजी है उसे पूँजी की सूची में सम्मिलित करना आभोद समाद की मोटर यात्रिया को डोल वाली मोटर



धन

पूँजी

चाहिये। भूमि धन है और उत्पादन में बहुत सहायक है। मशीन और कच्चे माल की भाँति जब कोई व्यक्ति भूमि खरीदता है तो उसे कुछ मूल्य देना पड़ता है। फलतः अर्थ प्रसार की पूँजी का भाँति भूमि भी व्यक्तिगत दृष्टि में पूँजी है। इसके अतिरिक्त भूमि का वह भाग जो आनन्दन प्रयोग में लाया जाता है अधिकतर मनुष्यता द्वारा ऐसा बन सका है। दही नारणा में यह कहा जाता है कि भूमि को पूँजी माना जाय। इस दृष्टि में बहुत सत्यता है। किन्तु भूमि और पूँजी का अलग अलग बस्तु है। इन दोनों में महत्वपूर्ण अंतर है। उदाहरण के लिये, भूमि प्राकृतिक प्रसाद है और पूँजी मानव

प्रयत्न का फल है। समाज का समि के लिए कुछ भी नहीं देना पड़ता है, यद्यपि व्यक्तिगत श्रम का उसके नियम वाग्यन अर्थदायक होता है। भूमि का यह अन्तर तथा अन्य अन्तर जिनका उन्मुख उपर किया जा चका है, स्पष्ट बताते हैं कि भूमि और पूँजी दो अलग अलग वस्तुएँ हैं। उन् एक मानना अर्थात् भूमि को पूँजी की काँटि में छाना उचित नहीं है।

पूँजी की विशेषताएँ (Characteristics of Capital)—पूँजी की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

१ पूँजी उत्पत्ति का एक अनिवार्य माधन है क्योंकि हमें जिना उत्पत्ति गृह्यन्त नहीं है। बड परिमाण की उत्पत्ति क नियमो यह और भी अधिक अ वाज्य माधन है।

२ पूँजी उपयोग में या समय बीगने के साथ-साथ घिसती जाती है और उमका प्रतिस्थापन आवश्यक हो जाना है— उदाहरण क नियम, कोट एक मशीन १० वर्ष कुशलतापूर्वक काम कर सकती है और उमका मूल्य १०००० रुपया है, तो प्रतिवर्ष उमका मूल्य का क्षयवा भाग घिसाट (Depreciation) क कारण कम होता जायगा यहा तक कि दसव वर्ष बाद बड मशीन निरस्तक होकर मूल्य शून्य की हो जायगी। प्रतिवर्ष का घिसाट का मूल्य अर्थात् १००००/१० यानि म म निश्चित कर प्रतिस्थापन (Replacement) यानि म अमा इन रकम से १० वर्ष पश्चात् मशीन के प्रतिस्थापन क नियम उक्त रकम का अन्वय हो जायगा।

३ पूँजी वचन का परिणाम है जिसे प्रतीक्षा (Waiting) मन्निहित होती है—अतः पूँजी उधार लेन दान या वीपीयि का अर्थ के रूप में कुछ परस्कार देना आवश्यक हो जाना है।

पूँजी का महत्त्व (Importance of Capital) यानि 'पूँजी'

(१) पूँजी उत्पत्ति का एक अनिवार्य माधन है—धनराशदान में पूँजी का महत्त्वपूर्ण स्थान है। यदि हम मानव समाज क विकास की प्रागम्भिक अवस्था पर भी नज़ि डालते तो ज्ञान होगा कि पूँजी का ज़िमी न किमी रूप में उपयोग अर्थदायक था। मनुष्यता के विकास और ज्ञान की वृद्धि क माध्यमत्त पूँजी का महत्त्व बढ़ता गया, यहाँ तक कि पूँजी की प्रचालना क कारण अन्तमान समय का 'पूँजी-युग' बट कर चुकाया जाता है। यह स्पष्ट है कि भूमि और श्रम को काँटि में पूँजी नहीं आता, किन्तु उत्पादन क नियम यह अनिवार्य रूप में अर्थदायक है। मनुष्य जीवन जिना अर्थ नहीं का सकता।

(२) पूँजी क अिना न ना मनुष्य की शक्ति का ही पूर्ण रूप में उपयोग हो पाता है और न प्रकृति-दत्त पदार्थों का ही यथेष्ट शोषण हो सकता है— पूँजी के अभाव में न ना प्रकृति की शक्तियाँ का उचित उपयोग हो सकता है और किनी अन्त न श्रमी शक्ति को कुट कर सकते हैं।

(३) पूँजी महीं उत्पादन जारी रहता है और जो शक्ति इस लक्ष्य में मनुष्य है उनका फलन-सोपान होता है—साधुनिक उत्पत्ति प्रकृति की वस्तु ही तर्क (Roundabout) और ज्वेदा (Complex) है। अतः पूँजी का उत्पादन म अन्त समय बढ़ता है। उत्पत्ति क अर्थात् उत्पत्ति म ले जाया जाता है जहा उत्पत्ति

क्षय-विरय होता है। तब बही जाकर उत्पादकों की अपनी वस्तुओं का मूल्य मिल पाता है। उस समय तक उत्पादक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये पूँजी पर ही निर्भर रहते हैं।

(४) पूँजी ने घनोत्पत्ति की आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को जा सकती है—घनोत्पत्ति में भवन, मशीनें, योजार, कच्चे माल, ईंधन आदि का आवश्यकता पड़ती है। इन सब वस्तुओं को पूँजी द्वारा ही जा सकता है।

(५) पूँजी की सहायता से ही विस्तृत और निश्चित रूप में उत्पादन सम्भव है—धर्म विभाग की धेड़ता पूँजी के ही उपयोग का फल है। पूँजी के उपयोग से उत्पादन में बहुत अधिक वृद्धि हुई है और लागत बहुत घट गई है।

अंत में यदि मैं धन वक घनोत्पत्ति में पूँजी की सहायता लेनी पड़ती है। उत्पादन की कोई भी गांवा या अवस्था हो उसमें पूँजी का उपयोग अनिवार्य होता है। पूँजी के महत्व और उसके बहुपयोगी की समाजवाद (Socialism) के जन्मदाता मार्क्स ने भी मुक्तकंठ से प्रशंसा की है। वही नहीं, हम जैसे साम्यवादी (Communist) देश में भी पूँजी का उपयोग बड़ परिमाण में किया जाता है।

पूँजी के कार्य (Functions of Capital)— पूँजी के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं—

१. आजीविका का साधन (Provision of Livelihood)—आधुनिक उत्पादन प्रणाली टेटी और पचोदा है। अस्तु, उत्पात्त के प्रारम्भ में माल की निश्चय तक पर्याप्त समय लगता है। इस अवधि में उत्पादन सेवकों का पैदा करना, उक्त आदि आवश्यक वस्तुओं, प्रदान करने का कार्य पूँजी द्वारा सम्पन्न होता है।

२. उत्पादन सामग्री का साधन (Provision of Appliances)—पूँजी द्वारा कारखाना, भवन, यन्त्र, उपकरण आदि अन्य आवश्यक वस्तुएँ प्राप्त होती हैं। आधुनिक उत्पादन रीतियाँ प्रति यान्त्रिक और विस्तृत होने के कारण बहुत धन की आवश्यकता होती है।

३. कच्चे माल का साधन (Provision of Raw Material)—पूँजी द्वारा ही कारखानों के लिये कच्चा और घट्टा निर्मित माल प्राप्त किया जाता है।

पूँजी के भेद (Types of Capital)

मित्र-मित्र लेखका ने पूँजी का धन-अनन्य वर्ग करण किया है। उनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं—

(१) चल और अचल सयवा आस्थायी और स्थायी (Fixed & Circulating Capital)—चल या अस्थायी पूँजी उसे कहते हैं जो उत्पादन कार्य में स्थित एक ही बार के उपयोग करने में खर्च हो जाती है। जैसे कच्चा माल, कर्मचारी बाज आदि। अचल या स्थायी पूँजी उसे कहते हैं जिसका प्रयोग उत्पादन के लिये बार-बार किया जा सकता है। जैसे भवन, मशीनें, योजार, इका आदि। आधुनिक रीति में अचल या स्थायी पूँजी में बहुत की परती है और बड़-बड़ कारखानों में इनका विशेष महत्व है।

(२) उत्पात्ति-प्रधान (या व्यापार) और उपभोग-प्रधान पूँजी (Production (or Trade) & Consumption Capital)—जिन वस्तुओं में ग्रन्थ वस्तुओं की उत्पत्ति होती है वे उत्पत्ति प्रधान पूँजी कहो जाते हैं, जैसे, कच्चा माल, भवन, मशीनें, औजार आदि। उपभोग-प्रधान पूँजी ऐसी वस्तुओं को कहते हैं जिनके प्रत्यक्ष उपभोग से आवश्यकताओं की पूर्ति होती है जैसे धमिले को दिये हुए भोजन, कपड़े, निवास स्थान आदि।

(३) निम्न और चल पूँजी (Sunk & Floating Capital)—निम्न पूँजी वह पूँजी है जो केवल किसी विशिष्ट कार्य में लगाई गई हो और उसका उपयोग किसी अन्य कार्य में नहीं हो सकता हो। उदाहरणार्थ, रेल के इंजिन या पुल बनाने में लगी हुई पूँजी। निम्न पूँजी का किसी एक विशिष्ट कार्य में लगे रहने के कारण इसे एकधर्मी या विशिष्ट पूँजी (Specialised Capital) भी कहते हैं। चल पूँजी उन पूँजी को कहते हैं जो उत्पत्ति के एक कार्य में हटा कर दूसरे कार्य में लगाई जा सकें, जैसे मुद्रा, कच्चा माल आदि। इसको बहुधर्मी या प्रविष्ट (Unspecialised Capital) भी कहते हैं।

(४) भौतिक और वैयक्तिक पूँजी (Material & Personal Capital)—भौतिक पूँजी वह है जिसमें दृश्यमान भौतिक पदार्थ निहित हो और जिसका प्रयोजन या हस्तांतरण हो सकता हो, जैसे—पुस्तकें, मशीनें, कच्चा माल, आदि। किसी व्यक्ति विशेष के व्यक्तिगत धन, स्वभाव और कार्य-क्षमता को सामान्य-मूल धर्मियों जो उससे प्रयुक्त नहीं की जा सकती वैयक्तिक पूँजी कहलाती है, जैसे—किसी राजनेता की दक्षता, अध्यापक की ज्ञान शक्ति आदि।

(५) वेतन और सहायक पूँजी (Remuneratory & Auxiliary Capital)—जो पूँजी धमिले को उनके श्रम के प्रतिफल स्वरूप दी जाय वह वेतन पूँजी कहलाती है और जो पूँजी उत्पत्ति के कार्य में सहायता पहुँचाती है उसे सहायक पूँजी कहते हैं, जैसे मशीनें, औजार आदि।

(६) देशी और विदेशी पूँजी (Indigenous & Foreign Capital)—जिस पूँजी पर एक ही देश के नागरिकों का व्यक्तिगत या सामूहिक रूप में अधिकार हो उसे देशी पूँजी कहते हैं। जो पूँजी ग्रन्थ देशों की होती है अथवा जिस पर विदेशियों का अधिकार होता है वह विदेशी पूँजी कहलाती है।

एक भारतीय कृषक की पूँजी—एक भारतीय कृषक पूँजी का उपयोग कई रूप में करता है जिसका वर्गीकरण चल या अस्थायी और अचल या स्थायी पूँजी में किया जा सकता है। हथ, बैल जोड़ा, रस्सियाँ, गाड़ी, पावड़ा, नुस्खाड़ी, डलियाँ या टोकरियाँ—ये सब उसकी अचल या स्थायी (Fixed Capital) में सम्मिलित हैं। उसकी चल या अस्थायी पूँजी (Circulating Capital) में सम्मिलित वस्तुएँ बीज, मजदूरी, श्रम और धारा आदि हैं। खाद का वर्गीकरण दोनों प्रकार की पूँजी में किया जा सकता है।

एक भारतीय बड़ई की पूँजी—उसकी अचल या स्थायी पूँजी—सारे काम करने के औजार, और चल या अस्थायी पूँजी—कच्चा माल अर्थात् लकड़ी के टुकड़े व कच्चे, मजदूरों की मजदूरी, यदि कोई हो।



**पूँजी की कार्यक्षमता ( Efficiency of Capital )**—पूँजी की कार्यक्षमता मुख्यतः तीन बातों पर निर्भर होती है—(१) उपयुक्तता, (२) सदुपयोग और (३) परिणाम तथा उपज।

(१) **उपयुक्तता ( Suitability )**—जिस प्रयोजन के लिए पूँजी वा उपयोग होता है उसके लिए वह उपयुक्त होना चाहिये। उदाहरण के लिये, एक तेज घीर महंगा उस्तरा नाई के लिए ठीक है पर उसी वस्तु का उपयोग नाक आदि के लिये अनुपयुक्त है, क्योंकि वह कार्य तो एक सप्ते व गायब रह जाय तो भी प्रकार मजदूर किया जा सकता है।

(२) **सदुपयोग ( Proper Use )**—पूँजी के प्रयोग करने की रीति पर भी उसकी कार्यक्षमता भवनामित्र होती है। जैसे, किसी अनुसंधान शक्ति को किसी मशीन पर बिना दिया जाय, तो वह उसका प्रयोज्य उपयोग नहीं कर सकेगा जिसके फलस्वरूप मशीन की कार्यक्षमता में कमी हो जायगी।

(३) **परिमाण तथा संगठन ( Quantity & Organisation )**—जब व्यवसाय को वृद्धि के साथ-साथ पूँजी की मात्रा में वृद्धि होती है, तो पूँजी की उत्पादन शक्ति भी बढ़ती जाती है। परन्तु यह स्मरण रहे कि पूँजी व्यवसाय में शक्ति मात्रा में उन देशों में लगाई जाती है जहाँ शक्ति गायबों के अनिश्चित फलित, सुरक्षा और व्याप प्रयोजित हो और जहाँ के लोग औद्योगिक और शक्ति दृष्टि से सुसज्जित हों।

**पूँजी की वृद्धि ( Growth & Accumulation of Capital )**—संचय वा बचत ( Saving ) में पूँजी की वृद्धि होती है। संचय द्वारा ही धन की पूँजी का रूप दिया जाता है। पूँजी की वृद्धि के लिए यह प्रावश्यक है कि लोग अपनी समस्त आय को व्यय न करके उसका कुछ भाग बचाएँ। जितनी अधिक बचत की जायगी, उतनी ही अधिक भविष्य में पूँजी में वृद्धि होगी। अतः, पूँजी वा परिमाण संचय वा बचत के परिणाम पर निर्भर है।

पूँजी की वृद्धि मुख्यतः दो बातों पर निर्भर है—(अ) संचय करने की शक्ति और (आ) संचय करने की इच्छा। ये विभाजित कारणों द्वारा प्रती-प्रकार व्यक्त की गई हैं :

पूँजी की वृद्धि निर्भर है—		
(अ) संचय करने की शक्ति	(आ) संचय करने की इच्छा	
	निजी वा व्यक्तिगत बातें	बाहरी बातें
उत्पत्ति वा उपयोग	१. विश्वसनीयता या दूरदर्शिता	१. जाल व भाव का सुरक्षा
शान्तिव्यय वा व्यवसाय	२. पारिवारिक स्नेह	२. पूँजी के विनियोग की सुविधाएँ
प्रायः का व्यय से	३. सामाजिक एवं राज-नैतिक प्रतितापार्थ	३. सुयोग्य व्यापारी एवं उद्योगपति
शान्तिव्यय	४. शक्ति मेरुणाएँ	४. व्याज की उँची दर
	५. स्वभाव	५. मुद्रा का संचय-साधन के रूप में प्रसिद्ध

(अ) संचय करने की शक्ति (Power or Ability to Save)—संचय की शक्ति उपभाग की अपेक्षा उत्पत्ति के अधिक होने पर निर्भर है। उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि होने से संचय शक्ति में वृद्धि होगी। यदि किसी देश में उत्पत्ति का परिमाण अधिक है और उपभाग का कम है तो उस देश में लोगों में संचय करने की शक्ति अधिक होगी। व्यक्तिगत दृष्टि में भी संचय तभी सम्भव है जब कि व्यय की अपेक्षा आय अधिक हो। किसी देश को उत्पत्ति अथवा वहाँ के निवासियों की आय का अधिपत्य नियंत्रित किया जा सकता है —

१ किसी देश के प्राकृतिक साधनों की सम्पन्नता (Rich Natural Resources of a Country)—उत्तम समुद्र तट बंदरगाह तथा जलवायु, उपजाऊ भूमि खनिज पदार्थों की प्रचुरता, साक्षात्कार के साधन, जन शक्ति और जहाज चलान योग्य नदियाँ आदि।

२ अन्य देशों की अपेक्षा उत्तम भौगोलिक स्थिति (Good Geographical position in relation to other countries)

३ कृषि, व्यापार और उद्योग का ताम्रप्रद विकास (Efficient Development of Agriculture Trade Commerce & Industry)

४ भूमि श्रम और पूँजी का संगठन (Organisation of Land Labour & Capital)

५ बैंक और संचय सम्बन्धी सुविधाया का सुव्यवस्था (Efficient Organisation of Banking & Credit Facilities)

६ आधुनिक मशीनों और रीतियों का उपयोग (Use of up to date Plants Machinery and Process)

७ वैज्ञानिक कृषि (Scientific Agriculture)

(आ) संचय करने की इच्छा (Will to Save)—इसका अर्थ संचय शक्ति में ही पूँजी की वृद्धि नहीं हो जाती। इसके निम्न संचय करने की इच्छा भी होनी चाहिए। संचय करने की इच्छा पर मुख्यतया दो बातों का प्रभाव पड़ता है —

१ निजी या व्यक्तिगत बात और २ बाहरी बातें। अतः इन दोनों पर विशेष ध्यान अलग विचार किया जायगा।

१ निजी या व्यक्तिगत बात (Subjective Considerations)—इस शीर्षक में अंततः उन बातों का विवेचन किया जायगा जो मनुष्य का धन संचय में विशेष प्रेरित करती हैं। ये निम्नलिखित हैं —

(१) विवेकशीलता या दूरदर्शिता (Prudence or Foresight)—दूरदर्शी और विवेकशील पुरुष भविष्य की अथवा आपत्तियों में बचन के लिए धन का कुछ भाग बचाने में निरन्तर प्रयत्नशील देखे जाते हैं। ये आपत्तियाँ बीमारी, वृद्धावस्था, आर्थिक दुर्घटनाएँ आदि के कारण हो सकती हैं। फिर वृद्धावस्था में काम करने की शक्ति बहुत कम हो जाती है। अतः उस अवस्था में काम में जाने के लिए धन संचय करना है।

(२) पारिवारिक स्नेह (Family Affection)—पारिवारिक स्नेह धन संचय की सबसे बड़ी प्रेरक शक्ति है। तब अथवा सन्तान की शिक्षा दीक्षा व विवाह आदि के

निय धन की आवश्यकता और मनु के पश्चात् अपने अभिलाषाएँ के निय कुछ छोड़ जान का इच्छा में प्रेरित होकर धन समर्पण करते हैं।

(३) सामाजिक एवं राजनैतिक अभिलाषाएँ (Social & Political Considerations) — सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन में सम्मान, प्रतिष्ठा और शक्ति प्राप्ति के निय धन की विनाय अत्यावश्यकता पड़ता है। आजकल धन के द्वारा मनुष्य सामाजिक एवं राजनैतिक क्षेत्र में अपने आप का ऊपर उठा सकता है अतः इसमें धन मनुष्य प्रवृत्ति का बड़ा प्रामाण्य मितता है।

(४) आर्थिक प्रेरणाएँ (Economic Considerations) — मनुष्य अपनी आर्थिक स्थिति का सुधारण के निय धन मनुष्य में सतम्न रहता है। व्यापारानुक्ति को प्रेरणा में भी धन सचय प्रवृत्ति का प्रधान प्रामाण्य मितता है। धनकर्म के प्रतिव्यक्तिता के युग में जिसके पास पूँजी होती है वही व्यापार और व्यवसाय में सफलता प्राप्त कर सकता है। व्याज प्राप्ति की इच्छा में भी मनुष्य का लक्ष्य धन सचय की ओर इतिहास हो जाता है। जितनी अधिक पूँजी की दर होगी, उतनी अधिक धन सचय का प्रयत्न इच्छा होगी।

(५) स्वभाव (Temperament) धन सचय करना बड़े मनुष्य की स्वभाव को मान है। उनकी भाव चाह जितना हा वे उसमें म कुशल न कुछ अवश्य धनका मत है। बहुत म मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका प्रवृत्ति बचाना का नहीं होता है बल्कि खाना पाना और लुग रहना—यह उनका ध्येय होता है।

२ वाहरी धान (Diplomatic Considerations) — धन सचय करने का इच्छा का प्रेरणा कर्म किमा व्यक्ति का निजी धाना से ही नहा बल्कि देश में स्थित वाहरी दशाशा में भी मिलती है। ये दशाशा मनुष्य निम्नलिखित है —

(१) जान व मान की सुरक्षा (Security of Life & Property) — धन सचय इच्छा को प्रेरणा देने के निय देश में जान व मान की रक्षा का माध्यम उपस्थित होना प्रतिव्यक्ति है। यदि लोगों को यह विश्वास है कि उनकी पूँजी सुरक्षित न रहेगा उम चार उद्धरणों के कारण या सरकार अनिश्चित केम धनका धन ताव बलत नहीं करेगा और अपनी सारा धन को धनमान आधुनिकताशा की पूर्ति में हा धन्य करेगा। परन्तु धन सचय तथा सम्भव है जो देश में शान्ति और सुव्यवस्था हा।

(२) पूँजी के विनियोग का सुविधाएँ (Facilities of Investment) — लोगो में सचय प्रवृत्ति को प्रबल करने के निय यह आवश्यक है कि देश में पूँजी के विनियोग का सुविधाएँ अधिकधिक मात्रा में उपलब्ध हा। जहाँ जहाँ उद्योग धन का सुविधा हाता जायगी तथा जहाँ पूँजी को लगाने का लाभदायक धनका म हा वृद्धि होती जायगी। वेदा धार नीमा कम्पनिका म पूँजी जमा करण म पर्याप्त राहायता मितता हा। भारतवर्ष में इन मायना का अभाव धनका हा।

(३) सुयोग्य उद्योगी एवं उद्योगपति (Capable Businessmen & Industrialists) — देश में अधिकाधिक सुयोग्य व्यापारी एवं उद्योगपतिता का होना स भी पूँजी सचय का बड़ा प्रामाण्य मितता है। जहाँ उनकी कृपायता व सहाई पर विश्वास कर अपना पूँजी का उत्तर व्यापार व उद्योग धनका म आनाना म जमा का है जिनमें पूँजी म वृद्धि हाता स्वाभाविक है। इस देश में सुयोग्य व्यापारियों तथा उद्योग पतिता की अभाव कमी है।

(४) व्याज की ऊँची दर (High Rate of Interest)—यदि देश में व्याज की ऊँची दर प्रचलित है तो लोग उसमें सारा धन देने के लिए पूँजी-मध्य की ओर भूक जाते हैं। भारतवर्ष में व्याज की दर काफी ऊँची है परन्तु इसका लाभ केवल कुछ ही लोग ही लेते हैं क्योंकि अधिकांश जनसंख्या निर्धन है।

(५) मुद्रा का मन्वय-मात्र के रूप में अस्तित्व (Existence of Money as a Store of Value)—लोगों को वस्तुओं के रूप में धन-संग्रह करना पड़ता है। इसमें अनेक समस्याएँ तथा कठिनाइयाँ होने के कारण लोग वस्तु-रूप धन-मन्वय नहीं करते। मुद्रा मूल्य का भण्डार है। इसमें स्थिरत्व का गुण होता है। मुद्रा का मूल्य बराबर बनी रहती है। यह शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु नहीं है और न इसके मूल्य में उतार-चढ़ाव ही होता है। यत्न मुद्रा के रूप में धन-मन्वय न करने वालों में इस प्रवृत्ति का बड़ी प्रेरणा मिलती है। हमारे देश में यह मूल्य विद्यमान है।

भारतवर्ष में पूँजी का विकास—मन्वय शक्ति भारतवर्ष में पूँजी की बड़ी कमी है। इस देश का प्राथमिक उद्योग में बड़ी-बड़ी उन्नति नहीं है। पूँजी के अभाव में प्राकृतिक सौभाग्य का अधिक उपयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ का कृषि-व्यवसाय प्रायः हुई अवस्था में है जबकि अन्य देशों में वैज्ञानिक आविष्कारों तथा उद्योगों के द्वारा उन्नति हो रही है। उद्योग धन्दा की भी पिछड़ी हुई दशा है। इस सब कारणों से देश का उन्मादन कम है तथा यहाँ के अधिकांश निवासियों की आय इतनी कम है कि वे बचन कर ही नहीं पाते।

मन्वय-इच्छा (निजी वार्ते)—यहाँ पूँजी-मध्य की इच्छा को प्रभावित करने वाली निम्न बातों का भी अभाव नहीं है। हम में पारिवारिक स्तर है और अल्प नित्य तथा अपने परिवार के सम्बन्धियों के लिये कुछ न कुछ मन्वय करने की भी इच्छा है। निम्न धनवानों को छोड़कर सर्व साधारण लोगों में न तो सामाजिक व राजनैतिक सम्मान प्राप्ति की इच्छा है और न उनमें पर्याप्त दूरदर्शिता ही है। इसका मुख्य कारण मन्वय-वाहिका और अज्ञानता है। पर वास्तविक कारण जिनका लोग धन-मन्वय नहीं कर पाते जनता की निर्धनता है। अधिकांश भारतवासियों को मन्वय करने पर्याप्त धन और मकान आदि तर उपलब्ध नहीं होते, ता मकान खराब है कि अल्प-धन क्या बचन कर सकते हैं। जिन लोगों में कुछ धन ही है उनमें वर्षोंकी सुरक्षितियों पर विश्वास नहीं है। यह अज्ञानता, अल्प-विश्राम और दुरी सामाजिक गति-निर्वाह का फल है।

मन्वय शक्ति (आरोग्य वार्ते)—पूँजी के विकास की मन्वय शक्ति का एक कारण यह भी है कि यहाँ पर पूँजी के विनियोग (Investment) के सुरक्षित और लाभप्रद साधनों का अभाव है। नये व्यापारिक क्षेत्रों का विकास हो रहा है, उद्योग व्यवसाय भी बढ़ रहे हैं, परन्तु अन्य देशों की अपेक्षा यह बहुत ही कम है। देश का विकास भी देश के आकार के अनुसार नहीं है। यत्न वर्षों में कई बँकों के फल ही जान में पूँजी मन्वय कार्य में बड़ी बाधा पड़ती है। इसके अतिरिक्त लोगों में धन हासिल करने की प्रवृत्ति है। यह दृश्य धन में पूँजी वृद्धि नहीं होती। इस देश में रहना के विनाश प्रचार में पर्याप्त धन रहना के ध्यान में लगा दिया जाता है। जिनमें ही राधा, महागजा आदि धन धन का मनमाना दुर्लभता कर रहे हैं। मन्वय यह है कि लोग मन्वय विद्या में नैतिक धर्म, विद्या, धार्मिक आदि जैसे वृक्षों व योग्य उद्योगधर्मियों और व्यापारियों की अधिक संख्या में हम देश का आवश्यकता है।

### पूँजी की गतिशीलता (Mobility of Capital)

पूँजी की गतिशीलता का अर्थ—पूँजी के स्थान या उपयोग में इतने स्थान या उपयोग में प्रयुक्त होने की योग्यता और तन्परता को पूँजी की गतिशीलता कहते हैं। उत्पाद के समस्त मापनों में पूँजी अधिक गतिशील है। पूँजी पूँजीपति में व्यय की जा सकती है, अतः धर्म की भाँति पारिवारिक स्नेह, परदा प्रेम, वातावरण को अनुकूलना आदि व्यक्तिगत बातों का इनकी गतिशीलता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसके प्रतिरिक्त धर्म और पूँजी की स्थानान्तरण दशाओं में बड़ा फरक है। पूँजी सुगमता और कम लागत में एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजी जा सकती है पर धर्म के साथ ऐसा नहीं है।

### पूँजी की गतिशीलता के कारण (Factors leading to the Mobility of Capital)

१. सुरक्षा (Security)—पूँजी की सुरक्षा पूँजीपति का सबसे पहला ध्येय होता है। पूँजी का विनियोग जिसे भी अधिक लाभ या व्याज में हो अपेक्षा नहीं करे, पूँजी की सुरक्षा पर तनिक भी ध्यान नहीं देनी चाहिये। सुरक्षा के अभाव में पूँजी का विनियोग सम्भव नहीं।

२. लाभदायकता (Profitability)—दूसरा ध्यान पूँजीपति का व्याज की दर पर होता है। यदि विनियोग सुरक्षित हो, तो पूँजी उतनी मलाई लायेगी जिसमें व्याज की दर अधिक है।

३. विनियोग के मनोपजनक और विभिन्न मार्ग (Satisfactory & Diverse channels of investment)—देश में क्या-क्या और किस प्रकार के विनियोग-मार्ग विद्यमान हैं, यह देश की आर्थिक दृष्टि पर निर्भर है।

४. तीव्र प्रवाह और पूँजी भेजने के साधन (Rapid Means of Communication and Transmission of Capital)—बिना तीव्र प्रवाह और पूँजी भेजने के साधनों के पूँजी का एक स्थान में दूसरे स्थान को छोड़ना व कम लागत में करना सम्भव नहीं है।

५. विनियोग-क्षेत्र की राजनैतिक स्थिरता (Political Stability of the Region of Investment)—जिस क्षेत्र में पूँजी लगाई जाय वह राजनैतिक स्थिरता में सुक्त होना चाहिये, अन्यथा उसके प्रति विनियोग के दिल में विश्वास जमना कठिन होगा।

६. आर्थिक व्यवस्था का विकास (Development of Financial Mechanism)—पूँजी की गतिशीलता में बैंक व्यवस्था बड़ी महत्वपूर्ण है। अतः उनका विस्तार होना आवश्यक है।

पूँजी की गतिशीलता में भिन्नता (Variation in the Mobility of Capital)—पूँजी की गतिशीलता इन बातों पर भी निर्भर होती है कि पूँजी तरल (Liquid) है या स्थिर (Fixed)। तरल पूँजी अधिक गतिशील होती है। जैसे गवहड़ मनी और विपश्य प्रतिभूतियाँ (Marketable Securities) आदि वस्तुएँ जिसका रोख भाँति में परिवर्तन तीव्रता और सुगमता से हो सके। स्थिर पूँजी इनकी गतिशील नहीं होती है। उदाहरण के लिए, यंत्र, भवनादि में लगी हुई पूँजी बड़ी कठिनता से वापस

निकाशो जा सकती है। इन वस्तुओं के विपणन में अधिक समय लगता है तथा क्षति भी पहुँचती है।

भारत में पूँजी की गतिशीलता (Mobility of Capital in India) भारतीय पूँजी अधिक गतिशील नहीं है इसका निम्नलिखित कारण है—

(१) आर्थिक विकास का सौंदर्य काल (Infancy of Economic Development)—भारत का आर्थिक विकास कालिक नई औद्योगिक यांत्रिक युग नहीं है तथा उनमें कई क्रियाशील भी हैं नहीं हैं परन्तु सुनकी सुरक्षा का प्रति क्षमता का अभाव पूर्णतः न विरहास रहा हुआ है। अतः एसी दशा में पूँजी का गतिशीलता अधिक नहीं हो सकती।

(२) हमारा आर्थिक ढांचा आर्थिक मुख्यवस्थित नहीं है (Our Financial Mechanism is not well Developed)—वर्तमान बैंक देश का अभावपूर्णता में बहुत कम है। देहाता में तो इनका पूर्ण अभाव है। इन्हीं प्रतिरिक्त बका की विम्व भा बहुत कम है। इसमें पूँजी की गतिशीलता में बाधा पहुँचती है।

(३) साहस का अभाव (Lack of Enterprise) भारतवासियों में साहस का अभाव है। उनमें जोखिम उठाने की भावना अभी पूर्ण रूप से जाग्रत नहीं हुई है। अस्तु विविध भाग भाग है।

(४) वैश्यानी (Dishonesty) कभी-कभी अर्थशास्त्रिक वाणिज्य में अनिष्ठा का अभाव अभाव है तथा उनका नाम क प्रति अनेक साधारण दिशाओं जनता से पूँजी हस्तांतरण की जाती है। जब वास्तविकता प्रकाश में आती है तो वे लोग का निर्यात विफल पड़ा जाता है। इसमें कुप्रभाव में अनेक वाणिज्य को भी हानि पहुँचती है।

(५) जन साधारण की अत्यधिक निधनता (Extreme Poverty of the People)—भारतवर्ष में अविपणन लोग इन निधन हैं कि उन व्याप्त अभाव वस्तु प्राप्ति तक उपलब्ध नहीं होते। ऐसी दशा में उनमें अल्प की मात्रा अभाव मान है। देहाता में अमीरों की वस्तु कन अल्प होने से वहा पूँजी की वृद्धि और भी कम है।

(६) दृढ़तादिना और लागू की अनुत्पादक मध्य की प्रकृति (Conservatism & Hoarding Habit of the People)—अधिकतर भारतवासी अल्प पुत्रों के पथ में विचलित नहीं हाना चाहते हैं। प्राचीन समय में अल्प अल्पता पूँजी अल्प अल्प में निगमित है अथवा उन्हीं जमीन में गाँवकर रपत है। इसमें उत्पादक बायो क लिए पूँजी का अभाव हो जाता है।

(७) सहायक व्यवसायों और धन्य का अभाव (Lack of Subsidiary Industries and Occupations)—सहायक व्यवसायों और धन्य का अभाव में पूँजी अभाव में अभाव में अमीरों को जानी है निर्यात पूँजी की अल्प और अल्पता गतिशीलता अभाव है।

(८) विश्वसनीय सूचनालयों का अभाव (Lack of reliable Information Bureaus)—भारतवर्ष में ऐसी सहायका का पूर्ण अभाव है जिन्हें उच्च साधारण पूँजी अल्पता व लाभदायक विविध भाग बाँटने में आजगता प्राप्त कर सक।

(९) विश्वासमान और अनुभवी उद्योगपतिवर्ग और व्यापारियों का अभाव (Lack of Reliable and Experienced Industrial Magnates & Businessmen)—जन साधारण में अल्प अल्पता का अभाव अभी दूर ही

सकती है जबकि देश में अधिकधिक महत्वा में विस्वासपात्र और अनुभवी उद्योगपति न व्यापारी हों।

(१०) सरकार की औद्योगिक नीति (Industrial Policy of the Government)—ब्रिटिश राज्य काल में सरकार की औद्योगिक नीति भारत में उद्योग प्रवर्धन के लिये खिंची रही। परन्तु अब भी भारत में सरकार की नीति विद्युत् स्पष्ट नहीं है सरकार ने १० वर्ष पश्चात् उद्योगों में राष्ट्रीयकरण की बातें जाँच कर पारित प्रस्तुत की हैं उसमें पूँजीपतियों के मन्त्रिक में प्रस्तावित पैदा कर दी है।

भारत में पूँजी की अनिश्चलता की वाधायुक्तता का दूर करने के उपाय

१. विनियोग पैका और अन्य सलाहकार मन्त्रालयों की स्थापना (Establishment of Investment Board & Other Consultancy Bodies)—इसमें पूँजी व विनियोग व सम्बन्ध में ठीक और विस्वास करने योग्य सलाह मिल सकती है।

२. केवल सफल होने वाली सम्पत्ति ही बाजार में जाय (Success only concerns having of the success)—राज्य के औद्योगिक विकास के दौरान काल में पत्र हानि वाली सम्पत्तियों को आरम्भ करना बन्द आर्पित करने के लिये किन्हीं उद्योगों को पूँजी नगने में बड़ी हितक पैदा हो जाती है।

३. प्रांतीय औद्योगिक कारपोरेशन की स्थापना (Establishment of Provincial Industrial Corporation)—भारत के प्रत्येक प्रांत में वणिज्य इकायों की कमी के कारण के अनुसार औद्योगिक कारपोरेशन की स्थापना हानी चाहिए किन्तु उद्योगों का दीर्घकालीन प्रकल्पित करने और उच्च साधारण में विनियोग सम्बन्धी विश्वास पैदा हो सके।

४. आधुनिक बैंकिंग प्रणाली का विकास और सहकारी आन्दोलन का प्रसार (Development of Modern Banking and Expansion of Cooperative Movement)—इसमें अनुत्पादक कार्यों में लगा हुई पूँजी निकाल कर उत्पादक कार्यों के लिये उपलब्ध हो सकेगी।

५. सरकार की अनुकूल नीति (Sympathetic Attitude of the Government)—भारत सरकार की नीति में निम्न उद्योगों के लिये अधिक महत्त्वपूर्ण आवश्यक है।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर ग्राम परीक्षाएँ

- १—पूँजी किसे कहते हैं ? उत्पादन में उसका क्या स्थान है ? (५० वा० १९५०)
- २—पूँजी का मूल्य किन किन बातों पर निर्भर है ? भारत की पूँजी सम्बन्धी वर्तमान स्थिति में उदाहरण दीजिए। (५० वा० १९५६)
- ३—पूँजी की कार्यक्षमता किन बातों पर निर्भर है ? व्यवस्थापक द्वारा पूँजी अधिक निवेशित किस प्रकार बनाई जा सकती है ? (३० प्र० १९५६)
- ४—चत और प्रचल पूँजी में भेद बताइए। पूँजी का संचित हो जाना किन किन बातों पर निर्भर है। (३० प्र० १९५० ३० प्र० १९५३)

५—पूँजी की परिभाषा दीजिए। भारत में पूँजी की सचय की मदद बनाने का कारण दीजिए। (ग्र० वी० १९५५)

६—पूँजी शब्द से क्या क्या अर्थ समझते हैं? व कौन सी दशाएँ हैं जो इसकी पूर्ति निर्धारित करती हैं? यह भी बताइए कि ये दशाएँ भारतीय गाँवों में कहीं तक पाई जाती हैं? (रा० वी० १९५३)

७—भारतीय सदन में बताइए कि व कौन सी दशाएँ हैं जो धन की सचय में सहायक होती हैं? ये कौन कौन से कृषक पर कहाँ तक लागू हैं? (रा० वी० १९५१)

८—देश में पूँजी के बचने के कारणों को स्पष्ट कीजिए। क्या भारत में पूँजी की कमी है? (म० भा० १९५५)

९—पूँजी की परिभाषा कीजिए। उसने निर्माण की प्रक्रिया में क्या भूमिका है। देश में पूँजी का सचय किन कारणों पर निर्भर रहता है वह सभ्यता में बताइए। (नागपुर १९५८)

१०—नोट लिखिए —

चन और अचन पूँजी ( उ० प्र० १९५७ ५२, ४८ ) म० भा० १९५५,  
नागपुर १९५७ नागपुर १९५५ )

इन्टर एग्जामिनेशन

११—पूँजी शब्द की परिभाषा कीजिए तथा चन अचन पूँजी पर एक संक्षिप्त नोट लिखिए। (रा० वी० १९५६, ग्र० वी० १९५७, ५२)



मशीनों का उपयोग  
(The Use of Machinery)

मशीनों का प्रादुर्भाव एक महत्त्व—पूँजी के कई रूप हैं जिनमें मशीन उसका सबसे महत्त्वपूर्ण रूप है। औद्योगिक शक्ति के फलस्वरूप मशीनों के आविष्कार हुये जिनके कारण उत्पादन-क्षेत्र में आश्चर्यजनक उन्नति हुई। मशीनों के प्रयोग में मनुष्य ने प्राकृतिक शक्तियों पर विजय प्राप्त की और आधुनिक सभ्यता की और अग्रसर हुआ। कृषि, उद्योग, यातायात और व्यापार में मशीनों का प्रयोग उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है। आधुनिक आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था में मशीनों का इतना महत्त्वपूर्ण स्थान है कि इस युग को हम मशीन युग (Machine Age) बताने लगे हैं।

अब हम यह देखेंगे कि मशीनों के प्रयोग में मनुष्य को क्या लाभ और हानियाँ हैं।  
मशीनों में लाभ (Uses or Advantages of Machinery)

मशीनों से बहुत से लाभ हैं, उनमें निम्नलिखित मुख्य हैं :—

१. प्रकृति पर मनुष्य का अधिकार बढ़ गया है—मशीनों द्वारा आज मनुष्य ने प्राकृतिक शक्तियों पर अपना अधिकार स्थापित कर बड़े बड़े आश्चर्यजनक काम कर दिखाये हैं। जैसे, बड़ी-बड़ी नदियों पर पुल बंध बना दिये गये हैं, हवाई और समुद्री जहाज, रेलें, बिजली आदि अनेक आविष्कारों में उसने आज प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली है और करता ही जा रहा है।

२. मनुष्य भारी और निरम काम करने में मुक्त हो गया है—मशीनों के आविष्कारों के पूर्व मनुष्य को भारी से-भारी काम अपने आप करना पड़ता था जिसे उसकी शारीरिक शक्ति में हानि होकर वह शीघ्र ही मृत्यु का शिकार हो जाता था। अब मशीन द्वारा भारी-भारी वस्तु उठा कर इच्छित स्थान पर आसानी से पहुँचाई जा सकती है। इसके अतिरिक्त मशीन के अभाव में एक ही प्रकार का काम मनुष्य को बार-बार करना पड़ता था। परन्तु अब यह कार्य मशीन द्वारा सुगमता से सम्पन्न किया जा सकता है जिसमें कार्य में नीरमता नहीं रहती है। जैसे, वागजों का मोड़ना आदि।

३. मशीन में श्रमिक की योग्यता में वृद्धि होती है—मशीनों में विशेषकर छोटी मशीनों के निर्माण और प्रयोग में बड़ी चतुराई की आवश्यकता होने में वह निपुण, सावधान तथा होशियार हो जाता है जिसके कारण उसकी योग्यता में वृद्धि होती है।


४ मशीनों से श्रम की गतिशीलता बढ़ती है—मशीनों के प्रयोग से श्रम की गतिशीलता में वृद्धि होती है। एक कारखाने में काम करने के बाद दूसरे कारखाने में भी काम आसानी से किया जा सकता है क्योंकि कुछ उद्योगों में मशीनें लगभग एक ही होती हैं।

५ मशीनें द्वारा काम अधिक नियमितता, निश्चितता और ईमानदारी से होता है—मशीनें द्वारा जो काम किया जाता है वह मनुष्य की प्रकृति अधिक नियमित, निश्चित और शीघ्र होता है। यदि हाथ से कारीगर दस दिन में एक मशीन बनाता है तो मशीनें से दस मशीनें एक दिन में बन जाते हैं। इसके अतिरिक्त मशीनें द्वारा बनी हुई मशीनें एक-दूसरे को बनाती हैं परन्तु हाथ से बनी हुई एक ही प्रकार की वस्तुओं में भिन्नता पाई जा सकती है।

६ मशीनें द्वारा अधिक वस्तुएँ कम लागत में बनाई जा सकती हैं—मशीनें द्वारा बहुत अधिक परिमाण में बनाई जाने के कारण सस्ती पड़ती हैं। जो वस्तुएँ पहले देवन घनी लागत पर खरीदे मरने के बाद अब मशीनें हान में जन साधारण के प्रतिदिन के उपभोग को वस्तुएँ हो गई हैं।

७ मशीनों पर अनुभव अधिक भी कार्य कर सकते हैं—साधारण योग्यता वाले श्रमिक भी अब मशीनें द्वारा वह काम कर सकते हैं जो पहले निपुण श्रमिकों द्वारा ही सम्भव हो सकता था। अब सब दक्षता का कार्य मशीनें करती हैं श्रमिक को तो केवल मशीनें संचालन की ही देख रेख करनी पड़ती है।

८ मशीनों में समय में बचत होती है और अधिक उत्पादन मिलता है—मशीनें के प्रयोग में बचत हान में उत्पादन अधिक मिलने लग गया है। इस उत्पादन का अब मनोरंजन में समय आध्यात्मिक विकास तथा धार्मिक लाभदायक कार्यों द्वारा सदुपयोग हो सकता है।



९ मशीनों से दूरी और समय की समस्या बहुत कुछ हट हो गई है—मशीनें द्वारा अब माल एक स्थान से दूसरे स्थान को सुगमता, शीघ्रता और कम खर्च से भेज सकते हैं। मशीनें का काम दिना और घंटा में हान नग गया है। सड़क के विभिन्न भागों के मनुष्य एक दूसरे के मशीनें आ गए हैं। अब सारा सभार समुपेय कुटुम्बान् हा गया है।

१० मशीन के प्रयोग से मनुष्य की बुद्धि और व्यक्तित्व का विकास होता है—मशीन पर काम करने के नियम प्रायः ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता होती है जो बुद्धि और उत्तरदायित्व में काम कर सकें। इसलिये मशीन पर काम करने वाले व्यक्तियों की बुद्धि और उत्तरदायित्व में विराम होना स्वाभाविक है।

११ मशीन में गजगार मिल जाता है—मशीन के प्रयोग में उत्साह-धन्यता में पर्याप्त विकास हो रहा है जिसके फलस्वरूप बहुत से मनुष्यों को काम-धन्यता मिल जाती है।

१२ मशीन में मजदूरी में उद्भि होकर जीवन स्तर में सुधार हो सकता है—कारखाना में मजदूरी घटती मिलती है जिससे श्रमिकों का जीवन स्तर में सुधार हो सकता है।

### मशीनों में हानियाँ

#### (Abuses or Disadvantages of Machinery)

मशीनों के प्रयोग में होने वाली हानियाँ निम्नलिखित हैं—

१ मशीनों के प्रयोग से श्रमिकों की शक्ति घटती है—मशीनों की गहराई से एक ही श्रमिक बहुत से श्रमिकों का काम कर सकता है अतः इसका बर्तन बढ जाती है। परन्तु मनुष्यों के मजदूरी में उतनी राशि बढ जाती है और श्रम में कुछ और व्यक्तियों को भी काम मिल जाता है।

२ मशीनों के प्रयोग से श्रम की नीरसता बढती है—मशीनों पर काम करते समय श्रमिकों का ध्यान एक ही मशीन की राशि का देखना या ही कार्य करना पड़ता है, इसलिये उनका काम नीरस हो जाता है। परन्तु इसके साथ साथ यह भी बात है कि काम के घटे कम ही मजदूरी मिलने लग गया है। इस अवस्था का श्रमिक मनुष्योपयोग कर सकता है।

३ मशीनों के प्रयोग से श्रमिकों का स्वास्थ्य बिगड़ता है—मशीनों के कारखानों के पूर्व श्रमिकों को घरे के कारखानों में स्वतन्त्रतापूर्वक अपनी इच्छानुसार गति में काम करते थे जिसमें उनका स्वास्थ्य बिगड़ने नहीं पाता था। लेकिन अब उन्हें परलक्ष्य हाकर किसी एक निर्दिष्ट म नियम समय पर ही निरंतर कार्य में लगना पड़ता है जिससे उनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके अतिरिक्त मशीनों की आवाज और शोर शरणा की गर्मी आदि बातों से आतावरण अस्वास्थ्यकर हो जाता है।

४ मशीनों से अत्युत्पादन होना सम्भव है—मशीनों के द्वारा माल की मात्रा में तयार होता है। अत्युत्पादन (Over Production) में बाजार में माल के राशि की अपेक्षा पूर्ति बढ जाती है जिसके फलस्वरूप मूल्य घटने लगता है। उत्पादन कम होने लगती है और आर्थिक संकट हो जाता है। श्रमिकों को मजदूरी में घटती और मजदूरी में कमी होने लगती है।

५ मशीनों में श्रमिकों को आर्थिक क्षति पहुँचती है—मशीनों में बने हुए माल की प्रतियोगिता में मूल्य का घना हुआ माल नहीं बिक सकता क्योंकि मूल्य का घनाया हुआ माल बिकता है और मनुष्य उसे आसानी से नहीं खरीद सकता। इससे स्वतन्त्र श्रमिकों का निर्वाह नहीं हो पाता।

६. मशीन श्रमिकों के शारीरिक एवं नैतिक पतन का प्रमुख कारण बन चुकी है—कारखाना प्रणाली के अन्तर्गत सहस्र मनुष्यों का औद्योगिक केन्द्रों में बंधना पड़ता है जिनसे आबादी में अत्यधिक वृद्धि होकर अस्वास्थ्यकर वातावरण पैदा हो जाता है। रहने के लिए स्वच्छ मकानों के अभाव में श्रमिकों को गन्दे काल कोठरियों में रहना पड़ता है। ऐसे वातावरण में मजदूर, अत्यधिक भाग विलास व अन्य शारीरिक एवं नैतिक पतन करने वाले अनेक दोषों का उत्पन्न हुला स्वाभाविक है।

७. मशीन से बनी वस्तुएँ इतनी सुन्दर और कलात्मक नहीं होती जितनी कि हाथ से बनी वस्तुएँ होती हैं—अन्न भी अधिकतर कलात्मक वस्तुएँ हाथ से ही बनाई जाती हैं, जैसे कस्तूरी का काम, रेशमी साड़ियाँ आदि।

८. मशीनों के प्रयोग में स्वामियों और श्रमिकों के मध्य सर्घर्ष चलता रहता है—श्रमिकों को पारिश्रमिक मजदूरी के रूप में दिया जाता है उसमें वे प्रायः असन्तुष्ट रहते हैं और स्वामियों के अत्यधिक लाभ को अनुचित पतनाने हैं। इसके अनैतिक के और कई युधिधायों की गाँग करते हैं जिन्हें मिल मात्तिक देने में आना-जाना करने है, इन कारणों से उनमें घापस में सर्घर्ष चलता रहता है जिनमें फलस्वरूप हड़तालें, तालाबंदियाँ आदि असाध्य घातक प्रवृत्तियों की भेदसाहज मिलता है।

९. मशीन कुशल श्रमिकों को केवल मशीन चलाने वाले ही बना देती है—मशीनों के प्रयोग में श्रमिकों को अपनी कामकुशलता दिखाने का अवसर नहीं मिलता, क्योंकि सब कारीगरों का काम मशीन द्वारा ही सम्पन्न होता है। श्रमिक चाहे जितना कुशल बंधो न हो उसे केवल छोड़े छोड़े मशीन के चलने की गति को ही देखना पड़ता है।

१०. आधुनिक औद्योगीकरण के दोषों की जन्मदाता मशीने ही है—औद्योगिकवाद से पूँजीवाद की उत्पत्ति हुई है और इसमें स्त्री व बच्चा तथा उपभोक्ताओं का शोषण होता है।

**निष्कर्ष (Conclusion)**—वास्तव में, मशीनों से लाभ और हानियाँ दोनों ही हैं। परन्तु वर्तमान समय में मशीनों का प्रयोग इतना बड़े षय है कि उनके बिना हमारा सामाजिक जीवन चलना कठिन है। अस्तु आवश्यकता इन बातों को है कि जहाँ तक हो सके मशीनों के प्रयोग में होने वाली हानियाँ पर विचार किया जाय और उन्हे दूर करने के उपाय सोचे जायें।

**मशीनों का उत्पत्ति पर प्रभाव (Effects of Machinery on Production)**—मशीनों के प्रयोग से उत्पादन क्षेत्र में शान्ति सब गई है और उत्पत्ति को विविध प्रकार में प्रभावित कर दिया है। उत्पत्ति पर मशीन के कुछ प्रभाव विशेष में नीचे दिये जाते हैं :—

१. बड़े परिमाण में उत्पत्ति (Mass Production)
२. वस्तुओं का प्रमाणीकरण (Standardisation of Goods)
३. शुद्धता और सटीकता (Accuracy and Exactness)
४. उत्पत्ति की कारखाना प्रणाली (Factory System of Production)
५. उत्पत्ति में श्रम-विभाजन (Division of Labour in Production)

६. उत्पात को लागत का अत्यधिक कम होना (Enormous Decrease in the Cost of Production)

मशीनों का श्रम पर प्रभाव (Effects of Machinery on Labour)—  
मशीनों के प्रयोग ने श्रम पर अत्यधिक प्रभाव पड़े हैं और बुरे भी। ये दोनों ही प्रकार के प्रभाव नीचे दिये जाते हैं।—

(अ) मशीनों पर श्रम से उत्तम प्रभाव (Good Effects of Machinery on Labour)—

१. मशीनों ने श्रमिकों को योग्यता, बुद्धि और विचारशीलता में वृद्धि होती है।
२. मशीनों के उपयोग में श्रमिकों को शारीरिक श्रम करना पड़ता है।
३. मशीनों से श्रम की गतिशीलता में सहायता मिलती है।
४. मशीनों पर प्रकुशल श्रमिक भी यथाविधि काम कर सकता है।

(आ) मशीनों का श्रम पर बुरा प्रभाव (Bad Effects of Machinery on Labour)—

१. मशीनों के प्रयोग ने बेकारी बढ़ती है।
२. मशीनों से काम में तीव्रता आ जाती है।
३. श्रमिक मजदूरी पर काम करते हैं इसलिए उत्पात-कार्य में उनकी कोई रुचि नहीं होती।
४. श्रमिक मशीनों पर बनाई जाने वाली वस्तु के केवल एक ही अंग को देखता रहता है, इसलिए सम्पूर्ण वस्तु के निर्माण होने पर जो प्रसन्नता किसी को होती है इससे वह वंचित रहता है।
५. मशीनों का प्रयोग अपने मुविधानुसार नहीं हो सकता। श्रमिक को तो काम करने के लिये कारखाने में जाना ही पड़ेगा।
६. मशीनों प्रयोग से कुशल श्रमिक केवल मशीन-चालक बन जाता है।

कृषि में केवल मशीनों का प्रयोग (Use of Machinery in Agriculture)

मशीनों के प्रयोग ने संती न बड़ी उन्नति हुई है इसका प्रमाण हमें अमेरिका और इङ्ग्लैंड के उदाहरणों से मिल सकता है। खेत की जुताई से लेकर फसल के घर लाने तक की समस्त क्रियाओं में मशीनों का प्रयोग बड़ा साभवायक सिद्ध हुआ है। उदाहरण के लिये भारतवर्ष में देशी बगों और औजारों में खेती होती है और इङ्ग्लैंड में प्राधुनिक मशीनों द्वारा। भारतवर्ष में एक एकड़ भूमि की फसल को एक दिन में काटकर खलियान में ले जाने में ८ पुरुष और कुछ स्त्रियों की आवश्यकता होती है, परन्तु इङ्ग्लैंड में मशीनों के प्रयोग से एक आदमी एक दिन में ६ एकर भूमि की फसल को काटकर तथा बाँधकर खलियान में पहुँचा देता है।

मशीनों और भारतीय कृषि (Machinery & Indian Agriculture)

अमेरिका, इङ्ग्लैंड आदि देशों में बड़े बड़े खेतों के होने से तथा अन्य कई कारणों से मशीनों का उपयोग किया जाता है परन्तु भारतवर्ष में मशीनों के प्रयोग के लिये अनुकूल परिस्थितियों का अभाव है। अस्तु भारतवर्ष में निम्नांकित कारणों से खेती में मशीनों का प्रयोग नहीं हो सकता :—

(१) भारतवर्ष छोटे छोटे और यज्ञ-नग्न स्थित खता का देश है जहाँ मगाना द्वारा खती लाभदायक सिद्ध नहीं हो सकती ।

(२) भारतवर्ष की अधिकांश जनता कृषि पर ही निर्भर है । मगाना द्वारा बड़े पैमाने पर खती करने में एक बड़ी समस्या में किसानों को बदखल करना पड़ेगा जिसमें एक दम बवारी बट जायगी । इस बवारी की समस्या को हल करना कठिन होगा क्योंकि किसानों के लिये खती के अनिश्चित जोखिम निर्वाह का अन्य कोई साधन नहीं है ।

(३) जिस देश में धर्म का अभाव हो वहाँ मगाना का प्रयोग लाभदायक सिद्ध हो सकता है । परन्तु भारत जन्म देश में जहाँ धर्म की प्रचुरता है मगाना का प्रयोग हानिकारक सिद्ध होगा क्योंकि खत्म बवारा बगी ।

(४) भारतवर्ष कृषक नियंत्रण और ऋण-रहित हैं अतः ये आधुनिक मगाना को न तो खरीद सकते हैं और न उनकी रकम का खर्चा ही सहन कर सकते हैं ।

वतमान दशावस्था में भारतीय कृषि मगाना के प्रयोग के लिये अनुपयुक्त है । मग ही बचपड़ ज़म्बोदार गत आदि की खती के लिये इनका मनाभ प्रयुक्त कर सकते हैं ।

### अभ्यासाथ प्रश्न

इष्टर आदि म पंग गाए

१—मगाना के लाभ तथा हानियाँ की विवेचना कीजिये । (३० प्र० १८४१)

२—उत्पत्ति में मगाना के प्रयोग के लाभ और हानियाँ बताइयें ।

(१० बा० १६५१ ४३ म० भा० १८५५)

३—क्या मगाने देश का धन वृद्धि में काम सहायता करती है ? क्या आप इसका प्रमाण अपने देश में अधिक पैमाने पर करने के पक्ष में हैं ? (१० भा० १८५३)

४—उत्पादन में धन के गण दोषों का वर्णन कीजिये । (१० भा० १८५५)

५—उद्योगों के लिये मगाने सिद्धित वर्दान है । स्पष्ट व्याख्या कीजिये ।

संगठन  
(Organisation)

संगठन का अर्थ (Meaning)—अब तब हमें उपर्युक्त के तीन साधना भूमि धर्म और पूँजी—का अध्ययन किया है। इन सबका अपना अपना महत्व है और य तीनों उत्पत्ति के नियम अनिवार्य हैं। परन्तु व्यक्तिगत रूप में इनका कोई महत्व नहीं है। उनका महत्व और उनकी कार्यक्षमता उनका पारस्परिक मयाग और सहयोग पर ही निर्भर है। अस्तु ठीक प्रकार का उपर्युक्त के नियम इनका उचित मयाग और सहयोग नितान्त आवश्यक है। इन सबका एक साथ जुटा कर इनका सम्मिलित रूप में मंचालन करने के लिये काय का अर्थान्त म संगठन या व्यवस्था कहते हैं। उत्पत्ति का विविध साधना का सर्वोत्तम मयाग और सहकारिता तथा उनकी मुख्यव्यवस्था को संगठन कहते हैं। जो अर्थान्त संगठन करके का भाग अपने ऊपर लेता है वह संगठनकर्ता या व्यवस्थापक (Organiser) कहलाता है।

संगठन का महत्त्व (Importance)—संगठन या व्यवस्था अर्थोत्पत्ति का प्रमुख साधन है। इसके बिना किसी भी प्रयत्न या धर्म में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। आर्थिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में भी उत्पत्ति में किसी न किसी प्रकार का संगठन अवश्य पाया जाता था। किन्तु बिना का औद्योगिक व्यवस्था इनका आवश्यक एवं सरल हानी भी कि संगठन या व्यवस्था का कोई अधिक महत्त्व नहीं था। परन्तु जैसे जैसे समाज की उत्पत्ति हानी गई वैसे वैसे संगठन का महत्त्व भी बढ़ता गया। आज कल की आर्थिक व्यवस्था में संगठन अनिवार्य बन गया है। उत्पत्ति के विभिन्न साधना व स्वामी अलग अलग होते हैं। एतएव ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता हानी है जो इन साधना को उत्पादन-काय के लिये एकत्रित करे। उत्पत्ति की वृद्धि व साधना-साधनीता का प्रयाग मडिया का विकास धर्म विभाजन आदि व कारण आधुनिक व्यवसाय या उद्योग का प्रचलन बढ़ने ही उत्पत्ति और जोखिमी हो गया है। जो उद्योग प्रचलन व काय में निष्पन्न तथा विफल होते हैं वे ही ऐसे काम को हाथ में न ले सकते हैं। अस्तु आजकल की उत्पत्ति में संगठनकर्ता का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है।

संगठनकर्ता के काय (Functions of an Organiser)—आधुनिक उत्पादन में संगठनकर्ता अनेक आवश्यक और महत्त्वपूर्ण काय सम्पन्न करता है। व्यवसाय का सम्पूर्ण भाग उसी पर निर्भर होता है। उसकी नीति और उद्देश्य कार्यों का उत्पादन व अर्थ साधना की उत्पादन शक्ति पर आर्थिक प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार उत्पादित की काय शक्ति पर मुद्रा का विज्ञय या पराजय निर्भर हानी है उसी प्रकार संगठनकर्ता

पर व्यापार की सफलता और असफलता निर्भर होती है। एक चतुर सेनापति की भाँति उसको सामरिक तथा बाह्य अनुशासन रखना पड़ता है। वह उपपत्ति के समस्त माधना का नियंत्रण करता है उन्हें संचालित करता है और उचित आशा देता है। इंग्लैण्ड उसे उद्योग का कप्तान या सेनापति (Captain of Industry) कहते हैं। सगठनकर्ता के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं —

(१) कार्य की सुव्यवस्थित योजना बनाना—सबसे पहले सगठनकर्ता सम्पूर्ण कार्य की आरम्भ में प्रत्येक सुव्यवस्थित योजना बनाता है। वह यह निर्णय करता है कि कितने वस्तुओं की उपपत्ति की जायगी? उत्पत्ति का परिमाण क्या होगा? उत्पादन के लिये कौन-कौन से दण काम में लाये जायें और व्यवसाय का मूल्य स्थान कहाँ रहेगा।

(२) उपपत्ति के विविध माधना का संश्लेषण मात्रा में जुटाना साधारण नीति का निर्णय करने के पश्चात् उपपत्ति के आवश्यक माधना का वह सरोचना है और उनकी इस प्रकार व्यवस्था करता है कि उत्पत्ति अधिकार्थिक हो और व्यय कम में कम। इसलिये वह मदव उपपत्ति के श्रेष्ठतर उपायों की छात्र में साग्रम रहता है। उसे यह देखना होता है कि प्रत्येक माधन वह कार्य कर रहा है या नहीं जो उस वर्ग के लिये दिया गया है और कोई गति बेवारता नही जा रही है। वह उत्पादन के सम्पूर्ण क्षेत्र पर नियंत्रण रखता है।

(३) श्रमिकों का सङ्गठन—समस्त श्रमिकों को उनकी दुर्ति गिता देता और दक्षता आदि के आधार पर भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजन कर प्रत्येक श्रमिक को उसकी योग्यतानुसार काम देना उनके काम के घण निश्चित करना तथा काम की देल रख करना भी सगठनकर्ता का कार्य है। वह आर्थिकता का अनुशासक है और परिश्रमिता का उत्साह देता है। साराण यह है कि वह श्रमिकों में श्रमिकों में श्रमिकों का प्रयत्न करवाता है।

(४) आवश्यक मशीनों तथा औजारों की व्यवस्था करना—वह श्रमिकों के लिये उत्तम औजारों और यंत्रों की व्यवस्था करता है जिसमें उनकी कार्य शक्ति बढ़ती रहे। नवीनतम यंत्रों से उन जातकारों रखनी पड़ता है और उनका व उपयोग भा करता है। वह यह भी देखता है कि सब मशीनों का उपयोग बर्थावर्ति हो रहा है या नहीं। पुरानी मशीनों के स्थान पर नई मशीन खरीद कर उनकी दक्ष रेश और मरम्मत का उम पूरा ध्यान रखना पड़ता है।

(५) श्रमिकों का प्रवर्धन करना—उम आवश्यक माल को उचित मात्रा में उचित स्थान से और अनुकूल समय पर नूतनतम लागत पर देने का भा प्रवर्धन करता पड़ता है।

(६) उत्पत्ति की मात्रा एवं किम्ब का निधारण—उद्योग या व्यवसाय की सफलता के लिये उत्पत्ति का उचित परिमाण और निरम का होना आवश्यक है। यदि माल माग में अधिक बना है या उसका किम्ब प्रचलित पणन के अनुसार नही है तो हानि होना स्वाभाविक है। इसलिये सगठनकर्ता को वाज्जर व मडिया में सशक रहना प्रति प्रावश्यक है।

(७) माल की विक्री का व्यवस्था करना—उत्पत्ति की विक्री की व्यवस्था करना भा उदना ही प्रावश्यक कार्य है जिनके कि श्रमिकों का। सगठनकर्ता को यह देखना होगा कि उसके माल को कहाँ कहाँ खपत हो सकेगी उम माल का किन्त



प्रकार विभापन किया जाय जिसमें भाग में वृद्धि हो तथा तयार भाग को किन्हीं साधना द्वारा मटिया तक पहुँचाया जाय। किसी भी व्यवसाय की सफलता अधिक अथवा कम इन बातों पर निर्भर है।

(८) अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा उत्पादन के नये सूत्र और उत्तम ढंगों की खोज संगठनकर्ता अनुसंधान और वैज्ञानिक प्रयोगों द्वारा उत्पादन के नये सूत्रों और उत्तम ढंगों को मान्य करने का प्रयत्न करता है।

(९) साहस और जोरम उठाने का कार्य—जब संगठन और साहस का कार्य अलग अलग न होकर एक ही व्यक्ति के जिम्मे होता है तब संगठनकर्ता का संगठन कार्य एक प्रतिरिक्त साहस (Enterprise) का सम अर्थात् लाभ हासिल उठाने की भाँसा में सहनी पड़ती है।

(१०) विविध कार्य—उपयुक्त कार्यों के प्रतिरिक्त उसे अनेक विविध कार्यों का सम्पन्न करना पड़ता है। वह विभिन्न उत्पादों के साधनाओं के प्रतिस्थापन नियम (Law of Substitution) के अनुसार सर्वोत्तम अनुपात में मिलाकर उत्पादन वृद्धि नियम का विधापन रखने का प्रयत्न करता है।

संगठन की कार्यक्षमता (Efficiency of Organisation)—संगठन का कार्यक्षमता का अर्थ उत्पादन का अधिकतम मिलव्ययना के साथ प्रयत्न करने की योग्यता से है। व्यवसाय की सफलता मिलाव्ययना के साथ प्रयत्न करने की योग्यता संगठनकर्ता की कार्यक्षमता पर अवलम्बित होती है। अस्तु संगठनकर्ता का व्यवस्थापक का सुयोग्य होना आवश्यक है। एक कुशल और सुयोग्य व्यवस्थापक या संगठनकर्ता के निम्नलिखित गुण होने चाहिए—

१ दूरदर्शिता (Foresight)—व्यवस्थापक में भावी भाग का सत्यापक और गुणात्मक अनुमान लगाने की सामर्थ्य होनी चाहिए और उस भाग का परिचालन करने वाली राजनैतिक सामाजिक प्रयत्न जनवापु सम्बन्धी सभी प्रकार की साधना का ज्ञान होना चाहिए। उसमें प्रत्येक उत्पादों के साधन की लागत के आधार पर तयार भाग की लागत का अनुमान लगाने की भी योग्यता होनी चाहिए।

२ संगठन शक्ति (Organising Capacity)—एक योग्य संगठनकर्ता वह है जो उत्पादों के समस्त साधनों को सर्वोत्तम अनुपात में मिलाकर अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके।

३ श्रेष्ठ संगठन की विशेष योग्यता (Special Ability to organise labour)—समस्त उत्पादों के साधना में से श्रेष्ठ एक सक्रिय साधन है एवं इसका संगठन के लिये विशेष योग्यता और चतुराई की आवश्यकता है। उसे व्यक्ति की मनोवृत्तियों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। योग्यता के साथ उसकी महाबुद्धि होनी चाहिए। संगठनकर्ता का व्यक्तिव एवं चरित्र ऐसा होना चाहिए जिसमें श्रमिकों का उनके प्रति विश्वास हो सके और वे उसे आदर की दृष्टि में देखें। श्रमिकों की उचित मर्यादा पर उन सख्त उदार रहना चाहिए क्योंकि कुशल मजदूर अधिक काम करता है। उसमें इतनी योग्यता होनी चाहिए जिसमें परिश्रमी और कुशल श्रमिकों को प्रोत्साहित और आत्मविश्वास को प्रयोजित दंड भीगना पड़े।

४ उच्च शिक्षा (Higher Education)—उच्च शिक्षा द्वारा संगठनकर्ता की ज्ञान और निरूपण शक्ति बढ़ती है। उसके बुद्धि विकास के लिये अध्यात्म का विधापन ही उच्च शिक्षा का निष्कर्ष है।

१. **विशिष्ट ज्ञान (Technical Knowledge)**—एक कुशल सगठन कृषि के लिए विशिष्ट ज्ञान भी आवश्यक है। उन कृषि माल की विद्या और नुस्खा का पूरा ज्ञान होना चाहिए। व्यापार संचालन और मार्केटिंग व्यवस्था से बिना ज्ञान के प्रतिस्पर्धित मगाना और श्रोजोग न गम्ब ब म भी उन पूरी ज्ञानकारी हानी चाहिए।

६. **अनुभव (Experience)**—अनुभवी सगठनकृषि अधिक जगता सिद्ध हो सकती है क्योंकि बहुत सी बात अनुभव द्वारा सीखी जा सकती है।

७. **विश्वास ज्ञान का यशस्विता (Ability to inspire Confidence)**—आधुनिक व्यापार का दृष्टि अधिकतर उद्योग पर स्थिर है। उद्योग सक्ति तथा मित मकना है तबकि पूजापतिया का व्यवस्थापक पर पूरा विश्वास है। अतः विश्वास ज्ञान वात सवाई स्थानकारी सक्ति शृंगु व्यवस्थापक म अथ य हाने चाहिए।

### भारत म सगठन (Organisation in India)

**कृषि और कुशल व्यवसाय (Agriculture and Cottage Industries)**—भारतका म कृषि और कुशल व्यवसायका पूरा अभाव है। कृषि और कृषि-व्यवसाय की जगता नो बरी नो गम्भीर है। हमारे विश्वास और कारीगर जा स्वयं अपने अपने व्यवसायका म सगठन करत है। एतन याम्य और कुशल नह्य है जिसका कारण दोना व्यवसाय पतित अवस्था म है। एतनी और कृषि-व्यवसायका उत्पादन एतन कम है और उनका संचालन जीवन निवाहक लिए भी पर्याप्त नह्य है। अस्तु दृष्टि का प्राथमिक उद्देश्य है कि गीस्रा तपोत्र एतन व्यवसायका म सुसगठित किया जाय क्योंकि एत पर अविज्ञान भारतवासियोंका म भाग्य निर्धार है।

**उद्योग प्रबंध (Industries)**—भारत म जूरा नह्य और मूली कपड़ा क कार ज्ञान ता वर सुचरन्वित है। एत मजरी सुसगठित करत का अथ विज्ञानी विज्ञापक युगपिपिन सगठनकृषिका का है जिनका अशुल्क सेवाया म श्रीगणित धन म एतना उद्देश्य है। परन्तु यर कृषि भी विपयान्तर तथा होगा कि विज्ञानी व्यवस्थापका का आधान भारतकप क लिए यथा मह्या पडना है। कसकि उक्त बहुत ऊचा कतन पैसा पडता है। एत देना का जनवाय मय हान क कारण एतकी बाय एतता स्वयं कम हो जाती है। दृष्टि प्र म क अभाव म काम म एतकी सचि एतनी नह्य हानो तथा उनका मय कर्ष कर्षो क नीरस मम्बो प्रमखित हान म य जा। यान तब निवान नही जा सकत अतः व प्राय अपन कत व्या की ज्येसा कर वडल है।

एतका कारण म हमारे उद्योगपतिया म भारतीय विद्यापिषया का विज्ञान म सगठन मम्बो का पि म शिक्षा और अनुभव क लिए मजता प्राप्ति कर दिया है। भारतीय शिक्षित कर्मिगत एतना उद्योगका म सुरक्षण (Protection) प्रदान करता है जो भारतीयवर्गका म मिडालन का अवनान है। एतम भारतीय कृषिगत उद्देश्य क पय पर है।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर ग्राट म परीक्षा

१—सगठन का क्या अर्थ है? यदि प्राप्य हाथ क वने कपड़ा क उद्योगका म सगठित करत क लिए कहा जाय ता आप कये करत? (उ० प्र० १९४४)

२—उद्योग के कप्तान (Captain of Industry) पर टिप्पणी लिखिए।

श्रम विभाजन का अर्थ (Meaning)—बिसी कार्य के कई भाग और उपविभाग करना और उन्हें धर्मिका के मध्य उनकी रुचि और योग्यतानुसार बाँटना अर्थशास्त्र में श्रम विभाजन कहलाता है। श्रम विभाजन क प्रत्यक्ष प्रत्येक धर्मिक को कार्य का वही भाग दिया जाता है जिसमें उनकी विशेष रुचि होती है। वह उसी कार्य को निरन्तर करने रहने में उस कार्य में दक्ष हो जाता है। श्रम विभाजन में सब धुक्क धुक्क भागों पर एक साथ मिल कर काम करता है। और सभी क सहयोग में अभीष्ट वस्तु तैयार होती है।

श्रम विभाजन का विकास (Growth of Division of Labour)—मानव-जीवन के प्रारम्भिक काल में मनुष्य को आवश्यकताएँ बहुत ही

बम और सरल थी, प्रत्येक मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति स्वयं अपने परिश्रम से ही कर लेता था। परन्तु कालांतर में सम्यता के विकास के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएँ भी बढ़ती गईं। उसे अपनी बनाई हुई वस्तुओं में आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असुविधा होने लगी। अतः प्रत्येक व्यक्ति अपनी शक्ति को अलग अलग वस्तुओं के उत्पन्न करने में लगाने लगा। कोई किमान बन बैठा, कोई जुलाहा और कोई कुम्हार आदि। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति अपनी



यह श्रम विभाजन नहीं है।



यह श्रम विभाजन है ।

बूते बनाने के कारखाने में बूत बनाने का काम कुछ विभागों में विभाजित है । कुछ मनुष्य चमड़ा राने में कुछ उमर टुकड़ करने में कुछ बूता के तब बनाने हैं और कुछ उनका अप्रभोग बनाने हैं ।

**श्रम विभाजन का महत्व (Importance)**—श्रम विभाजन आधुनिक सभ्यता का आधार है । यदि बिना इसके आधुनिक जीवन मुचाले रूप में नहीं चल सकता । श्रम विभाजन ने मनुष्य को आधुनिक सभ्यता की ओर अग्रसर होने में बड़ी सहायता प्रदान की है । उन्नति के विभिन्न मायनों की आवश्यकता की वृद्धि का मुख्य कारण श्रम विभाजन है । बिना श्रम विभाजन के मनुष्य अपनी अनेक आवश्यकताओं का पूर्ति नहीं कर सकता जिसे केवल स्वल्प उमरा जीवन मरना के लिए गिर जायगा । श्रम विभाजन के कारण ही उत्पादन में मनुष्यपूर्व उन्नति हुई है । मनुष्य ने व्यक्तिगत एवं सामाजिक दृष्टि में अनेक अविशुद्ध धर्मों में श्रम विभाजन एक आवश्यक वस्तु है ।

**श्रम विभाजन के लिए आवश्यक शर्तें (Conditions of Division of Labour)**—श्रम विभाजन के लिए निम्नलिखित शर्तें आवश्यक हैं—

१ **श्रमियों का समूह (Group of Labourers)**—जब तक कि श्रमिक एक साथ मिलकर काम नहीं करेंगे तब तक श्रम विभाजन सम्भव नहीं होगा । अनेक श्रमिकों के साथ श्रम विभाजन नहीं हो सकता ।

२ **वित्तीय प्रणाली (Exchange System)**—श्रम विभाजन के अंतर्गत श्रमिकों के बीच एक-दो-बस्तुओं का अनेक प्रणाली में प्रदान कर सकता है 'एक वस्तु' को बिना वित्तीय प्रणाली में प्राप्त नहीं हो सकता । अतः श्रम विभाजन के लिये वित्तीय प्रणाली का होना भी आवश्यक है ।

३ **विस्तृत बाजार (Wide Market)**—जब तक बस्तुओं की खपत के लिए विस्तृत बाजार नहीं हो ता बड़ा मात्रा में उत्पादन नहीं हो सकता । जब बस्तु मात्रा में उत्पादन नहीं है तो श्रम विभाजन कैसे सम्भव हो सकता है ।

४. निरन्तर उत्पादन ( Continuous Production)—श्रम-विभाजन के बिना निरन्तर उत्पादन होना आवश्यक है। बिना इसके मितव्ययता आदि श्रम-विभाजन से होने वाले लाभ प्राप्त नहीं हो सकते।

श्रम विभाजन के रूप

(Forms of Division of Labour)

श्रम-विभाजन के विविध रूप निम्नलिखित हैं —

१. व्यावसायिक श्रम विभाजन ( Occupational Division of Labour) श्रम विभाजन के इस रूप में प्रत्येक व्यक्ति मनुष्य काम करने के वजाय अपनी शक्ति और योग्यतानुसार किसी एक विशेष व्यवसाय अथवा पेशे में लग जाता है। उस पेशे या धन्दे को वह आदि से श्रत तक करता है। उदाहरणार्थ, कोई कृषि कार्य करता है, कोई कपड़ा तैयार करता है, कोई बर्तन का काम करता है और कोई नुहार का। ये लोग विविधम द्वारा अपनी पैदा की हुई या बनाई हुई वस्तुओं को दूसरा की वस्तुओं से बत कर अपनी-अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। व्यावसायिक श्रम विभाजन का प्रादुर्भाव सबसे पहले हुआ, अर्थात् हिन्दू समाज की वर्ण-व्यवस्था ने ही इसे जन्म दिया। कानान्तर में ये पेशे जातिनुसार पैनुक हो गये—नुहार का लडाका नुहार, ब्राह्मण का पुन ब्राह्मण का ही काम करने लगा।

२. पूर्ण क्रियाओं का श्रम विभाजन (Division of Labour into Complete Process)—बढ़ती हुई मानव-प्रावश्यकताओं की पूर्ति के लिए उत्पत्ति में वृद्धि आवश्यक समझी गई और उनके फलस्वरूप कानान्तर में प्रत्येक व्यवसाय या पेशा कई विभागों में विभक्त हो गया तथा काम करने वालों के भी उतने ही उप विभाग बन गये। इन अवस्था के पूर्व एक ही कार्य की सम्पूर्ण क्रियाएँ एक ही व्यक्ति द्वारा सम्पन्न की जाती थीं—जैसे कपड़ा बनाने वाला स्वयं ही कपास ओढ़ने, रई धुनने, कातन और बुनने की व्यवस्था करता था। परन्तु बाद में एक काम कई विभागों में बाँट दिया गया और प्रत्येक विभाग की क्रिया एक व्यक्ति-समूह द्वारा सम्पन्न की जाने लगी। जैसे कपड़ा तैयार करने के लिये एक व्यक्ति समूह केवल कपास पैदा करता है, दूसरा कपाम की मुदाई करता है, तीसरा धुनता है, चौथा सूत कातता है और पाचवाँ कते हुए सूत का कपड़ा बुनता है। इस प्रकार के श्रम-विभाजन के अन्तर्गत अथवा समूह का प्रत्येक व्यक्ति एक कार्य की केवल एक ही क्रिया सम्पन्न करता है, परन्तु फिर भी वह क्रिया स्वतः पूर्ण है। इसलिये इसे पूर्ण क्रियाओं का श्रम विभाजन कहते हैं। प्रत्येक समूह से निकली हुई वस्तु अर्द्ध-निर्मित होती है और वह काम में अगले समूह का वेन दी जाती है जब तक कि वह अपना अन्तिम रूप धारण न करे।

३. अपूर्ण क्रियाओं का श्रम-विभाजन (Division of Labour into Incomplete Process)—भौतिक सम्पत्ता के विकास के साथ-साथ नया प्रकार की मशीनों का आविष्कार हुआ जिसके फलस्वरूप एक पूर्ण क्रिया का कई उप-क्रियाओं में बाँट दिया गया और प्रत्येक उप-क्रिया मशीन द्वारा सम्पन्न होने लगी। इस प्रकार कई मशीनों द्वारा एक पूर्ण क्रिया सम्पन्न होने लगी। उदाहरणार्थ, कपड़े के मित में कपड़ा कई उप-क्रियाओं द्वारा बनकर तैयार होता है। आदम स्मिथ नामक अर्थशास्त्र वेत्ता के अनुसार पित धानन का कार्य लगभग १८ विभागों में विभक्त होता है। एक मनुष्य तार खींचता है, दूसरा उसे मोथा करता है, तीसरा उस बाँटता है, चौथा नुकीला बनाता है, पाँचवाँ उसके मिरे का कपड़ा करता है, आदि। इस प्रकार

के श्रम-विभाजन के अन्तर्गत प्रत्येक क्रिया अपूर्ण होती है और समस्त उप-क्रियाओं के सहयोग में एक पूर्ण क्रिया सम्पन्न होता है। इसी कारण इसे 'अपूर्ण क्रियाओं का श्रम-विभाजन' कहते हैं।

४. प्रादेशिक या भौगोलिक श्रम विभाजन (Territorial or Geographical Division of Labour)—जब कोई उद्योग या व्यवसाय किसी विशिष्ट कारखाने, जैसे जलवायु, कच्चा माल, शक्ति के साधन, श्रम की क्षमता आदि में किसी समुक्त स्थान या देश में केन्द्रित हो जाता है, तो उसे 'प्रादेशिक या भौगोलिक श्रम-विभाजन' कहते हैं। उदाहरण के लिए भारतवर्ष में जूट के कारखाने बंगाल में, लोहे के विहार में, कपड़े की मिलें विजयपुरा कर्नाटक और ब्रह्मदावाद में और चूड़ों का व्यवसाय फिरोजाबाद में केन्द्रित है।

५. सरल और जटिल श्रम-विभाजन (Simple & Complex Division of Labour) श्रम विभाजन सरल और जटिल भी है। जब कोई कार्य किसी एक व्यक्ति के लिये कठिन भारी और स्वकी हो और उसे कई व्यक्ति धीरे-धीरे मिलकर सम्पन्न करें तो उसे सरल श्रम विभाजन (Simple Division of Labour) कहते हैं। जैसे, विमां बट गेन को हलकना या जेतना, किसी बट दर्जी को टुकान का काम तथा भारी बोझ उठाना आदि। व्यावसायिक श्रम-विभाजन भी इसी का उदाहरण है। जब कई व्यक्ति या व्यक्ति-समूह वस्तु-निर्माण का केवल एक विशेष भाग सम्पन्न करने हुए परस्पर सहयोग में कार्य करते हैं तो वह जटिल श्रम-विभाजन (Complex Division of Labour) कहलाता है। उदाहरणार्थ, जूता के कारखाने में जूतों का निर्माण कई विभागों की कार्य-सम्पन्नता पर निर्भर है। इसी प्रकार सूती कपड़े की मिल में बाल-निर्माण के लिये कनाई, बुनाई, रगई आदि विभागों के कार्यों का सहयोग अत्यन्त आवश्यक है। अपूर्ण क्रियाओं का श्रम-विभाजन भी इसी का उदाहरण है।

श्रम-विभाजन के लाभ (Advantages of Division Labour)

उत्पत्ति के लिए (For Production as a whole)

१. उत्पत्ति में वृद्धि (Increased Output)—श्रम-विभाजन का यह मुख्य लाभ है। इसके द्वारा उत्पत्ति में वृद्धि होती है। आदम मिथ कहते हैं कि यदि एक आदमी अकेला पिन बनाये, तो वह २० पिन में अधिक एक दिन में नहीं बना सकता। परन्तु जब १० आदमी आपस में मिल कर श्रम विभाजन के सिद्धान्त के अनुसार कार्य करें तो वे एक दिन में ४००० पिन बना सकते हैं। श्रम-विभाजन के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रचि और योग्यता के अनुसार काम मिलने में यह अधिक उत्पत्ति कर सकता है।

२. उत्पत्ति की श्रेष्ठता (Superior Product)—श्रम विभाजन के अन्तर्गत एक व्यक्ति उत्पत्ति की एक ही क्रिया को निरन्तर करता रहता है, अतः उसके द्वारा तैयार की गई वस्तु का श्रेष्ठ होना स्वाभाविक है।

३. लागत में कमी (Decreased Cost of Production)—जब मनुष्य किसी काम को करता-करते उसमें निपुण हो जाता है, तो वह छोटे समय में अधिक उत्पादन करने लग जाता है जिसमें उत्पादन की लागत कम हो जाती है।

४. मशीनों का अधिक उपयोग (Increased Use of Machinery)—एक कार्य को बहुत से उपविभागों में विभक्त कर देने से प्रत्येक उपविभाग

म की जान वाली श्रिया बहुत ही सरल हो जाती है। ऐसा होने से मशीनों का उपयोग सहज हो जाता है।

५. **आविष्कारों में उन्नति (Progress in Inventions)**—श्रम विभाजन से आविष्कारों की भी उन्नति होती है। जब मनुष्य लगातार एक ही काम में लगा रहता है तो उसमें यह सोचने का प्रयास प्रवृत्त मिल जाता है कि उस काम के करने की विधि में किस प्रकार और अधिक उन्नति की जा सकती है। इस प्रकार नये नये आविष्कारों में वृद्धि होगी जाती है।

६. **समय का बचत (Economy of Time)**—जब मनुष्य को भिन्न भिन्न काम करने पड़ते हैं तो उनका बहुत सा समय काम के अन्दर उद्वेग में और भिन्न भिन्न शौजारा के उठाने धरने में नष्ट हो जाता है। श्रम विभाजन से मनुष्य का वेकव एक ही श्रिया करती पड़ती है अतः उसका समय इधर उधर के कामों में नष्ट नहीं हो पाता।

७. **शौजारा में मितव्ययता (Economy of Tools)**—जब एक व्यक्ति दो तीन काम साथ करता है तो उस प्रत्येक काम के लिए पृथक् पृथक् शौजारा रखना पड़ता है। परन्तु इन सबका बड़ा एक साथ प्रयोग नहीं कर सकता। अतः जब वह एक शौजारा को प्रयुक्त करता है तो श्रम शौजारा दोहरा कर रहता है। श्रम विभाजन के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही श्रिया करनी होती है। अतः उस उसी काम के लिए शौजारा की आवश्यकता हीनो है और उनका वह निरन्तर प्रयोग करता रहता है। इस प्रकार श्रम विभाजन द्वारा शौजारा में बहुत बचत होती है। इसके अनिश्चित काम शौजारा के होने पर प्रत्येक व्यक्ति उनको भ्रष्ट गति में देवमान कर सकता है जिससे फलस्वरूप शौजारा की जीवन अवधि बढ़ जाती है।

८. **कच्चे मान में बचत (Economy of Raw Material)**—श्रम विभाजन में कच्चे मान के प्रयोग में भी पर्याप्त मितव्ययता होती है। प्रत्येक व्यक्ति अपने काम में निपटस होने के कारण वह कच्चे मान को उचित रीति में प्रयुक्त कर सकता है।

९. **व्यवसायों का विस्तृत एवं विभिन्न होना (Extension & Diversity of Occupations)**—प्रतिकाधिक मशीनों के आविष्कारों और प्रयोगों से जावनापावन के अनेक माग खुल जाते हैं जिससे कुछ धरा तक बेकारों की समस्या हल हो जाती है।

१०. **संगठन योग्यता का विस्तृत माग (Extensive Demand for Organizational Ability)**—श्रम विभाजन और काम संचालन में उपादान ताम जटिल हो जाता है। इसका निम्न सुयोग्य संगठनकर्ताओं की आवश्यकता पड़ती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए सुयोग्य संगठनकर्ताओं को उचित में वृद्धि होती है जिससे फलस्वरूप उद्योग व्यवसायों में उन्नति होती है।

**श्रमिका के लिए (For the Workers)**

११. **कार्य कुशलता में वृद्धि (Increase in Efficiency)**—श्रम विभाजन के अन्तर्गत एक व्यक्ति सम्पूर्ण श्रिया का अवन एक ही श्रम निरन्तर करता रहता है जिसके कारण उसकी कार्यक्षमता में भी वृद्धि हो जाती है। निरन्तर अभ्यास से उसकी कार्यक्षमता बहुत बढ़ जाता है तथा वह अपने काम में विनियम हो जाता है।

१० रचि तथा योग्यतानुसार कार्य ( Work according to Taste and Ability )—श्रम विभाजन में सम्पूर्ण कार्य कई विभागों में विभक्त हो जाता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रचि और योग्यतानुसार काम मिल जाता है ।

११ शारीरिक परिश्रम में कमी ( Diminution of Strain )—सम्पूर्ण क्रिया का उप विभाग मशीन द्वारा सम्पन्न हो जाने में मनुष्य भारी काम करने में मुक्त हो जाता है । उत्पात्ति का सारा काम मशीन द्वारा होता है । उस ती केवल मशीन की देखभाल ही करती पड़ती है ।

१२ श्रम की गतिशीलता में वृद्धि ( Increase in the Mobility of Labour )—श्रम विभाजन में मशीनों का प्रयोग होता है जिससे श्रमिक कहीं भी किसी भी कारखाने में यासानी में काम कर सकता है क्योंकि मशीनों का संचालन लगभग एक-सा होता है ।

१३ आविष्कार करने की योग्यता में वृद्धि ( Increase in Inventive Ability )—श्रमिक निरंतर एक ही प्रकार की मशीनों पर काम करते रहने के कारण मशीनों में कई प्रकार के सुधार ला सकता है तथा अधिक सुविधाजनक और लाभदायक नई मशीनों का आविष्कार भी करने में समर्थ हो सकता है ।

१४ बुद्धि का विकास ( Development of Intelligence )—मशीनों पर काम करने के श्रमिक अधिक बुद्धिमान हो जाता है क्योंकि उस मशीन सम्बन्धी कई बातों पर निरंतर सोचना पड़ता है । यही कारण है कि वृत्ति श्रमिक की प्रगति कारखाने में काम करने वाला श्रमिक अधिक बुद्धिमान होता है ।

१५ काम सीखने में समय परिश्रम और धन की बचत ( Saving in Time, Efforts and Wealth )—श्रम विभाजन में एक काम के कई उपविभाग कर दिये जाते हैं और प्रत्येक श्रमिक को केवल एक ही उपविभाग का काम सौंपा जाता है जो सरलतापूर्वक सीखा जा सकता है । फलतः काम सीखने में समय परिश्रम और धन का बचत होती है ।

१६ ऊँची मजदूरी ( मृत्ति ) ( Higher Wages )—किसी स्थान पर काम करने वालों के अभाव या काम में अभाव हो जाने के जिसके परिणामस्वरूप उच्च ऊँची मजदूरी मिलने लगती है ।

१७ सहकारिता की उत्पत्ति ( Development of Cooperation )—श्रम विभाजन के कारण बड़े बड़े कारखाने खुल जाते हैं जहाँ पर बहुत से श्रमिकों को एक साथ मिल जुल कर काम करने होते हैं । एक साथ काम करने और रहने में श्रम की बचत और समझ और एकता का भाव जाग्रत हो जाता है जिसके फलस्वरूप वे अपनी दया में पर्याप्त सुधार कर सकते हैं ।

श्रम विभाजन की हानियाँ ( Disadvantages of Division of Labour ) श्रम विभाजन की हानियाँ दो वर्गों में बाँटी जा सकती हैं—

(अ) प्रथम हानियाँ और (आ) अप्रत्यक्ष हानियाँ ।



(घ) प्रत्यक्ष हानियाँ (Direct Disadvantages)

१. कार्यकुशलता और उत्तरदायित्व का हान (Loss of Efficiency and Responsibility)—सम्पूर्ण कार्य का केवल एक ही शक्ति कर्म से श्रमिक का दृष्टिकोण बनता है और उसका ज्ञान विस्तृत सीमित रहता है। यदि सम्पूर्ण कार्य एक ही मनुष्य करे तो उस काम की श्रद्धा-बुराई उसके ऊपर डाली जा सकता है। परन्तु जब बहुत से मनुष्य मिलकर एक ही कार्य सम्पन्न करे तो यह निश्चय करना बहुत कठिन है कि कार्य किसे द्वारा कराया हुआ है। इस प्रकार उत्तरदायित्व का अभाव या श्रमिक अपना कार्य साबित करने में नहीं करते।

२. काम की नीरसता (Monotony of Work)—उत्पत्ति की एक ही उप क्रिया को लगातार करने रहने से वह काम नीरस हो जाता है। इस नीरसता का उससे मन, शक्ति और उत्पादन शक्ति पर दुरा प्रभाव पड़ता है।

३. आनन्द का लोप (Loss of Interest)—जब कोई व्यक्ति एक सम्पूर्ण वस्तु को अपने-हाथ ही बनाता है तो उसे उसके बनाने में बड़ा आनन्द प्राप्त होता है। परन्तु जब वह किसी कारखाने में दूसरे के साथ काम करता है, तो उस काम में आनन्द नहीं आता। कारखाने में उसका पृथक् अस्तित्व नहीं होता और न सम्पूर्ण वस्तु का विभाजन उसी के ही प्रयत्न का फल होता है।

४. श्रमिक मशीन-सुल्य हो जाता है (Labourer is reduced to Machine level)—काम के एक उप विभाग की निरन्तर करने रहने से मनुष्य मशीन-सुल्य हो जाता है। उत्पत्ति की एक विषय क्रिया के प्रतिरुद्ध उस श्रमिक का उचित ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाता। फलस्वरूप उसकी बुद्धि का विकास रुक जाता है और उसकी कार्यक्षमता में न्यूनता आ जाती है।

५. श्रम की गतिशीलता का हान (Loss of Mobility of Labour)—मनुष्य जब बड़ा एक ही काम करता रहता है तो प्रायश्चित्तता पड़ने पर वह किसी अन्य कार्य के लिए योग्य नहीं रहता। श्रमिकों के विषय में उस कुछ भी ज्ञान नहीं होता। इसलिए यदि उसका नियोजित कार्य छूट जाय तो उसे अन्यत्र काम मिलना कठिन हो जाता है।

६. स्त्रियों और बच्चों का शोषण (Exploitation of Women and Children)—श्रम विभाजन के कारण उत्पत्ति की प्रत्यक्ष क्रिया इतनी सरल हो जाती है कि स्त्रियाँ और बच्चे भी उस क्रिया को कर सकते हैं। अतएव मिल-मालिक पुरुषों के स्थान पर स्त्रियाँ और बच्चे को काम में लगाते हैं क्योंकि वे अधिक मस्तो पड़ते हैं। इसका दुष्परिणाम यह होता है कि उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और उनके चरित्र और भावों जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। कमजोर स्त्रियाँ नम्रता से बच्चे को जन्म देती हैं। कमजोर होने के कारण वे शोष चरकर जीवनभर उठान में अपने-आपको अक्षम्य पाते हैं। ऐसी अवस्था में उनसे समाज को कोई लाभ नहीं पहुँच सकता।

७. कुशल श्रमिकों के लिये सीमित कार्यक्षेत्र (Limited Scope for Skilled Labour)—प्रत्यक्ष कार्य के कई उप विभाग कर देने से काम बहुत सरल हो जाता है। उसको करने के लिये विशेष निपुणता की आवश्यकता नहीं होती। शोषण श्रम में ही काम चल जाता है। अतः कुशल श्रमिकों का कार्यक्षेत्र कम हो जाता है।

## ( आ ) अप्रत्यक्ष हानियाँ (Indirect Disadvantages)

८. श्रमिकों और मिल मालिकों के मध्य सम्पर्क का अभाव (Loss of Personal Contact between Employers and Employees)—श्रम-विभाजन क प्रत्यक्ष नुस्खा अधिक एव ही कारखाने में एक साथ काम करते हैं। श्रमिका की सख्या अधिक होने के कारण उनमें और मिल मालिकों में सम्पर्क कम हो जाता है जिसमें पारस्परिक मतभेद बढ़ता है। कभी मजदूर हड़ताल करते हैं ता कमी मिल मालिक कारखाना के दरवाजा के ताल लगाने हैं। इसका परिणाम केवल उन्हीं तक सीमित नहीं रहता बल्कि सम्पूर्ण समाज को भी गीपना पड़ता है।

९. अत्यधिक जनसंख्या का एव ही स्थान पर सीमित होना (Overcrowdedness)—कारखाना प्रणाली के अंतर्गत मनुष्य मनुष्य एक ही कारखाने में काम करते हैं। जब किसी प्रौद्योगिक वस्तु में कई कारखाने हों तो मनुष्यों की संख्या में श्रमिका का एव ही स्थान पर रहना स्वाभाविक हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि रहने के लिए स्वच्छ हवादार मकान नहीं मिल पाते और शरीर श्रमशोषण को विषय हवा के गर्मी काल-कोठरियाँ में रहना पड़ता है जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और उनमें अनेक अवयुक्त उत्पन्न हो जाते हैं।

१०. पराश्रितता (Interdependence)—श्रम विभाजन में श्रमिक सामूहिक रूप में कार्य करते हैं। अतः एक श्रमिक की अनुपस्थिति में सम्पूर्ण कार्य स्थगित हो जाता है।

निष्कर्ष (Conclusion)—श्रम विभाजन के लाभ उसकी हानियाँ में कहीं अधिक हैं। यही कारण है कि श्रम विभाजन में बराबर उन्नति होती जा रही है। यही नहीं प्रगतिशील संघटनकलाओं द्वारा इन दोषों को कम से कम करने के प्रयत्न प्रचल जा रही हैं। काम के घट कर श्रमिकों का शैक्षिक प्रवर्धन देना, बर्खास्त-कार्यों (Welfare Work) जैसे—विद्यालय, भोजनकक्ष, नानालय, खेल-कूद और मनोरंजन के माध्यम से मनोवस्थि सुदृढ़ साधनाएँ (Co-Partnership) नाम विभाजन (Profit-sharing) आदि योजनाओं द्वारा इन दोषों का दूर करने के प्रयत्न चले जा रहे हैं।

श्रम-विभाजन की सीमाएँ (Limitations of Division of Labour)—श्रम विभाजन निम्नलिखित बातों से परिमित है —

१. व्यवसाय का स्वभाव (Nature of Occupations)—श्रम विभाजन उन व्यवसायों में सम्भव है जिनमें उत्पादन की क्रियाएँ और उप-क्रियाएँ साहजिक रूप से चल सकती हैं। उदाहरणार्थ, सूती कपड़े की मिल में सूत कानन व बुनने का काम साहजिक चलता है। परन्तु कृषि व्यवसाय में ऐसा नहीं है—सब क्रियाएँ एक के बाद दूसरी होती हैं। एक पत्ताने के पश्चात् बीज बोया जाता है और उसके बाद फसल काटी जाती है।

२. बाजार की सीमा (Extent of Market)—श्रम विभाजन बाजार घबका मंडी की सीमा पर भी निर्भर है। यदि बाजार का क्षेत्र बहुत विस्तृत है, तो श्रम विभाजन भी काफी दूर तक ले जाया जा सकता है। अधिक स्पष्ट करन सुविधा बढ़ा जा सकता है कि श्रम विभाजन केवल उन्हीं वस्तुओं की उत्पादन में लाभदायक

सिद्ध हो सकता है जिनकी माग बहुत अधिक हो तथा जिनका उत्पादन बड़े परिमाण में होता हो ।

३. उत्पत्ति का परिमाण (Scale of Production)—श्रम विभाजन और बड़ परिमाण में उत्पत्ति का आपस में घनिष्ठ सम्बन्ध है । श्रम-विभाजन अधिकतर उन्हीं व्यवसायों में सम्भव है जिनमें उत्पत्ति बड़ पैमाने पर होती है । जैसे कपड़, लोहे और चमड़ आदि के कारखाने । छोटे व्यवसायों में इनका सीमित क्षेत्र होता है, जैसे घरेलू पन्धे आदि ।

४ पूँजी की मात्रा ( Amount of Capital )—श्रम विभाजन और उत्पत्ति का परिमाण साथ-साथ चलते हैं । ये दोनों ही पूँजी की मात्रा पर निर्भर हैं । बिना पर्याप्त पूँजी के बड़ पैमाने पर उत्पत्ति नहीं हो सकती और बिना बड़ पैमाने पर उत्पत्ति हुए श्रम विभाजन सम्भव नहीं हो सकता । अस्तु, पूँजी की कमी से श्रम विभाजन परिमित हो जाता है ।

५ व्यापार-सञ्चालन की सुविधाएँ ( Machinery of Commerce )—कुशल व्यापार सञ्चालन के लिये शोध सम्वाद और यातायात के माधन, बैंकिंग प्रणाली आदि सुविधाएँ आवश्यक हैं । इन सुविधाओं के कारण ही दूर देशों से व्यापार हो सकता है । इनके अभाव में न तो वस्तुओं की माग अधिक होगी और न उत्पादन ही बड़ परिमाण में होगा । अस्तु श्रम विभाजन व्यापार सञ्चालन की सुविधाओं पर भी निर्भर है ।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—श्रम-विभाजन का अर्थ स्पष्ट कीजिये । इसका उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है ? उदाहरण देकर अपना उत्तर स्पष्ट कीजिये । (उ० प्र० १९६०)
- २—श्रम-विभाजन का क्या अर्थ है ? इसके लाभ हानियों का विवेचन कीजिये । (पटना १९५२, म० भा० १९५५ ५३ सागर १९५२, दिल्ली हा० से० १९४९)
- ३—श्रम विभाजन और महानुगाय उत्पादन के सम्बन्ध को कारण सहित समझाइये । (सागर १९५६)
- ४—“बाजार के क्षेत्र से श्रम विभाजन सीमित है ।” पूर्णतया समझाइये । श्रम विभाजन और किन किन बाधों पर सीमित है ? (म० बो० १९५६, पञ्जाब १९४३)
- ५—यह बताइये कि श्रम विभाजन और मशीनरी हमारे मध्य क्या स्थित है ? उनका मानव जीवन पर क्या प्रभाव है । (रा० बो० १९५६)
- ६—पूर्ण और अपूर्ण नियामकों के श्रम विभाजन में आप क्या समझते हैं ? श्रम विभाजन के लाभ बताइये । (उ० प्र० १९४४)
- ७—श्रम-विभाजन किसे कहते हैं ? इसके विभिन्न रूप उदाहरणों से स्पष्ट कीजिये । (रा० बो० १९५०)
- ८—श्रम विभाजन की सीमा किन बाधाओं पर निर्भर है ? इससे क्या लाभ व हानियाँ ह ? (उ० प्र० १९४९)

उद्योगों का स्थानीयकरण  
(Localisation of Industries)

स्थानीयकरण का अर्थ (Meaning)—उद्योगों के किसी उपयुक्त तथा लाभदायक क्षेत्र में स्थापित होकर उन्नति करने का प्रवृत्ति का उद्योग का स्थानीयकरण कहते हैं। जिस प्रकार थर्म विभाजन में कुछ व्यक्ति किसी विपणन व्यवसाय या उसके किसी विपणन भाग को करने वाले से जानते हैं उसी प्रकार कुछ स्वामि किसी एक उद्योग या व्यवसाय को करने वाले से जानते हैं उसी प्रकार व्यवसाय के रूप में प्रवृत्ति होने का प्रवृत्ति को अर्थशास्त्र में उद्योगों का स्थानीयकरण या केंद्रायकरण कहते हैं। उदाहरण के लिए भारतवर्ष में लोहा के कारखाने अधिकतर बिहार राज्य के जमशेदपुर में स्थित हैं। लूट के कारखाने बनारस नगर के प्रथम पाम के स्थानों में स्थित हो गए हैं। दूध और अण्डे का उद्योग फिरोजाबाद और ताश का उद्योग में केंद्रित है। इसी प्रकार इंग्लैंड में कारखाने और मशीन उद्योग लंदन के लिए केंद्रित हैं। इस प्रवृत्ति को प्रादेशिक थर्म विभाजन ( Territorial Division of Labour) भी कहते हैं। उद्योगों का स्थानीयकरण एक प्रकार में थर्म विभाजन का विस्तृत रूप है जिसमें केवल सम्पूर्ण देश ही नहीं अपितु विश्व भी सम्मिलित होता है।

स्थानीयकरण के कारण ( Causes of Localisation )—उद्योगों के स्थानीयकरण के बहुत से कारण होते हैं। मुख्यतः चारों ओर के जहाँ सुविधाएँ मिलती हैं वहाँ वहाँ अपने कारखाने के लिए स्थान चुन लेता है। ये कारण निम्नलिखित हैं—  
प्राकृतिक कारण (Natural or Physical Causes)

(१) कच्चे माल की प्राप्ति—उद्योगों के लिए कच्चे माल की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जिन स्थानों में किमा उपलब्ध के लिए कच्चा माल सस्ता और श्रेष्ठ मात्रा में उपलब्ध है वहाँ वही पर वह व्यवसाय केंद्रित हो जाता है। उदाहरणार्थ बंगाल में लूट अधिक पैदा होने के कारण लूट के कारखाने बंगाल में और उत्तर प्रदेश के बिहार में गन्ने की खेती अधिक होने से लूट राज्य में लूट के कारखाने केंद्रित हैं।

शक्ति के साधन—कारखाने को चालू करने की शक्ति की सुविधा के कारण कुछ कारखाने उन क्षेत्रों में स्थापित हो जाते हैं जहाँ प्रबल या गामक शक्ति ( Motive

Power) समी और गुणवत्ता में प्राप्त हो सकती है। आज-कल प्रेरक शक्ति अधिकतर कोयले और जल से प्राप्त की जाती है। जैसे जमशेदपुर के लोहे के कारखानों की उमीदवर्ती कोयले की खानों में प्राप्त कोयला प्रेरक शक्ति प्रदान करता है और बंगलौर में हवाई जहाज बनाने के कारखानों के लिए जल-विद्युत मुख्य-प्रेरक शक्ति का साधन है। इसी प्रकार स्विट्जरलैंड में घड़ी के कारखानों के लिये जल-शक्ति ही प्रधान है।

(३) प्राकृतिक सुविधाएँ—प्राकृतिक सुविधाओं से तात्पर्य है भूमि की बनावट, मिट्टी का स्वभाव, समुद्र-तट की बनावट, उत्तम बंदरगाह, जहाज चलाने योग्य नदियाँ आदि। जिन उद्योगों के लिए इन प्राकृतिक सुविधाओं की आवश्यकता होती है वे उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित हो जाते हैं जहाँ उनको अपनी आवश्यकतानुसार सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं। जैसे जहाज निर्माण उद्योग के लिए उत्तम बंदरगाह का होना आवश्यक है। अतः भारतवर्ष में बिजगापट्टम बंदरगाह इस उद्योग का केन्द्र हो गया है।

(४) जलवायु—बुद्ध उद्योग-धर्मों के लिए एक विशेष प्रकार की जलवायु की आवश्यकता होती है। वह जलवायु हर एक जगह नहीं मिलती है। अतः ऐसे उद्योग-धर्म उन स्थानों में केन्द्रित हो जाते हैं जहाँ उस प्रकार की जलवायु मिलती है। उदाहरणार्थ, भारतवर्ष में बम्बई और इन्डुलैंड में लकाशायर की जलवायु सूती कपड़ों के कारखानों के लिए विशेष उपयुक्त है, क्योंकि इन स्थानों के वायुमण्डल में नमी होती है जिसके कारण सूती का तार शीघ्र नहीं टूटता और भज्जत तथा मुलायम भी रहता है। इस कारण से इन स्थानों में सूती कपड़े के बहुत से कारखाने पाये जाते हैं।

### अर्थिक कारण (Economic Causes)

(५) मंडियों और बाजारों की निकटता—निश्चित मान की जहाँ खूब प्रासन्नता में हो उसे वहाँ प्रायः कारखाने स्थापित हो जाते हैं। कारखानों के समीपवर्ती स्थानों में जनसंख्या घनी होती चाहिए अथवा वहाँ से घनी जनसंख्या वाले स्थानों की मात्र शीघ्र व सस्ते यातायात के साधनों द्वारा भेजा जा सके। इनका लाभ उठाने के लिए उत्तर प्रदेश और बंगाल में सूती कपड़े आदि के अनेक कारखाने खोले जा रहे हैं।

(६) यातायात की सुविधाएँ—यातायात के साधनों का उद्योग-धर्मों के केन्द्रीयकरण पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। जिन स्थानों में रेल, जहाज आदि में यातायात की सुविधा होती है, वहाँ अन्य स्थानों की अपेक्षा स्थानीयकरण की प्रवृत्ति अधिक होती है। बम्बई, कलकत्ता आदि नगरों की विशेषता बहुत कुछ इसी कारण है।

(७) धर्म का उपलब्ध होना—योग्य और सस्ते धर्मियों का बड़े-बड़े मात्रा में मिलना भी स्थानीयकरण का कारण होता है। जैसे, भारतवर्ष में घड़ी का व्यवसाय फिरोजाबाद, रणई-दुर्गाई फर्जाबाद और बूट का व्यवसाय बंगाल में केन्द्रित है क्योंकि वहाँ पर उचित टंग का धर्म सुगमता से भिन्न जाता है।

(८) पूँजी सम्बन्धी सुविधाएँ—उद्योगों के स्थानीयकरण की प्रवृत्ति वहाँ भी देखी जाती है जहाँ पूँजी सस्ती और बड़े-बड़े मात्रा में सगमता में उपलब्ध हो सकती है। वे नगर जो पार्ष्विक केन्द्र हैं तथा जहाँ अधिकमात्रिक मात्रा में वैनिङ्ग और निविदाग (Investment) सुविधाएँ उपलब्ध हैं, वे प्रायः उद्योगों की स्थापना के लिये उद्योग-पतियों के ध्यान को शीघ्र ही आकर्षित कर लेते हैं।

### राजनैतिक कारण (Political Causes)

(९) राज्य द्वारा संरक्षण तथा प्रोत्साहन—सरकार द्वारा संरक्षण तथा सहायता भी स्थानीयकरण का एक महत्वपूर्ण कारण है। प्राचीन काल में हिन्दू और मुसलमान राजाओं के संरक्षण तथा प्रोत्साहन से अनेक व्यवसाय राजधानियों के निकट स्थापित हो गये थे, जैसे टाटा की मजदूर और मुस्लिमवाद का देसम का व्यवसाय आदि।

### अन्य कारण (Other Causes)

(१०) शीघ्र प्रारम्भ का लाभ—कभी-कभी किसी क्षेत्र में कोई उद्योग या व्यवसाय बहुत पहले में चला आता है और वह विशिष्ट उद्योग के लिए प्रतिष्ठित हो गया है तथा वहाँ व्यवसाय-सम्बन्धी सभी सुविधाएँ आसानी में उपलब्ध हो जाती हैं तो उन्हीं प्रकार के अनेक कारखानों का वहाँ स्थापित होना स्वाभाविक हो जाता है। इस प्रकार वह स्थान या क्षेत्र उद्योगों का केन्द्र हो जाता है।

(११) सहायक उद्योग धन्धों से लाभ प्राप्ति—किसी स्थान या क्षेत्र में जब कोई उद्योग चल निकलता है, तो उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए अनेक सहायक उद्योग धन्धे स्थापित हो जाते हैं जिसके कारण मुख्य व्यवसाय को अनेक लाभ प्राप्त होने लगते हैं। इस कारण उस प्रकार के कई कारखाने उन्हीं क्षेत्र में स्थापित होकर लाभ उठाने का प्रयत्न करते हैं। उदाहरणार्थ, कानपुर के वस्त्र-निर्माण उद्योगों के लाभार्थ रंगाई-छपाई, इस्त्रीनिर्माण, मशीनें व धोना व धोने आदि के कई कारखाने स्थापित हो गये हैं जिसमें वस्त्रोद्योग (Textile Industries) को वहाँ स्थापित होने में अनेक लाभ उपलब्ध हो सकते हैं।

(१२) प्रौद्योगिक संस्थाएँ (Technical Institutes), अनुसंधानालय और प्रयोगालयों की सुविधाओं से लाभ—किसी विशिष्ट प्रौद्योगिक केन्द्र में प्रौद्योगिक संस्थाएँ, अनुसंधानालय तथा प्रयोगालयों की सुविधाओं से लाभ उठाने के लिए कारखाने वहाँ स्थापित हो जाते हैं। इससे अनिश्चित प्रौद्योगिक पत्रिकाएँ (Technical Journals) भी उस केन्द्र में प्रकाशित होती हैं जिनमें उन उद्योग-सम्बन्धी सभी प्रकार की समस्याओं पर प्रकाश डाला जाता है।

(१३) सस्ती भूमि, जल की प्रचुरता आदि कारण—कारखानों के लिये सस्ती भूमि, पानी की प्रचुरता आदि कुछ कारण ऐंसे हैं जिनमें स्थानीयकरण को प्रोत्साहन मिलता है। जैसे बूट की मजदूर और धोने आदि क्रियाओं के लिये बंगाल में जल पर्याप्त मात्रा में विद्यमान है।

स्थानीयकरण के लाभ (Advantages of Localisation of Industries)—स्थानीयकरण के कई लाभ हैं जिनमें में मुख्य निम्नलिखित हैं—

१. प्रतिष्ठा व ख्याति (Reputation and Goodwill)—स्थानीयकरण द्वारा उस विशिष्ट स्थान की बनी हुई वस्तुएँ इतनी प्रतिष्ठित हो जाती हैं कि वे दूर-दूर स्थानों में अच्छे दामों में बिकने लगती हैं। जैसे, काश्मीर के शाल दुबाने, अलोगड के तावे, मेरठ की बँवियाँ, सिवट्जरलैंड की बनी हुई पड़ियाँ आदि।

२. पैरूक दक्षता (Hereditary Skill)—केन्द्रीयकरण के स्थान के रहने वालों को विशिष्ट दक्षता का पिता से पुत्र को हस्तान्तरण होता रहता है, अतः वह एक प्रकार से पैरूक दक्षता हो जाते हैं जो अन्य स्थानों में उपलब्ध नहीं हो सकती।

उदाहरण के लिये, जूट व्यवसाय की विशिष्ट दक्षता (Skilled Labour) बंगाल तक ही सीमित है।

३. सहायक उद्योगों का विकास (Development of Subsidiary Industries)—उद्योग के प्रवर्धित पदार्थ (Waste Product) का उपयोग करने के हेतु कई महापत्र व्यवसाय वही स्थापित हो जाते हैं। जैसे शकर के कारखाने के छोरे में शराब और एल्कोहल (Spirat and Alcohol) तैयार करने के कारखाने, सूती कपड़ों के प्रवर्धित मूल के उपयोगार्थ डोरो, इन्डियो आदि के कारखाने और नीहे तथा इस्पात के कारखानों के अवशिष्ट पदार्थ काम में लाने के लिये टूक आदि के कारखाने स्थापित हो जाते हैं।

४. पूरक उद्योग धन्यो की स्थापना (Establishment of Supplementry Industries)—उद्योग धन्यो के स्थानीयकरण में अन्य कई पूरक धन्यो की स्थापना हो जाती है। जैसे लोहे और इस्पात के कारखानों के समीप कोले, पेंच, पतियाँ आदि और मशीनों बनाने तथा सुधारने के कारखाने स्थापित हो जाते हैं। इसी प्रकार भारी उद्योगों के केन्द्र गांधारगलया मिल्स आदि व्यवसाय के भी केन्द्र होते हैं, क्योंकि वहाँ सिंचों और बच्चों का धम मस्ती दर पर प्राप्त हो जाय है। इसके अनिश्चित भारी कारखानों में काम करने वाले पुण्य अधिक मजदूरी नहीं माँग सकते।

५. दक्षता का स्थानीय बाजार (Local Market for Skill)—केन्द्रीयकरण का स्थान दक्षता का स्थानीय बाजार बन जाता है, क्योंकि उस धमक धन्ये या व्यवसाय में जातवारी रखने वाले, समस्त धमिक उस स्थान पर एकत्रित हो जाते हैं जिसमें उद्योगपतियों को यहाँ अपना उद्योग स्थापित करने में दक्ष धम की पूर्ति सहज हो जाती है।

६. विशिष्ट मशीनों का प्रयोग (Use of Specialised Machinery)—केन्द्रीयकरण वाले क्षेत्र में एक ही प्रकार के कई कारखाने होते हैं जिसमें एक दूसरे से धामे बढ़ने के लिये पारस्परिक प्रतियोगिता (Competition) पाई जाती है। इस स्वास्थ्यकर प्रतियोगिता के कारण ही वे विशिष्ट एवं आधुनिक मशीनों का प्रयोग कर अपनी कार्यक्षमता में वृद्धि करने का प्रयत्न करते हैं।

७. उन्नति के लिये सामूहिक प्रयत्न (Collective Efforts for Improvement)—एक ही प्रकार के सारे उद्योग एक ही स्थान पर केन्द्रित होने के कारण उन उद्योग की उन्नति के लिये सामूहिक प्रयत्न किये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, धमिकों की शिक्षा-दीक्षा के लिये प्रौद्योगिक संस्थाएँ (Technical Institutes), अनुसंधानालय (Research Institutes), प्रयोगालय (Laboratories), विशेष पत्रिकाएँ (Technical Journals) आदि बातों का उपयोग सामूहिक रूप में हस्ताभ किया जा सकता है।

८. व्यापार सम्बन्धी सुविधाएँ (Commercial Facilities)—किसी प्रौद्योगिक केन्द्र में कई कारखाने एक स्थान में स्थापित होने के कारण विशिष्ट (Specialised) यातायात के साधन, बैंक, डेयर-बाजार, निर्बन्धित गोदाम (Bonded Warehouse), बीमा कम्पनियों आदि वही स्वतः ही स्थापित हो जाती हैं जिसमें उद्योग-धन्यो का बड़ा आर्थिक लाभ पहुँचना है।

### स्थानीयकरण की हानियाँ (Disadvantages of Localisation)

उद्योग के स्थानीयकरण में हानियाँ भी होती हैं। मुख्य हानियाँ निम्नलिखित हैं—

१. मंदी का संकट (Risk in Depression)—उद्योग का स्थानीयकरण किसी स्थान को अधिक ह्रास से ही उद्योग पर निर्भर कर देता है। यह परिस्थिति मनापत्रक नहीं कही जा सकती क्योंकि उन व्यवसाय में मंदी आने से सम्पूर्ण क्षेत्र संकट ग्रस्त हो जाता है। इतना कठोरस्वरूप कागलान बढ़ हो जाते हैं और मारे क्षेत्र में बेकारी रज जाती है।

२. मानव-बुधनता का मकोर्ण विकास (Narrow Development of Human Skill) उद्योग के स्थानीयकरण में किसी एक विधि प्रकार की कुशलता की आवश्यकता होने से अधिकतर विशिष्ट कुशलता प्राप्त श्रमिक ही आकर बसते हैं। उनका अपनी बुद्धि व अन्य पहलुओं का विकास का अवसर व समय नहीं मिलता जिसके कारण उनकी कार्य-कुशलता का एकांगी विकास ही रहता है।

३. अविधिष्ट श्रम की बेकारी (Unemployment of Unemployed labour)—केंद्रीयकरण के क्षेत्र में विशिष्ट योग्यता वाले श्रमिकों का नाराखाना में काम दिया मिल जाता है। परन्तु उन क्षेत्र के अविधिष्ट श्रमिकों को काम प्राप्त नहीं मिलता व बेकार रहते हैं—जैसे छिपा, बच्चे आदि। गहायक उद्योगों के खुलने में यह समस्या हल हो सकती है।

४. केंद्रीयकरण के दोष (Evils of Centralisation) स्थानीयकरण व अन्तर्गत एक बड़ी संख्या में कारखानों एक ही स्थान में स्थापित हो जाने से संस्था श्रमिकों का उन्नी क्षेत्र में बसना अनिवाय हो जाता है जिनमें कारण कई सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व नैतिक दोष बड़ा उत्पन्न हो जाते हैं। उनमेंसे अधिक हो जाने के कारण मजदूरी का बर्बाद हो जाता है और स्वच्छता का भी अभाव रहता है। इनके अतिरिक्त मजदूर, व्यवसाय, साम्प्रदायिक झगड़ आदि भी व्यापक हो जाते हैं।

५. श्रम की गतिशीलता में बाधा (Mobility of Labour hampered)—स्थानीयकरण द्वारा श्रम की गतिशीलता भी कम हो जाती है। नतीजा कारखानों व केंद्रों में श्रमिकों का न मिलना पर अर्थ औद्योगिक केंद्रों का बर्बाद हो सकता है क्योंकि व बर्बाद गुना बर्बाद व कागलान व नाप में ही निरूपण है।

निष्कर्ष (Conclusion)—स्थानीयकरण के सब हानियाँ ही घबराती अधिक हैं। जो कुछ दोष हैं व भी उत्पन्न हो सकते हैं। यदि एक केंद्र में विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित कर दिए जायें तो मानव बुधनता का एकांगी विकास और मंदी द्वारा होने वाले आर्थिक संकट का भय दूर हो सकता है। अविधिष्ट श्रमिकों की बेकारी महामय उद्योग-विकास द्वारा दूर हो जाना सम्भावित है। भविष्य में कारखानों को कम दूर क्षेत्रों में स्थापित न कर देहता में स्थापित करने से केंद्रीयकरण के दोष दूर हो सकते हैं। आज के युग में जन विज्ञान, शक्ति और औद्योगिक व मनुष्य-साक्षात्कार व सम्वाद के माध्याम द्वारा विभिन्न स्थानों में कारखानों स्थापित करना सम्भव है।



### उद्योगों का विवेन्द्रीयकरण (Decentralisation of Industries)

आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में कुछ बान ऐसी है जिनके ढांग उद्योगों के केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति में स्वायत्त पैदा हो जाती है। ये विवेन्द्रीयकरण अर्थात् उद्योगों के यत्र तत्र स्थापित किये जाने में सहायक होती हैं। एक ही प्रकार के उद्योगों के भिन्न-भिन्न स्थानों में स्थापित होने की प्रवृत्ति को उद्योगों का विवेन्द्रीयकरण कहते हैं। उदाहरण के रूप में, पहले सूती कपड़ के कारखाने अधिपतर बम्बई और महमदाबाद में ही थे, परन्तु अब कई स्थानों में स्थापित हो गये हैं और होते जा रहे हैं। इसके कारण मुख्यतया निम्नलिखित हैं —

(१) जल विद्युत शक्ति का विकास—जल विद्युत शक्ति का विकास के पूर्व कारखाने प्रायः कोयलों की खाना के पास-पास ही स्थापित होते थे। परन्तु जल विद्युत शक्ति के विकास से आज कारखाने दूर-दूर स्थानों में स्थापित हो सकते हैं क्योंकि जल-विद्युत शक्ति तारों द्वारा सुगमता से और कम लागत में दूर के स्थानों में ले जाई जा सकती है।

(२) यातायात के साधनों की उन्नति—यातायात के साधनों में उन्नति होने से कच्चा माल भंगने तथा तैयार माल भेजने में पर्याप्त सुविधा हो जाने के कारण केन्द्रीयकरण की प्रवृत्ति स्थिर हो गई है।

(३) औद्योगिक नगरों में भूमि के मूल्य और भवनों के किराये में वृद्धि—बड़े-बड़े औद्योगिक केन्द्रों में जनसंख्या की वृद्धि के कारण नए कारखाने स्थापित करने के लिये पर्याप्त भूमि बड़ी कठिनाई में और बहुत ऊँचे मूल्य पर मिलती है। इसके अतिरिक्त इमारतों का किराया भी बहुत देना पड़ता है और कर आदि भी वहाँ बहुत होते हैं। जिनके कारण बड़ा हुआ लागत खर्च नये कारखानों के लिये प्रमत्त हो जाता है। कच्चा और देहानों के कारखानों के स्थापित करने में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध हो सकती है।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

इण्टर आर्ट्स परीक्षाएं\*

१—उद्योगों का स्थानीयकरण से आप क्या समझते हैं? उन कारणों का विवेचन कीजिये जिनसे यह उत्पन्न होता है? (७० प्र० १९५३)

२—उद्योग-धन्दा के स्थानीयकरण के कारण बताइयें। बम्बई में सूती धन्दा के मदभ में अपना उत्तर लिखिये। (२० वी० १९५१)

३—उद्योगों के स्थानीयकरण के कारण बताइये और इसके मुख्य लाभ-हानि का वर्णन कीजिये। (२० वी० १९५२, ४९)

४—'उद्योगों के स्थानीयकरण' से आप क्या समझते हैं? इसके क्या कारण हैं? इसके प्रमुख लाभ भी बताइयें।

५—उद्योग-धन्दा के स्थानीयकरणों की विस्तारपूर्वक विवेचना कीजिये।

(२० भा० १९५२)

उत्पत्ति के परिमाण का अर्थ

उत्पादन छोटे और बड़े दोनों परिमाण में होता है। जब उत्पादन अधिक कच्चे माल, धम और पूँजी आदि से किया जाता है, तो उसे बड़े परिमाण की उत्पत्ति (Large-Scale Production) कहते हैं। बड़े परिमाण की उत्पत्ति के अन्तर्गत उद्योगों का मगटन इस प्रकार का होता है कि उनमें अधिक मात्रा में बच्चा माल, पूँजी, आधुनिक एवं विशिष्ट मशीनों का प्रयोग और विस्तृत धम-विभाजन के अनिश्चित मनुष्यों शामिल काम करते हैं तथा जिनकी उत्पत्ति केवल देश तक ही सीमित न रहकर दूर देशों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति करती है। कपड़े, चीनी की बड़ी बड़ी मिलें, लोहे और इस्पात के कारखाने देना कम्पनियाँ आदि उत्पत्ति के बड़े परिमाण के कुछ उदाहरण हैं। इनके विपरीत छोटे से कच्चे माल, धम और पूँजी से कम मात्रा में माल तैयार करने को छोटे परिमाण की उत्पत्ति (Small-Scale Production) कहते हैं। उदाहरणार्थ, बुलाहा, कुम्हारों, मुंगरो, लुहारों आदि के काम। कुछ व्यवसायों में उत्पत्ति का परिमाण बड़ा होता है और कुछ में छोटा। कभी-कभी एक ही व्यवसाय में बड़े और छोटे दोनों ढंग के उत्पादन सामान्य बनने हैं। औद्योगिक क्रान्ति के पश्चात् उत्पादन के परिमाण में बहुत वृद्धि हो गई है। ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, मधुन राज्य अमेरिका और सोवियत रूस आदि सभी मध्यम बड़े परिमाण की उत्पत्ति के ढंग को अपनाते जा रहे हैं। किन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि छोटे परिमाण वाले ढंग का विलुप्त हो गया है। कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो छोटे पैमाने पर ही चलाये जा सकने हैं। जिन उद्योग-धंधों में उत्पादक के व्यक्तिगत निरीक्षण की आवश्यकता होती है। या जिनमें व्यक्तिगत रुचियों और फँसना के अनुसार काम करना पड़ता है, उनमें बड़े परिमाण पर उत्पत्ति मफूल नहीं हो सकती। दोनों ढंगों में कुछ अलग-अलग विशेषताएँ हैं जिनके कारणों से आज तक एक माय चालू है हम यहाँ सब से प्रथम बड़े परिमाण की उत्पत्ति पर विचार करेंगे और मन्वचाल छोटे परिमाण की उत्पत्ति पर।

बड़े परिमाण की उत्पत्ति

(Large scale Production)

बड़े परिमाण की उत्पत्ति के लाभ

(Advantages of Large-Scale Production in Manufacture)

बड़े परिमाण की उत्पत्ति के कई लाभ हैं जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।  
प्र० मार्शल के मतानुसार ये लाभ दो भागों में वर्गीकृत किये जा सकते हैं—

(१) बाह्य वचन ( External Economies ) और (२) आन्त्यान्तरिक वचन ( Internal Economies ) ।

(१) बाह्य वचन ( External Economies )—यह वचन है जो किसी उद्योग पधो को मांगरण उत्पत्ति व कारण होती है । यह किना विधेय उद्योग व उत्पादन व वृद्धि होत के कारण नहा हाता बनि मपूर्ण व्यवसाय के माधारण विकास के कारण उत्पन्न हानी ? उम व्यवसाय म मरतन मभा कारणान इम प्रकार का लाभ उठा सकते है । अधिक स्पष्ट करते हुये यो कहा जा सकता है कि उद्योग पधो के स्थानोपकरण से जो लाभ होत है उह बाह्य वचन कहते है । उदाहरण व त्रिय मूनी वस्तु की मिला की मस्या म वृद्धि होत व माध माध उनम प्रयुक्त होने वाली मशीना के उत्पादन व वृद्धि हातर उनकी लागत कम हा तर म बडी भागी वचत हानी है । इसी प्रकार जब कोई व्यवसाय किसी विशिष्ट म्यान पर केन्द्रीय हो जाता है ता उम व्यवसाय के समस्त कारखाना को यातायात विज्ञापन, बीमा, बरु, सहायक धना, राज्य सहायता अनुसंधान तथा प्रौद्योगिक मस्याया आदि को मूलधाय विधेय रूप म उपलब्ध हात के कारण पर्याप्त वचन होती है । इस प्रकार व समस्त लाभ बाह्य वचन के नाम म सम्बोधित किय जाते है ।

(२) आन्त्यान्तरिक वचन ( Internal Economies )—यह वचन है जो किसी एम कारखाने के आन्तरिक व्यवस्था तथा प्रबंध की उच्छ्रुता के कारण होती है । इसका बाहरी धवम्याया म बाह्य सम्बन्ध नहीं है । आन्त्यान्तरिक वचन कारखाना के मण्डन की उत्तमता पर निर्भर होती है । मुख्य व्यवसाय निरन्तर उन वाता वा शौच म तथा रहता है जिनम आन्त्यान्तरिक वचन के वृद्धि हा । बड परिमाण के उत्पादन म जो मुख्य आन्त्यान्तरिक लाभ हात है व निम्नांकित है —

१. श्रम विभाजन के समस्त लाभ ( All the Advantages of Division of Labour )—उत्पादन बड परिमाण म हात व कारण श्रम विभाजन के पूरा पूरा लाभ उठाया जा सकता है ।

२. मशीन के प्रयोग के समस्त लाभ ( All the Advantages of Use of Machinery )—बड परिमाण म उत्पात्ति श्रम मशीना का प्रयोग एक प्रकार म साथ साथ चलते है । अस्तु मशीना के प्रयोग के लाभ बड परिमाण की उत्पात्ति व लाभ बड जात है ।

३. मूल्य मे कमी ( Low Prices )—जब किसी वस्तु का उत्पादन बड पैमान पर होता है तो उस वस्तु के लागत दाय भी कम हा जात है जिसम बड वस्तु बाजार म मन्नी मिलत लगती है और उपभोक्ता को लाभ पहुंचता है ।

४. श्रम की मितव्ययता ( Economy of Labour )—बड कारखाना म कोई एक काम थोडे म श्रमिका द्वारा मन्पन्न किया जाता है जबकि छोट कारखाना म उसा काम के लिय अधिक श्रमिका वा लगाना पडता है ।

५. विनोपज्ञा की नियुक्ति ( Employment of Technical Experts )—बडी मात्रा म उत्पादन हात म श्रम विभजन म उत्पत्ति हाता है ख्याति व व कारणाना मे बडी मायता वात विनोपज्ञ नियुक्त किय जा सकता है । जो बड परिमाण के उत्पादन म सम्भव नहा है ।

६ आधुनिक एवं विशिष्ट मशीनों का प्रयोग (Use of Upto date and Specialised Machinery) बड़ परिमाण में उत्पादन करने वाला आधुनिक एवं विशिष्ट मशीनों का प्रयोग द्वारा उत्पादन बड़ा सकता है।

७ क्रय में मितव्ययता (Economy in Buying)—बड़ कारखाने वात वच्चा माल ईंधन मशीन आदि अधिक मात्रा में खरीदते हैं। अस्तु उन्हें इन वस्तुओं में खरीदने में बड़े दर लड़ाई हुआई आदि में पर्याप्त मितव्ययता होती है।

८ विक्रय में मितव्ययता (Economy in Selling)—अधिक मात्रा में मात्र बचन में रेंज लय आदि तर्कों में पर्याप्त बचन होती है।

९ अवशिष्ट पदार्थों का सदुपयोग (Utilization of Bye Products)—बड़ परिमाण में उत्पादन होने में अवशिष्ट पदार्थों का सदुपयोग हो सकता है। उदाहरणार्थ चाना की मिला में गीर (Molasses) से अथवा गति (Power Alcohol) तैयार की जाती है।

१० बड़े परिमाण में विज्ञान सम्पन्न (Large Scale Advertising)—छोट कारखाने व ब वैज्ञानिक विज्ञान का व्यय नहीं सह सकते। अस्तु केवल बड़ कारखाने वाले ही इसकी व्यवस्था कर सकते हैं।

११ बड़े निर्माता का व्यापार सम्बन्धी व्यापक नीति निर्धारित करने का पर्याप्त अवसर मिल सकता है (A large Manufacturer can devote himself entirely to broad questions of policy)—बड़ा निर्माता अपना वैदिक सामान सम्बन्धी काय प्रवचन आदि कमनायिका क मुमुद कर वह स्वयं व्यापार के नीति सम्बन्धी प्रश्नों पर विचार कर सकता है।

१२ बाजार की घटा-बढ़ती से अल्प प्रभावित नहीं होना (Not much affected by Market Fluctuations)—बड़ा व्यापारी या उत्पादक अपने स्वयं के अनुभव तथा विशेषज्ञ (Experts) का सम्मति में अपनी मात्रा का उचित मात्रा अनुमान लगाकर उत्पादन प्रारम्भ करता है। अस्तु, वह भावा की घटा-बढ़ती से प्रभाव में मुक्त रहता है। यदि कदाचित् उनका अनुमान ठीक न उतर ला भी वह अपनी विल्टृत पूंजी का साधना क कारण नहीं सामानो में नष्ट करता है।

१३ प्रयोगशाला में प्रयोग और अनुसन्धान किया जा सकता है (Experiments and Researches can be carried on in Laboratories)—एक बड़ा निम्नता अपने स्वयं के प्रयोगशाला एवं अनुसन्धान स्थानों पर बड़-बड़ विज्ञान का साधना का उपयोग कर अपना उत्पादन बड़ा सकता है। छोट निर्माता या उत्पादक इन लाभ से वंचित रहते हैं।

१४ स्थान की मितव्ययता (Economy of Space)—बड़ विमा वस्तु का उत्पादन के लिये बड़े-बड़े एक बड़ कारखाने क कई छोटे छोटे कारखाने हा हा अधिक स्थान की आवश्यकता हुआ।

१५ पूंजी की मितव्ययता (Economy of Capital)—बड़ा निर्माता या उत्पादक पूंजी का उपयोग बड़ी मात्रा में करता है। अस्तु उन्हें पूंजी कम व्याज पर प्राप्त कर सकता है।

१६ मान्यता में भी उन्नति होना है (Credit is enhanced)—छोटे निर्माता या उत्पादक की अपेक्षा बड़े निर्माता या उत्पादक का अधिक लाभ जानने

तय जान है जिसमें उमका रयानि बहूत दूर दूर तरु फँस जाती है। यह क्यति मान का विज्ञा वधान में महापक मिड हाता है। पूजे भी आवरकवानुमार योग कम -राज-दर पर बक प्रादि स मिन जाता है।

बडे परिमाण की उत्पत्ति का हानिया

(Disadvan of Large Scale Production)

१ मान क माग का अनुमान अन्यथा मिड्र हान पर हानि का सम्भावना—यदि निमाता या उत्पादक का भावा माग का अनुमान पथाय मिड्र न हान पर मान का प्रबिक्रीन स्टोक अधिक रह बायगा ता उम हानि उगती पगी।

२ उद्यागपतिया और श्रमजीविया क मध्य निवट सम्पके का प्रभाव—बडा माथा की उत्पत्ति के अनन्तत कारवना म मध्य श्रमजीवा दाय बगत है। अन्त मिल श्रमिकों और श्रमजीविया क मध्य निवट सम्पके स्थापित नहीं हो सकता। इसीनिध कमी श्रमिका की श्रार म हडतात और कभा उद्योगपतिया का श्रार म तातबन्धी होता है।

३ अमतोपजनक वितरण व्यवस्था वितरण म श्रमिका की कम भाग मिलन म व लोग मडा अयतुध रहते =। मग क निबन्धन लेता पना क मध्य मता मानिय रहता है और उम परस्पर मध्य पनता गता है जो अयमाय और गण का उत्पत्ति क निधे घातक मिड्र हो सकता है।

४ ट्रस्ट कार्टेल आदि सथा का उत्पत्ति—य निमाता या उत्पादक परस्पर मिनकर एताधिकार ( Monopols ) स्थापित कर एण ( Price ) काटन ( Cartel ) आदि मध बना तत =। य महगा मान वेवत = और अनता म अधिक नाम रहे =।

५ द्वाग और कुटीर व्यवसाया का धनन—य निमाताया या उत्पादक का अतक प्रकार की वनन हान क कारण मान गरता वष मरत =। उतव मातन वगत विगत और विम्बुन हान = कि एण निमता या उत्पादक एतका प्रतिपागिता ( Cost of Production ) म मडा रर मरते =। अन्त एण उत्पादक घपन का ताभानयन क मयमकर स्थगित या ममाण कर तत है।

६ धन वितरण म अममानता—उद्योग क राणातरण क धाव म वण उड उद्योग पथ पूजेपतिया क हान म सा जान है जिसमें कारण एण का अधिराग धन कड न मड भर उद्यागपतिया क अधिवार म सा जाना = और अनता का एण वण थाय निधन हो जाना है।

७ श्रमियों क स्वास्थ्य और चारण पर कुप्रभाव—य माथा क उत्पादन क अतपन कारखाना म साह्य श्रमिका का एक मार रहता तथा वाम करता पडता है। एमम श्रौणािक केडा का नमरमा अअधिक हो जाना ए प्रमिदा का वनिय मस्वास्थ्यकर हो जाता है। एमि मस्वास्थ्यकर वागारवण म उतवा नागारक मिनक मध मामाजिक धनन आरम्भ हो जाता है।

८ प्रकार फँसना—बडा माथा म उत्पत्ति क निधे मणाना ना प्रयाग नितात आवापण =। मणाला क प्रदाग म वेरार पवती है वरानि उड मणुष्या वा दाय अकेली मणीत कर बना है।

६. उत्तरदायित्व व नीरसता का अभाव और दक्षता का एकाङ्गी विकास— बड़े परिमाण में उत्पात्ति में मृक्षम धम-विभाजन होता है और धम-विभाजन द्वारा उत्पन्न होने वाली हानियाँ होती हैं, जैसे उत्तरदायित्व व नीरसता का अभाव और दक्षता का एकाङ्गी विकास प्रादि ।

बड़े परिमाण की उत्पत्ति की सीमाएँ

(Limitations of Large-Scale Production)

बड़े परिमाण की उत्पत्ति के एक लाभ है। वस्तु, इन लाभों को अर्थव्यवस्था में प्राप्त करने के हेतु उत्पत्ति में वृद्धि करना स्वाभाविक है। परन्तु उत्पत्ति की वृद्धि असंमित अवस्था तक नहीं ले जाई जा सकती, क्योंकि इसकी कुछ सीमाएँ हैं। ये सीमाएँ निम्नलिखित हैं—

(१) उद्योग-धन्धों का स्वभाव—कुछ उद्योग स्वभावतः भारी होते हैं जिन्हें बड़े पैमाने पर ही चलाना पड़ता है जैसे तेल के इंजन चलाना विजली उत्पन्न करना मोटर व जहाज प्रादि के उद्योग। जिन व्यवसायों में व्यक्तिगत ध्यान, रक्षि और दक्षता की आवश्यकता होती है उनमें बड़े परिमाण में उत्पत्ति लाभप्रद सिद्ध नहीं हो सकती। उदाहरणार्थ, वैशमी परत बुनना, कसंदा काटना, चित्र बनाना, बीड़ी बनाना, दर्जी, स्वर्णकार और लवाहगत प्रादि का काम।

(२) उत्पत्ति का स्वभाव—यदि निमित्त वस्तु छोटी नष्ट होने वाली है अथवा अवाञ्छनीय है, तो उसका उत्पादन छोटे पैमाने पर हुआ। इसके विपरीत, यदि वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान को आसानी से लाई जा सकती है तथा जिसके द्वारा बड़ी मत्था में मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूर्ण होती है, तो उसका उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा।

(३) बाजार की विस्तार—बड़े परिमाण में उत्पादन तभी सम्भव हो सकता है जबकि मांग भी अत्यंत बड़े बाजार विस्तृत एवं स्थायी हो। जिन वस्तुओं की मांग इन देशों में होती है केवल वे ही वस्तुएँ बड़ा पैमाने में उत्पादन की जा सकती हैं, जैसे कपड़ा, चीनी, कागज प्रादि।

(४) उन्कृष्ट व्यवसाय एवं प्रबन्ध की कठिनाई—मनुष्य की मर्यादें अर्थकी सीमित होती हैं। वह कार्य का देख रेख किसी एक सीमा तक ही भली प्रकार कर सकता है। उसके उपरान्त विभिन्न विभागों का निरीक्षण, नियंत्रण और सामंजस्य उसके लिये कठिन हो जाता है। उसके कार्यकुशलता घट जाती है और काम में अनेक त्रुटियाँ होने लगती हैं। इस प्रकार किसी एक सीमा के पश्चात् उत्पादन-प्रसार लाभदायक नहीं होता।

(५) धम-विभाजन और मशीनों की मितव्ययताओं की सीमा—धम-विभाजन और मशीनों के प्रयोग से जो बचत होती है वह निरन्तर नहीं रह सकती। उनका भी निर्माण एक सीमा के पश्चात् घटने लगता है, धारम्भ हो जाता है, क्योंकि उन मशीनों के बाद धम-विभाजन और मशीनों का प्रयोग में वृद्धि करना कठिन हो जाता है।

(६) पूँजी प्रादि उत्पत्ति के साधनों की परिमितता—उत्पत्ति के परिमाण का जितना अधिक बढ़ाया जायगा, उतनी ही अधिक आवश्यकता पूँजी और अन्य साधनों की पड़ेगी। ये साधन सर्वत्र पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते। अतएव इस कारण भी उत्पत्ति की मात्रा सीमित हो जाती है।

(७) मनुष्यों का चरित्र :—उत्पादन का परिमाण देश के मनुष्यों के चरित्र पर ही निर्भर है। यदि लोग माहुरी हैं और तबीयत योजनाराम सम्बन्धी जोखिम उठाने के विषये तैयार हैं, तो निरन्तर उत्पादन बड़े पैमाने पर होगा।

प्रो० चैपमैन ( Prof. Chapman ) के अनुसार बड़े परिमाण की अन्तिम सीमाएं (Final Limits) निम्नलिखित हैं :—

- (१) मगहन की आन्तरिक (Internal) कठिनाइयाँ।
- (२) निर्मित वस्तुओं के गुणों का महत्त्व।
- (३) उपयोग में आने वाली मशीनों की लागत।
- (४) बाह्य (External) कठिनाइयाँ जो बाजार के स्वभाव से सम्बद्ध हैं।
- (५) वस्तु की माँग में स्थिरता।
- (६) उद्योग की उत्पत्ति-विधि सम्बन्धी निश्चयता।
- (७) बड़े पैमाने की उत्पत्ति में बचत का परिमाण।

बड़े परिमाण की उत्पत्ति और यातायात के साधन

(Large-Scale Production & Means of Transportation)

हस्ते और छोटे साधनों के मापन बड़े परिमाण की उत्पत्ति में बड़ा सहायक है। (१) इनके द्वारा दूर स्थित स्थानों में कच्चा माल प्राप्त किया जा सकता है। (२) इनमें धम की गतिशीलता बढ़ती है। (३) मान को छपत के निच बाजार और मंडियों का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है।

बड़े परिमाण की उत्पत्ति और कृषि व्यवसाय

(Large-Scale Production & Agricultural Industry)

बड़े परिमाण की उत्पत्ति का प्रयोग निर्माण व यातायात व्यवसायों में नहीं-भांति हो सकता है। परन्तु कृषि व्यवसाय इनके विषये पूर्वसंज्ञा उपयुक्त नहीं है। इससे कई कारण हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं :—

१. कृषि में विशिष्ट (Specialised) मशीनों और धम-विभाजन का बहुत कम क्षेत्र है।

२. कृषि में उत्पत्ति-ह्रास-निपट ( Law of Diminishing Return ) होने के कारण बड़े परिमाण की उत्पत्ति सम्भव नहीं है।

३. कृषि अववायु आदि प्राकृतिक कारणों पर विशेष निर्भर होने के कारण बड़े परिमाण की उत्पत्ति के उपयुक्त नहीं है।

४. निर्माण व्यवसाय की विशेष कृषि व्यवसाय एक अधिक विस्तृत क्षेत्र में फैला होने के कारण निरीक्षण एवं प्रबन्ध कठिन हो जाता है। इन कारणों से कृषि में बड़े पैमाने पर उत्पत्ति सम्भव नहीं है।

बड़े परिमाण की उत्पत्ति और भारतवर्ष ( Large Scale Production and India )—बड़े परिमाण की उत्पत्ति आजकल भारत के सभी मुख्य देशों में बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान रखती है। भारतवर्ष में भी इन और पूर्वोक्त प्रवृत्ति

दृष्टिगाधर होती है परन्तु कुछ कारण यह। अब भी अवरोधक भिन्न होते हैं। वे निम्न निम्नित हैं —

१ अनविज्ञता (Ignorance) २ साहस का अभाव (Lack of Enterprising Spirit) ३ तीक्ष्ण विचार (Narrow Outlook) ४ भाग्यवादिता (Fatalism) और ५ विदेशी प्रतियोगिता (Foreign Competition)

### छोटे परिमाण की उत्पत्ति

#### ( Small Scale Production )

जारा रहने के कारण (Causes of Persistence of Small Scale Production) का परिमाण की उत्पत्ति क अनेक कारण हैं और इसका लोग का भुकाव बढ़ता जा रहा है पर इसका कारण यह नहीं है कि छोटे परिमाण की उत्पत्ति का अर्थ था गया है। छोटे कारखाने वर्तमान समय में भी अपनी विशेष शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। उन्हें अधिक धन में हटाया नहीं जा सकता। इसमें निम्नलिखित कारण हैं —

१ व्यक्तिगत देख रेख और खर्च बचाने व्यवसाय—जिन व्यवसायों में व्यक्तिगत देख रेख और देख रेख की आवश्यकता होती है। व छोटे पैमाने पर ही सुचारु रूप में चलाये जा सकते हैं। जैसे दुर्गा हलवाई मद्यकार, जौहरी आदि का व्यवसाय

२ कला-कौशल की वस्तुएँ—जिन वस्तुओं के तैयार करने में विषय कला कौशल और कान की आवश्यकता होती है उनका निर्माण व्यवसाय छोटे पैमाने पर होना निश्चित है।

३ सीमित तथा अस्थायी मांग—कुछ वस्तुएँ एसा होती हैं जिनकी मांग न तो अधिक होती है और न स्थायी रहती है जैसे पान, मजाबट आदि की वस्तुओं का व्यवसाय प्रायः छोटे पैमाने पर ही होता है।

४ व्यवसाय का स्वभाव कुछ व्यवसाय एसा हैं जिनमें विषय विभाग नहीं किया जा सकते और जो स्वभावतः छोटे पैमाने पर ही चलाये जा सकते हैं जैसे शुप आदि।

५ उद्योग की प्रारम्भिक अवस्था—प्रायः सभी उद्योग शुरू में छोटे पैमाने पर ही प्रारम्भ किए जाते हैं।

६ स्वतन्त्रताप्रिय शिपकार—जो शिल्पकार स्वतन्त्र रह कर ही जीवनापान करना चाहते हैं व प्रायः अपने व्यवसाय को छोटे पैमाने पर ही चलाना पसंद करते हैं।

छोटे परिमाण की उत्पत्ति के लाभ

#### (Advantages of Small Scale Production)

(१) व्यक्तिगत निरीक्षण—छोटा निमाणा या उत्पादक अपने कार्य की देख रेख स्वयं कर सकता है। अतएव वह अधिकता की निश्चिन्ता और अक्षमण्यता पर अनुग्रह रख सकता है। वह उनमें वास्तुतानुसार काम न कर सकता है उनकी दृष्टिगत विचारण सकता है और उन्हें प्रोत्साहन दे सकता है।



(२) म्वाभी और सेवको के मध्य निकट सम्पर्क—छोटे कारखाने में म्वाभी और श्रमिकों के मध्य सीधा एवं निकट सम्पर्क स्थापित रह सकता है जिससे पारस्परिक सघर्ष नहीं रहता ।

(३) ग्राहकों से अधिक सम्पर्क—छोटे निर्माता या उत्पादक अपने ग्राहकों के अधिक सम्पर्क में रहते हैं । वे उनकी आवश्यकतानुसार तन्तुएँ तैयार करने हैं जिसमें ध्विज्जीत म्यक रहने की बहुत कम सम्भावना होती है ।

(४) धन का समान वितरण—छोटे परिमाण की उत्पत्ति से अन्तर्गत धन-वितरण लगभग समान ही होता है । इसमें सामाजिक भ्रष्टाचि और अमूल्य कर्म हो जाता है ।

(५) स्वतन्त्रतापूर्वक एवं सुविधानुसार कार्य—छोटे परिमाण की उत्पत्ति में शिल्पकार एवं श्रमिक घर बैठे स्वतन्त्रतापूर्वक तथा अपने सुविधानुसार काम कर सकते हैं । उन्हें किसी की आधीनता में नहीं रहना पड़ता है ।

(६) बड़े परिमाण की उत्पत्ति के दोषों का प्रतिहार जिस देश में छोटे परिमाण की उत्पत्ति को प्रचलना होता है वहाँ के निवासी सुदृम विभाजन मशीनों के प्रयोग आदि औद्योगिकरण की हानियों में बचे रह सकते हैं ।

(७) व्यक्तिगत गुणों के विकास का अवसर—छोटे परिमाण के उत्पादन में आत्मनिर्भरता, उत्तरदायित्व, सघर्ष आदि व्यक्तिगत गुणों के विकास को प्रोत्साहन मिलता है ।

(८) औद्योगिक नगरों के दोषों से मुक्ति—छोटे परिमाण की उत्पत्ति में अस्वास्थ्यकर ध्वान, धुन्ध, मलमल, वेस्त्रागमन, चुप्रा आदि दोष नहीं पाये जाते । वहाँ का वातावरण मशीनों की गड़गड़ाहट और चिमनों के घुएँ से दूषित नहीं होता ।

(९) पूँजीवाद के दोषों का प्रभाव—छोटी मात्रा की उत्पत्ति में स्त्री व बच्चों का शोषण, अममान धन-वितरण आदि पूँजीवाद के दोष नहीं पाये जाते ।

छोटे परिमाण की उत्पत्ति की हानियाँ

(Disadvantages of Small-Scale Production)

छोटे परिमाण की उत्पत्ति में निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं :—

(१) बड़े परिमाण में उत्पत्ति की विविध वस्तुओं का सर्वथा प्रभाव—छोटे पैमाने के उत्पादन में बड़े परिमाण की उत्पत्ति में होने वाली विविध वस्तुओं का सर्वथा प्रभाव देखा जाता है । उदाहरण के लिए, नवीनतम मशीनों के प्रयोग में वस्तु, अक्षयिष्ठ पदार्थों का उपयोग, सुदृम अम-विभाजन में वस्तु, कार्यालय, वैकिक विभाग और वातावरण की वस्तु, बच्चा माल व मशीनों आदि के मरौदने में वस्तु, विज्ञापन, अनुसंधान और प्रयोग आदि सुविधाएँ छोटे उत्पादकों को उपलब्ध नहीं होती ।

(२) प्रति इकाई अधिक उत्पादन व्यय—बड़े परिमाण की उत्पत्ति की विविध वस्तुओं के प्रभाव में छोटे परिमाण में प्रति इकाई उत्पादन-व्यय बढ जाता है जिससे छोटे उत्पादन बड़े उत्पादकों की प्रतिस्पर्धिता में नहीं उठर सकते ।

(३) कुछ उद्योग धन्ने स्वभावतः बड़े परिमाण में चलाये जा सकते हैं—कुछ व्यवसाय ऐम हैं जिनमें अधिक पूँजा की आवश्यकता होने से केवल अधिक पूँजी बाँध ही कर सकते हैं। जैसे खान खादना यातायात सम्बन्धी उद्योग, शोक व्यापार, बीमा और बैंक कार्य प्रादि।

(४) मामूली साधनों से सबूट निवारण नहीं हो सकता—छोटे उत्पादन के पाम सीमित साधन होने से विपत्ति का सामना ठीक प्रकार नहीं किया जा सकता।

(५) सम्पूर्ण साक्षर स्तम्भन नहीं हो सकती—छोटे उत्पादन का उत्पादन-कार्य छोटे पैमाने पर होने से वह मस्ती गाल का लाभ नहीं उठा सकता।

छोटे परिमाण की उत्पत्ति के दापो को दूर करने के साधन

(१) मशीनों का प्रयोग ( Use of Machinery )—आजकल मशीनों के आविष्कारों की उत्पत्ति के फलस्वरूप अत्यंत प्रकार की मशीनें लायी और शीघ्रता से काम करने वाली मशीनें उपलब्ध होती हैं जो अधिकतर जल विद्युत् द्वारा चलाई जाती हैं इनके प्रयोग में छोटे उत्पादकों की कार्य क्षमता में वृद्धि होने के प्रतिरिक्त उन्में अनेक लाभ प्राप्त होते हैं।

(२) सहकारिता का विकास ( Development of Co-operation )—सहकारिता का उत्पत्ति के फलस्वरूप छोटे उत्पादकों को बहुत सी व सुविधाये प्राप्त हो गई हैं जो पहल कथन बड़े उत्पादकों को ही उपलब्ध थीं, जैसे ऋय विज्ञान पूँजी प्रादि म यत्न।

(३) व्यापारिक ज्ञान का प्रसार ( Diffusion of Trade Know ledge )—वर्तमान समय में व्यापारिक ज्ञान केवल बड़े उत्पादकों तक ही सीमित नहीं है बल्कि छोटे उत्पादकों भी समाचार-पत्रा व्यापारिक-सत्रिकाया व सम्मेलना आदि द्वारा व्यापारिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

(४) विज्ञान की उत्पत्ति ( Progress of Science )—विज्ञान की उत्पत्ति में भी छोटे उत्पादकों को बड़ी सहायता मिलनी है। मशीनों का आविष्कार शक्ति के मस्ते मधन, सम्वाद व यातायात के साधनों की उत्पत्ति शैक्षिक ज्ञान का विकास, अनुसंधान और प्रयोग के लाभदायक परिणाम प्राप्त छोटे और बड़े सभी उत्पादकों को उपलब्ध है।

निष्कर्ष ( Conclusion )—आज भी मनुक्त-राज्य अमेरिका बड़ ब्रिटेन, जर्मनी इटली, फ्रांस, स्विट्जरलैंड बेल्जियम, जापान आदि देशों में छोटे व्यवसाय बड़े पैमाने वाले व्यवसायों के साथ साथ मिलते हैं और उनसे सफलतापूर्वक टक्कर ल रहते हैं। भारतवर्ष में छोटे पैमाने के व्यवसायों के विकास के लिए पयाप्त क्षम है। अब भी भारत में लक्षा मनुष्य अपनी आजीविका के लिये घरेलू व्यवसायों पर निर्भर हैं। भारत एक हुवि-प्रधान देश है और यहाँ के कृषक बड़े मशीनों तक बेकार बैठे रहते हैं। तेन्संदेह इनके लिये छोटे व्यवसायों का विकास बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। उन सम्बन्ध में अखिल भारतवर्षीय ग्रामाद्योग मण ( All India Village Industries Association ), भारतीय वणिम, केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों का कार्य सराहनीय है।

## बड़े पैमाने पर खेती (Large-Scale Farming)

जिमी भूमि के बड़े भाग पर थमिखा की सहायता से मशीन द्वारा खेती करने को बड़े पैमाने की खेती कहते हैं। बड़े पैमाने की खेती के अन्तर्गत खेत इतना बड़ा होना चाहिए इस विषय में बड़ी निश्चिन्ता पाई जाती है। उदाहरणार्थ भारतवर्ष में लगभग २५-३० बीघे का खेत बड़े पैमाने की खेती योग्य समझा जाता है, जबकि अमेरिका और इंग्लैंड में १०० बीघे का खेत एक मध्यम आकार का खेत माना जाता है। कुछ भी हो, बड़े पैमाने की खेती के अन्तर्गत मशीन का बिरतुत प्रयोग, उत्तम बीजा का उपयोग, आधुनिक मिचार्ड के साधन और मार्केटिंग सुविधाएँ आदि बात मन्मन्तित है। बड़े परिमाण की खेती से लाभ

### (Advantages of Large-Scale Farming)

१ आधुनिक मशीनों और औजारों का प्रयोग सम्भव—बड़े पैमाने की खेती में आधुनिक और मूल्यवान मशीन और औजार प्रयुक्त किए जा सकते हैं जिससे उत्पादन में वृद्धि होकर लागत कम हो जाती है।

२ थम-विभाजन से लाभ—यद्यपि निर्माण व्यवसाय की भांति थम विभाजन इतनी सूक्ष्म अवस्था तक नहीं ले जाया जा सकता, परन्तु फिर भी छोटे पैमाने की खेती की अपेक्षा बड़े पैमाने की खेती में थम विभाजन अधिक विस्तृत रूप में सम्भव है। अस्तु, थम-विभाजन व अनेक लाभ बड़े पैमाने की खेती को उपलब्ध हो सकते हैं।

३. दक्षता में वृद्धि—दक्षता में वृद्धि तभी हो सकती है जब एक व्यक्ति बड़ी काम करता है जिसमें वह दक्ष हो। यह तभी हो सकता है जबकि थमिक निरन्तर बड़ी कार्य करे। बड़े पैमाने की खेती में ही यह सम्भव है कि थमिक निरन्तर एक ही काम करता रहे।

४. आय-विक्रय में वृद्धि—बड़े पैमाने का उत्पादन के क्रय-विक्रय में भी वृद्धि वृद्धि होती है। वस्तु बड़ी मात्रा में लगे देने और बेचने हैं जिसमें उत्तम बड़े प्रकार की सुविधाएँ प्राप्त हो जाती हैं।

५. बड़ा फार्म पर्याप्त पूँजी से सुसज्जित होता है—बड़े पैमाने की खेती की पर्याप्त पूँजी गारंटी में कम व्याज पर उपलब्ध हो सकती है। वह अपनी पूँजी को उतार सकते, मिचार्ड, नाले-नालियों आदि व निधि प्रयुक्त कर सकता है। यह सुविधा छोटे पैमाने की उपलब्ध नहीं हो सकती।

६. वैज्ञानिक ढङ्गों में लाभ—बड़े पैमाने की खेती में फसल-परिवर्तन (Rotation of Crops), रामायनिर खाद का प्रयोग तथा खेती के अन्य वैज्ञानिक ढङ्गों द्वारा उत्पादन में वृद्धि करना सहज है।

७. अवशिष्ट पदार्थों का उपयोग—बड़े फार्मों पर अवशिष्ट पदार्थ अधिक मात्रा में होने के कारण मलाशय उपयोग में लाए जा सकते हैं।

८. मध्यजनों का तोप—बड़े पैमाने पर उत्पादन करने वाले अपनी पैदावार सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकते हैं जिनके मध्यजनों (Middlemen) का तोप होकर उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों को ही लाभ हो जाता है।

६ गृह्यायुक्त उद्योग धन्धा की स्थापना— बड़ फार्मों पर कई गृह्यायुक्त उद्योग धन्धे स्थापित किये जा सकते हैं। जैसे—गन्ने के फार्म पर डरी चीनी की मिल गुड़ और शराब आदि के कारखाने खुल सकते हैं।

बड़े परिमाण की खेती से हानियाँ

(Disadvantages of Large Scale Farming)

१ कुशल निरीक्षण एवं प्रबन्ध में कठिनाई—बड़ पमाने की खेती में उत्पत्ति काय दूर तक फैल जाने के कारण फसल का निरीक्षण एवं प्रबंध कुशलतापूर्वक नहीं हो सकता तथा इसके एक नम्य समय तक फैल रहने के कारण निरीक्षण सम्बन्धी व्यय भी अधिक होता है।

२ श्रम विभाजन अधिक लाभप्रद सिद्ध नहीं हो सकता—निर्माण व्यवसाय की खेती में श्रम विभाजन इतना लाभप्रद सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि इसकी कई सीमाएँ हैं।

३ समय और शक्ति का दुरुपयोग—बड़ पमाने की खेती में बड़-बड़ नाले होते हैं जिनमें एक भाग में दूसरे भाग का जल आने में श्रमिका का समय और शक्ति का दुरुपयोग होता है।

४ खेती का अधिकतर मौसम पर निर्भर होना—खेती में आधुनिक मशीना और वैज्ञानिक ढंगा का प्रयोग होने से भी मौसम अर्थात् सर्दी गर्मी और जलवृष्टि पर निर्भर रहना पड़ता है। बिना उपयुक्त जलवायु व वृष्टि काय बिल्कुल सम्भव नहीं।

५ मशीनों के प्रयोग से अधिक व्यय सम्भव नहीं—खेती में विविध मशीनों का प्रयोग कम होना व व्यय कम होना है।

६ कुपको की व्यक्तिवादिता—खेती व श्रमिक प्रायः समुदाय में काय करना पसन्द नहीं करते। वे स्वतन्त्रताप्रिय होते हैं उन्हें अनुशासन में रहना प्रच्छन्न नहीं लगता। अस्तु उन्हें मजदूर बनना एक बड़ा पछि काय हो जाता है।

७ फल फल आदि की खेती में कठिनाई फल फूल आदि की खेती में देख रेख की अधिक आवश्यकता होना व कारण बड़ पैमाने के उत्पादन में कठिनाई हो जाता है।

८ भूमिरहित श्रमिका की समस्या में वृद्धि—बड़ फार्मों की प्रतिष्ठापना में छोटा फार्म बाध नहीं रहता रहने। अतः छोटे फार्म वालों का अपना पधा छोड़ कर अन्य काय करना पड़ता है। इस प्रकार धीरे धीरे भूमिरहित श्रमिका की समस्या में वृद्धि होती जाती है।

९ जमींदारी प्रथा की हानियाँ—बड़ परिमाण की खेती में धन वितरण में असमानता हो जाती है। एक जमादारा का बड़े स्थापित हो जाता है और दूसरा वृषवा का। जमींदार प्रथा काय अवनत वामचारिया व मुदुर कर गहरा व विनाश औषध व्ययोंन करने लगता है। जमींदार और किसानों में मजदूरी वगैर प्रथा किसानों का शास्त्र प्रावि सामाजिक दोष उत्पन्न हो जाता है।

बड़े परिमाण की खेती और भारतवर्ष—दुर्गम कोई सन्तर्ह नहीं है कि छोटा परिमाण की खेती की अपेक्षा बड़ परिमाण की खेती में अनेक लाभ हैं। परन्तु

भारतवर्ष की परिस्थिति इस प्रकार की है कि बड़े पैमाने की खेती में लाभ के म्यान में हानि होना सम्भव है। ऐसी दशा में भारतवर्ष में बड़े पैमाने की खेती को अपनाते के वजाय छोटे खेतों में ही विविध प्रकार के सुधारों द्वारा पैदावार बढ़ाने का प्रयत्न करना उचित है।

भारतवर्ष में बड़े परिमाण को खेतों में बाधाएँ

(Handicaps to Large-Scale Farming in India)

भारतवर्ष में बड़े पैमाने पर खेती निम्नलिखित कारणों में नहीं की जा सकती :—

१. खेती का छोटा और दूर-दूर स्थित हाना
२. भारतीय किसानों की निर्धनता
३. उनकी अज्ञानता और निरक्षरता
४. उनकी भायबादिता
५. सरकार के प्रदर्शन फार्मों (Demonstration Farms) की अमफलता
६. भारतवर्ष में समानाधिकार कायम का प्रचलित होना
७. भारतीय कृषि का प्राकृतिक एवं जनबाधु सम्बन्धी चाना पर पूर्णतया आश्रित होना
८. छोटे पैमाने की खेती के अपेक्षित लाभ
९. भारतीय कृषि व्यापार के लिए नष्टी अर्थात् उदर पूर्ति के लिए की जाती है
१०. कृषि सम्बन्धी प्रयोगों के लिए अपर्याप्त फार्म

छोटे पैमाने की खेती के लाभ

(Advantages of Small-Scale Farming)

१. फसलों का व्यक्तिगत निरीक्षण—छोटे फार्म वाता किसान खेतों की विभिन्न क्रियाओं की देख-रेख स्वयं कर अपने लाभ को अधिकतम सीमा पर ले जा सकता है।

२. श्रमिकों के नुषर्ष का पूर्णतया अभाव—छोटे पैमाने की खेती में मजदूरों पर रखे जाने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत कम होती है। यतः स्वामी और श्रमिक के मध्य किसी प्रकार का संपर्क होने या प्रश्न हो उपस्थित नहीं होता।

३. फल, फल आदि की खेती के लिये अधिक उपयुक्त—फल, फूल और वे फसलें जिनमें अधिक देख-रेख की आवश्यकता होती है छोटे परिमाण में ही उत्पन्न की जा सकती हैं।

४. महकामिता में लाभ—महकामिता में छोटे किसानों को अधिक लाभ पहुँच सकता है। शहर के कई देशों में महकामिता न किसानों की स्थिति में धूर्त काया पण्डित कर दो है।

५. सामाजिक समानता—छोटे पैमाने की खेती के अन्तर्गत सारे भूमि छोटे छोटे भूस्वामियों में बँट जाती है। जिसमें ऊँच-नीच का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होने पाता। धन-विनश्यत् की समानता के कारण सभी छोटे-छोटे किसान मनुष्य रहते हैं।

४०० ]

६. राजनैतिक लाभ—सूम्बामिया का अधिक सस्या में होना एक बड़ी राजनैतिक शक्ति कही जाती है। सरकार जिस प्रकार चाहे उनका उपयोग कर सकती है।

निष्कर्ष (Conclusion) — सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टि में छोटे फार्म अधिक लाभदायक हैं। प्राचीन विद्वानों का मन भी छोटे खेतों के पक्ष में ही है। प्लिनी (Pliny) का मत है कि खेत छोटे होने चाहिये। वे कहते थे कि अधिक बोन की अपेक्षा अधिक जलना लाभप्रद है। पलादीन के अनुसार भी छोटे फार्म को भली प्रकार जोतना और बोना बड़े फार्म पर बेगार करने की अपेक्षा कही अच्छा है। बड़े पैमाने की खेती अधिक सफल नहीं हो सकती। अमेरिका में भी बहुत बड़े-बड़े फार्मों को छोटा करना पड़ा। निर्माण उद्योग व धंधों की अपेक्षा खेती में स्वभावतः बड़े परिमाण की उत्पत्ति का सीमित क्षेत्र है। भारतवर्ष की परिस्थितियाँ इस प्रकार की हैं कि यहाँ छोटे पैमाने की खेती ही लाभदायक सिद्ध हो सकती है। इन परिस्थितियों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका है।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इण्टर ग्राट्स परीक्षाएँ

१—बड़ी और छोटी माना की उत्पात्ति में क्या अन्तर है ? इन दोनों में, आपसे अनुमान में, कौनसे भागनवर्ष के लिये उचित है ? (म० भा० १९५६)

२—बड़ी माना की उत्पात्ति के लाभ-हानि समझाइयें। बड़ी माना की उत्पात्ति किन सीमा तक बढ़ाई जा सकती है ?

३—आंतरिक तथा आम्बातरिक वचन पर नोट लिखिये।

(म० भा० १९५३, अ० बो० १९५२, ५०)

४—कहा और क्यो थोड़ा परिमाण का उत्पादन बड़े परिमाण के उत्पादन में लाभदायक है ? भारत में कुछ लघु उद्योगों के जीवित रहने के क्या कारण हैं ?

(अ० बो० १९५५)

५—बड़े पैमाने की उत्पात्ति में क्या लाभ हैं ? इन लाभों के उपमध्य होने पर भी छोटे पैमाने की उत्पात्ति क्यो साथ-साथ चलती रहती है ?

(रा० बो० १९५४)

६—आंतरिक और बाह्य मितव्ययताओं पर टिप्पणियाँ लिखिये।

(म० भा० १९५३)

#### इण्टर एग्जामिनर परीक्षाएँ

७—बड़े पैमाने के लाभ तथा सीमाया का विवेचन कीजिये।

(अ० बो० १९५७)

८—बड़े पैमाने के उत्पादन से एक लाभ यह होता है कि प्रति इकाई मूल्य में कमो हो जाती है। ('डम कथन की व्याख्या करिये।

व्यवसाय संगठन के रूप  
(Forms of Business Organisation)

पहले यह बतलाया जा चुका है कि आधुनिक उत्पादन प्रणाली में संगठन या व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्थान है। अब हम यहाँ पर संगठन के विविध रूप का निरूपण करेंगे। प्रासंगिक व्यवसाय संगठन के कई रूप इच्छितगोचर हैं। जिनमें से निम्नलिखित मुख्य हैं —

१. व्यक्तिगत माहम प्रणाली (Single Entrepreneur System)
२. साझेदारी (Partnership)
३. संयुक्त पूँजी वाली कम्पनियाँ (Joint Stock Companies)
४. एकाधिकार (Monopolies)
५. गमोग (Combinations)
६. सहकारिता (Co-operation)
७. लाभ विभाजन (Profit Sharing)
८. सरकार द्वारा उत्पादन (State Enterprise)

### १ व्यक्तिगत साहस प्रणाली

#### (Single Entrepreneur System)

इस प्रणाली के अलग-अलग व्यापार या उद्योग का स्वामी और सञ्चालकता एक ही व्यक्ति होता है। अधिक स्पष्ट करते हुए या कहें जा सकता है कि व्यवसाय का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व एक ही व्यक्ति पर होता है। वही कच्चा माल खरीदता है, पूँजी का प्रबंध करता है तथा माल को बिक्री की व्यवस्था करता है। इसे व्यक्तिगत स्वामित्व (Individual Proprietorship) अथवा एगरी उत्पादक प्रणाली भी कहते हैं। प्रो० हैन्सी (Hancy)<sup>१</sup> के अनुसार व्यक्तिगत माहम प्रणाली व्यावसायिक संगठन का वह रूप है जिसमें प्रत्येक केवल एक ही व्यक्ति होता है जिस पर सारा उत्तरदायित्व होता है या व्यापार का संचालन करता है और जो व्यापार के अंशक ही जाने की जानिम भी लेता है। फुटकर व्यापार, दर्जी, डाक्टर, बकींग व कुटुम्बीय फर्मों का व्यवसाय, कृषि आदि व्यक्तिगत माहम प्रणाली के कुछ उदाहरण हैं।

१—Business Organisation and Combination—L. H. Hancy, P. 47.



### नाम (Advance)

(१) इस प्रणाली का अत्यंत व्यवसाय सरलता और आसानीपूर्वक स्थापित किया जा सकता है।

(२) इस प्रणाली में सम्पूर्ण उत्तरदायित्व एक ही व्यक्ति पर होने का कारण यह व्यक्ति मूल जो लगा वार कुशलतापूर्वक काम करता है।

(३) एकाकी उत्पादक अपने व्यवसाय का सर्वोत्तम दृष्टा है। अस्तु उसके भाग में बाहर से कोई बाधा नहीं आती। वह कितना भी बाल का स्वयं ही सौत्र निगाह करके आवश्यक काम कर सकता है।

(४) उत्पत्ति छोट परिमाण में होने में माल अल्पता नकार जाता है।

(५) उत्पादन अधिकतर निकटवर्ती उपभोक्ताओं के लिए जाता है। अस्तु उत्पादक को उन भागिदारों की सखि प्रादि जानने का समय नहीं मिलता। अर्थात् उन भागिदारों का भी ठाव अनुमान लगाया जा सकता है जिनसे अत्यधिक उत्पादन का कारण होने वाली हानियाँ नहीं होने पाती।

(६) एकाकी उत्पादन व्यवसाय के भेदों (Business Secret) का गुप्त रह सकता है।

(७) इस प्रणाली में हिमाय कितना अधिक नग्न रहना पसन्द है। अर्थात् मुनीय प्रादि कामचारियों के व्यवसाय में पर्याप्त बचने ही जाती है।

### हानियाँ (Disadvantages)

(१) इस प्रकार के व्यवसाय में एकाकी काम ही रहता है। अर्थात् अज्ञान से प्रतियोगिता में टकराने नहीं जा सकता।

(२) एकाकी उत्पादक का अत्यन्त उत्तरदायित्व (Entirely liable) उस कार्य में अत्यन्त रहना है। यह सहसा की अत्यन्त अज्ञान का प्रवृत्ति का हताशाह करता है।

(३) एकाकी उत्पादक की सगठन शक्ति सीमित रहता है। वह अपने व्यवसाय में अत्यन्त अज्ञान तक वृद्धि नहीं कर सकता।




(४) कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जो एकाकी उत्पादक प्रणाली के अनुसार अर्थात् छोटे पैमाने पर सलाह नहीं चलाये जा सकते। जैसे रेल कार जहाज आदि के व्यवसाय।

(५) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास के लिए यह प्रणाली सबसे अनुपयुक्त है।

## २ साझेदारी (Partnership)

व्यावसायिक संगठन का वह रूप है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति सामूहिक तया व्यक्तिगत रूप से लाभ प्राप्ति के उद्देश्य में प्रत्येक व्यक्ति बिना व्यवसाय का संचालन करते हैं। भारतीय साझेदारी विधान सन् १९२० के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों के बीच का सम्बन्ध है जो किसी व्यापार को मज मिलकर करना उसके स्थान पर एक ही व्यक्ति द्वारा संचालित करने के लिये तथा लाभ विभाजन के लिये सहमत होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार साझेदारी के लिए निम्नलिखित बातें का होना आवश्यक है—(१) साझेदारी एक से अधिक व्यक्तियों के बिना नहीं हो सकती। (२) सम्बन्धित व्यक्तियों का संयोजित व्यापार संचालन के लिए होना चाहिये। (३) उक्त लाभ विभाजन के लिये सहमत होना चाहिये। (४) व्यापार का जो मज मिलकर कर व्यवसाय उनमें से कुछ में से लिये कर (५) साधारण व्यवसाय में साझेदारी की संख्या २० से अधिक नहीं होना चाहिए और बतौर व्यवसाय में वह संख्या १० से ही सीमित है।

साझेदारी के पारम्परिक सम्बन्ध अधिकतर वस्तुस्थिति में प्रत्येक साझेदार द्वारा लाभ जान बाला पूँजी तथा लाभ हानि का अनुपात प्राप्ति वाल साझेदारी के सम्बन्धों (Partnership Agreement) में निर्णय किया जाता है। यह सम्बन्धों शीर्षक अथवा लिखित में भी हो सकता है। अधिकतर साझेदारी अनिश्चित दायित्व (Unlimited Liability) के अनुसार ही संचालित होता है। अर्थात् दायित्व का अर्थ यह है कि प्रत्येक साझेदार अपना धन के अलावा अपने अनिश्चित दायित्व संचालन के अर्थ में साझेदारी में अपना पूँजी के अतिरिक्त अपनी निजी सम्पत्ति रख करान में तैयार हो सकता है।



1—Partnership is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all  
—Sec 4 of the Indian Partnership Act 1932

विधान यह नहीं कहता है कि प्रत्येक फर्म को रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से हो। परन्तु रजिस्टर्ड फर्मों का प्रचलित सामेदारी विधान के अनुसार कुछ ऐसे लाभ उपलब्ध होने हैं कि कोई भी फर्म बिना रजिस्ट्रेशन हुए नहीं रहती।

### नाम (Advantages)

(१) मरुक्त पूँजी वाली कम्पनिया की ओर सामेदारी फर्म का निर्माण कानूनी दृष्टि में अधिक सुगम एवं सरल है।

(२) प्रत्येक सामेदार का असीमित दायित्व होने के कारण एकाकी उत्पादक की अपेक्षा सामेदारी व्यवसाय की अधिक पूँजी उपलब्ध हो सकती है।

(३) एक से अधिक व्यक्तियों के मल्लिक द्वारा कार्य सम्पन्न होने के कारण अधिक कार्य कुशलता पाई जाता स्वभाविक है।

(४) मरुक्त पूँजी वाली कम्पनिया के अगुधारियों (Shareholders) को प्रत्येक सामेदारी का मल्लिक बनने का कारण व बड़े उत्पादक और बाजार में काम करते हैं।

(५) सामेदारी में कार्य विभाजन एवं विनिष्ठीकरण सम्भव है। व्यवसाय के विभिन्न भाग विभिन्न सामेदारों के सुपुत्र कर व्यवसाय सुचारु रूप से चलाया जा सकता है।

(६) असीमित दायित्व के कारण पूँजी जालमी व्यवसायों में नहीं लगाई जा सकती। अन्तु अधिक सापधानी से काम लिया जाता है।

(७) सामेदारी में कर्मचारियों और ग्राहकों से निवृत्त संपर्क रखा जाना के कारण व्यापार में वृद्धि होती है।

(८) सामेदारी में पर्याप्त शक्ति और लोच (Elasticity) मन्विष्ट है। बहुत से व्यवसाय तो बिना इसके चलाये ही नहीं जा सकते। प्रायः भारत के अधिकांश व्यवसाय एक बिरल हुए व्यवसाय का पुनरुद्धार करने का सबसे सरल उपाय है कि मरुक्त व्यवसाय कर्मचारियों को सामेदार बना लिया जाय।

### हानियाँ (Disadvantages)

(१) सामेदारी का अस्तित्व अनिश्चित है। यदि किसी कारण से सामेदारी में भागदा उत्पन्न हो जाय या किसी सामेदार की मृत्यु हो जाय या वह पागल हो जाय अथवा दिवाला निकल दे, तो सामेदारी टूट जाता है।

(२) असीमित दायित्व के कारण एका साधारण मूल से व्यवसाय का भारी क्षति पहुँच सकती है।

(३) बहुत से व्यक्ति प्रबन्ध व साहस में भाग न लेकर केवल पूँजी ही लगाना चाहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के निये सामेदारी उपयुक्त नहीं है।

(४) सामेदारी में बहुमत की प्रधानता होने के कारण किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के विषय में तुरन्त निर्णय नहीं किया जा सकता।

(4) कोई भी साभदार बिना अन्य साभदारी की सब सम्मति के अपना हिस्से का हस्ताक्षरणा नही कर सकता। अस्तु पूजा एव ही व्यवसाय मे रकी रहत है।

(5) यह कमान पर उत्पादन करने के लिए पूजा की कमी रहता है। अस्तु साभदारी बडे पमाने का उत्पत्ति व वचता से वसित रहती है।

(6) प्रमोमित दायित्व व कारण बहुत से व्यक्ति इसको पसन्द नही करते इस प्रकार इसकी लोकप्रियता सीमित हा जाती है।

### ३. संयुक्त पूजा वाली कम्पनिया (Joint Stock Companies)

यह परिमरण की उत्पत्ति के निचे साभदारी मे भी अधिक संख्या मे व्यक्तिया का सहयोग प्राप्त करने की आवश्यकता न संयुक्त पूजा वाली कम्पनिया की जन्म दिया आत्रकन व्यापार संगठन का यह रूप सबसे अधिक प्रचलित है। क्वाकि इनमे अगधारिया (Shareholders) का दायित्व सीमित होता है। सबसे पहन संयुक्त पूजा वाली कम्पनिया का प्रादुर्भाव इंगरड तथा अन्य यारनीय देगा मे हुआ। प्रा० हने (Honey) के नामार संयुक्त पूजा वाला कम्पनी लाभाजन को दृष्टि से निर्माण की गई व्यक्तिया का एक गच्छिद्धर संस्था है जिसकी पूजा हस्तात्तरणीय अंगा मे विभक्त हुनी है एव स्वामित्व के लिये सदस्यता आवश्यक है। अधिक स्पष्ट परत हुए संयुक्त पूजा वाली कम्पनी व्यक्तिया का एक समूह है जो लाभाजन का दृष्टि मे बनाई जाती है और उसकी पूजा इन व्यक्तिया द्वारा गमान अंगा मे गच्छित की जाती है तथा प्रवेद व्यक्त एक या अधिक अंग या हिस्से (Shares) परीर सकता है। जो हस्तात्तरणीय (Transferable) होते है अर्थात् वे किसी व्यक्ति को चर जा सकते है।

#### संयुक्त पूजा वाली कम्पनिया की विशेषताएँ

##### (Characteristics of Joint Stock Companies)

(1) आयुनिव सद्यो घथा मे पूजा की आवश्यकता अधिक मात्रा मे होती है। एवाकी या साभदारी व्यवस्था मे इसकी पूति नही हो सकती है। परन्तु कम्पनियो अपन अंगा या हिस्सा को चरकर अघोट पूजा एवचित कर सकती है। सब कम्पनी व हिस्से परीदन वाश हिस्सा व मूय तत्र कम्पनी के स्वामी या माभिक समभजन ह। इस प्रकार कम्पनी एव या दा व्यक्तिया की संस्था न हाकर अना व्यक्तिया की संस्था हाता है। इसी कारण यह संयुक्त पूजा वाली कम्पनिया कहन ह।

(2) कम्पनी के प्रथक अगधाने या हिस्सदार (Shareholder) का सीमित दायित्व (Limited Liability) होता है अर्थात् कम्पनी के प्रति उनका दायित्व तिनन उमा का अंग है उनके मूल मूय (Face Value) तक ही सीमित हाता है। यह अंगा का मात्रा मूय उनमे चुवा लिया है ना उग पर किसी प्रकार का दायित्व नहा रहता है। उदाहरणार्थ यदि किसी व्यक्ति न किसी अद्यन पूजा वाली कम्पनी व मो भी रूपे व चार अंग परीर अ और कम्पनी न प्रथक का कथा अगधा मूय हा कपूर किया है ना उनका दायित्व कथन दा मो रूपे तक हा सीमित हाता। यदि कम्पनी न अगा अंगा का कुन मूय अगत चरनी रूपे कपूर कर


निया है तो उसका दायित्व कम्पनी के प्रति कुछ भी नहीं होगा। सीमित दायित्व के कारण ही यह व्यवस्था अधिक प्रचलित एवं सर्वव्यापी है।

(३) कम्पनियां क अंग हस्तांतरणीय होने के कारण उनका क्रय विक्रय सरलता एवं सुविधा में ही भवता है।

(४) कम्पनी का संचालन लोकतान्त्रिक (Democratic) होता है।

(५) सीमित दायित्व बोर्ड कम्पनियां के नाम के अन्त में सीमित या लिमिटेड शब्द प्रयुक्त किया जाता है।

(६) सयुक्त पूजा वाता कम्पनी की पूजा छोटे छोटे निगमा वा अंगों में विभक्त होने के कारण माध्याम दायित्व स्थिति वाला यदि भी यदि चाहता उह 'परी' मयना है।



संयुक्त पूजा वाता कम्पनी वा निर्माण—एक सयुक्त पूजा वाता कम्पनी एक प्रकार की जाती है। सबसे पहले साहसा (Entrepreneur) के मस्तिष्क में व्यवसाय वा व्यापार का यान्त्रा पाना है। व्यक्ति क्चान् बह ६ धय व्यक्तिया वा संयोग प्राप्त कर ७ व्यक्तिया न (११) एक निव सावन्क न्यूनतम संख्या है। न भारतीय कम्पनी अधिनियम प्रकृतन रजिस्ट्र कर्ता की व्यवस्था करता है। न कम्पनी का स्मारक-पत्र (Memorandum of Association) बना है जिसमें कम्पनी का नाम उसका प्रधान कामाय उद्यय कम्पनी की अधिकृत पूजा (Authorized Capital) और उसका अंग (Shares) में विभाजन सीमित दायित्व की धारणा यदि वाता वा उल्लेख होता है। स्मारक-पत्र के साथ-साथ कम्पनी वा अन्तर्नियम (Articles of Association) भी जिसमें कम्पनी क भोग शासन शक्ति वाला न सम्बन्धित नियम हात है पान्त विधान है। जब रजिस्ट्रर यह देखता है कि अधिनियम उक्त स सब शर्तिया पूरा हैं ग् है तो वह एक समागमन-पत्र (Certificate of Incorporation) प्रदान कर वना है। जिसक द्वारा कम्पनी स्थापित हो जाती है।

निये विवरण-पत्रिका (Prospectus) निकालना पड़ता है। जब तक न्यूनतम पूँजी एकत्रित न हो जाय तब तक यह अपना व्यापार आरम्भ नहीं कर सकती।

अलोक सीमित कम्पनिया (Private Limited Companies)—  
इस प्रकार की कम्पनिया पर विवरण प्रादि भेजना का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता है। ये वितरण-निका नही निकाल सकती। इनके अग्रधारियों की अधिकतम संख्या ५० से अधिक नहीं हो सकती।

सयुक्त पूँजी वाली कम्पनी और साभेदारी की पारस्परिक तुलना

१ सयुक्त पूँजी वाली कम्पनी में अग्रधारिया (Shareholders) की संख्या ७ और अधिकतम सरप्रा असीमित होती है। साभेदारी में न्यूनतम सरप्रा २ और अधिकतम २० है परन्तु बहिष्कृत व्यवस्था में यह १० तक ही सीमित है।

२ सयुक्त पूँजी वाली कम्पनी के अग्रधारियों को सारे देना में और कभी-कभी समार में भी फँसना पड़ता है। अतः, उनमें मध्य निकट सम्बन्ध नहीं होता। इसके विपरीत साभेदारी में साभेदारी की कम सरप्रा होती है अतः उनके बीच में सम्बन्ध घनिष्ठ एवं अविच्छिन्न रहना स्वाभाविक है।

३ सयुक्त पूँजी वाली कम्पनी के अग्रधारियों को असीमित हानि है, परन्तु साभेदारी में ये परिमित होते हैं।

४ सयुक्त पूँजी वाली कम्पनी में अग्रधारियों का दायित्व सीमित होता है, परन्तु साभेदारी में यह असीमित होता है।

५ सयुक्त पूँजी वाली कम्पनिया में व्यवसाय का पैमाना बड़ा होता है परन्तु साभेदारी में व्यवसाय का पैमाना छोटा होता है।

६ साभेदारी के लिये यह आवश्यक नहीं है कि वह रजिस्टर्ड हो, परन्तु सयुक्त पूँजी वाली कम्पनी के लिये रजिस्टर्ड होना परमावश्यक है।

७ सयुक्त पूँजी वाली कम्पनिया में वतनभोगी प्रबन्धक (Salaried Manager) रखा जाता है, परन्तु साभेदारी में यह अनावश्यक है।

८ सयुक्त पूँजी वाली कम्पनी का पूँजीक कानूनी अस्तित्व होता है। अतः यह अभिधान चला सकती है तथा इस पर भी अभियोग चलाया जा सकता है। परन्तु साभेदारी में ऐसा नहीं है। अतः इस प्रकार का अलग बंध अस्तित्व नहीं होने के कारण यह न तो किसी पर अभियोग चला सकती है और न कोई दूसरा इस पर चला सकता है, अतः साभेदार व्यक्तिगत रूप में अभियोग चला सकता है तथा इस पर भी इसी दैनियत में चला सकता है न कि पर्यं के नाम में।

९ सयुक्त पूँजी वाली कम्पनी का अस्तित्व स्थायी होता है, परन्तु साभेदारी का अस्तित्व अस्थायी एवं अनिश्चित होता है, क्योंकि बिना साभेदार की मृत्यु होने पर अथवा उमक पागल या दिवानिया हो जाने पर साभेदारी समाप्त हो जाती है।

१० साभेदारी में प्रत्येक साभेदार व्यवसाय या व्यापार का वास्तविक स्वामी होता है परन्तु एक सयुक्त पूँजी वाली कम्पनी में अग्रधारियों केवल नाममात्र का स्वामी होता है क्योंकि वास्तव में सारा कार्य संचालक करते हैं।

११ सयुक्त पूँजी वाली कम्पनी के अग्रधारियों को अपने अलग सुममता में हस्तान्तरित कर सकते हैं, परन्तु साभेदारी में बिना साभेदारी के वटुमत के ऐसा नहीं हो सकता।

१२. साभेदारों के पारस्परिक अधिकार आपन की अनुमति पर निर्भर होते हैं, परन्तु एक सयुक्त पूँजी वाली कम्पनी के अधिकार बिना कम्पनी की स्वीकृति के नहीं बदले जा सकते ।

१३. सयुक्त पूँजी वाली कम्पनी के हिमाय-विताय की वापिक जान (Audit) बिनी राज्य प्रमाणित आडिटर द्वारा होता अनिवार्य है, परन्तु साभेदारी में यह आवश्यक नहीं है ।

सयुक्त पूँजी वाली कम्पनियों के लाभ (Advantages)

(१) सयुक्त पूँजी वाली कम्पनिया के द्वारा ही व्यवसाय बड़े पैमाने पर सम्भव है । इनके श्रम-विभाजन, विशिष्टीकरण एवं मशीनों के उपयोग को प्रोत्साहन मिलने के अनिश्चित विशेषज्ञों की सेवायें भी सरलता में प्राप्त हो जाती हैं ।

(२) कम्पनी की पूँजी असा में विभक्त हो जाने में तथा सीमित दायित्व के विद्वान्त के कारण बहुत बड़ी पूँजी वाले व्यक्ति भा कम्पनी पूँजी इन कम्पनिया में लगा देने हैं । इस प्रकार बहुत रुपया एकत्रित हो जाता है और सचय-प्रवृत्ति को पयाप्त प्रोत्साहन मिलता है ।

(३) इनके अंशों (Shares) का सरलता में श्रय-विक्रय हो सकता है, क्योंकि ये हस्तान्तरणीय होते हैं ।

(४) सीमित दायित्व (Limited Liability) होने के कारण पूँजी को कोई कठिनाई नहीं होती ।

(५) कम्पनी साभेदारी और एकाकी उत्पादक प्रणाली को प्रपेक्षा अधिक स्थायी होती है, क्योंकि इसका अपना पुंय-कादनी अस्तित्व होता है ।

(६) बहुत में बड़े व्यवसाय जैसे रेल, जहाज निर्माण आदि बिना सयुक्त पूँजी वाली कम्पनियों के सफल नहीं हो सकते ।

(७) व्यवसाय बड़े पैमाने पर होने के कारण बड़े पैमाने की उत्पात्ति के समस्त लाभ कम्पनी को उपलब्ध होते हैं ।

(८) कम्पनी की शासन-व्यवस्था में पयाप्त वचन होती है क्योंकि मन्चालको को वेतन नहीं दिया जाता है । उन्हें केवल अधिनेशन की उपस्थिति की फीस ही प्रति दिवस के हिसाब में मिलती है ।

(९) कम्पनिया का शासन लोकतन्त्रात्मक होता है, क्योंकि मन्चालको या चुनाव साधारण अधिवचन में अंशधारियों द्वारा होता है । मन्चालका का कार्य अनन्ततः चलक होने पर अंशधारियों द्वारा ये हटाये भी जा सकते हैं ।

(१०) कम्पनियों के कार्य साबालन पर सरकार द्वारा पूर्ण नियन्त्रण होने के कारण अंशधारियों के हित सुरक्षित रहते हैं ।

(११) विविध कम्पनियों के अंश खरीद कर विनियोगक (Investor) अपनी जातिम का एक स्थान पर सीमित न रखकर फैला देता है ।

(१२) उन प्रणाली के अन्तर्गत पूँजीपति और सहस्रो अलग-अलग हो जाने से उत्पादन की कुशलता में वृद्धि होती है ।

(१३) सीमित दायित्व के कारण कम्पनी मध्य-मये औद्योगिक क्षेत्रों में कार्य आरम्भ कर सकती है । इस प्रकार देश का औद्योगिक विकास हो सकता है ।

### हानियाँ (Disadvantages)

(१) सीमित दायित्व के कारणरूप ऐसी योजनाएँ अपनायी जाती हैं जिनमें लाभ की प्रतीक्षा हानि हो सकती है।

(२) द्रव्यों के हस्तांतरण के कारण प्रतियोगी कम्पनी के साथ में कोई रम नहीं बन।

(३) कई बानूना कायदाधिनियाँ के कारण कम्पनी की स्थापना और निर्माण में बड़ी कठिनाई होती है।

(४) एक ही व्यक्तिगत रूप काल्पनिक प्रतीत होना है प्रारम्भ में संचालन समय ही में जो जान है और बाद में भी अधिक में अधिक प्रति गुम्प (proxies) प्राप्त कर संचालक बन सकते हैं।

(५) केन्द्रीय संचालक द्वारा अध्याधिनियाँ का गठन होना होता है।

(६) द्रव्यों के गठन हस्तांतरण के कारण कम्पनी के संचालन में बड़ा बोझानी बनते हैं। व व्यवसाय की स्थिति में पूर्ण परिचित होने के कारण अपना रम जानकारों में अनुचित लाभ उठाने हैं।

(७) कम्पनी व्यवस्था में आस्तिकि स्वामी और शेयरों में पण्डित सम्प्रदाय नहीं रहते के कारण उनमें परस्पर शक्य बनता रहता है।

(८) कम्पनी का संचालन एक प्रत्यक्ष अध्याधिनियाँ संचालक तथा केवल गौरी प्रत्यक्षता में बसा रहने के कारण उत्तरदायित्व भी विभाजित रहता है।

(९) कम्पनी व्यवस्था में प्रत्येक साथ में निश्चय के नियम अनुरोधितियों की साथ नहीं होती है। अतः निजी धन के नियम तुल्य निश्चय बनना सम्भव नहीं है।

(१०) कम्पनियों बनने पर्याप्त पूँजी छोड़ व्यवस्था के कारण अपने प्रति इच्छियाँ को उपार्जन और निर्यात आदि क्षेत्र में बाह्य निर्यात कर अपना एकाधिकार (Monopoly) स्थापित कर सकते हैं।

(११) बड़ी-बड़ी कम्पनियों दायित्व एक औद्योगिक भद्रा के अतिरिक्त राजनीतिक क्षेत्र में भी अपना प्रभुत्व जमा करती हैं। उदाहरणार्थ अमेरिका में ना गेट कम्पनियाँ कभी-कभी न्यायाधीशों और नाव सभा सदस्यों तक को परीक्षा करती हैं।

(१२) कम्पनी व्यवस्था में अनवरत व्यक्ति साथ बनते हैं। अतः व्यापारिक भद्र (Trade Secrets) गुप्त नहीं रहे जा सकते।

कम्पनियाँ सम्पत्ती निष्कर्ष—समुक्त पूँजी वाली कम्पनियाँ में हानियाँ नष्ट हुए भी ऐसा प्रतीत होता है कि हम प्रकार की व्यवस्था व्यवस्था समाप्त में स्थायी रूप में टूटने के शक्य प्रारंभ है। औद्योगिक विकास के लिये यह सम्भव साधन है। भारत में हम प्रकार की व्यवस्था अभी गणतंत्रता में ही है परन्तु फिर भी हमारा विकास स्थापित के लिये हुए हानि के कारण हमसे भावी आशाएँ पूर्ण करने की सम्भावना है।

### ८ एकाधिकार

#### (Monopolies)

सामान्यतया एकाधिकार का अर्थ है प्रतिस्पर्धा (Competition) का पूर्णतया अपना आधिकारिक अभाव। जब किसी एक ही व्यक्ति अपना व्यक्ति समूह के हाथ में किसी वस्तु के उत्पादन या वितरण का अधिकार प्राप्त होता है तो उसका यह अधिकार एकाधिकार कहलाता है। उदाहरण

के लिये, डाकघर सम्बन्धी सेवा सेवाया वा एकाधिकार केन्द्रीय सरकार का है। इसी प्रकार जल पूर्ति (Water Supply) वा एकाधिकार प्रायः नगर की म्यूनिसिपैलिटी को ही होता है। किसी विशिष्ट क्षेत्र में गैस, बिजली, टेलीग्राम आदि जनसाधारण उपयोगिता सम्बन्धी कार्यों का एकाधिकार या सेवा किसी एक सम्पत्ता में दिया जाता है। भारत में मविम या एकाधिकार में सेवा भी इसी में आता है।

एकाधिकारों के प्रकार—एकाधिकार मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं।

(१) कानूनी एकाधिकार (Legal Monopoly)—जब यह एकाधिकार है जो कानून द्वारा स्थापित किया जाता है। जैसे वाणिज्यिक अग्रेट गान्ग आदि।

(२) प्राकृतिक एकाधिकार (Natural Monopoly)—यह एकाधिकार किसी प्राकृतिक वस्तु के एक स्थान पर प्राप्त होने या उत्पन्न प्रथम मात्रा में मिलने के कारण स्थापित हो जाता है। जैसे लूट की दिवार में बसने का एकाधिकार।

(३) सामाजिक एकाधिकार (Social Monopoly)—जिस एकाधिकार की उत्पत्ति सामाजिक दृष्टि में आती है उस सामाजिक एकाधिकार कहते हैं। जैसे—विद्यार्थी फ़ीस आदि का एकाधिकार।

(४) पारिस्थितिक एकाधिकार (Natural Monopoly) एत ही व्यवसाय में मजदूर हो या दो मजदूरों में अन्तर्गत प्राथमिक मजदूर एकाधिकार स्थापित कर लेता है तो उसे पारिस्थितिक एकाधिकार कहा है। उसमें बड़े दूर और समर्थता के कारण उसी के उदाहरण है। भारत की A S K and Chemicals Company (A C C) भी इसी के अन्तर्गत है।

(५) स्थानीय एकाधिकार (Local Monopoly)—जब एकाधिकार एक स्थान से अन्य तक ही सीमित हो तो उसे स्थानीय एकाधिकार कहते हैं। जैसे किमी सम्पत्ती को मिट्टी वस बसाने का एकाधिकार प्राप्त हो।

(६) राष्ट्रीय एकाधिकार (National Monopoly)—जब एकाधिकार किसी देश तक ही सीमित हो तो उसे राष्ट्रीय एकाधिकार कहते हैं। यदि एक पेटेंट राष्ट्र केवल एक ही देश में लागू है तो उस राष्ट्रीय एकाधिकार कहेंगे।

(७) अन्तरराष्ट्रीय एकाधिकार (International Monopoly)—जब एकाधिकार का क्षेत्र कई देशों में फैला हुआ हो, तो वह अन्तरराष्ट्रीय एकाधिकार कहना होगा। जैसे अन्धकार की स्टैण्डर्ड फ़ाइन केम्पनी।

उन्नी प्रकार से लोक व अलोक एकाधिकार (Public and Private Monopoly) और अर्धलोक एकाधिकार (Quasi Public Monopoly) भी होते हैं।

एकाधिकार के लाभ (Advantages of Monopoly)

- (१) एकाधिकार में उत्पादन माँग (Demand) के अनुसार होने से अत्यधिक उत्पादन का भय नहीं रहता है।
- (२) एकाधिकार में प्रतिदोषिता के अभाव के कारण लाभ निश्चित रहता है।
- (३) एकाधिकार बड़े परिमाण की उत्पत्ति द्वारा होने वाली सब प्रकार की बचतों का लाभ उठाता है।



विविध वस्तु" बनाकर भिन्न भिन्न गण्डियों में विक्री के लिये भेज दी जाती है। अमेरिका की United States Steel Corporation भी इसी प्रकार की है।

(२) क्षैतिज संयोग (Horizontal Combination)—जब एक ही व्यवसाय में सलग्ग कई कम्पनियों परस्पर मिलकर गण स्थापित कर लेती है, तो वह क्षैतिज संयोग कहा जाता है। अमेरिका की Standard Oil Company और Sugar Refining Company इसी कोटि में आती है।

क्षैतिज संयोग के भेद—क्षैतिज संयोग के कई तरह के भेद हैं जिनमें निम्नलिखित मुख्य हैं :—

(अ) ट्रस्ट (Trusts)—इसमें सम्मिलित कम्पनियों के व्यक्तिगत अस्तित्व का अन्त होकर एक नवीन कम्पनी की स्थापना हो जाती है। इस प्रकार एकीकरण (Amalgamation) के द्वारा अनेकता के स्थान पर एकता स्थापित हो जाती है। इस प्रकार का एकीकरण संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिक प्रचलित है। जैसे स्टैंडर्ड ऑइल ट्रस्ट, स्टील ट्रस्ट इत्यादि।

(आ) कार्टेल (Cartel)—इस प्रकार की संघबद्धी ट्रस्ट में विफल होती है। इनमें सम्मिलित कम्पनियों के व्यक्तिगत अस्तित्व का अन्त नहीं होता। इनका संघ में सम्मिलित होने का उद्देश्य केवल मूल्य और उत्पादन तक ही सीमित रहता है। कार्टेल को सिण्डीकेट (Syndicate) भी कहते हैं। इसका प्रकार विशेषतया जर्मनी में पाया जाता है।

(इ) मूलधारी कम्पनी (Holding Company)—जब एक कम्पनी दूसरी को अपने नियन्त्रण में लाने के उद्देश्य में उसके अधिकांश अंश खरीद लेती है, तो वह मूलधारी कम्पनी कहलाती है। नियन्त्रित (Controlled) कम्पनियों सहायक (Subsidiary) कम्पनियों कहलाती हैं। एक मूलधारी कम्पनी कई सहायक कम्पनियों की नीति (Policy) और उत्पादन (Production) का नियन्त्रण कर सकती है।

अन्य प्रकार के अस्थायी संघ—कभी कभी उत्पादक पारस्परिक प्रतिस्पर्धा के कारण मूल्य को घिरने में आने के लिये अस्थायी संगठन स्थापित कर लेते हैं जो कोष (Pool), संविलयन (Merger), बलय या रिंग (Ring), कॉर्नर (Corner) और भले आदमियों का समझौता (Gentlemen's Agreement) इत्यादि कहलाते हैं।

### संयोग के लाभ (Advantages of Combinations)

(१) इन संगठनों द्वारा बड़े परिमाण की उत्पत्ति के समस्त लाभ उपलब्ध होने से उत्पत्ति-व्यय में कमी का जो सबूत है।

(२) इनमें निरन्तर उत्पादन (Continuous Production) अधिक निश्चित है।

(३) वे मन्त्रों की कठिनाइयों का सरलता से सामना कर सकते हैं।

(४) प्रतिस्पर्धा का अभाव होने से विज्ञापन आदि पर होने वाले व्यय में पर्याप्त बचत हो जाती है।

(५) इन संघों द्वारा प्रयोग (Experiments) और अन्वेषण (Research) आदि को व्यवस्था की जा सकती है।

(६) अवशिष्ट वस्तुओं का सदुपयोग हो जाता है।  
 (७) आजार की परिस्थितियों के अनुसार उत्पत्ति पर नियन्त्रण रखा जा सकता है।

(क) कटथ्रोत-स्पर्धा (Cut throat Competition) द्वारा हानि बल अर्थ-व्यय में घटता हुआ मकनी है।

(ख) अधिक पूँजी होने के कारण यह प्रतिद्वन्द्वी व्यवसायों का अन्त करके विदेशी मणियाँ प्राप्त करने पर अपना अधिकार जमा सकता है।

(१०) सम्मिलित साधना के आचार पर प्रतिद्वन्द्विता सक्ति में वृद्धि हो जाती है।  
 साधना की हानियाँ (Disadvantages of Combinations)

(१) व्यापार अर्थव्ययिक विस्तृत हो जाने से पूँजीबन्धन निरन्तरित होने में कठिनाई उत्पन्न हो जाती है।

(२) प्रतिद्वन्द्विता के अर्थ में मूल्य हो जाने से कारण उत्पन्न होने में उदात्तता या जाती है और उत्पत्ति में मूल्यांकन करने का प्रयत्न नहीं करते।

(३) प्रतिद्वन्द्विता (Rivals) को मूल्यांकन के लिए अनुचित एवं निन्दनीय रणनीति को अपनाया जाता है।

(४) इनका निम्नलिखित प्रभाव तथा हानियाँ का उत्पादन-क्षय में अज्ञान में गति देती है। इससे देश के आर्थिक विकास में अड़चल पैदा हो जाती है।

(५) प्रान्तों के साथ पत्रवात पूँजी व्यवहार किया जाता है। किसी के साथ गिन्यायत की जाती है और किसी के साथ नहीं।

(६) यहूतों का उँचा चार्ज कर उनका नाश करने का है।

(७) यह अधिक बग का कारण बनता है। उनका मजदूरी कम करने के लिए उनको बेकारी का भय दिखाना है।

(क) यह मूल्य मात्र के उत्पादन में भी मरता मात्र परीक्षण है।  
 (ख) अपना पूँजी मजदूरी का हटाने के अर्थ में मजदूरों का प्रयोग स्वयंसेवक रूप में है जिसमें उत्पादन प्रणाली में मूल्यांकन नहीं हो पाता।

(१०) यह रिश्ते और अन्तःकारण में मूल्य नहीं है। यह अपने पैरों के बल पर न्यायवादी और विधानमन्त्रों के मर्यादा में चलना ही कर पाता है।

(११) उच्च प्रतिपूँजीकरण (Over Capitalisation) द्वारा अन्तःकरण में अधिक पूँजी होने के कारणों से अज्ञानता बढ़ती है।

## ६. सहकारिता

### (Co-operation)

संयुक्त पूँजी द्वारा व्यवसायों में प्रतिपत्तियों का प्रचलना होने के कारण साधारण अर्थव्ययिक मर्यादा का कारण आकाश में उठता और न उनका हिलना और अज्ञान हो दिया जाता है। पूँजीपति अर्थमन्त्रों का काम से कम आर्थिक मर्यादा के अर्थव्ययिता लाभ उठाना चाहते हैं। अन्तु निम्न और निम्न मर्यादा प्राप्त में मिलकर एक दूसरे के महत्त्व के आधार पर अपने व्यवसायों का एक साथ मर्यादा करते हैं कि वे पूँजीपतियों को आपस-मिलने में मूल्य हानि होने का भय प्रसारण में उत्पन्न होना का प्रयत्न करते हैं।

सहकारिता एक ऐसा संगठन है जिसमें मजदूर व्यक्ति समान अधिकारों के साथ अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये सामूहिक रूप से कार्य करते हैं। इसमें

लिपेता और निर्वेला में भास्वावलम्बन, श्राम-विश्वास, बलत तथा विनियोग के तत्वों का प्रसार होता है।

सहकारिता के मुख्य रूप (Kinds of Co operation)—सहकारिता के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं

- (१) उत्पादना का सहकारिता (Producers Co operation)
- (२) वितरण या उपभोक्ताओं की सहकारिता (Distributive or Consumers Co operation)
- (३) ऋण सहकारिता (Credit Co operation)
- (४) उत्पादना की सहकारिता (Producers Co-operation) —इसके अन्तर्गत उत्पादन सहकारी समिति (Producers Co-operative Societies) स्थापित की जाती है। ये समितियाँ सदस्यों के विश्व उचित मूल्य पर आसपास बचाव मान आजाग तथा पूजा का व्यवस्था करता है। उत्पादित वस्तुओं का बर्गीकरण कर उन्हें अधिक मूल्य पर बिक्री के योग्य बनाकर बिक्री करा जाता है। इस प्रकार का समितियाँ ज्ञान तथा तैयारी से अधिक प्रचारित है।

नाम (Advantages) —(१) श्रमिक स्वयं ही अपने व्यवसाय के स्वामी बन जाते हैं। अपने व शारीरिक परिश्रम तथा लगन से काम करते हैं जिससे उत्पादन का क्षमता में वृद्धि होती है। (२) उत्पादित के साधना एवं मण्य का अभाव नहीं होता है। (३) पूँजी का परिश्रमता प्राप्त जोखिम का अधिकता के कारण प्रत्यक्ष अधिकतम मुक्त होता है। (४) समिति सदस्य श्रमिक एवं स्वामी दोनों ही होते हैं अतः उन्हें मजदूर (श्रमिक) एवं स्वामी दोनों ही प्राप्त होते हैं।

कठिनाइयाँ (Difficulties) — अधिकतर ये समस्याएँ अस्तित्व रही हैं। इनके कारण हैं निम्नलिखित मुख्य हैं —

- (१) पूँजी की अभावता के कारण कुछ प्रबंधन नहीं रख सकते। (२) श्रमिक निराशांता तथा प्रवृत्तता के कारण में अनुचित हस्तक्षेप करने हैं। (३) श्रमिकों में अनुशासन तथा उत्सुकतामिव की भावना का अभाव होता है। (४) परस्पर भयानक अफसोस का कारण होता है।

उपाय (Remedies) — इनमें से कुछ नहीं कि उत्पादना की सहकारिता का मान दोगे से परिचित नहीं है, परन्तु पिछले प्रसार शक्ति व साधना मशीनों के विकास सहयोग की कल्याण भावना प्राप्त नैतिक उपाय के द्वारा इनमें पर्याप्त सुधार हो सकता है।

(२) वितरण या उपभोक्ताओं की सहकारिता (Distributive or Consumers Co operation) इनके अन्तर्गत उपभोक्ताओं द्वारा सहकारिता समितियाँ अथवा भण्डार (Consumers Co-operative Societies or Stores) स्थापित किए जाते हैं। इन भण्डारों के स्वामी तथा उपभोक्ताओं के ही व्यक्ति होते हैं। ये भण्डार उपभोक्ताओं की दैनिक उपयोग की वस्तुएँ बेचते हैं और जा लाभ होता है वह सदस्यों में उनके क्रय के अनुपात में बांट दिया जाता है। एसी कई समितियाँ मिलकर एक ही तरह सहकारी समिति (Wholesale Co-operative

Society) स्थापित कर तथा है या फुलक समिति का मान बढ़ता है और वनावतना स्वयं उत्पादन काय ना करता है।

नाम (Advantages)—(१) उपभोक्तावर्ग में प्रथम हा कार्य समक कर गतिव नाय उन २। ( ) अधिक प्रोत्सा का आवश्यकता तथा होता है। (२) इनका प्रथम नग्न एवं प्रकृतिक होता है। (३) कायून नियंत्रण एवं निय एण इन समितियों का मनना नताय रहता है।

कठिनाइया (Difficulties)—यद्यपि उत्पादन-सहकार-समितियों का प्रथम न समितियों का अधिक सफलता सिता ह पर भा वनता प्रकाश क निय कुद कर्मियों कायन सिता हाता है जैन—(१) वन न आशाय प्रथम व्यवसाय क निय प्रथम प्रथम म कठिनाय टासिबत हाता है। (२) उपभोक्ता का अधिक वस्तुता क उभाव का मुद्रिया नहा इ नकता। (३) धर्मनिय कालकता अधिक परिश्रम न हाय वन का कष्ट नहा वन। (४) उभाव-भा काय संचालक कमाना भा कर वन २।

(२) मात्र सहकारिता (Credit Co-operation)—इसमें अलग अलग सहकार-संघ-समितिया (Co-operative Credit Societies) स्थापित का गता है। य क्रम नन वाता की संचालन गता है ज्ञा अह कम आण पर क्रम गता २ और वाह इव सम हा ना मददया म वाह सिता गता है। प्रारम्भिक काल सहकार समितियों (Primary Credit Co-operative Societies) गाँवाम स्थित गता है। इनका मुख्य उद्ये कृषका और सामान्य गिन्यकाय का प्रारम्भ आवश्यकता का पूर्ति करना है। इनका सम्बन्ध कम्बाम स्थित सहकार वैकिग वृत्तियन (Co-operative Banking Unions) प्रथम सत्तन सहकार वका (Central Co-operative Banks) म हाता है। इन सबम सवापरि प्रांतीय सहकार वक (Provincial Co-operative Bank) गत हैं।

इनक धर्मनिय बड प्रकार का समितियों सहकार विद्यालय पर प्रथम काय वता है। दाहर्गगाथ वाव वृष पर आणि वा समितियों गता का वनन (Consolidation of Holding) म दग क मागन धारि का समितियों।

### ३ लाभ विभाजन (Profit Sharing)

लाभ विभाजन पावता भा कड अग नक सहकार विद्यालय पर हा प्रारम्भित ह। नम पावता क अलग अलग निश्चित पूतम लाभ क उद्येन लाभ का कुद गणि धर्मिता म अधिवासाय वा वलन (Bonus) धारि क नम म विभाजित कर दा जाता है। नम लाभ वगड क आगण हा इन धर्मिता की साभेदाग (Co-partnership) भा कहत है।

नाम (Advantages)—( ) अधिक धोर स्वाधिका क पारम्परिक मयाय ना अलग हा गता है। (२) नम अधि कृषात अधिक व्यवसाय का धार धारविन हाता है। (३) प्रथम म अधिक धारक गति क नाव काम वनत है। (४) मगाना एवं धोरण का प्रथम अधिक सनकता उ गत क कारण नम पारम्भ वचत हाता है।

### ४, सरकार द्वारा उत्पादन (State Enterprise)

इसमें अलग अलग राज्य तथा भूमिनिष्ठ वा विभिन्न गणों राज्य का गड उत्पादन व्यवस्था समितित है। सरकार उत्पादन-लाभ म निम्न प्रकार म भाग उ सक्ता है— (१) नियंत्रण कर, (२) सहायता प्रदान कर तथा (३) स्वयं उत्पादन कर। प्रथम दो प्रकार

की व्यवस्थाया में उत्पत्ति काय प्राद्वैट व्यक्तिया तथा कम्पनियों के हाथ में होता है । परन्तु तीसरी व्यवस्था में समस्त उत्पत्ति कार्य केंद्रीय, प्रान्तीय अथवा स्थानीय सरकार के हाथ में होता है । उदाहरण के लिये, भारतवर्ष में डाक, तार, रेल, सिगार्ड जल-विद्युत् प्रादि की व्यवस्था स्वयं सरकार करती है । इनके अतिरिक्त गैंग, बिजली, पानी, ट्राम प्रादि की व्यवस्था कई जगह म्युनिमिपल बोर्डों द्वारा की जाती है ।

समाजवादी (Socialists) चाहते हैं कि देश का समस्त उत्पादन-कार्य सरकार द्वारा ही हो जिससे नारा लाभ मुद्धी भर लोगों के हाथ में न जाकर सारी जनता में बँट सके । इसीलिये आज उद्योगों के राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Industries) की आवाज उभर उठी हुई है । आजकल कई पूँजीवादी देशों में भी यह सिद्धान्त मान लिया गया है कि कम से कम प्राधारेद्योगों (Key Industries) पर ही राज्य का स्वामित्व एवं संचालन होना चाहिये और अन्य उद्योगों पर भी सरकार का उचित नियन्त्रण होना चाहिये । इंग्लैंड में थम सरकार अर्थात् सेक्टर गवर्नमेंट के शासन काल में राज्य का स्वामित्व एवं नियन्त्रण खनिज, यातायात, बैंकिंग प्रादि व्यवसायों पर विस्तृत किया गया ।

लाभ (Advantages) (१) समाज को बड़ा लाभ है, क्योंकि लाभ सरकार द्वारा जनता में बँट जाता है । (२) वस्तुओं की किस्म की गारण्टी रहती है । (३) सरकार के पास पूँजी प्रादि साधन पर्याप्त मात्रा में होते हैं । (४) सभी सरकारी नौकरों चाहते हैं अत उत्तम में उत्तम कार्य प्रवीण एवं कुशल कर्मचारी व श्रमिक रूमे आ सकते हैं । (५) सरकारी उत्पादन अधिभू नौक-नियन्त्रण योग्य है । (६) सरकार लाभ प्राप्ति के लिये पर्याप्त समय तक प्रतीक्षा कर सकती है, परन्तु प्राद्वैट उत्पादक नहीं कर सकते हैं । (७) उपभोक्ताओं के हितों को उचित रूप में रक्षा की जा सकती है ।

हानियाँ (Disadvantages) — (१) नौकरशाही एवं कठोर शासन होना स्वाभाविक है, क्योंकि सारी वागडोर सरकारी कर्मचारियों के हाथों में होती है । कभी-कभी छोटे कर्मचारी मध्य नागरिकों के साथ अविश्रुता का व्यवहार कर बैठते हैं । (२) सरकारी कर्मचारी उत्पत्ति एवं लाभ वृद्धि में अधिक रुचि नहीं रखते क्योंकि उनकी तरक्की तो पद और नौकरों के कार्य कास (Seniority) के अनुसार होती रहती है । उन्हें हानि-लाभ से क्या सम्बन्ध ? (३) अपभ्रय और अनुशासनात्मक पर बहुत कम नियन्त्रण होता है । (४) सरकारी कर्मचारियों का शीघ्र स्थानान्तरण (Transfer) संभवता में बाधक सिद्ध होते हैं । (५) सरकारी काम एक प्रकार से नैतक्य (Routine) के रूप में होगा है, इसमें मौलिकता का अभाव होता है ।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—मिश्रित पूँजी वाली कम्पनियों पर नोट लिखिये ।

२—सहकारी उत्पत्ति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये ।

३—समाजवादी पर टिप्पणी लिखिये ।

४—व्यवसाय संगठन के मुख्य-मुख्य स्वरूपों का वर्णन कीजिये । इनके गुण-दोषों को संक्षेप में वर्णन कीजिये । (सागर १९४९)

५—सीमित दायित्व वाली कम्पनी पर टिप्पणी लिखिये ।

(म० भा० १९५१, प्र० वी० १९५१, ४८)

साहस का अर्थ (Meaning)

औद्योगिक विकास के प्रारम्भिक काल में उत्पादन प्रणाली सरल एवं साधारण थी। उत्पत्ति का पैमाना छोटा था और आवश्यकताओं की पूर्ति अधिकतर प्रत्यक्ष रूप में ही होती थी। कालान्तर में समाज की उन्नति के साथ-साथ उत्पादन प्रणाली जटिल होनी गई। उत्पत्ति के पैमाने में वृद्धि हुई। व्यवसाय का आकार प्रकार बढ़ा। धर्म विभाजन व मशीन का प्रयोग अधिकाधिक मात्रा में होने लगा और वातायन व सम्वाद के साधनों में प्राणातीत उन्नति हुई। इन सबके फलस्वरूप प्रवचन की कठिनाईयाँ उत्पन्न बनीं कि उत्पत्ति काय संगठनकर्ता की शक्ति के बाहर हो गया। व्यापार की जातिम अथवा अर्थात् चतला में वृद्धि हुई जिसको सहन किये बिना उत्पत्ति असम्भव हो गई। इस प्रकार साहस के रूप में उत्पत्ति के पक्ष में साधन का प्रादुर्भाव हुआ। अध्यात्म में इस जातिम अथवा अर्थव्यवस्था को साहस कहते हैं और जो व्यवसाय की जातिम उठाता है वह साहसी (Entrepreneur) कहलाता है।

साहस की आवश्यकता तथा महत्व (Necessity & Importance)  
—प्राथमिक उत्पत्ति प्रणाली बड़ी जटिल है। बचत स्थानीय व स्थान परिवर्तन में ही नहीं बल्कि कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी यह प्रभावित होनी रहनी है। आजकल उत्पादन बचत स्थानीय माँग की पूर्ति के लिये ही नहीं किया जाता है अपितु दूर देशों की आवश्यकताओं का पूर्ति के लिये भी प्राथमिक औद्योगिक प्रणाली के अनुसार पद्धत वस्तु की माँग का अनुमान लगाया जाता है और उसके आधार पर उत्पादन काय प्रारम्भ किया जाता है। इस प्रकार निर्माता वस्तु बनाकर बाजार में लाने के नियत समय से जाता है। इस बीच में सम्भव है कि उपभोक्ताओं की रुचि में परिवर्तन हो जाय फलतः बचत काय अथवा उपभोक्ता की माँग में अन्तर हो जाय जिस फलस्वरूप वस्तु के बाह्य न मिले। यह भी सम्भव है कि वस्तु जब बाजार में लाया जाय तो उपभोक्ता का पसन्द न आय और भाग का अनुमान ठीक न मिलने पर अधिक उत्पादन (Over production) हो जाय। इन सब दशाओं में निर्माता का लाभ के स्थान में हानि होना स्वाभाविक है। अब प्रश्न यह उठता है कि उत्पत्ति के साधनों में मशीनसाधन इस जातिम को उठाने के लिये तैयार है। भूमि धर्म पूँजी और व्यवस्था तो अपना अपना पारिश्रमिक लेकर अलग हो जाते हैं, इन्हें व्यवसाय की हानि में कोई सम्बन्ध नहीं। अब रहा साहस और निर्माण योजना बनाता है उत्पत्ति काय का मचालन करता है उत्पत्ति के साधनों का यथेष्ट उपयोग में एकत्रित करना है और उत्पत्ति में सम्बद्ध सभी

जोखिम को अथन सबब कथा पर रखता है। इत सब जोखिमो को उठाना साहसी का काम है बिना इसके उत्पादन बिल्कुल सम्भव नहीं है। अन्तु, प्राधुतिक उत्पादन-प्रणाली में इसका अत्यधिक महत्व है। यह आवश्यक नहीं है कि साहसी मदैय ही कोई पृथक व्यक्ति हो। ऐसा भी देखने में आता है कि एक ही व्यक्ति स्वयं पूँजीपति प्रबन्धक तथा साहसी भी होता है। ऐसा प्रायः छोटे व्यवसायों में होता है।

प्रो० कारर (Carer) के मतानुसार साहसी की सेवाएँ ऐसी नहीं हैं कि एक वेतनभोगी प्रबन्धक सम्पन्न कर सके। औद्योगिक संगठन में इनका महत्त्व उतना ही बड़ा है जितना कि मैना में सनापति का अथवा मन्त्रिमण्डल में प्रधान मन्त्री का। कुछ लेखक साहसी की धनता एक सुदृ-अग्नी से करने \* जिसको बाहर के शत्रु का सामना करने की व्यवस्था के अनिश्चित रह रक्षा का ध्यान रखना पड़ता है। साहसी पर उम्पत्ति की धमती ही नहीं करना दस का सम्पूर्ण औद्योगिक विकास भी निर्भर होता है। अन्तु किन्ती देश में जिनने अधिक नवान साहसी हूंग उतना ही उम्भवल उस देश का आर्थिक भविष्य होगा।

संगठनकर्ता या प्रबन्धक और साहसी (Organiser & Entrepreneur)—एक साहसी और प्रबन्धक में मुख्य अन्तर यह है कि प्रबन्धक या संगठनकर्ता तो उत्पादन के नियम विधि उत्पत्ति के माधना को विशेषतः माया में एकत्रित करता है, परन्तु साहसी व्यवसाय की जोखिम अथवा अनिश्चितता को सहन करता है। व्यवसाय के हानि लाभ का उत्तरदायित्व साहसी पर होता है और वही व्यवसाय की नीति मानान करता है। संगठन या प्रबन्धक सम्बन्धी प्रतिदिन की समस्याओं को मूलकाने का काम प्रबन्धक या संगठनकर्ता का है। संगठनकर्ता या प्रबन्धक को निश्चित वेतन मिलता है। परन्तु साहसी का पारिभ्रमिक पर्याप्त लाभ होगा पर निर्भर होता है। हानि होने की अवस्था में वह उसमें भी बचित रहता है, परन्तु वेतन भोगी प्रबन्धक इस जोखिम में मुक्त रहता है। जोखिम उठाने का कार्य एक व्यक्ति के स्थान में व्यक्तियों के समूह या समुदाय द्वारा भी हो सकता है। उदाहरणार्थ सहकारी उत्पादन प्रणाली में जोखिम सहकारी समिति द्वारा उठाया जाता है। यह आवश्यक नहीं है कि प्रबन्धक और साहसी पृथक-पृथक हों। दोनों एक ही व्यक्ति भी हो सकते हैं। यह व्यवसाय के स्वभाव पर निर्भर है।

पूँजीपति और साहसी (Capitalist and Entrepreneur)—साहसी और पूँजीपति य उत्पत्ति के दो पृथक पृथक साधक हैं। यह हो सकता है कि कभी कभी पूँजीपति साहसी का तथा अथ काय भी बन्ने लग जाता है। जैसे, एक कृषक बहुधा अर्थिक पूँजीपति प्रबन्धक एवं साहसी स्वयं ही होता है। इनका यह अर्थ नहीं है कि इन दोनों में कोई अन्तर ही नहीं है। पूँजीपति मदैय ध्याज के लिये पूँजी उधार देता है। इसकी ध्याज की दर निश्चित होती है। इसका व्यवसाय के हानि-लाभ में कोई सम्बन्ध नहीं होता। परन्तु साहसी का कोई निश्चित पारिभ्रमिक (Remuneration) नहीं होता है। यदि उसको माँग का अनुमान ठीक निकलता है, तो उसे लाभ होता है और उसके वनत निम्न होने पर उसे हानि उठानी पड़ती है। अन्तः के प्रगतिशील देशों में यह होता था *अथ अन्तः अर्थिकों द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं।*

उत्पत्ति के अन्य साधक और साहसी

(Other factors of Production & Entrepreneur)

उत्पत्ति के अन्य साधक और साहसी में एक महत्वपूर्ण अन्तर है। पूँजीपति, अर्थिक, पूँजीपति और प्रबन्धक का पारिभ्रमिक निश्चित होता है, परन्तु साहसी का कोई

निश्चित पारिश्रमिक नही होता। उसको लाभ भी ही सकता है अथवा हानि भी। उसका पारिश्रमिक प्रायः उसका व्यापारिक दक्षता एवं देवी कारणा पर अवलम्बित होता है।

### साहसी के कर्तव्य (Functions of Entrepreneur)

साहसी के कार्यों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है —

१. शासनात्मक कार्य (Administrative Functions)

२. वितरणात्मक कार्य (Distributive Functions)

३. जातिम उठाने का कार्य (Risk taking Functions)

४. शासनात्मक कार्य (Administrative Functions)—

(१) व्यवसाय की योजना बनाना—साहसी व्यवसाय विधेय की योजना बनाता है। वह इस बात का निश्चय करता है कि नौन सा वस्तु कहाँ किस प्रकार कितनी मात्रा में तैयार की जायगी

(२) उत्पत्ति की इकाई का आकार निर्णय करना—साहसी यह भी निश्चय करता है कि उत्पत्ति का पैमाना क्या होगा।

(३) श्रमिक कच्चे मान आदि के बारे में निर्णय करना—साहसी को इस बात का भी निश्चय करना पड़ता है कि किस किस प्रकार के श्रमिक तैयार जायेंगे तथा किस प्रकार का कच्चा पाद और मशीन प्रयुक्त की जायेंगी।

(४) प्रतिस्थापन नियम का उपयोग करना—वह प्रतिस्थापन नियम (Law of Substitution) के अनुसार उत्पत्ति के विविध मापना को ऐम सर्वात्म्य अनुमान में विचार का प्रयोजन करता है जिससे उसे भूतलम तालन में अधिकतम लाभ हो सके।

(५) संचालन कार्य—कुछ बड़े पूँज संचालन का कार्य भी साहसी स्वयं ही सम्पन्न करता था। परन्तु अब मयुक्त पूँजी प्रणाली (Joint Stock System) के प्रचार में संचालन कार्य अलग-अलग (Salaried) प्रबंधक द्वारा सम्पन्न होने लगा है।

(६) निर्मित वस्तुओं के विक्रय का प्रयोजन करना—यद्यपि यह कार्य प्रबंधक के क्षेत्र में अन्तर्गत आता है परन्तु इस सम्बन्ध में साहसी का भी अपना ही उत्तरदायित्व माना जाता है।

(७) उत्पत्ति के तरीके ढंगों की खोज करना—साहसी उत्पत्ति के नवोदय ढंगों की खोज करता रहता है तथा अवसर-कार्य कर उत्पत्ति के क्षेत्र में मांग दगक का कार्य करता है।

(८) विनाश की व्यवस्था करना—निर्मित वस्तुओं के उत्पत्ति गति में विनाश पन बनने की व्यवस्था करना साहसी का कार्य है क्योंकि इसमें वस्तुओं की विक्री में बड़ा सहायता मिलती है।

(९) राज्य तथा जनता के प्रति उपयुक्त नार्ति का निर्णय करना—साहसी का केवल उपभोक्ताओं के व्यापारिक आदि में ही सम्पन्न करना पड़ता है बल्कि उस सरकार एवं जनता से भी सम्पन्न करना पड़ता है अतः उस समय सम्बन्ध में भी नीति का निर्णय करना होता है।



(१०) प्रतिद्वन्द्विया के प्रति नीति निर्धारित करना—प्रतिद्वन्द्विया (Rivals) के प्रति धपनाई जाने वाली नीति का निर्धारित करना भी साहसी का एक महत्वपूर्ण कर्तव्य है क्योंकि इस पर व्यवसाय की बहुत कुछ मफलता अवलम्बित होता है।

(११) व्यवसाय पर नियन्त्रण रखना यद्यपि यह कार्य उमर महायुक्त अथवा प्रवचक द्वारा सम्पन्न किया जाता है, परन्तु अन्तिम नियन्त्रण साहसी के हाथ में होता है।

२ वितरणात्मक कार्य (Distributive Functions)—चाहे व्यवसाय में हानि हो अथवा लाभ उत्पत्ति के साधना को पारिश्रमिक वा निश्चित रूप से मिलता ही है। इनका लाभ हानि में कोई सम्बन्ध नहीं होता। अस्तु उत्पत्ति के साधना को पारिश्रमिक वितरण करना साहसी का एक मुख्य कार्य है।

३ जोखिम उठाने का कार्य (Risk taking Function) साहसी के जोखिम उठाने का कार्य सबसे अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पर ही व्यवसाय की सफलता निर्भर होती है। व्यवसाय में एक प्रकार की अनिश्चितता विद्यमान होती है जिनका अनुमान ठीक प्रकार लगाया नहीं जा सकता। अस्तु इस अनिश्चितता को सहन करना साहसी का कार्य है।

प्रो० बेनहम<sup>१</sup> (Benham) के अनुसार एक साहसी का निम्नलिखित प्रश्नों पर नियम करना चाहिये—

- (१) उसको किस उद्योग में प्रवेश करना है?—इस प्रश्न का सम्बन्ध वस्तु समूह से है जैसे वस्त्र वतन या मशीनरी आदि।
- (२) वह किस प्रकार की वस्तुओं या सेवाओं की उत्पत्ति करेगा?—इस प्रश्न का सम्बन्ध प्रत्येक समूह के अन्तर्गत प्राप्त आती विशिष्ट वस्तुओं से है जैसा वस्त्र में भी किस प्रकार का वस्त्र तैयार किया जायगा।
- (३) उसकी उत्पत्ति की इकाई (Plant) का क्या आकार होगा?—इससे अन्तर्गत कारखाना घेत दुकान आदि आते हैं।
- (४) उसको फर्म का क्या आकार होगा?—इस प्रश्न का सम्बन्ध उत्पत्ति की मात्रा से है।
- (५) वह उत्पत्ति के कौन से उपाय काम में लायगा?—इसको अर्थ शक्ति में इस प्रकार भी कह सकते हैं कि वह उत्पत्ति के विविध साधना का उपयोग कितने अनुपात में करेगा।
- (६) उसकी उत्पत्ति की इकाई किस या कितने कितने स्थानों पर स्थापित की जायगी?—इस सम्बन्ध में अन्तराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धान्तों का ज्ञान आवश्यक होता है।

एक आदर्श साहसी के गुण (Qualities of an ideal Entrepreneur) एक आदर्श साहसी में निम्नलिखित गुणों का समावेश आवश्यक है—

१ एक आदर्श साहसी में स्पष्ट दूरदर्शिता होना चाहिए (An Ideal Entrepreneur must have clear foresight) — एक आदर्श

साहसी के लिये यह आवश्यक है कि वह वस्तु की भावी मांग, किस्म तथा बाजार के उतार-चढ़ावों का ठीक-ठीक अनुमान लगा सके, अन्यथा उसे अत्युत्पादन (Over production) से हानि हो सकती है।

२. उसे मानव मनोविज्ञान का गहरा ज्ञान होना चाहिए तथा उपभोक्ताओं की रचियों एवं आदतों से पूर्ण जानकारी होनी चाहिए (He should have a deep insight into Human Psychology and must know the tastes and habits of Consumers)—एक उत्तम साहसी के लिये यह आवश्यक है कि वह मनुष्यों के स्वभाव, रचियां तथा आदतों से पूर्ण परिचित हो। उगवों व्यावसायिक सफलता इस गुण में सन्निहित है।

३. उसे मनुष्यों का नेता होना चाहिए। (He must be a Leader of men)—उस मनुष्यों का नेता होने के लिये सबसे अच्चे आदर्शियों का चुनना चाहिये और मनुष्यों के स्वभाव आदि बातों का पूर्ण ज्ञान होना चाहिये।

४. उसमें अवलोकन तथा विवेचना शक्ति होनी चाहिए (He should possess the power of observation and discrimination) एक सफल एवं कुशल साहसी में अज्ञानता का अन्त पूर्वक मनन कर उनका ठीक विवेचन करने की शक्ति होनी चाहिए।

५. उसे विनिष्ट ज्ञान से सुसज्जित होना चाहिए (He should possess Technical Knowledge)—एक कुशल साहसी के लिये यह आवश्यक है कि उसे उत्पादन प्रणाली, मशीनों, उनकी बनावट और परिचालन, नये-नये आविष्कारों, कच्चे माल के स्रोतों, तैयार माल के बाजारों और भावा से पूरी-पूरी जानकारी होनी चाहिये।

६. उसमें विपत्ति को सहने का साहस होना चाहिए। (He must have courage to face bad times)—सफल साहसी वह है जो विपरीत परिस्थितियों में भी न बकराये, साहस व धैर्य न छोड़े, क्लिप्त न हो और निराशा को अपने पास धक्कने भी न दे। सफलता उसी के ही पैर चूमती है जो विचारशील, गम्भीर, चतुर, साहसी उत्साहपूर्ण एक सहनशील होता है।

७. उसे सतर्क तथा निडरतापूर्वक निर्णय करने वाला होना चाहिए (He should be cautious and still take bold decisions) सफल साहसी स्वयं रहते हुए भी अपना निर्णय निडरतापूर्वक करता है। यह ठीक समय पर सही निर्णय करके अन्त विद्वानों के साथ योग्य बड़ता है।

८. उसमें व्यावहारिक साधारण ज्ञान होना चाहिए (He should be gifted with practical Common sense)—सफल एवं आदर्श साहसी को देश, काल और परिस्थिति का पूर्ण ज्ञान होने के प्रतिष्ठित व्यवस्था सम्बन्धी कार्य का व्यावहारिक ज्ञान एवं अनुभव होना चाहिए।

भारतवर्ष में साहसी—य गुण प्रायः स्वभाविक अथवा जन्म सिद्ध होते हैं। इसलिये टाटा, बिडला, जामशिया, मिश्रादिया, भाटी, वापर जैसे नाम्य साहसी अर्थजगत् में बहुत कम हैं। अमेरिका के हैनरी फार्ड, रॉबेर्ट और न्यूरील्ड के नाम भी इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हैं। परन्तु उपयुक्त शिक्षा, अवसर और अनुभव द्वारा इन गुणों का विकास किया जा सकता है।

### अभ्यासाय प्रश्न

#### इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—आदर्श साहसी के क्या आवश्यक गुण हैं ? भारत और मयुक्त राज्य अमेरिका के कुछ साहसियाँ क नाम बताइए ।  
( १९४६ )

२—'व्यवसाय के वस्तुतः' पर टिप्पणी लिखिए ।

३—धन के उत्पादन में प्रबन्ध और साहस का क्या महत्व है ?

( १० वी० १९५५ )

४—आधुनिक व्यापारिक सभ्यता में साहसी द्वारा किये जाने वाले कार्यों का बताइए । ये उद्योग के कतल क्या कह जाते हैं ?  
( प्र० वी० १९५० )

५—आधुनिक उद्योग में साहसी के क्या कार्य हैं ? भारतीय शीशु निगमों उन कार्यों को किसे प्रकार करता है ?

( १० वी० १९५१, १९३८ )

६—साहस और प्रबन्ध में भेद बताइए । आधुनिक उद्योग प्रणाली में साहस क्यों एक आवश्यक साधन माना जाता है ? भारत में साहस क क्षेत्र का बताइए ।

( ५ भा० १९५४ )

७—भारत में आधुनिक व्यवसाय सभ्यता में साहसी के कार्य स्पष्ट कीजिये ।

( भाग १९५० )

८—साहसी किसे कहते हैं ? उसके कार्य क्या-क्या हैं ?

( भाग १९५१, ५०, ४६ )

९—सभ्यता तथा साहसी (उपक्रम) के क्या वा स्पष्टीकरण कीजिए । आधुनिक उत्पादन में इन कार्यों का विशेष महत्त्व क्या है ? सूती कपड़ा के उद्योग का उदाहरण लेकर समझाइए ।  
( भाग १९५७ )

१०—उपक्रमी (Entrepreneur) किसे कहते हैं ? उसके आवश्यक गुण क्या हैं ? वह किस से कार्य करता है ? किन्हीं दो महत्त्व अर्थिक भारतीय कीर्तियों के उपक्रमियों के नाम लिखिए ।  
( भाग १९५५ )

## भारतवर्ष में लघु एवं कुटीर उद्योग (Small scale & Cottage Industries in India)

“प्रौद्योगिक मगठन हमारी योजना का एक महत्वपूर्ण भाग है। उमने बड़े पैमाने के उद्योगों के साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों की समुचित योजना होनी चाहिए। आधारभूत उद्योगों में छोटी-छोटी इकाइयों के लिये कम स्थान है, परन्तु उपभोग्य वस्तुओं के उत्पादन में उनकी उपयोगिता एवं महत्व अधिक है।” —वस्वई योजना

परिभाषा व्यापक अर्थ में कुटीर व्यवसाय से उन उद्योग धर्मों का तात्पर्य है जो छोटे पैमाने पर चलाये जाते हैं तथा जो बड़े पैमाने के उद्योगों में क्लिप्त भिन्न होते हैं। नीचे कुछ परिभाषाएँ दी जाती हैं —

उ० प्र० प्रौद्योगिक वित्त समिति (१९३५) के अनुसार “कुटीर-धर्मों के होते हैं जिन्हें शारीक अपने ही लेंचे-जोले पर अपने घरों में लगा कर चलाने हैं।”

वे उद्योग-धर्मों जिनमें शक्ति प्रयुक्त नहीं होती है तथा उत्पादन कार्य साधारणतया कारीगर स्वयं के घर पर और कभी-कभी छोटे कारखानों में जहाँ ६ में अधिक श्रमिक काम नहीं करते, चलाये जाते हैं, कुटीर-व्यवसाय कहलाने हैं।<sup>१</sup> इन परिभाषाओं को स्पष्ट करते हुए यों कहा जा सकता है कि कुटीर-व्यवसाय में तात्पर्य है उन उद्योग धर्मों में जिन्हें कारीगर अपने घरों में अपने हाथों तथा परिवार के सदस्यों की सहायता में चलाते हैं। कच्चा माल, औजार आदि उसी के होते हैं। वही माल तैयार करता है और वही बाजार में बेचता है। इस प्रकार का माला उत्तरदायित्व उसी के ऊपर रहता है। वे कारीगर आधुनिक मशीनों की सहायता के बिना ही कार्य करते हैं। इनमें कार्य-युक्तता पैतृक होती है। इन-धर्मों में बिजली की सहायता भी ली जा सकती है। कुटीर-व्यवसाय नगरी और गाँवों दोनों स्थानों में चलाये जा सकते हैं। गाँवों में जो कुटीर-व्यवसाय स्थित होते हैं उन्हें ‘वेश्ठीय बैंकिंग जाँच कमेटी’ ने ग्रामीण या घरेलू उद्योग कहकर पुकारा है। इन उद्योगों में करघे से कपड़ा बुनना, रेशम बनाना, सोने व चाँदी के तार बनाना, धातु के बर्तन बनाना, बीड़ी-सिगरेट बनाना, चटाईयाँ बनाना, गुड़ बनाना, धान से चावल निकालना, घी-दूध का काम करना, तेल पेरना आदि-आदि सम्मिलित हैं।

कुटीर और लघु उद्योगों में अन्तर—योजना कमिशन ने इन दोनों का अन्तर स्पष्ट कर दिया है: ‘कुटीर-उद्योग उन धर्मों को कहेंगे जो गाँवों में स्थित हैं, जो कृषि के सहायक धर्म हैं तथा जिनमें अधिकतर कार्य हाथ से कृतमध्यम सदस्या की सहायता में किया जाता है। इनके द्वारा तैयार किया हुआ मान प्रायः पड़ोस के बाजार के लिये होता है। लघु उद्योग उन उद्योग-धर्मों को कहेंगे जो नगरों में स्थित हैं तथा जिनमें आशिक रूप में अथवा पूर्णतया यन्त्रों के प्रयोग के साथ-साथ बाहर के श्रमिक भी रखे जाते हैं। पहरी कुटीर धर्मों के द्वारा बहुत-सा ऐसा सामान बनाया जाता है जो बहुत दूर-दूर भी भेजा जाता है।’<sup>२</sup>

1—The Bombay Economics and Industrial Survey Committee.

2—First Five year Plan

कुटीर उद्योगों के विभिन्न वर्गीकरण (Classifications)—कुटीर व्यवसाय जो इस समय भारतवर्ष में विद्यमान है, निम्नलिखित वर्गों में विभक्त किये जा सकते हैं :—

(अ) १. वे उद्योग जो कृषकों के लिये सहायक हैं तथा जिनसे उन्हें अपनी आवश्यकता की वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जैसे—टोकरी बनाना, रस्सी बनाना, मधुमक्खी पालना इत्यादि।

२. वे उद्योग जिनसे गांवों की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। जैसे—बुम्हार, जुहार, मुगार और दर्जी आदि के धन्धे।


३. वे उद्योग जिनका सम्बन्ध कलापूर्ण वस्तुएं बनाने से है। जैसे—कालीन बनाना, कसीदा निकालना, हाथी-बाँत की वस्तुएं बनाना, जवाहरात, चित्रकारी, सीनाकारी का काम आदि।

(आ) भारतवर्ष के कुटीर उद्योग मुख्यतः दो श्रेणियों में बाँटे जा सकते हैं—कलापूर्ण धन्धे और दिना कलापूर्ण धन्धे। तस्कारी, मोताकारी, बरतों पर सुनहरी पॉलिश चढ़ाना, कसीदा, निकालना, लकड़ी और मिट्टी का कलापूर्ण कार्य, जवाहरात का काम, चाँदी-सोने के आभूषण बनाना आदि प्रथम श्रेणी में आते हैं। करघों द्वारा वस्त्र निर्माण आदि कार्य दूसरी श्रेणी में आते हैं।

(इ) इस वर्गीकरण के अनुसार कुटीर-व्यवसाय दो प्रकार के हो सकते हैं —

ग्रामीणोद्योग और शहरी व कस्बों में कारखानों के रूप में चलाये जाने वाले उद्योग—प्रथम प्रकार के उद्योग सहायक धन्धों के रूप में अवकाश के समय किसानों द्वारा चलाये जा सकते हैं। उदाहरणार्थ, दुग्धशाला सम्बन्धी कार्य, फल उत्पन्न करना कुक्कुट पालना, रेशम के कीड़े पालना, लाख पैदा करना, मधु-मक्खी पालना बटाई बनाना, बाँस धीर बेंत का काम, जुलाहे धीर कुम्हार का काम, बीड़ी बनाना, तेल पेरना, गुड़ बनाना इत्यादि। दूसरे प्रकार के धन्धे वे हैं जो कारीगरों द्वारा कारखानों में पूरे वर्ष भर चलाये जाते हैं। जैसे—करघों में सूती, ऊनी व रेशमी वस्त्र बनाना गोटा-किनारी बनाना, पीतल के बर्तन बनाना आदि।

(ई) सन् १९५० ई० के राजकोषीय प्रायोग (Fiscal Commission) द्वारा दिया गया वर्गीकरण निम्न रेखाचित्र द्वारा व्यक्त किया गया है :—



१. कृषि महायुद्ध उद्योग—इस भाग के कुटीर-उद्योगों में वे सब उद्योग सम्मिलित हैं जो वृषको द्वारा महायुद्ध धन्धों के रूप में किये जा सकते हैं। जैसे बरगों पर बुनाई, कीटाकुमि ( रेगम के कीड़े ) पालना, उलियाँ या टाकरियाँ बनाने का उद्योग, खाटा पीसने का उद्योग, बीडो बनाने का उद्योग आदि।

२. ग्रामीण कला कौशल—इसके अन्तर्गत विशेषतया ग्रामीण हस्त-कौशल आते हैं। जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना, नुहार व सुनार के कार्य, कोयू द्वारा तेल निकालना, राँध के जुलाहा द्वारा कपड़ा बुनाई का उद्योग, चर्म तस्करणी उद्योग, गाड़ियाँ बनाने का उद्योग, नावें बनाने का उद्योग आदि जो ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सम्मिलित हैं।

३. और ८ शहरी उद्योग—इन भागों के अन्तर्गत वे सारे कुटीर उद्योग आते हैं जो शहरों में रहने वाले कारीगरों को पूरे दिन का काम देने हैं। उदाहरणार्थ—बाँदी-सोने व तार का ध्वस्त्याप लकड़ी तथा हार्थी-दान का बुनाई का उद्योग पीतल तथा अन्य धातुओं सम्बन्धी उद्योग खिलौने बनाने का उद्योग, रंगम तन्तु निर्माण उद्योग रंगाई व छपाई उद्योग आदि।

भारतीय कुटीर उद्योगों के पतन के कारण (Causes of decline of Cottage Industries) — भारत में औद्योगिक क्षेत्र में जो सर्वाधिक स्थिति बना ली थी वह सर्वदोष के निधे स्थिर रहने वाली नहीं थी। हमारा इस सर्वश्रेष्ठ औद्योगिक स्थिति का विषम ईन्ट इण्डिया कम्पनी के शासन की स्थापना में प्रारम्भ हुआ था और अंग्रेजों के शासन काल के अन्त तक यह चरम सीमा तक पहुँच चुका था। इसके कुछ कारण निम्नलिखित हैं —

(१) पुराने भारतीय न्यायालयों का अन्त भारतीय उद्योग देगो न्यायालयों की देख-रेख में करने पड़ने से। ब्रिटिश न्याय के अन्तर्गत घोर बेन्दोब-करणी में उनका नाप हुआ गया। यह स्वाभाविक ही था कि जब उनके सरलकों का ही नाप हो गया, तो वे उद्योग बँसे जाँवित रह सकते थे।

(२) विपरीत पश्चिमी प्रभाव—पश्चिमी रंग पर विहित हुआ नया सिष्ट समाज पुराने भारतीय शौर्य का पुँपला स्थानापन्न था। अंग्रेजों शासन की स्थापना के साथ-साथ पाश्चात्य सम्प्रदाय का प्रभाव अन्तर्गत में अनुभव होने लगा जिसके परिणाम स्वरूप देशवासियों के जीवन स्तर, रीति और रीति आदि में बड़ा परिवर्तन हो गया। वे स्वदेशी हाथ में बनी हुई वस्तुओं के स्थान में इंग्लैंड आदि देसा की मशीन से बनी हुई वस्तुओं को अपनाएँ लग गये जिसके कारण भारतीय उद्योग-धन्धे इस पतन अवस्था का पहुँच गये।

(३) भारत में ब्रिटिश सरकार की नीति—पहले निजो उद्योगों को उत्तम करने और उन्हें विदेशी प्रतियोगिता में सुरक्षित रखने के उद्देश्य में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारतीय वस्त्र पर प्रायः प्रतिरोधी कर लगा दिए थे। सन् १७०० और १८०६ के मध्य रशीन छोटें प्रयोगों को रोक दो गई थी और कनिष्ठ अन्व किस्मों पर ३० से २० प्रतिशत कर देना हुला था। प्रो० हॉरेस विल्सन लिखते हैं, 'यदि इस प्रकार के प्रतिरोधी कर और अन्य विद्यमान न होते तो शकल और मैन्नेस्टर की मिलों का जन्म में ही गला घुट जाता और उन्हें भाग की शक्ति से भी चलाया कठिन हो सकता था।' ब्रिटिश-शासन-का ने अंग्रेजों वस्तुओं के भारत में बने जाने

में भोक्तने का प्रत्येक यत्न किया गया और भारतीय निर्माताओं को निष्पत्ति सह करने और दबाने की पूर्ण चेष्टा की गई ।

( ४ ) मशीन निर्मित वस्तुओं की प्रतियोगिता—हाथ में बनी हुई वस्तुएँ मशीन द्वारा बनी हुई वस्तुओं की प्रतियोगिता में नहीं ठहर सकती, क्योंकि वे अधिक महंगी पड़ती हैं तथा उनके तैयार होने में असाधारण मजदूरी समय लगता है ।

( ५ ) भारतीय सरकार की निर्वाध नीति—शासन की वागडोर ईन्ट इन्डिया कम्पनी से भारत सरकार के हाथों में आने पर भी मरते हुए उद्योगों को सहारा नहीं मिला । उस समय की भारतीय अर्थजो सरकार ने निर्वाध (Laissez Faire) नीति अर्थात् प्रतिबन्ध रहित व्यापार की नीति को अपनाया और भारतीय उद्योगों के संरक्षण के बारे में सन् १९२३ तक कुछ भी नहीं सोचा गया । फिर भी संरक्षण नीति में ह्रादिकता का अभाव था ।

भारतीय कुटीर-उद्योगों के जीवित रहने के कारण—कुटीर-उद्योगों को नष्ट करने वाले इतने शक्तिशाली कारकों के होते हुए भी ये अथ तक जीवित रह सके हैं, इसके अनेक कारण हैं जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं —

१. जाति-प्रथा के कारण बुढ़ाई, कुम्हार आदि अपने पूर्वजों के ही काम करते हैं । स्थान-परिवर्तन अथवा आजीविका के नये माध्यम प्राप्त करने में इन्हें बहुधा सामाजिक पार्श्वक सहन करना पड़ता है ।

२. बहुधा मनुष्यों की स्वच्छानुसार काम करने की शक्ति पड़ी हुई है । अस्तु, वे कारखानों में निश्चित घण्टे काम करना अथवा अन्य कानून-कायदा का बन्धन पसन्द नहीं करते ।

३. पर्दा-प्रथा के कारण अनेक औरतें बाहर जाकर काम नहीं कर सकती, उनके लिये परन्तु धन्वे ही हितकर हैं ।

४. कारखानों में मिलने वाली मजदूरी इतनी अधिक नहीं होती कि गाँव में लोग सहसा नगर में रहने की अनुविधाएँ और व्यय सहन करने लगे । वे भूख में विशेष पीड़ित तथा अरुण अस्त होने पर ही विवश होकर घर या कुटुम्ब का मोह छोड़ते हैं ।

५. अपने ही घर में अपने परिवार के प्रिय सदस्यों के मध्य स्वारथ्यकर यातावरण में अपनी इच्छानुसार कार्य करने का आकर्षण कुटीर व्यवसायों को जीवित रखे रहने में बड़ा सहायक है ।

६. हमारी जनसंख्या के ७० प्रतिशत में भी अधिक लोग कृषि व्यवसाय में संलग्न हैं । कृषि एक मौसमी व्यवसाय होने के कारण ५-६ मास के लिये किसानों को बेकार रहना पड़ता है । अनेक सहायक घण्टे ऐसे हैं जो कृषि के साथ सुगमता से चलाने जा सकते हैं ।

७. अब भी भारत में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो कलापूर्ण कार्य के लिये मूल्य देने को तैयार हैं और उसके साहक हैं । उनके संरक्षण ने अनेक पुरानी शिल्पकलाओं को नष्ट होने से बचा लिया है ।

८. कठिण ऐसी वस्तुएँ हैं जिनकी माँग स्थानीय, स्वल्प एव सीमित होने के कारण उनका मशीन द्वारा बड़े परिमाण में उत्पादन नहीं किया जा सकता है ।

६. कुटीर व्यवसायों में तुलनात्मक दृष्टि में माल अधिक मत्वा बनाया जा सकता है। यही कारण है कि ये आज तक जीवित हैं।

१०. वैकल्पिक धन्या का अभाव तथा घर न छोड़ने की आदत के कारण पेटूब धन्या को आसानी में छोड़ना पसन्द नहीं करते।

११. यातायात आदि साधनों के अभाव के कारण अब भी वृत्त में ऐसे गाँव हैं जो दश के अन्य भागों से विलुप्त कटे हुए हैं तथा जहाँ पर मशीन निर्मित वस्तुएँ पहुँचने नहीं पाती, वहाँ परेन्तु धन्ये ही चलाये जाते हैं।

१२. वे धन्ये जिनमें व्यक्तिगत ध्यान एवं देख रेख की आवश्यकता हों, छोटे परिमाण में ही चलाये जा सकते हैं।

१३. कुटीर व्यवसाय ही ऐसे धन्ये हैं जिनमें आहुता की रुचियों के अनुकूल ही उत्पादन किया जा सकता है।

१४. कुछ शिल्पकारों ने अपने आपको नई अवस्थाओं के अनुकूल बना लिया है और उन्होंने अपने शिल्प-कला को नये औजारों व विजनी आदि के प्रयोग में सुरक्षित कर दिया है।

१५. स्वदेशी आन्दोलन तथा समय-समय पर औद्योगिक प्रदर्शनियाँ होने रहने में भारत की प्राचीन कला-कौशल को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला है।

१६. केन्द्रीय सरकार के उदार अनुदान, अखिल भारतवर्षीय म्पिनर्स एगो मिश्रण और भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष प्रयत्नों ने कई भारतीय शिल्प कलाओं को नष्ट होने में बचाया है। महात्मा गाँधी के बलपूर्वक समर्थन ने भी इन्हें जीवित-दान दिया है।

आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में लघु एवं कुटीर-उद्योगों का महत्त्व—यह धारणा कि लघु एवं कुटीर व्यवसायों का प्राधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में कोई स्थान नहीं है केवल अल्प तथा पुस्तक ज्ञान का द्योतक है। प्रिंस क्रापोटकिन (Prince Kropotkin) का कहना है कि “लघु व्यवसाय कभी नष्ट नहीं हुए हैं और न हो सकते हैं प्रोटेंस (Protens) अर्थात् सामुद्रिक देवता के गणान के अपना रूप बदलते रहते हैं।”

आधुनिक समय में सती विजली की शक्ति, धनी लोहा में बलापूर्वक एवं विलास वस्तुओं के उपयोग की अधिक रधि, महकारी आन्दोलन तथा औद्योगिक (Technical) ज्ञान के विस्तृत प्रकार आदि अनुकूल वाता में लघु एवं कुटीर-व्यवसायों को बड़ा प्रोत्साहन मिला है और इसी कारण वे आज भी वृहद् उद्योगों के माध-साथ स्थित हैं और सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। वे सहायक तथा पूरक धन्ये हैं न कि बराबरी या स्पर्धा करने वाले। देखा जाय तो वास्तव में कई वृहद् उद्योग स्वयं सहायक एवं लघु व्यवसायों के जन्मदाता हैं। उदाहरणार्थ वाईमिकनों का निर्माण तो बड़े कारखानों में हुआ ही है, परन्तु उनको ठीक अवस्था में रखने तथा उनके बीजोंद्वारा वे जिसे नष्ट की गयी-गयी और बोलने-बोलने में इस प्रकार का कार्य करने के लिये छोटी-छोटी टुकानें प्राप्त देखी जाती हैं। यही बात मोटर-कारों के व्यवसाय पर भी लागू हो सकती है। इसी प्रकार सूती कपड़े के मिल के माध-माध फीने, दरियाँ, निवार आदि बनाने के व्यवसाय स्थापित हो जाते हैं।



यहाँ तक कि विश्व के बड़े-बड़े औद्योगिक देशों में भी इनका बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। प्रत्येक में ६६% औद्योगिक संस्थाओं में प्रत्येक में १०० से कम मनुष्य काम करते हैं। जर्मनी में १२.६% मनुष्य अपने जीवन-निर्वाह के लिये कुटीर व्यवसायों पर आश्रित हैं। बरमिन्डम जैसे आधुनिक औद्योगिक नगर में भी प्राचीन औद्योगिक संस्थाएँ छोटे पैमाने पर काम करती हैं और प्रत्येक में ५० मनुष्य से भी कम काम करते हैं। हालैंड और बेल्जियम में भी अनेक प्रकार की वस्तुएँ छोटे कारखानों में ही तैयार होती हैं। रिचर्डरलैंड का धड़ी बनाने का कुटीर व्यवसाय ही जगत-प्रसिद्ध ही है। जापान में औद्योगिक जनसंख्या के ५३% मनुष्य अब भी अपनी आजीविका कुटीर व्यवसायों में ही प्राप्त करते हैं। चीन में सड़कारी प्रणाली के अन्तर्गत कुटीर व्यवसायों में बड़ी उन्नति की है। सोवियत रूस में भी औद्योगिक व्यवसाय में इनका महत्त्वपूर्ण स्थान है। भारतवर्ष में अनेक योजना बनाने वालों में भी कुटीर व्यवसायों के पुनर्संरुद्धन पर बड़ा ध्यान दिया है। हाल ही के भारतीय राजकोषीय आयोग अर्थात् किम्बल कमीशन ने अनुमान लगाया है कि समुक्त राज्य अमेरिका के व्यापार का ६२.५% भाग छोटे परिमाण में होता है जिसमें देश के ४३% मनुष्य काम करते हैं तथा जिनके द्वारा ३४, व्यापार संचालित होता है।

भारतवर्ष में कुटीर उद्योगों का महत्त्व—भारतवर्ष में कुटीर उद्योगों का महत्त्व और भी अधिक है। भारत एक कृषि-प्रधान देश है यहाँ के निवासी निर्धन हैं तथा अधिकांश जनता का जीवन-स्तर नीचा है। हमारे कृषकों को पूरे वर्ष भर काम नहीं करना पड़ता है। कृषि के शाही कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि “भारतीय कृषि की एक महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इस पर काम करने वाले कृषकों को दसमें वर्ष भर काम करने की आवश्यकता नहीं होती। वर्ष में कम से कम धार नहीं वे वह बिलकुल खाली रहता है। ऐसे सालों समय में उसको तथा उसके परिवार को कोई काम देने के लिये लघु एवं कुटीर व्यवसायों की आवश्यकता है।” “भारतीय बैंकिंग जाँच कमेटी” का भी मत है कि “कृषकों को तथा उसके परिवार को उनके खाली समय में काम देने के लिये कुटीर व्यवसाय स्थापित करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार वह अपनी आय बढ़ा सकता है।” डा० राधाकमल मुकुर्जी ने सोझ करके पता लगाया है कि उत्तर भारत के बहुत से ऐसे प्रदेश हैं जहाँ वे कृषक वर्ष भर में लगभग २०० दिन बेकार रहते हैं। उनका कहना है कि कहीं-कहीं तो जहाँ मिर्चाई के उत्तम साधन प्राप्त हैं, इमसे भी अधिक समय तक बेकार रहते हैं। जिस कृषक के पास कम भूमि है उसके ता मारे परिवार को भी उस पर काम करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रत्यु, उन लोगों को ऐसा काम देने की आवश्यकता है जहाँ वे काम करके अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ भी बना सकें तथा अपनी आय भी वृद्धि भी कर सकें। राष्ट्रीय योजना समिति (१९३६) का मत था कि “आरोग्य भारत की अधिकांश जनता अपने भौतिक कल्याण के लिये अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ पर्याप्त मात्रा में नहीं प्राप्त कर पाती। अतः उनके लिये कुटीर-धंधों को स्थापित करना बहुत आवश्यक है।” और हम अपनी कृषि को वैज्ञानिक एवं यांत्रिक करना चाहते हैं तो यह और भी आवश्यक हो जाता है कि इस प्रकार जो लोग वे रोजगार हो जायेंगे उन्हें काम देने के लिये छोटे घरेलू धंधों को प्रोत्साहित किया जाय। इसी प्रकार योजना कमीशन ने पंचवर्षीय योजना में १६ करोड़ रुपये इन व्यवसायों के विकास के लिये व्यय करना निश्चय किया है। कमीशन का कहना है कि “सरकार को चाहिए कि

बूटीर उद्योगो तथा छोटे पैमाने के पधो के सम्बन्ध में वैसा ही उत्तरदायित्व ग्रहण करे जैसा कि उसने नेतों के विकास के सम्बन्ध में प्रष्टण किया है।

भारतवर्ष में कृषि वर्षा पर निर्भर है और वर्षा स्वयं परिमाल एवं समय की दृष्टि में अनिश्चित है। अस्तु, यामीण उद्योग-धन्धों के विकास में यह आश्रितता कम होकर अकाल की भीषणता कम हो सकती है। इस प्रकार श्रामीण उद्योग-धन्धे 'धनुष की धूमनी रहगो' की भाँति कृषि के लिये उपयोगी मिद्ध हो गन्ने हैं।

कुटीर व्यवसाय हमारे देशवासियों की प्राकृतिगत प्रतिभा और राष्ट्रीय परम्परा के अनुकूल है। कई पीढ़ियों के अनुभव में हमारे कारीगरों ने इन कार्यों में विशेष दक्षता प्राप्त कर ली है। इन उद्योग-धन्धों के लिए जो कच्चा माल चाहिए वह हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न होता है। इनमें बहुत कम पूँजी की आवश्यकता होती है जोकि हमारे कारीगर स्वयं लगा सकते हैं अथवा मुगमता में प्राप्त कर सकते हैं। इनमें सरल और साधारण श्रौजसों की आवश्यकता होती है जो हमारे देश में तैयार होत हैं। इनके तैयार माल को खरीदने के लिये हमारे यहाँ बहुत सख्या में स्थानीय उपभोक्ता होने हैं जिनकी भिन्न भिन्न रूचि और स्वभाव में स्थानीय कारीगर सुपरिचित होते हैं। इस प्रकार कारीगर कुशलता और सुन्दरतापूर्वक इनकी आवश्यकताओं का पूर्ण करने पर्याप्त लाभ उठा सकते हैं।

हमारे देश का श्रम शक्ती अशिक्षित एवं अनिपुण है, अतः इस प्रकार के श्रम से बड़ा कारखाना की अपेक्षा छोटे कारखानों का विकास अधिक मुगमतापूर्वक हो सकता है। इनके अतिरिक्त हमारे पूँजी के माधन स्वल्प होने के कारण बड़े कारखानों की अपेक्षा छोटे कारखाने अधिक मुगमता में चलाने जा सकते हैं। भूमि पर जन-मत्स्या का अत्यधिक दबाव तथा भूमि-अपव्यञ्जन में यत्र-तत्र स्थित होने के कारण भारतवर्ष में श्रम कृषि एक लाभदायक उद्योग नहीं रहा है। अस्तु कुपकों का श्रमो अल्पमात्रा एवं श्रम श्राय का पूरा करने के लिए महायक धधे चलाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बड़े-बड़े कारखानों में मईगो और पेचीदा मशीनों के प्रयोग में श्रम-मत्स्या का लाभ प्राप्त होता है। अतः कम आवादी वाय देशों में जहाँ श्रम पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है, इनमें अधिक लाभ पहुँच सकता है। परन्तु भारत में श्रम अत्यधिक जनमत्स्या वाला देश में बड़ा कारखानों का विकास एक भीमंत अल्पमात्रा तक ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। परन्तु भारतवर्ष की बहती हुई जनमत्स्या के लिये जीवनोपायन व माधन उपस्थित करने के लिए कुटीर एवं लघु उद्योग-धन्धों का विकास नितान्त वाञ्छनीय है।

देश के विभाजन से एक नई गमन्धा और उपस्थित हो गई। यह है पुनर्वसन मन्ध्या। पाकिस्तान में प्रायः हुए लोगों को बसाना और काम-धन्धे देना एक नईन समस्या है। इसका बहुत-बहुत हल कुटीर एवं लघु व्यवसायों के विकास में सन्निहित है।

महात्मा गांधी ने देश के आर्थिक पुनर्निर्माण में कुटीर व्यवसायों के महत्व पर सदैव बल दिया। ये कारखानों में बड़े परिमाणों की उत्पात्ति की अपेक्षा शरी में ही वृहद् उत्पादन चाहते थे। उनकी अभिप्रायों की मईगें तक थी कि प्रत्येक गाँव में बिजली हो जाय और गाँव वाले अपने श्रौजार आदि विजली में चलाने लग जायें तो कोई श्रापित नहीं, क्योंकि उनकी दृष्टि में भारत का उदार गाँवों के पुनरुत्थान में सन्निहित था। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये महात्मा गांधी की प्रेरणा से अखिल

भारतवर्षीय ग्रामोद्योग एतामियेश्वर तथा अखिल भारतवर्षीय स्पिनग एसोसियेशन को स्थापना हुई। ये दोनों संस्थाएँ भारतीय गृह उद्योग विनियमन एक्ट उद्योग को जीवित रखने में बड़ी सहायक सिद्ध हुई हैं।

प्राचाय विनोबा भावे<sup>१</sup> ने भी बनारस में अपनी ११ अगस्त १९५२ की प्राधान्य सभा में कुटीर उद्योग धरो के विकास पर बड़ा बल दिया और बताया कि इनमें कृषक की प्रायः स वृद्धि होगी जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़गी।

लघु एवं कुटीर व्यवसायों से लाभ। (Advantages)— लघु एवं कुटीर व्यवसायों के विकास में देश को निम्नलिखित लाभ हैं।

(१) आर्थिक लाभ—भारतवष में किसान लोग वष में लगभग ५६ महीने बेकार रहते हैं। प्रस्तु वे इस बेकार समय में अनेक कुटीर व्यवसायों का चला कर अपनी आर्थिक स्थिति ठीक बना सकते हैं। शहरों में भी हजारों व्यक्ति उन व्यवसायों में अपना जीवनयापन कर सकते हैं। यह अनुमान लगाया जाता है कि भारतवष में लगभग ४० प्रतिशत श्रमिक वष में कुछ समय के लिये बेरोजगार रहते हैं। अतः महायक धंधों द्वारा वे अपनी इस बेकारी को दूर कर सकते हैं।

(२) अकाल से सुरक्षा—सन् १९८० ई० के भारतीय अकाल कमिशन ने यह बतलाया कि भारत में वृषि प्रधान देश में अकाल आदि संकटों में सुरक्षित रहने के लिये कुटीर उद्योगों का विकास अति आवश्यक है।

(३) कारखानों प्रणाली के दोषों में मुक्ति—कुटीर व्यवसायों द्वारा कारखानों प्रणाली के दोष दूर हो सकते हैं क्योंकि इनमें उद्योगों का विकेंद्रीकरण हो जाता है जिसमें गृहों में घनी आबादी नहीं होने पाती और श्रमिकों का आर्थिक एवं मानसिक पतन में बच सकते हैं। इसके अतिरिक्त हड़ताल आदि तात्कालिक तथा आदि दण्डों का तो बिलकुल ही भय नहीं रहता।

(४) नैतिक लाभ—नैतिक दृष्टि में भी कुटीर व्यवसायों का अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इनमें मालिकों अपनी सामाजिकता रख सकते हैं। कारखानों अथवा घर के स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण में कार्य कर सकते हैं तथा उन्हें शारीरिक परिश्रम भी बच करना पड़ता है।

(५) बेकारी की समस्या दूर हो सकती है—दुष्कालों से निवृत्त पानना उद्योगों का गृहों की समस्याओं का निवारण आदि अनेक कुटीर व्यवसायों में लोगों की बेकारी की समस्याओं को कुछ अंश तक दूर हो सकती है।

(६) भारतीय शिल्पकला का प्राचीन गौरव कायम रखा जा सकता है—भारतवष प्राचीन काल में ही अपनी शिल्पकला के लिये प्रसिद्ध है। प्रस्तु कुटीर व्यवसायों के विकास में यह प्रसिद्धि गौरव एवं परम्परा कायम रखी जा सकती है।

(७) धन वितरण की असमानता दूर हो सकती है—बड़े परिवारों की उत्पत्ति का सबसे बड़ा दोष यह है कि अधिकांश धन कुछ ही पूँजीपतियों के हाथों में ही और श्रमिकों को केवल जीवन निर्वाह मात्र के लिये धन प्राप्त होता है। इनमें

असन्तोष की भावनाएँ उत्पन्न होकर पारस्परिक संघर्ष खड़ा हो जाता है। लघु एवं कुटीर व्यवसाय इस असमानता एवं असन्तोष को दूर करने का दावा रखते हैं।

(८) देश का आर्थिक सतुलन सुदृढ़ बन जायगा—कुटीर तथा लघु उद्योग उद्योग-धन्धों के विकास में देश की प्रतिरिक्त जनता काम पर लग जायगी तथा स्त्रियों और बालका को भी उनकी शक्ति और योग्यतानुसार काम मिलने लगेगा। ग्रामीण लोगों को अपनी आय बढ़ाने के साधन मिलेंगे जिनसे व अपना जीवन स्तर ऊँचा बना सकेंगे। इनमें बहुत-म पढ़े-लिखे लोगों को भी रोजगार मिलेगा तथा देश का आर्थिक बलवत्तर सतुलित होकर सुदृढ़ बन जायगा।

(९) भूमि पर जनसंख्या का भार कम हो जायगा—लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास में देश में अनेक धन्धे खुल जायेंगे और जनसंख्या का एक बड़ा भाग इनमें जीवनयापन कर सकेंगा जिसमें भूमि का भार कम हो जायगा। इस समय कुटीर उद्योगों के अभाव में मजदूरी को अपनी प्राथमिकता के लिये भूमि को धार ही देखना पड़ता है।

(१०) कला-प्रौद्योगिकी उन्नति होगी—कुटीर उद्योग धन्धों का कला की दृष्टि में भी बड़ा महत्त्व है। कारीगरों की बनाई वस्तुएँ सुन्दर और कलापूर्ण होती हैं।

(११) कुटीर-उद्योग कृषि उद्योग के सहायक सिद्ध होंगे—बड़े कुटीर-उद्योग ऐसे होते हैं जिनमें कृषि को प्रत्यक्ष रूप में सहायता मिलती है। जैसे, दुग्धशाला सम्बन्धी उद्योग में न केवल उसे एक उनके कुदुग्ध के सदस्यों के ही स्वास्थ्य को दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के उपभोग में लाभ पहुँचना, बल्कि उसे कृषि के लिये उत्तम पशु भी प्राप्त होंगे। इसी प्रकार तेल पेरने के नारियल में लती व खाद पशुओं के लिये सस्ता प्रयुक्त की जा सकती है।

लघु एवं कुटीर उद्योग की वर्तमान अवस्था—भारतवर्ष में सभी लघु एवं कुटीर उद्योग समान अवस्था में नहीं हैं। मशीन निर्मित वस्तुओं की प्रतियोगिता के अनुसार उनकी अवस्था में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। उदाहरण के लिये टाका की मनमल का तो नाम-निर्माण ही नहीं रहा। कुछ अन्य ऐसे हैं जो मृतप्राय अवस्था में हैं।

भारतवर्ष अब भी एक ऐसा देश है जहाँ पर जनसंख्या का एक बड़ा भाग कुटीर एवं लघु उद्योगों में अपनी प्राथमिकता प्राप्त करता है। निरस्तदेह सब प्रकार का पुष्टकर आधार छोटे पैमाने पर ही होता है। कृषि-कार्य एवं लघु स्तर पर ही होता है। इससे प्रतिरिक्त, असंख्य औद्योगिक कलाएँ और दस्तकारियाँ हैं जो देश में लाखों लोगों का रोजगार देती हैं—इस विषय में डा० राधाकमल मुकर्जी का अनुमान है कि यह संख्या १ करोड़ ४० लाख से कम नहीं। इस समय के अनुमान के अनुसार देश में कुटीर उद्योगों में लगभग २ करोड़ व्यक्ति लगे हुए हैं जिनमें से ५० लाख व्यक्ति शायद करवा उद्योग में ही काम करते हैं।<sup>१</sup> डा० राधाकमल मुकर्जी ने यह उद्योगों की बहुत लम्बी सूची दी है जो अब भी देश के विभिन्न भागों में प्रचलित हैं।<sup>२</sup> उनमें से कुछ यहाँ दिये जाते हैं। बाजराजी, इलाहाबाद, जौनपुर के जिलों में कई गाँवाँ में टोकरी

1—*Economics Problems of Modern India* 1941, Pages 20 & 25

2—*Economics Problems of Modern India*, 1941, pp 14-21

बनाना, मलाबार और दक्षिण तथा पूर्वी बंगाल में रस्से बनाना, चटाई बनाना, पखियाँ बनाना, आश्राम में रेसम के कीड़े का पालना; मेरठ, बदायूँ, मिर्जापुर (उ० प्र०), बोलपुर (बंगाल), चेन्नापाटन (मैसूर) और कोटापल्ली (मद्रास) में खास और सिन्धीने बनाना, धनुसमर, मिर्जापुर, भागना और वाराणसी में दरिया व तानीन बनाना मुशिदाबाद, मातवा, मद्रुरा और भागनपुर में रेसम बुनना, मिर्जापुर (उ० प्र०) और नदिया (बंगाल) में कलापूर्ण मिट्टी की मूर्तियाँ बनाना, निन्नेबल्ली (मद्रास) में मुँगियाँ और माडियाँ बनाना, फतहपुर और पारोजाबाद (उ० प्र०) में काँच की चूड़ियों का काम। डा० मुकुर्जी लिखते हैं, “प्रत्येक जिले के एक या अधिक गाँवों में सुती कपड़ा व रेसम की बुनाई होती है, लकड़ों का काम होता है, सोने, चाँदी, ताँबे, टिपानु, बॉम, घेत और चमड़े का उच्चकोटि का कलापूर्ण काम होता है। नमस्त देश में कपड़ों पर कटाई और बुनाई का काम होता है। साधुनसानों का भी बहुत विस्तार पूर्वक काम किया जाता है।”

भारतीय कुटीर-उद्योगों की स्थिति का विश्लेषण करने में पता चलता है कि मशीन निर्मित वस्तुओं ने कई गृह-उद्योगों को रसातल में पहुँचा दिया है। जिन उद्योगों ने प्रतियोगिता का सामना किया है वे इस समय में शोचनीय अवस्था में हैं और कारीगर अपनी विवशता और अज्ञान के कारण उनमें चिपटे हुए हैं। कुछ लघु उद्योग ऐसे भी हैं जो आर्थिक दृष्टि से अच्छे अवस्था में हैं। गत विश्व-महायुद्ध के कारण भारत में आयात में कमी हो गई जिसके कारण कई भारतीय कुटीर एव लघु उद्योगों को बड़ा प्रोत्साहन मिला तथा अनेक नये कारखाने भी स्थापित हो गये। बहुत दशाओं में कुटीर मिल्पकारों ने अपने-आपको जीवित रखने के लिये परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार दास्त लिया है और अपने उत्पादन माधनों में उचित परिवर्तन कर दिये हैं। औद्योगिक आमीशन के शब्दों में “जुनाहों ने मिल का मूल, रंगरेजों ने रासायनिक रंगों, लुहारों ने कारखानों के लोहे का प्रयोग करना प्रारम्भ कर दिया है। दर्जी मशीनों और कारीगर मशीनों से घने औजारों को काम में लाने लगे हैं।” इस प्रकार कुटीर-उद्योग अनेक दृष्टियों में कारखाना उद्योग का पूरक हो गया है।

भारतवर्ष के प्रमुख कुटीर एव लघु उद्योग—हमारे देश में वैसे तो अनेक उद्योग-धन्धे कुटीर प्रणाली पर चलाये जाते हैं परन्तु उनमें निम्नलिखित मुख्य हैं :—

वस्त्र व्यवसाय—यह व्यवसाय भारत में प्राचीन काल से ही प्रचलित है तथा भारतीय कुटीर उद्योगों में इसका सर्वोच्च स्थान है। प्रायः इस उद्योग के दो भाग किये जाते हैं :—

(अ) सूत कातना और (आ) सूत से कपड़ा बुनना।

(अ) सूत कातना—उन क्षेत्रों में जहाँ कपास उत्पन्न होता है, किमान कुछ कपास लेकर साफ करके और उनमें से चिलीले अन्नग निकाल कर अपने परिवार के सदस्य, जैसे स्त्री, बृद्ध माता, बच्चों आदि की सहायता से अवकाश के समय सूत कातना है। कता हुआ सूत गाँव के जुनाहों को देकर अपने कुटुम्ब के लिये कपड़ा तैयार करा लिया जाता है। हाथ में सूत कातने का काम पहले बहुत होता था, परन्तु मशीनों के प्रयोग ने इसे कम कर दिया है। अखिल भारतवर्षीय चतुर्थाय राष्ट्रीय कांग्रेस और राज्य सरकारें इस काम को बढ़ाने के लिये प्रयत्नशील हैं।

(ग्रा) हाथ से कपड़ा बुनने का व्यवसाय अर्थात् हाथ-करघा उद्योग (Handloom Industry) - भारत अपने वस्त्र-उद्योग के लिये प्राचीनकाल में विश्व-विख्यात था। अब भी भारतीय कुटीर-उद्योगों में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। यह व्यवसाय देश की चौधई मांग की पूर्ति करता है। सन् १९३२ के भारतीय प्रयुक्त मण्डल (Tariff Board) के अनुसार हाथ-करघा उद्योग में लगभग १ करोड़ व्यक्तियों का भरण-पोषण होता है। उनी ने करघों की मरम्मत का अनुमान २५ लाख के लगभग लगाया था। मध्य-मन्त्र मन्त्रि के अनुसार भारत में आज २० लाख करघे हैं जो ६० लाख व्यक्तियों की आजीविका का साधन है। इस उद्योग का वार्षिक उत्पादन १०० लाख गज आका गया है जो संगठित उद्योगों के उत्पादन का  $\frac{1}{3}$  से अधिक है।


हाथ-करघा उद्योग के मुख्य केन्द्र—हाथ-करघा उद्योग के मुख्य केन्द्र निम्न-लिखित हैं—मदुरा, कडप्पा, कोयम्बटूर, कालीकट (मद्रास), पूना, कर्नाटक (बम्बई); इटावा, अलीगढ़, वाराणसी, अजमेरपुर, अमरोहा, गोरखपुर, वाराणसी, आगरा, बरेली, कानपुर, मिर्जापुर, मुम्बई-मण्डल (उत्तर प्रदेश); भागलपुर, पटना, गया, हुगली, बंगाल, दम्भगा, राँची (बिहार), शान्तिपुर (बंगाल), नासपुर, चन्देरी, ग्वालियर (मध्य प्रदेश), बगलोर (मैसूर), धनुसपुर, अम्बाला, रोहतक, लुधियाना, (पंजाब), धौलपुर (काश्मीर), अजमेर, बीकानेर (राजस्थान)। उपर्युक्त केन्द्रों में खादी, मलमल, दरियाई, शाल-दुधामे, कानोन, कम्बल आदि बनते हैं। १९५०-५५ में १०-१५ करोड़ रुपये की खादी का उत्पादन हुआ तथा ७-७२ करोड़ रु० की खादी बिकी।

केन्द्रीय सरकार के प्रयत्न—केन्द्रीय सरकार ने इस उद्योग के लिये सन् १९४६ में एक स्थायी 'हाथ-करघा बोर्ड' (Handloom Board) की स्थापना की जिसमें राज्यों के प्रतिनिधि, नैसर्गिकी, युवक, हाथ-करघा उद्योग के प्रतिनिधि हैं। इस बोर्ड ने हाथ-करघा उद्योग की उत्थिति के लिये कुछ सिफारिशों की हैं जैसे बुनकरों की आदर्यकता के अनुसार मूल की पूर्ति बढ़ाई जाय, अल्पे मूल के भायत में वृद्धि हो, बुनकर सहकारी समितियों में वृद्धि हो, मूल व रंग का वितरण ठीक ढंग में हो, बपड़े की बिक्री के लिये उचित व्यवस्था हो, कारीगरों को ताजिक शिक्षा देने के लिये शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थाओं की स्थापना हो, आदि। भारत सरकार ने १९४५-४६ में समस्त ४ नपों में खादी के विकास के लिये १२ करोड़ ५६ लाख रु० की सहायता स्वीकार की थी। इसमें से योजना चलाने वाली संस्थाओं ने लगभग १२ करोड़ ३२ लाख रुपये खर्च किया था। सन् १९४६-४७ में भारत सरकार ने खादी उद्योग के लिये ६ करोड़ ३५ लाख रु० का अनुदान और लगभग ४ करोड़ ५२ लाख रु० का ऋण देना स्वीकार किया। इसमें अम्बर चर्खा भी शामिल है। रिजर्व बैंक मूल दरों देने के लिये बड़ी सहकारी समितियों को ऋण देता है।

केन्द्रीय सरकार निम्न उपायों द्वारा हाथ-करघा उद्योग को प्रोत्साहन दे रही है :—

(१) बुनकरों के लिये मूल-प्राप्ति के हेतु मद्रास और उड़ीसा में दो मूल बानवे वाली मिल खोल रही है। (२) कुछ विशेष प्रकार की कपड़ों की किन्म हाथ-करघा उद्योग के लिये सुरक्षित कर दी गई है। (३) मिल ने बने कपड़ों पर २ नपा पैसा प्रति गज उपकर (Cess) लगाने से जो भाप होती है वह हाथ-करघा उद्योग की उत्थिति में लगाई जा रही है। (४) औद्योगिक सहकारी समितियाँ स्थापित की जा रही हैं जिनमें शिल्पकार हिस्सेदार होंगे। (५) केन्द्रीय सरकार पर्यटन प्रायिक

सहायता दे रही है। (६) विश्वी को बड़ावा देने के लिये प्रति क्वथा ५ से ६ नये पैसे तक छूट दी जाता है। बंगाल प्रिया मगडन मद्रास में खाना गया है जिसकी शाखाएँ मद्रास अम्बई कनकता वाराणसी तथा खानिपर में है। (७) आयाण तथा म हाय करके व वन कपडा व प्रचार क लिये ४० मीटर गाडिया का व्यवस्था की रबीकृति दी गई है। (८) हाय करके व वन कपडा के भण्डार कोलम्बा प्रदन मिगापुर में खोल गये है। (९) हाय करके के वन कपडा व निर्यात पर कोई शुल्क नही लिया जाता। (१०) हाय ही में भारत सरकार ने सहकारी समितिया के बुनकरा के लिये वस्तिपा बनाने व लिये महायता धन का एक योजना स्वीकृत वा है।



### बंगाल के हाय करपा की साडियाँ

अखिल भारतवर्षीय चर्मा सघ—इस तत्वा ने भी इस उद्योग के बडाने में प्रगसनीय काय किया है। देश भर में स्थापन-स्थान पर कनाईगरा और बुनकरा को महायता दकर खादी उत्पादन को प्रोत्साहन दिया है।

खादी उद्योग का नया आधार अम्बर चर्मा—लघु एवं सामोयोग १९५५ पर नियुक्त कव समिति ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतगत अतिरिक्त खादी उत्पादन के लिये अम्बर चर्मा के प्रयोग की सिफारिश की है। अम्बर चर्मा वह चर्मा है जिसमें ४ तकनियम होती है जिनके द्वारा कताईगर प्राठ घट नित्य काम कर मूल व ६ लच्छे (Hunks) काम सकता है। भारत सरकार ने सन् १९५७-५८ में ७५ हजार अम्बर चर्मे चालू करने की स्वीकृति दी। सन् १९५७-५८ में अम्बर चर्मे के मूल से १ करोड़ ३३ लाख ५० हजार गज कपडा तैयार हुआ। १९५७-५८ में अम्बर चर्मा कार्यक्रम के अन्तगत ११० १५३ व्यवस्था को रोजगार मिला। द्वितीय योजना में कपडा का उत्पादन १ अरब ७० करोड़ गज बड़ावा जायगा जिसमें से ३ करोड़ गज कपडा अम्बर मूल से बना होगा।

हाथ करघा उद्योग और योजनाएँ—प्रथम पंचवर्षीय योजना में हाथ-करघा उद्योग के लिये ११.१ करोड़ और खादी उद्योग के लिये ८.४ करोड़ रुपये खर्च किये गये। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में क्रमशः ५१.५ करोड़ और १६.७ करोड़ रुपये खर्च किये हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में रिजर्व बैंक के द्वारा उन्हीं धन दिए जायगा और यह एक विशेषता होगी। भारत सरकार हाथ करघा उद्योग को सहकारिता के आधार पर चलाने का सिद्धान्त स्वीकार कर उन्हें तांत्रिक सहायता तथा मूल खरोदने और हाट व्यवस्था में भी सहायता दे रही है।

रेश्म का उद्योग—भारत प्राचीन काल में अपने रेशमी धातों के लिये देश-देशान्तरो में विख्यात था। विदेशों में जहाँ भारतीय रेशमी वस्त्र निर्यात किया जाता था, चीन, जापान और फ्रांस मुख्य थे। सन् १८८६ ई० में लगभग ३३ लाख रुपये का रेशमी वस्त्र निर्यात किया गया था, परन्तु धीरे धीरे यह निर्यात कम हो गया। वर्तमान रेशम का प्रादुर्भाव इस धन्धे के लिये यातक सिद्ध हुआ। आजकल भी भारत में रेशम का व्यवसाय बूटीर व्यवसाय ही है। रेशम का बीड़ा गहगून, महूड़ा, नाक, केर, अरब, बसुम प्रादि वृक्षों की पत्तियाँ छिनाकर पाला जाता है। रेशम भारत के निम्नलिखित भागों में पैदा होता है—

(१) काश्मीर, जम्मू तथा पंजाब का मिला हुआ भाग। (२) बंगाल में मुर्शिदाबाद मालदह, राजगाही और वीरभूमि के जिले तथा ब्रह्मगंगा का पश्चिमी भाग। (३) दक्षिणी मैसूर का पठार तथा कोयम्बटूर का जिला। सन् १९५७ में ३१.७० लाख बीड वच्चे रेशम का उत्पादन हुआ जिसमें से लगभग आधे का उत्पादन मैसूर राज्य में ही हुआ। मैसूर के बाद इसके महत्वपूर्ण उत्पादन क्षेत्रों में असम, जम्मू तथा कश्मीर, पश्चिमी बंगाल तथा मद्रास के राज्य आते हैं। अप्रैल १९५८ में पुनर्संरुद्धित 'केन्द्रीय रेशम मण्डल' रेशम उद्योग तथा रेशम बीड़ा-पालन के विकास को देखभाल करता है। द्वितीय योजना में इस क्षेत्र का विस्तार किया जायेगा। 'केन्द्रीय रेशम मण्डल' की धोर में मैसूर में एक अखिल भारतीय 'रेशम-बीड़ा-पालन प्रशिक्षण कक्षा' तथा श्रीनगर में एक 'विश्वीय रेशम बीड़ा (विदेशी) पालन केन्द्र' स्थापित किया गया है।

ऊनी वस्त्र का उद्योग—ऊनी वस्त्र उद्योग भारतवर्ष में प्राचीनकाल में प्रचलित है। मुगल काल में कालीन, दरी व शाल का धन्धा बहुत उन्नति पर था, परन्तु विदेशी वस्त्र के आयात से ऊनी वस्त्र का धन्धा चोपट हो गया। उन में जो वस्तुएँ तैयार होती हैं उनमें घाल दुशाले, बम्बल, कालीन एवं पहनने के लिये वस्त्र मुख्य हैं। भारतीय ऊन बहुत पटिया होता है, अतः अच्छा ऊन कपड़ा बनाने के काम में नहीं आ सकता। फिर भी काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, पारस, उत्तर प्रदेश, खानिपुर, बंगाल में यह धन्धा किया जाता है। काश्मीर के शाल-दुशाले बहुत प्रसिद्ध हैं। दरिया के तट मिर्जापुर, एलौर, अमृतसर और आगरा प्रसिद्ध हैं। बम्बल का धंधा देश के कई भागों में प्रगतिशील अवस्था में प्रचलित है। इसके प्रतिरिक्त खानिपुर अर्थात् रवेटर, गाँज, मन्तर आदि बनाने का उद्योग भी दिन-प्रतिदिन उन्नति कर रहा है। बंगाल और उत्तर प्रदेश होजियरो के मुख्य केन्द्र हैं। उत्तर प्रदेश में लगभग ६० लाख रुपये का मात्र प्रति वर्ष बनाया जाता है।


लान्डी सम्बन्धी उद्योग—गाँवा में बड़े पैमाने पर उद्योग की सहायक धरे के रूप में करते हैं। वे अपने अवकाश के समय हल, बैलगाड़ी, रूट्टे, मड़े, पावर, मकान बनाने के लिये आवश्यक लकड़ी का गामान प्रादि वस्तुएँ बनाते हैं। बड़े गाँवा और कस्बा में



वे इन्हे स्वतन्त्र कुटीर-उद्योग के रूप में करते हैं। शहरों में बड़े-बड़े सामान्य और मकान निर्माण सम्बन्धी लकड़ों का सामान तैयार करते हैं। लकड़ों के खिलौने बनाने वाले कारीगर भी पाये जाते हैं।

उत्तर प्रदेश में लकड़ी की कारीबगी का प्रबन्ध काम होता है। सहारनपुर इस काम के लिये प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में यूरोप और अमेरिका का सामान निर्यात भी किया जाता है। लखनऊ, देहरादून, बनेनी, मरठ, बाराणसी आदि नगरों में लकड़ी के खिलौने तथा लकड़ी का अन्य सामान बनाया जाता है। पञ्जाब में रिजेंट, टैनिंग आदि पादचान्य द्रव के बेलों का सामान बनाया जाता है। मैसूर में चन्दन की लकड़ों की बनी हुई वस्तुओं पर बारोक नक्काशी खुदाई का काम बहुत ही सुन्दर होता है।

धातु सम्बन्धी उद्योग—प्राचीन समय में राजा, महाराजा तथा नराराज राज्य शासक में युद्ध का सामान, जैसे तलवार, शाल, छुरा, भाले, कर्तबे आदि त्रुहारों द्वारा ही बनाई जाती थीं। आजकल भी रथों के घोजार, जैम—हल का फाल, पावडा, कुल्हाड़ी, कुदाता, सुरपा, बसूला, हँसिया, हथौडा, बेलगाड़ी में लकड़ों के लकड़ों और लकड़ों के काम आने वाले लकड़ों का सामान आदि गोथ में रहने वाले त्रुहार ही तैयार करते हैं। शहरों में लोह का सामान बहुत बड़ी मात्रा में तैयार होता है। अलोगढ़ में बर्तनी चाकू, ताले, सौतेले अस्त्रे बनते हैं।



लोहार

ताँबा, पीतल आदि धातुओं के बर्तन कमरों द्वारा तैयार किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश बर्तन बनाने का मुख्य केन्द्र है। बाराणसी, मिर्जापुर, फर्रुखाबाद, हाथरस, प्रयाग, पन्हेपुर, हरदोई, लखनऊ, मरठ, आगरा मुरादाबाद आदि नगरों में बर्तन बनाने का सुन्दर काम होता है। मुगदाबाद कर्तबे के बर्तन के लिये प्रसिद्ध है और वहाँ बर्तनों पर खुदाई का काम प्रबन्ध होता है। उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष ३ करोड़ रुपये का सामान बनता है। इन बर्तनों के आतिरिक्त मुल व किलास वस्तुएँ जैसे—पानदान, मिषारदान, पूलदान, पीकदान, मिशरट-बेस, पपरह्लेट, ट्रे, आदि वस्तुएँ बड़े ही सजावटी रूप में बनाई जाती हैं जिनकी माँग विदेशों में भी रहती है। कुँजल सर्गिनि की रिपोर्ट के अनुसार इस उद्योग में पाँच हजार व्यक्ति संलग्न हैं जिनके द्वारा बनी हुई वस्तुओं का बाणिज्य मूल्य लगभग ३० लाख रुपये होता है।

देग की जनता का रहने पहनने की बड़ी रचि है। चाँदी माना, पीतल, ताँसा आदि के रहने गोथ की स्थितियाँ बड़े ही चापल पहनती हैं। पहने स्थितियाँ भी मोन तथा चाँदों के आधुनिक रूप के फर्शनदार रहने पहनती हैं। मधुघ्य काल में बाणियाँ, हाथ की उँगलियों में अँगुठियाँ और शले में बठियाँ पहनते हैं। ये वस्तुएँ मुनारा द्वारा बनाई जाती हैं। इस उद्योग में लाखों व्यक्तियों का भरण-पोषण होता है।

चर्म सम्बन्धी उद्योग—हमारे देश में पशु-धन बहुत है। इसमें से माँस और भेड़ों की जिनकी मरणा पाई जाती है, उसका १५-२० भाग हमारे देश में है। इसी प्रकार समार के १६-१७% गेह-बकरी दूगो दूध में पाये जाते हैं। इन पशुओं के मरने पर जो चमड़ा निकलता है वह अच्छे माल के रूप में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होता है। प्राणीएँ रोगर, चमार, मोची आदि इसी अच्छे माल से जूतियाँ, मक्के, चरम

आदि चमड़े का भागान बँधार करते हैं। इनके प्रतिरिक्त घोड़े, ऊँट आदि पशुओं की मशरौरी के लिये काटी नगाह, आदि वस्तुएँ भी बनाई जाती हैं। पहरो में भी इन लोगों द्वारा देखीं जूने कल्पवृक्ष चमड़ के बरग आदि बनाए जाते हैं। इन लोगों की कार्य-प्रणाली प्राचीन है। अधिकतर बच्चा मान विदेशों को भेजा जाता है। आज भी इस उद्योग के द्वारा लाखों व्यक्ति अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। केवल उत्तर प्रदेश में लगभग १ लाख व्यक्ति इस उद्योग में मग्न हैं। चर्पागों के चमड़ को कमाने ब रगने के ढंग में सुधार करने के लिए प्रदक्षीय सरकार ने ज ल की है और उसी प्रशिक्षण (Training) संस्थानी व्यवस्था को है। इस वर्ष चमड़ा उद्योग के लिये १४२ चलते-फिरते केन्द्र खोले गये हैं।

काँच की सूड़ी का उद्योग—काँच की सूड़ी बनाने के मुख्य केन्द्र उत्तर प्रदेश, मद्रास और पूना हैं। इस उद्योग में लगभग ५०००० मनुष्य कार्य-मग्न हैं। मनु महाबुद्ध के पूर्व नुटियों की ८० प्रतिशत भाग की पूर्ण उत्तर प्रदेश के अकेले नगर फिरोजाबाद में हंगरी थी, मात्र का ११ प्रतिशत विदेशों में आयात होता था और १ प्रतिशत भारत के अन्य प्रांतों में। काँच के मात्रा के दाने भारतवर्ष में कई एक म्बानों पर बनाये जाते हैं। दमग धर्वात् आदना बम्बई में बनता है।

तेल पेरने का उद्योग—प्रत्येक घर एवं मण्डल जति प्रयोग द्वारा जो तेली कहलाते हैं, यह व्यवसाय संचालित किया जाता है। ये माग लकड़ी के कोष्ठों की सहायता में तेल पेरते हैं। निरन्तर में तेल निकाला जाने के पश्चात् जो सली रह जाती है वह पशुआ का मिनाने और प्याद के काम में प्रयुक्त की जाती है। एक कुछ वर्षों में इस उद्योग को भी यन्त्रा द्वारा निकले हुए तेल की प्रतियोगिता का सामना करना पड रहा है जिसमें उद्योग को बच जानि भी हो रही है। इस उद्योग की उत्थति करने के लिये अखिल भारतवर्षीय ग्राम उद्योग मंच तथा मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों के ग्राम्य विकास म्बाना की अग्र में प्रयत्न किय जा रहे हैं। इस वर्ष तेल के लिए ४५ आदर्श उत्पादन केन्द्र स्थापित किये गये हैं और दो हजार में भी अधिक मुषरे निम्न की पानिया में उत्पादन शुरू किया गया है। गाँवा में तैयार तेल के लिये १५० वित्री ऐजन्सियाँ खोली गई हैं।

गुड़ बनाने का धन्धा—गुड़ बनाना किसानों का मौसमी सहायक धन्धा है। जहाँ गन्ने की खेती की जाती है वहाँ किसान लोग लकड़ी या लोहे की चरखी की



गुड़ का गुड़ उद्योग

सहायता में गर्ज का रस निकाल कर भट्टी पर कटाहो में रस पका कर गुड़ तैयार कर लेते हैं। गुड़ बनाने का कार्य परिष्कृत-साध्य होने के कारण बहुत से किसान तो गुग्गा काट कर धक्कर बनाने वाले कारखानों को बेच देते हैं। अनुसंधान द्वारा यह निश्चित हो चुका है कि शक्कर की अपेक्षा गुड़ में अधिक पोष्टिक तत्व है। अस्तु, अखिल भारत-वर्षीय ग्राम्य-उद्योग सघ द्वारा गुड़ के धन्ने का अधिक प्रचार करने तथा गुड़ का उपभोग अधिक बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश और बिहार गुड़ बनाने के मुख्य केन्द्र हैं।

अन्य विविध प्रकार के उद्योग—यहाँ देश के समस्त कुटीर व्यवसायों का विस्तृत विवरण नहीं दिया जा सकता। अस्तु, उपर्युक्त उद्योग-धन्धों के प्रतिरिक्त जो अन्य उद्योग-धन्धे देश के विभिन्न राज्या में प्रचलित हैं उनकी सूची नीचे दी जाती है :—गोदा बनाना, सलमे-सिनारे का काम, साबुन बनाना, स्याही बनाना, मुद्रन्धित तैल व दूध बनाना, कागज बनाना, चीन्ही बनाना, कुक्कट पालन, दुग्धशाला सम्बन्धी व्यवसाय, रस्मियाँ बनाना, चटोइयाँ तथा टोकरियाँ बनाना, बेंग की महायना में मेज-कुर्सी, डलियाँ और सरकडा में गुड़े बनाना, सह्यद इकट्टा करना, सावगाजी पैदा करना चावल छूटना, आदि आदि।

### कुटीर उद्योगों की समस्याएँ एवं उपाय

देश के श्रमिकों का लगभग ८२% भाग कुटीर उद्योग-धन्धों में व्यस्त है, अतः यह स्पष्ट है कि देश की आर्थिक व्यवस्था में इन उद्योग-धन्धों का जितना भारी महत्त्व है। समाज-सुधारक, राजनीतिज्ञ तथा अर्थशास्त्री निरन्तर इनकी उन्नति का चिन्तन कर रहे हैं और केन्द्रीय एवं प्रदेशीय सरकारों का ध्यान इस ओर आकर्षित करते रहते हैं। भारत में कुटीर उद्योगों के विकास के मार्ग में अनेकों बाधाएँ हैं। इन विषय पर अन्वेषण की औद्योगिक एवं आर्थिक भूमिति, राजकीयोंय आयोग (फिस्कल कमीशन) ने अपनी विवेक-विवेचना दी है। इन सबके मतानुसार इन उद्योग-धन्धों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, वे निम्नलिखित हैं :—

१. आवश्यक पूँजी की कमी—कुटीर उद्योग को चलाने वाले ताल्लिकारों के समक्ष अथेष्ट मात्रा में पूँजी का नहीं मिलना सबसे प्रथम समस्या है। यद्यपि उन्हें पौडो ही पूँजी की आवश्यकता होती है, परन्तु यह भी उन्हें सुखमता में उपलब्ध नहीं ही पाती। विवसाय में उन्हें बहुत ऊँची ध्याज-दर पर महाजनों में रुपया उधार लेना पड़ता है। इतना ही नहीं कुछ साहूकार तो कारीगरों से ऊँचा मूल्य लेकर उन्हें बका माल देने हे और कम मूल्य में कारीगरों द्वारा बना हुआ माल लेते हैं।

इस समस्या को हल करने के लिये 'केन्द्रीय बैंकिंग जॉइंट कमिनि' ने यह मस प्रकट किया कि कारीगरों को अपनी सहकारी समितियाँ स्थापित करने चाहिए। प्रांतीय औद्योगिक अर्थ-प्रवर्धक मण्डलों की स्थापना इस प्रयोजन को सिद्ध कर सकती है। उत्तर प्रदेश में इन दिना में छोटा कार्य अथवा लघु है, जहाँ इस प्रकार का प्रांतीय मण्डल स्थापित हो चुका है। मद्रास, बिहार, उड़ीसा तथा बंगाल में उद्योगों को सरकारी महायना देने के सम्बन्ध में प्रतिनिधिम बनाये गये हैं।

२. उन्नित प्रकार के माल का अभाव—उपरोक्त कारीगरों को पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्य पर अन्वेषी किस्म का वस्त्र माल भी साधारणतया नहीं मिल

पाता। विशेषकर, बुद्धिवाला और बुद्धिपराल कच्चे माल के प्राप्त होने की कठिनाइयाँ बढ गई हैं।

कच्चे माल की समस्या को सहकारी समितियों द्वारा सुगमता से हल किया जा सकता है। यह समितियाँ थोक भाव पर मान लरीइ कर अपने सदस्यों को कम मूल्य पर दे सकती हैं। इस सम्बन्ध में उत्तर प्रदेशीय कुटीर उद्योग उप-समिति की सिफारिश मराठनीय है। उसके अनुसार ऐसी मिलों की सहाय में वृद्धि की जाय जो केवल सूत तैयार करके हाथ से कपड़ा बुनने वालों की माँग की पूर्ति करें तथा जो मिलें विद्यमान हैं व अपना तैयार किया हुआ सूत का बुद्धि भाग कारीगरों की भी बेचे।

३. कुटीर उद्योगों के अनुकूल मशीनों एवं औजारों का अभाव—वैने तो कुटीर उद्योगों में मशीनों और औजारों की अधिक आवश्यकता नहीं होगी, परन्तु कारीगर लोग इनके निर्माण हैं कि बाँडे से औजार भी उन्हें उपलब्ध नहीं हैं। अतः यह आवश्यक है कि उचित मूल्य में तथा अच्छे किस्म के औजार उन्हें गरीबों का अवसर दिया जावे।

यह कार्य सहकारी समितियों द्वारा व्यवधि सम्पन्न किया जा सकता है। यदि वे चाहें तो अपने सदस्यों को औजार लय विक्रय (Hire-Purchase) पद्धति पर दे सकते हैं। इसके परिणति इस बात की भी आवश्यकता है कि देश में ही छोटे कुटीर उद्योगों के अनुकूल छोटी-छोटी मशीनों और औजारों का निर्माण प्रारम्भ किया जाय। दिल्ली का विक्रय एवं प्रसार इस दिशा में बड़ा लाभदायक मित्र होगा।

४. सागठित बाजारों की अनुपस्थिति—शुद्ध उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था ठीक नहीं है। विक्रय-सागठन के अभाव में उन्हें अपनी वस्तुओं का उचित मूल्य नहीं मिलता।

बिक्री का कार्य सरकारी अथवा सहकारी विक्रय समितियों द्वारा सांख्यिक रूप में सफलतापूर्वक किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश कुटीर-उद्योग समिति ने १९३७ में केन्द्रीय विपणन (मार्केटिंग) सागठन स्थापित करने की अपील गमगि दी। प्रत्येक प्रान्त में विपणन मण्डल बनाने के अनन्तर उनकी साक्षात् प्रत्येक गाँव में सोचना आवश्यक है। घाट एण्ड क्राफ्ट एम्प्लोरियस लखनऊ, स्वदेशी स्टोर बम्बई तथा कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स कलकत्ता जैसी संस्थाओं का कार्य इस दिशा में अनुकरणीय है।

५. कुटीर कारीगरों में सागठन का अभाव—सुव्यवस्थित षधों का अभाव हमारे वर्तमान कुटीर-उद्योगों की भारी कमजोरी है। बिना सुगठित षधों के वे अपनी कठिनाइयों का उचित अधिकारियों के सम्मुख नहीं रख सकते और न अपना मुधार ही कर सकते हैं। अस्तु कुटीर कारीगरों को 'गिल्ड्स' के रूप में सुगठित किया जाय। इस प्रकार के षध अर्थात् गिल्ड्स कारीगर में स्थापित हो चुके हैं। अन्य राज्या में भी इनका अनुकरण वाछनीय है।

६. विदेशी वस्तुओं के आयात और देश में वृद्ध उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं की प्रतियोगिता—इस समय कुटीर उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं को विदेशों में आयात की हुई वस्तुओं और देश में बड़े-उठे कारखानों द्वारा निर्मित वस्तुओं से सामना करना पड़ता है। इसके निम्न सबसे बड़ा सुभाव यह है कि आयात वस्तुओं की सूची को जाँच की जाय और उन वस्तुओं का आयात रोक कर दिया

जाय जो यहाँ कुटीर उद्योग में प्राप्त हो सकती है तथा जिनके निर्माण के लिये देश में ही कुटीर उद्योगों का विकास हो सकता है। जिसमें हमारे कुटीर उद्योग आयात की हुई वस्तुओं की प्रतियोगिता में निर्भर हो जायें। जहाँ तक देश के ही वृहत् उद्योगों की प्रतियोगिता का प्रश्न है उत्पादन-कार्यक्रम इस प्रकार बनाया जाय कि कुछ उपभोग की वस्तुएँ केवल कुटीर-उद्योगों द्वारा ही बनाई जायें और किसी विशेष वस्तु के उत्पादन को प्रारम्भ करने के लिये कुटीर उद्योगों को ही अग्रसर दिया जाय। इसके अतिरिक्त, किसी वस्तु के विभिन्न भागों को कुटीर उद्योगों द्वारा बनाय जायें और उनसे संयोजन का कार्य बड़े कारखानों द्वारा कराया जाय।

७. उत्पादन स्तर एक मात्र के किस्म की समस्या—कुटीर उत्पादन के स्तर एक मात्र की किस्म में पर्याप्त सुधार की आवश्यकता है। इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिये हमें उत्पादन का प्रमाणीकरण, नवीन कार्य प्रणाली, उत्तम श्रमिकों का प्रयोग, सफल में सुधार आदि बातों को अपनाना चाहिये। उत्पादन स्तर एक डिजाइन्स में अनुसंधान द्वारा सुधार करना इन उद्योगों में भी उतना ही आवश्यक है जितना कि बड़े कारखानों में। इस कार्य के लिये राष्ट्रीय प्रयोगशालाएँ तथा अनुसंधानशालाएँ बड़ी सहायता प्रदान कर सकती हैं।

८. कुटीर उद्योगों के विज्ञापन का अभाव—कुटीर उत्पादन के माध्यम से जिन वस्तुओं का उचित मूल्य भी प्राप्त नहीं हो पाता। इन वस्तुओं द्वारा मूल्य का अभाव द्वारा सहायता वाञ्छनीय है। सरकारों को चाहिये कि कुटीर कारीगरों की वस्तुओं का उचित रीति में विज्ञापन हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये विज्ञापन प्रचारण, एम्प्लॉयमेंट आदि करने जायें और औद्योगिक प्रदर्शनियों में तथा मेलों में कुटीर वस्तुओं का प्रचार किया जाय।

९. कुटीर कारीगरों में शिक्षा का अभाव—अधिकांश कारीगरों में साक्षरता ही नहीं जानने। इस कारण उनमें नये तथा आकर्षक ढंग से काम करने का विचार ही उत्पन्न नहीं होता। अतः, इस बात की आवश्यकता है कि कम-से-कम प्राथमिक शिक्षा तो अनिवार्य करदी जाय। अतः में अधिकांश औद्योगिक शिक्षण संस्थाएँ स्थापित की जाय। यह वर्ष भारतवर्ष में जापान के कुछ विद्यार्थियों को आमंत्रित किया था जिसका उद्देश्य कुटीर उद्योगों में काम में काम जाने वाली विभिन्न प्रकार की ५० मशीनों का उपयोग भारतीयों को सिखाना था।

१०. प्रदर्शन-कार्य एवं अनुसंधानशालाओं का अभाव—नये श्रमिकों और डिजाइन्स आदि का प्रचार प्रदर्शन द्वारा भली भाँति हो सकता है। अनुसंधान-शालाओं के स्थापित होने से लोगों को इन वस्तुओं के उचित प्रयोग का परिचय कराया जा सकता है। औद्योगिक आयोग ने सिफारिश की कि कारीगरों की व्यवस्थापित किया देने के हेतु राज्य द्वारा प्रदर्शन-केन्द्र स्थापित किये जायें। जिनसे लोगों और सुधार महत्त्व में भी औद्योगिक शिक्षण-शाला स्थापित जाय जिससे कि बड़ी जैन से सृष्टि पर कारीगरों को बड़े अपना जीवन निर्वाह कर सक।

११. कुटीर कारीगरों की निर-रता, अज्ञानता एवं रुढ़िवादिता—निरक्षरता, अज्ञानता एवं रुढ़िवादिता आयोग्य मानवता का घोरतम है। सामान्य एवं उच्च-नीचाल सम्प्रदायी शिक्षा के प्रसार से अज्ञानता एवं मशीनीयता दूर की जा सकती है।

१२ सगठन एवं सहयोग का अभाव—वर्तमान समय में कुटीर उद्योग अत्यन्त श्रमस्थाना में है। इसीलिए उच्च देशीय तथा विदेशीय प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता है। सगठन एवं सहयोग का अभाव केवल कुटीर उद्योगों में ही नहीं है अपितु तंतु एवं कुटीर व्यवसायों और वृहद् व्यवसायों के मध्य भी है। अस्तु यह आवश्यक है कि वृहद् उद्योगों के लिए नए-नए माल गाढ़ा में कुटीर एवं मध्यम प्रकार के व्यवसायों में नैपथ्य होकर वृहद् उद्योगों में अन्तिम निर्माण के लिये आना चाहिये। इस प्रकार कुटीर एवं वृहद् उद्योगों के मध्य गाम्भीर्य स्थापित किया जा सकता है।

१३ उत्पादन के हानिकारक एवं व्यर्थी ढंग—उत्पत्ति के अक्षय एवं हानि कारक ढंग और उनके परिणाम स्वल्प उत्पात्ति की ऊंची लागत भारतीय कुटीर उद्योगों की एक दूसरी समस्या है। समीचीन विजली के प्रयोग तथा शिल्पकारों के प्रशिक्षण से यह समस्या हल की जा सकती है। भारतवर्ष में विद्युत् शक्ति के प्राकृतिक स्रोत बहुत हैं। इसलिये यदि राष्ट्रीय मंत्रालयों द्वारा कुटीर उद्योगों को विद्युत् शक्ति से चलाने लगे, तो कुटीर उद्योगों की वस्तुएँ समीचीन रूप में उत्पन्न हो सकेंगी हैं। साथ ही साथ कारखानों को उत्पादन के आधुनिक ढंगों में परिचित किया जाना चाहिये। नवान ढंगों में उत्पादन व्यय को कम करने में प्रयत्न किये जाने चाहिये।

१४ सरकार द्वारा संरक्षण एवं प्रोत्साहन का अभाव—भारतवर्ष के स्वतन्त्र होने तक ब्रिटिश शासन भारतीय कुटीर उद्योगों को प्रति उदासीन ही रहा। इसके परिणामस्वरूप भारतीय कुटीर उद्योगों की दुर्दशा हो गई। मध्य एशिया में सरकार द्वारा कुटीर व्यवसायों की उत्पत्ति के लिए विशेष ध्यान दिया जाता है। सामोन्गिया, हांगक, जापान, अमेरिका और बेल्जियम इनमें वृहद् उदाहरण हैं। जापान सरकार ने इस प्रकार नई नई महत्ता देती रही है। अतः भारत सरकार द्वारा भी इस आंग सम्बन्धित कदम उठाये जा रहे हैं।

कुटीर उद्योग एवं मरदान—छात्र विमान के उद्योगों का सगठन करने का दायित्व प्रथम राज्य सरकारों पर है। उनकी महत्ता के लिये केंद्रीय सरकार ने निम्न सगठन स्थापित किये हैं—अखिल भारतीय छात्रों तथा ग्रामीणों के सगठन, तंतु उद्योग सगठन, तारिका तथा सगठन तथा केंद्रीय नेत्रण सगठन। सन् १९५७-५८ में छात्र विमान के उद्योगों के विकास के लिये राज्य सरकारों के लिये ३३० करोड़ ₹० के ऋण तथा ११० करोड़ ₹० के अनुदान का स्वीकृति दी गई है। अतः तक ७० औद्योगिक वस्तुओं की स्थापना के लिये स्वीकृति दी जा चुकी है जिसमें में अक्टूबर १९५८ तक ६७ औद्योगिक वस्तुओं के लिए योजना में निर्धारित राशि १० करोड़ ₹० में अक्टूबर १९५८ तक २० करोड़ ₹० तक बढ़ गई है। केंद्रीय सरकार ने औद्योगिक विस्तार मंत्रालय के नाम से छात्र उद्योगों को प्राथमिक सहायता देने का एक कार्यक्रम आरम्भ कर दिया है। दस्तकारी की वस्तुओं के उत्पादन में सुधार करने तथा उनके विस्तार की व्यवस्था के लिये १९५२ में स्थापित अखिल भारतीय दस्तकारी सगठन ने देश तथा विदेशों में दस्ताकारों के लिये रूप में ध्यान दिया है। इस सगठन के निर्वाह प्रोत्साहन सम्बन्धी वृहद् कार्यों के लिये भारतीय दस्तकारी विकास निगम स्थापित किया जा चुका है। विभिन्न राज्यों में दस्तकारी सगठन बनाये जाते हैं। प्रतिवर्ष १ अरब रुपये के मूल्य का उत्पादन होने का अनुमान लगाया गया है और प्रतिवर्ष १ अरब ₹० के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात किया जाता है।

फोर्ड फाउण्डेशन—कुटीर उद्योगों की आर्थिक एवं शिल्पिक दशा को सुधारने के लिये फोर्ड फाउण्डेशन के नेतृत्व में एक शिल्पिक समिति बुलाई गई थी जिसकी गिफारिसों के अनुसार शिल्पिक गुणवत्ताओं का कार्यक्रम केन्द्रीय सरकार ने बनाया है। इस कार्यक्रम के अनुसार क्षेत्रीय इन्स्टीट्यूटों की स्थापना क्रमशः बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में की गई है। इनकी चार शाखाएँ होंगी जिनमें से एक शाखा की स्थापना त्रिवेन्द्रम में की गई है। इन शाखाओं में शिल्पिक सुविधाएँ देने के लिये विदेशी विशेषज्ञ कार्य कर रहे हैं।

राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम ( National Small-Scale Corporation )—भारत सरकार ने फरवरी १९५५ में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना की है जिसका उद्देश्य लघु-उद्योगों की उत्पत्ति करना, उनका संरक्षण, आर्थिक सहायता तथा अन्य सहायता देना है। निगम की पूँजी १० लाख रुपये है जो १०,००० अंशों में विभाजित है। यह निगम केवल ऐसे लघु-उद्योगों की सहायता देगा जो शक्ति का प्रयोग करते हों, परन्तु उनमें १०० से अधिक व्यक्ति काम न करते हों तथा उनकी पूँजी ५ लाख रु० से अधिक न हो। इस निगम के चार प्रमुख विभाग हैं—(१) सरकारी खरीद विभाग, (२) निर्यात द्वारा खरीद विभाग, (३) हाट-अवरथा विभाग और (४) औद्योगिक बस्ती विभाग। हाट-अवरथा विभाग की ओर से दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में बिक्री गाडियाँ चलाई जा रही हैं। ये गाडियाँ निश्चित मार्गों पर चलती हैं और इनमें लघु उद्योगों द्वारा बनाई गई ३०० से अधिक चीजें होती हैं। राष्ट्रीय लघु-उद्योग निगम के बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास में चार महायुक्त निगम लीले गये हैं।

पंचवर्षीय योजनाएँ और कुटीर उद्योग—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुटीर एवं लघु-उद्योगों के विकास के लिये २०० करोड़ रु० का आयोजन है जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना में १५ करोड़ रु० का आयोजन प्रारम्भ में किया गया था यद्यपि वास्तव में ३१२ करोड़ रु० तक १९५१-५६ तक खर्च किये गये।

राज सरकार के प्रतिनिधियों का सम्मेलन नई दिल्ली में १ जुलाई, १९५२ ई० में हुआ जिसमें यह निश्चय किया गया कि यह प्रतिनिधि सम्मेलन अर्धवार्षिक हुआ करे जिसमें कुटीर एवं लघु व्यवसायों के विकास के विविध पहलुओं पर विचार किया जाय और कुटीर उद्योग बोर्ड की गिफारिसों के अनुसार कार्य की प्रगति पर दृष्टि डाली जाय।

भारतवर्ष में फॅक्टरी उद्योग अथवा कुटीर उद्योग ( Factory Versus Cottage Industries in India )—आधुनिक उत्पादन-व्यवस्था द्वारा होने वाले विविध लाभों से कभी-कभी यह भ्रम हो जाता है कि लघु एवं कुटीर उद्योग इतके मुकाबले में किस प्रकार स्थिर रह सकते हैं। भारतवर्ष में गांधी-विचार-धारा वाले इनमें प्रतिश्वास प्रकट करते हैं। दूररी और वर्तमान विचारधारा वाले केवल गहरे प्रयोगीकरण में ही विश्वास रखते हैं।

इनमें तर्क भी सन्देह नहीं है कि कुछ उद्योग-धर्म ऐसे हैं जो छोटे पैमाने पर ही सलाह चलाये जा सकते हैं और जिनके लिये मशीनों का प्रयोग अनुपयुक्त है।

उदाहरणार्थ

(१) वे उद्योग-धर्म जिनमें मशीनों का उपयोग बिल्कुल नहीं होता। जैसे बीड़ी बाँधने का पंचा घाटि।

(२) वे उद्योग धंधे जिनमें उच्च श्रेणी की कला की आवश्यकता होती है। जैसे जरी, बेल घूटे व कढ़ाई का काम, चित्रकारी आदि।

(३) वे उद्योग-धंधे जिनमें व्यक्तिगत इच्छाओं और रूचियों का ध्यान रखा जाता है। उदाहरण के लिये, दर्जी का घघा, मोतावाटों का काम आदि।

(४) वे उद्योग धंधे जो प्रयोगात्मक अवस्था (Experimental Stage) में हैं। उदाहरणार्थ, अमरिका में फोर्ड मोटर का कारखाना प्रारम्भ में छोटे पैमाने पर ही स्थापित हुआ था।

(५) वे उद्योग-धंधे जिनमें व्यक्तिगत देख रेल की आवश्यकता होती है, जैसे दर्जी व हलबाइ का काम।

(६) वे उद्योग धंधे जिनके द्वारा तैयार की हुई वस्तुओं की माँग बहुत सीमित या अनिश्चित हो, जैसे जवाहरात का काम।

(७) वे उद्योग धंधे जो बड़े कारखानों के साथ-साथ सहायक धंधों के रूप में आवश्यक होते हैं, जैसे मशीनों की मरम्मत का काम।

(८) वे उद्योग धंधे जिनमें कारीगर स्वतन्त्रतापूर्वक अपने अनुकूल वित्तवर्ण में काम करना चाहते हैं।

इसके विपरीत कई उद्योग-धंधे ऐसे हैं जो बड़े पैमाने की उत्पत्ति और मशीनों के प्रयोग के लिये ढांगपुस्त है और जिनका छोटे पैमाने पर धन्ध रहित चलाना असम्भव या हानिकारक होता है।

### उदाहरणार्थ

(१) रेल, माटर, जहाज आदि बनाने के कारखाने।

(२) जल-विद्युत् उत्पन्न करने के कारखाने।

(३) लोहा और इस्पात आदि के आधारभूत कारखाने।

(४) देश रक्षा के आवश्यक उद्योग धंधे, जैसे गोला, धारद, धूम्र बनाने के कारखाने।

(५) यातायात उद्योग, जैसे रेल चलाने का कार्य।

(६) वे उद्योग-धंधे जिनके द्वारा निमित्त वस्तुओं की माँग विस्तृत हो, जैसे वस्त्र उद्योग आदि।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि लघु एम फुटीर व्यवसायों का हमारे देश की आर्थिक-व्यवस्था में एक विशिष्ट स्थान है और रहेगा। इनके द्वारा लाखों मनुष्यों का जीवन-निर्वाह होता है। बड़े कारखानों के चलाने व लिये पर्याप्त पूँजी की आवश्यकता होती है, परन्तु हमारे देश में इसका पूर्ण अभाव है। अस्तु, योद्धे-योद्धे पूँजी की आवश्यकता वाल छोटे कारखाने ही परिस्थिति के अनुकूल लाभदायक मिडल हो सकते हैं। हमारे यहाँ जनसंख्या घटती-घटती है और निबंधता सर्वव्यापी है, अतः मनुष्यों को काम-धन्धे देने के लिये विविध फुटीर उद्योगों की स्थापना वांछनीय है। यान्त्रिक उत्पत्ति के अन्तर्वस्व जो अभी बेकार हमारे देश के फुटीर उद्योग-धंधों में लगाये जा सकते हैं। इन सबके उपरान्त, बड़े पैमाने की उत्पत्ति की कुछ सीमाएँ (Limitations) हैं जिनके कारण उत्पादन के परिमाण में कौनों असीमित अवस्था तक वृद्धि होना सम्भव नहीं है। मशीनों में, लघु एम फुटीर उद्योगों का अपना पृथक्-पृथक् क्षेत्र है। वे एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी न होकर सहायक एव पूरक हैं। अस्तु, हमारे देश में दाना का एक साथ विकास निम्नलिखित आवश्यक है। इन्फ्रस्ट्रक्चर, सयुक्त-राज्य-अमरिका, फ्रांस, जर्मनी, जापान आदि



औद्योगिक दृष्टि से उन्नत देशों में जो इन उद्योगों का महत्वपूर्ण स्थान है वह इस बात को भी स्पष्ट एवं पुष्ट कर देता है ।

निष्कर्ष—हमारे देश में जनसंख्या अत्यधिक है तथा यहाँ पूँजी और औद्योगिक मशीनों एवं विशेषज्ञों का अभाव है । यहाँ के कारीगरों में सैकड़ों वर्षों की जीवित कला-परम्परा भी है । इसलिये भारत में कुटीर उद्योगों का विकास प्रत्यन्त आवश्यक है तथा उपयुक्त सिद्ध होगा । कारीगरों के व्यक्तित्व के विकास तथा स्वास्थ्य के लिये भी गृह-उद्योग हितकर है अतएव राज्य तथा जनता के परस्पर सहयोग में कुटीर उद्योगों के विकास के लिये राष्ट्रव्यापी योजना बनाई जाकर कार्यान्वित होनी चाहिये त्रिमसे हमारे देश के मृतप्राय गृह-उद्योग पुनः जी उठें और लाखों बेकार कारीगरों का भरण-पोषण हो सके । साथ ही चीन की भाँति 'इण्डुस्को' (Indusco) औद्योगिक सहकारी समितियाँ स्थापित की जायें जिससे हमारे कुटीर उद्योगों की कई समस्याएँ हल हो सकेंगी ।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

इंष्टर आर्टस् परीक्षाएँ

- १—उत्तर प्रदेश के कुटीर उद्योग-धन्यों पर एक टिप्पणी लिखिये । उनकी उन्नति के लिये प्रदेश सरकार क्या-क्या प्रयत्न कर रही है ? (१९५७)
- २—हमारे देश के आर्थिक जीवन में कुटीर उद्योगों का क्या महत्व है ? उनके विकास तथा उन्नति के लिये आप क्या सुझाव पेश करेंगे ? (रा० बो० १९६०, ५७)
- ३—बड़े उद्योगों के होड़ करने पर भी भारतीय कुटीर उद्योग क्यों तथा कौन जीवित रहे ? प्रकाश डालिये । (प्र० बो० १९५७)
- ४—भारत में कुटीर उद्योगों को जीवित रखने की क्या सम्भावनाएँ और कठिनाइयाँ हैं ? (पटना १९५२, प्र० बो० १९५२)
- ५—भारत में कुटीर उद्योगों की भवनीति के कारण बताइये और उनके सुगार के सुझाव दीजिए । (म० भा० १९५२)
- ६—क्या आप भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों के और अधिक विकास के पक्ष में हैं ? कुटीर उद्योगों और व्यावसायिक श्रम पर इसके क्या प्रभाव होंगे ? (दिल्ली हा० से० १९४९)

‘उद्योग व्यापार की आत्मा है और समृद्धि की व्यापार शिला है।’

—रॉबर्ट ब्लेक

**ऐतिहासिक परिचय**—हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि प्राचीन समय में भारत अपनी औद्योगिक उत्पत्ति के लिये प्रसिद्ध था। परन्तु यूरोप की औद्योगिक क्रांति (Industrial Revolution) के फलस्वरूप मशीना स बहुत सस्ता माल बनने लगा जिसके कारण भारतीय गृह-उद्योग पर बड़ा आघात पहुँचा। अब भारत को पारचाप ढग पर बड़ बड़ कल-कारखाने स्थापित करने पड़। अंग्रेजों के लिये भारत बड़ा माल खरीदने और अंग्रेजी कारखाना का तैयार माल बेचने के लिये प्रच्छा बाजार था। इसलिये व भारत में औद्योगीकरण के विरुद्ध रहे जिसके कारण इन उद्योगों को बड़ी कठिनाईया का सामना करना पड़ा। भारतीय उद्योगों को प्रथम व द्वितीय विश्व महायुद्धों में अधिक प्रोत्साहन मिला जिसके कारण आज कुछ उत्पत्ति दृग्गोचर होती है। इन समय भारत में सूती वस्त्र, जूट शक्कर लोहे व फौलाद, सीमेन्ट आदि के बड़े बड़े कारखाने हैं जिनका विस्तृत विवरण नीचे दिया गया है।

**औद्योगीकरण की आवश्यकता एवं लाभ (Need and Benefits of Industrialization)**—जनसंख्या का दृष्टि पर अत्यधिक अवलम्बन भारतीय आर्थिक जीवन को बड़ी भारी कमी है। यहाँ उद्योगों का अभाव है। इसके फलस्वरूप भारतीय अर्थ व्यवस्था सन्तुलित एवं स्थिर नहीं है। अस्तु, अभीष्ट सन्तुलन की प्राप्ति के लिए देश में शीघ्र औद्योगिक विकास अत्यावश्यक है। देश की दरिद्रता दूर करने तथा देशवासियों का जीवन-स्तर ऊँचा उठाने के लिये भी यह कम आवश्यक नहीं है। देश की नव प्राप्त स्वतन्त्रता की रक्षा के लिये उद्योगों का विकास और भी आवश्यक है।

औद्योगिक आयोग (१९१६-१८) के शब्दों में औद्योगीकरण के लाभ सन्निहित हैं। “औद्योगिक विकास देश के लिये बड़ा हितकर मिट्ट होगा, क्योंकि इससे धन के नवीन साधन प्रस्तुत होंगे, पूँजी के संचय में वृद्धि होगी, राज्य की आय बढ़ेगी, धन को अधिक लाभदायक काम मिलना दृष्टि के अस्थिर लाभों पर देश का अत्यधिक अवलम्बन कम हो जायगा और अन्त में राष्ट्रीय जीवन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा राष्ट्रीय चरित्र का विकास होगा।”

**भारतीय औद्योगिक अवनति के कारण (Causes of Industrial Backwardness of India)**—भारतवर्ष में राष्ट्रव्यापी दरिद्रता, न्यूनतम जीवन-स्तर, अत्यधिक जनसंख्या आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका अस्तित्व हमारे औद्योगिक

अवृत्ति में सन्निहित है। यहाँ हम भारतीय औद्योगिक अवृत्ति के कुछ कारणों पर दृष्टिपात करेंगे :—

१. प्रेरक शक्ति के अभावप्राप्त साधन—प्रथमि भारतवर्ष प्राकृतिक साधनों की दृष्टि से सम्पन्न है, परन्तु कोयले और तेल की दृष्टि में स्थिति असन्तोषजनक है। जल शक्ति का अभी पूर्ण विकास नहीं हुआ है।

२. उत्कृष्ट कच्चे माल का अभाव—कई कारखानों का चलाने के लिये उच्च कोटि का कच्चा माल उपलब्ध नहीं होता है। जैसे, वस्त्र उद्योग के लिये अच्छे किस्म की रूई उपलब्ध नहीं होती। चीनी के उद्योग के मार्ग में गन्ने की प्रथि एकदम कम उपज और किस्म की खराबी बड़े अवरोधक हैं।

३. अग्निपुरा मानव शक्ति—प्रत्य उन्नत देशों की घोषणा हमारे यहाँ की मानव शक्ति ( Man Power ) कम विपुल है। इसका कारण लाघारण एवं विशिष्ट ज्ञान का अभाव है।

४. पूँजी के अभावप्राप्त साधन—भारतवर्ष में बड़े-बड़े कारखाने स्थापित करने के लिये पर्याप्त पूँजा उपलब्ध नहीं है। विदेशी पूँजी से औद्योगिकरण खनने से छाती नहीं है।

५. योग्य संगठनकर्त्ताओं और साहसियों का अभाव—श्री गिजाई के अनुसार “देश को सर्वोच्च आवश्यकता प्रबन्धकों, मार्गदर्शकों और साहसियों की है।” प्रो० मारशल ने बहुत समय पूर्व लिखा था कि “यदि भारतवर्ष में टाटा जी एक या दो कोड़ी व्यक्ति और जापानियों जैसे कुछ हजार उस्ताही मनुष्य हों, तो यह शीघ्र ही एक बड़ा राष्ट्र बन जायगा।”

६. घातक निर्वाध नीति—सन् १९२३ तक ब्रिटिश सामन की निर्वाध नीति (Laissez Faire Policy) भारतीय औद्योगिक विकास के लिये घातक सिद्ध हुई। इसके पश्चात् उनकी संरक्षण की नीति भी असन्तोषजनक ही रही।

७. दूषित रेल भाड़ा नीति—यद्यपि के राज्य तक हमारी रेलों की किराया नीति भारतीय उद्योगों के लिए घातक ही रही। हमने विदेशी माल को प्रोत्साहन मिलता रहा।

८. सुव्यवस्थित बाजारों का अभाव—माल की विक्री के लिये सुव्यवस्थित बाजारों का होना आवश्यक है। इस व्यवस्था से औद्योगिकरण को प्रोत्साहन मिलता है।

९. विज्ञापन के दूषित ढंग—वास्तव में देखा जाय तो भारतवर्ष में विज्ञापन कला में सुशिक्षित व्यक्तियों का अभाव है। आधुनिक व्यापार एवं औद्योगिक विकास का ही पर स्वर है।

१०. आधारभूत उद्योगों का अभाव—हमारे यहाँ अधिकतर उपभोक्ताओं की वस्तुओं के निर्माण करने वाले कारखानों का ही विकास होना है। आधारभूत उद्योगों (Key Industries) में केवल लोहे और कौलाद व सीमेन्ट के उद्योगों ने थोड़ी उन्नति की है। रसायन, विजली का सामान, औजार, हवाई जहाज, मोटर आदि के कारखानों का पूर्ण अभाव है।

११. विदेशों पर आश्रितता—हमें भोजनों, रसायन, औजारों आदि वस्तुओं के लिये विदेशों पर आश्रित रहना पड़ता है। यह परिस्थिति अवाञ्छनीय है।

१२ योजना-रहित उद्योगों का विकास—हमारे यहां के उद्योग देश में ठीक प्रकार नहीं फैले हुए हैं। अधिकतर कारखाने बम्बई, पश्चिमी बंगाल, बिहार आदि में ही केन्द्रित हैं।

१३ सहायक उद्योगों का अभाव—उप-उत्पत्ति ( By-Product ) के सदुपयोग के लिये महामत्त घन्थे आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त, ये सैकड़ों श्रमिकों के जीवन यापन के साधन हो सकते हैं।

औद्योगिक विकास के उपाय (Measures for Industrial Development)—औद्योगिक धननिधि के कारणों को दूर कर विकास की धार से जाने वाले कुछ उपाय नीचे प्रस्तुत किये जाते हैं।—

(१) सरकार द्वारा अपनी औद्योगिक नीति की घोषणा, (२) औद्योगिक विकास की योजना (Plan) तैयार कर कार्यान्वित करना, (३) आधारभूत उद्योगों के विकास को प्राथमिकता देना, (४) साधारण एवं तांत्रिक (Technical) शिक्षा की व्यवस्था करना, (५) औद्योगिक अर्थ-प्रवन्धन (Industrial Finance) का समुचित प्रबंध करना (६) विभेदक सरक्षण (Discriminating Protection) नीति को अपनाना, (७) रेल भाड़ा नीति में उचित परिवर्तन करना, (८) जल विद्युत् साधना का यथेष्ट विकास करना, (९) सरकार की स्टोर-अप नीति में सुधार करना, (१०) औद्योगिक प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना, (११) बैंक सम्बन्धी सुविधाओं का अधिक प्रचार करना, (१२) राज्य द्वारा औद्योगिक अनुसन्धान एवं प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहन तथा आर्थिक सहायता मिलाना, (१३) औद्योगिक धम की दशा में सुधार करना, (१४) प्रवन्ध सभितृत्व प्रणाली (Managing Agency System) में आवश्यक सुधार करना।

### भारत के प्रमुख वृहद उद्योग

सूती वस्त्र उद्योग (Cotton Textile Industry)—यह भारत का सबसे प्रमुख उद्योग है। सन् १८१८ ई० में सबसे पहले कलकत्ते के समीप फोर्ट ग्लोस्टर (Fort Gloster) में एक सूती कपड़े की मिल चालू की गई। पर कलकत्ता सूती कपड़े के लिये उपयुक्त स्थान न था। इस कारण बम्बई में सूती कपड़े की मिल सन् १८२४ ई० में चालू हुई। शीघ्र ही यह उद्योग पूजा और घातायात की सुविधाओं के कारण बम्बई प्रान्त में केन्द्रित हो गया। सन् १८७७ ई० के पश्चात् नागपुर, धर्मदाबाद और घालापुर के कपाम उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में भी कपड़ा मिल उद्योग विकसित होने लगा। बाद में स्वदेशी चान्दोलन ने इसे बाध प्रदान में बढ़ने में सहायता दी। शीघ्र ही मूरत बरोदा, जमगांव, इन्दौर, भन्वा, दिल्ली, मद्रास, बोरमन्दूर, मद्रास आदि नगर कपड़ा मिल उद्योग के केन्द्र बन गये। इस उद्योग की सन् १८६५ में १६०६ तक प्लेग, अमेरिकन र्डी के मूल्य में वृद्धि होय तथा चीन के बाजार में गड़बड़ हो जाने के कारण कठिनाइया का सामना करना पड़ा। सन् १९०७ के पश्चात् यामान्यतया यह उद्योग उन्नति की ओर अग्रसर रहा और प्रथम महायुद्ध के समय तक इस उद्योग ने बड़ी उन्नति की। सन् १९२५ के पश्चात् सार्वभौम मन्दी, भीषण जापानी प्रतिव्योहिता और ऊँचे स्थानीय करों के कारण इस उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सन् १९२७ ई० में इसे सरक्षण (Protection) दिया गया और सन् १९३२ ई० में इस विशेषकर जापानी कपड़े के लिये और बड़ा

दिया। द्वितीय महायुद्ध ने पुन कपडा मिल उद्योग को विस्तार का स्वर्ण अवसर प्रदान किया।

सन् १९५६ के आरम्भ में ४८२ सूती वस्त्र मिलें ( १८८ सूत बनाने वाली और २९४ मिश्रित ) जिनमें १३४.१ लाख तंतुओं और २.०१ लाख करघा पर काम हो रहा था, जनवरी १९५६ में मिला की मरुघा घट कर ४७९ ( १८७+२९२ ) हो गई। इनमें लगभग १२२ करोड़ रु० का विनियोग हुआ है तथा लगभग ८.६ लाख मजदूर काम कर रहे हैं। सन् १९५६ में १.७२ अरब पीठ मूल तथा ४ अरब ६२ लाख ७० हजार गज वस्त्र उत्पन्न हुआ।


भारत इस समय संसार के प्रमुख कपडा बनाने वाले देशों में से है। रुई की खपत के अनुसार इसका चौथा स्थान है। फिर भी हमारी श्रोत प्रति व्यक्ति कपडे की खपत केवल १२ गज है जोकि अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है।

### सूत एवं सूती वस्त्र का उत्पादन

वर्ष	सूत (लाख पींड)	सूती वस्त्र (लाख पींड)
१९४७	१२,६६०	३७,६२०
१९४०	११,७५०	३६,३७०
१९४५	१६,३०८	५०,६४०
१९४६	१६,७१२	५३,०६६
१९४७	१७,८०१	५३,१७४
१९४८	१६,८४४	४६,२७०
१९४९	१७,१८८	५०,६४०

योजना और मिल-वस्त्र उद्योग—प्रथम पंचवर्षीय योजना में ५२,००० लाख गज कपडा और १६,००० लाख पींड सूत का उत्पादन हुआ जबकि हमारी योजना में १६,५०० लाख पींड सूत और ८२,००० लाख गज ( १८ गज प्रति व्यक्ति ) कपडे के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित है।

जूट उद्योग ( Jute Industry )—भारत का दूसरा महत्वपूर्ण उद्योग जूट का है। संसार का अधिकांश जूट पूर्वी बंगाल में होता है। जनएव जूट की मिलें सब कलकत्ते में या बनबर्से के समीप हुगली नदी के किनारे पर ४० मील के परे में स्थित है।



हगली नदी के किनारे जूट मिल

प्रारम्भ में जूट उद्योग पर यूरोपियन पूँजीपतियों का प्रबन्धन था परन्तु भारत स्वतन्त्र होने पर पश्चान् जूट मिलें भारतवासियों के हाथ में आ गईं हैं। देश के विभाजन में इस उद्योग को बड़ा धक्का पहुँचा है। हमारे जूट का दो तिहाई उत्पादन क्षत्र पाकिस्तान में जाना गया, जबकि जूट के सारे कारखाने भारतवर्ष में थे। भारतीय रुपये के अस्मूल्यन (Devaluation) और पाकिस्तान के अपने रुपये की दर न धरती से भीषण गतिगोचर उत्पन्न हो गया जो १६ महीने तक जारी रहा। परन्तु १९५१ में भारत और पाकिस्तान के मध्य व्यापारिक सम्झौता होने से अन्तर्-पाकिस्तान में जूट का आयात प्रारम्भ हो गया है।

भारत में जूट का उद्योग सबसे अधिक समृद्ध है। इण्डियन जूट मिनिस्टर एम. जे. एम्. (I. J. M. A.) इस उद्योग की उत्पत्ति के लिये प्रयत्नशील है। भारत में इस समय ११२ जूट मिलें हैं जिनमें १०१ मिल कर्नाटक में हुबली नदी के तट पर स्थित हैं। वर्ष १९ भारतीय वन्य व प्रथम राज्या में है। सन् १९५६ के आँकड़ों के अनुसार इसमें ८३.३ करोड़ रुपये की पूँजी लगने हुई है। इस उद्योग में लगभग ३ लाख व्यक्ति कार्य-सम्पन्न हैं। सन् १९५०-५१ में लगभग १२८ करोड़ रुपये का जूट निर्यात को भेजा गया। जूट मिलों का वार्षिक उत्पादन १७० करोड़ य० है।

जूट उद्योग का भविष्य बड़ा अनिश्चित है। भारतीय जूट मिलें अधिकतर कच्चे माल के लिये पाकिस्तान पर निर्भर हैं। अस्तु, भारत में अधिकतम जूट उत्पादन का प्रयत्न होना चाहिए। सन् १९५० में जूट का उत्पादन ८ लाख ३६ हजार टन था। हाल ही में सरकार ने पश्चिमी बंगाल, पंजाब, बिहार और उत्तर प्रदेश में जूट की खेती के विस्तार के लिये २९ लाख रुपये की राशि स्वीकृति की है।

सन् १८५५ ई० में सीरामपुर के निकट रिशारा में एक अंग्रेज ने पहला जूट का कारखाना (Jute Spinning Mill) स्थापित किया। चार वर्षों परन्तु अर्थात् सन् १८५६ ई० में सबसे प्रथम शक्ति द्वारा प्रेरित बरघो (Power Looms) का प्रयोग प्रारम्भ हुआ। पहले तीस वर्षों में इस उद्योग की गति गति रही, परन्तु प्रथम विश्व महायुद्ध में इसकी बड़ा प्रोत्साहन मिला। सन् १९२६-३० की मदी में इसे खदेड़ दिया, परन्तु सन् १९३४-३६ में इसकी स्थिति में कुछ सुधार हो गया। द्वितीय विश्व महायुद्ध में पुनः इसे अनुत्पन्न लाभ प्रदान किया। इस उद्योग में बिना सरकार के उत्पत्ति की।

जूट द्वारा निर्मित माल का उत्पादन

वर्ष	उत्पादन ( हजार टनों में )
१९४७	१,०५२
१९४०	८३६
१९४५	१,०२७
१९४६	१,०६३
१९४७	१,०३०
१९४८	१,०६२
१९४९	१,०५२

पुरानी एव किसी हुई मशीने इस उद्योग की भारी कमजोरी है। केन्द्रीय सरकार ने राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम (National Industrial Development Corporation) के द्वारा इस उद्योग के स्वकरण के लिये ४५६ करोड़ रु० का प्रयत्न देना निश्चित किया है।

जूट उद्योग शीघ्र योजना—प्रथम पंचवर्षीय योजना में जूट की वस्तुओं का उत्पादन १० लाख टन रहा जबकि दूसरी योजना में १२ लाख टन जूट की वस्तुओं का लक्ष्य रखा गया है।

लोहे और इस्पात का उद्योग ( Iron & Steel Industry )—

लोहे और इस्पात का उद्योग सभी उद्योगों का आधार स्तम्भ है। भारतवर्ष का यह एक पुराना उद्योग है। दिल्ली के पास का लोहे का स्तम्भ १२०० वर्ष पुराना बताया जाता है। यह स्तम्भ इस बात का प्रमाण है कि अतीत काल में भारतवासियों ने लोहे और फौलाद के उद्योग में बहुत धन प्राप्त कर ली थी। हमारे देश में लोहे का मसौदा उद्योग बहुत देर में प्रारम्भ हुआ क्योंकि अंग्रेजी सरकार चाहती थी कि इंग्लैंड में जहाँ लोहे की वस्तुओं के लिये भारत में स्थान रहे। सन् १८७४ ई० में सबसे प्रथम भरिया की बॉयर्स की खातो के राष्ट्रीय स्टील कारखाने (Bengal Iron Steel Co.)



ने प्राथमिक रूप में लोहा बनाना प्रारम्भ किया था। सन् १८८६ में इस कारखाने को बंगाल प्रायत्न स्टील (Bengal Iron Steel Co.) ने ले लिया। सन् १९०० ई० में इसने द्वारा ३५ हजार टन कच्चा लोहा (Pig-iron) तैयार हुआ, परन्तु इस इस्पात भण्डि फौलाद (Steel) के बनाने में सफलता नहीं मिली। सन् १९०७ में

स्वर्गीय जमशेदजी टाटा ने, बिहार के सिपभूम जिले के साक्ची (Sakchi) नामक स्थान में, जो बाद में जमशेदपुर (Jamshedpur) के नाम से विख्यात हुआ, प्रसिद्ध टाटा आयरन एण्ड स्टील वर्क (Tata Iron & Steel Works) की स्थापना की।

देश की बढ़ती हुई माँग में प्रेरित एव टाटा कम्पनी की सफलता में प्रोत्साहित होकर अन्य कम्पनियों में भी लोहे के कारखाने खोले। इस समय भारत में निम्नलिखित मुख्य लोहे व फौवाद के कारखाने हैं —

(१) टाटा आयरन एण्ड स्टील क०, जमशेदपुर (Tata Iron & Steel Co. Jamshedpur) (TISCO)

(२) बंगाल आयरन कम्पनी लि०, हीरापुर (Bengal Iron Co. Ltd., Hirapur)

(३) इण्डियन आयरन एण्ड स्टील क० लि०, बसुपुर (आसन्साल के निकट) (Indian Iron & Steel Co. Ltd., Basupur Near Asansol) (IISCO)

(४) युनाइटेड स्टील कॉर्पोरेशन, मनोहरपुर (United Steel Corporation Manoharpur)

(५) मैसूर स्टेट आयरन वर्क, भद्रावती (Mysore Iron & Steel Co., Bhadravati) (MISCO)

इनके अतिरिक्त बंगाल के प्रास-पाम कुछ और छोटे-छोटे लाह के कारखाने हैं।

प्रथम महायुद्ध के पदचालु प्रतियोगिता ने कारण मची का भाका आया जिसने कारण सरक्षण के लिये प्राचीन बनना पड़ा। सन् १९२४ ई० में ३ वर्ष के लिये इस उद्योग को सरक्षण दिया गया। फिर सन् १९२७ ई० में ७ वर्ष के लिये सरक्षण बढ़ा दिया गया, परन्तु अब आर्थिक सहायता न देकर विदेशी माल पर आयात-कर लगा दिया गया है। द्वितीय महायुद्ध से इसे और भी प्रोत्साहन मिला। विदेशों के बड़-बड़ कार्टेलों ने लोहे और इस्पात के उद्योग का मूक बढ़ाया। देश में आदिम फ़ैक्टरियाँ और इंजीनियरिंग के कारखानों के मुलन से भारतीय लोहे और इस्पात की माँग और भी बढ़ गई। सन् १९५०-५१ में लोहे और इस्पात का उत्पादन ३५,६५,१३५ टन था।

टाटा का लोहे व फौवाद का कारखाना एशिया में सर्वश्रेष्ठ है। इसमें रत्न की पट्टी, मनामा के लिये लोहे के गर्डर आदि बड़ी-बड़ी वस्तुएँ बनती हैं। इन ही में टाटा के पहिये, एमिनल आदि बनाने के लिये नई मशीनें लगाई हैं। स्टील कार्पोरेशन ऑफ बंगाल (SCOB) ने जिनकी स्थापना सन् १९२७ में हुई थी, अपन कारखाना का मूर विस्तार किया है।

इस उद्योग में २५ करोड़ रुपये की पूँजी लगी हुई है, ६ लाख व्यक्ति इसमें अपनी आर्बोविका बमाने हैं तथा सरकार का कर आदि के रूप में इसमें ८ लाख रुपया प्राप्त होता है। यहाँ यह दुहराना अनावश्यक न होगा कि लोहे व इस्पात का उद्योग सबसे बड़ा आयातभूत घषा है। देश की आर्थिक उन्नति इसी पर अवलम्बित है। इसमें थोड़ा ही समय में इतनी आर्थिकव्यवस्था उन्नति करली। फिर भी इस उद्योग के विस्तार की बहुत आवश्यकता है। बड़ी-बड़ी मशीनें, औजार तथा बहिया इस्पात का सामान हम मात्र भी बाहर से मँगाना पड़ता है। इतना हो नहीं, हमारा देश का



उत्पादन ग्रन्थ देशों की अपेक्षा बहुत कम अर्थात् नहीं के बराबर है। संयुक्त-राज्य अमेरिका में इस समय १० करोड़ टन तथा ब्रिटेन में ६ करोड़ ५० लाख टन फोसाइल तैयार होता है जबकि भारत में केवल ६ लाख टन ही होता है। भारत में इस उद्योग के गनपने की बड़ी मुविधाएँ हैं। विभिन्नो की राय है कि भारतीय भूगर्भ में ३० अरब टन लोहा भरा पड़ा है। प्राकृतिक मायनों की ध्यान में रखते हुए हमारे लोहे के विकास की बड़ी संभावना है।

इस्पात का उत्पादन

( हजार टनों में )

वर्ष	बच्चा लोहा	इस्पात
१९४७	१,३२०	८६३
१९४०	१,५६२	१,००४
१९४५	१,७५७	१,२६०
१९४६	१,००७	१,३३६
१९४७	१,७८६	१,३४६
१९४८	२,०३०	१,३००
१९४९	—	१,७११

इस्पात के उत्पादन में सप्तर के देशों में भारत का स्थान

( बस लाख टन )

संयुक्त राज्य अमेरिका	१००
रूस	४०
इंग्लैण्ड	१८
जर्मनी	१७
फ्रांस	१०
बेल्जियम	५
जापान	५
सस्वैडन	३
सार	३
भारत	१.२६

इस्पात उद्योग और योजना—प्रथम पंचवर्षीय योजना में इस्पात का उत्पादन कम रहा। दूसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में इस्पात के तीन नये शारखाने

खोलकर तथा वर्तमान कारखानों के उत्पादन को बढ़ाकर इन सभी को पूरा किया जा रहा है। दूसरी योजना के अनुसार १९६०-६१ तक मैसूर आयरन और स्टील कम्पनी में इस्पात का उत्पादन १ लाख टन बढ़ जाने की प्राप्ति है। योजना के अन्त तक निजी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन-मूल्य १२० करोड़ रुपये वार्षिक तक पहुँच जायेगा। इसके अनिश्चित सरकारों क्षेत्र में तीन इस्पात के कारखाने स्थापित किये गये हैं— (१) मरकेला (उड़ीसा) में १२० करोड़ ६० की लागत का "हिन्दुस्तान स्टील कम्पनी" नामक कारखाना जर्मनी के वार्षिक व तांत्रिक सहयोग से स्थापित किया गया है। इसका वार्षिक उत्पादन ७२० हजार टन होगा। (२) दूसरा कारखाना मिलाई (मध्य प्रदेश) में हम के सहयोग में ११० करोड़ ६० की लागत का स्थापित किया गया है। इसका वार्षिक उत्पादन ७७० हजार टन होगा जो निर्यात कर दिया जायगा। (३) तीसरा कारखाना ११५ करोड़ ६० की लागत का दुर्गापुर (बंगाल) में स्थापित किया गया है। यहाँ साधारण और मध्यम श्रेणी के इस्पात का उत्पादन ७६० हजार टन हुआ करेगा।

दूसरी योजना के अन्त तक (१९६०-६१) ६० लाख टन इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है जिसमें से ३० लाख टन निजी कारखानों के विभाग द्वारा और ३० लाख टन सरकारी कारखानों में प्राप्त किया जायगा। योजना काल में निजी कारखानों के विकास पर ११५ करोड़ ६० ध्यान किये जायेंगे।

चीनी का उद्योग (Sugar Industry)—समर के इतिहास में गन्ने का सर्वप्रथम उल्लेख श्रयर्वेद में मिलता है जिसका रचना काल ईसा से लगभग १,००० वर्ष पूर्व माना गया है। शकर का उल्लेख बौद्ध-मान्य विचार के ग्रन्थ 'प्रतिमोक्ष' में मिलता है जिसका रचना-काल ईसा के ६०० वर्ष पूर्व माना जाता है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी शकर के मध्यम में बड़ी स्थान पर उल्लेख है। ईसा के ३०० वर्ष पूर्व सुनानी यात्री मीगस्थनीज के यात्रा विवरण में भी शकर और शकर का उल्लेख मिलता है। मध्ययुगीन भारत में शकर का काफी व्यापार होता था जिसका उल्लेख सन् १२६० में मार्कोपोलो ने अपनी यात्रा-विवरण में किया था। सन् १४६८ में वास्कोडिगामा जब भारत आया, तो उसने यहाँ बाजार में डेरो शकर देखी थी। ईस्ट इण्डिया कम्पनी (१६००) के जमाने में भी शकर पारस और मध्यपूर्व के देशों को भेजी जाती थी। अब तक शकर का उत्पादन बुटोर उद्योग के रूप में होता था। धीरे-धीरे विदेशियों का ध्यान इस और आकर्षित हुआ। सन् १६०३-१६०५ में चीनी जमाने के कारखाने उत्तर बिहार और उत्तर प्रदेश में स्थापित हुए जिनमें से कई अब तक चालू हैं। सन् १६३१ के पूर्व प्रति वर्ष लगभग १५ करोड़ रुपये की चीनी हमारे यहाँ जाना से प्राप्ति थी। सन् १६३२ में इस उद्योग को सरकारी संरक्षण प्राप्त हुआ जिसके परिणामस्वरूप इन्ने आरातीत उन्नति की। सन् १६३० में जहाँ केवल ३२ चीनी के कारखाने थे सन् १६३६ में उनकी संख्या १४५ हो गई।

आज चीनी उद्योग की स्थिति यह है कि यह देश का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग है। पहला स्थान मूनी वस्त्र उद्योग का है। आज देश में संकट चीनी के १६० आधुनिक कारखाने हैं। इनका वार्षिक उत्पादन १६ लाख टन है जिसकी कीमत लगभग १२० करोड़ रुपये है। इस उद्योग में आज १ लाख ५० हजार दस कर्मचारी लक्ष विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त ३५०० व्यक्ति काम करते हैं इनके अलावा असह्य आदमी इस उद्योग से सम्बन्धित अन्य कार्यों में परीक्ष रूप में रोजी पाते हैं। चीनी का उद्योग मुख्यतः उत्तर प्रदेश और बिहार में ही केन्द्रित है। सन् १९५४-५५ में चीनी

की मिलों का विवरण इस प्रकार था—उत्तर प्रदेश ७२, बिहार ३०, मद्रास १६, बम्बई १५, मध्यभारत ६, बंगाल ४, हैदराबाद ३, राजस्थान २, उड़ीसा २, पेंजु २, ग वंग के राज्य २, पंजाब १, कश्मीर १, मैसूर १, मौराष्ट्र १, विंध्य प्रदेश १, ड्रावनकोर १ = १६०। सन् १९५९ में चीनी का उत्पादन २०.८४ लाख टन था।

चीनी-उद्योग और योजना—इस उद्योग की महत्ता देखते हुए अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसका और भी विस्तार किया जा रहा है। २५ लाख टन वार्षिक उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस उद्योग को बढ़ावा देने के लिये भारत सरकार ने ४० नये कारखाने खोलने तथा ४२ वर्तमान कारखानों का विस्तार करने की अनुमति दे दी है। आज चीनी उद्योग दिनों दिन प्रगति के पथ पर प्रयत्नरत हो रहा है।

कागज निर्माण उद्योग (Paper Industry)—कागज बनाने का काम सम्भवतः सबसे पहले चीन में आरम्भ हुआ। उस समय कागज हाथ में बनाया जाता था। चीन के सम्पर्क से ही कई सदियों पूर्व भारत को भी हाथ से कागज बनाने की प्रेरणा मिली। आज भी भारत के अनेक भागों में हाथ से कागज बनाया जाता है। भारत में मशीन द्वारा आधुनिक ढंग से कागज बनाने की मूल प्रारम्भ एक क्षत्रपट्टी पूर्व गवर्नेट पहले डा० बंरे ने हुगली नदी के किनारे सीगमपुर में स्थापित की थी। वास्तविक प्रारम्भ सन् १८२७ ई० में ही समझना चाहिए जबकि रॉयल पेपर मिल (Royal Paper Mills) की स्थापना बॉली (Bally) में हुई। इसके पश्चात् कई मिलें स्थापित की गईं जिनमें से मुख्य ये हैं—अपर इंडिया कूपर मिल, लखनऊ (Upper India Cooper Mills, Lucknow), टीटागढ़ पेपर मिल कलकत्ता के नमीप (Titagarh Paper Mills near (about)), डेकन पेपर मिल, पूना (Deccan Paper Mills, Poona) और श्री गोपाल पेपर मिल, जगाधरी (Shri Gopal Paper Mills, Jagadhari) सन् १९०० तक कागज के ७ कारखाने स्थापित हो गये जिनमें १६,००० टन कागज बनता था। इसके बाद इन सस्ते विदेशी कागज से कड़ी प्रतिযোগिता का सामना करना पड़ा। सन् १९२५ ई० में सरदार मिल्स के कारण इन उद्योग में आजादीत उत्पत्ति हुई।

इस समय देश में कागज बनाने की २० मिलें हैं जिनकी वार्षिक उत्पादन-क्षमता ५,११,६०० टन है। इनमें से चार मिलें बंगाल में, दो-दो मिलें उत्तर प्रदेश और मैसूर में तथा उड़ीसा, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश, आंध्र, मद्रास और केरल में एक-एक मिल हैं। बम्बई में चार मिलें हैं। सात नये कारखाने स्थापित करने के लक्ष्यसे दिये जा चुके हैं जिनकी कुल उत्पादन क्षमता ५५,१०० टन होगी। इनमें से तीन मिलें बम्बई में और आसाम, बंगाल, उड़ीसा तथा आंध्र में एक-एक मिलें होगी। वर्तमान कारखानों में से ८ कारखानों का पर्याप्त विस्तार किया जायगा जिनमें १,०६,५०० टन कागज और बनाने की उत्पादन क्षमता बढ़ जायेगी। इन विस्तार योजनाओं के क्रियान्वित होने तथा नये कारखानों के स्थापित हो जाने पर देश की कागज की उत्पादन-क्षमता कुल ३,५०,८०० टन वार्षिक की हो जायेगी। सन् १९५९ में कागज का उत्पादन २.९१ लाख टन था। अल्पकालिक भोग्य तथा १६ फीट की है। यदि हम ससार के अन्य देशों से भारत की तुलना करें तो ज्ञान होगा कि हम इस दिशा में सबसे पिछड़े हुए हैं। नीचे की तालिका से यह स्पष्ट हो जायगा :—

देश	उत्पन्न
सं० रा० अमेरिका	३५० पीट
इंग्लैंड	१७५ "
कनाडा	१५० "
जर्मनी	७५ "
मिश्न	४ "
भारत	१३ "

भारत में गन्ता बनाने का उद्योग अधिक पुराना नहीं है। दूसरे महायुद्ध से पहले इसका बहुत थोड़ा उत्पादन होता था किन्तु युद्ध-काल और युद्ध के बाद गन्ता बनाने का अनेक छोटे-छोटे कारखाने स्थापित हुए जिनमें से अधिकांश में भारत में बनी मशीन ही लगाई हैं। पत्तल गन्ते तथा पैकिंग करने की अन्य सामग्रियों के चलन के कारण गन्ते की माँग कम है। गन्ता उद्योग का उत्पादन गत तीन वर्षों से ३०,००० टन वार्षिक हो चल रहा है और निकट भविष्य में इस उद्योग के विशेष विकास की परिस्थितियाँ अनुकूल प्रतीत नहीं होती हैं।

बेस में जितना भी अख्तियारी कागज काम में आता है, इस समय लगभग सारा-सारा विदेसा में आयात किया जाता है। देश में अख्तियारी कागज का एक मात्र कारखाना मध्यप्रदेश में न्यूजप्रिंट एण्ड पैपर मिल लि० (नेपा मिल) है जो इस समय सफेद अख्तियारी कागज प्रति दिन बना रहा है।

कागज उद्योग और योजना—प्रथम पंचवर्षीय योजना में सन् १९५१-५६ के लिए कागज के उत्पादन का लक्ष्य दो लाख टन रखा था और ११ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक कागज का उत्पादन लगभग ६ लाख टन रखा गया है और ४४ करोड़ रुपये लगाने का आयोजन किया गया है।


सीमेंट उद्योग (Cement Industry)—सीमेंट उद्योग का आधुनिक समय में बड़ा गहन है। एशिया के देशों में सीमेंट-उत्पादन में भारत का हीमरा स्थान है। पहला स्थान जापान का और दूसरा चीन का है। भारत में आधुनिक ढंग में पहली बार सीमेंट तैयार करने का श्रेय मद्रास को है जहाँ सन् १९०४ में साउथ इन्डस्ट्रीज लिमिटेड नाम से सीमेंट बनाने का एक कारखाना स्थापित किया गया जिसमें समुद्री सीपियाँ में सीमेंट बनाया जाता था। इसके बाद सन् १९१३ में पोरबन्दर (छोटापुड़ा) में इण्डियन सीमेंट कम्पनी लि० नाम से सीमेंट का कारखाना स्थापित किया गया। फिर राजस्थान में बूंदी के निकट साखेरी में और मध्यप्रदेश में बटनी में एक-एक सीमेंट बनाने का कारखाना स्थापित हुआ। सन् १९३६ तक देश में सीमेंट के १३ कारखानों के जो आग में कुंठित प्रतिस्पर्धा करते थे। इस प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिये सन् १९३६ में एमोसियटेट सीमेंट कम्पनी (A.C.C.) गुप्त बनाया गया जिसमें सोन वली सीमेंट कम्पनी के प्रतिरिक्त शेष १२ कम्पनियाँ इसकी सदस्य थीं। सन् १९३८ में ५ सीमेंट कम्पनियों की स्थापना से डानिया

गुप की जन्म मित्ता जी ए० सी० सी० ( एस्कोसियेटेड सीमेन्ट कम्पनी ) गुप के माध प्रतिस्पन्धी करता था । सन् १९४० में दोनों गुपों में समझौता हो गया और सीमेन्ट की बिक्री के लिये सीमेन्ट मार्केटिंग कम्पनी का निर्माण किया गया । सन् १९४० से डालमिया भी पाँचों कम्पनियों अलग हो गई । द्वितीय युद्धकाल में सीमेन्ट के चार अन्य कारखाने स्थापित हुए ।

इस समय भारत में सीमेन्ट उद्योग के ३२ कारखाने हैं जिनमें ४५ करोड़ रु० की पूँजी लची हुई है और लगभग ३५,००० कर्मचारी काम करते हैं । इनकी उत्पादन-शक्ति २२.५ लाख टन प्रतिवर्ष है । इनमें से दो उत्तरप्रदेश और मैसूर सरकार के हैं और शेष कारखाने निजी हैं । इनमें से ७ बिहार में, ४ बम्बई में, ३ मद्रास में, २-२ मैसूर, आंध्र, मध्यप्रदेश राजस्थान और पंजाब में तथा १-१ उड़ीसा और केरल में हैं । आशा है कि सन् १९६१ तक देश भर में ६४ कारखाने हो जायेंगे । अनेक वर्तमान कारखानों का विस्तार करने की योजना के अलावा भारत सरकार ने ३१ नये कारखाने खोलने की योजना भी स्वीकार करली है । उद्योग का विस्तार होने पर ५०-६० करोड़ रु० की पूँजी लगेगी और ५०-५५ हजार और नौगो को काम मिलेगा ।

सीमेन्ट उद्योग और योजना—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सीमेन्ट का उत्पादन लक्ष्य ५० लाख टन रखा गया था, परन्तु यह पूरा नहीं किया जा सका । इसके निम्न प्रवर्धन पहुँच गये थे । द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १ करोड़ टन का प्रतिरिक्त उत्पादन लक्ष्य रखा गया है । अस्तु दूसरी योजना के अन्त तक यानी सन् १९६१ तक सीमेन्ट का कुल उत्पादन १ करोड़ ६० लाख टन हो जायगा । सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उद्योग

रेल के इंजन तथा टिब्बे बनाने का उद्योग—केन्द्रीय सरकार ने २६ जनवरी १९५० को एक कारखाना पश्चिमी बंगाल में ब्रासनगोल




के समीप चित्तोजन स्थान पर १४ करोड़ रु० लगाकर स्थापित किया । इस कारखाने में अगस्त १९५२ तक ४०० इंजन तैयार हुए । इस कारखाने की उत्पादन क्षमता सन् १९५४ में ६ इंजन प्रति मास थी । अब यह कारखाना १३ इंजन प्रति मास तक बना रहा है । इन इंजनों में ७० प्रतिशत पुर्जें देशी हैं और शेष विदेशों से मँगाये जाते हैं । सन् १९५९ तक पुरातया देशी इंजन बनने की आशा है । दूसरी योजना काल में देश की इंजनों की माँग को पूरा किया जा सकेगा और सन् १९६१ तक हम इंजनों के लिए आत्म-निर्भर हो जायेंगे, तथा कुछ इंजन बाहर भी भेज सकेंगे ।

रेल क इजन बनाने के अतिरिक्त सरकार ने डिब्बे बनाने का एक कारखाना मद्रास के निकट पेराम्बूर नामक स्थान में खोला है। इस कारखाने में सवारों तथा माल गाड़ी के डिब्बे बनाये जायेंगे। इस अतिरिक्त हिन्दुस्तान ऐयर-क्राफ्ट लि० बंगलौर के कारखाने में भी रेल के डिब्बे बनाये जाते हैं।

**हवाई जहाज निर्माण उद्योग**—द्वितीय महायुद्ध ने पहले भारत में हवाई जहाज बनाने का कोई कारखाना नहीं था। युद्ध काल में सन् १९३८ में सर्वथा बालकृष्ण हीराचन्द ने मैसूर सरकार के माफ़े में बंगलौर में हिन्दुस्तान ऐयरक्राफ्ट कम्पनी लि० स्थापित की। कुछ ही वर्ष बाद भारत सरकार ने इसे खरीद लिया। इसमें प्रथम तय हवाई जहाज बनाने जाते हैं। बंगलौर के इस कारखाने में ५०० आदमी काम करते हैं। वहाँ हवाई जहाज के अलावा रज के डिब्बे भी बनाये जाते हैं।


**जल-जहाज निर्माण उद्योग**—भारतवर्ष में आज से लगभग तीन हजार वर्ष पूर्व भी जल जहाज बनाने का धंधा बहुत उत्तम ढंग में था। मार्कोपोलो का कहना है कि उसने महासागर में भारत से विगत जल जहाजों को देखा। डिग्जोई के अनुसार



विगासापट्टम में जल जहाज का निर्माण कार्य

बम्बई के नागोन नरडा व जहाज इंग्लैंड का आकर तकनीक जहाजों में बड़ा अधिक श्रेष्ठ थे। स्टील युग के प्रारम्भ होने पर भारत का यह पत्र उद्योग नष्ट हो गया। बीसवीं शताब्दी के मध्य में पुनः भारत में जल जहाज निर्माण प्रारम्भ हुआ। द्वितीय महायुद्ध काल में सन् १९४१ ई० में सबसे पहला नये ढंग का कारखाना मिथिया स्टाम नवीगेशन कम्पनी में विगासापट्टम में खोला। अब तक वहाँ जल-उपान जल अवाहर, जल अवाहर आदि १५ विभिन्न जहाज बनाये जा चुके हैं जिनमें से १२ जहाज भाव में चलने वाले और तीन टाजल तरंग में चलते हैं। इस कारखाने का नाम हिन्दुस्तान शिपवायर्ड है। इसमें ७१७ हिम्म भारत सरकार के हैं। इसमें कुल पूँजी ४२ करोड़ रुपये तक है और इसमें ५ हजार आदमी काम करते हैं।

**कृत्रिम खाद का कारखाना**—देश में अन्न की कमी के सकेत का सामना करने की योजना के अंग स्वरूप सिन्दरी में खाद के कारखाने की स्थापना हुई थी। भारत सरकार ने अक्टूबर १९५१ में अमोनियम सल्फेट बनाने के उद्देश्य से एक बड़ा कारखाना बिहार राज्य के सिन्दरी स्थान पर स्थापित किया। इस कारखाने का पूरा नाम सिन्दरी फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड (Sindri Fertilizers & Chemicals Ltd.) है। यह कृत्रिम खाद बनाने का सबसे बड़ा कारखाना है। इसमें २३ करोड़ ४० की पूंजी लगी है। सन् १९५५ में ६ लाख टन अमोनियम सल्फेट देश भर में प्रेषित हुआ। इन दिनों में इसकी दैनिक उत्पादन-क्षमता १६० टन है जबकि सन् १९५६ का औसत दैनिक उत्पादन १०६ टन रहा।



**पेन्सिलीन का कारखाना**—पूना में ६ मील की दूरी पर २०० एकड़ भूमि में फैला हुआ पिम्परी नामक स्थान पर भारत सरकार ने प्रति वर्ष ६०-६० लाख मनुक यूनिट पेन्सिलीन का उत्पादन करने के ध्येय से २ करोड़ रुपये की लागत का कारखाना स्थापित किया है।

सिन्दरी खाद के कारखाने का एक दृश्य



भारत सरकार का पन्मिल त कारखाना पिम्परी (पूना के समीप)

जिनका नाम हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स प्राईवेट लिमिटेड है। कुछ अधिक प्रयत्न करने पर यह कारखाना १। करोड़ में सकर २ करोड़ तक प्रतिवर्ष मनुक यूनिट पेन्सिलीन का उत्पादन कर सकेगा। इन कारखाने में उत्पादन के उच्च विवेचना प्राप्त तरीके प्रयोग में लाये जाते हैं। यहाँ की यज्ञी पैंगलीन की परीक्षा अमरिका और ब्रिटेन की मशहूर प्रयोगशालाओं में की जा चुकी है और यह हर प्रकार से बढिया साबित हुई है।

१ अगस्त १९५५ में कारखाने में उत्पादन नियमित रूप में हो रहा है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत स्ट्रेप्टोमाइसीन, वाइमिलीन और डिपेन्सिलीन जैसी अन्य एंटीबायोटिक्स औषधियाँ का भी उत्पादन किया गया है।

## भारत सरकार की औद्योगिक नीति

(Industrial Policy of the Government of India)

११ अगस्त १९४७ को देश स्वतन्त्र हुआ। ६ अप्रैल १९४८ से सरकार ने अपनी नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की। इस नीति की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं.—

१. भारतीय उद्योग धर्मों में काम करने वाले श्रमिकों की बचा सुधारों का प्रयत्न करना।

२. सरकार न सारे उद्योगों को चार भागों में विभाजित किया है—

(प्र) वे उद्योग जिन पर पूर्ण रूप से सरकार का एकाधिकार है, जैसे शस्त्र-धरो का निर्माण, रेलवे यातायात तथा अणु-शक्ति की उत्पत्ति तथा नियन्त्रण आदि। इनके अतिरिक्त सरकार किसी भी उस उद्योग को ले सकती है जो राष्ट्रीय हित के लिये आवश्यक हैं।

(ब) निम्नलिखित उद्योगों को केन्द्रिय, प्रान्तीय अथवा स्थानीय सरकार स्वयं चलायेंगी। परन्तु यदि आवश्यक होगा तो सरकार पूँजीपतियों से भी सहायता ले सकती है—

(१) कोयला, (२) लोहा तथा पीलाद, (३) बाघुदान, (४) जलयान, (५) टेलीफोन, तार तथा बिहार का तार आदि का निर्माण, (६) मिट्टी का तेल।

सरकार को यह अधिकार होगा कि वह इन उद्योगों में से कोई भी लेते, परन्तु इन उद्योगों में सगी हुई निजी सम्पत्ति को १० वर्ष तक स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने का अधिकार होगा। दस वर्ष के अन्तर्गत सरकार इन उद्योगों को ध्वि-पूँति देकर ले लेगी।

(स) इनके अतिरिक्त जो उद्योग होंगे उनमें गैर-सरकारी पूँजी अत्यन्त रूप से अथवा सहकारी रूप से लगाई जा सकती है। परन्तु इन उद्योगों को भी सरकार धीरे-धीरे ले लेगी। सरकार इन उद्योगों में उस समय भी हस्तक्षेप कर सकती है जबकि उन का कार्य सुचारु रूप से न चल रहा हो।

(द) इनके अतिरिक्त सरकार यह समझती है कि निम्न लिखित १८ उद्योगों की योजना तथा नियन्त्रण का कार्य भी राष्ट्रीय हित में सरकार के पास ही रहना चाहिये। ये उद्योग निम्नलिखित हैं :—

(१) नमक, (२) मोटर तथा ट्रैक्टर, (३) प्रारम्भिक मशीनों, (४) विजनी सन्धियों बनाना, (५) अन्य भारी मशीनों, (६) मशीनों के पुर्जे, (७) खाद, इस्पात आदि, (८) रिजर्वी-रासायनिक उद्योग, (९) लोह के अतिरिक्त धन्य धातु, (१०) ग्वड का उद्योग, (११) शक्ति मद्यमार, (१२) मूती तथा ऊनी कपड का उद्योग, (१३) सीमेंट, (१४) चीनी, (१५) सागरण तथा समाचार पत्र का कागज, (१६) बाघु तथा समुद्री यातायात, (१७) धातुएँ (१८) रक्षा सम्बन्धी उद्योग।

बड़े उद्योगों के अतिरिक्त, सरकार ने लघु एवं कुटीर उद्योगों पर भी बहुत अधिक धन दिया है। सरकार इन उद्योगों की उन्नति के लिये अधिक-से-अधिक प्रयत्न करेगी।

सरकार समझती है कि अधिक-से-अधिक उत्पत्ति तभी हो सकती है जबकि पूँजी तथा श्रम में मेल-जोल हो। इसी कारण सरकार ने प्रवन्ध किया कि लाभ का ठीक



प्रकार वितरण हो। श्रमिकों को उचित मजदूरी मिले। पूँजीपतियों को अपनी पूँजी पर उचित लाभ मिले।

सरकार धम तथा पूँजी के बीच होने वाले संघर्ष का निपटारा करने के लिये उचित प्रकार के साधन जुटायेगी। श्रमिकों के मकानों को उन्नत करने तथा नये मकान बनवाने के लिये सरकार एक 'हाउसिंग बोर्ड' भी स्थापित करेगी। यह बोर्ड दस वर्ष में दस लाख श्रमिकों के लिये मकान बनवायेगा। यह मकान सरकार तथा पूँजीपतियों द्वारा बनवाये जायेंगे। श्रमिकों का भाग उनसे उचित किराये के रूप में लिया जायगा।

### भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति की घोषणा (१९५६)

प्रमुख उद्योगों का संचालन सरकार के आधीन रहेगा—निजी क्षेत्रों को विकास की पर्याप्त सुविधा—प्रधान मंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू ने तारीख ३० अप्रैल १९५६ को लोक सभा में भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति की घोषणा करते हुये बताया कि भारत सरकार देश में नये उद्योगों की स्थापना और यातायात सुविधाओं के विकास का उत्तरदायित्व धीरे-धीरे स्वयं अपने आधीन कर लेगी और इन कामों को सीधी और अधिकतर बिम्बेदारी सम्हाल लेगी। व्यापारिक क्षेत्र में भी सरकार अधिक हिस्सा लेगी, परन्तु साथ ही निजी क्षेत्र को भी विकास और विस्तार का अवसर प्राप्त होगा। निजी क्षेत्र के कार्य में सहकारिता के विकास पर बल दिया गया है।

इस औद्योगिक नीति को तीन वर्गों में बाँटा गया है—(१) वे उद्योग, अविष्य में जिनका विकास केवल सरकार के आधीन रहेगा। (२) वे उद्योग जो धीरे-धीरे सरकार के आधीन आयेंगे और जिनके आधीन सरकार नये कारखाने भी स्थापित करेगी, परन्तु साथ ही सरकार के इस प्रयास में निजी क्षेत्र का सहयोग भी प्राप्त किया जायगा, और (३) वे वे ऐसे सभी उद्योग जिनका भावी विकास निजी क्षेत्र के बल पर छोड़ा जायगा।

पहले वर्ग में शस्त्रास्त्र तथा प्रतिरक्षा से सम्बन्धित उद्योग शामिल हैं जैसे भग्नु-शक्ति, लोहा-इस्पात और मशीनी औजारों के उत्पादन के लिये भारी मशीनी कारखाने, कोयला और लिग्नाइट, वस्त्र लोहा आदि निकालने का कार्य, गंधक, मोने धोर हीरे की खानें तथा ताँबे, सीसे, टिन आदि की सफाई, हवाई व मधुद्री जहाजों का निर्माण, टेली-फोन और तार, व धोतार का सामान ( इसमें रेडियो रिसेविंग सेट सम्मिलित नहीं) तथा विजली उत्पादन और वितरण।

दूसरे वर्ग में एल्युमिनियम तथा अन्य लोहेतर धातु, मशीन टूल, फॅरो-एलॉय, टूल-स्टील, रासायनिक उद्योगों के लिये आवश्यक पदार्थ, औषधियाँ, कुत्रिम रबड़, खाद, सड़न-यातयात और सफुझे यातायात आदि।

इस नीति में औद्योगिक सहकारिता के विकास और राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था के विकास में कुटीर और प्रामोशनों के महत्व पर बल दिया गया है।

भारत सरकार की यह औद्योगिक नीति सन् १९४८ की औद्योगिक नीति से बहुत भिन्न नहीं है। इतना अवश्य है कि इसमें भारत की विकासशील अर्थ-व्यवस्था में सरकारी उद्योगों के महत्व पर विशेष जोर दिया गया है।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—भारतवर्ष में सीमेंट उद्योग की प्रगति पर टिप्पणी लिखिये । (४० प्र० १९६०)

२—भारत का एक मानचित्र बनाकर उसमें प्रमुख उद्योगों के केन्द्र दिखाइये ।  
(३० प्र० १९४०)


३—बिहार के किन्हीं दो उद्योगों की वर्तमान दशा का वर्णन कीजिये ।  
(५८ प्र० १९५०)

४—निम्नलिखित किन्हीं दो वृहद् उद्योगों के विकास का वर्णन कीजिये :—  
(अ) लोहा और इस्पात, (आ) सूती कपड़ा, (इ) जूट, (ई) सीमेंट, (उ) कागज ।

५—सन् १९४८ की भारत सरकार की औद्योगिक नीति की मुख्य बातें बताइये ।

६—भारत सरकार की नई औद्योगिक नीति (१९५६) की विशेषता कीजिये ।

# विनिमय (EXCHANGE)



“हम वास्तव में मानव समाज की बिना विनिमय के भी कल्पना कर सकते हैं। परन्तु ऐसा समाज, यदि समाज कहा जा सकता है, न तो वैज्ञानिक अन्वेषण के योग्य है और न उसको इसकी आवश्यकता ही है।”

—सीनियर

विनिमय—अर्थशास्त्र के एक विभाग के रूप में (Exchange—as a Department of Economics)—गत अध्याय में हम अर्थशास्त्र के प्रथम दो विभाग अर्थात् उपभोग और उत्पत्ति का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम इसके तीसरे विभाग अर्थात् 'विनिमय' का अध्ययन करेंगे। विनिमय अर्थशास्त्र का वह विभाग है जिसमें हम यह अध्ययन करते हैं कि कैसे और क्यों-कर वस्तुओं का विनिमय होना है, कैसे किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, किन नस्त्रियों द्वारा विनिमय-क्षेत्र में विशेष सहायता मिलती है, इत्यादि। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्र के एक विभाग के रूप में विनिमय के अन्तर्गत हम प्रथम तो उन व्यवस्था का अध्ययन करते हैं जिन्हें द्वारा वस्तुओं का उत्पादकों और उपभोक्तियों के मध्य हस्तान्तरण अथवा स्थानान्तरण होता है, और द्वितीय उन शक्तियों का अध्ययन किया जाता है जिनसे वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य निर्धारित होता है।

क्या विनिमय अर्थशास्त्र का एक पृथक विभाग है? (Is Exchange a separate Department of Economics)—कुछ लेखकों का मत है कि विनिमय का अध्ययन उत्पत्ति के ही अन्तर्गत होना चाहिये क्योंकि इनके द्वारा वस्तुओं की उपयोगिता (utility) में वृद्धि होती है जिन्हें कारण यह एक उत्पादन-क्रिया नहीं जा सकती है। यह तर्क उचित तो अवश्य प्रतीत होता है, परन्तु विनिमय के अन्तर्गत हम अनेक ऐसी बातों का अध्ययन करते हैं जो उत्पत्ति के क्षेत्र से बाहर हैं। अतः, उनके विस्तृत अध्ययन के लिये विनिमय को अर्थशास्त्र का एक पृथक ही विभाग मानना न्यायमग्न है।

विनिमय—एक आर्थिक-क्रिया के रूप में (Exchange—as an Economic act)—अब तक हमने विनिमय का अर्थ अर्थशास्त्र के एक विभाग के रूप में पाया। अर्थशास्त्र की आर्थिक-क्रिया विनिमय का दूसरा रूप है। यह रूप हमारा ध्यान इनके अर्थशास्त्रीय अर्थ की ओर आकृष्ट करता है। जब कोई मनुष्य अपने वस्तुओं और सेवाओं को देकर उनके बदले में अपनी आवश्यकता की विभिन्न वस्तुएँ प्राप्त करता है, तो वह एक आर्थिक-क्रिया सम्पन्न करता हुआ कहा जाता है। उसको यह आर्थिक-क्रिया 'विनिमय' कहलाती है। अतः दो पक्षों के मध्य में होने वाले वैधानिक (Legal), ऐच्छिक (Voluntary) और पारस्परिक

(Mutual) धन के हस्तांतरण (Transfer) को विनिमय कहते हैं। यदि एक दूधन भनाज देकर एक बुवाहे ने कपडा लेता है, तो यह विनिमय का एक उदाहरण है। किन्तु यदि एक घोर उम किमान के मवान न घुस कर भनाज चुरा भेता है, तो यह विनिमय नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यह हस्तांतरण न वैधानिक है, न ऐच्छिक है और न पारस्परिक ही। यदि दूधक राज्य को 'कर' के रूप में भनाज या मुद्रा देता है, तो यह क्रिया भी विनिमय की बोटि में नहीं आती, यद्यपि यह वैधानिक है, तथापि यह ऐच्छिक और पारस्परिक नहीं है। इसी प्रकार, यदि कोई व्यक्ति राज्य को वण्ड के रूप में कुछ राशि दे, तो धन वा यह हस्तांतरण वैधानिक होने पर भी विनिमय नहीं कहलायेगा, क्योंकि यह अनिवार्य और प्रतिफल-रहित है। एक घोर उदाहरण इसे स्पष्ट कर देता है। यदि कोई व्यक्ति अपने मित्र को कोई वस्तु भेंट के रूप में देता है अथवा किसी भिखारी को दान देता है, तो ये क्रियाएँ भी विनिमय नहीं कही जा सकती। यद्यपि भेंट तथा दान वैधानिक एवं ऐच्छिक हैं, परन्तु इनमें पारस्परिकता या अभाव है अर्थात् एक परतीय है, क्योंकि भेंट या दान के बदले में कोई धन या संपत्ति नहीं मिलती।

अस्तु हम निम्नो रूप में यह कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र में विनिमय के लिये धन का हस्तांतरण वैधानिक (Legal), ऐच्छिक (Voluntary) और पारस्परिक (Mutual) होना चाहिये। अर्थशास्त्र में विनिमय की यही तीन मुख्य विशेषताएँ (Characteristics) हैं जिनके आधार पर यह सहज कहा जा सकता है कि अमुक धन या सेवा का हस्तांतरण विनिमय है या नहीं।

विनिमय की आवश्यकता तथा विकास (Necessity) & (Growth of Exchange)—प्राचीन काल में मनुष्य स्वावलम्बी था। अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ वह स्वयं तैयार करता था। अपनी आवश्यकताया की पूर्ति के लिये वह किसी दूसरे पर निर्भर न था। उत्पात्ति और उपभोग के मध्य सीधा सम्बन्ध था। अतएव उम समय विनिमय की कोई आवश्यकता नहीं थी। परन्तु अथ उत्पात्ति का सारा ढाँचा बदल गया है। आजकल अम-विभाजन और मशीना की गहायता से बड़ पैमाने पर उत्पात्ति होती है। हमारी आवश्यकताएँ भी पहले की अपक्षा बहुत बड़ गई हैं। अतः अथ अपनी आवश्यकताया की सभी वस्तुएँ स्वयं ही उत्पात्त करना सम्भव नहीं है। आधुनिक उत्पात्ति व्यक्तिगत उपभोग के लिये नहीं बल्कि मण्टी में अथ-विक्रय के लिये की जाती है। यह विविधोकरण (Specialisation) का युग है। जा जिन वस्तु के बजान में अथ होता है, वह वही वस्तु तैयार करना है चाहे उम उम वस्तु का आवश्यकता हो या नहीं। ऐसी दशा में जब तक उत्पन्न की हुई वस्तुआ का उपभोक्ता तब न पहुँचाया जायगा तब तब उत्पात्ति अपूर्ण रहगी और उम समय तब उपभोग का कार्य स्थगित रहेगा। अस्तु यह नितात्त आवश्यक है कि उत्पात्ति और उपभोग में निरन्तर सम्बन्ध स्थापित किया जाय। यह कार्य विनिमय द्वारा ही सम्भव है, अर्थात् उत्पात्तित वस्तुया को उपभोक्ता तक पहुँचाने के लिये विनिमय की क्रिया आवश्यक है। विनिमय से उत्पात्ति की पूर्ति होती है और उपभोग सम्भव होता है। अस्तु, आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में विनिमय का एक विशिष्ट स्थान है। मानव जाति की उन्नति में विनिमय बड़ा महायुक्त मित्र दुप्रा है। यही कारण है कि अर्थशास्त्र में विनिमय का अथत्त रूप से अध्ययन किया जाता है।

विनिमय का सिद्धान्त (Theory of Exchange)—प्रत्येक विनिमय-क्रिया में निम्नलिखित तीन बातें होतीं चाहिए :—

(१) विनिमय-क्रिया की सम्पन्नता के लिये कम से कम दो पक्षों का होना आवश्यक है। इनमें से एक पक्ष दूसरे पक्ष से प्राप्त वस्तुओं के बदले में अपनी वस्तुओं देने को तैयार होना चाहिये और इसी प्रकार दूसरा पहले पक्ष में प्राप्त वस्तुओं के बदले में अपनी वस्तुओं देने को उद्यत होना चाहिये।

(२) विनिमय से दोनों पक्षों को लाभ होना चाहिये—विनिमय में दोनों पक्षों को लाभ पहुँचता है, इसीलिये वे अपनी वस्तुओं को दूसरी वस्तुओं में बदलते हैं। दी जाने वाली वस्तु में आने वाली वस्तु की अधिक उपयोगिता होने के कारण मनुष्य अपनी कम उपयोगिता वाली वस्तु को देकर दूसरों से अधिक उपयोगिता वाली वस्तु प्राप्त करने का प्रयास करता है।

(३) जब विनिमय द्वारा किसी भी पक्ष को हानि होने लगती है, तभी व्यवहार अथवा सौदा (Transaction) समाप्त हो जाता है—जब मनुष्य इस बात का अनुभव करता है कि बदले में आने वाली वस्तु की उपयोगिता जाने वाली वस्तु की अपेक्षा कम है तो वह तुरन्त व्यवहार समाप्त कर देता है और अन्य वस्तु के बदले को तोड़ता है जिसकी उपयोगिता उसकी वस्तु से अधिक हो।

जिस प्रकार विनिमय द्वारा दोनों पक्षों को उपयोगिता का लाभ होता है (How both parties gain in utility by Exchange) — विनिमय का सबसे महत्त्वपूर्ण लाभ यह है कि इसके प्रत्येक पक्ष को उपयोगिता का लाभ होता है। अन्य शब्दों में इसे यों कहा जा सकता है कि विनिमय केवल उसी दशा में होगा जबकि दोनों को लाभ होगा। कुछ लोगों की धारणा यह है कि विनिमय में एक पक्ष को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है। किन्तु यह धारणा निर्मूल एव भ्रमालक्षक है। विनिमय पूर्णतया स्वैच्छानुसार होता है। अस्तु जब तक दोनों पक्षों को लाभ प्रतीत न होगा तब तक विनिमय नहीं किया जायगा। विनिमय में लिये यह आवश्यक है कि दोनों पक्ष वाले विनिमय के लिये इच्छुक हों। यह इच्छा उनमें तभी उत्पन्न होगी जब उन्हें यह विश्वास होगा कि विनिमय क्रिया में उन्हें लाभ होगा। यह साधारण बुद्धि की बात है कि कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु के बदले में दूसरी कम मूल्य वाली वस्तु कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। उदाहरण के लिये मान लीजिये कि राम के पास पुस्तक है और कृष्ण के पास फाउन्टेन पेन और दोनों ही विनिमय करना चाहते हैं। यह तभी सम्भव है जबकि राम के लिये फाउन्टेन पेन की उपयोगिता पुस्तक से अधिक हो और कृष्ण के लिये पुस्तक की उपयोगिता फाउन्टेन पेन से अधिक हो। दोनों पक्षों को यह विश्वास होना चाहिये कि विनिमय द्वारा प्राप्त वस्तु की उपयोगिता दी हुई वस्तु की उपयोगिता से अधिक है। अतः जब दोनों पक्षों को विनिमय से लाभ दिखाई देना है तभी वस्तुओं और सेवाओं का क्रय-विक्रय होता है, अन्यथा नहीं। ज्योंही विनिमय द्वारा किसी भी पक्ष को हानि होती है, त्योंही विनिमय समाप्त हो जाता है। विनिमय का अस्तित्व लाभ के साथ साथ ही न कि हानि के साथ।

उदाहरण के लिए, दो व्यक्ति अ और द को लीजिये। अ गेहूँ उपजाता है और द चावल। हमें यह भी मान लेना चाहिये कि वे दोनों इतना अधिक गेहूँ और चावल उत्पन्न करते हैं कि वे स्वयं उनका उपभोग नहीं कर सकते। दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि अ जितना गेहूँ उत्पन्न करता है उतना यह उपभोग नहीं कर सकता और

न वही गन्ध चावल का उपयोग कर सकता है। जब अन्न अपने आवश्यकता के अनुसार गेहूँ में जाता है, तो मेष गेहूँ उतने लिये बेकार हो जाता है। इसी प्रकार व के लिये भी आवश्यकता में अधिक बना हुआ चावल बेकार है। इस प्रकार अन्न और व दोनों के पास व वस्तुओं हैं जिनकी उपयोगिता बहुत कम है या कुछ भी नहीं है। यदि विनिमय न हो, तो अन्न व गेहूँ का ही उपयोग कर सकता है और व केवल चावल का ही। अब वे विनिमय के साथ का प्रथम प्रकार समझ सकते हैं। अन्न और व अपने गेहूँ व चावल की मदद बदली कर लेते हैं अब आ गेहूँ अ के लिये अर्थ या व व के लिये अर्थव्यय उपयोगी है और आ चावल व के लिये अर्थ या व अ के लिये अर्थव्यय उपयोगी है। इस प्रकार विनिमय द्वारा दोनों को लाभ हुआ।

यह निम्नांकित उदाहरण द्वारा और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है :—

इकाइयाँ (Units)	सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility)	
	गेहूँ (Wheat) अ	चावल (Rice) व
१	२०	२२
२	१४	१६
३	८	१०
४	४	६
५	२	४

उदाहरण का स्पष्टीकरण— इस उदाहरण में यह मान लिया गया है कि अ के पास ५ इकाई गेहूँ हैं और व के पास ५ इकाई चावल हैं, और दोनों व्यक्तियों का स्वाभाव एक था है जिसके कारण दोनों के लिये गेहूँ और चावल की विभिन्न इकाइयों की उपयोगिता समान है। उपरोक्त सारणी (Table) में 'उपयोगिता ह्रास-नियम' (Law of Diminishing Utility) के अनुसार अन्न और व की वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility) उनके उपयोग की इकाइयों के समाने अलग-अलग स्थानों में घटती गई है। इससे यह स्पष्ट है कि उपयोग की इकाइयों की वृद्धि के साथ-साथ वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता कम होती गई है, यहाँ तक कि पाँचवीं इकाई की उपयोगिता दोनों को बहुत कम है। अतः, यह स्वाभाविक है कि विनिमय सबसे कम उपयोगिता रखने वाले इकाई में प्रारम्भ होगा। प्रथम सौदे में अ गेहूँ की ५ वीं इकाई देगा जिसकी उपयोगिता २ है, और उसे चावल की पहली इकाई प्राप्त होगी जिसकी उपयोगिता २२ है। अतः उसकी उपयोगिता का लाभ  $(२२ - २) = २०$  हुआ। इसी प्रकार व चावल की पाँचवीं इकाई देगा जिसकी उपयोगिता ४ है। अतः उसकी उपयोगिता का लाभ  $(४ - ४) = ०$  हुआ। इस प्रकार पहले सौदे में अन्न और व दोनों को ही उपयोगिता का लाभ होगा। दूसरे सौदे में अ गेहूँ की चौथी इकाई देगा जिसकी उपयोगिता ४ है, और उसे चावल की दूसरी इकाई मिलेगी जिसकी उपयोगिता १६ है। अतः उसकी उपयोगिता का लाभ  $(१६ - ४) = १२$  हुआ। इसी प्रकार व चावल की चौथी इकाई देगा जिसकी उपयोगिता ६ है, और उसके

बदले में उसे गेहूँ की दूसरी इकाई मिलेगी जिसकी उपयोगिता १४ है। अतः उसकी उपयोगिता का लाभ  $(१४ - ६) = ८$  हुआ। इस प्रकार दूसरे सोदे से भी उन दोनों की उपयोगिता का लाभ होगा। तीसरे सोदे में अ गेहूँ की तीसरी इकाई देगा जिसकी उपयोगिता ८ है और उसके बदले में उसे चावल की तीसरी इकाई मिलेगी जिसकी उपयोगिता १० है। अतः उसकी उपयोगिता का लाभ  $(१० - ८) = २$  हुआ। इसी प्रकार व चावल की तीसरी इकाई देगा जिसकी उपयोगिता १० है, और उसके बदले में उसे गेहूँ की तीसरी इकाई प्राप्त होगी जिसकी उपयोगिता ८ है। अतः उसकी उपयोगिता के लाभ के स्थान में  $(८ - १०) = -२$  की हानि हुई। इस प्रकार तीसरे सोदे में अ को लाभ और व को हानि होगी। यद्यपि अ को लाभ है और वह यह मोटा करना भी चाहेंगा तथापि यह सोदा पूर्ण नहीं हो सकता, इस सोदे से व को हानि है।

निष्कर्ष—निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि विनिमय द्वारा जब तक दोनों पक्षों को लाभ होता है दोनों पक्ष राजामन्दी और खुशी से सौदा करत जायेंगे। जब विनिमय से किसी एक पक्ष को हानि की सम्भावना ही तो वह पक्ष सोदे के लिये इत्थार कर देगा। इसी प्रकार विनिमय उसी सीमा तक होगा जब तक दोनों पक्षों को लाभ रहे और जब किसी भी एक पक्ष को हानि होने लगेगी उस दशा में विनिमय समाप्त हो जायगा।

क्या इसी प्रकार दो राष्ट्रों को भी विदेशी व्यापार से लाभ होता है ?  
(Do both nations gain likewise by foreign trade ?)

आधुनिक विदेशी व्यापार बहुत विविध रूप है। इसके अन्तर्गत एक देश अपनी प्रतिष्ठा वस्तुओं को निर्यात कर विदेशों से अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ प्राप्त करता है। इस प्रकार अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात् विनिमय में वस्तुओं की उपयोगिता में वृद्धि होती है। अब यह प्रश्न प्रस्तुत होता है कि क्या अतिगत पक्षों की भाँति विदेशी व्यापार से भी दो विभिन्न राष्ट्रों को उपयोगिता का लाभ होता है। इसमें तर्क भी स्पष्ट नहीं है कि जब दो स्वतन्त्र देश अपनी राजामन्दी और खुशी से बिना किसी दबाव के पारस्परिक व्यापार करते हैं, तो निश्चय ही दोनों देशों को उपयोगिता का लाभ होता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में उपयोगिता का लाभ प्राप्त करने के लिये निम्नलिखित बात आवश्यक है :—

(१) दोनों देश आर्थिक विकास की दृष्टि से समान हों। यदि एक देश आर्थिक विकास की दृष्टि से अधिक बढ़ा हुआ है और दूसरा कम, तो पहला देश को लाभ होगा और दूसरे को हानि। जैसे अमेरिका व इङ्ग्लैण्ड आदि आर्थिक प्रगतिशील देशों और एशिया व अफ्रीका आदि पिछड़े हुए देशों के मध्य का विदेशी व्यापार।

(२) दोनों देश राजनैतिक दृष्टि से स्वतन्त्र हों। जब अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले राष्ट्र स्वतन्त्र हो, तो दोनों देशों को लाभ ही सकता है अन्यथा एक राष्ट्र द्वारा दूसरे का शोषण (Exploitation) होता स्वाभाविक है। जैसे, भारत के स्वतन्त्र होने तक इङ्ग्लैण्ड द्वारा इस देश का शोषण हुआ।

(३) विदेशी व्यापार करने वाले देश अपनी इच्छा से बिना किसी दबाव के स्वतन्त्रता पूर्वक अपना निर्यात कर सके। यदि एक देश को अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष दबाव से किसी अन्य देश से व्यापार करने को बाध्य किया जाये, तो इस प्रकार के व्यापार से उस देश को हानि होगी।



(४) केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात ( Import ) होना चाहिये जिनका सलाह उत्पादन उस देश में न हो सके । यदि किसी देश का आयात केवल उन्हीं वस्तुओं में होता है जो सलाह उस देश में उत्पन्न नहीं की जा सकती हूँ, तो निश्चय ही उस देश को विदेशी व्यापार से लाभ होगा ।

(५) केवल उन्हीं वस्तुओं का निर्यात ( Export ) होना चाहिये जो निर्यात करने वाले देश में अतिरिक्त मात्रा में उत्पन्न हो अथवा वहाँ उनका उत्पादन आयात करने वाले देश की अपेक्षा अधिक लाभ से किया जा सकता हो ।

### विनिमय का महत्त्व (Importance of Exchange)

प्राथमिक जीवन में विनिमय का बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है । जीवन का कोई भी ऐसा अंग नहीं है जिस पर विनिमय का प्रभाव न पड़ता हो । धन या सम्पत्ति की उत्पत्ति, वितरण तथा उपभोग की आर्थिक क्रियाएँ विनिमय पर आश्रित हैं । विनिमय का हमारे जीवन में इतना निकट सम्बन्ध हो गया है कि यदि विनिमय क्रिया स्थगित हो जाय, तो हमारी भौतिक सम्पत्ता का अर्धत्वा नष्ट हो जायगा और मनुष्य सम्पत्ता में उत्पत्ति के पथ में बहुत नीचे गिर जायगा । यद्यपि विनिमय स्वतः अस्त नहीं है फिर भी हमारी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूर्ति के लिये यह नितांत आवश्यक है ।

### विनिमय के लाभ ( Advantages of Exchange )

जैसा कि ऊपर बतलाया जा चुका है कि विनिमय द्वारा दोनों पक्षों को उपयोगिता का लाभ होता है । इसके अतिरिक्त विनिमय के और भी अनेक लाभ हैं जिनसे विनिमय का महत्त्व प्रकट होता है । उसमें से मुख्य निम्नलिखित हैं—

१. विनिमय की सहायता से मनुष्य और प्रकृति की शक्तियों का यथेष्ट रूप से प्रयोग किया जा सकता है—विनिमय की सहायता से देश के प्राकृतिक साधनों को उचित ढंग से उन स्थानों अथवा कामों में प्रयुक्त किया जा सकता है जिनके लिये वे उपयुक्त हैं । विनिमय के अभाव में देश की मानव एवं प्राकृतिक शक्ति के साधनों का विकास सम्भव नहीं है ।

२. विनिमय के कारण धन-विभाजन ( Division of Labour ), विशिष्टीकरण ( Specialisation ), बड़े परिमाण की उत्पत्ति ( Large-scale Production ) आदि सम्भव हैं—विनिमय के न होने पर प्रत्येक व्यक्ति या देश को अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएँ स्वयं को तैयार करनी पड़ेंगी, चाहे उनमें उत्पादन की उमंगें वायता हो या नहीं । विनिमय प्रणाली के अन्तर्गत उत्पादन व्यक्तिगत आवश्यकतानुसार न किया जाकर योग्यतानुसार किया जाता है । इनके शब्दों में धन-विभाजन और विशिष्टीकरण के सिद्धान्तों का उत्पादन-क्षेत्र में भली प्रकार प्रयोग किया जा सकता है । जिसके फलस्वरूप बड़े परिमाण की उत्पत्ति सम्भव हो सकती है । धन-विभाजन, बड़े परिमाण की उत्पत्ति, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार आदि के लाभ विनिमय प्रथा में अतिरिक्त हैं ।

३. विनिमय द्वारा देश को अतिरिक्त उत्पत्ति का सर्वोत्तम ढंग से उपयोग हो सकता है—विनिमय से विदेशी व्यापार सम्भव है और विदेशी व्यापार द्वारा कोई भी देश अपनी अतिरिक्त ( Surplus ) उत्पत्ति को अन्य देशों में अर्पण

मूल्य पर धन कर लाभ उठा सकता है। जैसे भारतवर्ष में अन्नक पाकिस्तान में जूट और आस्ट्रेलिया में ऊन आवश्यकता में अधिक पैदा होती है अतः उन्हें उन देशों में जहाँ इनका अभाव है निर्यात कर लाभ उठाया जा सकता है।

८ विनिमय द्वारा हम ऐसी वस्तुएँ प्राप्त कर सकते हैं जो हम स्वयं उत्पन्न नहीं करते—विनिमय द्वारा हम वस्तुओं में ऐसी वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं जिन्हें उत्पादन देना सम्भव नहीं है। जैसे भारत में रेडिया टेलीविजन और मोटर गाड़ियाँ आदि का उपयोग।

९ विनिमय द्वारा सस्ती वस्तुओं का उपयोग सम्भव है—विनिमय द्वारा गड़ियाँ का धन विस्तृत होता है तथा उत्पत्ति व परिवर्तन में वृद्धि होता है जिससे पालस्वल्प प्रति इकाई लागत कम पतन व धनएँ सस्ती उपलब्ध होना सम्भव हो जाता है।

१० विनिमय द्वारा ज्ञान सम्पत्ति तथा सम्पत्ति का विनिमय होता है—विनिमय में विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है जिससे परिणामस्वरूप एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के सम्पत्ति में अभाव है और एक दूसरे की वस्तु ज्ञान विनिमय व मोड़न का काम का अवसर प्राप्त होता है।

११ विनिमय द्वारा औद्योगिक उत्पत्ति में एक दूसरे की सहायता प्राप्त हो सकती है—एक देश की पूँजी अनुभव और अधिक दूसरे देशों को भेजा जा सकता है जिससे औद्योगिक उत्पत्ति में एक दूसरे की सहायता प्राप्त हो सकती है। भारत अपनी औद्योगिक उत्पत्ति के लिये अमेरिका में पूँजी व अनुभव पुर्णता का आयात कर लाभ उठा सकता है।

१२ आधुनिक असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति विनिमय द्वारा ही सम्भव हो सकती है—आधुनिक समय में मनुष्य की आवश्यकताएँ असीमित हैं। यह उन सभी पूर्ति के लिये स्वयं उत्पादन नहीं कर सकता। दूसरे द्वारा उत्पादित वस्तुओं में सस्ती व सुगमता से उपलब्ध हो जाने में आवश्यकताओं का पूर्ति सम्भव हो सकती है।

१३ विनिमय द्वारा उत्पादन शक्ति स्थिर रखा जा सकता है—उत्पादन शक्ति का अभाव रहना और उत्पन्न वृद्धि करना विनिमय का ही कार्य है। आज यदि आस्ट्रेलिया में बहुत घोर सर्मा से व्यापार का अभाव बढ़ कर दिया अथवा ताँबा व इत उद्योगों में मजदूर व्यक्ति बहुत छोड़कर अन्य उद्योगों में लग जायेंगे जिनसे परिणामस्वरूप सर्दी के नियम उनकी उत्पादन शक्ति नष्ट हो जायगी।

१४ विनिमय राष्ट्रों में अन्तर्गत उत्पन्न कर देता है—विनिमय द्वारा विदेशी व्यापार में उत्पत्ति होती है जिससे फलस्वरूप राष्ट्रों में अन्य सहायताएँ एवं मित्रता के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। जिससे अन्तः-राष्ट्रीय प्रयोजन सिद्ध हो सकते हैं।

१५ मरुत के समय सहायता प्राप्त हो सकती है—धन्य सूचना वृद्ध तथा अन्य राष्ट्रीय मन्त्रों में हूँ विनिमय द्वारा अन्तः देशों में सहायता प्राप्त कर सकते हैं। यदि हम विदेशों में अन्न आदि की सहायता नहीं मिलती तो हमारा साध्य-सर्वतः और भी गम्भीर हो सकता था।


विनिमय के रूप (Forms of Exchange)

विनिमय के दो मुख्य रूप हैं—(१) वस्तु विनिमय अर्थात् बदला-बदला (Barter) और (२) मुद्रा विनिमय (Money Exchange) अर्थात् धन विनिमय।

(१) वस्तु विनिमय अर्थात् बदला बदली (Barter)—जब एक वस्तु या सेवा का बदला मीमांसा विनी अथ वस्तु या सेवा से किया जाय तो उसे 'वस्तु विनिमय' या बदला बदली कहते हैं। यदि एक व्यक्ति अपना अनाज देकर किसी दुताह से फसला लेता है तो वह वस्तु विनिमय अर्थात् बदला बदली का उदाहरण है। वस्तु विनिमय का एक विषय यह है कि इनमें मुद्रा (Money) का प्रयोग किन्तुल नहीं होता है।

(२) मुद्रा विनिमय (Money Exchange) अर्थात् क्रय विक्रय (Purchase & Sale)—जब वस्तुप्राप्त और सेवाप्राप्त का विनिमय मुद्रा के माध्यम द्वारा हो तो वह मुद्रा विनिमय कहलाता है। यह क्रय अथ विक्रय द्वारा सम्पन्न होता है। किसी वस्तु या सेवा को मुद्रा के बदले में प्राप्त करना क्रय या खरीद (Purchase) कहलाता है और किसी वस्तु का मुद्रा के बदल में देना विक्री या विक्रय (Sale) कहलाता है। जैसे रुपया लेकर अनाज लेना और रुपया लेकर अनाज देना आदि।

विनिमय के विविध रूप निम्नांकित रेखाचित्र द्वारा भली प्रकार व्यक्त किये गये हैं —



वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ या असुविधाएँ (Difficulties or Inconveniences of Barter)—आर्थिक विकास का प्रारम्भिक अवस्था में वस्तु विनिमय प्रथा ही सबसे प्रचलित थी। धीरे धीरे मनुष्य ने उन्नति की और उसकी आवश्यकताएँ बढ़ती गईं। जैसे जैसे मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ीं मनुष्य ने वस्तु उत्पादन के नये नये साधन भी खोज निकाले जिसके परस्परप्राप्त आधुनिक आर्थिक साधन इतना विरल और जटिल बन गया है कि वस्तु विनिमय प्रथा में अनेक कठिनाइयाँ और असुविधाएँ अनुभव होने लगीं। वस्तु विनिमय की मुख्य कठिनाइयाँ या असुविधाएँ निम्नलिखित हैं —

१. आवश्यकताओं के दुहरे संयोग का अभाव (Lack of Double Coincidence of Wants)—वस्तु विनिमय की सबसे पहली कठिनाई या असुविधा आवश्यकताप्राप्त के दुहरे संयोग का अभाव है। वस्तु विनिमय तभी सम्भव है जबकि एक मनुष्य दूसरे ऐसे मनुष्य की खोज करे जिसके पास उसकी आवश्यकता की वस्तु हो और जो उसकी वस्तु को लेने के लिये भी तत्पर हो। अन्य शब्दों में कहा जा

सकता है कि एक मनुष्य की आवश्यकता दूसरे मनुष्य की आवश्यकता के समुच्चय होनी चाहिए। यद्यपि वस्तु विनिमय सम्भव नहीं हो सकता। उदाहरण के लिये कृषक के पास एक गाय है और वह गाय के बदले वस्त्र चाहता है तो उसको एक ऐंग मनुष्य की रोजगार पड़ना जिसके पास न केवल वस्त्र ही हो अपितु वह गाय भी चाहता है। मान लीजिए गाय के बदले न वह केवल गहू ही दे सकता है तब कृषक को एक ऐंग मनुष्य बुकना पड़ना जो गहू चाहता हो और इसी प्रकार उते अथ मनुष्यों की भी रोजगार करनी पड़गी जब तक उसको अपनी आवश्यकता की वस्तु नहीं प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार वस्तु विनिमय बहुत असुविधाजनक एक कष्टनाथ होता है।<sup>१</sup>

अब मुद्रा के चलन से यह कठिनाई दूर हो गई है। प्रत्येक मनुष्य अब अपनी अपनी वस्तुओं को मुद्रा के बदले में बाजार में बेच सकता है और प्राप्त मुद्रा के बदले में कोई भी वस्तु बाजार में खरीद सकता है।

२ सर्वमान्य मूल्य मापदण्ड वा अभाव (Lack of Common Measure of Value)—विनिमय की दूमरी कठिनाई यह है कि उसमें वस्तुओं के मूल्य को मापने का कोई आधार नहीं है। मान लीजिए, एक मनुष्य के पास गहू है और दूसरे के पास कपड़ा है। दोनों आपस में अपनी अपनी वस्तुओं का विनिमय करना चाहते हैं। परंतु यह कैसे निश्चय किया जाय कि कितने गहू के बदले में एक गज कपड़ा मिले या एक मेर गहू के बदले में कितना कपड़ा मिले। तथापि वे वस्तु विनिमय व्यवस्था में मान और पूति के मध्य कोई उचित सम्बन्ध नहीं है।

मुद्रा के द्वारा यह कठिनाई दूर हो सकती है। प्रत्येक मनुष्य अपनी अपनी वस्तुओं का मूल्य मुद्रा में माप सकता है जिसमें वस्तुओं के आपस के मूल्य निश्चय किये जा सकते हैं।

३ विभाजन की कठिनाई (Lack of Divisibility)—कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जिनका विभाग और उपविभाग नहीं हो सकता जैसे गाय घोड़ा मंज नाव आदि। विभाग करने से उनका मूल्य बहुत घट जाता है अथवा नष्ट हो जाता है। यदि

१—वर्ष १८७५ ई. में अंग भी वस्तु विनिमय प्रथा प्रचलित है। कुछ यात्रियों ने जिन्हें ऐसे देशों में यात्रा करने का अवसर मिला है वस्तु विनिमय की असुविधाओं तथा कठिनाइयों का रोचक वर्णन किया है। उनमें से लीजिनेट कैमरन (Lt Cameron) का वर्णन उल्लेखनीय है। लीजिनेट कैमरन को साफीबा में यात्रा करते समय एक नाव की आवश्यकता पड़ी जिसको प्राप्त करने में उन्हें दिन असुविधाओं का सामना करना पड़ा उनका वर्णन उन्होंने All Cross (Africa) में टम प्रकार किया है। संघर्ष का ऐजेंट हाथीदांत में भुगतान चाहता था जो कि मेरे पास नहीं था। किन्तु मुझे मालूम हुआ कि मुहम्मद इब्न साहब के पास हाथीदांत थे उन्हें वस्त्र की आवश्यकता थी। पर मेरे पास वस्त्र भी नहीं था और हमने मेरी समस्या हल नहीं हुई। फिर मैंने सुना कि मुहम्मद इब्न गरीब के पास वस्त्र था परंतु उन्हें तार की आवश्यकता थी। भाग्यवश तार मेरे पास था। अंत में तार इब्न गरीब को दिया उन्होंने मुझे जो वस्त्र दिया वह मैंने इब्न साहब को दिया उन्होंने जो हाथीदांत दिया वह मैंने गैद के ऐजेंट को दिया तब वही जाकर मुझे नाव प्राप्त हुई। ।

एक प्रकार की रोचक कहानियाँ डॉ० एम० जेवन्स (W S Jevons) ने अपनी Money and the Mechanism of Exchange नामक पुस्तक में दी है।

सब वस्तुओं का एक ममान मूल्य हो, ता इस प्रकार के विनिमय में कोई कठिनाई नहीं होगा। पर वास्तव में वस्तुओं का मूल्य भिन्न भिन्न होता है। ऐसी स्थिति में किन प्रकार भिन्न भिन्न मूल्य वाली वस्तुओं की प्रत्यक्ष रूप में बदला-बदली हो सकती है? वस्तुओं का कौन सा भाग में बाँट कर मूल्य बराबर करता हर समय सम्भव नहीं है।

उदाहरण के त्रिय मान लीजिये कि एक किसान के पास एक घोड़ा पान्नु है जिसके बदले में वह कुछ बण्डा कुछ नमक कुछ वस्त्र और एक फावड़ा लेना चाहता है। यदि वह मनुष्य एक ही मनुष्य के पास है और उस घोड़े की आवश्यकता हो, तो यह विनिमय सुगमता से हो सकता है। यदि ये सब वस्तुएँ अलग अलग मनुष्यों के पास हैं तो घोड़े के बदले में घनत्व टुकड़ कर उन्हें प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार यह कठिनाई वस्तु विनिमय में अडचन पैदा करती है।

मुद्रा के द्वारा यह कठिनाई गलतता से दूर की जा सकती है। बाँट बारा मनुष्य बाँट को बाजार में बच देगा और प्रत्यक्ष मुद्रा से अपनी आवश्यकता की भाँट वस्तुओं को खरीदेगा।

८ अर्थ-मन्थन का अभाव (Absence of Store of Value)—वस्तु विनिमय में भविष्य के उपयोग के त्रिय अर्थ मन्थन का पूरा अभाव है क्योंकि वस्तुओं के साथ लपट हो जाँगे में उनका संचय सम्भव नहीं है।

मुद्रा में अर्थ मन्थन अस्त है अतः यह भविष्य के उपयोग के त्रिय सुरक्षित रखी जा सकता है।

अन्य कठिनाइयाँ (Other Difficulties)—इनके अतिरिक्त वस्तु विनिमय का और भी कठिनाइयाँ हैं जैसे बेतन वितरण का कठिनाई आता-यात की सवाया के विनिमय की कठिनाई आदि। आता-यात की सवाया के बदले में काँट वस्तु मुद्रा दी जा सकती है। इन प्रकार वर्तमान अर्थ व्यवस्था में वस्तु विनिमय की इतनी अर्थिक कठिनाइयाँ हैं कि वह एक दिन के त्रिय भी सम्भव नहीं हो सकता।

वस्तु विनिमय का सम्भव बनाने वाली दशाएँ (Conditions Making Barter Possible) आजकल जबकि अर्थ विभाजन मूल्य अवस्था तक पहुँच गया है तथा आवश्यकताएँ अत्यधिक बढ़ गई हैं एव वस्तुओं का उत्पादन वर पैमाने पर होता है एसा अवस्था में कोई भी समाज मुद्रा का उपयोग बिना भीतित नहीं रह सकता। वस्तु विनिमय केवल निम्नलिखित दशाओं में ही सम्भव हो सकता है—

(१) सीमित आवश्यकताएँ (Limited Wants)—वस्तु विनिमय के त्रिय एम दा व्यक्तियों की आवश्यकता होता है जिनके जन-जन का वस्तुएँ एक दूसरे की आवश्यकताओं के अनुकूल हैं। यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि समाज में सदस्यों की आवश्यकताएँ किन्तु सीमित हैं। परन्तु जैसे-जैसे मनुष्य की आवश्यकताएँ और उनकी किस्म बढ़ती जाती हैं वैसे-वैसे ही वस्तु विनिमय में कठिनाइयाँ उपस्थित होती जाती हैं वस्तु विनिमय हमारे गाँवों में सुगमता में हो सकता है क्योंकि गाँवों का आवश्यकताएँ आवागारण और सीमित होती हैं। उदाहरणार्थ यदि एक किसान अपना गेहूँ देकर चावल लेना चाहता है तो यह सम्भव है कि उस कोई दूसरा एसा व्यक्ति मिल जाय जो अपना चावल देकर गेहूँ लेना चाहता है। परन्तु एक नगर निवासी एक घड़ी देकर फाउल्टन पैन्ट लेना चाहता है तो उसे एम व्यक्ति को ढूँढने में बड़ी कठिनाई होना जा सकता है घड़ी के बदले में फाउल्टन पैन्ट देने का त्रियार है। इसका कारण यह है

कि नहीं और चावल की आवश्यकता मा-भारणतया गाँव में सभी का रहती है। अतः गाँव में अनुदून आवश्यकता वाले व्यक्तियों का पना समाना इतना बटित नहीं है जितना कि एक नगर में घडा और फाउण्टेन पैन के विनिमय के लिये। घडी और फाउण्टेन पैन की असाधारण आवश्यकता हान के अनिश्चित उनमें कई प्रकार की किन्म हातो ह जिनके कारण अदला बदली के लिये उपयुक्त व्यक्तियों का मिलना दुर्लभ हो जाता है।

(२) विनिमय का सीमित क्षेत्र (Limited Field of Exchange) वस्तु विनिमय सभी सम्भव है जबकि विनिमय का क्षेत्र सकुचित हो। यदि विनिमय का क्षेत्र सकुचित रहा है तो वस्तु विनिमय के लिये उपयुक्त वस्तु का आदान में अत्यधिक समय लगना और एक दुगरे को आवश्यकताप्राप्त से परिचित हान का कई अवसर नहीं मिलना जाकि वस्तु विनिमय के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

(३) समाज का सामान्य पिछडापन (General Backwardness of Society)—वस्तु विनिमय एक ऐसे समाज में सम्भव है जो अत्यन्त पिछडा हुआ तथा अल्पसंख्यक हो और जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त करने के अनिश्चित विनिमय का प्रयत्न साधन हो न हो। आज़मान भा पिछडा तथा असम्भ देशों में वस्तु विनिमय की प्रथा पाई जाती है। उन भारतीय ग्रामों में जो कि नगरों में बहुत दूर स्थित हैं आज़ भी इसी प्रकार की वस्तु विनिमय की प्रथा प्रचलित है।

निष्कर्ष (Conclusion)—वस्तु विनिमय की सम्भव यमान वाला जिन अवस्थाओं का बखान ऊपर किया गया है वे वास्तविक की अपेक्षा काल्पनिक प्रतीत होती है। इन युग में कोई भी सम्य समाज मुद्रा के प्रयोग की उपेक्षा नहीं कर सकता। प्रा० कॅसिन (Cassel) ने इस सम्बन्ध में उचित ही लिखा है कि 'मानवीय इतिहास में कभी ऐसे समाज का अस्तित्व नहीं रहा जिसमें सामान्यतया तथा पूर्णतया मुद्रा के प्रयोग के बिना ही वस्तुओं का विनिमय चलता रहा हो। आज भी ग्रामीण भारत में जिन प्रकार का वस्तु विनिमय प्रचलित है वह पूर्णतया वस्तु विनिमय न होकर एक प्रकार का मिश्रण है। अस्तु वस्तु विनिमय की पूर्ण अवस्थाओं का प्रतिपादन करना कल्पना-मात्र है।

वर्तमान समय में भारतीय ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में वस्तु विनिमय का महत्त्व (Importance of Barter in the Rural Economy of India at the Present Time)

आज के युग में भी भारतीय ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में वस्तु विनिमय (Barter) का बड़ा महत्त्व है। जैसे देखा जाय तो ग्रामों का दैनिक जीवन आज भी वस्तु विनिमय द्वारा संचालित होता है। गाँवों में मूँया वन प्रयुक्त हाना है। इसका प्रयोग कुछ ही अवसरों पर हाता है जैसे शमशा का सरकारों लगान देना हान महानगनों को कुरा जुगना हो अथवा कपडा पादि खरीदना हो, अथवा वहाँ ता अदला बदला में ही काम चलता है। नमक, तेल, धी मिर्च-मसाला, साग, पादि दैनिक आवश्यकताएँ सब वस्तु विनिमय से ही पूर्ण की जाती हैं। एसी अवस्थाओं में लोग मूँया में बेचन यही लाभ उठाता है कि उसमें वे अदला बदली की जान वांछी वस्तुओं का मूल्य जान तत है। उदाहरणार्थ रू० १० की २ गेर आती है और मिठाई १०० की एक सेर प्राती है तो एक तर रू० देकर आधा सर मिठाई ली जा सकती है।

भारतीय ग्रामों में अब भी वस्तु विनिमय प्रथा प्रचलित होने के कारण— अब प्रत्येक ग्रामों में होता है कि ग्रामीण भारत में अब भी वस्तु विनिमय प्रथा अर-

प्रचलित है ? इसका सरल मस्यो में उत्तर देने हूये या क्या जा सकता है कि भारतीय साम्राज्य की आवश्यकताओं का कारण एव सीमित है जिसके कारण वस्तुओं की अदला-बदली न ही उनका काम सुगमतापूर्वक चल सकता है। उनके जीवन में इस प्रकार की कार्य कठिनाई उपस्थित ही नहीं होती। उनके अनिश्चित जगते बाँकों का क्षेत्र जहाँ वस्तु-विनिमय होता है सीमित होता है जिसमें वे एक दूसरे की आवश्यकताओं में भन्ना प्रकार परिचित रहते हैं। उन्हे उपयुक्त व्यक्तियों की सौज करने में अधिक समय नहीं लगता है। उनका सामान्य पिछड़ हुए जाना वस्तु विनिमय प्रथा के प्रचलन का एक मुख्य कारण है। उनका गिरा हुआ जीवन-स्तर, अविद्या, अज्ञानता, अहिंसाविद्या, यातायात व सम्वाद व साधना की कमी, वैशिश्ट्य सुविधाओं का अभाव आदि कई ऐसी बातें हैं जो उनके सामान्य विकास में अवरोधक सिद्ध होती हैं। नगरों में बहुत दूर स्थित गाँवों में दशा और भी शोचनीय है। परन्तु नगरों के निकटवर्ती गाँवों में अब मुद्रा का चलना हुआ प्रचार देखा जाता है।

वस्तु विनिमय अर्थ-व्यवस्था की अपेक्षा मुद्रा विनिमय अर्थ-व्यवस्था की श्रेष्ठता (Superiority of Money Economy to Barter Economy)

मुद्रा-विनिमय अर्थात् क्रय विषय पद्धति द्वारा वस्तु-विनिमय की समस्या बटिनाइयाँ एव अनुविधाय हूँ होकर आधुनिक परिचितियों में जा सुचारु रूप में कार्य संचालन हो रहा है वह मुद्रा विनिमय की कुशलता का ही प्रतीक है। आधुनिक सम्पन्न प्रायिक क्रियाओं अर्थात् उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण और राजस्व में वस्तु विनिमय बिल्कुल अशक्य सिद्ध हुआ है। अब यह देखा है कि अर्थशास्त्र के प्रत्येक विभाग में किस प्रकार वस्तु-विनिमय का स्थान मुद्रा विनिमय में ग्रहण किया है।

उपभोग—प्राचीन समय में जबकि मनुष्य की आवश्यकताओं का कारण एव सीमित थी, तब वस्तु-विनिमय की प्रधानता थी। परन्तु आज जबकि मनुष्य की आवश्यकताओं में केवल सम्यक ही तन्त्रि विम्वम भी बहुत बढ़ गई है, वस्तु-विनिमय इनको पूर्ण के लिये अपेक्षित सिद्ध हो चुका है। मुद्रा के प्रयोग में मनुष्य के लिये नाना प्रकार की वस्तुओं का उपभोग सम्भव कर दिया है।

उत्पत्ति—आवकल उत्पत्ति बढ़े पैमाने पर होती है। आधुनिक मकानकर्ता को क्या मास बट परिमाण में खरीदना पड़ता है, उसे विदेशों से मशीनें मँगानी पड़ती हैं, कारखाने में काम करने वाले हजारों श्रमिकों को समय पर मजदूरी वितरण करने पड़ती है तथा अपनी वस्तुओं की खपत की व्यवस्था देश विदेशी में करनी पड़ती है। यह सब बिना मुद्रा के प्रयोग के बिल्कुल सम्भव नहीं हो सकता। उधार लेने और देने की व्यवस्था को पूर्णतया मुद्रा विनिमय पर ही निर्भर है। आधुनिक उत्पादन व सम्पूर्ण प्रायिक वस्तु-विनिमय के अलावा तो स्वयं तुष्य है परन्तु यही मुद्रा विनिमय में साधनाकार है।

विनिमय—मुद्रा ने न केवल वस्तु-विनिमय की बटिनाइयाँ को ही दूर किया है बल्कि विनिमय को सुगम बनाने वाले साख पत्रों, बैंकों आदि के काम भी उपबन्ध कर दिये हैं। वास्तव में, आधुनिक विनिमय मुद्रा विनिमय ही है।

वितरण—मुद्रा ने आधुनिक उत्पादन का वितरण-कार्य बड़ा सुगम बना दिया है। मुद्रा के कारण ही आज मनुष्य उत्पादन प्रणाली सम्भव है। इस प्रणाली के द्वारा ही वस्तुएँ बनती हैं वे बाजार या भंडी में बेच दी जाती हैं और जा मुद्रा प्राप्त होती है वह नियमानुसार विविध उत्पादन साधकों अर्थात् सूत्राओं, श्रमिकों,

पूर्वोपति, सशटनवर्ता और माहूनी में बांट दी जाती है। यह वस्तु-विनिमय प्रथा के अन्तर्गत वित्तकुल सम्भव नहीं है, क्योंकि सबको उत्पादित वस्तुओं में सुगमता करना पड़ेगा जिनमें प्रत्येक उत्पादन साधक की अभीष्ट वस्तु प्राप्त करने में कठिनाई या सामना करना पड़ेगा।

**राजस्व**—जरा उस अवस्था को कल्पना कीजिये जिनमें विविध प्रकार की सरकारी माय वस्तुओं में होगी हो और सरकारी कर्मचारियों को वेतन आदि भी वस्तुओं में दिया जाता हो। ऐसी व्यवस्था में किन प्रकार अनुविधा होगी उक्तता भी भली-भाँति अनुमान लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त आधुनिक सरकार को अनेक ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो मुद्रा द्वारा ही सम्भव हो सकते हैं। यह मुद्रा का ही प्रभाव है कि प्रायः सरकार देश में सुख, शांति और न्याय स्थापित कर सकती है।

इसने यह स्पष्ट है कि वस्तु-विनिमय आधुनिक अर्थ-व्यवस्था में विन्मुक्त अनुपयुक्त सिद्ध होता है और इसी कारण मुद्रा-विनिमय ने इसका स्थान ग्रहण कर आधुनिक अर्थ-व्यवस्था को सुचारु रूप से संचालित करने का श्रेय प्राप्त किया है।

### विनिमय के साधन (Instruments of Exchange)

आधुनिक विनिमय व्यवस्था के अन्तर्गत वस्तुएं उत्पादक से अन्तिम उपभोक्ता के पास सीधी न पहुँच कर कई साधनों द्वारा पहुँचती हैं। नीचे कुछ इन्हीं साधनों का उल्लेख किया जाता है :—

(१) व्यापारी वर्ग (Merchants & Traders)—इनके द्वारा उत्पादकों और उपभोक्ताओं के मध्य सम्पर्क स्थापित होता है। ये लोग वस्तुओं को दूर के स्थानों से लाकर उपभोक्ताओं के पास पहुँचा देते हैं। व्यापार करने के ढंगों के अनुसार इनमें पर्याप्त विचित्रता पाई जाती है—बाई योक व्यापारी होता है और कोई फुटकर।

(२) यातायात व संचार के साधन (Means of Transport & Communication)—सोडर, समुद्री जहाज, वायुयान, तार, टेलीफोन, रेडियो आदि में वस्तुओं के अन्त-विक्षय में बड़ी महत्त्वता मिलती है। इनसे विनिमय को प्रोत्साहन मिलकर व्यापार में वृद्धि होती है।

(३) मुद्रा (Money)—वर्तमान समय में विनिमय का माध्यम मुद्रा है। इसके द्वारा वस्तु-विनिमय की सम्पन्न कठिनाईयों दूर होकर विनिमय-व्यवस्था बड़ी सुगम हो गई है।

(४) मण्डी या बाजार (Markets)—वस्तुओं के अन्त-विक्षय के विषय मण्डियों या बाजारों को भी आवश्यकता है।

(५) साख-पत्र और साख-संस्थाएँ (Credit Instruments & Credit Institutions)—मुद्रा-विनिमय का कार्य साख पत्रों (बैंक, विन बैंक, एक्सचेंज व प्रॉमिसरी नोट) और साख संस्थाओं (बैंक आदि) द्वारा कुशलता पूर्वक सम्पन्न किया जाता है।



### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—विनिमय का अर्थ स्पष्ट कीजिए । विनिमय में दोनों पक्षों को किस प्रकार लाभ होता है ? उदाहरण देकर समझाइए ।
- २—वस्तु विनिमय किसे कहते हैं ? इनमें क्या अमुविधाएँ हैं ? यह किन परिस्थितियों में सम्भव है ? (रा० बो० १९६०)
- ३—वस्तु विनिमय तथा मुद्रा-विनिमय के लाभ तथा हानियाँ बताइए । (प्र० बो० १९५९)
- ४—वस्तु विनिमय की क्या कठिनाईयाँ होती हैं ? क्या यह कहना सत्य है कि वस्तु-विनिमय में यदि एक पक्ष का लाभ होता है तो दूसरे को हानि ? इसके कारण मावधानी से बताइए । (म० भा० १९५६)
- ५—अदल बदल (Barter) की हानियाँ क्या हैं ? सिक्य के प्रचसन द्वारा वे कहाँ तक दूर हुई हैं ?
- ६—विनिमय के अर्थ का स्पष्ट अर्थ समझाइए । विनिमय में उपयोगिता में दोनों पक्षों को किस प्रकार लाभ होता है ?
- ७—विनिमय किसे कहते हैं ? इसे स्पष्ट कीजिये कि विनिमय की ज़रूरत में दोनों पक्षों को किस प्रकार लाभ होता है ? (म० भा० १९५४)
- ८—आप वस्तु विनिमय में क्या अर्थ समझते हैं ? वस्तु-विनिमय प्रणाली की कठिनाइयों को समझाइए । (प्र० बो० १९५५)
- ९—विनिमय की क्या शर्तें हैं ? एक उदाहरण सहित बताइयें कि विनिमय से दोनों पक्षों को उपयोगिता का किस प्रकार लाभ होता है ? (प्र० बो० १९५२)
- १०—मुद्रा द्वारा विक्री (Sale for Money) व वस्तु-विनिमय का स्थान क्या ले लिया ? समझाइए । (रा० बो० १९५५)
- ११—अदल-बदल की प्रमुख अमुविधायाँ का उल्लेख करिये । वर्तमान काल में ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में अदल-बदल के महत्त्व का वर्णन करिये । (देहली हा० मै० १९४८)

#### इण्टर एसीकलचर परीक्षाएँ

- १२—विनिमय का उदय कैसे होता है ? बताइयें कि क्रय विक्रय वाटंर की अथेक्षा श्रेष्ठ क्या होता है ? (प्र० बो० १९५७)
- अदल-बदली की अमुविधायाँ पर नोट लिखिए ।  
(रा० बो० १९५१, ४९; प्र० बो० १९५०, ४९, उ० प्र० १९५०, ४८)

## मंडी अथवा बाजार (विपणित) (Market)

### मंडी अथवा बाजार (विपणित) का अर्थ (Meaning of Market)

साधारण बोल चाल की भाषा में हम उस स्थान को मंडी अथवा बाजार कहते हैं जहाँ क्रय और विक्रीता अपनी अपनी वस्तुओं का मोदा करने के लिये एकत्रित होने हैं कभी-कभी मंडी अथवा बाजार किसी ग्रहणित या बड मकान में भी होता है। धान मंडी, सब्जी मंडी, रुपया बाजार, स्टेशनरी मार्ट, दोयर् मार्केट आदि इसके कुछ उदाहरण हैं। यदि एक वस्तु किमी विशिष्ट स्थान पर बेची जाती है तो वह स्थान उस वस्तु के लिये मंडी है। वस्तु जितनी वस्तुएँ एक स्थान पर बिकती हैं उतनी ही मंडियाँ उस स्थान में मानी जायगी। दूसरे शब्दों में मंडी अथवा बाजार शब्द का प्रयोग साधारणतया किसी स्थान-विशेष के लिये होता है जहाँ बडी बडी दुकानों या गोदाम बने हुए हैं, जहाँ क्रय विक्रय के लिये वस्तुएँ रखी जाती हो तथा क्रय और विक्रीता मोदा करने के लिये एकत्रित होते हैं। किन्तु अर्थशास्त्र में मंडी अथवा बाजार शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट एवं विस्तृत अर्थ में होता है। अर्थशास्त्र में मंडी अथवा बाजार से हमारा अर्थ किसी विशिष्ट स्थान में नहीं होता जहाँ वस्तुएँ बेची और खरीदी जाती हो बल्कि उस मारे क्षेत्र में होता है जिसमें क्रय और विक्रीता आपस में इस प्रकार प्रतिप्रयोगिता करें कि सारे क्षेत्र में वस्तु का मूल्य समान हो जाय। अतः यह स्पष्ट है कि आर्थिक मंडी अथवा बाजार का सम्बन्ध किसी स्थान विशेष में नहीं होता बल्कि वस्तु-विशेष के क्रय और विक्रीताओं से है जो आपस में सम्पर्क स्थापित कर प्रतिप्रयोगिता करते हैं तथा जिसके परिणाम-स्वरूप सारे क्षेत्र में एक ही मूल्य प्रचलित हो जाता है। वस्तु यदि एक ही क्षेत्र में एक ही वस्तु के क्रय और विक्रीताओं के अनेक समूह ही तो उस क्षेत्र में एक से अधिक बाजार हो सकते हैं, क्योंकि अर्थशास्त्र में बाजार शब्द का सम्बन्ध किसी स्थान विशेष में नहीं होता, बल्कि परस्पर प्रतिप्रयोगिता में सलग्न किमी वस्तु के क्रय और विक्रीताओं के समूहों से होता है। स्थानीयता का कोई बन्धन नहीं है। जैसे गेहूँ, रुई, चाँदी, सोना आदि का बाजार मसार-व्यापी है। इसी प्रकार एक ही क्षेत्र में एक ही वस्तु के विभिन्न बाजार अथवा मंडियाँ हो सकती हैं, जैसे धोकर बाजार और फुटकर बाजार, क्योंकि धोकर व फुटकर क्रय और विक्रीताओं के समूह भिन्न भिन्न होते हैं और उनके मूल्यों में भी पर्याप्त अन्तर पाया जाता है।

कुछ समय पूर्व जबकि यातायात व सम्वाद के साधनों का विकास नहीं हुआ था किमी स्थान विशेष को मंडी या बाजार कहना उचित ही था, क्योंकि वस्तु के क्रय और विक्रीता उन्ही स्थान के लोग होते थे। किन्तु अब परिस्थिति बिल्कुल बदल गई है। भारतीय चाय केवल भारत में ही नहीं बिकती है बल्कि इंग्लैंड और अमरिका

आदि दूर स्थित दशा में भी विक्रय होती है। अतः इसका बाजार विश्व व्यापी है। वह समस्त अर्थ जहाँ उसके क्रयता और विक्रयता उपस्थित हैं चाय के बाजार के अन्तर्गत आता है।

### कुछ प्रामाणिक परिभाषाएँ (Some Standard Definitions)

(१) प्रसिद्ध फ्रांसीसी अर्थशास्त्री कूर्नो (Cournot) ने मंडी अर्थवा बाजार को इन प्रकार परिभाषित किया है।

अर्थशास्त्रियों के अनुसार बाजार शब्द का आशय ऐसी स्थान से नहीं जहाँ कि वस्तु का क्रय विक्रय होता है बल्कि उस समस्त क्षेत्र से है जिसमें क्रयताओं और विक्रयताओं के मध्य ऐसी स्वतंत्र प्रतियोगिता हो कि किसी वस्तु का मूल्य सुगमता और क्षीघ्रता से समानता की ओर प्रवृत्ति प्रदर्शित करे।<sup>1</sup>

(२) डगलड के एक बड़े अर्थशास्त्री जेवन्स (Jevons) ने इस निम्न प्रकार परिभाषित किया है प्रारम्भ में बाजार किसी करव बा वह सार्वजनिक स्थान होता था जहाँ विक्री के लिये खाद्य एवं अन्य पदार्थ रखे जाते थे परन्तु यह शब्द अब एक विस्तृत अर्थ में प्रयुक्त होता है जिसका आशय उन व्यक्तियों के समूह से होता है जिनके मध्य में घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हैं और जो किसी वस्तु में बहुत से छोटे करें।<sup>2</sup>

### (३) हॉब्सन (Hobson) का परिभाषा

अनेक प्रत्यक्ष रूप में प्रतियोगिता करने वाले व्यापारों का नाम मंडी अर्थवा बाजार है।<sup>3</sup>

1— Economists understand by the term market not any particular place in which things are bought and sold but the whole of any region in which buyers and sellers are in such free intercourse with one another that the prices of the same goods tend to equality easily and quickly  
—Cournot

Quoted by Marshall in Principles of Economics P 324

2— Originally a market was a public place in a town where provisions and other objects were exposed for sales but the word has been generalised so as to mean any body of persons who are in intimate business relations and carry extensive transactions in any commodity  
—Jevons

Theory of Political Economy P 84—85

3— Market is the name given to a number of directly competing businesses  
—Hobson

(४) वॉकर (Walker) की परिभाषा :

राजनीति अर्थशास्त्र में बाजार (विपणन) शब्द का सकेत प्रथम तो वस्तुओं को और द्वितीय विनिमय करने वालों के समूह की ओर होता चाहिये • • जितने विनिमय करने वालों के समूह होंगे उतने ही बड़ा बाजार होगा ।<sup>4</sup>

(५) चैपमैन (Chapman) की परिभाषा .

यह आवश्यक नहीं है कि बाजार शब्द से स्थान का ही बोध हो परन्तु इससे सदैव वस्तु या वस्तुओं और उनके कर्ताओं व विक्रेताओं का बोध होता है जो एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप में प्रतियोगिता कर रहे हों ।<sup>5</sup>

(६) बेंहम (Benham) की परिभाषा

मंडी वह क्षेत्र है जहाँ केलाओं और विक्रेताओं में प्रत्यक्ष अथवा व्यापारियों के द्वारा इतना निकट सम्बन्ध हो कि मंडी के एक भाग में प्रचलित मूल्यों का अन्य भागों में दिये जाने वाले मूल्य पर प्रभाव पड़ता हो ।<sup>6</sup>

(७) ऐली (Ely) की परिभाषा

बाजार वह सामान्य क्षेत्र है जिसमें किसी वस्तु के मूल्य को निर्धारित करने वाली शक्तियाँ क्रियाशील हों

उपरोक्त विविध परिभाषाओं के अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि अर्थशास्त्र में मंडी अथवा बाजार किसी स्थान विशेष को नहीं कहते हैं,

4—"The term market in Political Economy should have reference to a species of commodity, secondly to a group of exchangers, there are as many markets as there are groups of exchangers "

—Walker

5—"The term refers not necessarily to a place but always to a commodity or commodities and the buyers and sellers of the same who are in direct competition with one another "

—Chapman

6—"We must therefore define a market as any area over which buyers and sellers are in such close touch with one another, either directly or through dealers, that the prices obtainable in one part of the market effect the prices paid in other parts "

—Benham

Economics—Benham Ch II P 20

7—In the words of Prof Ely, market means "the General field within which the forces determining the prices of a particular commodity operates "

वर्तक इस शब्द से उस सारे क्षेत्र ( Area ) या प्रदेश ( Region ) का अर्थ होता है जिसमें क्रेत्रा और विक्रेता फँसे हुये हैं और वे आपस में इस प्रकार प्रतियोगिता करें कि वस्तु का मूल्य सर्वत्र समान हो जाय उदाहरणार्थ, यदि एक वस्तु का मूल्य दो स्थानों में प्रतियोगिता न होने के कारण भिन्न-भिन्न है, तो अर्थशास्त्र की दृष्टि से उस वस्तु के दो बाजार हुये चाहे वे दो मील की दूरी पर ही क्यों न हों, परन्तु यदि एक वस्तु का मूल्य प्रतियोगिता होने के कारण दो स्थानों पर एक ही है, तो वह एक ही बाजार कहना चाहें वे दो स्थान परों की दूरी पर स्थित क्यों न हों। अतः यह स्पष्ट है कि आर्थिक मंडी (Economic Market) में न वस्तुओं की भौतिक उपस्थिति (Physical Presence) की आवश्यकता होती है और न कर्ताओं और विक्रेताओं का किसी विशिष्ट स्थान पर एकत्रित होना ही आवश्यक है। अतः में, विनिमय करने वालों का वह समूह जो एक दूसरे के साथ क्रय-विक्रय में प्रतियोगिता कर रहा हो आर्थिक मंडी अथवा बाजार कहलाता है।

आर्थिक मंडी अथवा बाजार की विशेषताएँ

(Characteristics of an Economic Market)

आर्थिक मंडी अथवा बाजार में निम्नलिखित विशेषताएँ होती चाहिएँ :

१. वस्तु विशेष न कि स्थान विशेष—आर्थिक मंडी को एक विशेषता यह है कि उसका सम्बन्ध किसी वस्तु विशेष के साथ होता है, न कि स्थान के साथ।

२. विनिमय करने वाले दलों का अस्तित्व आर्थिक मंडी की दूसरी विशेषता यह है कि वस्तु विनिमय के लिये कर्ताओं और विक्रेताओं के होने दोनों का होना आवश्यक है। ये बाजार के विभिन्न अंग हैं। इनके बिना किसी प्रकार का क्रय-विक्रय नहीं हो सकता।

३. विनिमय करने वाले दलों में पारस्परिक प्रतियोगिता—प्रतियोगिता आर्थिक मंडी का मुख्य अंग माना जाता है। परन्तु प्रतियोगिता के लिये यह आवश्यक नहीं है कि बेचने वाले और खरीदने वाले एक ही स्थान पर हों। वे भिन्न-भिन्न स्थानों में रहते हुये भी रेल, डाक, तार, टेलीफोन, रेडियो आदि की सहायता से आपस में अच्छी तरह से प्रतियोगिता कर सकते हैं।

४. मंडी की परिस्थितियों का ज्ञान—कर्ताओं और विक्रेताओं में प्रतियोगिता सभी सम्भव है जबकि इन्हे मंडी की परिस्थितियों का पूर्ण ज्ञान हो।

५. एक वस्तु का एक समय में एक ही मूल्य होना—प्रतियोगिता के प्रभाव में किसी वस्तु का मूल्य सम्पूर्ण क्षेत्र में एक समय में एक ही होगा। यदि किसी वस्तु के बेचने और खरीदने वालों में पूर्ण प्रतियोगिता है और उन्हें इस बात की स्वतन्त्रता है कि जब और जहाँ चाहे बेचें और खरीदें सकते हैं तो उन द्वारा उस वस्तु का मूल्य मंडी के प्रत्येक भाग में समान होगा। उदाहरण के लिये, कोई बिजनेस किसी वस्तु को घोरों की अनेकानेक मूल्य पर बेचने की तैयार है, तो ऐसी दशा में वह आहूक उगाने और बिचें आयेगा। अतः वे बिजनेस को वह वस्तु बेचना असोष्ट है तो उन्हें भी वही मूल्य स्वीकार करना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि कोई आहूक मूल्यों की अपेक्षा अधिक मूल्य देने की तैयार है, तो सभी बिजनेस अपने माल को

उसी के हाथ बेचना चाहेंगे। अन्य बाहूबोको वह वस्तु न मिल सकेगी जब तक कि वे भी उतना ही मूल्य देने को तैयार न हो जायें। इस प्रकार प्रतियोगिता के प्रभाव में किसी एक वस्तु का मूल्य मही या बाजार के भिन्न भिन्न भागों में यातायात के लाभ-व्यय को छोड़कर एक समान रहना स्वाभाविक है।

**पूर्ण और अपूर्ण बाजार (Perfect & Imperfect Market)**

एडम स्मिथ (Adam Smith) तथा अन्य अर्थशास्त्रियों ने विनिमय के क्षेत्र में पूर्ण बाजार की कल्पना की है। जिस बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता (Perfect Competition) प्रचलित हो उसे अर्थशास्त्र में पूर्ण बाजार कहते हैं। जिस बाजार में प्रतियोगिता अपूर्ण (Imperfect) हो, वह अपूर्ण बाजार कहलायेगा। पूर्ण प्रतियोगिता होने की दशा में सम्पूर्ण बाजार में एक ही मूल्य (Single Price) प्रचलित होगा। अर्थात्, एक ही प्रतियोगितामूलक मूल्य (Competitive Price) पूर्ण बाजार का लक्षण एवं परीक्षा है। यदि बाजार में एक ही प्रकार की वस्तु के पृथक् पृथक् मूल्य प्रचलित हों तो सभी क्रिया उन विक्रेताओं में समीप जो कम मूल्य पर बेच रहे हों और सभी विक्रेता उन क्रयकर्ताओं को बेचेंगे जो उच्च मूल्य पर समीप रहे हों। इस प्रकार मूल्यों का अन्तर बिलीन होकर मदा एक ही मूल्य स्थापित हो जाता है। यदि बाजार या मही विस्तृत हो, तो यातायात-व्यय के बराबर मूल्यों में अन्तर छोटा देने से समानता का बोध हो सकता है।

**पूर्ण बाजार के लिये आवश्यक बात (Necessary Conditions for Perfect Market) —**पूर्ण बाजार तभी सम्भव है, जबकि —

- (१) क्रेता और विक्रेता बड़ी संख्या में हों,
- (२) उनके मध्य परस्पर पूर्ण एवं स्वतन्त्र प्रतियोगिता हो
- (३) क्रेताओं और विक्रेताओं को क्रय-विक्रय सम्बन्धी बातों का ज्ञान हो
- (४) वस्तु को बाजार में एक स्थान से दुसरे स्थान पर ले जाने का कुत्रिम प्रतिकल्प न हो,
- (५) वस्तु की किसम प्रादि में कोई अन्तर न हो,
- (६) व्यापारियों के स्वयं में किसी प्रकार का बाहरी हस्तक्षेप न हो,
- (७) वस्तु एक कुशल यातायात के साधन हो, और
- (८) बाजार विस्तृत हो।

**निम्नांकित दशाओं में पूर्ण बाजार है या अपूर्ण ? —**

(अ) पुरानी पुस्तक एवं वस्त्र (Second-hand Books and Clothes) — पुरानी पुस्तकों और वस्त्रों का बाजार अपूर्ण होता है, क्योंकि उनका कोई प्रामाणिक मूल्य (Standard Price) नहीं होता है।

(आ) ऋण राशि (Loan of Money) — ऋण की जोयम और सबधि में अनुसार ब्याज-दर में बड़ी भिन्नता पाई जाती है। पाश्चात्य देशों में जहाँ बैंकिंग प्रणाली सुव्यवस्थित है, यदि ऋण की अन्य दशाएँ समान हों, तो ब्याज दर में भिन्नता नहीं हो सकती। परन्तु भारतवर्ष में मुद्रा-बाजार अपूर्ण है, क्योंकि साहजिक से ऋणियों की अनभिज्ञता (Ignorance) का अनुचित लाभ उठाने के और अधिक दर में ब्याज समूल करने हैं।

(इ) विदेशी चलार्य ( Foreign Currency )—विदेशी चलार्य का प्रायः पूरा बाजार होता है क्योंकि व्यवहारकर्ता ( Dealers ) इतने निकुण होते हैं कि तनिय भी परिवर्तन क्या न हा के उनको नोट करते हैं और लाभ उठाते हैं।

(ई) वास्तविक सम्पत्ति ( Real Estate )—वास्तविक सम्पत्ति का बाजार माधारणतया पूरा होता है। इसका व्यापार विविध ज्ञान वाले प्रभिकर्ताओं ( Agents ) के द्वारा होता है और जता गया अपनी रायि इनमें लगाने के पूर्व पर्याप्त छानबीन करते हैं।

(उ) उपभोक्ताओं की वस्तुएँ ( Consumers Goods )—उपभोक्ताओं की वस्तुओं का बाजार अपूरण होता है क्योंकि कुम्हार मूल्यों में दुकान दुकान और म्यान म्यान के बीच पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है।

(ऊ) श्रम-सेवाएँ ( Labour Services )—श्रम-सेवाओं का बाजार अपूरण होता है क्योंकि श्रम की गतिशीलता कम हान में ऊँची मृत्ति ( मजदूरों ) का लाभ नहीं उठाया जा सकता। इसके अतिरिक्त श्रमिक सौदा करने में कमजोर होता है और प्रायः वह यह नहीं जानता कि कहीं अधिक मृत्ति ( wages ) मिल सकता है।

(ए) नाशवान वस्तुएँ ( Perishable Goods )—शोषण-प्रवृत्त हान वाले वस्तुओं का बाजार प्रायः अपूरण होता है क्योंकि इन वस्तुओं का उपभोग एक क्षण विराम स्थान पर होता है। जितना अधिक बाजार विकसित होगा उतनी ही अधिक पूरणा उसमें होगी।

(ऐ) फुटकर व्यापार की वस्तुएँ ( Retail Goods )—फुटकर व्यापार की वस्तुओं का बाजार अपूरण होता है क्योंकि उनकी खानोख मांग होती है और फुटकर व्यापारियों के दृष्टांत में तथा उपभोक्ताओं की मर्यादा में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है।

क्या पूर्ण बाजार का अस्तित्व बाल्पनिक है ?

पूरा बाजार का अस्तित्व मर्यादात्मक है क्योंकि इसकी अपूर्णता—'पूरा प्रतिबोधिता' स्वयं बाल्पनिक है। पूर्ण प्रतिबोधिता का अस्तित्व बाल्पनिक रास्ता में भेद ही देखा जा सकता है परन्तु व्यावहारिक जीवन में पूर्ण प्रतिबोधिता का अस्तित्व असंभव सिद्ध होता है। इसका कारण स्पष्ट है। घाटकों की न ता हम बात का पूरा ज्ञान होता है और न उह जानने के नियम हम नमय है कि प्रमुख वस्तु मूल्य में कहीं मिलती है। इसका अतिरिक्त यातायात व्यय अमुविधा और ज्ञानस्य के कारण वे दूर स्थित सन्तों दुकानों में खरीदने के बजाय पान का मर्यादा दुकानों में ही वस्तुओं खरीद लेते हैं। यही नहीं दुकानदारों के धनधार और उनका द्वारा या जान वाली सुविधाओं में पर्याप्त भिन्नता पाई जान के कारण जब ही बाल्पु विभिन्न मूल्यों पर विकती हुई देखी जाती है। इन्हीं सब कारणों से फुटकर व्यापार में प्रतिबोधिता बहुत ही अपूरण होगी है। शोक और सृष्टा बाजार के सम्बन्ध में अवश्य पूरा प्रतिबोधिता की बाल्पता बहुत अर्थ में अतिरिक्त होती है।

मानव एक और प्रकृति दृष्टिगोचर होती है जो पूरा प्रतिबोधिता की धारण निरुद्ध होती है। एक वस्तु धारण में परिवर्तन से विभिन्न लाभ और न्य धारण कर विभिन्न वस्तुओं के लाभ से विकने लगती है। विभिन्न ब्राह्मण, पंक्ति विभाजन आदि अनेक ऐश साधन हैं जिनके द्वारा श्रावण का अपनी और धारणित दिया जाता है।

इस प्रकार पूर्ण प्रतियोगिता काल्पनिक सिद्ध होती है। हाँ यह अवश्य कटु जा सकता है कि कुछ वस्तुओं का बाजार अन्य वस्तुओं के बाजार को अपेक्षा अधिक पूर्ण है। अस्तु, बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता के स्थान में केवल अधिक और कम प्रतियोगिता ही सम्भव हो सकती है।

एक आदर्श अथवा उत्तम बाजार के गुण

(Qualities of an Ideal or Good Market)

एक आदर्श अथवा उत्तम बाजार के निम्नांकित गुण होने चाहिये :—

(१) प्रतियोगिता—क्रैताओं और विक्रेताओं में पर्याप्त प्रतियोगिता होनी चाहिये जिसके कारण वस्तु का मूल्य सम्पूर्ण बाजार में एक-सा रह सके।

(२) बाजार की परिस्थितियों का ज्ञान—क्रैताओं और विक्रेताओं की पारस्परिक प्रतियोगिता दोनों पक्षों को दम बान के लिये बाध्य करनी है कि वे एक दूसरे के कार्यों में तथा वस्तु सम्बन्धी माँग व पूर्ति की दशाओं में भ्रान्ति-भ्रान्ति अवगत रहे ताकि वे बाजार में सलाह कार्य कर सकें।

(३) मूल्य की समानता—जिस बाजार में समस्त भागों में एक-सा मूल्य प्रचलित होता है वह एक आदर्श बाजार माना जाता है। क्रैताओं और विक्रेताओं को पारस्परिक प्रतियोगिता इस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है।

(४) भले तथा विज्ञ विचरानों—विचरानों भले तथा ज्ञानकार धादमी होने चाहिये जो वस्तुओं का मूल्य स्थिर करने में क्रैताओं और विक्रेताओं की सहायता कर सकें।

(५) पर्याप्त एवं शीघ्र यातायात व सम्वाद के साधन—यातायात व सम्वाद के साधन पर्याप्त, सुगम तथा शीघ्र होने चाहिये जिनमें वस्तुओं का मूल्य सम्पूर्ण मंडी अथवा बाजार में समान रह सके।

(६) मंडी अथवा बाजार की विस्तृति—बाजार जितना ही अधिक विस्तृत होना है उतना ही वह आदर्श या उत्तम बाजार बन जाता है।

(७) बाहरी हस्तक्षेप का अभाव—जित मंडी या बाजार में क्रैता और विक्रेताओं अपना-अपना कार्य स्वतन्त्रतापूर्वक कर रहे हों, उसे उत्तम मंडी या बाजार कहेंगे। सत्कार्ड के समय की कन्ट्रोल-व्यवस्था इसी का एक उदाहरण है।

(८) प्रतिव्ययहीन वस्तु-स्थानान्तरण—बाजार में वस्तु-स्थानान्तरण में किसी प्रकार का व्यय प्रतिकूल नहीं होना चाहिये। लड़ाई के समय में शौर अथवा बर्द वस्तुओं के स्थानान्तरण में प्राचीन प्रतिकूल व्यय हुये हैं। इस प्रकार के प्रतिकूल उत्तम बाजार के स्तर में गिराने वाले होते हैं।

बाजार का नियम ( Law of Market )—जैसा कि हम ऊपर देख चुके हैं कि यदि बाजार में विज्ञ क्रैता और विक्रेता एक बड़ी संख्या में पूर्ण रूप में प्रतियोगिता कर रहे हों, वस्तु का प्रसार एक-सा हो और वस्तु के स्थानान्तरण में कोई प्रतिकूल न हो, तो उस वस्तु का एक ही समय में सर्वत्र एक ही मूल्य रहेगा। यह नहीं हो सकता है कि एक स्थान पर वस्तु उखरी हो और दूसरे स्थान पर मरुती। यदि किसी विक्रेता ने अपना मूल्य बड़ा दिया, तो उसके अहक तुल्य उने छिड़कर अन्य समने विक्रेताओं में वस्तु खरीदना प्रारम्भ कर देंगे। अतः उन व्यापारी को भी अपना मूल्य उसी स्तर पर स्थिर करना पड़ेगा, क्योंकि स्वतन्त्र प्रतियोगिता में सस्ते मूल्य के मुकाबले में प्राप्ति की



दृष्टि में व्यापारी की निर्रता एवं मूल्यबहुत कोई महत्त्व नहीं रखता। इसी प्रकार यदि कोई क्रेता कम मूल्य देना चाहे, तो कोई विक्रेता उसे वस्तु नहीं बेचेगा, क्योंकि प्रत्येक विक्रेता को यह मासूम है कि उस मूल्य पर उसे बहुत-से क्रेता मिल जायेंगे। अतः क्रेता को विवश होकर वही मूल्य देना पड़ेगा जो अन्य क्रेतागण दे रहे हैं। इस प्रकार बाजार में एक ही समय में एक वस्तु का मूल्य एक ही होता है। अस्तु, एक ही समय में एक वस्तु का मूल्य प्रचलित होने की प्रवृत्ति को बाजार का नियम (Law of Market) कहते हैं।

यह स्मरण रखने योग्य बात है कि बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता आदि दशाओं में एक ही समय एक ही वस्तु का एक ही मूल्य प्रचलित होता स्वभाविक है। मूल्य में कोई अन्तर है तो वह केवल यातायात-व्यय (Cost of Transport) जिसमें प्राप्त-बीगा व्यय, दलानो, बैंक कर्पोशय, खुली-कर आदि सम्मिलित होते हैं, सम्मिलित होता है। अस्तु, यदि बाजार विस्तृत हो, तो यातायात-व्यय के बराबर मूल्यों में अन्तर खोड़ देना चाहिये। उदाहरणार्थ, यदि कानपुर और आगरा के बीच गेहूँ का यातायात व्यय ₹ ६० मन है, तो दोनों के बीच में गेहूँ के मूल्य में एक रुपये तक का ही अन्तर मिलेगा। यदि इसे निकाल दिया जाय, तो दोनों स्वाभाविक मूल्य एक-सा हो जायगा।

उदासीनता का नियम (Law of Indifference) — यदि प्रतियोगिता पूर्ण एवं स्वतन्त्र हो और वस्तु एक ही प्रकार की हो, तो एक ही समय में उसके प्रत्येक भाग का एक ही मूल्य होगा, और उनका कोई भी भाग उसके किसी दूसरे भाग में लिये उदासीनतापूर्वक प्रयुक्त किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि सब वस्तुएँ समान होने से क्रेता विक्रेता विशेष की ओर से उदासीन (Indifferent) रहता है। अर्थात् वस्तु सस्ती मिलती है वह वही में खरीद लेता है। किन्तु द्वारा उस वस्तु की पूर्ति की गई, वह तनिक भी जानने की इच्छा नहीं करता। इसी प्रकार विक्रेता भी क्रेता-विशेष की ओर से उदासीन रहता है। जो उसे अधिक मूल्य दे उसे ही वस्तु बेच देता है। उस वस्तु को सब इकाइयाँ समान होने तथा क्रेता और विक्रेता की पारस्परिक उदासीनता के कारण ही मूल्य एक रहता है। अतः इस प्रवृत्ति को प्रसिद्ध प्रथमसत्री जेवन्स (Jevons) ने उदासीनता का नियम (Law of Indifference) कह कर पुकारा है। यदि ऐसा न हो और क्रेता किन्हीं विशिष्ट क्रेता अथवा दुकानदार से वस्तु खरीदे अथवा दुकानदार किसी विशिष्ट क्रेता अथवा ग्राहक को ही वस्तु बेचे, तो बाजार में मूल्य का अन्तर हो सकता है। इस नियम के अनुसार एक ही बाजार में एक ही समय में एक ही वस्तु का एक ही मूल्य होना चाहिये। यदि यह नियम लागू होता है, तो बाजार पूर्ण कहलायेगा अन्यथा अपूर्ण।

### बाजारों का विकास

#### (Evolution of Markets)

समय बड़ा परिवर्तनशील है। आर्थिक जीवन की प्रारम्भिक अवस्था में मनुष्य की बहुत कम आवश्यकताएँ थी। यह अपनी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएँ स्वयं उत्पन्न करता था। अस्तु, उस समय में विनिमय की कोई आवश्यकता थी और न मंडी अथवा बाजार का ही कोई अस्तित्व था। धीरे-धीरे मनुष्य मनुष्य की ओर अग्रगण्य हुआ और कालान्तर में अपने भौतिक सम्पत्ति में बड़ी उन्नति की। पहले अदना-वस्त्रों के

रूप में विनिमय प्रारम्भ हुआ जिसके फलस्वरूप स्थानीय बाजारों का प्रादुर्भाव हुआ । तदनन्तर विनिमय क्षेत्र के विकास और यातायात व सम्बाध के साधनों की उन्नति के साथ साथ राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों ने जन्म लिया और बाजार सामान्यता से विभिन्नोकारण की और सुगठित होने लगे ।

अस्तु, बाजारों के विकास का अध्ययन हम दो दृष्टिकोणों में कर सकते हैं—

(१) भौगोलिक दृष्टिकोण से, और (२) क्रियात्मक दृष्टिकोण से ।

(१) भौगोलिक विकास (Geographical Evolution)—भौगोलिक दृष्टि से बाजार तीन प्रकार के होते हैं ।

(अ) स्थानीय बाजार (Local Market)—जब किसी वस्तु के क्रय-विक्रय और विक्रेताओं की व्यापारिक क्रियाएँ किसी विशिष्ट स्थान पर ही सीमित हों तो उस वस्तु का बाजार स्थानीय कहा जायेगा । उदाहरणार्थ, धान मंडी, मक्की मंडी, लोहा मंडी, सर्गिका, क्लॉथ मार्केट, स्टेयनरी मार्केट आदि । शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएँ जैसे—दूध, दही, मक्खन, घड़े, मांस, हरा शाक, ताजा फल-फूल आदि और भारी व गहरी वस्तुएँ जैसे—ईट, इमारती पत्थर, बालू-रेत आदि का क्रय-विक्रय भी इनके अन्तर्गत आता है । परन्तु भ्रम 'शीतगार' ( Cold Storage ) के द्वारा नाशवान् भ्रमार्थ शीघ्र नष्ट होने वाले ( Perishable ) वस्तुओं को कई दिनों तक ताजा रखा जा सकता है । अतः जहाँ शीघ्र एवं सभ्य यातायात के साधनों के साध-साध 'शीतगार' की सुविधा प्राप्त है, वहाँ ऐसी वस्तुओं का बाजार भ्रम अधिक विस्तृत हो गया है :—

स्थानीय बाजार की विशेषताएँ ( Characteristics of a Local Market )—स्थानीय बाजार की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं :—

(१) स्थानीय बाजार में वस्तुओं का क्रय-विक्रम किसी घणुक स्थान पर ही, जहाँ कि वह उत्पन्न भ्रमवा संपार की जाती है, सीमित होता है ।

(२) क्रेता और विक्रेता प्रायः उन्ही स्थान के होते हैं ।

(३) यह किसी गाँव, कस्बे भ्रमवा नगर तथा उससे १०-१२ मील की दूरी तक ही सीमित होता है ।

(४) जो व्यापार थोड़ी मात्रा में होता है वह स्थानीय मंडी तक ही सीमित रहता है, जैसे घुटकर व्यापार ।

(५) नाशवान् वस्तुओं का बाजार स्थानीय होता है, जैसे दूध, मक्खन, घड़े, मांस, मछली, हरा शाक, ताजा फल-फूल इत्यादि ।

(६) भारी एवं गहरी वस्तुओं का बाजार स्थानीय होता है, जैसे ईट, इमारती पत्थर, बालू-रेत, पीसी मिट्टी इत्यादि ।

(७) जहाँ वस्तु-विनिमय (Barter) प्रथा प्रचलित है वहाँ केवल स्थानीय बाजार ही होता है ।

(८) जिन वस्तुओं के क्रय-विक्रय में व्यक्तिगत रजिनों की प्रवृत्तता होती है, उनका स्थानीय बाजार होता है ।

(घ) प्रांतीय बाजार ( Provincial Market )—जब किसी वस्तु का क्रय-विक्रय केवल किसी प्रांत तक ही सीमित हो, तो उस वस्तु का बाजार

प्रान्तीय बाजार कहलायेगा। जैसे, भाँसी व इलाहाबाद की घाँस और खैर की टाकरियाँ प्रायः ३० प्र० म ही विकती हैं। इसी प्रकार इलाहाबाद के दूध, बरेली का पर्नीचर और बनारस के मुट्ठे प्रान्तीय बाजार के कुछ अन्य उदाहरण हैं।

**प्रान्तीय बाजार की विशेषताएँ (Characteristics of a Provincial Market)** प्रान्तीय बाजार की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं —

(१) वस्तु के फ़ैला और विक्रेता का किसी निश्चित स्थान अर्थात् गाँव, बस्ते या नगर तथा उगने प्राप्त प्राप्त के धन तक ही सीमित न होकर सम्पूर्ण जिले या प्रान्त में फैले हुए होने हैं।

(२) वस्तु घीघ्र नष्ट होने वाली नहीं है। प्रान्तीय बाजार में केवल टिकाऊ वस्तुओं का क्रय विक्रय होता है।

(३) केवल प्रान्तीय महत्व एवं प्रसिद्धि की ही वस्तुएँ इसमें समाविष्ट होती हैं।

(४) वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रायः प्रान्त की सीमा तक ही सीमित रहता है।

(५) राष्ट्रीय बाजार (National Market)—जब किसी वस्तु का क्रय-विक्रय देशव्यापी हो, अर्थात् उसके बँदा और विक्रेता सारे देश में फैले हुए हों, तो उस वस्तु का बाजार राष्ट्रीय अर्थात् राष्ट्र या देश व्यापी बाजार कहलायेगा। उदाहरणार्थ, धोतियाँ, साडियाँ, चूडियाँ, भारतीय टोपी, पगड़ी व माफा, भारतीय रफ़िया व नोट, हुका, भारतीय कम्पनियाँ और बँकों के शेयर रिजर्व बैंक के शेयर, माधु-गन्ध, सगमरमर का पर्यर आदि वस्तुओं का क्रय विक्रय तथा चलन केवल भारतवर्ष में ही सीमित है, अतः इनका बाजार राष्ट्रीय है। इसी प्रकार चायान, रई, वस्त्र, चादो, सोना, मसाला आदि वस्तुओं का भी राष्ट्रीय बाजार है। जो वस्तुएँ टिकाऊ और मूल्यवान हैं उनका बाजार प्रायः राष्ट्रव्यापी होता है।

**राष्ट्रीय बाजार की विशेषताएँ (Characteristics of a National Market)**—राष्ट्रीय बाजार की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं —

(१) राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं का क्रय विक्रय तथा चलन किसी देश की सीमाओं तक ही सीमित होता है। जैसे भारतीय पगड़ी, टोपी, रफ़िया व नोट, साडियाँ, धोतियाँ, चूडियाँ आदि।

(२) जो वस्तुएँ टिकाऊ तथा मूल्यवान हैं उनका बाजार राष्ट्रव्यापी होता है। जैसे—रई, चादो, सोना इत्यादि।

(३) जिन वस्तुओं के नगूने निकाले जा सकते हैं तथा जिनका क्रय-विक्रय, क्रम बंधन (Grading) एवं विवरण द्वारा ही सकता है, तो उन वस्तुओं का राष्ट्रीय बाजार होता है। जैसे—वस्त्र, साडियाँ आदि।

(४) राष्ट्रीय बाजार का महत्व किसी एक राष्ट्र या देश तक ही सीमित होता है।

(५) जिन वस्तुओं की माँग व पूर्ति राष्ट्रव्यापी होती है, तो उनका बाजार भी राष्ट्रव्यापी होता है।

(ई) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार (International or World Market)

जब किसी वस्तु का क्रय-विक्रय संसार के सभी भागों में होता हो, अर्थात् उसके क्रेता और विक्रेता समस्त संसार में फैले हों, तो उस वस्तु का अन्तर्राष्ट्रीय या विश्वव्यापी बाजार कहलावेगा। उदाहरणार्थ, गेहूँ, रई, ऊन, चमड़ा, जूट, चाय, चाँदी, निमहन, चाँदी, सोना तावा, लोहा व इस्पात, पेट्रोल, रेशमी वस्त्र, स्वेज नहर के वेपत्र माल पर, पूँजी ( Capital ) आदि। सोनाघार एवं यानवाहन के साधनों की मुविता के कारण फल, आम, बड़े आदि फीस नष्ट होने वाली वस्तुओं का भी बाजार आज़कल विश्वव्यापी होता जा रहा है। आस्ट्रेलिया का मॉस आज़ सोनाघार के कारण हो इंग्लैंड के निवासियों को तदनस्थियों को अपनी ताजा हालत में मुसोमिन कर रहा है।

अन्तर्राष्ट्रीय अथवा विश्वव्यापी बाजार की विशेषताएँ ( Characteristics of World or International Market )—एक अन्तर्राष्ट्रीय अथवा विश्वव्यापी बाजार में निम्नलिखित विशेषताएँ पाई जाती हैं।

(१) जिन वस्तुओं के इँताओं और विस्तेओं की पारम्परिक प्रतियोगिता विश्वव्यापी हो, तो उन वस्तुओं का बाजार अन्तर्राष्ट्रीय होगा। जैसे—गेहूँ, रई, चाँदी, सोना, स्वेज नहर के वेपत्र इत्यादि।

(२) जिन वस्तुओं की माग और पूर्ति तथा क्रय-विक्रय विश्वव्यापी हो तो उन वस्तुओं का राष्ट्रीय बाजार होगा। जैसे—गेहूँ, रई, चाय, तावा, चाँदो, सोना, लाहा इत्यादि।

(३) जिन वस्तुओं का ज्य विक्रय नमूनों (Samples of Patterns), जम-बन्धन (Grading) तथा विवरण ( Description ) द्वारा हा सकता है, तो उनका बाजार विश्वव्यापी होगा। जैसे—बरत, रई, ऊन, चाय, गेहूँ इत्यादि।

(४) जिन वस्तुओं में खल्य भार न अधिक मूल्य ले जान की शक्ति है, उनका अन्तर्राष्ट्रीय बाजार होता है। जैसे—चाँदो, सोना इत्यादि।

(५) जो वस्तुएँ टिकाऊ हैं तथा जिनकी खल्य संसार में है, उनका अन्तर्राष्ट्रीय बाजार होता है। जैसे—गेहूँ, रई, लोहा आदि।

(२) क्रियात्मक विकास ( Functional Evolution )—क्रियात्मक दृष्टि में बाजार निम्न प्रकार के होते हैं :—

(अ) सामान्य या मिश्रित बाजार (General or Mixed Market)—जिम् बाजार में मनुष्य की आवश्यकता की अनेक वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता हो तो वह सामान्य या मिश्रित बाजार कहलावेगा। पुराने समय में अपने देश में बाजार सामान्य एवं मिश्रित हुआ करने थे, अर्थात् एक ही बाजार में मनुष्य की आवश्यकता की अनेक वस्तुएँ मिल जाती थी। अतिक्रम बाजार गौरी में इसी प्रकार के होने हैं, परन्तु मध्य कुछ विशिष्टीकरण ( Specialization ) होने लगा है, अर्थात् निम्न-निम्न वस्तुओं के बाजार पृथक-पृथक होने लगे हैं। पहरो में यह प्रवृत्ति और पक्क रही है।

(आ) विविष्ट बाजार (Specialised Market)—बाजारों के क्रियात्मक विकास की दूसरी श्रेणी विविष्ट बाजार है। भौतिक विकास के साथ-साथ वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा और उनकी संख्या तथा किस्मों में भी वृद्धि हुई। इसके साथ-साथ श्रम विभाजन का विकास हुआ और उपभोग के क्षेत्र में असाधारण उत्पत्ति हुई जिसे परिणामस्वरूप बाजारों का विशिष्टीकरण हुए अर्थात् एक ही प्रकार की वस्तुओं की एक ही स्थान में विक्री होने लगी। उदाहरणार्थ, बड़े-बड़े नगरों में सोन-बादों का बाजार बसता होता है जिसे सराफा कहते हैं। इसी प्रकार तरकारी बाजार पृथक् होता है जिसे मन्नी मंडी कहते हैं। घान मंडी, धो मंडी, लाहा मंडी, बनाव मार्केट, स्टेशनरी मार्केट आदि इसी प्रकार के कुछ अन्य उदाहरण हैं। अस्तु, विविष्ट बाजार वह स्थान है जहाँ पर केवल एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बय-विक्रय होता है। जैसे—सराफे में केवल चाँदी-जाल की वस्तुओं का ही व्यवहार होता है, घान मंडी में विभिन्न प्रकार के अनाज खरीदे व बेचे जाते हैं।

(इ) नमूने द्वारा विक्री (Marketing by Sample)—जब मात्र बड़ी मात्रा में तथा अनेक किस्मों में तैयार होने लगे, तो विक्रेता को सारा माप दिनांक कर विक्री करने में कठिनाई होने लगी। तब नमूने द्वारा विक्री का प्रादुर्भाव हुआ। अब दुकानदार अनेक नमूने के लिये ही अपनी दुकान में माप रखते हैं या वेपे माप स्टॉक गोशाला में रखते हैं। नमूने के आधार पर खेता और विक्रेता के मध्य सौदा तय हो जाता है। नमूने डाक द्वारा आसानी से बाहर भेज जा सकते हैं। व्यापारिक एजेंट केवल नमूने की महायत्ना में ही आउटर प्राप्त कर पाते हैं। सायात्र, रूई, गरम मसाले, चाय, कपड़ा, दवाइया आदि वस्तुओं का अल्प विक्रय नमूने द्वारा सफलतापूर्वक हो जाता है। हमारे पास व्यापार में अविचलित तरीके हैं बचत में लावा जाता है। अस्तु, नमूने द्वारा विक्री करने का वह ढंग है जिसमें नमूने द्वारा व्यापारियों के मध्य सौदा तय किया जाता है।

(ई) ग्रेड द्वारा विक्री (Marketing by Grade)—ग्रेड द्वारा विक्री को पद्धति के नमूने स्थान की आवश्यकता का भी अर्थ कर दिया। इस पद्धति के अन्तर्गत एक ही वस्तु के अनेकों किस्मों के अनुसार विभिन्न ग्रेड अर्थात् वर्ग निर्दिष्ट कर दिये जाते हैं, और प्रत्येक वर्ग का एक पृथक् नाम या चिह्न (Trade Mark) निश्चित कर दिया जाता है। तब उन्हीं वर्गों अर्थात् ग्रेडों के आधार पर वस्तुओं का बय-विक्रय होना रहता है। उदाहरणार्थ, गन्ने के बड़े ग्रेड हैं, जैसे पूमा नं० १२, आम्स्ट्रिया नं० २ आदि, चाय भी बड़े ग्रेडों में विभक्त है जैसे अरिज पीकाव नं० १, निपटन चाय आदि, रूई को मडोश, बगान, ऊमरा आदि अनेक ग्रेडों में बाँट लया है। इसी प्रकार पोस्टूम, फ्लोरिड, तीन हाथी आदि प्रसिद्ध लठ्ठे (एक पण्डा विषय) की किस्म हैं। ये ग्रेड इन्हीं प्रसिद्ध और गुणवत्तियों से गये हैं कि बिना देव केवल नाम में ही सौदा तय हो जाते हैं। इस पद्धति से बाजार केवल राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि विश्व-व्यापी हो जाता है। अस्तु, ग्रेड द्वारा विक्री करने का वह ढंग है जिसमें एक ही वस्तु किस्मों के अनुसार बड़े ग्रेडों अर्थात् वर्गों में विभक्त कर दो जाता है और उनके अलग-अलग नाम या चिह्न निश्चित कर दिये जाते हैं जिनके आधार पर बय-विक्रय होना रहता है।

## बाजारों के भेद

### (Types of Markets)

बाजारों का विभाजन मुख्यतः दो दृष्टिकोणों से किया जा सकता है—

क्षेत्रानुसार और कालानुसार ।

१. क्षेत्रानुसार बाजार (Space Markets)—शेयर की दृष्टि से बाजार को हम स्थानीय, प्रांतीय, राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में विभक्त कर सकते हैं। इनका विस्तार विवेचन ऊपर किया जा चुका है अतः इन्हे यहाँ दोहराना आवश्यक मान है।

२. कालानुसार बाजार ( Time Markets )—समय के साधारण पर बाजार को हम दैनिक, अल्पकालीन और दीर्घकालीन बाजारों में विभक्त कर सकते हैं। यह विभाजन वस्तु की माँग (Demand) और पूर्ति (Supply) के संतुलन (Equilibrium) अर्थात् समानता के लिये जितना समय या अवधि आवश्यक होती है उस पर निर्भर रहता है। यह बात नीचे के विवरण में स्पष्ट हो जाती है :

(अ) दैनिक बाजार ( Daily Market )—इसे दैनिक बाजार इसलिए कहते हैं कि यह कुछ ही घण्टों अथवा एक या दो दिन तक ही रहता है। इसीलिये इसे अति अल्पकालीन बाजार (Very Short Period Market) भी कहते हैं। इसमें किसी वस्तु की पूर्ति ( Supply ) विस्तृत निश्चित एवं सीमित होती है और तुरन्त घटाई या बढाई नहीं जा सकती, किन्तु उसकी माँग में घटा-बढी हो सकती है। इसमें समय इतना कम होता है कि किसी वस्तु की माँग बढाने पर उस वस्तु का स्टॉक जो उस समय उपलब्ध है बढाना नहीं जा सकता, क्योंकि इतने अल्प समय में वह वस्तु न तो उत्पन्न या तैयार की जा सकती है और न बाहर से ही मँगाई जा सकती है। अस्तु, माँग बढने पर उस वस्तु का मूल्य भी बढ जाता है। इसी प्रकार माँग घट जाने पर मूल्य भी कम हो जाता है। अतः ऐसे बाजार में मूल्य निर्धारण में माँग (Demand) का मुख्य हाथ होता है। अतः शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का बाजार दैनिक अथवा अति अल्पकालीन होता है, जैसे—दूध, मखन, मांस, मछली, घडे, ताजी तरकारियाँ व फल-पुल, बर्फ इत्यादि। अस्तु, दैनिक अथवा अति अल्पकालीन बाजार वह है जो बहुत ही थोड़े समय अर्थात् कुछ ही घण्टों या दिनों तक रहता है और जिसमें वस्तु की माँग की मूल्य-निर्धारण में पूर्ण प्रधानता होती है।

दैनिक बाजार की विशेषताएँ (Characteristics)

( १ ) यह बाजार अति अल्पकालीन होता है, अर्थात् कुछ घण्टों या एक-दो दिन तक ही रहता है।

( २ ) इस प्रकार के बाजार की प्रधानता यह है कि वस्तु-विशेष की पूर्ति (Supply) अर्थात् स्टॉक जो उस समय उपलब्ध है निश्चित होता है, जम्मे उत्पादकता करना विस्तृत सम्भव नहीं है, क्योंकि समय बहुत थोड़ा होता है।

( ३ ) दैनिक बाजार में किसी वस्तु के मूल्य-निर्धारण में माँग की प्रधानता होती है, अर्थात् माँग की मूल्य-निर्धारण से ही मूल्य प्रभावित होता रहता है।

( ४ ) दैनिक बाजार में केवल दीर्घ गढ़ होने वाली वस्तुओं का ही त्रय विद्यमान होता है। उदाहरणार्थ, दूध, मक्खन, ताजा तरकारियाँ, फल फूल, घड़े, मीस, मछली, बर्फ इत्यादि ।

( ५ ) इस प्रकार के बाजार में वस्तुओं का मूल्य माँग की अनुपस्थिति के प्रभाव में ज़रदी-जस्दी बदलता रहता है। उदाहरण के लिये, तेज़ धूप में बर्फ की माँग बढ़ जाने पर इसका मूल्य भी घटित हो जाती है, परन्तु एकदम बर्फ़ ही जान पर इसकी माँग में कमी हो जायगी और उसका मूल्य भी कम हो जायगा ।

( ६ ) दैनिक बाजार में प्रचलित मूल्य जिसमें घटा बढ़ी शून्य-शून्य में होती रहती है, बाजार मूल्य (Market price) कहलाता है ।

(ग) अल्पकालीन बाजार (Short Period Market)—इस प्रकार के बाजार का समय दैनिक अथवा अल्पकालीन बाजार के समय की अपेक्षा अधिक लम्बा होता है, अर्थात् यह कुछ महीनों तक या वर्ष-पर्यन्त रहता है। दैनिक अथवा अल्पकालीन बाजार में तो वस्तु की पूर्ति (Supply) निश्चित (Fixed) होती है, उनमें एक बड़ी तहकी की जा सकती है, परन्तु अल्पकालीन बाजार में पूर्ति कुछ असा तब बढ़ाई जा सकती है क्योंकि इस कार्य के लिये कुछ समय मिल जाता है। जिसमें वह वस्तु बाहर में भँगाई या सजनी है तथा वर्तमान साधनों का और अधिक प्रयोग हो सकता है। उदाहरण के लिये, शरदऋतु में मछली की माँग बढ़ जाने के कारण उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है। यदि दूध मूल्य का लाभ उठाने के लिये अब मछली अपने आला आदि में अधिक समय तक काम करने प्रतिदिन अधिक मछलियाँ पकड़ना प्रारम्भ कर देंगे। इसी प्रकार पूर्ति घटाई भी जा सकती है। यदि शरदऋतु समाप्त हो गई है और मछली की माँग में कमी आ गई है, तो कुछ मछली अपने जाना का उठा कर रख देंगे और काम करने के समय में भी कमी कर देंगे। परिणामतः माँग और पूर्ति दोनों एक दूसरे के अनुसार हो जायेंगे और मूल्य बहुत कुछ लागत (Cost of production) के लगभग ही रहवा। यद्यपि इस प्रकार के बाजार में मूल्य निर्धारण में माँग और पूर्ति दोनों का ही हाथ रहता है, फिर भी पूर्ति की अपेक्षा माँग का अधिक महत्व होता है। अस्तु अल्पकालीन बाजार यह है जो कुछ महीनों तक अथवा वर्ष-पर्यन्त रहता है तथा जिसमें माँग और पूर्ति के अनुबन्धन के लिये समय मिल जाने पर भी मूल्य निर्धारण में माँग का कुछ अधिक महत्व रहता है।

अल्पकालीन बाजार की विशेषताएँ (Characteristics)

(१) इसमें समय दैनिक बाजार की अपेक्षा अधिक होता है, अर्थात् यह बाजार कुछ महीना या वर्ष भर तक ही रहता है।

(२) इसमें शून्य लम्बे मिलता है नि माँग के अनुसार पूर्ति का समन्वय हो सकता है।

(३) यद्यपि इस प्रकार के बाजार में मूल्य निर्धारण में माँग और पूर्ति दोनों का ही हाथ रहता है, फिर भी पूर्ति की अपेक्षा माँग का अधिक महत्व रहता है।

(४) इसमें मूल्य लागत के लगभग रहता है, पूर्ण रूप से लागत के निर्धारित नहीं होता है।

(५) इस प्रकार के बाजार में प्रचलित मूल्य अल्पकालीन (Short-Period) अथवा 'अध-सामान्य' (Sub normal) मूल्य कहलाता है।

( इ ) दीर्घकालीन बाजार ( Long Period Market )—यह बाजार कितने ही महीनों और कभी-कभी वर्षों तक चलता रहता है। इसमें पूर्ति (Supply) का मूल्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसका कारण यह है कि दीर्घकाल में पूर्ति के साधन माँग के अनुसार क्षीयता में घट-बढ़ सकते हैं। माँग में वृद्धि होने पर पूर्ति में भी निम्नलिखित साधनों द्वारा वृद्धि की जा सकती है :—

(१) उत्पात्ति के परिमाण में वृद्धि करने से, (२) उत्पादन-क्रिया में उत्पत्ति करने से, (३) अन्य वस्तुओं के उत्पादन में लगे हुए श्रम को इस ओर लगा कर, (४) अन्य उत्पादन कार्यों में से पूँजी हटाकर इस ओर लगाकर, और (५) उत्पादन-यन्त्रों में परिवर्तन कर।

इसी प्रकार यदि माँग में कमी हो जाती है, तो पूर्ति भी उपयुक्त वृद्धि के साधनों के विपरीत कार्य करने में धटाई जा सकती है। उदाहरणार्थ, इस कार्य में लगी हुई पूँजी और श्रम हटा कर अन्य कार्यों में लगाये जा सकते, है आदि। समय पूर्ति को न्यूनाधिक्यता के लिये पर्याप्त होता है, अतः मूल्य बढ़ना स्थायी रहता है। कभी-कभी यह भी सम्भव है कि यह ठीक लागत के बराबर ही हो जाय। इस प्रकार दीर्घकालीन बाजार में मूल्य-निर्धारण में पूर्ति (Supply) का पूर्ण हाथ रहता है। उदाहरणार्थ, यदि मछली की माँग में वृद्धि स्थायी है, तो जालों, नावों आदि मछली पकड़ने के साधनों में वृद्धि करने के अतिरिक्त अधिक मछुल इस काम में लवाये जायेंगे और काम करने के समय में भी वृद्धि कर दो जायेंगे। इसी प्रकार माँग की कमी होने पर समय, मनुष्य और साधनों में कमी कर दी जायगी। विश्व-महायुद्ध आदि असाधारण परिस्थितियों में जब किसी वस्तु का मूल्य एक लम्बे समय तक बहुत ऊँचा स्थायी रूप में स्थिर हो जाता है, तो उस वस्तु के अनेक नये कारखाने खुल पाते हैं और पुराने कारखानों में सुधार एवं विस्तार हो जाता है। अस्तु, दीर्घकालीन बाजार वह है जो कई महीनों तथा वर्षों तक रहता है और जिसमें पूर्ति को माँग के अनुसार बदलने के लिये पर्याप्त समय मिल जाता है तथा मूल्य निर्धारण में पूर्ति का विशेष महत्व होता है।

दीर्घकालीन बाजार की विशेषताये (Characteristics)

(१) इसमें समय अल्पकालीन बाजार की अपेक्षा बहुत अधिक होता है, अर्थात् यह बाजार कई महीनों तक और कभी-कभी वर्षों तक चलता रहता है।

(२) इसमें इतना पर्याप्त समय मिलता है कि माँग के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन हो सकता है।

(३) इस प्रकार के बाजार में मूल्य-निर्धारण में पूर्ति का पूर्ण हाथ होता है।

(४) यदि मूल्य स्थायी रूप से एक लम्बे समय तक धागत (Cost of Production) से नहीं अधिक रहता है, तो उत्पादन-साधनों में वृद्धि कर उत्पत्ति बढ़ाई जा सकती है और यदि मूल्य लागत में कहीं अधिक नीचा स्थिर हो जाय तो उत्पादन-साधनों को कम कर उत्पत्ति में कमी की जा सकती है।

(५) दीर्घकालीन बाजार मूल्य 'सामान्य मूल्य' (Normal Price) कहलाना है।



( ई ) अति दीर्घकालीन बाजार ( Secular or Very Long Period Market )—यह बाजार बहुत लम्बे समय अर्थात् ५० वर्ष अथवा अधिक समय तक रहता है। इस प्रकार के लम्बे समय में केवल माँग और पूर्ति में संतुलन ही नहीं हो जाता बल्कि उनमें अनेक परिवर्तन होने के पश्चात् भी समन्वय हो जाता है। उदाहरणार्थ, सोने की उत्पत्ति-परिवर्तन, जन-संख्या की वृद्धि, रुबि और पैंशन के परिवर्तन आदि बातों से जो माँग में परिवर्तन हो जाता है उसका दूरा अत्यधिक लम्बे समय में पूर्ति के परिवर्तन में, जो विज्ञान की उत्पत्ति, मशीनों के आविष्कार, यातायात के विकास, उत्पत्ति के सुधार और खनिज पदार्थों के अनुपयोग से होता है पूर्ण समन्वय हो जाता है। अस्तु, अति दीर्घकालीन बाजार वह है जो बहुत लम्बे समय अर्थात् ५० वर्ष अथवा अधिक समय तक प्रचलित रहता है और जिसमें केवल माँग और पूर्ति के संतुलन के लिये ही पर्याप्त समय नहीं मिलता बल्कि इनमें अनेक परिवर्तन होने के पश्चात् भी संतुलन हो जाता है।

### अति दीर्घकालीन बाजार की विशेषताएँ (Characteristics)

(१) इसमें समय कई वर्षों का होता है—यह कभी कभी तो पीढ़ियों तक रहता है।

(२) इसमें समय इतना अत्यधिक होता है कि केवल माँग और पूर्ति में संतुलन ही नहीं हो जाता बल्कि इन दोनों में अनेक परिवर्तन होने के पश्चात् भी संतुलन होना सम्भव हो जाता है।

(३) इस प्रकार के बाजार में प्रचलित मूल्य [को 'अति दीर्घकालीन मूल्य' ( Secular Price) कहते हैं।

चोर बाजार ( Black Market )—जब वस्तुओं का कृय-विक्रय खुले बाजार में न होकर चुप-चाप राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य से ऊँचे मूल्य पर होता है, तो इसे चोर बाजार कहते हैं। यह काला बाजार, ब्लैक मार्केट या अदृश्य बाजार आदि नामों से भी पुकारा जाता है। जब विद्येय परिस्थिति बरा वस्तुओं की पूर्ति माँग की अपेक्षा कम हो जाती है, तो चोर बाजार जन्म पा लेता है। गत युद्धकालीन समय में चोर बाजार का पर्याप्त खोर रहा और अब भी बहुत सी वस्तुएँ चोर बाजार से ही प्राप्त हो सकती हैं। जब माँग की तुलना में आवश्यक पदार्थों की भीषण कमी हो जाती है, तो उनके दाम अत्यधिक बढ़ जाते हैं। तब जनता की भलाई के लिये सरकार उनका उचित मूल्य निर्धारित कर देती है जिसे मूल्य नियन्त्रण ( Price-Control ) कहते हैं। प्रायः मूल्य-नियन्त्रण के साथ-साथ राशनिय ( Rationing ) भी ( अर्थात् एक व्यक्ति किसी वस्तु को कितनी मात्रा ले सकता है ) प्रचलित कर दिया जाता है। उदाहरणार्थ खाद्यान्न, कपड़ा, चीनी, कागज, दवा, तेल व पेट्रोल, सीमेण्ट, लोहे का सामान आदि वस्तुएँ गत महायुद्ध और उसके पश्चात् भी पर्याप्त समय तक सरकारी नियन्त्रण में रही और उनके वितरण के लिये राशनिय व्यवस्था प्रचलित थी।

बहुधा उत्पादक और व्यापारी लोग अपनी वस्तुओं को नियन्त्रित मूल्य पर बेचना पसन्द नहीं करते, इसलिये वे लोग इन्हें छिपा (Hoarding) कर रख लेते हैं जिसमें उनकी पुंति और भी कम हो जाती है। जनता आवश्यक वस्तु के अभाव में परेशान होकर ज्यों तौर से अधिक मूल्य पर खरीदने के लिये तत्पर हो जाती है और इस प्रकार चोर बाजार का विपत्ता बक्र चन्ता रहता है। राज्य द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य पर वस्तु बेचना अवैध (Illegal) होता है, अस्तु ऐसे विक्रम पर जुर्माना किया जा सकता है और उसे जेल भी भेजा जा सकता है। किन्तु ऐसा होने पर भी चोर बाजार पनप रहा है, क्योंकि अत्यधिक लाभ प्राप्ति के उद्देश्य से प्रेरित होकर व्यापारी लोग कानून का उल्लंघन करने की तैयार हो जाते हैं। संशय में चोर बाजार आवश्यक वस्तुओं की कमी, उनकी मँग की अधिकता, मूल्य-नियन्त्रण, जनता के पास अधिक रुपय का होना (मुद्रा स्फीति), वस्तु वितरण की दूषित प्रणाली, सरकारी नियन्त्रण की अपूर्णता आदि कारणों से बढ़ता है। चोर बाजारी से मनुष्य का नैतिक पतन हो जाता है, उपभोक्ताओं का शोषण होता है, गरीब जनता आवश्यक वस्तुओं के लिये बचिब रहती है, सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार फैल जाता है और देश में सर्वत्र असाति छा जाती है। अस्तु, इन बुरादियों को दूर करने के लिये प्रबल सरकारी नियन्त्रण आवश्यक है।

चोर बाजार सम्बन्धी बुराइयों को दूर करने के उपाय—निम्नलिखित उपायों द्वारा चोर बाजार का अन्त हो सकता है : -

(१) सबसे प्रथम तो कण्ट्रोल तथा राशन जन्ही वस्तुओं का होना चाहिये जिनको वास्तव में कमी हो, और जिनके उत्पादन तथा वितरण पर सरकार कठोर नियन्त्रण रख सकती हो।

(२) नियन्त्रित मूल्य ऐसा होना चाहिये जिनमें लाभ की काफी गुजायश रहे जिनमें उत्पादक और व्यापारी लोग चोर बाजार से वस्तुएँ बेचने के लिये प्रोत्साहित न हो।

(३) वस्तु-वितरण में सरकार का पूर्ण नियन्त्रण होना चाहिये। उदात्त तो यही है कि वितरण सरकार स्वयं सरकारी समितियों द्वारा किया करे।

(४) इस कार्य की देख-भाल करने वाले सरकारी कर्मचारी एवं अधिकारी ईमानदार तथा कर्तव्यपरायण होने चाहिये।

(५) कानून तोड़ने वालों को कड़ा दण्ड मिलना चाहिये।

(६) जनता का सहयोग भी आवश्यक है। अस्तु जनता को जहाँ तक हो सके चोर बाजार से वस्तु न खरीदने का प्रण करना चाहिये।

(७) मूल्य-नियन्त्रण और राशनिय व्यवस्था को सफल बनाने के लिये सरकार द्वारा नियन्त्रित वस्तुओं को आयात आदि माधनों से अधिकाधिक मात्रा में प्राप्त करने के लिये उचित व्यवस्था करनी चाहिये।

भारत सरकार का कार्य—भारत सरकार ने चोर बाजार आदि भ्रष्टाचारों को रोकने के लिये कई कानून बनाये। 'फूड ग्रैन्स कण्ट्रोल आर्डर' के द्वारा सात-पदार्थों को समुचित व्यवस्था करने का प्रयास किया गया। वनत जाने प्रांतों में कमी वाले प्रांतों में आयातों को प्रतिबंधित किया। भोज आदि पर प्रतिबन्ध लगाया गया। सम्पूर्ण देश में समुचित वक्र वितरण व्यवस्था के लिये टैक्सटाइल कमिश्नर की नियुक्ति की गई जिसके द्वारा विविध प्रांतों के लिये उनकी आवश्यकता के अनुसार कपडे

का कोटा (Quota) निश्चित किया गया और कई टैक्सट्राइल सम्बन्धी कानून बनाये गये। जापान को कमी को पूरा करने के लिये विदेशों से भारी आयात की व्यवस्था की गई।

**निष्कर्ष**—भारत में अब ऐसी अवस्था घायी है कि राशन तथा कन्ट्रोल तोड़ दिया जाय तो कुछ दिनों में ब्लैक मार्केट अर्थात् चौर बाजार घपने-घ्राप समाप्त हो जायगा। स्वर्गीय महात्मा गांधी तो कच्चेले आदि व्यवस्था से बहुमत नहीं थे। उनके मतानुसार कन्ट्रोल न वस्तुओं की कृत्रिम क्लृप्तता (Artificial Scarcity) उत्पन्न हो जाती है। नाम्बव म दबा जाय ता कन्ट्रोल और राशनिंग की सफलता जगता के घटितिया पर निर्भर है। उमका नैतिक स्तर ऊँचा होना चाहिए। उनमे देश-प्रेम और कर्तव्य-परायणता के नाव कूट-कूट कर मरे होने चाहिए। यदि ऐसा न हो, तो उन देश में तो जहाँ शानि काल में भी वस्तुओं के स्थायी अभाव के कारण सर्वैव राशनिंग प्रचलित हुता है, काम चलना ही कठिन हो जाय। समाजवादियों (Socialists) का विस्वास है कि टपारा अर्थ-व्यवस्था म समय समय पर जा सनड उत्पन्न हुते हैं, जगता एव ददा कारण वस्तुओं का मूल्या म भापण उतार-चढ़ाव है। अस्तु, किसी भी मनुषित अर्थ-व्यवस्था म वस्तुओं के मूल्य का स्थिर रहना आवश्यक है।

**बैध या उत्तम बाजार (Legal or Fair Market)**—जब बाजार में वस्तु निर्धारित मूल्य पर बेनी जायें, तो वह वैध या उत्तम बाजार कहलाता है। इस प्रकार के बाजार को नियंत्रित बाजार (Controlled Market) भी कहते हैं।

**खुला बाजार (Open Market)**—जब बाजार में वस्तुओं के मूल्यों पर कोई नियंत्रण न हा तथा माग और पूर्ति के अनुसार अर्थात् इनाओं और निर्रेताओं को पारस्परिक प्रतियोगिता के फलस्वरूप जा मूल्य प्रचलित हो उनके अनुसार वस्तुओं का अय-विक्रय हो, तो ऐसे बाजार को हम खुला बाजार कहेंगे। साधारण अवस्था में जब वस्तुओं के अय विक्रय पर किसी प्रकार का नियन्त्रण अथवा प्रतिबंध न हो, तब ऐसे बाजारों का अस्तित्व देखा जा सकता है।

### बाजार का विस्तार (Extent of Market)

बाजार के विस्तार से यह आगप है कि किसी वस्तु के क्रेताओं और विक्रेताओं में समार के किन-किन भागा में प्रतियोगिता हुनी है। यदि प्रतियोगिता का क्षेत्र बडा है तो बाजार का विस्तार भी विस्तृत होगा, अन्यथा बाजार का विस्तार सनुचित कहा जायगा। वस्तुओं के बाजार के विस्तार पर प्रभाव डालन वाली बातें निम्नलिखित ढा भागों म बाँटी जा सकनी हैं—

- (अ) देश की आन्तरिक अवस्था, और
- (ब) वस्तु क गुण।

(अ) देश की आन्तरिक अवस्था (Conditions within the Country)—बाजार की सीमाओं का प्रभावित करने वाली आन्तरिक दशाएँ निम्नलिखित हैं—

(१) शानि, सुरक्षा, न्याय और सचाई (Peace, Security, Justice & Honesty)—बाजार का सीमाओं पर दश में व्यापक शानि, सुरक्षा, न्याय और सचाई का गहरा प्रभाव पडता है। व्यापारी लोग घपना माल निर्भीक होकर

सुदूर स्थानों को तब ही भेजने जबकि उन्हें इस बात का विश्वास होमा कि उनका माल सुरक्षित पहुँच जाएगा और उनके माल का मूल्य लम्बे दिन जायदा। यदि किसी बाण्य मान के पहुँचने बचवा मुगतान में कोई गड़बड़ हो जाय, ता सरकार उनकी सहायता करेगी। न्यायालय में निष्पक्ष भाव में न्याय होने की दशा में व्यापारी लोग देश के किसी भा भाग में भान भेजने में नहीं हिचकेंगे। यहाँ तो मुशामल बचवा का परिणाम है।

व्यापार में दिन भर में अनेक मोदे मौलिक रूप में तय होने रहने है और प्रत्येक के लिये कादूनी इकरारनाम होना बडा कठिन है। अतः व्यापारिक नैतिकता (Business Morality) का उच्च स्तर भी बाजार के विस्तार के लिये आवश्यक है।

(२) यातायात और सम्वाद के उत्तम, सस्ते और शीघ्र साधन (Efficient Cheap and Quick Means of Transport & Communication) — बाजारों के विस्तार में यातायात और सम्वाद के उत्तम, सस्ते और शीघ्र साधनों का बडा ह्रास है। अच्ची गडकों, मोटर, रेल, समुद्री जहाज और वायुयानों के कारण ही आज विभिन्न देशों के माल व्यापार सम्भव हो गया है। डाक, तार, टेलीफोन, बेनार के तार आदि द्वारा दूर-देशों के व्यापारियों में सम्पर्क स्थापित हो गया है। इनके द्वारा व्यापारी लोग आज बंठे बंठे हो मोदे तय कर लेते हैं उन्हें कही जाने की आवश्यकता नहीं होती। यातायात व सम्वाद के विकसित साधन केवल बाजारों का ही विस्तार नहीं करने, बल्कि इनमें वस्तुओं के मूल्या के एकीकरण में भी पर्याप्त सहायता मिलती है। अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों की उत्पत्ति का मुख्य ध्येय उन्हीं को ही है।

(३) कुशल चलार्थ साध एव वैकिंग प्रणाली—(Efficient Currency, Credit & Banking System) — बाजारों के विकास के लिये मुद्रा के आर्थिक एव बाण्य मूल्य में स्थिरता (Stability) निम्न आवश्यक है। यदि मुद्रा का मूल्य बहुत जल्दी-जल्दी घटता या बढ़ता है, तो व्यापारियों का अधिक लाभ-हानि हो सकती है। इसी प्रकार बाजार के विस्तार के लिये एक उत्तम वैकिंग प्रणाली का होना आवश्यक है। अच्चे बैंकों के होने में उचित व्याज पर ऋण मिल सकता है। मान की विन्दिया बंधा के द्वारा मैगार्ड जा सकती है और माल का मूल्य हुँडो, बिल, चेक आदि सामान्यता द्वारा चुकाया जा सकता है। अतः के बाजारों के विस्तार का बहुत कुछ श्रेय चेक, ड्राफ्ट, बिल ऑफ अकसेप्टेंस, हुँडो आदि साधन-यन्त्रों को है। इनके अतिरिक्त, बैंक द्वारा दूरस्थित व्यापारियों को आर्थिक स्थिति और मर्चाई के विषयों में विश्वस्त मूचना प्राप्त हो सकती है। इससे व्यापारियों का दूरस्थ प्रदेशों में व्यापार करने में प्रोत्साहन मिलता है और बाजारों का क्षेत्र विस्तृत होता है।

(४) व्यापार के वैज्ञानिक ढंग (Scientific Methods of Business) — व्यापार करने के ढंगों का भी बाजार के विस्तार पर पूरा प्रभाव पड़ता है। विज्ञान-कला, विज्ञान, प्रदर्शनी, मिनेमा आदि प्रायुक्तिक व्यापारिक ढंगों में बाजार की गैमाओं को विस्तृत करने में बडा प्रोत्साहन मिलता है। नवीन वस्तुओं के निर्माण एवं उनके उपयोग का दूर देशों में विज्ञान, आडकास्टिंग, छपाई, यांत्रिक एनेट्ट आदि साधनों द्वारा भली-भाँति किया जा सकता है। मनुष्य वस्तुओं तब ही खरीदेंगे जबकि उन्हें उनके बारे में जानकारी हो। वस्तुओं की जानकारी विविध प्रकार के विज्ञानों द्वारा भली प्रकार हो सकती है। आज अनेक विदेशी वस्तुएँ इस प्रकार के

प्रकार के आधार पर ही भारतवर्ष में विकती हैं। इसी प्रकार भारतीय चाय का आज अन्तर्राष्ट्रीय बाजार हो गया है।

(५) पैकिंग ढंग और शीतानागार प्रणाली (Packing Method & Cold Storage)—उत्तम पैकिंग ढंग और शीतानागार प्रणाली में भी बाजार का क्षेत्र विस्तृत होना पाया जाता है। उदाहरण के लिये घाट, मांस, ताजा फल-फूल, तरकारीयाँ का बाजार पहले बड़ा मकील एव मोहित हाहा था, परन्तु पैकिंग के आधुनिक एवं वैज्ञानिक ढंगों और शीतानागार प्रणाली द्वारा आज इन नाशवान् वस्तुओं को दूर के स्थानों पर उसी हालत में न जाना सम्भव हो गया है। धन अथ इनका बाजार स्थानांतरण न होकर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय हो गया है।

(६) श्रम विभाजन के प्रयोग की सीमा (Degree of Division of Labour)—यदि श्रम विभाजन का प्रयोग बड़ा पैमाने पर होता है, तो उत्पात्ति भी बड़ा पैमाने पर होगी। बड़ा पैमाने पर उत्पात्ति होने के कारण दाम कम हो जायेंगे जिनसे बस्तुएँ सस्ती विकती, जब कोई उपयोगी वस्तु सस्ती विकती, तो उस वस्तु का बाजार भी विस्तृत होगा।

(७) राज्य की नीति (Policy of the State)—व्यक्तियाँ और राष्ट्रों की राष्ट्रपरिमित मर्यादना उनके राजनैतिक एवं आर्थिक मयभोता पर भी बड़ा कुछ बाजार का विस्तार निर्भर है। उदाहरणान के राष्ट्रों के मध्य विस्तृत बाजार तर ही सम्भन है जबकि उनमें से प्रत्येक राष्ट्र प्रजातन्त्र व्यापार (Free Trade) नीति को अपनाते। यदि व्यापार में किसी प्रकार का प्रतिबन्ध हो, तो बाजार सीमित होगा। इसी प्रकार राष्ट्रीयता (Nationalism) स्वावलम्बन (Self sufficiency), प्रत्युक्त (Tariffs), सुरक्षण (Protection), निषेध (Prohibition), प्रतिवधिषि प्रायास-नियत, बागा पद्धति (Quota System) आदि नीतियाँ पर भी बाजार की सीमाओं का विस्तार निर्भर होता है।

(८) वस्तु के गुण (Qualities of a Commodity)—बाजार का विस्तृत होना कबरा दस की आर्थिक व्यवस्था पर ही निर्भर नहो है बल्कि वस्तु विपण के गुणों पर ही निर्भर है। साधारणतया निम्नांकित गुण वाली वस्तु का बाजार विस्तृत होता है —

(१) सार्वदेशिक माँग (Universality of Demand)—सार्वदेशिक माँग बाजारों वस्तुओं का बाजार बहुत बड़ा होता है। जिनकी अधिक किसी वस्तु का माँग होगी, उतना ही विस्तृत उस वस्तु का बाजार होगा। उदाहरणान माना चाँदी, पेट्रोल, लोहा, कापड़ा चाद, गहने रई, जूट, निलहन आदि वस्तुओं की माँगिया का क्षेत्र विश्वव्यापी है क्योंकि सभी देशों में इन वस्तुओं की माँग रहती है। स्वज नहर के अंश (Shares) आदि अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिभूतियाँ (Securities) का भी बाजार विश्व व्यापी होता है। इसी प्रकार सम्पत्तीपर जन्म विन्धविन्ध्यात पत्रिया और लखरा की रचनाओं की सभी देशों के विभिन्न भाग पवन हैं, इसलिये उनका भी अन्तर्राष्ट्रीय बाजार होता है। इसके विपरीत, जिन वस्तुओं का प्रयोग तथा चयन किसी स्थान विपण तक ही सीमित है, तो उनका बाजार विस्तृत नहो होगा। उदाहरणान के निय, अफगानी बप्पने, मोडियाँ, धानियाँ, टाविया, पगडा आदि वस्तुओं की माँग अधिकतर भारतवर्ष तक ही सीमित है, इसलिये इनका बाजार अन्तर्राष्ट्रीय न होकर बचन राष्ट्रीय है।

(२) टिकाऊपन (Durability) — बहुत लंबेक समय मीघ नष्ट होने वाली वस्तुओं को मुरदर म्याना पर नही भेजा जा सकता । परिभाषित उनका बाजार मरुचित होता है । फल तर्कारियाँ दूध मखन घड़े मांस मन्नी घादि वस्तु इमी श्रेणी म प्रती है । मोना चादी कपास घादि वस्तुएँ निकाल है उनरे विगडने कषवा नष्ट होने का कोई प्रस नहा उडाा अत इतरा अ नरीष्टीय बाजार होता है । पाकमागर (Cold Storage) तथा मीघ मालमात के माधना के कारण मापात मीघ लखुव वस्तुमा का भी बाजार अनेप्रतमा विस्तृत होता पा रहा है । इमी कारण घाज का भारतवष मे इन्न नट को पत्रा का निर्पात सम्भव हा गया है मीघ घास्त्रिया का मांस व दुग्धा पशि वृथियत वाशा का मायमरतामा मी पूति करने \* ।

(३) बहुतायता (Portability) — विस्तृत मछी व विष अावश्यक है कि वस्तु का मूम उमर भार की क्षमता अधिक होना चाहिये । जिन वस्तुमा का पन व कम होता है मीघ मूल्य अधिक होना है उनका बाजार विस्तृत होता है जै — मोना चादी होता पत्रा रोम पडिया काउचर पन घादि । इनके विपरीत जो वस्तुएं बहुत भारी है मीघ अिनके मूम की तुलना म उनका मातायात व्यय बहुत अधिक पत्रा है जैम ईट इमागता पत्थर पाम घादि उनका बाजार म्बानाम हाता है । मीघागिअ कच्चे माल घार घातुमा घादि के विषय म ऐसा नहीं है पन उनरे बाजार विस्तृत हाते ह ।

(४) मीघ मीघव या नमूना निकालने व कम अघन का उपयुक्तता (Comparability of Samples for Sale) — जिन वस्तुमा का मूमता म जाना या पहिचाना जा सकता है अथवा जिनके नमून घामानी म निये जा सकते है या जिनका कम अघन (Gradu) पत्रता मे हो सकता \* तो उनका बाजार स्वभावतः विस्तृत होता है । मेट मीनी म नाय घादि मनुप्रा का अडिग हा सकता है तथा उनरे नमूने निकार जा सकते है । दरम्य व्यापारी अदन नमूना या अडा व घाधार पर ही मीघे तय कर सकते है । मीघे प्रकार प्रमागिअ नाय व अाकार व पुर्वा के निर्माण न मीघे गाडिमा मीघ अय प्रकार की ममीना का निये मापा बाजार बना दिया है । भारत सरकार द्वारा अडेन एगमाक (V.G. MARK) पा का बाजार अय पर्याप्त विस्तृत हो गया है ।

(५) पूति की पर्याप्तता (Adequacy of Supply) — वह वस्तु जिसको पूति बहुत ही परिमित है अथवा जिसकी पूति मांस व अनुमार नहा बडाई जा सकती उमर अय गुण होने हुए भी बाजार मरुचित होता है । अतु विस्तृत बाजार के लिये यह आवश्यक है कि वस्तु की पूति पर्याप्त हो । उदाहरणाय दलभ विष मूतिया मद्राधा कतामर वनाघा घादि का बाजार बहुत मामित हाता है कथाकि दलकी पूति बहुत परिमित हाती है ।

(६) म्थानापत्र वस्तु की उपलब्धता (Availability of Substitute) — जिसो वस्तु के बाजार का क्षम इम बाग पर भी निर्भर हाता है कि उअ म्थान म प्रयुक्त की जान वाली अय वित्तो वस्तुएँ उपलब्ध है । यदि एक वस्तु के म्थान म अत मी अय वस्तु प्रमास म साई जा सकती ह तो उम वस्तु व बाजार का मय मरुचित होगा । उदाहरण के लिये अमई मित्र व कपडा का बाजार अधिक विस्तृत नहा है कथाकि अापान मीघ मूरुष के दगा म अमार उम अमर कपडा मय प्रनियागिता करने

है। इसी प्रकार मोटर-बस की रन स प्रतिपायिता होने में इनका बाजार सकीण है। काफी घोर चाय एक-दूसरे के स्वाभाविक है। अस्तु यदि काफी का बनन न हो तो चाय का बाजार घोर भी विस्तृत हो जाय।

(३) पूरक वस्तु की उपलब्धता (Availability of Complementary Products)—वस्तुएँ एक-दूसरे में प्रतियोगिता करती हैं परन्तु अधिकतर में वे एक-दूसरे की पूरक भा होती हैं जिन पदार्थों की मांग मोटर गाड़ी के उपयोग पर निर्भर है वही प्रकार जूता के घेता की मांग जूतों की मांग के साथ सम्बद्ध है। अस्तु एक की मांग दूसरे की मांग को बढ़ाती है यदि पूरक वस्तु उपलब्ध है तो उस वस्तु का बाजार ध्वन्य विस्तृत होगा।

(८) वस्तु की भावा पूर्ति की नियमितता (Regularity of future supply of a commodity)—उस वस्तु का बाजार बड़ा होगा जिसके लिये रोगा को यह विश्वास हो कि भविष्य में वह वस्तु नियमित रूप में मिलती रहेगी। उदाहरण के लिये कोयला व्यक्ति अपने मकान में विशाली नहा लगवायगा जब तक उसको यह विश्वास नहा हो जाय कि भविष्य में वही उने बराबर मिलती रहेगी।

(९) वस्तु का फाशन में आना (A Commodity Coming into Fashion)—किसी वस्तु का बाजार उसके फाशन में आने ही विस्तृत हो जायगा। यदि उसका निरन्तर प्रयोग में रोग उस वस्तु के उपयोग के लिये आने हा गय है तो उस वस्तु का बाजार घोर भी विस्तृत हो जायगा। उदाहरण के लिये चाय घोर काफी का भारतवर्ष में सीमित बाजार है परन्तु रोगा के आदी होने में इनका बाजार-क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। इसी प्रकार किसी वस्तु के फाशन में बाहर हा जान में उसकी मांग कम हो जाती है और फलत उसका बाजार भी सीमित हो जाता है। भारतवर्ष में आजकल टाइल का फाशन उठता जा रहा है इसलिये इनका बाजार भी सञ्चित हाता जा रहा है।

(१०) किसी वस्तु विशेष का प्रयोग (Use of a Particular Commodity)—किसी वस्तु विशेष का विशेष क्षेत्र उसका प्रयोग पर भी निर्भर हाता है। उदाहरण के लिये यदि टेलीफोन का विस्तृत रूप में प्रयोग होता है तो उसका बाजार भी विस्तृत हागा इसकी इस प्रकार समझा जा सकता है कि अज फाशा की सख्या कम हाता है तो चाय फाशन रगाना नहा चाय कथाकि उसकी उपयोगिता कम हागा वे अधिक व्याप्तिया में वातचित नहा कर सकय। परन्तु यदि फाशन रगाने बासा की काफी बसा सख्या है तो अधिक लाग फाशन रगवाना चाहते। जिसका फलस्वरूप फाशन का मांग बन्गी और उसका बाजार भी विस्तृत हागा।

(११) आर्थिक सम्पन्नता में वृद्धि (Increase in Economic Prosperity)—मात्र एक मासिक धार है। इनका सम्बद्ध मूल्य घोर मात्रा दोनों में है। हम यह भी प्रति जानते है कि धन वृद्धि के साथ-साथ वस्तुओं का मांग भी बढ़ती है। धन मूल्य-समूह है कि एक धनाढ्य व्यक्ति की मांग एक निचन व्यक्ति की मांग में बहा अधिक हागी यदि किसी वस्तु का उपभाग गरीब भी करत है और धनीर भी तो वस्तु की मांग अधिक हागी जिसका फलस्वरूप उसका पूर्ति भा अधिक हागा। वन प्रकार जब उस वस्तु का मांग एक पूर्ति दोनों ही अधिक है तो उसका बाजार भी विस्तृत हाता स्वाभाविक है। अस्तु आर्थिक सम्पन्नता की वृद्धि के साथ-साथ वृद्धि वस्तुओं का बाजार का विस्तार भा बढ़ता है।

(१२) किसी वस्तु विशेष के लिये राज्य की नीति ( State Policy for a Particular Commodity )—किसी वस्तु का बाजार राज्य की नीति पर भी निर्भर होता है । उदाहरण के लिये, ईस्ट इण्डिया कंपनी ने इङ्ग्लैंड के उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये भारतीय सूती व रेशमी वस्त्र उद्योग को नष्ट करने का नीति का प्रस्ताव था । मुगल साम्राज्य ने रेशमी वस्त्रों के प्रतिरिक्त अनेक बलात्मक वस्तुओं का प्रोत्साहन देकर उनकी माँग को विस्तृत करने में पर्याप्त महायत्न प्रदान की थी । भारत सरकार भारतीय कुटीर उत्पत्ति के बाजार को विस्तृत करने के लिये देश में तथा विदेश में प्रचार कर रही है । अस्तु, किसी वस्तु का बाजार क्षेत्र विस्तृत करने में राज्य की सहायता, सुरक्षण आदि का बड़ा हाथ होता है । निम्नलिखित वस्तुओं के बाजार किस प्रकार के हैं ?

ई ट (Brooks)—इसका बाजार बड़ा सीमित है क्योंकि इनमें वहनीयता (Portability) के गुण का अभाव है ।

ताजा तरकारियाँ व फल (Fresh Vegetables & Fruits)—फसल का बाजार बड़ा सीमित होता है, क्योंकि ये नाशवान् (Perishable) वस्तुएँ हैं जोघ्न ही नष्ट हो जाती हैं । परन्तु आजकल शीतगार (Cold Storage) के बढ़ते हुए प्रचार ने इन वस्तुओं के बाजार को पर्याप्त विस्तृत कर दिया है ।

मूल्यवान धातु ( Precious Metals )—मूल्यवान धातु जैसे सोना, चाँदी आदि का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार होता है क्योंकि इनमें थोड़ा भार में अधिक मूल्य रखने की सामर्थ्य होने के प्रतिरिक्त इनकी माँग सार्वदेशिक है ।

वालू रेत (Sand)—वालू-रेत का बाजार वहनीयता नहीं होने के कारण सीमित एवं स्थानीय होता है ।

रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के अंश ( Shares of the Reserve Bank of India )—वहनीयता के गुण के प्रतिरिक्त ये सब एक अंश के हैं तथा इनका अत्यन्त अधिकतर भारत तक ही सीमित है । धातु इनका राष्ट्रीय बाजार है ।

स्वेज नहर के अंश (Suez Canal Shares)—इसका अत्यन्त अल्प अंश अल्प अल्प विभिन्न देशों द्वारा होता है अस्तु, इसका अन्तर्राष्ट्रीय बाजार है ।

एक पूर्वजों की घड़ी ( An Ancestral Watch )—पूर्वजों की घड़ी का महत्व एक वस्तुत्व तक ही सीमित है, अस्तु इसका कोई बाजार नहीं हो सकता है ।

चाय ( Tea )—चाय की माँग सार्वभौम है तथा इसका अत्यन्त अधिक अंश भारत ही में उत्पन्न होता है । इसमें वहनीयता का भी गुण है । अस्तु इसका अन्तर्राष्ट्रीय बाजार है ।

आम और नारंगिया ( Mangoes & Oranges )—आम व नारंगियाँ अत्यन्त ही सीमित नष्ट होने वाली हैं अतः इनका अल्प स्थानीय बाजार होता है । परन्तु कुछ प्रसिद्ध आमा और नारंगियाँ—जैसे लखनऊ का सपदा, बनारस का लखड़ा, नागपुर के मन्दा आदि का बाजार अत्यन्त विस्तृत है क्योंकि सीमित मात्रावात के माध्याम द्वारा ये फल देश में दूर-दूर भेजे जा सकते हैं । शीतगार की सुविधा के कारण कुछ भारतीय प्रसिद्ध आमा का विदेशों को निर्यात सम्भव हो गया है ।

फर्नीचर ( Furniture )—इसकी मात्रावात की अनुविधा व होने वाले टूट-फूट के कारण इसका बाजार अल्प स्थानीय होता है, परन्तु मात्रावात की सुविधाओं में



सुधार हो जाने से इनका प्राचीन बाजार हो गया है। उदाहरणार्थ बरेली का वना हुआ फलावर अधिकतर ७० प्र० म ही सरीसदा व बेचा जाता है।

साड़िया (Sarees)—साड़ियों में बहुमीयता त्रिकाङ्गण आदि गुण हूँते हुए भी वनना बाजार विश्व प्राप्ति नहीं कहा जा सकता क्योंकि इनकी मात्र सावधानिक मात्र है। इनका महत्व भारतवर्ष तक ही सीमित है अथवा दत्ता म इनका चलन नहीं है अतः इनका महत्व राष्ट्रीय बाजार ही है।

ताजा दूध (Fresh Milk)—साधारणतया ताजा दूध का अल्प विक्रम एका नोड होता है क्योंकि यह सीधे गणना होने वाली वस्तु है। शीतलागर की सुविधा के कारण इसका बाजार अधिक विस्तृत होता जा रहा है।

सोना और चांदी (Gold & Silver)—इनका बाजार केवल राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय है क्योंकि इनमें बहुमीयता का चलन बड़ा कुछ विद्यमान है।

कॉटन (Cotton)—कॉटन की मात्रा सावधानिक है तथा यह भी प्रत्यक्ष होने वाली वस्तु नहीं है। यह मूल्य और प्रत्यक्ष वस्तु (प्रतिष्ठा) के लिये बड़ा उपयुक्त है। अतः इसका बाजार विश्व प्राप्ति है।

### ग्रन्थासत्र प्रश्न

इण्टर प्रायस परीक्षाएँ

- १—किसी वस्तु के बाजार (Market) का विस्तार किस कारण पर निर्भर है ? विस्तृत बाजार को पाने के लिये किसे वस्तु को किस शुद्धा की आवश्यकता होती है ? (२० वीं १९४६)
- २—बाजार मूल्य की परिभाषा दीजिये। स्पष्ट करने के लिये कि विस्तृत वस्तु के बाजार का अर्थ क्या है —  
(अ) तय्यदा ग्राम (ब) लूट का सामान (स) करके का कपडा (द) कुम्हार के बरतन।
- ३—सार्वभौमिक मूल्य मूल्य से प्राप्त क्या समझते हैं। व कारण क्या वस्तु है जो किसी वस्तु के बाजार के विस्तार पर प्रभाव डालते हैं ? (२० वीं १९४४ ५२)
- ४—मूल्य और प्रत्यक्ष बाजार में भेद बताइये। कारण सहित बताइये कि क्या निम्न विस्तृत वस्तु तथा मत्तानाका बाजार प्रत्यक्ष होता है ? (अ) Real Estates (ब) Loans of money (स) अम सेवाएँ (द) उपभोग की वस्तुएँ। (२० वीं १९४१)
- ५—बाजार कितने कहते हैं ? अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय बाजार में भेद बताइये। उद्योग मूल्य कारण को भी स्पष्ट कीजिये जो किसी वस्तु के बाजार पर प्रभाव डालते हैं। (२० वीं १९५०)
- ६—बाजार का अर्थ समझाइये और विस्तृत बाजार को निर्धारित करने का तब को समझाइये। विस्तृत बाजार और सकीण बाजार वाली तीन तीन वस्तुओं के नाम दीजिये। (२० वीं १९५७)
- ७—मूल्य और अर्थ बाजार में क्या अन्तर है ? अर्थ बाजार के क्या-क्या अर्थ डाले जा सकते हैं ? (२० वीं १९५६)
- ८—विपणन क्या है ? वह कौन से कारण है जो विपणन के बाजार का निर्धारण करते हैं ? उदाहरण दीजिये। (सावर १८५६)

१—माँग (Demand)

माँग का अर्थ (Meaning of Demand)—मनुष्य को किसी वस्तु के लिये कोई इच्छा (Desire) माँग नहीं कही जा सकती। इच्छा को माँग में परिणत होने के लिये उनको प्रभावपूर्ण (Effective) होना आवश्यक है। अब प्रश्न यह प्रस्तुत होता है कि कौन सी इच्छा प्रभावपूर्ण कहलाती है। प्रभावपूर्ण इच्छा (Effective desire) वह इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिये पर्याप्त साधन (Means) उपलब्ध हैं और उन साधनों को प्रयुक्त करने की तत्परता (Willingness) भी है। उदाहरण के लिये, यदि कोई भिक्षाये मोटर-कार की इच्छा रखता है तो उसकी यह इच्छा हवा में महम बनाने के समान है क्योंकि मोटर-कार खरीदने के लिये उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। इसी प्रकार यदि एक कृषक धनी मोटर-कार ता खरीदना चाहता है परन्तु वह उसके लिये रुपया खर्च करना नहीं चाहता है, तो उसकी यह इच्छा प्रभावपूर्ण नहीं कही जा सकती, क्योंकि उसके पास मोटरकार खरीदने के लिये पर्याप्त धन राशि तो है किन्तु धन के साथ उसकी इतनी लालसा है कि वह उसे खर्च करने के लिये बिल्कुल तैयार नहीं है। इन दोनों उदाहरणों में इच्छा केवल इच्छा ही है, प्रभावपूर्ण नहीं है। अतः एसी इच्छा जो प्रभावपूर्णता के गुण से रहित हो, अर्थसाधन में माँग नहीं कही जा सकती। अतः, अर्थसाधन में माँग (Demand) शब्द से केवल प्रभावपूर्ण इच्छा से ही तात्पर्य होता है। अन्य शब्दों में माँग के लिये निम्नलिखित तीन बातें आवश्यक हैं :—

- (१) किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा (Desire),
- (२) उस इच्छा की पूर्ति के लिये पर्याप्त साधन (Means), और
- (३) उन साधनों के द्वारा इच्छा-पूर्ति की तत्परता, (Willingness)।

अतः अब हम यह कहते हैं कि माँग किसी वस्तु को प्राप्त करने की वह इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिये पर्याप्त साधन उपलब्ध हैं और उन साधनों द्वारा उस इच्छा की पूर्ति करने के लिये उत्तरदाता भी हो।

माँग, मूल्य और समय (Demand, Price & Time)—माँग और मूल्य में पतित सम्बन्ध है। बिना मूल्य के माँग का कोई अस्तित्व नहीं है। मूल्य के अनुसार ही हम वस्तु की माँग करते हैं। वस्तु का मूल्य कम होने पर हम उसे अधिक मात्रा में खरीद लेते हैं और बड़ा जाने पर खरीद की मात्रा कम कर देते हैं। अतः माँग में किसी आवश्यक वस्तु की उस मात्रा का बोध होता है जिसे कोई किसी

अमुक मूल्य पर खरीदने को तैयार हो। यदि कोई व्यक्ति दस सेर चीनी बरह खाने सेर की दर में खरीदने को तैयार हो, तो दस सेर चीनी उसकी मांग होगी। यदि केवल यही कहा जाय कि अमुक व्यक्ति की मांग दस सेर चीनी है, तो यह अर्थशास्त्रीय अर्थ में मांग नहीं हो सकती। अस्तु मांग के साथ एक निश्चित मूल्य का रहना आवश्यक है। कोई भी मांग बिना किसी विशिष्ट मूल्य के कोई भी अर्थ नहीं रखती। प्रत्येक मांग के साथ एक विशिष्ट मूल्य लगा रहता है। प्रो० पैन्सन (Penson) लिखते हैं “किसी वस्तु की मांग मदैय किसी ग्राहक या आधी ग्राहक द्वारा प्रस्तुत की जाती है। किसी वस्तु का मांग का उसका मूल्य में परिवर्तन सम्बन्धी होता है। बहुत बड़ी गणना तक मनुष्यों की किसी वस्तु के खरीदने की तत्परता इन बातों पर निर्भर होती है कि उन्हें उम्मेद किया गया मूल्य क्या प्रदेगा। ट्रेडिंग, मूल्य में प्रत्येक प्रति जैसे कोई वस्तु वस्तु नहीं है।”<sup>१</sup> इसके अनिश्चित मांग और समय में भी सम्बन्ध थाया जाता है। किसी वस्तु की अमुक मात्रा अमुक मूल्य पर किसी अमुक समय पर ही उपलब्ध हो सकती है। दूसरे समय पर मूल्य में परिवर्तन होने से वस्तु की मांग में अत्यधिकता स्वाभाविक है। अस्तु मांग मदैय समय की उबाई के साथ बतलाई जाती है, जैसे प्रति बय, प्रति मास, प्रति सप्ताह या प्रति दिन। प्रत्येक मांग एक विशिष्ट समय में ही प्रभावपूर्वक मानी जायगी। अतः अर्थशास्त्रीय अर्थ में मांग के लिये निम्नांकित बातें आवश्यक हैं :—

- (१) प्रभावपूर्ण इच्छा (Effective Desire),
- (२) निश्चित मूल्य (Fixed Price), और
- (३) निश्चित समय (Fixed Time)।

यदि उपर्युक्त बातों के आधार पर मांग को इस प्रकार परिभाषित कर सकत हैं मांग किसी वस्तु की वह मात्रा है जिस कोई व्यक्ति किसी विशिष्ट मूल्य पर किसी विशिष्ट समय में खरीदने के लिये तैयार हो।

प्रो० बेंनहम (Benham) के शब्दों में किसी दिने हुए मूल्य पर किसी वस्तु की मांग उसकी वह मात्रा है जो अमुक समय में उस मूल्य पर खरीदी जाय।

प्रो० जे० एस० मिल (J. S. Mill) लिखते हैं कि मांग में इतना आशय मांगी जाने वाली मात्रा में होता है और स्मरण रखिये कि यह खरीदने वाली मात्रा नहीं होती बल्कि यह मूल्य के अनुसार सामान्यतया बदलती रहती है।<sup>२</sup>

१—“Demand is always made by a buyer or would be buyer, for a certain article. The demand for a commodity is closely related to its price. The willingness of people to buy a thing depends, to a considerable extent, upon what they have to pay for it. Therefore, there is no such thing as demand apart from price.”

Penson: *Everyday Economics*, Pt 1, p 107.

२—“The demand for anything at a given price is the amount of it which will be bought per unit of time at that price.”

Benham: *Economics*, p. 36.

३—“We must mean by the word demand, the quantity demanded and remember that this is not a fixed quantity, but in general varies according to the value.”

J. S. Mill: *Principles of Political Economy*, II, II, 4.

## माँग और पूर्ति ]

**माँग का मूल्य ( Demand Price )**—माँग का मूल्य वह मूल्य है जिस पर कोई श्रेता किसी वस्तु का निश्चित मात्रा किसी निगिष्ट धनराशि में खरीदने के लिये तैयार हो। यदि कोई व्यक्ति १ घाने प्रति दर्जन के हिमाव से दो दर्जन मत्तरे खरीदने को तैयार है, तो १ घाना प्रति दर्जन मत्तरे उसकी माँग का मूल्य हुआ।

**माँग का नियम (Law of Demand)**—माँग और मूल्य के सम्बन्ध के विवरण का माँग का नियम कहने है। माँग का नियम उपयोगिता ह्रास नियम (Law of Diminishing Utility) पर अवलम्बित है। इस नियम के अनुसार जितनी अधिक हम थोड़े वस्तु मिलते हैं उतनी ही उनकी उपयोगिता कम हो जाती है। उपयोगिता घट जाने से हम उस वस्तु को कम मूल्य पर ही खरीदते। किसी वस्तु के अधिक खरीदे जाने के लिये उसका मूल्य कम होना चाहिये। इसका या भी कह सकत हैं कि जितना किसी वस्तु का मूल्य कम होगा उतनी ही उस वस्तु की माँग अधिक होगी, इसके विपरीत मूल्य बढ़ने पर वस्तु की माँग ही सीमान्त उपयोगिता का प्राप्त कर सगी जिसके फलस्वरूप हम कम मात्रा में खरीदते। अतः मूल्य बढ़ जाने से उस वस्तु की माँग कम हो जाती है। यह प्रवृत्ति अर्थशास्त्र में माँग के नियम (Law of Demand) के नाम से प्रसिद्ध है।

माँग का नियम यह बतलाना है कि किसी वस्तु का मूल्य घटने से वस्तु की माँग बढ़ जाती है और किसी वस्तु का मूल्य बढ़ने से उस वस्तु की माँग घट जाती है, यदि अन्य बात समान रहे। इसको अधिक स्पष्ट करते हुए या कहा जा सकता है कि किसी वस्तु के मूल्य और माँग में विलोम सम्बन्ध (Inverse) सम्बन्ध है, क्योंकि मूल्य के घटने से माँग बढ़ जाती है और मूल्य के बढ़ जाने से माँग घट जाती है। इसकी तुलना बच्चों के डेकुल (See-Saw) नामक खेल में भती-भाली की जा सकती है। इस खेल में जब एक सिरे पर बँटा हुआ बच्चा नीचे आता है, तो दूसरे सिरे पर बँटा हुआ बच्चा ऊपर उठ जाता है और जब दूसरा नीचे आता है, तो पहला ऊपर उठ जाता है। ठीक वही स्थिति माँग के नियम के अनुसार मूल्य और माँग की रहती है, अर्थात् किसी वस्तु के मूल्य के कम हो जाने पर उसकी माँग बढ़ जाती है और मूल्य के बढ़ जाने से माँग कम हो जाती है। उदाहरणार्थ, जब मेव का मूल्य दो घाना प्रति मेव है, तो किसी व्यक्ति की माँग ५ मेव प्रति दिन की है। यदि मेव का मूल्य बढ़ कर तीन घाने प्रति मेव हो जाय तो उस व्यक्ति की माँग घट कर ४ मेव प्रतिदिन रह जाती है। यदि मेव के दाम घट कर एक घाना प्रति मेव हो जाय, तो उस व्यक्ति की माँग बढ़ कर सम्भवतः ८ मेव प्रतिदिन हो जायेगी।

माँग के नियम के सम्बन्ध में एक बात और स्पष्ट कर देना उचित है। अर्थात् माँग का नियम किसी वस्तु के मूल्य और उसकी माँग में सम्बन्ध स्थापित करता है अर्थात् माँग और मूल्य में कोई अनुपातिक (Proportionate) सम्बन्ध नहीं बतलाना। अर्थात् माँग और मूल्य का सम्बन्ध विलोमता है परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि यह अनुपातिक हो। उदाहरण के लिये, यदि किसी वस्तु का मूल्य आधा रह जाय, तो यह आवश्यक नहीं है कि माँग ठीक दुगुनी ही हो, माँग बराबर थोड़ी कीधुनी, पचगुनी भी हो सकती है। इसी प्रकार मूल्य के दुगने होने पर माँग ठीक आधी न रहे बर निहाई, पौनी भी हो सकती है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि मूल्य 1:जम अनुपात में घटे या बढ़े, माँग भी उसी अनुपात में बढ़े या घटे।


प्र० मार्शल ( Marshall ) के अनुसार शून्य जाने सुमान होने पर, किमी वस्तु का मूल्य घटने में उम वस्तु की मांग बढ़ती है और मूल्य के बढ़ने से मांग घटती है।

प्र० टॉमस ( Thomas ) मांग के नियम का इस प्रकार परिभाषित करते हैं—किमी दिय हूय समय मे किसी वस्तु या सेवा की मांग बड़े हूय मूल्य की अपेक्षा प्रचलित मूल्य पर अधिक होगी और घटे हूय मूल्य की अपेक्षा कम होगी।

'अन्य बात समान है अथवा किमी दिय हूय समय मे' अर्थात् इस प्रकार के शब्द बड़ आवश्यक है। इसका तात्पर्य यह है कि फीसन, रूचि, रिवाज, मोमम, जन्मस्थान आदि में परिवर्तन होने में बिना मूल्य में परिवर्तन हुए भी मांग में परिवर्तन होना सम्भव है। अस्तु मांग का नियम तब ही लागू होगा जबकि अन्य बात समान है अर्थात् उनमें कोई परिवर्तन न हो। ✓

मांग के नियम के अपवाद ( Exceptions to the Law of Demand ) पूर्ण प्राविशिता का अवस्थाया की कल्पना के अतिरिक्त, मांग के नियम के निम्नलिखित अपवाद हैं —

मांग का नियम निम्नलिखित चित्र द्वारा भरी प्रकार व्यक्त किया गया है —



बहुत कम प्रेतागण ✓

अत्यधिक प्रेतागण ✓

(१) निरन्तर मूल्य का बढ़ना—( Continuous Rise in Prices )—यदि कुछ समय तक मूल्य में निरन्तर वृद्धि हो रही हो ना उपभोक्ता

१—In the words of Prof. Marshall "Other things being equal, with a fall in the price, the demand for the commodity is extended, and with a rise in the price the demand is contracted."

Marshall Principles of Economics, p 99

२—"At any given time, the demand for a commodity or service at the prevailing price is greater than it would be at a higher price and less than it would be at a lower price"

—Thomas

परवासर भविष्य में मूल्य वृद्धि से बचने के लिये अधिक खरीद कर जमा कर उठा है। गत निरक्ष महापुरुष का अनुभव इस प्रपञ्च का पूरा रूप में पुट करता है।

(२) उपभोक्ता की वस्तु की विषय की अनविद्यता (Ignorance of Consumer about the Quality of a Commodity)—उपभोक्ता की वस्तु का विषय की अनविद्यता के कारण वह उस वस्तु के मूल्य या उपयोगिता का अनुमान उदात्त (Quoted) मूल्य में लगाता है। बहुत से लोग कम मूल्य वाली वस्तुओं को निरक्ष समझ कर नहीं खरीदते और जैसे मूल्य वाली वस्तुओं का उदात्त समझ कर खरीदते हैं। इस प्रकार उदात्त मूल्य का अर्थ है जैसे मूल्य पर वस्तुओं की अधिक बेचना संभव है।

३) ऊँचा मूल्य और संपत्ति प्रदर्शन—(High Price & Display of Wealth)—यही सभी लोग समुदाय वस्तु इतलिय खरीदते हैं कि उदात्त मूल्य ऊँचा है और उद्यम के धनी गणतंत्र का उचित प्रदर्शन कर सकते हैं। यदि किसी वस्तु का मूल्य गिर जाना से उसे जनसाधारण भी खरीदने लग जाय तो वे उस महापुरुष। उदाहरण के लिये जब बाइबिका का अधिक मूल्य था और जब साधारण ने खरीदने की वस्तु नहीं थी तब समीर लोग खरीदते थे। लेकिन अब उदात्त मूल्य गिर जाना से जनसाधारण के उपभोग की वस्तु हा गई है और समीर लोग अपनी गान रखने के लिये उदात्त महापुरुष हैं।

(४) आय में वृद्धि (Rise in Income)—मूल्य के बढ़ने के साथ साथ यदि मनुष्यों की आय में वृद्धि हो जाय तो वस्तुओं की माँग इनकी बढ़ा पड़ेगी। गत महापुरुष में मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होने पर भी वस्तुओं की माँग इनकी बढ़ा पड़ी। इसका कारण यह था कि मनुष्यों की आय भी साथ ही साथ बढ़ गई थी। वृद्धिकारी कारणों तथा आय प्रकार के विविध कार्यों के कारण रोजगार का क्षेत्र बड़ा गया था। पकारी काम का भी नहीं रने थी। लोगों ने व्यापार तथा कल कारखानों में पचास गुनाफा बनाया और विमानों की भी मूल्य के बढ़ने से बचा नाम हुआ। यह प्रकार कुछ नौकरी लोग के मनुष्यों का खर्च करने पर जनता की आय में पचास वृद्धि हो गई जिसे उनकी पहलू का धरे से आय गति बढ़ गई।

**माँग का सूचा (Demand Schedule)**

माँग का नियम यह चलाना है कि जब हमने मूल्य में परिवर्तन होता है तो उसका माँग पर भी प्रभाव पड़ता है अर्थात् विभिन्न मूल्यों पर माँग की विभिन्न मात्राएँ खरीदी जायगी। यदि हम माँग का विभिन्न मात्राओं का जो विभिन्न मूल्य पर माँगो जायगा एकत्रित कर एक स्थान पर रखें ता जो सूची इस प्रकार बनेगी उस इस माँग की सूची कहेंगे। इसको स्पष्ट करने हुए या कहा जा सकता है कि माँग की सूची सारणी (Table) के रूप में एक नियम है नियम दिया हुआ समय में किसी वस्तु को विभिन्न मात्राओं का उदात्त विभिन्न मूल्य के साथ मध्य में बननाया जाता है। परन्तु हम इस माँग की सूची वह सारणी है जिसमें बिना विविक्त स्थान और समय पर विभिन्न मूल्यों पर माँग की विभिन्न मात्राएँ दिखाई गई हों। माँग की सूची बनाने समय केवल मूल्य द्वारा होने वाले परिवर्तन पर ही विचार किया जाता है, मूल्य के अनिश्चित माँग में परिवर्तन करने वाला समय बाना का कोई विचार नहीं किया जाता जब कि यह स्थान पर माँग पर वितरण वास्तविक आय जन संख्या आदि।

मांग की सूची के भेद ( Kinds of Demand Schedule )—मांग की सूची दो प्रकार की होती है (१) व्यक्तिगत मांग-सूची ( Individual Demand Schedule ) और (२) बाजार की मांग सूची ( Market Demand Schedule )

(१) व्यक्तिगत मांग सूची ( Individual Demand Schedule )—वह सारणी है जिसमें किसी व्यक्ति की किसी वस्तु की विभिन्न मात्राओं की मांग विभिन्न मूल्यों पर दिखाई जाती है। किसी व्यक्ति की किसी वस्तु की मांग उसके मूल्य के प्रतिरक्त उसकी आय, रसि स्वभाव आदि अनेक बातों पर भी निर्भर रहती है अतः मांग की सूची बनाने समय यह कल्पना करनी जाती है कि अन्य बातें पूर्ववत् हैं, केवल उस वस्तु के मूल्य ही में परिवर्तन होता है। व्यक्तिगत मांग सूची में किसी व्यक्ति की किसी वस्तु की मांग को पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है, परन्तु कठिनाई यह है कि इस प्रकार की पूर्ण मांग सूची सुव्यवस्था में तैयार नहीं की जा सकती।

(२) बाजार मांग सूची ( Market Demand Schedule )—वह सारणी है जिसमें समस्त बाजार की मांग विभिन्न मूल्यों के साथ दिखाई जाती है। बाजार की मांग सूची कई व्यक्तियों की एक साथ होने से इसे सामूहिक ( Collective ) अथवा सामाजिक ( Social ) मांग सूची भी कहते हैं। बाजार मांग सूची मूल्य के सामने सम्पूर्ण बाजार में किसी वस्तु की बेची जान वाली समस्त मात्राएँ रख कर बनाई जा सकती है। बाजार की मांग सूची तैयार करत समय एक कठिनाई उपस्थित होती है। यह यह है कि बाजार में भाग लेने वाले क्रयियों की रसि, स्वभाव, आय, धन्य आदि में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है जिसके कारण मूल्य का वस्तु की मांग पर भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़ता है। अतः अनुप्राणी मांग की एक मातृ सूची बनाने समय इन व्यक्तिगत अन्तरो पर कोई विचार नहीं किया जाता है।

व्यक्तिगत मांग-सूची और बाजार मांग-सूची को निम्नांकित उदाहरणों द्वारा अन्तो प्रकार समझाया गया है —

सेवों की मांग सूचियाँ

(Demand Schedules for Apples)

व्यक्तिगत मांग सूची

बाजार मांग सूची

(Individual Demand Schedule) (Market Demand Schedule)

मूल्य प्रति दर्जन ₹०	मांग की मात्रा प्रति दर्जन	अ	ब	स	योग (मांग की मात्रा प्रति दर्जन)
७-	१	३	१	०	४
६	२	४	२	१	७
५-	३	५	३	३	११
४	४	६	४	४	१४
३	६	७	६	५	१८
२	८	८	८	६	२०
१	१०	९	९	८	२६

गारखी का स्पर्जीकरण—उपयुक्त सारणी में बाजार माँग सूची के अन्तगत छू ने घनो वग व में मध्य घोग म स अथम वग व मनुष्या की (माँग वनवाई गड है। जर्वकि मूल्य ७ ६० प्रति दजन है तो कुल चार दजन भेव बाजार म वचा जायगा ६ ६० प्रति दजन मूल्य पर ७ भेव ५ ६० मूल्य पर ११ मव और इसी प्रकार बाव ४ ६० ३ ६० २ ६० और १ ६० पर क्रमग १४ ६० २२ और २८ मव वच जायेंगे। यह सारणी माग के नियम का चरिताय कर्ती है। जैसे ही जम मूय वम हावा जाता है धम ही-धमे माग घटती जाती है और इसी प्रकार क्रम तम पूय वना घता है जैसे-जैसे माग घटती जाती है।

माग-सूची के सम्बन्ध में कुछ ज्ञानस्थ याव ✓

१ माग-सूचियाँ जसो कि ऊपर दी हुई हैं, पूरा नहा हाणी । "नवा यह केवल धार्मिक रूप ही है। पूरा सूची तव वन मकता है जवकि सुख्या और वन्ध का मायाभा की एक विन्तुन सूची तपार की जाय। यह काय बडा कठिन है।

२ माग-सूची वास्तविक होती है, बवाकि हम वास्तविक माँग सूचा तना वना मवने। हम केवल किसी अमुक समय पर प्रचावत मूल्य पर मागा जाने वाली वन्ध का माया वा ही जान मकत है। अय मूय और वस्तुएँ हम अपनी वन्धना म हा विल सक्ने हैं। इनके निय विगत रेका भी महायक पिड नहा हा मकता बवाकि विभिन्न समय की अवस्थाया म भिदता पाई जाती है।

३ वास्तविक माग सूची का निर्माण धनि दुखर है। कोर् भा व्यनि मवमना म यह नही कह मकता कि किम मूय पर वड किमा वस्तु का किमना माया खरातगा। माँग-सूची कोई निरलय ( Absolute ) वन्ध नहा है बवाकि विभिन्न वन्धना को उप योगिता एक-दुगरे पर प्राधिन होती है।

४ माग-सूची म अेवत परिवतन प्रवृत्ति का हा बाव हा मकता है। वनम केवद यही जान हो मकता है कि अमुक मूय क साथ वन्धु का माग म अमुक परिवतन हो मकता है। काई भी व्यति विचय रूप म यह नही कह मकता है कि अमुक परिवतन अवय ही हागा।

माग-सूचिया का उपयोगिता ( Utility of Demand Schedule)—यद्यपि बिदवर्तन माग-सूचियाँ के निर्माण म अमक कठिनाया है परन्तु फिर भा अनी कि व है क प्रचार म साधनायक है। इनमे विम्वलित प्रचावन निडू जान है —

(१) वित्त मंत्री (Finance Minister) का यह अवमान लगाना पन्ना है कि कसा क लगान म जा वस्तुया म मूय ग वृद्धि हागी उमन उनका खरोण जान वाता वन्धना का मायाभा म किमनी बनी हा जायगी। इस प्रकार की गणना बिना वन्ध नैवार निय नहा की जा मकता।

(२) इनकी उपयोगिता उगातका और निगायाया व निय वम तना है। विभिन्न वन्धना को माँग-सूचिया का अध्ययन करत क पन्धण हा व वन्धना म मूय निधारित करत हैं। इन सूचिया द्वारा उपभाताया की वचन का जान हा मकता है।

(३) एनाधिकार (Monopolist) का भा अवन जान का अविचनम वन क निय मूय परिवतना द्वारा हान वाता उपयोगिताया वा प्रति शियाया का ध्यान म रखना पटना है।

(४) इनम माँग का नियम नवा भावि ममना तव मकता है।




(५) वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने से माँग की क्षीन वा अचछा ज्ञान हो सकता है ।

(६) इनमें व्यापारी वर्ग बाजार की प्रवृत्ति ( Tendency ) का सुगमता से अनुमान लगा लेते हैं ।

(७) इन सारणियों से विक्रेताओं को भिन्न-भिन्न मूल्य पर किसी विशिष्ट समय और स्थान पर माँग की विभिन्न मात्राओं का पता चल जाता है ।

✓ **माँग की वक्ररेखा ( Demand Curve )**—माँग सूची के अर्थों द्वारा रेखाचित्र बनाने में जो वक्ररेखा बनती है वह माँग की वक्ररेखा कहलाती है । माँग की वक्ररेखा एक प्रकार से माँग-सूची का रेखिक चित्रण है । इन दोनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है, क्योंकि ये एक-दूसरे पर आश्रित हैं । माँग की वक्र रेखा सूची के आधार पर ही बनाई जाती है । दोनों में केवल यही अन्तर है कि माँग-सूची एक सारणी के रूप में होती है और माँग वक्ररेखा एक रेखिक चित्र के रूप में होती है, अर्थात् दोनों एक ही वस्तु के विभिन्न प्रतीक हैं । दूसरे शब्दों में, या भी कहें जा सकता है कि दोनों ही माँग के नियम की निर्यातात्मकता का एक ही दृष्टि में प्रदर्शित करने की दो युक्तियाँ हैं ।

ऊपर माँग की सूचियों के अन्तर्गत दिये हुये अर्थों से निम्नांकित रेखाचित्र बनता है जिसमें मूल्य और माँग का सम्बन्ध एक वक्र रेखा द्वारा प्रदर्शित किया गया है :—



माँग की मात्रा (वर्जनों) में  
माँग की वक्ररेखा (Demand Curve)

अथ रेखा पर सेव की माँग दर्जनों में और अक्ष रेखा पर केवों का मूल्य रुपयों में दिखाया गया है । ऊपर की तालिकानुसार विभिन्न मूल्यों पर खरीदी जाने वाली वस्तु की मात्राएँ खड़ी और बढ़ती रेखाओं से प्रकट की गई हैं । सारे त्रिभुजा का गिनता देने में माँग की वक्र रेखा द द' बन जाती है जा महरो वाली स्पाही से दिखाई गई है ।

मांग का ढल रहा नीचे की ओर क्या भुक्त होती जाती है ? ( Why does demand curve slope downwards ? )—सब्र हम यह देखत है कि सब मांग की वक्र रेखाएँ मदीव बाई से दाई तरफ नीचे की ओर भुक्त होती जाती हैं । इसका कारण स्पष्ट है उपयोगिता ह्रास नियम (Law of Diminishing Utility) के अनुसार यदि किसी वस्तु की इकाइयाँ म वृद्धि की जाय, तो प्रत्येक बाइ का इकाई की मोमान् उपयोगिता (Marginal Utility) कम होती जाती है जिससे फलस्वरूप मूल्य म भी गिरावट आ जाती है । अस्तु किसी वस्तु के घटते हुए मूल्य पर उम वस्तु की अधिक इकाइयाँ अथवा मात्रा खरीदने का प्रवृत्ति देखी जाती है । अतः यह स्पष्टिब घटना कि किसी वस्तु का मूल्य कम होने म उसकी मांग वृद्धि होती है । उपयोगिता ह्रास नियम की मयता पर निर्भर है और यदि अथ बात गयान म नी उपयोगिता ह्रास नियम को मयता म कदापि मोन नहो आ मनती । इन नियम मांग की वक्ररेखा मदीव नीचे की ओर भुक्त होती है ।

कब मांग की वक्ररेखा नीचे की ओर नही भुक्त होती ? ( When does the Demand Curve not slope downwards )—जबकि अगत बातवरण हो अथवा वस्तु की अथधिक यूनता म मांग मयभीत हा या वस्तु का उपयोग प्रतिहाय हो अथवा उभाका वस्तु से अनभिन हो या जीवनाथ प्रादभय वस्तुमा के मूल्य म अथधिन वृद्धि हां गई हां तो वक्ररेखा नीचे की ओर भुक्तने म एक जायगी ।

### मांग म परिवर्तन

#### (Changes in Demand)

मांग म परिवर्तन कई प्रकार से होता है और प्रत्येक प्रकार की विवेचनाएँ निम्न भिन है । अस्तु नीचे मांग के परिवर्तन व निर्भिन्न रूपों का निरूपण करत हुए उनम भव प्रकट किया जाता है —

मांग का विस्तार एवं संकुचन (Extension & Contraction of Demand)—मांग के नियमानुसार किसी वस्तु के मूल्य का परिवर्तन उमकी मांग म विभिन्न परिवर्तन उत्पन्न करता है अर्थात् जब मूल्य गिरता है तो मांग बढ़ जाती है और मूल्य बढ़ता है तो मांग घट जाती है ।

मूल्य के घटने से जो मांग म वृद्धि होती है उसे मांग का विस्तार (Extension of Demand) कहते हैं और मूल्य के बढ़ने से मांग को कमो का मांग का संकुचन (Contraction of Demand) कहत है । मांग के विस्तार और संकुचन का मन्वथ मूल्य के कारण मांग म होने का न परिधतन से है न कि अथ कारणों से होने वाल परिवर्तन से ।

मांग की वृद्धि एवं ह्रास (Increase and Decrease of Demand)—मांग में परिवर्तन मूल्य के अनिश्चित अथ कारणों म भी होता है जैसे मुद्रा के मात्रा वास्तविक मांग जन मख्या पैमान व रवि व्यापार वा स्थिति प्रादि म परिवर्तन । उदाहरण के निय म न मुद्रापुंठ म मुद्रा-स्फीति (Inflation of Money) के कारण वस्तुमा के मूल्य म अथधिक वृद्धि हा गई थी और नियम प्रभाव से उननी मांग म भी कमो हा गई था । इसी प्रकार चाय पाव व रवि के घटने म चाय की मांग म वृद्धि हा जाती है और मट्टियाँ या लख या छोटे चाय रखत के पान

के कारण 'हयर पिन' (Hair Pins) और 'हयर नेट' (Hair Nets) की मांग में परिवर्तन हो जाता है। अतः, मूल्य के अतिरिक्त अन्य कारणों से मांग के बढ़ जाने को मांग की वृद्धि (Increase of Demand) कहेंगे और कम हो जाने को मांग का ह्रास (Decrease of Demand) कहेंगे।

मांग में परिवर्तन करने वाले कारण

( Factors Causing Changes in Demand )

मूल्य के अतिरिक्त मांग में जिन कारणों से परिवर्तन होता है वे निम्नलिखित हैं :—

(१) रसि और फैशन में परिवर्तन ( Changes in Tastes & Fashion )—दैनिक आवश्यकताओं की अनेक वस्तुओं की मांग में रसि और फैशन के कारण परिवर्तन हो जाता है। जैसे भारतवर्ष में चाय की और लोगों का अधिक भुजाव होने से इसकी मांग बढ़ रही है। और 'दाइ' का फंशय कम होने से इसकी मांग घट रही है।

(२) मौसम में परिवर्तन ( Changes in Climate or Weather )—सर्दों में गर्म बियर की मांग और गर्मों में बिल्ली के पत्तों और टण्डे पेय-पदार्थों ( Cold Drinks ) की मांग बढ़ जाती है।

(३) जन-संख्या में परिवर्तन ( Changes in Population )—यदि बाहर से अधिक लोग आकर बस जायें तो उनके उपयोग में आने वाली वस्तुओं की मांग बढ़ जायेगी। यदि लड़ाई में नवयुवक एक बड़ी संख्या में मारे जायें तो शादियों में बन्नी हो जायगी और इसके परिणामस्वरूप शादियों में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं की भी मांग कम हो जायगी।

(४) मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन ( Changes in the Amount of Money )—मुद्रा स्थिति तथा मुद्रा-संकुचन के कारण वस्तुओं के मूल्यों में परिवर्तन हो जाने से उनकी मांग में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे गत विश्व महायुद्ध के पूर्व भारतवर्ष में १७६ करोड़ रुपये की मुद्रा प्रचलित थी और युद्ध काल में प्रचलित अर्ध सत् १९४५ ई० में १२०० करोड़ हो गई जिसके कारण वस्तुओं के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि हुई।

(५) वास्तविक आय में परिवर्तन ( Changes in Real Income )—केवल मुद्रा की मात्रा से मांग में परिवर्तन नहीं होता बल्कि लोगों की वास्तविक आय के परिवर्तन में भी वस्तुओं की मांग में परिवर्तन होगा है। उदाहरणार्थ, प्रौद्योगिक निपुणता, ज्ञान वृद्धि, नये आविष्कारों तथा उत्पत्ति के नवीन ढंगों के कारण वस्तुओं का लागत मूल्य ( Cost of Production ) गिर जाता है जिसके कारण वस्तुएँ सस्ती उपलब्ध होने लगती हैं। अतः वस्तुओं का मूल्य गिर जाने से उनकी मांग बढ़ जाती है।

(६) धन-वितरण में परिवर्तन ( Changes in Distribution of Wealth )—धन वितरण के परिवर्तन से भी वस्तुओं की मांग में अन्तर आ जाता है। उदाहरण के निम्न, यदि धन-वितरण शरीरों के पक्ष में है, तो अनिवार्य आवश्यक पदार्थों की मांग बढ़ जायगी और धनी लोगों के पक्ष में है, तो विलास-वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जायगी।

(७) व्यापार की स्थिति में परिवर्तन (Changes in Conditions of Trade)—व्यापार वृद्धि (Boom) के समय में मूल्य का बढ़े हुए होने पर भी वस्तुओं की माँग प्रायः अधिक और मंदी (Depression) के समय में कम हो जाता है।

(८) स्थानापन्न वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन (Changes in Prices of Substitutes)—यदि किसी वस्तु के बदले में अब वस्तु प्रयुक्त की जा सकती है तो एक की माँग की वृद्धि दूसरे की माँग को कम कर देती है। जैसे रेडियो के मूल्य में कमी हो जाने में रामोफोन का माँग में भी कमी हो जायगा क्योंकि अब लोग रामोफोन के स्थान में रेडियो कायम लावग।

### विभिन्न प्रकार की माँग (Different kinds of Demand)

संयुक्त माँग (Joint Demand)—कई वस्तुएँ ऐसी हैं जिनका प्रयोग किसी आवश्यकता की पूँति के लिये एक साथ होता है जैसे मोटर और पेट्रोल, क्लब और ग्राह्मी, सूता और पालिश आदि। परन्तु जब दो या दो से अधिक वस्तुओं की माँग एक साथ की जाय तो उसे संयुक्त माँग कहेंगे।

सम्मिश्रित माँग (Composite Demand)—कई वस्तुएँ ऐसी हैं जिनका प्रयोग एक से अधिक कामों के लिये होता है जैसे लकड़ी की माँग फर्नीचर फस छत्त, दरवाजे, रेलवे बेंगल, जहाज सेना का सामान आदि बनाने में होता है। इसी प्रकार भूमि का उपयोग सेना भवन निर्माण चरागाह घेत के भंडारण बाग बगीचा आदि के लिये होता है परन्तु जब किसी वस्तु की माँग दो या दो में अधिक प्रयोगों के लिये की जाय तो उसे सम्मिश्रित माँग कहेंगे।

प्रत्यक्ष एवं प्राप्त माँग (Direct & Derived Demand)—संयुक्त माँग में एक से अधिक वस्तुएँ एक साथ माँगी जाती हैं। इसलिए संयुक्त माँग में आधारभूत वस्तु की माँग अथवा अंतिम उत्पत्ति की वस्तु की माँग को प्रत्यक्ष माँग कहेंगे और पुरख वस्तु या वस्तुओं की माँग को प्राप्त माँग कहेंगे। उदाहरण के लिये मोटर कार का माँग से पेट्रोल की माँग उत्पन्न होती है। परंतु मोटर कार की माँग तो प्रत्यक्ष माँग है और पेट्रोल की माँग प्राप्त माँग है।

माँग की लच

(Elasticity of Wants)

माँग की लच का अर्थ (Meaning of Elasticity of Demand)—जब यह स्पष्ट किया जा चुका है कि वस्तु का माँग में मूल्य के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। माँग के नियमानुसार यदि मूल्य बान समान रहे तो मूल्य के कम होने से माँग बढ़ जाती है और मूल्य के बढ़ने में माँग कम हो जाता है। यह परिवर्तन कभी कम होता है और कभी अधिक। परन्तु मूल्य में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप जो माँग में परिवर्तन होता है, उसे माँग की लच (Elasticity of Demand) कहते हैं। लच माँग का एक स्वाभाविक गुण है। परंतु मूल्य के घटने व बढ़ने से माँग में


परिवर्तन विनाश हो जाना सम्भव है। मांग में उन्ना परिवर्तन का अर्थशास्त्र में मांग की ताब कहते हैं।

एक व्यापारिक जीवन का निरु अनुभव है कि कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिनके मूल्य में तनिक परिवर्तन होने में उनका मांग पर अत्यधिक प्रभाव पड़ जाता है। जैसे रनिया का मूल्य कम हो जाने पर उसका मांग में वृद्धि हो जाता है और मूल्य अधिक हो जाने पर उसका मांग घट जाता है। पर कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं जिनकी मांग पर मूल्य की न्यूनतापिना का बहुत कम प्रभाव पड़ता है। जैसे तमक, खाजात आदि आवश्यक वस्तुएँ। अन्त में मूल्य घटने में परिवर्तन में मांग में अत्यधिक परिवर्तन हो जाने का मांग की अधिक ताब कहते हैं और मूल्य का न्यूनतापिना में मांग में उन्ना हो जाने का मांग पर परिवर्तन होने का मांगकी कम ताब कहते हैं।

प्रो० मार्शल (Marshall) ने मांग में मांग का ताब अधिक या कम मूल्य का उन्नापिना के अनुसार मांग की वृद्धि और कमी के अनुपात बताया है।

मांग का ताब के घन (Degrees of Elasticity of Demand)—  
मांग का ताब का विभिन्न प्रकार के अर्थशास्त्र में मांग का ताब है। जिनमें पन्धु का मांग (१) ताबदार (२) अत्यधिक ताबदार (३) पूर्णतया ताबदार (४) सामान्यतया ताबदार या कलाब अथवा (५) पूर्णतया ताबदार हो सकता है। अन्त में विस्तृत विवरण ताब दिया गया है —

(१) ताबदार मांग (Elastic Demand) यदि मूल्य के परिवर्तन के प्रभाव में ठीक उन्ना अनुपात में मांग में परिवर्तन होता है तो उसे ताबदार मांग ताबदार कहना पड़ेगा। उदाहरण के लिये जिन वस्तु का मूल्य उन्ना हो जाय तो उनका मांग घट कर आधी रह जायगा और यदि उन्ना मूल्य पर कर आधा हो जाय तो उसका मांग उन्ना हो जायगा। प्रायः पन्धु मूल्य की




वस्तुएँ (Articles of Comforts) में श्रेणी जाता है। इस प्रकार की वस्तु का मांग का ताब का उन्ना के उन्ना पर कहते हैं। जिन वस्तुओं में वस्तु प्रकृति विस्तृत रूप में है। अन्त में यह वस्तु या अथवा (Semi Porifontal) या अथवा (Semi Vertical) है।

(२) उन्ना ताबदार मांग (Highly Elastic Demand)—यदि मांग में परिवर्तन मूल्य में होने वाले परिवर्तन से अधिक अनुपात में होता है तो उसे उन्ना मांग अत्यधिक ताबदार कहना पड़ेगा। कुछ वस्तुएँ हैं कि मूल्य

1— The elasticity of demand in the market is great or small according as the amount demanded increases much or little for a given fall in price and diminishes much or little for a given rise in price  
Marshall Principles of Economics P 100

थोड़ा कम होने पर उनकी मांग बहुत बढ़ जाती है, और मुख्य जरा बढ़ जाने से उनकी मांग काफी कम हो जाती है। रेडियो, मोटर-कार, वाइकिंग, प्रतीक (Refrigerator), रेसमी कपड़े, मोफा सेट, टाई आदि बिनास वस्तुओं (Articles of Luxury) की मांग प्रायः इस प्रकार की होती है। उदाहरण के लिये, यदि रेसमी कपड़े या टाई के मूल्य में २५ प्रतिशत कमी हो जाती है, तो मांग में वृद्धि ५० प्रतिशत या इतनी भी अधिक हो जाती है, अर्थात् मांग में वृद्धि अनुपात में अधिक हो जाती है। इसी प्रकार रेसमी कपड़े का मूल्य थोड़ा मा भी बढ़ जाय, तो मांग बहुत कम हो जायगी अर्थात् मांग अनुपात से अधिक गिर जायगी। इस प्रकार की मांग की ताव का उदाहरण से अधिक बढ़ने है। दिए हुए चित्र के अध्ययन में यह ज्ञात होता है कि इस प्रकार की मांग की वक्र रेखा लंबी हुई (Horizontal) या चपटी (Flat) होती है, अर्थात् इसकी प्रवृत्ति आधार रेखा (Base Line) के समानान्तर (Parallel) होने की होती है।


गोटर-कार, वाइकिंग, प्रतीक (Refrigerator), रेसमी कपड़े, मोफा सेट, टाई आदि बिनास वस्तुओं (Articles of Luxury) की मांग प्रायः इस प्रकार की होती है।



बहुत लोचदार मांग (Highly Elastic Demand) की चपटी (Flat) रेखा है, अर्थात् इसकी प्रवृत्ति आधार रेखा (Base Line) के समानान्तर (Parallel) होने की होती है।

(३) पूर्णतया लोचदार मांग (Perfectly Elastic Demand)

मूल्य में परिवर्तन होने पर भी मांग में पर्याप्त घटा बढ़ी हा जाने की दशा में मांग की पूर्णतया लोचदार कहेंगे। ऐसी वस्तुएँ जिनकी मांग में जितना मूल्य में परिवर्तन हुआ ही अधिक घटा बढ़ी हो जाय, वास्तविक जीवन में हीटमोपर नहीं होता। अस्तु ऐसी दशा में वास्तविक जीवन से परे हानि के कारण काल्पनिक कहेंगे या कहते हैं। मांग की इस अवस्था में वक्र रेखा आधार रेखा के विस्तृत समानान्तर होती है जैसा कि चित्र में चित्रित किया गया है।




बहुत लोचदार मांग (Perfectly Elastic Demand)

(४) सामान्यतया लोचदार अथवा बेलोच मांग (Moderately Elastic or Inelastic Demand) - यदि


किसी वस्तु की मांग में मूल्य के अनुपात से कम परिवर्तन हो, तो ऐसी दशा में मांग को सामान्यतया लोचदार अथवा बेलोच कहेंगे। उदाहरणार्थ यदि किसी वस्तु के मूल्य में २५ प्रतिशत कमी होने पर वस्तु की मांग में वृद्धि केवल १० या १५ प्रतिशत और मूल्य में २५ प्रतिशत वृद्धि होने पर वस्तु की मांग में केवल १० या १५ प्रतिशत कमी हो, तो ऐसा वस्तु की मांग की सामान्यतया लोचदार, कम लोचदार या बेलोच कहेंगे। इस वस्तु की मांग की इकाई में कम बढ़ने है। इस प्रकार की मांग प्रायः

जीवनाथ आवश्यक वस्तुओं (Articles of Necessity) में पाई जाती है। नमक इनका सबसे उत्तम उदाहरण है। नमक का मूल्य एक आन में दो आने में स हो जाने पर भी नमक की मांग सम्भवतः बहुत थोड़ी कम हो। इसी प्रकार यदि नमक का मूल्य एक आने में घट कर दो पैसे हो जाय तब भी नमक की मांग में मूल्य के अनुपात में वृद्धि नहीं होगी। दिए हुए चित्र में यह स्पष्ट है कि सामान्यतया लोचदार या बेलोच मांग की वक्र रेखा की प्रवृत्ति खड़ी होने (Vertical) की ओर होती है।



सामान्यतया लोचदार या बेलोच मांग  
(Moderately Elastic or Inelastic Demand)

(५) पूर्णतया बेलोच मांग (Perfectly Inelastic Demand) —



पूर्णतया बेलोच मांग

(Perfectly Inelastic Demand)

मूल्य में परिवर्तन होने पर मांग में कोई भी परिवर्तन न होने की दशा में मांग को बेलोचदार कहते हैं। इसको अधिक स्पष्ट करते हुए या कहा जा सकता है कि मूल्य चाहे कुछ भी हो मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता है। पूर्णतया लोचदार मांग की भाँति इसका भी अस्तित्व काल्पनिक है। पूर्णतया बेलोच मांग की वक्र रेखा बिल्कुल खड़ी (Vertical) होती है। जमा कि चित्र में स्पष्ट है।

निष्कर्ष—साधारणतया जीवन के नियम आवश्यक वस्तुओं की मांग कम लोचदार (Inelastic) होती है क्योंकि जो वस्तु जीवन के नियम आवश्यक हैं उनको तो किता भी मूल्य पर खरीदना ही पड़ता है और एक बार आवश्यकतानुसार मात्रा में उन्हें खरीदने के पश्चात् फिर थोड़े मूल्य में भारी कमी नहीं आता जब वस्तुओं को अधिक मात्रा में नहीं खरीदा जा सकता। दूसरी ओर बिनास वस्तुओं की मांग अधिक लोचदार (Highly Elastic) होती है क्योंकि ये वस्तुएँ जीवन के नियम आवश्यक नहीं होतीं अतः जहाँ तक वे बहुत महत्त्व नहीं आते वहाँ तक इनका प्रयोग अधिक नहीं किया जाता। जब वे महत्त्व होती हैं तो इनको बड़ी मात्रा में खरीदा जाता है और यदि इनका मूल्य फिर से घट जाता है तो इनका प्रयोग स्थगित कर दिया जाता है जिससे उनकी मांग में भारी कमी आ जाती है।

इस प्रकार कई सुख वस्तुओं में भी अनुपात से अधिक वृद्धि होने के कारण उनकी मांग अधिक लोचदार होती है। सामान्यतया सुख वस्तुओं की मांग में बेवत अनुपातिक परिवर्तन होने से उनकी मांग लोचदार (Elastic) होती है।

निम्नलिखित वस्तुओं की मांग किस प्रकार की है लोचदार अधिक लोचदार या कम लोचदार है ?


✓ नमक (Salt)—नमक जीवन की अनिवार्य आवश्यकता है। इसकी माँग मूल्य की न्यूनताधिकता से अधिक प्रभावित नहीं होती। आवश्यक मात्रा में तो इसे प्राप्त करना ही पड़ता है, चाहे मूल्य अधिक हो या कम। अस्तु, नमक की माँग सामान्यतया लाचदार (Moderately Elastic) अथवा बेलाचदार (Inelastic) होती है।

मान लीजिए कि नमक की माँग सूची निम्न प्रकार है :—

नमक का मूल्य प्रतिमन	नमक की माँग
५ रु०	१० मन
४ रु०	११ "
२ रु०	१२ "

उपरोक्त सूची में दिये हुये अंकों की सहायता से निम्नांकित रेखा चित्र बनाया गया है —

इसमें अक्षर रेखा नमक की माँग को प्रकट करती है और अक्षर रेखा नमक के मूल्य का प्रकट करती है। दाँएँ नमक की वक्र रेखा है। उक्त वक्र रेखा यह प्रकट करती है कि जब नमक का मूल्य ५ रु० मन है तो माँग १० मन है। जब नमक का मूल्य ४ रु० मन हो जाता है तो नमक का माँग बढ़कर ११ मन हो जाती है।



नमक की माँग की मात्रा (मनो म) माँग की मात्रा में परिवर्तन मूल्य के परिवर्तन की अपेक्षा कम है, क्योंकि मूल्य में कमी तो २० प्रतिशत हुई है पर माँग में वृद्धि १० प्रतिशत हुई है। फिर नमक का मूल्य २ रु० हो जाता है, तो नमक की माँग १२ मन होती है, अर्थात् जब मूल्य में ६० प्रतिशत कमी हुनी है, तो माँग की मात्रा में, केवल २० प्रतिशत ही वृद्धि होती है। इस चित्र में दाँएँ रेखा जीवनार्थ आवश्यक वस्तुओं की प्रतीक है और इसकी प्रवृत्ति गड़ी होने (Vertical) की धार होती है।

दियामलाई और ईंधन (Match Box & Fuel)—दियामलाई और ईंधन जीवनार्थ आवश्यकताओं की पूर्ति करने योग्य वस्तुएँ हैं। इनकी माँग पर मूल्य की घटा-बढ़ी का अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः इनकी माँग बेलाचदार (Inelastic) है।

हीरे (Diamonds)—हीरे केवल भोग विलास की वस्तु है, अतः मूल्य की घटा-बढ़ी का इनकी माँग पर अधिक प्रभाव पड़ता है। इसलिये इनकी माँग बहुत



लोचदार (Highly Elastic) है।


रेडियो सेट मोटरकार व प्रशीतक (Radio Sets Motor Cars & Refrigerators)—ये भोग विलास की वस्तुएँ हैं। इनके मूल्य में थोड़ा सा परिवर्तन ही जान पर माग में बर्धमान पड़ा बन्ती हो जाता है। अतः इनकी माग बहुत लोचदार (Highly Elastic) है।

कोयला और चाय (Coal & Tea)—प्रायः उन वस्तुओं की माग अधिक लोचदार होती है जिनके स्थान में अन्य वस्तुएँ प्रयुक्त की जा सकती हैं। क्योंकि एक वस्तु का मूल्य बढ़ जाने पर उगने स्थान में अन्य वस्तु का उपयोग प्रारम्भ हो जाता है। कोयला और चाय की माग अधिक लोचदार (Highly Elastic) है क्योंकि कोयला के महंगे होने पर लकड़ी जलाई जा सकती है और चाय के महंगे होने पर लकड़ी के बजाय कपड़ा जलाया जा सकता है। इसी प्रकार चाय के महंगे होने पर चायों का प्रयोग किया जा सकता है और चायों के महंगे होने पर चाय का प्रयोग किया जाने लगता है।

माग की वक्र रेखा की लोच—(Elasticity of Demand Curve)—  
माग की वक्र रेखा पर किसी बिन्दु पर उसकी मुझाव (Slope) को माग का वक्र रेखा की लोच कहते हैं। प्रस्तुत माग का वक्र रेखा की लोच रेखायुक्त द्वारा सुसंभना में तापी जा सकती है जना कि लोच चित्र में दर्शाया गया है।

दिये हुये चित्र में दृश्य माग की वक्र रेखा है जिसमें प कोई एक बिन्दु है।

एक लोच रेखा जो प बिन्दु पर दृश्य की रेखा (Tangent) है खानी गई है जो अब रेखा म थ बिन्दु पर मिलती है और अ स रेखा त त बिन्दु पर मिलती है। अब माग की वक्र रेखा की लोच बिन्दु पर प थ और प त का अनुपात (Ratio) है। यदि प थ और प त बराबर  $\frac{1}{2}$  तो लोच इकाई (Unity) के बराबर है। यदि प थ प त का अनुपात  $\frac{1}{2}$  है तो लोच भी इकाई के बराबर है।



माग का वक्र रेखा की लोच

(Curve)

अतः लोच अनुपात में प्रकट कर सकते हैं। यदि दाना नालू बगल है तो लोच इकाई के बराबर है। यदि लोच प म  $\frac{1}{2}$  प म बराबर है तो लोच भी अनुपातिक

दृष्टि में बढ़ी है। यदि  $\angle$  थ प म  $\angle$  म प म के अनुपात से बढ़ता है तो लोच भी उसी अनुपात में बढ़ेगी।

माँग की लोच और उत्पत्ति-ह्रास नियम (Elasticity of Demand & Law of Diminishing Returns)—माँग की लोच और उत्पत्ति ह्रास-नियम में घनिष्ठ सम्बन्ध है। उत्पत्ति-ह्रास नियम के अनुसार ज्यों-ज्यों वस्तु की मात्रा में वृद्धि की जाती है, त्यों-त्यों उसकी प्रगती दफाओं की उपयोगिता घिरती जाती है। उपयोगिता का घर्षण यहाँ प्रत्येक इकाई की सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility) में है। यह उपयोगिता का ह्रास एक-सा (Uniform) नहीं होता है। कुछ दशाओं में यह ह्रास सीधे-सा में होता है, जैसे नमक आदि जीवनापयोगी वस्तुएँ। जब नमक का मूल्य गिरता है, तो हम तुरन्त उसे अपनी संपूर्ण आवश्यकता के अनुसार खरीद लेते हैं और यदि फिर मूल्य गिरे तो हम उसे विलुप्त नहीं खरीदते हैं। इन दशा में उपयोगिता का ह्रास बढ़ी सीधे-सा में होता है। ऐसी वस्तुओं की माँग वेलोच होती है। कुछ दशाओं में सीमान्त उपयोगिता में ह्रास धीरे-धीरे होता है, जैसे रेजमी कल्ल मॉटरकार, रेडियो वाइसिकल आदि। मुझ एव विलास वस्तुएँ। इनकी माँग लोचदार या अत्यधिक लोचदार होती है। संक्षेप में, जब सीमान्त उपयोगिता में ह्रास सीधे-सा में होता है तो माँग कम लोचदार या वेलोच होती है और जब यह शर्तें घने होना है तो माँग लोचदार या अत्यधिक लोचदार होती है।

माँग की लोच और उपभोक्ता की वचन (Elasticity of Demand & Consumer's Surplus)—माँग के स्वभाव या उपभोक्ता की वचन पर भी काफी प्रभाव पड़ता है। जीवनार्थ और रुढ़ आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली वस्तुओं की माँग प्रायः कम लोचदार होती है। वे प्रायः मजती भी होती हैं। जीवन रक्षक वस्तुओं की अत्यधिक उपयोगिता होने के कारण उपभोक्ता जो मूल्य दे रहा है उसमें भी कहीं अधिक मूल्य देने के लिये तैयार हो जाता है। परन्तु सामान्य में वह कम मूल्य दे रहा है क्योंकि ऐसी वस्तुओं का उत्पादन बड़े परिमाण में होने में वे सस्ती उपलब्ध होती हैं। इसलिये कम लोचदार या वेलोच माँग वाली वस्तुओं के उपभोग से उपभोक्ता की वचन अधिक होती है। शुभ और विलास-वस्तुओं की माँग लोचदार या अत्यधिक लोचदार होती है। उपभोक्ताएँ उनका अधिक मूल्य देने की तैयार नहीं हैं क्योंकि वे पहले से ही उनका ऊँचा मूल्य दे रहे हैं। अस्तु, ऐसी दशा में 'उपभोक्ता की वचन' कम होगी। इस प्रकार जब किसी वस्तु की माँग कम लोचदार या वेलोच हो, तो उपभोक्ता की वचन अधिक होती है, और जब उसकी माँग लोचदार या अत्यधिक लोचदार हो तो उपभोक्ता की वचन कम होती है।

माँग की लोच का माप (Measurement of Elasticity of Demand)—जबत वह जानना ही पर्याप्त नहीं है कि समुक्त वस्तु की माँग लोचदार है या वेलाचदार। आसानी साग और अर्थ-सन्धि, इसका जानने के लिये और भी अधिक गहराई तक पहुँच है पर्याप्त वे लोच की ठीक प्रमा में मापने की भी चेष्टा करते हैं। अस्तु, हमें लोच-मापन की विविध रीतियों का भी अध्ययन करना चाहिए।

माँग की लोच को मापने की प्रायः दो रीतियाँ प्रचलित हैं जिनका विस्तृत वर्णन नीचे दिया जाता है :—

( १ ) इकाई रीति (Unity Method)—प्रो० मासल ने भी इस रीति की सिफारिश की है। इस रीति के अनुसार माँग और मूल्य के समानुपात परिवर्तन से लोच की इकाई (Unity) स्थिर की जाती है और माँग में अनुपात से अधिक वृद्धि होने पर लोच का इकाई में अधिक होना तथा अनुपात से कम वृद्धि होने पर इकाई में कम होना कहा जाता है।

(अ) इसको अधिक स्पष्ट करते हुए या कहा जा सकता है कि जब किसी वस्तु की माँग में ठीक उसी अनुपात में परिवर्तन हो जिस अनुपात में कि उसके मूल्य में परिवर्तन हुआ है तो उस वस्तु की माँग की लोच इकाई (Unity) के बराबर कही जाती है। उदाहरणार्थ किसी वस्तु का मूल्य दुगुना हो जाय तो माँग आधी हो जाती है। ऐसी प्रवृत्ति में जितना रुपया उस वस्तु के खरीदने में व्यय किया जाता है। ( प्रति इकाई मूल्य  $\times$  खरीदी जाने वाली इकाइयों की मात्रा ) वह सबदा समान रहता है चाहे वस्तु के मूल्य में कितनी भी घटा बड़ी कटाव हो प्रायः सुख वस्तुओं (Articles of Comfort) के साथ ऐसा ही होता है। इनकी माँग लोचदार (Elastic) होती है। इसका मापन मकेल लो = १ (Elasticity is equal to Unity) होता है।

/// (आ) यदि माँग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात से अधिक परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की माँग की लोच इकाई से अधिक बड़ी जाती है। उदाहरणार्थ मूल्य में २० प्रतिशत कमी होने पर माँग में ५० प्रतिशत वृद्धि हो जाय प्रथवा मूल्य में २० प्रतिशत वृद्धि होने पर माँग में ५० प्रतिशत कमी हो जाय। ऐसी वृत्ति में उस वस्तु के खरीदने में जितना रुपया व्यय किया जाता है वह मूल्य के बढ़ने पर कम हो जाता है और मूल्य के घटने पर बढ़ जाता है। प्रायः विलास-वस्तुओं के माँग ऐसा होता है। इनकी माँग बहुत लोचदार (Highly Elastic) होती है। इस प्रकार की माँग या मापन मकेल लो > १ (Elasticity is greater than Unity) होता है।

/// (इ) यदि माँग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात से कम परिवर्तन होता है तो उस वस्तु की माँग की लोच को इकाई से कम कहा जाता है। उदाहरणार्थ मूल्य में २० प्रतिशत कमी होने पर भी माँग में केवल २० प्रतिशत ही वृद्धि हो प्रथवा मूल्य में ५० प्रतिशत वृद्धि होने पर भी माँग में केवल २० प्रतिशत ही कमी होती है। ऐसी प्रवृत्ति में वस्तु के खरीदने में जो रुपया व्यय किया जाता है वह मूल्य के बढ़ने पर बढ़ जाता है और मूल्य के घटने पर घट जाता है। प्रायः जीवनार्थ आवश्यक वस्तुओं (Articles of Necessity) के साथ ऐसा ही होता है। इन वस्तुओं की माँग कम लोचदार या बेलोच (Inelastic) होता है। इसका मापन मकेल लो < १ (Elasticity is less than Unity) होता है।

निम्नांकित सारणों से मांग और भी स्पष्ट कर देती है :—

क्र०	मूल्य (Price)	मांग (Demand)	कुल व्यय-राशि (Total Money Outlay)	
१०	५००	१००० मत	₹ ५०००	} इकाई
"	२५०	५००० "	" ५०००	
"	१२५	४००० "	" ५०००	} इकाई
"	५००	१००० "	" ५०००	
"	२५०	३००० "	" ७५००	} अधिक
"	१२५	७००० "	" ८७५०	
"	७००	१००० "	" ७०००	} इकाई
"	२५०	१५०० "	" ३७५०	
"	१२५	२००० "	" २५००	कम

निष्कर्ष—जब मूल्य के गिरने से कुल व्यय-राशि घटती रहती है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होती है, जब व्यय-राशि बढ़ती है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक होती है और जब यह कम होती है, तो लोच इकाई से कम होती है।

मांग की लोच-मात्र-की व्याख्या नीचे की तालिका में और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है :—

क्र० सं०	मांग के परिवर्तन का अन्त्यात्मक माप	लोच का मापन-अवधि	प्रत्यक्ष अंशों में आने वाली वस्तुएं	लोच के अर्थ
( ४ )	अनुपात के बराबर	लो = १	सुल वस्तुएं	लोचदार
( ५ )	अनुपात में अधिक	लो > १	विनाश वस्तुएं	अधिक लोचदार
( ६ )	अनुपात में कम	लो < १	जीवनार्थ आवश्यक वस्तुएं	गामांशयनदा लोचदार या बेलाच

(२) प्रतिशत-परिवर्तन तुलना-रीति (Percentage Change Com. Persion Method) — इस रीति में अनुसार मांग की लोच, मूल्य और माप के प्रतिशत-परिवर्तन की पारस्परिक तुलना द्वारा ज्ञात की जाती है। मान लीजिये कि मूल्य में ५० प्रतिशत वृद्धि होती है। यदि मांग में कमी ५० प्रतिशत हो जाती है, तो मांग की लोच इकाई के बराबर होगी, यदि मांग में कमी ५० प्रतिशत में अधिक होती है, तो मांग की लोच इकाई से अधिक होगी और यदि मांग में कमी ५० प्रतिशत में कम होती है, तो लोच इकाई से कम बड़ी जायगी। इस रीति द्वारा मांग की लोच मापने का सूत्र (Formula) निम्न प्रकार है :—

$$\text{मांग की लोच} = \frac{\text{मांग में प्रतिशत परिवर्तन}}{\text{मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन}}$$

## माँग की लोच की भिन्नता के कारण (Causes of Variation in Elasticity of Demand)

### अर्थात्

### माँग की लोच को निर्धारित करने वाले तथ्य (Factors determining Elasticity of Demand)

जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि कुछ वस्तुओं की माँग अधिक लोचदार होती है और कुछ वस्तुओं की कम लोचदार। इसका कारण यह है कि माँग की लोच अनेक बातों पर निर्भर होती है और ये बातें प्रत्येक वस्तु में भिन्न भिन्न पाई जाती हैं। अतः, माँग की लोच को निर्धारित करने वाली बातें निम्नलिखित हैं :—

१. वस्तुओं का स्वभाव (Nature of Commodities) साधारणतया जीवनार्थ अनिवार्य वस्तुओं की माँग कम लोचदार (Moderately Elastic) अथवा बेलोच (Inelastic) होती है, सुख वस्तुओं की माँग लोचदार (Elastic) और विलास वस्तुओं की लोच बहुत लोचदार (Highly Elastic) होती है।

(अ) जीवनार्थ अनिवार्य वस्तुएँ—जैसे नमक, दियामलाई लायान आदि की माँग बहुत कम लोचदार या बेलोच होती है, क्योंकि इनका प्रयोग बिना नहीं रहा जा सकता। इनका मूल्य चाहे जितना कम न बढ़ जाय उन्हें आवश्यक भाषा में तो खरीदना ही पड़ना है। इनके मूल्य में कमी हो जान पर भी माँग अधिक नहीं बढ़ती, क्योंकि वे पदार्थ में ही पर्याप्त भाषा में खरीद ली जाती हैं। परन्तु यदि किसी देश या स्थली के व्यक्ति इनके निर्धन हैं कि वे जीवनार्थ अनिवार्य वस्तुओं की भी पर्याप्त भाषा में नहीं खरीद सकते हैं तो उनके लिये इन वस्तुओं की माँग भी लोचदार होगी। इसलिये भारतवर्ष जैसे निर्धन देश में इस प्रकार की वस्तुओं की माँग कुछ लोचदार है। गेहूँ के मूल्य में परिवर्तन होने में उन्हें और मध्यम वर्ग के मनुष्यों पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा परन्तु निम्न वर्ग के मनुष्यों में मूल्य गिरने में गेहूँ का उपयोग आवश्यक बड़ा जायगा। सह आवास्यताओं (Conventional Necessaries) की पूति करने वाली वस्तुओं की माँग भी कम लोचदार या बेलोच होती है। जैसे, भारतवर्ष में मृत्यु-भाज देना कई हिन्दू परिवारों में सामाजिक अनिवार्यता समझी जाती है, चाहे साध पदार्थों का मूल्य कुछ भी हो।

(आ) सुख वस्तुएँ—ये वस्तुएँ आवश्यकता नहीं होती कि इनके बिना काम चल ही नहीं सकता है, परन्तु उनका उपयोग वक्षता-वर्धन होता है। अतः इनका माँग लोचदार होता है।

(इ) विलास वस्तुएँ—इनकी माँग बहुत लोचदार होती है, क्योंकि इनका प्रयोग अनिवार्य नहीं है। इसलिये यदि मूल्य बहुत बढ़ जाता है, तो इनका उपयोग कम कर दिया जाता है और मूल्य में कम होने पर उपयोग बढ़ जाता है। परन्तु यह बात समझ रखनी चाहिए कि विलास वस्तुओं की माँग धनी लोगों में ही अधिक लोचदार है, परन्तु मध्यम या निर्धन लोगों में वह बेलोचदार ही रहेगी, क्योंकि उन वस्तुओं के मूल्य इतने ऊँचे होते हैं कि वे उन्हें खरीद ही नहीं सकते। जैसे रेडियो, मोटर कार इत्यादि।

२. स्थानापन्न वस्तुएँ (Substitutes)—यदि किसी वस्तु के स्थान पर अन्य वस्तु प्रयोग में लाई जा सकती है, तो उस वस्तु की माँग लोचदार होती है, और यदि किसी वस्तु की स्थानापन्न वस्तु नहीं है तो उसकी माँग वेलोचदार होती है। उदाहरण के लिये चाय और काफी, बिजली और तेल, गूठ और चावल या अन्य खाद्यान्न, चीनी और गुड़ एक दूसरे के स्थान में प्रयुक्त किये जा सकते हैं। यदि एक वस्तु का मूल्य बढ़ता है तो मनुष्य उसकी स्थानापन्न दूसरी वस्तु का प्रयोग प्रारम्भ कर देगे। जैसे चाय के दाम बढ़ने में उसकी माँग कम हो जायगी और काफी की माँग बढ़ जायगी। जिस वस्तु का कोई उपयुक्त स्थानापन्न वस्तु नहीं होता है उस वस्तु की माँग की लोच पर मूल्य का घटा-बढ़ी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अतः उसकी माँग वलाच होती है, जैसे नमक।

(३) प्रयोगों की अनेकता (Variety of Uses)—यदि किसी वस्तु का प्रयोग अनेक कार्यों के लिये किया जा सकता है, तो उसकी माँग उस वस्तु की अपेक्षा जिसका प्रयोग बहुत कम कार्यों के लिये होता है, अधिक लोचदार होती है। उदाहरणार्थ बिजली (Electricity) का प्रति इकाई मूल्य कम हो जाने पर इसका प्रयोग अनेक प्रकार में होने लग जायगा जैसे प्रकाश भोजन बनाने के लिये व रेडियो चलाने के लिये ऊँचे माँग करने के लिये पर इत्यादि करने में मशीन चलाने के लिये पानी निकालने के लिये। यदि इसका मूल्य बढ़ा दिया जाय तो इसका प्रयोग केवल आवश्यक कार्यों तक ही सीमित रहेगा। अनावश्यक कार्यों में छोटा लिया जावेगा। इसी प्रकार जल, दूध, चीनी, सोडा आदि अनेक कार्यों में प्रयुक्त होने वाली वस्तुओं की माँग भी लोचदार होगी।

(४) मूल्य का प्रभाव (Influence of Price)—माँग की लोच मूल्य स्तर (Price Level) पर भी निर्भर होती है। बहुत ऊँचे और बहुत नीचे मूल्यों वाली वस्तुओं की माँग की लोच अधिक होती है। इसका कारण यह है कि बहुत ऊँचे मूल्य वाली वस्तुओं का उपयोग तो केवल धनी लोग तक ही सीमित होता है अतः उनके लिये मूल्य में वृद्धि या कमी हो जाना कोई महत्व नहीं रखता। बहुत कम मूल्य वाली वस्तुओं को सभी व्यक्ति अपनी आवश्यकतानुसार खरीद लेते हैं, अतः उनके मूल्य में थोड़ा परिवर्तन होने पर माँग में घटा-बढ़ो अधिक नहीं होती। मध्यम मूल्य वाली वस्तुओं की माँग अधिक लोचदार होती है क्योंकि इनका उपयोग धनी व्यक्तियों के साथ-साथ मध्यम वर्ग के लोग भी करते हैं। यदि इनके मूल्य में कमी आ जाती है, तो मध्य वर्ग के लोग इनका उपयोग करने लग जाते हैं जिससे परलम्बरूप इनकी माँग में वृद्धि हो जाती है, और यदि मूल्य बढ़ जाता है, तो इनका उपयोग स्वयंभूत रूप से कम हो जाता है जिससे इनकी माँग कम हो जाती है।

यह समझ लेने की बात है कि उपर्युक्त विवेचन समस्त समाज की माँग की दृष्टि से किया गया है। यदि किसी समाज के एक वर्ग की माँग का दायित्व किया जाय, तो यह कहा जा सकता है कि "ऊँचे मूल्य पर माँग की लोच अधिक होगी, और मध्यम मूल्य पर माँग की लोच अधिक नहीं तो वृद्धि होगी परन्तु क्या ज्यादा मूल्य कम होता जायगा है जैसे वैसे लोग भी कम होती जायगी है, और यदि मूल्य हलना

कम हो जाय कि उस श्रेणी के सभी व्यक्तियों की पूर्ण तृप्ति हो जाय, तो माँग की लाच धीरे धीरे शून्य हो जाती है।' यह कथन प्रो० मार्शल के अनुसार है।'

५. व्यय किये जाने वाली आय का अनुपात ( *Proportion of Income Spent* )—यदि किसी वस्तु पर मनुष्य की आय का अधिक भाग व्यय होता है, तो उसकी माँग अधिक लोचदार होगी, और यदि आय का बहुत ही कम भाग व्यय होता है, तो उसकी माँग बेलोच होगी। उदाहरण के लिये, नमक पर मनुष्य की आय का बहुत ही कम भाग खर्च होता है, अतः उसकी माँग बेलोच होगी है। इस प्रकार सूई-डारे पान गुवारी आदि वस्तुओं के उदाहरण दिये जा सकते हैं। इस प्रकार की वस्तुओं पर मनुष्य की आय का बहुत छोटा भाग व्यय होता है इसलिए इनके सस्ते या महंग होने पर इनका खर्च पर कमी या वृद्धि नहीं की जायगी।

६. रसि अरसि एव प्रकृति ( *Taste, Distaste and Habit* )—यदि किसी वस्तु के पक्ष या विपक्ष में रसि या अरसि बन जाती है तथा उसके उपभाग की आदत पड़ जाती है तो उसकी माँग की लोच कम होती है। उदाहरण के लिये जिम व्यक्ति की रसि चाय पीने की होती है वह कच्चा क अथवा भाज्य कम ज्ञान पर नहीं करेगा। इसी प्रकार हिन्दुओं में गाय और मुसलमानों में मूँकर के मांस के विरुद्ध प्रबल भावना होती है, इसलिए इनका मूल्य कम हो जाने पर भी इनकी माँग नहीं बढ़ती है। यही बात किसी वस्तु के प्रयोग की आदत पर लागू होती है। जब कोई मनुष्य किसी वस्तु के उपभोग का आदी हो जाता है, तो उस वस्तु का भाव बढ़ जाने पर भी वह उस वस्तु का उपभाग कम नहीं करेगा। जैसे सिगरेट पीने वाले सिगरेट पेंहगी ज्ञान पर भी सिगरेट पीने में कमी नहीं कर पाते।

७. धन वितरण ( *Distribution of Wealth* )—प्रो० टॉमिंग ( *Tausig* ) के मतानुसार साधारणतया धन के समान वितरण से माँग की लोच बढ़ जाती है। और धन-वितरण की असमानता में माँग कम लोचदार या बेलोच हो जाती है। इसका कारण स्पष्ट है जब समाज में सब लोग के मायन लगभग समान हों, तो मूल्य के परिवर्तन का प्रभाव सारे समाज पर लगभग एक-सा होता जिसके परिणामस्वरूप समाज की माँग अधिक लोचदार होगी जायगी। धन-वितरण की असमानता के कारण समाज के पृथक पृथक वर्गों में विभक्त हो जायँगे और उनकी क्रय शक्ति में भी बड़ा अन्तर हो जायगा। वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने में विभिन्न वर्गों पर अलग अलग प्रभाव पड़ेगा जिसके कारण लोच में पर्याप्त भिन्नता हो जायगी। यदि किसी वर्ग की किसी वस्तु की माँग अधिक लोचदार है तो दूसरे वर्ग में

1—"Elasticity of demand is great for high prices, and great or at least considerable for medium prices, but it declines as the price falls, and gradually fades away if the fall goes so far that satiety level is reached"

लिये उसकी माँग कम लाचदार हो सकती है और सम्भव है किन्हीं अन्य दाय के लिये उसकी माँग बेलोचदार हो जाय ।

८ प्रयोगानुसार एक ही वस्तु की विभिन्न प्रकार की लोच (The same commodity may have different kinds of Elasticity)—एक ही वस्तु की माँग एक प्रयोग के लिये बेलोच है तो दूसरे के लिये लोचदार हो जाती है । उदाहरण के लिये, गूँठे की माँग मनुष्य के लिये मायास के रूप में बेलोच है परन्तु पशुप्रा की चिनाई के लिये इसकी माँग लाचदार हो जाती है ।

९ जिन वस्तुप्रा का उपयोग स्थगित किया जा सकता है उनकी माँग प्रायः लोचदार होती है (Demand for those commodities whose consumption can be postponed is usually elastic)—जिन वस्तुप्रा का उपयोग स्थगित किया जा सकता है उनकी माँग प्रायः लोचदार होती है । उदाहरणार्थ जब भवन निर्माण सम्बन्धी वस्तुप्रा महँगी हो जाती है तो भवन निर्माण कार्य स्थगित हो जाते हैं जिनसे पाम्बरूप उन वस्तुप्रा की माँग कम हो जाती है । इसी प्रकार उनके सस्ते होने पर पुनः निर्माण कार्य चलने लगते हैं और उन वस्तुप्रा की माँग भी बढ़ जाती है ।

१० वस्तुप्रा की समुक्त माँग (Joint Demand)—जब किसी वस्तु का उपयोग अन्य वस्तुप्रा के साथ समुक्त रूप में होता है तो उस वस्तु की माँग को लोच अशक्त साथ वाली वस्तुप्रा की माँग की लोच पर निर्भर रहती है । यदि साथ वाली वस्तुप्रा की माँग अधिक है तो उस वस्तु की माँग भी अधिक होगी और उसकी माँग कम होय पर उस वस्तु की माँग भी कम हो जायगी । जैसे मोटर कार और पेट्रोल फायरिंगपैन् और स्पाइडे लूने और वाणिज्य यात्रि वस्तुप्रा की माँग समुक्त रूप में होती है । इसी प्रकार चूना ईंट पत्थर सीमेंट लकड़ी लोहा, सोना बारीकर और इन्जीनियर आदि की नवाया की भवन निर्माण कार्य में एक साथ चलता है ।

११ लोच की समय के साथ भिन्नता (Elasticity varies with change in time)—एक ही वस्तु की एक समय में माँग का तात्कालिक और होती है और दूसरे समय में कुछ और । किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने ही तुरन्त उसकी माँग पर उन्ना प्रभाव नहीं पड़ता जितना कि कुछ समय व्यतीत हो जाने पर पड़ता है क्योंकि मूल्य में परिवर्तन का लोगों को पता चलने में समय लगता है । इसलिये जो माँग की लोच कम समय में होती है वह अधिक समय के व्यतीत हो जाने पर अन्य रूप धारण कर लेती है । वस्तु समय के परिवर्तन से भी माँग की लोच में परिवर्तन हो जाता है ।

निष्कर्ष—उपरोक्त तथ्य गायारगुत्तमा माँग की लोच की भिन्नता के कारण प्रकट करते हैं । परन्तु माँग की लोच का निर्धारित करने वाले निश्चित एवं मूल्य नियम य नहीं बने जा सकने और न इस प्रकार के नियम धरना सम्भव ही है । इसका कारण यह है कि माँग की लोच परिस्थितियाँ पर निर्भर होती है और उनमें परिवर्तन



के माप-माप इसमें भी परिवर्तन होता सम्भव है। यदि हम यह ज्ञात करना चाहें कि अमुक मांग लोचदार है या बेलोच, तो हमें उस वर्ग के मनुष्यों का भी ध्यान करना पड़ेगा जिनके लिये हम मांग की लोच का मापना चाहते हैं।

**माँग की लोच का महत्त्व (Importance of Elasticity of Demand)**—माँग की लोच के अध्ययन का महत्त्व निम्न प्रकार है।

(१) सबसे प्रथम तो इसका अध्ययन मूल्य-निर्धारण और कर-निर्णय के सिद्धान्तों के लिये बड़ा उपयोगी है। इनके द्वारा हम यह जान सकते हैं कि किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होने में उस वस्तु के, उपभोग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इससे हम यह भी बता सकते हैं कि यदि अमुक वस्तु की पूर्ति थोड़ी घटा या बड़ा दी जाय तो उसका मूल्य कहाँ तक बढ़ या घट सकता है।

(२) एकाधिकारी ( Monopolist ) के लिये माँग की लोच का व्यावहारिक महत्त्व है। इनके द्वारा उसे मूल्य-निर्धारण में बड़ी सहायता मिलती है। यदि उसके एकाधिकार की वस्तु जोवनार्थ आवश्यक वस्तु है और उसकी कोई अन्य स्थानापन्न वस्तु नहीं है, तो उस वस्तु की माँग बेचोच होगी और एकाधिकारी उसको मूल्य में वृद्धि कर अपना लाभ बड़ा सकता है, क्योंकि उसकी माँग कम होने का कोई भय नहीं रहता है। परन्तु यदि वस्तु की माँग लोचदार है, तो उसे मूल्य में वृद्धि करने में पूर्व सोचना पड़ेगा, क्योंकि मूल्य वृद्धि में उस वस्तु की माँग घट जायगी जिससे उसके लाभ में क्षति पहुँचना स्वाभाविक है। अस्तु, बेलोच माँग वाली वस्तुओं का ऊँचा मूल्य और लोचदार माँग वाली वस्तु का कम मूल्य उसे अधिकतम लाभ-प्राप्ति की ओर संकेत करता है।

(३) व्यापारी ( Businessmen )—को भी लोच के अध्ययन में वस्तुओं के मूल्य स्थिर करने में बड़ी सहायता मिलती है। यदि वस्तुओं की माँग लोचदार है, तो वह मूल्य घटा कर अपनी बिक्री को लाभप्रद बना सकता है। परन्तु यदि माँग बेलोच है तो वह वस्तुओं का अधिक मूल्य वसूल कर सकता है यदि वह मानव सहाय-भूति से अधिक प्रेरित नहीं है, क्योंकि बेलोच वाली वस्तुएँ अधिकतर जीवनार्थ आवश्यक वस्तुएँ होती हैं और उनका उपभोग अधिकतर निर्धन मनुष्यों द्वारा ही होता है।

(४) वित्त मंत्री ( Finance Minister )—के लिये इसका व्यावहारिक महत्त्व कम नहीं है। वित्त मंत्री को भी किसी वस्तु पर रकम कर लगाते समय ध्यान देना पड़ता है। यदि लोचदार माँग वाली वस्तु पर कर लगाया जायगा, तो उसका मूल्य बढ़ जायगा जिससे उसकी माँग घट जायगी। इसका परिणाम यह होगा कि सरकारी आय (Revenue) कम हो जायगी। यदि कर बेलोच माँग वाली वस्तु पर लगाया जाता है, तो उसमें सरकारी आय अच्छी हो सकती है, क्योंकि इस प्रकार की वस्तुओं का कर से भाव बढ़ कर माँग कम होने का भय नहीं रहता है। परन्तु बेलोच माँग प्रायः जीवन रक्षक पदार्थों की होती है, अतः मान्यता की दृष्टि के कारण सम्भव है कि सरकार ऐसी वस्तुओं पर विलुप्त कर ही न लगाये या कम लगाये।

(५) समुक्त उत्पात्ति की दशा में माँग की लोच का प्रयोग (Application of concept of elasticity of demand in case of Joint

Products)—समुक्त उत्पत्ति की दशा में जबकि पृथक्-पृथक् वागत निरन्तर नहीं की जा सकता हो तब माग की वाच को धारणा के प्रयोग का उपयोगिता देखा जाता है। उत्पादक मूल्य निर्धारित करने समय माग के स्वभाव में ही धपना पथ प्रदान प्राप्त करता है अथवा पदा में या कहा जा सकता है कि वह मूल्य स्थिर करते समय इस सिद्धान्त का पालन करना है (Charge what the traffic will bear) अर्थात् जिन वस्तुओं के मूल्य वृद्धि से माग घटने का भय नहीं है उनका ही ऊँचा मूल्य स्थिर किया जाय।

## २ पूर्ति (Supply)

पूर्ति का अर्थ (Meaning)—साधारण बाल बाल की भाषा में पूर्ति अथवा एक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। परन्तु अर्थशास्त्र में इसका प्रयोग एक विशिष्ट अर्थशास्त्र में होता है। अर्थशास्त्र में पूर्ति शब्द का आशय विना वस्तु की उन माना से हुआ किसा विशिष्ट मूल्य पर किसा विशिष्ट समय में प्रिक्ता व लिय प्रस्तुत का जाय।

वस्तु या पूर्ति और उसके मूल्य (स्वन्ध) में अन्तर (Difference between Supply and Demand) जिस प्रकार किसा वस्तु की माग (Demand) और उसकी इच्छा (Desire) में अन्तर होता है तथा कि ऊपर बतलाया जा चुका है उन्हा प्रकार किसा वस्तु की पूर्ति (Supply) और उसकी (Stool) में भी अन्तर प्रकट किया जा सकता है। किन्ती वस्तु के मूल्य में उम वस्तु की कुल मत्स्या या सम्पूर्ण माना से हाता हुआ मण्डी में प्रिक्ती के लिये मग्नहित होनी है और पूर्ति स्थापना का यह भाग है जिसे विक्रता किसी विशिष्ट मूल्य पर किसी विशिष्ट समय में बचने के लिये तयार है। अन्तर को पक्ष (P. Basin) का भाग में स्थापना उम माना का बहने है जो बाजार में उपयुक्त मूल्य प्रचलित होने पर बचा जा सकता है और पूर्ति उत मात्रा का बहने है जो विक्रता किसी विशिष्ट मूल्य पर बचने को तयार है। उदाहरण के लिये किसा व्यापारी के पास ५०० मन गेहूँ है और वह इन पात्रों में किसा विशिष्ट समय में बचने २०० मन गेहूँ को १५ १० प्रति मन के हिसाब से बचने का प्रयत्न करता है तो ५०० मन तो उसका स्थापना दुग्रा २०० मन उसका पूर्ति हुई। यह स्मरण रखने की बात है कि मात्र नष्ट होने वाली वस्तुओं के मूल्य और पूर्ति में काइ अन्तर नहीं हाता है क्योंकि एगो वस्तुओं का पयाग समय तक मचित नहीं किया जा सकता। परन्तु स्थायी व टिकाऊ वस्तुओं में स्थापना और उसकी पूर्ति में पर्याप्त अन्तर होता है। मूल्यानुसार स्थापना का मित मित भाग बचने के लिये निकाला जा सकता है।

पूर्ति मूल्य और समय (Supply Price and time)—माग की भांति पूर्ति और मूल्य में भी घनिष्ठ सम्बन्ध है। विना मूल्य के पूर्ति का बाल बचने नहीं है। किसी समय में एक वस्तु का कितना पूर्ति हागो यह मूल्य पर निर्भर है। मित मित मूल्य पर बस्तु का पूर्ति मित मित हागो है। मूल्य में वृद्धि होने में पूर्ति बहना है और मूल्य के घटने से पूर्ति घटती है। अन्त में पूर्ति का विना मूल्य के बाल बचने

नहीं होता। इसी प्रकार पूर्ति और समय में भी सम्बन्ध पाया जाता है। मूल्य के परिष्कारण से अलग-अलग समय में अलग-अलग पूर्ति होगी स्वाभाविक है। अस्तु, पूर्ति भी मनु किसी विशिष्ट समय के लिये होगी है, जैसे प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति मास या प्रति वर्ष आदि।

**पूर्ति का मूल्य (Supply Price)**—पूर्ति का मूल्य वह मूल्य है जिस पर कोई विक्रेता अपनी वस्तु की निश्चित मात्रा किसी विशिष्ट समय में बेचने के लिये तैयार हो। उदाहरण के लिये, यदि कोई दूकानदार ३० र० प्रति मन के हिसाब से १५० मन चाँदी किसी विशिष्ट समय में बेचने के लिये तैयार है, तो ३० र० प्रति मन उसकी पूर्ति का मूल्य है।

**पूर्ति का नियम (Law of Supply)**—पूर्ति के नियम के अनुसार किसी वस्तु के मूल्य में वृद्धि होने से पूर्ति बढ़ जाती है और मूल्य में घटने से पूर्ति घट जाती है। इसमें स्पष्ट है कि पूर्ति और मूल्य में सीधा (Direct) सम्बन्ध है, अर्थात् जैसा परिवर्तन मूल्य में होता है वैसा ही पूर्ति में हो जाता है। इसका कारण यह है कि मूल्य बढ़ जाने पर अधिक उत्पादक और विक्रेता माल की पूर्ति बढ़ाने का उद्यम करने लगेंगे। इससे अधिक स्पष्ट करने हेतु यह कहा जा सकता है कि जब मूल्य में वृद्धि हो जाती है, तो उन उत्पादकों के लिये जो जिनकी लागत (Cost of Production) अधिक होती है, अब माल उत्पन्न करना और बेचना लाभप्रद हो जाता है। वे उत्पादक जिनकी लागत पटन में ही कम है, जैसा मूल्य में अधिक लाभ प्राप्त करने की भावना से प्रेरित होकर अधिक माल उत्पन्न कर बेचने में समर्थ हो जाते हैं। इस प्रकार कुल उत्पादन में वृद्धि होकर माल की पूर्ति बढ़ जाती है। मूल्य वृद्धि कुल उत्पादन का प्रतिनिधीय रूपन का एक अनुपात है। इससे विपरीत जब मूल्य कम हो जाता है, तो उत्पादन और विक्रेतागण मात्र की उत्पादन और विक्रय में कमी कर देते हैं। वे उत्पादक जिनकी लागत अधिक होती है, अपना उत्पादन-कार्य स्थगित कर देते हैं। इन सब का परिणाम यह होता है कि माल की कुल उत्पादन में ह्रास हो जाता है जिससे माल की पूर्ति में कमी हो जाती है। यह स्वाभाविक ही है कि विक्रेतागण अपने माल का अधिक-से-अधिक मूल्य प्राप्त करने हैं, इसलिए जब भाव ऊँचे होते हैं तब वे माल बेचने के लिये अधिक-से-अधिक मात्रा में प्रस्तुत करने हैं और भाव कम हो जाने पर प्रस्तुत मात्रा में कमी कर देते हैं।

**माँग और पूर्ति के नियमों में अन्तर है**—माँग और पूर्ति के नियमों का अन्तर ऊपर के विवरणों में स्पष्ट हो गया होगा परन्तु फिर भी यहाँ स्पष्ट में दिया जाता है। माँग के नियम में मूल्य और माँग में विलोम अर्थात् उल्टा (Inverse) सम्बन्ध होता है, अर्थात् जब मूल्य बढ़ता है तो माँग घटती है और मूल्य घटता है तो माँग बढ़ती है। परन्तु पूर्ति के नियम में मूल्य और पूर्ति में सीधा (Direct) सम्बन्ध होता है, अर्थात् जब मूल्य बढ़ता है तो पूर्ति भी बढ़ जाती है और मूल्य घटता है तो पूर्ति भी कम हो जाती है।

**पूर्ति की सूची (Supply Schedule)**—माँग सूची की भाँति पूर्ति की सूची भी तैयार की जा सकती है। इसमें विभिन्न मूल्यों पर बेची जाने वाली विभिन्न पूर्ति की मात्राओं का सम्बन्ध प्रकट किया जा सकता है। अस्तु, पूर्ति की सूची वह सारणी है जिसमें किसी विशिष्ट स्थान और समय पर विभिन्न मूल्यों पर बेची जाने

बालों पूर्ति की विभिन्न मात्रामें दिखाई जाती है। इसको उदाहरण से इस प्रकार समझिये :—

चाय का मूल्य	चाय की पूर्ति
५ रु० प्रति पाँड	१००० पाँड
४ " " "	८०० "
३ " " "	६०० "
२ " " "	३०० "
१ " " "	१०० "

उपर्युक्त सारणी पूर्ति के नियम को परिचाल्य करती है इससे यह स्पष्ट है कि मूल्य के बढ़ने पर पूर्ति का मात्रा घटती जाता है और मूल्य के घटने पर पूर्ति को मात्रा घटती जाती है।

पूर्ति की सूची के भेद (Kinds of Supply Schedule)—माँग को सूची की भाँति पूर्ति की सूची भी दो प्रकार की होती है—(१) व्यक्तिगत पूर्ति सूची, और (२) बाजार की पूर्ति-सूची।

(१) व्यक्तिगत पूर्ति सूची (Individual Supply Schedule)—वह सारणी है जिसमें किसी व्यक्ति-विशेष को भिन्न-भिन्न मूल्यों पर वस्तु-विशेष की पूर्ति का परिवर्तन दिखाया जाता है।

(२) बाजार पूर्ति-सूची (Market Supply Schedule)—वह सारणी है जिसमें अमृक-अमृक मूल्य पर अमृक बाजार और अमृक समय में समस्त उत्पादकों या विक्रेताओं की पूर्ति का परिवर्तन दिखाया जाता है।

पूर्ति की सूची की उपयोगिता (Utility of Supply Schedule)—पूर्ति की सूची में निम्नलिखित लाभ है :—

(१) इन सूचियों में व्यापारी बर्ग बाजार की प्रवृत्ति का ठीक-ठीक अनुमान लगा सकता है।


(२) इन सारणियों में क्रेताओं को भिन्न-भिन्न मूल्यों पर किसी विशिष्ट समय और स्थान पर पूर्ति की विभिन्न मात्राओं का पता चल जाता है।

(३) वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन होने में पूर्ति की लोच का सख्ता ज्ञान हो सकता है।

(४) इन सारणियों में पूर्ति के नियम को भली प्रकार समझा जा सकता है।

पूर्ति की वक-रेखा (Supply Curve) - यदि किसी वस्तु की पूर्ति-सूची के अक्षों को रेखा-चित्र पर प्रदर्शित किया जाय, तो इस प्रकार प्राप्त बिन्दुओं को मिलाने से जो वक-रेखा बनती है उसे पूर्ति की वक-रेखा कहते हैं।


नीचे दिये हुए चित्र में अ व रेखा पर चाय की पूर्ति की मात्रा में और अ स रेखा पर चाय का मूल्य रुपये में ( प्रति पाँड ) दिखाया गया है। ऊपर दी हुई सूची के



**पूर्ति की वक्र रेखा (Supply Curve)**

अनुसार विभिन्न मूल्य पर बची जाने वाला वस्तु की मात्रा बूँदबूँद रखाया ग प्रदर्शित का वक्र है। इस प्रकार समस्त प्राप्त विद्वेष का बिना दत्त म पूर्ति की वक्र रेखा पू पू' तकती है जो गहरी काला स्थानी म दिखाई गई है।

साथ ही पूर्ति की वक्र रेखाओं का तुलनात्मक अध्ययन (Comparative study of Demand and Supply Curves)—साथ की वक्र रेखा




मंदव बाई घोर म दा म घोर नीच का लक मुझी जाता है। यह मुवाव (Slope) उप-धागिता हाम नियम का प्रतीक है और इस वाद का सूचक है कि जया जया वस्तु का मूल्य म कमी हुआ जाती है त्या त्या उनका मांग बढ़ती जाती है। यह नियम प्रत्येक वस्तु पर लागू होता है अतः प्रत्येक वस्तु की मांग की वक्र रेखा मंदव मुझी रहता है जैसा कि सामान वान चित्र म स्पष्ट है।

परन्तु पूर्ति की वक्र रेखा म उंची भिन्नता पाई जाती है अर्थात् पूर्ति का वक्र

रखा प्रत्येक वस्तु क मन्त्रय म सामन नहीं रहती है। अर्थात् कारण यह है कि पूर्ति की


**मांग की वक्र रेखा**

वक्र रेखा का स्वरूप उत्पात्ति के नियम व अनुसार बदलता रहता है। उत्पात्ति हाम नियम (Law of Diminishing Returns) व अनुसार उत्पात्ति कम होता जाती है जिससे परस्पर लागत दाम बढता जात है। अर्थात् प्रथम म चितनी अधिक मात्रा उत्पात्ति का लागती, उनका ही लागत बढता जायगी और पूर्ति की वक्र रेखा (पूर्ति) बाई और उंचा भेती जायगी। दक्षिण निच दिख रूप चित्र म० (१) म। इससे विपरीत उत्पात्ति वृद्धि नियम (Law of Increasing Returns) व अनुसार उत्पात्ति म वृद्धि होता जाती है जिससे परस्पर लागत दाम कम होत जात है। अर्थात् प्रथम म चितनी अधिक मात्रा उत्पात्ति का लागती, उनका ही लागत कम होती जायगी, और पूर्ति की वक्र रेखा (पूर्ति) बाई और गहरी जायगी। दक्षिण निच



(१) उत्पत्ति-ह्रास-नियम की अवस्था में पूर्ति की वक्ररेखा

(२) उत्पत्ति वृद्धि-नियम की अवस्था में पूर्ति की वक्ररेखा



(३)

उत्पत्ति स्थिर-नियम की अवस्था में पूर्ति की वक्र रेखा

चित्र न० (३) में। उत्पत्ति स्थिर नियम (Law of Constant Returns) की अवस्था में लागत समान रहनी चाहे उत्पत्ति की मात्रा कितनी ही हो। अर्थात्, पूर्ति की वक्र रेखा (पू. पू.) अथवा आवाह रेखा के समानान्तर होगी। देखिये सामने के चित्र न० (३) में। इस प्रकार ये पूर्ति की वक्र रेखा के विभिन्न स्वरूप हैं।

**विभिन्न प्रकार की पूर्ति (Different Kinds of Supply)**

**संयुक्त पूर्ति ( Joint Supply )**—यदि दो या अधिक वस्तुएँ किसी एक उत्पादन-क्रिया में उत्पन्न की जायें तो ये संयुक्त पूर्ति की वस्तुएँ कहलाती हैं। जैसे, पेट्रोल के बनाने में मिट्टी का तेल, वैमलीन, गैसोलीन और नैफथेलीन आदि वस्तुएँ उत्पन्न होती हैं। गेहूँ के साथ भुसा, कपास के साथ बिलोले और कोल रैन में शोकर साथ साथ उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार दही के बिलोले में मक्खन और मट्ठा साथ साथ उत्पन्न होते हैं। संयुक्त पूर्ति की वस्तुओं में से एक को जित्त पर कि उत्पात्ति प्रायः मुख्यता केन्द्रित होता है मुख्य उत्पात्ति ( Main Product ) और बाकी को उप-उत्पात्ति ( By-Product ) कहते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि यदि मुख्य उत्पात्ति की पूर्ति बढ़ेगी तो उप-उत्पात्ति की पूर्ति भी बढ़ेगी, और यदि मुख्य उत्पात्ति की पूर्ति घटेगी तो उप-उत्पात्ति की पूर्ति भी घटेगी। संयुक्त उत्पात्ति की अवस्था में, हमने म किमी एक वस्तु के उत्पन्न करने का जो व्यय होता है वही इन समस्त वस्तुओं के उत्पन्न करने का व्यय समझा जाता है। अर्थात् संयुक्त पूर्ति में दो या दो से अधिक वस्तुओं की पूर्ति साथ ही साथ किसी एक मूल्य पर होती है।

**सम्मिश्रित पूर्ति—( Composite Supply )**—किसी एक ही माँग की पूर्ति के लिये यदि वस्तुएँ विभिन्न स्रोतों से याव, तो इसे सम्मिश्रित पूर्ति कहेंगे। जो वस्तुएँ एक दूसरे की स्थानापन्न हैं सयुक्त पूर्ति के उत्तम उदाहरण हैं। जिन प्रकार गेहूँ और ज्वारल भोजन को माँग की पूर्ति करते हैं, उसी प्रकार चाय, काफी और कोको आदि गम पेय पदार्थ भी एक ही प्रकार की माँग की पूर्ति करते हैं। इसी प्रकार कागज व्यवसाय में लकड़ी, बांस, चीपटे और रद्दी कागज जुगदी (Pulp) बनाने में प्रयुक्त किये जाते हैं। सम्मिश्रित पूर्ति की विद्यायाँ में विभिन्न स्रोतों (Sources) से आने वाली वस्तुएँ एक-दूसरे के साथ प्रतिप्रोत्तिता करती हैं, इसलिये एक वस्तु का अत्यधिक उपभोग दूसरी प्रतिद्वन्दी वस्तु के उपभोग को कम कर देता है। उदाहरण के लिये भवन निर्माण कार्य के लिये ईटा का अधिक प्रयोग हो जाने में इमारतों-पत्थर खोदने का कार्य शिथिल हो जाता है। इसी प्रकार नशीनों के प्रयोग से श्रमिक बेकार हो जाते हैं।

### पूर्ति की लोच (Elasticity of Demand)

**पूर्ति की लोच का अर्थ ( Meaning )**—मूल्य में परिवर्तन होने के साथ साथ पूर्ति में घटा बढ़ी होती रहती है। अस्तु, मूल्य के साथ पूर्ति के बदलने की शक्ति या गुण को पूर्ति की लोच कहते हैं।

**पूर्ति की लोच के अंश ( Degrees of Elasticity Supply )**—साधारणतया मूल्य बढ़ने में पूर्ति बढ़ जाती है और मूल्य के घटने में पूर्ति घट जाती है। परन्तु जब किसी वस्तु की पूर्ति में ठीक मूल्य के अनुपात में परिवर्तन होता है, तो उस वस्तु की पूर्ति को लोचदार (Elastic) कहेंगे। जैसे मूल्य में ५० प्रतिशत वृद्धि होने पर पूर्ति में भी ५० प्रतिशत वृद्धि होगा। जब पूर्ति में परिवर्तन मूल्य के परिवर्तन से अधिक अनुपात में हो, तो वह पूर्ति अधिक लोचदार (Highly Elastic) कही जायगी। जैसे मूल्य में २० प्रतिशत वृद्धि होने पर पूर्ति में ५० प्रतिशत वृद्धि होगा। जब पूर्ति में परिवर्तन मूल्य में होने वाले परिवर्तन से कम अनुपात में होता है, तो उस पूर्ति को वेलोच ( Inelastic ) कहेंगे। उदाहरणार्थ, किसी वस्तु के मूल्य में ५० प्रतिशत वृद्धि होने पर उसकी पूर्ति में केवल २० प्रतिशत ही वृद्धि हो, तो वह वेलोच पूर्ति होगी। इसी प्रकार लोच का अंशमक माप मूल्य के घटने के उदाहरणों द्वारा चरितार्थ किया जा सकता है।

**पूर्ति की लोच के विभिन्नता के कारण ( Causes of variation in Elasticity of Supply )**—सब वस्तुओं की लोच समान नहीं होगी और न मूल्य परिस्थितियों में किसी वस्तु की पूर्ति का लोच एक ही रहती है। कुछ वस्तुओं की पूर्ति की लोच अधिक होती है और कुछ की कम, इसके कई कारण हैं जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं —

(१)—वस्तुओं का स्वभाव ( Nature of Commodities )—पूर्ति की लोच अशांत वस्तुओं का स्वभाव पर भी निर्भर होगी है, अर्थात् वस्तु नाशवान् ( Perishable ) है अथवा टिकाऊ ( Durable )। नाशवान् अर्थात् शीघ्र नष्ट होने

वानो वस्तुएं जैसे दूध, मछली, ताजी सब्जियाँ आदि अधिक समय तक संचित नहीं रखी जा सकती और न इनकी पूर्ति में मूल्य के अनुसार परिवर्तन ही किया जा सकता है। इसलिये इनकी पूर्ति बेलाच (Inelastic) होती है। वास्तव में, इनके स्टॉक और पूर्ति में कोई अन्तर नहीं होता। परन्तु टिकाऊ वस्तुओं (गेहूँ, मोता, कोयला आदि) में ऐसा नहीं है। ये अधिक समय तक संचित रखी जा सकती हैं तथा मूल्य के अनुसार इनकी पूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है। यदि मूल्य बढ़ता है, तो पूर्ति भी बढ़ाई जा सकती है और मूल्य घटता है तो पूर्ति भी घटाई जा सकती है। इसलिये इनकी पूर्ति लोचदार (Elastic) होगी है। अस्तु, स्थायी या टिकाऊ वस्तुओं की पूर्ति लोचदार और नाशवान वस्तुओं की पूर्ति बेलाच होती है।

(२)—उत्पादन-व्यय (Cost of Production)—किसी वस्तु के उत्पादन व्यय का उसकी पूर्ति पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। यदि किसी वस्तु के उत्पादन में सीमान्त लागत-व्यय (Marginal Cost of Production) पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है, तो उस वस्तु की पूर्ति कम लोचदार होगी। ऐसी अवस्था में यदि मूल्य में थोड़ी वृद्धि होती है तो वह बढ़ते हुए लागत व्यय के लिये अर्पित होने में पूर्ति में वृद्धि नहीं की जा सकती। यदि उत्पादन-वृद्धि के साथ-साथ लागत व्यय कम हो जाता है, तो मूल्य के छोटे से बढ़ने पर पूर्ति में वृद्धि की जा सकती है। ऐसी दशा में पूर्ति लोचदार होती है। सषेण में, जब सीमान्त लागत व्यय वेग में बढ़ता है, तब पूर्ति में लोच कम होगी, जब सीमान्त लागत-व्यय में धीरे-धीरे वृद्धि होनी है तब लोच अधिक होगी, और जब सीमान्त लागत-व्यय घटता जाता है, तो उस समय पूर्ति में अधिक लोच होगी।

(३)—उत्पादन-प्रणाली (System of Production)—पूर्ति की लोच कुछ अत तक उत्पत्ति की प्राौद्योगिक (Technical) दशा पर भी निर्भर होती है। यदि किसी वस्तु की उत्पादन-प्रणाली बहुत जटिल या विशिष्ट प्रकार की है, तो पूर्ति बेलाच होगी, क्योंकि ऐसी दशा में पूर्ति में पूर्णानुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर, यदि उत्पादन-प्रणाली सीधी व सरल है तथा निमग्न स्थिर पूँजी (Fixed Capital) का अधिक उपयोग नहीं हो तो पूर्ति लोचदार होगी, क्योंकि पूर्ति में मूल्यानुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अस्तु, जटिल एवं विशिष्ट उत्पादन प्रणाली में पूर्ति बेलाच होती है और सीधी व सरल उत्पादन-प्रणाली में पूर्ति लोचदार होती है।

(४)—भावी मूल्य का अनुमान (Estimation of Future Price)—पूर्ति की लोच विक्रेता के भावी मूल्य के अनुमान में भी प्रभावित होती है। यदि उसका अनुमान है कि मूल्य और अधिक बढ़ेगा, तो वह स्टॉक को रोक कर भाद में बेचने का प्रयत्न करेगा। इस प्रकार यदि भविष्य में अधिक मूल्य गिरने या थोड़ा मूल्य बढ़ने का अनुमान लगाया जाय, तो पूर्ति की लोच अधिक होगी।



उत्पादन व्यय ( Cost of Production )—किसी वस्तु के उत्पादन में अनेक माध्याम और सेवाओं की आवश्यकता पड़ती है। उत्पादक को ये सेवाएँ नि:शुल्क उपलब्ध नहीं होती बल्कि उन्हें उतने बढ़ने में कुछ देना पड़ता है। अतः प्रत्येक वस्तु के उत्पादन में कुछ न कुछ लागत लगती है। उदाहरण के लिये, किसी वस्तु का उत्पादन करने के लिये उत्पादक का आवश्यक उत्पादन-माध्याम को निश्चित पारिश्रमिक पर रखने की व्यवस्था करनी पड़ती है और वह स्वयं सारी जोखिम भेजता है तथा अनेक चिन्ताओं और कठिनाइयों के साथ कार्य में मग्न रहता है। इस प्रकार की सब सेवाओं तथा त्याग को अर्थशास्त्र में उत्पादन-व्यय (Cost of Production) कहते हैं। उत्पादन-व्यय में दो वर्ग सम्मिलित हैं। जब उत्पादन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में भाग लेने वाले समस्त उत्पात्त के साधनों के परिश्रम, त्याग एवं सेवाओं के रूप में अनुमान लगाया जाता है, तो हम इसे वास्तविक उत्पादन-व्यय (Real Cost of Production) कहते हैं, जब उत्पादन-व्यय को मुद्रा में नापा जाता है, तो उसे मुद्रा-उत्पादन व्यय (Money Cost of Production or Expenses of Production) कहते हैं।

प्रमुख और पूरक लागत

(Prime Cost & Supplementary Cost)

कुल उत्पादन-व्यय के दो भाग किये जा सकते हैं—(१) प्रमुख लागत और (२) पूरक लागत।

प्रमुख लागत ( Prime Cost )—प्रमुख लागत में आगम उत्पादन व्यय के उन भागों का है जिनका उत्पात्त में मीमांसा मध्यस्थ जाना है तथा जिनमें उत्पात्त के माध्य-साधन पश्चित होना पड़ता है। बच्चे माल का मूल्य, आधागम श्रमिकों की मजदूरी (भृति), प्रेरक शक्ति का व्यय आदि इसमें अन्तर्भूत हैं। जैसे-जैसे उत्पात्त की मात्रा बढ़ती जाती है, जैसे-जैसे प्रमुख लागत में वृद्धि होती जाती है। उत्पात्त की मात्रा में कमी होने में प्रमुख लागत भी कम हो जाती है। यदि कुछ समय के लिये उत्पादन स्थगित कर दिया जाय, तो प्रमुख लागत कुछ भी नहीं होगी।

पूरक लागत ( Supplementary Cost )—उत्पादन व्यय के वे समस्त स्थायी वर्च जिनमें उत्पात्त के साथ परिवर्तन नहीं होता है, पूरक लागत कहलाते हैं। कारखाने का निरागम, मशीनों का खर्च, प्रबंधकों का वेतन आदि इनमें सम्मिलित हैं। कारखाने में चाहे पूरे समय तक काम हो अथवा आधा समय तक, पूरक लागत में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा। उदाहरण के लिये, माल लोडिंग, विना कारखाने का कारखाना एक मकान के लिये बन्द हो जाता है। काम बन्द रहने की हलाक में बच्चे माल, प्रेरक शक्ति पर कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ेगा। किन्तु मजदूर-मानिक का कारखाने का निरागम, मानिक वेतन पाव वार्ड अन्तर्भावना और प्रबंधकों का वेतन आदि तो हर हालत में देना ही पड़ेगा, चाहे काम चाहे हाथ नही। अतः, उत्पादन कार्य स्थगित हो जाने पर प्रमुख व्यय तो बन्द हो जायगा परन्तु पूरक व्यय जारी रहेगा।

प्रमुख और पूरका लागत का अन्तर—प्रमुख और पूरक लागत का अन्तर मात करना बड़ा महत्व रखता है क्योंकि इनकी व्यावहारिक उपयोगिता मुख्य के सिद्धान्त में अत्यधिक है। जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है कि प्रमुख और पूरक लागत के योगफल को कुल लागत ( Total Cost ) कहते हैं। दीर्घकाल (Long Period) में वस्तु का मूल्य कुल लागत के बराबर होना चाहिए अथवा उस वस्तु का उत्पादन जारी नहीं रह सकेगा। यदि अल्पकाल ( Short Period ) में मांग में कमी होने के कारण मूल्य कुल लागत से भी नीचे गिर जाय तो ऐसी अवस्था में उत्पादक क्या करे ? यह पहले बताया जा चुका है कि अल्प समय में पूरक लागत स्थायी होती है अतः उत्पत्ति को मात्रा में कमा करने में पूरक लागत में कोई कमी नहीं होती अतः मुख्य (अल्प समय में) कम में कम इतना होता चाहिए जिसमें प्रमुख लागत तो निकल सके। यदि ऐसा नहीं है तो उत्पादक उत्पत्ति को और अधिक घटा कर प्रमुख लागत को कम करने का प्रयत्न करेगा। यह प्रयत्न उस समय तक जारी रहेगा जब तक मुख्य प्रमुख लागत की सीमा न छू ल। किन्तु दीर्घकाल में मुख्य प्रमुख लागत और पूरक लागत के बराबर होना चाहिए अथवा व्यापार स्वयंचालित हो जायगा। इसका कारण यह है कि दीर्घकाल में सब प्रकार की लागत परिवर्तनीय हो जाती है और उत्पत्ति के साधन वहाँ लगाय जायेंगे जहाँ वे अधिक लाभदायक सिद्ध हो सके हैं।

सीमांत और औसत लागत ( Marginal and Average Cost )—  
 ग्रॉसम इकाई के उत्पादन व्यय को सीमांत लागत ( Marginal Cost ) कहते हैं। मान लीजिये जब किसी एक वस्तु की १० इकाइयाँ उत्पन्न की जाती हैं तब कुल लागत ४०० रुपया है और जब ११ इकाइयाँ उत्पन्न की जाती हैं तो कुल लागत ४५१ रुपया हो जाती है। इन दोनों उदाहरणों में ११ वीं इकाई सीमांत इकाई है और दोनों कुल लागतों में अन्तर अर्थात् ५१ रुपया इसकी लागत हुई। इसे सीमांत लागत कहेंगे। प्रत्येक उत्पादक उत्पत्ति को उस समय तक बढ़ाता जायगा जब तक सीमांत-लागत मूल्य में कम है। जब सीमांत लागत और मूल्य दोनों बराबर हो जायेंगे तब उत्पादन स्थगित नार दिया जाता है। यदि उत्पादक इस सीमा को उल्लंघन करते हुए उत्पादन आरंभ रखता है तो सीमान्त लागत मूल्य में अधिक हो जायगी जिसमें उसकी हानि होगी।

कुल लागत को उत्पन्न की गई इकाइयाँ की संख्या से भाग देने में औसत लागत का पता चल जाता है। ऊपर के उदाहरण में जब १० इकाइयाँ उत्पन्न की जाती हैं तब औसत लागत ४० रुपया है और जब ११ इकाइयाँ का उत्पादन होता है तो औसत लागत ४१ रुपया है। उत्पत्ति में वृद्धि होने पर औसत लागत बढ़ सकती कम हो सकती या स्थिर रह सकती है। जब सीमांत लागत औसत लागत में कम होती है तो उत्पत्ति के बढ़ने पर औसत लागत गिर जायगी और जब सीमांत लागत औसत लागत में अधिक है तो उत्पत्ति के बढ़ने पर औसत लागत में वृद्धि हो जायगी।

मूल्य निर्धारण में सीमान्त लागत का अधिक महत्व है क्योंकि साधारणतया मूल्य सीमान्त लागत के बराबर होता है। जब यह आवश्यक नहीं है कि सीमान्त लागत और औसत लागत दोनों बराबर ही हों तो मूल्य भी औसत लागत से कम अधिक हो सकता है।

## अभ्यासार्थ प्रश्न

इष्टर आर्दस परोक्षाएँ

- १—माँग और पूर्ति की सारणियों (Schedules) तथा रेखाओं (Curves) की परिभाषा कीजिये, ममभाइये तथा उन्हें चित्रित कीजिये ।
- २—माँग को लोच का अर्थ समझाइये । कुछ वस्तुओं की माँग की लोच अन्य वस्तुओं की माँग की लोच से अधिक क्यों होती है ? जिन वस्तुओं की माँग को लोच अधिक होती है उनके पाँच उदाहरण दीजिये ।
- ३—पूर्ति की लोच से क्या तात्पर्य है ? पूर्ति की लोच का आधार किन किन बातों पर निर्भर है ? (अ० वो० १६५७)
- ४—माँग की लोच से क्या तात्पर्य है ? माँग के विस्तार और वृद्धि में भेद बनाइये । (अ० वो० १६५६ पू०)
- ५—माँग की लोच का क्या अर्थ है ? किन-किन बातों पर यह लोच निर्भर होती है, उदाहरण दीजिये । (अ० वो० १६५३)
- ६—माँग का सारणी तथा वक्र रेखा किसे कहते हैं ? आप अपने नगर के तीन वर्ग—धनी, मध्यम तथा निर्धन की सनरा की सम्मिलित माँग की सारणी २४ आने, २० आने, १६ आने तथा ६ आने प्रति दजन मावा पर बनाइये । विभिन्न मूल्य पर तीन वर्गों द्वारा खरीदे जाने वाले सतरों की संख्या को जोड़िये । प्राफ कागज पर माँग की वक्र रेखाएँ अंकित करिये और बताइये कि आप इन वक्र रेखाओं से क्या निष्कर्ष निवाल सकते हैं ? (रा० वा० १६५५)
- ७—माँग की लोच का क्या तात्पर्य है ? माँग की लोच को प्रभावित करने वाली बातों को संक्षेप में लिखिये । (म० भा० १६५४)
- ८—माँग की लोच में क्या अभिप्राय है ? कुछ वस्तुओं की माँग दूसरी वस्तुओं की माँग से अधिक लोचदार क्यों होती है ? (सागर १६५२, १६५०)
- ९—माँग के नियम की व्याख्या करिये । माँग में अन्तर के प्रभाव को बतायें । (दिन्वी हा० से० १६५१)
- १०—निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये—  
 माँग की लोच (नागपुर १६४५)  
 माँग की पूर्ति की सारणी (उ० प्र० १६५७, ५१, ५७)  
 पूर्ति की लोच (म० भा० १६५४)  
 माँग और पूर्ति की वक्र रेखा (बनारस १६४६)  
 पूर्ति अनुसूची (अ० वो० इ० एश्रीक्लर, १६५६)

### मूल्य शब्द का अर्थ (Meaning)

इस पुस्तक के प्रथम भाग के दसवें अध्याय में अर्था ( Value ) और मूल्य ( Price ) का विशद विवेचन किया जा चुका है। यहाँ केवल इतना दुहरा देना ही पर्याप्त है कि किसी वस्तु की विनिमय शक्ति अर्थात् बदले में अन्य वस्तुओं को प्राप्त करने की शक्ति को विनिमय अर्था ( Value-in-Exchange ) कहते हैं। जैसे यदि किसी एक मेज के बदले में चार कुर्सियाँ प्राप्त की जा सकती हैं तो उस मेज की अर्था चार कुर्सियाँ हुईं। परन्तु जब किसी वस्तु की विनिमय अर्था को मुद्रा में प्रकट किया जाय, तो वह उस वस्तु का मूल्य ( Price ) कहलायेगा। उदाहरण के लिये, यदि जन मज को खरीदने में ४० रुपया व्यय करना पड़ता है तो यह राशि उसका मूल्य हुआ। प्राथमिक अर्थ व्यवस्था में मुद्रा का महत्त्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि सब मीठे मुद्रा द्वारा ही सम्पन्न किये जाते हैं। अतः मुद्रा मूल्य की जन्मदाता कही जा सकती है। वास्तव में, देखा जाय तो अर्थशास्त्र का विज्ञान मूल्य के सिद्धान्त पर ही अवलम्बित है। अस्तु, मूल्य सम्बन्धी समस्याओं का अभ्ययन अर्थशास्त्र में बड़ा महत्त्व रखता है। इस प्रकार वस्तुओं की विनिमय अर्था के निर्धारण की समस्या वास्तव में वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण की ही समस्या है।

प्रायः हम यह देखते हैं कि बाजार में जो विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ क्रय विक्रय के लिये प्रस्तुत की जाती हैं उन सबका मूल्य एक समान नहीं होता है। इसमें अतिरिक्त, आज जो एक वस्तु का मूल्य है वह सदैव उतना ही नहीं बना रहता। उसमें प्रायः उतार-चढ़ाव होता रहता है। इस सम्बन्ध में कई प्रश्नों का उत्तर स्वाभाविक है, जैसे—किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है? वस्तुओं के मूल्य में भिन्नता क्यों पाई जाती है? मूल्य में प्रायः परिवर्तन क्यों होता है? इस अध्याय में इन्हीं प्रश्नों पर विचार किया जायगा।

किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित किया जाता है ?

(How is price of a commodity determined)

अर्थात्

मूल्य निर्धारण का सिद्धान्त

(Theory of Determination of Price)

परिचय ( Introduction )—वस्तुओं के मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में समय-समय पर कई सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये परन्तु वे एकपक्षीय, अपूर्ण एवं दृष्टि हीन के कारण अस्वीकार किये गये। उदाहरणार्थ, मूल्य का श्रम सिद्धान्त ( Labour Theory of Value ) जिसे प्राग्भ्रम म आदम स्मिथ ( Adam Smith ) तथा रिचार्ड ( Ricardo ) नामक अर्थशास्त्रियों ने स्वीकार किया था तथा बाद में जर्मन विद्वान कार्ल मार्क्स ( Karl Marx ) ने इस पर विरोध विवेचना की थी, यह बतलाना है कि वस्तुओं का मूल्य श्रम के अनुसार ही निर्धारित किया जाता है। गाल सीजिये कि वा वस्तुओं उत्पन्न की जाती है। यदि उनमें से एक वस्तु को उत्पन्न करने में चार दिन का श्रम लगता है और दूसरी को उत्पन्न करने में केवल दो दिन का ही श्रम लगता है तो पहली वस्तु का मूल्य दूसरी वस्तु के मूल्य की अपेक्षा दुगना होगा। यह सिद्धान्त माँग पक्ष ( Demand Side ) की उपेक्षा करता है और पूर्ति पक्ष ( Supply Side ) का केवल अपूर्ण विवेचन करता है। अतः इसकी कड़ी आलोचना हुई और यह सर्वथा अर्थशास्त्रिक पारित किया गया। इस प्रकार का दूसरा सिद्धान्त मूल्य का उत्पादन व्यय सिद्धान्त ( Cost of Production Theory of Value ) है। इसमें श्रम के अतिरिक्त अन्य उत्पादन-व्यय भी सम्मिलित किये गये हैं। परन्तु फिर भी यह एकपक्षीय ही है, क्योंकि श्रम सिद्धान्त की भाँति इसके द्वारा भी माँग पक्ष की उपेक्षा की गई है, अर्थात् यह केवल पूर्ति पक्ष का ही प्रतिपादन करता है। इन दृष्टियों को दूर करने के लिए जेवन्स ( Jevons ) ने इजर्ज डे, मैंगरन ने आर्किड्या म पीर वालरस ने म्विन्जरनेड में मूल्य के सीमान्त उपयोगिता सिद्धान्त ( Marginal Utility Theory of Value ) को प्रचलित किया। इस सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक वस्तु का मूल्य उसकी माँग अथवा उपभोक्ता के लिये उसकी उपयोगिता के अनुसार ही निर्धारित होता है। यदि किसी भी वस्तु का मूल्य उससे मिलने वाली उपयोगिता से अधिक हो जाता है, तो उपभोक्ता उसे लेना शक्य कर देगा। यह सिद्धान्त भी एकपक्षीय है, क्योंकि इसके द्वारा मूल्य की समस्या का अध्ययन पूर्ति-पक्ष की उपेक्षा करते हुए केवल माँग-पक्ष के दृष्टिकोण से ही किया जाता है।

प्रो० मार्शल ने इन सिद्धान्तों के पारस्परिक विरोध को मिटाने का प्रयत्न किया। उनके मतानुसार न तो केवल उत्पादन व्यय और न केवल उपयोगिता ही परन्तु दोनों मिल कर किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित करते हैं। मूल्य माँग तथा पूर्ति दोनों पर निर्भर है। माँग पर सीमान्त उपयोगिता का प्रभाव पड़ता है और पूर्ति पर उत्पादन व्यय का। इस प्रकार प्रो० मार्शल के मूल्य-निर्धारण के सिद्धान्त में माँग और पूर्ति का सम्बन्ध महत्त्व प्राप्त है। इसलिये उसे मूल्य का माँग और पूर्ति का सिद्धान्त ( Demand & Supply Theory of Value ) कहते हैं। इस सिद्धान्त के द्वारा मूल्य-निर्धारण की समस्या पर माँग और पूर्ति दोनों दृष्टिकोणों से विचार किया जाता है। अतः यह सिद्धान्त प्राक्कल अर्थशास्त्रिक, पूर्ण एवं सर्वमान्य समझा जाता है। अब हम इसी सिद्धान्त का विवेचन करेंगे।

मूल्य का आधुनिक सिद्धांत (Modern Theory of Value)—  
 प्रो० मांगल द्वारा प्रतिपादित माँग और पूर्ति का सिद्धान्त मूल्य का आधुनिक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार किसी वस्तु का मूल्य माँग और पूर्ति नामक दो शक्तियों के साम्यपरिणत प्रभाव (Interposition) द्वारा निर्धारित होता है। दूसरे शब्दों में किम्विन्तु पर माँग और पूर्ति में समतुल्य होता है वही पर मूल्य निर्धारित होता है। यह किम्विन्तु प्रकार होता है? माँग और पूर्ति के समतुल्य द्वारा वस्तु मूल्य निर्धारित होता है? इसकी समझने के लिये सत्य में माँग और पूर्ति सम्बन्धी कुछ बातों का विचार करना आवश्यक है।

माँग-पक्ष (Demand Side)—माँग पक्ष विस्तृतपक्ष में हम निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर मिलता है —

- (१) किसी वस्तु की माँग क्या होती है?
- (२) किसी वस्तु का मूल्य क्या दिया जाता है?
- (३) किसी वस्तु का मूल्य किम्विन्तु मीमा तक दिया जा सकता है?

किसी वस्तु की माँग इस प्रकार होती है कदाकि उसमें उपयोगिता है। यदि उपयोगिता या आवश्यकतापूर्वक शक्ति किसी वस्तु में नहीं है तो कोई भी उस वस्तु की माँग प्रस्तुत न करेगा और न कुछ मूल्य देने का तैयार होगा। वस्तु उपयोगिता माँग का आधार है। किसी वस्तु की माँग प्रायः उसमें अज्ञानता द्वारा प्रस्तुत की जाती है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु का मूल्य इसलिये देता है कि वह वस्तु उसकी आवश्यकता की पूर्ति करती है। जो कुछ मूल्य कोई व्यक्ति किसी वस्तु के बदले में देने के लिये तैयार रहता है उसे 'माँग मूल्य' कहते हैं। यह मूल्य आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर होता है। जितनी अधिक प्रवृत्त आवश्यकता की पूर्ति कोई वस्तु करती है उतना ही अधिक मूल्य उसके लिये अज्ञानता देने की तैयार होगा है। अज्ञानता यदि कोई व्यक्ति अज्ञानता हो तो वह सम्भवतः पानी में एक गिलास के लिये एक रुपया या इसमें भी अधिक देने की तैयार हो सकता है। जब उसकी प्यास विन्तु न हो जाय और उसमें लिये पानी की आवश्यकता कुछ भी न रहे तो वह पानी में एक गिलास के लिये एक रुपया भी देने की तैयार न होगा। इसमें हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि जितनी किसी वस्तु की पहचान इकाई के लिये अधिकतम मूल्य देने की तैयार रहता है कदाकि अज्ञानता द्वारा उसकी अर्थ न होय आवश्यकता की पूर्ति होती है। उपयोगिता ज्ञान नियम के अनुसार यदि किसी वस्तु की इकाईयों के उपयोग में वृद्धि की जाय तो उसकी अज्ञानता द्वारा इकाईयों का सीमांत उपयोगिता घटता जायगी। इस कारण अज्ञानता द्वारा इकाईयों का माँग मूल्य भी घटता जायगा। यदि उस वस्तु का अर्थ वास्तु रखा जाय तो अज्ञानता में एक ऐसी अवस्था आयेगी जबकि जो मूल्य अज्ञानता को अज्ञानता इकाई के लिये देना पड़ेगा वह उस इकाई की उपयोगिता के बराबर होगा। वह इस इकाई पर अज्ञानता अर्थ स्थिति कर देगा। इसी कारण इन अर्थ की अज्ञानता इकाई बढ़ने। जो मूल्य किसी वस्तु की अज्ञानता इकाई के लिये दिया जाता है वह उस वस्तु की सीमांत उपयोगिता (Marginal Utility) का माप होता है। जब खरीदी जाने वाली वस्तु का माँग इकाईयों में प्रभाव के समान है तो कोई कारण ऐसा नहीं हो सकता कि अज्ञानता पहली इकाईयों (जिनकी वि उपयोगिता उनके लिये अधिक है) का मूल्य अधिक है और बाद वाली इकाईयों का मूल्य कम है। वह तारी इकाईयों का मूल्य एक ही दर से

अर्थात् अपने दाय की अंतिम इकाई की उपयोगिता के बराबर वाले मूल्य के हिमाज में देगा। अस्तु, जो मूल्य कौता किसी वस्तु के लिये देने को तैयार होता है वह उसकी सीमान्त उपयोगिता के बराबर होता है। यदि मूल्य सीमान्त उपयोगिता में अधिक है, तो वह उस वस्तु को नहीं खरीदेगा। वैसे तो कौता कम से कम मूल्य पर वस्तु को खरीदना चाहेगा परन्तु अधिक से अधिक मूल्य जो वह देने को तैयार हो सकता है, वह वस्तु की सीमान्त उपयोगिता के बराबर होगा। मध्य में, माँग की श्रौर से सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility) बाजार-मूल्य के लिये अधिकतम सीमा (Maximum Upper Limit) निर्धारित करती है। यह कौता का अधिकतम मूल्य (Maximum Price) है जिससे अधिक वह नहीं देगा।

इसमें यह नहीं समझना चाहिये कि केवल उपयोगिता द्वारा ही मूल्य निर्धारित होता है। एक वस्तु की उपयोगिता भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिये भिन्न-भिन्न होती है। अतः उसका मूल्य भी प्रत्येक के लिये भिन्न-भिन्न होना चाहिये। परन्तु हम देखते हैं कि बाजार में एक वस्तु का एक समय में एक ही मूल्य प्रदर्शित होता है, यद्यपि उसकी उपयोगिता भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के लिये भिन्न-भिन्न है। इसी प्रकार यदि उपयोगिता ही मूल्य का आधार है, तो जिन वस्तुओं में उपयोगिता अधिक है उनका मूल्य अधिक होना चाहिये, और जिनकी उपयोगिता कम है उनका मूल्य कम होगा चाहिये। सोना, चाँदी, जल, वायु आदि की उपयोगिता हीरे आदि से बड़ी अधिक है। फिर भी हीरे का मूल्य उन सबसे बहुत अधिक होता है। इसी प्रकार लोहे की उपयोगिता हमारे दैनिक जीवन में अत्यधिक है, परन्तु इसका मूल्य सोना, चाँदी, ताँबा, पीतल आदि धातुओं से बहुत कम होता है। अस्तु इसमें, यह पता चलता है कि मूल्य निर्धारण में केवल उपयोगिता का होना ही पर्याप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य शक्ति की भी आवश्यकता है। वह है पूर्ति (Supply)।

पूर्ति-पक्ष ( Supply Side )—पूर्ति-पक्ष का विवेचन हमारे निम्नलिखित प्रश्नों पर प्रकाश डालता है :—

- (१) किसी वस्तु की पूर्ति का प्रदत्त कब और क्यों उठता है ?
- (२) किसी वस्तु का मूल्य क्यों किया जाता है ?
- (३) किसी वस्तु का मूल्य किस सीमा तक स्वीकार किया जा सकता है ?

जब तक किसी वस्तु की माँग परिमित नहीं है तब तक उसकी पूर्ति का कोई प्रदत्त ही नहीं उठता। यदि कोई वस्तु प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, तो उसे बेचने के लिये बाजार में ले जाने का कौन क्या करेगा। वस्तु, बाजार में विक्री के लिये उन्ही वस्तुओं को ले जाया जाता है जिनकी माँग परिमित होती है। ऐसी वस्तुओं के उत्पादन को प्राप्त करने में कुछ न-कुछ लागत आवश्यक लगती है। इसलिये विक्रेता उन वस्तुओं के लिये कुछ मूल्य माँगा है। यदि मूल्य उत्पादन-व्यय से कम है, तो विक्रेता उस वस्तु को नहीं बेचेगा। कम से कम मूल्य जो वह किसी वस्तु की एक वित्तिय इकाई के लिये स्वीकार कर सके है वह उसमें सीमान्त उत्पादन-व्यय (Marginal Cost) of Production) के बराबर है। यदि मूल्य सीमान्त उत्पादन-व्यय से कम है, तो वे

उस इकाई का उत्पादन स्थगित कर देंगे। यह सम्भव है कि किसी दिन मूल्य उक्त व्यय से कम हो जाय, पर यह मर्दान के लिये नहीं हो सकता। जिस मूल्य पर विक्रेता किसी वस्तु को बेचने के लिये तैयार रहते हैं उसे 'पूर्ति-मूल्य' कहते हैं। यह उत्पादन-व्यय पर निर्भर होता है। जैसे तो विक्रेता अपनी वस्तु को अधिक से अधिक मूल्य पर बेचने का प्रयत्न करेगा परन्तु कम से कम मूल्य जो वह उस वस्तु के लिये स्वीकार कर सकता है, वह वस्तु के सीमान्त उत्पादन व्यय के बराबर होगा, संक्षेप में, पूर्ति की ओर से सीमान्त उत्पादन-व्यय ( Marginal Cost of Production ) बाजार-मूल्य के लिये न्यूनतम सीमा ( Minimum or Lower Limit ) निर्धारित करता है। यह विक्रेता का न्यूनतम मूल्य ( Minimum Price ) है जिसके नीचे वह उसका मूल्य कम स्वीकार नहीं करेगा।


इसमें यह नहीं समझ लेना चाहिये कि मूल्य केवल उत्पादन-व्यय द्वारा ही निर्धारित होता है। चाहे जितना अधिक किसी वस्तु का उत्पादन-व्यय क्यों न हो, पर जब तक उसमें उपयोगिता न होगी तब तक उसका कुछ भी मूल्य न होगा। जैसे किसी मशीन के दवाने में पर्याप्त लागत लगी है, परन्तु उसकी उपयोगिता कुछ भी नहीं है क्योंकि उससे ऐसी तेज कणें छेदी जावाज उत्पन्न होती है कि उनको कोई भी खरीदना पसन्द नहीं करता। अन्तु, लागत होते हीये भी उस वस्तु का कोई मूल्य नहीं है। इसके अतिरिक्त, मूल्य में प्रायः परिवर्तन होता रहता है, परन्तु वस्तु का निर्माण समाप्त हो जाने पर लागत में कोई परिवर्तन नहीं होता, वह उनना ही रहता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि केवल उत्पादन-व्यय में ही मूल्य निर्धारण की समस्या हल नहीं की जा सकती। इसके लिये माँग ( सीमान्त उपयोगिता ) और पूर्ति ( सीमान्त उत्पादन-व्यय ) का पारस्परिक सहयोग आवश्यक है।

माँग और पूर्ति का पारस्परिक प्रभाव ( Interaction of Demand & Supply )—उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु का मूल्य माँग और पूर्ति की दो शक्तियों के पारस्परिक प्रभाव में निर्धारित होता है। माँग अर्थात् सीमान्त उपयोगिता शक्ति की ओर से मूल्य की अधिकतम सीमा नियत करती है। वह हमसे अधिक मूल्य नहीं देता और चेष्टा इस बात की करता है कि जहाँ तक हो सके उसे कम से कम मूल्य देना पड़े। इसी प्रकार पूर्ति अर्थात् सीमान्त उत्पादन व्यय-विक्रेता की ओर से मूल्य की न्यूनतम सीमा नियत करता है। वह इससे कम मूल्य स्वीकार नहीं करेगा बल्कि इससे अधिक मूल्य प्राप्त करने का प्रयत्न करेगा। इन्हीं दो सीमाओं के बीच में मूल्य निर्धारित होता है। अब प्रश्न यह प्रस्तुत होता है कि इन दो सीमाओं के भीतर किसी वस्तु का ठीक मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है? इस प्रश्न का सरल शब्दों में उत्तर देते हुए यो कहा जा सकता है कि इन दो सीमाओं के बीच में किसी वस्तु का मूल्य (अ) क्रेताओं और विक्रेताओं की पारस्परिक प्रतियोगिता, (ब) माँग व पूर्ति की सापेक्षिक आवश्यकता ( Relative Urgency ) और (स) क्रेताओं व विक्रेताओं की सीमा करने ( Bargaining ) तथा भाव-ताप ( Higgling ) करने की कुशलता द्वारा निर्धारित होता है। इनसे शब्दों में, यदि माँग का प्रभाव अधिक है, अर्थात् क्रेताओं की खरीदने की आवश्यकता अधिक तीव्र नहीं है तथा वे गोदा व भाव-ताप करने में



अधिक बुरा है, तो मूल्य विक्रेता की न्यूनतम सीमा ( सीमान्त उत्पादन-व्यय ) के निकट होगा यानी अंताघा के अनुकूल होगा । यदि पूर्ति का प्रभाव अधिक है अर्थात् विक्रेताओं की मांग बेचने को इच्छा तीव्र नहीं है तथा वे मीठा व भाव-भाव करने में अधिक निपुण है तो मूल्य क्रेता की अधिकतम सीमा ( सीमान्त उपयोगिता ) के निकट होगा यानी विक्रेताओं के अनुकूल होगा ।

इस प्रकार प्रो० मार्शल के कथनानुसार "मूल्य इन दो सीमाओं के बीच में बैडमिंटन की चिड़िया (शटल कोक) की भाँति घूमता रहता है ।" जब क्रेता अथवा ग्राहक ब्रय करने को अधिक उत्सुक होता है तो मूल्य ऊपर की माह ( Upper Limit ) तक चढ़ जाता है और जब विक्रेता मांग की खपत या पूर्ति घटाने के लिये लाचारित हो उठता है तो मूल्य सिसक कर नीचे की सतह ( Lower Limit ) पर आ जाता है । परन्तु मूल्य का उतार-चढ़ाव अधिक समय तक स्थिर नहीं रहता । जैसे जैसे समय बीतता जाता है, यह निश्चयात्मक रूप से वस्तु की उपयोगिता प्रमाँति माँग और उत्पादन लागत-व्यय अर्थात् पूर्ति के समय के केन्द्र पर जाकर स्थिर हो जाता है । इस प्रकार इन दो सीमाओं के बीच में वास्तविक मूल्य उस बिन्दु पर निश्चित होता है जहाँ पर माँग और पूर्ति दोनों ही बराबर हों । माँग और पूर्ति के इस प्रकार बराबर होने को माँग और पूर्ति का सतुलन ( Equilibrium of Demand & Supply ) कहते हैं । जिस स्थान पर माँग और पूर्ति बराबर होता है उसे सतुलन बिन्दु ( Equilibrium Point ) कहते हैं और इन मूल्य को सतुलन मूल्य ( Equilibrium Price ) कहते हैं । मार्शल इसे 'अस्थायी सतुलन मूल्य' ( Temporary Equilibrium Price ) कहते हैं और मिल ( Mill ) ने इस 'साम्य मूल्य' ( Equation Price ) कह कर पुकारा है । यदि मूल्य बढ़ता है, तो अंताघा की माँग कम हो जाती है और उधर विक्रेता अधिक मात्रा में बेचने के लिये तैयार हो जाते हैं जिनमें फलस्वरूप जनम प्रतियोगिता होती है और पूर्ति में वृद्धि होकर मूल्य घट जाता है । इसके विपरीत यदि मूल्य घटता है, तो माँग बढ़ जाती है पर पूर्ति घट जाती है, अंताघा में प्रतियोगिता होती है जिनमें फलस्वरूप मूल्य बढ़ जाता है और अन्त में सतुलन-बिन्दु पर रुक जाता है । मिल ने माँग, पूर्ति और मूल्य के इस सम्बन्ध को निम्न शब्दा में स्पष्ट किया है :



“माँग, पूर्ति और मूल्य एक दूसरे रचना के तीन खण्डों के समान हैं जिनका, मूल्य एक दूसरे पर घटित

1—“The price may be tossed hither and thither like a shuttlecock as one side or the other gets the better in the higgling and bargaining of the market”  
—Marshall.

प्रभाव पड़ता है और तीनों की प्रवृत्ति समुलन की ओर होती है।<sup>1</sup> अर्थात् यह अन्त-निर्भरता एक प्याले में पड़े तीन गेंदों की भाँति है, और हम नहीं कह सकते कि कौन किसके सहारे घड़ा है।

सिल्वरमैन (Silverman) के शब्दों में "माँग की ओर में एक बिन्दु का मूल्य सीमान्त उत्पादन व्यय अथवा सीमान्त औद्योगिक परम द्वारा अनुमानित व्यय के समान रहता है। इस प्रकार के सीमान्त व्यय और सीमान्त उपयोगिता के समुलन का मुद्रा में नाप जान पर 'मूल्य' कहा जाता है।

उदाहरण (Illustration)—इस सिद्धान्त को निम्नलिखित उदाहरण द्वारा भन्ने प्रकार गणनाया जा सकता है :—


क्रय माना (माँग)	चाय का मूल्य (प्रति पाँड)	विक्रय माना (पूर्ति)
२०० पाँड	५ २० प्रति पाँड	१००० पाँड
४०० "	४ " " "	८०० "
६०० "	३ " " "	६०० "
८०० "	२ " " "	३०० "
११०० "	१ " " "	१०० "

उपरोक्त तालिका में यह स्पष्ट है कि ३ २० प्रति पाँड दर में चाय की माँग और पूर्ति दोनों बराबर हैं, अर्थात् श्रेता ६०० पाँड चाय खरीदना चाहेंगे और विक्रेता भी उतनी ही चाय बेचना चाहेंगे। अतः यही बिन्दु माँग और पूर्ति के समुलन को प्रकट करता है। अब मान लीजिए कि मूल्य ४ २० प्रति पाँड कर दिया जावे, तो श्रेता ४०० पाँड चाय खरीदना चाहेंगे जबकि विक्रेता ८०० पाँड चाय बेचना चाहेंगे। इसी प्रकार अन्य मूल्यों पर भी माँग और पूर्ति का समुलन स्थापित न हो सकेगा। इनका परिणाम यह होगा कि मूल्य पुनः ३ २० प्रति पाँड पर स्थिर हो जावेगा।

सिद्धान्त का रेखा-चित्रण (Diagrammatic Representation)—मूल्य-निर्धारण के सिद्धान्त को रेखा-चित्र द्वारा भी निम्न प्रकार प्रकट किया जा सकता है :—

रेखाचित्र का स्पष्टीकरण—इस चित्र में अक्ष रेखा माँग और पूर्ति की मात्रा को प्रकट करती है और अक्ष रेखा मूल्य प्रकट करती है। माँ माँ माँग-गया

1—"Demand, Supply and Price are like the three sections of a mechanism which always act and react upon each other and always tend to a state of equilibrium."



माँग और पूर्ति की मात्रा

स्थिर होता है, तो इस माँग की वज़र-रचना में जान होगा कि इस स्व मात्रा माँगी जायगी और अथ मात्रा विज्ञेताप्रा द्वारा देवी जायगी। माँग से पूर्ति अधिक होने के कारण मूल्य विरेगा। मान कीर्तित मूल्य ट ट में भी नीचे स्थिर जाता है और च छ पर स्थिर हो जाता है। इस मूल्य पर माँग की मात्रा अ भ है और पूर्ति की मात्रा अ ट। माँग पूर्ति से अधिक है, अतः मूल्य बढ़ेगा। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि मूल्य व ट ट में कम या ज्यादा होना पर माँग और पूर्ति की मात्राओं में अनुपातितता हा जाता है और मूल्य बान्धन हाकर पन, इ ट पर आकर स्थिर हा जाता है जहाँ माँग और पूर्ति की मात्राएँ समान हाती हैं।


निष्कर्ष—उपयुक्त वर्णन में यह पुरांतवा स्पष्ट हा जाता है कि मूल्य-निर्धारण में माँग और पूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्थान है। बाजार में एक वस्तु का अत्यधिक होना मूल्य माँग और पूर्ति का परस्पर प्रभाव पड़ता है और बाजार-मूल्य इन दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध का ही फल होता है। जिस प्रकार एक गाड़ी के चलने में तेल का पहिया की आवश्यकता हाती है, उसी प्रकार मूल्य निर्धारण में बिना माँग और पूर्ति की आवश्यकता हाती है। इन बातों का प्रो० मार्शाल ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। उनके कथनानुसार 'मूल्य एक महाराज के पत्थर के समान दो चित्तों के मध्य लटका होता है। जिसकी एक तुला माँग हाती है और दुसरी पूर्ति।' यही नहीं, प्रो० मार्शाल ने मूल्य निर्धारण की तुलना बँचों के दो फलों से कर देने और भी अधिक स्पष्ट कर दिया है। 'जिस प्रकार हम इन बातों पर भ्रमण करने हैं कि बँचों के दो फलों में से ऊपर का फल बाजार काटता है अथवा नीचे का, वैसे ही मूल्य की उपयोगिता निर्धारित करती है अथवा



1—"Price rests balanced like the Keystone of an arch—the one side of which is demand and the other supply".

—Marshall.

उत्पादन-व्यय ।<sup>1</sup> जिस प्रकार कागज काटने के लिये दोनों पत्तों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार मूल्य निर्धारण के लिये माँग और पूर्ति दोनों आवश्यक



है। यह ठीक है कि कंघों के दोनों फलों को क्रियाएँ नया एक-सो नहीं होतीं। कभी एक में अधिक काम किया जाता है और कभी दूसरे में। उदाहरणार्थ, एक साधारण व्यक्ति दोनों फलों को साथ-साथ बनाता है, जिसमें नीचे वाले फल को पतानी है और दर्जी नीचे के फल का भेज पर जमा कर ऊपर वाले फल को बनाता है। यही वान माँग और पूर्ति के भी साथ लागू है। कभी माँग का प्रभाव अधिक होता है और कभी पूर्ति का पर दोनों का होना आवश्यक है।

मूल्य-निर्धारण के सिद्धान्त में समय का महत्त्व (Importance of Time Element in the theory of value)—रिकाडों तथा अन्य समकालीन विद्वानों ने मूल्य निर्धारण में उत्पायिता एवं भाग के ही प्रभाव को स्वीकार किया। उन्होंने समय के महत्त्व पर विचार नहीं किया। परन्तु सर्वप्रथम मार्शाँ ने मूल्य-निर्धारण में समय के महत्त्व को स्वीकार किया। उनका यह निरिचित मत था और यह सत्य भी है कि जितना अधिक समय होगा उतना ही अधिक मूल्य पर पूर्ति का प्रभाव पड़ेगा। तथा जितना कम समय होगा उतना ही अधिक मूल्य पर माँग का प्रभाव पड़ेगा। उन्होंने समय की दृष्टि से बाजार को प्रति अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन तथा प्रतिदीर्घकालीन चार भागों में विभाजित करके यह सिद्ध किया कि समय का वस्तु के मूल्य पर विविध प्रभाव पड़ता है।

मार्शाँ का उक्त मत ठीक है। उत्पादन में पूर्ति की मात्रा बढ़ाई नहीं जा सकती। अतः माँग के बढ़ने पर मूल्य में वृद्धि होती है तथा माँग के घटने पर मूल्य गिर जाता है। परन्तु जब माँग इतनी घट जाती है कि उत्पादक को वस्तु के लागत-व्यय में भी कम मूल्य मिल पाना है, तो वह घने घने पूर्ति को घटाकर माँग के अनुकूल कर लेता है तथा जैसे ही उसका उत्पादन-व्यय और बाजार मूल्य समान हो जाता है, वह उत्पादन को घटाना बन्द कर देता है। अतः यह स्पष्ट है कि प्रत्येक वस्तु का मूल्य माँग और पूर्ति के आधार पर निरिचित होता है तथापि जितना अधिक समय होता है उतना ही अधिक प्रभाव मूल्य पर पूर्ति का पड़ता है।

अल्पकालीन बाजार (Short Period Market)—अल्पकालीन बाजार वह बाजार है जो थोड़े समय अर्थात् एक-दो दिन या अधिक से अधिक

1—'We might as reasonably dispute whether it is the upper or lower blade of a pair of scissors that cuts a piece of paper as whether value is governed by utility or cost of production'

प्रो० मार्शल के उपर्युक्त कथन की आलोचना—प्रो० मार्शल के उपर्युक्त कथन के सम्बन्ध में निम्नांकित आलोचनाएँ भी ध्यान देने योग्य हैं :—

(१) असंगत समय-विभाजन—प्रो० मार्शल द्वारा किया गया अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन समय-विभाजन असंगत एवं अस्वाभावहारिक है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु के लिये दीर्घ एवं अल्पकाल भिन्न भिन्न होता है। जो एक वस्तु के लिये दीर्घकाल है, वह दूसरी वस्तु के लिये अल्पकाल हो सकता है। इस सम्बन्ध में नव्य प्रो० मार्शल ने ही दो बड़े उचित उदाहरण दिये हैं। वे कहते हैं कि मछली की पूति को माँस के परिवर्तन के अनुसार परिवर्तित होने के लिये एक या दो दिन भी दीर्घकाल है, परन्तु जहाजों की पूति को माँस के अनुसार परिवर्तित होने के लिये एक या दो वर्ष भी दीर्घकाल नहीं है। लर्नर (Lerner) ने इसी कारण उक्त विभाजन की आलोचना करते हुये बताया कि यह विभाजन दिन, माह एवं वर्षों की भाँति पूर्ण नहीं है और न उतना स्पष्ट ही है। अल्पकाल इतना लम्बा न होना चाहिये कि माँस और पूति में स्थिर सतुलन हो सके, और दीर्घकाल ऐसा होना चाहिये कि माँस और पूति में स्थिर सतुलन स्थापित हो सके। इस अन्तर को इस प्रकार भी प्रकट कर सकते हैं कि जहाँ मूल्य में केवल प्रमुख व्यय ही सम्मिलित हो सके, वह अल्पकालीन मूल्य और जहाँ प्रमुख एवं पूरक दोनों व्यय सम्मिलित किये जा सकें, वह दीर्घकालीन मूल्य कहलावेगा।

(२) सीमान्त लागत व्यय की असत्य कल्पना—प्रो० मार्शल का कथन है कि अल्प एवं दीर्घकाल दोनों ही में सीमान्त-लागत-व्यय सीमान्त मूल्य के बराबर होता है। परन्तु उसने दोनों कालों में इस प्रकार समानता स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में कोई प्रत्यक्ष प्रमाण या नर्क प्रस्तुत नहीं की।

वास्तव में, सीमान्त लागत व्यय बहुत कुछ अंशों में इस बात पर निर्भर रहता है कि उनके सतुलन में कितना समय लगेगा। अल्पकाल में मूल्य सीमान्त लागत व्यय के बराबर तथा दीर्घकाल में सीमान्त लागत-व्यय एवं औसत लागत-व्यय के दोनों के बराबर हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि यदि अल्पकाल में औसत लागत-व्यय सीमान्त लागत-व्यय में कम होया, तो उनके अन्तर की राशि स्थिर उत्पादन-साधना के स्वामी को मिल जावेगी, परन्तु औसत लागत-व्यय दीर्घकाल में बाजार मूल्य से कम नहीं रह सकता। अतः जहाँ पूर्ण प्रतियोगिता होती है, नये नये उत्पादक उद्योग के प्रति धाकूट होने एवं लाभ उठाने में त्रिसते मुख्य गिरता है, लागत-व्यय बढ़ता है। मूल्य और सीमान्त लागत-व्यय बराबर हो जाते हैं, माँस और पूति में सतुलन स्थापित हो जाता है।

बाजार मूल्य (Market Price)—किसी वस्तु का किसी स्थान और समय पर जो मूल्य प्रचलित होता है वह वस्तु का बाजार मूल्य कहलाता है। इसे अल्पकालीन मूल्य (Short Period Price) भी कहते हैं, यद्यपि बाजार मूल्य से अल्पकाल में प्रचलित मूल्य से ही होता है। यह मूल्य प्रत्येक वस्तु के समय-समय पर परिवर्तन होने वाले मूल्यों को बनाता है तथा इसी के आधार पर बाजार में वस्तुओं का क्रय-विक्रय होता है। यह मूल्य न केवल दिन-प्रतिदिन ही बदलता है, वरन् एक ही दिन में कई बार बदलने भी देता गया है। उदाहरणार्थ कल, साग भाजी, बर्फ, मछलियाँ आदि का मूल्य बहुधा सुबह के मगन अधिक, मध्याह्न को मध्यम तथा सायंकाल में अल्प रहता है। इस मूल्य पर विक्रय

वाली वस्तुओं ने घटने वढ़ने को समुचित समय नहीं मिल पाता। अतः मूल्य-निर्धारण म मांग का ही प्रमुख रूप से प्रभाव पड़ता है। मूल्य का उत्पन्न व्यय स कोई वितोष सम्भव नहीं रहता। कभी मूल्य उत्पादन-व्यय से अधिक हो जाता है और कभी कम।

दूसरे शब्दा में हम या कहें जा सकता है कि बाजार में प्रभाव तो माँग और पूर्ति दोनों का ही पड़ता है कि नु अल्पकाल में बाजार में समय इतना कम होता है कि वस्तु की अधिक मांग हो जाने पर उसकी पूर्ति में वृद्धि नहीं की जा सकती है, अर्थात् न तो वह बाहर में प्राप्ति की जा सकती है और न उत्पन्न या तैयार ही का जा सकती है। इसी प्रकार कम हो जाने पर वस्तु की पूर्ति सुगमता से कम भी नहीं की जा सकती है। पहला कारण है कि बाजार मूल्य निर्धारित करने में पूर्ति की अपेक्षा मांग का अधिक प्रभाव होता है अर्थात् अल्पकाल में मांग का प्रभाव अधिक होता है और पूर्ति का केवल निमित्तत्व। अल्पकालीन बाजार में मूल्य बढ़ने पर वस्तु की पूर्ति में वृद्धि केवल स्टाक के बराबर तक ही हो सकती है। परन्तु यदि वस्तु का मांग और भी अधिक बढ़ जाय तब पूर्ति में वृद्धि नहीं हो सके के कारण उसका मूल्य बढ़ जायेगा। माँग कम हो जाने पर वस्तु का मूल्य कम हो जायगा।

बाजार या अल्पकालीन मूल्य की विशेषताएँ (Characteristics) —  
बाजार मूल्य की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं —

(१) बाजार मूल्य परिवर्तनशील है अर्थात् घटना-बढ़ता रहता है—  
घटना बढ़ना अथवा परिवर्तनशीलता बाजार मूल्य की मुख्य विशेषता है। इस प्रकार के परिवर्तन प्रतिदिन भी हो सकते हैं और एक दिने में कई बार भी हो सकते हैं।

(२) बाजार या अल्पकालीन मूल्य का सीमान्त लागत-व्यय से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता है—पूर्ति के सीमांत लागत व्यय का मूल्य से विशेष सम्बन्ध नहीं रहता। अल्पकालीन बाजार में मूल्य लागत व्यय से अत्यधिक या अल्पतया हो सकता है, क्योंकि यह तो केवल माँग की परिवर्तता पर निर्भर होता है।

(३) बाजार मूल्य, माँग और पूर्ति के अस्थायी मतुलन से निर्धारित होता है—साधारणतया मूल्य माँग और पूर्ति के अनुपात द्वारा निर्धारित होता है, परन्तु एक अल्पकालीन बाजार में यह मतुलन क्षणिक होता है अर्थात् बदलता रहता है। अतः हम कह सकते हैं कि बाजार मूल्य माँग और पूर्ति के अस्थायी अनुपात का परिमाण है।

(४) बाजार या अल्पकालीन मूल्य पूर्ति की अपेक्षा मांग से अधिक प्रभावित होता है—अल्पकालीन बाजार में मूल्य के घटने वढ़ने में नो प्रिन्सिपल समय नहीं लगता किन्तु पूर्ति को घटाने वढ़ाने के नियम-परिधि समय की आवश्यकता होती है। वस्तु, अल्पकाल में पूर्ति नहीं बढ़ाई जा सकती और मूल्य मुख्यतः मांग के प्रभाव से ही निर्धारित होता है।

(५) बाजार मूल्य अस्थायी कारणों और चरित घटनाओं द्वारा प्रभावित होता है। उदाहरण के लिये, किसी दिन दूध की मांग किसी त्यौहार के कारण बढ़ जाती है तो दूध का मूल्य भी बढ़ जायगा। इसी प्रकार यदि नही पगु मरी है, तो उस क्षण में दूध की पूर्ति अस्थायी रूप से बढ़ जायगी जिसके कारण मूल्य गिर जायगा।

(६) यद्येष्ट समय मिलने पर बाजार मूल्य को प्रवृत्ति दीर्घकालीन मूल्य अथवा सामान्य मूल्य (Normal Price) के बराबर रहने की होती है—यद्यपि किसी समय में बाजार-मूल्य लागत से बहुत अधिक या कम हो सकता है तथापि यद्येष्ट समय मिलने पर इसकी प्रवृत्ति लागत अथवा सामान्य मूल्य के बराबर रहने की होती है। उदाहरणार्थ यदि किसी वस्तु के बाजार मूल्य में अत्यधिक वृद्धि होती है तो आवधिक कारणा को प्रक्रिया में मूल्य में ह्रास होना लगता है। यदि बाजार-मूल्य में अत्यधिक कमी होती है तो आवधिक कारणा को प्रक्रिया में मूल्य को वृद्धि होने लगती है। इस प्रकार प्रत्येक समय बाजार मूल्य की यह प्रवृत्ति रहती है कि एक स्थिर मूल्य अथवा सामान्य मूल्य के पास हो रहे।

बाजार या अन्तःस्थानीय मूल्य कैसे निर्धारित होता है

किसी वस्तु का बाजार मूल्य माग और पूर्ति का परस्परिक प्रभाव से निर्धारित होता है। माग और पूर्ति का एक दूसरे पर बहुत प्रभाव पड़ता है और इनमें परस्परिक सम्बन्ध का प्रभाव से निरन्तर परिवर्तन होता रहता है। यदि किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाय, तो माग घट जाती है और पूर्ति बढ़ जाती है जिसके फलस्वरूप इन दोनों में एक नया सन्तुलन उत्पन्न हो जाता है। यदि माग बढ़ जाय, तो मूल्य भी बढ़ जाता है और पूर्ति भी बढ़ जाती है तथा एक और नवीन सन्तुलन पैदा हो जाता है। इनके विपरीत, यदि पूर्ति बढ़ जाय तो मूल्य घट जाता है और माग बढ़ जाती है, और इस प्रकार एक विभिन्न सन्तुलन उत्पन्न हो जाता है। इस प्रकार माग पूर्ति और मूल्य का एक दूसरे पर बड़ा प्रभाव पड़ता है और इसी से फलस्वरूप प्रत्यायी सन्तुलन उत्पन्न होता रहता है। अतः यह कहा जा सकता है कि बाजार मूल्य माग और पूर्ति के अन्वयार्थी सन्तुलन (Temporary Equilibrium) द्वारा निर्धारित होता है। इस बाजार मूल्य को प्रो० मर्यादा ने अस्थायी सन्तुलन मूल्य (Temporary Equilibrium Price) कह कर पुकारा है।

यद्यपि माग और पूर्ति दोनों मिलकर मूल्य निर्धारित करने में परन्तु मूल्य के साथ-साथ का कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं होता। मूल्य उत्पादन-व्यय से अधिक या कम होता हो सकता है। अतः अल्पकालीन या बाजार मूल्य के निर्धारण के लिए माग और पूर्ति का होना आवश्यक होने हुए भी माग का अधिक प्रभाव पड़ता है क्योंकि समय-समय पर हमें कहना है कि माग का अनुसार उत्पादन में वृद्धि सहज नहीं की जा सकती। इसीलिए माग का घटने-बढ़ने का अनुसार ही मूल्य में परिवर्तन होता रहता है। बाजार-मूल्य निर्धारण का विचार विचरण इसी अर्थार्थी में पीछे देखिये।

सामान्य मूल्य (Normal Price) - दीर्घ काल में प्रचलित होने वाले मूल्य को सामान्य मूल्य कहते हैं अर्थात् माग के अनुसार पूर्ति के सम्बन्ध का नियम यद्येष्ट समय मिल जाने के परिचायक या मूल्य प्रचलित होगा वह सामान्य मूल्य कहलियेगा। सामान्य मूल्य को दीर्घकालीन मूल्य (Long Period Price) भी कहते हैं, क्योंकि पूर्ति का माग के अनुसार सम्बन्ध (Adjustment) करने के लिए यद्येष्ट समय मिल जाता है। उदाहरणार्थ, यदि माग बढ़ गई है तो उद्योग में उत्पादन-साधना में वृद्धि कर दी जायगी, और यदि माग स्थायी रूप से कम हो गई है तो

उत्पादन-साधनों को हटा लिया जायगा। यद्यपि मूल्य-निर्धारण में माँग और पूर्ति दोनों का पारस्परिक प्रभाव आवश्यक है, परन्तु फिर भी जिस प्रकार अल्पकाल में माँग अधिक क्रियाशील देखी जाती है, उसी प्रकार दीर्घकाल में माँग की अपेक्षा पूर्ति अर्थात् उत्पादन-व्यय (लागत) का अधिक प्रभाव पड़ता है। इसे अधिक स्पष्ट करते हुये यों कहा जा सकता है कि दीर्घकाल में किसी वस्तु का मूल्य उसके उत्पादन-व्यय के बराबर होता है और यही 'सामान्य-मूल्य' कहलाता है। मोरलैंड के शब्दों में, दीर्घकालीन मूल्य वह मूल्य है जो लागत के बराबर होता है।<sup>1</sup> यदि सामान्य-मूल्य लागत में अधिक होगा तो पूर्ति बढ जायगी और यदि वह कम होगा तो पूर्ति घट जायेगी। इस प्रकार सामान्य मूल्य लागत-व्यय द्वारा निर्धारित केन्द्र पर अधिकतम रूप से स्थिर रहेगा अर्थात् सामान्य मूल्य उद्देग दीर्घकाल में लागत-व्यय के बराबर रहता है।

माम्य की कितनी अवधि दीर्घकाल या अल्पकाल कहलायेगी, यह उद्योग के स्वभाव तथा उत्पत्ति के साधनों की गतिशीलता पर निर्भर करती है। कुछ उद्योगों के लिये एक या दो वर्ष ही दीर्घकाल हो सकते हैं, परन्तु अन्य के लिये यही अवधि अल्पकाल हो सकती है।

बाजार या अल्पकालीन मूल्य अस्थायी तय, परिवर्तनशील परिस्थितियाँ द्वारा निर्धारित होता है। दीर्घकाल में अस्थायी परिस्थितियाँ विलीन हो जाती हैं और मूल्य स्थायी कारणों से प्रभावित होता है। प्रो० मार्शल ने बताया है कि जब एक प्रकार की आर्थिक परिस्थितियाँ पर्याप्त समय तक रहती हैं तो उन्हें अपना पूरा प्रभाव दिखाने का अवसर मिल जाता है और अस्थायी और परिवर्तनशील कारणों का प्रभाव विलीन हो जाता है। अस्तु, ऐसी परिस्थितियों में वस्तुओं का जो मूल्य निर्धारित होता है वह 'सामान्य मूल्य' कहलाता है। दीर्घकाल में उत्पादकों को माँग के अनुसार पूर्ति में घटाने-बढाने का पर्याप्त समय मिल जाता है। पूर्ति में परिवर्तन होने में मूल्य में भी परिवर्तन होता रहता है और अन्त में ऐसा मूल्य निर्धारित होता है जिस पर माँग और पूर्ति का सन्तुलन हो जाता है। इस प्रकार सामान्य मूल्य माँग और पूर्ति में स्थायी सन्तुलन (Permanent Equilibrium) में निर्धारित होता है। प्रो० सीगर<sup>2</sup> ने बाजार और सामान्य मूल्यों का इस प्रकार विवेचन किया है "बाजार मूल्य अर्थात् वह मूल्य जिस पर बिना वास्तव में विक्रय है, परिवर्तनशील

1—"Long-Period Price may be defined as "the price which corresponds with the cost of production."

Moreland *An Introduction to Economics*, pp 208 9

2—"Market prices, that is, the prices at which goods are actually sold from day to day, are variable and irregular in their operations. But behind most market prices are normal Prices, which are much less subject to changes. This is because the conditions of production are more stable than the market conditions under which goods are bought and sold and serve constantly to recall prices from the more or less violent fluctuations of the market."



और अस्थिर होता है। ... किन्तु अधिकांश बाजार मूल्यों के पीछे सामान्य मूल्य होने हैं जिनमें परिवर्तन बहुत कम होने है। इसका कारण यह है कि उत्पात्ति की दशा में उन बाजार-दशार्थों में जिनमें मांग का अत्यधिक होना है, अधिक मूल्य होता है, और वे प्रवृत्तता से घटने बढ़ने वाले बाजार मूल्यों की अपने पास पुनर्तुलना करती हैं।

मांग में, बाजार और सामान्य मूल्य दोनों पर ही मांग और पूर्ति का प्रभाव पड़ता है। पहली दशा में मांग क्रियाशील होती है और दूसरी दशा में पूर्ति ( उत्पादन-व्यय )। ब्रिग्स एवं जार्डन ( Briggs & Jordan ) के शब्दों में "मांग की तुलना में पूर्ति की घटा बड़ी का मूल्य पर अधिक प्रभाव पड़ता है। साथ ही, मूल्य का प्रभाव पूर्ति की परिवर्तितता पर एवं उसके द्वारा निर्णय-मूल्य में सामान्य व्यय पर पड़ता है।" बाजार-मूल्य पर पूर्ति का वेबसा इतना ही प्रभाव पड़ता है कि मांग के घटने-बढ़ने में सामान्य मूल्य अपने स्थिर सतुलन-बिन्दु में कभी-कभी अन्तराल के लिये इधर उधर हट जाता है।

### सामान्य या दीर्घकालीन मूल्य की विशेषताएँ (Characteristics)

(१) सामान्य मूल्य में स्थिरता रहती है—दीर्घकाल में एक बार मांग और पूर्ति में सतुलन स्थापित हो जाने पर वह शायद विचलित नहीं होता। जिस प्रकार एक ताप में छोटी-छोटी लहरें उठती हैं, उसी प्रकार सामान्य या दीर्घकालीन मूल्य में धीरे धीरे परिवर्तन होता है।

(२) सामान्य या दीर्घकालीन मूल्य स्थायी कारणों एवं घटनाओं से प्रभावित होता है—दीर्घकाल का सामान्य मूल्य स्थायी कारणों से प्रभावित होता है, क्योंकि पूर्ति का पूर्ण कुशलता के साथ घटाने बढ़ाने का अवसर रहता है। इनके लिये नये नये कारखाने भी खोले जा सकते हैं तथा अधिन-तुल्य कारखानों को लाने का भी अवसर रहता है।

(३) सामान्य मूल्य, मांग की अपेक्षा पूर्ति से अधिक प्रभावित होता है—दीर्घकाल में मांग के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन किया जा सकता है अर्थात् पूर्ति की स्वतन्त्रता पूर्वक मूल्य स्थिर करने के लिये समुचित समय मिल जाता है।

(४) सामान्य मूल्य, मांग और पूर्ति के स्थायी सतुलन से निर्धारित होता है—दीर्घकाल में पूर्ति में मांग के अनुसार समन्वय होने का पर्याप्त अवसर मिल जाने के कारण मांग और पूर्ति में स्थायी सतुलन स्थापित हो जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि सामान्य या दीर्घकालीन मूल्य, मांग और पूर्ति के स्थायी सतुलन से निर्धारित होता है।

(५) सामान्य या दीर्घकालीन मूल्य लागत व्यय के बराबर होता है—दीर्घकाल में मांग और पूर्ति में स्थायी सतुलन स्थापित हो जाता है। स्थायी सतुलन की अवस्था में मूल्य उत्पादन-व्यय ( लागत ) के बराबर होता है। यदि मूल्य उत्पादन-व्यय में अधिक होता है, तो उत्पादकों को अधिक लाभ होगा, पूर्ति बढ़ेगी और मूल्य गिरेगा और उम समय तक गिरता रहेगा जब तक मूल्य उत्पादन-व्यय के बराबर न हो जाय। इसके विपरीत, यदि मूल्य उत्पादन-व्यय में कम होता है, तो उत्पादकों को हानि होगी है और उत्पात्ति की मात्रा में कमी आती है और मूल्य में उम समय तक वृद्धि होगी है जब तक वह लागत-व्यय के बराबर न हो जाय। इस प्रकार दीर्घकाल में सामान्य मूल्य लागत व्यय के बराबर होता है।

(६) सामान्य मूल्य दीर्घकाल में ही सम्भव है—माँग और पूर्ति के मनुष्य के लिये पूर्ण प्रतिक्रिया की सुविधा तथा उनके धर्मे-व्यवहारे के लिये विशेष समय की आवश्यकता । अस्तु यह दीर्घकाल में ही सम्भव हो सकता है ।

(७) सामान्य मूल्य केन्द्र है जिम्हने चारों ओर बाजार मूल्य घूमता रहता है—सामान्य मूल्य वह केन्द्र है जिम्हने चारों ओर बाजार मूल्य घूमता रहता है । बाजार की माँग और पूर्ति में हर फेर होने के साथ बाजार मूल्य कभी सामान्य मूल्य (जो लागत व्यय के बराबर होता है) से ऊपर उठ जाता है और कभी नीचे गिर जाता है यद्यपि उसकी प्रवृत्ति मदा सामान्य मूल्य के बराबर होने की होती है ।

(८) सामान्य मूल्य एक से अधिक प्रकार का हो सकता है—एक ही वस्तु के एक से अधिक सामान्य मूल्य हो सकते हैं, जैसे अल्पकालीन सामान्य मूल्य और दीर्घकालीन सामान्य मूल्य ।

सामान्य मूल्य या दीर्घकालीन मूल्य का निर्धारण

(Determination of Normal or long Period Price)

अल्पकालीन या बाजार मूल्य की भाँति दीर्घकालीन अथवा सामान्य मूल्य भी माँग और पूर्ति की पारस्परिक क्रियाओं द्वारा ही निर्धारित होता है । जिस प्रकार अल्पकाल में बाजार-मूल्य के निर्धारण में माँग और पूर्ति की दो शक्तियाँ का पारस्परिक प्रभाव आवश्यक होने हुए भी माँग का अधिक प्रबल प्रभाव देखा जाता है ठीक इसी प्रकार दीर्घकाल में भी सामान्य मूल्य के निर्धारण में माँग और पूर्ति की पारस्परिक क्रियाओं के आवश्यक होने हुए भी पूर्ति के प्रभाव की अधिक प्रबलता देखी जाती है । इसको अधिक स्पष्ट करते हुए वा कहा जा सकता है कि दीर्घकाल में निर्भी वस्तु का सामान्य मूल्य माँग और पूर्ति की दो शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, परन्तु फिर भी पूर्ति अर्थात् उत्पादन-व्यय (लागत) का प्रभाव निर्णयात्मक होता है । यदि सामान्य मूल्य उत्पादन व्यय (लागत) से अधिक होना, तो लाभ प्राप्ति में प्रेरित होकर नये उत्पादक उद्योग की ओर मार्गान्वित होंगे और पुराने उत्पादक अपने विद्यमान साधनों का अधिकतम उपयोग कर उत्पात्ति में वृद्धि करने की चेष्टा करेंगे । इससे परिणामस्वरूप पूर्ति बढ़ जायगी और मूल्य गिर जायगा । इसके विपरीत यदि सामान्य मूल्य उत्पादन व्यय (लागत) से कम हुआ तो हानि में बचने के लिए कुछ उत्पादक अथवा उत्पादन-काय स्थगित कर देंगे और शेष उत्पादक कम मात्रा में उत्पादन करेंगे जिनसे फलस्वरूप पूर्ति में कमी हो जायगी और मूल्य बढ़ जायगा । इस प्रकार दीर्घकाल में निती वस्तु के सामान्य मूल्य की प्रवृत्ति अपने उत्पादन-व्यय (लागत) के बराबर होने की होती है । अतः यह स्पष्ट है कि दीर्घकाल में सामान्य मूल्य के निर्धारण में पूर्ति अथवा उत्पादन व्यय (लागत) माँग की अपेक्षा अधिक प्रभाव रखती है ।

अल्पकालीन सामान्य मूल्य और दीर्घकालीन सामान्य मूल्य

(Short-Period Normal Price & Long Period Normal Price)

सामान्य मूल्य का विवरण करने हुए मॉन्टग्यनर तथा अन्य आधुनिक अर्थ-शास्त्रियों ने सामान्य मूल्य को दो श्रेणियों में विभाजित किया है—अल्पकालीन

सामान्य मूल्य और दीर्घकालीन सामान्य मूल्य । प्रथम यह देवना है कि किस प्रकार सामान्य मूल्य अल्पकाल तथा दीर्घकाल में निर्धारित होता है ।


अल्पकाल में सामान्य मूल्य (Normal Price in Short Period) — अल्पकाल में माँग के अनुसार पूर्ति में परिवर्तन तो हो सकता है, परन्तु उद्योग में तभी हुई फर्मों की संख्या तथा कारखाने का आकार-प्रकार पूर्ववत् ही रहता है क्योंकि यह परिवर्तन स्थायी रूप में अधिक समय तक स्थिर रहने वाला नहीं होता है । अल्पकाल में जब माँग में वृद्धि होती है तो उत्पादक-गण अपने उत्पात्ति के वर्तमान साधनों का अधिकतम उपयोग कर उत्पात्ति में वृद्धि करने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि माँग में वृद्धि होने के कारण मूल्य में वृद्धि होगी जिससे फलस्वरूप प्रत्येक उत्पादक लाभ-प्राप्ति में प्रेरित होकर अपने उत्पात्ति के मौजूदा साधनों का उस सीमा तक उपयोग करेगा जहाँ तक कि उनकी अधिकतम उत्पादन सामर्थ्य है । ऐसा करने में अधिक लाभ होगा क्योंकि प्रतियोगिता के कारण सभी उत्पादकों की उत्पात्ति एक ही मूल्य पर विकेयी । अस्तु प्रत्येक उत्पादक उत्पादन वृद्धि के लिये उस सीमा तक प्रयत्नशील रहना है जब तक मूल्य सीमान्त उत्पादन-व्यय (Marginal Cost of Production) के बराबर नहीं हो जाता । जब तक उसे अपने सीमान्त उत्पादन-व्यय से अधिक मूल्य प्राप्त होता रहेगा, तब तक वह उस वस्तु का अधिक उत्पादन करता रहेगा, क्योंकि ऐसा करने से उसे अधिकतम लाभ होता रहेगा । परन्तु मूल्य के सीमान्त उत्पादन व्यय से कम होने की स्थिति में वहने के लिये उत्पादन कम कर दिया जायगा । इस प्रकार अल्पकाल में वर्तमान साधनों के अधिकधिक उपयोग द्वारा पूर्ति का माँग की वृद्धि के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है । अस्तु, अल्पकाल में वह मूल्य जो सीमान्त उत्पादन व्यय के बराबर होता है अल्पकालीन सामान्य मूल्य कहलाता है ।

दीर्घकाल में सामान्य मूल्य (Normal Price in Long period) — दीर्घकाल में पूर्ति का माँग के साथ स्थायी रूप में समन्वय स्थापित होने के लिये पर्याप्त समय मिल जाता है । अतः कई नये साहसी अथवा उद्योगपति उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं, मौजूदा उत्पादक अपने कारखानों का विस्तार कर सकते हैं, नई मशीनों को प्रयोग में ला सकते हैं तथा अधिक कुशल श्रमिक काम पर लगाये जा सकते हैं । शोध में, माँग की वृद्धि के साथ उत्पात्ति के साधनों में वृद्धि की जा सकती है । इसी प्रकार माँग मन्द होने पर सीमान्त उत्पादक (Marginal Producers) उत्पादन क्षेत्र से हट जाते हैं जिससे पूर्ति का घटती हुई माँग में समन्वय हो सकता है । इस प्रकार पूर्ति को माँग में पूर्णतया समन्वित करने के लिए पर्याप्त अवसर मिल जाता है और माँग तथा पूर्ति में स्थायी मनुष्यत्व स्थापित हो जाता है । माँग और पूर्ति में स्थायी संतुलन की अवस्था में मूल्य उत्पादन व्यय के बराबर होता है । यदि मूल्य उत्पादन व्यय से अधिक होता है, तो उत्पादकों को अधिक लाभ होगा जिससे नये उत्पादक उद्योग की ओर आकर्षित हो जायेंगे और पुराने उत्पादक अपने वर्तमान उत्पात्ति के साधनों का अधिकतम सीमा तक उपयोग कर उत्पात्ति को बढ़ाने में मगन हो जायेंगे । इसके फलस्वरूप पूर्ति में वृद्धि होगी और मूल्य गिरना और उस समय तक गिरना रहेगा जब तक मूल्य उत्पादन-व्यय के बराबर न हो जाय । इसके विपरीत यदि मूल्य उत्पादन व्यय से कम होता है, तो उत्पादकों की स्थिति होगी जिससे कारण कई उत्पादन-व्यय अपना उत्पादन कार्य स्थापित कर देंगे । इसका परिणाम यह होगा कि पूर्ति की मात्रा में वृद्धि हो जायगी और मूल्य बढ़ जायगा और यह उस समय तक बढ़ता रहेगा जब तक यह उत्पादन-व्यय के बराबर न हो जाय । स्थायी रूप में सामान्य मूल्य

माग अर्थात् उत्पादन व्यय से अधिक ऊँचा या नीचा नहीं रह सकता। सामान्य मूल्य उत्पादन-व्यय के बराबर होने को चेष्टा करता है। इस प्रकार दीर्घकाल में स्थायी सतुल्य की अवस्था में उत्पादन-व्यय से निर्धारित मूल्य दीर्घकालीन सामान्य मूल्य कहलाता है।

उत्पत्ति के नियम और सामान्य मूल्य (Laws of Returns and Normal Price)—सामान्य मूल्य के निर्धारण में लागत-उत्पादन व्यय का निर्णायक प्रभाव पड़ता है और उत्पादन-व्यय में उत्पत्ति के नियमों के अनुसार परिवर्तन होगा रहता है। अतः सामान्य मूल्य का उत्पत्ति के नियमों में प्रभावित होना स्वाभाविक है। अस्तु, अब हम इस बात का विवेचन करेंगे कि किस प्रकार सामान्य मूल्य पर उत्पत्ति के विविध नियमों का प्रभाव पड़ता है।

(१) उत्पत्ति ह्रास नियम और सामान्य मूल्य (Law of Diminishing Returns & Normal Price)—यदि किसी वस्तु का उत्पादन 'उत्पत्ति-ह्रास-नियम' (Law of Diminishing Returns) अथवा लागत वृद्धि नियम (Law of Increasing Cost) के अनुसार होता है, तो माँग के बढ़ने पर लागत अर्थात् उत्पादन व्यय बढ़ जायगा और माँग के घटने पर उत्पादन-व्यय कम हो जायगा, और परिणामतः सामान्य मूल्य में भी इस प्रकार परिवर्तन हो जायगा। उदाहरण के लिये, मान लीजिये कि कोयला उद्योग पर उत्पत्ति-ह्रास-नियम लागू है। जब कोयले की माँग बढ़ती है, तो इसका मूल्य भी बढ़ जायगा। इस वृद्धि में लाभ उठाने के उद्देश्य से प्रेरित होकर उत्पादकगण पूँति में विस्तार करेंगे जिसके परिणाम-स्वरूप उत्पत्ति में वृद्धि होगी। किन्तु उद्योग पर 'उत्पत्ति ह्रास-नियम' लागू होने के कारण जितना अधिक कोयले का उत्पादन होगा, उतना ही ऊँचा उसका उत्पादन-व्यय होगा। इस प्रकार कोयले की प्रतिरिक्त उत्पत्ति अनेकानेक अधिक लागत पर होगी। इसका तात्पर्य यह है कि दीर्घकाल में मूल्य ऊँचा हो जायगा अर्थात् सामान्य मूल्य में वृद्धि हो जायगी। कृषि उद्योग तथा खनिज और मछली निकालने वाले उद्योगों में भी इसी प्रकार होता है। अब हम इसे रेखा-चित्र द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रस्तुत चित्र में माँ' माँग की वक्र-रेखा और पु' पु' पूँति की वक्र-रेखा है। ये दोनों रेखाएँ क बिन्दु पर मिलती हैं, अतः क सतुल्यित मूल्य है, अर्थात् यही सामान्य मूल्य है। अब यदि किसी कारण से माँग में वृद्धि हो जाय, तो माँग रेखा माँ<sub>१</sub>, माँ<sub>१</sub>' का रूप धारण कर लेगी। यह वक्र-रेखा पु' पु' वक्र-रेखा को क<sub>१</sub>, क<sub>१</sub>' बिन्दु पर काटती है। अतः नूतन मूल्य बढ़ कर क<sub>१</sub>, क<sub>१</sub>' हो जायगा। इसी प्रकार यदि माँग घट जाय, तो माँग की वक्र-रेखा माँ<sub>२</sub>, माँ<sub>२</sub>' का रूप धारण कर




उत्पत्ति ह्रास-नियम और सामान्य मूल्य  
(Law of Diminishing Returns  
& Normal Price)

सेगी। यह पू पू' वक्ररेखा को क<sub>२</sub> बिन्दु पर काटती है। अतः मूल्य घटकर क<sub>१</sub> ख<sub>२</sub> हो जाता है।

इस चित्र में हम देखने हैं कि पूर्ति की वक्ररेखा ऊँची होगी जानो है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिन वस्तुओं का उत्पादन 'उत्पत्ति-ह्रास नियम' अथवा 'लागत वृद्धि-नियम' के अनुसार होता है, उनकी पूर्ति को माना में वृद्धि करने से बढ़ती हुई उत्पत्ति की इकाइयाँ क्रमशः बढ़ते हुए लागत-व्यय पर प्राप्त होती है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उन उद्योगों में जिनमें उत्पत्ति-ह्रास-नियम अथवा लागत-वृद्धि-नियम लागू होता है, दीर्घकाल में माँग में वृद्धि होने पर सामान्य मूल्य बढ़ता है और माँग में कमी होने पर यह घटता है।

उत्पत्ति-वृद्धि-नियम और सामान्य मूल्य (Law of Increasing Returns & Normal Price)—यदि किसी वस्तु का उत्पादन 'उत्पत्ति वृद्धि-नियम' (Law of Increasing Returns) अथवा 'लागत-ह्रास-नियम' (Law of Decreasing Cost) के अनुसार होता है, तो माँग के बढ़ने पर लागत अर्थात् उत्पादन-व्यय कम हो जायगा और माँग के बढ़ने पर उत्पादन-व्यय बढ़ जायगा और परिणामतः सामान्य मूल्य में भी इसी प्रकार परिवर्तन हो जायगा। इसका कारण स्पष्ट है कि उन उद्योगों में उत्पत्ति-वृद्धि नियम के अनुसार उत्पादन होता है, जिनमें उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि होने में विविध प्रकार की बचत (Economies) सम्भव हो जाती हैं जिनके कारण उत्पादन-व्यय बराबर घटता जाता है अर्थात् उत्पत्ति की बढ़ती हुई इकाइयाँ कम मूल्य पर प्राप्त होती हैं। यह बात कपड़ा उद्योग के उदाहरण से भी प्रकार समझी जा सकती है। मान लीजिये कि लोगों के जीवन-स्तर या जन-संख्या में वृद्धि होने के कारण कपड़े की माँग बढ़ जाती है। माँग में वृद्धि होने के कारण मूल्य में वृद्धि हो जायगी, जिसके परिणाम-स्वरूप उत्पादन बढ़ी मात्रा में होने लगेगा। यदि उद्योग में उत्पत्ति-



उत्पत्ति-वृद्धि-नियम और सामान्य मूल्य (Law of Increasing Returns & Normal Price)


वृद्धि नियम लागू है, तो जितना अधिक उत्पादन होगा, उतनी ही लागत कम होगी। माटर कार, माइकिल, रेडियो, कामरा आदि निर्माण उद्योगों में जिनमें मशीन द्वारा उत्पादन होता है, इसी प्रकार होता है। इसे रेखा-चित्र द्वारा निम्न प्रकार व्यक्त किया जा सकता है :-

प्रस्तुत रेखा-चित्र में माँ

माँ माँग क<sub>१</sub> वक्र रेखा और पू पू' पूर्ति की वक्ररेखा है व दोनों रेखाएँ क बिन्दु पर

दिलगी है। अतः कृषि-उत्पादन मुख्य है, अर्थात् यही सामान्य मूल्य है। अब यदि किसी कारण से माँग में वृद्धि हो जाय, तो माँग  $M_1$  या  $M_2$  का रूप धारण कर लेगी। यह वक्ररेखा  $P_1 P_2$  को  $K_1$  बिन्दु पर काटती है अतः  $K_1$  ख<sub>१</sub> सामान्य मूल्य होगा। इस प्रकार माँग में वृद्धि हो जाने से मूल्य घट जाता है। इसी प्रकार यदि माँग में कमी हो जाय, तो  $M_1$ ,  $M_2$  का रूप धारण कर लेगी। यह  $P_1 P_2$  वक्ररेखा से  $K_2$  बिन्दु पर मिलती है। अतः  $K_2$  ख<sub>२</sub> सामान्य मूल्य है। इस प्रकार माँग के कम हो जाने से मूल्य बढ़ जाता है।

(२) उत्पात्ति-स्थिर नियम और सामान्य मूल्य (Law of Constant Returns & Normal Price) — यदि किसी वस्तु का उत्पादन 'उत्पात्ति-स्थिर नियम' (Law of Constant Returns) अथवा 'लागत-स्थिर-नियम' (Law of Constant Cost) के अनुसार होता है, तो माँग के घटने बढ़ने का लागत अर्थात् उत्पादन-व्यय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात् वह स्थिर रहेगा जिसके परिणाम-स्वरूप सामान्य मूल्य भी स्थिर रहेगा। इस प्रकार की अवस्था तभी उत्पन्न होती है जब कि उत्पात्ति-वृद्धि नियम और उत्पात्ति-लागत नियम समान रूप से मनुष्यित हो जाते हैं। यह अवस्था एक लम्बे समय तक स्थिर नहीं रहती।



इस नीचे दिये हुए चित्र से हम प्रकार समझिये। प्रस्तुत चित्र में  $M_1$  माँग की वक्र-रेखा है  $P_1 P_2$  की पूर्ण वक्र-रेखा है। पूर्ण की वक्र-रेखा ( $P_1 P_2$ ) अथवा रेखा के समानान्तर (Parallel) है। इससे यह स्पष्ट है कि पूर्ण की मात्रा चाहे कुछ भी हो, उसको लागत अर्थात् उत्पादन व्यय वही रहेगा।  $M_1$  माँग की वक्र-रेखा  $P_1 P_2$  को  $K_1$  बिन्दु पर काटती है। अतः  $K_1$  ख<sub>१</sub> सामान्य मूल्य है अर्थात् यहाँ सामान्य मूल्य है।

उत्पात्ति-स्थिर नियम और सामान्य मूल्य (Law of Constant Returns & Normal Price)

अब यदि माँग बढ़ जाती है, तो माँग की वक्र-रेखा  $M_2$  या  $M_3$  पूर्ण की वक्र-रेखा  $P_1 P_2$  को  $K_2$  बिन्दु पर काटती है, अतः  $K_2$  ख<sub>२</sub> सामान्य मूल्य होगा। परन्तु  $K_1$  ख<sub>१</sub> और  $K_2$  ख<sub>२</sub> के बीच अंतर  $K_1 K_2$  अतः माँग के बढ़ने पर भी उत्पादन व्यय स्थिर रहेगा। इसी प्रकार  $M_3$  माँग, वक्र-रेखा  $M_1$  के घटने का प्रदर्शन करती है। यह पूर्ण की वक्र-रेखा  $P_1 P_2$  को  $K_3$  बिन्दु पर काटती है, अतः  $K_3$  ख<sub>३</sub> सामान्य मूल्य होगा। परन्तु  $K_1$  ख<sub>१</sub> और  $K_3$  ख<sub>३</sub> सामान्य मूल्य है, अतः माँग के घटने पर भी लागत अर्थात् उत्पादन व्यय स्थिर रहेगा।

उत्पात्ति-वृद्धि-नियम की अवस्था में मूल्य निर्धारण में कठिनाई— अभी हमने देखा कि किस प्रकार दीर्घकाल में सामान्य मूल्य उत्पादन व्यय (लागत) के धरावर रहता है। परन्तु उत्पादन क्षेत्र में बहुत-सी परिस्थितियाँ आती हैं— उनमें से

कुछ तो बहुत अच्छी होती है, कुछ औसत दर्जे की और कुछ नीचे दर्जे की। अब यह प्रश्न प्रस्तुत होता है कि बाजार में मूल्य कौन सी फर्म द्वारा निर्धारित होता है। यदि कहा जाय कि मूल्य सर्वश्रेष्ठ फर्म की लागत द्वारा निर्धारित होता है तो यह यथार्थ सिद्ध नहीं होता, क्योंकि इसकी लागत प्रचलित उत्पादन व्यय सबसे कम होता है, और यदि मूल्य इनके बराबर हो, तो कम कुशल फर्मों को उत्पादन क्षेत्र में हटाना पड़ेगा जिसके कारण श्रेष्ठ फर्म बाजार में एकाधिकार (Monopoly) स्थापित कर लेगी। एकाधिकार स्थापित होने की अवस्था में मूल्य-निर्धारण के सिद्धान्त में भी भिन्नता हो जाती है। अतः प्रतिযোগिता (Competition) की अवस्था में यह तर्क यथार्थ सिद्ध नहीं होती। पूर्ण प्रतियोगिता की अवस्था में मूल्य सर्वश्रेष्ठ फर्म के उत्पादन व्यय में अधिक होना चाहिये। अतः यह सदैव अकुशल अथवा सबसे अधिक लागत वाली फर्म का उत्पादन व्यय भी नहीं हो सकता, क्योंकि सम्भव है वह विलकुल ही लाभ नहीं कमा रही हो। परन्तु दीर्घकालीन मूल्य में सामान्य लाभ का अवश्य समावेश होना चाहिये। अतः यह कहना कि मूल्य अकुशल फर्म के उत्पादन-व्यय द्वारा निर्धारित होता है, उचित नहीं, क्योंकि सीमान्त उत्पादन व्यय (Marginal Cost of Production), जो दीर्घकाल में मूल्य के बराबर रहता है सबसे अकुशल फर्म का उत्पादन-व्यय नहीं हो सकता। इसी प्रकार यह कहना भी कि मूल्य समस्त फर्मों के औसत लागत के बराबर होता है यथार्थ नहीं है, क्योंकि विभिन्न अवस्थाओं में कार्य-समय अनेक फर्मों की औसत लागत ज्ञात करना सम्भव नहीं है।

इसके अतिरिक्त अन्तिम इकाई के उत्पादन व्यय को सीमान्त उत्पादन व्यय कहा जा सकता है, परन्तु मूल्य इन उत्पादन व्यय के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि उत्पत्ति-वृद्धि-नियम की अवस्था में अन्तिम इकाई का उत्पादन व्यय अल्पतम होता है। अन्य इकाइयों को तैयार करने में अधिक उत्पादन-व्यय होता है। अतः, यदि मूल्य दीर्घकाल में अल्पतम लागत के बराबर हो तो अन्य इकाइयों को हानि में बेचना होगा परन्तु दीर्घकाल में ऐसा नहीं हो सकता। वास्तव में, विभिन्न फर्मों के उत्पादन-व्यय में बड़ी भिन्नता पाई जाती है। फर्मों का व्यक्तित्व इतिहास उद्योग का इतिहास नहीं माना जा सकता। अतः, एक उद्योग का सीमान्त उत्पादन व्यय जो कि कुल उत्पादन से सम्बन्धित हो, ज्ञात करने के लिये हम मार्शल द्वारा आविष्कृत 'प्रतिनिधि फर्म' की ओर दृष्टिपात करना होगा। दूसरे शब्दों में यो कहा जा सकता है कि दीर्घकाल में प्रतिनिधि फर्म के उत्पादन-व्यय द्वारा ही मूल्य-निर्धारित होता है।

मार्शल की प्रतिनिधि फर्म (Representative Firm)—प्रो० मार्शल ने उत्पत्ति-वृद्धि नियम के अन्तर्गत सामान्य मूल्य के निर्धारण की कठिनाई को दूर करने के लिये 'प्रतिनिधि फर्म' की विचार धारा को जन्म दिया। उत्पत्ति-वृद्धि नियम की दशा में किसी एक फर्म को लेकर उत्पादन की सीमा का ज्ञान किया जा सकता है, परन्तु उत्पत्ति-वृद्धि-नियम की दशा में किसी एक फर्म को लेकर उत्पादन व्यय का ज्ञान करना कठिन है। इस कठिनाई का हल मार्शल के मतानुसार 'प्रतिनिधि फर्म' में सन्निहित है। यह न तो सबसे श्रेष्ठ और न सबसे निम्न फर्म का उत्पादन-व्यय है और न उत्पत्ति की अन्तिम इकाई का ही उत्पादन व्यय है, बल्कि यह प्रतिनिधि फर्म का उत्पादन व्यय है जो दीर्घकाल में सामान्य मूल्य निर्धारित करता है। प्रत्येक उद्योग में कुछ फर्म उत्पत्ति

की अन्तरवा म होती हैं या उद्योग को माँग और पूर्ति के सन्तुलन की अवस्था प्रदर्शित करती है। ऐसी फर्म का हो 'प्रतिनिधि फर्म' कहते हैं और इसका उत्पादन व्यय का सामान्य मूल्य पर प्रभाव पड़ता है। प्रो० मार्शल ने इस दृष्टि प्रकार परिभाषित किया है हमारी प्रतिनिधि फर्म वह है जो पर्याप्त लम्बे समय से उत्पादन-कार्य कर रही हो, जिसे पर्याप्त सफलता प्राप्त हो, जिसका संचालन सामान्य योग्यता से होता हो और जिसकी बाह्य और आन्तरिक वचनता तब सामान्य पड़ेंगी हो जोकि उसके कुल उत्पादन के परिमाण को प्राप्त हो, सामान्यतया मात्र के प्रकार, मार्केटिंग (विपणन) दशाद्यो तथा आर्थिक वातावरण का भी ध्यान रखा जाता है।<sup>1</sup> वह फर्म सारे व्यवसाय की प्रतिनिधि है। यह वर्तमान फर्मों की एक औसत फर्म तो नहीं है, परन्तु एक ऐसी फर्म है जो दीर्घकाल में व्यवसाय का सन्तुलन होने पर सारे व्यवसाय या उद्योग के प्रत्येक विभाग का प्रतीक है और एक प्रकार से सन्तुलित व्यवसाय की कुल उत्पत्ति की दीर्घकालीन औसत फर्म है। इससे हम व्यवसाय या उद्योग में उत्पादन-शुद्धि नियम लागू होने पर आन्तरिक एवं बाह्य बचतें (Economies) प्राप्त होने से औसत लागत या उत्पादन व्यय का अनुमान लगा सकते हैं। इस लागत के अनुसार ही दीर्घकाल में वस्तु का मूल्य निर्धारित होगा। मूल्य इसके अधिक होने पर समस्त उद्योग की उत्पत्ति बढ़ेगी जिससे प्रत्येक फर्म का आकार एवं उत्पादन बढ जायगा। इस प्रकार अधिक बचतें होने पर वस्तु का उत्पादन व्यय और भी कम हो जायगा। इससे परिणामस्वरूप मूल्य कम होने पर उत्पत्ति कम और माँग अधिक हो जायगी। इस सम्बन्ध में कॉल्डर ने भी ठीक ही कहा है प्रतिनिधि फर्म वह विद्वलेपणारमक यन्त्र है जिसकी सहायता से पूर्ति की बकरेखा द्वारा कल्पित प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया का यदि विद्वलेपण नहीं, तो कम से कम बाह्य अभिव्यक्ति तो अवश्य की जा सकती है।

पौष्टी की सन्तुलन फर्म (Equilibrium Firm)—प्रो० पीग्ल ने प्रतिनिधि फर्म के स्थान में सन्तुलन फर्म का प्रयोग किया है। सन्तुलन फर्म वह व्यवस्था है जिसमें वह अपनी उत्पत्ति में घटाने का प्रयत्न करती है और न घटाने का, वर्तमान मूल्य पर उसकी उत्पत्ति माँग के अनुसार हो और इस उत्पत्ति पर इसको अधिकतम लाभ है। इस प्रकार व्यवसाय के सन्तुलन में कुल उत्पत्ति के बढ़ने या घटने की कोई प्रवृत्ति नहीं रहती, इसकी कुल उत्पत्ति वर्तमान मूल्य को माँग

1— 'Our representative firm must be one which has had a fairly long life, and fair success, which is managed with normal ability, and which has normal access to the economics, external and internal which belong to the aggregate volume of production, account being taken of the class of goods produced, the conditions of marketing them and the economic environment generally'



के बराबर होती है। व्यवसाय के संतुलन में इसकी भिन्न-भिन्न फर्मों का संतुलन आवश्यक नहीं है किसी की उर्वरति बरती है, किसी की घटती है, किन्तु सबका योग मिलाकर उत्पत्ति समान रहती है : परन्तु सम्भवतः एक फर्म ऐसी होती है जिसके व्यवसाय के संतुलन की भाँति निजी संतुलन होता है और यह वर्तमान मूल्य पर एक निश्चित उत्पत्ति करती रहती है, इसे 'संतुलन फर्म' कहते हैं।

प्रतिनिधि फर्म और संतुलन फर्म में भेद—प्रतिनिधि फर्म और संतुलन फर्म में यही भेद है कि संतुलन फर्म की भाँति प्रतिनिधि फर्म का संतुलन आवश्यक नहीं है। व्यवसाय या उद्योग का संतुलन हो या न हो, परन्तु इसमें प्रतिनिधि फर्म प्रवश्य होगी। व्यवसाय का संतुलन होने पर प्रतिनिधि फर्म संतुलन फर्म हो जायेगी और मूल्य इसको सोमान्त व औसत लागत के बराबर होगा।

आधुनिक अर्थशास्त्रियों की आदर्श फर्म (Optimum Firm)—आधुनिक अर्थशास्त्रियों के अनुसार बाजार में मूल्य आदर्श फर्म द्वारा निर्धारित होता है। आदर्श फर्म वह फर्म है जिसमें उत्पत्ति के साधनों का इस उत्तम विधि से सामञ्जस्य किया है कि उसकी प्रति इकाई लागत सबसे कम है। पूर्ण प्रतियोगिता के कारण बस्तु का मूल्य घट कर 'आदर्श फर्म' के मूल्य के बराबर होगा। इसमें कम या अधिक होने पर अधिक लाभ या हानि के कारण मूल्य स्थिर न रह सकेगा और अन्त में मूल्य आदर्श फर्म के उत्पादन-व्यय के बराबर ही होगा।

बाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में भेद

(Distinction between Market Price & Normal Price)

(१) बाजार मूल्य अल्पकालीन प्रचलित मूल्य है परन्तु सामान्य मूल्य दीर्घकालीन प्रचलित मूल्य है।

(२) बाजार मूल्य किसी समय में माँग और पूर्ति के अस्थायी संतुलन का परिणाम है। किन्तु सामान्य मूल्य माँग और पूर्ति के दीर्घकालीन अस्थायी संतुलन का परिणाम है।

(३) बाजार मूल्य अधिकतर माँग के कारण और सामान्य मूल्य पूर्ति अर्थात् उत्पादन व्यय के कारण प्रभावित होता है।

(४) बाजार मूल्य अस्थायी कारणों तथा चलित घटनाओं द्वारा प्रभावित होता है, परन्तु सामान्य मूल्य अस्थायी अथवा दीर्घकाल तक स्थिर रहने वाले कारणों का परिणाम है।

(५) बाजार-मूल्य में दिन प्रतिदिन यहाँ तक कि घण्टे-घण्टे भर में परिवर्तन होता रहता है, परन्तु सामान्य मूल्य अधिक स्थिर रहता है। माँग और पूर्ति में अस्थायी परिवर्तन होने के परचाय बाजार मूल्य की प्रवृत्ति सामान्य मूल्य में परिवर्तित होने की होती है, अर्थात् सामान्य मूल्य एक केन्द्र है जिसके आस-पास बाजार मूल्य घूमता है।

(६) बाजार मूल्य वह मूल्य है जो किसी भी समय वास्तव में प्रचलित होता है तथा इसके अनुसार सौदे होते हैं। परन्तु सामान्य मूल्य एक काल्पनिक धारणा है अर्थात् यह वह मूल्य है जिसके होने की वस्तु प्रवृत्ति प्रदर्शित होती है अथवा यदि व्यवसायों सामान्य हों, तो इसका होना सम्भव होगा। अस्थायी सामान्य होने पर

जब सामान्य मूल्य के प्रचलित होने का समय आता है तो यह प्रचलित मूल्य भ्रम्यां वाजार मूल्य कहलाने लग जाता है ।

(a) वाजार मूल्य समुद्र जल की भांति है जो सर्वत्र ऊपर नीचे होता रहता है, परन्तु सामान्य मूल्य समुद्र के उन रतुर की भांति है जहां यदि लहरें न हों, तो पानी स्थिर हो जायगा ।

(c) सब वस्तुओं का वाजार मूल्य हो सकता है, परन्तु सामान्य मूल्य केवल उन्हीं वस्तुओं का हो सकता है जिनका पुनर्निर्माण किया जा सकता हो । यदि वस्तुओं का निर्माण विनष्ट सम्भव नहीं हो, तो सामान्य मूल्य भी नहीं होगा, क्योंकि उत्पादन व्यय से ही सामान्य मूल्य प्रभावित होता है और जब उत्पादन व्यय हो नहीं तो सामान्य मूल्य का अस्तित्व कब हो सकता है ।

किसी वस्तु का वाजार मूल्य उस वस्तु के सामान्य मूल्य के चारों ओर घूमता है (Market Price of a commodity oscillates round about its Normal Price)

#### अथवा

किसी वस्तु का मूल्य स्थायी रूप से उत्पादन-व्यय ( लागत ) से अधिक ऊपर या नीचे नहीं रह सकता । ( The value of a commodity cannot be permanently much above or below its cost of production )

उपरोक्त कथन का विवेचन करने से पूर्व यहाँ पुनः वाजार मूल्य एवं सामान्य मूल्य का अर्थ स्पष्ट कर देना चाहिये । वाजार मूल्य किसी वस्तु का वह मूल्य है जो किसी समय पर बाजार में प्रचलित होता है तथा उसके अनुसार ही वस्तुओं का वास्तविक रूप में क्रय-विक्रय होता है । यह बहुत ही अल्पकालीन बाजार मूल्य होता है, अतः यह स्थायी रूप से बाजार में स्थिर नहीं रह सकता । बाजार मूल्य वास्तव में उस वस्तु की मांग और पूर्ति के वार्षिक सम्बन्ध का परिणाम होता है । अतः, यह स्पष्ट है कि मांग और पूर्ति में निरन्तर परिवर्तन होने रहने के कारण बाजार मूल्य भी सर्वत्र परिवर्तन होता रहता है । सामान्य मूल्य वस्तु का वह मूल्य है जो दीर्घकाल में प्रचलित होता है । यह दीर्घकालीन बाजार मूल्य होता है जो लगभग उत्पादन-व्यय ( लागत ) के बराबर रहता है । यह अधिक स्थिर होता है अर्थात् वाजार-मूल्य की भांति इसमें परिवर्तन नहीं होते ।

अतः यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु के वाजार मूल्य में निरन्तर परिवर्तन होने रहने हैं, क्योंकि भिन्न भिन्न परिस्थितियों के कारण उन वस्तु की मांग और पूर्ति में भी सर्वत्र परिवर्तन होता रहता है । परन्तु बाजार मूल्य में यह परिवर्तन अनिश्चित रूप में नहीं होता अर्थात् वाजार मूल्य असोभित मात्र में घट या बढ़ नहीं सकता । दूसरे शब्दों में, बाजार मूल्य में निरन्तर घटा-बढ़ी होती रहती है परन्तु इस घटा-बढ़ी की भी एक सीमा होती है । इसका तात्पर्य यह है कि वाजार मूल्य एक सीमा अथवा विन्दु के चारों ओर ही परिवर्तित होता रहता है और अन्त में पुनः उसी विन्दु पर आकर टिक जाता है । जिस प्रकार जल के सम-स्तार पर निरन्तर परिवर्तन होता रहता है और अन्त में जब अपने वास्तविक सम-स्तार पर टिक जाता है, ठीक इसी

और पूति का स्थायी सन्तुलन रहे, इसलिये बाजार मूल्य व सामान्य मूल्य की स्थायी अवस्थाएँ वारंवारिक जीवन में कभी प्राप्त नहीं होती। प्रस्तु सामान्य मूल्य एक प्रादेश के समान है जिनको प्राप्त करने की बाजार मूल्य की प्रवृत्ति रहती है।

पुन उत्पादन न हो सकने वाली वस्तुओं का मूल्य निर्धारण

(Determination of Price of Non reproducible Goods) —

अब तक हम पुनरुत्पादनीय (Reproducible) वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का विवेचन करते रहे हैं। इस सम्बन्ध में हमने यह देखा कि किस प्रकार पुनरुत्पादनीय वस्तुओं का मूल्य बाजार और पूति की पारस्परिक क्रियाओं द्वारा निर्धारित होता है। अब हम यहाँ ऐसी वस्तुओं के मूल्य निर्धारण का विवेचन करेंगे जिनका पुनरुत्पादन नहीं हो सकता है अर्थात् जिनकी पूति में वृद्धि करना सम्भव नहीं है। रफेन (Raphael) के कलापूर्ण चित्र, मिल्टन व शेक्सपियर के स्वहस्ताक्षर (Autographs) आदि दुर्लभ एवं अनोखी वस्तुएँ इसी प्रकार की वस्तुओं के कुछ उदाहरण हैं। जहाँ तक मूल्य निर्धारण के सिद्धान्त का प्रश्न है दोनों दशाओं में—जबकि वस्तुओं का पुन उत्पादन हो सकता हो या नहीं—मात्र और पूति की पारस्परिक क्रिया द्वारा मूल्य निर्धारण का ही सिद्धान्त लागू होगा। परन्तु दूसरी दशा में जबकि वस्तुओं का पुनरुत्पादन सम्भव नहीं हो, पूति की माया में वृद्धि नहीं की जा सकने के कारण उत्पादन व्यय अर्थात् लागत का प्रश्न ही प्रस्तुत नहीं होता। ऐसी अवस्था में विक्रेता एकाधिकारी (Monopolist) की स्थिति में रह जाता है और एकाधिकार के सचिवतम लाभ के सिद्धान्त के अनुसार कार्य करने लगता है।


इस प्रकार पुन उत्पादन नहीं की जा सकने वाली वस्तुओं के मूल्य निर्धारण में 'माँग' का प्रभाव अधिक क्रियाशील दया जाता है पूति निर्णय रहती है। इस अवस्था में पूति पक्ष में 'पूति मूल्य (Supply Price) बनाय सीमान्त लागत के वस्तु स्वामी के भावुक मूल्य (Sentimental Value) द्वारा निर्धारित होता है, अर्थात् सीमान्त लागत का स्थान वस्तु स्वामी को वस्तु में पृथक् होने की 'सीमान्त अनव्यवस्था' (Marginal Unwillingness) ग्रहण कर लेती है।

प्रतियोगिता और एकाधिकार (Competition and Monopoly)

मूल्य निर्धारण पर इस बात का विशेष प्रभाव पड़ता है कि बाजार में प्रतियोगिता का साधारण्य है अथवा एकाधिकार का। प्रस्तु यह जानना आवश्यक है कि प्रतियोगिता और एकाधिकार किस कहते हैं और इन बातों का प्रभाव मूल्य पर किस प्रकार पड़ता है। इसलिये अब हम इसी की विवेचना करेंगे।

प्रतियोगिता (Competition)—प्रतियोगिता का आशय उम परिस्थिति से है जगमें मनुष्य बिना बाहरी हस्तक्षेप या प्रतिपक्ष के उत्पादन, उपभोग, व्यापार आदि सभी आर्थिक क्षेत्रों में अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये स्वतन्त्रतापूर्वक काम कर सकता है।

प्रत्येक व्यक्ति को इस बात को पूर्ण स्वतन्त्रता होती है कि वह जिस भी काम या व्यवसाय को लाभप्रद समझे बिना किसी बाहरी बाधा के कर सकता है। आधुनिक युग स्वतन्त्रता का युग है और नर्तमान विचारधारा के अनुसार एक देश वरन् समस्त ससार को आर्थिक समृद्धि के लिये मनु प्रकृति से पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदानार्थ है। इस पूर्ण स्वतन्त्रता को ही 'प्रतियोगिता' कहते हैं।



प्रतियोगिता

प्रतियोगिता के प्रकार—  
प्रतियोगिता दो प्रकार की हो सकती है—(१) पूर्ण प्रतियोगिता (Perfect Competition)

और (२) अपूर्ण प्रतियोगिता (Imperfect Competition)। पूर्ण प्रतियोगिता—उस परिस्थिति का नाम है जिसमें उपभोक्ता, उत्पादक, क्रेता और विक्रेता प्रादि बड़ी संख्या में, बाजार ज्ञान से परिपूर्ण, स्वतन्त्रतापूर्वक बिना किसी प्रतिवन्ध व हस्तक्षेप के आर्थिक क्षेत्रों में कार्य-सम्पन्न हों। इन बातों के प्रभाव को अपूर्ण प्रतियोगिता का मूलक सांगना चाहिए।

पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएँ—पूर्ण प्रतियोगिता की कुछ विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :—

(१) पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में उत्पत्ति के साधनों का समुचित प्रयोग होता है—सर्व प्रथम उत्पत्ति के प्रत्येक साधन को स्वच्छानुसार तथा अपनी पसन्द के व्यवसाय या उद्योग में कार्य करने को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त होनी चाहिए। यदि किसी निश्चित प्रकार के श्रम की मजदूरी अन्य व्यवसायों की अपेक्षा कम है, तो श्रमिक इस व्यवसाय की छोड़कर अन्य व्यवसायों में जाने लगेंगे और इन व्यवसाय में श्रम की मजदूरी बढ जायेगी और यह प्रवृत्ति उम समय तक प्रचलित रहेगी जब तक इन व्यवसाय में श्रम की मजदूरी अन्य व्यवसायों के समान न हो जायेगी।

(२) क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में हों—पूर्ण प्रतियोगिता की दूसरी विशेषता यह है कि किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता अधिक संख्या में हों अन्यथा वस्तु के मूल्य पर कोई विशेष प्रभाव न पड़ेगा।

(३) क्रेताओं और विक्रेताओं को बाजार सम्बन्धी पूर्ण जानकारी हो—प्रत्येक क्रेता और विक्रेता को इस बात की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए कि बाजार में प्रमुख वस्तु कहाँ पर और किस भाव में विक्रि रही है।

(४) प्रतियोगिता की दशा में सारे बाजार में मूल्य एक-सा ही रहेगा—प्रतियोगिता की दशा में बाजार में एक ही वस्तु के एक भाव नहा रह

सकते। एक वस्तु का एक समय में गारे बाजार में एक ही भाव रहना पूर्ण प्रतियोगिता प्रचलित होने की एक परीक्षा है।

(५) पूर्ण प्रतियोगिता की दशा में उत्पादन व्यय और मूल्य बराबर होते हैं—यदि मूल्य उत्पादन व्यय से अधिक है, तो उत्पादन-गण लाभ प्राप्ति में प्रेरित होकर उस वस्तु का उत्पादन बढ़ावेगा जिससे वस्तु की मात्रा में वृद्धि होगी और मूल्य घट कर उत्पादन व्यय के बराबर हो जायेगा। इसी प्रकार यदि मूल्य उत्पादन व्यय में कम है, तो उत्पादक गण वस्तु का उत्पादन कम कर देंगे जिसके कारण मूल्य बढ़ेगा और वह जब तक बढ़ेगा जब तक कि उत्पादन-व्यय के बराबर न हो जायेगा।

**प्रतियोगिता से लाभ (Advantages)**

(१) प्रतियोगिता द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को अपनी योग्यता और कार्य-कुशलता के अनुसार अधिक कार्य करने का प्रोत्साहन मिलता है—जब एक व्यक्ति अपनी अधिक उन्नति के लिये अधिक से अधिक कार्य करने की चेष्टा करता है, तो उसके सामाजिक और प्राकृतिक गुणों तथा कार्य-शक्ति का पूर्ण विकास होता रहता है। इस प्रकार न केवल उस व्यक्ति को ही लाभ होता है बल्कि गारे समाज तथा देश को भी लाभ पहुँचना है।

(२) प्रतियोगिता द्वारा ही एक देश की मानव शक्ति, श्रम की कुशलता, योग्यता और एक देश के प्राकृतिक साधनों का समुचित प्रयोग सम्भव है—प्रतियोगिता के कारण ही सामूहिक समय में धन-विभाजन की इतनी उन्नति हुई है कि दसों श्रमिकों, उत्पादकों, व्यापारियों, जन साधारण तथा समाज एक देश को महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त हुए हैं।

(३) प्रतियोगिता नये नये आविष्कारों की जननी है—कार्य-कुशलता योग्यता तथा सतत प्रतियोगिता के कारण दिन-प्रति-दिन नवीन आविष्कार होने रहते हैं जिससे उत्पत्ति की मात्रा में उत्तरोत्तर उन्नति होती रहती है।

(४) प्रतियोगिता उत्पादन को उच्च कोटि का बना देती है—श्रमिकों की कार्यकुशलता में वृद्धि हो जाने के कारण उत्पादन भी बहुत उच्च कोटि का होता है।

(५) प्रतियोगिता उपभोक्ताओं को सस्ती वस्तुएँ उपलब्ध कराती है—उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होने के फलस्वरूप वस्तुओं का मूल्य घट जाना है और उपभोक्ताओं को वस्तुएँ कम मूल्य पर उपलब्ध होने से उनको बहुत लाभ होता है।

(६) बाजार की सीमाओं का विस्तार होता है—उत्पत्ति की मात्रा में वृद्धि होने से बाजार का क्षेत्र भी बढ़ जाता है और नये बाजारों का विकास होता रहता है।

(७) धन वितरण की असमानता कुछ श्रेय तक कम हो जाती है—सस्ती वस्तुएँ प्राप्त होने से निर्धन व्यक्तियों को विशेष लाभ होता है तथा इस प्रकार धन-वितरण की असमानता कुछ श्रेय तक कम हो जाती है।

**प्रतियोगिता से हानियाँ (Disadvantages)**

(१) उत्पादन अत्यन्त ही अनिश्चित हो जाता है—उत्पत्ति माँग से नहीं बहुत अधिक हो जाती है और कभी बहुत कम। इससे व्यापार को डेरा पहुँचती है।

(२) कठछेदी प्रतियोगिता (Cut-throat Competition) समाज के लिये अहितकर सिद्ध होनी है—कठछेदी प्रतियोगिता में प्रतिस्पर्धी प्रायः ऐसे साधना का प्रयोग करने लगते हैं जिसका फल सारे समाज को भोगना पड़ना है।

(३) टिक्का और लाभप्रद वस्तुओं के स्थान में दिवावटी और हानिकारक वस्तुएँ तैयार की जाती हैं—प्रतियोगिता के कारण टिक्का और लाभप्रद वस्तुओं के स्थान में दिवावटी और हानिकारक वस्तुएँ तैयार की जान लगती हैं जिससे लोग के स्वास्थ्य और चरित्र पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ना है।

(४) प्रतियोगिता में खर्चीले विज्ञापनों का प्रयोग वस्तुओं के मूल्य को बढ़ा देता है—प्रतियोगिता में बहुत-सा धन खर्चीले विज्ञापनों में व्यय किए जाने से उत्पादन-व्यय में वृद्धि हो जाती है और जिसके फलस्वरूप मूल्य बढ़ जाता है।

(५) प्रतियोगिता के कारण वस्तुओं की किस्म विगड़ जाती है—पारम्परिक प्रतियोगिता के कारण सस्ती वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता है जिसके कारण उत्तम की किस्म का शिथिलता स्वाभाविक है।

(६) प्रतियोगिता से न तो उत्पत्ति ठीक ढङ्ग की ही हो पाती है और न वैकारी की समझा से छुटकारा ही मिलता है।

निष्कर्ष—वस्तु मानव और सामाजिक लाभ की दृष्टि में अत्यधिक प्रतियोगिता पर सरकार द्वारा पर्याप्त प्रतिबंध आवश्यक है। वर्तमान युग योजनाओं का युग है। इस समय प्रत्येक राष्ट्र देश में आर्थिक प्रगति के लिये योजनाएँ बन रही हैं और उनके अनुसार कार्य हो रहा है। योजना में प्रतियोगिता का कोई स्थान नहीं होता है। अतः प्रतियोगिता द्वारा होने वाली हानियों में बचन का यह माध्यम आजकल अपनाया जा रहा है।

### एकाधिकार<sup>१</sup> (Monopoly)


अब तक हमने इस बात का अध्ययन किया है कि किस प्रकार मूल्य हस्तगत प्रतियोगिता (Free Competition) की अवस्था में निर्धारित होता है। अब हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार मूल्य एकाधिकार की अवस्था में निर्धारित किया जाता है।

एकाधिकार की परिभाषा (Definition)—साधारणतया प्रतियोगिता की अनुपस्थिति को एकाधिकार कहा जाता है। जब किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह के अधिकार में माँग या पूर्ति का बहुत बड़ा भाग होता है जिसके द्वारा मूल्य सुगमता से इच्छानुसार घटाया बढ़ाया जा सकता है तो उस स्थिति को एकाधिकार कहते हैं। अन्य शब्दों में, एकाधिकार उस स्थिति को कहते हैं जब वस्तुओं अथवा सेवाओं की माँग अथवा पूर्ति पर प्राकृतिक या कृत्रिम नियन्त्रण हो।

१—यह विषय देवनागपुर, सागर तथा पटना विश्वविद्यालयों में पाठ्यक्रमों में ही सम्मिलित है। उ० प्र०, मध्यभारत तथा अजमेर बोर्डों व राजपूताना विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों में सम्मिलित नहीं है।

जेनी (Ely) के अनुसार "एकाधिकार किसी व्यापार में सलग्न एक या एक से अधिक व्यक्तियों की सामूहिक व्यापारिक एकरूपता है जिसके द्वारा, यद्यपि पूर्णतया नहीं तो, विशापनया मूल्य सम्बन्धी अर्थात् नियन्त्रण (Exclusive Control) प्राप्त होता है।" मिल (Mill) के अनुसार पूर्ति का कम करना ही एकाधिकार कहलाता है। व्यावहारिक जीवन में मास का एकाधिकार होना कठिन होता है। इस कारण एकाधिकार शब्द का प्रयोग प्रायः केवल पूर्ति के एकाधिकार के सम्बन्ध में ही किया जाता है। परन्तु पूर्ति के एकाधिकार के सम्बन्ध में भी यह कठिनाई है कि वह पूर्ण एकाधिकार (Absolute Monopoly) नहीं होता जब तक कि वह सरकारी एकाधिकार न हो, जैसे डाक विभाग द्वारा प्रस्तुत सेवाएँ आदि। इसका कारण यह है कि ससार में एक वस्तु के अनेक उत्पादक होते हैं तथा एक वस्तु की स्थानापर वस्तुएँ भी होती हैं। इसीलिए एकाधिकार शब्द का प्रयोग वृद्ध अर्थात् प्रतिस्पर्धा (Imperfect Competition) के अर्थ में ही किया जाता है।

व्यापार अथवा व्यवसाय की दृष्टि में सरकार द्वारा स्थापित एकाधिकार का कोई विरोध महत्व नहीं है। महत्व तो उन एकाधिकारों का है जो व्यावसायिक मिलों या संयोग द्वारा स्थापित होते हैं। यह सब व्यवसाय प्रतिस्पर्धा के घुरे परिणामों से बनते तथा व्यावसायिक मिलों की अनेक वस्तुओं से प्राप्त उद्योग के विपरीत परस्पर मिलकर एकाधिकार का रूप धारण कर लेते हैं। अमेरिका आदि देशों में इस प्रकार की संस्थाओं ने इतना जोर पकड़ा कि इनके रोकने के लिये विभिन्न रूप से कानून बनाने पड़े।



एकाधिकारी के सामने अधिकाधिक लाभ का दृष्टिकोण—सम्बन्ध प्रतिस्पर्धा की अवस्था में किसी वस्तु के बहुत से उत्पादक होते हैं, अतः उनमें पारस्परिक प्रतिस्पर्धा होगी स्वाभाविक है। ऐसी अवस्था में इच्छानुसार मूल्य लेना सम्भव नहीं होने के कारण उन सभी मूल्य लेना पड़ता है जो दूसरे लेते हैं। इस कारण उत्पादक का बहुत कम लाभ होता है। इसके विपरीत एकाधिकारी का कोई प्रतिस्पर्धी नहीं होने के कारण अपनी वस्तु या सेवा का मनमाना मूल्य ले सकता है। उसके सामने केवल अधिकाधिक लाभ प्राप्ति का ही उद्देश्य रहता है और वह इसी दृष्टिकोण में प्रेरित होकर उत्पादन कार्य करता है।

एकाधिकारों के प्रकार एवं लाभ-हानियाँ—इसका विस्तृत विवरण इसी पुस्तक में पाये जा चुका है।

1—'Monopoly means,' remarks Ely, "that substantial unity of action on the part of one or more persons engaged in some kind of business which gives exclusive control, more particularly, although not solely, with respect to price."

**एकाधिकार मूल्य-निर्धारण का सिद्धान्त**

**(Theory of Determination of Monopoly Price)**

परिचय (Introduction)—यह सर्वविधित तथ्य है कि एकाधिकारी का उद्देश्य अधिकारिक लाभ-प्राप्ति का होता है। यही उद्देश्य उत्पादन का प्रतियोगिता की अवस्था में भी होता है। परन्तु प्रतियोगिता की अवस्था में कोई उत्पादक व्यक्तिगत रूप में मूल्य में परिवर्तन नहीं कर सकता और न मूल्य उत्पादन-व्यय में अधिक स्थिर कर विवेक लाभ उठा सकता है। एकाधिकार की अवस्था में ये सब बात सम्भव हैं। एकाधिकार उत्पादन मात्रा में परिवर्तन कर मूल्य को घटा-याग सकता है तथा वह उत्पादन-व्यय से अधिक मूल्य स्थिर कर विवेक लाभ उठा सकता है। तब तो एकाधिकारी अधिकारिक लाभ प्राप्ति के लिये अधिक मूल्य पर अधिकतम मात्रा बेचने का प्रयत्न करेगा। परन्तु यह उसकी इच्छा के बाहर है क्योंकि वह विश्व की मात्रा के माप-माप मूल्य निर्धारित नहीं कर सकता, अर्थात् वह ये दोनों कार्य एक साथ नहीं कर सकता। इसका कारण यह है कि पूर्ण पर उसका अधिकार तो अत्यन्त है पर माँग पर उसका अधिकार नहीं है। किसी मूल्य पर वह जितनी मात्रा बेच सकेगा, यह माँग की स्थिति पर निर्भर है। अतः वह सोना में न केवल एक ही बात कर सकता है—चाहे तो वह मूल्य निर्धारित करने का पूर्ण ही भयता जा वह बेचना चाहता है।

इसमें यह स्पष्ट है कि एकाधिकारी मूल्य-निर्धारण के सम्बन्ध में इतना स्वतन्त्र नहीं है जितना कि साधारणतया यह समझा जाता है। उसे भी माँग और पूर्ण सम्बन्धी बातों का पूरा-पूरा ध्यान रखना पड़ता है।

माँग और पूर्ण की शक्तियों का पारस्परिक प्रभाव—एकाधिकार की अवस्था में भी माँग और पूर्ण की शक्तियों की पारस्परिक क्रिया अवश्य होती है। परन्तु इसमें अन्तर यह है कि पूर्ण के अनुसार स्वतन्त्र माग्विन होने के लिये स्वतन्त्र नहीं रहती। वह एकाधिकार के नियंत्रण में होती है। पूर्ण नियंत्रित होने के कारण एकाधिकारी या तो मूल्य नियंत्रित कर उस पर जितनी मात्रा माँगी जाय उसकी पूर्ति कर सकता है अथवा वह पूर्ण की मात्रा का नियंत्रित कर मूल्य को स्वतन्त्र छोड़ सकता है। ऐसी अवस्था में मूल्य उच्च द्वारा नियंत्रित की गई पूर्ण तथा बाजार की माँग के पारस्परिक सम्बन्ध पर निर्भर होता है।

किन्तु ये दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती, अर्थात् वह मूल्य भी नियंत्रित कर और माँग ही माँगों का उसी मूल्य पर स्वतन्त्र निर्दिष्ट मात्रा का क्रय करने के लिये भी विवश करे। इन दोनों बातों में से वह केवल एक बात ही कर सकता है। एकाधिकारी के लक्ष्य केवल एक ही लक्ष्य रहता है—वह है अधिकतम लाभ-प्राप्ति। अतः, इन लक्ष्य की प्राप्ति के हेतु उसे अपनी शक्ति में सम्बन्धित माँग और पूर्ण की अवस्थाओं का ध्यान-पूर्वक मनन करना पड़ेगा।

माँग पक्ष—माँग पक्ष के विषय में एकाधिकारियों की मात्रा की मात्रा का विवरण करना पड़ेगा अर्थात् उसे यह देखना पड़ेगा कि कन्तु की माँग तो दार (Elastic) है या बेलाच (Inelastic)। यदि माँग में अधिक लोच है, तो मूल्य कम रखने में उसे अधिक लाभ होगा, क्योंकि ऐसा करने में माँग बहुत बढ़ जायेगी। यदि माँग बेलाच है तो मूल्य अधिक रखना जा सकता है, क्योंकि चाहे जो भी मूल्य हो, उपभोक्ता माँग में वृद्धि नहीं कर सकते।



पूर्ति पक्ष—माँग की लोच के साथ-साथ पूर्ति सम्बन्धी बातों पर भी उम्मे ध्यान देना होगा, अर्थात् उत्पात्ति नियमों की विभिन्न अवस्थाओं में उत्पादन व्यय (Cost of Production) के गिरने या बढ़ने को ध्यान में रखना पड़ेगा। उदाहरणार्थ, यदि वस्तु का उत्पादन उत्पात्ति-वृद्धि-नियम के अनुसार चल रहा है, तो उत्पत्ति के साथ सीमान्त लागत में कमी होगी। ऐसी वस्था में मूल्य कम रखने से विक्री बनेगी और एकाधिकारियों को अधिक लाभ होगा। यदि उत्पादन उत्पात्ति-ह्रास नियम के अन्तर्गत होगा, तो जितना अधिक उत्पादन होगा, उतनी ही अधिक लागत होगी। अतः वह उत्पादन छोटे परिमाण में करेगा। यदि माँग कहीं बेलांच हुई, तो ऊँचा मूल्य रखने में उसे अधिक लाभ होगा।

मूल्य निर्धारण—इस प्रकार दोना पक्षों की इन बातों को ध्यान में रखते हुए एकाधिकारियों वह मूल्य नियत करने का प्रयत्न करता है जिनसे उन्हें अधिकतम लाभ प्राप्त हो। वह यह जानता है कि लाभ दो बातों पर निर्भर है (१) प्रति इकाई मूल्य और (२) विक्री की मात्रा। यदि वह मूल्य अधिक रहता है, तो माँग घट जाने में विक्री कम हो जायगी जिससे फलस्वरूप कुल लाभ अधिकतम न होगा। दूसरी ओर, यदि वह अधिक मात्रा में माल बेचता है किन्तु प्रति इकाई मूल्य बहुत कम है, तो भी कुल लाभ अधिकतम न होगा। इसलिए एकाधिकारियों को न तो बहुत ऊँचा मूल्य रखने में और न अधिक मात्रा बेचने से अधिकतम लाभ प्राप्त होगा, बल्कि उसे मूल्य और विक्री की मात्रा के मध्य एक ऐसा समन्वय (Adjustment) ढूँढ निकालना पड़ेगा कि जहाँ उसे अधिकतम-अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

उदाहरण—(Illustration)—निम्नांकित उदाहरण द्वारा एकाधिकार मूल्य निर्धारण का मिथान्त भन्नी प्रकार समझा जा सकता है—


#### एकाधिकार उत्पादन (सारणी)

उत्पत्ति की इकाइयाँ	प्रति इकाई लागत	मूल्य	प्रति इकाई लाभ	कुल शुद्ध लाभ
	२०	६०	४०	८००
१००	५	=		३००
२००	४	७		६००
३००	३	६	३	९००
४००	२ ५०	५	२ ५०	१,०००
५००	२		३	५००
६००	४		३	६००

उपर की सारणी में यह स्पष्ट है कि एकाधिकारियों ४०० इकाइयों की उत्पत्ति करने पर अपने अधिकतम शुद्ध लाभ (Net Monopoly Profit) अर्थात् १००० ६० प्राप्त कर सकेगा। इस लाभ को पाने के लिये वह प्रति इकाई मूल्य निर्धारण करेगा जो लागत व्यय से २ ५० २० अधिक है।

रेखा चित्रण ( Diagrammatic Illustration )—नीचे दिये हुए रेखा चित्र द्वारा यह सातानी में बतलाया जा सकता है कि एकाधिकारी किम विन्दु पर मूल्य निर्धारित करेगा ।—

नीचे के रेखा चित्र में माँ माँ' माँग की वक्ररेखा और पू पू पूर्ति की वक्ररेखा एक दूसरे को क विन्दु पर काटती हैं । प्रतियोगिता की अवस्था में मूल्य क म के



एकाधिकार मूल्य-निर्धारण

बराबर होगा, क्योंकि इस मूल्य पर माँग और पूर्ति समान है । एकाधिकारी विशेष लाभ उठाने की दृष्टि में इसमें अथवा मूल्य रखेगा । मान लीजिए वह ग घ मूल्य निश्चित करता है जो क ख मूल्य में अधिक है । इस मूल्य पर अ घ मात्रा बेच सकता, क्योंकि उपभोक्ता इतनी ही मात्रा खरीदने को तैयार हैं । अ घ मात्रा कुल उत्पादन अथवा अ घ ज छ मात्रा ( Rectangle ) के बराबर है । इस मात्रा का बचन में उप कुल मूल्य अ घ ग क मात्रा के बराबर

एकाधिकार मूल्य है । इस बिन्दु में लाभ प्रदर्शित करना है । इस प्रकार क म के ऊपर नई मात्रा बन सकते हैं । इनमें एक सबसे बड़ा होगा । एकाधिकारी उद्योग विन्दु पर मूल्य स्थिर करेगा जहाँ सामाजिक मूल्य अधिक होगा ।

एकाधिकारी द्वारा मूल्य में भिन्नता—एकाधिकारी सामान्यतः सभी स्थानों पर एक ही मूल्य पर बिक्री करता है, परन्तु वह कभी कभी विभिन्न स्थानों के आदमी में भिन्न मूल्य भी लेता है क्योंकि इसमें उनका लाभ बढ़ जाता है । ऐसा देखा गया है कि वे कभी कभी देश में अथवा मूल्य पर नया विदेश में कम मूल्य पर एकाधिकार-उत्पन्न वस्तु का उत्पादन करने पर अधिकार करने का प्रयत्न करते हैं ।

एकाधिकारी द्वारा मूल्य में भिन्नता—एकाधिकारी सामान्यतः सभी स्थानों पर एक ही मूल्य पर बिक्री करता है, परन्तु वह कभी कभी विभिन्न स्थानों के आदमी में भिन्न मूल्य भी लेता है क्योंकि इसमें उनका लाभ बढ़ जाता है । ऐसा देखा गया है कि वे कभी कभी देश में अथवा मूल्य पर नया विदेश में कम मूल्य पर एकाधिकार-उत्पन्न वस्तु का उत्पादन करने पर अधिकार करने का प्रयत्न करते हैं ।

भिन्न भिन्न मूल्य लगाना उन एकाधिकारियों के लिये बहुत महत्वपूर्ण है जो मरवा द्वारा प्रत्यक्ष रूप में दूसरों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हैं जैसे टास्मन वहीन आदि । प्रायः हर डॉक्टर गरीबों में कम फीस लेते हैं और घमेली में अधिक । ऐसा करने में गरीबों की बेचन भलाई ही नहीं करत अतः उपभोक्ताओं को लाभ न होत है । यदि वे सभी में एक ही फीस लें, तो बहुत से रोगी निवृत्त होकर कारण उनके पास न आ सकेंगे । इसलिए वे भिन्न भिन्न श्रेणियों को ध्यान में रखकर फीस का दर रखते हैं । यहाँ पर यह सम्भव नहीं कि समीर लोग गरीबों के रूप में अथवा तीसरे का भेद कर अपनी सेवा कर सकें ।

मात्रा—बहुत ही तात्पर्य यह है कि माँग का दर बहुत बढ़ाया जाय है कि एकाधिकारी का मुख्य उद्देश्य माँग के अनुसार इस प्रकार पूर्ति में लाभ वृद्धि करना

होता है कि उस अधिकतम लाभ ही सब। वह इस बात का प्रयत्न नहीं करता कि उसकी एकाधिकार वस्तु का मूल्य उत्पादन व्यय के समान हो जाय।<sup>2</sup>

एकाधिकार और प्रतियोगिता मूल्य में अन्तर

(१) प्रतियोगिता की अवस्था में मूल्य और उत्पादन-व्यय दोनों बराबर होने हैं परन्तु एकाधिकार की अवस्था में उत्पादन-व्यय मूल्य की न्यूनतम सीमा निर्धारित करता है। एकाधिकारी की प्रतियोगिता का भय नहीं रहता। इसलिए वह मांग की ताप को ध्यान में रखते हुए उत्पादन-व्यय में अधिक मूल्य रखता है।

(२) एकाधिकारी भिन्न-भिन्न स्थानों में भिन्न-भिन्न मूल्य ले सकता है परन्तु प्रतियोगिता की अवस्था में ऐसा करना सम्भव नहीं है।

(३) प्रतियोगिता में उत्पादक एक दिये हुए मूल्य पर चाहें जितनी बिक्री कर सकता है परन्तु एकाधिकार में मूल्य घटाकर ही बिक्री बढ़ाई जा सकती है।

(४) प्रतियोगिता में मूल्य पर कोई अधिकार नहीं होता परन्तु एकाधिकार में मूल्य पर बाधा-बहुत नियंत्रण रहता है। वह मूल्य का चाहें जितना बनावर अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकता है। परन्तु पूर्णतः यह आवश्यक नहीं है कि उसे वह मूल्य पर लाभ अधिक ही हाँ मिले वह आवश्यकता पड़ने पर मूल्य कम करके भी अधिकतम लाभ पाने का प्रयत्न करता है।

(५) बिना उद्योग में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है वहाँ पर अनुत्तम इकाई के आकार (Size) का बंधन नहीं रहता परन्तु एकाधिकार में केवल एक ही फर्म सम्भव है। एकाधिकारी विभिन्न उपायों द्वारा वतपान विरोधी व्यापारियों का उन्मूलन करता है तथा अधिक मूल्य में किन्हीं भी एकाधिकार उद्योगों में प्रवेश नहीं करने देता।

(६) एकाधिकार मूल्य में परिवर्तन का अधिकार नहीं रहता है परन्तु उसकी यह शक्ति अपरिमित नहीं है। उस कई बातों का भय रहता है यदि वह बहुत ऊँचा मूल्य रखता है तो सम्भव है राज्य की धार में हस्तक्षेप होने लगे या प्रतियोगिता फिर से उपस्थित हो जाय। उस उस बात का भी भय रहता है कि कच्चे सांख्यिक मत उसके विरुद्ध न हो जाय या लागू करने के स्थान में दुमरी स्थानापन्न करने को नही प्रयोग में न लाने का भय। प्रतिव्ययिक मूल्य इन सब बातों में घटता है।

इन सब बातों का होने भी यह सोचना भूल नहीं जाय कि एकाधिकार और प्रतियोगिता मूल्य निर्धारण में बड़ा भेद है। मूल्य मांग और पूर्णतः विज्ञान द्वारा ही निर्धारित होता है। एकाधिकार का साम्राज्य ही यथा प्रतियोगिता का।

एकाधिकार पर नियंत्रण—सरकार एकाधिकार पर नियंत्रण करने के लिए कानूनी हस्तक्षेप मूल्य और लाभ पर नियंत्रण उत्पादन का राष्ट्रीयकरण प्रचार द्वारा सामाजिक बहिष्कार आदि उपायों का प्रयत्न करती है। यद्यपि समय-समय

1— The *Prima facie* interest of the owner of a monopoly is to adjust the supply to demand in such a way that the price at which he can sell his commodity shall just cover its expenses of production but in such a way as to afford him the greatest possible total revenue  
—Marshall

पर इन नियमों द्वारा एकाधिकार की मुद्राओं को दूर कर दिया जाता है, तथापि यह देखा जाता है कि वे विभिन्न उपायों द्वारा या तो इन नियमों को निष्कलन कर देने हैं अथवा उनको न्यूनतम माना में कम कर लेने हैं।

यह नियमों इमलिये आवश्यक होना है कि एकाधिकारी मूल्य में कृत्रिम वृद्धि न कर सके, उत्पादन पर नियंत्रण न रख सकें तथा अन्य व्यापारियों के व्यापार को नष्ट न कर सकें।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इंटर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—वाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अन्तर बताइए। किसी वस्तु का दीर्घकालीन मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है ?
- २—'किसी वस्तु का अल्पकालीन मूल्य माग पर और दीर्घकालीन मूल्य पूर्ति पर निर्भर होता है। इस कथन को पुष्टि कीजिये।
- ३—किसी वस्तु का मूल्य उसके लागत-मूल्य से न बहुत अधिक और न बहुत कम रह सकता है। इस कथन की व्याख्या कीजिये। चित्र बनाकर उदाहरण द्वारा समझाइयें। (रा० नो० १६५८)
- ४—वाजार मूल्य तथा सामान्य मूल्य में क्या भेद है ? समझाइयें कि इनमें क्या अन्तर है ?
- ५—अल्पकालीन और दीर्घकालीन सामान्य मूल्य में क्या अन्तर है ? समझाकर लिखिये। (रा० नो० १६६०)
- ६—वाजार मूल्य और सामान्य मूल्य में अन्तर समझाइयें। सामान्य मूल्य कैसे निर्धारित होता है ? (रा० नो० १६५७)
- ७—पूरा प्रतियोगिता की दशा में किसी वस्तु का मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है ? चित्र भी कीजिये। (रा० नो० १६५५, माग १६५२)
- ८—'किसी वस्तु का सामान्य मूल्य स्वामी तौर से इसके उत्पादन-व्यय में न तो अधिक ऊँचा और न नीचा ही रह सकता है।' इस कथन की पूर्णतया व्याख्या कीजिए। (ग० नो० १६५०, म० भा० १६५५)
- ९—यदि मुद्रा-मूल्य में परिवर्तन होता है, तो माँग विपन्न दिशा में बढ़ती है। क्या आप इस बात से सहमत हैं ? कारण दीजिए और समझाइयें। (तामपुर १६५५)
- १०—एकाधिकार में किसी वस्तु का मूल्य कैसे निर्धारित होता है। (माग १६५६)

#### इंटर मर्चेंटिल

- ११—पूरी सजाई के अन्तर्गत सामान्य मूल्य के निर्धारण का विवरण दीजिये और उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिये कि वाजार मूल्य सामान्य मूल्य के अन्तर उभर में बराबर रहता है।
- १२—अर्थ क्या है ? इसका निर्णय कैसे किया जाता है ? अल्पकालीन और दीर्घकालीन मूल्य के निर्णय करने में जिन कारणों (फैक्टर) की अति प्रभावना होती है, उन्हें समझाइयें। (ग० नो० १६५६)
- १३—मूल्य किस प्रकार निर्धारित होता है :—  
 (अ) दीर्घकालीन वाजार में ? (आ) अल्पकालीन वाजार में ?  
 (इ) काला वाजार में ? (रा० नो० १६५८)

### परिचय (Introduction)

जैसा कि पिछले अध्यायों में बताया जा चुका है कि सम्यक्ता की प्रारम्भिक अवस्था में जबकि मनुष्य की आवश्यकताएँ अल्प एवं सीमित थी, वस्तु-विनिमय प्रथा (Barter System) प्रचलित थी। सम्यक्ता के विकास के साथ साथ मनुष्य की आवश्यकताएँ बढ़ी और उसे अपने दैनिक कार्यों में वस्तु विनिमय प्रथा द्वारा अनेक प्रसुविधाएँ तथा कठिनाइयाँ होने लगीं जिन्हें फलस्वरूप मुद्रा विनिमय प्रथा का प्रादुर्भाव हुआ। सम्यक्ता की बढ़ती हुई विनिमय-समस्याओं को सुलभाने में मुद्रा विनिमय का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। आज हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मुद्रा का प्रयोग अपरिहार्य (Indispensable) है तथा हमारी समृद्धि मुद्रा पर ही निर्भर समझी जाती है। मुद्रा के द्वारा ही हम वस्तुओं का क्रय-विक्रय करते हैं; नौकरों का वेतन चुकाने हैं तथा मुद्रा के द्वारा ही देशी और विदेशी व्यापार सम्पन्न होता है। आज के युग में ऐसा कौन व्यक्ति है जो मुद्रा के प्रति अज्ञान नहीं होता? एक बालक इसे मिठाई या चटपटी खरीदने के लिये चाहता है, एक विद्यार्थी इसे अपनी पुस्तकें खरीदने और स्कूल कॉलेज की फीस देने के लिये चाहता है, एक माधु या फकीर अपना पेट भरने के लिये इसकी माँग करता है तथा एक गृहस्थी इसे अपनी और अपने कुटुम्बिका की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये चाहता है। माराश यह है कि आधुनिक युग में कोई भी कार्य बिना मुद्रा के सम्भव नहीं है। अस्तु, आधुनिक युग को यदि, 'मुद्रा युग' कहा जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।

अब हम मुद्रा का जोकि आधुनिक युग में एक महत्त्वपूर्ण वस्तु समझी जाती है, विस्तृत विवेचन करेंगे।

### मुद्रा का जन्म तथा विकास (Origin & Growth of Money)

वस्तु विनिमय की आधुनिक अनुविधाओं में मुद्रा को जन्म दिया, इसमें तनिक भी संदेह नहीं हो सकता। वस्तु-विनिमय के दोषों में छूटकारा पाने के लिये मनुष्य ने इतिहास के आदिकाल में ऐसी माध्यमिक वस्तुओं को खोजा जोकि सार नसार में वस्तुओं व सेवाओं के बदले स्वीकार की जाने लगीं, जिन्हें द्वारा समस्त वस्तुओं का मूल्य मापा जा सकता था तथा जिसके द्वारा मूल्य सुगमता से उपविभाजित एवं संचित किया जा सकता था। ऐसी मध्यमिक वस्तु मुद्रा (Money) के नाम से सम्बोधित होने लगी।

भिन्न भिन्न वस्तुओं के समय और स्थान की भिन्न-भिन्न दशाओं के अनुसार मुद्रा का रूप धारण किया। मानव के अधिक विकास की प्रारम्भिक अवस्था में अर्थात् आदि-युग में जंगली जानवरों की खाल मुद्रा के रूप में प्रयुक्त की गई। पशुपालन

अवस्था में भेड़ और गाय तथा कृषि-अवस्था में व उसके पश्चात् घनाज, तेल, तम्बाकू, गमक, सूती बरस, बगडा, गुनाम, माना के मलिये, मोपें, गुंगा, कौटिपा आदि वस्तुएँ मुद्रा की भाँति प्रयुक्त की जाती थीं। अफीम के कुछ भागों में मनुष्य की खोपड़ियों की विनिमय के लिये प्रयोग में लाया जाता था। चीनी लोग बड़े अफीमची थे। अतः उन्होंने अफीम का प्रयोग मुद्रा के स्थान पर बहुत समय तक किया। तात्पर्य यह है कि जिस समय व स्थान पर जिस वस्तु की सभी लोग माँग करते थे, वह वस्तु उस समय तथा स्थान पर विनिमय के काम आने लगी। किन्तु ये सभी वस्तुएँ किसी-न-किसी वस्तु में रूपित पाई गयीं, इसलिये कालान्तर में इनका स्थान सोने और चाँदी ने ले लिया। मुद्रा का सबसे नया रूप पत्र-मुद्रा है जो मुद्रा का सबसे अधिक भुविघाजनक एव विनम्यवी रूप है।

### मुद्रा की परिभाषा (Definition)

भिन्न-भिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा की भिन्न-भिन्न परिभाषायें दी हैं। कुछ ने इसकी परिभाषा संकीर्ण अर्थ में दी है और कुछ ने विस्तृत अर्थ में। संकीर्ण अर्थ में मुद्रा से अभिप्राय केवल धातु मुद्रा (Metallic Money) अर्थात् धातु के सिक्कों में ही होता है। विस्तृत अर्थ में मुद्रा का अन्वय प्रत्येक प्रकार के विनिमय साधनों से होता है और उसमें धातु-मुद्रा अर्थात् धातु के सिक्के, पत्र-मुद्रा (Paper Money) अर्थात् करंसी नोट और साख मुद्रा (Credit Money) अर्थात् बैंक, बिल ऑफ एक्मचेंज, प्रॉमिसरी नोट व डिपॉजिट—सभी सम्मिलित किये जाते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्री इन दोनों के बीच की परिभाषा देते हैं। उनके अनुसार मुद्रा वह वस्तु है जोकि करण के अन्तिम भुगतान में बिना सदेह के साधारणतया स्वीकार की जा सकती है। इस परिभाषा के अनुसार मुद्रा का अन्वय केवल धातु मुद्रा अर्थात् धातु के सिक्के और पत्र मुद्रा अर्थात् करंसी नोटों में ही होता है। धातु के सिक्के और कागजी नोटों का लेन-देन कानून की दृष्टि से अनिवार्य होता है। परन्तु बैंक, बिल ऑफ एक्मचेंज, ट्रेडी आदि साख-पत्रों का आदान-प्रदान सर्वथा ऐच्छिक होता है, कानून द्वारा बाध्य नहीं किया जा सकता। अधिकतर इन साख-पत्रों का लेन देन परिचित व्यक्तियों तक ही सीमित होता है। ये सर्वमान्य एव विधि प्राण (Legal Tender) नहीं होते। अस्तु, इन्हें मुद्रा में सम्मिलित नहीं किया जाता।

मुद्रा के विभिन्न अर्थ निम्नाविध चित्र द्वारा व्यक्त किये गये हैं :—

संकीर्ण अर्थ में मुद्रा = धातु मुद्रा (धातु के सिक्के)

विस्तृत अर्थ में मुद्रा = धातु-मुद्रा (धातु के सिक्के)

पत्र-मुद्रा (करंसी नोट)

साख-मुद्रा (बैंक, प्रोनोट, ट्रेडी)

सही अर्थ में मुद्रा = धातु-मुद्रा + पत्र-मुद्रा

चित्र का स्पष्टीकरण—प्रागे के चित्र से मुद्रा का अर्थ स्पष्ट हो जाता है। चूत्तखण्ड १ मुद्रा का संकीर्ण अर्थ प्रदर्शित करता है, वृत्तखण्ड १+२+३ मुद्रा का



विस्तृत अर्थ प्रकट करने है और वृत्तवत् १+२ मुद्रा का सही अर्थ बताते हैं।

मुद्रा की कुछ प्रचलित परिभाषाएँ

यहाँ कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गयीं मुद्रा की परिभाषाएँ दी जाती हैं।

(१) ऐली (Ely) के अनुसार "मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय के माध्यम के रूप में स्वतन्त्रतापूर्वक एक हाथ में हुआ हाथ में होकर निरतनी है और व्यापारगुणवा स्त्रियों के अन्तिम मुद्रादान के दिने स्वोच्चार की जाती है।"<sup>१</sup>

मुद्रा का अर्थ (वृत्तवत् १+२ = मुद्रा)

(२) रॉबर्टसन (Robertson) के अनुसार "मुद्रा वह वस्तु है जो मार के मुद्रादान में अथवा किसी व्यापार-सम्बन्धी दायित्व में मुक्ति प्राप्त के दिने स्वातन्त्र्य में स्वोच्चार की जाती है।"<sup>२</sup>

(३) जी० डी० कोल (G. D. H. Cole) इस प्रकार परिभाषित करते हैं। "मुद्रा अर्थ-शक्ति है—कुछ ऐसी चीज है जो वस्तुओं के स्वरीक्षण में काम आती है।"<sup>३</sup>

(४) मार्शल (Marshall) के अनुसार "मुद्रा में वे सभी वस्तुएँ सम्मिलित की जा सकती हैं जो किसी समय और स्थान पर बिना मन्दिर और विशेष जाल-बन्धन के वस्तुओं और सेवाओं के रूप के दिने और अन्त-मुद्रादान के दिने सामान्यतः प्राप्त होती हैं।"<sup>४</sup>

(५) जे० एम० केन्स (J. M. Keynes) इस प्रकार परिभाषित करते हैं। "मुद्रा वह वस्तु है जिसके मुद्रादान में ऋण प्रवर्धित तथा मूल्य-वचनियों में घुटपण मित जाता है और जिसमें प्रत्येक निहित होती है।"<sup>५</sup>

(1) "Money is anything that passes freely from hand to hand as a medium of exchange and is generally received in final discharge of debts"  
Ely : *Elementary Principles*.

(2) "Money is a commodity which is used to denote anything which is widely accepted in payment of goods or in discharge of any business obligation"  
Robertson : *Money*, p 21.

(3) "Money is purchasing power—something which buys things"  
Cole : *What everybody wants to know about money*, p 2.

(4) "Money includes all those things which are ( at any time and place ) generally current without doubt or special enquiry as a means of purchasing commodities and services, and of defraying expenses"  
Marshall *Money, Credit and Commerce*, p 13

(5) "Money is that by delivery of which debt contracts and price contracts are discharged and in the shape of which general purchasing power is held."  
J. M. Keynes *Treatise on Money*, Vol. I

(६) हार्टले विदर्स (Hartley Withers) कहते हैं "मुद्रा वह पदार्थ है जिसमें हम वस्तुएँ खरीदते और बेचा हैं ।"<sup>१</sup>

(७) ज्यॉफ्रे क्रॉउथर (Geoffry Crowther) के शब्दों में "मुद्रा वह वस्तु है जो विनिमय-माध्यम के रूप में सर्वत्राह्य हो अर्थात् जिसमें कम्पा का निवृत्त किया जा सके और साथ ही साथ मूल्य मापन तथा मूल्य संचय का कार्य करती हो ।"<sup>२</sup>

(८) सैलिगमैन (Seligman) या परिभाषित करते हैं—'मुद्रा वह वस्तु है जिसमें प्रायत्वा होती है ।"<sup>३</sup>

(९) टॉमस (Thomas) के अनुसार "मुद्रा वह वस्तु है जो समस्त अन्य वस्तुओं के मध्य मूल्य-मापन और विनिमय-मापन के लिए सर्व-स्वीकृति में चुनी गई हो ।"<sup>४</sup>

(१०) किन्ले (Kinley) के अनुसार "मुद्रा विनिमय माध्यम का वह भाग है जो विनिमय बाजार और ऋण भुगतान में स्वतन्त्र रूप में प्रचलित होता है और इसकी स्वीकृति में किसी तीसरे पक्ष के दायित्व तथा इसके न चलने पर भुगतान करने वाले के पुनः भुगतान करने की प्रतिज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं होती ।"<sup>५</sup>

(११) वॉकर (Walker) के शब्दों में "जो वस्तु सम्पूर्ण ऋण भुगतान के लिये एक दूसरे के प्रति बिना किसी सन्देह के प्रतिवार्य रूप में हस्तान्तरित होती है तथा जो देने वाले व्यक्ति की साख की पुष्ट-माद्य के बिना निरसन्देह स्वीकृत होती है, ऐसी किसी भी वस्तु को मुद्रा कह सकते हैं ।"

मुद्रा की एक निश्चित एवं सतोषजनक परिभाषा देना कठिन है । अतः प्रो० वॉकर (Walker) के ये शब्द कि "मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है"<sup>६</sup>—मुद्रा की

(1) "Money, then, is the stuff with which we buy and sell things  
Hartley Withers . *The Meaning of Money*, p 267.

(2) "As anything that is generally acceptable as a means of exchange ( i, e as a means of settling debts ) and at the same time acts as a measure and as a store of value "

Geoffry Crowther . *An Outline of Money*, p 35

(3) "Money is one thing that possesses general acceptability "  
Seligman : *Principles of Economics*

(4) "Money is a commodity chosen by common consent to serve as a measure of value and a medium of exchange between all other commodities "  
Thomas . *Elements of Economics*

(5) "Money is that part of the medium of exchange which passes freely in exchange and settlements of debts without making the discharge of obligations contingent on the action of a third party or on the action of the payer by promising if the money article does not pass "  
—Kinley

(6) "Money is what money does "

Walker *Political Economy*.



परिभाषा की कठिनाई के मूषक हैं। बोंकर के अनुसार मुद्रा की परिभाषा वस्तु: मुद्रा के कार्य ही हैं। इस परिभाषा से हार्टले विदर्स भी सहमत है।

ऊपर की परिभाषाओं से ज्ञात होता है कि मुद्रा वह वस्तु है जो वस्तुओं के बदले एवं ऋण चुकाने के लिये सभी व्यक्तियों द्वारा गृह्य एवं स्वतन्त्रतापूर्वक स्वीकार की जाती है। हमारे शब्दों में, वह वस्तु जिसमें सामान्य श्राद्धता का गुण न हो मुद्रा नहीं कहला सकती। बसंतमान युग में चेक, बिल, ट्रेडिवां आदि भी विनिमय-माध्यम का कार्य करते हैं, परन्तु वे विधिशास्त्र (Legal Tender) नहीं हैं और उन्हें कोई भी अपरिचित व्यक्तियों से या संश्लेषण मान्य वाले व्यक्तियों से नहीं लेता है। अतः वे स्वतन्त्रतापूर्वक स्वीकृत नहीं किये जाते और न एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास ही आने-जाने हैं। अस्तु, उन्हें मुद्रा नहीं माना जाता है। इसमें यह स्पष्ट हो जाता है कि सब प्रकार के विनिमय-माध्यम मुद्रा नहीं कहे जा सकते यद्यपि सब मुद्रा अनिवार्य रूप से विनिमय-माध्यम होती हैं। इसलिए मुद्रा एक विविध प्रकार का विनिमय माध्यम है, अर्थात् मुद्रा वह विनिमय-माध्यम है जो सर्वमान्य एवं विधि-शास्त्र है।

संक्षेप में, मुद्रा विनिमय का वह माध्यम है; चाहे वह धातु का बना हो या कागज का अथवा सरकार या विद्वान्-शास्त्र बैंक द्वारा प्रचलित किये हुए नोट हों जो जन-साधारण द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है और देश के भीतर अपरिचित व्यक्तियों में बिना खावट के प्रयुक्त किया जाता है।

मुद्रा के मुख्य लक्षण

(Essential Characteristics of Money)

(१) सर्वसाह्यता—मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी सर्वसाह्यता है अर्थात् इसे सब स्वीकार करें। साधारणतया मान्य होने के लिये यह आवश्यक है कि उस पदार्थ की, मुद्रा के अनिश्चित उपयोगिता भी हो। यही कारण है कि पुगने समय में गेहूँ, नमक, चमड़ा, जानवर आदि मुद्रा का कार्य करते थे। आधुनिक समय में मुद्रा के मान्य होने के लिये उसका अन्य रूप में उपयोगी होना आवश्यक नहीं है। प्रायः सभी देशों में पत्र-मुद्रा का प्रचलन है। यद्यपि पत्र-मुद्रा की अन्य कोई उपयोगिता नहीं है फिर भी यह मान्य है, क्योंकि कानून ने इसको स्वीकार करना अनिवार्य कर दिया है। अस्तु, मुद्रा का स्वीकार किया जाना इसका मुख्य लक्षण है।

(२) ऋण-मुक्ति—मुद्रा के सुगमता में ऋण की मुक्ति इसका दूसरा लक्षण है। व्यक्ति प्राप्त के ऋणों को मुद्रा द्वारा चुका सकते हैं, सरकारें ऋण भी मुद्रा द्वारा चुकाये जा सकते हैं और सरकार अपने ऋण भी मुद्रा के प्रयोग से चुका सकती हैं। चेक, बिल, ट्रेडी आदि साह-पत्रों के सुगमता में ऋण से मुक्ति नहीं मिल सकती, क्योंकि इनके अनादरण (Dishonour) में ऋणों फिर से उत्तरदायी हो जाता है। अतः ये मुद्रा नहीं कहाये जा सकते।

(३) विनिमय-साध्यता—मुद्रा एक प्रकार का विनिमय माध्यम है, इसका अन्य रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। कुछ व्यक्ति ऐसे घटव्य हैं जो इसकी विनिमय के रूप में प्रयोग कर लाभ उठाने के बजाय मंचित रह कर धानन्द उठाते हैं। परन्तु ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं और इनका घटव्य अर्थशास्त्र के क्षेत्र के बाहर है।

मुद्रा के कार्य ( Functions of Money )—मुद्रा धनक सामंदायक कार्य सम्पन्न करती है जिसमें से मुख्य चार हैं जो वाहर द्वारा दी गई निम्न दो पन्तिया के रूप में सरलता में स्मरण रखे जा सकते हैं —

Money is a matter of functions four

A medium a measure a standard a store

चार कार्य क हन हा मुद्रा वस्तु महान ।

माध्यम माप प्रमाण ग्रह सचय कार्य प्रधान ॥

(१) विनिमय का माध्यम (Medium of Exchange)—विनिमय माध्यमता मुद्रा का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। माध्यम शब्द का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय विनिमय इनके द्वारा हो। इसके द्वारा वस्तु विनिमय (Barter) की समस्त कठिनाइया दूर होकर विनिमय कार्य सुगम एवं सरल हो गया है। प्रत्येक वस्तु का क्रय विनिमय ध्यानवत् मुद्रा द्वारा ही सम्पन्न होता है क्योंकि इस प्रकार मनुष्य बिना राशेह के स्वाकार कर लेता है। इसका कारण यह है कि इसमें वह क्रय शक्ति सज्जित होती है कि जिसमें द्वारा मुद्रा प्राप्त करना जब चाहें तब अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ प्राप्त कर सकते हैं। यह एक प्रकार में पारस्परिक वस्तु है जिसके द्वारा विनिमय कार्य सुचारु रूप से सम्पन्न किया जाता है। वर्तमान युग में जाति के प्रवेश धन में इसका प्रयोग प्रायःव्यत्यय है। इसलिये यह मुद्रा का एक आवश्यक कार्य माना गया है।

(२) मूल्य का माप (Measure of Value)—मुद्रा वस्तुषा और मबाषा क मूल्य को नापने का एक साधन है। जिस प्रकार गर्मी थर्मामीटर में मापी जाती है जिसकी जिलोवाट में मापी जाती है और कपल गज में नापा जाता है उसी प्रकार वस्तुषा और मबाषा का मूल्यकन मुद्रा द्वारा किया जाता है। इसके प्रतिरिण इसके मूल्य को तुलना भी ठाक ठग से की जा सकता है जिसमें विनिमय-धन में बहुत सुविधा होती है। उदाहरणार्थ यदि १ रु० क १ सर चावल और १ रु० के २ सेर गहूँ पाते हैं तो हम तुरन्त कह सकते हैं कि चावल का मूल्य गहूँ के दुगुना है।

(३) स्वयित या भावी भुगतान का प्रमाण (Standard of Deferred Payment)—मुद्रा स्वयित या भावी लेन देना क भुगतान का एक सुगम साधन है। आज के युग में साधारणतया एवं व्यापारियों को एक-दूसरे से उधार लेने की आवश्यकता प्रतीत होती है। यदि कण मुद्रा की रूप में वस्तुषा के रूप में लिया जाय, तो ऋण चुकाने समय ठीक उसी प्रकार की वस्तुएँ लौटाने तथा व्याज देने में बहुत कठिनाई होती है। इसके प्रतिरिण वस्तुषा के मूल्य में बहुत परिवर्तन होता रहता है जिसमें ऋणगुना और ऋणों को हानि उठानी पड़ती है। मुद्रा द्वारा ऋण देने और लेने में इन प्रकार का समस्त कठिनाइया दूर हो जाती है। इसलिये मुद्रा द्वारा ही लेन-देन का कार्य किया जाता है। आधुनिक समय में भावी लेन देना के कार्य का कितना महत्त्व है यह किष्क न दिया नहीं है।

(४) मूल्य का सचय (Store of Value)—साधारणतया प्रत्येक व्यक्ति अपनी भविष्य की आवश्यकताओं को पूर्ण करने लिये कुछ धन संचित करने रखता परन्तु

करता है। यदि वह वस्तुओं को संचित करता है, तो वे बोझे समय के पश्चात् राउ-गल सकती है तथा उनके मूल्य में परिवर्तन भी हो सकता है। इनके प्रतिरिक्त वे स्थान भी बहुत देखी है। ऐसी अवस्था में वस्तुओं या जानवरों को धन के रूप में संचित नहीं किया जा सकता। धन संचय करने का कार्य मुद्रा द्वारा भली भाँति सम्पन्न होता है। मुद्रा का किसी भी समय उपयोग हो सकता है तथा उसके नाट होने का भय नहीं रहता है और उनके मूल्य में अधिक परिवर्तन नहीं होता। उसकी माँग स्थायी तथा सार्वभौम होती है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुद्रा के मूल्य में भी परिवर्तन होता रहता है परन्तु इसके मूल्य में अल्प वस्तुओं की अपेक्षा बहुत कम परिवर्तन होता है। यद्यपि बरेली गोट सचय के लिये इतने अनुकूल नहीं हैं, फिर भी सरकार पुराने नोटों को समय समय पर बदल कर सराव होने से बचाती है। इस प्रकार मुद्रा मूल्य-सचय का सर्वोत्तम एवं आदर्श माधन है।

मुद्रा के कार्यों का अन्य प्रकार से विभाजन—मुख्य अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा के सम्पूर्ण कार्यों को निम्नलिखित तीन भागों में विभाजित किया है :—

१—प्रमुख या आवश्यक कार्य (Primary or Essential Functions)

२—गौण या सहायक कार्य (Secondary or Derived Functions)

३—संभाव्य या नैमित्तिक कार्य (Contingent Functions)

१—प्रमुख या आवश्यक कार्य (Primary or Essential Functions)  
मुद्रा के प्रमुख या आवश्यक कार्य वे हैं जो मुद्रा द्वारा किसी समय तथा किसी भी समाज में आवश्यक रूप में किये जाते हैं। ये कार्य मुख्यतः दो हैं—(अ) विनिमय का माध्यम (Medium of Exchange) और (ब) मूल्य का माप (Measure of Value) इनका विवेचन ऊपर किया जा चुका है।

२—गौण या सहायक कार्य (Secondary or Derived Functions)  
—मुद्रा के प्रमुख या आवश्यक कार्य वे हैं जो प्राथिक व्यवस्था की प्रारम्भिक अवस्था में मुद्रा द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं, परन्तु गौण या सहायक कार्य समाज का प्राथिक विनाश होने के उपरान्त ही दृष्टिगोचर होते हैं। वास्तव में देखा जाय तो मुद्रा के इन कार्यों की उत्पत्ति हमने प्रमुख या प्रारम्भिक कार्यों में ही होती है, इसी कारण इन्हें गौण या सहायक कार्य (Secondary or Derived Functions) कहा गया है। ये कार्य मुख्यतः तीन हैं—(अ) स्वर्गित या भावी चुगतान का प्रमाण (Standard of Deferred Payment), (ब) मूल्य का सचय (Store of Value) और (ग) मूल्य का हस्तान्तरण (Transfer of Value)। इनमें से प्रथम दो कार्यों का वर्णन ऊपर किया जा चुका है। अतः यहाँ पर तीसरे का ही विवेचन किया जाता है।

(ग) मूल्य का हस्तान्तरण (Transfer of Value)—मुद्रा मूल्य-सचय करने का सर्वोत्तम माधन होने के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान को तथा एक समय से दूसरे समय को इसका हस्तान्तरण धरो सरलता से किया जा सकता है। मुद्रा का

मुविधातव्य रूप होने के कारण उनके स्थानान्तरण प्रथवा हस्तान्तरण में कोई कठिनाई नहीं होती है ।

३. गभाव्य या नैमित्तिक कार्य (Contingent Functions) — मुद्रा की सहायता से समाज का विनाश हुआ और समाज के विकास के माध्यम मुद्रा का भी विकास हुआ । मुद्रा का कार्य क्षेत्र दिनों-दिन विस्तृत होता गया और इसी के परिणाम स्वरूप आज हम मुद्रा को अनेकों ऐसे कार्य सम्पन्न करने हुए पाते हैं जिनकी मुद्रा के विकास की प्रारम्भिक अवस्था में कल्पना तक नहीं हुई होगी । प्रो० किन्ले (Kinley) ने अनुमान है इन कार्यों की सम्भाव्य या नैमित्तिक कार्य बहू सकते हैं । जो निम्नलिखित है :

(अ) राष्ट्रीय आय-वितरण का आधार (Basis of distributing National Dividend) — आज के समुक्त एव सामूहिक उत्पत्ति के युग में किना मुद्रा के माध्यम का समुचित वितरण सम्भव नहीं है । आजकल सभी वस्तुएँ बिक्री के लिये उत्पादित की जाती हैं और मुद्रा द्वारा बिक्री करने में समुक्त आय का सुविधापूर्वक वितरण ही जाता है ।

(ब) अधिकतम नृप्ति का मापन (Means of Maximum Satisfaction) — समुक्त समाज को धिन्न-भिन्न वस्तुओं पर ठम प्रकार व्यय करना है कि उन वस्तुओं में मिलने वाली कुल उपयोगिता अधिक-से अधिक हो । यह कार्य मुद्रा द्वारा ही सम्भव हो सकता है । यदि मुद्रा न होगी तो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर कितना व्यय करना चाहिए, यह बात नहीं हो सकती थी । परन्तु, मुद्रा द्वारा ही समुक्त भिन्न-भिन्न वस्तुओं को दरीय कर अधिक-से-अधिक उपयोगिता प्राप्त करने में सफल हो सकता है ।

(ग) साध का आधार (Basis of Credit) — आज की विशाल साध-व्यवस्था मुद्रा द्वारा ही सम्भव है । यदि मुद्रा नहीं होती तो उधार में लेन-देन का काम नहीं हो सकता था । अब मुद्रा के होने में वस्तुएँ उधार लेकर बचने में कभी भी मुद्रा चुकाई जा सकती है । बैंक अपने कोष में कुछ प्रतिशत मुद्रा रखते हैं और उनी के आधार पर वे साध बढ़ाते हैं और अर्थ-विज्ञान करने हैं इस रोकड़ भण्डि (Cash Reserve) के कारण ही उनकी आर्थिक स्थिरता तथा साध के प्रति जनता का विश्वास बढ़ता रहता है और इसी कारण उनके नोट और बैंक सरकारी नोटों की भाँति विनिमय माध्यम के रूप में चलते रहते हैं ।

(द) पूँजी की गतिशीलता में सहायक (Mobility of Capital is facilitated) — मुद्रा पूँजी की गतिशील बनाती है अर्थात् मुद्रा के द्वारा पूँजी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और अब व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को दिया जा सकता है । मुद्रा के रूप में पूँजी मुकदमा में उम व्यापार में तगई जा सकती है जिसमें अधिकतम आय की सम्भावना हो । इस प्रकार मुद्रा पूँजी को अधिक गतिशील बना देती है और उसकी उपयोगिता में अत्यधिक वृद्धि कर देती है ।

(ए) पूँजी को तरल बनाने में सहायक (Helps in making capital liquid) — कीन्स (Keynes) जैसे आधुनिक अर्थशास्त्री मुद्रा के इस कार्य पर बहुत बल देते हैं । उनका कहना है कि मुद्रा अपनी सम्भाव्यता के कारण पूँजी को तरल बना देती है । जनता मूल वस्तुओं को लेने से इनकार कर सकती है, परन्तु मुद्रा का

नेत्र में कभी टक्कार नहीं कर सकती। तरकना के कारण ही मुद्रा की माँग है। मुद्रा की इसी विशेषता पर मॉर्डे कोन्स का व्याज का गिद्दाल्ल प्राथित है।

उत्तम मुद्रा-पदार्थ के गुण (Qualities or Characteristics of good money-material) वैसे ता किसी भी पदार्थ की मुद्रा के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है, परन्तु एक उत्तम या आदर्श मुद्रा पदार्थ के विषय निम्नलिखित गुणों का होना आवश्यक है —

(१) सर्वमान्यता या उपयोगिता (General Acceptability or Utility) — मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिए कि उस समाज के सभी व्यक्ति (बीकार वर, अश्वया उसके द्वारा वस्तुधा का अय-विश्रय सम्भव नहीं है। सर्वमान्यता के लिए पदार्थ की उपयोगिता होना आवश्यक है जिसमें विविध मात्रात्मक के अनिश्चित उसके निजी स्वयं के कारण भी उपरोक्त हो। सोता-



बादो इन दोनों आवश्यकताओं की पूर्ति करत है।

(२) वहनीयता (Portability) — एक उत्तम-मुद्रा पदार्थ में वहनीयता का गुण भी होना चाहिए अर्थात् उसे सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सक। इसके लिये यह आवश्यक है कि छोटे ही भार या वजन में अधिक मूल्य रखने का सामर्थ्य होना चाहिए। अन्य पदार्थों की तुलना में माना जाती इस दृष्टि में उत्तम पदार्थ है क्योंकि इनकी छोटा-मोटा मात्रा में पर्याप्त मूल्य होता है। किन्तु एक मुद्रा वहनीयता में सबसे अधिक खेप्टता रखता है।



(३) अक्षयनीयता या नाशहीनता (Durability or Indestructibility) — मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जो हज़ारों मनुष्यों के हाथों में से निकलती है। हमसिय वह ऐसे पदार्थ की बनी हुई होना चाहिए कि धोखा हो न घिस जाय अथवा नष्ट न हो जाय। इस दृष्टि में सोने के सिक्के अक्षयनीयता के गुण में परिपूर्ण होते हैं। एक सोने के सिक्के को उन्नत पचमण घाट हजार वर्षों तक है। चाँदी वगैरि इतनी टिकाऊ ना नहीं होती, फिर भी वह बहुत धीरे धीरे घिसती है। अतः सोने-चाँदी के हज़ारों वर्षों के सिक्के अभी तक भी उपलब्ध होते हैं और उनमें प्राचीन सम्पत्ता की अनुमान लगाया जा सकता है। एक मुद्रा



1—उत्तम-मुद्रा-पदार्थ के गुणों का विशेषताओं का बाद रखने के लिये अंग्रेजी



शब्द CUPDISH (कपडिश) बना साविक लिख होता है। इस शब्द के प्रत्येक अक्षर में उत्तम मुद्रा पदार्थ के गुणों का बोध होता है। इन गुणों के अनिश्चित अक्षरों या कुट्टयुक्त शब्द जाइ देना चाहिए। इस शब्द के अनुसार मुद्रा पदार्थ के गुण इस क्रम में हैं : Cognisability (सिद्धता), Utility (उपयोगिता), Portability (वहनीयता), Divisibility (विभाज्यता), Indestructibility (अक्षयनीयता), Stability (स्थिरता), Homogeneity (समान्यता), Malleability (वृत्तता अथवा टाउपन)।

बहुत शीघ्र नष्ट हो जाती है। इसी कारण सरकार समय-समय पर पुराने नोटों के बदल गये नोट जारी करती रहती है। जेवन्स (Jevons) के अनुसार एक उत्तम मुद्रा के गुण यह हैं 'इसे भय की भाँति उठना नहीं चाहिए, पशु-पदार्थों की भाँति सड़ना नहीं चाहिए, लकड़ी की भाँति गचना नहीं चाहिए और लोह की भाँति जग नहीं लगना चाहिए। अंडे मूली मछली, पशु या तेल जैसी मांसवात वस्तुएँ अथवा मुद्रा के रूप में प्रयुक्त हानी हैं परन्तु जिन वस्तुओं को हम मुद्रा मानते हैं उनमें बाँट में किमीं दिन शीघ्र ही जा लेना चाहिए।'

(४) मजातीयता (Homogeneity)—मुद्रा पदार्थ की विस्मय समानता होनी चाहिए। उसके सब भाग एक ही हों चाहिए जिनमें कि समान पजन वाले टुकड़ा का समान मूल्य हो। कोई भी पदार्थ मूल्य का मापदण्ड सभी हो सकता है जब



1—It must not evaporate like alcohol nor putrefy like animal substance, nor decay like wood nor rust like iron. Destructible articles such as eggs, dried cod fish, cattle or oil have certainly been used as currency, but what is treated as money one day must soon afterwards be eaten up

—W S Jevons, pp 36-37.

कि उनकी इकाइया प्रत्येक दण्ड में समान हों। एक ही प्रकार के दो जवाहरात भिन्न भिन्न मूल्य के हो सकते हैं परन्तु एक ही रूप एक ही आकार और एक ही तौल के दो मानों के टुकड़ प्रायः भिन्न भिन्न मूल्य के नहीं हो सकते क्योंकि इस धातु के प्रत्येक दण्ड का भौतिक और रासायनिक बनावट एक ही होती है। इनविषय सोने चांदी को मुद्रा बनाने के काम में लाया जाता है परन्तु जवाहरात मुद्रा के लिये अनुपयुक्त हान है।

(२) विभाज्यता (Divisibility) — मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिये कि उसे छोटे छोटे भागों में बटा जा सके और विभाजन करने में उसका मूल्य कम या गण्ट न लगे। सोना और चांदी ऐसे पदार्थ हैं जिन्हें सुगमता से विभक्त किया जा सकता है और उसमें मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उनके टुकड़ा को चाहे कितनी ही बार गत्ता व अथवा मित्राद करने मूल्य में कोई अन्तर नहीं पड़ता। इस दृष्टि से हारा जवाहरात ज्ञानकर मान्यता पदार्थ मुद्रा के लिये सच्चा अनुपयुक्त है।



(३) कुट्टयता या ढलाऊपन (Malleability) — मुद्रा पदार्थ के लिये

बगल जाने हैं उसलिये वह ऐसा होना चाहिये कि सुगमता से गलाया जा सके और इच्छानुसार विभिन्न आकार में ढाला जा सके। न तो यह इतना सख्त हो कि वह गल न सके और न वह ऐसा मुनायम हो कि भोज की भांति घूस में पिघल जाय या जेद में कण्ड की गरमी पाकर रमदार बन जाय। मुद्रा पदार्थ ऐसा होना चाहिये जिस पर आवश्यक चिह्न और अक्षर स्पष्टतः अंकित हो सकें। सोने चांदी में यह गुण विशेषतः है परन्तु ताँडे या प्लैटिनम में

इसका अभाव है।

(७) परिचयता (Cognisability) — मुद्रा वस्तु ऐसी होना चाहिये जो

जन साधारण द्वारा मरलता से पहिचाना जा सके। उस पर कुछ ऐसे चिह्न बिन्दु होने चाहिये जिन्हें देखने से ही कोई पहिचान ले। जैसे सरकार मोटा को साधारण से साधारण तथा अल्पपद से अल्पपद व्यक्ति भी पहिचान लेता है। सोने चांदी में भी यह गुण विशेषतः है। वे चाहे मिश्र के रूप में हों चाहे धातु के रूप में और चाहे आभूषण के रूप में हों सुगमता से पहिचान जा सकते हैं। जवाहरात या हीरा मोती के साथ यह बात नहीं है। इनका पहिचान के लिये जोहरी की नहायना लनी पड़ती है। अतः यह मुद्रा के लिये अनुपयुक्त है।



(८) मूल्य की स्थिरता (Stability of value) — मुद्रा वस्तु का मूल्य स्थिर होना चाहिये। जो पदार्थ वस्तुओं और मशायों को मूल्य मानने में प्रयुक्त किया

जाता है व जिसके द्वारा घन संचित किया जाता है तथा भावी सुगमता भी होत है, यह आवश्यक है कि उसके मूल्य में परिवर्तन न हो। समाज की आर्थिक व्यवस्था के लिये मुद्रा वस्तु में मूल्य का स्थिर रहना परमानन्दक है। चाँदी की अपेक्षा सोने में यह गुण अधिक पाया जाता है, क्योंकि सोने का वार्षिक उत्पादन उसकी विद्यमान मात्रा की तुलना में बहुत कम है। यही कारण है कि सोने का मूल्य बहुत कुछ स्थिर रहता है, परन्तु चाँदी का मूल्य इतना स्थिर नहीं है। सुव्यवस्थित एवं मुद्रा की अपेक्षा भी स्थिर रखी जा सकती है यद्यपि धर्मोप अधिकांश होने में अत्यधिक वा भय रहता है।

**निकर्षण**—सोने और चाँदी में व समस्त गुण पर्याप्त मात्रा में पाये जाते हैं। इसीलिये समार के अधिकांश देशों में इन्हीं का मुद्रा या मुद्रा के आधार के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कम मूल्य के सिक्का के लिये निकल अथवा तंबा घाँट धातु भी अधिक उपयुक्त है, क्योंकि यदि न सोने चाँदी के वनाप जाय, तो वे बहुत ही छोटे हांग जिनमें उनकी डलाई और प्रयोग सम्भव न हांगा।

यदि दूसरी ओर भी इष्टि डाली जाय तो व १० वर्षों के आर्थिक इतिहास में ज्ञात होगा कि सोने-चाँदी के मूल्य में अत्यधिक परिवर्तन हुए और देश की आर्थिक व्यवस्था पर गभीर प्रभाव पडा। फिर भी यह कहा जा सकता है कि अन्त्यवस्तुओं की अपेक्षा सोने चाँदी में कम परिवर्तन हुए है। इन दोनों में भी चाँदी की अपेक्षा सोने में कम परिवर्तन हुए हैं। अस्तु, सोना और चाँदी सर्वोत्तम तथा आदर्श मुद्रा पदार्थ माने जाते हैं और समार के सभी प्रगतिशील देशों में इनका अपनापन है।

**मुद्रा का महत्व (Importance of Money)**—आज के समय समाज में मुद्रा का बड़ा महत्व है। वस्तुओं के लय विज्ञय, देशों और विदेशों व्यापार बड़े-बड़े उद्योग विज्ञान उत्पादन-व्यवस्था, सरकारी लेन-देन आदि सभी कार्य आजकल मुद्रा द्वारा सम्पन्न किये जाते हैं। मनुष्य-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मुद्रा की महत्ता का अनुभव होता है। यहाँ तक कि कलाकार, कवि, लेखक, नाटककार और सम्पादक की सेवाओं को भी मुद्रा में माँका जाता है और उनकी सेवाओं के बदले में मुद्रा का ही भुगतान किया जाता है। आज छोटे और बड़े सभी लोग अपनी-अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण मुद्रा द्वारा ही करते हैं। मुद्रा के बिना कोई भी सरकार अपना शासन एवं सेवा-कार्य सम्पन्न नहीं कर सकती। मुद्रा ही समाज में प्रतिष्ठा की मापक है। मुद्रा ही एक शक्ति है। जिसके पास जितना ही अधिक द्रव्य होता है वह उतना ही अधिक प्रतिष्ठित माना जाता है। मनुष्य ने धर्म और कर्म सभी मुद्रा में प्रभाविन होने हैं। वास्तव में, मुद्रा मानव आर्थिक विकास का दर्शन है, वह उसकी सम्पत्ता के इतिहास का मार है।

मुद्रा का समाज में सर्वत्र ही सम्मान होता रहा है। महाभारत में मुद्रा का महत्व "अर्थस्य पुरुषो दासः" कहकर बताया गया है। इसी प्रकार मुनिमीदासजी की इस पंक्ति में वही कहा प्रकट होती है : "नहिं दग्धि सम दुःख जग माही।"

कवि होरेस (Horace) ने लिखा है : "समस्त मानवीय और देवी वस्तुएँ, स्थानि और सम्मान, मुद्रा के मन्दिर के सामने सिर झुकती हैं।"<sup>1</sup>

1—"All thing human and divine, renown,  
honour and worth at money's shrine go down"



प्रो० डेवन्पोर्ट (Devanport) ने भी मुद्रा की सामाजिक महत्ता का वर्णन इस प्रकार किया है: 'अधिकाधिक मानवीय प्रयत्न, मानवीय हित व दृष्टाएँ तथा अभिनायाएँ मुद्रा के सामान्य प्रभुत्व के अधीन हैं। उत्तम स्वास्थ्य उस व्यक्ति के लिये सुगम है जिसके पास भोजन तथा औषध के लिये, पाना करने, परिवर्तन करने तथा कुशल डाक्टर को सेवाओं से लाभ उठाने के लिये मुद्रा हो। कुछ भीमा तक प्रेम, दया, प्रादर और शक्ति भी बाजार में खरीदे और बेचे जाते हैं। समस्त आर्थिक तुलनाएँ मुद्रा के रूप में की जाती हैं, सौन्दर्य या कला या नैतिक बातों में नहीं।'<sup>१</sup>

प्रो० मार्शल (Marshall) ने मुद्रा का महत्त्व इन शब्दों में बतलाया है। 'मुद्रा वह धुंगी है जिनके चारों ओर अध्यात्म केन्द्रित है।'<sup>२</sup>

आदम स्मिथ ने मुद्रा के महत्त्व को इन शब्दों में प्रकट किया है: "जिन प्रकार आवागमन के साधन होने न एक स्थान या अत्र दूसरे स्थान पर पहुँचाया जा सकता है उस उभरी प्रकार मुद्रा के होने से एक देश की वस्तुएँ दूसरे देशों में लाई जा सकती हैं। यदि किसी देश में विस्तृत अन्न उत्पन्न न होता हो वहाँ तक कि घास भी पैदा नहीं होती हो—एमे देश को भी मुद्रा की सहायता से अन्न में भरपूर किया जा सकता है।'<sup>३</sup>

जेवन्स (Jevons) नामक एक अध्यात्मि ने लिखा है: "क्याकि हम अपने जीवन के आरम्भ में ही मुद्रा को देखने और प्रयुक्त करने आगे हैं, हमलिये हमें मुद्रा के वास्तविक महत्त्व और उनके द्वारा होने वाले लाभ का अनुभव नहीं हो पाता। यदि हम समाज के बहुत प्राचीन रूप को देख जराकि वर्तमान मुद्रा का चिन्ह भी न था, तो हम मुद्रा के न होने में हमारे बाकी कठिनाइयों का महत्त्व ही पूरा पूरा जान हो जायगा और तभी हम मुद्रा के वास्तविक महत्त्व को समझ भी सकते हैं।'<sup>४</sup>

रॉबर्टसन (Robertson) नामक एक मुद्राशास्त्री ने लिखा है 'समुच्च मुद्रा के द्वारा ही अपनी प्रयत्नशक्ति का अनुमान लगाता है। मुद्रा के द्वारा ही समाज में वह पता लगाया जा सकता है कि लोगों को किस वस्तु का कितनी आवश्यकता है क्या वस्तु पहले बनानी चाहिए और कितनी मात्रा में बनानी चाहिये तथा उन वस्तु का सर्वाधिक उपयोग किस करना चाहिये।'<sup>५</sup>

गारगलत. सभी गुण मुद्रा पर आश्रित हैं। मुद्रा सम्पत्ता का एक चिह्न है और मानव के आर्थिक विकास का साधक है। मुद्रा के द्वारा ही व्यापार, उद्योग और

१—"More and more human efforts human interests and desires and ambitions fall under the common denomination of money Health is easier for him who has the wherewithal to pay for goods foods and medicines to travel and employ good nursing and to command capable physicians and efficient surgeons And in their degree also love and pity, respect and place are bought and sold upon the market All economic comparisons are made in money terms not in terms of beauty or of artistic merit or of moral deserving  
—Devanport

२—"Money is the pivot around which economic science clusters"  
Marshall Money, Credit and Commerce.

३—मर्क्युलर: वाचनमाधयन्ने

कृषि की उन्नति सम्भव हुई। वास्तव में, मुद्रा ने मानव के सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक, शैक्षणिक, व्यापारिक एवं भौतिक विनाश में अति महत्त्वपूर्ण कार्य किया है। इसकी महत्ता निम्नांकित क्षेत्रों में विशेष उल्लेखनीय है :—

( १ ) मुद्रा का सामाजिक महत्त्व—मुद्रा के कारण ही आज हमारा इतना सामाजिक विकास सम्भव हो सका है। जिना इसकी सहायता के आधुनिक सभ्यता के विकास का स्वप्न तक भी नहीं देखा जा सकता था। जब लगातार और मजदूरी वस्तुओं में वृद्धि होती थी, तो कृषकों और श्रमिकों को बहुत हानि होती थी और वे सब जमींदारों व पूँजीपतियों के दास थे। आजकल लगान व मजदूरी मुद्रा द्वारा ही जाती है अतः वे लोग स्वतन्त्र हैं और अपने परिश्रम का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा ने दास-प्रथा का अन्त कर और प्रत्येक मनुष्य को भुगतान की वजाय वस्तु के रोकड़ में परिणत कर जनता का सामाजिक रक्षणप्रदाता प्राप्त करने में पूर्ण सहायता प्रदान की है।

( २ ) मुद्रा का राजनैतिक महत्त्व—मुद्रा के द्वारा राष्ट्रीय एवं राजनैतिक संगठन में पर्याप्त सहायता मिली है। मुद्रा व आर्थिकीय के पूर्व देश में न प्राचीन और न विदेशी व्यापार था, न आवागमन तथा मात्र दोन के मात्र जैसे साधन थे और न व्यापार की सुविधा के लिये मात्र जैसे बैंक थे। यन्त्र-शक्ति के आविष्कार की सभी वस्तुओं उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता था और वही लोग अपनी अपनी वस्तुओं का अदला-बदला कर लिया करते थे। परन्तु मुद्रा के अमूर्त आर्थिकीय ने आज इन सब अभावों को दूर कर राजनैतिक क्षेत्र में कार्य-पट्ट भर दी है। वैश्वीय बैंक और अन्य विविध प्रकार के बैंकों द्वारा प्रस्तुत सुविधाएँ उत्तम करनी प्रणाली विदेशी वित्तिय प्रथा विदेशी व्यापार द्वारा राजनैतिक क्षेत्र में अमूर्तपूर्व उन्नति हुई है। 'बंग' ने मुद्रा का रूप धारण कर राज्यों को अपने-अपने भाग्य-निर्माण के लिये स्वतन्त्र कर दिया है। मुद्रा ने ही अमेरिका आदि देशों को अपूर्व राजनैतिक शक्ति प्रदान की है। मुद्रा ने ही अजातशत्रु-सामन्-प्रणाली को जन्म दिया है। राजनैतिक दास शक्ति का अन्त, जमींदारों-प्रथा व अजातशत्रु-सामन् का अन्त आदि का मूल कारण मुद्रा ही है। पूँजीवाद, समाजवाद आदि राजनैतिक संगठन इसी के रूप हैं।

( ३ ) आर्थिक महत्त्व—मुद्रा का आर्थिक महत्त्व इनके सामाजिक एवं राजनैतिक महत्त्वों के कहीं अधिक है। अथवात्र मुद्रा पर ही आर्थिक है। समस्त आर्थिक क्रियाओं का यह माप-दण्ड है। मुद्रा की सहायता से ही हम मनुष्यों की आवश्यकताओं को माप सकते हैं। जिस प्रकार वजाज गज से कपड़ा नापता है और वनिर्वा मन-मेर-सूटकों से अन्न आदि तोलता है, उसी प्रकार अर्थशास्त्री मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं को मुद्रा द्वारा माप सकता है। मुद्रा ही अर्थशास्त्र का तूना है जिस पर अर्थशास्त्र सभी वृद्ध खड़ा है। वास्तव में, मुद्रा समस्त आर्थिक क्रियाओं की प्रेरक है। अर्थशास्त्र के प्रत्येक दास व इकाया महत्त्व देखा जाता है जो निम्नलिखित है :—

( अ ) मुद्रा और उपभोग—व्यय के प्रत्येक मनुष्य की सीमान्त उपभोगिता, आवश्यकताओं की सीमाता व विला वस्तु के उपभोग से प्राप्त तृप्ति आदि समस्त क्रियाओं को माप मुद्रा द्वारा ही होती है। मुद्रा की सहायता से ही उपभोगिता अपनी शैक्षणिक आद्य से सम-सौमन्-उपयोगिता नियम के अनुसार अधिकतम तृप्ति प्राप्त कर सकता है। मुद्रा द्वारा 'उपभोगिता की अन्त की धारणा' का ज्ञान हो सकता है।

( ब ) मुद्रा और उत्पादन—आधुनिक बड़े परिमाण की उत्पादन, अर्थ-विभाजन, वितरितकरण आदि बातें जिनमें उत्पादन-क्षेत्र में बड़ी उन्नति हुई है, मुद्रा के प्रयोग

का ही परिणाम है। मुद्रा के द्वारा ही आज की सभुक्त-उत्पादन प्रणाली को जन्म मिला है। यह मुद्रा के प्रयोग का फल है आज उत्पादन केन्द्र एक स्थान या देश के लिये ही नहीं किया जाता बल्कि विदेश के लिये भी किया जाता है।

(स) मुद्रा और वित्तिय - मुद्रा का जन्म ही वित्तिय-कार्य को सुचारु रूप में सम्पन्न करने के लिये हुआ है। इनके अदला-बदली अर्थात् वस्तु-वित्तिय को समस्त कठिनायियों को दूर कर वित्तिय-कार्य को बड़ा सुगम एवं सरल बना दिया है जिससे उपभोग, उत्पादन, वितरण आदि आर्थिक क्रियाओं की सम्पन्नता में बड़ी महायत्ना मिली है। देश में प्रचलित करेंको, बैंक-संसार, चेक, विल प्रॉन्न एकाचेज आदि साधनों के प्रयोग का लाभ मुद्रा द्वारा ही उपलब्ध हो सका है। देशी और विदेशी व्यापार मुद्रा के ही विन है। अस्तु, वित्तिय-क्षेत्र में इसका अत्यधिक महत्त्व है।

(द) मुद्रा और वितरण—आज की सभुक्त-उत्पादन प्रणाली में कई उत्पत्ति के माध्यक एक साथ मिल कर कार्य करते हैं। प्रत्येक की सेवा का मूल्यांकन कर उनको अपनी सेवा का पुस्तकार देना मुद्रा का एक विशेष कार्य है। आधुनिक-वितरण-समस्या का हल मुद्रा में ही निहित है।

(य) मुद्रा और राजस्व - वर्तमान समय में हर मुद्रा के रूप में दिया जाता है जो राज्यों के धातु का एक साधन है। इस साधन के अभाव में राज्य अपना वास्तविक-कार्य नहीं चला सकत। इसलिये यह कहा जा सकता है कि राज्यों के कार्य एवं उनकी कार्य-कुशलता उनके पास की मुद्रा पर निर्भर है। राजी स्थिर करने समय अधिनाधिक सामाजिक लाभ वा दृष्टिकोण मुद्रा में ही सम्भव हो सकता है।

(४) औद्योगिक विकास—मुद्रा की महायत्ता से पूँजी में गणिगता आ जाती है और वह उन व्यक्तियों के हाथ में आ जाती है जो उनका सर्वे प्रथम उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार मुद्रा द्वारा सीमित क्षमता की सभुक्त पूँजी वाली कम्पनियों का जन्म हो जाता है। यह मुद्रा का ही देन है कि आज सभुक्त पूँजी वाली कम्पनियों लाखों रुपये थोड़े ही समय में एकत्रित करने में सफल हो सकी है। हमने यद्ये-वडे उद्योगों की स्थापना हुई और धर्म विभाजन, बडे गणिगता की उत्पत्ति तथा निष्पत्तीकरण को बड़ा प्रोत्साहन मिला।

उपसुक्त विवरण में यह स्पष्ट है कि अर्थशास्त्र के प्रत्येक क्षेत्र में मुद्रा का महत्त्व अत्यधिक है। इसलिये प्रो० मासल न ठीक ही कहा है कि "सम्पूर्ण अर्थशास्त्र मुद्रा पर केन्द्रित है"

मुद्रा के दोष (Evils of Money)—यद्यपि "मुद्रा द्वारा सभी कार्य सिद्ध हो सकते हैं," फिर भी मुद्रा अवशुक्तों से मुक्त नहीं कही जा सकती। मुद्रा को सब दोषों की जड़ कहा गया है। इसकी पुष्टि लुडविग वॉन मिसेज (Ludwig Von Mises) नामक एक मुद्राशास्त्री के इन शब्दों में ही जाती है, 'मुद्रा ही चोरी, हत्या, धोखाधड़ी व विद्रोह का मूल कारण है। मुद्रा का दोष उस समय जान होता है जब वस्तु अपने शरीर को बेच देती है और न्यायोचित धन लेकर भाग के विरुद्ध फैला दे देता है। मुद्रा का दोष नैतिकवादी उस समय बताते हैं जबकि

के अति अधिक भौतिकवाद का विरोध करने है। सोभ मुद्रा स पैदा होता है और सोभ तब पापा की जड़ है।<sup>१</sup> तथाकथित मुद्रा विन्मलितित अणुगुणा में दूषित है —

(१) अमितव्ययता—यह सत्य है कि मुद्रा में उधार लेने-देने में सहायता मिलती है परन्तु यह इसका बड़ा भारी दोष भी है। उधार मिलने की सुविधा में लोग दमितव्ययी अर्थान किङ्कनसर्त्री बन जाते हैं और संपत्ति आय से अधिक व्यय करने लगते हैं।

(२) मूल्य की अस्थिरता—मुद्रा का एक बड़ा दोष यह है कि इसका मूल्य अर्थान त्रय सक्ति सदैव प्रयुक्त रूप में स्थिर नहीं रहती जिससे समाज को बड़ी हानि पहुँचती है। मुद्रा के रूप में होने वाले परिवर्तनों में अशापक तथा जयोंगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।

(३) धन वितरण में असमानता—मुद्रा का मूल्य बड़ा दोष यह है कि इससे बुरा धन वितरण में असमानता आ जाती है। कुछ ही लोगों के पास बहुत मुद्रा अर्थात् धन इकट्ठा हो जाता है और अधिकांश लोग इसके विलक्षण बचिप ही रहते हैं। वनमान समाज का पूँजीवाद (Capitalism) मुद्रा का ही परिणाम है धन पूँजीवाद के बड़े दोषों के लिये मुद्रा को ही उत्तरदायी ठहराया जाता है।

(४) भूमि (भूजद्वारी) में प्रतियोगिता की वृद्धि—मुद्रा के कारण भूमि अर्थान भूजद्वारी में प्रतियोगिता बढ़ती है जिसमें अर्थान की हानि होती है। किसी को तो इतना कम भिन्नता है कि उदरपूर्ति में भी कठिनाई होती है और किसी को इतना अधिभू भिन्नता है कि वह उसे सचित कर पूँजीपति बन बैठता है। यदि मुद्रा के म्यान में वृद्धि होती तो इस प्रकार का सचय सम्भव नहीं हो सकता था।

(५) भयकर युद्धों की जन्म मिलना—मुद्रा ने केवल राजसैनिक सत्र एक जनन सत्सम सम्पादा में ही दोष उत्पन्न नहीं किया है बल्कि यह भयकर युद्धों को भी जन्म देती है जिससे धन जन सत्र का बड़ा परिमाण में विनाश होता है। वारस में, मुद्रा सधुनिक पूँजीपति सग का जीवनसाधार है। जैसा कि रसविन (Ruskin) ने कहा है मुद्रा के दैत्या (शैतान) ने सग जीवन स्रारण कर लिये है। किसी भी धन या सजन में शक्ति नहीं जो उन्हें निकाल बाहर कर सके।<sup>२</sup>

निरूपण—मुद्रा के लाभ और दोषों पर यदि विचार किया जाय तो हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि मुद्रा के लाभ इसके दोषों की अपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण हैं।


1— Money is regarded as the cause of theft and murder of deception and betrayal Money is blamed when the prostitute sells her body and when the bribed judge perverts the law It is money against which the moralist declaims when he wishes to oppose excessive materialism Significantly enough avarice is called the love of money and all evil is attributed to it

Ludwig Von Mises *The Theory of Money & Credit* p 93

2— The devils of money have come to possess their souls No religion or philosophy seems to have the power of driving them out  
—Ruskin

यदि प्रयत्न किया जाय तो मुद्रा के कुछ दोष दूर किये जा सकते हैं। सारास्य यह है कि मुद्रा-नीति को इस प्रकार काम में लाना चाहिए कि वह मानव जाति का कल्याण करे। नयी मुद्रा न होने बाने लाभ का अधिकतम उपयोग किया जा सकेगा।

**मुद्रा का वर्गीकरण (Classification of Money)**—मुद्रा का वर्गीकरण भिन्न भिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न प्रकार में किया है। परन्तु इसका मुख्य वर्गीकरण निम्न प्रकार में है —



मुद्रा के मुख्यतः दो भेद हैं—(१) चलार्थ मुद्रा और (२) साक्ष्य मुद्रा।

(१) **चलार्थ मुद्रा (Currency Money)**—जो मुद्रा जिना किसी सकोच के लेन-देन के प्रयोगों में आती है वह चलार्थ मुद्रा कहलाती है। जैसे भारतवर्ष में रुपये कागजी नोट तथा अन्य राष्ट्रों में बैंक के चलार्थ या कर्सी मुद्रा कहलाते हैं। इस वास्तविक मुद्रा (Actual Money) भी कहते हैं, क्योंकि इस में इनके द्वारा ही सम्पत्ति सम्प्राप्ति का क्रम विज्ञापन, सत्यापन का भुगतान तथा साधारण व्यवसाय का संचय किया जाता है।

(२) **साक्ष्य मुद्रा (Credit Money)**—वह मुद्रा जो विनिमय माध्यमता है परन्तु जिसका चलन साक्ष्य पर निर्भर है साक्ष्य मुद्रा कहलाती है। जैसे बैंक नोट व ड्राफ्ट, चैक, मिल आदि एनकचर इत्यादि। इन **वैकल्पिक मुद्रा (Optional Money)** भी कहते हैं क्योंकि इन सम्पत्तियों का चलन इच्छा पर निर्भर है यद्यपि इन्हें स्वीकार करने के लिये कोई भी व्यक्ति बाध्य नहीं हो सकता।

चलार्थ मुद्रा का वर्गीकरण। चलार्थ मुद्रा का रूप (Form) और चलन (Currency) के अनुसार हम पुष्क-पुष्क वर्गीकरण कर सकते हैं। रूप के हिसाब से चलार्थ मुद्रा दो प्रकार की होती है—(१) धातु मुद्रा और (२) पत्र मुद्रा।

(१) **धातु मुद्रा (Metallic Money)**—वह मुद्रा है जो धातु की बनी या धातु पर छपी हुई है। जैसे भारतवर्ष में चाँद व निकल के बने हुए रुपये, अरबी व चिनगी तथा ग्रीस की बनी हुई ड्रैकम व डेन, पोंड व बा गये पैस के सिक्के और तांबे व पीतल का बना हुआ एक नया पैसा, धातु मुद्रा हैं। धातु मुद्रा की विशेष

(Coins) कहते हैं जो सर्वमान्य धातु से निर्दिष्ट भार तथा रूप में सरकारों द्वारा (Mints) में दान जाते हैं। उन पर राज्य के चिन्ह, उनका मूल्य, उन्हाई का समय आदि बातें अंकित कर दी जाती हैं और उनके कितारे वैज्ञानिक ढंग में दण प्रकार बनाये जाते हैं कि उनका अवैधानिक दण पर डाला जाना सम्भव न हो सके।

(२) पत्र-मुद्रा (Paper Money) — सरकार तथा केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रचलित करेंसी नोट पत्र-मुद्रा कहलाते हैं। इन नोटों के ऊपर राज्य-चिन्ह, मूल्य तथा मूल्य को मुद्रा में चुनाने की प्रतिज्ञा छपी रहती है। आजकल सभी सम्भ एवं उन्नत देशों में पत्र-मुद्रा का बढ़ता दृष्टा प्रचार देखा जाता है। भारतवर्ष में सरकार तथा रिजर्व बैंक द्वारा प्रचलित १ रु०, २ रु०, ५ रु०, १० रु०, १०० रु० के नोट पत्र-मुद्रा के अन्तर्गत आते हैं। भारत सरकार के १ रु० के नोट के प्रतिरिक्त सभी नोटा का भुगतान धातु मुद्रा में रिजर्व बैंक क किसी भी निर्गमन कार्यालय (Issue office) में माँगने पर नोट वाहक को दिया जा सकता है।

चलन या कानूनी दृष्टि से भी मुद्रा दो प्रकार की होती है—(१) असोमित विधि ग्राह्य मुद्रा (Unlimited Legal Tender Money), और (२) सीमित-विधि ग्राह्य मुद्रा (Limited Legal Tender Money)

विधि ग्राह्य (Legal Tender) मुद्रा का अर्थ—पूर्व इसके कि विधि ग्राह्य मुद्रा के भेदा का विवेचन किया जाय, विधि ग्राह्य मुद्रा वा अर्थ समझ लेना चाहिये। विधि-ग्राह्य मुद्रा वे सिक्के तथा नोट हैं जिन्हें विधि (कानून) द्वारा ऋण तथा सेवादि के बदले भुगतान में स्वीकार करने के लिये बाध्य किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, साल मुद्रा को छोड़कर जिसमें बैंक नोट, ड्राफ्ट, बैंक आदि सम्मिलित हैं, सामान्यतः अन्य सब मुद्रा विधि-ग्राह्य हैं। यदि कोई विधि ग्राह्य मुद्रा को अपने भुगतान में स्वीकार करने में इन्कार करे तो यह कानूनी अपराध होगा और उसे कानून के अनुसार दण भुगताना पड़ेगा।

विधि ग्राह्य मुद्रा के भेद—विधि ग्राह्य मुद्रा के दो भेद किये जा सकते हैं—  
(१) असोमित विधि ग्राह्य मुद्रा और (२) सीमित विधि-ग्राह्य मुद्रा।

(१) असोमित विधि ग्राह्य मुद्रा—वे सिक्के तथा कागजी नोट हैं जिन्हें भुगतान में किसी भी मात्रा में स्वीकार करने के लिये कानून द्वारा बाध्य किया जा सकता है। उदाहरण के लिये, भारतवर्ष में विभिन्न मूल्यों के नोट, रूपया तथा चठनी असोमित विधि ग्राह्य मुद्रा हैं क्योंकि इनकी सहायता से लाखों और करोड़ों रूपयों (अर्थात् असोमित मात्रा में) का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जा सकता है।

(२) सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा—वे सिक्के हैं जिन्हें ऋण भुगतान में किसी निश्चित सीमा तक ही स्वीकार करने के लिये बाध्य किया जा सकता है। जैसे भारतवर्ष में पच्चीस, दस, पाँच, दो व एक नया पैसा, इनको और पैसा सीमित विधि ग्राह्य मुद्रा हैं क्योंकि भुगतान में इनका प्रयोग केवल १० रु० तक ही अनिवार्य रूप से किया जा सकता है।

विधि-प्राप्तता परिवर्तनशील है—सरकार किसी भी नोट या सिक्के को विधि-प्राप्त होने से बन्द कर सकती है। जैसे पुराने १०० ग्रेन के रुपये जिनमें ११/१२ गूंड नाई थी, अब भारतवर्ष में विधि-प्राप्त (Legal Tender) नहीं हैं। सन् १९४६ ई० में भारत सरकार ने ५०० १००० व १०,००० रुपये के नोटों को अवधि-प्राप्त घोषित कर दिया। साधारणतया सन्ना उद्देश्य चलार्थ (Currency) के अनुत्पादन सन्ना (Hoarding) को बन्द करना होता है।

धातु-मुद्रा (Metallic Money)—वर्तमान युग में धातु-मुद्रा ने निक्को का रूप धारण कर लिया है। प्राचीन समय में सोने-चाँदी जैसे बहुमूल्य धातु को पातो, धड़ व कीली आदि के रूप में प्रयुक्त करते थे। विनिमय के समय प्रत्येक बार उनकी तोल और परीक्षा करनी पड़ती थी तथा इन कार्यों के लिये लोग भारने साप बाँट, ताप, पँनाते और कनौटियाँ लेकर चलते थे। यह भारप्राप्त या तोल द्वारा मुद्रा-प्रणाली (System of Currency by weight) अनुविधाजनक सिद्ध हुई और इनमें व्यापार-विकास में बहुत बाधा पहुँचायी तथा उन्नी और धोमेबाजों को दूनरा को ठगने व धोखा देने का अवसर दिया। इन बाधाओं से बचने के लिये धातु के पातो और टुकड़ों पर विशेष चिन्ह और मुहर अङ्कित की जाने लगी जो उनके तोल और शुद्धता को प्रमाणित करती थी। अब प्रत्येक बार सिक्कों को तोलने और उनकी परीक्षा करने की आवश्यकता नहीं रही, बल्कि गिनते मान में ही मुद्रा का लेन देन होने लग्य। इस प्रकार तोल द्वारा मुद्रा प्रणाली का स्थान गणनप्राप्त या गिनती द्वारा मुद्रा प्रणाली (System of Currency by tale or Counts) ने ले लिया। यहाँ से ही सिक्को का प्रारम्भ होता है। वास्तविक में सिक्को के निचारे से बाटीक कटाई (Clipping) होने लगी, तेजाब या अन्य तीव्र रसायन के प्रयोग से धातु की मात्रा कम (Sweating) की जाने लगी तथा उनकी सतह में झलक और हिंसा कर उनमें से छोटे छोटे कण अलग (Abrasion) किये जाने लगे। तब इन सब बाधाओं से बचने के लिये सिक्को पर अङ्कित विशुद्ध प्रथिकाधिक अङ्कित तथा उनके किनारे धारीदार या गिरींशर (Milled) बनाये जाने लग्य। इस प्रकार वर्तमान निक्का का जन्म हुआ।

सिक्को (Coins) की परिभाषा—प्रो० जेवन्स (Jevons) ने सिक्को की परिभाषा इस प्रकार दी है। "सिक्के धातु के ऐसे टुकड़े (Ingots) होते हैं जिनका भार तथा शुद्धता उन पर अङ्कित मुहर द्वारा प्रमाणित हुआ है।"<sup>1</sup>

आदर्श या उत्तम सिक्का प्रणाली के लक्षण—एक आदर्श या उत्तम सिक्का-प्रणाली में निम्न गुण होने चाहिये—

(१) सिक्को में समानता होनी चाहिये—सिक्को में समानता होनी चाहिये अर्थात् एक ही रूप के सब सिक्के तोल और प्रकार में विन्तुल एक-दूसरे होने चाहिये।

1—Coins have been defined as "ingots of which the weight and fineness are certified by the integrity of designs impressed upon the surfaces of the metal"

(२) एक ही मूल्य के सब सिक्के तोल में बिल्कुल सही ( Accurate ) होने चाहिये—एक मूल्य के सब सिक्के तोल में बिल्कुल सही होने चाहिये । यदि कोई सिक्का भारी हुआ और कोई हल्का हुआ तो भारी सिक्का को लोग गलताने लगे और केवल हल्का सिक्का ही बाजार में रह जायगा ।

(३) सिक्के की वनावट, आकृति और तोल सुविधाजनक होना चाहिये—देश में प्रचलित सिक्कों का बनावट, ताल और आकृति ऐसी होनी चाहिये जिससे उनके रखने और ले जाने में सुविधा रहे और बेईमान लोग उनमें से धातु न चुरा सकें । प्रायः गोल सिक्के ही इस बाय के लिये उत्तम रहते हैं ।

(४) जाहसाजी से नक्ली सिक्कों का निर्माण रोका जा सके—सिक्के ऐसे होने चाहिये कि जिनको नकल करने दूसरे सिक्के बनाना लोगों के लिय सम्भव न हो सके ।

(५) कपटपूर्ण सिक्कों से धातु के कण हटाने से रोका जा सके—सिक्के ऐसे होने चाहिये कि जिनमें से किसी भी प्रकार में धातु के कण हटाना सम्भव न हो सके ।

(६) सिक्के टिकाऊ होने चाहिये—सिक्के रखे होने चाहिये जितनी चमकने-बलते रूप रंग और आकार में शोध ही कोई विशेष सराफी न प्राये ।

(७) सिक्के कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्मारक होने चाहिये—सिक्के उन्हें प्रचलित करने वाली सरकार तथा प्रयुक्त करने वाले व्यक्तियों का कलात्मक एवं ऐतिहासिक स्मारक होने चाहिये ।

(८) सिक्के सरलता से पहचाने जा सकें—सिक्के ऐसे होने चाहिये कि जिनको लोग सरलता से पहचान सकें और अच्छे बुरे का भेद कर सकें ।

धातु-मुद्रा या सिक्के से लाभ (Advantages)

१—सिक्कों के प्रयोग के कारण धातु के तोलने और परखने की आवश्यकता नहीं रहती ।

२—सिक्कों की सुदृढ़ता तथा भार मरकार द्वारा प्रमाणित होने के कारण मनुष्य धोखाबाजा से सुरक्षित रहते हैं ।

३—सिक्कों के सिवारे वैज्ञानिक ढङ्ग से बने होने के कारण उनकी गणना करना कठिन होता है तथा काट-छाँट कर उनमें से धातु के थोड़े ही जाने की सम्भावना नहीं रहती ।

४—सिक्के मिथित धातु में बनाये जाने के कारण बड़े होते हैं जिससे सिक्का की पिसाबट कम होती है और मूल्यवान् धातु नष्ट होने में बच जाती है ।

५—सिक्कों का आकार ऐसा होता है कि उनके प्रयोग से जनता को बड़ी सुविधा रहती है ।


६—सिक्कों पर सुन्दर चित्र और राष्ट्रीय स्मारक अंकित किये जा सके हैं । जिससे उनका ऐतिहासिक महत्त्व भी बढ़ाया जा सकता है ।

७—सिक्के अधिक टिकाऊ, सरलता से पहचाने जाने वाले तथा सुविधाजनक संयोज करने योग्य होते हैं ।



सिक्का-दलाई (Coinage)—धातु के किसी निश्चित तोल के टुकड़े को मुद्रा का रूप देने और उसके मूल्य आदि को उस पर अंकित करने को सिक्का-दलाई या टकन कहते हैं। प्रायःकल मरार के सभी राज्य देश में यह कार्य वहाँ की सरकार द्वारा सम्पन्न होता है जिनमें सब मित्र एव ही प्रकार में और एव ही मूल्य के हो सकें और तोला को उनका गुण्य और भार जानने और तोलने की आवश्यकता न हो। जिस स्थान पर सिक्के ढाले जाते हैं उसे टकसाल (Mint) या टकसाला कहते हैं। हमारे देश में मुख्य टकसालें बम्बई और कलकत्ता में हैं।

सिक्का-दलाई के भेद—सिक्के को ढलाई निम्न प्रकार से होती है —



(१) स्वतन्त्र सिक्का ढलाई (Free Coinage)—जब सरकार द्वारा यह अधिकार है कि जनता का कोई भी व्यक्ति अपनी धातु ले जाकर सरकारी टकसाल में उसके सिक्के ढलवावे, तो इस हम स्वतन्त्र सिक्का ढलाई या अवाध टकन कहेंगे। स्वतन्त्र सिक्का ढलाई प्रणाली के अन्तर्गत प्रत्येक व्यक्ति को यह स्वतन्त्र अधिकार प्राप्त होता है कि वह चाहे या अन्य कोई धातु ले जाकर सरकारी टकसाल में सिक्के ढलवावे। भारतवर्ष में सन् १८६३ में एचन (Herschel) कमेटी की सिफारिश के अनुसार रुपये की स्वतन्त्र सिक्का ढलाई बन्द कर दी गई। इंग्लैंड में सन् १६३१ तक स्वतन्त्र सिक्का ढलाई प्रचलित था।

(२) सीमित सिक्का ढलाई (Limited Coinage)—जब जनता को स्वतन्त्र मुद्रा-दलाई का अधिकार प्राप्त न हो, अर्थात् सरकार धातु खरीद कर अपनी ही ओर से सिक्के ढालती हो तो इसे सीमित सिक्का-दलाई कहेंगे। भारत-वर्ष में सन् १८६३ ने परनाग और इंग्लैंड में सन् १६३१ के बाद सीमित सिक्का ढलाई हो गई।

स्वतन्त्र सिक्का-डलाई के प्रकार—जब सिक्का-डलाई का अधिकार सरकार द्वारा जनता को होता है, तो सरकार सिक्के निःशुल्क या मुफ्त में भी डाल सकती है अथवा सिक्के डालने वाले में केवल लागत-व्यय या इनमें भी अधिक वसूल कर मगती है। जो फीस वसूल की जाती है उसे सिक्का डालने या बनाने की फीस अथवा शुल्क (Montage) कहते हैं। प्रायः यह फीस अलग न लेकर धातु में ही काट ली जाती है। फीस लेने या नहीं लेने की दृष्टि में सिक्के-डलाई के तीन श्रेणियाँ किये जा सकते हैं जो निम्नलिखित हैं :—

(अ) निःशुल्क सिक्का-डलाई (Gratis Coinage)—जब सरकार सिक्का डालने के लिये जनता से कुछ भी लागत वसूल नहीं करती, तब इसे निःशुल्क सिक्का डलाई कहते हैं। जब सिक्का को डलाई निःशुल्क होती है, तो जितनी धातु का एक सिक्का बनता है उतने मूल्य और सिक्के के अंकित मूल्य में कोई अन्तर नहीं होता। उदाहरणार्थ, सन् १९३१ ई० के पूर्व एक फीस मोने के बदले में एकसाठ ३ पौण्ड, १७ शि० और १० ३/४ व० नुस्त दे देती थी। कुछ समय पूर्व तक इंग्लैंड और अमेरिका में यह प्रणाली प्रचलित थी।

(ब) रानुल्क सिक्का-डलाई (Brassage)—जब सरकार सिक्का डलाई पर उनना ही शुल्क लेती है जितना सिक्का डालने में उसका स्वर्च पड़ता है, तो उसे सशुल्क सिक्का-डलाई या टाँका कहते हैं। इस प्रथा के अन्तर्गत सिक्का-डलाई का शुल्क या फीस धातु में ही काट लेते हैं। अतः इस प्रकार जो सिक्के बनते हैं, उनके अंकित मूल्य और धातु के वास्तविक मूल्य में कुछ अन्तर आ जाता है। फ्रान्स में इसी प्रथा का प्रचार है।

(ग) सलाभ सिक्का-डलाई (Seigniorage)—जब सरकार सिक्का-डलाई पर लागत-व्यय से अधिक मूल्य वसूल करती है, तो इसे सलाभ सिक्का-डलाई या सिक्का-डलाई-कर कहते हैं। उदाहरणार्थ, सन् १९४३ के पूर्व स्पेन में १६५ ग्रेन चाँदी तथा १५ ग्रेन अन्य धातु थी, उसमें चाँदी का मूल्य केवल ९ आने २ ३/४ पाई था किन्तु स्पेन का अंकित मूल्य १६ आने होने में उस पर ६ आने ९ ३/४ पाई प्रति स्पेन सिक्का-डलाई या टङ्कण लाभ लेती थी। इस प्रथा के अन्तर्गत सिक्के का अंकित मूल्य इसकी वास्तविक धातु के मूल्य से अधिक होता है। इस प्रकार सिक्के को पिघला कर धातु प्राप्त करने का लाभ नहीं रह जाता। यह शुल्क जनता में दो प्रकार में वसूल किया जाता है : (१) शुल्क के मूल्य के बराबर धातु निकाल कर उससे कम मूल्य वाली धातु (Alloy) मिला दी जाती है। (२) निर्धारित शुल्क अलग से वसूल कर लिया जाता है। सिक्के-डलाई में लाभ लेने की प्रथा केवल इसलिये प्रचलित हुई कि जनता टंकणालों पर अत्यधिक काम न लादे दे। स्वतन्त्र सिक्का-डलाई मुद्रा-स्फीति (Inflation) व चलनाधिक्य (Over-issue) को रोकती है।

सरकार प्रत्येक मार्केटिक (Token) सिक्का डालने में यह लाभ वसूल करती है। हमारे देश में तो सरकार अत्यधिक सिक्का-डलाई लाभ वसूल करती है।

उदाहरण—मान लीजिये भारतवर्ष में स्वतन्त्र सिक्का-डलाई-प्रथा प्रचलित है। यदि आप चाँदी लेकर बिना किसी खर्च के उसके सिक्के बनवा सकते हैं, तो यह

नि गुरुक मुद्रा-प्लाट बड़ी जायगी। मान नीजिये चाँदी का एक रुपया बतान में दो घान व्यय होत है। यदि सरकार जलता में दो घान ही घसूल करे तो हम 'मसुनक' मिक्का प्लाट बहय और हम मुसुन का टकमाली या टकन व्यय अथवा टीका (Brassage or Mintage) बहये। यदि सरकार दो घान व्यय करे परन्तु जलता में मान घान नपून करे तो हम मनाम मिक्का प्लाट बहये और एक घान की 'टकमाली-नाम' (Sunderage) बहय।

मिक्को की निवृष्टता या खाटापन (Debasement)—सरकार द्वारा मिक्का का मान या घुड़ता अथवा दोनो की कम करने को मिक्के की निवृष्टता कहते हैं। उदा. खाटापन एकट के समय सरकार मिक्के घान में काबूत द्वारा निवृष्टत घन्टा घानु की मात्रा का कम करके घानु की प्रतिव मितावट कर देता है और कभी कभी घन्टा घानु कम करके घनक भार का भी कम कर देता है। अस्तु, मुद्रा के घालन में घन्टी घानु का कम करने की क्रिया को निवृष्टता (Debasement) कहते हैं। उदाहरणार्थ भारतीय मुद्रा-काबूत के अनुसार १९०१ में मन् १९०१ में पूर्व १९०१ में घुड़ चाँदी और १/१० घन मिक्का हुई घानु थी। परन्तु उक्त पन्ना १९०१ में २० घन मिक्का हुई घानु रह गई। इसी का 'निवृष्टता' कहते हैं। निवृष्टता अनिश्चित होती है, अस्तु सरकार के अनिश्चित अथ अतिथि द्वारा यह बाप अर्थ एवं दाज्याय जाता है। राज्य द्वारा निवृष्टता साधना के समय में घुड़ा बनती थी। जनता-नामक घामन में सरकार इस प्रकार के अनिश्चित कार्य नही करती, क्योंकि सरकार का मान उठ जाती है और जनता में घमनाय उत्पन्न हो जाता है। जनता द्वारा जाना मिक्का बतान तथा मिक्का की काबूत तथा छीनकर दिगाहन पर बना दण्ड क्रिया जाता है। फिर भी भाग निश्चितित विधिया में यह अर्थ बाप करते रहते हैं—

(१) कावर्नन (Clipping) मिक्का के किताग में तन चाहु या अन्य अन्ध में बहुत सूक्ष्म भाग कतर लिया जाता है।

(२) घुतन (Swasting)—नेजव अथवा अन्य सामाधिक पदायो में मिक्का को टाककर घानु निवार ली जाती है।

(३) मघर्ष (Abrasion)—बहुत से मिक्का को एक बेली में टाककर बार न हिलाना जाता है जिसमें घानु के कण भङ जाते हैं।

मिक्को की निवृष्टता का रानत का उपाय—एक प्रकार मिक्का की कटाई और विमार्द का रोचक न निय सरकार मिक्का के किताग पर घारा या मिर्गी (Milling) कालने लगे तथा उनको घुड़ता एवं तान का प्रमाणित करन के लिए उन पर मुन्दर चिह्न प्रविष्ट क्रिये जान लगे।

मुद्रा हान, निवृष्टता और अवमूल्यन में अन्तर

(Difference between Depreciation, Debasement & Devaluation)

सरकार द्वारा अथवा अन्य निर्दिष्ट कारणों में मुद्रा के आवक्यता में घटिक प्रमाण (मुद्रा मर्ति) के कारण मुद्रा के मूल्य में हान हो तान अथवा उमका अथवा गिर जान का मुद्रा हान (Depreciation) कहते हैं। जैस यह महाबुद्ध में तथा

उसके बाद आवश्यकता से अधिक मुद्रा के प्रचलन अर्थात् मुद्रा-म्फीति के कारण मुद्रा का मूल्य गिर गया यानी उसकी क्रय-शक्ति में हानि हो गयी जिसके कारण वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि हो गई ।

सरकार द्वारा सिक्के के तौल (Weight) या शुद्धता (Fineness) घटाना दोनो को कम करने को निकृष्टता (Debasement) कहते हैं । उदाहरणार्थ, सन् १९४१ से पूर्व हमारे देश के रुपये में १६५ ग्रेन शुद्ध चांदी तथा १५ ग्रेन खोटा होता था । इनके पश्चात् उसमें चांदी और खोटा की मात्रा ६०-६० ग्रेन कर दी गई । सन् १९४७ के पश्चात् जो रुपये जारी किये गये हैं उनमें चांदी नहीं के बराबर है अर्थात् वह गिनाट का है । इस प्रकार भारतीय रुपया सन् १९४१ के पश्चात् 'निकृष्ट' होता चला गया ।

सरकार द्वारा देश के विनिमय दर को कम करने को अवमूल्यन (Devaluation) कहते हैं । यह तब किया जाता है जबकि देश के भीतर का मूल्य-स्तर निरन्तर प्रयत्न करने पर भी न घटना हो और इस कारण विदेश को सामान निर्यात करने में कठिनाई आती हो । अवमूल्यन करने में इस देश की मुद्रा विदेशियों के लिये मस्ती हो जाती है और वे इस देश में सामान खरीदने लगते हैं । इसके विपरीत देश के लोगों के लिये विदेशी मुद्रा महँगी हो जाती है और वे विदेशों में माल खरीदना कम कर देते हैं । इस प्रकार इस देश का निर्यात बढ़ जाता है और आयात कम हो जाता है । १७ सितम्बर १९४६ को इंग्लैंड ने गीण्ट स्ट्रिंग की विनिमय दर डालर के रूप में ४.०३ से घटा कर २.८० कर दी । इसी प्रकार भारतवर्ष ने भी १६ सितम्बर को रुपये की विनिमय दर डालर के रूप में ३०.२२५ सेटा से घटा कर २१ गटा के बराबर कर दी । इसी को 'अवमूल्यन' कहते हैं ।

सिक्कों के भेद—सिक्के दो प्रकार के होते हैं—

(१) प्रामाणिक सिक्का ( Standard coin ) और ( २ ) साकेतिक सिक्का (Token Coin) ।

(१) प्रामाणिक सिक्का ( Standard Coin )—प्रामाणिक सिक्का उसे कहते हैं जिसका अंकित मूल्य ( Face Value ) उसके वास्तविक मूल्य ( Intrinsic Value ) के बराबर होता है, जो देश का मुख्य सिक्का ( Principal Coin ) होता है, जो असोमित विधिग्राह्य ( Unlimited Legal Tender ) होगा है तथा जिसकी स्वतन्त्र डबारी ( Free Coinage ) होती है । इसका अंकित मूल्य तथा वास्तविक मूल्य बराबर होने के कारण इसे पूर्णकाय सिक्का ( Full Bodied Coin ) कहते हैं । सितम्बर सन १९३१ के पूर्व इंग्लैंड में सोने के सिक्के प्रामाणिक सिक्के थे । भारतवर्ष में मही अब भी कोई भी प्रामाणिक सिक्का नहीं है । हमारा प्रामाणिक सिक्का रुपया है, क्योंकि यह देश का प्रमुख सिक्का है और असोमित विधिग्राह्य है । यह साकेतिक सिक्का भी है, क्योंकि इसका अंकित मूल्य वास्तविक मूल्य से अधिक है और इसकी नोमिनल मुद्रा-डबारी होगी है । इस मिश्रित गुण के कारण ही ये साकेतात्मक प्रामाणिक सिक्का ( Token Coin ) कहने हैं ।

सांकेतिक सिक्का (Token Coin) उसी कहते हैं जिसका अंकित मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से अधिक होता है, जो देश का सहायक सिक्का (Subsidiary Coin) होता है, जो सीमित विधिग्राह्य ( Limited Legal Tender ) होता है तथा जिसकी सीमित मिकका-दलाई होती है। भारतवर्ष में चक्की, हकशी पैसा, दम, पाँच हो एक नया पैसा आदि सिक्के सांकेतिक सिक्के हैं, क्योंकि ये सीमित विधिग्राह्य हैं अर्थात् किसी का इन्हें मुगलान में स्वीकार करने के लिये केवल १० रुपये तक ही कानून द्वारा बाध्य किया जा सकता है। ये सहायक सिक्के हैं अर्थात् ये स्वयं ही अतिरिक्त चलते हैं। सांकेतिक सिक्का को आदेश या कानूनी सिक्के ( Fiat Coins ) भी कहते हैं, क्योंकि उनका मूल्य सिक्के के वास्तविक मूल्य पर निर्भर न रहकर राज्य की आज्ञा पर निर्भर रहता है। सांकेतिक सिक्का का निर्माण मुख्यतः तीन कारणों से होता है। पहला कारण यह है कि पुरस्कार सिक्का की आवश्यकता यथा सिक्के सम्पन्न पण्डित है। दूसरा, सांकेतिक सिक्का के चलने की आवश्यकता कम होती है। तीसरा आर्थ-उद्योग राशि का विविध व्यवसायिक करने के लिये ये सिक्के बड़ाय गए। बर्मा-बर्मा इन सिक्का के धातु के मूल्य में इतनी वृद्धि हो जाती है कि ये पूरासाथ सिक्के ही जाते हैं। तब ये गलाव भी जा सकते हैं और अचिन भी बिये जाते हैं।

### प्रामाणिक और सांकेतिक सिक्कों का भेद

प्रामाणिक सिक्क	सांकेतिक सिक्के
१—प्रामाणिक सिक्का का अंकित मूल्य और वास्तविक मूल्य समान रहता है।	१—सांकेतिक सिक्का का मूल्य उसके वास्तविक मूल्य से बहुत अधिक होता है।
२—ये देश के प्रमुख सिक्के होते हैं।	२—ये देश के सहायक सिक्के होते हैं।
३—ये सीमित विधिग्राह्य सिक्के होते हैं।	३—ये सीमित विधिग्राह्य सिक्के होते हैं।
४—इन सिक्कों की स्वतन्त्र मुद्रा-दलाई होती है।	४—ये सिक्के सरकार द्वारा ही बनाये जाते हैं। जनता को स्वतन्त्र सिक्का दलाई का अधिकार नहीं होता।
५—इन सिक्कों द्वारा समस्त वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य तथा कर निर्धारित किया जाता है।	५—अधिकतर सेवाओं और वस्तुओं का मूल्य इन सिक्कों द्वारा निर्धारित नहीं रहता।
६—ये सिक्के समस्त उत्तम धातु के बनाये जाते हैं।	६—ये प्रायः बनावटी या कम मूल्य की धातु से बनाये जाते हैं।

रूपया किम प्रकार का सिक्का है—प्रामाणिक या सांकेतिक ?—  
 भारतीय मुद्रा-न्यवस्था में रुपये का एक विचित्र स्थान है। इसमें प्रामाणिक तथा सांकेतिक दोनों ही प्रकार के गुण समाविष्ट हैं। असीमित विधिग्राह्यता एवं देश का प्रमुख सिक्का होना इसे प्रामाणिक सिक्कों की श्रेणी में रखते हैं। इसमें सांकेतिक सिक्कों के गुण भी पाये जाते हैं। इसका अंकित मूल्य इसके धातु-मूल्य से अधिक होता तथा इसकी सीमित मुद्रा-दलाई इसे सांकेतिक सिक्कों की श्रेणी में रखते हैं। अतः,

यह स्पष्ट है कि रुपया न तो प्रामाणिक सिक्का ही है और न साकेतिक ही। इन मिश्रित गुणों के कारण ही यदि इसे सकेतारमक प्रामाणिक सिक्का (Token Standard Coin) कहा जाए तो अनुचित नहीं होगा ?

भारतवर्ष की वर्तमान सिक्का प्रणाली—भारतवर्ष की वर्तमान सिक्का-प्रणाली में रुपये का प्रमुख स्थान है। रुपया ही देश का प्रामाणिक सिक्का (Standard Coin) है, क्योंकि यह असीमित विधि-प्राह्य है तथा मंगत वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का मापक है व इसी से मूल्य के साथ अन्य सहायक सिक्कों के मूल्य सम्बन्धित है। सहायक सिक्का में हमारे देश में अठती, चवती, इकती, दस, पाँच, दो व एक तये पैसे के सिक्के हैं। ये सिक्के अधिकतर लघु राशि के भुगतान के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं। ये साकेतिक सिक्के (Token Coin) कहलाते हैं। रुपये का अंकित-मूल्य उसके धातु मूल्य से अधिक है। द्वितीय महायुद्ध से पूर्व रुपये में ११/१२ विद्युद चांदी होती थी, परन्तु युद्धकाल में इसमें से चांदी की मात्रा कम कर दी गई। प्रायःकाल भारतवर्ष में गिनट का रुपया प्रचलित है जिसका वास्तविक अर्थानु धातु-मूल्य एक दो आने से अधिक नहीं है। सहायक सिक्के चांदी या गिनट या दोनो से मिलाकर या पीतन तबले के बनाये जाते हैं। ये प्रायः सस्ती धातु के ढाले जाते हैं।

भारतवर्ष में सन् १८६३ ई० तक तो स्वतन्त्र सिक्का-ढलाई (Free Coinage) थी, परन्तु इसके पश्चात् हॉलैंड कम्पन की सिफारिश के अनुसार स्थगित कर दी गई। अब हमारे देश में सीमित सिक्का ढलाई (Limited Coinage) है, अर्थात् रुपये या सहायक-सिक्कों में से किसी के लिये भी 'स्वतन्त्र सिक्का ढलाई' नहीं है। सिक्के बनाने का कार्य भारत सरकार या रिजर्व बैंक का है और ये सरकारी टकसालों में ही ढाले जाते हैं।

भारतीय सिक्कों का आकार दो प्रकार का है—गोल या वर्गाकार। सिक्कों के एक ओर उनका नाम, वर्ष और मूल्य तथा दूसरी ओर भारतीय प्रजासत्तात्मक राज्य का प्रसङ्ग चिन्ह अंकित रहता है। रुपया असीमित विधि-प्राह्य है तथा अन्य सहायक-सिक्के सीमित विधि-प्राह्य हैं। सहायक सिक्कों को केवल

कुछ देशों के प्रामाणिक सिक्के नीचे दिये जाते हैं:—

इंग्लैंड का पौंड स्टर्लिंग	आस्ट्रिया का क्रोन	अर्जेंटाइना का पिटो
फ्रांस/टेलिया का पौंड (फ्रांस/टेलिया का)	स्पेन का पेनेटा	ब्राजील का क्रुजेरो
अमेरिका का डॉलर	बेल्जियम का बेल्गा	इटली का लीरा
कैनेडा का डॉलर (कैनेडा का)	हालैंड का ग्लूडेन	पाकिस्तान का रुपया
फ्रांस का फ्रैंक	स्वीडन का क्रोना	(पाकिस्तान)
जर्मनी का मार्क	जापान का येन	बर्मा का रुपया (बर्मा)
रूस का रूबल	तुर्की का पियास्त्रे	लका का रुपया
		(लका)

१० रुपये तक के भुगतान के लिये स्वीकार करने में कानून द्वारा बाध्य किया जा सकता है। देश में निर्यात भ्रष्टाचार का प्रबन्ध आदि रिजर्व बैंक आरू इच्छित करता है तथा उगा व पाग इनका हिसाब रहता है।

**भारतवप में टकसान—**भारत सरकार की दो मुख्य टकसान हैं एक बम्बई में और दूसरी कलकत्ता में घनीपुर में। बम्बई का टकसान प्रतिदिन १० लाख सिक्के तयार कर सकती है और घनीपुर की नई टकसान प्रत्येक आठ घंटे के समय में १२ लाख सिक्के तयार कर सकती है। हैदराबाद में भी भारत सरकार की टकसान है जोकि १ अप्रैल १९५० में बम्बई टकसान की शाखा हो गई। यह एक दिन में ३ लाख सिक्के तयार कर सकती है। इस प्रकार भारतवप में प्रतिदिन २५ लाख सिक्के तयार किए जा सकते हैं।

### पत्र मुद्रा ( Paper Money )

**पत्र मुद्रा का जन्म एवं विकास—**पत्र मुद्रा जिसको हम नाट कहते हैं प्राचीन काल में ही प्रचलित है। मुद्रा के विद्याविद्या का विभाग है कि पत्र मुद्रा का जन्म सब प्रथम नवीं शताब्दी में चीन में हुआ किन्तु काल में मुद्रा जबकि यह और पीतल के सिक्के के साथ साथ ही चीन में ही प्रथम प्रयोग हुआ था। और धीरे-धीरे एशिया के अनेक भागों में प्रचारित हो गया। एशिया के बाद फिर यूरोप के देशों में भी पत्र मुद्रा प्रचलित हुआ। यूरोप में इस प्रथा के प्रचार का श्रेय व्यापारियों और स्वयंसेवकों को है। इन लोगों का मान्य रहता था कि अतः पत्र मुद्रा प्रयोग करने से ही और अधिक प्रयोज्यता पढ़ने पर इन पत्रों का प्रयोग कर अपनी शान्ति वापस प्राप्त कर लेते थे। जो लोग का यह विश्वास हो गया कि प्रमाण पत्र के दिवसान ही उनका शान्ति वापस मिल जावेगी ता यह अपन मोल के बदले इन प्रमाणपत्रों का प्रयोग कर लेते थे। यही ही नाटों का जन्म प्रारम्भ हुआ। इसी प्रकार १७ वां शताब्दी के अन्त तक अनेकानेक देशों में परिवर्तनयोग्य पत्र मुद्रा ( Convertible Paper Money ) का जन्म हो गया था और १८ वां शताब्दी में इंग्लैंड में सरकार की शक्ति के कारण अपरिवर्तनयोग्य पत्र मुद्रा ( Inconvertible Paper Money ) का जन्म भी प्रारम्भ हो गया था। भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न रूप रण के नाट चला कर लेते हैं। प्रथम महायुद्ध काल में ही नाटों का प्रचार बहुत हो गया था।

**पत्र मुद्रा के बढ़ते हुए प्रचार के कारण—**आधुनिक युग में सम्पूर्ण मन्व्य देशों में पत्र मुद्रा का प्रयोग उत्तमोत्तम बढ़ता जा रहा है। इसका प्रथम कारण यह है कि वर्तमान युग में व्यापार उद्योग अनेकानेक आविष्कारोंवाला शक्ति में इतनी वृद्धि हो गई है कि अनेक मान और चीजों का मुद्रा में ही काय चरना अत्यन्त है। अतः और चीजों की पूर्ति सीमित होने के कारण अनेक मुद्रा का मात्रा भी अत्यन्त सीमित होनी है और इससे ही इन चीजों की मुद्रा में अत्यन्त आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो सकती। पत्र मुद्रा की पूर्ति में आविष्कारानुसार सहज ही वृद्धि का जा सकता है। अतः इसका प्रयोग बहुत बढ़ गया है। अतः आज के समय में पत्र मुद्रा का प्रयोग सम्पूर्ण का अधिक माना जाता है। भारतवप में मात्र मई १९५२ में २००० करोड़ रुपये की मुद्रा प्रचलित थी जिसमें १२०० करोड़ रुपये के नाट और ८०० करोड़ रुपये के कलकत्ता सिक्के थे।

पत्र-मुद्रा छापने का अधिकार—धातु मुद्रा की भांति पत्र-मुद्रा छापने का अधिकार प्रायः केवल सरकार को ही होता है, परन्तु आधुनिक युग में यह अधिकार प्रायः देश के केन्द्रीय बैंक को प्राप्त होता है। भारतवर्ष में यह अधिकार रिजर्व बैंक को है।

पत्र-मुद्रा के लाभ (Advantages)—पत्र-मुद्रा के निम्नलिखित लाभ हैं :—

१. वहनीयता—पत्र-मुद्रा बहुत हल्की होती है और इसमें वहनीयता (portability) का गुण सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। हजारों ताम्बा रुपये के नोट सरलतापूर्वक कम खर्च में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाये जा सकते हैं। एक सौ रुपये के नोट में १०० रुपये के सिक्कों की तुलना में कुछ भी बजन नहीं होता, अतः उनके द्वारा दूर का भुगतान सरलता से व कम खर्च में किया जा सकता है।

२. बहुमूल्य धातु की वचत—पत्र-मुद्रा से सोना-चांदी की वचत होती है, क्योंकि धातु मुद्रा चलन में घिसावट में होने वाली हानि नहीं होती। इस प्रकार से चलन में बचाई गई धातु अन्य कला-कौशल के कामों में अथवा औद्योगिक विकास में लगाई जा सकती है। आदम म्मिय ने लिखा है कि "पत्र-नोट घाकारा-मार्ग की भांति हानि है जिनकी नोचे की भूमि को भी काम में लाया जा सकता है और उस पर अन्न आदि उत्पन्न करके मनुष्य की दूसरी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सकता है।"

३. मितग्रयणता—पत्र मुद्रा बनाने में खर्च बहुत कम पड़ता है। लाखों, करोड़ों रुपये के नोट छापने में केवल कागज, स्पाही और थोड़ा धम व्यय होता है। यदि धातु के सिक्के बनाना हो, तो उतनी ही धातु चाहिए जिनका प्राप्त करना सरल नहीं।

४. सामाजिक लाभ—पत्र-मुद्रा द्वारा समाज को भी लाभ होता है। प्रथम, धातु-मुद्रा की घिसाई की हानि की वचत होती है। दूसरे, धातु-मुद्रा ढालने में जो आवश्यक धम, पूँजी आदि लगते हैं उनको किसी दूसरे जल-उपयोगी उद्योगों में लगाकर उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है तथा चलन में बचाई मूल्यवान धातुओं को देश में उद्योगों की वृद्धि के लिये तथा विदेशों में आवश्यक वस्तुओं खरीदने के लिये उपयोग में लाया जा सकता है अथवा उनका विदेशों में विनिर्भय कर अधिक आय कमाई जा सकती है।

५. सुरक्षा—रुपयों की अपेक्षा नोटों के सूटे या चुराये जाने का भय कम रहता है। रुपयों का बजन छिपाया नहीं जा सकता। हजारों, लाखों रुपयों के नोट जेब में डाले जा सकते हैं और बिना किसी सन्देह के दूसरे स्थान पर ले जाये जा सकते हैं। इसमें केवल जेब कतरने वालों से ही सावधान रहना पड़ता है।

६. मोच—पत्र-मुद्रा का सबसे बड़ा उपयोग यह है कि आवश्यकता-नुसार घटाई या बड़ाई जा सकती है। यह बात धातु मुद्रा में नहीं पाई जाती। आवश्यकतानुसार नोटों को बढ़ाने में केवल कागज और स्पाही की आवश्यकता होती है।

७. सकट काल में सरकार की सहायता—बुद्ध काल में जब राष्ट्र को मुद्रा की अधिनः आवश्यकता होती है और प्रजा ग कर या अणु के रूप में आवश्यक धन प्राप्त नहीं होता, तब इसकी पूर्ति केवल पत्र-मुद्रा द्वारा ही की जा सकती है।



८. गिनते व परखने की सुविधा—पत्र मुद्रा के प्रभाव में अधिक सख्या में रुपये का गिनना व परखना बैंकों के लिये कठिन कार्य हो जाता है। बड़ी सख्या में रुपया का भुगतान अधिक मूल्य वाले नोटों से किया जा सकता है जिससे बैंकों का गिनने का कार्य श्रान भी सरल हो जाता है।

९. मूल्यों के परिवर्तन पर नियंत्रण—धातुओं के मूल्य में कभी-कभी अत्यधिक परिवर्तन हो जाते हैं जिससे मूल्यों पर बड़ा समीर प्रभाव पड़ता है। सुचारु रूप में नियंत्रित पत्र-मुद्रा के प्रयोग से मूल्य के परिवर्तन को नियंत्रित रखा जा सकता है।

पत्र मुद्रा की हानियाँ ( Dis-advantages )—जहाँ पत्र मुद्रा के इतने लाभ हैं वहाँ उसकी कुछ कमियाँ भी हैं। वे निम्नलिखित हैं :—

१. सीमित चलन—पत्र-मुद्रा का वास्तविक मूल्य मूल्य होता है। अतः इसका चलन देश की सीमा तक ही सीमित रहता है। देश के बाहर इसको कोई भुगतान में स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं होता। इसलिये नोट 'राष्ट्रीय-मुद्रा' कहता है। इनका अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कुछ भी नहीं होता।

२. सामाजिक मूल्य स्थिरता की कमी—धातु-मुद्रा की अपेक्षा पत्र मुद्रा में मूल्य-स्थिरता की कमी है, क्योंकि पत्र-मुद्रा का चलन सरकारी नीति पर अवलम्बित है तथा अधिक प्रसार होने में इसके मूल्य का ह्रास होता है और वस्तुएँ महँगी हो जाती हैं जिससे सामाजिक तथा आर्थिक हानि होती है। इस प्रकार की सम्भावना धातु-मुद्रा में नहीं होती, क्योंकि मुद्रा धातुओं का उत्पादन सीमित है।

३. पत्र-मुद्रा शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु है—तेल या पानी से भीग जाने पर नोट बौझ हो खराब हो जाते हैं। उन पर अधिक सख्या निट जाने पर उनका कोई मूल्य नहीं रहता। भिन्न इतने शीघ्र नष्ट नहीं हो सकते। ऐसी दशा में पत्र मुद्रा समाज में केवल धोखेबाजी है।

४. सरकारी नीति पर पूर्णतया अवलम्बन—पत्र-मुद्रा अर्थात् बागजी नोटों का चलन पूर्णतया सरकार की इच्छा पर निर्भर होता है। यदि कभी सरकार नोट को सर्वत्र धोषित कर दे तो जनता के पास रमे हुए नोटों का कुछ भी मूल्य नहीं रह जाता। उनके पास केवल बागज के टुकड़े शेष रह जाते हैं जिनका कोई मूल्य नहीं होता। यह बात विपक्षों के साथ नहीं होती। उनके सर्वत्र धोषित हो जाने पर उन्हें गना कर उनकी धानु को बाजार में बँचा जा सकता है। कुछ लोगो का तो यह कहना है कि "पत्र-मुद्रा विश्व देश की सबसे अधिक भयकर बीमारी है। जितना बँट किसी भयकर से भयकर बीमारी से किसी व्यक्ति को होता है उससे भी अधिक बँट पत्र मुद्रा में समाज को हो सकता है"।

५. पत्र-मुद्रा का मूल्य सरकार की साख पर निर्भर है—पत्र-मुद्रा का वास्तविक मूल्य नहीं होने से इसका मूल्य केवल सरकार की श्रवण पत्र-मुद्रा चलाने वाली सस्था की साख पर निर्भर रहता है।

६. चलनाधिक्य ( Over-issue ) का भय—पत्र-मुद्रा का चलने बड़ा दोष यह है कि इसमें चलनाधिक्य का भय रहता है। जब सरकार लालचलन या सबटवश इसको मात्रा इतनी अधिक बढ़ा देती है कि उसका परिणाम मुद्रा-स्फीति

गोले छापकर बनाया है और रिजर्व बैंक व गवर्नर इस बात का बयान देते हैं कि नोट बाह्यक का माँग पर उस नोट के बदल में उस पर अधिक मूल्य रूपय के सिक्कों में किंवा भी निगम-कायालय पर चुकाया जावेगा। अस्तु भारतवर्ष में २ ५ १० और १०० रूपय के नोट परिचलनशील वामजी नोट (पत्र मुद्रा) हैं जिनको कभी भी रूपय के मितक में बदलवाया जा सकता है। ये नोट धातु मुद्रा के साथ साथ ही वेग में बनाये जाते हैं।

**प्रतिनिधि पत्र मुद्रा और परिवर्तनशील पत्र मुद्रा में भेद**

परिवर्तनशील पत्र मुद्रा वास्तव में क्लिप्त प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के समान ही होता है। जिस प्रकार प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के बचन में किंवा भी मगम धातु मुद्रा या धातु प्राप्त का जा सकता है। उसी भाँति परिवर्तनशील पत्र मुद्रा के बचन में भी किसी भी समय धातु मुद्रा या धातु प्राप्त का जा सकता है। इतना हात हुए भी पत्र मुद्रा मुद्रा का प्रतिनिधि नहीं होता। इनमें प्रत्येक रूपय के नोट के लिये एक रूपय का सिक्का सुरक्षित रखा गया जाता। यहाँ इस सिद्धान्त का मान कर बनाया जा रहा है कि सब तरह एक साथ प्रयत्न नोट धातु मुद्रा के बदलन के लिये नहीं जाते। इसलिये नोटों के लिये पूरी मात्रा में मुद्रा न रखकर उतनी ही मुद्रा रखी जाती है जिसमें प्रस्तुत किये जाने वाले सम्भावित नोटों के बदलन में कोई कठिनाई न हो। इस प्रकार परिवर्तनशील पत्र मुद्रा के लक्ष्य-साध्य में प्रायः उतना विश्वास स्थापित कर लेती है जितना कि प्रतिनिधि पत्र मुद्रा के द्वारा होता है।

व्यक्त के श्रेय बैंक या सरकार अनुभव से जानती है कि कुल प्रचलन के विद्यमान प्रतिपान के लक्ष्य एक समय में भुगतान के लिये आरक्षित हैं और उसी अनुमान के आधार पर बैंक या सरकार कुल प्रचलन का निश्चित प्रतिपान धातु मुद्रा या धातु के रूप में जमा रखती है। इन जमा का अरक्षित भाग या निधि (Reserve) कहते हैं। ये भाग राज्य प्रतिभूतियाँ (Govt Securities) के रूप में रखा जाता है। आवश्यकता पान पर राज्य प्रतिभूतियाँ की मुद्रा बाजार में बेचकर भाग के भुगतान के लिये तुरत राशि प्राप्त की जा सकती है। प्रचलन (Currency) का वह भाग जिसके लिये प्राणाधिक धातु मुद्रा या धातु सुरक्षित रखी जाती है अरक्षित भाग (Covered) या धातु निधि (Metallic Reserve) कहते हैं तथा जो भाग केवल राज्य प्रतिभूतियाँ (Govt Securities) के आधार पर ही प्रचलन होता है उसे अरक्षित या विश्वासार्थित भाग (Uncovered or Fiduciary Issue) कहते हैं। उदाहरण के लिये १०० रूपय के नोटों की पत्र मुद्रा प्रचलन में हो। उसके लिये बाप में ४० रूपय की धातु-मुद्रा या धातु अरक्षित है तथा ६० रूपय की राज्य प्रतिभूतियाँ के लिये ४० रूपय वाले भाग को अरक्षित भाग (Covered Issue) या धातु निधि (Metallic Reserve) तथा ६० रूपय वाले

१ राज्य प्रतिभूतियाँ (सरकारा सिविलियाँ) का अर्थ है सरकार का विश्वसनीय ऋण के प्रमाण-पत्र जैसे (Debentures Bonds etc)। सरकार का ऋण देने पर जो सरकार द्वारा ऋण के प्रमाण-पत्र मिलता है उसे राज्य प्रतिभूति या सरकारी सिविलियाँ कहते हैं।

भाग को अरक्षित (Uncovered) या विश्वासार्थित (Fiduciary) भाग कहते हैं।

उत्तम एवं प्रगतिशील देशों में पत्र मुद्रा का रक्षित कोष १५ से २५ प्रतिशत तक पयान समझा जाता है, परंतु अरक्षित एवं आर्थिक दृष्टि से विच्छेद हुए देशों में यह कोष ५० प्रतिशत तक होता है। भारतवर्ष में मोन और स्टर्लिंग द्वारा ४० प्रतिशत रक्षित कोष की मात्रा रखी गई है तथा चलाय का गण्य ६० प्रतिशत भाग अरक्षित है।

**लाभ व हानि**—परिवर्तनशील पत्र मुद्रा का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वास्तु में निर्धारित धातु मुद्रा या धातु कोष में रख कर गेप भाग को प्रतिभूतिया (Securities) में लगा दिया जाता है जिससे सरकार ब्याज कमा सकती है। इसके अतिरिक्त एना पत्र मुद्रा के प्रयोग में धातु मुद्रा के प्रयोग में आर्थिक दबकत होती है और इन अमूल्य मोट्रिफ धातुमुद्रा का प्रयोग देश के व्यापार और उद्योग क हित में किया जा सकता है। गण्य लाभ लगभग वे ही हैं जो ऊपर पत्र मुद्रा के लाभ के शीपक में बखिन है।

इसका सबसे बड़ा दोष यह है कि इसका चलन देश की राजनयिक सामा तक ही सीमित रहता है तथा इसके शीघ्र खराब व नष्ट होने का भय रहता है। इसमें चलनाविषय का भय भी बना रहता है।

**अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा (Inconvertible Paper Money)**—

वह पत्र मुद्रा है जो धातु या धातु मुद्रा में नहीं बदली जा सकती। इस प्रकार की पत्र मुद्रा में चलाने वाली शक्ती और स उस धातु या धातु मुद्रा में बदलने का कोई आश्वासन नहीं होता तथा वह पयान में धातु मुद्रा या धातु देन के लिये वैधानिक तौर पर बाध्य नहीं होती। इस प्रकार की पत्र मुद्रा के चलने का कारण केवल सरकार की शक्त में जनता का विश्वास अथवा सरकार का शक्ति होती है। इसी कारण इसे फ्राइस मुद्रा (Fiat Money) भी कहते हैं। मुद्रा संचालन धातु मुद्रा में देकर कागज का कागज में बदल देने है। ऐसी प्रणाली आजकल भारत में है। उदाहरण के लिये गत महायुद्ध-काल में एक रुपये के नोट चलाने लये जो अपरिवर्तनशील थे। ये नोट प्रायः हमारे देश में चलते हैं। विद्याभियान देखा होगा कि १ रुपये के नोट पर I promise to pay का विषयवाची के गण्य छपे नहीं होते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि अर्थ नोटा की भांति सरकार इन नोटा के बदल में सिवके देने का बंधन नहीं देती। भारतवर्ष में इन नोटा को रिजर्व बैंक नहीं चलाता बल्कि व भारत सरकार के वित्त सचिवालय (Ministry of Finance) द्वारा जारी किये जाते हैं।

इस प्रकार की पत्र मुद्रा का चलन तभी होता है जब सरकार को मुद्रा की आर्थिक आवश्यकता होता है जब युद्ध काल में। इस प्रकार की पत्र मुद्रा को यदि सरकार द्वारा बिना ब्याज लिया गया ऋण कहें तो अनुचित नहीं होगा। फ्रांस में राज्य शक्ति के बिना में फ्रांसोमी नोट (Assignats) अमेरिकन युद्ध काल में अमेरिकन नोट (Green Backs) प्रथम महायुद्ध के बिना में जर्मनी नोट (Mark) और द्वितीय महायुद्ध के समय लगभग सभी देशों के नोट अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा के उदाहरण हैं। भारत में पत्र मुद्रा शक्ति अथवा परिवर्तनशील है कि उनके चलन में गण्य लिये जाते हैं परंतु वर्तमान रूप स्वयं धातु पर छपे हुए नोट हैं।

आदेश-मुद्रा ( Fiat Money )—अपेक्षी भाषा में 'फियट' शब्द का अर्थ है 'आज्ञा अथ फियट या आदेश-मुद्रा उस मुद्रा को कहते हैं जो किसी वस्तु का प्रतिनिधित्व नहीं करती, न जिसमें कोई अधिकार ही है तथा जिसको लोग सरकारी आज्ञा के कारण ही स्वीकार करने के लिये बाध्य होते हैं।

तथाकथित लाभ—यदि अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा का कोई लाभ है तो यह है कि युद्धकाल जैसे सकट समय में जबकि मुद्रा बनाने के लिये धातु उपलब्ध नहीं होती तथा सरकार को मुद्रा की अल्पधिक आवश्यकता होती है तब इसकी पूति का एकमात्र साधन अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा ही है। आवश्यक मात्रा में तो यह मुद्रा बाजार में महादक सिद्ध हो सकते हैं, परन्तु इनका आवश्यकता में अधिक मात्रा में चलना अहितकर होता है।

अपरिवर्तनशील पत्र-मुद्रा की हानियाँ (Evils of Inconvertible Paper Money)—अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा में सदैव चलनाधिक्य (Over-issue) का भय रहता है। इस प्रकार के नाटों के बढ़ने में कोप में धातु के सिक्के रखने की आवश्यकता नहीं होती, अतः सरकार बिना किसी डर और रिचकिन्हाट के ऐसे नोट छाप छाप कर चलाने लगती है जिसके कारण आवश्यकता से अधिक नोट छपकर चलन में आ जाते हैं। इसका परिणाम मुद्रा-स्फीति (Inflation) होता है। मुद्रा-स्फीति के परिणाम स्वरूप मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं के भाव बढ़ने लगते हैं। वस्तुओं के भाव बढ़ने में लोग का जीवन व्यय भी बढ़ जाता है। व्यापार में उथल-पुथल भी मच जाती है तथा व्यापारिक मीमांसा में घोर-बाजारी, नफ़ारतखोरी आदि आदि बुराईयाँ आ जाती हैं। अपरिवर्तनशील नाटा के चलने में लोग सिक्कों को छिपाकर रखने लगते हैं। सिक्का को छिपाकर लोग या गो गला कर सोने, चाँदी के रूप में बेचने लगते हैं या उन्हें विदेशों में भेजकर धातु के रूप में बेच दिया जाता है।

वस्तुओं के भावों में वृद्धि हो जाने में सट्टेबाजी बड़ जाती है और वस्तुओं की उत्पादन विधि प्रगट हो जाती है। अर्थिक तथा जनसाधारण को बड़ी कठिनाई होती है। अर्थिक मर्यादा में अपरिवर्तनशील नाटा चलाने में विदेशी विनिमय दर ( Foreign Exchange Rate ) में भी गड़बड़ हो जाती है और विदेशी व्यापार में विषमता आ जाती है। ऐसी परिस्थिति में धनी और अर्थिक धनी बढ़ते जाते हैं तथा निर्बल और अधिकाधिक निर्धन बन जाते हैं। किन्ले (Kinley) नामक एक मुद्राशास्त्री ने श्रेष्ठ ही लिखा है कि "अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा ( नाटा ) एक ऐसी मर्दिरा है जिसकी दो चार घुंटी में ही जनता और सरकार अथवा सरकार व विभाग सम्भर हो जाते हैं। तब उन्हें अपने-पुने का जगत नहीं रहता है और वे अपरिवर्तनशील नाटा छाप कर चलन या न चलने के विषय में कोई सम्भार निर्माण नहीं कर पाते। इसका परिणाम यह होता है कि समाज और व्यापार में बुराईयाँ बड़ जाती हैं और वे इनको भयकर ही बाँटते हैं कि उनको दूर करना असम्भव-भासा हा जाता है।"

भारत में अपरिवर्तनीय नोट—जब महायुद्ध में ब्रिटिश सरकार ने इनकी अधिक मात्रा में अपरिवर्तनीय नोट बनाये कि मुद्रा का मुख्य गिर गया और वस्तुओं के भाव बढ़ने में धमिकी, उपभोक्ताओं तथा स्थायी भाव वाले लोगों को घट्टन कट्टा का सामना करना पड़ा। वस्तुओं के उत्पादन में उथल-पुथल हो गई तथा व्यापार न भी प्रस्थित हो सका। भाव बढ़ने में व्यापारियों ने काले-बाजार (Black-Marketing) किया, छुट्टे किए, लकावरी की तथा माल को भी छिपा छिपाकर रख दिया। इन बुराइयों को दूर करने के लिये सरकार ने बाज़ार बनाये तथा जीवनायें आवश्यक वस्तुओं के प्रमाण पर प्रतिबन्ध लगाये। परन्तु इनका कोई विदेश परिणाम न निकला। समाज में ये सब बुराइयाँ आज भी विद्यमान हैं। यह परिणामि किन्तों (Ripples) के कथन को पुष्टि करती है: “आवश्यकता में अधिक मात्रा में अपरिवर्तनीय नोट चलाने में नानाधिक बुराइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं और फिर उन्हें दूर करना कठिन हो जाता है।

भारतवर्ष में वर्तमान नोट (पत्र-मुद्रा) व्यवस्था—भारतवर्ष में पत्र-मुद्रा का प्रादुर्भाव अंग्रेजों शासन-काल में हुआ, यद्यपि हॉलैंडमा द्वार प्रतिज्ञा अर्थ-पत्र (Promissory notes) का प्रचार पहले न ही था। सबसे पहले नोट चलाने का कार्य लीन प्रीमोटेन्सी बैंक को दिया गया परन्तु सन् १८६१ में यह कार्य भारत सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। अब सरकार 'निश्चित अरक्षित प्रणाली' (Fixed Fiduciary System) के अनुसार नोट चलाने लगी। इसके अन्तर्गत ४ करोड़ रुपये के मूल्य के नाट प्रतिभूतियों (Securities) के बल पर चलाने जा सकने के और यदि सरकार को इनमें अधिक नोट चलाने हों तो सरकार को अपने पास बाँधी का एक मजबूत काय रखना पड़ता था। सर्व-सर्व: प्रतिभूतियों के अन्तर्गत पर चयन जाने वाले नोटों में वृद्धि होनी गई और यहाँ तक कि प्रथम महायुद्ध में १०० करोड़ रुपये के नोट सबसे प्रतिभूतियों के आधार पर ही जारी किये गये थे। सन् १९३५ में रिजर्व बैंक के स्थापित होने पर यह कार्य उनके सुपूर्द कर दिया गया। जनवरी १९४६ में १००, १००० और १०,००० रुपये के नोटों का चलन में हटाने के लिये इनका चलन अर्ध-धोषित कर दिया गया। युद्ध-काल में रिजर्व बैंक द्वारा २२० के नाट और भाग्य सरकार द्वारा १२० के नोट प्रचलित किये गये।

इन समय हमारे देश में परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय दोनों प्रकार के नोट प्रचलित हैं। २, ५, १०, १०० रुपये के वर्तनीय नाट परिवर्तनीय नाट ३ रुपों के इनके बदले में रिजर्व बैंक प्रामाणिक धातु-मुद्रा देता है। १ रुपये के नाट अपरिवर्तनीय नोट हैं जिनका प्रकाशन भारत सरकार के वित्त-विभाग द्वारा होता है। एक रुपये के नोट सत महायुद्ध-काल में बनाये गये थे और वे आजकल भी प्रचलित हैं। ये अपरिवर्तनीय इसलिए कहलाते हैं कि इनके बदले में सरकार धातु-मुद्रा देना ही प्रतिज्ञा नहीं करती। प्रतिनिधि पत्र-मुद्रा हमारे देश में प्रचलित नहीं हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व जब सरकार स्वयं नोट चलाती थी तब 'वैरिन्स मिन्टाल' का पालन किया जाता था। परन्तु आजकल 'प्रोपोरशनल मिन्टाल' का पालन किया जाता है जिनके अनुसार देश के केंद्रीय बैंक अर्थात् रिजर्व बैंक को नोट-प्रकाशन या एकाधिकार मिला हुआ है।

नोट-प्रकाशन में रिजर्व बैंक 'प्रानुपातिक कोष प्रणाली' (Proportional Reserve System) का पालन करता है। इन प्रणालियों के अन्तर्गत नाट जारी करने में पूर्व रिजर्व बैंक को नोटों के बदले में सविन-भोष (Reserve) रखना पड़ता है जिनमें

सामान्य मान के सिक्के विदेशी प्रतिभूतियाँ दायता तथा स्वयं की प्रतिभूतियाँ रखी जाती हैं। चतुर्थ ज्ञान बाजार भाग के मुख्य व बदन में स्थिति बाजार का काम करना ४० प्रतिशत भाग सामान्य मान के सिक्के तथा विदेशी प्रतिभूतियाँ में रखना पड़ता है। अन्य हर समय कम-से-कम ४० करोड़ रुपये व मुख्य का सामान्य मान के सिक्के रखना अनिवार्य है। अधिक बाजार का १० प्रतिशत भाग स्वयं स्वयं की प्रतिभूतियाँ या अन्य स्थापना में रखा जा सकता है। सन् १९४६ में पूँज पर अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा व फंड (International Monetary Fund) का निर्माण नष्ट हुआ था रिजर्व बैंक का अल्प संचित-नाश में स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ (Sterling Securities) रखकर उनके बल पर नोट चक्रान का अधिकार था। परन्तु जब भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-बाजार का सदस्य हो गया तो रिजर्व बैंक केवल स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ रखने पर नष्ट करके अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार के सर्व सदस्यों का नियन्त्रितार्थक अर्थात् प्रतिभूतियाँ रखने पर नष्ट करना सकता है। अब हमारा देश में नाण्य-व्यवस्था पद्याप्त नाचदार है। १ जनवरी १९६८ में रिजर्व बैंक द्वारा प्रतिभूतियाँ का राष्ट्रीयकरण हुआ तब से रिजर्व बैंक द्वारा नोट चक्रान का उत्तरदायित्व धारण सरकार का भा उत्तरदायित्व बन गया है।

संघ में भारत का वर्तमान पत्र मुद्रा (नोट) व्यवस्था की मुख्य विशेषताएँ हैं—(१) परिवर्तनीयता एवं अपरिवर्तनीयता दोन प्रकार के भाग का प्रचलन (२) नोट चक्रान के बहिष्कृत मिश्रण का पानन और (३) आनुपातिक-नाश प्रणाली के प्रयोग नोटों का चलन।

एन सर्वोत्तम या आदर्श पत्र मुद्रा प्रणाली के मुख्य—एक मर्यादा या आदर्श पत्र मुद्रा प्रणाली में निम्नलिखित छह बातें चाहिए—

(१) लवण (Elasticity)—पत्र मुद्रा प्रणाली ऐसा लवण चाहिए जिसके अन्तर्गत पत्र का प्रसार एवं संकुचन देश के आर्थिक एवं व्यापारिक आवश्यकताओं के अनुसार हो सके और नियम वस्तुओं व मुख्य स्थिर रहे सके।

(२) मितव्ययता (Economy)—पत्र मुद्रा प्रणाली ऐसा लवण चाहिए जिसमें न्यूनतम मात्राओं का कम-से-कम प्रयोग हो सके और अर्थिक विकास का अर्थिक विकास हो सके।

(३) परिवर्तनीयता (Convertibility)—पत्र मुद्रा प्रणाली का आकार लवणता का विश्वाम है। अर्थात् लवणता में उभर प्रति अर्थ और विश्वाम उत्पन्न करने व नियम कागजात भाग का भाग पर मान या बाजार में लवणता लवण आवश्यक है। यह कार्य उपयुक्त गति व बाजार व बाजार (रिजर्व) द्वारा अर्थ प्रसार सम्पन्न हो सकता है।

(४) स्वयं चलन लवणता (Automatic)—विश्वाम देश का मुद्रा प्रणाली में यह भी विशेषता होना चाहिए कि वह उस समय व लवण देश में विदेशी में मान्यता पर्यन्त मान्यता में अर्थ रखा हो और उस समय धन जबकि मान्यता विदेशी का जा रहा हो यह बात तथा सम्भव है जब अर्थिक व अर्थिक देश में अर्थिक व अर्थिक व देश में मान्यता अर्थ पर मुद्रा का लवण हो तथा अर्थ में मान्यता अर्थ पर मुद्रा का लवण कर रहा हो। एका १९१८-१९ के महापुरुष में अर्थिक लवणता का।

(५) अर्थिक विदेशी व विदेशी मुद्रा (Safety against over issue)—पत्र मुद्रा में अर्थिक विदेशी का अर्थिक लवण होना है। अर्थिक पत्र मुद्रा

प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसमें मुद्रा प्रसार आवश्यकता में अधिक न होने पावे क्योंकि इससे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ।

(६) मूल्यों में स्थिरता (Stability)—प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि पत्र-मुद्रा के आंतरिक एवं बाह्य मूल्यों में स्थिरता रहे सके ।

(७) अनिश्चितता रहित (Free from Uncertainty)—देश में प्रचलित मुद्रा प्रणाली ऐसी होनी चाहिये कि उसमें किसी प्रकार की भी अनिश्चितता न हो । मुद्रा सम्बन्धी देश में प्रचलित कानून निश्चित एवं विश्वास पैदा करने वाले होने चाहिए ।

(८) सरलता (Simplicity)—पत्र मुद्रा प्रणाली सरल सुगम एवं साधारण होनी चाहिये ताकि प्रत्येक नागरिक उसे समझ सके ।

विविध पत्र मुद्रा प्रकाशन प्रणालियाँ—पत्र मुद्रा चलाने की मुख्य प्रणालियाँ निम्नलिखित हैं—

(१) निश्चित अरक्षित या विश्वासार्थित प्रणाली (Fixed Fiduciary Issue System)—इस प्रणाली के अनुसार केन्द्रीय बैंक को एक निश्चित राशि के नोट बिना किसी सोने व चांदी के कोष (रिजर्व) के निकालने का अधिकार दे दिया जाता है । नोटों के इस भाग को अरक्षित भाग (Fiduciary portion) कहते हैं और यह राज्य प्रतिभूतियाँ के आधार पर निकाला जाता है । परन्तु इस भाग के ऊपर जो नोट निकाले जाते हैं उनके लिये तब प्रतिभूत सोने व चांदी का रिजर्व रखा जाता है । भारतवर्ष में सन् १८६१ में नोट चलाने के लिये यह प्रणाली काम में लाई गई थी । इससे प्रस्तावित ४ करोड़ रुपये के नोट प्रतिभूतियाँ (securities) के बन्धन पर चलाए जा सकने से और इसमें अभिव नोट चलाने के लिए अपने पास सोने चांदी का रिजर्व रखना पड़ता था । सर्व शर्त प्रतिभूतियों के बन्धन पर चलाये जाने वाले नोटों का मूल्य बढ़ाया जाता रहा और प्रथम महापुद्गल-काल में १२० करोड़ तक पहुँच गया । सन् १८४४ में जब इंग्लैंड में इस प्रकार की मुद्रा प्रणाली लागू की गई थी तब कुल १४० लाख पाउंड के नोट प्रतिभूतियाँ के आधार पर छप गये थे ।

गुरा दोष—इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें मुद्रा-स्फोर्ण (Inflation) का भय नहीं रहता क्योंकि निश्चित सीमा के ऊपर नोट छपवाने में तब प्रतिभूत सोने चांदी कोष में रखना पड़ता है । इसका दूसरा दोष यह है कि इसमें नोट परिवर्तनशील होते हैं क्योंकि अप्रभूत भाग के ऊपर एक पाउंड के बदले एक पाउंड सोना रखना पड़ता है । परन्तु इस प्रणाली में नोटों की लोच (Elasticity) समाप्त हो जाती है क्योंकि नोट बढ़ाने के लिये पहले सोना चाहिए ।

(२) अनुपातिक वाप प्रणाली (Proportional Reserve System)—इस प्रणाली के अन्तर्गत नोट चलाने वाले बैंक को अपने नोटों के बदले कानून द्वारा सोना या चांदी की निश्चित मात्रा सुरक्षित कोष (Reserve) बन्धन में रखनी पड़ती है । भारतवर्ष में चालू नोटों के बदले में बैंक में बैंक ४० प्रतिशत भाग सोना सोने के सिक्के तथा सोने की प्रतिभूतियाँ में रखना पड़ता है । नोटों के बदले में रखे जाने वाले सोने की मात्रा भिन्न भिन्न देशों में भिन्न भिन्न है । भारत के अनिश्चित यह प्रणाली अमेरिका, जर्मनी, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, कॅनडा, सर्वेटाइला, यूजीनड, यूगोस्लेविया आदि देशों में अपनाई जाती है ।

**मुद्रा-दोष**—इस प्रणाली का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि इसके अनुसार पद-मुद्रा-प्रणाली लोचदार हो जाती है अर्थात् देश की आवश्यकतानुसार नोटा की मात्रा में अनुसूचितता की जा सकती है। इस प्रणाली का सबसे बड़ा दोष यह है कि देश में से कभी सोना बाहर जान लगे और केन्द्रीय बैंक के कोष में से सोने की मात्रा कम हो जाय ता नोटा का चलने में एक साथ रोक कर उनकी मात्रा कम करनी पड़ेगी। इस प्रकार देश में नोटा की कभी पट सकती है। इस प्रणाली में यह भी दोष है कि थोड़ा सा सोना कोष में बढ़ने से उसमें अधिक मुद्रा के नोट छापे जा सकते हैं जिससे देश में मुद्रा-स्फीति हान का भय सदा बना रहता है।

(३) निश्चित अधिकतम सीमा-प्रणाली (Fixed Maximum Limit System)—इस प्रणाली के अनुसार एक अधिकतम सीमा निश्चित कर दी जाती है जिससे ऊपर नाट नहीं छप सकते। इस सीमा के भीतर केन्द्रीय बैंक विना किसी स्वयं रक्षित बाप के फल सरकारी साल-सत्रा के प्राधार पर नोट प्रकाशित कर सकता है। प्राय यह अधिकतम सीमा नोटा के शीतत वार्षिक भणन से साधारणतया ऊँची रखी जाती है।

**मुद्रा-दोष**—इस प्रणाली के अन्तर्गत देश में मुद्रा स्फीति होने का भय कम रहता है। परन्तु इस प्रणाली में एक बड़ा भारी दोष यह है कि इसमें देश की पद-मुद्रा व्यवस्था मानास्य नहीं बन सकती। इसमें दूसरा दोष यह है कि इस प्रकार नोट चलाने में अनिश्चितता रहती है।

(४) साधारण जमा पद्धति (Simple Deposit System)—इस प्रणाली के अन्तर्गत नाटा के पूर्य के बराबर ही बाप में स्वयं रखना पड़ता है।

**मुद्रा-दोष**—इस प्रणाली के अन्तर्गत नोट पूर्ण रूप से बढ़ते जा सकते हैं और मुद्रा-स्फीति का भय भी नहीं रहता। परन्तु यह प्रणाली बहुत ही कम लचीली है और लचीली है। इसमें बहुत सा सोना आवश्यक रूप से स्वयं-कोष में पड़ा रहता है और उसका कुछ उपयोग नहीं हो सकता।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—द्रव्य का आरम्भ कैसे हुआ ? द्रव्य के प्रधान कार्यों का विस्तारपूर्वक विवेचन कीजिए।

२—पूर्ण रूप से समझा कर लिखिये :—

भारतीय रुपया प्रामाणिक-मानेतिव निरवा है।

३—मुद्रा की परिभाषा दीजिये और उसके मुख्य कार्य बताइये।

४—मुद्रा का आरम्भ कैसे हुआ ? मुद्रा के मुख्य कार्य क्या हैं ? भारत की मुद्रा के क्या लाभ हैं ?

५—मुख्य सिक्के (Standard Coins) और उप-सिक्के (Token Coins) में भेद बताइये।  
( रा० बी० १९५६ )

६—“मुद्रा वह है जो मुद्रा का काम करती है।”—इस कथन की व्याख्या कीजिये।  
मुद्रा के मुख्य कार्य क्या हैं ?  
( रा० बी० १९५७, ५५ )

७—अच्छी मुद्रा के गुण पर टिप्पणी लिखिये।  
( रा० बी० १९५० )



- ८—मुद्रा के क्या कार्य हैं ? क्या वस्तु विनिमय व्यवधिना है ? (अ० बो० १६६०)
- ९—मुद्रा के मूल्य ह्रास, मुद्रा की पिसाबट, मुद्रा का अवमूल्यन इन तीनों में अन्तर बताइये । (अ० बो० १६५७)
- १०—मुद्रा के क्या कार्य हैं ? वस्तु-परिवर्तन को प्रयास का करो अन्त होता जा रहा है ? (अ० बो० १६५६)
- ११—कागजी-मुद्रा—उसके लाभ और हानियों पर टिप्पणियाँ लिखिये । (म० भा० १६५६)
- १२—मुद्रा क्या है ? इसके कार्यों को तथा उपभोक्ताप्राप्ति को इनके लाभों को पूर्णतया व्याख्या कीजिये । (सागर १६५६)
- १३—कागजी मुद्रा के लाभ और हानि को पूर्णतया स्पष्ट कीजिए । कागजी मुद्रा धात्विक मुद्रा से किस प्रकार उत्तम है ? (रा० बो० १६५६)
- इष्टर एप्रोक्लन्वर परोक्षाण
- १४—मुद्रा को परिभाषा लिखिये । इसके कार्यों का पूर्णतया वर्णन कीजिये । (अ० बो० १६५७)
- १५—मुद्रा क्या है ? कितने प्रकार के मुद्रामा में आप परिचित हैं ? भारत का किनात क्या धातु-मुद्रा को ही अधिक प्रधानता देना है ? (अ० बो० १६५६)

मुद्रा का मान, ग्रेशम का नियम,

मुद्रा का परिमाण-सिद्धान्त,  
मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन ।

(Monetary Standard, Gresham's Law,  
Quantity Theory of Money & changes  
in the Value of Money)

### मुद्रा का मान


(Monetary Standard)

मुद्रा के मान का अर्थ एवं परिभाषा—जिस प्रकार भिन्न भिन्न वस्तुओं का मूल्य मुद्रा द्वारा प्रकट किया जाता है, उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य अर्थात् उसकी विनिमय-शक्ति का माप दण्ड दूसरी वस्तुएँ हैं। परन्तु मुद्रा की विनिमय-शक्ति मात्र पदार्थों द्वारा व्यक्त नहीं की जाती बल्कि इन कार्यों के लिये कोई एक वस्तु हाँट ली जाती है और उसी से यह कार्य निष्पादित जाता है। अतः जहाँ जिस वस्तु में मुद्रा की विनिमय-शक्ति व्यक्त की जाती है वहाँ उसी प्रकार का मुद्रा मान होता है। यदि यह कार्य स्वर्ण ( सोने ) से लिया जाता है, तो स्वर्ण-मान ( Gold Standard ) हुआ, यदि रजत ( चाँदी ) से लिया जाता है तो रजत मान ( Silver Standard ) हुआ, और यदि कागज से लिया जाता है, तो कागज या पत्र-मान ( Paper Standard ) हुआ। कभी-कभी एक देश की मुद्रा दूसरे देश की मुद्रा के आधित रहती है, तो ऐसी दशा में इसे विनिमय-मान ( Exchange Standard ) कहें। अन्तु, मुद्रा का मान वह आधार है जिसके अनुसार किसी देश की मुद्रा का संचालन, नियंत्रण और मूल्य-निर्धारण किया जाता है। विभिन्न देशों में इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये केवल सोने अथवा सोने-चाँदी दोनों अथवा कागज की मुद्रा प्रचलित की जाती है। तद्यु मुगलतान के लिये विभिन्न धातुओं में बने सख्तिव मित्रकों का प्रयोग किया जाता है। मुद्रा-मान को मुद्रा-प्रणाली ( Monetary System ) भी कहते हैं।

मुद्रा-मान के प्रकार ( Kinds )—मुद्रा मान मुख्यतः निम्न प्रकार के होते हैं.—

(१) एक धातुमान ( Mono-metallism ), (२) द्वि-धातुमान ( Bi-metallism ), (३) पगु द्विधातुमान (Lumping Bi-metallism), (४) पत्र-मान (Paper Money), और (५) विनिमय-मान (Exchange Standard)

मुद्रा-मान (Monetary Standard)



(क) रजत मान (Silver Standard) (ख) स्वर्ण-मान (Gold Standard)

स्वर्ण चलन मान

(Gold Currency Standard)

स्वर्ण धातु-मान

(Gold Bullion Standard)

स्वर्ण विनिमय मान

(Gold Exchange Standard)

(१) एक धातुमान ( Mono-metallism )—वह मुद्रा प्रणाली है जिसके अन्तर्गत देश की प्रामाणिक मुद्रा ( Standard Money ) एक ही धातु की बनी हुई होती है। एक-धातुमान के अन्तर्गत किसी एक ही धातु ( प्रायः सोने या चाँदी ) के सिक्के देश की प्रामाणिक मुद्रा के रूप में चलते हैं। इन्हीं के द्वारा देश में वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य-मापन किया जाता है तथा इन्हीं के माध्यम से देश में प्रचलित अन्य सार्वजनिक मुद्राओं का मूल्यांकन सम्भव होता है।

एक धातुमान की विशेषताएँ ( Characteristics )

(१) इसमें केवल एक ही धातु के सिक्के प्रामाणिक सिक्के होते हैं। (२) ये सिक्के असंमित विधिप्राह ( Unlimited Legal Tender ) होते हैं। (३) उन धातु की स्वतन्त्र मुद्रा बनाई ( Free Coinage ) होती है, अर्थात् कोई भी व्यक्ति उस धातु को ले जाकर उसके बदले में सरकारी टंकालय में सिक्के बनवा सकता है। (४) प्रामाणिक मुद्रा के प्रतिरिक्त देश में अन्य प्रकार की सार्वजनिक मुद्राएँ भी प्रचलित होती हैं, ये मुद्राएँ वागज या किसी गस्ती धातु की बनी होती हैं तथा ये सीमित विधिप्राह ( Limited Legal Tender ) होती हैं। (५) इन सार्वजनिक मुद्राओं को किसी भी समय सोने या चाँदी में बदला जा सकता है।

चलन—१९३३ के पूर्व अमेरिका में एक-धातुमान का चलन था जिसके प्रसारण नहीं होने का उद्देश्य प्रामाणिक मुद्रा के रूप में चलना था। मई १९३३ में पूर्व हमारे देश में भी एक धातु प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें चाँदी का एकमात्र प्रामाणिक मुद्रा के रूप में चलना था।

एक धातुमान के भेद—एक धातुमान में प्रामाणिक निरहा बनाने के विधि प्रायः चाँदी या सोना काम में लाया जाता है। ऐसी स्थिति में एक-धातुमान दो प्रकार का हो सकता है—रजत ( चाँदी ) मान प्रणाली स्वर्ण ( सोना ) मान।

(घ) रजत मान ( Silver Standard )—जिस प्रणाली का आधार चांदी होता है उसे रजत-मान कहते हैं।

विशेषताएं (Characteristics)

(१) चांदी की मुद्रा प्रामाणिक मुद्रा होती है तथा वह अनिर्मित विधिबद्ध होती है। (२) चांदी की मुद्रा की स्वतन्त्र मुद्रा बनाई जाती है। (३) यदि साथ ही म पत्र मुद्रा चलती है तो वह चांदी की मुद्रा में बदली जा सकती है। (४) चांदी की मुद्रा के अतिरिक्त अन्य प्रकार के सहायक ( मासिक ) सिक्के भी चलते हैं, परन्तु ये सीमित विधिबद्ध होते हैं।

चलन—रजत-मान का सबसे बड़ा दोष यह है कि चांदी के मूल्य में बहुत घटाव हो जाता है। इसी कारण आञ्चलिक इकाई किमी भी देश में मुद्रा-मान के रूप में व्यवहार नहीं हो रहा है। कबल चीन और हांगकांग बहुत समय तक इसका इम रूप में व्यवहार करते रहे, परन्तु उन्होंने भी नवम्बर १९३५ में इसे त्याग दिया।

भारतवर्ष में रजत-मान—भारतवर्ष में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में सन् १६३५ के अनुसार रजत-मान स्थापित किया गया था जिसके अन्तर्गत चांदी का रूपया देश की प्रामाणिक मुद्रा बना दी गई। इस रूपये में ११ मासे ( १६५ ग्रैम ) चांदी और एक मासे मिश्र धातु ( Alloy ) था। रूपये की स्वतन्त्र मुद्रा बनाई थी तथा वह अन्तर्गत विधिबद्ध था। रूपये के अतिरिक्त अन्य प्रकार के छोटे सिक्के भी चलते थे। इनका मूल्य रूपये के साथ सम्बन्धित था तथा इनको रूपये या चांदी में बदलवाया जा सकता था। परन्तु १८७१ के पश्चात् चांदी का मूल्य गिरने लगा जिससे फलस्वरूप रूपये का मूल्य भी घटने लगा। अन्त में १८६३ में स्वतन्त्र मुद्रा बनाई स्थापित कर दी गई जिसमें रजत मान समाप्त हो गया।

(घ) स्वर्ण-मान ( Gold Standard )—वह मुद्रा प्रणाली है जिसके अन्तर्गत देश की प्रामाणिक मुद्रा सोने की बनी हुई होती है अथवा उसका मूल्य सोने में निर्धारित होता है। रॉबर्टसन (Robertson) के शब्दों में 'स्वर्ण-मान उस देश को कहते हैं जिसमें कोई देश अपनी मुद्रा की इकाई का मूल्य और सोने के एक निश्चित तोल का मूल्य एक-दूसरे के बराबर रखता है।'

स्वर्णमान के भेद—स्वर्णमान के मुख्य रूप निम्नलिखित हैं :—

(१) स्वर्ण-मुद्रा-मान, (२) स्वर्ण धातु मान और (३) स्वर्ण विनिमय मान।

(१) स्वर्ण-मुद्रा मान ( Gold Currency Standard )—वह है जिसके अन्तर्गत सोने के सिक्के देश में प्रामाणिक मुद्रा के रूप में चलते हैं। ये सिक्के विनिमय माध्यम का काम भी करते हैं और मूल्य मापन के काम में भी आते हैं। इनके अतिरिक्त देश में अन्य प्रकार की मुद्राएँ भी प्रचलित होती हैं, परन्तु उनका मूल्य सोने के प्रामाणिक सिक्के के साथ सम्बन्धित होता है तथा इनको सोने में या सोने के प्रामाणिक सिक्के में बदलवाया जा सकता है और यदि साथ ही साथ पत्र मुद्रा अर्थात् बाणज के नोट भी चलते हैं तो वे सोने की मुद्राओं में परिवर्तनीय होते हैं।

चलन—स्वर्ण-मुद्रा मान सबसे पहले ग्रेट ब्रिटेन में सन् १८१६ में चालू किया गया था, यद्यपि बाद में संसार के अन्य देशों ने भी आदर्श मानकर उसको अपना लिया। परन्तु प्रथम महायुद्ध-काल तथा उसके बाद स्वर्ण-मुद्रा-मान का चलन बन्द हो गया और उसके स्थान में अन्य प्रकार के स्वर्ण-मान चलने लगे।

### विशेषताएँ (Characteristics)

(१) सोना मूल्य-मापन तथा विनिमय-माध्यम दोनों का काम करता है। (२) स्वर्ण-मुद्रा-मान के अन्तर्गत सोने के सिक्के प्रामाणिक मुद्रा के रूप में चलते हैं। (३) सोने के सिक्कों की स्वतन्त्र मुद्रा बनाने की शक्ति होती है। (४) सोने के घापात-निर्गत पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। (५) सोने के सिक्कों के साथ कागज के नोट तथा अन्य प्रकार के सिक्के चलते हैं जो सोने के सिक्कों में परवर्तनीय होते हैं।

(२) स्वर्ण-धातु-मान (Gold Bullion Standard)—बहु मुद्रा प्रणाली है जिसके अन्तर्गत सोना 'मूल्य-मापन' का काम करता है परन्तु 'विनिमय-माध्यम' का काम नहीं करता अर्थात् सोने के सिक्के नहीं चलाये जाते। देश में कागज के नोट तथा चाँदी के सिक्के चलाये जाते हैं, परन्तु इनके बदले में सोना (धातु के रूप में) लिया जा सकता है। सोने के घापात-निर्गत पर भी किसी प्रकार का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। देश की सरकार निश्चित दर पर जनता को सोना बेचती है तथा जनता से खरीदती है।

चलन—प्रथम महायुद्ध के पश्चात् स्वर्ण-मुद्रा-मान को चलाना प्रयत्नवत् था। इस कारण उस समय स्वर्ण-धातु-मान चलन में आया। स्वर्ण-धातु मान उन सब देशों में ग्रहण किया जिनके पास पर्याप्त मात्रा में स्वर्ण कोष था। इस प्रकार इस मान को १९२५ में इंग्लैंड ने, १९१८ में फ्रांस ने तथा १९३४ में अमेरिका ने स्वर्ण कोष-एक्ट पास करके एक दूसरे रूप में ग्रहण किया। सन् १९२५ में हिल्डन-यंग कमिशन ने भारत के लिये भी इसी मान को ग्रहण करने का सुझाव दिया था। भारत सरकार ने गुभाव को मान लिया और सन् १९२७ से १९३१ तक भारत में भी पहले के लिये यही मान रहा पर पश्चात् में इस देश में 'स्टैलिज़्ड-विनिमय मान' रहा।

### विशेषताएँ (Characteristics)

(१) स्वर्ण-धातु-मान के अन्तर्गत सोना केवल 'मूल्य-मापन' का ही काम करता है। (२) स्वर्ण-धातु मान के अन्तर्गत सोने के सिक्के नहीं चलाये जाते। (३) कागज के नोट, चाँदी के सिक्के तथा अन्य प्रकार के महासक सिक्के चलते हैं जो सोने में परिवर्तनीय होते हैं। (४) सिक्कों व नोटों के बदले में निश्चित दर पर तथा निश्चित-राशि में सोना खरीदा जा सकता है। (५) सोना किसी भी काम के लिये खरीदा जा सकता है। (६) सोने के घापात-निर्गत पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। (७) सोने के प्रत्येक विषय का काम सरकार का होता है जिसके लिये सरकार को सोने का एक कोष रखना पड़ता है।

(२) स्वर्ण-विनिमय-मान (Gold Exchange Standard)—बहु मुद्रा-प्रणाली है जिसके अन्तर्गत स्वर्ण धातु-मान को भाँति सोने के सिक्के नहीं चलाये जाते। सोना केवल विदेशी भुगतान के लिये ही प्रयुक्त किया जाता है। देश के आन्तरिक प्रयोग के लिये पत्र-मुद्रा तथा चाँदी के सिक्के

और अर्थ महापत्र सिद्ध चलाय जाय है जिनका सूत्र्य गूढ सात का निश्चित माना न निर्धारित किया जाता है। एम में चयन वाली मासिक मग का मूल स्थाया रखने का काम सरकार का होता है।

चयन स्वयं विनिमय मान का मूल प्रथम मन् १९०३ में शत्रुघ्न न चातु किया था। फिर मन् १९६२ में एम और आम्बिया व एगरो न भा इय अपना विधा या प्रथम मन्त्रालय व कानून भा मध्य पूराय व वृद्ध देना न एयवा अयमान का प्रयत्न किया। मन् १९०० का दिववा कानून न भा एम मान का प्रयोग करने का सुझाव दिया था।

### विशेषताएँ (Characteristics)

(१) मान व निश्चय देना चयन था। माना विनिमय माध्यम का काम तथा करना वरन मूल भागन का काम ही करता है। (२) एम में धार्मिक प्रयोग व दिव गज मग चाय व निवत तथा अय प्रसार न मन्त निश्च चलाय जाय है जिनका मूल मान व माधु गाइयित कर दिया जाता है। (३) विद्या भुगतान व दिव सरकार निश्चित मूल पर एम माना व मिला व एम में मान एम का वाध्य होता है। सरकार मन्त्रा य मान एम का धार्मिक अय मग भा न सकता है। (४) माना चयन विद्या भुगतान करने व दिव ही मगदा या सकता है एम कामा व दिव नही। (५) मान का मूल्य धारण निर्गत नही माना। (६) माना चयन का काम सरकार का होता है। एम दिव सरकार का दा वाय बनाने रखन पन्त न—एक एम में और दूसरा विद्या म।

भारत में स्वयं विनिमय मान—भारत में मन् एडवि १९०३ में स्थापित एम और प्रथम मन्त्रालय-कानून चयना एम। उम मम १ मया १ पि० ६ प० व वगवत देना दिया गया। एम दर पर १ पाउ १५ मय व वगवत देना था। भारत सरकार व पाय दा वाय न—एक वाय न गजट में भारत मन्त्रा व पाय एम था और दूसरा वाय भारत में मया देना था। एम एडवि नवमय १९१७ तक चयना एम। प्रथम महापुत्र म चाय व मूल्य म वृत्ति हाल में मय व मूल्य म वृद्धि करना एम और मय का मूल्य ० पि० ६ प० तक एम गज और अल म मय व मूल्य व परिचयन व वायन एम प्रयाय का गहनता पना। मन् १९२७ में मन् १९२१ तक या प्रयाय देना म प्रचलित एम एम भा स्वयं विनिमय मान तथा स्वयं चयन का मन्त्रालय था।

विनमय १९३१ में एम न स्वयं मान एम का परिचय कर दिया निश्च कारण भारत व स्वयं विनिमय मान का चयन न गया भारतय व मय का मूल एम व कायना नाम (Sterling) में १ पि० ६ प० व वगवत निर्धारित कर दिया। भारतय का सरकार एम भाव पर एम का पत्र मग का मन्त्रालय वय विद्या कर सकता था एम प्रयाय का मन्त्रालय विनिमय मान (Sterling Exchange Standard) बनाने व प्रयाय मासिक व दिव देना धार्मिक सिद्ध एम। मन् १९२१ में मय और मन्त्रालय का प्रयाय देनाय रखने का उत्तराधिकारी एम व व मूल्य कर दिया गया था। १ प्रथम मन् १९४० में मय का मन्त्रालय मन्त्रालय एम और भारत व प्रयाय वय का मन्त्रालय मान व वायन एम का अन्तर्गत मग मान ही गया।

(२) द्वि धातुमान (Bi metallism)—यह प्रणाली है जिसके अन्तर्गत दो धातुओं (प्रायः सोने या चाँदी) के सिक्के अलग-अलग मुद्रा के रूप में चलते हैं। दोनों धातुओं के सिक्के असीमित विधिबद्ध होते हैं और इनकी स्वतन्त्र ढलाई होती है। दोनों सिक्के एक ही नाम, रूप और मान के होने से तथा दोनों की एक ही मान्यता होनी है। दोनों धातुओं की विनिमय दर अर्थात् टकराती दर ( Mint Ratio ) कानून द्वारा निर्दिष्ट की जाती है जिसे वह कि वे स्वतन्त्रतापूर्वक बदले जा सकते हैं। दोनों धातुओं के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता।

### विशेषताएँ (Characteristics)

(१) दो धातुओं के सिक्के अलग अलग प्रामाणिक सिक्के माने जाते हैं। (२) दोनों प्रकार के सिक्के असीमित विधिबद्ध होते हैं। (३) दोनों धातुओं के सिक्के का वारम्परिक विनिमय मूल्य कानून द्वारा निर्धारित होता है। (४) दोनों धातुओं की स्वतन्त्र ढलाई होती है। (५) दोनों धातुओं के सिक्के का 'अंकित मूल्य उनके वास्तविक मूल्य' मुद्रा के बराबर होता है। (६) दोनों धातुओं के सिक्के विनिमय माध्यम (Medium of Exchange) तथा मूल्य मापन ( Measure of Value ) का काम करते हैं। (७) दोनों धातुओं के आयात निर्यात पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता।

चलन—द्वि धातुमान का प्रचार १६ वीं शताब्दी से प्रारम्भ हुआ। फ्रांस ने इसका मूल १८०३ में प्रारम्भ किया और मूल १८७४ में त्याग दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने द्वि धातुमान को १७६२ में अपनाया और यह वहाँ मूल १८७३ तक प्रचलित रहा। मूल १८६५ में फ्रांस, बेल्जियम, इटली व स्विट्जरलैंड आदि देशों ने द्वि धातुमान को लागू रखने के लिये एक 'लैटिन संघ (Latin Union)' बनाया परन्तु यह प्रयत्न कुछ समय तक ही चल सका और अन्त में उल्टा ही व्यापन हो पड़ा। इसका मूल्य तथा कारण यह था कि दोनों धातुओं की निश्चित विनिमय दर स्थिर नहीं रखी जा सकी। कभी सोने की तुलना में चाँदी सस्ती हो जाती थी और कभी चाँदी की तुलना में सोना सस्ता हो जाता था जिससे 'ग्रेसबाम का नियम' (Gresham's Law) लागू हो जाता था।

उदाहरण—मान लीजिये, किसी देश में सोने और चाँदी दो धातुओं के सिक्के प्रचलित हैं और उनकी वारम्परिक विनिमय दर अर्थात् उनका 'कानूनी मूल्य (Legal Value)' या 'टकराती दर' ( Mint Ratio ) ११५ है। इसका अर्थ यह है कि १ सोने के सिक्के के बराबर १५ चाँदी के सिक्के मिल सकते हैं। अब यदि सोने की कीमत में वृद्धि हो जाती है, तो चाँदी के सिक्के मान के सिक्के की तुलना में सस्ते हो जायेंगे। सोने की कीमत यह अनुपात १५ हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि १ सोने के सिक्के के बराबर १५ ही चाँदी के सिक्के प्राप्त होते हैं, अर्थात् चाँदी का वास्तविक मूल्य बढ़ गया और सोने का गिर गया। दूसरे शब्दों में यह कहिये कि चाँदी का अधिमूल्य ( Over valuation ) हुआ गया और सोने का अधामूल्य ( Under-valuation ) हो गया। ऐसी परिस्थिति में चाँदी भी व्यक्ति चाँदी लेकर उसका मूल्य इतना ही पसन्द नहीं करेगा और न चाँदी की कीमत १५ चाँदी

के सिक्के देकर १ सोने का सिक्का ही लेना पसन्द करता, क्योंकि बाजार में चाँदी का मूल्य बढ़ जाने के कारण १५ चाँदी के सिक्कों के बदले में १ सोने के सिक्के से अधिक मिल सकेगा। अब तो प्रत्येक व्यक्ति सोना से जाकर उसने सिक्के बनवाने लगेगा जिसके परिणाम-स्वरूप देश में सोने ही सोने के सिक्के बिल्लाई दंगे और चाँदी के सिक्के अदृश्य हो जायेंगे। इसका कारण स्पष्ट है। चाँदी का मूल्य बढ़ जाने में लोग चाँदी को गला गला कर धातु के रूप में बेचने लगेंगे या विदेशी भुगतान के लिये विदेशी में निर्यात कर देंगे। इस प्रकार दोनों धातुओं के वास्तवी या टुकसाली दर में विपत्ता हो जायगी।

इसके विपरीत, यदि चाँदी की पूर्ति में वृद्धि हो जाती है, तो सोने की तुलना में चाँदी सस्ती हो जायगी। मान लीजिये अब यह अनुपात १ : १७ हो जाता है, अर्थात् सोने का अधिमूल्य हो गया और चाँदी का अधोमूल्य हो गया। अधोमूल्य (Under-valued) धातु अर्थात् चाँदी अधिमूल्य (Over valued) धातु अर्थात् सोने को चलन में बाहर करने लगगी। सोने का मूल्य बढ़ जाने से अब लोग सोने को या तो गला कर धातु के रूप में बेचने लगेंगे अथवा भुगतान करने के लिये विदेशों में भेज देंगे। इसका परिणाम यह होगा कि देश में चाँदी ही चाँदी के सिक्के बिल्लाई दंगे और सोने के सिक्के अदृश्य हो जायेंगे। दूसरे शब्दों में, 'ग्रेसम का नियम' लागू हो जायगा।

(३) पशु-द्वि-धातुमान (Limping Bi-metallism) - यह प्रणाली है जिसके अन्तर्गत दो धातुओं (प्रायः सोने और चाँदी) के सिक्के देश में मुख्य या प्रामाणिक मुद्रा के रूप में चलते हैं तथा वे असीमित विधिप्राप्त होते हैं और दोनों का एक दूसरे में निश्चित अनुपात में सम्बन्ध होना है, किन्तु इनमें से केवल एक ही धातु (प्रायः सोने) की स्वतन्त्र मुद्रा बलाई होती है। दूसरी धातु के सिक्के बालने का एकाधिकार सरकार को ही होता है।

यह प्रणाली मुद्रा द्वि-धातुमान का विकृत और अपूर्ण रूप है। इसलिये इसे पशु अर्थात् लंगटा द्वि-धातुमान कहते हैं। जब कभी देश में मुद्रा द्वि-धातुमान ही परन्तु सैदास के सिद्धान्त के अनुसार एक सिक्का दूसरे सिक्के को चलन में बाहर निवाल दे तो सरकार उन दोनों धातुओं में से सरस्ती धातु की स्वतन्त्र मुद्रा-बलाई बन्द कर देती है। उसी समय पशु-मान (Limping Standard) स्थापित हो जाता है।

विशेषताएँ (Characteristics)

(१) दो धातुओं के सिक्के अलग अलग प्रामाणिक मुद्रा के रूप में चलते हैं।  
 (२) दोनों असीमित विधिप्राप्त होते हैं। (३) दोनों का पारस्परिक मूल्य वास्तव द्वारा निर्धारित किया जाता है। (४) परन्तु केवल एक धातु की ही स्वतन्त्र मुद्रा बलाई होती है।

चलन—यह प्रणाली प्रथम महायुद्ध (१९१४-१८) के पूर्व फ्रांस और अमेरिका में प्रचलित थी तब वहाँ सोने और चाँदी के सिक्के असीमित विधिप्राप्त मुद्रा के रूप में प्रचलित थे। परन्तु स्वतन्त्र मुद्रा बलाई केवल सोने की ही थी।

भारतवर्ष में पशुमान (Limping Standard in India) - भारतवर्ष में फोल्वर कमेटी (Fowler Committee) ने मई १८९८ में पशुमान



स्थापित करने की सिफारिश की थी। उन्होंने यह सिफारिश की थी कि देश में सोने और चांदी दोनों ही धातुओं की मुद्राएँ प्रामाणिक हों, परन्तु स्वतन्त्र मुद्रा बनाई केवल सोने की ही हो।

(४) पत्र मान (Paper Standard)—वह प्रणाली है जिसके अन्तर्गत कागज के नोट ही मुख्य या प्रामाणिक मुद्रा के रूप में विनिमय-माध्यम और मूल्य-मापन का काम करते हैं और जिनका मूल्य किसी भी धातु के साथ निश्चित नहीं किया जाता। ये अपरिमित विधिग्राह्य होते हैं तथा इनका अपना कोई वास्तविक मूल्य नहीं होता। ये केवल सरकारी आज्ञा के कारण ही चलते हैं। इसका यह अभिप्राय नहीं है कि इन कागज के नोटों के बदले बाजार में सोना या चांदी नहीं मिल सकता वरन् इसका यह अभिप्राय है कि इन नोटों के बदले सरकार किसी प्रकार भी सोना या चांदी देने के लिये बाध्य नहीं की जा सकती। इस प्रकार की मुद्रा-प्रणाली प्रायः युद्धकाल या अन्य खराब के समय कार्य रूप में लाई जाती है।

#### विशेषतायें (Characteristics)

(१) पत्र-मुद्रा ही विनिमय माध्यम एवं मूल्य-मापन का काम करती है।  
 (२) पत्र-मुद्रा ही देश की मुख्य एवं प्रामाणिक मुद्रा होती है। (३) ये समीक्षित विधिग्राह्य होते हैं। (४) पत्र-मुद्रा का मूल्य सोने या चांदी से सम्बन्धित नहीं होता और न इसका सोने या चांदी में परिवर्तन ही हो सकता है। (५) मूल्य स्तर में मर्यादा रखने के लिये सरकार द्वारा अथवा केन्द्रीय बैंक द्वारा इस प्रणाली का संचालन किया जाता है। (६) विदेशी ऋणों के भुगतान के लिये देश में स्वर्ण-कोष की आवश्यकता होती है, किन्तु आजकल अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा ऋणों का भुगतान होने के कारण ऐसे कोष की आवश्यकता नहीं पड़ती।

नियंत्रित मुद्रा-प्रणाली (Managed Currency System)—वह मुद्रा प्रणाली है जिसका नियंत्रण एवं संचालन सरकार या केन्द्रीय बैंक द्वारा होता है जो आवश्यकतानुसार नोटों की सख्या कम या अधिक करता रहता है जिससे देश का मूल्य-स्तर सदा ठीक रहे।

(५) विनिमय-मान (Exchange Standard)—वह मुद्रा-प्रणाली है जिसके अन्तर्गत देश के आन्तरिक व्यवहारों के लिये चांदी अथवा कागज की सापेक्षिक मुद्रा उपयोग में लाई जाती है तथा विदेशी विनिमय के लिये उसका सम्बन्ध किसी दूसरे प्रमुख देश की मुद्रा से किसी निश्चित दर पर जोड़ दिया जाता है। जिस देश की मुद्रा के साथ इस प्रकार का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है उसे देश की मुद्रा के पीछेमान की नाम रखा जाता है। जैसे, स्टर्लिंग विनिमय-मान, डालर-विनिमय-मान आदि।

भारतवर्ष में विनिमय मान—भारतवर्ष में मन् १९२५ से १९५७ तक एक रुपया स्टर्लिंग में १ ता० ६ पै० (१= पैस) पर सम्बन्धित रहा। अतः हमारे देश में मार्च १९५७ तक 'स्टर्लिंग विनिमय मान' (Sterling Exchange Standard)

वा। पन्तु जब भारत के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष का सदस्य होने से एक भारतीय रुपय का मूल्य स्वयं म निर्दिष्ट होने से रोप्य स्टैबिलिटी का सम्बन्ध विच्छेद होकर अपना अन्तर्राष्ट्रीय प्राथम्य म स्वतन्त्र हो गया है।

भारतवर्ष का वर्तमान मान - १ अप्रैल १९४७ म गैल्ड-स्टैबिलिटी गठनमे हूट गया। भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (International Monetary Fund) तथा पुनर्निर्माण एवं विकास के अंतर्राष्ट्रीय बैंक (International Bank for Reconstruction & Development) का सदस्य हो गया है। मुद्रा-बाप के मन्त्र मन्त्रियों ने अपना अपना मुद्रा का सम मूल्य (Par Value) मान म व्यक्त कर दिया है। भारत न भी मूल्य का मूल्य नोन म ०.२६६६०१ ग्राम शुद्ध स्वर्ण निर्दिष्ट कर दिया है। इन प्रकार मसार के अधिकांश देना भी मुद्राशा का मूल्य नोन म व्यक्त होने के कारण एक प्रकार से अद्य स्वयं मान पुन ध्यापित हो गया है जिसे अन्तर्गत सात मुद्राशा का मूल्य मापक है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सदस्य देना भी मुद्राएं भारत म बाप की मन्त्रायता म एक वृत्त म बदरी या मक्ली है। परंतु अद्य हम कह सकते हैं कि आज स्वयं मान पुन एक नवान रूप म हमारे सामने प्रस्तुत है जिसमे अधिकांश मुद्राशा का मूल्य मापक है। एम दूसरे शब्दा म हम या भा कह सकते हैं कि आज बहु मुद्रा मान प्रणाली (Multiple Currency Standard) है जिसमे एक मुद्रा का मान मन्त्रायता म सम्बन्ध है। इसलिये हम कह सकते हैं कि वर्तमान समय म भारत म अन्तर्राष्ट्रीय मान (International Standard) है।

उत्तम मुद्रा मान यथवा मुद्रा प्रणाली के लक्षण

(१) मूल्य स्थिरता (Stability in Value)—उत्तम मुद्रा-मान यथवा मुद्रा प्रणाली का मन्त्रायता वृत्त यह है कि मुद्रा का मूल्य स्थिर रहे। मुद्रा का मूल्य म स्थिरता होने से मन्त्रायता व विभिन्न वर्गों, व्यापार, व्यवसाय तथा आर्थिक जीवन पर बुरा प्रभाव पन्ता है।

(२) लच (Elasticity)—मुद्रा मान प्रणाली म लच का होना भी आवश्यक है जिससे का व्यापारिक आवश्यकता के अनुसार मुद्रा का परिमाण धरया बढ़ाया जा सके। मुद्रा का मूल्य म स्थिरता जान के लिये मुद्रा मान म लच होना आवश्यक है।

(३) सरलता (Simplicity)—मुद्रा प्रणाली जटिल नहीं होनी चाहिए। यह ऐसी सरल और बोधगम्य हो कि साधारण जनता भी उसे सरलतापूर्वक समझ सके।

(४) मितव्ययता (Economy)—मुद्रा पद्धति ऐसी होनी चाहिए कि जिसमे अधिक व्यय न हो। न तो उसे चलान के लिये मूल्यवान धातुशा की आवश्यकता होनी चाहिए और न उसके प्रचलन एवं संचालन म अधिक व्यय होना चाहिए। स्वयं मुद्रा मान और स्वयं धातु मान प्रणालियाँ बहुत लचीली हैं, यन् उनके चलान के लिये बहुत व्यय करना पडता है।

(५) स्वयं पूर्ण कार्यशीलता (Automaticity)—मुद्रा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो स्वयं ही चलती रहे और जिसमे सरकार के हस्तक्षेप का अधिक आवश्यकता न हो। निम्न पद्धति म सरकार का हस्तक्षेप अधिक होता है उसमे जनता का विश्वास कम हो जाता है यन् मुद्रा प्रणाली स्वयं पूर्ण कार्यशील होना चाहिए जिसमे उच्च प्रतिस्तिचलता न रहे।

(६) जनता का विश्वास (Public Confidence)—बुद्ध लोगो के मना नुसार एक उत्तम या श्राव्य मुद्रा प्रणाली का विशेष गुण यह है कि वह जनता में घबरा स्याम बना ले और लोगो का उमम विश्वास हो । यदि जनता का उमम विश्वास न होगा ता मरल म मरल प्रणाली का चलाना भी कठिन हो जायगा । विश्वास बनाने व नियम प्रणाली में मूल्य स्थिरता लाने को सामर्थ्य होनी चाहिए ।<sup>1</sup>

सारांश—मुद्रा प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जिसके अंतगत छोटे वर मूल्य की सब प्रकार की मुद्राएँ चल सकें जिसमें छोटे माट मर प्रकार व भुगताना म सुविधा रहे । मुद्रा प्रणाली लोबदार, कम सचौली, मरत तथा एनी होना चाहिए जिसमें परिवर्तन के अनुकूल परिवर्तन हो सके ।

### ग्रेशम का नियम (Gresham's Law)

परिचय (Introduction)—ग्रेशम का नियम मनुष्य के स्वभाव पर प्राधा रित है । जब नये या अच्छे और गुणने या घिन रूप सिक्के मपान रूपा व विधियाएँ होने हैं, तो मनुष्य अपने खरीद व नियम प्रायः पुराने या घिमे हुए सिक्के हा काम म लाने है और अच्छे या नया सिक्का अपने पास मचित रखने हैं । उदाहरणार्थ किमी मनुष्य की जेब म एक छोटा या घिमा रुपया तथा एक अच्छा या नया रुपया हो तो वह पहन घिन या गाल रुपय का चलाने वा हो प्रयत्न करता है । एगो प्रकार यदि किमी व्यक्ति व पास एक चाँदी का सिक्का हो और दूसरा कागज का नोट हो, ता स्वभावतः वह व्यक्ति चाँदी के सिक्के का अपने पास रखता है और नोट में भुगतान करता है । यदि किमी व पास एक शिल्कुल नया नोट हो और दूसरा मैला हो ता वह मैल नोट का पहन चलाने का प्रयत्न करता है और नये नोट को अपने पास रख लेता है । इन सब उदाहरणों म यह स्पष्ट है कि बुरी या दुर्घिन मुद्राओं का लोग चलाने का प्रयत्न करत है और अच्छी या नई मुद्राओं का अपने पास साँचत कर रख लेत है । यह मनुष्य की मानसिक प्रवृत्ति ही ग्रेशम का नियम है ।

इस नियम का नाम मर टॉमस ग्रेशम (Sir Thomas Gresham) के नाम व पीछे रखा गया है जो कि लन्दन का एक प्रसिद्ध व्यापारी था और इङ्गलंड की महारानी एलिजाबेथ (Elizabeth) का आर्थिक सलाहकार था । एलिजाबेथ व पहन ल्यूडर (Luder) राजाशा ने बहुत ही निष्पट और घिमी हुई मुद्राएँ चला रखी थीं जा इङ्गलंड जेब मनुष्यगाली देव क नियमशाशा की बात नहीं थी । इसलिये महारानी ने बानतून द्वारा निश्चित धातु की पूरा मात्रा के सिक्के बनवाये परन्तु जैसे ही नये सिक्के चलन म आये, वैसे ही व निकल हो गये । इस प्रकार कई बार नये सिक्के प्रचलित किये गये परन्तु व चलन म बाहर हो गये । चिन्तित हाकर एलिजाबेथ ने मर टॉमस ग्रेशम के सलाह को । ग्रेशम ने बतलाया कि जब किमी देव म अच्छे और बुरा मुद्राएँ एक साथ प्रचलित हाती हैं, तो अच्छी मुद्रा चलन म लगे हा जाती है अर्थात् बुरा मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन म निकाल बाहर करती है । मुद्रा की यह प्रवृत्ति अर्थशास्त्र में ग्रेशम के नियम या सिद्धान्त के नाम से विख्यात है । इस नियम का प्रति-

1—The main need of the hour today is more confidence. There can be no surer route to—establishment of confidence than the stabilization of exchanges.  
—L. Robbins

पादन प्रेशम से पहले भी हो चुका था, परन्तु प्रेशम ने ही सबसे पहले इसे वैज्ञानिक ढंग में रखा था। मैकलियाड ने सर्व प्रथम इस नियम का नाम 'ग्रेशम का सिद्धान्त' रखा।

ग्रेशम का नियम (Gresham's Law)—ग्रेशम का नियम इस प्रकार है बुरी या निकृष्ट मुद्रा में अच्छी या उत्कृष्ट मुद्रा की चलन से बाहर निकालने की प्रवृत्ति होती है।<sup>1</sup>

नियम की कुछ ज्ञातव्य बात

(१) बुरी एवं 'अच्छी' मुद्राएँ (Bad & Good Money)—ग्रेशम का नियम समझने के लिये 'बुरी' और 'अच्छी' मुद्राओं का अर्थ समझना आवश्यक है। बुरी मुद्रा का अर्थ यहाँ केवल खंडी मुद्रा से ही नहीं है बल्कि उस मुद्रा से भी है जो अपनी जैसी मुद्राओं की अपेक्षा तोल में कम हो या रूप-रंग और प्रकृति में बुरी हो, मैसी हो, धिसी हो अथवा कटी फगी हो। यही नहीं यदि दो धातुओं की मुद्राएँ किसी निश्चित विनियम दर पर देश में प्रचलित हों, तो बाजार दर पर कम मूल्य की मुद्रा बुरी या निकृष्ट मुद्रा होगी और उसके अनुपात में अधिक मूल्य की मुद्रा अच्छी या उत्कृष्ट मुद्रा कहलायेगी।

(२) ग्रेशम नियम की विचित्रता—ग्रेशम के नियम में एक बड़ी विचित्रता है। साधारणतया धन्यत्व आने-जाने आदि में उत्तम वस्तु का उपभोग बचता है और बुरी या निकृष्ट वस्तु का बहिष्कार करता है। परन्तु मुद्रा के चलन में यह बात विरुद्ध विपरीत देखी जाती है। बुरी मुद्राओं को लोग काम में लाते हैं और अच्छी मुद्राएँ छिपित कर रखते हैं। इसका कारण यह है कि धन्यत्व मुद्रा में धातु के रूप में मूल्य अधिक होता है, इसलिये या तो गाड़ कर अपने अनुत्पादित सचय (Hoarding) के रूप में रख देने हैं या उसको गला कर जेवर आदि बना लेते हैं अथवा उनकी विदेशी भुगतान के लिये विदेशों में भेज देते हैं, क्योंकि विदेशी मुद्रा को तोड़ कर धातु के मूल्य में भुगतान स्वीकार करता है।

मार्शल (Marshall) द्वारा इस नियम की परिभाषा—प्रो० मासल ने इस नियम को इस प्रकार परिभाषित किया है बुरी या निकृष्ट मुद्राएँ यदि मात्रा में सीमित नहीं हैं तो अच्छी या उत्कृष्ट मुद्राओं को चलन से बाहर निकाल देती हैं।<sup>2</sup> इस परिभाषा में मासल ने अपनी ओर से ही ये शब्द लगाये हैं यदि मात्रा सीमित नहीं है। इसका अर्थ यह है कि यदि बुरी मुद्रा की मात्रा सीमित हुई और अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की मुद्राएँ मिलकर लोगों का मुद्रा की आवश्यकताओं से कम हुई तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा का चलन से बाहर नहीं निकाल सकेगी। परन्तु यदि बुरी मुद्रा की मात्रा अससीमित हुई, तो बुरी मुद्रा भुगतान करने के काम में अपनी रहेगी और अच्छी मुद्रा चलन से बाहर हो जायगी।

ग्रेशम नियम के लागू होने की परिस्थितियाँ, अर्थात् ग्रेशम-नियम का क्षेत्र (Scope)—ग्रेशम का नियम निम्नलिखित तीन अवस्थाओं में किमी देय में लागू होता है—

1—Bad money tends to drive good money out of circulation

2—An inferior Currency, if not limited in quantity, will drive the superior Currency out of circulation

—Marshall

(१)—एक धातुमान प्रणाली के अन्तर्गत (Under Mono metal-  
lism)—जब किसी देश में एक ही धातु बने किन्तु विभिन्न तोल (Weight)  
या विभिन्न शुद्धता (Fineness) अथवा विभिन्न तोल व शुद्धता के सिक्के  
एक ही अंकित मूल्य (Face Value) पर प्रचलित हों, तो बुरे सिक्के अच्छे  
सिक्कों को चलन से बाहर कर देंगे। यहाँ बुरे सिक्कों में धर्म है कम तोल या शुद्धता  
वाले सिक्को से और अच्छे सिक्को में है पूर्ण तोल या शुद्धता वाले सिक्को से  
अर्थ उदाहरणार्थ, जब हमारे देश में एडवर्ड के रुपये चल रहे थे तब एक रुपये के तोट  
और निकल के रुपये बनाये गये, तो गीघ्र ही एडवर्ड के रुपये जो अच्छी मुद्रा की चलन  
से लुप्त हो गई।

(२)—द्वि-धातुमान प्रणाली के अन्तर्गत (Under Bi-metalism) —  
जब किसी देश में दो विभिन्न धातुओं के सिक्के अलग-अलग किसी  
निश्चित अनुपात पर प्रचलित हों, तो जिस धातु का मूल्य बाजार में बढ़  
जाता है उस धातु के सिक्के चलन से हट जाते हैं? उदाहरणार्थ, मान लीजिये  
किसी देश में सोने और चाँदी दोनों के सिक्के प्रचलित हैं और उनका टकमाली- अनुपात  
१:१५ है, अर्थात् एक सोने का सिक्का बराबर है १५ चाँदी के सिक्के के। यदि  
बाजार में चाँदी का भाव बढ़ जाय और एक सोने के सिक्के में केवल १४ चाँदी के  
सिक्के मिलने लगें, तो इसका अर्थ यह होगा कि दोनों सिक्कों की कातूनी विनिमय दर  
या टकमाली-अनुपात और बाजार-विनिमय-दर में अंतर हो गया, अर्थात् टकमाली  
अनुपात १:१५ है और बाजार-अनुपात १:१४ हो गया। ऐसी परिस्थिति में चाँदी के  
सिक्के अधिमूल्यित (Over-valued) हो गये और सोने के सिक्के अधोमूल्यित  
(Under valued) हो गये। अब प्रत्येक व्यक्ति चाँदी के १५ सिक्के लेकर सोने का १  
सिक्का लेने के स्थान में चाँदी के १४ सिक्के गलाकर बाजार में उनकी चाँदी के बदले में  
सोने का एक सिक्का खरीदने लगेगा और इस प्रकार उसे चाँदी के एक सिक्के की बचत हो  
जायगी। अतः चाँदी के सिक्के चलने लगे और चलन में सोने के सिक्के ही रह जायेंगे। इसी  
प्रकार चाँदी का बाजार-भाव गिर जाने पर बाजार-विनिमय-दर १:१६ हो जायगी  
अर्थात् चाँदी अधोमूल्यित हो जायगी और सोना अधिमूल्यित हो जायगा जिसके फल-  
स्वरूप चाँदी ( बुरे सिक्के के रूप में ) चलन में रहेगी और सोना (अच्छे सिक्के के रूप  
में) चलन में हट जायगा।

इन प्रकार द्वि-धातुमान प्रणाली में येशम का नियम लागू होगा।

(३)—पत्र-विनिमय के अन्तर्गत (Under Paper Standard)—यदि  
किसी देश में उसकी वास्तविक आवश्यकता में अधिकांश मुद्रा जारी कर दी  
जाय, तो मूल्यवान् धातुओं के सिक्के चलन से हट जायेंगे। परिवर्तनशील पत्र-  
मुद्रा मूल्यवान् धातु-मुद्रा की तुलना में अल्प ही खराब है। यदि इसकी मात्रा में  
प्रसाधारण रूप में वृद्धि कर दी जाय, तो अच्छी मुद्रा अर्थात् धातु के सिक्के चलन में हट  
जायेंगे। दुर्दकाल में जब हमारे देश में रुपये के सिक्के तथा नाट चलने लगे तो पौर-  
घोरे रुपयों का चलन बन्द हो गया और नोटों की सहायता बढ़ती गई।

(६) द्विधातुमान के अन्तर्गत यदि टकगाली दर ( Mint Ratio ) और बाजार-दर ( Market Ratio ) समान रहे जायं अथवा टकगाली दर को बाजार-दर के साथ साथ बदलता हुआ रखा जाय तो यह नियम लागू नहीं हो सकेगा ।

(७) नियन्त्रित चन्मार्थ प्रणाली ( Managed Currency System ) अथवा पत्रमान ( Paper Standard ) के अन्तर्गत यदि पत्रमुद्रा का चलनाविषय ( Over issue ) नहीं होने दिया जाय तो यह नियम लागू नहीं हो सकेगा । पत्रमुद्रा का चलनाविषय होने में इसका मूल्य धातु मुद्रा की तुलना में गिर जायगा और लोग धातु मुद्रा को संचय करने लग जायेंगे ।

भारतवर्ष और अंशम का नियम—भारतवर्ष के समय समय पर प्रथम का नियम लागू होता रहा है । १९ वीं शताब्दी के अन्त में तथा इस शताब्दी के प्रारम्भ में यहाँ पर चाँदी के रूप तथा मोने के मात्रिन (Sovereigns) चलते थे । मोने के मात्रिन को लोग गणा गला कर जेवर बनवान के काम में लाते थे या संचित कर रखते थे या विदेशी भुगतान के लिये विदेश में निर्यात कर देते थे । द्वितीय महायुद्ध-काल में भी वेचम का नियम लागू होता रहा है । चाँदी की कमी के कारण सरकार ने नये रूपया में चाँदी की मात्रा कम कर दी जिसमें देश में दो प्रकार के रूपये हो गये । अधिक चाँदी की मात्रा वाले रूपया को लोग संचय करने लगे अथवा गला कर बेचने लगे और वेचल कम चाँदी वाले रूपये ही चलन में रह गये । उस समय अपरिवर्तनशील पत्र मुद्रा अर्थात् एक रूपये के कागज के नोट भी चलाये । तब इन नोटों और चाँदी के सिक्कों में प्रति-बोधिता होने लगी । नोटों में चाँदी के सिक्कों को चलन में बाहर कर दिया ।

### मुद्रा का मूल्य निर्धारण

#### (Determination of Value of Money)

मुद्रा के मूल्य का अर्थ—पिछले अध्यायों में यह बताया जा चुका है कि विभिन्न वस्तुओं का मूल्य रूपये अथवा मुद्रा के रूप में अंकित किया जाता है । परन्तु मुद्रा का मूल्य हम मुद्रा के ही रूप में तो अंकित नहीं कर सकते । यह कहना कि एक रूपये का मूल्य एक रूपया है—कोई तथ्य नहीं रहता । इसलिये मुद्रा का मूल्य अंकित करने के लिये हम मापारण वस्तुओं की सहायता लनी पड़ी और इसलिये मुद्रा का मूल्य भी वस्तुओं के मूल्य के अर्थ के समान होता है । यदि हम एक रूपये के बदल वस्तुओं और मन्नामा की अधिक मात्रा प्राप्त कर सकते हैं तो रूपये का मूल्य अधिक होता है और यदि एक रूपये के बदल वस्तुओं और मन्नामा की कम मात्रा प्राप्त होती है तो रूपये का मूल्य कम होता है । इस विपरीत, जब वस्तुओं का मूल्य कम हो तो हमको मुद्रा के बदल इनकी मात्रा अधिक प्राप्त होती है अर्थात् मुद्रा का मूल्य अधिक होता है । इस प्रकार वस्तुओं का मूल्य अधिक होने पर मुद्रा का मूल्य कम होता है और वस्तुओं का मूल्य कम होने पर मुद्रा का मूल्य अधिक होता है । सरासरी यह है कि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि का आभाव वस्तुओं के मूल्य में कमी से होता है और मुद्रा के मूल्य में कमी का आभाव वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि से होता है । मुद्रा मूल्य का इस प्रकृति को मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त ( Quantity Theory of Money ) कहते हैं जिसका विस्तृत विवेचन प्राय किया जाता है ।

## मुद्रा का परिमाण-सिद्धान्त

### (Quantity Theory of Money)

**परिचय (Introduction)**—जिस प्रकार वस्तुओं का मूल्य उनकी माँग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है, उसी प्रकार मुद्रा का मूल्य भी उसकी माँग और पूर्ति पर निर्भर होता है। अस्तु, दोनों के लिये मूल्य-निर्धारण का एक ही सिद्धान्त हो सकता है। परन्तु मुद्रा के माँग और पूर्ति पक्षों को कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जिससे मुद्रा के मूल्य निर्धारण का एक अलग सिद्धान्त हो सकता है, यद्यपि कुछ प्रवर्तताओं अथवा भी दोनों के लिये एक ही सिद्धान्त रखने के पक्ष में है।

**मुद्रा की माँग (Demand for Money)**—अन्य वस्तुओं की माँग मुद्रा वस्तु का प्रत्यक्ष रूप में कोई उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि स्वयं मुद्रा में उपयोगिता नहीं होने के लिये इसका उपयोग अन्य वस्तुओं को इसके द्वारा प्राप्त करने में होता है। सैलिगमैन (Seligman) के अनुसार "मुद्रा एक प्रकार का टिकट है जो इसके स्वामी को इच्छित वस्तुएँ प्राप्त करने में सहायता करता है, यह विनिमय-माध्यम है।" मुद्रा एक क्रय-शक्ति (Purchasing Power) है और इसकी आवश्यकता और माँग इसलिए होती है कि वर्तमान युग में मुद्रा के बिना किसी भी वस्तु को प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसलिये मुद्रा की माँग अन्य वस्तुओं की माँग पर निर्भर है। यदि वस्तुओं की माँग अधिक होगी तो मुद्रा की माँग भी अधिक होगी। मुद्रा की माँग की एक विशेषता यह है कि इसमें माँग की लोच इकाई के बराबर होती है जबकि अन्य वस्तुओं में ऐसा कभी-कभी ही होता है। लोग मुद्रा की मात्रा की माँग नहीं करते हैं बल्कि उसकी क्रय शक्ति की मात्रा की माँग करते हैं। यदि मुद्रा की पूर्ति पहले से दुगुनी हो गई है और, अन्य बातें स्थिर रहे तो लोग उन्हीं वस्तुओं के खरीदने के लिये दुगुनी मुद्रा की माँग करेंगे, यद्यपि मूल्य दुगुने हो जायेंगे। इसी प्रकार यदि मुद्रा की पूर्ति आधी हो गई है, तो लोग आधी मुद्रा की ही माँग करेंगे, क्योंकि मुद्रा का मूल्य अर्धान्तर उसकी क्रय-शक्ति बढ़ जायगी।

**मुद्रा की पूर्ति (Supply of Money)**—मुद्रा की पूर्ति से आशय है प्रचलित मुद्रा के कुल स्टॉक से। इसमें केवल धातु मुद्रा एवं पत्र-मुद्रा ही सम्मिलित नहीं होती हैं बल्कि बैंक द्वारा निकाले जाने वाले बैंक-जमा भी सम्मिलित होता है। मुद्रा की कुल प्रभावपूर्ण पूर्ति की गणना करते समय मुद्रा के चलन की गति (Velocity of Circulation) का भी विचार करना होगा। मुद्रा की चलन गति में यह आशय है कि मुद्रा की प्रत्येक इकाई दिये हुए समय में कितने बार हाथ बदलती अर्थात् हस्तांतरित होती है। उदाहरणार्थ, १००० हजार रुपये प्रचलित हैं और प्रत्येक रुपया पाँच बार हाथ बदलता है, तो मुद्रा की कुल पूर्ति ५,००० होगी।

**मुद्रा के परिमाण सिद्धान्त का मूल स्वरूप (Original form)**—मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त अपने प्रारम्भिक रूप में इस प्रकार है, : यदि अन्य बातें स्थिर रहे तो मुद्रा का मूल्य उसके चलन के परिमाण के अनुसार ठीक उसके विपरीत अनुपात में बदलता रहता है।<sup>१</sup> उदाहरण के लिये, यदि प्रचलित मुद्रा का

1—Other things being equal, value of money varies exactly in inverse proportion to its quantity in circulation

परिमाणु बढ़ता हो जाता, तो उसका मूल्य आधा हो जाता है। किन्तु अन्य वस्तुओं के सम्बन्ध में यह बात नहीं है। उनके सम्बन्ध में, यदि उनकी पूर्ति के बढ़ने से उनका मूल्य घट जाता है और घटने में बढ़ जाता है, तो भी यह आवश्यक नहीं है कि यह समान अनुपात में हो। किन्तु मुद्रा के सम्बन्ध में ऐसा ही है।

'यदि अन्य बातें स्थिर रहे' शब्दों का महत्त्व—सिद्धान्त के ये शब्द बहुत ही महत्त्वशाली हैं। इनमें कई भावनाएँ सन्निहित हैं, जैसे—(१) केवल विधि-ब्याज मुद्रा ही चलन में हो, (२) मुद्रा की चलन-गति ( Velocity of Circulation ) में कोई परिवर्तन न हो, (३) मुद्रा बचाकर न रखी जाय—सब की सब चलन में हो, (४) सब वस्तुओं का प्रय-विप्रेय मुद्रा से ही होता हो, (५) उच्चारण प्रवाह न हो, (६) वस्तुओं के चलन की गति में कोई अन्तर न पड़े, (७) उत्पादन, वित्तिय-जय और जन-संख्या में भी कोई परिवर्तन न हो। किन्तु इस परिवर्तनशील समाज में ऐसा होना सम्भव नहीं है।

सिद्धान्त का मूल समीकरण ( Original Equation of the Theory ) सामान्य मूल्य-स्तर, मुद्रा का परिमाण, मुद्रा की गति और मुद्रा का सम्बन्ध इस प्रकार बतलाया गया था :

$$P T = M V \text{ or } P = \frac{MV}{T}$$

$$\text{गुण्य} = \text{गुण्य} \times \text{गुण्य} = \frac{\text{गुण्य}}{\text{गुण्य}}$$

यहाँ पर P का अर्थ है मूल्य स्तर ( मू ) में, T का समस्त व्यापारिक सम्बन्ध ( व्या ) में, M का प्रचलित मुद्रा के परिमाण ( मु ) में, और V का मुद्रा की गति ( ग ) में।

उपरोक्त समीकरण (Equation) के दो पक्ष हैं—एक तो वस्तु या माल-पक्ष (Goods Side) जो P T द्वारा प्रदर्शित किया गया है और दूसरा मुद्रा पक्ष (Money Side) जो MV द्वारा प्रकट किया गया है। समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होने चाहिये। अस्तु, समस्त व्यापार का ( P T या मू व्या ) बराबर होना चाहिये। मुद्रा की उपरत प्रभावपूर्ण पूर्ति ( MV या मु ग ) के केवल मूल्य-स्तर P ( मू ) M V ( मु ग ) को T ( व्या ) में विभाजित कर मानून किया जा सकता है।

इस समीकरण का वाम-पक्ष अपूर्ण है, क्योंकि धातु एवं पत्र-मुद्रा के अतिरिक्त माल-पत्र, जैसे—चेक, बिल व हुण्डियाँ आदि भी आधुनिक समय समाज में प्रय सक्ति के साधन हैं। इसलिये इन्हें भी सम्मिलित करना चाहिये। माल-मुद्रा ( Credit Money ) के प्रतीक M' V' ( मु' ग' ) इस समीकरण में दाईं ओर जोड़ देने में यह पूर्ण हो जाता है और यह एक नया रूप धारण कर लेता है।

सिद्धान्त का आधुनिक रूप—यह सिद्धान्त नये रूप में इस प्रकार प्रति-पादित किया जाता है : "मूल्य के साधारण स्तर की प्रवृत्ति प्रचलित मुद्रा के परिमाण और उमरो चलन की गति की क्षीप्रता के गुणनफल ( अर्थात् मुद्रा की पूर्ति ) के परिवर्तन के अनुसार उसी दिशा में तथा अनुपात में बदलने की रहती है और वित्तिय के बापों ( अर्थात् मुद्रा की माँग ) के जो वित्तिय के लिये धार्य हुए मामान तथा



उनके मूल्य के गुणनफल से निर्धारित होते हैं, परिवर्तन के प्रनुसार ठीक उनके विपरीत बढ़ना तथा अनुपात को बदलने की रहती है।''

प्रो० इविंग फिशर का सूत्र (Formulae)—

$$PT = MV + M'V' \text{ OR } P = \frac{MV + M'V'}{T}$$

$$\text{मू ध्या} = \text{मु ग} + \text{मु' ग'} \text{ वा मू} = \frac{\text{मु ग} + \text{मु' ग'}}{\text{ध्या}}$$

यहाँ पर P सामान्य मूल्य-स्तर (मू)

T = समस्त व्यापारिक लेन-देन (ध्या)

M = प्रचलित मुद्रा (घातु एवं पत्र-मुद्रा का परिमाण) (मु)

V = मुद्रा की गति (ग)

M' = साख मुद्रा (मु')

V' = साख मुद्रा की गति (ग')

इस नियम में मुद्रा की पूर्ति को उसकी माँग के बराबर बनाया गया है। मूल्य-स्तर को व्यापारिक लेन-देन से गुणा करने पर व्यापारिक लेन-देन का सूत्र आता है, जिसका अर्थ है मुद्रा की माँग (PT या मू ध्या) यह मुद्रा की पूर्ति के बराबर है, इसमें रोकड़ी मुद्रा व साख मुद्रा अपना चलन की गति के साथ है।

(MV + M'V' या मु ग + मु' ग')।

प्रो० फिशर ने बतलाया है कि अल्पकाल में T, V, V' (ध्या, ग, ग') स्थिर रहने दें। M' वा M (मु' का मु) में अनुपात भी समान रहता है। अतः P (मू) M (मु) के अनुसार बदलता है। दूसरे शब्दों में, यदि M (मु) को बढ़ा दें तो P (मू) उसी अनुपात में घट जायगा। मुद्रा का मूल्य उसके परिमाण अर्थात् मात्रा पर निर्भर है। इसलिये इस सिद्धान्त को 'मुद्रा का परिमाण-सिद्धान्त' कहते हैं।

सिद्धान्त की आलोचना (Criticism)

(१) इस सिद्धान्त की सबसे बड़ी आलोचना यह है कि यह सिद्धान्त कुछ कल्पनाओं पर आधारित है अर्थात् अन्य बातें स्थिर रहने पर यह लागू होता है। परन्तु वास्तव में इस परिवर्तनशील जगत में ये परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं—कभी प्रायः व्यक्ति उत्पादन की मात्रा बढ़ती है, कभी जनसंख्या बढ़ने के कारण उत्पादन बढ़ने लगता है, कभी मुद्रा के चलन की गति में परिवर्तन होना लगने है और कभी साख-मुद्रा की मात्रा में घटा उठे हो जायेंगे हैं। अल्पकाल में भी ये परिस्थितियाँ जैसी की तैसी नहीं रहती। अतः मुद्रा का परिमाण सिद्धान्त एक स्थायी मूल्य नहीं जान पड़ता।

(२) प्रो० फिशर ने अपने समीकरण (Equation) में यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि प्रचलित मुद्रा की मात्रा में होने वाला प्रत्येक परिवर्तन प्रत्यक्ष रूप में सामान्य मूल्य-स्तर में समानुपातिक परिवर्तन कर देता है। परन्तु वास्तविक जीवन में ऐसा नहीं होता।

1. The general level of prices tends to vary directly in proportion with the quantity (1 e supply) and inversely with the activity of exchange (1 e the demand for money) indicated by the number of goods to be exchanged & multiplied by their prices.

(३) प्रो० कीन्स का कहना है कि मुद्रा द्वारा किये अधिकांश लेन-देन या तो श्रौद्धोिक-सम्बन्धी होते हैं या व्यापार या आधिक-सम्बन्धी होते हैं। उनमें से बहुत कम वस्तु-सम्बन्धी लेन-देन हैं जिनको व्यापार की भांति में प्रकट किया जाता है। अतः प्रसार या समीकरण मुद्रा की क्रय शक्ति को नहीं नापता है बल्कि रोबर्टी लेन-देन के स्तर को नापता है।

(४) प्रो० मार्शल का कहना है कि 'मुद्रा का सिद्धान्त चलन की गति के कारणों की व्याख्या नहीं करता।'

(५) इस सिद्धान्त में मुद्रा की मांग की अपेक्षा पूर्ति पर ही अधिक बल दिया गया है जिसका प्रभाव मुद्रा की क्रय-शक्ति या वस्तुओं के मूल्यों पर अधिक पड़ता है।

(६) यह सिद्धान्त व्यापार-चक्रों (Trade Cycles) में होने वाले मूल्य-स्तर के परिवर्तनों की व्याख्या करने में असमर्थ है।

(७) कुछ लोगों का विश्वास है कि यह सिद्धान्त मांग और पूर्ति के नियम पर आधारित एक स्वयं-सिद्ध सत्य है जिसको बहुत अधिक महत्त्व दे दिया गया है।

(८) यह सिद्धान्त काल्पनिक एवं अपूर्ण है क्योंकि इसमें हम किसी भी समय मुद्रा चलन के परिमाण का ठीक-ठीक आंकड़ा नहीं मानूँ कर सकते जो केवल अनुमान पर निर्भर है। इतना ही नहीं, बल्कि जिन बाधाओं को हम स्थिर मानते हैं वे वास्तविक दृष्टि में कभी स्थिर नहीं रहती। अतः यह सिद्धान्त केवल स्थिर समाज को ही लागू हो सकता है, परिवर्तनशील समाज को नहीं।

(९) किसी विशिष्ट देश के मूल्यों की तेजी-मंदी के कारणों का विवेचन इस सिद्धान्त द्वारा नहीं हो सकता तथा उसके लिये अन्य देशों के मूल्यों का सर्वथा नेंना आवश्यक है।

सिद्धान्त की वास्तविक उपयोगिता—यद्यपि इस सिद्धान्त के विरुद्ध अनेक प्रकार के आरोप लगाये जाते हैं और उनमें से कुछ सही भी हैं, परन्तु फिर भी इस सिद्धान्त का अपना कुछ महत्त्व अवश्य है।

(१) आर्थिक सिद्धान्त होने के कारण यह एक महत्त्वपूर्ण प्रवृत्ति की विवेचना करता है।

(२) यह हमें बतलाता है कि यदि अन्य बातों का उचित ध्यान रखा जाय तो मुद्रा प्रसार, मुद्रा-संकुचन तथा ध्यापारिक क्रियाया का क्या प्रभाव पड़ेगा।

(३) सामान्य मूल्य-स्तर को घटाने व बढ़ाने के विचार में मुद्रा-प्रसार व मुद्रा संकुचन करते समय मुद्रा अधिकारी इस सिद्धान्त के अनुसार कार्य करते हैं।

(४) यह सिद्धान्त हमें मूल्य परिवर्तन का एक मुख्य और महत्त्वपूर्ण कारण बतलाता है। इसी सिद्धान्त के सहारे प्रचलित मुद्रा की भांति में अनुमानितता करने देश के मूल्य स्तर को नियंत्रित किया जा सकता है।

(५) यह सिद्धान्त मूल्य को स्थिर बनाने के मांग का प्रदान करता है। रॉबर्टसन (Robertson) नामक एक मुद्रा शास्त्री ने लिखा है कि—“मुद्रा का परिमाण-सिद्धान्त मुद्रा का मूल्य समझने के लिये एक विविध सत्य है—यह एक ऐसा सत्य है जिसे वास्तविक जीवन के अन्तर्गत मुद्रा की मांग और वस्तुओं के मूल्यों में सम्पर्क स्थापित करने के लिये समझना अनिवार्य है।”

(६) क्राउथर (Crowther) के अनुसार इस सिद्धान्त को द्वारा अनुमान में हानि घान मूल्य परिवर्तन भा सम्भावना जा सकत हैं। उनसे बताया है कि प्रथम महायुद्ध तथा उसके पश्चात् जा मूल्य-स्तर में तीव्र वृद्धि हुई उक्तका कारण युद्ध-काल में सरकारी द्वारा छापा हुआ पत्र-मुद्रा था।

## मुद्रा के मूल्य में परिवर्तन

(Changes in the Value of Money)

परिचय (Introduction)—मुद्रा का मूल्य समय-समय पर बदलता रहता है—कभी मुद्रा का मूल्य ऊँचा हो जाता है और कभी मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कभी मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और कभी वस्तुओं का मूल्य ऊँचे हो जाता है। इस प्रकार मुद्रा का मूल्य और वस्तुओं का मूल्य में परिवर्तन होता रहता है। मुद्रा का मूल्य में परिवर्तन होने से वृद्धि योग का लाभ होना है और वृद्धि को जानि भी होना है। यहाँ पर हम इस सम्बन्ध में विचार करेंगे।

### (१) मुद्रास्फाति (Inflation)

मुद्रा स्फाति का अर्थ (Meaning)—जब मुद्रा (मिचल नाम और साव्य मुद्रा) का मात्रा किसी दण व व्यापार और उद्योग का आवश्यकताओं से अधिक प्रदान हो तब उसे मुद्रा-स्फाति कहत हैं। कर्मर (Kewmer) व अनुसार मुद्रा का पला-मुद्रा का अधिकता का मुद्रा-स्फाति कहत हैं अर्थात् व्यापार व उद्योग व परिमाण में वृद्धि (Currency) व वृद्धि का मुद्रा-स्फाति कहत हैं। प्रा० पीगू (Pigou) व अनुसार तब तब धन प्राप्त करन बाद वार्यों व अनुपात में अधिक वृद्धि हो ता मुद्रा-स्फाति कहता है। अतः यहाँ से अधिक मुद्रा प्रसार होना व मुद्रा का मूल्य में ह्रास (Depreciation of Money) हो जाता है अर्थात् मुद्रा का क्रय शक्ति (Purchasing Power) गिर जाता है अर्थात् परिमाण-स्वल्प वस्तुओं का मूल्य में वृद्धि हो जाता है।

मुद्रा-स्फाति के चिह्न (Signs)—किसी भा दण में मुद्रा-स्फाति के दो चिह्न होते हैं—(१) मुद्रा का क्रय शक्ति का कम होना (२) उच्चमूल्य वस्तुओं का भाव में वृद्धि होना।

मुद्रा स्फाति के प्रकार (Kinds)—जब अर्थ वृद्धि में वस्तुओं की परत वृद्धि हो ता तब वृद्धि व वस्तुओं का मूल्य में वृद्धि हो जाता है ता तब अर्थव्यवस्था में खुला मुद्रा-स्फाति (Open Inflation) कहा है। यदि मूल्य वृद्धि का मूल्य कम हो रहा हो ता तब मुद्रा प्रसार वृद्धि हो जाता है। तब इस वृद्धि को मुद्रा-स्फाति (Gallopung Inflation) कहत हैं। जब वृद्धि अधिक मुद्रा प्रसार हो जाता है ता तब अत्यधिक मुद्रा स्फाति Hyper Inflation) कहत हैं। प्रथम महायुद्ध के पश्चात् अर्थव्यवस्था में भाषण मुद्रा स्फाति हुई। जर्मनी में ता तब वृद्धि हो उच्च मूल्य धारण किया। सरकार ने नए अर्थव्यवस्था नाम (Marks) छाप दिए कि उक्त वृद्धि भा मूल्य में रह गया। यहाँ अर्थव्यवस्था हानि हो म १९४८-५० में वृद्धि का मूल्य

की हुई। मुद्रा-स्फीति केवल वस्तुओं के मूल्य वृद्धि में ही दृष्टिगोचर नहीं होती, बल्कि लोभ रोकटो धन को धरने पास व बैंक में जमा करने लग जाते हैं और अन्य सम्पत्ति को भी रखने लग जाते हैं, तब मुद्रा स्फीति इन कार्यों में भी दिखाई देने लगती है। इस प्रकार की अवस्था को छिपी हुई मुद्रा स्फीति (Suppressed Inflation) कहते हैं।

मुद्रा स्फीति के कारण (Causes) मुद्रा स्फीति के कारणों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है —

(१) नैसर्गिक कारण और (२) कृत्रिम कारण।

(१) नैसर्गिक कारण (Natural Causes) नैसर्गिक या स्वाभाविक कारणों में हम ऐसे कारणों का समावेश करते जो सरकार के नियंत्रण में नहीं होते बल्कि स्वाभाविक होते हैं, जैसे—[अ] सोने या चांदी की खाना में अधिक उत्पादन होना, [आ] नई खानों की खोज तथा [इ] सोना चांदी का अधिक आयात होने लगना। सन् १८६६ स १९११ तक दक्षिणी अफ्रिका में सोने की नई खानों की खोज के कारण मूल्य में वृद्धि हो गई।

(२) कृत्रिम कारण (Artificial Causes)—

(अ) वस्तुओं और सेवाओं की कमी (Scarcity of Commodities and Services) — जब मुद्रा की पूर्ति तो बहुत बढ़ जाती है परन्तु वस्तुओं व सेवाओं की पूर्ति मुद्रा के बराबर नहीं बढ़ती तो वस्तुओं और सेवाओं की इस कमी के कारण मूल्य बढ़ जाते हैं। केमरर नामक मुद्रा शास्त्री ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि— यदि मुद्रा की मात्रा अधिक हो और वस्तुओं की मात्रा उत्पादन घटने के कारण कम हो जाय, तो मुद्रा स्फीति होती है।<sup>१</sup>

(आ) जमा की गति में वृद्धि (Increase in Deposit Velocities) — बैंक जमा मुद्रा में भारी वृद्धि होना भी मुद्रा स्फीति का एक कारण है। उदाहरण के लिये दिन में ऐसी गति बहुत बढ़ जाती है।

(इ) सरकार के व्यय की कमी पूर्ति के लिये मुद्रा प्रवाशन (Monetization for Govt. Deficits) — इसके अन्तर्गत सरकारी व्यय के भुगतान के लिये, कोष बढ़ाने के साधनों के लिये, सरकार द्वारा मुद्रा प्रसार का नियंत्रण गये सम्पत्त घायन प्रा जाने हैं। इसमें बैंक नोट व बैंक जमा सम्मिलित हैं।

(ई) जान-बूझ कर सरकार द्वारा मुद्रा की मात्रा में वृद्धि (Deliberate increase in Quantity of Money by Govt) — वृद्ध प्रादि सब-काल में देश की सरकार जान-बूझ कर मुद्रा का प्रसार करती है। वृद्ध सम्बन्धी कार्यों व क्षम अत्यधिक मुद्रा की आवश्यकता होती है जो प्राय अपरिवर्तनीय पत्र मुद्रा प्रचलित कर पूरी की जाती है। इसमें मुद्रा स्फीति हो जाती है।

दावे अनिश्चित, जब देश के उद्योग धंधा का विकास करने के लिए देश की सरकार जागतिक मूल्य स्तर की अपेक्षा देश का आन्तरिक मूल्य स्तर कोषा करना चाहती है, तब वह माँग को प्रयेक्षा मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि कर देती है।

मुद्रा-स्फीति के आर्थिक परिणाम (Economic Consequences of Inflation) में तो मुद्रा-स्फीति में सामान्यतः देश की समस्त अर्थ-व्यवस्था को हानि पहुँचती है, किन्तु भी विभिन्न वर्गों को मुद्रा-स्फीति विभिन्न प्रकार से प्रभावित करती है। मुद्रा-स्फीति विभिन्न वर्गों को निम्न प्रकार में प्रभावित करती है :-

(१) व्यापारियों और उत्पादकों को लाभ—मुद्रा स्फीति के कारण वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं जिसमें उद्योगपतियों, उत्पादकों तथा व्यापारियों (बॉज व फुटकर व्यापारियों) को बहुत लाभ होता है। उन्हें मुख्यतः तीन कारणों से लाभ होता है : (क) उनमें में अतिक्रमण ऋणी होते हैं और ऋणियों को मुद्रा-स्फीति से लाभ होता है, (ख) वे कच्चा माल व अन्य वस्तुएँ पुराने और सस्ते मूल्यों पर खरीदते हैं, किन्तु बेचने में उच्च मूल्य पर बेचते हैं, (ग) मजदूरी व अन्य व्यय इतने अधिक नहीं बढ़ते जितना मूल्य बढ़ते हैं। व्यापार एवं उद्योग क्षेत्रों में लाभ बढ़ने में उत्पादन (Production) को प्रोत्साहन मिलता है, और रोजगार (Employment) में वृद्धि होती है।

(२) ऋणियों (Debtors) को लाभ और ऋणदाताओं (Creditors) को हानि—मुद्रा-स्फीति से मुद्रा की अर्थ-शक्ति गिर जाती है जिससे ऋणियों को लाभ होता है और ऋणदाताओं को हानि होती है। ऋणियों को इसलिये लाभ होता है कि जब उन्होंने ऋण लिया था तब मुद्रा की अर्थ-शक्ति अधिक थी, वे उससे अधिक धनसंग्रह करीद सकते थे, परन्तु वे ऋण अब लौटा रहे हैं, जबकि मुद्रा की अर्थ-शक्ति कम है तो इससे ऋणदाताओं को हानि होती है। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यक्ति ने सन् १९३६ में १०० रु० उधार दिये और वह राशि सन् १९५१ में उसे लौटाई गई, जब कि वस्तुओं के भाव पहले की अपेक्षा चौगुना हो गये, तो ऋणी को इससे लाभ हुआ, क्योंकि सन् १९३६ में इस राशि से वह चौगुनी वस्तुएँ खरीद सकता था और ऋणदाता को हानि हुई क्योंकि अब (सन् १९५१ में) वह राशि २५ रु० के बराबर है, अर्थात् वह इससे पहले की अपेक्षा केवल चौथाई वस्तुएँ ही खरीद सकता है।

(३) विनियोग-कर्ताओं (Investors) को मुद्रा-लाभ होता है और वास्तविक आय (Real Income) में हानि होती है—मुद्रा स्फीति व व्यापार में वृद्धि होने का कारण विनियोग-कर्ताओं को मुद्रा-लाभ होता है, क्योंकि उनके विनियोग पत्रों का मूल्य बढ़ जाता है। परन्तु जहाँ तक लाभांश (Dividend) व व्याज (Interest) का सम्बन्ध है, वह निश्चित मात्रा में मिलता है। अर्थ-शक्ति कम होने से उनको हानि होती है, अर्थात् उनकी वास्तविक आय (Real Income) घट जाती है।

(४) कृषकों को लाभ व भूमिपतियों को हानि—वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होने से कृषकों का, उत्पादकों और व्यापारियों को भाति लाभ होता है। किन्तु जमींदारों व भूमिपतियों (Landlords) को कुछ समय के लिये हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि उनका लाभ निश्चित होता है।

(५) श्रमिकों और बेतन-भोगी व्यक्तियों को हानि—श्रमिकों व बेतन पाने वाले व्यक्तियों (सरकारों व अमरदारों नीकर, अव्यापक आदि) को हानि उठानी पड़ती है, क्योंकि मूल्यों में वृद्धि के अनुपात में भूमि (मजदूरी) व वेतन बहुत कम

बता है। मुद्रा की वृद्धि गति में हुआ होने से अपना निश्चित भाव में कम वस्तुएँ खरीद सकत है जिससे उनकी वास्तविक भाव कम हो जाती है। अतः उन्हें भीषण आर्थिक कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है। उनमें असंतोष फैलता है। हताश होती है। उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है। स्त्री प्रकार स्थिर भाव वाले छोटे छोटे जमींदार और किसान या व्याज की भाँति पर जीवन निवाह करने में पान लीगा की भाँति मूल्य वृद्धि के कारण वास्तविक आय घट जाने के कारण कष्ट उठाना पड़ता है।

(६) उपभोक्ताओं का हानि—मुद्रा स्थिति के कारण मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं के भाव बढ़ जाते हैं जिससे उपभोक्ताओं को बहुत हानि उठानी पड़ती है क्योंकि उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक मूल्य देने पड़ते हैं जिससे व्यय कम हो जाता है। रहन-सहन का व्यय आय की अपेक्षा बढ़ जाता है।

(७) विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव—मुद्रा स्थिति का विदेशी व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ता है क्योंकि आमतौर पर मूल्य स्तर में प्राथमिक मूल्य स्तर ऊँचा होने से मुद्रा स्थिति बाजार में माल महंगा हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप विदेशी माल खरीदने में नुकसान हो जाता है। इसके विपरीत विदेशी वस्तुएँ मसूरी हानि से उनका आयात देश में बढ़ जाता है। इस प्रकार के व्यापार में देश का प्रातिकूल व्यापार अनुपात (Unfavourable Balance of Trade) हो जाता है।

(८) सरकार व बचत-दाताओं पर अनुकूल प्रभाव—जब देश में मुद्रा प्रसार होता है तो सरकार की आय बढ़ जाती है। सरकार प्रस्ताव में करों के रूप में कुछ रकम प्राप्त करती है। सरकार नई-नई योजनाएँ बनाती है जिसमें राष्ट्रीय पूँजी की मूल्य वृद्धि होती है। परन्तु दूसरी ओर वस्तुओं का मूल्य बढ़ जाने के कारण आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ती हैं। यद्यपि आदि हानिग्रस्त होत है।

मुद्रा स्थिति के अन्त में बचत-दाताओं को असुविधा होती है क्योंकि यद्यपि उन्हें बचत-कुल अधिक देना पड़ता है परन्तु पहले की अपेक्षा वस्तुओं के अनुपात में वे कम राशि लेते हैं। भूमि आय (Land Revenue) का भार भी कम हो जाता है क्योंकि लोग सरकार को वस्तुओं के अनुपात में कम ही देते हैं।

मुद्रा-स्थिति के सामाजिक एवं नैतिक परिणाम

(Social and Moral Consequences of Inflation)

मुद्रा स्थिति के सामाजिक एवं नैतिक परिणाम भी भयंकर होते हैं। मध्य धरणी के लोग का रहन-सहन का व्यय बढ़ना बढ़ जाता है कि इनका जीवन खराब हो जाता है। अधिक व्यय भी बढ़ा हुआ मूल्य के कारण अपना निश्चित भाव में अपना आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकत। अतः भविष्य (सजदूरी) बनाने का संभव होना ही नहीं है। मुद्रा स्थिति उपभोक्ताओं से निरपेक्षता निराशा व दुःख की भावना बढ़ाता है। उत्पादन में वर्तमान के कारण बाजार में वस्तुओं की कमी हो जाती है जिससे लोग वस्तुओं का इकट्ठा कर कर के छिपाने (Hoarding) प्रसंगे हैं। फिर चोरी के भाव में बढ़ने पर विक्रम लागत है। मुद्रा का प्रसार गरम हो जाता है। सड़क-यात्रा के लिये यह स्वयं ही बधाई है जो बिना प्रयत्न के ही अधिक मूल्य निश्चित भाव वाला के मूल्य पर लाभ उठाता है। इसी कारण टॉमस (Thomas) ने मुद्रा स्थिति को मुनाफाखोर (Profiteers) और श्रेयकारों के लिये स्वयं कहा है।

(७) उत्पादन में वृद्धि (Increase in production)—उत्पादन-वृद्धि मुद्रा-स्फीति के परिणामों का प्रभाव घुलाने का एक सफल उपाय निश्च ही सफल है। इसके द्वारा मुद्रा की माँग में वृद्धि हो जाती है जिससे अत्यधिक मुद्रा-पूर्ति के कुछ प्रभाव नष्ट हो सकते हैं।

मगर यह है कि मुद्रा-स्फीति अपने-काम वाला सर्प है जिसे अपने-काँ रास्ते में हडाना चाहिए। कोई भी अकेला उपाय प्रभावोत्पादक निश्च नहीं हो सकता।

भारतवर्ष में मुद्रा-स्फीति—गत महायुद्ध के समय में लगभग सभी देशों में किसी-न-किसी मात्रा में मुद्रा-स्फीति हुई। भारतवर्ष में भी मुद्रा का अनावश्यक प्रसार हुआ। मुद्रा की माँगा बढ़ती गई, परन्तु वस्तुओं का उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं बढ़ा जिसके पलम्बरूप मुद्रा का मूल्य (अर्थात् उसकी क्रय-शक्ति) गिर गया और वस्तुओं के मूल्य बढ़ गये। मई १९३६ में देश में लगभग १७६ करोड़ रुपये के नोट प्रचलित थे परन्तु दिसम्बर १९४७ में प्रचलित नोटों की संख्या लगभग १२४२ करोड़ हो गई। इसी अवधि में स्वर्ण और छोटे सिक्कों की संख्या भी क्रमशः लगभग १५० करोड़ और ७५ करोड़ से बढ़ गई थी। साथ-ही साथ साथ-मुद्रा का चलन भी बढ़ता गया।

भारतवर्ष में मुद्रा-स्फीति के कारण—(१) भारतवर्ष में मुद्रा-स्फीति का सबसे बड़ा कारण भारत सरकार द्वारा मिन-राष्ट्रों को युद्ध में सहायता देना था। (२) भारत सरकार ने इंग्लैंड और मिन-राष्ट्रों के सहायतायुक्त युद्ध चलाने के लिये भारतीय बाजारों में माल खरीदा। इन माल के बढ़ने में इंग्लैंड की सरकार भारत-सरकार को नकद रूप में नहीं दिया बल्कि इंग्लैंड में भारत के हिस्सा में बद्ध राशि जमा कर ले जाती थी और बचत में गिज़रें बैंक की स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ (Sterling Securities) दे दी जाती थी। परन्तु भारत सरकार को तो इन माल का मूल्य भारतीय व्यापारियों को रूपों में चुनना पड़ता था। अतः सरकार नोट छाप-छाप कर यह काम करती रही। (३) इसके अतिरिक्त भारत सरकार ने युद्ध-काल में स्वयं भी खूब निष्ठा जिसकी पूर्ति के लिये सरकार मुद्रा-प्रसार करती गई। (४) दूसरी ओर वस्तुओं का उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं बढ़ाया जा सका। जो कुछ भी माल उपलब्ध किया जाता था वह मैनिकों के लिये सेज दिया जाता था। इन कारण जनता के उपयोग के लिये वस्तुओं की कमी हो रही जिससे वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि होती ही गई।

भारत सरकार द्वारा मुद्रा-स्फीति को रोकने के उपाय—(१) मुद्रा की बढ़ी हुई मात्रा को वापिस खींचने के लिये जनता पर जमे-जमे कर लगाये, (२) जनता से सरकार से ऋण भी लिया तथा सरकार ने मोता भी बेचा जिससे बाजार में ब्रह्म शक्ति कम हो जाय, (३) वस्तुओं के मूल्यों पर नियन्त्रण लगाया गया तथा देश में उत्पादन-वृद्धि की मुविधाएँ दी गई, (४) वैश्वीय तथा राज्य सरकारों ने अपने-अपने व्ययों को भी कम करने का प्रयत्न किया, (५) चीर बाजारी दूर करने के लिये कठोर नियम भी बनाये गये, (६) जनता से फालतू रूपों खींचने के लिये डिफेंस शॉट व राष्ट्रीय वक्त योजनाएँ आदि निकाली गई, (७) मद्रों के सौदों पर प्रतिबन्ध लगाया गया, (८) सौ रूपों से ऊपर के नोटों की प्रविधि प्राण्य पोषण कर दिया गया, (९) कम्पनियों के लाभाज (Dividends) को दर सीमित कर दी गई। इन सब उपायों के होने हुए भी मुद्रा-स्फीति की शक्ति कम नहीं हुई और अन्त भी लगभग बड़ी निवृत्ति है जो युद्ध काल में थी।

## (२) मुद्रा संकुचन ( Deflation )

मुद्रा-संकुचन का अर्थ ( Meaning )—जब किसी देश में मुद्रा ( सिक्के नोट और मान्य मुद्रा ) की मात्रा उसकी आर्थिक एव व्यापारिक आवश्यकताओं की तुलना में कम होती है तब उसे 'मुद्रा-संकुचन' के नाम से सम्बोधित करते हैं। इससे तात्पर्य है कि किसी समय मुद्रा की पूर्ति उसकी मांग में कम होती है तो उसे हम मुद्रा संकुचन कहते हैं। प्रो० फील्ड के अनुसार "मुद्रा संकुचन वह मुद्रा मात्रा है जिसके द्वारा देश में मुद्रा की मात्रा और उसकी आवश्यकताओं के मध्य का अनुपात इतना कम कर दिया जाय कि जिसमें मुद्रा की विनिमय शक्ति बढ़ जाय और वस्तुओं के मूल्य नाब गिर जायें।" मुद्रा संकुचन से मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है (Appreciation of Money) अर्थात् मुद्रा की क्रय-शक्ति बढ़ जाती है जिससे परिणामस्वरूप वस्तुओं के मूल्य गिर जाते हैं।

मुद्रा संकुचन के चिह्न ( Signs )—(१) मुद्रा की क्रय शक्ति ( Purchasing Power ) का बढ़ना (२) लगभग सभी वस्तुओं के मूल्य गिरना।

मुद्रा संकुचन के कारण ( Causes )—मुद्रा संकुचन निम्न प्रकार से किया जा सकता है—(१) सरकार देश में प्रचलित अपरिवर्तनीय नोटा को रद्द कर देती है जिससे मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है। (२) जनता पर भारी-भारी कर ( Taxes ) लगा कर मुद्रा की खजाने में खर्च किया जाता है। (३) दल का केंद्रीय बैंक अपनी क्रेडिट को दर ( Discount Rate ) बढ़ा कर मुद्रा संकुचन करता है। (४) केंद्रीय बैंक जनता में श्रद्धा लेकर जनता में मुद्रा की मात्रा कम कर देता है, और (५) बहू-प्राप्ति शून्य बाजार क्रियाओं ( Open Market Operations ) द्वारा जनता को निम्नोरीटिव बेच कर जनता में मुद्रा खर्च रूकित कर देता है जिससे जनता में मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है।

मुद्रा संकुचन के आर्थिक परिणाम ( Economic Consequences of Deflation )—मुद्रा संकुचन के आर्थिक परिणाम मुद्रा-स्फीति से विपरीत उल्टे होते हैं जो नीचे दिये जाते हैं—

(१) व्यापारियों व उत्पादकों का हानि—मुद्रा संकुचन के कारण वस्तुओं के मूल्य गिर जाते हैं जिससे व्यापारियों ( धारक व प्रोड्यूसर ) उद्योगपतियों व उत्पादकों का हानि होती है क्योंकि वस्तुओं के मूल्य गिर जाने से उनके क्रय में ह्रास हो जाता है जब कि वे व मजदूरी आदि समान हो रहते हैं। उत्पादन कम हो जाता है जिसमें बेकारी ( Unemployment ) फैल जाती है।

(२) ऋणियों का हानि और ऋणदाताओं का लाभ—मुद्रा संकुचन में ऋणदाताओं को लाभ और ऋणियों का हानि होती है क्योंकि मुद्रा का मूल्य बढ़ने पर्याप्त उसकी क्रय शक्ति बढ़ने में ऋणियों का सब अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है।

(३) विनियामक वर्गों का वास्तविक आय का लाभ—मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाने से विनियामकों को निश्चित लाभों व धन में प्रत्येक वस्तुएँ प्राप्त होने से वास्तविक आय का लाभ होता है।



(४) वृषका को हानि और भूमिपतिया का लाभ—मन्त्री के दिना में वृषका को उनकी उपज का कम मूल्य मिलना है जिसमें उन्हें हानि होती है। परन्तु भूमिपतिया या जमींदारों को उनके निश्चित पमान में अत्यधिक वस्तुओं प्राप्त होते हैं लाभ होता है।

(५) श्रमिका और वेतन भागी व्यक्तियों का लाभ—वस्तुओं में भाव विरत जान में श्रमिका तथा निश्चित वेतन प्राप्त वाक्य व्यक्तियों का लाभ होता है क्योंकि अद्य य उपजों का मूल्य कम अथवा वस्तुओं की कीमतें कम हैं। प्रायः मन्त्रों में मालिकों की शक्ति को हटाने के लिए वेतन कम करने का प्रयत्न है। ऐसी परिस्थिति में श्रमिका और वेतन भागी (Salaried Persons) को अधिक लाभ प्राप्त होता है।

(६) उपभोक्ताओं का लाभ—मन्त्रों में वस्तुओं के मूल्य घटने के कारण उपभोक्ताओं को लाभ होता है क्योंकि उपभोक्ताओं को मन्त्रों का प्रत्यक्ष फलान वस्तुओं में अधिक वस्तुओं प्राप्त होती है।

(७) विदेशी व्यापार पर अच्छा प्रभाव—मुद्रा मजबूत का विदेशी व्यापार पर अच्छा प्रभाव पड़ता है क्योंकि इन देशों में मूल्य गिर जाते हैं विदेशी देशों में अधिक मालों की कीमतें हैं जिससे निर्यात में वृद्धि होती है। तुलनात्मक दृष्टि से विदेशों में वस्तुओं की कीमतें कम होती हैं। इससे फलस्वरूप व्यापार में उत्तम प्रभाव (Favourable) होता है।

(८) सरकार और करदाताओं पर प्रतिकूल प्रभाव—मन्त्री के दिना में सरकार को आर्थिक व्यवस्था घटती जाती है। सरकार का खर्च कम होता है तथा महामानव-कार्य (Relief work) करने में अक्षम हो जाती है जिससे निम्न सरकार का पदाधीन कार्य उद्योग होता है। देश में वस्तुओं की कीमतें कम होने से सरकार का प्रभाव कम होता है। देश का विकास रुक जाता है।

मन्त्री के दिना में करदाताओं को भी हानि हो जाती है क्योंकि यद्यपि वे मन्त्रों में कम कर चुकाने हैं परन्तु वस्तुओं में उन्हें अधिक देना पड़ता है।

मुद्रा मजबूत का सामाजिक एवं नैतिक परिणाम (Social & Moral Consequences of deflation)—मानव-समाज पर मुद्रा मजबूत का अत्यंत राजनैतिक महत्त्व प्रायः अनेक विपत्तियां समय-समय पर आती रहती हैं। परन्तु इन सबमें अधिक भयंकर विपत्ति मुद्रा मजबूत की है जिससे जिसके अन्तर्गत वस्तुओं के भाव कम होने का अर्थ होता है जिससे व्यापार रुक जाता है उद्योग धंधे बंद होने लगते हैं समाज की प्रगति रुक जाती है आर्थिक व्यवस्था अत्यंत गंभीर हो जाती है तथा देश का सम्पूर्ण ढाँचा बिगड़ जाता है।

मुद्रा मजबूत का सामाजिक एवं नैतिक परिणाम मन्त्री की स्थिति में भी भयंकर है। मन्त्री के कारण उद्योगपति मजदूरों के हितों को कम करना चाहते हैं जिससे मजदूरों और उद्योगपतियों में संघर्ष बढ़ता रहता है। बेकारी बढ़ती है और सामाजिक अशांति पैदा हो जाती है। जिन प्रकार वस्तुओं की मूल्य वृद्धि में हड़ताल (Strikes) को जन्म मिलता है उसी प्रकार उनका मूल्य हटाने का कारण लॉकआउट (Lockouts) का जन्म देता है।

भारतवर्ष तथा अन्य देशों में मुद्रा मजबूत—सन् १९२० से १९३० तक और सन् १९३० से १९४० तक का मन्त्रों का मन्त्रों में मुद्रा मजबूत का अर्थ कहे जाते हैं। भारतवर्ष

मे मन् १९२० मे १९३० तक के काल मे मुद्रा-सकुचन की नीति काम मे लाई गई जिसके अन्तर्गत लगभग ६० करोड़ रुपये का सकुचन किया गया था। इसी काल मे इटली और फ्रांस मे भी मुद्रा-सकुचन किया गया था। इटली की सरकार ने मन् १९३१ और १९३५ मे दो बार मुद्रा-सकुचन किया। फ्रांस मे मन् १९२५ मे मुद्रा-सकुचन किया गया था, परन्तु वहाँ जनता के विरोध के कारण यह अधिक सफल नहीं हो सका।

### मुद्रा-स्फीति और मुद्रा-सकुचन (Inflation and Deflation)

किसी देश की आर्थिक भ्रष्टाचार और व्यापारिक समृद्धि की दृष्टि मे, मुद्रा-स्फीति और मुद्रा-सकुचन बाना ही हांगिवारक हैं। प्रो० कीन्स के अनुसार "मुद्रा स्फीति अर्थात् पूर्ण होती है और मुद्रा सकुचन अनुचित होती है।" (Inflation is unjust and Deflation is inexpedient)।

प्रो० मैलिगमैन का भी कहना है कि "बढ़ते हुए तथा गिरते हुए मूल्यों के कारण देश के आर्थिक क्लेश मे एक ऐसी अस्थिरता आ जाती है जिसमे कृषि, व्यापार और उद्योग की स्थिति डाबाडोल हो जाती है और समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों को विषम अनुपात मे लाभ व हानि होती है। ऊँचे और नीचे मूल्यों मे दृढ़ता हानि नहीं हानि जितनी निरन्तर ऊँचे चढ़ते हुए और नीचे गिरते हुए मूल्यों मे हानि होती है।" इसलिए यह सत्य है कि न तो ऊँचे चढ़ते हुए मूल्य समाज को हितकर होत हैं और न गिरते हुए मूल्यों से ही समाज का लाभ होता है। समाज के हित के लिये तो यह आवश्यक है कि जहाँ तक हो सके मूल्य-स्तर स्थिर रखा जाए जिसमे कृषि, व्यापार और उद्योग मे प्रगति की प्राप्ति बनी रहे। अतः प्रत्येक देश के मुद्राधिकारियों का यह कर्तव्य है कि वे इन दोनों रोगों से बचे रहें और मध्यम मार्ग का अवलम्बन करें। आदर्श मुद्रा-प्रणाली मे मुद्रा की मात्रा न तो घाबरावतना त अधिक होनी चाहिए और न कम ही होनी चाहिये।

### (३) मुद्रा-अपस्फीति (Disinflation)

वर्तमान समय मे बिरोपनवा गन महायुद्ध मे हो यह पक्ष प्रसिद्ध हो गया है। मुद्रा-अपस्फीति वह मुद्रा-नीति है जो देश मे मुद्रा-स्फीति को रोक कर उसके दोषों को दूर करने के लिये काम मे लाई जाती है। इन नीति को मरन मन्दा मे 'मुद्रा-स्फीति मुधार' भी कह सकन है। यह महायुद्ध-काल मे आगतवर्ष मे मुद्रा-स्फीति मे बड़ा प्रचण्ड रूप धारण कर लिया था। अतः इनको रोकने के लिये भारत सरकार द्वारा अनेक उपाय काम मे लाये गये जिनका वर्णन पीछे कुछ ४६३ पर किया जा चुका है। ये सब उपाय मुद्रा-अपस्फीति नीति के अन्तर्गत ही माने जाते हैं।

मुद्रा-अपस्फीति और मुद्रा-सकुचन मे अन्तर (Difference between Disinflation and Deflation)—यह भ्रम होना स्वाभाविक ही है कि मुद्रा-अपस्फीति और मुद्रा सकुचन एक ही ही वस्तु है, परन्तु वास्तव मे ऐसा नहीं है। मुद्रा-अपस्फीति के अन्तर्गत मुद्रा स्फीति को कम करने के उपाय काम मे लाये जाते हैं, परन्तु मुद्रा-सकुचन मे वस्तुओं के मूल्यों को गिराने और मुद्रा की उद्य-शक्ति बढ़ाने के उपाय काम मे लाये जाते हैं। दोनों ही नीतियों मे मुद्रा की मात्रा कम करनी पडती है, परन्तु मुद्रा-अपस्फीति के अन्तर्गत मुद्रा की मात्रा ऐतनी कम की जाती है कि वह व्यापार व उद्योग की आवश्यकताओं के समानुपात मे आ जाय, मुद्रा-सकुचन

में मुद्रा की मात्रा इनकी कम कर दी जाती है कि व्यापार व उद्योग की आवश्यकताओं से भी कम हो जाती है जिससे देश में चार्ज और मदी का बानावरण व्यापक हो जाता है। यद्यपि दोनों को एक ही विधि है, फिर भी दोनों नीतियों के उद्देश्य एवं परिणामों में पर्याप्त अन्तर पाया जाता है।

#### (४) मुद्रा संस्फीति (Reflation)

आर्थिक विवेचन में प्रायः इस शब्द का भी प्रयोग किया जाता है। अतः हम इसका भी अर्थ समझ लेना चाहिए। मुद्रा संस्फीति वह मुद्रा-नीति है जिसके अन्तर्गत मुद्रा प्रसार द्वारा देश में स्थित मुद्रा-संकुचन को रोक कर उसके दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया जाता है। कावे नामक मुद्रा-शास्त्री के अनुसार "मदी को दूर करने के लिये जान-बूझ कर जो मुद्रा-प्रसार किया जाता है उसे मुद्रा-संस्फीति कहते हैं।" इसे सरल शब्दों में 'मुद्रा संकुचन मुधार' भी कह सकते हैं। मुद्रा संस्फीति का उद्देश्य मदी को दूर करके मूल्य-स्तर ऊँचा उठाना होता है। इसमें मूल्य-स्तर एक दम ऊँचा नहीं उठता बल्कि धीरे-धीरे ऊँचा उठता रहता है। मदी के कारण देश में बेकारी फैल जाती है उस दूर करने के लिये मुद्रा-संस्फीति का अवलम्बन लिया जाता है।

मुद्रा-संस्फीति और मुद्रा-स्फीति में अन्तर (Difference between Reflation & Inflation) - इन दोनों परिस्थितियों में मुद्रा प्रसार किया जाता है, परन्तु दोनों के उद्देश्यों और परिणामों में पर्याप्त अन्तर है। मुद्रा संस्फीति का उद्देश्य मदी को दूर करने मूल्य-स्तर को ऊँचा करना होता है जिसमें बेकारी लोगों को रोजगार मिल सके और जब यह उद्देश्य पूर्ण हो जाता है तो मुद्रा-प्रसार करना बन्द कर दिया जाता है। मुद्रा-स्फीति का उद्देश्य एक मात्र मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करना होता है जिसमें मूल्य-स्तर एक दम ऊँचा हो जाता है। मुद्रा संस्फीति का तब तक ही अवलम्बन लिया जाता है जब तक कि देश में पूर्ण रोजगार की आवश्यकता न हो जाय, परन्तु मुद्रा-स्फीति की कोई निश्चित सीमा नहीं होती। मुद्रा-स्फीति में मूल्य-स्तर एक दम ऊँचा नहीं होना परन्तु मुद्रा स्फीति में यह एक दम ऊँचा होने लगता है। मुद्रा संस्फीति का परिणाम क्रियात्मक होता है परन्तु मुद्रा-स्फीति का परिणाम विनाशात्मक होता है। मुद्रा संस्फीति राष्ट्र और समाज के हित के लिये होती है, परन्तु मुद्रा स्फीति सरकार की स्वार्थ शक्ति के लिये होती है।

#### (५) मुद्रा की मूल्य वृद्धि (Appreciation of Money)

जब मुद्रा का मूल्य अर्थात् उसकी कय-शक्ति (Purchasing Power) बढ़ जाती है तो उसे मुद्रा की मूल्य-वृद्धि कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि पहले एक रुपया ४ सेर चने खरीदता हो और अब ५ सेर खरीदने लगे तो हम कहेंगे कि मुद्रा के मूल्य में वृद्धि हो गई। मुद्रा-संकुचन (Deflation) की स्थिति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है यन्तुओं के मूल्य फिर जाते हैं। अतः मुद्रा के मूल्य-वृद्धि के कारण एवं परिणाम वे ही हैं जो मुद्रा-संकुचन के सीपक में वर्णन किये जा चुके हैं।

#### (६) मुद्रा का मूल्य-ह्रास (Depreciation of Money)

जब मुद्रा का मूल्य अर्थात् उसकी कय-शक्ति घट जाती है तो उसे मुद्रा

का मूल्य ह्रास कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि पहले एक रुपया ४ मीर गेहूँ खरीदता हो और अब केवल ३ मीर ही खरीद सके तो हम कहेगे कि मुद्रा का मूल्य-ह्रास हो गया। मुद्रा-स्फीति (Inflation) की स्थिति में मुद्रा का मूल्य गिर जाता है और वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। घट मुद्रा के मूल्य ह्रास के कारण एक परिणाम यह हो है जो मुद्रा-स्फीति के सीपक में नगण्य है।

### (७) अवमूल्यन (Devaluation)

परिचय—सितम्बर सन् १९४६ ई० में जब रुपये का मूल्य घटाया गया तब म अवमूल्यन शब्द की ध्वनि अधिक सुनाई देने लगी है।

अवमूल्यन का अर्थ—आधारणतया प्रामाणिक मुद्रा की स्वराज्यमता घटाने का अनमूल्यन कहा जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा क्षेत्र में देशी मुद्रा का विदेशी मुद्रा के अनुपात में मूल्य घटाने को अवमूल्यन कहते हैं। इसको अधिक स्पष्ट करने हुए या कहा जा सकता है कि जब देशी मुद्रा की विनिमय दर विदेशी मुद्रा के अनुपात में अपेक्षाकृत कम कर दी जाय तो यह देशी मुद्रा का अवमूल्यन माना जायगा। मान लीजिये भारतीय १ रु० अमेरिका के ३० सेंट के बराबर था—अब उसका मूल्य ३० सेंट से घटाने २१ सेंट कर दिया गया तो कहेय कि डॉलर के अनुपात में रुपये का अवमूल्यन कर दिया गया है।

अवमूल्यन के कारण (Causes)—(१) प्राय मुद्रा का अवमूल्यन देश की आन्तरिक परिस्थिति के कारण नहीं बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिस्थिति में बाध्य होकर किया जाता है। जो किसी देश का निर्यात-आधार उसके आन्तरिक मूल्य स्तर के ऊँचे हो जाने से कम हो जाता है तब निर्यात बढाने के उद्देश्य में देश की मुद्रा का अन्य देश का मुद्रा में अवमूल्यन कर दिया जाता है जिससे फलस्वरूप निर्यात बढाने लगता है।

(२) जब कभी किसी देश का आयात करने का आवश्यकता हो परन्तु आयात का मूल्य चुकाने के लिए विदेशी मुद्रा या सोना न हो और देश के मूल्य स्तर इतने ऊँचे हो कि विदेशों में निर्यात भी न किया जा सके, तो मुद्रा का अवमूल्यन करने निर्यात कर विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती है।

भारत यह है कि किसी देश का निर्यात बढाने के लिए अवमूल्यन एक सरल एक सन्तो विधि है।

अवमूल्यन का परिणाम—(१) अवमूल्यन करने वाले देश का निर्यात आधार बढ जाता है। आयात महँगे हो जाते हैं जिससे आयात आधार में कमी होने लगती है।

(२) आयात महँगे होने से देश का मूल्य स्तर बढने लगता है।

भारतीय रुपये का अवमूल्यन (Devaluation of Indian Rupee)—भारत का डॉलर-क्षेत्र से बच और मर्यादा आदि पूँजीगत माल (Capital Goods) के आयात को आवश्यकता थी परन्तु इनका मूल्य चुकाने के लिए भारत सरकार के पास न तो डॉलर थे और न सोना था। भारत के मूल्य-स्तर इतने ऊँचे थे कि भारत के देश विदेशों में अमेरिका द्वारा वाजारा से माल नहीं खरीद पाते थे जिनके कारण हम डॉलर कमाने में असमर्थ थे। देश का मूल्य-स्तर नीचा करना कठिन था। धन भारती सरकार ने १६ सितम्बर १९४६ को स्थिति के साथ साथ रुपये का डॉलर के अनुपात में ३०% अवमूल्यन किया। अवमूल्यन के पूर्व एक रुपया लगभग ३० सेंट के बराबर था।

जो अमूल्यन के पश्चात् लगभग २१ सेट के बराबर रह गया। दूसरे बादा में अवमूल्यन के पश्चात् स्टलिंग के साथ रुपये की दर तो १ सि० ६ पें० ही रही, किन्तु डॉलर में कम हो गई। पहले एक डॉलर ३ रुपये ५ आ० के बराबर था, अवमूल्यन के बाद यह ८ र० १२ आ० के बराबर हो गया। भारतीय रुपये के साथ-साथ लगभग २४ अन्य देशों ने अपनी अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया, क्योंकि सभी के सामने नियति वृद्धि की समस्या थी। अवमूल्यन के पश्चात् ही (अक्टूबर १९४६ से सितम्बर १९५०) निर्माण बंद जाने व आयात कम हो जाने से भारत के विदेशी व्यापार ६५.६ करोड़ रुपये की वृद्धि हो गई।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—एक घातु चलन का अर्थ स्पष्ट कीजिये। स्वर्ण चलन मान, स्वर्णपाठ मान तथा स्वर्ण विनिमय मान के अन्तर को समझाइए। (उ० प्र० १९६०)
- २—'दुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन में बाहर कर देती है।' पूर्ण रूप से समझाकर लिखिए। (उ० प्र० १ ५७, ५७)
- ३—मुद्रा का अवमूल्यन किसे कहते हैं? भारत में मुद्रा के अवमूल्यन का विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? (म० भा० १९५७)
- ४—श्रेष्ठता नियम की व्याख्या कीजिये। इन नियम का क्षेत्र तथा मर्यादाएँ स्पष्टतः समझाइए। (उ० प्र० १९५४, ४३, म० बो० १९५३)
- ५—मुद्रा मान में क्या तात्पर्य है? स्वर्ण मान, स्वर्ण घातु मान, स्वर्ण विनिमय मान और स्टलिंग विनिमय मान का अन्तर बताइए। (उ० प्र० १९५५)
- ६—वस्तुओं के मूल्य में निरन्तर ह्रास का समाज के विभिन्न वर्गों पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारतीय उदाहरण दीजिए। (रा० बो० १९५०)
- ७—वस्तुओं के मूल्य ह्रास और मूल्य वृद्धि का क्या अभिप्राय है? भारत में समाज के विभिन्न वर्ग किस प्रकार प्रभावित होते हैं? (म० बो० १९५५)
- ८—स्वर्ण विनिमय मान के मुख्य लक्षण क्या हैं? स्टलिंग विनिमय मान में इसमें क्या भिन्नता है? (नागपुर १९५२)
- ९—निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए :

	श्रेष्ठता नियम (उ० प्र० १९५०, ४६; रा० बो० १९५२, ५१, ४६, प्र० बो० १९५१, ५०, ४२, म० भा० १९५२, ५१; नागपुर १९५७)
स्वर्ण घातु मान	(उ० प्र० १९५५)
स्वर्ण विनिमय मान	(नागपुर १९५०, ४६)
स्वर्ण चलन मान	(नागपुर १९५०)
मुद्रा-प्रसार और मुद्रा-संकुचन	(रा० बो० १९५०)
मुद्रा-मूल्य वृद्धि और मुद्रा-मूल्य-ह्रास	(म० भा० १९५५)

#### इण्टर एग्रीकल्चर परीक्षा

- १०—मुद्रा-मूल्य में परिवर्तन में श्राप क्या समझते हैं? वे कैसे होते हैं और इनसे क्या प्रभाव होते हैं? (म० भा० १९५३)

भारतीय चलन प्रणाली  
(Indian Currency System)

भारतीय चलन प्रणाली दो भागों में बाँटी जा सकती है—(१) आन्तरिक चलन प्रणाली और, (२) बाह्य चलन प्रणाली ।

(१) आन्तरिक चलन-प्रणाली

(Internal Currency System)

चलन अधिकारी ( Currency Authority )—भारत में चलन प्रणाली के दो अधिकारी हैं. (१) भारत सरकार, तथा (२) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया । भारत सरकार धातु मुद्रा बनाती है और रिजर्व बैंक पत्र मुद्रा प्रचलित करता है । रिजर्व बैंक के प्रतिरिक्त अन्य किसी मन्षा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है । अतः चलन अधिकारिया के अनुसार भारत की आन्तरिक चलन प्रणाली को दो भागों में बाँटा जा सकता है—  
(अ) धातु मुद्रा, और (आ) पत्र-मुद्रा ।

(आ) धातु मुद्रा ( Metallic Money )—भारत में रुपया धातु का सबसे प्रमुख सिक्का है । यह देश की प्रधान मुद्रा है और सीमित विधि-ग्राह्य है, अतः इसे देश की प्रमाणिक मुद्रा कहा जा सकता है । किन्तु प्रामाणिक मुद्रा को भाँति इसका वास्तविक मूल्य इसके अंकित मूल्य के बराबर नहीं है बल्कि बहुत कम है और न इसकी स्वतन्त्र दलाई होती है । इन बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि रुपये में सार्वजनिक सिक्कों के गुण विद्यमान हैं । अतः भारतीय रुपया न तो पूर्ण रूप में प्रामाणिक सिक्का है और न सार्वजनिक सिक्का ही है । इसीलिए हम सार्वजनिक प्रामाणिक (Token Standard) सिक्का कहते हैं । रुपये की दलाई तो सार्वजनिक सिक्के की भाँति होती है, परन्तु काम यह प्रामाणिक सिक्के का करता है ।

हमारे देश में सबसे प्रथम ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने चाँदी का १८० ग्रेन का रुपया चलाया था । यह १८१२ मुद्रा था । इस रुपये की स्वतन्त्र मुद्रा-दलाई थी, परन्तु १८६३ में स्वतन्त्र मुद्रा-दलाई बन्द कर दी गई । किन्तु रुपया अनौपचारिक विधि-ग्राह्य अवश्य रहा । द्वितीय महायुद्ध-काल में रुपये की मुद्रता ११/१२ में कम करके १/१२ कर दी गई । सन् १९४० में सरकार ने गिल्ट का रुपया ( Nickel Rupee ) चालू किया । रुपये के प्रतिरिक्त अठनों, चवनी, दुस्रनी, इकनी, धधना, पंजा, पाई आदि धातु के सिक्के होते हैं । इनमें से अठनी का छोडकर शेष सब सिक्के सीमित विधिग्राह्य हैं । यद्यपि अठनीयाँ अनौपचारिक विधिग्राह्य हैं, परन्तु वे प्रामाणिक

मुद्रा में सम्मिलित नहीं हैं। भारत में समस्त सिक्के शकैतिक हैं। उनकी धलाई से सरकार को लाभ होता है।

**पत्र मुद्रा (Paper Money)**—सन् १९४० के पूर्व देश में ५, १०, १००, १,००० और १०,००० रुपये के नोट प्रचलित थे। युद्ध काल में चादी के मूल्य में वृद्धि हो जाने पर १ रु० और २ रु० के नोट चलाये गये। जनवरी १९४५ में १०० रु० से ऊपर के समस्त नोट विमुद्रित (प्रचलित) घोषित कर दिये गये। अतः अब २, ५, १० और १०० रुपयों के नोट प्रचलित हैं जो रिजर्व बैंक द्वारा निर्मायित किये जाते हैं। ये नोट निकल आना कागज के रूप में परिवर्तनीय हैं। हमारे देश में एन २० का अपरिवर्तनीय नोट भी प्रचलित है जो भारत सरकार द्वारा चलाया जाता है। १ रु० के नोट देखने में तो नोट है पर कानून की दृष्टि से ये कागज पर छोटे सिक्के कहे जा सकते हैं।

**स्वर्णमान-बोप और पत्र चलार्थ कोष (Gold Standard Reserve & Paper Currency Reserve)**—सन् १९३५ के पूर्व जबकि रिजर्व बैंक की स्थापना नहीं हुई थी भारतवर्ष में कागजा नोट (पत्र मुद्रा) भारत सरकार द्वारा नियमित होते थे। उस समय कागजा नोटों के छोड़े होने चाये सिक्के और प्रतिभूतियों (Securities) द्वारा निर्मित एक रजिस्टर या बोप रखा जाता था जिसे पत्र चलार्थ कोष या कागजा वरन्सी रिजर्व (Paper Currency Reserve) कहते थे। यह कोष सन् १९६२ में स्थापित कर दिया गया था। इसके प्रयोग के बदलने के साथ साथ इसका रूप भी बराबर बदलता गया। पहले तो इसका एकमात्र भोग नोटों का भुगतान करना था। सन् १९६० के स्वर्ण नोट विधान में इसका रजिस्टर चाँदी के रूप में प्रयोग में भी आने लगा। सन् १९०५ में तत्काल में स्थित स्थान तथा साथ पत्र विनियम दर स्थिर रखने के लिये भी काम में आने लगे। रिजर्व बैंक का संस्थापना के बाद से यह कोष नोटों के भुगतान करने और विनियम दर की स्थिरता रखने के काम में आने लगा।

**स्वर्णमान-कोष (Gold Standard Reserve)**—स्वर्णमान कोष की स्थापना सन् १९०० में हुई। फाउलर कमेटी की सिफारिश के अनुसार धातु के सिक्के बनाने में लाभ को संचय करने के लिये जिस कोष की स्थापना हुई वह स्वर्णमान कोष कहलाने लगा। इसके तीन मुख्य उद्देश्य थे—(१) विनियम-दर मजबूत करना (२) विपक्षीय व्यापारिक विषमता का भुगतान, और (३) गृह-व्यय का भुगतान।

पत्र चलार्थ कोष और स्वर्णमान रिजर्व सोने और चाँदी के भागों में विभाजित थे। सोने वाला भाग लंदन में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के पास रहता था और चाँदी वाला भाग भारत सरकार के पास।

इस कोषों को रुपये का विनियम अनुपात १ सि० ६ प० के बराबर स्थिर रखने में काम में लाया जाता था। हिस्टन दण कमीशन की सिफारिश के अनुसार रिजर्व बैंक के संस्थापन के बाद दोना कोष मिला दिये गये और साथ सोना रिजर्व बैंक को दे दिया गया।

भारतवर्ष में पत्र मुद्रा के निर्माण (Issue) की पुरानी रीति—सन् १९६१ के पूर्व कर्न्वी नोट भद्रास, बम्बई और कन्नड़ के प्रसीडेंटों बैंक जारी किया करते

थे। जारी किये जा सकने वाले नोटों की अधिकतम सीमा निश्चित थी और ३३% का एक धातु का रिजर्व (Metallic Reserve) रखा जाता था।

सन् १८६१ ई० में पत्र मुद्रा जारी करने का कार्य भारत सरकार ने स्वयं अपने अधिकार में ले लिया। प्रतिभूतियाँ (securities) के आधार पर ४ करोड़ रुपये तक के नोट जारी किये जा सकते थे, परन्तु उसके पश्चात् चत-प्रतिशत धातु का रिजर्व रक्षित पड़ता था। सन् १८६३ ई० में यह सीमा १४ करोड़ कर दी गई और सन् १८६४ में यह सीमा २० करोड़ रुपये तक बढ़ा दी गई। प्रथम महायुद्ध-काल में एक रुपये और दार्द रुपये के नोट बिना किसी धातु का रिजर्व रखे जारी किये गये और उपर्युक्त सीमा २० करोड़ से १२० करोड़ रुपये कर दी गई।

बेविंगटन मिथ कमिटी ने यह सिफारिश की कि सब नोटों के पीछे ४०% का रिजर्व होना चाहिये और प्रतिभूतियों के आधार पर जारी होने वाले नोट १३० करोड़ रुपये में अधिक नहीं होने चाहिये। उक्त कमिटी का यह मुझाव था कि जिस समय व्यापार में कृष्टि हो जाय, उस समय निर्यात वित्तों के आधार पर नोट जारी कर देना चाहिये। भागत सरकार द्वारा यह सिफारिश स्वीकार कर ली गई। इस सम्बन्ध में जो कुछ भी सुधार किया गया वह केवल इतना ही था कि धातु का रिजर्व ४०% के स्थान में ३०% कर दिया गया।

भारत में पत्र-मुद्रा के निर्गम (Issue) की वर्तमान प्रणाली :—सन् १९३५ में पूर्व भारत सरकार स्वयं कागजी नोट जारी करती थी, परन्तु रिजर्व बैंक के स्थापित हो जाने के पश्चात् यह कार्य उसके सुपुर्द कर दिया गया। अब रिजर्व बैंक का निगम विभाग (Issue Department) नोट जारी करता है। निगम विभाग बैंकिंग विभाग में विलुप्त प्रवृत्त है और उसका दायित्व केवल जारी होने वाले नोटों तक ही सीमित है। निगम-विभाग की सम्पत्ति और लेनदारों (Assets) निगमित अर्थात् जारी किये गये नोटों के कुल मूल्य के बराबर होने चाहिये। निगमित अर्थात् जारी नोटों के पीछे जो सम्पत्ति और लेनदारों होती है वह निम्न प्रकार है :—<sup>1</sup>

(१) सम्पत्ति की कुल राशि का कम से कम ४०% भाग सोने के सिक्कों, सोने की धातु अथवा स्टैलिङ्ग सिक्कोरिटिवों के रूप में होना चाहिये। परन्तु यह प्रतिबन्ध है कि सोने के सिक्कों और सोने की धातु का मूल्य किसी भी समय ४० करोड़ रुपये से कम नहीं होगा।

(२) शेष सम्पत्ति रुपये के सिक्कों, भारत सरकार की रुपये की सिक्कोरिटिवों और कुछ निगमित प्रकार के वित्तों और प्रामिसरी नोटों के रूप में होगी।

(३) सोने के सिक्कों पर धातु की कुल राशि का कम-से-कम १७/२० भाग भारत में रहना चाहिये।

नोट निर्गम की वर्तमान प्रणाली की विशेषताये

१ नोट जारी करने की वर्तमान प्रणाली अर्थिक वैज्ञानिक और नोबदार है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता अनुपातिक रिजर्व प्रणाली (Proportional Reserve System) है—समस्त नोटों के पीछे ४०% सोने का रिजर्व होना चाहिये।



२. यह अनुपात आवश्यकता पड़ने पर घटाया भी जा सकता है। यह ४०% रिजर्व ऐसा नहीं है कि कभी कम हो न किया जा सके। यदि रिजर्व बैंक को अधिक नोट चलाने की आवश्यकता प्रतीत हो, परन्तु इसके पाम ४०% रिजर्व रखने के मायन न हों, तो यह निर्दिष्ट नोटा के कुल मूल्य के ४०% में कम किये जाने वाले भाग पर राष्ट्रपति को कर (Tax) देकर घटाया जा सकता है।<sup>१</sup>

नोट-निर्गम की नई और पुरानी प्रणालियों की तुलना—(१) नई प्रणाली के अन्तर्गत नोट जारी करने का एकाधिकार रिजर्व बैंक को, जो देश का केन्द्रीय बैंक है, सौंप गया है। मध्य अर्थशास्त्री इस पर एक मत है कि केन्द्रीय बैंक द्वारा नोटा जा जारी करना सरकार द्वारा जारी करने में कहीं उत्तम है। इसके कारण स्पष्ट हैं। (अ) प्रथम तो केन्द्रीय बैंक का व्यापारिक जगत से परिच्छिन्न सम्पर्क होता है जबकि सरकार का नहीं। अतः सरकार की तुलना में केन्द्रीय बैंक को देश की आर्थिक एवं व्यापारिक आवश्यकताओं का अधिक ज्ञान होता है। (आ) दूसरे, सरकार द्वारा नोट जारी करने में सबसे बड़ा भय चलनाधिक्य (Over-Issue) का रहता है, क्योंकि अर्थनीति पर राजनीति हावी हो जाती है। अतः यही उचित है कि नोट-प्रकाशन का कार्य केन्द्रीय बैंक के जिम्मे हो।

(२) हमारी चलन प्रणाली अब पहले की अपेक्षा अधिक लोचदार (Elastic) हो गई है। पुरानी प्रणाली के अन्तर्गत वागजी चलन अधिक से अधिक १२० करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता था, परन्तु अब नई प्रणाली के अन्तर्गत उसके विस्तार की कोई सीमा हुई सीमा नहीं है। बैंक जब चाहे जब ४० रुपये के सोने के पीछे १०० रुपये के नोट जारी कर सकता है। इससे चलन में पर्याप्त लोच आ जाती है किन्तु यदि चलन की आवश्यकता इससे भी पूरी न हो और ४०% सोने का रिजर्व न हो, तो कुछ कर देकर, रिजर्व की मात्रा में आवश्यकतानुसार कमी की जा सकती है। और यह कमी घटते-घटते शतगो हो सकती है कि रिजर्व शून्य हो पाय।

निष्कर्ष—उप्युक्त तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि नोट जारी करने की वर्तमान प्रणाली पुरानी प्रणाली की तुलना में निरमन्त्रेह, यदि आदर्श नहीं, तो श्रेष्ठ अवश्य है।

## (२) बाह्य चलन-प्रणाली

### (External Currency System)

भारतीय मुद्रा का मान और विनिमय-दर—इस शताब्दी के आरम्भ में

1—The Reserve Bank Act provides that in respect of period during which the holding of gold coins, gold bullion or sterling securities (i. e. gold reserve) is reduced below 40%, the bank shall pay to the Governor General in Council a tax upon the amount by which such holding is reduced below 40% of the aggregate value of notes issued. This tax shall be equal to the bank rate for the time being in force with an addition of 1% per annum when such holding exceeds 32% of the total amount of the assets and further 2% per annum in respect of every further decrease of 2% part of such decrease.

नेकर अंग्रेजी शासन के अन्त तक हमारी मुद्रा स्वर्ण विनिमय मान और स्टलिङ्ग विनिमय मान के बीच भूलनी रही। सन् १९३५ में जबकि रिजर्व बैंक स्थापित किया गया उस समय उसके ऊपर यह उत्तरदायित्व रखा गया कि रुपये को विनिमय दर १ शि० ६ पै० पर कायम रखेगा। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह १ शि० ५५५ पै० पर स्टलिङ्ग बेचेगा तथा १ शि० ६५६ पै० पर स्टलिङ्ग खरीदेगा। रिजर्व बैंक ने इस कार्य को ठीक प्रकार में किया। युद्ध-काल में रिजर्व बैंक यह कार्य अपने 'विनिमय नियन्त्रण विभाग' द्वारा कर सका। युद्ध समाप्त होने के पश्चात् भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund) का सदस्य बन गया और ८ अप्रैल १९४७ को केन्द्रीय धारा सभा के निर्णय के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के एक सदस्य की हैसियत से प्रथम बार रुपये का मूल्य स्वर्ण की मात्रा में निश्चित किया गया। इस प्रकार रुपये का विदेशी मूल्य सोने के द्वारा हर एक देश के साथ स्थापित हो गया है। यद्यपि नये मान के अनुसार भी अंग्रेजी मुद्रा में एक रुपये को विनिमय-दर १ शि० ६ पै० के ही बराबर है जो दर सन् १९२४ से नहीं बढ़ा रही है, परन्तु स्टलिङ्ग के साथ भारतीय रुपये का एकनिष्ठ सम्बन्ध विनिश्चित हो गया। अब रुपये का विनिमय मूल्य अन्य चलानों (Currencies) के साथ सीधा स्थिर कर दिया गया है। इस प्रकार रिजर्व बैंक के ऊपर अब रुपये की विनिमय-दर को कायम रखने का उत्तरदायित्व नहीं है। अब रुपये की दर भारत सरकार अन्तर्राष्ट्रीय कोष के आदेशानुसार रिजर्व बैंक द्वारा कटौत करेगी। भारत के वर्तमान मान को हम अन्तर्राष्ट्रीय स्वर्णमान (International Gold Standard) कह सकते हैं।

**भारतीय चलन प्रणाली के गुण व दोष**

**गुण**—(१) हमारी वर्तमान प्रणाली एक अन्तर्राष्ट्रीय प्रणाली है। सत्तर के अधिकांश देशों की प्रणाली भी ऐसी ही है।

(२) हमारी आन्तरिक करन्सी का रूप सुविधाजनक है। हमारे यहाँ धान्धक और कागजी दोनों प्रकार की करन्सीयाँ चालू हैं। हमारे धान्धक करन्सी भी बहुत सजिली नहीं है। जो पाटु प्रयोग में लार् जा रही हैं वह काफी सस्ती हैं।

(३) नोटों का चलन केन्द्रीय बैंक के हाथ में है और उसमें पर्याप्त लोच है।

**दोष**—(१) भारतीय चलन प्रणाली कुञ्जिन है अतः इस पर लोगों का विश्वास नहीं है। इसलिये वे अपनी बचत जमीन, मकान, सोने और चाँदी में लगा रखते हैं; जिनसे व्यापार आदि को पूँजी प्राप्त नहीं होती।

(२) करन्सी का मूल्य बराबर गिरता रहा है। इसके फलस्वरूप भी लोगों का इस पर विश्वास नहीं है।

(३) हमारी सम्पूर्ण करन्सी साकेतित है और वास्तविक मूल्य हमें नहीं भी प्राप्त नहीं होता। स्वर्ण में उत्पन्न जो मूल्य रखा गया है, वह केवल नाम के लिये है। स्वर्ण तो हमें प्राप्त होना ही नहीं।

(४) हमारे नोटों के लिये जो कोष है वह अधिकांश स्टलिङ्ग में है। स्टलिङ्ग करन्सी उसनी अच्छी नहीं रह गई जितनी अच्छी डॉलर करन्सी है। हमें विदेशों में सामान प्राप्त नहीं होता है।

(५) हमारे नोट प्रतीमित विधिप्राप्त हैं, किन्तु इन्हें सोने और चाँदी में बदला नहीं जा सकता।

(६) चाँदी के मूल्य में निरन्तर वृद्धि होते रहने के कारण हमारी मुख्य मुद्रा रुपये में भी निरन्तर मिलावट होती आ रही है और सम्भव है यह उरा स्थिति तक होती रहेगी जब तक रुपया नोट के निकट तक नहीं पहुँच जाय।

(७) भारतीय मुद्रा-चलन प्रणाली अब भी पूर्णतया शोचदार नहीं है।

### भारतीय चलन का इतिहास (History of Indian Currency)

भारतीय चलन की वर्तमान समस्याओं को भलो-भाँति समझने के लिये इसका विच्छेद इतिहास जानना आवश्यक है। इसलिये नीचे भारतीय चलन का इतिहास संक्षेप में दिया जाता है :—

(१) सन् १८०० से पूर्व—ईस्ट इण्डिया कम्पनी के पूर्व भारत में हिन्दू और मुस्लिम धार्मिक द्वारा चलाई हुई कई प्रकार की और लगभग ६६४ सोने और चाँदी की मुद्राएँ प्रचलित थीं। इन मुद्राओं में परस्पर विनिमय-दरों निश्चित नहीं थीं। बाजार में महाजन व सर्राफ विभिन्न मुद्राओं का सापेक्षिक मूल्य उन मुद्राओं में लगे स्वर्ण एवं चाँदी की तौल तथा शुद्धता के अनुसार निश्चित करते थे। इस प्रकार की मौद्रिक व्यवस्था से अनर्बेसीय तथा विदेशी व्यापार में बड़ी कठिनाई होती थी। इसलिये ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथों में राज्य की वागडोर आने ही समस्त भारत के लिये एक प्रामाणिक मुद्रा चलाने का निश्चय किया गया।

(२) सन् १८००—१८३५ : द्वि धातुमान के परिचालन का प्रयास (Attempted Bimetallism)—इस युग में ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा चाँदी और सोने की मुद्राएँ जारी की गईं। इनके वैधानिक अनुपात, शुद्धता एवं माप सुनिश्चित थे। द्वि धातु मुद्रा मान के परिचालन के प्रयास में कम्पनी को बहुत अधिक सफलता न मिल सकी क्योंकि बाजार में सोने और चाँदी के मूल्य स्थिर न थे। इसलिये कम्पनी ने क्रमशः एक धातु-मुद्रा-मान को अपनाते का निश्चय किया।

(३) १८३५—१८६३ : रजत-मान (Silver Standard)—सन् १८३५ में भारतवर्ष में पूर्ण रूप से रजत मान (Silver Monometallism) स्थापित कर दिया गया। कम्पनी ने १८० पैस (११/१२ शुद्ध चाँदी) चाँदी के रुपये को समस्त ब्रिटिश भारत में पूर्ण रूप धोषित कर दिया। एक हजार तोम से अधिक चाँदी के मुद्राकन के लिये दकनाल सोल दिये गये। मुद्राकन शुल्क दो प्रतिशत और एक प्रतिशत मुद्राकन-न्यय लिया जाता था। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि स्वर्ण मुद्रा पूर्णतया हट गई थी। सोने की मोहरें आदि जनता की इच्छापूर्ति के लिये दकनाल में जारी जाती थी और सन् १८४१ में यह घोषित भी कर दिया गया कि सरकारी रकम के मुगलान के लिए स्वर्ण मुद्रा अपने अधिक मूल्य पर सरकारी राजकोष में स्वीकार की जायेगी।

मेक्सिको और संयुक्तराज्य अमेरिका में चाँदी की नई खानें खुल जाने के कारण सन् १८७३ के बाद से चाँदी का मूल्य निरन्तर घटने लगा, यहाँ तक कि जो रुपया सोने में दो शिलिंग के बराबर होता था, एक शिलिंग के बराबर रह गया। इसके फलस्वरूप विदेशी वस्तुएँ विनोपतया अंग्रेजी वस्तुओं के दाम दुगने हो गये। इधर जो अंग्रेजी कर्मचारी भारत में काम करते थे और घर को रुपया भेजने थे, उन्हें रुपये के बदले में आधे पाँच मिलने लगे। भारत सरकार को भी बहुत सा ब्यय पीण्डो में करना

पड़ता था, यह भी दुष्टता हो गया था। इन समस्याओं को देखते ही देखा में वही चर्चोनी कही। इस कठिनाई का हल ढूँढ निकालने के लिये हरजाल कमिटी नियुक्त की गई।

(४) १८९३-१८९८ रजत मान का अन्न (Breakdown of Silver Standard)—हरजाल कमिटी की सिफारिश के अनुसार मन् १८९३ में जस्ता के लिये एकसात बन्द कर दी गई अर्थात् जनता का रुपय बनवान का अधिकार छीन लिया गया। सरकार ने भी नये रुपय के लिये कानून पारित कर दिया, जिसे हरजाल कमिटी ने आदर्श बताया था। आगे क्या बदल लाया जाय, इस पर गण्य देने के लिये भारत सरकार ने मन् १८९८ में फौलर कमिटी (Fowler Committee) नियुक्त की।

(५) १८९८-१९१४ स्वर्ण विनिमय मान (Gold Exchange)—फौलर कमिटी ने भी यही संपत्ति दी कि रुपय की विनिमय दर १ शि० ४ पैसे पर स्थिर कर देनी चाहिये। इसके अतिरिक्त, उसने स्वर्ण मान स्थापित करने तथा ग्रेट ब्रिटेन के लोहे के लिये सर्वोत्तम की विधियाँ बना देने और उसकी स्वतन्त्र मुद्रा बनाने का सुझाव रखा। सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार तो कर लिया, परन्तु उन्हें काम चलाप में परिणत नहीं किया। मोन के मित्रों के निर्माण के लिये एकमात्र स्थापित नहीं की गई। अन्त में, सरकार की नीति में इस प्रकार परिवर्तन हुआ कि इनके स्वर्ण विनिमय मान का रूप धारण कर लिया जिसे न तो हरजाल कमिटी ने मंजूर था और न फौलर कमिटी ने। अब सरकार ने विनिमय दर को १ शि० ४ पैसे पर ही रखने की कसरत की। कौन्सिल बिल (Council Bills) और रिवर्स कौन्सिल बिल (Reverse Council Bills) के अर्थ विज्ञान द्वारा इस दर का स्थिर रखा गया।

कौन्सिल और रिवर्स कौन्सिल बिलों का अर्थ विज्ञान—कौन्सिल बिल (रुपये की हुँडियाँ) और रिवर्स कौन्सिल बिल (स्टर्लिंग हुँडियाँ) का अर्थ विज्ञान निम्न प्रकार होता था : यदि भारत से इंग्लैंड को अधिक मात्रा में चढ़ा जाता और वहाँ से कम आता, तो इंग्लैंड में कौन्सिल बिलों (रुपये की हुँडियों) की माँग बढ़ जाती और रुपये के मूल्य बढ़ने की सम्भावना होती। उस समय भारत मन् १ शि० ४ पैसे की दर से, जो व्यापारी चाहता है उसे हुँडी बेचना शुरू कर देता। ये हुँडियाँ कौन्सिल बिल कहलाती थीं। इंग्लैंड का व्यापारी उसे खरीद कर भारतीय व्यापारी के पास भेज देता था। भारतीय व्यापारी उसे दिखाकर भारत सरकार से उतने ही रुपये को राशि प्राप्त कर लेता था। इसी प्रकार यदि कभी भारत इंग्लैंड में अधिक मात्रा में आता और कम भेजता तो भारत में स्टर्लिंग की माँग बढ़ जाती। ऐसी स्थिति में स्टर्लिंग का मूल्य बढ़ने की सम्भावना होती है। उसी समय भारत सरकार, जो भी व्यापारी चाहता उससे रुपये लेकर १ शि० ४ पैसे की दर से भारत-मन् की राशि लेनी कर देती। इन्हीं हुँडियों को रिवर्स कौन्सिल बिल कहा जाता है। भारतीय व्यापारी रिवर्स कौन्सिल बिल खरीद कर इंग्लैंड में अपने मान भेजने आता को देता था। वह उसे दिखा कर भारत-मन् से पैसे में मुआवजा प्राप्त कर लेता था। इस प्रकार रुपये की दर को १ शि० ४ पैसे पर स्थिर रखने में और स्वर्ण मान के अन्तर्गत स्वर्ण-विनिमय मान स्थापित करने में भारत सरकार सफल हुई।

देनामिया ने भारत सरकार की इस मुद्रा नीति को कड़ी आलोचना की जिसके फलस्वरूप मन् १९१३ में चेम्बरलैन कमिशन (Chamberlain Commi-

ssion) की नियुक्ति की गई। कमीशन ने भारत के लिये स्वर्ण विनिमय-मान उपयुक्त वनलाया और इसी को ही जारी रखने की सिफारिश की।

(६) १९१४-१९१८ युद्ध काल तथा विनिमय दर में हेर फेर ( War time & Change in the Exchange rate)—चैम्बरलेन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने के कुछ ही दिनों बाद प्रथम महायुद्ध छिड़ गया। लोहा का मरकार में विश्वास न रहा और उतम घबराहट फैल गई जिसके कारण लोगों ने डाकूबानों से रपया निकालना तथा वरेंसी नोटों के बदले में सरकार से सोना मागना शुरू कर दिया। माग इतनी बढ़ गई कि सरकार को सोना देना बन्द करना पड़ा। कुछ समय के लिये स्थिति काहू में आई, परन्तु १९१५ में फिर भोपण हो उठी। युद्ध-काल में भारत ने इङ्गलंड व मिन देशों को बहुत माल रपया परन्तु खरया बहुत कम। उनके प्रतिरिक्त भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार के लिए यहाँ पर बहुत-सा रपया व्यय भी किया। जिसके कारण ब्रिटिश सरकार जल्दी हो गई। प्रारम्भ में माँग पूरी करने के लिये कौन्सिल विल १ शि० ४ पे० की दर से बेचे गये, परन्तु शीघ्र ही उनकी माग इतनी अधिक हो गई कि भारत सरकार द्वारा रपयों में उनका भुगतान करना कठिन हो गया। चादी के मूल्य में इतनी वृद्धि हो गई कि रपये को गलतना लाभप्रद हो गया। सरकार ने कौन्सिल विला को असोमित राशि में बेचना बन्द कर दिया और जो बेचे वह भी लँची दर पर, बिना रिजर्व रखे हुए एक रपये और डार्ड रपये के नोट भी जारी कर दिये गये। इस प्रकार विनिमय की दर जो सन् १९१४ में १ शि० ४ पे० थी, वह सन् १९१८ में २ शि० ४ पे० पर पहुँच गई।

(७) १९१९-१९२५ . बँबिन्टन स्मिथ कमेटी और विनिमय दर २ शि० पर स्थिर करने का प्रयास ( Babington Smith Committee & attempt to stabilise the Exchange rate at 2 Sh )—महायुद्ध के समाप्त हो जाने के पश्चात् भावी मुद्रा नीति के सम्बन्ध में राप्मति देने के लिये सरकार ने बँबिन्टन स्मिथ कमेटी नियुक्त की। कमेटी ने पुनः स्वर्ण विनिमय दर प्रयत्नले और विनिमय दर २ शि० कर देने की सिफारिश की। सरकार ने इ ह स्वीकार किया। किंतु कुछ ही समय पश्चात् की घटनाओं ने कमेटी के विचारों को पूर्णतया प्रमात्न प्रमात्त कर दिया, क्योंकि चादी का मूल्य गिर गया और व्यापार का अंतर (Balance of Trade) भारत के प्रतिरुक्त हो गया अर्थात् भारत को पाता कम और देता अधिक हो गया। इसके फलस्वरूप स्टैलिङ्ग की माँग बढ़ी और रपये का मूल्य गिरने लगा। तब सरकार ने उसे २ शि० पर बनाये रखन की चेष्टा की परन्तु उसे मफलता नहीं मिली। बिबा होकर सन् १९२२ में सरकार ने रिजर्व कौन्सिल विला को बेचना स्थगित कर दिया और विनिमय दर को अपने हाल पर छोड दिया।

(८) १९२६—१९३१ हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission)—सन् १९२४ में विनिमय दर १ शि० ६ पे० के लगभग स्थिर हो गई, और सन् १९२५ में भावी मुद्रा नीति के माद प में राय देने के लिये सरकार ने हिल्टन यंग कमीशन (Hilton Young Commission) को नियुक्त किया जिसने स्वर्ण-धानु मान ( Gold Bullion Standard ) अपनाते और रपये की विनिमय दर १ शि० ६ पे० निश्चित करने की सिफारिश की।

सरकार ने कमीशन की सिफारिश को स्वीकार किया और ऊँहे कार्यान्वित करने के लिय सन् १९२७ में भारतीय चलन विधान (Indian Currency Act)

पात किया जिसके अनुसार रुपये की विनिमय-दर १ सि० ६ पैं० या ८४७ बुद्ध स्वर्ण के घन के बराबर निर्दिष्ट की गई। इस दर को स्थिर रखने के लिये सरकार ने २१ द० ३ आ० १० पा० प्रति तोले के हिस्साय में कम से कम ४० तोला या उससे ऊपर अमी-मित्त मात्रा में स्वर्ण के पाट लरीदने की जिम्मेदारी ली। इसके अतिरिक्त, इसी दर पर सरकार ने जड़ता की विधिग्राह्य मुद्राओं के बदले ४०० ग्राम (१०६५ तोले) स्वर्ण या स्टर्लिंग बेचने की भी जिम्मेदारी ली। विधिग्राह्य मुद्राओं के बदले स्वर्ण एवं स्टर्लिंग प्राप्त करने का अधिकार होने के कारण इस प्रणाली में स्वर्ण धातु-मान (Gold Bulhon Standard) और स्टर्लिंग-विनिमय मान (Sterling Exchange Standard) दोनों की विशेषताओं का सम्मिश्रण हो गया था। इस प्रकार जो मान स्थापित हुआ उसे न तो स्वर्ण धातु मान कहा जा सकता था और न स्वर्ण-विनिमय मान। यदि उम अनिश्चित स्वर्ण मान कहें तो उपयुक्त होगा, क्योंकि स्थिति के अनुसार और सरकार की इच्छा के अनुसार कभी तो वह स्वर्ण-धातु-मान का स्वरूप ग्रहण कर लेता था और कभी स्वर्ण विनिमय मान का।

(९) १९३१—१९४७ स्टर्लिंग विनिमय मान (Sterling Exchange Standard)—सन् १९३१ में इंग्लैंड ने स्वर्ण-मान का परित्याग कर दिया जिसके कारण भारतीय रुपये की भी वैसा ही करना पड़ा। रुपये की १ सि० ६ पैं० की दर पर स्टर्लिंग में बाँध दिया गया। क्योंकि अब स्टर्लिंग सोने में परिवर्तनशील नहीं था, इसलिये भारतीय मान विमुद्रा-स्टर्लिंग मान हो गया। तब से लेकर सन् १९४७ तक भारत में यही मान रहा।

इस बात की महत्वपूर्ण घटनाएँ—इस काल में दो महत्वपूर्ण घटनाएँ हुई—(१) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना (१९३५), और (२) द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५)।

१—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की स्थापना (१९३५)—सन् १९३५ तक हमारे यहाँ भारत सरकार ही चलन सम्बन्धी समस्त कार्यों का संचालन करती थी। सन् १९३५ में हमारे देश में केन्द्रीय बैंक के रूप में रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और उसे यह मारा भार सौंप दिया गया, जिसे चलन का पूरा प्रबन्ध अब रिजर्व बैंक के हाथ में था गया। देश के शमस्त अच्छे बैंक इसी सम्बद्ध हैं और सम्बन्धित या अनुसूचित (Scheduled) बैंक कहलाते हैं। इन्हें अपनी देनदारियाँ (Liabilities) का कुछ भाग हमें पास जमा रखना पड़ता है। इस प्रकार मुद्रा व्यवस्था के अतिरिक्त, सारी साल व्यवस्था पर रिजर्व बैंक का नियन्त्रण है। स्वर्ण-मान रिजर्व (कोष) और कागजी चलन रिजर्व (कोष) दोनों के मुपुद कर दिए गये हैं। रुपये का बाहरी मूल्य १ सि० ६ पैं० के बराबर बनाय रखने का उत्तरदायित्व भी रिजर्व बैंक पर था।

२—द्वितीय महायुद्ध (१९३९-४५)—इस काल की दूसरी महत्वपूर्ण घटना द्वितीय महायुद्ध था जो सन् १९३९ में आरम्भ हुआ और सन् १९४५ में समाप्त हुआ। इस काल की कुछ उल्लेखनीय घटनाएँ निम्नलिखित हैं—

(अ) रुपयों की माँग में वृद्धि—युद्ध छिड़ने पर जनता में वैचरनी उत्पन्न हुई और लोग नाँटों को रुपयों में बदलाने के लिये बाजार हो उठे, जिसके कारण रुपयों की माँग बहुत बढ़ गई। बाद में व्यापार इतना बढ़ा कि यह माँग बढ़ती ही गई। अतः सरकार को इन समय १४६ करोड़ रुपये बनाकर जारी करने पड़े।

(घा) एक और दो रुपये के नोटों का चलनारम्भ—चाँदी के रुपये की माँग इतनी बढ़ती गई कि उसे इससे पूरा करना असम्भव हो गया। अतः विवश होकर सरकार को एक और दो रुपये के नोट चलाने पड़े जो अभी भी प्रचलित हैं।

(इ) विनियम नियंत्रण (Exchange Control)—यह काल में विषम परिस्थितियों के उत्पन्न हो जाने के कारण अर्थात् और निर्यात पर सरकार द्वारा नियंत्रण आवश्यक हो जाता है। इसी लक्ष्य को लेकर भारत में गत युद्धकाल में विनियम नियंत्रण प्रारम्भ किया गया। भारत सरकार ने यह कानून बना दिया कि निर्यात करने से जिस व्यक्ति को पीछे, डॉनर आदि प्राप्त हो वह रिजर्व बैंक में जमा करे, और जिन विदेशों से माल खरीदने के लिये विदेशी करेंसी की आवश्यकता हो, वह रिजर्व बैंक से विदेशी विनिमय करीदे। इस पद्धति को विनियम नियंत्रण (Exchange Control) कहते हैं। यह पद्धति आज दिन भी प्रचलित है और इसके देश को बहुत लाभ पहुँचा है।

(ई) बड़ी राशि के नोटों का विमुद्रीकरण (Demonitisation)—युद्धकाल में चोरबाजारी, मुनाफाखोरी और धूमखोरी का बड़ा जोर रहा। इसमें सम्बद्ध लोगों ने इस प्रकार अवैध ढंग में बड़ा धन कमाया जो अधिकतर बड़े नोटों में संचित कर रखा गया। इस कमाई को खत्म करने के लिये १२ जनवरी, १९४६ को भारत सरकार ने एक विमुद्रीकरण अधिनियम जारी किया जिसके अनुसार १०० रुपये में ऊपर की राशि के नोटों का विमुद्रित कर दिया, अर्थात् ५०० रु०, १,००० रु० और १०,००० रु० के नोटों को अविधि ग्राह्य घोषित कर दिया। उन्हें भुना कर उनके बदले में दूसरा चलन लेने के लिये २६ फरवरी, १९४६ तक का समय दिया गया। भुनाने वाले व्यक्ति को रिजर्व बैंक को एक कॉम भर कर यह बताना पड़ता था कि ये नोट कब और कहाँ से मिले, इन्हें पास में क्यों रखा गया और बैंक में क्या नही जमा किया गये, आदि।

(१०) १९४७: अन्तर्राष्ट्रीय मान की स्थापना (Establishment of International Standard)—८ अप्रैल, १९४७ का भारतीय धारा तथा के निर्णय के अनुसार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सदस्य की श्रेणित में प्रथम बार भारत सरकार ने स्वीकृति से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया और भारतीय रुपये का मूल्य माने में निश्चित किया गया। इस प्रकार भारत में 'अन्तर्राष्ट्रीय मान' की स्थापना हुई।

(११) १९४९: रुपये का अवमूल्यन (Devaluation of Rupee)—सन् १९४९ में करेन्सी नवम्बी एक और महत्वपूर्ण घटना हुई। १८ अक्टूबर १९४९ को ब्रिटिश राजा के चांसलर सर स्टेफन क्रिप्स ने इंग्लैंड को विषम परिस्थिति के दबाव के कारण यह घोषणा कर दी कि ब्रिटेन ने डॉलर की तुलना में पीछे का मूल्य ३०.५% घटा दिया। पीछे का मूल्य ४.०३ डॉलर से २.८० डॉलर कर दिया गया। उस समय भारत के सामने यह प्रश्न था कि यह स्टैलिज़ के साथ रहे अथवा डॉलर के साथ। स्टैलिज़ क्षेत्र से अधिक व्यापार होने के कारण भारत ने स्टैलिज़ के साथ रहने का निश्चय किया। अवमूल्यन के बाद भी स्टैलिज़ के साथ रुपये की दर तो १ शि० ६ पैसे ही रही, किन्तु डॉलर में कम हो गई। अवमूल्यन से पूर्व एक डॉलर ३ रु० ५ आ० के बराबर था। अब वह ४ रु० ११ आ० के बराबर हो गया है। पाकिस्तान के अतिरिक्त कॉमनवेल्थ के सब सदस्यों ने इसका अनुकरण किया।

(१२) १९६६-७० : भार तपाकिस्तान मुद्रा गतिरोध (Indo-Pakistan Monetary Dead-lock)—भारत ने तो अपने रुपये का अंतरमुद्रण कर दिया ; परन्तु पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया । जिसके फलस्वरूप १०० पाकिस्तानी रुपये १४४ भारतीय रुपये के बराबर हो गये । इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था को गहरा धक्का पड़ा । मोन गवर्नर ने पाकिस्तानी रुपये की बढ़ी हुई दर को मानने से इन्कार कर दिया जिससे परिणामस्वरूप मालट महीने तक यह मुद्रा गतिरोध चलयता रहा और साग-आपात उत्पन्न हो गया । जूट का आयात स्थगित हो जाने से कनकते की छूट मिल बन्द हो गई । विवाद टाकर भारत सरकार का पाकिस्तानी रुपये की हुई दर स्वीकार करती पड़ी और २६ फरवरी, १९५१ को दाना देशा के मध्य एक व्यापारिक समझौता हो गया जिसमें स्थिति में कुछ सुधार हो गया ।

यदि पाकिस्तान को इस नीति पर आक्षेप दृष्टि में विचार किया जाय, तो यह नीति उचित नहीं है । पाकिस्तान ने अपनी मुद्रा का मूल्य मनोवैज्ञानिक भावनाओं तथा राजनैतिक अवस्थाओं के आधार पर बढ़ाया । भाग्यवश विद्व-स्विति पाकिस्तान में अनुभव हो रही जिसमें वह अपनी विनिमय दर रिकर रख सका । कारिया के युद्ध के कारण पाकिस्तान का रुपया और भी हड़ हा गया और भारत को बाध्य होकर पाकिस्तान की विनिमय दर का स्वीकार करना पड़ा । मार्च १९५२ के बाद तो स्थिति और भी विकट हो गई । चीन बाजार में पाकिस्तानी मुद्रा का मूल्य भारतीय मुद्रा से भी कम हो गया अर्थात् ६२/१८ १०० के बराबर आ गया ।

वर्तमान चलन समस्याएँ

मुद्रा-स्फीति (Inflation)—मुद्रा-स्फीति में महायुद्ध का समय बड़ा अभिप्राय है । इसके मुख्य कारणों, प्रभावा आदि का विचार विवेचन में अध्याय में किया जा चुका है । सन् १९४६ में कुल मुद्रा प्रसार १२०० करोड़ रुपय तक पहुँच गया था जबकि सन् १९२६ में यह केवल २०० करोड़ रुपय ही था । वही स्थिति अभी भी जारी है । अतः स्पष्ट है कि चलन में बढ़ते की अपेक्षा पाँच गुनी वृद्धि हो गई । मुद्रा-स्फीति के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति कम हो गई और वस्तुओं के भाव बढ़ गये जिससे मध्यम वर्ग एवं श्रमिक वर्ग को बहुत चोट पहुँची ।

सूच्यों का घटाने के लिये भारत सरकार कम्पनी की वृद्धि को रोकने का प्रयत्न कुछ मात्र में कर रही है । इसमें अनेक मुद्रा-स्फीति विरोधी कार्यक्रम को घासपास करके १९४८ में भी, परन्तु यह नीति प्रभावी नपायकर सिद्ध नहीं हुई । सन् १९५१-५२ में मुद्रा-प्रसार में कमी की गई और मूल्य भी गिरा । सरकार ने कमी नीति का प्रयत्न किया जिसमें देश की उत्पाति बढ़ी जिससे कम होकर आयात का प्रोत्साहन मिला, पर लगातार मुद्रा चलन में कमी गई और कष्टाल श्राव्य सूच्यों को कम करने का प्रयत्न किया गया । कारण यह है कि मुद्रा-स्फीति आज हमारी समस्त प्रमुख प्राथमिक समस्या है जिसका हल निकालना नितांत आवश्यक है ।

स्टर्लिंग पावना (Sterling Balances)—द्वितीय महायुद्ध में पूर्व भारतवर्ष ब्रिटेन का श्रेणी था, परन्तु युद्ध ने इन स्थिति को उल्टा कर दिया । दुसरे वर्षों में युद्ध-काल में ब्रिटेन का मारा करण हुआ गया और अनेक ब्रिटेन भारतवर्ष का श्रेणी हो गया । पौंड पावने की महायुद्ध-काल में जो वृद्धि हुई वह हमारे देश के मुद्रा-इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है । द्वितीय महायुद्ध के आरम्भ होने से पूर्व रिजर्व



बैंक ने पाप पत्र-मुद्रा के रिजर्व के रूप में केवल ६४ करोड़ रुपये के पीड-पावने के जो वजन मनु १९४२-४६ में १७३३ रुपये के बराबर हो गये ।

ब्रिटेन जितना भी माल लेना उसने बदले स्टर्लिंग प्रतिज्ञा पत्र निकल देना जिन्हें स्टर्लिंग सिक्कोरिटी कहते हैं । भारत सरकार यह सिक्कोरिटी रिजर्व बैंक को द देने की जो उमक आधार पर तबे नोट जारी कर भारतीय व्यापारियों को भुगतान कर देना । वतंपात-मुद्रा स्वीति का यह एक गुप्त कारण है । रिजर्व बैंक अग्रिमिकम के अनुसार कुल नोटों का ४०% भाग स्टर्लिंग प्रतिभूतियों या सिक्कोरिटीज में रह सकता है परन्तु इसमें मरगोन कर दिया गया और यह प्रतिपन्ध हटा दिया गया । आज स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ पत्र मुद्रा के ६०% में भी अधिक हैं । इस प्रकार भारतीय पत्र-मुद्रा का आधार ही स्टर्लिंग प्रतिभूतियों पर गई ।

पीड पावने के संचय (Accumulate) होने का कारण — पीड पावने की बुद्ध-पात में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई । इसके कई कारण थे । (१) ब्रिटेन ने युद्ध-काल में भारतवर्ष से बहुत-सा माल खरीदा । इस माल के बदले उनका भारत की रुपये नहीं दिये और न सोना ही दिया बल्कि इंग्लैंड की सरकार ने विभिन्न अवधिपा के प्रतिष्ठा-पत्र दिये । (२) भारत ने मिन गध्दा की जनता तथा सेनाओं के लिए भी बहुत अधिक माल बेजा जिसके परिणाम स्वरूप भारत का व्यापार-समुत्पन्न इन देशों के भुगतान रहा । (३) इंग्लैंड तथा भारत के मध्य होने वाले मनु १९३६ के आर्थिक सम्झौते के अन्तर्गत भी भारत सरकार ने मुद्रा के लिये ब्रिटेन की सरकार के प्रति जो व्यय किया वह भी दिन-अतिदिन बढ़ता ही गया । (४) युद्ध काल में ब्रिटिश भारत में रहने वाले सारत स्थानियों का डॉलर तथा अन्य दुर्लभ मुद्राओं के रूप में जो धन जमा था वह भी ब्रिटीश साम्राज्य के डॉलर पुल के लिये प्रतिवार्य रूप से ले लिया गया । (५) अमेरिका की निर्यात तथा अमेरिका की सेना पर भारत में होत धान व्यय के बदले में भारत की जो डॉलर प्राप्त हुए वे भी 'डालर पुल' में एकत्रित कर दिये गये । इन प्रकार भारतवर्ष को जो इंग्लैंड अथवा विदेशों में प्राप्त करना था उन सबके बदले स्टर्लिंग प्रतिभूतियाँ ही गई ।

पीड पावने का भुगतान और उमका उपयोग :— युद्ध समाप्त होने पर इस देश में इस धान की चर्चा हुई कि पीड-पावने का उपयोग किस प्रकार किया जाये । भाग्य के भिन्न भिन्न लोगों ने भिन्न भिन्न सुझाव रखे । (१) किसी ने कहा कि इनके बदले में इंग्लैंड में मशीनें मौराई जाय । (२) किसी ने कहा कि इनको अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पाठ घोरेटर के रूप में रख कर कोष में जम्मा किया जाये । (३) किसी को यह राय रही कि यदि इंग्लैंड इस समय हमारे मशीनरी की माँग को पूरा न कर सके तो इस ष्णु का कुछ भाग डॉलर आदि अन्य दुर्लभ मुद्राओं में परिवर्तित कर दे जिसमें भारत संपार के अन्य सर्वे बाजारों में यह गान मँगा सके । (४) इस ष्णु का कुछ भाग ब्रिटेन वालों को जो व्यापारिक पूँजी भारत में लगी हुई है उस, उचित दामा पर खरीदने के काम में लाया जा सकता है । (५) यह रकम स्टर्लिंग पेन्शन, पारिवारिक पेन्शन तथा युद्ध-भागिनी के खरीदने के काम में ली जा सकती है । (६) भारतीय युद्धोत्तर पुनर्निर्माण तथा उद्योग धर्मों के यंत्रिकरण करने तथा भारतीयों का विदेश में विशेष शिक्षा दिलाने के हेतु इसका उपयोग किया जा सकता है ।

पीड-पावने सम्बन्धी समझौते

(Sterling Balances Agreements)

युद्ध समाप्त होने के बाद अगस्त १९४७ में भारत और ब्रिटिश सरकार के

बोच एक मध्यकालीन समझौता ( Interim Agreement ) हुआ। इस समझौते के अनुसार पौड पावने की राशि ११४७ करोड़ रुपये निश्चित की गई और इसमें से लगभग १११ करोड़ रुपये की राशि सन् १९४८ तक भारत को अपनी इच्छानुसार व्यय करने की स्वतन्त्रता दी गई। परन्तु भारत इस राशि में से केवल ४ करोड़ रुपये की राशि जून १९४८ तक खर्च कर पाया। जुलाई १९४८ में एक नया समझौता हुआ जिसके अनुसार भारत को उसके गन वर्ष के वचे हुए १०७ करोड़ रुपये के प्रतिरिक्त सन् १९५१ के जून तक १०६ करोड़ रुपये अपनी इच्छानुसार व्यय करने की स्वतन्त्रता दी गई। इसी वर्ष पौड पावने में से भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार को लगभग ३५७ करोड़ रुपये मुद्रा मामलों के खरीदने तथा ब्रिटिश अफसरों की पेशान चुकाने के लिये दे दिये। जुलाई १९४९ के नये समझौते के अनुसार भारत सन् १९५१ के जून तक १०६ करोड़ रुपये के स्थान पर १३३ करोड़ रुपये तक पौड-पावने में खर्च कर सकेगा। इसी समझौते में यह भी निश्चय किया गया कि भारत १९४८-४९ के लिये भी लगभग १०८ करोड़ रुपये खर्च कर सकेगा। फरवरी १९५२ में इस सम्बन्ध में सबसे अन्तिम समझौता हुआ। यह समझौता ३० जून, १९५७ तक के लिये किया गया। इस समझौते के अनुसार १९५० तक हमारे पास केवल ३१ करोड़ पौड-पावने बच रहेगे। यह बड़े खेद की बात है कि हमने इस पौड-पावने की अधिकतर राशि विदेशों में अन्न तथा अन्य उपभोग की वस्तुएँ खरीदने में खर्च कर दी। आशा है अगले ६ वर्षों में प्राप्त होने वाली पौड पावने की राशि देश की उत्पादन-शक्ति को बढ़ाने तथा आर्थिक उन्नति करने में लगाई जायेगी। अब भारत सरकार ने अपनी अन्तिम जमा-पूँजी को दूरी योजना की सफलता के लिये काम में लाना प्रारम्भ कर दिया है।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—भारत की वर्तमान मुद्रा प्रणाली का वर्णन संक्षेप में कीजिये।

( प्र० बो० १९५४ )

२—पत्र धनार्थ संचिति ( Paper Currency Reserve ) की विभिन्न पद्धतियाँ समझाइये। भारत के लिये कौन सी पद्धति उपयुक्त है और क्यों ?

( नागपुर १९५५ )

३—सन् १९१९ से सन् १९३९ तक भारत की मुद्रा प्रणाली का संक्षिप्त इतिहास लिखिये।

( दिल्ली हा० न० १९४८ )

४—वर्तमान भारतीय मुद्रा प्रणाली पर नोट लिखिए।

( प्र० बो० १९५२ )

५—भारत की वर्तमान प्रणाली का संक्षिप्त दिवरण लिखिए।

( दिल्ली हा० न० १९४७ )

परिचय ( Introduction )— अब तक हमने मुद्रा व करेन्सी का अध्ययन किया है और देखा है कि इनमें व्यापार व उद्योग में क्या सहायता मिलती है। परन्तु बहुधा व्यापार में हम नकद दाम नहीं देते, वरन् भविष्य में देने का वचन देते हैं। हम देखते हैं कि उपभोक्ता फुटकर व्यापारी से, फुटकर व्यापारी थोक व्यापारी से, थोक व्यापार उत्पादको या निर्माताओं से, उत्पादक या निर्माता बैंक से और बैंक जनता से साख पर उधार लेता है। अतः यह स्पष्ट है कि आधुनिक व्यापार व उद्योग साख ही आधार पर स्थिर है। दूसरे शब्दों में, आधुनिक युग 'साख का युग' है और वर्तमान आर्थिक व्यवस्था बहुत कुछ साख पर निर्भर है। उत्पत्ति, उपभोग, विनिमय तथा वितरण सभी में साख ही आवश्यकता होती है। पूँजीवाद-समय में बिना साख प्रयोग के भेत शून्य पड़े रहेंगे, बस कारखाने बन्द हो जायेंगे, विनिमय कार्य अत्यन्त सकुचित हो जायगा और वितरण में अनेकों कठिनाइयाँ उपस्थित हो जायेंगी।

साख शब्द के विविध अर्थ—साख शब्द बहुत में अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे : साधारण अर्थ में, वही-खाते सम्बन्धी अर्थ में, व्यापारिक अर्थ में और अर्थशास्त्रीय अर्थ में।

(१) साख का साधारण अर्थ—साधारण भाषा में साख शब्द 'विद्वान्' या 'प्रशस्त' के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। साख का अङ्ग्रेजी पर्यायवाची शब्द 'क्रेडिट' (Credit) है और किसी प्रशस्तनीय कार्य के लिये 'क्रेडिटेबल' (Creditable) शब्द प्रयुक्त किया जाता है।

(२) साख का वही-खाता सम्बन्धी अर्थ—लेखपाल (Accountant) साख के अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द 'क्रेडिट' (Credit) को खाने के दाहिनी ओर के लिये प्रयुक्त करता है।

(३) साख का व्यापारिक अर्थ—व्यापारिक अर्थ में साख शब्द किसी व्यापारी या व्यापारिक-भवन की आर्थिक स्थिति एवं प्रतिष्ठा का सूचक है। व्यापारिक योग्यता, ईमानदारी, अच्छी आर्थिक स्थिति आदि उत्तम व्यापारिक साख की कुछ आधारभूत बातें हैं। प्रायः अच्छी साख वाले व्यापारी को बड़ी रकम आसानी से उधार मिल सकती है, परन्तु संदेहपूर्ण साख वाले व्यापारी को उधार आसानी से नहीं मिल सकती। इसलिये एक नये व्यापारी को उधार भान बेचने के पहले उसकी साख सम्बन्धी पूछताछ की जाती है। साख वा व्यापारिक अर्थ उसके अर्थशास्त्रीय अर्थ में बहुत मिलता जुलता है।

(४) साख का अर्थशास्त्रीय अर्थ—साख शब्द का अग्रणी पर्यायवाची शब्द क्रेडिट (Credit) है जिसकी उत्पत्ति लेटिन (Latin) शब्द 'क्रेडो' (Credo) से हुई है। क्रेडो का अर्थ है 'मैं विश्वास करता हूँ।' परन्तु अर्थशास्त्र में साख शब्द इस अर्थ में नहीं लिया जाता। अर्थशास्त्र में इस शब्द का अर्थ 'उधार' है, अर्थात् जिस समय रुपये का भुगतान लेना चाहिए उस समय न लेकर किसी भविष्य के समय में लिया जाय। अधिक स्पष्ट करत हुए, साख मनुष्य को उस शक्ति को कहते हैं जिसके बल पर वह दूसरा न कुछ समय के लिये आदिक वस्तुओं या धन उधार ले सकता है। अर्थात् जहाँ उन बातों शक्ति या गुण को अर्थशास्त्र में 'साख' कहते हैं।

साख की विभिन्न परिभाषाएँ (Definitions)—साख के अर्थशास्त्रीय अर्थ को भिन्न-भिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न-भिन्न प्रकार परिभाषित किया है। जैसे,—

(१) मैकलीयड (Macleod) ने लिखा है कि साख भविष्य में भुगतान पाने का वर्तमान अधिकार है।

(२) वालरस (Walras) ने साख को पूँजी का उधार देना कहा है।

(३) जेवन्स (Jevons) के अनुसार साख भुगतान कुछ विलम्ब के पश्चात् करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है।

(४) टुकर (Tuoker) नामक अर्थशास्त्री ने साख को या परिभाषा की है। "किसी एक व्यक्ति को मूल्यवान् वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति के पास एक विदेश के साथ हस्तान्तरित होना कि वह भविष्य में इस मूल्य का वापिस चुका सकेगा, साख है।"

(५) प्रो० सेल्गमैन (Seligman) ने साख की परिभाषा इस प्रकार की है : "साख एक ऐसा विनिमय व्यवस्था होता है जिसके अन्तर्गत भौतिक वस्तुओं, पूँजी अथवा केवल वस्तुओं के प्रयोग का अधिकार अस्थायी रूप से हस्तान्तरित कर दिया जाता है। साख की विनियमना अन्वय पक्षा की वस्तुओं, बहुधा रुपये को प्रयोग करने का अधिकार होता है।"

(६) प्रो० जीट (Gide) का कथन है कि विनिमय में प्रायः समय का तत्त्व और मिला दोजिया, वन वह साख ही जायेगा।

सारांश यह है कि किसी भुगतान को भविष्य को किसी तिथि के लिये स्वयं करने का नाम ही साख है, अर्थात् विगम्बित विनिमय (Protracted Exchange) को ही साख कहते हैं।

साख के तत्त्व (Essentials of Credit)—साख निम्नलिखित तीन तत्त्वों पर आधारित है—

(१) विश्वास (Confidence)—साक्ष का आधार विश्वास है। एक मनुष्य दूसरे को सभी उधार देता है जबकि उसको एक दूसरे की ईमानदारी पर पूरा पूरा विश्वास होना है। इस कारण उधार केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो सच्चे और ईमानदार समझे जाते हैं। भूटे और वेईमान व्यक्ति को कोई कभी उधार नहीं देता। अतः स्पष्ट है कि साक्ष का मूल 'विश्वास' में निहित है। किसी मनुष्य में विश्वास कई बातों में होता है, उनमें से सदाचार (Character), सामर्थ्य (Capacity) और सम्पत्ति (Property) मुख्य हैं। इन बातों के आधार पर ही एक-दूसरे का विश्वास कर उधार दिया जा सकता है।

(२) धन राशि (Amount)—धन राशि साक्ष का दूसरा आवश्यक लक्षण है। साथ शब्द का सभी प्रयोग किया जा सकता है जबकि कुछ धन या धन में बदली जाने वाली वस्तुओं तथा सेवासों का भुगतान उस समय न लेकर भविष्य में लिया जाता है। यदि धन-राशि का लेना-देना न हो, तो साक्ष का प्रश्न ही नहीं उठता।

(३) समय (Time)—किसी भी साक्ष-सौदे में समय का होना बहुत ही आवश्यक है। यदि कोई मनुष्य किसी धन को उसी समय लेता है जब उसको लेना चाहिये, तो वह उधार नहीं होता बरन् नकद सौदा होता है। परन्तु यदि वह मनुष्य धन को उस समय न लेकर भविष्य में लेने का वचन देता है तभी वह सौदा उधार कहलाता है। प्रो० जी० ने ठीक ही कहा है "विनिमय में आप समय का तत्त्व और मिला दीजिये, वरत वह साक्ष हो जायेगा" (Introduce the element of time into exchange and it becomes credit.)

उदाहरण—एक व्यापारी एक व्यक्ति को एक महीने के लिये दो हजार रुपये का माल उधार देने को तैयार है, उसमें अधिक नहीं। इसका अर्थ यह हुआ कि उस व्यक्ति की साक्ष व्यापारी की दृष्टि में दो हजार रुपये है, और वह उसे एक महीने से अधिक के लिये नहीं देना चाहता। इससे साक्ष के तीनों आवश्यक तत्त्व स्पष्ट हो जाते हैं—प्रथम मूल तत्त्व विश्वास जो व्यक्ति-विशेष में व्यापारी रखता है, दूसरा धन राशि जो दो हजार निश्चित है और तीसरा समय जो इस उदाहरण में एक महीना निश्चित है।

साक्ष का महत्त्व (Importance)—मैकलीड (Macleod) के कथनानुसार धन के लिये जितना आवश्यक इष्टतम है, गणित साक्ष के लिये जितना आवश्यक कलन (Calculus) है, उतना ही आवश्यक व्यापार व उद्योग के लिये साक्ष है। व्यापार और उद्योग धर्मों के लिये साक्ष का बहुत महत्त्व है। वस्तुतः प्राथमिक व्यापार और उद्योग धर्मों के प्रयोग पर ही आधारित है। निर्माणा पूँजी, नया माल तथा धन वस्तुएँ साक्ष पर नेता है। धोक व्यापारी निर्माता में माल साक्ष पर खरीदता है। धोक व्यापारी फुटकर व्यापारों को साक्ष पर माल बेचता है। स्वयं फुटकर व्यापारी उपभोक्ताओं को वस्तुएँ साक्ष पर देते हैं। इस प्रकार एक किनारे से दूसरे किनारे तक सारी अर्थ-व्यवस्था साक्ष के एक सूत्र में बँधी हुई है। साक्ष के कारण ही आज की विशाल उत्पादन-व्यवस्था, धर्म विभाजन, मजदूर का प्रयोग आदि बातें सम्भव हैं। बड़े-बड़े उद्योगों तथा व्यापार में जितने अधिक धन की आवश्यकता

ज्ञानी है उनका चराना बढ़ना एक मनुष्य की शक्ति के बाहर होता है और यदि अपनी शक्ति में कमी हो या वह अपना अपना धन एक स्थान पर लगाकर प्रायश्चित्त उद्योग पसन्द नही करता। इसी कारण बड़ी-बड़ा कम्पनिजों स्थापित होने लगे जो जनता के सैकड़ों-हज़ारों नामों का उधार पहा धन इकट्ठा करने अपना कार्य चरानी हैं। मान्य के प्रकार में वह प्रायश्चित्त मास-मस्यादा की उद्योगि हुई और इन मस्यादा के स्थापित होने के पश्चात् मान्य का ब्याज उद्योगि हुई। मान्य की उद्योगि के मास-मास ब्याज पर तथा उद्योग धन को उद्योगि हुई। वनमान युग में या मान्य की मद्दना उनको यह गर्ह है कि कोई भी ब्याज पर तथा उद्योग धन का मास-मास के बिना नहीं चल सकता।

मूल्य में, मान्य के बिना उद्योग-कार्य प्रियिज तथा जीर्ण-शीर्ण ही जायदा और मनुष्य को अन्तर्गत आरम्भ-अन्तर्गत अन्तर्गत रह जायेंगे, क्योंकि बिना बिना उद्योग बिना नहीं कर सकता, कारखाना के स्वामी अपना दैनिक-कार्य नहीं चला सकते तथा ब्याज पर ब्याज नहीं कर सकते। वनमान युग के प्रयोग में मनुष्य कार्य मनुष्य रूप में नहीं नहीं चल सकते। आरम्भ-अन्तर्गत बिना बिना-अन्तर्गत उद्योग अन्तर्गत मान्य शक्ति होता है उद्योग युग में प्रयोग में नहीं। वनमान आरम्भ-अन्तर्गत प्रयोग में बहुत पर मान्य का मास-मास है। वनमान, वनमान, वनमान, वनमान, वनमान—मनुष्य के मास का प्रयोग है। मान्य-अन्तर्गत और मान्य-अन्तर्गत आरम्भ-अन्तर्गत वनमान अन्तर्गत वनमान है।

### मान्य के लाभ (Advantages of Credit)

(१) धान्य-मुद्रा की वचन—मान्य पत्रों की मद्दना में बिना लक्ष्य रूपों के लक्ष्य बिना लक्ष्य है जिसमें धान्य-मुद्रा धान्य प्रियिज में लक्ष्य आरम्भ है। इस प्रकार धान्य और धन बिना वनमान के काम में वचन-अन्तर्गत कामों में तथा लक्ष्य लक्ष्य है।

(२) मान्य-अन्तर्गत मनुष्य एक मुक्ति-आरम्भ-अन्तर्गत प्रियिज मान्य है—धान्य-मुद्रा की मद्दना में मान्य एक प्रियिज के अन्तर्गत मनुष्य और मुक्ति-आरम्भ-अन्तर्गत मान्य है। मान्य प्रियिज में लक्ष्य मनुष्य का बिना वचन-अन्तर्गत वनमान है, पर उद्योग लक्ष्य वनमान के बिना लक्ष्य या मनुष्य जायें या लक्ष्य लक्ष्य आरम्भ।

(३) मनुष्य-अन्तर्गत प्रियिज—मान्य पत्र शक्ति मनुष्य में लक्ष्य मनुष्य को वचन वनमान पर आरम्भ-अन्तर्गत वनमान लक्ष्य है। यदि आरम्भ-अन्तर्गत वनमान वनमान लक्ष्य मनुष्य को और आरम्भ-अन्तर्गत धान्य प्रियिज मनुष्य-अन्तर्गत मनुष्य, या उद्योग वनमान मनुष्य और धन मनुष्य तथा वनमान लक्ष्य वनमान, परन्तु यदि वनमान मनुष्य वनमान, वनमान लक्ष्य मनुष्य में मनुष्य जायें या मनुष्य, वनमान और धन का वचन लक्ष्य है।

(४) धान्य का मनुष्य—वनमान का मान्य मान्य है। धन-अन्तर्गत अन्तर्गत अन्तर्गत मान्य के कारण ही आरम्भ-अन्तर्गत धान्य वनमान वनमान का वचन वनमान वनमान वनमान है। इस प्रकार मान्य लक्ष्य की मनुष्य-अन्तर्गत धान्य वनमान-अन्तर्गत धान्य प्रियिज-अन्तर्गत धान्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य मनुष्य है।

(५) उद्योग-अन्तर्गत प्रियिज—धन में शक्ति धान्य-अन्तर्गत मनुष्य वनमान है। ये लक्ष्य मनुष्य वनमान में लक्ष्य, वनमान धान्य-अन्तर्गत वनमान वनमान वनमान है और वनमान वनमान लक्ष्य मनुष्य की उद्योग-अन्तर्गत और मनुष्य-अन्तर्गत धान्य वनमान है। उद्योग-अन्तर्गत प्रियिज मनुष्य है।

(६) व्यापार की उन्नति एवं विकास में सहायता—मान्य पत्रों के प्रयोग एवं प्रसार से व्यापार में उन्नति होती है। देश के भीतरी तथा बाहरी व्यापार में मान्य पत्र ( बैंक हुण्डो तथा बिज बाक एवमपत्र ) के द्वारा सुगमतापूर्वक रचना भोगा जा सकता है।

(७) मूल्यों की घटा बढी पर नियंत्रण—साक्ष पर उचित निगरान पर देश में मूल्य स्थिरता स्थापित की जा सकती है। उदाहरणार्थ तेली में व्याज की दर को बंधा साधन की वृद्धि को रोक मूल्यों के बढ़ने में रोकना जा सकता है। अन्य विपरीत मूल्यों में व्याज की दर को घटा साक्ष की वृद्धि कर बहुत कुछ मूल्य वृद्धि में रोकना जा सकता है।

(८) राष्ट्रीय सचट में सहायता—पुस्तक तथा अन्य विभिन्न राष्ट्रीय सचट के समय सरकार अपनी साक्ष के द्वारा जनता से प्रत्येक रोज विपन्न स्थिति का साधन कर सकती है।

(९) राष्ट्रीय पुनर्निर्माण में सहायता—साक्ष का उपयोग देश में सचट निवारण में ही नहीं बरन् देश के आर्थिक पुनर्निर्माण में भी साधन दिया जा सकता है। अनेक देशों में आर्थिक पुनर्निर्माण में सरकारों ने साक्ष की सहायता ली है।

(१०) व्यक्तिगत सचट में सहायता—यदि कोई व्यक्ति या कर्मचारी के शोभा में तत्काल सुगमता करने में अयोग्य है अथवा किसी आर्थिक कठिनाई में सचट हो गया है तो वह अपनी मान्य पर अपना उधार लेकर अपनी कठिनाई को दूर कर सकता है।

(११) बैंक से रोकड साक्ष (Cash Credit)—साक्ष द्वारा बैंक भी साक्ष रोकड कोष पर अपने अधिक उधार दे सकता है। इस प्रकार का बैंक का उधार अपने को संचित करके रख कर दस हजार रुपये तक दे सकता है।

साक्ष के भय (Dangers of Credit)—साक्ष द्वारा साक्ष में परिपूर्ण होते हुए भी भय मुक्त नहीं रहती जा सकती। मान्य का होना या कृप्य भय का उद्भव नीचे किया जाता है—

(१) अत्यधिक प्रसार का भय—मान्य का अत्यधिक मान्य में सचट रहना अथवा अत्यधिक प्रसार है। यह मान्य है कि बैंक जितना साक्ष प्रसार करता है उतना ही उन अधिक व्याज का लान होता है। व्यापारिक अतिवृद्धि (Boom) के समय जबकि अपने को अधिक मान्य होती है। बंधा को मान्य प्रसार का अत्यधिक प्रसार हो जाता है जिससे बचत व मान्यस्वरूपता में अत्यधिक मान्य का प्रसार कर बैठने है। इस परिणाम स्वयं बैंक आर्थिक सचट में दस्त होकर मचट ले जाते हैं।

(२) सट्टा बाज एवं अयोग्य व्यक्तियों द्वारा मान्यपूर्ण तथा लाभहीन व्यापार की स्थापना—मान्य की महायता में स्वयं उधार लेकर अनेक सट्टा बाज और अयोग्य व्यक्ति मान्यपूर्ण तथा लाभहीन व्यापार की स्थापना कर बैठने हैं और साक्ष में अयोग्य होने पर वे अपने आप को बचत कर देने हैं तथा साक्ष ही महायतामान्य भी न डूबते हैं। साक्ष द्वारा बहुत से व्यापारी अपनी वास्तविक कमजोरी दिया को भी भी सचट रहने हैं।

(३) एवाधिकार की प्रोत्साहन—साक्ष द्वारा एवाधिकार का भय भी। सचटका की स्थापना को प्रोत्साहन मिलता है। कुछ व्यक्तियों को मान्य कर देना भी।

मिल जाता है कि वे किसी वस्तु के उत्पादन पर अपना एकाधिकार स्थापित कर बाजार में अपना प्रमुख जमा लते हैं, क्योंकि छोटे व्यापारी उनके सामने ठहर नहीं पाते। एकाधिकार-प्रवृत्तियों में आपण आदि अनेक अन्यायपूर्ण बातों का हाना स्वाभाविक है।

(४) उपभोक्ताओं को फिजूल-दर्ची के लिये प्रोत्साहन—जब किसी व्यक्ति को ग्रामादी स रफ़्या उधार मिलने लग जाता है, तो वह सीमा से बाहर खर्च करना प्रारम्भ कर देता है, जिससे ऋण ग्रस्त हो जाता है। भारतवर्ष में ग्रामीण-ऋण (Rural Indebtedness) की उत्पत्ति एवं वृद्धि अधिकतर उपभोग के लिये उधार लिये गये धन के कारण ही हुई है।

(५) धोखेवाजी वेडमानी को प्रोत्साहन—साख की आवश्यकता से अधिक वृद्धि होने पर लोग धोखेवाज और वेडमानी हो जाते हैं। साख की महत्ता से दिवालिया भी कुछ दिना तक काम चला सकते हैं और कई अच्छे व्यापारियों का दुबो देने में हैं।

(६) अत्यधिक व्यापार प्रसार एवं प्रति उत्पादन (Over-production) को प्रोत्साहन—सुसम साख द्वारा व्यापार में अत्यधिक प्रसार हो जाता है तथा अति-उत्पादन के दुष्परिणाम भोगने पड़ते हैं।

निष्कर्ष—साख की हानियाँ की तुलना में उसमें प्राप्त लाभ कहीं अधिक हैं। परन्तु साख का वास्तविक उपयोग सभी है जबकि उसका नियमित एवं उचित उपयोग किया जाय। साख नीकर की भाँति अत्यधिक काम कर सकती है, परन्तु स्वामी होने पर हथो देती है। प्रत्येक साख का उचित नियंत्रण करने के लिये प्रायः सभी देशों में केन्द्रीय बैंक स्थापित किए जाते हैं जो देश की भलाई के लिये साख का नियंत्रण करते हैं।

क्या साख पूँजी है ? (Is Credit Capital ?)—साख पूँजी है या नहीं, इस विषय में अर्थशास्त्रियों में मतभेद है। कुछ अर्थशास्त्रियों का मत है कि साख पूँजी है। इस मत के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मैकलेड (Macleod) के अनुसार मुद्रा और साख दोनों पूँजी हैं। साख की विषय के कारण साखपत्रों का जन्म मिलाता है और भविष्य में धन के उत्पादन में सहायक होने के कारण साख पूँजी है।

साधारणतया अर्थशास्त्रियों का मत इसके विरुद्ध है। उनका कहना है कि साख धन नहीं है, और जब धन नहीं है, तो उसके पूँजी होने का प्रश्न ही खड़ा नहीं सकता है। भूमि और श्रम की भाँति साख उत्पादन का कोई स्वतन्त्र साधन नहीं है बल्कि विनिमय तथा श्रम विभाजन की भाँति उत्पादन का केवल ढग-भाग ही है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से पूँजी उधार लेकर उस उत्पादन के कार्य में लगाता है। इस प्रकार साख द्वारा पूँजी का हस्तान्तरण हो जाता है। परन्तु हस्तान्तरण उत्पादन नहीं है। जिस प्रकार विनिमय द्वारा वस्तुएं उत्पादन नहीं हो सकती, उसी प्रकार साख द्वारा पूँजी उत्पन्न नहीं हो सकती। रिकार्डो (Ricardo) ने लिखा है कि 'साख पूँजी को जन्म नहीं देती, यह केवल इस बात की निश्चित करती है कि पूँजी किस के द्वारा उपयोग में लाई जायगी।' इसी प्रकार मिल (Mill) ने कहा है कि 'साख केवल



दूसरे व्यक्ति की पूँजी वा उपयोग करने की आज्ञा मात्र है। इसमें उत्पत्ति के साधनों में वृद्धि नहीं की जा सकती, उनका वेचन हस्तान्तरण ही सकता है।'

प्राच्यनिक धर्मशास्त्रियों के अनुसार यद्यपि साख साधारणतया पूँजी नहीं है, परन्तु कुछ अवस्थाओं में साख द्वारा अवश्य पूँजी का निर्माण होता है। जैसे—(प्र) जब साख के कारण चलने में धातु मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है तथा उत्पादन के लिये अधिक पूँजी उपलब्ध हो जाता है तब मात्र पूँजी कही जा सकती है। (आ) बिना साख के बहुत से लोग द्वारा बचाया गया शोडा-मोडा धन उत्पादन में नहीं आ पाता। बिना साख के बहुत म कुशल व्यापारी एक उद्योगपति इतने बड़े उद्योग में स्थापित नहीं कर सकते थे। बैंक साख की व्यवस्था करता है और देश के बेकार पड़ हुए धन को एकत्रित कर उन लोगों के हाथ में पहुँचाता है जो इसे उत्पादन कार्य में भनी भूमि लगा सकते हैं। इस प्रकार साख के कारण पूँजी इकट्ठा करने में सहायता मिलती है तथा इसके द्वारा उत्पादन को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। अतः ऐसी अवस्था में साख पूँजी की जन्मदात्री कही जा सकती है। (इ) बैंक आदि साख सस्थाएँ जितना धन उधार लेती है उतने अधिक मात्रा में धन उधार देती है। जितना अधिक उधार दिया जाता है उगी सीमा तक वे साख से नई पूँजी बनाती है।

साख व्यवस्था (Credit Mechanism)—साख का सर्वोत्तम उपयोग उसकी कुशल व्यवस्था या संगठन पर निर्भर है। अतः साख व्यवस्था के विभिन्न अंगों का अध्ययन वाञ्छनीय है। साख व्यवस्था के मुख्य दो अंग हैं—(१) साख पत्र जो उधार के सोदे के विहित प्रमाण होते हैं, जैसे—बैंक, बिल ऑफ एक्सेचेंज, प्रॉमिसरी नोट आदि, (२) मात्र सस्थाएँ अर्थात् बैंक जो धन्य जमा करते हैं और उधार देते हैं।

साख-पत्र और उसका अर्थ (Credit Instrument & its Meaning)—साख द्वारा क्रय-विक्रय में मूल्य का भुगतान भविष्य में होता है जिसके लिये आश्वासन पत्र अथवा प्रतिज्ञा पत्र दिये जाते हैं। इनमें निश्चित तिथि पर या माँग पर भुगतान करने का आश्वासन लिया रहता है। ऐसे लिखित आश्वासन या प्रतिज्ञा पत्रों को ही साख पत्र कहते हैं। अतः ऐसे पत्रों को जिनमें साख द्वारा विक्री का प्रमाण रहता है तथा जिनमें भविष्य में राशि भुगतान के लिये लिखित आश्वासन होने है साख-पत्र कहलाते हैं। बैंक, बिल ऑफ एक्सेचेंज, प्रॉमिसरी नोट, व हूण्डी प्रमुख साख-पत्र हैं।

साख-पत्रों की आवश्यकता एवं महत्त्व—छोटे मोटे भुगतानों में तो बिना साखी के ही उधार माता मिल जाता है, परन्तु साख के बड़े व्यवहार में प्रमाण तथा साखी की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें विश्वास टूट हो जाय और उधार की राशि वास्तु द्वारा वसूल की जा सके। इसलिये साख पत्रों का प्रयोग किया जाता है और साख पत्र साख के आवश्यक मूलक है।

विनिमय माध्यम (Medium of Exchange) की दृष्टि में भी इनका बड़ा महत्त्व है। इनके द्वारा व्यापारिक सोदे बड़ी सुगमता से तय हो जाते हैं। एक ही साख पत्र द्वारा अनेक भुगतानों को सम्पन्न किया जा सकता है। उदाहरणार्थ, क ने ग से माल खरीदा और उम राशि के बदले में एक तीन महीने की अवधि का बिल बैंक एक्सचेंज दिया। ए ने ग ने माल खरीदा और उमे वही बिल दे दिया, ग ने घ ने

मान खरीदा और वही बिल उसे दे दिया। भागे भी इसी प्रकार बिल का पराक्रमण (Negotiation) होता रहेगा जब तक कि इनकी तीन महीने की अवधि समाप्त न हो जायेगी।

पत्र मुद्रा तथा धातु मुद्रा द्वारा भुगतान करने में बार-बार गिनत तथा परखने की आवश्यकता होती है परन्तु साख पत्रों के प्रयोग से यह अनुविधा दूर हो जाती है। अतः आधुनिक व्यापार-व्यवस्था में साख पत्रों का बड़ा महत्त्व है।

साख पत्र और मुद्रा (धातु मुद्रा एवं पत्र मुद्रा) में अन्तर

(१) मुद्रा (चाहे धातु मुद्रा हो या पत्र मुद्रा) विधिवत् (Legal Tender) होती है अर्थात् कर्ता अदादाता को कर्ता ने भुगतान में इसे स्वीकार करने के लिये बाध्य कर सकता है। परन्तु साख पत्रों को कर्ता के भुगतान में स्वीकार करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनकी स्वीकार करना अदादाता की इच्छा पर निर्भर है।

(२) मुद्रा विनियम का सर्वमान्य माधन है, परन्तु साख पत्र उनमें सम्बन्धित व्यक्तियों या संस्था की आज्ञा, इयाति अथवा प्रसिद्धि के बल पर ही चलते हैं।

(३) कई-सौ नोट एक निश्चित मूल्य के होते हैं, जैसे—एक रुपये, दो रुपये, पाँच रुपये, दस रुपये और सौ रुपये। ये फुटकर देने पाइयों के नहीं होते। इसी प्रकार सिक्के भी, चाहे वे प्रमाणाधिक या अल्पवा सामूहिक, निश्चित मूल्य के होते हैं। परन्तु साख पत्र किसी भी मूल्य के हो सकते हैं।

(४) साख-पत्र मुद्रा भुगतान के लिखित वापदे होते हैं जो स्वभाव में ही मुद्रा से भिन्न होते हैं। वे वास्तविक अर्थ में मुद्रा की श्रेणी में नहीं आ सकते, उन्हें सबकीर्ण अर्थ में मुद्रा का स्थानापन्न (Substitutes) कहा जा सकता है।

साख-पत्रों के भेद—साख पत्र कई प्रकार के होते हैं जिनमें से बैंक, बिल धार्क एम्पचर, प्रॉमिसरी नोट मुख्य हैं। इनका विवेचन अग्रे में ही किया जाता है।

### चैक (Cheque)

परिभाषा (Definition)—चैक एक अक्षरहित लिखित आज्ञा है जिसमें वह व्यक्ति जिसका रुपया बैंक में जमा होता है बैंक को आज्ञा देता है कि उसमें अक्षरित राशि का भुगतान माँग पर चैक में उल्लिखित व्यक्ति को, अथवा उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा चैक वाहक को कर दिया जाय। अन्य शब्दा में, यह किसी बैंक-विशेष पर लिखा गया दर्शनी बिल या हुण्डी है।

चैक के प्रयोग की आवश्यकता—किसी आधुनिक बैंक में रुपया कई खातों में जमा कराया जा सकता है, उनमें से चालू खाता (Current Account) एक है। जब कोई व्यक्ति किसी बैंक के चालू खाते में अपना रुपया जमा करता है, तब बैंक उसे एक चैक पुस्तिका (Cheque Book) देता है जिसमें बहुत से खाली चैक के छोटे टुकड़े शामिल होते हैं। बैंक के नियमानुसार चालू खाते में से रुपया चैक द्वारा ही निकाला जा सकता है। इसलिये जब कभी वह स्वयं रुपया निकालना चाहता है अथवा किसी अन्य व्यक्ति को भुगतान करना चाहता है, उसे यह चैक भर कर देना पड़ता है। जब नियमानुसार भरा हुआ चैक बैंक की गिनती (Counter) पर प्रस्तुत किया जाता है, तो बैंक उसमें उल्लिखित राशि का भुगतान कर देता है।

यद्यपि बैंक में रकमा किसी साधारण कागज पर आदेश लिखकर निकाला जा सकता है परन्तु बैंक अपने मुविधा तथा सभ्यता के विवे और ज्ञानगामी ब बूट कम से बचने के लिये छपे हुए बैंक की पुस्तक अपने ग्राहक को दे देता है। ग्राहक छपे हुए बैंक के खाली स्थानों में आवश्यक बात भर कर तुरन्त बैंक जारी कर सकता है।

### बैंक के आवश्यक गुण (Essentials of a Cheque)

- १ बैंक का आदेश अक्षरहीन (Unconditional) होना चाहिये।
- २ बैंक का आदेश लिखित होना चाहिये मौखिक नहीं।
- ३ बैंक किसी बैंक विशेष के नाम लिखा होना चाहिये।
- ४ बैंक में आदेश लिखित राशि देने का होना चाहिये।
- ५ बैंक को राशि मागने पर मिल जानी चाहिये।
- ६ बैंक पर बैंक में रकमा जमा कराने वाले अर्थात् बैंक के ग्राहक के हस्ताक्षर होने चाहिये।

७ बैंक की राशि इसमें उल्लिखित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा इसके वाहक को मिल जानी चाहिये।

**बैंक का स्वरूप (Form of a Cheque)**—विभिन्न बैंकों के बैंकों के फार्म भिन्न भिन्न होते हैं परन्तु प्रत्येक एक ही रंग रूप व आकार के बैंक छपवाता है। बैंक दो भागों में विभाजित रहता है। दाई ओर के भाग में प्रतिनिधि (Counterfoil) रहती है और बाई ओर के भाग में मुख्य बैंक (Cheque Proper) का खाली प्रथम अर्धभाग फार्म रहता है।

### बैंक का स्वरूप

(प्रतिनिधि)	सख्या	(मुख्य बैंक) भाग	१९६
सख्या			
तिथि		स्टेट बैंक आफ इण्डिया भाग	
स्थान	श्री		अथवा
		वाहक / आदेश को रकम	
कारण		दीजिये।	
राशि			
₹०		₹०	
हस्ताक्षर			हस्ताक्षर

## (Specimen of a Cheque)

(Counterfoil) (Cheque Proper)  
 No. Co. 25735 No. Co. 25735 Dated Jaipur,  
 June 15, 1961.  
 Dated June 15, 1961

In favour of Shri  
 Gulab Chand Agarwal  
 in full settlement of  
 his account

The Rajasthan Bank Ltd.,  
 Jaipur Branch

Pay to Shri Gulab Chand  
 Agarwal or bearer/order Rupees  
 one thousand fifty five, and nineteen  
 NayaPaisa only

Rs 1055/19 nP.

T. C. Verma Rs 1,055/10 Tara Chand Verma

चैक के पक्ष (Parties to a Cheque)—चैक के तीन पक्ष होते हैं—

(१) चैक वेगक [घ्राहता] (Drawer)—चैक लिखने या जारी करने वाला व्यक्ति चैक-लेखक कहलाता है। यह वह व्यक्ति होता है जिसका पसा बैंक में जमा होता है। इन चैक का प्रमावतदार (Depositor) या घ्राहक (Customer) भी वह मकान है।

(२) देतदार घंर [आहारी] (Drawee)—यह बैंक होता है जिसके नाम चैक जारी किया जाता है। इन मुगमान करन वाला बैंक भी वहन है।

(३) लेनदार [आदाता] (Payee)—यह वह व्यक्ति होता है जिसके पक्ष में चैक भिजा या जारी किया जाता है। कभी-कभी चैक सलक (Darwer) लेनदार (Payee) क स्थान पर 'स्वय' (Self) लिख देता है। एसी देता में चैक-सलक ही लेनदार होता है।

चैक के प्रकार (Kinds of Cheques)

(१) वाहक या धनीजोम चैक (Bearer Cheque)—यह चैक है जिसका मुगमान चैक वाहक (Bearer) को किया जाता है, अर्थात् जा भी व्यक्ति चैक बैंक में प्रस्तुत करता है उमा का चैक का मुगमान कर दिया जाता है। उपर दिए हुए चैक का उदाहरण म यदि 'आहारी' (Order) शब्द कल दिया जाय तो वह वाहक या धनीजोम (Bearer) चैक हो जायगा। जा भी व्यक्ति इन चैक को सिद्धकी पर प्रस्तुत करता है, बैंक उमा का चैक का पसा अदा कर सकता है। यदि चैक का मुगमान मलन व्यक्ति को हो जाय, तो इसके जिम्मेदारी बैंक की नहा होती है। अत इन सुरक्षित नहीं कहा जा सकता।

वाहक या धनीजोम चैक का हस्तान्तरण (Transfer)—वाहक या धनीजोम चैक का हस्तान्तरण कवन मुपुदगी मान (by a mere delivery) म हो सकता है, उम पर बेचाम लेख या पृष्ठाकन (Endorsement) लिखन की कोई आवश्यकता नहा होती। मागारणतया चैक चैक का मुगमान अम वात व्यक्ति म उगत

पीछे हस्ताक्षर करा लेता है, अन्यथा जो भुगतान के बदले में एक नियमानुसूल रसीद बैंक को देनी पड़ेगी ।

(२) ऑर्डर, नामजोग या साहजोग चैक (Order Cheque)—यह चैक है जिसका भुगतान चैक में उल्लिखित व्यक्ति को प्रथम उसके प्रादेशानुसार अन्य व्यक्ति को दिया जाता है । उपर्युक्त चैक के उदाहरण में यदि 'बाह्व' या 'बियरर' (bearer) शब्द काट दें तो यह ऑर्डर या नामजोग, प्रथम साहजोग (Order) चैक ही जायगा ।

ऑर्डर चैक का हस्तांतरण (Transfer)—ऑर्डर चैक को हस्तांतरित करने के लिये यह आवश्यक है कि जिस व्यक्ति के नाम में चैक है वह उमवा बेचान करे, प्रथम चैक को पीछे पर लेनदार या प्राप्तता (Payee) उम व्यक्ति के नाम बेचान करे जिसको वह चैक हस्तांतरित करना चाहता है । इस प्रकार चैक पर बेचान लेख लिख कर फिर उसकी मुपुर्वगी उम व्यक्ति को दे जिसको वह हस्तांतरित करना चाहता है । ऑर्डर चैक, बाह्व या पनीजोग चैक की प्रपेशा प्राधिक मुराधिन होता है । ऐसे चैक का भुगतान करने वाले बैंक का यह कहनुने कर्तव्य है कि यह इस बात की जाँच-पड़ताल करे कि बेचान लेख ठीक है और रुपये पाने वाला सही व्यक्ति है । यदि कोई चैक किसी व्यक्ति विशेष क पक्ष में लिखा गया है और उसके प्राग बाह्व (bearer) या ऑर्डर (order) कुछ भी नहीं लिखा गया है, तो उसे 'ऑर्डर चैक' ही माना जाता है ।

बेचान या पृष्ठावन (Endorsement)—चैक को हस्तांतरित करने के लिये से बेचान-लेख लिखकर हस्ताक्षर करने की प्रिया को बेचान या पृष्ठावन कहते हैं । बेचान करने वाला व्यक्ति बेचानकर्ता या पृष्ठावक (Endorser) कहलाता है । जिस व्यक्ति के पक्ष में बेचान दिया जाता है उसे बेचानपत्र या पृष्ठावित (Endorser) कहते हैं ।

(३) रेखावित चैक (Crossed Cheque)—जब चैक के मुख पर दो तिरछी समान्तर रेखाएँ (Transversal Parallel Lines) खींच दी जाती हैं, तब यह रेखावित चैक (Crossed Cheque) कहलाता है । कभी कभी इन रेखाओं के बीच में "& Co", "A/o Payee only" आदि शब्द लिख दिये जाते हैं और कभी कुछ भी नहीं लिखा जाता है ।

रेखावित चैक की भुगतान विधि—रेखावित चैक का भुगतान मोधे किसी व्यक्ति को चैक की गिटरकी (Counter) पर नहीं दिया जा सकता है । देनदार चैक रेखावित चैक का भुगतान किसी बैंक को ही देगा । अत एते चैक का भुगतान प्राप्त करने के लिये उसे अपने बैंक में जमा करा देना चाहिये । वह बैंक उसको राशि देनदार-बैंक से वसूल कर उस व्यक्ति के खाते में जमा कर लेगा । ऐसे चैक बहुत मुराधिन होते हैं, अर्थात् अनेक अनेक धन भुगतान करने की सम्मत्तियाँ देते हैं ।

रेखावित चैक के प्रकार—रेखावित चैक दो प्रकार का होता है—एक साधारण रेखावित और दूसरा विशेष रेखावित ।

साधारण रेखावित चैक (Generally Crossed Cheque)—यह चैक है जिसमें केवल दो तिरछी समान्तर रेखाएँ खींच दी जाती हैं और कभी कभी "& Co" आदि शब्द भी लिख दिये जाते हैं । इस प्रकार के चैक का भुगतान किसी

व्यक्ति को बैंक की लिडकी पर न मिल कर किसी बैंक के द्वारा मिलेगा। इसलिये इसे अपने बैंक में जमा कर उसके द्वारा बैंक-बैंक में राशि प्राप्त की जाती है।

**विशेष रेखांकित चेक (Specially Crossed Cheque)**—वह चेक है जिसमें तिरछी समान्तर रेखाओं के बीच में किसी विशिष्ट बैंक का नाम लिख दिया जाता है। इसका तात्पर्य यह होता है कि बैंक-बैंक में ऐसी बैंक की राशि का भुगतान किसी भी बैंक को न करके उसी बैंक को करेगा जिसका नाम दो समान्तर रेखाओं के बीच में लिखा हुआ है।

**चेक को रेखांकित करने का उद्देश्य (Object of Crossing a cheque)**—किसी चेक को रेखांकित करने का उद्देश्य यह होता है कि उसका भुगतान यथेष्ट व्यक्ति को प्राप्त हो। रेखांकित चेक का भुगतान किसी बैंक द्वारा मिलने के कारण यह अधिक सुरक्षित होता है। साधारण डाक द्वारा भेजे जाने वाले चेक को अवश्य रेखांकित करना चाहिये।

(४) खुला या अरेखांकित चेक (Open Cheque)—वह चेक है जिस पर किसी प्रकार का रेखांकन (Crossing) न हो। ऐसे चेक के पुराय जाने व खोने का अधिक भय रहता है।

(५) बूट-चेक (Forged Cheque)—वह चेक है जिस पर बैंक लेखक (Drawer) या बंधान करने वाले (Endorser) के बनावटी हस्ताक्षर होने हैं।

(६) काल-तिरोहित चेक (Stale Cheque)—जो चेक छ मास से अधिक पुराना हो जाता है, उसे काल-तिरोहित या पुराना चेक कहते हैं। बैंक इस प्रकार के चेक का भुगतान बिना बैंक-लेखक के पूछे नहीं करेगा।

(७) फटा या विकृत चेक (Mutilated Cheque)—वह चेक है जो अकस्मात या मुझने से फट गया है। बैंक ऐसे चेक का भुगतान करने से इन्कार कर देता है। इसका भुगतान प्राप्त करने के लिये यह आवश्यक है कि पहले चेक बिपका लिया जाय और फिर "अकस्मात फट गया" या "Accidentally Torn" शब्द लिखकर अपने हस्ताक्षर कर दे, तो बैंक उसकी राशि दे सकता है।

(८) प्रमाणित या चिह्नित चेक (Marked Cheque)—वह चेक है जिस पर बैंक अपने हस्ताक्षर कर देता है और यह प्रमाणित कर देता है कि ठीक समय पर चेक के उपस्थित नियम जाने पर उसका भुगतान कर दिया जाएगा।

**चेक के प्रयोग से लाभ (Advantages)**

१. बैंक रुपया देव-लेने या एक अति सरल मापन है। दूसरे बैंकों के गिनने की कठिनाई दूर हो जाती है तथा नकली सिक्का (Counterfeit Coins) से घोसा खाने का भय नहीं रहता। २. बैंक के उपयोग से सोना चांदी जैसी बहुमूल्य धातुओं को बचत होती है। ३. बैंक द्वारा रुपया शीघ्र व क्रम बच्चों में स्थानान्तरित किया जा सकता है। ४. बैंक रुपये के भुगतान का सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। ५. बैंक के उपयोग से चोरी आदि बातों की शंका नहीं रहती है। ६. बैंक के प्रयोग में रुपया बचाने की शक्ति पैदा हो जाती है। ७. बैंक के प्रयोग से व्यापारियों के आदर और मान में वृद्धि होती है। ८. बैंक द्वारा भुगतान करने में कार्यालय में राख-राशि रखने की आवश्यकता नहीं रहती। अतः भुगतान-सम्बन्धी बहुत सारा काम कम हो जाता है। ९. बैंक के प्रयोग में वृत्तिय मुद्रा की मात्रा कम हो जाती है।

१०. बैंक का बेचान करके रुपये का लेन-देन सुगमता से हो सकता है। ११. बैंक प्रणाली द्वारा व्यापार एवं वाणिज्य की असाधारण उन्नति होती है।

### बैंक और बैंक नोट में अन्तर

बैंक	बैंक (करेसी) नोट
(१) यह विधिग्राह्य नहीं होता है।	(१) यह विधिग्राह्य होने है।
(२) यह बाह्य या आंदर हा सकता है।	(२) यह सर्वैव वाहक (bearer) होता है।
(३) यह निश्चित राशि के भुगतान का आदेश होता है।	(३) यह निश्चित राशि के भुगतान की प्रतिज्ञा होती है।
(४) इसे बैंक में रुपया जमा कराने वाला लिखता या बनाता है।	(४) इसे केन्द्रीय सरकार अथवा रिजर्व बैंक बनाता है।
(५) यह रेखांकित किया जा सकता है।	(५) इसका रेखांकन नहीं किया जा सकता है।
(६) यह कितनी भी बड़ी राशि का हो सकता है तथा इसमें प्राप्ति-पाई भी प्रयुक्त किये जा सकते हैं।	(६) बैंक नोट केवल निश्चित राशि के ही होते हैं तथा इनमें प्राप्ति-पाई का प्रयोग नहीं होता है।
(७) इसका जीवन छोटा होता है, क्योंकि इनका विश्वास सीमित होता है।	(७) इसका जीवन बहुत बड़ा होता है, क्योंकि ये सब व्यक्तियों के विश्वास-पान होते हैं।

### बिल ऑफ एक्सचेंज या विनिमय-पत्र

(Bill of Exchange—B/E)

परिभाषा (Definition)—बिल ऑफ एक्सचेंज या विनिमय-पत्र एक लिखित गतिरहित आदेश-पत्र है जिसमें ऋणदाता ऋणी को उसमें उल्लिखित राशि स्वयं को, या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को अथवा बिलधारी को मांग पर अथवा किसी निश्चित अवधि के पश्चात् देने की आज्ञा देता है। ऐसे बिल प्रायः उधार देने हुए माल के लिये लिये जाते हैं।

बिल या विनिमय-पत्र की विशेषताएँ (Characteristics)—

(१) यह एक गतिरहित आदेश पत्र है। (२) यह आदेश लिखित होता है, मौखिक नहीं। (३) यह कानूनी रूप में निष्ठा होना चाहिये। (४) राशि लेने वाला तथा देने वाला निश्चित होना चाहिये। (५) बिल-लेखक अथवा ऋणदाता के हस्ताक्षर होने चाहिये तथा देशदार ऋणी को म्योचरित होना चाहिये। (६) राशि का भुगतान मांग पर अथवा एक निश्चित अवधि के पश्चात् होना चाहिये। (७) इसमें एक निश्चित राशि का भुगतान करने का आदेश होना चाहिये। (८) यह किसी विशेष व्यक्ति के पक्ष में लिखा जाता है, परन्तु इसका भुगतान उस व्यक्ति के आदेश से कोई अन्य व्यक्ति भी ले सकता है।

बिल के पक्ष—(Parties to a B/E)—बिल ऑफ एक्सचेंज के तीन पक्ष होने हैं :—(१) लेखक (Drawer)—वह व्यक्ति है जो बिल लिखता या बनाता है।

यह ऋणदाता ( Creditor ) अथवा माल का विजेता होता है । (२) देनदार ( Drawee )—वह व्यक्ति है जिस पर बिल लिखा या बनाया जाता है । यह ऋणी ( Debtor ) या माल का प्रेता होता है । (३) लेनदार ( Payee )—वह व्यक्ति है जिसके पक्ष में बिल लिखा या बनाया जाता है । यह ऋणदाता का भी ऋणदाता ( Creditor's Creditor ) होता है ।

बिलों के प्रकार ( Kinds of Bills of Exchange )

(घ) अवधि के अनुसार—बिल दो प्रकार के होते हैं—(१) मांग या दर्शनी बिल ( Demand or Sight Bill )—वे बिल होते हैं जिनका भुगतान जिस समय पर भी बिल प्रस्तुत किया जायें उसी समय करना पड़ता है । (२) मुद्दती बिल ( Time or Usance bill )—वे होते हैं जिनका भुगतान एक निश्चित अवधि के पश्चात् होता है ।

यदि बिल मुद्दती है, तो उल्लिखित अवधि में तीन अनुग्रह दिवस ( Days of Grace ) जोड़ देना चाहिये तब दाय्य तिथि ( Due date ) ज्ञात की जा सकती है । दर्शनी या मांग बिलों में अनुग्रह दिवस नहीं मिये जाते हैं । मुद्दती बिलों पर भूष्यानुसार रेबण्ड टिकट लगाना आवश्यक है, परन्तु दर्शनी या मांग बिलों पर टिकट लगाना आवश्यक नहीं है ।

बिल ऑफ एक्सचेंज प्रायः मुद्दती ही होते हैं । एच० बिजर्स ने लिखा है कि “समय के तत्त्व के ही कारण यह चक्र से मिन है । चक्र में समय जोड़ दीजिय, वह बिल ऑफ एक्सचेंज हो जायगा ।”

(ग) स्थान के अनुसार—भुगतान-स्थान के अनुसार भी हम बिलों को दो श्रेणियों में कर सकते हैं—(१) देशी बिल, (२) विदेशी बिल ।

देशी बिल ( Inland B/E )—वे हैं जिनका चलन एव भुगतान एक ही देश में हो । उदाहरणार्थ, यदि कोई बिल भारतवर्ष में लिखा जाय और यही उसका भुगतान किया जाय, तो यह देशी बिल होगा ।

### (१) देशी बिलों के उदाहरण

(क) मांग या दर्शनी बिल ( Demand or Sight Bill )

AJMER
June 16, 1960
RS 1,000/-/-
On demand pay to Shri Ram Dhan Acharya or order the sum of rupees one thousand only, for value received.
Rameshwar Lal Gupta
To Shri Ram Swarup Agarwal, Naya Bazar, Ajmer.



(ख) मुद्दती बिल (Time or Usance Bill)

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">टिकट</div>	₹० १,०००	पानपुर, १७ जून १९६० ई०
उपरोक्त तिथि के लिये मात्र परवान् हमें प्रथवा हमारे आदेशानुसार एन हजार रुपया जितका मूख्य प्राप्त हो चुका है, दीजिये। सेवा मे—		
सर्व श्री रामस्वरूप रामेश्वरलाल स्टाँड मार्केट, इन्दौर।		रामसुख रामलाल

(२) विदेशी बिल ( Foreign B/T )—यदि बिल एक देश में तिथि कार्य और दूसरे में उनका भुगतान किया जाय, तो वे विदेशी बिल कहलायेंगे। उदाहरणार्थ, यदि कोई बिल भारतवर्ष में बिल्ला जाय और इंग्लैंड में उसका भुगतान किया जाय, तो वह विदेशी बिल होगा।

विदेशी बिल का उदाहरण

Rs. 15,000/-	LONDON,
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">Stamp</div>	18 th. June, 1960
Ninety days after sight of this First of Exchange (second & third of the same tenor and date being un- paid) pay to the order of Messrs. Ramlal & Co., the sum of rupees fifteen thousand, for value received. To	
Alexander & Co. Messrs Seksaria & Sons, Kalbadevi Road, BOMBAY.	

स्वीकृति (Acceptance)—जब बिल ड्रॉकर (Drawer) द्वारा गिन गिन कर तैयार कर लिया जाता है, तब वह बैंकदार (Drawee) के पास स्वीकृति (Acceptance) के लिये प्रस्तुत किया जाता है। वह उसे स्वीकार करने के लिये उसके मूख्य पर "स्वीकार किया" या "Accepted" शब्द लिख देता है। स्वीकृति के पढ़ने बिल ड्रॉफ्ट (Draft) होता है। स्वीकृति के पढ़वान् बिल पकका रक्का हा जाता है और दोनों पक्षों पर लागू हो जाता है। स्वीकृति का अर्थ यह है कि बैंकदार (Drawee) जो बिल के स्वीकार करने के बाद स्वीकर्ता (Acceptor) भी कहलाता

है बिल-लेखक द्वारा लिखे गये बिल का दायित्व स्वीकार करता है। दर्शनी भाग बिलो में स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है।

बिल का पूर्व प्रापण या बिल भुनाना (Discounting a Bill of Exchange)—बैंक द्वारा मुहूर्त बिल का तात्कालिक मूल्य (Present worth) अर्थात् अवधि समाप्त होने के पूर्व ही बट्टा-कम (Less discount) बिल की राशि प्राप्त करने को बिल का पूर्व-प्रापण या भुनाना कहते हैं।

बिल के पूर्व प्रापण या भुनाने की विधि—बैंक बिल की राशि बिल की अवधि समाप्त होने पर ही बैंकदार अथवा स्वीकर्ता से प्राप्त की जा सकती है। यदि बिलधारी को अवधि से पूर्व ही राशि की आवश्यकता हो, तो वह किसी बैंक द्वारा उगे भुना सकता है। बैंक बिल की राशि में से बिना योती अवधि का ब्याज घट्टे (Discount) के रूप में काट कर शेष राशि बिल भुनाने वाले को दे देता है। इस प्रकार का व्यवहार करने के पूर्व बैंक बिल के पक्षों की साख सम्बन्धी जांच पड़ताल कर लेता है।

### बिलों के प्रयोग से लाभ (Advantages)

(१) श्रेणी को ऋण-भुगतान के लिये एक निश्चित अवधि मिल जाती है। इस बीच में वह माल बेच कर भुगतान की व्यवस्था कर सकता है।

(२) ऋण-भुगतान का यह घट्टा ही सुरक्षित एवं सुविधाजनक साधन है। इसके उपयोग से रपदा स्थानान्तरित करने में न्यूनतम कठिनता तथा व्यय होता है।

(३) बिल में भुगतान करने की निश्चित तिथि होती है। अतः बिना का प्रयोग व्यापारियों में नियत समय पर रपदा देने की अति आवश्यक आदत डालता है।

(४) श्रेणी, ऋण-भुगतान की एक निश्चित अवधि मिल जाने के कारण, ऋण-दाता या साहूकार के बार-बार राशि-भुगतान के तकाजों से मुक्त हो जाता है।

(५) बिल एक कानूनी कागज है और यदि यह सस्वीकृत कर दिया जाय तो इसका भुगतान न्यायालय द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

(६) ऋणदाता या साहूकार को यदि रोकड़-राशि की तुरन्त आवश्यकता हो, तो वह इन बिना को भुनाकर रोकड़ राशि प्राप्त कर सकता है।

(७) यदि किसी समय किसी व्यापारी के पास नकद रपदा न हो और उसके ऋणदाता उनसे तुरन्त ही रपदा माग रहे हो, तो वह अपने बिल का बेचान उनके पक्ष में कर सकता है।

(८) बिलों के प्रयोग में क्रय पित्रय घट्टा अधिक मात्रा में हो जाता है और रोकड़-राशि के प्रयोग में बचत होती है।

(९) राशि-भुगतान के पश्चात् ऋण के लिये यह श्रेणी-भुगतान का एक अनाद्य प्रमाण हो जाता है।

(१०) बिल के प्रयोग से व्यापारियों में ईमानदारी तथा स्वाभिमान की भावना अधिक हो जाती है।

### प्रामिसरी नोट या प्रतिज्ञा-पत्र

#### (Promissory Note—P/N)

परिभाषा (Definition)—प्रामिसरी नोट वह लिखित दायित्व प्रतिज्ञा-पत्र है जिसके द्वारा उसका लेखक या बनाने वाला (Maker) किसी

व्यक्ति विशेष को, या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को, या बाहक की मांग पर, अथवा किसी निश्चित अवधि के पश्चात् एक निश्चित राशि चुकाने का वचन देता है।

प्रॉमिसरी नोट के पक्ष (Parties)—प्रॉमिसरी नोट के केवल दो पक्ष होते हैं—(१) लेखक या बनाने वाला (Maker)—यह ऋणी होता है जो प्रतिज्ञा पत्र लिखकर राशि देने का वचन देता है। (२) लेनदार (Payee)—यह ऋणदाता या साहूकार होता है जिसके पक्ष में प्रॉमिसरी नोट लिखा जाता है तथा जिसको उस पत्र का रकबा मिलता है।

### प्रॉमिसरी नोट या प्रतिज्ञा-पत्र के प्रकार (Kinds of Promissory Note)

(१) दर्शनी या मांग प्रॉमिसरी नोट (Sight or Demand P/N)—यह प्रतिज्ञा-पत्र है जिसमें मांग करते ही अथवा दिखते ही तुरन्त राशि भुगतान करनी पड़ती है।

(२) मुदती प्रॉमिसरी नोट (Time P/N)—वह है जिसमें राशि भुगतान की प्रतिज्ञा किसी निश्चित अवधि के पश्चात् करने की होती है।

#### मुदती प्रॉमिसरी नोट के उदाहरण

टिकट	₹,००० ६०	वाराणसी, जून १४, १९६०
मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि उपर्युक्त तिथि के तीन मास पश्चात् श्री नरनारायण को एक हजार रुपये जिनका मूल्य प्राप्त हो चुका है, दूँगा। हरनारायण		

(३) एकल प्रॉमिसरी नोट (Single P/N)—वह है जिसमें एक ही व्यक्ति राशि भुगतान को प्रतिज्ञा करता है। इसका उदाहरण ऊपर दिया गया है।

(४) संयुक्त प्रॉमिसरी नोट (Joint P/N)—वह है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप में राशि-भुगतान की प्रतिज्ञा करते हैं।

उत्तरदायित्व—यदि संयुक्त प्रतिज्ञा-पत्र का अनादरण (Dishonour) हो जाय, तो पत्रधारी सब पत्र लिखने वालों पर राशि-प्राप्ति के लिये संयुक्त रूप में अभियोग चला सकता है, न कि अलग-अलग।

## संयुक्त प्रो-नोट का उदाहरण

Stamp	Rs. 1,000/—	Delhi, June 14, 1960
<p>Three months after date we promise to pay Shri Gyan Chandra Gupta, the sum of rupees one thousand only, value received.</p> <p style="text-align: right;"><b>Ram Chandra, Harish Chandra</b></p>		

(५) संयुक्त एवं पृथक् प्रॉमिसरी नोट ( Joint & Several P/N)—वह है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप में तथा अलग-अलग राशि-भुगतान की प्रतिज्ञा करते हैं।

उत्तरदायित्व—ऐसे प्रतिज्ञा-पत्र के अनादरण हो जाने पर पक्षधारी चाहे तो सब पत्र मिलने वाली के बिना संयुक्त रूप में अभियोग चलाये या उनमें से किसी एक या कुछ के ऊपर ही चलाये। अलग-अलग चलाने पर भी कोई पत्र लिखने वाला अपने उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकता।

बैंक नोट और करेंसी नोट—जो नोट किसी देश के केन्द्रीय बैंक द्वारा जारी किये जाते हैं वे बैंक नोट कहलाते हैं, और जो नोट सरकार द्वारा जारी किये जाते हैं वे करेंसी नोट कहलाते हैं। ये नोट पत्र-मुद्रा में सम्मिलित हैं। भारतवर्ष में बैंक नोट और करेंसी नोट में भारत सरकार तथा रिजर्व बैंक की यह प्रतिज्ञा होती है कि नोट-माहक को एक निश्चित रुपये की राशि मांगने पर भुगतान कर दी जायगी। इसलिये ये भी मांग या दर्शनी प्रॉमिसरी नोट ही होते हैं।

## प्रॉमिसरी नोट और बैंक या करेंसी नोट में अंतर

प्रॉमिसरी नोट	बैंक या करेंसी नोट
(१) यह किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिज्ञा होती है।	(१) यह देश की सरकार या केन्द्रीय बैंक द्वारा प्रतिज्ञा होती है।
(२) ये लिखे जाते हैं तथा इन पर टिकट लगाये जाते हैं।	(२) ये छपे हुए होते हैं तथा इन पर टिकट अनावश्यक है।
(३) ये कई प्रकार के होते हैं—दर्शनी, मुद्रती आदि।	(३) ये सर्वद दर्शनी होते हैं।
(४) ये विशिष्टाह्य नहीं होते हैं, अर्थात् कोई भी व्यक्ति इनको लेने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता है।	(४) ये विशिष्टाह्य होते हैं। इन्हें भुगतान में स्वीकार करने के लिये बाध्य किया जा सकता है।
(५) मुद्रती प्रो-नोट बेचान व मुद्रुदंगी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाते हैं।	(५) ये सब दर्शनी होते हैं, इसलिये ये मुद्रुदंगी-मात्र ही हस्ताक्षरित किये जाते हैं।

- (६) ये किसी भी राशि के लिये लिखे जा सकते हैं। इनमें रुपये के अतिरिक्त घाने पाई भी होते हैं।
- (७) ये बाहक प्रयथा ऑर्डर होते हैं।
- (६) ये किसी निश्चित राशियों के होने हैं। इनमें घाने पाई नहीं होते हैं।
- (७) ये सदैव वाहक होते हैं।

चैक, बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रॉमिसरी नोट में अन्तर

चैक (Cheque)	बिल (B/E)	प्रो नोट (P/N)
(१) यह सदैव बैंक पर लिखा जाता है।	(१) यह किसी व्यक्ति-विशेष, फर्म या कम्पनी पर लिखा जाता है।	(१) यह किसी व्यक्ति विशेष, फर्म या कम्पनी की प्रतिज्ञा निरती जाती है।
(२) यह बैंक के अमानतदार या ग्राहक द्वारा लिखा जाता है।	(२) यह ऋणदाता या साहूकार द्वारा ऋणी पर लिखा जाता है।	(२) यह ऋणी द्वारा ऋणदाता या साहूकार के प्रति प्रतिज्ञा होती है।
(३) यह राशि-भुगतान का आदेश होता है।	(३) यह राशि-भुगतान का आदेश होता है।	(३) यह राशि-भुगतान की प्रतिज्ञा होती है।
(४) इसमें तीन पक्ष होते हैं—लेखक, देनदार-बैंक और लेनदार।	(४) इसमें तीन पक्ष होते हैं—लेखक, देनदार और लेनदार।	(४) इसमें दो पक्ष होते हैं—बगान वाला या देनदार और लेनदार।
(५) इसमें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती।	(५) इसमें देनदार की स्वीकृति की आवश्यकता होती है।	(५) इसमें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि ऋणी स्वयं प्रतिज्ञा करता है।
(६) ये सदैव मांग या दर्शनी होते हैं।	(६) ये दर्शनी और मुदनी दोनों ही होते हैं।	(६) ये दर्शनी और मुदनी दोनों ही होते हैं।
(७) ये देश के भीतरी चलन के काम आते हैं।	(७) ये देशी और विदेशी दोनों प्रकार के होते हैं।	(७) यह भी देशी और विदेशी दोनों प्रकार के होते हैं।
(८) इसकी एक ही प्रति बनाई जाती है।	(८) विदेशी बिल प्रायः तीन प्रतियां में बनाया जाता है।	(८) विदेशी प्रॉमिसरी नोट केवल एक ही प्रति बनाई जाती है।
(९) इसे रेखांकित कर सकते हैं।	(९) इसे रेखांकित नहीं कर सकते हैं।	(९) इसे रेखांकित नहीं कर सकते हैं।

- (१०) इसका हस्तान्तरण केवल सुपुदगी-मात्र से ही हा सकता है।
- (१०) दर्शनी विलों का तो हस्तान्तरण केवल सुपुदगी मात्र में ही होता है, परन्तु मुदती विलों का हस्तान्तरण वेचान-लेख तथा सुपुदगी दोनों से ही होता है।
- (१०) इनका हस्तान्तरण भी विलों की भाँति होता है।
- (११) चँको पर टिकट की कोई आवश्यकता नहीं होती है।
- (११) भाँग या दर्शनी विलों के प्रतिरिक्त सब प्रकार के विला पर मूल्यानुसार टिकट लगाना कानूनी आवश्यकता है।
- (११) भाँग या दर्शनी तथा मुदती सभी प्रकार के प्रोनोटों पर टिकट लगाना कानूनी आवश्यकता है।
- (१२) इसमें गलती होने पर बैंक भुगतान नहीं देता।
- (१२) इसमें गलती होने पर भी यदि देनदार ने स्वीकार कर लिया है तो देनदार को भुगतान देने के लिये बाध्य किया जा सकता है।
- (१२) इसमें भी गलती होने पर देनदार को बाध्य किया जा सकता है।
- (१३) यदि बैंक के प्रस्तुत करने में विलम्ब हो जाय, तो इससे लेखक और वेचानकर्ता अपने दायित्व से मुक्त नहीं होंगे। हाँ, यदि बैंक फेल हो जाय तो बात दूसरी है।
- (१३) विल यदि ठीक तिवि पर प्रस्तुत न किया जाय, तो अन्य सभ सम्बन्धित व्यक्ति अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं।
- (१३) इसमें भी देनदार अपने दायित्व से मुक्त नहीं होता है।
- (१४) बैंक प्रनादरण पर अनादरण सूचना देना आवश्यक नहीं है और न निकराई सिकराई ही आवश्यक है।
- (१४) विल प्रनादरण पर सम्बन्धित व्यक्तियों को प्रनादरण सूचना (Notice of Dishonour) देना आवश्यक है तथा उसकी निकराई-सिकराई भी करानी होती है।
- (१४) प्रोनोट में अनादरण सूचना तथा निकराई - सिकराई आवश्यक नहीं है।

## हुण्डी (Hundi)

हुण्डी शब्द का अर्थ एव परिभाषा—हुण्डी शब्द संस्कृत 'हुण्ड' से बना जिम्मा अर्थ 'संग्रह' करना है। हुण्डी सामान्यतया एक वर्त रहित लिखित आदेश पत्र है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आदेश देता है कि वह रुपये की एक निश्चित राशि उल्लिखित व्यक्ति को माँगने पर अथवा एक निश्चित अवधि के पश्चात् भुगतान कर दे।

हुण्डी का महत्त्व—भारतवर्ष में हुण्डी बहुत ही प्राचीन काल से प्रचलित है। आज भी हमारे देश के अन्तर्देशीय व्यापार में इसका बड़ा महत्त्व है। एक स्थान से दूसरे स्थान को राशि भेजने वा यह बड़ा अण्डा माधन है। इसके द्वारा व्यापार उधार भी लिया जा सकता है। जिम व्यापारी को रुपये की आवश्यकता होती है वह अपने एजेंट या मित्र व्यापारी पर एक हुण्डी लिख सकता है और उसे किसी बैंक में बट्टा देकर भुना सकता है।

बिना और हुण्डी में भेद—बतते तो हुण्डी और बिल में कोई विशेष अन्तर नहीं है। हुण्डी बिल का रूपान्तर साथ है, अथवा हुण्डी एक प्रकार से देशी बिल ऑफ एमचार्ज है। परन्तु इन दोनों में जो भेद है उनकी अपेक्षा भी नहीं की जा सकती है।

१—बिल प्रायः अंग्रेजी में लिखा जाता है और उसकी भाषा एक प्रकार से अपरिवर्तनशील है। परन्तु हुण्डी भारत की सभी भाषाओं में लिखी जाती है, और इसमें स्थानानुसार परिवर्तन भी होता रहता है।

२—बिल एक अक्षर-रहित आदेश है; परन्तु हुण्डी का आदेश अक्षर-सहित भी हो सकता है, जैसे - बोलवमी हुण्डी।

३—बिल में लेखक (Drawer) का नाम नीचे दाईं ओर लिखा जाता है, परन्तु हुण्डी में लेखक का नाम बीच में दिया जाता है।

४—बिल पत्र की भाँति नहीं लिखा जाता है बल्कि इसमें केवल तथ्य ही होते हैं। हुण्डी पत्र के रूप में लिखी जाती है, अतः इसमें अभिवादन आदि भी प्रयुक्त विधे जाते हैं।

५—बिल के देनदार (Drawee) का नाम नीचे बाईं ओर लिखा जाता है। परन्तु हुण्डी में यह बीच में लिखा जाता है।

६—बिल में राशि दो बार अङ्कों और अक्षरों में लिखी जाती है जिसमें राशि-परिवर्तन सुगमता से न हो सके। हुण्डी में राशि पाँच बार से कम नहीं लिखी जाती, अतः राशि-परिवर्तन अत्यन्त कठिन हो जाता है।

७—बिल की स्वीकृति, देनदार द्वारा आवश्यक है और यह बिल के मुख पर दी जाती है। हुण्डी में स्वीकृति आवश्यक नहीं है, केवल देनदार अपनी वही में इसका प्योरा लिख लेता है।

८—बिल देशी और विदेशी दोनों प्रकार का होता है, परन्तु हुण्डी केवल देशी ही होती है।

६—बिल म तीन अनुग्रह दिवस या रियायती दिन (Days of Grace) मिलत है, परन्तु टुण्डी म रियायती दिना म न्यूनाधिकता होना सम्भव है।

१०—बिल प्रनादरण म विकराई सिकराई का होना आवश्यक है। टुण्डी म इसकी काइ आवश्यकता नहीं है।

टुण्डी के पक्ष (Parties)—टुण्डी म प्राप्त तीन पक्ष होते हैं—(१) लेखीवाला या लेखक (Drawer) वह व्यक्ति है जो टुण्डी लिखता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। (२) ऊपर वाला या दनदार (Drawee)—वह व्यक्ति है जिस पर टुण्डी लिखी जाती है। यह जखी हाता है जिस टुण्डी की राशि देनी जाती है। (३) राख्या-वाला या आदाता (Payee)—वह व्यक्ति है जिसके पक्ष म टुण्डी लिखी जाती है। इसे टुण्डी की राशि प्राप्त होती है।

टुण्डिया क भेद (Kinds of Hundi)—टुण्डियां मुख्यत दो प्रकार की होती हैं—दशमी और मुदती या मिली। (१) दर्शनी टुण्डियां—वह है जिसका भुगतान मास पर करना पता है। यह Sight या Demand बिलों की भांति है। इन प्रकार की टुण्डिया म मुख्यत राशि म्यातान्तरण का प्रयोजन सिद्ध होता है।

(२) मुदती या मिली टुण्डी—वह है जिसका भुगतान किसी निश्चित अवधि क पश्चात् किया जाता है। इसमें उचितसिद्ध अवधि म रियायती दिन (Days of Grace) का भिदान बहता है जो एक क पश्चात् भुगतान किया जाता है। टुण्डियां ११ दिन म लेकर १२ महाना तक की अवधि (मुदत) क नियत की जाती है। अवधि व्यापार की प्रथा तथा स्वातन्त्र्य परिकल्पना से है।

### मुदती या मिली टुण्डी का उदाहरण

॥ आगमक ॥

विश्व श्री चम्पड पुनस्वाल भाई श्री रामनाथ रामभुज जाग लिखी आगमक मे अग्रमचद रामचन्द का जे आगमक बनना। अग्रमच टुण्डी कीलि पूर आवके ऊपर २० २००० अवन दो हजार रुपया क नीम रुपय एक हजार क हुन पूरे यहाँ गम्मा श्री भाई पञ्चाव बैंक लि० क पाग मिली बँशास मुदी ६ मे दिन ६१ (इकसठ) बीछे नाम माह जाग टुण्डी चलन बनदार बना। मिला बँशास मुदी ६ सबद २०१७।

टुण्डी की व्याख्या (Explanation)—यह मुदती आहजोम टुण्डी का उदाहरण है। इसमें अग्रमचद रामचन्द ता लेखीवाला या लेखक है रामनाथ रामभुज ऊपरवाला या दनदार है और पञ्चाव बैंक लि० गख्यावाला या आदाता है। टुण्डी की राशि दो हजार रुपया है और अवधि (मुदत) ६१ दिन की है।

टुण्डियों के अन्य प्रकार

(१) घनी जोम टुण्डी—वह है जो किसी बनी या टुण्डी वाक्य का देय होता है। भुगतान, दल, बाले, की काइ निम्नकार्य बहा होता है। यह वास्तु या अवरर पैर का भाग होता है। (२) आह जाग टुण्डी—यह टुण्डियां है जिसका भुगतान आह अथवा गम्मानित व्यक्ति का देय होता है। यह अथवा पैर क गमान है। अतः इस भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह वर्तमान है कि वह इन बातों की टंक-ठीक जान करन कि प्रस्तुत करन



चाला व्यक्ति भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी है या नहीं। (३) फरमान जोग हुण्डी— वह हुण्डी है जो लेनदार या उसके आदेशानुसार किसी अन्य व्यक्ति को देय होती है। इसका प्रादुर्भाव भवन काम से हुआ श्रीमद् इयना प्रचार कही कही अब भी दृष्टिगोचर होता है। 'फरमान' शब्द आदेश का शीतक है। यह घॉट्टर चैक की भाँति है। अतः भुगतान करने वाले व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि भुगतान करने के पहले वेचान लेख की मनी-गॉन्नि जाँच कर ले; अन्यथा वह उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं रह सकता (४) देखन-सार हुण्डी—वह हुण्डी है जिसका भुगतान हुण्डीवाहक (Bearer) को देय होता है। अतः एसी हुण्डी के भुगतानार्थ देयदार को विशेष ध्यानबोन करने की आवश्यकता नहीं होती। प्रस्तुत करने वाले को भुगतान दे दिया जाता है।

दृष्टियों के प्रयोग से लाभ—दृष्टियों के प्रयोग से लाभ लगभग वे ही हैं जो बिन ऑफ एगचेंस के अन्तर्गत बखित है।

### बैंक ड्राफ्ट (Draft)

परिभाषा (Definition)—बैंक ड्राफ्ट वह चैक है जिसमें एक बैंक अपनी शाखा या एजेंट बैंक या अन्य बैंक को लिखित आदेश देता है कि वह उल्लिखित व्यक्ति को या उसके आदेशानुसार अन्य किसी व्यक्ति को माँगने पर एक निश्चित राशि का भुगतान कर दे।

यह एक स्थान से दूसरे स्थान को रपया भेजने का अनुपम साधन है। जब कोई व्यक्ति किसी दूरस्थ व्यक्ति को रपया भेजना चाहता है, तो वह भेजी जाने वाली राशि और थोड़ा सा कमीशन बैंक से जमा कर बैंक-ड्राफ्ट खरीद कर भेज देगा। इसके द्वारा राशि भेजने में बहुत कम लचक पड़ता है। यदि राशि शीघ्रता से भेजना हो, तो तार वा ज्यम देकर तार द्वारा बैंक-ड्राफ्ट (Telegraphic Transfer—T/T) भेज सकता है। बैंक-ड्राफ्ट अन्तर्देशीय और विदेशीय दोनों प्रकार के होते हैं।

### अन्तर्देशीय बैंक ड्राफ्ट का उदाहरण

<b>STATE BANK OF INDIA</b>	
No. 2785 B/D	AJMER
Rs. 2,000/-	16th. June, 1960
On demand pay to <i>Shri Suraj Bhan Agarwal</i> or order <i>Rupees two thousand only</i> , value received.	
For State Bank of India, A. R. Contractor Agent.	
To The State Bank of India, AGRA	

## अभ्यासार्थ प्रश्न

इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—हुण्टी और बैंक पर नोट लिखिये ।
- २—साख पत्र की परिभाषा दीजिये और उसके मुख्य कार्य बताइये । विनिमय बिल और करेंसी नोट में अन्तर बताइये ।
- ३—मुद्रा और साख पत्रों का अन्तर बताइये । आधुनिक वाणिज्य और उद्योगों से क्या नाम होता है ?
- ४—साख पत्र (Credit Instruments) की परिभाषा दीजिये । बैंक (Cheque) तथा करेंसी नोट (Currency Note) में क्या अन्तर है ?
- ५—साख से आप क्या समझते हैं ? भारत में उद्योग और व्यापार को साख ने क्या महावता पहुँचाई ।
- ६—बैंक किम बहन है ? इसे रेखांकित करने का क्या उद्देश्य है ?  
(रा० बो० १९५४)
- ७—साख किस कहते हैं ? साखःमुद्रा के लाभ हालि की विवेचना कीजिये ।  
(रा० बो० १९५२)
- ८—हुण्टी पर एक सशुभ टिप्पणी लिखिये । (ग्र० बो० १९५४, ५०, ४६)
- ९—निम्नलिखित पर नोट लिखिये :—  
आउटर, बैंक वेयरर और ग्रॉम हुए बैंक । (म० भ० १९५४)
- १०—विनिमय साख पत्रों के नाम बताइए । उनमें से किसी एक की परिभाषा दीजिए और इसकी कार्य-प्रणाली तथा महत्व को बताइए । (सागर १९५८)
- ११—बैंक और विनिमय बिल में क्या भेद है ? बैंक के रेखांकित करने का क्या उद्देश्य होता है ? इसके लाभ बताइए । (सागर, १९५५)
- १२—'साख' शब्द की व्याख्या कीजिये । साख द्वारा समाज की क्या क्या सेवाएँ होती हैं ? (सागर १९५६)
- १३—निम्नलिखित प्रत्यय-पत्रों के कार्य तथा उनकी उपयोगिता के सम्बन्ध में विवरण दीजिए—(अ) विनिमय पत्र, (आ) धनादेश । (भागपुर १९५८)
- १४—धनादेश क्या होता है ? धनादेश के विविध प्रकारों को स्पष्टतया समझाए । देश की मौद्रिक पद्धति में धनादेश का महत्व दीजिए । (भागपुर १९५७)
- १५—निम्नलिखित पर नोट लिखिए :—  
साख-पत्र  
हुण्टी और बैंक  
प्रतिभा अर्थ-पत्र (प्रॉविलरी नोट)  
बिल ऑफ एक्सचेंज (विनिमय पत्र)  
बैंक ड्राफ्ट  
बिल ऑफ एक्सचेंज  
बैंक और बिल ऑफ एक्सचेंज  
(भागपुर १९५७, सागर १९५६)  
(म० भ० १९५६)  
(भागपुर १९५६)

**बैंक की परिभाषा (Definition)**— बैंक वह मस्या है जो मुद्रा (Money) और साख (Credit) का लेन-देन करती है, जहाँ रुपया जमा किया जा सकता है तथा ख़रा लिया जा सकता है, और जहाँ धन-सम्बन्धी अनेक व्यवहार होने हैं। वक़्त में वे व्यक्ति राशि जमा कराने हैं जिनके पास आवश्यकता से अधिक पूँजी होती है और जो उसे सत्ताम व्यापार में नहीं लगा सकते। बैंक उन लोगों को राशि उधार देता है जिनके पास आवश्यक निधि नहीं है, परन्तु जो उस निधि को लाभप्रद व्यापार या व्यवसाय में लगा सकते हैं। यह सब बैंक का कार्य मान (Credit) के अन्तर्गत आता है, इसलिये बैंकों को मान्य सम्स्थाएँ (Credit Institutions) कहते हैं। मुद्रा और साख के उपयोग में व्यापार करने की क्रिया को बैंकिंग (Banking) कहते हैं।

स्पष्टतः बैंक प्राधुनिक ढंग में लेन-देन करने वाली सत्ता है। जिस प्रकार एक व्यापारी वस्तुओं का लेन देन करता है, ठीक उसी प्रकार बैंक मुद्रा और मान के उपयोग का लेन देन करता है। वे सर्वसाधारण से कम व्याज पर रुपया लेते हैं और उमने ऊँची दर पर उसे उधार देते हैं। इस प्रकार का लेन देन ही वास्तव में इनका मुख्य धया है और इसी से उनको अधिकारा साम प्राप्त होता है।

**बैंकों का महत्त्व (Importance)**— बैंक प्राधुनिक व्यापार का 'जीवन' है। आज के समय में जितना सुव्यवस्थित बैंकों का कोई भी देश व्यापारिक एवं औद्योगिक उन्नति नहीं कर सकता। वे वाणिज्य व्यापार व उद्योग की वृद्धि में बड़ा भूमिका निभाते हैं। जनता के रुपये को बचाने और लगाने का एक लोकप्रिय साधन निर्माण करने में जनता को अधिकारिक रुपया बचाने में प्रोत्साहन देते हैं। बैंक भिन्न-भिन्न व्यक्तियों की बचाई हुई छोटी-छोटी राशियाँ को एकत्रित करके समाज की अधिक दया का पुष्ट करते हैं। एकत्रित राशि में से वे व्यापारियों, उद्योगपतियों तथा दुबला को रुपया उधार देते हैं जिन्हें वे विभिन्न उत्पादन कार्यों में लगाने हैं। बैंक एक प्रकार से मध्यस्थ का काम करते हैं जो लोगों की छोटी छोटी बचत की रकमों को इकट्ठा करके बड़-बड़े बुझाव और चतुर व्यापारियों, व्यवसायियों तथा औद्योगिक योग्यता रखने वाला का बहुत बड़े रकम के रूप में देने हैं जिससे देश के धनोत्पादन में वृद्धि तथा आर्थिक उन्नति होती है। यदि बैंक न होने तो राष्ट्र की अधिकतर योग्यता व पूँजी व्यर्थ रहती जो कि एक बड़ी राष्ट्रीय हानि होती। इस प्रकार बैंक उत्पत्ति में सहायक सिद्ध होकर औद्योगिक उन्नति के मुख्य साधन बन गये हैं।

बैंक द्वारा निर्माताओं तथा उत्पादकों को उचित समय पर रपया मिल जाता है और हमने देश की उत्पादन शक्ति में असाधारण वृद्धि होती है। सच तो यह है कि आधुनिक व्यापार मात्र पर निर्भर है। बैंक बरतु-निर्माता (Manufacturer) को उधार देता है, निर्माता बोल व्यापारी (Wholesaler) को उधार देता है, थोक व्यापारी फुटकर व्यापारी (Retailer) को और फुटकर व्यापारी उपभोक्ता (Consumer) का उधार देता है। बैंकों द्वारा ही मुद्रा व साख की उपयोगिता का लेन देन होता है, इसलिए यह सारी व्यवस्था बिना बैंकों के सम्भव नहीं हो सकती।

मायदा यह है कि बैंकों का आधुनिक आर्थिक जगत में इतना महत्त्व है कि इन्हें आर्थिक जीवन का स्नायु-केन्द्र (Nerve Centre) कह कर पुकारा गया है, वास्तव में, इन्होंने की उन्नति पर देश की व्यापारिक एवं औद्योगिक उन्नति निर्भर है।

आधुनिक बैंक के कार्य एवं सेवाएं (Functions & Services of a Modern Bank)—अध्ययन की सुविधा की दृष्टि में बैंक के कार्यों को तीन भागों में बाँटा जा सकता है—(१) प्रारम्भिक कार्य, (२) सामान्य उपयोगिता के कार्य और (३) एजेन्सो कार्य।

(१) प्रारम्भिक कार्य (Primary Functions)—बैंक के दो प्रारम्भिक कार्य होते हैं—(अ) रपया उधार लेना, और (आ) रपया उधार देना।

(अ) रपया उधार लेना (Borrowing of Money)—जनता से रपया जमा लेना आधुनिक बैंकों का मुख्य कार्य है। जिन व्यक्तियों ने पाम रपया है और जो उसे सुरक्षित रखना चाहते हैं तथा साथ-ही-साथ कुछ ब्याज भी कमाना चाहते हैं, वे बैंक में अपना रपया जमा कर देते हैं। इस प्रकार लोगों की बचत को बेकार पड़े हुई छोटी व मोटी राशियाँ बैंक द्वारा एकत्रित हो जाती हैं। इसी जमा के आधार पर बैंक व्यापारियों तथा उद्योगपतियों को ऋण देकर उत्पादन में योगदान देते हैं। बैंक में रपया कई खातों में जमा कराया जा सकता है, उनमें से मुख्य ये हैं—चालू खाता, स्थायी-जमा खाता; और बचत बैंक खाता।

(१) चालू खाता (Current Account)—वह खाता है जिसमें से रपया बिना किसी पूर्व सूचना के बैंक द्वारा किसी भी समय कितनी भी बार निकाला जा सकता है। वापारक्षतया इस पर कुछ ब्याज नहीं दिया जाता है। परन्तु यदि एक निश्चिन राशि सर्वदैव जमा रखी जाय, तो उस पर थोड़ा-सा ब्याज मिल जाता है। यह खाता विशेषतया व्यापारियों के लिये बड़ा उपयोगी है।

(२) स्थायी जमा खाता (Fixed Deposit Account)—वह खाता है जिसमें रपया एक निश्चित अवधि के लिये जमा करवाया जाता है और उस अवधि में पूर्व रपया नहीं निकाला जा सकता। ऐसे खाते पर अच्छा ब्याज दिया जाता है।

(३) बचत बैंक खाता (Savings Bank Account)—वह खाता है जिसमें से राशि निकालन पर प्रतिबन्ध होता है, अर्थात् राशि सप्ताह में एक या दो बार ही निकाली जा सकती है। छोटी-छाट्टी बचत व्यक्तियों में मितव्ययता का प्रोत्साहन देने के लिये इस खाते में जमा रकम पर ब्याज भी दिया जाता है। यह खाता डाकघर के बचत खाते की भाँति होता है।

(आ) रुपया उधार देना (Lending of Money)—बैंक जमा के साधारण पर ही उधार देने का सामर्थ्य प्राप्त करता है। प्रतः बैंक अनेक व्यक्तियों की छोटी-छोटी राशियाँ एकत्रित कर अपने पास एक बृहत् निधि बना लेता है जिसमें से उन व्यक्तियों को जिनमें व्यापार और व्यवसाय चलाने की योग्यता तो है, परन्तु जिनके पास पूँजी का अभाव है, बैंक ब्याज पर रुपया उधार देता है। इन प्रकार बैंक वचत करने वालों और उत्पादकों या निर्माताओं के बीच मध्यस्थ का कार्य करके उत्पादन यन्त्र को संचालित करने में सहयोग प्रदान करता है। वैसे रुपया उधार देने की बहुत-सी रीतियाँ हैं, परन्तु बिल भूना या डिस्काउन्ट करना, तथा खातू खाते पर अधिविचय (Overdraft) देना तथा रोकड़ साख (Cash Credit) आदि मुख्य हैं। मुदती बिलों या हुण्डियों की राशि यद्वा काट कर दातव्य तिथि के पूर्व देना, बिल भूना या डिस्काउन्ट करना कहलाता है। खातू खाते में मेरे जमा की गई राशि से अधिक निकालने देना अधिविचय या ओवरड्राफ्ट कहलाता है। थोड़ी राशि जमा करा कर, इतने कहीं अधिक राशि उधार देना रोकड़ साख कहलाती है। बैंक जिन लोगों को रुपया देता है उनसे उन तरण के बदले कुछ धरोहर भी लेती है। यह धरोहर बहुधा ऐसी होती है जो बाजार में क्षीमातिशील विक्रय में; जैसे: अचट्टी सम्पत्तियों के वेयर आदि। बैंक अचल सम्पत्ति (Immovable Property) को धरोहर के रूप में नहीं लेती, क्योंकि आवश्यकता पडने पर प्रासानी से नहीं बेची जा सकती है।

(२) सामान्य उपयोगिता के कार्य (General Utility Functions)—उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त बैंक जन-साधारण के लिये भी बहुत से कार्य करता है जिनका वर्णन नीचे किया जाता है :—

(अ) नोट जारी करना—यह कार्य आजकल केवल केन्द्रीय बैंक ही करता है। भारतवर्ष में नोट जारी करने का अधिकार रिजर्व बैंक को है जो देश का केन्द्रीय बैंक है।

(आ) चलन की पूर्ति—बैंकों द्वारा ही पन-मुद्रा के अतिरिक्त अन्य प्रकार की मुद्रा भी चलन में आती है, जो देश के चलन की पूर्ति करने में सहायक होती है।

(इ) साख-यन्त्रों को जारी करना—बैंक, बैंक ड्राफ्ट आदि साख-यन्त्र बैंकों द्वारा ही जारी किये जाते हैं। इनके द्वारा राशि एवं स्वाम में दूसरे स्थान को सुगमता से तथा कम खर्च में भेजी जा सकती है।

(ई) विदेशी विनिमय—बैंक एक देश के चलन का दूसरे देश के चलन से विनिमय करने में सहायता देने हैं। इन्हीं के द्वारा विदेशी व्यापार का भेन-वेन होता है।

(उ) बहुमूल्य वस्तुओं की गुरक्षा—बैंकों में बहुमूल्य वस्तुएँ, जैसे जेवर, दास्तावेज आदि सुरक्षित रखे जा सकते हैं। रखने वाले का ध्यान न चोरी का भय नहीं रहता। बैंक इस सेवा के लिये उनसे कुछ शुल्क लेता है।

(३) एजेंसी कार्य (Agency Functions)—उपयुक्त कार्यों के अतिरिक्त बैंक अपने प्राहकों के लिये निम्नलिखित एजेंसी कार्य भी करते हैं :—

(अ) बैंक अपने ग्राहकों के लिये सिन्डिकेटिज ( प्रतिभूतियाँ ) और शेयर (अथवा) प्रावि सरोदने और वेचने है । (आ) बैंक अपने ग्राहकों के लिये लाभांश (Dividend) और व्याज प्रावि वसूल करते हैं तथा उनके प्रति बीमा वा बीमियम, आप वर, चन्दा, निराम्या आदि वा भुगतान करते हैं । (इ) बैंक अपने ग्राहकों के लिये बैंक ड्राफ्ट और साख पत्र ( Letters of Credit ) आदि जारी करते हैं । (ई) नई कम्पनियाँ की पूँजी एक्जिट करने में सहायता देते हैं । (उ) निवास गृह (Clearing House) वा कार्य करते हैं । (ऊ) वे अपने ग्राहकों के बैंक, वित्त, हुण्डी आदि को राशि वसूल करते हैं । (ए) वे अपने ग्राहकों को अन्य व्यापारियों की आर्थिक स्थिति क बारे में सूचना देते हैं तथा दूसरों के पत्रों पर अपने ग्राहकों की आर्थिक स्थिति के बारे में लिखते हैं । (ऐ) वे ट्रस्टीज (Trustees), प्रवर्तनी (Attorney) तथा एक्जीक्यूटर्स (Executors) आदि की भाँति भी अपने ग्राहकों के लिये काम करते हैं ।

क्या भारतवर्ष में ग्रामीण महाजन या साहूकार यवार्थ अर्थ में वैङ्कर है ? यद्यपि ग्रामीण महाजन बैंक की ही भाँति अपनेका कार्य सम्पन्न करता है और आधुनिक समय में अर्थता विशेष स्थान रखता है, परन्तु फिर भी यवार्थ अर्थ में आधुनिक बैंकर नहीं कहा जा सकता । इसके कई कारण हैं जो नीचे दिये जाते हैं :

(१) प्रथम तो यह है कि महाजन या साहूकार लोग गाँवों में ही प्रायः किसानों तथा कारीगरों को अपना उधार देते हैं, बड़े बड़े व्यापारियों और उद्योगपतियों को नहीं ।

(२) वे आधुनिक बैंकों की भाँति दूसरों का अपना जमा नहीं करते हैं, बल्कि अपनी ही पूँजी से काम चलाते हैं ।

(३) उनकी हिसाब-बिचाव की रीति बहुत ही पुरानी है । वे आधुनिक ढंग से हिसाब नहीं चला सकते । बहुत-से तो हिसाब रखते ही नहीं हैं । वे केवल याद ही रखते हैं या रहीं तौर पर नाट कर लेते हैं, हुण्डी का प्रयोग भी बहुत सीमित है ।

(४) उनकी व्याज की दरें बहुत ऊँची होती हैं ।

(५) अपनी के धन देन के साथ वे अन्य कार्य भी करते हैं ।

(६) बहुत-से ता इम कार्य में अरिज को सम्मिलित ही नहीं, बल्कि छल बपट से गरीब किसानों का अपना झरझा करने का प्रयत्न ही करते रहते हैं ।

(७) वे अपने ग्राहकों की वे सेवाएँ नहीं करते जोकि एक आधुनिक बैंक करता है । अतः हम उन्हें तब तक आधुनिक बैंकर नहीं कह सकते जब तक कि वे अपनी कार्य प्रणाली आधुनिक बैंकों की भाँति नहीं कर लेंगे ।

बैंक जमा से अधिक ऋण देते हैं—यह बात कि बैंक जमा से अधिक ऋण देते हैं वैसे विचित्र प्रतीत होती है, परन्तु यह असत्य नहीं है । इसका कारण स्पष्ट है : जब कोई व्यक्ति बैंक में अपना जमा करता है, तो उसे राख-राशि ले जाकर जमा करना पड़ता है । इसे राख जमा (Cash Deposit) कहते हैं । किन्तु जब बैंक किसी को अपना उधार देता है, तो वह उसे नकद न देकर वह राशि उसका चालू खाते में जमा कर देता है और उसे उस राशि तक बैंक वाटन का अधिकार दे देता है । इसे साख जमा (Credit Deposit) कहते हैं । इस प्रकार 'उधार जमा धन जाती है'

(Loans make deposit)। बैंक इस बात को अनुभव से जानते हैं कि जमा किया हुआ रुपया तारा का-भारा किसी एक समय नहीं निकाला जाता। किसी भी समय जितना रुपया वापस माँगा जाता है, वह कुल जमा की हुई राशि का १०-११% से अधिक नहीं होता। इस प्रकार बैंक १०० रुपये जमा के पीछे १०००-११०० रुपये उधार देने में समर्थ होते हैं।

बैंक की आर्थिक स्थिति मालूम करना—किसी बैंक की आर्थिक स्थिति ज्ञात करने के लिये उनके दो मुख्य हिसाब पत्रों का अध्ययन करना आवश्यक होना है—एक तो लाभ-हानि लेखा, और दूसरा चिट्ठा या स्थिति-विवरण।

(१) लाभ हानि लेखा—(Profit & Loss Account)—यह व्यापार के वर्ष भर के लाभ-हानि का हिसाब होता है। इसमें प्राय और व्यय के शरूके समाविष्ट होते हैं और यह विद्युद लाभ या हानि (Net Profit or Loss) बताता है। इस लेख के दाईं ओर व्यय की मदें और बाईं ओर प्राय की मदें होती हैं। नीचे यह उदाहरण द्वारा समझाया गया है :

आजाद हिन्द बैंक लि० का लाभ-हानि लेखा  
३१ दिसम्बर १९६० ई०

विवरण ( व्यय )	राशि (₹)	विवरण ( प्राय )	राशि (₹)
जमा-राशि पर व्याज	१,००,०००	दोष	१३,०००
वेतन व भत्ते	५०,०००	व्याज और बट्टा	१,२०,०००
प्रॉपिडेंट फण्ड	२,०००	कमीशन और दमाली	५५,०००
डाइरेक्टरों की फीस व भत्ते	१,०००	विरामा-भाड़ा	२७,५००
शुल्क व तार-व्यय	३,५००	अन्य प्राय	६,५००
स्टेशनरी और छपाई	५,०००		
मॉडिटर की फीस	५००		
नाश, बीमा, विद्युती, कर आदि	१३,०००		
मरम्मत व चिताई	११,०००		
अन्य व्यय	३,०००		
विद्युद लाभ	३५,७००		
योग ...	२,२५,०००	योग ...	२,२५,०००

बुनाख्या—उपर्युक्त लाभ-हानि लेखा से स्पष्ट है कि इस वर्ष में बैंक को ३५,७०० ₹ का विद्युद लाभ रहा है जो चिट्ठे में ले जाया गया है।

चिट्ठा या स्थिति-विवरण (Balance Sheet)—यह एक व्यापार की वार्षिक लेनी-देनी का ग्यौर होता है। लेनी के आन्वेषों में जो राई ग्यौर होने है, बैंक की सम्पत्ति (Assets) तथा वे राशिवाँ दिखाई जाती है जो बैंक को दूसरों से प्राप्त होती है। देनी के आंकड़ा में जो राई ग्यौर होने है बैंक की देनदारियाँ (Liabilities) तथा वे राशिवाँ दिखाई जाती है जो बैंक द्वारा दूसरों को देनी होती है। चिट्ठा या स्थिति-विवरण के ध्यानपूर्वक अध्ययन से व्यापारिक सम्पत्ति की वास्तविक प्राथिक-स्थिति या ठीक ठीक अनुमान लगाया जा सकता है। नीचे चिट्ठे का उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देता है।

आजाद हिन्द बैंक लि० का चिट्ठा (Balance Sheet)

३१ दिसम्बर, १९६० ई०

देनदारियाँ (Liabilities)	राशि (रु०)	सम्पत्ति (Assets)	राशि रुपया
अधिकृत पूँजी . (Authorised Capital) ५०,००० शेयरों, १० रु० प्रति शेयर	५,००,०००	हस्तगत एक बैंकसभ रोक्ड मार्ग व मल्ल सूचना का रुपया	३,००,०००
निर्णमित पूँजी . (Jesued Capital) २५,००० शेयरों १० रु० प्रति शेयर		प्रतिभूतियों में विनिधोग (Investment in Securities)	१०,००,०००
प्रापित पूँजी (Subscribed Capital) २०,००० शेयरों १० रु० प्रति शेयर	२,५०,०००	ऋण ग्यौर उधार मुनाये गये बिल (Discounted Bills)	१,१०,३००
प्रदात पूँजी : (Paid-up Capital) १६,६०० शेयरों १० रु० प्रति शेयर	२,००,०००	बैंक भवन ( फिसाई निकाल कर )	७५,०००
रिजर्व फण्ड	१,६६,०००	फर्निचर आदि ( फिसाई निकाल कर )	१०,०००
बसा तथा अन्य खाते	१३,००,०००	स्टेशनरी स्टॉक में	२,७००
देय बिल (B/P Bills)	१०,३००		
अन्य दायित्व	५,०००		
लाम हानि खाता	३५,७००		
योग	१७,०१,०००	योग	१७,०१,०००

व्याख्या—देनदारियाँ (Liabilities) (१) पूँजी—पूँजी कई प्रकार की होती है : अधिकृत पूँजी (Authorised Capital) वह अधिकतम राशि होती है जिसे बैंक या कम्पनी को उसके स्मारक (Memorandum) द्वारा इकट्ठा करने का अधिकार होता है। उपर्युक्त चिट्ठे में यह राशि ५,००,००० रु० है। सामान्यतया सारी अधिकृत पूँजी निर्णमित नहीं की जाती—केवल उसका एक भाग ही निर्णमित किया



जाता है जिसे निर्गमित पूँजी (Issued Capital) कहते हैं। उपयुक्त चिट्ठे से निर्गमित पूँजी ₹ १०,०००,००० है। जिनकी पूँजी खरीदने के लिये जनता से प्रापना पत्र भाने हैं उसे प्रार्थित पूँजी (Subscribed Capital) कहते हैं। इस चिट्ठे में यह ₹ २,००,०००,००० है। प्रति शेयर जितनी पूँजी मांगी जाती है वह माँगी गई पूँजी (Called up Capital) कहलाती है। इस चिट्ठे में ₹ १०,००,००० प्रति भाग के हिसाब से ₹ २०,००० शेयर पर पूँजी माँगी गई है परन्तु केवल ₹ १६,६००,००० शेयर होल्डरों ने ही ₹ १०,००,००० प्रति शेयर के हिसाब से दिया है। इसलिये ₹ १६,६००,००० र० प्रदत्त पूँजी (Paid up Capital) हुई। (२) रिजर्व फण्ड (Reserve Fund)—काभ का कुछ भाग न बाट कर इस कोष में संचित रखा जाता है ताकि संकट-काल में काम आ सके। (३) जमा तथा अन्य खातों का रूपमा—यह पत्र रूपमा है जिसे ग्राहकों ने विविध खातों में जमा किया है। (४) देय बिल (B/P Bills)—यह अपने ग्राहकों के बिलों की स्वीकृति देने के लिये माँगी से भुनाये जा सक। इसकी देनदारी बक की है। (५) अन्य दायित्व—इस शीपक के अंतर्गत विविध देनदारियों की राशि जो ऊपर के मदों में उल्लिखित नहीं है दिखाई गई है।

सम्पत्ति (Assets)—(१) हस्तम्य एवं द्रवस्थ रोकड़ (Cash in hand & at Bank)—जा राशि ग्राहकों के भुगतानाथ बक में रहती है वह हस्तम्य रोकड़ कहलाती है। इसके अतिरिक्त बक जो राशि किमी बड़ बक या केन्द्रीय बक में रखता है वह बकम्य राशि कहलाती है। (२) माँग व अल्प सूचना का रूपमा (Money at Call and Short notice)—यह वह रूपमा है जो बक इस गत पर उधार देता है कि वह माँगने पर या कुछ दिना की ही सूचना देने पर उसे लौटा दिया जायगा। (३) प्रतिभूतियों में विनियोग (Investment in Securities)—इस शीपक के अंतर्गत वह राशि दिखाई गई है जो बक ने साक्षपत्रों के खरीदने में लगाई है तथा जिस पर बक को व्याज मिलता है। (४) ऋण और उधार (Loans)—यह वह रूपमा है जिसे बक थोड़ा समय के लिये व्यापारियों को तथा उद्योग पत्रे वाला को उधार देता है। (५) भुनाये गये बिल (Discounted Bills)—ये विनियम बिल होते हैं जिन्हें बक ने खरीद लिया है। इनका रूपमा बक को अपने ग्राहकों से प्राप्त होता है। (६) बक भवन (Bank Buildings) तथा (७) फर्नीचर आदि (Furniture & Littings etc)—य राशिमा पिसाई (Depreciation) बाट कर बतार्द गई हैं। (८) स्टेशनरी स्टॉक में—रखना भयं यह है कि ₹ ७००,००० की स्टेशनरी इस बय के अंत तक स्टॉक में बच रही है। यह भी बक की सम्पत्ति है।

भारतीय व्यवस्था के अङ्ग—(Constituents of Indian Money Market) भारतीय मुद्रा बाजार तथा बकिय व्यवस्था के मुख्य अङ्ग निम्न-लिखित हैं —

(१) देशी बैंकर या महाजन, सर्राफ, साहूकार आदि (Indigenous Bankers) ।

(२) व्यापारिक बैंक (Commercial Banks)

(३) विनिमय बैंक (Exchange Banks)

(४) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (State Bank of India)

(५) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India)

(६) ग्रन्थ बैंकिंग संस्थाएँ—(अ) सहकारी बैंक (Co-operative Banks)

(आ) भूमि ऋणक बैंक (Land Mortgage Banks), (इ) औद्योगिक बैंक (Industrial Banks), (ई) डाकघर के बचत बैंक (Postal Savings Banks) आदि

(१) देशी बैंकर (Indigenous Bankers)

परिचय—भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही रुपये के लेन-देन का कार्य चला आ रहा है। वैदिक युग में भारतवर्ष की देशी प्रथा की बैंकिंग प्रणाली मुचार रूप से चलती थी। मनु की 'मनुस्मृति' तथा चाणक्य के 'ग्रन्थशास्त्र' में रुपये उधार देने व लेने तथा एक देश की मुद्राओं को दूसरे देश की मुद्राओं में परिवर्तित करने का उल्लेख मिलता है। इस्लामी शासन के समय इस प्रथा का कुछ ठेस लगी थी, किन्तु फिर भी सेठों का बैंकिंग कार्य उत्तरी प्रदेश पर था। राणा प्रताप के इतिहास में भामासाहू का नाम देशी बैंकरो की नामावली में मदा प्रमर रहेगा। ईस्ट इण्डिया कम्पनी के समय में सेठ धर्मोचन्द्र, जगत सेठ आदि नाम इन बात के प्रमाण हैं कि देश में बैंकिंग कार्य उत्तरी प्रदेश पर था। इससे यह पता चलता है कि प्राचीन भारत में बैंकिंग कार्य वही उत्तरी प्रदेश में था।

देशी बैंकरो के विविध नाम—देशी बैंकर देश के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। उत्तर प्रदेश और राजस्थान में ये महाजन, वनिया, कोठी वाले, सेठ-साहूकार तथा घोड़े आदि के नाम से पुकारे जाते हैं। बंगाल में मारवाडी, मुल्तानी व सर्राफ कहलते हैं। पंजाब के मनी और अरोरा भी यही काम करते हैं। बंगाल में ये सेठ, वनिया व निधि के नाम से प्रसिद्ध हैं। मद्रास में इन्हें चेटी और गुवरात व सिंध में इन्हें देहरी तथा मुल्तानी कहते हैं। शहरों में ये प्रायः सर्राफ कहलते हैं और ग्रामों में महाजन, सेठ, साहूकार। गहल गाँवों और कस्बों में गठान और वाबुली भी गहल बना करते हुए दृष्टिगोचर होने के परन्तु आजकल ऐसा देखने में नहीं आता।

देशी बैंकर तथा साहूकार व महाजन आदि का अन्तर

(Difference between Indigenous Banker & Money Lender)

(१) देशी बैंकर प्रायः रुपये भी जमा करते हैं तथा दृष्टियों का लेन-देन भी करते हैं, परन्तु साहूकार इस प्रकार का बैंकिंग-कार्य बहुत कम करते हैं।

(२) देशी बैंकर व्यापार व उद्योग को अर्थ-सहायता देते हैं, परन्तु महाजन व साहूकार प्रायः विशेषतया देहातों व कस्बों में उपयोग के लिये रखते हैं।

(३) देशी बैंकर पूरा देने का प्रयत्न करते हैं किन्तु साहूकार प्रायः देने के लिये लिया जा रहा है, किन्तु महाजन इस बात को पूछ-नाउ बहुत कम करते हैं।

(४) देशी बैंकर महाजनों व साहूकारों की अपेक्षा व्याज भी कम लेते हैं।

देशी बैंकरो के कार्य ( Functions )—(१) देशी बैंकरो का मुख्य कार्य रपया उधार देना है। वे जेवर व जमीन गिरवी रख कर, प्रॉमिसरी नोट तथा कमी-कमी मौखिक वायदों पर रपया उधार देते हैं। गाँवों में निर्धन किसानों और छोटे-छोटे फ़ारीशरो को जमानत के बशान में उनकी वैयक्तिक साख पर भी वे रपया उधार देते हैं। प्रायः इन्हें अधिक जोखिम उठानी पड़ती है, इसलिये इनकी व्याज-दर भी ऊँची होती है। (२) वे हुण्डियो के क्रय-विक्रय का काम करते हैं तथा हुण्डियो के साख पर अन्य बैंकों से भी उधार लेते हैं। वे लोग हुण्डियो द्वारा देश के भीतरी व्यापार को सहायता प्रदान करते हैं। (३) वे आन्तरिक व्यापार को अर्थ-सहायता देते हैं। देशी बैंकर सेती की वस्तुओं के व्यापार में बहुत अर्थ-सहायता देते हैं। वे कच्चे आइरॉन का काम करते हैं तथा किसानों को जखु रस सत पर देते हैं कि वे अपनी समस्त उपज उन्ही के द्वारा बेचेंगे। (४) रपये के लेन-देन के प्रतिरिक्त वे व्यापारी भी करते हैं। वे गात खरीदने और बेचते हैं। इसलिये बैंक सम्बन्धी कार्यों के माय-साय व्यापार करना भी इनका कार्य है। (५) उनमें से कुछ रपये भी जमा करते हैं और उस पर थोडा व्याज भी देते हैं, किन्तु अधिकाश ऐसा नहीं करते। (६) वे लोग सट्टा भी खेलते हैं। वे लोग सोने चाँदी, कपास, अनाज और कम्पनियो के शेयरो को बेचने का सट्टा भी करते हैं।

देशी महागणों व साहूकारों को यद्यपि हम बैंकर कह कर पुकारते हैं, परन्तु वे पूर्णरूप से बैंकर नहीं बहे जा सकते। एक बैंकर का कार्य रपया उधार लेना व देना दोनों है, जबकि भारतीय साहूकार व महाजन प्रायः रपया उधार ही देने हे उधार लेते नहीं। अस्तु, बैंकर के बजाय श्रणदाता ( Money Lenders ) या अर्थ-प्रवत्यक कहा जाय तो अधिक उपयुक्त होगा।

### देशी बैंकरों और आधुनिक बैंकों में भेद

(Difference between Indigenous Bankers & Modern Banks)

देशी बैंकर	आधुनिक बैंक
(१) देशी बैंकरो की फर्मों का संगठन प्रायः पारिवारिक व्यवसाय के सिद्धान्त पर आधारित होता है।	(१) आधुनिक बैंक निरिधत पूँजी वाली कम्पनियो के सिद्धान्त पर संगठित किने जाते हैं।
(२) इनमें से बहुत थोडे बैंकर दूसरो का रपया जमा करते हैं। वे अपनी ही पूँजी से काम करते हैं।	(२) रपया जमा करना इनका मुख्य कार्य होता है। अपनी पूँजी से यह रपया बर्दी गुना अधिक होता है।
(३) इनमें से जो कोई भी रपया जमा करते हैं वे रपया जमा करने की रसीद नहीं देते, बल्कि अपने बहीखातो में उतका जमा-खर्च कर लेते हैं।	(३) वे बिना रसीद के किन्तु प्रकार का रपया जमा नहीं करते।

- (४) इनमें से कृषि रात-राति के रूप में निकाला जाता है ।
- (५) मत्स्य उद्योग प्रायः उत्पादक तथा अनुत्पादक दोनों प्रकार के वार्यों के लिए देते हैं ।
- (६) दसों वकर प्रायः बैंकिंग के साथ-साथ व्यापार और सट्टा भी करते हैं ।
- (७) देशी बैंकरों की रजिस्ट्री किसी कानून के अन्तर्गत नहीं होती और न उनके वार्यों कानून द्वारा नियंत्रित हान है ।
- (८) देशी बैंकर अधिकतर कृषि विना उपयुक्त जमानत के उधार देते हैं । अतः उनको बहुत जोखिम उठानी पड़ती है ।
- (९) इनका अधिकतर कार्य-क्षेत्र गाँव और कस्बा में होता है ।
- (१०) इनकी सख्या बहुत अधिक है और वे देश के कोने-कोने में व्याप्त होने हैं ।
- (११) इनको पत्र-मुद्रा जारी करने का कोई अधिकार नहीं होता है ।
- (१२) इनकी शाखाएँ नहीं होती । यदि हुई तो बाड़ी सख्या में होती है ।
- (१३) देशी बैंकर अपने हिसाब-किताब की न तो नियमित रूप से जाँच (Audit) करवाते हैं और न उसका प्रकाशन ही करते हैं ।
- (१४) इनकी व्याज दर ऊँची होती है ।
- (४) इनमें से कृषि बैंक द्वारा निकाला जाता है ।
- (५) इनके द्वारा ऋण केवल उत्पादक वार्यों के लिये ही दिया जाता है ।
- (६) आधुनिक बैंक बैंकिंग के साथ और कोई दूसरा व्यापार नहीं करते ।
- (७) सवुक्त पूँजी वाले बैंकों की रजिस्ट्री पहले कम्पनी कानून के अन्तर्गत होती थी, परन्तु सन् १९४६ में अलग बैंकिंग कानून पास हो जाने के बाद उसके अन्तर्गत बैंकों की रजिस्ट्री होनी है ।
- (८) आधुनिक बैंक उचित जमानत पर ही ऋण देते हैं । अतः इन्हें बहुत कम जोखिम उठानी पड़ती है ।
- (९) इनका कार्य-क्षेत्र बड़े-बड़े नगरों और औद्योगिक केन्द्रों में होता है ।
- (१०) ये सख्या में इतने अधिक नहीं हैं और इनका प्रसार भी अधिक नहीं है ।
- (११) प्रत्येक देश में वहाँ के केन्द्रीय बैंक को पत्र-मुद्रा जारी करने का अधिकार होता है ।
- (१२) इनकी शाखाएँ बहुत अधिक होती हैं ।
- (१३) सवुक्त पूँजी वाले आधुनिक बैंकों को अपने हिसाब-किताब की जाँच किसी रजिस्टर्ड ऑडिटर से करानी पड़ती है तथा उसका प्रकाशन उन्हें अनिवार्य रूप से करना पड़ता है ।
- (१४) इनकी व्याज दर निम्न और कम होती है ।

- (१५) ये मकान आदि अचल सम्पत्ति को गिरवी रखकर दीर्घकाल के लिये रुपया उधार देते हैं।
- (१६) ये विदेशी व्यापार का अर्थ-प्रबन्ध (Finance) नहीं करते और न विदेशी विलो को डिस्काउन्ट करते हैं।
- (१७) ये छोटे क्लान, छोटे शिल्पकारों तथा साधारण व्यापारियों को ऋण देते हैं।
- (१८) देशी बैंकरो का कार्य सीधा-साधा पुराने ढंग से होता है जिसको प्रत्येक व्यक्ति सरलता से समझ सकता है। आवश्यकतानुसार एक या दो मुनीम इस कार्य के लिये रख लिये जाते हैं जिनमें कार्य-संचालन में बड़ी मितव्ययता होती है।
- (१९) देशी बैंकरो के कार्यालय में आधुनिक फर्नीचर का अभाव होता है तथा प्रायः गड़े तर्कपे ही काम में लगे जाते हैं। उनके काम करने के घण्टे निर्दिष्ट नहीं होते। ये दिन-रात किसी भी समय ऋण दे देते हैं।
- (२०) ये देश के केन्द्रीय बैंक अर्थात् रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया की देख-रेख में काम नहीं करते बल्कि ये अपने कार्य-संचालन में स्वतन्त्र हैं। रिजर्व बैंक उन्हें कोई मांग प्रदान नहीं करता है।
- (१५) ये अधिकतर तरल सम्पत्ति अर्थात् ऐसी सम्पत्ति जिसका पूरा रुपया तुरन्त प्राप्त किया जा सके गिरवी रखकर अल्पकाल के लिये रुपया उधार देते हैं।
- (१६) आधुनिक व्यापारिक बैंक विदेशी व्यापार का अर्थ-प्रबन्धन करते हैं तथा विदेशी विलो को डिस्काउन्ट भी करते हैं।
- (१७) ये बड़ी-बड़ी कम्पनियों और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये अर्थ-प्रबन्धन करते हैं।
- (१८) आधुनिक बैंको का कार्यालय बड़ा होता है जिसमें अनेक कर्मचारी काम करते हैं। इनके कार्य को समझने के लिये विशेष ज्ञान तथा अनुभव की आवश्यकता होती है। इनका कार्य खर्चीला होता है।
- (१९) आधुनिक बैंको के कार्यालय आधुनिक फर्नीचर में सुसज्जित होते हैं। इनके काम करने के घण्टे निर्दिष्ट होते हैं।
- (२०) आधुनिक बैंको को रिजर्व बैंक से सम्बन्ध स्थापित कर उसकी देख-रेख में काम करना पड़ता है। जिससे उन्हें उससे कतिपय लाभ भी प्राप्त होते हैं।

देशी बैंकरो तथा साहूकारों का महत्त्व (गुण) — देशी बैंकर तथा साहूकार या महाजन भारतीय आर्थिक संगठन के आधार हैं। इनकी सख्या लगभग ३ लाख है जो देश में सर्वत्र स्थित है। वे देश के कुल व्यापार के एक बहुत बड़े भाग को आर्थिक सहायता पहुँचाते हैं। व्यापार के अतिरिक्त भेती तथा छोटे-छोटे उद्योगों को भी उनके द्वारा पर्याप्त सहायता मिलती है। गाँवों में बैंक न होने के कारण खेती तथा छोटे-छोटे उद्योगों की आर्थिक सहायता केवल एकमात्र साधन महानन लोग

है। यदि आज उनको गाँव में से हटा दिया जाये, तो खेती और उद्योग-धन्धे विलुप्त हो जायें। ग्रामीण साहूकार और देशी बैंकर ग्रामीण आर्थिक संयोजन के परमावश्यक अंग हैं। वे किसान को सड़क-काल में, जम, मृत्यु, विवाह आदि अवसरों पर, बीज तथा लेनी के उपकरण खरीदने के लिये बिना पर्याप्त माल व जमानत के पूँजी का प्रयत्न करते हैं। उनकी कसत की बिक्री करते हैं, और उससे लिये आवश्यक वस्तुओं का सप्लाई करते हैं। इस प्रकार ग्रामीण महाजन भारतीय दृष्टिकोण से मिन, सहायकार तथा पथ प्रदर्शक होता है। यही नहीं, कच्चा और नगरीय में देशी बैंक-छाँटे छाँटे दिवाल्यकारा तथा बुटीरघन्ना की पूँजी देते हैं, उनके बच्चा माल बेचते हैं और उनका सैयार माल की बिक्री करते हैं। उनसे दूध से जमा भी करते हैं, दृष्टिकोण भी सिखाते हैं और व्यापार के लिये भी पूँजी उधार देते हैं। ग्रामीण ऋण का रकम १२०० करोड़ रुपये के नवभंग है और उनका आर्थिक सहायता देने वाली सहकारी साल गणितिया की कुल पूँजी ३३ करोड़ रुपये है, तो ऐसी परिस्थिति में ग्रामीण साहूकार के लोप की बात सोचना असंभव सिद्ध होती है।

इनके प्रतिरिक्त देशी बैंकरों की कार्य-प्रणाली इतनी सरल तथा बोधगम्य है कि सपट व्यक्ति भी उसे सुगमता से समझ लेते हैं। उनका व्यवहार भी परेशान होता है और वे अपर्याप्त जमानत पर भी बिना प्रकाश के भी ऋण दे देते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ऋण किसी भी समय दिया जा सकता है। आधुनिक देशों की भाँति अधिक लागत की कार्यवाही नहीं की जाती। अतः ग्रामीण जनता के लिये इनकी उपयोगिता अत्यधिक है और वे ही उसने अर्थ-प्रदर्शन के एकमात्र साधन हैं। ग्राम बैंकिंग सर्वे कमेटी १९५० (Rural Banking Enquiry Committee) ने भी इस बात को स्वीकार किया है कि देशी बैंक तथा महाजन गाँव में साल प्रदान करने में एक महान महत्त्वपूर्ण भाग रखते हैं।

उनके दोष—देशी बैंकरों तथा साहूकारों का इतना महत्त्व होने हुए भी उनके दोषों की उद्घाटना नहीं की जा सकती। (१) देशी बैंकर एवं साहूकार अपनी सेवाओं के लिये जो मूल्य वसूल करते हैं वह अत्यधिक और प्रक्षम्य है। २५%, ३६%, ४५% आर्थिक तो ब्याज की साधारण दर है। ३००%, ४००% आर्थिक ब्याज भी वसूल किया जाता है। (२) वे लिखा-पत्री में भी देरमानी कर लेते हैं। १०० रु० देकर २०० रु० का रकबा लिखवाना ही साधारण कार्य है। प्रायः ऋणों का दिया हुआ रुपया उसके साते में जमा नहीं किया जाता और उसके ऊपर नाबिंश करके अनुचित और अन्वय-पूर्ण वसूली की जाती है। ऋण देने समय प्रायः एक मास का ब्याज और इकनी और दुपानों कसर की रकम तो मूल में से काट ली जाती है। ऋणियों के प्रभूता लंगवाकर अधिक रकम लिये लेना, खाता खुलाई, नजराना, वेवार लेना आदि बुराईयों के कारण वे बट वदनाम हैं। इस प्रकार महाजन किसानों का बुद्धे तरह शोषण करते हैं। किसानों को अधिक ऋण देकर वे उन्हें धातव्य दास बना लेते हैं। ऋण मिलने का अर्थ साधनों के अभाव में किसानों द्वारा मानकर बही जाता है। कुछ न्यूनता में सहकारी बैंक भी सुलभ गये हैं, परन्तु वहाँ पर इतनी अधिक लिखा पत्रों होती है और रुपया मिलने में इतनी कठिनाई होती है कि किसानों को गाँव में महाजन से ही रुपया उधार लेना प्रच्छन्न जान पड़ता है। (३) उपभोग करने के लिये भी वे रुपया उधार देते हैं जिससे लोगों में मित-न्ययता नहीं हो पाती। (४) रुपया उधार देने तथा जमा करने के प्रतिरिक्त वे व्यापार भी करते हैं और जैन-जैन की पूँजी तथा व्यापार की रकम को दुपक नहीं

रखते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि व्यापार में अचानक परिवर्तन से वे सकट-ग्रस्त हो जाते हैं। (५) वे अपना हिसाब न तो भली-भाँति लिखते हैं और न ही प्रामाणिक ऑडिटर से उसकी जाँच कराते हैं। व अपना बिट्टा ( Balance Sheet ) प्रकाशित नहीं करते हैं, अतएव उनकी वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता नहीं लगता है। इससे उनकी केन्द्रीय बैंक भी सहायता नहीं दे सकता तथा उनकी हठधर्मियों, बैंक भादि भुजाने में बड़ी कठिनाई होती है। उनकी आर्थिक स्थिति से अपरिचित होने के कारण जलना उनमें पाठ रपया जमा करने में भी सकोच करती है।

देशी बैंकरो तथा साहूकारो के सुधार के सुझाव—देशी बैंकिंग तथा साहूकारी प्रथा में बहुत से दोष हैं। फिर भी बिना किसी दूसरी व्यवस्था के इनका अन्त कर देने से भारतीय कृषि तथा कुटीर उद्योगों को बड़ी आर्थिक हानि पहुँचगी। इसलिये इनकी कार्यप्रणाली में सुधार करना ही लाभदायक सिद्ध होगा। यह निम्नलिखित गुणावों द्वारा किया जा सकता है—

(१) देशी बैंकरों तथा महाजनों व साहूबारा को जमा पर रुपये प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जिससे उनकी पूँजी में वृद्धि हो और लोगों में सवय-शीलता की आदत पड़े।

(२) उन्हें रामभाकर तथा कानून द्वारा उचित व्याज दर लेने के लिये बाध्य किया जाय। सहकारी माव समितियों को सक्षम म वृद्धि करने से व्याज की दर घट सकेगी। कई राज्यों में ऐसे कानून पास हो चुके हैं जो ग्रन्थधान इन दरा का निपटारा करते हैं।

(३) देशी बैंकरो तथा महाजनों को समुचित ढङ्ग से नियमित हिसाब रखने के लिये बाध्य किया जाय और प्रामाणिक ऑडिटरों से उनकी जाँच कराई जाय।

(४) उन्हें व्यापारिक कारोबार की महाजनों कार्यों में अलग करने के लिये बाध्य किया जाय।

(५) उन्हें बिल तथा हंडियों सकारने के कार्य में प्रोत्साहित किया जाय और सट्टेबाजी तथा विभिन्न व्यापार करने से रोक जाय।

(६) देशी बैंकरो को अपना चिट्ठा और लाभ हानि लेखा प्रकाशित करने के लिये प्रोत्साहन दिया जाय जिससे जनता का विश्वास बढ़े और लोग अपना धन उनके पास जमा कर सकें।

(७) उनका रिजर्व बैंक से सम्बन्ध होना चाहिए। जिस स्थानों में बैंकिंग सेवाएँ उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ इन्हें रिजर्व बैंक के एजेंट का कार्य सौंपना चाहिए।

(८) रिजर्व बैंक की स्वीकृत टाब्लिका में उनका नाम होना चाहिए जिससे सदस्य या अनुसूचित बैंको ( Scheduled Banks ) की भाँति उन्हें भी सदस्य बैंक समझा जायें तथा हंडियों की पुनकटौती व अन्य बैंकिंग सुविधाएँ दी जायें। इसके लिये उन्हें कूट्ट अर्ली का अलग-अलग बजटा है तथा रिजर्व बैंक के साथ एक न्यूनतम निर्दिष्ट राधा जमा करानी पडती है।

(९) समस्त व्यापारिक बैंक जिनमें स्टेट बैंक भी सम्मिलित है, इनकी हंडियों को स्वतन्त्रतापूर्वक भुजाने।

(१०) रिजर्व बैंक व स्टेट बैंक को चाहिए कि उन्हें मुद्रा भेजने की वे समस्त सुविधाएँ दी जायें जो अन्य बैंको को दी जाती हैं।

(११) देशी बैंकरों को चाहिए कि वे अपने आपकी समुक्त पूँजी काते बैंकों या गृहकारों बैंकों में मगड़िन कर लें जिनके वे हुण्डों का खेत-देन कर सर्वे प्रौर आवश्यक्ता पडने पर रिजर्व बैंक में भी सहायता प्राप्त कर सकें ।

(१२) जनता का विश्वास प्राप्त करने के लिये उन्हें प्राथमिक ढग से कार्य करना चाहिए । सरकार का भी चाहिए कि उन्हें प्रोत्साहन दे ।

(१३) इनमें से अनुज्ञापन-पत्र (Licensed) बैंकों के एक वर्ग का निर्माण होना चाहिए ।

(१४) बैंकों का एक अलग भारतीय ऐगोसिंशतन होना चाहिए जिसमें स्थीरत देशी बैंकों को भी मदम्य बनाया जाय ।

(१५) जर्मनी के बैंकों का कोंमण्डिन (Commandit) सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए । इस प्रणाली के अन्तर्गत जो अर्थपारो बैंक के व्यवस्थापक होते हैं, उनका दायित्व प्रसीमित होना चाहिए ।

रिजर्व बैंक व देशी बैंकर—केन्द्रीय बैंकिंग जांच समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये रिजर्व बैंक ने सन् १९१७ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इसका ध्येय देशी बैंकों का रिजर्व बैंक से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित करने का था । देशी बैंकों ने इन सुझावों का साधारणतया स्वागत नहीं किया । बहुत कम ऐसे थे जो निर्धारित पारमों के अनुसार अपने धान तैयार करें तथा अपनी आपकी बैंकिंग कार्य तक ही सीमित रखें, यद्यपि वे इस बात पर राजी थे कि वे सट्टेबाजों का व्यापार नहीं करेंगे । व्यावहारिक रूप से सभी बैंकर जमा व धाना के प्रकाशन को पारों पर सहायत नहीं हुए । मन्त्रे अमुख कठिनाई यह थी कि वे बैंकिंग कार्य के अतिरिक्त अन्य व्यापार का छोटना नहीं चाहते थे । इसके अतिरिक्त, मुन्सानों, गुजरानी व भारवादी सर्गपाने, जो कि उस समय अधिवास हूँडिया का व्यवसाय करत व इस विषय में कोई ध्यान नहीं दिया, क्वाचि उन्हें इम्पीरियल बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंकों से पर्याप्त सहायता मिल जानी थी ।

रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के परचाद भी देशी बैंकों को रिजर्व बैंक से सम्बन्धित करने के प्रयत्न किये गये । जुलाई सन् १९५१ में देश के मन्त्र देशी बैंकों का संगठित करने व क्षतिगाही बनाने के उद्देश्य से अखिल भारतीय सराफि सम्मेलन किया गया । रिजर्व बैंक भी आभोएण मास-व्यवस्था की पूर्ण जांच कर रहा है ।

## (२) व्यापारिक बैंक (Commercial Banks)

परिचय—भारतवर्ष में अधिकांश प्राथमिक बैंक व्यापारिक बैंक हैं । ये सभी समुक्त पूँजी वाली कम्पनिया (Joint Stock Companies) के सिद्धान्तों पर स्थापित होत हैं । इनका रजिस्ट्रेशन पहल जाइए स्टॉक कम्पनीज एक्ट के अन्तर्गत होना था, परन्तु १९ मार्च सन् १९८६ में अर्थिक पुष्वत् बैंकिंग एक्ट लागू हुआ गया, बैंकिंग एक्ट के अन्तर्गत होन लगा । प्राथमिक बैंकिंग प्रणाली का प्रारम्भ १८ वीं शताब्दी में अजन्मी हाउसों (Agency Houses) में हुआ । परन्तु भारतवर्ष में प्राथमिक बैंकिंग प्रणाली का वास्तविक प्रारम्भ सन् १८८१ ई० में ही ममभना चाहिए जर्कि अरध कर्तव्यियत बैंक (Oudh Commercial Bank) की स्थापना हुई । सन् १९०४ में बिदेस आन्धान



से भारतीय बैंकों को बड़ा प्रोत्साहन मिला और अनेकों बैंक स्थापित हुए । सन् १९३३ तक इस प्रकार के बैंकों का संकट काल प्रारम्भ ही गया था । प्रथम महायुद्ध के कारण बैंकों की सहाय में पुन वृद्धि हुई, परन्तु युद्ध समाप्त होते ही फिर बैंकों का बन्द होना प्रारम्भ हो गया । सन् १९२६ के आर्थिक संकट के कारण अनेका बैंकों ने जान स्वयंघ्न कर दिया । सन् १९३१ से १९३६ के बीच लगभग २४० बैंक बन्द हो गए । सन् १९३६ में द्वितीय महायुद्ध के छिड़ जाने से बैंकों की स्थिति में सुधार हुआ और कई नये बैंक भी खुले ।

गत वर्षों में बैंकों के अस्तफल (फल) होने के कारण—(१) कानून की विधिबद्धता, जलता की अज्ञानता, और प्रबन्ध की दुव्यवस्था, (२) अनुभवही एव ईमानदार कर्मचारियों का अभाव, (३) हिसाब-किताब में गोलमाल, (४) सट्टेबाजी (५) दीर्घ कालीन ऋणों में पूँजी को फँसाना, (६) पूँजी की कमी, (७) अल्पोपेक्ष सरक्षित कोष, (८) प्रतिकूल जनमत, (९) केन्द्रीय बैंक की आर्थिक सहायता का अभाव, (१०) विदेशी बैंकों की प्रतिस्पर्धा ।

सफलतापूर्वक कार्य करने वाले कुछ आधुनिक व्यापारिक बैंक—प्रायः कल निम्नांकित बड़े बैंक भारत में सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं—(१) स्टेट बैंक, (२) सेंट्रल बैंक लि०, (३) पंजाब नेशनल बैंक, (४) इलाहाबाद बैंक, (५) बड़ोदा बैंक, (६) बंकर ऑफ इण्डिया, (७) मंसूर बैंक, (८) युनाइटेड कॉमर्सियल बैंक, (९) बैंक ऑफ जयपुर आदि । इलाहाबाद बैंक का प्रबन्ध विदेशियों के हाथ में है, क्योंकि पी० एण्ड थ्रो० बैंकिंग कॉरपोरेशन ने इसे खरीद लिया, और शेष सब बैंक स्वदेशी हैं । सन् १९२२ में सदस्य एव असदस्य बैंकों की संख्या ५१७ और उनकी साखाएँ ३,९०० थीं ।

अधिक व्यापारिक अथवा समुक्त पूँजी वाले बैंकों की आवश्यकता—आधुनिक बैंकों का देश में अभी इतना प्रचार नहीं हुआ जितना होना चाहिये । देश की जनसंख्या तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से इन बैंकों की संख्या बहुत कम है । भारत में लगभग छह लाख मनुष्यों के पीछे एक बैंक है जबकि इंग्लैंड में चार हजार मनुष्यों के पीछे एक है । इसके अतिरिक्त, ये बैंक सहरा तथा व्यापारिक केन्द्रों में ही अधिकतर स्थित हैं, ग्रामीण क्षेत्र अभी व्यापारिक बैंकों की सेवाओं में वंचित हैं । अतः देश में व्यापार और उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देने के लिये यह आवश्यक है कि बैंकों का विस्तार अधिकतम किया जाय ।

व्यापारिक बैंकों के कार्य—इनके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं—(१) आधुनिक बंकर स्वयंसे जमा खातों ( Fixed Deposit A/cs ), चालू खातों ( Current A/cs ), बचत खातों ( Savings Bank A/cs ), तथा घरेलू बचत खातों ( Home Safe A/cos ) में जनता का स्वयंसे जमा करते हैं । (२) वे व्यापारियों, उद्योगपतियों आदि को छोटे समय के लिये प्राप्तानी से बिक जाने वाली जमानत, जैसे—चेक, नोटा, चाँदी, जेवर आदि के आधार पर या देशी बिल, हुण्टी की जमानत पर स्वयंसे उधार देते हैं । उद्योगों की कार्यशील पूँजी ( Working Capital ) का प्रबन्ध भी करते हैं । वे अपनी अल्पकालीन जमा की गई पूँजी को दीर्घकालीन ऋण में तर्ही पैमाने, क्योंकि वे अपने धन को अधिकतर तरल ( Liquid ) अर्थात् नकदी में शीघ्र परिवर्तनाय

अवस्था में स्थित है नाकि वे बांगले पर अपने अधुनावासीयों को लत्काल रखा दे गये । माध्याग्नया के कृषि की आर्थिक सह्यता के लिये रखा नहीं देते । (३) वे देश के भीतरी व्यापार के लिये अर्थ-प्रवन्धन करते हैं । वे व्यापारिक बिल तथा टुण्डियाँ मुदान है । (४) वे याना के लिये साख-पत्र आदि जारी करते है । (५) वे एक स्थान में दूसरे स्थान को रखा भजने है, तथा अपने ग्राहकों को साथ बमूल करते हैं, तथा उनका धन्य चुवान है । (६) वे अपने ग्राहकों के बैंक, टुण्डी बिल आदि का रखा इवद्वारा नग्न है । (७) वे अपने ग्राहकों की ओर में समोचन पर शेयर्स या अन्य निवयोर्दियाँ खरीदन और बचन है । (८) वे अपने ग्राहकों के बैंकर, दरतावेज तथा अन्य बहुमूल्य वस्तुधा का अत्यन्त सुरक्षित रखते है । (९) वे अपने ग्राहकों को अन्य व्यापारियों की आर्थिक दशा का ज्ञान प्राप्त करान में सहायता देन है तथा अपने ग्राहकों की आर्थिक दशा का ज्ञान भी दूसरों को कराते है । (१०) वे ट्रस्टीज (Trustees), अर्गो (Attorney) तथा एग्जीक्यूटर्स (Executors) आदि की भाँति भी अपने ग्राहकों के लिये कार्य करते है ।

व्यापारिक बैंक की कमियाँ और इनके दूर करने के उपाय—भारतीय व्यापारिक बैंक का संगठन और कार्य प्रणाली में अनेक कृदियाँ है, जिनका दूर होना परमावश्यक है (१) बहुत में बैंक की प्रदत्त पूँजी बहुत छोटी होती है । इनका धन सञ्चारक लाभ अथवा व्यक्तिगत व्यवसायों में लगा देते हैं, और ग्राहकों को बैंक की वास्तविक स्थिति में अग्रवहार में रखते हैं । इनका परिचय यह होता है कि इनमें बहुत में बैंक पैर हो जाते हैं । (२) इनका धन में व्यक्तिगत मात्र पर बैंक उधार नहीं देते है । ऊँची सख्त वाले व्यक्तियों का व्यक्तिगत मात्र पर अवश्य उधार मिलना चाहिये । इन कार्य को अधिक विस्तृत करने लिये भारत में इन्डसट्री की सिंघेट्स (Syed's), तथा सयुक्त राज्य अमेरिका की डून (Dun's) और ब्रैड स्ट्रीट (Brad Street) जैसी व्यापारियों की आर्थिक स्थिति की सूचना देने वाली संस्थाओं की स्थापना होनी चाहिये । (३) भारत में स्थित आनुमिक बैंक भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल मञ्जूर नहीं हैं बल्कि वे विदेशी बैंक की नकलमान है । अतः यह आवश्यक है कि बैंकों का संगठन भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हो जिससे अधिक लाभ पहुँच सके । (४) भारतीय बैंकों का बिल डिस्काउन्ट की ओर कम जान है । इस उदासीनता के कारण भारत में बिल-बजार विकसित नहीं है । अतः इन बैंकों द्वारा अधिकतम बिल डिस्काउन्टिंग की सुविधा दी जानी चाहिये जिसमें बिल अधिक लोकप्रिय बन सके । (५) भारतीय बैंकों के प्रदत्त संचालन तथा अन्य अतिवारीयण प्रायः योग्य अनुभवों, ईमानदार तथा बुद्धिमान नहीं है जिससे बैंक में जनता का विश्वास कम है । इसलिये जनता का बैंक में हृदयविश्राम कायम रखने के लिये योग्य, सुदान एवं ईमानदार संचालन की आवश्यकता है । (६) प्रथम महायुद्ध के पूर्व तथा उपरान्त के वर्षों में अनेक भारतीय बैंक पैर हुए, जिनके कारण जनता का बैंकों के प्रति विश्वास हट गया । द्वितीय महायुद्ध तथा युद्धोत्तर काल में बैंकों की संस्थाओं तथा उनकी जमाओं में वृद्धि हुई, उसमें जनता का विश्वास फिर में बैंकों में जम गया मान्य होता है । (७) ये बैंक अधिकतर नगरी तथा बड़े कस्बों में ही स्थित हैं, ग्रामीण क्षेत्र इनसे वंचित है । इसलिये देश के प्रत्येक कोने में इनका प्रसार होना आवश्यक है । भारतीय ग्रामीण क्षेत्रों में वर्ष १९३० की विचारियों के अनुसार इन्हें ग्रामीण जनता में भी बैंकिंग पद्धति के प्रति जाग्रति पैदा करनी चाहिये ताकि ग्रामीणों में बैंकर पड़ी हुई एक विशाल धन-राशि राष्ट्र के नव निर्माण में काम आ सके । इन्ट्रिजर्व बैंक के कृषि-मात्र

विभाग की सहायता से ग्रामी में नई-नई शाखाएँ स्थापित करनी चाहिये। (८) बैंको में प्रान्त में प्रतिभोगिता है, जिसके कारण वे लाभ का एक बड़ा भाग साभास अर्थान् द्विदिशेण्ड के रूप में बाँट देते हैं। बैंको की प्रतिभोगिता को कम करने के लिये केन्द्रीय बैंकिंग जाब कमेटी तथा विदेशी विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया कि इन देश में 'एक प्रतिल भारतीय बैंक तर्ष' होना चाहिये जोकि प्रतिभोगिता को कम करने का प्रयत्न करे। (९) भारत में प्रचलन सम्पत्ति के कुछ ऐसे नियम बने हुए हैं जिनसे कारण व्यापारिक बैंक उनमें अपना रूपया नहीं लगा सकते। अतः भारत सरकार को हिन्दू तथा मुसलमानों के पैतृक सम्पत्ति के उत्तराधिकार-सम्बन्धी कानून को उलभता को दूर करना चाहिये तथा प्रचलन सम्पत्ति के हस्तान्तरण सम्बन्धी नियमों में सुधार करना चाहिये ताकि बैंक इनके आधार पर ष्टुण दे सकें। (१०) भारत के बैंको की विशेष प्रगति न होने का एक मुख्य कारण यह भी है कि ये बैंक अपना समस्त कार्य अँग्रेजी भाषा में करते हैं। उनके बैंक, बिल, सास-पत्र, रसीदे तथा हिसाब अँग्रेजी भाषा में होने हैं, जिन्हें साधारण भारतीय समझ नहीं पाते हैं। अतः इन्हें अँग्रेजी के स्थान पर अधिकतर हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं में कार्य करना चाहिये। (११) इनका मानान-व्यय बहुत अधिक होता है, क्योंकि यह स्टेट बैंक जैसा बडिया फर्निचर तथा अन्य सामान रखते हैं। अतः इन्हें अपने कार्य में बहुत भितव्यता में काम लेना चाहिये। (१२) लोगों में बैंकिंग-भारत नहीं है। बहुत कम लोग बैंक का उपयोग करते हैं। लोगों में हमया जोहकर जमोन के भीतर शाडने की या वेकर में लगाने की बडो प्रगुति है। अतः बैंको को चाहिये कि वे अपनी सेवाओं को अधिक आकर्षित बना कर तथा लोगों को अधिक सुविधाएँ देकर उनमें बैंकिंग भारत पैदा करे। (१३) भारतीय बैंका को स्टेट बैंक से प्रतिभोगिता करनी पडती है। इनकी तुलना में स्टेट बैंक की स्थिति कहीं अधिक शक्तिशाली है, क्योंकि इसमें सरकारी एव अर्द्ध-सरकारी सस्थाओं की रकम बिना ध्यान के जमा रहती है। अतः सरकारी एव अर्द्ध-सरकारी सस्थाओं को चाहिये कि वे व्यापारिक बैंको को भी अपनावे। (१४) भारतीय नये बैंको को विकास गृह (Clearing House) के सदस्य बनने में बडी कठिनाई होती है, क्योंकि इन विकास-गृहा पर विदेशी बैंका का बहुत प्रभाव है और वे इन नये बैंको को उनका सदस्य बनने में बहुत अडचन डालते हैं। परन्तु रिजर्व बैंक के कारण से यह कठिनाई भी भव धीरे-धीरे दूर हो जावेगी। (१५) सरकारों को चाहिये कि वे व्यापारिक बैंको के साथ भी उभरी प्रकार की नर्म नीति का व्यवहार करे जिस प्रकार कि वे सहकारी बैंको के साथ करती हैं। (१६) विदेशी विनिमय बैंको की प्रतिबन्धिता भी प्राधुनिक व्यापारिक बैंको की उत्पत्ति में रुकावट है। इनका कार्य बन्दरगाहों तक ही सीमित होना चाहिये और इनके द्वारा किये जाने वाले भीतरी व्यापार पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। जनता में इन बात का प्रचार किया जाये कि वह भारतीय बैंको को अपनाये। (१७) भारत का अधिकतर व्यापार विदेशियों के हाथ में रहने के कारण भारतीय व्यापारिक बैंको को अधिक कार्य नहीं मिलता था, क्योंकि लोग विदेशी बैंको से अपना सम्बन्ध रखते थे, जिसे उन्हे विदेशी बैंको, लोग कम्पनियो, दलालों तथा जहाजी कम्पनियों से विशेष सुविधायें मिलनी थी। अब हमारी राष्ट्रीय सरकार को ये सब बातें देखनी चाहिये। (१८) अच्छे माल गोदामों के अभाव में बैंको को माल के ऊपर ष्टुण देने में कठिनाई होती है। अतः माल गोदामों की सुविधाओं के विकास के लिये एक वेयरहाउसिंग विभाग मण्डल (Warehousing Development Board) स्थापित किया जाय जिसमें वेग्नम सरकार, राज्य

सरकार व रिजर्व बैंक पूँजी लगायें। भारत में विल याजार की स्थापना व विकास के विषय यह आवश्यक है।

रिजर्व बैंक तथा व्यापारिक बैंको का सम्बन्ध—इन बैंका का सम्बन्ध रिजर्व बैंक ऐक्ट १९३४ तथा भारतीय बैंकिंग ऐक्ट १९४६ द्वारा निर्धारित होता है। इनके अनुसार व्यापारिक बैंक को चार श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रथम श्रेणी म न मगरन राक्षस्य तथा असदस्य बैंक (Scheduled & Non-Scheduled Banks) है जिनकी प्रदत्त पूँजी (Paid-up Capital) तथा संचित कोष (Reserve fund) पाँच लाख रुपये से अधिक है। द्वितीय श्रेणी म ये समस्त प्रसदस्य बैंक हैं जिनकी प्रदत्त पूँजी तथा संचित कोष एक लाख रुपये से अधिक और पाँच लाख रुपये म कम है। तृतीय श्रेणी म वे बैंको नी है जिनकी प्रदत्त पूँजी तथा संचित कोष पचास हजार से अधिक तथा एक लाख रुपये से कम है। चतुर्थ श्रेणी में वे बैंक पाते हैं जिनकी प्रदत्त पूँजी तथा संचित कोष पचास हजार से कम है। सन् १९३६ के बाद ५० हजार से कम पूँजी वाले बैंको का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। प्रत्येक सदस्य बैंक का अपनी माँग देदारिया (Demand Liabilities) का १% तथा मुदती देदारिया (Time Liabilities) का २% रिजर्व बैंक में जमा करना पड़ता है तथा उसे प्रति सप्ताह रिजर्व बैंक के पास अपनी चिट्ठा (Balance Sheet) भेजना पड़ता है और उसने न भेजने पर बह दण्ड का भागी होता है। इन नार्यों के बदल में रिजर्व बैंक अपने सदस्य-बैंका की सबट के समय उधार देता है, उनका रुपया निशुल्क या कम व्यय पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है उनके बिलों की पुन कटीती करता है, उनको परामर्श देता है तथा उनके प्रत्य सुविचारें भी देता है। असदस्य बैंका को भी रिजर्व बैंक कुछ अवस्थाया में सुविचारें देता है।

परन्तु सन् १९४६ के नये बैंकिंग विधान के अनुसार रिजर्व बैंक को भारत के सब बैंको का हर प्रकार का नियन्त्रण करने का अधिकार मिल गया है। अब रिजर्व बैंक के अनुज्ञापत्र (Licence) के बिना कोई भी बैंक बैंकिंग-कार्य नहीं कर सकता। उसको अनुमति बिना कोई भी बैंक नई शाखा नहीं खोल सकता। इस ऐक्ट द्वारा रिजर्व बैंक को इन बैंका का निरीक्षण, एकीकरण तथा विलीनीकरण करने तथा करवाने का पूरा-पूरा अधिकार दे दिया गया है। रिजर्व बैंक समस्त बैंका को आविष संकट के समय सलाह तथा सहायता भी दे सकेगा। इस प्रकार रिजर्व बैंक सब देश के समस्त बैंका का निरीक्षक, प्रवन्धक, नियन्त्रणकर्ता तथा सरलक हो गया है।

### विनिमय बैंक (Exchange Banks)

परिचय—भारतवर्ष में शेंगेजी राज्य की स्थापना से ही विदेशी विनिमय बैंको का प्रादुर्भाव हुआ। विदेशी विनिमय बैंक वास्तव में व्यापारिक बैंक हैं जिनके प्रधान कार्यालय विदेश में है तथा उनकी शाखाएँ भारत में विद्यमान हैं। ये शाखाएँ अधिकतर भारतीय बन्दरगाहा तथा उन मुख्य व्यापारिक केन्द्रों में स्थापित हैं जहाँ से आयात निर्यात का व्यापार अधिक होता है। इन विदेशी विनिमय बैंका का मुख्य कार्य विदेशी व्यापार में अधिक सहायता तथा विनिमय की सुविधा प्रदान करना है, परन्तु वर्तमान काल म इन बैंका ने अपनी शाखाएँ देश के आन्तरिक भागों म भी स्थापित करली हैं और अन्य व्यापारिक बैंका की भाँति साधारण बैंकिंग-कार्य भी करत हैं। इस प्रकार ये भारतीय व्यापारिक बैंका से बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा करते हैं और उनकी

उन्नति और विस्तार में बाधा डालते हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि देश में कार्य करने वाले सभी विनिमय बैंक विदेशी हैं। जो दो-एक देशी विनिमय बैंक स्थापित किये गये वे विदेशी विनिमय बैंकों की प्रबल स्पर्धा और कठोर व्यवहार के कारण शीघ्र ही अवस्था में ही बैठ गये।

भारत में प्रमुख विनिमय बैंक—वर्तमान समय में भारत में घनेकी विदेशी विनिमय बैंक हैं, जिनमें में कुछ निम्नलिखित हैं :—

(१) भारत, आस्ट्रेलिया तथा चीन का चाटर्ड बैंक, (२) ईस्टर्न बैंक लि०, (३) हांगकॉंग तथा शंघाई बैंक कॉरपोरेशन, (४) भारत का मर्कन्टाइल बैंक, (५) भारत का नेशनल बैंक लि०, (६) टॉमस कुक एण्ड सन्स, (७) साँचडस बैंक लि०, (८) प्रिण्डेले एण्ड कम्पनी लि०, (९) नेदरलैंड ट्रेडिंग सोसाइटी, (१०) नोदरलैंड का इण्डिया कॉमिश्नरियल बैंक लि०, (११) न्यूयॉर्क का नेशनल सिटी बैंक, (१२) अमेरिकन एक्सचेंज बैंक, (१३) बैंको नेशनल अल्तामेरिनो, (१४) पेरिस बैंक, (१५) चीन का बैंक। आज-कल देश में १५ विनिमय बैंक कार्य कर रहे हैं, जिनकी ८० से अधिक शाखाएँ हैं।

विनिमय बैंकों के कार्य—इनके मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :—

(१) विदेशी व्यापार को आर्थिक सहायता देना—जिन प्रकार व्यापारिक बैंक देश के आन्तरिक व्यापार के अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था करते हैं, उसी प्रकार विनिमय बैंक विदेशी व्यापार के लिये अल्पकालीन ऋण की व्यवस्था करते हैं। ये बैंक भारतीय निर्माताओं द्वारा जारी किये गये निर्यात विल खरीदते, उनको डिस्काउन्ट करते, तथा विदेश में भारतीय व्यापारी जो मान खरीदते हैं—उनमें उन पर जारी किये हुये विलों का निश्चिन्त समय पर स्पष्ट वसूल करते हैं। इस प्रकार ये देश के विदेशी व्यापार अर्थात् आयात निर्यात व्यापार में सहायता पहुँचाते हैं।

(२) आन्तरिक व्यापार में आर्थिक सहायता देना—विदेशी विनिमय बैंक केवल विदेशी व्यापार को ही आर्थिक सहायता नहीं पहुँचाते हैं, बल्कि आन्तरिक व्यापार को भी आर्थिक सहायता पहुँचाते हैं। इस कार्य को मुबाह रूप में करने के लिये इन बैंकों ने देश के आन्तरिक भागों में अपनी शाखाएँ स्थापित कर ली हैं तथा कुछ भारतीय बैंकों को अपने अधिकार में कर लिया है।

(३) सोने-चाँदी का क्रय-विक्रय करना—आयात-निर्यात को आर्थिक सहायता पहुँचाते के प्रतिरुक्त वे सोना चाँदी खरीदते और बेचते हैं तथा उनका आयात व निर्यात भी करते हैं। यह महापुद्गल में इनका यह कार्य सीमित हो गया, क्योंकि यह कार्य रिजर्व बैंक को दे दिया गया।

(४) विदेशी विनिमय विलों, बैंक ड्राफ्ट, तथा तार द्वारा राशि भेजना—विदेशी विनिमय बैंक विदेशी विनिमय विलों, बैंक ड्राफ्ट तथा तार द्वारा विदेशों में धन भेजने का भी प्रबन्ध करते हैं।

(५) विनिमय विलों का क्रय-विक्रय करना—विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में लिये गये विनिमय विलों का क्रय-विक्रय करना भी इनका एक कार्य है। जब इनके पास इन प्रकार के विलों की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तब ये उनको रिजर्व बैंक को बेच देते हैं।

(६) अन्य साधारण वैकिंग कार्य करना—इन सब कामों के प्रतिरिक्त विदेशी विनिमय बैंक जनता से जमा के रूप में उधार लेते हैं, व्यापारियों को ऋण देते हैं, एजेंसी कार्य करते हैं; तथा एक स्थान से दूसरे को रफ़्पा भेजते हैं ।

भारतीय वैकिंग प्रणाली में विनिमय बैंको का स्थान—विनिमय बैंक भारत में दीर्घकाल से कार्य कर रहे हैं । भारतीय वैकिंग प्रणाली में विनिमय बैंको ने प्रभावशाली स्थान ग्रहण कर रखा है । इसका अनुमान इस बात से लगाया जा सकता कि सन् १९५२ में इनकी जमा १७६ करोड़ रुपये थी जोकि कुल बैंक में जमा किये हुए धन की १५% थी तथा इनका लाभ ३.१९ करोड़ रुपये था जोकि कुल भारतीय बैंको द्वारा कमाये हुए लाभ का लगभग ५० प्रतिशत था । भारत का कुल विदेशी व्यापार लगभग ९०० करोड़ रुपये के मूल्य का होता है । इस व्यापार का ८५% विदेशी विनिमय बैंको के हाथ में है, केवल १५% भारतीय व्यापारिक बैंको के हाथ में है । इस प्रकार इन विनिमय बैंको का विदेशी व्यापार में एकाधिकार ही नहीं बल्कि व्यापारिक बैंक क्षेत्र में भी ये बैंक भारतीय सहितक पूँजी वाले बैंको के वडे से वडे प्रतिस्पर्धी बने हुए हैं । इसका मुख्य कारण यह है कि इनके आर्थिक साधन बहुत प्रबल हैं तथा इनके मुद्रवन्ध की कुशलता इनकी उद्यति का दूसरा कारण है । इसके अतिरिक्त, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय सत्याधो के हाथ में है, अतः वे न केवल अपना ही कार्य इन बैंको को सौंपने का प्रयत्न नहीं करते, बल्कि अन्य व्यापारियों को भी इनके विधे प्रोत्साहन देते हैं ।

विदेशी विनिमय बैंको के दोष—यद्यपि इनके द्वारा भारत के विदेशी व्यापार को बहुत आर्थिक सहायता मिलती है, परन्तु फिर भी इनके दोषों को उपेक्षा नहीं की जा सकती । विदेशी विनिमय बैंको के मुख्य दोष निम्नलिखित हैं ।

(१) विदेशी विनिमय बैंक राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध कार्य करते हैं तथा भारतीय विनिमय बैंको को अपनी कड़ी स्पर्धा के कारण घनपने में नहीं देते । (२) विदेशी विनिमय बैंक देशी व्यापार में भी भारतीय व्यापारिक बैंको से स्पर्धा करते हैं और उनके व्यवसाय में हानि पहुँचाते हैं । (३) ये भारतवासियों से जमा के रूप में धन एकत्रित कर उससे विदेशियों को अधिक सहायता पहुँचाते हैं तथा भारतीय पूँजी को विदेशी उद्योग व मिकोपोरिटोत्र (प्रतिभूतियाँ) में लगाने के भी दोषी हैं । (४) ये बैंक अपनी अच्युत आर्थिक स्थिति तथा कुशल प्रवन्ध के कारण कम व्याज पर जमा प्राप्त कर लेते हैं इसलिये भारतीय बैंको का भी बाध्य होकर अपनी बंशज दर बढ़ानी पड़ती है । (५) विदेशी विनिमय बैंक विदेशी व्यापारियों को अच्छी स्थिति वाले भारतीय व्यापारियों के निये सतोपश्रद दूचना नहीं देते जबकि बहुत अत्यधिक स्थिति वाले विदेशियों के निये भारतीय व्यापारियों से अच्छी सूचना दे देते हैं । (६) भारतीय व्यापारियों के निये जो भी उल्हासित करते हैं जबकि वे घनपने मात्र का विदेशी बीमा सम्पत्तियों से बीमा करावें तथा विदेशी जहाजी कम्पनियों द्वारा अपने माल को भेज । इससे हमारे बीमा और जहाजी कम्पनियों पर नुक़ाने पहुँचती है । (७) भारतीय व्यापारियों को अचिन सुविधाएँ नहीं देकर अपनी एम्पलनपूर्णा नीति का परिचय देते हैं । (८) ये भारतवासियों का ऊँचो नीचरियों से घचित रखते हैं । (९) दूसरे देश की मुद्राओं के निये बैंक भारतवासियों से अनुचित एवं बहुत अधिक दर लेते हैं । (१०) भारतीय आयात-व्यर्त्तियों को फर्न को बाध्य होकर मुद्रागत वारे विलो (D. P.

*Bills*) को धर्त पर व्यापार करना पड़ता है। (११) नाश-यन प्राप्त करने के लिये प्रथम श्रेणी के भारतीय आयात-कर्ताओं की फर्म को भी वस्तुओं के मूल्य का १० से १५ प्रतिशत तक विदेशी विनिमय बैंको के पास जमा कराना पड़ता है जबकि मुम्बियन फर्मों को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।

भारतीय वॉलिंग कम्पनीज एक्ट १९४६ और विनिमय बैंक - पहले विदेशी विनिमय बैंको पर भारतीय कानून लागू नहीं होते थे। ये रिजर्व बैंक के नियंत्रण के बाहर थे, किन्तु अब सन् १९४६ के भारतीय कम्पनीज अधिनियम के अनुसार इन बैंको को भी अनुमति पत्र (License) प्राप्त करना होगा तथा रिजर्व बैंक को तागान्य विवरण (Returns) और रिपोर्ट भेजनी पड़ेगी। इसलिये अब रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय बैंको के भारतीय बैंको के प्रति पसपातपूर्ण व्यवहार पर नियन्त्रण रख सकेगा।

भारतीय विनिमय बैंक—यह रूप का विषय है कि कुछ भारतीय बैंको ने विदेशी विनिमय व्यापार करने व विदेशों में प्रथम श्रेणी लोनने में बहुत रुचि दिखाई है। सन् १९५१ के अन्त में २५ सदस्य व १२ असदस्य ऐसे भारतीय बैंक थे जिन्होंने ८ विदेशों में जमाया: १११ व १६ कार्यालय स्थापित किये। सदस्य बैंको के ७६ कार्यालय पाकिस्तान में, १२ मलाया में, ८ ब्रह्मा में, ३-३ लका व फोच इण्डिया में तथा २-२ जापान, आइर्लैंड व ब्रिटेन में थे। असदस्य बैंको के कार्यालय केवल पाकिस्तान तक ही सीमित थे। केन्द्रीय बैंक के साथ सबसे अधिक विदेशी कार्यालय (३०) इम्पीरियल बैंक के ही थे। अर्थात् सन् १९५२ के अन्त में भारतीय बैंको की विदेशी शाखाओं की कुल देनदारो १०१ करोड़ रुपए थी, जिसमें से ७५ प्रतिशत जमा की राशि है। इस प्रकार भारतीय समुक्त पूर्वोक्त बैंक विदेशी व्यापार में अधिक से अधिक भाग ले रहे हैं।

### स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया

(State Bank of India)

परिचय—भारतीय बैंकिंग इतिहास में स्टेट बैंक एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। सबसे पहले इसकी स्थापना भारत सरकार ने सन् १९२० में बम्बई ब्रान्च-और मद्रास के तीनों प्रेसीडेन्सी बैंको का एकीकरण करके इम्पीरियल बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट सन् १९२१ के अन्तर्गत इम्पीरियल बैंक के रूप में की। इसके बाद सन् १९५५ में भारत सरकार ने इसका राष्ट्रीयकरण किया जिसके फलस्वरूप 'स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एक्ट १९५५' पास हुआ और इसकी स्थापना १ जुलाई सन् १९५५ को की गई।

उद्देश्य—(१) स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया का मुख्य उद्देश्य शक्ति सम्बन्धी वित्त सुविधाओं को प्रदान करने का है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये स्टेट बैंक देश भर में ४०० नई शाखाएँ प्राणामी ५ वर्षों में खोलेगा। १ अलाई सन् १९५५ से बैंक ने २० नई शाखाएँ खोती है। रिजर्व बैंक और स्टेट बैंक की सलाह से केन्द्रीय सरकार ने १०० नये केन्द्र दश कार्य के लिये चुन लिये हैं। ये नई शाखाये विशेषतया ग्रामीण क्षेत्रों में खोती जावेगी ताकि कृषकों को अधिक-से-अधिक वित्तीय सहायता मिल सके।

(\*) इसका अनिश्चित स्टॉक बैंक व्यापार और व्यवसाय का सात सुविधाओं प्रदान करता है। यह आमतौर पर प्रथम सत्र के समय व्यापारिक बैंक को वित्तीय सहायता देता है।

( ) स्टॉक बैंक का स्थापना का उद्देश्य सामान्य धन में मांग में सम्बन्धी सुविधाएँ देने का है। ताकि ग्राहकों के विमान अपनी धनार्थ उन मांगों में व्यवस्था कर सकें और धन धारकों के बाजार का मांग के अनुसार बैंक में जिनमें उनको उनका अर्द्ध मुद्रा मिल सके।

(८) इसका स्थापना का उद्देश्य सामान्य धन में छात्रों के मान पर धन के बाजार में नूतन धन का आविर्भाव करना है।

**पूजा (Capital)**—स्टॉक बैंक द्वारा इच्छित की अधिकृत पूजा (Authorized Capital) ० करोड़ रुपये है जो कि २० लाख पूर्ण प्रत्यक्ष (Fully Paid up) अर्थात् विभाजित है। इसका निगमित पूजा (Issued Capital) १ करोड़ रुपये है। १९२१ के १९२१ के १०० १०० रुपये के १९२१ के अर्थात् विभाजित था। यह पूजा निगमित बैंक के नाम में निगमित के रूप में है। रिजर्व बैंक का यह अधिकार दिया गया था कि वह स्वीकारियल बैंक के अंतर्गत के समस्त निगमित पूजा का अधिकतम अधिकतम ८१% भाग प्रतिपूर्ति के रूप में और १५ भाग अर्थात् ११% अर्थात् फाइल रखे। स्टॉक बैंक का अधिकार है कि वह नूतन सरकार का स्थापित किया अपनी पूजा का १२.५ करोड़ रुपये तक बढ़ा सकता है। नमन अधिकतम पूजा की वृद्धि किया नूतन सरकार का स्थापित के तहत का जा सकता है।

**प्रबंध (Management)**—स्टॉक बैंक के प्रबंध के दिग्दर्शक नूतन बोर्ड का स्थापना का गंतव्य है जिसमें कुल २० संचालक हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के अनिश्चित दो प्रबंध संचालक हैं जिसमें एक संचालक नूतन सरकार द्वारा और दूसरा संचालक रिजर्व बैंक द्वारा नियुक्त किया गया है। यदि १८ संचालकों में से ६ संचालक अर्थात् से ५ संचालक संचालकों में और ० संचालक संचालकों में नियुक्त है।

**कार्य (Functions)**—स्टॉक बैंक का कार्य निम्न के मुख्य कार्य निम्न निम्नित हैं—

(१) स्टॉक बैंक उन स्थापना में जहाँ रिजर्व बैंक का प्रावधान नहीं है रिजर्व बैंक के अंतर्गत का काम करता है।

( ) यह स्टॉक बैंक द्वारा प्रथम प्रतिभूतियाँ (Securities) का जमानत पर प्रयोग करने के लिए (अग्रिम राशि), तथा नूतन सरकार द्वारा देता है।

( ) विभिन्न माध्यम प्रणाली अर्थात् विभिन्न अर्थों का निम्न स्थापित करता देना और अन्य विषय करता है।

(८) मान्यता संपत्ति तथा मान्यता के सिक्कों का क्रय विषय करता है।

(९) नमन सरकार के बांड प्रणाली अधिकार पत्र और अन्य प्रमुखता वस्तुओं सुरक्षित रखता है।

(९) रिजर्व बैंक सहायता के निमित्त नूतन सरकार के रूप में काम करता है।



(७) अपने कार्यालयों, शाखाओं और एजेंसियों द्वारा भुगतान किये जाने वाले मांग ड्राफ्ट (Demand Draft), तार भुगतान (Telegraphic Transfers) और अन्य प्रकार के राशि भेजने के पत्र खरीदना और साख पत्र (Letters of Credit) लिखना तथा उन्हें जारी करना ।

(८) ऋण के बदले में प्राप्त हुई अथवा डूबी हुई चल व अचल संपत्ति को बेच कर राशि प्राप्त करना ।

(९) यह किसी ट्रस्ट की प्रतिभूतियों में, नगरपालिका जिन्ना बोर्ड या स्थानीय संस्थाओं के कर्ज पत्रों में, भारत स्थित निगमों के अथवा और ऋण पत्रों में लक्ष्य लगाना और ऐसे अथवा व ऋण पत्रों का अभिगोपन (Underwriting) करना ।

(१०) जमाना से राशि जमा करना ।

(११) स्वयं का व्यापार करना तथा अपनी संपत्ति के आधार पर ऋण लेना ।

(१२) कमीशन लेकर एजेंट के रूप में काम करना ।

(१३) कोर्ट ऑफ वायर्स को उनकी संपत्ति की जमानत पर ऋण देना ।

(१४) १५ मास की अवधि तक के कृषि बिलों का क्रय करना ।

(१५) रिजर्व बैंक की स्वीकृति लेकर दूसरे बैंकों के अथवा खरीदना ।

(१६) विदेशी बिलों (Bills of Exchange) और साख पत्रों (Letters of Credit) का लिखना, केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेकर अथवा उसके आदेशानुसार स्टेट बैंक द्वारा किये बैंकिंग कम्पनी का व्यवसाय अपने अधिकार में लेना ।

(१७) किसी कम्पनी अथवा सहकारी समिति की समाप्ति (Liquidation) में समय उनकी संपत्ति और प्रतिभूतियों के आधार पर ऋण देना ।

स्टेट बैंक के निषिद्ध (Prohibited) कार्य—स्टेट बैंक ग्राहक इच्छित विग्ननिश्चित कार्य नहीं कर सकता —

(१) स्टेट बैंक माध्यमता ६ मास से अधिक अवधि के लिये ऋण और पेशगी (एडवांस) नहीं दे सकता ।

(२) अपने ही अर्थों अर्थात् रोयल व स्टॉक की जमानत पर ऋण और पेशगी नहीं दे सकता ।

(३) किसी विशेष व्यक्ति या फर्म को एक समय में कुल मिलाकर निर्धारित राशि से अधिक ऋण नहीं दे सकता ।

(४) अचल संपत्ति व उसके अधिकार पत्र की जमानत पर ऋण और एडवांस नहीं दे सकता ।

(५) बैंक को मौसमी कृषि कार्यों के लिये १५ मास की अवधि के लिये प्रलेखा को और अन्य कार्यों के लिये ६ मास से अधिक की अवधि के लिये प्रलेखा को बेतान करने और उनकी जमानत पर ऋण व एडवांस देने का अधिकार नहीं है ।

(६) स्टेट बैंक को किसी विशेष व्यक्ति या फर्म के ऐसे विविध मध्य प्रलेखा को बेतान करने, खरीदने या उसकी जमानत पर ऋण व एडवांस देने का अधिकार नहीं है जबकि प्रति फर्म दो विभिन्न व्यक्तियों या फर्मों का अलग अलग उत्तर दायित्व नहीं है ।

(७) स्टेट बैंक को अपने व्यवसाय को चलाने के लिये तथा अपने अधिकारियों और कर्मचारियों के निवास के लिये आवश्यक भवन तथा ऋणों के इव जाने के बदले में प्राप्त हुई सम्पत्ति को छोड़ कर अन्य किसी अचल सम्पत्ति को रखने, तरीकने या उनमें अपना कोई धरा रखने का अधिकार नहीं है।

स्टेट बैंक के कार्य पर एक आलोचनात्मक दृष्टि—सबसे पहला कार्य इम्पीरियल बैंक के अग्रधारियों को क्षतिपूर्ति करने का था। इस क्षेत्र में प्रकृति सतोपजनक है। ३१ दिसम्बर १९५५ तक ६५६० अग्रधारियों ने १८.६५ करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति के लिये आवेदन पत्र दिये थे जिनमें से ६४६१ अग्रधारियों को १८.३६ करोड़ रुपये का भुगतान भी कर दिया गया है। आगामी ५ वर्षों में ४०० लाख एं लोनने की योजना भी तन चुकी है और सन् १९५५ के अंत तक २० स्थानों पर यह चालाएँ खोली भी जा चुकी है। इतना होने पर भी अभी विदेशी चालाएँ नहीं खुल पाई हैं जिनके कारण इम्पीरियल बैंक की निदेशी चालाएँ अभी बन्द नहीं की जा सकी हैं। आशा है यह कतिनाई भी धीरे-धीरे दूर हो जावेगी। विदेश प्रतियोग के लिये बैंक द्वारा कुछ नियुक्तियाँ भी की जा रही है।

बैंक के कुछ आलोचकों का कहना है कि इसके ऊपर व्यापारिक एवं कृषि सम्बन्धी दोनों ही कार्यों का भार सौंप कर उसके उत्तरदायित्व को अनावश्यक रूप में बढ़ा दिया गया है जिससे यह आशंका है कि बैंक किसी भी कार्य को ठीक प्रकार नहीं चला सकेगा। इन आलोचकों का यह भी मत है कि कृषि सम्बन्धी साख की आवश्यकता को पूरा करने के लिये एक अलग अलग भारतवर्षीय कृषि बैंक (All India Agricultural Bank) की स्थापना की जानी चाहिए। कुछ लोगों का यह भी मत है कि बैंक का संचालन कार्य प्रजातन्त्रात्मक प्रणाली पर नहीं रखा गया है, क्योंकि ४५% अग्रधारियों को ३०% संचालकों (Directors) को चुनने का अधिकार दिया गया है जो सचवा अनुचित है, यह वेचल भविष्य ही बता सकेगा।

स्टेट बैंक का भविष्य—अहाँ तक बैंक के भविष्य का सम्बन्ध है अभी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। परन्तु फिर भी अन्न तक जो कुछ प्रगति हुई है उसके आधार पर यही कहा जा सकता है कि स्टेट बैंक का भविष्य उज्ज्वल है। इस बैंक में कृषि, व्यापार और उद्योग सभी क्षेत्रों में लाभ पहुँचेगा।

### (५) रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (Reserve Bank of India)

परिचय—भारत में एक केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता बहुत समय पहले से अनुभव की जा रही थी, किन्तु भारत सरकार ने इस ओर अभी ध्यान नहीं दिया। सन् १९१३ में जब केम्बेजलन समीक्षण विचारणा गया उस समय श्री कोस ने भारत सरकार का ध्यान एक केन्द्रीय बैंक की स्थापना की ओर आकर्षित किया। सन् १९१४-१५ में अर्थात् प्रथम महायुद्ध काल में भी केन्द्रीय बैंक की आवश्यकता का अनुभव हुआ। सन् १९२१ में बेरिङ्गम के अखिल मगर के अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन ने भी मुख्यतः दिया कि जिन देशों में केन्द्रीय बैंक नहीं है वहाँ भी ही केन्द्रीय बैंक स्थापित किया जाना चाहिये। अतएव सन् १९२१ में इम्पीरियल बैंक की स्थापना हुई। किन्तु इम्पीरियल बैंक केन्द्रीय बैंक के सभी कार्य नहीं कर सकता था, इसलिए एक स्वतन्त्र और मजबूत अर्थ में केन्द्रीय बैंक की स्थापना की आवश्यकता हुई।

सन् १९२५-२६ में हिल्टन यंग कमीशन ने एक स्वतन्त्र डेपार्ल्टमेंट के वेंद्रीय बन की स्थापना का सुझाव दिया। वेंद्रीय बैंकिंग जाँच समिति (Central Banking Enquiry Committee) ने भी हिल्टन-यंग कमीशन के विचारों का समर्थन किया। अतिसर सन् १९३८ में रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट पास हुआ, जिसने फलस्वरूप १ अप्रैल १९३५ को रिजर्व बैंक की स्थापना हुई।

स्यामित्व एवं पूँजी—सन् १९३४ के रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया ऐक्ट के अन्तर्गत रिजर्व बैंक एक प्रसिद्धाधिकारियों अर्थात् डेपार्ल्टमेंट के बैंक के रूप में स्थापित किया गया था। इसकी अधिकृत पूँजी ५ करोड़ रुपये थी जो सौ-सौ रुपये के टिकटों, अर्थात् अक्षयों में विभाजित थी। बैंक २२०,००० रु० के अक्षय केन्द्रीय सरकार ने खरीदे थे और शेष बैंक के पाँचों वेंद्रीय के निवासियों को निम्न अनुपात में बैंक दिये गये थे—कलकत्ता १४५ लाख, बम्बई १४० लाख, दिल्ली ११५ लाख, मद्रास ७० लाख, और रथुन ३० लाख। प्रारम्भ में किसी भी व्यक्ति को पाँच टिकटों में अधिक टिकट नहीं दिये गये थे, किन्तु सन् १९४० में ऐक्ट में संशोधन कर यह निश्चय कर दिया गया कि कोई व्यक्ति अपने-आपके पास हज़ार रुपये में अधिक के टिकट खरीदने नाम में नहीं रख सकता। प्रत्येक अक्षयारी का पाँच अक्षयों के पीछे एक मत देने का अधिकार था और कोई भी अक्षयारी दस मत से अधिक नहीं दे सकता था।

रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण—स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् १ जनवरी १९४६ से रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है और इसके विधान में आवश्यक संशोधन भी कर दिये गये हैं। भारत सरकार ने रिजर्व बैंक के समस्त डेपार्ल्टमेंट या अक्षयों को १०० रु० के एक टिकट के बदले में ११८ रु० १० आ० के हिस्से से देकर खरीद लिये हैं। दो गैर रकम में ३% तो सरकारी बाँड दिये गये हैं और शेष रकम का नकद रूपों में भुगतान कर दिया गया है। अब रिजर्व बैंक पूर्णतया एक राष्ट्रीय बैंक बन गया है।

प्रबन्ध—रिजर्व बैंक के राष्ट्रीयकरण के पश्चात् इसका प्रबन्ध १४ सदस्यों का एक बोर्ड करता है जिसके सचिवक अथवा डाइरेक्टर सरकार द्वारा निम्न प्रकार मनोनीत होते हैं—

(१) १ गवर्नर और २ डिप्टी गवर्नर जो वेंद्रीय सरकार द्वारा पाँच वर्ष के लिये नियुक्त किये जाते हैं तथा शिवाय वेनन वेंद्रीय सरकार की सलाह से वेंद्रीय बोर्ड नियुक्त करता है।

(२) चार स्थानीय बोर्डों से सरकार द्वारा मनोनीत एक एक डाइरेक्टर।

(३) वेंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त ६ अन्य डाइरेक्टर। इनमें से प्रत्येक दो बारी बारी से एक, दो, तीन वर्ष के पश्चात् चुपक होने जाते हैं।

(४) वेंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त १ सरकारी कर्मचारी।

स्थानीय हिस्सों की रक्षा के लिये वेंद्रीय बोर्ड के अतिरिक्त चार स्थानीय बोर्ड (Local Boards) स्थापित किये गये हैं—उत्तरी क्षेत्र का बोर्ड दिल्ली, पश्चिमी क्षेत्र का बोर्ड बम्बई, पूर्वी क्षेत्र का बोर्ड कलकत्ता, तथा दक्षिणी क्षेत्र का बोर्ड मद्रास। प्रत्येक बोर्ड में सरकार द्वारा नियुक्त तीन सदस्य होते हैं। ये स्थानीय बोर्ड आवश्यक विषयों पर वेंद्रीय बोर्ड की सलाह देते हैं तथा अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य करते हैं।

केन्द्रीय बोर्ड की बैठक बुलाना गवर्नर के अधिकार में है। परन्तु कोई भी तीन सचालक मिलकर भी गवर्नर में बैठक बुलाने के लिय प्रार्थना कर सकते हैं। वर्ष-भर में ६ बैठकें बुलाना अनिवार्य है, किन्तु तीन महिनो में एक बैठक अवश्य होनी चाहिए।

**रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यालय तथा विभाग**

रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यालय—रिजर्व बैंक के मुख्य कार्यालय बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, तथा बानपुर में हैं। इसको एक साला खर्च में भी है जो अप्रैल सन् १९३६ में खाली गई थी। केन्द्रीय सरकार की आज्ञा में रिजर्व बैंक अन्य किसी स्थान पर भी अपनी शाखा खोल सकता है। जहाँ पर रिजर्व बैंक की शाखाएँ नहीं हैं वहाँ पर रिजर्व बैंक ने स्टेट बैंक का अपना एक-मात्र एजेण्ट नियुक्त कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध काल में जापान द्वारा बर्मा पर अधिकार होना पर रजर्व का कार्यालय बन्द कर दिया गया।

रिजर्व बैंक के मुख्य विभाग—रिजर्व बैंक के मुख्य विभाग निम्न-लिखित हैं—

१—नोट निर्माण विभाग (*Note Department*)—इस विभाग का मुख्य कार्य पत्र मुद्रा, अर्थात् कागजी नोट जारी करना है। इस विभाग की शाखाएँ बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास आदि स्थानों पर हैं। प्रत्येक शाखा दो विभागों में विभाजित है। प्रथम विभाग का कार्य नोट निकालने तथा उनका विनियमन करने का है और दूसरे विभाग का कार्य रजिस्ट्रेशन करने, नोटों को जांचने तथा रद्द करने, हिसाब रखने तथा आन्तरिक प्रवेश (Audit) करना है।

२—बैंकिंग विभाग (*Banking Department*)—बैंक का यह विभाग अन्य बैंकों को अनुज्ञापन (*License*) देने, उनके रोयल्टी को रखने उनको वार्षिक सहायता तथा परामर्श देने, उनका निरीक्षण करने, उनकी सहायता को स्थानान्तरण करने का कार्य, तथा सरकारी लेन देनों का उचित प्रवन्ध करना है। इस विभाग की शाखाएँ बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, बानपुर आदि स्थानों पर हैं। प्रत्येक शाखा का प्रवन्ध एक मैनेजर के अधीन होता है तथा वह पाँच विभागों में विभाजित होता है—अज्ञात का हस्तान्तरण, जमा खान, प्रतिभूतियाँ, सरकारी जमा तथा सरकारी ऋण।

३—विनिमय नियन्त्रण विभाग (*Exchange Control Department*)—इस विभाग की स्थापना विदेशी विनिमय पर नियन्त्रण करने तथा विनिमय दर को रखायी रखने के उद्देश्य से द्वितीय महायुद्ध काल में की गई थी। अब समस्त विदेशी विनिमय कार्य इस विभाग द्वारा विदेशी विनिमय नियन्त्रण ऐक्ट १९४० के अन्तर्गत नियन्त्रित होता है।

४—बैंकिंग विकास विभाग (*Department of Banking Development*)—इस विभाग की स्थापना अक्टूबर १९४० में हुई। इसका मुख्य उद्देश्य गांधी तथा कम्बो में बैंकिंग सुविधाओं का विस्तार करना तथा ग्रामीण अर्थ मण्डलों का प्रवर्धन तथा इनका विकास करना है। ग्रामीण बैंकिंग अनुसन्धान कमेटी को सिफारिशों को कार्यान्वित करना भी इसका मुख्य कार्य है।

५—बैंकिंग क्रियाओं का विभाग (Department of Banking Operations)—इस विभाग की स्थापना सन् १९४६ में भारतीय बैंकिंग कम्पनीज ऐक्ट १९४६ के अन्तर्गत रिजर्व बैंक को अन्य बैंकों के नियंत्रण तथा निरोधन के अधिकारों को उचित ढंग से काम में लाने के लिये हुई। अतः इस विभाग का मुख्य कार्य भारतीय बैंकिंग पद्धति का उचित नियंत्रण कर उसे सुदृढ़ और सुमार्गित बनाना है।

६—अन्वेषण तथा समक विभाग (Department of Research & Statistics) मुद्रा व बैंकिंग आदि क्षेत्रों की खोज करना तथा मुद्रा बाजार, बैंकिंग व्याज दरें, उत्पादन, लाभांश आदि से सम्बन्धित आँकड़ों का संचयन कर प्रकाशित करना इस विभाग का मुख्य कार्य है।

७—कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department)—कृषि-साख विभाग का चलाना बैंक का वैधानिक कर्तव्य है। इस विभाग के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं :—

(अ) कृषि साख सम्बन्धी खोज के लिये विशेषज्ञों की नियुक्ति करना तथा उनके द्वारा केन्द्रीय तथा प्रांतीय सरकारों तथा सरकारी विभाग को आवश्यक परामर्श देना।

(ब) कृषि साख से सम्बन्धित बैंकों के कार्यों का नियन्त्रण करना और उन्हें आवश्यक आर्थिक सहायता प्रदान करना।

(स) कृषि-साख में आवश्यक सुधार करने के सुझाव प्रस्तुत करना।

(द) रिजर्व बैंक की कृषि साख सम्बन्धी नीति का निर्धारण करना।

इस क्षेत्र में बैंक का कार्य अधिक महत्वपूर्ण नहीं हुआ है।

रिजर्व बैंक के कार्य (Functions)—रिजर्व बैंक के कार्यों को हम दो भागों में बाँट सकते हैं—(अ) केन्द्रीय बैंक के कार्य, और (आ) साधारण बैंक के कार्य।

(अ) केन्द्रीय बैंक के कार्य—अन्य समस्त केन्द्रीय बैंकों को भाँति रिजर्व बैंक भी निम्नलिखित केन्द्रीय बैंकिंग कार्य सम्पन्न करता है :—

१ पत्र मुद्रा जारी करना—कागजी नोट जारी करने का एकाधिकार रिजर्व बैंक को प्राप्त है। यह कार्य बैंक अपने निर्भम विभाग (Issue Department) द्वारा सम्पन्न करता है। कुल नोट चलन का ४०% सोने के सिक्कों, स्वर्ण पाट तथा स्टैलिंग प्रतिभूतियों में रखना आवश्यक है और किसी भी समय २१ ह० ३ भा० = पाई प्रति तोले में भाव से ४० करोड़ रुपये से कम का साठा नहीं होना चाहिए। इस कोष का दोष ६०% स्वयो, सरकारी प्रतिभूतियों, स्वीकृत व्यापारिक विलो, हुण्डियों या प्रतिज्ञा पत्रों में होना चाहिये।

२ बैंकों के बैंक का कार्य करना—रिजर्व बैंक का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य देश के बैंकों का नियन्त्रण, पत्र प्रदर्शन तथा संगठन करना है। यह नियन्त्रण रिजर्व बैंक अपने सदस्य बैंकों की पालू जमा का कम से कम ५% और स्थायी जमा का २% नकद कोष के रूप में अपने पास रख कर करता है। सन् १९४६ की बैंकिंग एक्ट के अन्तर्गत तो अन्य अन्य बैंकों के लिये भी नकद कोष अपने पास या रिजर्व बैंक के पास रगाना अनिवार्य कर दिया है। रिजर्व बैंक इस केन्द्रित धन-राशि को इन्हीं बैंकों को आधिक

सकट काल में प्रतिम ऋण-दाता के रूप में सहायता करने के काम में लाता है। रिजर्व बैंक खुल बाजार की क्रिया (Open Market Operations) तथा बैंक दर (Bank Rate) के द्वारा अन्य बैंकों पर नियन्त्रण रखता है।

३. सरकारी बैंकर का कार्य करना—रिजर्व बैंक केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों के बैंकर का भी काम करता है। यह विभिन्न सरकारी तथा सरकारी संस्थाओं से रपया लता और जमा करता है तथा उनके प्रति रुपये का भुगतान करता है। यह उनके सिधे विदेशी विनिमय, राशि-स्थानान्तरण तथा सार्वजनिक ऋण का प्रबन्ध करता है तथा उनके प्रावश्यक बैंकिंग कार्य करता है। सरकार की अर्थ-नीति, मुद्रा नीति तथा विनियोग नीति के निश्चित करने में भी आवश्यकतासाह करता है।

४. विदेशी विनिमय का नियन्त्रण करना—रिजर्व बैंक को रुपये के बाह्य मूल्य को स्थिर रखना पड़ता है। ऐसा करने के लिये वह विदेशी विनिमय का क्रय-विक्रय भी करता है। रिजर्व बैंक एक्ट के १९४७ के एक संशोधन द्वारा रुपये और स्टर्लिंग का वैधानिक सम्बन्ध तोड़ दिया गया है। अतः अब इनको न केवल स्टर्लिंग का ही क्रय-विक्रय करना पड़ता है बल्कि अन्य उन सब देशों की मुद्रा का भी क्रय-विक्रय करना पड़ता है जो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सदस्य हैं। यह क्रय-विक्रय उन दरों पर किया जाता है जो केन्द्रीय सरकार अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष की शर्तों को ध्यान में रखकर निर्दिष्ट कर देती है।

५. निकाल-गृह का कार्य करना—रिजर्व बैंक एक केन्द्रीय बैंक के रूप में अन्य बैंकों के निकाल-गृह अर्थात् समाशोषण या श्रमामाजित गृह का भी कार्य करता है।

(आ) साधारण बैंक के कार्य—रिजर्व बैंक निम्नलिखित साधारण बैंक के कार्य भी सम्पन्न करता है :—

१. सरकारी, बैंकों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों से बिना व्याज के रपया जमा करना। २. भारत में भुगतान होने वाले ६० दिन के मुदती बिलों तथा प्रतिज्ञा-पत्रों का क्रय-विक्रय तथा पुनर्गौती करना जिन पर दो अच्छे हस्ताक्षर हों और इनमें से एक हस्ताक्षर सदस्य बैंक अथवा प्रान्तीय सहकारी बच का हो। ३. भारत की केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों की अधिक-से-अधिक ६० दिन की अवधि के लिये ऋण देना। ४. भारत की केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों की किसी अवधि की प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करना। ५. भारत से बाहर अन्य किसी देश की १० वर्षों के भीतर परिपक्व होने वाली प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करना। ६. सेबी सम्प्रधी ६ महिन के मुदती बिलों का क्रय-विक्रय तथा पुनर्गौती करना। ७. अपनी शाखाओं की दस्तानी ड्राफ्ट देचना। ८. सदस्य बैंकों को कम-से-कम दो लाख रुपये के बराबर विदेशी विनिमय का ऋण-विक्रय करना। ९. अधिक-से-अधिक ३० दिन के लिये सदस्य बैंका अथवा विदेशी केन्द्रीय बैंक में ऋण देना। १०. केन्द्रीय तथा राज्य-सरकार के ऋण-पर देचना। ११. सेने के सिक्कों और मोने का क्रय-विक्रय करना। १२. अन्य प्रतिभूतियों, जेवर तथा अन्य मूल्यवान् वस्तुओं को सुरक्षित रखना। १३. अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के सदस्य-राष्ट्रों के किसी भी बैंक के साथ खाता खोलना तथा उसके एजेंट का काम करना। १४. बैंकिंग सम्बन्धी शर्तों का सङ्कलन कर प्रकाशित करना, आदि।

**रिजर्व बैंक के निषिद्ध ( Prohibited ) कार्य-** रिजर्व बैंक निम्नलिखित कार्य नहीं कर सकता है—

- (१) रिजर्व बैंक कोई व्यवसायिक तथा व्यापारिक कार्य नहीं कर सकता है।
- (२) वह प्रचल सम्पत्ति को रहन रखकर उम्र पर धृष्ट नहीं दे सकता है और न यह प्रचल सम्पत्ति को अपने निजी काम के अनिश्चित मरौद भी सकता है।
- (३) वह अपने शेयर या अन्य किसी बैंक या कम्पनी के शेयर नहीं खरीद सकता है और न उन शेयर को जमानत पर धृष्ट हो दे सकता है।
- (४) वह बिना प्रतिभूतिया के धाधार पर कोई धृष्ट नहीं दे सकता है।
- (५) वह जमा होने वाले रुपये पर व्याज भा नहीं दे सकता है।
- (६) वह ऐम बिला को नहीं खिख सकता है और न उह स्वाधार हो कर सकता है जितका भांषने पर भुगतान न हो।

**रिजर्व बैंक तथा स्टेट बैंक का सम्बन्ध**—जिन स्थानों पर रिजर्व बैंक की शाखाएँ नहीं है वहाँ स्टेट बैंक इमका प्रतिनिधित्व करता है। स्टेट बैंक को इम कार्य के लिये बायिक निश्चित कमीशन मिलता है।

**रिजर्व बैंक तथा सदस्य एवं असदस्य बैंक**—देश के बैंकों में सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से रिजर्व बैंक ने वका को दो श्रेणियों में विभाजित कर दिया है—

- (१) सदस्य बैंक और (२) असदस्य बैंक।

सदस्य (Scheduled) बैंक वे बैंक है जो रिजर्व बैंक एक्ट की दूसरी मारणी (Schedule) में सम्मिलित होने हैं तथा जिनका नाम केन्द्रीय सरकार द्वारा गजट में प्रकाशित कर दिया जाता है। कोई भी बैंक जो भारत न बकिंग कार्य करता है और जिसकी पन्द्रस पूँजी और संचित कोष ५ लाख रुपये से अधिक है तथा जिसका रजिस्ट्रेशन भारतीय कम्पनीज या बैंकिंग एक्ट अथवा किसी विदेशी विधान के अनुसार हुआ है, सदस्य बैंक बन सकता है। प्रत्येक सदस्य बैंक को अपनी माँग जमा का १% तथा मुहूर्तों जमा का २% रिजर्व बैंक के पास जमा रखना पड़ता है। प्रत्येक सदस्य बैंक को प्रति मास केन्द्रीय सरकार तथा रिजर्व बैंक को एक साप्ताहिक विवरण (Weekly Return) भेजना पड़ता है।

**असदस्य बैंक**—जिन बैंकों के नाम रिजर्व बैंक एक्ट की दूसरी मारणी में सम्मिलित नहीं होते हैं वे असदस्य (Non Scheduled) बैंक कहलाते हैं। रिजर्व बैंक असदस्य बैंकों से भी जमा व मासिक विवरण प्रादि द्वारा सम्पर्क रखता है।

**रिजर्व बैंक तथा देशा वैबर**—रिजर्व बैंक देशी बकरा की प्राधुनिक बैंकिंग प्रणाली के अन्तर्गत आने के लिय प्रयत्नशील है। इमने राशेरी पहल सन् १९३७ में देशी बकरा को नियमबद्ध करने के लिये एक योजना बनाई, परन्तु उहाने उमें स्वीकार नहीं किया। इससे बाद सन् १९४१ में इस प्रकार की एक नयी योजना बनाई गई परन्तु वह भी देशी बकरा के विरोध के कारण कार्य रूप में परिणत नहीं की जा सकी। इन्ही उद्देश्य की पूर्ति के लिये रिजर्व बैंक न सन् १९५१ में बम्बई में हुई देशी बैंकों की सभा में भी भाग लिया था।

**रिजर्व तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष एवं पुनर्निर्माण व विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक**—भारतवर्ष प्रारम्भ से ही अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष (International Monetary Fund) तथा पुनर्निर्माण व विकास के लिये बैंक (International Bank for Reconstruction & Development) का सदस्य है। इनका सू-न क्र ४७५१२ (स्वण) इन के वरतन निर्धारित किया था जो

सितम्बर १९४६ में ३०.५% डॉलर के रूप में कम कर दिया गया। भारत का मुद्रा-क्षेत्र में प्रमुख स्थान है। अप्रैल १९४६ से भारत ने कोय से डॉलर खरीदने का अधिकार छोड़ दिया है। अब भी भारत अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोय का ६८ मिलियन डॉलर का खरी है।

पुनर्निर्माण तथा विकास के लिये अन्तर्राष्ट्रीय बैंक—इस बैंक का मुख्य ध्येय अन्तर्राष्ट्रीय साख कार्य में सहयोग देना है। इसकी पूंजी में सब सदस्यों का भाग है। इसकी कार्यकारिणी में ऋणदाता व ऋणी दोनों ही राष्ट्र प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। भारत को आर्थिक विकास के लिए अब तक कुल ६२.५ मिलियन डॉलर का ऋण मिल चुका है।

रिजर्व बैंक के कार्य का आलोचनात्मक अध्ययन—रिजर्व बैंक की स्थापना के पूर्व बैंक-दर (Bank Rate) ७% से ९% थी। उसमें स्थिरता का लक्ष्य भी न था। परन्तु रिजर्व बैंक ने लगभग १५ वर्ष तक बैंक दर घटाकर ३% ही स्थिर रखा। केवल १५ नवम्बर १९५१ में यह बढ़ाकर ३.२% कर दी गई है। बैंक दर कम करने के कारण व्याज की दरें भी गिर गईं। उनमें विभिन्नता बहुत अंशों में बूर हो गई। रिजर्व बैंक की स्थापना के पश्चात् भारतीय मुद्रा-बाजार की मौसमी कमी समाप्त हो गई। यद्यपि बैंक का मुद्रा-बाजार पर नियन्त्रण पूर्णतया नहीं हुआ है परन्तु फिर भी इसकी साख-नीति बहुत अर्थों तक सफल रही है। बैंक मुद्रा-बाजार के विभिन्न अंगों में सम्बन्ध स्थापित करने के प्रयत्न में भी कुछ अर्थों तक सफल रहा है।

बैंक ने कृषि-साख सम्बन्धी एवं सहकारी आन्दोलन की समस्याओं का मूलो-भाति अध्ययन किया है और कृषि की साख सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु सहकारी बैंकों को ऋण सम्बन्धी सुविधाएँ दी हैं। इसने कृषि साख सम्बन्धी आवश्यकताओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक अखिल भारतीय साख जाँच की व्यवस्था की है।

बैंक ने सरकारी बैंक के कार्य भी काफी योग्यता में किये हैं और भारतीय मुद्रा-बाजार में सरकार के लिये ऋण प्राप्त करने में बहुत सफल रहा। बुद्ध-जन्म रतनिष्ठ आदि महत्वपूर्ण समस्याओं को बैंक ने वही योग्यता में हल किया है। बैंकों के बैंक के रूप में भी हमने अन्तर्जा कार्य किया है। इसी के प्रयत्नों से ही अनेक बैंकिंग सम्बन्धी विधान पास हुये जिनमें देश में बैंकिंग सम्बन्धी विकास को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। देश की आर्थिक समस्याओं पर समय-समय पर रिपोर्ट प्रकाशित की गई हैं और जिनमें आवश्यक सुधार दिये गये हैं।

इतना होने हुए भी बैंक कई बातों में असफल रहा। उदाहरणार्थ, देशी बैंकों से बैंक अपना सम्बन्ध स्थापित नहीं कर सका और टुण्डो या बिल बाजार का विकास नहीं कर सका। युद्ध काल में बैंक मुद्रा-स्फीति और मूल्य-वृद्धि को रोकने में भी असमर्थ रहा।

### (६) अन्य बैंकिङ्ग संस्थाएँ

(अ) सहकारी बैंक (Co-operative Banks)—सहकारिता वह मूल्य है जिससे अन्तर्गत अर्थिक स्वेच्छा में संगठित होकर सर्वोत्तम के लिए सम्मिलित कार्य करते हैं। सहकारिता में स्वार्थ का स्थान महयोग से होता है। भारतवर्ष में सन् १९०४ और सन् १९१२ के सहकारिता कानून के अनुसार देश में सहकारी भवितव्यों की



स्थापना हुई। जो समितियाँ जमा करने और ऋण देने का कार्य करती हैं वे सहकारी बैंक अथवा साख समितियाँ कहलाती हैं। सहकारी साख समितियाँ या सहकारी बैंक तीन भागों में विभाजित किये जा सकते हैं—(१) प्रारम्भिक सहकारी साख समितियाँ, (२) केन्द्रीय सहकारी बैंक, और (३) प्रांतीय सहकारी बैंक।

(१) प्रारम्भिक साख समितियाँ (Primary Co-operative Credit Societies)—ये देश के कोने-कोने में स्थित हैं और निर्धन किसानों तथा कारीगरों को ऋण देती हैं। ये केवल सदस्यों को ही ऋण देती हैं। प्राचीण साख समितियों के सदस्यों का उत्तरदायित्व असीमित होता है। परन्तु नगर साख समितियों का उत्तरदायित्व प्रायः सीमित होता है। इनको पूँजी जमा और प्रयोग फीम प्रादि के रूप में एकजिन की जाती है।

(२) सहकारी केन्द्रीय बैंक (Central Co-operative Banks)—प्रत्येक जिले में एक केन्द्रीय बैंक होता है जो अपने जिले के प्रारम्भिक सहकारी समितियों का संगठन तथा नियन्त्रण करता है तथा उन्हें आर्थिक सहायता भी देता है। ये देयर बैंक कर तथा राँगों की जमा स्वीकार कर अपनी पूँजी का संगठन करते हैं। आवश्यकता पड़ने पर ये अपने राज्य के बैंक से जो इन सबके ऊपर होता है, ऋण लेते हैं।

(३) राज्य सहकारी बैंक (State Co-operative Banks)—राज्य में एक राज्य सहकारी बैंक होता है जिसमें उस राज्य के समस्त केन्द्रीय बैंक सम्बन्धित होते हैं। राज्य सहकारी बैंक अपने राज्य के समस्त केन्द्रीय बैंकों का नियन्त्रण करते हैं तथा उनको आर्थिक सहायता देते हैं। राज्य सहकारी बैंकों की देख-रेख के लिये एक प्रतिष्ठित भारतीय राज्य सहकारी बैंक सभ नामक संस्था भी है।

भारत में सहकारी बैंकों की अवस्था तथा प्रगति तन्तोपजनक नहीं है। उनकी वीपपूर्ण कार्य-प्रणाली, प्राचीण जनता की अनिश्चिन्ता, सहकारिता सिद्धान्तों की अज्ञानता, तथा उनकी ऋण-शक्तता और योग्य व ईमानदार कार्य-कर्त्ताओं का अभाव आदि इस अस्तोपजनक अवस्था के कुछ मुख्य कारण हैं। अतः उपर्युक्त दोषों को दूर करते हुए सहकारी बैंकों का पुनर्गठन अत्यन्त आवश्यक है।

(घ) भूमि बन्धक बैंक (Land Mortgage Banks)—ये संस्थाएँ हैं जो भूमि को बन्धक प्रयाद गिरवी रखकर दीर्घकाल के लिये कृषकों को ऋण देती हैं। साख सहकारी समितियाँ कृषकों की प्रत्य तथा मध्यकालीन ऋण की आवश्यकताओं को पूरित करती हैं, परन्तु दीर्घकालीन ऋण के लिये भूमि-बन्धक बैंकों की ही सेवाओं का उपयोग करना पड़ता है।

ऋण का उद्देश्य—भूमि-बन्धक बैंकों द्वारा ऋण किसानों को प्रायः निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये दिया जाता है—(१) पुग्ने ऋण चुवाने के लिये, (२) भूमि खरीदने के लिये, (३) सिंचाई के लिये कुँआ बनवाने तथा मूल्यवान यन्त्रादि खरीदने के लिये, (४) भूमि में स्थायी मुधार करने तथा चकम्बों करने के लिये, (५) किसानों को भूमि व मकान गिरवी में ऋणवाने के लिये।

भूमि बन्धक बैंकों के भेद—यद्यपि सभी भूमि बन्धक बैंक सहकारी भूमि बन्धक बैंक कहलाते हैं, फिर भी ये तीन प्रकार के होते हैं—(१) सहकारी भूमि-बन्धक बैंक, (२) व्यापारिक भूमि बन्धक बैंक, और (३) अर्द्ध-सहकारी (Quasi-Co-operative)

बैंक । सहकारी भूमि-व्यवहारी बैंक महत्कारी सिद्धान्त अर्थात् पारस्परिक महयोग की भावना में चलते हैं । लाभ कमाने के उद्देश्य में इनकी स्थापना नदी की जानी है । व्यापारिक भूमि-व्यवहारी बैंक व्यापारिक बैंकों की भाँति लाभ कमाने के उद्देश्य में स्थापित किये जाते हैं । प्रत्येक सहकारी भूमि-व्यवहारी बैंक में व्यापारिक बैंक तथा सहकारी धर्मिक के सिद्धान्तों का सामंजस्य रहता है ।

**पूँजी**—मेसज, जमा तथा ऋण पत्रों (Debentures) आदि के द्वारा इनकी पूँजी प्राप्त होती है । प्रायः इनके कुछ ऋण-पत्र राज्य-सरकारों से खरीदती हैं अथवा उन पर निश्चित व्याज की गारंटी होती है ।

**ऋण का आदान प्रदान**—जिमान को या तो गिरवी रखी भूमि के मूल्य का आधा अथवा गिरवी रखी भूमि के लगान का ३० गुना तक ऋण दिया जा सकता है । ऋण के चुकाना करत का समय १६ वर्षों में ३० वर्षों तक होना है । ऋण व्याज सहित प्रायः वार्षिक मुदियावतक विन्ना में चुकाया जाता है । व्याज की दर लगभग ८% या ९% होती है ।

**भारतवर्ष में भूमि-व्यवहारी बैंक**—भारतवर्ष में पहला भूमि व्यवहारी बैंक सन् १९२० में पंजाब में स्थापित हुआ पर वहाँ अमकन रहा । फिर मद्रास में सन् १९२६ में भूमि व्यवहारी बैंक की स्थापना प्रारम्भ हुई । सन् १९३१ में अन्धप्रदेश राज्य में एच. एम. बैंक माना गया । इसके पश्चात् मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में भी भूमि व्यवहारी बैंक स्थापित होत चले । सन् १९४७-४८ में भारतवर्ष में ११ केन्द्रीय भूमि-व्यवहारी बैंक तथा २८३ प्रादेशिक व्यवहारी बैंक थे जिनमें क्रमशः १,५१,४८३ और ३,३३,६८० सदस्य थे । इन्होंने क्रमशः ४६२ लाख रु० और २४२ लाख रु० का ऋण लिया था ।

**निष्कर्ष**—देश के विद्यमान की स्थिति हूण सब नक चलाने के लिये भूमि-व्यवहारी बैंकों की स्थापना हुई है । कृषकों को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने का एकमात्र माध्यम होने के कारण यह आवश्यक है कि भूमि व्यवहारी बैंकों का देश के कान-कोल में प्रसार किया जाय ।

(इ) औद्योगिक बैंक (Industrial Bank)—उद्योगों के विकास तथा उत्थान के लिये औद्योगिक बैंकों की आवश्यकता होती है । जिस प्रकार व्यापारिक बैंक वास्तु पूँजी (Working Capital) का प्रवण करते हैं उन्ही प्रकार औद्योगिक बैंक उद्योगों की स्थायी पूँजी (Fixed or Block Capital) का प्रवण करते हैं ।

**पूँजी**—औद्योगिक बैंक लम्बे समय के लिये ऋण देते हैं, अतएव वे अच्छा व्याज देकर स्थायी जमा करने में तय्यता जमा करत हैं । इनसे अनिश्चित ग दली बैंकों से भी ऋण लेते हैं । उद्योगों के अर्थ-प्रमुखों का कार्य भारतवर्ष में मंत्रिविधि एजेंसी द्वारा भी होता है ।

**कार्य**—(१) उद्योगों के लिये स्थायी अथवा चलन पूँजी के लिये अर्थ-प्रवण करत, (२) औद्योगिक कम्पनियों के अया (Shares) का अधिग्रहण (Underwriting) करना तथा स्वयं उनके अय खरीदना, और (३) उनको औद्योगिक परामर्श देना ।

**भारत में औद्योगिक बैंक**—भारतवर्ष में औद्योगिक बैंक खोलने के अर्थमें प्रयत्न किये गये परन्तु इन प्रयत्नों को सफलता प्राप्त नहीं हो सकी । स्वदेशी आन्दोलन

के समय बहुत से बैंक भारत में खोले गये, परन्तु वे सब कुप्रबन्ध तथा मजालको की सट्टेबाजी तथा वैदेशीयों के कारण डूब गये। इनमें पिपुल्स बैंक, अमृतसर बैंक, मैसूर औद्योगिक बैंक, कलकत्ता औद्योगिक बैंक आदि थे। प्रथम महायुद्ध-काल में सन् १९१७ में टाटा औद्योगिक बैंक स्थापित हुआ, परन्तु युद्धकालीन तेजी (Boom) गमाम होने के बाद विश्व-व्यापी मन्दो (Depression) का शिकार बन गया और अन्त में इसे मेण्टून बैंक ऑफ इंडिया में मिला दिया गया। स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् पुनः प्राप्ति में उद्योग-धन्दा के लिये दीर्घकालीन ऋण की व्यवस्था के लिये विभिन्न सम्प्राप्ति की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश, बम्बई और महाराष्ट्र में भी औद्योगिक बैंकों की स्थापना की जा रही है।

**औद्योगिक अर्थ-प्रमण्डल (Industrial Finance Corporation)**— भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् हमारी राष्ट्रीय सरकार ने भी देश के उद्योग-धन्दों की दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन समस्याओं को हल करने के उद्देश्य में प्रेरित होकर जुलाई सन् १९४८ में औद्योगिक अर्थ-प्रमण्डल की स्थापना की है। इसकी अधिष्ठाता पूँजी १० करोड़ रुपये है जिसमें से ५ करोड़ रुपये की पूँजी प्राप्त हो चुकी है। इसके अन्वयारियों (Shareholders) को भारत सरकार ने अंशों की राशि और ब्याज का प्रावधान दिया है। कारोबार अर्थात् प्रमण्डल के पाँच-पाँच हजार रुपये के दम हजार अथवा अर्थात् संघट्ट केन्द्रीय सरकार, रिजर्व बैंक, बीमा कम्पनियों और सहकारी बैंकों में सौंपे हैं। इसका प्रबन्ध १२ मजालको अर्थात् आइवेटर्स के हाथ में है जिनमें से ६ सरकार द्वारा मनोनीत और ६ अन्वयारियों द्वारा निर्वाचित है। प्रमण्डल की पूँजी और संचित-कोष के मूल्य का पति गुना गुना उधार ले सकता है। यह उधार कम-से-कम पाँच वर्ष के लिये करता है। जो औद्योगिक सम्प्राप्ति इन्से उधार लेगी उन्हें अपनी लाभ दर को सीमित करना होगा।

**अर्थ-प्रमण्डल के कार्य—**(१) अर्थ-प्रमण्डल अर्धिक-मे-अधिक २५ वर्ष तक संयुक्त पूँजी वाली औद्योगिक कम्पनियों तथा सहकारी बैंकों को ऋण दे सकता है। (२) उनके द्वारा लिये गये दीर्घकालीन ऋणों की गारण्टी करना जो अर्धिक-मे-अधिक २५ वर्ष की अवधि के लिये पूँजी-बाजार में प्राप्त किमे गये है (३) उनके द्वारा जारी किमे गये सेयरो, स्टॉको, डिबेन्चरो (ऋण-पत्र) आदि का अभिगोपन करना। (४) उनके ऋणपत्रों को सरीदना जिनका भुगतान २५ वर्ष के भीतर-भीतर होने वाला है। (५) केन्द्रीय सरकार की अनुमति ग भारतीय उद्योगों को विदेशों में अथवा अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से ऋण विनवाला, आदि।

अर्थ-प्रमण्डल द्वारा दिया गया ऋण—प्रथम वर्ष में (१९४८-४९) अर्थ-प्रमण्डल ने उद्योगों को ३ करोड़ ४२ लाख रुपये की आर्थिक सहायता की। यह सहायता ऋण के रूप में दी गई है। जिन उद्योगों को आर्थिक सहायता मिली है वे इस प्रकार हैं— सूती तथा ऊनी वस्त्र उद्योग, टेल-मिलें, लोहा तथा इस्पात के उद्योग धातु-उद्योग, एल्यूमिनियम, इंजीनियरिंग, चीनी उद्योग, खाने, रेशम (कृत्रिम रेशम) उद्योग रसायन उद्योग, सोपेट उद्योग, चीनी मिट्टी तथा कपड़े के उद्योग आदि।

**निष्कर्ष—**भारत के आर्थिक विकास के लिये देश में उद्योगों की उत्पत्ति होना आवश्यक है। उद्योगों की उत्पत्ति का एकमात्र साधन औद्योगिक बैंकों की स्थापना

है। जर्मनी के उद्योग-धन्य ऐसे बैंकों की सहायता ही से इतनी अधिक उन्नति कर सके थे। दुर्भाग्य से भारतवर्ष में औद्योगिक बैंकों की संख्या अत्यल्प है। अतः देश की आवश्यकता के अनुसार औद्योगिक बैंक का तुलना विज्ञान आवश्यक है।

(ई) डाकघर के सचय बैंक (Postal Savings Banks)—जन-साधारण में मित-व्ययता (Economy) तथा सचय (Saving) की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से इन बैंकों की स्थापना की गई है। अल्पता में राशि जमा करना, उसे निकालने की सुविधा देना, नेशनल सेविंग्स सर्टिफिकेट देचना, जीवन बीमा-सम्बन्धी व्यवहार करना, आदि कार्य डाकघरों के सचय बैंक द्वारा किये जाते हैं। डाकघरों के सचय बैंकों में किसी भी व्यक्ति के खाने में अधिक से अधिक ₹५,००० रु० जमा किये जा सकते हैं। पदान्तरित महिलाएँ अपना रुपया अपने प्रतिनिधि के द्वारा जमा कर सकती हैं तथा निकाल सकती हैं। नाबालिग अथवा अल्पवयस्क (Minor) के नाम पर भी सरलक अभिभावक (Guardian) के द्वारा खाता खोला जा सकता है और जिसमें अधिक से अधिक ₹५,००० रु० जमा किये व निकाले जा सकते हैं। अकेले व्यक्ति के खाते में जमा कराये गये ₹०,००० रु० तथा मृत्युक्त नाम के खाते में जमा ₹०,००० रुपये पर व्याज प्रतिवर्ष २.५% मिलता है और इससे धाने की राशि पर प्रति वर्ष २ प्रतिशत। सेविंग बैंक का काम करने वाले सभी डाकघरों में सप्ताह में दो बार में अधिक-से-अधिक ₹,००० रुपये निकाले जा सकते हैं। सन् १९५८ से देश के समस्त हेड एंव सब डाकघरों में खाते रखने वालों को बैंक से राशि निचालने व जमा कराने की सुविधा प्रदान कर दी गई।

देश में डाकघरों के प्रतिरिक्त व्यापारिक बैंक भी अधिकतर सचय बैंक का कार्य करते हैं और उनके नियमादि भी लगभग डाकघर के सचय बैंक की भांति ही होते हैं। कुछ व्यापारिक बैंक सचय बैंक खातों में से बैंक द्वारा रुपया निचालने की सुविधा भी देते हैं।

बैंक निवास गृह (Bank Clearing House)—बैंक निवास गृह वह संस्था है जिसमें किसी एक स्थान के बैंकों के पारस्परिक लेन-देन का निपटारा किया जाता है। जिस सिद्धान्त पर हमने काम होता है वह बहुत ही सादा है। प्रत्येक बैंक इसमें के बैंक और दिव ले जाते हैं जिनका उसे अन्य बैंकों में भुगतान मिलना है। इसके बदले में उसे वे सब बैंक और दिव मिलने हैं जिनका भुगतान उसे करना होता है। इन लेन-देन का समांमोजन कर लेप (Balance) गात कर लिया जाता है और उसका निपटारा केन्द्रीय बैंक अथवा अन्य किसी प्रथितृत बड बैंक के बैंक से कर दिया जाता है। इस प्रकार प्रति दिन बैंकों में द्वारा लाया क प्राप्तो भुगतान बिना अपने लेन देन के ही हो जाते हैं।

लक्ष्म—(१) इस व्यवस्था में धन और समझ की वषन होगी है, क्योंकि बैंक की रकम की वकूली के लिये प्रायः वशों में अपना धारणा भेजने को आवश्यकता नहीं होगी। (२) बैंकों की अधिक नकद कोप नष्टो रखना पडता है। (३) इन्ग ग्राहक का सुजन होता है। (४) सुविधानक भुगतान-व्यवस्था में व्यापार में उन्नति होगी है। (५) बैंक के लाभ में वृद्धि होती है।

अभ्यासार्थ प्रश्न

इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—व्यापारिक बैंक के प्रधान कार्य क्या हैं ? भारत में मिथित पूँजी वाले अन्य कौन से बैंक कार्य कर रहे हैं ? संक्षेप में उनके प्रधान कार्य भी लिखिए ।  
(उ० प्र० १९५८, ५२)
- २—प्राधुनिक बैंक के साधारण कार्यों का वर्णन कीजिये । भारत की स्वदेशी साहू-कारी प्रणाली किस प्रकार विभिन्न है ? उदाहरणों सहित प्रथम उत्तर स्पष्ट कीजिये ।  
( उ० प्र० १९५७, ४६, ४३ )
- ३—भारतीय रिजर्व बैंक के महत्वपूर्ण कार्यों का विवरण दीजिये ।  
( उ० प्र० १९५५ )
- ४—भारत की देशी महाजनी प्रथा का संक्षेप में वर्णन कीजिए और इसकी प्राधुनिक बैंकों से तुलना कीजिए ।  
(रा० बो० १९६०)
- ५—बैंक की परिभाषा क्या है ? बैंक की विभिन्न किसमें बतलाइये और जिस प्रकार के कार्यों में वे निताप्यता प्राप्त करने हैं, उनका संक्षेप वर्णन कीजिए ।  
(रा० बो० १९५७)
- ६—भारतीय रिजर्व बैंक का विभाग तथा कार्य संक्षेप में वर्णन कीजिए ।  
(अ० बो० १९६०)
- ७—बैंक उत्पत्ति में किम प्रकार सहायक होने हैं ? भारतीय देशी बैंकों के कार्य और महत्व स्पष्ट कीजिये ।  
( रा० बो० १९५०, अ० बो० १९५१ )
- ८—बैंक उद्योग और व्यापार को किम प्रकार सहायता देते हैं ? क्या हमें वृद्धि, व्यापार व उद्योग की सहायता पहुँचाने के लिये भिन्न-भिन्न प्रकार के बैंकों की आवश्यकता होती है ? क्या ?  
( अ० बो० १९५५, ५२, ४६ )
- ९—रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया के मुख्य कार्य क्या-क्या हैं ? इसके लिये व्यापार पर क्या और क्या नियन्त्रण लगे हैं ?  
( म० भा० १९५४ )
- १०—व्यापारिक बैंक से क्या अभिप्राय है ? यह किस प्रकार उधार देता है ?  
( साधर १९५१ )
- ११—भारत में समुक्त पूँजी वाले बैंकों और देशी बैंकों की तुलना कीजिए । इनमें कौनसा अधिक उपयोगी है ?  
( विल्लो हा० सं० १९५० )
- १२—निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये —  
भूमि वापक बैंक (उ० प्र० १९४८, ४२, ४०, विल्लो हा० सं० १९५१)  
विनिमय बैंक (रा० बो० १९५६, ५२, ४६, नागपुर १९५३)  
बैंक निष्काम छूट (अ० बो० १९५०)  
समुक्त पूँजी वाले बैंक (अ० बो० १९४३, ४१, म० भा० १९५२)  
रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया (रा० बो० १९५१, ५०, अ० बो० १९५४)  
स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (अ० बो० १९५६)

असह्य लाग ऋण म जम गने हे ऋण म जीवन व्यतीत करत हे धोर मरते समय अरण ऋण का भार अपनी भविष्य की सतान पर छोड जाने हे ।<sup>१</sup>

—भारतीय कृषि राजकीय आयोग की रिपोर्ट

परिचय—वद्यपि प्रकृति न भारतवर्ष म कृषि की उत्पत्ति के सभी साधन पदान्ता भाषा म प्रदान किय है परन्तु फिर भी यहा की कृषि अवनत दशा म है और भारतीय कृषक रतन निचल है कि उह भरपूर भोजन भा नहीं मिन पाता । इस शाचनीय दशा का मुख्य कारण कृषका की भारी ऋण ग्रन्थना है । किसान मिर म परे तब ऋण म दतना दूबा रहता है कि उस गातिपूर्वक जीवन व्यतीत करना भी स्वैभ हो जाता है । इमार्थय यह कहा जाता है कि भारताय कृषक ऋण म पैदा हान है ऋण म जीवन व्यथान करन ह तथा ऋण म ही मर जान है । वास्तव म दखा जाय ता किमान महाजन क चशुल म पैसा दुप्रा है और सता ऋण क ब धन म जकडी हुई है ।<sup>२</sup> जा पैदावार मर म होती है उसका अधिकांग भाग लगान चुकान म चला जाता है । किसान क पास खान को भी नहा बचता । फिर भी महाजन का नरुण बचना ही रहता है वधाकि किमान स फसल क समय पूरा व्याज भी नहा चुकता । इस प्रकार किमान महाजन का प्राजेम आर्थिक दाम हा वना रहता है । कन्द्रीय वरिग अमटो क अनुमार भारतीय कृषक की वारिक आय ८२ ८० है और उत्तना प्रोमत ऋण आय म २५ गुना अधिक है । कृषि की उत्पत्ति करन तथा कृषक को आर्थिक उत्पत्ति क माग पर अग्रसर करन क निय धन आवश्यक हे कि किमाना के ऋण का भार कम दिया जाय और उह शोत्रनिगात्र ऋणमुक्त कराया जाय ।

शामीगा की अक्षन्मन्त्री आबदयवताएँ—धाय उद्योग यथा की भानि कृषि व्यवसाय क चदान क निय ना पूजा या धन की आबदयवता हानी है । भारताय कृषक निचल हान क कारण अपनी समस्त कृषि सम्पत्ती आबदयवताआ की

— Innumerable people are born in debt live in debt and die in debt passing on their burden to those who follow them

*Indian Agricultural Royal Commission Report*

— The Country is the grip of the Mahajan It is the bonds debts that shackle agriculture

—H Wolff *Cooperation in India* p 3

पूति प्रायः ऋण लेकर ही करते हैं। अतः, भारतीय किसानों के ऋण निम्नांकित भागों में विभक्त किये जा सकते हैं :—

(१) अल्पकालीन ऋण—भारतीय किसान अपनी अल्पकालीन आवश्यकताओं की पूति के लिये जो थोड़े समय के लिये ऋण लेता है उसे 'अल्पकालीन ऋण' कहते हैं। उदाहरणार्थ, खाद, बीज आदि खरीदने के लिये घोर लगान व यमिकों को वेतन चुकाने तथा फसल बाटने आदि का खर्चा चुकाने के लिये अल्पकालीन ऋण की आवश्यकता होती है। इसकी अवधि अधिक से अधिक १—१० महीने होती है तथा यह प्रायः फसल के उपरान्त ही चुका दिया जाता है। अतः व्याज की दर संचित होनी चाहिये।

(२) मध्यकालीन ऋण—दधु व कृषि के धोखार खरीदने तथा माधारण-तया भूमि में सुधार करने के लिये होने वाले व्ययों के लिये जो ऋण लिया जाता है वह 'मध्यकालीन ऋण' कहलाता है। इसकी अवधि एक वर्ष से लेकर पांच वर्ष तक होती है।

(३) दीर्घकालीन ऋण—जो ऋण कृषि सुदवाने, भूमि में स्थायी सुधार करने, पुराने ऋण चुकाने, भूमि खरीदने आदि कार्यों के लिये लिया जाता है वह 'दीर्घकालीन ऋण' कहलाता है। इसकी अवधि ५ से २० वर्ष तक की होती है।

विभिन्न ऋण आवश्यकताओं की पूति के साधन—भारत में ग्रामीणों को ऋण देने के लिये महाजन या साहूकार, देवी बैंकर, सरकार, महकरी भाग समितियों, भूमि-व्ययक बैंक, व्यापारिक बैंक, रिजर्व बैंक आदि सम्प्राप्त हैं। भारतीय किसान अपने आवश्यकताओं का अधिकतम भाग गाँव के महाजन या साहूकार से ऋण लेकर पूरा करता है। सरकार द्वारा उसे तकावी के रूप में ऋण मिलता है। महकरी भाग समितियों द्वारा भी ग्रामीणों को ऋण की सुविधाएँ प्राप्त हैं। रिजर्व बैंक भी किसानों को ऋण देता है परन्तु यह अपर्याप्त है। इनमें इपक की नेपल अल्प तथा मध्यकालीन ऋणों की ही आवश्यकताओं की ही पूति हो सकती है, परन्तु दीर्घकालीन ऋण के लिये कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं है। अतः भूमि व्ययक बैंकों के विकास एवं प्रसार में दीर्घकालीन ऋण की समस्या बहुत कुछ हल की जा सकती है।

ग्राम्य ऋण का रूप (Nature of Rural Indebtedness)—किसान को अपने उत्पादक (Productive) तथा अनुत्पादक (Unproductive) कार्यों के लिये ऋण लेना पड़ता है। किसान अपने उत्पादक-कार्यों के लिये बहुत ही थोड़ा ऋण लेता है। अनुमान लगाया गया है कि सम्पूर्ण ऋण का ३०% उत्पादक ऋण है, शेष ७०% अनुत्पादक ऋण है जो किसान द्वारा प्रायः विवाह, मृत्यु-भोज, श्राद्ध आदि सामाजिक कार्यों के लिये लिया जाता है। डार्लिंग (Darling) का अनुमान था कि पंजाब के ऋण में से केवल १% भूमि सुधार के लिये व्यय किया गया था और अन्य स्थानों के विषय में भी यही अनुमान था।

उत्पादक कार्यों के लिये तो उन्हें ऋण बैंकों आदि से मिल जाता है परन्तु अनुत्पादक-कार्यों के लिये उन्हें महाजनों, साहूकारों और नागुनियों आदि का गहारा लेना पड़ता है। ये लोग कभी-कभी १००% से ४००% तक व्याज लेते हैं। इन प्रकार से मूलधन तो धोखा ही होना है परन्तु व्याज मूलधन में कई गुना प्राये ऋण जाता है, और वे कई पीढ़ियों तक इस ऋण के बोझ को ढोते रहते हैं।

ग्राम्य ऋण का अनुमान—भारतव्य में ग्राम्य ऋण की मात्रा का अनुमान नई बार लगाया जा चुका है। परन्तु यह सब अनुमान मात्र ही है वास्तविक आँकड़ों व भी भी प्राप्त नहीं जा सके हैं।

(१) सब प्रथम सन् १८७१ ई० में (Deccan Riots Commission) ने ग्राम्य ऋण की समस्या पर भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया था।

(२) सन् १८८० व १९०१ में दमिष्ठ आयोग (Famine Commission) ने बताया कि लगभग एक तिहाई से अधिक किसान ऋण व लोहे रपी गिरजा में जड़ हुए हैं।

(३) सन् १८९४ में सर फ्रैंक निकोलसन (Sir F. Nicolson) ने अनुमान लगाया कि महाराष्ट्र प्रांत में ग्राम्य ऋण की मात्रा ४१ करोड़ रुपये के लगभग थी।

(४) सन् १९११ में सर एडवर्ड मकलैगन (Sir E. MacLagan) ने सम्पूर्ण ब्रिटिश इण्डिया में ग्राम्य ऋण का अनुमान ३०० करोड़ के लगभग बताया।

(५) सन् १९२४ में सर एम० ए०० डार्लिंग (Sir M. L. Darling) ने ग्राम्य ऋण की मात्रा ६०० करोड़ रुपये बतलाई।

(६) सन् १९२० में भारतीय केंद्रीय जांच समिती (Central Banking Enquiry Commi see) का रिपोर्ट में अनुसार यह लगभग १०० करोड़ रुपये था।

(७) सन् १९३४ में श्री स्वामीनाथन ने मद्रास का ऋण २०० करोड़ रुपये के लगभग आँका था।

(८) सन् १९३५ में डाक्टर रामास्वामी अय्यर के अनुसार यह १२०० करोड़ रुपया था।

(९) सन् १९३७ में रिजर्व बैंक के कृषि सख विभाग ने खोजबीन करके निश्चय किया कि ग्रामीण ऋण १८०० करोड़ रुपये के लगभग था।

(१०) सन् १९३८ में मनम (E. V. S. Mainam) के अनुसार यह १८०० करोड़ रुपये के लगभग था।

(११) सन् १९४१ में डाक्टर पी० जे० थॉमस (Dr. P. J. Thomas) के अनुसार ग्राम्य ऋण की मात्रा ६००० करोड़ रुपये थी।

(१२) सन् १९४५ में कृषि ऋण प्रगतिता उपसमिति ने अनुमान लगाया था कि ग्रामीण ऋण लगभग ८२५ करोड़ रुपये का रहे गया है।

(१३) द्वितीय महायुद्ध के बाद यह ऋण धीरे-धीरे घटने में कम हो गया और यह अनुमान लगाया जाता है कि ऋण की मात्रा प्रायःकन लगभग ५०० करोड़ रुपये ही है।

इन अन्वेषणों के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रामीण ऋण घटने में निश्चय ही कम हो गया है। द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ होने के कुछ समय पश्चात् प्रायः वस्तुओं के साहस प्रायः कृषि उपज के भी भाव बढ़ गया। वह हुए प्रायः महायुद्ध के समाप्त होने तक ही नहीं रहे बल्कि युद्धांतर का समय भी यही परिस्थिति है। इसमें कृषकों की अपनी उपज का अधिक मुद्रा मिलने तथा और व अपने पुराने ऋण व कुछ भाग को चुकाने में समय हो सके हैं। कुछ विद्वानों की यह भी धारणा है कि सह-कारिता आन्दोलन के कारण ऋण का मात्र कुछ कम हो गया है। भारतव्यय में सह-



कारिता आन्दोलन की प्रगति आशातीत नहीं है, इसलिये ऋण के भार से कम होने का सारा यश इनको नहीं मिल सकता ।

**ग्राम्य ऋण के कारण ( Causes of Rural Indebtedness )—**  
भारतवर्ष में ग्राम्य ऋण के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

१. पैतृक-ऋण—भारतीय ग्राम्य-ऋण की यह विशेषता है कि पिता का ऋण उसकी मृत्यु के पश्चात् उसके पुत्रों पर चला जाता है । जनता की यह धारणा है कि यदि कोई मनुष्य ऋणी अवस्था में मरता है तो उसकी आत्मा को शान्ति नहीं मिलती, अस्तु, मृतक पुत्र की सन्तान भगना धार्मिक कर्त्तव्य समझती है कि पैतृक ऋण अल्पम चुकाया जाय । इसका परिणाम यह होता है कि प्रत्येक पिता अपने पुत्र के ऊपर ऋण का भार छोड़ जाता है इसीलिये कहा जाता है कि "भारतीय किसान ऋण में पैदा होता है, ऋण में ही जीवन व्यतीत करता है तथा ऋण में ही मरता है और ऋण का भार अपनी सन्तान पर छोड़ जाता है ।"

२. भूमि पर जन-सह्या का दवाव—भाजक जनसंख्या तीव्रगति से बढ़ती जा रही है । किसानों का एक मात्र साधन ज़मीन होनी के फलस्वरूप अत्यधिक परिवार सेतों की अर्थ में ही अपना भरण पोषण करते हैं । ज़्यादा जनसंख्या में वृद्धि होती जाती है, एतन्वो भूमि पर अधिक दवाव पड़ता जाता है अर्थात् किसानों की आय कम होने में परिवार का सर्वा नहीं चल पाता और निधन किसानों को विवश होकर ऋण लेना पड़ता है ।

३. सेतों का उभ विभाजन एवं अपखण्डन—छोटे-छोटे एवं छिटके हुए सेत होने के कारण किसान आधुनिक किसानों के ढंग प्रयोग में नहीं ला सकते । परिणाम यह होता है कि किसानों की आय बहुत कम हो जाती है जिससे परिवार का भरण-पोषण करना कठिन हो जाता है । ऐसी अवस्था में विवश होकर महाजन से ऋण लेना आवश्यक हो जाता है ।

४. सेतों की अनिश्चितता—भारतवर्ष में सेतों का काम ज़ुए का खेल है । कभी वर्षा कम होती है जिससे फसल पट जाता है, कभी अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आ जाती है जिससे फसल नष्ट हो जाती है, कभी फसल में कीड़े लग जाते हैं और कभी विद्वेष सेतों साफ नष्ट होती है । किसानों को अपने जीवन निर्वाह के लिये ऋण लेने के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं रहता ।

५. सेतों की कम उपज—भारतीय कृषक के पास पर्याप्त भूमि नहीं है । जो कुछ भूमि है वह छोटे-छोटे और बिसरे हुए सेतों में है । अस्तु, गहरी सेतों नहीं हो सकती और उपज कम होती है । कम उपज होने के कारण किसानों की सब आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो सकती और उसे विवश होकर ऋण लेना पड़ता है ।

६. पशुओं की मृत्यु—प्रकाल तथा बीमारी के कारण खेती के पशुओं की प्रकाल मृत्यु होने में किसानों की आर्थिक स्थिति और भी कमजोर हो जाती है और उसे बिल आदि तरीक़ों के लिये ऋण लेने के लिये बाध्य होना पड़ता है ।

७. पुराने ढंग के कृषि-यन्त्रादि—भारतवर्ष में जैसे प्राचीन एवं पने-पने हुये देश में पुराने औजारों से गहरी सेतों सलाभ नहीं की जा सकती । बिना सलाभ सेतों के किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता ।

— अन्ध और उत्तम धरा के बीज—सती की उपज में वृद्धि कम व लिय अन्ध और उत्तम बीजा का प्रयोग आवश्यक है। सती की उपज कम होने पर किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार होना स्वाभाविक है।

८. किसानों का दुःख स्वास्थ्य—सती के समय किसान प्रायः मरतिया प्रादि बीमारियाँ में ग्रस्त रहते हैं जिसके कारण उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है और उनकी काय मत्ता में ह्रास होने से किसान पूरा काय नष्ट कर सकता जिसमें आय में बर्बादी भी हो जाती है।

१०. महायक उद्योग धंधा का अभाव—किसान प्रायः वर्ष भर में ६ या ७ महान बकार रहते हैं उस अवधि के समय में वह कुछ काम करके अपना आय बचा सकते हैं किन्तु धरतू उद्योग धंधा के कारण उनका आय कम रहती है और बर्बादी के समय उन्हें कुछ करना पड़ता है।

११. ग्राम्य शास्त्र संग्रहण का अभाव—आजकल मास महत्कार मंत्रि विद्या का स्तनी क्या है कि किसान का विज्ञान होकर महान्त के पास जाना पड़ता है। महान्त किसान का एक बार सजुन में लिये बाद बर्बादी ही कर्मिना में निरन्तर देता है।

१२. व्याज का ऊँची दर—किसान को जब कुछ करना पड़ता है वह व्याज पीछा नहीं देखता और वह अधिक मर्यादित व्याज की दर का तयार हो जाता है। याना कि महान्त किसान की निधनता तथा विज्ञानता का पूरा लाभ उठाता है और ऊँची व्याज का दर पर कुछ देता है।

१३. मुकदमवाजा—भूमि तथा अन्य के कारण प्रायः कुछ मुकदमवाजी में फँस जाते हैं। कभी कभी पारम्परिक कानून के कारण भी पीड़ित हो जाते हैं और वे प्रायः कानूनी पक्ष में होते हैं। मुकदमवाजा में उन्हें बर्बादी करना पड़ता है। इस लक्ष का वे जगह तक पूरा करते हैं।

१४. किसानों की पिछूतता—किसानों की स्थिति बर्बादी में निरन्तर है और अन्त में वे अन्ध मूर्खता से ही समय निचालते हैं परन्तु विवाह, मृत्यु भोज आदि सामाजिक समारोहों के अवसरों पर वह श्रमण तथा सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखने के हेतु अपने परिवार में क्या ही कुछ पैसे का खर्चना में जुगनू में निचालते हैं। वह इन अवसरों पर अपने सामान्य के गहरे खर्च कर देता है निरन्तर कारण उन जगह होना पड़ता है।

१५. सरकार का जमाने नानि—भारत में जमीन का अधिकांश खर्च हुए (सन् १९५० में पूर्व) जमाने अधिक है और मर्यादा में दफ्तरी किया जाता है। फसल खराब हो जाने पर उस निश्चित मर्यादों जमाने खर्च का निचालना पड़ता है। एसा अग्रमाने किया गया है कि पांच वर्ष में एक फसल अन्ध होनी है २ फसल साधारण होनी है और १ खराब होना है। इसी फसल हानि पर उस इतना ही मिलता है जितना उस जीवन स्तर के लिये आवश्यक है और फसल खराब होने पर दूसरा का अधिकांश रचना पड़ता है।<sup>१</sup>

१६. वृषणा का परिद्विन्दु अधिकांश—त्रिणि नारायण के स्थिति हानि पर यातायात के व्यापार में वृद्धि हुई जिसके कारण भूमि का मूल्य बढ़ गया। भूमि का

मूल्य बढ़ जाने से किसान भी अपनी भूमि को धरोहर के रूप में रखकर अधिक ऋण लेने में समर्थ हो गये। आजकल सब वस्तुओं के भावों में वृद्धि हो जाने से भूमि का मूल्य भी बढ़ा हुआ है। इस कारण से किसान को अधिक ऋण मिल जाता है।

१७ महाजन और उसके दण्ड—महाजनों के ऊँठे हिमाच तथा मनकारियों के कारण भी किसान ऋण-ग्रस्तता के कुबक्र से नहीं छूट पाते। महाजन १०० ६० करण देकर २०० ६० का हक्का लिखवा लेता है कभी कभी कोरे स्वके पर ही निशानी भंगूठा बनवा लेता है, बहुधा किसान के दिमै हुए रुपये हिमाच में जमा नहीं करता। वही खाते में भूठी रकम नाम तिल देना है। इस प्रकार किसान ऋण के धक्र में नहीं निकल पाता।

१८ आशिक्षा—आशिक्षा किसान अशिक्षित होते है। अत वे भोग्य ही महाजन क घोवे म घा जाते है और उसकी राय के अनुसार मुकदमवाजी तथा सामाजिक रीति रियाज पर किन्तुलखर्च कर बैठते है जिसमे ऋण लेने की आवश्यकता सर्वेव बनो रहती है।

१९ ऋण मिलने की सुगमता—महाजन ने किसान ऋण कितो भी समय बिना कापजी कापवाही के तुरन्त प्राप्त कर सकता है जबकि सहकारी मास समितियों में बड़ी कम्पिनाई व काफी समय के बाद प्राप्त किया जा सकता है। यह सुविधा उसे मदैव महाजन का ऋणी बनाय रखने का प्रोत्साहन देती है।

ऋण प्रस्तता क दुपरिराम (Debt of Indebtedness)—ऋण प्रस्तता का किसान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है (१) यह सदैव इस चिन्ता में डूबा रहता है कि ऋण को कम चुकाये। इस कारण धीरे धीरे उसका स्वास्थ्य बिगड जाता है और उसकी काय कुचनता नष्ट हो जाती है। (२) उसको इस बात की कोई र्चि नहीं रहती कि वह अपनी उत्पाति बढ़ाये क्यकि वह जानता है कि वह जो भा उपज करेगा वह उसके पाम नहीं रहेगा। अपने परिश्रम का फल न चखने के कारण वह निराशावादी हा जाता है। (३) ऋणी होने के कारण किसान अपनी पसल को उचित स्थान, समय और मूल्य पर नही बेच सकता। उसको अपनी फसल गाव के महाजन को सस्ते दामो पर बेचनी पडती है। इस प्रकार भूमि का बहुत-सा भाग महाजनों के हाथ में चना जाता है और किसान भूमि रहित मजदूर बन जाता है। सन् १९२१-२२ के बीच इस प्रकार के भूमि रहित मजदूरों की संख्या २६१ प्रति हजार से बढ़कर ४०७ प्रति हजार हो गई थी। (४) ऋण के दबाव के कारण किसान को महाजन के कई काम निगुलक करने पडत है। वह अपने को उससे सामने बहुत छोटा समझता है। एक प्रकार से किसान महाजन का दाघ बना रहता है और इस कारण उसका नैतिक पतन हो जाता है। (५) ऋण प्रस्तता के कारण किसान सदैव निघन रहता है और उससे रहन-गहन में कोई उन्नति नहीं हो सकती।

ग्राम्य ऋण-प्रस्तता की समस्या का निराकरण (Solution of the Problem of Rural indebtedness)—ग्राम्य ऋण प्रस्तता की समस्या का विवचन दो भाग में विभक्त किया जा सकता है—(अ) दुस्तके से श्रुतकाल के ऋण की समस्या और (ब) नव या भावी ऋण की समस्या।

१— In good years the Cultivator has nothing to hope for except bare subsistence and in bad years he falls on public charity

—Famine Commission, 1901

## (अ) पुराने या भूतकाल के ऋण का समस्या का निराकरण

१ भूमि-वधक बक ( Land Mortgage Banks )—बुधका का अधिकारण ऋण पुराना तथा पतुक है। पुत्र अपने पिता क लिए हुए ऋण को चुकाना अपना परम कर्तव्य समझता है और उसका यह विश्वास होता है कि यदि वह उनका ऋण नहीं चुकायगा तो वे नरकगामी होंगे। ऋण चक्रवृद्धि व्याज में इतना बढ़ जाता है कि उनके लिये ऋण का चुगाना करना बहुत कठिन हो जाता है। अतः ऋण पिता ने पुत्र को हस्तांतरित होता रहता है। इस दिशा में सहकारिता के आधार पर स्थापित भूमि-वधक बक का उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। य धक भूमि गिरवी रखकर एक लम्बे समय के लिए ऋण देते हैं जिन्हें पुराने एवं पतुक ऋण चुकान में सुविधा मिल जाती है। परंतु इन बका में केवल वे ही लोग लाभ उठा सकते हैं जिनके पास गिरवी रखने को भूमि होती है अथ नहीं।

२ सरकारी कानून—बिना बिना प्रान्तीय सरकार ने ग्रामाण ऋण को पटाने के लिए समय समय पर कई कानून पास किये। सबसे पहला प्रामोण ऋण को भोदगता का ध्यान गन १८७५ ई० में दक्षिण के सबसे कमोशन ने प्रावर्षित किया क्योंकि उसमें कई स्थाना पर किसाना ने महाजनता को मार डाला और उनके बहीखाने जला डार। उक्त कमोशन ने महाजनता का मूद को ऊ जो दर लेना बलबे का कारण बताया था।

(क) ग्रामोण ऋण का भार कम करने के लिये कई कानून पास किये गये। उदाहरणार्थ उत्तर प्रदेश में मत् १८७६ में (Agriculturist Relief Act) पास किया गया जिसके अनुसार कोई भी किसान भ्रश न देने पर जेल नहीं भजा जा सकता तथा कोई भी साहवार अधिक व्याज की दर नहीं लगा आदि। इसी प्रकार कौमीद ऋण कानून ( Usurious Loans Act ) पास किया गया। इस कानून के अनुसार सरकार द्वारा अधिकतम पधिक व्याज की दर निर्मित कर दी जाती है। सरकार व्याज की दर को घटा भी सकती है। यह कानून पश्चिमी बंगाल, मालम मध्य प्रदेश, पूर्वी पंजाब उत्तर प्रदेश, मद्रास, बिहार आदि में कुछ संशोधन क साथ पास किया गया। पंजाब के भूमि-हस्तान्तरण ऐक्ट ( Punjab Land Alienation Act ) के अनुसार पंजाब में किसाना की भूमि ग्रहणका के पास रण १६०० से नहीं जा सकती तथा रण १६३८ से वह टपक-महाजनता ने पास भी नहीं जा सकते हैं।

(ख) किसाना का कम व्याज पर ऋण मिलने की सुविधा देने क लिये सरकार द्वारा निम्नलिखित कानून पास किय गय।

(१) तत्काली ऋण के कानून १८७१-७६-७६ में ( Tagore Act in 1871-76-79)

(२) भूमि सुधार के लिए ऋण देन के लिए कानून १८८३ ( Land Improvement Loans Act 1883)

(३) किसाना को ऋण देने का कानून १८८४ (Agriculturist Loans Act 1884)

इसमें से पहले दो जानूना के अन्तर्गत भूमि के स्थायी सुधार के लिए सरकार सरती ब्याज दर पर कई वर्षों के लिए ऋण देती है तथा दूसरे कानून के अनुसार उत्पादन बार्थों के लिए मोड समय के लिए कम ब्याज पर ऋण दिया जाता है।

(४) सरकार ने सन् १९०४ में सहकारी समितियां या कानून भी पास किया जिसके अन्तर्गत कृषक की दीर्घकालीन अर्थात् पुरान ऋण को चुकाने तथा भूमि पर स्थायी सुधार करने के हेतु भूमि-बन्धन बैंक खोले गये हैं तथा कृषक की अल्पकालीन आवश्यकता पूर्ण करने के लिए सरकारी साल समितियां कार्य कर रही हैं।

(ग) महाजन की ऋण देने की दूषित कार्य प्रणाली को रोकने के लिये निम्न कानून पास किये गये।

(१) पंजाब का हिसाबा को नियमित रूप में रखने का कानून १९३० (Punjab Regulation of Accounts Act 1930)

(२) बम्बई का साहूकार सम्बन्धी कानून १९३८ (Bombay Money lenders Act 1938)।

(३) उत्तर प्रदेश का साहूकार सम्बन्धी कानून १९३४ (U P Money enders Act 1934)

इन प्रान्तों के अतिरिक्त पंजाब, मध्य प्रदेश, आसम, मद्रास, बिहार व उड़ीसा में भी कानून पास किये गये हैं। इन कानूनों के अन्तर्गत साहूकारों या महाजनों को रजिस्ट्री कराना व लाइसेन्स (अनुज्ञा पत्र) लाना, नियत ब्याज और निर्धारित विधि में हिसाब-किताब रखने के लिए बाध्य किया जाता है।

(घ) राज्य-सरकार ने ऋण समझौता कानून (Debt Conciliation Acts) भी पास किये हैं। इस सम्बन्ध में C. P. Debt Conciliation Act 1933 Punjab Relief of Indebtedness Act 1934, Bengal Agricultural Debtors Act 1935, Assam Debt Conciliation Act 1935 Debt Reconciliation Act Madras 1936 पास हो चुके हैं। कई स्थानों में मेन मिलाप समितियां (Conciliation Boards) भी स्थापित किये गये हैं।

(ङ) कई प्रान्तों में कानून के द्वारा किसानों के ऋण में अनिवार्य रूप से कमी करने की व्यवस्था की गई है। इस सम्बन्ध में Madras Agriculturist Relief Act 1938, C. P. & Berar Relief of Indebtedness Act 1939, Bombay Agricultural Debtors Relief Act 1939, U. P. Agriculturist Debt Redemption Act 1939 पास किये गये हैं। इनके अन्तर्गत गणपतियों को यह अधिकार दिया गया है कि वे ऋणदाता को भूल क दुगन में अधिन राशि नहीं विसलाखने अर्थात् दमदुपट (Damdupat) नियम लागू किया जावेगा। इसमें अतिरिक्त कृषक ब्याज की राशि में कमी करने तथा ब्याज का हरा क निवारण के भी अधिकार दिये गये हैं।

(च) कानून जाब्ता दोवानी (Civil Procedure Code) में सुधार— इस कानून में संशोधन किया गया है जिसमें अनुसार किसान के शौजार, शर्तों के अनुसार की बुकी तथा विक्री नहीं हो सकने और किसान वर्गों को बंद नहीं किया जाता और उसकी विस्ता द्वारा ऋण चुकाने की सुविधा प्रदान की जाती है।

३. ऋण चुकाने की अवधि में वृद्धि करने का कानून (Moratorium Laws)—ऋण चुकाने की अवधि में वृद्धि करने के उद्देश्य से मध्यम एवं १९३४ में उत्तर प्रदेश में U P Temporary Regulation of Execution Act पास किया गया। तदन्तर मध्य प्रदेश तथा बम्बई प्रान्तों में भी इस प्रकार के कानून पास किये गये। इन कानूनों के अन्तर्गत डिबिया की इजराय (Execution) को स्थगित कराने का अधिकार किमाना को प्राप्त हो गया।

(आ) नये या भावी ऋण की समस्या

१. नए लेने वाले पर नियन्त्रण—प्रायः देखा जाता है कि निम्न अनुसूचित वर्गों के लिए अर्थात् विवाह आदि उत्सवों पर आवश्यक भत्ता उधार लेता है। अतः निम्न साधना द्वारा यह ऐसा करने में रोका जा सकता है।

(क) शिक्षा एवं प्रचार—शामीणों के लिए कम से कम प्राइमरी शिक्षा का प्रबंध आवश्यक होना चाहिए। प्रचार (Propaganda) द्वारा वृषका के अनुत्पादन ऋण में भारी कमी की जा सकती है।

(ख) ऋण वापस करना—खराब पसल वाले वर्षों में ऋण माफ कर दिया जाय।

(ग) डाकघर सचय धक का स्थापना—गांव में डाकघर सचय बक स्थापित किये जायें जो गांवों में मित-व्ययता का प्रचार करें।

(घ) सुव्यवस्थित रहन-सहन का प्रचार—शामीण समाज में सुव्यवस्थित रहन-सहन का प्रचार किया जाय।

(२) ऋणदाता पर नियन्त्रण—ऋणदाता का नियन्त्रण भी उतना ही आवश्यक है जितना कि ऋण लेने वाले का। साहकारी ऋण व लिये वाइजम प्राप्त करवा आवश्यक करने के अनिच्छित साहकारों के विनाश-विनाश तथा उनकी व्याज दर पर भी नियन्त्रण करना आवश्यक है। कई राज्यों में साहकारों का नियन्त्रण कानून भी पास कर दिया गये है।

३. ऋण नियन्त्रण—ऋणदाता द्वारा ऋणों का प्रायोग नये उमका दुःख पहुँचाने का प्रयत्न अर्थशास्त्रीय समझा जाना चाहिए। मध्य प्रदेश बम्बई बंगाल तथा उत्तर प्रदेश आदि में ऐम कानून बना दिया गये है कि यदि कोई महाजन ऋणों का प्रयोग करने या उमका कष्ट पहुँचाने की चष्टा करेगा तो उन उचित दण्ड दिया जायगा।

योजना और शामीण ऋण—शामीण साहकारी ऋण आंदोलन द्वारा इस प्रकार अनुसूचित वर्गों की गयी है कि उसका २०० करोड़ १० का जो निर्धारित लक्ष्य है वह अत्यंत पंचवर्षीय योजना काल में अतः संपूर्ण ही प्राप्त कर लिया जायगा।

१९५०-५१ की तुलना में गांवों में प्रस्तावित मध्यम व अल्पकालीन ऋणों में लगभग ५०० प्रतिशत की वृद्धि हो भी चुकी है। १९५०-५१ के लिये जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है उसका पूर्ण १४० करोड़ ६० कर दिया जायगा। १९५७-५८ में साहकारियों द्वारा ऋणों की संख्या १०० करोड़ तक हो जायेगी।

निष्कर्ष—ग्राम्य ऋण समस्या को हल करने के लिये समय समय पर बहुत-से प्रयत्न किये गये ह पर अभी प्राणतीत सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है। नाना प्रकार के नियंत्रणों के लगाये जाने के कारण गाँव के महाजना ने कृषकों को ऋण देना बन्द सा कर दिया है और उधर सहकारी माध्य समितियों का अभाव है। भारत सरकार ने किसानों की इस आवश्यकता को पूर्ण के लिये ग्रामीण बैंकिंग जाँच समिति गैडगिल कमीशन और कृषि सुधार-समिति नियुक्त की थी। इन समितियों का विचार था कि भूमि बंधक बैंकों और सहकारी समितियों के द्वारा ही किसानों के दीर्घकालीन मध्यकालीन और अल्पकालीन ऋणों का प्रयत्न कराया जाना चाहिए। गैडगिल कमीशन ने कृषि साख कॉर्पोरेशन (Agricultural Credit Corporation) स्थापित करने का सुझाव भी रखा था। बम्बई सरकार ने कृषि साख संगठन के लिये नानावटी समिति की नियुक्ति की। सहकारी साख समितियाँ यदि कृषकों की फसल की बिक्री का कार्य भी अपने हाथ में ले लें तो कृषकों की आर्थिक स्थिति कुछ सुधर सकती है तथा ऋण की मात्रा में भी कमी हो सकती है।

### अभ्यासाय प्रश्न

#### इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—भारतवर्ष में किसानों के ऋणों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के वर्तमान माध्यमों का विवेचन कीजिये। उनमें उत्तम के लिये आप क्या सुझाव दे सकते हैं ?
- २—भारत में ऋण प्रस्तुता के क्या कारण हैं ? सहकारी माध्य-समितियों ने इस समस्या का कहीं सब हल किया है ? (रा० बो० १९४६, अ० बो० १९४२, ४६)
- ३—ऋणदानों का नाश हो 'क्या' आप इस विचार से सहमत हैं ? कारण सहित उत्तर दीजिए। (रा० बो० १९५७)
- ४—भारतीय कृषकों की दृष्टिगत क्या कारण हैं ? दरिद्रता निवारणार्थ सुझाव दीजिए। (सागर १९५५, सागर १९५७)
- ५—भारत में ऋण प्रस्तुता के कारणों का वर्णन कीजिये और उनमें हल करने के उपाय बताइयें। (सागर १९५१)
- ६—भारत के ग्रामीण ऋणों में भारत से प्राप्त क्या समझते हैं ? उसमें व्यापार पर क्या नियंत्रण लग है ? क्या आप समझते हैं कि किसानों ने गत दस वर्षों में अपना ऋण भार घटा लिया है ? (म० भा० १९४४)

## सहकारिता आन्दोलन (Cooperative Movement)

“यदि सहकारिता अमफल होनी है, तो ग्रामीण भारत की सर्वोच्च आशा भी अमफल हो जावेगी।”  
—भारतीय कृषि राज्यकीय आयोग

परिचय (Introduction)—सहकारिता न पूँजीवाद है और न साम्यवाद है। यह इन दोनों के मध्य एक ऐसा प्रयत्न है जिसमें पूँजीवाद के सब दुर्गुण दूर करते हुए समाजवाद के सब गुणों को प्राप्त करने का प्रयत्न किया गया है। इसलिये आज कई राष्ट्रों का तो सहकारिता मूल-मंत्र ही गया है। यह निर्धनों का बल है, असहायों का सहयोग है, और निर्धनों का धन है। इसे अधिक स्पष्ट करते हुए यों कहा जा सकता है कि सहकारिता आन्दोलन निर्धन तथा असहाय व्यक्तियों के लिये होता है। इसमें वे सब लोग जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो अथवा जिनको पूँजी-पतियों द्वारा नुष्टे जाने की आशंका हो एक साथ मिल जाता है और कुल धन एकत्रित करते हैं। इस धन में तथा संगठन के बल पर ऋण द्वारा प्राप्त कृषि द्रव्य और धन से वे अपनी आर्थिक, नैतिक तथा सामाजिक उन्नति करने का प्रयत्न करते हैं, और इस प्रकार अपनी योग्यतानुसार अपना पूर्ण विकास करते हैं। हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जापान और जर्मनी तथा चीन में जो महान् उन्नति की है वह सहकारिता, आन्दोलन के फलस्वरूप ही मुख्यवस्तुत्त रूप में सम्भव हो सकी है। निस्सन्देह यह कहा जा सकता है कि सहकारिता आज राष्ट्रों की रीढ़ है।

सहकारिता का अर्थ एवं परिभाषा—सहकारिता आन्दोलन का मुख्य सिद्धान्त पारस्परिक सहयोग तथा मदभावना है। अतः सहकारिता वह संगठन है जिसके अन्तर्गत व्यक्ति स्वच्छता से संगठित होकर सर्वहित के लिये सम्मिलित कार्य करते हैं। सहकारिता में स्वार्थ का स्थान सहयोग में होता है। अन्य पदार्थों में, अपनी सामान्य आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये समान स्तर पर मिलकर काम करने वाले व्यक्तियों के ऐच्छिक संगठन को ही सहकारिता कहते हैं। सहकारिता का आर्थिक अर्थ आपस में मिल-जुलकर काम करना है, किन्तु अर्थशास्त्र में इसका अर्थ उक्त संगठन में होता है जिसमें पारस्परिक सहयोग ऐच्छिक है, मददों का दर्जा बराबरी का है और उनका उद्देश्य किसी आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति करना

<sup>1</sup> “If Cooperation fails, there will fail the best hope of rural India”  
—Report of Royal Commission on Agriculture.



का मुख्य उद्देश्य मध्यजनों ( Middleman ) का लोप करना और स्वर्द्धा की इतिश्री करना है ।

सध्वेता सैनिगमेन ( Seligman ) के अनुसार सहकारिता का विशिष्ट अर्थ वितरण व उत्पन्न वन में स्वर्द्धा का अभाव तथा समस्त प्रकार के मध्यजनों के लोप से है ।<sup>1</sup> दूसरे, बिडान स्ट्रकलैंड (Stuckland) कहते हैं कि व्यक्तियों का प्रत्येक समूह जो समुक्त प्रयत्न द्वारा सर्वहित के लिए एक दूसरे से मिलता है, सहयोग देते हुए बहलाता है ।

सहकारिता की विशेषतायें (Characteristics)—सहकारिता की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं —

(१) सहयोग ऐच्छिक (Voluntary) होता है । (२) सदस्यों का दर्जा बराबरी का होता है । (३) इसका उद्देश्य किसी आर्थिक आवश्यकता को पूर्ति करना होता है । (४) आर्थिक विकास के साथ साथ इसमें नैतिक विकास पर भी उतना ही महत्त्व दिया जाता है । (५) इसमें मितव्ययता, सहयोग, और सहृदयता आदि गुणों को पर्याप्त महत्त्व दिया जाता है । (६) यह गठन जनतन्त्रात्मक होता है, क्योंकि प्रत्येक सदस्य को इसके व्यवस्थापन में समान अधिकार होता है । (७) सहकारिता में शिक्षा सम्बन्धी प्रभाव को अधिक महत्त्व दिया जाता है ।

सहकारिता का प्रादुर्भाव—सहकारिता आन्दोलन का जन्म प्राधुनिक अर्थों में से सबसे पहले पश्चिम में हुआ । १९ वीं शताब्दी के मध्य भाग में जर्मनी के दो समाज-रोषन व्यक्ति रैफिजन (Raiffisen) और शुल्ज डेलिज (Schulze Dehtsch) इस आन्दोलन के नेता थे । उस समय जर्मनी के किसान और बारीगर साहूकारों के शिकार थे और उनकी दशा निर्धनता के कारण दयनीय थी । इस अवस्था को देखकर ये नेतागण घट्ट दुखी हुए और उन्होंने सहकारी समितियाँ खोलकर उनकी अवस्था में सुधार करने की चेष्टा की । रैफिजन महोदय ने छोटे छोटे किसानों को महायता के लिये ग्रामीण सहकारी साख समितियाँ स्थापित की और शुल्ज डेलिज ने छोटे छोटे व्यवसायियों और कारीगरों को सहायता के लिये सहकारी-साख समितियाँ खोलीं । समय में सहकारिता की सबसे अधिक उपलब्धि जर्मनी और डेनमार्क में हुई है । भारतवर्ष में सहकारिता का सिद्धान्त तो बहुत प्राचीन काल से ही चलता रहा है । प्राचीन काल में ग्राम पंचायतें और निधियाँ इसके प्रमाण हैं किन्तु अर्धप्राचीन अर्थ में इस आन्दोलन का मूखपात २० वीं शताब्दी के प्रारम्भ से ही हुआ । हमारे देश में भी सहकारी साख-समितियों का निर्माण रैफिजन और शुल्ज डेलिज के सिद्धान्त पर ही हुआ है, अतः हमें इन दोनों की विशेषताओं को जान लेना चाहिये ।

रैफिजन समितियाँ ( Raiffisen Societies )—श्री रैफिजन ने ग्रामीण क्षेत्रों में वृषका की साहूकारों के पक्ष में मुक्त करने के लिये प्राथमिक सहकारी साख समितियों को जन्म दिया । इन समितियों की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं —

1—' Co operation in its technical sence, means abandonment of Competition in distribution and production and the elimination of middlemen of all kinds ' —Seligman

(१) इन समितियों का कार्य क्षय सामिन्स होता है। (२) कार्य-क्षेत्र सीमित होने से सदस्य में पारस्परिक जानकारी एवं व्यक्तिगत सम्पर्क होता है। (३) ग्राम या देवर नदी होते और पूँजी बहुत कम होती है। (४) उत्तरदायित्व प्रमोहित होता है। (५) ऋण केवल उत्पादन कार्यों के लिये ही व्यक्तिगत सात पर दिया जाता है। यह छोटी-छोटी किस्ता में कई वर्षों में वापस लिया जाता है। (६) ऋण असदस्या का नहीं दिया जाता। (७) धाम बादा नहीं जाता बल्कि एक रिजर्व कोष में जमा लिया जाता है तथा उदात्त नागरिक हित के लिये व्यय किया जाता है। (८) प्रबन्ध निःशुल्क होता है, केवल मजदूरी (मक टरी) को वेतन दिया जाता है। (९) इस सम्यो का प्रबन्ध लोक-तन्त्रात्मक होता है और प्रबन्धना का चुनाव सभी सदस्य मिलकर करते हैं। (१०) इस प्रकार का समितियों का उद्देश्य आर्थिक लाभ ही नहीं है बल्कि सदस्यों की नैतिक एवं चार्गिनिवक उन्नति करना भी इसका उद्देश्य है। (११) प्रतिव्यय एक साधारण मभा होती है जिसका पदाधिकारियों का चुनाव लिया जाता है तथा ऋण सम्बन्धी बाँटें निश्चित की जाती हैं। (१२) यह सम्यो ग्रामों के लिए विशेष उपयुक्त है।

शुल्ज डेलिज समितिया (Schulze Delitzsch)—यह शुल्ज डेलिज द्वारा शहर में रहने वाले छोटे छोटे नारीयों और व्यवसायियों को महामानार्थ शहरों वाले समितियों का जन्म मिला। इन समितियों की विभिन्नलिखित विनियमताएँ हैं —

(१) इनका कार्य-क्षेत्र विस्तृत होता है। (२) इनका कार्य-क्षेत्र विस्तृत होने से व्यक्तिगत सम्पर्क का प्रभाव होता है। (३) इन सम्योयों में ग्राम या शहर होने हैं और पूँजी भी होती है। (४) उत्तरदायित्व प्रमोहित और प्रमोहित दोनों प्रकार का होता है। (५) ऋण असदस्या का भी दिया जा सकता है। (६) लाभ का कुछ भाग रिजर्व कोष में जमा कर शेष लाभ प्रशासकों का बाँट दिया जाता है। (७) यह सम्योयें थोड़े समय के लिये उधार देती हैं। (८) प्रबन्धकों को अपने कार्य के लिये वेतन दिया जाता है। (९) ये सम्योयें रोजगार समितियों का भाँति नैतिक उन्नति पर जगना बल नहीं देती। इनका कार्य व्यापारिक दृष्टि से चलता है। (१०) ऋण उत्पादन तथा उप-भोग दोनों के लिये उत्तम प्रतिभूतियाँ का आधार पर दिया जाता है। (११) यह सम्योयें प्रायः छोटे-छोटे गिल्फकारों तथा व्यवसायियों को ऋण देने के लिये सीना जानी हैं। (१२) यह शहरों में शहरों के लिए विशेष उपयुक्त है।

भारतवर्ष में सहकारिता प्रान्दातन

(Co operative Movement in India)

प्रारम्भिक प्रवर्तन—भारत में ग्रामीण ऋण समस्या को सुबभाने तथा भारतीय क्षुधियों को उन्नत करने के उद्देश्य से प्रेरित सर विलियम वेड्डरबर्न ( Sir William Wedderburn ) तथा जस्टिस महादेव गाविन्द रानाडे ने भारत में सहकारिता आन्दोलन का प्रथम सुभाव सन् १८८२ में प्रस्तुत किया था। इनकी दृष्टि-बैका ( Agricultural Banks ) की योजना पहली बार रिपन की सरकार ने स्वीकार कर ली थी परन्तु वह भारत मन्त्री द्वारा दृष्ट्यावहारिक बतों पर प्रस्तावित कर दी गई। सन् १८९२ ई० में मद्रास के एक उच्च राज्याधिकारी सर फ्रेडरिक निकलसन ( Sir Frederick Nicholson ) ने जर्मनी से डेनमार्क आदि देशों की स्थिति का अध्ययन करने के पश्चात् जर्मनी के रेपिजन बैंक के सिद्धांतों के आधार पर भारतवर्ष में सहकारी सात समितियों की स्थापना का सुभाव दिया। उनमें प्रथम मयुक्त प्रान्तीय निविल सर्विस के सदस्य श्री ड्यूपर्नेक्स ( Dupernex ) ने इस विषय पर दृष्टि

“दो गोपुत्र बैंक फॉर नदन दण्डिया” नाम की पुस्तक प्रकाशित की जिसमें निबलसन को लिफ्टरिशो का समर्थन किया गया। सन् १९०१ ई० में दुभिस ताम नभेटी ने भी रेकजन्त संघों की स्थापना का पूर्णतया समर्थन किया। उसी वर्ष लार्ड कर्जन को सरकार ने अध्यक्ष-माचिव सर एडवर्ड सॉ की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की और इस समिति को लिफ्टरिशो के आधार पर सन् १९०४ में सहकारी साख समितियों का प्रथम कानून पास किया गया।

सहकारी साख समितियों का कानून १९०४ (Co-operative Credit Societies Act 1904)—इस कानून के द्वारा भारत में सहकारिता ग्रान्दोलन की नींव डाली गई। इस कानून के अन्तर्गत केवल महानगरी-मात्र समितियां ही स्थापना की व्यवस्था की गई और अन्य प्रकार की सहकारिता स्थगित कर दी गई। इस कानून की धाराओं के अनुसार अग्ररह वर्ष से अधिक धान्य के कोई दस व्यक्ति, या एक ही गांव या नगर के हो, समिति की स्थापना के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकते थे। यदि समिति के ८,५ सदस्य किमान हों, तो समिति ग्रामीण सहकारी साख समिति कहलाती थी। ग्रामीण समितियों के सदस्यों के असंमित दायित्व का विषय रखा गया और कुल साभ एक रिजर्व कोष में जमा होता था। शहरी समितियों में दायित्व का प्रथम सदस्या की दृष्टि पर छोड़ दिया गया और कुल लाभ का अनुवीक्षित रिजर्व कोष में जमा करना पड़ता था। समितियां आवश्यक पूँजी, प्रवेश शुल्क, अशा (शिबरा) के शुभ्य सदस्यों की जमा, और बाहुने क्लरु द्वारा एकत्र करनी थी और इसे कवल सदस्या की ही उत्पादन बायें के लिए क्लरु में देती थी। समितियां के प्रबन्धना को वेतन नहीं दिया जाता था, परन्तु शहरी समितियां के प्रबन्धना को वेतन देने की भी व्यवस्था की गई थी। शाराश यह है कि ग्रामीण समितियां रेकजन्त मिश्रण पर और शहरी समितियां शुभ्य डेलिव मिश्रण पर बनाई जाती थी।

प्रत्येक प्रान्त में सहकारिता ग्रान्दोलन को देख-भाल करने के लिए एष रजिस्ट्रार (Registrar) नियुक्त कर दिया गया। उन्हे समितियों के निरीक्षण, हिमाय की प्रतिवार्य जांच, और आवश्यकता पडने पर किसी समिति को नग करने के अधिकार दिये गये। इस ग्रान्दोलन को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से इस कानून के अन्तर्गत रजिस्टर्ड समितियों को सरकार की ओर से कुछ हिशामते और विशेषाधिकार दिये गये, जैसे—उन्हे आय कर (Income tax), स्टाम्प, तथा रजिस्ट्री शुल्क नहीं देना पड़ता था। उन्हे अन्य क्लरुदाताओं पर प्रधानता प्राप्त थी और नई समिति की प्रथम तीन वर्षों के लिए सरकार की ओर से २,००० रु० तक ध्याज-रहित क्लरु प्रदान किया जाता था, यदि समिति शतना ही भन स्वयं एकत्रित कर लेती थी।

इस कानून के अन्तर्गत सहकारी-साख-समितियों की प्रगति—इस ऐक्ट के पास होने से सहकारी-साख-समितियों की संख्या बढ़ने लगी। सन् १९०५ में समितियों की संख्या ४१ थी, वह सन् १९११ में ८,१७७ हो गई और उनकी कार्यशील पूँजी (Working Capital) ३३५,७४,१६२ रुपये हो गई। सदस्यों की संख्या भी सन् १९११ में ४,०३,३१८ हो गई।

इस कानून के दोष—सन् १९०४ के कानून के बनने के पश्चात् सहकारी ग्रान्दोलन की बड़ी उन्नति हुई। परन्तु इस कानून में निम्नलिखित दोष थे—

(१) इस कानून के अन्तर्गत साख समितियों के प्रतिरिक्त अन्य प्रकार की समितियों के निर्माण की कोई व्यवस्था नहीं थी। (२) ग्रामीण तथा शहरी समितियों

का जो वर्गीकरण किया गया वह दोषपूर्ण पथा अनुविधानजनक था। (३) समितियों के मर्यादा तथा केन्द्रीय बँकों के निर्माण की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। पञ्जाब तथा मद्रास आदि प्रान्तों में जहाँ शेरर पूँजी का अधिक महत्व था प्रसीमित दायित्व तथा लाभांश (Dividend) देने के ऊपर रोक लगा देने के कारण बहुत ही अनुविधा हुई। इन दोषों को दूर करने के लिये सन् १९१२ में एक नया कानून बनाया गया।

महकायों समितियों का कानून १९१२ (Co-operative Societies Act 1912)—सन् १९१२ में केन्द्रीय सरकार ने दूसरा कानून पास किया जिसके अन्तर्गत (१) उपभोक्ता, सिन्धार्द, पशु, चरबन्दी, विक्रय आदि घटाव (Non Credit) सहकारी समितियों की स्थापना को सरकार ने मान्यता दी। (२) ग्रामीण और शहरी समितियों के स्थान में सीमित दायित्व और प्रसीमित दायित्व वाली समितियों का नया वर्गीकरण किया गया। (३) इसके अनुसार बैंकिंग संघ, केन्द्रीय सहकारी बैंक और प्रांतीय सहकारी बैंक आदि की स्थापना की व्यवस्था की गई। इस कानून में सभी समितियों का इस बात को आशा थी कि वे अपने लाभ का चौथाई भाग रिजर्व कोष में जमा करने के परचात्र लाभ का १०% दात, विद्या आदि कार्य के लिये व्यय कर सकती थी।

इसके अन्तर्गत सहकारी समितियों की प्रगति—इस कानून के पास हो जाने में इस देश में सहकारिता के आन्दोलन को बहुत प्रोत्साहन मिला। इसके परचात्र समितियों की संख्या, उनके सदस्यों की संख्या; तथा उनकी कार्यशील पूँजी में बहुत वृद्धि हुई। पर यह वृद्धि सब प्रान्तों में एक-सी न थी। रयतवारी प्रान्तों में; जैसे—बम्बई, मद्रास आदि में, इस आन्दोलन ने बहुत उत्पत्ति की। पर जमींदारी प्रान्तों में अभी तक यह आन्दोलन बहुत कम लोगों तक पहुंचा है।

मैकलेगन कमेटी १९१४—सन् १९१४ में सर एडवर्ड मैकलेगन (Sir Edward Maclagan) की अध्यक्षता में एक कमेटी (जो बाद में मैकलेगन कमेटी के नाम से प्रसिद्ध हुई) नियुक्त की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट सन् १९१५ में प्रस्तुत की। इन रिपोर्ट में सहकारिता-आन्दोलन के दोषों पर प्रकाश डाला गया और आन्दोलन को अधिक सफल बनाने के लिये अनेक सुझाव दिये गये। इस कमेटी के सुझावों के अनुसार आन्दोलन का पुनर्संरक्षण किया गया और जो समितियाँ सहकारी आधार तक नहीं पहुँची थी उनका अन्त कर दिया गया।

भारत सरकार कानून १९१९ (Government of India Act 1919)—सन् १९१९ में 'माटेम्पू चैम्सफोर्ड सुधारों' (Montague Chelmsford Reforms) के अनुसार भारत सरकार का एक मनोविद्वान कानून पास किया गया जिसके अन्तर्गत सहकारिता एक प्रांतीय विषय बना दिया गया और इसका प्रबन्ध प्रान्तों के मन्त्रियों को सौंप दिया गया। इसके परचात्र प्रांतीय सरकारों ने आवश्यकतानुसार अपने अपने कानून पास करके इस आन्दोलन को उत्पत्ति की। बम्बई में सबसे पहले इस प्रकार का कानून सन् १९२५ में पास किया गया। बम्बई के परचात्र मद्रास बिहार तथा उड़ीसा के प्रान्तों ने भी अपने-अपने कानून पास किये। कुछ प्रान्तों ने जैसे कमेटियाँ नियुक्त की जैसे—उत्तर प्रदेश में 'ओरुडन कमेटी' और मद्रास में 'टाउनमेण्ड कमेटी' आदि। इन कमेटियों के सुझावों के फलस्वरूप सहकारी समितियों में बहुत से

सुधार हुए और उनकी दशा पहले से काफी सुधर गई। असाक्ष समितियों पर अथ पर्याप्त धन दिया जाने लगा।

कृषि कमीशन १९२६ और भारतीय बैंकिंग जांच समिति १९३१ के सुझाव—मन् १९२६ ई० में कृषि कमीशन और मन् १९३१ में भारतीय बैंकिंग जांच कमेटी ने महत्त्वपूर्ण सुझाव दिये और उनकी सिफारिशों के अनुसार समितियों की जांच पढताल कटी होने लगी है। भूमि बंधक बैंकों को प्रोत्साहन मिला और पुराने ऋण की वृद्धि को रोकने के प्रयत्न किये गये।

सन् १९२९-३५ का महान् आर्थिक मदी—सन् १९२९-३५ का महान् आर्थिक मदी के समय सहकारिता आन्दोलन को काफी धक्का लगा। उत्पादन व्यक्तियों के सूख जाने से सम्पत्तियाँ नष्ट हो गई, वस्तुओं की गति अत्यधिक धीमी पड़ गई और भवधि पार किये प्राप्ता की राशि की बेगपूर्णा उच्च-गति के कारण अनेक केन्द्रीय आर्थिक समूह नष्ट प्रायः शीघ्रता से गहक गये थे। तब भारत सरकार ने महकगरी सम्मेलन मन् १९३४ में सबसे पहले बुलाया, और फिर बाद में कई बार ऐसे सम्मेलन बुलाये गये जिनमें समितियों के विस्तार के लिये उनके पुनर्संरुद्धन पर विशेष धन दिया गया।

युद्ध और युद्धोत्तर काल—युद्ध और युद्धोत्तर के वर्षों में सहकारिता आन्दोलन को सभी दशाशा में पर्याप्त प्रगति का अनुसर मिला। इस काल में इस आन्दोलन को खाद्य-उत्पादन एवं वितरण, भवन निर्माण, भूमि-उपनिवेशन और बस्तियाँ बसाने, बहुत एक कुटीर व्यवसायों को संगठित करने तथा ग्रामों की पुनर्बाँटा योजनाएँ बनाने आदि का अनुसर मिला, जिसमें आन्दोलन को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला।

सहकारी योजना समिति १९४६ (Co-operative Planning Committee)—मन् १९४६ में सहकारी योजना समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की जिसमें आन्दोलन के भारी विकास के मार्ग प्रदर्शन का दिग्दर्शन कराया गया।


स्वतन्त्रता-प्राप्ति (१९४७) के बाद—स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद सहकारिता आन्दोलन में नयीजन्त एवं पुनर्संरुद्धन की वृद्धि जाग्रत हुई। भूमि की चकबन्दी तथा ग्राम-सुधार के लिये नयीय समितियाँ शीघ्रता से बनने लगी। इन वर्षों में बहुप्रयोजन समितियों (Multipurpose Societies) का रजिस्ट्रेशन होने लगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, मैसूर, बम्बई और मद्रास आदि राज्यों में इन आन्दोलन की प्रगति पहले की अपेक्षा अधिक दृष्टिगोचर होने लगी सहकारी समितियों की स्थिति निम्न आकटों में स्पष्ट हो जाती है :—

	१९५१-५२	१९५७-५८
सहकारी समितियों की कुल संख्या	१,८५,६५०	२,५७,८२०
सदस्यों की संख्या	१,२७,९१,६०७	२,१४,३५,१५०
कार्यशील पूँजी (करोड़ रु० में)	३०६.३४	६९६.४६
कृषि साध समितियाँ	१,१५,४६२	१,६६,५४३

द्वितीय पंचवर्षीय योजना (१९५६-६१)—दूसरी पंचवर्षीय योजना में सहकारिता के विकास के लिए ४७ करोड़ रुपये का आवेदन किया गया है। योजना काल में सहकारी सहयोग २२५ करोड़ रुपये उधार दोगे। कृषि उत्पादन की विज्ञान की सुविधा के लिए १, २५० गांवों में स्थापित किए जाएंगे।

### भारतवर्ष में सहकारी समितियों का वर्तमान ढांचा (Structure)

भारतवर्ष में सहकारी समितियों का ढांचा निम्न प्रकार है —



सहकारी समितियों का विभाजन—सहकारी समितियों का विभाजन हम निम्न प्रकार कर सकते हैं —

१. प्रारम्भिक सहकारी समितियाँ
२. माध्यमिक एवं केन्द्रीय सहकारी बैंक
३. प्रांतीय या राज्य सहकारी बैंक

१. प्रारम्भिक सहकारी समितियाँ (Primary Co-operative Societies)—प्रारम्भिक सहकारी समितियों को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं—ग्रामीण और शहरी। इनमें प्रत्येक का साख और असाख भागों में बाँट सकते हैं और फिर इन कृषि और अकृषि समितियों में वर्गीकृत कर सकते हैं।

प्रारम्भिक कृषि (ग्रामीण) सहकारी साख समितियाँ (Primary Agricultural (Rural) Co-operative Credit Societies)—ये समितियाँ हमारे देश की कुल समितियों की ७३% हैं। सहकारी आन्दोलन इन्हीं पर आधारित है। ये प्रायः जर्मनी की रीतिजन प्रणाली के अनुसार स्थापित किये हैं। ये प्रायः गाँवों में ही होते हैं, इसलिए इन्हें ग्रामीण सहकारी समितियाँ भी कहते हैं। इन समितियों की विशेषताएँ (Characteristics), इनका संगठन (Organisation) तथा कार्यशीलता (Working) निम्नलिखित हैं —

(१) आकार एवं सदस्यता ( Size & Membership )—एक ही गाँव भयवा जाति के कोई १० व्यक्ति जो अठारह वर्षों से अधिक आयु के हो समिति खोल सकते हैं। सदस्यों की संख्या १०० से अधिक नहीं हो सकती। सीमित आकार के होने से सदस्यों में पारस्परिक जानकारी हो सकती है।

(२) रजिस्ट्रेशन ( Registration )—प्रारम्भिक कृषि साख समिति कम-से कम १० या उससे अधिक (अधिक-से-अधिक १००) व्यक्तियों द्वारा महतारी समितियों के रजिस्ट्रार को रजिस्ट्री के नियमों के अनुसार बनवाकर बनाई जा सकती है।

(३) कार्य क्षेत्र ( Area of Operation )—रजिस्ट्रार विद्वानों के अनुसार एक गाँव एक समिति का नियम है, अर्थात् इसका कार्यक्षेत्र उस गाँव तक ही सीमित होता है जहाँ वह खोली जाती है, जिनमें लोग एक दूसरे में भली-भाँति परिचित हो सकें।

(४) दायित्व ( Liability )—प्रारम्भिक कृषि साख समितियों के सदस्यों का दायित्व असंमित (Unlimited) होता है, अर्थात् यदि किसी समिति की सम्पत्ति उसका ऋण चुकाने के लिये अपर्याप्त हो, तो इसकी कमी प्रत्येक सदस्य से अलग-अलग राशि प्राप्त करने की जाती है और सदस्यों की सम्पूर्ण सम्पत्ति भी इसमें लाई जाती है। असंमित दायित्व रखने का मुख्य कारण लोगों में विश्वास का विस्तार करना, सहयोग की भावना बढ़ाना, और बाह्य ऋणदाताओं से समिति के प्रति विश्वास उत्पन्न करना है।

(५) प्रबन्ध ( Management )—इन समितियों का प्रबन्ध प्रजातन्त्रात्मक एवं प्रवैतनिक होता है। इनका प्रबन्ध दो समितियों द्वारा होता है—साधारण सभा ( General Committee ), तथा कार्यकारिणी सभा ( Executive Committee ) द्वारा। साधारण सभा का निर्माण समिति के समस्त सदस्यों द्वारा होता है। साधारण सभा द्वारा चुने गये कुछ सदस्य ( ५ से ६ ) समिति की कार्यकारिणी का निर्माण करते हैं। साधारण सभा का कार्य कार्यकर्ताओं का चुनाव, मेम्बरों की नियुक्ति करना, बजट पार करना, रजिस्ट्रार और आय-व्यय निरीक्षण (ऑडिटर्स) की रिपोर्ट पर विचार करना, सभासदों और समिति के ऋण की सीमा बंधना, और समिति के उपनियमों में संशोधन करना है। कार्यकारिणी सभा का कार्य साधारण सभा के आदेशों का पालन करना, सभासदों की प्रार्थना पर ऋण देना, उनमें ऋण बगूल करना, तथा ऋण के लिये राशि का प्रबन्ध करना और समितियों के कार्यों पर निगरानी रखना है।

(६) कार्यशील पूँजी ( Working Capital )—समिति की कार्यशील पूँजी सदस्यों के प्रवेश धुल, अर्थात् (यदि हो), लोगों की जमा में प्राप्त की जाती है। अर्थात् का निचमन केवल पञ्जाब, उत्तर प्रदेश और मद्रास में ही होता है। सरकार, अन्य समितियों और केन्द्रीय व राज्य सहकारी बैंकों द्वारा ऋण प्राप्त करना समिति के पूँजी प्राप्त करने के लिये साधन है। समितियों के ऋणों को व्याजपूर्वक देने से यथा संभव कि उनको ऋण अधिकतर बाह्य साधनों से ही प्राप्त होता है।

(७) ऋण का उद्देश्य ( Object of Loan )—ऋण साधारणतया उत्पादन-कार्यों और पुराने ऋण चुकाने के लिये दिया जाता है। मैक्रान्तिक दृष्टि से उपयोग और अनुपादक कार्यों, जैसे—विवाह और अन्य सामाजिक तथा धार्मिक

उत्पन्ना व लिए नहीं देना चाहिए, परन्तु व्यवहार में ऐसा न करण दिया जाता है अन्यथा किमान के साठूकार के चशुल में फँस जाने का भय रहता है।

(८) ऋण-भुगतान (Repayment of Loan)—ऋण का भुगतान सुविधाजनक किम्ता व रूप में होता है। भुगतान ऐसे समय पर मागा जाता है जब किमान व काम दन को रपया होता है।

(९) जमानत (Security)—इन समितिया के सदस्या का समीमित दायित्व होन व कारण ऋण कवल ब्यक्तिगत जमानत पर ही दे दिया जाता है। सदस्य की सचाई तथा चरित्र ऋण प्राप्ति के लिये अधिक महत्व रखत है। परन्तु व्यवहार में ऋण लेने वाला न दो सहयोग सदस्या की जमानत के अनतिरिक्त चल व अचल सम्पत्ति भी जमानत व रूप में मागी जाती है।

(१०) व्याज की दर (Rate of Interest)—इन समितिया की व्याज की दर महाजन का दरा से कम होती है। परन्तु व दर अधिक नीची नो होनी चाहिए अथवा गाव वाल सावश्यकता से अधिक ऋण नन व लिए प्रेरित ह्य।

(११) निरीक्षण एव जाँच (Supervision & Audit of Accounts)—इन समितिया व काम का निरीक्षण और हिसाब किताब की जाच सहकारी समितिया के रजिस्ट्रार के द्वारा होती है जो इन काम के लिये निरीक्षक (Inspector) और हिसाब परीक्षक (Auditor) नियुक्त करता है। निरीक्षण काम निरीक्षण मन् (Inspecting Union) और कैम्पेय बँना द्वारा भी हाता है।

(१२) लाभ विभाजन (Distribution of Profits)—जिन समिति में अद्य नहीं होन उनका सारा लाभ रिजर्व कोष में जमा कर दिया जाता है। अद्य वाली समितिया में लाभ का कम से कम चौथाई भाग रिजर्व कोष में जमा कर दिया जाता है दोष का १०% निक्षा तथा अन्य दान व परोपकार के कामों में व्यय किया जाता है, और दोष एक सामा तक अद्यधारिया की लाभादा (Dividend) के रूप में वाट दिया जाता है।

(१३) पचायत (Arbitration)—समिति और सदस्या का पारस्परिक अगडा पचायत द्वारा तय किया जाता है। इन अगडा व लिए वायालय में नहीं जाना पडता है जिससे समय, शक्ति तथा व्यय में बचन हाता है।

(१४) समिति का भंग होना (Dissolution)—रजिस्ट्रार द्वारा चाई भी समिति जो टोक प्रकार से काम नहीं कर रहा हा तथा जिसके काम से रजिस्ट्रार असन्तुष्ट हो, भंग की जा सकती है।

(१५) कतिपय सुविधाएँ एव रियायत (Some Facilities & Concessions)—समितिया की कतिपय सुविधाएँ एव रियायत भी मिनी टूट है, जैसे—आयकर रजिस्ट्री शुल्क और मुद्राक कर (Stamp Duty) की छूट आदि। समितिया के अगडा की कुर्ची नहीं हो सकती। अन्य उधार लेन वाला में उट प्राथमिकता का अधिकार प्राप्त है।

(१६) वर्तमान स्थिति (Present Position)—सन् १९४० व पूर्व इन समितिया की स्थिति सन्तोषजनक नहीं थी। इनके अगडा व बहुत सा भाग समूल नहीं होने पाता था और ऋणा ने भी भारी कमी हा गई थी। परन्तु द्वितीय विश्व



महागुट्ट के धारम्भ हो जाने तथा खेतों की उपज का दूब्य बह जाने से किसानों को आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और इनका ऋण बसूल हो गया। सन् १९५८ के पून के अ-२ में इन समितियों की संख्या १,६६,५४३ या और १,०२,२१,२४६ सदस्य थे। इनकी कार्यशील पूँजी १३३ ७५ करोड़ ८० थी। बम्बई, मद्रास और पंजाब में इन समितियों की विशेष उन्नति हुई।

प्रारम्भिक कृषि (ग्रामीण) सहकारी साख समितियों की आवश्यकता के कारण—इन समितियों की प्रगति सन्तोषजनक नहीं है, यद्यपि इन पर विशेष ध्यान दिया गया है। इनके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं

(१) अग्रणी पूँजी—समितियों के पास अग्रणी पूँजी होने के कारण इनकी साख-सम्बन्धी समस्या प्रावश्यकताओं को पूर्ति नहीं हो पाती जिगम निर्यात का गाँव के महाजन पर आश्रित रहना पड़ता है।

(२) ऋण अनुपादक कार्यों में रूचि किया जाता है—इन समितियों द्वारा अपने सदस्यों को दिया गया ऋण अधिकांश में अनुपादक कार्यों में लगा दिया जाता है जिसमें ऋण की बसूली नहीं होने पाती।

(३) गाँव के साहूकार या महाजन का प्रभुत्व—सहकारी ग्राम्योपलब्धि के पश्चात् भी गाँव के महाजन का प्रभुत्व ही प्रभाव एवं प्रभुत्व है।

(४) अधिष्ठा—इन समितियों के सदस्य पढ़े लिखे नहीं होने के कारण सहकारिता के सिद्धान्तों का नहीं समझते।

(५) समितियों का दोषपूर्ण संचालन, निरीक्षण एवं अन्वेषण—इन समितियों के संचालन, निरीक्षण एवं अन्वेषण (Audit) खाति में अनेक दोष पाये जाते हैं जिगके कारण ये सफलतापूर्वक कार्य नहीं कर पाते हैं।

कृषि (ग्रामीण) सहकारी असाम्य समितियाँ (Agricultural [Rural] Co-operative Non credit Societies) — गाँव में कुछ सहकारी समितियाँ ऋण देने का काम नहीं करती बल्कि कृषि सम्बन्धी अनेक कार्य सहकारी सिद्धान्तों पर करती हैं, जैसे—बीज, सिंचाई, औजार, खाद, कृषि-पदार्थों की विज्ञान, मत्तों की चरुबन्धों आदि की समितियाँ। इन समितियों की उन्नति साख समितियों को अग्रेसर बहुत कम हुई है। सन् १९५४-५५ के अन्त में देश में ३०,१६७ प्रारम्भिक कृषि असाम्य समितियाँ थीं। इनके सदस्यों की संख्या २४,६४,५०८ थी तथा इनकी पूँजी २०-७२ करोड़ ८० थी।

प्रारम्भिक अग्रणी (शहरी) सहकारी साख समितियाँ (Primary Non-Agricultural [Urban] Co-operative Credit Societies)—ऋण का समस्या केवल गाँवों में ही नहीं है बल्कि शहरों और कस्बों में भी पाई जाती है। शहरों और कस्बों के निर्धन जागीर, मजदूर, तथा छोटे छोटे दुकानदारों को भी ऋण की आवश्यकता रहती है जिसको साख-सम्बन्धी प्रावश्यकताओं को पूर्ति के निम्ने इन समितियों का निर्माण होता है। ये शहरों में स्थित छोटे छोटे दुकानदारों, व्यापारियों, कारीगरों, तथा कारखाने वालों को जो कृषक नहीं हैं, ऋण देती हैं। इसलिए इन्हें 'अग्रणी (शहरी) सहकारी साख समितियाँ' कहते हैं। इनका निर्माण अधिकतर शुल्ज डेलिच (Schulze Delitzsch) के सिद्धान्तों के अनुसार होता है।

विशेषताएँ (Characteristics)—अग्रणी (शहरी) साख समितियों की विशेषताएँ निम्नलिखित हैं :—

(१) सत्यापन (Information)—य गुरुत्व निधि के सिद्धांत पर बनाई जाती है। नगर व निधन कारीगर मजदूर तथा छोटे दुकानदार आदि मिल कर इनका निमाण करते हैं जो इनको सग देती है।

(२) पूँजी (Capital)—इसकी समस्त पूँजी भाग (Shares) में विभाजित होती है जो प्रत्येक सदस्य को खरीदने पड़ते हैं। प्रत्येक अध्यात्म का एक वाट ५० का अधिकार होता है। मरती जमा तथा रिजर्व कोष भी इसकी सामग्रीय पूँजी को बनाते हैं।

(३) दायित्व (Liability)—इस समितिया के सदस्यों का दायित्व सीमित होता है।

(४) प्रबंध (Management)—साधारण सभा नाति नियमित करती है तथा कार्यकारिणी सभा या संचालक (Directors) का धाम समिति का प्रबंध करता है। समिति के प्रबंधका का कार्य करने के लिए वतन लिया जाता है।

(५) ऋण नीति तथा ऋण (Loan Policy)—य समितिया अपने सदस्यों में निमन्त्रण का प्रचार करती हैं तथा वह साधारणतया गुरुत्व प्रत्येक सदस्य को नियमित देती हैं। य यह भी प्रयत्न करती हैं कि सदस्य स्वयं जमा भी कराव। बम्बई और बंगाल में ये समितिया चालू जमा और सचय जमा भी लेती हैं और अपने भुगतान का काम भी करती हैं।

(६) लाभ वितरण (Distribution of Profits)—का एक लाभ २५% रिजर्व अर्थात् रक्षित कोष में जमा कर गप सदस्यों में बाँट दिया जाता है।

(७) निराक्षण एवं जांच (Supervision and Audit of Accounts)—इस समितिया का निरीक्षण एवं निमाध विताव की जांच कृपि माध समितिया की भाति रजिस्ट्रार द्वारा होती है।

(८) वर्तमान स्थिति (Present Position)—य समितिया कृपि माध समितिया की अपेक्षा अधिक गण्य हैं। यह स्वयं इनके सदस्य नियमित होते हैं और नियम का पूरकता पालन करते हैं। य समितिया स्वावलम्बी तथा मुक्त होती हैं। इनमें पैसे जमा तथा जमा की पर्याप्त पूँजी होता है और इनका कर्जाय या प्रातोय सहकारी वका में बहुत सेने की आवश्यकता नहीं पड़ता। इन प्रकार की समितिया न बम्बई मद्रास बंगाल और पंजाब में विपण उत्पत्ति की है। जून १९५५ के अंत में इनकी संख्या ९३४८ तथा इनके सदस्यों की संख्या २८४७९४४ थी। इनकी चालू पूँजी ७८३० करोड़ ९० थी।

प्रारम्भिक सहकारी सहकारी प्रमास्य समितिया (Primary Co-operative Non credit societies)—गहरी प्रमास्य समितिया न सार्व समितिया की अपेक्षा अधिक उत्पत्ति ना है। य समितिया कई प्रकार का होती हैं—जमा बीमा (Insurance) भवन निमाण (Housing) उपभोक्ता भंडार (Consumer's Store) आदि। इन सबमें उपभोक्ता भंडार सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। जून १९५५ के अंत में इन समितिया की संख्या २४२६६ था उनमें सदस्यों का संख्या ३१५०३०३ था और कार्यमाल पूँजी ५२५५ करोड़ रुपया था।

२ माध्यमिक समितिया एवं कर्जाय सहकारी बैंक (Secondary Societies and Central Co-operative Banks)

(घ) ये समितियां प्रारम्भिक समितियों को संगठित करने, उनकी देखभाल करने और आर्थिक सहायता देने के लिए बनाई जाती हैं। ये समितियां मुख्यतः तीन प्रकार की होती हैं—(१) गारंटी संघ (Guarantee) जैसे बम्बई में। (२) निरीक्षक संघ (Inspecting Union) जैसे मद्रास और बम्बई में। (३) साहूकार संघ, जैसे पंजाब में।

एक निश्चित क्षेत्र में विभिन्न समितियों के सम्मिलन से संघ का निर्माण होता है। इसका प्रबन्ध सदस्य समितियों की प्रतिनिधि समेटों द्वारा होता है। गारंटी संघ सदस्य समितियों को केन्द्रीय बैंकों द्वारा दिये जाने वाले ऋणों की गारंटी करता है। निरीक्षक संघ प्रारम्भिक समितियों की देख-रेख करता है और साहूकार संघ ऋण देता है। ये संघ प्रारम्भिक समितियों के बीच श्रुतला का भी काम करते हैं।

(आ) केन्द्रीय सहकारी बैंक (Central Cooperative Banks)—इन बैंकों का संगठन मन् १९१२ के कानून के पश्चात् आरम्भ हुआ। ये बैंक प्रारम्भिक समितियों को धन देने और उनके सतुलन केन्द्रों का कार्य करते हैं। समितियों को आर्थिक शोधदान के अतिरिक्त ये बैंक जमा स्वीकार करना बिना की राशि संग्रह करना, बैंकों को भुनाना आदि कार्य भी करते हैं।

केन्द्रीय बैंक मिश्रित (Mixed) या शुद्ध (Pure) हो सकते हैं। मिश्रित केन्द्रीय बैंकों की सदस्यता व्यापारिक और समितियां दोनों के लिए खुली है किन्तु शुद्ध ढंग के बैंक की सदस्यता केवल समितियां ही हो सकती है। शुद्ध ढंग के बैंक पंजाब और बंगाल में हैं। सहकारी केन्द्रीय बैंक प्रायः जिले भर में एक ही होता है, इसलिए इसे जिला बैंक भी कहते हैं।

केन्द्रीय बैंकों की विशेषताएं (Characteristics)

(१) क्षेत्र (Area)—इनका क्षेत्र एक या एक से अधिक तालुका, तहसील या जिला होता है। दक्षिण तथा पश्चिमी भारत में केन्द्रीय बैंक ना क्षेत्र एक जिला होता है, परन्तु उत्तर भारत में अधिकतर एक तहसील में एक केन्द्रीय बैंक होता है।

(२) प्रबन्ध (Management)—केन्द्रीय बैंक के असधारियों की सभा को संचालक सभा भी कहते हैं। सभा के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है। इसी सभा द्वारा बैंक के मन्त्रालकों का निर्वाचन होता है। निश्चित केन्द्रीय बैंकों में समितियों और व्यापारियों के संचालकों की संख्या अधिक होती है। संचालक बोर्ड बैंक का प्रबन्ध करता है। जब संचालकों की संख्या अधिक होती है तो वह बोर्ड एक कार्यकारी समिति चुन लेता है जो बैंक का सारा कार्य चलाती है। बैंक का प्रतिदिन का प्रबन्ध संचालक अध्यक्ष चेंबरमैन व ध्वनिनिक सभों की सहायता से होता है। संचालकों को कोई प्रतिफल नहीं मिलता और ये अधिकतर समितियों के प्रतिनिधि होते हैं। उत्तर प्रदेश में चेंबरमैन सरकारी कर्मचारी होता है।

(३) पूंजी (Capital)—केन्द्रीय बैंकों की पूंजी अंशों (Shares), रिजर्व कोष जमा तथा ऋण के द्वारा प्राप्त होती है। सरकारी संघों (Unions) में केवल समितियां ही अंश खरीद सकती हैं, किन्तु केन्द्रीय मिश्रित बैंकों में समितियां तथा अन्य सदस्य व्यक्ति भी अंश खरीद सकते हैं। साधारणतया असधारियों का दायित्व धन के मूल्य तक ही सीमित रहता है, परन्तु कुछ प्रांतों में असधारियों का दायित्व नार चुने से दस गुने तक होता है। २५% रिजर्व कोष में जमा किया जाता

है। वह भी कार्यशील पूँजों का काम करता है। बैंक असदस्यों में जमा भी स्वीकार करते हैं जो उनको सबसे अधिक कार्यशील पूँजों होती है। ये बैंक मुख्यतः मुदती और संचय जमा पर ही हरय लेते हैं। चालू जमा में अधिक जोखिम होने के कारण चालू जमा बैंक बहुत कम लेते हैं। आवश्यकता पड़ने पर, ये राष्ट्रीय सहकारी बैंकों से भी ऋण लेते हैं। कभी-कभी ये रिजर्व, स्टेट तथा अन्य बैंकों से भी ऋण लेते हैं।

(४) ऋण नीति तथा कार्य ( Loan Policy )—केन्द्रीय बैंक अधिकतर सहकारी सार समितियों और प्रमाल समितियों को ही ऋण देते हैं। प्रसीमित दायित्व वाली समितियों को ऋण प्रोमोट प्रयत्न बांड पर दिया जाता है, परन्तु अन्य सहकारी समितियों से उसके अतिरिक्त कुछ सम्पत्ति भी गिरवी माँगी जाती है। ये बैंक प्रारम्भिक सहकारी साक्ष समितियों से ७% व्याज लेते हैं और जमा पर ५% व्याज देते हैं। जो रुपया केन्द्रीय बैंकों के पास आवश्यकता से अधिक होता है, उसे प्रान्तीय सहकारी बैंकों में जमा कर दिया जाता है या ट्रस्टी-प्रतिभूतियों में लगा दिया जाता है।

(५) लाभ वितरण ( Distribution of Profits )—केन्द्रीय बैंक के वार्षिक लाभ का २५% रिजर्व कोष में जमा कर दिया जाता है। लाभ का कुछ भाग वृद्धि लाते, भवन, टाउन-हालिस सन्तुलन के लिये विविध कोषों में जमा करके शेष का ६ से १० प्रतिशत तक असाधारणों को लाभान के रूप में बाँट दिया जाता है।

(६) निरीक्षण तथा प्रवेक्षण ( Supervision & Audit )—केन्द्रीय बैंकों का निरीक्षण रजिस्ट्रार तथा उनके अधीन अन्य कर्मचारियों द्वारा होता है। प्रान्तीय सहकारी बैंक भी केन्द्रीय बैंकों का निरीक्षण करते हैं। इन बैंकों में आय-व्यय की जाँच रजिस्ट्रार द्वारा नियुक्त अवेक्षक ( Auditor ) करते हैं और इनको वार्षिक स्थिति के विषय में रजिस्ट्रार को रिपोर्ट देते हैं।

(७) वर्तमान स्थिति ( Present Position )—भारतवर्ष में सन् १९५७-५८ में ४१८ बैंकिंग संघ तथा केन्द्रीय सहकारी बैंक थे जिनके लगभग ३,२२,८१६ सदस्य थे और कार्यशील पूँजों १५७ करोड़ रुपये थी।

३. राज्तीय सहकारी बैंक या शीर्ष बैंक ( State Co-operative Bank or Apex Banks )—पंकलेसन कमेटी १९१५ को रिपोर्ट के अनुसार इन बैंकों की स्थापना हुई। आजकल लगभग सभी राज्यां में ऐसे बैंक हैं जिनमें कम्बर्डी, मद्रास और पंजाब के बैंक विशेष उल्लेखनीय हैं।

### विशेषताएँ ( Characteristics )

(१) संगठन ( Organisation )—इन बैंकों का संगठन सब जगह एक-सा नहीं है। पंजाब और बङ्गाल में सहकारी समितियों और सहकारी केन्द्रीय बैंक उनके सदस्य और असाधारण होते हैं। दूसरे प्रांतों में अन्य व्यक्ति भी इनके असाधारण होते हैं।

(२) प्रबन्ध ( Management )—इन बैंकों के वार्षिक-संचालन के लिए व्यापारिक बुद्धि तथा बैंकिंग योग्यता चाहिए। अतः इनके डाइरेक्टर असाधारणों के प्रतिरिक्त बाहरी व्यक्तियों में से भी चुने जाते हैं। सहकारी विभाग का रजिस्ट्रार लगभग सभी राज्यों में इन बैंकों का या तो स्वयं नियुक्त ( Self-appointed ) डाइरेक्टर

मर्याद संचालक होता है अथवा यह कुछ डाइरेक्टरो या संचालको को मनोनीत (Nominate) करता है।

पूँजी (Capital)—इन बैंको की कार्यशीलता पूँजी अर्थात्, जमा और रिजर्व काफ़ी में प्राप्त होती है। कभी-कभी ये बैंक कुछ समय के लिये नकद साव या अधिविक्रय (Overdraft) के रूप में स्टेट व व्यापारिक बैंको तथा सहकारी केन्द्रीय बैंको के द्वारा प्रारम्भिक भूहकारो साव समितियो व अन्य राज्यकीय बैंका से ऋण भी ले लेते हैं। ये बैंक चानू, वचन और मुहूर्ती तीनों प्रकार की जमाएँ प्राप्त करते हैं। मुद्रा-बाजार व अनुसार ही वे अपने व्याज की दर निर्धारित करते हैं।

(४) ऋण नीति एवं कार्य (Loan Policy)—य बैंक प्राय २० से ५०% तक अपनी कार्यशील पूँजी राज्य-प्रतिभूतियो (Govt. Securities) में लगाने हैं तथा कुछ घन व्यापारिक बैंक व अन्य राज्यकीय बैंका में जमा करा देते हैं तथा शेष को अपने सदस्यों को उधार दे देते हैं। प्रारम्भिक समितियो को ऋण केन्द्रीय सहकारी बैंको के द्वारा दिया जाता है। ये बैंक अग्र-विक्रय सभ व औद्योगिक सहकारी समितियो को भी ऋण देते हैं। ये तीन, प्रकार की जमा लेने के अतिरिक्त वे सभी कार्य करते हैं जो एक व्यापारिक बैंक करता है। जिन बैंको में केन्द्रीय भूमि-व्यवहक बैंक नहीं हैं वहाँ वे भूमि वप्यक बैंक के ऋण-पत्र (Debentures) बेचते हैं और उन्हें बीचनेवाले के लिए ऋण देते हैं।

(५) लाभांश-वितरण (Dividend)—सन् १९४६ की सहकारी अनुसंधान कमेटी ने कम-से-कम ३% लाभांश प्रथम पांच वर्ष तक इसके असाधारियो को देने को सिफारिश की है।

(६) निरीक्षण एवं अक्षेपण (Supervision & Audit)—ये बैंक कहीं-कहीं केन्द्रीय सहकारी बैंको पर नियन्त्रण भी करते हैं। यह वास्तवीय नहीं है, यद्यपि प्रान्तीय सहकारी बैंक द्वारा इनका निरीक्षण आवश्यक है। इसके हिसाब-नितान्त की जाँच रजिस्ट्रार को करनी चाहिए, परन्तु साधारणतया रजिस्ट्रार द्वारा निपुक्त अक्षेपक इनके हिसाबों की जाँच करते हैं। इन बैंको को हर तिमाही एक आर्थिक स्थिति का लेखा रजिस्ट्रार द्वारा प्रान्तीय सरकार को भेजना पड़ता है जो उन पर अफता मत प्रकट करते हैं।

(७) वर्तमान स्थिति (Present Position)—राज्यीय सहकारी बैंक सम्वद्ध धरोरो तथा बैंकिंग सहायो के लिये सतुलत केन्द्री का काम करते हैं। सन् १९५७-५८ में देश में ऐम २१ बैंक थे। जिनमें सदस्य ३३,४४० तथा जितनी कालू पूँजी ७९.५४ करोड ८० की थी।

राज्यीय सहकारी बैंक और रिजर्व बैंक—रिजर्व बैंक राज्यीय सहकारी बैंको व उनमें सम्बन्धित केन्द्राय बैंको को राज्य प्रतिभूतियो की जमागत पर नकद साव (Cash Credit) देता है। रिजर्व बैंक कुछ बैंको की एक ग्यान से दूसरे ग्यान पर रुपया लेवने की भी मुविधा देता है, और इस कार्य के लिय उमने केन्द्रीय बैंका को राज्यीय बैंको की नाखा मान लिया है। रिजर्व बैंक का कृषि विभाग इन पर नियन्त्रण रखता है। यद्यपि राज्यीय धंको को रिजर्व बैंक में अभी सब सुविधाएँ नहीं मिली हैं,

किर भी प्रत्येक एक अखिल भारतीय सहकारी या सर्वोपरि बैंक की आवश्यकता नहीं रही है।

अखिल भारतीय राजकीय सहकारी बैंक—इस सपना का प्रावधान सन् १९२६ में हुआ था। इसका मुख्य कार्य प्रत्येक सदस्य की पूँजी के वास्तविक तथा कर्मी के आधिकारिक वगैर उगका अन्य सदस्यों का सूचित करना है जिसमें प्रत्येक सदस्य एक दूसरे की आर्थिक स्थिति से परिचित हो जाय और लेन देन करना न सुविधा हो। यह सदस्य बैंक को आर्थिक परामर्श भी देता है और उनकी सहायता भी करता है। राष्ट्रीय बैंकों को सम्यक समय पर सुझाव सहकारी आन्दोलन की महत्त्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करना भी इनका कार्य है। यह राष्ट्रीय धना, रिजर्व बैंक और सरकार का ध्यान इन्हीं सम्मेलनों द्वारा आकर्षित करता है।

भारतवर्ष में सहकारिता से लाभ (Advantages of Cooperation in India)—महान सहकारी आन्दोलन की हमारे देश में पूरी उन्नति नहीं हुई है और हमें अनेक दोष हैं, परन्तु फिर भी हम आन्दोलन से देश को बहुत लाभ हुए हैं, जो इस प्रकार हैं,—

(१) आर्थिक लाभ (Economic Advantages)—सहकारी साख समितियों किसानों और शरीरों को कम धाज पर आरु देती हैं और वे उनमें बचत की भावना को प्रोत्साहित करती हैं। बड़े गाँवों में महाजन का प्रभुत्व एवं प्रभाव समाप्त हो गया है और उनमें व्याज की दर कम कर दी है जिससे जनसाधारण को लाभ पहुँचा है। सहकारी समितियों ने नरुण कम करने में भी सहायता दी है। उन्होंने अनुत्पादक सचय (Hoarding) के रोकने में भी निर्यात साल प्रदान करती हैं। ग्रामाल समितियों से भी जनता का बहुत लाभ पहुँचा है। सहकारी विषय समितियाँ द्वारा विमान अपना माल अच्ये दामों पर बेच सकता है। उपभोक्ता समितियाँ क द्वारा उसे अपनी आवश्यकता की वस्तुओं में सस्ते भावों पर मिल जाती है। सहकारिता कुटीर उद्योगों के विकास का एक अनुपम साधन है। मद्रास में युनयन सहकारिता सफल औद्योगिक सहयोग का बहुत ही उत्तम उदाहरण है।

(२) नैतिक लाभ (Moral Advantages)—आर्थिक लाभ के अनिश्चित सहकारिता न सदस्यों का नैतिक स्तर भी ऊँचा उठा दिया है। केवल अच्ये परित्र वाता व्यति ही इन समितियों का सदस्य बन सकता है। सदस्यों के भगव पचायत द्वारा सुलभाये जाते हैं जिसमें मुद्रमेवासी कम होती है। सदस्य एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं जिससे विश्वसनीय कम होती है। एम० एल० डालिङ्ग ने ठीक ही कहा है कि 'समितियों के सदस्यों में सहकारिता की भावना उत्पन्न होने में विश्वसनीय, मुद्रमेवासी, मरिदा पान आदि आर्थिकों के स्थान पर आत्म विराम, मजार्ड, सद्भावना अन्वययना तथा पारस्परिक सत्योप आदि उत्तम बातें आ जाती हैं।' इस समितियों द्वारा सच्यो नगरिकता का पाठ सिखाया जाता है।

(३) शिक्षात्मक लाभ (Educative Advantages)—सहकारिता से समितियों के सदस्यों की बुद्धि और ज्ञान शक्ति का विकास हो जाता है। वे पढ़ना, लिखना, हिसाब रखना आदि अनेक बातें सीखते हैं जिससे वे अच्ये नागरिक बन जाते हैं। प्रत्येक सदस्य को समिति की बैठकों में भाग लेना पड़ता है और यदि वह किसी जिम्मेदार पद पर नियुक्त हुआ, तो उसे समिति के सब कार्यों का अध्ययन करना पड़ता है जिससे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है।

(४) सामाजिक लाभ (Social Advantages)—सहकारिता आन्दोलन से सामाजिक लाभ भी बहुत होते हैं। प्रसौमिक दायित्व के सिद्धान्त से पारस्परिक नियंत्रण आवश्यक हो जाता है और फिजूलखर्चों के विरुद्ध लोकमत तैयार हो जाता है। विवाह आदि धार्मिक एवं सामाजिक अवसरों पर फिजूलखर्चों कम हो जाती हैं। समीतिया द्वारा गावों में कुम्भों की मरम्मत, सफाई, गन्दे पानी की नालियाँ में सुधार, सड़क साफ करवाने, गाँव के सड़के भरवाने, चिकित्सा आदि जन हित एवं परोपकारात्मक कार्य हिये जाते हैं। उदाहरण के लिए, रहन-सहन सुधार (Better Living Societies) द्वारा गाँव में स्वच्छ रहना, मकानों को हवादार बनाना, विवाह त्योहार आदि अवसरों पर फिजूलखर्चों नहीं करना आदि बातें सीखने हैं।

(५) शासन-सम्बन्धी लाभ (Administrative Advantages)—सहकारी समितियों की सक्षमता प्रजासत्तात्मक प्रणाली के सिद्धान्तों का पाठ सिखाती है। समिति का प्रत्येक सदस्य अपने प्रति अधिकार का सदुपयोग करना सीखता है। समितियों के कार्य में निष्पक्ष भाग लेने रहने में मददगारण नियमित रूप में काम करने के अभ्यस्त हो जाते हैं।

भारतीय सहकारिता के कुछ दोष (Defects of Indian Cooperation)—भारतवर्ष में सहकारी आन्दोलन का प्रारम्भ हुए पचास वर्ष हो चके हैं, परन्तु फिर भी प्रादेशीय उत्पत्ति दृष्टिकोण से नहीं होनी है। इसकी निम्नलिखित कमियाँ इस दशा का मुख्य कारण हैं।—

(१) अत्यधिक सरकारी नियंत्रण—इस आन्दोलन का पहला दोष यह है कि इसके ऊपर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण (Official Control) अभी तक भी इतना अधिक है कि सहकारी समितियों के सदस्य इनको 'सरकारी बैंक' समझते हैं। इससे सहकारिता का भाव पैदा नहीं होता और यह प्रवृत्ति उत्तरदायित्व नहीं समझती।

(२) सहकारिता के सिद्धान्तों की अनभिज्ञता—बहुत-से सदस्य सहकारिता के सिद्धान्तों का नहीं समझते जो बहुत आवश्यक है।

(३) निरक्षरता—अधिकांश जनता निरक्षर तथा पुराने विचारों की है, इसलिये उन्हें सहकारिता के सिद्धान्तों में कोई विश्वास नहीं होता है।

(४) धीक-सम्बन्धी कार्यों की अनभिज्ञता—बहुत-से सरकारी और असरकारी कर्मचारी जो सहकारी आन्दोलन में सम्मिलित हैं, बैंक सम्बन्धी कार्यों में अपरिचित हैं जिससे बैंकों का ठीक-ठाक प्रबन्ध नहीं कर सकते।

(५) दोषपूर्ण प्रबन्ध—इन समितियों का प्रबन्ध शोषपूर्ण है। प्रबन्धकों को उचित प्रशिक्षण (Training) नहीं मिलती। प्रायः प्रबन्धक अपने मित्रों व सम्बन्धियों को ही प्रेरण देते हैं और यशस्वी न होने पर उन्हें विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इस पक्षपातपूर्ण व्यवहार के कारण समितियों के अन्य सदस्यों को, जिनका प्रबन्धका से कोई सम्बन्ध नहीं होता, आवश्यक कार्यों के लिए रुख नहीं मिल पाता।

(६) प्रबन्ध का कुछ ही शक्तिवान् व्यक्तियों के हाथों में केन्द्रीकरण—बहुत-से समितियों का प्रबन्ध थोड़े-से शक्तिवान् व्यक्तियों के हाथ में चला गया है जो छूटे-छोटे उल्हासकों के हित की रक्षा नहीं करते। बहुत-से केन्द्रीय बैंक भी अपनी समितियों के साथ व्यवहार में पक्षपात करते हैं।

(७) प्रबन्धको की स्वार्थपरायणता—प्रबन्धको की स्वार्थपरायणता के कारण साहकारों अर्थ-व्यवस्था अथवा सेवा, विलम्बकारी तथा लोपहीन है। वहुण से मदस्वो को करण सेने मे अनुविधायको का नामना करना पडता है और फिर भी उन्हे प्रावश्यकता-नुसार करण नही मिलता। इस कारण समितियों के होने हुए भी साहकार का पूर्ण प्रमुखत्व एवं प्रभाव रहता है और वृष्क सदैव महाजन के चंङ्गल मे पँसा रहता है।

(८) दोषपूर्ण निरीक्षण एवं अवेक्षण—सहकारी समितियों का निरीक्षण एवं अवेक्षण ठीक प्रकार नही होता है जिसेसे वेईमान प्रबन्धको द्वारा गवन की आराका बनी रहती है। कई राग्यों मे समितियों का निरीक्षण तथा अवेक्षण भिन्न-भिन्न एजेन्सिया द्वारा होता है जिनमे धन तथा समय का दुस्प्रयोग होता है। केन्द्रीय बैंकिंग आँच कमेटी के मतानुसार जर्मनी तथा फ्रान्दिया की भाँति का निरीक्षण, अवेक्षण आदि नेवन जिला सभ द्वारा ही सुरक्षतापूर्वक किया जा सकता है।

(९) असाक्ष समितियों की उपेक्षा—देश मे जो वृद्ध भी सहकारिता की प्रगति हुई है वह साक्ष समितियों को दिया न हुई है। असाक्ष समितियों को और कम प्यान दिया गया है। सहकारिता की पूर्ण सफलता इसके सर्वाङ्गीण विकास पर निर्भर है। अतः साक्ष व असाक्ष तथा कृषि व अकृषि समितियों का विकास एन साथ होना आवश्यक है।

(१०) ऊँची व्याज दर—अणु प्रायः तीन सस्याओ द्वारा प्राप्त होता है राष्ट्रीय सहकारी बैंक केन्द्रीय सहकारी बैंको को करण देने है, केन्द्रीय सहकारी बैंक प्रारम्भिक सहकारी साक्ष समितियों को और साक्ष समितियाँ सदस्वो को करण देती हैं। इसमे व्यय बढ जाता है जिससे फनरबन्ध व्याज की दर मे भी वृद्धि हो जाती है।

(११) अत्यधिक पुराने ऋणों की विद्यमानता—अत्यधिक पुराने ऋणों की विद्यमानता आन्दोलन का एक प्रमुख दोष है। जो सदस्व अपने पुराने ऋणों को छिपा सेते हैं उन्हे भी अनुत्पादक उद्देश्यो के लिये बडे-बडे करण दे दिजे जाने है। इन प्रकार समय पर ऋणों को चुकाया नही जाता जिनके कारण अथभिवत्त ऋणों (Overdues) मे वर्धात्त वृद्धि हो गई है।

(१२) कृषको की केवल आर्थिक माँग की पूर्ति—समितियों से कितन की छोटी सी माँग पूरी होती है, शेष के लिये उमे बाँच के महाजन वा साहकार पर निर्भर रहता पडता है।

(१३) अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों मे प्रायः भेद नही किया जाता—प्रारम्भिक साक्ष समितियों ने अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों मे अन्तर स्पष्ट रूप से नही समझा है। अनेक समितियाँ दीर्घकालीन ऋण देती हैं जिसमे इनका धन लम्बे समय तक फँस जाता है। अन्य सदस्व करण बडी कठिनाई मे ल पाने हैं।

(१४) करण देने की मात्रा निश्चित नही है—सदस्वो को करण देने की मात्रा निश्चित नही है। वे इच्छा धन लेकर निरर्थक व्यय कर देते हैं।

(१५) विशिष्टता, सामुदाय एवं धरी कोषों की उदासीनता—विशिष्ट सामुदाय एवं धरी कोषों का इन उदासीन रहते है, क्योंकि उनके स्वयं के लिए समिति की आवश्यकता नही होती और यदि वे सदस्व बन भी जाते है तो अनुविन नाम उठाने हैं।



(१६) अत्यंत निक फायरकतत्रियों की लापरवाही—काम करने वाले वेतन न मिलने के कारण लापरवाही में काम करते हैं ।

(१७) ऊपरी दिखावा—सहकारी कर्मचारी अपनी कार्य दिखाने के लिये समितियों को सख्या बड़ा कर दिखाते हैं । ठोम कार्य नहीं करते । प्रायः यह देखा गया है कि बहुत सी समितियाँ स्थापित होने के बाद एक वर्ष में ही भंग हो जाती हैं । इसके अतिरिक्त, समितियों के पदाधिकारी अपने हिसाब किताब में इस ढंग से हेर फेर कर देते हैं कि अवधिगत ऋण अधिक प्रतीत नहीं होते ।

(१८) कार्यशील पूँजी की अपर्याप्तता—समितियों के पास कुछ कार्यशील पूँजी का बहुत कम भाग स्वयं की पूँजी होती है । इसका कारण यह है कि समिति के सदस्यों में धन जमाकर रखने की आदत नहीं होती । ये समितियाँ बस पूँजी द्वारा अपनी पूँजी एकत्रित भी नहीं करना चाहती । इसी कारण उनको बाहर से ऋण लेना पड़ता है । ऋण पर लिये हुये धन को ऋण का रूप में देने के कारण समितियाँ अधिक ब्याज लेती हैं । इसलिये समितियों के सदस्य समितियों से ऋण लेने में कोई विशेष लाभ नहीं समझते ।

दोषों को दूर करने के सुझाव (Suggestions)

(१) सरकारी नियन्त्रण को सहकारी भ्रान्दोलन पर से कम करना चाहिये । सहकारी विभाग का कार्य केवल शिक्षा देना, निरीक्षण तथा अकेलापन करना होता है और सारा भ्रान्तरिक कार्य सहकारी सथाओं पर छोड़ देना चाहिये जिससे जनता का विश्वास बड़े ।

(२) प्रारम्भिक सहकारी साख समितियों को केवल अल्पपलाती तथा मध्य-कालीन ऋण ही देने चाहिये ।

(३) ऋण केवल उत्पादन कार्यों के लिये देना चाहिये ।

(४) साख समितियों को सदस्यों के ऋण वापिस करने की समता को भी देखना चाहिये । यह भी देखना चाहिये कि उनके सदस्य अपनी आय में अधिक व्यय न करें ।

(५) साख समितियों के हिसाब किताब आदि की जाँच भली प्रकार होनी चाहिये जिससे जनता का विश्वास बड़े ।

(६) समित के सदस्यों, सहकारी कर्मचारियों तथा अन्य सम्बन्धित व्यक्तियों को सहकारिता के निदान्त एव कार्य प्रणाली के विषय में शिक्षा देने का पूर्ण प्रबन्ध होना चाहिये ।

(७) ऋण की मात्रा निश्चित कर देनी चाहिये ।

(८) साख समितियों को सुदृढ रिजर्व कोष बनाना चाहिये ताकि वे भविष्य की अनिश्चयताओं से बच सकें ।

(९) निरीक्षण और अकेलापन के लिये जिला सच बनाने चाहिये जिनमें कुछ सहकारी अनुभवों कर्मचारी नियुक्त किये जायें ।

(१०) वैदमान सदस्यों और पदाधिकारियों को समितियों में निकाल देना चाहिये और सदस्यों को सापस में सपान सम्भला चाहिये ।

(११) ब्याज को दर कम करने के लिये समितियों को सहरो तथा गवियों से सस्ती पर पर ऋण लेना चाहिये । मन्द-व्यापार के दिनों में प्रियाशील व्यापार के दिनों के लिये सस्ते ब्याज पर धन एकत्रित करना चाहिये ।

(१२) राजकीय व कन्द्रीय बैंकों का प्रबन्ध धनुभवी और वैकिय योग्यता वाले व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए ।

(१३) साल-समितियों तथा रिजर्व बैंक के कृषि-विभाग में पूरा सहयोग होना चाहिए ।

(१४) खेती की उपज के सग्रहार्थ गोशाम बनाने के लिए समितिया तथा केन्द्रीय बैंक को रियायती दर पर ऋण दे देना चाहिए ।

(१५) सरकार को इन समितियों को आश वर, रजिस्ट्रेशन फीस, मुद्राक-कर, प्रतिगित-कर (Super tax) तथा न्यायालय शुल्क (Court-fee) से मुक्त कर देना चाहिए, ताकि उनके व्यय कम हो जायें और वे ब्याज की दर कम कर दें ।

(१६) साहकारों के कार्यों के विरुद्ध विशेष कानून बनाये जाने चाहिए ।

(१७) केन्द्रीय सहकारी बैंकों का नियन्त्रण एन कमेटी द्वारा होना चाहिए जो इन समितियों द्वारा बनाई गई हो ।

(१८) समितियों का विस्तार बढा न होना चाहिए । यदि सदस्यों की संख्या समिति में अधिक होगी तो उसका प्रबंध ढीला हो जायगा । इससे विपरीत यदि सदस्यों की संख्या बहुत कम है, तो प्रबन्ध कठिन हो जायगा ।

(१९) सहकारी साल समितियों को पूर्ण सफलता प्राप्त होने के लिए गांव वाला का विश्वास होना अत्यन्त आवश्यक है ।

(२०) 'गैडगुल आयोग' (Gadgil Commission) ने राजकीय कृषि साल निगम (State Agricultural Credit Corporation) की स्थापना की सिफारिश की है जो प्रादेशिक आवश्यकता को पूर्ण करेगा । परन्तु जहाँ राष्ट्रीय सहकारी बैंक हैं, वहाँ इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं होती । 'नानावटी कमेटी' ने भी इस निगम का समर्थन नहीं किया ।

(२१) भारत सरकार ने सन् १९४८ में एन आर्मीशु बैंकिय जांच कमेटी नियुक्ति की जिसने मितम्बर सन् १९४९ में अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की । कमेटी ने सहकारी समितियों के लिए निम्न सुझाव दिये हैं : (अ) सरकार को सहकारी संस्थाओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिए और उन्हें सहायता देनी चाहिए । (आ) अल्प और मध्यकालीन ऋण देने के लिए राष्ट्रीय बैंक की संस्था बढा कर उनको अधिक हट बनाया चाहिए । जहाँ ऐसा सम्भव न हो तो वहाँ राजकीय कृषि साल प्रसञ्जल स्थापित किये जान चाहिए । (इ) क्षेत्रकालीन ऋण वेबल भूमि-वधक बैंक द्वारा दिये जाने चाहिए । जहाँ व नहीं है उनको स्थापना होनी चाहिए । (ई) इन समितियों को एक स्वान में दूसरे स्वान पर मुद्रा भेजने की सुविधाएं भी प्रदान करनी चाहिए । (उ) जमीदारों व राजाघरा प्रादि में जिनकी वसत बढ रही है समितियों को जमा प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए ।

(२२) एक-उद्देशीय समितियों (Single-purpose Societies) के स्वान पर बहुउद्देशीय समितियों (Multi-purpose Societies) की स्थापना होनी चाहिए ।

बहुउद्देशीय समितियाँ की स्थापना से विभिन्न प्रकार की अनेक समितियाँ (जैसे साख समिति, विक्रय समिति, गृह निर्माण समिति, उपभोक्ता समिति आदि) स्थापित करने की कोई आवश्यकता नहीं रहती।

**भारतीय सहकारी आन्दोलन की सफलताएँ (Achievements)**—  
सहकारिता आन्दोलन ने भारत में जो सिद्धियाँ प्राप्त की हैं, वे इस प्रकार हैं—

(१) इस आन्दोलन के कारण कई ग्राम शर्मों में महाजनने अपना व्याज की बर गिरा दो है।

(२) इसके कारण जनता में मितव्ययता का प्रचार हुआ है।

(३) इसके कारण अनावश्यक ऋण लेने की प्रवृत्ति कम हो गई है।

(४) इसके कारण किसानों का नैतिक स्तर ऊँचा हो गया है।

(५) सहकारी भण्डारों से मध्यवर्ग को इस महंगाई के समय बड़ा लाभ पहुँचा है।

(६) इसके कारण गहरी पूँजीपतियाँ और कायकर्त्ताओं के दिना म गाँवा के प्रति रुचि उत्पन्न हो गई है।

**उपसंहार**—भारत में सहकारिता आन्दोलन को प्रारम्भ हुए लगभग ५० वर्ष हो गये परन्तु फिर भी इसकी प्रगति सन्तोषजनक नहीं है। द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् आन्दोलन में कुछ परिवर्तन हुआ जिसके कारण इसका भविष्य उज्ज्वल प्रतीत होने लगा है। द्वितीय महायुद्ध-काल में तथा इसके उपरान्त कृषि उपजों के मूल्य में वृद्धि होने के कारण किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ जिसके कारण समितियाँ तथा केन्द्रीय बन्का का विकास कृष्ण बनूत होने लगा। अब भी भारतवर्ष में सहकारिता के लिए सभी दिशाओं में पर्याप्त धन है। अब तक भारत में साख ने ही कृषक के जीवन के एक अग्र को सुधारा है। अब हमें बहु उद्देशीय समितियाँ (Multi purpose Societies) प्रारम्भ करने अथवा न भी सहकारिता से लाभ उठाना पार्य। भारतवर्ष शर्मों का देश है और सहकारिता को ग्राम सुधार का सभा अग्रा के लिए मुख्य लक्ष्य बना लेना चाहिए।

## भारतवर्ष में असाख सहकारिता

### (Non Credit Cooperation in India)

भारतवर्ष में सन् १९०४ में सहकारिता का प्रारम्भ किसानों की महाजनने के अग्रुत से बचाने और उनको कम व्याज पर रकमा उधार देने के उद्देश्य से हुआ था किन्तु कम व्याज पर रकमा उधार मिलने में ही तो किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। सहकारी मास आन्दोलन तो नमी सफल हो सकता है जब सेती उन्नत अवस्था में हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि सेवा की चरचरी ही अग्रुत वीज की के वैज्ञानिक उद्यम अग्रुतों द्वारा सिबाई के समुचित साधन किसानों को उपलब्ध हू। अतः असाख सहकारिता की आवश्यकता के परिणाम स्वरूप सन् १९१२ में सहकारी समितियाँ का नया कानून पास हुआ जिसमें असाख समितियाँ के रजिस्ट्रेशन की अग्रा दी गई। अतः अतः अनेक प्रकार की असाख समितियाँ की स्थापना हुई, जिनमें से कुछ का वर्णन नीचे किया जाता है—

**सहकारी मार्केटिंग (विपणन) (Cooperative Marketing)**—  
यूरोप व अमेरिका आदि देशों में सहकारी मार्केटिंग ने बड़ी उन्नति की है। यह

अनुमान लगाया जाता है कि खेतों की उपज का लगभग २५% भाग सहकारी समितियों द्वारा बेचा जाता है। यूरोप में मार्केटिंग सहकारिता की उन्नति का श्रेय डेनमार्क को है जहाँ यह आन्दोलन पूर्ण सफल सिद्ध हुआ है। जब कुछ व्यक्ति सहकारिता के सिद्धान्त पर आपस में मिलकर अपनी पैदावार को बेचते हैं तो इसे सहकारी मार्केटिंग कहते हैं। उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा घी बेचने वाली समितियाँ, बम्बई में रई बेचने वाली समितियाँ, मद्रास में धान की विप्रेषण समितियाँ सहकारी मार्केटिंग के कुछ उदाहरण हैं।

सहकारी मार्केटिंग (हाट) समिति के मुख्य कार्य—एक सहकारी मार्केटिंग समिति के निम्नांकित मुख्य कार्य होते हैं :—

(१) समिति के सदस्यों की पैदावार को सीधा उनसे खरीदना, (२) सदस्यों के माल पर कुछ प्रतिशत पैसागी देना, (३) उपयुक्त गोदाम की व्यवस्था कर सदस्यों के माल को सग्रह कर उसका श्रेडेशन आदि करना, (४) सदस्यों के माल को कमीशन के आधार पर बेचना।

सहकारी मार्केटिंग के लाभ (Advantages)—सहकारी विप्रेषण-समितियों के अनेक लाभ हैं जैसे अधिक बिक्री, स्थिर उत्पादन, उत्पादकों की सौदा करने की शक्ति में वृद्धि, सर्वां फट जाना, उपज का ऊँचा मूल्य प्राप्त होना, उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं का अध्ययन करना, उत्पादकों को सहकारी मार्केटिंग तथा सामूहिक प्रयत्नों के विषे शिक्षित करना आदि।

भारतवर्ष में सहकारी मार्केटिंग की प्रगति—बम्बई में Cotton Sales Societies ने नवी उन्नति की है। मूलतः की Cotton Sales Societies ने हाल में ही अपना सघ स्थापित कर कपास लाने के अपने ही कारखाने स्थापित कर लिये हैं। कलकत्ते में कई Paddy Societies कुछसादा पूर्वक कार्य कर रही हैं परन्तु बंगाल की बूट समितियों ने अभी आरम्भगत उन्नति नहीं की है। पंजाब में कई सहकारी कमीशन दुकानें हैं जो उत्पादकों की उपज को अपने गोदामों में सग्रह कर अच्छे मूल्य पर बेचने का प्रयत्न करती हैं। मद्रास में भी इसी आधार पर कई विक्रय समितियाँ बनी हुई हैं परन्तु उनको अभी अधिक सफलता नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश और बिहार की ग्राम विप्रेषण समितियाँ सफलतापूर्वक कार्य कर रही हैं।

उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं की सहकारिता—सहकारिता से खान उत्पादकों तथा उपभोक्ताओं दोनों की ही पहुँचता है। उत्पादकों ने अपनी ऋण, विप्रेषण, चक्रवर्ती, सिंचाई, पशु, बीमा आदि की समितियाँ सहकारी सिद्धान्तों पर सगठित कर लाभ उठाया है, और उपभोक्ताओं ने अपने सहकारी भंडार सगठित कर खान उठाया है। नीचे दोनों प्रकार के सहकारी सगठनों का विवरण दिया जाता है—

### सहकारी विक्रय समितियाँ (Cooperative Sales Societies)

परिचय—नित्तान अशिक्षित तथा ऋणी हैं, अतः वे बाजार-भाषों में अशक्तिमान रहते हैं और बहुधा फसल के बेचने में उचित मूल्य नहीं पाते। गाँव के वनिय या सेनर शहर के बड़े-बड़े व्यापारों तक सभी नित्तान की अज्ञानता तथा निर्धनता का अनुनिष्ठ लाभ उठाना है। इस बुराई को दूर करने के लिये सहकारी विक्रय समितियाँ स्थापित की गई हैं।

**समितियों का निर्माण**—भील चार गांवों को मिलाकर एक समिति स्थापित की जाती है। केवल वे लोग ही इन समितियों के सदस्य हो सकते हैं जो स्वयं उत्पादक हों।

**पूँजी एवं दायित्व**—पूँजी अर्थात् में बँटी होती है। प्रत्येक सदस्य को एक अंश या शेयर खरीदना पड़ना है। उत्तरदायित्व सीमित रहता है।

**कार्यप्रणाली**—सदस्यों के लिये यह अनिवार्य होता है कि वे समिति के द्वारा ही अपना उपज बेचें। फसल के समय उरज समिति एकत्रित कर लेती है और बाजार-भाव के आधार पर किसानों को अपना काम चलाने के लिये ६० प्रतिशत मूल्य पेन्शनरी (Advance) दे दिया जाता है। उपज समितियों के गोदाम में रख ली जाती है। समिति के अधिकारी बाजार से सम्पर्क रखते हैं और उचित मूल्य मिलने पर बिक्री करते हैं। समितियों को बड़े दुकानदारों से प्रतियोगिता करने पड़ती है इसलिये बहुत-सी समितियाँ संघ स्थापित कर लेती हैं जिससे उन्हें बड़े दुकानदारों से प्रतियोगिता करने में कठिनाई नहीं होती।

**लाभ विभाजन**—लाभ बाँटने के पूर्व २५ प्रतिशत लाभ रिजर्व कोष में रख दिया जाता है।

**राज्यानुसार विक्रय समितियों की प्रगति**—इस प्रकार की समितियाँ अनेक प्रान्तों में स्थापित हो गई हैं। इनके स्थापित करने में बम्बई प्रान्त सबसे आगे रहा है। कपास की बिक्री के लिये प्रान्त भर में ११० समितियाँ कार्य कर रही हैं। सन् १९४१-४२ में इन समितियों ने १ करोड़ ३० लाख रुपये का कपास बेचा था। मद्रास प्रान्त में इस प्रकार की समितियाँ उपज के ऊपर ऋण देती हैं और उपज इकट्ठी करके बेचती हैं। कुल १८५ समितियाँ कार्य कर रही हैं और सन् १९४१-४२ में ७५ लाख की पैदावार इन समितियों के द्वारा बिक्री थी। उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की बहुत सी समितियाँ स्थापित की गई हैं जिनमें में गन्ने की सहकारी समितियाँ उल्लेखनीय हैं। जितना गन्ना कारखाने लेते हैं उसका ७० प्रतिशत मन्ना इन समितियों द्वारा दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में ६०० में अधिक गन्ना बेचने की, तथा ७०० में अधिक समितियाँ भी बनने की है। इन समितियों के काम को उचित रीति से चलाने के लिये प्रान्तीय विक्रय समितियाँ स्थापित की गई हैं। कई सहरो में आजकल बहुधा दूध की विक्रय समितियाँ स्थापित की जाती हैं। उत्तर प्रदेश में २५ से अधिक दूध विक्रय समितियाँ हैं जिनमें में १७ तो प्रकैल लखनऊ में ही हैं।

**सहकारी विक्रय समितियों के मन्द-गति के कारण**—विक्रय समितियाँ अभी तक पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं कर सकी है, क्योंकि उन्हें (१) धन की कठिनाई रहती है, (२) प्यापारी अनुचित प्रतियोगिता करके समितियों को भंग करने का प्रयत्न करते हैं, (३) उपज सत्रहार्थ गोदामों की कठिनाई होती है, (४) सदस्यों में सहकारिता के भाव का अभाव रहना है, (५) अविद्या के कारण कुशल-प्रबन्धकों का अभाव रहता है।

### सहकारी क्रय समितियाँ (Cooperative Purchase Societies)

**परिचय**—किस समितियाँ अपने सदस्यों के लिये सस्ते भावों पर उनकी आवश्यकताओं की सभी वस्तुएँ खरीदती हैं, जैसे—किताब के लिये खेतों के शीजार, खाद, बीज आदि। ये समितियाँ अपने सदस्यों से पृच्छकर उनको आवश्यकताओं की वस्तुओं

की सूची बना लेती है और थोक व्यापारी या सीधे कारखाने से थोक भाव पर खरीद लेती हैं। इस प्रकार सदस्यों को अच्छी वस्तुएँ उचित मूल्य पर मिल जाती हैं।

**पूर्वोक्त एव दागित्व**— इन समितियों की स्थापना सीमित उत्तरदायित्व के आधार पर होती है और सदस्यों को ग्रहण करीबने पढते हैं। ग्रहण पर लाभ भी बाँटा जाता है। प्रवन्ध समिति का प्रवन्ध एक प्रवन्धकारणी कार्यसमिति के द्वारा होता है, जिसका निर्वाचन सदस्यों की वार्षिक साधारण सभा में होता है।

**भारतवर्ष में सहकारी क्रय समितियाँ**— भारत में कुछ क्रय समितियों का कर्म कम है। अधिसूचित विक्रय समितियाँ क्रय विक्रय दोनों ही कार्य करती हैं। क्रय समितियाँ अधिक सफल नहीं हुई हैं, क्योंकि सदस्य समितियों के काम में रुचि नहीं रखते और वे केवल वस्तुएँ क्रय ही करती हैं जिसमें वह कार्य ही समाप्त हो जाता है। इसलिये जो समितियाँ क्रय विक्रय दोनों ही कार्य कर रही हैं वे ही अधिक सफल हुई हैं।

**सहकारी चक्रवन्दी समितियाँ**

(Cooperative Societies for Consolidation of Holdings)

**परिचय**— भारतवर्ष में खेती की हीन-दशा का एक कारण खेती का छोटा तथा दूर दूर छिटका होना है। इस बुराई को दूर करने के लिये चक्रवन्दी समितियों का निर्माण हुआ।

**प्रवन्ध एव कार्यप्रणाली**— चक्रवन्दी समितियाँ स्थापित करने के लिये किसानों को भेटी के बिखरे होने की बुराईयाँ समझाई जाती हैं और उन्हें इस बात पर महत्त्व दिया जाता है कि वे अपने खेत बवल लें। जब वे राजी हो जाते हैं तब उन किसानों को सदस्य बनाकर सहकारी चक्रवन्दी समिति की स्थापना की जाती है और एक कार्य-कारिणी समिति चुन ली जाती है। कार्यकारिणी समिति सहकारी विभाग के अन्तर्गत के सहायक सचिव के अन्तर्गत का भूमि की उपजाऊ शक्ति के आधार पर वर्गीकरण करती है, और प्रत्येक खेत का मूल्य निर्दिष्ट कर दिया जाता है। बराबर भूख खेतों के चक्रवन्दी कर लिये जाने हैं और प्रत्येक किसान को खेती के कुछ मूल्य के बराबर खेत एक एक में दे दिया जाता है; और नये बँटवारे की रजिस्ट्री हो जाती है।

**भारतवर्ष में चक्रवन्दी समितियों की प्रगति**— सहकारी चक्रवन्दी समितियाँ पंजाब में बहुत स्थापित हुई हैं, तथा उच्च पर्याप्त सफलता मिली है। पंजाब में इस प्रकार की लगभग दस हजार समितियाँ बनी हैं, तथा उनसे प्रतिवर्ष दो लाख एकड़ भूमि की चक्रवन्दी होती है। अन्य प्रांतों में भी इस प्रकार की समितियाँ बनी हैं। उत्तर प्रदेश के मरठ, सहारनपुर, बिजनौर, बुलन्दशहर, रायबरेली आदि १४ जिलों में यह कार्य चल रहा है। भारत द्वारा चक्रवन्दी अग्रिवायं कर ली जाने में इससे सीधे सफलता मिल सकती है।

**सहकारी सिंचाई समितियाँ (Cooperative Irrigation Societies)**

**परिचय**— भारतवर्ष में जल कृषि प्रधान देश के लिये सिंचाई की कितनी आवश्यकता है, सर्व विदित है। परन्तु हमारे यहाँ पर्याप्त साधन नहीं हैं। अतः सिंचाई की सुविधाओं के लिये सर्वदूर सरकार पर आश्रित रहना पड़ता है। इस समस्या की भी सहकारिता प्रणाली के आधार पर हल करने का प्रयत्न किया गया है।

पूँजी एवं कार्य-प्रणाली—पहले समिति स्थापित की जाती है। इस समिति के सदस्य को अपनी भूमि के अनुपात में समिति के धरो को खरीदना पड़ता है। साथ ही-साथ समिति केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा केन्द्रीय सरकार में अणु लेकर सिंचाई के साधन बनवाती है; और सदस्यों से पानी के बढ़ते में जो धन प्राप्त होता है उसमें अणु जुकाली है। ये समितियाँ सिंचाई का उचित प्रबन्ध करती हैं।

भारतवर्ष में सिंचाई समितियाँ—इन प्रकार की समितियाँ सबसे पहले बंगाल में प्रारम्भ की गई थीं। सिंचाई समितियों में बंगाल और बिहार में बड़ी उन्नति की है। अनेक बिहार में इनकी संख्या लगभग १००० है। इन समितियों में चार लाख रुपये तथा हुआ है, और सदस्यों की संख्या लगभग २०,००० है। कुछ कार्य उत्तर-प्रदेश में भी हुआ है।

### रहन सहन सुधार समितियाँ (Better Living Societies)

उद्देश्य—रहन सहन सुधार समितियों का मुख्य उद्देश्य गाँवों में प्रचलित कुरीतियाँ, जैसे—विवाह, जन्म, मृत्यु आदि अवसरों पर अणु व्यय करना, तथा गाँव बापों के रहन-सहन को ऊँचा करना है।

मुख्य कार्य—इन समितियों के मुख्य कार्य निम्नलिखित हैं (घ) रहन-सहन का स्तर ऊँचा करना है (आ) अपव्यय बंद करना, (इ) मकानों में रोखनी, सफाई का प्रबन्ध करना, (ई) कुँआ को मरामत करना, (उ) गाँवों को सड़कों को बनवाना अथवा सुधार करना, (ऊ) खार के गड्ढे बनवाना (ए) सुनिश्चित दास्यों का गाँव में रहना, (ए) जेवर पर अधिक व्यय न करने के लिए गाँव वालों को समझाना है।

संगठन एवं प्रबन्ध—इन समितियों के सदस्यों को अक्ष अथवा वेधर नहीं खरीदने पड़ते हैं, और न समिति को कोई धन पूँजी (Share Capital) ही होती है। प्रत्येक सदस्य को, जो समिति के नियमों और सिद्धान्तों को मानने के लिये सौदार होता है, प्रवेश-शुल्क देना पड़ता है। समिति के सदस्यों में कोई चन्दा नहीं लिया जाता है। सदस्य मिलकर कुछ नियम बनाते हैं, जिनका पालन प्रत्येक सदस्य को करना आवश्यक है। जो सदस्य इन नियमों की अवज्ञा करता है उसे दण्ड देना पड़ता है। समिति का साधारण सभा एक वर्ष के लिये योजना बनाती है और सत्ते कार्यान्वित करती है। प्रतिवर्ष नई योजना बसाई जाती है; किन्तु गण वर्ष का कार्य-क्रम थापू रहता है।

भारत में इनकी प्रगति—सर्व प्रथम पंजाब में इनकी स्थापना हुई किन्तु उत्तर-प्रदेश में इनके संगठन में बड़ी प्रगति दिखाई है। पंजाब में केवल १,६०० समितियाँ हैं, और उत्तर प्रदेश में लगभग ६,००० हैं। उत्तर प्रदेश में इन समितियों का संगठन ग्राम सुधार निगम के प्रयत्नों से हुआ है।

### सहकारी गृह निर्माण समितियाँ (Cooperative Housing Societies)

सहकारी गृह निर्माण समितियाँ अपने सदस्यों के लिये मकान बनाती हैं, और मकान बनवाकर किराये पर उठा देती हैं। ये समितियाँ भाषा अथवा चौधारी रूपमा अपना लयती हैं, और रोप रूपमा मकान की जमानत पर उधार ले लती हैं। ये समितियाँ भारतवर्ष में मद्रास, प्रहमदाबाद, बम्बई, दिल्ली, अलीपड आदि नगरों में पाई जाती हैं। इन समितियों को सहाय दिन प्रति-दिन बढ़ती जा रही है।

### उपभोक्ता सहकारी भण्डार (Consumer's Cooperative Stores)

परिचय—उपभोग के क्षेत्र में सहकारिता उनमें ही आवश्यक है जिनमें उत्पत्ति या माय के क्षेत्र में। वस्तुएँ खरीदने में गाँव तथा शहर दोनों के निवासी पाठे में रहते हैं, क्योंकि वस्तुओं का मूल्य अधिक देना पड़ता है; और कुछ वस्तुएँ नहीं मिलती। इसका धीरे धीरे समाधान की तो बड़ी ठगई होगी है। वस्तुओं का मूल्य इसलिए अधिक हो जाता है कि उत्पादन और उपभोक्ता के बीच में अनेक मध्य-पुरुष रहते हैं, और प्रत्येक अपना अपना लाभ बसूल करता है। यहाँ नहीं, यदि मध्यजन इतने लाभ में मगलुष्ट नहीं होते तो निहृष्ट वस्तुओं का सम्मिश्रण भी कर देते हैं। इन्हीं सब दुःखों का दूर कर देने के लिये उपभोक्तियों ने सहकारी भण्डारों का निर्माण किया है।

उद्देश्य—सहकारी भण्डार का उद्देश्य मध्य-पुरुषों के लाभ को रोकना तथा कुछ वस्तुएँ उचित मूल्य पर उपभोक्तियों को देना है।

सहकारी भण्डारों का जन्म—इन सहकारी भण्डारों का जन्म सर्वप्रथम इंग्लैंड में हुआ। सन् १८४४ में रॉकडेल (Rochdale) नामक स्थान पर फ्लारिन बुनने वाले २८ बुनकर (Weavers) ने २८ पौंड की पूँजी से मुक्तिवात रॉकडेल सहकारी भण्डार स्थापित किया। उन्होंने केवल पाँच आवश्यक वस्तुओं का ही बेचना प्रारम्भ किया। सभी सदस्य अपनी आवश्यकता के अनुसार वहाँ में खरीदते थे। धीरे-धीरे वह भण्डार बहुत सफल हुआ, और अभी तक वह उपभोक्ता सहकारिता आन्दोलन के कार्यकर्ताओं का प्रोत्साहन दे रहा है। रॉकडेल भण्डार की सफलता के कारण इंग्लैंड में अनेकों के अनेक सहकारी भण्डार खुले।

भारतवर्ष में सहकारी भण्डारों का संगठन एवं प्रवर्धन—भारतवर्ष में भी अपना उपभोक्ता-सहकारी-भण्डार खुले हैं। इन भण्डारों का संगठन मुल्ज डेलिज समितियों के सिद्धान्तों पर हुआ है। मुख्य निम्नलिखित हैं—(१) प्रत्येक सदस्य का उत्तरदायित्व सीमित (Limited) होता है। (२) सहकारी भण्डार के नाम या शेष रहने हैं; और प्रत्येक सदस्य को बस से-कम एक शेयर खरीदना पड़ता है। अधिक शेयर भी खरीद जा सकत हैं, परन्तु प्रत्येक सदस्य केवल एक ही बोट देने का अधिकारी होता है। (३) भण्डार की कार्यशील पूँजी अर्थात् के विषय में ही प्राप्त होती है। (४) सदस्यों का अपनी आवश्यकता की सभी वस्तुएँ भण्डार में विक्रय वाली वस्तुओं में से खरीदनी पड़ती हैं। (५) भण्डार साधारणतया नकद विक्री करता है, और वाशर-माच पर या अपने बस भाव पर कुछ वस्तुओं की विक्री करता है। (६) एक चौथाई लाभ रिजर्वे रूप में जमा किया जाता है; और नए सदस्यों में अर्ध के अनुपात में बाँट दिया जाता है। (७) साधारण सभा के वार्षिक अधिवेशन में, जिसमें लगभग सभी सदस्य रहते हैं, सहकारी भण्डार की नीति, वार्षिक हिसाब-किताब का लेखा, तथा उनकी जीव, नाम वितरण के विद्वान्ता का निर्णय किया जाता है। (८) साधारण सभा के वार्षिक अधिवेशन में दिन प्रति-दिन के कार्य-सन्धान के लिये एक प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन हा जाता है, जो भण्डार के वैनिक कार्यकारिणी के कार्य का निरीक्षण करती है।

भारतवर्ष में उपभोक्ता-सहकारी भण्डारों की प्रगति—भारतवर्ष में उपभोक्ता सहकारी भण्डारों की उदया बहुत कम है। सन् १९४६-४७ में आँकड़ों के अनुसार



हमारे देश में इस प्रकार के केवल २,६४६ भंडार हैं। ये केवल नगरों में ही स्थापित हुये हैं। स्कूलों और कॉलेजों में विद्याभिया तथा पद्यापकों की आवश्यकता की वस्तुएँ बेचने के लिये घनेकी भंडार खुले हैं। रेलवे तथा डाकघर के कर्मचारियों के लिये भी सहकारी भंडार खुले हैं, और इनकी पर्याप्त सफलता भी मिली है। मद्रास त्रिपलीकेन भंडार ( Madras Triplicane Store ) में तो प्राश्चयजनक उन्नति की है। यह भंडार सन् १९०४ में प्रारम्भ हुआ था और अब इसके पाम निजी भवन भी है। इसकी घस-पूँजी १ लाख रुपये से अधिक है, इसका रिजर्व कोष २ लाख रुपये के लगभग है, और इसकी शाखाएँ नगर के भिन्न भिन्न भागों में कार्य कर रही हैं। इसे लगभग १२ लाख रुपये वार्षिक का लाभ होता है। मद्रास, मैसूर तथा उत्तर प्रदेश में कुछ भंडार सफल हुए हैं। किन्तु इन भंडारों की सफलता के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता है कि सहकारी उद्योगिता भंडार भारतवर्ष में सफल हुए हैं।

भारतवर्ष में सहकारी उद्योगिता भंडारों की असफलता के कारण—

- (१) सहकारी भंडारों में पाम पूँजी की कमी रहती है। असी की विलो से शानी पूँजी एकत्रित नहीं हो पाती कि लोक-क्रय किया जा सके।
- (२) सीमित दायित्व होने से वैयक्तिक बंधों से ऋण भी नहीं मिल सकता।
- (३) सहकारी भंडार मध्यम वर्ग के मनुष्यों में सफल हो सकते हैं परन्तु मजदूरों में नहीं। मजदूर महाजना के श्रेणी रहते हैं, इसलिये वे न तो सहकारी भंडारों में सदस्य हो पाते हैं और न वहाँ से आवश्यकता की वस्तुएँ ही खरीद सकते हैं। अधिकतम मजदूर सामान उधार खरीदते हैं। उद्योगिता भंडार सामान उधार नहीं बेच सकते।
- (४) सहकारी भंडारों की व्यापार-कुशल कार्यकर्ता नहीं मिलते, जिससे वे व्यापार-कुशल अनिया से प्रतियोगिता करने में असफल रहते हैं।
- (५) सदस्य सहकारी भंडारों में आधार-भूत मिट्टान्तों की नहीं जानते। अतः वे यह प्रयत्न करते हैं कि वस्तुएँ बाजार-भाव से कम मूल्य पर मिले। बाजार भाव से कम मूल्य पर बेचने से थोड़े समय के लिये तो भंडार का काम अच्छा चलता है, परन्तु बाजार-भाव गिरने पर भंडार को घाटा हो जाता है, और सदस्यों का भंडार में से विश्राम उठ जाता है।
- (६) बहुत-से भंडार उधार बिखो करते हैं, जिसके कारण वे समाप्त हो जाते हैं।
- (७) प्रबन्धकारियों के सदस्य प्रबन्ध-कार्य में दिलचस्पी नहीं लेते और वैयक्तिक कर्मचारी नियंत्रण की शिथिलता के कारण मनमाना कार्य करते हैं।
- (८) प्रबन्धकारियों के सदस्य ईमानदार न हुए तो वे मनेजर के द्वारा अनुचित लाभ उठाते हैं, या मनेजर ईमानदार न हुआ तो वह अच्छे माल में खराब माल मिलाकर अनुचित लाभ उठावेगा।
- (९) प्रायः कार्यालय की सजावट, कर्मचारियों के वेतन आदि पर आवश्यकता से अधिक व्यय कर दिया जाता है।
- (१०) युद्ध आदि अनाधारण परिस्थिति में वे ईमान कार्यकर्ता तथा प्रबन्धकों द्वारा 'ब्लॉक मार्केट' किया जाता है।
- (११) धर्मिकों की निरक्षरता उन्हें इनमें लाभ उठाने में बाधक होता है।

### सहकारिता का पुनर्संर्र्गठन (Reorganization of Cooperation)

भारतवर्ष में सहकारिता आन्दोलन की अभावोत्तम सफलता नहीं मिली है। अस्तु इसका पुनर्संर्र्गठन होना आवश्यक है। अधिकतम सर्वशास्त्रियों का मत है कि एक-उद्देश्य समिति ( single-purpose society ) द्वारा, पर्याप्त ऋण देने-मात्र में ही किसानों की समस्त समस्याएँ हल नहीं की जा सकती। इसलिये विभिन्न जाँच बमेटियों तथा रिजर्व बैंक ने यह मुझाव रखा है कि एक-उद्देशीय समितियों के स्थान में बहु

उद्देश्य-समितियाँ (Multi-purpose Societies) स्थापित की जायें, जिनमें कृषि के अतिरिक्त अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति भी सहकारी के मिदाल पर हो सके।

बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ

(Multi-purpose Cooperative Societies)

बहुउद्देशीय सहकारी समितियों का अर्थ—सहकारी सिद्धान्तों के आधार पर सदस्यों की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली समितियों को बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि एक समिति कृषि देने के अतिरिक्त किसान की खाद, बीज, औजार, उपज देवने आदि का भी कार्य करती है, तो यह बहु उद्देशीय समिति कहलाती है। इस व्यवस्था के अभाव में ये सब काम अलग-अलग एक समिति के अनेक अलग-अलग समितियों द्वारा सम्पन्न किया जायगा जो भारतीय कृषक के लिये सर्वथा अनुपयुक्त है।

बहुउद्देशीय समितियों की आवश्यकता—(१) केवल कृषि की समस्या सुलझाने में ही कृषक को सशक्त नहीं हल नहीं हो पाती। खाद, बीज व मशीने के उपकरण प्राप्त करना, चक्रवर्ती करना, उपज बेचना आदि प्रश्न भी उसके सामने हैं। यदि सहकारी समिति इन समस्याओं को भी हल करे, तो कृषक को सहकारी में अधिक लाभ हो सकता है। (२) किसान के पास अपना धन एवं समय नहीं है कि कई समितियों का सदस्य बन सके। (३) गाँवों में शिक्षित एवं कुशल कार्यकर्त्ताओं का अभाव होने से अनेक समितियों का चलना कठिन हो जाता है।

अतः एक ही समिति द्वारा अनेक प्रयोजन सिद्ध करना भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल है।

बहुउद्देशीय समितियों के कार्य—ये समितियाँ किसानों को कृषि देने के अतिरिक्त उनकी उत्तम खाद, बीज व कृषि-उपकरण देती हैं। ये समितियाँ उपज की बिक्री, किसानों को आवश्यकताओं की वस्तुएँ उचित मूल्य पर बेचना, रहन-सहन में सुधार करना, शारीरिक मजदूरी का फैलना करके मुकदमोंवाली कम करना, मशीने की चक्रवर्ती करना, गाँव की नकई तथा प्रोपगण्डों का आयोजन करना, प्रौढ-शिक्षा का प्रवर्धन, कुपोषण-निवारण आदि अनेकों कार्य करती हैं।

लाभ (Advantages)—(१) सदस्यों की सभी आवश्यकताएँ पूरी होने के कारण ये समिति के कार्य में पूरी दिलचस्पी लेते हैं। (२) इनका प्रदत्त बुझन एवं कम खर्चोवा होगा है। (३) अधिक कार्य होने के कारण सुबोध्य दैनिक कर्मचारी नियुक्त किये जा सकते हैं। (४) अधिक सदस्य तथा अधिक पूँजी होने के कारण इन्हें केन्द्रीय बैंकों में भरपूरता से ऋण मिल सकता है। (५) ये शास-सुधार का कार्य भ्रजनता पूर्वक कर सकते हैं। (६) इन समितियों द्वारा किसानों में आपस में अन्तः सम्बन्ध स्थापित हो जाता है, जो मिल-जुलकर काम करने में सार्थक सिद्ध होता है। (७) ये निदान की सशक्तताओं के लिये सामाज्य बोधवि का कार्य करती हैं।

दोष ( Defects )—(१) अनेकों कार्य करने के कारण यदि किसी एक कार्य में हानि हो जाय, जैसे—बीज-वितरण में या कृषि देने के काम में, तो उसका प्रभाव समिति के अन्य कार्यों पर पड़ता है। (२) समिति का कार्य देवना विग्रह हो जाता है कि उसे कुशलपूर्वक मंजूरता कठिन हो जाता है। (३) एक ही समिति में बहुत से

कार्यो का हिसाब रक्षता सम्भवतः कठिन हो जाता है। (४) सम्भवतः कुछ होशियार सदस्य गितकर भूमिति को अपने अधिकार में कर लें, तो इस प्रकार की सहकारिता का उद्देश्य समाप्त हो जायगा।

**निष्कर्ष**—यद्यपि ये कठिनाहारां वास्तविक हैं, फिर भी इस प्रकार की समितियाँ स्थापित करना हमारे लिये कल्याणकारी सिद्ध होगा। अन्य देशों में किसानों के लिये इस प्रकार की समितियाँ स्थापित की गई हैं तथा उनसे किसानों को बहुत ही लाभ हुआ है। सधेन में, यह कहा जा सकता है कि बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ ग्रामीण भाषिक तथा सामाजिक संगठन का वेन्द्र होंगी और ग्रामीण जनता में स्वायत्तमन तथा आशावाद के भावों का संचार कर सकेंगी तथा गाँवों की सर्वाङ्गीण उन्नति करने में सफल होंगी।

**भारतवर्ष में बहुउद्देशीय समितियों की प्रगति**—यद्यपि भारतवर्ष में बहुउद्देशीय समितियाँ प्रयोगात्मक अवस्था में हैं, परन्तु फिर भी इनमें से बहुत सी समितियाँ ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। इस प्रकार की समितियों की उधति मद्रास, उत्तर प्रदेश, बंगाल, मध्य प्रदेश, बम्बई, मीसूर आदि राज्यों में विशेष उल्लेखनीय है। सन् १९४७-४८ में भारतवर्ष में १८,१६२ बहुउद्देशीय समितियाँ थी, जिनमें ५,७७,३८६ सदस्य थे, ७९२८ लाख रुपये को कार्यशील पूँजी थी और उक्त वर्ष उन्होंने १९७२४ लाख रुपये का ऋण दिया था। उत्तर-प्रदेश की सरकार ने प्राग उत्थपन बोर्ड की सरक्षता में इस प्रकार की समितियाँ स्थापित करने की योजना बनाई है जिसके अन्तर्गत अनेकों बहुउद्देशीय समितियाँ स्थापित हो गई हैं। अब तक २,००० से अधिक बहुउद्देशीय समितियाँ उत्तर प्रदेश में स्थापित हो चुकी हैं।

**सहकारिता और योजना**—ग्रामीण ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिशों के अनुसार त्रितीय योजना काल में १०,५०० बड़ी सहकारी समितियाँ, १,८०० प्राथमिक मार्केटिंग (हाट) समितियाँ, ३५ सहकारी चीनी कारखानों, ४८ सहकारी कपास मोटाई मिलों तथा ११८ अन्य सहकारी समितियों के संगठन के लिए व्यवस्था की गई है। योजना में केन्द्रीय तथा राज्यात्मक गोदाग निगमों द्वारा ५५० गोदामों के निर्माण और मार्केटिंग समितियों के लिए १५०० गोदामों तथा बड़ी प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए ५,००० गोदामों के निर्माण की व्यवस्था की गई है। योजना काल में १५० करोड़ ६० दीर्घकालीन ऋण, ५० करोड़ ६० मध्यकालीन ऋण और २५ करोड़ ६० अल्पकालीन ऋण देने की व्यवस्था की गई है। जब कि प्रथम योजना में केवल ३७ करोड़ ६० के ऋण की ही व्यवस्था की गई थी।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इण्टर मार्ट्स परीक्षाएँ

- १—भारत में सहकारिता मान्दोलन पर एक छोटा निबन्ध लिखिए।
- २—सहकारी सास समितियों पर टिप्पणी लिखिये।
- ३—भारत में ग्रामीण सहकारी समितियाँ किन निदान्तों पर आधारित हैं? सदस्यों के संयुक्त और अकेले दायित्व के सिद्धान्त के लाभ बताइये।
- ४—भारत में सहकारी मान्दोलन के लाभों का वर्णन कीजिए और इसकी मर्यादाएँ समझाइए।  
( १० वीं १९६० )
- ५—संक्षेप में एक ग्रामीण सहकारी सास समिति की कार्य-प्रणाली का वर्णन कीजिये।  
( १० वीं १९५७ )

- ६—बहुउद्देशीय सहकारी समिति पर टिप्पणी लिखिये ।  
(रा० वी० १९१५; अ० वी० १९५१, म० भा० १९५१)
- ७—'किमान सहकारी समिति' के सिद्धान्त स्पष्ट कीजिये । भारतीय सहकारी समितियों  
इनका कहाँ तक पानन करती हैं ? (रा० वी० १९५३)
- ८—हमारे गाँवों में सहकारिता आन्दोलन की उत्पत्ति के लिए एक योजना निर्माण  
कीजिए । (अ० वी० १९६०)
- ९—भारत में सहकारिता आन्दोलन ने क्या सफलताएँ प्राप्त की हैं ? देश में सहकारी  
आन्दोलन की धीमी प्रगति के कारणों पर प्रकाश डालिये । (रा० वी० १९५६)
- १०—भारत में ग्राम सहकारी साख्त-समितियाँ किन-किन सिद्धान्तों के अनुसार स्थापित  
होती हैं ? इनके सदस्यों की सम्पत्ति और व्यक्तिगत सम्पत्तियों के सिद्धान्तों के  
सामों को समझाइये । (अ० वी० १९५७)
- ११—सहकारी स्टार पर नोट लिखिये ।  
(अ० वी० १९५४, ५१, ४०, म० भा० १९५४)
- १२—सहकारी आन्दोलन की धीमी प्रगति के कारणों पर विचार कर और सुधार के  
सुझाव दीजिये । (म० भा० १९५५, अ० वी० १९५८)
- १३—उपभोक्ता सहकारी स्टोर से क्या आर्थिक लाभ है ? इनकी सफलता के कारण  
समझाइये । (म० भा० १९५३)
- १४—प्रारम्भिक ग्रामीण सहकारी साख्त समिति की कार्य विधि का वर्णन करिये ।  
(रा० वी० १९५८, अ० वी० १९५६, सामर १९५१)
- १५—भारत में सहकारिता आन्दोलन के विकास का सशक्त वर्गों कीजिये और इसके  
क्षेत्रों का उल्लेख कीजिये । (दिल्ली हा० वी० १९५०, ४७)
- १६—भारतीय ग्राम्य-सहकारिता मण्डल का वर्णन कीजिए । उससे प्राप्त लाभ संक्षेप में  
समझाइये । (तामपुर १९५५)
- इण्टर एग्जीक्यूटिव परीक्षाएँ
- १७—"भारतीय दूध की समस्याओं की मुद्राने व निर सहाकारिता का महत्व"  
विषय पर लेख लिखिये ।
- १८—भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में सहकारी समितियों स्थापित करने के सामा का वर्णन  
कीजिये । (अ० वी० १९५३)

“यदि कृषि और उद्योग राष्ट्ररूपी प्राणी वा शरीर और हड्डियाँ हैं, तो यातायात उनके जीवन-जन्तु है।”

यातायात की परिभाषा—मनुष्यो और वस्तुओ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को यातायात कहते हैं। इस परिभाषा के अनुसार यातायात में वे सब साधन एवं सुविधाएँ सम्मिलित हैं जिनके द्वारा वस्तुएँ तथा मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजे जाते हैं। पदार्थों तथा प्राणियों के स्थान परिवर्तनकारी सम्पूर्ण साधनों का सम्मेलन यातायात होता है।

यातायात का महत्त्व (Importance of Transport) —मानव सभ्यता के विकास में यातायात के साधनों का विशेष महत्त्व रहा है। यदि कृषि और उद्योग-धन्धे किसी देश के आर्थिक जीवन के शरीर और हड्डियाँ मानी जायें तो यातायात को उस आर्थिक ढाँचे की रनायु-प्रणाली मानना चाहिए। व्यापार, कृषि और उद्योगों की उन्नति इसी की सहायता से सम्भव हो सकी है। बड़े-बड़े दूर के स्थान अब घोंठे-ले समय में ही पार किये जा सकते हैं। शासन व्यवस्था, देश-रक्षा और समाज की दृष्टि से भी यातायात का एक बड़ा महत्त्वपूर्ण स्थान है। यातायात के साधनों का देश के उद्योग-धन्धों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ये कच्चा माल उत्पन्न होने के स्थान से कल-कारखानों तक और पक्का माल देश के कौने कौने में और विदेशों के बाजारों को भेजने में सहायता देते हैं। सस्ते, शीघ्र और उत्तम यातायात के साधनों की सहायता से ही देश में उद्योग-धन्धों की उन्नति हो सकती है। जहाँ यातायात के अच्छे साधन नहीं होते वहाँ उद्योग धन्धों का केन्द्रीयकरण हो जाता है, जिससे देश, समाज तथा उद्योग-धन्धों को हानि पहुँचती है। यातायात के साधनों की उन्नति के परिणामस्वरूप सारा सभार एक बाजार के रूप में परिणत हो गया है। वस्तुतः, यातायात व सभार के साधनों में वसुधैव कुटुम्बकम् (समस्त विश्व एक कुटुम्ब ही है) को पूर्णतया चरितार्थ कर दिया है।

यातायात से लाभ (Advantages of Transport)

[अ] कृषि पर प्रभाव (Effects on Agriculture)—यातायात ने साधनों की उन्नति में कृषि को निम्न प्रकार प्रभावित किया है :—

(१) कृषि का व्यापारीकरण (Commercialisation of Agriculture) —यातायात के साधनों ने कृषि को जीवन यापन व्यवसाय के स्थान पर एक व्यापारिक व्यवसाय बना दिया है। किसान लोग अब ऐसी-से-से ही वस्तुएँ उत्पन्न नहीं करते जिनका वे स्वयं उपभोग करते हैं, परन्तु दूरस्थ बाजार में बेचने के लिये भी

कृषि-पदार्थों को उद्वेग करते हैं। इस प्रकार के कृषि-पदार्थों का व्यापार विलुप्त हो गया है।

(२) गीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं (Perishable) की उत्पत्ति में वृद्धि—शीघ्रयामी यातायात के साधनों के कारण किसान लोग गीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएँ फल-शाम आदि प्रादि पर्याप्त मात्रा में उधाने लग गये हैं, क्योंकि उपज देने के द्वारा दूरस्थ मगरा में जा सकती है।

(३) कृषकों की शिक्षा—यातायात के साधनों में उत्पत्ति होने से किसान व समस्त ग्रामीण जनता का एक स्थान से दूसरे स्थान को सुभ्रमता में आना जाना होने लगा है जिससे उन्हें कृषि सम्बन्धी भेद, प्रदर्शनीया प्रादि देखने का अवसर मिलने लगा है, तथा शहरी मनुष्यों के अधिकाधिक सम्पर्क में आने से उनकी ज्ञान-वृद्धि होने लगी है। उनमें रुचिवाकित, जाति भाति का भेद व अ-व सामाजिक कुरीतियों प्रवर्धन करने का काम हो रही है। उनका दृष्टिकोण विस्तृत होता जा रहा है।

(४) ग्रामीण धर्मियों की गतिशीलता में वृद्धि—यातायात के साधनों से ग्रामीण धर्मियों का शहरी के कारखानों प्रादि में काम करने में लिये आने लगे हैं। अपनी गाँव छोड़कर दूसरे स्थानों में जाने की हिचकिचाहट अब दूर हो गई है।

(५) कृषि प्रयातियों में उन्नति—यातायात के साधनों के कारण कृषि-प्रयातियों में उन्नति होने है। किसान दूर-दूर के स्थानों में हल, ट्रैक्टर, तथा अन्य मजदूरी की धन्य मशीनों को प्राप्त कर सकता है। उसके नियमों के अन्तर्गत शीघ्र, शीघ्र जादों के उपयोग की शक्ति प्रयुक्त करना सम्भव हो जाता है। कृषि विभाग व अधिकांती एक वर्मनारी अब उन तक पहुँच सकते हैं और उस पशुधन व पौधा तथा बीटापशुओं की बीमारियों का उपचार सिला सकते हैं। सहकारी बित्री जाकि कृषक की आर्थिक स्थिति सुधारने में सहायक है बिना यातायात के साधनों के सम्भव नहीं हो सकती।

(६) कृषि वस्तुओं के बाजार में विस्तार—यातायात व साधनों के कारण अब कृषि वस्तुएँ दूर के स्थानों में बेचने का अवसर सम्भव हो गया है, जिसके परिणामस्वरूप उनकी उत्पत्ति बड़े परिणाम में होने लगी है।

(७) कृषि-उत्पादन के मूल्य में स्थिरता—यातायात व साधनों द्वारा कृषि-उत्पन्न एक स्थान में दूसरे स्थानों का शीघ्रता में पहुँचाई जा सकती है। इससे एक भावा में अधिक उतार-चढ़ाव नहीं होने पाता।

(८) कृषकों के रहने सहने के स्तर तथा उसकी आर्थिक स्थिति पर प्रभाव—यातायात व साधनों द्वारा कृषकों अपनी उपज दूर के स्थानों को भेज सकते हैं, जिससे कारण उन्हें प्रत्यक्ष मूल्य मिल जाता है। इससे इनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। इन साधनों द्वारा अब कृषकों अपने दैनिक जीवन में अपने-ऐसी वस्तुओं का प्रयोग करने लग गया है जिनका प्रयोग आसन्नकाल में सम्भव था।

[३] उद्योग धर्मों पर प्रभाव (Effects on Industries)—  
(१) यातायात के साधनों से देश के उद्योग धर्मों के विस्तार में पर्याप्त सहायता मिली है। शीघ्रयामी साधनों के कारण दूर-दूर से पचास साल औद्योगिक-केन्द्र तक

सल्लस्य से लाया जाता है; और तैयार किया हुआ मान भी आसानी से मुद्र एकांतों को भेजा जा सकता है।

(२) बड़े परिमाण के उत्पादन को प्रोत्साहन—बड़े परिमाण का उत्पादन भी यातायात के कारण ही मफ्त हो सकता है।

(३) केन्द्रीयकरण के दोषों को दूर करने में सहायक—यस मानव समाज अल्पविक केन्द्रीयकरण की हानिना ग अवगत हो गया है, अतः यही मानव विकेन्द्रीयकरण में भी सहायक हो रहा है।

[इ] व्यापार पर प्रभाव (Effect on Trade) व्यापार वृद्धि में सहायक—व्यापार की वृद्धि यातायात के साधनों पर ही निर्भर होती है। इसके कारण ही प्रायः स्वतन्त्र व्यापार बटन-बटन अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में परिणत हो गया है। अतः यह कहा जा सकता है कि व्यापार और यातायात के साधनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है।

[ई] वनों पर प्रभाव (Effect on Forests)—वनों का उचित प्रयोग—वनों का उचित प्रयोग यातायात के साधनों से ही सम्भव हो सकता है। फलोंपर, नामक आदि अनेक वन-सम्पत्तियों उपयोगों का विनाश यातायात के साधनों के कारण हो रहा है। प्रायः यातायात के साधनों द्वारा दूर-दूर के वनों की लकड़ों व अन्य वस्तुएँ देश के बॉले-बॉले में पहुँचाई जा रही हैं।

[उ] सामाजिक प्रभाव (Social Effects)—(१) समाज की उन्नति—सम्बन्ध का प्रसार, ज्ञान की वृद्धि, विचार, अनुभव, और कला का विनिमय, अचकार का दूर होना आदि कार्य यातायात के ही कारण सम्भव हो गये हैं।

(२) धार्मिक यात्रा, शिक्षा प्रचार, पारस्परिक प्रेम, और सद्भावना का प्रसार—धार्मिक यात्रा, शिक्षा प्रचार, पारस्परिक प्रेम व सद्भावना आदि यात्रा के प्रकार का श्रेय यातायात के साधनों की ही है।

(३) विदूरे हुए भू-भाग के मानव-समाज को सभ्य बनाने में सहायक—आधुनिक साधनों ने वर्तमान काल में मानव-समाज का, विशेषकर विदूरे भू-भाग को सभ्य बनाने में अग्रिम सहयोग दिया है। इस मानवों के कारण सभ्य समाज सुचारु-व्यक्ति मुगमता में दूर-दूर मनुष्यों को उपदेश देकर तथा उनके सम्पर्क स्थापित करके उन्हें सभ्य बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

[क] शासन-प्रबन्धन पर प्रभाव (Effects on Administration)


(१) शासन-प्रबन्धन पर निर्धनत्व—उत्तम यातायात के साधनों से शासन प्रबन्धन में निधिलता नहीं रहती। सरकारी अधिकारी प्रत्यक्ष स्थान पर मुगमता में निर्गोचर के लिये पहुँच जाते हैं, जिससे शासन-प्रबन्धन में भाग लेने वाले कमबारी मनचलापूवने अतः कर्तव्य एवं दायित्व का सम्पन्न करने रहते हैं।

(२) रक्षा-व्यय में मितव्ययता—सुसम्बन्धित तथा सीप्राणामी यातायात के साधनों के रक्षा व्यय भी कम हो जाता है। पुलिस तथा नेता केन्द्रिय स्थान पर रखी जा सकती है और वहाँ में प्रथम समय यातायात के साधनों द्वारा महत् प्रत्यक्ष स्थान को भरी जा सकती है। इनके अभाव में स्थान-स्थान पर सेवा व पुलिस रखना पड़े जिससे रक्षा-व्यय बहुत बढ़ जाय।

(३) युद्धकाल में यातायात के साधनों का महत्व—युद्धकाल में अस्त्रमशिन या प्रतिरक्षा के लिये उत्तम यातायात के साधन नितान्त आवश्यक हैं। हमारी प्रतिरक्षा का बल हमारी सेनाओं का मकड़ ग्रस्त क्षेत्रों में शीघ्रता से पहुँच जाने पर है।

(४) दुर्भिक्ष, वाद, भूकम्प आदि संकटों में—सहायक शीघ्रगामी यातायात के साधनों के द्वारा देश के विभिन्न भागों को दुर्भिक्ष, वाद, भूकम्प आदि संकटों में अधिकतम सहायता पहुँचाई जा सकती है।

यातायात के साधन ( Means of Transport )—यातायात के साधन समय, देश, जनसाधु, तथा आर्थिक व वैज्ञानिक विनयस के अनुसार भिन्न-भिन्न प्रकार के होते हैं। इन्हें हम मुख्यतया तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं—(१) स्थल यातायात, (२) जल-यातायात और (३) वायु यातायात।



१. स्थल-यातायात ( Land Transport )—स्थल मार्गों में निम्न-लिखित साधन योभा देने के लिये प्रयुक्त किये जाते हैं—

(१) मनुष्य—जब मात्र अधिक भारी नहीं होता है और अधिक दूर नहीं ले जाना होता है, तथा यातायात के अन्य साधन उपलब्ध नहीं होते हैं, तब मानव शक्ति के लिये मनुष्य का उपयोग किया जाता है। मनुष्य द्वारा यातायात के राजनैतिक सामाजिक, आर्थिक तथा जनसंख्या का घनत्व, भूमि की प्राकृतिक बनावट जनसाधु आदि अनेक कारण हैं। अतः मनुष्य का उपयोग योभा देने में बहुत कम हो गया है, परन्तु प्रायः भी बुद्ध पहाड़ी प्रदेशों या पृथ्वीय वनों में जहाँ सड़कें बनाना कठिन ही नहीं बल्कि असम्भव है, वहाँ मनुष्य ही योभा देने के काम में लाया जाता है। इसी कारण अफ्रीका के वनों में हल्ली-भुली ही हाथी-दांत, रबड़, नारियल आदि होते हैं, तथा तिब्बत, चीन व फिलीप के पर्वतीय भागों पर, जहाँ पशु काम नहीं कर सकते, मनुष्यों द्वारा ही योभा दिया जा सकता है। इन स्थानों में जो भी साधारणतया २०० पाँच उठाकर १२० मील की दूरी ७,००० फीट की औसत ऊँचाई पर २० दिन में पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार गन्ध अफ्रीका तथा गन्ध धमेजन के बेसिन में विभिन्न कीलों के कारण पशु द्वारा यातायात में बाधा पड़ने के परिणामस्वरूप भारी योभा बुझी हो जाती है। सामान्यतया पिछड़े हुए देशों में ही मनुष्य को योभा देने का काम



लिना जाता है। यह अनुमान लगाया जाता है कि मनुष्य द्वारा १५० मील बोझा द्रुतवाने का दैनिक दूरी द्वारा ८,००० मील के भाड़े में निरुत्ता बँटता है।

मनुष्य-यातायात के गुण—(१) मनुष्य द्वारा यातायात में किन्हीं विशेष मार्गों या सड़क बँववानी की आवश्यकता नहीं पड़ती। (२) छोटे बोझ तथा छोटी दूरी के लिये मनुष्य ही अन्य साधनों से अधिक है। (३) मनुष्य द्वारा सामान व यात्रा मकान के भीतर तक टोला जा सकता है।

दोष—(१) मनुष्य-यातायात द्वारा यात्रा होने में अधिक धन और समय व्यय होता है। (२) मनुष्य के द्वारा अन्य साधनों की सहायता बहूत ही कम बोझा टोला जा सकता है। (३) मनुष्य का पशुओं का उपयोग होता है।

(२) पशु—यद्यपि बोझा होने तथा सवारी के साधन के रूप में पशुओं का स्थान बहुत निम्न है, परन्तु फिर भी जहाँ तक लघु पशुओं की सहायता है और प्राकृतिक परिस्थितियों, सड़कों, सड़क या रेलमार्ग बनाने के अनुपयोग नहीं है, वहाँ यातायात के लिये पशुओं का ही उपयोग किया जाता है।

यातायात के साधनों के रूप में पशुओं का उपयोग किसी देश के विच्छेदों का ध्यान देते, परन्तु यह जानकर आश्चर्य होगा कि भौतिक नन्दना वाले पाश्चात्य देशों में अभी भी पशुओं का बहुत महत्व है। चीनीय प्रदेशों में घोड़ा यातायात का एक सामान्य साधन है, परन्तु इसके विपरीत उत्तर-कटिबन्ध तथा दक्षिण-कटिबन्ध के गर्म भागों में बैल ही प्रमुख साधन है। रेगिस्तान में ऊँट बोझा टोने का काम करता है और दिन भर में ३० मील से भी अधिक दूर बोझा ले जा सकता है। भारत, ब्रह्म भूखण्ड के कुछ भागों में हाथी बोझा टोने हैं। एशिया के उत्तर-कटिबन्धों में घोड़ों के बलों में हाथी बड़ा काम करता है। अपने भारी डोल-डोल तथा शक्ति के कारण यह साधारणतया १००० पौण्ड तक वजन खींच सकता है। भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्रों के देशों में, जहाँ यात्रा की बर्षा है तथा पर्वतीय और पहाड़ी जमीन है, वहाँ बघे और खच्चर का ही उपयोग किया जाता है। ऊँच पर्वतों तथा दर्राओं की पार करने के लिये तिब्बत में याक, हिमालय में भेड़ें, एण्डोस पर्वतों में शामा और रॉकी पर्वत पर विकृत पशु तथा टर्कों में बकरों का उपयोग किया जाता है। उत्तर के अधिक ठण्डे और दक्षिण प्रदेशों में वही की परिस्थिति में पशु हुए रेन्डियर और कहीं-कहीं कुत्ते बोझा टोने के कार्य में प्रयुक्त किये जाते हैं। इस प्रकार वर्तमान काल में उत्तमोत्तम यात्रिक यातायात के साधनों के होने हुए भी विश्व के कई भागों में पशुओं का प्रयोजन ही प्रचलित है।

भारत में पशु-यातायात—भारतवर्ष में यात्रा टोने के लिए पशु ही अधिक काम में लाये जाते हैं। यह अनुमान लगाया गया है कि मनुष्य द्वारा भारत में १७ लाख घोड़े, १५ लाख बघे, १० लाख बैल, ५ लाख ऊँट, १७ हजार खच्चर, तथा कुछ बकरे व हाथी यातायात के साधनों के रूप में प्रयुक्त किये जाते हैं। बैल तो भारतीय दृष्टि के एकमात्र साधन हैं।

पशु-यातायात के साधन—(१) प्राकृतिक यातायात के साधनों का पूरक—जिन स्थानों में अन्य साधन काम में नहीं लाये जा सकते, वहाँ पशु यातायात ही प्रयुक्त किया जा सकता है। (२) मार्ग निर्माण व्यय न्यूनतम—पशुओं के चलने के लिए किन्हीं प्रकार की सड़क आदि बनाने की आवश्यकता नहीं होती।

(३) राष्ट्रीय आर्य मे योग—छाद, चमड़ा, हड्डी आदि के रूप मे राष्ट्रीय आर्य मे वृद्धि होती है। (४) न्यूनतम लागत व्यय—पशु मार्ग मे स्वयं बूधों के पत्तें प्रादि साकर अपना निर्वाह कर लेते हैं। (५) आर्य पूरक—अपिचाय पशु यातायात का साधन बनकर मनुष्य के मुख्य पन्थे से होने वाली आर्य को बढ़ाते हैं। उदाहरणार्थ बँस कृषि का मातृ काय करने से पदचाप बेकार समय मे सामान बेकर, अथवा यात्रियों को ले जाकर अपने स्वामी को आर्य बढ़ाते हैं।


दोष—(१) पशु यातायात धीरे गामी है। (२) सापेक्ष रूप से कम बोझ ढो सकता है। (३) पशु के वृद्ध अस्वस्थ अथवा मृत्यु हो जाने पर उचने स्वामी को पूर्वोक्त हानि उठानी पडती है। (४) अपिच दूरी के लिए पशु यातायात अधिक खर्चीला हो जाता है। (५) पशुआ की बोझा ढोने की शक्ति भिन्न-भिन्न होती है।

(३) सड़के—“सड़कें देश के शरीर को गाडियाँ हैं जिनके द्वारा प्रत्येक प्रकार की उन्नति चौधनी है।” —बेन्हम

सशिक्ष इतिहास—प्राचीन समय मे भारत मे उस समय की परिस्थितियों के अनुसार अच्छी सड़क थी। हिन्दू राजा कुँए धनशाता, सड़कें आदि बनवाना अपना कर्तव्य समझते थे। मोहन जोदड़ो तथा हड़प्पा आदि प्राचीन शहरो की खुदाई के पश्चात् यह सिद्ध हो गया है कि भारतीय आर्य से लगभग पाँच हजार वर्ष पूर्व सड़क निर्माण कला मे प्रयोग थे। नौदिल्य ने अपने अर्थशास्त्र मे विभिन्न प्रकार के राज्य मार्गों का वर्णन किया है। इसके पश्चात् मुस्लिम शासन-काल मे भी सड़क-निर्माण के कार्य मे सन्तोषजनक प्रगति रही। मुगल काल मे देश मे २४ नदी-नदी लम्बी सड़कें थी। ब्रिटेनी बाल मे सड़क की और विरोध रूप मे ध्यान दिया गया। लाई विनियम बन्दिक तथा लाड डलहौजी ने अपने शासन काल मे सड़कें बनाने को नीति को धरनाया जिनके फलस्वरूप अनेक सड़क का निर्माण हुआ। तत्पश्चात् साठ मियों और सौड रिपन की प्रगतिशील स्वामीय-स्वराज्य-नीति के अन्तगत सड़कों के निर्माण को प्रोत्साहन मिला।

भारतवर्ष मे सड़कों की वर्तमान स्थिति—भारतवर्ष मे चार नदी-नदी सड़कें हैं जो कि देश के एक कोने से दूसरे कोने तक गई हैं और जिनमे अनेक दूसरी सड़कें आकर मिली हैं। ये सड़कें निम्नलिखित हैं—(१) खैबर से कलकत्ता तक शण्ड टुक रोड (२) दिल्ली से बम्बई तक (३) मद्रास से कलकत्ता तक और (४) मद्रास से बम्बई तक। सन् १९४३ मे एक दस वर्षीय नागपुर योजना बनाई गई जिनके अन्तु सार देश की सड़कें चार भाग मे विभाजित की गई हैं—(१) राष्ट्रीय राज पथ (National Highways)—इसके अन्तगत ये सड़कें आती हैं जो आर्थिक तथा सैनिक दृष्टि से विभिन्न राज्या की राजधानिया केन्द्रीय, औद्योगिक एवं व्यापारिक नगरों और मुख्य-मुख्य बन्दरगाहों को एक दूसरे मे मिलाती हैं। (२) राज्तीय राज मार्ग (State Highways)—इन वग मे ये सड़कें आती हैं जो अन्विक राज्य मे व्यापार एवं उद्योग की दृष्टि से उस प्रदेश की मुख्य सड़कें समझी जाती हैं। (३) जिले की सड़के (District Roads)—इनका काय जिल के मुख्य नगरों को मिलाना तथा जिन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक यातायात को सुविधा प्रदान करना है। ये राज्तीय सड़क से मिल जाती हैं। (४) गाँव की सड़कें (Village Roads)—ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्र मे छोटी-छोटी दूर की होती हैं जो गाँवों को आपस मे एक

दूयरे से मिलती है। इनका सम्बन्ध निकटवर्ती राज्यों की सड़कों तथा जिले की सड़कों से होता है।



संसार में सड़कों की कुल लम्बाई १०,२५,००० मील है जिनमें से लगभग एक तिहाई सड़कें संयुक्त-राज्य-अमेरिका में है। इसके बाद रूस, जापान, कनाडा, आस्ट्रेलिया, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी का स्थान आता है। संयुक्त-राज्य-अमेरिका में सबसे अधिक मोटरों चलती हैं। वहाँ पर संसार की ७५% से भी अधिक मोटरें चलती हैं। साधारणतया वहाँ पर चार व्यक्तियों पर एक मोटर का प्रयोग पड़ता है। भारतवर्ष में सड़कों की कुल लम्बाई २,४६,००० मील है जिसमें ७०,००० मील लम्बी पक्की सड़कें और १,७६,००० मील लम्बी कच्ची सड़कें हैं। इन कच्ची सड़कों में से केवल १,२६,००० मील की ही सड़कें मोटर चलाने योग्य हैं। इसमें स्पष्ट है कि भारत में सड़कें देश के विस्तार तथा जनसंख्या को देखते हुए बहुत कम हैं।

भारत में अधिक सड़कों की आवश्यकता—भारत के विस्तार तथा जनसंख्या की दृष्टि से यहाँ सड़कें बहुत कम हैं। यहाँ पर २,०१७ निवासियों के बीच एक मोटर गाड़ी का प्रयोग पड़ता है। भारत एक वृषि-प्रधान देश है, जहाँ गाँव रेलवे से दूर-दूर स्थित हैं। अतः यहाँ यातायात के लिये सड़कों की बड़ी आवश्यकता है। वृषि की उन्नति बहुत-बहुत यातायात के साधनों पर ही निर्भर है। साग-सब्जों तथा अन्य व्यापारिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिये, कृषि-उत्पादकों को कम व्यय पर मण्डियों तक ले जाने के लिये, गाँवों के उद्योग-धर्मों के पुनरुत्थान के लिये, भूमि-रहित श्रमिकों को जीवन-यापन के लिए सड़कों में जाने की सुविधा प्रस्तुत करने आदि बातों के लिये वर्तमान सड़कों का सुधार तथा अधिक सड़कों का निर्माण परमावश्यक है।

सड़कों का अर्थ-प्रबंधन (Finance)—मंडक-निर्माण के लिए पूर्ण विभिन्न स्रोतों या प्राप्तियों की जाती है, जो संक्षेप में निम्नलिखित हैं —

(१) पेट्रोल-कर—यह कर केन्द्रीय सरकार एकत्र करती है परन्तु वह एक निर्दिष्ट योजना के अनुसार इसमें होने वाली आय को विभिन्न राज्यों में सड़क निर्माण कार्य के लिये बाँट देती है।

(२) मोटर कर—मोटर पर राजकीय सरकार द्वारा कर लगाया जाता है और इसमें होने वाली आय को राज्य अपने मंडक निर्माण पर व्यय करता है।

(३) स्थानीय कर—सड़कों में प्रयुक्त किये जाने वाले यातायात के साधनों पर स्थानीय करों का प्रयोग कर लिया जाता है और इस प्रकार प्राप्त आय को सड़क के निर्माण पर व्यय किया जाता है।

(४) जिला बोर्डों की आय का भाग—स्थानीय स्थानों, विशेषकर जिला बोर्ड या ग्राम-पंचायतों, अपनी साधारण आय का कुछ भाग सड़क निर्माण में लगाती हैं।

(५) ऋण—केन्द्रीय तथा राज्य-सरकारों स्थानीय सरकारों को सड़क निर्माण के लिए ऋण ब्याज पर छूट देती हैं।

सड़कों से लाभ (Advantages)—(१) साधारण दूर यात्रा करना के लिए मोटर-यातायात द्वारा सामान शीघ्र और सरलता से पहुँच सकता है। मोटर या लॉरीयों द्वारा माल किसी भी स्थान पर पहुँचाया जा सकता है परन्तु रेल द्वारा माल किसी निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचाया जा सकता है। (२) मोटरों द्वारा सामान भरने में अपनी टूट-फूट का कोई भय नहीं रहता क्योंकि भाग में सामान को उठाने-ढरने की आवश्यकता नहीं होती। (३) सड़क द्वारा माल ढोने में समय का कोई प्रतिबन्ध नहीं होता। आवश्यकतानुसार सामान को एक स्थान में दूसरे स्थान को ले जाया जा सकता है। (४) सड़क द्वारा यात्रा करने में बड़ी सुविधा मिलती है, क्योंकि आवश्यकतानुसार कहीं पर रुका जा सकता है। (५) सड़क द्वारा मान रेलों तक अथवा सीधे मंडियों तक पहुँचाया जा सकता है जिसमें उपज का अच्छा मूल्य मिल जाता है। (६) सड़क-यातायात के द्वारा नाशवान् अर्थात् शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं की सुरक्षा में सुगमता से पहुँचा जा सकता है जिससे इन वस्तुओं के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है। (७) सड़क-यातायात से धरतू उद्योग धर्मों को प्रोत्साहन मिलता है। (८) सड़क की सुविधा उद्योगों व विपणनीकरण में सहायक सिद्ध होती है। इनके द्वारा पुराने तरीके पर रहने का भय शून्य भी नष्ट होने से रह जाता है। (९) सड़क-यातायात से सम्पर्क बढ़ता है, जिससे ग्रामीणों का चरित्र विकास पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। (१०) सड़क-यातायात रेल-यातायात की अपेक्षा सस्ता है, क्योंकि रेलों की शक्ति स्टेशन, सिगनल, साइनिंग आदि बनाने का आवश्यकता नहीं होती है। (११) सड़क-यातायात में इतनी पूँजी नहीं लगाना पड़ती है जितनी कि रेल में लगती है। (१२) सड़क के द्वारा रेलों को यानी एवं भाव गिनता है।

सड़क-यातायात के दोष—(१) भारतवर्ष में लगभग ३०% सड़क रेलों के समान हैं और लगभग आधी रेलों के लाइन सड़कों के समान चलती हैं। इस प्रकार की सड़क का बनाना देश के लिए हानिकारक है। रेल और सड़क परस्पर सहायक हानी चाहिए, न कि प्रतियर्द्धी। (२) सड़कें देश की आवश्यकता में बड़ी

कम है। (३) अनेक गाँव पक्की सड़कों से दूर पड़ते हैं। वहाँ की बच्ची सड़कें वर्षा-ऋतु में सराब हो जाती हैं और उनमें पानी भर जाता है। (४) कई सड़कों पर पुतिया घाटि न होने से वर्षा-ऋतु में आवागमन बन्द हो जाता है। (५) जिन सड़कों पर गाड़ियाँ चलती हैं उन पर लहूँ तथा गद्दार-सी पड़ जाती है, जिससे सड़कों की दशा बिगड़ जाती है।

**योजना और सड़कें**—प्रथम पंचवर्षीय योजना में सड़कों के लिए २७ करोड़ रुपया रखा गया था जबकि दूसरी योजना में ५५ करोड़ रु० का आयोजन किया गया है। भारत सरकार ने पहली योजना के प्रारम्भ में 'केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्था' (Central Road Research Institute) की स्थापना की। दूसरी योजना काल में प्रथम योजना के काम को पूरा करने के अतिरिक्त ६०० मील दूरी हुई सड़क को पूरा किया जायेगा। ६० पुन बनाय जायेंगे, १७०० मील सड़क का सुधार किया जायगा, ३०५० मील लम्बी सड़क चौड़ी की जायेंगे, १५०० मील नई सड़क बनाई जायेंगी।

(४) रेल — "रेल राष्ट्र का महानतम गार्वजनिक सेवा-व्यवस्था है और भावी आर्थिक निर्माण की रेलें आधार सिनाएँ हैं।" —योजना आयोग

**संक्षिप्त इतिहास**—रेलें देश के आन्तरिक यातायात का सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। समार में कुल रेलों की लम्बाई ७,५०,००० मील है। भारतवर्ष में रेलों का प्राग्भवि वास्तविक रूप में सन् १८५३ में हुआ, जबकि लॉर्ड डलहौजी ने रेलें बनवाने का सर्व प्रथम प्रयत्न किया था। प्रारम्भ में रेलों का निर्माण मुख्यतः मैतिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किया गया था, परन्तु अब रेलों का निर्माण मुख्यतया व्यापारिक उद्देश्य में होता है। सबसे पहले रेलों का निर्माण गारम्भी-प्रधा के अन्तर्गत प्रारम्भ हुआ जिसके अनुसार रेलों का निर्माण-कार्य भारत सरकार ने अंग्रेजी कम्पनियाँ को दिया और उन्हें उनकी विनियोगित पूँजी पर ५% ब्याज की गारण्टी दी। इसमें लाभ न होने के कारण सरकार को बहुत क्षति पहुँची। अतः सन् १८६६ में सरकार ने इसको अपने हाथ में लिया, किन्तु पूँजी के अभाव का अनुभव करती हुए रेलों का निर्माण कार्य पुनः सन् १८८६ में प्राइवेट कम्पनियों को सौंप दिया गया। बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ होने ही अर्थात् सन् १९०० से रेलों में लाभ पहुँचने लगा। सन् १९२१ में सरकार ने एकवर्ष कमेटी की नियुक्ति की, जिसके सुझाव के फलस्वरूप रेलों की उत्तरोत्तर उन्नति हुई, और रेलों का प्रबन्ध विदेशी कम्पानियों से हटाकर स्वयं सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। सर्व शर्तः सरकार ने लगभग सब ही रेलों का प्रबन्ध और नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया है।

**भारतीय रेलों की वर्तमान स्थिति**—सन् १९५८-५९ में भारतीय रेलों की कुल लम्बाई ३४,६०० ३ मील थी और इनमें १३६२\*८६ करोड़ रु० की पूँजी लगी थी। हमारे देश के क्षेत्रफल और जन-संख्या को दृष्टि से ये रेलें पर्याप्त नहीं हैं। यहाँ प्रत्येक १००० मील के अन्तर्गत २५ मील की लम्बाई में रेलें हैं। संसार में सबसे अधिक रेलों का जाल बेल्जियम में है। वहाँ प्रति १०० वर्ग मील में ४० मील रेल का जाल है, उसके पश्चात् मधुन राज्य प्रगेरिका तथा जर्मनी में, जहाँ लि प्रति १०० वर्ग मील में २० मील है। इन देशों की तुलना में भारतवर्ष की दशा बड़ी शोचनीय है—यहाँ केवल प्रति

१०० वर्ग मील में ३ मील के लगभग रेलों का जाल है। ४१% रेलें गंगा तथा सिन्ध के मैदान में हैं तथा ५१% रेलें अन्य भागों में हैं।

गेज (Gauge) के आधार पर भारतीय रेलों के मार्ग का वर्गीकरण

बड़ी लाइन (Broad Gauge)	.... १६,६११.४ मील
छोटी लाइन (Meter Gauge)	.... १५,५६०.८ "
सकीर्ण तथा हल्की लाइन (Narrow & Light Line)	.... २,७३६.१ "
योग	.... ३४,९०८.३ "

### भारतीय रेलों की तुलनात्मक स्थिति

देश	प्रति १०० वर्ग मील पर रेल-मार्ग (मीलों में)	प्रत्येक १,००,००० जन-संख्या पर रेल-मार्ग (मीलों में)
संयुक्त राज्य अमेरिका	७.५	१६७
ग्रेट ब्रिटेन	२.३	५३
कनाडा	१.२	४११
अर्जेन्टाइना	२.१	१७५
फ्रांस	१.६	२६
जर्मनी	०.५	५६
सोवियत रूस	०.२	२६
चीन	०.२	१.३
भारतवर्ष	२.८	६.४

### रेलों से लाभ (Advantages of Railways)

आर्थिक लाभ (Economic Advantages)—रेलों में अनेक आर्थिक लाभ हैं जो निम्नलिखित हैं:—

(१) कृषि-सम्बन्धी लाभ—(क) कृषि का व्यापारीकरण—रेला के पहले कृषक अधिकतर खाद्य-पदार्थों की ही श्रुती करते थे, पर आजकल वे ऐसी फसलों लगाते हैं जिन्हें वे बाजार में बेच सकें, जैसे—गन्ना, तम्बाकू, मरसो आदि। (ख) कृषि उपज का विस्तृत बाजार—रेलों के माताप्रात ने कृषि-उपज को दूर स्थानों में बिचका सम्भव कर दिया है। इसलिये इनका बाजार आजकल विस्तृत हो गया (ग) शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का उत्पादन—रेलों के शीघ्रगामी माधन होने के कारण शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का उत्पादन होने लगा है; तथा इनका देश के एक कोने में दूसरे कोने में भेज

जाना सम्भव हो गया है। जैसे—बम्बई में मछली, बेटा व चमन में फल आदि।  
 (घ) थर्म की गतिशीलता—रेलो द्वारा थर्मिक एक स्थान से दूसरे स्थान को ऊँचा  
 चेतन पाने के निचे जा सके हैं। (ङ) वृषक की आर्थिक स्थिति में सुधार—रेल  
 यातायात के कारण अब किसान अपनी उपज को उपयुक्त मडिया में भेजकर अच्छा मूल्य  
 प्राप्त कर सकता है, जिसमें उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा स्वाभाविक है।  
 (च) कृषक के जीवन स्तर में सुधार—किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार होने तथा  
 गृह वाला से सम्पर्क होने से उसका जीवन-स्तर पहले की अपेक्षा ऊँचा हो गया है।  
 (छ) शिक्षा—अपनी उत्पत्ति को बढ़ाने के लिए ग्रामीणों को शिक्षा की आवश्यकता पडी,  
 मतः रेलों के द्वारा शिक्षा को प्रोत्साहन मिला है। (ज) ग्रामीण उद्योग धन्धों को  
 उत्पत्ति—रेल द्वारा कच्चा माल प्राप्त किया जा सकता है तथा बना हुआ माल दूरस्थ  
 स्थानों को भेजा जा सकता है। इससे ग्रामीण उद्योगों को प्रोत्साहन मिला है।  
 (झ) अनाज और भुवमरी को रोवने में सहायक—रेलो के द्वारा अनाज और  
 भुवमरी को रोवन में बहुत सहायता मिलती है। अनाज अलग सेना में रेलों के द्वारा  
 अन्य क्षेत्रों में शीघ्र ही भन्न पहुँचा दिया जाता है। मन् १९४३ में अनाज के अनाज के  
 समय यातायात के विशेष साधन उपलब्ध न होने के कारण पर्याप्त मात्रा में अन्न नहीं  
 पहुँच सका।

(२) वन-सम्बन्धी लाभ—रेला से वन-सम्बन्धी सद्योग को भी प्रोत्साहन  
 मिला है। स्वयं रेलों के लिए स्लीपर तथा डिब्बा के बनाने के लिये लकड़ी आवश्यक है।  
 रेल यातायात के कारण अल्पे मूल्य पर अनाज की लकड़ों पर-बैठे मिल जाती है।

(३) उद्योग धन्धों को उत्पत्ति—रेलो ने नये-नये उद्योग धन्धों की स्थापना की  
 है। उनके लिये कच्चा माल पहुँचाने तथा पक्का माल वितरित करने की व्यवस्था  
 की है।

(४) व्यापार में लाभ—रेलो से देश के भीतरी और बाहरी व्यापार में बहुत  
 सहायता प्राप्त होती है। इसमें वस्तुओं के मूल्यों में भी देश के विभिन्न भागों में समता  
 बनी रहती है।

(५) बड़े परिमाण के उत्पादन को प्रोत्साहन—रेलो द्वारा देश-देशान्तर में  
 माल पहुँचाया जाता है, जिसमें उत्पादन बड़े परिमाण में होने लगा है। बड़े परिमाण के  
 उत्पादन का लाभ केवल उत्पादकों को ही नहीं हुआ है, बल्कि उपभोक्ताओं को भी हुआ  
 है। बड़े परिमाण के उत्पादन में कम लागत पर वस्तुएँ तैयार होने में उपभोक्ताओं को  
 भी ये मस्तो मिलती हैं।

(६) खनिज पदार्थ सम्बन्धी लाभ—खनिज पदार्थ सम्बन्धी उद्योग का  
 विकास बहुत-कुछ रेलों पर निर्भर है। कायला, लोहा, मँगोज, तेल, पेट्रोल आदि सभी  
 रेलों की सहायता से कारखानों तक पहुँचाए जा सकते हैं। इसमें खनिज-अवनाय को  
 प्रोत्साहन मिलता है; तथा देश के औद्योगिक विकास में सहायता मिलती है।

(७) रेल-उद्योग से लाभ—रेल स्वयं एक प्रकार का उद्योग है, जिसमें हजारों-  
 लाखों व्यक्तियों अपनी आजीविका कमाते हैं। इसमें अधिक परिमाण में लोहा, लकड़ी आदि  
 अनेक कच्चे माल की प्रति वर्ष खपत होती है। भारतवर्ष में चित्तोजन रेल का बड़ा  
 कारखाना है जहाँ रेलों के एन्जिन बड़ी संख्या में बनाए जाते हैं, जिसमें अब विदेशों में  
 जाने वाला नई करोड़ रुपया खर्चाया जा सकेगा।

(८) रेलों द्वारा दूर की सूचना कम समय व सस्ते मूल्य पर भेजने का लाभ—रेलो द्वारा हम अपना सन्देश एव सूचना दूर-दूर कम समय में, तथा सस्ते मूल्य पर भेजकर लाभ उठा सकते हैं।

(९) श्रम की गतिशीलता—रेलो ने श्रम की गतिशीलता को बड़ा दिया है। रेलों के द्वारा श्रमिक श्रमिक केन जाये स्थान में पहुँचकर अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकते हैं। इस आर्थिक उद्देश्य के अतिरिक्त मनुष्य एक स्थान में दूसरे स्थान पर किसी दुर्घटना या आपत्ति-काल में भी शीघ्र पहुँच सकता है।

(१०) रेलों की स्थापना से जनसंख्या का समान वितरण—रेलों की स्थापना में निर्जन स्थान भी भ्रवाद हो गये हैं, तथा जन-संख्या का समान वितरण होने लगा है।

(११) रेलों से सरकार को लाभ—सरकार का रेलों से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों प्रकार से लाभ होता है। इस ध्येयसाय से प्राप्त-लाभ सरकारी कोष में जाता है। रेलवे में सरकार के राजस्व कोष को सन् १९५९-६० में १४-७५ करोड़ रुपये प्राप्त हुए। यह सरकार का प्रत्यक्ष लाभ हुआ। रेलों से उत्पादन-वृद्धि होती है और आयात-निर्यात का प्रोत्साहन मिलता है, जिससे फलस्वरूप सरकार का अप्रत्यक्ष लाभ होता है।

२. सामाजिक लाभ (Social Advantages)—(१) रेलों द्वारा देश में फैली हुई सामाजिक दुरावस्था दूर होती जा रही हैं, जैसे—छुआछूत, रूढ़ियाँ, धार्मिक कट्टरता, जाति-पाँति का भेद भाव, आन्वीयता की भावनाएँ आदि। (२) रेलों द्वारा मनुष्य-मनुष्य में, गाँवों और शहरों में, तथा देश देशों में पारस्परिक सम्पर्क स्थापित हो गया है। (३) रेलों ने मनुष्य में देशाटन करने की प्रवृत्ति उत्पन्न कर दी है, जिससे वह प्रदर्शनों, मेले महत्वपूर्ण सम्मेलनों, देश-विदेश की यात्रा आदि में लाभ उठा सकता है। (४) रेलों द्वारा समाज-सुधारक अपने प्रचारार्थ स्थान-स्थान पर पहुँच सकते हैं। (५) रेलों ने सारे ससार को एक कुटुम्ब में समान बना दिया है। रेलों ने हाग हम अपने विचारों को ससार के प्रत्येक कोन में पहुँचा सकते हैं, तथा समाज के रूप का और भी हट बना सकते हैं। (७) कृषि की नई-नई योजनाएँ तथा विपत्तियों में रक्षा की योजनाओं का कार्यान्वित करने के लिये रेलों से बड़ी सहायता मिली है।

३. राजनैतिक लाभ (Political Advantages)—रेलों द्वारा देश की एकता को बल मिला है। (२) केन्द्र में एक सुव्यवस्थित और दक्षिणाती सरकार की स्थापना हो सकी है। (३) देश की सुरक्षा और शान्ति स्थापना में रेलों ने बहुत सहायता प्रदान की है। (४) आन्तरिक विद्रोह और बाहरी आक्रमणों को रोकने के लिए रेलों द्वारा सेना सौजन्यमोघ्र भेजी जा सकती है। (५) रेलों की सुविधाओं के ही कारण सरकार ने देश के आर्थिक जीवन को सुदृढ़ बनाने का सफल प्रयत्न किया है। (६) रेलों ने सरकार को बड़ी आय होनी है, और इस प्रकार से सरकार देश की और अधिक उत्पत्ति करने में सफल होती है। (७) देशवासियों को भी रेलों से लाभ पहुँचना है, क्योंकि वे अधिक कर देने से बच जाते हैं। यदि सरकार को रेलों से अधिक आय न हो, तो उसे देशवासियों को उतना अधिक धन वसूल करी करना पड़े।



रेलो से हानियाँ ( Disadvantages of Railways )—रेलो से कुछ हानियाँ भी हैं, परन्तु इनके लाभ इतने अधिक हैं कि हानियाँ का कुछ भी अस्तित्व नहीं रह जाता। रेलों से होने वाली मुख्य हानियाँ निम्नलिखित हैं।

(१) घरेलू उद्योग धंधे नष्ट हो गये—रेला की स्थापना और प्रसार के कारण मशीना द्वारा निर्मित सस्ती वस्तुएँ विदेशों से आने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप घरेलू उद्योग धंधे नष्ट हो गये और शिल्पकार बेकार हो गये।

(२) भूमि पर दबाव—घरेलू उद्योग धंधे नष्ट हो जाने से अधिकांश लोग शैली की ओर झुक गये और भूमि के छोटे छोटे टुकड़े हो गये। इससे अतिरिक्त एकटा भूमि रैला ने ले ली। यदि इसके द्वारा उत्पादन होता तो देश को कितना लाभ होता।

(३) वनों का बट जाना—रेलो के वन से कई जंगल अधाशुष काट दिये गये जिससे बहुत सी भूमि वर्षा के पानी से कटकर लह गई। वनों के बट जाने से कई स्थानों में वर्षा पहले की अपेक्षा कम होने लग गई है।

(४) रेलों के पुलों से नदियों के स्वाभाविक प्रवाह में बाधा—रेला के पुलों से नदियों के स्वाभाविक प्रवाह में बाधा पहुँचाने से अनेक स्थानों में पर्याप्त जल इकट्ठा हो जाने से मनेरिया हो जाता है जिससे वहाँ के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(५) रेल की पक्षपात-पूर्ण नीति—ब्रिटिश राज्य में भारतीय रेलों की किराया नीति इस प्रकार की रही कि देश में कच्चे माल का निर्यात अधिक होता था और बाहर से पक्का माल अधिक आता था, जिसके फलस्वरूप देश अन्न तक कृषि प्रधान हो रहा।

(६) बड़े बड़े नगरों की स्थापना और उनकी सामाजिक बुराइयाँ—रेला के प्रसार से बड़े बड़े नगरों की स्थापना हुई और उच्च अर्थव्यय आवासीय हो गई, जिनके परिणामस्वरूप अनेक सामाजिक बुराइयाँ उत्पन्न हो गईं।

(७) रेलों में लगी हुई विदेशी पूँजी से हानियाँ—विदेशी पूँजी में देश की राजनीतिक हानि हुई। विदेशियों का पर्याप्त प्रभुत्व रहा।

(८) रेल-दुर्घटनाओं से क्षति—रेल दुर्घटनाओं से प्रतिवर्ष जान व माल की पर्याप्त हानि होती है।

(९) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत कम महत्त्व—रेलो का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत कम महत्त्व है। इनका महत्त्व अन्तरिक यातायात तक ही सीमित है।

रेल-रोड प्रतिस्पर्धा ( Rail Road Competition )—यातायात के विभिन्न साधनों का कार्य-साधन प्रथक प्रथक होता है। इसलिये जब एक साधन अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे साधन में क्षेत्र में जाने का प्रयत्न करता है तभी दोनों के मध्य प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। वास्तव में देखा जाय तो रेल और रोड ( सड़क ) दोनों का क्षेत्र अत्यंत मजबूत है और अजब एक दूसरे का विरोध करने के यातायात के दोनो साधन

परस्पर सहायक बन सकते हैं। रेल प्रत्येक स्थान में नहीं जा सकती, परन्तु मोटर बसें और ट्रकों प्रत्येक छोटे से छोटे स्थान में भी जा सकती हैं। जहाँ रेलें नहीं हैं वहाँ से रेलों के स्टेशन तक माल पहुँचाने का कार्य मोटरों द्वारा ही सकता है। इस प्रकार इन दोनों में परस्परिक प्रेम और सहयोग रह सकता है।

जहाँ दूरी कम है वहाँ रेलों का बनाना और उनके द्वारा माल ले जाना अधिक सखीला पड़ता है। रेल की लाइन बनाने का व्यय, स्टेशन, प्लेटफार्म, टिकट, इन्जिन, सिग्नल, बल-पुर्जे, कर्मचारियों आदि का इतना अधिक खर्च पड़ता है कि रेलों की अपेक्षा सड़के बनवाना अधिक सस्ता पड़ता है। इससे प्रतिरिक्त छोटी दूरी के लिए मोटरों सबसे प्रच्छा साधन है क्योंकि ये किसी भी स्थान पर ठहर कर माल चढ़ा और उतार सकती हैं, तथा व्यापारी जब चाहे, समय-समय अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर कम खर्च में भेज सकते हैं। मोटरों किसी भी मार्ग पर, जहाँ इन्हे माल और यात्री मिलते हैं, मुगमता से जा सकती है, जबकि रेल अपने निश्चित मार्ग भ्रमंश पटरियों पर ही जा सकती है। मोटरों द्वारा माल ले जाने में चढ़ाई-उतराई सम्बन्धी व्यय भी कम लगता है, तथा माल आदि के चोरी जाने का भी भय कम रहता है। इससे निपरीत, अधिक दूर की यात्रा के लिए मोटर बसें, कारियाँ आदि सड़क-यातायात के साधन अधिक मंहगे एवं असुविधाजनक सिद्ध होते हैं। रेलों के निर्माण में इतनी अधिक पूँजी लगती है कि इन्हे द्वारा कम दूरी की यात्रा अधिक मंहगी पड़ती है, परन्तु इनमें 'अमागत घटन वाली अमागत का नियम' लागू होने के कारण इनके द्वारा दूर की यात्रा मोटरों की अपेक्षा सस्ती पड़ती है।

इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि रेल और रोड दोनों का क्षेत्र मिल्न मिल्न है, और यदि दोनों का विस्तार अपने अपने क्षेत्र में ही हो, तो उनमें प्रतिबोधिता का भय न रहे। परन्तु यह देखा जाता है कि रेलें और मोटर एक दूसरे के समान्तर चलती हैं और परस्पर स्पर्धा करती हैं। इससे दोनों को ही हानि होती है। हाल ही में सरकार ने स्वयं अपनी ही मोटरों बड़ी बड़ी चालू करदी है, अर्थात् मोटर-यातायात का राष्ट्रीय करण ही गया है। परन्तु अभी बहुत कम स्थानों में ऐसा हुआ है। अभी तक रेल और मोटरों में स्पर्धा चला आ रहा है। इस प्रतिस्पर्धा से राष्ट्र को ही हानि होती है। अतः राष्ट्र के हित की दृष्टि में इसका समन्वय बाँधनीय है।

रेल-रोड प्रतिस्पर्धा का समन्वय—सन् १९३० के पश्चात् भारतीय रेलों को मोटर-यातायात से अधिक हानि होने लगी, जिससे परिणामस्वरूप भारत सरकार ने सन् १९३३ में मिचेल किर्कनेस समिति (Mitchel Kirkness Committee) की नियुक्ति की। इस समिति ने बताया कि प्रतिवर्ष रेल मोटर द्वारा हानि वाली केवल दसविधा की प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप रेलों को २ करोड़ रुपये की हानि हो रही है। इस समिति की सिफारिशों के फलस्वरूप भारत सरकार ने सन् १९३३ में रेलवे ऐक्ट की देश-भर में लागू किया, जिसके अन्तर्गत रेलों को अपनी बस सड़क चलावने का अधिकार दिया, और रेल तथा सड़क यातायात में समन्वय स्थापित करने के लिये सन् १९३५ ई० में एक 'केन्द्रीय यातायात परिषद्' (Central Transport Advisory Council) की स्थापना की गई। इस परिषद् ने रेल-रोड समन्वय के लिये एक रूपरेखा तैयार की, जिसके अनुसार मिचेल किर्कनेस

समिति द्वारा सिफारिश किये गये 'क्षेत्र-प्रणाली' ( Homing System ) को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित करने का आदेश दिया गया, तथा मोटर बसों को तीसरे व्यक्ति की सुरक्षा के लिये बीमा करना आवश्यक सम्भवा गया। नियमित रूप से ड्राइवरो की डाक्टरी जाँच किया जाना भी आवश्यक माना गया। ग्रामीण क्षेत्रों में चलने वाली मोटरों को एकाधिकार दिया ; तथा सहायक सड़कों का निर्माण रेलों के पूरक के रूप में करना निश्चय किया।

इतना सब होने पर भी रेल-रोड स्पर्धा कम नहीं हुई, वरन् वह बढ़ती ही गई। इससे रेलों की निरन्तर आर्थिक हानि हो रही थी। भारत सरकार ने सन् १९३६ में पुनः एक समिति वेजवुड कमेटी ( Wedgewood Committee ) के नाम से रेल-मोटर की प्रतिस्पर्धा को जाँच करने के लिये बिठाई। इस कमेटी ने बताया कि रेलों को इससे होने वाली आर्थिक हानि सन् १९३३ में २ करोड़ रुपये, सन् १९३५ में ३ करोड़ रुपये; और सन् १९३७ में ४३ करोड़ रुपये हुई। इस समिति ने सन् १९३७ में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें रेलों और मोटरों की अनुचित स्पर्धा को कम करने के लिए कई सिफारिशें की गई थीं। कमेटी की इन सिफारिशों के अनुसार सन् १९३६ में मोटर गाडी कानून ( Motor Vehicle Act ) बनाया गया जिसके अन्तर्गत मोटरों पर प्रति-घण्टा चाल चलाने के लिये अनुज्ञा-पत्र (License), यात्रियों को निश्चित सख्या आदि बातों को रोकथाम लगाई गई। इस कानून के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य में प्रादेशिक यातायात अधिकारी (Regional Transport Authorities) नियुक्त किये गये हैं, जो मोटर गाडियों का नियन्त्रण करते हैं। सन् १९४३ में प्रत्येक मोटर का बीमा करना भी अनिवार्य कर दिया गया है।

द्वितीय महायुद्ध काल में रेल-मोटर प्रतिस्पर्धा एकदम कम हो गई क्योंकि अधिकांश सवारी और सामान ले जाने वाली गाडियों को सरकार ने युद्ध-कार्य के लिये हस्तगत कर लिया था। निजी मोटर गाडियाँ भी पेट्रोल की कमी और मोटरों के पुर्जों न मिलने के कारण कम चलने लगीं। इसलिये रेल-मोटर प्रतिस्पर्धा एक प्रकार से रुक ही गई। युद्ध के पश्चात् सन् १९४८ में एक सड़क यातायात कॉरपोरेशन कानून (Road Transport Corporation Act) पास किया गया, जिसके अन्तर्गत प्रांतीय सरकारों को इस बात का अधिकार दे दिया गया कि वे चाहे तो अपने यातायात कॉरपोरेशन स्थापित कर सकती हैं अथवा ऐसी कम्पनियाँ स्थापित कर सकती हैं जिसमें प्रांतीय सरकार, रेल तथा सड़कों पर बस चलाने वाले सम्भेदार हों। तभी से उत्तर प्रदेश, बम्बई तथा दिल्ली राज्यों की सरकारों ने मोटर यातायात का राष्ट्रीयकरण कर लिया है।

## भारतीय रेलों का पुनर्वर्गीकरण

(Regrouping of Indian Railways)

**पुनर्वर्गीकरण की आवश्यकता**—भारतीय रेलों का पुनर्वर्गीकरण भारत की रेलों के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह रेल व्यवस्था भीगोलिक आधार पर आवश्यक भी थी और इस प्रश्न पर बत २५ वर्षों से विचार किया जा रहा था। १५ अगस्त १९४७ को देश के विभाजन का भारतीय रेलों पर बहुत प्रभाव पड़ा। उत्तर-पश्चिमी रेल और बंगाल प्रान्त में रेल के बँट जाने के कारण कुछ रेलें ऐसी रह गई थी जिनके पास न अपने कारखाने (Workshop) थे और न प्राथिक दृष्टि से वे सम्पन्न ही थीं। १ अप्रैल १९५० तक देशी राज्या का भारत के साथ विलय पूरा हो चुका था। अतः भारत सरकार ने सामूहिकरण के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया और स्वयं प्रथम अप्रैल १९५१ में दक्षिणी रेलवे ज़ोन (Zone) का निर्माण कर दिया और नवीन पद्धति से कार्य होने लगा। नवम्बर १९५१ में केन्द्रीय एवं पश्चिमी तथा अप्रैल १९५२ में उत्तरी-पूर्वी और पूर्वी जोन्स के निर्माण के साथ भारतीय रेलों के वर्गीकरण का कार्य समाप्त हो गया।

**पुनर्वर्गीकरण**—३७ रेलवे प्रणालियाँ जो जो अगस्त १९४९ के पूर्व भारत में विद्यमान थीं, आठ क्षेत्रों में बाँट दिया गया है। ये क्षेत्र निम्न तालिका में दिखाये गये हैं—

क्षेत्र	चालू होने की तिथि	रेल क्षेत्र के अन्तर्गत लाइनें	मुख्यालय	३१ मार्च १९५९ को लाइनों की लम्बाई (मीलों में)
दक्षिण	१४ अप्रैल, १९५१	मद्रास एवं दक्षिणी मद्रास, दक्षिणी भारत और मंगलूर रेल	मद्रास	क० ला० १८६६.१ म० ला० ४२०६.८ छो० ला० २५.७ <u>२२९८.६</u>
मध्य	५ नवम्बर, १९५१	ग्रेट इण्डियन पेनिनसुलर, निजाम स्टेट, सिंधिया और धोलपुर रेल	बम्बई	क० ला० ३८२०.७ म० ला० ८२३.१ छो० ला० ७२५.० <u>५३६८.८</u>

क्षेत्र	प्राप्त होने की तिथि	रेल क्षेत्र के अन्तर्गत लाइन	मुख्यालय	३१ मार्च १९५६ को लाइनों की लम्बाई (मीलों में)
पश्चिम	५ नवम्बर, १९५१	बम्बई, बडोदा एवं सेन्ट्रल इण्डिया, सोराष्ट्र, कच्छ, राजस्थान और जयपुर रेल	बम्बई	व० ला० १७६६*९ म० ला० ३७२२*८ छो० ला० ७५६*७ <u>६२४६*४</u>
उत्तर	४ अप्रैल, १९५२	पूर्वी पंजाब, जोधपुर और बीकानेर रेल और ईस्ट इण्डियन रेल के तीन अपर डिवीजन	दिल्ली	व० ला० ५१६९*४ म० ला० २०५०*१ छो० ला० १६१*८ <u>६४०७*३</u>
उत्तर-पूर्व	१४ अप्रैल, १९५२	अबध एव तिरहुत, असम रेल और पुरानी बम्बई बडोदा एव सेन्ट्रल इण्डियन रेल का फतेहगढ़ जिला	गोरखपुर	म० ला० ३०७८*८ <u>३०७८*८</u>
उत्तर-पूर्व सीमान्त	१५ जनवरी, १९५२		पाण्डू	व० ला० २*२ म० ला० १६७६*२ छो० ला० ४२*० <u>१७३३*४</u>
पूर्व	१ अगस्त, १९५५	ईस्ट इण्डिया रेल (तीन अपर डिवीजनों को छोड़कर)	कलकत्ता	व० ला० २३०७*३ म० ला० — छो० ला० १७*१ <u>२३२४*४</u>
दक्षिण-पूर्व	१ अगस्त, १९५६	बंगाल—नागपुर रेल	कलकत्ता	व० ला० २६५१*८ म० ला० — छो० ला० ६२४*८ <u>३२७६*६</u>

नोट :—व० ला० = बड़ी लाइन ( ५ ३/४' ), म० ला० = मध्यम लाइन ( ३' - ३ ३/४' ) तथा छो० ला० = छोटी लाइन ( २' - ६" तथा २' )



रेलो के पुनर्वर्गीकरण से लाभ (Advantages of Regrouping of Railways)—(१) अधिकांश बड़ी रेलों को एक-दूसरे से मिला देने से दिन-प्रतिदिन के संचे में बहुत बचत हो जायगी। पृथक्-पृथक् रेलों के बीच में बहुत सा धन व्यवहार बन्द हो जाने से व्यय कम हो जायगा और कार्यक्रम सरल हो जायगा; तथा कार्य पहले की अपेक्षा शीघ्र होने लगेगा। बड़ी रेलों का एक ही क्षेत्र में एकीकरण होने से कार्य-कुशलता में उत्थिति तथा घासन प्रवन्ध में सुधार होने की सम्भावना है। (२) व्यापारी एवं व्यवसायी वर्ग को भी लाभ होगा, क्योंकि अब उन्हें पृथक्-पृथक् रेल कम्पनियों के अधिकारियों से सम्बन्ध रखने के बजाय अब केवल एक क्षम के किसी अधिकारी से ही सम्बन्ध रखना पड़ेगा। (३) पूंजीगत व्यय में भी कमी होने की सम्भावना है, क्योंकि एक बड़े पैमाने पर सामूहिककरण होने में एग्जिन, डिब्बा आदि का अधिकतम उपयोग हो सकेगा। (४) कारखाना का वसतनीकरण हो जाने में तथा सामान के खरीदने में केन्द्रीकरण हो जाने से पर्याप्त लाभ की सम्भावना है।

रेलो के पुनर्वर्गीकरण से हानियाँ (Disadvantages of Regrouping of Railways)—(१) रेलवे कर्मचारियों की कार्य-कुशलता में कमी होने की सम्भावना है, क्योंकि कर्मचारियों के तबदले अब दूर-दूर स्थित स्थानों में होने लगेंगे, जिससे उनकी अनुविधाएँ बहुत बढ़ जायगी। (२) प्रत्येक क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग साठे पाँच हजार मील लम्बे रेल-मार्ग का प्रवन्ध करने में न तो कार्य-कुशलता ही रहेगी और न व्यय में ही किसी प्रकार की कमी होगी। (३) जितनी नित्यव्ययता

होगी, उससे ध्येय कक्षा अधिक होगा, क्योंकि प्रत्येक क्षण में नये-नये हैड क्वाटर, कारखाने कमचारियों के लिये बसले एवं पाटस आदि बनवाने में पर्याप्त पर्याप्त करना पडगा। (४) रेलवे स्टार रोलिंग स्टान तथा ग्राम गावस्थलीय सामान खरीदने में भी रेलवे की कोई विशेष बचत नहीं होगी। इसीलिये कुँज कमेटी ने पुन वर्गीकरण की इस योजना को पाच वर्षों के लिये स्थगित करने का विचार प्रस्तुत किया था।

वैसे तो प्रत्येक समस्या के ऊपर पण तथा विपक्ष दोनों आर ने बहुत कुछ कहा जा सकता है परंतु भारतीय रेलों के पुनर्गोर्करण से लाभ ही अधिक प्रतात होते हैं। इसलिए वर्तमान समय में क्षत्रीय आधार पर रेलों का पुनर्गोर्करण भारत के हित में ही होगा।

रेल और योजना—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रेल के विकास के लिये रु० ११२५ करोड रु० की व्यवस्था की गई है। रा० १९६०-६१ तक ८५० मील लाइन बनाई जायगी ८००० मील लाइन का नवोनीकरण होगा १६०७ मील लाइन दोहरी की जायगी १२६३ मील लाइन पर होजल इजन स गाड़ी चलाइ जायगी २६५ मील छोटी लाइन को बड़ी लाइन में परिवर्तन किया जायगा और ८२६ मील लाइन का विद्युत्करण किया जायगा। ५ वर्ष में अंदर भारतीय रेलों द्वारा २२५८ इजन १००२४७ माल के टिके और ११३६४ सवारी टिके प्राप्त किए जायगे। ६ नये रेलवे कारखाने और एक छोटी लाइन के सवारी टिके बनाने वाली फैक्ट्री स्थापित की जायगी। चिनरजन लोकोमोटिव का विस्तार किया जायगा।

## २ जन यातायात (Water Transport)

एक देश जीवि प्राचीन विश्व के महाद्वीपों में भूमि के भी भागि जडा है जिनका समुद्र तल ४००० मील नम्य है और प्रत्येक प्रकार की जस्तुओं का निर्माण की लागत है जिहू अत्यंत नही पैरा किया जा सकता है प्रकृति द्वारा एक नाविक देश होने के लिये ही बना है।

सक्षिप्त इतिहास—संसार के आर्थिक इतिहास में जन यातायात का बडा महत्व है। भारतवर्ष में जल मार्ग द्वारा यातायात प्राचीन काल से ही होता चला आ रहा है। मुक्ति कल्पतल नामक प्राचीन समुद्र पुस्तक समुद्र और नदी में चलने योग्य नावों की निर्माण कला का उल्लेख मिलता है। सांचा न रूप में पूर्वी द्वार पर जो सुवाई हो रही है उस पर एक नाव लगी हुई बनाई गई है। इसमें यह बात सिद्ध होती है कि भारत में ईसा की गताब्दी में पूर्व नौवाग्रा द्वारा याता याती रही है। सुनाती यात्री भगवत्पनीज तथा एरेल की भारत यात्रा द्वारा जो उल्लेख की हुआर वष पूय की थी यह ज्ञात होता है कि गंगा अपना १७ सहायक नदियां और सिंधु अपनी १३ सहायक नदियां के साथ बहुत दूर तक नाव्य ( Navigable ) थी। भगवत्पनीज ने जो बड़ा तल कहा है कि १८ नदियां भारत में नाव चलाने योग्य हैं। गिलासला और ग्राम प्रांत बखाना के अनुसार यह ज्ञात होता है कि ईसा में १४ गताब्दी में परवान् भी भारत की नदियां और नहरों द्वारा याता की जाती रही है।

यह बात निर्विवाद सत्य है कि बहुत प्राचीनकाल से ही भारतीय जहाजा द्वारा समुद्री व्यापार होता था। मिकन्दर की फीज नदी भारतवर्ष में लौटने लगी तो २००० भारतीय जहाजा के वेण का उन्होंने अपना समुद्री यात्रा के लिये उपयोग किया था।

प्रकार के समय में मुख्यस्थित नौ-विभाग था, जिसका अध्यक्ष 'मोर वहीरो' कहलाता था। उस समय बंगाल, काश्मीर और लाहौर में विभिन्न प्रकार के जहाजों और नौकाया का निर्माण किया जाता था। तत्कालीन विदेशी मानियों ने भारत की जहाजों तथा नौ बड़े प्रगल्भा की है। बावरी (१६६६-७० ई०), फ्रायर (१६७४ ई०) आदि लखका ने भारतीय विद्यालय जहाजों को देखकर घडा आश्चर्य प्रकट किया। फ्रायर ने मूरुल म ऐस बड़े जहाज देखे जैसे उसने यूरोप में वही नहीं देखे थे। इसी प्रकार कुरुतुलतुनिया का राजा अपने लिए ढाका और टुगली में जहाज तैयार करवाता था।<sup>१</sup> मन्थ म हर समय ४०,००० नावें और जहाज भाडे पर उपलब्ध हो सकने थे। सोलकूडा के राजा के पास एक मजदूर जहाजी वेडा था। राजा और उसके सरदारों ने नियम अन्तर्गत हाथी लाने के लिए कई जहाज घराकान, तनासरिम : और लका को जाते थे। किसी किसी जहाज में तो २५ बड़े हाथी बंध जाते थे।<sup>२</sup> लिडसे नामक अंग्रेज सेवारत भारत की जहाजी शक्ति की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि "सन् १७८६ ई० में भारतीय व्यापारियों के पास इतने अधिक जहाज थे कि जितने ईस्ट इण्डिया कंपनी, डचा, फ्रांसिसिया और अमेरिका वाला ने पास मुल मिला कर होंगे।"

१६ वीं शताब्दी के आरम्भ में जहाजों के निर्माण में लडकी का स्थान लोह में ले लिया और अब पुराने ढंग के जहाजों के स्थान में भाप से चलने वाले जहाजों की मांग अधिक बढ़ गई थी। अतः भारत में बनने वाले पुराने प्रकार प्रकार के जहाज अब उपयोगी नहीं हो सकते थे। यह परिस्थिति भारतीय नौ उद्योग के निवृत्त यातक सिद्ध हुई परन्तु इसके विनाश का मूल कारण विदेशी शासकों की प्रतिवृत्त नीति थी। यदि वे चाहते तो यहाँ भी नवीन ढंग के जहाज अन्य देशों की प्रेरणा अन्तर्गत बन सकते थे, क्योंकि यहाँ उपयुक्त सामग्री तथा अनुभव उपलब्ध था। परन्तु उन्होंने ऐसा करना अपने हित के विरुद्ध समझा। इस प्रकार, भारत में रेल निर्माण भी देशी नावा से होने वाले व्यापार के लिये यातक सिद्ध हुआ।

### जल-यातायात के सापेक्षिक गुण व दोष

गुण—जल यातायात अन्य यातायात के साधनों की अपेक्षा सम्पन्न पडता है, क्योंकि इस पर कोई विशेष व्यय नहीं करना पडता है। इसके लिये रेल की पटरी या पकी मडग, जैसे किसी विशेष माग बनाना या उसकी मरम्मत की व्यवस्था करने की आवश्यकता नहीं होती। रेल-यातायात में लाइनें बनाने के प्रतिरित्त स्टेशन प्लेटफार्म, सिगनल आदि बनाने और उनकी मरम्मत व प्रबन्ध आदि की व्यवस्था करने में पर्याप्त पूँजी की आवश्यकता होती है जबकि जल यातायात में बन्दरगाह डामर जटी आदि बनाने में बहुत ही कम व्यय करना पडता है। यदि जल-यातायात नदी, भौल या समुद्र द्वारा होता है, तो मार्ग निर्माण में कुछ भी व्यय नहीं करना पडता है, क्योंकि जल-मार्ग प्राकृतिक बना होता है। केवल नाव स्टीमर व जहाज बनाने में ही व्यय करना पडता है जो रेल यातायात की तुलना में बहुत ही कम है। यदि यह यातायात नहरों व द्वारा होता है, तो नहरों का निर्माण करना पडता है, परन्तु ये नहरें मुख्यतः सिंचाई के लिये बनाई जाती हैं, इसलिये जल-यातायात में मार्ग व ऋष म प्रयुक्त नहरों में श्रमण में व्यय

१—Economic History of India—R K Mukerjee

२—Indian Shipping—R K Mukerjee p p 245 52



नरने की आवश्यकता नहीं होती। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के लिये तो समुद्री यातायात एक मुख्य साधन है।

जल-यातायात के द्वारा भारी एवं विस्तारवान् वस्तुओं का जाना मोर ले जाना सुगम और सस्ता है, जैसे कोयले, स्टील, लकड़े आदि। जगती में पेड़ों के बड़े-बड़े तने काटकर नदियों में बहा दिये जाते हैं, वे बहकर स्वयं ही निश्चित स्थान पर पहुँच जाते हैं। दुग्धने वाली या हिलने से खराब हो जाने वाली वस्तुओं के लिये जल-यातायात बहुत ही उपयुक्त होता है। आन्तरिक जल-मार्गों में एक बड़ा भारी लाभ यह है कि विदेशों में जाने वाले जहाज देश के आन्तरी भागों में सीधे आ सकते हैं। उनका मान बन्दरगाहों पर उतारकर रेलगाड़ियों पर लादने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जिन प्रदेशों में रेलों और सड़कों का अभाव है वहाँ जल-मार्ग इनकी पूर्ति करते हैं। भारी, कम मूल्य वाली और टिकाऊ वस्तुओं के लिये जल-मार्ग बहुत ही सस्ता साधन है। बहुत सी नदियाँ तथा नहरें अल्प यातायात के साधनों के दुरक का कार्य करती हैं।

दोष—जल यातायात मन्द-गति का व अनिश्चित होता है। यही इसका दोष है। भारतवर्ष में कुछ नदियों में तो वर्षा-ऋतु में बाढ़ आ जाती है और अधिकांश प्रीम्-ऋतु में बिल्कुल सूख जाती है जिससे वे यातायात-योग्य नहीं रहती।

भारतीय जल-यातायात के भेद—भारतीय जल-यातायात को दो भागों में विभक्त किया जा सकता है—(१) भीतरी जल-यातायात और (२) समुद्री यातायात।

(१) भीतरी जल-यातायात (Inland Water Transport)—(अ) नदियाँ, और (ब) नहरें भीतरी जल-यातायात के मुख्य साधन हैं।

(अ) नदी यातायात (River Transport)—नदियाँ देश के आन्तरिक व्यापार का सर्वोत्तम यातायात साधन हैं। जब चलान योग्य नदियाँ गहरी तथा उदगम स्थान पर बर्फ पक होनी चाहिये। जिन नदियों का वेग तेज होना है उसका जिन नदियों में बहने-से प्रभाव होने है, वे यातायात के लिये सर्वथा अयोग्य होती हैं। नदियों में लगातार जल-प्रवाह का होना भी आवश्यक है। इसलिये वे नदियाँ जिनमें प्रायः बाढ़ आती है उसका जा वर्ष के कुछ महीने सूखी पड़ी रहती है, यातायात के लिये अयोग्य होती हैं। जो नदियाँ उपजाऊ और घनी प्रायदी बाने प्रदेशों में से होकर बहती हुई बर्फ से खुले सागरों में गिरती हैं वे भी यातायात की दृष्टि से बड़ा महत्व रखती हैं।

दूमरे देशों को भी भारतवर्ष की नदियों में यातायात की प्राकृतिक सुविधाएँ नदी हैं, फिर भी दक्षिण की नदियों की अपेक्षा उत्तरी भारत की नदियों में यातायात की अधिक सुविधाएँ हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों में वर्ष भर वर्षा पानी रहता है, क्योंकि प्रीम्-ऋतु में हिमालय पर्वत में बर्फ पिघल कर उनमें पानी आता रहता है। ये नदियाँ देश के एक उपजाऊ और सम्पन्न भाग में से होकर बहती हैं, जो वाणिज्य का मैदान कहलाता है। अतः उत्तरी भारत की नदियाँ वर्ष-भर यातायात हो सकता है। परन्तु दक्षिणी भारत की नदियों में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी रहता है, इसलिये यातायात असम्भव हो जाता है।

भारत में वर्ष-भर बहने वाली नदियों में स्टोमर्स और बड़े-बड़े देशों जावे चलती हैं। जल-यातायात की दृष्टि में बंगाल, सामान, मद्रास और बिहार महत्वपूर्ण हैं।

भारत में जल मार्गों की लम्बाई उत्तर प्रदेश में ७४५ मील, बिहार में ७१५ मील, पश्चिमी बंगाल में ७७७ मील, आसाम में ६२० मील, उड़ीसा में २८७, घोर मन्नास में १७०० मील है। दक्षिणी भारत में गोदावरी, कृष्णा, नर्मदा, तथा ताप्ती नदियों के निचले भाग में ही नावें चल सकती हैं, इनका सौंप भाग पठारी है। गंगा नदी से ५०० मील ऊपर कानपुर तक स्टीमर चला करते हैं। छोटी-छोटी नावें तो हरिद्वार तक जा सकती हैं। परन्तु रेला के निर्माण से गंगा नदी द्वारा यातायात का महत्त्व कम हो गया है। यमुना नदी में प्रयाग से राजापुर तक वर्ष भर नावें चलती हैं। ब्रह्मपुत्र नदी में मुहाने में डिब्रूगढ़ तक ८०० मील नावें चलती हैं। परन्तु इसमें निरन्तर नये नये द्वीप बनने रहने व कारण नावें चलाने में बृहत् अमुविधात्रा का सामना करना पड़ता है। इनके अतिरिक्त, वर्षा-ऋतु में पानी की तबीयत का कारण नावों के उलट जाने का डर रहता है। हुगली नदी में भी नावियां तक जहाज पड़सकती हैं। छोटी-छोटी नहरें बड़ी-बड़ी नदियों को जोड़ती हैं। अधिकांश लूट चाय और चावल नावों से ही बड़े बड़े शहरों में पहुँचाया जाता है।

(आ) नहर यातायात ( Canal Transport )—भारत में यातायात के योग्य नहरें बहुत कम हैं, यद्यपि थोड़ा बहुत यातायात गंगा नहर आदि कुछ नहरों द्वारा होता है जोकि सिन्धु नदी से लिये बनाई गई हैं। १९ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत सरकार के प्रधान इञ्जीनियर सर आर्थर कॉटन (Sir Arthur Cotton) ने एक पार्लियामेंट की कमेटी के सम्मुख प्रपना मत इस प्रकार प्रकट किया था, "भरा कहना है कि भारत के लिए जल मार्ग अधिक उपयोगी सिद्ध होंगे। जहाँ पर जितना धन्य हुआ है, उससे आठवें भाग में नहरें बनाई जा सकती हैं जो माल को एक स्थान में दूसरे स्थान पर बहुत कम खर्च में ले जा सकती हैं। इन नहरों में सिंचाई भी होगी और वे व्यापारिक जल मार्ग का काम भी दंगी। सर कॉटन ने नहरों बनाने की पूरी योजना बनाई जो जिसमें ३ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया था। परन्तु ब्रिटिश पूँजीपतियों ने, जिनकी रेलों में पूँजी लगी थी इन योजना का पार विरोध किया जिससे इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। सिंचाई के लिये निमित्त नहर यातायात के योग्य नहीं होनी, क्योंकि वे प्रायः उबली होती हैं और कम आबाद भागों में होकर चहुँती हैं। औद्योगिक बमीसन और राष्ट्रीय राजस्व मन्त्रि ने रेलों और नहरों द्वारा यातायात विस्तार के लिए कई सिफारिशें की परन्तु अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सिन्धु नदी के लिए १९३० के Inland Steam Vessels Act द्वारा अन्तर्-यातायात के लिए प्रथमतः और अनुमत किराये की दर नियत कर दी गई। अब अपनी राष्ट्रीय सरकार की इस और मोक्ष ध्यान देना चाहिए।

भारत में आन्तरिक जल यातायात के विकासार्थ योजना—भारत एक विशाल देश है और इसमें सीमा तक नदियां इस प्रकार बहती हैं कि वह यातायात के काम में लाई जा सकती हैं। इनके अतिरिक्त, नहरों के निर्माण द्वारा अन्तर्-यातायात का अधिक विकास किया जा सकता है। केन्द्रीय जलशक्ति, सिंचाई और नौका संचालन आयोग (Central Waterways, Irrigation and Navigation Commission) ने देश के भीतरी जल मार्गों की उत्पत्ति करने के लिए एक विशाल योजना बनाई है। इन योजना के अन्तर्गत बंगाल में दामोदर घाटी योजना के पूरा हो जाने पर रामोमज की निचली क्षेत्रों की लान हुगली नदी में नहर द्वारा सिंचाई जायेगी; इसी प्रकार में उत्तरीय बंगाल के जलमार्ग तथा पूर्वीय बंगाल और कलकत्ता के बीच के

जलमार्गों का पुनरुद्धार किया जायगा। ग्रामाम में कुछ नदियाँ जल यातायात के योग्य बनाई जायँगी। बिहार में गडक, कोषी तथा सोना नदियों को भी तथा सम्भव यातायात के योग्य बनाने का प्रयत्न किया जायगा। वेतवा व चबल नदियों के बाढ़ के पानी को रोक कर और उले यमुना नदी में डालकर यमुना को भी अधिक यातायात के योग्य बनाया जायगा। उड़ीसा की नहरों को मद्रास की नहरों में सम्बन्धित करने का प्रयत्न किया जायगा। हीराकुंड बांध के पूर्ण होने पर महानदी में भी तीन ही मील तक जल यातायात की सुविधा हो सकेगी। पूना में एक नदी यातायात अनुसंधानशाला (River Research Institute) की स्थापना भी की गई है।

फरवरी १९५० में भारतीय अन्तरिक जल-मार्गों के विकास के लिए एशिया और पूर्वी देशों के आर्थिक आयोग (Economic Commission for Asia and Far East) के विशेषज्ञ श्री ओटो पोपर (Otto Popper) की मेनार्ड्स हप विषय में जाँच-पड़ताल करने और भारत सरकार को समझि देने के लिए ली गई थी। श्री पोपर ने इस बात पर बल दिया कि "यदि व्यवस्थित रूप से भीतरी जल मार्गों का उपयोग किया जाय, तो वे रेलों के प्रतिस्पर्द्धी न होकर रेलों के पूरक होंगे।" उनका कहना था कि न केवल वर्तमान जल मार्गों को ही सुधारने की आवश्यकता है बल्कि देश के विभिन्न भागों में नये जल मार्गों का निर्माण होना भी आवश्यक है। उनकी यह सलाह है कि (अ) देशी मार्गों को महत्कारिता के आधार पर संगठित करना चाहिये। (आ) गंगा के उत्तरी भाग में नावा के ठहरने के स्थान (River Ports) और सामान उतारने चढ़ाने की मशीनों (Cranes) आदि प्राथमिक साधना के प्रभाव की पूर्ति करना आवश्यक है। (इ) नदी को स्थान छोड़ने से रोकने के लिए नदी के किनारा पर झरियाँ लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया। (ए) देशी मार्गों के स्थान में प्रातुनिक मार्गों का चलन हो।

अन्तरिक जल मार्ग और योजना—देश का अन्तरिक जल-मार्ग ५,००० मील में अधिक लम्बा है। गंगा, ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियाँ पर होने वाले जल-यातायात के विकास में समन्वय स्थापित करने की दृष्टि में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने १९५२ में 'गंगा ब्रह्मपुत्र जल यातायात मंडल' स्थापित किया। अन्तरिक जल-यातायात के विकास के लिये द्वितीय योजना में ३ करोड़ २० निर्धारित किये गये हैं।

(१) समुद्री यातायात (Sea Transport)—समुद्री यातायात अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य साधन है। समुद्री-मार्ग विभिन्न देशों को मिलाने हैं और विदेशी व्यापार का विकास करते हैं। भारतवर्ष में लगभग ४००० मील लम्बा समुद्री किनारा है। लगभग ६ अरब रुपये साल का व्यापार विदेशों में समुद्र के द्वारा होता है, परन्तु यह सब की बात है कि भारत के पास समुद्र के प्रगतिशील देशों की अपेक्षा सबसे कम जहाज हैं। क्योंकि भारत के पास लगभग १०० जहाज हैं जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका के पास ३,४६२, इंग्लैंड के पास ३,१०२, फ्रांस के पास ५१६, इटली और जापान में से प्रत्येक के पास ४२३ हैं। अब अपनी राष्ट्रीय सरकार इन धार विशेष ध्यान दे रही है।

माल में नौ-उद्योग के पुनर्जन्म का ध्येय सिन्डिया स्टीम नौवीयन कम्पनी (Scindia Steam Navigation Co.) को है जिनमें सबसे प्रथम टंग

रशा में पत्र प्रदर्शन किया। सिपिया कम्पनी द्वारा अपने विशालाष्ट्रम कारखाने में निर्मित जल-ऊषा नामक पहला भारतीय जहाज जिसकी लागत ६८ लाख रुपये है तथा वजन ८००० टन है, १४ मार्च १९४८ को पडित जवाहरलाल नेहरू के कर-कमलों द्वारा जलावतरण कराया गया। इसके पश्चात् लगभग इसी परिमाण के जल प्रभा, जल पालक, जल पृथक् आदि कई जहाज तैयार किये जा चुके हैं। सिपिया कम्पनी की योजना है कि वह प्रति वर्ष ८-१ हजार टन वाले तथा १५० फीट सम्बन्धी तक के जहाज तैयार करे।

जहाजी नीति समिति (Shipping Policy Committee) की सिफारिशों के अनुसार भारत सरकार ने एक बड़ी व्यापारिक योजना बनाई है, जिसमें तीन राष्ट्रीय निगमों (Shipping Corporations) की स्थापना की व्यवस्था है। प्रत्येक निगम में जिम्मे नियत क्षेत्र में व्यापार संचालन का कार्य रहेगा। इनमें से पूर्वी जहाजी निगम (Eastern Shipping Corporation) की व्यवस्था सिपिया कम्पनी को ७६.२४ के अनुपातिक प्राधार पर सौंपी जा चुकी है। अन्य दो निगम इण्डिया स्टीम नैवीगेशन कम्पनी (India Steam Navigation Co.) और भारत लाइन्स लिमिटेड (Bharat Lines Ltd.) होंगे। इनके अतिरिक्त केन्द्रीय सरकार को समुद्री यातायात की समस्याओं पर सुझाव देने के लिए एक जहाजी बोर्ड (Shipping Board) भी स्थापित कर दिया गया है। जनवरी १९५१ में एक 'तटीय जहाजी सम्मेलन' (Coastal Shipping Conference) ने निर्णय के अनुसार विदेशी व्यापार सम्बन्धी सरकारी समझौतों में यह धारा रखी जाय कि ५०% भाग भारतीय जहाजों में लाया लेजाया जायगा। इसके पक्षस्वरूप समुद्र तटीय यातायात केवल जहाजों के लिये सुरक्षित हो गया है। भारतीय जहाजों को अब ३० साल टन बोझ प्रति वर्ष दोने को भितगा जिसके लिये भारत को कम से कम ३,७५,००० टन शक्ति वाले जहाजों की आवश्यकता होगी जबकि वर्तमान समय में हमारे पास केवल २ लाख टन शक्ति के ही जहाज हैं। अतः हमें १,७५,००० टन शक्ति वाले जहाजों की और आवश्यकता होगी।

भारतार्थ के समुद्री-मार्ग (Ocean Routes)—भारत के मुख्य समुद्री मार्ग निम्न पाँच प्रधान बन्दरगाहों से आरम्भ होते हैं—बम्बई, कनकता, कोचीन, मद्रास और विजयापट्टम। भारत हिन्द महासागर के तिरों पर स्थित है जिसमें होकर पूर्व में पश्चिम की व्यापारिक मार्ग निचालते हैं। यहाँ से पूर्व और दक्षिण पूर्व की समुद्री मार्ग चीन, जापान, पूर्वी द्वीपसमूह और आस्ट्रेलिया की, दक्षिण और दक्षिण-पश्चिम में समुद्र राज्य अमेरिका, यूरोप तथा अफ्रीका और दक्षिण में अरब की जाते हैं। इस प्रकार भारत पश्चिमी कना-बौधाल-प्रधान देशों की पूर्वी कृषि-प्रधान देशों से मिलाने के लिये एक बड़ी का कान करता है।

समुद्री-यातायात और योजना—प्रथम योजना में समुद्री यातायात अर्थात् जहाजरानी के लिये व्यय की गई थी जो बाद में बढ़ाकर २६ ३ करोड़ ६० कर दी गई थी। योजना काल में लगभग १८ करोड़ ६० के वास्तविक व्यय का अनुमान लगाया गया था। द्वितीय योजना में जहाजरानी के विकास के लिए ४१ करोड़ ६० निर्धारित किये गये हैं। छोटे बन्दरगाहों के विकास के लिए द्वितीय योजना में ५ करोड़ ६० की व्यवस्था की गई है जबकि प्रथम योजना में २४१ करोड़ ६० की ही व्यवस्था की गई थी।

### ३. वायु यातायात (Air Transport)

मक्षिप्त इतिहास—भारत के प्राचीन ग्रंथों में आकाश यात्रा तथा वायुयानों का उल्लेख मिलता है। पुष्पक विमान के विषय में प्रायः सभी जानते हैं। इससे प्रकट होता है कि प्राचीन भारत के निवासों वायुयान तथा आकाश-यात्रा से परिचित थे। यद्यपि गुब्बारों द्वारा उड़ने का प्रमाण सन् १७०८ से ही किया जाने लगा किन्तु वास्तविक रूप से वायुयानों का प्रयोग २० वीं शताब्दी के प्रथम चरण में ही प्रारम्भ हुआ।

भारतवर्ष में आकाश यात्रा सन् १९११ में ही प्रारम्भ हुई जबकि कुछ स्थानों पर वायुयानों के उड़ान की प्रदर्शनी की गई थी। सन् १९१६ में भारत में अन्य तीस देशों के साथ वायु-यातायात को नियमित करने के उद्देश्य से अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन पर पेरिस में हस्ताक्षर किये। वायु-यातायात के विकास की योजना बनाने के लिए सन् १९२६ में 'भारतीय वायु बोर्ड' (Indian Air Board) स्थापित किया गया। इस बोर्ड की निगरानि के अनुसार सन् १९२७ में 'नागरिक उड्डयन विभाग' (Civil Aviation Department) की स्थापना की गई और सन् १९२८ में दिल्ली कलकत्ता, बम्बई और कराँची में उड़ान क्लब (Flying Clubs) खोले गये। सन् १९२६ में इम्पीरियल एयरवेज (Imperial Airways) की सेवा द्वारा भारत को सन्धन से जोड़ दिया गया। सन् १९३० में टाटा एयरवेज लिमिटेड (Tata Airways Ltd.) स्थापित हुई और इससे इलाहाबाद, कलकत्ता तथा कोलम्बो और बाद में कराँची और मद्रास में अन्तर्देशीय वायु सेवाओं की स्थापना की गई। इस समय से भारत सरकार ने वायु-यातायात के विकास में सक्रिय भाग लेना प्रारम्भ किया। सन् १९३३ में इण्डियन नेशनल एयरवेज लि० (Indian National Airways Ltd.) स्थापित हुई जिसने कराँची, जेकोबाबाद मुल्तान तथा लाहौर की वायु-सेवा की स्थापना हुई। सन् १९३६ में एयर-मैरिटाइम सर्विस ऑफ इण्डिया (Air Service of India) स्थापित हुई जिसने बम्बई, भावनगर, राजकोट, जामनगर, पोरबन्दर की वायु-सेवा चालू की। इन देशी कम्पनियों के प्रतिष्ठित कुछ विदेशी वायुयान कम्पनियाँ भी भारत में काम कर रही थी। इनमें ब्रिटिश ओवरसीज एयर कॉर्पोरेशन (B.O.A.C.), डच एयर लाइन, के० एल० एम० (K.L.M.) एयर फ्रांस और जर्मन एयर सर्विस मुख्य थी। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व लगभग १५६ वायुयान भारत में थे और वायु-मार्ग ६५०० मील था जो अन्य देशों की अपेक्षा बहुत कम था।

द्वितीय महायुद्ध और उसके पश्चात्—सितम्बर १९३६ में महायुद्ध के छिड़ जाने से विदेशी वायुयानों में एकदम कमी हो गई। देशी वायुयानों का भी प्रयोग मुख्यतया युद्ध कार्यों के लिए होने लगा। सन् १९४३ के अन्त तक १७ नये वायु-याग चालू कर दिये गये। इस काल में वायु-यातायात के विकास को सर्वांगी प्रोत्साहन मिला। भारतीय नवयुवकों को वायुयान चलाने की शिक्षा देने के लिये कई उड्डयन क्लब खोले गये तथा कुछ को ट्रेनिंग भी भेजा गया। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व वायुयान निर्माण करने के लिये कोई कारखाना नहीं था, केवल वायुयानों की मरम्मत की ही व्यवस्था थी। परन्तु श्री बालचन्द्र हीराचन्द ने भीमूर सरकार के साथ दो हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट कम्पनी (The Hindustan Aircraft Co.) बंगलौर में सन् १९४० में स्थापित की। सन् १९४१ में भारत सरकार ने भी इस कम्पनी में संपत्ति प्राप्त कर लिया। सन् १९४१ में इस कम्पनी द्वारा निर्मित पहला भारतीय

वायुयान प्रस्तुत किया गया और दूसरा एक महीने बाद । सन् १९४१ में इस कारखाने का पुनर्मज्जुदा किया गया । आजकल इस कारखाने में रेलगाडी के डिब्बे भी बनते हैं ।

सन् १९४४ में भारत सरकार ने नागरिक उड्डयन के विकास आदि विषयों के लिए सर नाहम्मद उस्मान के सभापतित्व में एक समिति की स्थापना की । इस समिति की सिफारिशों को भारत सरकार ने स्वीकार कर लिया और अपनी वायु यातायात सम्बन्धी नीति सन् १९४६ में घोषित कर दी जिसके अनुसार अन्त्यान्तरिक वायु यातायात का विकास सीमित सख्या की निजी व्यापारिक संस्थाओं द्वारा करवाने की सरकार ने इच्छा प्रकट की । इन कम्पनियों पर नियन्त्रण रखने के लिए 'वायु यातायात लाइसेन्स बॉर्ड' भी सन् १९४६ में स्थापित किया गया ।

वाह्य विकास के कार्यक्रम में पहला महत्वपूर्ण चरण सन् १९४७ में भारत और यु० के० के मध्य वायु सेवा स्थापित करने में उठया गया । एक नई कम्पनी 'एयर इण्डिया इन्टरनेशनल लिमिटेड' टाटा के सहयोग में स्थापित की गई । दूसरी वायु-सेवा २६ मई १९४८ में 'भारत एयरवेज लिमिटेड' द्वारा चालू की गई । यह कठकता से संकाक होती हुई हासकाय जाती थी । तीसरी वाह्य वायु-सेवा इन्वर्ड एअर नेटवर्क के मध्य २१ जनवरी १९५० का 'एयर इण्डिया इन्टरनेशनल लि०' द्वारा चालू की गई । चौथी वाह्य सेवा दिल्ली और काबुल के मध्य चालू की गई ।



३० जनवरी १९४९ से बम्बई-नागपुर-कनकला और मद्रास-नागपुर-दिल्ली के लिए सेवाएँ हाक की वायुयानों द्वारा रात्रि में ल जाये के लिए चालू की गई । सन् १९४९ में

राज्यपक्ष के सभापतित्व में एक कमेटी नियुक्त की जिसने कम्पनियों के काम पर नियंत्रण रखने, भारत सरकार द्वारा दो जाने वाली आर्थिक गह्यता सन् १९५२ के अन्त तक जारी रखने, राष्ट्रीयकरण की स्थिति रखने या उसने प्रभाव में वैधानिक कॉरपोरेशन द्वारा संवाहन कारवाये प्रादि के कई मुद्दाय दिये ।

वर्तमान स्थिति—सन् १९५३ के प्रारम्भ में भारतवर्ष में निम्नलिखित ६ वायु-यात कम्पनियाँ थीं :—(१) एयर इण्डिया, बम्बई, (२) इण्डियन नेशनल एयरवेज, नई दिल्ली, (३) एयर सर्विसेज ऑफ इण्डिया, बम्बई, (४) डेकन एयरवेज, बेगमपेट, (५) एयरवेज (इण्डिया) कलकत्ता, (६) भारत एयरवेज, कलकत्ता (७) एयर इण्डिया इन्टर-नेशनल, बम्बई, (८) हिमालय एविएशन, कलकत्ता और (९) कनिगा एयर लाइन्स, कलकत्ता । इनके प्रतिरिक्त सी० थो० ए० सी०, के० एम० एम०, टी० इन्डू० ए० तथा पान प्रमेरिकन आदि अन्तर्राष्ट्रीय महत्त्व की वायु यातायात की कम्पनियाँ द्वारा वायु यातायात की व्यवस्था भारत में ही नहीं है ।

भारतीय कम्पनियों की अधिभुक्त पूँजी २१ करोड़ ५० लाख रुपया थी । वायु-मार्गों की कुल लम्बाई २८,००० मील से कुछ अधिक है । दिसम्बर १९५३ तक भारतीय हवाई विभाग के नियन्त्रण में कुल ७८ हवाई अड्डे या गये थे ।

हवाई उड़ान की शिक्षा की व्यवस्था—नागरिकों को हवाई उड़ान में सिद्धा देने के लिए कुल मिलाकर १२ उड़कवन क्लब हैं जिनको भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त होती है । वे क्लब ये हैं—दिल्ली बम्बई, मद्रास, बँरकपुर, पटना, मुबनेश्वर लखनऊ, जातपुर, नागपुर, आसाम, हैदराबाद, बगलौर । सन् १९४८ के १ दिसम्बर को पूना में भारतीय ग्लाइडिंग एसोसिएशन (Indian Gliding Association) की स्थापना की गई है जिसका कार्य Gliding को प्रोत्साहन देना है । इसे भारत सरकार द्वारा आर्थिक सहायता मिलती है ।

एरोनॉटिकल कम्युनिकेशन (Aeronautical Communication) अर्थात् वायु यातायात सम्बन्धी सम्वाद के इस समय ५८ अड्डे स्टेशन हैं । इलाहाबाद में सन् १९४८ में नागरिक उड़कवन प्रशिक्षण केंद्र (Civil Aviation Training Centre) है, जिनमें चार विभागों की शिक्षा दी जाती है—उड़ान, एरोड्रोम, इन्जिनियरिंग और कम्युनिकेशन, सहारनपुर में भी एक प्रशिक्षण केंद्र है जहाँ वायुयान चालकों और रेडियो विशेषज्ञों को उपयुक्त शिक्षा दी जाती है । सरकार ने अधिक से अधिक व्यक्तियों को शिक्षा देने के हेतु एव योजना बनाई है जिससे अनुगार तीन वर्षों में ३००० चालकों को प्रशिक्षित किया जायगा । इसमें ७५ लाख रुपए पूँजीगत व्यय और २५ लाख रकारिज (स्वायी) व्यय होगा । बगलौर में पोस्ट ग्रेजुएट की शिक्षा दी जाती है । अनु-सन्धान की व्यवस्था सप्टरजग हवाई अड्डे दिल्ली में की गई है ।

वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation of Air Transport)—वायु यातायात के राष्ट्रीयकरण के उद्देश्य में सन् १९५३ में 'वायु यातायात निगम अधिनियम' (The Air Corporation Act) पार किया गया, जिसके अनुसार १ अगस्त १९५३ से वायु यातायात का राष्ट्रीयकरण कर दिया है । इस अधिनियम में अन्तर्गत दो निगम (Corporations)—एक आन्तरिक वायु सेवाओं को चलायने के लिये (Indian Airlines Corporation) और दूसरा बाह्य वायु सेवाओं को चलाने के लिये (Air India International Corporation)

स्थापित कर दिये गये। प्रत्येक कॉरपोरेशन के लिये कम से कम ५ और अधिक से अधिक १ सदस्य केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किये जायेंगे। वर्तमान वायु यातायात सलमन कर्पोरेशनों के से लेने का अधिकार और वायु यातायात का एकाधिकार इस कॉरपोरेशन को दे दिया गया। इन दोनों निगमों को सलाह देने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा एक एक 'परामर्शदातृ संमद' (Advisory Council) नियुक्त कर दी गई है।

**वायु यातायात समझौते**—सन् १९५८ में भारत सरकार और सोवियत रूस, सेबानान गणराज्य तथा इटली गणराज्य की सरकारों के बीच वायु यातायात के समझौते हुए। अफगानिस्तान, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, ईराक, जापान, बार्सिलैण्ड, भीटारलैण्ड, पानिस्तान, फ्रांस, फिलीपीन द्वीप, मिथ, ग्रीसका, स्विट्जरलैण्ड तथा स्वीडन के साथ वायु-यातायात के समझौते पहले में हो चुके हैं।

**वायु यातायात और योजना**—द्वितीय योजना काल में ८ नये हवाई प्रहरे स्थापित किये जायेंगे। योजना में हवाई यातायात के लिये ३६ १३ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है - २४.६ करोड़ रु० इंडियन एयरलाइन्स के लिये और शेष एमर इंडिया इन्टरनेशनल के लिये है।

**सम्वाद-वाहन के साधन**—सरकारी डाक व सार विभाग का नागरिक जीवन में बड़ा महत्त्व है। सबसे प्रथम डाक प्रणाली सन् १७६६ में लॉर्ड क्लाइव ने प्रारम्भ की थी परन्तु वह सरकारी कार्यालयों के ही उपयोग में आ सकती थी। वारेन हेस्टिंग्स के शासन-काल में यह डाक प्रणाली जनता को भी उपलब्ध होने लग गई थी। १५ अगस्त १९४७ में भारत में २२,१३६ डाकघर थे, परन्तु १९५८-५९ में इनकी संख्या ६४,६६३ हो गई जिनमें ३३ लाख व्यक्ति सम्मिलित थे। द्वितीय योजना में २,००० की जनसंख्या के प्रत्येक ग्राम-समूह के लिये एक डाकघर होना। भारत में सबसे पहले तार सेवा (कलकत्ता-भागलपुर के बीच) नवम्बर १८५३ में प्रारम्भ हुई थी। वर्तमान समय में देश में ६,८६३ तारघर हैं जहाँ प्रति वर्ष ३.४३ करोड़ अंतरराष्ट्रीय तथा विदेशी तार प्राप्त किये अथवा भेजे जाते हैं। १९५८-५९ में देश में ३,७८,००० टेलीफोन थे।

**भारत में रेडियो**—भारतीय रेडियो द्वारा सात विदेशी भाषाओं में बात प्रसारित होती है जिससे राष्ट्रों के मध्य पारस्परिक मैत्री बढ़ती है तथा सांस्कृतिक चेतना को बल मिलता है। अप्रैल सन् १९५२ में ६,०३,११० रेडियो के लाइसेंस थे। भारत में इस समय २३ स्थानों से बेतार का सार भेजा जा सकता है।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—भारत में रेलों के (अ) कृषि (ब) घरेलू उद्योगों और (ग) बड़े-बड़े उद्योगों पर क्या प्रभाव हुए हैं ? स्पष्टतः व्याख्या कीजिए। (७० प्र० १९५०)
- २—भारत में यातायात व सम्वाद के क्या-क्या साधन हैं ? यदि आप से इनमें से एक के विकास के लिए कृपा जाये तो आप किसका विकास करना चाहेंगे ? कारण भी बताइए। (७० प्र० १९४७, ३३)
- ३—भारत में वायु-यातायात पर सशिक्षित टिप्पणी लिखिए। (७० प्र० १९४५)
- ४—भारत में रेलों और सड़कों के विस्तार से होने वाले सामाजिक हानि लाभों पर विचार कीजिए। (पटना १९५९)



१—भारत में रेलों के विकास के आर्थिक परिणाम समझाइए ।

(रा० वो० १९६०, ५८)

२—भारत में यातायात के साधनों (विशेषकर रेलों) के विकास का कृषि और ग्राम्य जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

(रा० वो० १९५३)

७—भारत में रेलों के विकास के क्या आर्थिक एवं सामाजिक प्रभाव हुए हैं ?

(रा० वो० १९५२)

८—रेलों के निर्माण द्वारा भारत के आर्थिक तथा सामाजिक जीवन पर पड़े वाले प्रभावों पर विस्तार से विचार कीजिए ।

(स० वो० १९५५, ४८, ४६, ४२, ४०)

९—भारत में रेलों के आर्थिक प्रभाव व्यक्त कीजिए ।

(म० भा० १९५४, नागर १९५०, पंजाब १९४८)

१०—मानव समाज के लिए यातायात के साधन क्या आवश्यक है ? भारत के लिए थोड़ा यातायात व्यवस्था का क्या महत्व है ?

(नागपुर १९४२)

११—भारत में सड़क यातायात को महत्ता बताइए । क्या आप रेल-रोड समन्वय के पक्ष में हैं ? कारण भी लिखिए ।

(दिल्ली हा० से० १९४८)

"भारत एक विशाल देश है जिसकी सुप्त सम्पत्ति का उपभोग करने देश को विदेशी व्यापार पर निर्भर होने से बचाया जा सकता है।" — नायडू

**परिचय (Introduction)**— प्रत्येक देश का व्यापार साधारणतया दो भागों में विभाजित किया जा सकता है—(१) आन्तरिक, भीतरी या देशी व्यापार और (२) बाह्य या विदेशी व्यापार। आन्तरिक या देशी व्यापार (Inland or Home Trade) वह व्यापार है जिसमें वस्तुओं का आवागमन देश के भीतर ही सीमित रहता है। जैसे बम्बई और दिल्ली का व्यापार आदि। बाह्य या विदेशी व्यापार वह व्यापार है जिसके अन्तर्गत वस्तुओं का आवागमन विभिन्न देशों के मध्य में होता रहता है, जैसे इंग्लैंड और भारत के मध्य का व्यापार आदि। आन्तरिक या देशी व्यापार को हम राष्ट्रीय व्यापार और बाह्य या विदेशी व्यापार को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी कह सकते हैं। राष्ट्रीय व्यापार में स्थानीय, प्रदेशीय और अन्तर्प्रदेशीय व्यापार सम्मिलित होता है। सीमा नष्ट होने वाली तथा कम मूल्य की भारी वस्तुएँ जैसे शक्कर, भाजी, दूध, ईट आदि का व्यापार बोझी दूर तक ही सीमित रहता है, यद्यपि इस प्रकार के व्यापार को स्थानीय व्यापार कहते हैं। कुछ वस्तुओं का व्यापार पास-पड़ोस के जिलों में, पर एक ही प्रदेश के भीतर होता है, इस प्रदेशीय व्यापार कहते हैं। कुछ वस्तुओं का व्यापार विभिन्न प्रदेशों के मध्य पर देश की सीमा के भीतर ही होता है, इसे अन्तर्प्रदेशीय व्यापार कहते हैं।

**भारतीय व्यापार (Indian Trade)**— भारतीय व्यापार को मुख्यतः तीन भागों में बाँट सकते हैं—(१) आन्तरिक व्यापार, (२) तटीय व्यापार और (३) विदेशी व्यापार।

(१) **आन्तरिक व्यापार (Internal Trade)**— भारत का आन्तरिक व्यापार बहुत महत्वपूर्ण है। यह अनुमान लगाया जाता है कि भारत का आन्तरिक व्यापार प्रति वर्ष ७००० से ८००० करोड़ रुपए तक का होता है और विदेशी व्यापार ६०० करोड़ रुपए तक का होता है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि भारतीय आन्तरिक व्यापार विदेशी व्यापार में लगभग पन्द्रह गुना अधिक है। ग्रेट ब्रिटेन वेल्सजिबम और जापान जैसे छोटे-छोटे देशों में तो आन्तरिक व्यापार, बहुत कम होता है, उनका अधिकांश व्यापार विदेशी व्यापार होता है।

भारतवर्ष एक बहुत विशाल देश है जहाँ एक भाग दूसरे में अत्यधिक दूरी पर है। इसलिये एक स्थान को प्राकृतिक दया, जलवायु एवं पैदावार दूसरे स्थान की उपज से विन्कुल मित्र है। मनुष्यों की सम्पत्ता, रहन-सहन, खान-पान तथा वस्त्रादि में भी भिन्नता

है। इस विभिन्नता के कारण लोगों की भिन्न-भिन्न प्रकार की आवश्यकताएँ होती हैं। इन विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति देश के विभिन्न भागों में उत्पादित वस्तुओं द्वारा ही की जा सकती है। इस प्रकार निर्भरता के कारण देश के आन्तरिक भागों में विस्तृत व्यापार होता है। देश विशाल है, प्राकृतिक सुविधाएँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, उत्पत्ति अधिक और विभिन्न प्रकार की होती है; जनसंख्या वृद्ध है, इसलिये आन्तरिक बाजार ही इतना विस्तृत है कि हमें विदेशी बाजारों पर अधिक निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु दुर्भाग्यवश भारत के आन्तरिक व्यापार की उन्नति की ओर हमारे विदेशी शासकों ने कोई ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उनका हित विदेशी व्यापार की उन्नति में था न कि आन्तरिक व्यापार में। प्रो० नायडू का कहना है कि भारत एक विद्यालय देश है जिसकी सुप्त-सम्पत्ति का उपभोग करके देश को विदेशी व्यापार पर निर्भर होने में बचाया जा सकता है। प्रो० सेन का कहना है कि देश में ही इतना विस्तृत बाजार है कि उधेकी पूर्ति के प्रयत्न किये जायें, ता विदेशी व्यापार पर हम कम निर्भर रह सकेंगे।<sup>\*</sup> परन्तु भारत के आन्तरिक व्यापार को बढ़ाने की आवश्यकता है।

(२) तटीय व्यापार ( Coastal Trade )—तटीय व्यापार भारत के लिये एक प्रकार की प्राकृतिक देन है। भारत की भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि वह हिन्द महासागर के व्यापारिक मार्गों का मुख्य नेत्र है। भारतवर्ष का समुद्र तट ४००० मील में अधिक लम्बा है परन्तु इस पर स्थिर बन्दरगाह बहुत अल्प हैं। भारत का तटीय व्यापार प्रायः अंग्रेजी जहाजी कम्पनियों के हाथ रहा है मगर कुछ भारतीय जहाजी कम्पनियाँ देश का २५% व्यापार अपने हाथ में रखती हैं। श्री हाजी तथा दूसरे लोगों ने भारत सरकार पर बहुत जोर डाला कि भारत का तटीय व्यापार भारतीय जहाजों के लिए सुरक्षित कर दिया जाय किन्तु सरकारी अंग्रेजी सरकार ने यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत के पास केवल १३ लाख टन के जहाज थे, जो विश्व के व्यापारिक जहाजों का केवल २% था। स्वतन्त्र हो जाने के बाद से ही राष्ट्रीय सरकार जहाजों बंधे में वृद्धि करने में प्रयत्नशील है। सन् १९५१ के तटीय जहाजी सम्मेलन के निर्णयानुसार अब तटीय व्यापार अधिकतर भारतीय जहाजों द्वारा सम्पन्न होने लगा है।

भारतवर्ष का तटीय व्यापार भी बहुत बड़े महत्त्व का है। लगभग ७० लाख टन चावल, निलहन, कोयला, नमक तथा लकड़ी आदि तटीय मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजा जाता है। भारत का अन्तर्राष्ट्रीय तटीय व्यापार, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बम्बई, मद्रास आदि प्रदेशों में होता है क्योंकि ये ही राज्य समुद्र के किनारे हैं और इन्हीं राज्यों में बन्दरगाह पाये जाते हैं। भारत का कुछ तटीय व्यापार ब्रह्मा में भी होता है। भारत ब्रह्मा को सूती कपड़े, गेहूँ, जूट के बारे, दालें, मसाले, तम्बाकू, लोहे का सामान, चाय, निलहन, शक्कर आदि भेजता है। इसके बदले में ब्रह्मा में चावल, मिट्टी का तेल, भोजवती, लकड़ियों, खना व दाखे भारत को आती हैं। ये सारे वस्तुएँ तटीय मार्ग द्वारा ही आती-जाती हैं। बम्बई, कनकन्या, मद्रास, कोचीन, नूतीकोरल तथा विजगापट्टम भारत के ये मुख्य बन्दरगाह हैं जो भारतीय तटीय व्यापार में एक विशेष स्थान रखते हैं।

<sup>\*</sup>See Economic Reconstruction of India, p. 364.

भारत का विदेशी व्यापार ( Foreign Trade of India ) - भारत का विदेशी व्यापार प्राचीनकाल से ही होता आया है। इसके व्यापारिक सम्बन्ध न केवल एशिया के देशों में ही थे, परन्तु उस समय की ज्ञातव्य दुनियाँ के सभी देशों में थे जिसमें पूर्व और पश्चिम के सभी उन्नत देश सम्मिलित थे। सन् ३००० ई० पू० में भारत और वेनीसोन में व्यापारिक सम्बन्ध था। सन् ई० १-२००० तक की पुरानी मिथ की कन्नो में जो शब्द हैं वे भारत का बहुत बड़िया मलमल लिपड़े हुये पाये गये हैं। भारतीय लोहे और इस्पात का भी निर्यात फारस, अरब तथा इंग्लैंड का होता था। रोम में भारत के तैयार माल की बहुत खपत थी। १३ वीं शताब्दी के आरम्भ में दक्षिणी भारत से ममालों (इलायची, लौंग, कालीमिर्च, जाबिती) और बपुर का निर्यात पश्चिमी देशों को बड़ी मात्रा में होता था। इससे अतिरिक्त भारत के माली, अनेक प्रकार के वस्त्र, सिंध के बड़िया फलों और गलीचे, हामो-दाँत और उरुवी वनी वस्तुएँ, गेड़े के चमड़े व उसमें विभिन्न वस्तुएँ, जूते, मारियन, कस्तूरी, नील, काना नमक, अनेक प्रकार की औषधियाँ तथा मेवे ईराक, ईरान, मिथ और अरब को भेजे जाते थे। इनके बदले में अरब से छोड़े लोहा सोना, चाँदी लिजूर; मिथ से पत्ते की अंगूठियाँ, हीरा, मूँगे और मिथी, मदिरा तथा ईरान से ऊनी वस्त्र, बँबहा, शुष्क-जल और मिट्टी का तेल आता था।

१६ वीं और १७ वीं शताब्दी में भारत में अरब, कालीकट, मच्छलीपट्टम, सतगाँव, चिडगाँव आदि निर्यात के मुख्य केन्द्र थे। इन स्थानों में लीड, मुल्यान मूँगी वस्त्र, कपास, चावल, शक्कर, नील और काली मिर्च आदि का विदेशों को बड़े रूप में निर्यात होता था। सुग्री कपड पूर्व में हिन्दचीन, थाईलैंड, मलयका जापान, चीनियों, सुमात्रा, जावा आदि को जाते थे। पश्चिम में वे वस्त्र ईरान, अफगानिस्तान, दक्षिणी और पूर्वी अफ्रीका, मिथ तथा पश्चिमी अरब को जाते थे। टैवर्नियर लिखते हैं कि टर्की, पोर्लैंड आदि में दक्षिणी भारत के छपे हुए कपडों की माँग बहुत थी। फरेरीस लिखते हैं कि "सारे ससार का सोना-चाँदी धूम-फिरकर अन्त में भारत में पहुँचता है।" इङ्ग्लैंड की औद्योगिक क्रान्ति एवं भारत में विदेशी राज्य की स्थापना में भारत की सम्पूर्ण परिस्थिति बदल गई। ब्रिटिश सरकार की नीति भारत के बने हुए पक्के माल को न भेजकर कच्चे माल को भेजने की थी। इससे गाय-शी-माय भारत में हाथ से बना हुआ माल, इङ्ग्लैंड आदि देशों के मशीन में बने हुए सरले माल में गमने न टिक सका। स्वयं नहर के खुल जाने से पारस्वत्य औद्योगिक देशों का पक्का माल भारत में खूब आने लगा तथा यहाँ से कच्चा माल जाने लगा। इस प्रकार सारे सारे भारतीय गृह-उद्योग सब नष्ट हो गये और भारत केवल कच्चा माल निर्यात करने वाला देश ही गया। सन् १६०६ में विद्व-व्यापी मही प्रारम्भ हुआ गई जिसके परिणाम-स्वरूप भारत के हृदि-व्यापी के भाव गिरे और भारत के विदेशी व्यापार को धनि पहुँची। विश्वव्यापी मही का प्रभाव १६३२-३३ तक रहा। सन् १६३३-३४ में हमारे व्यापार में कुछ प्रगति हुई। निर्यात १३६००७ करोड़ में १४००२३ करोड़ रुपये को पहुँच गया और आयात में १७ करोड़ रुपये की कमी हो गई। सन् १६३६ में द्वितीय महायुद्ध के प्रारम्भ हो जाने से भारतीय कच्चे माल की विदेशों में माँग बड़ी जिनसे परिणाम स्वरूप हमारा निर्यात बढ गया। अर्थात् सन् १६३८-३९ में केवल १६३ करोड़

\*All the silver and gold which circulates throughout the world at last centres here (in India) " —Europe Bleedeth to enrich Asia

रुपये का माल निर्यात किया गया वहीं सन् १९३९-४० में २०४ करोड़ रुपये का माल निर्यात हुआ। इसी प्रकार जहाँ सन् १९३८-३९ में १५२ करोड़ रुपये के माल का आयात हुआ वहीं १९३९-४० में यह मात्रा १६५ करोड़ रुपये तक पहुँच गई। सन् १९४४-४५ में आयात २०४ करोड़ रुपये का, निर्यात २१० करोड़ रुपये का तथा कुल विदेशी व्यापार ४१४ करोड़ रुपये का हुआ। सन् १९४७ में देश-विभाजन के कारण विदेशी व्यापार के रूप में परिवर्तन हुआ अर्थात् जूट और बड़िया कपास के लिये भारत पाकिस्तान पर निर्भर हो गया। सन् १९५८-५९ में हमारा कुल विदेशी व्यापार १४३६ करोड़ रुपये का था जिसमें आयात लगभग ८५६ करोड़ रु० और निर्यात १६० करोड़ रु० का था।

**भारतीय विदेशी व्यापार की विशेषताएँ (Characteristics of Foreign Trade of India)**—भारतवर्ष के विदेशी व्यापार की विशेषताएँ पा दक्षण निम्नलिखित हैं :—

१. भारत का वर्तमान निर्यात कच्चे और पक्के दोनों प्रकार के माल का होता है। टिश्यू महापुङ्ख के पूर्व भारत केवल कच्चा माल ही विदेशों को भेजता था; परन्तु साम्राज्य देश की औद्योगिक उन्नति के कारण पक्के माल का निर्यात भी काफी बढ़ गया है।

२. भारत का आयात अब कच्चे और पक्के माल के रूप में होता है। कृषि और उद्योगों के विकासार्थ आजकल कच्चा और पक्का दोनों प्रकार का माल आयात किया जाता है। गत युद्ध के पूर्व अधिकतर पक्का माल ही आयात किया जाता था। देश के औद्योगिकरण तथा देश विज्ञान के फलस्वरूप यह परिवर्तन हो गया है।

३. अधिकांश भारत का विदेशी व्यापार समुद्री-मार्ग द्वारा ही होता है—भारतवर्ष का विदेशी व्यापार समुद्री-मार्ग द्वारा व्यापार की तुलना में बहुत ही कम होता है। स्थली सीमा पर स्थित देश जैसे ब्रह्मा, अफगानिस्तान, तिब्बत आदि निर्धन और पिछड़े हुए हैं, अतः उनसे हमारा व्यापार बहुत ही कम होता है। हमारा विदेशी व्यापार अधिकतर समुद्री मार्ग द्वारा पूर्व और पश्चिम के प्रगतिशील देशों से है।

४. खाद्य-पदार्थों का आयात पहले की अपेक्षा पर्याप्त मात्रा में बढ़ गया है। पहले भारत चावल और गेहूँ निर्यात करता था परन्तु अब चावल और गेहूँ बाहर से भेजना पड़े हैं। अन्त की कमी के कारण विदेशों को हमें धान भी पूरे देने पड़ते हैं।

५. भारतीय विदेशी व्यापार अधिकतर विदेशों के हाथों में है। भारतीय आयात और निर्यात में सलग्न अधिकांश कम्पनियाँ विदेशी हैं। जहाजी और बीमा कम्पनियाँ तथा विनिमय बैंक भी विदेशी हैं। अतः भारत के विदेशी व्यापार से होने वाला अधिकांश लाभ भी उन्हीं की प्राप्त होता है। अब भारत सरकार इस व्यापार को भारतीयकरण करने के साधनों को जुटाने के लिए प्रयत्नशील है।

६. साधारणतया भारत का निर्यात आयात से अधिक होता है—सन् १९४५-४६ तक हमारा आयात, मूल्य की दृष्टि से, निर्यात की अपेक्षा अधिक ही रहा है। अन्य शब्दों में, व्यापार का अन्तर (Balance of Trade) हमारे अनुकूल

(Favourable) ही रहा है। परन्तु खाद्य पदार्थों के भारी आयात आदि कारणों से मूल्य प्रतिफल ( Unfavourable ) हो गया है। हमारा पौंड-पापना (Sterling Balances) का बहुत-सा ऋण जो इंग्लैंड को हमें देना था, आज प्रतिवृत्त व्यापार अन्तर के कारण ही समाप्त हो रहा है।

७. भारत का समुद्र-मार्गी विदेशी व्यापार अधिकतर भारत के कुछ ही बन्दरगाहों द्वारा होता है। भारत का समुद्री-मार्ग द्वारा होने वाला ६० प्रतिशत व्यापार बम्बई, कलकत्ता और मद्रास बन्दरगाहों द्वारा ही होता है।

८. अन्य देशों की अपेक्षा भारतवर्ष का विदेशी व्यापार युनाइटेड किंगडम से अधिक होता है। आज-भी आयात और निर्यात दोनों में ही युनाइटेड किंगडम का स्थान प्रथम प्रांता है। इसका हमारे कुल विदेशी व्यापार में लगभग २७% भाग है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व यह लगभग ३०% था। हमारे विदेशी व्यापार का १६% भाग अमेरिका से होता है।

९. भारतवर्ष श्रुती देश से साहूकार देश बन गया है। गत युद्ध काल में इंग्लैंड को भारत ने बरोहान्पये का सामान दिया जिसका मूल्य इंग्लैंड की सरकार नहीं दे सकी और वे पीट पावने के रूप में इकट्ठे हो गये। इस प्रकार भारत एक ऋणी देश में साहूकार-देश हो गया।

१०. निर्यात पर वर्षों और जलवायु का प्रभाव कम हो गया है। पहले भारत का निर्यात कृषि-सम्बन्धी वस्तुओं का था, परन्तु अब तैयार मान का भी है। अन्तु निर्यात पर वर्षों और जलवायु का पहले जितना प्रभाव नहीं रहा।

११. भारत का विदेशी व्यापार कामनवेल्थ के बाहर के देशों के साथ बढ़ रहा है। भारत का आयात निर्यात कामनवेल्थ के बाहर के देशों के साथ बढ़ रहा है और इंग्लैंड, जापान और जर्मनी आदि देशों के साथ घट रहा है।

१२. हमारे निर्यात की वस्तुओं की सूची में शोडी-सी वस्तुएँ हैं, जैसे जूट का सामान, कपास, चाय, चमड़ा, धातु और खनिज पदार्थ, परन्तु आयात की सूची में बहुत वस्तुयेँ हैं।

१३. भारतवर्ष का प्रति व्यक्ति पीछे विदेशी व्यापार इंग्लैंड, अमेरिका आदि अन्य देशों की अपेक्षा कम है। भारतवर्ष आर्थिक दृष्टि से पश्चिम सम्पन्न नहीं होने के कारण यहाँ के प्रति व्यक्ति का विदेशी व्यापार अन्य देशों की तुलना में कम है।

१४. हमारे निर्यात की मुख्य वस्तुयेँ—जूट का तैयार मान, चाय और सूती कपड़ा तथा आयात की मुख्य वस्तुयेँ—मशीन, घनाज, रुई, जूट का कच्चा मान, तेल आदि हैं।

१५. हमारे देश में उपभोग की वस्तुओं के आयात का स्थान औद्योगीकरण की वस्तुएँ ले रही हैं। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व हम केवल अपने उपभोग की वस्तुएँ का ही आयात करते थे, किन्तु अब देश के औद्योगीकरण के फलस्वरूप मशीनें, औजार, रसायन, कच्चा मान आदि भी मँगवाने हैं।

भारतीय विदेशी व्यापार की बन्तुये ( बनावट ) (Composition of Foreign Trade of India) - हमारे निर्यात आयात की मुख्य बन्तुयें निम्न-निम्न हैं :-

भारतीय विदेशी व्यापार १९५५-५६  
(समुद्री, स्थली व वायु-मार्गों द्वारा) (करोड़ रुपये में)

निर्यात (Exports)		आयात (Imports)	
जूट की बनी वस्तुयें	११८.४	साठान्न दान व आटा	१७.५
चाय	१०६.२	खनिज तेल आदि	६०.२
		कपाम और रई रुई	५७.०
		जूट-कच्चा	१६.३
लोहा व इस्पात		सामान्य पदार्थ	
तथा अन्य वस्तुयें	२१.६	व सीपवियाँ	३३.०
वनस्पतिजन्य तेल	३६.३	विजनी का सामान तथा मन्त्र	१५.५
कपाम और रई रुई	३६.४	मशीनरी (नोटोमोटिव सहित)	१००.२
समायी हुई सारों व चमड़ा	३०.५	लोहा व इस्पात का सामान	६६.५
मृत् तथा मृत्ती बन्ध	६६.५	मोटर गाड़ियाँ	५६.०
अन्य वस्तुयें	१७५.३	अन्य वस्तुयें	२२४.३
योग .....	५६७.०	योग .....	६६८.०

भारत के निर्यात की मुख्य वस्तुयें

(१) जूट का माल (Jute Goods) - भारतवर्ष के निर्यात में जूट का प्रथम स्थान है। देश विभाजन के पूर्व जूट के पक्षे मान के आध-आध जूट का कच्चा माल भी निर्यात किया जाता था। कच्चे जूट पर भारत का एजायिडार था, बंगाल संसार का ६७% जूट प्रचण्ड भारत में पैदा होता था। हमारे कच्चे जूट के मुख्य बाह्य ब्रिटेन (स्काटलैंड की डडी मिल), संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, बाजीन, अर्जेन्टाइना, इटली, वेल्डियम, जर्मनी और स्पेन थे। देश-विभाजन के परिणाम स्वरूप भारत के सारे जूट-उत्पादन-क्षेत्र पाकिस्तान में चले गये। इसके कारण भारत स्वयं कच्चे माल के निर्यात पाकिस्तान पर निर्भर हो गया। अब निर्यात को बन्नी हुई माल की पूरा करने के लिए कई राज्यों में जूट की उपज बढ़ाई जा रही है।

भारत में कुल ११२ जूट की मिलें हैं जिनमें से ६७% बनकटा और गेप मदान, उत्तर प्रदेश आदि में हैं। इन मिलों में जूट के बारे (Gunny Bags), टाट (Hessian), मोटे काकोन और फर्सिया, गन्ने के तथा रन्ने (Cordage) और तिरपान (Turpuline) आदि बनाये जाते हैं। इन मिलों में १६५५-५६ में १०,२७,२०० टन सामान तैयार किया गया जो सारा-सामान्य विदेशों को भेजा दिया गया तथा कुछ पहले स्थान में से भी भेजा गया। भारतीय जूट के सामान के मुख्य खरीदार संयुक्त राज्य अमेरिका (५६%), इङ्ग्लैंड (१८%), अर्जेन्टाइना (१८%) तथा आस्ट्रेलिया (१८%) हैं। भारत से टाट और सारे मिथ्र, दक्षिणी अमेरिका (बाजीन और अर्जेन्टाइना), दक्षिणी और पश्चिमी अफ्रीका, जावा, बनावट, क्यूबा, आस्ट्रेलिया, फ्रान्स, इटली तथा जपान का जाते हैं। जूट के फर्स तथा कुछ छोटे तुर्कमान को भी जाते हैं।

वर्तमान समय में जूट के निर्यात पर कई बाधाएँ प्रतिकूल प्रभाव डाल रही हैं। जैसे अमेरिका में नेट्रो भरने के नये वैज्ञानिक ढंग निकाल लिये गये हैं जिनसे वहाँ का भारत के बोरा की माँग कम हो गई है। इसके अतिरिक्त, कई देशों में जूट की स्थानापन्न वस्तुओं में काम चलाया जाता है। उदाहरण के लिए, न्यूजीलैंड में लिनेक्स (Lenax) नामक रेशे के बोरा में ऊन भरा जाता है। इस और अजल्टाइन्स में घाली के रेशे बोरे बनाने में प्रयुक्त किये जाते हैं। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और आस्ट्रेलिया में कागज और कपड़े के बोरे काम में लिये जाते लगे हैं। पूर्वी अफ्रीका में Sisal, मैक्सिको में Herequin, कोलम्बिया में Figue, जापान में चैरोपा (Caroa), स्पेन में एस्पार्तो घास (Esparto Grass) इटली में जूलीटल (Julital) और जावा में रोसेला (Rosella) नामक विभिन्न प्रकार के रेशेदार पदार्थों में बोरे बनाये जाते हैं। परन्तु अभी भारतीय जूट के समान कोई भी पदार्थ लाभदायक सिद्ध नहीं हुआ है।

(१) चाय (Tea)—हमारे देश की निर्यात-सूची में चाय का दूसरा स्थान है। चीन के सिवाय भारत चाय संसार में सबसे अधिक पैदा करता है। भारत में चाय की उत्पाति का ५५% आसाम में, २३% पश्चिमी बंगाल में, १७% दक्षिणी भारत में और ३०% उत्तर प्रदेश, बिहार व पूर्वी पंजाब में होता है। भारतवर्ष गर्म देश होने के कारण यहाँ चाय की खपत कम होती है। इसलिए भारतीय चाय की कुल उपज का तीन-चौथाई भाग विदेशों की निर्यात कर दिया जाता है। भारत की चाय का निर्यात ७०% इंग्लैंड को, १२% संयुक्त राज्य अमेरिका को, ७% कनाडा को, ५% आस्ट्रेलिया और ४% मध्य पूर्व के देशों को होता है। रूस, ईरान, अरब आदि भारत की चाय के अन्य ग्राहक हैं। ७५% चाय कलकत्ता बन्दरगाह में और २५% चाय मद्रास बन्दरगाह से निर्यात की जाती है। सन् १९५८ में १३६.५ करोड़ रुपये की चाय का निर्यात किया गया।

(२) सूत और सूती वस्त्र (Yarn & Cotton Goods)—भारत में सूती कपड़ों की मिलें मुख्यतः बम्बई, मद्रास, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मध्य प्रदेश तथा मध्य भारत में हैं। बम्बई व गुजरात राज्य बम्बई और अहमदाबाद नगरों की मिला में सारे देश के उत्पादन का ३ सूत और ३ कपड़ा उत्पादन करते हैं। भारतीय मिला का सूत मोटा होता है। इनमें अधिकांश सूत ३० नम्बर से कम का होता है। ४० नम्बर से ऊपर का सूत तो बहुत कम बनाया जाता है, क्योंकि भारत में उत्तम और लम्बे रेशे वाली रई का उपयोग कम किया जाता है तथा जरूरी भी मुख्य है। यद्यपि अच्छे कपड़ों के लिए भारत अब भी विदेशों पर निर्भर है। परन्तु फिर भी देश में तैयार किया हुआ कपड़ा हिन्द महासागर के किनारे वाले देशों—ईरान, ईराक, अरब, पूर्वी अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका, मिथ, मूवान, टर्की, चीन, स्ट्रेट्स सेंटमेट, हिन्द-एशिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, लना आदि देशों को निर्यात किया जाता है। द्वितीय महायुद्ध-काल में जब इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और जापान से इन देशों को कपड़ा मिलना अशक्य हो गया था तभी से भारत ने इन देशों की कपड़ों की पूर्ति करना आरम्भ की। इस प्रकार सन् १९३८-३९ में जहाँ २४ करोड़ रुपये के मूल्य का सूती कपड़ा विदेशों को निर्यात किया गया वहीं सन् १९४९-५० में १८ करोड़ और सन् १९५०-५१ में ११ करोड़ रुपये का कपड़ा निर्यात हुआ। सन् १९५८ में लगभग ४६.४६ करोड़ रुपये का सूती कपड़ा निर्यात किया गया।



(४) रुई—कच्ची और रूई ( Raw & Waste Cotton )—भारत में मुख्यतया दो प्रकार की कपास उत्पन्न की जाती है—लम्बे रेंगे वाली (Long-staple cotton) जो गुजरात, काठियावाड़ के कुछ भाग, दक्षिणी बम्बई और मद्रास के कुछ भागों में उत्पन्न की जाती है; छोटे रेंगे वाली ( Short-staple cotton ) जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बरार, मध्य भारत और राजस्थान में पैदा की जाती है। सारे भारत में २३% लम्बे रेंगे वाली, १०% मध्यम रेंगे वाली और १७% छोटे रेंगे वाली रुई पैदा की जाती है। तृतीय महायुद्ध के पूर्व भारतवर्ष से २४ करोड़ रुपये की रुई जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली और बेल्जियम आदि देशों को निर्यात की जाती थी। परन्तु युद्ध काल से निर्यात की जाने वाली मात्रा में बहुत कमी हो गई है, क्योंकि देश में ही सूती कपड़ा के कारखानों की वृद्धि हो जाने से कपास की खपत उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही है। सन् १९४७ में देश विभाजन के परिणाम-स्वरूप लम्बी रेंगे वाली कपास के प्रमुख उत्पादन-क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने से भारतवर्ष की उत्तम श्रेणी की कपास विनोदतः मिथ, सूडान, वेनिया, संयुक्त राज्य अमेरिका और पाकिस्तान से आयात करनी पड़ती है। थोड़े-बहुत मोटे रेंगे वाली कपास का निर्यात इंग्लैंड, अमेरिका, इटली और जापान को होगा है। सन् १९५८ में २१.२ करोड़ रुपये की रुई—कच्ची और रूई निर्यात की गई।

(५) तेल और तिलहन ( Oil & Oilseeds )—तेल-बीज पैदा करने वाले देशों में भारत का प्रमुख स्थान है। भारत में केवल सोयाफली, जैतून और ताड़ के सिवाय सभी प्रकार के तेल बीज पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न किये जाते हैं। भारत में तिलहन की उत्पत्ति के मुख्य क्षेत्र में हैं—मलसी मध्य प्रदेश में; मूंगफली मद्रास, बम्बई और हैदराबाद। राई उत्तर प्रदेश और पूर्वी पंजाब में; तथा तिल राजस्थान और मारे दक्षिणी भारत में। पहले तेल बीजों का निर्यात अधिक मात्रा में किया जाता था परन्तु अब देश में ही तेल निकालने के कारण केवल खली ही अधिक मात्रा में निर्यात की जाने लगी है। सन् १९५६ में १७.५ करोड़ रुपये का तेल एवं तिलहन निर्यात किये गये थे। भारत से मूंगफली का निर्यात फ्रांस, बेल्जियम, आस्ट्रिया, फ्रांस, हंगरी, जर्मनी, इटली और इंग्लैंड को होता है। मलसी इटली, फ्रांस, हॉलैंड, बेल्जियम और इंग्लैंड को भेजी जाती है। भारत से तिल का तेल इंग्लैंड, मारीशस, अरब, लका, फ्रांस मिथ, जर्मनी, बेल्जियम और इटली को भेजा जाता है। रेडी और रेडी का तेल फ्रांस संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, जर्मनी, स्पेन, कनाडा और बेल्जियम को निर्यात किया जाता है।

(६) चमड़ा—कच्चा और कमाया हुआ ( Hide & Skins—Raw and Tanned )—द्वितीय महायुद्ध के पूर्व भारत से पर्याप्त मात्रा में कच्चा चमड़ा विदेशों को निर्यात किया जाता था परन्तु युद्ध-काल में जहाज आदि के उपलब्ध न होने की कठिनाई के कारण यह मात्रा कम हो गई। इसके प्रतिरिक्त, भारत में ही चमड़ा कमाने के कारखानों की स्थापना हो चुकी है, इसलिए कमाया हुआ चमड़ा ही अधिक मात्रा में निर्यात किया जाने लगा है। भारत के बगड़े की अधिक मांग इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस में है। सन् १९५८ में कमाया हुआ चमड़ा लगभग १८.६३ करोड़ रुपये का और कच्चा चमड़ा लगभग ७.१७ करोड़ रुपये का निर्यात किया गया था।

(७) तम्बाकू (Tobacco)—संसार में तम्बाकू पैदा करने वाले देशों में भारत का दूसरा स्थान है। भारतवर्ष में तम्बाकू मुख्यतः बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी बंगाल, मद्रास, मंगूर और बम्बई राज्यों में उत्पन्न की जाती है। तम्बाकू की उपज का भारत में ५० प्रतिशत छोटी मूँघनी सिगरेट तथा चुरट के रूप में उपज जाता है। सेप तम्बाकू बलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई बन्दरगाहों में इङ्ग्लैंड, अदन, जापान, वेल्जियम और नीदरलैंड का निर्यात की जाती है। सन् १९५८ में भारत से लगभग १४७ करोड़ रुपये की तम्बाकू निर्यात की गई थी।

(८) खनिज पदार्थ (Minerals)—संसार में सबसे अधिक अभ्र (Mica) भारत में होता है। सार संसार का प्राया अभ्रक यहीं पर निकलता है। इसी प्रकार मैंगनीज का लोहा और इस्पात बनाने के काम में आना है, यहाँ पर अधिक पाया जाता है। इसमें रुम के बाद भारत का दूसरा स्थान है। अधिकांश अभ्रक और मैंगनीज दूसरे देशों का निर्यात किया जाता है जिनमें अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, जर्मनी और जापान मुख्य हैं। इसके अतिरिक्त, चूना, लोहा तथा अन्य औद्योगिक धातुएँ भारत से विदेशों को निर्यात की जाती हैं।

निर्यात की अन्य वस्तुएँ—इन्के अतिरिक्त, भारत में लाख, तरकारी व मछली ऊन तथा ऊनी माल, रबड़ का सामान, गेहूँ, लाख, कच्चा, मसाले, डाक्टर आदि निर्यात की कुछ अन्य वस्तुएँ हैं।

भारत सरकार की निर्यात-सम्बन्धी नीति—(Export Policy of the Government of India)—भारत सरकार निर्यात में वृद्धि के लिए चिन्तित थी। अतः उसने सन् १९४६ में 'गोर्वाला निर्यात प्रोत्साहन समिति (Gorwala Export Promotion Committee) की नियुक्ति की और उसकी सिफारिशों का कार्यान्वित किया गया। सरकार ने निर्यात नियन्त्रण-नीति के विषय में सम्मति देने के लिये एक 'परामर्शदात्री परिषद्' (Advisory Council) की भी स्थापना की। प्रत्येक ६ मास बाद निर्यात नीति का विचार-लोकन किया जाता है और प्रचलित अवस्थाओं एवं वस्तुओं के अनुसार वस्तुओं के निर्यात पर रोक लगाई जाती है या प्रोत्साहन दिया जाता है। सरकार दुर्लभ करेंसी क्षेत्र (Hard Currency Area) को अधिकतम मात्र निर्यात करने का प्रयत्न कर रही है ताकि देश के लिये आवश्यक वस्तुओं का आयात सुविधापूर्वक हो सके। अदला दबली के आधार पर सरकार द्वारा समय-समय पर व्यापारिक समझौते भी किये जाते हैं।

### भारत के आयात की मुख्य वस्तुएँ

(१) खाद्यान्न (Food grains)—द्वितीय महायुद्ध में पूर्व भारत विदेशों को खाद्यान्न का निर्यात करता था और ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान तथा ईरान, अफ्रीका आदि खाद्यान्न के प्राक्क के परन्तु द्वितीय महायुद्ध-काल में और उसके पश्चात् अब तक भारतवर्ष विदेशों में खाद्यान्न भंडाला रहा है। देश विभाजन के पश्चात् ही भारत का खाद्यान्न अधिक मात्रा में माँगना आवश्यक हो गया है। सन् १९५१-५२ में ४७६ लाख टन खाद्यान्न (लगभग २३० करोड़ रुपये का) आयात किया गया। देश में खाद्य-पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि करने की कठिनायनाएँ घटाई गईं और इसी परिणाम-स्वरूप सन् १९५२-५३ में १५६ करोड़ रुपये का ही आयात तथा आठों आयात किया गया। प्राया है कि भविष्य में इसमें भी कम आयात करना पड़ेगा।

साखान्न का आयात अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, जर्मा, सज्जेन्टाइना आदि देशों से किया जाता है। सन् १९४८ में १०३३ करोड़ ₹० का साखान्न ही आयात किया गया।

(२) मशीनें ( Machinery )—भारत को औद्योगिक देश होने का कारण मशीनों, कल-सुर्जों आदि के लिए विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। देश के औद्योगिककरण के फलस्वरूप अधिक मात्रा में मशीनों का आयात करना आवश्यक है, परन्तु वर्धापान के कारण और मशीनों के दाम बहुत ऊँचे होने के कारण वर्धापन मात्रा में आयात नहीं किया जा सकता है। मशीनों का आयात मुख्यतः अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, जापान आदि देशों से होता है। आर्सेन्-अधिक टैंकर नगुक्त राज्य अमेरिका से आते हैं। सन् १९४७-४८ में ५.९ करोड़ रुपए की मशीनों का आयात किया गया। तब से मशीनों के आयात में निरन्तर वृद्धि हो रही है और सन् १९४१-४२ में १०४ करोड़ रुपयों की मशीनों का आयात किया गया। परन्तु सन् १९४०-४३ में इनका आयात ८९ करोड़ रुपयों का ही किया जा सका। सन् १९४८ में १४० करोड़ ₹० की मशीनों का आयात किया गया।

(३) रूई (Cotton)—देश विभाजन के परिणाम-स्वरूप भारत के रूई पैदा करने वाले कुछ क्षेत्र पाकिस्तान को चले गये तथा भारत में लम्बे रेंगे की रूई का भी काफी अभाव है। इसलिए भारत का विदेशों से रूई आयात पड़ती है। रूई विशेषतः मिस्र, केनिया, सूडान, पाकिस्तान, और संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात की जाती है। सन् १९४२-४३ में लगभग ७६३ करोड़ रुपयों की रूई आयात की गई और सन् १९४६ में ४३६ करोड़ ₹० की रूई आयात की गई।

सूती कपड़े—ब्रिटेन, जापान, चीन, निडरलैंड, हॉलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मनी से आते हैं किन्तु हमारे मुख्य विक्रेता ब्रिटेन और जापान हैं।

(४) मोटर गाड़ियाँ आदि ( Motor Cars etc )—गल महापुट के पश्चात् आयात सूची में मोटर-गाड़ियों का ऊँचा स्थान है। मोटर गाड़ियाँ, माइक्रो आदि भारत में मुख्यतः ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इटली और जर्मनी से आती हैं। सन् १९४६ में १०४२ करोड़ का आयात हुआ।

(५) पेट्रोल (Petrol)—भारत में परलिज तेल की बहुत कमी है। मिट्टी का तेल तथा पेट्रोल का आयात जर्मा, चीन, बोलिविया, मुसोना, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा ईरान से किया जाता है। सन् १९४८ में १५५८ करोड़ रुपयों के मूल्य का पेट्रोल विदेशों से आयात किया था।

(६) रासायनिक पदार्थ एवं दवाइयाँ (Chemicals and Medicines) ये पदार्थ ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, संयुक्त राज्य अमेरिका आदि से आयात किए जाते हैं। सन् १९४६ में इनका आयात ४१ करोड़ ₹० का हुआ।

(७) लोहा, इस्पात तथा उनकी बनी वस्तुएँ—लोहा, पत्थी लोहा या लालास मुख्यतः ब्रिटेन, अमेरिका, बेल्जियम, फ्रांस और जापान से आता है। सन् १९४८ में लोहा, इस्पात तथा उनकी बनी वस्तुएँ ९७८ करोड़ रुपयों का आयात की गई थी।

(८) कागज ( Paper )—भारत में कागज ब्रिटेन, जापान, अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका और जर्मनी से आयात किया जाता है। सन् १९४८ में ८ करोड़ रुपयों का कागज आयात किया गया।

अन्य आयात की वस्तुएँ—अन्य वस्तुएँ जो भारत में आयात की जाती हैं वे हैं—यत्र-उपकरणों, विज्ञानों का सामान, रंग, मशीनों का तेल, कृत्रिम रेशम, विज्ञान-सामान का सामान, ऊन और ऊनी माल, फल व तरकारियाँ, रबर का सामान, धातुएँ, कटलरी एवं हाथवेयर आदि ।

दृश्य ( Visible ) एवं अदृश्य ( Invisible ) आयात नियति—दृश्य आयात-नियति वे हैं जिनके आँकड़े ( Statistics ) 'आयात-निर्यात कर-विभाग के लेखों ( Customs Returns ) या अन्य प्रकाशित पत्रों में उपलब्ध हैं । परन्तु कुछ ऐसी वस्तुएँ होती हैं जो प्रकाशित लेखों तथा आँकड़ों में सम्मिलित नहीं होती हैं, उनके आयात-निर्यात को अदृश्य आयात-निर्यात कहते हैं । भारत के दृश्य आयात-निर्यात की सूची ऊपर दी जा चुकी है । अब यहाँ भारत के अदृश्य आयात-निर्यात का विवेचन किया जाता है ।

### भारतवर्ष के अदृश्य आयात

#### ( Invisible Imports of India )

१. भारत जब विदेशों से ऋण लेता है, तो वह विदेशी ऋण में उपयोग का अदृश्य आयात करता है ।

२. विदेशों से ऋण लेते समय भारत को प्रतिभूतियाँ ( Securities ) जमा करानी पड़ती हैं जोकि ऋण के भुगतान के समय वापिस हो जाती हैं । तब भारत अदृश्य प्रतिभूतियों का आयात करता है ।

३. भारतीय यात्री जो विदेशों को जाते हैं और वहाँ जो खर्च व्यय करते हैं और उसके बदले में जो सेवाएँ वे प्राप्त करते हैं, वे भारत के अदृश्य आयात में सम्मिलित हैं ।

४. भारतीय विद्यार्थियों के अध्ययन के लिये जो धन भेजा जाता है तथा जिसके बदले में जो सेवाएँ प्राप्त होती हैं, वे भारत का अदृश्य आयात हैं ।

५. विदेशी जहाज़ी, बैंक तथा बीमा कम्पनियाँ जो अपनी सेवाएँ भारत के लिए प्रस्तुत करती हैं, वे भी भारत को अदृश्य आयात हैं ।

६. भारत विदेशी साहस को आयात करता है तथा उसे विदेशी साहसियों को पारितोषिक के रूप में कुछ देना पड़ता है । अतः साहसियों द्वारा प्रस्तुत सेवाओं का अदृश्य आयात होता है ।

७. भारत सरकार को फेरान के रूप में अथवा विदेशों से जो माल ग्रहण किया जाता है, उसके लिये या सोना चाँदी के लिए 'होम चार्ज' देने पड़ते हैं—ये भी अदृश्य आयात होते हैं ।

### भारत के अदृश्य निर्यात

#### ( Invisible Exports of India )

१. जब विदेशी ऋण का भुगतान किया जाता है, तो प्रतिभूतियों का निर्यात करते हैं ।

२. विदेशी भाषियों द्वारा भारत में प्रस्तुत सेवाओं के बदले में व्यव करना भारत का महत्व निर्यात है ।

३. विदेशियों द्वारा भारत में स्थिति मिशन आदि संस्थाओं के सहायताार्थ भेजा गया धन भारत का महत्व निर्यात है ।

भारत के विदेशी व्यापार की दिशा ( Direction of India's Foreign Trade )—व्यापार की दिशा से हमारा अर्थ यह होता है कि भारत का वैश्विक व्यापार किन किन देशों से होता है तथा उन देशों से भारत क्या खरीदता है अथवा बदले में क्या देता है ।

निम्न तालिका में भारत की समुद्र व वायुमार्गीय विदेशी व्यापार की दिशा यनाई गई है :—

सन् १९५८

देश	आयात (लाख रुपये में)	निर्यात (लाख रुपये में)
ब्रिटेन	१६८,५३	१६५,२४
संयुक्त-राज्य अमेरिका	१६१,४६	६२,५६
आस्ट्रेलिया	१५,३२	२१,३७
कनाडा	६८४	१४,५४
फ्रांस	१६,६६	७,०६
इटली	२५,५७	५,५०
जर्मनी (पश्चिम)	६३,६५	१४,७०
नीदरलैंड	६,८२	६,७२
सोवियट रुम	२१,७१	३३,३१
भर्जेटाइना	७	६,२५
बर्मा	४५,५४	७,४८
पाकिस्तान	६,२८	७,१२
संका	१०,४५	१६,७५
जापान	३६,६६	२५,७७
मिथ	६,२४	८,६३

व्यापार का अन्तर या सन्तुलन (Balance of Trade)—विदेशों से आयात किये हुए माल तथा देश से निर्यात किये हुए माल के अन्तर को व्यापार का अन्तर या व्यापार-सन्तुलन कहते हैं । दूसरे शब्दों में, इस आयात और इस निर्यात का अन्तर व्यापार का अन्तर कहलाता है । यदि देश का निर्यात उसके आयात से अधिक है, तो उसे अनुकूल व्यापार का अन्तर (Favourable Balance of Trade)

कहेंगे, और यदि निर्यात से आयात अधिक है, तो उसे प्रतिफल व्यापार का अन्तर ( Unfavourable Balance of Trade ) कहेंगे । द्वितीय महायुद्ध काल से पूर्व भारत का व्यापार का अन्तर सामान्यतया अनुकूल रहता था, परन्तु आरम्भक यह प्रतिबन्ध ही रहता है, क्योंकि भारत को बड़ी मात्रा में खाद्यान्न आयात करना पड़ता है । केवल सन् १९५०-५१ में यह अनुकूल हो गया था । नीचे की तालिका से यह बात स्पष्ट हो जाती है —

(करोड़ रुपया में)

वर्ष	आयात	निर्यात	व्यापार का अन्तर
१९४९-५०	४९४*३२	४८५*३३	- १०८ ९९
१९५०-५१	५६५*४६	५८६*८८	+ २१*४२
१९५१-५२	८६२ ८४	७१५*५६	- १४७*२८
१९५२-५३	६३२*९५	५२६*७८	- १०६*१७
१९५४-५५	६८६ २६	५९३ ५४	- ९२*७२
१९५६-५८	९२७ १९	६३७*४३	- २८९ ७६
१९५८-५९	८५६*१८	५८०*३०	- २७६*८८

**भुगतान का अन्तर ( Balance of Payment )**—हर एक अर्थस्य आयात निर्यात का हिमाय लगाने के परचाव जो व्यापार का अन्तर निकलता है, उसे भुगतान का अन्तर या खाते का अन्तर ( Balance of Accounts ) कहते हैं । यदि देश को भुगतान के समय कुछ मिलता है, तो इसे अनुकूल भुगतान या खाते का अन्तर कर्ण और यदि देश को कुछ देना होता है, तो इसे प्रतिफल भुगतान या खाते का अन्तर कहेंगे । इस प्रतिफल भुगतान या खाते के अन्तर को ऋणदाता का अन्तर ( Balance of Indebtedness ) भी कहते हैं, क्योंकि देश में जो विदेशों में उधार माल खरीदा उगका अब मूल्य चुकाना है ।

**खाते के अन्तर का निपटारा**—यदि खाते का अन्तर किसी देश के अनुकूल होता है, तो वह सोना भेजा कर या ऋण देकर निपटारा या भुगतान कर लेता है । इसने बिपरीत, यदि खाते का अन्तर प्रतिफल हुआ, तो सोने या निर्यात करने या विदेशों से ऋण लेकर उतना निपटारा या भुगतान कर दिया जाना है ।

**व्यापारिक समझौते**—अप्रैल १९५७ के बाद से अब तक १२ देशों के साथ हुए व्यापारिक समझौते को नवीकृत किया गया और अफगानिस्तान, चेकोस्लोवाकिया, जापान, युनान तथा श्री लंका के साथ नये समझौते पर हस्ताक्षर किये गये । इथापिया, जापान तथा युनान के साथ व्यापारिक समझौते पहली बार हुए । भारत तथा २६ देशों के बीच व्यापारिक समझौते पहले से ही हो रहे हैं ।

**सरकार की व्यापार नीति**—निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने के हेतु सरकार विभिन्न वस्तुओं के लिये न निर्यात प्रोत्साहन परिषद् स्थापित कर चुकी है । 'मृत्ती वस्त्र प्रोत्साहन परिषद्' की ओर से एक प्रतिनिधि मण्डल विभिन्न सम्बन्धी परिस्थि-

तिरों के अध्ययन के लिये विदेश की यात्रा पर गया। इस परिपद ने मूली वस्त्र के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका तथा दक्षिण-पूर्व एशिया में अपनी शाखाएँ भी खोल दी हैं। भारत अन्तर्राष्ट्रीय मेला में भी भाग लेता आ रहा है।

**राज्य व्यापार निगम (State Trading Corporation)**—मई १९५६ में १ कराह रुपये की अधिकृत पूँजी से एक सरकारी संगठन के रूप में राज्य व्यापार निगम की स्थापना हुई। इसका उद्देश्य, विदेश के साथ होने वाले भारत के व्यापार की कमियों को पूरा करके व्यापार को समर्थन करना है। स्थापित होने के बाद से ही यह निगम नियमित प्रथम-व्यवस्था वाले देशों के साथ भारत के निर्यात व्यापार में विस्तार करने का प्रयास कर रहा है जिससे भारत के पीछे-पछाड़े पर कुछ भी प्रभाव डाले बिना इन देशों से इस्पात, सीमेंट तथा औद्योगिक उपकरण आदि प्राप्त किये जा सकें। मोमट, सीडाभस्म, कार्बोनाइड सोडा, कच्चा रेशम, उर्वरक तथा जिप्सम जैसी वस्तुएँ सस्ते मूल्य पर पहले से ही आयात चुका है। निगम में जिन वस्तुओं के निर्यात के सम्बन्ध में व्यवस्था की है, उनमें कच्चे तिनज पदार्थ, जूने तथा दस्तकारों की वस्तुएँ आदि हैं।

**योजना और विदेशी व्यापार**—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निर्यात बढ़ाने पर बल दिया गया है और सन् १९६०-६१ तक इसके लिये निम्न लक्ष्य निर्धारित किये हैं :—

जूट का सामान ६ लाख टन, ग्नील २ में ३ लाख टन, मैगनीज १ लाख टन, नमक ३ लाख टन, वनस्पति २० में २५ हजार टन, स्टाच १० हजार टन, कोक ३० हजार टन, टिटेनियम एक हजार में बारह सौ टन, मूली कपड़ा एक हजार से ग्यारह सौ मिलियन गज, रेशम १० मिलियन गज, बाइमिकल डेड मास और इजोनियरिंग का सामान ३ में ५ करोड़ २० के मूल्य का।

**विदेशी व्यापार से लाभ (Advantages of Foreign Trade)**—

- (१) विदेशी व्यापार से प्रत्येक देश को वे वस्तुएँ प्राप्त हो जाती हैं जिनका वह स्वयं उत्पादन नहीं कर सकता। यदि विदेशी या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता, तो यूरोप ने समस्त देश चाय बिना तड़पने। यदि बर्मा चावल देना बन्द करदे, तो भारत बिना चावल के रह जाय। (२) विदेशी व्यापार से देश के प्राकृतिक सम्पत्ति एवं शक्तियाँ का सम्यक् विकास और उपयोग सम्भव होता है। (३) विदेशी व्यापार का मुख्य प्रायः अन्तर्राष्ट्रीय धर्म विभाजन है। धर्म विभाजन से जो लाभ होते हैं, वे भी सब उपलब्ध हो जाते हैं। (४) विदेशी व्यापार प्रत्येक देश को अपनी योग्यतानुसार उत्पादन करने का अवसर प्रदान करता है। इसके अन्तर्गत प्रत्येक देश केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करता है जिनके लिये उस देश में सब साधन हैं तथा जो वहाँ कम लागत पर उत्पादन की जा सकती है। (५) विदेशी व्यापार में राष्ट्रीय मूल्य विनियम होता है उससे उनको उपयोगिता का लाभ होता है। (६) विदेशी व्यापार में बड़े परिमाण के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है जिससे कम लागत पर वस्तुओं का उत्पादन सम्भव हो जाता है। इसके परिणाम-स्वरूप उपभोक्ताओं को सम्यक् मूल्य पर वस्तुएँ उपलब्ध होनी हैं। (७) विदेशी व्यापार से लोगों का जीवन-स्तर ऊँचा उठता है, क्योंकि नई-नई वस्तुएँ उपलब्ध करने के लिये मिलती हैं। नई-नई वस्तुओं की माँग बढ़ने में विदेशी व्यापार में वृद्धि होती है। (८) विदेशी व्यापार की उपलब्धि से बाजारों और मंडियों का क्षेत्र विस्तृत हो जाता है जिससे बड़े परिमाण के उत्पादन को प्रोत्साहन मिलता है।

(६) विदेशी व्यापार के कारण किसी वस्तु की न्यूनता का शोध अनुभव नहीं होता तथा देश की दुर्भिक्षों से रक्षा भी की जा सकती है। (१०) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन में विविधीकरण को प्रोत्साहन प्रदान करता है। विशेषतः देश कुछ ही वस्तुओं का उत्पादन कर उनको निर्यात करेगा जिसमें उस देश की उत्पादन शक्ति में वृद्धि होगी और वहाँ औद्योगिक उन्नति होगी। (११) विदेशी व्यापार एकाधिकार-उत्पादन पर एक रोक है। इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में स्थिरता रहती है। (१२) विदेशी व्यापार में वृद्धि करने के लिए देश के आन्तरिक भागों में मातायत के साधनों की उन्नति को प्रोत्साहन मिलता है जिनसे देश के आन्तरिक भागों में वस्तुओं के मूल्य में स्थिरता रहती है। (१३) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रत्येक देश एक-दूसरे के सम्पर्क में आ जाता है। अतः परस्पर विश्वास-विनिमय के कारण उनकी आर्थिक, नैतिक एवं सामाजिक उन्नति सम्भव हो जाती है। (१४) विदेशी व्यापार से प्रत्येक देश को लाभ पहुँचता है (यदि वे सब समानता के आधार पर व्यापार करते हैं) और परस्पर प्रेम बढ़ता है। देशों का पारस्परिक प्रेम युद्ध की सम्भावना को प्रभावहीन कर देता है तथा विश्व में शान्ति स्थापित रखने में सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार विदेशी व्यापार अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति का आधार है।

विदेशी व्यापार की बहानियाँ (Disadvantages)—विदेशी व्यापार के अन्तर्गत वाजार बहुत विस्तृत हो जाता है जिससे नभी नभी माँग का नहीं अनुमान नहीं लगता और उत्पादन माँग से अधिक हो जाता है। अत्यधिक उत्पादन में देश और उत्पादक धनों को ही हानि उठानी पड़ती है। (१) विदेशी सामान को देश में बड़ी मात्रा में आयात करने में गृह उद्योग धन्यों की उन्नति में धक्का पहुँचता है। (२) हानिकारक वस्तुओं के आयात में जो दग को हानि पहुँच सकती है उसका अनुमान नहीं भाँति लगाया जा सकता है। (३) उत्पादन अधिक होने रहने में देश के प्राकृतिक साधनों के शोध हो समाप्त हो जाने का भय रहता है, जैसे कोयला, लाहा आदि की खान (४) निर्यात में आयात अधिक होने पर प्रतिवृत्त व्यापार संतुलन हो जाता है जो देश को हानिकारक सिद्ध होता है। (५) विदेशी व्यापार से तब ही लाभ हो सकता है जबकि दोनों व्यापार करने वाले देश समानता के आधार पर व्यापार करते हैं, अन्यथा एक को लाभ और दूसरे को हानि होगी। (६) उन देशों में जो कृषि प्रधान है, विदेशों से खायान अधिक आ जान से उत्पत्ति ग्लाम-विषम पर जो प्रभाव पड़ता है, वह देश के लिये हानिकारक सिद्ध होता है।

## अभ्यासाथ प्रश्न

### एण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषताएँ (Special Features) क्या हैं? भारत के निर्यात तथा आयात की मुख्य वस्तुएँ बतलाइए।
- २—भारत के आयात और निर्यात की मुख्य वस्तुओं का उल्लेख कीजिए। पिछले दस वर्षों में भारत के विदेशी व्यापार में क्या-क्या मुख्य परिवर्तन हुए हैं?
- ३—भारत में आयात और निर्यात का विवरण दीजिए। पिछले कुछ वर्षों में भारत का निर्यात इतना कम क्यों हो गया है?



- ४—भारतीय विदेशी व्यापार के मुख्य आयात और निर्यात पदार्थ क्या हैं ? इनमें प्रत्येक के सापेक्ष का विवेचन कीजिये ।
- ५—भारत के आयात-निर्यात व्यापार की प्रधान विशेषताएँ क्या हैं ? आज़कल विदेशों से खाद्य पदार्थ और वस्त्र मँगाने में भारत को क्या कठिनाइयाँ हैं ?
- ६—व्यापाराधिक्य (Balance of Trade) और ऋणाधिक्य (Balance Indebtedness) में भेद स्पष्ट कीजिए । भारत के निर्यात तथा आयात के प्रमुख मद कौन-से हैं ? (नागपुर १९५८)
- ७—वैदेशिक व्यापार के आर्थिक लाभ स्पष्टतया समझाइए । क्या आपकी राय में किसी देश के लिए वैदेशिक व्यापार हमेशा लाभदायी हुआ करता है ? (नागपुर १९५७)
- ८—'भुगतान का अन्तर' में क्या तात्पर्य है ? स्पष्ट कीजिए । (नागपुर १९४९)
- ९—भारत के विदेशी व्यापार के प्रधान लक्ष्य क्या हैं ? द्वितीय महायुद्ध के बाद इनमें क्या परिवर्तन हुए हैं ? (सागर १९५६, ५१)
- १०—'व्यापार-सन्तुलन' से क्या तात्पर्य है ? क्या विदेशी व्यापार से किसी देश को लाभ होने है ? (सागर १९४९)
- ११—विदेशी आयात किए हुए माल का दाम कोई व्यापारी किस प्रकार भुगत करता है ? (पटना १९५२)
- १२—'व्यापार का अन्तर' और 'भुगतान का अन्तर' में क्या भेद है ? स्पष्ट कीजिये । (पटना १९४९)
- १३—टिप्पणियाँ लिखिए :—
- |                                       |                |
|---------------------------------------|----------------|
| भारत का अन्तर्देशीय व्यापार           | (रा० बो० १९६०) |
| व्यापाराधिक्य                         | (नागपुर १९५७)  |
| ऋणाधिक्य (Balance of Indebtedness)    | (नागपुर १९५६)  |
| अनुकूल और प्रतिकूल व्यापार का सन्तुलन | (सागर १९५७)    |
- १४—भारत के मुख्य आयात और निर्यातों का उल्लेख कीजिए । भारत का भीतरी व्यापार अथवा विदेशी व्यापार अधिक महत्वपूर्ण है ? (दिल्ली हा० से० १९४९)
- १५—भारत के भीतरी व्यापार की व्यवस्था का वर्णन कीजिए । (दिल्ली हा० से० १९४७)

# वितरण (DISTRIBUTION)



“अर्थशास्त्रीय वितरण यह बताता है कि समाज द्वारा  
उत्पादित धन उत्पत्ति के साधनों अथवा साधनों  
के स्वामियों से उन्हीं उत्पादन में सक्रिय भाग  
लिया है, किस प्रकार बाँटा जाता है”

—सर सिडनी चैपमैन

वितरण की समस्या  
( Problem of Distribution )

वितरण शब्द का अर्थ—वितरण शब्द का भिन्न भिन्न प्रयोगों में भिन्न-भिन्न अर्थ होता है। साधारण बोल चाल की भाषा में वितरण शब्द का अर्थ 'बँटन' या 'बँटवारा' में होता है। व्यापारिक भाषा में वितरण शब्द से आशय वस्तुओं के विक्रय से है। धोक तथा फुलकर विज्ञेता, यातायात व सम्वाद के साधन भादि माल के वितरण अर्थात् वस्तुओं को निर्माताओं या उत्पादकों से उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में बड़े सहायक है। इसलिये इन्हे वितरण के साधन (Distributive Agencies) कहते हैं। अर्थशास्त्रीय अर्थ में 'सयुक्त रूप में उत्पन्न धन को उत्पादन करने वाले समस्त साधना में बाँटने की क्रिया को वितरण कहते हैं।'

प्रो० चैपमैन ने लिखा है कि 'वितरण का विषय उत्पादन के साधनों के मध्य उनके द्वारा ही उत्पन्न की गई सम्पत्ति को बाँटना है, क्योंकि इसमें उनका प्रमुख हाथ रहता है।' प्रो० सेलिगमैन के अनुसार "उत्पन्न की हुई सम्पत्ति को उत्पादन के विभिन्न साधना में बाँटने की क्रिया का ही नाम वितरण है।" मत वितरण द्वारा प्राप्त सम्पत्ति प्रत्येक साधन के लिए पारिधनिक (Earnings) है न कि आय (Income)।

वितरण—अर्थशास्त्र के विभाग के रूप में (Distribution—as a department of Economics)—उपभोग, उत्पादन और निविमय की भाँति वितरण भी अर्थशास्त्र का एक विभाग है। 'इसके अन्तर्गत हम उन विद्वान्तों का अध्ययन करते हैं जिनके अनुसार किसी विषय औद्योगिक संगठन की सयुक्त उत्पत्ति उन व्यक्तियों में बाँटी जाती है जो उनके प्राप्त करने में सहायक होते हैं।'

प्राथमिक समय में उत्पत्ति सयुक्त रूप में की जाती है। भूमि, धर्म, पूँजी, संगठन और साहस उत्पादन के पाँच साधन हैं। ये सब मिलकर अपने सयुक्त प्रयत्नों द्वारा धन का उत्पादन करते हैं। उत्पत्ति इन सब की ही सम्पत्ति है, प्रस्तु, इन सब में उत्पत्ति का न्यायपूर्ण बँटवारा ही 'वितरण' कहलाता है।

धर प्रश्न यह प्रस्तुत होता है कि यह वितरण किस प्रकार किया जाय, अर्थात्

1—All wealth that is created in society finds its way to the final disposition of the individual through certain channels or sources of income. This process is called distribution.—Seligman ]

2—Wicksteed *The Commonsense of Political Economy* P. 359

बँधे उत्पात्त के साधनों का पारिश्रमिक निर्धारित किया जाय। इसका सीधा उत्तर यह है कि जिसने जितना काम किया उमकी उसी अनुपात में उत्पात्त का भाग मिलना चाहिये। इस प्रश्न को सरल करना कि किस साधन ने कितना कार्य किया प्रत्यन्त कठिन है। पूँजीपति कहता है कि मैं अधिक महत्व का कार्य किया है, श्रमिक कहता है कि सारा श्रेय मुझको ही है और साहसी कहता है कि यदि मैं साहस न करता, तो उत्पादन होता ही नहीं। इस प्रकार सब ही साधन अपने अपने कार्य को ही महत्व देते हैं। वास्तव में ऐसा जाय तो महत्व तो सब ही का है, आवश्यकता सब ही की है और सबके समुक्त प्रयत्नो से ही उत्पादन होता है। परन्तु प्रश्न यह है कि इनमें से प्रत्येक के महत्व का निर्णय कैसे किया जाय। दूसरे शब्दों में, आधुनिक समय में धन का वितरण किन सिद्धान्तों पर निर्भर है तथा कौन से सिद्धान्त उचित और न्यायपूर्ण हैं आदि वितरण-सम्बन्धी अनेक बातों का अध्ययन अर्थशास्त्र के वितरण विभाग में किया जाता है। अतः वितरण उन सिद्धान्तों का विवेचनात्मक, आलोचनात्मक तथा रचनात्मक अध्ययन है जिनके अनुसार उत्पात्त के विभिन्न साधकों में धन का वितरण किया जाता है।<sup>1</sup>

**वितरण**—एक आर्थिक क्रिया के रूप में (Distribution—as an Economic act)—जब समुक्त प्रयत्न द्वारा उत्पादित धन की उत्पादन में भाग लेने वाले विविध साधकों में किन्नी रीति से अनुसार बाँटा जाता है, तो वितरण एक आर्थिक क्रिया सम्पन्न करते हुए कहा जाता है। इस प्रकार वितरण एक आर्थिक क्रिया भी है।

**वितरण की समस्या का प्रादुर्भाव (Origin of the Problem of Distribution)**—प्राचीन समय में उत्पादन-प्रणाली बहुत ही सरल थी। प्रत्येक व्यक्ति अपने उपभोग की सभी वस्तुएँ स्वयं ही तैयार करता था। उत्पादन कार्य में जिन साधकों की आवश्यकता होती थी वह अपने आप ही जुटाता था। उस समय श्रम का विभाजन बहुत कम हुआ था, इसलिए लोग स्वयं उत्पादन कर स्वयं उसका मूल्य पा जाते थे। गाँव का रहने वाला नमार जूता अपने धाप या अपने बुझुम्व के सदस्य की सहायता से बनाता था और उसे स्वयं बेचकर मूल्य भी अपने पास रखता था। किसी के हाथ बँटवारा नहीं करना पड़ता था। इसलिए वितरण की समस्या का प्रश्न ही नहीं उठता था। परन्तु जैसा जैसा समाज की उत्पत्ति हुई वैसे-वैसे धन विभाजन तथा उत्पादन का परिणाम भी विस्तृत होता गया जिससे उत्पादन-प्रणाली भी जटिल होती गई। औद्योगिक क्रान्ति ने तो हमारी उत्पादन प्रणाली में आधारभूत परिवर्तन कर दिया। अब उत्पादन सामूहिक रूप में, बड़े परिमाण तथा जटिल धन-विभाजन में होने लगा जिसके कारण वितरण की समस्या हमारे सम्मुख उपस्थित हो गई। धान की उत्पादन प्रणाली में जूते का एक जोड़ा एक मनुष्य द्वारा नहीं बनाया जाता है बल्कि उसका उत्पादन में भू-स्वामी, श्रमिक, पूँजीपति, संगठनकर्ता

1—Distribution may, therefore, be described as the descriptive, critical and constructive study of the principles according to which wealth is distributed amongst the different Agents of Production

An Outline of the Principles of Economics—James, Ch XIII.

तथा साहसो सभी मिलकर समुक्त रूप में काम करते हैं। यह स्वाभाविक है कि जो वस्तु कई मनुष्यों के श्रम एवं योग से बनी हो उसके मूल्य का वितरण करना कठिन हो जाता है। इसलिए वर्तमान आर्थिक समार में न्यायोचित वितरण की समस्या हमारे सम्मुख है।

**वितरण में संघर्ष ( Conflict in Distribution )**—प्राधुनिक समुक्त उत्पादन प्रणाली में प्रत्येक उत्पादन साधक अपने कार्य एवं योग को दूमर से अधिक महत्वपूर्ण समझता है। भूमिपतिमा ( Landlords ) का दावा है कि उन्हें उत्पात्ति का बड़ा भाग मिलना चाहिए, क्योंकि वे उत्पादन के लिये प्राकृतिक साधनों को प्रदान करते हैं जिनके बिना उत्पादन सम्भव नहीं है। श्रमिक ( Labourers ) का दावा है कि उन्हें उत्पादन का अधिक से अधिक भाग मिलना चाहिये, क्योंकि वे कच्चे माल को पक्के माल का रूप देते हैं तथा उत्पादन-प्रणाली के चालक हैं। पूँजीपतियों ( Capitalists ) का कहना है कि वे पूँजी देकर बड़ परिमाण के उत्पादन को सम्भव बनाते हैं, अतः वे सबसे बड़े भाग के अधिकारी हैं। प्रबन्धका या संगठनकर्त्ताओं ( Organisers ) के अनुसार उत्पात्ति की कार्यक्षमता उन्हीं के श्रम पर आश्रित है, इसलिये उन्हें उच्चतम पुरस्कार मिलना चाहिये। इसी प्रकार साहसियों ( Enterprisers of Entrepreneurs ) का दावा है कि उत्पादन की सारी जोशिम वे भेजते हैं, अतः उन्हें उत्पादन का बड़ा भाग मिलना चाहिये। इस प्रकार उत्पादन साधकों के स्वार्थों में प्रबल संघर्ष है। इसी कारण वितरण अर्थशास्त्र का सबसे विवाद-प्रस्त विषय बन गया है।

**अर्थशास्त्र में वितरण के अध्ययन का महत्त्व ( Importance of Study of Distribution in Economics )**—वितरण अर्थशास्त्र का एक महत्त्वपूर्ण अङ्ग है। इसका अध्ययन बहुत आवश्यक है और साथ ही-साथ मनोरंजक एवं उचित भी है। हम सब किसी न-किसी रूप में धनारपति में हाथ बटाते हैं। इसलिये हम न इस बात की जानने की उत्कण्ठा होती है कि कुल उत्पात्ति में हमारा भाग कौन निर्धारित होता है।

वितरण प्रणाली का समाज के आर्थिक जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। देश की आर्थिक उन्नति और समृद्धि बहुत अथ तक वितरण पर निर्भर है। जितना न्यायपूर्ण और उचित वितरण का आधार होगा उतना ही अधिक वह समाज सुखी और उन्नति-शील होगा। यदि वितरण प्रणाली दूषित है, तो आर्थिक जीवन या कार्य सुचारु रूप से नहीं चल सकता। परन्तु अस्मयवश आज बहुत से देशों में धन वितरण का ढंग अत्यन्त ही दूषित है जिसके कारण यहाँ की जनता को अनेक जटिल आर्थिक और सामाजिक सव्दा का सामना करना पड़ रहा है। भारतवर्ष में भी धन का वितरण इसी प्रकार दूषित है। यहाँ राष्ट्रीय आय का एक तिहाई भाग से भी अधिक केवल एक प्रतिशत लोगों के पास केन्द्रित है जिसके कारण देश में निर्धनता ने व्यापक रूप धारण कर रखा है। देश की आर्थिक दशा सुधारन के लिये वर्तमान वितरण प्रणाली को बदल कर उस एक नया रूप देना निम्नलिखित आवश्यक है। इसलिये अर्थशास्त्र में वितरण विभाग का अध्ययन बहुत महत्त्व रखता है।

**वितरण की समस्या ( Problem of Distribution )**—वर्तमान समय में वितरण-सम्बन्धी समस्याएँ बहुत गम्भीर एवं जटिल हैं, इसलिये उनका कई भागों में

निभक्त कर उनका अध्ययन करना सुविधाजनक होगा। वितरण की समस्या मुख्यतः निम्नलिखित तीन भागों में बाँटी जा सकती है :—

१. वितरण किस वस्तु का किया जाता है ?
२. वितरण में भाग लेने के कौन अधिकारी होते हैं ?

३. वितरण कैसा होता है और उत्पादन में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पुरस्कार किस प्रकार निर्धारित होता है ?

१. वितरण किस वस्तु का किया जाता है ? (What is to be distributed ?)—सबसे पहले प्रश्न प्रस्तुत होता है कि वितरण किस वस्तु का किया जाता है ? इन प्रश्न का उत्तर एक साधारण व्यक्ति की भाँति यों दिया जा सकता है कि उस सम्पत्ति या धन का वितरण किया जाता है जिसका उत्पादन समुक्त रूप में किया गया है। परन्तु यह उत्तर पूर्णतया ठीक नहीं है, क्योंकि जो सम्पत्ति मितकर उत्पन्न की जाती है वह सारी की सारी उत्पादन के साधकों में वितरित नहीं की जा सकती। इसका कुछ भाग हमें उस पूँजी की क्षतिपूर्ति के लिये रखना पड़ेगा जिसका कि उत्पादन में उपभोग किया गया है। ऐसी पूँजी चल या अस्थिर पूँजी (Circulating Capital) हो सकती है जिसका अस्तित्व एक बार के प्रयोग में ही समाप्त हो जाता है, अथवा अचल या स्थिर पूँजी (Fixed Capital) हो सकती है जिसकी क्षति धीरे धीरे होती है। हमें सरकार एवं म्युनिसिपल आदि प्रद-सरकारी सत्याभोग को कर (Taxes) भी देने पड़ते हैं। इन सबके दान के पश्चात् जो धन शेष बचता है वही उत्पादित क विविध साधनों में वितरित किया जाता है। अधिक स्पष्ट करते हुए यों कहा जा सकता है कि सामूहिक रूप में उत्पादित धन निम्नलिखित ढंग की राशियाँ पटाने के पश्चात् वितरण योग्य होता है —

(अ) चल या अस्थिर पूँजी का प्रतिस्थापन (Replacement of Circulating Capital)—उत्पादन किया न चल पूँजी का उपयोग होता है जिससे उत्पाद अस्तित्व एक बार के प्रयोग में ही समाप्त हो जाता है। अतः उत्पादन जारी रखने के लिए उसका प्रतिस्थापन धर्मात् उसकी पून पूर्ति आवश्यक हो जाती है। उदाहरणार्थ, कपड़ की मिल में रई समाप्त हो जान पर पुन उमका खरीदा जाना प्रावश्यक है अथवा मिला दान्द हो जान की आवश्यकता रहती है। इसी प्रकार पर्नोचर उद्योग में लकड़ी का स्टॉक समाप्त होन ही उमकी पुन पूर्ति आवश्यक हो जाती है। अस्तु उत्पादित धन में चल सम्पत्ति के प्रतिस्थापन के लिए एक पर्याप्त राशि पटा देनी चाहिय, और जो शेष बचे उसी का हम वितरण कर सकते हैं।

(आ) अचल या स्थिर पूँजी की घिसाई तथा प्रतिस्थापन (Depreciation and Replacement of Fixed Assets)—उत्पादन किया में अचल या स्थिर पूँजी का प्रयोग होता है—जैसे मशीन औजार भवन आदि। यह अचल या स्थिर सम्पत्ति चल या अस्थिर पूँजी की भाँति एक बार के प्रयोग में ही समाप्त नहीं हो जाती, बल्कि कई वर्षों तक इसका निरन्तर प्रयोग होता रहना है। क्रमम इसके मूल्य में घटे। इन घटे (Depreciation) को हम जानते हैं और चले में सामूहिक अर्थों के पश्चात् यह बेकार हो जाती है और उमका स्थान में नए मशीन का प्रतिस्थापन आवश्यक हो जाता है। इसलिए समुक्त रूप में उत्पादित धन का वितरण करने के पूर्व उसमें से प्रति वर्ष कुछ राशि निशान कर घिसाई या प्रतिस्थापन को

(Depreciation or Replacement Fund) में जमा कर देना चाहिये जिससे समय पर बेकार या पुरानी ( Obsolete ) मशीन के बदले में नई मशीन के खरीदने के लिये राशि उपलब्ध हो सके । इसे उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझिये : यदि एक मशीन का मूल्य १०,००० रु० है और वह १० वर्ष तक काम दे सकती है तो हमें संयुक्त कमाई में से प्रति वर्ष १००० रु० चिसाई या प्रतिस्वापन फीस में डाल देना चाहिये जिससे १० वर्ष पश्चात् नई मशीन खरीद कर पुरानी या बेकार मशीन के स्थान में प्रतिस्थापित की जा सके ।

(इ) कर ( Taxes )—व्यवसायों को बहुत से कर सरकार की तथा श्रद्ध-हरकारी संस्थाओं को देने पड़ते हैं । इसलिये संयुक्त प्रयत्नों द्वारा उन्नावित धन को वितरण करने के पूर्व 'कर' की राशि को घटा देना चाहिये ।


इतके अतिरिक्त बीमा-व्यय ( Insurance Charges ) आदि भी वितरण के महत् सामूहिक उत्पादित-धन में घटा देना चाहिये ।

कुल उत्पत्ति ( Gross Product ) और वास्तविक उत्पत्ति ( Net Product )—उत्पादन के घापनों द्वारा सामूहिक रूप में उत्पादित समस्त धन को कुल उत्पत्ति ( Gross Product ) कहते हैं । कुल उत्पत्ति में चल या अस्थिर पूँजी की प्रतिस्थापना, अचल या स्थिर पूँजी की चिसाई एवं प्रतिस्थापना और कर आदि निभावने के बाद जो अवशेष रहता है उसे वास्तविक उत्पत्ति ( Net Product ) कहते हैं ।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—मान लीजिये किनी व्यवसाय में किनी, वर्ष की कुल उत्पत्ति ( Gross Product )

१०,००० रु० की हुई । इसमें से २००० रु० चल या स्थिर पूँजी के प्रतिस्थापन के लिये, ५०० रु० अचल या स्थिर पूँजी की चिसाई एवं प्रतिस्थापना के लिये और ५०० रु० कर आदि के लिये विनाश दिये गये, तो उभ वर्ष की वास्तविक उत्पत्ति ( Net Product ) ७००० रु० की हुई ।  $१०,००० रु० - (२००० रु० + ५०० रु० + ५०० रु०) = ७००० रु०$  ।

राष्ट्रीय आय ( National Income ) या राष्ट्रीय ताभाग ( National Dividend )—उपयुक्त उदाहरण में एक व्यक्ति के व्यवसाय की उत्पत्ति बजलाई गई है । इसी प्रकार यदि सारे देश के व्यवसायों की वास्तविक आय निकालकर उनका योग लिया जाय, तो उस योग की समस्त देण की 'वास्तविक आय' कहेंगे । अन्य शब्दों में, यदि हम किसी देश के समस्त उत्पादकों की, किसी दिये हुए समय में, उत्पत्ति की गई वास्तविक उत्पत्ति को जोड़ दें, तो वह जोड़ उभ देश की राष्ट्रीय आय



(National Income) होगी। यह देश के निवासियों में उत्पत्ति के विभिन्न साधकों के रूप में वितरित की जाती है, इसलिए इसे राष्ट्रीय लाभांश (National Dividend) भी कहते हैं।

पीगू की परिभाषा—प्रो० पीगू (Pigou) के अनुसार 'राष्ट्रीय आय से अभिप्राय देश की उच्च आय से है जिसमें विदेशों से प्राप्त होने वाली आय भी सम्मिलित है जोकि मुद्रा द्वारा नापी जा सकती है। प्रो० स्टैम्प ने भी कुछ इसी प्रकार के वाक्य में राष्ट्रीय आय की परिभाषा की है। इस प्रकार की परिभाषा के अंतर्गत केवल उन्हीं वस्तुओं तथा सेवाओं का मूल्य सम्मिलित किया जाता है जिनका मुद्रा द्वारा विनिमय होता है। यदि कुछ सेवाएँ ऐसी हों जिनका मुद्रा द्वारा विनिमय न किया जाता हो, तो इस परिभाषा के अनुसार यह राष्ट्रीय आय में सम्मिलित नहीं की जायेंगी। राष्ट्रीय आय की इस प्रकार से परिभाषा करना कुछ विचित्र सा प्रतीत होता है। इस बात को स्वयं प्रो० पीगू ने भी माना है। उनका कहना है कि यदि एक मनुष्य किसी नीच रानी को अपना भोजन बनाने के लिए रखता है और उसको ५० रु० मासिक वेतन देता है, तो उसका वेतन राष्ट्रीय आय का अंग बन जायगा। परन्तु कुछ समय पश्चात् यदि वह व्यक्ति उच्च गौकरानी से अपना विवाह कर ले और विवाह के पश्चात् भी वह स्त्री उसके लिये बहुत के समान ही काम करती रहे, तो उसकी सेवा राष्ट्रीय आय में सम्मिलित न की जायेगी, क्योंकि उसको अब कुछ देना न पड़ेगा। इस प्रकार यदि सब व्यक्ति अपनी गौकरानियों से विवाह कर लें, तो राष्ट्रीय आय बहुत कम हो जायेगी। देखने में तो यह बात बड़ी विचित्र-न्ती लगती है, परन्तु राष्ट्रीय आय की इसी परिभाषा को सब लोग ने माना है।

माशाल और फिशर की परिभाषाएँ—प्रो० माशाल के वाक्य में, 'किसी देश का धन और पूँजी, उसके प्राकृतिक साधन पर क्रियाशील होकर प्रति वर्ष भौतिक तथा अमौलिक वस्तुओं का, जिनमें सब प्रकार की सेवाएँ सम्मिलित होती हैं, एक निश्चित योग (Net Aggregate) उत्पन्न करते हैं। देश की यही सच्ची वास्तविक आय या राष्ट्रीय लाभांश है। वास्तविक आय मातृम करने के लिए कुल घाय में संधिसावट आदि निकाल देना चाहिए। दूसरी ओर फिशर के अनुसार वास्तविक राष्ट्रीय आय वह म उत्पादित धन का वह भाग है जिसका प्रत्यक्ष रूप में उस वर्ष में उपयोग होता है। उदाहरण द्वारा देना परिभाषाया का अंतर इस प्रकार समझाया जा सकता है मान लीजिए वर्ष भर में एक मशीन तैयार की गई है। माशाल के अनुसार मशीन के कुल मूल्य में स उसको बनाने वाली मशीन की घिसावट भी घटाकर आद्य वस्तु है उसे राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करना चाहिए। परन्तु फिशर के अनुसार राष्ट्रीय आय के अंतर्गत मशीन का मूल्य नहीं बरन् केवल मशीन का वह भाग जिसका वास्तव में उस वर्ष में उपयोग किया जाय उस राष्ट्रीय आय में सम्मिलित करना

1 - 'The labour and capital of a country acting on its natural resources produce annually a certain net aggregate of commodities, material and immaterial, including services of all kinds. This is the true annual income or revenue of the country or national dividend'

Marshall Principles of Economics 1930, P 523



चाहिए। यदि देखा जाय तो विश्व की परिभाषा अधिक तर्क-संगत है परन्तु इसके स्वीकार करने में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसका कारण है कि वर्ष भर में उत्पन्न होने वाली वस्तुया तथा सेवाओं की सूची बनाना तो सरल है, परन्तु वर्ष में उपभोग की गई वस्तुओं की सूची बनाना बड़ा कठिन है। यही कारण है कि मार्शल की परिभाषा में अज्ञानिक दृष्टिकोण में कुछ दोष होने हुए भी प्रा० मार्शल की परिभाषा व्यावहारिक दृष्टि में अधिक उपयुक्त मानी जाती है।

राष्ट्रीय आय को नापने के उद्देश—राष्ट्रीय आय तीन प्रकार में नापा जा सकती है—

(१) उत्पत्ति की गणना (Census of Production)—इसके अनुसार कुल उत्पात्ति का मूल्य जोड़ करके उसमें से घिमावट की राशि घटा दो जाय।

(२) मूल्य व्यक्तियों की आय का योग करना—इसमें सभी व्यक्तियों की आय जोड़ दी जाती है चाहे वह आय-कर (Income-Tax) देने हों या नहीं।

(३) पेशेवर गणना (Occupational Census)—इस उद्देश के अनुसार देश में जितने पेशे हों उनको गणना कर ली जाय जिससे उनमें काम करने वालों की आय का पता चल सके। इन प्रकार के योग से जो गणना आयेशी वह राष्ट्रीय आय के बराबर होगी।

राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने समय आन्तरिक अनुत्पादक ऋण (Internal Unproductive Debt), दान की आय, बुढ़ावस्था की पेंशन तथा धोखेवाजी से प्राप्त की गई आय को नहीं जोड़ना चाहिये। राष्ट्रीय आय या लाभार्थ वह राशि है जो निरन्तर एकत्रित होती रहती है तथा व्यय होती रहती है। अन्य शब्दों में राष्ट्रीय लाभार्थ वहो हुए जलाशय को भण्डि है जो भूमि, श्रम, पूँजी, सगठन और माहम द्वारा निरन्तर भरता रहता है। श्रम गणान, मजदूरी, इयाज, वेतन और लाभ के रूप में निरन्तर खाली होता रहता है तथा इसका एक भाग पूँजी की प्रतिस्थापना, घिमाई और बचा के रूप में निवृत्त जाता है।<sup>१</sup>

इन प्रकार हम देखते हैं कि राष्ट्रीय आय या लाभार्थ उत्पात्ति के माध्यमों की सेवाओं का फल है और साथ ही माय वह इन व्यक्तियों के परिश्रमिक का योग भी है।<sup>२</sup> परन्तु इसका यह प्रर्थ नहीं है कि वर्ष भर राष्ट्रीय आय को जमा किया जाता है और उसमें बाँट उसका वितरण किया जाता है। राष्ट्रीय आय का उत्पादन और उसका वितरण माय-माय चलता रहता है। यह जलपारा के समान है जिसमें एक क्षर में जन भग्ना रहता है और दूसरी ओर से माली होता रहता है।<sup>३</sup> इस निम्नांकित चित्र में और भी स्पष्ट हो जाता है :

१—"National dividend is a stream, out of which all the factors of production are paid "

२—"The national dividend is at once the aggregate net product of, and the sole source of payment for all the agents of production "

३—Crew : *Economics for Commercial Students*, p 81.



## राष्ट्रीय लाभांश का उद्गम तथा वितरण

### ( Origin & Distribution of National Dividend )

२. वितरण में भाग लेने के कौन अधिकारी हैं ? ( Who are entitled to Share ? )—अब हमें प्रश्न यह है कि वितरण में भाग लेने के कौन अधिकारी हैं, अर्थात् राष्ट्रीय आय का वितरण कितने बीच होता है ? इस प्रश्न के उत्तर में सरलेता में यों कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय आय या लाभांश उन्हीं व्यक्तियों के मध्य बाँटा जा सकता है जिनोंने अपने उत्पादन में सहयोग दिया है। पनोत्पादन के प्रत्येक कार्य में भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन और ग्राहक का सहयोग होता है सभी वस्तुओं का उत्पादन हो सकता है और राष्ट्रीय आय या लाभांश प्राप्त हो सकता है। अतः राष्ट्रीय लाभांश इन्हीं पाँचों मादनों के स्वामियों में वितरित किया जाता है। इन मादनों के प्रतिफल को भिन्न भिन्न नामों से पुकारा जाता है। भूमि प्रदान करने वाले के भाग में जो जाता है उसे लगान ( Rent ) कहते हैं। श्रम को रोकाओं के उपलक्ष में जो कुछ दिया जाता है वह मजदूरी या भूमि ( Wages ) कहते हैं। पूंजी के प्रतिफल स्वरूप जो पूंजीपतियों का प्राप्त होता है वह व्याज ( Interest ) कहलाता है। संगठनकर्ता या प्रबन्धक का प्रतिफल वेतन ( Salary ) कहलाता है और साहसो अपनी जोखिम के प्रतिफल स्वरूप लाभ ( Profit ) का अधिकारी होता है।

३. वितरण की रीति ( Method of Distribution )—इसके अन्तर्गत हम दो बातों का विवेचन करते हैं—(अ) वितरण कैसे होता है ? (ब) उत्पादन के प्रत्येक मादनों का भाग कैसे निर्धारित होता है ?

(अ) वितरण कैसे होता है ?—वितरण किस प्रकार किया जाता है, इस विषय पर पुराने और नये भ्रमशास्त्रियों के दृष्टिकोण में बड़ा अन्तर है ? पुराने भ्रमशास्त्री एडम स्मिथ (Adam Smith) ने लिखा है कि "कुल उत्पत्ति देश के विभिन्न वर्गों में स्वाभाविक रूप से वितरित हो जाती है।"<sup>1</sup> जान स्टुअर्ट मिल (John Stuart Mill) ने यह बताया कि "यह उत्पत्ति स्वाभाविक क्रिया के द्वारा अपने प्रायः वितरित हो जाती है।"<sup>2</sup> ये कथन सर्वथा अस्पष्ट हैं और वितरण की वास्तविक कार्य प्रणाली पर कोई प्रकाश नहीं डालते।

प्राधुनिक भ्रमशास्त्रियों का दृष्टिकोण इनके विन्मुख भिन्न है। उनके अनुसार प्राधुनिक पूँजीवादो व्यवस्था में साहसी (Enterpriser) वितरणकर्ता (Distributor) का कार्य करता है। उत्पादन प्रारम्भ करने से पूर्व वह इन बातों का हिसाब लगाता है कि उसकी कितनी उत्पत्ति किस मूल्य पर बिक सकेगी। इसमें उसे कुल उत्पत्ति (Gross Produce) की प्रायः का अनुमान हो जाता है। कुल उत्पत्ति की राशि में से पूँजी के प्रतिस्थापन विगाई और करों की राशि निकास कर वह वास्तविक उत्पत्ति (Net Produce) की प्रायः का अनुमान लगा लेता है। इसके पश्चात् वह उत्पादन के विविध साधनों की शवाया के पुरस्कार को निर्दिष्ट करता है। भूमि के उपयोग के लिए भूस्वामियों से, श्रम के लिए श्रमिकों से, पूँजी के लिए पूँजीपतियों से तथा संगठन के लिए संगठनकर्ता या प्रबन्धक से वान-बोत करना है। वह प्रत्येक उत्पत्ति के साधक का पुरस्कार निश्चय करते समय इस बात का ध्यान रखता है कि उसे जोशिम मेलने के उपलक्ष में पश्चात् पुरस्कार बच रहे। इस अनुमान के आधार पर वह उत्पादन प्रारम्भ करता है। जैसे जैसे माल तैयार होता जाता है वैसे वैसे ही बिकता जाता है। समय समय पर ध्यान, भाड़ा, मजदूरी और वेतन चुकाय जानें। वर्ष के अन्त में वास्तविक उत्पत्ति में से ध्यान, भाड़ा, मजदूरी और वेतन चुकाने के पश्चात् या भाग बचता है वह साहसी का उसने पुरस्कार के उपलक्ष में मिल जाता है। यदि वास्तविक उत्पत्ति की प्रायः इन व्ययों के भुगतान से कम हुई, तो साहसी को हानि उठानी पड़ती है।

(आ) उत्पादन में भाग लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति (साधक) का पुरस्कार किस प्रकार निर्धारित होता है ?—इस प्रश्न पर विचार करते समय हमें उत्पादन के प्रत्येक साधक को एक वस्तु की भांति समझना चाहिए। जिस प्रकार बाजार में किसी वस्तु का मूल्य उसकी माँग और पूर्ति को पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्धारित होता है, ठीक उसी प्रकार उत्पत्ति के प्रत्येक साधक का पुरस्कार भी निर्धारित होता है। साहसी जो वितरणकर्ता होता है साधारण वस्तु के दाय की भांति उत्पत्ति के साधकों को सेवाएँ सरोदता है। वस्तु जिस प्रकार साधारण वस्तु का होता जो अधिकतम मूल्य दे सकता है, वह उस वस्तु का सीमान्त उपयोगिता (Marginal Utility) पर निर्भर होता है और उन्हीं प्रकार साहसी उत्पत्ति के साधक

1—"Total Produce is naturally distributed among the different ranks of people"

2—"This produce distributes itself by spontaneous action"

ये उसकी सेवा का उपयोग प्रयत्न करते समय जो वह उसका अधिकतम मूल्य दे सकता है वह उसकी सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) पर निर्भर होता है। इसलिये उत्पत्ति के मापन की सीमान्त उत्पादकता साहस्री द्वारा दिये जाने वाले मूल्य की अधिकतम सीमा (Maximum Limit) निर्धारित करती है। इसी प्रकार उत्पादन के साधन के स्वामी अपने-अपने साधन द्वारा प्रस्तुत सेवा का वितरण करते हैं और उनकी स्थिति साधारण वस्तु के विक्रेता के समान होती है। अतः उत्पत्ति के साधक जो न्यूनतम मूल्य अपने साधन की सेवा के बदले में ले सकते हैं वह उनकी लागत (Expenses of Production) पर निर्भर होता है। इसलिये उत्पत्ति के प्रत्येक मापन के स्वामी की लागत प्रत्येक साधक द्वारा लिये जाने वाले मूल्य की न्यूनतम सीमा (Minimum Limit) निर्धारित करती है। वस्तु इसी दोनो सीमाओं के मध्य से माँग और पूर्ति की सापेक्षिक अवयवता और दोनो पक्षा का सोदा करने तथा भाव भाव करने की कुशलता द्वारा मूल्य एक स्थान पर स्थिर हो जाता है। यहाँ केवल उत्पत्ति के मापन के पुरस्कार के निर्धारण के साधारण सिद्धान्त का ही विवेचन किया गया है। अगले अध्यायों में उत्पादन के प्रत्येक साधक का पुरस्कार कैसे निर्धारित होता है, इसकी विस्तृत विवेचना यथास्थान पर की जायेगी।

वितरण की समस्याएँ केवल विनिमय की समस्या की विशिष्ट दशाएँ हैं।<sup>1</sup> इन कथन की उत्पत्ता प्रकट करते हुए यों कहा जा सकता है कि वितरण और विनिमय दोनों की समस्याएँ समान हैं; वितरण की समस्याएँ विनिमय की समस्या का केवल विशिष्ट रूप मात्र हैं। (१) जिस प्रकार विनिमय में हम विनिमय सम्बन्धी अनेक समस्याओं का अध्ययन करते हैं—जैसे वस्तुओं का विनिमय क्या होता है, वस्तुएँ किस दर और रीति से विनिमय की जाती हैं, आदि। यदि हम वितरण की ओर भी दृष्टि डालें, तो वही बात पावेंगे। इसमें वस्तुओं के विनिमय के स्थान में विविध उत्पत्ति के साधकों की सेवाओं का विनिमय होता है। (२) जिन प्रकार विनिमय में मुद्रा के बदले में वस्तुओं के क्रय-उपस्थान होने हैं, उसी प्रकार वितरण में साहस्री उत्पत्ति के विविध मापन की सेवाओं को मुद्रा के बदले में खरीदने के लिये अपने धन को प्रस्तुत करता है। (३) जिन प्रकार विनिमय में वस्तुओं के विक्रेता अपनी वस्तुएँ मुद्रा के बदले में बेचने के लिये प्रस्तुत करते हैं, ठीक उसी प्रकार वितरण में मूल्यवासी, धर्मिक, पूँजीपति तथा संगठनकर्ता या प्रबन्धक अपनी-अपनी सेवाएँ मुद्रा के रूप में पुरस्कार पाने के लिये बचने को प्रस्तुत करते हैं। (४) जिन प्रकार विनिमय में किसी वस्तु का मूल्य उसकी माँग और पूर्ति की पारस्परिक क्रिया (Interaction) द्वारा निर्धारित होता है, ठीक उसी प्रकार उत्पत्ति के प्रत्येक साधक की सेवा का पुरस्कार भी उसकी माँग और पूर्ति की पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्धारित होता है। (५) विनिमय में वस्तुओं के क्रय-उपस्थान की एक अधिकतम सीमा होती है जो वस्तुओं की सीमान्त उपयोगिता द्वारा स्थिर होती है और जिनमें अधिक के उनका मूल्य देने के लिये तैयार नहीं होते हैं, इसी प्रकार वितरण में साहस्री का भी अधिकतम सीमा होती है जो प्रत्येक उत्पत्ति के साधक की सीमान्त उत्पादकता द्वारा स्थिर

1—The problems of distribution are only special cases of the problem of exchange.

की जाती है और उससे अधिक वह उसका पुरस्कार देने को तैयार नहीं होता है। (६) विनिमय में वस्तु विक्रेता की एक न्यूनतमम सीमा होती है जो उसके उत्पादन-व्यय (लागत) द्वारा निश्चित होती है और वह इसमें कम मूल्य स्वीकार नहीं करता है। इसी प्रकार वितरण में प्रत्येक साधक की लागत के अनुसार उसकी सेवा का न्यूनतम पुरस्कार निश्चित होता है जिसमें कम वह अपने पुरस्कार की राशि स्वीकार नहीं करता है। (७) जिस प्रकार विनिमय में वस्तु का मूल्य निर्धारण उसकी माँग और पूर्ति के समुलन द्वारा होता है उसी प्रकार वितरण में भी उत्पात्ति के प्रत्येक साधन की सेवाओं का मूल्य (पुरस्कार) उनकी माँग और पूर्ति के समुलन से निर्धारित होता है। इस प्रकार विनिमय और वितरण की समस्याएँ बहुत कुछ समान हैं। (८) जिस प्रकार बाजारण वस्तु के मूल्य तय होने में उपभोक्ता और विक्रेता के मध्य सौदे एवं भाव ताय (Bidding and Bargaining) की निरन्तर बातचीत चलती रहती है, उसी प्रकार साहसी और उत्पात्ति के साधकों के बीच भी ऐसा होता रहता है।

दोनों की समस्याओं में भेद — (१) विनिमय में समस्त वस्तुएँ निर्जीव होती हैं जबकि वितरण में धम आदि वस्तुएँ जीवधारी धमिक का ही अंग होती हैं। इस प्रकार वितरण की समस्या के विवेचन में मानवीय तत्त्व (Human Element) का अधिक महत्त्व है। परन्तु विनिमय की समस्या में इस प्रकार का कोई विचार नहीं किया जाता है। (२) विनिमय के प्रत्यक्ष वस्तुओं के मूल्य निर्धारण सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया जाता है जबकि वितरण में उत्पात्ति के विविध साधनों के पुरस्कार सम्बन्धी विषयों पर विचार किया जाता है। (३) उत्पात्ति के साधना का मापत व्यय मात करना इतना सुगम नहीं है जितना कि वस्तुओं के उत्पादन-व्यय का है। (४) विनिमय में वस्तुओं की पूर्ति (Supply) में न्यूनताधिकता सुगमता में हो सकती है, परन्तु उत्पात्ति के साधनों की घटा-बढ़ी या तो सम्भव ही नहीं होती और यदि होती है तो धीरे-धीरे होती है। उदाहरणार्थ भूमि का उपलब्ध-धेन सीमित होता है, इसमें न्यूनताधिकता नहीं है। इसी प्रकार धम आदि अन्य साधकों की पूर्ति में वृद्धि बहुत धीरे धीरे होती है।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—वितरण की समस्या क्या है? किसका वितरण होता है और किन सिद्धान्तों के अनुसार होता है? ( नागपुर १९४१ )
- २—राष्ट्रीय लाभदाय और वास्तविक उत्पात्ति (Net Product) पर सक्षित टिप्पणी लिखिये।
- ३—'वितरण की समस्याएँ विनिमय की समस्या की विशिष्ट दशाएँ हैं।' इस कथन पर विचार कीजिये। ( म० बो० १९४६ )
- ४—राष्ट्रीय धाय की परिभाषा लिखिये और बताइय कि वह किस प्रकार उत्पन्न होती है और वितरित होती है? ( पटना १९५० )
- ५—घाय 'वितरण' के अंतर्गत क्या पड़ते हैं? राष्ट्रीय लाभदाय की महत्ता स्पष्ट कीजिये और वितरण के 'सीमांत उत्पात्ति सिद्धान्त ( Marginal Productivity Theory) पर टिप्पणी लिखिये। ( रा० बो० १९४९ )

६—कुल और वास्तविक उत्पत्ति पर टिप्पणी जिलिये ।

(अ० दो० १९५० ; म० भा० १९५४)

७—वितरण की मुख्य समस्याएँ क्या हैं ? प्रत्येक की व्याख्या कीजिये ।

(म० भा० १९५४)

८—राष्ट्रीय लाभान से क्या तात्पर्य है ? यह किस में बाँटा जाता है ? वितरण का सिद्धान्त क्या है ?

(सागर १९५१)

९—वितरण का अर्थ समझाइये और इसकी विभिन्न समस्याओं का उल्लेख कीजिये ।

(दिल्ली हा० से० १९५०)

१०—'राष्ट्रीय आय' का उत्पत्ति के विभिन्न माध्यामों में वितरण किस प्रकार होता है ?

११—निम्नलिखित पर नोट जिलिये —

(विहार १९५७)

राष्ट्रीय लाभान

(पञ्जाब १९५३, ४८)

सशुद्ध उत्पत्ति

(विहार १९५४)

१२—'वितरण' की समस्याओं का विवेचन संक्षेप में कीजिये और समझाइये कि वितरण किस प्रकार होता है ?

(अ० दो० १९५९)

इष्टर एग्रीकल्चर परीक्षा

१३—वितरण से आप क्या अध्ययन करते हैं ? वितरण किसका होता है और किस किस प्रकार होता है ?

(अ० दो० १९५७)

लगान शब्द का अर्थ (Meaning)—जिस प्रकार किसी वस्तु के प्रयोग के लिये कुछ धन-राशि देने को किराया कहते हैं उसी प्रकार भूमि के प्रयोग के लिये धन-राशि देने को लगान कहते हैं। उदाहरणार्थ मकान, मशीन, मोटर, वार्डसिकल आदि अत्यान्व्य वस्तुओं के प्रयोग के लिये धन राशि देने को किराया या भाडा कहते हैं। इसी प्रकार एक भूस्वामी या जमींदार कुछ वर्षों के लिए एक निश्चित राशि के बदले में अपनी भूमि किसी किसान को खेती करने के लिये दे देता है, तो इस निश्चित राशि को भूमि का लगान कहते हैं। साधारण भाग में किराया, भाडा और लगान ये शब्द प्रायः एक दूसरे के पर्यायवाची समझे जाते हैं।

किराये शब्द का अर्थ बड़ा व्यापक है। हममें मकान बनाने में लगी हुई पूँजी का व्याज, मकान को घिसाई, मरम्मत देना आदि तथा धीमा आदि का व्यय भी सम्मिलित होता है। इसी प्रकार एक कृषक जो लगान देता है वह केवल भूमि के प्रयोग के लिये ही नहीं देता है बल्कि वह भूमि पर बने हुए कुएँ, मकान तथा अन्य प्रकार की उत्पत्ति के लिये भी देता है। इस लगान को कुल लगान (Gross Rent) कहते हैं। परन्तु जो लगान केवल भूमि के प्रयोग के लिये ही दिया जाता है उसे वास्तविक या शुद्ध लगान (Net Rent) कहते हैं। यही वास्तविक या शुद्ध लगान आर्थिक लगान (Economic Rent) कहलाता है।

लगान का अर्थशास्त्रीय अर्थ—अर्थशास्त्र में लगान का अर्थ सीमित है। भूमि अथवा प्रकृति-दत्त अन्य वस्तुओं के प्रयोग से होने वाली आय को लगान कहते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि लगान किसी को दिया जावे। यदि भूमिपति स्वयं अपनी भूमि का उपयोग करता है, तो वह भी लगान प्राप्त करता है। अन्तर्गत धनोत्पादन में भूमि के उपयोग के लिये जो पुरस्कार दिया जाता है, उसे आर्थिक लगान कहते हैं। प्रो० मार्शल के शब्दा में भूमि तथा अन्य प्रकृति-दत्त साधनों के स्वामित्व से प्राप्त आय को साधारणतया लगान कहते हैं।<sup>1</sup> प्रो० टॉमस के अनुसार साहसी द्वारा भूमि के उपयोग के लिये दिये जाने वाले पुरस्कार

1—"The income derived from the ownership of land and other free gifts of nature is commonly called Rent "

Marshall • *Economics of Industry*, p 52

के भुगणान को लगान कहते हैं।<sup>1</sup> प्रो० कारवार ने कहा है कि किसी भूमि के टुकड़े का लगान उतना ही होगा जितना उस भूमि के टुकड़े की उपज अथवा न्यूनतम उपजाऊ खेत की उपज से अधिक होगी।<sup>2</sup> वास्तव में, लगान भूमि की उपज पति में अन्तर होने के कारण उत्पन्न होता है। जो लगान रूपक भूमिपति (जमींदार को देता है उसमें वास्तविक या शुद्ध लगान के अतिरिक्त भूमिपति को सगे हुई पूँजी का ध्यान तथा लगान वसूल करने का पारिधायिक भी सम्मिलित रहता है। अस्तु, कुल लगान और वास्तविक या शुद्ध लगान में भिन्नता करने के लिये वास्तविक या शुद्ध लगान को धर्मशास्त्र में आर्थिक लगान (Economic Rent) कहते हैं।

**भूमि की विशेषताएँ ( Peculiarities of Land )**—लगान की उत्पत्ति और भूमि की विशेषताओं का घनिष्ठ सम्बन्ध है। अतः भूमि के लगान व कारणों का अध्ययन करने के पूर्व भूमि की कुछ विशेषताओं को जान लेना भी आवश्यक है।

१. भूमि प्रकृति-दत्त प्रसाद है (Land is a free-gift of Nature) भूमि प्रकृति दत्त वस्तु है, मनुष्य ने इस बनाने में कोई प्रयत्न नहीं किया। अतः इसका मूल्य नहीं होता चाहिये। परन्तु जन संख्या के बढ़ने और भूमि सीमित होने के कारण इसकी माँग इतनी अधिक हो गई कि भूमिपति अपनी भूमि के उपयोग का मूल्य अर्थात् लगान लेने लग गये हैं।

२. भूमि का सीमित मात्रा में होना—(Land is limited in quantity)—भूमि प्रकृति-दत्त होने के अतिरिक्त सीमित मात्रा में है। मनुष्य अपने प्रयत्न से इसकी माँग बढ़ाने पर अन्य साधनों की भाँति इसे बढ़ा नहीं सकता। जितनी ईसबर न देखे उगी से काम चलाना होगा।

३. भूमि स्थिति में स्थिर है (Land is fixed in situation)—भूमि स्थिति की दृष्टि से स्थिर है। भूमि का एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाना सम्भव नहीं है। यदि जंगल की भूमि शहर के समीप लाई जा सके तो उसका मूल्य बढ़ जायगा, परन्तु ऐसा सम्भव नहीं है।

४. भूमि उपजाऊपन और स्थिति में भिन्नता रखती है (Land differs in fertility and situation)—कोई भूमि कम उपजाऊ और कोई भूमि अधिक। इसका परिणाम यह है कि भिन्न-भिन्न प्रकार की भूमि पर बराबर व्यय करने से उपज कम या अधिक होती है।

५. भूमि की उपज में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है। (Production from land is subject to the Law of Diminishing Returns)—भूमि पर अधिकाधिक धन और पूँजी की मात्रा में वृद्धि करने से अन्त

1—Thomas' *Elements of Economics* 243

2—"The rent of any given piece of land is what it will produce over and above what could be produced on the poorest land in cultivation by the same amount of labour and capital" —Carver



में उत्पत्ति की एक ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है कि जिसके पदवाच लगे हुए पूँजी और धन के अनुपात में उत्पत्ति कम होनी जाती है। इससे वस्तु की लागत बढ़ जाती है।

## रिकाडों का लगान-सिद्धान्त (Ricardian Theory of Rent)

**परिचय (Introduction)**—लगान-सिद्धान्त से रिकाडों का ध्येय सम्बन्ध है। डेविड रिकाडों (David Ricardo) एक प्रतिष्ठित (Classical) अंग्रेज अर्थशास्त्री हो चुके हैं, जिन्होंने सबसे प्रथम १८ वीं शताब्दी के अन्त में लगान सिद्धान्त वैज्ञानिक ढंग में प्रस्तुत किया था। अतः यह सिद्धान्त अद्य तक उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध है। यह आधुनिक लगान-सिद्धान्त का आधार माना जाता है क्योंकि मार्शल आदि अन्य आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने इसमें ही कुछ हेर-फेर कर पुनः प्रतिपादित कर दिया है।

रिकाडों के लगान-सिद्धान्त की परिभाषा—रिकाडों ने लगान की परिभाषा इस प्रकार की है : लगान भूमि की उपज का वह भाग है जो भूमिपति को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के उपयोग के लिये दिया जाता है।<sup>1</sup>

रिकाडों के लगान-सिद्धान्त का स्पष्टीकरण—संगर की सभी भूमि यदि एक ही उपजाऊ होती तो वदाचित्त लगान का प्रश्न ही नहीं उठता। परन्तु भिन्न-भिन्न भूमियों की उर्वरा (उपजाऊ) शक्ति असमान है। कोई भूमि अधिक उपजाऊ है और कोई कम। अतः यह स्वाभाविक ही है कि जो भूमि अधिक उपजाऊ है उस पर धन और पूँजी लगाने से जितनी उपज प्राप्त होती है उतनी समान धन और पूँजी लगाने पर भी कम उपजाऊ वाली भूमि से प्राप्त नहीं हो सकती। इस प्रकार अधिक उपजाऊ भूमि को कम उपजाऊ भूमि पर एक भिन्नक लाभ (Differential Advantage) प्राप्त होता है जो अधिक लगान बहलाता है। रिकाडों का सिद्धान्त इसी तथ्य पर आधारित है।

लगान का सिद्धान्त और विस्तृत सेती

### (Theory of Rent & Extensive Cultivation)

उदाहरण—रिकाडों अपने लगान के सिद्धान्त को एक उदाहरण द्वारा समझाता है। वह कहता है कि यदि एक नये खोजे हुए देश पर कुछ लोग जाकर बसें, तो सबसे पहले वे उन खेतों को जोतेंगे जो अर्थशास्त्रियों के अर्थानुसार अधिक उपजाऊ होंगे। प्रारम्भ में इस प्रकार के खेतों में खेत जोते जायेंगे। परन्तु जन-संख्या में बढ़ने पर इसी प्रकार के अन्य खेत जोते जायेंगे। इस प्रकार अर्थशास्त्रियों के सब खेत समाप्त हो जायेंगे। देश नया है और भूमि अधिक पटो है, इसलिए कोई भी खेत अपनी इच्छा-नुसार जोता जा सकता है। उसे लगान देने की आवश्यकता न होगी। जब तक अ

1—"Rent is that portion of the produce of the earth which is paid to the landlord for the use of the original and indestructible powers of the soil."  
—Ricardo.

श्रमों के खत जोने जायम तब तक लगाव वा प्रश्न ही नहीं उठता। जन दर्या क बढ़ने तथा सभ्यता के विकास होने पर जब खाद्य सागरी की मांग बढ़ी तब सेत जोतने वालों को व श्रमी के अर्थात् पहल से कम उत्पाज सत जोतने पडय। वे चाहे अ श्रमी के सेतो पर गहरी सेतो (Intensive Cultivation) कर सकत है अथवा उमी पूँजी व थम से व श्रमी के सेतो पर सेती कर सकते हे। दोनों दशाओं मे परिणाम एक सा ही रहेगा। मान लीजिये वे व श्रमी के सेतो को जोतते है तो उमी पूँजी व थम से इन पर अ श्रमी के सेतो की अपेसा कम उपज मिलेगी। अथ शब्दो मे, व श्रमी क सेतो का उत्पादन-व्यय अ श्रमी के सेतो के उत्पादन व्यय से अधिक होगा। इस प्रकार अ श्रमी क सेतो को व श्रमी की अपेसा एक भिन्नक लाभ (Differential Advantage) मिलेगा जिसको रिकार्डो ने आर्थिक लगान (Economic Rent) कह कर पुकारा है। उदाहरणार्थ यदि अ श्रमी क सेत पर पूँजी और थम की एक निश्चित मात्रा लगाने पर ४० मन गेहूँ प्राप्त होना और व श्रमी के सेत पर उमी पूँजी और थम से ३५ मन गेहूँ प्राप्त होता है तो ५ मन (४०-३५) अ श्रमी के सेत का आर्थिक लगान हुआ।

यदि जन दर्या और अधिक बढ़ती है और उसके साथ-साथ खाद्यान्न की मांग भी बढ़ती है तो व श्रमी के सेतो के समाप्त होने पर स श्रमी के सेत जोने जाने पयेंगे। इन सता पर यदि अ और व श्रमी के सेता के बराबर थम व पूँज लगाई जाए तो इन दोनों प्रकार के सेतो से कम उपज प्राप्त होगी। मान लीजिये इस पर केवल ३५ मन खाद्यान्न मिलता है जिसका मुख्य केवल उत्पादन व्यय के बराबर ही है। यह बात स्पष्ट है कि जब तक बाजार मे ३५ मन अन्न का मुख्य लगाई हुई पूँजी और थम के बराबर न मिलेगा तब तक ये सेत नष्टा जोते जायेंगे। सेती जारी रखने के लिये कम से-वम उपज के मुख्य से उत्पादन व्यय तो अवश्य ही मिल जाना चाहिये। अस्तु स श्रमी के सेता को जोतने पर अ श्रमी के सेतो पर १५ मन (४०-३५) और व श्रमी के सेतो पर १० मन (३५-२५) लगाव आयेगा। स श्रमी के सेतो पर कोई लगान न होगा। इसलिये इन प्रकार के सेत को लगान रहित (No rent) अथवा सीमांत भूमि (Marginal Land) कहा जायेगा। जन दर्या के और अधिक बढ़ जाने पर व श्रमी के सेत ( स श्रमी से कम उत्पाज ) जोते जायेंगे। इन सता पर पूँजी और थम की पुुवक्त मात्रा लगाने से केवल १० मन ही अन्न मिलता है जिसका मुख्य इसके उत्पादन व्यय के बराबर है। अब व श्रमी के सेतो को जोतने से अ व स श्रमियों के सेतो पर लगान निम्न प्रकार होगा —

अ पर ३० मन = (४०-१०)

ब पर २५ मन = (३५-१०)


स पर १५ मन = (२५-१०)

द पर कुछ नहीं = (१०-१०)

अत यह स्पष्ट ही जाता है कि सीमांत या लगानहीन भूमि कोई निश्चित नहीं है बरन् परिवर्तित होगी रहते है।

यह नीचे के चित्र से और भी अधिक स्पष्ट हो जाता है। प्रस्तुत चित्र मे अ व अ अर्थात् प्रथम श्रमी की भूमि है व स व अर्थात् द्वितीय श्रमी की भूमि है

स दस अर्थात् तृतीय श्रेणी की और द उ द अर्थात् चतुर्थ श्रेणी की भूमि है। पूँजी और श्रम की लगान मात्रा का उपयोग करने में जो उपज मिलती है वह बिना में आयती द्वारा प्रकट की गई है। द भूमि को जो द उ अर्थात् से अर्थात् गई है, लगानहीन (No rent) भूमि है, अर्थात् यह कोई लगान नहीं देती। श्रम सब श्रेणियों की भूमि आर्थिक लगान देती है जो उनके क्रमशः आवातों में रेखांकित भागों में दिखाया गया है।



विभिन्न श्रेणी के भू-भाग—आर्थिक लगान

### लगान का सिद्धान्त और गहरी खेती

(Theory of Rent and Intensive Cultivation)

अभी तक रिकार्डों का लगान-सिद्धान्त विस्तृत खेती (Extensive Cultivation) के सम्बन्ध में समझाया गया है। अब यहाँ पर यह बतलाया जायगा कि किस प्रकार यह लगान सिद्धान्त गहरी खेती की अवस्था में लम्बू होता है। यहाँ पर यह सिद्धान्त इसलिए लागू होता है क्योंकि भूमि पर उत्पत्ति द्वारा नियम लागू होता है। गहरी खेती की अवस्था में खेती एक ही भूमि के टुकड़ों पर अधिकाधिक श्रम और पूँजी की मात्रा से की जाती है। ज्यों ज्यों श्रम और पूँजी की मात्रा (Dose) में वृद्धि की जाती है, त्यो त्यो श्रम और पूँजी की प्रत्येक अणु की मात्रा से होने वाली उपज क्रमशः घटती जाती है और अन्त में एक ऐसी अवस्था आती है जबकि अन्तिम मात्रा की लागत उस उपज के मूल्य के बराबर होती है जो इस मात्रा द्वारा उत्पन्न होती है। ऐसी मात्रा लगानहीन (No rent) या सीमान्त मात्रा (Marginal Dose) कहलाती है। लगानहीन या सीमान्त मात्रा श्रम और पूँजी की वह मात्रा है जिसकी उत्पत्ति का मूल्य उसकी लागत के समान होता है। श्रम और पूँजी की प्रत्येक प्रारम्भिक मात्रा के द्वारा जो उपज मिलती है वह सीमान्त अर्थात् अन्तिम मात्रा की उपज में अधिक होने के कारण उसमें उपज की वृद्धि (Surplus) सम्भव हो जाती है। अतः प्रत्येक मात्रा की उपज और सीमान्त मात्रा की उपज के अन्तर को प्रत्येक दशा में उसका आर्थिक लगान कहेंगे।

उदाहरण—उपर विस्तृत खेती के सम्बन्ध में दिये हुए चित्र से ही गहरी खेती में लागू होने वाले लगान के सिद्धान्त को बली प्रकार समझा जा सकता है। गहरी खेती की अवस्था में एक ही भूमि पर अधिकाधिक श्रम और पूँजी की मात्रा स बार बार देती की जाती है। मान लीजिये पहली मात्रा के प्रयोग से ४० मन अन्न उत्पन्न होता है। यदि उसी क्षेत्र पर दूसरी मात्रा का प्रयोग और बिना जाय, तो उसकी उपज ३५ मन होती है। इसी प्रकार तीसरी मात्रा की उपज २५ मन तथा चौथी

अथवा अन्तिम मात्रा को उपज १० मन होती है। पहली मात्रा का मार्गिक लगान ३० मन = (४० - १०), दूसरी मात्रा का २५ मन = (३५ - १०), तीसरी का १५ = (२५ - १०), और चौथी मात्रा का तुल्य = (१० - १०) लगान है। अतः यह स्पष्ट है कि चौथी मात्रा लगानहीन मात्रा है।

रिकाई के लगान सिद्धान्त के निष्कर्ष—(१) रिकाई के लगान-सिद्धान्त का आधार सीमान्त या लगानहीन भूमि है। सीमान्त भूमि (Marginal Land) वह भूमि है जिसकी लागत और उपज का मूल्य बराबर है और जो उत्पात की सीमा पर है, अर्थात् उत्पादक का ऐसी अवस्था में यह साबित पड़ता है कि उस पर खेती की जाय या नही। इस भूमि पर कृषक को कोई बचत नहीं होती, अतः इसमें लगान भी प्राप्त नहीं हो सकता। इस कारण इस लगानहीन भूमि को कहते हैं।

(२) बाजार में वस्तु का मूल्य भी सीमान्त भूमि के लागत-व्यय के बराबर होता है। इसीलिए उस पर कृषि सम्भव होती है।

(३) सीमान्त भूमि के अनुसार ही लगान निर्धारित होता है। इसके आधार पर ही अति-सीमान्त (Super-marginal) भूमि का लगान आँका जाता है। जैसे ऊपर के उदाहरण एवं चित्र में अब स भूमियों का लगान आँका गया है।

(४) सीमान्त भूमि की अवस्था स्थिर (Fixed) नहीं है। खेती की वस्तुओं के मूल्य के परिवर्तन के साथ-ही साथ सीमान्त भूमि भी बदलती रहती है। उपज का बाजार मूल्य बढ़ जाने पर जो भूमि अब तक सीमान्त थी वह अति-सीमान्त हो जाती है और अनु-सीमान्त (Sub-marginal) भूमि सीमान्त (Marginal) हो जाती है। इसके विपरीत, यदि उपज का मूल्य गिर जाय, तो सीमान्त भूमि की खेती स्थगित हो जायगी और जो भूमि अब तक अति-सीमान्त थी वह अब सीमांत हो जायगी।

(५) भूमि में उत्पात ह्रास नियम (Law of Diminishing Returns) लागू होता है, इसलिये निम्न श्रेणियों की भूमि पर खेती करती पड़ती है। अन्यथा एक ही भूमि को उपज में आरे सार की प्रावश्यकता पूरी की जा सकती है।

(६) लगान उत लोभा की उत्पात के अनुसार निर्धारित होता है जो सबसे अधिक प्रतिफल परिस्थितियों में खेती करते हैं। लगान के कारण अन्न का भाव तेज नहीं होता, बल्कि अन्न का भाव तेज होने के कारण लगान दिया जाता है।

(७) गहरी खेती में सीमान्त भूमि के स्थान पर श्रम और पूँजा की सीमान्त मात्रा (Marginal Dose) होती है। सीमान्त मात्रा श्रम व पूँजा की वह मात्रा है जिसकी उत्पात में लागत और मूल्य बराबर होते हैं। अन्य शब्दों में,

जितनी लागान से किसान का बेवज्र गुजर हो सके, उमे सीमान्त मात्रा कहते हैं। गहरी खेती की उपज का मूल्य इस सीमान्त मात्रा की लागत से निश्चित होता है।

(८) रिकार्डों ने पूर्ण एवं स्वतन्त्र प्रतियोगिता (Perfect and Free Competition) मान कर ही अपना लगान का सिद्धान्त प्रतिपादित किया था। यह प्रतियोगिता भूस्वामी (जमींदार) और कृषक के मध्य होती है। भूस्वामी चाहे तो भूमि लगान पर दे मा न दे और दे तो जितना चाहे लगान ले ल। उधर कृषक की दृष्टि की बात है कि भूमि लगान पर ल या न ले और यदि लगान अधिक हो तो वह खेती न करके दूसरा कोई पेशा कर ल। इस प्रतियोगिता के कारण हो वस्तु का मूल्य सीमांत भूमि की लागत के बराबर होगा और अन्य भू-भाग पर लगान में ऊपर वचत होगी। उन भू-भागों का लगान भी इस वचत के बराबर होगा। जहाँ ऐसी परिस्थिति नहीं है वहाँ रिकार्डों का लगान सिद्धान्त लागू नहीं होना है।

(९) रिकार्डों ने अपना लगान सिद्धान्त विस्तृत खेती के प्राचार पर प्रतिपादित किया था, परन्तु यह गहरी खेती पर भी लागू हो सक्ता है। दोनों दशाओं में लगान प्राप्त होता है।

(१०) लगान भूमि के उपयोग के प्रतिफल में दिया जाता है। भूमि के विशिष्ट गुणों के कारण कृषक भूमि का उपयोग करता है और इसके लिये उसे भूस्वामी को लगान देना पड़ता है। इसी प्रकार भूस्वामी उसका उपयोग स्वयं करे या दूसरे को करने दे। जब उसका उपयोग दूसरे को करने देता है, तब वह उसके बदले में लगान वसूल करता है। भूमि के सीमित मात्रा में होने का कारण भी लगान वसूल किया जाता है, यद्यपि भूस्वामी को भूमि को उत्पन्न करने में कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ता है, क्योंकि भूमि एक प्रकृतियुक्त वस्तु है जो समाज को निःशुल्क मिलती है।

रिकार्डों के लगान सिद्धान्त की आलोचना ( Criticism of the Ricardian Theory of Rent )—रिकार्डों के लगान-सिद्धान्त की आलोचना निम्न प्रकार की गई है।—

(१) रिकार्डों के अनुसार "लगान भूमि की मौलिक ( Original ) तथा अविनाशी ( Indestructible ) शक्तियों के उपयोग के कारण ही दिया जाता है।" यह कथन भ्रामक है। भूमि की वैदन्तिया जिनके लिये लगान दिया जाता है, वे सर्वैव ही मौलिक नहीं रहती हैं। कभी-कभी वे प्राप्त भी की जाती हैं। उनके प्रति-रिक्त, भूमि की उर्वरा शक्ति निरन्तर प्रयोग से समाप्त हो जाती है तथा पुनः सिंचाई, खाद प्रादि साधनों द्वारा ही उत्पन्न की जा सकती है। परन्तु यह आक्षेप निमूल है क्योंकि भूमि की स्थिति, जलवायु, तापक्रम, वर्षा, भूप्रसाद कुछ ऐसे गुण हैं जो प्राकृतिक हैं तथा शीघ्र नष्ट होने वाले नहीं हैं।

(२) रिकार्डों का यह ऐतिहासिक क्रम ( Historical Order ) कि सबसे पहले सर्वोत्तम भूमि पर खेती की जाती है मिथ्या प्रतीत होता है। यह आवश्यक नहीं है कि सबसे पहले सर्वोत्तम भूमि को ही जोता जाय वास्तव में दखा जाय तो पहले लोग मुलज एवं साधारण भूमि को ही जोतते हैं और फिर बड़िया भूमि

को । कहा जाता है कि अमेरिका में कम उपजाऊ भूमि को खेतों सबसे पहले की जाती है । कैरे (Carey) और रॉशर (Roscher) का मत है कि सर्वप्रथम खेतों उन्हीं खेतों पर होते हैं जो सरलता से उपलब्ध होने हैं—चाहे वे बंसे ही हों, इनलिये रिकार्डों को खेतों का प्रथम अमोत्यादक है । किन्तु यह कोई विशेष प्राक्षेप नहीं है क्योंकि रिकार्डों इस बात को कोई विशेष महत्त्व नहीं देना । वॉकर (Walker) ने इस आलोचना का सही उत्तर दिया है कि सर्वोत्तम खेत से आरम्भ उन्हीं खेतों से है जो स्थिति और उपरोक्त चर्च के विचार में सर्वोत्तम होत है अतः यह आलोचना विवेकहीन है ।

(३) रिकार्डों का सिद्धान्त पूर्ण एवं स्वतन्त्र प्रतियोगिता पर आधारित है । परन्तु वास्तविक जीवन में पूर्ण एवं स्वतन्त्र प्रतियोगिता होती ही नहीं । इसलिए इस सिद्धान्त का आधार निरसूत है । वास्तविक जीवन में लगान केवल स्पर्धा से ही निर्धारित नहीं होता बल्कि रीति रिवाज, कानून आदि बातों का भी प्रभाव पड़ता है । यह आलोचना किसी सीमा तक सत्य है, परन्तु अर्थशास्त्र के अन्य सिद्धान्तों की भाँति यह सिद्धान्त भी कल्पनाशा पर प्रबलम्बित है और एक प्रवृत्ति (Tendency) मात्र है ।

(४) रिकार्डों की सीमान्त या लगानहीन भूमि की कल्पना निराधार बताई जाती है । यह आवश्यक नहीं है कि लगानहीन भूमि सदा बनी ही रहे । जो देश घने वने हुए हैं वहाँ निरुपुष्ट भूमि का भी लगान देना पड़ता है । यदि हम एक ही वस्तु को उत्पन्न करने वाले क्षेत्रों को अपने ही देश तक सीमित न रखें और उक्त वस्तु की पूर्ति करने वाले विदेशी क्षेत्रों को भी अपने बाजार में सम्मिलित कर लें, तो निश्चय ही कही-न कही लगानहीन भूमि निरसूत जावेगी । इस दृष्टि में बाजार पर लगान निर्दिष्ट ही जाता है । इस प्रकार रिकार्डों के लगान-सिद्धान्त की पुष्टि हो जाती है ।

(५) कुछ अर्थशास्त्रियों का यह कहना है कि रिकार्डों का यह कहना कि लगान का मूल्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गलत है । उनका कहना है कि कुछ दशाशा में लगान मूल्य में सम्मिलित होता है जैसा कि आस्ट्रेलिया में एकाधिकार लगान के कारण मूल्य में वृद्धि हुआ है । परन्तु एकाधिकार लगान बहुत ही कम प्रवृत्तियों में लागू होता है । इन कारण उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है ।

(६) इस सिद्धान्त की सामाजिक आलोचना यह है कि लगान भूमि की विभिन्न उर्वरानात्ति के कारण नहीं होता चरन् भूमि की स्वल्पता के कारण होता है । लगान का प्राथमिक सिद्धान्त इसी बात पर आधारित है ।

निष्कर्ष—रिकार्डों के सिद्धान्त के मूल प्रथम अर्थों तक सही हैं और सामान्यतः लागू होने हैं । पूर्ण प्रतियोगिता के आधार पर रिकार्डों का सिद्धान्त विलकुल ठीक है । जहाँ यह सिद्धान्त लागू नहीं होता, वहाँ प्रायः अधिक लगान (Economic Rent) का प्रश्न ही नहीं उठता । वहाँ प्रत्येक लगान (Contract Rent) होता है । पुराने देशों में जन-संख्या की वृद्धि होने के कारण जन अधिक भूमि की माँग होती है, तब कम



होन स कोई लगान नहीं मिलता है। इसरिधे इसे लगानहीन या सीमान्त भूमि कहते हैं और येप अ व स वता की अधि सीमान्त भू भाग कहत है।

अन्तु आर्थिक लगान इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है आर्थिक लगान भू स्वामी को प्राप्त होने वाली वह अतिरिक्त उपज ( Surplus ) या भिन्नक लाभ ( Differential gain ) है जो लगानहीन भूमि ( No-rent Land ) की अपेक्षा उसकी भूमि की उर्वराशक्ति या स्थिति या दोनों की श्रेष्ठता के कारण उसे प्राप्त हाता है।<sup>1</sup>

आर्थिक लगान की उत्पत्ति के कारण ( Causes of Economic Rent )—आर्थिक लगान निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होता है —

(१) भूमि की दुर्लभता ( Scarcity )

(२) भूमि की उर्वराशक्ति ( Fertility ) तथा स्थिति ( situation ) में अन्तर होना, और

(३) उत्पत्ति-ह्रास नियम ( Law of Diminishing Returns ) का लागू होना।

लगान की उत्पत्ति का मुख्य कारण भूमि की दुर्लभता अर्थात् सीमित मात्रा है। इसका यह अर्थ नहीं है कि यदि भूमि असीमित मात्रा में उपलब्ध हो, तो लगान होगा ही नहीं। उस अवस्था में भूमि की उर्वराशक्ति तथा स्थिति में अन्तर होने के कारण लगान उत्पन्न होगा, क्योंकि समान लागत लगाने में उत्तम गता पर अधिक उपज होगी और निरूपष्ट भेदा पर कम उपज होगी। यदि सभी भूमि एक ही हो तो भी आर्थिक लगान उत्पन्न होगा क्योंकि उपज की मात्रा में वृद्धि होने में गहरी खेती की जायगी और उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होगा जिसके कारण लगान उत्पन्न होगा। उत्पत्ति ह्रास नियम के अनुसार क्रमागत इकाइया की उत्पत्ति कम होती जायगी और शारम्भ की इकाइया पर अतिरिक्त लाभ अर्थात् लगान प्राप्त होगा।

आर्थिक लगान का निर्धारण ( Determination of Economic Rent )—आर्थिक लगान का निर्धारण के प्रश्न पर विचार निम्न प्रकार किया जायगा

(क) विस्तृत खेती ( Extensive Cultivation ) में आर्थिक लगान का निर्धारण—उत्पत्ति की बढ़ती हुई मात्रा की पूर्ति करने के लिये तथा उत्पत्ति लागत-नियम का लागू होना के कारण जब कई प्रकार के भू भागों पर जो उर्वराशक्ति या स्थिति अथवा दोनों में ही एक दूसरे से भिन्न हैं खेती की जाती है तब किसी विनिष्ट समय कोई-न कोई जोता जान वाला भू भाग ऐसा अवश्य होगा जो जाने जान वाले अथवा भू भागों की तुलना में कम उपजाऊ होगा या जिसकी स्थिति खेती निरूपष्ट होगा अथवा जिसमें यह दोनो ही वर्तें होंगे। ऐसा भूमि को सीमान्त या लगानहीन कहते हैं क्योंकि उसकी उपज का मूल्य खेती के समय पर लगाई हुई लागत के बराबर ही होता है। जाने

1—Economic rent may be defined as 'the surplus or differential gain accruing to the owner of the land by virtue of its relative advantages of fertility or location or both over the no rent land'



जाने वाले प्रत्येक अधि-सीमान्त खेत पर सीमान्त खेत की अपेक्षा कुछ न-कुछ बचत या भिन्नक लाभ होता है जो 'आर्थिक लगान' कहलाता है। यह आर्थिक लाभ भू-स्वामी को उसकी भूमि की उर्वराशक्ति या स्थिति या दोनों के सापेक्षिक लगान के कारण उप प्राप्त होता है। इसे एक उदाहरण द्वारा इस प्रकार समझिये—मान लीजिये अ व स द चार भू भागों पर समान श्रम व पूँजी आदि की मात्रा में खेती की जाती है। अ पर ५०० मन अन्न पैदा होता है, ब पर ४०० मन, स पर ३०० मन और द पर १०० मन अन्न पैदा होता है। द सीमान्त या लगानहीन भू भाग है, क्योंकि उसकी उपज में जो मूल्य प्राप्त होता है वह केवल उसकी लागत में ही बराबर है। अ व स भू भाग अधि-सीमान्त खेत हैं क्योंकि इनकी उपज में मूल्य में लागत के ऊपर कुछ बचत रहती है। अतः सीमान्त या लगानहीन खेत की उपज इनमें से यदि घटा दी जाय, तो प्रत्येक का लगान प्रा जावेगा। इस उदाहरण में अ का ५०० मन (५००-१००), ब का ३०० मन (४००-१००) और स का २०० मन (३००-१००) हुआ। द पर कोई लगान नहीं मिलता है (१००-१००), क्योंकि उपज का मूल्य तथा लागत बराबर ही रहते हैं। यदि उपज के मूल्य में वृद्धि प्रा जाय, तो इससे भी निम्न (Inferior) भूमि पर खेती की जाने लगेगी। इसका अनु-सीमान्त (Submarginal) भूमि कहते हैं। अनु-सीमान्त भूमि के जोते जाने पर द भूमि पर भी बचत हो जाने के कारण लगान प्राने लगेगा।

गाराय यह है कि विस्तृत खेती की अवस्था में सीमान्त या लगानहीन भूमि द्वारा लगान निर्धारित होता है।

(ख) गहरी में (Intensive Cultivation) आर्थिक लगान का निर्धारण—यदि किसी देश में अधिक भूमि अप्राप्त हो, तो बढ़ती हुई जन संख्या की माँग की पूर्ति करने के लिये सीमित भूमि पर ही अधिकाधिक लागत लगा कर खेती करनी होगी। ज्यों-ज्यों श्रम और पूँजी की मात्रा में वृद्धि की जायगी, तथा त्यों उत्पत्ति द्वारा नियम के लागू होने के कारण प्रत्येक अणु की मात्रा में होने वाली उत्पत्ति क्रमशः घटती जायगी और अन्त में ऐसी अवस्था प्रा जायगी जब कि लागत अनन्त मात्रा में जो उत्पत्ति होगी उसका मूल्य केवल लागत-व्यय में बराबर होगा। ऐसी मात्रा को 'सीमान्त या लगानहीन मात्रा' कहिये। अतः श्रम व पूँजी की जो सीमान्त मात्रा भूमि पर लगाई जायगी उससे पूर्व की मात्राओं पर लाभतः अधिक उत्पत्ति होगी और प्रत्येक दशा में कुछ बचत या भिन्नक लाभ होगा जो 'आर्थिक लगान' कहलायेगा। उपर्युक्त उदाहरण में मान लीजिये सीमान्त मात्रा द्वारा उत्पत्ति १०० मन होती है और इससे पूर्व की लागत की मात्राओं से क्रमशः ५०० मन, ४०० और ३०० मन उपज होती है, तो लागत की पहली मात्रा में ४०० मन (५००-१००), दूसरी में ३०० मन (४००-१००) और तीसरी से २०० मन (३००-१००) आर्थिक लगान मिलता है। चौथी अर्थात् सीमान्त मात्रा से कोई लगान प्राप्त नहीं होता है (१००-१००=०)। इसीलिये इसे 'लगानहीन मात्रा' भी कहते हैं।

गाराय यह है कि गहरी खेती की अवस्था में लागत की सीमान्त या लगानहीन मात्रा द्वारा आर्थिक लगान निर्धारित होता है।

(२) प्रसविदा लगान (Contract Rent)—जो लगान किसान भू-स्वामी को उसकी भूमि के प्रयोग के उपलक्ष में वास्तव में देना है, उसे

प्रसविदा लगान कहते हैं। इस प्रकार से लगान भी कहते हैं क्योंकि यह किसान और भूस्वामी के मध्य पारस्परिक सम्बन्ध या व्यवहारमान के अनुसार निर्दिष्ट होता है। यह एक प्रकार से भूमि के उपयोग का मूल्य है। प्रसविदा लगान परिस्थितियों के अनुसार आर्थिक लगान के बराबर इनका कम या अधिक हो सकता है। पूरा प्रतियोगिता की अवस्था में प्रसविदा लगान अधिक लगान के बराबर होता है। जब भूमि की माँग अत्यधिक हाता है और किसानों में भूमि की प्राप्ति करने के लिए बड़ी स्पर्धा होती है तथा कृषि के अतिरिक्त अन्य कोई व्यवसाय नहीं होता है तब भूस्वामी किसानों में आर्थिक लगान में अधिक प्रसविदा लगान समूल कर लेते हैं। जब प्रसविदा लगान आर्थिक लगान से अल्पविक्र होता है तब इसे अल्पविक्र लगान (Rack Rent) कहते हैं। इसके विपरीत जहाँ कृषि बसाव करने के लिए बहुत शान्त है और बड़े बड़े जमींदारों के पास इतनी भूमि हो गई है स्वयं उस पर खेती न कर सकें वहाँ जमींदार अपनी जमीन या भूमि का उपयोग करने के लिए किसानों में आर्थिक लगान में भी कम लगान लेते हैं। तब तब देश में प्रायः ऐसा ही होता है। परन्तु भारतवर्ष में प्राचीन युग में जहाँ जन-संख्या का अत्यधिक भार है और कृषि के अतिरिक्त जीविकोपार्जन के लिए व्यवसायों का अभाव है भूस्वामी आर्थिक लगान से अधिक लगान लेते हैं। जब प्रसविदा लगान आर्थिक लगान से अधिक रहता है तब कृषकों की दशा विषम जाता है और वे प्रायः अछड़ी हो जाते हैं।

आर्थिक लगान एवं प्रसविदा लगान में अंतर

( Difference between Economic Rent & Contract Rent )

(१) आर्थिक लगान एक सैद्धांतिक व पना है जबकि प्रसविदा लगान एक व्यवहारिक राश है। (२) आर्थिक लगान एक अलग एन गणना योग्य है जबकि प्रसविदा लगान एक प्रयोग एन बद्ध राश है। (३) यह लक्षण भी होता है कि अन्तर्गत में एक दूसरे के निकट या दूर या बराबर हो जाय अथवा कभी एक ऊपर है या कभी दूसरा। (४) तभी बात में प्रसविदा लगान आर्थिक लगान से थोड़े रह जाता है और कभी कभी प्रसविदा लगान आर्थिक लगान से कहीं अधिक रह जाता है।

प्रसविदा लगान का निर्धारण ( Determination of Contract Rent )—जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य उसका माग और पूर्ति की पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्धारित होता है उसी प्रकार प्रसविदा लगान भी जो कि भूमि के प्रयोग का मूल्य है माग और पूर्ति के अंतर्गत पारस्परिक क्रिया द्वारा निर्धारित होता है। अब हम यह देखेंगे कि किस प्रकार माग और पूर्ति के अंतर्गत प्रसविदा लगान निर्धारित होता है।

भूमि के उपयोग का माग—भूमि की माँग उन व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत की जाती है जिसके पास स्वयं का तो काम भूमि नहीं होता है बल्कि दूसरों की भूमि किराये में लगान पर खेती करनेवाले रहते हैं। ऐसे लोग किसान या धरमाली (Tenants) कहलाते हैं। अतः कृषक भूस्वामी से भूमि लेने समय यह विचार कर लेता है कि वह उन भूमि पर खेती करे जिनका पदाधार कर या कि कुछ उत्पत्ति में अधिक लाभ प्राप्त करे या कुछ बचता समय से कुछ भाग भूस्वामी को भूमि

के प्रयोग के उपरन्तः में दे देगा। यह बचत ही अधिक लगत है। जो लगत कृषक भू-स्वामी को उसकी भूमि के प्रयोग के लिये दे सकता है वह इन बचत में प्रथित न होगा। अतः यह बचत (Surplus) उसकी अधिकतम सीमा (Maximum Limit) निर्धारित करती है। वह इस सीमा से अधिक देना स्वीकार नहीं करेगा। यह कृषक को अधिकतम सीमा भूमि की उर्वराशक्ति आदि बातों के साथ बदलती रहती है। यदि भूमि अच्छी हुई तो यह बचत अधिक होगी और फलतः उसकी अधिकतम सीमा भी अधिक होगी। यदि भूमि खराब है, तो यह बचत कम होगी जिनके परिणामस्वरूप अधिकतम सीमा भी कम होगी। अन्य शब्दों में यो कहा जा सकता है कि कृषक की अधिकतम सीमा मिट्टी के स्वभाव, भूमि की स्थिति, बाजार या मंडी की निबटना, माल की विप्रे की सुविधाया और उपज के मूल्य के साथ साथ बदलती रहती है।

भूमि के उपयोग की पूर्ति—भूमि के उपयोग की पूर्ति-सु-स्वामिया द्वारा की जाती है। भू-स्वामी या तो भूमि का उपयोग स्वयं करना है या उस किराए पर दे देना है; यदि वह किराए पर देता है, तो किराए पर देना समझ इस बात का हिंसा लगा लेता है कि यदि वह स्वयं उस भूमि पर खेती करे तो कुल काट कर उसे कितनी बचत होगी। इन कम-ज-कम दंतों ही बचत वह किरायेदार से लगत न रूप में लेना चाहेगा। यदि इनमें कम मिलेगा तो इनमें स्वर लेने करेगा या उन अन्य किसी कार्य में लेगा। इस प्रकार लगत की न्यूनतम सीमा (Minimum Limit) निश्चित हो जाती है। जो लगत भू-स्वामी अपनी भूमि के प्रयोग के बचत में किराए या धान्यामी से लेना चाहेगा वह इस सीमा में कम नहीं होगा।

भूमि के प्रयोग की मांग और पूर्ति का मनुजन (Equilibrium of Demand and Supply of use of Land)—प्रतिविद्या लगत भूमि के प्रयोग की मांग और पूर्ति के मनुजन बिन्दु पर निर्धारित होता है। मांग द्वारा लगत की अधिकतम सीमा और पूर्ति द्वारा उसकी न्यूनतम सीमा निश्चित हो जाती है। इन मोटे तौर पर प्रतिविद्या लगत इन दोनों सीमाओं के मध्य होता। परन्तु ठीक लगत क्या होगा यह मुख्यतः दो बातों पर निर्भर होता है—(अ) भू-स्वामिया और किसानों की सापेक्षिक आवश्यकता (Relative Urgency) और (आ) उनकी बात-बात करने (Bidding and Bargaining) की शक्ति। यदि पूर्ति की प्रस्ता मांग की तीव्रता अधिक है तो कृषकों में पारस्परिक प्रतियोगिता होगी और लगत कृषक की अधिकतम सीमा तक पहुँच जायगा, अर्थात् भू-स्वामी कृषक से अधिक लगत की सम्पूर्ण शक्ति बचल करने मगपन हो जायगा। इनके विपरीत, यदि मांग की प्रस्ता पूर्ति की तीव्रता अधिक है, अर्थात् कृषकों की भूमि की मांग कम है तथा भू-स्वामी भूमि की कृषकों को देने के लिये बहुत उत्सुक है, तो प्रतिविद्या लगत भू-स्वामी की न्यूनतम सीमा तक पहुँच जायगा और कृषकों का अधिक लगत का कुछ ही अंश भू-स्वामिया को देना पड़ेगा जिनमें कृषकों को लाभ होने लगेगा। इस प्रकार ठीक लगत इन बातों सीमाओं के बीच उभर बिन्दु पर स्थिर हो जाता है जहाँ पर कृषक और भू-स्वामी के मध्य समन्वय या समन्वित प्रथया प्राप्त में इतर हो जाता है। इसीलिये ता इन प्रतिविद्या या इतरों लगत कहते हैं।

साधारणतया नर देमा में भूमि की मांग अधिक होने और लगत मध्य कम होने के कारण लगत जोतन वालों की भूमि की मांग कम होती है। मगर ही नर

भूम्यामियों में अधिनाधिक भूमि पर खेती करने की उत्सुकता के कारण उनमें आपस में प्रतियोगिता होती है जिसके फलस्वरूप प्रसविदा लगान कम होता है। किन्तु प्राचीन देशों में जहाँ जन-संख्या अत्यधिक होने के कारण साधारण आदि की पैदावार के लिये भूमि की माँग उसकी पूर्ति को अपेक्षा अधिक हो जाती है जिसके फलस्वरूप कृषकों में ही आपस में प्रतियोगिता होने लगती है। इसके परिणामस्वरूप जो लगान कृषकों को देना पड़ना है या तो वह अधिक लगान के बराबर होता है या उसमें अधिक होता है। यदि कृषि के प्रतिरिक्त अन्य व्यवसायों का अभाव है, तो प्रसविदा-लगान और भी अधिक देना पड़ेगा। इसे 'फलधिक्त लगान बतूव करना' (Back-renting) कहते हैं जो भारतवर्ष में एक साधारण बात है।

**भारतवर्ष में प्रसविदा लगान का निर्धारण (Determination of Contract Rent in India)**—भारत में प्रसविदा लगान माँग और पूर्ति की पारस्परिक क्रिया और प्रतिक्रिया द्वारा निर्धारित होता है, परन्तु रीति-रिवाज, स्पर्धावैकल्पिक धर्मों का अभाव और कानून आदि बातों का बहुत प्रभाव पड़ता है।

**रीति-रिवाज (Custom)**—पुराने समय में भारत में जन-संख्या का दबाव अधिक नहीं था, इसलिये जोतने के लिये भूमि सुगमता से बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो जाती थी। किसानों और भूम्यामियों में पारस्परिक सम्बन्ध बहुत अच्छा था। उनमें एक-दूसरे के प्रति सहानुभूति तथा आदरभाव की भावनाएँ थीं। वे मार-पीट, चोरी, छद्मता आदि सब प्रकार के एक-दूसरे की सहायता करने से। भूमि का लगान बहुत कम था और वह भी परम्परा के आधार पर निर्धारित होता था। यह प्रायः प्रभाव के रूप में होता था। इस प्रकार उस समय जो लगान नियाँ ब दिया जाता था उसका एक रिवाज भा बन गया था। इसी रिवाज के अनुसार भूमि का लगान पीढ़ी दर-पीढ़ी दिया जाता था। परतः हम कह सकते हैं कि प्राचीन भारत में भूमि का लगान रीति-रिवाज से निर्धारित होता था।

**स्पर्धा (Competition)**—भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के स्थापित होने के पश्चात् देश में शानि एवं सुखता बढ़ी। उस शानि-स्थापना में देश में प्रायिक उन्नति हुई जिसके परिणामस्वरूप भूमि की माँग बढ़ी। साथ ही में जन-संख्या में भी अत्यधिक वृद्धि हो गई जिसके कारण भूमि की माँग और भी बढ़ गई। अब भूमि का प्राप्त करने के लिये मनुष्यों में आपस में प्रतियोगिता होने लगी। भूम्यामियों ने उस बदलती हुई परिस्थिति का लाभ उठाना प्रारम्भ कर दिया। रीति-रिवाज के आधार पर लगान-निर्धारण लुप्त हो गया और इसका स्थान स्पर्धा ले लिया। पारश्चात्य सभ्यता के प्रभाव में स्वस्तिवाद भावना का प्रचार हुआ जिसके कारण भी स्पष्टता तीव्र हो गई और रीति-रिवाज द्वारा लगान-निर्धारण की प्रथा समाप्त हो गई। अतः अब भूमि का लगान स्पर्धा द्वारा निर्धारित होने लगा।

**वैकल्पिक धर्मों का अभाव (Absence of Alternative Occupations)**—प्रदेशों की कुटिल नीति द्वारा भारत के सब क्षेत्रों उद्योग धर्मों नष्ट हो गये जिसके कारण भूमि पर दबाव और अधिक बढ़ गया। अब किसानों के पास सिवाय

सेतो करने के कोई अन्य उदर रूति का साधन नहीं रहा। घट वृषको में भूमि प्राप्त करने के लिये स्पर्धा अधिक तीव्र हो गई जिसके कारण उन्हें अधिक लगान से भी अधिक लगान देना प्रारम्भ करना पड़ा। इस प्रकार वैकल्पिक धन्यो के अभाव का भी लगान-निर्धारण में बहुत प्रभाव पड़ने लगा।

लगान सम्बन्धी कानून ( Tenancy Legislation )—अत्यधिक स्पर्धा के कारण अत्यधिक लगान देने में किसानों की दशा गिरने लगी और भूस्वामी बहुत शक्तिशाली हो गए। जब-जभी किसान भूमि में सुधार करके उत्पादन में कोई वृद्धि करता तब ही भूस्वामी उस पर लगान बढ़ाकर उस उत्पादन का बहुत सा भाग स्वयं हूषण कर पाता। इस कारण किसानों को कृषि-सुधार में अधिक रुचि नहीं। अन्त में इस दोषपूर्ण दशा को देखकर सरकार को लगान-सम्बन्धी कानून बनाने पड़े। अब इन्हीं कानूनों के आधार पर भूमि का लगान निर्दिष्ट किया जाता है।

सारदा यह है कि वर्तमान समय में भी रीति रिवाज, स्पर्धा, वैकल्पिक धन्य का अभाव तथा लगान सम्बन्धी कानून प्रगति-विधान-लगान के निर्धारण में प्रभाव डालते हैं। अब जमींदारी प्रथा के अन्त किये जाने पर कुछ परिवर्तन हो रहा है।

### लगान और मूल्य (Rent and Price)

लगान और उपज के मूल्य का पारस्परिक सम्बन्ध एक जटिल समस्या है। साधारण विचार धारा के अनुसार धन्यो के अधिक मूल्य का कारण अधिक लगान है। उदाहरणार्थ, यदि एक दुकानदार अपना मान अधिक मूल्य पर बेचना है, तो वह इसका यह कारण बताता है कि उसको लगान अर्थात् दुकान का किराया अधिक देना पड़ना है। किन्तु अर्थशास्त्रज्ञों का विचार-धारा इससे बिल्कुल भिन्न है। रिकार्डों के अनुसार भूमि के लगान और उसकी पैदावार के मूल्य में कोई सम्बन्ध नहीं होता है। रिकार्डों के सिद्धांत है कि अनाज का मूल्य इसलिए अधिक नहीं है कि लगान चुकाया जाता है, बल्कि लगान इसलिए चुकाया जाता है कि अनाज का मूल्य अधिक है।<sup>1</sup> इसका तात्पर्य यह है कि उपज की उत्पत्ति के मूल्य पर लगान का कोई प्रभाव नहीं पड़ना।

लगान मूल्य को निर्धारित नहीं करता है ( Rent does not determine the price or enter the cost of production )—यह पहले बतनाया जा चुका है कि किसी भूमि का अधिक लगान उस भूमि और सीमान्त भूमि के अन्तर के बराबर होता है। सीमान्त भूमि की उत्पत्ति का मूल्य उस पर खेती करने के लागत-अव्यय के बराबर होता है, अर्थात् सीमान्त भूमि की उत्पत्ति पर जो लगान खर्चा है वह उस उत्पत्ति का मूल्य होता है। अधिक स्पष्ट करने हुए यों कहा जा सकता है कि बाजार में प्राप्त होने वाला मूल्य कम से कम सीमान्त भूमि की उत्पत्ति के उत्पादन-व्यय के बराबर होना आवश्यक होता है। अतएव उस पर खेती जारी रखना सम्भव नहीं हो सकता। यदि मूल्य उत्पादन-अव्यय से अधिक हो, तो अनु-सीमान्त (Submarginal) भूमि पर भी खेती की जाने लगेगी और वर्तमान सीमान्त भूमि अर्थात् सीमान्त ( Supermarginal ) भूमि हो जायेगी। इसके विपरीत, यदि मूल्य

1—Corn is not high because rent is high, but rent is high because corn is high.  
—Ricardo

उत्पादन व्यय में कम हो, तो वर्तमान सीमान्त भूमि पर लेती क़रमे में हानि होगी और उम पर मनी म्यगिन कर दी जायगी और वह अनु सीमान्त भूमि हा जायगी। अतः यह स्पष्ट है कि कृषि उत्पत्ति का मूल्य सीमान्त भूमि की उत्पत्ति के उत्पादन-व्यय के बराबर होता है। मूल्य इसमें प्रविष्ट या कम नहीं हो सकता।

साथ ही, हम यह भी जानते हैं कि सीमान्त-भूमि लगानहीन भूमि होती है, अर्थात् उम पर कोई लगान नहीं मिलता है। चूँकि बाजार में कृषि-उत्पत्ति का मूल्य सीमान्त भूमि के उत्पादन व्यय के (अथवा कि लगान का कोई अंश सम्मिलित नहीं होता है) बराबर होता है, ता यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि लगान का मूल्य-निर्धारण से कोई सम्बन्ध नहीं होता है, अर्थात् लगान में यह सम्मिलित नहीं होता है।

लगान की छूट एवं उसकी न्यूनतापिचता का मूल्य पर प्रभाव (Effect of Rent Remission and Increase or Decrease of Rent on price)—उपरोक्त तर्क-वितर्क में हम अभी प्रकार समझ सकते हैं कि लगान मूल्य निर्धारित नहीं करता अर्थात् लगान मूल्य का कोई अंश नहीं होता बरन् लगान मूल्य मूल्य पर आश्रित होता है। इसीलिए, यदि लगान कम भी कर दिया जाय, तो इसमें मूल्य में कमी नहीं होगी। यदि भू-स्वामि लगान देना बन्द कर दे तब भी कृषि-उत्पत्ति का मूल्य वही रहेगा। इसी प्रकार यदि लगान कई गुना बढ़ा दिया जाय, तो भी मूल्य में वृद्धि नहीं होगी। अतः यह निष्कर्ष स्पष्ट है कि लगान मूल्य का कोई अंश नहीं है। वास्तव में भूमि की उत्पत्ति का मूल्य उसकी मूल्य और पूर्ण न पारम्परिक प्रभाव द्वारा निर्धारित होता है न कि लगान की दर में। यही कारण है कि लगान को उत्पादक की वचन (Surplus) कहा जाता है।

अपवाद (Exception) लगान कुछ अवस्थाओं में मूल्य को अवश्य निर्धारित करता है ( Rent does determine price or enter the cost of production under certain conditions)—सीमांत-उत्पादन-व्यय का अंश नहीं हान के कारण कृषि-उत्पत्ति के मूल्य-निर्धारण में कोई प्रभाव नहीं डालता। परन्तु कुछ अवस्थाओं में भी यह सत्य है कि लगान सीमान्त-उत्पादन-व्यय का अंश होता है और इसीलिए यह मूल्य पर प्रभाव डालता है। वे अवस्थाएँ जिनमें लगान मूल्य का निर्धारित करता है, निम्नलिखित हैं—

१. सरकार या भूस्वामियों का भूमि पर एकाधिकार (Monopoly of a State or a body of Landlords on land)—यदि भूमि पर सरकार या भूस्वामियों के किसी छत्र का भूमि पर एकाधिकार हो, ता यह सीमान्त-भूमि पर भी किण्वता बन्त कर सकता है। ऐसी अवस्था में लगान सीमान्त-उत्पादन-व्यय का अंश हो जायगा और मूल्य का प्रभावित करेगा। भारतवर्ष में भारत सरकार का समस्त भूमि पर एकाधिकार है और वह सीमान्त अर्थात् लगानहीन भूमि पर भी लगान वसूल करती है। इसीलिए यह कह सकते हैं कि भारतवर्ष में लगान कृषि उत्पत्ति के मूल्य को निर्धारित करता है।

लगे। परिमाणगत. अमेरिका में भूमि की माँग बढ़ गई और अनु-सीमान्त भूमि सीमान्त तथा सीमान्त भूमि अधि-सीमान्त होने लगी और लगान में बराबर वृद्धि होने लगी।

(घा) घातायात के साधनों में उत्पत्ति होने से यदि किसी देश में सस्ते साध-पदार्थों का आयात बढ़ जाय, तो वहाँ इन पदार्थों का मुख्य घट जायगा जिसके फलस्वरूप लगान में भी कमी होने लगेगी। मूल्य में कमी होने के कारण घटिया अर्थात् अनु-सीमान्त भूमि पर खेती स्थगित कर दी जायगी जिसके परिणामस्वरूप सीमान्त और अधि-सीमान्त भूमि की उत्पत्ति में अन्तर कम हो जायगा और इसलिए आयात करने वाले देश में लगान कम हो जायगा। ऊपर के उदाहरण में जब इङ्ग्लैंड में अमेरिका के सस्ते खाद्य-पदार्थों का आयात बढ़ गया, तब वहाँ अनु-सीमान्त भूमि पर खेती स्थगित कर दी गई तथा बहुत-सी अधि-सीमान्त भूमि सीमान्त हो गई और लगान बराबर गिरता गया।

(२) कृषि की उत्पत्ति का प्रभाव (Effect of Agricultural Improvements)—कृषि की उत्पत्ति होने से उत्पादन अधिक होगा। उत्पादन अधिक होने से, यदि माँग वही रहे, मूल्य गिरेगा। मूल्य गिरने में सीमान्त भूमि पर कृषि कार्य बन्द हो जायगा, अर्थात् वह अनु-सीमान्त भूमि हो जायगी। अब सीमान्त एवं अन्य प्रकार की भूमियों की उत्पत्ति का अन्तर कम हो जायगा, क्योंकि अब सीमान्त भूमि पूर्ववत् सीमान्त भूमि की अपेक्षा अच्छी होगी। उत्पत्ति का अन्तर कम होने के कारण लगान भी कम हो जायगा। यदि यह कृषि की उत्पत्ति केवल अच्छी भूमि तक ही सीमित हो तब तो लगान में वृद्धि होगी, क्योंकि अब सीमान्त और अधि-सीमान्त भूमि की उत्पत्ति का अन्तर पहले की अपेक्षा अधिक हो जायगा। परन्तु यदि उत्पत्ति घटिया भूमि में सम्बन्धित होगी, तो सीमान्त व अधि-सीमान्त भूमि की उत्पत्ति का अन्तर कम हो जाने के कारण लगान में कमी होगी।

यदि कृषि उत्पत्ति लगभग सभी प्रकार की भूमियों ( घटिया, घटिया एवं साधारण) पर हो जाय और यदि कृषि में उत्पत्ति ह्यम-नियम को क्षीप्त लागू होने में रोकने जायें, तो अधिक घटिया भूमि को जोतने की प्रवृत्ति स्वयं ही जायगी और बड़िया एवं घटिया भूमियों की उत्पत्ति में अधिक अन्तर इन की प्रवृत्ति में न जायगी। इसका परिणाम यह होगा कि समस्त भूमियों की उत्पत्ति में वृद्धि होगी जिसके कारण उत्पादित वस्तुओं की पूर्ति बढ़ जायगी। यदि माँग पूर्ववत् ही है तो वही पूर्ति से मूल्य गिरने लगेगा जिसके कारण लगान भी कम होने लगेगा। यदि पूर्ति के साथ-साथ माँग में भी वृद्धि होने लगे, तो लगान कम होने की प्रवृत्ति में स्काइट उत्पन्न हो जाती है।

कृषि में उत्पत्ति ह्यम नियम लागू होने का लगान पर प्रभाव—वास्तव में देखा जाय तो कृषि में उत्पत्ति-ह्यम नियम के लागू होने के कारण ही लगान उत्पन्न होता है। अब, इस प्रवृत्ति के लागू होने की अवस्था में लगान बढ़ता है। यदि अन्य बातें पूर्ववत् रहें, तो उत्पत्ति-ह्यम-नियम को रोकने वाली बातें—जैसे कृषि कला व रीतियों में उत्पत्ति आदि लगान को घटाती है।

(३) जनसंख्या की वृद्धि का प्रभाव (Effect of Increase in Population)—जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण कृषि-पदार्थों की माँग बढ़ेगी

जिसकी पूर्ति विस्तृत एर गहरी सेतो द्वारा की जावेगी, अर्थात् या तो घटिया यानी अनु-सोमान्त भूमि पर खेती की जावेगी अथवा उमी भूमि पर पूँजों व श्रम की अधिकताधिक मात्राएँ लगाकर खेती करनी पड़ेगी। ऐसी अवस्था में अति सोमान्त भूमि (Super-marginal Land) या अति सोमान्त मात्रा ( Super-marginal Dose ) की प्रतिरिक्त उपज या वृद्ध अतिरिक्त हो जायेगी जिसके फलस्वरूप लगान बढ़ जायगा। इनके प्रतिरिक्त, जनसंख्या में वृद्धि होने से भूमि की माँग अनेक अकृषि कार्यों के लिए भी बढ़ जायेगी, जैसे भवन एवं उद्योगशाला निर्माण आदि। इस कारण भी भूमि का लगान बढ़ जायगा।

(४) सभ्यता के विकास का प्रभाव ( Effect of Progress in Civilization) - सभ्यता की उन्नति का प्रभाव भी लगान पर उमी प्रकार पड़ता है जिस प्रकार कि जन-संख्या की वृद्धि का पड़ता है। इसे अधिक स्पष्ट करते हुए यों कहा जा सकता है कि सभ्यता के विकास से लगान में वृद्धि होती है, क्योंकि लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो जाने से अधिक वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है जिनकी पूर्ति के लिये अधिक भूमि की माँग बढ़ जाती है। कृषि के प्रतिरिक्त वाय-वर्गीयों, खेल के मैदान आदि बनाने के लिए भी भूमि की आवश्यकता होगी। अस्तु, इस कारण भी भूमि का लगान बढ़ जायगा।

### लगान के कुछ अन्य स्वरूप (Other Kinds of Rent)

१. इमारती भूमि का लगान (Rent of Building Sites)—  
इमारती भूमि का लगान भी उसी सिद्धान्त से विनिश्चय होता है जिन सिद्धान्त से कृषि-भूमि का। अन्तर केवल देना ही है कि कृषि भूमि के लगान निर्धारण में उसकी उर्वरा शक्ति तथा स्थिति दोनों का ही प्रभाव पड़ता है, परन्तु इमारती भूमि पर केवल उसकी स्थिति का ही प्रभाव पड़ता है। इसलिये इमारती भूमि के लगान को स्थिति लगान ( Situational Rent ) कहते हैं। रहने की इमारतों के लिये स्वास्थ्यप्रद जनवायु, प्राकृतिक सौन्दर्यता, स्वच्छता, सुरक्षता, आवागमन व बाजार की सुविधाओं युक्त स्थिति अत्यन्त समझी जाती है। व्यापार के लिये ऐसा स्थान जहाँ बहुत सौ अन्य दुकानें हों, बहुत से ग्राहक आने जाते हों तथा माल के आनायात की सुविधाएँ हों, अत्यन्त समझा जाता है। अन्तु, जो भूमि बगनी के मध्य अथवा बाजार आदि में स्थित होती है उसका लगान बहुत अधिक होता है, परन्तु जो भूमि बगनी या बाजार से बहुत दूर स्थित होती है उसका लगान बहुत ही कम होता है, जैसे दिल्ली के चाँदनी चौक में स्थित भूमि का लगान गहादरा के पास वाली भूमि से बहुत अधिक होगा। इस प्रकार चाँदनी चौक की भूमि अपनी अत्यन्त स्थिति के कारण गहादरा के निकटवर्ती भूमि के ऊपर भिन्नक लाभ ( Differential Advantage ) प्राप्त करती है। इस स्थिति के कारण उत्पन्न हुआ फायदा वा अन्तर ही 'इमारती भूमि का लगान' कहलाता है।

धनः यह स्पष्ट है कि एक ही समय में विभिन्न भू-भाग (Plots of Land) विभिन्न स्थिति में बने हुए होते हैं। उनमें से एक भू-भाग ऐसा होता है जो भवन-निर्माण के लिए अनुपयुक्त होता है और उस पर कोई लगान प्राप्त नहीं होता है। ऐसा



सू-भाग सीमान्त या लगानहीन होगा और अन्य सू-भाग जिनकी स्थिति भवन निर्माण की दृष्टि से अशुभी होती है, अर्थात् सीमान्त सू-भाग कहलायेंगे। अर्थात्-सीमान्त भूमि का स्थिति-सम्बन्धी अतिरिक्त या भिन्नक लाभ ही उसका लगान होगा।

भारतीय भूमि का लगान बढ़ना-घटता भी रहता है। यदि किसी भूमि के पास से भड़क निकल जाये या सरकारी कार्यालय अन्य स्थान में उठ कर आ जाये, तो उस भूमि का लगान अवश्य बढ जाता है। किसी के पास से सब प्रकार की भुविधाओं को हटा लेने से उसका लगान कम हो जाता है।

२. खानों का लगान (Rent of Mines and Quarries)—खानों का लगान भी उसी प्रकार निर्धारित होता है जिस प्रकार कृषि भूमि का। कृषि भूमि और खान के लगान में थोड़ा वा अन्तर अवश्य है और वह यह है कि कृषि-भूमि निरन्तर वन में आ सकती है परन्तु खान की कच्ची धातु कुछ समय के पश्चात् ही समाप्त हो जाती है। इस कारण खान के स्वामी न केवल इसलिये ही लगान लेते हैं कि उनकी खान कच्ची धातु से परिपूर्ण है वरन् इसलिये भी लगान लेते हैं कि उनकी खान में कच्ची धातु निकाली जाती है।

खान के लगान में दो प्रकार की राशि सम्मिलित होती है—(अ) अधिकार शुल्क या राजराना (Royalty) वह राशि है जो पट्टेदार खान में से खनिज-पदार्थ निकालने के उपलक्ष्य में खान के स्वामी को देता है। कृषि भूमि की उर्वरा-शक्ति के लिए इस प्रकार की कोई राशि नहीं देनी पड़ती है, क्योंकि भूमि की उर्वरा-शक्ति पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हो जाती। यदि भूमि का उपयोग सावधानी में किया जाय तो इसकी उर्वरा-शक्ति कायम रह सकती है। (आ) वास्तविक लगान (Rent Proper) वह अतिरिक्त श्रवत या लाभ है जो खान खोदने तथा स्थिति सम्बन्धी भुविधाओं के कारण सीमान्त खान के ऊपर अर्थात् सीमान्त खान को प्राप्त होता है। इस दृष्टि से कृषि-भूमि के लगान और खान के वास्तविक लगान में पर्याप्त समता है।

खनिज पदार्थ की माँग बढ़ने में या तो बटिया खानें खोद कर (Extensively) खनिज पदार्थ निकाला जाता है या अशुभी खानों पर ही अधिकधिक श्रम और पूँजी की मात्रा लगा कर (Intensively) खनिज पदार्थ निकाला जाता है। इस कार्य में खनिज पदार्थ निकालने के मुद्दे हुए एक अधिक मूल्यवान् द्रव्य का प्रयोग किया जाता है। किसी विशिष्ट समय एक ऐसी खान अवश्य होगी जिसका खोदना कठिन होगा या जिसकी स्थिति खराब होगी। इस सीमान्त या लगानहीन खान कहेंगे। अन्य खानें अर्थात्-सीमान्त होगी। इसी प्रकार गहरी खुदाई (Intensive Mining) में सीमान्त या लगानहीन श्रम व पूँजी की मात्रा अवश्य होगी। अतः सीमान्त या लगानहीन खान और अर्थात्-सीमान्त खान के अन्तर या भिन्नक लाभ (Differential Advantage) को 'खान का लगान' कहते हैं।

३. मत्स्य क्षेत्र का लगान (Rent of Fisheries)—मत्स्य क्षेत्रों (मछली पकड़ने के स्थानों) का लगान भी कृषि-भूमि के लगान की भाँति ही निर्धारित होता है। कृषि-भूमि एवं मत्स्य क्षेत्र के लगान में पूर्ण समानता है। कुछ अर्थशास्त्र के विद्वानों का मत है कि जिस प्रकार कृषि-भूमि का सावधानतापूर्वक प्रयोग उसकी उर्वरा-शक्ति का कायम रखकर कृषि-कार्य को निरन्तर चलाने योग्य बना देता है, ठीक उसी प्रकार यदि मत्स्य क्षेत्रों का सावधानी से प्रयोग किया जाय तो मछलियों की पूर्ण स्वाभाविकी रूढ़ि और मछली पकड़ने का कार्य निरन्तर चलना रहेगा। कुछ मत्स्य क्षेत्रों में

मछलियों बहुत अधिक तथा किताबे पर पाई जाती है जिससे उन्हें सुगमता तथा कम व्यय में पकड़ा जा सकता है। परन्तु कई मत्स्य क्षेत्रों में मछलियाँ कम संख्या में तथा विचारों में हट कर दूर पाई जाती है जिससे उन्हें पकड़ने में कठिनाई होती है तथा व्यय भी अधिक लगता है। अतः यह स्पष्ट है कि किसी विविष्ट समय में कोई एक मत्स्य क्षेत्र पैसा होगा जहाँ मछलियों पकड़ने का व्यय और पकड़ में प्राप्त आय बराबर होगी और अन्य क्षेत्रों में धीरे-धीरे मछलियों के पकड़न में आय लागत में बढ़ी अधिक होंगी। पहला क्षेत्र सीमान्त या लगानहीन होगा और दूसरी क्षेत्रों में समान मत्स्य क्षेत्र अधि-सीमान्त होंगे। अतः, घुरे व अष्ट्रे अर्थात् सीमान्त तथा अधि-सीमान्त मत्स्य क्षेत्रों के लाभ के अन्तर यानी भिन्नक लाभ (Differential Advantage) का 'मत्स्य क्षेत्रों का लगान' कहते हैं।

५. आभास या अर्द्ध-लगान (Quasi-Rent)—आभास या अर्द्ध-लगान की परिभाषा का प्रचार मध्य पहल प्रो० मार्शल ने किया था। मार्शल ने बताया कि जिस प्रकार भूमि पर लगान प्राप्त होता है उसी प्रकार उत्पत्ति के अन्य साधनों पर भी लगान प्राप्त हो सकता है। भूमि के लगान तथा अन्य उत्पत्ति के साधनों पर प्राप्त होने वाले लगान में अन्तर उतना ही अन्तर है कि भूमि को पूर्ण सीमित एवं निश्चित होता है और वह घटाई-बढ़ाई नहीं जा सकती, किन्तु अन्य उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण कुछ समय के लिये तो निश्चित हो सकती है परन्तु वह सदा के लिये निश्चित नहीं हो सकती। इसे अधिक स्पष्ट करते हुए या कहा जा सकता है कि अन्य उत्पत्ति के साधनों की पूर्ण को माँग के अर्थ पर बढ़ाया जा सकता है और माँग के घटन पर घटाया जा सकता है। इन कारणों भूमि में प्राप्त होने वाले अतिरिक्त उत्पत्ति या वचन (Surplus) और अन्य साधनों में प्राप्त होने वाले अतिरिक्त उत्पत्ति या वचन में भेद करना आवश्यक है। पूर्ण भूमि की अतिरिक्त उत्पत्ति या वचन का नाम 'लगान' है, इसलिये अन्य साधनों को अतिरिक्त उत्पत्ति या वचन का नाम 'आभास या अर्द्ध-लगान' रमा गया है। अन्य उत्पत्ति के साधनों का अतिरिक्त लाभ भी भूमि के लगान के तुल्य होता है, इसलिये इसे आभास या अर्द्ध-लगान कहा गया है। प्रो० मार्शल के शब्दों में आभास या अर्द्ध-लगान वह भिन्नक लाभ (Differential Advantage) है जो उत्पत्ति का साधन जिसकी पूर्ति धीरे-धीरे बढ़ाई-घटाई जा सकती है, अपने ही जैसे अन्य उत्पत्ति के साधन के ऊपर प्राप्त करता है। उत्पत्ति के इन साधनों में मशीन, वास्तु (फैक्ट्री), व्यापारिक-शोष्यता, शिल्पकार की उद्यता व अन्य मनुष्य-वृत्त साधन सम्मिलित हैं। उदाहरणार्थ, मुद्रण में जबकि देश में अधिक मशीनें बनायीं या बाहर से मँगाना सम्भव नहीं होता है, तब मशीनकारों ही अधिक लाभ कमाते हैं, क्योंकि मशीनों की माँग अधिक बढ़ जाती है और पूर्ण में कोई वृद्धि नहीं हो पाती। मुद्रण-मशीनों के साथ ही यह विषय परिस्थिति भी सम्भव हो जाती है और शर्तें घटने पूर्ण बढ़ाव की सुविधा मिलती जाती है जिससे कारण अत्यन्त ही लाभ भी कम होने हुए तुल्य हो जाते हैं। इन अर्थसाधनों लाभों को जोकि किसी उत्पत्ति के साधन की अत्यन्त ही सुगमता के कारण उनमें स्वामी को प्राप्त होते हैं, आभास या अर्द्ध-लगान कहते हैं।

आभास या अर्द्ध-लगान के सम्बन्ध में पर्यवेक्षणों में थोड़ा भ्रमभेद है। कुछ विद्वानों के अनुसार जिस समय में उत्पत्ति के साधन की पूर्ण नहीं बढ़ाई जा सकती

उम काठ की मारी प्रायः आभास या अर्द्ध-लगान कहलायेगी। इनके विपरीत पतनम (Flux) चादि विद्वाना का कहना है कि मासाम्य प्रायः से जितनी अधिक प्रायः इस काम में प्राप्त होती है वैसेवले नही प्रायः आभास या अर्द्ध-लगान है। यह दूमरी धारणा कुछ अधिक ठीक प्रतीत होती है।

आभास या अर्द्ध-लगान के निर्धारण में समय का महत्त्व—प्राप्तम लगान के निर्धारण में समय का बड़ा महत्त्व है। आभास या अर्द्ध-लगान अल्पकाल के लिये ही प्राप्त हो सकता है। दीर्घकाल में यह घट जाता है या बिल्कुल समाप्त हो जाता है अथवा हानि में परिवर्तित हो जाता है। यदि पुराने उत्पत्ति के साधना के स्थान पर नये साधना का प्रयोग होने लगे तो आभास लगान बिल्कुल समाप्त हो जायगा।

आभास या अर्द्ध-लगान की धारणा का व्यावहारिक महत्त्व—आभास या अर्द्ध-लगान की धारणा व्यावहारिक दृष्टि में बड़ा महत्त्व रखती है, क्योंकि यह जीवन के बढ़ने में क्षेत्रों पर लागू होती है। एक उत्पादक या निर्माता किसी व्यापारिक भेद (Trade Secret) के कारण कुछ समय तक बढ़ने का लाभ उठा सकता है। भेद के खुलने ही वह लाभ समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार एक उत्तम सिलायी, एक दम ह जीनियर, एक पट्टे गायक जब तक उनके पयाम प्रतिद्वन्द्वी उत्पन्न नहीं होते, आभास या अर्द्ध-लगान प्राप्त कर सकते हैं।

लगान और आभास या अर्द्ध-लगान की समता या विषमता—  
(१) भूमि एवं अन्य निःशुल्क प्राकृतिक प्रसादों की प्रायः को लगान कहते हैं और मनुष्य कृत यन्त्र व उपकरणों की प्रायः को आभास लगान कहते हैं। (२) लगान स्थायी वस्तु है परन्तु आभास या अर्द्ध-लगान अस्थायी वस्तु है। (३) प्रायःकाल में भूमि के समान प्रायः उत्पत्ति के साधनों की पुनः भी निश्चित होती है और वह भूमि के समान बर्बाद नहीं जा सकती। दीर्घकाल में भूमि की पुनः तो फिर भी निश्चित रहती है, परन्तु अन्य साधनों की पुनः मनुष्य द्वारा बर्बाद जा सकती है। (४) अल्पकाल में आभास या अर्द्ध-लगान और भूमि का वही सम्बन्ध होता है जो सम्बन्ध लगान और भूमि का स्थायी रूप में होता है। (५) लगान भूमि का अद्य नहीं होता। परन्तु दीर्घकाल में आभास लगान या तो नष्ट हो जाता है या भूमि का अद्य बन जाता है। (६) अल्पकाल में लगान की भाँति आभास लगान भी अन्ततः एक लाभ है, क्योंकि वस्तु की लागत में कोई वृद्धि हुए बिना ही किसी साधन का मूल्य बढ़ जाता है। परन्तु दीर्घकाल में आभास लगान का ही अन्त हो जाता है, यह वास्तविक बचन नहीं रहता।

५. लगान में अनुपाजित वृद्धि (Unearned Increment)—भू-स्वामी द्वारा भूमि में सुधार कर देना या भूमि का मूल्य बढ़ जाना ही स्वाभाविक है। परन्तु कभी कभी ऐसी सामाजिक परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं जिनके कारण भूमि का मूल्य स्वन ही बढ़ जाता है और बिना प्रयास किए ही भू-स्वामी का लाभ होने लगता है। इन सामाजिक परिस्थितियों के कारण बिना भू-स्वामी के अप्रत्यक्ष रूप से भूमि में वृद्धि होने को अनुपाजित वृद्धि (Unearned Increment) कहते हैं। इन प्रकार की भूमि में वृद्धि बढ़े कारणों में होती है—जैसे किसी बजार भूमि पर कारखाना स्थापित हो जाय, किसी भू-भाग के आस-पास कोई नगर बन जाय या वट्ट किसी शहर से यातायात के साधना द्वारा बिना बिना जाय

भयवा वहाँ रेल का स्टेशन बन जाय, आदि। उदाहरणार्थ पहले दिल्ली में हुजारी एकड़ भूमि धरने पड़ी थी किन्तु भय वहाँ नहीं दिल्ली, करीब बाग व कमला नगर आदि बन जाने से उसकी माँग बहुत बढ़ गई है और फलतः उसका मूल्य बढ़ गया है। इस उन्नति का कारण नये स्थानों का निर्माण है तथा इसमें भू-स्वामियों का कोई प्रयत्न नहीं है। इसलिये ऐसी लगान वृद्धि 'अनुपाजित-वृद्धि' कही जाती है।

अनुपाजित वृद्धि सामाजिक कारणों का परिणाम होता है। इसमें भू-स्वामी को कोई प्रयत्न नहीं करने पड़ता है। अतः बहुत से भू-स्वामियों विशेषतया समाजवादियों (Socialists) का मत है कि इस पर भू-स्वामियों का व्यक्तिगत रूप में कोई अधिकार नहीं होना चाहिये, बल्कि सरकार के माध्यम द्वारा उसे जनहित कार्यों में व्यय करना चाहिये। अतः, सरकार या तो सारी भूमि का राष्ट्रीयकरण (Nationalisation) कर अपनी ही बनाले भयवा इस वृद्धि को कर (Tax) के रूप में ले ले।

६. योग्यता का लगान (Rent of Ability)—प्रत्येक व्यवसाय भयवा धन्ये में कुछ व्यक्ति तो बड़े योग्य एवं कुशाग्र वृद्धि वाले होते हैं जिन्हें अधिक सीमान्त योग्यता वाले व्यक्ति कहा जा सकता है और कुछ अपेक्षाकुन कम योग्य होने हैं जिन्हें सीमान्त योग्यता वाले व्यक्ति कहा जा सकता है। अधिक-सीमान्त योग्यता वाले व्यक्ति सीमान्त योग्यता वाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक कार्य करते हैं तथा अधिक कमाते हैं। अतः अधिक-सीमान्त योग्यता वाले व्यक्तियों की श्राय में सीमान्त योग्यता वाले व्यक्तियों की श्राय की अपेक्षा कुछ बचत रहती है जिसे 'योग्यता का लगान' कहे हैं। अर्थशास्त्र में इसे लाभ (Profit) कहते हैं।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—आर्थिक लगान किस प्रकार निर्धारित होता है, समझाइए। कृषि-विधि में सुधार हो जाने से खेतों के लगान पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
- २—लगान का क्या अर्थ है ? यह किस प्रकार निर्धारित होता है ?  
(रा० बो० १९६०)
- ३—आर्थिक लगान (Economic Rent) और ठेके के लगान (Contract Rent) का अन्तर स्पष्ट कीजिये। आर्थिक लगान किस प्रकार निर्धारित होता है ?
- ४—रिकार्डों का लगान विद्वान्त समझाइये। भारत में लगान पर निम्न कारणों का क्या प्रभाव पड़ता है :  
(क) रीति-रिवाज और प्रतियोगिता, (ख) कृषि की संशोधित प्रणाली, (ग) यातायात के अच्छे साधन।
- ५—लगान के विद्वान्त की व्याख्या कीजिये। यह भारतीय दरगामों में किन शर्तों के साथ लागू होता है ?
- ६—"लगान उम उत्पत्ति व्यय का भय नहीं होता जो मूल्य को प्रभावित करता है।" इस कथन की सत्यता को प्रमाणित कीजिये।
- ७—कृषि भूमि पर लगान का उदय किस प्रकार होता है ? लगान पर कृषि प्रणाली में सुधार का क्या प्रभाव पड़ता है ?

- ८—रिवाजों व जमान सिद्धान्त का वर्णन कीजिये और इसकी आलोचना भी करिये । (१० वा० १९४२, १० वा० १९४७, दिल्ली हा० सं० १९५०, ४०)
- ९—आर्थिक जमान और ठेक व जमान में भेद दर्शाइये । 'जमान एक बृहत् जति का मुख्य अंग है । इस अर्थ की व्याख्या कीजिये । (१० वा० १९५१)
- १०—आर्थिक जमान और ठेक के जमान में अन्तर स्पष्ट कीजिये । पूर्ण प्रतिबोधना में ये किस प्रकार निर्धारित हुए हैं ? (१० वा० १९४९)
- ११—'अनाज व दाम इतनीसे अधिक नहीं होते कि जमान लिया जाता है वरन् जमान इतनीसे लिया जाता है कि अनाज के दाम अधिक हों ।'—रिवाजों के इस अर्थ की स्पष्टीकरण कीजिये । (१० वा० १९५६)
- १२—कृषि भूमि पर जमान किस प्रकार उदय होता ? जमान पर निम्नलिखित का क्या प्रभाव पड़ता है —

(क) यानायात व माधना में विकास, (ख) जनसंख्या में वृद्धि ।

(१० वा० १९५१, १० भा० १९५१)

- १३—(क) कृषि के माधना में सुधार और (ख) यानायात के माधना में उत्पत्ति का लेती व जमान पर प्रभाव बताइये । भारतीय उदाहरण देकर समझाइये ।

(१० भा० १९५७)

- १४—एक उदाहरण देकर समझाइये कि गहरी खेती पर आर्थिक जमान किस प्रकार उदय होता है ? आर्थिक जमान के मुख्य लक्षण बताइये । (नागपुर १९५०, ४८)

- १५—आर्थिक जमान किस प्रकार निर्धारित होता है ? जमान उत्पादन व्यय का अंग नहीं है, समझाइये । (नागपुर १९४९)

- १६—आर्थिक जमान की परिभाषा लिखिये । गहरी खेती में आर्थिक जमान किस प्रकार निर्धारित होता है ? (नागपुर १९४८)

- १७—यदि निम्न अवस्थाओं में भी जमान का उदय होगा —

(अ) भूमि व मजदूरी उर्ध्वता और स्थिति में समान है ।

(आ) भूमिपति स्वयं भूमि का जमान है ।

(इ) यदि भूमि पर सामान्य उपज व धन का नियम लागू न हो ।

(पञ्जाब १९२६)

### इष्टर एग्रीकल्चर परीक्षा

- १८—आर्थिक जमान की परिभाषा लिखिये । यह किस प्रकार उत्पन्न होता है ? इसकी मात्रा किस प्रकार की जाती है ? व क्या उचित है जितना जमान में वृद्धि शक्य है ?

भारत में भू-धारण-पद्धति एवं  
मालगुजारी प्रथा

(Land Tenure and Land Revenue  
System in India)

भू-धारण-पद्धति एवं मालगुजारी प्रथा की आवश्यकता - भारत में भू-धारण पद्धति एवं मालगुजारी प्रथा का विशेष महत्त्व है। भू-धारण-पद्धति (भूमि-पट्टों) का प्रभाव राज्य पर पड़ता है। राज्य देश की भूमि की व्याख्या करने के बहुत उम भूमि को या किसी निश्चित भूमि के भागों को किसी व्यक्ति या व्यक्ति-समूह को सौंप देता है। परन्तु इस अधिकार प्राप्ति के उपलक्ष में व्यक्ति या व्यक्ति-समूह राज्य को लगान देता है। भूमि पर अधिकार-प्राप्ति को भू-धारण पद्धति और उसके बदले में लगान देने को मालगुजारी प्रथा कहते हैं। इनका प्रभाव कृषि के उत्पादन पर भी पड़ता है। यदि किसी कृषक को अपनी ही भूमि हो या भूमि पर सदा के लिये अपना ही अधिकार हो तथा राज्य को अधिक लगान नहीं देना पड़ता हो, तो वह बहुत लगन और उत्साह के साथ कृषि करेगा जिससे फलस्वरूप कृषि में उन्नति अधिक होगी। अन्य कृषक जिनकी भूमि अपनी स्वयं की नहीं होती है या जिनको भूमि पर पूर्ण अधिकार प्राप्त नहीं होता है वे लगन और उत्साह से कृषि नहीं करते जिसके परिणाम स्वरूप उत्पादन कम होता है। इस प्रकार भू-धारण-पद्धति तथा मालगुजारी प्रथा देशवासियों के जीवन-स्तर को भी प्रभावित करती है। इसमें संदेह नहीं कि जिस प्रकार राष्ट्रोन्नति के लिये मुख्यवस्थित शासन प्रबन्ध आवश्यक है, उसी प्रकार कृषि की उन्नति के लिये भूमि की उचित व्यवस्था भी परमावश्यक है। अस्तु, कृषि की उन्नति और विकास के लिये तथा समाज में शान्ति और समतोल स्थापित करने के लिये न्याययुक्त भू-धारण पद्धति एवं मालगुजारी प्रथा की परम आवश्यकता है।

भारत में भूमि से सम्बन्धित पक्ष—भारत में भूमि का वास्तविक स्वामी राज्य अथवा सरकार है क्योंकि भारत की समस्त भूमि एक प्रकार से उसी की ही है। इसलिये यह सबसे बड़ा जमींदार या सर्वोच्च भू-स्वामी (Supreme Landlord) कहा जा सकता है। सभी-कभी राज्य सरकार भूमि के निश्चित भागों को कुछ व्यक्तियों में वितरण कर उन्हें उन भूमियों में स्वामित्व या अधिकार दे देती है और वे इसके उपलक्ष में सरकार को मालगुजारी देने रहते हैं। इस प्रकार प्राप्त भूमि पर वे स्वयं कृषि करे अथवा दूसरा का लगान पर उठा दे, यह उनकी इच्छा पर निर्भर है। इन व्यक्तियों का जमींदार (Zamindar) या भू-स्वामी

Landlord) कहते हैं। जब खेत जोतने वाले कृषि के लिए भूमि मालिक सरकार से लगान का आधार पर लेते हैं और उनके व सरकार के मध्य कोई अन्य भू-स्वामी नहीं होता है, तो ऐसे व्यक्ति जिनका भूमि म सम्बन्ध होता है, कृषक (Cultivator or Tenant) या लगानदार (Rent-payer) कहलाते हैं।

भू धारण-पद्धति एवं मालगुजारी प्रथा का अर्थ एवं परिभाषा—अंग्रेजी शब्द 'Land Tenure' का अर्थ 'भू धारण' से है। Land का अर्थ 'भूमि' और 'Tenure' का अर्थ 'धारण' है। Tenure शब्द लैटिन भाषा के 'tenere' शब्द से बना है जिसका अर्थ 'To hold' अर्थात् धारण करना है। अस्तु, भू धारण-पद्धति से उन नियमों तथा शर्तों से आशय है जिनके आधार पर एक पक्ष दूसरे से कृषि के लिये भूमि प्राप्त करता है। अन्य शब्दों में, भू-धारण पद्धति से हमारा उन अधिकारों तथा दायित्वों से आशय है जिनके आधार पर जमींदार, लगान इकट्ठा करने के लिये या खेती करने के लिये कृषक-आसामियों को देने के लिये, सरकार से जो देश में समस्त उपलब्ध भूमि की सैद्धान्तिक रूप में वास्तविक स्वामी है, प्राप्त करता है, जबकि साधारणतया भू धारण पद्धति में तात्पर्य होता है, उन शर्तों का जिनके आधार पर कृषक जोतने के लिये भूमि प्राप्त करता है।<sup>1</sup>

मालगुजारी प्रथा (Land Revenue System)—यह प्रथा है जिसके अन्तर्गत नियमानुसार सरकार जमींदार से उसकी भूमि पर अधिकार देने के उपलक्ष्य में मालगुजारी वसूल करती है। जमींदार या भू-स्वामी कृषक और सरकार को मिलाने वाला व्यक्ति है जो कृषक से लगान वसूल करके सरकार को मालगुजारी देता है और इस प्रकार कृषक और सरकार के मध्य सम्बन्ध स्थापित रहता है।

मालगुजारी (Land Revenue)—जो राशि सरकार जमींदार से वसूल करती है उसे मालगुजारी कहा जाता है। यह राशि उम लगान का एक भाग होता है जो जमींदार कृषक से वसूल करता है।

लगान (Rent)—जो राशि जमींदार या भू-स्वामी कृषक से भूमि जोतने के लिये देने के उपलक्ष्य में वसूल करता है, उसे लगान कहते हैं। इस लगान का अर्थ प्रसविदा लगान से है। वसूल किया हुआ लगान का लगभग ४० या ५०

1—"By Land Tenure we mean the rights and liabilities under which the landlord for the collection of revenue or for the letting of his land to the tenant cultivators holds his land from the Government which is in theory the real Proprietor of all the land available in the country while ordinarily Land Tenure means the terms or conditions on which the cultivator cultivates the holding"

प्रदियत भाग जमींदार को मालगुजारी के रूप में सरकार या राज्य को देना पड़ता है ।

भू-धारण पद्धति एवं मालगुजारी प्रथा का वर्गीकरण—भारतवर्ष में भू-धारण एवं मालगुजारी प्रथा दो भागों में बाँटी जा सकती है—(अ) स्वामित्व प्रथा और (आ) जुताई प्रथा ।

(अ) स्वामित्व प्रथा (Proprietary Tenures)—ये नियम या शर्तें जिनके आधार पर जमींदार या ट्यूपक सरकार से भूमि में स्वामित्व का अधिकार प्राप्त करता है, स्वामित्व प्रथा का निर्माण करती है । जमींदारी महलदारी और रयतदारी प्रथाएँ स्वामित्व प्रथा के कुछ उदाहरण हैं ।

(आ) जुताई प्रथा (Cultivating Tenures)—ये नियम या शर्तें जिनके आधार पर ट्यूपक जमींदार से (अथवा सरकार से जहाँ रयतदारी प्रथा प्रचलित है) जोतने के लिए भूमि प्राप्त करता है, जुताई प्रथा कहलाती है । उत्तर प्रदेश के सन् १९१६ के भू-धारण एवं मालगुजारी कानून अर्थात् काश्तकारी कानून (Tenancy Act) के अनुसार स्थायी-मध्यमस्थ किसान, स्थिर लगान देने वाले किसान, पूर्व स्वामित्व वाले किसान, मोहसी किसान, गैर-मोहसी आदि किसान, जुताई प्रथा के कुछ उदाहरण हैं ।

(ब) स्वामित्व-प्रथा (Proprietary Tenures)—भारत में स्वामित्व प्रथा के अन्तर्गत प्रचलित भू-धारण एवं मालगुजारी प्रथाएँ भारत में अनेक प्रकार की भू-धारण एवं मालगुजारी प्रथाएँ प्रचलित हैं जिनमें से मुख्य निम्नलिखित हैं —

१. जमींदारी प्रथा (Zamindari System)—इस प्रथा के अन्तर्गत राज्य या सरकार की ओर से जमींदार को भूमि के स्वामित्व का अधिकार होता है जिसे उपरान्त से वह सरकार को निश्चित मालगुजारी देता है । इस प्रकार सरकार से प्राप्त भूमि का स्वामी जमींदार होता है और उस क्षेत्र या सम्पूर्ण गाँव की सरकारी मालगुजारी का भुगतान करने का उत्तरदायित्व जमींदार का ही होता है । प्रायः जमींदार स्वयं खेती नहीं करता बल्कि वह भूमि को लगान पर उठा कर किसानों से लगान वसूल करता है । इस लगान का लगभग ५० प्रतिशत भाग जमींदार को सरकार के खजाने में मालगुजारी के रूप में जमा करना पड़ता है और बाँय उसकी जेब में चला जाता है । इस प्रथा में किसान और सरकार के मध्य कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होगा । यह प्रथा बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी पूर्वी जिलों में तथा उत्तर प्रदेश में दाराणसी कमिश्नरी में प्रचलित है । इनके अतिरिक्त पंजाब मध्य प्रदेश और आसाम के कुछ भागों में भी यह प्रथा पाई जाती है । अथवा के तालुकदार भी जमींदार ही माने जाते हैं और बड़े बड़े इलाकों को मालगुजारी देते हैं । इनमें से कई प्रांतों में तो जमींदारी उन्मूलन की योजनाएँ बन चुकी हैं ।

जमींदारी प्रथा में मालगुजारी निर्धारित करने के ढंग—जमींदारी प्रथा में मालगुजारी निर्धारित करने के ढंग दो रूप हैं—(क) स्थायी बन्दोबस्त (Permanent Settlement) और (ख) अस्थायी बन्दोबस्त (Temporary Settlement) । स्थायी बन्दोबस्त अर्थात् स्थायी भूमि व्यवस्था में जमींदारों से सी जान बाँकी मालगुजारी सदा के लिए निश्चित कर दी गई है और उस वशया



या घटाया नहीं जा सकता। यह डग बंगाल बिहार मद्रास के उत्तरी पूर्वी भाग तथा उत्तर प्रान्त में बारासगंभी बगिचररी में प्रचलित है। इनके विपरीत अस्थायी बंदागस्त भयाव् अस्थायी भूमि व्यवस्था में मालगुजारी को खाने खाने का अधिकार सरकार को होता है और निश्चित अर्थात् के पश्चात् (प्रति १० २० ३० ४० वर्षों के पश्चात्) जाच पडताल करके भूमि की खराब गति के आधार पर मालगुजारी की राशि भ परिवर्तन कर दिया जाता है। बंगाल व कुछ भाग में और उत्तर प्रान्त व अन्ध के तालगुजारी में अस्थायी व गंदाव है।

जमींदारों प्रथा के मूल (Ment) —(१) भारत में ईसा १८५० वर्ष की अघिकाधिक मानगुजारी प्राप्त करने व उद्देश्य में इसे अपनाया था और उनका यह उद्देश्य निरादेह पूर्ण हुआ। उनका उग समय अर्पि के विकास का भूमि की उन्नति से कोई सम्बन्ध नहीं था। (२) इन प्रथा में इनका नाम यह हुआ कि इसके अपनेने से एक ऐसे वग की जन्म मिला जा सकता कम्पनी के शासन को रखायी बनाने के लिये प्रयत्न करते रहे। इस प्रकार इस प्रथा में राजनतिक दृष्टि से लाभ था।

दोष (Demer its) —(१) जमादार बिना परिश्रम व धन प्राप्त करते हैं और उसका उपयोग अपने व्यक्तिगत सुख के लिए करते हैं समाज हित के लिए नहीं। निम्न जमींदार किसानों की राशि बसाइन दान वगे मोठ बढ़ाते हैं।

(२) जमादार वग देना हित के लिये समाज का नेतृत्व ग्रहण करने में असमर्थ रहे हैं। अधिकतर जन दान प्रितिग साम्राज्यवाद के समर्थक व सहायक और राष्ट्रीय आन्दोलन के शत्रु थे।

(३) जमींदार किसानों का नाना प्रकार से शोषण करते हैं। व गर मीन्को किसानों से मनमाना लगान वसूल करते हैं और समय समय पर उनको बेदखल करने की धमकी देते रहते हैं।

(४) जमींदार त्यौहार तथा विवाह आदि व अवसरों पर किसानों से नजराना (भट) व अनेक भत्त लागू लेते हैं।

(५) जब कोई श्रमक अपने पेतों की स्थायी उन्नति के लिये पक्वबंदा या श्रम वाप करना चाहते हैं तब जमींदार उसकी स्वावृत्ति नहीं देते हैं। अधिकांश जमींदार वग सुधार विरोधी प्रकृति का होता है।

(६) जम सारी प्रथा में भारतीय कृषि और श्रमकों को नष्ट कर दिया है। इन्ने भारतीय श्रमकों के आर्थिक जीवन के विकास को रोकता है तथा भारतीय कृषि को ठेस पहुँचाई है।

(७) जमादार प्रायः विनामप्रिय वग रहे हैं। अधिकतर जमादार गृहण में रहते हैं और अपनी जमींदारी का प्रबंध अपने कंधारिया पर छोड़ देने हैं जो

बतानी से अनेक प्रकार की बेगार कराते हैं और अधिकाधिक लगान-प्राप्ति के लिये उन पर शत्याचार करते हैं ।

(८) प्रायः कृषक जमींदारों के शत्याचारों के शिकार होते हैं जिससे उन्हें मुकदमेबाजी में पेशना पड़ता है। अतः जमींदारी प्रथा में कृषकों और जमींदारों में मुकदमेबाजी बढ़ती है ।

(९) जमींदार प्रायः आर्थिक लगान से भी अधिक लगान वसूल करते हैं जससे किसानों को आर्थिक दबा ब्रिगड जाती है ।

(१०) जमींदारी प्रथा के कारण साधारण कृषक का व्यक्तित्व दबा रहता है, वह अपने को नीचा तथा हेय समझता है और उसमें स्वाभिमान की भावना नष्ट हो जाती है ।

२. महालवारी या संयुक्त ग्राम्य-प्रथा (Mahalwari or Joint Village System)—इस प्रथा के अन्तर्गत गांव की भूमि वा एक जमींदार-रक्षामी नहीं होता वा उस गांव को मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व रखे, बल्कि सारे गांव की भूमि में सह-भागी (Co-sharer) प्रायस में मिल कर व्यक्तिगत तथा सामूहिक रूप में सरकार को मालगुजारी देने का उत्तरदायित्व लेते हैं। प्राय गांव में प्रतिष्ठित व्यक्ति के साथ जिसे सम्बरदार या मालगुजार कहते हैं सरकार सम्भोत या इकरार कर देती है जिसमें अनुमार मालगुजारी के भुगतान वा प्रथम उत्तरदायित्व उस पर होता है। महाल वा पटवारी सम्बरदार को रबी और खरीफ की फसलों के आधार पर वसूल किये जाते बाग सरकारों लगान के व्योरे का बिट्टा बना कर दे देता है। वह इस बिट्टे के आधार पर प्रत्येक कृषक से लगान वसूल करता है और इस प्रकार वसूल हुई कुल राशि को सरकारी खजाने में जमा कर देता है शक्यता मनीशार्जर द्वारा भेज देता है। सम्बरदार को इस कार्य के लिये समस्त वसूल की गई राशि पर निश्चित कमीशन दिया जाता है। गन्ध प्रदेश में उसे 'मालगुजार' कहते हैं। इस प्रथा में प्रस्थायी बन्दोबस्त (Temporary Settlement) होता है जो बीस या तीस साल के लिये किया जाता है। बन्दोबस्त के समय महाल (एक वा अनेक गांवों-गुस्त एस्टेट वा नाम महाल है) की भूमि का लगान-सम्बन्धी मूल्य (Rental Value) निर्धारित किया जाता है और उसके आधार पर १०% से अधिक मालगुजारी निर्धारित नहीं का जाती है। यह प्रथा पंजाब, मध्य प्रदेश और मद्रास उत्तर प्रदेश (सबसे को छोड़ कर में प्रचलित है।

भुगत (Moris)—(१) सरकार को मालगुजारी समय पर मिल जाती है ।

(२) मालगुजारी का भुगतान सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि गांव के भू-स्वामियों या कृषकों का सरकार को मालगुजारी के भुगतान के लिये व्यक्तिगत एवं सामूहिक उत्तरदायित्व होता है ।

(३) लगान अत्यधिक नहीं होता। महाल का पटवारी रबी और खरीफ की फसलों के आधार पर वसूल किये जाते बाग लगान का व्योरे-वार बिट्टा बनाता है जिससे अनुमार सम्बरदार गांव के प्रत्येक किसान से लगान वसूल करता है ।

(४) भूमि एवं कृषि में उत्पत्ति की जा सकती है ।

दोष (Demerits)—(१) इस प्रथा के अन्तर्गत लगान-बन्धुनी के लिये नियत किये गये लम्बरदार को जमींदारों की ही भाँति अत्याचार करने का अवसर तो नहीं मिल पाता, परन्तु बन्दोबस्त के समय इन्हीं को किसानों की मानगुजारी निर्धारण में पक्षपात करते देखा गया है।

(२) इस प्रथा के अन्तर्गत अम्बाला बन्दोबस्त होने के कारण बन्दोबस्त के समय मानगुजारी बढ़ने का भय रहता है।

३. रयतवारी प्रथा (Ryotwari System)—इस प्रथा के अन्तर्गत सरकार तथा रयत (Ryot) अर्थात् कृषकों का सम्बन्ध प्रत्यक्ष यानी सीधा होता है। सरकार और कृषक के बीच जमींदार या लम्बरदार जैसा कोई मध्यस्थ नहीं होता। प्रत्येक कृषक स्वयः ही बन्दोबस्त द्वारा निर्धारित मानगुजारी नियत समय पर सरकारी खजाने में जमा करने के लिये उत्तरदायी होता है। सब प्रकार की भूमि (जोनी हुई या बेकार बड़ी हुई) का अन्तिम स्वामी सरकार होता है। कृषक भूमि का अधिभार सरकार से प्राप्त करता है। कृषक को अपनी भूमि को जोतने, ह्यूमनिरित करने और छोड़ने के अधिभार प्राप्त होते हैं। कृषक का भूमि पर उस समय तक पूर्ण-पूरा अधिभार रहता है जब तक वह सरकारी मानगुजारी बराबर देता रहता है। इस प्रथा में सरकारी श्राव 'कर' के रूप में न होकर 'लगान' के रूप में होती है। इस प्रथा में अम्बाला बन्दोबस्त होता है, अर्थात् १० से ३० वर्षों के लिये मानगुजारी निश्चित कर दी जाती है। इस अवधि के पश्चात् सरकारी कर्मचारी प्रत्येक गाँव में जाते हैं और भू-मापन (Land Survey) के पश्चात् फसलों के आधार पर भूमि की उर्वर-शक्ति का अनुमान लगा कर उसका वर्गीकरण करते हैं। इस प्रकार अगले १० से ३० वर्षों के लिये मानगुजारी पुनः निश्चित कर दी जाती है। प्रायः उपर्युक्त १० प्रतिशत अर्थात् आधा भाग लगान के रूप में ले लिया जाता है। यह प्रथा बम्बई, उत्तरी मद्रास, बरार, आन्ध्र और मध्य प्रदेश में पाई जाती है।

गुण—(Merits)—(१) रयतवारी प्रथा में कृषक भूमि का स्वामी होता है और जब तक वह सरकार को मानगुजारी देता रहता है तब तक उसे वेदवन्ती (Ejectment) का तनिक भी भय नहीं होता है।

(२) इस प्रथा में कृषक दिल लगाकर खेती करता है और उसमें सुधार करने के प्रयत्न करता है। फलतः कृषि का विकास होता है और उत्पादन में वृद्धि होती है।

(३) यह प्रथा जहाँ तक कृषकों का सम्बन्ध है बहुत मुविधाजनक और उपयोगी है। यदि एक कृषक भूमि को जोतना उचित नहीं समझता है या भूमि का लगान अधिक होने के कारण उसका जोतना आर्थिक दृष्टि में लाभकारी नहीं समझता है तो वह उस भूमि को बड़ी सुगमता से छोड़ सकता है।

(४) रयतवारी प्रथा में कृषक को स्थिति एक छोटे-मोटे जमींदार की भाँति

होती है जिसका सरकार से सीधा सम्पर्क होता है और कोई बीच में मध्यस्थ नहीं होता है ।

**दोष (Demerits)**—(१) रेंटवारी प्रथा में सरकार किसी प्रकार भी किसी अनुपस्थित भू-स्वामी से कम नहीं है । सरकार सर्वदा अपना स्वार्थ लगात-बमुर्ती या उमकी बढ़ि में रखती है ।

(२) भूमि पर जुआर करने का उत्तुग्दात्मिक सरकार पर न हाकर कृषक पर होता है और भारत में सरकार को मानगुजारी देने व पश्चात उनके पास जमीन-निर्वाह के लिये भी आय नहीं बढ़ती । परिणामतः वह भूमि पर मुधार नहीं कर पाता है ।

(३) जिसमें रेंटवारी में कृषक और सरकार में बीच मध्यस्थ नहीं होता है । परन्तु देखा गया है कि कृषक अपनी भूमि अन्य किसानों को दे देते हैं और वह उनमें लगान लेते हैं जिसमें रेंटवारी प्रथा की उपयोगिता कम हो गई है क्योंकि उनमें जमींदारी की भाँति अनेक दोष उत्पन्न हो गये हैं ।

(४) इस प्रथा का एक दोष यह भी है कि किसान भूमि मुधार के लिये त्रिज गये ब्रह्म एवं श्रम का पूरा उपयोग नहीं कर पाता क्योंकि बन्धावस्तु के समय मानगुजारी वरदान से दृष्ट उत्पन्न का बहुत कुछ भाग लगान के रूप में बर्त दिया जाता है ।

उपर्युक्त विभिन्न भू-धारण एवं मानगुजारी प्रथाओं का वर्गीकरण सन् १९२०—२८ ई० में निम्न प्रकार था —

भू-धारण एवं मानगुजारी प्रथा का नाम	क्षेत्रफल (लाख एकड़ में)	कुल भूमि का प्रतिशत भाग
१. जमींदारी (स्वायत्त बन्धावस्तु)	१२००	२१%
२. जमींदारी तथा महासवारी (धर्मस्वामी बन्धावस्तु)	१९६०	३६%
३. रेंटवारी	१८३०	३६%

**बन्धावस्तु या भूमि व्यवस्था (Settlement)**—भूमि के उन वर्गीकरण या विभाजन का जिसके द्वारा (क) सरकार को भिन्न-वर्ती मानगुजारी की राशि, (ख) सरकार को मानगुजारी देने के लिये उत्तरदायी व्यक्तियों, और (ग) भूमि में व्यगिनन अधिकारों की निश्चय किया जाता है, उस बन्धावस्तु या भूमि व्यवस्था कहते हैं । बन्धावस्तु में सभी प्रकार के कृषकों के व्यक्तित्व अधिकारों का स्पष्टीकरण हो जाता है, लगान-मुक्तता व उत्तरदायी पक्ष का पता लग जाता है तथा लगान की निश्चित राशि जाती में सारती है । बन्धावस्तु सरकार द्वारा किया जाता है ।

**बन्धावस्तु के भेद (Kinds of Settlement)**—भारतवर्ष में दो प्रकार का बन्धावस्तु प्रचलित है :—

१. स्थायी बन्दोवस्त (Permanent Settlement), और २. अस्थायी बन्दोवस्त (Temporary Settlement) ।

१. स्थायी बन्दोवस्त (Permanent Settlement)—वह भूमि-व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत प्रति वर्ष वसूल की जाने वाली मालगुजारी सदा के लिये निश्चित कर दी जाती है। इस व्यवस्था में जमींदार को भूमि का स्वामी मान लिया जाता है और उसे निश्चित मालगुजारी सरकार को देनी पड़ती है। जब तक वह निश्चित मालगुजारी देता जाता है, तब तक भूमि उससे नहीं छीनी जा सकती। जमींदार सरकार के बगाने हुये नियमों का पालन करते हुये मन-चाहा लगान किसानों में वसूल कर सकता है। स्थायी बन्दोवस्त सन् १७६३ ई० में लॉर्ड कॉर्नवालिस (Lord Cornwallis) ने गवरो पढ़ने बंगाल में जारी किया था। उनके पदचात् यह प्रथा भारत के अन्य भागों में जारी की गई और यह प्रायःकत बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तरी मद्रास, आंध्र, बाराणसी कॉम्प्लेक्स और अजमेर-राजपूत में पारि जायी है।

स्थायी बन्दोवस्त का सक्षिप्त इतिहास—सन् १७६५ में १७६३ तक बंगाल में मालगुजारी इकट्ठा करने का काम कुछ ठेकेदारों को दिया जाता था। मालगुजारी इकट्ठा करने के ठेके नीताम होते थे और बोली लगती थी। ठेकेदार किसानों से मगमाना लगान वसूल करते थे और सरकार को भी अनिश्चित राशि मालगुजारी के रूप में मिलती थी। अस्तु, विवश होकर सन् १७६३ ई० में लॉर्ड कॉर्नवालिस को स्थायी बन्दोवस्त का महाराज लेना पड़ा। मालगुजारी इकट्ठा करने वाले कारिन्दे जमींदार मान लिए गये और भूमि की मालगुजारी सदा के लिये निश्चित कर दी गई। सम्भव है कि उस समय की परिस्थिति के अनुसार यह व्यवस्था उचित हो सकती थी, परन्तु समय बीतने के साथ इस व्यवस्था के दोष प्रकट होने लगे जिनके कारण अब इस प्रथा का अन्त होना प्रारम्भ हो गया है।

स्थायी बन्दोवस्त के गुण (Merits)—इस बन्दोवस्त में निम्नान्वित कुछ लाभ पाये जाते हैं।

१. मालगुजारी की निश्चितता—इस व्यवस्था में सरकार को मालगुजारी की निश्चित राशि प्राप्त हो जाती है। इसमें मालगुजारी सम्बन्धी अनिश्चितता नहीं रही।

२. बन्दोवस्त एवं लगान-वसूली पर कम व्यय—इस प्रकार के बन्दोवस्त में सरकार धार वार बन्दोवस्त करने के अम्हट और व्यय में बच जाती है तथा उसे लगान वसूल करने में कोई कठिनाई तथा व्यय नहीं होता। उन्हें नियत समय पर जमींदारों द्वारा मालगुजारी भी राशि प्राप्त होती रहती है।

३. भूमि के उत्पादन में वृद्धि—इस बन्दोवस्त में किसानों के बढ़ने का भय नहीं रहता। अतः उत्साही जमींदार भूमि की उत्पादन-शक्ति बढ़ाने के लिये आवश्यक प्रयत्न और व्यय करने के लिये प्रोत्साहित होते हैं जिससे वे भूमि को अधिक लगान पर उठा सकें। इनके लिये जमींदारों का शिक्षित, परिश्रमी और योग्य होना आवश्यक है।

४. राजनैतिक लाभ—इस भूमि-व्यवस्था में जमींदारी-प्रथा को प्रोत्साहन

मिला। जमींदार सरकार के अन्त वन गये और इन्होंने ब्रिटिश सरकार को अन्त तक वही सहायता की।

५. जमींदार साम्य निवासियों का स्वाभाविक नेता हो गया—स्वायत्त बन्दोबस्त के परिणामस्वरूप जमींदार के रूप में श्रम के निवासियों का स्वाभाविक नेता प्राप्त हो गया। रियासी बन्दोबस्त के प्रथमको के अनुसार जमींदारों ने किसानों की दशा सुधारने के लिये बहुत से स्मूच तथा अस्पताल आदि सुलुबाय जिमम लैयत की दशा में सुधार हुआ। साथ ही साथ रियासी बन्दोबस्त से कृषि में सुधार भी हुआ।

स्थायी बन्दोबस्त के दोष (Demerits)—श्री एफ० एन० डी० फनाउड की अध्यक्षता में नियुक्त बंगाल मानवसुजारी समीक्षण समूह १९४० में स्थायी बन्दोबस्त की निम्नलिखित दोषों का कारण बंगाल बनाने की सिफारिश की थी —

१. सरकार की आर्थिक हानि—कृषि की उत्पादन शक्ति में वृद्धि, कृषि के विस्तार एवं जन मरणा के बदन में होने वाली भूमि के मूल्य-वृद्धि में सरकार को कुछ भी नहीं मिला पाना। बन्दोबस्त रियासी होने के कारण साग लाभ जमींदार का मिल जाता है। इससे अनिश्चित जमींदारों की भूमि में पाय जाने वाले खनिज पदार्थ, मछली आदि के उत्पादक में होने वाले लाभ का स्वयं हृदय का अधिभार रहता है और सरकार को किसानों की साम्बन्धिक स्थिति का ज्ञान नहीं हो पाना। उक्त समीक्षण में अनुमान लगाया था कि मानवसुजारी का रद्द न किये निर्दिष्ट कर देने का कारण बंगाल सरकार को २ करोड़ से ८ करोड़ रुपये का क्षति होगा है।

२. औद्योगिक उत्थिति में बाधा—स्थायी बन्दोबस्त प्रारम्भ करण समय सरकार का यह धारणा थी कि जमींदार अपनी वही हुई प्राय का उत्थाय प्रथा में लगाव, परन्तु उ हान इस शक्ति का कृषि एवं उत्थाय प्रथा में न लगाकर आमोद प्रमाद सामुपण आदि में व्यय करना प्रारम्भ कर दिया था।

३. कृषि की उत्थिति में उदासीनता—स्थायी बन्दोबस्त करत समय यह भी धारणा थी कि जमींदारों द्वारा कृषि की उत्थिति होगी और किसानों की विगडो हुई दशा में सुधार होगा परन्तु यह दुरासा मान सिद्ध हुई। अधिकांश जमींदारों ने भूमि एवं कृषि की उत्थिति का प्रारंभ नहीं किया। वे केवल किसानों का ही जीवन व्यतीत करने लगे।

४. सरकार और किसानों के मध्य प्रत्यक्ष सम्पर्क का अभाव—सरकार तथा किसानों के मध्य जमींदार एक दलान की भाँति रहता है। अतः सरकार और किसानों में कोई सीधा सम्पर्क नहीं होता जिमसे सरकार किसानों की साम्बन्धिक दशा में अनभिज्ञ रहती है।

५. भूमि सम्पत्तियों रकाड़ों का अभाव—इस अवस्था में भूमि सम्पत्तियों के रकाड़ें नहीं रखे जाते हैं, इसलिये भूमि एवं कृषि सम्बन्धी प्रगति का ठाव अनुमान नहीं लगाया जा सकता तथा किसानों का अधिभार का ज्ञान भी नहीं हो पाना है।

कमीशन द्वारा बताया गये उक्त दोषों का अनिश्चित रियासी बन्दोबस्त का कुछ अन्य दोष निम्नलिखित हैं —

६. कृषकों का शोषण—जमींदार कृषकों का भाता प्रकार में शोषण करते हैं। वे कृषकों में मनमाना नगान चालू करते हैं तथा उनमें बंगार करवाने हैं। त्योहार

व विवाह आदि व्यवहारों पर किसानों की सजराना आदि देने के लिये विवश करते हैं । व पहला व विधायिका का जीवन व्यतीत करते हैं और गांवों में उनके कारिन्दे और गुमान किसानों को नूतने हैं तथा उन पर अत्याचार करते हैं ।

७. **मुन्दमेवाजी की प्रोत्साहन**—इस भूमि व्यवस्था की सुविधायी जमींदारी और किसानों के मध्य बड़ी हुई मुन्दमेवाजी का मूल कारण है । जमींदार किसानों को सदा वेदवश करने की बात लगाते रहते हैं ।

८. **सकट-काल में लगान की छूट आदि सुविधा का अभाव**—अस्थायी बन्दोबस्त में अत्याच या बाढ़ के समय फसल नष्ट हो जाने पर सरकार द्वारा मालगुजारी या लगान कम कर दिया जाता है अथवा माफ कर दिया जाता है, परन्तु स्थायी बन्दोबस्त में इस प्रकार की सुविधा का पूरा अभाव होता है ।

९. **जन हित एवं सामाजिक कार्यों का अभाव**—अधिकतर जमींदार अपने लाभ के लिये ही अधिक इच्छुक थे और इस कारण इन्होंने जनता की भलाई के लिए पाठशालाएँ, प्रौढशालाएँ आदि नहीं खुलवाये ।

१०. **जमींदारी प्रथा के राजनैतिक लाभ की प्रभाव शून्यता**—जमींदारी प्रथा का राजनैतिक दृष्टि में जो लाभ या उसका अर्थ कोई महत्व नहीं रहा । प्रजातन्त्र में वर्णों के समर्थन और उनकी राजभक्ति की आवश्यकता नहीं होती अतः, जन-आधारण के समर्थन और देन शक्ति की आवश्यकता होती है ।

**अस्थायी बन्दोबस्त (Temporary Settlement)**—यह भूमि-व्यवस्था है जिसके अन्तर्गत प्रतिवर्ष वसूल की जाने वाली मालगुजारी एक निश्चित अंश के लिए ही निर्धारित की जाती है । इस अवधि के समाप्त होने पर पुनः बन्दोबस्त किया जाता है । प्रत्येक नये बन्दोबस्त के समय भूमि की बड़ी हुई उत्पादन शक्ति के अनुसार लगान में वृद्धि कर दी जाती है । भिन्न भिन्न प्रान्ता में बन्दोबस्त की अवधि पृथक् पृथक् है । जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश में ४० वर्ष, मद्रास में ३० वर्ष, मध्य प्रदेश में २०-३० वर्ष परन्तु बन्दोबस्त किया जाता है । पंजाब को छोड़कर सभी प्रान्ता में अस्थायी बन्दोबस्त पाया जाता है । यह बन्दोबस्त तीन प्रकार का होता है—जमींदारी-प्रथा, महानबारी प्रथा और रंजनबारी प्रथा ।

**अस्थायी बन्दोबस्त के गुण (Merits)**

(१) **स्थायी बन्दोबस्त के दावों का निराकरण**—इसमें वे सभी दावें नहीं पाये जाते हैं जो स्थायी बन्दोबस्त में पाये जाते हैं । इनका वर्णन पहले किया जा चुका है ।

(२) **भूमि के मूल्य की वृद्धि का मालगुजारी पर प्रभाव**—इस प्रथा में एक निश्चित अवधि के पश्चात् पुनः लगान नियन्त्रित किया जाता है । इससे प्रत्येक बन्दोबस्त के समय भूमि के मूल्य में का बड़ी वृद्धि के अनुसार मालगुजारी भी बढ़ाई जा सकती है । इस बड़ी हुई भाग को सरकार समाज-व्ययण के कार्यों पर व्यय कर देता है ।

(३) **किसानों द्वारा भूमि-सुधार के लाभों का उपभोग**—बन्दोबस्त के समय इस बात का विशेष ध्यान रखा जाता है कि किसानों द्वारा लगायत हुए श्रम और पूँजी से जो उत्पादन वृद्धि हुई है उसका लाभ उन्हें भी मिल सके ।

(४) सरकार के कृषि-भूमि के ज्ञान में वृद्धि—इस व्यवस्था के अन्तर्गत किसानों की कृषि भूमि का आबंटन तथा—राशियों समान आदि माना में किया जाता है। इस प्रकार प्रतिरिक्त जंगल की भूमि का क्षेत्रफल एवं उसकी अनुमानित पैदावार का भी विवरण रचना पड़ता है। पटवारी इस काम को गांव के मुखिया और पटवारी के माध्यम से किया करते हैं। इससे सरकार को न केवल पैदावार करने में सुविधा होती है वरन् किसानों को भी बदावस्त में समान भूमि गांवों या पट्टे पर लगान में तमी करने में सहायता नहीं मिल जाती।

(५) जमींदार कृषकों का अधिक मापसू नहीं कर सकते—इस व्यवस्था में जमींदार कृषकों का अधिक मापसू नहीं कर पाए हैं तथा जमींदारों को ग्राम अधिकारों पर सरकार न भी मानगुजारी बड़ा वा है।

(६) सार्वजनिक में मानगुजारी की पत्तो या छूट—सरकार या वाड में समान सरकार मालगुजारी में आबंटन न भी या छूट भी कर देती है जिसमें कृषकों का कष्ट नहीं उठाना पड़ता।

(७) परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार मानगुजारी का राशि में हेर फेर—प्रथायी बदावस्त का एक लाभ यह भी है कि परिस्थित परिवर्तितों के अनुसार सरकार मानगुजारी की राशि में हर वर्ष कर सकती है।

#### ग्रन्थायी बदावस्त के दोष (Demerits)

(१) बार-बार बदावस्त करने की शक्ति व शक्ति—ग्रन्थायी बदावस्त को समय समय पर करने की शक्ति एवं व्यय इसका एक मुख्य दोष है।

(२) ग्रन्थायी बदावस्त से हीन वाले समस्त लाभों का अभाव—इसमें ग्रन्थायी बदावस्त में हीन वाले समस्त लाभों को नहीं रहती है। उपर्युक्त का मद्देय ही यह भय बना रहता है कि उनका लगान नहीं बढ़ न जाय। अतः गांवों को उत्पन्न करने के नियम के विषय प्रयत्नशील नहीं रहते हैं।

(३) मालगुजारी की अनिश्चितता—प्रथायी बदावस्त में मालगुजारी निश्चित नहीं होती अतः समय समय पर बदलती रहती है।

(४) बदावस्त के समय मालगुजारी में अनुचित वृद्धि—किमी प्रांत में बदावस्त ३० वर्षों बाद होता है तो किसी में २० वर्षों बाद और किसी में १० वर्षों बाद। यदि बदावस्त ऐसे वर्ष पड़ गया जब फसल अच्छी हुई है तो टूटपरा पर मालगुजारी बहुत बड़ा हो जाती है और अगले बदावस्त के समय तक उन्हीं उतनी ही मालगुजारी देनी पड़ती है, चाहे पैदावार कम हो या अधिक।

(५) बदावस्त-विभाग में भ्रष्टाचार—इस प्रथा का सबसे बड़ा दोष यह है कि बदावस्त अधिकारी बदावस्त के समय लगान वृद्धि का भय दिता कर टूटपरा को सताते थे, उनसे भूग के लिया करते थे तथा उन्हें अपने अर्थ और श्रेय द्वारा बड़ाई गई उत्पादन शक्ति का लाभ नहीं मिलने देते थे। परन्तु आजकल इन दोषों को बहुत कुछ अंश में दूर कर दिया गया है। इसी से यह प्रथा सवर्धन बन गई है।

[६] जुताई-प्रथा (Cultivating Tenures)—जब तक हमने भारत में स्वामित्व प्रथा के अन्तर्गत प्रचलित भू धारण मानगुजारी पद्धतियाँ का विवेचन



किया है। अब हम जुनाई प्रथा के अन्तर्गत प्रचलित कृषकों के भूमि-सम्बन्धी अधिकारों का अध्ययन करेंगे। भारत में कृषि प्रांतीय विषय है अर्थात् इसका सञ्चालन एवं नियन्त्रण प्रांतीय शासन व्यवस्था के अन्तर्गत आता है। अतः विभिन्न प्रांतों के विभिन्न समय पर प्राप्त विषय भू-धारण एवं मालगुजारी कानून अर्थात् कानूनकारी कानून (Tenancy Acts) कृषकों के कानूनी अधिकारों की व्यवस्था करते हैं। यहाँ सब प्रांतों के कारनकारी कानूनों के अन्तर्गत विहित कृषकों के अधिकारों का विवेचन करना सम्भव नहीं है। अतः पाठक-गण इस विषय की जानकारी अंग्रे 'उत्तर प्रदेश' की मालगुजारी प्रथा के विवरण में कर लें।

## उत्तर प्रदेश में भू-धारण एवं मालगुजारी प्रथा

( Land Tenures in U P. )

सन् १९५२ के पूर्व तक की दशाः स्वामित्व वाली मालगुजारी प्रथाएँ (Proprietary Tenures)

स्वामित्व वाली मालगुजारी प्रथाओं के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में दो प्रकार की भू-धारण एवं मालगुजारी प्रथाएँ प्रचलित हैं—(१) जमींदारी प्रथा तथा (२) महाजारी या सयुक्त ग्राम्य प्रथा। उत्तर प्रदेश में रैयतदारी प्रथा नहीं है।

(१) जमींदारी प्रथा (Zamindari System)—उत्तर प्रदेश में जमींदारी प्रथा बाराणसी डिवीजन और अजमेर में प्रचलित है। बाराणसी डिवीजन में स्थायी दन्दी-वस्तु है और अजमेर के तालुकदारों के साथ स्थायी दन्दीवस्तु है।

अंग्रेजों की देश के विभिन्न प्रांतों में प्रचलित मालगुजारी प्रथाओं का उस समय ज्ञान न था और वे बंगाल का स्थायी दन्दीवस्तु को ही अन्य प्रांतों में स्थापित करना चाहते थे। इसलिए सन् १७९३ ई० में उन्होंने बंगाल डिवीजन का पथान कानून बनाने के लिये कुछ व्यक्तियों को नियुक्त कर उनका भूमि में स्वामित्व का अधिकार दे दिया और साथ ही वे उनको मालगुजारी मदा के लिये निश्चित कर दी अर्थात् उनके साथ स्थायी दन्दीवस्तु कर दिया। जब वे ही उत्तर प्रदेश में केवल बाराणसी डिवीजन में ही जमींदारी प्रथा स्थायी दन्दीवस्तु के रूप में प्रचलित है।

अब हम सरकार ने मालगुजारी भुगतान के लिये तालुकदारों को अल्पकालीन या अस्थायी सम्भोजन दिया। अतः, अब हमें मालगुजारी-भुगतान का उत्तरदायित्व तालुकदारों पर होता है जो कृषकों में लगान वसूल करण का व्यय और कुछ भाग अपने लिये वसूल को कई गाँवों में काट कर देते। सरकार को मालगुजारी का एक मूल देवे हैं। इन तालुकदारों का जमींदारों की भाँति भूमि पर कुछ भी अधिकार नहीं होता है। उनका कार्य तो केवल विधानों में लक्षण वसूल करण का ही है। तालुकदारों के साथ स्थायी दन्दीवस्तु प्रायः ३० वर्षों के लिये ही किया जाता है।

(२) महाजारी या सयुक्त ग्राम्य प्रथा (Mahalwari or Joint Village System)—बाराणसी-डिवीजन और अजमेर का छोटा कर देण उत्तर प्रदेश में महाजारी या सयुक्त ग्राम्य प्रथा प्रचलित है। इस प्रथा में सम्बन्धित गाँव की भूमि के सब भागों को मिला कर सरकारी मालगुजारी के भुगतान का दायित्व एवं सामूहिक रूप में उत्तरदायित्व स्वीकार करते हैं। अतः उत्तर प्रदेश में गाँवों का प्रतिनिधि जिसे लम्बेद्वारा या मालगुजारी कहते हैं, सरकार में सम्भोजन करता है। महाजारी का

साधारण रूपसे महाल व विमानों में जंगल बसूत करने उत्तम ग कुछ प्रतिशत बाट कर मानगुजारी मन्वारी राजाने में जमा कर देता है। इस प्रकार लगान धीरे मानगुजारी का प्रारंभ उसकी शाय है। इस प्रकार अध्याया बढोपस्था हुआ है जो प्राय २० या ३० साल के लिये होता है।

जुलाई की मानगुजारी प्रणाली (Cultivation Leases)—उत्तर प्रदेश के सन् १९३६ व ना लवारी कानून (Leases Act) व अनुसार विभिन्न प्रकार के कृषक माने गये हैं —

(१) स्थायी मध्यस्थ विमान (Permanent Tenure Holders) — ये वे विमान हैं जो स्थायी व दोबारा के समय में ही स्थायी बढोपस्था का विधान में स्थायी पट्टे व प्रत्यक्ष उसी गणना पर खरीद करने का शाय हैं और जो जमीदार व यास्तविक विमान के बीच में मध्यस्थ होते हैं। इनका अधिकार पीछे दर पीछे चलने हैं और उनका हस्तांतरण हो सकता है। व अपनी ज़ब्तदा देकर खतने हैं या उसे गिरवी रख सकते हैं। इन प्रकार के कृषक वाराणसी जिला में सोनपुर गोगमपुर और बाजमगढ़ के जिला में पाये जाते हैं।

(२) स्थायी मानगुजारी दर वाला विमान (Fixed rate Tenants)—ये स्थायी मध्यस्थ विमानों में गिने जाते हैं जो कृषि कर मन्वारी मानगुजारी भी सदा के लिये निश्चित होती है और इनकी भूमि हस्तांतरित करने का अधिकार होता है। परन्तु भेद यह है कि ये जमीदार और विमान के बीच मध्यस्थ न होकर स्वयं कृषक होते हैं।

(३) पूर्व स्वामित्व वाले विमान (Ex Proprietary Tenants)—ये वे कृषक हैं जो पुराने भूमि के वास्तविक स्वामी थे किंतु अब उनका भूमि का स्वामित्व हाथ में निकल जाने से बाधक प्राप्त उन्हें और पर नया करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। इनका अधिकार पट्टे होता है और इन कम लगान देना पड़ता है।

(४) श्रमिक के विशेषाधिकार वाले किसान—सन् १९८६ क श्रमिक वर्गों के कानून होने से पूर्व से ही कुछ किसानों के भूमि में वे ही अधिकार प्राप्त रहे हैं जो वहाँ के मौजूदा किसानों के हैं। इन कुछ विशेष वर्गों में भूमि मिरासी भी जो उहाँ दशासो में अभी तक उनके अधिकार में चली पा रही है।

(५) मौजूदा किसान (Occupancy Tenants)—जो किसान बारह वर्ष तक निरंतर एक ही भूमि को जोतते रहे वह मौजूदा किसान हो जाता है। लगान देने रहने पर इसे बदलना नहीं कराया जा सकता। इनका लगान केंद्र व गोवर्धन के समय ही घटाया बढाया जा सकता है।

(६) पट्टेदार विमान (Hereditary Tenants)—ये वे कानूनी विमान (Statutory Tenants) हैं जो ७० में वास्तविक कानून सन् १९४० के अंतर्गत पट्टेदार किसान बना दिये गए हैं। पट्टेदार किसानों में विभिन्न हैं क्योंकि वे दोनो मसल प्रणाली पर न लगान देते हैं।

(७) गैर मौजूदा किसान—ये सामान्यतया जमींदारों की और या कुछ काश्त भूमि जोतते हैं। इनका लगान जमींदारों की मुविधानुसार घटाया बढाया जा

सकता है और इन्हें सुगमता से वेदखत किया जा सकता है। इन किसानों की श्रापित दशा दोषनीय है।

(८) शिकमी-दर शिकमी किसान (Subtenants) — ये वे किसान हैं जिनके पास अपनी निज की भूमि नहीं होती है बल्कि दूसरे किसानों की भूमि दवाई या निश्चित लगान पर जोतते हैं। यह लगान घटाया-बढ़ाया जा सकता है और दूढ़े श्रासानी से वेदखत भी किया जा सकता है। इन किसानों की दशा अत्यन्त दयनीय है।

### वर्तमान भू धारण एव मालगुजारी प्रथा

सन् १९५० के उत्तर प्रदेशीय जमींदारी उन्मूलन कानून के अनुसार १ जुलाई १९५२ को उत्तर प्रदेश के २० लाख जमींदार अधिकार च्युत कर दिये गये। पलक अथ उच्च कानून के अन्तर्गत निम्न प्रकार के किसान पाये जाते हैं :—

१. भूमिधर (Bhumidhar) — उक्त कानून के लागू होने के ठीक पूर्व के जमींदार आदि जो सरकार और किसान के बीच में मध्यस्थ थे, जिनके पास बाग, खुद काशत व मीर की भूमि की दशा जिनकी श्रापित लगान का दस गुना रकबा 'जमींदारी उन्मूलन बोर्ड' में जमा करा दिया है, वे भूमिधर हाने। इनका भूमि पर स्वाधी, वस-परम्परागत तथा हस्तांतर करने का अधिकार होगा। ये भूमि में हदयों नहीं जा सकते। अभी तक जो लगान वे देते हैं उसका आधा लगान ही इन्हें देना पड़ेगा और ४० वर्ष तक यह बदला नहीं जायगा। ये अपनी भूमि का इच्छानुसार प्रयोग कर सकते हैं। परन्तु ये अपनी भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं बेच सकते जिनके पास पहले की ३० एकड़ या उससे अधिक भूमि हो।

२. सीरदार (Sirdar) — इस कानून के लागू होने के ठीक पहले जिन किसानों का मोहसी अधिकार प्राप्त थे जिन्होंने भूमिधर पद प्राप्त नहीं किया है, वे सब सीरदार बना दिये गये हैं। इनका भूमि पर स्वाधी वस-परम्परागत अधिकार होगा पर वे भूमि को न तो बच सन्ने न बन्धक पर ही रख सन्ने। य भूमि को खेती पान उत्पन्न करने तथा पशु पालने के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य में नहीं ला सकते। सीरदारों की अथ जमींदारों को लगान देने की आवश्यकता नहीं, अथ वे मोहसे सरकार को लगान देंगे। कोई भी सीरदार यदि लगान का दस गुना सरकार को दे देगा तो वह भूमिधर बनने का अधिकारी हो जायगा।

३. ग्रामामी (Asami) — इस कानून के लागू होने के ठीक पूर्व वे किसान जो किसी बाग के शिकमी कान्तकार थे, जो स्वाधी भूमि को जोतते थे, जो किसी भूमिधर या सीरदार की भूमि पट्टे पर जोतते थे तथा जिस सीरदार ने उनके पास भूमि रहन रखी थी, ग्रामामी कहलायेंगे। ग्रामामी किसानों का अधिकार मोहसी होता है परन्तु यह स्वाधी नहीं होता है।

४. अधिवासी (Adhivasi) — इस कानून के लागू होने के ठीक पहले जो व्यक्ति किसी बाग की भूमि के अतिरिक्त किसी अन्य भूमि का शिकमी कान्तकार था या जो सीरदार-कान्तकार था, वह अधिवासी बन गया। इनकी पाँच वर्ष तक भूमि अपने पास रखने का अधिकार प्राप्त है। कानून लागू होने के पाँच वर्ष के भीतर अपने लगान का दस गुना देने पर वे किसान भूमिधर बन सन्ने हैं।

### जमींदारी प्रथा का जन्म एवं विकास तथा उन्मूलन

जमींदारी प्रथा का जन्म एवं विकास— भारतीय इतिहास का अध्ययन यह बताता है कि जमींदारी प्रथा का प्रादुर्भाव मुगल राज्य-काल में ही हुआ। मुगल साम्राज्य के अन्तिम सम्राट शाह आलम ने सन् १६६५ ई० में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानों अर्थात् मालगुजारी वसूल करने का अधिकार प्राप्त कर लिया। कम्पनी ने मालगुजारी वसूल करने का काम कुछ ठेकेदारा को दे दिया। ये ठेके नीनाम होने थे और दोनों लगता थे। ठेकेदार कृषकों से मनमाना सयान वसूल करते थे और सरकार को भी अनिश्चित रकम मालगुजारी के रूप में मिलती थी। सन् १७६३ ई० में जब लार्ड कर्नवालिस भारत में गवर्नर-जनरल बन कर आया तो उसने सयान वसूल करने वाले ठेकेदारों (Revenue farmers) को भूमि का स्थानीय मान लिया और इनके वसूल को जाने वाली मालगुजारी की राशि सदा के लिये निर्धारित कर दी और साथ ही उन्हें अपरिवर्तनीय भी घोषित कर दिया। इस प्रथा का स्पर्द्धा बन्दोबस्त कहा जाता है। इसका परिणाम यह हुआ कि जमींदारी प्रथा को वैधानिकता प्राप्त हो गई और इंग्लैंड को भू-पद्धति के अनुसार भारतवर्ष में भू-स्वामियों का एक प्रभावशाली वर्ग उत्पन्न हो गया और कृषकों के सिर पर सदा के लिये जमींदार बर्ग लाद दिया गया।

जमींदारी प्रथा के दोष— इसी अर्थसाध में पीछे इनका विरोध किया जा चुका है। अतः पाठक-गण उन्हें गया-भ्यान पर देख लें।

जमींदारी प्रथा का उन्मूलन— जमींदारों के अत्याचारों ने जमींदारों के इन दोषों को और भी तीव्र बना दिया और इसलिये इस प्रथा का घोर विरोध किया जाने लगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी जमींदारी उन्मूलन को अपने कार्यक्रम में स्थान दिया। सन् १६३८ ई० में बंगाल सरकार ने मालगुजारी तथा स्थानीय बन्दोबस्त की जाँच के लिये श्री एफ० एम० सी० फ्लाइड की अध्यक्षता में कमीशन नियुक्त किया। कमीशन के बहुमत की यह राय थी कि जमींदारी प्रथा के दोषों को दूर करने का एकमात्र उपाय उसका उन्मूलन है। कमीशन ने यह भी राय प्रकट की कि जमींदारों को मुद्रावजा भी दिया जाए। कमीशन के सदस्यों में मतभेद होने के कारण मुद्रावजे की दर निर्धारित नहीं की जा सकी, परन्तु यह अवश्य स्पष्ट कर दिया गया कि मुद्रावजा नन्द रूपों में या अनाजपारो बोण्डों में दिया जाना चाहिए। यह रिपोर्ट फ्लाइड कमीशन ने सन् १६४० ई० में प्रस्तुत की और तभी से उन प्रांतीय सरकारों के जिनमें जमींदारी प्रथा प्रचलित है, जमींदारों उन्मूलन के सिद्धान्त को पूर्ण रूप में स्वीकार कर लिया है।

जमींदारी उन्मूलन में कठिनाइयाँ— जमींदारों उन्मूलन का सिद्धान्त राज्य सरकारों द्वारा स्वीकार किया जाने पर भी इस दशा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई। इसमें पहली कठिनाई यह है कि मुद्रावजे के लिये एक बहुत बड़ी राशि की आवश्यकता होती है। मुद्रावजा देने के लिये लगभग ३४० करोड़ रुपये की धन-राशि की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है। प्रांतीय सरकारों के लिये इतनी बड़ी राशि को प्राप्त करना एक बड़ा कठिन कार्य है। दूसरी कठिनाई जमींदारों में उत्पन्न की। उन्होंने इसका घोर विरोध किया और उन्मूलन कानूनों के पास होने में अनेक बाधाएँ उपस्थित कीं। स्वोच्छ्रित उन्मूलन कानूनों को रद्द कराने के लिये उन्होंने सर्वोच्च

यायालय (Supreme Court) में प्रपील की, परंतु वहाँ भी इन्हें असफलता ही मिली।

**जमींदारी उन्मूलन कानून**—भिन भिन राज्या में भिन भिन जमींदारी उन्मूलन कानून पारित किए गए हैं जिनका संक्षेप में वर्णन किया जाता है—

**उत्तर प्रदेश**—जमींदारी उन्मूलन विन जो गन् १९५० में प्रस्तुत किया गया था उस उत्तर प्रदेश की विधान सभा ने १० जनवरी गन् १९५१ ई० को पारित कर दिया और २४ जनवरी गन् १९५१ का भारत का राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। यह विधान १ जुलाई गन् १९५२ ई० में तत्काल उत्तर प्रदेश में लागू कर दिया गया है।

**कानून की विशेषताएँ**—इस कानून की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं

(क) इस कानून में अनुसार जमींदार का दो सौ बीस गुना रकबा देशक अधिकार क्यून कर दिया जायगा। सत्रस बड जमींदारा का उनकी वार्षिक आय की दुगुनी राशि तथा सबसे छोटा को बीस गुनी राशि मुआवजे के रूप में दे दी जायेगी।

(ख) जमींदारी उन्मूलन कोष की स्थापना—जमींदारों का मुआवजे के रूप में देने के निम्न उद्देश्य १७४ करोड रुपये का अनुमान लगाया गया। इस बड़ी राशि को इकट्ठा करना एक बड़ा कठिन काम है। इस कठिनाई को हल करने के निम्न कृपा के लिए यह आवश्यक रखा गया है कि जो कृषक अपने वार्षिक उगाय की दस गुनी राशि एक साथ इस कोष में जमा कर दगा उसे भूमिदर अधिनियम में सुधारी के अधिकार प्राप्त हो जायगा। उस कोष में अभी तक ३५ करोड रुपये ही जमा हो सके हैं। इस कारण उगाय का न्याय्य सुधी राशि जमा कराने पर सुधारी के अधिकार प्राप्त हो सकन है।

(ङ) विभिन्न प्रकार के कृषकों के अधिकार—इस कानून में अलग अलग प्रकार के कृषक माने गये हैं—भूमिदर सारदार आसामी और अधिनामी। इनका भिन्न भिन्न विवरण पढ़न दिया जा रहा है।

(च) बड स्वामियों का समाजाकरण—सर्वकार निम्नलिखित स्वामियों को कभी भी ग्राम्य समाज के अधिकार में ना मकनी है—(१) जिसका खन या बाग को छोड़ कर अन्य सभी भूमि (२) गाँव को सामाया के भीतर स्थित सभी जगत (३) खत या बाग या आवादी के पेटो के अतिरिक्त सभी पट (४) मानवनिर्णय हुए (५) भस्म क्षेत्र (६) हाथ बाजार (७) नावाय पोखर अतिरिक्त बाग जब अवस्था और आवादी के स्वर।

(ज) सहकारी कृषि की व्यवस्था—इस कानून के अंतगत साधारणतया ३० एकड में अधिक बड खन न गन जिसमें को अनासारी प्रया पुन स्थापित न हो सके। सहकारी कृषि (Cooperative Farming) का प्रस्तावित देन के लिए यह पूरा रखा हो गई कि कोई दस भूमिदर या सीरदार जिनके पास ५० एकड या उसमें अधिक भूमि हो अपनी भूमि का एक सहकारी खन में परिवर्तन कर सकत है और उसे सहकारी विभाग के रजिस्टार के पास रजिस्टर करा सकते हैं। इससे फलस्वरूप प्राथमिक तथा वैधानिक दगा से खत हो सकती। भविष्य में अनाधिक स्वामियों (Uneconomic Holding) की कृषि का रोकन के लिए प्रतिबंध लगा दिये गए हैं। भविष्य में खन ६१ एकड में कम के नहा हान चाहिये।

( ४ ) अन्य महत्त्वपूर्ण बात—( १ ) जमींदारी समाप्त होने पर उन सब जमादारों को जो १० हजारों रुपये वापिक तक मानगुजारी देते हैं पुनर्निवास सहायता ( Rehabilitation ) भी मिलनी । जो जमींदार २५० रुपये वापिक या इससे कम मानगुजारी देते हैं । उन्हें वापिक प्राय की बराबर पुनर्निवास सहायता भी जायगी । जैसे जैसे प्राय अधिक होगा वह सहायता भी कम होनी जायगी । ( २ ) जिस दिन में जमादारियों समाप्त हूँगा उसी दिन में मुद्राबन्धा ( धनि पूति ) व पुनर्निवास सहायता की शक्ति पर २३ के हिसाब से जमादारों का बाँटा दिया जायगा । जमींदारों को मुद्राबन्धा २० १० ५०० १००० ५००० और १०००० रुपये के बाँट्टा में दिया जाएगा जो बँट्टे नहीं जा सकते । इन बाँट्टों की धरियाँ ४० वर्ष की होंगी और इनका रकबा कितना म पुराया जायगा । ( ३ ) जमादारों को मुद्राबन्धा देते समय सभी सरकारों को बाँट दिया जायगा । ( ४ ) जमादारों समझ होने का तारीख से किन्ना भा समय किन्ना को बदलान करने के लिए यदि कोई जमादार आशंका प्रकट करेगा तो उसे कोई विचार नूटा करेगा । ( ५ ) जो जमादार समय पर रकम न देगा तो उसकी गिरणारी को जा सकेंगे और उसको घबल सम्पत्ति तोलना कर रकम वसूल की जा सकेगी ।

वानून का समालोचना ( Criticism )—इसके समर्थकों का कहना है कि यह वानून जमींदारी प्रथा को गान्तिपूर्वक समाप्त करने का सर्वोत्तम उपाय है । इस विपरीत समालोचकों ( Critics ) का कहना है कि जमींदारी का मुद्राबन्धा देने का विधान बुनियादी तौर पर गलत है । इसमें जिस तरह किन्ना सहायता का काम नहीं होगा क्योंकि भूमिधरों के विरुद्ध उनको म धारण अधिकार प्राप्त होना बतल कठिन होगा । इस प्रकार के व्यवस्था बना जमादारों प्रथा को समाप्त कर छोड़ा जमादारों प्रथा की स्थापना करती है । बिना भूमि के राष्ट्र सरकार के विधान को अपनाय भारतीय वृषि में कोई आन्तिकारी परिवर्तन होना सम्भव नहीं । परन्तु इसका इस वानून में पूरावना सम्भव है । निरूपण रूप में वानून के पत्र में यह कहा जा सकता है कि इसका निर्माणमात्र में देश काल क अनुसार जो मध्यम प्राय का समतुल्य दिया है वह उचित ही प्रतीत होता है ।

समाल—सन् १९४७ ई० में बंगाल की विधान सभा ने दो बंगाल लक्ष एकाधिकार तथा टिग ही एक्ट पास किया । इस वानून के अंतर्गत बंगाल लक्षी बाने प्रदेशों के भू स्वामियों के अधिकारों को खर देने की व्यवस्था है । किसानों का बचत एक का ही रहेगा और उक्त योजना अधिकार प्राप्त हूँगा । जोत का अधिकारतम धन फल ६० बीघा या परिवार व प्रति मध्यम व पीछे १ बीघा के हिसाब से हो सकेगा ।

समाल—समाल में दो प्रकार की भू धारण एवं मानगुजारी प्रथा प्रचलित है—जमींदारी और रेंटवारा । जमींदारी शारीक विषय में दो वानून एवं तो विरायत कम करने के लिये और दूसरा सम्पत्तियों का घबल करने और रेंटवारी प्रथा समाप्त करने के लिए पास किया गया । दूसरे वानून के अनुसार सरकार का अधिकार २००० जमींदारों प्रथा वाली सम्पत्तियों तथा २५०० इनाम वाली रिवायतों पर हो गया । इन सबका अक्षफल १४ लाख एकड़ है । धनि पूति अर्थात् मुद्राबन्धा में लगभग १२३ करोड़ रुपये देना पड़ा । जो किसान भूमि को ५ वर्षों में जोतते पाय है उन्हें भूमिधर अधिकार उस भूमि में दे दिया गया है ।

बम्बई—बम्बई सरकार ने भायदारी और गजुदारी प्रथाओं का अन्त करने के लिये सन् १९४८ में कानून पास किया जिससे अन्तर्गत (अ) एक प्रकार के मुरखिन किसानों का बर्ग बन गया है, (आ) किसानों को वेदसल करने पर कई प्रतिशत लगा दिये गये हैं, (इ) सहकारी-वृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए कई प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है, आदि ।

मध्य प्रदेश—मध्य प्रदेश में मालगुजारी प्रथा का अन्त करने के लिये सन् १९५० में एक कानून पास किया गया । क्षति-पूर्ति के रूप में वार्षिक छुट्टी कायम की इस छुट्टी राशि दी जायगी और छोटे मालगुजारी को पुनर्स्थापन गहायता भी दी जायगी ।

मध्य भारत—जमींदारी प्रथा का अन्त करने के लिये मध्यभारत सरकार ने सन् १९५१ ई० में एक कानून पास किया । मुयावजे के रूप में उनकी वार्षिक आय की ८ में २० छुट्टी राशि दी जायगी । जिन जमींदारों की आय ३५०० रु० से कम है, उन्हें पुनर्स्थापन सहायता भी दी जायगी । यह राशि १५ किस्तों में चुकाई जायगी ।

राजस्थान—सन् १९५२ में भूमि सुधार एव जागीर पुन. प्राप्ति कानून (Land Reforms and Resumption of Jagirs Act) पास किया गया, जिससे अन्तर्गत उन जागीरदारों की जायगी ले ली जायगी जिनकी जागीर की वार्षिक आय ५००० रु० से अधिक है । ऐसे जागीरदारों की संख्या २८८ है तथा जिनका संपत्ति पंच करोड़ से अधिक है । इससे राजस्थान सरकार को लगभग १ करोड़ रुपये की आय में वृद्धि हो जायगी ।

जमींदारी उन्मूलन से लाभ (Advantages)—जमींदारी उन्मूलन से निम्न लिखित लाभ होंगे :—

(१) भूमि किसानों की हो जायगी जिससे किसान भूमि की उत्पादन-क्षति बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे । (२) जमींदार जो सरकार और किसान के बीच में निरर्थक का मध्यस्थ या टंटा दिना गया है और अब उसके द्वारा किसानों का शोषण बन्द हो जायगा । (३) भूमिधरों का जगान धावा रूढ़ जायगा । (४) अब किसानों की लाने एव बेगारें बन्द हो जायेंगी । (५) इससे महंगारी-वृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा और भूमि-अपव्ययन की प्रवृत्ति भी रुक जायगी । (६) राज्य की आय में वृद्धि होगी । (७) जमींदारों को जो मुयावजे धर्यात क्षति-पूर्ति को रकम मिलगी उसमें उद्योग-धन्ये खोल जा सकेंगे । (८) जमींदारों की अज्ञानता लयान बसूली में कमी या भागी करने में सरकार बृहत् अधिक उदार होती है ।

जमींदारी उन्मूलन में हानियाँ (Disadvantages)—जमींदारी उन्मूलन के विरोधी दल द्वारा निम्नलिखित हानियाँ बताई जाती हैं :—

(१) जमींदारों को वार्षिक हानि पहुँचेगी । (२) जमींदारी उन्मूलन में सरकारी कर्मचारियों, मालगुजारी तथा उनके परिवारों को भी सब बेकार हो जायगा जिससे बेकारी की समस्या भयंकर रूप धारण कर लेगी । पर इनमें किन्हीं कुछ कहना जा सकता है कि जब कभी भी परिवर्तन होता है उसमें कुछ न कुछ हानियाँ अवश्य होती हैं । जमींदारी उन्मूलन में बहुत बड़े व्यक्तियों की हानि पहुँचेगी पर लाभ उनमें कहीं अधिक व्यक्तियों का होगा । बेकारी भी सामयिक होगी क्योंकि लगान बसूली तथा अन्य कामों के लिये राज्य सरकारों को कर्मचारियों की आवश्यकता होगी जिससे बहुत न

व्यक्तियों को नीकरियाँ मिल जायेंगी। जमींदारों की मुद्राबन्धों की रकम मिलेगी जिससे वे अन्य लाभदायक कार्य कर सकते हैं।

(३) जमींदारों की आर में यह भी कहा जाता है कि जमींदारी सम्पत्तियों में किसानों को अन्य कई बातों की हानि होगी। इस समय किसान जमींदारों से रकम लियार लेते हैं, यह सुविधा फिर उपलब्ध नहीं हो सकेगी। इसके प्रतिरिक्त जमींदार लगान वसूली में इतनी शक्ति का प्रयोग नहीं करने देंगे कि सरकार लगान वसूली में करती है। इसके विरुद्ध यह कहा जा सकता है कि कृषि प्राप्त करने के अन्य बहुत से साधन उपलब्ध हो सकते हैं। जमींदारों की अथवा लगान वसूली में कमी या भारी करन में सरकार बहुत उदार होगी है।

आदर्श भू-धारण एवं मालगुजारी प्रथा के लक्षण (Essentials of an Ideal Land Tenure)—आदर्श भू-धारण एवं मालगुजारी प्रथा में निम्नलिखित गुण होने चाहिये :—

१. उचित लगान (Fair Rent)—लगान उचित होना चाहिये। भूमि की उत्पादन शक्ति के अनुसार निश्चित लगान ही उचित माना जाता है। लगान या मानगुजारी देने की परचातृ रूपका के पास इतना धन बन जाना चाहिये कि वे भ्रष्ट भोजन कर सकें। अस्तु, पैदावार का ३०-४० प्रतिशत ही लगान या मालगुजारी का रूप में लेना चाहिये। अत्यधिक लगान भूमि की उन्नति में बाधक सिद्ध होता है।

२. भू-धारण अधिकार की स्थिरता (Fixity of Tenure)—इसको के भूमि में अधिकार स्थायी, पंजीक एवं हस्तांतरण योग्य होने चाहिये। उपरा की भूमि से बेदरती का भय नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा रहेगा, तो किसानों की रचित भूमि-उन्नति में न रुकी।

३. लगान वसूली का ढङ्ग (Method of Rent-Collection)—समान-वसूली का ढङ्ग सरल एवं सुगम होना चाहिये जिससे रूपका को कोई कठिनाई न उठानी पड़े। वसूल करने वाला का व्यवहार रूपको के साथ अत्यधिक और सहायक-पूर्ण होना चाहिये। लगान-वसूली में अधिक व्यय भी नहीं होना चाहिये।

४. लगान से राज्य को निश्चित आय की प्राप्ति तथा रचना की सुदृढ-हाली (Definite Revenue to Govt. and Prosperity to People)—लगान-प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिये कि राज्य को प्रति वर्ष निश्चित आय प्राप्त होती रहे और रचना सुगम रहे।

५. भूमि का हस्तांतरण सम्भव हो सके (Transfer of Land may be possible)—भू-धारण एवं मालगुजारी प्रथा ऐसी होना चाहिये कि जिसके अन्तर्गत भूमि सुगमता से हस्तांतरित की जा सके, अथवा यह मर्दव्य अनुसूचित रूपको में जोती जावेगी।

६. पैदावार वृद्धि पर विशेष रियायत—यदि कोई कृषक अपने प्रयत्न से भूमि की उत्पादन में वृद्धि करे, तो मालगुजारी प्रथा में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि उस पर मालगुजारी बढ़ाई न जाय और इन प्रयत्नों के उपलब्ध में उसे कुछ विशेष रियायतें मिलनी चाहिये।



### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इण्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् भूमि व्यवस्था का क्या रूप हुआ है ?
- २—मालगुजारी प्रथा की आदर्श प्रणाली का उल्लेख करिये । वर्तमान मालगुजारी अर्थात् भूमिधारी प्रथा कहीं तक आदर्श प्रणाली है ?
- ३—भारत में मालगुजारी के स्वाई बन्दोवस्त के गुण-दोष बताइये । क्या आपकी राय में इसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है ? (रा० वा० १९५३)
- ४—भूमि की आमतो प्रथा की आदर्श प्रणाली के नियमों का उल्लेख कीजिये । भूमिधारी प्रथा कहा तक इन आदर्श प्रणाली के अनुकूल है ? (अ० वा० १९५७)
- ५—भारत में जमींदारी उन्मूलन के पक्ष और विपक्ष में तर्क दीजिये । (अ० वा० १९५४)
- ६—रयतवारी प्रथा के गुण-दोष बताइयें । (अ० वा० १९४९)
- ७—स्वाई और बन्दोवस्त पर नाट लिखिये । (अ० वा० १९५०, ४४, ४२)
- ८—जमींदारी और रयतवारी प्रथा में गुण व दोषों की व्याख्या कीजिये । (अ० भा० १९५३)
- ९—भारत के विभिन्न भागों में प्रचलित मालगुजारी प्रथाओं का उल्लेख करिये । (पत्राव १९४८)
- १०—जमींदारी उन्मूलन में भारत की कृषि पर क्या प्रभाव पड़ेगा ? (दिग्गो हा० से० १९४९)
- ११—नोट लिखिये—  
जमींदारी प्रणाली का उन्मूलन (रा० वा० १९५९)

#### इण्टर एग्रीकल्चर परीक्षाएँ

- १२—जमींदारी प्रथा का क्या दाव है ? इनके दूर करने का नियम सुभाव दीजिये । (अ० वा० १९५२)

मजदूरी (भृति) का अर्थ एवं परिभाषा (Meaning and Definition of Wages)—मजदूरी (भृति) मजदूर या श्रमिक द्वारा किया गया श्रम का एक प्रकार से मूल्य है। प्रत्येक उत्पादन कार्य में उत्पत्ति के विभिन्न मापनों का सहयोग आवश्यक होता है। उत्पत्ति के साधना में एक साधन 'श्रम' भी है। अस्तु, उत्पादन-कार्य में लगे हुए श्रमिकों को उनके श्रम के प्रतिफल में जो पुरस्कार दिया जाता है उसे मजदूरी या 'भृति' कहते हैं। प्रो० जोड के अनुसार मजदूरी वह पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति को उसके श्रम के प्रतिफल में दिया जाता है जिसे साहसी (Entrepreneur) अपने उत्पादन कार्य में लगाता है। अन्य शब्दात्मक, मजदूरी या भृति राष्ट्रीय आय (National Dividend) का वह भाग है जो श्रमिकों को उनके श्रम के प्रतिफल में दिया जाता है।

मजदूरी और वेतन में अन्तर—साधारण श्रम करने में मजदूरी वेतन उसी पुरस्कार या पारिश्रमिक को कहते हैं जो हाथ-पैर की शारीरिक मजदूरी करने वाला को मिलता है, दिमागी श्रमवा प्रबन्ध सम्बन्धी कार्य करने वाला के पुरस्कार को वेतन (Salary and Pay) कहते हैं। परन्तु श्रमशास्त्र में ऐसा कोई अन्तर नहीं है। सब प्रकार के श्रम के प्रतिफल में मिलने वाली धन-राशि को 'मजदूरी' (Wages) कहते हैं। चाहे श्रम शारीरिक हो, चाहे मानसिक, चाहे उच्चोच्चि का हो, चाहे अतिशय श्रमिक का, चाहे उसमें भौतिक वस्तुओं की उत्पत्ति हो, चाहे अश्रमिक वस्तुओं का श्रम को उत्पत्ति हो—श्रमिक प्रकार के श्रम के लिये दिये गये पुरस्कार को श्रमशास्त्र में मजदूरी (भृति) कहते हैं। उदाहरणार्थ, राज्यपाल या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन भी उसी प्रकार मजदूरी है जिस प्रकार कि किसी कारखाने में काम करने वाले श्रमिक का पारिश्रमिक है। अस्तु, श्रमशास्त्र की दृष्टि से इन दोनों में कोई मौलिक अन्तर नहीं है। दोनों ही मजदूरी के अन्तर्गत आते हैं।

प्रायः मजदूरी और वेतन में सामाजिक पद एक प्रतिष्ठा की दृष्टि से अन्तर किया जाता है। वेतन अधिक होता है और मजदूरी कम। वेतन मासिक श्रमवा वार्षिक होता है जबकि मजदूरी दैनिक साप्ताहिक श्रमवा पारिश्रमिक होता है। श्रमिक का स्तर समाज में कुछ छाटा प्रतीत होता है जबकि वेतन पाने वाले का मंडा समझा जाता है। मजदूरी शब्द का प्रयोग श्रमिकों के सम्बन्ध में किया जाता है जो समाज के निम्न-स्तर में सम्मिलित होते हैं जबकि वेतन शब्द का प्रयोग अध्यापक, वकील,

प्रबंधनकर्ता प्रा संकारी अधिकारिया के सम्बन्ध में विवा जाता है जो समाज के उच्च स्तर में सम्मिलित होते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि वेतन शब्द केवल भाषाजिक प्रतिष्ठा वा द्योतक है अथवा दोनों में कोई अंतर नहीं है।

**मजदूरी की समस्या का महत्त्व (Importance of Problem of Wages)**—वर्तमान औद्योगिक काल में उत्पत्ति के मुख्य पाच साधन वा बड़ा महत्त्व है। इ ही के भयुक्त प्रयत्न द्वारा आज की उत्पादन व्यवस्था स्वर है। उत्पत्ति के समस्त साधन में श्रम एक ऐसा साधन है जिसमें मानवीय तत्व (Human Elements) विद्यमान हैं अतः इस पर आर्थिक सामाजिक राजनैतिक औः धार्मिक आदि सब ही बातों का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। इसलिये इसके आर्थिक अर्थशास्त्री मजदूरी के उचित निर्धारण की समस्या बाल्य में वितरण की सबसे महत्वपूर्ण समस्या है जिसके समाधान पर कनेडा अधिका वा अविध्य श्रम मुद्र तथा समाज की गति और समृद्धि निर्भर है। परंतु हम देखते हैं कि आज का श्रमिक वर्तमान आर्थिक मंडल में अत्यंत अग्रतुष्ट है। अस्तु जब कभी उस अवसर मिलता है वह रष्ट होकर मचल जाता है। यही कारण है कि सरकार और प्रशासकी आज इस समस्या व समाधान पर विचार निमग्न है।

**श्रम की विशेषताएँ (Peculiarities of Labour)**—श्रम क मूल्य (मजदूरी) का निर्धारण एक जट वस्तु के मूल्य निर्धारण से भिन्न है क्योंकि श्रम में कुछ ऐसी विशेषताएँ हैं जो श्रम वस्तुधा में नहीं पाई जाती हैं। अतः मजदूरी निर्धारण व सिद्धांत के सम्बन्ध में पूर्व इनकी जानना आवश्यक है। ये विशेषताएँ निम्न लिखित हैं —

१. श्रम नाशवान है (Labour is perishable)—श्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह नष्ट होने वाली वस्तु है और इसलिये दूसरी वस्तुधा की भाँति इसका मचय सम्भव नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि श्रमिक का जितना समय व्यय जाता जाता है अर्थात् वह जितने समय के लिए बेकार रहता है वह सदा के लिए नष्ट हो जाता है क्योंकि बीना हुआ समय पुन प्राप्त नहीं हो सकता। श्रम वस्तुधा का मूल्य यदि उत्पादन व्यय (लागत) से कम होता है तो साधारणतया विक्रता उस बेचते नहीं हैं क्योंकि वे उसे दूसरे दिन पूरे मूल्य में बचने की आशा रखते हैं। परंतु यदि श्रमिक को उनके जीवन स्तर द्वारा निर्धारित लागत से कम मूल्य ही दिया जाय और वे अपने श्रम को उस दिन न बेचें तो उस दिन का श्रम नष्ट हो जायगा और उन्हें हाँस उठानी पडगी। इसलिये इस हानि से बचने के लिये किमी भी मूल्य पर वे अपने श्रम को बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं। उद्योगपति यह जानते हैं कि श्रमिक बेकार बैठ रहने की अपेक्षा कम मजदूरी पर काम करना अच्छा समझते हैं। इस कारण उद्योगपतिया का नही प्रयास रहता है कि श्रमिकों को कम से कम मजदूरी दी जाय। अतः श्रम की इन विशेषता का उनकी मजदूरी के निर्धारण पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।

२. श्रमिक अपना श्रम बेचता है न कि अपने आपको (The Labour sells his labour but not himself) श्रमिक अन्य पदार्थों की भाँति खरिदे और बच नहीं जाते हैं। पुस्तक पेसिल मशीन और औजार आदि का मूल्य देने के परभाव जाता इन्हें ल जाते हैं और अपनी इच्छानुसार इनका प्रयोग करत

है। इन वस्तुओं के वही मालिक हो जाते हैं। परन्तु धर्म में यह बात नहीं है। श्रमिक अपना धर्म बेचना है न कि अपने आपको। धर्मिक एक निश्चित समय तक मजदूरी करने के परचात् पुन स्वतन्त्र हो जाता है और अपनी इच्छानुसार काम करता है। प्राचीन समय में जबकि कहीं कहीं दास प्रथा (Slavery) प्रचलित थी, दास बेचे व खरीदे जाते थे। परन्तु अब इस प्रथा का अन्त हो गया है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि श्रमिक अपना धर्म बेचने के बन्धाई भी अपना स्वामी बना रहता है।

३. धर्म श्रमिक से पृथक् नहीं किया जा सकता ( Labour cannot be separated from the labour )—धर्म के सम्बन्ध में एक और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसे श्रमिक अपने स अलग नहीं कर सकता, अर्थात् जहाँ उम्मे धर्म की आवश्यकता होती है तो उसे स्वयं को ही जाना पड़ता है। अतः उसका काम करने के स्थान का वातावरण उसके लिये अत्यन्त महत्त्व रखता है। पूँजीपति अपनी पूँजी को तथा भूस्वामी अपनी भूमि को अपने से अलग कर सकता है, परन्तु धर्मिक अपने धर्म को अपने से अलग नहीं कर सकता।

४. धर्म का पूर्ति धीरे धीरे घटती-बढ़ती है ( The Supply of labour increases or decreases very slowly )—अल्प वस्तुओं की भाँति धर्म की पूर्ति में सीमा घटा-बढ़ी नहीं हो सकती। यदि किसी समय किसी प्रकार के श्रमिकों की माँग अधिक हो जाय, तो उनकी पूर्ति तुरन्त ही नहीं बढ़ सकती, क्योंकि प्रथम तो यह देश की जन-संख्या पर निर्भर होती है जिसके अंग में पर्याप्त समय लगता है और द्वितीय श्रमिकों को अपना काम सीखने में कुछ न कुछ समय तो प्रयत्न ही लगता है। अल्प स्वामी की भाँति वे अनेक बर्तनाइयाँ हूँती हैं। इसी प्रकार धर्म की पूर्ति में कमी भी धीरे धीरे हो सकती है, क्योंकि जो श्रमिक यह कार्य कर रहे हैं वह अपना कार्य तुरन्त ही नहीं छोड़ सकते। हाँ, यह बात अवश्य है कि भविष्य में श्रमिक इस कार्य में कम सीमेंग।

५. श्रमिकों की सौदा करने की शक्ति स्वामी की अपेक्षा कम होती है ( The bargaining capacity of labourers is weaker than that of Employers )—श्रमिकों में सौदा करने की शक्ति स्वामी की अपेक्षा कम होती है। इसमें निम्नलिखित कारण हैं—

(१) श्रम नाशवान—धर्म सीमा नष्ट होने वाला वस्तु होने के कारण श्रमिक कम मजदूरी पर ही काम करना स्वीकार कर लेते हैं।

(२) श्रमिकों की निर्धनता—श्रमिक निर्धन होने के कारण कुछ दिनों भी बैठ कर खा नहीं सकते। एक वस्तु का विक्रम जब तक बाजार में उसकी वस्तु के अल्पे दाम न उन्हें उगे रोक सकता है पर धर्म का विक्रम ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि वह निर्धन है। भूल रहे की अपेक्षा वे कम मजदूरी पर काम कर लेते हैं।

(३) गतिशीलता का अभाव—धर्म में गतिशीलता की भारी कमी है जिससे कहीं पर श्रमिकों की पूर्ति घट जाती है और कहीं बढ़ जाती है।

(४) धर्म की पूर्ति सुगमता से घटाई-बढ़ाई नहीं जा सकती—धर्म की पूर्ति का प्रभाव मजदूरी पर कम पड़ता है और माँग का अधिक।

(५) श्रमिकों में संगठन का अभाव—श्रमिकों में संगठन का अभाव होता है जिससे उनकी सौदा या भाव-भाव करने की शक्ति निर्बल रहती है।

(६) धमिका की अनभिज्ञता—धमिका को इतना ज्ञान नहीं होता है कि उसका धम का मूल्य किस म्याल में अधिक है और किस म्याल में कम है। अतः उसे जितना भी मिलना है उस म्योकाए कर लेता है।

(७) रोजि रिवाज—मालवण में कही कही परम्परागत रोजि रिवाज के अनुसार ही मजदूरी मिलनी है चाहे वह जितनी ही छोटी हो। मालवण की मजदूरी अतः जो दा-पार आन मामिल ही चली आ रही है।

(८) जन गण्ड्या की वृद्धि—जन गण्ड्या की वृद्धि गण्ड्या की पूर्ति बढ़ जानी है अतः पूर्ति बढ़ जाना में धमिक में स्पष्ट होकर लगनी है। अतः उन्हे कम मजदूरी पर ही मालवण करना पड़ता है।

अतः इन बातों में यह स्पष्ट होता है कि धमिका की मोटा करन की शक्ति मालविका की प्रशंसा कम होती है। हाँ, वनमान पुनः में धमिक मजदूर-गण आदि द्वारा संगठित हाकर व अपन अधिकाए जन का प्रयत्न करन लगे हैं।

### मजदूरी (भृति) का निर्धारण (Determination of Wages)

मजदूरी के पुराने सिद्धान्त—पुराने अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी के निर्धारण को सम्भन व विन समय-समय पर कई सिद्धान्त प्रस्तुत किये, जैसे मजदूरी का जीवन-निवाह सिद्धान्त (Subsistence Theory of Wages), मजदूरी-आप सिद्धान्त (Wages Fund Theory), शेषाधिकार सिद्धान्त (Residual Claimant Theory) आदि, परन्तु ये सब सिद्धान्त मजदूरी निर्धारण के लक्ष्य को सम्भनन में असमर्थ सिद्ध हुए, क्योंकि ये असूख एवं गण्ड पनीय थ। अतः में मजदूरी निर्धारण का आधुनिक सिद्धान्त प्रस्तुत किया गया जिनके अनुसार यह बताया गया कि मजदूरी का निर्धारण माँग और पूर्ति का दोना ही शक्तिया द्वारा होता है। यह विनो एक शक्ति का काय नहीं है।

मजदूरी निर्धारण का आधुनिक सिद्धान्त (Modern Theory of Wages)—आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार मजदूरी धम की माँग और उसकी पूर्ति पर निर्भर होती है। निम्न प्रकार किमी वस्तु का मूल्य माँग और पूर्ति को दो शक्तियों के अन्तर्गत द्वारा निर्धारित होता है, ठीक उन्ही प्रकार धम का मूल्य अर्थात् धमिका की मजदूरी भी माँग और पूर्ति के नियमानुसार ही निर्दिष्ट होता है। धम की कृष्ण विनो विशेषणों अधिन्य हैं निम्न कारण मजदूरी-निर्धारण में तन्निन्ना अन्तर उपस्थित हो जाता है। अतः मजदूरी निर्धारण का सिद्धान्त नीचे स्पष्ट किया जाता है—

धम की माँग (Demand for Labour)—धम का माय उत्पादनविन्या द्वारा प्रस्तुत हो जाता है जो धमिका का उत्पादन विन्या में काम करन के निच लोकर रखन है। धमिका का उत्पादन विन्या में काम करन की शक्ति उसकी उत्पादनशक्ति (Productivity) कहानी है। उन् उत्पादन शक्ति का मुद्रा में माया ना गचना है। एक उत्पादनविन्य लक्ष्य धमिका को बताना जाता है अतः लक्ष्य यह समझना रहता है कि उन्क लक्ष्य में उत्पादन शक्ति बढ़ रहा है। निम्न प्रकार किमी भी वस्तु की ज्या ज्या माया बढ़नी जानी है तथा-तथा उसकी उत्पादिका घटनी जानी है ठीक उन्ना प्रकार ज्या ज्या धमिका की मख्या बढ़नी जानी है तथा-तथा उत्पादिका हाय-निचम (Law of

—“The explanation of price by supply and Demand also holds good for labour ...”—Batson, Political Economic, p 27

Diminishing Utility) के अनुसार अनिश्चित श्रमिकों की उत्पादन शक्ति में भी ह्रास होता जाता है। अन्त में एक एकीकृत व्यवस्था में जाती है जबकि अन्तिम श्रमिक द्वारा उत्पादन की गई वस्तु का मूल्य उनको मिलने वाली मजदूरी के बराबर हो जाता है। ऐसे श्रमिकों के प्रति उपयोगिता उदासीनता रहता है, चाहे वह रक्त या चना जैसी वस्तुओं को उत्पन्न करने में कोई विशेष लाभ नहीं होता और न उनके घन जलन में कोई विशेष हानि हो होगी ऐसी श्रमिकों के बाद फिर अन्तिम श्रमिक तो रखा हो गइया जायगा, अन्त में अन्तिम या सीमान्त श्रमिक (Final or Marginal Labourer) कहते हैं और ऐसे श्रमिकों की उत्पादन शक्ति सीमान्त उत्पादनता (Marginal Productivity) कहलाती है। अब एक ही काम करने के लिये कोई श्रमिक एक ही कुशलता धर्यात् समान उत्पादन शक्ति वाले रहे जाय है तो कोई कारण ऐसा नहीं हो सकता कि उन्हे अन्तिम-मात्र मजदूरी मिले। और फिर ऐसा करने में उपयोगिता को भी हानि होगी। जब हम किसी उत्पादन कार्य के लिए बहुत से श्रमिकों पर एक साथ विचार करते हैं तो यही समझने है कि प्रत्येक श्रमिक एक ही कार्य-कुशलता ही रखता है। चाहे जिसको हम सीमान्त मात्र मजदूरी दें और उन्हे हम धीमे-धीमे कर सकते हैं। अतः मजदूरी श्रमिकों को समान मजदूरी मिलनी चाहिये सीमान्त श्रमिकों को मिलने वाली मजदूरी ही मजदूरी को मिलेगी। स्पष्टि सीमान्त उत्पादन-शक्ति के बराबर ही सीमान्त श्रमिकों की मजदूरी मिलनी है इसलिये यह स्पष्ट है कि सीमान्त उत्पादन शक्ति या उत्पादनता ही श्रमिकों का मांग मूल्य (Demand Price) है। अतः, श्रमिकों की सीमान्त उत्पादनता मजदूरी की अधिकतम सीमा (Maximum Limit) निर्धारित करती है जिससे अधिक मजदूरी उद्योग पति कभी भी देने के लिये तैयार नहीं होता है।

श्रम की पूर्ति (Supply of Labour)—श्रम की पूर्ति श्रमिकों द्वारा होती है। जिस प्रकार साधारण वस्तु के मूल्य निर्धारण में वस्तु का लागत व्यय उनको न्यूनतम सीमा निर्धारित करता है उसी प्रकार श्रमिकों का अल्पतम जीवन स्तर मजदूरी की न्यूनतम सीमा निर्धारित करता है।<sup>1</sup> अल्पतम श्रमिक अल्पतम श्रमिकों का अल्पतम होता है, अर्थात् जीवनाय आवश्यक, सुख एवं विलास वस्तुओं अल्पतम मात्रा में उसे प्रत्यय मिलना चाहिये अल्पतम उसे बहुत बड़ा होगा। इसे हम सीमान्त जीवन स्तर (Marginal Standard of Living) कह सकते हैं। अतः उसे उतनी मजदूरी तो आवश्यक मिलनी चाहिए जिससे कि वह उद्योग स्तर पर रह सके अर्थात् मजदूरी कम से कम श्रमिकों के जीवन स्तर के लागत व्यय के बराबर होनी चाहिये। जीवन स्तर के लागत व्यय में कम मजदूरी श्रमिकों को स्वीकार नहीं करेगा। यदि उस इतना कम मजदूरी से जायगी, तो वह विवाह में विलम्ब करके या आजीवन प्रतिवाहित रह कर या ऊँची मजदूरी वाले धन्या या स्थानों में जाकर, या अपनी अल्पतम कार्यक्षमता उच्च नरक, धारण में संश्लिष्ट होकर उपयोगिताओं में संश्लिष्ट करके अथवा अन्य किसी प्रकार से मजदूरी को जीवन स्तर के लागत व्यय के बराबर लाने का प्रयत्न करेगा। अतः

1—'The standard of life in the case of Labour replaces the expenses of production in the case of ordinary commodities

सीमान्त जीवन-स्तर श्रमिकों का पूर्ति मूल्य (Supply Price) है। अस्तु, श्रमिकों के जीवन-स्तर का लागत-व्यय मजदूरी की न्यूनतम सीमा (Minimum Limit) निर्धारित करता है जिससे कम मजदूरी श्रमिक कभी भी स्वीकार नहीं करता है।

मांग और पूर्ति की अन्तर्क्रिया (Interaction of Demand and Supply)—उपरोक्त विवेचन में यह स्पष्ट है कि श्रमिकों की उत्पादकता मजदूरी की अधिकतम सीमा है जिसमें अधिक मजदूरी कभी नहीं हो सकती और श्रमिकों के रहन-सहन के स्तर का व्यय मजदूरी की न्यूनतम सीमा है जिसमें कम मजदूरी कभी नहीं हो सकती। इन्हीं दोनों सीमाओं के बीच में मजदूरी भूतल रहती है और अन्त में उद्योगपति (मालिक) और श्रमिकों की सापेक्ष आवश्यकता तथा उनकी भाव-ताव (Bargaining) करने की शक्ति द्वारा ठीक निर्धारित हो जाती है। अधिक स्पष्ट करने हुए या कहा जा सकता है कि इन दोनों सीमाओं के बीच में मजदूरी उस स्थान पर निर्धारित होती है जहाँ उद्योगपति तथा श्रमिकों की प्रतिस्पर्धा की शक्ति बराबर हो जाती है अर्थात् जहाँ पर मांग और पूर्ति में सन्तुलन हो जाता है।

उदाहरण द्वारा स्पष्टीकरण—मांग और पूर्ति की तुलना बनाकर हम एक सन्तुलन मजदूरी (Equilibrium Wage) का पता चला सकते हैं। मान लीजिये विभिन्न मजदूरी पर श्रमिकों की मांग और पूर्ति निम्न प्रकार है :—

मांग (श्रमिकों की संख्या)	मजदूरी (रुपया)	पूर्ति (श्रमिकों की संख्या)
८००	२०	१००
६००	२५	३००
४००	३०	४००
३००	३५	६००
१००	४०	८००

ऊपर की तुलना में जब मजदूरी ३० रुपया है तो मांग और पूर्ति दोनों बराबर हैं। अतः श्रमिकों की मजदूरी ३० रुपये पर निश्चित होगी। यही सन्तुलन मजदूरी है। मजदूरी इससे अधिक होने पर अधिक श्रमिक प्राप्त जायेंगे। पूर्ति बढ़ने के कारण मजदूरी गिर कर अन्त में सन्तुलन मजदूरी के बराबर हो पायगी। मजदूरी के इससे कम हो जाने पर मजदूरी की संख्या कम हो जायगी, जिसके कारण उत्पादकों की मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी और अन्त में वह सन्तुलन मजदूरी के बराबर हो जायगी। इस प्रकार मजदूरी सन्तुलन-मजदूरी से न तो कम हो सकती है और न अधिक।

श्रमिकों की सीमा करने की शक्ति का मजदूरी निर्धारण पर प्रभाव—यह तो पहले बताया जा चुका है कि श्रम एक नासर्वात्म्य वस्तु होने के कारण श्रमिकों की सीमा या भाव-ताव करने की शक्ति (Bargaining Capacity) उद्योग-पतियों या मालिकों की अपेक्षा कम होती है। इसलिये उन्हें केवल न्यूनतम अर्थात् जीवन-निर्वाह मात्र के लिये ही मजदूरी मिल पानी है। यदि वे अपना सगठन कर लें

तो मजदूर संघों (Trade Unions) द्वारा वे अल्पतम जीवन-स्तर की अपेक्षा अधिक मजदूरी पा सकते हैं ।

### मजदूरी, कार्य क्षमता और जीवन स्तर

#### ( Wages, Efficiency and Standard of Living )

मजदूरी, कार्य-क्षमता और जीवन-स्तर में पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध है । ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ।

मजदूरी का प्रभाव कार्यक्षमता और जीवन-स्तर पर—जितनी अधिक मजदूरी होगी उतना ही अधिक वे उत्पादन कर पायेंगे और उतनी ही अधिक उनकी भोजन मिलेगा, रहने का उत्तम स्थान मिलेगा, शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन की सुविधाएँ मिलेंगी जिसके परिणाम स्वरूप उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि होगी ।

कार्यक्षमता का मजदूरी और जीवन-स्तर पर प्रभाव—अधिक जितने अधिक कार्यक्षमता होगी उतना ही अधिक वे उत्पादन कर पायेंगे और उतनी ही अधिक उनकी मजदूरी होगी । जब उनकी मजदूरी बढ़ेगी, तो उनका जीवन स्तर भी बढ़ेगा । इस प्रकार कार्यक्षमता, मजदूरी और जीवन स्तर का सीधा सम्बन्ध है ।

जीवन स्तर का कार्यक्षमता और मजदूरी पर प्रभाव—अधिको वे जीवन-स्तर के ऊँचे होने से उनकी प्रावश्यकताएँ बढ़ेंगी और वे अधिक उत्तम वस्तुओं का उपभोग करेंगे । परिणाम यह होगा कि उनका स्वास्थ्य सुधरेगा जिससे उनकी उत्पादन-शक्ति में वृद्धि होगी । इस वृद्धि में उत्पादन बढ़ेगा जिसके कारण उन्हें अधिक पारिश्रमिक प्राप्त होगा ।

मजदूरी, कार्यक्षमता और जीवन-स्तर का पारस्परिक प्रभाव—उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मजदूरी, कार्यक्षमता और जीवन स्तर में पारस्परिक घनिष्ठ सम्बन्ध है । मजदूरी अधिक होने पर जीवन-स्तर धर्मार्थ रहन रहन का स्तर ऊँच हो जाता है जिससे कार्यक्षमता बढ़ जाती है और कार्यक्षमता बढ़ने पर मजदूरी भी बढ़ जाती है । मजदूरी बढ़ने पर जीवन-स्तर और भी ऊँचा हो जाता है जिससे काम कुशलता में और भी वृद्धि हो जाती है और परिणामतः मजदूरी पहले से भी अधिक बढ़ जाती है । इस प्रकार यह चक्र निरन्तर गतिशील रहता है । चाहे मजदूरी बढ़ जाय, चाहे कार्यक्षमता में वृद्धि हो जाय, भयवा रहन रहन का स्तर ऊँचा हो जाय—इससे से कोई भी कार्य हो जाय, तो पुनः यह पारस्परिक प्रभाव का चक्र चल जाता है और निरन्तर चलता रहता है । यह सायं में दिये गये चित्र में प्रकृतता स्पष्ट हो जाता है ।



मजदूरी, कार्यक्षमता और जीवन-स्तर का सम्बन्ध



**मजदूरी और सामाजिक प्रथाएँ (Wages and Social Customs)**—मजदूरी सामाजिक प्रथाओं द्वारा भी प्रभावित होती है। भारतवर्ष में सबों में प्रथम तक अनेक कामों में मजदूरी सामाजिक रीति-रिवाजों द्वारा निर्धारित होती है। उदाहरणार्थ, बर्त, बुहार, नाई, धोबी, चमार, आदि को फसल के समय कुछ अनाज दे दिया जाता है जिसके बदले में वे वर्ष भर अपनी सेवाएँ करते रहते हैं। इसी प्रकार जन्म, विवाह, मृत्यु आदि अवसरों पर नाई, धोबी, बूम्हार आदि को जो दिया जाता है वह भी परम्परागत रीति-रिवाजों के अनुसार ही दिया जाता है, चाहे उनका परिश्रम अधिक हो या कम। सामाजिक प्रथाओं द्वारा मजदूरी निर्धारण से श्रमिक अक्षय्य एवं निरस्तह हो जाते हैं जिससे वे अपनी कार्य-क्षमता नहीं बढ़ा सकते। वे जानते हैं कि वन्धु वन्धो बंधा हुआ पैसा मिलेगा नाहीं वे अधिक काम करें या कम, अच्छा काम करें या बुरा। इस सामाजिक प्रथाओं में जाति-जाति का भेद, सपुत्र परिवार प्रथा, बाल-विवाह और पदा प्रथा मुख्य हैं। इनका प्रभाव मजदूरी पर निम्न प्रकार है : -

**मजदूरी पर जाति-प्रथा का प्रभाव (Effect of Caste System on Wages)**—जाति भेद-भाव के कारण श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर सुगमता से नहीं जा सकता या एक व्यवसाय को छोड़ कर दूसरे व्यवसाय में नहीं जा सकता। इसका परिणाम यह होता है कि श्रमिकों को माँग और पूर्ति में बहुत कठिनाइयाँ उपस्थित हो जाती हैं। ऊँची जाति के मनुष्य कोई भी ऐसा काम करना नहीं चाहते जिसे नीची जाति के लोग करने हैं, यद्यपि उनसे अधिक आय ही क्यों न होती हो। इस प्रकार जाति-प्रथा ने समाज को ऐसे टुकड़ों में बाँट दिया है जिससे एक टुकड़े वाले व्यक्ति को दूसरे टुकड़े के व्यक्तियों के धन्ने न करने का अवसर नहीं मिलता चाकि यह इच्छानुसार व्यवसाय में लग सके। परिणाम यह होता है कि उभो टुकड़े के व्यक्तियों को काम खूब करना पड़ता है और उनके बदले में बहुत थोड़ा पारिश्रमिक दिया जाता है।

**मजदूरी पर सयुक्त-परिवार-प्रथा का प्रभाव (Effect of Joint Family System on Wages)**—सयुक्त परिवार प्रथा के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति परिवार की सम्पत्ति में बराबर का भाग ले सकता है। इस प्रथा के अन्तर्गत लोग श्रमार्थ्य एवं आलसी हो जाते हैं, क्योंकि परिवार के कुछ लोग तो कमाते हैं और कुछ बड़े आनन्द में बिना किसी परिश्रम के परिवार की सम्पत्ति में मजा उठाते हैं। इस प्रकार श्रमिकों की पूर्ति में कमी पड़ जाती है जिससे मजदूरी में वृद्धि सम्भव हो सकती है। यदि सब मनुष्य परिश्रम करने लगें, तो श्रमिकों की संख्या बढ़ जाये और मजदूरी कम हो जाये। कभी ऐसा भी होता है कि परिवार में आर्थिक कठिनाइयों में कुछ व्यक्ति उच्च स्थान को छोड़ कर दूसरे स्थान पर चले जाते हैं और वहाँ पर परिश्रम से दूसरे धन्नों में अच्छी कमाई करते हैं जिन्में उनका और उनके परिवार का निर्वाह हो जाता है। इस प्रकार श्रमिकों के पारिश्रमिक पर प्रभाव पड़ता है।

**बाल-विवाह-प्रथा (Early Marriage System)**—भांगिक अन्व-विश्वास तथा अन्य प्रचलित रूढ़ियों व नारण बाल-विवाह हो जाने में जन-संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है जिसमें मजदूरी का गिर जाना स्वाभाविक है। अधिकतर बच्चे निर्बल पैदा होते हैं जो जीवन-मरणतः बीमार-से रहते हैं। इस प्रकार उनकी शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों में हास हो जाता है जिससे उनकी कार्यक्षमता कम हो जाती

मजदूरी से तात्पर्य श्रमिक के धन्ये के वास्तविक लाभों से है, अर्थात् अपनी सेवाया के प्रतिफल में श्रमिक का जो जीवन्मार्थ आवश्यक सुख तथा विलास वस्तुएँ प्राप्त हो सकती हैं उन्हीं वास्तविक मजदूरी कहते हैं।<sup>१</sup> अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक मजदूरी में नकद मजदूरी द्वारा खरीदी हुई वस्तुओं के अतिरिक्त श्रमिकों का अपने स्वामी से जितनी भी सुविधाएँ एवं रियायतें प्राप्त होती हैं वे सब ही सम्मिलित होती हैं। उदाहरण के लिये घर में नोकरी को नकद रुपये के अतिरिक्त रहने के लिये मुफ्त भोजन वस्त्र इनाम आदि मिला म काम करने वाले श्रमिकों को निःशुल्क शिक्षा शिक्षा सल-बूद आचरानय आदि की सुविधाएँ, रेल के टिकटों को भी यात्रा पास, निःशुल्क चिकित्सा रहने के लिये फाटस, सस्ता भोजन आदि वास्तविक मजदूरी के कुछ उदाहरण हैं।

उपरोक्त विवरण में यह स्पष्ट है कि नकद या रोकड़ मजदूरी रुपये नये पैसे में व्यक्त की जाती है और वास्तविक मजदूरी वस्तुओं तथा सेवाओं में।

नकद या रोकड़ मजदूरी और वास्तविक मजदूरी का सापेक्षिक महत्त्व—नकद या रोकड़ मजदूरी का महत्त्व उतना नहीं होता जितना कि वास्तविक मजदूरी का। दो विभिन्न व्यक्तियों को नकद मजदूरी बराबर होने पर भी उनकी वास्तविक मजदूरियाँ भिन्न भिन्न हो सकती हैं। एक ग्रामीण श्रमिक को आठ आने रोज मिलते हैं तथा एक शहरी श्रमिक का एक रुपया रोज मिलता है। परन्तु ग्रामीण श्रमिक शहरी श्रमिक की अपेक्षा आठ आने के बदले में अधिक वस्तुओं का उपभोग कर सकता है। इसका कारण यह है कि गाँव में शहर की अपेक्षा खाद्य पदार्थों, दूध आदि गुद तथा कम मूल्य में प्राप्त हो सकते हैं। गाँव में मकान का कोई विशेष किराया नहीं होता है जबकि शहर में मकान मिलने कठिन है और यदि मिलते हैं तो बहुत अधिक किराये पर। अतः एक श्रमिक के लिये यह महत्त्व की बात नहीं है कि उसे कितना रुपया मिल रहा है, उन्में लिये यह महत्त्व की बात है कि रुपया से कितनी वस्तुएँ तथा सुविधाएँ प्राप्त कर सकता है और नकद रुपया के अतिरिक्त भी उसे तथा-क्या सुविधाएँ प्राप्त हैं। आदम स्मिथ (Adam Smith) ने इस मन्वन्ध में ठीक ही कहा है श्रमिक या निर्धन, उन्हें उचित पुरुष्कार मिलता है या अनुचित, वास्तविक मजदूरी के अनुपात से कहा जा सकता है कि नाममात्र मजदूरी से।<sup>२</sup> अन्तु अर्थशास्त्र में नकद या रोकड़ मजदूरी और वास्तविक मजदूरी का भेद बहुत महत्त्व रखता है।

1—'Real Wages refer to the 'net advantages of the worker's occupation, i e the amount of necessaries comforts and luxuries of life which the worker can command in return of his services

—Dr S E Thomas *Elements of Economics*, P 262.

2—"The Labourers are rich or poor, well or ill—rewarded, in proportion to the real wages, not the Nominal wages of his labour

—Adam Smith

पड़ती। अस्तु, वास्तविक मजदूरी का अनुमान लगाने समय शिक्षा-बाल एवं उसका व्यय अवश्य ध्यान में रखना चाहिये।

(४) व्यापारिक व्यय (Trade Expenses)—कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनके सञ्चालन में कुछ व्यय करना पड़ता है। उदाहरण के लिये, एक बकील की कानून की पुस्तकें खरीदनी पड़ती हैं तथा कई पत्रिकाएँ भंगानी पड़ती हैं। एक डाक्टर का अपना कार्य करने के लिये विभिन्न औषधियाँ तथा न्यून-न्ये औजार खरीदने पड़ते हैं। इसी प्रकार एक प्राध्यापक का भी अपनी ज्ञान वृद्धि के लिये पुस्तकें व पत्रिकाएँ आदि खरीदने में पर्याप्त व्यय करना पड़ता है। वास्तविक मजदूरी का अनुमान लगाने समय इस प्रकार के व्यापारिक व्यय नकद मजदूरी में से घटाने पड़ते हैं।

(५) व्यवसाय का स्वभाव (Nature of Employment)—कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ों, अरबिकर, अस्वास्थ्यकर या खतरनाक होते हैं। उदाहरण के लिये, खान के भीतर काम करने अथवा भट्टी में कोयला भावने वाल श्रमिक का काम बहुत बड़ों एवं बचाने वाला होता है। गाला बालू के कारखाने में कार्य चलाने श्रमिक का जीवन सर्वत्र खतरा में रहता है। मैना उद्योग तथा और आलाव का काम अत्यन्त अरबिकर है। परन्तु कुछ व्यवसाय ऐसा हानि है जो रबिकर होते हैं। तथा जिनमें श्रमिक का पर्याप्त मुक्त मितता है। जैसे चित्रकार व अध्यापक का कार्य। अतः काम की कठोरता तथा अरबि वास्तविक मजदूरी की घटा देनी है श्रम रबिकरता तथा सुखदायकता वास्तविक मजदूरी का घटा देना है।

(६) काम करने का समय तथा अवकाश (Working Hours & Holidays)—काम करने के घंटे तथा समय समय पर मितन वाली छुट्टियाँ भी वास्तविक मजदूरी का प्रभावित करती हैं। एक बलिज का प्राध्यापक की तुलना में जिस मुद्रिक में नित्य तीन घंटे कार्य करना पड़ता है तथा जिस वर्ष में लगभग छ महीने की छुट्टियाँ मिल जाती हैं, एक बैंक मैनेजर की वान्तविक आय जिसे लगभग उसका बराबर ही वेतन मितता है पर आठ घंटे नित्य काम करना पड़ता है और बर भर में एक महीने की ही छुट्टियाँ मिलती हैं, कम ही करी जायगी।

(७) कार्य का न्यायित्व (Regularity of Employment)—कुछ कार्य अस्थायी (Temporary) एवं मौसमी (Seasonal) होते हैं, जैसे बर्द अथवा कृषक का काम जिसमें अस्थायी का पर्याप्त समय तक देखा बँट रहता पड़ता है। इसी प्रकार चीनी का कारखाना भी वर्ष में लगभग पाँच महीने ही चलता है। पाय व अस्थायी हानि से वास्तविक मजदूरी कम हो जाती है।

(८) अतिरिक्त आय (Extra Earning)—कुछ व्यवसाय ऐम हानि हैं जिनमें अतिरिक्त आय कमाने की पर्याप्त सुविधा होती है अर्थात् अन्य व्यवसायों में एका सुविधा का पूर्णतया अभाव होता है। उदाहरणार्थ, अध्यापक परीक्षक हाकर या पुस्तक तिलकर अथवा प्राध्यापक न्य ज्ञान करने, डाक्टर प्राध्यापक प्रिन्टिग द्वारा तथा बैंक का बर्न अवकाश के समय म बीमा कम्पनी के एजेण्ट का कार्य कर अपनी पाय में वृद्धि कर सकता है। इस प्रकार की अतिरिक्त आय कमाने की सुविधा वास्तविक मजदूरी में वृद्धि कर देती है।

(९) आश्रितों को काम मिलने की सुविधा (Employment of Dependents)—कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें श्रमिक से आश्रितों अर्थात्

बन्ने घोर रक्षा आदि का नोकरा दिवाने की परामि सुविधा होती है। उदाहरणार्थ, निम्न साहूदर म कद उद्योग कृत्रिम हान है कर्ण श्रमिक स्वयं काम करना हा है घोर प्रपन कुटुम्ब क सदस्या की भी काम दिना दता है। दग प्रकार का सुविधा वास्तविक मजदूरी वा यदाना है।

(१०) भावी उन्नति की आशा (Prospect of Success)—जिन व्यवसाय म भावा उन्नति का माया शक्ति हाती है उनम लोग कम रकम मजदूरी पर भा काम कर ता है। उदाहरण क निय एक सुविधित व्यक्ति कर्णित म राखता भावना दमविता स्थीकार कर ता है कि उा किरण नमिष म हाकर वन तर प्रथित नवन की आशा हाता है। यो प्रकार प्राय भाग मरगारा गोरन करना पन्द करने है कदाचि दगम भावा प्रति का म्भारना दता हाता है। एम्बु प्रा वन ममान रहन पर उम काम म वास्तविक मादरा प्रथित गता ताया तर्ण उन्नति की माया हा।

(११) स्वच्छता एवं मनोरजन का वातावरण (Cleanliness & Happy Atmosphere)—इन सब बातों क प्रतिरिक्त व्यवसाय का माय-मुग्ध हाता उमम मनोरजन हाव रहता आदि कारण म वास्तविक मादरी दता दता है।

धन की नकद घोर वास्तविक लागत (Money and Real Cost of Labour)—जिन प्रकार मजदूरी क दता भद हाव म दता उमा प्रकार धन की लागत क भा दता भद निय ता कने है—(१) नकद या नाममात्र लागत घोर (२) वास्तविक लागत।

(१) नकद या नाम मात्र लागत (Money or Nominal Cost)—जिना श्रमिक की काम करने क बदल म जो नकद रकमा उा मजदूरी क रूप म दिया जाता है उम नकद या नाम मात्र लागत कर्ण है। उदाहरण किता श्रमिक का २५ र० मासिक पारिश्रमिक क रूप म दिया जाता है ता २५ र० उमा नकद लागत है।

(२) वास्तविक लागत (Real Cost)—प्रति दलाई मजदूरी उमकी वास्तविक लागत कहानी है। उदाहरणार्थ यदि किसी श्रमिक का २५ र० दिय जाने है घोर यह १०० इकाई वस्तु उत्पन्न करता है तो उसकी वास्तविक लागत  $\frac{25}{100} = \frac{1}{4}$  रकम या ४ पान प्रति दलाई हुई। उद्योगपति श्रमिक की उमकी वास्तविक लागत के आधार पर हा काम पर लगाने है उमकी नकद लागत पर विचार नहो करत। जिन श्रमिक की वास्तविक लागत कम होता है वह मन्ता पडता है घोर उद्योगपति उमे ही काम पर लगाना है। उदाहरणार्थ ३५ र० पान वाला श्रमिक यदि ५० इकाई वस्तु उत्पन्न करे घोर ३/५ र० पान वाला श्रमिक १०० इकाई वस्तु उत्पन्न करे तो दूसरे श्रमिक का नकद लागत प्रथित होन पर भा उमकी वास्तविक लागत कम है घोर इस कारण यह मन्ता है।

(३) ऊँची मजदूरी सस्ती हाती है (High Wages are Cheap Wages)—सार श्रमिक म एव सी नाम हावना नहो होती है। कुछ श्रमिक अधिक कुशल होन है घोर कुछ कम। जो श्रमिक अधिक कुशल होते है उहे मजदूरी भी अधिक मिलनी है। यह धारणा कि ऊँची मजदूरी मन्गी सिद्ध होती है, गतत है। श्रमिक मन्गा है या सस्ता इसका अनुमान उमकी उत्पादन शक्ति या काय कुशलता

से ही लगाया जा सकता है। यदि एक थमिक दिये हुए समय में दूसरे थमिक से पाँच गुना काम अधिक करता है और दूसरे की अपेक्षा मजदूरी केवल उस तिथुनी ही मिलती है तो वह निस्सन्देह सन्ता थमिक है, क्योंकि उही काम को दूसरे मजदूर से करवाने में उद्योगपति को २५% अधिक व्यय करना पड़ता है। उद्योगपति का यह निरर्थक वस्तु के उत्पादन की प्रति इकाई लागत पर अघारित होता है। यदि किसी दक्ष थमिक को काम पर लगाने में उसे बड़ी हुई मजदूरी देने के अनुपात में अधिक उत्पादन प्राप्त होता है, तो वह ऊँची मजदूरी पर कुशल थमिक को काम पर लगाया पसन्द करेगा। इस प्रकार मजदूरों की वृद्धि के अनुपात में अधिक उत्पादन प्राप्त होने के कारण ऊँची मजदूरी पर रखा गया थमिक सन्ता सिद्ध होता है।

(२) ऊँची मजदूरी पाने वाला थमिक सन्तुष्ट रहता है। अतः वह अपना काम दिल लगाकर करता है और अन्य स्थान के भौंड-ग वालक से इसे छोड़ कर नहीं जाता। कुशल थमिक का न्यायी रूप से टहर कर काम करना उद्योगपति के लिये लाभप्रद सिद्ध होता है।

(३) ऊँची मजदूरी पर काम करने वाले कुशल एवं सन्तुष्ट थमिक मनीषित तथा श्रौजारो का उपयोग बड़ी सावधानी से करते हैं जिससे उनके विषम तथा नष्ट होने की हानि अधिक नहीं होती।

(४) ऊँची मजदूरी पाने वाला थमिक कम या अपर्याप्त मजदूरी पाने वाले थमिक की अपेक्षा अधिक ईमानदार होता है जिसके कारण उद्योगपति की निरीक्षण कार्य (Supervision Work) पर कम व्यय करना पड़ता है।

इन्हीं कारणों से अमेरिका आदि औद्योगिक दृष्टि में उन्नत देशों में उद्योगपति अपने अनुभव के दस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि थमिकों को भुल्ले रहने के बजाय उन्हें अच्छी मजदूरी दी जाय तथा सन्तुष्ट रखा जाय, क्योंकि खुश मजदूर काम अधिक करता है।<sup>१</sup> परन्तु भारतीय उद्योगपति अभी तक नहीं सोचते हैं कि थमिक जितना सन्ता हो उतना ही अक्षय। इस कारण वे सस्ते में-सस्ता मजदूर ढूँढते हैं। परन्तु वे अब समझते लग गये हैं कि महंगा मजदूर ही सन्ता पड़ता है, क्योंकि उसकी उत्पादन शक्ति अधिक होती है।

~~ऊँची मजदूरी होने की दशाएँ~~ (Conditions favouring High Wages)

ऊँची मजदूरी निम्नलिखित दशाओं में सम्भव हो सकती है—

१. कार्य-कुशलता—उत्पादन-शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही मजदूरी अधिक होगी। थमिक की उत्पादन शक्ति निम्नांकित बातों पर निर्भर होती है : (अ) थमिक की कार्य-क्षमता, (आ) थमिक की बुद्धि और स्वास्थ्य, (इ) देश में प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता तथा (ई) उनका सदुपयोग।

१—यह एक पारसी (persian) में कहावत है : 'खुश मजदूर कार बेग मी कुमर'।

२ पूँजी की बड़ी मात्रा—बड़ी मात्रा में पूँजी उपलब्ध होने पर ही इस का प्राथमिक एवं श्रोत्रागिक विकास हो सकता है।

३ मशीन तथा अन्य वस्तुनिष्ठ उत्पादों का आविष्कार—इन मशीनों के परिणाम का उत्पादन सम्भव होकर श्रोत्रागिक उपनि होतो है।

४ वैज्ञानिक सुविधाएँ—बिना उचित वैज्ञानिक सुविधाओं के श्रोत्रागिक उपनि इस युग में सम्भव नहीं है।

५ श्रमिकों का संगठन—श्रमिकों का जितना अधिक संगठन होगा मजदूरी उतनी ही अधिक हो सकती है।

मशीन मजदूरी महंगा होती है ( Low Wages are Dear Wages )—जिस प्रकार यह ठीक है कि ऊँचा मजदूरी मरता है उसी प्रकार इसका विलुप्त उन्हा भा प्रभाव यह भी ठीक है कि उतनी मजदूरी मरती है। इसके कारण विद्युत् स्पष्ट है। मशीन श्रमिकों की बाध्यता कम होने से मजदूरी के अनुपात में कम उत्पादन होता है जिसके कारण मशीनों का लागत व्यय बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त अपर्याप्त मजदूरी पाने वाले श्रमिक संतुष्ट नहीं रहता, इसलिए वह सदा काम छोड़कर जाने की ताकत रखता है जिससे वह मन लगा कर काम नहीं कर पाता। असंतुष्ट एवं असुखी श्रमिक मशीन तथा श्रोत्रागिकों का उपयोग भी उचित मावधानों में नहीं करता जिसके कारण उनके पिछले तथा पराएँ होने आदि से हानि अधिक होती है। कम का अपर्याप्त मजदूरी पाने वाले श्रमिक असंतुष्ट होते हैं मत उनकी ईमानदारी पर पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता। इसलिए उनके बाय पर अधिक नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती है जिसके कारण निरोक्षण व्यय में वृद्धि होकर लागत व्यय बढ़ जाता है। इन कारणों से यह कहा जा सकता है कि मशीन मजदूरी महंगी होती है।

अधिक समय तक काम करना लाभप्रद नहीं है ( Long Hours are Unprofitable )—समय मशीनों की शक्ति लगाकर काम करने में मरता, क्योंकि कुछ घण्टा के लिए श्रम के परिणाम यह कम जाता है जिसके कारण उसका काम कुशलता कम होकर उत्पादन शक्ति में ह्रास हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि उत्पादन कम होने लगता है जिसके कारण लागत व्यय में वृद्धि होने लगती है। इसलिये यह आवश्यक है कि श्रमिकों का दो-तीन घण्टा काम करना व परिणाम प्राप्त कराना दिया जाए जिससे वे अपने ताई हुई शक्ति पुनः प्राप्त कर सकें। अभी तक उद्योगपति यह समझते थे कि श्रमिकों में अधिक व अधिक समय में काम करना लाभदायक है। परन्तु अनुभव से वे अब इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि काम के बाध में श्रमिकों को कुछ प्राराम मिलना चाहिए तथा काम करने लगना नहीं होना चाहिए जिससे श्रमिकों की बाध्यता उतनी रहे और उत्पादन में कमी न पाने पाये। अतः यह स्पष्ट है कि अधिक समय तक काम करना महंगा पड़ता है।

विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी की भिन्नता के कारण (Causes in Wages in different occupations) — निम्नलिखित श्रमिकों की मजदूरी श्रम की मांग और पूर्ति की पारस्परिक प्रतियोगिता द्वारा निर्धारित होती है। परन्तु प्रायः देखा गया है कि विभिन्न व्यवसायों या धन्यो में श्रमिकों की मजदूरी एक सी नहीं होती। किसी व्यवसाय में उनका अधिक मजदूरी मिलती है तो किसी व्यवसाय में कम। इस विभिन्नता के कई कारण हैं जो नीचे दिये जाते हैं :—

१. कार्य का स्वभाव (Nature of Occupations) — कुछ व्यवसाय या धन्ये संचिकर (Agreeable) होते हैं, जिनमें श्रमिक प्रसन्नता में कार्य करने को तत्पर होते हैं जैसे शिक्षक, वकील, डाक्टर, इंजीनियर, बैंक मैनेजर आदि का काम, और कुछ असंचिकर (Disagreeable) होते हैं जिनमें मनुष्य काम करना पसन्द नहीं करते, जैसे, भूमी, चमार, कमाई, जत्ताद, आदि का काम। इसी प्रकार कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनमें काम अधिक करना पड़ता है और कुछ में कम, जैसे शिक्षक का एक कक्षा की उपेक्षा कम काम करना पड़ता है। कुछ काम सामाजिक प्रतिष्ठा की दृष्टि में श्रेष्ठ समझे जाते हैं—जैसे अध्यापक, डाक्टर, वकील, समाचार-पत्रों के सम्पादन का काम आदि। कुछ काम श्रमिक का जीवन कम कर देते हैं, जैसे साधुवान उठाना या कौशल को फुटा कर बस्तु बनाना आदि। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने से श्रमिक की कार्य-शक्ति शीघ्र ही क्षीण हो जाती है, जैसे रिक्वा चताना आदि। कुछ कार्यों में श्रमिक का जीवन सदा खतरों में रहता है, जैसे माला वाण्ड के कारखाने में काम करने वाले श्रमिक का, विजली में काम करने वाले व्यक्ति का। इस प्रकार श्रमिक को विभिन्न प्रकार के कार्य करने को मिलते हैं। इसलिए एक व्यवसाय या धन्ये जिनमें श्रमिक को उपेक्षाहीन काम परिलक्ष्य करना पड़ता है तथा अधिक लाभ नहीं उठाने पड़ती है, जो खतराएँ एवं प्रिय होने तथा जिनमें अवकाश अधिक मिलता है और जिनमें करने में समाज में सम्मान एवं प्रतिष्ठा हाता है, उनमें मजदूरी कम होती है क्योंकि इनको करने वाले लोग उत्सुक रहते हैं।

२. अन्य सुविधाएँ (Incidental Advantages) — कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें निश्चित मजदूरी के अतिरिक्त कई सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं, जैसे शुभ भवान या कम निराय पर श्रेष्ठ भवान, यात्रा करने के लिये की पास, नि:शुल्क शिक्षा, चिकित्सा एवं कुछ मस्त खाद्य पदार्थ, ईंधन आदि। अतः जिन व्यवसायों में इस प्रकार की सुविधाएँ उपलब्ध होती हैं वहाँ मजदूरी कम दी जाती है।

३. काम का स्थायित्व (Regularity of Employment) — जो कार्य स्थायी रूप से निरन्तर चलते रहते हैं उनमें मजदूरी कम होती है, क्योंकि श्रमिक को बेकार नहीं रहना पड़ता और जो काम अस्थायी या मोसमी होते हैं (जैसे बीती का व्यवसाय आदि) उनमें श्रमिकों को अधिक मजदूरी देनी पड़ती है। इसलिए कार्य स्थायी है या अस्थायी इस पर भी मजदूरी में भिन्नता पाई जाती है।

४. शिक्षा का समय तथा व्यय (Period & Cost of Training) — बहुत से व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें प्रशिक्षण एवं प्रविष्टि का समय और धन लगता है, जैसे इंजीनियरिंग, डाक्टर आदि। अतः, बिना काम को सीखने में समय और धन अधिक लगता है उसमें पारिध्यिक अधिक होता है।

५ प्रतिरिक्त आय का सम्भविता (Possibility of Extra Earnings)—जिन व्यवसाय में प्रतिरिक्त आय की संभावना है उनमें सबसे मजदूरों को मिलता है। जैसे अध्यापक, डॉक्टर, प्राप्ति का कार्य, कर्म उद्योग में अधिकारी की प्रतिरिक्त आय अथवा बोनस (Bonuses) मिलने का कारण नए मजदूरों को मिलता है।

६ व्यापारिक व्यय (Trade Expense)—मजदूरों की भविता का एक बड़ा कारण है कि एक व्यवसाय का व्यापारिक व्यय अधिक होता है और दूसरे का काम उपाहरण के विषय बड़ा का अर्थ में अधिक लाभ अर्थात् अधिक प्रतिरिक्त आय का प्रोत्साहन तथा प्रोत्साहन देना का कारण नए मजदूरों को मिलता है।

७ काम करने का समय (Working Hours)—जिन जिन व्यवसायों में काम करने का समय अधिक होता है, उनमें मजदूरों को भी मिलता है। काम जिन व्यवसायों में कम समय काम करना पड़ता है वहाँ मजदूरों को कम मिलता है।

८ श्रम की गतिमानता (Mobility of Labour)—जो व्यवसाय में अधिक श्रमिक एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, उनमें मजदूरों को अधिक मिलता है। परन्तु जहाँ पर सामाजिक राजस्व अधिक और धार्मिक विचार तथा प्रतिभेता का अभाव है वहाँ श्रम की गतिमानता कम होती है। अतः ऐसी परिस्थिति में नए श्रमिकों का अभाव है वहाँ मजदूरों को अधिक मिलता है और जहाँ अधिक श्रमिकों का अभाव है वहाँ मजदूरों को कम मिलता है।

९ ईमानदारी या अमान्यता काय-कुशलता (Honesty Ability and Inefficiency)—जिस कार्य में ईमानदारी, परिश्रम तथा काय-कुशलता अधिकता का आवश्यकता होती है, उसमें मजदूरों को अधिक मिलता है। इस प्रकार यदि किसी कार्य में आवश्यकता होती है कि ईमानदारी, परिश्रम तथा काय-कुशलता अधिकता होनी है, तब नए श्रमिकों को अधिक मिलता है। यही कारण है कि एक मजदूर उद्योगियों के सम्बन्ध में, ईमानदारी तथा अमान्यता का अभाव होने से मिलता है।

१० जीवन-स्तर (Standard of Living)—विभिन्न व्यवसायों में श्रमिकों के विभिन्न जीवन-स्तरों का कारण भी मजदूरों में परोक्ष अंतर पाया जाता है। भारत में श्रमिकों का जीवन-स्तर अल्प श्रमिकों की अपेक्षा बहुत गिरा हुआ है। इससे एक नारीय श्रमिक कम मजदूरी पर ही राखी हो जाता है जबकि अल्प श्रमिकों को अधिक मजदूरी मिलती है। अतः यह स्पष्ट है कि जिन व्यवसायों में श्रमिकों का जीवन-स्तर ऊँचा होता है वहाँ श्रम दान की संभावना मजदूरों को अधिक मिलती है।

११ उत्तरदायित्व तथा सम्पत्ति सम्पत्ति (Responsibility and Dealings in Valuable Goods)—प्रकार का उत्तरदायित्व अधिक होता है, वही प्रकार जोड़ने तथा सम्पत्ति का अभाव सम्पत्ति सम्पत्ति का अभाव होने का कारण नए मजदूरों को अधिक मिलता है।



१२. स्थानाय परिस्थितियाँ (Local Conditions)—बुद्ध स्थान ऐसे होते हैं जहाँ वस्तुओं के मूल्य अधिक होते हैं और कुछ स्थानों पर कम। प्रस्तु, जहाँ वस्तुएँ महँगी होंगी वहाँ प्रायः मजदूरी भी अधिक होगी और जहाँ वस्तुएँ सस्ती होंगी वहाँ मजदूरी भी कम होगी।

१३. भावी उन्नति एवं सफलता की आशा (Future Prospects and Success)—यदि कार्य में अच्छे लाभ तथा सफलता की आशा निहित है, तो उसके लिए श्रमिकों में प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होगी और मजदूरी गिर जायगी। परन्तु यदि कार्य में असफलता की संभावना है तो उससे लिये कम धमिक राशी होगे जिससे मजदूरी की दर में वृद्धि हो जायगी।

### स्त्रियों की कम मजदूरी के कारण (Causes of Low Wages of Women)

प्रायः पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम मजदूरी मिलती है। इसके निम्न-लिखित कारण हैं—

१. स्त्रियों की शारीरिक शक्ति पुरुषों की अपेक्षा कम होती है—स्त्रियों की शारीरिक शक्ति कम होने के कारण अधिक परिश्रम वाला कार्य नहीं कर सकती। साथ ही वे लगातार और अधिक समय तक काम नहीं कर सकती। इस कारण उनकी उत्पादन-शक्ति कम होती है जिससे कारण उनकी मजदूरी भी कम मिलती है।

२. स्त्रियों के लिये कुछ ही धंधे सीमित हैं—सामाजिक या कानूनी प्रतिबन्धों के कारण स्त्रियाँ सब उद्योगों में काम नहीं कर पाती। उनके लिये कुछ ही धंधे खुले हुए हैं। अतः इन धंधों से उद्योगों में उनकी पूर्ति अधिक हो जाने के कारण उनकी मजदूरी कम हो जाती है।

३. स्त्रियों के काम में स्वायत्तत्व का अभाव—स्त्रियों को विवाह के पश्चात् काम करने में कठिनाई पड़ती है। विवाह के पश्चात् उनके गृहस्थ जीवन के दायित्व इतने अधिक बढ़ जाते हैं कि वे काम नहीं कर पाती। इस कारण उद्योगपति उन्हें काम पर रखना पसन्द नहीं करते जिसके कारण भी उन्हें मजदूरी कम मिलती है।

४. शिक्षा तथा ट्रेनिंग का अभाव—विवाह आदि बातों के कारण स्त्रियाँ स्थायी रूप से काम करने में अनमत्त हो जाती हैं। इसलिए वे समय-समय पर थग लगाकर कोई व्यावसायिक ट्रेनिंग व शिक्षा प्राप्त करने के लिये तैयार नहीं होतीं। शिक्षा एवं समुचित ट्रेनिंग के अभाव में उनकी कार्यक्षमता नहीं बढ़ती जिसके कारण उनकी मजदूरी भी कम रहती है।

५. अधिक मजदूरी प्राप्त करने की प्रेरणा का अभाव—स्त्रियों की आवश्यकताएँ पुरुषों की अपेक्षा कम होती हैं, अतः उन्हें कम द्रव्य की आवश्यकता होती है। वे अधिकतर अपने जीवन निर्वाह के लिये ही श्रम करती हैं जबकि पुरुष के ऊपर समस्त परिवार के पालन-पोषण का भार होता है।

६. म्त्रियों में सामान्य एवं प्रत्यक्ष कार्य को योध्यता का अभाव— सामान्य एवं प्रत्यक्ष गणवन्धी नीकरियाँ ऊँची वेतन वाली होती हैं। परन्तु म्त्रियों में प्रायः इस योग्यता का अभाव देखा जाता है। इसलिये उन्हें कम वेतन का न काम में ही मँताप करना पड़ता है।

७. म्त्रियों में मगडन का अभाव—म्त्रियाँ की सीधा या भाव-भाव करने की शक्ति पुरुषों में भी कम है। इनमें मगडन का पूर्ण अभाव है। इसलिए उन्हें कम मजदूरी पर ही काम करने के लिये बाध्य होता पड़ता है। म्त्रियों की जमीन तथा उनके म्वायों अधिक न होने के कारण म्त्रियाँ अपना मगडन नहीं कर पाती।

८. म्त्रियों को अल्प पारिश्रमिक दिवाने वाले कुछ व्यवसाय—कुछ व्यवसाय ऐसे हैं जिनमें म्त्रियों की माँग अधिक है और पूर्ति कम। उदाहरण के लिये, कच्चा पाट मालाओं में बेचने वाले पम्पायिकारियों की ही आवश्यकता पड़ती है और वे कम संख्या में म्त्रियों हैं, इसलिए उन्हें वहाँ अच्छा वेतन मिलता है। इसी प्रकार म्त्रियों के पकावानी और दाईमाला में मुविधिन नहीं और दाईमाला की माँग पूर्ति की कमी अधिक होने पर उन्हें अच्छा वेतन मिल जाता है। टाटपिम्प के काम में भी उनकी कार्य-कुशलता के कारण उनकी माँग देखी जाती है जिसमें उनकी वेतन अच्छा मिल जाता है।

### मजदूरी-भुगतान के ढग (Methods of Wage-Payment)

प्रायः मजदूरी-दा प्रकार से दो जाती है—(१) समयानुसार मजदूरी, और (२) कार्यानुसार मजदूरी।

(१) समयानुसार मजदूरी (Time Wages)—समयानुसार मजदूरी वह मजदूरी-भुगतान का ढग है जिसमें मजदूरी एक निश्चित समय के पदचानु दो जाती है। यह समय मासगणवन्धों एक दिन, एक सप्ताह, एक पल अथवा एक महीना होता है। इस प्रकार के मजदूरी-भुगतान के ढग में इस बात का कोई ध्यान नहीं रखा जाता कि अधिक न जितना कार्य किया है वरन् अधिक का एक निश्चित कार्य हीय दिया जाता है और वह कार्य की कमी योग्यानुसार करता रहता है। मजदूरी देन समय अधिक में कोई यह नहीं पूछेगा कि उसने कुन जितनी उत्पात्ति की है वरन् केवल यह बात देखी जायेगी कि अधिक न पूरे समय तक कार्य किया या नहीं। यदि वह कुछ दिनों काम पर म्चय इन्टा में नहीं आता तो उतने दिनों की मजदूरी वाट कर उमका दे दी जाती है।

समयानुसार मजदूरी के लाभ (Advantages of Time Wages) समयानुसार मजदूरी के निम्नलिखित लाभ हैं :—

१. काम की स्थिरता (Regularity of Employment)—जिन धर्मियों की समयानुसार मजदूरी दी जाती है उनका यह ढर रहा रहना कि काम हात पर उनको बेगमवार होता पड़ता।

२. शारीर शक्ति की रक्षा (Protection of the physique of Labourers)—इस प्रकार की अन्तर्गत अधिक निश्चित समय न अधिक कार्य नहीं करता। फलतः उमका स्वास्थ्य पन्टा रहता है।

३. बीमारी आदि अवस्थाओं में नियमित मजदूरी—का मिलना (Certainty of Wages in Illness etc.)—समयानुसार मजदूरी देना का यह लाभ होता है कि यदि श्रमिक बीमार पड़ जाय तो भी उसका मजदूरी मिल सकती है। इस प्रकार बीमारी के कारण श्रमिक का अधिन कठिनाई का सामना नहीं करता पसन्त।

४. हुनर व शारीक कारीगरी के काम के लिए उपयोगी (Useful for Delicacy and Perfection of Workmanship)—जिन काम में हुनर व शारीक कारीगरी की आवश्यकता होती है वहाँ इस प्रणाली का उपयोग लाभदायक सिद्ध होता है। ऐसे कामों के लिये कार्यानुसार मजदूरी मिलने पर काम जल्दी जल्दी किया जाता है जिससे वह अच्छा नहीं बन पाता।

५. जिन व्यवसायों में काम मापने की कठिनाई होती है उनके लिए उपयोगी (Useful for those occupations in which measurement of work is difficult)—बहुत से ऐसे काम हैं जिनमें काम का मापना कठिन होता है—जैसे, शिक्षक, प्रबन्धक आदि के काम। इस कामों के लिए समयानुसार मजदूरी युगमान-प्रणाली उपयोगी सिद्ध होती है।

समयानुसार मजदूरी की हानियाँ (Disadvantages of Time Wages)—समयानुसार मजदूरी में निम्नलिखित हानियाँ हैं—

१. उत्पादन में ह्रास और लागत व्यय में वृद्धि (Decrease in Production and Increase in Cost of Production)—मजदूरी के इस रूप का सबसे बड़ा हान यह है कि इसमें श्रमिक मुक्तो से काम करता है। उच्च उत्पादन के बढ़ने और घटने में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। इस कारण उत्पादन कम होता है और लागत व्यय में वृद्धि हो जाती है।

२. कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन का प्रभाव (Loss of incentive to increase efficiency)—इसमें अत्यन्त निश्चिन्त पुरुषों का आश्वासन हान के कारण श्रमिकों को अधिक और उत्तम कार्य करने का प्रोत्साहन नहीं मिलता तथा परिश्रमी और कामदार श्रमिक को समान ही परिश्रमिन मिलता है।

३. निरीक्षण-व्यय में वृद्धि (Increase in Supervision Cost)—इसमें एक निश्चित परिश्रमिन का आश्वासन हान के कारण श्रमिकों के कार्य में शिथिलता आ जाती है। अतः उनके ऊपर देख भान करने के लिए निरीक्षण रखना पड़ने है जिसके कारण खर्चा बढ़ जाता है।

४. कुशल तथा कम-कुशल श्रमिकों में अन्तर करने की कठिनाई (Difficulty in Distinguishing between Efficient and Less Efficient Labourers)—इस प्रणाली में अत्यन्त कुशल तथा कम कुशल श्रमिकों में अन्तर करना कठिन हो जाता है। कुशल श्रमिकों का अपनी कुशलता में कम अनुपात में मजदूरी मिलती है और कम कुशल श्रमिकों का अधिक अनुपात में।

(२) कार्यानुसार मजदूरी (Piece Wages)—कार्यानुसार मजदूरी वह मजदूरी अनुपात का ढंग है जिसमें मजदूरी श्रमिकों के कार्य के परिमाण

४ काम शीघ्र समाप्त होने पर बेकारी का वृद्धि (Increase in Unemployment when the Work is finished)—जब अधिक काम को तीव्र सहायता कर बना है तो उस बेकारी का मुँह देना पड़ता है। समयानुसार मजदूर मध्य धीरे धीरे काम करता है इसीसे काय बहुत समय तक चलता रहता है।

५ औजार शीघ्रता के कारण अधिक टूटते हैं (More Wastage of tools) यद्यपि अधिक का यह प्रयत्न रहता है कि औजार (उपकरण) न तोना भा काम साधता न करने के कारण औजार न टूट फूट जाना स्वाभाविक है।

६ श्रमिका में ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है (A spirit of jealousy and competition is created among labourers)—इस रीति के अनुसार काम करने वाले श्रमिका में पारस्परिक ईर्ष्या तथा प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो जाती है। साथ ही प्रयोग्य श्रमिका के साथ साथ काम करने पर जब योग्य श्रमिका को प्रथम मजदूरी मिलती है तो प्रयोग्य श्रमिका में इसका कारण भा उत्पन्न हो जाती है।

समयानुसार एवं कार्यानुसार मजदूरी भुगतान की प्रणालियाँ का क्षेत्र (Scope of Time and Piece Systems of Wage payment)—उपरोक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि मजदूरी भुगतान की कोई भी प्रणाली पूर्ण एवं निरर्थक नहीं है। जहाँ ही प्रणालियाँ विविध क्षत्र में अपना महत्व रखता है। जिन व्यवसायों में व्यक्तिगत कार्य के परिमाण का आसानी से मापा जा सकता है उनमें कार्यानुसार मजदूरी भुगतान का ढंग ठाव रहता है। उन अवधि प्रकार के कारखानों में काम करने वाले श्रमिका के साथ। परन्तु जिन व्यवसायों में व्यक्तिगत कार्य का परिमाण मापना कठिन होता है उनमें समयानुसार मजदूरी भुगतान का ढंग अपनाया जाता है। जैसे अध्यापक, इंजीनियर, शिल्पक प्रबंधक आदि के साथ। इससे प्रतिरिक्त समयानुसार मजदूरी भुगतान की रीति का उपयोग उन कार्यों में भी किया जाता है जिनमें बन्धु की विस्म (Quality) का पूरा ध्यान रखा जाता है तथा हुनर के बारीक कारीगरी की आवश्यकता पड़ती है। जैसे धर्मिया विस्म के बनीचे बनाने का काम, गान सुनान तथा वेद-पूजे बनाने का काम आदि।

निष्पत्ति ( Conclusion )—यदि हम दोन प्रकार की मजदूरी भुगतान प्रणालियों की तुलना करें तो दोनों में ही कुछ दोष पाये जाते हैं। अतिसरिक्त मजदूरी की एक ही प्रणाली विकारों के निमित्त न बना प्रणालियाँ मिला दी गई हैं। इससे नई प्रणाली का मजदूरी भुगतान की प्रगतिमोच पद्धति (Progressive System of Wage payment) या प्रीमियम अतिनाभाय पद्धति (Premium Bonus System) बनती है। इसमें समयानुसार या मजदूरी दी जाती है परन्तु यदि अधिक योग्य है और वह प्रथम कार्य कर सकता है तो उसका उच्च प्रथम काम की भी मजदूरी दी जाती है।

निर्वाह मजदूरी (Living Wage)—फ्रांस के कृषि-अर्थशास्त्रियों (French Physiocrats) के मजदूरी के जीवन-निर्वाह के सिद्धान्त (Subsistence Theory of Wages) के अनुसार मजदूरी इतनी ही हो सकती है जितनी कि श्रमिक को अपने कुटुम्ब का पालन-पोषण करने के लिये आवश्यक है, वह न उसमें अधिक हो सकती है और न कम । इस जीवन-निर्वाह के सिद्धान्त को १९वीं शताब्दी के मध्य के पश्चात् छोड़ दिया गया और उसके स्थान पर जीवन-स्तर के सिद्धान्त (Standard of Living Theory) पर जोर दिया जाने लगा । इस सिद्धान्त में बताया गया कि मजदूरी श्रमिक के जीवन-निर्वाह की सीमा द्वारा निश्चित न होकर उसके जीवन-स्तर द्वारा निश्चित होती है । यदि श्रमिक को उसके जीवन-स्तर से कम मजदूरी दी जायेगी, तो वह काम न करेगा । इन मजदूरी को निर्वाह-मजदूरी (Living Wage) कह कर पुकारा गया । अस्तु, निर्वाह मजदूरी वह पारिश्रमिक है जो श्रमिक के जीवन-स्तर द्वारा जिसका कि वह सम्पासी है, निर्धारित होता है । इस सिद्धान्त को भी पहले के समान छोटना पड़ा, क्योंकि यह भी केवल पूर्ति को और ही ध्यान देता है और भाग की उपेक्षा करता है ।

न्यूनतम मजदूरी (Minimum Wages)—श्रमिकों को उद्योगपतियों की तुलना में सोदा या भाव-ताप करने की शक्ति बहुत कम होती है । अतः उद्योगपतियों द्वारा श्रमिकों का शोषण होना स्वाभाविक है । उद्योगपति श्रमिकों को इतनी कम मजदूरी देते हैं कि वह उनके जीवन-निर्वाह के लिये अपर्याप्त होती है । अतः अब इस बात को धर्यो तरह स्वीकार कर लिया गया है कि सामाजिक न्याय के हित में श्रमिकों की मजदूरी पर्याप्त होनी चाहिये जिससे श्रमिक स्वास्थ्य और साधारण सुगृहाणी के दृष्टिकोण से उचित और अच्छे रहन-सहन के स्तर से अपना जीवन-निर्वाह कर सकें । थम का पानी बहाना अब अनुचित समझा जाता है । इसलिये एक ओर मजदूर पक्ष (Trade Unions) श्रमिकों को संगठित कर अच्छी मजदूरी दिलाने में प्रयत्नशील हैं तो दूसरी ओर सरकार कानून द्वारा 'न्यूनतम मजदूरी' निर्धारित कर उद्योगपतियों को अच्छी मजदूरी देने के लिये बाध्य कर रही है । श्रमिकों की पूर्ति चाहे कितनी ही बंधो न बढ़ जाय, परन्तु कानून द्वारा निश्चित न्यूनतम मजदूरी तो उद्योगपतियों को अवश्य देनी ही पड़ेगी । अस्तु, न्यूनतम मजदूरी वह कानून द्वारा निश्चित पारिश्रमिक है जिसके द्वारा श्रमिक साधारणतया अच्छे रहन-सहन के स्तर से अपना जीवन निर्वाह कर सकें ।

भारतवर्ष में सबसे पहले सन् १९३१ में राजकीय थम-प्रायोग ने भारत सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया था, परन्तु देश-विकास के पूर्व एक सरकार ने कोई महत्वपूर्ण कदम नहीं उठाया । सन् १९४८ में न्यूनतम मजदूरी विधान (Minimum Wage Act) पास करने के कुछ उद्योग-धर्मों में जिनमें श्रमिकों की दशा अत्यन्त दयनीय थी, न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने का प्रयास किया गया । सन् १९१० में इस विधान में संशोधन किये गये जिनके फलस्वरूप सभी प्रकार के उद्योग-धर्मों में न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने की व्यवधि तीन वर्ष कर दी गई । कृषि में न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने से पूर्व यह आवश्यक समझा गया कि देश के विभिन्न भागों में गाँवों में श्रमिकों की स्थिति जानी जाय । इसी भावना से प्रेरित होकर सन् १९४६ में यह कार्य प्रारम्भ किया

गया, किन्तु सन् १९५१ तक यह कार्य पूर्ण न हो सकने के कारण सरकार ने दृष्टि में न्यूनतम मजदूरी निर्दिष्ट करने की अवधि मार्च १९५३ तक बढ़ा दी।

उचित मजदूरी (Fair Wage)—देन की आर्थिक उन्नति के लिये यह प्रावश्यक है कि श्रमिकों को इतनी मजदूरी अर्जित प्राप्त हो जिससे उनकी कम-कम प्रावश्यकताएँ पूर्ण होने के अतिरिक्त उनके रहन सहन का स्तर भी ऊँचा रह सके। इसके अभाव में श्रमिकों में असंतोष की भावना उत्पन्न होना स्वाभाविक ही है। सरकार ने इस अवस्था में एक समिति भी नियुक्त की जिसकी सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने सन् १९५० में एक विधेयक तैयार किया। इस विधेयक के अनुसार उचित मजदूरी की मात्रा न्यूनतम मजदूरी से अधिक किन्तु जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक मजदूरी से कम मानी गई है। उचित मजदूरी द्वारा अब यह सम्भव हो सकेगा कि श्रमिकों को भोजन के अतिरिक्त कुछ मुल्य वस्तुएँ भी उपलब्ध हो जायें। उचित मजदूरी का निर्धारण एब बोर्ड द्वारा होगा जो इसे निर्दिष्ट करते समय देन की वास्तविक आय, अन्य उद्योग धंधों में प्रचलित मजदूरी दर, उद्योग की मुक्तान-शक्ति, श्रमिकों की कार्यक्षमता तथा श्रम की बकावट, श्रमिकों के पारम्परिक उत्तरदायित्व तथा उनके अनुभवों को ध्यान में रखेगा।

### श्रमिक मध्य

#### (Trade Unions)

आवश्यकता (Necessity)—श्रमिकों का सौदा या भावना बताने की शक्ति कम होती है। अतः वे उद्योगपतियों से प्रतियोगिता करने में निर्बल सिद्ध होते हैं। इस निर्बलता को दूर करने के लिये श्रमिक अपने आपको संगठित करते हैं। इस संगठनों को ही 'श्रमिक मध्य' वा 'मजदूर सभाएँ' आदि नामों से पुकारते हैं।

परिभाषा (Definition)—साधारणतया श्रमिक मध्य में उस संस्था का तात्पर्य है जो श्रमिकों के हितों तथा उनके अधिकारों के रक्षण की रक्षा करता है। मिडनी वेब (Sidney Webb) तथा बेट्रिस वेब (Beatrice Webb) के शब्दों में श्रमिक मध्य श्रमिकों को यह म्यायी समस्या है जिसका उद्देश्य उनकी मौकरी-सम्बन्धी दशाओं को स्थिर रखना या उनमें सुधार करना है।<sup>1</sup> क्लब (Club) के अनुसार श्रमिक मध्य वह संस्था है जिसका उद्देश्य सौदा या भावना बताने के मामले में श्रम के विक्रेता को श्रम के क्रान्त के धरादार शक्ति देना है।<sup>2</sup>

1—Sydney Webb and Beatrice Webb define a trade union as "a continuous association of wage earners for the purpose of maintaining or improving the conditions of their employment."

2—"The Trade Union is an organization designed to put up the seller of labour on an equality with the buyer as regards bargaining strength"

श्रमिक संघों के कार्य (Functions of a Trade Union) — श्रमिक संघों के निम्नलिखित मुख्य कार्य होते हैं —

(१) श्रमिकों को संगठित कर उनकी मजदूरी बढ़वाना—विभिन्न स्थानों से आने वाले श्रमिकों को एक सूत्र में बाँध कर संगठित करना श्रमिक संघ का मुख्य कार्य है। श्रमिक संघ सामूहिक रूप में श्रमिकों की माँगें प्रस्तुत करते हैं और उद्योगपतियों पर दबाव डाल कर उनकी मजदूरी बढ़ाते हैं।

(२) एकता स्थापित करना तथा भ्रातृ भाव को बढ़ि करना—श्रमिक संघ श्रमिकों को संगठित कर, उनमें भ्रातृ भाव का संचार करते हैं तथा उनमें एकता स्थापित करने का प्रयत्न करते हैं।

(३) प्राप्त सुविधाओं तथा अधिकारों की रक्षा करना—श्रमिक संघ श्रमिकों को उनके अधिकारों का उचित ज्ञान करा देते हैं। जब कभी किसी श्रमिक के साथ उसका स्वामी दुर्व्यवहार करता है, तो संघ उसका पक्ष लेकर उचित अधिकारों के लिये सफल करते हैं।

(४) श्रमिकों की शिक्षा स्वास्थ्य आदि बातों की व्यवस्था कर उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि करना—सब श्रमिकों की शिक्षा व स्वास्थ्य सम्बन्धी बातों की ओर भी पूर्ण ध्यान देने है, क्योंकि इनकी समुचित व्यवस्था श्रमिकों की कार्य क्षमता बढ़ाने में सहायक सिद्ध होती है। संघ इस बात को भी देखने रहते हैं कि श्रमिकों को रहने के लिए उचित स्थान प्राप्त हो।

(५) बीमारी, बेकारी या अन्य आपत्ति-काल में अपने सदस्यों की सहायता करना—बीमारी के समय श्रमिक संघ अपने सदस्यों की सहायता करते हैं तथा बेकार हो जाने पर उनके भरण पोषण का प्रबन्ध करते हैं।

(६) श्रमिकों का जीवन स्तर ऊँचा करना—श्रमिक संघ अपने सदस्यों को स्वस्थ एवं शिक्षित बनाकर उनकी कार्य क्षमता को बढ़ाने का प्रयत्न करते हैं जिसके परिणाम-स्वरूप उनकी मजदूरी में वृद्धि होती है। इन सबके कारण उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार होता है।

(७) श्रमिकों की गतिशीलता को प्रोत्साहन देना—श्रमिकों को विभिन्न स्थानों की परिस्थितियों से परिचित करा कर उनको गतिशील बनाने का प्रयत्न किया जाता है।

श्रमिक संघ और मजदूरी (Trade Union and Wages) — संघ मजदूरी में अधिकाधिक वृद्धि करवाने का प्रयत्न करते हैं। यह प्रयत्न तभी सफल हो सकता है जबकि उनके सदस्य अधिकांश श्रमिक ही होते हैं। परन्तु यदि उद्योगपति कहीं बाहर से श्रमिकों को लाने में सफल हो जाता है तो मजदूरी का बढ़ना इस बात पर भी निर्भर होता है कि श्रमिक संघों ने पाग बेकारी के समय में श्रमिकों का भरण-पोषण करने के लिए कितना कोष है। यदि यह कोष अपर्याप्त है तो हड़ताल अधिक समय तक न चल सकेगी और मजदूरी न बढ़ सकेगी। श्रमिक संघ श्रमिकों की सोदाय भाव लाव वरन की शक्ति को बढ़ाकर भी मजदूरी में वृद्धि करवा सकते हैं या उन्हें शिक्षा आदि देकर उनकी कार्यक्षमता में वृद्धि कर मजदूरी बढ़वा सकते हैं। परन्तु ये मजदूरी श्रमिक की सीमांत उत्पादनता (Marginal Productivity) से अधिक

गड़ी बढ़ना सकते और यदि वे इसमें अधिक मजदूरी बढ़वाने में सफल भी हो गये तो इसके कारण बहुत से कारखाने बंद हो जायेंगे या ऐसे पत्रादि का आविष्कार किया जायेगा जिन पर काम करने के लिए कम से कम श्रमिकों की आवश्यकता पड़े। इन दोनों परिस्थितियों में बेकारी बढ़ जायेगी और कुछ समय पश्चात् मजदूरी घट जायेगी। श्रम श्रमिक सघ भी मजदूरी को श्रमिक की उत्पात्कता में अधिक स्थायी रूप में नहीं बना सकते।

## भारत में श्रमिक सघ आन्दोलन

### ( Trade Union Movement in India )

श्रमिक सघ आन्दोलन का संक्षिप्त इतिहास—भारतवर्ष में सबसे पहले सन् १८६० में श्री तोखण्ण ने बम्बई में बम्बई मिल मजदूर-सघ' नामक संस्था स्थापित की और श्रमिकों की मांग का प्रचार करने के लिए 'वीनवण्डु' नामक साप्ताहिक समाचार पत्र भी निकाला। सन् १९०५ में छापाखाना युनियन कालकत्त में डाक युनियन बम्बई में और सन् १९१० में कामगर हितवद्रक मध्या बम्ब में स्थापित हुईं। परन्तु अधिकतर श्रमिक संगठन का वास्तविक प्रारम्भ इस देश में प्रथम महापुरुष के पश्चात् ही हुआ। सन् १९१८ में श्रमिक संगठन ने बड़ा जोर पकड़ा। मद्रास में श्री वी० पी० वाडिया तथा पंजाब में नाना लाजपतराय के नेतृत्व में श्रमिक सघों की स्थापना हुई। कलकत्ता और बम्बई में श्रमिक संगठन मुहड़ हुए। सन् १९२० में महामा गांधी ने अहमदाबाद के सूती कपड़ा के कारखाने का प्रसिद्ध श्रमिक सघ स्थापित किया। इसी वर्ष अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस की स्थापना हुई जिसका प्रथम अधिवेशन साक्षात् लाजपतराय की अध्यक्षता में उसी वर्ष बम्बई में सम्पन्न हुआ और श्रमिकों का अखिल भारतीय संगठन बन गया। सन् १९२३ के पश्चात् श्रमिक संगठन कुछ गिनित पड़ गया। उस समय के श्रमिक सघ केवल हड़ताल समितियाँ ( Strike Committees ) ही थी जो सघप समाप्त हो जाने पर स्वयं व भी समाप्त हो जाती थी। सन् १९२६ में भारत सरकार ने इण्डियन ट्रेड युनियन एक्ट ( Indian trade union Act ) पार किया जो श्रमिक आन्दोलन को सुदृढ़ और उन्नत करने की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कदम था। इस कानून ने रजिस्टर्ड श्रमिक सघों को अनेक सुविधाएँ प्रदान कीं। इसके अनुसार यदि कोई श्रमिक सघ या उसका अधिकारी औद्योगिक मण्डप को प्रोत्साहित करे तो उसे दंडित नहीं किया जा सकता। इससे पूर्व उन पर पकड़व का कानून लागू होता था। इस प्रकार इस कानून से श्रमिक आन्दोलन को बड़ा प्रोत्साहन मिला। परन्तु सन् १९२६ में अखिल भारतीय ट्रेड युनियन काँग्रेस में फूट पड़ गई और वह दो भागों में विभक्त हो गई—ट्रेड युनियन काँग्रेस जिस पर साम्यवादी दला के नेताओं का जोर था और नेशनल ट्रेड युनियन फेडरेशन जिस पर नरमदली नेताओं का प्रभाव था। सन् १९३८ में श्री वी० पी० गिरि के प्रयत्न के फलस्वरूप दल दोनों में मेल हो गया। परन्तु कुछ काल में पुनः फूट हो गई। सन् १९३६ में श्री एम० एम० राय ने एक अलग इण्डियन सेक्टर फेडरेशन स्थापित कर दी। सन् १९४७ में काँग्रेस के अनुयायियों ने श्री गुणजारीनाथ तन्दा के नेतृत्व में एक दृष्टव्य श्रमिक सघ स्थापित किया और इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड युनियन काँग्रेस ( Indian National Trade Union Congress ) रखा।

सन् १९४७ में भारतीय ट्रेड युनियन एक्ट १९२६ में महत्वपूर्ण संशोधन किये गए। एमएल सुवर्ण सशोधन तो यह था कि श्रम मायालय (Labour court) के आगमन



पर नियोजकों (Employers) को प्रतिवार्य रूप में ट्रेड यूनियन को मान्यता देनी होगी। जा अधिक सघ मान्य होते हैं उन्हें अधिकों की नियुक्ति, काम की परिस्थिति और शर्तों आदि अधिकों के सम्बन्ध में सब मामलों में पूछ-ताछ और निर्णय करने का अधिकार होता है। उन्हें मिल या कारखाने के भीतर अपने नोटिफ आदि लगाने का भी अधिकार होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सन् १९४७ के संशोधन के अनुसार हुई है वह यह है कि मान्य अधिक सघों और मिल मालिकों के लिए कुछ बातों के बनने को अनुचित घोषित कर दिया गया। ट्रेड यूनियन एक्ट में संशोधन करने के उद्देश्य से सन् १९५० में एक ट्रेड यूनियन बिल भारतीय संसद में प्रस्तुत किया गया। इस बिल में अधिक सघों को प्रतिवार्य रूप से नियोजकों द्वारा मान्यता दिलाये जाने का प्रस्ताव मुख्य संशोधन था परन्तु इस बिल की धारा ३ की नीचे धारा ३० की गई। इसलिये सरकार ने इसे पास कराने के उद्देश्य को त्याग दिया।

अधिक सघ आन्दोलन की वर्तमान अवस्था—सन् १९५७ ५८ में भारत में लगभग ६,८२९ रेजिस्टर्ड अधिक सघ थे और इनके सदस्यों की संख्या २६,७२,८८३ थी। इस समय अधिकों के चार बड़े प्रमुख भारतीय सघ हैं जिन पर चार प्रमुख राजनैतिक दलों का प्रभुत्व है। इनके नाम ये हैं—भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (Indian National Trade Union Congress), अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (All-India Trade Union Congress), हिन्द मजदूर सभा (Hind Mazdoor Sabha) और संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस (United Trade Union Congress)। भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (I. N. T. U. C.) आज भारत में अधिकों की सबसे बड़ी अखिल भारतीय संस्था है। इस पर कांग्रेस पार्टी का अधिकार है। दूसरी बड़ी संस्था अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस है जिस पर साम्यवादियों का पूर्ण प्रभुत्व है। तीसरी बड़ी संस्था हिन्द मजदूर सभा है जिस पर समाजवादियों का पूर्ण प्रभाव है। संयुक्त ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस प्रकार की चौथी संस्था है। भारत अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (I. L. O.) का सदस्य होने के कारण भारतीय अधिक आन्दोलन को पर्याप्त बल मिला और उसने हमारे देश के आन्दोलन का अन्य देशों में सम्पर्क स्थापित कर दिया।

अधिक-सघ आन्दोलन की प्रगति पर दृष्टिपात—गत वर्षों में अधिक आन्दोलन ने भारत में उल्लेखनीय उन्नति की है और आज लगभग प्रत्येक घन्टे में अधिक संगठित हैं। यही नहीं कि औद्योगिक केन्द्रों में ही अधिक सभाएँ संगठित हुईं हो, परन्तु छोटे छोटे कर्मों में भी जहाँ एक दो कारखाने हैं अधिक सघ स्थापित हो चुके हैं। मोटर बस ड्राइवर, पाँचर हाउस तथा हाँगा और रिक्शावालों, दुकानों पर काम करने वालों, पत्रास्थियों, डाकघर, रेल, बैंक व दफ्तरों के कर्मचारियों तक के सघ स्थापित हो चुके हैं। अस्तु, अधिकों में संगठित होने की पूर्ण जायति हो चुकी है।

इतना होने हुए भी भारतीय श्रम आन्दोलन अभी इतना उन्नत नहीं हो सका है जितना पश्चिमी देशों में। भारत में अधिक सघों के सदस्यों की संख्या औद्योगिक अधिकों की सम्पूर्ण संख्या का केवल एक अंश मात्र है। अधिकतर भारतीय अधिकों में अशिक्षित होने के कारण उनके नेता प्रायः बाहरी होते हैं जैसे यकीन राजनैतिक कार्यकर्ता आदि। हड़ताल को जारी रखने के लिये उनके पास पर्याप्त कोषों का अभाव है। बहुत छोटे अधिक सघ ऐसे हैं जिनके पास बेकारी, बीमारी और वृद्धावस्था के लाभ हैं। एक ही केन्द्र में स्थापित एक ही प्रकार के उद्योगों में कई अधिक सघ बने हुए हैं। अधिक सघ

श्रमिक सघा के केन्द्रीय सघ भी बहुत से हैं। इन प्रकार भारतीय श्रमिक-सघ-प्रान्दोलन की प्रगति श्रमिक सन्तोषजनक नहीं रही।

भारतवर्ष में श्रमिक-सघ प्रान्दोलन की कठिनाइयाँ ( Difficulties of Trade Union Movement in India )—भारत में श्रमिक-सघ-प्रान्दोलन को निम्नलिखित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है :—

१. भारतीय श्रमिक की पर्यटनशीलता ( Migratory Character of Indian Labour )—श्रमिकों का श्रमिक सघों के हस्तों में जो प्रत्यक्ष में व्यवसाय मिलने पर सहरो में आ जाते हैं परन्तु फसल के समय पुनः माघ छोड़कर गाँव को चले जाते हैं। केशव नहीं, शेष-वार वर्ष काम कर कुछ पचा जोड़कर फिर गाँव में जा सकते हैं। अतः श्रमिकों की पर्यटनशीलता और अन्यायो विनाश उनके सघों में बाधा सिद्ध होता है।

२. भारतीय श्रम की भिन्नता ( Heterogeneous Character of Indian Labour )—हमारे औद्योगिक केन्द्रों में विभिन्न प्रान्ता, जातियाँ तथा धर्मों के श्रमिक काम करते हैं जिनके रहन-सहन के ढंग तथा शैली-रिवाज अलग-अलग होते हैं। अतः उनमें जाति प्रभेद, प्राणीयता, भाषा भेद और धर्म-भेद पाया जाता है जिनके कारण उनमें एकता स्थापित नहीं की जा सकती।

३. शिक्षा का अभाव ( Lack of Education )—श्रमिकों में श्रमिक शिक्षित होते हैं जिनके कारण सघों के महत्व एवं लाभों को नहीं समझने पाते। श्रमिकों की अज्ञानता सघों के विकास में बाधा सिद्ध होती है।

४. अनुशासन का अभाव ( Lack of Discipline )—श्रमिकों को सघों में सुचारु रूप में संचालित करने के लिये अनुशासन अत्यावश्यक है। परन्तु भारतीय श्रमिकों में अनुशासन की कमी है। उन्हें किसी नियम में बंधना और उसके अनुसार प्रतिक्रिया करना बहुत बुरा मान्य होता है।

५. निर्धनता ( Poverty )—भारतीय श्रमिकों की प्रमाणात्मक निर्धनता श्रमिक-सघों के विकास में बाधा सिद्ध होती है। श्रमिकों के लिये नाममात्र चढ़ा भी भार स्वरूप होता है। इसलिये वे ऐसी सहायता की आवश्यकता से प्रायः जी चुराते हैं।

६. श्रमिक नेताओं की कमी ( Dearth of Labour Leaders )—श्रमिक प्रायः शिक्षित नहीं होते इसलिये उनमें उनके स्वयं के नेता नहीं हो पाते। अन्य लोग अपने स्वार्थ को लेकर नेता बन जाते हैं और स्वार्थ सिद्ध होते ही पृथक् हो जाते हैं। अतः, भारतीय श्रमिक प्रान्दोलन को सुदृढ़ बनाने के लिये योग्य, सच्चे तथा ईमानदार व्यक्तियों के नेतृत्व की आवश्यकता है।

७. औद्योगिक केन्द्रों का दूर-दूर तथा बिलखे हुये होना ( Distant & Scattered Industrial Centres )—भारत में औद्योगिक केन्द्र बहुत दूर-दूर और बिलखे हुये हैं। इस कारण भी श्रमिक प्रान्दोलन अधिक सफल नहीं हो पाता। यदि श्रमिक वर्गों में आस-पास ही और औद्योगिक केन्द्र किसी क्षेत्र विभाजित में ही तो श्रमिक प्रान्दोलन अधिक बलवान् हो सकता है।

८. विभिन्न राजनैतिक दलों की बैपनस्यता का अंगड़ा (Instrument to Various Political Parties)—आज श्रमिक वर्ग अनेक राजनैतिक दलों का शिकार बना हुआ है। प्रथम कार्यकर्ता श्रमिका का उपयोग अपने दल विषय के लिय करना चाहता है। इन राजनैतिक दलों में आराम से बड़ा वैमनस्य है। अतः नेता लोग आपसी झगड़ा में पड़े रहते हैं और श्रमिका की भलाई की ओर अधिक ध्यान नहीं देते।

९. श्रमिक-संघों का निर्माण प्रायः हड़ताल के उद्देश्य से होता है, अन्य उद्देश्यों की उपेक्षा की जाती है (Trade unions are generally formed for strike purposes, other aims are neglected)—भारतव्य में श्रमिक आन्दोलन की एक बड़ी कमी यह है कि श्रमिक संघों का निर्माण प्रायः हड़ताल करवाने के उद्देश्य में ही होता है; अन्य उद्देश्यों की उपेक्षा की जाती है। हड़ताल सफल हुई तो संघ स्थायी हो जाता है और यदि असफल हुई तो सिधिल हो जाता है अथवा नष्ट हो जाता है।

१०. मालिकों का विरोध (Opposition of Employers)—मालिकों का विरोध भी आन्दोलन को सफल बनाने में एक बाधा है। मालिक कई प्रकार से इन संघों का विरोध करते हैं और उनको सौदा करने की क्षमता अधिक होने के कारण वे सफल भी हो जाते हैं। श्रमिकों के निरीक्षक (Supervisors) भी इन संघों का विरोध करते हैं, क्योंकि श्रमिकों के अग्रगणित रहने पर ही उनका प्रभुत्व नाश हो सकता है।

निष्कर्ष—इन बाधाओं के होने हुए भी भारत में श्रमिक आन्दोलन का अधिक उद्वेग प्रतीत होता है। शर्तें शर्तें; यह आन्दोलन जोर पकटना जा रहा है जिसके कारण बाधाएँ भी कम होती जा रही हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि हम हड़ताल, लगन और सच्चाई से इस ओर आगे बढ़ते जायें।

### भारतवर्ष में मजदूरी

#### (Wages in India)

अन्य देशों की तुलना में भारत के श्रमिकों को कम मजदूरी मिलती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं :—

(१) औद्योगिक उन्नति की कमी—भारत में औद्योगिक उन्नति बहुत कम हुई है जिससे फलस्वरूप यहाँ पर कारखाने बहुत कम हैं। इस कारण श्रमिकों को माँग भी कम है। दुर्घि में उन्नति कम होने के कारण कृषक श्रमिका को अधिक पारिश्रमिक नहीं दे सकता।

(२) जन-संख्या की अधिकता—भारत में जन-संख्या बहुत बढ़ रही है जिसके कारण काम करने वालों की संख्या बहुत अधिक है। श्रम की पूर्ण माँग से अधिक होने के कारण मजदूरी का दर गिरना स्वाभाविक है।

(३) कार्यक्षमता में कमी—भारतीय श्रमिक निर्धन एवं अशिक्षित हैं, इस कारण उनका जीवन-स्तर नीचा है। इससे उनकी कार्य-क्षमता बहुत कम है। कार्य क्षमता कम होने के कारण वे अधिक उत्पादन नहीं कर पाते और उनकी मजदूरी अधिक नहीं बढ़ पाती।

(४) अधिक उत्पादन-व्यय—भारतीय श्रमिक की कार्य-कुशलता कम होने के कारण उसके द्वारा हानि वाला उत्पादन भी कम होता है जिससे प्रति इकाई उत्पादन-व्यय में वृद्धि हो जाती है। इसलिये बड़ी हुई लागत की दशा में अधिक मजदूरी मिलना सम्भव नहीं है।

(५) धर्म की गतिशीलता में कमी—भारत में धर्म की गतिशीलता कम होने के कारण भी यहाँ श्रमिका की मजदूरी कम है।

गाँवों में शहरों की अपेक्षा कम मजदूरी—यदि हम भारत के गाँवों और शहरों में मिलने वाला मजदूरी का तुलना करें तो ज्ञात होगा कि गाँवों में शहरों की अपेक्षा मजदूरी कम है। इसके कई कारण हैं—(१) गाँवों में खाद्यान्न, ईंधन आदि शहरों की अपेक्षा सस्ता है। (२) गाँवों में मजान किराया भी सस्ता होता है। (३) गाँवों में मजदूरी प्राप्त रीति रिवाजों द्वारा निर्धारित होती है जब कि शहरों में मजदूरी अधिकतर प्रतियोगिता द्वारा निर्धारित होती है। इसलिये गाँवों में मजदूरी का कम होना स्वाभाविक है। (४) कृषि में उत्पत्ति कम होने के कारण अधिक मजदूरी नहीं मिल सकती। (५) गाँवों में वास्तविक मजदूरी अधिक होने से नकद मजदूरी कम होती है। (६) गाँवों में श्रमिक इतने समृद्ध नहीं हैं जितने कि शहरों में। इसलिये वे अधिक मजदूरी पान के लिए मत्पण नहीं कर सकते। यातायात व यात्रा के साधनों की उपलब्धि के अभाव के कारण शहरी, शान्ति, गाँवों और शहरों का सम्पर्क बढ़ना न सके है जिससे गाँवों में श्रमिका की कम मजदूरी बिताने वाला कारण बनने लगे हैं।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—मजदूरी का धर्म से सम्बन्धित है। वह कैसे निर्धारित होता है? जीवन स्तर का मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है?
- २—असली और नकद मजदूरी में क्या भेद है? अवसर की अपेक्षा कानून में मजदूरी की दर क्या अधिक है। असली मजदूरी व कम मजदूरी जानने व बचने किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है?
- ३—धर्म की गतिशीलता का क्या तात्पर्य है? भारत में धर्म की गतिशीलता पर सामाजिक प्रथाओं का कहीं तक प्रभाव पड़ता है? मुद्दार व मुभाव शीजिया।
- ४—भारत में एक ही प्रकार मजदूरी किनी बड़े नगरों में एक ही प्रकार प्रतिदिन मजदूरी की अपेक्षा गाँवों में आठ आना प्रतिदिन मजदूरी क्या अधिक पसन्द करणा है। क्या आप इसका कारण समझा सकते हैं? (रा० बा० १९५६)
- ५—जीवन-स्तर का मजदूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या आप अपने जीवन-स्तर में सुद्धि करके अधिक मजदूरी प्राप्त कर सकते हैं? (रा० बा० १९५४)
- ६—शहरी और नकद मजदूरी में अन्तर स्पष्ट कीजिये। भारत में विभिन्न उद्योगों में मजदूरी में अन्तर क्या है? (रा० बा० १९५२)
- ७—नूनतम और अधिक मजदूरी पर टिप्पणी लिखिये। (अ० धो० १९५३)
- ८—समस्याकार और शान्तिकार मजदूरी पर टिप्पणी लिखिये। (अ० बा० १९५८, १०)

- ६—'श्रम एक ताशवान् वस्तु है।' श्रम की विशेषताएँ रागभाइये और यह बनसाइये कि इनका मजदूरी निर्धारण करने में क्या प्रभाव पड़ता है ? (म० भा० १९५७)
- १०—श्रम की गतिशीलता का क्या अभिप्राय है ? इसके विभिन्न प्रकार क्या क्या हैं ? क्या भारत में श्रम की गतिशीलता में कुछ बाधाएँ हैं ? यदि हैं, तो उन्हें स्पष्ट कीजिये । (म० भा० १९५४)
- ११—श्रम की सीमान्त उत्पादकता में श्रम का माँग मूल्य किस प्रकार नियत होता है ? (नागपुर १९५०)
- १२—'श्रम की गतिशीलता' किसे कहते हैं ? इसके विभिन्न प्रकार क्या हैं ? यह किन बातों से प्रभावित होती है ? (सागर १९५०)
- १३—नवद और असली मजदूरी का अन्तर स्पष्ट कीजिये । असली मजदूरी निर्धारित करने वाले तत्वों का उल्लेख कीजिये । (पटना १९४९)
- १४—स्वतन्त्र प्रतियोगिता में मजदूरी किस प्रकार निर्धारित होती है ? (पञ्जाब १९५१)
- १५—नोट लिखिये :—  
 असल तथा नकद मजदूरी (य० बी० १९६०)
- १६—नकद और असली मजदूरी में भेद स्पष्ट कीजिए । असली मजदूरी निर्धारण में किन बातों को ध्यान में रखेंगे । (रा० बी० १९६०)
- १७—श्रमिक सभ का मजदूरी पर क्या प्रभाव है ? (रा० बी० १९५८)
- इण्टर एग्रीकल्चर परीक्षाएँ
- १८—नकद और असली मजदूरी में क्या भेद है ? मजदूरी पर जीवन-स्तर और रीति-रिवाजों का क्या प्रभाव पड़ता है ?

व्याज का अर्थ ( Meaning of Interest )—व्याज शब्द के साधारण भाषा के अर्थ और अर्थशास्त्रीय अर्थ में कोई अन्तर नहीं है। साधारण भाषा में हम व्याज उग राशि को कहते हैं जो उधार लेने वाला उधार देने वाले को उमरे धन का उपभाग करने के बदले में देता है। अर्थशास्त्र में भी व्याज का यही अर्थ है। उत्पादन के पाँच माधनों में से पूँजी एक माधन है। एक साहसी (Entrepreneur) अपने उत्पादन में इन पाँचों माधनों में उनका उचित भाग वितरण करता है। अब वह भाग जो पूँजी की सेवा के बदले पूँजीपति को दिया जाता है, व्याज (Interest) कहलाता है। अन्य शब्दों में, व्याज राष्ट्रीय आय का वह भाग है जो पूँजीपति को उमकी पूँजी के लिये दिया जाता है। प्रायः पूँजी और व्याज शब्दों के रूप में दिये व लिये जाते हैं। व्याज प्रतिफल के रूप में व्यक्त किया जाता है और इसकी गणना वार्षिक आधार पर की जाती है।

व्याज की परिभाषाएँ (Definitions)—कारवर (Carver) के अनुसार व्याज वह आय है जो पूँजीपति को दी जाती है।<sup>1</sup>

प्रो० सेल्गमैन (Selgman) के शब्दों में व्याज पूँजी उधार देने का प्रतिफल है।<sup>2</sup>

एल० ली मेसूरीयर (L. Le Mesurier)—व्याज को इस प्रकार परिभाषित करते हैं—व्याज वह पुरस्कार है जो पूँजी को मिलता है।<sup>3</sup>

व्याज पर दो दृष्टिकोणों से विचार किया जा सकता है—

(१) उधार लेने वाले के दृष्टिकोण में (From Borrower's point

1—"Interest may be defined as the income which goes to the owner of capital"

—Carver Principles of Political Economy, p. 418.

2—"Interest is the return from the fund of capital."

—Selgman Principles of Economics.

3—"Interest is the reward paid to capital"

—L Le Mesurier Commonsense Economics, p. 65.

of view)—उधार ता हुई पूँजी उत्पादन में सहायक होती है, यद्यपि पूँजी में उत्पादन शक्ति है। अर्थशास्त्रज्ञ हेनरी क्रे ( Henry Cray ) का कहना है कि उधार पूँजा के प्रयोग के लिये दिया जाता है क्योंकि पूँजी में उत्पादन शक्ति होती है, इसलिये ऋण लेने वाला इसको उधार लेकर उम्मीद करता है कि अधिक उत्पत्ति करता है और वह इसमें से कुछ भाग पूँजीपति का उम्मीद पूँजी के उपयोग के बदले में दे देता है।<sup>1</sup> (२) उधारदाता के दृष्टिकोण में (From Lender's point of view )—पूँजी का इन्ट्री करने तथा ऋण रूप में देना के लिए यह आवश्यक है कि ऋणदाता उम्मीद करता है कि उधार लेने वाला उधार लेने में वह कुछ त्याग करता है जिसके लिये उस कुछ पुरस्कार मिलता है। इस त्याग-त्याग या मयम (Abstinence) का पुरस्कार का ही व्याज का नाम से सम्बोधित करने हैं। इन्ट्रीट का प्रतिष्ठ अर्थशास्त्री जॉन स्ट्युअर्ट मिल ( John Stuart Mill ) का कहना है कि पूँजीपति पूँजी उधार देने समय त्याग-त्याग या मयम करने हैं। जब पूँजीपति पूँजी संचय करते हैं तो वे धन का प्रयोग नहीं करते। इस कारण उन्हें कुछ हाना है। इसी कष्ट का प्रतिफल व्याज है। धन के साधन में व्याज धात्म-त्याग या मयम का प्रतिफल है।<sup>2</sup>

दूसरे अर्थशास्त्री मिल के इस दृष्टिकोण में महत्त्वपूर्ण है। वे कहते हैं कि धनी व्यक्तियों की आय उनके व्यय का अपेक्षा उनकी अधिक होती है कि उन्हें अपना बचाना में कष्ट या त्याग नहीं करना पड़ता है बल्कि अपना स्वतः ही बचना रहता है। प्रो० मार्शल (Marshall) ने स्वयं कहा है कि पूँजी के संचय करते सचमों बहुत धनी लोग होते हैं जिनमें से कुछ विनाशिता में रहने हैं और सचमुच वे उच्च अर्थ में 'मयम' नहीं करते जिसमें यह 'आत्म-त्याग' का पर्यायवाची है।<sup>3</sup>

यह उचित है कि बहुत धनी लोग पूँजी संचय करने समय कुछ भी त्याग या मयम नहीं करते। परन्तु पूँजा उधार देने समय धनी पूँजीपति का प्रतीक्षा आवश्यक होती है। अतः स्पष्ट करने के लिये कहा जा सकता है कि जब पूँजीपति पूँजी उधार देते हैं तो यह स्वाभाविक है कि वे उम्मीद उपाय में उधार लेने वाले को सचम बचक दसक लिये पूँजी का लौटने तक उच्च प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसमें उच्च कष्ट

1—'Interest is paid on the use of the capital because the capital is productive it enables its owner to produce more than he could without it and out of this additional product interest is paid.'  
—Henry Cray

2—'Interest is the remuneration for mere abstinence'

—J S Mill Principles of Political Economy, vol. I, p. 596

3—'The greatest accumulators of wealth are very rich some of whom live in luxury, and certainly do not practice abstinence in the sense of the term in which it is convertible with abstinence'

—A Marshall Economics of Industry, p. 136

हता है और व्याज इस कष्ट का पुरस्कार है। डॉ० रिचार्ड्स (Richards) के अनुसार व्याज प्राथमिक रूप से प्रतीक्षा का पुरस्कार है।<sup>1</sup> प्रो० मार्शल (Marshall) ने लिखा है कि "भविष्य के उपयोग के लिये वर्तमान के उपयोग के त्याग को अर्थशास्त्री 'सयम' बर्ते है। यह शब्द भ्रमात्मक है, इसलिये इसका प्रयोग सलाम छोड़ा जा सकता है। वे कहते है कि धन-संपन्न आनन्द को स्थगित करने या उसकी प्रतीक्षा करने का परिणाम है।"<sup>2</sup>

अतः हम व्याज को इस प्रकार परिभाषित कर सकते है . व्याज पूँजी का वह पुरस्कार है जो ऋण लेने वाला पूँजी के उत्पादन-शक्ति के बदले में ऋणदाता को उसके आत्म-त्याग या सयम के उपलक्ष्य में देता है।

### व्याज की समस्या

#### (The Problem of Interest)

अध्ययन की दृष्टि से व्याज की समस्या को मुख्यतः तीन भागों में बाँटा जा सकता है —

१. क्या नैतिक दृष्टि से व्याज दिया जाना चाहिए ?

२. व्याज क्या दिया या लिया जाता है :—

३. व्याज की दर कैसे निर्धारित होती है ?

१. क्या नैतिक दृष्टि से व्याज दिया जाना चाहिए ? (Should interest be paid on the moral and ethical grounds)

व्याज का देना नैतिक है या अनैतिक, यह अर्थशास्त्र का विवेचनीय विषय नहीं है। परन्तु अन्य नैतिक समस्याओं की भाँति इस समस्या का भी आर्थिक दृष्टि से महत्त्व है। अतः यहाँ इसका विवेचन करना अनुपयुक्त न होगा।

प्राचीन एवं मध्य काल में व्याज की निन्दा (Condemnation of Interest in ancient and mediaeval Times)—प्राचीन एवं मध्यकाल में पाश्चात्य देशों में व्याज का लेना और देना निश्चिन्त कार्य समझा जाता था। हजरत मुता, प्लेटो और अरस्तू आदि ने व्याज की कठोर शब्दों में निन्दा की है। रोमन में कटो ने और ईसा पूर्व के कुछ गोप ने व्याज का लेना व देना विषेध कर दिया था। प्लेटो (Plato) नूद खोरी (Usury) को पृथिव्य कार्य समझते थे, और वृत्तान्त के

1—'Interest, however, is primarily a reward for waiting

Dr R D Richards 'Groundwork of Economics, p 115

2—'The sacrifice of present for the sake of future has been called 'abstinence' by economists since however, the term is liable to be misunderstood we may with advantage, avoid its use and say that the accumulation of wealth is generally the result of postponement of enjoyment or of a 'waiting' for it"

A. Marshall Principles of Economics, pp 232 3.



प्रसिद्ध दार्शनिक (philosopher) अरिस्तू (aristotle) ने पूँजी को बन्धा कह कर परिभाषित किया। 'ईसाई धर्म की भाँति इस्लाम धर्म में भी व्याज लेना बुरा बताया गया है। इस प्रकार प्राचीन एवं मध्य काल में पाश्चात्य देशों में व्याज के प्रति ये भावनाएँ प्रचलित थीं। इसके मुख्यतया निम्नलिखित कारण थे :—

(१) उस समय यूरोप धार्मिक दृष्टि में बहुत पिछड़ा हुआ था। जहाँ भी धार्मिक उत्पत्ति हुई वह १५ वीं शताब्दी के बाद में होना प्रारम्भ हुआ। अतः जो जिनके पास पूँजी होती थी वह उसी में ही काम चलाता था। यदि किसी समय किसी को आवश्यकता होती तो वह अपने दृष्ट मित्रों से ही ऋण व्याज के ले लिया करता था। धार्मिक दृष्टि में पूँजी को कोई माँग नहीं थी।

(२) उस समय जो ऋण लिया जाता था वह उपभोग के लिये ही लिया जाता था। उपभोगों के लिये लिया गया ऋण कठिनता में लौटाया जाता था। इसलिये इस प्रकार के लेन-देनों से लोग बरबाद हो जाते थे। इन कारणों से व्याज लेना अनुचित समझा जाता था।

(३) उस समय लकड़ काल में ही कोई किसी से पूँजी माँगना था। उसे समय में व्याज लेना अनुचित समझा जाता था। मानवता के लिये ऐसे समय पर देने ही यथार्थिक सहायता कर्तनी चाहिये। यदि व्याज लेने दिया जाय, तो ऋण-दाता अत्यधिक व्याज लेकर ही रहे। इन कारणों से उस समय व्याज लेना उचित नहीं समझा जाता था।

(४) यूरोप के अधिकांश ऋण-दाता यहूदी (Jews) थे जो ऋण लेने वालों में प्रायः निर्दयता का व्यवहार करते थे। इसके अतिरिक्त, यहूदी ईसाई नहीं थे इसलिए ईसाइयों द्वारा उनका यह कार्य पूरणा की दृष्टि में देखा जाता था।

परन्तु भारतवर्ष में व्याज के सम्बन्ध में उस समय ऐसी विचार-पारंगत प्रचलित नहीं थी। प्राचीन भारतीय ग्रन्थों में व्याज लेने की निन्दा नहीं की गई है। मनुस्मृति में व्याज लेने का समर्थन मिलता है। बौद्धिक ने भी उन दिनों पर पूर्ण विवेचन किया है। हमने व्याज लेने की निन्दा नहीं की बल्कि अर्थव्यवस्था के अन्तर्गत रोकने के लिये राजा द्वारा नियन्त्रण करने की गलाह दी है। अतः यह स्पष्ट है कि उस समय भारत औद्योगिक एवं व्यापारिक दृष्टि में यूरोप धार्मिक पाश्चात्य देशों का प्रपञ्च कहीं अधिक उन्नत था। इसलिये पूँजी की उत्पादकता (Productivity) का महत्व हमारे देश में भली-भाँति समझा जाता था। 'रक्का, रक्का पैदा कर सकता है', हमने प्रति उस समय भी वही आर्थिक धारणा थी।

व्याज का आधुनिक औचित्य (Modern Justification of Interest) — धर्म: धर्म: संसार के देन धार्मिक उत्पत्ति की धार धारण करे हुए। मनीषी का धार्मिक दृष्टि, उत्पादन बड़े परिमाण में होने लगा, यातायात व सबाद के साधनों में वृद्धि हुई, उत्पादन-मूल्य बढ़ने लगे, बाजारों की सीमाएँ विस्तृत होत लगीं और व्यापार बढने लगा। ऐसी अवस्था में लोग पूँजी का महत्व समझने लगे जिन्होंने फल-स्वरूप पूँजी को माँग होने लगे। उत्पादकों ने यह अनुभव किया कि पूँजी में उन्हें उत्पादन में बड़ी सहायता मिलती है और ऋण-दाता अपनी पूँजी देकर अपने तात्कालिक उपभोग का परित्याग करता है। ऐसी दशा में व्याज का देना उचित ही है। जब

ऋण लेने वाला दूसरे के द्रव्य में कुछ पैदा करता है तब क्या वह उचित नहीं है कि वह उगम में कुछ भाग ऋणदाता को भी दे दे। अब उत्पादन के लिये ऋण लेना और उस पर व्याज देना न तो कष्टकर ही रहा और न अनाधिक ही बरभू उसने ऋण लेने वाले की आय को बढ़ाया और उत्पादन में वृद्धि को इस प्रकार व्याज की प्रोत्साहना को युक्ति निर्बल ही चुको है।

२. व्याज क्यों दिया या लिया जाता है ?

(Why is Interest paid or charged ?)

व्याज क्यों दिया जाता है ? उत्पादन या ऋण लेने वाला व्याज इसलिये देता है कि पूँजी के प्रयोग में उसका उत्पादन बढ जाता है। उदाहरणार्थ, जब एक दर्जी अपने हाथ से कपड़ा सीता है तो उसकी आय केवल १ रु० प्रतिदिन ही होती है। और जब वह मशीन का प्रयोग करता है तो वह पहले की अपेक्षा अधिक कपड़े सी सकता है जिससे उसकी आय २ रु० प्रतिदिन हो जाती है। अतः यह स्पष्ट है कि पूँजी अपनी उत्पादकता के कारण उत्पत्ति को बढ़ाने में सहायक होती है। इसलिये उत्पादक अपनी जड़ी हुई प्राय में से कुछ भाग व्याज के रूप में ऋणदाता को उसकी पूँजी का उपयोग करने के बदले में दे देता है। इस प्रकार उत्पादक या ऋण लेने वाले के द्वारा व्याज देने का कारण स्पष्ट हो जाता है।

व्याज क्यों लिया जाता है ? पूँजीपति या ऋणदाता व्याज इसलिये लेता है कि उसे पूँजी संचय करने में समय या आत्म-त्याग करना पड़ता है। इसको अधिक स्पष्ट करते हुए यो कहा जा सकता है कि वह कुछ राशि अपनी वर्तमान आवश्यकताओं पर व्यय न करके उसे भविष्य में व्यय करने के लिये संचय करता है। ऐसा करने में उसे अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है तथा प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसी प्रतीक्षा में ही उसका त्याग मन्त्रिहित है। अतः इस त्याग के लिये उसकी पारिन्तोषिक को चाहना स्वाभाविक ही है। अस्तु, पूँजीपति या ऋणदाता अपने त्याग या समय के कारण ही ऋण लेने वाले से व्याज लेता है।

३. व्याज की दर कैसे निर्धारित होती ?

(How is the rate of interest determined ?)

अर्थ

### व्याज निर्धारण का सिद्धान्त

व्याज-निर्धारण के पुराने सिद्धान्त

व्याज निर्धारण के सम्बन्ध में समय समय पर अनेक सिद्धान्त प्रस्तुत किये गये, जैसे उत्पादकता सिद्धान्त, समय का सिद्धान्त, आस्ट्रियन या वट्टे का सिद्धान्त, समय अर्पणियम सिद्धान्त आदि, परन्तु वे अतृप्त, अज्ञानिक एवं एक-पक्षीय होने के कारण छोड़ दिये गये। अतः में, व्याज का माँग और पूँजी का आपूर्तिक सिद्धान्त नव-क्लासिकल अर्थशास्त्रियों द्वारा प्रतिपादित किया गया जो व्याज का सर्व मान्य सिद्धान्त माना जाता है।

## व्याज का आधुनिक सिद्धान्त

( Modern Theory of Interest )

आधुनिक सिद्धान्त के अनुसार व्याज माँग और पूर्ति की दो शक्तियों के पार-स्परिक प्रभाव द्वारा निर्धारित होता है। जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य उसकी माँग और पूर्ति द्वारा निर्धारित होता है उसी प्रकार व्याज की दर उस बिन्दु पर निश्चित होती है जहाँ पर पूँजी की माँग और पूर्ति में सतुल्यता (Equilibrium) स्थापित हो जाता है, अर्थात् जहाँ पर माँग और पूर्ति दोनों ही बराबर हो जाते हैं।

**पूँजी की माँग (Demand for Capital)**—पूँजी उत्पादक (Productive) है, अतः इसकी माँग होती है। पूँजी की माँग प्रायः उद्योगपतियों, व्यापारियों, कृषकों तथा भव्य विनियोगकों (Investors) द्वारा होती है जो उसे उत्पादन कार्यों में लगा कर उससे द्वारा लाभ अर्जन की आशा करते हैं। पूँजी की माँग सरकार द्वारा भी होती है। इसके अतिरिक्त उपभोग के लिए भी पूँजी की माँग होती है। ये सब मिलकर पूँजी की कुल माँग (Aggregate Demand for Capital) बनाते हैं। प्रत्येक उद्योगपति पूँजी तभी तक उपयोग करेगा जब तक उससे द्वारा उसे लाभ होता रहेगा। जब उद्योगपति पूँजी की कई इकाइयाँ उत्पादन में लगाता है तो यह देखा गया है कि उपयोगिता ह्रास नियम के अनुसार कुछ समय पश्चात् प्रत्येक अगली इकाई के द्वारा होने वाला उत्पादन गिरता जाता है और अन्त में एक ऐसी अवस्था आ जाती है जबकि पूँजी की अतिरिक्त इकाई लगाने से जो अतिरिक्त उत्पादन होता है वह पूँजी के बढ़ने से दिये जाने वाले व्याज के बराबर हो जाता है। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होती है उद्योगपति पूँजी की अधिक इकाइयों को उद्योग में लगाना बन्द कर देगा क्योंकि उसे उत्पादन कम मिलेगा और व्याज अधिक देना पड़ेगा। अस्तु उद्योगपति सीमान्त उत्पादकता (Marginal Productivity) अर्थात् पूँजी की अन्तिम इकाई की उत्पादकता (Productivity of Final Unit) में अधिक व्याज नही देगा। इस अन्तिम इकाई को सीमान्त इकाई (Marginal unit) भी कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पादकता केवल दिये जाने वाले व्याज के बराबर ही होती है, इसलिये इसके प्रयुक्त करने के विषय में उत्पादक उदासीन ही रहता है, अर्थात् वह इसे प्रयुक्त करे या न करे। इस प्रकार यह प्रयोग की सीमा पर होने के कारण सीमान्त इकाई कही जाती है। अतः पूँजी की सीमान्त उत्पादकता व्याज की अधिकतम सीमा (Maximum Limit) निश्चित करती है जिससे अधिक व्याज देने की उत्पादक कभी उत्पन्न नहीं होगी।

**पूँजी की पूर्ति (Supply of Capital)**—पूँजी की पूर्ति पूँजीपतियों द्वारा की जाती है जिन्हें पूँजी संचय करने में अपनी तात्कालिक आवश्यकताओं की पूर्ति स्थापित करने में त्याग एक समय करना पड़ता है। प्रोफेसर मार्शल के शब्दों में पूँजीपतियों को पूँजी इकट्ठी करने में शक्ति के लिये वर्तमान का त्याग करना पड़ता है तथा पूँजी के प्रयोग के लिये प्रतीक्षा करनी पड़ती है।<sup>1</sup> अतः यह स्पष्ट है कि पूँजी

1— 'The supply of capital is controlled by the fact that in order to accumulate it, men must act prospectively, they must 'wait and 'save' they must sacrifice the present to the future "

के वर्तमान प्रयोग को त्यागने और भविष्य में प्रयोग के लिये प्रतीक्षा करने में पूँजीपतियों को कष्ट होता है। इस कष्ट या त्याग को पूँजी की लागत (Cost) कहा जा सकता है। अतः, यह कष्ट या त्याग व्याज की न्यूनतम सीमा (Minimum-Limit) निश्चय करता है जिससे कम व्याज लेने की वे कभी भी तैयार नहीं होंगे।

**माँग और पूर्ति का सन्तुलन (Equilibrium of Demand & Supply)**—पूँजी की सीमान्त उत्पादकता द्वारा व्याज की अधिकतम सीमा निर्धारित होती है, और पूँजी उधार देने में जो कष्ट होता है उसको माँग व्याज की न्यूनतम सीमा निर्धारित करती है। इन्हीं दोनों सीमाओं के बीच में व्याज की छेक दर माँग और पूर्ति की सापेक्षिक आवश्यकता तथा कुछ लेने वालों और देने वालों की मोटा या भाव-भाव करने की शक्ति द्वारा उभ बिन्दु पर निर्धारित होगी जहाँ पर पूँजी की माँग और पूर्ति में सन्तुलन स्थापित हो जायेगा, अर्थात् जहाँ पर माँग और पूर्ति बराबर हो जायेगी।


**उदाहरण (Illustration)**—इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। मान लीजिये किमी बाजार में व्याज की विभिन्न दरों पर पूँजी की माँग और पूर्ति निम्न प्रकार है :—

व्याज की दर	पूँजी की माँग (लाख रुपयों में)	पूँजी की पूर्ति (लाख रुपयों में)
१%	१०	१
२%	८	४
३%	५	५
४%	४	७
६%	३	८
८%	२	९
१०%	१	१०

**उदाहरण का स्पष्टीकरण**—उपरोक्त उदाहरण में व्याज की विभिन्न दरों पर पूँजी की माँग और पूर्ति दिखाई गई है। बाजार में प्रचलित व्याज दर वह होगी जिन पर माँग और पूर्ति की मात्राएँ समान होंगी। अतः उदाहरण में यह व्याज की दर ३ प्रतिशत है जहाँ पर माँग और पूर्ति की राशियाँ बराबर हैं, अर्थात् ५ लाख रुपयों की ही माँग है और उतने ही रुपयों की पूर्ति है। यदि व्याज दर ३% से अधिक होगी तो माँग की पूर्ति अधिक होगी और कुछ देने वाले आपन में प्रतियोगिता द्वारा दर को कम कर देंगे। इसके विपरीत, यदि व्याज की दर ३% से कम हो जागी है तो व्याज पर रुपयों लेने वाले आपन में प्रतियोगिता करके बिलकुल व्याज की दर बढ़ जायेगी। अतः व्याज की दर ३% ही हो जायेगी।

रेखाचित्र द्वारा प्रदर्शन ( Diagrammatic Representation )—

प्रस्तुत रेखाचित्र में अ घ रेखा पर पूँजी की मात्रा और म न रेखा पर व्याज की दर दिखाई गई है। मा नईय को बक्र रेखा है और पू पूर्ति की बक्र रेखा है। ये रेखाएँ एक दूसरे को च बिन्दु पर काटती हैं जिसके फलस्वरूप च रेखा व्याज की दर हुई और माग व पूर्ति दोनों ही अ घ के बराबर हुई। यदि व्याज की दर क घ हुई तो माग अ घ होगी और पूर्ति अ ग जितनी बढ़ी होगी।



माग और पूर्ति के समुलन द्वारा  
मुख्य निर्धारण

व्याज और सूदखोरी (Interest and Usury) — पूँजी उधार देने के उपनयन में उचित पुरस्कार प्राप्त करना व्याज कहलाता है, और अत्यधिक व्याज दर प्राप्त करना 'सूदखोरी' कहलाती है। व्याज साधारणतया उचित समझा जाता है, परन्तु सूदखोरी को सभी बुरा समझते हैं। डॉक्टर ए० एस० गौड के अनुसार "सूदखोरी अत्यधिक व्याज से भिन्न होता है और इसका अर्थ उस व्याज को धार है जिसकी दर उन दर से अधिक होती है जिसे विधान उचित मानता है।" सूदखोरी (Usury) और अत्यधिक लगान बसूली (Ruel renbng) में बड़ी समानता है। जिन प्रकार उचित व्याज में बहुत अधिक व्याज लगान करने को सूदखोरी कहते हैं ठीक उसी प्रकार उचित लगान से कहीं अधिक लगान बसूल करने को 'अत्यधिक लगान बसूली' कहते हैं ये दोनों ही नैतिक दृष्टि से निन्द्य और सामाजिक दृष्टि में घृणित समझे जाते हैं।

व्याज के भेद (Kinds of Interest)—व्याज दो प्रकार के होते हैं—  
(१) वास्तविक व्याज और (२) कुल व्याज।

(१) वास्तविक व्याज (Net Interest)—जा व्याज केवल पूँजी के प्रयोग के लिये ही दिया जाता है उगको वास्तविक व्याज कहते हैं। वास्तविक व्याज में केवल पूँजीपति का पुरस्कार ही मजिहित होता है इसमें किसी अन्य कार्य का पुरस्कार जैसे जोखिम का पुरस्कार अनुविधा एवं प्रत्यक्ष के पुरस्कार सम्मिलित नहीं होते। ब्रिटिश सरकार की प्रतिपूर्तियों (Consols) पर मिलने वाला व्याज वास्तविक व्याज होता है क्योंकि इसमें पूँजी को न तो कोई जोखिम ही उठानी पड़ती है और न उसका कोई प्रत्यक्ष ही करना पड़ता है। चैपमैन (Chapman) ने शब्दों में "शुद्ध व्याज पूँजी उधार देने का पुरस्कार है। जिसमें उगदाता को कोई भी जोखिम, अनुविधा (मिवाय उसके जो मजबूत में होती है) आदि नहीं होती

1—"The term 'usury' is contra distinguished from interest proper, which is interest at a rate higher than that limited by law as legally allowable

है।<sup>१</sup> वास्तविक व्याज (Net Interest) का कुछ विज्ञान मुक्त व्याज (Pure Interest) या आर्थिक व्याज (Economic Interest) भी कहते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक या मुक्त व्याज मरचल पूँजीपति के त्याग का ही पुरस्कार सम्मिलित होता है।

(२) कुल व्याज (Gross Interest)—यह व्याज है जिसमें वास्तविक व्याज के अतिरिक्त जागिम असुविधा, प्रयत्न आदि सेवाओं के पुरस्कार भी सम्मिलित होते हैं। इस प्रकार पूँजीपति द्वारा प्रस्तुत सभी वस्तुओं के उपनयन में जो राशि मिलती है उस कुल व्याज कहते हैं। चैपमैन (Chapman) के शब्दों में कुल व्याज में पूँजा उधार देने का पुरस्कार, क्षति प्रति के जागिमों का पुरस्कार चाहे वे (अ) व्यक्तिगत जागिम हों या (आ) व्यापारिक जोखिमों, विनियोग की अनुसंधानों का पुरस्कार और विनियोगों सम्बन्धी काय एवं चिन्ता का पुरस्कार सम्मिलित होते हैं।<sup>२</sup> कुल व्याज में जिन बातों का समावेश होता है उनको विस्तृत विवरण नीचे दिया जाता है—

(अ) वास्तविक व्याज (Net Interest)—नेशन पूँजी के प्रयोग के लिये जो धन राशि दी जाती है वह कुल व्याज का एक अंग होती है।

(आ) जागिम का पुरस्कार (Remuneration for Risk)—यहस्य पर दी हुई पूँजा के साथ जो उसके वापस न मिलने की जोखिम लगी रहती है उसके लिये न्यूनतम कुछ न कुछ पुरस्कार चाहता है। यह पुरस्कार वास्तविक व्याज में जोड़ दिया जाता है। प्रा० मार्शल (Marshall) के अनुसार यह जोखिम दो प्रकार की होता है—

(१) व्यापारिक जागिम (Business Risk)—यह जागिम है जो व्यापार में सम्बन्धित होती है। कुछ व्यापार ऐसे होते हैं जिनमें जोखिम अधिक होता है जैसे मट्टबारी खान खुदान का काय आदि, और कुछ व्यापार या व्यवसाय मायास्य तथा सुरक्षित होते हैं, अथवा बछादि का व्यापार। अतः वास्तविक व्यापार या व्यवसाय के लिये उपाय दो तरह पूँजा की व्याज दर कम जागिमों या रिस्क



कुल व्याज के अंग

1— Net interest is payment for the loan of capital when no risk is involved (apart from that involved in saving) and no work is entailed on the lender

—Chapman *Outline of Political Economy*, p 279

2— Gross interest includes payment for the loan of capital, payment to cover risks of loss which may be (a) personal risks or (b) business risks, payment for the inconveniences of the investment and payment for the risk and worry involved in watching investments, calling them in and investing

—Chapman *Outline of Political Economy* p 279 80

जोखिम वाले व्यापार या व्यवसाय की अपेक्षा अधिक होता है, क्योंकि इसमें अनुपातिक जोखिम का पुरस्कार सम्मिलित होता है।

(२) व्यक्तिगत जोखिम (Personal Risk)—वह जोखिम है जो ऋण लेने वाले के व्यक्तिगत चरित्र प्रथवा योग्यता के दोषों या कमियों से उत्पन्न होती है। कुछ ऋण लेने वाले व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति पारंगत हो जाने से वे अपना चुकाने में अक्षम हो जाते हैं, यद्यपि उनकी इच्छा ऋण चुकाने की अवश्य होती है। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जिनकी ऋण चुकाने की सामर्थ्य ली होती है परन्तु बेईमानी कर बैठते हैं और ऋण नहीं चुकाते। इस व्यक्तिगत जोखिम के कारण भी व्याज अधिक लिया जाता है।

इस प्रकार पूँजी उधार देने समय पूँजीपति को व्यापारिक एवं व्यक्तिगत जोखिम उठानी पड़ती है और इसके बदले में जो पुरस्कार मिलता है वह कुल व्याज में मिला रहता है।

(३) असुविधाओं का पुरस्कार (Remuneration for Inconvenience)—ऋणदाता को ऋण देने में काफी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। सम्भव है ऋणी अपना समय पर न लौटाये या ऐसे समय पर लौटाये जब उसे ऋणदाता किसी अन्य कार्य में न लगा सके। यह भी हो सकता है कि ऋणी एक साथ सब अपना न लौटा कर थोड़ा थोड़ा करके लौटाये जिससे ऋणदाता की सुविधा हो सकती है। कभी कभी तो ऋणदाता को ऋणी के बोझ बहुत समय तक धरना पड़ता है तब जाकर ऋण वसूल होता है। कभी ऋणदाता को ऋण वसूल करने के लिये न्यायालय की शरण लेनी पड़ती है। इन सब असुविधाओं के कारण ऋणदाता व्याज अधिक लेता है।

(४) ऋण-व्यवस्था का पुरस्कार (Remuneration for Management)—ऋणदाता को लेन-देन का हिसाब रखने के लिये वही-भाते, सुग्रीम गुमास्ते तथा अपना वसूल करने के लिये कारिन्दे रखने पड़ते हैं। इन व्ययों को भी ऋणी से अधिक व्याज के रूप में वसूल किया जाता है।

अतः यह स्पष्ट है कि कुल व्याज में वास्तविक व्याज के अतिरिक्त ऋण-सम्बन्धी जोखिम, असुविधाओं तथा व्यवस्था के पुरस्कार भी सम्मिलित होते हैं।

आर्थिक उन्नति का व्याज पर प्रभाव

(Effects of economic progress on Interest)

आर्थिक उन्नति का अर्थ—आर्थिक उन्नति में प्रौद्योगिक (Technical) उन्नति का अर्थ है। यन्त्रीकरण (Mechanization), बड़े परिमाण में उत्पादन, जीवन-स्तर में वृद्धि आदि बातें देश-काल की आर्थिक उन्नति की सूचक हैं।

आर्थिक उन्नति का व्याज-दर पर प्रभाव—व्याज की दर माँग और पूर्ति पर निर्भर होती है। इसलिये व्याज की दर इस बात पर निर्भर होगी कि पूँजी की माँग आर्थिक उन्नति के कारण बढ़ेगी या घटेगी। साध-हीन-भाष वह इस बात पर भी निर्भर होगी कि आर्थिक उन्नति के कारण पूँजी सचय की क्या गति रहेगी। प्रो० टॉसिग (Toussig) के शब्दों में व्याज की दर सचय तथा उन्नति की दौड़ पर निर्भर होगी।

आर्थिक उन्नति का पूँजी की माँग पर प्रभाव—जब देश की आर्थिक उन्नति हाथी है तो पूँजी की माँग बहुत बढ़ जाती है। इसके कई कारण हैं—(१) देश में औद्योगिकरण का फलस्वरूप नये नये उद्योग उभरे हुए हैं जिनके संचालन के लिये पूँजी की आवश्यकता होती है और परिणामतः पूँजी की माँग बढ़ जाती है। (२) देश में शालायाग व साधना व विकास के लिये भी बड़ी मात्रा में पूँजी की आवश्यकता पड़ती है। (३) आर्थिक विकास के साथ साथ व्यापार में भी वृद्धि होती है जिसके कारण पूँजी की माँग बढ़ जाती है। (४) आधुनिक सरकार भी जन साधारण के हितार्थ औद्योगिक सुविधाएँ जन विद्युत् बिजली सम्बन्धी अनेक योजनाएँ का कार्यान्वयन करने के लिये बड़ी मात्रा में पूँजी की माँग प्रस्तुत करने लग गई है। (५) वृद्ध प्राकृतिक संपद आदि द्वारा बहुत सा पूँजी संचय हो जाती है जिससे पुनः स्थापन के लिये नई पूँजी की माँग बढ़ जाती है। इस प्रकार देश में आर्थिक विकास के साथ साथ पूँजी की माँग बढ़ती जाती है। अतः यह स्पष्ट कहा जा सकता है कि पूँजी की माँग बढ़ने से व्याज की दर में वृद्धि होना स्वाभाविक है। परन्तु यह एकपक्षीय निष्पत्ति ठीक नहीं कहा जा सकता जब तक कि हम आर्थिक विकास या पूँजी की पूर्ति पर पूर्णतया विचार न करें।

आर्थिक उन्नति का पूँजी की पूर्ति पर प्रभाव—आर्थिक उन्नति के साथ साथ सम्पत्ता एवं समाज का विकास भी होता है जिसके कारण पूँजी संचय की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलता है। पूँजी संचय की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन निम्नलिखित कारणों से मिलता है—(१) जैसे जैसे सम्पत्ता का विकास होता जाता है वैसे ही वैसे मनुष्य की दूरदर्शिता बढ़ती जाती है और वह कुछ न कुछ बचाने का प्रयत्न करता है। कीन्स (Keynes) के शब्दों में मनुष्य का तरलता अधिमान (Liquidity preference) कम हो जाता है। (२) सामाजिक उन्नति के कारण उत्पादन शक्ति भी बढ़ती है जिससे पारस्परिक समाज के लोगों की आय बढ़ती है। आय बढ़ने पर पूँजी में अधिचय संचय की सम्भावना हो जाती है। (३) सम्पत्ता के विकास के कारण जन संख्या उस गति से नहीं बढ़ पाती जिस गति से उत्पादन में वृद्धि होती है। इससे कम लोग के लिये कम उत्पादन करने की आवश्यकता पड़ती है जिससे कारण पूँजी की माँग में भी कमी हो जाती है। (४) जैसे जैसे समाज के पास धन की वृद्धि होती जाती है वैसे ही वैसे मनुष्य अपने धन खर्च करता है और बचत अधिचय करता है। इन सब कारणों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि पूँजी की पूर्ति इसकी माँग की अपेक्षा अधिचय तीव्र गति प्राप्त कर लेती है।

निष्कर्ष—अभी हमें आर्थिक उन्नति का प्रभाव पूँजी की माँग और उदासी पूर्ति पर ध्यान-ध्यान देना। यह सब हम निष्कर्ष रूप में यह कह सकते हैं कि समाज की आर्थिक उन्नति के साथ साथ पूँजी की माँग में वही अधिचय बढ़ जाती है जिसके परिणामस्वरूप व्याज की दर घट जाती है। इसी कारण पाश्चात्य उन्नत देशों में भारत की अपेक्षा व्याज की दर कम है।

दूसरे व्याज की दर की सम्भावना

(*Relationship of the Rate of Interest*)

मिल (Mill) के अनुसार जैसे जैसे समाज आर्थिक उन्नति का और अग्रसर होता जाता है वैसे ही वैसे पूँजी अधिचय बढ़ती होना आवश्यक है और व्याज की दर निरन्तर गिरनी चाहिए। व्यवहार में मिन का यह विचार ठीक भी निकटतम रूप में हम देखते हैं।



कि व्याज की दर बहुत गिर गई है। इस गिरती हुई व्याज की दर को देख कर प्रो० फिनार आदि कुछ अर्थशास्त्रियों उस प्रवृत्ति को खत्म कर बैठे हैं जबकि व्याज गिरने गिरते धूम हो सकता है। प्रो० गुम्पीटर की सम्मति में भी स्थिर (Static) समाज में व्याज की दर धूम हो सकती है।

सिद्धान्त में व्याज की दर धूम हो सकती है। यदि गण योग बचत कर तो इससे पूँजी बचती परन्तु हो सकता है कि मनुष्य की आवश्यकता उस गति से न बढ़े जिस गति में पूँजी बढ़ती है। ऐसा होने पर उत्पादनवाला पूँजी की मांग तब भी न करे जबकि उनकी पूँजी निरुत्क मिले अर्थात् व्याज की दर धूम हो जाय। यदि यहाँ स्थिति कुछ समय तक चलती रहेगी तो एक दिन ऐसा हो सकता है जबकि बचत की रक्षा करने के लिए बचत करने वालों को कुछ देना पड़े अर्थात् व्याज की दर नकारात्मक (Negative) हो जाय। परन्तु समाज तो नग्न प्रगतिशील (Dynamic) है इस बात का इतिहास साक्षी है। अस्तु ऐसी परिस्थिति जिसमें व्याज दर धूम हो जाय अनेक की कोई सम्भावना नहीं है। इसके निम्नलिखित कारण हैं —

(१) व्याज एक पुरस्कार है जो पूँजीपति को उससे कष्ट एवं त्याग में उपलक्ष्य में दिया जाता है। अस्तु जब तक पूँजी के संचय में कष्ट होगा पूँजीपति का कुछ न कुछ पुरस्कार अपेक्ष्य देना ही पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति की कल्पना करना जिसमें पूँजी के संचय में कष्ट न हो सम्भव नहीं है। अतः व्याज की दर कभी भी धूम नहीं हो सकती।

(२) पूँजी उत्पादन है अतः व्याज की दर पूँजी की सीमांत उत्पादकता के बराबर होने ही यदि व्याज दर धूम हो जाय तो इसका तात्पर्य यह होगा कि पूँजी की उत्पादकता धूम हो जायगी। ऐसी परिस्थिति की कल्पना जिसमें पूँजी के नमाने से उत्पादन बढ़े ही नहीं सम्भव है। अतः व्याज की दर कदापि धूम नहीं हो सकती।

(३) ऐसी अवस्था की कल्पना निराधार है जबकि हमारे समस्त आवश्यकताएँ पूर्णतया सन्तुष्ट हो जायें और हम उत्पादन के लिए पूँजी की आवश्यकता विस्तृत पड़ ही नहीं किन्तु हम जानते हैं कि मानवीय आवश्यकताएँ अनिश्चित हैं। जगे ही एक आवश्यकता सन्तुष्ट होती है अर्थात् ही दूसरी आवश्यकता आ खड़ी होती है। जब तक ऐसा होता रहेगा तब तक पूँजी की विनियोग करने के साधन भी अनेक मिलते रहेंगे। इसलिये व्याज की दर धूम या नकारात्मक होना सम्भव नहीं है।

(४) व्याज की दर तभी धूम हो सकती है जबकि समाज में लोग अपनी धन्यता का एक बड़ा भाग बचाने परन्तु समाज में सब प्रकार के लोग हैं कोई अधिक बचाने की इच्छा रखता है तो कोई कम। इस प्रकार बहुत अधिक पूँजी इकट्ठा होने की सम्भावना नहीं है।

(५) समाज में प्रौद्योगिक उन्नति (Technical Progress) की सम्भावना समाप्त नहीं हुई है। जब उत्पादन के नये नये ढंगों का पता लगने की प्राप्ति है तब तक पूँजी की मांग भी होती रहेगी और यदि वह भी मान लिया जाय कि उत्पादन काय क लिये पूँजी की कोई मांग न होगी तो भी सामाजिक कार्यों के लिए तो पूँजी का मांग बनी रहेगी।

(६) व्यक्ति व्यवस्था के विकास के साथ लोगों को अन्त जो कि धन के न होने के कारण प्रायः बेकार पड़ो रहती है उद्योगपतियों को सुविधा में उपलब्ध हो जाती है। यही नहीं बल्कि उस समाज के आधार पर दस ग्यारह गुना मरदा की सृष्टि कर पूँजी को प्रति को असाधारण रूप से बढ़ा सकते हैं।

सारास यह है कि जब तक समाज प्रगतिशील अवस्था में रहेगा, धन संचय वरत में कष्ट का अनुभव होगा, ऋण देने में जोखिम तथा अनुविधाओं का सामना करना पड़गा और ऋण के प्रवन्ध को आवश्यकता होगी, कुछ-कुछ व्याज रहेगा ही, यद्यपि उसकी दर अवश्य बदलती रहेगी। अस्तु, व्याज दर धूम्य हा जाने की कल्पना निराधार प्रतीत होती है।

व्याज की दर में भिन्नता के कारण

(Causes of difference in the Rate of Interest)

साधारणतया वास्तविक व्याज (Net Interest) की दर सभी जगह लगभग एक ही होती है, क्योंकि पूँजी की माँग और पूर्ति की स्पर्धा (Competition) इसे एक ही स्तर पर ल आती है, परन्तु वास्तविक जीवन में देखा जाता है कि भिन्न-भिन्न स्थानों, व्यक्तियों और समयों पर व्याज की दर भिन्न-भिन्न बसूल की जाती है, अर्थात् कुल व्याज (Gross Interest) की दर में पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। इस कुल व्याज की भिन्नता के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं—

(१) व्यावसायिक जोखिम की भिन्नता—कुछ व्यवसाय या उद्योग अधिक जोखिमीय होते हैं और कुछ कम। अतः अधिक जोखिमी व्यवसायों के मन्चालन के लिये कम जोखिमी व्यवसायों की प्रतीक्षा पूँजी प्राप्त करने में अधिक व्याज दर देनी पड़ती है।

(२) व्यक्तिगत जोखिम की भिन्नता—कुछ व्यक्ति अपनी गारंटी और सहाय के लिये विश्वसनीय होते हैं। इसलिए इस व्यक्तियों का कम व्याज पर रुपया उधार मिल जाता है। इसके विपरीत, जिन व्यक्तियों की सचाई व मान्यता सन्देह होती है अथवा जिनका लेन देन ठीक नहीं होता है उन्हें या तो ऋण मिलना ही नहीं है या यदि मिलता है तो बहुत उच्च दर पर मिलता है।

(३) आर्थिक स्थिति—कुल व्याज की दर रुपया उधार देने वाले की आर्थिक स्थिति पर भी निर्भर होती है। जिन व्यक्तियों के पास पर्याप्त सम्पत्ति होती है उन्हें प्रायः कम व्याज दर पर रुपया उधार मिल जाता है, परन्तु कमजोर आर्थिक स्थिति वाले को अधिक व्याज-दर देनी पड़ती है।

(४) प्रान्त्य की अनुविधाओं की भिन्नता—पूँजी के उधार देने, उमने बसूल, जमा-बच और व्यवस्था करने में अधिक अनुविधाएँ हामा, उनमें ही व्याज की दर में भिन्नता पाई जायगी। उदाहरणार्थ, कम पूँजी वाले या निधन व्यक्तियों का रुपया उधार देने में बहुत अधिक अनुविधाएँ होती हैं। उनमें रुपया बहुत धीरे-धीरे बसूल होता है। लकाज के लिये समय-समय पर आदर्शों मेंना पड़ता है। उनमें थोड़ी थोड़ी राशि बसूल होने के कारण बार-बार जमा लचं करना पड़ता है। इनके विपरीत, धनी एक अच्छी साल बाद व्यक्ति निश्चित समय पर निश्चित राशि बिना माँग कायम कर वत हैं। अतः जिन लोगों को रुपया उधार देने में अनुविधाएँ अधिक होती हैं उनमें प्रायः अधिक व्याज की दर बसूल की जाती है। यही कारण है कि बाज का अद्यतन विज्ञानों में अधिक व्याज-दर बसूल करता है।

(५) ऋण की अवधि की भिन्नता—ऋण जितनी लम्बी अवधि के लिये लिया जाता है उसमें उसनी ही अधिक जोखिम होती है। इसलिए दोषंशानों ऋण पर अधिक व्याज-दर देनी पड़ती है और अल्पकालीन ऋण पर कम।

(६) समय की भिन्नता—प्रायः वर्ष के भिन्न-भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न व्याज की दर प्रवर्तित होती है। भारतवर्ष में वार्षिक व रबी की फसल के तैयार होने के समय व्याज-दर ऊँची रहती है। यही समय विवाह आदि हान का भी होना है जिससे पूँजी की माँग बढ़ जाती है और फसल व्याज-दर में वृद्धि हो जाती है। यथा धातु में व्यापार की मन्द-गति के कारण पूँजी की माँग कम हो जाता है जिससे फसल-व्यय व्याज-दर गिर जाती है।

(७) ऋण की जमानत—उचित जमानत पर दिये गये ऋण की व्याज-दर बिना जमानत दिये गये ऋण का अपेक्षा कम होती है। प्रायः मकान, मृमि, मोने-बाँकी के आभूषण आदि की जमानत पर ऋण कम व्याज दर पर मिल जाता है, परन्तु व्यक्तिगत जमानत ( Personal Security ) पर ऋण अधिक व्याज पर मिलता है। भारतीय कृषक और श्रमिकों के पास जमानत के बिना कुछ नही होता है, इसलिए महाजन उतरो ऊँची व्याज दर पर रपया उभार देते हैं।

(८) अनुत्पादक कार्य के लिये ऋण—प्रायः उपभोग, विवाह आदि अनुत्पादक कार्यों के लिये जो ऋण लिया जाता है, उन पर ऊँचा व्याज दिया जाता है क्योंकि इस प्रकार के ऋण सात्वानों से नहीं लौगाय जा सकते।

(९) वंकिंग व्यवस्था का अभाव—जहाँ वंकी वा अभाव होता है वहाँ ऋण प्रायः महाजनों या साहूकारों से ही लिया जाता है जो ऊँची व्याज दर पर रपया उभार देते हैं। जहाँ वंकी की उचित व्यवस्था होती है वहाँ ऋण कम व्याज दर पर उपलब्ध हो जाता है।

(१०) प्रतियोगिता का अभाव—उत्पादताओं और ऋण लेने वालों में पूर्ण एवं स्वतन्त्र प्रतियोगिता के अभाव के कारण भी व्याज की दर में भिन्नता रहती है। प्रतियोगिता के अभाव में महाजन दिवानों से अत्यधिक व्याज वसूल करत हैं।

(११) पूँजी की गतिशीलता का अभाव ( Lack of Mobility of Capital )—जब पूँजी पूर्ण रूप से गतिशील होती है तब देश भर में प्रत्येक स्थान और व्यवसाय में व्याज की दर लगभग एक ही रहती है। परन्तु भारत में पूँजी उतनी गतिशील नहीं है जिससे कारण देश में व्याज की दर अनेक हैं।

## भारत में व्याज की दर

### ( Rate of Interest in India )

भारत में व्याज की दर की विशेषताएँ—(Characteristics of the Rate of Interest in India)—भारत में व्याज की दर की तीन मुख्य विशेषताएँ—(१) ऊँची व्याज दर, (२) व्याज में स्थानीय भिन्नता और (३) व्याज में मौसमी भिन्नता।

(१) भारत में ऊँची व्याज दर के कारण ( Causes of High Rate of Interest in India )—भारत में अन्य उन्नत देशों का अन्वया व्याज की दर बहुत ऊँची है। इसके किन्तलिखित मुख्य कारण हैं—

१. पूँजी की अधिक माँग ( Huge Demand for Capital )—भारत में प्राकृतिक सधनों का अमी पयेष्ट विवाय नहीं हुआ है। परन्तु अब इनका विवाय

आरम्भ हो गया है, घत पूँजी की माँग बहुत अधिक बढ़ गई है जिसके कारण व्याज-दर भी ऊँची हो गई है।

२. पूँजी की कमी (Scarcity of Capital)—भारत में पूँजी का अभाव है। निवृत्तता के कारण भारतवासियों में पूँजी के बचाने की शक्ति एक दृष्टि बहुत कम है। अधिकांश दत्तवासियों की श्रम दत्तनी कम है कि वे अपना जीवन निर्वाह भी कठिनाई से कर पाते हैं। ऐसी दशा में उनमें बचत की प्रवृत्ति खराब होती है। इस प्रकार पूँजी की माँग की अभावता उनकी पूँजी की कमी होने के कारण व्याज-दर ऊँची रहती है।

३. अधिक जोखिम (Great Risk)—भारत में अधिकांश व्यक्ति निरर्थक हैं। इसलिए उनका ऋण देना बड़ा जोखिम का काम है। उनको ऋण देने में इसलिए भी जोखिम है कि उनके पास जमानत के लिए कुछ भी नहीं होता, व व्यक्तिगत जमानत पर ही अपना उधार माँगते हैं। यही नहीं वे प्रथम उपभोग के लिये अपना उधार माँगते हैं जिसके कारण उन्हें ऋण देने में बड़ी जोखिम रहती है। इस जोखिम के कारण ही व्याज की दर ऊँची रहती है।

४. प्रबंध की असुविधा (Inconvenience of Management)—भारत में अधिकांश व्यक्ति निरर्थक हैं। अतः उनसे अपना समूल्य करन में बड़ी असुविधा होती है। ऋण समूल्य के लिये बार-बार तपाजे करने पड़ते हैं। थोड़ा थोड़ा अपना लोडन के कारण बार-बार लिला-पट्टी करने पड़ती है। अतः इस असुविधा का पुनरावृत्त ऊँची व्याज की दर के रूप में समूल्य किया जाता है।

५. बैंकिंग व्यवस्था का अभाव (Lack of Banking Organization)—भारतवर्ष में बैंक की संख्या बहुत कम है। अधिकांश बैंक शहरों में ही स्थित हैं, गाँवों में इनका सर्वथा अभाव है। इसका परिणाम यह है कि लोगों को मुद्रापात्र के रूप में उधार नहीं मिल पाता। गाँवों में तो इस क्षेत्र में महाजनो का एक प्रकार में एकाधिकार है, इसलिए वे मनमाना व्याज समूल्य करते हैं।

६. मूदखोरी (Usury)—भारतवर्ष में गाँवों का दशा है। वहाँ की अधिकांश आभीर जनता निरर्थक है। इनके पास ऋण के लिये जमानत के रूप में दान की कुछ भी नहीं होता। इसलिए गाँवों में महाजन बहुत ऊँची व्याज-दर समूल्य करते हैं। गाँवों में इनका प्रभुत्व एक प्रकार से इतना अधिक होता है कि अन्य ऋण देने वाली संस्थाएँ इनकी प्रतिस्पर्धा में उठकर नहीं सकती। इसलिये इनकी मूदखोरी की प्रथा अब तक भी भारतवर्ष में जीवित है।

७. उपभोग के लिए ऋण (Loans for Consumption Purposes)—उत्पादक कार्यों के लिये ली गई पूँजी का आनापनी में लौटाई जा सकती है। इसलिये ऐसे ऋण उचित व्याज पर मिल सकते हैं। हमारे अधिकांश ग्रामवासियों का ऋण प्रायः उपभोग, विश्रान्त, मृत्यु भोज आदि अनुत्पादक कार्यों के लिये ली है जिसके कारण वे उसे लौटाने में असमर्थ रहते हैं। अतः इस जोखिम के लिये ऋणदाता अधिक व्याज समूल्य करता है।

(२) व्याज की दर में स्थानीय भिन्नता (Local Variations in the Rate of Interest)—स्थानानुसार व्याज की दर में भिन्नता भारत में प्रचलित

व्याज-दर की दूमरी विशेषता है। भारत में स्थान स्थान पर व्याज-दर भिन्न भिन्न होती है। यह अन्तर शहरी और गाँवों में विशेष रूप में पाया जाता है। इसका कारण यह है कि भारतवर्ष में मुद्रा के दो बाजार हैं—शहरी और देहाती। शहरी मुद्रा बाजार तो कुछ सुसंगठित है, इसलिये शहरी में व्याज की दर कम और लगभग एक-सी होती है। परन्तु देहाती या ग्रामीण मुद्रा-बाजार समृद्ध नहीं हैं। गाँवों में बैंकों का सर्वथा अभाव है। हाँ कहीं-कहीं सहकारी साख्त समितियों रपयों का उत्पादन कार्यों के लिये लेन देन व्यवस्था कर रही है। ग्रामवासियों की ऋण सम्बन्धी आवश्यकताएँ इनसे पूर्ण न होने के कारण उन्हें विवश होकर गाँव के महाजन के पास जाना पड़ता है। गाँव के महाजन ग्रामीणों की इस विवशता का लाभ उठाते हैं और उनसे अत्यधिक व्याज वसूल करते हैं।

(३) व्याज की दर में मौसमी भिन्नता (Seasonal Variations in the Rate of Interest)—भारत में कृषि लोगों का प्रमुख व्यवसाय है। यहाँ रबी खरीफ की दो मुख्य फसलें होती हैं जो क्रमशः अगस्त मई और अक्टूबर नवम्बर में काटी जाती हैं। इन फसलों के समय कृषि पैदावार को गाँवों में कस्यों और शहरों की मंडियों में ले जाया जाता है जहाँ उनका क्रय-विक्रय होता है। इस क्रय-विक्रय के कारण पूँजी की माँग बहुत बढ़ जाती है जिसके फलस्वरूप व्याज दर में वृद्धि हो जाती है। इन्हीं मौसमों में प्रायः विवाह शादी भी अधिक होने हैं, इस कारण भी पूँजी की माँग बढ़ कर व्याज की दर में वृद्धि हो जाती है। यही नहीं, किसानों को इसी समय जमींदारों या सरकार को लगान देना पड़ता है। आय न होने पर वे उधार लेकर लगान चुकाते हैं। इसलिये भी पूँजी की माँग बढ़ जाती है और व्याज-दर में वृद्धि हो जाती है। इनके प्रतिरिक्त, वर्ष के इन्हीं महीनों में व्यापार भी अधिक होता है और इस कारण व्यापारी लोग रपया उधार लेकर दुकानों में माल अधिक रखते हैं। वर्ष के शेष महीना में पूँजी की माँग घट जाती है जिससे व्याज की दर गिर जाती है। इस प्रकार भारत में व्याज की दर में मौसमी भिन्नता पाई जाती है।

भारतीय गाँवों में बहुत ऊँची व्याज-दर प्रचलित होने के कारण (Causes of the prevalence of very high rate of interest in Indian villages)—भारतवर्ष में गाँव में बहुत ऊँची व्याज की दर वसूल की जाती है। इसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं।

(१) ग्रामीणों की निर्बन्धना—भारतीय गाँवों में व्याज की ऊँची दर का मूल कारण यह निपट बनावली है जिसमें कि भारतीय ग्रामीणों को अपना जीवन गुजारना पड़ता है। वे इतने निर्बन्ध होते हैं और उनका मुख्य व्यवसाय कृषि इतनी बग आय का होता है कि वे अपना नार्थ बिना ऋण लिये नहीं चला सकते। अतः उनके लिये साहूकारों के फंदे में फँसने के प्रतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। इसलिये विवश होकर ऊँची व्याज-दर पर साहूकारों से ऋण लेकर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना पड़ता है।

(२) ग्रामीणों के ऋण में अत्यधिक जोखिम का होना—ग्रामीणों को ऋण देना बड़ा जोखिमो है। प्रथम तो वे निर्बन्ध होते हैं। द्वितीय, उनके पास जमागत के लिये कुछ नहीं होना, वे व्यक्तिगत माँग पर ही रपया उधार लेते हैं। तृतीय, वे उपभोग के लिये ही ऋण लेते हैं जिससे कारण उसके चुकाने में कठिनाई होती है।

इन कार्यों में ग्रामीणों को ऋण देना बड़ा जोखिम होता है। अस्तु, साहूकारों द्वारा बहुत अधिक व्याज वसूल किया जाता है।

(३) प्रवन्ध की असुविधा—भारतीय ग्रामीण निर्धन होते हैं। उनकी प्रायः इतनी आय एक अनिश्चित होती है कि वे वक्तानुसार ऋण नहीं लौटा सकते। इसके अतिरिक्त, वे एक माघ पूरी ऋण-राशि नहीं लौटा सकते बल्कि सुविधानुसार थोड़ा थोड़ा रकमा लौटाते हैं जिससे साहूकार को जमा-खर्च करने में बड़ी असुविधा होती है। इसलिये वह इस असुविधा का पुरस्कार ऊँची व्याज दर के रूप में वसूल करने का प्रयत्न करता है।

(४) गाँवों में रुपये के लेन-देन में महाजन का एकाधिकार—गाँवों में विमानों के लिये महाजन से ऋण लेने के अतिरिक्त अन्य कोई सुविधाजनक साधन नहीं है। अतः महाजन अधिक-से-अधिक व्याज लेने का प्रयत्न करते हैं। सहकारी-माख समितियाँ अभी पर्याप्त उन्नतिशील नहीं हो सकी हैं।

(५) अनुत्पादन कार्यों के ऋण—भारतीय ग्रामीण प्रायः ऋण उपभोग, बिबाह शादी आदि अनुत्पादक कार्यों के लिये लेते हैं वे रीति-रिवाजों का पालन करने में बहुत रकमा खर्च कर देते हैं। गुनहमे बाजी के लिये भी वे ऋण लेते हैं। इस प्रकार के अनुत्पादक कार्यों के लिये ऋण देने में ऋणदाता को काफी जोखिम उठाना पड़ता है। अतः व्याज की दर ऊँची उठ जाती है।

(६) पूँजी की माँग में वृद्धि—भारतीय ग्रामीण अपने विभिन्न कार्यों के लिये रकमा उधार माँगते रहते हैं। इसलिये पूँजी की माँग ग्राम्य क्षेत्रों में सदैव बनी रहती है। जिसके कारण व्याज दर भी ऊँची रहती है।

(७) पूँजी की पूर्ति में कमी—गाँव के साहूकारों को पूँजी भी ग्रामीणों की व्यापक माँगों को पूरा करने के लिये कम पड़ती है। वे प्रायः अपनी स्वयं की पूँजी को ही उधार देते हैं, दूसरों का रकमा जमा नहीं रखते। उनका मुद्रा वाजार से कोई सम्बन्ध नहीं होता अतः ऋण लेने वालों की पारस्परिक प्रतियोगिता से व्याज दर में वृद्धि हो जाती है।

(८) जमानत का अभाव—ग्रामीणों की अच्छी साख भी नहीं होती है। न तो वे ऋण के लिये कोई जमानत ही दे सकते हैं और न ही ग्रहण परिस्वतियों के कारण वे ऋण को समय पर चुकाने में समर्थ होते हैं वे भुगतान को टालने रहते हैं। इस मनोवृत्ति में साहूकार अपनी पूँजी को सवट-ग्रस्त देखते हैं और इसलिये उनसे ऊँची व्याज-दर वसूल करते हैं।

(९) ग्रामीणों की अज्ञानता, अज्ञानता व सहिष्णुता—भारतीय ग्रामीण अशिक्षित, पुरानी भाव के और अज्ञानी होते हैं, इसलिये वे गाँव के महाजनों के महज शिकार हो जाते हैं। महाजन लोग हम अज्ञानता का अनुचित लाभ उठाते हैं। श्रावण-कला के समय उनमें जितना सम्भव होता है उनका ही पैसा छीनने का प्रयत्न करते हैं। इसके अतिरिक्त, महसूब की कमी के कारण वे महाजनों की विभिन्न अनुचित कार्यवाहियों का विरोध करने में असमर्थ होते हैं।

(१०) अल्प आय, फसल की अमुरक्षिता और ग्रामीणों का ह्रास—भूमि पर जन-सख्या के अत्यधिक दबाव के कारण ग्रामीणों की आय बहुत कम हो गई है। भारतीय-कृषि-व्यवसाय वर्षा का जुधा बना हुआ है और समय समय

पर टिड्डी आदि कीड़े में फल नष्ट होने का भय रहता है। अन्तु, फसल की अनुरक्षिता सदा बनी रहती है। ग्रामोद्योगों के नष्ट होने में कृषि के सिवाय ग्रामीणों के लिए श्राव का अन्य कोई साधन नहीं रहा है। इसलिये वे निरन्तर ऋण में रहते हैं जिनमें पूँजी का माँग व्यापक रूप में रहती है। यही पूँजी का माँग व्याज की दर को ऊँचा उठाये रखती है।

(११) दुर्भिक्ष और रोगों के कारण हानि—समय-समय पर दुर्भिक्ष पटने रहते हैं जिससे जान व मान का क्षति होती रहती है। दुर्भिक्ष के समय चारा नहीं मिलता है पशुओं को भी काफी क्षति होती है। इसके अनिश्चित, रोगों में भी पशुओं की पर्याप्त हानि उठानी पड़ती है। इस क्षति को पूरा करने के लिये ग्रामीणों को निरन्तर ऋण लेना पड़ता है जिसमें व्याज-दर ऊँची रहती है।

(१२) मालगुजारी या लगान का भार—लगान या मालगुजारी भारी होने से और भारतीय कृषक उसका बिना ऋण लिये देने में अपने-आपको असमर्थ पाता है। इसलिए उसे समय पर जमा कराने के लिये ऊँची व्याज दर पर गाँव के साहूकारों से ऋण लेना पड़ता है।

(१३) बैंक व्यवस्था का अभाव—भारतवर्ष में बहुत कम बैंक पाये जाते हैं। गाँवों में तो इनका सर्वथा अभाव ही है। इसलिये ग्रामीणों को दिवस होकर महाजनों के चणुन में फँसा रहना पड़ता है।

व्याज-दर नीचे करने के उपाय

(Remedies for lowering the rate of Interest)

(१) सबसे पहला काम जो किया जाना चाहिये यह यह है कि ग्रामीणों को शिक्षित किया जाए जिससे कि फिह्रबखर्ची, मुकदमवाजों और घातस्य से बचे।

(२) मालगुजारी कम करने की रीतियों में सुधार होने चाहिये।

(३) ग्रामोद्योगों का प्रसार होना चाहिये जिससे उनकी आप में वृद्धि हो सके।

(४) क्षेत्रों के ढोंगों में सुधार लिये जायँ और सिचाई, बीज और खाद के लिये अधिक सुविधाएँ दी जायँ।

(५) कम व्याज पर अल्पकालीन ऋण के लिये सहकारी-नायब समितियों का और दीर्घकालीन ऋण के लिये सहकारी भूमि बन्धक बैंकों का प्रसार होना चाहिये।

(६) गाँव के साहूकारों को शपथ जमा करने के लिये प्रोत्साहित करना चाहिये जिनमें पूँजी का अभाव न रहे।

(७) कानून द्वारा व्याज की दर नीचे गिराना चाहिये तथा साहूकारों का नियन्त्रण होना चाहिये।

(८) गाँव के महाजनों की महाकारी-समितियों के नियन्त्रण में लाना चाहिये। ये समितियाँ दैनिकीय प्रदर्शों पर चनाई जानी चाहिये। इसमें पूँजी की पूर्ति में वृद्धि होगी और व्याज दर गिर जायगी।

(९) घन बचाकर भूमि में गाड़ कर रखने की प्रथा को तथा सहने आदि बनाने की प्रथा को बग करना चाहिये जिससे घना हुआ घन पूँजी के रूप में प्रयुक्त किया जा सके।

(१०) ग्रामीणों में सामाजिक तथा धार्मिक रुढ़ियों के कारण जो धनव्यय की शक्ति कम है, उसे कम करना चाहिये ।

किस प्रकार सहकारी-साव समितियाँ गाँव के महाजनो की अपेक्षा कम ध्याज पर ऋणको को रुपया उधार दे सकती है ? ग्रामीण सहकारी-साव समितियाँ ऋणको को कम ध्याज-दर पर रुपया उधार दे सकती है, क्योंकि (१) उनका लक्ष्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि ग्रामीण जनता की सहायता करना है । इससे विपरीत, गाँव के महाजन या मुख्य लक्ष्य लाभ कमाना और ऋणको का शोषण करना है । (२) सहकारी साव समितियाँ को धन प्रांतीय या केन्द्रीय सहकारी बैंको तथा जमा-राशि (Deposit Money) से कम ध्याज पर प्राप्त होता है । (३) सरकार इन्हें कम ध्याज पर रुपया उधार देती है, इसलिये ये सामोला को कम ध्याज पर ही रुपया उधार देने में सफल हो सकते हैं । (४) सहकारी समितियाँ भ्रम करने वाले व्यक्ति वहुधा बिना वेतन काम करते हैं जिससे उनका संचालन कम ध्यय पर सम्भव है, परन्तु गाँव का महाजन अपने जीवन ध्याज पर ही चरता है तथा धन कमाता है । (५) सहकारी समितियाँ अपने सदस्यों पर प्रभाव रखती हैं और उनसे ध्यय के भाव उत्पन्न करती हैं । (६) ये ऋणको की उत्पादन-शक्ति बढ़ाने में सहायता करती हैं, ताकि वे अपने ऋणको चुवाने में समर्थ हो सकें ।

ध्याज-दर और पूँजी संचय में सम्बन्ध (Relation between Rate of Interest & Accumulation of Capital)—ध्याज दर एक प्रकार से पूँजी का मूल्य होता है । संचित पूँजी ही पूँजी की पूर्ति होती है । अतएव ध्याज दर तथा संचित-पूँजी का सम्बन्ध वही है जो किमी वस्तु के मूल्य और उसकी पूर्ति का होता है । अथ शब्दों में, इन दोनों का सम्बन्ध पूर्ति के नियम पर आधारित रहेगा जिसके अनुसार यदि किमी वस्तु का मूल्य घटता है तो उसकी पूर्ति भी कम हो जाती है, अथवा इसे भी कह सकते हैं कि पूर्ति बढ़ने पर मूल्य कम हो जाता है और पूर्ति घटने पर मूल्य बढ़ जाता है ।

ठीक इसी नियम के अनुसार यदि ध्याज दर अधिक हो जाय तो पूँजी की पूर्ति बढ़ जायगी, क्योंकि अधिक ध्याज-दर से साथ बढ़ेंगे जितने पूँजी संचय प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिलेगा । इसके विपरीत, यदि ध्याज दर कम हो जाय तो साथ धन अभाव भी कम कर देंगे जिससे पूँजी की पूर्ति में कमी हो जायगी ।

यदि पूर्ति का दृष्टिकोण से देखा जाय तो यदि पूँजी की पूर्ति कम हो जाय और उसकी माँग उतनी ही बनी रहें तो पूँजी चाहने वाला साधन में स्पर्धा करके ध्याज दर को बढ़ा देंगे तथा इससे विपरीत, यदि पूँजी का पूर्ति बढ़ जाय और माँग उतनी ही बनी रहें तो पूँजी विनियोगका म पूँजी अभाव का निम्न स्पर्धा हो जायगी और इस स्पर्धा में ध्याज-दर कम हो जायगा । अतः ध्याज दर और पूँजी संचय का पारस्परिक सम्बन्ध साधारण रूप में निम्न प्रकार है —

ध्याज-दर को दृष्टिकोण से

१—ध्याज दर बढ़ने से पूँजी की पूर्ति बढ़ती है ।

२—ध्याज दर कम घटने से पूँजी की पूर्ति घटती है ।



पूँजी की पूर्ति के दृष्टिकोण से

३—पूँजी की पूर्ति कम होने से ब्याज दर अधिक हो जाती है ।

४—पूँजी की पूर्ति अधिक होने से ब्याज-दर कम हो जाती है ।

भारत सरकार को एक कृषक, एक व्यापारी या एक संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी आदि की अपेक्षा कम ब्याज-दर पर ऋण प्राप्त होने के कारण—  
(१) भारत सरकार की साम एक कृषक, एक व्यापारी या एक संयुक्त पूँजी वाली कम्पनी से कहीं अधिक मुद्रा है। इसलिये इनकी अपेक्षा उसे कम ब्याज-दर पर रुपया उधार मिल जाता है। ऋण देने वाले की मास का ब्याज दर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। जितनी अधिक उतम साख होगी उतनी ही कम ब्याज-दर होगी। एक व्यक्तिगत ऋणी दिवालिया निकास मकता है तथा कम्पनी समाप्त हो सकती है परन्तु देश की सरकार स्थायी होती है और लोगों को उसकी साख और स्वायत्तत्व में पूर्ण विश्वास होता है। सरकार जो रुपया वापिस करती है उसके पीछे केवल एक ही व्यक्ति का हाथ नहीं रहता है बल्कि सम्पूर्ण देश का हाथ रहता है। इसलिये लोग सरकारी सुरक्षा को सबसे अच्छा मानते हैं।

(२) भारत सरकार के ऋण की ब्याज-दर बँक दर (Bank Rate) की भाँति वास्तविक ब्याज का प्रतीक है। इनमें जोखिम, असुविधा प्रबन्ध आदि के पुरस्कार सम्मिलित नहीं होते जैसे कि एक कृषक, एक व्यापारी या एक कम्पनी के ऋण की ब्याज दर में होते हैं। एक कृषक को ऋण देने में इन तत्व से अधिक जोखिम होती है, इसलिये इसे सबसे अधिक ब्याज दर देनी पड़ती है।

(३) इसका एक मनोवैज्ञानिक कारण भी है। लोग सरकार को उधार देने में अधिक मोहव समझते हैं। साधारण लोगों को उधार देना इतना महत्वपूर्ण नहीं समझा जाता। यही कारण है कि सरकार को कम-से-कम ब्याज की दर पर भी अधिक-से-अधिक रुपया उधार मिल जाता है।

अल्पकालीन और दीर्घकालीन ब्याज-दर (Short-period and Long-period Rate of Interest) साधारणतया ऋण की प्रवृत्ति जितनी ही अधिक होगी, ब्याज की दर भी उतनी ही अधिक होगी। इसका कारण स्पष्ट है। दीर्घकालीन ऋण में ऋण-राशि एक लम्बे समय तक फँसी रहती है, इसलिये इसमें अल्पकालीन ऋण की अपेक्षा जोखिम रहती है। अतः, दीर्घकालीन ऋण की ब्याज-दर अल्पकालीन ऋण की अपेक्षा अधिक होती है। यही कारण है कि याचना राशि (Call Money) की जिसे बैंक किसी भी दिन वापस माँग सकता है, सामान्यतया ब्याज-दर बहुत कम यहाँ तक कि कई बार १% से भी कम हो जाती है। यदि ऋणदाताओं को भावी परिस्थितियों के प्रति पूर्ण विश्वास हो, तो दीर्घकालीन ऋण की ब्याज-दर भले ही कम हो सकती है।

अल्पकालीन और दीर्घकालीन ब्याज-दरों में वारसपरिक भिन्नता होती हुये भी इनमें घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है। साधारणतया अल्पकालीन ब्याज-दर जब ऊँची होती है, तब दीर्घकालीन ब्याज-दर भी उसका अनुसरण करती है। वास्तव में, अल्पकालीन ब्याज-दर ही दीर्घकालीन ब्याज-दर की गतिविधि निर्धारित करती है। इसलिये यदि हम दीर्घकालीन ब्याज-दर घटाना चाहें तो हमें पहले अल्पकालीन ब्याज दर को कम करने का प्रयत्न करना होगा।

लगान, आभास लगान और व्याज में सम्बन्ध (Relation between Rent, Quasi-Rent and Interest)—लगान भूमि पर मिलने वाला पुरस्कार है और व्याज पूँजी पर मिलने वाला पुरस्कार है। मशीना में लगी हुई पूँजी पर मिलने वाला लाभ को आभास या अर्द्ध लगान (Quasi-Rent) कहा है। भूमि की भाँति मशीना को हम सुरक्षित धटा-बडा नहीं सकते। इस दृष्टि से यह लगान हुआ। परन्तु कालान्तर में हम इसे पूँजी की भाँति के अनुसार धटा बडा सकते हैं। इस दृष्टि में यह व्याज हुआ। इंग्लिश प्रो० मार्शल ने इसे आभास या अर्द्ध लगान कह कर पुकारा है। प्रो० मार्शल के अनुसार लगान, आभास लगान और व्याज एक ही जाति के विभिन्न भेद हैं।

लगान और व्याज में समानता (Similarity between Rent & Interest)—लगान और व्याज में निम्नलिखित बातें समानता पाई जाती हैं—

- (१) पूँजी मनुष्य कृत होती है। भूमि व ऊपर भी मनुष्य की उपज प्राप्त करने के पूर्व बहुत-सा कार्य करना पड़ता है।
- (२) भूमि की पूर्ण निरिष्य होती है, अतः उसमें न्यूनताभिन्नता सम्भव नहीं है; अतःकाल में पूँजी की पूर्ण भी बहुत कुछ निरिष्य होती है।
- (३) भूमि व समान पूँजी पर भी ब्रह्माण्ड उपरिष्ठा द्वारा नियम लागू होता है।
- (४) लगान की दर (प्रसन्निका लगान दर) जिस प्रकार भूमि की माँग और पूर्ण द्वारा निर्धारित होती है, उसी प्रकार व्याज की दर भी पूँजी की माँग और पूर्ण द्वारा निर्धारित होती है।
- (५) भूमि के अन्दर अपनी स्वयं न नष्ट होने वाली शक्तियाँ नहीं हैं। इसकी उर्वरा शक्ति की इसी प्रकार बढ़ाना पड़ता है जिस प्रकार कि पूँजी आदि की पूर्ण का बढ़ाना पड़ता है।

इन्हीं सब बातों के कारण भूमि से प्राप्त हान धान लगान तथा पूँजी से प्राप्त हान धान व्याज में कोई अन्तर नहीं करना चाहिये। किसी भू भाग का मूल्य लगान द्वारा उसी प्रकार निकाला जाता है जिस प्रकार कि किसी पूँजीगत वस्तु का मूल्य उभय प्राप्त होने वाली धाय से निरिष्य किया जाता है।

लगान और पूँजी उपरिष्ठा याना में समानता रखने द्वारा भी बड़ बातों में यह एक दूसरे से भिन्नता रखते हैं।

### लगान और व्याज में भिन्नता

#### (Difference between Rent & Interest)

लगान (Rent)	व्याज (Interest)
१ यह भूमि पर मिलता है।	१ यह पूँजी पर मिलता है।
२. भूमि प्रकृति की देन है	२. पूँजी मनुष्य व परिश्रम का
तथा इस आवश्यकतानुसार धटा बडा नहीं मवत।	पत है और इस आवश्यकतानुसार धटा बडा सकत है।

३. यह सामाजिक उत्पत्ति और जनसंख्या की वृद्धि के साथ बढ़ता है।

४. भूमि की उर्वरशक्ति और स्थिति के अनुसार लगान में बड़ी भिन्नता पाई जाती है।

५. लगान निर्धारण में लगान हीन भूमि होती है।

६. उपज के मूल्य का लगान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता क्योंकि यह लगान हीन भूमि द्वारा निर्धारित होता है जिसमें कोई लगान सम्मिलित नहीं होता है।

७. लगान बढ़ाने में भूमि नहीं बढ़ सकती।

३. यह सामाजिक उत्पत्ति और जनसंख्या की वृद्धि के अनुसार बढ़ता है।

४. व्याज की सर्वांग एकात्मता होने की प्रवृत्ति होती है। केवल कुल व्याज में ही भिन्नता पाई जाती है।

५. व्याज निर्धारण में कोई व्याज हीन पूँजी नहीं होती है।

६. उत्पादित वस्तुओं के मूल्य पर व्याज का गहरा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि व्याज हीन पूँजी कोई नहीं होती है। पूँजी की सीमान्त उत्पादकता में व्याज सम्मिलित होता है।

७. व्याज की वृद्धि से पूँजी बढ़ती है।

समाजवादी राज्य में व्याज (Interest in a Socialist State) — एक समाजवादी राज्य में जहाँ उत्पत्ति के समस्त साधनों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है, व्याज नहीं होगा। जब तक व्यक्तिगत सम्पत्ति रहेगी व्याज पर कबया उधार लेना और देना चलता रहेगा। अतः केवल पूँजीवाद के उन्मूलन से ही व्याज दर का तोष नहीं हो सकता। व्याज की समाप्ति के लिये व्यक्तिगत या निजी सम्पत्ति का अन्त होना आवश्यक है।

कृपि समाजवादियों ने व्याज की घोर निन्दा की है परन्तु समाजवादी राज्य में भी व्याज होता है। जब समाजवादी राज्य के व्यापार एवं उद्योगों की भाव उसकी समस्त योजनाओं का अर्थ प्रबन्ध करने के लिये पर्याप्त नहीं होती है तो उसे मुद्रा बाजार से ऋण लेना पड़ता है जिसके लिये व्याज देना पड़ता है। पूँजी की पर्याप्त पूर्ति उपलब्ध होने के लिये व्याज का प्रलोभन अभीष्ट है। इसके अतिरिक्त पूँजी कहाँ ललाई जाय यह पूँजी की भाव पर जो व्याज के रूप में होता है निर्भर होगा है। जिस अवस्थिति में अर्थ अर्थिक होशो उमये ही पूँजी अधिक ललाई जायगी। अतः समाजवादी राज्य में भी व्याज का अस्तित्व पाया जाता है।

### अभ्यासायं प्रश्न

#### इष्टर आर्टम परीक्षाएं

- १—कुल मूद और वास्तविक मूद में क्या अन्तर है? भारतीय दृष्टि द्वारा ही ज्ञान वाणी मूद की दर क्या इतनी ऊँची है?
- २—व्याज की परिभाषा लिखिये। यह कैसे निर्धारित होता है? विभिन्न ऋण लेने वाला के लिये व्याज दर भिन्न होती है?

- ३—व्याज कौसे निर्धारित होनी है ? ग्रामो में व्याज की दर अधिक होने के क्या कारण है ?
- ४—पूँजी की गतिशीलता का क्या अर्थ है ? भारत में पूँजी की गतिशीलता में क्या बाधाएँ आती हैं ? इन्हे दूर करने के उपाय भी बताइयें ।
- ५—व्याज किसे कहते हैं ? यह समझाइये कि व्याज की दर कौसे निर्धारित होती है ?  
(रा० वो० १६५७)
- ६—कुल और विगुद्ध व्याज पर नोट लिखियें ।  
(सागर १६५१, ५० ; अ० वो० १६४३)
- ७—“एक ध्यापाने ६ प्रतिशत पर रुपया उधार लेता है, जबकि एक सिमाल को १२ प्रतिशत व्याज दर देनी होती है, किन्तु अग्निक को २० प्रतिशत पर भी रुपया उधार नहीं मिलता ।” व्याज-दर में इतनी भिन्नता के क्या कारण हैं ?  
(अ० भा० १६५३)
- ८—भारतीय गाँवों में महाजन ऊँची व्याज-दर क्यों लेते हैं ? व्याज-दर कौसे घटाई जा सकती है ?  
(सागर १६५२)
- ९—राष्ट्रीय पूँजी और व्याज-दर का सम्बन्ध स्पष्ट कीजिये ।  
(नागपुर १६५१)
- १०—कुल और विगुद्ध व्याज का अन्तर समझाइयें । यदि व्याज दर शून्य हो जावे तो क्या वचाने की प्रवृत्ति पूर्णतः समाप्त हो जावेगी ?  
(पटना १६५६)
- ११—कुल और विगुद्ध व्याज का अन्तर बताइयें । क्या व्याज की अदायगी उचित है ?  
(दिल्ली हा० में १६५०)
- इष्टर एग्जीक्यूटिव परीक्षाएँ
- १२—आर्माएँ क्षेत्रों में व्याज दर कौसे निर्धारित होती है ? जब व्याज-दर बहुत ऊँची होती है, तो उनके क्या कारण होते हैं ?
- १३—टिपणियाँ लिखिये :—  
कुल और विगुद्ध व्याज

लाभ का अर्थ (Meaning of Profit)—आधुनिक उत्पादन-क्रिया उत्पत्ति के विविध मापनों द्वारा सामूहिक रूप में सम्पन्न की जाती है और प्रत्येक मापन अपने विनिष्ट कार्य के लिये पुरस्कार पाता है। आधुनिक विशाल उत्पादन-व्यवस्था में हानि-लाभ की जोखिम (Risk) उठाना एक महत्वपूर्ण कार्य समझा जाता है। जो उत्पत्ति का साधन इन महान् कार्य को सम्पन्न करने का साहस करता है वह साहसी (Enterpriser or Entrepreneur) कहलाता है और जो पुरस्कार उसे इस जोखिम के उठाने के बदले में मिलता है उसे लाभ (Profit) कहते हैं। अस्तु, लाभ साहस का पुरस्कार है। साहसी का उत्पादन-कार्य करने में जो बचत होती है, उस लाभ कहते हैं। जिस प्रकार भूमि के लिये भूस्वामी लगान, श्रम के लिये श्रमिक मजदूरी, पूँजी के लिये पूँजीपति व्याज और सगठन कर्ता वेतन पाते हैं, उसी प्रकार साहस के लिये साहसी को लाभ प्राप्त होता है।

साधारण बोनचाल की भाषा में हिमी व्यवसाय की आय में ग उनके सारे व्ययों को निकालने के पश्चात् जो कुछ मालिक के लिये बचता है, वह लाभ कहलाता है। इस प्रकार साधारण बोनचाल में लाभ एक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। परन्तु सर्वसाधारण अर्थ में राष्ट्रीय आय में वे साहसी को प्राप्त होने वाला लाभ कहलाता है। अतः साधारण बोनचाल की भाषा में प्रयुक्त होने वाले लाभ को तुल्य लाभ और अर्थशास्त्र में प्रयुक्त होने वाले लाभ को वास्तविक या शुद्ध लाभ कहते हैं।

लाभ की परिभाषा (Definition of Profit)—लाभ साहसी के उस पुरस्कार को कहते हैं जो उसे उत्पादन-क्रिया में जोखिम उठाने के बदले में प्राप्त होता है। इसे यों भी परिभाषित कर सकते हैं : राष्ट्रीय आय या लाभांश का वह भाग जो साहसियों को दिया जाता है, लाभ कहलाता है।<sup>1</sup> प्रो० टॉमस (Thomas) के अनुसार लाभ साहसी का पुरस्कार है।<sup>2</sup>

लाभ एक अवशिष्ट भाग है (Profit is a Residuum)—साहसी उत्पादन कार्य का संचालन करता है। वह कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ही उत्पादन की

1—Profit may be defined as "the share of the national dividend accruing to the entrepreneur is known as profit"

2—"Profit is the reward of the entrepreneur"

S. E. Thomas 'Elements of Economic', p. 289.

माना जाय, भविष्य की किसी प्राप्ति नारी बात का अनुमान करके उत्पत्ति के चार साधना (भूमि, श्रम, पूँजी और सगठन) में प्रसविदा (Contracts) करता है और फिर इन प्रसविदा न अनुसार उन साधना को उनका भाग उत्पादन में देता है। येय का बचता है वह उनका लाभ होता है। इसी कारण लाभ को एव अचिष्ट भाग कहते हैं।

अब यह स्पष्ट है कि राष्ट्रीय आय न प्रथम—चार दावदार (Claimants) अर्थात् भू-स्वामी, श्रमिक, पूँजापति और सगठनकर्ता—प्रसविदा (इकरार) द्वारा निश्चित रूप से ही हुई आय व अचिष्टारी हल है, परन्तु साहसी स्वय एव प्रसविदा रहित (गर इकरारों) आय का भागी होता है। इस प्रकार यदि प्रथम चार उत्पत्ति के साधना का उनका प्रसविदा के अनुसार निश्चित राशि चुकान व पश्चात् कुछ भेष नहीं बचता है, तो साहसी का हानि उठाना पड़ती है। इसलिये यह कहा जा सकता है कि साहसी की अन्य उत्पत्ति व माना की भोगि बाई निश्चित आय नहीं होती है।

लाभ एक अतिरिक्त आय है (Profit is a Surplus Income)—एक साहसी या उद्योगपति की अतिरिक्त आय को लाभ कहते हैं। उदाहरणार्थ, मान लीजिये एव उद्योगपति न बीस हजार रुपय लगाकर नाउ व्यवसाय किया और एव रूप व पश्चात् उसका पाम बीस हजार रुपय अर्थात् चार हजार रुपय बच गये। यह चार हजार रुपय की अतिरिक्त आय उसका लाभ कहलायगी।

लाभ साहस का पुरस्कार (Profit is the reward for enterprise)—आधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में जातिम उद्योग का नाम उत्पत्ति का एक आवश्यक अङ्ग माना जाता है। प्रत्येक कारखाने में किसी वस्तु की उत्पत्ति उस वस्तु की अनुपातिक भाग के आधार पर की जाती है। यह अनुमान मदा यवार्थ मिष्ट हू एव निश्चित नहीं रहता। अब यह स्पष्ट है कि यदि उत्पादन वस्तु का अनुपातिक भाग गलत निकल जान के कारण उसकी पूर्ण रूप में खपन न हो सके तो साहसी का हानि उठानी पड़गी। इसके विपरीत यदि उत्पादन-वस्तु नैपार हान हो ऊँचे मूल्य पर निकल जाय, तो साहसी का निश्चित रूप में लाभ होगा। यह लाभ जातिम उद्योग का पुरस्कार है और साहसी जातिम उद्योग का नाम देकर पूर्ण अर्थवागी भी है। यह व्यवसाय व प्रारम्भ में ही उत्पत्ति व आय साधना व पुरस्कार तथा अन्यथा व्याप का वाचित प्रपन उद्योग ल बना है तथा इन माध्यम में उत्पादन वस्तु व विकने व पूर्व ही पचात घन संच वर देना है। एकी परिस्थिति में यदि उद्योग लाभ न मिले तो एक भाषण बुराया और एक गहान् अन्वय हो सकता है। परन्तु इनका कुछ उपचार नहीं हो सकता। जातिम उद्योग निम्न हानि-नाश दाना ही सम्भावनाया का गवाच है, साहसी का एक विनिष्ट कार्य है। यही उद्योग पुरस्कार का मूल आधार है।

लाभ की उत्पत्ति के कारण (Causes of existence of Profit)—वर्तमान युग में औद्योगिक व्यवस्था इस प्रकार की है कि साहसी या उद्योगपति को किसी वस्तु का उत्पादन प्रारम्भ करने व पूर्व ही उस वस्तु का माग या खपन का अनुमान बचाना पड़ता है। त्रिम वना ज्ञातिम है। साहसी यह अनुमान बचाना है कि अमुक वस्तु का उत्पादन में कितना व्यय होगा और उसकी कितनी आय टापी तथा अन्त में कितनी वचन हो सकेगी। इस प्रकार बचन अनुमान व आधार पर ही उत्पत्ति की जाती है। परन्तु भविष्य की भवि मदा अनिश्चित रहती है। सम्भव है कि

व्यवसाय के असफल हो जाने, फँसान में परिवर्तन हो जाने या मॉन वा घनत्व अनुमान निकल जाने आदिवा यथासाध्य पूँजी न मिलने या पूँजी का दुरुपयोग हो जाने व यह आर्थिक एक औद्योगिक मन्डल में पड़ जावे। यह भी सम्भव हो सकता है कि देश में राजनीतिक उथल-पुथल मच जाय, धार्मिक हड़ताल करके प्रयत्न भूकम्प, बाढ़, दुर्भिक्ष व अग्निबाढ़ आदि दैवी प्रकोपों के कारण उत्पत्ति का क्रम ही मंद हो जाय। ऐसी परिस्थितियों में साहसी वा प्रागल्भिया का सामना करना पड़ेगा। उत्पादन के अन्य साधनों को पुरस्कार सामान्यतया उत्पादन से पहले ही मिल जाता है। साहसी को तो इनाम के शीर पर वह मिलेगा जो बुद्ध उत्पादन के साधनों को देने के पश्चात् वच रहेगा। उसके लिये कितना तबेगा, यह उसकी योग्यता पर निर्भर है। इन सब दायित्वों को निभाने के लिये बुद्धिमान एवं चतुर व्यक्ति चाहिये और ऐसी प्रतिभा वाला व्यक्ति नभो मिल सकता है जबकि उसे इन सब ज़ोतियों को भेदने के लिये पर्याप्त पुरस्कार द्वारा प्रेरणा मिल सके। अस्तु, प्राधुनिक औद्योगिक पद्धति में लाभ के अस्तित्व की अनिवार्यता सिद्ध होती है। अल्पकाल में भले ही उसे हानि की सम्भावना दिखाई पड़े, परन्तु दीर्घकाल में उसे निश्चय रूप में लाभ मिलना चाहिये। यदि ऐसा न हो तो साहस की पूर्ति (supply) नहीं हो सकती।

(२) साहसिकता की औद्योगिक एवं धार्मिक पद्धति से व्यवहारिक ज्ञान, अनुभव, प्रवृत्त कुशलता उत्तरदायित्व और औद्योगिक मन के नियन्त्रण और निरीक्षण आदि कार्यों में साहसी की और में उत्पादन में बड़ा मह्योग्य मितता है जिसके लिये उसे आवश्यक पुरस्कार मिलना चाहिये।

लाभ के भेद (Kinds of Profit)—लाभ दो प्रकार का होता है—(१) वास्तविक लाभ, और (२) कुल लाभ।

(१) वास्तविक लाभ (Real or Net Profit)—साहसी को उत्पादन-क्रिया में जोखिम उठाने के उपलक्ष में जो पुरस्कार मिलता है, उसे वास्तविक लाभ कहते हैं। इसमें अन्य किसी प्रकार के पुरस्कार सम्मिलित नहीं होते हैं, इसलिये इसे शुद्ध लाभ (Net Profit) भी कहते हैं। अर्थशास्त्रीय प्रथम में इसे आर्थिक लाभ (Economic Profit) भी कहते हैं। वास्तविक या शुद्ध लाभ दो प्रधान कार्यों का पुरस्कार होता है—

(अ) जोखिम उठाने का पुरस्कार (Reward for Risk-taking)—प्राधुनिक औद्योगिक व्यवस्था में जोखिम उठाना उत्पत्ति का एक आवश्यक अंग माना जाता है, क्योंकि इस व्यवस्था में उत्पत्ति उपभोग के अनुमान में आधार पर की जाती है। इसलिये यदि साहसी का अनुमान सही नहीं निकलता है तो उसे हानि उठानी पड़ती है, और यदि सही निकलता है तो उसे लाभ होता है। उत्पत्ति के अन्य साधनों का पुरस्कार प्रायः निश्चित होता है और वह उत्पादन में पहले ही मिल जाता है। परन्तु साहसी को तो अन्त में जो कुछ उत्पत्ति ने साधना को वाँटने के पश्चात् वच रहता है, मिलता है। उद्योग लिये कितना तबेगा, यह अनिश्चित होता है। अस्तु, जो पुरस्कार साहसी को जोखिम उठाने के बदले में मिलता है वह उसका वास्तविक वा शुद्ध लाभ कहलाता है। इस सम्बन्ध में हैनरी क्ले (Henry Clay) के शब्द उल्लेखनीय हैं। यह बात कि व्यापार के स्वामी ही मुख्य जोखिम को भेदते हैं हमें तब

स्पष्ट होती है जबकि हम यह स्मरण रख कि वे वस्तु के तैयार होने के पूर्व ही बहुधा वस्तु के मूल्य का पता लगने के पहले ही, अथ, पूँजी और भूमि को पुरस्कार दे देते हैं, और यदि निश्चित वस्तु की मांग न रहे और वह विक्रय न पावे तो उसके उत्पादन में मजदूरी, व्याज और लगान के रूप में व्यय की गई राशि वे पुनः प्राप्त नहीं कर सकते।<sup>1</sup>

(आ) सौदा या भाव-ताव करने की चतुरता का पुरस्कार (Reward of bargaining skill)—साहसी उत्पत्ति के विविध साधनों को जुटाकर उत्पादन प्रारम्भ करता है। वह प्रत्येक में प्रयत्न करता है कि प्रयत्न का प्रयत्न न करता है कि उसे कम से कम पुरस्कार देना पड़े। वह उसकी सौदा या भाव-ताव करने की योग्यता एवं चतुरता पर निर्भर है कि वह कितने धन में भूमि एवं कितनी मजदूरी पर धनिका को रख कितना कम व्याज पर पूँजी इकट्ठी करे और कितने कम वेतन पर कुशल संगठनकर्ता या प्रबंधक को रखे। भाव-ताव करने की जितनी अधिक योग्यता साहसी में होगी उतना अधिक उसे लाभ होगा। कारवर (Carver) के शब्दों में एक व्यापारी आवश्यक रूप से विविध अर्थ में साहसी कहलाता है। साहसी वह है जो जोखिम का दायित्व स्वीकार करता है। इस जोखिम उठाने के परिणामों सहित उस व्यापारी को एक विविध आय का निमाण करता है जो सिवाय जोखिम उठाने वाले के किसी दूसरे का कदापि प्राप्त नहीं होती है।<sup>2</sup>

माराग यह है कि जोखिम उठाने और भाव-ताव करने की चतुरता के उपलक्ष्य में जो पुरस्कार साहसी को प्राप्त होता है वह उसका दाम्बिक लाभ कहलाता है।

1— That it is the owners of business who take the chief risks is clear when we remember that they have paid for the labour, capital and land before the commodity is finished often before its price can be found and if the Commodity when made is not wanted and cannot be sold they cannot recover wages interest and rent expended in the production of it

—Henry Clay *Economics for General Reader* p 337

2— The businessman is essentially an enterprise an enterpreneur as he is sometime called Both terms signify one who undertakes or assume risks It is the reward of the special function which together with the result of superior bargaining constitutes the peculiar income of the businessman such an income as is never earned by anyone except a businessman who undertakes risk

—Carver *Distribution of Wealth* pp 296 297



वास्तविक लाभ पर विभिन्न विद्वानों की विचार धाराएँ—अमेरिकन अर्थशास्त्रियों ने वास्तविक लाभ को जोखिम उठाने और भाव-भाव करने की योग्यता का पुरस्कार बताया है। पुराने अर्थशास्त्री वास्तविक लाभ में उस पूँजी को भाग भी सम्मिलित करते थे जो साहसी धन लगाता है। उस समय के अनुसार यह विचार-धारा सम्भवतः ठीक ही सनती थी, क्योंकि उस समय उद्योग घटते इनमें नहीं थे जिससे साहसी ही सम्पूर्ण पूँजी लगाना था। परन्तु अब परिस्थिति बदल गई है। आधुनिक औद्योगिक विद्यात् व्यवस्था में बड़े कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है, इनमें वे कार्य दो विभिन्न व्यक्तियों द्वारा सम्पन्न किए जाते हैं। अमेरिकन अर्थशास्त्री बर्कर ने पहले पूँजीपति और साहसी के कार्यों में अन्तर किया था जो आज सबको मान्य है।

मार्शल और उनके अन्य अनुयायी अमेरिकी अर्थशास्त्री वास्तविक लाभ में संगठनकर्ता का पुरस्कार भी सम्मिलित करते हैं, क्योंकि उनके अनुसार साहसी संगठनकर्ता का भी काम करना है। परन्तु यह विचारधारा आजकल मान्य नहीं है। आजकल हम क्या देखते हैं कि एक समुक्त पूँजी वाली सम्पत्ती का संगठन-कार्य बतल भोगी प्रबन्धक करने हैं न कि असाधारण जा उनके वास्तविक स्वामी हैं। अतः, यह आवश्यक है कि हम संगठन और मास्म को दो वृषक-वृषक उत्पत्ति के साधन मानें।

(२) कुल लाभ (Gross Profit)—कुल लाभ वह लाभ है जिसमें वास्तविक लागू अर्थात् जोखिम उठाने और भाव-भाव करने की योग्यता के पुरस्कार के अनिश्चित साहसी द्वारा सम्पन्न अन्य सहायकों के पुरस्कार भी सम्मिलित होने हैं। कुल लाभ में जो-जो भेजाएँ सम्मिलित होते हैं उनका अर्थान्तां वे क्या जाता है:—

कुल लाभ के अंग (Constituents of Gross Profit)—कुल लाभ के निम्नलिखित अंग होने हैं:—

(१) स्वयं साहसी द्वारा प्रदान उत्पत्ति के साधनों का पुरस्कार (Reward of the factors of production supplied by the Entrepreneur himself)—ई बार और विशेष कर अधिकतम औद्योगिक एवं आर्थिक प्रवृत्तियों में साहसी जोखिम उठाने के अनिश्चित उत्पत्ति के अन्य साधन भी अपने पाग-में लगाने देता है, जिन्हें उनका पुरस्कार बाहर के शक्तियों का न देकर स्वयं ले लेता है। साहसी अपने प्रदान साधनों का पुरस्कार अलग में पहले नहीं लेता बल्कि बाद में एक साथ लेता है और इन प्रकार यह कुल लाभ में सम्मिलित हो जाता है। ये पुरस्कार निम्नलिखित हो सकते हैं:—

(क) भूमि का लगान —यदि साहसी ने उपादन में अपनी निजी भूमि का उपयोग किया है, तो उनका पुरस्कार अर्थात् लगान कुल लाभ में में घटा देना चाहिये। (ख) श्रम की मजदूरी—कर्मियों को साहसी स्वयं एक श्रमिक की भाँति अपने कारखाने में काम करता है, तो उनका पुरस्कार अर्थात् मजदूरी कुल लाभ में में घटा देना चाहिये। साहसी किस प्रकार एक श्रमिक की भाँति अपने कारखाने में काम कर सकता है यह भारतीय दृष्टि-साहसा के कार्य में नहीं-भाँति जाना जा सकता है। (ग) पूँजी पर व्याज—आय: साहसी द्वारा लेने पूँजी इन्होंने करने के

लिये विश्वास पैदा करना चाहता है, इसलिये थोड़ी बहुत पूँजी अपने पास से भी लगाता है। इस लगाई हुई निजी पूँजी का व्याज उसका कुल लाभ का भाग हो जाता है। अतः वास्तविक लाभ मातृम करने के लिये इस व्याज को भी कुल लाभ में से कम कर देना चाहिये। (घ) संगठन के लिए वेतन—यदि साहसी संगठन या प्रबन्ध कार्य भी करता है, तो इस कार्य का पुरस्कार अर्थात् वेतन वास्तविक लाभ मातृम करने के लिये कुल लाभ में से घटा देना चाहिये।

(२) सरला व्यय (Maintenance Charges)—तरफा व्यय में मुख्यतः दो प्रकार के व्यय सम्मिलित होते हैं—(क) घिसाई कोष (Depreciation Fund) प्रत्येक उत्पादन यन्त्र एक निश्चित अवधि तक ही भली प्रकार कार्य कर सकता है। उसके पश्चात् वह बेकार हो जाता है जिसके कारण उसका प्रतिस्थापन (Replacement) आवश्यक हो जाता है। इसका लिये एक कोष स्थापित किया जाता है जिसे घिसाई कोष (Depreciation Fund) कहते हैं। इसमें प्रति वर्ष कुछ राशि जमा करदी जाती है जिससे अग्रेष्ठ समय पर प्रतिस्थापन के लिये राशि उपलब्ध हो जाती है। उदाहरणार्थ, मान लीजिये एक यन्त्र का अनुमानित कार्यकाल १० वर्ष है, और उसका मूल्य बीस हजार रुपया है। तो घिसावट कोष में  $\frac{२०,०००}{१०} = २,०००$  रुपया प्रति वर्ष जमा किया जायगा। जिसमें सब

निरवैक हो जाने पर इनके प्रतिस्थापन के लिये अग्रेष्ठ राशि सुगमता से उपलब्ध हो सके। अतः वास्तविक लाभ जान करने के लिये घिसाई व्यय की राशि को कुल लाभ में से घटा देना चाहिये। (ख) बीमा व्यय (Insurance Charges)—अनेक आकस्मिक दुष्घटनाएँ जैसे आग, चोरी आदि से बचन के लिये सनक एवं दूरदर्शी साहसी या उद्योगपति आकस्मिक प्राय बीमा करत है। बीमा के लिये प्रति वर्ष जो प्रीमियम दिया जाता है वह कुल लाभ का घस है। अतः वास्तविक लाभ मातृम करने के लिये कुल लाभ में से बीमा व्यय घटा देना चाहिये।

(३) अव्यक्तिगत लाभ (Extra Personal Gains)—अव्यक्तिगत लाभ दो प्रकार के होते हैं—(क) एकाधिकार लाभ (Monopoly Gains)—कभी कभी साहसी को वस्तु की प्रति पर एकाधिकार प्राप्त हो जाता है। बाजार में वह अकेला ही विक्रेता होता है जिसका कारण वह अपनी वस्तु के लिये अधिक मूल्य वसूल करने में सफल हो जाता है। यह अनिश्चित लाभ जोखिम का पुरस्कार न होकर उसकी विशिष्ट स्थिति का पुरस्कार होता है। अतः इसकी वास्तविक लाभ में गणना न कर कुल लाभ में करनी चाहिए। (ख) आकस्मिक लाभ (Chance Gains)—कभी कभी परिस्थिति के आकस्मिक अनुकूल परिवर्तन में साहसी का अनपेक्षित ही लाभ प्राप्त हो जाता है। उदाहरणार्थ, गन्त महामुद्रक में वस्तुओं में भाव बढ़त बढ़ गये थे जिसमें उन व्यापारियों को जिनके पास वस्तुओं का स्टॉक था बड़ा लाभ हुआ। इसी प्रकार दिवार के भूकम्प के समय चीनी का बहुत सारा भावने बढ़ हो गये थे जिसमें चीनी के व्यापारियों को अत्यधिक अनपेक्षित लाभ हुआ। इस प्रकार का अनिश्चित लाभ कुल लाभ में घस है न कि वास्तविक लाभ का।

अतः वास्तविक लाभ जान करने के लिये कुल लाभ में से एकाधिकार लाभ एवं आकस्मिक लाभ घटा देना चाहिये।


(४) वास्तविक लाभ ( Net or Pure Profit )—यदि कुल लाभ में से साहसी द्वारा प्रदत्त साधना का पुरस्कार सरक्ष व्यय एवं सम्पत्तिगत सामों को घटा दिया जाय, तो बचा हुआ वास्तविक या शुद्ध लाभ होगा। अतः वास्तविक लाभ भी कुल लाभ का अंश होता है। वास्तविक लाभ मुख्यतः दो प्रधान कर्तव्यों का पुरस्कार होता है—(क) जोखिम उठाने का पुरस्कार ( Reward for Risk taking function )—साहसी भावी मूल्य और मांग की मात्रा का अनुमान लगाकर उत्पादन प्रारम्भ करना है। यदि उमका अनुमान गलत होता है तो उसे हानि उठानी पड़ती है। यही जोखिम वह भेदना है। अतः इसका पुरस्कार वास्तविक लाभ कहलाता है।

(ख) भाव-ताव करने की चतुरता का पुरस्कार ( Reward for Bargaining skill )—उत्पादन के विभिन्न साधकों से प्रयत्न करते समय साहसी यह प्रयत्न करता है कि वह उनकी शायों सस्ती स सस्ती खरीदे। यदि वह सौदा या भाव-ताव करने में चतुर है तो उसे अधिक लाभ बंधेगा। इस प्रकार प्राप्त पुरस्कार वास्तविक लाभ का अंश होता है।



अतः जोखिम उठाने और भाव-ताव करने की चतुरता के पुरस्कार वास्तविक लाभ के अंतर्गत आते हैं। स्वयं वास्तविक लाभ कुल लाभ का अंश होता है।

कुल लाभ का रेखाचित्रण—कुल लाभ को हम एक रेखाचित्र द्वारा निम्न प्रकार अंकित कर सकते हैं—



## लाभ का निर्धारण

(Determination of Profit)

लाभ—निर्धारण के सम्बन्ध में अर्थशास्त्रियों में बड़ा मतभेद है जिसके कारण लाभ-निर्धारण के बहुत से विद्वान्त प्रस्तावित किये गये, जैसे लाभ का लगान सिद्धान्त, लाभ का मजदूरी सिद्धान्त, लाभ का सीमान्त उत्पादकता सिद्धान्त आदि; परन्तु ये लाभ-निर्धारण के विषय को उचित प्रकार से नहीं समझा सकने के कारण त्याग दिये गये।

लाभ निर्धारण का प्रचलित सिद्धान्त (Current Theory of Profit)

—लाभ साहसी के जोखिम उठाने का पुरस्कार है। कुछ साहसी अधिक चतुर और योग्य होने हैं और कुछ कम। जो साहसी अधिक चतुर और योग्य होते हैं वे जोखिम बड़ी सुगमता से भेजते हैं। उनमें इतनी बुद्धि और योग्यता होती है कि वे शक्य में होने वाले परिवर्तनों का ठीक ठीक अनुमान लगा लेते हैं जिससे उन्हें हानि की कम सम्भावना होती है। इसके विपरीत, अयोग्य साहसियों का भागी अनुमान ठीक नहीं निकलने में उन्हें हानि की आशंका रहती है। प्रो० वाकर के अनुसार जिस प्रकार भूमि के विभिन्न टुकड़ों की उर्वरा-शक्ति में भिन्नता के कारण उनका उपज होता है, इसी प्रकार अब साहसियों में समान योग्यता नहीं होने के कारण उनको लाभ प्राप्त होता है। कुछ साहसी तो बड़े चतुर होते हैं और उन्हें बहुत अधिक लाभ प्राप्त होता है। इसके विपरीत कुछ साहसी ऐसे होते हैं जिनको केवल इतना ही लाभ होता है जिससे कि वे व्यापार में बने रहें, अर्थात् जिनको शायद उनके व्यय (जिसमें सामान्य लाभ सम्मिलित होता है) के बराबर ही होती है। ऐसे निष्कृष्ट व्यापारियों को सीमान्त साहसी (Marginal Entrepreneurs) और इनसे अधिक योग्यता एवं दक्षता वाले अल्लुष्ट व्यापारियों को अधि-सीमान्त साहसी (Super-marginal Entrepreneurs) कह सकते हैं। प्रो० वाकर ने लाभ की लगान से तुलना करते हुए यह बताया कि अल्लुष्ट भूमि की भाँति अल्लुष्ट साहसी भी लगान कमाले हैं, और जैसे कि लगानहीन या सीमान्त भूमि होती है वैसे ही लाभहीन या सीमान्त साहसी भी होता है जिसे केवल व्यवस्था का पारिधमिक ही मिलता है। जैसे-जैसे साहसी की योग्यता, दूरदर्शिता और साहस अधिक होता जाता है, वैसे-ही वैसे लाभ के रूप में उनका पुरस्कार भी बढ़ता जाता है। अन्य शब्दों में, सीमान्त साहसी की अपेक्षा जो साहसी जितना ही अधिक योग्य एवं दक्ष होगा, उनको उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा।

सामान्य लाभ (Normal Profit)—प्रत्येक व्यवसाय में कम-से-कम इतना लाभ तो आवश्यक होता है चाहिये जिसमें कोई भी व्यक्ति जोखिम उठाने का साहस कर सके अथवा कोई भी व्यक्ति यह दायित्व स्वीकार नहीं करेगा। अथवा लभ में यह हानि सह सकता है परन्तु दीर्घकाल में तो उसे जोखिम भेजने और भाग लेने करने का बन्दूक का पुरस्कार अवश्य मिलना ही चाहिये। अतः, ऐसे कम-से-कम लाभ को जो साहसी को जोखिम भेजने के लिये प्रोत्साहित कर सके, सामान्य लाभ (Normal Profit) कहते हैं। सामान्य लाभ में उत्पादन-व्यय (Expenses of Production) भी सम्मिलित होता है। सामान्य लाभ का लाभ-

निर्धारण में बड़ा महत्व है, क्योंकि सीमांत साहसी की मांग (सामान्य लाभ के बराबर ही होती है।

श्रीमती रोबिन्सन ( Mrs Robbinson ) के अनुसार सामान्य लाभ वह है जिसमें प्राप्त होने पर न तो कोई नई फर्म उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश करती है और न कोई पुरानी फर्म अपना उत्पादन ही बन्द करती है। इसमें कम लाभ प्राप्त होने पर कुछ फर्म उत्पादन बन्द कर देती हैं तथा इसमें अधिक लाभ प्राप्त होने पर नई फर्मों को उत्पादन करने का प्रोत्साहन मिलता है जिसमें उत्पादकों की संख्या बढ़ जाती है प्रो० मार्शल के अनुसार सामान्य लाभ प्रतिनिधि फर्म ( Representative firm ) का लाभ है। इस प्रतिनिधि फर्म का अफकार न घटता है और न बढ़ता है बल्कि समुचित रहता है।

सामान्य लाभ का निर्धारण—यह साहस की मांग और उसकी पूर्ति पर निर्भर होता है। यदि मांग पूर्ति से अधिक हुई, तो सामान्य लाभ की दर ऊँची होगी और विपरीत प्रवृत्ति में परिणाम विपरीत होगा। किसी निशिष्ट समय सामान्य लाभ की दर वह समुत्तन बिन्दु (Equilibrium Point) होता है जिस पर कि साहस की मांग और पूर्ति परस्पर बराबर होती है।

सामान्य लाभ की भिन्नता के कारण—सामान्य लाभ किन्ती व्यवस्था में कम और किसी में अधिक होता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं—(१) उद्योग-धर्मों की जोखिम की स्थिति। (२) उद्योग धर्मों की व्यवस्था और उसकी वृद्धि। (३) उद्योग धर्मों की व्यवस्था तथा उनके प्रवृत्ति के विभिन्न योग्यता की आवश्यकता।

अतिरिक्त लाभ ( Surplus profit )—सामान्य लाभ में ऊपर होने वाले लाभ को अतिरिक्त लाभ कहते हैं। आर्थिक विज्ञान के कल्पवृक्ष अधिक साहसी उत्पादन क्षेत्र में प्रवेश करते हैं जिसमें अतिरिक्त लाभ की मात्रा कम होती जाती है।

लाभ योग्यता का लगान है ( Profit is Rent of Ability )—प्रो० वॉकर ने लाभ को योग्यता का लगान कहा है। उन्होंने यह बताया कि जिस प्रकार भूमि के विभिन्न भागों की उर्वरा क्षमि में भिन्नता के कारण लगान उत्पन्न होता है, उसी प्रकार साहसियों की योग्यता में भिन्नता के कारण लाभ प्राप्त होता है। बहुत से साहसी तो बड़ चतुर होते हैं और बहुत अधिक लाभ कमाते हैं। ऐसे साहसियों को अधिक सीमांत साहसी कहा जा सकता है। इससे विपरीत कुछ साहसी कम ही होते हैं जिनको केवल उनके व्यय जितना ही लाभ मिलता है। ऐसे साहसियों को सीमांत साहसी कहा जा सकता है। इन दोनों सीमांतों के बीच के साहसियों की योग्यता में भिन्नता पाई जाती है जिन्हें अनुसार उन्हें लाभ प्राप्त होता है। वॉकर के अनुसार जिन प्रकार लगानहीन भूमि स्वयं निर्दिष्ट करती है उसी प्रकार लाभ भी उस साहसी द्वारा निर्दिष्ट होता है जिन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। उसको केवल प्रवृत्ति का केवल-मात्र ही मिलता है। ऐसे साहसी में जितना भी अधिक योग्य कोई अन्य साहसी होगा उसका उतना ही अधिक लाभ प्राप्त होगा। इस समानता के कारण लाभ योग्यता का लगान कहा जाता है।

**लाभ और मूल्य (Profit and Price)**—जिस प्रकार किसी वस्तु का मूल्य प्रतिनिधि फर्म के लागत-व्यय के अनुसार निर्धारित होता है, उसी प्रकार वस्तु के लागत-व्यय में सामान्य लाभ (Normal Profit) अवश्य सम्मिलित होता है। यदि कोई साहसी विशेष रूप से दक्ष है अथवा उसे एकाधिकार जैसी अन्य सुविधाएँ प्राप्त हैं, तो उसको हम सामान्य लाभ से अधिक लाभ होगा। इससे विपरीत, जो साहसी सोमान्त सहृदयी में भी कम योग्य होते हैं, उन्हें घाटा होता है और वे धन्य को छोड़ बैठते हैं, अतः यह स्पष्ट है कि किसी वस्तु के मूल्य में केवल प्रतिनिधि फर्म का सामान्य लाभ ही सम्मिलित होता है, अधिक नहीं।

**लाभों की भिन्नता के कारण (Causes of Variation in Profits)**—लाभों की भिन्नता का मुख्य कारण माहसियों की योग्यता की भिन्नता है। औद्योगिक या व्यावसायिक योग्यता प्रायः मनुष्य में ईश्वरदत्त गुण होता है, परन्तु यह उचित शिक्षा एवं अनुभव पर भी निर्भर होनी है। प्रायः यह देखा गया है कि कोई साहसी तो सौदा या भाव-नाव करने में दक्ष होते हैं और कोई प्रवण्य कार्य में निपुण पाये जाते हैं। कुछ साहसियों में मनुष्यों को परखने और बच्चे मान को पहचानने की अद्भुत क्षमता होती है तो दूसरों में इसका अभाव पाया जाता है। इससे अतिरिक्त, लाभ की भिन्नता के अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे किसी साहसी के पास उद्योग की अर्थ-व्यवस्था के लिए पर्याप्त पूँजी होती है तो दूसरे के पास इसका अभाव होता है। किसी साहसी को कुछ ऐसे व्यावसायिक भेदों की जानकारी हो सकती है जिसका ज्ञान सम्भवतः उसके प्रतिद्वन्द्वी को न हो। ऐसी परिस्थिति में विशेषज्ञ साहसी विशेष लाभ प्राप्त कर सकेगा। परन्तु सम्यता के विकास और प्रतियोगिता के कारण ऐसे विविध लाभ कम होते जा रहे हैं।

**लाभ की गणना (Calculation of Profit)**—प्रो० मार्शल के अनुसार लाभ की गणना दो प्रकार से की जा सकती है—(१) वार्षिक लाभ, और (२) विक्रय-राशि पर लाभ।

(१) **वार्षिक लाभ (Annual Profit)**—किसी व्यवसाय में लगी हुई कुल पूँजी पर जो वर्ष भर में लाभ होता है उसका कुल पूँजी पर प्रतिगत निकाला जाता है। इसे वार्षिक लाभ की दर कहते हैं। उदाहरणार्थ, यदि किसी व्यवसाय में २०,००० रु० की पूँजी लगी हुई है और उसमें वर्ष भर में २,००० रु० का लाभ हुआ

है, तो उसने वार्षिक लाभ की दर  $\frac{२००० \times १००}{२००००} = १०\%$  हुई है।

(२) **विक्रय राशि पर लाभ (Profit on Turn-over)**—जब तैयार किये हुये माल की विक्री लगी हुई पूँजी के बराबर हो जाती है तो हम उसे पूँजी का एक फेर (Turnover) कहेंगे। वर्ष भर में यदि कुल विक्री पूँजी से चार गुनी हो जाय, तो हम कहेंगे कि पूँजी के चार फेर हुये। जब लाभ की दर वर्ष भर की कुल विक्री की राशि के प्रतिदान के रूप में व्यक्त किया जाता है, तब उसे विक्रय-राशि पर लाभ कहते हैं। ऊपर के उदाहरण में २०,००० रु० की पूँजी पर १०% वार्षिक लाभ होता है। यदि वर्ष में माल लीजिये पूँजी के ऐसे चार फेर हुये अर्थात् कुल विक्री ८०,००० रु० की हुई तो विक्री की राशि पर लाभ की दर २३% हुई। यदि पूँजी के फेर दो ही हुये अर्थात् वर्ष भर में विक्री की राशि केवल ४०,००० रु० की हुई, तो कुल विक्री पर लाभ की दर ५% होगी।

कम लाभ और अधिक बिक्री (Small Profit and Quick Return)—इसका अर्थ उम नीति से है जिससे अनुसार व्यापारी थोड़ा लाभ लेकर अधिक बिक्री करना चाहता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह वस्तुओं को कम मूल्य पर बेचता है जिससे कुल बिक्री में वृद्धि होकर कुल लाभ बढ़ जाता है। इससे विपरीत, यदि वह वस्तुएँ अपिच मूल्य पर बेचता है तो कुल बिक्री में ह्रास होकर कुल लाभ घट जाता है। मस्तु जिन व्यवसायों में पूँजी का फर (Turnover) अधिक होता है वहाँ फेर के लाभ की दर कम होती है। परन्तु कम लाभ होने पर भी मात्र को बेच कर पुन वस्तुएँ खरीद कर इससे और लाभ प्राप्त कर लिया जाता है जिससे कुल लाभ बढ़ जाता है। जैसे मोटा व्यापार में यह प्रवृत्ति देखी जाती है। किन्तु जहाँ मात्र इतनी सीमितता से नहीं बिकती और व्यवसाय में लची हुई रकम बहुत समय पश्चात् मिलती है वहाँ पर पर प्रतिगत लाभ अधिक होता है। फुटकर व्यापार में प्रायः पूँजी का फर इतना अधिक नहीं होता है इसलिये इसमें अधिक लाभ लेकर ही वस्तुएँ बेची जाती हैं। इसी प्रकार मोटर कार, रेडियो आदि वस्तुओं की बिक्री कम होने से पूँजी का फर भी बहुत कम होता है जिससे इन वस्तुओं के व्यापार में लाभ की प्रतिगत दर बहुत ऊँची होती है। इसलिये ये वस्तुएँ प्रायः ऊँचे मूल्य पर ही बिकती हैं।

### सामाजिक उन्नति और लाभ (Social Progress and Profit)

समाज की प्रगतिशील अवस्था में विविध योग्य एवं अनुभवी साहसियों की पत्नी होने के कारण थोड़े-थोड़े दिने मिले साहसी ही अत्यधिक लाभ कमाते हैं। परन्तु ज्यों ज्यों समाज उन्नति करता जाता है त्यों त्यों विविध, योग्य एवं अनुभवी व्यक्तियों की संख्या बढ़ती जाती है। समाज की प्रगतिशील अवस्था में नये-नये आविष्कार होने लगते हैं और बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग बढ़ने लगता है जिससे कारण समाज के अधिक लोगों को आवासायिक ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त होने लगता है। ऐसी दशा में आवासायिक एवं औद्योगिक घोष्यता एवं दक्षता वृद्धि थोड़े से व्यक्तियों की सम्पत्ति न रहकर सब की वस्तु हो जाती है। इस प्रकार के परिवर्तन होने पर अनेक साहसी या उद्योगपति व्यवसाय क्षेत्र में उतर आते हैं जिससे उनमें पारस्परिक प्रतियोगिता बढ़ जाती है। इससे फल स्वरूप आत्मिक एवं समाधारण लाभ कमाने के अवसर कम हो जाते हैं और लाभ की दर घट जाती है। यद्यपि सम्पत्ता के विकास के कारण मनुष्य की नई-नई आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये नये-नये उद्योग घण्टे खुलने लगते हैं जिससे साहस की माँग भी बराबर बढ़ती जाती है परन्तु फिर भी साहस की माँग की वृद्धि उसकी पूर्ति की प्रवृत्ति कम रहती है जिससे लाभ घट जाता है। फिर भी लाभ घटने घण्टे मूल्य के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसी स्थिति में लाभ उठाने के लिये कोई भी तैयार न हो सकेगा। अतः यह स्पष्ट है कि सामाजिक एवं आर्थिक उन्नति के साथ लाभ की प्रवृत्ति कम होने की है।

अत्यधिक लाभ-प्राप्ति (Profiteering)—जब किसी विविध परिस्थिति में किसी उद्योग या व्यवसाय में साहसी या उद्योगपति द्वारा बहुत अधिक लाभ प्राप्त किये जाते हैं तो यह अत्यधिक लाभ प्राप्ति नहीं जाती है। उदाहरण के लिए, वृद्ध काल में जबकि वस्तुओं के उत्पादन में कमी होकर उनकी पूर्ति माँग की प्रवृत्ति कम हो जाती है, तो उद्योगपति तथा व्यापारियों द्वारा उन पर अत्यधिक लाभ प्राप्त किया जाता है।

जिमसे उपभोगाप्रो का शोषण होता है। यह महाबुद्ध-काल में भारतीय रैतो में अत्यधिक लाभ प्राप्त किये। अत्यधिक लाभ प्राप्ति अनुचित होती है, इसलिये सरकार द्वारा समय-समय पर इसका नियन्त्रण होता रहता है। अत्यधिक लाभ-प्राप्ति उद्योग एवं व्यापार की उत्पत्ति में बाधक सिद्ध होती है।

**समाजवाद और लाभ (Socialism and Profit)**—लाभ के विरुद्ध सबसे प्रथम आवाज उठाने वाले समाजवादी थे। प्रसिद्ध समाजवादी प्रूसो ने लाभ को वैधानिक दकैती (Legalised Robbery) कह कर पुकारा है। समाजवादियों का कहना है कि श्रम ही उत्पत्ति का एकमात्र साधन है और सारी सम्पत्ति श्रमिकों की ही मिननी चाहिये। उनके मतानुसार श्राज और लाभ दोनों ही श्रम के शोषण के परिणाम हैं। पूँजीपति और साहसों समाज के लिये कुछ भी नहीं करते हैं। फ्रन्. कार्ल मार्क्स (Karl Marx) के अनुसार श्राज और लाभ का सर्वथा उन्मूलन आवश्यक है।

अब प्रश्न यह प्रस्तुत होता है कि क्या वास्तव में समाजवाद में लाभ जैसी कोई वस्तु नहीं है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए यो कहा जा सकता है कि व्यक्तिगत श्राज के रूप में समाजवाद में लाभ का प्रयत्न अशुभ हो गया है, परन्तु श्राज व्यय के अन्तर्गत रूप में लाभ का समाजवाद में भी अस्तित्व है। अन्तर यही है कि लाभ बजाय किसी व्यक्ति-विशेष को मिलने के समाज को मिलता है और वह सामाजिक कल्याण के लिये व्यय कर दिया जाता है। यह बात सोवियट रूस के उदाहरण से स्पष्ट हो जाती है। रूस में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर राज्य का एकाधिकार है। साधारणतया विभिन्न उद्योगों द्वारा निर्मित वस्तुओं पर जो लाभत व्यय पड़ती है, सोवियट सरकार उसमें कहीं अधिक मूल्य वसूल करती है। इस प्रकार राज्य-उद्योगों में लाभ होता पाया जाता है। यह लाभ अशत औद्योगिक विकास के लिये और अशत जन-हित कार्यों के लिये व्यय कर दिया जाता है। अतः यह स्पष्ट है कि समाजवादी राज्य में भी लाभ का अस्तित्व पाया जाता है परन्तु वह किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति न होकर समाज की होती है।

**लाभ का औचित्य (Justification of Profit)**—आधुनिक उत्पादन प्रणाली में साहसी का महत्वपूर्ण कार्य होता है। साहसी ही उत्पादन की सारी व्यवस्था करना है। वह भूमि, श्रम और पूँजी को एकत्र करके उत्पादन का सगठन करना है। वह व्यवसाय श्रवण उद्योग की नींव डालता है और उत्पादन-कार्य प्रारम्भ करता है। वह भविष्य की मांग का अनुमान करके उसकी पूर्ति के लिये उत्पादन करता है, परन्तु भविष्य सदा अनिश्चित रहता है। अतः यह सम्भव है कि उसका माधी माँग का अनुमान सही न निकल सके या निम्न बस्तु का फौज बदन जाय या उसकी पूरक कोई अन्य वस्तु निकल सके। इस प्रकार की अनिश्चितता ही मकतों हैं जिनके कारण उसको हानि उठना पड़। साहसी इन सब आशिकों को केवलता द्वारा व्यापार में अग्रसर होता है। अस्तु, उसे इन आशिकों के ददल लाभ के रूप में पुरस्कार अवश्य मिलना चाहिये अन्यथा वह व्यवसाय न करता। अतः यह स्पष्ट है कि आर्थिक रूप से औद्योगिक विकास की दृष्टि में लाभ का अस्तित्व नितान्त आवश्यक है। प्रो० निचोलसन (Nicholson) के शब्दों में साहस सर्वोत्तम रूप में, असाधारण जीविम तथा असाधारण योग्यता का सम्मिश्रण है। इसी प्रकार के साहस के कारण इतनी



अधिक आर्थिक उन्नति हुई है ।<sup>1</sup> इसलिये साहस का पुरस्कार 'लाभ' आर्थिक उन्नति का आधार है ।

लाभ का निन्दनीय है ? लाभ साहसी का पुरस्कार है और समाज के हित को दृष्टि में यह आवश्यक है । परन्तु अनुचित एवं अत्यधिक लाभ अवश्य निन्दनीय है । इसमें समाज में आर्थिक असमानता उत्पन्न हो जाती है जिसे दूर करने के लिए सरकार अपनी कर्त-नीति तथा श्रमिका की न्यूनतम मजदूरी निर्धारण प्रायि उपायों द्वारा सदा प्रयत्नशील रहती है ।

लाभ और अन्य उत्पत्ति के साधनों के पुरस्कारों में भेद (*Difference between Profit & Rewards of other Factors of Production*)

लाभ (Profit)	लगान (Rent)
१. लाभ साहसियों की योग्यता की भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है ।	१. लगान भूमि की उर्वरा शक्ति की भिन्नता के कारण उत्पन्न होता है ।
२. यह मनुष्य द्वारा उत्पन्न किये गये भेद के कारण प्राप्त होता है ।	२. यह प्रकृति द्वारा उत्पन्न किये गये भेद के कारण प्राप्त होता है ।
३. आर्थिक उन्नति के साथ इसकी प्रवृत्ति घटने की है ।	३. आर्थिक उन्नति के साथ इसकी प्रवृत्ति बढ़ने की है ।
४. लाभ नकारात्मक हो सकता है, मर्याद हानि हो सकती है ।	४. लगान कभी नकारात्मक नहीं हो सकता ।

लाभ और लगान में समानता—(१) जिस प्रकार भूमि की उर्वरा शक्ति या स्थिति प्रथवा दोनो की भिन्नता से लगान में न्यूनधिकता हो जाती है, उसी प्रकार साहसियों की जोखिम भेजने, भय-भाव करने की क्षमता आदि की भिन्नता में वास्तविक लाभ में भी भिन्नता हो जाती है । (२) जिस प्रकार भूमि का कई श्रेणियाँ होती हैं उसी प्रकार साहसियों भी कई प्रकार के हो सकते हैं । (३) जिस प्रकार सीमांत या लगावहीन भूमि होती है और उसके द्वारा लगान निर्धारित होता है उसी प्रकार सीमांत साहसियों होता है और उनके सामान्य लाभ के अनुसार लाभ निर्धारित होता है । (४) जिस प्रकार लगान एक प्रकार की प्रतिरिक्त (Surplus) भाग है, ठीक उसी प्रकार लाभ एक प्रतिरिक्त भाग है ।

लाभ (Profit)	मजदूरी (Wages)
१. साहसियों की जोखिम उठाने के कारण है । इसलिये लाभ जोखिम का पुरस्कार है ।	१. श्रमिकों के काम में जोखिम नहीं रहता या बहुत कम रहता है ।
२. लाभ अधिकतर अवसर तथा भाग्य पर निर्भर होता है ।	२. मजदूरी तो श्रम करने से ही प्राप्त होती है ।

1—'Enterprise, in the highest form, is a combination of exceptional ability with exceptional risk. It is enterprise of this kind that has played the great part in economic progress —Nicholson

३. लाभ पूर्णतया अनिश्चित होता है। सम्भव है साहसी का कभी हानि भी हो जाय।

४. लाभ की दर में बड़ा अंतर पाया जाता है।

५. पूंजी-परिवर्तन के साथ लाभ में परिवर्तन होता है।

६. लाभ का निर्धारण सामान्य लाभ द्वारा होता है।

३. मजदूरी निश्चित तथा नियमित होती है। श्रमिक को हानि की धारणा नहीं रहती है।

४. मजदूरी की दर में इतना अंतर नहीं होता है।

५. पूंजी-परिवर्तन से मजदूरी में अतन्त शीघ्र परिवर्तन नहीं होता है।

६. मजदूरी का निर्धारण उपरोक्त माँग और पूर्ति द्वारा होता है।

लाभ और मजदूरी में समानता—श्री० टॉजिंग के अनुसार लाभ भी साहसी की योग्यता की मजदूरी है, क्योंकि उनको सम्पत्ति में साहसी का कार्य मानसिक मजदूरी है।

लाभ (Profit)	व्याज (Interest)
१. लाभ साहसी का मिश्रण है।	१. व्याज पूँजीपति का मिश्रण है।
२. लाभ जोखिम उठाने का पुरस्कार है।	२. व्याज भास्व-व्याज या समय तथा प्रतीक्षा करने का पुरस्कार है।
३. लाभ कष्ट के रूप में प्राप्त होता है।	३. व्याज मयाज दिया जाता है।
४. लाभ अनिश्चित होता है—कभी कम और कभी ज्यादा तथा कभी हानि और कभी लाभ।	४. व्याज-दर प्रायः निश्चित होती है।
५. लाभ सामान्य लाभ के अनुसार निर्धारित होता है।	५. व्याज दर माँग और पूर्ति की संतुष्टि द्वारा निर्धारित होती है।

लाभ और व्याज में समानता—मयाज की प्रकृति के साथ लाभ और व्याज में घटने की प्रवृत्ति होती है। इनके प्रतिरूप, अन्न वस्तुधा का मूल्य बढ़ जाता है, तब दोनों लाभ और व्याज में वृद्धि होने की प्रवृत्ति दली जाती है।

### भारतवर्ष में लाभ

#### (Profits in India)

भारतवर्ष प्राकृतिक जनता की दृष्टि में पिछड़ा हुआ है। यहाँ न उद्योग पये अवनत दशा में हैं। यहाँ साथ ही अनुसूची ग्राह्यता का भी प्रभाव है। परन्तु भारतवर्ष में उद्योग में उद्योग पथा में लाभ कम मात्रा में प्राप्त होता है। अन्न ही नीचे कुछ मुख्य उद्योग पन्था के लाभ प्राप्ति पर विवेचन करेंगे।

कृषि में लाभ (Profits in Agriculture)—भारत के एक कृषि प्रधान देश है, परन्तु यहाँ कृषि अवनत दशा में है। अन्न पथा के नष्ट होने में अन्न मन्था का भूमि पर न अधिक बर्बाद है। यहाँ न कृषका के पास मनी के निब बटून कम भूमि है और जो कुछ भी है वह छान छान टुकटा के रूप में अन्न-तन्त्र स्थित है जिसमें लाभदद लती नहीं की जा सकती। भारतीय कृषक निर्धन होते हैं जिसमें न न तो अन्धे शोषार

प्रयुक्त कर मकने हैं और न अच्छा चीज ही। पिचाई की सुविधाया के प्रभाव से भारतीय कृषि 'बर्षा का तुषा' बनी हुई है। इन कारणों से कृषि में उत्पादन कम होता है और बुजुर्गों का लाभ कम मान पर प्रायः हाथि उठाती पडती है। परन्तु पुढ-बाकीत एव पुढोत्तर परिस्थितिया के कारण कृषि उत्पाद का मुख्य चर जाने म कृषका का कुछ लाभ बर गया है।

**कुटीर उद्योग-धन्धों में लाभ (Profits in Cottage Industries)**— भारत की औद्योगिक धन्धों जगम-विस्थात था। यहाँ का चीना तुषा मान यूरोप आदि देशों म विक्रता था। औद्योगिक कानून, विदेशी प्रतिस्पर्धिता तथा भारत में अग्रज्जा की प्रतिभूल नीति के कारण भारतीय घरेलू उद्योग धन्धे धने धने नष्ट हो गये। जो धन्धेकार इन धन्धों को चलाते हैं उनकी दशा शोचनीय है। वे निर्धन हैं, अतः धन्य प्रवचन के लिए उच्च महाजना पर निर्भर रहना पडता है जो उनमें अत्यधिक श्याज दर वसूल करते हैं। इनके अनिर्दिक्त उच्च कच्चा माल ऊँचे दर पर गरीबना पडता है तथा निमित्त माल का प्रचण्ड मूल्य नहीं मिलता। इस प्रकार निम्नकारा का बहुत कम वचना है। महात्मा गाँधी ने यह उद्योगों को उन्नत करने क दिव्य ध्यान आकषिप्त किया था तथा अब चाँग्रिय सरकार भी इनकी और यत्नीवित ध्यान दे रही है। आता इनका अधिक्य आयाप्रद प्रतीत हुआ है।

**बहुद उद्योग-धन्धों में लाभ (Profits in Large-Scale Industries)**— भारतवर्ष म बहुद उद्योगों की संख्या बहुत कम है। परन्तु जो कुछ हैं वे अच्छा लाभ कमाने हैं। इनके कई कारण हैं— (१) माहृषिया की सटना माँग की अक्षता कम है। (२) जो भी माहृषी है वे योग्य एव कुशल हैं, जैसे रिटना डावमियाँ, मिहानियाँ, मुजर्गों आदि। (३) माहृषिया के पास उद्योगों में लगाने के लिये पयान धन राशि है। अस्तु, इन्हें वास्तविक लाभ पर्याप्त मात्रा म प्राप्त होने हैं।

**व्यापारियों को लाभ (Profits to Traders)**— व्यापारियों को कमी अच्छा लाभ हो जाता है और कभी कम। वैसे भारतीय व्यापारी अपनी योग्यता एव कार्य क्षमता के कारण अच्छा लाभ कमा लते हैं।

**भारतवर्ष में साहम-क्षेत्र का विस्तार (Extension of the field of Enterprise in India)**— आधुनिक भारत म साहम क्षेत्त में कुछ विस्तार अवश्य हुआ है, परन्तु देश क क्षतफल, जनसंख्या एव सामा की दृष्टि से यह बहुत कम है यद्यपि कर्म-कारण्यता तथा अधिको की संख्या बढती जा रही है, परन्तु फिर भी जनसंख्या का केवल १० प्रतिशत भाग ही आधुनिक उद्योग-धन्धा म संलग्न है, और इन उद्योगों द्वारा निमित्त धन्धुणु दण की सम्पूर्ण माँग का केवल थोडा-सा भाग ही पूर्ण कर सकती है। अतः यह स्पष्ट है कि अद्य भी भारत म साहम क विस्तार क लिये पर्याप्त क्षेत्र है।

**भारतवर्ष में साहम का क्षेत्र (Scope for Enterprise in India)**— भारत क आर्थिक एव औद्योगिक उन्नति क लिये उन्नतग उन्नी क्षता म साहमिया का आवश्यकता है। किन्तु उद्योग धन्धों म अद्य भी साहस क विस्तार क लिये पर्याप्त क्षेत्र है, वे निम्नलिखित हैं :—

**कृषि उद्योग**— कृषि की वर्तमान अवस्था देश को देखकर कुछ लाना की यह धारणा हो गई है कि कृषि म अद्य उन्नति नहीं हो सकती, परन्तु यह धारणा निराधार एव अधपूर्ण है। हमारे देश म अभी तक अधिक्षित कृषका क द्वारा प्राचीन पडति क प्रोत्साहन की महायता में श्रेणी हानी रही है, किन्तु विज्ञान क उचित-क्षेत्र म आदत्तधन्धन

परिवर्तन कर दिया है। अतः आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति द्वारा भारतीय कृषि उद्योग को उत्पन्न किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे देश में बहुत-सी नजर एवं दलदली भूमि पड़ी हुई है जो कृषि-न्याय बनाई जा सकती है। अतः कृषि उद्योग में साहस के लिये अथ ही पर्याप्त क्षेत्र है।

**वन सम्बन्धी उद्योग**—भारतवर्ष में वनों का उपयोग ठीक प्रकार नहीं होता। इनसे प्राप्त हान वाली अनेक महत्त्वपूर्ण वस्तुएँ हैं—जैसे लकड़ी, घास, बाँस, रबड़, लाँव, गाद, जड़ी-बूटियाँ आदि। देश के आर्थिक विकास के लिये इनका औद्योगिक उपयोग वाञ्छनीय है। अतः वन सम्बन्धी उद्योग-धन्धों के विकासार्थ साहसियों की सेवाओं के लिये पर्याप्त क्षेत्र है।

**घरेलू उद्योग-धन्धे**—बहुल उद्योगों के साथ साथ घरेलू उद्योग-धन्धों का विकास भी वाञ्छनीय है। भारतवर्ष में घरेलू उद्योग धन्धों के विकास के लिये साहस का विस्तृत क्षेत्र है। अमेरिका, जर्मनी, जापान आदि औद्योगिक उत्पन्न देशों में बड़े और छोटे उद्योग परस्पर एक दूसरे के सहायक होते हैं। मोटर उद्योग कम्पनी में भारत सरकार की परामर्श दिया है कि मोटर के छोटे छोटे पुर्जे कुटीर उद्योगों द्वारा बनवाये जायें। नदी-घाटी योजनाओं द्वारा भारत के लालों गाँवों में जन-विद्युत्-शक्ति पहुँचाई जायगी। इसमें कुटीर उद्योगों को बड़े पैमाने पर चलाने में सहायता मिलती जितनी शिक्षित, बेकार नवयुवकों को स्वावलम्बी बनने का अवसर प्राप्त होगा।

**बृहद् उद्योग धन्धे**—भारतवर्ष में बृहद् उद्योग-धन्धों के विकास के लिये भी प्रायः सभी सामग्रियाँ उपलब्ध हैं। वर्तमान उद्योगों का उत्पादन माँग की अपेक्षा कम है। बड़े उद्योग धन्धे सभी संशय संकल्पना में ही हैं तथा बड़े नये उद्योग-धन्धों की स्थापना वाञ्छनीय है। इस प्रकार बृहद् उद्योग धन्धों में भी साहस के लिये पर्याप्त क्षेत्र है। इस दान की पुष्टि निम्नलिखित उद्योगों के अध्ययन से हो जाती है।

**सूती-वस्त्र-उद्योग**—सूती-वस्त्र-उद्योग पूर्णतया भारतीय उद्योग है, क्योंकि इसका प्रथम प्रवन्धन आदि भारतवासियों के हाथों में ही है। देश में जितनी कपड़े की माँग है उतना कपड़ा अभी तैयार नहीं होता है और हम विदेशों में बेचना पड़ता है। देशवासियों के जीवन-स्तर के बढ़ने पर यह माँग और भी बढ़ जायगी। इसलिये इस उद्योग में साहस का बहुत अधिक क्षेत्र है।

**जूट उद्योग**—भारतीय जूट उद्योग का अर्थ-प्रवन्धन अथवा तक विदेशियों के हाथ में था, परन्तु अब भारतीय इस आरंभ कर रहे हैं। अब तक यह दान के कच्चे जूट व आने भाग की ही वस्तुएँ तैयार करने में समर्थ है। भारत सरकार इस उद्योग का कच्चे माल के लिये स्वावलम्बी बनाने के लिये पूर्ण प्रयत्नशील है। अतः भविष्य में इस उद्योग की उत्पत्ति की बड़ी आशा है।

**लोहा और इस्पात**—देश की आवश्यकता के अनुसार अभी लोहा तथा इस्पात का मामला हमारे देश में नहीं बनता है। अधिकतर हमें विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। यह उद्योग एक प्रकार से आचारभूत उद्योग है जिस पर अन्य उद्योगों की उत्पत्ति आश्रित है। अतः, इसकी उत्पत्ति के लिये साहसियों की बड़ी आवश्यकता है।

**नागज उद्योग**—नागज की माँग पूर्ण करने के लिये भारतवर्ष विदेशों पर निर्भर है। समाचार पत्रों के लिये नागज ता हमारे देश में बहुत कम तैयार होता है।

देश में शिक्षा के बढ़ते हुये प्रसार को देखते हुये हममें अत्यधिक साहस का क्षय दृष्टि-गोचर होता है।

**रासायनिक उद्योग**—यह उद्योग आधार-भूत माना जाता है, क्योंकि देश के अन्य उद्योगों की उत्पत्ति इस उद्योग की उन्नति पर निर्भर है। हमारे देश का यह उद्योग प्रचुरता में है और हमें अपनी आवश्यकताओं के लिये विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। अस्तु, इस उद्योग के विकासार्थ साहस का बहुत भारी क्षय है।

**चमड़े का उद्योग**—भारतीय चमड़ा-उद्योग उन्नतिशील अवस्था में नहीं है इसलिये अधिकतर कच्चा माल विदेशों को निर्यात किया जाता है जिससे देश को अधिक लाभ नहीं होता है। अतः यह स्पष्ट है कि इस उद्योग में साहस के लिये विस्तृत क्षय है।

**अन्य उद्योग**—रेशमी वस्त्र, चीनी, कान, दिपामलाई, भीमेन्ट, रेडियो, वाइ-सिक्लि, विजली का सामान आदि वस्तुओं के निर्माण उद्योगों के लिये साहसियों के लिये भारत में बड़ा भारी क्षय है।

**यातायात सम्बन्धी उद्योग**—भारतवर्ष में हवाई जहाज, समुद्री जहाज, रेलें, मोटरे आदि का निर्माण देश की आवश्यकताओं से बहुत कम है। अतः देश के आर्थिक विकास के लिये यातायात सम्बन्धी सभी उद्योगों की उत्पत्ति अभीष्ट है।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

१—टिप्पणियाँ लिखिये :—

सामान्य लाभ तथा अनिश्चित लाभ

कुल लाभ और वास्तविक लाभ

(प्र० वी० १९६०)

वास्तविक लाभ

(रा० वी० १९५२)

२—लाल और लाल में अन्तर बताइये। इन दोनों में जो समानताएँ हैं उन्हें समझाइये।

३—'लाभ साहस का पुरस्कार है।' स्पष्ट कीजिये। लाभ से मजदूरी और व्याज का अन्तर बताइये।

४—कुल लाभ की व्याख्या कीजिए। लाभ जिन सेवाओं का पुरस्कार है, उन्हें बताइये।  
(प्र० वी० १९५२)

५—'लाभ को साहस का पुरस्कार कहा जाता है।' आप इस कथन में कहीं तक सहमत हैं? लाभ को कौन कौन योग्यता का लाल कभी कहा जाता है?  
(म० भा० १९५४)

६—लाभ का निर्धारण किस प्रकार होता है? कुल लाभ और वास्तविक लाभ का अन्तर बताइये।  
(म० भा० १९५३)

७—कुल लाभ और वास्तविक लाभ की परिभाषाएँ लिखिये और इनका अन्तर स्पष्ट कीजिये।  
(तामपुर १९५०)

८—वास्तविक लाभ को व्याख्या करिये । यह किस प्रकार निर्धारित होता है ?

(सागर १९५०)

९—लाभ किस प्रकार निर्धारित होता है ? क्या यह कहना मत्व है कि लाभ का प्रभाव मूल्य पर नहीं होता ।

(दिल्ली हा० मे० १९५०)

इण्टर एग््रीकल्चर परीक्षाएँ

१०—लाभ का क्या अर्थ है ? साहसी क्या काम करता है ? क्या लाभ एक अवशेष है ?

११—नोट लिखिये :—

कुल लाभ और वास्तविक लाभ


(अ० वो० १९६०)

लाभ के तत्त्व

(रा० वो० १९६०)

# राजस्व

## (PUBLIC FINANCE)



"राजस्व केवल अंशगणित ही नहीं है ; राजस्व एक महान् नोति है। बिना सुदृढ राजस्व के सुदृढ शासन संभव नहीं है, बिना सुदृढ शासन के सुदृढ राजस्व संभव नहीं है।"

—विल्सन

राजस्व का अर्थ (Meaning of Public Finance) — 'राजस्व' शब्द राजस्व + स्व के योग से बना है जिसका अर्थ होता है 'राज का धन' अतः राजस्व अर्थ शास्त्र का वह विभाग है जिसमें राज्य की प्रायः व्यय का अध्ययन किया जाता है। अन्य शब्दों में, राजस्व वह विज्ञान है जो यह बताता है कि राज्य सरकार प्रायः कैसे प्राप्त करती है और उसे कैसे व्यय करती है।

प्रत्येक सभ्य समाज में राज्य संगठन की व्यवस्था होती है। राज्य का मुख्य कार्य देश की बाहरी शक्तों से रक्षा करना और देश में शांति और सुव्यवस्था रखने हुए जनता को सुख-सुविधा में सहायक होना है। इस कार्य को सुचारु रूप से सम्पन्न करने के लिये राज्य को सेना, पुलिस, सरकारों के निकायों आदि रखने होते हैं। राज्य जनता को नैतिक और आर्थिक उन्नति के लिये भी अनेक कार्य करता है जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा, मुद्रा, टुकड़ों की व्यवस्था आदि। कई आवश्यकतापूर्ण कार्य जिन्हें नागरिक व्यक्तिगत रूप से नहीं कर सकते, राज्य को धन से किये जाते हैं, जैसे देश में रेल, डाक व तार का प्रबन्ध करना, सिंचाई के लिये नहर निकालना, बनों और खानों आदि राष्ट्रीय सम्पत्तियों को रक्षा करना इत्यादि। इन विविध कार्यों को सम्पन्न करने के लिये धन की आवश्यकता पड़ती है और राज्य का व्यय चलाने के लिये प्रायः की व्यवस्था करनी होती है। राज्य द्वारा धन को उत्पत्ति एवं उपभोग में सम्बन्धित समस्त कार्यों का उल्लेख 'राजस्व' में होता है। धन राजस्व वह विज्ञान है जिसमें राज्य की प्रायः व्यय और सत्यमन्वन्धी बातों पर शास्त्रीय दृष्टि से विचार किया जाता है। राज्य या सरकार से यहाँ तात्पर्य केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के अतिरिक्त स्थानीय सरकारें जैसे नगरपालिकाएँ (Municipalities) और जिला परिषदें (District Boards) आदि से भी है।

राजस्व की परिभाषाएँ (Definitions)—विभिन्न विद्वानों ने राजस्व की भिन्न भिन्न परिभाषाएँ दी हैं जिनमें से मुख्य निम्नलिखित है —

१. सर सिडनी चैपमैन (Sir Sydney Chapman) के अनुसार "राजस्व अर्थशास्त्र का वह विभाग है जिसमें यह अध्ययन किया जाता है कि सरकारें किस प्रकार से प्रायः प्राप्त करती हैं और किस प्रकार उसका प्रबन्ध करती हैं।"

1—"Public Finance is that part of Political Economy which discusses ways in which governments obtain revenues and manage them

—Sir Sydney Chapman *Outline of Political Economy*, p 395.



२. प्रो० फिंडले शिर्राज (Prof Findlay Shirras) के शब्दों में "राजस्व वह विज्ञान है जो यह बताना है कि सरकार प्रायः वैसे प्राप्त करती है और उसे वैसे व्यय करती है।"<sup>१</sup>

३. प्रो० बैस्टेबल (Prof. Bastable) के अनुसार "राजस्व राष्ट्र के राजकीय अधिकारियों के प्रायः व्यय, उनके पारस्परिक सम्पर्क तथा आर्थिक प्रशासन के नियन्त्रण से सम्बन्ध रखता है।"<sup>२</sup>

४ डाक्टर डाल्टन (Dr. Hugh Dalton) के शब्दों में "राजस्व सार्वजनिक सम्पत्तियों के प्रायः और व्यय तथा उनके पारस्परिक सामुदायिक सम्बन्ध से सम्बन्ध रखता है।"<sup>३</sup>

५ प्रो० एम० सेन (Prof. M. Sen) के अनुसार "राजस्व प्रबंधशास्त्र की वह शाखा है जो सार्वजनिक प्रायः और व्यय तथा उनके प्रशासन का विवेचन करती है।"<sup>४</sup>

६. प्रो० एडम्स (Prof. Adams) के शब्दों में "राजस्व सरकारी प्रायः व्यय का अनुसन्धान-मात्र है।"<sup>५</sup>

७ श्रीमती ह्यूकम् (Mrs. Hicks) के अनुसार "राजस्व का मुख्य तथ्य उन मापना और सिद्धांतों का परीक्षण और विवेचन करना है, जिनके द्वारा सरकारी सहाय्य आवश्यकताओं का सामूहिक रूप में मनुष्य-कर का भ्रंश घटती है तथा भ्रंश उद्देश्य की पूर्ति के विषय आवश्यक धन प्राप्त करती हैं।"

८. आर्मिटेज स्मिथ (Armitage Smith) के मत में "सरकार प्रायः और व्यय के स्वभाव के विद्यमान का ही राजस्व कहा जाता है।"

९. प्रो० प्लेह्न (Prof. Plehn) के अनुसार "राजस्व वह विज्ञान है जो राजकीय की इन क्रियाओं का विवेचन करता है जिनके द्वारा वह राज्य

1—'Public Finance is the science which is concerned with the manner in which authorities obtain their income and spend it

—Findlay Shirras *The Science of Public Finance*, Vol. 1

2—'Public Finance deals with expenditure and income of public authorities of the state and their mutual relation as also with financial administration and control

—Prof Bastable

3—'Public Finance deals with the income and expenditure of public authorities and with the manner in which the one is adjusted to the other

—Dr Hugh Dalton *Public Finance*

4—'Public Finance is that branch of Economics which deals with the revenues and expenditures of government and the administration of such revenues and expenditures

—Outline of Economics by M S n Part II (Edition 1930) p 344

के स्थानाधिक कार्यों को सिॉड के लिए भौतिक साधनों की प्राप्ति और प्रयोग करता है।<sup>1</sup>

**राजस्व का महत्त्व (Importance)**—प्राचीन समय में राजस्व का अधिक महत्त्व नहीं था, क्योंकि सरकार के बहुत थोड़े से कार्यों थे, जैसे देश को बाहरी आक्रमणों से बचाना आदि। इनके लिए सरकार को जनता से कर लेने की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती थी। परन्तु आज बल सरकार के कार्यों और दायित्वों में वृद्धि हो गई है। आज की सरकार का कर्तव्य है कि यह देश से शिक्षा और बेकारी दूर करके शांति को व्यवस्था करे, देश के उद्योग धर्मों की उन्नति करे और धन व बस्तु को अनुविधाओं से देश को मुक्त करे। इन तथा इध प्रकार के अन्य कार्यों को करने के लिए सरकार को धन की आवश्यकता होती है यह धन सरकार कर द्वारा प्राप्त करती है। अतः वर्तमान समय में राजस्व का महत्त्व बढ़ गया है। इसके अतिरिक्त, देश की समृद्धि बहुत कुछ सरकार की कर नीति पर भी निर्भर होती है। यदि सरकार की कर नीति अच्छी न हो तो देश का उत्पादन घट जायगा और व्यवसाय में उन्नति न हो सकेगी। फलतः बेकारी बढ़ती जायगी। इसके विपरीत, यदि सरकार की कर-नीति अच्छी है, तो उत्पादन में वृद्धि होगी और देश का सर्वतोमुखी विकास हो सकेगा। इन सब बातों का अध्ययन करने के लिए राजस्व के महत्त्व की उपाधा नहीं की जा सकती।

**राजस्व के विभाग ( Divisions of Public Finance)**—राजस्व के अध्ययन को निम्नलिखित मुख्य चार भागों में विभाजित किया जाता है :—

- (१) सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure)
- (२) सार्वजनिक आय (Public Revenue)
- (३) सार्वजनिक ऋण (Public Debt)
- (४) वित्त सम्बन्धी शासन ( Financial Administration )

(१) सार्वजनिक व्यय (Public Expenditure)—राजस्व के इस भाग में सरकारी व्यय का वर्गीकरण तथा उसके सिद्धान्तों का विवेचन किया जाता है जिनके अनुसार सरकार द्वारा भिन्न भिन्न मर्दों पर होने वाली राशियों का परिमाण निश्चय किया जाता है।

(२) सार्वजनिक आय (Public Revenue)—राजस्व के इस भाग में राज्य के आवश्यक व्यय के लिए धन प्राप्त करने के साधन, प्रणालियों तथा कर लगाने के सिद्धान्तों का विवेचन किया जाता है।

(३) सार्वजनिक ऋण (Public Debt)—राजस्व के इस भाग में सरकार द्वारा ऋण लेने व चुकाने के साधनों व सिद्धान्तों का विवेचन किया जाता है।

(४) वित्त सम्बन्धी शासन ( Financial Administration )—राजस्व के इस भाग में इन भागों का विचार किया जाता है कि आय व्ययक प्रभाव बजट किस प्रकार तैयार करके परतुत किया जाता है, किस प्रकार यह जनता के प्रतिनिधियों द्वारा स्वीकृत किया जाता है तथा आय व्यय का हिसाब किस प्रकार रखा जाता है और इसका प्रवेक्षण (Audit) किस प्रकार होता है।

1—"The science which deals with the activity of the statesman in obtaining and applying the material means necessary for fulfilling the proper functions of the State"

सार्वजनिक और व्यक्तिगत व्ययों की तुलना

( Public and Private Expenditures Compared )

(१) प्रायः व्यय का सम्बन्ध—किसी व्यक्ति का व्यय उसकी आय द्वारा निश्चित किया जाता है, जबकि सरकार पहले अपने व्यय का अनुमान लगानी है और उसमें पर्याप्त उठाना ही धन प्राप्त करने के उपाय एवं मार्ग निकालती है। इस प्रकार व्यक्ति उठान ही पैसा पसारता है जितनी लम्बी उसकी चादर है। परन्तु सरकार पहले चादर का लम्बाई-चौड़ाई निश्चित करती है और तत्पश्चात् उसमें लिए आवश्यक कपड़े का प्रबंध करती है।

(२) अक्षत के दृष्टिकोण में अन्तर—व्यक्ति अपनी आय में से कुछ बचाना बुद्धिमानी एवं दूरदर्शिता समझता है। यत प्रत्यक्ष व्यक्ति यह प्रयत्न करता है कि जहाँ तक सम्भव हो आय में कम व्यय हो ताकि कुछ राशि अविषय के लिए बचाई जा सके। परन्तु सरकारी बजट में बचन (Surplus) होना राजस्व के सिद्धान्त के विपरीत समझा जाता है, क्योंकि इसका प्रर्थ यह हो जाता है कि पेसावास्तव्य को बेकार कर-भार से लदे कर धन एकत्रित किया गया है। इससे अतिरिक्त, राजस्व बजट में दक्षत होने से सरकारी अधिकारी गलत धर्मों में प्रसावधानी कर बैठते हैं। इसलिये राजस्व का आदर्श यह है बजट में थोड़ी सी कमी (Deficit) रहे जिससे सरकारी अधिकारी गलत व्यय करने में सावधानी बरतें।

(३) व्ययों की अनिवार्यता में अन्तर—सार्वजनिक व्यय अनिवार्य होता है जबकि एक व्यक्ति का व्यय बहुत कुछ उसकी इच्छा पर निर्भर होता है। उदाहरणार्थ, बाहरी धातुमण्ड के समय तथा अन्य संकट काल में देव की रक्षा के लिए सरकार को आवश्यक ही व्यय करना पड़ता है।

(४) साधनों का अन्तर—सरकार और व्यक्ति व साधनों में अन्तर होता है। संकट-काल में सरकारें अपने प्रायस, दश-विदेशों से ऋण ले सकती हैं, परन्तु व्यक्ति केवल अपने व्यक्तित्व से ही उधार ले सकता है। इसके अतिरिक्त, सरकार मुद्रा प्रसार (Inflation) द्वारा भी आय की कमी का पूरा कर सकती है, परन्तु व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता।

(५) अवधि का अन्तर—सरकार का बजट एक वर्ष के लिए होता है। परन्तु व्यक्ति के लिए इसका कोई महत्व नहीं होता है, क्योंकि उसे किसी निश्चित अवधि के भीतर अपना बजट मनुष्यता करने की आवश्यकता नहीं होती है। वह धान और व्यय करता रहता है।

(६) उद्देश्यों में अन्तर—व्यक्ति की आय-आवस्था में अधिकतम व्यक्तिगत सन्तुष्टि एवं लाभ का उद्देश्य रहता है। परन्तु सार्वजनिक व्यय का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि उसमें अधिकतम सामाजिक लाभ (Maximum Social Advantage) हो और उसका उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय और राष्ट्रीय आय, वितरण उपभोग आदि पर उत्तम प्रभाव पड़े।

(७) तौल में अन्तर—किसी भी व्यक्ति के लिए आय व्यय में एक विषय सीमा से अधिक परिवर्तन करता सम्भव नहीं होता है। परन्तु सरकारी आय-व्यय में बड़ी सरलता या मूर्खपूर्ण परिवर्तन किये जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि एक साम्यवादी दल के शायद मसला आ जाय तो वह निश्चय तब से सरकारी आय-व्यय

दोनों में कान्तिकारी परिवर्तन कर सकता है। परन्तु व्यक्तिगत अर्थ-व्यवस्था में इस प्रकार की लोच का अभाव है।

(८) अधिकारी में अन्तर—व्यक्ति अपनी आय प्राप्त करने के लिये किसी भी प्रकार के विशेष अधिकारों का उपयोग नहीं कर सकता। परन्तु इनके विपरीत सरकार आय में वृद्धि करने के हेतु व्यक्तिगत सम्पत्ति का अपहरण कर सकती है, नये कर लगा सकती है, वस्तुपूर्वक जनता में कटौत न करती है और व्यक्तिगत को अनु-पाजित आय पर अधिकार कर सकती है।

(९) सीमान्त उपयोगिताओं का समीकरण—मन सीमा त उपयोगिता सिद्धान्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति साधारणतया अपनी आय को प्रत्येक वस्तु पर इस प्रकार व्यय करता चाहता है कि उसे धन की प्रत्येक इकाई में समान सीमान्त उपयोगिता प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिये वह सतर्कता पूर्वक विभिन्न वस्तुओं के क्रय की उपयोगिता पर पूर्ण विचार कर लेता है। परन्तु जो सरकार धन को व्यय करती है तब उसके लिये इस प्रकार सतर्कतापूर्वक विचार करना सम्भव नहीं है। विभिन्न राजनैतिक दलों के दबाव या अन्य कारणों से सरकार को कभी कभी अनुपयोगी उद्देश्यों की पूर्ति के लिये भी धन व्यय करना पड़ता है। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सरकारी व्यय सर्वत्र ही अविवेकपूर्ण होने है।

(१०) गोपनीयता में अन्तर—प्रत्येक व्यक्ति अपनी अर्थ-व्यवस्था को गुप्त रखने का प्रयत्न करता है, जबकि सार्वजनिक अर्थ-व्यवस्था का आधार प्रचार है। सरकार अपने बजट प्रति वर्ष प्रकाशित करती है और उनका प्रचार करती है।

राजस्व का न्यय एवं सिद्धान्त (Aim and Principle of Finance)—डाक्टर डाव्डन के अनुसार राजस्व का सर्व महत्त्वपूर्ण लक्ष्य व सिद्धान्त अधिकतम सामाजिक लाभ (Maximum Social Advantage) प्रदान करना है। अधिकतम सामाजिक लाभ के सिद्धान्त के अनुसार राज्य की आय और व्यय का समन्वय इस प्रकार किया जाना चाहिये जिनमें समाज को अधिकतम अधिक लाभ और सुविधा प्राप्त हो सके। जिस प्रकार एक व्यक्ति अपनी एक निश्चित राशि में अधिकतम सुविधा प्राप्त करने के लिये सम-सीमान्त-उपयोगिता के सिद्धान्त (Law of Equi-marginal Utility) के अनुसार कार्य करता है और वह यह प्रयत्न करता है कि उसे प्रत्येक वस्तु पर व्यय किए जाने वाले धन की अन्तिम इकाई से समान उपयोगिता प्राप्त हो उसी प्रकार सरकार का भी इसी सिद्धान्त के अनुसार कार्य करने अपने व्यय से अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्त करना चाहिये।

अधिकतम सामाजिक लाभ प्राप्ति के लिये यह आवश्यक है कि 'कर' लेते समय दण्ड वात का ध्यान रखना चाहिये कि जिनके पास अधिक धन है उन पर कर भार अधिक पड़ और धन-राशि व्यय कराने में यह सक्षमता चाहिये कि निर्यता की अधिकता न पड़े।

सार्वजनिक आय के स्रोत (Sources of Public Revenue)—सार्वजनिक आय के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं—

(१) सार्वजनिक सम्पत्ति (Public Domain)—सरकार के स्वामित्व में भूमि, धन, सार्वजनिक हॉटेल हैं और वह इनमें आय प्राप्त करती है।

(२) अर्थ दण्ड या जुर्माना (Fines)—सरकार दोषियों को दण्डित करती है जिसमें उसको क्षय होती है।

(३) भेट (Gifts)—कभी-कभी कुछ व्यक्ति अपनी इच्छा से सरकार को कुछ धन दान भेंट करते हैं। यह भी सरकार का आय का एक साधन है।

(४) फीस या शुल्क (Fees)—सरकार कुछ विशेष सेवाओं के लिये शुल्क भी वसूल करती है जिसमें उसको क्षय होती है। इसमें शिक्षा शुल्क, न्याय शुल्क, रजिस्ट्रार शुल्क, कोर्ट फीस आदि। प्रो० मैकिगमैन के अनुसार फीस सरकार के उन सांख्यिक व्ययों को भुगतान करने के लिये ली जाती है जो सांख्यिक हित के लिये किये जाते हैं किन्तु जो साथ ही साथ फीस देने वाले को भी कुछ विशेष लाभ पहुंचाते हैं। फीस सेवा को प्राप्त से अधिक नहीं होती है क्योंकि इस प्रकार की सेवा में सांख्यिक हित की भावना रहती है।

(५) मूल्य (Price)—आधुनिक सरकार कुछ व्यवसाय भी करती है जैसे टाक, लार, रेल आदि। इन व्यवसायों के द्वारा सरकार अपना का माल या माल बेचती है और जो मूल्य प्राप्त है वह सरकार की आय होती है।

(६) दरें (Rates)—दरें विगयनर स्थानीय उद्देश्यों के लिये म्युनि-सिपलिया तथा जिला बोर्डों द्वारा लगाई जाती हैं। वे साधारणतया नागरिकों की अचन सम्पत्ति पर लगाई जाती हैं। परन्तु वे दरें बिना किसी विगय सुधार या लाभ के भी लगाई जा सकती हैं। दरों में स्थानानुसार भिन्नता पाई जाती है। कुछ विधानों के अनुसार मूल्य और दरों में कोई विशेष महत्वपूर्ण अन्तर नहीं है।

(७) विशेष कर निर्धारण (Special Assessment)—प्रो० मैकिगमैन के अनुसार विशेष कर निर्धारण विगय लाभ के अनुदान में दिया गया एक अनिवार्य योगदान (Compulsory Contribution) है जो सांख्यिक हित के लिये ली गई सम्पत्ति के विगय सुधारों को लागू करने के लिये दिया जाता है। उदाहरण के लिये पाक मजदूरी, विज्ञान, नगरपालिका आदि के सुधार से आय प्राप्त करने के लिये मूल्य बढ़ जाता है। मिलाई के लिये नहरों, कुआँ आदि के सुधार में भूमि का मूल्य बढ़ जाता है। मकानों तथा भूमि में मूल्य-वृद्धि उनके स्वामियों के प्रयोजन के लिये स्वयंसेवक नष्ट करने अर्थात् लाभ (Unearned Increment) है। मकानों और भूमि के स्वामियों के विकास या सुधार को लागू करने का कुछ भाग विगय कर निर्धारण के रूप में वसूल किया जाता है जिसमें सरकार को आय प्राप्त है। प्रो० मैकिगमैन के विगय कर निर्धारण की निम्नलिखित विगयनामों बनाई हैं—(अ) इस विगय लाभ को लागू किया जा सकता है। (ब) यह विगय कर निर्धारण प्रगतिमान रहा किन्तु प्राप्त लाभ के समानुपाती होता है। (क) यह विगय कर स्थानीय सुधार के लिये लगाया जाता है। (द) यह समाप्त के लिये होने का लक्ष्य और सुधार करने के लिये लगाया जाता है।

1— A Compulsory contribution levied in proportion to the special benefit derived to defray the cost of specific improvement to property undertaken in the public interest

—Seligman

८. कर (Taxes)—कर सरकारी प्राय का सबसे बड़ा साधन है। कुछ विशेष माम हो या नही, लोग का कर तो देने ही पड़ता है। प्रत्येक जो प्लेहन (Plehn) के शब्दों में "कर धन के रूप में दिया गया सामान्य अनिवार्य दान-योग (Compulsory Contribution) है जो राज्य के निवासियों पर सामान्य लाभ (Common Benefit) पहुँचाने के लिए, किये गए व्यय की पूर्ति के लिये जनता से लिया जाता है।"<sup>1</sup>

प्रो० सेलिंगमैन (Seligman) के अनुसार 'कर स्वयं द्वारा सरकार को दिया हुआ वह अनिवार्य योगदान है जिसे करदाता के विशेष लाभ का ध्यान नहीं रखते हुए, सरकार अपने कल्याण के लिये व्यय करती है।'<sup>2</sup>

गण्टानियो डी विट्टि डी मार्को (Antonio de Viti Marco) ने भी "कर का जनता को प्राय का वह भाग बताया है जिसे सरकार जन-साधारण का सेवा करने के लिये लेती है।"<sup>3</sup>

कर की विशेषताएँ (Characteristics)—कर की निम्नलिखित विशेषताएँ होती हैं :—

- (१) यह जगता का अनिवार्य योगदान है।
- (२) जन-साधारण ही कर का मुख्य उद्देश्य है न कि किसी व्यक्ति विशेष की सेवा का।
- (३) कर से राज्य का मुख्य उद्देश्य प्राय प्राप्त करना होता है।
- (४) प्रो० टॉसिग (Tausig) के अनुसार "सादेबनिक अधिकारों और कर-दाता के मध्य प्रत्यक्ष 'जैन को तैसा (quid pro quo) रूप का सम्बन्ध ही कर तथा सरकारी अन्य प्रायों में अन्तर पैदा करता है।"<sup>4</sup>

इस प्रकार कर में कुछ अनिवार्यता रहती है तथा इसका उद्देश्य जन-साधारण की सेवा है। सचमुचे बात यह है कि कर में कर-दाता के लाभ प्राप्त होने में ही प्रत्यक्ष सम्बन्ध समान सम्बन्ध नहीं होता है।

मूल्य, फीस और कर में अन्तर (Difference between Prier, Fee & Tax)—मूल्य उक्त धन राशि का वहन है जो कोई व्यक्ति सरकार का किसी वस्तु या सेवा के बदले में देता है। मूल्य और फीस में मुख्य अन्तर यह है कि फीस में बिनाय लाभ के साथ साथ मार्केटिनिक हित भी प्रमुख रहता है जबकि मूल्य व्यापारिक

1—Introduction to Public Finance

—Plehn, p 59.

2—"A tax is a compulsory contribution from the person to the Government to defray the expenses incurred in the common interest of all, without reference to special benefits conferred" —Seligman.

3—"The tax is a share of the income of the citizens which the state appropriates in order to procure for itself the means necessary for the production of general public services."

—Antonio de Viti de Marco, p 111

4—"The essence of a tax as distinguished from other charges by the Government is the absence of a direct quid pro quo between the tax-payer and the public authority."

—T. W. Tausig, Principles of Economics, p 46.

एक भी सेवा के बदले में लिया जाता है, जैसे सरकारी रेलों द्वारा यात्रा करने की लागत, टिकट और लिफाफे आदि खरीदने का मूल्य। मूल्य वर से भी भिन्न होता है। कर सामान्य लाभ (Common Benefit) के लिये दिया जाता है, जबकि मूल्य और फीस ही विशेष लाभ के लिए दिए जाते हैं। कर अनिवार्य होता है, परन्तु मूल्य और फीस वैकल्पिक होते हैं। प्रो० सेलिगमैन ने इस अन्तर का इस प्रकार प्रतिपादित किया है। “प्रमुख सार्वजनिक उद्देश्य सहित विविष्ट लाभ का अस्तित्व फीस का आवश्यक गुण है। सार्वजनिक उद्देश्य का अभाव भुगतान को मूल्य बना देता है विविष्ट लाभ का अभाव उसे कर बना देता है।”<sup>1</sup>

कर के सिद्धान्त (Canons of Taxation)—बर्गे ने ही सरकार का मुख्य ध्येय बताया है। अतः कर व सिद्धान्तों का ज्ञान सेना आवश्यक है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जन्मदाता एडम स्मिथ (Adam Smith) ने स्वयं कहकर कर के सिद्धान्त प्रतिपादित किये थे जो अब तक भी मान्य समझे जाते हैं। आवश्यकताानुसार बाद के विद्वानों ने कुछ नये सिद्धान्त और जोड़ दिये हैं। वे इस निम्नलिखित हैं—

एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित कर के सिद्धान्त (Adam Smith's Canons of Taxation)<sup>2</sup>

१ समानता या न्याय का सिद्धान्त (Canon of Equality or Equity)—प्रो० एडम स्मिथ ने अनुसार “प्रत्येक राज्य की प्रथा का क्या सम्भव अपनी योग्यताओं (Abilities) के अनुसार सरकार की सहायता के लिये पत्र देना चाहिये अर्थात् उक्त धन्य के अनुपात में जो राज्य द्वारा दी गई सुरक्षा के अन्तर्गत प्राप्त होती है।”<sup>3</sup> प्रो० एडम स्मिथ का कहना है कि वर इस प्रकार लगाना चाहिये कि जो व्यक्ति धनी है उन्हे अधिक वर देना पड़े और जो गरीब है उन्हे बहुत कम वर देना पड़े, अर्थात् वर लोग की वर देने की क्षमता या योग्यता के अनुपात में लगा चाहिये। इसे न्याय का सिद्धान्त (Principle of Equity) भी कहते हैं। इस सिद्धान्त के अनुसार सरकार को वर बताना स इतना वर वसूल करना चाहिए कि प्रत्यक्ष करदाता सरकार के लिये समान त्याग या बलिदान करें। समान बलिदान या त्याग की दृष्टि से जब धनी लोग स उनकी आय के अनुपात से अधिक वर वसूल किया जाता है और गरीबों का अनुपात में कम, तो ऐसे वर को प्रगतिशील वर (Progressive Tax) कहते हैं। यही कर आजकल सर्वमान्य समझा जाता है।

1—“The essential characteristic of a fee is the existence of a special measured benefit together with a predominant public purpose. The absence of a public purpose makes the payment a price, absence of special benefit makes it a tax.” —Seligman

2—Adam Smith *Wealth of Nations* Bk II, chapter 2, Section 2

3—“The subjects of every state ought to contribute towards the support of the Government as nearly as possible in proportion to their respective abilities; i. e., in proportion to the revenue which they respectively enjoy under the protection of the state

—Adam Smith.

इसे जवाहरराज द्वारा इस प्रकार समझिये यदि १०० रु० मासिक आय वाले व्यक्ति स ३ पाई प्रति रुपया कर लेते हैं तो १,००० रु० मासिक आय वाले से एक भागा या अधिक प्रति रुपया कर लेना चाहिये । भारतवर्ष में आय कर (Income tax) इसी सिद्धान्त के अनुसार लगता है ।

२ निश्चितता का सिद्धान्त (Canon of Certainty)—प्रो० एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जो भोग कर देना है वह निश्चित जानना चाहिये । घोर किसी की इच्छा पर निर्भर नहाना होना चाहिये । भुगतान का समय भुगतान की रीति कर की माशा मापि करदाता तथा आय व्यक्तिया के लिय स्पष्ट होनी चाहिये । कर की निश्चितता करदाता तथा वित्त मन्त्री दोनों के लिये ही आय व्यय व बजट को सन्तुलित करने में सहायक भिन्न हो सकती है । राज्य के इच्छानुसार कर नीति में शीघ्र परिवर्तन अनिश्चितता उत्पन्न करती है जिससे भ्रष्टाचार घूसखोरी भट आदि को प्रोत्साहन मिलता है । प्रो० एडम स्मिथ ने लिखा था कि कर के मामले में किसी व्यक्ति को जो राशि देनी है उसका निश्चितता इतन महत्व की बात है कि मुझ विश्वास है कि सम्मेलन देणों के अनुभव के अनुसार असमानता की काफी बड़ी मात्रा इतनी भयानक नहीं है जितनी कि अनिश्चितता की बहुत थोड़ी मात्रा है । 'प्रसिद्ध हैडले (Hadley) ने मतानुसार समानता के समस्त प्रयत्न करा के निश्चित होने क बिना अभात्मक सिद्ध होते हैं । अस्तु करा की निश्चितता करदाता तथा सरकार दोनों के लिये ही परमावश्यक है । हमें लिखे यह कहा है कि पुराना कर अच्छा कर है घोर नया कर बुरा कर है । (An old tax is a good tax and a new tax is a bad tax )

३ सुविधा का सिद्धान्त (Canon of Convenience)—प्रो० एडम स्मिथ के अनुसार प्रत्येक कर ऐसे समय घोर एसी रीति से लगाना चाहिय जिससे कर दाता को उसके देने में अधिक सुविधा मिल सके ।<sup>१</sup> जवाहरराज नगान या मत्स्यगुदारी फसल के समय लेना उचित है । उपभोगिता पर लगाय जाने वाले अत्यक्ष कर (Indirect Taxes) भी सुविधाजनक होते हैं क्योंकि वे वस्तुषा के मूल्य के साथ ही वमूल कर लिये जाते हैं । कर अधिकारी तथा करदाता को कर देने नन व देने में अनावश्यक कष्ट नहीं होना चाहिये ।

1—The tax which each individual is bound to pay ought to be certain and not arbitrary. The time of payment the quantity to be paid ought all to be clear to the contributor and to every other person  
—Adam Smith *Wealth of Nations* Vol II

2—Adam Smith wrote the certainty of what individual ought to pay is in taxation a matter of so great importance that a very considerable degree of inequality it appears I believe from the experience of all nations is not near so great an evil as a very small degree of uncertainty

—Adam Smith *Wealth of Nations*, Vol II

3—Every tax ought to be levied at the time or in the manner in which it is most likely to be convenient for the contributor to pay it

—Adam Smith *Wealth of Nations* Vol II



४. मितव्ययता का सिद्धान्त (Canon of Economy) प्रो० एडम स्मिथ व अनुसार प्रत्येक कर को इस प्रकार लगाना चाहिये कि जनता की जेब से जितना सभव हो उतना कम लिया जाय और इसका अधिकारा भाग राज्य कोप में जमा हो जाय।<sup>1</sup> उदाहरणार्थ, यदि १०० रुपये कर के रूप में वसूल करने में ३० या ४० पaise हो जायें, तो ऐसा कर मितव्ययी नहीं कहा जायगा। इस प्रकार का कर नहीं लगाना चाहिये तथाकि इससे जनता को बर्ष होगा और सरकार को अधिक आय भी नहीं हागी। अर्थशास्त्रा हाक्सन, विकस्टोड, वानर और जोन्स उसी तरह-व्यवस्था को उत्तम मानते हैं जिसमें असूली व्यय कम हो। अस्तु, कर धमूत करने में ग्यूनतम व्यय होना चाहिये।

कर के कुछ सिद्धान्त—एडम स्मिथ के उपर्युक्त कर-सिद्धान्तों के प्रतिरिक्त प्राधुनिक अर्थशास्त्रियों ने कुछ और नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया है जिनका विवरण नीचे किया जाता है।

५. उत्पादकता का सिद्धान्त (Canon of Productivity)—राज-स्थ शास्त्री बेस्टवेल (Bastable) ने उत्पादकता का कर-सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। उनके अनुसार कर-व्यवस्था अधिकतम उत्पादक होनी चाहिये। करों से प्राप्त होने वाली आय कम से कम इतनी अवश्य हो कि उमंगे सरकार को अपनी व्यवस्था सुचारु रूप में चलाने में कोई कठिनाई नहीं हो और अर्थ-संकट से सरकार मुक्त रहे। परन्तु जहाँ कर नीति का उत्पादक होना आवश्यक है, वहाँ यह भी आवश्यक है कि कर देने भारी न हो कि देश के उत्पादन पर उनका घातक मानव प्रभाव पड़े। जहाँ तक सम्भव हो करों की संख्या इतनी अधिक न हो कि जनता को अतावश्यक, बर्ष सहना पड़े और उत्पादन पर भी प्रतिभूत प्रभाव पड़े। नक्षेप ग, इस सिद्धान्त व अनुसार एक कर जिसमें अधिक आय होती है, यह उन वस्तु में करा से अछा है जिनमें प्रत्येक में बहुत थोड़ी आय होती है। इसे पर्याप्तता का सिद्धान्त (Canon of Sufficiency) भी कहते हैं।

६. लोच का सिद्धान्त (Canon of Elasticity)—सरकार को कर-नीति ऐसी होनी चाहिये कि देश की सकृति के साथ कर से होने वाली आय स्वतः ही बढ़ जाय। साथ ही किसी असाधारण परिस्थितिवा कर की आय बढ़ाने की आवश्यकता भी पड़ जाय, ता बवल कर की दर बढ़ाने मात्र में ही काम चत जाय। अधिक कर वसूल करने का व्यय न बढ़ाना पड़े। अत यह स्पष्ट है कि लोच के सिद्धान्त में उत्पादकता तथा मितव्ययता के सिद्धान्तों का भी सम्मिश्रण है। भारतीय आय-कर, रेल, तार, डाक आदि की नीतियाँ लोचदार हैं।

७. कोमलता का सिद्धान्त (Canon of Flexibility)—इस सिद्धान्त व अनुसार कर-पद्धति में कोई कठोरता नहीं होनी चाहिये। कोमलता के बिना कर-व्यवस्था में लोच नहीं रहे सगनी। कठोर कर-नीति में परिस्थिति के अनुसार परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बगाल का स्वामी बन्दायस्त कठोरता का

1—"Every tax ought to be so contrived as both to take out and keep out of the pockets of the people as little as possible, over and above what it brings into the public treasury of the state"

एक उदाहरण है। कोमलता का प्रभाव ही यथावत के आर्थिक सकटों का एक मुख्य कारण है।

८. सरलता का सिद्धान्त (Canon of simplicity)—ग्रामिटेज स्मिथ (Armitage Smith) के अनुसार "कर-बढ़ति सरल, सीधी और सर्व-साधारण के समझ में आने योग्य होनी चाहिये।" जटिल कर नीति से भ्रष्टाचार पनपता है, मुकदमेबाजी को प्रोत्साहन मिलता है तथा नागरिकों का नैतिक-स्तर गिरता है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध यह सिद्धान्त एक सर्वत्र चौकीदार या सतरी का कार्य करता रहता है। भारतवर्ष को आप-कर प्रणाली सरल नहीं है।

९. विभिन्नता का सिद्धान्त (Canon of Diversity)—इस सिद्धान्त के अनुसार कर भिन्न-भिन्न प्रकार के होने चाहिये ताकि राश्व को किसी विशेष कर पर प्राथित न रहना पड़े। करों की संख्या अधिक होने से उसका भार अपेक्षाकृत कम मान्य पड़ता है। इसलिये कर विभिन्न प्रकार के होने चाहिये जिससे कि सब नागरिकों से मोटा-बहुत रकमा प्राप्त हो सके। माय-ही-माय यह भी ध्यान रखना चाहिये कि करों की संख्या इतनी अधिक नहीं होनी चाहिये कि उन्हें वसूल करने में अधिक व्यय करना पड़े।

१०. श्रोचित्य का सिद्धान्त (Canon of Expediency)—इस सिद्धान्त के अनुसार वे कर ही लगाये जाने चाहिये जो वाञ्छनीय हों और जिनके देने में जनता शान्तिपूर्ण न करे। इसलिये राज्य द्वारा जब कभी कोई नया कर लगाया जावे तब सावधानी बरती जावे ताकि जनता का कम-से-कम विरोध हो।

११. एक-सा एक-रूप होने का सिद्धान्त (Canon of Uniformity)—निटी (Nitty) और कोनार्ड (Conard) नामक अर्थशास्त्रियों ने एक घोर सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है। उनके अनुसार एक-रूप (Uniform) होने चाहिये। परन्तु इनके दो अर्थ हो सकते हैं। क्या करों का भार प्रत्येक कर-दाता पर एक सा पड़ना चाहिये? यदि हाँ, तो उससे समान त्याग की ध्वनि निकलती है जो कर नीति में आवश्यक है। कुछ अर्थशास्त्री इसका अर्थ करों की समानता में लेते हैं जो भ्रष्टाचारों के लिये, आप-कर की दर तथा विक्रय-कर की दरों को समान करने से अनेक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती जायेंगी।

कर के प्रकार (Kinds of Taxes)—कर दो प्रकार के होते हैं :—

(१) प्रत्यक्ष कर, और (२) अप्रत्यक्ष कर।

(१) प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) प्रत्यक्ष कर वह कर है जिसका भार उसी व्यक्ति पर पड़े जिससे वह लिया जाता है। प्रो० जे० एस० मिल (J. S.

Mill) — वे अनुसार "प्रत्यक्ष कर उन्ही व्यक्तियों में विभाजित है जिनमें उसे लेने का सरकार का उद्देश्य है।" इन्हीं व्यक्ति स्वरूप करने हुए यों कहा जा सकता है कि प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है कि जिसका भार किसी अन्य व्यक्ति पर टापा नहीं जा सकता, पर्याप्त, जिस व्यक्ति पर वह लगता है उसी का वह कर देना पड़ता है। हैडले (Hadley) के शब्दों में "जिन करों का विवर्तन या बालन (Shifting) नहीं होना व प्रायश कर है, जिनका चालन शिवि पूर्वक हा नके तथा व्यापारिक प्रतियोगिता द्वारा द्विज दूसरा पर टापा जा सकता है अप्रत्यक्ष पराक्ष कर कहलाते हैं।" उदाहरण के लिये, आय-कर (Income-tax) एक प्रत्यक्ष कर है, क्योंकि आय-कर देने वाला अपना भार नहीं टाल सकता है।



(२) अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर (Indirect Tax) — अप्रत्यक्ष या परोक्ष कर वह कर है जिसका भार कर देने वाला अन्य व्यक्ति पर टाल सकता है। प्रो० जे० एस्० मित्र के अनुसार "अप्रत्यक्ष कर ऐसे व्यक्ति में इस आशा



1—“Direct tax is demanded from the very person who, it is intended or desired, should pay it” and indirect tax “demanded from one person in the expectation and intention that he should indemnify himself at the expense of another”

—J S mill, Principles of Political Economy, eg III, Book V

2—Hadley, Economics, pp 459 61

में लिया जाता है कि वह हमारे व्यक्तियों में वसूल कर प्रपनी हानि का पूनि कर लेया ।" बेस्टबल (Bastable) के शब्दों में 'प्रत्यक्ष कर, हवालों और बार-बार आने वाले समयों पर लगाय जाते हैं । विशेष अवस्थाओं में और नवी-कर्मों ही परोक्ष कर लगाय जाते हैं ।' बिक्री-कर ( Sales-tax ) इस श्रेणी का कर है । यद्यपि बिक्री का ही वह कर देना पड़ता है, परन्तु बड़े हुए मूल्य में वह उपभोक्ताओं में ही कर का वसूल कर देना है ।

प्रत्यक्ष करों से लाभ (Advantages of Direct Taxes)—प्रत्यक्ष करों में निम्नलिखित लाभ हैं :—

(१) राजनैतिक जाग्रति—प्रजातन्त्रात्मक शासन-प्रणाली में प्रत्यक्ष कर नागरिकता को भावना उत्पन्न करने में सहायक होते हैं । करदाता समझता है कि वह सरकार का कुछ दे रहा है तथा राजकीय कामों में उसका भी भाग एवं उत्तरदायित्व है । अतः वह राजनैतिक कार्यों में अधिक रुचि दिखाने लगता है ।

(२) न्यायसूक्ष्मता—प्रत्यक्ष कर न्यायसूक्ष्म होते हैं, क्योंकि कर प्रत्यक्ष व्यक्ति का सामर्थ्य के अनुसार ही लगाया जाता है ।

(३) प्रगतिशीलता—प्रत्यक्ष कर गतिशील ( Progressive ) होते हैं तथा उनके भार का सीमा पर धारकों में बाँटा जा सकता है और नियंत्रण जनता कर का भार से मुक्त रखी जा सकती है ।

(४) मितव्ययता—सरकार तथा कर-दाता के मध्य कोई मध्यस्थ न होने से कर कम लागत में वसूल हो सकता है । अतः वे कर मितव्ययी होते हैं ।

(५) उत्पादनशीलता—प्रत्यक्ष कर बड़े उत्पादक होते हैं । भारतवर्ष में आय-कर और मूल्य-कर दो प्रमुख कर हैं जिससे भारत सरकार को बड़ी आय हुना है ।

(६) लोच—प्रत्यक्ष कर बड़े सोचदार होते हैं । आवश्यकतानुसार उन्हें घटाया-बढ़ाया जा सकता है ।

(७) निश्चिन्ता—इन करों में प्राप्त होने वाली आय निश्चिन्त रहती है । अतः सरकार अपने बजट में उपरोक्त गणना निश्चिन्त रूप में कर सकती है । करदाता का भी यह ज्ञान रहता है कि उसे क्या, कहीं और कितना देना है ।

प्रत्यक्ष करों में हानियाँ ( Disadvantages of Direct Taxes )

(१) असुविधा—प्रत्यक्ष करों में करदाता को असुविधा भी होती है, क्योंकि उसे बहुत-से फार्म भरकर सरकार का देना पड़ते हैं और आय-व्यय का पूरा जतना ध्यारे-वार रखना पड़ता है । कर की पूरी राशि का एक दिन प्रत्यक्ष करना पड़ता है और उसके देने में करदाता को कष्ट होता है ।

(२) श्वेच्छाचारिता पूर्ण—प्रत्यक्ष करों का निर्धारण श्वेच्छा में होता है । अतः देश के किसी बड़े के साथ श्वेच्छा ही सकता है ।

---

1—“These taxes are direct which are levied on permanent and recurring occasions, while charges on occasional and particular events are placed under the category of indirect taxation

—Bastable Public Finance.

(३) ईमानदारी पर कर—कुछ विशेषतः ऐसे करो को सचाई या ईमानदारी पर कर ( Tax on Honesty ) कहते हैं, क्योंकि करदाता को उनमें बेईमानी का पलोभन रहता है। झूठा बही-खाता देकर कम कर दिया जा सकता है। फिर कर-प्रधिकारियों के भ्रष्ट होने की आशंका यनी रहती है। उन्हें पूरा देकर उनके सहयोग से करदाता झूठे बही-खाते सरलता से बना सकता है।

(४) कर से बचने की चेष्टा—कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से कर देने को तैयार नहीं होता। यदि देना भी पड़ तो न्यूनतम कर देना पड़े। इसलिये वह गवत हिसाब बना कर तथा अन्य प्रकार से कर से बचने का प्रयत्न करता है।

(५) लोकप्रियता का श्रमाय—प्रत्यक्ष कर लोकप्रिय नहीं होते हैं, क्योंकि कर सीधे दिये जाने में करदाताओं की बुरा लगता है। परन्तु अप्रत्यक्ष कर में कर देते समय यह पता नहीं लगता कि कब कर दिया गया।

(६) अल्प आय वालों से कर वसूल करने में कठिनाई—बोझी आय वालों पर प्रत्यक्ष कर लगाया ही नहीं जा सकता है, विशेष कर दैनिक मजदूरों पर काम करने वाले श्रमिकों तथा घरेलू नौकरों पर प्रत्यक्ष कर लगाना अत्यन्त कठिन है। साथ ही इस प्रकार से कर इकट्ठा करने का व्यय ही बहुत अधिक होता है।

(७) धन सचम भावना में ह्रास होने की सम्भावना—यदि कर को मात्रा में अत्यधिक वृद्धि कर दी जाय तो जनता में धन की वचन करने की भावना कम हो जाती है।

अप्रत्यक्ष या परोक्ष करों के लाभ

(Advantages of Indirect Taxes)

(१) सुविधापूर्णा—अप्रत्यक्ष कर बड़े सुविधाजनक होते हैं। ये प्रायः वस्तुओं के मूल्य में लिपटे होते हैं।<sup>१</sup> इसलिये करदाता को बिना हाथ टूट इनका भुगतान होता रहता है। इसके अतिरिक्त, ये एक मुस्त न देकर धीरे धीरे वस्तुओं के क्रय के साथ दिये जाते हैं जिसमें जनता को गह पना भी नहीं चलना कि उनमें कर लिया जा रहा है।

(२) लोकद्वार—आवश्यकतानुसार इनमें घटा-बढी की जा सकती है।

(३) निर्बलों से भी कर वसूली सम्भव—प्रत्यक्ष कर केवल धनी लोग ही देते हैं। परन्तु अप्रत्यक्ष कर निर्धन व्यक्ति भी देते हैं।

(४) मितव्ययी—इन्हे वसूल करने में विशेष व्यय नहीं होता है।

(५) ये टाले नहीं जा सकते—ये कर वस्तुओं के मूल्य में सम्मिलित होते हैं, इसलिये वस्तुओं को खरीदने तथा उनका उपभोग करते समय उन्हें अवश्य देना ही पड़ता है।

(६) लोकप्रियता—अप्रत्यक्ष कर बड़े लोकप्रिय होते हैं, क्योंकि ये इस प्रकार वसूल दिये जाते हैं कि करदाता को तनिक भी कष्ट नहीं होता है।

1—"Indirect taxes are wrapped up in the price"

(३) सामाजिक लाभ—इन करों से एक सामाजिक लाभ भी होता है। सरकार जिन हानिकारक वस्तुओं का उपयोग कम या नहीं करना चाहती (जैसे अफीम, शराब आदि) तो उन पर कर लगाकर उनका मूल्य बढ़ा सकती है। लाभदायक वस्तुओं को कर-मुक्त रखकर उनका उपयोग बढ़ा सकती है।

(८) समानता—वित्तिय वस्तुओं पर भारों को समान कर, करों का भार धनियों पर डाला जा सकता है।

(९) आय का विस्तृत क्षेत्र—परोक्ष करों की गणना से कर व्यवस्था का क्षेत्र बहुत विस्तृत किया जा सकता है। सरकार का आय के अनेक साधन मिल सकते हैं।

अप्रत्यक्ष या परोक्ष करों में हानियाँ

### (Disadvantages of Indirect Taxes)

(१) नागरिकता की भावना का अभाव—अप्रत्यक्ष करों द्वारा करदाता में नागरिकता की भावना उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि करदाता वस्तुओं के अर्थ करने समय यह अनुभव ही नहीं करता कि वह कर द्वारा उठे हुए मूल्यों के रूप में सरकार को भी धन दे रहा है।

(२) प्रतिगामी कर—यह कर प्रतिगामी (Regressive) होता है। इनका भार धनियों की अपेक्षा निम्नतर पर अधिक पड़ता है। उदाहरण के लिए, गमक कर धनिकों और निम्नतर मजदूरों को बराबर देना पड़ता है।

(३) अनिश्चितता—अप्रत्यक्ष कर अनिश्चित होते हैं। वस्तुओं के उपयोग की मात्रा का ठीक-ठीक अनुमान लगाना कठिन होता है। अतः सरकार द्वारा कर की मात्रा का नहीं अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है।

(४) उद्योग धर्मों पर प्रतिवृत्त प्रभाव—जिन वस्तुओं पर कर अधिक लगा दिये जाते हैं उनके उपयोग-प्रयोग के नष्ट होने की सम्भावना रहती है। विदेशों से सस्ते माल पर लगाया गया अधिक कर उसने लिए बहुत घातक सिद्ध होता है।

(५) सरकारी आय में हास होने सम्भव—वित्तिय वस्तुओं पर कर लगाने से उनका मूल्य बढ़ जायगा तथा उनकी माँग घट जायगी जिससे सरकार की आय भी कम हो जायगी।

(६) मितव्ययिता का अभाव—किसी इल करों में दूकानदार अंतर्गत कर-संग्रहकारी (Unpaid Tax-Collector) का कार्य करता है, परन्तु फिर भी उनमें कर वसूलने का अधिकार होता है। साधारणतया सरकार और धनिय उपभोक्ता के मध्य कोई मध्यस्थता प्राप्त है। वे कर की मात्रा को मिला कर वास्तविक मूल्य को बहुत कम देते हैं।

(७) लोच का अभाव—बहुत से कर लाचदार नहीं हैं, क्योंकि आय बढ नहीं पाती।

(८) छल-छपट एवं चोर-बाजारी की प्रोत्साहन—इन करों का दर अधिक होने से लोग अपने माल छिपकर भगाने और माल को चोर-बाजार में बेचने की प्रवृत्ति पैदा होती है जो सामाजिक और नैतिक दृष्टि में अत्यन्त हानिकारक है।

प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों का तुलनात्मक निष्कर्ष—प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष करों के कुछ दावा का अध्ययन करने से ज्ञान होता है कि कोई एक प्रकार के कर पर पूर्णतया विश्वास नहीं किया जा सकता । इन दोनों प्रकार के करों का उपयुक्त सामंजस्य ही उत्तम राजस्व माना जाता है । जिस प्रकार मनुष्य के चलने में दोनों पैरों की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार कर प्रणाली में इन दोनों प्रकार के करों का समावेस होना चाहिए । इंग्लैंड के प्रसिद्ध प्रधान मंत्री वॉडस्वर्थ ने एक समय कहा था कि प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर दो सुन्दर बहिना की भाँति हैं और एक चतुर राजस्व सचिव को दोनों का आदर करना चाहिए ।



एक विद्वान् मन्त्री का कर लगाते समय यह दर्शना चाहिये कि देश के सभी वर्गों पर कर का कुछ न कुछ भार पड़े । कितनी गन साधन में आय प्राप्त करने के लिये किसी एक वर्ग को अधिक कर-भार से सावना उचित नहीं है । इसलिये कर के जितने विभिन्न सामन्य रूपों का ही प्रयोजन । कर प्रणाली का प्रगतिशील (Progressive) रखने के लिये यह आवश्यक है कि सरकारी आय का अधिक भाग प्रत्यक्ष करों में प्राप्त हो, परन्तु अप्रत्यक्ष करों द्वारा भविकों के साथ-साथ विधवाओं को भी अपने सामर्थ्य के अनुसार राजकीय व्यय में कुछ न कुछ हाथ बढ़ाने का अवसर देना चाहिये ।

भारतवर्ष में कर-प्रणाली—मिथ्यान्तत प्रत्यक्ष कर ही अधिक बढ़ते हैं । यही कारण है कि आज सम्पूर्ण देश में प्रत्यक्ष कर ही अधिक लगाये जाते हैं । परन्तु भारत वर्ष में कर-प्रणाली ठीक प्रकार में संतुलित नहीं है । यह अप्रत्यक्ष या परोक्ष करों पर अधिक धनसंचयन है । अप्रत्यक्ष कर विधवाओं का अधिक भार व्यवहृत मिद्ध होते हैं । इस समय हमारे देश में आयात निर्यात कर (Customs & Duties), उत्पात कर (Excise Duty), विविध कर आदि प्रमुख परोक्ष कर के साथ ही और कबल आय कर (Income tax) ही महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष कर का साधन है । आज ही में उत्पात कर (Lstate Duty) का लगाने में प्रयत्न करके साधना में कुछ वृद्धि हो गई है ।

कर सघात और कर भार (Impact and Incidence of Tax)—  
 कर सघात ( Impact of Tax ) उस व्यक्ति पर होता है जो प्राथम्य में उभर देता है और कर भार (Incidence of Tax) उस व्यक्ति पर होता है जो अन्त में उभर सकेगा करता है । प्रत्यक्ष कर (Direct Taxes) में कर-सघात और कर-भार एक ही व्यक्ति पर रहता है । उदाहरण के लिये, जो व्यक्ति आय कर (Income-tax) देता है उसे इसका सघात (Impact) और भार ( Incidence ) दोनों ही सहन करने पड़ते हैं, क्योंकि उभर उभर अपनी उभर में देना पड़ता है । परन्तु अप्रत्यक्ष करों ( Indirect Taxes) में कर-सघात एक व्यक्ति पर और कर भार किसी अन्य व्यक्ति पर होता है । उदाहरण के लिये, यदि सूती वस्त्र पर उत्पादन कर ( Excise Duty ) लगा दिया जाय, तो प्रारम्भ में उभरका भुगतान उभर निर्यात सहन करता है और इस प्रकार इसका सघात (Impact) निर्माता पर ही पड़ता है । परन्तु वह इस कर का वजन के मूल्य में जोड़ देता है जो अनेक हस्तान्तरणों के पश्चात् उभर उपभोक्ताओं का सहन

करना पड़ता है। घतएव इसका भार ( Incidence ) वय के उपभोक्ताओं पर पड़ता है।

एक उत्तम कर-प्रणाली की विशेषताएँ (Characteristics of a Good Tax System)—एक उत्तम कर-प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएँ होनी चाहिए :-

(१) कर-निर्धारण के समस्त सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए—एक उत्तम कर प्रणाली कर के समस्त सिद्धान्तों पर आधारित होनी चाहिए। कर-प्रणाली न्याय, निरविवेकता, मितव्ययता, सुविधा, उत्पादकता, मोक्ष, वामनता विभिनता, औचित्य आदि सिद्धान्तों से परिपूर्ण होनी चाहिये।

(२) न्यूनतम त्याग के सिद्धान्त से परिपूर्ण होनी चाहिये—एक उत्तम कर-प्रणाली का न्यूनतम त्याग के सिद्धान्त (Principle of Minimum Sacrifice) के अनुसार समाज पर कम भार होना चाहिये।

(३) उत्पादन और वितरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ना चाहिये—एक उत्तम कर-प्रणाली वह प्रणाली है जिसका देश के उत्पादन और वितरण पर अनुकूल प्रभाव पड़ना चाहिये और यह हर प्रकार से मितव्ययता पूर्ण होनी चाहिये।

(४) सरल, उचित और लोचपूर्ण होनी चाहिये—एक उत्तम कर प्रणाली सरल, प्राथमिक रूप में उचित और लोचपूर्ण होनी चाहिये जिसमें कि उसमें नई आविष्कारों की पूर्ति हो सके।

(५) कर-प्रणाली इकहरी की अपेक्षा बहुरूपी होनी चाहिये—एक उत्तम कर-प्रणाली इकहरी कर पद्धति (Single Tax System) की प्रणाली बहुरूपी कर-पद्धति (Multiple Tax System) पर आधारित होनी चाहिये। वास्तव में, एक उत्तम कर प्रणाली का सदा गन्धर्व निवृत्त आधार होना चाहिये।

(६) प्रशासन की दृष्टि से सरल, योग्य तथा भ्रष्टाचार से मुक्त होनी चाहिये—एक उत्तम कर प्रणाली प्रशासन के दृष्टिकोण से सरल, योग्य तथा भ्रष्टाचार से मुक्त होनी चाहिये। यह भली प्रकार नियन्त्रित होनी चाहिए ताकि इन पर बेईमान व घोरबाज व्यक्तियों का कोई प्रभाव न पड़ सके।

(७) प्रगतिशील होनी चाहिये—एक उत्तम कर प्रणाली को प्रगतिशील होना चाहिये। इसे व्यक्ति, समाज और सरकार के दृष्टिकोणों का सामन रखने हुये निर्धारित विभाजित करना चाहिये।

(८) सद्भावनापूर्ण होनी चाहिये—एक उत्तम कर-प्रणाली पूर्ण रूप से सद्भावनापूर्ण होनी चाहिये। यह एक वास्तविक पद्धति होनी चाहिये कि मित मित कर का सप्रद-मात्र। प्रत्येक कर समस्त कर-प्रणाली में ठीक ठीक जम जाना चाहिये जिसमें कि यह मित-दुली सम्पूर्ण प्रणाली का एक अंग हो जस्य। इससे द्वारा अधिकतम सामाजिक लाभ का सिद्धान्त भी प्रकार पूर्ण होना चाहिये।

भारतीय कर-प्रणाली (Indian Tax-System)—एक उत्तम कर प्रणाली के गुणों के अध्ययन के पश्चात् यह जानना आवश्यक है कि भारतीय कर प्रणाली में वे गुण किस सोमा तक पाये जाते हैं। वास्तव में दृष्टि से भारतीय कर-प्रणाली सुन्दर है। पीछा देने की क्षम अधिक सम्भावना नहीं। कर प्रणाली



उत्पादन, सरल, सुविधाजनक, मितव्ययी, कोमल तथा बहुरूपी है। देश का प्रत्येक नागरिक राज्य को कुछ-न कुछ देता ही है। वृषक लगान देता है तथा उत्पादन-कर तथा शराब-कर में श्रमिक भी हाथ बटाता है। परीक्षा करों को उचित स्थान प्राप्त है। भारतीय कर प्रणाली को लोच हम इसी से ज्ञात होती है कि हमने किस सकलता के साथ परतन्त्र तथा निर्धन होने हुए भी गत् महायुद्ध का व्यय सहन किया है। परन्तु इतना होते हुए भी यह कोई आदर्श कर-प्रणाली नहीं कहा जा सकती है, क्योंकि इसमें अनेक दोष पाये जाते हैं।

भारतीय कर-प्रणाली के दोष (Defects of Indian Tax System)—  
भारतीय कर प्रणाली में निम्नलिखित दोष पाये जाते हैं :—

(१) वैज्ञानिक ढंग से आयोजित नहीं है—भारतीय कर-प्रणाली अस्त-व्यस्त है तथा वैज्ञानिक ढंग में आयोजित नहीं है। कर-भार तथा कर का उत्पादन व वितरण पर पठने वाले प्रभावों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है।

(२) संतुलन का अभाव है—भारतीय कर-प्रणाली संतुलित नहीं है। देश में परोक्ष करों की भरमार है। यहाँ केवल आय-कर ही मुख्य प्रत्यक्ष कर का साधन है।

(३) मितव्ययतापूर्ण नहीं है—भारतीय कर-पद्धति मितव्ययतापूर्ण नहीं है, क्योंकि यह भारतीय उद्योग और वितरण पर उचित प्रभाव नहीं डाल रही है। इसके अतिरिक्त प्रशासन सम्बन्धी अतिधिक व्यय होता है। सुरक्षा पर इतना अधिक व्यय होकर है कि राष्ट्र निर्माण कार्यों में लिये बहुत कम बच रहता है।

(४) न्यायपूर्ण नहीं है—यह कर पद्धति न्यायपूर्ण नहीं है क्योंकि लगान, चुन्नी, श्रावणकारी और यहाँ तक कि रेलवे किराया कुल मिलाकर निम्नता द्वारा धनिकों की अपेक्षा अधिक दिया जाता है।

(५) प्रगतिशील नहीं है—भारतीय कर-प्रणाली प्रगतिशील भी नहीं है। भारत में आय-कर ही एक ऐसा कर है जो धनिकों द्वारा अधिक दिया जाता है किन्तु इसकी प्रगति भी इतनी ढाबू नहीं है जितनी कि होनी चाहिए।

(६) अनिश्चिततापूर्ण है—भारतीय कर प्रणाली अनिश्चिततापूर्ण है। इसलिये भारतीय वृद्ध 'भारतमून का जुमा' माना गया है।

(७) अनुदार तथा अजिन और अनाजित आय में विशेष भेद करने वाली नहीं है—भारतीय कर-प्रणाली अति अनुदार तथा अजिन और अनाजित आय में विशेष भेद करने वाली नहीं है।

(८) करों के आय के साधन अपर्याप्त एवं लाचरीय हैं—हमारे करो द्वारा आय के साधन बहुत कम हैं तथा उनमें लोच का प्रभाव है। केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की आय बहुत कम है।

(९) करों की दरों में समानता का अभाव है—देश में करों की दरें सब जगह एक-सी नहीं पाई जाती हैं तथा कर-प्रणाली में उपयुक्त सामंजस्य का भी अभाव है। उदाहरण के लिये, बिक्री कर (Sales Tax) भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न दरों से वसूल किया जाता है। कई राज्यों में वृषि आय-कर से मुक्त है।

(१०) केन्द्रीय, राज्य तथा स्थानीय करों की आय का विभाजन दोष पूर्ण है—सबसे अधिक आय वाले कर के माध्यम केन्द्रीय सरकार को दिये गये हैं, राज्य सरकारों को कम और स्थानीय सरकारों को बहुत ही कम भाग के साधन प्राप्त हैं।

सुधार के लिये सुझाव (Suggestions for Reform)—(१) हमारे कर-प्रणाली का पुनर्निर्माण एवं पुनर्संरूढ़न आवश्यक है। कर-भार के प्रभाव का पूर्ण रूप में परोक्षता होना चाहिये। (२) प्रत्यक्ष करों का अधिक घबलम्बन लेना चाहिये। (३) भूमि-लगान, जल-शुल्क (Water Charge) जीवनार्थ आवश्यक-वस्तुओं (Necessaries of Life) आदि पर कर पटा कर और ऊँची आय पर कर की दरें बढ़ा कर भारतीय कर-प्रणाली को प्रगतिशील (Progressive) होने के दोष में बचाया जा सकता है। (४) देश के सब राज्यों में केन्द्रीय सरकार के निर्देशानुसार एक-सो (Uniform) कर-दरें होनी चाहिये। (५) सर्वजनिक व्ययों में भी घोर परिवर्तन आवश्यक है। सुरक्षा (Defence) तथा प्रशासन (Administration) सम्बन्धी व्ययों में भारी कमी की जाय और सामाजिक सेवाओं व राष्ट्र-निर्माण सम्बन्धी कार्यों में अधिक व्यय किया जाय। (६) करों का भार योग्यता तथा बलिदान के आधार पर वितरित करना चाहिये। वर्तमान कर-प्रणाली को अधिक मितव्ययी, लोचपूर्ण तथा न्यायपूर्ण बनाना चाहिये।

अनुपातिक प्रगतिशील और प्रतिगामी कर-प्रणालियाँ (Proportional, Progressive & Regressive Tax System)—अनुपातिक कर-प्रणाली के अन्तर्गत कर आय के अनुपात में निर्धारित होता है, अर्थात् अनुपातिक कर वह है जिसमें आय का चाहे जो भी अंश हो वही दर व प्रतिशत लिया जाता है। उदाहरणार्थ २,००० रु० वार्षिक आय वाले व्यक्ति पर ५% के हिसाब से १०० रुपये कर लगाया जाता है, तो २०,००० रुपये की आय पर वह १,००० रु० होगा।

प्रगतिशील कर-प्रणाली—इस प्रणाली के अन्तर्गत कर की दर आय के साथ-साथ बढ़ती है। प्रगतिशील कर का सिद्धान्त यह है कि जितनी अधिक आय हो उतना ही अधिक कर होता है और उमकी दरें भी आय की वृद्धि के साथ-साथ बढ़ती हैं। एक निर्धन व्यक्ति के लिये एक रुपये का मूल्य एक धनिक की तुलना में बड़ी अधिक है, उदाहरणार्थ, यदि २००० रु० वार्षिक आय पर ५% से १०० रु० और २०,००० रु० पर १०% से २,००० रु० कर हों, अर्थात् अनुपात में अधिक हों, तो उन्में प्रगतिशील कर कहा जायेगा। राजस्व प्रगतिशील कर प्रणाली के प्रोत्साहन को सभी स्वीकार करते हैं। प्राधुनिक राजस्व शास्त्रियों ने अनुसार प्रगतिशील कर-प्रणाली द्वारा ही समानता या योग्यता के सिद्धान्त को रक्षा की जा सकता है। प्रो० मार्शल ने विनिरणाल्यक दृष्टि में इसकी पुष्टि की है और कीन्स ने प्रगतिशील कर-प्रणाली को पूर्ण रोजगार नीति का अनिन्व्र भग माना है। निस्सन्देह प्रगतिशील कर-प्रणाली को विभिन्न वर्गों की आय को समानता की ओर ले जाने का उत्तम साधन बनाया जा सकता है।

प्रतिगामी कर-प्रणाली—जब कर आय के अनुपात में कम अनुपात पर लगाया जाता है, तो उसे प्रतिगामी कर कहते हैं। अर्थात् अर्द्धी में, जब कर का भार धनवानों की अपेक्षा विधनों पर अधिक पड़ता है, तो यह प्रतिगामी कर कहा जाता है। यह प्रगतिशील कर का विपरीत उन्त्य है। उदाहरणार्थ, यदि २,००० रु० वार्षिक आय

पर १% से १०० रु० कर है और २०,००० रु० आय पर ३% से ६०० रु० कर लिया जाय, तो उसे प्रतिगामी कर कहेंगे। कोई भी सम्पत्ति एवं विवेकीय सरकार ऐसा कर नहीं लगाती जिसमें आय के बढ़ने के साथ कर घटना जाता हो। यह अनुचित होगा। परन्तु वस्तुधा पर लगने वाला ऐसे बहून्-से कर है जिनका भार मुख्यतः निरर्थकों पर ही पड़ता है। भारतीय नगद-कर भी प्रातगामी कर माना जाता था, क्योंकि उसका भार धनवानों की अपेक्षा निरर्थकों पर ही अधिक था। वास्तव में इस कर का धनवानों को तनिक भी अनुभव नहीं होता।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

#### इन्टर मार्ट्स परीक्षाएँ

- १—प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों पर मसिफ्ट टिप्पणियाँ लिखिये।
- २—प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों का अन्तर स्पष्ट कीजिये और प्रत्यक्ष के लाभ तथा हानियाँ बताइये। (रा० वी० १९६०, ५७)
- ३—कर किसे कहते हैं ? शुल्क (Fees) और मूल्य (Price) से इनका अन्तर स्पष्ट कीजिये। अण्डे कर के गुणों का वर्णन करिये। (रा० वी० १९५३)
- ४—एक अच्छी कर प्रणाली की क्या विशेषताएँ हैं ? भारतीय कर-प्रणाली को व्याख्या करिये। (रा० वी० १९४९)
- ५—कर क्या है ? प्रत्यक्ष तथा परोक्ष करों में अन्तर स्पष्ट करिये। उदाहरण भी दीजिये। (रा० वी० १९५२)
- ६—एडम स्मिथ द्वारा प्रतिपादित कर सिद्धान्तों का उल्लेख करिये। (सागर १९४८, नागपुर १९५१, रा० वी० १९५६, ५१, ५३)
- ७—प्रत्यक्ष और परोक्ष करों का आशय समझाइये और इनके सापेक्षिक लाभ हानियों का वर्णन करिये। भारत सरकार ने कौन कौन प्रत्यक्ष और परोक्ष कर लगा रखे हैं ? (रा० वी० १९४९ ४७ ४१ ४१)
- ८—कर मघात और कर भार का अन्तर स्पष्ट करिये। उत्तर में तीन भारतीय उदाहरण दीजिये।
- ९—कर की परिभाषा लिखिये और कर के मुख्य लक्षणों का वर्णन करिये।
- १०—प्रत्यक्ष और परोक्ष करों का अन्तर बताइये। इसमें किसको प्राथमिकता दी जाना चाहिये और क्या ? भारतीय कर प्रणाली के विभिन्न करों की उपयुक्त दो श्रेणियाँ में वर्गीकृत कीजिये। (रा० भा० १९५७)
- ११—व्यारोपण के 'सामर्थ्य सिद्धान्त (Canon of Ability)' को समझाइये। भारत में इसका पालन किन करों में होता है ? (सागर १९५२, रा० भा० १९५३)
- १२—कर की परिभाषा लिखिये और कर के सिद्धान्तों का वर्णन करिये।

#### इन्टर एपोकल्चर परीक्षा

- १३—कर लगाने के सिद्धान्त क्या हैं ? विक्री कर लगाना कहाँ तक उचित है ?

भारत में केन्द्रीय राजस्व  
(Central Finance in India)

भारतीय राजस्व की विशेषताएँ (Characteristics of Indian Finance)—भारतीय राजस्व निम्नलिखित बातों में प्रभावित होता है —

१ कृषि उद्योग की प्रधानता—भारत व अधिकांश निचली श्रेणी के घोर रूप से उपभोग की अधिकांश वस्तुएँ स्वयं ही उत्पाद करते हैं। उह कवन लोहा, नमक, दिग्दर्शक मिट्टी के तेल आदि के लिये दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है। परन्तु सरकार उन्हीं वस्तुओं पर कर लगा सकती है जो बर्हा जाते हैं।

२ कृषि निर्भरता—भारतवर्ष की अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है और कृषि स्वयं प्रतिरिक्त वर्षों पर निर्भर होती है। अतः भारतीय कृषि वर्षों का उपाय बना हुआ है। इस प्रतिरिक्तता के कारण केन्द्रिय तथा राज्य सरकारों के वज्र भी प्रतिरिक्त रहते हैं। अनापूर्ति के कारण मालगुजारी की आय छूट के कारण कम हो जाती है बिनाको तकावी अल्प देना पड़ता है तथा अकाल पीडिता की सहायता का प्रबन्ध करना पड़ता है। केन्द्रिय वित्त मंत्री को भी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ता है क्योंकि आयत बरा और उत्पादन करा की आय घट जाती है। रेलों की आय भी कम हो जाती है।

३ निर्धनता—भारतवर्ष पर निधन देस होने के कारण यहाँ के निवासियों की बर देने की शक्ति बहुत कम है जिससे सरकार को पर्याप्त आय प्राप्त नहीं होती है। इस प्रकार भारत सरकार को आय व साधन सीमित होने में यह स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य जनोपयोगी कार्यों पर अधिक व्यय नहीं कर सकती।

४. केन्द्रीय सरकार पर अत्यधिक निर्भरता—भारतीय जनता प्राचीन काल से ही केन्द्रीय सरकार की मुतापनी रही है। वह सभी कार्यों के लिये प्राणा केन्द्रीय सरकार से ही करती है। अतः भारत में केन्द्रीय राजस्व अधिक महत्वपूर्ण बना हुआ है। इस कारण भारतवर्ष में स्वनाम राजस्व का समुचित विकास नहीं हुआ है।

५ भारतीय वज्र पर मेना व्यय का अत्यधिक प्रभाव—केन्द्रिय सरकार की आय का एक बड़ा भाग सैन्य पर खर्च किया जाता है जिसके कारण राष्ट्र निर्माण सम्बन्धी कार्यों की घोर ध्यान नहीं दिया जाता।

केन्द्र और राज्यों का राजस्व सम्यन्व—२६ नवम्बर १९४६ को स्वतंत्र भारत का नया संविधान स्वीकृत हुआ और २६ जनवरी १९५० में वह भारतीय गणराज्य में लागू हुआ। नये संविधान में प्रस्तावित गई वित्त व्यवस्था माध्यमस्तर पर १९३५ के विधान में दी हुई व्यवस्था पर ही आधारित है। भारतवर्ष एक संघीय राज्य है।

केन्द्र के अतिरिक्त प्र व न् द श्रेणियों के कई राज्य कुछ बातों में पूर्णतया स्वतन्त्र हैं। केन्द्र तथा राज्यों के मध्य कुछ आर्थिक सम्बन्ध स्थापित हैं। इन सम्बन्धों का आधार केन्द्र और राज्य की सरकारों के कार्य विभाजन पर निर्भर है। जो कार्य केन्द्र को करते हैं उनके व्यय का उत्तरदायित्व भी केन्द्र पर ही आता है और उनकी आय भी उसी को मिलती है। इसी प्रकार जो कार्य राज्य के करण के हैं उनसे सम्बन्धित व्यय तथा आय का उत्तरदायित्व राज्यों पर है। इसके अनिश्चित, भारतीय संविधान में इन बातों का भी ध्यान रखा गया है कि केन्द्र और राज्य दोनों का आय के पर्याप्त साधन प्राप्त हों। विनियम परिस्थितियों में केन्द्र द्वारा राज्यों को आर्थिक सहायता देने का भी विधान किया गया है। राज्यों की राजस्व व्यवस्था पर केन्द्र को आवश्यक नियन्त्रण रखने का भी अधिकार प्राप्त है।

भारतीय राजस्व के प्रकार—भारतीय राजस्व मुख्यतः तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है—(१) केन्द्रीय राजस्व, (२) राज्यों का राजस्व, और (३) स्थानीय राजस्व।

(१) केन्द्रीय राजस्व (Central Finance)—केन्द्रीय सरकार के व्यय व्यय को केन्द्रीय राजस्व कहते हैं। इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के व्यय के साधनों और व्यय की मदों का अध्ययन किया जाता है।

(२) राज्यों का राजस्व—इसके अन्तर्गत राज्य सरकारों का व्यय के साधनों और उनके व्यय के मदों का अध्ययन किया जाता है।

(३) स्थानीय राजस्व (Local Finance)—इसके अन्तर्गत स्थानीय साधन व्यवस्थाओं जैसे नगरपालिका, जिला परिषद् तथा ग्राम पंचायतों के व्यय-व्ययों का अध्ययन किया जाता है।

केन्द्रीय सरकार के व्यय के मुख्य साधन (Main Sources of Revenue of the Central Government)—नये संविधान के अनुसार भारतवर्ष में केन्द्रीय सरकार की आय के मुख्य साधन निम्नलिखित हैं—

१. आयात-निर्यात कर (Customs & Duties)—यह एक परोक्ष कर (Indirect Tax) है जो देश के बाहर जाने वाली तथा देश के भीतर आने वाली वस्तुओं पर लगाये जाते हैं। इन्हें प्रथम निर्यात कर (Export Duties) और आयात कर (Import Duties) भी कहते हैं।

आयात-निर्यात कर का मुख्य उद्देश्य सरकार के राजस्व को पूर्ण करना है। परन्तु आयात-कर देश के उद्योग-धन्दा को संरक्षण (Protection) देने के लिए भी लगाये जाते हैं। सन् १९१४ से पूर्व हमारे यहाँ आयात करों का मुख्य उद्देश्य राजस्व ही था, परन्तु प्रथम महायुद्ध के पश्चात् देश में भारतीय उद्योग-धन्दा के संरक्षण के लिए प्रबल आन्दोलन हुआ जिससे परिणामस्वरूप सरकार का बड़े वस्तुओं को संरक्षण प्रदान करना पड़ा। सरकार द्वारा नियुक्त प्रत्येक मण्डल (Tariff Board) समय-समय पर इन सम्बन्धों में सरकार को सलाह देता रहता है।

आयात-निर्यात कर दो प्रकार में लगाये जाते हैं—मूलानुसार और परिमाणानुसार। (१) मूलानुसार कर (Ad Valorem) मूल्य के प्रतिशत के रूप में वसूल किया जाता है। (२) परिमाणानुसार कर (Specific Duty) सत्या, वाक

या विस्तार के अनुसार लगाया जाता है। भारतवर्ष में अधिकतम आयात-निर्गत कर मूल्यानुसार ही लगाया जाता है।

आयात-निर्गत कर सशेष सरकार की आय का मुख्य साधन है। इसमें कुल आय का लगभग ४०% प्राप्ति होता है। द्वितीय महायुद्ध में कुल पूर्ण अवधि सन् १९३८-३९ और सन् १९३९-४० में आयात-निर्गत कर से आय क्रमशः ४०.५१ और ४३.९४ करोड़ रुपये की थी। महायुद्ध काल में तथा उसके उपरान्त इन करों की दरों में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई और धनक नई वस्तुओं पर यह कर लगा दिये गये हैं जिनमें इस कर द्वारा भारत सरकार की आय बढ़ गई है। यह वृद्धि निम्नांकित सारणी से स्पष्ट हो जाती है :—

वर्ष	आय (करोड़ रु०)	वर्ष	आय (करोड़ रु०)
१९४६-४७	८९२	१९४५-४६	१६५.००
१९४८-४९	१२६.२	१९४८-४९	१३६.००
१९४०-४१	१५७.२	१९४९-५०	१६०.००
१९४३-४४	१७०.०	१९६०-६१	१६०.००

गुण ( Merits )—(१) आयात-निर्गत कर सशेष सरकार की आय के मुख्य साधन है। (२) ये सुविधाजनक होते हैं। (३) इनमें लोच होती है। (४) ये सत्यापक भी हैं। (५) राजनैतिक भावना को जाग्रत करने के लिए यह कर विषयों से भी वस्तुतः किये जा सकते हैं। (६) यह कर सरलता से नहीं टाले जा सकते।

दोष ( Demerits )—(१) आयात-निर्गत करों का भार निर्यात पर अधिक पड़ता है। (२) यह कर प्रतिस्पर्धित होते हैं जिससे उनके द्वारा होने वाली आय का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। (३) यह कर विलम्बतया पूर्ण नहीं होते हैं क्योंकि सरकार और प्रनिम कर-दाता के बीच में कई मध्यस्थ होते हैं जिनमें वस्तु का मूल्य कर की माया में अधिक बढ़ जाता है। ये कर दाताओं में नागरिक भावना जाग्रत करने में अधिक मकर नहीं होते हैं क्योंकि कर-दाताओं को यह ज्ञान नहीं होता है कि वे सरकारी कोष में कर के रूप में कुछ दे रहे हैं।

केन्द्रीय उत्पादन कर (Central Excise Duties)—ये वे उत्पादन की जाने वाली वस्तुओं पर जो कर लगाया जाता है, उसे उत्पादन कर कहते हैं। उत्पादन-कर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों दोनों ही लगाता है। राज्य सरकारें ता केवल देशी शराब, अंग, गीजा आदि जैसी नशीली वस्तुओं के उत्पादन तथा विपरीत पर यह कर लगाने हैं और शेष वस्तुओं पर केन्द्रीय सरकार कर लगाने है। इस अर्थ में हमारे देश में केन्द्रीय सरकार द्वारा चाकर, दिव्यामर्चाई, मोटर, सिगरेट, मिट्टी का तेल, पीतल, टाइम-माय, लम्बाक, वनस्पति घी, बहवा, चाय, बीजना, सापसिन्धु, मुपाही, मुती वस्तु आदि पर उत्पादन-कर लगाया जाता है। उत्पादन-कर में भी केन्द्रीय सरकार की आय में पर्याप्त वृद्धि हुई है। जहाँ सन् १९३७-३८ में उत्पादन कर से लगभग ६ करोड़ रुपये की आय थी, वहीं सन् १९५४-५५ में १००.२२ करोड़ रुपये प्राप्ति किये गये और सन् १९६०-६१ में ३६१.४१ करोड़ रुपये की

आया हुआ है। निम्न तालिका द्वारा उत्पादन कर से होने वाली आय तुलनात्मक दृष्टि से देखी जा सकती है —

वर्ष	आय (करोड़ रुपये में)	वर्ष	आय (करोड़ रुपये में)
१९३६-४०	६१३	१९४६-४७	१४४.४४
१९४६-४७	४३.००	१९४८-४९	३०१.१४
१९५०-५१	७१.४०	१९५६-६०	३५०.८२
१९५४-५६	१४०.००	१९६०-६१	३६१.४१

केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा उत्पादन-कर लगाने की समस्या— जिस वस्तु का बाजार राष्ट्रीय है उस पर उत्पादन-कर केन्द्रीय सरकार लगाये तथा जिस वस्तु का बाजार प्रादेशिक है उस पर उत्पादन कर प्रादेशिक या राज्य सरकार लगाये तब तो यह ठीक है कि यह कर दोनों सरकारों द्वारा लगाया जाना चाहिये परन्तु अब राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व दिनों दिन बढ़ रहा है, उन्हें अधिक खर्च की आवश्यकता है। इसलिये यदि सब प्रकार के उत्पादन-कर लगाने का अधिकार राज्य सरकारों को दे दिया जाय, तो बहुत ही अच्छा है। इसके अतिरिक्त, कारखानों से उत्पन्न बहुत ही समस्याओं का हल राज्य-सरकारों को ही बनना पड़ता है जिसके लिये राज्यसरकारों को बहुत-सा खर्चा व्यय करना पड़ता है। अस्तु, इन कारखानों में उत्पन्न होने वाली वस्तुओं पर जो उत्पादन कर लगाया जाय उसकी आय भी राज्य सरकारों को ही मिलनी चाहिये। एक बात और भी है कि नगीली वस्तुओं पर धातुकर्म प्रतिबंध लगाया जा रहा है जिससे इनका उपयोग तथा उत्पादन घीरे-घीरे कम हो जायगा। फलतः उत्पादन कर भी कम हो जायगा जिससे राज्य सरकारों को पाग पड़ने लगेगा। अतः इसको पूरा करने के लिये यह कर राज्यसरकारों को सौंप दिया जाय।

स्वदेशी उद्योगों के संरक्षण से भारी आयत कर की आवश्यकता पड़ी जिसके फलस्वरूप आयात गिरे और सरकार को आय कम होने लगी। इस कमी को पूरा करने के लिये उत्पादन-कर लगाये गये जैसे तम्बाकू, सिगरेट, सूई तथा बरत, राखर, दियासलाई, टायर, चाय, कोयला, मोटर स्प्रिंट, पम्पस्पति उपज, इस्पात की वस्तुएँ, साबुन, गुपारी, कागज आदि। करक्षेपण जाँच आयोग के मतानुसार मिट्टी के तेल, चीनी, दियासलाई, चाय तथा कपड़े पर तो करों की दर बढ़ाई जाये तथा साथ-साथ सिसाई की मशीन, तेल, ऊनी वस्त्र, विद्युत्, विजली के बल्ब पर नीची दरों से उत्पादन कर लगाया जाय।

उत्पादन-कर के गुरु—यह कर परोक्ष कर ( Indirect Tax ) है। इसके निम्नलिखित लाभ हैं :—

(१) यह कर सुविधाजनक है, क्योंकि इससे वस्तुओं के साथ मिले रहने से कर-शाला को इसका ज्ञान भी नहीं होता। (२) नागरिक भावना को जाग्रत करने के लिये यह निषेधा से भी वस्तुन क्रिया जा सकता है। (३) यह लोचदार भी होता है,

क्याकि यह जीवनार्थ आवश्यक वस्तुओं पर लगाये जाते हैं। (४) इसे सरलता से टाला नहीं जा सकता।

दोष—(१) विलाम वस्तुओं के अनिश्चित यह जीवनार्थ आवश्यक वस्तुओं पर भी लगाया जाता है, इसलिये इसका भार अधिकतम निम्नता पर पड़ता है। (२) यह वित्तव्ययतापूर्ण नहीं होता है, क्योंकि सरकार और अनिश्चित करदाता के बीच में कई मध्यस्थ आ जाते हैं और वे वस्तु के मूल्य को कर की मात्रा से अधिक बढ़ा देते हैं। (३) यह कर अनिश्चित भी होता है, क्योंकि इसके द्वारा होने वाली आय का ठीक अनुमान नहीं लगाया जा सकता। (४) यह औद्योगिक विकास में अवरोधक सिद्ध होता है।

सन् १९५२ के वित्त आयोग ( Finance Commission ) ने हाल ही में यह प्रस्तावित किया है कि सम्बन्ध विपत्तिकाई और वनस्पति उत्पादन के सघीय उत्पादन कर की शुद्ध आय का ४०% भाग राज्यों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बाँट देना चाहिये।

आय कर ( Income Tax )—भारत सरकार की आय का मुख्य साधन आय कर है। यह कर भारतवर्ष में सबसे प्रथम सन् १८६० ई० में सन् १८५७ के गदर द्वारा हुई आर्थिक हानि को पूरा करने के लिये लगाया गया था, परन्तु सन् १८६५ में यह स्थगित कर दिया गया इसके स्थान में सन् १८८६ में घाटा और व्यापार पर कर लगाया गया जो उच्चो वर्ष में पुनः आय कर में परिवर्तित कर दिया गया। इस प्रकार आय कर एक स्थायी आय का साधन सन् १८८६ से ही प्रारम्भ हुआ। कोष की आवश्यकतानुसार समय-समय पर आय कर की दरों में परिवर्तन होता रहा है। सन् १९१६ में प्रथम बार प्रगतिशीलता के सिद्धांत (Principle of Progression) का समावेश किया गया था। सन् १९२२ में एक विस्तृत आय कर विधान पार किया गया और उसमें समय-समय पर परिवर्तन किये गये। सन् १९३६ में पाट प्रणाली (Slab System) को अपनाया गया।

आजकल यह कर सन् १९२२ के आय कर विधान के अन्तर्गत लगाया जाता है। आय कर संप्रह करने का उत्तरदायित्व भारत सरकार के ऊपर है, परन्तु सर्वा काठने के पक्षानु को शुद्ध आय रहती है उसका ५५% भाग राज्य सरकारों में निम्न प्रकार वितरित कर दिया जाता है —

राज्य	आय कर	मृत्यु कर
आन्ध्र	२४४	३४६
बिहार	६६४	१०५७
बम्बई	१५६७	१२१७
मध्य प्रदेश	६७२	७४६
मद्रास	८४०	७५६
मैसूर	५१४	६५२
उड़ीसा	३७३	४४६
पश्चिमी बंगाल	१००८	७५६
पंजाब प्रदेश	८१२	६३८
केरल	३६४	३५४



राजस्थान	****	४*०३	४*७१
उत्तर प्रदेश	****	१६*३६	१५*६४
जम्मू काश्मीर	***	१*१३	१*७५
		<u>१००*००</u>	<u>१००*००</u>

आयकर उन्हीं व्यक्तियों पर लगाया जाता है जिनकी वार्षिक आय ३००० रु० से अधिक हो। संयुक्त हिन्दू परिवार (Joint Hindu Family) पर आय-कर तभी लग सकता है जब उसकी आय ६००० रु० से अधिक हो। वर्तमान आय-कर की दरें निम्नलिखित हैं—

कुल आय के	३००० रु० पर	• •	कुछ नहीं
आय के अगले	२००० रु० पर	•	३ प्रतिशत
आय के अगले	२५०० रु० पर	***	६ "
आय के अगले	२५०० रु० पर	****	६ "
आय के अगले	२५०० रु० पर	***	११ "
आय के अगले	२५०० रु० पर	•	१४ "
आय के अगले	५००० रु० पर	••	१८ "

अब अर्जित आय (Earned Income) नहीं होती है उसके स्थान पर बच्चों का लाभ (Childrens' Benefit) मिलता है। एक बच्चे पर ३०० रु० और दो पर ६०० रु० और यदि अधिक भी हो तो ६०० रु० ही कुल लाभ में और गुमार हो जायेंगे। उदाहरणार्थ, यदि व्यक्ति के ५ बच्चे हैं तो उनकी पहले ३६०० रु० की आय पर कुछ भी आय कर नहीं लगेगा और बाक की आमदनी पर ऊपर दी हुई प्रणाली के अनुसार कर लगेगा। इसी प्रकार जीवन बीमा विधियों के लिये दी गई राशि पर भी कर की छूट (Rebate) दी जाती है, परन्तु ऐसी कुल राशि आय के चौथे भाग से अधिक नहीं हो। बीमा विधियों पर अधिकतम ६,००० रु० तक छूट मिल सकती है। रिज व्यक्तिवा की आय २०,००० रु० से अधिक होनी है उनको आय-कर के अलावा अतिरिक्त-कर (Super-Tax) भी देना पड़ता है जो सम्पूर्ण कन्द्रीय सरकार द्वारा रख लिया जाता है। युद्धकाल में आय कर के अतिरिक्त अधिक लाभ कर (Excess Profit Tax) लागू किया गया था, परन्तु अब यह कर स्थगित कर गया है।

वर्ष	आय (करोड़ रु० में)	वर्ष	आय (करोड़ रु० में)
१९४६-४७	८७*५	१९४८-४९	१६२*५०
१९४७-४८	६५*५४	१९४९-५०	१५२*५०
१९४६-४७	१५१*७४	१९५०-५१	१३५*००

आय कर के गुण—(१) आय-कर सक्म अर्जित प्रत्यक्ष-कर (Direct Tax) है। (२) यह करदाता की सामर्थ्य के अनुसार लगाया जाता है। (३) इसका भार अल्प व्यक्तियों पर पड़ता है। (४) यह न्यायपूर्ण है, क्योंकि जिस व्यक्ति के ऊपर अधिक भार पड़ता है उसका ठीक ठीक निर्भय किया जा सकता है। (५) यह

तोषदार है, क्योंकि आय के घटने-बढ़ने के साथ साथ यह भी पढ़ाया-बढ़ाया जा सकता है। (६) यह कर निश्चित है। (७) यह कर नित्यव्ययतापूर्ण भी है, क्योंकि न-र-स-प्र-ह का व्यय कम पड़ता है। (८) इसमें नागरिक भावना जाग्रत होती है।

दोष—(१) कुछ अंश तक यह कर अनुविधानिक होता है, क्योंकि कर-दाता को हिसाब-किताब रखने और फार्म भरने आदि में पर्याप्त कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। (२) यह ईमानदारी पर लगाया गया कर है। करदाता भूटा हिसाब-किताब रख कर इससे बच सकता है। (३) यह गृहस्थों के सदस्यों की सख्या पर कोई ध्यान नहीं देता। इससे अधिक व्यक्ति वाले परिवार पर इसका भार अधिक पड़ता है। (४) यह उपाजित और अनुपाजित वृद्धि में पर्याप्त अन्तर नहीं करता। (५) रुपि-आय पर केन्द्रीय आय कर नहीं लगता। रुपि-आय के कर मुक्त रहने का कोई न्यायपूर्ण कारण नहीं है।

निगम या कम्पनी कर ( Corporation Tax )—वह कर होता है जो सीमित दायित्व वाली सयूक्त पुँजी की कम्पनियों पर इसलिये लगाया जाता है कि इन कम्पनियों को कानून में विशेष सुविधाएँ मिली हुई होती हैं जिनके कारण वे अधिक पुँजी एकत्रित कर सकती हैं। सब कम्पनियाँ को समान सुविधाएँ होने से समान कर देना होना है। इस कारण यह अनुपातिक-कर (Proportional Tax) है। भारत में सब कम्पनियों को यह कर देना होता है और कोई न्यूनतम सीमा कर देने की नहीं है। कम्पनियों के कुल मुद्र लाभ पर यह कर लगता है। कम्पनियों पर लगने वाला एक प्रकार से अतिरिक्त लाभ (Super-Tax) ही चॉरपोरेशन कर है। अतिरिक्त कर की भाँति चॉरपोरेशन कर भी राज्यों में वितरित नहीं किया जाता है बल्कि सम्पूर्ण राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा ही रख ली जाती है। इस समय इससे केन्द्रीय सरकार को लगभग १३५ करोड़ रुपयों की वार्षिक आय होती है। चॉरपोरेशन-कर द्वारा केन्द्रीय सरकार की विगत वर्षों की आय निम्न प्रकार है :—

वर्ष	आय (करोड़ रु० में)	वर्ष	आय (करोड़ रु० में)
१९५१-५२	३२७३	१९५८-५९	५६००
१९५२-५४	३८४०	१९५९-६०	७८००
१९५६-५७	४११८	१९६०-६१	१३५००

अफीम कर (Opium Duty)—अफीम के उत्पादन तथा वितरण दोनों ही पर भारत सरकार का एकाधिकार है। पोस्त को लाइसेंस (प्रनुजा पत्र) लेकर ही बोया जा सकता है और उसका लाइसेंस लेने वाले को अपना सम्पूर्ण उत्पादन सरकार के हाथ बेचना पड़ता है। इसको सरकारी कारखानों में बनाया जाता है। सरकार को इसके लाभ पर एकाधिकार में प्राय होती है। पहले भारतवर्ष से करोड़ों रुपये की अफीम चीन को जाती थी और इसमें बड़ी आय होती थी। अब चीनो लोगों ने अफीम खाना बन्द कर दिया है केवल श्रीलंका के सिधे थोड़ी अफीम विदेशों को भेजी जाती है। अतः इस स्रोत से आय बहुत कम होती है। सन् १९५३-५४ में १.९६ करोड़ और सन् १९५७-५८ में ३.२८ करोड़ रुपयों की आय हुई। सन् १९६०-६१ में इस मद से ५.६९ करोड़ रुपयों की आय का अनुमान लगाया गया है।

**सम्पदा शुल्क (Estate Duty)**—वह कर है जो किसी मनुष्य की मृत्यु के पश्चात् उसकी सम्पत्ति (चल और अचल) के मूल्य पर कानून द्वारा निश्चित सीमा से अधिक राशि होने पर लगाया जाता है। इसे उत्तराधिकार (Inheritance) भी कहते हैं। मृत्यु-कर भारतीय संसद द्वारा सन् १९५३ में स्वीकृत किया गया तथा १५ अक्टूबर १९५३ से लागू किया गया। इसका उद्देश्य आर्थिक विपन्नता दूर करना है। मृत्यु कर मनुष्य की समस्त चल और अचल सम्पत्ति पर निम्न प्रकार लगाया गया है :-

प्रथम ५०,००० रु० पर कुछ नहीं	
५०,००० रु० से १ लाख रु०	.... ५%
१ लाख रु० से १२ लाख रु०	.... ७½%
१२ लाख रु० से २ लाख रु०	.... १०%
२ लाख रु० से ३ लाख रु०	.... १२½%
३ लाख रु० से ५ लाख रु०	.... १५%
५ लाख रु० से १० लाख रु०	.... २०%
१० लाख रु० से २० लाख रु०	.... २५%
२० लाख रु० से ३० लाख रु०	.... ३०%
३० लाख रु० से ५० लाख रु०	.... ३५%
५० लाख रु० से ऊपर....	.... ४०%

वय	भाय (लाख रु०)
१९५५-५६	१८१
१९५६-५९	२५०
१९५९-६०	२८५
१९६०-६१	३००

**धन कर (Wealth Tax)**—वह कर है जो किसी मनुष्य की सम्पूर्ण सम्पत्ति (चल या अचल) पर कानून द्वारा निश्चित सीमा से अधिक राशि होने पर लगाया जाता है। सम्पत्ति कर भारतीय संसद द्वारा सन् १९५७ में स्वीकृत किया गया तथा १ अप्रैल १९५७ से लागू किया गया। सम्पत्ति-कर मनुष्य की समस्त चल और अचल सम्पत्तियों पर निम्न प्रकार लगाया गया है :-

प्रथम २ लाख रु०	....	कुछ नहीं
२ लाख से १० लाख तक	...	½ प्रतिशत
१० लाख से २० लाख तक	....	१ प्रतिशत
२० लाख से अधिक पर	....	१½ प्रतिशत

सन् १९५९-६० में इस कर से १२ करोड़ रु० की आय हुई और सन् १९६०-६१ में ७० करोड़ रु० की आय का अनुमान लगाया गया है।

**उपहार-कर (Gift Tax)**—वह कर है जो किसी मनुष्य पर, यदि वह १०,००० रु० से अधिक किसी व्यक्ति को दान के रूप में देता है, तो सरकार उम पर निश्चित की गई प्रणाली के अनुसार टैक्स लगाने में है। दान-कर भारतीय संसद द्वारा सन् १९५८ में स्वीकृत किया गया तथा १ अप्रैल १९५८ से लागू किया गया। सन् १९५८-५९ में इस कर से ३ करोड़ रु० की आय का अनुमान लगाया गया है।

**व्यय-कर ( Expenditure Tax )**—यदि कोई व्यक्ति अपनी आय में से ६०,००० रु० प्रतिवर्ष से अधिक खच करता है तो सरकार इस सीमा में अधिक राशि सर्व करने पर निश्चित दर में टैक्स लगाती है। खच कर भी १ अप्रैल १९५० से शुभ हो गया है। इस कर में मन् १९६० ६१ में ६० लाख रु० का अनुमान लगाया गया है।

**नमक-कर (Salt Tax)**—यह एक बहुत पुराना परंपरा कर है जो भारतवर्ष में अंग्रेजों के पहले से ही चला आ रहा है। इस कर में भारतवर्षीय बड़ असनुष्ण थे। इसलिये स्वर्गीय महात्मा गांधी ने सन् १९३१ में नमक कर तोड़ने का आन्दोलन चलाया। इस कारण जब भारतीय नेताओं ने भारत की आगडोर संभाली तो १ अप्रैल १९४७ से इस कर को हटा दिया और अब नमक खाने के लिए न किमो लाइसेंस की आवश्यकता है और न कर ही देना आवश्यक है।

**नमक कर के पक्ष की तर्कें**—(१) नमक कर में केन्द्रीय सरकार का प्रति वर्ष लगभग ६ करोड़ रुपय की आय हो जाती थी। (२) यह एक परीय कर है और करदाता इसे अनुभव नहीं करते। (३) इसका दर भार बहुत ही कम है अर्थात् यह प्रति मनुष्य प्रति मास १ पैसा यानी ३ आने प्रति वर्ष पड़ता है जो कुछ भी भार नहीं है। (४) प्रत्येक नागरिक को कुछ न-कुछ कर सरकार को देना ही चाहिये। इस दृष्टि से भारत जैसे निधन देश में निम्ना में भी कर वसूल करने के लिए नमक कर ही सर्वोत्तम साधन है। (५) यह एक पुराना कर है। पुराना कर एक अन्ध कर समझा जाता है, क्योंकि लोग इसके आदी हो जाते हैं और वह उन्हें असह्यता नहीं है।

**नमक कर के विपक्ष की तर्कें**—(१) नमक का प्रयोग स्वास्थ्यप्रद जीवन के लिये आवश्यक होने से दूर पर कर लगाना रैडिकल दृष्टि में अ-आदर्श है। (२) यह प्रतिपत्नी कर ( Regressive Tax ) है, क्योंकि इसका भार धनवानों की अपेक्षा निर्धनों पर अधिक पड़ता है। (३) यह व्यापक नहीं है। निधन नमक का उपयोग अधिक मात्रा में करते हैं, इसलिये उन्हें यह कर अधिक मात्रा में देना पड़ता है। (४) इस कर के प्रति जन साधारण का विरोध रहता है।

**निष्कर्ष**—नमक कर का देश के स्वतन्त्रता संग्राम में अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्ध रहा है। स्वर्गीय राष्ट्रपिता का नमक कर विरोधी आन्दोलन भारतवर्ष की स्वाधीनता में अपना गौरवपूर्ण स्थान रखता है। अब नमक कर को पुनः लगा देना महात्मा गांधीजी की आत्मा को कष्ट पहुँचाना होगा।

### बिना कर के आय के साधन (Sources of Non tax Revenue)

**सरकारी व्यवसाय (State Enterprises)**—भारत सरकार ने व्यापारिक विभागों में रेल, डाक व तार, चल मुद्रा और टकसाल मुख्य हैं।

**रेलें (Railways)**—सन् १९०० तक भारतीय रेलें घाटे में चलती रहीं थी। इसके पश्चात् रेलों ने लाभ कमाना प्रारम्भ किया और वे केन्द्रीय सरकार की आय का मुख्य साधन बन गईं। सन् १९३१ तक रेलों ने कुल ४२ करोड़ रुपय सरकार को दिये। १५ अगस्त सन् १९४७ से पश्चात् ७ मास तक रेलों का किसी प्रकार का कोटि लाभ न हुआ किन्तु २७५ करोड़ रुपय का घाटा हुआ जो रेलवे के गुरगित कोष में से

पूरा किया गया। सन् १९५९-६० में ५७५ करोड़ रुपये केन्द्रीय सरकार को रेल विभाग में असादान प्राप्त हुआ। सन् १९६०-६१ में ५६४ करोड़ रु० की आय का अनुमान लगाया गया है।

**डाक व तार ( Post & Telegraph )**—यह आय का अत्यन्त महत्वपूर्ण साधन नहीं है। ये विभाग मुख्यतया जग-रूपाण के लिये ही चलाये जाते हैं। सन् १९५३-५४ तथा सन् १९५७-५८ में इन विभागों से होने वाली आय क्रमशः २४० और १२३ करोड़ रुपये थी। सन् १९६०-६१ में ४७ लाख रु० की आय का अनुमान लगाया गया है।

**चल मुद्रा और टक्काल ( Currency & Mint )**—मुद्रा और टक्काल भी सरकार की आय का एक प्रमुख साधन है। भारत में सांकेतिक सिक्कों का ही चलन है जिससे सरकार को लाभ होता है। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हो जाने से अब उसकी कुल आय भारत सरकार को ही मिलती है। राष्ट्रीयकरण से पूर्व भी इसने असाधारण रूप से एक निश्चित दर से लाभ विभाजित किया जाता था और उससे अधिक लाभ भारत सरकार को ही मिलता था। सन् १९३८-३९ में केन्द्रीय सरकार को २० लाख रुपये रिजर्व बैंक से लाभ के रूप में मिले। सन् १९४८-४९ में यह बढ़ कर ९८ करोड़ रुपये हो गये। सन् १९५३-५४ और सन् १९५४-५५ में इन मदों की आय क्रमशः १५७४ और २०७५ करोड़ रुपये थी। सन् १९५८-५९ में ३६६२ करोड़ रुपये की आय हुई और सन् १९६०-६१ में ५०२२ करोड़ रु० की आय का अनुमान लगाया गया है।

**ऋण व्यवस्था ( Debt Services )**—केन्द्रीय सरकार राज्या एवं औद्योगिक संस्थाओं की ऋण भी देती है। ऋण पर प्राप्त व्याज वृद्धि में ऋण-व्यवस्था के मद में दिखाया जाता है। सन् १९५८-५९ में व्याज में ८३६ करोड़ रुपये की आय हुई और १९६०-६१ में १५११ करोड़ रु० की आय का अनुमान लगाया गया है।

**अन्य साधन ( Other Sources )**—नगर-निर्माण और विविध सार्वजनिक विकास कार्य ( Civil Works & Miscellaneous Public Improvements )—इससे सन् १९५३-५४ में २२९ करोड़ रुपये और सन् १९५७-५८ में २७८ करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। सन् १९५८-५९ में २७८ करोड़ रुपये की आय अनुमानित की गई है। विविध ( Miscellaneous ) में सन् १९५८-५९ में २९२१ करोड़ रुपये प्राप्त हुए और सन् १९६०-६१ में ३९७३ करोड़ रु० प्राप्त होने का अनुमान लगाया गया है।

## केन्द्रीय सरकार के व्यय

### (Expenditure of the Central Government)

**रक्षा व्यय ( Defence Expenditure )**—भारत सरकार के कुल व्यय का एक बड़ा भाग रक्षा पर व्यय होता है। द्वितीय महायुद्ध के पूर्व रक्षा-व्यय ५५ करोड़ के लगभग था। युद्धकाल में यह बहुत अधिक बढ़ गया। युद्धोपरालयकाल में भी यह काफी अधिक रहा है। निम्न तालिका में रक्षा-व्यय तुलनात्मक दृष्टि से देखा जा सकता है :—

वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)	वर्ष	व्यय (करोड़ रुपये में)
१९४४-४५	३९७.१०		
१९४७-४८	१८९.२१	१९५८-५९	२६६.८७
१९५०-५१	१६४.१३	१९५९-६०	२४३.७०
१९५६-५७	१९२.१५	१९६०-६१	२७०.२६ (बजट अनुमान)

प्रस्तुत तालिका में यह स्पष्ट है कि केन्द्रीय सरकार वर्तमान में लगभग २०० करोड़ रुपये अर्थात् ५०% के लगभग प्रति वर्ष रक्षा पर व्यय करती है। इस वृद्धि के कई कारण हैं—(१) पुरानी रियासतों का रक्षा-व्यय भी केन्द्रीय सरकार के पास आ गया है। (२) काश्मीर के भंग के कारण भी व्यय बहुत हो रहा है। (३) मैलिक शिक्षा के प्रसार से भी व्यय बढ़ रहा है। (४) समुद्री एवं वायुयान तथा अन्य सैनिक सामान के खर्च के कारण भी इस मद पर व्यय बढ़ रहा है। (५) भारत और पाकिस्तान के सम्बन्ध ठीक नहीं होने तथा अन्तर्राष्ट्रीय क्षत्र में वृद्धि की आशंका बनी रहने के कारण भी रक्षा व्यय में वृद्धि होना पाया जाता है। अस्तु, निकट भविष्य में देश का रक्षा-व्यय कम होने की आशा नहीं की जा सकती।

**राजस्व के प्रत्यक्ष व्यय ( Direct Demands on Revenue )**—शर वसूल करने के लिये सरकार को कर्मचारियों के वेतन आदि में व्यय करना पड़ता है। सन् १९३८-३९ में यह व्यय ४.२४ करोड़ रुपये था। सन् १९५३-५४ में २९.८३ करोड़ और सन् १९५७-५८ में ६२.९७ करोड़ रुपये इस मद पर खर्च किये गये। सन् १९५८-५९ में बजट-अनुमान ९४.४२ करोड़ रुपये का है।

**ऋण-सेवास्वय ( Debt Services )**—केन्द्रीय सरकार ने जो ऋण ले रखा है उनका ब्याज उसे चुकाना पड़ता है और उसके भुगतान के लिये कुछ रूपया अलग कोष में जिसको ( Sinking fund कहते हैं ) रक्षित पड़ता है। सन् १९३८-३९ में यह व्यय १४.१२ करोड़ रुपये था। सन् १९५३-५४ में ४०.८२ करोड़ और सन् १९६०-६१ में १०७.३३ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान लगाया है।

**नगर प्रशासन ( Civil Administration )**—नगर प्रशासन व्यय में सामान्य शासन, विदेशों से सम्बन्ध-व्यय, पुलिस, शिक्षा स्वास्थ्य आदि के सभी व्यय सम्मिलित होते हैं। युद्ध एवं युद्धोपरान्त काल में कर्मचारियों की संख्या एवं उनके वेतन में वृद्धि होने के कारण इस व्यय में पर्याप्त वृद्धि हो गई थी। स्वराज्य प्राप्ति के पश्चात् इस व्यय में और अधिक वृद्धि होने के मुख्य कारण ये हैं कि विदेशों में अनेक दूतावास ( Embassies ) स्थापित किये गये तथा भारत में सदर के सदस्यों, मंत्रियों और अन्य अधिकारियों की संख्या बढ़ गई।

व्यय के इस मद में वे शिक्षा और स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यों पर बहुत कम खर्च किया जाता है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि शासन-संचालन पर होने वाले व्यय को घटाकर राष्ट्र-निर्माण कार्यों पर अधिक व्यय किया जाय। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने सन् १९४७ में बजट-समिति ( Economy Committee ) नियुक्त

की, जिनमें अपनी रिपोर्ट में व्यय में कमी करने की आवश्यकता पर जोर दिया था। परन्तु, उक्त मन्त्रिणी की गिफारिती को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया। इस मद पर सन् १९५३-५४ में ६४ १६ करोड़ रुपये और सन् १९५८-५९ में १९९९ ७२ करोड़ रुपये व्यय किये गये। सन् १९६०-६१ में २६७-७६ करोड़ रुपये व्यय करने का अनुमान लगाया गया है।

**चलन मुद्रा और टकसाल (Currency and Mint)**—इस मद में मुद्रा चलन व टकसाल आदि का व्यय तथा विनियम-बदल गिर जाने में जो हानि होती है, सम्मिलित है। सन् १९५३-५४ में २ ६० करोड़ और सन् १९५८-५९ में ९ १४ करोड़ रुपये व्यय किये गये। सन् १९६०-६१ में १०-२७ करोड़ रुपये व्यय किये जाने का अनुमान है।

**नगर निर्माण और विविध सार्वजनिक विकास-कार्य (Civil Works and Miscellaneous Public Improvements)**—जो राशि शिक्षा, चिकित्सा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, राजकीय कार्यालय, सरकारी इमारतों, प्रकाश गृह व सड़कों आदि के बनवाने में खर्च की जाती है, वह इस मद के अन्तर्गत आती है। इन्हें राष्ट्र निर्माण-व्यय (Nation Building Expenditure) भी कहते हैं। सन् १९५३-५४ में १३ ८४ करोड़ और सन् १९६५-६६ में १८ ३२ करोड़ रुपये व्यय किये गये। सन् १९६०-६१ में २०-३२ करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है।


**केन्द्रीय और राज्य सरकारों के बीच असादान और समापोजन (Contribution and Adjustments between Central and State Governments)**—केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को अनेक कार्यों जैसे शिक्षा, सड़कों, स्वास्थ्य आदि के हेतु अनुदान देती है। राज्यों को अनुदानों को केन्द्रीय सरकार द्वारा निश्चित विधियों तथा स्वीकृत कार्यों के लिये व्यय करना पड़ता है। इस सम्बन्ध में सन् १९५३-५४ में २५-९१ करोड़ रुपये और सन् १९६५-६६ में ४६ ९४ करोड़ रुपये व्यय किये गये। सन् १९६०-६१ के बजट अनुमान के अनुसार ५१-०१ करोड़ रुपये व्यय किये जायेंगे।

**असाधारण मदें (Extraordinary Items)**—इन मदों में सन् १९५३-५४ में ११ ७८ करोड़ रुपये और सन् १९५८-५९ में १५-२१ करोड़ रुपये व्यय किये गये। सन् १९६०-६१ में ३३-७५ करोड़ रुपये का अनुमान लगाया गया है।

## केन्द्रीय सरकार का बजट

### (Budget of the Central Government)

केन्द्रीय सरकार द्वारा निकाले गये आय-व्यय विवरण को केन्द्रीय सरकार का बजट कहते हैं। इसमें केन्द्रीय सरकार की आय तथा व्यय की सभी मदों का व्योरा होता है। द्वितीय महायुद्ध के समय में बजट में घाटे की कोई सम्भावना नहीं थी, किन्तु युद्धोपरान्त युद्ध के पूर्व की भाँति बजट में पुनः घाटा होने लगा जो १९४९-५० तक चलता रहा। सन् १९४९-५० में बजट में ४८ लाख रुपये की बचत बतायी गई, किन्तु वास्तव में ३ ७४ करोड़ रुपये का घाटा रहा। १९५०-५१ और १९५१-५२ में घाटा नहीं हुआ। सन् १९५३-५४ में ८-५ करोड़ की बचत हुई, परन्तु सन् १९५६-



५७ में कोई बचत नहीं हुई। अनुमानित बजट के अनुसार मई १९६०-६१ में ६०३७ करोड़ रुपये का घाटा है।

भारत सरकार का राजस्व तथा व्यय  
(केन्द्रीय बजट)

राजस्व	[लाख रुपयों में]		
	बजट १९५९-६०	संशोधित १९५९-६०	बजट १९६०-६१
सीमा शुल्क	१३२,७७	१६०,००	१६०,००
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	३२४,३२	३५०,८२	३५८,६१
निगमकर नियम कर के प्रतिरित आय	५८,७५	७८,००	१३५,००
पर कर	८७,६३	७२,६८	५२,९४
मृत सम्पत्ति शुल्क	१४	९	१०
सम्पत्ति कर	१३,००	१२,००	७,००
रेल किराया कर	११	(-)	११
व्याज कर	१,००	८०	९०
दान कर	१,२०	८०	८०
अपीम	३,६२	४,२६	५,६९
व्याज	१०,७५	८,२७	१५,७१
असैनिक प्रदायन	३५,८०	४७,५४	५३,१९



मुद्रा और टकमान	५५,६०	५५,८७	५७,२२
अर्थात्मिक निर्माण कार्य	३,००	३,१३	३,०४
राजस्व के अन्य व्यय	८१,६३	३५,००	३६,७३
टाक और तार—सामान्य			
राजस्व में वास्तविक			
अनुदान	४,२०	४,१६	४७
रेलें—सामान्य राजस्वमें			
वास्तविक अनुदान	५,६८	५,७५	५,६४
जोड़—राजस्व	७८०,१०	८३८,६६	८६६,४५
			+२३,५३)

### केन्द्रीय वजट एक दृष्टि में (१९६०-६१)

आय—२१६\*६८ करोड़ रु०

व्यय—६००,३५ करोड़ रु०

घाटा—६० ३७ करोड़ रु०

(लाक्ष रुपयों में)

व्यय	वजट १९५६-६०	समाधित १९५६-६०	वजट १९६०-६१
राजस्व से प्रत्यक्ष व्यय	१०१,६५	१०३,५४	१०७,३३
सिन्धु	१६	१४	१७
ऋण-अवस्था	५७,८८	६५,१४	७४,१६
अर्थात्मिक प्रशासन	२२२,७३	२३३,३५	२६७,७६
मुद्रा और टकमान	६,८३	६,८६	१०,२७
अर्थात्मिक निर्माण और विविध			
सार्वजनिक सुधार कार्य	१६,३५	१८,६४	२०,३२
पेंशनें	६,६३	१०,००	१०,११
विविध—			
विरथापितों पर व्यय	१६,६६	२५,१७	२०,२८
अन्य व्यय	७१,३०	७३,०२	१११,७०
राज्यों को अनुदान आदि	४६,०२	४८,६८	५१,८१
अनाधारण मदें	३५,२६	२२,९१	३३,७५
रक्षा मेन्बार् (वास्तविक)	२४२,६८	२४३,७०	२७२,२६
जोड़—व्यय	८३६,१८	८५४,०५	९००,३५

(-)५६,०८ (-)१५,३६ (-)६०,३७

नये करो से २३\*५३ करोड़ रु० की आय—दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्ति पर है और तृतीये पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हान का समय निम्न आ गया। उधर उत्तरी सोना पर चीन ने जो अनाधारण परिस्थिति उत्पन्न कर दी है, उसकी भी लगेगी नहीं की जा सकती। इसलिए यह रक्षात्मक ही था कि वजट में घाटा हो और नये कर लगाये जायें। तथापि केवल २३\*५३ करोड़ रु० के नये कर लगाये गये हैं तो

सभासना में अधिक नहीं है। अधिकार कर अप्रत्यक्ष कर हैं और वे उद्योग पर लगाने गये हैं। लोहा, टीन व अलुमिनियम की कारों, गाड़ियों के इंजन, बिजली मोटरों पर नये कर से जनता को विशेष हानि नहीं होगी। सादाकिल के पुर्जों, वृत्तों और बिजली के बल्बों तथा पत्तों पर भी कुछ कर लगे हैं, इतका प्रभाव मध्यम वर्ग पर पड़ेगा। यद्यपि मध्यम वर्ग पहले से ही पीड़ित वर्ग है, परन्तु फिर भी यह बोझ असह्य नहीं है और न प्रतिदिन पड़ने वाला बोझ है। इनकी बोझों को घोषणा एक नई चीज है जो जुआ होते हुए भी जनता की जेब से पैसा खींचने और दग तरह मुद्रा संकोच में शायद एक भय तक सहायक हो सके।

इस बजट में जिता प्रकार आय की बढ़ाने का प्रयत्न किया गया है, उसी प्रकार बड़े हुए व्यय को कोई कदम नहीं उठाया गया है। प्रायः प्रत्येक मंत्र पर व्यय बहुत बढ़ गया है और इन कारणों से यदि पिछले वर्ष संशोधित बजट के अनुसार धाटा १५ ३६ करोड़ था तो इस वर्ष धाटा ६०-३७ करोड़ अनुमानित किया गया है। वस्तुतः सरकार को चाहिये कि वह प्रत्येक मंत्रालय में होने वाले अनावश्यक व्ययों को जाँच पड़ताल करे। सांस्कृतिक कार्यों पर होने वाला अधिकार व्यय आसानी से स्थापित किया जा सकता है। विभिन्न मंत्रालयों के प्रकाशनों में भी व्यय कम हो सकता है। यदि मजदूर वेज में मन्त्रियों से उद्घाटन समारोह और भाषणों के चित्र व स्टाक बंद हो जायें और कामज की किस्म साधारण कर दी जाय तो एक विपुल राशि बच सकती है।

केन्द्रीय सरकार के बजट सम्बन्धी कुछ सुझाव—(१) हिन्दू-मुसल-परिवारों के लिये ६००० रुपये वार्षिक आय पर कर की छूट बहुत कम है। परिवार को प्रत्येक शाखा से शुभक-पुष्पक कर लिया जाना चाहिये। (२) आय-कर से बचने के लिये बहुत-सी आय छिपाकर लोग सरकार को धोखा देते हैं। इसको बन्द करने से अप्रत्यक्ष करों में छूट हो सकती है। (३) अन्य देशों की भाँति भारत में भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिक्रिस्ता आदि जन-हित कार्यों पर विशेष व्यय करना चाहिये। (४) जीवनार्थ आवश्यक वस्तुओं पर कर बहुत कम होना चाहिये। (५) बचत समितियों की सिफारिश के अनुसार नमक वर पुनः लगाने से सरकार को ६-१० करोड़ की आय सुविधा से हो सकती है, क्योंकि छूट होने पर भी नमक सस्ता नहीं हो सका। स्वतन्त्रता-प्राप्ति ने पश्चात् नमक का कर-मुक्त रखना, कोई कारण नहीं रह गया है। (६) राष्ट्र की उन्नति के लिये शितव्ययता अपेक्षित है। बिना किसी विशेष प्रयोजन के सरकारी कार्यालयों तथा मंत्रालयों में कर्मचारियों की कृति नहीं होने चाहिये।

योजना और भारतीय राजस्व—द्वितीय पंचवर्षीय योजना के ४६०० करोड़ रुपये के कुल व्यय में केन्द्रीय सरकार २,५६६ करोड़ रुपये खर्च करेगी और राज्य सरकारें २,२४१ करोड़ रुपये खर्च करगी।

द्वितीय-पंचवर्षीय योजना का खर्च निम्नलिखित साधनों द्वारा पूरा किया जायगा : पुराने परों से ३५० करोड़ रुपये, नये परों से ४५० करोड़ रुपये, सार्वजनिक ऋण १,२०० करोड़ रुपये, बजट के अन्य साधनों से ४०० करोड़ रुपये, रेलवे अशदान से १५० करोड़ रुपये, प्रॉजिडेन्ट फण्ड से २५० करोड़ रुपये, विदेशी सहायता से ६०० करोड़ रुपये, षट्ठे के अर्थ प्रवन्धन से १,२०० करोड़ रुपये, योग ४४०० करोड़ रुपये—योग ४०० करोड़ रुपये अन्य देशों से प्राप्त किये जायेंगे।

१,२०० करोड़ रुपये के धाटे में से २०० करोड़ पाँच पावना से प्राप्त हो जायेंगे; परन्तु फिर भी १००० करोड़ रुपये का मुद्रा प्रसार करना पड़ेगा।

### अभ्यासार्थ प्रश्न


#### इष्टर आर्ट्स परीक्षाएँ

- १—भारत सरकार के आय-व्यय के मुख्य साधन क्या है ? पंचवर्षीय योजना के लिये आवश्यक धन कैसे प्राप्त किया जा रहा है ?
- २—भारत के केन्द्रीय सरकार के आय-व्यय की मदों का उल्लेख करिये ।
- ३—निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिये :—  
 सम्पत्ति (wealth) तथा व्यय कर (रा० बो० १९५८)  
 आयकर, (म० भा० १९५४), उत्पादन शुल्क, विक्री कर (अ० बो० १९५८)  
 भारतीय युनियन-सरकार की आय-व्यय की महत्त्वपूर्ण मदें । (म० बो० १९६०)
- ४—केन्द्रीय सरकार की मुख्य आय के साधनों तथा व्यय की मदों का विवेचन कीजिये । (रा० बो० १९५८, ५२, ५०)
- ५—भारतीय युनियन सरकार की आय-व्यय की महत्त्वपूर्ण मदें कौन-कौन-सी हैं ? (म० बो० १९५७)
- ६—भारत सरकार की आय के स्रोत कौन-कौन से हैं ? प्रत्येक स्रोत का संक्षेप में विवेचन कीजिये । (अ० बो० १९५६, पू०)
- ७—उत्पादन-कर के लागू रहने के पक्ष और विपक्ष में युक्तियाँ दीजिये । (म० बो० १९५१, ४८)
- ८—क्या आप नमक कर को दुबारा लागू करना चाहेंगे । यदि हाँ, तो क्यों ? (अ० बो० १९५१)
- ९—केन्द्रीय सरकार की आय का वर्गीकरण 'टैक्स-आय' और 'नॉन-टैक्स आय' में कीजिये । (अ० बो० १९४०)
- १०—भारत सरकार के मुख्य स्रोतों और व्यय-मदों का उल्लेख करिये और उनके सांकेतिक महत्त्व का वर्णन कीजिये । (रा० बो० १९५६, म० भा० १९५२)
- ११—भारत सरकार और भारतीय राज्य सरकारों की आय-व्यय की मदों का संक्षेप में वर्णन कीजिये । (दिल्ली हा० सै० १९५५)

प्रारम्भिक—भारतीय सविधान २६ जनवरी, १९५० से सम्पूर्ण देश पर लागू कर दिया गया। इसके अन्तर्गत भारतीय प्रान्तों व राज्यों का वर्गीकरण मुख्यतः क ख और ग भागों में कर दिया गया था। क भाग में स्वतन्त्रता प्राप्त के पूर्व के प्रान्त सम्मिलित थे और ख भाग में देशी रियासतों व ग भाग में चीफ कमिश्नरी प्रान्त और कुछ नये प्रान्त सम्मिलित थे। राज्य पुनसंरगठन अधिनियम १९५६ के अनुसार भारतीय सघ में अब १४ राज्य तथा ६ क्षेत्र हैं। इन राज्य सरकारों की आय व्यय की निम्नलिखित मद है।

राज्य सरकारों की आय की मुख्य मदें—

आय-कर तथा केन्द्र से सहायता—कुल आय कर का लार्चा काटने के पश्चात् ५५% भाग्य राज्यों को मिलता है। इस मिलने वाले भाग्य को प्रत्येक ५ वर्ष पश्चात् वित्त-आयोग निर्धारित किया करेगा। बूट निर्धारित कर भी सम्पूर्ण आय सविधान के अनुसार केन्द्रीय सरकार को जाती है। परन्तु इसके बदले में केन्द्रीय सरकार पश्चिमी बंगाल, बिहार, आन्ध्र, उड़ीसा को एक निश्चित राशि सहायता अनुदान में देता है। विकास योजनाओं को सफल बनाने के लिए राज्य सरकारों को केन्द्र से एक निश्चित राशि प्राप्त होती है। समय समय पर केन्द्र राज्य-सरकारों को ऋण भी देता ही रहता है।



मालगुजारी (Land Revenue)—यह अत्यन्त प्राचीन कर है और राज्यों की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है। राज्य सरकारों का केवल गद्दी प्रत्यक्ष-

वर (Direct Tax) है और इससे उनको कुल आय का काफी बड़ा भाग मिलता है। पश्चिमी घागल जैसे राज्यों में स्थायी वन्दोवस्तु के कारण मालगुजारी की आय में वृद्धि नहीं हो पाई है, परन्तु अस्थायी वन्दोवस्तु वाले सभी राज्यों में इसकी आय में कुछ वृद्धि प्रवृत्त हुई है, यद्यपि यह बहुत कम है। कर की दृष्टि से मालगुजारी में कई दोष पाये जाते हैं—(१) इसमें नीच का प्रभाव है, क्योंकि इसकी आय में अधिक परिवर्तन नहीं होता। (२) यह अनुविधाजनक है, क्योंकि इसकी वसूल करने में बड़ी रकत से काम लिया जाता है और फल के नष्ट हो जाने पर ता किसानों को सर्वेसर्व विरधी रखकर मालगुजारी चुकानी पड़ती है। यद्यपि उन्हें छूट अवश्य दे दी जाती है परन्तु उससे कोई विशेष सहायता नहीं होती। (३) धनी एवं निर्धन सभी को ही समान दर पर मालगुजारी देनी पड़ती है जिससे निर्धन को धानानों की अपेक्षा अधिक बलिदान करना पड़ता है। (४) धार्मिक प्रगति के कारण भूमि के मूल्य में वृद्धि होने से सरकार को विषय लाभ नहीं होता। (५) द्रव्य मितव्ययता का भी अभाव है, क्योंकि भारतवर्ष में मालगुजारी की जाच समार भर में अधिक जटिल एवं लचीली होती है। (६) इसकी वसुली का आधार सब राज्या में एकसा नहीं है, क्योंकि कहीं पर यह उत्पत्ति का आधार पर वसूल की जाती है ता कहीं पर उत्पत्ति के मूल्य के आधार पर। (७) जमींदारी उन्मूलन के कारण भूमिधरो का लगान घाटा हो जाने से मालगुजारी की आय में कमी होने की सम्भावना है।

उत्तर प्रदेश में मालगुजारी राज्य की आय का एक मुख्य स्रोत है। सन् १९६०-६१ में इस मद से २१-२८ करोड़ रुपये प्राप्त होने का अनुमान है। जमींदारी उन्मूलन के कारण जहाँ जहाँ भूमिधरो की संख्या में वृद्धि होती जायगी इस मद में प्राप्त-प्राय भी बढ़ती जायगी। उत्तर-प्रदेश के प्रतिरिक्त मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम आदि राज्या में भी यह आय का मुख्य माग्न है। राष्ट्रपालन में इस मद से १९६०-६१ में ८१ करोड़ ८० और बिहार में ११-८३ करोड़ ८० होने का अनुमान है।

कृषि आय पर कर (Agricultural Income tax)—सामान्यतया आय पर कर केन्द्रीय सरकार द्वारा लगाया जाता है परन्तु कृषि में होने वाली आय पर राज्य-सरकारें कर लगाने हैं। सन् १९३७ में जब प्रान्तीय स्वायत्त शासन की देश में स्थापना हुई, तबि आय कर राज्यों द्वारा लगाया जाने लगा। सबसे प्रथम बिहार में यह कर सन् १९३८-३९ में लगाया। तत्पश्चात् पश्चिम, बंगाल, उड़ीसा और उत्तर-प्रदेश में यह कर लगाया गया। क राज्या में से इन पाँच राज्यों में ही कर लगाया जाता है। क राज्या में प्रायः शीघ्र केरल में यह सन् १९७०-७१ तक था। किन्तु उसी भूमि की आय पर यह कर लगता था जो लगान देनी है। कृषि-आय कर का एक गहनतम भाग कर से मुक्त रहता है। क राज्यों की इस कर में कुल आय ३ करोड़ रुपये वार्षिक के लगभग है। जमींदारी प्रथा क उन्मूलन में इस मद से प्रायः और भी कम हो गई है।

राज्य-उत्पादन-कर (State Excise Duty)—भारत सरकार की भाँति राज्य सरकार की भी कुछ वस्तुओं क उत्पादन पर कर लगान का अधिकार है। शराब, धूम्रपान, गंधा आदि नशीली वस्तुओं के उत्पादन पर राज्य सरकारें उत्पादन कर लगती हैं। कुछ राज्या में तो इस मद में सरकार को पचास आय प्राप्त होती है जैसे उत्तर-प्रदेश, बिहार आदि। शराब वस्तुओं का उपभोग सब प्रकार में हानिकारक होने के कारण लगभग प्रत्येक राज्य में मद्य निषेध (Prohibition)

नीति अपनाई जा रही है जिससे इस मद में हानि वाली आय घटती जा रही है। उत्पादन-कर से होने वाली राजस्व मरकारों को कुछ विगत वर्षों की आय निम्न प्रकार है —

उत्तर प्रदेश में उत्पादन-कर में राज्य सरकार को अच्छी आय होती है। सन १९५०-५१ में ५.४६ करोड़ रुपये और सन १९६०-६१ में ५.६६ करोड़ रुपये और राजस्थान में ३.६ करोड़ रु० प्राप्त होने का आगा है। मद्य निषेध नीति व अनुसार उत्तर प्रदेश की सरकार न भी नई जिला में नोबन्दी कर दी है जिससे इसके द्वारा होने वाली आय में कमी हो गई है। इस नीति में मद्रास राज्य की १२ करोड़ रुपये और बम्बई राज्य की १ करोड़ रुपये वार्षिक आय कम हो गई है।

मद्य निषेध नीति का आलाचनात्मक विश्लेषण—मद्य निषेध-नीति आजकल विवादास्पद विषय बना हुआ है। जो लोग इसका विरुद्ध हैं उनके अनुसार मद्य निषेध नीति द्वारा राज्य सरकारों को आय में एक बड़ा खाते में हाथ धो बैठना पटगा जिसकी पूर्ति आय साधना में होना मुश्किल नहीं है। इससे अतिरिक्त इस नीति को सफल बनाने के लिये अति अधिक पुलिस और अफिसरिया व कर्मचारियों को रखना पड़ रहा है जिसमें आय कम हो रही है और व्यय बढ़ रहा है। माद्य ही-नाम्य तथा म गंगाव पीन का आदत भी कम नहीं हुई है क्योंकि प्रतिबन्धा के कारण अब भी लोग बोगे छिपे ग इव पीते हैं।

इस नीति के सम्पन्धों के अनुसार उपरोक्त नव अनुचित है मद्यपान में जनता का शारीरिक एवं नैतिक पतन होता है इसलिए जनता का अधिकतम कल्याण मद्य निषेध-नीति को अपनाते में ही सन्निहित है। मद्य निषेध से होने वाला आय की क्षति आय नये कर लगा कर पूरा की जा सकती है। इस नीति में निधन रमि अपन बमाई का अपव्यय करने से बच सकय। अतः मद्य निषेध-नीति को ग प्रता एवं बढौरता के साथ लागू करना चाहिए।

बिक्री कर (Sales Tax)—द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् राज्यों की आय का बिक्री कर एक महत्त्वपूर्ण साधन हो गया है। भारतवर्ष में बिक्री कर प्राचीन कर है और वेग के भीतर बचो जग्ने बालो बहनु या सेवाप्रा पर लगाया जाता है। भारत में मद्य प्रथम यह कर सन् १९३९ में मद्रास में लगाया गया था। जब न अब तक बंगाल से राज्या व इस कर को आय के एक महत्त्वपूर्ण साधन के रूप में अपना लिया है। यह कर पंजाब और बंगाल में सन् १९४१ में बम्बई में सन् १९४२ में बिहार में सन् १९४३ में उड़ीसा आसाम और मध्य प्रदेश में सन् १९४७ में उत्तर प्रदेश में सन् १९६० में और दिल्ली में सन् १९५१ में लागू किया गया। विभिन्न राज्यों में बिक्री कर क दर एवं दर भिन्न भिन्न हैं। इस कर से राज्य सरकारों को विगत वर्षों की आय निम्न प्रकार है।

( करोड़ रुपयों में )

वर्ष	आय	वर्ष	आय
१९४६-४७	१२ ५	१९५२-५३	४५ ५
१९४७-४८	३३ ०	१९५५-५६	६५ १
१९५०-५१	५१ ३		

**विक्री कर का स्वरूप ( Nature of Sales-Tax )**—विक्री कर, जैसा कि नाम से विहित है, वस्तुओं एवं सेवाओं की विक्री पर लगाया जाता है। अतएव यह आयात निर्यात-कर की भाँति परोक्ष कर है। यह कर सरकार उस व्यक्ति से वसूल करती है जोकि वस्तु बेचता है न कि उस व्यक्ति में जो उस खरीदता है। अतएव यह व्यय कर नहीं है। परन्तु विक्रेता इस कर को वस्तुप्रा के दाम वटा कर खेताप्रा से वसूल कर लेते हैं। इसलिये यह कहने को विक्री-कर है पर वास्तव में यह व्यय-कर है। विक्री-कर अग्रप्रत्यक्ष या परोक्ष कर होने के मान इसका सगान (Impact) विक्रेता पर होता है और भार (Incidence) उपभोक्ताप्रा पर पड़ता है।

**न्यूनतम छूट सीमा (Minimum Limit)**—भारतवर्ष में यह न्यूनतम-छूट सीमा ₹ 1,000 रु० से ₹ 10,000 रु० वार्षिक विक्री के श्रेण में विभिन्न दरों पर पाई जाती है तथा इस पर विक्री-कर नहीं लगाया जाता है। इसी प्रकार कई वस्तुएँ जैसे खाद्यान्न, आटा, दाल, ईंधन, मसाला, मिट्टा का तल, पुस्तक आदि भी विक्री कर से मुक्त हैं।

**विक्री कर के भेद (Type of Sales Tax)**

(१) विक्री कर या टर्न ओवर कर (Sales-Tax) or Turnover Tax—जब कर केवल वस्तुप्रा की विक्री पर ही लगाया जाता है तो यह विक्री कर कहलाता है। परन्तु जब कर वस्तुप्रा और सेवाप्रा, दोनों की विक्री पर लगाया जाता है तब टर्न ओवर कर कहलाता है। भारतवर्ष में केवल विक्री कर ही पाया जाता है।

(२) आंशिक या पूर्ण विक्री-कर (Selected Commodities or Comprehensive Sales Tax)—जब विक्री कर चुनी हुई वस्तुप्रा जैसे मोटर ट्रिप्टर, ल्यूब्रीकेटिंग आदि पर लगाया जाता है, तब आंशिक विक्री-कर कहलाता है। परन्तु जब कर सब वस्तुप्रा पर लगाया जाता है तब पूर्ण विक्री कर कहलाता है। मद्रास, उत्तर-प्रदेश तथा वंगाल राज्यों में पूर्ण विक्री कर लगाया जाता है।

(३) थोक या फुटकर कर (Wholesale or Retail Sales Tax)—जब विक्री कर उत्पादका या थोक विक्रेताप्रा पर लगाया जाता है तो उसे थोक विक्री कर कहते हैं। परन्तु जब विक्री कर केवल फुटकर विक्रेताओं पर लगाया जाता है तो वह फुटकर विक्री कर कहलाता है।

(४) एक मुड़ी या बहु मुड़ी विक्री-कर (Single Point or Multiple Sales Tax)—जब विक्री-कर केवल एक ही बार थाक विक्री या फुटकर विक्री पर लगाया जाता है तब उस एक मुड़ी विक्री-कर कहते हैं। परन्तु जब विक्री कर कई बार अर्थात् अनेकों बार विक्री एवं अनेकों ही बार लगाया जाता है तो उसे बहुमुड़ी विक्री-कर कहते हैं। दोनों प्रकार का विक्री कर हमारे राज्यों में पाया जाता है।

**विक्री कर के सुगण—**(१) विक्री-कर राज्य-सम्कारा की आय का एक महत्वपूर्ण साधन है जिसका स्थान कोई अन्य कर नहीं ले सकता है। (२) विक्री-कर परोक्ष-कर है, इसलिये नरदाताप्रा का इसका भार भी उपभोक्ता-प्रतीक नहीं होता है। (३) इसका संग्रह करना भी सुगम है।

**विक्री-कर के दोष—**(१) यह प्रगतिशील (Progressive) नहीं है, क्योंकि प्रत्येक विक्रेता और प्रत्येक उपभोक्ता को यह कर समान दर से देना पड़ता

है। (२) यह कर परिवार को कर देने की योग्यता पर विचार नहीं करता है। जितना परिवार बड़ा होता है उसकी कर देने की योग्यता कम रहती है, यदि उसकी आय उतनी ही रहती है। अतः जितना परिवार बड़ा होता है उतनी ही खरीद भी अधिक होती है इसलिए उसे बिली कर भी अधिक देना पड़ता है। (३) बिली-कर के कारण बड़े-बड़े नामजानों का एकत्रीकरण हो जाता है जिसका अभिप्राय कर को टालना होता है। (४) ऊर की शासन सम्बन्धी नदिनाइयाँ अत्यधिक हैं और लोग इसमें चोरी बहुत करते हैं। (५) यह अनुविधानक है क्योंकि छोटे-छोटे दूकानदारों को थोड़ी-थोड़ी बिली का हिसाब रखना पड़ता है। (६) इसका भार निर्धन-उपभोक्ताओं पर अपेक्षाकृत अधिक पड़ता है।

उत्तर-प्रदेश में बिली-कर—उत्तर-प्रदेश में बिली कर सन् १९४८ में चालू किया गया था। उत्तर प्रदेश में १५,००० रु० वार्षिक आय में कम पर बिली कर नहीं लगना है। सन् १९६०-६१ में उत्तर-प्रदेश में बिली-कर में लगभग ७६८ करोड़ रु० की आय और राजस्वान में ३.४० करोड़ रु० की आय का अनुमान लगाया गया है।

सिंचाई ( Irrigation )—कुछ राज्यों में जहाँ उत्तम नहर प्रणाली है, सिंचाई राज्य की आय का एक अच्चा साधन है। किसानों को नहरों का पानी प्रयुक्त करने के लिए सरकार को कुछ कर देना पड़ता है। उत्तर-प्रदेश में सन् १९६०-६१ में लगभग १.६८ करोड़ रुपये और राजस्वान में ७.२५ लाख रु० इस मद से प्राप्त होने का अनुमान है।

वन (Forests)—वन राज्य-सरकारों की सम्पत्ति है। अतः वन की लकड़ी तथा अन्य वन-सम्पत्तियाँ जैसे लाकड़, चपड़ी, गोद आदि बेचकर जो आय प्राप्त होती है वह राज्य-सरकार को ही मिलती है। उत्तर प्रदेश में वनों से सन् १९६०-६१ में ५६ करोड़ रुपये और राजस्वान में ८२ लाख रु० प्राप्त होने की आशा है। वनों का विकास करके राज्यों की आय बढ़ाई जा सकती है।

मनोरंजन कर ( Entertainment Tax )—मनोरंजन कर सर्वप्रथम सन् १९२२ में बंगाल में लगाया गया था, तत्पश्चात् बम्बई में सन् १९२३ में लगाया गया, प्रांतीय स्वायत्त सामन प्राप्त होने के पश्चात् यह कर अन्य प्रांतों में भी लगाया गया। आजकल यह सम्पन्न क भाग के राज्यों में लगा हुआ है। यह कर मनोरंजन-सुलक के साथ ही व्यक्तियों से अनुन कर लिया जाता है। वन की दर भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है और टिकट के मूल्य के हिसाब से लगाई जाती है। सन् १९५१-५२ में इस कर से बम्बई को १५५ लाख, उत्तर-प्रदेश का ६८ लाख, मध्य-प्रदेश को ३२ लाख, उड़ीसा को ३ लाख रु० की आय हुई थी।

स्टाम्प और रजिस्ट्रेशन (Stamp and Registration)—स्टाम्प की आय कई मदी से प्राप्त होती है। कई व्यापारिक लेन-देन में वारू के अनुसार टिकट लगाने पड़ते हैं। न्यायालय में दावा करने पर कोर्ट-फीस देनी पड़ती है जो स्टाम्प के रूप में दी जाती है। न्यायालय व कुछ अन्य सरकारी कार्यालयों में कुछ प्रार्थना-पत्रों पर भी टिकट लगाने पड़ते हैं। स्टाम्प जूडिसियल (Judicial) और नॉन-जुडिसियल दो प्रकार के होते हैं। नॉन-जुडिसियल स्टाम्पों में इकरारनाम व अन्य दस्तावेज लिखे जाते हैं। इन सबका उद्देश्य साम कमाना नहीं होता है बल्कि उनके बंधने सेवार्थ प्रस्तुत



करना होगा है। सन् १९६०-६१ में स्टाम्प ड्यूटी एवं रजिस्ट्रेशन से राज्य सरकारों को लगभग ३०६३ करोड़ रुपये की आय होने का अनुमान है।

**रजिस्ट्री (Registration)**—भारतीय रजिस्ट्रेशन कानून के अंतर्गत कुछ प्रकार के दस्तावेजों की रजिस्ट्री अनिवार्य रूप में करानी पड़ती है। अन्यथा न्यायालय में वे मान्य नहीं समझे जाते। इस कारण ऐसे दस्तावेजों अर्थात् प्रत्यक्षों की रजिस्ट्री करानी पड़ती है जिनके बिना राज्य सरकारें फीस लेती हैं। उन रजिस्ट्रियों की प्रतिलिपि देने के लिए भी फीस ली जाती है। सन् १९६०-६१ में उत्तर प्रदेश में ८४ लाख और राजस्थान में १२३ लाख रु० का अनुमान लगाया गया है।

अन्य प्रकार के कर—राज्य सरकारें मोटर-वाहियों पर वर तथा मोटरों, मोटर साइकिलों, कारों और बोम्बों से जांच वाली लाइसेंस पर कर लगाती हैं। सन् १९६०-६१ में बिहार में इन कर से आय १३२ करोड़ रुपये, उत्तर प्रदेश में ८६ करोड़ रु० और राजस्थान में ६० लाख रु० होने का अनुमान है।

प्रिजली टुल्स जुधा-कर, राजगार व पशु पर व्यापार-कर आदि कुछ अन्य राज्य-सरकारों की आय के साधन हैं।

### राज्य सरकारों के व्यय की मुख्य मदे

**राजस्व से प्रत्यक्ष व्यय (Direct Demand on Revenue)**—यह वह व्यय है जो कर प्रभुओं के लिए करना पड़ता है। समस्त अराज्य का इस मद पर व्यय लगभग २५ करोड़ रुपये है जो कुल व्यय का ८% के लगभग आता है। उत्तर प्रदेश में इस मद पर सन् १९५१-५२ में ५४३ करोड़ और सन् १९५४-५५ में ८२ करोड़ रुपये और सन् १९५६-६० में १२ करोड़ रुपये व्यय किए गए। यह व्यय अधिक है, अतः इसमें कमी करने का प्रयत्न होना चाहिए। राजस्थान में सन् १९५६-६० में इस मद पर ३१६ करोड़ रुपये व्यय किए गए।

**सिंचाई (Irrigation)**—नहरों के निर्माण तथा सिंचाई व्यवस्था के संचालन तथा निरीक्षण पर राज्य सरकारों का व्यय करना पड़ता है। इस मन्वज में लिये गए जंगल का जो ध्यान दिया जाता है वह भी इसी के अन्तर्गत आता है। सन् १९६०-६१ में उत्तर-प्रदेश में ५५ करोड़ बिहार में ७८ लाख और मध्य प्रदेश में ७८५६ लाख रुपये और राजस्थान में ७८५० लाख रुपये व्यय किए जाने का अनुमान है।

**सामान्य प्रशासन (General Administration)**—इस मद का व्यय दो भागों में बांटा जा सकता है। (क) प्रान्तीय व मन्त्रालय एवं माध्यमिक शासन व्यय, पुलिस, जेल न्याय आदि का व्यय। (ख) मन्त्रालय व्यय व सन्तुलन आता है और राज्य-पाल मंत्रियों, प्रांत-प्रशासकों, मन्त्रियों के कार्यालयों आदि में व्यय तात्कालिक मामलों के अन्तर्गत आता है। (ख) राष्ट्र-निर्माण कार्यों पर व्यय—इसके अन्तर्गत शिक्षा, विद्वत्ता, कृषि, उद्योग, यातायात, महकामना आदि के विकास के व्यय सम्मिलित हैं। उत्तर प्रदेश में सन् १९६०-६१ में इस मद पर ७२ और राजस्थान में २६ करोड़ रुपये व्यय किए जाने का अनुमान है।

**श्रद्धा सेवाएँ (D to Services)**—राज्य सरकारों अपनी विज्ञान-याचनाओं आदि के लिए भारत सरकार से तथा जनता से श्रद्धा लेती हैं जिनका व्यय चुकाना

पड़ता है। सन् १९५१-५२ में उत्तर प्रदेश में इसकी राशि १ करोड़, बिहार में १५ लाख और मध्य प्रदेश में ५६ लाख रुपये थी। सन् १९६०-६१ में उत्तर-प्रदेश में यह राशि लगभग १५-३६ करोड़ रु० और राजस्थान में ४-३ करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है।

उत्तर प्रदेश सरकार का वजेट

(१९६०-६१)

राजस्वगत प्राप्तिर्था	लाख रु०	राजस्वगत व्यय	लाख रु०
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क	१२४०*७०	राजस्व पर प्रत्यक्ष माग	१२४१*८५
निगम कर-भिन्न आय कर	६२७*५६	सिचाई, नौकानयन आदि	५६५*४७
सम्पदा शुल्क	३७*५५	श्रम सेवाएँ	१५३६*१६
रेल किराया कर	२३७*५०	सामान्य प्रशासन	७२६*५२
लगान (घुड़)	२१२७*६६	व्याय प्रशासन	१८२*५६
राज्यीय उत्पादन शुल्क	५६६*०६	जेल	१५६*८१
टिकट	३८०*००	पुलिस	६८६*०१
वन	५६२*२१	वैज्ञानिक विभाग	१४*६१
पञ्जीयन	८३*६६	शिक्षा	१७२७*२८
मोटर गाडी कर	२५६*५३	चिकित्सा	४६५*३६
बिक्री कर	७६८*६०	मावजनिक स्वास्थ्य	२२६*४१
अन्य कर तथा शुल्क	८०५*६६	कृषि तथा ग्राम विकास	८०६*८८
सिचाई, नौकानयन आदि (घुड़)	१६७*५५	पशुपालन	१६५*८५
श्रम सेवाएँ	४४२*८४	सहकारिता	२०४*४६
असैनिक प्रशासन	२२५१*६२	उद्योग	५८२*४७
असैनिक कार्य आदि	२१६*७८	विविध विभाग	६४४*०१
विविध घुड़	६६३*७३	असैनिक कार्य आदि	५८०*२३
सामुदायिक योजनाएँ आदि	४३६*२८	वित्त योजनाएँ	१३५*२५
प्रसाधारण	५७७*१६	विविध	१२६६*४०
		प्रसाधारण (सामुदायिक योजना आदि कार्य सहित)	११०६*६१
योग	१,३०८*६८	योग	१३३२*२३

राज्यों के राजस्व के दोष ( Defects of State Finance )—(१)

राज्यों के आय के साधन अपर्याप्त, लोचहोन एवं स्थिर है जो आवश्यकतानुसार घटाय-वृद्धये नहीं जा सकते। (२) राज्य-कर प्रतिगामी (Progressive) है। राज्य-करों का भार मध्यवर्ग तथा निर्धन व्यक्तियों पर अधिक पड़ता है। बिक्री कर भी अधिकतर निर्धनों को ही देना पड़ता है। (३) राज्य-कर-प्रणाली में समानता (Uniformity) का अभाव है। (४) राज्य-सरकारों की अर्ध-नीति दृष्टिकान्तिपूर्ण

३। व अथन आय के साधन का बर्तन का प्रयत्न नही करता। उदाहरणार्थ बनों का वैज्ञानिक उपयोग राज्य सरकारों को प्रदान आय बना सकता है। (२) पशुधन जन-साधन प्राप्ति प्राप्ति एवं सुरक्षा का मन्त्र पर अत्यधिक व्यय किया जाता है परन्तु राज्य निर्माण-कार्यों पर बहुत कम व्यय किया जाता है—(६) अत्यन्त राज्य सरकारों के द्वारा का प्रवृत्ति विभिन्नकरण (Diversification) की शार है। हाथ हूँ म राज्य सरकारों न नई विभिन्न प्रकार के कर लगा दिये ।

**दाया वा हूँ करन व सुझाव (Suggestion for Reforms)**

- (१) राज्या का संपत्ति कर प्राप्ति तथा कर अथन आय का बर्तन चाहिए। नदर द्वारा राज्य सरकारों का अत्यधिक आय व साधन उपलब्ध होना चाहिए।
- (२) सब राज्या में एक न कर लगाने चाहिए।
- (३) राज्या और स्थानाय सरकारों व राज्यवा में उच्चतम सम्भव आयन्वक है।
- (४) राज्य सरकारों का समस्त सब सम्बन्ध कार्यों पर अधिक व्यय करना चाहिए।
- (५) नियत कृषका के भूमि कर का प्रयोग कम कर देना चाहिए जिसमें कुछ समय परवाना उन मना का कर मत्त किया जा मर किन्तम उदात्त वदुन कम होना है।

(६) वास्तव्य ठहरण वरुण ठहरा नगर व वर उदात्ता को प्रोत्साहित करके बरतना की आय बर्तना अत्यन्वक है कथार्थि वापार तथा उदात्ता वरुण व विकारम वरुण वरुण व नव साधन प्राप्त न मन्त्र।

- (७) प्राप्ता न प्राप्त होना वाता समस्त आयन्वर प्राप्ता का ही निरुत्ता चाहिए जिसमें प्रौद्योगिक प्राप्ता के साथ अधिक व्यय हो नव।
- (८) कृषि आय पर कर लगाने का प्रयत्न व्यवस्था करना चाहिए जिसमें वरुण कृषक सरकारों वरुण में अधिक न मरुण और नियत कृषका का उरुण न मरुण
- (९) व्यापारिक एवं प्रौद्योगिक उरुण व विरुण प्राप्ता का वरुण म प्रौद्योगिक महामना प्राप्त होना चाहिए।

- (१०) पशुधन सम्बन्ध व्यय जगो तक हो मरुण कम किया नार।
- (११) वना व विकारम व विरुण अधिक व्यय करने न वरुण समय वापार उरुण अधिक आय प्राप्त हो मरुण।

राज्य राजस्व उरुण पञ्चवर्षीय योजना—द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के अंतर्गत ८५०० करोड़ रुपय व्यय करने का न वरुण मना है। नम म २,५५२ करोड़ रुपय सा वरुण मरुणार और ८८१ करोड़ रुपय राज्य सरकारों तक करुण। निर्धारित वरुण वरुण वरुण करन के विरुण जो ८००० करोड़ रुपय का राशि निर्दिष्ट का न है उरुण म १,१०० करोड़ रुपय वरुणार एवं राज्य सरकारों द्वारा प्राप्ता वरुण व्ययवस्था न पूरा करना होना।

**अभ्युत्थान प्रश्न**

**दृष्टर कामम परा ताए**

१—उत्तर प्रत्या सरकार के साथ नव व कृषा मापन न ? द्वितीय पञ्चवर्षीय योजना के नव व विरुण उत्तर प्रत्या सरकार धन राशि का किन्त प्रकार प्रवृथ वरुण सकता है ?

भारत में राज्या का राजस्व ]

- २—उत्तर प्रदेश सरकार के आय और व्यय के मुख्य साधन क्या है ? सक्षिप्त व्याख्या कीजिये ।
- ३—उत्तर प्रदेश सरकार के आय व्यय की मुख्य मद क्या क्या है ? राज्य के बढने हुए व्यय के लिए धन प्राप्ति के सम्बन्ध में क्या सुझाव है ?
- ४—मनोरंजन कर से गुण दाप पर लिप्यणी लिखिये ।
- ५—भारत की राज्य सरकारों के आय और व्यय के मुख्य साधन क्या क्या हैं ? प्रत्येक पर सक्षिप्त नोट लिखिये ।  
(रा० बो० १९५१)
- ६—राजस्थान सरकार के आय के प्रमुख साधन क्या है ? प्रत्येक पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए ।  
(रा० बो० १९६०)
- ७—भारत की राज्य सरकारों के आय के मुख्य स्रोत और व्यय की मुख्य मदों का उल्लेख करिये और प्रत्येक पर सक्षिप्त नोट लिखिये ।  
(अ० बो० १९५१ ४८ ४७ ४२)
- ८—केंद्र तथा राज्या में उत्पादन कर के लागू करने के पक्ष तथा विपक्ष में युक्तिर्षा कीजिये ।  
(अ० बो० १९५१ ४८)
- ९—मध्य भारत सरकार के व्यय के मुख्य मदों पर लिप्यणी लिखिये ।  
(म० भा० १९५३)
- १०—नावहनिरहित हित की से कौनसी मद है जिन पर राज्य की आय रकम की जाती है ? एसे मद का क्या नामाजिक महत्व है ?  
(पटना १९५२)
- ११—पंजाब सरकार के आय व्यय के मुख्य स्रोत कौन कौन हैं ? (पंजाब १९५५)
- १२—निम्नलिखित करा के विषय में धतलाइए कि कौन से भारत शासन और कौन से प्रादेशिक शासन के लगाये हुए हैं—(अ) आय कर (आ) सम्पत्ति-कर (इ) कृषि आय कर (ई) लगान (उ) सामा गु-क और विक्री कर । इनमें से कौन से प्रत्येक कर और कौन से पराश कर हैं ?  
(नागपुर १९५६)
- १३—भारत सरकार और राज्य सरकारों के आय व्यय के मुख्य स्रोत कौन कौन हैं ?  
(दिल्ली हा० में १९५५ ५४)

प्रारम्भिक—स्थानीय स्वायत्त शासन सस्थाएँ भारतवर्ष में प्राचीन काल में ही चली आ रही हैं। ग्राम पुरातनता स्वतन्त्र थे और उनका समस्त प्रबन्ध ग्राम पंचायतों द्वारा होता था। प्राधुनिक अर्थ में सब प्रथम स्थानीय स्वायत्त शासन सस्थाओं का सूत्रपात ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन काल में हुआ। सन् १८७७ ई० में मद्रास शहर के लिए एक म्यूनिसिपल बोर्ड तैयार करने का अध्याय कई बड़े शहरों में मनोनीत सदस्यों को स्थानीय स्वायत्त शासन सस्थाएँ स्थापित की गईं। सन् १८७३ ई० में प्रथम बार लार्ड मेयो ने स्थानीय स्वायत्त सस्थाओं के विषय में निर्वाचन प्रणाली प्रारम्भ की। सन् १८८२ ई० में लार्ड रिपन ने स्थानीय स्वायत्त शासन सस्थाओं को कुछ नये अधिकार दिये। सन् १९१९ के भारतीय विधान के अन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन सस्थाओं का समस्त नियन्त्रण प्रांतीय सरकारों के हाथों में पहुँच गया। सन् १९३३ के विधान के अन्तर्गत प्रांतीय सरकारों को अधिकार प्राप्त हुईं उससे परिणामस्वरूप स्थानीय स्वायत्त शासन सस्थाओं का और भी अधिक प्रोत्साहन मिला। स्वतन्त्र भारत के विधान में ग्राम पंचायत स्थापित करने का अधिकार राज्य सरकारों का दिया है। ये ग्राम पंचायतें स्थानीय स्वायत्त शासन सस्थाओं की भाँति गाँवों की सभी बातों का प्रबन्ध कर सकती हैं।

स्थानीय स्वायत्त शासन सस्थाओं का वर्गीकरण (Classification of Local Self-Government Bodies)—शहरों के लिए नगरपालिका (Municipality) ग्राम-क्षेत्रों के लिए जिला बोर्ड (District Board), और प्रत्येक गाँव के लिए ग्राम्य पंचायत (Village Panchayat) है। कसबता, मद्रास, बम्बई, दिल्ली और मुंबई के अलावा अन्य स्थानों में नगरपालिकाओं के स्थान में कॉर्पोरेशन (Corporation)—नियम है। इनके अतिरिक्त बन्दरगाहों का प्रबन्ध करने के लिए पोर्ट ट्रस्ट (Port Trust—पत्तन प्रशासन), नगरों की उन्नति के लिए इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट (Improvement Trust—सुधार प्रशासन) तथा छोटे छोटे क्षेत्रों के लिए नोटिफाइड एरिया (Notified Area—अधिमूर्च्छित-क्षेत्र) नामक स्थानीय स्वायत्त शासन सस्थाएँ स्थापित की गई हैं। इनमें से प्रत्येक सस्था के साथ, उत्तरदायित्व तथा आय के संबंध एक ठोकरे में निम्न है।

नगरपालिकाएँ (Municipalities)—सन् १९४६-४७ में भारत में ३ नियम और ६२८ नगरपालिकाएँ थीं। इनकी कुल आय लगभग १२३५ लाख और १५१८ लाख रु० थी तथा इनके द्वारा लगायत करों का भार प्रति व्यक्ति लगभग १८ रु० ११ आ० १० पा० था। उत्तर प्रदेश में यह कर-भार प्रति व्यक्ति ६ रु०

१ आ० ४ पा० और उड़ीसा में २ ए० ६ आ० ६ पा० था। सन् १९५२-५३ में क राज्यों में ७७६, न्य राज्यों में ५०५ और गु राज्या में ३२ नगरपालिकाएँ थीं। सन् १९५६ के अन्त में १२ नियम, १४५३ नगरपालिकाएँ, १०३ छोटा नगर समितियाँ और ८२ अधिसूचित क्षेत्र थे।

नगरपालिकाओं के कार्य—( Functions of Municipalities )—नगरपालिकाएँ दो प्रकार के कार्य करती हैं—( १ ) अनिवार्य और ( २ ) वैकल्पिक। अनिवार्य कार्यों ( Compulsory Functions ) में अन्तर्गत सफाई, लोक-स्वास्थ्य, रोशनी, पानी, गडक, शिक्षा—प्रारम्भिक एवं माध्यमिक—की व्यवस्था आती है। वैकल्पिक कार्यों ( Optional Functions ) में अन्तर्गत गेल-कूद के मैदान, म्यूजियम बाग बगीचे, पुस्तकालय, मेला, जन्म मरण का लेखा और प्रदर्शनियों आदि की व्यवस्था आती है।

नगरपालिकाओं की आय की आवश्यकता—नगरपालिकाओं को अपने निर्धारित कार्य सम्पन्न करने के हेतु धन की आवश्यकता होती है। यह धन विभिन्न प्रकार के कर लगाकर वसूल किया जाता है। प्रत्येक राज्य में नगरपालिका-विधान होता है जिसके द्वारा नगरपालिकाएँ संचालित होंगी हैं।

नगरपालिकाओं की आय के साधन ( Sources of the Income of Municipalities )—साधारणतया नगरपालिकाओं के आय के साधन निम्न-विवरित हैं —

१. चुँगी ( Octroi Duty )—यह नगरपालिकाओं की आय का मुख्य साधन है। जो वस्तुएँ बाहर से रेल, गडक या नदी द्वारा नगर की सीमा के भीतर आती हैं उन पर यह कर लगाया जाता है। साधारणतया यह कर वस्तुओं के मूल्य के अनुसार लगाया जाता है। जो वस्तुएँ नगर से बाहर भेजी जाती हैं, उन पर यह कर नहीं लगाया जाता है, परन्तु यदि उनके आने पर चुँगी चुकाई गई है तो मागने पर उनकी वापसी ( Refund ) हो जाती है। सन् १९४६-४७ में उत्तर प्रदेश की नगरपालिकाओं को इस मद से १७३ करोड़ रुपये की आय हुई थी जो कुल कर द्वारा आय का ६२.९% था। इसी प्रकार उनी वर्ष में मध्य-प्रदेश में नगरपालिकाओं की अपनी कुल आय का ६९.३% और पंजाब में ५४.६% प्राप्त हुआ था।

चुँगी कर के गुण—(१) यह पुनरा कर है, इसलिए लाग इसके आधी हो गये हैं। अर्थात्, यह उनकी भारस्वरूप प्रतीत नहीं होता है। (२) यह उत्पादन कर है। जहाँ जहाँ नगरी की उत्पत्ति होती है, इसकी आय भी बढ़ती जाती है। यह कर थोड़ी-थोड़ी मात्रा में यथा समय दिया जाता है। इसलिए लोगों का विशेष कष्ट नहीं होता है। (४) यह निर्धनों से भी कर वसूल करने का अच्छा साधन है।

दोष—इसमें वसूल करने में व्यय अधिक होता है। (२) इसकी वसूली का कार्य अल्प-वैतन भोगी कर्मचारियों के द्वारा कराया जाता है। इसलिए प्रायः इनको बहूली भी चोरी, धूसखोरी, कठोरतापूर्ण व्यवहार आदि भ्रष्टाचार पाये जाते हैं। (३) यह कर व्यापार की उत्थिति में बाधक सिद्ध होता है। (४) जावनाय्य आवश्यक वस्तुओं पर यह कर लगने से निर्धनों पर इसका अधिक भार पड़ता है। (५) कर-भार ( Incidence ) अनिश्चित होता है तथा साधारणतया टाका जाता है। (६) इस कर की आय अनिश्चित होती है। (७) इस कर के वापसी की रीतियाँ बड़ी जटिल एवं अनुविधानजनक होती हैं।

इस कर के दोषपूर्ण होने हुए भी नगरपालिकाएँ इसी कर को अपनाये हुए हैं, क्योंकि इसमें स्थान की वृद्धि कराने वाला कोई अन्य मासक नहीं है।

चुंगी के स्थानापन्न कर—मध्य-प्रदेश की नगरपालिका-कर समिति (१९०८ ई) ने यह सिफारिश की थी कि चुंगी की अनुविधा को दूर करने के लिये सीमा कर और मार्ग शुल्क (राहदारी महसूल) लगाया जाय। सरकार ने यह सिफारिश स्वीकार कर भी घोर बुद्ध नगरपालिकाओं ने इसे अपना भी लिया।

गंगा कर ( Terminal Tax )—यह कर नगरपालिका की सीमा के भीतर रेल द्वारा आने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है। अधिकतर यह रेलवे द्वारा महसूल या टिकट के रूप में वसूल किया जाता है जो शायद नगरपालिकाओं को मिल जाता है। इस वसूली के लिये रेलवे को कुछ प्रतिशत (४५० या ५००%) कमीयत मिलता है।

चुंगी और सीमा कर की तुलना—(१) चुंगी माल के मूल्य पर लगाई जाती है परन्तु सीमा कर माल के परिमाण पर लगाया जाता है जिसमें समके मूल्य आकने की अनुविधा दूर हो जाती है। (२) सीमा कर का भार चुंगी की अपेक्षा कम होता है। (३) पुन. निर्धारण करने में सीमा कर में बाधनी नहीं मिलती है। (४) सीमा कर रलों द्वारा ही अधिकतर वसूल होता है।

मार्ग शुल्क या राहदारी महसूल ( Toll-Tax )—जब कर केवल रेल द्वारा लाइ टुक वस्तुओं पर ही लगाया जाता है, तो व्यापारी माल मटक और नदियाँ ले जाते हैं। इन कारण इन मार्गों में आने वाले माल पर भी कर लगाना आवश्यक हो जाता है। जो कर सड़क और नदियों द्वारा लाये गये माल पर लगाया जाता है, उस मार्ग शुल्क या राहदारी महसूल ( Terminal Toll ) कहते हैं यह कर नगरपालिकाओं के अधिकारियों द्वारा वसूल किया जाता है।

२. मकान, भूमि और सम्पत्ति-कर ( Taxes on Houses, Land and Property ) नगरपालिका के क्षेत्र में जितने मकान, दुकान आदि होते हैं उन सब पर तथा भूमि पर यह सम्पत्ति-कर लगायी है। इसमें उन अच्छी आय प्राप्त हो जाता है। यह कर मकान या भूमि के वार्षिक मूल्य पर लगाया जाता है। वार्षिक मूल्य विभाग की आय के बराबर मान लिया जाता है और उस पर अधिकतम ५३% की दर में यह कर वसूल किया जाता है। यह कर सम्पत्ति के स्वामियों से वसूल किया जाता है परन्तु कर-भार अल्प में किरायेदारों पर पड़ता है। सन् १९४६-४७ में उत्तर-प्रदेश में नगरपालिकाओं का अपनी कुल आय का लगभग ६% और मध्य प्रदेश में ८% इस मद में प्राप्त हुआ था।

३. यात्री कर ( Pilgrim-Tax )—यह विधानानुसार यह कर केवल केन्द्रीय सरकार ही लगा सकती है। परन्तु जो स्थानीय मन्त्रालय विभाग के पूर्व यह कर लगाना भी उनका एक महान की शक्ति प्रदान कर दी गई है। यह कर रेलों से आने वाले तीर्थ-यात्रियों पर लगाया जाता है। यह रेल के टिकट में सम्मिलित कर दिया जाता है और स्थानीय सामन-सम्बन्धों में रेलवे से वसूल कर ली है। उत्तर-प्रदेश में यह कर मथुरा, कुशाभ, प्रयाग, वाराणसी, आगरा आदि स्थानों में लगाया जाता है। अजमेर में आने वाले यात्रियों पर भी यह कर लगाया जाता है।

४. रोजगार, पेशे व व्यापार कर ( Taxes on Trades, Profession, Arts and Callings ) यह बहुत कम स्थानों पर लगाया जाता है

और जहाँ लगाया भी जाता है वहाँ गाइमन्स फीस के रूप में वसूल किया जाता है। उत्तर-प्रदेश में घोड़ी-गाट के प्रयोग पर घोड़िया में एक पापिन शुल्क लिया जाता है।

५. व्यक्तियों पर कर या हैमियत कर ( Taxes on Persons or House-hold Tax )—यह कर प्रायः पर नहीं लगाया जाता परन्तु कर दाताओं की सामाजिक स्थिति या कुटुम्ब के परिमाण कर लगाया जाता है और उसके स्वामिया में वसूल किया जाता है।

६. पशुओं और वाहनों पर कर ( Tax on Animals and Vehicles )—नगरपालिकाएँ कुत्ता, घोड़ा, पशुमा बंनगाइयों गाइयिया, तागो इकरी, रिक्शाओ, मोटर लारिया नावो आदि पर कर लगाती है जिससे उन्हें कुछ प्राय हो जाती है।

सफाई-कर ( Conservancy Tax )—कई स्थानों में यह कर नगरपालिका द्वारा प्रस्तुत सफाई सम्बन्धी गवाओं के उपलक्ष में गवान पालिको में वसूल किया जाता है।

८. बाजार-कर ( Bazar Tax )—कुछ नगरपालिकाओं द्वारा बाजार पर लगाया जाता है। यह कर उन दूकानदारों से वसूल किया जाता है जो नगरपालिका द्वारा बनाये बाजारों में दूकानें खोलते हैं।

९. जल, बिजली आदि का शुल्क ( Charges for Water Electricity etc )—नगरपालिकाएँ जल, बिजली आदि की पूर्ति के बढत जा मूय्य वसूल करती है यह शुल्क फहलाता है। इस मद में भी उन्हें पर्याप्त प्राय मिलता है।

१०. विवाह कर ( Marriage Tax )—यह कर केवल दम्पई में लगाया जाता है। प्रत्येक स्थानीय शासन संस्था को विवाह की रजिस्ट्री पर भी फीस लेनी चाहिये जिसमें दर १ रु० हो सकते हैं। इस विवाह की प्रागाणिक सूची भी तैयार हो जायेगी।

११. उत्तति कर ( Betterment Tax )—नगरपालिकाओं को पडन भूमि पर बाजार व नई बरितियाँ बसानो चाहिये जिसे उन भूमियों के मूय्य में वृद्धि हो और उनके स्वामिया में उत्तति कर वसूल किया जाय।

१२. आर्थिक दण्ड या जुर्माना ( Fines )—नगरपालिकाओं उनके नियमों को तोडने वालों से जुर्माना वसूल करती हैं। मटकते हुए पशुओं ( Stray Cattle ) को काँजे होज में दन्द कर दिया जाता है और जुर्माना लेकर ही उनके स्वामिया को वापस लिया जाता है।

१३. भूमि, भवन आदि का किराया ( Rent of Land, Buildings etc )—नगरपालिकाएँ कुछ भूमि, भवन व अन्य सम्पत्ति को स्वामिनी होती हैं। उनके किराये से इन्हें प्राय प्राप्त होता है।

१४. न्यायार्थिक कार्यों से प्राय ( Income from Municipal Enterprises )—नगरपालिकाओं को दण्डों द्वारा किये जाने वाले न्यायार्थिक कार्यों से भी प्राय होती है। उदाहरण के लिये, जल व बिजली की पूर्ति की व्यवस्था करने से उसमें होने वाले प्राय, नगरपालिका द्वारा निमित्त कामाईक्षकों के किराये में होने वाली



ग्राम और नगरपालिका द्वारा जो गई यातायात की व्यवस्था से होने वाली ग्राम इस श्रेणी में आती है ।

१५ राज्य सरकार से आर्थिक सहायता (Grant in Aid from State Govt) — रा तथा महसूना के अतिरिक्त नगरपालिकाओं को राज्य सरकार से भी सहायता दो प्रकार की प्राप्त होती है — (क) वार्षिक धोर (ख) प्राकृतिक । राज्य सरकार अपने अधीन स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को वार्षिक कुछ न कुछ सहायता शिष्टा नावैजनिक स्वास्थ्य चिकित्सा सड़का प्रादि क लिये देती है । इस प्रकार की सहायता कभी कभी कुछ विषय कार्यों के निम्न अवस्थान ही दे दी जाती है जैसे बाटर वर्क्स, अस्पताल प्रादि के भवन निर्माण के लिए ।

१६ राज सरकार से ऋण (Loan from State Govt) — वार्षिक सहायता क अतिरिक्त आवश्यकता पड़ जाने पर राज्य सरकारें स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को बिना व्याज ऋण भी देती है ।

### नगरपालिकाओं का व्यय

#### (Expenditure of the Municipalities)

नगरपालिका के व्यय को मुख्य रूप निम्नलिखित है —


अनिवार्य कार्यों पर व्यय

१. सावजनिक सुरक्षा — (क) ग्राम में बचाव की व्यवस्था करना, (ख) प्रवाण को व्यवस्था करना (ग) हानि पहुँचाने वाले जानवरों से रक्षा का प्रबंध करना ।

२ जनसाधारण का स्वास्थ्य तथा चिकित्सा — (क) गली मोहल्ला तथा नागिया का सफाई सावजनिक टट्टियाँ बनवाना तथा उनमें मरुई धोर कूड़ कचरा को नगर से बाहर फेंकवाने पर व्यय करना (ख) गुड़ जल की व्यवस्था करना (ग) गंदे पानी के निकास का प्रबंध (घ) अस्पताल और टोका लगाने का व्यय (ङ) पशु चिकित्सा का प्रबंध करना तथा (च) लाच एवं पय पदार्थों में गिरावट को रोकने की व्यवस्था करना ।

३ सावजनिक शिक्षा — प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय करना ।

४ जनसाधारण की सुविधा — (क) सड़क धमगाना धोर बियास-गुड़ की व्यवस्था करना (ख) सड़क पर वृक्ष लगवाना चौराहा पर फुलवाड़ी लगवाना,



द्वलहने तथा भूमि के लिए पार्कों तथा व्यायामशालाओं का प्रबन्ध करना, (घ) पुस्तकालय तथा वाचनालय खुलवाना, म्यूजियम आदि स्थापित करना ।

५. विविध कार्यों पर व्यय—बाजार, मेले, प्रदर्शनी आदि की व्यवस्था करना ।

### जिला बोर्ड (District Boards)

सन् १९४६-४७ में भारत में १७६ जिला बोर्ड थे जिनकी आम १,५५५ लाख रुपये थी तथा इनके द्वारा कर-आर प्रति व्यक्ति पर ४ आ० १ पा० था । सन् १९५२-५३ में कर राज्यों में १४६, स्व राज्यों में ३३ और ग राज्यों में ४ जिला बोर्ड थे । सन् १९५६ में ३०६ जिला बोर्ड थे ।

जिला बोर्डों के मुख्य कार्य (Chief Functions of District Boards)—जिला बोर्डों के मुख्य कार्य ग्राम्य क्षेत्रों में प्रारम्भिक शिक्षा की व्यवस्था करना, सड़क बनवाना, ग्रामीणों के लिए बिक्रीमालय खोलना, बेचक तथा हट्टे की रोक धाम के लिए टीके लगाने की व्यवस्था करना, मेला और प्रदर्शनिया का आयोजन करना, पशुधर्म की नरन सुधारना तथा मडि-गृह स्थापित करना है । नदियों पर पुल बनवाना तथा नाव के यात्रियों को गार सभाना, भूले-भटके पशुधर्म के लिए पशु-निरोधमालय स्थापित करना, पुस्तकालय खोलना तथा वाचनालय स्थापित करना आदि कुछ अन्य कार्य हैं ।

जिला बोर्डों के आय के साधन

#### (Sources of the Income of District Boards)

१. स्थानीय भूमि कर (Land Cess)—यह जिला बोर्डों की आय का मुख्य साधन है । स्थानीय बन्दोबस्त वाले राज्यों में भूमि के क्षेत्रफल के अनुसार और ग्रन्थायी बन्दोबस्त वाले राज्यों में वापिक आय पर यह कर लगाया जाता है । उत्तर-प्रदेश में सन् १९४८ से प्रत्येक जिला बोर्डों के लिए यह प्रतिवार्य है कि वह माल-गुजारी पर ३ आना प्रति रुपया की दर से स्थानीय भूमि-कर लगाये । इस कर की समूची मातृगुजारी के साथ राज्यों के सरकारी कर्मचारी करते हैं और फिर यह जिला बोर्डों को दे दी जाती है । सन् १९५२-५३ में उत्तर प्रदेश के जिला बोर्डों को इस कर में ६२.१ लाख, बिहार में ८५.१ लाख, उड़ीसा में ६.५ लाख और मध्य-प्रदेश में ३७.६ लाख रुपये की आय थी ।

२. हैसियत या सम्पत्ति कर (Haltiyat or Property Tax)—यह कर मकान तथा अन्य सम्पत्ति के मूल्य पर तथा ग्रामीण उद्योग-सन्धों से होने वाली आय पर लगाया जाता है । उत्तर-प्रदेश में ४६ में से २७ जिला बोर्डों को यह कर लगाने का अधिकार है । कर की दर कुल आय पर ४ पाई प्रति रुपया से अधिक नहीं हो सकती । इन २७ जिला बोर्डों को इस कर में आम १६ लाख रुपये हैं । यह कर प्रत्येक जिला बोर्ड द्वारा लगाया जाना चाहिए । यह व्यापार या उद्योग से होने वाली आय पर ही लगाया जाता है । हृषि-आय पर भी जो इतने अब तक मुक्त है, यह कर लगाना चाहिए ।

३. घाट, पुल, सड़क आदि पर कर—जिला बोर्डें घाट, पुल, मठन, तालाब आदि के प्रयोग पर कर तथा कर अपनी आय करते हैं ।

४. किराया—जिला बोर्डों को अपनी इमारतों तथा अन्य सम्पत्तियों से किराया भी प्राप्त होती है। डाक बगलों में ठहरने वालों से किराया भी लिया जाता है।

५. लाइसेंस शुल्क—बुद्ध पेशों तथा व्यापार के लिए जिला बोर्ड लाइसेंस देते हैं, जिसके लिए लाइसेंस शुल्क वसूल किया जाता है। उदाहरणार्थ, कसाइयों, धनस्पति यों की रूकाना, घाटे की चकरी व अन्य कारखानों के लिए लाइसेंस प्रतिवार्य कर यह शुल्क वसूल किया जाता है।

६. अधिक दण्ड या जुर्माना—जिला बोर्डों के नियम भंग करने पर ये संस्थाएँ जुर्माना वसूल करती हैं जिससे इन्हें प्राय होती है। उदाहरण के लिए, भटकते हुए पशुओं को काँचो होव (Castle Pond) में बन्द कर दिया जाता है और जुर्माना लेकर उन्हें स्वामिना को वापिस किया जाता है।

७. स्कूलों तथा अस्पतालों के लिए शुल्क—इस मद से भी जिला बोर्डों को कुछ प्राय होती है।

८. बाजार, दूकानों तथा मेलों व प्रदर्शनियों पर कर—इन सब पर भी शुल्क लगाया जाता है।

९. पशुओं के पानी पीने के स्थानों पर महसूल—यह कर लगा कर भी प्राय को जाती है।

१०. कृषि के औजारों तथा बीज विक्रय से प्राय प्राप्त की जाती है।

११. राज्य सरकार से आर्थिक सहायता—जिला बोर्डों को प्राय वा एक सबसे बड़ा भाग राज्य सरकारों की आर्थिक सहायता होती है। इनका अपना प्राय वा लगभग ५०% भाग सरकारी सहायता से प्राप्त होता है। सन् १९४६-४७ में कुल ३१४ लाख की प्राय में से १५३ लाख रुपय सरकारी सहायता से प्राप्त हुए थे। शिक्षा एवं स्वास्थ्य व चिकित्सा के लिए तो सरकार जिला बोर्डों को ८०% सहायता देती है।

जिला बोर्डों की व्यय की मदें

( Items of the Expenditure of District Boards )

जिला बोर्ड निम्नलिखित मदों पर व्यय करते हैं

१. शिक्षा—जिला बोर्डों की आय का सबसे बड़ा भाग शिक्षा पर व्यय होता है। इनका यह कार्य प्रारम्भिक शिक्षा तक ही सीमित रहता है।

२. स्वास्थ्य एवं चिकित्सा—जिला बोर्डों का व्यय की दूसरी मद स्वास्थ्य एवं चिकित्सा है। इसमें अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी व्यय का प्रतिनिध चैवक व हैजे की रोक-थाम के निग्र टाका लगाने की व्यवस्था करने का व्यय भी सम्मिलित होता है।

३. सड़कों, पुलों आदि के निर्माण एवं मरम्मत पर व्यय करना।

४. पशुनालायें तथा पशु चिकित्सालय पर व्यय करना।

५. इमारतों, पशुओं की चरहों आदि बनवाना।

६. पुस्तकालय खोलने तथा वाचनालय स्थापित करना।

७. मेलों व प्रदर्शनियों की व्यवस्था करना।

८. पशुओं का नस्ल सुधारने की व्यवस्था करना तथा सॉड-ग्रह स्थापित करना ।
९. कृषि और वायव्यता पर व्यय करना ।
१०. भूमि की कृषि-योग्य (Reclamation of Soil) बनाने के लिए व्यवस्था करना ।

### ग्राम-पंचायत (Village Panchayats)

ब्रिटिश-शासन-काल में ग्राम-पंचायतों की ओर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया, इसलिये उनका विनाश होने लगा । परन्तु स्वतन्त्रता-प्राप्ति के पश्चात् भारत के संविधान में ग्राम-पंचायतों को प्रोत्साहन मिला । विकास राज्यों में ग्राम-पंचायतों के निर्माण के लिए विधान पास किये जा चुके हैं । उत्तर-प्रदेश इस काम में नयी प्रगति रहा है । उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत-एक्ट १९४९ में इन्हे विस्तृत अधिकार और कर्तव्य प्रदान किये हैं । उत्तर प्रदेश में इनके निरीक्षण तथा नियंत्रण के लिए एक बृहत् समूह है । ३१ मार्च १९५० में १,६४,३५० ग्राम-पंचायतें थीं ।

ग्राम-पंचायतों के मुख्य कार्य—नीचे तथा नहाने के लिये पानी की सफाई, दोषती, जन-स्वास्थ्य-रक्षा, सड़क-निर्माण, प्राथमिक शिक्षा, चिकित्सा, खेल-कूद के मैदान आदि की व्यवस्था करना, कुएँ बतवाना तथा उनकी भरभत करना आदि कुछ इनके अनिवार्य कार्य हैं । पुस्तकालय, मेलों, शोपवालयों, जन्म मृत्यु का लेखा रखना, वृद्धारोपण आदि की व्यवस्था करना इनके कुछ वैकल्पिक कार्य हैं ।

ग्राम-पंचायतों को आय के साधन—भारत में ग्राम-पंचायतों के आय के साधन भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न हैं ।

बम्बई राज्य में—ग्राम-पंचायतें मकान पर, यात्रियों पर, मेलों पर; माल की बिक्री पर, गाँव में माल आने पर, विवाहों और भाँजों पर, दूकानों तथा होटलों पर, तेल से चमने वाले इँजिनो पर कर लगाती हैं । इनके अतिरिक्त, उन्हें मुहदमों का 'घँटेवारा' करने की शक्ति, गाँव के बूझ-करबूझ को नीलाम करने आदि की अतिरिक्त राज्य की सरकार से भी कुछ आर्थिक सहायता प्राप्त होती है ।

मद्रास राज्य में—ग्राम पंचायतें मकानों, दूकानों तथा यात्रियों पर कर लगाने के अतिरिक्त संपत्ति के हस्तान्तरण, कृषि-भूमि, पशु, पैठ, बाजार आदि पर भी कर लगाती हैं ।

मध्य प्रदेश में—ग्राम पंचायतें मकान कर के अतिरिक्त मान के श्रेणियों, दालों, आड़तियों और तोलाघा से शुल्क लेती हैं तथा ग्रामवासियों में गाँव को सफाई, राशियों और पानी का प्रबन्ध करने के लिए भी सारचायें लगाती हैं ।

उत्तर-प्रदेश में ग्राम-पंचायतों के आय के साधन

१. कृषि-भूमि पर कर—गाँव के ह्यक कृषि-योग्य भूमि वा जितना लगान सरकार को देते हैं, उस पर एक आना प्रति रुपये के हिसाब से ग्राम-पंचायत भूमि पर कर बगूल करती हैं ।

२. व्यापार तथा घघों पर कर—ग्राम-पंचायतें गाँव के दुकानदारों, धार्मिकों, व्यवसायियों पर कर लगाती हैं । परन्तु यह कर एक निश्चित राशि में अधिक नहीं हो सकता । जैसे तोलाघो व पत्तेदारों पर ३ स० प्रति वर्ष, किराये पर

गाडिया के चलाने वालों पर ३ रु० प्रति वर्ष का कर राज्य सरकार की ओर से निर्धारित किया गया है, प्रावि ।

३. मकान कर—जो व्यक्ति भूमि-कर या व्यापारिक-कर या आय-कर नहीं देते हैं, उन पर ग्राम-पंचायत मकान-कर लगा सकती है । परन्तु मकान-कर मकान के उचित वार्षिक मूल्य के ५ प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता । निर्धन श्रावित इन कर में मुक्त किये जा सकते हैं । सरकारी इमारतों पर यह कर नहीं लगता ।

४. ग्रन्थ साधन—उपरोक्त करों के अतिरिक्त, भगड़ों का निवहारा करने की क्षमता तथा जुमाना, मार्ग-निर्देश स्थान का चिह्नित करना और ऐसे स्थानों पर लड़ी घास या वृक्षा के विक्रय से आय, गाव का वृद्धा-वरण, वृद्धियों की विधवा तथा मृत पशुओं की विक्री आदि से भी आय प्राप्त होगी है ।

ग्राम पंचायतों के व्यय की मदें—ग्राम-पंचायतें प्रायः निर्म्मांकित मदों पर व्यय करती हैं —

(१) शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, (२) गाँव की सफाई एवं राशनों का प्रबन्ध, (३) कुएँ सुधाना तथा उनको मरम्मत करवाना, (४) रास्ता को ठीक करवाना, (५) गाँव की डाकू तथा चारों से रक्षा करना, (६) गाव के धार्मिक स्थानों की रक्षा करना, (७) जन्म-मरण और विवाहों का लेखा रचना तथा (८) खेती-बाड़ी तथा उद्योग पन्थों की उत्पत्ति में सहायता प्रदान करना ।

स्थान में स्वायत्त शासन सम्स्याओं की दोषपूर्ण आर्थिक अवस्था—भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन सम्स्याओं की आर्थिक दशा बड़ी शोचनीय है, क्योंकि इनके प्रायः के मापन बहुत कम और सीमित हैं । इनकी कम आय के कारण निम्नलिखित हैं .—

(१) भारतवर्ष में आय के नभी मुख्य मापन वन्द्रीय सरकार तथा राज्य-सरकारों को प्राप्त हैं । केवल छोटे मोट नाम मात्र के मापन स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को सौंप गये हैं ।

(२) नागरिका की निधनता तथा उनमें कर देने की अत्यन्त कम शक्ति, धनिकों की कर दान में आनाकानी तथा नगरपिताओं में साहस के अभाव के कारण स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं को उतना कर प्राप्त नही होना जितना होना चाहिए ।

(३) निवाचित महसूब प्रषिक कर लगा कर जनता में दक्षता नहीं होना चाहते ।

(४) दोषपूर्ण निरीक्षण तथा अथवात नामन व्यवस्था के फलस्वरूप अनेक व्यक्ति कर दान में चक जाले हैं जबकि कुछ लागा का अपना शक्ति में आ श्रमिन कर देना पड़ता है ।

(५) भारत के लोग पिछड़े हैं । वे इन स्वायत्त संस्थाओं का महत्त्व नहीं जानते । इसलिए जन भी में संस्थाएँ आय में वृद्ध करने के हेतु नये कर लगाने हैं तो वे उसका विरोध करते हैं ।

(६) स्थानीय स्वायत्त संस्थाएँ अपनी शक्ति से बाहर जाकर शिक्षा तथा स्वास्थ्य की बड़ी बड़ी योजनाओं को अपने हाथ में ल लेती हैं और इससे इनकी आर्थिक कठिनाइयाँ बढ़ जाती हैं ।

(७) स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं का प्रबन्ध अधिकतर अयोग्य, अविश्विस्त तथा स्थायी नौगा के हाथ में है जिससे गवन, गोलमाल तथा अपव्यय के दृष्टान्त इन संस्थाओं में विलय देखने को मिलते हैं ।

स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार के सुझाव (Suggestions for Improvements)—भारत सरकार ने स्थानीय संस्थाओं को बकाशा जानने और उनकी उन्नति के सुझावों की भिन्न-भिन्न कमीशन व लिये सन् १९४६ में श्री पी० के० बटुंग, गिटायर्ड प्रिन्सिपल जनरल की अध्यक्षता में एक स्थानीय राजस्व समिति की नियुक्ति की । समिति ने सन् १९४९ में एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की और निम्नलिखित सिफारिशों की —

१. स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को वर्तमान वर लगान की दरों में वृद्धि की जाय ।

२. राज्य सरकारें कुल्लू करा की प्राप्ति को सम्पूर्ण रूप में उन्हे दे दें । उदाहरणार्थ, माल तथा यात्रियों पर लगान सीमा कर, मकान कर, चुंगी कर, रिजर्वी वर वित्तपोषण कर, बीज व घोंटा गाड़ी कर, पशु व नार कर, मधुरा व व्यापारिक वर तथा वर लगान मनोरंजन वर राज्य सरकारों से उठा कर स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को मिलना चाहिये ।

३. जिन स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को वर लगाने का अधिकार नहीं है उन्हें यह अधिकार सौंपने का अधिकार दे देना चाहिये ।

४. सम्पत्ति कर को विशेष रूप में अनिवार्य कर दिया जाय और 'गुंगी-जर' के लिये एक आदर्श सूची तय की जाय ।

५. अभी तक किराये सूचियों पर अधिक से अधिक २५० रु० प्रति वर्ष प्राप्ति कर लग सकता है, इस सीमा को बढ़ा कर १,००० रु० प्रति वर्ष कर दिया जाय । जो स्थानीय संस्थाएँ पैसा वर कर नहीं लगानी है, उन्हें उगवों स्वरूप करनी चाहिये ।

६. नगरपालिका तथा तहसील में पीस ली जाती है वर घपसाल है और उसमें वृद्धि की आवश्यकता है ।

७. होटलों में ठहरने वालों पर वर लगाने की व्यवस्था की जाय ।

८. सरकारी सम्पत्ति पर स्थानीय संस्थाओं को वर लगाने की शूट मिलनी चाहिये ।

९. राज्य सरकारों से स्थानीय संस्थाओं को आर्थिक सहायता मिलनी चाहिये ।

१०. उच्च शिक्षा पर स्थानीय संस्थाओं को कोई व्यय नहीं करना चाहिये ।

११. चिकित्सा और जन स्वास्थ्य के लिये शेषक सफाई के टोके, सफाई कर, रोगों की रोकथाम तथा चिकित्सालयों का व्यय राज्य सरकारों को करना चाहिये ।

१२. एक बलवती तथा यत्नायक ने अन्य साधन जुटाने के लिये राज्य सरकारें स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करें ।

१३. ग्राम क्षेत्रों में बीलगाइयों तथा नगरों में रिजर्वी पर वर लगाना जाय ।

१४. सैनिक गाड़ियाँ स्थानीय गडको को जो हानि पहुँचाती हैं उसके नियम स्थानीय सन्ध्याओं को क्षति पूर्ति मिलनी चाहिए ।

१५. यदि किसी स्थानीय सन्ध्या को ऋण की आवश्यकता है, तो उसका प्रबन्ध राज्य सरकारें करे क्योंकि राज्य सरकारों को कम व्याज पर ऋण प्राप्त हो जाता है ।

१६. स्थानीय स्वायत्त संस्थाएँ अपने प्रतिवर्ष के बजट में से कुछ बचत कर लक्ष्य रखें और केवल संकट काल में ही राज्य सरकार की अनुमति में खर्च किया जाये ।

१७. स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के हिसाब विभाग की पूर्ण जाँच राज्य सरकार के अकौंटकों ( Auditors ) द्वारा होनी चाहिये ।

ग्रामपंचायतों के सुधार के सुझाव

(१) ग्राम पंचायतों को निवारण रूप से भ्रष्टान्तरण, सम्पत्ति कर या चुल्हा कर लगाये और गांव की सफाई के लिये शुल्क लगाये ।

(२) पंचायती क्षेत्र में जो मालगुजारी सरकार को प्राप्त हो उसका १५% पंचायतों को मिलना चाहिये ।

(३) अचल सम्पत्ति के हस्तान्तरण पर कर लगाना भी अत्यन्त आवश्यक है ।

(४) पंचायत के कर्मचारियों के वेतन का ७५% राज्य सरकारों को देना चाहिये ।

(५) गाँव की ढाँह तथा चौरा से रक्षा करने पर जो व्यय पंचायतों को करना पड़ता है वह सारा का सारा राज्य सरकारों द्वारा सहन किया जाये ।

(६) सत्कारी कृषि, दुग्धशालाएँ तथा कसाईखाने चलाने का अधिकार भी पंचायतों को दिया जाये ।

(७) ग्रामवासियों पर लगे मसत सरकारी कर ग्राम पंचायतों द्वारा सग्रह कराये जाकर उन्हें उचित पारिथमिक दिया जाये ।

(८) शिक्षा तथा चिकित्सा का समस्त व्यय राज्य सरकारें सन्त करे ।

(९) पंचायतों का प्रबन्ध शिक्षित, योग्य, ईमानदार तथा जातीय भेदभाव रहित व्यक्तियों के हाथ में हो ।

(१०) पंच गाँव की भलाई पर ध्यान न देकर अपने पेट पालने पर ध्यान दे रहे हैं । अस्तु आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिये पंचों की इस मनोवृत्ति में सुधार करना आवश्यक है ।

लोकतन्त्र का विवेकीकरण (Democratic Centralisation)—हमारे संविधान में स्वीकार किया गया है कि शक्ति का स्रोत स्वयं जनता है । इसमें बड़ कर संविधान और लोकतन्त्र के प्रति न्याय विपदा हो सकती है कि प्रशासन के संचालन का काम सचमुच जनता को सौंप दिया जाय । इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिये इस कार्य का जो श्रेष्ठ समाज में पहले बत अवसर प्राप्त है राजस्थान में हुआ । माघ ही मध्य प्रदेश व मद्रास राज्यों में भी इस और सत्रिय कदम उठाये जा रहे हैं ।

उद्देश्य—(१) लोकतांत्रिक विवेन्दीकरण का मूल उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को प्रशासन में भाग लेने का अवसर प्रदान करना है। (२) लोकतांत्रिक विवेन्दीकरण योजना में एक ऐसे समाज को रचना करना है जहाँ ग्रामीण यह अनुभव करें कि गाँव और गाँव की सब वस्तुएँ उनकी ही हैं और उनका विश्वास और विस्तार करना उन्हीं की जिम्मेवारी है। (३) इसका उद्देश्य ग्रामीण जनता में ही ऐसे ग्रामीण नेताओं को बनाना है जो अपने गाँव ग्रामीण समुदाय का पूर्ण सहयोग प्राप्त कर अत्यन्त उत्साह, उर्ध्व गौर और जोश के साथ विकास योजनाओं को सफल बना सकें।

संगठन—ग्राम-पंचायतें लोकतांत्रिक विवेन्दीकरण की पहली कड़ी हैं। ये गाँव समाजों द्वारा चुनी जाती हैं। जिनमें गाँव के सभी वयस्क व्यक्ति होते हैं।

कार्य—ग्राम पंचायतें ग्रामीणों के लिए नागरिक तथा ग्राम्य मुविधाओं की व्यवस्था करती हैं। चिकित्सा, प्रभूतिका एवं बाल कल्याण सम्बन्धी मुविधाएँ, सार्वजनिक चरागाह, गाँव की सड़कों, मलिनो, तालाब और कुओं को ठीक हालत में कायम रखना, मकई और पानो के बहाव प्रादि की व्यवस्था करना, ग्राम्य पंचायतों के कुछ अन्य कार्य हैं। कुछ स्थानों को पंचायतें प्राथमिक शिक्षा, गाँव के भूमि-रेकार्ड तथा भूमि लगान की भी व्यवस्था करती हैं।

इनके प्रतिरिक्त गाँवों में न्याय पंचायतें भी होती हैं जिनमें ग्राम्य पंचायतों में चुने हुए सदस्य ही होते हैं। न्याय पंचायतों को फौजदारी तथा ग्राम्य स्थानीय मामलों के संतर्पित छोटे-मोटे मुद्दों के निपटाने के अधिकार होते हैं। २०० रु० तक के विधानों दानों के फ़ैसलों का भी अधिकार होता है। इनकी कार्य-प्रणाली मूख्य होती है तथा बकीलों को लाने की इजाजत नहीं है।

वित्त—दल बाँचों को सम्पन्न करने के लिए मकानों, भूमि, पेत और स्वीहारा माल की बिज्जे प्रादि पर कर लगाने हैं तथा कई वस्तुओं पर चुगो लगा कर कड इकट्ठा करते हैं।

पंचायत समितियाँ—प्रत्येक राज्य विश्वास की दृष्टि से कुछ खंडों अर्थात् ब्लॉक में विभाजित होता है और प्रत्येक खंड के स्तर पर एक पंचायत समिति होती है जिसमें समस्त पंचायतों के सरपंच और सड की समस्त तहसील पंचायतों के सरपंच सदस्य होते हैं। अधिनियम के अनुसार एक कृषि निपुण, दो महिलाएँ, अनुसूचित जातियों का एक व्यक्ति भी सम्मिलित किये जाने की व्यवस्था है। साथ-ही सड की सहकारी संस्थानों की पंच समितियों के सदस्यों में से एक व्यक्ति और ऐसे दो व्यक्ति दिनका प्रशासन, सार्वजनिक जीवन अथवा ग्राम विद्या सम्बन्धी अनुभव पंचायत समिति के लिए लाभकारी सिद्ध हो सहायत लिए जायेंगे। सहायकों सदस्यों के रूप में राज्य विद्या मन्त्रालय का सदस्य भी होगा, उसे बैंक में भाग लेने का अधिकार होगा, पर मत देने का नहीं।

कार्य—पंचायत समितियों के विभिन्न कार्य होते हैं—(१) सामुदायिक विकास—निर्दोष, अधिक उत्पादन, ग्राम संस्कारों का संगठन तथा ग्रामीणों स्वावलंबन की प्रवृत्ति उत्पन्न करना (२) कृषि-सम्बन्धी कार्य—परिवार तथा ग्राम सड के लिए योजनाएँ बनाना, पन तथा जल संधनों का प्रयोग, वैज्ञानिक ढंगों का प्रसार, २५,००० रु० से कम लागत वाले विचन नार्यों का निर्माण तथा राज्य आयोजना में बलाई गई नीति से आधिकारिक फणों का विकास करना। (३) पशु-पालन—वृद्धि प्रभावित क्षेत्रों की स्थापना, छूत की बीमारी को रोकना, पशु-श्रीपयालयों की तथा दुग्ध शालाओं की स्थापना



करना। (४) स्वास्थ्य तथा सफाई—पीने-योग्य पानी की व्यवस्था करना, शौच-मालयो एवं प्रसूति केन्द्रों का निरीक्षण करना आदि। (५) शिक्षा—प्राथमिक शालाओं को बुनियादी पद्धति में परिवर्तन करना, माध्यमिक स्तरों तक छात्र वृत्तियों तथा आर्थिक सहायताएँ देना। (६) समाज सेवा एवं समाज शिक्षा—सूचना, सामुदायिक और विनोद केन्द्रों की स्थापना आदि (७) सहकारिता—सहकारी समिति की स्थापना में सहयोग देना तथा सहकारी आन्दोलन को बलशाली बनाना। (८) कुटीर उद्योग—कुटीर उद्योगों एवं छोटे पैमाने के उद्योगों का विकास करना। (९) पिछड़े वर्गों के लिए कार्य—पिछड़े वर्गों के लाभ के लिए सरकार द्वारा सहायता प्राप्त छात्रावासों वा प्रदत्त करना, समाज कल्याण जैसे सङ्घों को मजबूत बनाना।

**जिला परिषद**—प्रत्येक जिला स्तर पर एक जिला परिषद होता है। जिला परिषद में जिले की सभ्यत पचायत समितियों के प्रधान, उस जिले में रहने वाला राज्य सभा का सभासद और लोकसभा का सदस्य, जिले से निर्वाचित विधान सभा का सदस्य आदि सदस्य होते हैं। इनके प्रतिरिक्त, दो महिलाएँ, अनुसूचित तथा अनुसूचित जन जाति वा तथा ग्राम विकास सम्बन्धी अनुभवी व्यक्ति जिला परिषद के सदस्य बनाये जाने की व्यवस्था है। विकास अधिकारी यहाँ सदस्य होता है, परन्तु मत देने का अधिकार नहीं होता है।

**कार्य**—(१) जिला परिषद पचायत समितियों के बजट की जाँच करेगी (२) जिले के लिए राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अनुदानों का उनमें वितरण करेगी। (३) पचायतों तथा पचायत समितियों के कार्य का समन्वय करेगी (४) पचायतों तथा पचायत समितियों की सबको का वर्गीकरण, उनके सभी सरपचा, प्रधानों, पंचों, सदस्यों आदि के कम्प, सम्मेलन आयोजित करेगी। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत विकास-कार्यों के बारे में राज्य सरकार को सलाह देगी।

पचायत समितियों तथा जिला परिषदों के सङ्गठन एवं कार्यों का उपयुक्त विवेचन राजस्थान पचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम १९५६ के आधार पर किया गया है।

#### प्रश्न

- १—उत्तर प्रदेश की नगरपालिका सभा के प्राय तथा व्यय के मुख्य साधन क्या हैं ? प्रत्येक पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिए।
- २—उत्तर प्रदेश में जिला बोर्डों के प्राय-व्यय के प्रधान साधन बताइये।
- ३—उत्तर प्रदेश की म्युनिसिपैलिटियों की आय के स्रोतों पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये।
- ४—नगरपालिका की आय के प्रधान स्रोत क्या हैं ? प्रत्येक पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये ?
- ५—जिला बोर्ड की आय के मुख्य स्रोत बताइये और उन पर सक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। इकाई आय पर द्वितीय महापुस्तक का क्या प्रभाव पड़ा है ?
- ६—बुँगों पर सक्षिप्त नोट लिखिये। (स० वा० १९४४)
- ७—भारत में स्थानीय सत्ताओं की आय-व्यय की स्रोतों पर टिप्पणी लिखिये और इनके राजस्व में सुधार दीजिये। (रा० वा० १९५६)

# आर्थिक नियोजन (ECONOMIC PLANNING)



सोवियत रूस की पञ्चवर्षीय योजनाओं का सफलतापूर्वक उपरान्त  
नियोजन आर्थिक दोषों के निष्पत्ति समझी जाने  
लगे है। यहाँ तक कि पूँजीपति और व्यापारी-वर्ग जो  
नियोजन के शत्रु और स्वतन्त्र व्यापार  
के पुजारी माने जाते हैं, वे भी  
नियोजन के पक्ष  
अनुयायी बन  
गये हैं।

—वाडिया एवं जोशी

नियोजना का अर्थ एवं परिभाषा ( Meaning and Definition of Planning—एल० लॉरिन ( L. Lorwin ) के अनुसार "नियोजन वह आर्थिक संगठन है जिसमें एक निश्चित अवधि के भीतर जनता की आवश्यकताओं का अधिकतम पूर्ण के उद्देश्य से समस्त उन्नत साधनों के उपयोग के लिए सभी व्यक्ति तथा स्फुट यत्न, व्यवसाय तथा उद्योग सम्पूर्ण इकाई के समन्वित प्रयत्न समझे जाते हैं।"<sup>1</sup> अस्तु आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का अर्थ यह है कि आर्थिक साधनों का ऐसा समन्वित नियन्त्रण हो जिसमें विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उनका अधिकतम उपयोग हो सके। भारतीय राष्ट्रीय योजना समिति १९३७ ( Indian National Planning Committee, 1937 ) ने जनसत्तात्मक व्यवस्था के अन्तर्गत योजना की परिभाषा इस प्रकार की है—'नियोजन वह निस्वार्थ विशेषज्ञों के द्वारा निर्दिष्ट सामाजिक हितों के अनुसार एक अपूर्व औद्योगिक समन्वय है। इस योजना पर केवल अर्थशास्त्र एवं जीवन स्तर के उत्थान की दृष्टि से ही विचार नहीं करना है, बरन् उनमें सांस्कृतिक एवं प्राथमिक हितों और जीवन के मानवीय पक्ष का भी सम्मिलित होना चाहिए।'<sup>2</sup>

डिज़ाइनसुन नियोजन को इस प्रकार परिभाषित करते हैं • 'आर्थिक नियोजन का अर्थ मुख्य आर्थिक निर्णयों पर पहुँचना है अर्थात् किन्तना और किस प्रकार उत्पादन किया जाय और विचारपूर्वक निश्चयों द्वारा किसको वितरण किया जाय जो संपूर्ण आर्थिक प्रणाली के विस्तृत सर्वेक्षण पर आधारित हो।'<sup>3</sup>

उपरोक्त विविध परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि आर्थिक नियोजन आर्थिक संगठन की एक प्रणाली है जिसके अन्तर्गत बंधकिक, पारिवारिक तथा सत्यापन की योजनाएँ एक सम्पूर्ण आर्थिक प्रणाली के विविध अंग स्वरूप होती हैं। इनका उद्देश्य अधिकतम उत्पादन क्षमता एवं सामाजिक कल्याण की वृद्धि कर राष्ट्र को अधिकतम सन्तुष्टि का होता है। इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था की प्रणाली में वृत्तिय व्यक्तियों, वर्गों तथा सत्यापन की असन्तुष्टि एवं रोष का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट हुआ कि उत्पादन में वृद्धि कर उसका व्यापक वितरण करना ही आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य होता है।

1 "Planning is a system of Economic organization in which all individual and separate plants, enterprises and industries are treated as co-ordinated units of a single whole for the purpose of utilising all available resources to achieve maximum satisfaction of the needs of the people within a given interval of time"

—L Lorwin

2 Report of the National Planning Committee on Manufacturing Industries, Page 21

आर्थिक नियोजन की आधारभूत बातें

(Essentials of Economic Planning)

आर्थिक नियोजन के लिए निम्नांकित सिद्धान्त आधारभूत माने जाते हैं —

१—विवेकपूर्ण निर्धारित निश्चित आर्थिक लक्ष्य (Conscious and deliberate economic aims i. e., targets)—निश्चित लक्ष्य आर्थिक नियोजन की आधारभूत आवश्यकता है, अतः बिना उसके वह निरर्थक समझे जाते हैं।

२—विविध आर्थिक क्रियाओं का सामंजस्य एवं संचालन हेतु एकल केन्द्रीय सत्ता का अस्तित्व (One Central planning authority Coordinating and directing various economic activities)—संपूर्ण प्रणाली के अन्तर्गत विविध आर्थिक क्रियाओं को समन्वय करने तथा उनके संचालन के लिए अविभाजित एक ही केन्द्रीय सत्ता का होना आवश्यक है। इस व्यवस्था के बिना नियोजन का संचालन संभव नहीं हो सकता।

३—सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र में नियोजन का लागू होना (Planning must be spread throughout the entire economic field)—नियोजन सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्र के लिए होना चाहिए पर्याप्त कोई भी पहलू इसके बाहर न हो तब ही नियोजन मफल हो सकता है अन्यथा समाज के एक अंग का विकास दूसरे अंग को जिस पर नियोजन लागू नहीं है, निरर्थक कर देगा।

४—सुव्यवस्थित ढंग से निश्चित लक्ष्यों को पूर्ति हेतु क्रमानुसार समित उपलब्ध प्रसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग (Rational use of the limited available resources on a well organized system of priorities targets and objectives)—संनित उपलब्ध समस्त प्रसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग होना आवश्यक है अन्यथा अधिकतम सामाजिक उत्पन्न की प्राप्ति के लक्ष्य में सफलता प्राप्त होना संभव नहीं हो सकता।

५—नियोजन संचालनार्थ सख्या शास्त्र प्रवीणों, वैज्ञानिकों तथा कला-कौशल विशिष्ट ज्ञान निपुण व्यक्तियों की बड़ी संख्या में कार्य सलग होना (The work of planning to be done by an army of statisticians, scientists and technicians)—आर्थिक नियोजन का कार्य तभी मुत्वाह रूप में चल सकता है जबकि इसमें उपयुक्त संख्या में सांख्यिकी शास्त्रज्ञों, वैज्ञानिकों तथा कला-कौशल सम्बन्धी विशिष्ट ज्ञान वाले व्यक्ति कार्य सलग हों। इन लोगों में इस विषय को एक विशिष्ट ज्ञान का विषय बना दिया है, अतः नियोजन की सफलता के के लिए इनका सहयोग आवश्यक है।

६—राष्ट्रीय अन्तर्देशीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय योजनाओं में पारस्परिक सामंजस्य (Linking of national plans with interregional and

3 Economic planning is the making of major economic decisions what and how much is to be produced, and to whom it is to be allocated by the conscious decisions of a determinate authority, on the basis of a comprehensive survey of the economic survey of the economic system as a whole " —Dixkenson, *D H Economics of socialism*

interational plans) — राष्ट्रीय योजना का प्रन्तर्राष्ट्रिय की योजनाओं से गही वलिक प्रन्तर्राष्ट्रीय योजनाओं से सामंजस्य एव सम्पर्क होना चाहिए ।

प्राधुनिक समय मे योजना का महत्व — प्रायः का युग योजनाओं का युग है । ससार की सभी राजनीतिक व्यवस्थाओं ने इसका महत्व भली प्रकार समझ लिया है । आर्थिक योजना का महत्व केवल देश के सुसंगठित उत्पात के लिए ही नहीं है, परन्तु प्रन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता मे प्रपना प्रभित्व कायम रखने अथवा प्राप्ति बढ़ने के लिए भी इसे ही आधारभूत बनाया जा रहा है । प्राधुनिक युग मे आर्थिक योजना की विचार-धारा का प्रचार सबसे प्रथम रूस के द्वारा हुआ । रूस मे क्रम मे कई आर्थिक योजनाएँ बनाईं जो प्रायः सभी साम्यवाद के सिद्धान्तों पर स्थिर थीं । भारत यह है कि रूस और चीन की अमानक उन्नति इसी आर्थिक योजना की देन है । भारत मे भी द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् बोम्बे प्लान, पिपुल्स प्लान, गांधी प्लान आदि योजनाएँ बनाईं गईं, परन्तु भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजनाओं पर ही भारत की भावी आर्थिक उन्नति की आशा स्थिर की गई है ।

भारतवर्ष मे आर्थिक योजना की आवश्यकता — द्वितीय महायुद्ध के पश्चात् भारत का आर्थिक ढाँचा प्रायः स्थिर-भिन्न हो गया । भारत विभाजन ने देश की आर्थिक स्थिति को और भी खंभीर बना दिया है । इसके प्रतिरिक्त, देवीय प्रकोपी ने भारतीय अर्थ-व्यवस्था पर बुरा प्रभाव डाला । कहीं वर्षों के प्रभाव के कारण और कहीं बाढ़ों के कारण अपार हानि हुई । देश मे खानानो तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं का घटा प्रभाव हो गया और हम अन्य देशों का गहारा सेना पडा । देश मे बेरोजगारी और निर्धनता ने प्रपना पर कर लिया है । हमारे उद्योग धंधे भा अभी बहुत विप्लवी दशा मे है । केवल २-२५ करोड व्यक्ति ही इन उद्योगों से उदर-पूर्ति कर पाते हैं । भारत की दो तिहाई जन-संख्या कृषि पर निर्भर है, परन्तु कृषि उद्योग अवनत दशा मे है । हमारे यहाँ एक एकड भूमि से ६६० पीड मेट्रे प्राप्त हाना है । जबकि जापान मे १,७१३ पीड घोर मिथ मे १६१८ पीड मेट्रे उदरन्न किया जाता है । हमारा निम्न जीवन स्तर हमारी अर्थ व्यवस्था की असामर्थ्य का साक्षक है । हमारी राष्ट्रीय आय २५५०० प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है जो उच्च जीवन-स्तर कायम रखने के लिए बिल्कुल अपर्याप्त है । इन सब कारणों से सरकार ने अनुभव किया कि दण्डित योजना निर्माण से इस जटिल समस्या का हल होना असम्भव था । अतः भारत सरकार ने भारत के समुचित और आर्थिक विकास के लिए सन् १९५० ई० मे एक योजना आयोग (Planning Commission) की नियुक्ति की ।

भारत सरकार की प्रथम पंचवर्षीय योजना — मार्च मन् १९५० मे भारत सरकार ने अपने प्रथम मंत्री पं० जवाहरलाभ नेहरू की अध्यक्षता मे योजना आयोग की नियुक्ति की जिसने ३२ माम के निरन्तर परिधम के पश्चात् योजना का अन्तिम रूप ८ दिसम्बर १९५२ को भारतीय संसद के सम्मुख प्रस्तुत किया जा स्वीकार कर लिया गया । इस योजना को पूर्ण रूप मे तैयार करने मे २५ लाख रुपये धय्य हुए तथा २७५ कर्मचारी इसमे कार्य-सलभन रहे । यह पंचवर्षीय योजना सन् १९५१-५२ से १९५५-५६ तक की अवधि के लिए थी ।

प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य — स्वतन्त्र भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य — (१) भारतवासियों के रहन सहन के स्तर को ऊँचा उठाना,

धारा (२) उनके लिए अधिक सुखी और सम्पन्न जीवन के लिए उपयुक्त अवसर प्रदान करना है। योजना आयोग के शब्दों में पंचवर्षीय योजना देश के आर्थिक विकास की एक ऐसा मिनी कुन्नी मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है जिसने अन्तर्गत सरकार और जनता दोनों के पृथक्-पृथक् काम क्षेत्र हैं और अलग-अलग उत्तरदायित्व है।

योजना का स्वरूप—इस योजना में सरकार द्वारा देश के विकास पर लगभग २०६६ करोड़ रुपये व्यय करने का आयोजन किया गया था जो विभिन्न मदों पर निम्न प्रकार था —

	१९५१-५६ में व्यय ( करोड़ रुपये में )	कुल व्यय का प्रतिशत
कृषि और मासूहिक विकास	३६०.४३	१७.४
निर्वाह और विजली	५६१.४१	२७.२
मानापात और सवहन	४८७.१०	२४.०
उद्योग-धन्धे	१७४.०४	८.४
सामाजिक सेवाएँ	३३६.८१	१६.४
पुनर्वास	८५.००	४.१
विविध	४१.२२	२.५
<b>योग</b>	<b>२०६८.७८</b>	<b>१००.०</b>

व्यय विभाजन—केन्द्र और राज्य-सरकारों के मध्य कुल व्यय का बँटवारा माटे तौर पर निम्न प्रकार था :—

	(करोड़ रुपये में)
केन्द्रीय सरकार (रेलवे सहित)	१,२४१
राज्य सरकारें : क भाग	६१०
स भाग	१७३
ग भाग	३२
जम्मू व कश्मीर	१३
<b>योग</b>	<b>२,०६९</b>

प्रथम योजना का उद्देश्य भविष्य में द्रुततर विकास की आरंभ करना था। इस हेतु सामाजिक क्षेत्र के विकास कार्यक्रम के प्रस्तावित व्यय के लिए प्रारम्भ में २,०६६ करोड़ रुपये रखे गये जो बाद में बढाकर २,३५६ करोड़ रुपये कर दिये गये।

प्रथम योजना-काल में निचोई तथा विजली-उत्पादन के साथ साथ कृषि विकास को सबसे अधिक प्राथमिकता दी गई। परिवहन तथा संचार साधनों के विकास का भी प्राथमिकता मिली। इस योजना-काल में औद्योगिक विकास निजी उद्योगपतियों की पहल तथा निजी साधनों पर छोड़ दिया गया था।

प्रथम योजना में वास्तविक व्यय—प्रथम योजना के पंचवर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र में लगभग १,६६० करोड़ रुपये का व्यय हुआ जो २,३५६ करोड़ रुपये के राशोधित लक्ष्य से १७% कम था। इसका विवरण नीचे दिया गया है—

( करोड़ रुपयों में )

१९५१-५२	२५६
१९५२-५३	२७३
१९५३-५४	३४०
१९५४-५५	४७६
१९५५-५६	६१२
	<u>१,९६०</u>

वित्तीय स्रोत—उपभुक्त व्यय के वित्तीय स्रोत निम्नलिखित थे :—

( करोड़ रुपयों में )

(१) राजस्व खाते से ( रेलवे के योगदान सहित )	७४५
(२) जनता से लिया गया ऋण	२०३
(३) छोटी बचतें तथा अनिहित ऋण	३००
(४) अन्य विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	१००
(५) बाहरी सहायता	११७
(६) घाटे की अर्पण-व्यवस्था से	४१३
	<u>१,९६०</u>

प्रथम योजना के लक्ष्य तथा सफलताएँ

प्रथम पंचवर्षीय योजना के अक्षयकारी तथा दीर्घकालीन उद्देश्य बहुत कुछ प्राप्त कर लिये गये। धरेल उत्पादन में वृद्धि हुई तथा अर्पण व्यवस्था काफी सुदृढ़ हो गई। प्रथम योजना के अन्त में मूल्य-स्तर, योजना लागू होने से पूर्व के मूल्य-स्तर से १५% कम था।

प्रथम योजना काल में राष्ट्रीय आय सन् १९५५-५६ में बढ़कर लगभग १०,००० करोड़ रुपये हो गई जो सन् १९५०-५१ में ६,११० करोड़ रुपये थी। इस प्रकार राष्ट्रीय आय में १७% प्रतिशत वृद्धि हुई। इसी काल में प्रति व्यक्ति आय भी २५३ रुपये से बढ़कर २८१ रुपये हो गई, जबकि प्रति व्यक्ति उपभोग में ६ प्रतिशत की ही वृद्धि हुई। राष्ट्रीय आय में विनिर्माण की दर में भी वृद्धि हुई।

## प्रथम योजना के लक्ष्य तथा सफलताएँ

	१९५०-५१	१९५५-५६ तक होने वाली वृद्धि (सक्षय)	१९५५-५६ (सफलताएँ)	१९५०-५१ पर १९५५-५६ में हुई वृद्धि
<b>कृषि उत्पादन</b>				
खाद्यान्न (लाख टन)	५४०	७६	६३५	+१९५
कपास (लाख बॉर्ड)	२९*१	१२*९	४०*०	+१०*९
पटसन (लाख गाठ)	३२*८	२१*२	४१*६	+८*८
गन्ना शुद्ध के रूप में (लाख टन)	५६*२	६*८	६३*०	+६*८
लिसहून (लाख टन)	५१*०	३*६	५४*६	+३*६
विजली (लाख किलोवाट)	२३	१३	४३	+२०
सिंचाई (लाख एकड़)	५१०	१९७	६७८	+१६८
<b>औद्योगिक उत्पादन</b>				
तैयार इस्पात (लाख टन)	९*८	६*७	१६*५	+६*७
सीमेंट (लाख टन)	२६*९	२१*१	४८*०	+२१*१
प्रमोनिपम सफ़्ट (हजार टन)	४६*०	४०*४	८६*४	+४०*४
रेल इंजिन (सख्या)	३	१७०	१७३	+१७०
पटसन से बनी वस्तुएँ (हजार टन)	८९२	३०८	१,२००	+३०८
मिल का बना वस्त्र (लाख गज)	३७१*०	९,८२०	४,१९०	+१४,४१०
साइकिल (हजारों में)	१०१	४२९	५३०	+४२९
जहाजरानी (लाख बीघारटो)	३*९	२*१	६*०	+२*१
राष्ट्रीय राजपथ (हजार मील)	१२*३	०*६	१२*९	+०*६

### द्वितीय पंचवर्षीय योजना (Second Five-year Plan)

“हमारी द्वितीय पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत का पुनर्निर्माण करना, औद्योगिक विकास के लिए आधार तैयार करना तथा हमारे देश के कमजोर और पिछड़े हुए वर्गों को अधिक प्रदान करना तथा देश के सभी भागों का समुचित विकास करना है।”

—जवाहरलाल नेहरू

परिचय—प्रथम पंचवर्षीय योजना की समाप्ति के पश्चात् हमारे पाँच वर्षों के गिने दूनी योजना का समारम्भ हुआ। यह योजना भारतीय संसद में १५ मई १९५५



में पास की गई। योजना की सफलता के लिए २० भारतीय अर्थशास्त्रियों का एक मण्डल स्थापित किया गया है ताकि सबका सहयोग प्राप्त हो और योजना के प्रत्येक पक्ष पर सही प्रकार परामर्श किया जा सके।

उद्देश्य—(१) राष्ट्रीय आय में वृद्धि २५% कर जन-साधारण के जीवन-स्तर में वृद्धि करना। (२) विनोदकर मूलभूत तथा भारी उद्योगों के विकास के साथ द्रुत गति से देश का औद्योगिकरण करना। (३) रोजगार की अधिक सुविधाएं देकर बेरोजगारी दूर करना। (४) भ्रष्टाचार घटने में पाई जाने वाली अम्मानता को कम करना ताकि समाजवादी समाज स्थापित किया जा सके।

योजना का आकार व स्वरूप—इस योजना पर कुल ७२०० करोड़ रु० खर्च होगा जिसमें से ४८०० करोड़ रु० सरकार तथा २४०० रु० निजी उद्योगपति खर्च करेंगे। इस प्रकार जहाँ प्रथम योजना में सरकार व उद्योगपतियों का भाग ५०, ५० प्रतिशत था, वहाँ दूसरी योजना में वह क्रमशः ६१ व ३९ प्रतिशत है।

योजना का समस्त व्यय और उसका आवंटन

व्यय की मदें	पहली योजना		दूसरी योजना	
	सारा व्यय करोड़ रुपये में	प्रतिशत	सारा व्यय करोड़ रु० में	प्रतिशत
१. कृषि और सामुदायिक विकास	३७२	१६	४६३	१२
२. सिंचाई और बाढ़ों का नियंत्रण	३६५	१०	४५८	६
३. विजली	२६६	११	४४०	६
४. उद्योग और रानिज	१७६	७	८६१	१६
५. परिवहन और संचार	१५६	२४	१,३८४	२६
६. समाज सेवा, मकान और पुनर्वासि	१४७	२३	६४६	२०
७. विविध	४१	२	११६	२
योग	२,३५६	१००	४,८००	१००

४,८०० करोड़ रु० के कुल व्यय में से २,५५६ करोड़ रु० केन्द्रीय सरकार तथा २,२४४ करोड़ रु० राज्य सरकारें व्यय करेंगी। कुल व्यय में से ३,८०० करोड़ रु० का उपयोग विनिर्दिष्ट के लिए तथा १,००० करोड़ रु० का उपयोग जानू विकास व्यय के लिये किया जायगा।

## द्वितीय योजना के अन्तर्गत उत्पादन तथा विकास के मुख्य लक्ष्य

मद	१९६०-६१ के लक्ष्य	१९५५-५६ पर १९६०-६१ की वृद्धि (प्रतिशत)
<b>कृषि</b>		
साधान (लाख टन)	७५०	१५
रूपाय (लाख गाठ)	५५	३१
भन्ना (लाख टन)	७१	२२
निलहन (लाख टन)	७०	२७
पटसन (लाख गाठ)	७,०००	६
राष्ट्रीय विस्तार खण्ड (सख्या)	३,५००	६६०
भामुदायिक विवास खण्ड (सख्या)	१,१२०	५०
<b>सिंचाई तथा विजली</b>		
बीबी गर्द भूमि (लाख एकड़)	५८०	३१
विजली (लाख किलोवाट)	६६	१०३
<b>खनिज</b>		
बच्चा लोहा (लाख टन)	१२५	१६१
कोयला (लाख टन)	६००	५८
<b>बड़े पैमाने के उद्योग</b>		
सैयार स्थाप (लाख टन)	४३	२३१
एल्युमिनियम (हजार टन)	२५०	२३३
गोटर गाढे (सख्या)	५७,०००	१२८
रेल इंजिन (सख्या)	४००	१२६
सीमेट (लाख टन)	१३०	२०२
<b>उर्वरक</b>		
(क) नाइट्रोजन युक्त (प्रमोतियम सल्फेट) (हजार टन)	१,४५०	२८२
(ख) फास्फट युक्त (सुपर फास्फेट) (हजार टन)	७२०	५००
सूती बस्त्र (लाख यज)	८५,०००	२४
चोनी (लाख टन)	२३	३५
कामज तथा गत्ता (हजार टन)	३५०	७५
<b>परिवहन तथा संचार-साधन</b>		
(क) रेलवे		
सवारी गाडी मील (लाख)	१,२४०	१५
ढोया गया सामान (लाख टन)	१,६२०	३५
(ख) मउक		
राष्ट्रीय राजपथ (हजार मील)	१३ ५	७

पड़ोस मंडल (हजार मील)	१२५०	१०
(ग) डाकघर (हजारों में)	७४	३६
शिक्षा तथा स्वास्थ्य		
प्रारम्भिक बुनियादी स्कूल (लाख)	३५०	१२
प्राथमिक, मिडिल तथा माध्यमिक स्कूलों के अध्यापक (लाख)	१३४	३०
चिकित्सा सम्पान (हजार)	१०६	०६

राष्ट्रीय धातु—२म योजना के पंचवर्षीय हमारी राष्ट्रीय धातु जो १९५५-५६ में १०,८०० करोड़ रुपये की वृद्धि कर १९६०-६१ में १३,५८० करोड़ रुपये हो जायेगी। इस प्रकार हमें २५ प्रतिशत वृद्धि हो जायेगी। इस प्रकार हमारी प्रति व्यक्ति आय २८१ रु० में बढ़कर ३३० रु० हो जायेगी।

रोजगार—द्वितीय योजनाकाल में उपनिम्न क्षेत्रों में ८० लाख धनियों की पूरे समय का रोजगार मिलने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, गिवाट तथा भूमि-मुष्ण जैसी विकास योजनाओं में काफी हद तक नव रोजगारों का व्यवस्था करके बेरोजगारी कम की जायेगी। द्वितीय योजनाकाल में कुल मिलाकर १ करोड़ व्यक्तियों के लिए रोजगारों की व्यवस्था करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि सभी बेकार श्रमिकों की काम में लगाया जा सके।

वित्तीय मापन—द्वितीय योजना के मार्गदर्शित क्षेत्र के व्यय व वित्तों का निम्न प्रकार है :—

	(करोड़ रु०)	(करोड़ रु०)
(१) चालू राजस्व में वृद्धि		८००
(क) करों की वर्तमान दरों में	३५०	
(ख) अनिश्चित करों में	४५०	
(२) जनता में ऋण		
(क) बाजार ऋण	७००	१२००
(ख) अन्य संचय	५००	
(३) अन्य बजट सम्बन्धी स्रोतों में		५००
(क) रेलों का समदान	१५०	
(ख) प्रॉजिक्ट फंड और अन्य जमा	२५०	
(४) विदेशी सहायता		८००
(५) घाटे की अर्थ-ढाँकण्या		१,२००
(६) घरेलू मापनों में अनिश्चित वृद्धि करने पूरा किया जाने वाला अन्तर		५००
		<u>५,८००</u>

निजी क्षेत्र में विनियोग—निजी क्षेत्र में २,५०० करोड़ रु० के विनियोग की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है जो नीचे दिखाया गया है ।

	(करोड़ रु०)
सगळी उद्योग तथा खानों	५७५
बागान, विजयी तथा परिवहन ( रेलों को छोड़कर )	१२५
निर्माण कार्य	१,०००
कृषि तथा ग्राम एंव छोटे पैमाने के उद्योग	३००
स्टॉक	५००
	<u>४,५००</u>

योजना का पुनर्मुख लयन—दूसरी योजना को पूरा करने के वित्तीय साधनों की अपर्याप्तता ने स्थिति को गंभीर बना दिया जिसने फलस्वरूप राष्ट्रीय विकास परिषद् ( National Development Council ) ने मई १९५८ के प्रथम सत्राह में इसने सशोधन का प्रस्ताव पास किया । प्रस्ताव में कहा गया कि योजना के 'क' भाग पर ४५०० करोड़ रु० खर्च होगा और ३०० करोड़ रु० 'ख' भाग पर उन हद तक खर्च किये जायेंगे जिस हद तक प्रतिरिक्त साधन उपलब्ध होंगे ।

निम्नलिखित तालिका में विभिन्न मदों पर किये जाने वाले व्यय का सशोधित आँकड़ों सहित स्पष्ट विवरण दिया गया है :—

सार्वजनिक क्षेत्र में विभिन्न व्यय की मदें	मूल वितरण (करोड़ रु०) में	सशोधित विवरण (करोड़ रु० में)	४५०० करोड़ रु० की सीमा में वितरण (करोड़ रु० में)
१. कृषि एंव सामुदायिक विकास	५६८	५६८	५१०
२. सिंचाई व बिजली	६१३	८६०	८२०
३. ग्रामीण तथा छोटे उद्योग	२००	२००	१६०
विशाल उद्योग तथा खनिज पदार्थ	६६०	८८०	७६०
५. परिवहन तथा संचार	१३८५	१,३४५	१३४०
६. सामाजिक सेवाएँ	६४५	८६३	८१०
७. विविध	६६	८४	७०
योग	४८००	४८००	४५००

द्वितीय पंचवर्षीय योजना और राज्य सरकारों का योजना व्यय

राज्य	योजना व्यय ( १९५६-६१ ) ( करोड़ रु० )
(१) असम	५७*६४
(२) आंध्र प्रदेश	१७४ ७७
(३) उत्तर प्रदेश	२५३ १०
(४) उड़ीसा	६६*६७
(५) केरल	८७*००
(६) जम्मू तथा कश्मीर	३३*६२
(७) पंजाब	१६२ ६८
(८) पश्चिमी बंगाल	१५७ ६७
(९) बम्बई	३५० २२
(१०) बिहार	१६० २२
(११) मद्रास	१५२ २६
(१२) मध्य प्रदेश	१६० ८६
(१३) मैसूर	१४५*१३
(१४) राजस्थान	१०५ २७

उत्तर प्रदेश—द्वितीय पंचवर्षीय योजना ( सन् १९५६-६१ ) के अंतर्गत उत्तर प्रदेश में २५३ १० करोड़ रु० व्यय करने की व्यवस्था की गई है। इस राशि का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है —

विकास की गईं	योजना में व्यय व्यवस्था ( १९५६-६१ ) ( करोड़ रु० )
कृषि एवं सहायक विषय	४ ०४
सामुदायिक विकास योजनाएँ एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा	२६ ६०
शिक्षा	२५ ८०
शक्ति	५४ ६२
उद्योग	१६ ४३
मानवधन	१७ ००
निष्ठा	२६ ५८
स्वास्थ्य	२४ २३
प्रकाश	१०*४५
विप्लवों ज़ानिना का बन्धनाए	४ ७५
सामाजिक कल्याण	१ २५
धर्म कल्याण	१ ४२
विविध	२*६७
योग	<u>२५३ १०</u>

राजस्थान—द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में १०५.२७ करोड़ २० व्यय करने की व्यवस्था की गई है। इस व्यय का विस्तृत विवरण निम्न प्रकार है।

विभाग की मदें	योजना में व्यय व्यवस्था (१९५६-६१) (करोड़ रु०)
कृषि एवं सहायक विषय	१२.७७
सामुदायिक विकास योजनाएँ	
एवं राष्ट्रीय विस्तार सेवा	६.७५
बहुदृष्टीय योजनाएँ	२४.९७
सिंचाई	११.७४
शक्ति	८.६५
उद्योग	६.०४
यातायात	९.४२
शिक्षा	१०.५६
स्वास्थ्य	७.३६
आवास	२.६४
पिछड़ी जातियों का कल्याण	२.२८
सामाजिक कल्याण	०.४३
श्रम एवं श्रम कल्याण	०.६२
दिविध	१.०१
	<u>१०५.२७</u>

### द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सफलताएँ

वस्तु	१९५०-५१	१९६०-६१ (समाहित)
मुख्य फसलों की पैदावार		
अन्न (लाख टन)	५२२	७५०
तिलहन (लाख टन)	५१	७२
गन्ना गुड़ (लाख टन)	५६	७२
कपास (लाख गाँठें)	२६	५४
पटसन (लाख गाँठें)	३३	५१
उत्पादित वस्तुएँ		
तेयार इस्पात (लाख टन)	१०	२६
एल्युमीनियम (हजार टन)	३७	१७
डीजेल इंजिन (हजार)	५.५	३३
त्रिजरी के तार (ए० सी० सी० और कण्ट्रोलर) (टन)	१,६७४	१०,०००
मशीन युक्त ज्वलक (हजार टन)	६	२१०
गंधक का तैयार (हजार टन)	६६	४००


सीमेंट ( लाख टन )	२७	६८
कोयला ( लाख टन )	३२०	५३०
कच्चा लोहा ( लाख टन )	३०	१२०
उपभोक्ता वस्तुएँ		
मिलो का सूती कपड़ा ( लाख गज )	३७,२००	५०,०००
चीनी ( लाख टन )	११	२२ ५
कागज और गन्ना ( हजार टन )	११४	३००
बाइसिकलें ( हजार )	१०१	१,०५०
मोटर गाड़ियाँ ( संख्या )	१६,५००	५३,५००

योजना के मुख्य—(१) द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारतीय मस्तिष्क को सर्वोत्तम उपज है। (२) इसमें जनता की सम्पत्तियों तथा आलोचनाओं को पूर्ण अवसर प्रदान किया गया है। (३) योजना घबेरे लचीली भी है, क्योंकि प्रतिवर्ष इसका अन्वयन किया जायगा और आवश्यकतानुसार संशोधन भी किये जायेंगे। (४) सरकारी क्षेत्र का महत्व पूर्णतया न्यायोचित है, क्योंकि अब भारत की सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का समाजवादी नमूने का समाज-निर्माण है। यही कारण है कि योजना को विरोधी दलों जैसे प्रजा समाजवादी और साम्यवादी दलों का पूर्ण सहयोग प्राप्त है। (५) दूसरी योजना में देश का औद्योगीकरण करने का लक्ष्य रखा गया है, इस विचार से कि लोगों को अधिक नौकरियाँ दिया कर मजदूरी और वेतन के रूप में अधिक धन प्राप्त करके, अधिक वस्तुओं और सेवाओं तथा अधिक व्यापारिक गतिविधि द्वारा जीवन स्तर को समग्र रूप से उठावा जाय। यह एक अशुद्धा उद्देश्य है।

योजना के दोष ( आलोचना )—(१) योजना आयोग के प्रमुख सदस्य श्री के० सी० नियोमी के अनुसार “भारत की दूसरी योजना अन्वयावहारिक और आवश्यकता से अधिक महत्वाकांक्षी है। यह अशुद्धा होता कि लक्ष्य कुछ कम रखे जाते जिनके पूर्ण होने की आशा तो होती।” (२) दूसरी आलोचना यह है कि घाटे का बजट बनाकर योजना को कार्यान्वित करने का जो विचार है उससे देश में मुद्रा-स्थिति में और भी वृद्धि होगी जिसके परिणामस्वरूप कम आय वाले लोगों को और भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। (३) योजना में भारी उद्योगों पर अनुचित बल और उन्हें प्राथमिकता दी है। संसार के सभी प्रगतिशील और बहुत अधिक औद्योगिक देशों में औद्योगीकरण का क्रम पहले पहले उपभोक्ताओं की आवश्यकताएँ पूरा करने के लिये कारखाने बना कर आरम्भ किया, और तदनन्तर दैनिक जीवन की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली वस्तुएँ बनाने के लिये गरीबों बनाईं। दूसरी योजना में इन प्राकृतिक और ऐतिहासिक परिपाटी को उलट दिया गया है और हमारी योजना खर के दल खड़ी है। (४) योजना का वित्तीय आधार कमजोर है। ४५० करोड़ रुपये के नये कर, १२०० करोड़ रुपये की घाटे की अर्ध-व्यवस्था और ८०० करोड़ रुपये की विदेशी सहायता माँगी गई है। फिर भी ४०० करोड़ रुपये की कमी रह जाती है। यदि इसे पूरा करने के लिए फिर नये कर लगाये गये तो जनता में असन्तोष बढ़ने की आशंका है। (५) देश की यातायात की दशा बहुत पराव है। इस समस्या को रेल, सड़क, तटीय जहाजरानों तथा आन्तरिक जल मार्ग उन्नत करके, सुव्यवस्था जा सकता है। परन्तु योजना में इसके महत्व को ठीक प्रकार नहीं समझा गया है। (६) प्रशासन के लिए योग्य तथा कुशल व्यक्तियों की कमी का, अन्वयन

नहीं किया गया है। प्रणामन, अनुमोदनकर्त्ताओं आदि की बात तो क्या, साधारण शोकरनियमों का कट्टा, नर्मा आदि की देश में जारी नहीं है। इसका परिणाम यह होगा कि योजना बीच में ही रुक जावेगी। (७) इस योजना में सरकारी क्षेत्र को अनुचित महत्व प्रदान किया गया है और उसका विकास व्यय भी निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करने से भी अधिक है। यह भ्रमपूर्ण है, क्योंकि आज देश में प्रथम श्रेणी उद्योग का है, इसका नहीं कि उसे कौन करता है। इसके प्रतिरिक्त देश में सरकारी समाजवाद तथा एकाधिकार स्थापित हो जायगा और एकाधिकार के सारे दोष उत्पन्न हो जावेंगे। (८) इस योजना में सार्वजनिक क्षेत्रों को जो महत्व दिया गया है वह उन लोगों को पसन्द नहीं है जिन्होंने इस विषय का गहरा अध्ययन किया है। जहाँ नहीं भी किसान में भूमि लेकर उसे सामूहिक प्रयत्न सामूहिक के तैयारी के रूप में रखा गया है, वहाँ पैदावार घटा है। सोवियत रूस और पूर्वी योरोपीय देशों में भी यही हुआ है। इसी कारण युगोस्लाविया और पोलैंड की साम्यवादी सरकारों ने अपनी सन्तुष्टी का अनुभव किया है और उन्होंने किसानों को सामूहिक तैयारी को छोड़कर अपनी जमीन खुद जोतने की छूट दे दी है। (९) मृत्ती मिल उद्योग तथा हाथ करपा उद्योग के बीच में जो सम्बन्ध किया गया है, वह नहीं चल सकेगा। इससे निवृत्ति करने में बाधा पड़ सकती है। (१०) कुटीर उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय आय में उत्तरी वृद्धि न हो सकेगी। जितनी कि योजना में बताई गई है। (११) योजना में उपभोग की वस्तुएँ उपभोग करने के लिए पर्याप्त और पर्याप्त उद्योगों का बंटवारा किया गया है, वह ठीक नहीं है, क्योंकि बरकरार उद्योगों पर अधिक ध्यान नहीं दिया जा सकता। (१२) योजना में निर्यात बढ़ाने के ऊपर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। सरकार उद्योगों की प्रतिस्पर्धी शक्ति का बढ़ाने के लिए कोई विशेष ध्यान नहीं दे रही है। (१३) योजना में वैदेशी की परिसमाप्ति का तथा प्रत्यक्ष स्वस्थ उत्पत्ति के लिए काम देने का पूर्ण प्राधान्य नहीं दिया गया है।

### तृतीय पंचवर्षीय योजना



‘मैं चाहता हूँ कि हम सब अपना सारा ध्यान तीसरी पंचवर्षीय योजना पर लगा दें। आज यह समय बड़ा काम है, जो हमें करना है। इन्हें पूरे हमारे हमारे हमारे समसामयिकों के मुनकाने में भी गहरा मिलाने।’

—जवाहरलाल नेहरू



परिचय—द्वितीय पंचवर्षीय योजना ३१ मार्च १९६१ को समाप्त हो गई और १ अप्रैल, १९६१ से तृतीय पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ हो गई। इसका कार्यकाल सन् १९६५-६६ तक है। तीसरी योजना देश की घर्ष-व्यवस्था का विकास करने के प्रयत्न का एक महत्वपूर्ण चरण है। पहली दो योजनाओं में कृषि का विकास करने के लिए क्षेत्रीय संगठन और शासन षंन को मजबूत बनाया जा चुका है। औद्योगीकरण में तेज चाल से प्राये बढने के लिए, इस्पात उद्योग, खाना, बिजली और परिवहन का विकास भाधार का काम करता है। इसलिए यह आवश्यक है कि इनके विकास में प्रब तक जो गति भा चुकी है, उसे तीसरी योजना में तीव्र करके, शीघ्री योजना में और अधिक बढ़ा दिया जाय।

उद्देश्य—प्रथम दो योजनाओं के अनुभवों को ध्यान में रखने हुए तीसरी योजना निम्नांकित लक्ष्यों को सामने रख कर बनाई जा रही है—

(१) तीसरी योजना की अवधि में राष्ट्रीय भाय में ५ प्रतिशत वार्षिक वृद्धि हो और पूँजी-विनियोग का स्वरूप ऐसा हो कि वृद्धि का यह क्रम अगली योजनाओं में भी जारी रहे।

(२) खाद्यान्नों के मामले में देश स्वावलम्बी हो जाय और कृषि की उपज इतनी बढ जाय कि सस्ते उद्योगों और निर्यात दोनों को आवश्यकताएँ पूरी हों।

(३) इस्पात, ईंधन और बिजली सरोजों वुनियादी उद्योगों का विस्तार हो और यत्र मामूली बनाने की क्षमता इतनी बढ जाय कि बस यहाँ के भीतर भावी औद्योगीकरण की समस्त आवश्यकताएँ स्वदेशी साधनों से ही पूरी हो सकें।

(४) देश की जन शक्ति का यथासम्भव पूरा उपयोग किया जाय और रोजगार के अवसरों में पर्याप्त वृद्धि हो।

(५) भाय और संपत्ति में विषमता घटे तथा आर्थिक क्षमता का अधिक हद से वितरण हो।

योजना की दृष्टिकोण—योजना में, सरकारी और निजी, दोनों क्षेत्रों के व्यय की बर्चा की गई है। तीसरी योजना में सत्र मिलाकर १०,२०० करोड ह० पूँजी-विनियोग करने का विचार है। इसमें से ६,२०० करोड ह० सरकारी क्षेत्र में और ४,००० करोड ह० निजी क्षेत्र में लगाए जायेंगे। योजना के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र में अस्तावित धन्य निम्न सारणी से स्पष्ट होता है :—

## तीसरी योजना में सरकारी क्षेत्र में प्रस्तावित व्यय

क्रमक	विकास की मंदा	व्यय		प्रतिपात	
		द्वितीय योजना	तृतीय योजना	द्वितीय योजना	तृतीय योजना
१—	कृषि तथा छोटी सिंचाई योजनाएँ	३२०	६२५	६'६	८'६
२—	सामुदायिक विवास और सहायिता	२१०	४००	४'६	५'५
३—	बड़ी और माध्यम सिंचाई योजनाएँ	४५०	६५०	६'८	६'०
४—	बिजली	४१०	६२५	८'६	६'०
५—	ग्राम और लघु उद्योग	१८०	२५०	३'६	३'४
६—	उद्योग और सजिज	८८०	१५००	१६'१	२०'७
७—	परिवहन और संचार	१२६०	१४५०	२८'१	२०'०
८—	सामाजिक सेवाएँ	८६०	१२५०	१८'७	१७'२
९—	इकावट न घाने देने के लिए जमा मास	—	२००	—	२'८
	योग	४६००	७२५०	१००	१००

सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में विभिन्न मंदा पर तृतीय योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले विनियोग के सम्बन्ध में तालिका निम्न प्रकार है :—

(करोड़ रुपये में)

क्रमांक	विकास मंचे	सार्वजनिक क्षेत्र में विनियोग	निजी क्षेत्र में विनियोग	कुल विनियोग
१—	कृषि, छोटी सिंचाई तथा सामुदायिक विकास योजनाएँ	६७५	८००	१,४७५
२—	बड़े और माध्यमिक सिंचाई योजनाएँ	६४०	—	६४०
३—	शक्ति (बिजली)	६२५	५०	६७५
४—	ग्राम और लघु उद्योग	१६०	२७५	४३५
५—	उद्योग और खनिज परिवहन और संचार	१,५००	१,०००	२,५००
६—	सामाजिक सेवाएँ	१,४५०	२००	१,६५०
७—	सामाजिक सेवाएँ	६५०	१,०७५	१,७२५
८—	जमा राशि	२००	६००	८००
योग		६,२००	४,०००	१०,२००

प्रस्तावित व्यय के केन्द्र और राज्यों में विभाजन का रूप तब ज्ञान होगा जब राज्यों की योजनाओं पर उनके साथ विचार होगा। परन्तु अपनी योजनाएँ बनाने में राज्यों की सहायता करने के लिए यहाँ का व्यय का प्रत्यायी विभाजन प्रस्तुत किया जा रहा है :—

केन्द्र और राज्यों में व्यय का विभाजन  
(करोड़ रु०)

क्रम संख्या	विकास-मंचे	योग	केन्द्र	राज्य
१.	कृषि, छोटे सिंचाई-कार्य और सामुदायिक विकास	१,०२५	१७५	८५०
२.	बड़े और माध्यम सिंचाई-कार्य	६४०	५	६३५

३. बिजली	६२५	१२५	८००
४. ग्रामीण और छोटे उद्योग	२५०	१००	१५०
५. उद्योग और शान्ति	१,५००	१,५७०	३०
६. परिवहन और संचार	१,४५०	१,२२५	२२५
७. समाज सेवाएँ	१,२५०	३००	६५०
८. इन्फेण्डरिया	२००	२००	—

सर्व योग	७,२५०	३,६००	३,६५०
----------	-------	-------	-------

योजना के वित्तीय साधन—दूसरी योजना ने सरकारी क्षेत्र में अब तक के अध्ययन के फलस्वरूप प्रस्तावित व्यय की वित्तीय व्यवस्था करने के सम्बन्ध में जो योजना तैयार की गई है, वह नीचे की तालिका से स्पष्ट हो जाती है :—

### सरकारी क्षेत्र में वित्तीय साधन

(करोड़ रु०)

सदें	दूसरी योजना	तीसरी योजना
१. करो की वर्तमान दरों के आधार पर, राजस्व से बची हुई राशि	१००	३५०
२. वर्तमान आधार पर, रेलों से प्राप्त भाग	१५०	१५०
३. वर्तमान आधार पर अन्य सरकारी उद्योग व्यवसायों से होने वाली बचत	—	४४०
४. जनता से लिए हुए ऋण	८००	८२०
५. छोटी बचतें	३८०	४२०
६. प्राविष्टिष्ठ फण्ड, सुग्रहानी कर, इत्यादि समीकरणों और पूँजी खाते में जमा विविध रकम	२१३	५१०
७. नए कर जिनमें सरकारी उद्योग व्यवसायों में अधिक बचत करने के लिए जाने वाले उपाय शामिल हैं	१०००	१,६५०
८. विदेशी सहायता के रूप में बजट में प्रदत्त रकम	६८२	२,२००
९. पाठों की अर्थ व्यवस्था	१,१७५	५५०
योग	४,६००	७,२५०

निजी क्षेत्र में पूँजी का विनियोग—योजना के निजी क्षेत्र में पूँजी विनियोग का सम्बन्ध न केवल संगठित उद्योगों, खानों, बिजली और परिवहन से, बल्कि कृषि, ग्राम तथा नए उद्योगों सहरी तथा ग्रामीण आवास आदि से भी है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर इस सारे क्षेत्र के लिए पूँजी-विनियोग की कोई सार्वक व्याजना प्रस्तुत कर सकना सम्भव नहीं है। हाँ, गत वर्ष की प्रवृत्तियों के साथ तुलना करके इस बात का

घोडा-बहुत निश्चय आवश्यक किया जा सकता है कि इस क्षेत्र में जितनी पूँजी लगाने की बात नहीं गई है, वह कहीं तक व्यवहारिक होगी। नीचे की तालिका में दिखलाया गया है कि दूसरी योजना के आरम्भ में लगाये गये अनुमानों और रिजर्व बैंक द्वारा हाल में किए गए अध्ययन के आधार पर संशोधित अनुमानों के साथ तुलना करने पर तीसरी योजना में निजी क्षेत्र की प्रमुख मदों में कितनी पूँजी विनियोग हो सकता है—

योजना के निजी क्षेत्र का पूँजी-विनियोग

( करोड़ रु० )

	दूसरी योजना		तीसरी योजना	
	प्रारम्भिक अनुमान	संशोधित अनुमान	प्रारम्भिक अनुमान	संशोधित अनुमान
१. कृषि (सिंचाई सहित)	२७५	६७४	८५०	५०
२. बिजली	४०	४०	५०	५०
३. परिवहन	८५	१२५	२००	२००
४. ग्रामीण और लघु उद्योग	१००	२२५	३२५	३२५
५. बड़े और मध्यम उद्योग तथा खनिज पदार्थ	१७५	७००	१,०५०	१,०५०
६. आवास और अन्य इमारती काम	६२५	१,०००	१,१२५	१,१२५
७. इन्वेस्टिचियाँ	४००	५२५	६००	६००
<b>योग</b>	<b>२,४००</b>	<b>३,३००</b>	<b>४,२००</b>	<b>४,२००</b>

विदेशी मुद्रा—तृतीय योजना में विदेशी मुद्रा का प्रश्न सबसे अधिक जटिल और महत्वपूर्ण है। यह अनुमान लगाया गया है कि तृतीय योजना में कुल मिलाकर ३,२०० करोड़ की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी जो कि इस योजना का लगभग ३ भाग है। इसका विवरण निम्न प्रकार है :—

विद्युत प्रत्यो और व्याज के भुगतान के लिए	५०० करोड़ रु०
मशीनें और अन्य भारी सामान क्रय करने के लिए	१,६०० " "
स्थायी सम्पत्ति की उत्पादन क्षमता में वृद्धि कराने के लिए	२०० " "
साधन क्रय करने के लिए	६०० " "

योग ३,२०० करोड़ रु०

तृतीय योजना की सफलता के आवश्यक तत्त्व—ऊपर दिये गए आँकड़ों के आधार पर योजना के सफलता के लिए निम्न बातों की आवश्यकता है :—

- (१) योजना की रूपरेखा पर सभी दलों की पूर्ण सहमति।
- (२) सभी क्षेत्रों में सही एवं निःस्वार्थ नेतृत्व।
- (३) योजना के उद्देश्यों का प्रचार।
- (४) समाजवादी समाज की स्थापना की दिशा में सक्रिय कदम।

(२) यात्रना का वायाग्विषय करने के लिए सरकारी क्षेत्र की श्रपेया जनता और गैर सरकारी क्षेत्रा पर प्राधिक विवदास ।

निष्कर्ष—योजना एव राष्ट्रीय विकास का कार्यक्रम है नकि किसी दल विशेष का । इस महान् राष्ट्रीय प्रयास को सफल बनाने के लिए सभी दलों के सक्रिय सहयोग का नितात आवश्यकता है । २० वीं के ० चार० वी० राय के अनुसार "तृतीय योजना भारत का समाजवादी समाज की स्थापना की श्रौर ले जायेगी, जहाँ न्याय, समानता तथा धातुगत महत्ता होगी, जहाँ जनतन्त्रीय सङ्घारी एवं विकेंद्रित व्यवस्था होगी, जहाँ निम्न आय के लोगों को उन्नति का अवसर मिलेगा, उत्पादन बढ़ेगा, बाधकता में वृद्धि होगी, पूँजी निर्माण पर्याप्त होगा, प्रादिन विकास की दर तथा विनियोग का स्वरूप ऐसा होगा कि सबल एवं स्वतः ही विकसित होने वाली ग्रधं-व्यवस्था दृष्टिगोचर होने लगे ।" इस प्रकार भारत में तृतीय योजना का अविष्य उज्ज्वल है ।

### सामुदायिक विकास योजनाएँ

(Community Development Projects)

"मेरा विष्वास है कि देश में महत्वपूर्ण उप्रति विद्याल देहाती क्षेत्र में सामुदायिक विकास योजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा के प्राधुभाव के रूप में हर्द है । पहली बार हमने देहाती को समस्या को सही दृष्टि से हल करने का प्रयत्न किया, गाँव बावों को अपनी समस्याएँ हलप हल करने के लिये प्रेरित करने । इस चीज ने उनमें जीवन का सचार किया, उनको प्रोत्ते खुल गई, उनके मुजदष्ट पहले से प्राधिक मजबूत हो गये और वे काम करने के लिए कटिपट हो गये मानो उनके नव-जीवन का सचार हो गया ।"

—जवाहरलाल नेहरू

प्रारम्भिक—पतमान युग में राम राज्य श्रपात ऐसे राज्य की स्थापना कराने के लिए, जिसमें देन धन धान्य से पूर्ण हो, धन और वस्त्र की प्रचुरता हो तथा जनता को सुख और प्राति हो, सक्रिय वदम सबसे प्रथम राष्ट्रियता महात्मा गाँधी ने उठाया था । ब्रिटिश शासनकाल में समय समय पर गाँवों की दशा सुधारने के लिए कुछ प्रयत्न किये गये, परन्तु वे सब विफल रहे, कथोपि प्रथम तो वे शक्यवस्थित में और द्वितीय, उनमें इस बात पर जोर नहीं दिया कि गाँव की उत्पत्ति मुख्यतः ग्रामीणों के अपने प्रयत्नों से ही होगी, सरकार केवल सहायता ही कर सकती है । भारत स्वतन्त्र हुआ और देश के सर्वतोमुखी विकास के लिये मन् १९५२ में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की गई जिसमें अनुसार आजकल कार्य चल रहा है । इस पंचवर्षीय योजना में एक नई बात का समावेश किया गया है और वह है सामुदायिक योजना । समस्त देश में योजना का उत्पादन २ अक्टूबर १९५२ को राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद ने एक भाषण प्रसारित करके किया । डा० राजेन्द्रप्रसाद ने अपने भाषण में योजना की यात्र के स्वप्नों का मूर्त-रूप बताते हुए कहा—"भारत बहुत करने गाँवों में ही बसना है . . . महात्मा गाँधी इसीलिये गाँवों की उत्पत्ति पर बहुत जोर दिया करते थे । यह अनुविचार है कि आज उनके जन्म-दिन पर इस सामुदायिक उप्रति का प्रारम्भ किया जा रहा है" ।

सामुदायिक योजना का अर्थ एव परिभाषा—योजना श्रपाय के लब्दा में "सामुदायिक विकास योजना यह उपाय है और देहाती तक हमारे कार्यक्रम का विस्तार बढ़ साधन है निघटे द्वारा पंचवर्षीय योजना हमारे गाँवों के सामाजिक एवं

भारतीय जीवन में परिवर्तन करना चाहती है।<sup>1</sup> भारतवर्ष के लिए मूलक राष्ट्र अमेरिका के औद्योगिक सहयोग प्रदातक श्री लॉशबोउ (Loshbough) के शब्दों में, जो सामुदायिक योजनाओं के डिप्टी टाइरेक्टर हैं, "सामुदायिक योजना गहरे विकास की समस्या की एक सुव्यवस्थित एवं आयोजित पद्धति है।"<sup>2</sup> अमेरिका में किसी बस्ती या गावादी (Settlement) को समुदाय (Community) कहते हैं और उसके विकास कार्य को सामुदायिक विकास योजना (Community Development Project) कहते हैं। इस अमेरिकन प्रथा के अनुसार ही भारतवर्ष में भी यह नाम रखा गया है।

योजना का उद्देश्य—इस योजना का उद्देश्य यह है: "योजना के अन्तर्गत ग्रामे वाले क्षेत्रों के पुष्पा, स्त्रियों व बच्चों के 'जीवित रहने के अधिकार' के स्थापन में एक मार्ग-प्रदर्शक व्यवस्था के रूप में सेवाएँ प्रदान करना, परन्तु कार्यक्रम की प्रारम्भिक अवस्थाओं में इस उद्देश्य की पूर्ति के मुख्य साधन साध की ओर सर्वप्रथम ध्यान दिया जावेगा।"<sup>3</sup> इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए निम्नलिखित बातों की पूर्ति के लिए ध्यान दिया जावेगा:—

(१) खेती और उससे सम्बन्धित कार्य —(अ) पठत तथा बिना-जुनी भूमि का कृषि के लिये प्रयोग करना, (आ) सिंचाई के लिये नहरों, नल-कूपों, तालाबों आदि की व्यवस्था करना, (इ) उत्तम खाद व बीज की व्यवस्था करना, (ई) कृषि के बीजारोषों की व्यवस्था करना, (उ) उपज की बिक्री तथा मत्स्य साध की व्यवस्था करना, (ऊ) पशु-पालन के लिये पशु प्रजनन-केन्द्र (Breeding Centres) की व्यवस्था करना तथा उनकी बीमारियों को दूर करने का प्रयत्न करना, (ए) भूमि के पटायों की रीजने की व्यवस्था करना, (ऐ) फलों व सब्जियों की खेती का विकास करना, (ओ) मछली व्यवसाय का विकास करना, (मौ) मिट्टी के सम्बन्ध में गवेषणा की व्यवस्था करना, (म) प्राधुनिक ढंग से खेती करने का प्रचार करना, तथा (म.) पेट पोशों की खेती और वृक्षारोपण की व्यवस्था करना।

(२) यातायात व संचार के साधन:—(अ) सड़कों की व्यवस्था करना, (आ) ग्रामिक सड़क-परिवहन सेवाओं को प्रोत्साहन देना, व (इ) पशु-परिवहन का विकास।

(३) शिक्षा:—(अ) प्रारम्भिक अवस्था में अनिवार्य तथा नि-मुक्त शिक्षा की व्यवस्था करना, (आ) मिडिल और हाई स्कूलों की व्यवस्था करना, (इ) सामाजिक शिक्षा तथा पुस्तकालय सुलभाने की व्यवस्था करना, तथा (ई) विनोद दिवाकर व गाणेश दिलवाकर प्राणीणा की बुद्धि का विस्तार करना।

(४) स्वास्थ्य:—(अ) सफाई और सार्वजनिक स्वास्थ्य की व्यवस्था करना (आ) बीमारों के लिये चिकित्सा की व्यवस्था करना, (इ) गर्भवती स्त्रियों की प्रसव

1. "Community Development is the method and Rural Extension the agency through which the Five year plan seeks to initiate a process of transformation of the Social and Economic life to villages"

First Five-year plan of the Government of India.

2. Community project is an organized, planned approach to the problem of intensive development."  
—Loshbough.

में पहलु और उसके उपरान्त देख-भाल करना तथा (ई) दाइयो की सेवाएँ उपलब्ध करना ।

(५) प्रशिक्षण ट्रेनिंग :—(अ) मोज़दा कारीगरो को अधिक कुशल बनाने के लिए प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम (Refresher Courses) की व्यवस्था करना, (आ) वृषको का प्रशिक्षण, (इ) इति-विस्तार अधिकारियों ( Extension Officers ) के प्रशिक्षण का प्रबन्ध करना, (ई) निरीक्षकों ( Supervisors ) के प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, (उ) कारीगरो के प्रशिक्षण की व्यवस्था, (ए) प्रबन्ध कार्य सम्भालने वाले कर्मचारियों की प्रशिक्षण-व्यवस्था (ऐ) स्वास्थ्य कर्मचारियों की प्रशिक्षण व्यवस्था तथा (घ) योजना के कार्याधिकारियों की प्रशिक्षण की व्यवस्था करना ।

(६) नियोजन ( Employment )—(अ) मुख्य या सहायक धन्धो के रूप में बुटीर-उद्योग व शिल्पो को प्रोत्साहन देना, (आ) अतिरिक्त व्यक्तियों को कार्य पर लगाने के लिए छोटे मोटे उद्योग-धन्धो को प्रोत्साहन देना, (इ) धायोजित ( Planned ) वितरण, व्यापार, सहायक तथा कल्याणकारी सेवाओं द्वारा कार्य उपलब्ध करने की व्यवस्था करना

(७) आवास ( Housing )—देशांत में प्रच्छे, नये और हवादार मकान बनाने के लिए अधिक उत्तम ढंगों और डिजायनों की व्यवस्था करना ।

(८) सामाजिक कल्याण ( Social Welfare )—(अ) स्थानीय प्रतिभा एवं संस्कृति के अनुसार अनु-समुदाय के मनोरंजन की व्यवस्था करना, (आ) शिक्षा व मन बहलाव के लिए दिशा-सूना कर समझाने की व्यवस्था करना, (इ) स्थानीय तथा अन्य प्रकार के खेल-कूद का प्रबन्ध करना, (ई) गेला का प्रबन्ध, तथा (उ) गृहकारिता तथा 'प्रपनी मदद ग्राम' या-शौचनों का संगठन करना ।

योजना का संगठन :—योजना प्रायोग की सिकारियों के अनुसार उन क्षेत्रों को सामुदायिक योजनाओं के अन्तर्गत पहले जाना है जिनमें पर्याप्त वषा या सिंचाई की सुविधाओं के कारण अधिक लाभ होने की आशा है । सम्पूर्ण देश में लगभग ५०० सामुदायिक योजनाएँ स्थानित कराईं जाने का योजना प्रायोग ने प्रस्ताव किया है । प्रथम प्रवस्था में ५५ योजना-क्षेत्र चुने गये हैं और महात्मा गाँधी के जन्म दिवस, २ अक्टूबर १९५२ से इनमें कार्य प्रारम्भ कर दिया गया । प्रत्येक सामुदायिक योजना के लिए जैसा कि इस समय लागू किया जा रहा है, ३०० गाँव हैं जिसमें कुल मिलाकर ५५० से ५०० वर्ग मील, १३ लाख एकड़ जल तथा २ लाख जनसंख्या आ जाती है । एक-एक योजना को ३ विकास टुकड़ियों ( Development Blocks ) में बाँटा गया है जिनमें एक-एक में १०० गाँव और ६० से ७० हजार जनसंख्या आती है । एक विकास टुकड़ो को पाँच गाँवों के हिस्से में बाँटा गया है । एक हिस्से में देहाती सतह पर काम करने वाले एक कार्यकर्ता का दायरा है । मई १९५२ में जो कार्यक्रम लागू किया गया, उसके दायरे में १३ करोड़ लोग आ गये ।

योजना में कार्य करने का ढंग ( Modus Operandi )—प्रत्येक योजना को पूरा करने में ३ वर्ष लयेंगे तथा प्रत्येक योजना के पाँच भाग हयेंगे ।

(१) प्रारम्भिक विचार ( Conception )—इसमें योजना के लिए क्षेत्र का चुनाव तथा उसका आर्थिक मापन एवं आयोजन किया जाता है । इस कार्य के लिए ३ मास की अवधि निर्धारित है ।



(२) प्रारम्भिक सामग्री जुटाना ( Initiation )—कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक आवास बनवाना, कार्यक्षेत्र में सहायक क साधन स्थापित करना तथा अन्य आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए ६ मास की अवधि निधारित है ।

(३) कार्य संचालन ( Operation )—योजना की सम्पूर्ण क्रियाएँ के संचालन के लिए १८ मास रखे गये हैं ।

(४) एकीकरण ( Consolidation )—कार्य की समाप्ति के लिए ६ मास रखे गये हैं ।

(५) अन्तिम कार्यवाही ( Finalisation )—अन्तिम कार्यवाही के लिए ३ मास निर्धारित हैं ।

योजना का प्रवन्ध—सामुदायिक योजनाओं का प्रवन्ध निम्न प्रकार में किया जाता है :—

सामुदायिक विकास का कार्यक्रम सामुदायिक विचार मन्त्रालय ( Ministry of Community Development ) द्वारा कार्यन्वित किया जाता है । इस सम्बन्ध में प्राधारभूत नीति के जो भी मामले होते हैं, वे एक केन्द्रीय समिति के सम्मुख प्रस्तुत किये जाते हैं ।

१. केन्द्रीय स्तर पर नीति सम्बन्धी कार्यों में दिशा दर्शन कराने के लिए केन्द्रीय समिति ( Central Committee ) है । योजना आयोग के सदस्य इस समिति के सदस्य हैं और भारत के प्रधान मन्त्री इसके अध्यक्ष हैं । इस समिति की सहायता के लिए एक परामर्शदाता समिति है जिसमें भारत सरकार के सम्बन्धित विभागों के सचिव हैं । योजनाओं का कार्य-संचालन करने के लिए प्रशासक ( Administrator ) है जो केन्द्रीय समिति का सचिव होता है । इस समय श्री एस. के. डे ( S. K. De ) प्रशासक का कार्य कर रहे हैं ।

२. राज्य स्तर पर प्रत्येक राज्य में एक-एक 'राज्य-विकास समिति' है जिसके सदस्य राज्य के विकास-मन्त्री, कृषि और सिंचाई मन्त्री, वित्त मन्त्री हैं और राज्य का प्रधान मन्त्री अध्यक्ष होता है । कार्य-संचालन का मुख्य अधिकारी विकास आयुक्त होता है जिसकी सहायताएँ एक परामर्शदाता समिति होती है । विकास आयुक्त ( Development Commissioner ) राज्य विश्राम समिति का सचिव होता है ।

३. जिला स्तर पर एक जिला विकास समिति है जिसके सदस्य विचार विभागों के प्रतिनिधि होते हैं और कलेक्टर अध्यक्ष होता है । जिसे या विभाग प्रकृत इस समिति का सचिव होता है और उसे सहायक कलेक्टर के अधिकार प्राप्त होते हैं ।

४. योजना-स्तर पर सबके ऊपर कार्य-संचालन करने वाला योजना प्रवर्धक अधिकारी ( Project Executive Officer ) है जो प्राथमिक सामुदायिक कार्यक्रम के लिए उत्तरदायी होता है । इसके अनतिरिक्त, एक योजना परामर्शदाता समिति भी होती है । इस समिति में सदस्य ससद तथा राज्य विधान सभा के स्थानीय सदस्य जिन्हा बोर्ड के अध्यक्ष, प्रमुख भावजनिक नेता तथा किसानों के प्रतिनिधि होते हैं ।

योजना की वित्त व्यवस्था—द्वितीय योजना वार्षिक में सामुदायिक विकास योजनाओं के लिए २०० करोड़ ६० को व्यवस्था की गई है जबकि प्रथम योजना का

में इस कार्यक्रम पर कुल १६.५ करोड़ डॉ. ही व्यय किये गये थे । देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्ण रूप से क्रांति ला देने के प्रयास में भारत की अमेरिकी सरकार तथा फोर्ड प्रतिष्ठान से सहायता मिलती रहती है । गत वर्षों में नकद सहायता के अतिरिक्त केंद्रीय तथा राज्य सरकारों को विदेशों की सेवाएँ भी उपलब्ध हुईं । फोर्ड प्रतिष्ठान हजारों योजना कार्यक्रमों के प्रतिक्षण के लिए भारत की प्रारम्भ से ही सहायता देता आ रहा है । इसके लिए ५ जनवरी, १९५२ को भारत संयुक्त राष्ट्र अमेरिका औद्योगिक सहयोग समझौता (Indo-U. S. Technical Corporation Agreement) हुआ था । मोटे तौर पर अनावृत्त ( Non-recurring ) वर्षों में केन्द्र ७५% और राज्य २५% तथा आवृत्त ( Recurring ) वर्षों में केन्द्र ५०% और राज्य ५०% खर्च उठाते ? ।

सामुदायिक विकास योजनाओं के प्रकार (Types of the Community Development Projects) — सामुदायिक विकास योजनाओं के कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित मुख्य योजना के प्रकार हैं :—

१. आधारभूत ग्रामीण सामुदायिक विकास योजनाएँ (Basic Type Rural Community Development Projects) — प्रत्येक आधारभूत ग्रामीण सामुदायिक योजना पर तीन वर्षों में ६५ लाख रुपया व्यय हुए और इसमें ३०० गाँव तथा २ लाख की जन-संख्या है । हमारी प्रविकास योजनाएँ इस प्रकार की ही हैं ।

२. मिश्रित सामुदायिक विकास योजनाएँ (Composite Type Community Development Projects) — प्रत्येक मिश्रित योजना पर १११ लाख रुपया व्यय किया गया और इसमें गाँवों के लिए सहरी सुविधाएँ प्राप्त की जाती हैं ।

आलोचना (Criticism) — सामुदायिक योजनाओं की कड़ी आलोचनाएँ की गईं । किनोवामाये, भाचार्य कृपलानी, प्रो० कुमारप्पा जैसे व्यक्ति भी इनसे सहमत नहीं हैं । मुख्य आलोचनाएँ निम्नलिखित हैं :—

(१) पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस योजना और अन्य सामुदायिक विकास योजनाओं का सम्बन्ध स्पष्ट नहीं है ।

(२) प्रत्येक योजना तीन वर्षों में पूर्ण की जायगी । योजना के समस्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह समय बहुत कम है ।

(३) इन योजनाओं की कार्यान्वित करने में अमेरिका की सहायता ली जा रही । अस्तु, देश के स्वाभिमान और स्वतन्त्र विकास में यह हानिकारक सिद्ध होगी ।

(४) विदेशी सहायता से हमारी विदेशी-नीति पर प्रतिकूल प्रभाव होगा ।

(५) विदेशी विशेषज्ञ हमारे ग्राम्य-जीवन से अनभिज्ञ होने के कारण गाँवों में खार करने में असफल रहेंगे ।

(६) सामुदायिक योजनाओं पर व्यय की जाने वाली राशि बहुत ही अधिक है । यह सम्पूर्ण देश को ऐसी योजनाओं के अन्तर्गत लाया जाय, तो १,००० करोड़ रुपया सरकार को व्यय करना पड़ेगा । भारत के ग्रहण प्रारंभिक साधनों से से इतनी बड़ी राशि न योजनाओं पर व्यय करना असम्भव-ना प्रतीत होता है ।

(७) राज्य-सरकारों के लिए भी इन योजनाओं के प्रति अपने हिस्से की राशि व्यवस्था करना कठिन है ।

(८) इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए सरकारी कर्मचारी ही नियुक्त किये गये हैं जो अपनी साँकीसरी मनोवृत्ति के कारण जनता में सम्यक् उत्साह और सहयोग की भावना को जाग्रत नहीं कर सकेगे ।

सामुदायिक योजनाओं का भविष्य (Future of Community Projects)—उपरोक्त दोषों के होने हुए भी सही हो इसके विषय धारणा नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि सभी कार्य प्रयोगात्मक व्यवस्था में ही हैं। वर्षों की रूढ़िवादिता और धकमण्डता की गहरी नींद से छुटकारा दिलाने के लिये समय और धर्म की आवश्यकता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि ये योजनाएँ अपने प्रकार की पहली योजनाएँ हैं जो प्रथम बार भारत में प्रस्तुत की गई हैं। सभी भी इनके द्वारा लाभ प्राप्ति की बहुत गुंजादग है। आवश्यकता इस बात की है कि इन योजनाओं को सफल बनाने में सरकार को हार्दिक सहयोग दें और हम सब मिल कर काम करें। इस सम्बन्ध में सामुदायिक योजनाओं के प्रसारक ने ठीक ही कहा है—“समृद्धि के लिए कोई सुगम उपाय नहीं है। हम सबको कठिन परिश्रम करना होगा” ।

राष्ट्रीय विस्तार सेवा (National Extension Service)—‘अधिक भ्रम उपायों’ जैसी समिति ने यह प्रस्ताव रखा था कि ऐसा बड़ा राष्ट्रीय संगठन बनाया जाये जिसके द्वारा प्रत्येक किसान तक पहुँचा जा सके एवं देहाती विकास का काम किया जा सके जो देहात के विकास में हाथ लगाये ।

केन्द्रीय समिति ने अपनी १३ अप्रैल १९५३ की बैठक में यह निश्चय किया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम को राष्ट्रीय विस्तार सेवा के कार्यक्रम से मिला दिया जाये जिससे दोनों के समुक्त कार्यक्रम में १२,००० गाँव प्रदान भारत की देहाती जनसंख्या का एक चौथाई भाग देहात कुम्हार के कार्यक्रम में लाया जा सके। तदनुसार २ अप्रैल १९५३ को राष्ट्रीय विकास सेवा (National Extension Service) का उद्घाटन किया गया। पंचवर्षीय योजनाकाल में ७०० विकास-दुकड़ियों (Blocks) में गहरे विकास कार्यक्रम (Intensive Development Programme) और ५०० विस्तृत दुकड़ियों में जिनमें प्रत्येक विकास दुकड़ा (block) में लगभग सौ गाँव हैं, विस्तृत विकास कार्यक्रम (Extensive Development Programme) लागू किया जाएगा। गहरे विकास के लिए सामुदायिक योजनाओं का कार्यक्रम और विस्तृत विकास के लिए राष्ट्रीय विस्तार सेवा का कार्यक्रम लागू किया जाएगा। सामुदायिक योजनाओं के गहरे विकास के पूर्व राष्ट्रीय विस्तार सेवा का कार्यक्रम लागू करना गहरे विकास के लिए पूरक मूल तैयार करने में सहायक सिद्ध होगा।

पंचवर्षीय-योजना-काल में राष्ट्रीय विस्तार सेवा के लिए १२,००० ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं (Village level Workers) की आवश्यकता है जिनमें से ४,५०० से अधिक तो अप्रैल १९५४ के अन्त तक शिक्षा पा चुके थे। शिक्षा केन्द्रों में वृद्धि की जा रही है।

1 “There is no short cut to prosperity. All of us have to put in our best efforts. A much greater responsibility lies on the government officials and on those associated with the planning work. The greatest need of the country at the moment is increase of production and co-ordinated developments”

—The National Administrator of Community Projects

प्रगति—सामुदायिक विकास कार्यक्रम को एक उपाय के रूप में तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम को एक साधन के रूप में समझना गया है। इनके माध्यम से गांधी के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन में प्रगति लाने का उद्देश्य रखा गया है। द्वितीय योजना काल के सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रमों के लिए २०० करोड़ ६० की राशि निर्धारित की गई है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, वे प्राप्त कर लिये गये हैं। सशोषित-विश्वम के अनुसार प्रकूरर १६६० तक सारा देश इस कार्यक्रम के अन्तर्गत आ जाता है। अप्रैल १९५६ तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम के क्षेत्र में लगभग १७.३ करोड़ व्यक्तियों से मुक्त ३ ३६,५१० गाँवों के जिनमें २,५४८ विनाश लक्ष्य हैं।

भूदान यज्ञ (Bhoodan Yagya)—“न्याय और समानता के आधार पर टिके हुए समाज में भूमि पर सदा अधिकार होना चाहिए। इसलिए हम भूमि को शिष्टा नहीं मान रहे हैं बल्कि उन परीशों का हिस्सा मान रहे हैं जो भूमि प्राप्त करने के अधिकारी हैं।”

विनोबा भावे

प्रारम्भिक—भूदान यज्ञ भूमि-वितरण समस्या को हल करने का गांधीवादी अहिंसात्मक ढंग है। पं० नेहरू के शब्दों में “आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया गया भूदान आन्दोलन एक आतिथ्यकारी आन्दोलन है जो अहिंसात्मक प्रणाली से देश की मुख्य समस्या की हल करने का मार्ग ढूँढना चाहता है।” जमींदारी उन्मूलन आदि भूमि-सुधार के कई उपाय निश्चित रूप से परन्तु उन सब में भूदान यज्ञ एक अनुपम उपाय है। जमींदारी उन्मूलन से केवल बूढ़ों का ही लाभ पहुँचता है, भूमिहीन व्यक्ति उससे वंचित रहते हैं। परन्तु भूदान यज्ञ भूमिहीन व्यक्तियों का एकमात्र सहारा है। इसके प्रतिरूप, भूदान यज्ञ आन्दोलन में जमींदारी उन्मूलन की भाँति भूमि बतपूर्वक या अनिवार्य रूप से नहीं ली जाती है और न भूस्वामियों को क्षतिपूर्ति या मुआवजा देना पड़ता है। अतएव यह कृषि सुधार का एक अहिंसात्मक ढंग है। योजना आयोग ने अनुसार “भूमि दातृ देश का आन्दोलन जो कि आचार्य विनोबा भावे द्वारा चलाया गया है विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इसने द्वारा भूमिहीन व्यक्ति को अवसर मिलता है जो उसे अन्यथा प्राप्त नहीं हो सकता है।” गांधीवादी अर्थशास्त्री प्रो० एन० एन० मधवान रिलने हैं कि “भूदान यज्ञ देश में महत्वपूर्ण भूमि सुधारों के लिए स्वास्थ्य एक अनुपम उपाय करण उद्वेग करने के लिए औरवता के साथ सकल दुप्रा है। इसने भारत को यह बत दिया है कि भूमि की समस्या शान्तिमय दंगत में भी समाधान हल की जा सकती है।” प्रजा समाजवादी दल के नेता श्री जे० पी० गारायल के शब्दों में “यह आन्दोलन देश में भूमि सुधारों की दंगत में एक महान प्रयास है।”

1 The Planning Commission remarks “The movement for making gifts of land, which has been initiated by Acharya Vinoba Bhave, has special value for, it gives to the land less worker an opportunity not otherwise easily available to him”

2 Bhoodan Yagya has eminently succeeded in creating a healthy and favourable atmosphere for the introduction of far reaching land reforms in the country. It has demonstrated to the World that the land problem could be effectively solved through peaceful methods.” Writes the Gandhian economist prof S N Agarwal

3 In the words of Shri J P. Naran, the Praja Socialist Leader, “The movement is a giant stride in the direction of agrarian reforms in the country.”

उद्देश्य—इस आन्दोलन का मुख्य उद्देश्य बिना किसी खून खराबों के देश में सामाजिक और आर्थिक दुर्व्यवस्था को दूर करना है।

**प्रारम्भ तथा प्रगति :**—भूदान यज्ञ का प्रारम्भ आचार्य विनोबा भावे द्वारा १८ अप्रैल १९५१ को हैदराबाद राज्य के तिलगाना जिले के पोचमण्नी गाँव में हुआ। घटना इस प्रकार है कि जब आचार्य भावे पोचमण्नी गाँव में एक सदा की भक्ति सभा के पदवाह्य करने विचार प्रकट कर रहे थे, तब वहाँ के हरिजन निवासियों ने अपना दुःखड़ा बताते हुए ८० एकड़ भूमि की माँग की। सत में उसी समय पूछा कि क्या कोई दाता है जो इस माँग को पूरी करेगा ? कुछ समय की शांति के पश्चात् रामचन्द्रजी रेडी नामक एक विनाश हृदय जमींदार खड़ा हो गया और संत को १०० एकड़ भूमि अर्पण कर दी। आचार्य भावे ने तुरन्त उस भूमि को उन भूमिहीन हरिजनों को बाँट दिया जिन्होंने भूमि की माँग की थी। वस इस घटना से भूदान यज्ञ आन्दोलन को जन्म मिल गया।

आचार्य भावे के अहिंसात्मक आन्दोलन का परिणाम यह हुआ कि साठ दिन में १२,३१८ एकड़ भूमि उन्हें दान में प्राप्त हो गई। इस प्रकार भूदान यज्ञ की कल्पना देश और दुनियाँ के सामने आई जिसने सभी को आश्चर्य में डाल दिया। भारत के भूमिहीनों की शोचनीय दशा को देखकर आचार्य ने सन् १९५७ ई० तक ५ करोड़ एकड़ भूमि प्राप्त करने का महान् संकल्प किया। फिर क्या था देश में आन्दोलन की गति तीव्र हुई और भावे ने दान प्राप्त करने में तन-मन लगा दिया। सैकड़ कार्यकर्त्ता जुट पड़े। १३ नवम्बर १९५१ को वे दिल्ली पहुँचे। इस योग में उन्होंने १६,४३६ एकड़ भूमि प्राप्त कर ली।

दिल्ली में कुछ दिन टहर कर उन्होंने उत्तर-प्रदेश की यात्रा आरम्भ की। एक जिवे के बाद दूसरा तिला लावने हुए वे अप्रैल १९५३ में काशी पहुँचे। इस समय तक १,०२,३६१ एकड़ भूमि उन्हें प्राप्त हो चुकी थी। काशी में १८ मील दूरस्थ मेवापुरी ग्राम में देश भर के सर्वोद्य विचारकों का एक सम्मेलन हुआ जिसमें उन्होंने ५० लाख एकड़ भूमि अर्पण १९५४ तक जमा करने का पर्य किया।

अब तक सन्त विनोबा अकेले ही पैदल यात्रा कर रहे थे, परन्तु मेवापुरी सम्मेलन के पश्चात् कुछ अन्य प्रभावशाली व्यक्तियों ने भी इस कार्य को उठाया और वे भूमि प्राप्ति के हेतु धूमने लगे जिनमें सर्वश्रेष्ठ शंकरानन्द देव, सन्त तुरडीजी, जयप्रकाश नारायण आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। देश भर में एक बड़ी संख्या में भूदान समितियाँ संगठित हो चुकी हैं। इस आन्दोलन को केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों में बड़ी सहायता मिल रही है। काठून द्वारा भूमि के दान को सुविधाजनक बनाकर इन्होंने इस आन्दोलन को प्रोत्साहन प्रदान किया है। इन्होंने यज्ञ में बहुत सी भूमि भी दान की है, जिनमें मध्यभारत सरकार ने २ लाख एकड़ भूमि दान की है। सबसे बड़ा व्यक्तिगत दान बिहार में गौका के राजा ने किया जो १,०२,००१ एकड़ भूमि का है। अनेक बिहार प्रान्त में सम्पूर्ण दान का दो तिहाई भाग एकीकृत हुआ। यज्ञ में सम्पूर्ण एकजिन भूमि में से अब तक केवल ५५,८८५ एकड़ भूमि का ही वितरण हुआ है। भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि के प्रतिरिक्त वृषि, शौजार, बैल, बीज आदि भी दिये जाते हैं जिसमें कृषि कार्य को प्रारम्भ किया जा सके।

धीरे धीरे भूमि-दान के पश्चात् लोगों का सम्पर्क दान, धर्म दान, बुद्धि दान, धाम दान और यहाँ तक कि विनोबाजी ने जीवन दान तक के नियम तैयार किया। जयप्रकाश

वायू ने जीवनदान अपने लिये श्रेष्ठतम समझा। आमदान का उद्देश्य अन्ततः गाँव के सहकारी प्रबन्ध से जिसकी मल्पना योजना में की गई है, सम्बन्धित है।

प्रगति—३० नवम्बर १९५६ तक भूदान में ४४,०६,६३६ एकड़ भूमि प्राप्त हुई तथा ८,४०,६०६ एकड़ भूमि का वितरण किया गया। ४,५६५ गाँव, गाँव-दान के अन्तर्गत प्राप्त हुए।

सूदान यज्ञ आन्दोलन के गुरु—(१) भूदान आन्दोलन में भारत के १ करोड़ भूमिहीनों की समस्या हल हो सकेगी। (२) इसके सम्बन्धित के वितरण की असमानता कम हो जायेगी। (३) देश की बेकारी को दूर करने में उचित सहायता मिलेगी। (४) देश के गृह-सघोषों को इस आन्दोलन से बल प्राप्त होगा। (५) देश में जो पट्ट भूमि है, उसका पूर्ण उपयोग हो सकेगा। (६) भूमि पर अधिक उत्पादन किया जाने से देश की अन्न समस्या बहुत कुछ हल हो जायेगी। (७) भूदान यज्ञ से सहकारिता की भी प्रोत्साहन मिलेगा। (८) देश में जीदारी की समाप्ति में यह सहायक सिद्ध होगा। (९) रक्तहीन आर्थिक क्रान्ति के दिग्दर्शक में एक अनुपम उदाहरण होगा जिससे अन्य देशों को प्रेरणा मिलेगी। (१०) भूदान यज्ञ आन्दोलन में भूमि के बदले में मुद्राबन्धन नहीं देना पड़ता है, इसलिए यह सरकार को धन की दृष्टि से भार-स्वरूप नहीं होगा। (११) भूमि दान आन्दोलन वर्ग-संघर्ष के स्थान में वर्ग-समन्वय की भावना को प्रोत्साहन देकर राम-राज्य की गांधी-कल्पना को साकार रूप देगा। (१२) इससे ग्राम-संघर्षों को बल मिलेगा। (१३) भूमि मुक्ति का मार्ग खुल जायगा। (१४) सहकारी कृषि को प्रोत्साहन मिलेगा।

दोष—(१) दान शब्द से दीनता का साधन मिलता है। अर्थात्, यह आन्दोलन अनुचित है। (२) भूमिदान और इसके पुनर्वितरण से भूमि के छोटे-छोटे टुकड़े हो जायेंगे जोकि अनाधिक जोत को प्रोत्साहन देने में सहायक होंगे। (३) भूमिदान में प्रायः खराब भूमि ही अधिक प्राप्त हो रही है जिसमें यह प्रभाव निष्पन्न है। (४) यह हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया पूंजीपतियों को बचाने का उपाय गण्य है। (५) आर्थिक वास्तव्यता को प्रोत्साहन मिलेगा। (६) जब दान में प्राप्त सभी भूमि पर सेती भी जाने-लगेगी, तो चरागाहों और वनों की कमी की समस्या बड़ी हो जायेगी। (७) हीनों से दान क्यों लिया जा रहा है? (८) भूमि-वितरण में विसमत्व। (९) जित्नी भूमि दी जायगी वे महाजनों को मुट्ठी में फँस जायेंगे, क्योंकि वे सेती में लगाने के लिये रकबा उधार लेंगे।

निष्कर्ष—भूदान यज्ञ आन्दोलन की बुद्ध भी आलोचना हो, संशय में इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि भूदान यज्ञ केवल भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि सम्पूर्ण सत्कार में अन्ततः अन्त है। यदि हम अपने प्यारे देश भारत को अधिक उन्नत, अधिक समृद्ध और यहाँ के निवासियों को सुखी, शान्त, परिश्रमों और धनवान् देलना चाहते हैं, तो हमें इस भूदान यज्ञ आन्दोलन में सहयोग देना चाहिये।

सर्वोदय आन्दोलन ( Sarvodaya Movement )—“सर्वोदय एक ऐसा आन्दोलन है जो समग्र को केंद्र करता है। इसके द्वारा समाज के बर्तमान के हेतु बहुत में कार्यक्रम सामंतिपूर्ण उपायों से हो सकेंगे। जनता में जागरूकता आयेगी और जनता की स्वराज्य का वास्तविक लाभ मिल सकेगा।” —गुरुमुक्त निहालसिंह, राज्यपाल

अर्थ—सर्वोदय का शाब्दिक अर्थ है संपूर्ण उदय। सर्वोदय संगठन के रूप में एक आन्दोलन है जिसमें समाज के सभी व्यक्तियों के बर्तमान की भावना निहित है।

समाज के सभी व्यक्तिग छोटे बड़े कमजोर ताकतवर बुद्धिमान और जठ—सबका उदय होना हमारा दायित्व और आधार विचारधारा है ।

उद्देश्य— राज्य और शक्ति का नीव पर एक ऐसा समाज बनाने की कोशिश करना जिसमें जातपात न हो जिसमें किसी को शोषण करने का मौका न मिले और जिसमें समूह और व्यक्ति दोनों का सर्वांगीण विकास करने का पूरा अवसर मिले ।

बुनियादी सिद्धान्त— हम संगठन के अंतर्गत साधनों और साधक की बुद्धि पर जोर दिया जाता है । साध्य और उस प्राप्त करने के लिये अपनाने वाले साधन में पूर्ण समन्वय है । साध्य के सही होने पर भी यदि साधन गलत है तो वह साध्य को विफल करेगा । इसलिए हम दोषों की बुद्धि पर जोर दिया गया है ।

कार्यक्रम— इस उद्देश्य के सिद्धि के लिए निम्नांकित कार्यक्रम पर ध्यान दिया जाय —

(१) गांधीवादीक बनना (अन्य संगठनों और सम्प्रदायों को मानने वालों से भेद) (२) धर्मव्युत्पत्ता विचारण (३) जाति भेद निराकरण, (४) नशाखोरी (५) खादी और दूसरे ग्राम उद्योग (६) ग्राम सफाई (७) सड़क निर्माण, (८) मित्रों के लिए पुस्तकें बनाना (९) ग्राम सभाओं में सभी युवाओं की बगवत की प्रशिक्षण (१०) ग्रामोत्थान और स्वच्छता, (११) देश की भाषाओं का विकास (१२) अर्थिक विकास योजना की विचारण (१३) गांधीवादीक समाज (१४) गरीबों की उत्थिति (१५) मजदूर संगठन (१६) ग्रामीण जातिवाद की सेवा (१७) विद्यार्थी संगठन (१८) दुष्कर लोगों की सेवा (१९) गरीब विचारण और दुष्करों की सेवा, (२०) मोक्ष सेवा, (२१) प्राकृतिक विद्युत् (२२) इसी प्रकार के अन्य कार्य ।

सर्वोदय सम्मेलन— स्वयं का अर्थ न केवल स्वयं अपने और चिन्तन के अर्थ में प्रदान के लिए व्यक्ति सम्मेलन आयोजित किया जाता है । सर्वोदय सम्मेलन समाज का काम करने और अर्थों के लिए सर्वोदय सम्मेलन एक उपस्थिति निरूपण की गई है । हम समिति का काम समाज के सदस्यों का चिन्तन करना और सामंती पर समाज और उद्योगों के अर्थों का जीवन सम्पन्न बनाना है । इसी तौर पर इसका अर्थ सर्वोदय समाज की योजना से सम्बन्धित करने का सम्मेलन के अस्तित्व पर ध्यान देना है ।

### अभ्यासार्थ प्रश्न

इन्टर क्वार्टर्स परीक्षाएँ

१—पहली पंचवर्षीय योजना में कितने उत्पादकों के उत्पादन पर अधिक जोर दिया गया था ? द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस प्रकार के उत्पादन पर जोर देना चाहिए ?

२—द्वितीय लक्षित—साम्प्रदायिक योजनाएँ ।

३—भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या हैं ? इसकी आवश्यकता से राष्ट्रीय धारा और योजनाएँ पर क्या अन्वयण है ? (सम. बो. १९६०)

४—भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना की विशेषताओं का बखाना कीजिए ।

(सम. बो. १९५६, घं. बो. १९५६)

५—निम्नलिखित पर द्वितीय लक्षित लिखिये —

(क) ग्रामीण योजना ।

(सं. बो. १९६०)

(ख) भूदान आन्दोलन ।

घं. दि० ६४

- (ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना की सफलताएँ । (रा० बो० १९५८)
- (घ) द्वितीय पंचवर्षीय योजना । (रा० बो० १९५७)
- (ङ) सामूहिक विकास योजनाएँ । (रा० बो० १९५७)
- (च) भूदान आंदोलन
- (छ) पंचवर्षीय योजना की सफलताएँ ।
- ६—देश की पंचवर्षीय योजनाओं में ग्राम उद्योग क्यों वा क्या महत्त्व है ? (म० भा० १९५७)
- ७—भारत में ग्रामिक आभोजन के क्या उद्देश्य हैं ? (अ० बो० १९५७)
- ८—भारत की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ग्राम व कुटीर उद्योगों के विकास की क्या मुख्य रूप रेखा है ? (नागपुर १९५६)
- ९—निम्नलिखित पर नोट लिखिए —
- (अ) भारत में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का रोजगार पर प्रभाव ।
- (आ) सामुदायिक योजनाएँ । (रा० बो० हा० से० १९६१)